

ॐ तत्सत् ।

श्रीमद्भगवद्गीतासहस्र अथवा कर्मयोगशास्त्र

गीता की बहिरंगपरीक्षा, मूल संस्कृत श्लोक, भाषा-अनुवाद, अर्थनिर्णायक
टिप्पणी, पूर्वी और पश्चिमी मतों की तुलना, इत्यादि सहित ।

लेखक

लोकमान्य वाल गंगाधर तिलक

अनुवादक

श्रीमान् माधवरावजी सप्रे

चौदहवाँ संस्करण

तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचार ।

असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः ॥

- गीता ३. १९

शके १८९१ : सन १९६९

मूल्य १६ रुपये

प्रकाशक :

जयंत श्रीधर तिलक,
श्रीकांत श्रीधर तिलक,
५६८ नारायण पेठ,
लो. तिलक-मंदिर
(गायकवाडवाडा),
पूना २

प्रकाशक ने सर्वाधिकार
स्वाधीन रखे हैं।

मुद्रक :

जयंत श्रीधर तिलक,
केसरी मुद्रणालय,
५६८ नारायण पेठ,
पूना २

अथ समर्पणम् ।

श्रीगीतार्थः क्व गंभीरः व्याख्यातः कविभिः पुरा ।

आचार्यैर्यश्च बहुधा क्व मेऽल्पविषया मतिः ॥

तथापि चापलादास्मि वक्तुं तं पुनरुद्यतः ।

शास्त्रार्थान् सम्मुखीकृत्य प्रत्नान् नव्यैः सहोचितैः ॥

तमार्याः श्रोतुमर्हन्ति कार्याकार्य-दिदृक्षवः ।

एवं विज्ञाप्य सुजनान् कालिदासाक्षरैः प्रियैः ॥

वालो गांगाधरिश्चाऽहं तिलकान्वयजो द्विजः ।

महाराष्ट्रे पुण्यपुरे वसन् शांडिल्यगोत्रभृदेतं ॥

शाके मुन्यश्विबसुभू - सम्मिते शालिवाहने ।

अनुसृत्य सतां मार्गं स्मरंश्चापि वचो* हरेः ॥

समर्पये ग्रन्थमिमं श्रीशाय जनतात्मने ।

अनेन प्रीयतां देवो भगवान् पुरुषः पर ॥

* यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् ।

यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् ॥

- गीता ९. २७

गीतारहस्य के भिन्न भिन्न संस्करण

मराठी -	१ ला	संस्करण	जून १९१५
	२ रा	"	नवंबर १९१५
	३ रा	"	१९१८
	४ था	"	१९२३
	५ वा	" [दो भागों में पहला संस्करण]	१९२४-१९२६
	६ वाँ	"	१९५०
	७ वाँ	"	१९५६
	८ वाँ	"	१९६३
	९ वाँ	"	१९६८
हिन्दी -	१ ला	संस्करण	१९१७
	२ रा	"	१९१८
	३ रा	"	१९१९
	४ था	"	१९२४
	५ वाँ	"	१९२५
	६ वाँ	" [दो भागों में पहला संस्करण]	१९२६
	७ वाँ	"	१९३८
	८ वाँ	"	१९४८
	९ वाँ	"	१९५०
	१० वाँ	"	१९५५
	११ वाँ	"	१९५९
	१२ वाँ	"	१९६२
	१३ वाँ	"	१९६५
	१४ वाँ	"	१९६९
गुजराती -	१ ला	"	१९१७
	२ रा	"	१९२४
	३ रा	"	१९५६

लो. तिलकजी के अन्य अंग्रेजी ग्रन्थ

५

कानडी -	१ ला	संस्करण	१९१९
	२ रा	"	१९५६
तेलगु -	१ ला	"	१९१९
बंगला -	१ ला	"	१९२४
तमील -	१ ला	" [दो भाग, अपूर्ण]	१९२४
अंग्रेजी -	१ ला	" [दो भागों में]	१९३६
	२ रा	"	१९६५

लो. तिलकजी के अन्य अंग्रेजी ग्रन्थ

[१] The Orion	वेदकाल का निर्णय	१ ला संस्करण	१८९३
		२ रा "	१९१६
		३ रा "	१९२५
		४ था "	१९५५
[२] The Arctic Home in the Vedas	आर्यों का मूल निवासस्थान	१ ला संस्करण	१९०३
		२ रा "	१९२५
		३ रा "	१९५६
[३] Vedic Chronology & Vedanga Jyotish	वेदों का कालनिर्णय और वेदाङ्ग ज्योतिष	१ ला संस्करण	१९२५

भारतीय आध्यात्मिकता का सुमधुर फल

“प्रत्यक्ष अनुभव से यह स्पष्ट दिखाई देता है, कि श्रीमद्भगवद्गीता वर्तमान युग में भी उतनी ही नावीन्यपूर्ण एवं स्फूर्तिदात्री है, जितनी की महाभारत में ममाविष्ट होते समय थी। गीता के मन्देश का प्रभाव केवल दार्शनिक अथवा विद्वच्चर्चा का विषय नहीं है, अपितु आचार-विचारों के क्षेत्र में भी विद्यमान होकर मार्ग बतलानेवाला है। एक राष्ट्र तथा संस्कृति वा पुनरुज्जीवन गीता का उपदेश करता आया है। सत्सार के अत्युच्च शास्त्रविषयक ग्रन्थों में उसका अविरोध से समावेश हुआ है। गीताग्रन्थ पर स्वर्गीय लोकमान्य तिलकजी की व्याख्या निरी मल्लीनाथी व्याख्या नहीं है। वह एक स्वतन्त्र प्रबन्ध है। उसमें नैतिक मत्य वा उचित निदर्शन भी है। अपनी सूक्ष्म और व्यापक विचारप्रणाली तथा प्रभावोत्पादक लेखनशैली के कारण मराठी भाषा का पहली श्रेणी का यह पहला प्रचण्ड ग्रन्थ अभिजात वाङ्मय में समाविष्ट हुआ है। इस एक ही ग्रन्थ से यह स्पष्ट होता है, कि यदि तिलकजी सोचते तो मराठी साहित्य और नीतिशास्त्र के इतिहास में एक अनोखा स्थान पा सकते। किन्तु विधाता ने उनकी महत्ता के लिये वाङ्मयक्षेत्र नहीं रखा था ! इसलिये केवल मनोरंजनार्थ उन्होंने अनुसन्धान वा महान् कार्य किया। यह अर्थपूर्ण घटना है, कि उनकी कीर्ति अजरामर करनेवाले उनके अनुसन्धान-ग्रन्थ उनके जीवितकार्यों से विवशतापूर्वक लिये हुए विश्रान्तिकाल में निर्मित हुए हैं। स्वर्गीय तिलकजी की प्रतिभा के ये गौण आविष्कार भी इस हेतु से सम्बद्ध हैं, कि इस राष्ट्र का महान् भवितव्य उसके उज्ज्वल गतेतिहास के योग्य हो। गीतारहस्य वा विषय जो गीताग्रन्थ है, वह भारतीय आध्यात्मिकता का परिपक्व सुमधुर फल है। मानवी धर्म, जीवन और कर्म की महिमा का उपदेश अपनी अधिवादाणी से देकर सच्चे अध्यात्म का सनातन सन्देश गीता दे रही है, जो कि आधुनिक काल के ध्येयवाद के लिये आवश्यक है।”



बाबू अरविन्द घोष

दिव्य 'टीका'-मौक्तिक

“वाल्यावस्था में ही मुझे ऐसे शास्त्रीय ग्रन्थ की आवश्यकता प्रतीत होने लगी, जो कि जीवितावस्था के मोह तथा कसौटी के समय उचित मार्गदर्शक हो। मैंने कही पढ़ा था, कि केवल सात सौ श्लोको में गीता ने सारे शास्त्रों का और उपनिषदों का सार — सागर में सागर — भर दिया है। मेरे मन का निश्चय हुआ। गीतापठन सुविधाजनक होने की दृष्टि रखकर मैंने संस्कृत का अध्ययन किया। वर्तमान अवस्था में तो गीता मेरा वाइवल या कुराण ही नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष माता ही हुई है। अपनी लौकिक माता से तो कई दिनों से मैं बिछुड़ा हूँ। किन्तु तभीसे गीतामैया ने ही मेरे जीवन में उसका स्थान ग्रहण कर लिया है और उसकी त्रुटी नहीं के बराबर कर दी। आपत्काल में वही मेरा सहारा है।



महात्मा गांधी

स्वर्गीय लोकमान्य तिलकजी अपने अभ्यास एवं विद्वत्ता के ज्ञानसागर से 'गीता-प्रसाद' के बलपर ही यह दिव्य टीका-मौक्तिक पा चुके। बुद्धि से आविष्कार करने के व्यापक सत्य का भण्डार ही उन्हें गीता में प्राप्त हुआ।

गीता पर तिलकजी की टीका ही उनका शाश्वत स्मारक है। स्वराज्य के युद्ध में विजयश्री प्राप्त होनेपर भी वह सदा के लिये बना रहेगा। तिलक जी का विशुद्ध चारित्र्य और गीता पर उनकी महान् टीका दोनों बातों से उनकी स्मृति चिरप्रेरक होगी। उनके जीवनकाल में अथवा साम्प्रत भी ऐसा कोई व्यक्ति मिलना असम्भव है, जिसका उनसे अधिक व्यापक और गहरा शास्त्रज्ञान हो। उनकी गीता पर जो अधिकारयुक्त टीका है, उससे अधिक मौलिक ग्रन्थ की निर्मित न अभी तक हुई है और न निकट के भविष्य-काल में होने की सम्भावना है। गीता और वेद से निर्मित समस्याओंका तिलकजी ने जो सुचारु रूप से संशोधन किया है, उससे अधिक अभी तक और किसीने नहीं किया है। अथाह विद्वत्ता, असीम स्वार्थत्याग और आजन्म देशसेवा के कारण जनता जनार्दन के हृन्मन्दिर में तिलकजी ने अद्वितीय स्थान पा लिया है।”

— महात्मा गांधी

(बनारस-कानपुर के अभिभाषण)

प्रकाशक का निवेदन

हमारे पितामह स्वर्गीय लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक महोदय प्रणीत श्रीमत् भगवद्गीता अथवा कर्मयोगशास्त्र ग्रन्थ का चौदहवाँ संस्करण प्रकाशित करने का नुबवसर आज प्राप्त हुआ है। इसके तीन संस्करण लोकमान्यजी के जीवनकाल में प्रसिद्ध हो चुके थे। चतुर्थ संस्करण में इस ग्रन्थ का थोड़े में इतिहास दिया था। यहाँ भी उसको दुहराना हम उचित मानते हैं।

यह सर्वत्र मुद्रित ही है कि गीतारहस्य ग्रन्थ लो. निलक महोदय ने वर्मा के मण्डाले नगर में कारागृहवास के समय में लिखा था। हमारे पाम की इस ग्रन्थ की मूल पेन्सिल से लिखी हुई हस्तलिखित चार प्रतियों से ज्ञात होता है कि इस ग्रन्थ के मसविदे का आरम्भ मण्डाले में ता. २ नवम्बर सन १९१० में करके लगभग ९०० पृष्ठों का यह सम्पूर्ण ग्रन्थ ता. ३० मार्च १९११ के रोज (अर्थात् केवल पाँच महीनों में) उन्होंने अपने हाथ से अलग कर दिया। सोमवार, ता. ८ जून १९१४ इस रोज लोकमान्य महोदय की मण्डाले के कारागृह से मुक्तता हुई। वहाँ पूना लौट आने पर कई सप्ताहों तक राह देखके भी, मण्डाले के कारागृह के अधिकारी के स्वाधीन की हुई गीतारहस्य की हस्तलिखित पुस्तक जल्द वापिस करने का सरकार का इरादा दीर्घ नहीं पड़ा। जैसे अधिक दिन व्यतीत हो जाने लगे, वैसे सरकार के हेतुओं के बारेमें लोग अधिकाधिक साशंक होंते चले। कोई कोई तो आखिर स्पष्ट कहने लगे, कि "सरकार का विचार कुछ ठीक नहीं मालूम होता। पुस्तकें वापिस न करने का दँग ही ज्ञात होता है।" ऐसे शब्द जब किसी के मूँह से निकल कर लोकमान्यजी के कानों पर आते थे, तब वे कहा करते थे, कि - 'इसका कुछ कारण नहीं। ग्रन्थ यदि सरकार के स्वाधीन है, तो भी उसका मजमून मेरे मस्तिष्क में है। निवृत्ति के समय में शान्तता में सिंहगढ़ के किले पर मेरे बंगले में बैठ कर ग्रन्थ फिर से मैं यथास्थित लिख डालूँगा।' - यह आत्मविश्वास की तेजस्वी भाषा उतरती उध्रवाले - अर्थात् ६० वर्ष के - यद्योवृद्ध गृहस्य की है, और यह ग्रन्थ मामूली नहीं; बल्कि गहन तत्त्वज्ञान के विषय से भरा हुआ ९०० पृष्ठों का है। इन सब बातों को ध्यान में लेने से लोकमान्य महोदय के प्रवृत्तिपर प्रयत्नवाद की यथार्थ कल्पना त्वरित हो जाती है। मुभाग्य से तदनन्तर जल्दी ही सरकार की ओर से सभी पुस्तकें सुरक्षित वापिस हुईं, और लोकमान्य के जीवनकालमें ग्रन्थ के तीन हिन्दी संस्करण प्रकाशित हुए।

गीतारहस्य का मूल मसविदा चार पुस्तकों में था, यह उल्लेख ऊपर किया गया है। उन पुस्तकों के सम्बन्ध में विशेष परिचय इस प्रकार है :-

पुस्तक	विषय	पृष्ठ	लिखने का काल
१	रहस्य. प्र. १ से ८	१ से ४१३	२ नवंबर १९१० से ८ दिसंबर १९१०
२	रहस्य. प्र. ९ से १३	१ से ४०२	{ १३ दिसंबर १९१० से १५ जनवरी १९११
३	रहस्य. प्र. १४ से १५	१ से १४७	} { १५ जनवरी १९११ से ३० जनवरी १९११
	बहिरङ्गपरीक्षण,	{ १५१-२४४ और ४०१-४१२	
	मुखपृष्ठ, समर्पण और	२४५-२४७	
	श्लोकों का अनुवाद	२४९-३९९	
	अध्याय १-३		
४.	श्लोकों का अनुवाद	{ १-३४० ३४४-३७४	} { १० मार्च १९११ से ३० मार्च १९११
	अध्याय ४ से १८	{ ३८५-४०७ ३४१-३४३	
	प्रस्तावना	{ ३७५-३८४	

पुस्तक की अनुक्रमणिका, समर्पण और प्रस्तावना भी लोकमान्य महोदय ने कारागृह में लिखी थी; और जगह जगह पर कौन-सी बातें रखनी थीं, उनकी सूचना भी लिख कर ग्रन्थ परिपूर्ण कर रखा था। उसपर से यों ज्ञात होता है कि उनको कारागृह से अपने जीते जी मुक्तता होगी या नहीं, इस बात का भरोसा नहीं था; और मुक्तता न होने के कारण अपना परिश्रमपूर्वक सम्पादन किया हुआ ज्ञान और उस से सूचित विचार व्यर्थ न जाये; बल्कि उनका लाभ अगली पीढ़ी को मिले यह उनकी अत्युत्कट इच्छा थी। पुस्तक की अनुक्रमणिका पहले दोनों पुस्तकों के आरम्भ में उन पुस्तकों के विषय की ही है; पुस्तक का मुखपृष्ठ और तीसरे पुस्तक में २४५ से २४७ पृष्ठों में है और प्रस्तावना चौथे पुस्तक में ३४१ से ३४३ और ३७५ से ३८४ पृष्ठों में है। कारागृह से मुक्तता होने पर प्रस्तावना में कुछ सुधार किया है; और वह जिन्होंने प्रकाशनकाल में सहायता दी थी उन व्यक्तिनिर्देशविषयक है। यह विषय प्रथमावृत्ति की प्रस्तावना के अन्तिम पैरिग्राफ के आगे के पैरिग्राफ में लिखा है। अन्तिम पैरिग्राफ तो कारागृह में ही लिखा हुआ था।

उनमें से पहली पुस्तक में पहले आठ प्रकरणों को 'पूर्वार्ध' संज्ञा दी गई है (वह पुस्तक के पृष्ठ के चित्र से ज्ञात होगा), दूसरी पुस्तक को उत्तरार्ध भाग पहला और तीसरी को उत्तरार्ध भाग दूसरा इस प्रकार संज्ञाएँ दी गई हैं। उम पर ने यों ज्ञात होता है कि ग्रन्थ के प्रथम दो भाग करने का उनका विचार था। उनमें से पहली पुस्तक के आठ प्रकरणों का मसविदा केवल एक महीने में ही लिखकर तैयार हुआ था; और

ये ही प्रकरण अत्यन्त महत्त्व के हैं। उस पर से लोकमान्य महोदय इस विषय से कितने ओतप्रोत तैयार थे, इसका और उनके अस्पष्टित प्रवाह का यथार्थ ज्ञान पाठकों को सहज ही होगा। पुस्तकों से पृष्ठ फाड़ देने की अथवा नये जोड़ने की कारागृह के नियमानुसार उनको आज्ञा न थी; किन्तु विचार से सूचित होनेवाली बातों को नये पृष्ठों के भीतर जोड़ने की मुविधा उनको मिली थी। यह खबर दूमरे और तीमरे मुचपृष्ठ में अन्दर के बाजू में लिखी है। अन्तिम पुस्तक सिर्फ एक पय्याडे में लिखी है। मुख्य बाबत दाहिने हाथ के तरफ के पृष्ठों पर लिखके उन पृष्ठों के पीछे की कोरी बाजू पर अगले पृष्ठ पर की अधिक बढ़नेवाली बाबत जोड़ी है। आशा है, कि मूल हस्त-लिखित प्रति-सम्बन्धी जिज्ञामा इस विवेचन से पूर्ण होगी।

इस ग्रन्थ का जन्म होने के पहले प्रस्तुत विषय के सम्बन्ध में उनका ध्यानांग जारी था, इसका उत्तम प्रमाण उनके और दो ग्रन्थों में है। 'मासाना मागंशीर्षोऽहं' (गीता १०-३५, गीतारहस्य पृष्ठ ७७४) इस श्लोक का अर्थ (भावार्थ) निश्चित करते समय उन्होंने वेद के महोदधि में डुबकी लगा कर ओरायनम्पी मुफना जनता की स्वाधीन की है; और वेदोदधि का पर्यटन करते करते ही आयों के मूल वसतिस्थान का पता लगाया है। कालानुक्रम से गीतारहस्य अन्तिम ठहरा; तो भी महत्त्व की दृष्टि में उसको ही - ऊपर के दो पुस्तकों का पूर्ववृत्तान्त ध्यान में रखने में - आद्यस्थान देना पड़ता है। गीता संवध के व्यासग से ही ये दो पुस्तकें निर्माण हुई हैं। 'ओरायन' पुस्तक की प्रस्तावना में लोकमान्य महाशय ने गीता के अभ्यास का उल्लेख किया है।

'ओरायन' और 'आयों का मूल वसतिस्थान' ये दोनों ग्रन्थ यथावकाश प्रसिद्ध हुए और जगत् भर में विख्यात हो चुके। परन्तु गीतारहस्य लिखने का मुहूर्त लोकमान्य के तीसरे दीर्घ कारावास से प्राप्त हुआ। ऊपर लिखे हुए दोनों ग्रन्थों का लेखन भी कारागृह में ही हुआ है। सार्वजनिक प्रवृत्तियों की उपाधि से मुक्त हो कर ग्रन्थलेखन के लिये आवश्यक स्वस्थता कारागृह में मिल सकी। परन्तु प्रत्यक्ष ग्रन्थलेखन का आरम्भ करने के पूर्व में उनको बड़ी भारी मुसीबतों से झगड़ना पड़ा। उन्हें उनके ही शब्दों में इस जगह कहना उचित है। - "ग्रन्थ के सम्बन्ध में तीन बरत तीन हुकम आये. . . सब पुस्तकें मेरे पास रखने का कुछ दिन बन्द होकर सिर्फ चार पुस्तकें एक ही समय हुकम हुआ। उम पर वर्मा सरकार को अर्ज करने पर ग्रन्थलेखन के लिये सब पुस्तकें मेरे पास रखने की परवानगी हुई। पुस्तकों की सट्या जब मैं वहाँ से लौटा, तब ३५० से ४०० तक हुई थी। ग्रन्थलेखन के लिये जो कागज देने में आते थे, वे छूटे न दे कर, जिल्दबंद किताब बाँध के भीतर के सफे गिनके और उनपर दोनों ओर नम्बर लिख कर देने में आते थे; और लिखने को स्याही न देके सिर्फ पेन्सिले छील देने में आती थी।" (लोकमान्य तिलक महाशय के छूटने के बाद की पहली मुलाकान - 'किमती', ता. ३० जून १९१४).

अपनी कल्पनाशक्ति को थोड़ा ही और तान देने से वाचकवृन्द तिलक महोदय को ग्रन्थलेखन में कौसी मुसीबत का सामना करना पडा होगा, यह बराबर समझ लेंगे। तिस पर भी उनकी पर्वाह न करके सन १९१० के जाड़े में उन्होने हस्तलिखित नकल लिखकर तैयार कर दी। पुस्तक का कच्चा मसविदा तैयार होने की खबर उन्होंने १९११ साल के आरम्भ में एक पत्र में देने पर वह पत्र सन १९११ मार्च महीने में 'मराठा' पत्र की एक सख्या में समग्र प्रसिद्ध हुआ। गीतारहस्य में दिया हुआ विवेचन लोगों को अधिक सुगम हो, इस कारण से तिलक महोदय ने सन १९१४ के गणेशोत्सव में चार व्याख्यान दिये थे, और बाद में ग्रन्थ छापने के काम आरम्भ होने पर १९१५ के जून महीने में उमका पूर्णावतार हुआ। इसके आगे का पूर्ण इतिहास सर्वत्र सुविदित है।

लोकमान्य तिलकजी के इस मौलिक ग्रन्थ के लिये अध्ययकारियोंकी मांग बढ़ती ही जा रही है। उसी मांग को पूरी करने के हेतु आज हम यह चौदहवाँ सस्करण प्रकाशित कर रहे हैं।

केसरी-मराठा सस्था के विश्वस्तने यह ग्रन्थ केसरी कार्यालय में छाप दिया इसलिये आपको धन्यवाद प्रदान करना हम अपना कर्तव्य मानते हैं।

हम मानते हैं, कि इस चौदहवे सस्करण को देखकर पाठक अवश्य ही सन्तोष पाएँगे। जहाँतक हो सके, इस चौदहवे सस्करण को अद्ययावत् एव सुशोभित करने के लिये भरसक कोशिश की है। इसकी जिल्द पूर्णतया कपडे की है, और ग्रन्थ में सफेद कागज का उपयोग किया है।

हमने सोचा कि जब कि लोकमान्य तिलकजी के इस मौलिक ग्रन्थ का नया सस्करण प्रकाशित किया जा रहा है तो उसका वेष्टन भी ग्रन्थ-विषय को अनुरूप हो। ऐसी चाह थी, कि वेष्टनपर स्वर्गीय लोकमान्य तिलक महोदय का — तथा उनकी कल्पना के अनुसार कुरुक्षेत्र की रणभूमि का चित्र खिचवा दिया जाय। हमारे चित्रकार-मित्र श्रीमान् दलालजी ने मूल कल्पना की अपेक्षा भी वे दोना चित्र इतनी सफलतापूर्वक चित्रित किये, कि उनकी अलग प्रशंसा करने की कोई आवश्यकता नहीं रही। चित्रकार से मोहक एव अत्युत्तम चित्र खिचवाये जानेपर भी छपाई का कार्य उतनी ही लगन से करना पडता है। शिवराज फार्मिन् आर्ट लियो वर्क्स (नागपुर) ने वेष्टन-छपाई का वह कार्य सुचारु रूपसे पूर्ण कर दिया।

इस प्रकार ग्रन्थ की सजावट में अनेको ने परिश्रम उठाया है। स्वतन्त्र भारत के भाग्यशाली पाठको के हाथ में आज यह ग्रन्थ हम दे रहे हैं। आशा है, कि पाठक इसका सहर्ष और सानन्द स्वीकार करेंगे।

पूना,
तिलक पुण्यतिथि, शक १८९१
दि १ अगस्त १९६९

— ज. श्री. तिलक
— श्री. श्री. तिलक

अनुवादक की भूमिका

भूमिका लिख कर महात्मा तिलक के ग्रन्थ का परिचय कराना मानो मूर्ख को दीपक में दिखाने का प्रयत्न करना है। यह ग्रन्थ स्वयं प्रवाणमान् होने के कारण अपना परिचय आप ही दे दता है। परन्तु भूमिका लिखने की प्रणालीसी पट गई है। ग्रन्थ को पाने ही पत्र उल्ट-बलट कर पाठक भूमिका खोजने लगत है। इन्हीं उक्त प्रणाली की रक्षा करने और पाठवा की मनस्तुष्टि करने के लिये इस शीर्षक के नीचे दो शब्द लिखना आवश्यक हो गया है।

सन्तोष की बात है, कि श्रीममय्य रामदामस्वामी की अशेष कृपा में तथा मद्गुरु श्रीरामदानानुदास महाराज (हनुमानगढ़, बंधा निवासी श्रीधर विष्णु पराजपे) के प्रत्यक्ष अनुग्रह से जब मेरे हृदय में अध्यात्म विषय की जिज्ञाना उत्पन्न हुई है, तभी मेरे इस विषय के अध्ययन के महत्त्वपूर्ण अवसर मिलते जाते हैं। यह उसी कृपा और अनुग्रह का फल था, कि मैं सन् १९७० में श्रीममय्य के दासगोष्ठ का हिन्दी अनुवाद कर सका। अब उसी कृपा और अनुग्रह के प्रभाव में लोकमान्य बाळ गंगाधर तिलकवृत्त श्रीमद्भगवद्गीतारहस्य के अनुवाद करने का अनुपम अवसर हाथ लग गया है।

जब मुझे यह काम सौंपा गया, तब ग्रन्थकारने अपनी यह इच्छा प्रकट की, कि मूत्रग्रन्थ में प्रतिपादित सब भाव ज्या-बे-न्यो हिन्दी में पूर्णतया व्यक्त किये जायें। क्योंकि ग्रन्थ में प्रतिपादित सिद्धान्तों पर जो आक्षेप होंगे, उनसे उत्तरदाना मूत्र लेखक ही हैं। इन्हीं में मैंने अपने लिये दो कर्तव्य निश्चित किये। (१) यथामति मूलभाषा की पूरी पूरी रक्षा की जावे, और (२) अनुवाद की भाषा यथाशक्ति शुद्ध, सरल, सरस और सुबोध हो। अपनी अल्पबुद्धि और सामर्थ्य के अनुसार इन दोनों कर्तव्यों के पालन करने में मैंने कोई बात उठा नहीं रखी है। और मरा आन्तरिक विश्वास है, कि मूत्रग्रन्थ के भाव यत्किञ्चित् भी अल्पवा नहीं हो पाये हैं। परन्तु सम्भव है, कि विषय की कठिनता और भाषा की गम्भीरता के कारण मेरी भाषाशैली कहीं कहीं किञ्चित् अथवा दुर्बोधनी हो गई हो। और यह सम्भव है, कि छुटनेवाग को उसमें 'मराठीपन की वृ' भी मिल जाय। परन्तु इसके लिये क्या क्या जाय? लाचारि है। मूत्रग्रन्थ मराठी में है। मैं स्वयं महाराष्ट्र का हूँ। मराठी ही मेरी मातृभाषा है। महाराष्ट्र देश के केन्द्रस्थान पुना में ही यह अनुवाद ठापा गया है। और मैं हिन्दी का नाई 'धुन्धन' लेखक भी नहीं हूँ। ऐसी अवस्था में यदि इस ग्रन्थ में उक्त दोष न मिले, तो बहुत आश्चर्य होगा।

यद्यपि मराठी 'रहस्य' का हिन्दी पाठवा पहना कर सदांगमुन्दर रूप से हिन्दी पाठवा के उमुक्त हृदया में प्रवेश करान का प्रयत्न किया गया है, और ऐम महत्त्वपूर्ण

विषय को समझाने के लिये उन सब साधनों की सहायता ली गई है, कि जो हिन्दी साहित्य-संसार में प्रचलित है; फिर भी स्मरण रहे, कि यह केवल अनुवाद ही है — इसमें वह तेज नहीं आ सकता, कि जो मूलग्रन्थ में है। गीता के संस्कृत श्लोकों के मराठी अनुवाद के विषय में स्वयं महात्मा तिलक ने उपोद्धात (पृष्ठ ६०२) में यह लिखा है : — “ स्मरण रहे, कि अनुवाद आखिर अनुवाद ही है। हमने अनुवाद में गीता के सरल, खुले और प्रधान अर्थ को ले आने का प्रयत्न किया है सही; परन्तु संस्कृत शब्दों में और विशेषतः भगवान् की प्रेमयुक्त, रसीली, व्यापक और क्षण क्षण में नई रूचि उत्पन्न करनेवाली वाणी में लक्षणा से अनेक व्यंग्यार्थ उत्पन्न करने का जो सामर्थ्य है, उसे जरा भी न घटावड़ा कर दूसरे शब्दों में ज्यों-का-त्यों झलका देना — असम्भव है. . . ! ” ठीक यही बात महात्मा तिलक के ग्रन्थ के हिन्दी अनुवाद के विषय में कही जा सकती है।

एक तो विषय तात्त्विक, दूसरे गम्भीर और फिर महात्मा तिलक की वह ओज-स्विनी, व्यापक एवं विकट भाषा, की जिसके मर्म को ठीक ठीक समझ लेना कोई साधारण बात नहीं है। इन दूहरी-तिहरी कठिनाइयों के कारण यदि वाक्यरचना कही कठिन हो गई हो, या अशुद्ध भी हो, तो उसके लिये सहृदय पाठक मुझे क्षमा करें। ग्रन्थ के अनुवाद में किन किन कठिनाइयों से सामना करना पड़ता है और अपनी स्वतंत्रता का त्याग कर पराधीनता के किन किन नियमों से बन्ध जाना होता है, इसका अनुभव वे सहानुभूतिशील पाठक और लेखक ही कर सकते हैं, कि जिन्होंने इस ओर कभी ध्यान दिया है।

राष्ट्रभाषा हिन्दी को इस बात का अभिमान है, कि वह महात्मा तिलक के गीता-रहस्यसम्बन्धी विचारों को अनुवादरूप में उस समय पाठकों को भेट कर सकी, है, जब कि और किसी भी भाषा का अनुवाद प्रकाशित नहीं हुआ, — यद्यपि दो एक अनुवाद तैयार थे। इससे आशा है, कि हिन्दीप्रेमी अवश्य प्रसन्न होंगे।

अनुवाद का श्रीगणेश जुलाई १९१५ में हुआ था और दिसम्बर में उसकी पूर्ति हुई। जनवरी १९१६ से छपाई का आरम्भ हुआ, जो जून सन १९१६ में समाप्त हो गया। इस प्रकार एक वर्ष में यह ग्रन्थ तैयार हो पाया। यदि मित्रमंडली ने मेरी पूर्ण सहायता न की होती, तो मैं इतने समय में इस काम को कभी पूरा न कर सकता। इनमें वैद्य विश्वनाथराव लुखे और श्रीयुत मौलिप्रसादजी का नाम उल्लेख करने योग्य है। कविवर वा. मैथिलीशरण गुप्त ने कुछ मराठी पद्यों का हिन्दी रूपान्तर करने में अच्छी सहायता दी है। इसलिये ये धन्यवाद के भागी हैं। श्रीयुत पं. लल्लीप्रसाद पाण्डेय ने जो सहायता की है, वह अवर्णनीय एवं अत्यन्त प्रशंसा के योग्य है। लेख लिखने में, हस्तलिपित प्रति को दुहराने में और प्रूफ का संशोधन करने में आपने दिनरात कठिन परिश्रम किया है। अधिक क्या कहा जाय ! घर छोड़ कर महीनों तक

आपको इस काम के लिये पूने में रहना पड़ा है। इस सहायता और उपकार का बदला केवल धन्यवाद दे देने से ही नहीं हो जाता। हृदय जानता है, कि मैं आपका कैसा ऋणी हूँ। हि० चि० ज०के मंपादक श्रीमुत्त भास्कर रामचन्द्र भालेराव ने तथा और भी अनेक मित्रों ने ममय पर यथाशक्ति सहायता की है। अतः इन सब महाशयो को मैं आन्तरिक धन्यवाद देता हूँ।

एक वर्ष से अधिक समय तक इस ग्रन्थ के साथ मेरा अहोरात्र सहवास रहा है। सोते-जागते इसी ग्रन्थ के विचारों की मधुर कल्पनाएँ नजरो में झूलती रहीं हैं।

विचारों से मुझे मानिक तथा आत्मिक अपार लाभ हुआ है। अतः जगदीश्वर से यही विनय है, कि इस ग्रन्थ के पढ़नेवालों को इससे लाभान्वित होने का मंगलमय आशीर्वाद दीजिये।

श्रीरामदासी मठ, रायपुर, (सी.पी.)

मंगलवार, देवशयनी ११

संवत् १९७३ वि०

— माधवराव सप्रे

प्रस्तावना

सन्तों की उच्छिष्ट उक्ति है मेरी बानी ।

जानूँ उसका भेद भला क्या, क्या मैं अज्ञानी ॥ *

श्रीमत्भगवद्गीता पर अनेक संस्कृत भाष्य, टीकाएँ तथा देशी भाषाओं में सर्वमान्य निरूपण है । ऐसी अवस्था में यह ग्रन्थ क्यों प्रकाशित किया गया ? यद्यपि इसका कारण ग्रन्थ के आरम्भ में ही बतलाया दिया गया है, तथापि कुछ बातें ऐसी रह गई हैं, कि जिनका ग्रन्थ के प्रतिपाद्य विषय के विवेचन में उल्लेख न हो सकता था । उन बातों को प्रकट करने के लिये प्रस्तावना को छोड़ और दूसरा स्थान नहीं है । इनमें सब से पहली बात स्वयं ग्रन्थकार के विषय में है । कोई तैतालीस वर्ष हुए, जब हमारा भगवद्गीता से प्रथम परिचय हुआ था । सन १८७२ ईसवी में हमारे पूज्य पिताजी अन्तिम रोग से आक्रान्त हो शय्या पर पड़े हुए थे । उस समय उन्हें भगवद्गीता की 'भाषाविवृति' नामक मराठी टीका सुनाने का काम हमें मिला था । तब, अर्थात् अपनी आयु के सोलहवें वर्ष में गीता का भावार्थ पूर्णतया समझ में न आ सकता था । फिर भी छोटी अवस्था में मन पर जो संस्कार होते हैं, वे दृढ हो जाते हैं । इस कारण उस समय भगवद्गीता के सम्बन्ध में जो चाह उत्पन्न हो गई थी, वह स्थिर बनी रही । जब संस्कृत और अंग्रेजी का अभ्यास अधिक हो गया, तब हमने गीता के संस्कृत भाष्य, अन्यान्य टीकाएँ और मराठी तथा अंग्रेजी में लिखे हुए अनेक पण्डितों के विवेचन समय समय पर पढ़े । परन्तु अब मन में एक शंका उत्पन्न हुई; और वह दिनोदिन बढ़ती ही गई । वह शंका यह है, कि जो गीता उस अर्जुन को युद्ध में प्रवृत्त करने के लिये बतलाई गई है, कि जो अपने स्वजनो के साथ युद्ध करने को बड़ा भारी कुकर्म समझ कर खिन्न हो गया था, उस गीता में ब्रह्मज्ञान से या भक्ति से मोक्षप्राप्ति की विधि का — निरे मोक्षमार्ग का — विवेचन क्यों किया गया है ? यह शंका इसलिये और भी दृढ होती गई, कि किसी भी टीका में इस विषय का योग्य उत्तर ढूँढ़े न मिला । कौन जानता है, कि हमारे ही समान और लोगों को भी यही शंका हुई न होगी ! परन्तु टीकाओं पर ही निर्भर रहने से टीकाकारों का दिया हुआ उत्तर समाधानकारक न भी जँचे, तो भी उसको छोड़ और दूसरा उत्तर सूझता ही नहीं है । इसी लिये हमने गीता की समस्त टीकाओं और भाष्यों को लपेट कर धर दिया; और केवल गीता के ही विचारपूर्वक अनेक पारायण किये । ऐसा करने पर टीकाकारों के चंगुल से छूटे; और यह बोध हुआ, कि गीता निवृत्तिप्रधान नहीं है; वह तो कर्मप्रधान है । और अधिक क्या कहें ! गीता में अकेला 'योग' शब्द ही 'कर्मयोग' के अर्थ में प्रयुक्त

हुआ है। महाभारत, वेदान्तमूल, उपनिषद् और वेदान्तशास्त्रविषयक अन्यान्य मसूह न तथा अंग्रेजी भाषा के ग्रन्थों के अध्ययन में भी यही मन दृढ़ होता गया; और चार-पाँच स्थान में इसी विषयों पर व्याख्यान इस इच्छा में दिये, कि सर्वमाधारण में इन विषय को छोट देने से अधिक चर्चा होगी; एवं मरत्य तत्त्व का निर्णय करने में और भी सुविधा हो जायगी। इनमें में पहला व्याख्यान नागपुर में जनवरी मन १९०२ में हुआ और दूसरा मन १९०४ ईसवी के अगस्त महीने में करवीर एवं सक्तेश्वर मठ के जगद्-गुरु श्रीशंकराचार्य की आज्ञा से उन्ही की उपस्थिति में मन्देश्वर मठ में हुआ था। उन समय नागपुरवाले व्याख्यान का विवरण भी ममाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ। इनके अनिश्चित इसी विचार में, जब जब समय मिलता गया, तब तब कुछ विद्वान् मित्रों के साथ समय समय पर वाद-विवाद भी किया। इन्हीं मित्रों में स्वर्गीय श्रीपति बाबा भिगारकर थे। इनके मह्वाम से भागवत सम्प्रदाय के कुछ प्राकृत ग्रन्थ देखने में आये; और गीतारहस्य में बर्णित कुछ वाँ तो आप के और हमारे वाद-विवाद में ही पहले निश्चित हो चुकी थी। यह बड़े दुःख की बात है, कि आप इस ग्रन्थ को न देख पाये। अस्तु; इस प्रकार यह मत निश्चित हो गया, कि गीता का प्रतिपाद्य विषय प्रवृत्तिप्रधान है; और इसको लिख कर ग्रन्थम्प में प्रकाशित करने का विचार किये भी अनेक वर्षों बीत गये। वर्तमान समय में पाये जानेवाले भाष्यों, टीकाओं और अनुवादों में जो गीतातात्पर्य स्वीकृत नहीं हुआ है, केवल उसे ही यदि पुस्तकरूप से प्रकाशित कर देते—और इनका कारण न बतलाते, कि प्राचीन टीकाकारों का निश्चित किया हुआ तात्पर्य हमें ग्राह्य क्यों नहीं है—तो बहुत सम्भव था, कि लोग कुछ-न-कुछ ममझने लग जाते—उनको भ्रम हो जाता। और सम्प्रत टीकाकारों के मतों का संग्रह करके उनकी मन्तरण अपूर्णता दिखला देना, एवं अन्य धर्मों तथा तत्त्वज्ञान के साथ गीताधर्म की तुलना करना कोई ऐसा साधारण काम न था, शीघ्रतापूर्वक चटपट हो जाय। अतएव यद्यपि हमारे मित्र श्रीपुत दाजीमाहेव खरे और दादामाहेव खापडे ने कुछ पहले ही यह प्रकाशित कर दिया था, कि हम गीता पर एक नवीन ग्रन्थ शीघ्र ही प्रसिद्ध करनेवाले हैं; तथापि ग्रन्थ लिखने का काम इस समय से टलता गया, कि हमारे समीप जो सामग्री है वह अभी अपूर्ण है। जब सन १९०८ ईसवी में मजा दे कर हम मण्डाले में भेज दिये, तब इन ग्रन्थ के लिखे जाने की आज्ञा बहुत कुछ घट गई थी। किन्तु समय में ग्रन्थ लिखने के लिये आपसक पुस्तक आदि सामग्री पूने से मंगा लेने की अनुमति जब सरकार की मेहरबानी से मिल गई, तब मन १९१०-११ के काल में (सन् १९६७, वार्तिक प्रबल १ में चैत्र कृष्ण ३० के भीतर) इस ग्रन्थ की पाण्डुलिपि (मसविदा) मण्डाले के जेलखाने में पहले पहल लिखी गई। और फिर ममपानुमार जैसे जैसे विचार नूझते गये, वैसे वैसे उनमें काटछाँट होती गई। उस समय समग्र पुस्तक वहाँ न होने के कारण कई स्थानों में अपूर्णता रह गई थी। यह अपूर्णता वहाँ से छुटकारा हो जाने पर पूर्ण तो कर ली गई है; परन्तु अभी यह नहीं कहा जा सकता, कि यह ग्रन्थ सर्वांग में पूर्ण

हो गया। क्योंकि मोक्ष और नीतिधर्म के तत्त्व रहन तो हैं ही; साथ ही इस सम्बन्ध में अनेक प्राचीन और अर्वाचीन पण्डितों ने इतना विस्तृत विवेचन किया है, कि व्यर्थ फँलाव से बच कर यह निर्णय करना कई बार कठिन हो जाता है, कि इस छोटे-से ग्रन्थ में किन किन बातों का समावेश किया जावे? परन्तु अब हमारी स्थिति कवि की इस उक्ति के अनुसार हो गई है :-

यम-सेना को विमल ध्वजा अब 'जरा' दृष्टि में आती है।

करती हुई युद्ध रोगों से देह हारती जाती है ॥ *

और हमारे सांसारिक साथी भी पहले ही चल बसे हैं। अतएव अब इस ग्रन्थ को यह समझ कर प्रसिद्ध कर दिया है, कि हमें जो बातें मालूम हो गई हैं और जिन विचारों को हमने सोचा है, वे सब लोगों को भी ज्ञात हो जाएँ। फिर कोई-न-कोई 'समानधर्मा' अभी या फिर उत्पन्न हो कर उन्हें पूर्ण कर ही लेना।

आरम्भ में ही यह कह देना आवश्यक है, कि यद्यपि हमें यह मत मान्य नहीं है, कि सांसारिक कर्मों को गौण अथवा त्याज्य मान कर ब्रह्मज्ञान और भक्ति प्रभृति निरे निवृत्तिप्रधान मोक्षमार्ग का ही निरूपण गीता में है; तथापि हम यह नहीं कहते, कि मोक्षप्राप्तिमार्ग का विवेचन भगवद्गीता में बिल्कुल है ही नहीं। हमने भी ग्रन्थ में स्पष्ट दिखला दिया है, कि गीताशास्त्र के अनुसार इस जगत् में प्रत्येक मनुष्य का पहला कर्तव्य यही है, कि वह परमेश्वर के शुद्ध स्वरूप का ज्ञान करके उसके द्वारा अपनी बुद्धि को, जितनी हो सके उतनी, निर्मल और पवित्र कर ले - परन्तु यह कुछ गीता का मुख्य विषय नहीं है। युद्ध के आरम्भ में अर्जुन इस कर्तव्यमोह में फँसा था, कि युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म भले ही हो; परन्तु कुलक्षय आदि घोर पातक होने से जो युद्ध मोक्ष-प्राप्तिरूप आत्मकल्याण का नाश कर डालेगा, उस युद्ध को करना चाहिये अथवा नहीं अतएव हमारा यह अभिप्राय है, कि उस मोह को दूर करने के लिये शुद्ध वेदान्त के आधार पर कर्म-अकर्म का और साथ ही साथ मोक्ष के उपायों का भी पूर्ण विवेचन कर इस प्रकार निश्चय किया गया है, कि एक तो कर्म कभी छूटते ही नहीं हैं, और दूसरे उनको छोड़ना भी नहीं चाहिये। एवं गीता में उस युक्ति का - ज्ञानमूलक भक्तिप्रधान कर्मयोग का - ही प्रतिपादन किया गया है कि जिससे कर्म करने पर भी कोई पाप नहीं लगता; तथा अन्त में उसी से मोक्ष भी मिल जाता है। कर्म-अकर्म के या धर्म-अधर्म के इस विवेचन को ही वर्तमानकालीन निरे आधिभौतिक पण्डित नीतिशास्त्र कहते हैं। सामान्य पद्धति के अनुसार गीता के श्लोकों के क्रम से टीका लिख कर भी यह दिखलाया जा सकता था, कि यह विवेचन गीता में किस प्रकार किया गया है? परन्तु वेदान्त, मीमांसा, सांख्य, कर्मविपाक अथवा भक्ति प्रभृति शास्त्रों के जिन अनेक वादों

* महाराष्ट्र-कविवर्य मोरोपन्त की 'केका' का भाव।

अथवा प्रमेयो के आधार पर गीता में कर्मयोग का प्रतिपादन किया गया है; और जिनका उन्मुख कभी कभी बहुत ही मक्षिण रीति में पाया जाता है, उन शास्त्रीय सिद्धान्तों का पहले से ही ज्ञान हुए बिना गीता के विवेचन का पूर्ण रहस्य महमा ध्यान में नहीं जमता। इसी विषय गीता में जो जो विषय अथवा सिद्धान्त आये हैं, उनके शास्त्रीय रीति में प्रकरणों में विभाग करके प्रमुख प्रमुख युक्तियोगहित गीतारहस्य में उनका पूर्ण मक्षेप में निरूपण किया गया है; और फिर वर्तमान युग की जागृचनात्मक पद्धति के अनुसार गीता के प्रमुख सिद्धान्तों से तुलना अन्यान्य धर्मों के और तत्त्वज्ञानों के सिद्धान्तों के साथ प्रमाणानुसार मक्षेप में कर दिखाने गटे हैं। इस पुस्तक के पूर्वार्ध में जो गीतारहस्य नामक निबन्ध है, वह इसी रीति में कर्मयोग-विषयक एक छोटासा किन्तु स्वतन्त्र ग्रन्थ ही कहा जा सकता है। जो ही; इन प्रकार के सामान्य निरूपण में गीता के प्रत्येक श्लोक का पूर्ण विचार ही नहीं करना था। अतएव अन्त में गीता के प्रत्येक श्लोक का अनुवाद दे दिया है; और इसी के साथ स्वान-स्वान पर यथेष्ट टिप्पणियाँ भी इमरिये जोड़ दी गई हैं, कि जिनमें पूर्वापर सन्दर्भ पाठकों की समझ में भरी भाँति आ जाय, अथवा पुराने टीकाकारों ने अपने सम्प्रदाय की सिद्धि के लिये गीता के श्लोकों की जो खीचातानी की है, उसे पाठन समझ जायें (देखो गीता ३. १७-१९; ६ ३; और १८. २); या के सिद्धान्त महज ही ज्ञात ही जाय, कि जो गीतारहस्य में बतलाये गये हैं। और यह भी ज्ञात हो जाय, कि इनमें से कौन-से सिद्धान्त गीता की सवादात्मक प्रणाली के अनुसार कहीं कहीं किस प्रकार आये हैं? इममें सन्देह नहीं, कि ऐसा करने में कुछ विचारों की द्विगुण अवश्य हो गई है। परन्तु गीतारहस्य का विवेचन गीता के अनुवाद में पृथक् इमरिये रखना पडा है, कि गीतारहस्य के नातरों के विषय में साधारण पाठकों में जो भ्रम फैल गया है, वह भ्रम अन्य रीति में पूर्णतया दूर नहीं हो सकता था। इस पद्धति में पूर्व इतिहास और आधारमहित यह दिखाने में सुविधा हो गई है, कि वेदान्त, भौमाना और भक्ति प्रभृति विषयक गीता के सिद्धान्त भारत, साध्यशास्त्र, वेदान्तमूत्र, उपनिषद् और भौमाना आदि मूत्र ग्रन्थों में कैसे और कहीं आये हैं? इममें स्पष्टतया यह बताना सुगम हो गया है, कि अन्यायमार्ग और कर्मयोगमार्ग में क्या भेद हैं। तथा अन्यान्य धर्ममत्तों और तत्त्वज्ञानों के साथ गीता की तुलना करके व्यावहारिक कर्मदृष्टि में गीता के महत्त्व का जो य निरूपण करना सरल हो गया है। यदि गीता पर अनेक प्रकार की टीकाएँ न लिखी गई होती और अनेकों ने अनेक प्रकार से गीता के तात्पर्यों का प्रतिपादन न किया होता, तो इमें अपने ग्रन्थ के सिद्धान्त के लिये पोषक और आधारभूत मूत्र मसूत्र वचना के अवतरण स्यात् स्यात् पर देने की कोई आवश्यकता ही न थी। किन्तु यह समय दूमरा है, लोगों के मन में यह शका हो जा सकती थी, कि हमने जो गीतायें अथवा सिद्धान्त बतलाया है, वह हीन है या नहीं? इसी लिये हमने सर्वत्र स्पष्टनिर्देश कर बतला दिया है, कि हमारे कथन

के लिये प्रमाण क्या है ? और मुख्य स्थानों पर तो मूल सस्कृत वचनों को ही अनुवादसहित उद्धृत कर दिया है इसके व्यतिरिक्त सस्कृत वचनों का उद्धृत करने का और भी प्रयोजन है । वह यह, कि इनमें से अनेक वचन वेदान्तग्रन्थों में साधारणतया प्रमाणार्थ लिये जाते हैं । अतः पाठकों को यहाँ उनका सहज ही ज्ञान हो जायगा और इससे पाठक उन सिद्धान्तों को भी भली भाँति समझ सकेंगे । किन्तु यह कब सम्भव है, कि सभी पाठक सस्कृतज्ञ हों ? इसलिये समस्त ग्रन्थ की रचना इस ढंग से की गई है, कि यदि सस्कृत न जाननेवाले पाठक — सस्कृत श्लोकों को छोड़ कर — केवल भाषा ही पढ़ते चले जायें, तो अर्थ में कहीं गड़बड़ न हो । इस कारण सस्कृत श्लोकों का शब्दशः अनुवाद न लिख कर अनेक स्थलों पर उनका केवल सारांश दे कर ही निर्वाह कर लेना पडा है । परन्तु मूल श्लोक सदैव ऊपर रखा गया है । इस कारण इस प्रणाली से भ्रम होने की कुछ भी आशङ्का नहीं है ।

कहा जाता है, कि कोहनूर हीरा जब भारतवर्ष से विलायत को पहुँचाया गया तब उसके नये पहल बनाने के लिये वह फिर खरीदा गया, और खरीदे जाने पर वह और भी तेजस्वी हो गया । हीर के लिये उपयुक्त होनेवाला यह न्याय सत्यरूपी रत्ना के लिये भी प्रयुक्त हो सकता है । गीता का धर्म सत्य और अभय है सही, परन्तु वह जिस समय और जिस स्वरूप में बतलाया गया था, उस देश-काल आदि परिस्थिति में अब बहुत अन्तर हो गया है । इस कारण अब उसका तेज पहले की भाँति कितनी ही की दृष्टि में नहीं समाता है । किसी कर्म को भला-बुरा मानने के पहले, जिस समय यह सामान्य प्रश्न ही महत्त्व का समझा जाता था, कि 'कर्म करना चाहिये अथवा न करना चाहिये' उस समय गीता बतलाई गई है । इस कारण उसका बहुत-सा अंश अब कुछ लोगों को अनावश्यक प्रतीत होता है । और, उस पर भी निवृत्तिमार्गीय टीकाकारों की लीपा-पोती ने तो गीता के कर्मयोग के विवेचन को आजकल बहुतेरों के लिये दुर्बोध कर डाला है । इसके अतिरिक्त कुछ नये विद्वानों की यह समझ हो गई, कि अर्वाचीन काल में आधिभौतिक ज्ञान की पश्चिमी देशों में जैसी कुछ बाढ़ हुई है, उस बाढ़ के कारण अध्यात्मशास्त्र के आधार पर किये गये प्राचीन कर्मयोग के विवेचन वर्तमान काल के लिये पूर्णतया उपयुक्त नहीं हो सकते; किन्तु यह समझ ठीक नहीं । इस समझ की पोल दिखलाने के लिये गीतारहस्य के विवेचन में गीता के सिद्धान्तों की जोड़ के ही पश्चिमी पण्डितों के सिद्धान्त भी हमने स्थान स्थान पर संक्षेप में दे दिये हैं । वस्तुतः गीता का धर्म-अधर्म विवेचन इस तुलना से कुछ अधिक सुदृढ़ नहीं हो जाता; तथापि अर्वाचीन काल में आधिभौतिक शास्त्रों की अश्रुतपूर्व वृद्धि से जिनकी दृष्टि में चकार्थीय लग गई है; अथवा जिन्हें आजकल की एकदेशीय शिक्षापद्धति के कारण आधिभौतिक अर्थात् बाह्यदृष्टि से ही नीतिशास्त्र का विचार करने की आदत पड़ गई है, उन्हें इस तुलना से इतना तो स्पष्ट ज्ञात हो जायगा, कि मोक्षधर्म और नीति दोनों विषय आधिभौतिक ज्ञान के परे के हैं; और वे यह भी जान जाएँगे, कि इसी में

आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार पण्डित मीतानाथ तत्त्वभूषण-वर्नन 'वृष्ण और गीता' नामक एक अन्वेषी ग्रन्थ भी उन दिनों प्रकाशित हुआ है। इसमें उक्त पण्डितजी के गीता पर दिये हुए वाग्द्वय व्याख्यान है। किन्तु उक्त ग्रन्थों के पाठ करने में कोई भी जान लेगा, कि तत्त्वभूषणजी के अथवा मि ब्रूवम के प्रतिपादन में और हमारे प्रतिपादन में बहुत अन्तर है। फिर भी उन लेखकों में ज्ञान होना है, कि गीताविपश्यक हमारे विचार कुछ अपूर्व नहीं हैं। और हम मुचिन्त का भी ज्ञान होना है, कि गीता के कर्मयोग की ओर लोगों का ध्यान अधिकाधिक आकर्षित हो रहा है। अतएव यहाँ पर हम इन सब आधुनिक लेखकों का अभिनन्दन करने हैं।

यह ग्रन्थ माण्डोमे लिखा गया था, पर लिखा गया था पेंसिल से; और काटछीट के अनिश्चित इसमें और भी निरुत्तरे ही नये मुद्यार किये गये थे। इसीसे सरकार के यहाँ से इससे लौट आने पर प्रेम में देन के लिये शूद्र कर्षी करने की आवश्यकता हुई। और यदि वह काम हमारे ही भरोसे पर छोड़ दिया जाता तो हमने प्रकाशित होने में न जाने और कितना समय लग गया होता। परन्तु श्रीसुन धामन गोपाळ जागी, नागरुण वृष्ण गोगटे, रामरुण दत्तात्रेय पराटकर, रामरुण मदागिद पिपुटकर, अयाजी विष्णु कुर्वाणों प्रभृति मज्जनों ने इस काम में बड़े उत्साह से महापता दी। एतदर्थ इसका उपकार मानना चाहिये। इसी प्रकार श्रीसुन वृष्णजी प्रभाकर गार्डि-कर ने और विरोपतन्ना वेदशास्त्रमध्यम दीक्षित राजीनाथशास्त्री ने बम्बई में यहाँ जाकर ग्रन्थ की इन्तिखिन प्रति का पटन का कष्ट उठाया। एव अनेक उपयुक्त तथा मार्मिक सूचनाएँ दी, जिनके लिये हम उनसे ऋणी हैं। फिर भी स्मरण रहे, कि इस ग्रन्थ में प्रतिपादित मता की जिम्मेदारी हमारी ही है। इस प्रकार ग्रन्थ छापने योग्य ना हो गया, परन्तु शूद्र के कारण काग्रज की कमी होनेवाली थी। इस कमी का बम्बई के स्वदेशी काग्रज के पुनरीधर के मार्मिक मेमरं 'ही पदमजी और मत' ने हमारी दृष्टि के अनुसार अन्धका काग्रज समय पर तैयार करके दूर कर दिया। इसमें गीता ग्रन्थ को छापने के लिये अच्छा काग्रज मिल सका। किन्तु ग्रन्थ अनुमान से अधिक बढ़ गया, इसने काग्रज की कमी फिर पटी। इस कमी की पूर के पेशर मित्र के मार्मिक न यदि दूर न कर दिया होता, तो और कुछ महाना तक पाठकों को ग्रन्थ के प्रकाशित होने की प्रतीक्षा करनी पड़ती। अब उक्त दोना पुनरीधर के मार्मिकों, न केवल हम ही, प्रसून पाठक भी ग्रन्थवाद दे। अब अन्त में प्रकृत-सहायन का काम रह गया, जिन श्रीसुन रामरुण दत्तात्रेय पराटकर, रामरुण मदागिद पिपुटकर और श्रीसुन हरि रघुनाथ भागवत न स्वीकार किया। इसमें भी स्थान स्थान पर अल्पान्य ग्रन्थों का जो उल्लेख किया गया है उनको मूल ग्रन्थों में ठीक ठीक जीवन एवं यदि कोई व्यहवा रह गया है, तो उसे दिखाने का काम श्रीसुत हरि रघुनाथ भागवत ने अकेले ही किया है। बिना इनकी महापता के इस ग्रन्थ को इनकी गोप्यता में प्रकाशित न कर पाते। अतएव हम इन सब को हृदय में ग्रन्थवाद देते हैं। अब रही आर्य, जिन चित्रशास्त्र



लॉ. बाळ गंगाधर विठ्ठल

जन्म : २२ जून १९०६

मृत्यु : १ ऑगस्ट १९२०

छापखाने के स्वत्वाधिकारी ने सावधानीपूर्वक शीघ्रता से छाप देना स्वीकार कर तदनुसार इस काम को पूर्ण कर दिया। इस निमित्त अन्त में इनका भी उपकार मानना आवश्यक है। खेत में फसल हो जाने पर भी फसल से अनाज तैयार करने और भोजन करनेवालों के मुँह में पहुँचने तक जिस प्रकार अनेक लोगों की सहायता अपेक्षित रहती है, वैसी ही कुछ अंशों में ग्रन्थकार की — कम से कम हमारी तो अवश्य — स्थिति है। अतएव उक्त रीति से जिन लोगों ने हमारी सहायता की — फिर चाहे उनके नाम यहाँ आये हों अथवा न भी आये हों — उनको फिर एक बार धन्यवाद दे कर इस प्रस्तावना को समाप्त करते हैं।

प्रस्तावना समाप्त हो गई। अब जिस विषय के विचार में बहुतेरे वर्ष बीत गये हैं और जिसके नित्य सहवास एवं चिन्तन से मन को समाधान हो कर आनन्द होता गया, वह विषय आज ग्रन्थ के रूप में हाथ से पृथक् होनेवाला है। यह सोच कर यद्यपि बुरा लगता है, तथापि सन्तोष इतना ही है, कि ये विचार — सध गये तो व्याजसहित अन्यथा ज्यों-के-त्यों — अगली पीढ़ी के लोगो को देने के लिये ही हमें प्राप्त हुए थे। अतएव वैदिक धर्म के राजगुह्य के इस पारस को कठोपनिषद् के “उत्तिष्ठत! जाग्रत! प्राप्य वरान्निबोधत!” (कठ. ३. १४) — उठो! जागो! और (भगवान् के दिये हुए) इस वरदान को समझ लो — इस मन्त्र से होनहार पाठकों को प्रेमोदकपूर्वक सौंपते हैं। प्रत्यक्ष भगवान् का ही निश्चयपूर्वक यह आश्वासन है, कि इसी में कर्म-अकर्म का सारा बीज है; और क्या चाहिये? सृष्टि के इस नियम पर ध्यान दे कर भी, ‘विना किये कुछ होता नहीं है’ तुमको निष्कामबुद्धिसे कार्यकर्ता होना चाहिये; तब फिर सब कुछ हो गया। निरी स्वार्थपरायणबुद्धि से गृहस्थी चलाते चलाते जो लोग हार कर थके गये हों, उनका समय बिताने के लिये अथवा संसार को छुड़ा देने की तैयारी के लिये गीता नहीं कही गई है। गीताशास्त्र की प्रवृत्ति तो इसलिये हुई है, कि वह इसकी विधि बतलावे, कि मोक्षदृष्टि से संसार के कर्म ही किस प्रकार किये जावें? और तात्त्विक दृष्टि से इस बात का उपदेश करे, कि संसार में मनुष्यमात्र का सच्चा कर्तव्य क्या है? अतः हमारी इतनी ही बिनती है, कि पूर्व अवस्था में ही — चढ़ती हुई उम्र में ही — प्रत्येक मनुष्य गृहस्थाश्रम के अथवा संसार के इस प्राचीन शास्त्र को जितनी जल्दी हो सके उतनी समझे बिना न रहे।

पूना, अधिक वैशाख,
संवत् १९७२ वि०

बाबा साधना २७५

गीतारहस्य की साधारण अनुक्रमणिका



मुखपृष्ठ	१
ममर्पण	३
गीतारहस्य के मित्र मित्र संस्करण	४
दो महापुराणों का अभिप्राय	५-६
प्रकाशक का निवेदन	७-१०
अनुवादक की भूमिका	११-१३
प्रस्तावना	१४-२६
गीतारहस्य की साधारण अनुक्रमणिका	२७
गीतारहस्य के प्रत्येक प्रकरण के विषयों की अनुक्रमणिका	२८-३७
सक्षिप्त चिन्हों का व्योरा, इत्यादि	३८-४०
गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्त्र	१-५१२
गीता की बहिरङ्गपरीक्षा	५१३-५९८
गीता के अनुवाद का उपोद्घात ।	६०१-६०२
गीता के अष्टाध्यायों की श्लोकशः विषयानुक्रमणिका	६०३-६१०
श्रीमद्भगवद्गीता - मूल श्लोक, अनुवाद और टिप्पणियाँ	६११-८७१
श्लोकों की सूची	८७२-८८२
ग्रन्थों, व्याख्याओं तथा व्यक्तिनिर्देशों की सूची	८८३-९००
हिन्दुधर्मग्रन्थों का परिचय	९०१-९०२

गीतारहस्य के प्रत्येक प्रकरण के विषयों की अनुक्रमणिका



पहला प्रकरण — विषयप्रवेश

श्रीमद्भगवद्गीता की योग्यता — गीता के अध्यायपरिसमाप्तिसूचक सङ्कल्प — गीता शब्द का अर्थ, अन्यान्य गीताओं का वर्णन और उनकी एवं योगवाशिष्ठ आदि की गीणता — ग्रन्थपरीक्षा के भेद — भगवद्गीता के आधुनिक बहिरङ्गपरीक्षक — महाभारतप्रणेता का बतलाया हुआ गीतातात्पर्य — प्रस्थानत्रयी और उस पर साम्प्रदायिक भाष्य — इनके अनुसार गीता का तात्पर्य — श्रीशङ्कराचार्य — मधुसूदन — तत्त्वमसि — पैशाचभाष्य — रामानुजाचार्य — मध्वाचार्य — वल्लभाचार्य — निबार्क — श्रीधरस्वामी — ज्ञानेश्वर — सब की साम्प्रदायिक दृष्टि — साम्प्रदायिक दृष्टि छोड़ कर ग्रन्थ का तात्पर्य निकालने की रीति — साम्प्रदायिक दृष्टि से उसकी उपेक्षा — गीता का उपक्रम और उपसंहार — परस्परविरुद्ध नीतिधर्मों का झगड़ा और उनमें होनेवाला कर्तव्यधर्ममोह — इसके निवारणार्थ गीता का उपदेश ? पृ. १-२८

दूसरा प्रकरण — कर्मजिज्ञासा

कर्तव्यमूढता के दो अंग्रेजी उदाहरण — इस दृष्टि से महाभारत का महत्त्व — अहिंसाधर्म और उसके अपवाद — क्षमा और उसके अपवाद — हमारे शास्त्रों का सत्यानृतविवेक — अंग्रेजी नीतिशास्त्र के विवेचन के साथ उसकी तुलना — हमारे शास्त्रकारों की दृष्टि की श्रेष्ठता और महत्ता — प्रतिज्ञापालन और उसकी मर्यादा — अस्तेय और उसका अपवाद — 'मरने से जिन्दा रहना श्रेयस्कर है' इसके अपवाद — आत्मरक्षा — माता, पिता, गुरु प्रभृति पूज्य पुरुषों के सम्बन्ध में कर्तव्य और उनके अपवाद — काम, क्रोध और लोभ के निग्रह का तारतम्य — धैर्य आदि गुणों के अवनर और देशकाल आदि मर्यादा — आचार का तारतम्य — धर्म-अधर्म की सूक्ष्मता और गीता की अपूर्वता । पृ. २९-५१

तीसरा प्रकरण — कर्मयोगशास्त्र

कर्मजिज्ञासा का महत्त्व, गीता का प्रथम अध्याय और कर्मयोगशास्त्र की आवश्यकता — कर्म शब्द के अर्थ का निर्णय — मीमांसनों का कर्मविभाग — योग शब्द के अर्थ का निर्णय — गीता में योग = कर्मयोग, और बटी प्रतिपाद्य है — कर्म-अकर्म के पर्याय शब्द — शास्त्रीय प्रतिपादन के तीन पन्थ (आधिभौतिक, आधिदैविक

और आध्यात्मिक) — इस पन्थभेद का कारण — कोट का मत — गीता के अनुसार आध्यात्मदृष्टि की श्रेष्ठता — धर्म शब्द के दो अर्थ, पारलौकिक और व्यावहारिक — चातुर्वर्ण्य — आदि धर्म — जगत् का धारण करता है, इसीलिये धर्म — चोदनालक्षण धर्म — धर्म-अधर्म का निर्णय करने के लिये साधारण नियम — 'महाजनो येन गतः स पन्थाः' और इसके दोष — 'अति मर्वत्र वर्जयेत्' और उसकी अपूर्णता — अविरोध में धर्मनिर्णय — कर्मयोगशास्त्र का कार्य । पृ. ५२-७४

चौथा प्रकरण — आधिभौतिक सुखवाद

स्वरूप-प्रस्ताव — धर्म-अधर्म-निर्णायक तत्त्व — चार्वाक का केवल स्वार्थ — हॉन्स का दूरदर्शी स्वार्थ — स्वार्थवृद्धि के समान ही परोपकारवृद्धि भी नैसर्गिक है । याज्ञवल्क्य का आत्मार्थ — स्वार्थ-परार्थ-उभयवाद अथवा उदात्त या उच्च स्वार्थ — उम पर आक्षेप — किस प्रकार और कौन निश्चित करे, कि अधिकांश लोगों का अधिक सुख क्या है? — कर्म की अपेक्षा कर्ता की वृद्धि का महत्त्व — परोपकार क्यों करना चाहिये? — मनुष्यजाति की पूर्ण अवस्था — श्रेय और प्रिय — सुखदुःख की अनित्यता और नीतिधर्म की नित्यता । पृ. ७५-९४

पाँचवाँ प्रकरण — सुखदुःखविवेक

सुख के लिये प्रत्येक की प्रवृत्ति — सुखदुःख के लक्षण और भेद — सुख स्वतन्त्र है या दुःखामावरूप? संन्यासमार्ग का मत — उसका खण्डन — गीता का सिद्धान्त — सुख और दुःख, दो स्वतन्त्र भाव हैं — इस लोक में प्राप्त होनेवाले सुखदुःख-विषय — मसार में सुख अधिक है या दुःख? पश्चिमी सुग्राधिक्यवाद — मनुष्य के आत्महत्या न करने से ही संसार का मुखमयत्व मिट नहीं होता — सुख की दृष्ट्या की अपार वृद्धि — सुख की इच्छा मुखोपभोग से तृप्त नहीं होती — अतएव ससार में दुःख की अधिकता — हमारे शास्त्रकारी का तदनुकूल मिद्धान्त — शोपेनहर का मत — अमन्तोप का उपयोग — उसके दुष्परिणाम को हटाने का उपाय — सुखदुःख के अनुभव की आत्मवृत्तता और फलाशा का लक्षण — फलाशा को त्यागने से ही दुःखनिवारण होता है । अतः कर्मत्याग का निषेध — इन्द्रियनिग्रह की मर्यादा — कर्मयोग की चतुःसूत्री — शारीरिक अर्थात् आधिभौतिक सुख का पशुधर्मत्व — आत्मप्रसादज अर्थात् आध्यात्मिक सुख की श्रेष्ठता और नित्यता — इन दोनों सुखों की प्राप्ति ही कर्मयोग की दृष्टि से परम साध्य है — विषयोपभोग सुख अनित्य है और परम ध्येय होने के लिये अयोग्य है — आधिभौतिक सुखवाद की अपूर्णता । पृ. ९५-१२३

छठवाँ प्रकरण — आधिदैवतपक्ष और क्षेत्रक्षेत्रज्ञविचार

पश्चिमी सद्मन्डिवेकदेवतापक्ष — उसी के नमान मनोदेवता के सम्बन्ध में हमारे ग्रन्थों के बचन — आधिदैवतपक्ष पर आधिभौतिकपक्ष का आक्षेप — आदन और अम्याम

में कार्य-अकार्य का निर्णय शीघ्र हो जाता है - सद्सद्विवेक कुछ निराली शक्ति नहीं है - अध्यात्मपक्ष के आक्षेप - मनुष्यदेहरूपी बड़ा कारखाना - कर्मेन्द्रियो और ज्ञानेन्द्रियो में व्यापार - मन और बुद्धि के पृथक् पृथक् काम - व्यवसायात्मक बुद्धि का भेद एव सम्बन्ध - व्यवसायात्मक बुद्धि एक ही है, परन्तु सात्त्विक आदि भेदों से तीन प्रकार की है - सद्सद्विवेकबुद्धि इसी में है, पृथक् नहीं है - क्षेत्रक्षेत्रज्ञविचार का और क्षर-अक्षर-विचार का स्वरूप एव कर्मयोग से सम्बन्ध - क्षेत्र शब्द का अर्थ - क्षेत्रज्ञ का अर्थात् आत्मा का अस्तित्व - क्षर-अक्षर-विचार की प्रस्तावना ।

.. .. . पृ १२४-१४९

सातवाँ प्रकरण - कापिलसांख्यशास्त्र अथवा क्षराक्षरविचार

क्षर और अक्षर विचार करनेवाले शास्त्र - काणादो का परमाणुवाद - कापिल-सांख्य शब्द का अर्थ - कापिलसांख्यविषयक ग्रन्थ - सत्कार्यवाद - जगत् का मूलद्रव्य अथवा प्रकृति एक ही है - सत्त्व, रज और तम उसके तीन गुण हैं - त्रिगुण की साम्यावस्था और पारस्परिक रगड़े-झगड़े से नाना पदार्थों की उत्पत्ति - प्रकृति अव्यक्त, अखण्डित, एक ही और अचेतन है - अव्यक्त से व्यक्त प्रकृति से ही मन और बुद्धि की उत्पत्ति - सांख्यशास्त्र को हेकेल का जडाइज़्म और प्रकृति से आत्मा की उत्पत्ति स्वीकृत नहीं - प्रकृति और पुरुष दो स्वतन्त्र तत्त्व हैं - इनमें पुरुष अकर्ता, निर्गुण और उदासीन है, सारा कर्तृत्व प्रकृति का है - दोनों के संयोग से सृष्टि का विस्तार - प्रकृति और पुरुष के भेद को पहचान लेने से कैवल्य की अर्थात् मोक्ष की प्राप्ति - मोक्ष किसका होता है ? प्रकृति का या पुरुष का ? - सांख्यो के असंख्य पुरुष और वेदान्तियों का एक पुरुष - त्रिगुणातीत अवस्था - सांख्यो के और तत्सदृश गीता के सिद्धान्तों के भेद । पृ. १५०-१६९

आठवाँ प्रकरण - विश्व की रचना और संहार

प्रकृति का विस्तार - ज्ञान-विज्ञान का लक्षण - भिन्न भिन्न सृष्ट्यत्पत्तिक्रम और उनकी अन्तिम एकवाक्यता - आधुनिक उत्क्रान्तिवाद का स्वरूप और सांख्य के गुणोत्कर्ष तत्त्व से उसकी समता - गुणोत्कर्ष का अथवा गुणपरिणामवाद का निरूपण - प्रकृति से प्रथम व्यवसायात्मक बुद्धि की और फिर अहङ्कार की उत्पत्ति - उनके त्रिधात अनन्तभेद - अहङ्कार से फिर सेन्द्रियसृष्टि के मनसहित ग्यारह तत्त्वों की और निरिन्द्रियसृष्टि के तन्मात्ररूपी पाँच तत्त्वों की उत्पत्ति - इस बात का निरूपण, कि तन्मात्राएँ पाँच ही क्यों हैं ? और सूक्ष्मेन्द्रियाँ ग्यारह ही क्यों ? - सूक्ष्मसृष्टि से स्थूल विशेष - पच्चीस तत्त्वों का ब्रह्माण्डवृक्ष - अनुगीता का ब्रह्मवृक्ष और गीता का अश्वत्थवृक्ष - पच्चीस तत्त्वों का वर्गीकरण करने की सांख्यो की तथा वेदान्तियों की भिन्न-भिन्न रीति - उनका नकशा - वेदान्तग्रन्थों में वर्णित स्थूल पचमहाभूतों की उत्पत्ति का क्रम और फिर पचीकरण से सारे स्थूल पदार्थ - उपनिषदों के त्रिवृत्करण से

उनकी तुलना - सजीव मृष्टि और त्रिदशशरीर - वेदान्त में वर्णित लिङ्गशरीर का और साध्यशास्त्र में वर्णित त्रिदशशरीर का भेद - बुद्धि के भाव और वेदान्त का कर्म - प्रत्यय - उत्पत्ति - प्रत्ययाल - कल्पयुगमान - ब्रह्मा का दिनरान और उमकी मारी आयु - सृष्टि की उत्पत्ति के अन्य क्रम से विराघ और एकता । पृ १७०-१९६

नौवें प्रकरण - अध्यात्म

प्रकृति और पुरुष-रूप द्वैत पर आक्षेप - दाना से परे रहनेवाले का विचार करन की पद्धति - दाना से परे का एक ही परमात्मा अथवा परमपुरुष - प्रकृति (जगत), पुरुष (जीव) और परमेश्वर, यह त्रयी - गीता में वर्णित परमेश्वर का स्वरूप - व्यक्त अथवा सगुण रूप और उमकी गौणता - अव्यक्त किन्तु माया में होनेवाला - अव्यक्त के ही तीन भेद (सगुण, निर्गुण और सगुणनिर्गुण) - उपनिषदों के समदृश वर्णन - उपनिषदों में उपासना के लिये बनलाई हुई रिचाएँ और प्रतीक - त्रिविध अव्यक्त रूप में निर्गुण ही श्रेष्ठ है (पृ २०९) - उक्त सिद्धान्तों की शान्तीय उपपत्ति - निर्गुण और सगुण के रहन अर्थ - अमृतत्व की स्वभावमिद्ध कल्पना - सृष्टिज्ञान कैसे और किसका होता है ? ज्ञानक्रिया का वर्णन और नामरूप की व्याख्या - नामरूप का दृश्य और वस्तुतत्त्व - मत्य की व्याख्या - विनाशी होने से नामरूप असय है और नित्य से वस्तुतत्त्व मत्य है - वस्तुतत्त्व ही अक्षरब्रह्म है, और नामरूप माया है - सत्य और मिथ्या शब्दों का वेदान्तशास्त्रानुसार अर्थ - आधि-भौतिक शास्त्रों की नामरूपात्मकता (पृ २२३) - विज्ञानवाद वेदान्त को ग्राह्य नहीं - मायावाद की प्राचीनता - नामरूप में आच्छादित नित्य ब्रह्म का और शारीर आमा का स्वरूप एक ही है - दाना को चिद्रूप क्यों कहते हैं ? - ब्रह्मात्मैक्य यानी यह ज्ञान, कि 'जा पिण्ड में है, वही ब्रह्माण्ड में है' - ब्रह्मानन्द में मन की मृत्यु, तुरीयावस्था अथवा निर्विकल्प समाधि - अमृतत्वसीमा और मरण का भरण (पृ २३५) - द्वैतवाद की उत्पत्ति - गीता और उपनिषद् दोनों अद्वैत का ही प्रतिपादन करते हैं - निर्गुण में सगुण माया की उत्पत्ति कैसे होती है ? - विवर्तवाद और गुणपरिणामवाद - जगत्, जीव और परमेश्वरविषयक अख्यात्मवाद का सक्षिप्त सिद्धान्त (२६५) - ब्रह्म का मयामृतत्व - अन्तत् और अन्य ब्रह्मनिर्देश - जीव परमेश्वर का 'अश' पंत है ? - परमेश्वर दिनरात्र स अमर्यादित है (पृ २४८) - अध्यात्मशास्त्र का अन्तिम सिद्धान्त - देहेन्द्रिया में भरी हुई साम्यबुद्धि - मानरूप और सिद्धावस्था का वर्णन (पृ २५९) - ऋग्वेद के नामदीय सूक्त का मायं विवरण - पूर्वोपर प्रकरण का अन्तिम ।

पृ १९७-२६९

दसवां प्रकरण - कर्मविपाक और आत्मस्वार्तंत्र्य

मायामृष्टि और ब्रह्मसृष्टि - दृ के काश और कर्मार्थयोभूत विनर्गन - कर्म, नामरूप और माया का पारस्परिक सम्बन्ध - कर्म की और माया की व्याख्या - माया

का मूल अगम्य है। इसलिये यद्यपि माया परतन्त्र हो, तथापि मायात्मक प्रकृति का विस्तार अथवा सृष्टि ही कर्म है — अतएव कर्म भी अनादि है — कर्म के अखण्डित प्रयत्न — परमेश्वर इसमें हस्तक्षेप नहीं करता; और कर्मानुसार ही फल देता है (पृ. २६९) — कर्मबन्ध की सुदृढता और प्रवृत्तिस्वातन्त्र्यवाद की फल प्रस्तावना — कर्म-विभाग, मंचित, प्रारब्ध और क्रियमाण — 'प्रारब्धकर्मणां भोगादेव क्षयः' — वेदान्त को भीमांसकों का नैष्कर्म्यसिद्धिवाद अग्राह्य है — ज्ञान बिना कर्मबन्ध से छूटकारा नहीं — ज्ञान शब्द का अर्थ — ज्ञानप्राप्ति कर लेने के लिये शरीर आत्मा स्वतन्त्र है। (पृ. २८४) — परन्तु कर्म करने के साधन उसके पास निजी नहीं हैं। इस कारण उतने ही के लिये परावलंबी है — मोक्षप्राप्त्यर्थ आचरित स्वल्प कर्म भी व्यर्थ नहीं जाता — अतः कभी-न-कभी दीर्घ उद्योग करते रहने से सिद्धि अवश्य मिलती है — कर्मक्षय का स्वरूप — कर्म नहीं छूटते, फलाशा को छोड़ो — कर्म का बन्धकत्व मन में है, न कि कर्म में — इसलिये ज्ञान कभी हो, उसका फल मोक्ष ही मिलेगा — तथापि उसमें भी अन्तकाल का महत्त्व (पृ. २८९) — कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्ड — श्रौतयज्ञ और स्मार्तयज्ञ — कर्मप्रधान गार्हस्थ्यवृत्ति — उसी के दो भेद (ज्ञानयुक्त और ज्ञानरहित) — इसके अनुसार भिन्न भिन्न गति — देवयान और पितृयान — कालवाचक या देवतावाचक? — तीसरी नरक की गति — जीवनमुक्तावस्था का वर्णन — पृ. २६२-३०२

ग्यारहवाँ प्रकरण — संन्यास और कर्मयोग

अर्जुन का यह प्रश्न, कि संन्यास और कर्मयोग दोनों में श्रेष्ठ मार्ग कौन-सा है? — इस पन्थ के समान ही पश्चिमी पन्थ — संन्यास और कर्मयोग के पर्याय शब्द — संन्यास शब्द का अर्थ — कर्मयोग संन्यास का अंग नहीं है, दोनों स्वतन्त्र हैं — इस सम्बन्ध में टीकाकारों की गोलमाल — गीता का यह स्पष्ट सिद्धान्त कि इन दोनों मार्गों में कर्मयोग ही श्रेष्ठ है — संन्यासमार्गीय टीकाकारों का किया हुआ विपर्यास — उस पर उत्तर — अर्जुन को अज्ञानी नहीं मान सकते (पृ. ३१३) — इस बात के गीता में निर्दिष्ट कारण, कि कर्मयोग ही श्रेष्ठ क्यों है — आचार अनादि काल से द्वितीय रहा है। अतः वह श्रेष्ठता की निर्णय करने में उपयोगी नहीं है — जनक की तीन और गीता की दो निष्ठाएँ — कर्मों को बन्धक कहने से ही यह सिद्ध नहीं होता, कि उन्हें छोड़ देना चाहिये। फलाशा छोड़ देने से निर्वाह हो जाता है — कर्म छूट नहीं सकते — कर्म छोड़ देने पर खाने के लिये भी न मिलेगा — ज्ञान हो जाने पर अपना कर्तव्य न रहे, अथवा वासना का क्षय हो जाय, तो भी कर्म नहीं छूटते — अतएव ज्ञानप्राप्ति के पश्चात् भी निःस्वार्थबुद्धि से कर्म अवश्य करना चाहिये — भगवान् का और जनक का उदाहरण — फलाशात्याग, वैराग्य और कर्मोत्साह (पृ. ३२१) — लोकसंग्रह और उसका लक्षण — ब्रह्मज्ञान का यही सच्चा पर्यवसान है — तथापि वह लोकसंग्रह भी चातुर्वर्ण्यव्यवस्था के अनुसार और निष्काम हो (पृ. ३३८) — स्मृतिन्त्रयों

में वर्णित चार आश्रमों का आयु विताने का मार्ग — गृहस्थाश्रम का महत्त्व — भागवत-धर्म — भागवत और स्मार्त के मूल अर्थ — गीता में कर्मयोग अर्थात् भागवतधर्म ही प्रतिपाद्य है — गीता का कर्मयोग और मीमांसकों के कर्ममार्ग का भेद — स्मार्त-मन्यास और भागवतमन्यास का भेद — दोनों की एकता — मनुस्मृति के वैदिक कर्मयोग की और भागवतधर्म की प्राचीनता — गीता के अध्यायसमाप्तिमूचक सकल्प का अर्थ — गीता की अपूर्वता और प्रस्थानत्रयी के तीन भागों की सार्यकता (पृ. ३५४) — मंग्याम (साध्य) और कर्मयोग (योग), दोनों मार्गों के भेद-अभेद का नकशे में मक्षिण वर्णन — आयु विताने के भिन्न भिन्न मार्ग — गीता का यह सिद्धान्त, कि इन सब में कर्मयोग ही श्रेष्ठ है — इस सिद्धान्त का प्रतिपादक ईशावास्योपनिषद् का मन्त्र, इस मन्त्र के शाकरभाष्य का विचार — मनु और अन्याय स्मृतियों के ज्ञानवर्मममुच्ययात्मक वचन । पृ. ३०३-३६८

चारहवाँ प्रकरण — सिद्धावस्था और व्यवहार

समाज की पूर्ण अवस्था—पूर्णावस्था में सभी स्थितप्रज्ञ होते हैं— नीति की परमावधि — पश्चिमी स्थितप्रज्ञ — स्थितप्रज्ञ की विधिनियमों में परे स्थिति — कर्मयोगी स्थितप्रज्ञ का आचरण ही परम नीति है — पूर्णावस्थावाली परमावधि की नीति में और लोभी समाज की नीति में भेद — दामबोध में वर्णित उत्तम पुरुष का लक्षण — परन्तु इस भेद में नीतिधर्म की नित्यता नहीं घटती (पृ. ३८०) — इन भेदों को स्थितप्रज्ञ किम दृष्टि में करता है ? समाज का श्रेय, कृष्ण अथवा सर्वभूतहित — तथापि इस ब्राह्मण-दृष्टि की अपेक्षा साम्यबुद्धि ही श्रेष्ठ है — अधिकांश लोगों के अधिक हित और साम्यबुद्धि, इन तत्त्वों की तुलना — साम्यबुद्धि में जगत् में अन्वित करना — परोपकार और निर्वाह — आमोक्ष्यबुद्धि — उमका व्यापकत्व, महत्त्व और उपपत्ति — 'वमुद्यैव बुद्धुस्वकम्' (पृ. ८०२) — बुद्धि मम हो जाय तो भी पात्र-अपात्र का विचार नहीं छूटना — निर्वाह का अर्थ निष्प्रिय अथवा निष्प्रतिवार नहीं है — जैसे को तैसा — दुष्टनिग्रह — देशाभिमान, कुशाभिमान इत्यादि की उपपत्ति — देशकाल-मर्यादापरिपालन और आत्मरक्षा — ज्ञानी पुरुष का कर्तव्य — लोकमग्रह और कर्मयोग — विषयोपमहार — स्वार्थ, परार्थ और परमार्थ । पृ. ३६९-८०७

तीरहवाँ प्रकरण — भक्तिमार्ग

अन्यबुद्धिसाले माधारण मनुष्यों के लिये निर्गुण ब्रह्मस्वरूप को दुर्गोपना — ज्ञान-प्राप्ति के माधन, श्रद्धा और बुद्धि — दोनों की परम्परापेक्षा — श्रद्धा में व्यवहारमिद्धि — श्रद्धा में परमेश्वर का ज्ञान हो जाने पर भी निर्वाह नहीं होता — मन में उसके प्रति-पत्ति होने के लिये निरतिशय और निहंतु प्रेम में परमेश्वर का चिन्तन करना पटना है, इसी को भक्ति कहते हैं — मगूण अव्यक्त का चिन्तन कष्टमय और दुःसाध्य है — कार्य उपायना के लिये प्रत्यक्ष बन्धु होनी चाहिये — ज्ञानमार्ग और भक्तिमार्ग परिणाम

मे एक ही है — तथापि ज्ञान के समान भक्ति निष्ठा नहीं हो सकती — भक्ति करने के लिये ग्रहण किया हुआ परमेश्वर का प्रेमगम्य और प्रत्यक्ष रूप — प्रतीक शब्द का अर्थ — राजविद्या और राजगुह्य शब्दों के अर्थ — गीता का प्रेमरस (पृ. ४२१) — परमेश्वर की अनेक विभूतियों में से कोई भी प्रतीक हो सकती है — बहुतेरों के अनेक प्रतीक और उमसे होनेवाला अनर्थ — उसे टालने का उपाय — प्रतीक और तत्संबंधी भावना में भेद — प्रतीक कुछ भी हो; भावना के अनुसार फल मिलता है — विभिन्न देवताओं की उपासनाएँ — इसमें भी फलदाता एक ही परमेश्वर है, देवता नहीं — किसी भी देवता को भजो, वह परमेश्वर का ही अविधिपूर्वक भजन होता है — इस दृष्टि से गीता के भक्ति-मार्ग की श्रेष्ठता — श्रद्धा और प्रेम की शुद्धता-अशुद्धता — क्रमशः उद्योग करने से सुधार और अनेक जन्मों के पश्चात् सिद्ध — जिसे न श्रद्धा है न बुद्धि, वह डूबा — बुद्धि से और भक्ति से अन्त में एक ही अद्वैत ब्रह्मज्ञान होता है (पृ. ४३२) — कर्मविपाकक्रिया के और अध्यात्म के सब सिद्धान्त भक्तिमार्ग में भी स्थिर रहते हैं — उदारणार्थ, गीता के जीव और परमेश्वर का स्वरूप — तथापि इस सिद्धान्त में कभी कभी शब्दभेद हो जाता है — कर्म ही अब परमेश्वर हो गया — ब्रह्मार्पण और कृष्णार्पण — परन्तु अर्थ का अनर्थ होता हो, तो शब्दभेद भी नहीं किया जाता — गीताधर्म में प्रतिपादित श्रद्धा और ज्ञान का मेल — भक्तिमार्ग में संन्यासधर्म की अपेक्षा नहीं है — भक्ति का और कर्म का विरोध नहीं है — भगवद्भक्त और लोकसग्रह — स्वकर्म से ही भगवान का यजन-पूजन — ज्ञानमार्ग त्रिवर्ण के लिये है, तो भक्तिमार्ग स्त्री, शूद्र आदि सब के लिये खुला हुआ है — अन्तकाल में भी अनन्यभाव से शरणापन्न होने पर मुक्ति — अन्य सब धर्मों की अपेक्षा गीता के धर्म की श्रेष्ठता । पृ. ४०८-४४४

चौदहवाँ प्रकरण — गीताध्यायसंगति

विषयप्रतिपादन की दो रीतियाँ — शास्त्रीय और संवादात्मक — संवादात्मक पद्धति के गुणदोष — गीता का आरम्भ — प्रथमाध्याय — द्वितीय अध्याय में 'साध्य' और 'योग' इन दो मार्गों से ही आरम्भ — तीसरे, चौथे और पाँचवें अध्याय में कर्मयोग का विवेचन — कर्म की अपेक्षा साम्यबुद्धि की श्रेष्ठता — कर्म छूट नहीं सकते — साध्यनिष्ठा की अपेक्षा कर्मयोग श्रेयस्कर है — साम्यबुद्धि को पाने के लिये इन्द्रिय-निग्रह की आवश्यकता — छठे अध्याय में वर्णित इन्द्रियनिग्रह का साधन — कर्म, भक्ति और ज्ञान, इस प्रकार गीता के तीन स्वतन्त्र विभाग करना उचित नहीं है — ज्ञान और भक्ति, कर्मयोग की साम्यबुद्धि के साधन हैं — अतएव त्वम्, तत्, असि इस प्रकार पड़ध्यायी नहीं होती — सातवें अध्याय से लेकर बारहवें अध्याय तक ज्ञान-विज्ञान का विवेचन कर्मयोग की सिद्धि के लिये ही है । वह स्वतन्त्र नहीं है — सातवें से लेकर अन्तिम अध्याय तक का तात्पर्य — इन अध्यायों में भी भक्ति और ज्ञान पृथक् पृथक् वर्णित नहीं हैं, परस्पर एक दूसरे से भूँये हुए हैं, उनका ज्ञानविज्ञान नहीं

एक नाम है — तेरह से लेकर मत्तहवें अध्याय तक का सारा भाग — अठारहवें का उप-
संहार कर्मयोगप्रधान ही है — अतः उपक्रम, उपसंहार आदि भीमासकों की दृष्टि से
गीता में कर्मयोग ही प्रतिपाद्य निश्चित होता है — चतुर्विध पुरुषार्थ — धर्म और काम
धर्मानुकूल होना चाहिये — किन्तु मोक्ष का और धर्म का विरोध नहीं है — गीता का
संन्यासप्रधान अर्थ क्याकर किया गया है ? — साध्य + निष्कामकर्म = कर्मयोग —
गीता में क्या नहीं है ? — तथापि अन्त में कर्मयोग ही प्रतिपाद्य है — संन्यासमार्गवालों
से प्रार्थना । पृ. ४४५-४७४

पन्द्रहवाँ प्रकरण — उपसंहार

कर्मयोगशास्त्र और आचारमग्रह का भेद — यह भ्रमपूर्ण समझ, कि वेदान्त से
नीतिशास्त्र की उपपत्ति नहीं लगती — गीता वहीं उपपत्ति बतलाती है — केवल नीतिदृष्टि
से गीताधर्म का विवेचन — कर्म की अपेक्षा बुद्धि की श्रेष्ठता — नकुलंपाष्यान् — ईसाइयों
और बौद्धों के तत्त्वदृष्ट सिद्धान्त — 'अधिकांश लोगों का अधिक हित' और 'मनोदैवत'
इन दो पश्चिमी पक्षों से गीता में प्रतिपादित साम्यबुद्धि की तुलना — पश्चिमी आध्या-
त्मिक पक्ष से गीता की उपपत्ति की समता — कान्ट और ग्रीन के सिद्धान्त — वेदान्त
और नीति (पृ. ४९१) — नीतिशास्त्र में अनेक पन्थ होने का कारण — पिण्ड-ब्रह्माण्ड
की रचना के विषय में मतभेद — गीता के आध्यात्मिक उपपादन में महत्त्वपूर्ण विशेषता—
मोक्ष, नीतिधर्म और व्यवहार की एकराज्यता — ईसाइयों का संन्यासमार्ग — मुखहेतु
पश्चिमी कर्ममार्ग — उसकी गीता के कर्ममार्ग से तुलना — चतुर्विध व्यवस्था और नीति-
धर्म के बीच भेद — दुःखनिवारक पश्चिमी कर्ममार्ग और निष्काम गीताधर्म (पृ. ५०१)
— कर्मयोग का बलियुगवाञ्छा सक्षिप्त इतिहास — जैन और बौद्ध यति — शंकराचार्य
के संन्यासी — मुसलमानी राज्य — भगवद्भक्त, सन्तमण्डली और रामदास — गीता-
धर्म का जिन्दापन — गीताधर्म की अभयता, नित्यता और समता — ईश्वर से प्रार्थना ।

पृ. ४७५-५१२

परिशिष्ट प्रकरण — गीता की बहिरंगपरीक्षा

महाभारत में योग्य कारणों से उचित स्थान पर गीता कही गई है; वह प्रक्षिप्त
नहीं है । भाग १. गीता और महाभारत का बतुत्व — गीता का वर्तमान स्वरूप —
महाभाग का वर्तमान स्वरूप — महाभाग में गीताविषयक सात उल्लेख — दोनों के
एक-मे मिलानेजुलने हुए श्लोक और भाषासादृश्य — इसी प्रकार अर्थसादृश्य — इसमें
सिद्ध होता है, कि गीता और महाभारत दोनों का प्रणेता एक ही है । भाग २. गीता
और उपनिषदों की तुलना — शब्दासादृश्य और अर्थसादृश्य — गीता का अध्यात्मज्ञान
उपनिषदों का ही है — उपनिषदों का और गीता का मायावाद — उपनिषदों की अपेक्षा
गीता का विवेचन: — साध्यशास्त्र और वेदान्त की एकराज्यता — ध्यवनीपामामना
अथवा भक्तिमार्ग — परन्तु कर्मयोगमार्ग का प्रतिपादन ही सब में महत्त्वपूर्ण

विशेषता है—गीता में इन्द्रियनिग्रह करने के लिये बतलाया गया योग, पातञ्जलयोग और उपनिषद् । — भाग ३. गीता और ब्रह्मसूत्रों की पूर्वापरता—गीता में ब्रह्मसूत्रों का स्पष्ट उल्लेख—ब्रह्मसूत्रों में 'स्मृति' शब्द से गीता का अनेक बार उल्लेख—दोनों ग्रन्थों के पूर्वापर का विचार—ब्रह्मसूत्र या तो वर्तमान गीता के समकालीन है या और पुराने, बाद के नहीं—गीता में ब्रह्मसूत्रों के उल्लेख होने का एक प्रबल कारण । — भाग ४. भागवतधर्म का उदय और गीता—गीता का भक्तिमार्ग वेदान्त, सांख्य और योग को लिये हुए है—वेदान्त के मत गीता में पीछे से नहीं मिलाये गये हैं—वैदिक धर्म का अत्यन्त प्राचीन स्वरूप कर्मप्रधान है—तदनन्तर ज्ञान का अर्थात् वेदान्त, सांख्य और वैराग्य का प्रादुर्भाव हुआ—दोनों की एकवाक्यता प्राचीन काल में ही हो चुकी है—फिर भक्ति का प्रादुर्भाव—अतएव पूर्वोक्त मार्गों के साथ भक्ति की एकवाक्यता करने की पहले से ही आवश्यकता थी—यही भागवतधर्म की अतएव गीता की भी दृष्टि—गीता का ज्ञानकर्मसमुच्चय उपनिषदों का है । परन्तु भक्ति का मेल अधिक है—भागवतधर्मविषयक प्राचीन ग्रन्थ, गीता और नारायणीयोपाख्यान—श्रीकृष्ण का और सात्वत अथवा भागवतधर्म के उदय का काल एक ही है—बुद्ध से प्रथम लगभग सात आठ सौ अर्थात् ईसा से प्रथम पन्द्रह सौ वर्ष—ऐसा मानने का कारण—न मानने से होनेवाली अनावस्था—भागवतधर्म का मूलस्वरूप नैष्कर्म्यप्रधान था, फिर भक्तिप्रधान हुआ; और अन्त में विशिष्टाद्वैतप्रधान हो गया—मूलगीता ईसा से प्रथम कोई नौ सौ वर्ष की है । — भाग ५. वर्तमान गीता का काल—वर्तमान महाभारत और वर्तमान गीता का समय एक ही है । इन में वर्तमान महाभारत भास के, अश्वघोष के, आश्वलायन के, सिकन्दर के और मेघादि गणना के पूर्व का है; किन्तु, बुद्ध के पश्चात् का है—अतएव शक से प्रथम लगभग पाँच सौ वर्ष का है—वर्तमान गीता कालिदास के, वाणभट्ट के, पुराणों और वीधायान के, पूर्व बौद्धधर्म के महायान पन्थ के भी प्रथम की है; अर्थात् शक से प्रथम पाँच सौ वर्ष की है । — भाग ६. गीता और बौद्ध ग्रन्थ—गीता के स्थितप्रज्ञ के और बौद्ध अर्हत् के वर्णन में समता—बौद्धधर्म का स्वरूप और उससे पहले ब्राह्मणधर्म से उससी उत्पत्ति—उपनिषदों के आत्मवाद को छोड़ कर केवल निवृत्तिप्रधान आचार को ही बुद्ध ने अंगीकार किया—बौद्धमतानुसार इस आचार के दृश्य कारण, अथवा चार आर्य सत्य—बौद्ध गार्हस्थ्यधर्म और वैदिक स्मार्तधर्म में समता—ये सत्य विचार मूल वैदिकधर्म के ही हैं—तथापि महाभारत और गीता-विषयक पृथक् विचार करने का प्रयोजन—मूल अनात्मवादी और निवृत्तिप्रधान भक्तिधर्म से ही आगे चल कर भक्तिप्रधान बौद्धधर्म का उत्पन्न होना असम्भव है—महायान पन्थ की उत्पत्ति; यह मानने के लिये प्रमाण कि, उसका प्रवृत्तिप्रधान भक्तिधर्म गीता में ही ले लिया गया है—इससे निर्णित होनेवाला गीता का समय । — भाग ७. गीता और ईसाइयों की बाइबल—ईसाई धर्म से गीता में किसी भी तन्व का लिया जाना असम्भव है—ईसाई धर्म यहूदी धर्म में धीरे धीरे स्वतन्त्र रीति पर नहीं निकला है—

वह क्यों उत्पन्न हुआ है ? इस विषय में पुराने ईसाई पण्डितों की राय — एसीन पन्थ और यूनानी तत्त्वज्ञान — बौद्धधर्म के साथ ईसाई धर्म की अद्भुत समता — इनमें बौद्धधर्म की निर्विवाद प्राचीनता — उस बात का प्रमाण कि यहूदियों के देश में बौद्ध यतियों का प्रवेश प्राचीन समय में ही हो गया था — अतएव ईसाई धर्म के तत्त्वों का बौद्धधर्म से ही अर्थात् पर्याय से वैदिक धर्म से ही अथवा गीता से ही लिया जाना पूर्ण सम्भव है — इससे सिद्ध होनेवाली गीता की निस्सन्दिग्ध प्राचीनता ।

पृ. ५१३-५१८

गीतारहस्य के संक्षिप्त चिन्हों का व्योरा और संक्षिप्त चिन्हों से जिन ग्रन्थों का उल्लेख किया है, उनका परिचय



अथर्व. अथर्व वेद । काण्ड, सूक्त और ऋचा के क्रम से नम्बर है ।

अष्टा अष्टावक्रगीता । अध्याय और श्लोक । अष्टेकर और मण्डली का गीतासंग्रह का संस्करण ।

ईश. ईशावास्योपनिषद् । आनन्दाश्रम का संस्करण ।

ऋ. ऋग्वेद । मण्डल, सूक्त और ऋचा ।

ऐ. अथवा ऐ उ. ऐतरेयोपनिषद् । अध्याय, खण्ड और श्लोक । पूने के आनन्दाश्रम का संस्करण ।

ऐ. ब्रा. ऐतरेय ब्राह्मण । पंचिका और खण्ड । डॉ. होडा का संस्करण ।

क., कठ. अथवा कठोपनिषद् । वल्ली और मन्त्र । आनन्दाश्रम का संस्करण ।

केन. केनोपनिषद् । (=तलवकारोपनिषद्) । खण्ड और मन्त्र । आनन्दाश्रमका संस्करण ।

कं. कंवल्योपनिषद् । खण्ड और मन्त्र । २८ उपनिषद्, निर्णयसागर का संस्करण ।

कौपी. कौपीतक्युपनिषद् । अथवा कौपीतकी ब्राह्मणोपनिषद् । अध्याय और खण्ड । कहीं कहीं इस उपनिषद् के पहले अध्याय को ही ब्राह्मणानुक्रम से तृतीय अध्याय कहते हैं । आनन्दाश्रम का संस्करण ।

गी. भगवद्गीता । अध्याय और श्लोक । गी. शा. भा. गीता शाङ्करभाष्य ।

गी. रा. भा. गीता रामानुजभाष्य । आनन्दाश्रमवाली गीता और शाङ्करभाष्य की प्रति के अन्त में शब्दों की सूची है । हमने निम्नलिखित टीकाओं का उपयोग किया है ।—
श्रीव्यक्तेश्वर प्रेस का रामानुजभाष्य । कुम्भकोण के कृष्णाचार्यद्वारा प्रकाशित माध्वभाष्य; आनन्दगिरी की टीका और जगद्वितेच्छु छापखाने (पूना) में छपी हुई परमार्थप्रपा टीका; नेटिव ओपिनियन छापखाने (बम्बई) में छपी हुई मधुसूदनी टीका; निर्णयसागर में छपी हुई श्रीधरी और वामनी (मराठी) टीका; आनन्दाश्रम में छपा हुआ पैशाचभाष्य; गुजराती प्रिन्टिंग प्रेस की वल्लभसम्प्रदायी तत्त्वदीपिका; बम्बई में छपे हुए महाभारत की नीलकण्ठी; और मद्रास में छपी हुई ब्रह्मानन्दी । परन्तु इनमें से पैशाचभाष्य और ब्रह्मानन्दी को छोड़कर शेष टीकाएँ और निम्बाकं सम्प्रदाय की एव दूसरी कुछ और टीकाएँ—बुल

पन्द्रह सस्वृत टीकाएँ — गुजराती प्रिंटिंग प्रेस ने अमी टाप कर प्रकाशित की है। अब इस एक ही ग्रन्थ से सारा काम हो जाता है।

गो. र. अथवा गीतार. गीतारहस्य। हमारी पुस्तक का पहला निबन्ध।

छां. छान्दोग्योपनिषद्। अध्याय, खण्ड और मन्त्र। आनन्दाश्रम का संस्करण।

जै. सू. जैमिनी के मीमांसासूत्र। अध्याय, पाद और सूत्र। कलकत्ते का संस्करण।

तै. अथवा तै. उ. तैत्तिरीय उपनिषद्। बल्ली, अनुवाक और मन्त्र। आनन्दाश्रम का संस्करण।

तै. ब्रा. तैत्तिरीय ब्राह्मण। काण्ड, प्रपाठक, अनुवाक और मन्त्र। आनन्दाश्रम का संस्करण।

तै. सं. तैत्तिरीय संहिता। काण्ड, प्रपाठक और मन्त्र।

दा. अथवा दास. श्रीमत्सं रामदामस्वामीवृत दासबोध। धुलिया सत्कार्योत्तेजक सभा की प्रति का, चित्रशाला प्रेम में छपा हुआ हिन्दी अनुवाद।

ना. पं. नारदपंचगत्र। बङ्कत्ते का संस्करण।

ना. सू. नारदमूत्र। बम्बई का संस्करण।

नृसिंह. उ. नृसिंहोत्तरतापनीयोपनिषद्।

पातंजलसू. पातञ्जलयोगसूत्र। तुकाराम तात्या का संस्करण।

पंच. पंचदशी। निर्णयसागर का सटीक संस्करण।

प्रश्न प्रश्नोपनिषद्। प्रश्न और मन्त्र। आनन्दाश्रम का संस्करण।

बृ. अथवा बृह. बृहदारण्यकोपनिषद्। अध्याय, ब्राह्मण और मन्त्र। आनन्दाश्रम का संस्करण। साधारण पाठ काण्ड, केवल एक स्थान पर माध्यन्दिन शाखा के पाठ का उल्लेख है।

श्र. सू. आगे के. सू. देखो।

भाग श्रीमद्भागवतपुगण। निर्णयसागर का संस्करण।

भा ज्यो. भागतीय ज्योतिषशास्त्र। स्वर्गीय शब्दकार बालकृष्ण दीक्षितवृत।

मत्स्य मत्स्यपुगण। आनन्दाश्रम का संस्करण।

मनु मनुस्मृति। अध्याय और श्लोक। डॉ. जाली का संस्करण। मण्डलिक के अथवा और किसी भी संस्करण में ये ही श्लोक प्रायः एक ही स्थान पर मिलेंगे। मनु पर जो टीका है, वह मण्डलिक के संस्करण की है।

म. मा श्रीमन्महाभाग्न। दसरे आगे के अधर विभिन्न पर्वों के दशक हैं; नम्बर अध्याय के और श्लोकों के हैं। बङ्कत्ते में बाबू प्रतापचन्द्र राय के द्वारा

मुद्रित संस्कृत प्रति का ही हमने सर्वत्र उपयोग किया है। बम्बई के संस्करण में ये श्लोक कुछ आगे-पीछे मिलेंगे।

मि. प्र. मिलिन्दप्रश्न। पाली ग्रन्थ। अंग्रेजी अनुवाद।

मुं. अथवा मुंड मुण्डकोपनिषद्। मुण्ड, खण्ड और मन्त्र। आनन्दाश्रम का संस्करण।

मैत्र्यु. मैत्र्युपनिषद् अथवा मैत्रायण्युपनिषद्। प्रपाठक और मन्त्र। आनन्दाश्रम का संस्करण।

याज्ञ. याज्ञवल्क्यस्मृति। अध्याय और श्लोक। बम्बई का छपा हुआ। इसकी अपराकं टीका (आनन्दाश्रम के संस्करण) का भी दो-एक स्थानों पर उल्लेख है।

यो. अथवा योग योगवासिष्ठ। प्रकरण, सर्ग और श्लोक। छठे प्रकरण के दो भाग हैं। (पू.) पूर्वार्ध, और (उ.) उत्तरार्ध। निर्णयसागर का सटीक संस्करण।

रामपू. रामपूर्वतापिन्युपनिषद्। आनन्दाश्रम का संस्करण।

वाज. सं. वाजसनेयी संहिता। अध्याय और मन्त्र। वेवर का संस्करण।

वाल्मीकिरा. अथवा वा. रा. वाल्मीकिरामायण। काण्ड, अध्याय और श्लोक। बम्बई का संस्करण।

विष्णु. विष्णुपुराण। अंश, अध्याय और श्लोक। बम्बई का संस्करण।

वे.सू. वेदान्तसूत्र। अध्याय, पाद और सूत्र। वे.सू. शां. भा. वेदान्तसूत्रशाङ्करभाष्य। आनन्दाश्रमवाले संस्करण का सर्वत्र उपयोग किया है।

शां. सू. शाण्डिल्यसूत्र। बम्बई का संस्करण।

शिव. शिवगीता। अध्याय और श्लोक। अष्टेकर मण्डली के गीतासंग्रह का संस्करण।

श्वे. श्वेताश्वरोपनिषद्। अध्याय और मन्त्र। आनन्दाश्रम का संस्करण।

सां. का. सांख्यकारिका। तुकाराम तात्या का संस्करण।

सूर्यगी. सूर्यगीता। अध्याय और श्लोक। मद्रास का संस्करण।

हरि. हरिवंश। पर्व, अध्याय और श्लोक। बम्बई का संस्करण।

सूचना :- इनके अतिरिक्त और कितने ही संस्कृत, अंग्रेजी, मराठी एवं पाली ग्रंथों का स्थान स्थानपर उल्लेख है। परन्तु उनके नाम यथास्थान पर प्रायः पुरे लिख दिये गये हैं, अथवा वे समझ में आ सकते हैं। इसलिये उनके नाम इस फेहरिस्त में शामिल नहीं किये गये।

श्रीगणेशाय नमः ।

ॐ तत्सत् ।

श्रीमद्भगवद्गीतारहस्य

अथवा

कर्मयोगशास्त्र

पहला प्रकरण

विषयप्रवेश

नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् ।

देवीं सरस्वतीं व्यासं ततौ जयमुदीरयेत् ॥*

— महाभारत, आदिम श्लोक ।

श्रीमद्भगवद्गीता हमारे धर्मग्रंथों में एक अत्यन्त तेजस्वी और निर्मल हीरा है । पिंड-ब्रह्मांड-ज्ञानसहित आत्मविद्या के गूढ और पवित्र तत्त्वों को थोड़े में और स्पष्ट रीति से समझा देनेवाला, उन्हीं तत्त्वों के आधार पर मनुष्यमात्र के पुरुषार्थ की — अर्थात् आध्यात्मिक पूर्णावस्था की — पहचान करा देनेवाला, भक्ति, और ज्ञान का मेल कराके इन दोनों का शास्त्रोक्त व्यवहार के साथ संयोग करा देनेवाला और इसके द्वारा संसार से दुःखित मनुष्य को शान्ति दे कर उसे निष्काम कर्तव्य के आचरण में लगानेवाला गीता के समान बालबोध ग्रंथ, सस्कृत के कौन कहे, ममस्त संसार के साहित्य में नहीं मिल सकता । केवल काव्य की ही दृष्टि से यदि इसकी परोक्षा की जाय तो भी यह ग्रंथ उत्तम काव्यों में गिना जा सकता है; क्योंकि इसमें आत्म-ज्ञान के अनेक गूढ सिद्धान्त ऐसी प्रासादिक भाषा में लिखे गये हैं, कि वे बूढ़ों और बच्चों को एकसमान सुगम हैं; और इसमें ज्ञानयुक्त भक्तिरस भी भरा पड़ा है । जिस ग्रंथ में समस्त वैदिक धर्म का सार स्वयं श्रीकृष्ण भगवान् की वाणी में संग्रहित किया

* नारायण को, मनुष्यों में जो श्रेष्ठ नर है उसको, सरस्वती देवी को और व्यामर्जी को नमस्कार करके फिर 'जय' अर्थात् महाभारत को पढ़ना चाहिये — यह श्लोक का अर्थ है ।

इस ग्रथ में सब उपनिषदों का सार आ गया है, इसीसे इसका पूरा नाम 'श्रीमद्भगवद्गीता-उपनिषत्' है। गीता के प्रत्येक अध्याय के अंत में जो अध्याय-समाप्ति-दर्शक सकल्प है, उसने "इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसवादे" इत्यादि शब्द हैं। यह सकल्प यद्यपि मूलग्रथ (महा-भारत) में नहीं है, तथापि यह गीता की सभी प्रतियों में पाया जाता है। इससे अनुमान होता है, कि गीता की किसी भी प्रकार की टीका होने के पहले ही, जब महा-भारत में गीता नित्यपाठ के लिये अलग निकाल ली गई होगी तभी से उक्त सकल्पका प्रचार हुआ होगा। इस दृष्टि से, गीता के तात्पर्य का निर्णय करने के कार्य में उसका महत्त्व कितना है, यह आगे चल कर बताया जायगा। यहाँ इस सकल्प के केवल दो पद (भगवद्गीतासु उपनिषत्सु) विचारणीय हैं। 'उपनिषत्' शब्द हिन्दी में पुल्लिंग माना जाता है, परन्तु वह संस्कृत में स्त्रीलिंग है। इसलिये "श्रीभगवान् से गाया गया अर्थात् कहा गया उपनिषद्" यह अर्थ प्रकट करने के लिये संस्कृत में "श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्" ये दो विशेषणविशेष्यरूप स्त्रीलिंग शब्द प्रयुक्त हुए हैं, और यद्यपि ग्रथ एक ही है, तथापि सम्मान के लिये "श्रीमद्भगवद्गीता-सूपनिषत्सु" ऐसा सप्तमी के बहुवचन का प्रयोग किया गया है। शंकराचार्य के भाष्य में भी इस ग्रथ को लक्ष्य करके 'इति गीतासु' यह बहुवचनान्त प्रयोग पाया जाता है। परन्तु नाम को संक्षिप्त करने के समय आदरसूचक प्रत्यय, पद तथा अंत के सामान्य जातिवाचक 'उपनिषत्' शब्द भी उड़ा दिये गये, जिससे 'श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषद्' इन प्रथमा के एकवचनान्त शब्दों के बदले पहले 'भगवद्गीता' और फिर केवल 'गीता' ही संक्षिप्त नाम प्रचलित हो गया। ऐसे बहुत-से संक्षिप्त नाम प्रचलित हैं। जैसे—कठ, छादोग्य, वेन इत्यादि। यदि 'उपनिषद्' शब्द मूल नाम में न होता तो 'भागवतम्', 'भारतम्', 'गोपीगीतम्' इत्यादि शब्दों के समान इस ग्रथ का नाम भी 'भगवद्गीतम्' या केवल 'गीतम्' बन जाता, जैसा कि नपुंसकलिंग के शब्दों का स्वरूप हाता है। परन्तु जब कि ऐसा हुआ नहीं है और 'भगवद्गीता' या 'गीता' यही स्त्रीलिंग शब्द अब तक बना है, तब उसके सामने 'उपनिषत्' शब्द को नित्य अध्याहृत समझना ही चाहिये। अनुगीता की अर्जुननिश्चकृत टीका में 'अनुगीता' शब्द का अर्थ भी इसी रीति से किया गया है।

परन्तु सात सौ श्लोकों की भगवद्गीता को ही गीता नहीं कहते। अनक ज्ञान-विषयक ग्रथ भी गीता कहलाते हैं। उदाहरणार्थ, महाभारत के शांतिपर्वान्तर्गत मोक्षपर्व के कुछ फुटकर प्रकरणों को पिंगलगीता, शपाकगीता, मन्विगीता, बोध्यगीता, विचक्ष्यगीता, हारीतगीता, वृत्रगीता, पराशरगीता और हंसगीता कहते हैं। अश्वमेध पर्व में अनुगीता के एक भाग का विशेष नाम 'ब्राह्मणगीता' है। इनके सिवा अवधूत-गीता, अप्टावन्नगीता, ईश्वरगीता, उत्तरगीता, वपितगीता, गणेशगीता, देवीगीता,

पाटनगीता, ब्रह्मगीता, भिक्षुगीता, यमगीता, व्यामगीता, शिवगीता, सूतगीता, सूर्यगीता इत्यादि अनेक गीताएँ प्रसिद्ध हैं। इनमेंसे कुछ तो, स्वतंत्र रीति में निर्माण की गई हैं और शेष भिन्न भिन्न पुराणों में ली गई हैं। जैसे, गणेशपुराण के अन्तिम श्रीडाखड १३८ म १८ अध्याय में गणेशगीता उही गई है। इसे यदि थोड़े फेरफार के साथ भगवद्गीता की नकल कहता जाय तो हानि नहीं। कूर्मपुराण के उत्तरभाग के पहले ग्यारह अध्याय में ईश्वरगीता है। इसके बाद व्यामगीता का आरम्भ हुआ है। मन्दपुराणान्तर्गत सूतमहिता के चौथे अर्थात् यज्ञवल्क्यके के उपरी भाग के आरम्भ (१ मे १२ अध्याय तक) में ब्रह्मगीता है और इसके बाद अध्याय में सूतगीता है। यह ता हर्ष एव ब्रह्मगीता, दूसरे एक और ब्रह्मगीता है, जो योगवामिष्ठ ने निर्वाण-प्रवर्ण के उत्तरार्ध (नं १७३ मे १८१ तक) में ला गई है। यमगीता तीन प्रकार की है। पहली रिणुपुराण के तीसरे अर्ध के सातवें अध्याय में, दूसरी, अग्निपुराणके तीसरे अर्ध के ३८१ व अध्याय में, और तीसरी, नृसिंहपुराण के आठवें अध्याय में है। यही ही रामगीता का है। महाराष्ट्र में जो रामगीता प्रचलित है वह अध्यात्म-रामायण के उत्तरकाण्ड के पाचवें सर्ग में है, और यह अध्यात्मरामायण ब्रह्मण्ड पुराणका एक भाग माना जाता है, परन्तु इनमें मिला एक दूसरी रामगीता 'गुरुपानवामिष्ठन्यनागव' नामक ग्रन्थ में है, जो मद्रास की ओर प्रसिद्ध है। यह ग्रन्थ वेदान्तविषय पर लिखा गया है। इसमें ज्ञान, और कर्म-मन्त्रही तीन काण्ड हैं। इसके उत्तरनागण्ड के द्वितीय पाद के पहले अठारह अध्याय में रामगीता है और कर्मकाण्ड के तृतीय पाद के पहले पाँच अध्यायों में सूर्यगीता है। कहते हैं कि शिवगीता पद्मपुराण के अन्तर्भाग में है। इस पुराण की जो प्रति पून के ज्ञानन्दाश्रम में ली गई है उसमें शिवगीता नहीं है। पण्डित ज्वालाप्रसाद ने अपने 'ज्योतिषपुराणदर्शन' ग्रन्थ में लिखा है कि शिवगीता गौरीय पञ्चाक्षरपुराण में है। नागदपुराण में अन्य पुराणों के साथ साथ पद्मपुराण की भी जो विषयानुक्रमगिना दी गई है उसमें शिवगीता

में दिया हुआ है। इसी तरह कहा जाता है, कि वसिष्ठजी ने जो उपदेश रामचंद्रजी को दिया, उसीको योगवासिष्ठ कहते हैं; परंतु इस ग्रंथ के अन्तिम (अर्थात् निर्वाण) प्रकरण में 'अर्जुनोपाख्यान' भी शामिल है; जिसमें उस भगवद्गीताका माराण दिया गया है, कि जिसे भगवान् श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा था। इस उपाख्यान के भगवद्गीता के अनेक श्लोक ज्यों-के-त्यों पाये जाते हैं (योग. ६ पू. सर्ग ५२-५८)। ऊपर कहा जा चुका है कि पूने में छपे हुए पद्मपुराण में शिवगीता नहीं मिलती; परन्तु उसके न मिलने पर भी इस प्रति के उत्तरखण्डके १७१ से १८८ अध्याय तक भगवद्गीता के माहात्म्य का वर्णन है, और भगवद्गीता के प्रत्येक अध्याय के लिये माहात्म्य वर्णन में एक एक अध्याय है; और उसके संबंध में कथा भी कही गई है। इसके सिवा वराहपुराण में एक गीतामाहात्म्य है और शिवपुराण में तथा वायुपुराण में भी गीता-माहात्म्य का होना बतलाया जाता है; परन्तु कलकत्ते के छपे हुए वायुपुराण में वह हमें नहीं मिला। भगवद्गीता की छपी हुई पुस्तकों के आरंभ में 'गीता-ध्यान' नामक नौ श्लोकों का एक प्रकरण पाया जाता है। नहीं जान पड़ता, कि यह कहाँ से लिया गया है; परन्तु इसका "भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला०" श्लोक, थोड़े हेरफेर के साथ, हाल ही में प्रकाशित 'ऊरुभंग' नामक भास कविकृत नाटक के आरंभ में दिया हुआ है। इससे ज्ञात होता है, कि उक्त ध्यान भास कवि के समय के अनंतर प्रचार में आया होगा। क्योंकि यह मानने की अपेक्षा कि भास सरीखे प्रसिद्ध कवि ने इस श्लोक को गीता-ध्यान से लिया है; यही कहना अधिक युक्ति-मंगत होगा, कि गीता-ध्यान की रचना भिन्न भिन्न स्थानोंसे लिये हुए, और कुछ नये बनाये हुए श्लोकों से की गई है। भास कवि कालिदास से पहले हो गया है। इसलिये उसका समय कम-से-कम सवत् ४३५ (शक तीन सौ) से अधिक अर्वाचीन नहीं हो सकता।*

ऊपर कही गई बातों से यह बात अच्छी तरह ध्यान में आ सकती है, कि भगवद्गीता के कौन कौन-से और कितने अनुवाद तथा कुछ हेरफेर के साथ कितनी नकलें, तात्पर्य और माहात्म्य पुराणों में मिलते हैं। इस बात का पता नहीं चलता, कि अवधूत और अष्टावक्र आदि दो-चार गीताओं को कब और किसने स्वतंत्र रीति में रचा; अथवा वे किस पुराण से ली गई हैं। तथापि इन सब गीताओं की रचना तथा विषय-विवेचन को देखने में यही मालूम होता है, कि ये सब ग्रंथ, भगवद्गीता के जगत्प्रसिद्ध होने के बाद ही, बनाये गये हैं। इन गीताओं के संबंध में यह कहने में भी कोई हानि नहीं कि वे इसी लिये रची गई हैं, कि किसी विशिष्ट पथ या विशिष्ट पुराण में भगवद्गीता के समान एक-आध गीता के रहेबिना उस पंथ या पुराण की पूर्णता नहीं हो सकती थी। जिस तरह श्रीभगवान् ने भगवद्गीता में अर्जुन को

* उपर्युक्त अनेक गीताओं तथा भगवद्गीता को भीष्म हारि रघुनाथ भागवत आज़रूट पुने से प्रकाशित कर रहे हैं

विश्वरूप दिया कर ज्ञान बतलाया है, उसी तरह शिवगीता, दैवीगीता और गणेशगीता में भी वर्णन है। शिवगीता, ईश्वरगीता आदि में तो भगवद्गीता के अनेक श्लोक अक्षरशः पाये जाते हैं। यदि ज्ञान की दृष्टि से देखा जाय तो इन सब गीताओं में भगवद्गीता की अपेक्षा कुछ विशेषता नहीं है; और भगवद्गीता में अध्यात्मज्ञान और कर्म का मेल कर देने की जो अपूर्व शैली है वह किसी भी अन्य गीता में नहीं है। भगवद्गीता में पातञ्जलयोग अथवा हठयोग और कर्मत्यागरूप संन्यास का यथोचित वर्णन न देख कर, उसकी पूर्ति के लिये कृष्णार्जुनसंवाद के रूप में, किसीने उत्तरगीता पाँछे में लिख डाली है। अवधूत और अष्टावक्र आदि गीताएँ विलकुल एपदेगीय हैं। क्योंकि इनमें केवल संन्यासमार्ग का ही प्रतिपादन किया गया है। यमगीता और पांडवगीता तो केवल भक्तिविषयक सक्षिप्त स्तोत्रों के समान हैं। शिवगीता, गणेशगीता और सूर्यगीता ऐसी नहीं हैं। यद्यपि इनमें ज्ञान और कर्म के नमुच्चय का युक्तियुक्त समर्थन अवश्य किया गया है, तथापि इनमें नवीनता कुछ भी नहीं है; क्योंकि यह विषय प्रायः भगवद्गीता में ही लिया गया है। इन कारणों से भगवद्गीता के गंभीर तथा व्यापक तेजके सामने बाद की बनी हुई कोई भी पौराणिक गीता टहर नहीं सकी, और इन नवली गीताओं में उल्टा भगवद्गीता का ही महत्त्व अधिक बढ़ गया है। यही कारण है, कि 'भगवद्गीता' का 'गीता' नाम प्रचलित हो गया है। अध्यात्मरामायण और योगवासिष्ठ यद्यपि विस्तृत ग्रंथ हैं तो भी वे पीछे बने हैं। और यह बात उनकी रचना में ही स्पष्ट मालूम हो जाती है। मद्रास का 'गुरुज्ञानवामिष्ठ तत्त्वमारायण' नामक ग्रंथ कई एको के मतानुसार बहुत प्राचीन है; परन्तु हम ऐसा नहीं समझते; क्योंकि उसमें १०८ उपनिषदों का उल्लेख है, जिनकी प्राचीनता सिद्ध नहीं हो सकती। सूर्यगीता में विनिष्ठाद्वैत मत का उल्लेख पाया जाता है (३.३०); और कई म्यानों में भगवद्गीता ही का युक्तिवाद लिया हुआ माना जान पड़ता है (१.६८)। उक्तिये यह ग्रंथ भी बहुत पीछे में — श्रीगणेशचार्य के भी बाद — बनाया गया होगा।

अनेक गीताओं के होने पर भी भगवद्गीता की श्रेष्ठता निर्विवाद सिद्ध है। इसी कारण उत्तरकारीत दैविकधर्मोपनिषदों में, अन्य गीताओं पर अधिक ध्यान नहीं दिया, और भगवद्गीता ही की परीक्षा करने और उसीमें नन्व अपने बधुओं को समझाने में, अपनी वृत्तवृत्तका मानने लगे। ग्रंथ की दो प्रकार में परीक्षा की जाती है। एक अतन्त्र-परिष्ठा और दूसरी बहिरंग-परिष्ठा कहलाती है। पूरे ग्रंथ को देखकर उगते मर्म, रहस्य, मथितार्थ और प्रमेय हूँट निकालना 'अन्तरंग-परिष्ठा' है। दूसरी विमर्श और बच बताना, उसकी भाषा सरल है या निरम, बाह्य-परिष्ठा उगमें नापुयं और प्रगाढ़ गुण है या नहीं, गच्छा की रचना में व्याकरण पर ध्यान दिया गया है या उन ग्रंथ में अनेक आर्य प्रयोग हैं, उममें किन किन

मतो-स्थलो और व्यक्तियों-का उल्लेख है; इन बातों से ग्रंथ के काल-निर्णय और तत्कालीन समाजस्थिति का कुछ पता चलता है या नहीं; ग्रंथ के विचार स्वतंत्र हैं अथवा चुराये हुए हैं, यदि उम में दूसरों के विचार भरे हैं तो वे कौन-से हैं और कहां से लिये गये हैं; इत्यादि बातों के विवेचन को 'बहिरंग-परीक्षा' कहते हैं। जिन् प्राचीन पंडितों ने गीता पर टीका और भाष्य लिखा है उन्होंने उक्त बाहरी बातों पर अधिक ध्यान नहीं दिया। इसका कारण यही है, कि वे लोग भगवद्गीता सरीखे अलौकिक ग्रंथ की परीक्षा करते समय उक्त बाहरी बातों पर ध्यान देने को ऐसा ही समजते थे, जैसा कि कोई मनुष्य एक-आध उत्तम सुगन्धयुक्त फूल को पाकर उसके रंग, सौंदर्य, सुवास आदि के विषय में कुछ भी विचार न करे, और केवल उसकी पेंचुरिया गिनता रहे अथवा जैसे कोई मनुष्य मधुमक्खी का मधुयुक्त छत्ता पाकर केवल छिद्रों को गिनने में ही समय नष्ट कर दे। परन्तु अब पश्चिमी विद्वानों के अनुकरण में हमारे आधुनिक विद्वान् लोग गीता की बाह्य-परीक्षा भी बहुत कुछ करने लगे हैं। गीता के आर्य प्रयोगों को देख कर एक ने यह निश्चित किया है कि यह ग्रंथ ईसा से कई शतक पहले ही बन गया होगा। इसमें यह शका विलकुल ही निर्मूल हो जाती है, कि गीता का भक्तिमार्ग उस ईसाई धर्म में लिया गया होगा, कि जो गीता से बहुत पीछे प्रचलित हुआ है। गीता के सोलहवें अध्याय में जिस नास्तिक मत का उल्लेख है उसे बौद्धमत समझ कर दूसरे ने गीता का रचना-काल बुद्ध के बाद माना है। तीसरे विद्वान् का कथन है कि तेरहवें अध्याय में 'ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव' श्लोक में ब्रह्मसूत्र का उल्लेख होने के कारण गीता ब्रह्मसूत्र के बाद बनी होगी। इसके विरुद्ध कई लोग भी कहते हैं, कि ब्रह्मसूत्र में अनेक स्थानोंपर गीता ही का आधार लिया गया है; जिसमें गीता का उसके बाद बनाना सिद्ध नहीं होता। कोई कोई ऐसा भी कहते हैं कि युद्ध में रणभूमि पर अर्जुन को मात सी श्लोक की गीता सुनाने का समय मिलना संभव नहीं है। हाँ, यह संभव है कि श्रीकृष्ण ने अर्जुन को लड़ाई की जल्दी में दस-बीस श्लोक या उनका भावार्थ सुना दिया हो, और उन्हीं श्लोकों के विस्तार को सजय ने धृतराष्ट्र में, व्यास ने शुक से, वैशंपायन ने जनमेजय से और सूत ने शौनका से कहा हो; अथवा महाभारतकार ने भी उसको विस्तृत रीति में लिख दिया हो। गीता की रचना के संदर्भ में मन की ऐसी प्रवृत्ति होने पर गीता-सागर में डुबकी लगा कर किमी ने मात ६, किमी ने अटार्डम, किमी ने

* आजकल एक सप्तश्लोकी गीता प्रकाशित हुई है, उसमें केवल यही सात श्लोक हैं — अङ्क्येकाक्षरं ब्रह्म इ० (गीता ८. १३), (२) स्थाने हृषीकेश तव प्रक्रीर्या ह० (गी. ११. ३६), (३) सर्वतः पाणिपादं तद् इ० (गी. १३. १२), (४) कवि पुराण-मनुशासितारं इ० (गी. ८. ९); (५) ऊर्ध्वमूलमथ शारंगं इ० (गी. १५. १); (६) सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्ट इ० (१५. १५), (७) मन्मना भव मद्भक्तो इ० (गी. १८. ६५) इती तरह और भी अनेक संक्षिप्त गीताएँ बनी हैं।

छत्तीस और त्रिंशत् ने सौ मूल-श्लोक गीता के खोज निकाले हैं। कोई कोई तो यहाँ तक कहते हैं कि अर्जुन को रणभूमि पर गीता का ब्रह्मज्ञान बनवाने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, वेदान्त विषय का यह उत्तम ग्रंथ पीछे से महाभारत में जोड़ दिया गया होगा। यह नहीं कि बहिरंग-परीक्षा की ये मंत्र बातें मर्यादा निरर्थक हों। उदाहरणार्थ उपर ली गई पत्र की पेंचुरियों तथा मधु के छत्ते की धान को ही लीजिये। वनस्पतियों के वर्गीकरण के समय फूलों की पेंचुरियों का भी विचार अवश्य करना पड़ता है। इसी तरह गणित की महायता से यह सिद्ध किया गया है, कि मधुमक्खियों के छत्ते में जो छेद होते हैं उनका आकार ऐसा होता है, कि मधुरस का घनफल तो कम होने नहीं पाता; और बाहर के आवरण का पृष्ठफल बहुत कम हो जाता है; जिसमें मोम की पैदावार छट जाती है। इसी प्रकार के उपयोगों पर दृष्टि देते हुए हमने भी गीता की बहिरंग-परीक्षा की है, और उसके कुछ महत्त्व के सिद्धान्तों का विचार इस ग्रंथ के अंत में, परिशिष्ट में किया है, परन्तु जिनको ग्रंथ का रहस्य ही जानना है, उनके लिये बहिरंग-परीक्षा के हाथों में पढ़ना अनावश्यक है। वाग्देवी के रहस्य को जाननेवाले तथा उसकी उपरी और बाहरी बातों के जिज्ञासुओं में जो भेद है उसे मुगारि कवि ने बड़ी ही मर्मता के साथ दर्शाया है -

अल्पलघित एव धानरमटं कि त्वस्य गंभीरनाम् ।
 आपातालनिमग्नपीवरतनुर्जानाति मंथाच्चल ॥

ने मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु को किया था। यह बात गीता के चौथे अध्यायके आरंभ (१. ३) में दी हुई है। महाभारतके, शांतिपर्व के अंत में नारायणीय अथवा भागवतधर्म का विस्तृत निरूपण है, जिसमें ब्रह्मदेव के अनेक जन्मों में अर्थात् कल्पान्तरों में भागवतधर्मकी परंपरा का वर्णन किया गया है। और अंत में यह कहा गया है :-

त्रंतायुगादौ च ततो विवस्वान् मनवे ददौ ।
मनुश्च लोकभृत्यर्थं सुतायेक्ष्वाकवे ददौ ।
इक्ष्वाकुणा च कथितो व्याप्य लोकानवस्थितः॥

अर्थात् ब्रह्मदेव के वर्तमान जन्म के त्रेतायुग में इस भागवतधर्म ने विवस्वान्-मनु-इक्ष्वाकु की परंपरा से विस्तार पाया है (म. भा. शा. ३४८.५१, ५२)। यह परंपरा गीता में दी हुई उक्त परंपरा से मिलती है (गीता ४. १. पर हमारी टीका देखो)। दो भिन्न धर्मों की परंपरा का एक होना संभव नहीं है, इसलिये परंपरा की एकता के कारण यह अनुवाद सहज ही किया जा सकता है कि गीताधर्म और भागवतधर्म ये दोनों एक ही हैं। इन धर्मों की यह एकता केवल अनुमान ही पर अवलंबित नहीं है। नारायणीय या भागवतधर्म के निरूपण में वैशंपायन जनमेजय से कहते हैं :-

एवमेष महान् धर्मः स ते पूर्वं नृपोत्तम ।
कथितो हरिगीतासु समासविधिकल्पितः ॥

अर्थात् हे नृपश्रेष्ठ जनमेजय ! यही उत्तम भागवतधर्म, विधियुक्त और सक्षिप्त रीति से हरिगीता अर्थात् भगवद्गीता में, तुझे पहले ही बतलाया गया है (म. भा. शा. ३४६. १०)। इसके बाद एक अध्याय छोड़ कर दूसरे अध्याय (म. भा. शा. ३८८. ८) में नारायणीय धर्म के संबंध में फिर भी स्पष्ट रीति से कहा गया है कि :-

समुपोदेष्वनीकेषु कुरुपाडवयोर्मध्ये ।
अर्जुने विमनस्के च गीता भगवता स्वयम् ॥

अर्थात् कौरव-पाडव-युद्ध के समय जब अर्जुन उद्विग्न हो गया था तब स्वयं भगवान् ने उसे यह उपदेश किया था। इसमें यह स्पष्ट है, कि 'हरिगीता' से भगवद्गीता ही का मतलब है। गुरुपरंपरा की एकता के अतिरिक्त यह भी ध्यान में रखने योग्य है, कि जिस भागवतधर्म या नारायणीय धर्म के विषय में दो बार कहा गया है, कि वही गीता का प्रतिपाद्य विषय है; उसी को 'सात्वत' या 'एकातिक' धर्म भी कहा है। इसका विवेचन करते समय (शा. ३४७. ८०, ८१) दो लक्षण कह गये हैं :-

नारायणपरो धर्मः पुनरावृत्तिदुर्लभः ।

प्रवृत्तिलक्षणश्चैव धर्मो नारायणारम्भक ॥

अर्थात् यह नारायणीय धर्म प्रवृत्तिमार्ग का हो कर भी पुनर्जन्म को टालनेवाला अर्थात् पूर्ण मोक्ष का दाता है। फिर इस बात का वर्णन किया गया है, कि यह धर्म प्रवृत्तिमार्ग का वैसे है। प्रवृत्ति का यह अर्थ प्रसिद्ध ही है, कि सन्यास न लेकर मरणपर्यन्त चातुर्यपूर्ण-विहित निष्काम कर्म ही करता रहे। इसलिये यह स्पष्ट है, कि गीता में जो उपदेश अर्जुन को किया गया है, वह भागवतधर्म का है, और उसको महाभारतकार प्रवृत्ति-विषयक ही मानते हैं। क्योंकि उपर्युक्त धर्म भी प्रवृत्ति-विषयक है। साथ साथ यदि ऐसा कहा जाय, कि गीता में केवल प्रवृत्तिमार्ग का ही भागवत-धर्म है, तो यह भी ठीक नहीं। क्योंकि वैशंपायन ने जनमेजय से फिर भी कहा है (म भा या ३४८ ५३) :-

यतोना चापि यो धर्मः स ते पूर्वं नृपोत्तम ।

कथितो हरिगीतासु समाप्तविधिवल्पित ॥

अर्थात् हे राजा ! यतियो - अर्थात् मन्यासियो - के निवृत्तिमार्ग का धर्म भी तुझे पहले भगवद्गीता में अधिष्ठन रीति से भागवतधर्म के साथ बतला दिया गया है, परन्तु यद्यपि गीता में प्रवृत्तिधर्म के साथ ही यतियो का निवृत्तिधर्म भी बतलाया गया है तथापि मनु-उद्धारु इत्यादि गीताधर्म को जो परंपरा गीता में दी गई है, वह यतिधर्म को लागू नहीं हो सकती। यह वैशंपायन भागवतधर्म ही की परंपरा से मिलती है। आशय यह है, कि उपर्युक्त वचना में महाभारतकार का यही अभिप्राय जान पड़ता है, कि गीता में अर्जुन को जो उपदेश किया गया है, वह विशेष करके मनु-उद्धारु इत्यादि परंपरामें चले हुए प्रवृत्ति-विषयक भागवतधर्म ही का है, और उसमें निवृत्ति-विषयक यतिधर्म का जो निष्पन्न पाया जाता है वह केवल आनुपातिक है। पृथ, प्रियव्रत और प्रह्लाद आदि भक्तों की कथाओं में, तथा भागवत में दिने गय निष्काम कर्म के वर्णनों में (भागवत ८ २० ५१, ५२; ७ १०. २३ और ११ ८ ६ देखा) यह नहीं माना जा सकता है, कि महाभारत का प्रवृत्ति विषयक भागवतीय धर्म और भागवतपुराण का भागवतधर्म, ये दोनों यदि में एक ही हैं। परन्तु भागवतपुराण का मुख्य उद्देश यह नहीं है, कि यह भागवतधर्म के कर्मयुक्त प्रवृत्ति नश्य ता समर्थन करे। यह समर्थन, महाभारत में जो विशेष करने गीता में किया गया है, परन्तु इन समर्थन का समर्थन भागवतधर्मों में कतिना या यथासंभव रूप में किया गया है। अतएव भागवत धर्म के अन्तर्गत में कि (भागवत १ ५ १२) किना भक्ति के उद्देश निष्काम कर्म स्वयं है यह साथ कर, और महाभारत की उन न्यूनता को पूर्ण करने के लिये ही, भागवतपुराण को रचना की गई। इसमें भागवतपुराण

का मुट्टर उद्देश स्पष्ट रीति से मालूम हो सकता है। यही कारण है कि भागवतमें अनेक प्रकार की हरिकथाएं कह कर भागवतधर्म की भगवद्भक्ति के माहात्म्य का जैसा विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है, वैसा भागवतधर्म के कर्मविषयक अंगों का विवेचन उसमें नहीं किया है। अधिक क्या, भागवतकार का यहाँ तक कहना, कि बिना भक्ति के सब कर्मयोग बूया है (भाग. १. ५. ३४)। अतएव गीता के तात्पर्य का निश्चय करने में जिस महाभारत में गीता कही गई है, उसी नारायणीयोपाख्यान का जैसा उपयोग हो सकता है, वैसा भागवतधर्मीय होने पर भी, भागवतपुराण का उपयोग नहीं हो सकता; क्योंकि वह केवल भक्ति-प्रधान है। यदि उसका कुछ उपयोग किया भी जाय, तो इस बात पर भी ध्यान देना पड़ेगा, कि महाभारत और भागवतपुराण के उद्देश और रचना-काल भिन्न भिन्न हैं। निवृत्ति विषयक यतिधर्म और प्रवृत्तिविषयक भागवतधर्मका मूलस्वरूप क्या है? इन दोनों में भेद क्यों है? मूल भागवतधर्म इस समय किस रूपांतर से प्रचलित है? इत्यादि प्रश्नों का विचार आगे चल कर किया जायगा।

यह मालूम हो गया, कि स्वयं महाभारतकार के मतानुसार गीता का क्या तात्पर्य है। अब देखना चाहिये कि गीता के भाष्यकारों और टीकाकारों ने गीता का क्या तात्पर्य निश्चित किया है। इन भाष्यो तथा टीकाओ में आजकल श्रीशंकराचार्य कृत गीता-भाष्य अति प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। यद्यपि इसके भी पूर्व गीता पर अनेक भाष्य और टीकाएँ लिखी जा चुकी थी, तथापि वे अब उपलब्ध नहीं हैं; और इसी लिये जान नहीं सकते, कि महाभारत के रचना-काल से शंकराचार्य के तक समय गीता का अर्थ किम प्रकार किया जाता था। तथापि शांकरभाष्य ही में इन प्राचीन टीकाकारों के मतों का जो उल्लेख है (गी. शा. भा. म. २ और ३ का उपोद्गत देखो), उसमें साफ साफ मालूम होता है, कि शंकराचार्य के पूर्वकालीन टीकाकार, गीता का अर्थ, महाभारत-कर्ता के अनुसार ही ज्ञानकर्म ममुच्चवात्मक किया करते थे। अर्थात् उसका यह प्रवृत्ति-विषयक अर्थ लगाया जाता था, कि ज्ञानी मनुष्य को ज्ञान के साथ साथ मृत्युपर्यंत स्वधर्मविहित कर्म करना चाहिये। परंतु वैदिक कर्मयोग का यह मिदन्त शंकराचार्य को मान्य नहीं था। इसलिये उसका खंडन करने और अपने मत के अनुसार गीता का तात्पर्य बनाने ही के लिये उन्होंने गीता-भाष्य की रचना की है। यह बात उक्त भाष्य के प्रारम्भ के उपोद्धानमें स्पष्ट गीति में कही गई है। 'भाष्य' शब्द का अर्थ भी यही है। 'भाष्य' और 'टीका' का बहुत समानार्थी उपयोग होना है; परंतु सामान्यतः 'टीका' मूलग्रंथ के मरल अन्वय और इसके मुगम अर्थ करने ही को कहने है। भाष्यकार इतनी ही बातों पर मनुष्ट नहीं रहता, वह उन ग्रंथ की न्याययुक्त समालोचना करता है; अपने मतानुसार उनका तात्पर्य बनाना है; और उगी के अनुसार वह यह भी बनाना है, कि ग्रंथ का अर्थ कैसे लगाना

चाहिये। गीता के शास्त्रभाष्य का यही स्वरूप है। परन्तु गीता के तात्पर्य के विवेचन में शास्त्राचार्य ने जो भेद किया है उसका कारण जानने के पहले थोड़ासा पूर्व-कारिण इतिहास भी यही पत्र जान लेना चाहिये। वैदिक धर्म केवल तान्त्रिक धर्म नहीं है। उसमें जा गूढ तत्त्व है, उनका सूक्ष्म विवेचन प्राचीन समय ही में उपनिषदों में ही हुआ है, परन्तु ये उपनिषद् भिन्न भिन्न विषयों के द्वारा भिन्न भिन्न समय ही में बनाये गये हैं। इसलिये उनमें कहीं कहीं विचारविभिन्नता भी आ गई है। इस विचार-विरोध को मिटाने के लिये ही वादराशनाचार्य ने अपने वेदान्तसूत्रों में सब उपनिषदों की विचारव्यवस्था कर दी है, और इसी कारण से वेदान्तसूत्र भी उपनिषदों के समान ही प्रमाण माने जाते हैं। इन्हीं वेदान्तसूत्रों का दूसरा नाम 'ब्रह्मसूत्र' अथवा 'शारीरकसूत्र' है। तथापि वैदिक धर्म के तत्त्वज्ञान का पूर्ण विचार इतने में ही नहीं हो सकता। क्योंकि उपनिषदों में ज्ञान प्रायः वैराग्यविषयक ज्यों-निवृत्तिविषयक है, और वेदान्तसूत्रों में उपनिषदों का मतवय करने ही के उद्देश से बनाये गये हैं। इसलिये उनमें भी वैदिक प्रवृत्तिमार्ग का विस्तृत विवेचन यही भी नहीं किया है। इसी-लिये उपनिषदों के अर्थानुसार जो प्रवृत्तिमार्ग-प्रतिपादक भगवद्गीता ने वैदिक धर्म की तत्त्वज्ञानमयी इस न्यूनता की पूर्ति पहले पहल की, तब उपनिषदों और वेदान्तसूत्रों के मार्मिक तत्त्वज्ञान की पूर्णता करनेवाला यह भगवद्गीता प्रथम भी, उन्हीं के समान, सर्वमान्य और प्रमाणभूत हो गया। और, जन्म में उपनिषदों, वेदान्तसूत्रों और भगवद्गीता का 'प्रस्थानत्रयी' नाम पड़ा। 'प्रस्थानत्रयी' का यह अर्थ है कि उनमें वैदिक धर्म का आधारभूत तीन मुख्य ग्रन्थ हैं, जिनमें प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों मार्गों का नियमानुसार तथा तान्त्रिक विवेचन किया है। इस तरह प्रस्थानत्रयी में गीता के सिद्धे जाने पर और प्रस्थानत्रयी का दिनोदिन अधिकाधिक प्रचार होने पर वैदिक धर्म के लोकोपकार के लिये उन मना और मप्रदाया को गौण अथवा अध्यात्म मानने लगे, जिनका समावेश उनके तीन ग्रन्थों में नहीं किया जा सकता था। परिणाम यह हुआ कि बौद्धधर्म के पतन के बाद वैदिक धर्म के जो जो मप्रदाय (अर्धेन, विष्णुधर्म, शैव, श्रुतधर्म आदि) हिन्दुस्थान में प्रचलित हुए, उनमें से प्रत्येक मप्रदाय के प्रवर्तक आचार्यों को, प्रस्थानत्रयी के तीनों भागों पर (अर्थात् भगवद्गीता पर भी) भाष्य लिख कर, यह निश्चय कर दिखाने की आवश्यकता हुई कि इन सब मप्रदायों से जागे हुए धर्मों में ही जो तीन 'धर्मग्रन्थ' प्रमाण समझे जाते हैं, उन्हीं के आधार पर हमारा मप्रदाय स्थापित हुआ है और अन्य मप्रदाय इन धर्मग्रन्थों के अनुसार नहीं हैं। ऐसा करने का कारण यही है, कि यदि कोई आचार्य कोई स्वोक्त कर लेता कि अन्य मप्रदाय भी प्रमाणभूत धर्मग्रन्थों के आधार पर स्थापित हुए हैं, तो उनके मप्रदाय का महत्त्व घट जाता — और, ऐसा करना किसी भी मप्रदाय का उचित नहीं था। मात्राधिक दृष्टि से प्रस्थानत्रयी पर

भाष्य लिखने की यह रीति जब चल पड़ी, तब भिन्न भिन्न पंडित अपने संप्रदायों के भाष्यों के आधार पर टीकाएं लिखने लगे। यह टीका उसी संप्रदाय के लोगो को अधिक मान्य हुआ करती थी जिसके भाष्य के अनुसार वह लिखी जाती थी। इस समय गीता पर जितने भाष्य और जितनी टीकाएं उपलब्ध हैं उनमेंसे प्रायः सब इसी सांप्रदायिक रीति से लिखी गई हैं। इसका परिणाम यह हुआ, कि यद्यपि मूल गीता में एक ही अर्थ सुबोध रीति से प्रतिपादित हुआ तथापि गीता भिन्न भिन्न संप्रदायों की समर्थक ममझी जाने लगी। इन सब संप्रदायों में से शंकराचार्य का संप्रदाय अति प्राचीन है और तत्त्वज्ञान की दृष्टि से वही हिन्दुस्थान में सब में अधिक मान्य भी हुआ है। श्रीमदाद्यशंकराचार्य का जन्म संवत् ८४५ (शक ७१०) में हुआ था। बत्तीसवें वर्ष में उन्होंने गुहा-प्रवेश किया (संवत् ८४५ में ८७७)। श्रीशंकराचार्य बड़े भारी और अलौकिक विद्वान् तथा ज्ञानी थे। उन्होंने अपनी दिव्य अलौकिक शक्ति से उन समय चारों ओर फैले हुए जैन और बौद्धमतों का खंडन करके अपना अद्वैत मत स्थापित किया; श्रुतिस्मृति-विहित वैदिक धर्म की रक्षा के लिए, भरतखंड की चारों दिशाओं में चार मठ बनवा कर, निवृत्तिमार्ग के वैदिक संन्यास-धर्म को कलियुग में पुनर्जन्म दिया। यह कथा किमी से छिपी नहीं है। आप किसी भी धार्मिक संप्रदाय को लीजिये, उसके दो स्वाभाविक विभाग अवश्य होंगे। पहला तत्त्वज्ञान का और दूसरा आचरण का। पहले में पिंड-ब्रह्मांड के विचारों से परमेश्वर के स्वरूप का निर्णय करके मोक्ष का भी शास्त्ररीत्यानुसार निर्णय किया जाता है। दूसरे में इस बात का विवेचन किया जाता है, कि मोक्ष की प्राप्ति के साधन या उपाय क्या है—अर्थात् इस ससार में मनुष्य को किस तरह बर्ताव करना चाहिये। इनमें से पहली अर्थात् तात्त्विक दृष्टि से देखने पर शंकराचार्य का कथन यह है कि:—(१) मैं-तू यानी मनुष्य की आंख से दिखनेवाला सारा जगत् अर्थात् सृष्टि के पदार्थों की अनेकता मत्य नहीं है। इन सब में एक ही और नित्य परब्रह्म भरा करता है और उसी की माया से मनुष्य की इन्द्रियों को भिन्नता का भास हुआ है; (२) मनुष्य का आत्मा भी मूलतः परब्रह्मरूप ही है; और (३) आत्मा और परब्रह्म की एकता का पूर्णज्ञान अर्थात् अनुभवसिद्ध पहचान हुए बिना कोई भी मोक्ष नहीं पा सकता। इसी को 'अद्वैतवाद' कहते हैं। इस सिद्धान्त का सिवा दूसरी कोई भी स्वतंत्र और मत्य वस्तु नहीं है; दृष्टिगोचर भिन्नता मानवी दृष्टि का भ्रम, या माया की उपाधि में होनेवाला आभास है; माया कुछ सत्य या स्वतंत्र वस्तु नहीं है—वह मिथ्या है। केवल तत्त्वज्ञान का ही यदि विचार करना हो तो शांकर मत की इससे अधिक चर्चा

* यह बात आजकल निश्चित हो चुकी है; परन्तु हमारे मत से श्रीमदाद्यशंकराचार्य का समय और भी इसके तीस वर्ष पूर्व समझना चाहिये। इस आधार के लिए परिशिष्ट प्रकरण देखो।

करने की आवश्यकता नहीं है। परन्तु शाकर-संप्रदाय दत्त में ही पूरा नहीं हो जाता। अद्वैत तत्त्वज्ञान के साथ ही शाकर-संप्रदाय का जोर भी एक सिद्धान्त है जो आचार-शुद्धि से पहले के समान महत्त्व का है। उसका तात्पर्य यह है, कि यद्यपि चित्तशुद्धि के द्वारा ब्रह्मात्मैक्य-ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता पाने के लिए स्मृति-ग्रंथों में कहे गये गृहस्थाश्रम के कर्म अत्यन्त आवश्यक हैं, तथापि उन कर्मों का आचरण मर्दान न करने रहना चाहिये; क्योंकि उन सब कर्मों का त्याग करके अंत में मग्न्याम त्रिये बिना मोक्ष नहीं मिल सकता। इसका कारण यह है कि कर्म और ज्ञान, अंधकार और प्रकाश के समान परस्पर विरोधी हैं। इसलिए सब वामनाओं और कर्मों के छोड़े बिना ब्रह्मज्ञान की पूर्णता ही नहीं हो सकती। उन्हीं सिद्धान्त को 'निवृत्तिमाने' कहते हैं; और सब कर्मों का मग्न्याम करके ज्ञान ही में निमग्न रहते हैं, इसलिए 'मग्न्यामनिष्ठा' या 'ज्ञाननिष्ठा' भी कहते हैं। उपनिषद् और ब्रह्मसूत्र पर शंकराचार्य का जो भाष्य है उसमें यह प्रतिपादन किया है कि उन ग्रंथों में केवल अद्वैत ज्ञान ही नहीं है, किन्तु उनमें संन्यासमार्ग का, अर्थात् शाकर संप्रदाय के उपयुक्त दोनों मार्गों का भी, उपदेश है; और गीता पर जो शाकरभाष्य है उसमें कहा गया है कि गीता का तात्पर्य भी ऐसा ही है (गी. भा. भा. उपा. १. १४ और ब्रह्म. सू. भा. भा. २. १. १४ देखो) इसके प्रमाण-स्वरूप में गीता के कुछ वाक्य भी दिये गये हैं; जैसे "जानाग्निः सर्वकर्माणि भस्ममात्कुरुते" - अर्थात् जानत्पी अग्नि में ही सब कर्म जल कर भस्म हो जाते हैं (गी. ४. ३७) और "मयं कर्माखिलं पापं ज्ञाने परिणामाप्यते" - अर्थात् सब कर्मों का अंत ज्ञान ही में होता है (गी. ४. ३३)। गातन यह है, कि बौद्धधर्म की हार होने पर प्राचीन वैदिक धर्म के जिन विशिष्ट मार्गों को श्रेष्ठ ठहरा कर श्रीशंकराचार्य ने स्थापित किया उसी में अनुकूल गीता का भी अर्थ है; गीतामें ज्ञान और कर्म के समुच्चय का प्रतिपादन नहीं किया गया है, जैसा कि पहले के टीकाकारों ने कहा है; किन्तु उसमें (शाकर-संप्रदाय के) उन्हीं सिद्धान्त का उपदेश दिया गया है, कि कर्म ज्ञान-प्राप्ति का गौण साधन है और संन्यास-संन्यासपूर्ण ज्ञान ही में मोक्ष की प्राप्ति होती है - यही बातें बतलाने के लिए शाकरभाष्य किया गया है। इनके पूर्व यदि एक-आध और भी संन्यासविषयक टीका लिखी गई होती तो वह इन समय उपलब्ध नहीं है। इस लिए यही कहना पड़ता है कि गीता के प्रवृत्ति-विषयक स्वरूप को बाहर निरास करने उन्हीं निवृत्ति-मार्ग का प्रतिपादन का शाकरभाष्य के द्वारा ही मिलता है। श्रीशंकराचार्य के बाद संप्रदाय के अनुमानों मधुसूदन आदि जिनके अनेक टीकाकार हो गये हैं, उन्होंने इन विषयों में नूतन भाषणार्थ ही का अनुसरण किया है। इसके बाद एक यह अनुमान किया जा सकता है, कि अद्वैत मत के मूलभूत महावाक्यों में से 'नत्वमसि' नामक जो महावाक्य छांदोग्योपनिषद् में है उसी का विवरण गीता के अठारह अध्यायों में किया गया है। परन्तु इस महावाक्य के अन्तर्गत यद्यत् कर, पहले 'स्व'

फिर 'तत्' और फिर 'असि' इन पदों को लेकर, इस नये क्रमानुसार प्रत्येक पद के लिए गीता के आरम्भ से छः छ अध्याय श्रीभगवान् ने निष्पक्षपातवृद्धि से वांट दिये हैं। कई लोग समझते हैं, कि गीता पर जो पैशाच भाष्य है वह किसी भी संप्रदाय का नहीं है - विलकुल स्वतंत्र है, और हनुमानजी (पवनसुत) कृण है। परंतु यथार्थ बात ऐसी नहीं है। भागवत के टीकाकार हनुमान पंडित ने ही इस भाष्य को बनाया है और यह सन्यासमार्ग का है। इसमें कई स्थानों पर शाकरभाष्यका ही अर्थ शब्दशः दिया गया है। प्रोफेसर मेक्समूलर की प्रकाशित 'प्राच्यधर्म-पुस्तक-माला' में स्वर्गवासी काशीनाथपत तैलंग वृत्त भगवद्गीताका अंग्रेजी अनुवाद भी है। इसकी प्रस्तावना में लिखा है कि इस अनुवाद में श्रीशंकराचार्य और शाकर संप्रदायी टीकाकारोंका, जितना हो सका उतना, अनुसरण किया गया है।

गीता और प्रस्थानत्रयी के अन्य ग्रंथों पर जब इस भांति सांप्रदायिक भाष्य लिखने की रीति प्रचलित हो गई, तब दूसरे संप्रदाय भी इस बात का अनुकरण करने लगे। मायावाद अद्वैत और सन्यास का प्रतिपादन करनेवाले शाकर-संप्रदाय के लगभग डार्ड सौ वर्ष बाद, श्रीरामानुजाचार्य (जन्म सवत् १०७३) ने विशिष्टाद्वैत संप्रदाय चलाया। अपने संप्रदाय को पुष्ट करने के लिए उन्होंने भी, शंकराचार्य ही के समान, प्रस्थानत्रयी पर (और गीता पर भी) स्वतंत्र भाष्य लिखे हैं। इस संप्रदाय का मत यह है, कि शंकराचार्य का माया-मिथ्यात्व-वाद और अद्वैत सिद्धान्त दोनों झूठ हैं। जीव, जगत् और ईश्वर ये तीन तत्त्व यद्यपि भिन्न हैं, तथापि जीव (चित्) और जगत् (अचित्) ये दोनों एक ही ईश्वर के शरीर हैं। इसलिए चिदचिद्विशिष्ट ईश्वर एक ही है, और ईश्वर शरीर के इस सूक्ष्म चित्-अचित् से ही फिर स्थूल चित् और स्थूल अचित् अर्थात् अनेक जीव और जगत् की उत्पत्ति हुई है। तत्त्वज्ञान-दृष्टि से रामानुजाचार्य का कथन है (गी. रा. भा. २ १२, १३ २) कि यही मतका (जिसका उल्लेख उपर किया गया है) उपनिषदों, ब्रह्मसूत्रों और गीता में भी प्रतिपादन हुआ है। अब यदि कहा जाय कि इन्हीं के ग्रंथों के कारण भागवतधर्म में विशिष्टाद्वैत मत समिलित हो गया है तो कुछ अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इनके पहले महाभारत और गीता में भागवतधर्म का जो वर्णन पाया जाता है उनमें केवल अद्वैत मत ही का स्वीकार किया गया है। रामानुजाचार्य भागवतधर्मी थे। इसलिए धर्मार्थ में उसका ध्यान इस बात की ओर जाना चाहिये था, कि गीता में प्रवृत्ति-विषयक कर्मयोग का प्रतिपादन किया गया है। परंतु उनके समय में मूल भागवतधर्म का कर्मयोग प्रायः लुप्त हो गया था, और उसको तत्त्वज्ञान की दृष्टि से विशिष्टाद्वैत स्वरूप तथा आचरण की दृष्टि से मुष्यत भक्ति का स्वरूप प्राप्त हो चुका था। इन्हीं कारणों से रामानुजाचार्य ने (गी रा भा १८. १ और ३. १) यह निर्णय किया है, कि गीता में यद्यपि ज्ञान, कर्म और भक्ति का वर्णन है तथापि

तत्त्वज्ञान-दृष्टि में विशिष्टाद्वैत और आचार-दृष्टि में वामुदेवभक्ति ही गीता का माराग है और कर्मनिष्ठा कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं — वह केवल ज्ञाननिष्ठा की उत्पादक है। शास्त्र-संप्रदाय के अद्वैतज्ञान के बदले विशिष्टाद्वैत और मंत्र्याम के बदले भक्ति को स्थापित करके रामानुजाचार्य ने भेद तो किया, परंतु उन्होंने आचार-दृष्टि से भक्ति ही को अंतिम कर्तव्य माना है। इसमें वर्णाश्रम-विहित मान-रिक्त कर्मों का मरणपर्यंत किया जाना गौण हो जाता है; और यह कहा जा सकता है, कि गीताका रामानुजीय तात्पर्य भी एक प्रकार से कर्ममंत्र्यास-निषेध ही है। कारण यह है कि कर्माचरण से चित्तशुद्धि होने के बाद ज्ञान की प्राप्ति होने पर चतुर्थाश्रम का स्वीकार करके ब्रह्मचिंतन में निमग्न रहना, या प्रेमपूर्वक निम्नाम वामुदेव-भक्ति में तत्पर रहना, कर्मयोग की दृष्टि में एक ही बात है। ये दोनों मार्ग निवृत्ति-विषयक हैं। यही आशेष, रामानुज के बाद प्रचलित गुण संप्रदायों पर भी हो सकता है। माया को मिथ्या कहनेवाले संप्रदाय को मूठ मान कर वामुदेव-भक्ति को ही मत्त्वा मोक्ष-साधन बनानेवाले रामानुज संप्रदाय के बाद एक तीसरा संप्रदाय निकला। उसका मन है कि परब्रह्म और जीव को कुछ अंगों में एव, और कुछ अंगों में भिन्न मानना परम्पर-विरोध और अमवृद्ध बात है। इमादः दोनों ही मदैव भिन्न मानना चाहिये; क्योंकि उन दोनों में पूर्ण अथवा अपूर्ण रीति में भी एतना नहीं हो सकता। इस तीसरे संप्रदाय को 'द्वैत संप्रदाय' कहते हैं। इस संप्रदाय के लोगो का कहना है, कि इनके प्रवर्तक श्रीमद्भगवान् (श्रीमदानंदतीर्थ) थे, जो मवन् १२५५ में ममाधिम्य हुए और उस समय उनकी अवस्था ३९ वर्ष की थी। परंतु डॉक्टर भांडारकरने जो एक अध्यायी ६५ "वैष्णव, शैव, और अन्य पद्य" नामक, टाल ही में प्रकाशित किया है, उनके दृष्ट ५६ में लिखनेवाले आदि प्रमाणों ने यह निश्चय किया गया है,

विशिष्टाद्वैत और द्वैत मतों से भिन्न है। यह पंथ इस मत को मानता है, कि माया-रहित शुद्ध जीव और परब्रह्म ही एक वस्तु है; दो नहीं। इसलिये इसको 'शुद्धाद्वैती' मंत्रदाय कहते हैं। तथापि वह श्रीशंकराचार्य के समान इस बात को नहीं मानता, कि जीव और ब्रह्म एक ही हैं; और इसके सिद्धान्त कुछ ऐसे हैं— जैसे जीव अग्नि की चिनत्ताग्नी के समान ईश्वर का अंश है, मायात्मक जगत् मिथ्या नहीं है; माया परमेश्वर की इच्छा से विभक्त हुई एक शक्ति है; मायाधीन जीव को विना ईश्वर की कृपा के मोक्षज्ञान नहीं हो सकता; इसलिये मोक्ष का मुख्य साधन भगवद्भक्ति ही है— जिनमें यह मंत्रदाय शाकर-संप्रदाय से भी भिन्न हो गया है। इस मार्गवाले परमेश्वर के अनुग्रह को 'पुष्टि' और 'पोषण' भी कहते हैं, जिससे यह पंथ 'पुष्टिमार्ग' भी कहलाता है। इस संप्रदाय के तत्त्वशीपिका आदि जितने गीतासंबंधी ग्रंथ हैं, उनमें यह निर्णय किया गया है, कि भगवान् ने अर्जुन को पहले साध्यज्ञान और कर्मयोग बतलाया है; एवं अन्त में उसको भक्त्यमृत पिला कर कृतकृत्य किया है। इसलिये भगवद्भक्ति— और विशेषतः निवृत्ति-विषयक पुष्टिमार्गीय भक्ति— ही गीता का प्रधान तात्पर्य है। यही कारण है कि भगवान् ने गीता के अन्त में यह उपदेश दिया है, कि "सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेक शरणं व्रज"—सब धर्मों को छोड़ कर केवल मेरी ही शरण ले (गी. १८. ६६)। उपर्युक्त संप्रदायों के अतिरिक्त निम्बार्क का चलाया हुआ एक और वैष्णव संप्रदाय है, जिसमें राधाकृष्ण की भक्ति कही गई है। डाक्टर भाडारकर ने निश्चित किया है, कि ये आचार्य—रामानुज के बाद और मध्वाचार्य के पहले— करीब सवत् १२१६ में हुए थे। जीव, जगत् और ईश्वर के संबन्ध में निम्बार्काचार्य का यह मत है, कि यद्यपि ये तीनों भिन्न हैं, तथापि जीव और जगत् का व्यापार तथा अस्तित्व ईश्वर की इच्छा पर अवलंबित है—स्वतंत्र नहीं है— और परमेश्वर में ही जीव और जगत् के सूक्ष्म तत्त्व रहते हैं। इस मत को सिद्ध करने के लिये निम्बार्काचार्य ने वेदान्तसूत्रों पर एक स्वतन्त्र भाष्य लिखा है। इसी संप्रदाय के लिये केशव काश्मीरिभट्टाचार्य ने गीता पर 'तत्त्व-प्रकाशिका' नामक टीका लिखी है; और उसमें यह बतलाया है, कि गीता का वास्तविक अर्थ इसी मंत्रदाय के अनुकूल है। रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैत पंथ से इस संप्रदाय को अलग करने के लिये इसे 'द्वैताद्वैत' संप्रदाय कह सकते हैं। यह बात स्पष्ट है, कि ये सब भिन्न भिन्न संप्रदाय शाकर संप्रदाय के मायावाद को स्वीकृत न करके ही पैदा हुए हैं; क्योंकि इनकी यह समझ थी, कि आँख से दिखनेवाली वस्तु को सच्ची माने बिना व्यक्त की उपासना अर्थात् भक्ति निराधार या किसी अंश में मिथ्या भी हो जाती है। परंतु यह कोई आवश्यक बात नहीं है, कि भक्ति की उपपत्ति के लिये अद्वैत और मायावाद को विलकुल छोड़ देना ही चाहिये। महाराष्ट्र के और अन्य साधु-संतों ने, मायावाद और अद्वैत का स्वीकार करके भी भक्ति

का समर्थन किया है; और मालूम होता है, कि यह भक्तिमार्ग श्रीशंकराचार्य के पहले ही में चला आ रहा है। इस पंथ में शांकर-संप्रदाय के कुछ सिद्धान्त—अद्वैत, माया का मिथ्या होना, और कर्मत्याग की आवश्यकता—ग्राह्य और मान्य है। परंतु इन पंथ का यह भी मत है, कि ब्रह्मात्मैक्यरूप मोक्ष की प्राप्ति का सब में सुगम साधन भक्ति है। गीता में भगवान् ने पहले यही कारण बतलाया है, कि “क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्” (गी. १२. ५) अर्थात् अव्यक्त ब्रह्म में चित्त लगाना अधिक क्लेशमय है; और फिर अर्जुन को यही उपदेश दिया है, कि “भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः” (गी. १२. २०) अर्थात् मेरे भक्त ही मुझ को अनिश्चय प्रिय हैं। अत एव यह बात है कि अद्वैतपर्यवसायी भक्तिमार्ग ही गीता का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है। श्रीधरस्वामी ने भी गीता की अपनी टीका (गी. १८. ७८) में गीता का ऐसा ही तात्पर्य निकाला है। मराठी भाषा में इस संप्रदाय का गीतामंत्रबंधी सर्वोत्तम ग्रंथ ‘ज्ञानेश्वरी’ है। इसमें कहा कि गीता के प्रथम छ. अध्यायों में कर्म, बीच के छः अध्यायों में भक्ति और अंतिम छः अध्यायों में ज्ञान का प्रतिपादन किया गया है; और स्वयं ज्ञानेश्वरमहाराज ने अपने ग्रंथ के अन्त में कहा है, कि मैंने गीता की यह टीका शंकराचार्य के भाष्यानुसार की है। परंतु ज्ञानेश्वरी को इस कारण में विलकुल स्वतंत्र ग्रंथ ही मानना चाहिये, कि इसमें गीता का मूल अर्थ बहुत बढ़ा कर अनेक सरस दृष्टान्तों से समझाया गया है; और इसमें विशेष करके भक्तिमार्ग का तथा कुछ अंश में निष्काम-कर्म का श्रीशंकराचार्य में भी उत्तम विवेचन किया गया है। ज्ञानेश्वरमहाराज स्वयं योगी थे, इनलिये गीता के छठवे अध्याय के जिम श्लोक में पानंजल योगाभ्यास का विषय जाया है उनकी उन्होंने ने विस्तृत टीका की है। उनका कहना है, कि श्रीकृष्ण भगवान् ने इस अध्याय के अन्त (गी. ६. ४६) में अर्जुन को यह उपदेश करके कि “तन्माद्योगी भवार्जुन” — इनलिये हे अर्जुन! तू योगी हो अर्थात् योगाभ्यास में प्रवीण हो—जपना यह अभिप्राय प्रकट किया है, कि सब मोक्षपंथों में पानंजल योग ही सर्वोत्तम है; और इनलिये आपने उसे ‘पंथराज’ कहा है! गारान यह है, कि भिन्न भिन्न संप्रदायिक भाष्यकारों ने गीता का अर्थ अपने मतों के अनुसार ही निरचित कर लिया है। प्रत्येक संप्रदाय का यही कथन है, कि गीता का प्रवृत्तिविषयक कर्ममार्ग अग्रधान (गौण) है अर्थात् वैचल्य ज्ञान का साधन है। गीता में बड़ी तत्त्वज्ञान पाया जाता है, जो अपने संप्रदाय में स्वीकृत हुआ है। अतः संप्रदाय में मोक्ष की दृष्टि में जो आचार अतिम कर्तव्य माने गये हैं, उन्हीं का बर्णन गीता में किया गया है— अर्थात् मायावादात्मक अद्वैत और कर्मभ्रमण, मायात्मक कर्मसाधन निशिष्टाद्वैत और वामुदेव-भक्ति, द्वैत और विष्णुभक्ति, गुह्य-द्वैत और भक्ति, शांकरद्वैत और भक्ति, पानंजल योग और भक्ति, वैचल्य भक्ति, वैचल्य योग का वैचल्य दृष्टिज्ञान (जनेक प्रकार के निवृत्तिविषयक मोक्षमार्ग) ही गीता

के प्रधान तथा प्रतिपाद्य विषय है।* हमारा ही नहीं, किंतु प्रसिद्ध महाराष्ट्र-कवि वामन पंडित का भी मत ऐसा ही है। गीता पर आपने 'यथार्थदीपिका' नामक विस्तृत मराठी टीका लिखी है। उसके उपोद्घात में वे पहले लिखते हैं :— " हे भगवन् ! इस कलियुग में जिसके मत में जैसा जँचता है, उसी प्रकार हर एक आदमी गीता का अर्थ लिख देता है " और फिर शिकायत के तौर पर लिखते हैं :— " हे परमात्मन् ! सब लोगो ने किसी-न-वहाने हे गीता का मनमाना अर्थ किया है, परंतु इन लोगो का किया हुआ अर्थ मुझे पसंद नहीं। भगवन् ? मैं क्या करूँ ? " अनेक सांप्रदायिक टीकाकारों के मत की इस भिन्नता को देख कर कुछ लोग कहते हैं, कि जब कि ये सब मोक्ष-संप्रदाय परस्परविरोधी हैं; और जब कि इस बात का निश्चय नहीं किया जा सकता, कि इनमेंसे कोई एक ही संप्रदाय गीता में प्रतिपादित किया गया है, तब तो यही मानना उचित है, कि इन सब मोक्ष-साधनों का — विशेषतः कर्म, भक्ति और ज्ञानका — वर्णन स्वतंत्र रीति से सक्षेप में और पृथक् पृथक् करके भगवान् ने अर्जुन का समाधान किया है। कुछ लोग कहते हैं, कि मोक्षके अनेक उपायों का यह सब वर्णन पृथक् पृथक् नहीं है; किंतु इन सब की एकता ही गीता में सिद्ध की गई है। और, अतः, कुछ लोग तो यह भी कहते हैं, कि गीता में प्रतिपादित ब्रह्मविद्या यद्यपि मामूली ढंग पर देखने से सुलभ मालूम होती है, तथापि उसका वास्तविक मर्म अत्यंत गूढ़ है, जो बिना गुरु के किसी की भी समझ में नहीं आ सकता (गी. ४. ३४)। गीता पर भले ही अनेक टीकाएँ हो जायँ, परंतु उसका गूढार्थ जानने के लिये गुरुदीक्षा के सिवा और कोई उपाय नहीं है।

अब यह बात स्पष्ट है, कि गीता के अनेक प्रकारके तात्पर्य कहे गये हैं। पहले तो स्वयं महाभारतकार ने भागवत-धर्मानुसारी अर्थात् प्रवृत्तिविषयक तात्पर्य बतलाया है। इसके बाद अनेक पंडित, आचार्य, कवि, योगी और भक्तजनों ने अनेक संप्रदाय के अनुसार शुद्ध निवृत्तिविषयक तात्पर्य बतलाया है। इन भिन्न भिन्न तात्पर्यों को देख कर कोई भी मनुष्य घबड़ा कर सहज ही यह प्रश्न कर सकता है — क्या, ऐसे परस्पर-विरोधी अनेक तात्पर्य एक ही गीताग्रथ से निकल सकते हैं? और, यदि निकल सकते हैं, तो इस भिन्नता का हेतु क्या है? इसमें संदेह नहीं, कि भिन्न भिन्न भाष्यों के आचार्य बड़े विद्वान्, धार्मिक और सुशील थे। यदि कहा जाय, कि शंकराचार्य के समान् महातत्त्वज्ञानी आज तक ससार में कोई भी नहीं हुआ है, तो भी अतिशयोक्ति न होगी। तब फिर इनमें और इनके बाद के आचार्यों में इतना मतभेद क्यों हुआ? गीता कोई इद्रजाल नहीं है

* भिन्न भिन्न सांप्रदायिक आचार्योंके गीता के भाष्य और मुख्य मुख्य पन्ध्रह टीका ग्रन्थ बम्बई के गुजराथी प्रिन्टिंग प्रेस के मालिक ने, हाल ही में एकत्र प्रकाशित किये हैं। भिन्न भिन्न टीकाकारों के अभिप्राय को एकदम जानने के लिए यह ग्रन्थ बहुत उपयोगी है।

निजिम मनमाना अर्थ निकाट किया जावे। उपर्युक्त सप्रदाया के जन्म के पहले ही गीता बन चुकी थी। भगवान् न अर्जुन का गीता का उपदेश इसलिये दिया था कि उसका भ्रम दूर हो, कुछ इसलिये नहीं कि उसका भ्रम और भी बढ जाय। गीता में एक ही विशेष और निश्चित अर्थ का उपदेश किया गया है (गी ५ १, २) और अर्जुन पर उस उपदेश का अर्पित परिणाम भी हुआ है। इतना सब कुछ हान पर भी गीता के तात्पर्यार्थ के विषय में इतनी गटपड क्यों हो रही है? यह प्रश्न उठता है नहीं, परन्तु इसका उत्तर उतना कठिन नहीं है, जितना पहले पहले मान्य पटता है। उदाहरणार्थ, एक मीठे और मुरम पक्वान (मिठाई) का देश कर अपनी अपनी रचि व अनुसार किसीन उस गेड़े का, किसी ने घी का और किसी ने शक्कर का बना हुआ बनाया, तो हम उनमें से किसका झूठ समझें? अपन अपन मतानुसार तीनों का कहना ठीक है। इतना हाने पर भी इस प्रश्न का निर्णय नहीं हुआ कि वह पक्वान (मिठाई) बना किस चीज से है। गेड़े, घी और शक्कर से अलग प्रकार के पक्वान (मिठाई) बन सके हैं। परन्तु प्रस्तुत पक्वान का निश्चय बबल इतना रहन मही नहीं हो सकता कि वह गोधूमप्रधान, धूतप्रधान, या शक्करप्रधान है। समुद्र मयन व समुद्र किसी का जन्म, किसी को विष, किसी का रश्मी, ऐरावन वांस्तुम, पारिजात आदि भिन्न भिन्न पदार्थ मिले, परन्तु इतने ही से समुद्र व यथार्थ स्वरूप का कुछ निर्णय नहीं हो गया। ठीक इसी तरह सांप्रदायिक गीति में गीता-भाष्य को मथनवाते टीकाकारों की अवस्था हो गई है। दूसरा उदाहरण लीजिये। कमवध के समय भगवान् श्रीकृष्ण जय रग-मंडप में आयतन व प्रशंसा भिन्न भिन्न स्वरूप के—जैम यादवा को वज्र-मदृश, स्त्रियों का कामदेव मदृश, अपन माता पिता का पुत्र-मदृश दिखन लगे थे। इसी तरह गीता के एक होने पर भी वह भिन्न भिन्न सप्रदायवादा को भिन्न भिन्न स्वरूप में दिखन गी है। आप किसी भी सप्रदाय का लें, यह बात स्पष्ट मान्य हो जायगी, कि उसका सामान्य प्रमाणभूत धर्मग्रंथों का अनुसरण ही करना पटना है, क्योंकि ऐसा न करने से वह सप्रदाय सब शास्त्रों की दृष्टि में अमान्य हो जायगा। इसलिये वैदिक धर्म में अलग सप्रदाया के हान पर भी कुछ विशेष बातों का छाड़ कर—जैम ईश्वर, शिव और जगत् का परम्पर सप्रदाय—शेष सब धान सब सप्रदाया में प्राप्त एक ही सी हानी है। इनो का परिणाम यह देख पटना है, कि हमारे धर्म के प्रमाणभूत ग्रंथों पर जो सांप्रदायिक भाष्य या टीकाएँ हैं, उनमें मूलग्रंथों के अर्थ—मही उभे से भी अधिक बचना या शक्यता का भावार्थ, एक ही सा है। जो कुछ भद है, वह शेष बचना या शक्यता के विषय ही में है। यदि इन बचना का मूल अर्थ लिया जाय तो वह सभी सप्रदाया के लिये समान अनुबूल नहीं हो सकता। इसलिये भिन्न भिन्न सांप्रदायिक टीकाकार इन बचना में से जो अपन सप्रदाय के लिये अनुबूल हो, उन्हीं को प्रगत मन कर और अन्य सब बचना

को गौण समझ कर, अथवा प्रतिकूल वचनों के अर्थ को किसी युक्ति में बदल कर, या सुबोध तथा सरल वचनों में से कुछ श्लेषार्थ या अनुमान निकाल कर, यह प्रतिपादन किया करते हैं, कि हमारी ही संप्रदाय उक्त प्रमाणों से सिद्ध होता है। उदाहरणार्थ, गीता २.१२ और १६; ३ १९, ६.३; और १८ २ श्लोको पर हमारी टीका देखो। परंतु यह बात महज ही किसी की ममज्ञ में आ सकती है, कि उक्त सांप्रदायिक रीति से ग्रंथ का तात्पर्य निश्चित करना; और इस बात का अभिमान न करके, कि गीता में अपना ही संप्रदाय प्रतिपादित हुआ है, अथवा अन्य किसी भी प्रकार का अभिमान न करके समग्र ग्रंथ की स्वतंत्र गीति से परीक्षा करना, और उम परीक्षा ही के आधार पर ग्रंथ का मथितार्थ निश्चित करना, ये दोनों बातें स्वभावतः अत्यंत भिन्न हैं।

ग्रंथ के तात्पर्य-निर्णय की सांप्रदायिक दृष्टि मदोप है। इसलिये इसे यदि छोड़ दे, तो अब यह बतलाना चाहिये, कि गीता का तात्पर्य जानने के लिये दूमरा साधन है क्या। ग्रंथ, प्रकरण और वाक्यों के अर्थ का निर्णय करने में मीमांसक लोग अत्यंत कुशल होते हैं। इस विषय में उन लोगों का एक प्राचीन और सर्वमान्य श्लोक है—

उपक्रमोपसंहारौ अश्वासोऽपूर्वता फलम् ।
अर्थवादोपपत्तौ च लिङ्गं तात्पर्यनिर्णये ॥

जिसमें वे कहते हैं — किसी भी लेख, प्रकरण अथवा ग्रंथ के तात्पर्य का निर्णय करने में, उक्त श्लोक में कही हुई सात बातें साधन-(लिङ्ग) स्वरूप हैं, इसलिये इन सब बातों पर अवश्य विचार करना चाहिये। इनमें सबसे पहली बात 'उपक्रमोपसंहारौ' अर्थात् ग्रन्थ का आरम्भ और अन्त है। कोई भी मनुष्य अपने मन में कुछ विशेष हेतु रख कर ही ग्रन्थ लिखना आरम्भ करता है, और उम हेतु के सिद्ध होने पर ग्रन्थ को समाप्त करता है। अतएव ग्रन्थ के तात्पर्यनिर्णय के लिये उपक्रम और उपसंहार ही का सबसे पहले विचार किया जाना चाहिये। सीधी रेखा की व्याख्या करते समय भूमितिशास्त्र में ऐसा कहा गया है, कि आरम्भ के बिन्दु से जो रेखा दाहिने-बाएँ या ऊपर-नीचे किसी तरफ नहीं झुकती और अन्तिम बिन्दु तक सीधी चली जाती है, उसे सरल रेखा कहते हैं। ग्रन्थ के तात्पर्य-निर्णय में भी यही सिद्धान्त उपयुक्त है। जो तात्पर्य ग्रन्थ के आरम्भ और अन्त में साफ साफ झलकता है वही ग्रन्थ का सरल तात्पर्य है। आरम्भ से अत तक जाने के लिये यदि अन्य मार्ग हों भी, तो उन्हें टेढ़े ममझना चाहिये। आद्यन्त देख कर ग्रन्थ का तात्पर्य पहले निश्चित कर लेना चाहिये, और तब यह देखना चाहिये, कि उस ग्रन्थ में 'अश्वास' अर्थात् पुनरुक्ति-स्वरूप में बार बार क्या कहा गया है। क्यों कि ग्रन्थकार के मन में जिस बात को सिद्ध करने की इच्छा होती है, उमने ममर्थन के लिये वह अनेक बार नई

कारणों का उल्लेख करके बार बार एक ही निश्चित सिद्धान्त को प्रकट किया करना है, हर बार कहा करता है, कि "इसलिये यह बात सिद्ध हो गई," "अतएव ऐसा करना चाहिये" इत्यादि। ग्रन्थ के तात्पर्य का निर्णय करने के लिये जो चौथा साधन है उसको 'अपूर्वता' और पाँचवे साधन को 'फल' कहते हैं। 'अपूर्वता' कहते हैं 'नवीनता' को। कोई भी ग्रन्थकार जब ग्रन्थ लिखना शुरू करता है, तब वह कुछ नई बात बतलाना चाहता है; बिना कुछ नवीनता या विशेष बकनव्य के वह ग्रन्थ लिखने में प्रवृत्त नहीं होता। विशेष करके यह बात उस जमाने में पाई जाती थी जत्र की छापखाने नहीं थे। इसलिये किसी ग्रन्थ के तात्पर्य का निर्णय करने के पहले यह भी देखना चाहिये, कि उसमें अपूर्वता, विशेषता या नवीनता क्या है। इसी तरह लेख अथवा ग्रन्थ के फल पर भी - अर्थात् उम लेख या ग्रन्थ से जो परिणाम हुआ हो उस पर भी - ध्यान देना चाहिये। क्योंकि अमुक फल हो, इसी हेतु से ग्रन्थ लिखा जाता है। इसलिये यदि घटित परिणाम पर ध्यान दिया जाय तो उसमें ग्रन्थकर्ता का आशय बहुत ठीक ठीक व्यक्त हो जाता है। छठवाँ और सातवाँ साधन 'अर्थवाद' और 'उपपत्ति' है। 'अर्थवाद' मीमांसकों का पारिभाषिक शब्द है (जै मू १.२ १ १८)। इस बात के निश्चित हो जाने पर भी, कि हमें मुख्यतः किस बात को बताना वर जमा देना है अथवा किस बात को सिद्ध करना है, कभी कभी ग्रन्थकार दूसरी अनेक बातों का प्रमगानुसार वर्णन किया करता है, जैसे प्रतिपादन के प्रगाह में दृष्टान्त देनेके लिये, तुलना करके एकवाक्यता करने के लिये, ममानता और भेद दिखाने के लिये, प्रतिपक्षियों के दोष बतला कर स्वपक्ष का मडन करने के लिये, अल्पाकार और अतिशयोक्ति के लिये और युक्तिवाद के पौषक विभी विषय का पूर्व-इतिहास बतलाने के लिये और कुछ वर्णन भी कर देना है। इन कारणों या प्रमगों के अनिश्चित और भी अन्य कारण हो सकते हैं; और कभी ता विशेष कारण नहीं होता। ऐसी अवस्था में ग्रन्थकार जो वर्णन करता है, वह यदि विषयान्तर नहीं हो सकता, तथापि वह केवल गौरव के लिये या स्पष्टीकरण के लिये ही किया जाता है। इसलिये यह नहीं माना जा सकता कि उक्त वर्णन हमारा मय ही होगा। * अधिक् बना कहा जाय, कभी कभी म्वय ग्रन्थकार यह दर्शने के लिये सावधान नहीं रहता, कि ये अप्रधान बातें अधारण मत्व हैं या नहीं। अतएव य मय बान प्रमाणमून नहीं मानी जाती, अर्थात् यह नहीं माना जाता, कि इन भिन्न भिन्न बातों का ग्रन्थकार के सिद्धान्त पक्ष के मय कोई घना मन्वन्ध है।

* अर्थवाद का वर्णन यदि वस्तुस्थिति (व्यवस्था) के आधार पर किया गया हो तो उसे 'अनुवाद' कहते हैं, यदि विरुद्ध रीति से किया गया हो तो उसे 'युगवाद' कहते हैं; और यदि हममें भिन्न प्रकाश का हो तो उसे 'न्यायवाद' कहते हैं। 'अर्थवाद' सामान्य है; उसके मय/मयमान में उक्त तीन भेद किये गये हैं।

उलटा यही माना जाता है, कि ये सब बातें आगंतुक अर्थात् केवल प्रशंसा या स्तुति ही के लिये हैं। ऐसा समझ कर ही मीमांसक लोग इन्हें 'अर्थवाद' कहा करते हैं, और इन अर्थवादात्मक बातों को छोड़ कर फिर ग्रन्थ का तात्पर्य निश्चित किया करते हैं। इतना कर लेने पर उपपत्ति की ओर भी ध्यान देना चाहिये। किसी विशेष बात को सिद्ध कर दिखलाने के लिये बाधक प्रमाणों का खंडन करना और साधक प्रमाणों का तर्कशास्त्रानुसार मंडन करना 'उपपत्ति' अथवा 'उपपादन' कहलाता है। उपक्रम और उपसंहार-रूप आद्यन्त के दो छोरों के स्थिर हो जाने पर, वीज का मार्ग अर्थवाद और उपपत्ति की सहायता से निश्चित किया जा सकता है। अर्थवाद से यह मालूम हो सकता है, कि कौन-सा विषय प्रस्तुत और आनुपंगिक (अप्रधान) है। एक बार अर्थवाद का निर्णय हो जाने पर ग्रन्थ-तात्पर्य का निश्चय करनेवाला मनुष्य सब टेढ़े टेढ़े रास्तों को छोड़ देता है। और ऐसा करने पर जब पाठक या परीक्षक सीधे और प्रधान मार्ग पर आ जाता है, तब वह उपपत्ति की सहायता से ग्रन्थ के आरम्भ से अंतिम तात्पर्य तक आप-ही-आप पहुँच जाता है। हमारे प्राचीन मीमांसकों के ठहराये हुए, ग्रन्थ तात्पर्य-निर्णय के ये नियम सब देशों के विद्वानों को एकसमान मान्य हैं। इसलिये उपयोगिता और आवश्यकता के सम्बन्ध में यहाँ अधिक विवेचन करने की आवश्यकता नहीं है।*

इस पर यह प्रश्न किया जा सकता है, कि क्या मीमांसकों के उक्त नियम संप्रदाय चलानेवाले आचार्यों को मालूम नहीं थे। यदि ये सब नियम ग्रंथों ही में पाये जाते हैं, तो फिर उनका बताया हुआ गीता का तात्पर्य एकदेशीय कैसे कहा जा सकता है। उनका उत्तर इतना ही है, कि एक बार किसी की दृष्टि सांप्रदायिक (सकुचित) बन जाती है, तब वह व्यापकता का स्वीकार नहीं कर सकता—तब वह किसी-न-किसी रीति में यही सिद्ध करने का यत्न किया करता है, कि प्रमाणभूत धर्मग्रंथों में अपने ही संप्रदाय का वर्णन किया गया है। इन ग्रंथोंके तात्पर्य के विषय में सांप्रदायिक टीकाकारों की पहले से ही ऐसी धारणा हो जाती है, कि यदि उक्त ग्रंथों का कुछ दूसरा अर्थ हो सकता हो, जो उनके सांप्रदायिक अर्थ से भिन्न हो, तो वे यह समझते हैं, कि उनका हेतु कुछ और ही है। इस प्रकार जब वे पहले से निश्चित किये हुए अपने ही संप्रदाय के अर्थ को सत्य मानने लगते हैं, और यह सिद्ध कर दिखाने का यत्न करने लगते हैं, कि वही अर्थ सब धार्मिक ग्रंथों में प्रतिपादन किया

* ग्रन्थ तात्पर्य-निर्णय के ये नियम अंग्रेजी अदालतों में भी देस जाते हैं। उदाहरणार्थ, मान लीजिये कि किसी फैसले का कुछ मतलब नहीं निकलता। तब हुक्मनामे को देस कर फैसले के अर्थ का निर्णय किया जाता है। और यदि किसी फैसले में कुछ ऐसी बातें हों जो मुख्य विषय का निर्णय करने में आवश्यक नहीं हैं तो वे दूसरे मुद्दों में प्रमाण (नज़र) नहीं मानी जाती। ऐसी बातों को अंग्रेजी में 'आबिटर डिक्टा' (Obiter Dicta) अर्थात् 'बाह्य विधान' कहते हैं; यथार्थ में यह अर्थवाद ही का एक भेद है।

गया है; तब वे इस बात की परवाह नहीं करते कि हम मीमांसाशास्त्र के कुछ नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। हिन्दु धर्मशास्त्र के मिताक्षरा, दायभाग इत्यादि ग्रंथों में स्मृतिवचनों की व्यवस्था या एकता इसी तत्त्वानुसार की जाती है। ऐसा नहीं समझना चाहिये कि यह बात केवल हिन्दु धर्मग्रन्थों में ही पाई जाती है। ख्रिस्तानो के आदिग्रंथ बायबल और मुसलमानों के कुरान में भी इन लोको के सैकड़ों सांप्रदायिक ग्रंथकारों ने ऐसा ही अर्थान्तर कर दिया है, और इसी तरह ईसाइयों ने पुरानी बायबल के कुछ वाक्यों का अर्थ यहूदियों से भिन्न भिन्न माना है। यहाँ तक देखा जाना है, कि जब कभी यह बात पहले ही से निश्चित कर दी जाती है, कि किसी विषय पर अमुक ग्रंथ या लेख ही को प्रमाण मानना चाहिये और जब कभी इस प्रमाणभूत तथा नियमित ग्रंथ ही के आधार पर सब बातों का निर्णय करना पड़ता है, तब तो प्रयार्थ-निर्णय की उगी पद्धति का स्वीकार किया जाता है, जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है। आजकल के बड़े बड़े कायदे-पण्डित, वकील और न्यायाधीश लोग, पहले ही प्रमाणभूत कानूनी किताबों और फैसलों का अर्थ करने में जो खोजाना करते हैं, उसका रहस्य भी यही है। यदि सामान्य लौकिक बातों में यह हाठ है, तो उसमें कुछ आश्चर्य नहीं कि हमारे प्रमाणभूत धर्मग्रंथों - उपनिषद्, वेदान्तसूत्र और गीता - में भी ऐसी खोजातानी होने के कारण, उन पर भिन्न भिन्न सम्प्रदायों के अनेक भाष्य, टीकाग्रन्थ लिखे गये हैं। परन्तु इस सांप्रदायिक पद्धति को छोड़ कर, यदि उपर्युक्त मीमांसकों की पद्धति से भगवद्गीता के उपस्रम, उपसहार आदि को देखें, तो मालूम हो जावेगा कि भारतीय युद्ध का आरम्भ होने से पहले जब कुरुक्षेत्र में दोनों पक्षों की सेनाएँ लड़ाई के लिये सुसज्जित हो गई थी, और जब एक दूसरे पर शस्त्र चराने ही वाला था, कि इतने में अर्जुन ब्रह्मज्ञान की वही वही बातें बताने लगा और 'विमनस्व' हो कर सन्यास लेने को तैयार हो गया; तभी उसे अपने शास्त्रधर्म में प्रवृत्त करने के लिये भगवान् ने गीता का उपदेश दिया है। जब अर्जुन यह देखने लगा कि दुष्ट दुर्योधन के महायक बन कर मुझसे लड़ाई करने के लिये बौन-बौन-से भूर वीर यहाँ आये हैं, सब वृद्ध भीष्म पितामह, गुरु श्रोतार्याय, गुरुमुत्र जम्बवन्धामा, विपक्षी बने हुए अपने बधु कौरव-गण, अन्य गुरु तथा आत, मामा-जाना आदि रिश्तेदार, अनेक राजा और राजपुत्र आदि सब लोग उमंगे दौघ पड़े। तब वह मन में सोचने लगा कि इन सब को केवल एक छोटे-से हिमनादुर के राग के लिये निंद्यता में भागना पड़ेगा और अपने कुल का क्षय करना पड़ेगा। इस महत्प्राय के भय ने उगवा मन एकदम दुःखित और क्षुब्ध हो गया। एत आरंभ तो शास्त्रधर्म उमंगे वह रहा था, कि 'युद्ध कर', और दूसरी ओर से विन्यास, सुभक्ति, बन्धुद्वेष, गुरुव्रीति आदि अनेक धर्म उमंगे जबरदस्ती से पीछे खींच रहे थे! यह बड़ा भारी संकट था। यदि लड़ाई करे तो अपने ही रिश्तेदारों की, गुरुजनों की और बन्धु-मित्रों की हत्या कर के महापातक के भागी बनें! और

लड़ाई न करे तो क्षात्रधर्म से न्युत होना पड़े !! इपर देखो तो कुआँ और उधर देखो तो खाई !!! उस समय अर्जुन की अवस्था वैसी ही हो गई थी जैसी जोर में टकराती हुई दो रेलगाड़ियों के बीच में किसी असहाय मनुष्य की हो जाती है । यद्यपि अर्जुन कोई साधारण पुरुष नहीं था, वह एक बड़ा भारी योद्धा था, तथापि धर्माधर्म के इस महान् संकट में पड़ कर बेचारे का मूँह सूख गया, शरीर पर रोगट्टे खड़े हो गये, धनुष्य हाथ से गिर पड़ा और वह “ मैं नहीं लड़ूँगा ” कह कर अति दुःखित चित्त से रथ में बैठ गया । और अत में समीपवर्ती बंधुस्नेह का प्रभाव — उस ममत्व का प्रभाव जो मनुष्य को स्वभावतः प्रिय होता है — दूरवर्ती क्षत्रियधर्म पर जम ही गया! तब वह मोहवश हो कहने लगा, “ पिता-सम पूज्य वृद्ध और मित्रों को मार कर तथा अपने कुल का क्षय करके (घोर पाप करके) राज्य का एक टुकड़ा पाने से टुकड़े माँग कर जीवन निर्वाह करना कही श्रेयस्कर है ! चाहे मेरे शत्रु मुझे अभी निःशस्त्र देख कर मेरी गर्दन उड़ा दे; परन्तु मैं अपने स्वजनो की हत्या करके उनके खून और शाप में हुए सुखो का उपभोग नहीं करना चाहता । क्या क्षात्रधर्म इमी को कहते हैं ? भाई को मारो, गुरु की हत्या करो, पितृवध करने में न चुको, अपने कुल का नाश करो — क्या यही क्षात्रधर्म है ? आग लगे ऐसे अनर्थकारी क्षात्रधर्म में और गाज गिरे ऐसी क्षात्रनीतिपर ! दुष्मनों को ये सब धर्मबंधी वाते मालूम नहीं हैं; वे दुष्ट हैं; तो क्या उनके साथ मैं भी पापी हो जाऊँ ? कभी नहीं । मुझे यह देखना चाहिये कि मेरे आत्मा का कल्याण कैसे होगा । मुझे तो यह घोर हत्या और पाप करना श्रेयस्कर नहीं जँचता; फिर चाहे क्षात्रधर्म शास्त्रविहित हो, तो भी इस समय मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है । ” इस प्रकार विचार करते करते उसका चित्त डंवाडील हो गया और वह किकर्तव्यविमूढ हो कर भगवान् श्रीकृष्ण की शरण में गया । तब भगवान् ने उसे गीता का उपदेश दे कर उसके चंचल चित्त को स्थिर और शांत कर दिया । इसका यह फल हुआ, कि जो अर्जुन पहले भीष्म आदि गुरुजनो की हत्या के भय के कारण युद्ध से पराङ्गमुख हो रहा था, वही अब गीता का उपदेश सुन कर अपना यथोचित कर्तव्य समझ गया; और अपनी म्वतल्ल इच्छा में युद्ध के लिये तत्पर हो गया । यदि हमें गीता के उपदेश का रहस्य जानना है, तो उपक्रमोपसंहार और परिणाम को अवश्य ध्यान में रखना पड़ेगा । भक्ति से मोक्ष कैसे मिलता है ? ब्रह्मज्ञान या पानजल योग से मोक्ष की सिद्धि कैसे होती है ? इत्यादि, केवल निवृत्ति-मार्ग या कर्मत्यागरूप मंत्र्यास-धर्म-सम्बन्धी प्रश्नों की चर्चा करने का कुछ उद्देश नहीं था । भगवान् श्रीकृष्ण का यह उद्देश नहीं था, कि, अर्जुन सन्यास-दीक्षा ले कर और बैरागी बन कर भीख मागता फिरे, या लंगोटी लगा कर और नीम पत्ते खा कर मृत्युपर्यन्त हिमालय में योगाभ्यास साधता रहे । अथवा भगवान् का यह भी उद्देश नहीं था कि अर्जुन धनुष्य-बाण को फेंक दे और हाथ में वीणा तथा गृदग ले कर नुरक्षेत्र की धर्मभूमि में उपस्थित भारतीय क्षात्रममाज

के मामले भगवन्नाम का उच्चारण करता हुआ, बृहन्नडा के समान और एक कुरु अपना नाच दिखावे। अब तो अज्ञातवास पूरा हो गया था और अर्जुन को कुरुक्षेत्र में खड़े हो कर और ही प्रकार का नाच नाचना था। गीता कहते कहते स्थान स्थान पर भगवान् ने अनेक प्रकार के अनेक कारण बतलाये हैं; और अंत में अनुमानदर्शक अत्यंत महत्त्व के 'तस्मात्' ('इसलिये') पद का उपयोग करके अर्जुन को यही निश्चितार्थक कर्म-विषयक उपदेश दिया है कि "तस्माद्बुध्यस्व भारत" - इसलिये हे अर्जुन! तू युद्ध कर (गी. २. १८); "तस्माद्बुत्तिष्ठ कौंतय युद्धाय वृत्तनिश्चयः" - इसलिये हे कौंतय अर्जुन! तू युद्ध का निश्चय करके उठ (गीता २. ३७); "तस्मादमवतः सततं कार्यं कर्म समाचर" - इसलिये तू मोह छोड़कर अपना कर्तव्य-कर्म कर (गीता ३. १९); "कुरु कर्मैव तस्मान् त्वं" - इस लिये तू कर्म ही कर (गी. ४. १५); "मामनुस्मर युध्य च" - इसलिये मेरा स्मरण कर और लड़ (गी. ८. ७); "करने-करानेवाला मत्र कुछ मैं ही हूँ, तू केवल निमित्त है, इसलिये युद्ध करके शत्रुओं को जीत" (गी. ११. ३३) "शान्त्रोपान कर्तव्य करना तुझे उचित है" (गी. १६. २४)। अठारहवें अध्याय के उपसंहार में भगवान् ने अपने निश्चित और उत्तम मन को और भी एक बार प्रकट किया है - "एन सव कर्मोको करना चाहिये" (गी. १८. ६)। और अंतमें (गी. १८. ७२), भगवान् ने अर्जुन से प्रश्न किया है, कि "हे अर्जुन! तेरा अज्ञान-मोह अभी तक नष्ट हुआ कि नहीं?" इस पर अर्जुन ने संतोषजनक उत्तर दिया :-

नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत ।

स्मिनोःस्मि गतसंदेहः करिष्ये चचनं तव ॥

अर्थात् "हे अर्जुन! स्वकर्तव्यमंत्रंधी मेरा मोह और संदेह नष्ट हो गया है; अब मैं आप के कथनानुसार मत्र काम करूँगा।" यह अर्जुन का केवल मौखिक उत्तर नहीं था; उसने मत्रमुच उम युद्ध में भीष्म-कर्ण-जयद्रथ आदि का वध भी किया। इस पर कुछ लोग कहते हैं, कि "भगवान् ने अर्जुन को उपदेश दिया है वह केवल निदानविकारक ज्ञान, योग या भक्ति का ही है; और यही गीता का मुख्य प्रतिपाद्य विषय भी है। परन्तु युद्ध का आरंभ हो जाने कारण बीच बीच में, कर्म की संशोधी-नी प्रकृति परके भगवान् ने अर्जुन को युद्ध पूरा करने दिया है; अर्थात् युद्ध का समाप्त करना युद्ध वात नहीं है - आनुषंगिक या अर्थवादात्मक ही मानना चाहिये" परन्तु ऐसे अर्थ और समझों दुर्भितवाद ने गीता के उपसंहार-संहार और परिणाम की उत्तमिनी हीन टीका नहीं हो सकती। यही (कुरुक्षेत्र) पर ही हमें वात के महत्त्व को दिग्गति की आवश्यकता थी कि स्वधर्ममंत्रंधी धर्मो कर्मों की मरणपर्यन्त अनेक कष्ट और बाधाएँ सह कर भी करने रुकना चाहिये। इस बात को गिठ करने के लिये श्रीकृष्ण ने गीतामंत्र में कहीं भी संशोधी-नी का कारण नहीं बताया है, जैसा उपर लिखे हुए कुछ लोगों के आरोप

में कहा गया है। यदि ऐसा युक्तिहीन कारण बतलाया भी गया होता तो अर्जुन-सरीखा बुद्धिमान और छानवीन करनेवाला पुरुष इन बातों पर विश्वास कैसे कर लेता ? उसके मन में मुख्य प्रश्न क्या था ? यही न, कि भयकर कुलक्षय को प्रत्यक्ष आँखों के आगे देखकर भी मुझे युद्ध करना चाहिये या नहीं; और युद्ध करना ही चाहिये तो कैसे, जिससे पाप न लगे ? इस विकट प्रश्न के (इस प्रधान विषय के) उत्तर को, कि “ निष्काम-बुद्धि से युद्ध कर ” या “ कर्म कर ” — अर्थवाद कह कर भी नहीं टाल सकते। ऐसा करना मानो घर के मालिक को उसी घर में मेहमान बना देना है। हमारा यह कहना नहीं है, कि गीता में वेदान्त, भक्ति और पातञ्जल योग का उपदेश विलकुल दिया ही नहीं गया है। परन्तु इन तीनों विषयों का गीता में जो मेल किया गया है, वह केवल ऐसा ही होना चाहिये, कि जिससे परस्पर-विहृद्ध धर्मों के भयकर सकट में पड़े हुए “ यह कैसे कि वह ” कहनेवाले कर्तव्य-मूढ़ अर्जुन को अपने कर्तव्य के विषय में कोई निष्पाप मार्ग मिल जाय, और वह धातुधर्म के अनुसार अपने शास्त्रविहित कर्म में प्रवृत्त हो जाय। इससे यही बात सिद्ध होती है, कि प्रवृत्तिधर्म ही का ज्ञान गीता का प्रधान विषय है; और अन्य सब बातें उस प्रधान विषय ही की सिद्धि के लिये कही गई हैं। अर्थात् वे सब आनु-पगिक हैं; अतएव गीताधर्म का रहस्य भी प्रवृत्तिविषयक अर्थात् कर्मविषयक ही होना चाहिये। परन्तु इस बात का स्पष्टीकरण किसी टीकाकार ने नहीं किया है, कि वह प्रवृत्तिविषयक रहस्य क्या है, और वेदान्तशास्त्र ही से कैसे सिद्ध हो सकता है। जिस टीकाकार को देखो, वही गीता के आद्यन्त के उपक्रम-उपमहार पर ध्यान न दे कर निवृत्तिदृष्टि से इस बात का विचार करने ही में निमग्न दीख पड़ता है, कि गीता का ब्रह्मज्ञान या भक्ति अपने ही संप्रदाय के अनुकूल है। मानो ज्ञान और भक्ति का कर्म से नित्य सम्बन्ध बतलाना एक बड़ा भारी पाप है। यही शका एक टीकाकार के मन में हुई थी, और उसने लिखा था, कि स्वयं श्रीकृष्ण के चरित्र को आँख के सामने रख कर भगवद्गीता का अर्थ करना चाहिये*। श्रीधर वाणी के सुप्रसिद्ध अद्वैती परमहंस श्रीकृष्णानन्द स्वामी का — जो अभी हाल ही में समाधिस्थ हुए। हैं — भगवद्गीता पर लिखा हुआ ‘गीता-परामर्श’ नामक सस्मृत में एक निबन्ध है उसमें स्पष्ट गीता से यही सिद्धान्त लिखा हुआ है, कि ‘तस्मात् गीता नाम ब्रह्मविद्यामूल नीतिशास्त्रम्” अर्थात् — इसलिये गीता वह नीतिशास्त्र अथवा कर्तव्य-धर्मशास्त्र है, जो कि ब्रह्मविद्या में सिद्ध होता है†। यही बात जर्मन पंडित प्रो०

* इस टीकाकार का नाम और उसकी टीका के कुछ अवतरण बहुत दिन हुए एन महाशय ने हमको पत्र द्वारा बतलाये थे। परन्तु हमारी परिस्थिति की गहराइ में यह पत्र न जाने कहाँ खो गया।

† श्रीकृष्णानन्दस्वामीकृत चारों निबन्ध (श्रीगीतारहस्य, गीताधर्मशास्त्र, गीताधर्मपरामर्श और गीतासारोद्धार) एकत्र कर के राजकोट में प्रकाशित किये गये हैं।

डॉयमेन ने अपने 'उपनिषदों का तत्त्वज्ञान' नामक ग्रन्थ में कही है। इनके अतिरिक्त पश्चिमी और पूर्वी गीता-परीक्षक अनेक विद्वानों का भी यही मत है। तथापि इनमें से किसी ने ममम्न गीता-ग्रन्थ की परीक्षा करके यह स्पष्टतया दिखलाने का प्रयत्न नहीं किया है, कि कर्मप्रधान दृष्टि से उनके सब विषयो और अध्यायो का मेल बँगा है। वल्कि डॉयमेन ने अपने ग्रन्थ में कहा है, कि यह प्रतिपादन कष्टसाध्य है। इसलिये प्रस्तुत ग्रन्थ का मुख्य उद्देश्य यही है, कि उक्त रीति में गीता की परीक्षा करने उनके विषयो का मेल अच्छी तरह प्रकट कर दिया जावे। परन्तु ऐसा करने के पढ़ने, गीता के आरम्भ में परस्परविरुद्ध नीतिधर्मों में झगटे हुए। अर्जुन पर जो संकट आया था उसका असली रूप भी दिखलाना चाहिये; नहीं तो गीता में प्रतिपादित विषयो का मर्म पाठकों के ध्यान में पूर्णतया नहीं जम सकेगा। इसलिये अब यह जानने के लिये कि कर्म-अकर्म के झगड़े बँम विषट होते हैं और अनेक बार "इसे पढ़ो कि उसे" यह सूझ न पड़ने के कारण मनुष्य बँमा घबटा उठता है, ऐसे ही प्रसंगों के अनेक उदाहरणों का विचार किया जायगा, जो हमारे शास्त्रों में - विद्येयतः महाभारत में - पाये जाते हैं।

दूसरा प्रकरण

कर्मजिज्ञासा

किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः।*

— गीता ४. १६

भगवद्गीता के आरंभ में, परस्पर-विलुद्ध दो धर्मों की उलझन में फँस जाने के कारण अर्जुन जिन तरह कर्तव्यमूढ़ हो गया था, और उस पर जो मौका आ पड़ा था, वह कुछ अपूर्व नहीं है। उन अममयं और अपना ही पेट पालनेवाले लोगों की बात ही भिन्न है, जो सन्यास ले कर और ससार को छोड़ कर वन में चले जाते हैं अथवा जो कमजोरी के कारण जगत् के अनेक अन्यायो को चुपचाप सह लिया करते हैं। परन्तु समाज में रह कर ही जिन महान् तथा कार्यकर्ता पुरुषों को अपने सासारिक कर्तव्यों का पालन धर्म तथा नीतिपूर्वक करना पड़ता है, उनो पर ऐसे मौकों अनेक बार आया करते हैं। युद्ध के आरम्भ ही में अर्जुन को कर्तव्य-जिज्ञासा और मोह हुआ। ऐसा मोह युधिष्ठिर को—युद्ध में मरे हुए अपने रिश्तेदारों का श्राद्ध करते समय—हुआ था। उसके इस मोह को दूर करने के लिये 'शांतिपूर्व' कहा गया है। कर्मकर्मसंशय के ऐसे अनेक प्रसंग ढूँढ कर अथवा कल्पित करके उन पर बड़े बड़े कवियों ने मुरस काव्य और उत्तम नाटक लिखे हैं। उदाहरणार्थ, प्रसिद्ध अंग्रेज नाटककार शेक्सपीयर का हैमलेट नाटक लीजिये। डेन्मार्क देश के प्राचीन राजपुत्र हैमलेट के चाचा ने राजकर्ता अपने भाई—हैमलेट के बाप—को मार डाला, हैमलेट की माता को अपनी स्त्री बना लिया और राजगद्दी भी छीन ली। तब उस राजकुमार के मन में यह झगडा पैदा हुआ, कि ऐसे पापी चाचा का वध करके पुत्र-धर्म के अनुसार अपने पिता के ऋण से मुक्त हो जाऊँ, अथवा अपने सगे चाचा, अपनी माता के पति और गद्दी पर बैठे हुए राजा पर दया कर्हूँ? इस मोह में पड़ जाने के कारण कोमल अंतःकरण के हैमलेट की कैंसी दशा हुई, श्रीकृष्ण के समान कोई मार्ग-दर्शक और हितकर्ता न होने के कारण वह कैसे पागल हो गया और अंत में 'जिये या मरे' इसी बात की चिन्ता करते करते उसका अन्त कैसे हो गया, इत्यादि बातों का चित्र इस नाटक में बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है। 'कोरियोलेनस' नाम के दूसरे नाटक में भी इसी तरह एक और प्रसंग

* "पण्डितों को भी इस विषय में मोह हो जाया करता है, कि कर्म कौन-सा है और अकर्म कौन सा है।" इस स्थान पर अकर्म शब्द को 'कर्म के अभाव' और 'दुरे कर्म' दोनों अर्थों में यथासंभव लेना चाहिये। मूल श्लोक पर हमारी टीका देखो।

का वर्णन श्रेष्ठतपीयर ने किया है। रोम नगर में कोरियोलेनस नाम का एक शूर सरदार था। नगरवासियों ने उसको शहर में निकाल दिया। तब वह रोमन लोगों के शत्रुओं में जा मिला और उसने प्रतिज्ञा की, कि " मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। " कुछ समय के बाद इन शत्रुओं की महायता से उसने रोमन लोगों पर हमला किया और वह अपनी मेना ले कर रोमन शहर के दरवाजे के पास आ पहुँचा। उस समय रोम शहर की स्त्रियों ने कोरियोलेनस की स्त्री और माता को सामने धर के, मातृभूमि के संबंध में उसको उपदेश किया। अन्त में उसको रोम के शत्रुओं को दिये हुए वचन का भंग करना पड़ा। कर्तव्य-अकर्तव्य के मोह में फँस जाने के ऐसे और भी कई उदाहरण दुनिया के प्राचीन और आधुनिक इतिहास में पाये जाते हैं। परन्तु हम लोगों को उनका दूर जाने की कोई आवश्यकता नहीं। हमारा महामारत-ग्रंथ ऐसे उदाहरणों की एक बड़ी भारी ग्यानी ही है। ग्रंथ के आरम्भ (आ. २) में वर्णन करने हुए स्वयं व्यासजी ने उसको 'मूढमार्थन्याययुक्तं', 'अनेकगमयान्वितं' आदि विशेषण दिये हैं। उसमें धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र और मोक्षशास्त्र, सब कुछ आ गया है। इतना ही नहीं, किन्तु उसकी महिमा इस प्रकार गार्त गर्दे, कि " यदिहास्ति नदन्यत्र यत्नेहास्ति न तत्त्वचित् " - अर्थात् जो कुछ उनमें है वही और स्थानों में है, जो उनमें नहीं है वह और किसी भी स्थान में नहीं है (आ. ६२. ५३)। माराग यह है, कि इन सभार में अनेक कठिनाट्याँ उत्पन्न होती हैं; ऐसे समय बड़े बड़े प्राचीन पुरुषों ने कैसा वर्ताव किया, इसका सुन्दर आग्रानों के द्वारा मापारण जनानों को बोध करा देने ही के लिये 'भारत' का 'महाभाग' हो गया है। नहीं तो सिर्फ भारतीय युद्ध अथवा 'जय' नामक इतिहास का वर्णन करने के लिये अठारह पवों की कुछ आवश्यकता न थी।

को अनेक बार ऐसे मौके आते हैं, कि उस समय उक्त साधारण नियमों में से दो या अधिक नियम एकदम लागू होते हैं। उस समय "यह कर्त्तव्य या वह कर्त्तव्य" इस चिन्ता में पड़ कर मनुष्य पागल-सा हो जाता है। अर्जुन पर ऐसा ही मौका आ पड़ा था, परन्तु अर्जुन के सिवा और लोगों पर भी ऐसे कठिन अवसर अक्सर आया करते हैं। इस बात का मार्मिक विवेचन महाभारत में कई स्थानों में किया गया है। उदाहरणार्थ, मनु ने सब वर्णों के लोगों के लिये नीतिधर्म के पाँच नियम बतलाये हैं - "अहिंसा सत्यमस्तेय शौचमिन्द्रियनिग्रहः" (मनु. १०. ६३) - अहिंसा, सत्य, अस्तेय, काया, वाचा और मन की शुद्धता, एव इन्द्रियनिग्रह इन नीतिधर्मों में से एक अहिंसा ही का विचार कीजिये। "अहिंसा परमो धर्मः" (म. भा. आ. ११. १३) यह तत्त्व सिर्फ हमारे वैदिक धर्म ही में नहीं, किन्तु अन्य सब धर्मों में भी प्रधान माना गया है। बौद्ध और ईसाई धर्मग्रन्थों में जो आज्ञाएँ हैं, उनमें अहिंसा को मनु की आज्ञा के समान पहला स्थान दिया गया है। सिर्फ किसी की जान ले लेना ही हिंसा नहीं है। उसमें किसी के मन अथवा शरीर को दुःख देने का भी समावेश किया जाता है। अर्थात्, किसी सचेतन प्राणी को किसी प्रकार दुःखित न करना ही अहिंसा है। इस सत्ता में सब लोगों की सम्मति के अनुसार यह अहिंसाधर्म सब धर्मों में श्रेष्ठ माना गया है। परन्तु अब कल्पना कीजिये, कि हमारी जान लेने के लिये या हमारी स्त्री अथवा कन्या पर बलात्कार करने के लिये, अथवा हमारे घर में आग लगाने के लिये, या हमारा धन छीन लेने के लिये, कोई दुष्ट मनुष्य हाथ में शस्त्र ले कर तैयार हो जाय और उस समय हमारी रक्षा करनेवाला हमारे पास कोई न हो; तो उस समय हमको क्या करना चाहिये? क्या, "अहिंसा परमो धर्म" कह कर ऐसे आततायी मनुष्य पर दया की जाय? या, यदि वह सीधी तरह से न माने तो यथाशक्ति उसका शासन किया जाय? मनुजी कहते हैं :-

गुरु वा बालवृद्धी वा ब्राह्मणं वा बहुश्रुतम् ।

आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन् ॥

अर्थात् "ऐसे आततायी या दुष्ट मनुष्य को अवश्य मार डाले, किन्तु यह विचार न करे कि वह गुरु है, बूढ़ा है, बालक है या विद्वान् ब्राह्मण है।" शास्त्रकार कहते हैं कि (मनु. ८. ३५०) ऐसे समय हत्या करने का पाप हत्या करनेवाले को नहीं लगता; किन्तु आततायी मनुष्य अपने अधर्म ही से मारा जाता है। आत्मरक्षा का यह हक - कुछ मर्यादा के भीतर - आधुनिक फौजदारी कानून में भी स्वीकृत किया गया है। ऐसे मौकों पर अहिंसा से आत्मरक्षा की योग्यता अधिक मानी जाती है। भ्रूणहत्या सब से अधिक निन्दनीय मानी है; परन्तु जब बच्चा पेट में टेढ़ा हो कर अटक जाता है तब क्या उसको काट कर निकाल नहीं डालना चाहिये? यज्ञ में पशु का वध करना वेद में भी प्रशस्त माना है (मनु. ५. ३१), परन्तु पिष्टपशु के द्वारा

करने के लिये सब लोगों को उपदेश किया है (म. भा. अनु. १६७. ५०) । बाँध और ईनाई धर्मों में भी इन्हीं नियमों का वर्णन पाया जाता है ।

क्या उम वात की कभी कल्पना की जा सकती है, कि जो सत्य इस प्रकार स्वयंमिद्व और चिरस्थायी है, उसके लिये भी कुछ अपवाद होंगे ? परन्तु दुष्ट जनों से भरे हुए इम जगत् का व्यवहार बहुत कठिन है । कल्पना कीजिये, कि कुछ आदमी चोरो से पीछा किये जाने पर तुम्हारे नामने किमी स्थान में जा कर छिप रहे ।

मके बाद हाथ में तलवार लिये हुए चोर तुम्हारे पास आ कर पूछने लगे, कि वे आदमी वहाँ चले गये ? ऐसी अवस्था में तुम क्या कहोगे ? — क्या तुम सच बोल कर मव हाल कह दोगे, या उन निरपराधी जीवों की हिंसा को रोकना मत्य ही के समान महत्त्व का धर्म है । मनु कहते हैं, “नापृष्टः कस्यचिद् ब्रूयान्न चान्यायेन पृच्छतः” (मनु. २. ११०; म. भा. शा. २८७. ३४) — जब तक कोई प्रश्न न करे, तब तक किसी से बोलना न चाहिये; और यदि कोई अन्याय से प्रश्न करे तो पूछने पर भी उत्तर नहीं देना चाहिये । यदि मालूम भी हो, तो मिटी या पागल के समान कुछ हँ-हँ करके बात बना देनी चाहिये — “जानन्नपि हि मेघावा जटवल्लोक आचरेत् ।” अच्छा, क्या हँ-हँ कर देना और बात बना देना एक तरह से असत्य भाषण करना नहीं है ? महाभाग्य (आ. २१५. ३४) में कई स्थानों में कहा है, “न व्याजेन चरेद्धर्मं” — धर्म से बहाना करके मन का ममाधान नहीं कर लेना चाहिये; क्योंकि तुम धर्म को घोवा नहीं दे सकते । तुम खुद घोका खा जाओगे । अच्छा; यदि हँ-हँ करके कुछ बात बना लेने का भी समय न हो, तो क्या करना चाहिये ? मान लीजिये, कोई चोर हाथ में तलवार ले कर छाती पर आ बैठा है; और पूछ रहा है, कि तुम्हाग घन कहाँ है ? यदि कुछ उत्तर न दोगे, तो जान ही मे हाथ घोना पड़ेगा । ऐसे समय पर क्या बोलना चाहिये ? मव धर्मों का रहस्य जाननेवाले भगवान् श्रीकृष्ण — ऐसे ही चोरो की कहानी का दृष्टान्त दे कर — षण्णव (६६. ६१) में अर्जुन ने और आगे शान्तिपर्व के मत्यन्न अध्याय (१०६. १५. १६) में भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं :-

अर्जुनेन चेन्मोक्षा नावर्ज्जेत्कयंचन ।

अवश्यं ब्रूजित्ये वा शक्रेत् वाप्यर्जुनान् ।

धेयस्त्वप्रानतं यत्नं सत्यादिनि विचारितम् ॥

वल्याण हो, वह आचरण सिर्फ इसी कारण से निन्द्य नहीं माना जा सकता, कि शब्दोच्चार अयथार्थ है। जिससे सभी की हानि हो, वह न तो सत्य ही है, और न अहिंसा ही। शातिपर्व (३२६.१३; २८७.१६) में सनत्कुमार के आधार पर नारदजी शुकजी से कहते हैं :-

सत्यस्य वचनं श्रेयः सत्यादपि हितं वदेत् ।

यद्भूतहितमत्यन्त एतत्सत्यं मतं मम ॥

“सच बोलना अच्छा है; परन्तु सत्य से भी अधिक ऐसा बोलना अच्छा है, जिससे सब प्राणियों का हित हो। क्योंकि जिससे सब प्राणियों का अत्यन्त हित होता है, वही हमारे मत से सत्य है।” ‘यद्भूतहित’ पद को देख कर आधुनिक उपयोगितावादी अंग्रेजों का स्मरण करके यदि कोई उक्त वचन को प्रक्षिप्त कहना चाहे, तो उन्हें स्मरण रखना चाहिये, कि यह वचन महाभारत के वनपर्व में - ब्राह्मण और व्याध के सवाद में - दो-तीन बार आया है। उनमें से एक जगह तो “अहिंसा सत्यवचन सर्वभूतहित परम्” पाठ है (वन. २०६.७३), और दूसरी जगह “यद्भूतहितमत्यन्त तत्सत्यमिति धारणा” (वन. २०८.४), ऐसा पोटभेद किया गया है। सत्यप्रतिज्ञ यधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य से ‘नरो वा कुजरो वा’ कह कर उन्हें सदेह में क्यों डाल दिया? इसका कारण वही है, जो ऊपर कहा गया है; और कुछ नहीं। ऐसी ही और बातों में भी यही नियम लगाया जाता है। हमारे शास्त्रों का यह कथन नहीं है, कि झूठ बोल कर किसी खूनी की जान बचाई जावे। शास्त्रों में खून करनेवाले आदमी के लिये देहान्त प्रायश्चित्त अथवा वधदण्ड की सजा कही गई है। इसलिये वह सजा पाने अथवा इसी के समान और किसी समय, जो आदमी झूठी गवाही देता है, वह अपने सात या अधिक पूर्वजोंसहित नरक में जाता है (मनु ८.८९-९९, म भा आ. ७.३)। परन्तु जब कर्णपर्व में वर्णित उक्त चोरो के दृष्टान्तके समान हमारे सच बोलने से निरपराधी आदमियों की जान जाने की शका हो, तो उस समय क्या करना चाहिये? श्रीन नामक एक अंग्रेज ग्रन्थकार ने अपने ‘नीतिशास्त्र के उपोद्घात’ नामक ग्रन्थ में लिखा है, कि ऐसे मौकों पर नीतिशास्त्र मूक हो जाते हैं। यद्यपि यह मनु और याज्ञवल्क्य ऐसे प्रसंगों की गणना सत्यापवाद में करते हैं, तथापि यह भी उनके मत से गौण बात है। इसलिये अतः में उन्होंने इस अपवाद के लिये भी प्रायश्चित्त बतलाया है - “तत्पावनाय निर्वाप्यश्चर सारस्वतो द्विजैः” (याज्ञ. २.८३, मनु ८.१०४-१०६)।

कुछ बड़े अंग्रेजों ने - जिन्हें अहिंसा के अपवाद के विषय में आश्चर्य नहीं मालूम होता - हमारे शास्त्रकारों को सत्य के विषय में दोष देने का यत्न किया है। इसलिये यहाँ इस बात का उल्लेख किया जाता है, कि सत्य के विषय में प्रामाणिक ईसाई धर्मोपदेशक और नीतिशास्त्र के अंग्रेज ग्रन्थकार क्या कहते हैं। फ्राइस्ट

वह भी टल सकता है (म. भा. शां. ३३७; अनु. ११५. ५६)। तथापि हवा, पानी, फल इत्यादि नव स्यातां में जो मकड़ों जीव-जंतु हैं उनकी हत्या कैसे टाली जा सकती है? महाभारत में (शां. १५. २६) अर्जुन कहता है :-

मूढमयोनीनि भूतानि तर्कगन्धानि कानिचित् ।

पद्मनपोऽपि निनातेन येषां स्यात् स्कन्धपर्ययः ॥

“इन जगत् में ऐसे मूढम जन्तु हैं, कि जिनका अस्तित्व यद्यपि नेत्रों में देख नहीं पड़ता, तथापि तर्क में सिद्ध है। ऐसे जन्तु इतने हैं, कि यदि हम अपनी आँखों के पलक हिलावें, उनमें ही में, उन जन्तुओं का नाश हो जाता है!” एसी अवस्था में यदि हम मूढ में कहते रहे, कि “हिंसा मत करो, हिंसा मत करो,” तो उनमें क्या लाभ होगा? इसी विचार के अनुसार अनुशामन पर्व में (अनु. ११६) शिकार करने का ममयंत्र किया गया है। वनपर्व में एक कथा है, कि कोई ब्राह्मण क्रोध में किसी पतिव्रता स्त्री को भस्म कर डालना चाहता था; परन्तु जब उसका यत्न मफल नहीं हुआ तब वह स्त्री की शरण में गया। धर्म का मच्चा रहस्य ममज्ञ लेनेके लिये उस ब्राह्मण को उस स्त्री ने किसी व्याघ्र के यहाँ भेज दिया। यहाँ व्याघ्र मम ब्रेचा करता था; परन्तु था अपने माना-पिता का बड़ा भक्त! इस व्याघ्र को यह व्यवसाय में देख कर ब्राह्मण को अत्यंत विस्मय और खेद हुआ। तब व्याघ्र ने उसे अहिंसा का मच्चा तत्व ममज्ञा कर बनला दिया। उस जगद् में कौन किमान नहीं गाना? “जीवो जीवस्य जीवनम्” (भाग. १. १३. ४६) — यही नियम सर्वत्र दाय पड़ता है। आपत्काल में तो “प्राणन्यासमिदं मर्मम्” यह नियम सिर्फ मूलिनारां ही ने नहीं (मनु. ५. २८; म. भा. शां. १५. २१) कहा है। किन्तु उपनिषदों में भी स्पष्ट कहा गया है (वे. सू. ३. ४. २८; छा. ५. २. ८; वृ. ६. १. १४) यदि मव लोग हिंसा छोड़ें तो धात्रधर्म कहाँ और कैसे रहेगा। यदि धात्रधर्म नष्ट हो जाय तो प्रजा की रक्षा कैसे होगी? माराग यह है कि नीति के मामान्य नियमों ही में मदा राम नहीं चलना; नीतिशास्त्र के प्रधान नियम — अहिंसा — में भी कर्तव्य-अकर्तव्य का मूढम विचार करना ही पड़ना है।

अहिंसाधर्म के माय क्षमा, दया, शान्ति आदि गुण शास्त्रों में कहे गये हैं; परन्तु मव ममय शान्ति में कैसे काम चल सकेगा? मदा शान्त रहनेवाले मनुष्यों के बाल-बच्चों को भी दुष्ट लोग हरण लिये बिना नहीं रहेंगे। इसी कारण का प्रथम उल्लेख कर्मके प्रस्ताव ने अपने नाती, राजा वरि में कहा है :-

न धे२. सतर्षं तेजो न नित्यं श्रेयसी क्षमा ।

... ..

नन्नाप्रियं क्षमा तान पठित्तरपवादिना ॥

“मदय क्षमा करना अथवा प्रोध करना श्रेयस्कर नहीं होता। इसी लिये, हे तात! पहिले ने क्षमा के लिये कुछ उपवाद भी कहे हैं (म. भा. वन. २८. ६. ८) इनके

वाद कुछ मौकों का वर्णन किया गया है, जो धर्मा के लिये उचित है; तथापि प्रल्हाद ने इस बात का उल्लेख नहीं किया, कि इन मौकों को पहचानने का तत्त्व या नियम क्या है। यदि इन मौकों को पहचानने बिना, सिर्फ़ अपवादों का ही कोई उपयोग करे, तो वह दुराचरण समझा जायगा; इसलिये यह जानना अत्यंत आवश्यक और महत्त्व का है, कि इन मौकों को पहचानने का नियम क्या है।

दूसरा तत्त्व 'सत्य' है, जो सब देशों और धर्मों में भली भाँति माना जाता और प्रमाण समझा जाता है। सत्य का वर्णन कहाँ तक किया जाय? वेद में सत्य की महिमा के विषय में कहा है, कि सारी सृष्टि की उत्पत्ति के पहले 'ऋत' और 'सत्य' उत्पन्न हुए; और सत्य ही से आकाश, पृथ्वी, वायु आदि पंचमहाभूत स्थिर हैं: "ऋतं च सत्यं चाभीद्धात्तपसोऽध्यजायत" (ऋ. १०. १८०. १), "सत्येनोत्तमिता भूमिः" (ऋ. १०. ८५. १)। 'सत्य' शब्द का धात्वर्थ भी यही है - 'रहने-वाला' अर्थात् 'जिसका कभी अभाव न हो' अथवा 'त्रिकाल-अवाधित'; इसी लिये सत्य के विषय में कहा गया है, कि "सत्य के सिवा और धर्म नहीं है; सत्य ही परब्रह्म है।" महाभारत में कई जगह इस वचन का उल्लेख दिया गया है कि "नास्ति सत्यात्परो धर्मः" (शां. १६२. २४) और यह भी लिखा है कि :-

अश्वमेधसहस्रं च सत्यं च तुलया धृतम् ।

अश्वमेधसहस्राद्धि सत्यमेव विशिष्यते ॥

"हजार अश्वमेध और सत्य तुलना की जाय तो सत्य ही अधिक होगा" (आ. ७४. १०२)। यह वर्णन सामान्य सत्य के विषय में हुआ। सत्य के विषय में मनुजी एक विशेष बात और कहते हैं (मनु. ४. २५६) :-

वाच्यर्या नियताः सर्वे वाङ्मूला वाग्निःसृताः ।

तां तु यः स्तेनयेद्वाचं स सर्वस्तेयकृन्नरः ॥

"मनुष्यों के सब व्यवहार वाणी से हुआ करते हैं। एक के विचार दूसरे को बताने के लिये शब्द के समान अन्य साधन नहीं है। वही सब व्यवहारों का आश्रय-स्थान और वाणी का मूल होता है। जो मनुष्य उसको मलिन कर डालता है, अर्थात् जो वाणी की प्रतारणा करता है, वह सब पुँजी ही की चोरी करता है।" इसलिये मनु ने कहा है, कि "सत्यपूर्तां वदेद्वाच" (मनु. ६. ४६) - जो सत्य से पवित्र किया गया हो, वही बोला जाय। और धर्मों से सत्य ही को पहला स्थान देने के लिये उपनिषद् में भी कहा है, "सत्यं वद। धर्मं चर" (तै. १. ११. १)। जब वाणों की शय्या पर पड़े भीष्म पितामह शान्ति और अनुशासन पर्वों में युधिष्ठिर को सब धर्मों का उपदेश दे चुके, तब प्राण छोड़ने के पहले "सत्येषु यतितव्यं यः सत्यं हि परमं बलं" इस वचन को सब धर्मों का सार ममज्ञ कर उन्होंने सत्य ही के अनुसार

वा गिष्य पाँच वाटग्रल में कहता है, "यदि मेरे असत्य भाषण ने प्रभु के मृत्यु की महिमा और बढ़ती है (अर्थात् ईसाई धर्म का अधिक प्रचार होता है), तो इससे मैं पापी क्योंकर हो सकता हूँ" (रोम ३. ७) ? ईसाई धर्म के इतिहासकार मिजर्विन ने लिखा है, कि प्राचीन ईसाई धर्मोपदेसक कई बार इसी तरह आचरण किया करते थे। यह बात सच है, कि वर्तमान समय के नीतिशास्त्र किन्हीं को घान्ना दे कर या भुग्न कर धर्मघ्नष्ट करना न्याय्य नहीं मानेंगे, परन्तु वे भी यह कहने को तैयार नहीं हैं, कि मत्प्रभं अपवादरहित है। उदाहरणार्थ, यह देखिये, कि मिजर्विन नाम के जिन पण्डित का नीतिशास्त्र हमारे कौटिल्यों में पटाया जाता है, उसकी क्या गथा है। कर्म और अकर्म के मदेह का निर्णय जिन तत्त्व के आधार पर यह ग्रथकार किया करता है, उनको "मत्र मे अधिक लोगो का मत्र से अधिक मुत्र" (बहुत लोगो का बहुत मुत्र) कहते हैं। इसी नियम के अनुसार उमन यह निर्णय किया है, कि छोटे लटकों को और पागलो को उत्तर देने के समय, और इसी प्रकार बीमार आदमियों को (यदि मत्र बात सुना देने से उनमें स्वाम्य के विगड जाने का भय हो), अपने शत्रुओं को, चोरों और (यदि सिना बोंगे काम न मटना हो तो) जो अन्धाय मे प्रग्न करें, उनको उत्तर देने के समय, जयवा बकीशो को अपने व्यवसाय में झूठ बोलना अनुचित है। मित्र के नीतिशास्त्र के ग्रथ में भी इसी अपवाद का समावेश किया गया है। इन अपवादों के अनिश्चित मिजर्विन अपने ग्रथ में यह भी लिखता है, कि "यद्यपि कहा गया है, कि मत्र लोगो को मत्र बोलना चाहिये, तथापि हम यह नहीं कह सकते, कि जिन राजनीतियों को अपनी कारंवाडें गुप्त रखनी पडती हैं, वे जीरा के माय, तथा व्यापारी अपने ग्राहकों से हमेशा सच ही बोलेंगे।" किन्ती अन्य म्यान में वह लिखता है, कि यही ग्यायत पादरियों और मिताहियों को मिलती है। लम्बी म्डीसन नाम का एक और अग्रज ग्रथकार है। उमन नीतिशास्त्र का विवेचन आधिभौतिक दृष्टि से किया है। वह भी अपने ग्रथ में लिखे हैं उदाहरण दे कर अन्त में लिखता है, "किन्ती कार्य के परिणाम को धार ध्यान देने के बाद ही उनको नीतिमत्ता निश्चित की जानी चाहिये। यदि मंत्र यह विचार हो, कि झूठ बोलने ही से कल्याण होगा, तो मैं मत्य बोलनेके लिए कभी इंकार नहीं करूँगा। मेरे इस विचार में यह भाव भी हो सकता है,

कि इस समय झूठ बोलना ही मेरा कर्तव्य है* ।” ग्रीन साहब ने नीतिशास्त्र का विचार अध्यात्मदृष्टि से किया है। आप उक्त प्रसंगों का उल्लेख करके स्पष्ट रीतिसे कहते हैं, कि ऐसे समय नीतिशास्त्र मनुष्य के संदेह की निवृत्ति कर नहीं सकता। अन्त में आपने यह सिद्धान्त लिखा है, “नीतिशास्त्र यह नहीं कहता, कि किसी साधारण नियम के अनुसार—सिर्फ यह समझ कर कि वह है—हमेशा चलने में कुछ विशेष महत्त्व है; किन्तु उसका कथन सिर्फ यही है, कि ‘सामान्यतः’ उस नियम के अनुसार चलना हमारे लिये श्रेयस्कर है। इसका कारण यह है, कि ऐसे समय हम लोग केवल नीति के लिये अपनी लोभमूलक नीच मनोवृत्तियों को त्यागने की शिक्षा पाया करते हैं†”। नीतिशास्त्र पर ग्रंथ लिखनेवाले बेन, वेवेल आदि अन्य अंग्रेज पंडितों का भी ऐसा ही मत है‡।

यदि उक्त अंग्रेज ग्रंथकारों के मतों की तुलना हमारे धर्मशास्त्रकारों के बनाये हुए नियमों के साथ की जाय, तो यह बात सहज ही ध्यानमें आ जायगी, कि सत्य के विषय में अभिमानी कौन है। इसमें संदेह नहीं, कि हमारे शास्त्रों में कहा है :-

न नर्मयुक्तं वचनं हिनस्ति न स्त्रीषु राजन्न विवाहकाले ।

प्राणात्यये सर्वधनापहारे पंचानृतान्याहुरपातकानि ॥

अर्थात् “हैंसी में स्त्रियों के साथ, विवाह के समय, जब जान पर आ बने तब और संपत्ति की रक्षा के लिये, झूठ बोलना पाप नहीं है” (म. भा. आ. ८२. १६ और शां. १०९ तथा मनु. ८. ११०)। परन्तु इसका मतलब यह नहीं है, कि स्त्रियों के साथ हमेशा झूठ ही बोलना चाहिये। जिस भाव से सिजविक साहब ने “छोटे लड़के, पागल और बीमार आदमी” के विषयमें अपवाद कहा है, वही भाव महाभारत के उक्त कथन का भी है। अंग्रेज ग्रंथकार पारलौकिक तथा आध्यात्मिक दृष्टि की ओर कुछ ध्यान नहीं देते। उन लोगों ने तो खुल्लमखुल्ला यहाँ तक प्रतिपादन किया है, व्यापारियों को अपने लाभ के लिये झूठ बोलना अनुचित नहीं है। किन्तु वह बात हमारे शास्त्रकारों को सम्मत नहीं है। इन लोगों ने कुछ ऐसे ही मौकों पर बोलने की अनुमति दी है, जब कि केवल सत्य शब्दोच्चारण (अर्थात् केवल वाचिक सत्य) और सर्वभूतहित (अर्थात् वास्तिक सत्य) में विरोध हो

* Leslie Stephen's *Science of Ethics* (Chap. IX. § 29, p. 369 (2nd Ed.)). “And the certainty might be of such a kind as to make me think it a duty to lie.”

† Greens's *Prolegomena to Ethics*, § 315, p. 379, (5th Cheaper edition).

‡ Bain's *Mental and Moral Science*, p. 445 (Ed. 1875); and Whewell's *Elements of Morality*. Book II. Chaps. XIII and XIV. (4th Ed. 1864).

जाना है, और व्यवहार की दृष्टि में झूठ बोलना अपरिहार्य हो जाता है। इनकी गाय है, कि मत्स्य आदि नीतिधर्म नित्य—अर्थात् सब समय एक समान अबाधित—हैं। अतएव यह अपरिहार्य झूठ बोलना भी थोड़ा-सा पाप ही है; और इसी लिये प्रायश्चित्त भी कहा गया है। मंत्रव है, कि आजकल के आधिभौतिक पटित इन प्रायश्चित्तों को निरर्थक हीवा कहेंगे; परंतु जिनने ये प्रायश्चित्त कहे हैं और जिन लोगों के लिये ये कहे गये हैं, वे दोनों ऐसा नहीं समझते। वे तो सब उक्त मत्स्य अथवाद को गौण ही मानते हैं। और इन विषय की कथाओं में भी यही अर्थ प्रतिपादित किया गया है। देखिये, युधिष्ठिर ने मंत्र के समय एक ही बार दधी दृष्टि आवाज में “नरो वा कुजरो वा” कहा था। इनका फल यह हुआ, कि उसका स्य, जो पहले जमीन में चार अगुल ऊपर चला कग्ना था, अब और मामूली लोगों के स्यों के समान धरतीपर चलने लगा। और अत में एक क्षण भर के लिये उसे नरकशंख में रहना पड़ा (म. भा. द्रोण. १९१. ५७. ५८ तथा स्वर्ग. ३. १५)। दूसरा उदाहरण अर्जुन का लीजिये। अश्वमेधपर्व (८१. १०) में लिखा है कि यद्यपि अर्जुन ने भीष्म का वध शान्त्रधर्म के अनुसार किया था; तथापि उमने शिशुओं के पीछे छिपकर यह काम किया था। इसलिये उमकोअपने पुत्र वध्स्वाहन से पराजित होना पड़ा। इन सब बातों में यही प्रकट होता है, कि विशेष प्रसंगों के लिये कहे गये उक्त अथवाद मुख्य या प्रमाण नहीं माने जा सकते। हमारे शान्त्रवारोका अन्तिम और तान्त्रिक मिथान वही है, जो महादेव ने पार्वती से कहा है:—

आन्मर्तेनोः परायै वा नमहास्याश्रयात्तया ।

न मृषा न वदन्तीह ते नराः स्वर्गगामिनः ॥

स्वप्नमें दिये हुए वचन को सत्य करने के लिये डोमकी नीच सेवा भी की थी। इसके उलटा, वेद में यह वर्णन है, कि इंद्रादि देवताओं ने वृत्रासुर के साथ जो प्रतिज्ञाएँ की थीं उन्हें मेट दिया और उसको मार डाला। ऐसी ही कथा पुराणों में हिरण्यकशिपु की है। व्यवहार में भी कुछ कौल-करार ऐसे होते हैं, कि जो न्यायालय में बै-कायदा समझे जाते हैं; या जिनके अनुसार चलना अनुचित माना जाता है। अर्जुन के विषय में ऐसी एक कथा महाभारत (कर्ण. ६६) में है। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी, कि जो कोई मुझ से कहेगा, कि “तू अपना गांडीव धनुष्य किसी दूसरे को दे दे, उसका शिर मैं तुरन्त ही काट डालूँगा।” इसके वाद युद्ध में जब युधिष्ठिर कर्ण से पराजित हुआ, तब उसने निराश हो कर अर्जुन से कहा, “तेरा गांडीव हमारे किस काम का है? तू इसे छोड़ दे!” यह सुन कर अर्जुन हाथ में तलवार लिये युधिष्ठिर को मारने दौड़ा। उस समय भगवान् श्रीकृष्ण वहीं थे। उन्होंने ने तत्त्वज्ञान की दृष्टि से सत्यधर्म का मार्मिक विवेचन करके अर्जुन को यह उपदेश किया, कि “तू मूढ़ है। तुझे अब तक सूक्ष्म-धर्म मालूम नहीं हुआ है। तुझे वृद्धजनों से इस विषय की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये; ‘न वृद्धाः सेवितास्त्वया’ - तू ने वृद्धजनों की सेवा की है। यदि तू प्रतिज्ञा की रखा करना ही चाहता है, तो तू युधिष्ठिर की निर्भर्त्सना कर, क्योंकि सभ्यजनों को निर्भर्त्सना मृत्यु ही के समान है।” इस प्रकार बोध करके उन्होंने ने अर्जुन को ज्येष्ठभ्रातृवध के पाप से वचाया। इस समय भगवान् श्रीकृष्ण ने जो सत्यानृत-विवेक अर्जुन को बताया है, उसी को आगे चल कर शांतिपर्व के सत्यानृत नामक अध्याय में भीष्म ने युधिष्ठिर से कहा है (शां. १०९)। यह उपदेश व्यवहार में लोगों के ध्यान में रहना चाहिये। इसमें संदेह नहीं, कि इन सूक्ष्म प्रसंगों को जानना बहुत कठिन काम है। देखिये, इस स्थान में सत्य की अपेक्षा भ्रातृधर्म ही श्रेष्ठ माना गया है; और गीता में यह निश्चित किया गया है, कि बंधुप्रेम की अपेक्षा क्षात्रधर्म प्रबल है।

जब अहिंसा और सत्य के विषय में इतना वाद-विवाद है, तब आश्चर्य की बात नहीं, कि यही हाल नीतिधर्म के तीसरे तत्त्व अर्थात् अस्तेय का भी हो। यह बात निर्विवाद मिद्ध है, कि न्यायपूर्वक प्राप्त हुई किमी की संपत्ति को चुरा ले जाने या लूट लेने का स्वतंत्रता दूसरों को मिल जाय, तो द्रव्य का संचय करना बंद हो जायगा; समाज की रचना बिगड़ जायगी, चारों तरफ अनवस्था हो जायगी और सभी की हानि होगी। परंतु इस नियम के भी अपवाद हैं। जब दुर्भिक्ष के समय मोल लेने, मजदूरी करने या भिक्षा मांगने से भी अनाज नहीं मिलता, तब ऐसी आपत्ति में यदि कोई मनुष्य चोरी करके आत्मरक्षा करे, तो क्या वह पापी ममज्ञा जायगा? महाभारत (शां. १४१) में यह कथा है, कि किमी समय बारह वर्ष तक दुर्भिक्ष रहा और विश्वामित्र पर बहुत बड़ी आपत्ति आई। तब उन्होंने ने किमी श्वपच (चाण्डाल) के घर में बुत्ते का मांस चुराया और ये इन अन्नभय भोजन में अपनी रक्षा करने के लिये प्रवृत्त हुए। उन समय श्वपच ने विश्वामित्र को “पंच

पंचनद्या भक्ष्याः" (मनु. ५. १८) * इत्यादि शास्त्रार्थ वतला कर अभक्ष्य-भक्षण और वह भी चोरी से न करने के वि य में बहुत उपदेश किया। परंतु विश्वामित्र ने उसको डाँट कर यह उत्तर दिया :-

पिबन्त्येवोदकं गावो मंडूकेषु ह्यत्स्वपि ।

न तेऽसिकारो धर्मोऽस्ति मा भूरात्मप्रशंसकः ॥

“अरे ! यद्यपि मेंदक टरं टरं किया करते हैं, तो भी गोएँ पानी पीना बंद नहीं करती; चुप रह ! मुझ को धर्मज्ञान बताने का तेरा अधिकार नहीं है। व्यर्थ अपनी प्रशंसा मत कर ।” उसी समय विश्वामित्र ने यह भी कहा है, कि “जीवितं मरणात्श्रेयो जीवन्धर्ममवाप्नुयात्” - अर्थात् यदि जिंदा रहेंगे तो धर्म का आचरण कर सकेंगे। इसलिये धर्म की दृष्टि से मरने की अपेक्षा जीवित रहना अधिक श्रेयस्कर है। मनुजी ने अजीगर्त, वामदेव आदि अन्यान्य ऋषियों के उदाहरण दिये हैं, जिन्होंने ऐसे संकट समय इसी प्रकार आचरण किया है (मनु. १०. १०५-१०८)। हाव्म नामक अंग्रेज ग्रंथकार लिखता है, “किसी कठिन अकाल के समय जब अनाज मोल न मिले, या दान भी न मिले, तब यदि पेट भरने के लिये कोई चोरी साहस कर्म करे, तो यह अपराध माफ समझा जाता है।” और मिल ने तो यहाँ तक लिखा है, कि ऐंसे समय चोरी करके अपना जीवन बचाना मनुष्य वा कर्तव्य है !

“मरने से जिंदा रहना श्रेयस्कर है” - क्या विश्वामित्र का यह तत्त्व सर्वथा अपवादरहित कहा जा सकता है ? नहीं। इस जगत् में मिफं जिंदा रहना ही

* मनु और याज्ञवल्क्य ने कहा है कि कुत्ता, बन्दर आदि जिन जानवरों के पाँच पाँच नस होते हैं उन्हीं में गरगोश, कछुआ, गोंह आदि पाँच प्रकार के जानवरों का मांस भक्ष्य है (मनु. ५. १८; याज्ञ. १. ११७)। इन पाँच जानवरों के अतिरिक्त मनुजी ने ‘सहग’ अर्थात् गेंडे को भी भक्ष्य माना है। परन्तु टीकाकार का कथन है, कि इस विषय में विरुद्ध है। इस विरुद्ध को छोड़ देने पर शेष पाँच ही जानवर रहते हैं; और उन्हीं का मांस भक्ष्य समझा गया है। ‘पथ पथनया भक्ष्याः’ का यही अर्थ है। तथापि मीमांसकों के मतानुसार इन व्यवस्था का भावार्थ यही है, कि जिन लोगों को मांस खाने को संमति दी गई है, वे उक्त पथनयी पाँच जानवरों के सिवा और किसी जानवर का मांस न खाये। इसका भावार्थ यह नहीं है, कि इन जानवरों का मांस खाना ही चाहिये। इस पारिभाषिक अर्थ को वे लोग ‘परिगंस्था’ कहते हैं। ‘पथ पथनया भक्ष्याः’ इसी परिगंस्था का सुस्पष्ट उदाहरण है। जब कि मांस खाना ही निषिद्ध माना गया है तब इन पाँच जानवरों का मांस खाना भी निषिद्ध ही समझा जाना चाहिये।

† Hobbes, *Leviathan*, Part II. Chap. XXVII. p. 139 (Morley's Universal Library Edition). Mill's *Utilitarianism*, Chap. V. p. 95s (15th Ed.). Thus, to save a life, it may not only be allowable but a duty to steal etc.”

कुछ पुरुषार्थ नहीं है। कौए भी काकवलि खा कर कई वर्ष तक जीते रहते हैं। यही सोच कर वीरपत्नी विदुला अपने पुत्र से कहती है, कि विछौने पर पडे पडे सड जाने या घर में सौ वर्ष की आयु को व्यर्थ व्यतीत कर देने की अपेक्षा, यदि तू एक क्षण भी अपने पराक्रम की ज्योति प्रकट करके मर जायगा तो अच्छा होगा — “मूर्त ज्वलितं श्रेयो न धूमायित चिरम्” (म भा. उ. १३२. १५)। यदि यह बात सच है, कि आज नहीं तो कल, अत मे सौ वर्ष के बाद मरना जरूर है (भाग. १०. १३८; गी २. २७), तो फिर उसके लिये रोने या डरने से क्या लाभ है? अध्यात्मशास्त्र की दृष्टि से तो आत्मा नित्य और अमर है। इस लिये मृत्यु का विचार करते समय सिर्फ इस शरीर का ही विचार करना वाकी रह जाता है। अच्छा, यह तो सब जानते हैं, कि यह शरीर नाशवान् है; परंतु आत्मा के बल्याण के लिये इस जगत् में जो कुछ करना है, उसका एकमात्र साधन यही नाशवान् मनुष्यदेह है। इसी लिये मनु ने कहा है, “आत्मान सतत रक्षेत् दारैरपि धनैरपि” — अर्थात् स्त्री और सम्पत्ति की अपेक्षा हमको पहले स्वय अपनी ही रक्षा करनी चाहिये (मनु ७. २१३)। यद्यपि मनुष्यदेह दुर्लभ और नाशवान् भी है, तथापि जब उसका नाश करके उससे भी अधिक किसी शाश्वत वस्तु की प्राप्ति कर लेनी होती है, (जैसे देश, धर्म और सत्य के लिये अपनी प्रतिज्ञा, व्रत और विरद की रक्षा के लिये; एव इज्जत, कीर्ति और सर्वभूतहित के लिये) तब ऐसे समय पर अनेक महात्माओं ने इस तीव्र कर्तव्याग्नि में आनद से अपने प्राणों की भी आहुति दे दी है। जब राजा दिलीप अपने गुरु वसिष्ठ की गाय की रक्षा करने के लिये सिंह को अपने शरीर का वलिदान देने को तैयार हो गया, तब वह सिंह से बोला, कि हमारे समान पुरुषों की “इस पाँचभौतिक शरीर के विषय में अनास्था रहती है। अतएव तू मेरे इस जड शरीर के बदले मेरे यश स्वरूपी शरीर की ओर ध्यान दे” (रघु २. ५७)। कथासरित्सागर और नागानन्द नाटक में यह वर्णन है, कि सर्पों की रक्षा करने के लिये जीमूतवाहन ने गरुड को स्वय अपना शरीर अर्पण कर दिया। मृच्छकटिक नाटक (१० २७) में चारुदत्त कहता है —
न भीतो मरणादस्मि केवलं दूषितं यशः।

विशुद्धस्य हि मे मृत्युः पुत्रजन्मसमः किल ॥

“मैं मृत्यु से नहीं डरता, मुझे यही दुःख है, कि मेरी कीर्ति कलकित हो गई। यदि कीर्ति शुद्ध रहे, और मृत्यु भी आ जाय, तो मैं उसको पुत्रजन्म के उत्सव के समान मानूँगा।” इसी तत्त्व के आधार पर महाभारत (वन १०० तथा १३१, शा. ३४) में राजा शिवि और दधीचि ऋषि की कथाओं का वर्णन किया है। जब धर्म — (यम) राज श्येन पक्षी का रूप धारण करके कपोत के पीछे उडे और जब वह कपोत अपनी रक्षा के लिये राजा शिवि की शरण में गया, तब राजा ने स्वय अपने शरीर का माम काट कर उस श्येन पक्षी को दे दिया; और शरणागत कपोत की रक्षा

की। वृत्तामुर नाम का देवताओं का एक शत्रु था। उसको मारने के लिये दधीचि ऋषि की हठिष्ठियों के वज्र की आवश्यकता हुई। तब सब देवता मिल कर उक्त ऋषि के पाम गये और बोले, "शरीरत्यागं लोकाहितार्थं भवान् कर्तुमर्हसि" — हे महाराज! लोगों के बल्याण के लिये आप देहत्याग कीजिये। — विनती सुन कर दधीचि ऋषि ने बड़े आनन्द में अपना शरीरत्याग दिया और अपनी हठिष्ठियाँ देवताओं को दे दी। एक समय की बात है, कि इन्द्र ब्राह्मण का रूप धारण करके, दानशूर कर्ण के पाम कवच और कुण्डल माँगने आया। कर्ण इन कवच-कुण्डलों को पहने हुए ही जन्मा था। जब सूर्य ने जाना, कि इन्द्र कवच-कुण्डल माँगने जा रहा है, तब उसने पहले ही से कर्ण को सूचना दे दी थी, कि तुम अपने कवच-कुण्डल किमी को दान मत देना। यह सूचना देते समय सूर्य ने कर्ण से कहा, "इममे संदेह नही, कि तू बड़ा दानी है; परन्तु यदि तू अपने कवच-कुण्डल दान में देगा, तो तेरे जीवन ही की हानि हो जायगी। इसलिए तू इन्हे किमी को न देना। मर जाने पर कीर्ति का क्या उपयोग है? — "मृतस्य कीर्त्या किं कार्याम्।" यह सुन कर कर्ण ने स्पष्ट उत्तर दिया, कि "जीविनेनापि मे रथया कीर्तिस्तद्विद्धि मे व्रतम्" — अर्थात् जान चली जाय तो भी कुछ परवाह नहीं; परन्तु अपनी कीर्ति की रक्षा करना ही मेरा व्रत है (म. भा. वन. २९९. ३८)। माराण यह है, कि "यदि मर जायगा, तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी; और जीत जायगा तो पृथ्वी का राज्य मिलेगा" त्वादि धात्रधर्म (गीता. २. ३७) और "स्वधर्मे निधनं श्रेयः" (गीता ३. ३५) यह सिद्धान्त उक्त तत्त्व पर ही अवलंबित है। सी तत्त्व के अनुसार श्रीमथं रामदाम स्वामी कहते हैं, "कीर्ति की ओर देखने में सुग्न नहीं है; और सुख की ओर देखने में कीर्ति नहीं मिलती" (दाम. १२. १०. १६; १८. १०. २५); और वे उपदेश भी करते हैं, कि "हे मज्जन मत! ऐसा काम करो, जिसमें मरने पर कीर्ति बची रहे।" यहाँ प्रश्न हो सकता है, कि यद्यपि परोपकार में कीर्ति होती है, तथापि मृत्यु के बाद कीर्ति का क्या उपयोग है? अथवा किमी मर्त्य मनुष्य को अपकीर्ति की अपेक्षा मर जाना (गीता २. ३४), या जिंदा रहने में परोपकार करना अधिक प्रिय क्यों मालूम होना चाहिये? इस प्रश्न का उचित उत्तर देने के लिये आत्म-अनात्म-विचार में प्रवेण करना होगा। और हमों के माय कर्म-अकर्मशास्त्र का भी विचार करके यह जान लेना होगा, कि किस मौक पर जान देने के लिये नैशर होना उचित या अनुचित है। यदि हम धान का विचार नहीं किया जायगा, तो जान देने में यज्ञ की प्राप्ति तो दूर ही रही, परन्तु मूर्खता में आत्मरक्षा करने का पाप माथे चढ़ जायगा।

माता, पिता, गुरु आदि वन्दनीय और पूजनीय पुरुषों को पूजा तथा शुभ्रता करना भी सर्वमान्य धर्मों में से एक प्रधान धर्म समझा जाता है। यदि ऐसा न हो तो बृहद्ग, गुरुगुरु और गारे मन्त्रों की व्यवस्था ठीक ठीक क्यों रह न सकेगी। यही कारण है, कि निरुक्त स्मृति-ग्रन्थों में नहीं, किन्तु उपनिषदों में भी, "मर्त्य

वद, धर्म चर" कहा गया है। और जब शिष्य का अध्ययन पूरा हो जाता, और वह अपने घर जाने लगता, तब प्रत्येक गुरु का यही उपदेश होता था, कि "मातृदेवो भव। पितृदेवो भव" (तै. १. ११. १ और ६) महाभारत के ब्राह्मण-व्याघ आख्यान का तात्पर्य भी यही है (वन. अ. २१३)। परन्तु इस में भी कभी कभी अकल्पित वाधा खड़ी हो जाती है। देविये, मनुजी कहते हैं (२. १४५) -

उपाध्यायान्दशाचार्यः आचार्याणां शतं पिता।

सहस्रं तु पितृन्माता गौरवेणातिरिच्यते ॥

"दम उपाध्यायों से आचार्य और सौ आचार्यों से पिता, एव हजार पिताओं से माता का गौरव अधिक है।" इतना होने पर भी यह कथा प्रसिद्ध है, (वन. ११६. १४) कि परशुराम की माता ने कुछ अपराध किया था। इस लिये उसने अपने पिता की आज्ञा से अपनी माता को मार डाला। शान्तिपर्व (२६५) के चिरकारिको-पाख्यान में अनेक साधक-वाधक प्रमाणोंसहित इस बात का विस्तृत विवेचन किया गया है, कि पिता की आज्ञा से माता का वध करना श्रेयस्कर है या पिता की आज्ञा का भंग करना श्रेयस्कर है। इसमें स्पष्ट जाना जाता है, कि महाभारत के समय ऐसे सूक्ष्म प्रसंगों की नीतिशास्त्र की दृष्टि से चर्चा करने की पद्धति जारी थी। यह बात छोटीं से ले कर बडों तक सब लोगों को मालूम है, कि पिता की प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिये पिता की आज्ञा से रामचन्द्र ने चाँदह व' वनवास किया; परन्तु माता के संबंध में जो न्याय ऊार कहा गया है, वही पिता के संबंध में भी उपयुक्त होने का समय कभी कभी आ सकता है। जैसे; मान लीजिये, कोई लड़का अपने पराक्रम से राजा हो गया; और उसका पिता अपराधी हो कर इन्साफ के लिये उसके सामने लाया गया; इन अवस्था में वह लड़का क्या करे? — राजा के नाते अपने अपराधी पिता को दंड दे या उसको अपना पिता ममज्ञ कर छोड़ दे? मनुजी कहते हैं :-

पिताचार्यः सुहृन्माता भार्या पुत्रः पुरोहितः ।

नादण्ड्यो नाम राज्ञोऽस्ति यः स्वधर्मं न तिष्ठति ॥

"पिता, आचार्य, मित्र, माता, स्त्री, पुत्र और पुरोहित - इनमें से कोई भी यदि अपने धर्म के अनुसार न चले, तो वह राजा के लिये अदण्ड्य नहीं हो सकता; अर्थात् राजा उसको उचित दण्ड दे" (मनुस्मृति ८. ३३५; म. भा. शा. १२१. ६०)। इस जगह पुत्रधर्म की योग्यता से राजधर्म को योग्यता अधिक है। इस बात का उदाहरण (महाभारत व. १०७; रामायण १. ३८ में) यह है, कि सूर्यवंश के महापराक्रमी सगर राजा ने असनंजस नामक अपने लड़के को देश से निकल दिया था; क्योंकि वह दुराचरणी था, और प्रजा को दुःख दिया करता था। मनुस्मृति में

मौ यह कथा है, कि आंगिरस नामक एक ऋषि को छोटी अवस्था ही में बहुत ज्ञान हो गया था। इसलिये उनके काका-मामा आदि बड़े बड़े नातेदार इसके पास अध्ययन करने लग गये थे। एक दिन पाठ पढ़ाते पढ़ाते आंगिरस ने कहा, "पुत्रका इति ह्यवाच ज्ञानेन परिगृह्य तान्।" वस, यह मुन कर सब बृद्धजन क्रोध में लाल हो गये; और कहने लगे, कि यह लड़का मस्त हो गया है। उसको उचित दण्ड दिलाने के लिये उन लोगों ने देवताओं में शिकायत की। देवताओं ने तैनों और का बटना मुन लिया और यह निर्णय किया, कि "आंगिरस ने जो कुछ तुम्हें कहा वही न्याय्य है।" इसका कारण यह है :-

न तेन बृद्धो भवति येनास्य पलितं शिरः।

यो वै युवाप्यधीयानस्तं देवाः स्वविरं विदुः ॥

"मिर के बाल मफेद हो जाने में ही कोई मनुष्य बृद्ध नहीं कहा जा सकता; देवगण उसी को बृद्ध कहते हैं, जो तरुण होने पर भी ज्ञानवान् हो" (मनु. २. १५६ और म. भा. वन. १३३. ११; शल्य. ५१. ४७)। यह तत्त्व मनुजी और व्यासजी ही को नहीं, किन्तु बृद्ध को भी मान्य था। क्योंकि, मनुस्मृति के उस श्लोक का पहला चरण 'धम्मपद' नाम के प्रसिद्ध नीतिविषयक पाली भाषा के बौद्ध ग्रंथ में अक्षरशः आया है (धम्मपद २६०)। और उसके आगे यह भी कहा है, कि जो मिरं जवम्या ही में बृद्ध हो गया है, उसका जीना व्यर्थ है; यथार्थ में धर्मिष्ठ और बृद्ध होने के लिये मत्य, अहिमा आदि की आवश्यकता है। 'बुल्ल-वग्ग' नामक दूसरे ग्रन्थ (६. १३. १) में स्वयं बृद्ध की यह आज्ञा है, कि यद्यपि धर्म का निरूपण करनेवाला मिश्र नया हो, तथापि वह ऊँचे धामन पर बैठे और उन बयोबृद्ध मिश्रों को भी उपदेश करे, जिन्होंने अपने पहले दीक्षा पाई हो। यह तथा मय लोग जानते हैं, कि प्रल्हाद ने अपने पिता हिरण्यकशिपु की अवज्ञा करने भगवत्प्राप्ति पंने कर ली थी। इसमें यह जान पड़ता है कि जब कभी कभी पिता-पुत्रके नरनानामान्य नाते में भी कोई दूसरा अधिक बड़ा संबंध उपस्थित होता है, तब उनमें समय के लिये निरुपाय होकर पिता-पुत्र का नाता भूल जाना पड़ता है। परन्तु ऐसे प्रसंग के न होने हुए भी, यदि कोई मुँहजोर लड़का उक्त नीति का उल्लंघन करके अपने पिता को मालिसी देने लगे, तो वह केवल पशु के समान

* 'धम्मपद' शब्द का अंग्रेजी अनुवाद 'स्राच्यधर्म-सुल्लरुमाठा' (Sacred Books of the East, Vol. X) में दिया गया है; और बुल्लवग्ग का अनुवाद भी उसी भांडा के Vol. XVII और XX में प्रकाशित हुआ है। धम्मपद का पाठी श्लोक यह है :-

न तेन येरो होति येनम्म पलितं शिरो।

परिवररो वयो तम्म मोपतिग्गो ति युच्चति ॥

येर' शब्द बुर निरुपने के लिये प्रुठ हुआ है। पर संसृत 'यपधि' का रूपरंग है।

समझा जायगा। पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर से कहा है, “गुरुर्गरीयान् पितृतो मातृतश्चेत्ति मे मतिः” (शा. १८८. १७) — अर्थात् गुरु, माता-पिता में भी श्रेष्ठ है; परन्तु महाभारत ही में यह भी लिखा है, कि एक समय मरुत्त राजा के गुरु ने लोभवश से कर स्वार्थ के लिये उसका त्याग किया, तब मरुत्त ने कहा :-

गुरोरप्यबलिप्तस्य कार्याकार्यमजानतः ।

उत्पथप्रतिपन्नस्य न्याय्यं भवति शासनम् ॥

“यदि कोई गुरु इस बात का विचार न करे, कि क्या करना चाहिये और क्या नहीं करना चाहिये; और यदि वह अपने ही घमड में रह कर टेरे रास्ते से चले, तो उसका शासन करना उचित है।” उक्त श्लोक महाभारत में चार स्थानों में पाया जाता है (आ. १४२. ५२. ५३; उ. १७९, २४; शा. ५७ ७; १४०. ४८)। इनमें से पहले स्थान में वही पाठ है, जो ऊपर दिया गया है। अन्य स्थानों में चौथे चरण में “दण्डो भवति शाश्वतः” अथवा “परित्यागो विधीयते” यह पाठान्तर भी है। परन्तु वाल्मीकिरामायण (२. २१. १३) में जहाँ यह श्लोक है, वहाँ ऐसा ही पाठ है, जैसा ऊपर दिया गया है। इसलिये हमने इस ग्रन्थ में उसी को स्वीकार किया है। इस श्लोक में जिस तत्त्व का वर्णन किया गया है, उसी के आधार पर भीष्म पितामह ने परशुराम से और अर्जुन ने द्रोणाचार्य से युद्ध किया; और जब प्रल्हाद ने देखा, कि अपने गुरु, जिन्हें हिरण्यकशिपु ने नियत किया है भगवत्प्राप्ति के विरुद्ध उपदेश कर रहे हैं। तब उसने इसी तत्त्व के अनुसार उनका निषेध किया है। शांतिपर्व में भीष्म पितामह श्रीकृष्ण से कहते हैं, कि यद्यपि गुरु लोग पूजनीय हैं तथापि उनको भी नीति की मर्यादा का अवलम्बन करना चाहिये; नहीं तो —

समयत्याग्निने लुब्धान् गुरुनपि च केशव ।

निहन्ति समरे पापान् क्षत्रियः स हि धर्मवित् ॥

“हे केशव! जो गुप्त मर्यादा, नीति अथवा शिष्टाचार का भंग करते हैं और जो लोभी या पापी हैं, उन्हें लडाई में मारनेवाला क्षत्रिय ही धर्मज्ञ कहलाता है” (शा. ५५. १६)। इसी तरह तैत्तिरीयोपनिषद् में भी प्रथम “आचार्यं देवो भव” कह कर उसी के आगे कहा है, कि हमारे जो कर्म अच्छे हों उन्हीं का अनुकरण करो; औरो का नहीं — “यान्यस्माकं सुचरितानि । तानि त्वयोपास्यानि नो तराणि” (तै. १. ११. २)। इससे उपनिषदों का वह सिद्धान्त प्रकट होता है, कि यद्यपि पिता और आचार्य को देवता के समान मानना चाहिये; तथापि यदि वे शराव पीते हों, तो पुत्र और छात्र को अपने पिता या आचार्य का अनुकरण नहीं करना चाहिये। क्योंकि नीति, मर्यादा और धर्म का अधिकार माँ-बाप या गुरु से अधिक बलवान होता है। मनुजी की निम्न आज्ञा का भी यही रहस्य है — “धर्मं की रक्षा बलवान होता है। मनुजी की निम्न आज्ञा का भी यही रहस्य है — “धर्मं की रक्षा करो; यदि कोई धर्म का नाश करेगा; अर्थात् धर्म की आज्ञा के अनुसार आचरण नहीं

करेगा; तो वह उम मनुष्य का नाश किये बिना नहीं रहेगा" (मनु. ८. १४-१६) राजा तो गुरु से भी अधिक श्रेष्ठ एक देवता है (मनु. ७. ८ और म. भा. शा. ६८. ४०); परंतु वह भी इम धर्म में मुक्त नहीं हो सकता। यदि वह इस धर्म का त्याग कर देगा, तो उमका नाश हो जायगा। यह बात मनुस्मृति में कही गई है; और महाभारत में वही भाव, वेन तथा खनीनेत्र राजाओं की कथा में, व्यक्त किया गया है (मनु. ७. ४१ और ८. १२८; म भा. शा. ५६. ६२-१०० तथा अश्व. ४)।

अहिंसा, सत्य और अस्नेय के माय इन्द्रिय-निग्रह की भी गणना सामान्य धर्म में की जाती है (मनु. १० ६३)। काम, क्रोध, लोभ आदि मनुष्य के शत्रु हैं। इसलिये जब तक मनुष्य इनको जीत नहीं लेगा, तब तक समाज का कल्याण नहीं होगा। यह उपदेश सब शास्त्रों में किया गया है। विदुरनीति और भगवद्गीता में भी कहा है :-

“इस दुनिया में किसी से यह कहना नहीं पड़ता, कि तुम मँयुन, मास और मदिरा का सेवन करो। ये वाते मनुष्य को स्वभाव ही से पसन्द हैं। इन तीनों की कुछ व्यवस्था कर देने के लिये — अर्थात् इनके उपयोग को कुछ मर्यादित करके व्यवस्थित कर देने के लिये — (शास्त्रकारों ने) अनुक्रम से विवाह, सोमयाग और सोत्रामणी यज्ञ की योजना की है, परन्तु तिस पर भी निवृत्ति अर्थात् निष्काम आचरण इष्ट है।” यहाँ यह बात ध्यान में रखने योग्य है, कि जब ‘निवृत्ति’ शब्द का सबध पचम्यन्त पद के साथ होता है, तब उसका अर्थ “अमुक वस्तु से निवृत्ति अर्थात् अमुक कर्म का सर्वथा त्याग” हुआ करता है; तो भी कर्मयोग में ‘निवृत्ति’ विशेषण कर्म ही के लिये उपयुक्त हुआ है। इसलिये ‘निवृत्तिकर्म’ का अर्थ ‘निष्काम बुद्धि से किया जानेवाला कर्म’ होता है। यही अर्थ मनुस्मृति और भागवतपुराण में स्पष्ट रीती से पाया जाता है (मनु १२ ८९, भाग ११ १० १ और ७ १५ ४७) क्रोध के विषय में किरातकाव्य में (१ ३३) भारविका कथन है —

अमरशून्येन जनस्य जन्तुना न जातहावेन्न न विद्विषादरः।

“जिस मनुष्य को अपमानित होने पर भी क्रोध नहीं आता, उसकी मित्रता और द्वेष दोनों बराबर हैं।” क्षात्रधर्म के अनुसार देखा जाय तो विदुला ने यही कहा है —

एतावानेव पुरुषो यहमर्षो यदक्षमी।

क्षमावाञ्छितमर्षश्च नैव स्त्री न पुनः पुमान् ॥

“जिस मनुष्य को (अन्याय पर) क्रोध आता है, जो (अपमान को) सह नहीं सकता, वही पुरुष कहलाता है। जिस मनुष्य में क्रोध या चिड नहीं है, वह नपुंसक ही के समान है” (म भा १. १३२. ३३)। इस बात का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है, कि इस जगत् के व्यवहार के लिये न तो सदा तेज या क्रोध ही उपयोगी है, और न क्षमा। यही बात लोभ के विषय में भी कही जा सकती है, क्यों कि सन्यासी को भी मोक्ष की इच्छा होती है।

व्यासजी ने महाभारत में अनेक स्थानों पर भिन्न भिन्न कथाओं द्वारा यह प्रतिपादन किया है, कि शरता, धैर्य, दया, शील, ममता, समता आदि सब सद्गुण अपने अपने विरुद्ध गुणों के अतिरिक्त देश-काल आदि से भयादिन हैं। यह नहीं ममझना चाहिये, कि कोई एक ही सद्गुण सभी समय-शोभा देता है। भर्तृहरी का कथन है —

विपदि धैर्यमयाभ्युदये क्षमा सर्वसि वाक्पटुता युधि विक्रमः।

“सकट के समय धैर्य, अभ्युदय के समय (अर्थात् जब शासन करने का सामर्थ्य हो तब) क्षमा, सभा में वक्त्रता और युद्ध में शूरता शोभा देती है” (नीति ६३)। शान्ति के समय ‘उत्तर’ के समान वक्त्रक करनेवाले पुरुष कुछ कम नहीं हैं। घर बैठे बैठे अपनी स्त्री की नयनी में मे तीर चलानेवाले धर्मवीर वदूरेरे होंगे; उनमें

ने ग्णभूमि पर धनुर्धर कहलानेवाला एक-भाव ही दीख पड़ता है। धर्म यदि मद्गुण ऊपर लिखे समय पर ही शोभा देते हैं इतना ही नहीं, किन्तु ऐसे माँके के बिना उनकी मन्वी परीक्षा भी नहीं होती। सुख के साथी तो बहुतेरे हुआ करते हैं, परन्तु "निजपप्रावा तु तेषा विपत्" - विपत्ति ही उनकी परीक्षा की सच्ची कर्नाटी है। 'प्रमग' शब्द ही में देश-काल के अतिरिक्त पात्र आदि बातों का भी समावेश हो जाता है। समता से बढ़ कर कोई भी गुण श्रेष्ठ नहीं है। भगवद्गीता में स्पष्ट रीति में लिखा है, "सम सर्वेषु भूतेषु" यही सिद्ध पुरुषों का लक्षण है। परन्तु मना कहते किसे है? यदि कोई मनुष्य योग्यता-अयोग्यता का विचार न करके सब लोगों को समान दान करने लगे, तो क्या हम उसे अच्छा कहेंगे? इस प्रश्न का निर्णय भगवद्गीता ही में इस प्रकार किया है - "देशे काले च पात्रे च तदान मात्स्विकं विदुः" - देश, काल और पात्र का विचार कर के जो दान किया जाता है, उसे मात्स्विक कहलाना है (गीता १७ २०)। काल की मर्यादा सिर्फ वर्तमान काल ही के लिये नहीं होती। ज्या-ज्यो समय बदलता जाता है, त्यों त्यों व्यापहारिक धर्म में भी परिवर्तन होना जाता है। इसलिये जब प्राचीन समय की किसी वान की याचना या अयोग्यता का निर्णय करना हो, तब उस समय के धर्म-अधर्म-धर्मों विचारण का भी अवश्य विचार करना पड़ता है। देखिये, मनु (१ ८५) और व्यास (म ना शा २५९ ८) कहते हैं -

अन्ये वृत्तयुगे धर्मास्त्रेताया द्वापररेऽपरि ।

अन्ये कलियुगे नृणा युगन्हासानुरूपतः ।

"युगमान के अनुसार वृत्त, त्रेता, द्वापर और कलि के धर्म भी भिन्न भिन्न होते हैं।" महाभारत (जा १२२, अंश ७६) में यह कहा है, कि प्राचीन काल में स्त्रियों के लिये विवाह ही मर्यादा नहीं थी; वे इस विषय में स्वतन्त्र और अनावृत थी, परन्तु जब इस जाचरण का पुरा परिणाम दीख पड़ा, तब श्रेयसेतु ने विवाह ही मर्यादा स्थापित कर दी, और मदिगपान का नियम भी पहले पहल शूराचार्य ही ने किया। तबसे यह है, कि जिस समय में नियम जारी नहीं थे, उस समय के धर्म-अधर्म का और उसके बाद के धर्म-अधर्म का विवेचन भी भिन्न भिन्न रीति न करना शक्य था। इसी तरह यदि वर्तमान समय का प्रचलित धर्म आगे बदल जाय तो उसके साथ भविष्य काल के धर्म-अधर्म का विवेचन भी भिन्न रीति में करना पड़ेगा। वर्तमान के अनुसार देगाचार, कुशाचार, और जानियम का भी विचार करना पड़ता है। क्या कि आचार ही सब धर्मों की जड़ है। तथापि जायस में भी बहुत भिन्नता दृशा करती है। निम्नलिखित भोजन करने हैं :-

न हि गर्भं विवृण्वन्निषदाचारः सत्यवन्ते ।

तेनैवायः प्रमथन्ति सोऽपरं व्यापने पुनः ॥

“ऐसा आचार नहीं मिलता, जो हमेशा सब लोगों को समान हितकारक हो। यदि किसी एक आचार का स्वीकार किया जाय, तो दूसरा उससे बढ़ कर मिलता है; यदि इस दूसरे आचार का स्वीकार किया जाय, तो वह किसी तीसरे आचार का विरोध करता है” (शां. २५९. १७. १८)। जब आचारों में ऐसी भिन्नता हो, तब भीष्म पितामह के कथन के अनुसार तारतम्य अथवा सार-असारदृष्टि से विचार करना चाहिये।

कर्म-अकर्म के या धर्म-अधर्म के विषय में सब संदेहों का यदि निर्णय करने लगे तो दूसरा महाभारत ही लिखना पड़ेगा। उक्त विवेचन से पाठकों के ध्यान में यह बात आ जायगी, कि गीता के आरंभ में क्षात्र धर्म और बंधुप्रेम के बीच झगड़ा उत्पन्न हो जानेसे अर्जुन पर कठिनाई आई, वह कुछ लोक-विलक्षण नहीं है; इस संसार में ऐसी कठिनाइयाँ कार्यकर्ताओं और बड़े आदमियों पर अनेक बार आया ही करती है; और जब ऐसी कठिनाइयाँ आती हैं, तब कभी अहिंसा और आत्मरक्षा के बीच, कभी सत्य और सर्वभूतहित में, कभी शरीररक्षा और कीर्ति में, और कभी भिन्न भिन्न नातो से उपस्थित होनेवाले कर्तव्यों में झगड़ा होने लगता है। शास्त्रोक्त, सामान्य तथा सर्वमान्य नीति-नियमों से काम नहीं चलता; और उनके लिये अनेक अपवाद उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे विकट समय पर साधारण मनुष्यों से ले कर बड़े पंडितों की भी यह जानने की स्वाभाविक इच्छा होती है, कि कार्य-अकार्य की व्यवस्था — अर्थात् कर्तव्य-अकर्तव्य धर्म का निर्णय — करने के लिये कोई चिरस्थायी नियम अथवा युक्ति है या नहीं। यह बात सच है, कि शास्त्रों में दुर्भिक्ष जैसे संकट के समय ‘आपद्धर्म’ कहकर कुछ सुविधाएँ दी गई हैं। उदाहरणार्थ, स्मृतिकारों ने कहा है, कि यदि आपत्काल में ब्राह्मण किसी का भी अन्न ग्रहण कर ले, तो वह दोषी नहीं होता; और उपस्ति-चाक्रायण के इसी तरह वर्तव्य करने की कथा भी छादोग्योपनिषद् (याज्ञ. ३.४१; छां. १.१०) में है; परन्तु इसमें और उक्त कठिनाइयों में बहुत भेद है। दुर्भिक्ष जैसे आपत्काल में शास्त्रधर्म और भूख, प्यास आदि इन्द्रियवृत्तियों के बीच में ही झगड़ा हुआ करता है। उस समय हमको इन्द्रियाँ एक ओर खींचा करती हैं और शास्त्रधर्म दूसरी ओर खींचा करता है। परन्तु जिन कठिनाइयों का वर्णन ऊपर किया गया है, उनमें से बहुतेरी ऐसी हैं, कि उस समय इन्द्रियवृत्तियों का और शास्त्र का कुछ भी विरोध नहीं होता; किन्तु ऐसे दो धर्मों में परस्पर-विरोध उत्पन्न हो जाता है, जिन्हें शास्त्रों ही ने विहित कहा है। और फिर उस समय सूक्ष्म विचार करना पड़ता है, कि किस बात का स्वीकार किया जावें। यद्यपि कोई मनुष्य अपनी बुद्धि के अनुसार इनमें से कुछ बातों का निर्णय प्राचीन सत्पुरणों के ऐसे ही समय पर किये हुए वर्तव्य से कर सकता है, तथापि अनेक मौके ऐसे होते हैं, कि उनमें बड़े बड़े बुद्धिमानों का भी मन चक्कर में पड़ जाता है। कारण यह है, कि जितना जितना अधिक विचार किया जाता है, उतनी ही अधिक उपपत्तियाँ और तर्क उत्पन्न होते

है; और अंतिम निर्णय असंभव-सा हो जाता है। जब उचित निर्णय होने नहीं पाता तब अधर्म या अपराध हो जाने की भी संभावना होती है। इस दृष्टि से विचार करने पर मालूम होता है, कि धर्म-अधर्म का विवेचन एक स्वतंत्र शास्त्र ही है, जो न्याय तथा व्याकरण से भी अधिक गहन है। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में 'नीतिशास्त्र' शब्द का उपयोग प्रायः राजनीतिशास्त्र ही के विषय में किया गया है; और कर्तव्य-अकर्तव्य के विवेचन को 'धर्मशास्त्र' कहते हैं। परन्तु आजकल 'नीति' शब्द ही कर्तव्य अथवा सदाचरण का भी समावेश किया जाता है; इसलिये हम ने वर्तमान पद्धति के अनुसार, इस ग्रंथ में धर्म-अधर्म या कर्म-अकर्म के विवेचन ही को 'नीति-शास्त्र' कहा है। नीति, कर्म-अकर्म या धर्म-अधर्म के विवेचन का यह शास्त्र बड़ा गहन है; यह भाव प्रकट करने ही के लिये, "सूदमा गतिर्हि धर्मस्य" — अर्थात् धर्म या व्यावहारिक नीतिधर्म का स्वरूप सूक्ष्म है — यह वचन महाभारत में कई जगह उपयुक्त हुआ है। पाँच पांडवों ने मिल कर अकेली द्रौपदी के साथ विवाह कैसे किया? द्रौपदी के वस्त्रहरण के समय भीष्म-द्रोण आदि मत्पुरुष शून्यहृदय होकर चुपचाप क्यों बैठे रहे? दुष्ट दुर्योधन की ओर से युद्ध करते समय भीष्म और द्रोणाचार्य ने अपने पक्ष का समर्थन करने के लिये जो यह सिद्धान्त बतलाया, कि "अयं पुरुषो दासः दासस्त्वयं न कस्यचित्" — पुरुष अयं (सम्पत्ति) का दास है, अयं किसी का दास नहीं हो सकता" — (म. भा. भी. ४३. ३५) वह सच है या झूठ? यदि सेवाधर्म वृत्ते की वृत्ति के समान निन्दनीय माना है — जैसे "सेवाश्ववृत्तिराख्याता" (मनु. ४०६), तो अयं के दास हो जाने के बदले भीष्म आदिकों ने दुर्योधन की सेवा ही का त्याग क्यों नहीं कर दिया? इनके समान और भी अनेक प्रश्न होते हैं, जिनका निर्णय करना बहुत कठिन है; क्योंकि इनके विषय में प्रसंग के अनुसार भिन्न भिन्न मनुष्यों के भिन्न भिन्न अनुमान या निर्णय हुआ करते हैं। यहाँ नहीं समझना चाहिये, कि धर्म के तत्त्व सिद्ध सूक्ष्म ही हैं — "सूदमा गतिर्हि धर्मस्य" — (म. भा. १०. ७०); किन्तु महाभारत (वन. २०८. २) में यह भी कहा है, कि "बहुशाखा ह्यनन्तिका" — अर्थात् उसकी शाखाएँ भी अनेक हैं, और उगमे निकलनेवाले अनुभव भी भिन्न भिन्न हैं। तुलाघार और जाजलि के संवाद में धर्म का विवेचन करने समय तुलाघार भी यही कहता है, कि "सूक्ष्मत्वात् स विमानं शक्यते बहुनिद्रवः" — अर्थात् धर्म बहुत सूक्ष्म और चक्कर में डालनेवाला होता है। इसलिये वह समझ में नहीं आता (गां. २६१. ३७)। महाभारतकार ध्यामजी इन सूक्ष्म प्रसंगों को अच्छी तरह जानते थे; इसलिये उन्होंने यह समझा देने के उद्देश ही ने अपने ग्रंथ में अनेक भिन्न भिन्न कथाओं का संग्रह किया है, कि प्राचीन समय के मनुष्यों ने ऐसे कठिन मौकों पर कैसा बर्ताव किया था। परन्तु शास्त्र-पद्धति ने मनुष्यों का विवेचन करके उगवा सामान्य रहस्य महाभारत मरीच्ये धर्मस्य में बड़ी बतला देना आवश्यक था। इस रहस्य या मर्म का प्रतिपादन —

अर्जुन की कर्तव्य-मूढता को दूर करने के लिये भगवान् श्रीकृष्ण ने पहले जो उपदेश दिया था, उसी के आधार पर — व्यासजी ने भगवद्गीता में किया है। इससे 'गीता' महाभारत का रहस्योपनिषद् और शिरोभूषण हो गई है। और महाभारत गीता के प्रतिपादित मूलभूत कर्मतत्त्वों का उदाहरणसहित विस्तृत व्याख्यान हो गया है। उस बात की ओर उन लोगों को अवश्य ध्यान देना चाहिये; जो यह कहा करते हैं, कि महाभारत ग्रंथ में 'गीता' पीछे से घुसेड़ दी गई है। हम तो यही समझते हैं, कि यदि गीता की कोई अपूर्वता या विशेषता है, तो वह यही है, कि जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है। कारण यह है, कि यद्यपि केवल मोक्षशास्त्र अर्थात् वेदान्त का प्रतिपादन करनेवाले उपनिषद् आदि, तथा अहिंसा आदि सदाचार के सिर्फ नियम बतानेवाले स्मृति आदि अनेक ग्रंथ हैं, तथापि वेदान्त के गहन तत्त्वज्ञान के आधार पर 'कार्याकार्यव्यवस्थिति' करनेवाला, गीता के समान कोई दूसरा प्राचीन ग्रंथ संस्कृत साहित्य में देख नहीं पड़ता। गीताभक्तों को यह बतलाने की आवश्यकता नहीं, कि 'कार्याकार्यव्यवस्थिति' शब्द गीता ही (१६.२४) में प्रयुक्त हुआ है। यह शब्द हमारी मनगढ़त नहीं है। भगवद्गीता ही के समान योगवासिष्ठ में भी वसिष्ठमुनि ने श्रीरामचन्द्रजी को ज्ञान-मूलक प्रवृत्तिमार्ग ही का उपदेश किया है। परन्तु यह ग्रंथगीता के बाद है; और उसमें गीता ही का अनुकरण किया है। अतएव ऐसे ग्रंथों से गीता की उस अपूर्वता या विशेषता में — जो ऊपर कही गई है — कोई बाधा नहीं होगी।

तीसरा प्रकरण

कर्मयोगशास्त्र

✓ तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् ।*

- गीता २.५०

यदि किसी मनुष्य को किसी शास्त्र के जानने की इच्छा पहले ही से न हों, तो वह उस शास्त्र के ज्ञान को पाने का अधिकारी नहीं हो सकता। ऐसे अधिकाररहित मनुष्य को उस शास्त्र की शिक्षा देना मानो चलनी में दूध दुहना ही है। शिष्य को तो इस शिक्षा में कुछ लाभ होता नहीं; परन्तु गुरु को भी निरर्थक श्रम करके समय नष्ट करना पड़ता है। जैमिनी और वादरायण के सूत्रों के आरंभ में इसी कारण से "अयातो धर्मजिज्ञासा" और "अयातो ब्रह्मजिज्ञासा" कहा हुआ है। जैसे ब्रह्मोपदेश मुमुक्षुओं को और धर्मोपदेश धर्मच्छुओं को देना चाहिये; वैसे ही कर्मशास्त्रोपदेश उसी मनुष्य को देना चाहिये, जिसे यह जानने की इच्छा या जिज्ञासा हो, कि संसार में कर्म कैसे करना चाहिये। इसी लिये हमने पहले प्रकरण में, 'अयातो' कह कर, दूसरे प्रकरण में 'कर्मजिज्ञासा' का स्वरूप और कर्मयोगशास्त्र का महत्त्व बतलाया है। जब तक पहले ही मे इन बात का अनुभव न कर लिया जाय, कि अमुक काम में अमुक रूकावट है, तब तक उस रूकावट में छुटकारा पाने की शिक्षा देनेवाले शास्त्र का महत्त्व ध्यान में नहीं आता; और महत्त्व को न जानने में केवल रटा हुआ शास्त्र समय पर ध्यान में रहता भी नहीं है। यही कारण है, कि जो सद्गुरु है, वे पहले यह देखते हैं, कि शिष्य के मन में जिज्ञासा है या नहीं; और यदि जिज्ञासा न हो, तो वे पहले उसी को जागृत करने का प्रयत्न किया करते हैं। गीता में कर्मयोगशास्त्र का विवेचन इसी पद्धति से किया गया है। जब अर्जुन के मन में यह शंका आई, कि जिन लड़ाई में मेरे हाथ में पितृवध और गुरुवध होगा, तथा जिसमें अपने सब बंधुओं का नाश हो जायगा, उनमें शामिल होना उचित है या अनुचित; और जब वह युद्ध में पराक्रमी हो कर मंत्रान लेने को तैयार हुआ; और जब भगवान् के इस मामान्य युक्तिवाद ने भी उसके मन का ममाधान नहीं हुआ, कि "समय पर किये जानेवाले कर्म का त्याग करना मूर्खता और दुर्बलता का सूचक है; इसमें तुमको स्वर्ग तो मिलेगा ही नहीं, उल्टी दुष्प्रति अवश्य होगी।" तब श्रीभगवान् ने पहले "अगोच्यानन्वशोचस्त्वं

* "इमं किये नू योग का आभय ले। कर्म करने की जो रीति, चतुर्पारि या कुशलत है उसे योग करते हैं" यह 'योग' शब्द की व्याख्या अर्थात् लक्षण है। इसके संबंधमें अधिक विचार इसी प्रकरण में आगे बढ़ कर दिया है।

प्रज्ञावादाश्च भाषसे” — अर्थात् जिस बात का शोक नहीं करना चाहिये, उसी का तो तू शोक कर रहा है; और साथ साथ ब्रह्मज्ञान की भी बड़ी बड़ी बातें छाँट रहा है — वह कर अर्जुन का कुछ थोड़ा-सा उपहास किया; और फिर उसको कर्म के ज्ञान का उपदेश दिया। अर्जुन की शंका कुछ निराधार नहीं थी। गत प्रकरण में हमने यह दिखलाया है, कि अच्छे अच्छे पंडितों को भी कभी कभी “क्या करना चाहिये और क्या नहीं करना चाहिये?” यह प्रश्न चक्कर में डाल देता है। परंतु कर्म-अकर्म की चिंता में अनेक अड़चनें आती हैं। इसलिये कर्म छोड़ देना उचित नहीं है। विचारवान् पुरुषों को ऐसी युक्ति अर्थात् ‘योग’ का स्वीकार करना चाहिये, जिसमें सांसारिक कर्मों का लोप तो होने न पावे, और कर्माचरण करनेवाला किसी पाप का बंधन में भी न फँसे; — यह कह कर श्रीकृष्ण ने अर्जुन को पहले यही उपदेश दिया है, “तस्माद्योगाय युज्यस्व” — अर्थात् तू भी इसी युक्ति का स्वीकार कर। यही ‘योग’ कर्मयोगशास्त्र है। और जब कि यह बात प्रकट है, कि अर्जुन पर आया हुआ संकट कुछ लोक-विलक्षण या अनोखा नहीं था — ऐसे अनेक छोटे-बड़े संकट संसार में सभी लोगो पर आया करते हैं — तब तो यह बात आवश्यक है, कि इस कर्मयोगशास्त्र का जो विवेचन भगवद्गीता में किया है, उसे हर एक मनुष्य सीखे; किसी शास्त्र के प्रतिपादन में कुछ मुख्य मुख्य और गूढ़ अर्थ को प्रकट करनेवाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अतएव उनके सरल अर्थ को पहले जान लेना चाहिये; और यह भी देख लेना चाहिये, कि उस शास्त्र के प्रतिपादन की मूल शैली कैसी है। नहीं तो फिर उसके समझने में कई प्रकार की आपत्तियाँ और बाधाएँ होती हैं। इसलिये कर्मयोगशास्त्र के कुछ मुख्य मुख्य शब्दों के अर्थ की परीक्षा यहाँ पर की जाती है।

सब से पहला शब्द ‘कर्म’ है। ‘कर्म’ शब्द ‘कृ’ धातु से बना है। उसका अर्थ “करना, व्यापार, हलचल” होता है; और इसी सामान्य अर्थ में गीता में उसका उपयोग हुआ है — अर्थात् यही अर्थ गीता में विवक्षित है। ऐसा कहने का कारण यही है, कि भीमासाशास्त्र में और अन्य स्थानों पर भी इस शब्द के जो संकुचित अर्थ दिये गये हैं, उनके कारण पाठकों के मन में कुछ भ्रम उत्पन्न न होने पावे। किसी भी धर्म को लीजिये; उसमें ईश्वर-प्राप्ति के लिये कुछ न-कुछ कर्म करने को बनलाया ही रहता है। प्राचीन वैदिक धर्म के अनुसार — देखा-जाय, तो-यज्ञ-योग वा ही वह कर्म है; जिससे ईश्वर की प्राप्ति होती है। वैदिक ग्रंथों में यज्ञ-याग की विधि बताई गई है; परंतु इसके विषय में कही कही परस्पर-विरोधी वचन भी पाये जाते हैं। अतएव उनकी एकता और मेल दिखलाने के ही लिये जैमिनी के पूर्वमीमांसाशास्त्र का प्रचार होने लगा। जैमिनी के मतानुसार वैदिक और श्रौत यज्ञ-याग करना ही प्रधान और प्राचीन धर्म है। मनुष्य कुछ करता है, वह सब यज्ञ के लिये करता है। यदि उसे धन कमाना है, तो यज्ञ के लिये

और धान्य-संग्रह करना है, तो यज्ञ ही के लिये (म. भा. शां. २६. २५)। जब कि यज्ञ करने की आज्ञा वेदों ही ने दी है, तब यज्ञ के लिये मनुष्य कुछ भी कर्म करे; वह उसको बंधक नहीं होगा। वह कर्म यज्ञ का एक साधन है - वह स्वतंत्र रीति से साध्य वस्तु नहीं है। इसलिये यज्ञ से जो फल मिलनेवाला है, उसी में उस कर्म का भी समावेश हो जाता है - उस कर्म का कोई अलग फल नहीं होता। परंतु यज्ञ के लिये किये गये ये कर्म यद्यपि स्वतंत्र फल देनेवाले नहीं हैं, तथापि स्वयं यज्ञ में स्वर्गप्राप्ति (अर्थात् भीमांसकों के मतानुसार एक प्रकार की सुखप्राप्ति) होती है; और इस स्वर्गप्राप्ति के लिये ही-यज्ञकर्ता-मनुष्य बड़े-चाव-से-यज्ञ करता है। इसी से स्वयं यज्ञकर्म 'पुरुषार्थ' कहलाता है; क्योंकि जिस वस्तु पर किसी मनुष्य की प्रीति-होती-है और-जिसे पाने की-उसके-मन-में-इच्छा होती है; उसे 'पुरुषार्थ' कहते हैं (जै. सू. ४. १. १ और २)। यज्ञ का पर्यायवाची एक दूसरा 'व्रतु' शब्द है। इसलिये 'यज्ञार्थ' के बदले, 'ऋत्वर्थ' भी कहा करते हैं। इस प्रकार सब कर्मों के दो वर्ग हो गये : एक 'यज्ञार्थ' (ऋत्वर्थ) कर्म, अर्थात् जो स्वतंत्र रीति से फल नहीं देते, अतएव अवंधक हैं; और दूसरे 'पुरुषार्थ' कर्म, अर्थात् जो पुरुष को लाभकारी होने के कारण बंधक हैं। संहिता में इंद्र आदि देवताओं के स्तुति-संबंधी सूक्त हैं, तथापि भीमांसकगण कहते हैं, कि नव श्रुतिग्रंथ यज्ञ आदि कर्मों ही के प्रतिपादक हैं। क्योंकि उनका विनियोग यज्ञ के समय में ही किया जाता है। इन कर्मों, याज्ञिक या केवल कर्मवादियों का कहना है, कि वेदाक्त यज्ञ-याग आदि कर्म करने से ही स्वर्गप्राप्ति होती है, नहीं तो नहीं होती। चाहे ये यज्ञ-याग अज्ञानता से किये जाये या ब्रह्मज्ञान से। यद्यपि उपनिषदों में ये यज्ञ ग्राह्य माने गये हैं, तथापि इनकी योग्यता ब्रह्मज्ञान से कम ठहराई गई है। इसलिये निश्चय किया गया है, कि यज्ञ-याग से स्वर्गप्राप्ति भले ही हो जाय; परंतु इनके द्वारा मोक्ष नहीं मिल सकता। मोक्षप्राप्ति के लिये ब्रह्म-ज्ञान ही की निताम आवश्यकता है। भगवद्गीता के दूसरे अध्याय में जिन यज्ञ-याग आदि काम्य कर्मों का वर्णन किया है - "वेदादरताः पार्थ नान्यदस्तीति यादितः" (गीता २. ४२) - वे ब्रह्मज्ञान के बिना किये जानेवाले उपयुक्त यज्ञयाग आदि कर्म ही हैं। इसी तरह यह भी भीमांसकों ही के मत का अनुकरण है, कि "यज्ञार्थान्मणोज्यत्र लोमोऽयं कर्मबंधनः" (गीता ३. ९) अर्थात् यज्ञार्थ किये गये कर्म बंधक नहीं हैं; शेष नव कर्म बंधक हैं। इन यज्ञ-याग आदि वैदिक कर्मों के अनिश्चय, अर्थात् श्रौत कर्मों के अनिश्चय और भी चातुर्वर्ण्य के भेदानुसार दूसरे आचरण कर्म मनुस्मृति आदि धर्मग्रंथों में वर्णित हैं, जैसे क्षत्रिय के लिये मुंड और वैश्य के लिये वाणिज्य। पहले-पहले इन वर्णार्थम-कर्मों का प्रतिपादन मनु-धर्मग्रंथों में किया गया था। इसलिये इन्हें 'स्मार्त कर्म' या 'स्मार्त यज्ञ' भी कहते हैं। इन श्रौत और स्मार्त कर्मों के निवा और भी धार्मिक कर्म-

हैं; जैसे व्रत, उपवास आदि। इन का विस्तृत प्रतिपादन पहले पहल सिर्फ पुराणों में किया गया है। इसलिये इन्हें 'पौराणिक कर्म' कह सकते हैं। इन सब कर्मों के और भी तीन - नित्य, नैमित्तिक और काम्य - भेद किये गये हैं। स्नान, सध्या आदि जो हमेशा किये जानेवाले कर्म हैं, उन्हें नित्यकर्म कहते हैं। उनके करने से कुछ विशेष फल अथवा अर्थ की सिद्धि नहीं होती, परन्तु न करने से दोष अवश्य लगता है। नैमित्तिक कर्म उन्हें कहते हैं, जिन्हें पहले किसी कारण के उपस्थित हो जाने से करना पड़ता है; जैसे अनिष्ट ग्रहों की शान्ति, प्रायश्चित्त आदि। जिसके लिये हम शान्ति और प्रायश्चित्त करते हैं, वह निमित्त कारण यदि पहले न हो गया, तो हमें नैमित्तिक कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं। जब हम कुछ विशेष इच्छा रख कर उसकी सफलता के लिये शास्त्रानुसार कोई कर्म करते हैं, तब उसे काम्य कर्म कहते हैं; जैसे वर्षा होने के लिये या पुत्रप्राप्ति के लिये यज्ञ करना। नित्य, नैमित्तिक और काम्य कर्मों के सिवा भी कर्म हैं, जैसे मदिरापान इत्यादि, जिन्हें शास्त्रों ने त्याज्य कहा है। इसलिये ये कर्म निषिद्ध कहलाते हैं। नित्य कर्म कौन कौन हैं, नैमित्तिक कौन कौन हैं और काम्य तथा निषिद्ध कर्म कौन कौन हैं - ये सब बातें धर्मशास्त्रों में निश्चित कर दी गई हैं। यदि कोई किसी धर्मशास्त्री से पूछे कि अमुक कर्म पुण्यप्रद है या पापकारक, तो वह सब से पहले इस बात का विचार करेगा, कि शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार वह कर्म यज्ञार्थ है, या पुरुषार्थ, नित्य है, या नैमित्तिक, अथवा काम्य है, या निषिद्ध, और इन बातों पर विचार करके फिर वह अपना निर्णय करेगा। परन्तु भगवद्गीता की दृष्टि उस से भी व्यापक और विस्तीर्ण है। मान लीजिये, कि अमुक एक कर्म शास्त्रों में निषिद्ध नहीं माना गया है; अथवा वह विहित कर्म ही कहा गया है। जैसे युद्ध के समय क्षात्रधर्म ही अर्जुन के लिये विहित कर्म था। तो इतने ही से यह सिद्ध नहीं होता, कि हमें वह कर्म हमेशा करते ही रहना चाहिये, अथवा उस कर्म का करना हमेशा श्रेयस्कर ही होगा। यह बात पिछले प्रकरण में कही गई है, कि कहीं कहीं तो शास्त्र की आज्ञाएँ भी परस्पर-विरुद्ध होती हैं। ऐसे समय में मनुष्य को किस मार्ग का स्वीकार करना चाहिये, इस बात का निर्णय करने के लिये कोई युक्ति है या नहीं? यदि है तो वह कौनसी? वृत्त, यही गीता का मुख्य विषय है। इस विषय में कर्म के उपर्युक्त अनेक भेदों पर ध्यान देनेकी कोई आवश्यकता नहीं। यज्ञ-याग आदि वैदिक कर्मों तथा चातुर्वर्ण्य के कर्मों के विषय में भीमासको ने जो सिद्धान्त किये हैं, वे गीता में प्रतिपादित कर्मयोग से कहाँ तक मिलते, यह दिखाने के लिये प्रसंगानुसार गीता में भीमासको के कथन का भी कुछ विचार किया गया है, और अंतिम अध्याय (गीता १८ ६) में इस पर भी विचार किया है, कि ज्ञानी पुरुष को यज्ञयाग आदि कर्म करना चाहिये या नहीं। परन्तु गीता के मुख्य प्रतिपाद्य विषय का क्षेत्र इससे भी व्यापक है। इसलिये गीता में 'कर्म' शब्द का "केवल श्रौत-अथवा स्मार्त कर्म" इतना ही मबुजित अर्थ

नहीं लिया जाना चाहिये; किंतु उससे अधिक व्यापक रूप में लेना चाहिये। सारांश मनुष्य जो कुछ करना है—जैसा खाना, पीना, खेलना, रहना, उठना, बैठना, श्रामोच्छ्वास करना, हँसना, रोना, सूँघना, देखना, बोलना, सुनना, चलना, देना, लेना, माँगा, जागना, मारना, लडना, मनन और ध्यान करना, आज्ञा और निषेध करना, दान देना, यज्ञयाग करना, खेती और व्यापारधंधा करना, इच्छा करना, निश्चय करना, चुप रहना इत्यादि इत्यादि—ये सब भगवद्गीता के अनुसार 'कर्म' ही हैं; चाहे वह कर्म वायिक हो, वाचिक हो अथवा मानसिक हो (गी. ५. ८, ९)। और तो क्या, जीना-मरना भी कर्म ही है। मौका आने पर यह भी विचार पडता है, कि 'जीना या मरना' इन दो कर्मों में से किस का स्वीकार किया जावे? इस विचार के उपस्थित होने पर कर्म शब्द का अर्थ 'कर्तव्य कर्म' अथवा 'विहित कर्म' हो जाता है (गी. ४. १६)। मनुष्य के कर्म के विषय में यहाँ तक विचार हो चुका। अब इसके आगे वह कर्म मय चर-अचर मृष्टि के भी—अचेतन-वस्तु के भी—व्यापार में 'कर्म' शब्द ही वा उपयोग होता है। इस विषयका विचार आगे कर्म-व्यापक-प्रक्रिया में विद्य जायगा।

परतु चार-पाँच स्थानों के सिवा (देखो गीता ६ १२ और २३) योग शब्द से 'पातजलयोग' अर्थ कही भी अभिप्रेत नहीं है। सिर्फ " युक्ति, साधन, कुशलता, उपाय, जोड़, मेल " यही अर्थ कुछ हेरफेर में सारी गीता में पाये जाते हैं। अतएव कह सकते हैं, कि गीताशास्त्र के व्यापक शब्दों में 'योग' भी एक शब्द है, परतु योग शब्द के उक्त सामान्य अर्थों से ही — जैसे साधन, कुशलता, युक्ति आदि से ही — काम नहीं चल सकता। क्योंकि वक्ता इच्छा के अनुसार यह साधन सन्यास का ही सबूत है, कर्म और चित्त-निरोध का हो सकता है, और मोक्ष का अथवा और भी किसी का हो सकता है। उदाहरणार्थ, कही कही गीता में अनेक प्रकार की व्यक्त सृष्टि निर्माण करने की ईश्वरी कुशलता और अद्भुत सामर्थ्य को 'योग' कहा गया है (गीता ७ २५, ९ ५, १० ७, ११ ८) और इमी अर्थ में भगवान् को 'योगेश्वर' कहा है (गीता १८ ७५)। परतु यह कुछ गीता के 'योग' शब्द का मुख्य अर्थ नहीं है। इसलिये, यह बात स्पष्ट रीति से प्रकट कर देने के लिये 'योग' शब्द से किस विशेष प्रकार की कुशलता, साधन, युक्ति अथवा उपाय को गीता में विवक्षित समझना चाहिये। उस ग्रन्थ ही में योग शब्द की यह निश्चित व्याख्या की गई है — " योग कर्मसु कौशलम् " (गीता २ ५०) अर्थात् कर्म करने की किमी विशेष प्रकार की कुशलता, यक्ति, चतुराई अथवा शैली को योग कहते हैं। शांकरभाष्य में भी ' कर्मसु कौशलम् ' का यही अर्थ लिया गया है — " कर्म में स्वभाव-सिद्ध रहनेवाले वधन को तोड़ने की यक्ति । " यदि सामान्यता देखा जाय, तो एक ही कर्म को करने के लिये अनेक 'योग' और 'उपाय' होते हैं। परतु उनमें से जो उपाय या साधन उत्तम हो उसी को 'योग' कहते हैं। जैसे द्रव्य उपाजन करना एक कर्म है। इसके अनेक उपाय या साधन हैं जैसे चोरी करना, जालसाजी करना, भ्रष्ट माँगना, सेवा करना, ऋण लेना, मेहनत करना आदि। यद्यपि धातु के अर्थानुसार इनमें से हर एक को 'योग' कह सकते हैं, तथापि यथार्थ में 'व्यप्राप्ति योग' उमी उपाय को कहते हैं, जिससे हम अपनी 'स्वतन्त्रता रख कर मेहनत करते हुए प्राप्त कर सकें।'

जब स्वयं भगवान् ने 'योग' शब्द की निश्चित और स्वतन्त्र व्याख्या कर दी है (योग कर्मसु कौशलम् — अर्थात् कर्म करने की एक प्रकारकी विशेष युक्ति को योग कहते हैं), तब सच पूछो, तो इस शब्द के मुख्य अर्थ के विषय में कुछ भी शक नहीं रहनी चाहिये, परतु स्वयं भगवान् की बातलाई हुई इस व्याख्या पर ध्यान न दे कर गीता का अर्थानुसार भी मनमाना निवाला है। अतएव इस भ्रम को दूर करने के लिये 'योग' शब्द का कुछ और भी स्पष्टीकरण होना चाहिये। यह शब्द पहले पहल गीता के दूसरे अध्याय में आया है, और वही इसका स्पष्ट अर्थ भी बतला दिया है। पहले साध्यशास्त्र के अनुसार भगवान् ने अर्जुन को यह मन्त्र दिया, कि युद्ध क्यों करना चाहिये, इसके बाद उन्होंने कहा, कि "अथ हम्

तुझे योग के अनुसार उपपत्ति बतलाते हैं" (गीता २. ३९)। और फिर हमका वर्णन किया है, कि जो लोग हमेशा यज्ञ-यागादि काम्य कर्मों में निमग्न रहते हैं उनकी बुद्धि फलाशा से कभी व्यग्र हो जाती है (गी. २. ४१-४६)। इसके पश्चात् उन्होंने यह उपदेश दिया है, कि बुद्धि को अव्यग्र, स्थिर या शांत रख कर, आसक्ति को छोड़ दे; परन्तु कर्मों को छोड़ देने के आग्रह में न पड़; और "योगस्य ही कर्मों का आचरण कर" (गीता २. ४८)। यही पर 'योग' शब्द का स्पष्ट अर्थ भी बतल दिया है, कि "मिद्धि और अमिद्धि दोनों में समबुद्धि रखने को योग कहते हैं। इसके बाद यह कह कर, कि 'फल की आशा से कर्म करने की अपेक्षा-समबुद्धि का यह योग ही श्रेष्ठ है" (गीता २. ४९) और बुद्धि की समता हो जाने पर कर्म करने-वाले को कर्ममंत्रयी पाप-पुण्य की बाधा नहीं होती। इसलिये तु इस 'योग' को प्राप्त कर।" (गीता २. ५०)। इससे भिन्न होता है, कि पाप-पुण्य से अलिप्त रह कर कर्म करने को जो समत्वबुद्धिस्व विज्ञेय युक्ति पहले बतलाई गई है, वही 'योग' है; और इसी कृपालता अर्थात् युक्तिसे कर्म करने को गीता में 'योग' कहा है। इसी अर्थ को अर्जुन ने आगे चलकर "योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः माम्येन मधुसूदन" (गीता ६. ३३) इस प्रकार में स्पष्ट कर दिया है। इसके मन्त्र में, कि ज्ञात्री मनुष्य को इस मन्त्र में कैसे चलना चाहिये, श्रीशंकराचार्य के पूर्व ही प्रचलित हुए वैदिक धर्म के अनुसार दो मार्ग हैं। एक मार्ग यह है, कि ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर सब कर्मों का संन्यास जयान् त्याग कर दें; और दूसरा यह, कि ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर भी कर्मों को न छोड़ें—उनको जन्म भर ऐसी युक्ति के माय कृता रहें, कि उनके पाप-पुण्य की बाधा न होने पावे। इन्हीं दो मार्गों को गीता में संन्यास और कर्मयोग कहा है (गीता ५. २)। संन्यास कहते हैं-त्याग को, और योग कहते हैं-मेल को। अर्थात् कर्म के त्याग और कर्म के मेल ही के उक्त दो भिन्न मार्ग हैं। इन्हीं दो भिन्न मार्गों को लक्ष्य करके आगे (गीता ५. ४) 'माध्ययोगी' (माध्य और योग) के आमतों का वर्णन छठे अध्याय में ही मही; परन्तु वह किसे के लिये है? तपस्वी के लिये नहीं; किन्तु वह समयोगी—अर्थात् युक्तिपूर्वक कर्म करनेवाले मनुष्य—को 'समा' की युक्ति मिद्ध करने के लिये बतलाया गया है। नहीं तो फिर "तपस्विभ्योऽपि शिष्योऽपि" इन शब्दों का कुछ अर्थ ही नहीं हो सकता। इसी तरह इस अध्याय के प्र. १ (६. ८६) में अर्जुन को जो उपदेश दिया गया है, कि "तन्माद्योगी भवार्जुन" उक्त प्रश्न में ही नहीं हो सकता, कि "हे अर्जुन! तू पातञ्जलयोग का अध्ययन करनेवाला बन जा।" इसलिये उक्त उपदेश का अर्थ "योगस्यः कुरु कर्मणि" (६. ४८), "तन्माद्योगी भव" (६. ८६) आदि शब्दों के अर्थ के समान ही

होना चाहिये। अर्थात् उसका यही अर्थ लेना उचित है कि, “हे अर्जुन! तू युक्ति में कर्म करनेवाला योगी अर्थात् कर्मयोगी हो।” क्योंकि यह कहना ही सम्भव नहीं, कि “तू पातञ्जल योग का आश्रय लेकर युद्ध के लिये तैयार रह।” इसके पहले ही साफ साफ कहा गया है, कि ‘कर्मयोगेण योगिनाम्’ (गीता ३. ३) अर्थात् योगी पुरुष कर्म करनेवाले होते हैं। भारत के (म. भा. शा. ३४८. ५६) नारायणीय अथवा भागवतधर्म के विवेचन में भी कहा गया है, कि इस धर्म के लोग अपने कर्मों का त्याग किये बिना ही युक्तिपूर्वक कर्म करके (सुप्रयुक्तेन कर्मणा) परमेश्वर की प्राप्ति कर लेते हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है, कि ‘योगी’ और ‘कर्मयोगी’ दोनों शब्द गीता में समानार्थक हैं, और इनका अर्थ “युक्ति से कर्म करनेवाला” होता है, तथा बड़े भारी ‘कर्मयोग’ शब्द का प्रयोग करने के बदले, गीता और महाभारत में छोटे-से ‘योग’ शब्द का ही अधिक उपयोग किया गया है। “मैंने तुझे जो यह योग बतलाया है, इसी को पूर्वकाल में विवस्वान् से कहा था (गीता ४. १); और विवस्वान् ने मनु को बतलाया था, परन्तु उस योग के नष्ट हो जाने पर फिर योग तुझसे कहना पडा” — इस अवतरण में भगवान् ने जो ‘योग’ शब्द का तीन बार उच्चारण किया है, उसमें पातञ्जल योग का विवक्षित होना नहीं पाया जाता, किन्तु ‘कर्म करने की किमी प्रकार की विशेष युक्ति, साधन या मार्ग’ अर्थ ही लिया जा सकता है। इसी तरह जब मजय कृष्ण-अर्जुन मवाद को गीता में ‘योग’ कहता है (गीता १८. ७५), तब भी यही अर्थ पाया जाता है। श्रीशंकराचार्य स्वयं सन्यासमार्गवाले थे। तो भी उन्होंने अपने गीता-भाष्य के आरम्भ में ही वैदिकधर्म के दो भेद — प्रवृत्ति और निवृत्ति — बतलाये हैं, और ‘योग’ शब्द का अर्थ श्रीभगवान् की की हुई व्याख्या के अनुसार वही ‘सम्यग्दर्शनोपायकर्मनिष्ठानम्’ (गीता ४. ४२) और कभी ‘योग युक्ति’ (गीता १०. ७) किया है। इसी तरह महाभारत में भी ‘योग’ और ‘ज्ञान’ दोनों शब्दों के विषय में स्पष्ट लिखा है, कि “प्रवृत्तिलक्षणो योग ज्ञान सन्यासलक्षणम्” (म. भा. अश्व ४३. २५)। अर्थात् योग का अर्थ प्रवृत्तिमार्ग और ज्ञान का अर्थ सन्यास या निवृत्तिमार्ग है। शान्तिपर्व के अन्त में, नारायणीयोपाख्यान में ‘साध्य’ और ‘योग’ शब्द तो इसी अर्थ में अनेक बार आये हैं, और इसका भी वर्णन किया गया है, कि ये दोनों मार्ग सृष्टि के आरम्भ में क्यो और कैसे निर्माण किये गये (म. भा. शा. २४० और ३४८)। पहले प्रकरण में महाभारत से जो वचन उद्धृत किये गये हैं, उनसे यह स्पष्टतया मालूम हो गया है, कि यही नारायणीय अथवा भागवतधर्म भगवद्गीता का प्रतिपाद्य तथा प्रधान विषय है। इसलिये कहना पडता है, कि ‘साध्य’ और ‘योग’ शब्दों का जो प्राचीन और पारिभाषिक अर्थ (साध्य = निवृत्ति, योग = प्रवृत्ति) नारायणीय धर्म में दिया गया है, वही अर्थ गीता में भी विवक्षित है। यदि इसमें किसी को शक हो, तो गीता में दो हुई इस व्याख्या से — “समत्व योग उच्यते” या “योग कर्ममु कौशलम्” — तथा

उपर्युक्त "कर्मयोगेण योगिनाम्" इत्यादि गीता के वचनों से उस शंका का समाधान हो सकता है। इसलिये अब यह निर्विवाद सिद्ध है, कि गीता में 'योग' शब्द प्रवृत्ति-मार्ग अर्थात् 'कर्मयोग' के अर्थ ही में प्रयुक्त हुआ है। वैदिक धर्म-ग्रंथों में कौन कहे, यह 'योग' शब्द, पाली और मसूत भाषाओं के बौद्धधर्मग्रंथों में भी, उही अर्थ में प्रयुक्त है। उदाहरणार्थ, सवत् ३३५ के लगभग लिखे गये 'मिलिदप्रश्न' नामक पालीग्रंथ में 'पुब्बयोगो' (पूर्वयोग) शब्द आया है; और वही उसका अर्थ 'पुब्बकम्म' (पूर्वकर्म) किया गया है। (मि. प्र. १.४)। इसी तरह अश्वघोष कविवृत्त - जो शालिवाहन शक के आरम्भ में हो गया है - 'बुद्धचरित' नामक संस्कृत काव्य के पहले सर्गके पचासवे श्लोक में यह वर्णन है -

आचार्यकं योगविधौ द्विजानामप्राप्तिमन्यंजनको जगाम ।

अर्थात् "ब्राह्मणों को योगविधि की शिक्षा देने राजा जनक आचार्य (उपदेष्टा) हो गये। इनके पहले यह आचार्यत्व किसी को भी प्राप्त नहीं हुआ था" यहाँ पर 'योग-विधि' का अर्थ निष्काम-कर्मयोग की विधि ही समझना चाहिये। क्योंकि गीता आदि अनेक ग्रंथ भुवन बट में बह रहे हैं कि जनकजी के वृत्तात् का यही रहस्य है, और अश्वघोष ने अपने 'बुद्धचरित' (९.१९ और २०) में यह दिखलाते ही के लिये, कि "गृहस्थाश्रम में रह कर भी मोक्ष को प्राप्ति कैसे की जा सकती है" जनक का उदाहरण दिया है। जनक के दिखलाये हुए मार्ग का नाम 'योग' है; और यह बात बौद्ध-धर्म-ग्रन्थों में भी सिद्ध होती है। इसलिये गीता के 'योग' शब्द का भी यही अर्थ लगाना चाहिये। क्योंकि गीता के बयनानुसार (गी ३.२०) जनक का ही मार्ग उसमें प्रतिपादन किया गया है। सांख्य और योगमार्ग के विषय में अधिक विचार आगे किया जायगा। प्रस्तुत प्रश्न यही है, कि गीता में 'योग' शब्द का उपयोग किस अर्थ में किया गया है।

60352

जब एत वाक यह सिद्ध हो गया कि गीता में 'योग' का प्रधान अर्थ कर्म-योग और 'योगी' का प्रधान अर्थ कर्मयोगी है, तो फिर यह कहने की आवश्यकता नहीं, कि भगवद्गीता का प्रतिपाद्य क्या है। स्वयं भगवान् अपने उपदेश को 'योग' पदों में (गी ४.१-३); वरिष्ठ छन्दे (६.६३) अध्याय में अर्जुन ने जीत गीता के अन्तिम उपदेश (गी १८.७५) में गुरु ने भी गीता के उपदेश को 'योग' ही कहा है। इसी तरह गीता के प्रत्येक अध्याय के अन्त में, जो अध्याय-समाप्ति-दशक मन्त्र है, उनमें भी साफ साफ कह दिया है, कि गीता का मुख्य प्रतिपाद्य विषय 'योगशास्त्र' है। परन्तु जान पड़ता है, कि उपनयन के शब्दों के अर्थ पर भी टीकाकारों ने ध्यान नहीं दिया। आरम्भ के दो पदों - 'श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु' - के बाद मन्त्र में दो शब्द 'श्रीशुक्रिष्याया योगशास्त्रे' और 'श्री-भी-जोडे-गये हैं।' - के बाद मन्त्र का अर्थ है - 'भगवान् ने गाये गये उपनिषद् में'; और पिछले

दो शब्दों का अर्थ "ब्रह्मविद्या का योगशास्त्र अर्थात् कर्मयोग-शास्त्र" है, जो कि इस गीता का विषय है। ब्रह्मविद्या और ब्रह्मज्ञान एक ही बात है, और इसके प्राप्त हो जानेपर ज्ञानी पुत्र के लिये दो निष्ठाएँ या मार्ग खुले हुए हैं (गीता ३ ३)। एक साख्य अथवा सन्यास मार्ग — अर्थात् वह मार्ग जिसमें ज्ञान होने पर कर्म करना छोड़ कर विरक्त रहना पड़ना है, और दूसरा योग अथवा कर्ममार्ग — अर्थात् वह मार्ग, जिसमें कर्मों का त्याग न करके ऐसी युक्ति से नित्य कर्म करते रहना चाहिये, जिससे मोक्ष-प्राप्ति में कुछ भी बाधा न हो। पहले मार्ग का दूसरा नाम 'ज्ञाननिष्ठा' भी है, जिसका विवेचन उपनिषदों में अनेक ऋषियों ने और अन्य ग्रन्थकारों ने भी किया है। परन्तु ब्रह्मविद्या के अन्तर्गत कर्मयोग का या योगशास्त्र का तात्त्विक विवेचन भगवद्गीता के मित्रा अन्य ग्रन्थों में नहीं है। इस बात का उल्लेख पहले किया जा चुका है, कि अध्याय-समाप्तिदर्शक मकल्प गीता की सब प्रतियों में पाया जाता है, और इससे प्रकट होता है, कि गीता की सब टीकाओं के रचे जाने के पहले ही उसको रचना हुई होगी। इस सकल्प के रचयिता ने इस सकल्प में "ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे" इन दो पदों को व्यर्थ ही नहीं जोड़ दिया है, किन्तु उनमें गीताशास्त्र के प्रतिपाद्य विषय को अपूर्वता दिखाने के लिये उक्त पदा को उस सकल्प में आधार और हेतुसहित स्थान दिया है। अतः इस बात का भी सहज निर्णय हो सकता है, कि गीता पर अनेक सांप्रदायिक टीकाओं के होने के पहले गीता का तात्पर्य कैसे और क्या समझा जाता था। यह हमारे सौभाग्य की बात है, कि इस कर्मयोग का प्रतिपादन स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण ही ने किया है, जो इस योगमार्ग के प्रवर्तक और सब योगों के साक्षात् ईश्वर (= योग + ईश्वर) है, और लोकहित के लिये उन्होने अज्ञान को उसको बतलाया है। गीता के 'योग' और 'योगशास्त्र' शब्दों से हमारे 'कर्मयोग' और 'कर्मयोगशास्त्र' शब्द कुछ बड़े हैं सही, परन्तु अब हमने कर्मयोग-शास्त्र सरोखा बड़ा नाम ही इस ग्रन्थ और प्रकरण को देना इसलिये पसंद किया है, कि जिसमें गीता के प्रतिपाद्य विषय के सम्बन्ध में कुछ भी सन्देह न रह जावे।

एक ही कर्म को करने के जो अनेक योग, साधन या मार्ग हैं, उनमें से सर्वोत्तम और शुद्ध मार्ग कौन है, उसके अनुसार नित्य आचरण किया जा सकता है या नहीं, नहीं किया जा सकता, तो कौन कौन अपवाद उत्पन्न होने-हैं, और वे क्या उत्पन्न होते हैं, — जिस मार्ग को हमने उत्तम मान लिया है, वह उत्तम क्यों है, जिस मार्ग को हम बुरा समझते हैं, वह बुरा क्यों है, यह अच्छेपन या बुरेपन किसके द्वारा या किस आधार पर ठहराया जा सकता है, अथवा इस अच्छेपन या बुरेपन का रहस्य क्या है — इत्यादि-वार्ते-जिस-शास्त्र के आधार से निश्चित की जानी है, उसको 'कर्मयोगशास्त्र' या गीता के सक्षिप्त रूपानुसार 'योगशास्त्र' कहते हैं। 'अच्छा' और 'बुरा' दोनों साधारण शब्द हैं। इन्हीं के समान अर्थ में कभी कभी

शम-अशम, हितकर-अहितकर, श्रेयस्कर-अश्रेयस्कर, पाप-पुण्य, धर्म-अधर्म इत्यादि शब्दों का उपयोग हुआ करता है। कार्य-अकार्य, कर्तव्य-अकर्तव्य, न्याय-अन्याय इत्यादि शब्दों का भी अर्थ वैसा ही होता है। तथापि इन शब्दों का उपयोग करनेवालों के सृष्टिरचनाविषयक मत भिन्न भिन्न होने के कारण 'कर्मयोग'-शास्त्र के निरूपण के पन्थ भी भिन्न भिन्न हो गये हैं। किसी भी शास्त्र को लीजिये; उसके विषयों की चर्चा माधारणतः तीन प्रकारमें की जाती है: (१) इस जड़ सृष्टि के पदार्थ ठीक वैसे ही हैं, जैसे कि वे हमारी इन्द्रियों को गोचर होते हैं। इसके परे उनमें और कुछ नहीं है। इस दृष्टि में उनके विषय में विचार करने को एक पद्धति है, जिसे आधिभौतिक विवेचन कहते हैं। उदाहरणार्थ, सूर्य को देवता न मान कर केवल पांचभौतिक जड़ पदार्थों का एक गोला माने; और उष्णता, प्रकाश, वजन, दूरी, और आकर्षण इत्यादि उसके केवल गुणधर्मों ही को परीक्षा करें; तो उसे सूर्य का आधिभौतिक विवेचन कहेंगे। दूमरा उदाहरण पेड़ का लीजिये। उमका विचार न करके, कि पेड़ के पत्ते निकलना, फटना, फलना आदि क्रियाएँ किम अन्तर्गत शक्ति के द्वारा होती हैं, जब केवल बाहरी दृष्टि में विचार किया जाता है, कि जमीन में बीज बोलने में अंकुर फुटते हैं, फिर वे बढ़ने हैं; और उनी के पत्ते, शाखा, फल इत्यादि दृश्य विकार प्रकट होते हैं, तब उसे पेड़ का आधिभौतिक विवेचन कहते हैं। रसायनशास्त्र, पदार्थविज्ञानशास्त्र, विद्यु-चक्रान्त्र इत्यादि आधुनिक शास्त्रों का विवेचन इसी ढंग का होता है। और तो क्या, आधिभौतिक पंडित यह भी मान्य करते हैं, कि उक्त रीति में किसी वस्तु के दृश्य गुणों का विचार कर लेने पर उनका काम पूरा हो जाता है - सृष्टि के पदार्थों का इससे अधिक विचार करना निष्फल है। (२) जब उक्त दृष्टि को छोड़ कर इस वान का विचार किया जाता है, कि जड़ सृष्टि के पदार्थों के मूल्य में क्या है; क्या, इन पदार्थों का व्यवहार केवल उनके गुण-धर्मों ही में होता है, या उनके लिये किसी तत्त्व का आधार भी है; केवल आधिभौतिक विवेचन में ही अपना काम नहीं चलता। हमको कुछ आगे पैर बढ़ाना है। उदाहरणार्थ, जब हम यह मानने हैं, कि यह पांचभौतिक सूर्य नामक एक देव का अधिष्ठान है; और उसी द्वारा इस अचेतन गोल (सूर्य) के सब व्यापार या व्यवहार होने रहते हैं, तब हमको उस विषय का आधिदैविक विवेचन करने है। इस मत के अनुसार यह माना जाता है, कि पेड़ में, पानी में, हवा में अर्थात् सब पदार्थों में, अनेक देव हैं; जो उन जड़ तथा अचेतन पदार्थों में भिन्न नहीं हैं, किन्तु उनके व्यवहारों को चलाते हैं। (३) परन्तु जब यह माना जाता है, कि जड़ सृष्टि के सब पदार्थों में हजारों मनुष्य देवता नहीं हैं; किन्तु बाहरी सृष्टि के सब व्यवहारों का चलायमात्री, मनुष्य के शरीर में आत्मस्वरूप में रहनेवाली, और मनुष्य को मागी सृष्टि का ज्ञान प्राप्त करा देनेवाली एत ही विद्यु-चक्रान्त्र है, तो कि दक्षिणातीत है और जिनके द्वारा ही इस जगत् का माग व्यवहार चल रहा है; तब उस विचार-पद्धति को आध्यात्मिक विवेचन कहते हैं।

उदाहरणार्थ, अध्यात्मवादियों का मत है, कि सूर्य-चंद्र आदि का व्यवहार, यहाँ तक कि वृक्षों के पत्तों का हिलना भी, इसी अचिन्त्य शक्ति की प्रेरणा से हुआ करता है। सूर्य-चंद्र आदि में या अन्य स्थानों में भिन्न भिन्न तथा स्वतंत्र देवता नहीं हैं। प्राचीन काल से किसी भी विषय का विवेचन करने के लिये तीन मार्ग प्रचलित हैं; और इनका उपयोग उपनिषद्-ग्रंथों में भी किया गया है। उदाहरणार्थ, ज्ञानेन्द्रियां श्रेष्ठ हैं या प्राण श्रेष्ठ है, इस बात का विचार करते समय, बृहदारण्यक आदि उपनिषदों में एक बार उक्त इंद्रियों के अग्नि आदि देवताओं को और दूसरी बार उनके सूक्ष्म रूपों (अध्यात्म) को ले कर उनके बलाबल का विचार किया गया है (वृ. १.५.२१ और २२; छां. १.२ और ३; कौपी. २.८); और, गीता के सातवें अध्याय के अन्त में तथा आठवें के आरंभ में ईश्वर के स्वरूप का जो विचार बतलाया गया है, वह भी इसी दृष्टि से किया गया है। "अध्यात्मविद्या विद्यानाम्" (गीता १०.३२) इस वाक्य के अनुसार हमारे शास्त्रकारों ने उक्त तीन मार्गों में से, आध्यात्मिक विवरण को ही अधिक महत्त्व दिया है। परंतु आजकल उपर्युक्त तीन शब्दों (आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक) के अर्थ को थोड़ा-सा बदल कर प्रसिद्ध आधिभौतिक फ्रेंच पंडित कोंट ने आधिभौतिक विवेचन को ही अधिक महत्त्व दिया है। उसका कहना है, कि सृष्टि के मूल-तत्त्व को खोजते रहने में कुछ लाभ नहीं; यह तत्त्व अगम्य है। अर्थात् इसको समझ लेना कभी भी संभव नहीं। इसलिये इसकी कल्पित नींव पर किसी शास्त्र की इमारत को खड़ा कर देना न तो संभव है और न उचित। असभ्य और जंगली मनुष्यों ने पहले पहल जब पेड़, बादल और ज्वालामुखी पर्वत आदि को देखा, तब उन लोगों ने अपने भोलेपनसे इन सब पदार्थों को देवता ही मान लिया। यह कोंट के मतानुसार, 'आधिदैविक' विचार हो चुका; परंतु मनुष्यों ने उक्त कल्पनाओं को शीघ्र ही त्याग दिया; वे समझने लगे कि इन सब पदार्थों में कुछ-न-कुछ आत्मतत्त्व अवश्य भरा हुआ है। कोंट के मतानुसार मानवी ज्ञानकी उन्नति की वह दूसरी सीढ़ी है। इसे वह 'आध्यात्मिक' कहता है; परंतु जब इस

* फ्रान्स देश में ऑगस्ट कोंट (Auguste Comte) नामक एक बड़ा पंडित गतशताब्दी में हो चुका है। इसने समाजशास्त्र पर एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखकर बतलाया है, कि समाजरचना का शास्त्रीय रीति से किस प्रकार विवेचन चाहिये। अनेक शास्त्रों की आलोचना करके इसने यह निश्चित किया है, कि किसी भी शास्त्र को लो, उसका विवेचन पहले पहले Theological पद्धति में किया जाता है; फिर Metaphysical पद्धति से होता है; और अन्त में उसको Positive स्वरूप मिलता है। उन्हीं तीन पद्धतियों को हमने इस ग्रंथ में आधिदैविक, आध्यात्मिक और आधिभौतिक ये तीन प्राचीन नाम दिये हैं। ये पद्धतियाँ कुछ कोंट की निकाली हुई नहीं हैं; ये सब पुरानी ही हैं तथापि उसमें उनका ऐतिहासिक क्रम नई रीति से बाँधा है; और उनमें आधिभौतिक (Positive) पद्धति को ही श्रेष्ठ बतलाया है; बस, इतना ही कोंट का नया शोध है। कोंट के अनेक ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद हो गया है।

रीति में सृष्टि का विचार करने पर भी प्रत्यक्ष उपयोगी शास्त्रीय ज्ञान की कुछ वृद्धि नहीं होसकी, तब अन्त में मनुष्य सृष्टि के पदार्थों के दृश्य गुण-धर्मों ही का और अधिक विचार करने लगा; जिससे वह रेल और तार मरीखे उपयोगी आविष्कारों को ढूँढ़ कर सृष्टि पर अपना अधिक प्रभाव जमाने लग गया है। इस मार्ग को कांट ने 'आधिभौतिक' नाम दिया है। उसने निश्चित किया है, कि किमी भी शास्त्र या विषय का विवेचन करने के लिये अन्य मार्गों की अपेक्षा यही आधिभौतिक मार्ग अधिक श्रेष्ठ और लाभकारी है। कांट के मतानुसार ममाजशास्त्र या कर्मयोगशास्त्र का तात्विक विचार करने के लिये इसी आधिभौतिक मार्ग का अवलंब करना चाहिये। इस मार्ग का अवलंब करके इस पंडित ने इतिहास की आलोचना की; और नव व्यवहारशास्त्रों का यही मर्यादायें निकाला है, कि इस संसार में प्रत्येक मनुष्य का परम धर्म यही है, कि वह ममन् मानव-जाति पर प्रेम रख कर सब लोगों के कल्याण के लिये मदैव प्रयत्न करता रहे। मिल और स्पेन्सर आदि अग्रज पंडित उसी मत के पुरस्कर्ता बहू जा सकते हैं। इसके उल्टे कांट, हेगेल, शोपेनहर् आदि जर्मन नस्वज्ञानों पुरखों ने, नीतिशास्त्र के लिये इस आधिभौतिक पद्धति को अपूर्ण माना है। हमारे वेदान्तियों की बाई अध्यात्मबुद्धि से ही नीति के समर्थन करने के मार्ग को आजकल उन्होंने यूरोप में फिर भी स्थापित किया है। इसके विषय में और अधिक लिखा जायगा।

एक ही अर्थ विवक्षित होने पर भी 'अच्छा और बुरा' के पर्यायवाची भिन्न भिन्न शब्दों का — जैसे 'कार्य-अकार्य' और 'धर्म-अधर्म' का — उपयोग क्यों होने लगा? इसका कारण यही है, कि विषय-प्रतिपादन का मार्ग या दृष्टि प्रत्येक की भिन्न भिन्न होती है। अर्जुन के सामने यह प्रश्न था, कि जिस युद्ध में भीष्म, द्रौण आदि का बप करना पड़ेगा, उसमें शामिल होना उचित है या नहीं (गीता २.७) यदि इसी प्रश्न का उत्तर देने का मौका किसी आधिभौतिक पंडित पर आता, तो वह पढ़े इस बात का विचार करता, कि भारतीय युद्ध से स्वयं अर्जुन को दूर हानि-नाश कितना होगा; और कुछ समाज पर उसका क्या परिणाम होगा। यह विचार करते तब उसने निश्चय किया होता, कि युद्ध करना 'न्याय्य' है या 'अन्याय्य'। इसका कारण यह है कि किमी कर्म के अच्छेपन या बुरेपन का निर्णय करने समय आधिभौतिक पंडित यही सोचा करने है, कि इस संसार में उन कर्म का आधिभौतिक परिणाम अर्थात् प्रत्यक्ष लाभ परिणाम क्या हुआ या होगा — ये लोग इन आधिभौतिक कमाटी के निरा और किमी माधन या कमाटी को नहीं मानते। परंतु ऐसे उत्तर में अर्जुन का समाधान होना समभव नहीं था। उसी दृष्टि उसमें भी अधिक उसे आध्यात्मिक दृष्टि में पर भी विचार कर लेना था, कि इस युद्ध-व-परिणाम में अर्जुन पर भयंकर होगा या नहीं। उसे ऐसी बातों पर कुछ भी गवा नहीं

थी, कि युद्ध में भीष्म-द्रोण आदिको का वध होने पर तथा राज्य मिलने पर मुझे ऐहिक सुख मिलेगा या नहीं, और मेरा अधिकार लोगो को दुर्योधन से अधिक सुखदायक होगा या नहीं। उसे यही देखना था, कि मैं जो कर रहा हूँ वह 'धर्म' है या 'अधर्म', अथवा 'पुण्य' है या 'पाप', और गीता का विवेचन भी इसी दृष्टि से किया गया है। केवल गीता में ही नहीं, किंतु कई स्थानो पर महाभारत में भी कर्म-अवर्म का जो विवेचन है, वह पारलौकिक अर्थात् अध्यात्मदृष्टि से ही किया गया है। और वही किसी भी कर्म का अच्छेपन या बुरेपन दिखलाने के लिये प्रायः सर्वत्र 'धर्म' और 'अधर्म' दो ही शब्दों का उपयोग किया गया है। परंतु 'धर्म' और उसका प्रतियोग 'अधर्म' ये दोनों शब्द अपने व्यापक अर्थ के कारण कभी भ्रम उत्पन्न कर दिया करते हैं। इसलिये यहाँ पर इस बात की कुछ अधिक मीमांसा करना आवश्यक है की कर्मयोगशास्त्र में इन शब्दों का उपयोग मुख्यतः किस अर्थ में किया जाता है।

नित्य व्यवहार में 'धर्म' शब्द का उपयोग केवल "पारलौकिक सुख का मार्ग" इसी अर्थ में किया जाता है। जब हम किसी से प्रश्न करते हैं कि "तेरा कौन-सा धर्म है?" तब उससे हमारे पूछने का यही हेतु होता है कि तू अपने पारलौकिक कल्याण के लिये किस मार्ग—वैदिक, बौद्ध, जैन, ईसाई, मुहम्मदी, या पारसी—से चलता है, और वह हमारे प्रश्न के अनुसार ही-उत्तर-देता है। इसी तरह स्वर्ग-प्राप्ति के लिये साधनभूत यज्ञ-याग आदि वैदिक विषयों की मीमांसा करते समय "अथातो धर्मजिज्ञासा" आदि धर्मसूत्रों में भी धर्म शब्द का यही अर्थ लिया गया है, परंतु 'धर्म' शब्द का इतना ही संकुचित अर्थ नहीं है। इसके सिवा राजधर्म, प्रजा-धर्म, देशधर्म, कुलधर्म, मित्तधर्म इत्यादि सासारिक नीति-बधनों को भी 'धर्म' कहते हैं। धर्म शब्द के इन दो अर्थों को यदि पृथक् करके दिखलाना हो तो पारलौकिक धर्म को 'मोक्षधर्म' अथवा सिर्फ 'मोक्ष' और व्यावहारिक धर्म अथवा केवल नीति को केवल 'धर्म' कहा करते हैं। उदाहरणार्थ, चतुर्विध पुरुषों की गणना करते समय हम लोग 'धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष' कहा करते हैं। इसके पहले शब्द 'धर्म' में ही यदि मोक्ष का समावेश हो जाता, तो अन्त में मोक्ष को पृथक् पुरुषार्थ बतलाने की आवश्यकता न रहती। अर्थात् यह कहना पड़ता है, कि 'धर्म'पद से इस स्थान पर ससार के सैकड़ों नीतिधर्म ही शास्त्रकारों को अभिप्रेत हैं। उन्हीं को हम लोग आज-कल कर्तव्यकर्म, नीति, नीतिधर्म अथवा सदाचरण कहते हैं, परंतु प्राचीन सस्कृत ग्रंथों में 'नीति' अथवा 'नीतिशास्त्र' शब्दों का उपयोग विशेष करके राजनीति ही के लिये किया जाता है। इसलिये पुराने जमाने में कर्तव्यकर्म अथवा सदाचार के सामान्य विवेचन को 'नीतिप्रवचन'—न-कह-कर-धर्मप्रवचन—कहा करते थे। परंतु 'नीति' और 'धर्म' दो शब्दों का यह पारिभाषिक भेद सभी सस्कृत-ग्रंथों में नहीं माना गया है। इसलिये हमने भी इस ग्रंथ में 'नीति', 'कर्तव्य' और 'धर्म' शब्दों का उपयोग गी. २. ५

एक ही अर्थ में किया है; और मोक्ष का विचार जिन स्थानों पर करना है, उन प्रकरणों के 'अध्यात्म' और 'भक्तिमार्ग' ये स्वतंत्र नाम रखे हैं। महाभारत में धर्म शब्द अनेक स्थानों पर आया है; और जिस स्थान में कहा गया है, कि "किसी को कोई काम करना धर्म-संगत है", उस स्थान में धर्म शब्द से कर्तव्यशास्त्र अथवा तत्कालीन ममाज-व्यवस्थाशास्त्र ही का अर्थ पाया जाता है; तथा जिस स्थान में पारलौकिक कल्याण के मार्ग बतलाने का प्रसंग आया है, उस स्थान पर अर्थात् शांतिपूर्वक के उत्तरार्ध में 'मोक्षधर्म' इस विशिष्ट शब्द की योजना की गई है। इसी तरह मन्वादि स्मृति-ग्रंथों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के विशिष्ट कर्मों अर्थात् चारों वर्णों के कर्मों का वर्णन करते समय केवल धर्म शब्द का ही अनेक स्थानों पर कई बार उपयोग किया गया है। और भगवद्गीता में भी जब भगवान् अर्जुन से यह कह कर लड़ने के लिये कहते हैं, कि 'स्वधर्ममपि चाज्जेक्ष्य' (गी. २. ३१) तब - और इसके बाद "स्वधर्मो निघ्न श्रेयः परधर्मो भयावहः" (गी. ३. ३५) इस स्थान पर भी - 'धर्म' शब्द 'इस लोक के चातुर्वर्ण्य के धर्म' अर्थ में ही प्रयुक्त हुआ है। पुराने जमाने के ऋषियों ने श्रम-विभागरूप चातुर्वर्ण्य-मस्या इस लिये चलाई थी, कि समाज के सब व्यवहार सरलता से होते जावे, किसी एक विशिष्ट व्यक्ति या वर्ग पर ही मारा बोझ न पड़ने पावे, और समाज का सभी दिशाओं में सरक्षण और पोषण भली भाँति होता रहे। यह बात भिन्न है, कि कुछ समय के बाद चारों वर्णों के लोग केवल जानिमानोपजीवी हो गये; अर्थात् सच्चे स्वकर्म को भूलकर वे केवल नामधारी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र हो गये। इसमें सदेह नहीं, कि आरम्भ में यह व्यवस्था ममाजधारणार्थ ही की गई थी। और यदि चारों वर्णों में से कोई भी एक वर्ण अपना धर्म अर्थात् कर्तव्य छोड़ दे, यदि कोई वर्ण समूल नष्ट हो जाय और उमकी म्यानपूर्ति दूसरे लोगों से न की जाय, तो कुल समाज उतना ही पगु हो कर धीरे धीरे नष्ट भी होने लग जाता है; अथवा वह निकृष्ट अवस्था में तो अवश्य ही पहुँच जाता है। यद्यपि यह बात सच है, कि यूरोप में ऐसे समाज हैं, जिनका धर्म्युद्ध चातुर्वर्ण्य-व्यवस्था के बिना ही हुआ है; तथापि रमरण रहे, कि उन देशों में चातुर्वर्ण्य-व्यवस्था चाहे न हो; परन्तु चारों वर्णों के सब धर्म जातिरूप में नहीं तो मूल-विभागरूप ही में जागृत अवश्य रहते हैं। माराण, जब हम धर्म शब्द का उपयोग व्यावहारिक दृष्टि से करते हैं, तब हम यही देखा करते हैं कि, सब समाज का धारण और पोषण करना होता है। मनु न कहे है - 'अमुग्र्यदकं' अर्थात् जिमका परिणाम दुःखदायक होता है, उन धर्म को छोड़ देना (मनु ४. १७६) और शांतिपूर्वक में मनुनाशना (मा १०९. १०) में धर्मधर्म का विवेचन करते हुए भीष्म और

पारणादमन्मिन्नुः धर्मो धारयने प्रजा ।

उग्र्यादारणमदकं न धर्म इति निदचयः ॥

“ धर्म शब्द धृ (= धारण करना) धातु से बना है । धर्म से ही सब प्रजा बँधी हुई है । यह निश्चय किया गया है, कि जिससे (सब प्रजा का) धारण होता है वही धर्म है ” (म. भा. कर्ण. ६९. ५९) । यदि यह धर्म छूट जाय, तो समझ लेना चाहिये, कि समाज के सारे बंधन भी टूट गये; और यदि समाज के बंधन टूटे, तो आकर्षणशक्ति के बिना आकाश में सूर्यादि ग्रहमालाओं की जो दशा हो जाती है, अथवा समुद्र में मल्लाह के बिना नाव की जो दशा होती है, ठीक वही दशा समाज की भी हो जाती है । इसलिये उक्त शोचनीय अवस्था में पड़कर समाज को नाश से बचाने के लिये व्यासजी ने कई स्थानों पर कहा है, कि यदि अर्य या द्रव्य पाने की इच्छा हो, तो ‘ धर्म के द्वारा ’ अर्थात् समाज की रचना को न विगाड़ते हुए प्राप्त करो; और यदि काम आदि वासनाओं को तृप्त करना हो, तो वह भी ‘ धर्म से ही ’ करो । महाभारत के अन्त में यही कहा है कि :-

ऊर्ध्ववाहुर्विरौम्येष न च कश्चिच्छृणोति माम् ।
धर्मादयंश्च कामश्च स धर्मः किं न सेव्यते ॥

“ अरे ! भुजा उठा कर मैं चिल्ला रहा हूँ; (परंतु) कोई भी नहीं सुनता ! धर्म से ही अर्य और काम की प्राप्ति होती है, (इस लिये) इस प्रकार के धर्म का आचरण तुम क्यों नहीं करते हो ? ” अब इससे पाठकों के ध्यान में यह बात अच्छी तरह जम जायगी, कि महाभारत को जिस धर्म-दृष्टि से पाँचवा वेद अथवा ‘ धर्मसंहिता ’ मानते हैं, उस ‘ धर्मसंहिता ’ शब्द के ‘ धर्म ’ शब्द का मुख्य अर्थ क्या है । यही कारण है, कि पूर्वमीमांसा और उत्तरमीमांसा दोनों पारलौकिक अर्थ के प्रतिपादक ग्रंथों के साथ ही - धर्मग्रंथ के नाते से - ‘ नारायणं नमस्कृत्य ’ इन प्रतीक शब्दों के द्वारा - महाभारत का भी समावेश ब्रह्मयज्ञ के नित्यपाठ में कर दिया है ।

धर्म-अधर्म के उपर्युक्त निरूपण को सुन कर कोई यह प्रश्न करे कि, यदि तुम्हें ‘ समाज-धारण ’ और दूसरे प्रकरण के सत्यानृतविवेक में कथित ‘ सर्वभूतहित ’ ये दोनों तत्त्व मान्य हैं, तो तुम्हारी दृष्टि में और आधिभौतिक दृष्टि में भेद ही क्या है ? क्योंकि ये दोनों तत्त्व बाह्यतः प्रत्यक्ष दिखनेवाले और आधिभौतिक ही हैं । इस प्रश्न का विस्तृत विचार अलग प्रकरणों में किया गया है । यहाँ इतना ही कहना बस है, कि यद्यपि हमको यह तत्त्व मान्य है, कि समाज-धारणा ही धर्म का मुख्य बाह्य उपयोग है, तथापि हमारे मत की विशेषता यह है, कि वैदिक अथवा अन्य सब धर्मों का जो परम उद्देश आत्म-कल्याण या मोक्ष है, उस पर भी हमारी दृष्टि बनी है । समाज-धारण को लीजिये, चाहे सर्वभूतहित ही को, यदि ये बाह्योपयोगी तत्त्व हमारे आत्म-कल्याण के मार्ग में बाधा डालें, तो हमें इनकी जरूरत नहीं । हमारे आयुर्वेद-ग्रंथ यदि यह प्रतिपादन करते हैं, कि वैद्यकशास्त्र भी शरीररक्षा के द्वारा मोक्षप्राप्ति का साधन होने के कारण सग्रहणीय है, तो

यह कदापि संभव नहीं, कि जिस शास्त्र में इस महत्त्व के विषय का विचार किया गया है, कि सांसारिक व्यवहार किस प्रकार करना चाहिये, उस कर्मयोगशास्त्र को हमारे शास्त्रकार आध्यात्मिक भोज्ञज्ञान से अलग बतलावें। इसलिये हम समझते हैं, कि जो कर्म हमारे भोज अथवा हमारी आध्यात्मिक उन्नति के अनुकूल हो, वही पुण्य है, वही धर्म और वही शुभकर्म है; और जो कर्म उसके प्रतिकूल वही पाप, अधर्म अथवा अशुभ है। यही कारण है, कि हम 'कर्तव्य-अवर्तव्य', 'कार्य-अकार्य' शब्दों के बदले 'धर्म' और 'अधर्म' शब्दों का ही (यद्यपि वे दो अर्थ के अतएव कुछ संदिग्ध हो, तो भी) अधिक उपयोग करते हैं। यद्यपि बाह्य-सृष्टि के व्यावहारिक कर्मों अथवा व्यापारों का विचार करना ही प्रधान विषय हो, तो भी उक्त कर्मों के बाह्य परिणाम के विचार के माय ही माय यह विचार भी हम लोग हमेशा करते हैं, कि ये व्यापार हमारे आत्मा के कल्याण के अनुकूल हैं या प्रतिकूल। यदि आदिभौतिकवादी से कोई यह प्रश्न करे, कि 'मैं अपना हित छोड़ कर लोगों का हित क्यों करूँ?' तो वह इसके सिवा और क्या समाधानकारक उत्तर दे सकता है, कि 'यह तो सामान्यतः मनुष्य-स्वभाव ही है।' हमारे शास्त्रकारों की दृष्टि इससे परे पहुँची हुई है; और उस व्यापक आध्यात्मिक दृष्टि ही ने महाभारत में कर्मयोगशास्त्र का विचार किया गया है; एवं श्रीमद्भगवद्गीता में वेदान्त का निरूपण भी इतने ही के लिये किया गया है। प्राचीन यूनानी पंडितों की भी यही राय है, कि 'अत्यन्त हित' अथवा 'गद्गुण की पराकाष्ठा' के समान मनुष्य का कुछ-न-कुछ परम उद्देश कल्पित करके फिर उसी दृष्टि से कर्म-अकर्म का विवेचन करना चाहिये। और अँरिस्टॉटल ने अपने नीतिशास्त्र के ग्रंथ (१. ७. ८) में कहा है, कि आत्मा के हित में ही इन सब बातों का समावेश हो जाता है। तथापि इस विषय में आत्मा के हित के लिये जितनी प्रधानता देनी चाहिये थी, उतनी अँरिस्टॉटल ने दी नहीं है। हमारे शास्त्रकारों में यह बात नहीं है। उन्होंने निश्चित किया है कि, आत्मा का कल्याण अथवा आध्यात्मिक पूर्णावस्था ही प्रत्येक मनुष्य का पहला और परम उद्देश है। अन्य प्रकार के हितों की अपेक्षा उसी को प्रधान जानना चाहिये। अध्यात्म-विद्या को छोड़ कर कर्म-प्रारम्भ का विचार करना ठीक नहीं है। जान पड़ता है, कि वर्तमान समय में पश्चिमो देशों के कुछ पंडितों ने भी कर्म-अकर्म के विवेचन की इसी पद्धति को स्वीकार किया है। उदाहरणार्थ, जर्मन तत्त्वज्ञानी कान्ट ने पहले "गूट (व्यवसाय-कारक) बुद्धि की सीमा" नामक आध्यात्मिक ग्रंथ को लिख कर फिर उसकी पूर्ति के लिये "प्राथमिक (वाग्विचारक) बुद्धि की सीमा" नाम का नीतिशास्त्रविषयक ग्रंथ लिखा है। और अँरिस्टॉटल ने अपने 'नीतिशास्त्र के उपोद्घात' का मूळभूत

* कान्ट १७ जर्मन तत्त्वज्ञानी का। इसे अर्थोबिनि तत्त्वज्ञानशास्त्र का जनक समझते हैं। इसके Critique of Pure Reason (दृढ़ बुद्धि की सीमा) और Critique

आत्मतत्त्व से ही आरम्भ किया है। परन्तु इन ग्रन्थों के बदले केवल आधिभौतिक पंडितों के ही नीतिग्रन्थ आजकल हमारे यहाँ अंग्रेजी शालाओं में पढ़ाये जाते हैं; जिसका परिणाम यह दीख पड़ता है, कि गीता में बतलाये गये कर्मयोगशास्त्र के मूलतत्त्वों का — हम लोगो मे अंग्रेजी सीखे हुअे बहुतेरे विद्वानों को भी — स्पष्ट बोध नहीं होता।

उक्त विवेचन से ज्ञात हो जायगा, कि व्यावहारिक नीतिबंधनो के लिये अथवा समाज-धारणा की व्यवस्था के लिये हम 'धर्म' शब्द का उपयोग क्यों करते हैं। महा-भारत, भगवद्गीता आदि संस्कृत-ग्रन्थों में, तथा भाषा-ग्रन्थों मे भी, व्यावहारिक कर्तव्य अथवा नियम के अर्थ में धर्म शब्द का हमेशा उपयोग किया जाता है। कुल-धर्म और कुलाचार, दोनों शब्द समानार्थक समझे जाते हैं। भारतीय युद्ध में एक समय कर्ण के रथ का पहिया पृथ्वी ने निगल लिया था; उसको उठा कर ऊपर लाने के लिये जब कर्ण अपने रथ से नीचे उतरा तब अर्जुन उसका बध करने के लिये उद्युक्त हुआ। यह देख कर कर्ण ने कहा, "निःशस्त्र शत्रु को मारना धर्मयुद्ध नहीं है।" इसे सुन कर श्रीकृष्ण ने कर्ण को कई पिछली बातों का स्मरण दिलाया; जैसे कि द्रौपदी का वस्त्रहरण कर लिया गया था, सब लोगो ने मिल कर अकेले अभिमन्यु का बध कर डाला था, इत्यादि। और प्रत्येक प्रसंग में यह प्रश्न किया है, "हे कर्ण! उस समय तेरा धर्म कहाँ गया था?" इन सब बातों का वर्णन महाराष्ट्र-कवि मोरोपंत ने किया है। और महाभारत मे भी इस प्रसंग पर "क्व ते धर्मस्तदा गतः" प्रश्न मे 'धर्म' शब्द का ही प्रयोग किया गया है। तथा अन्त में कहा गया है, कि जो इस प्रकार अधर्म करे उसके साथ उसी तरह का बर्ताव करना ही उसको उचित दण्ड देना है। साराश, क्या संस्कृत और क्या भाषा, सभी ग्रन्थो में 'धर्म' शब्द का प्रयोग उन सब नीति-नियमो के बारे मे किया गया है, जो समाज-धारणा के लिये शिष्टजनों के द्वारा अध्यात्म-दृष्टि से बनाये गये हैं। इसलिये उसी शब्द का उपयोग हमने भी इस ग्रंथ में किया है। इस दृष्टि से विचार करने पर नीति के उन नियमों अथवा 'शिष्टाचार' को धर्म की बुनियाद कह सकते हैं, जो समाज-धारणा के लिये शिष्टजनों के द्वारा प्रचलित किये गये हो; और जो सर्वसामान्य हो चुके हों। और, इसलिये महाभारत (अनु. १०४. १५७) में एवं स्मृति-ग्रन्थो मे "आचारप्रभवो धर्मः" अथवा "आचारः परमो धर्मः" (मनु. १. १०८), अथवा धर्म का मूल बतलाते समय "वेदः स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मन." (मनु. २. १२) इत्यादि वचन कहे हैं। परन्तु कर्मयोगशास्त्र में इतने ही से काम नहीं चल सकता; इस बात का भी पूरा और मार्मिक विचार करना पड़ता है, कि उक्त आचार की प्रवृत्ति ही क्यों हुई — इस आचार की प्रवृत्ति ही का कारण क्या है।

'धर्म' शब्द की दूसरी एक और व्याख्या प्राचीन ग्रन्थों में दी गई है। उसका

of Practical Reason (वासनात्मक बुद्धि की मीमासा) ये दो ग्रंथ प्रतिद्ध हैं।
 ग्रीक के ग्रंथ का नाम *Prolegomena to Ethics* है।

भी यहाँ थोड़ा विचार करना चाहिये। यह व्याख्या मीमांसकों की है: “चोदना-लक्षणोऽर्थो धर्मः” (जं. सू. १. १. २)। किसी अधिकारी पुरुष का यह कहना अथवा ‘मत कर’ ‘चोदना’ यानी प्रेरणा है। जब तक इस प्रकार कोई प्रबंध नहीं कर दिया जाता, तब तक कोई भी काम किसी को भी करने की स्वतंत्रता होती है। इसका आशय यही है, कि पहले पहल निर्वंध या प्रबंध के कारण धर्म निर्माण हुआ। धर्म की यह व्याख्या कुछ अंश में, प्रसिद्ध अंग्रेज ग्रंथकार हॉक्स के मत से मिलती है। असम्य तथा जंगली अवस्था में प्रत्येक मनुष्य का आचरण, समय नमय पर उत्पन्न होनेवाली मनोवृत्तियों की प्रवृत्तता के अनुसार हुआ करता है। परन्तु धीरे धीरे कुछ समय के बाद यह मालूम होने लगता है, कि इस प्रकार का मनमाना वर्ताव श्रेयस्कर नहीं है; और यह विश्वास होने लगता है, कि इन्द्रियो के स्वाभाविक व्यापारों की कुछ मर्यादा निश्चित करके उनके अनुसार वर्ताव करने ही में सब लोगों का कल्याण है। तब प्रत्येक मनुष्य ऐसी मर्यादाओंका पालन कायदे के तौर पर करने लगता है; जो शिष्टाचार से, अन्य रीती से, मुद्दब हो जाया करती है। जब इस प्रकार की मर्यादाओं की संख्या बहुत बढ़ जाती है, तब उन्ही का एक शास्त्र बन जाता है। पूर्व समय में विवाहव्यवस्था का प्रचार नहीं था। पहले पहल उसे श्वेतकेतु ने चलाया; और पिछले प्रकरण में बतलाया गया है, कि शुक्राचार्य ने मदिरापान को निषिद्ध ठहराया। यह न देख कर, कि इन मर्यादाओं को नियुक्त करने में श्वेतकेतु अथवा शुक्राचार्य का क्या हेतु था; केवल किमी एक बात पर ध्यान दे कर, कि इन मर्यादाओं के निश्चित करने का काम या शततय्य इन लोगों को करना पड़ा; धर्म शब्द की “चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः” व्याख्या बनाई गई है। धर्म भी हुआ तो पहले उमका महत्त्व किमी व्यक्ति के ध्यान में आता है; और तभी उसकी प्रवृत्ति होती है। “पाशो-भीत्रो, चैन करो” ये बातें किमी को सिखाना नहीं पड़ती; क्योंकि ये इन्द्रियो के स्वाभाविक धर्म ही हैं। मनुजों ने जो कहा है, कि “न मासभक्षणं मद्यपानं और मंथनं करना कोई मूष्टिमं-विरुद्ध दोष नहीं है— उसका तात्पर्य भी यही है। ये सब बातें मनुष्य ही के लिये नहीं, किन्तु प्राणिमात्र के लिये स्वाभाविक हैं— “प्रवृत्तिरेषा भूतानाम्।” ममाज-धारण के लिये जर्वात् मय लोगों के मुख के लिये इस स्वाभाविक आचरण का उचित प्रतिबंध करना ही धर्म है। महाभारत (भा. २. १. ४. २९) में भी कहा है—

आहारनिद्रान्धर्ममंथनं च सामान्यनेतृत्वगुणिनैराणाम्।

धर्मो हि तेषामपिरो विशेषो धर्मो होतः पशुभिः समानाः ॥

अर्थात् “आहार, निद्रा, भय और मंथन मनुष्यों और पशुओं के लिये एक ही गन्तव्य सामान्य हैं। मनुष्यों और पशुओं में कुछ भेद है तो केवल धर्म का

(अर्थात् इन स्वाभाविक वृत्तियों को मर्यादित करने का) । जिस मनुष्य में यह धर्म नहीं है, वह पशु के समान ही है । ” आहारादि स्वाभाविक वृत्तियों को मर्यादित करने के विषय में भगवत का श्लोक पिछले प्रकरण में दिया गया है । इसी प्रकार भगवद्गीता में भी जब अर्जुन से भगवान् कहते हैं (गी. ३. ३४) -

इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ ।

तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ ॥

“ प्रत्येक इन्द्रिय में अपने उपभोग्य अथवा त्याज्य पदार्थ के विषय में, जो प्रीति अथवा द्वेष होता है, वह स्वाभाविक सिद्ध है । इनके वश में हमें नहीं होना चाहिये । क्योंकि राग और द्वेष दोनों हमारे शत्रु हैं ” - तब भगवान् भी धर्म का वही लक्षण स्वीकार करते हैं, जो स्वाभाविक मनोवृत्तियों को मर्यादित करने के विषय में ऊपर दिया गया है । मनुष्य की इन्द्रियाँ उसे पशु के समान आचरण करने के लिये कहा करती हैं, और उसकी बुद्धि उसके विरुद्ध दिशा में खींचा करती है । इस कलहाग्नि में जो लोग अपने शरीर में संचार करनेवाले पशुत्व का यज्ञ करके कृतकृत्य (सफल) होते हैं, उन्हें ही सच्चा याज्ञिक कहना चाहिये, और वे ही धन्य भी हैं ।

धर्म को 'आचार-प्रभव' कहिये, 'धारणात्' धर्म मानिये अथवा 'चोदना-लक्षण' धर्म समझिये; धर्म की यानी व्यावहारिक नीतिबधनो की, कोई भी व्याख्या लीजिये; परन्तु जब धर्म-अधर्म का सशय उत्पन्न होता है, तब उसका निर्णय करने के लिये उपर्युक्त तीनों लक्षणों का कुछ उपयोग नहीं होता । पहली व्याख्या से सिर्फ यह मालूम होता है, कि धर्म का मूलस्वरूप क्या है; उमका बाह्य उपयोग दूसरी व्याख्या से मालूम होता है; और तीसरी व्याख्या से यही बोध होता है, कि पहले पहले किमी ने धर्म की मर्यादा निश्चित कर दी है । परन्तु अनेक आचारों में भेद पाया जाता है; एक ही कर्म के अनेक परिणाम होते हैं; और अनेक ऋषियों की आज्ञा अर्थात् 'चोदना' भी भिन्न भिन्न है । इन कारणों से सशय के समय धर्मनिर्णय के लिये किसी दूसरे मार्ग को ढूँढने की आवश्यकता होती है । यह मार्ग कौन-सा है ? यही प्रश्न यक्ष ने युधिष्ठिर से किया था । उम पर युधिष्ठिर ने उत्तर दिया है कि -

तर्कोऽप्रतिष्ठः श्रुतयो विभिन्नाः नैको ऋषिर्यस्य वचः प्रमाणम् ।

धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः स पन्थाः ॥

“ यदि तर्क को देखे तो यह चंचल है, अर्थात् जिसकी बुद्धि जैसी तीव्र होती है, वैसे ही अनेक प्रकार के अनेक अनुमान तर्क में निष्पन्न हो जाते हैं । श्रुति अर्थात् वेदाज्ञा देखी जाय तो वह भी भिन्न भिन्न है, और यदि स्मृतिशास्त्र को देखे तो ऐसा एक भी ऋषि नहीं है, जिसका वचन अन्य ऋषियों की अपेक्षा अधिक प्रमाण-भूत ममज्ञा जाय । अच्छा, (इस व्यावहारिक) धर्म का मूलतत्त्व देखा जाय, तो वह भी अधरार में छिपा गया है अर्थात् वह नाधारण मनुष्यों की ममज्ञ में नहीं

आ सकता। इसलिये महाजन जिस मार्ग से गये हों, वही (धर्म का) मार्ग है” (म भा वन ३१० ११५)। ठीक है। परन्तु महाजन किम को कहना चाहिये? उसका अर्थ “बड़ा अथवा बहूतमा जनसमूह” नहीं हो सकता। क्योंकि जिन साधारण लोगों के मन में धर्म-अधर्म की शका भी उत्पन्न नहीं होंगी, उनके बतलाये मार्ग से जाना मानो कठोपनिषद् में वर्णित “अन्प्रेनैव नीयमाना ययान्धा” - वाली नीति ही को चरितार्थ करना है। अब यदि महाजन का अर्थ ‘बड़े बड़े सदाचारी पुरय’ लिया जाय - और यहाँ अर्थ उक्त श्लोक में अभिप्रेत है - तो उन महाजनों के आचरण में भी एकता कहाँ है? निष्पाप श्रीरामचन्द्र ने अग्निद्वारा शूद्र हा जानेपर भी अपनी पत्नी का त्याग केवल लोकापवाद के लिये किया, और मुग्धों का अपने पत्र में मिलने के लिये उनमें ‘तुल्यारिमित्र’ - अर्थात् जा तरा शत्रु वही मेरा शत्रु, और जो तेरा मित्र वही मेरा मित्र, इस प्रकार मधि करके बेचार वाली का बध किया, यद्यपि उसने श्रीरामचन्द्र का कुछ अपराध नहीं किया था। परशुराम ने तो पिता की आज्ञा में प्रत्यक्ष अपनी माना का शिरच्छेद कर डाला। यदि पाण्डवों का आचरण देखा जाय तो पाँचों की एक ही मंत्री थी। स्वर्ग के देवताओं का देखें तो कोई अहत्या का मतीत्व भ्रष्ट करने वाला है, और कोई (ब्रह्मा) मृगरूप में अपनी ही कन्या का अभिलाष करने के कारण रथ के बाण में विष्ट हो कर आकाश में पटा हुआ है (ऐ वा ३ ३३) इन्हीं बातों का मन में ला कर ‘उत्तरगमचरित’ नाटक में भवभूति ने लव के मुख में कहा है, कि “वृद्धान्ते न विचारणीयचरिता” - इन वृद्धों के कृत्या का बहुत विचार नहो करना चाहिये। अंग्रेजी में शैतान का इतिहास लिखनेवाले एक ग्रन्थकार ने लिखा है, कि शैतान के साधिया और देवदूतों के सगहो का हाल देखने में मानुस हाता है कि कड़े वाग देवताओं नही देखा को कपटनाथ में फँसा लिया है। इस प्रकार कौपीनका ब्राह्मणोपनिषद् (कौपी ३ १ और ऐ वा ७ २८ दशा) में इन्द्र प्रवचन में कहता है कि ‘मैत्र वृत्र का (यद्यपि वह ब्राह्मण था) मार्ग डाला, अन्मुख मजानिया के टुकड़े टुकड़े करके भेजिया का (खान के लिये) दिये, और अपनी कई प्रतिमाओं का भा करके प्रसाद के नातेदारों और गात्रों का नाम पौन्य और

कर्म का दोष नहीं लगता। इस बात को भली भाँति समझ ले, कि आत्मा किसे कहते हैं—ऐसा करने से तेरे सारे संशयों की निवृत्ति हो जायगी।” इसके बाद इन्द्रने प्रतर्दन को आत्मविद्या का उपदेश दिया। सारांश यह है, कि “महाजनो येन गतः स पन्थाः” यह युक्ति यद्यपि सामान्य लोगों के लिये सरल है, तो भी सब बातों में इससे निर्वाह नहीं हो सकता; और अन्त में महाजनो के आचरण का सच्चा तत्त्व कितना भी गूढ़ हो, तो आत्मज्ञान में घुस कर विचारवान् पुरुषों को उसे ढूँढ निकालना ही पड़ता है। “न देवचरितं चरेत्” — देवताओं के केवल बाहरी चरित्र के अनुसार आचरण नहीं करना चाहिये— इस उपदेशका रहस्य भी यही है। इसके सिवा कर्म-अकर्म का निर्णय करने के लिये कुछ लोगों ने एक और सरल युक्ति बतलाई है। उनका कहना है, कि कोई भी सद्गुण हो, उसकी अधिकता न होने देने के लिये हमें हमेशा यत्न करते रहना चाहिये; क्योंकि इस अधिकता से ही अन्त में सद्गुण दुर्गुण बन बैठता है। जैसे, देना सचमुच सद्गुण है; परन्तु “अतिदानाद्बलिवद्धं.”—दान की अधिकता होने से ही राजा बलि फँस गया। प्रसिद्ध यूनानी पण्डित अँरिस्टॉटल ने अपने नीतिशास्त्र के ग्रन्थ में कर्म-अकर्म के निर्णय की यही युक्ति बतलाई है; और स्पष्टतया दिखला या है, कि प्रत्येक सद्गुण की अधिकता होने पर दुर्दशा कैसे हो जाती है। कालिदास ने भी रघुवंश में वर्णन किया है, कि केवल शूरता व्याघ्र सरीखे श्वापद का क्रूर काम है, और केवल नीति भी डरपोकपन है; इसलिये अतिथि राजा तलवार और राजनीति के योग्य मिश्रण से अपने राज्य का प्रबन्ध करता था (रघु. १७ ४७)। भर्तृहरि ने भी कुछ गुण-दोषों का वर्णन कर कहा है, कि यदि जादा बोलना वाचालता का लक्षण है, और कम बोलना घुम्मापन है; जादा खर्च करे तो उडाऊ और कम करे तो कंजूस, आगे बढ़ें तो दु साहसी और पीछे हटें तो डीला, अतिशय आग्रह करें तो जिद्दी और न करें तो चंचल, जादा खुशामद करें तो नीच और ऐठ दिखलावे तो घमडी है; परन्तु इस प्रकार की स्थूल कसौटी से अन्त तक निर्वाह नहीं हो सकता। क्योंकि, ‘अति’ किसे कहते हैं और ‘नियमित’ किसे कहते हैं— इसका भी तो कुछ निर्णय होना चाहिये न; तथा, यह निर्णय कौन किस प्रकार करे? किसी एक को अथवा किसी एक मौके पर जो बात ‘अति’ होगी वही दूसरे को, अथवा दूसरे मौके पर कम हो जायगी। हनुमानजी को पैदा होते ही सूर्य को पकड़ने के लिये उड़ान मारना कोई कठिन काम नहीं मालूम पडा (वा. रामा. ७. ३५); परन्तु यही बात औरों के लिये कठिन क्या असंभव जान पड़ती है। इसलिये जब धर्म-अधर्म के विषय में सदेह उत्पन्न हो, तब प्रत्येक मनुष्य को ठीक वैसा ही निर्णय करना पड़ता है, जैसा श्येन ने राजा शिबी से कहा है—

अविरोधात्तु यो धर्मः स धर्मः सत्यविक्रम ।

विरोधिषु महोपात्तं निश्चित्य गुरुलाघवम् ।

न बाधा विद्यते यत्र तं धर्मं सम्पाचरेत् ॥

अर्थात् परस्पर-विरुद्ध धर्मों का तारतम्य अथवा लघुता और गुरुता देख कर ही, प्रत्येक मौके पर, अपनी बुद्धि के द्वारा मच्चे धर्म अथवा कर्म का निर्णय करना चाहिये (म. भा. वन. १३१. ११, १२ और मनु. ६ २९९ देखो)। परन्तु यह भी नहीं कहा जा सकता, कि इनने ही मे धर्म-अधर्म के सार-असार का विचार करना ही शंका के समय, धर्म-निर्णय की एक सच्ची रीती है। क्योंकि व्यवहार में अनेक बार देखा जाता है, कि अनेक पंडित लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सार-असार का विचार भी भिन्न भिन्न प्रकार से किया करते हैं; और एक ही बात की नीतिमत्ता का निर्णय भी भिन्न रीतों से किया करते हैं। यही अर्थ उपर्युक्त 'तर्कोऽप्रतिपत्त्याः' वचन में कहा गया है। इनलिये अब हमें यह जानना चाहिये, कि धर्म-अधर्म-निर्णय के इन प्रश्नों का अचूक निर्णय करने के लिये अन्य कोई माधन या उपाय है या नहीं; यदि है तो कौन-से है; और यदि अनेक उपाय हो तो उनमें श्रेष्ठ कौन है। वन, इस बात का निर्णय कर देना ही शास्त्र का काम है। शास्त्र का यही लक्षण भी है, कि "अनेकमंगयोच्छेदि परोक्षार्थस्य दर्शनम्" - अर्थात् अनेक शंकाओं के उत्पन्न होने पर, मन ने पहले उन विषयों के मिश्रण को अलग कर दें, जो समझ में नहीं आ सकते हैं; फिर उसके अर्थ को सुगम और स्पष्ट कर दें; जो बातें आँखों से देख न पड़ती हो उनका, अथवा आगे होनेवाली बातों का भी यथार्थ ज्ञान करा दें। जब हम इन बातों को सोचते हैं, कि योनिपशास्त्रके सीखने से आगे होनेवाले ग्रहणों का भी नर शाल मातृम हो जाता है, तब उक्त लक्षण के 'परोक्षार्थस्य दर्शनम्' इस दृष्टि भाग की माँगना अच्छी तरह दीख पड़ती है। परन्तु अनेक मशयों का समाधान करने के लिये पहले यह जानना चाहिये, कि वे कौन-सी शंकाएँ हैं। इसी लिये प्राचीन और अर्वाचीन ग्रन्थकारों का यह रीति है, कि किसी भी शास्त्र का निदानपक्ष बनाने के पहले उस विषय में जितने पक्ष हो गये हों, उनका विचार करके उनके दोष और उनकी न्यूनताएँ दिखलाई जाती हैं। इसी रीति का स्वामी गीता में कर्म-अकर्म निर्णय के लिये प्रतिपादन किया हुआ निदान-मक्षोप योग अर्थात् युक्ति बनाने के पहले, इसी काम के लिये जो जन्म युक्तियाँ पंडित लोक बननाया करते हैं, उनका भी अब हम विचार करेंगे। यह बात मजबूत है, कि ये युक्तियाँ हमारे यहाँ पहले विशेष प्रकार में न थीं; विशेष करने पश्चिमी पंडितों ने ही वर्तमान समय में उनका प्रचार किया है; परन्तु इतने ही में यह नहीं कहा जा सकता, कि उनकी चर्चा इन रूप में न थी। क्योंकि न केवल तुलना ही के लिये, किन्तु गीता के आध्यात्मिक कर्मयोग का मन्त्र ध्यान में आने के लिये इन युक्तियों की - मक्षोप में भी क्यों न हो - जान लेना आवश्यक है।

चौथा प्रकरण

आधिभौतिक सुखवाद

दुःखादुद्विजते सर्वः सर्वस्य सुखमीप्सितम् । *

— महाभारत, शान्ति १३९ ६१

मनु आदि शास्त्रकारों ने “अहिंसा सत्यमस्तेय” इत्यादि जो नियम बनाये हैं उनका कारण क्या है, वे नित्य हैं कि अनित्य, उनकी व्याप्ति कितनी है, उनका मूलतत्त्व क्या है, यदि इन में से कोई दो परस्परविरोधी धर्म एक ही समयमें आ पड़े तो किस मार्ग का स्वीकार करना चाहिये, इत्यादि प्रश्नों का निर्णय ऐसी सामान्य युक्तियों से नहीं हो सकता, जो “महाजनो येन गत. म पथा” या “अति सर्वत्र वर्जयेत्” आदि वचनों से सूचित होती है। इसलिये अब यह देखना चाहिये, कि इन प्रश्नों का उचित निर्णय कैसे हो, और श्रेयस्कर मार्ग निश्चित करने के लिये निर्भ्रान्त युक्ति क्या है; अर्थात् यह जानना चाहिये, कि परस्पर विरुद्ध धर्मों की लघुता और गुरुता — न्यूनाधिक महत्ता — किस दृष्टि से निश्चित की जावे। अन्य शास्त्रीय प्रतिपादनो के अनुसार कर्म-अकर्म विवेचनसंबंधी प्रश्नों की भी चर्चा करने के तीन मार्ग हैं, जैसे आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक। इनके भेदों का वर्णन पिछले प्रकरण में कर चुके हैं — हमारे शास्त्रकारों के मतानुसार आध्यात्मिक मार्ग ही इन सब मार्गों में श्रेष्ठ है, परन्तु अध्यात्ममार्ग का महत्त्वपूर्ण रीति से ध्यान में जँचने के लिये दूसरे दो मार्गों का भी विचार करना आवश्यक है, इसीलिये पहले इस प्रकरण में कर्म-अकर्म-परीक्षा के आधिभौतिक मूलतत्त्वों की चर्चा की गई है। जिन आधिभौतिक शास्त्रों की आजकल बहुत उन्नति हुई है, उनमें व्यक्त पदार्थों के बाह्य और दृश्य गुणों ही का विचार विशेषता से किया जाता है। इसलिये जिन लोगों ने आधिभौतिक शास्त्रों के अध्ययन ही में अपनी उन्नति विता दी है और जिनको इस शास्त्र की विचार पद्धति का अभिमान है, उन्हें बाह्य परिणामों के ही विचार करने की आदत-सी पड़ जाती है। इसका परिणाम यह होता है, कि उनकी तत्त्वज्ञानदृष्टि थोड़ी-बहुत संकुचित हो जाती है, और किसी भी बात का विचार करते समय वे लोग आध्यात्मिक, पारलौकिक, अव्यक्त या अदृश्य कारणों को विशेष महत्त्व नहीं देते। परन्तु यद्यपि वे लोग उक्त कारण से आध्यात्मिक और पारलौकिक दृष्टि को छोड़ दें, तथापि उन्हें यह मानना पड़ेगा कि मनुष्य के साप्ताहिक व्यवहारों को सरलता-

* “दुःख से सभी छड़कते हैं और सुख की इच्छा सभी करते हैं।”

पुत्रं च त्रानं श्रीर गोक्षमग्रह करने के लिये नीति-नियमों की अत्यन्त आवश्यकता है। इतिहास में हम देखते हैं, कि उन पंडितों को भी कर्मयोगशास्त्र बहुत महत्त्व था मान्य होना है, कि जो लोग पारलौकिक विषयों पर अनास्था रखते हैं, या जिन लोगों का अध्ययन अध्यात्मज्ञान में (अर्थात् परमेश्वर में भी) विश्वास नहीं है। ऐसे पंडितों ने पश्चिमी देशों में इस बात की बहुत चर्चा की है - और यह चर्चा अब तक जारी है - कि केवल आधिभौतिक शास्त्र की रीति से (अर्थात् अथवा सामाजिक दृश्य युक्तिवाद से ही) कर्म-अकर्म-शास्त्र की उपपत्ति दिखलाई जा सकती है या नहीं। इस चर्चा में उन लोगों ने यह निश्चय किया है, कि नीति-शास्त्र का प्रियेयन करने में अध्यात्मशास्त्र की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। इतिहास में के भले या बुरे होने का निर्णय उस कर्म के बाह्य परिणामों से - जो प्रत्यक्ष दीर्घ पट्ट हैं - किया जाना चाहिये, और ऐसा ही किया भी जाता है। अर्थात्, मनुष्य जो जो कर्म करता है, वह सब सुख के लिये या दुःख-निवारणार्थ ही किया करता है। और ता क्या "सप्त मनुष्या का सुख" ही ऐहिक परमादेश है, और यदि सप्त कर्मों का अन्तिम दृश्य फल इस प्रकार निश्चित है, या नीति-निर्णय का मन्त्रा मार्ग यही होना चाहिये, कि सब कर्मों की नीतिमत्ता निर्णय की जाय। जब कि व्यवहार में किसी वस्तु का भला-बुरापन केवल बाहरी उपयोग ही में निश्चित किया जाता है, - जैसे, जो गाय छोटे मींगोवाली और छोटी या बुर भी अधिक दूध देती है, वही अच्छी समझी जाती है - तब इसी प्रकार जिन कर्मों में सुख प्राप्ति या दुःख निवारणात्मक बाह्य फल अधिष्ठित हैं, उन्हीं की नीति की दृष्टि में भी श्रेयस्कर समझना चाहिये। जब हम लोगों का केवल बाह्य और दृश्य परिणामों की लघुता-गुरुता देख कर नीतिमत्ता के निर्णय करने की या मन्त्र और शास्त्रीय कमीटी प्राप्त हो गई है, तब उसके लिये आत्म-अनात्म का गहन विचार-मागर में चक्कर घाते रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। "अब मैंने जो कर्म किया है, किन्तु पवनं धनेन" * - पान ही में मद्यु भिन्न जाय तो मद्युमस्त्री के होने की आज के लिये जगत् में क्या जाना चाहिये? किसी भी कर्म के केवल बाह्य फल का देख कर नीति और अनैति का निर्णय करनेवाले उनका पक्ष को हमें "आधिभौतिक मुच्यवाद" कहा है। क्या कि नीतिमत्ता का निर्णय करने के लिये हम मन के अनुसार जिन सुख-दुःखा का विचार किया जाता है, वे सब प्रत्यक्ष निष्पत्तियाँ, और केवल बाह्य अर्थान् प्राप्त पदार्थों का इन्द्रियों के माध्यम से प्राप्त होने पर ही निर्णय होता है, यानी आधिभौतिक है, और यह पथ भी मन्त्र

* इस वाक्य में "अर्ध" शब्द "आरु या मन्त्र" के पद का ही अर्थ लेते हैं। मन्त्र मन्त्र २. १. २ के "आरुमन्त्र" की टीका में आनन्दगिरि ने "अर्ध" शब्द का अर्थ "अर्ध" किया है। इस वाक्य का अन्तर्गत अर्थ है - "अर्धस्वार्थस्य सिद्धांती को विनाशक"।

ससार का केवल आधिभौतिक दृष्टि से विचार करनेवाले पंडितों से ही चलाया गया है। इसका विस्तृत वर्णन इस ग्रन्थ में करना असंभव है — भिन्न भिन्न ग्रन्थ-कारों के मतों का सिर्फ सारांश देने के लिये ही स्वतंत्र ग्रन्थ लिखना पड़ेगा, इसलिये श्रीमद्भगवद्गीता के कर्मयोगशास्त्र का स्वरूप और महत्त्व पूरी तौर से ध्यान में आ जाने के लिये नीतिशास्त्र के इस आधिभौतिक पथ का जितना स्पष्टीकरण अत्यावश्यक है, उतना ही सक्षिप्त रीति से इस प्रकरण में एकत्रित किया गया है। इससे अधिक बातें जानने के लिये पाठकों को पश्चिमी विद्वानों के मूलग्रन्थ ही पढ़ना चाहिये। ऊपर कहा गया है, कि परलोक के विषय में आधिभौतिकवादी उदासीन रहा करते हैं; परन्तु इसका यह मतलब नहीं है, कि इस पथ के सब विद्वान् लोग स्वार्थसाधक, अपस्वार्थी अथवा अनीतिमान् हुआ करते हैं। यदि इन लोगों में पारलौकिक दृष्टि नहीं है तो न सही। ये मनुष्य के कर्तव्य के विषय में यही कहते हैं, कि प्रत्येक मनुष्य को अपनी ऐहिक दृष्टि ही को — जितनी बन सके उतनी — व्यापक बना कर समूचे जगत् के कल्याण के लिये प्रयत्न करना चाहिये। इस तरह अतः करण से उत्साह के साथ उपदेश करनेवाले कोन्ट, मिल, स्पेन्सर आदि सात्त्विक वृत्ति के अनेक पंडित इस पन्थ में हैं, और उनके ग्रन्थ अनेक प्रकार के उदात्त और प्रगल्भ विचारों से भरे रहने के कारण सब लोगों के पढ़ने योग्य हैं। यद्यपि कर्मयोगशास्त्र के पन्थ भिन्न हैं, तथापि जब तक “ससार का कल्याण” यह बाहरी उद्देश छूट नहीं गया है तब तक भिन्न रीति से नीतिशास्त्र का प्रतिपादन करनेवाले किसी मार्ग या पन्थ का उपहास करना अच्छी बात नहीं है। अस्तु, आधिभौतिकवादियों में इस विषय पर मतभेद है, कि नैतिक कर्म-अकर्म का निर्णय करने के लिये जिस आधिभौतिक बाह्य सुख का विचार करना है वह किसका है? स्वयं अपना है या दूसरे का; एक ही व्यक्ति का है, या अनेक व्यक्तियों का? अब संक्षेप में इस बात का विचार किया जायगा, कि नये और पुराने सभी आधिभौतिकवादियों के मुख्यतः कितने वर्ग हो सकते हैं, और उनके ये पन्थ कहाँ तक उचित अथवा निर्वोप हैं।

इनमें से पहला वर्ग केवल स्वार्थ-सुखवादियों का है। उस पन्थ का कहना है, कि परलोक और परोपकार सब झूठ है। आध्यात्मिक धर्मशास्त्रों को चालाक लोगों ने अपना पेट भरने के लिये लिखा है। इस दुनिया में स्वार्थ ही सत्य है, और जिस उपाय से स्वार्थ सिद्ध हो सके, अथवा जिसके द्वारा स्वयं अपने आधिभौतिक सुख की वृद्धि हो उसी को न्याय्य, प्रशस्त या श्रेयस्कर समझना चाहिये। हमारे हिंदुस्थान में बहुत पुराने समय में चार्वाक ने बड़े उत्साह से इस मत का प्रतिपादन किया था और रामायण में जावालि ने अयोध्याकांड के अन्त में श्रीरामचंद्रजी को जो कुटिल उपदेश दिया है वह, तथा महाभारत में वर्णित कणिकनीति (म भा. आ. १४२) भी इसी मार्ग की है। चार्वाक का मत है, कि जब पंचमहाभूत एकत्र होते हैं, तब उसके मिलाप से आत्मा नाम का एक गुण उत्पन्न हो जाता है, और देह

के जलने पर उसके साथ साथ वह भी जल जाता है। इसलिये विद्वानोंका कर्तव्य है, कि आत्मविचार के झंझट में न पड़ कर जब तक यह शरीर जीवित अवस्था में है, तब तक "ऋण ले कर भी त्योहार मनावें"—"ऋण कृत्वा घृतं पिवेत्"—क्योंकि मरने पर कुछ नहीं है। चार्वाक हिन्दुस्थान में पैदा हुआ था, इसलिये उसने घृत ही में अपनी तृप्ता बुझा ली। नहीं तो उक्त मूत्र का रूपान्तर "ऋणं कृत्वा सुरा पिवेत्" हो गया होता। कहीं का धर्म और कहीं का परोपकार! इस मंसार में जितने पदार्थ परमेश्वर ने, — शिव, शिव! भूल हो गई। परमेश्वर आया कहीं से — इन मंसार में जितने पदार्थ हैं, वे सब मेरे ही उपयोग के लिये हैं। उनका दूसरा कोई भी उपयोग नहीं दिखाई पड़ता — अर्थात् है ही नहीं! मैं मरा कि दुनिया डूबी! इसलिये जब तक मैं जीता हूँ, तब आज यह तो कल वह; इन प्रकार सब कुछ अपने अधीन करके अपनी सारी काम-वामनाओं को तृप्त कर लूंगा। यदि मैं तप करूँगा, अथवा कुछ दान दूँगा तो वह सब मैं अपने महत्त्व को बढ़ाने ही के लिये करूँगा; और यदि मैं राजनीय या अश्वमेध यज्ञ करूँगा, तो उसे मैं यही प्रकट करने के लिये करूँगा, कि मेरी नत्ता या अधिकार सर्वत्र अवाधित है। साराण, इस जगत् का मैं ही केन्द्र हूँ; और केवल यही सब नीतिशास्त्रों का रहस्य है। बाकी सब झूठ है। ऐसे ही आमुरी मताभिमानियों का वर्णन गीता के मोक्षहवे अध्याय में किया गया है — "ईश्वरोऽहमह भोगी मिद्वोऽह बलवान् मुखी" (गीता १६. १४) — मैं ही ईश्वर, मैं ही भोगनेवाला; और मैं ही मिद्व बलवान् और मुखी हूँ। यदि श्रीऋष्ण के बदले जावालिक के समान इन पयवाला कोई आदमी अर्जुन को उपदेश करने के लिये होना, तो वह पहले अर्जुन के कान मग्न कर वह बतलाता, कि "अरे तू मूर्ख तो नहीं है? लडाई में सब को जीत कर अनेक प्रकार के राजभोग और विलामों के भोगने का यह बढिया मौजा पाकर भी तू 'यह कहे कि वह कहे?' इत्यादि धर्म धर्म में कुछ ना कुछ बक रहा है। यह मौजा फिरसे मिलने का नहीं। वहाँ के आत्मा और वहाँ के कुटुम्बियों के लिये बैठा है। उठ, तैयार हो; सब लोगों को ठोस-थोड कर मौधा कर दे; और हस्तिनापूर के साम्राज्य का सुख में निष्कण्टक उपभोग कर! हमों में तेरा परम बन्ध्याण है। स्वयं अपने दृश्य तथा ऐहिक सुख के निम्न इस मंसार में और क्या क्या है?" परन्तु अर्जुन ने इस घृणित, स्वार्थ-नापक और आमुरी उपदेश को प्रतीक्षा नहीं की — उसने पहले ही श्रीऋष्ण से यह दिया कि :-

एतावन्न हन्मुमिच्छामि धनतोऽपि मयुमुदत ।
अपि प्रशोभयराज्यस्य हेतोः किं नु महीहृते ॥

"पूणों का ही क्या, परन्तु यदि नीनों लोगों का राज्य (इतना बड़ा विषय-मुद्य) भी (दग मुद्द के द्वारा) मुझे मिला जाय, तो भी मैं बौग्यों को मारना नहीं चाहता। वहाँ के भोगों से ही गर्दन उठा दे!" (गी. १. ३५)। अर्जुनने पहले ही से जिन

मंसारों और श्राद्धमोक्ष मंत्रवाद का इन तरह निषेध किया है, उन आमुरी

मत वा केवल उल्लेख करना ही उसका खंडन करना कहा जा सकता है। दूसरो के हित-अनहित की कुछ भी परवाह न करके सिर्फ अपने खुद के विषयोपभोगसुख को परम-पुरुषार्थ मान कर नीतिमत्ता और धर्म को गिरा देनेवाले आधिभौतिकवादीयो की यह अत्यन्त वनिष्ठ श्रेणी कर्मयोगशास्त्र के सब ग्रन्थकारो के द्वारा और सामान्य लोगोके द्वारा भी बहुत ही अनीति की, त्याज्य और गह्य मानी गई है। अधिक क्या कहा जाय, यह पन्थ नीतिशास्त्र अथवा नीतिविवेचन के नाम को भी पात्र नहीं है। इसलिये इसके बारे मे अधिक विचार न करके आधिभौतिकसुखवादियो के दूसरे वर्ग की ओर ध्यान देना चाहिये।

खुल्लमखुल्ला या प्रमट स्वार्थ ससार मे चल नहीं सकता। क्योकि यह प्रत्यक्ष अनुभव की बातचहै, कि यद्यपि आधिभौतिक विषयसुख प्रत्येक को इष्ट होता है, तथापि जब हमारा सुख अन्य लोगो के सुखोपभोग मे बाधा डालता है, तब वे लोग विना विघ्न किये नहीं रहते। इसलिये दूसरे कई आधिभौतिक पण्डित प्रतिपादन किया करते हैं, कि यद्यपि स्वय अपना सुख या स्वार्थ-साधन ही हमेशा उद्देश है, तथापि सब लोगो को अपने ही समान रियायत दिये विना सुख का मिलना सम्भव नहीं है। इसलिये अपने सुख के लिये ही दूरदर्शिता के साथ अन्य लोगो के सुख की ओर भी ध्यान देना चाहिये। इन आधिभौतिकवादियो की गणना हम दूसरे वर्ग में करते हैं। बल्कि यह कहना चाहिये, कि नीति की आधिभौतिक उपपत्ति का यथार्थ आरम्भ यही से होता है। क्योकि इस वर्ग के लोग चार्वाक के मतानुसार यह नहीं कहते, कि समाज-धारणा के लिये नीति के बन्धनो की कुछ आवश्यकता ही नहीं है। किन्तु इन लोगो ने अपनी विचारदृष्टि से इस बात का कारण बतलाया है, कि सभी लोगो को नीति का पालन करना चाहिये। इनका कहना यह है, कि यदि इस बात का सूक्ष्म विचार किया जाय, कि ससार मे अहिंसा-धर्म कैसे निकला और लोग उसका पालन क्यो करते हैं, तो यही मालूम होगा, कि ऐसे स्वार्थमूलक भय के सिवा उसका कुछ दूसरा आदिकारण नहीं है, जो इस वाक्य से प्रकट होता है — “यदि मैं लोगो को मारूंगा तो वे मुझे भी मार डालेंगे, और फिर मुझे अपने सुखो से हाथ धोना पडेगा।” अहिंसा-धर्म के अनुसार ही अन्य सब धर्म भी इसी या ऐसे ही स्वार्थमूलक कारणो से प्रचलित हुए हैं। हमें दुःख हुआ, तो हम रोते हैं, और दूसरो को हुआ, तो हमे दया आती है। क्यो? इसी लिये न, कि हमारे मन मे यह डर पैदा होता है, कि कही भविष्य मे हमारी भी ऐसी ही दुःखमय अवस्था न हो जाय। परोपकार, उदारता, दया, ममता, वृत्तज्ञता, नम्रता, मित्रता इत्यादि जो गुण लोगो के सुख के लिये आवश्यक मालूम होते हैं, वे सब — यदि उनका मूलस्वरूप देखा जाय तो — अपने ही दुःखनिवारणार्थ हैं। कोई किसी की सहायता करता है, या कोई किसी को दान देता है। क्यो? इसी लिये न कि जब हम पर भी आ वितेगी, तब वे हमारी सहायता करेगे। हम अन्य

लोगों को इसलिये प्यार पर रखते हैं, कि वे भी हमपर प्यार करें। और कुछ नहीं तो हमारे मन में अच्छा बहलाने का स्वार्थमूलक हेतु अवश्य रहता है। परोपकार और परायण दोनों शब्द केवल भ्रान्तिमूलक हैं। यदि कुछ सच्चा है तो स्वार्थ; और स्वार्थ बहने है अपने लिये सुख-प्राप्ति या अपने दुःखनिवारण को। माता बच्चे को दूध पिलाती है; इसका कारण यह नहीं है, कि वह बच्चे पर प्रेम रखती हो; सच्चा कारण तो वही है, कि उसके स्तनों में दूध भर जाने से उसे जो दुःख होता है, उसे बचाने के लिये - अथवा भविष्य में यही लडका मुझे प्यार करके सुख देगा इस स्वार्थ-मिथि के लिये ही - वह बच्चे को दूध पिलाती है। इस बात को हमारे वर्ग के आधिभोक्तृप्रादी मानते हैं, कि स्वयं अपने ही सुख के लिये भी क्यों न हो, परंतु भविष्य पर दृष्टि रख कर ऐसे नीतिधर्म का पालन करना चाहिये, कि जिससे दूसरों को भी सुख हो। वम, यही इस मत में और चार्वाक के मत में भेद है। तथापि चार्वाक मत के अनुसार इस मत में भी यह माना जाता है, कि मनुष्य केवल विषय-सुख-रूप स्वार्थ के दृश द्रुवा एक पुतला है; इंग्लैंड में हॉब्स और फ्रान्स में हेल्वेसियस ने इस बात का प्रतिपादन किया है। परंतु इस मत के अनुयायी अब न तो इंग्लैंड में ही और न वहाँ बाहर ही अधिक मिलेंगे। हॉब्स के नीतिधर्म की इस उपनि के प्रसिद्ध होने पर बटलर मरीखे विद्वानों ने उसका खटन करके सिद्ध किया, कि मनुष्य-स्वभाव केवल स्वार्थी नहीं है; स्वार्थ के समान ही उनमें जन्म से ही भूतदया, प्रेम, दृढजना आदि मद्गुण भी कुछ अंश में रहते हैं। इसलिये किसी का व्यवहार या कर्म का नैतिक दृष्टि से विचार करते समय केवल स्वार्थ या दूरदर्शी स्वार्थ की ओर ही ध्यान न दे कर मनुष्य-स्वभाव के दो स्वाभाविक गुणों (अर्थात् मर्यादे भ्रू जानवर भी अपने बच्चों की रक्षा के लिये प्राण देने को तयार हो जाते हैं, तब हम यह कभी नहीं कह सकते कि मनुष्य के हृदय में प्रेम और परोपकारबुद्धि जैसे मद्गुण केवल स्वार्थ ही ने उत्पन्न हुए हैं। इनमें सिद्ध होता है, कि धर्म-अधर्म की परीक्षा केवल दूरदर्शी स्वार्थ से करना शास्त्रकी दृष्टि में भी उचित नहीं है। पर बात हमारे प्राचीन पंडितों को भी अच्छी तरह से मालूम थी, कि केवल ममार में शिष्ट रहने के कारण जिन मनुष्य की बुद्धि मूढ़ नहीं रहती है, वह मनुष्य जो कुछ परोपकार के नाम से करता है, वह बहुधा अपने ही हित के लिये करता है। मनुष्य में नृणागम महाप्राण एक बड़े मार्गी भगवद्भक्त हो गये हैं। वे बहते हैं, कि 'यः शिष्टान्तेन के शिष्टे तो रोगी है नाम के हित के लिये; परंतु हृदय का भाव कुछ

* हॉब्स का मत उसके *Leviathan* नामक ग्रन्थ में संक्षेपित है, तथा बटलर का मत उसके *Sermon on Human Nature* नामक निबन्ध में है। हेल्वेसियस के इंग्लैंड का गणतन्त्र में होने के लिये *Diderot* विषयक ग्रन्थ (Vol. II, Chap. V) में लिखे हैं।

और ही रहता है।" बहुत से पंडित तो हेल्वेशियस से भी आगे बढ़ गये हैं। उदाहरणार्थ, "मनुष्य की स्वार्थप्रवृत्ति तथा परार्थप्रवृत्ति भी दोषमय होती है"— "प्रवर्तनालक्षणा दोषाः" इस गौतमन्यायसूत्र (१.१.१८) के आधार पर ब्रह्मसूत्र भाष्य में श्रीशंकराचार्य ने जो कुछ कहा है (वे. सू. शां. भा. २.२.३), उस पर टीका करते हुए आनंदगिरी लिखते हैं, कि "जब हमारे हृदय में कारुण्यवृत्ति जागृत होती है, और हमको उससे दुःख होता है, तब उस दुःख को हटाने के लिये हम अन्य लोगों पर दया और परोपकार किया करते हैं।" आनंदगिरी की यही यक्ति प्रायः हमारे सब संन्यासमार्गीय ग्रंथों में पाई जाती है; जिससे यह सिद्ध करने का प्रयत्न दीख पड़ता है, कि सब कर्म स्वार्थमूलक होने के कारण त्याज्य है। परंतु बृहदारण्यकोपनिषद् (२.४., ४.५) में याज्ञवल्क्य और उनकी पत्नी मैत्रेयी का जो संवाद दो स्थानों पर है, उसमें इसी युक्तिवाद का उपयोग एक दूसरी ही अद्भुत रीति से किया गया है। मैत्रेयी ने पूछा 'हम अमर कैसे?' इस प्रश्न का उत्तर देते समय याज्ञवल्क्य उससे कहते हैं, "हे मैत्रेयी! स्त्री अपने पति को पति ही के लिये नहीं चाहती; किन्तु वह अपनी आत्मा के लिये उसे चाहती है। इसी तरह हम अपने पुत्र से उसके हितार्थ प्रेम नहीं करते; किन्तु हम स्वयं अपने ही लिये उसपर प्रेम करते हैं*। द्रव्य, पशु और अन्य वस्तुओं के लिये भी यही न्याय उपयुक्त है। "आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति"— अपने आत्मा के प्रीत्यर्थ ही सब पदार्थ हमें प्रिय लगते हैं। और यदि इस तरह सब प्रेम आत्म-मूलक है, तो क्या हमको सब से पहले यह जानने का प्रयत्न नहीं करना चाहिये, कि आत्मा (हम) क्या है?" यह कह कर अंत में याज्ञवल्क्य ने यही उपदेश दिया है, "आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः"— अर्थात् "सब से पहले यह देखो, कि आत्मा कौन है, फिर उसके विषय में सुनो और उसका मनन तथा ध्यान करो।" इस उपदेश के अनुसार एक बार आत्मा के सच्चे स्वरूप की पहचान होने पर सब जगत् आत्ममय देख पड़ने लगता है; और स्वार्थ तथा परार्थ का भेद ही मनमें रहने नहीं पाता। याज्ञवल्क्य का यह युक्तिवाद दिखनेमें तो हॉब्स के मतानुसार ही है; परंतु यह बात भी किसी से छिपी नहीं है, कि इन दोनों से निकाले गये अनुमान एक दूसरे के विरुद्ध हैं। हॉब्स स्वार्थ ही को प्रधान मानता है; और सब पदार्थों को दूरदर्शी स्वार्थ का ही एक स्वरूप मान कर

* "What say you of natural affection? Is that also species of self-love? Yes; All is self-love. *Your* children are loved only because they are yours. *Your* friend for a like reason. And *Your* country engages you only so far as it has a connection with *Yourself*" ब्रूम ने भी इसी युक्तिवाद का उल्लेख अपने *Of the Dignity or Meanness of Human Nature* नामक निबन्ध में किया है। स्वयं ब्रूम का मत इससे भिन्न है।

वह कहता है, कि इन ममार में स्वार्थ के सिवा और कुछ नहीं। याज्ञवल्क्य 'स्वार्थ' शब्द के 'स्व' (अपना) पद के जाग्रत पर दिखलाने हैं, कि अध्यात्मदृष्टि में अपने एक ही आत्मा का, अविराघ भाव में समावेश कैसे होता है। यह दिखला कर उन्होंने स्वार्थ और परार्थ में दिखनेवाले द्वैत के झगटे की जड़ ही को काट डाला है। याज्ञवल्क्य के उक्त मत और मन्याममार्गीय मत पर अप्रिय विचार आगे किया जाएगा। यहाँ पर याज्ञवल्क्य आदिकों के मनोका उल्लेख यही दिखलाने के लिये किया गया है, कि "मामान्य मनुष्यों की प्रवृत्ति स्वार्थ-विषयक अर्थात् आत्ममुख-विषयक होती है" - इस एक ही बात को थोड़ा-बहुत महत्त्व दे कर, अथवा इसी एक बात का सर्वथा अपवाद-रहित मान कर, हमारे प्राचीन ग्रथकारों ने उसी बात में हान्म के विरुद्ध हमारे अनुमान कैसे निवाटे हैं।

जब यह बात सिद्ध हो चुकी, कि मनुष्य का स्वभाव केवल स्वार्थमूलक अर्थात् नमोङ्गी या राक्षसी नहीं है - जैसा कि अंग्रेज ग्रथकार हॉम और फ्रेंच पण्डित हेन्वेगियम कहते हैं - किन्तु मनुष्य-स्वभाव में स्वार्थ के साथ ही परोपकारबुद्धि की मान्दिक मनावृत्ति भी जन्म में पाई जाती है। अर्थात् जब यह सिद्ध हो चुका कि परोपकार केवल दूरदर्शी स्वार्थ नहीं है, तब स्वार्थ अर्थात् स्वमुख और परार्थ अर्थात् दूसरा का सुख, इन दोनों तन्त्रों पर समदृष्टि रख कर कार्य-अकार्य व्यवस्थाशास्त्र की रचना करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। यही आधिभौतिकवादियों का तीमर था है। इस पर मैं भी यह आधिभौतिक मन मान्य है, कि स्वार्थ और परार्थ दोनों मानात्मिक सुखवाचक हैं। सामात्मिक सुख व परे कुछ भी नहीं है। भेदकेवल इतना ही है, कि इन पक्ष के तब स्वार्थबुद्धि के समान ही परार्थबुद्धि को भी स्वाभाविक मानते हैं। इसलिये व कहते हैं, कि नीति का विचार करते समय स्वार्थ के समान परार्थ की और ध्यान देना चाहिये। सामान्यतः स्वार्थ और परार्थ में विरोध उत्पन्न नहीं होता, इसलिये मनुष्य जा कुछ करता है, वह सब प्रायः समाज के भी हित का होता है। यदि किसी ने धनमत्तय किया, तो उसमें समस्त समाज का भी हित होता है, इसलिये, अनस व्यक्तियों के समूह को समाज कहते हैं, और यदि उन समाज की प्रत्येक व्यक्ति दुःखी शानि न कर अपना अपना लाभ करने लगे, तो उसमें कुछ सुख की आर दुःख करके यदि कोई मनुष्य लोचहित या कुछ काम कर मने, तो ऐसा करना उसका कर्तव्य होगा। परन्तु इस पक्ष के तब परार्थ की श्रेष्ठता का स्वीकार नहीं करते, किन्तु ये जग कहते हैं कि तब समय अपनी बुद्धि के अनुसार इस बात का विचार करना चाहिए, कि स्वार्थ श्रेष्ठ है या परार्थ। उसका परिणाम यह होता है कि जब स्वार्थ और परार्थ में विरोध उत्पन्न होता है, तब हम प्रश्न का निर्णय करने समय बहुधा स्वार्थ स्वार्थ ही की ओर अधिक दूर जाया करता है, कि लोक-सुख के लिये अनस कल्याण का उपाय करना चाहिये। उदाहरणार्थ, यदि स्वार्थ और परार्थ को एक मान

श्रवण मान ले, तो सत्य के लिये प्राण देने और राज्य छो देने की बात तो दूर ही नहीं, परन्तु इस पथ के मत से यह भी निर्णय नहीं हो सकता, कि सत्य के लिये द्रव्य को हानि सहना चाहिये या नहीं। यदि कोई उदार मनुष्य परार्थ के लिये प्राण दे दे, तो इस पथवाले कदाचित् उसकी स्तुति कर देंगे, परन्तु जब यह मौका स्वयं अपने ही ऊपर आ जायगा, तब स्वार्थ-परार्थ दोनों ही का आश्रय करनेवाले ये लोग स्वार्थ की ओर ही अधिक झुकेगे। ये लोग, हॉब्स के समान परार्थ को एक प्रकारका दूरदर्शी स्वार्थ नहीं मानते, किन्तु ये समझते हैं, कि हम स्वार्थ और परार्थ को तराजू में तोल कर उनके तारतम्य अर्थात् उनकी न्यूनाधिकता का विचार करके बड़ी चतुराई से अपने स्वार्थ का निर्णय किया करते हैं। अतएव ये लोग अपने मार्ग को 'उदात्त' या 'उच्च' स्वार्थ (परन्तु है तो स्वार्थ ही) कह कर उसकी बड़ाई मारते फिरते हैं, परन्तु देखिये, भर्तृहरि ने क्या कहा है -

एते सत्पुरुषाः परार्थघटकाः स्वार्थान् परित्यज्य ये ।

सामान्यास्तु परार्थमुद्यमभूतः स्वार्थाऽविरोधेन ये ॥

तेऽपि मानवराक्षसाः परहित स्वार्थाय निघ्नन्ति ये ।

ये तु घ्नन्ति निरर्थक परहित ते के न जानीमहे ॥

“ जो अपने लाभ को त्याग कर दुसरो का हित करते हैं वे ही सच्चे सत्पुरुष हैं। स्वार्थ को न छोड़ कर जो लोग लोकहित के लिये प्रयत्न करते हैं, वे पुरुष सामान्य हैं और अपने लाभ के लिये जो दुसरो का नुकसान करते हैं वे नीच मनुष्य नहीं हैं, उनको मनुष्याकृति राक्षस समझना चाहिये। परन्तु एक प्रकार के मनुष्य और भी हैं, जो लोकहित का निरर्थक नाश किया करते हैं - मालूम नहीं पड़ता कि ऐसे मनुष्यों को क्या नाम दिया जाय ” (भर्तृ नी श ७४) इसी तरह राजधर्म की उत्तम स्थिति का वर्णन करते समय कालिदास ने भी कहा है -

स्वसुखनिरभिलाषः खिद्यसे लोकहेतो ।

प्रतिदिनमथवा ते वृत्तिरेवविधव ॥

अर्थात् “ तू अपने सुख की परवाह न करके लोकहित के लिये प्रतिदिन कष्ट उठाया करता है। अथवा तेरी वृत्ति (पेशा) ही यही है ” (शाकु ५ ७) भर्तृहरि या कालिदास यह जानना नहीं चाहते थे, कि कर्मयोगशास्त्र में स्वार्थ और परार्थ को स्वीकार करके उन दोनों तत्त्वा के तारतम्य-भाव से धर्म-अधर्म या कर्म-अकर्म का निर्णय कैसे करना चाहिये, तथापि परार्थ के लिये स्वाय छोड़ देनेवाले पुरुष का उन्होंने जो प्रथम स्थान दिया है, वही नीति की दृष्टि से भी न्याय्य है। इस पर इस पथ के लोग का यह कहना है कि “ यद्यपि तात्त्विक दृष्टि से परार्थ श्रेष्ठ है,

* अर्थेनी में इस enlightened self-interest ऋते है। हमने enlightened का भाषा-तर 'उदात्त' या 'उच्च' शब्दों से किया है।

तथापि परम नीमा की शुद्ध नीति की ओर न देख कर हमें सिर्फ यही निश्चित करना है, कि माधारण व्यवहार में 'सामान्य' मनुष्यों को कैसे चलना चाहिये। और इसलिये हम 'उच्च स्वार्थ' को जो अग्रस्थान देते हैं, वही व्यावहारिक दृष्टि से उचित है।" * परन्तु हमारी ममज्ञ के अनुसार हम युक्तिवाद में कुछ लाभ नहीं है। बाजार में जितने माप-तौल नित्य उपयोग में लाये जाते हैं, उनमें थोड़ा बहुत फर्क रहता ही है; वम, यही कारण बनता है यदि प्रमाणभूत मरकारी माप-तौल में भी कुछ न्यूनाधिकता रखी जाय तो क्या उनके खोटे-पन के लिये हम अधिकारियों को दोष नहीं देंगे? इसी न्याय का उपयोग कर्मयोगशास्त्र में भी किया जा सकता है। नीति-धर्म के पूर्ण शुद्ध और नित्य स्वल्प का शास्त्रीय निर्णय करने के लिये ही नीतिशास्त्र की प्रवृत्ति हुई है, और हम काम को यदि नीतिशास्त्र नहीं करेगा, तो हम उसको निष्फल कह सकते हैं। मिज्विक का यह कथन मत्य है, कि 'उच्च स्वार्थ' सामान्य मनुष्यों का मार्ग है। भर्तृहरि का मत भी ऐसा ही है। परन्तु यदि इस बात की खोज की जाय, कि परकाष्ठा की नीतिमत्ता के विषय में उन सामान्य लोगों का क्या मत है, तो यह मालूम होगा की, मिज्विक ने उच्च स्वार्थ को जो महत्व दिया है, वह भूल है। क्योंकि माधारण लोग भी यही कहते हैं, कि निष्फल नीति के तथा मत्सुखों के आचरण के लिये यह कामचलाऊ मार्ग श्रेयस्कर नहीं है। इसी बात का वर्णन भर्तृहरि ने उन श्लोकों में किया है।

आधिभौतिक सुखवादियों के तीन वर्गों का अब तक वर्णन किया गया :- (१) केवल स्वार्थों; (२) दूरदर्शी स्वार्थों, और (३) उभयवादी अर्थात् उच्च स्वार्थों। इन तीन वर्गों के मुख्य दोष भी बतला दिये गये हैं; परन्तु उनमें ही में सब आधिभौतिक पक्ष पूरा नहीं हो जाता। उनके आगे का - और सब आधिभौतिक पक्षों में श्रेष्ठ पक्ष वह है - जिसमें कुछ मात्त्विक तथा आधिभौतिक पण्डितों ने यह प्रतिपादन किया है, कि "एक ही मनुष्य के सुख को न देख कर - किन्तु सब मनुष्यजाति के आधिभौतिक सुख-दुःख के नारतम्य को देख कर ही - नैतिक स्वार्थ-अस्वार्थ का निर्णय करना चाहिये।" एक ही कृत्य में, एक ही समय में, ममान के सा ममान के सब लोगों को सुख होना असम्भव है। कोई एक धान किसी को सुखसागर मारून होना है, तो वही हमारे को दुःखदायक हो जाती है। परन्तु

* Sidgwick's *Methods of Ethics*. Book I, Chap. II § 2. pp. 18-29, also, Book IV, Chap. IV § 3p 474 यह तीसरा पन्ना कुछ निर्विकार का निरूपण करता है, सामान्य एथिक्स अर्थात् लोक प्रिय दृष्टि पन्ना है अन्तर्गत है। इसे Common-sense morality कहते हैं।

* हे वम, मिज्विक ने लिखा है कि 'Greatest good of the greatest number' का अर्थ है 'सब लोगों का अधिकतम सुख' यह सामान्य विचार है।

जैसे घघू को प्रकाश नापसन्द होने के कारण कोई प्रकाश ही को त्याज्य नहीं कहता, उसी तरह यदि किसी विशिष्ट सम्प्रदाय को कोई बात लाभदायक मालूम न हो तो कर्मयोगशास्त्र में भी यह नहीं कहा जा सकता, कि वह सभी लोगों को हिता-चह नहीं है। और, इसी लिये “सब लोगों का सुख” इन शब्दों का अर्थ भी “अधिका-काश लोगों का अधिक सुख” कहना पड़ता है। इस पंथ के मत का साराश यह है, कि “जिममे अधिकाश लोगों का अधिक सुख हो, उसी बात को नीति की दृष्टि से उचित और ग्राह्य मानना चाहिये, और उसी प्रकार का आचरण करना इस संसार में मनुष्य का सच्चा कर्तव्य है।” आधिभौतिक सुखवादियों का उक्त तत्त्व आध्यात्मिक पथ को मजूर है। यदि यह कहा जाय तो भी कोई आपत्ति नहीं कि आध्यात्मिकवादियों ने ही इस तत्त्व को अत्यन्त प्राचीन काल में ढूँढ निकाला था। और भेद इतना ही है, कि अब आधिभौतिकवादियों ने उसका एक विशिष्ट नीति में उपयोग किया है। तुकाराम महाराज ने कहा है, कि “सतजनो की विभू-तिया केवल जगत् के कल्याण के लिये हैं—वे लोग परोपकार करने में अपने शरीर को कष्ट दिया करते हैं।” अर्थात् इस तत्त्व की सच्चाई और योग्यता के विषय में कुछ भी सदेह नहीं है। स्वयं श्रीमद्भगवद्गीता में ही, पूर्णयोगयुक्त अर्थात् कर्मयोगयुक्त ज्ञानी पुरुषों के लक्षणों का वर्णन करते हुए, यह बात दो बार स्पष्ट कही गई है, कि वे लोग “सर्वभूतहिते रताः” अर्थात् सब प्राणियों का कल्याण करने ही में निमग्न रहा करते हैं (गी ५. २५; १२ ४)। इस बात का पता दूसरे प्रकरण में दिये हुए महाभारत के “यद्भूतहितमत्यन्त तत् सत्यमिति धारणा” वचन से स्पष्टतया चलता है, कि धर्म-अधर्म का निर्णय करने के लिये हमारे शास्त्रकार इस तत्त्व को हमेशा ध्यान में रखते थे। परन्तु हमारे शास्त्रकारों के कथनानुसार ‘सर्वभूतहित’ को ज्ञानी पुरुषों के आचरण का बाह्य लक्षण समझ कर धर्म-अधर्म का निर्णय करने के किसी विशेष प्रसंग पर स्थूलमान से उस तत्त्व का उपयोग करना एक बात है। और उसी को नीतिमत्ता का सर्वस्व मान कर—दूसरी किसी बात पर विचार न करके—केवल इसी नीव पर नीतिशास्त्र का भव्य भवन निर्माण करना दूसरी बात है। इन दोनों में बहुत भिन्नता है। आधिभौतिक पण्डित दूसरे मार्ग को स्वीकार करके प्रतिपादन करते हैं, कि नीतिशास्त्र का अध्यात्म-विद्या से कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। इसलिये अब यह देखना चाहिये, कि उनका कहना कहाँ तक युक्तिसंगत है। ‘सुख’ और ‘हित’ दोनों शब्दों के अर्थ में बहुत भेद है। परन्तु यदि इस भेद पर भी ध्यान न दे; और ‘सर्वभूत’ का अर्थ “अधिकाश लोगों का अधिक सुख” मान ले, और कार्य-अकार्य-निर्णय के काम में केवल इसी तत्त्व का उपयोग करें; तो यह साफ दीख पड़ेगा कि बड़ी बड़ी अनेक कठिना-इयाँ उत्पन्न होती हैं। मान लीजिये, कि इस तत्त्व का कोई आधिभौतिक पण्डित अर्जुन को उपदेश देने लगता, तो वह अर्जुन से क्या कहता? यही न; कि

यदि युद्ध में जय मिलने पर अधिकांश लोगों का अधिक मुख होना संभव है तो भीष्म पितामह को भी मार कर युद्ध करना तोरा कर्तव्य है। दीखने को तो यह उपदेश बहुत मीठा और मट्ज दीख पडता है; परंतु कुछ विचार करने पर इसकी अपूर्णता और कठिनाई ममझ में आ जाती है। पहले यही सोचिये, कि अधिक दानो कितना ? पांडवों की मात अशोहिणिया थी और कौरवों की ग्यारह। इसलिये यदि पांडवों की हार हुई होती तो कौरवों को सुख हुआ होता। क्या, उमी युक्ति-वाद से पांडवों का पक्ष अन्याय्य कहा जाता है? भारतीय युद्ध ही की बात कौन कहे; और भी अनेक अवसर ऐसे हैं कि जहाँ नीति का निर्णय केवल मंख्या मे कर बैठना बड़ी भारी भूल है। व्यवहार में सब लोग यही ममझते हैं कि लाखों दुर्जनों को मुख होने की अपेक्षा एक ही मज्जन को जिममे मुख हो, वही मच्चा मत्कार्य है। इस ममझ को सब बतलाने के लिये एक ही मज्जन के मुख को लाख दुर्जनों के मुख की अपेक्षा अधिक मूल्यवान् मानना पडेगा; और ऐसा करने पर "अधिकांश लोगों का अधिक बाह्य" मुखवाला (जो कि नीतिमत्ता की परीक्षा का एकमात्र माधन माना गया है) सिद्धान्त उनना ही शिथिल हो जायगा। इसलिये कहना पड़ना है कि, लोच-मंख्या की न्यूनाधिकता वा नीतिमत्ता के साथ कोई नित्य-मम्बन्ध नहीं हो सकता। यह बात भी ध्यान में रखने योग्य है, कि कभी जो बान माधारण लोगों को मुखदायक मान्म होनी है, वही बान किमी दूरदर्शी पुरुष को परिणाम मे सब के लिये हानिप्रद दीख पडती है। उदाहरणार्थ, माफ़ेटीज और ईमाममीह को ही लीजिये। दोनों अपने अपने मत को परिणाम में कल्याणकारक ममझ कर ही अपने देगबन्धुओं को उमरा उपदेश करने थे; परन्तु उनके देगबन्धुओं ने इन्हें "ममाज के मज्ज" ममझ कर मौत की मजा दी। इस विषय में "अधिकांश लोगों का अधिक मुख" इना तन्व के अनुसार उम समय लोगों ने और उनके नेताओं ने मिल कर आचरण किया था; परन्तु अब इस समय हम नहीं कह सकते, कि उन लोगों वा बतौर न्यायसुक्त था। सागज, यदि "अधिकांश लोगों के अधिक मुख" को ही क्षण भर के लिये नीति का मूलतन्व मान ले, तो भी उममे ये प्रश्न हल नहीं हो सकते, कि लाखों-शरोतों मनुष्यों का मुख जिममे है। उमरा निर्णय कौन कैसे करे ? माधारण अवसरों पर निर्णय करने वा पर काम उन्ही लोगों को मौप दिया जा सकता है, कि जिनके बारे में मुख-पुच्छ वा प्रश्न उपस्थित हों। परन्तु माधारण अवसर में उनना प्रश्न करने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती। और जब विशेष कठिनाई वा कोई मसल आता है, सब माधारण मनुष्यों में यह जानने की दायरहित शक्ति नहीं रहती, कि इनाग मुख किम बात में है। ऐसी अवस्था में यदि इन माधारण अधिकांश लोगों ने हाथ नीति यह ब्रवेला तन्व अधिकांश लोगों वा अधिक मुख 'मम' बाप, तो कहीं भयानक परिणाम होगा, जो मैदान के हाथ में सागज देव के हाथ में है। पर बाद उम दोनों उदाहरणों (माफ़ेटीज और ब्रादन्ट) में

भली भाँति प्रकट हो जाती है। इस उत्तर में कुछ जान नहीं, कि "नीतिधर्म का हमारा तत्त्व शुद्ध और सच्चा है; मूर्ख लोगों ने उसका दुष्प्रयोग किया तो हम क्या कर सकते हैं?" कारण यह है, कि यद्यपि तत्त्व शुद्ध और सच्चा हो, तथापि उसका उपयोग करने के अधिकारी कौन हैं, वे उनका उपयोग कब और कैसे करते हैं, इत्यादि बातों की मर्यादा भी, उसी तत्त्व के साथ देनी चाहिये। नहीं तो सम्भव है, कि हम अपने को साफ़्टीज के सदृश्य नीति-निर्णय करने में समर्थ मान कर अर्थ का अनर्थ कर बैठें।

केवल संस्था की दृष्टि से नीति का उचित निर्णय नहीं हो सकता; और इस बात का निश्चय करने के लिये कोई भी बाहरी साधन नहीं कि अधिकांश लोगों का अधिक सुख किस में है। इन दो आक्षेपों के सिवा इस पन्थ पर और भी बड़े बड़े आक्षेप किये जा सकते हैं। जैसे, विचार करने पर यह अपने आप ही मालूम हो जायगा, कि किसी काम के केवल बाहरी परिणाम से ही उसको न्याय्य अथवा अन्याय्य कहना बहुधा असम्भव हो जाता है। हम लोग किसी घड़ी को उसके ठीक ठीक समय बतलाने न बतलाने पर, अच्छी या खराब कहा करते हैं। परन्तु इसी नीति का उपयोग मनुष्य के कार्यों के सम्बन्ध में करने के पहले हमें यह बात अवश्य ध्यान में रखनी चाहिये, कि मनुष्य, घड़ी के समान कोई यंत्र नहीं है। यह बात सच है, कि सब सत्पुरुष जगत् के कल्याणार्थ प्रयत्न किया करते हैं। परन्तु इससे यह उलटा अनुमान निश्चयपूर्वक नहीं किया जा सकता, कि जो भी देखना चाहिये, कि मनुष्यका अन्तःकरण कैसा है। यंत्र और मनुष्य में यदि कुछ भेद है तो यही, कि एक हृदयहीन है, और दूसरा हृदययुक्त है; और इसी लिये अज्ञान से या भूल से किये गये अपराध को कायदे में क्षम्य मानते हैं। तात्पर्य, कोई काम अच्छा है या बुरा, धर्म है या अधर्म, नीति का है अथवा अनीति का, इत्यादि बातों का सच्चा निर्णय उस काम के केवल बाहरी फल या परिणाम — अर्थात् वह अधिकांश लोगों को अधिक सुख देगा कि नहीं इतने ही — से नहीं किया जा सकता। उसीके साथ साथ यह भी जानना चाहिये, कि उस काम को करनेवाले की बुद्धि, वासना या हेतु कैसा है। एक समय की बात है, कि अमेरिका के एक बड़े शहर में सब लोगों के सुख और उपयोग के लिये ट्रामवे की बहुत आवश्यकता थी। परन्तु सरकारी अधिकारियों की आज्ञा पाये बिना ट्रामवे नहीं बनाई जा सकती थी। सरकारी मंजूरी मिलने में बहुत देरी हुई। तब ट्रामवे के व्यवस्थापक ने अधिकारियों को रिश्वत दे कर जल्द ही मंजूरी ले ली। ट्रामवे बन गई और उससे शहर के सब लोगों की सुभित्ता और फायदा हुआ। कुछ दिनों के बाद रिश्वत की बात प्रकट हो गई; और उस व्यवस्थापक पर फौजदारी मुकदमा चलाया गया। पहली ज्यूरी (पंचायत) का एकमत नहीं हुआ; इसलिये दूसरी ज्यूरी चुनी गई। दूसरी ज्यूरी ने व्यवस्थापक को दोषी ठहराया। अतएव उसे मजा दी गई। इस उदाहरण में

“अधिक लोगों के अधिक सुख”वाले नीतितत्त्व से काम चलने का नहीं। क्योंकि यद्यपि “धूम देने में टामबे वन गई” यह बाहरी परिणाम अधिक सुखदायक था; तथापि इनके ही में धूम देना न्याय्य हो नहीं सकता। दान करने को अपना धर्म (दान्य) समझ कर निष्काम-वृद्धि में दान करना, और कीर्ति के लिये तथा अन्य फल की आशा में दान करना, इन दो कृत्यों का बाहरी परिणाम यद्यपि एक-सा हो, तथापि श्रीमद्भगवद्गीता में पहले दान को नान्विक और दूसरे को राजस कहा है (गीता १७ २० २१)। और यह भी कहा गया है, कि यदि वही दान कुपात्रों को दिया जाय, तो वह नामम अथवा गह्य है। यदि किसी गरीब ने एक-आध धर्म-कार्य के लिये चार पैस दिए और किसी अमीर ने उसी के लिये सौ रुपये दिये, तो लोगों में दोनों की नैतिक योग्यता एक ही समझी जाती। परन्तु यदि केवल “अधिक लोग लोगों का अधिक सुख” किममें है, इसी बाहरी माध्यनद्वारा विचार किया जाय तो ये दोनों दान नैतिक दृष्टि में समान योग्यता के नहीं कहे जा सकते। “अधिकांश लोगों का अधिक सुख” इस अधिभौतिक नैति-नस्त्व में जो बहुत बड़ा दोष है, वह यही है, कि हममें कर्ता के मन के हेतु या भाव का कुछ भी विचार नहीं किया जाता। और यदि जन्म स्व हेतु पर ध्यान दें, तो इन प्रतिज्ञा में विरोध खड़ा हो जाता है, कि अधिकांश लोगों का अधिक सुख ही नीतिमत्ता की एकमात्र कमांडी है। कायदा-कानून बनानेवाली सभा अनेक व्यक्तियों के समूह में बनी होती है। हमलिये उस मन के अनुसार इस सभा के उपाय हुए बापदों या नियमों की योग्यता-अयोग्यता पर विचार करते समय यह जानने की कुछ आवश्यकता ही नहीं, कि सभामनों के अन्तःकरणों में कैसा भाव था - हम लोगों का अपना निर्णय केवल इस बाहरी विचार के आधार पर कर लेना चाहिये, कि उनके बापदा में अधिको को अधिक सुख हो सकेगा या नहीं। परन्तु, इस उदाहरण में यह माफ माफ ध्यान में आ सकता है, कि सभों स्थानों में यह न्याय उपयुक्त हो नहीं सकता। हमारा यह कहना नहीं है, कि ‘अधिकांश लोगों का अधिक सुख या हित’ - वाग नन्व विलुप्त ही निरूपयोगी है। केवल बाह्य परिणामों का विचार करने के लिये उनमें बट कर दूसरा नन्व वही नहीं मिलेगा। परन्तु हमारा यह कथन है, कि जो नीति की दृष्टि में किसी बात को न्याय्य अथवा अन्याय्य मानता है, उसे केवल बाह्य परिणामों से दृष्टि में काम नहीं चढ़ सकता। उसके लिये और भी कई बातें पर विचार करना पड़ता है। अन्तः नीतिमत्ता का निर्णय करने के लिये पूर्णतः इसी तथ पर अत्यन्तित नहीं रह सकते। हमलिये हमने भी अधिक विचार और निर्णय का माध्यनिकार्यता आवश्यक है। गीता में जो यह कहा गया है कि धर्म की अन्तःगम बलि श्रुति है। (गी २ ६९) उनका भी यही अभिप्राय है। यदि केवल बाह्य कर्मों पर ध्यान दे ना व दृष्टि आत्मक हो। “मान-मध्या,

• The Ethical Problem (pp 58, 59, 2011)

तिलक-माला” इत्यादि बाह्य कर्मों के होते हुए भी ‘पेट में क्रोधाग्नि’ का भडकते रहना असम्भव नहीं है, परन्तु यदि हृदय का भाव शुद्ध हो, तो बाह्यकर्मों का महत्त्व नहीं रहता। “सुदामा के मुठ्ठीभर चावल” सरीखे अत्यन्त अल्पबाह्य कर्म की धार्मिक और नैतिक योग्यता, अधिकांश लोगों को अधिक सुख देनेवाले हजारों मन अनाज के बराबर ही समझी जाती है। इसी लिये प्रसिद्ध जर्मन तत्त्वज्ञानी कान्टने^{*} कर्म के बाह्य और दृश्य परिणामी के तारतम्य-विचार को गौण माना है। एव नीतिशास्त्र के अपने विवेचन का प्रारम्भ कर्ता की शुद्ध बुद्धि (शुद्ध भाव) ही से किया है। यह नहीं समझना चाहिये, कि आधिभौतिक सुखवाद की यह न्यूनता बड़े बड़े आधिभौतिकवादियों के ध्यान में नहीं आई। ह्यमने[†] स्पष्ट लिखा है — जब कि मनुष्य का धर्म (काम या कार्य) ही उमके शील का द्योतक है, और इसी लिये जब लोगों में वही नीतिमत्ता का दर्शक भी माना जाता है, तब केवल बाह्य परिणामों ही से उस कर्म को प्रशमनीय या गृहणीय मान लेना असम्भव है। यह बात मिल साहब को भी मान्य है, कि “किसी कर्म की नीतिमत्ता कर्ता के हेतुपर अर्थात् वह उसे जिस बुद्धि या भाव से करता है, उसपर पूर्णतया अवलम्बित रहती है।” परन्तु अपने पक्षमण्डन के लिये मिल साहबने यह युक्ति भिडाई है, कि “जब तक बाह्य कर्मों में कोई भेद नहीं होता तब तक कर्म की नीतिमत्ता में कुछ फर्क नहीं हो सकता। चाहे कर्ता के मन में उस काम को करने की वासना किसी भाव से हुई हो।”[‡] मिल की इस युक्ति में साम्प्रदायिक आग्रह दीख पडता है, क्योंकि बुद्धि या भाव में भिन्नता होने के कारण यद्यपि दो कर्म देखने में एक ही से हो, तो भी वे तत्त्वत एक योग्यता के कमी नहीं हो सकते। और इसी लिये मिल साहब की कही हुई ‘जब तक (बाह्य) कर्मों में भेद नहीं होता, इत्यादि’ मर्यादा को ग्रीन साहबों[§] निर्मल बतलाते हैं। गीता का भी यह अभिप्राय है। इसका

* *Kant's Theory of Ethics*, (trans by Abbott) 6th Ed p 6.

† “For as actions are objects of our moral sentiment, so far only as they are indications of the internal character, passions and affections, it is impossible that they can give rise either to praise or blame, where they proceed not from these principles, but are derived altogether from external objects” Hume's *Inquiry concerning Human Understanding*, Section VIII, Part II (p 368 of Hume's Essays — The World Library Edition)

‡ “Morality of the action depends entirely upon the intention, that is, upon what the agent wills to do, But the motive, that is, the feeling which makes him will so to do, when makes no difference in the act, makes none in the morality” Mill's *Utilitarianism*, p 27.

§ Green's *Prolegomena to Ethics* § 292 note p 348 5th Cheaper Edition

वाग्ण गीता में यह बतलाया गया है, कि यदि एक ही धर्म-कार्य के लिये दो मनुष्य बराबर धनप्रदान करे, तो भी—अर्थात् दोनों के बाह्य कर्म एकसमान होने पर भी—दोनों की बुद्धि या भाव की भिन्नता के कारण एक दान सात्त्विक और दूसरा राजस या तामस भी हो सकता है। इस विषय पर भी अधिक विचार पूर्वी और पश्चिमी मतों की तुलना करते समय करेंगे। अभी केवल इतना ही देखना है, कि कर्म के केवल बाहरी परिणाम पर ही अवलम्बित रहने कारण, आधिभौतिक सुखवाद की श्रेष्ठ श्रेणी भी नीति-निर्णय के काम में कैसी अपूर्ण मिद्ध हो जाती है; और इसे सिद्ध करने के लिये हमारी समझ में मिल साहब की युक्ति काफी है।

“अधिकांश लोगों का अधिक सुख”वाले आधिभौतिक पन्थ में सब से भारी दोष यह है, कि उसमें कर्ता की बुद्धि या भाव का कुछ भी विचार नहीं किया जाता। मिल साहब के लेख ही से यह स्पष्टतया सिद्ध हो जाता है, कि उस (मिल) की युक्ति को सच मान कर भी इस तत्त्व का उपयोग सब स्थानों पर एकसमान नहीं किया जा सकता। क्यों कि वह केवल बाह्य फल के अनुसार नीति का निर्णय करता है, अर्थात् उसका उपयोग किसी विशेष मर्यादा के भीतर ही किया जा सकता है, या यों कहिये कि वह एकदेशीय है। इसके विवा इस मत पर एक और भी आक्षेप किया जा सकता है, कि स्वार्थ की अपेक्षा परार्थ क्यों और कैसे श्रेष्ठ है?— इस प्रश्न की कुछ भी उपपत्ति न बतलाकर ये लोग इस तत्त्व को सच मान लिया करते हैं। फल यह होता है, कि उच्च स्वार्थ की बेरोक वृद्धि होने लगती है। यदि स्वार्थ और परार्थ दोनों बातें मनुष्य के जन्म से ही रहती हैं, अर्थात् स्वाभाविक हैं; तो प्रश्न होना है, कि मैं स्वार्थ की अपेक्षा लोगों के सुख को अधिक महत्त्वपूर्ण क्यों समझूँ? यह उत्तर तो सन्तोषदायक ही ही नहीं सकता, कि तुम अधिकांश लोगों के अधिक सुख को देखकर ऐसा करो। क्यों कि मूल प्रश्न ही यह है, कि मैं अधिकांश लोगों के अधिक सुख के लिये यत्न क्यों करूँ? यह बात सच है, कि अन्य लोगों के हित में अपना भी हित सम्मिलित रहता है। इस लिये यह प्रश्न हमेशा नहीं उठता, परन्तु आधिभौतिक पन्थ के उक्त तीसरे वर्ग की अपेक्षा इस अन्तिम (चौथे) वर्ग में यही विशेषता है, कि इस आधिभौतिक पन्थ के लोग यह मानते हैं, कि जब स्वार्थ और परार्थ में विशेष खडा हो जाय, तब उच्च स्वार्थ का त्याग करके परार्थ-नाशन ही के लिये यत्न करना चाहिये। इस पन्थ की उक्त विशेषता की कुछ भी उपपत्ति नहीं दी गई है। इस अभाव की ओर एक विद्वान् आधिभौतिक पण्डित का ध्यान आकर्षित हुआ। उमने छोटे कीटों में लेकर मनुष्य तक सब मजीब प्राणियों के धरमों का सूत्र निर्गमन किया, और अन्त में उमने यह मिद्धान्न निराला, कि जब कि छोटे कीटों में लेकर मनुष्य तक सब यही गुण अधिभाधिक बढता और प्रकट होता चला आ रहा है, कि वे स्वयं अपने ही समान अपनी मन्तानों और जानियों को मरना बतते हैं, और निमी तो दुःख न देने हुए अपने बन्धुओं की यथामन्भव

सहायता करते हैं; तब हम कह सकते हैं, कि सजीव सृष्टि के आचरण का यही — परस्पर-सहायता का गुण — प्रधान नियम है। सजीव सृष्टि में यह नियम पहले पहले सन्तानोत्पादक और सन्तान के लालन-पालन के बारे में दीख पड़ता है। ऐसे अत्यन्त सूक्ष्म कीड़ों की सृष्टि को देखने से — कि जिसमें स्त्री-पुरुष का कुछ भेद नहीं है — ज्ञात होगा — कि एक कीड़े की देह बढ़ते बढ़ते फूट जाती है; और उससे दो कीड़े बन जाते हैं। अर्थात् यही कहना पड़ेगा कि सन्तान के लिये — दूसरे के लिये — यह कीड़ा अपने शरीर को भी त्याग देता है। इसी तरह सजीव सृष्टि में इस कीड़े से ऊपर के दर्जों के स्त्री पुरुषात्म प्राणी भी अपनी अपनी सन्तान के पालन-पोषण के लिये स्वार्थ-त्याग करने में आनन्दित हुआ करते हैं। यही गुण बढ़ते बढ़ते मनुष्यजाती के असभ्य और जगली समाज में भी इस रूप में पाया जाता है, कि लोग न केवल अपनी सन्तानों की रक्षा करने में — अपने जाति-भाइयों की सहायता करने में — भी सुख से प्रवृत्त हो जाते हैं। इसलिये मनुष्य को — जो कि सजीव सृष्टि का शिरोमणि है — स्वार्थ के समान परार्थ में भी सुख मानते हुए सृष्टि के उपर्युक्त नियम की उन्नति करने तथा स्वार्थ और परार्थ के वर्तमान विरोध को समूल नष्ट करने के उद्योग में लगे रहना चाहिये। वस इसी में उसकी इतिकर्तव्यता है। *यह युक्तिवाद बहुत ठीक है; परन्तु यह तत्त्व कुछ नया नहीं है, कि परोपकार करने का सद्गुण मूक सृष्टि में भी पाया जाता है। इसलिये उसे परमावधि तक पहुँचाने के प्रयत्न में ज्ञानी मनुष्यों को सदैव लगे रहना चाहिये। इस तत्त्व में विशेषता सिर्फ यही है, कि आजकल आधिभौतिक शास्त्रों के ज्ञान की बहुत वृद्धि होने के कारण इस तत्त्व की आधिभौतिक उपपत्ति उत्तम रीति से बतलाई गई है। यद्यपि हमारे शास्त्रकारों की दृष्टि आध्यात्मिक है, तथापि हमारे प्राचीन ग्रन्थों में कहा है कि —

अष्टादशपुराणानां सारं सारं समुद्धृतम् ।

परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम् ॥

“परोपकार करना पुण्यकर्म है और दूसरों को पीडा देना पापकर्म है। वह यही अठारह पुराणों का सार है।” भर्तृहरि ने भी कहा है, कि “स्वार्थो यस्य परार्थ एव स पुमान् एक. सता अग्रणि.” — परार्थ ही को जिस मनुष्य ने अपना स्वार्थ बना लिया है, वही सब सत्पुरुषों में श्रेष्ठ है। अच्छा, अब यदि छोटे कीड़ों से मनुष्य तक की सृष्टि की उत्तरोत्तर क्रमशः बढ़ती हुई श्रेणियों को देखे, तो एक और भी प्रश्न उठता है। वह यह है — क्या, मनुष्यों में केवल परोपकारवृद्धि ही का उत्कर्ष हुआ

* यह उपपत्ति स्पेन्सर के Data of Ethics नामक ग्रन्थ में दी हुई है। स्पेन्सर ने मिल को एक पत्र लिख कर स्पष्ट कह दिया था, कि मेरे और आपके मत में क्या भेद है। उस पत्र के अवतरण उक्त ग्रन्थ में दिये गये हैं। pp. 57, 123. Also see Bain's Mental and Moral science, pp.721, 722 (Ed. 1875).

है, या उमी के माय उनमें स्वार्थ-वृद्धि, दया, उदारता, दूरदृष्टि, तर्क, शूरता, धृति, क्षमा, दन्द्रियनिग्रह इत्यादि अनेक अन्य सात्त्विक सद्गुणों की भी वृद्धि हुई है? जब इस पर विचार किया जाता है, तब कहना पड़ता है, कि अन्य सब सजीव प्राणियों की अपेक्षा मनुष्यों में नभी सद्गुणों का उत्कर्ष हुआ है। इन सब सात्त्विक गुणों के समूह को 'मनुष्यत्व' नाम दीजिये। अब यह बात सिद्ध हो चुकी, कि परोपकार की अपेक्षा मनुष्यत्व को हम श्रेष्ठ मानते हैं। ऐसी अवस्था में किसी कर्म की योग्यता-अयोग्यता या नीतिमत्ता का निर्णय करने के लिये उस कर्म की परीक्षा केवल परोपकार ही की दृष्टि से नहीं की जा सकती—अब उस काम की परीक्षा मनुष्यत्व की दृष्टिसे—अर्थात् मनुष्यजाति में अन्य प्राणियों की अपेक्षा जिन जिन गुणों का उत्कर्ष हुआ है, उन सब को ध्यान रख कर ही—की जानी चाहिये। अकेले परोपकार को ध्यान में रख कर कुछ-न-कुछ निर्णय कर लेने के बदले अब तो यही मानना पड़ेगा, कि जो कर्म सब मनुष्यों के 'मनुष्यत्व' या 'मनुष्यपन' को शोभा दें, या जिस कर्म से 'मनुष्यत्व' की वृद्धि हो, वही सत्कर्म और वही नीति-धर्म है। यदि एक बार इस व्यापक दृष्टि को स्वीकार कर लिया जाय, तो "अधिकांश लोगों का अधिक मुख" उक्त दृष्टि का एक अत्यन्त छोटा भाग हो जायगा—इस मत में कोई स्वतन्त्र महत्त्व नहीं रह जायगा, कि सब कर्मों के धर्म-अधर्म या नीतिमत्ता का विचार केवल "अधिकांश लोगों का अधिक मुख" तत्त्व के अनुसार किया जाना चाहिये—और तब तो धर्म-अधर्म का निर्णय करने के लिये मनुष्यत्व ही का विचार करना अवश्य होगा। और जब हम इस बात का सूक्ष्म विचार करने लगेंगे, कि 'मनुष्यपन' या मनुष्यत्व का यथार्थ स्वरूप क्या है, तब हमारे मन में याज्ञवल्क्य के अनुसार "आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः" यह विषय आप-ही-आप उपस्थित हो जायगा। नीति-मान्य का विवेचन करनेवाले एक अमेरिकन ग्रन्थकार ने इस ममुच्चयात्मक मनुष्य के धर्म को ही 'आत्मा' कहा है।

बात को आधिभौतिक सुखवादी भी मानते हैं, कि शारीरिक सुख से मानसिक सुख की योग्यता अधिक है। पशु को जितने सुख मिल सकते हैं, वे सब किसी मनुष्य को देकर उससे पूछो कि “क्या, तुम पशु होना चाहते हो ?” तो वह कभी इस बात के लिये राजी न होगा। इसी तरह, ज्ञानी पुरुषों को यह बतलाने की आवश्यकता नहीं, कि तत्त्वज्ञान के गहन विचारों से बुद्धि में जो एक प्रकार की शान्ति उत्पन्न होती है, उसकी योग्यता सासारिक सम्पत्ति और बाह्योपयोग से हजार गुनी बढ़ कर है। अच्छा यदि लोकमत को देखे, तो भी यही ज्ञात होगा, कि नीति का निर्णय करना केवल सख्या पर अवलम्बित नहीं है। लोग जो कुछ किया करते हैं, वह सब केवल आधिभौतिक सुख के ही लिये नहीं किया करते — वे आधिभौतिक सुख ही को अपना परम उद्देश नहीं मानते। वल्कि हम लोग यही कहा करते हैं, कि बाह्यसुखों की कौन कहे, विशेष प्रसंग आने पर अपनी जान की भी परवाह नहीं करनी चाहिये। क्यों कि ऐसे समय में आध्यात्मिक दृष्टि के अनुसार जिन सत्य आदि नीति-धर्मों की योग्यता अपनी जान से भी अधिक है, उनका पालन करने के लिये मनोनिग्रह करने में ही मनुष्य का मनुष्यत्व है। यही हाल अर्जुन का था। उसका भी प्रश्न यह नहीं था, कि लड़ाई करने पर किस को कितना सुख होगा। उसका श्रीकृष्ण से यही प्रश्न था, कि “मेरा, अर्थात् मेरे आत्मा का श्रेय किसमें है सो मुझे बतलाइये” (गीता २.७, ३.२)। आत्मा का यह नित्य का श्रेय और सुख आत्मा की शान्ति में है। इसी लिये बृहदारण्यकोपनिषद् (२.४.२) में कहा गया है, कि “अमृतत्वस्य तु नाशस्ति वित्तेन” अर्थात् सासारिक सुखसम्पत्ति के यथेष्ट मिल जाने पर भी आत्मसुख और शान्ति नहीं मिल सकती। इसी तरह बठोपनिषद् में लिखा है, कि जब मृत्यु ने नाचकेता को पुत्र, पौत्र, पशु, धान्य, द्रव्य इत्यादि अनेक प्रकार की सासारिक सम्पत्ति देना चाहा, तो उसने साफ जवाब दिया, कि “मुझे आत्मविद्या चाहिये, सम्पत्ति नहीं।” और ‘प्रेय’ अर्थात् इन्द्रियों को प्रिय लगनेवाले सासारिक सुख में तथा ‘श्रेय’ अर्थात् आत्मा के सच्चे कारण में भेद दिखलाने हुए (कठ १.२.२ में) कहा है, कि —

श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस्ती संपरीत्य विविनयित धीरः ।

श्रेयो हि धीरोऽभिप्रेयसो वृणीते प्रेयो मन्दो योगक्षेमाद् वृणीते ॥

“जब प्रेय (सात्कालिक बाह्य इन्द्रियसुख) और श्रेय (सच्चा निरन्तरिक बल्याण) ये दोनों मनुष्य के सामने उपस्थित होते हैं, तब बुद्धिमान् मनुष्य उन दोनों में किसी एक को चुन लेता है। जो मनुष्य वयार्थ में बुद्धिमान् होता है, वह प्रेय की अपेक्षा श्रेय को अधिक पसन्द करता है; परन्तु जिमकी बुद्धि मन्द होती है, उसको आत्मबल्याण की अपेक्षा प्रेय अर्थात् बाह्य सुख ही अधिक अच्छा लगता है।” इस लिये यह मान लेना नहीं, कि मनुष्य में इन्द्रियगन्ध विपर-मुग्र ही मनुष्य का ऐहिक परम उद्देश है; तथा मनुष्य जो बुद्ध करता है वह मनुष्य का

अर्थात् आधिभौतिक मुख ही के लिये अथवा अपने दुःखों को दूर करने के लिये ही करना है।

इन्द्रियगम्य बाह्यमुखों की अपेक्षा बुद्धिगम्य अन्तःमुख की - अर्थात् आध्यात्मिक मुख की - योग्यता अधिक तो है ही; परन्तु इसके साथ एक बात यह भी है, कि विषय-मुख अनित्य है। वह दशा नीति-धर्म की नहीं है। इस बात को सभी मानते हैं, कि अहिंसा, मत्स्य आदि धर्म कुछ बाहरी उपाधियों अर्थात् सुखदुःखों पर अवलंबित नहीं हैं; किन्तु ये सभी अवसरों के लिये और सब कामों में एकसमान उपयोगी हो सकते हैं। अनएव ये नित्य हैं। बाह्य बातों पर अवलंबित न रहनेवाली, नीति-धर्मों की यह नित्यता उनमें कहीं से और कैसे आई - अर्थात् इस नित्यता का कारण क्या है? इस प्रश्न का आधिभौतिक-वाद से हल होना असम्भव है। कारण यह है, कि यदि बाह्यमूर्ष्टि के सुख-दुःखों के अवलोकन से कुछ मिद्वान्त निराश्रय जाय, तो सब सुख-दुःखों के स्वभावतः अनित्य होने के कारण, उनके अपूर्ण आधार पर बने हुए नीति-मिद्वान्त भी बैसे ही अनित्य होंगे। और, ऐसी अवस्था में सुख-दुःखों की कुछ भी परवाह न करके मत्स्य के लिये जान दे देने की सत्य-धर्म की जो त्रिकाशवाधित नित्यता है, वह "अधिक्रांश लोगों का अधिक सुख" के तन्व में मिद्व नहीं हो सकेगी। इस पर वह आक्षेप किया जाता है, कि जब सामान्य व्यवहारों में मत्स्य के लिये प्राण देनेका समय आ जाता है, तो अच्छे लोग भी अमत्स्य पक्ष ग्रहण करने में संकोच नहीं करते; और उस समय हमारे शास्त्र-शास्त्र भी ज़ादा मद्धनी नहीं करते; तब मत्स्य आदि धर्मों की नित्यता क्या माननी चाहिये? परन्तु यह आक्षेप या दलील ठीक नहीं है; क्योंकि जो लोग मत्स्य के लिये जान देने का शास्त्र नहीं कर सकते, वे भी अपने मूँह में इस नीति-धर्म की नित्यता को माना ही करते हैं। ज्यों लिये महामाग्न में अर्घ्य, काम आदि पुरपायों की निश्चिन्ता करनेवाले नव व्यावहारिक धर्मों का विवेचन करके, अन्त में भारत-भावित्वा में (श्रीर विदुग्नीति में भी) व्यागजी ने सब लोगों को यही उपदेश किया है :-

सुखदुःखविवेक

सुखमात्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् । *

— गीता ६. २१

हमारे शास्त्रकारों को यह सिद्धान्त मान्य है, कि प्रत्येक मनुष्य सुख-प्राप्ति के लिये, प्राप्त सुख की वृद्धि के लिये, दुःख को टालने या कम करने के लिये ही सदैव प्रयत्न किया करता है। भृगुजी भरद्वाज से शान्तिपर्व (म. भा. शा. १९०. ९) में कहते हैं, कि “इह खलु अमुर्मिषश्च लोके वस्तुप्रवृत्तयः सुखार्थमभिधीयन्ते । न ह्यतःपरं त्रिवर्गफल विशिष्टतरमस्ति ।” — अर्थात् इस लोक तथा परलोक में सारी प्रवृत्ति केवल सुख के लिये है; और धर्म, अर्थ, काम का इसके अतिरिक्त कोई अन्य फल नहीं है। परन्तु शास्त्रकारों का कथन है, कि मनुष्य यह न समझकर — कि सच्चा सुख किस में है, — मिथ्या सुख ही को सत्य सुख मान बैठता है; और — इस आशा से, कि आज नहीं तो कल अवश्य मिलेगा — वह अपनी आयु के दिन व्यतित किया करता है। इतने में, एक दिन मृत्यु के झपेटे में पड़ कर वह इस संसार को छोड़ कर चल बसता है। परन्तु उसके उदाहरण से अन्य लोग सावधान होने बदले उसी का अनुकरण करते हैं। इस प्रकार यह भव-चक्र चल रहा है, और कोई मनुष्य सच्चे और नित्य सुख का विचार नहीं करता! इस विषय में पूर्वी और पश्चिमी तत्त्वज्ञानियों में बड़ा ही मतभेद है, कि यह संसार केवल दुःखमय है, या सुखप्रधान अथवा दुःखप्रधान है। परन्तु इन पक्षवालों में से सभी को यह बात मान्य है, कि मनुष्य का कल्याण दुःख का अत्यन्त निवारण करके अत्यन्त सुख-प्राप्ति करने ही में है। ‘सुख’ शब्द के बदले प्रायः ‘हित’, ‘श्रेय’ और ‘कारण’ शब्दों का अधिक उपयोग हुआ करता है। इनका भेद आगे बतलाया जायगा। यदि यह मान लिया जाय, कि सुख शब्द में ही सब प्रकार के सुख और कल्याण का समावेश हो जाता है, तो सामान्यतः कहा जा सकता है, कि प्रत्येक मनुष्य का प्रयत्न केवल सुख के लिये केवल हुआ करता है। परन्तु इस सिद्धान्त के आधार पर सुख-दुःख का जो लक्षण महाभारतान्तर्गत पराशरगीता (म. भा. शा. २९५. २७) में दिया गया है, कि “यदिष्ट तत्सुखं प्राहुः द्वेष्यं दुःखमिहेष्यते” — जो कुछ हमें इष्ट है वही सुख है; और जिसका हम द्वेष करते हैं, अर्थात् जो हमें नहीं चाहिये, वही दुःख है — उसे शास्त्र की दृष्टि में पूर्ण निर्दोष

* “जो केवल बुद्धि से ग्राह्य हो और इन्द्रियों से परे हो, उसे आत्यन्तिक सुख कहते हैं।”

नहीं कह सकते। क्योंकि इस व्याख्या के अनुसार 'इष्ट' शब्द का अर्थ इष्ट वस्तु या पदार्थ भी हो सकता है; और इस अर्थ को मानने से इष्ट पदार्थ को भी सुख कहना पड़ेगा। उदाहरणार्थ, प्यास लगने पर पानी इष्ट होता है; परन्तु इस बाह्य पदार्थ 'पानी' को 'सुख' नहीं कहते। यदि ऐसा होगा, तो नदी के पानी में डूबनेवाले के बारे में कहना पड़ेगा, कि वह सुख में डूबा हुआ है। सच बात यह है, कि पानी पीने से जो इन्द्रियतृप्ति होती है, उसे सुख कहते हैं। इसमें सन्देह नहीं, कि मनुष्य इस इन्द्रियतृप्ति या सुख को चाहता है; परन्तु इससे यह व्यापक सिद्धान्त नहीं बताया जा सकता, कि जिसकी चाह होती है, वह सब सुख ही है। इसी लिये नैयायिकों ने सुखदुःख को वेदना कह कर उनकी व्याख्या इस तरह से की है "अनुकूलवेदनीय सुख" — जो वेदना हमारे अनुकूल है, वह सुख है; और "प्रतिकूल-वेदनीय दुःख" — जो वेदना हमारे प्रतिकूल है, वह दुःख है। ये वेदनाएँ जन्ममिद्व अर्थात् मूल ही की और अनुभवगम्य हैं। इसलिये नैयायिकों की उक्त व्याख्या से बढ़कर सुखदुःख का अधिक उत्तम लक्षण बतलाया नहीं जा सकता। कोई यह कहें, कि ये वेदनारूप सुख-दुःख केवल मनुष्य के व्यापारों से ही उत्पन्न होने हैं, तो यह बात भी ठीक नहीं है। क्योंकि, कभी कभी देवताओं के कोप से भी बड़े बड़े रोग और दुःख उत्पन्न हुआ करते हैं, जिन्हें मनुष्य को अवश्य भोगना पड़ता है। इसी लिये वेदान्त-ग्रन्थों में सामान्यतः इन सुख-दुःखों के तीन भेद — आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक — किये गये हैं। देवताओं की कृपा या कोप से जो सुख-दुःख मिलते हैं उन्हें 'आधिदैविक' कहते हैं। बाह्यसृष्टि के — पृथ्वी आदि पंचमहाभूतात्मक, पदार्थों का मनुष्य की इन्द्रियों से संयोग होने पर — शीतोष्ण आदि के कारण जो सुखदुःख हुआ करते हैं, उन्हें 'आधिभौतिक' कहते हैं। और, ऐसे बाह्यसंयोग के बिना ही होनेवाले अन्य सब सुखदुःखों को 'आध्यात्मिक' बहते हैं। यदि सुख-दुःख का यह वर्गीकरण स्वीकार किया जाय, तो शरीर ही के वात-पित्त आदि दोषों का परिणाम बिगड़ जाने में उत्पन्न होनेवाले ज्वर आदि दुःखों को — तथा उन्हीं दोषों का परिणाम यथोचित रहने से अनुभव में आनेवाले, शारीरिक स्वास्थ्य को — आध्यात्मिक सुख-दुःख कहना पड़ता है। क्योंकि, यद्यपि ये सुख-दुःख पंचभूतात्मक शरीर में सम्बन्ध रखते हैं — अर्थात् ये शारीरिक हैं — तथापि हमें यह नहीं बूझा जा सकता, कि ये शरीर से बाहर रहनेवाले पदार्थों के संयोग में पैदा हुआ है। और इसलिये आध्यात्मिक सुख-दुःखों के, वेदान्त की दृष्टि में फिर भी दो भेद — शारीरिक और मानसिक — करने पड़ते हैं। परन्तु इस प्रकार सुख-दुःखों के 'शारीरिक' और 'मानसिक' दो भेद कर दें, तो फिर आधिदैविक सुख-दुःखों को भिन्न मानने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। क्योंकि, यह भी ध्यान रखना है, कि देवताओं की कृपा अथवा प्रोध में होनेवाले सुख-दुःखों को भी आधिदैविक मनुष्य अपने ही शरीर या मन के द्वारा भोगना है। अतएव हमने इन

ग्रन्थ में वेदान्त-ग्रन्थों की परिभाषा के अनुसार सुख-दुःखों का त्रिविध वर्गीकरण नहीं किया है। किन्तु उनके दो ही वर्ग (वाह्य या शारीरिक और आभ्यन्तर या मानसिक) किये हैं, और इसी वर्गीकरण के अनुसार, हमने इस ग्रन्थ में सर्वप्रकार के शारीरिक सुख-दुःखों को 'आधिभौतिक' और सब प्रकार के मानसिक सुख-दुःखों को 'आध्यात्मिक' कहा है। वेदान्त-ग्रन्थ में जैसा तीसरा वर्ग 'आधिदैविक' दिया गया है, वैसा हमने नहीं किया है। क्योंकि, हमारे मतानुसार सुख-दुःखों का शास्त्रीय रीति से विवेचन करने के लिये यह द्विविध वर्गीकरण ही अधिक सुभीते का है। सुखदुःख का जो विवेचन नीचे किया गया है, उमे पढ़ते समय यह बात अवश्य ध्यान में रखनी चाहिये, कि वेदान्त ग्रन्थों के और हमारे वर्गीकरण में भेद है।

सुख-दुःखों को चाहे आप द्विविध मानिये अथवा त्रिविध, इसमें सन्देह नहीं, कि दुःख की चाह किसी मनुष्य को नहीं होती। इसी लिये वेदान्त और सांख्य-शास्त्र (सां. का. १; गीता ६. २१, २२) में कहा गया है, कि सब प्रकार के दुःखों की अत्यन्त निवृत्ति करना और आत्यन्तिक तथा नित्य सुख की प्राप्ति करना ही मनुष्य का परम पुरुषार्थ है। जब यह बात निश्चित हो चुकी, कि मनुष्य का परम साध्य या उद्देश आत्यन्तिक सुख ही है, तब ये प्रश्न मन में सहज ही उत्पन्न होते हैं, कि अत्यन्त सत्य और नित्य सुख किसको कहना चाहिये? उसकी प्राप्ति होना संभव है या नहीं? यदि संभव है तो कब और कैसे? इत्यादि। और जब हम इन प्रश्नों पर विचार करने लगते हैं, तब सब से पहले यही प्रश्न उठता है, कि नैयायिकों के बतलाये हुए लक्षण के अनुसार सुख और दुःख दोनों भिन्न भिन्न स्वतंत्र वेदनाएँ, "अनुभव या वस्तु है", अथवा "जो उजेला नहीं वह अँधेरा" इस न्याय के अनुसार इन दोनों वेदनाओं में से एक का अभाव होने पर दूसरी संज्ञा का उपयोग किया जाता है। भर्तृहरि ने कहा है, कि "प्यास से जब मूँह सूख जाता है, तब हम उस दुःख का निवारण करने के लिये पानी पीते हैं। भूख से जब हम व्याकूल हो जाते हैं, तब मिष्टान्न खा कर उम व्यथा को हटाते हैं; और काम-वासना के प्रदीप्त होने पर उसको स्त्रीमग्न द्वारा तृप्त करते हैं।" इतना कह कर अन्त में कहा है, कि :-

प्रतीकारो व्याधेः सुखमिति विपर्यस्यति जनः।

"किसी व्याधि अथवा दुःख के होने पर उसका जो निवारण या प्रतिकार किया जाता है, उसी को लोक भ्रमवश 'सुख' कहा करते हैं।" दुःखनिवारण के अतिरिक्त 'सुख' कोई भिन्न वस्तु नहीं है। यह नहीं समझना चाहिये, कि उक्त सिद्धान्त मनुष्यों के सिर्फ उन्ही व्यवहारों के विषय में उपयुक्त होता है, जो स्वार्थ ही के लिये किये जाते हैं। पिछले प्रकरण में आनन्दगिरि का यह मत बतलाया ही गया है, कि जब हम किसी पर कुछ उपकार करते हैं, तब उनका कारण यही होता है, कि उनके दुःख के देखने ने हमारी कारुण्यवृत्ति हमारे लिये अनह्य हो

जाती है; और इस दुःसहत्व की व्यथा को दूर करने के लिये ही हम परोपकार किया करते हैं। इस पक्ष के स्वीकृत करने पर हम महाभारत के अनुसार यह मानना पड़ेगा, कि :-

तृष्णातिप्रभवं दुःखं दुःखातिप्रभवं सुखम् ।

“पहले जब कोई तृष्णा उत्पन्न होती है, तब उसकी पीड़ा से दुःख होता है; और उस उस दुःख की पीड़ा से फिर सुख उत्पन्न होता है” (शां. २५. २२; १७४. १९)। संक्षेप में इस पन्थ का यह कहना है, कि मनुष्य के मन में पहले एक-आध आशा, वामना या तृष्णा उत्पन्न होती है; और जब उससे दुःख होने लगे, तब उस दुःख का जो निवारण किया जावे, वही सुख कहलाता है। मुख कोई दूसरी भिन्न वस्तु नहीं है। अधिक क्या कहें, उस पथ के लोगों ने यह भी अनुभव निकाला है, कि मनुष्य की सब सासारिक प्रवृत्तियाँ केवल वासनात्मक और तृष्णात्मक ही हैं। जब तक सब सामारिक कर्मों का त्याग नहीं किया जायगा, तब तक वासना या तृष्णा की जड़ उखड़ नहीं सकती; और जब तक तृष्णा या वासना की जड़ नष्ट नहीं हो जाती, तब तक सत्य और नित्य सुख का मिलना भी सम्भव नहीं है। बृहदारण्यक (बृ. ४. ४. २२; वे. सू. ३. ४. १५) में विकल्प से और जावाल-संन्यास आदि उपनिषदों में प्रधानता से उमी का प्रतिपादन किया गया है; तथा अष्टावक्र-गीता (९. ८; १०. ३-८) एवं अवधूतगीता (३. ४६) में उमी का अनुवाद है। इस पन्थ का अन्तिम मिद्वान्त यही है, कि जिस विमी को आत्यन्तिक सुख या मोक्ष प्राप्त करना है, उसे उचित है, कि वह जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ममार को छोड़ कर संन्यास ले ले। स्मृतिग्रन्थों में जिसका वर्णन किया गया है, और श्रीशंकराचार्य ने कलियुग में जिनकी स्थापना की है, वह श्रौत-स्मार्त कर्म-संन्यासमार्ग इसी तत्त्व पर चलाया गया है। सच है; यदि मुख कोई स्वतंत्र वस्तु ही नहीं है, जो कुछ है, तो दुःख ही है; और वह भी तृष्णामूक है, तो इन तृष्णा आदि विचारों को ही पहले समूल नष्ट कर देने पर फिर स्वार्थ और परार्थ की सारी झड़तें आप-ही-आप दूर हो जायगी; और तब मन की जो मूल साम्यावस्था तथा शान्ति है, वही रह जायगी। इसी अभिप्राय ने महाभारतान्तर्गत शान्तिपर्व के पिण्डगीता में, और मक्तिगीता में भी, कहा गया है, कि :-

उच्च कामसुखं लोके यच्च दिव्यं महत् सुखम् ।
तृष्णाक्षयमुत्सर्पते नाहंतः षोडशो क्लाम् ॥

“सामान्य काम ज्यों वासना की तृष्णि होने से जो सुख होता है और जो सुख मर्या में मिद्वान्त है, उन दोनों सुखों की योग्यता तृष्णा के क्षय से होनेवाले सुख से शोभते हैं के बराबर भी नहीं है” (शां. १७४. ८८; १७७. ४९)। वैदिक संन्यासमार्ग का ही जाने बत जानें जो बौद्धधर्म में अनुसरण किया गया है।

इसी लिये इन दोनों धर्मों के ग्रन्थों में तृष्णा के दुष्परिणामों का आर उसकी त्याज्यता का वर्णन, उपर्युक्त वर्णन ही के ममान—और कहीं कहीं तो उससे भी बड़ा-बड़ा—किया गया है (उदाहरणार्थ, 'धम्मपद' के 'तृष्णा-वर्ग' को देखिये) । तिब्बत के बौद्ध धर्मग्रन्थों में तो यहाँ तक कहा गया है, कि महाभारत का उक्त श्लोक, बुद्धत्व प्राप्त होने पर गौतम बुद्ध के मुख से निकला था ।*

तृष्णा के जो दुष्परिणाम ऊपर बतलाये गये हैं, वे श्रीमद्भगवद्गीता को भी मान्य हैं । परन्तु गीता का यह सिद्धान्त है, कि उन्हें दूर करने के लिये कर्म ही का त्याग नहीं कर बैठना चाहिये । अतएव यहाँ सुख-दुःख की उक्त उपपत्ति पर कुछ सूक्ष्म विचार करना आवश्यक है । सन्यासमार्ग के लोगों का यह कथन सर्वथा सत्य नहीं माना जा सकता, कि सब सुख तृष्णा आदि दुःखों के निवारण होने पर ही उत्पन्न होता है । एक बार अनुभव की हुई (देखी हुई, सुनी हुई इत्यादि) वस्तु कि जब फिर चाह होती है तब उसे काम, वासना या इच्छा कहते हैं । जब इच्छित वस्तु जल्दी नहीं मिलती, तब दुःख होता है; और जब वह इच्छा तीव्र होने लगती है, अथवा जब इच्छित वस्तु के मिलने पर भी पूरा सुख नहीं मिलता, और उसकी चाह अधिवाधिक बढ़ने लगती है, तब उसी इच्छा को तृष्णा कहते हैं, परन्तु इस प्रकार केवल इच्छा के तृष्णा-स्वरूप में बदल जाने के पहले ही, यदि वह इच्छा पूर्ण हो जाय, तो उससे होनेवाले सुख के बारे में हम नहीं कह सकेंगे, कि वह तृष्णा-दुःख के क्षय होने से उत्पन्न होता है । उदाहरणार्थ, प्रतिदिन नियत समय पर भोजन मिलता है, उसके बारे में अनुभव ग्रह नहीं है, कि भोजन करने के पहले हमें दुःख ही होता हो । जब नियत समय पर भोजन नहीं मिलता तभी हमारा जी भूख से व्याकुल हो जाया करता है—अन्यथा नहीं । अच्छा, यदि हम मान लें, कि तृष्णा और इच्छा एक ही अर्थ के द्योतक शब्द हैं; तो भी यह सिद्धान्त सच नहीं माना जा सकता, कि संव सुख तृष्णामूलक ही है । उदाहरण के लिये, एक छोटे बच्चे के मुँह में अचानक एक मिश्री की डली डाल दो । तो क्या यह कहा जा सकेगा, कि उस बच्चे को मिश्री खाने से जो सुख यह हुआ वह पूर्वतृष्णा के क्षय से हुआ है ? नहीं । इसी तरह मान लो, कि राह चलते चलते हम किसी रमणीय वाग में जा पहुँचें; और वहाँ किसी पक्षी का मधुर गान एकाएक सुन पडा । अथवा किसी मन्दिर में भगवान् की मनोहर छवि दीख पडी; तब ऐसी अवस्था में यह नहीं कहा जा सकता, कि उस गान के सुनने से, या उस छवि के दर्शन से होनेवाले सुख की हम पहले ही से इच्छा किये बैठे थे । सच बात तो यही

* Reckhill's *Life of Buddha* p. 33 यह श्लोक 'उदान' नामक पाली ग्रन्थ (२. ९) में है । परन्तु उसमें ऐसा वर्णन नहीं है कि यह श्लोक बुद्ध के मुख से, उसे 'बुद्धत्व' प्राप्त होने के समय निकला था । इससे यह साफ़ मालूम हो जाता है, कि यह श्लोक पहले पहल बुद्ध के मुख से नहीं निकला था ।

है, कि सुख की इच्छा किये बिना ही उस समय हमें सुख मिला। इन उदाहरणों पर ध्यान देने से यह अवश्य ही मानना पड़ेगा, कि मन्यास-मार्गवालों की सुख की उक्त व्याख्या ठीक नहीं है, और यह भी मानना पड़ेगा, कि इन्द्रियों में भली बुरी वस्तुओं का उपयोग करने की स्वाभाविक शक्ति होने के कारण जब वे अपना व्यापार करती रहती हैं, और जब कभी उन्हें अनुकूल या प्रतिकूल विषय की प्राप्ति हो जाती है, तब पहले तृष्णा या इच्छा के न रहने पर भी हमें सुख-दुःख का अनुभव हुआ करता है। इसी वान पर ध्यान रख कर गीता (२ १८) में कहा गया है, कि 'मात्रास्पर्श' से शीत-उष्ण आदि का अनुभव होने पर सुख-दुःख हुआ करता है। सृष्टि के बाह्य पदार्थों को 'मात्रा' कहते हैं। गीता के उक्त पदों का अर्थ यह है, कि जब उन बाह्य-पदार्थों का इन्द्रिया में स्पर्श अर्थात् सयोग होता है, तब सुख या दुःख की वेदना उत्पन्न होती है। यही कर्मयोगशास्त्र का भी सिद्धान्त है। कान को बड़ी आवाज अप्रिय क्या मालूम होती है? जिह्वा को मयुर रस प्रिय क्यों लगता है? आँखा को पूर्ण चन्द्र का प्रकाश आल्हादकारक क्यों प्रतीत होता है? इत्यादि बातों का कारण कोई भी नहीं बतला सकता। हम लोग केवल इतना ही जानते हैं, कि जीभ का मयुर रस मिलने से वह सन्तुष्ट हो जाती है। इसमें प्रकट होता है, कि आधिभौतिक सुख का स्वरूप बस इन्द्रियों के अधीन है, और इसलिये कभी कभी इन इन्द्रियों के व्यापारों को जारी रखने में ही सुख मालूम होता है - चाहे इसका परिणाम भविष्य में कुछ भी हो। उदाहरणार्थ, कभी कभी ऐसा होता है, कि मन में कुछ विचार वान में उस विचार के सूचक शब्द आप-ही आप मुँह से बाहर निकल पड़ते हैं। य शब्द कुछ इस इरादे से बाहर नहीं निकाले जाते, कि इनको कोई जान ले, बरिन् कभी कभी तो इन स्वाभाविक व्यापारों में हमारे मन की गुप्त बात भी प्रकट हो जाया करती है, जिससे हमको उल्टा नुकसान हो सकता है। छोटे बच्चे जब चरना मीसते हैं, तब वे दिनभर यहाँ वहाँ या ही चलते फिरते रहते हैं। इसका कारण यह है, कि उन्हें चरने रहने की क्रिया में ही उस समय आनन्द मालूम होता है। इसलिये सब मुग्धा को दुःखभावस्वरूप ही न कह कर यही कहा गया है, कि "इन्द्रिय-स्पर्शप्रमत्तार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितौ" (गीता ३ ३८) अर्थात् इन्द्रियों में और उससे प्रमत्तार्थ आदि विषयों में जा राग (प्रेम) और द्वेष है, वे दाना पहेते ही से 'व्यवस्थित' अपना स्वतन्त्र सिद्ध हैं। और अब हमें यही जानना है, कि इन्द्रियों के ये व्यापार आत्मा के लिये कल्याणदायक कैसे होंगे या कर लिये जा सकेंगे। इसके लिये श्रीकृष्ण भागवान् का यही उपदेश है, इन्द्रिया और मन की वृत्तियों का नाश करने का प्रयत्न करने का बन्दे उनका अपन आत्मा के लिये लाभदायक बनाने के अर्थ ध्यान अधीन रखना चाहिये - उन्हें स्वतन्त्र नहीं होने देना चाहिये। भगवान् के इस उपदेश में, और तृष्णा तथा उर्षा के साथ मन बनावृत्तियों का भी समूल नष्ट करने के लिये करने में, जमीन-आगमान का अन्तर है। गीता का यह तात्पर्य नहीं

है, कि संसार के सब कर्तृत्व और पराक्रम का विलकुल नाश कर दिया जाय; बल्कि उसके अठारहवे अध्याय (१८. २६) में तो कहा है, कि कार्य-कर्ता में समबुद्धि के माय धृति और उत्साह के गुणों का होना भी आवश्यक है। इस विषय पर विस्तृत विवेचन आगे किया जायगा। यहाँ हमको केवल यही जानना है, कि 'सुख' और 'दुःख' दोनों भिन्न वृत्तियाँ हैं, या उनमें से एक दूसरी का अभाव मात्र ही है। इस विषय में गीता का मत उपयुक्त विवेचन से पाठकों के ध्यान में आ ही गया होगा। 'क्षेत्र' का अर्थ बतलाते समय 'सुख' और 'दुःख' की अलग अलग गणना की गई है (गीता १३. ६); बल्कि यह भी कहा गया है, 'सुख' सत्त्वगुण का और 'तृष्णा' रजोगुण का लक्षण है (गीता १४. ६, ७); और सत्त्वगुण तथा रजोगुण दोनों अलग हैं। इससे भी भगवद्गीता का यह मत साफ़ मालूम हो जाता है, कि सुख और दुःख दोनों एक दूसरे के प्रतियोग हैं; और भिन्न भिन्न दो वृत्तियाँ हैं। अठारहवे अध्याय में राजस त्याग की जो न्यूनता दिखलाई है, की "कोई भी काम यदि दुःखकारक है, तो उसे छोड़ देने से त्यागफल नहीं मिलता; किन्तु ऐसा त्याग राजस कहलाता है" (गीता १८. ८), वह भी इस सिद्धान्त के विरुद्ध है, कि "सब सुख तृष्णा-क्षय-मूलक ही है।"

अब यदि यह मान लें, कि सब सुख तृष्णा-क्षय-रूप अथवा दुःखाभावरूप नहीं हैं, और यह भी मान ले, कि सुख-दुःख दोनों स्वतंत्र वस्तु हैं; तो भी (इन दोनों वेदनाओं के परस्पर विरोधी या प्रतियोगी होने के कारण) यह दूसरा प्रश्न उपस्थित होता है, कि जिस मनुष्य को दुःख का कुछ भी अनुभव नहीं है, उसे सुख का स्वाद मालूम हो सकता है या नहीं? कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है, कि दुःख का अनुभव हुए बिना सुख का स्वाद ही नहीं मालूम हो सकता। इसके विपरीत, स्वर्ग के देवताओं के नित्यसुख का उदाहरण दे कर कुछ पंडित प्रतिपादन करते हैं, कि सुख का स्वाद मालूम होने के लिये दुःख के पूर्वानुभव की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस तरह किसी भी खट्टे पदार्थ को पहले चखे बिना ही शहद, गुड, शक्कर, आम, केला इत्यादि पदार्थों का भिन्न भिन्न मीठापन मालूम हो जाया करता है, उसी तरह सुख के भी अनेक प्रकार होने के कारण पूर्व-दुःखानुभव के बिना ही भिन्न भिन्न प्रकार के सुखों (जैसे, रुईदार गद्दी पर से उठ कर परो की गद्दी पर बैठना इत्यादि) का सदैव अनुभव करते रहना भी सर्वथा सम्भव है। परन्तु सांसारिक व्यवहारों को देखने से मालूम हो जायगा, कि यह युक्ति ही निरर्थक है। पुराणों में देवताओं पर भी संकट पड़ने के कई उदाहरण हैं; और पुण्य का अंश घटते ही कुछ ममय के बाद स्वर्ग-सुख का भी नाश हो जाया करता है। इसलिये स्वर्गीय सुख का उदाहरण ठीक नहीं है। और, यदि ठीक भी हो, तो स्वर्गीय सुख का उदाहरण हमारे किस काम का? यदि यह सत्य मान लें, कि "नित्यमेव सुखं स्वर्गं" तो इसी के आगे (म. भा. शा. १९०. १४) यह भी कहा है, कि 'सुखं दुःखमिहोभयम्' - अर्थात्

इस ससार में सुख और दुःख दोनों मिश्रित हैं। इसी के अनुसार समर्थ श्रीरामदास स्वामी ने भी कहा है, "हे विचारवान् मनुष्य, इस बात को अच्छी तरह सोच कर देख ले, कि इस ससार में पूर्ण सुखी कौन है?" इसके सिवा द्रौपदी ने सत्यभामा को यह उपदेश दिया है, कि :-

सुखं सुखेनेह न जानु लभ्यं दुःखेन साध्वी लभते सुखानि ।

अर्थात् "सुख सुख से कभी नहीं मिलता; साध्वी स्त्री को सुख-प्राप्ति के लिये दुःख या कष्ट सहना पड़ता है" (म. भा. वन. २३३. ४)। इससे कहना पड़ेगा, कि यह उपदेश इस ससार के अनुभव के अनुसार सत्य है। देखिये, यदि जामुन किसी के होठ पर धर दिया जाय, तो भी उसको खाने के लिये पहले मुँह खोलना पड़ता है; और यदि मुँह में चला जाय, तो उसे खाने का कष्ट सहना ही पड़ता है। सारांश, यह बात मिथ्या है, कि दुःख के बाद सुख पानेवाले मनुष्य के सुखास्वादन में, और हमेशा विषयोपभोगों में ही निमग्न रहनेवाले मनुष्य के मुखास्वादन में बहुत भेद अंतर है। इसका कारण यह है, कि हमेशा सुख का उपभोग करने रहने में सुख का अनुभव करनेवाली रन्ध्रियाँ भी शिथिल होती जाती हैं। कहा भी है, कि :-

प्रायेण श्रीमतां लोके भोषतुं शक्तिर्न विद्यते ।

काष्ठान्यपि हि जीयन्ते दरिद्राणां च सर्वशः ॥

अर्थात् "श्रीमानों में सुखादुःख को सेवन करने को भी शक्ति नहीं रहती; परन्तु गरीब लोग का ठ को भी पचा जाते हैं" (म. भा. शा. २८. २९)। अतएव जब कि हम को इस ससार के ही व्यवहारों का विचार करना है, तब कहना पड़ना है, कि इस प्रश्न को अधिक हल करने रहने में कोई लाभ नहीं, कि बिना दुःख पाये हमेशा सुख का अनुभव किया जा सकता है या नहीं। इस ससार में यही क्रम मदा में मूल पट रहा है, कि "सुखस्यानन्तर दुःख दुःखस्यानन्तर सुखम्" (वन. २६०. ४९; शा. २५. २३.) अर्थात् सुख के बाद दुःख और दुःख के बाद सुख मिश्र ही करता है। और महारथि बालिदाम ने भी मेघदूत (म. १. १८) में वर्णन किया है :-

कस्यैकान्तं सुखमुपगतं दुःखमेकान्ततो वा ।

नीचगच्छत्युपरि च दशा चक्षनेमिश्रमेण ॥

"किर्णों की भी स्थिति हमेशा मध्यम या हमेशा दुःखमय नहीं होती। सुख-दुःख की दशा पहिले के समान ऊपर और नीचे की आर हमेशा बदलती रहती है।" अथ चाहे यह दुःख हमारे सुख के मिश्रण का अधिष्ठान के लिये उत्तम हुआ हो और इन प्रकृति के समार में उमरा और भी कुछ उपयोग प्राप्त हो, उक्त अनुभव-मिथ्या तम के बारे में मतभेद है नहीं करना। हाँ, यह बात बदलित

असम्भव न होगी, कि कोई मनुष्य हमेशा ही विषय-सुख का उपभोग किया करे और उससे उसका जी भी न ऊबे । परन्तु इस कर्मभूमि (मृत्युलोक या ससार) में यह बात अवश्य असम्भव है, कि दुःख का विलकुल नाश हो जाय और हमेशा सुख-ही-सुख का अनुभव मिलता रहे ।

यदि यह बात सिद्ध है, कि ससार केवल सुखमय नहीं है, किन्तु वह सुख-दुःखात्मक है, तो अब तीसरा प्रश्न आप-ही-आप मन में पैदा होता है, कि ससार में सुख अधिक है या दुःख ? जो पश्चिमी पंडित आधिभौतिक सुख को ही परम साध्य मानते हैं, उनमें से बहुतेरो का कहना है, कि यदि ससार में सुख से दुःख ही अधिक होता, तो (सब नहीं तो) अधिकांश लोग अवश्य ही आत्महत्या कर डालते । क्योंकि जब उन्हें मालूम हो जाता, कि ससार दुःखमय है, तो वे फिर उसमें रहने की झझट में क्यों पड़ते ? बहुधा देखा जाता है, कि मनुष्य अपनी आयु अर्थात् जीवन से नहीं ऊबता, इसलिये निश्चयपूर्वक यही अनुमान किया जा सकता है, कि इस ससार में मनुष्य को दुःख की अपेक्षा सुख ही अधिक मिलता है; और इसीलिये धर्म-अधर्म का निर्णय भी, सुख को ही सब लोगों का परम साध्य समझ कर, किया जाना चाहिये । अब यदि उपर्युक्त मत की अच्छी तरह जाँच की जाय तो मालूम हो जायगा, कि यहाँ आत्महत्या का जो सम्बन्ध सासारिक सुख के साथ जोड़ दिया गया है, वह वस्तुतः सत्य नहीं है । हाँ, यह बात सच है, कि कभी कभी कोई मनुष्य ससार से त्रस्त हो कर आत्महत्या कर डालता है, परन्तु सब लोग उसकी गणना 'अपवाद' में अर्थात् पागलो में किया करते हैं । इससे यही बोध होता है, कि सर्व-साधारण लोग भी 'आत्महत्या करने या न करने' का सम्बन्ध सासारिक सुख के साथ नहीं जोड़ते किन्तु उसे (अर्थात् आत्महत्या करने या न करने को) एक स्वतंत्र बात समझते हैं । यदि असभ्य और जगली मनुष्यों के उस 'ससार' या जीवन का विचार किया जावे, जो सुधरे हुए और सभ्य मनुष्यों की दृष्टि से अत्यन्त कष्टदायक और दुःखमय प्रतीत होता है, तो भी वही अनुमान निष्पन्न होगा, जिसका उल्लेख ऊपर के वाक्य में किया गया है । प्रसिद्ध सृष्टिशास्त्रज्ञ चार्ल्स डार्विन ने अपन प्रवाम-ग्रन्थ में कुछ ऐसे जगली लोगों का वर्णन किया है, जिन्हें उसने दक्षिण-अमेरिका के अत्यन्त दक्षिण प्रान्तों में देखा था । उस वर्णन में लिखा है, कि वे असभ्य लोग - स्त्री, पुरुष सब - बठिन जाड़े के दिनों में नंगे घूमते रहते हैं, इनके पास अनाज या कुछ भी सग्रह न रहने से इन्हें रमी कमी भूखा करना पड़ता है, तथापि इनकी संख्या दिनोदिन बढ़ती ही जाती है ।* देखिए, जगली मनुष्य भी अपनी जान नहीं देते, परन्तु क्या हममें यह अनुमान किया जा सकता है, कि उनका ससार या जीवन सुखमय है ? कदापि नहीं । यह बात सच है, कि

वे आत्महत्या नहीं करते; परन्तु इसके कारण का यदि सूक्ष्म विचार किया जावे, तो मालूम होगा, कि हर एक मनुष्य को — चाहे वह सभ्य हो या असभ्य — केवल इसी बात में अत्यन्त आनन्द मारूम होता है, कि 'मैं पशु नहीं हूँ।' और अन्य सब मुखों की अपेक्षा मनुष्य होने के सुख को वह इतना अधिक महत्त्वपूर्ण समझता है, कि यह ममार तितना भी कष्टमय क्यों न हो; तथापि वह उनकी ओर ध्यान नहीं देता, और न वह अपने इस मनुष्यत्व के दुर्लभ सुख को खो देने के लियेक भी तैयार रहता है। मनुष्य की बात तो दूर रही, पशु-पक्षी भी आत्महत्या नहीं करते। तो क्या हमसे हम कह सकते हैं, कि उनका भी ससार या जीवन सुखमय है? तात्पर्य यह है, कि 'मनुष्य या पशु-पक्षी आत्महत्या नहीं करने' इस बात से यह भ्रामक अनुमान नहीं करना चाहिये, कि उनका जीवन सुखमय है। मच्चा अनुमान यही हो सकता है, कि मसार कैसा भी हो, उसकी कुछ अपेक्षा नहीं; सिर्फ अचेतन अर्थात् जड़ अवस्था में सचेतन यानी सजीव अवस्था में आने ही में अनुपम आनन्द मिलता है; और उसमें भी मनुष्यत्व का आनन्द तो सबसे श्रेष्ठ है। हमारे शास्त्रकारों ने भी कहा है :-

भूताना प्राणिनः श्रेष्ठाः प्राणिनां बुद्धिजीविनः ।

बुद्धिमत्सु नराः श्रेष्ठा नरेषु ब्राह्मणाः स्मृताः ॥

ब्राह्मणेषु च विद्वांसः विद्वत्सु कृतबुद्धयः ।

कृतबुद्धिय कर्तारः कर्तृषु ब्रह्मवादिनः ॥

अर्थात् "अचेतन पदार्थों की अपेक्षा सचेतन प्राणी श्रेष्ठ हैं। सचेतन प्राणियों में बुद्धिमान्, बुद्धिमानों में मनुष्य, मनुष्यों में ब्राह्मण, ब्राह्मणों में विद्वान्, विद्वानों में कृतबुद्धि (वे मनुष्य जिनकी बुद्धि सुसम्भृत हो), कृतबुद्धियों में कर्ता (काम करनेवाले), और कर्ताओं में ब्रह्मवादी श्रेष्ठ हैं।" इस प्रकार शास्त्रों (मनु. १. १६, १७, म भा उर्षो ५. १ और २) में एन में दूसरी घटी हुई श्रेणियों का जो वर्णन है, उसका भी रहस्य वही है, जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है। और उसी न्याय में भाषा-श्रम्यों में भी कहा गया है, कि चौरासी लाख योनियों में नग्देह श्रेष्ठ है, नरों में मुमुक्षु श्रेष्ठ है और मुमुक्षुओं में निद्र श्रेष्ठ है। ममार में जो कर्त्तव्य प्रचरित है, कि "मत्र को अपनी जान अधिक प्यारी होनी है।" उसका भी कारण यही है, जो ऊपर लिखा गया है। और इसी ममार के दुःखमय होने पर भी जब पार्श्व मनुष्य आत्महत्या करता है, तो उसको लोग पागल कहते हैं; और धर्मशास्त्र के अनुसार वह पापी समझा जाता है (म भा कर्ष ७०. ७८)। तथा जामहत्या का प्रयत्न भी कानून के अनुसार जुर्म माना जाता है। मक्षेप में यह लिखा गया, कि "मनुष्य आत्महत्या नहीं करता" — इस बात में ममार के सुखमय होने का अनुमान करना उचित नहीं है। ऐसी अवस्था में हम को, "यह ममार

सुखमय है या दुःखमय ? ” इस प्रश्न का निर्णय करने के लिये, पूर्वकर्मानुसार नरदेह-प्राप्ति-रूप अपने नैसर्गिक भाग्य की बात को छोड़ कर, केवल इसके पश्चात् अर्थात् इस समार ही की बातों का विचार करना चाहिये । “ मनुष्य आत्महत्या नहीं करता, बल्कि वह जीने की इच्छा करता रहता है ” — तो सिर्फ ससार की प्रवृत्ति का कारण है । आधिभौतिक पंडितों के कथनानुसार ससार के सुखमय होने का यह कोई सबत या प्रमाण नहीं है । यह बात इस प्रकार कही जा सकती है, कि आत्महत्या न करने की बुद्धि स्वाभाविक है, वह कुछ ससार के सुखदुःखों के तारतम्य से उत्पन्न नहीं हुई है, और, इसी लिये इससे यह सिद्ध हो नहीं सकता कि ससार सुखमय है ।

केवल मनुष्यजन्म पाने से सौभाग्य को और (उसके वाद के) मनुष्य के सासारिक व्यवहार या ‘जीवन’ को भ्रमवश एक ही नहीं समझ लेना चाहिये । केवल मनुष्यत्व, और मनुष्य के नित्य व्यवहार अथवा सासारिक जीवन, ये दोनों भिन्न भिन्न बातें हैं । इस भेद को ध्यान में रख कर यह निश्चय करना है, कि इस ससार में श्रेष्ठ नरदेह धारी प्राणी के लिये सुख अधिक है अथवा दुःख ? इस प्रश्न का यथार्थ निर्णय करने के लिये केवल यही सोचना एकमात्र साधन या उपाय है, कि प्रत्येक मनुष्य के ‘वर्तमान समय की’ वासनाओं में से कितनी वासनाएँ सफल हुईं और कितनी निष्फल । ‘वर्तमान समय की’ कहने का कारण यह है, कि जो बातें सभ्य या सुधरी हुई दशा के सभी लोगों को प्राप्त हो जाया करती हैं, उनका नित्य व्यवहार में उपयोग होने लगता है, और उनसे जो सुख हमें मिलता है, उसे हम लोग भूल जाया करते हैं । एव जिन वस्तुओं का पाने की नई इच्छा उत्पन्न होती है, उनमें से जितनी हमें प्राप्त हो सकती है, सिर्फ उन्हीं के आधार पर हम इस ससार के सुख-दुःखों का निर्णय किया करते हैं । इस बात की तुलना करना, कि हमें वर्तमान काल में कितना सुख-साधन उपलब्ध है और सी वर्ष पहले इनमें से कितने सुख-साधन प्राप्त हो गये थे, और इस बात का विचार करना, आज के दिन में मैं सुखी हूँ या नहीं, ये दोनों बातें अत्यंत भिन्न हैं । इन बातों को समझने के लिये उदाहरण लीजिये । इसमें सदेह नहीं, कि सी वर्ष पहले की बेलगाडी की यात्रा से वर्तमान समय की रेलगाडी की यात्रा अधिक सुखकारक है । परन्तु अब इस रेलगाडी से मिलनेवाले सुख के ‘सुखत्व’ को हम भूल गये हैं । और इसका परिणाम यह दीर्घ पड़ता है, कि किसी दिन डाक देर से आती है, और हमारी चिठ्ठी हमें समय पर नहीं मिलती, तो हमें अच्छा नहीं लगता — कुछ दुःख ही सा होता है । अतएव मनुष्य के वर्तमान समय के सुख-दुःखों का विचार, उन सुख-साधनों के आधार पर नहीं किया जाता कि जो उपलब्ध है, किन्तु यह विचार मनुष्य की ‘वर्तमान’ आवश्यकताओं (इच्छाओं या वासनाओं) के आधार पर ही किया जाता है । और, जब हम इन आवश्यकताओं, इच्छाओं या वासनाओं का विचार करने लगते हैं, तब भालूम हा जाता है, कि उनका तात्पर्य अन्त ही नहीं — वे अनन्त और अमर्यादित हैं । यदि हमारी एक इच्छा आज मरुत्

हो जाय, तो कल दूमरी नई इच्छा उत्पन्न हो जाती है; और मन में यह भाव उत्पन्न होना है, कि वह इच्छा भी सफल हो। ज्यों ज्यों मनुष्य को इच्छा या वामना मफल होती जाती है, त्यों त्यों उसकी दौड़ एक कदम आगे ही बढ़ती चली जाती है; और जबकि यह बात अनुभवमिद्व है, कि इन सब इच्छाओं या वामनाओं का सफल होना सम्भव नहीं, तब इसमें मदेह नहीं, कि मनुष्य दुःखी हुए विना रह नहीं सकता। यहाँ निम्न दो बातों के भेद पर अच्छी तरह ध्यान देना चाहिये : (१) सब सुख केवल नृपणा-शय-रूप ही है; और (२) मनुष्य को कितना ही सुख मिले, तो भी वह अमनुष्य ही रहता है। यह कहना एक बात है, कि प्रत्येक सुख दुःखाभावरूप नहीं है। किन्तु सुख और दुःख द्न्दियों की दो स्वतन्त्र वेदनाएँ हैं; और यह कहना उसमें किल्लुल ही भिन्न है, कि मनुष्य किसी एक समय पाये हुए सुख को भूल कर भी अधिकाधिक सुख पाने के लिये अमनुष्य बना रहता है। इनमें से पहले दो वान सुख के वांन्विक स्वरूप के विषय में है; और दूसरी बात यह है, कि पाये हुए सुख ने मनुष्य की पूरी नृप्ति होती है या नहीं? विषय-वामना हमेशा अधिकाधिक बढ़ती ही जाती है, इसलिये जब प्रतिदिन नये सुख नहीं मिल सकने, तब यहाँ मालूम होना है, कि पूर्वप्राप्त सुखों को ही बार बार भोगते रहना चाहिये — और इनमें से मन की इच्छा का दमन नहीं होना। क्विलियन नामक एक रोमन बादशाह था। कहते हैं, कि वह जिहा का सुख हमेशा पाने के लिये, भोजन करने पर किमी औषधि के द्वाग के कर डालना था; और प्रतिदिन अनेक बार भोजन किया करता था। परन्तु, अन्त में पल्लवानवाले यवानि राजा की कथा हमने भी अधिक जिज्ञासायक है। यह राजा युवानाचार्य के प्राप ने, बुढा हो गया था; परन्तु उन्हीं की कृपा ने उसके यह सह-दियन भी हो गई थी, कि अपना बुढापा किमी को दे कर उसके पल्लुट में उसकी अजाती ले ले। तब हमने अपने पुत्र नामक बेटे की तरणावस्था माँग ली और भी दो गो नहीं, पूरे एव हजार वर्ष तक सब प्रकार के विषय-सुखों का उपभोग किया। अन्त में उसे यही अनुभव हुआ, कि इस दुनिया के मागे पदाय एक मनुष्य की भी सुख-वागना की नृप्ति करने के लिये पसोन्न नहीं है। तब उसके मूत्र में यही उद्गाग निरक पडा, कि :-

न जानु कामः कामानां उपभोगेन क्षाम्यति ।

हृषिपा वृष्णायमैव भूय एवाभिवर्धते ॥

अर्थात् "सुखों के उपभोग में विषय-वामना की नृप्ति तो होती ही नहीं; किन्तु विषय-वामना दिनादिग उसी प्रकार बढ़ती जाती है, जैसे अग्नि की उष्णता हवनसदायों में बढ़ती जाती है" (म भा आ ३२ १२)। यही उक्तीक मनुस्मृति में भी पाया जाय है (मन् २, १, ६)। गामयें यह है, कि सुख के माधन चाहे जितने उपभोग हों, भी भी इन्द्रियों की इच्छा उत्पन्न नहीं हो जाती है। इसलिये केवल सुखों-उपभोग में सुख की इच्छा पभी नृप्ति नहीं हो सकती, उनको राकने या दाबने के लिये

कुछ अन्य उपाय अवश्य ही करना पड़ता है। यह तत्त्व हमारे सभी धर्म-ग्रन्थकारों को पूर्णतया मान्य है, और इसलिये उनका प्रथम उपदेश यह है, कि प्रत्येक मनुष्य को अपन कामोपभोग की मर्यादा बान्ध लेनी चाहिये। जो लोग कहा करते हैं, कि इस मसार में परममाध्य केवल विषयोपभोग ही है, वे यदि उक्त अनुभूत सिद्धान्त पर थोड़ा भी ध्यान दें, तो उन्हें अपने मन की निस्सारता तुरन्त ही मालूम हो जायगी। वैदिक धर्म का यह सिद्धान्त बौद्धधर्म में भी पाया जाता है, और, यथाति राजा के सदृश, मान्धाता नामक पौराणिक राजा ने भी मरते समय कहा है -

न क्हापण्यस्तेन तित्ति कामेसु विज्जति ।

अपि दिब्बेसु कामेसु रतिं सो नाधिगच्छति ॥

“कार्पाण नामक महामूल्यवान् सिक्के को यदि वर्षा होने लगे, तो भी कामवासना की तित्ति अर्थात् तृप्ति नहीं होती, और स्वर्ग का भी सुख मिलने पर कामी पुरुष की कामेच्छा पूरी नहीं होती।” यह वर्णन धम्मपद (१८६, १८७) नामक बौद्ध ग्रन्थ में है। इससे कहा जा सकता है, कि विषयोपभोगरूपी सुख की पूर्ति कभी ही नहीं सकती, और इसी लिये एरएक मनुष्य को हमेशा ऐसा मालूम होना है, कि “मैं दुःखी हूँ।” मनुष्यों की इस स्थिति को विचारने से वही सिद्धान्त स्थिर करना पड़ता है, जो महाभारत (शा २०५ ६, ३३० १६) में कहा गया है -

सुखाद्बहुरं दुःख जीविते नास्ति सशयः ।

अर्थात् “इस जीवन में यानी ससार में सुख की अपेक्षा दुःख ही अधिक है।” यही सिद्धान्त साधु तुकाराम ने इस प्रकार कहा है - “सुख देखो तो राई बराबर है और दुःख पर्वत के समान है।” उपनिषत्कारों का भी सिद्धान्त ऐसा ही (मैत्र्यु १ २-४)। गीता (८ १५ और ९ ३३) में भी कहा गया है, कि मनुष्य का जन्म अशाश्वन और ‘दुःखो वा घर’ है, तथा यह ससार अनित्य और ‘सुखरहित’ है। जर्मन पंडित शोपेनहर का ऐसा ही मत है, जिसे सिद्ध करने के लिये उस ने एक विचित्र दृष्टान्त दिया है। वह कहता है, कि मनुष्य की समस्त सुखेच्छाओं में से जितनी सुखेच्छाएँ सकल होती हैं, उसी परिमाण से हम उन्हें सुखी समझते हैं, और जब सुखेच्छाओं की अपेक्षा सुखोपभोग कम हो जाता है, तब कहा जाता है, कि वह मनुष्य उस परिमाण से दुःखी है। इस परिमाण को गणितरिति से ममज्ञाना हा तो सुखोपभोग को सुखेच्छा से भाग देना चाहिये और अपूर्णांक के रूप में सुखोपभोग ऐसा लिखना चाहिये। परन्तु यह अपूर्णांक है भी विक्रम, क्योंकि इसका हर (अर्थात् सुखेच्छा), अश (अर्थात् सुखोपभोग) की अनन्ता, हमेशा अधिनाशिव बढता ही रहता है। यदि यह अपूर्णांक पहले ३ हो, और यदि आगे - उसका अश १ में ३ हो जाय, तो उसका हर २ में १० हा जायगा - अर्थात् वही अपूर्णांक ३/१० हो जाता है। तात्पर्य यह है, यदि अश तिगुना बढता है, तो हर पंचगुना उढ जाता है, जिसका

फल यह होना है, कि वह अपूर्णा पूर्णता की ओर न जा कर अधिकाधिक अपूर्णता की ओर चला जाता है। इसका मतलब यही है, कि कोई मनुष्य कितना ही सुखोपभोग करे, उसकी सुखेच्छा दिनोदिन बढ़ती ही जाती है; जिसमें यह आशा करना व्यर्थ है, कि मनुष्य पूर्ण सुखी हो सकता है। प्राचीन काल में कितना सुख था, इसका विचार करने समय हम लोग इस अपूर्णाक के अंश का तो पूर्ण ध्यान रखते हैं, परन्तु हम बात को भूल जाते हैं, कि अंश की अपेक्षा हर कितना बढ़ गया है। किन्तु जब हमें सुख-दुःख की मात्रा का ही निर्णय करना है, तो हमें किसी कल का विचार न करके सिर्फ यहीं देखना चाहिये, कि उक्त अपूर्णाक के अंश और हर में क्या अन्तर है। फिर हमें-आप-ही आप मालूम हो जायगा, कि इस अपूर्णाक का पूर्ण होना असम्भव है। "न जातु काम. कामाना" इस मनुवचन का (२.९४) भी यही अर्थ है। सम्भव है, कि बहूतेरो को सुख-दुःख नापने की गणित की यह रीति पसन्द न हो, क्योंकि यह उष्णतामापक यंत्र के समान कोई निश्चित माघन नहीं है। परन्तु इस युक्तिवाद में प्रयत्न होता जाता है, कि इस बात को मिट्ट न करने के लिये भी कोई निश्चित साधन नहीं, कि "ममार में सुख ही अधिक है।" यह आपत्ति दोनो पक्षां के लिये समान ही है। इसलिये उन प्रतिपादन के माधारण सिद्धान्त में - अर्थात् उस सिद्धान्त में जो सुखोपभोग की अपेक्षा सुखेच्छा की अमर्यादित वृद्धि में निपन्न होती है - यह आपत्ति कुछ बाधा नहीं डाल सकती। धर्म-ग्रन्थों में तथा ममार के इतिहास में इस सिद्धान्त के पोषक अनेक उदाहरण मिलते हैं। किसी जमाने स्पेन देश में मुसलमानों का राज्य था। वहाँ तीमरा अब्दुल रहमान नामक एक बहूत ही न्यायी और पराक्रमी बादशाह हो गया है। उसने यह देखने के लिये - कि मेरे दिन कैसे बटते हैं - एक रोजनामचा बनाया था; जिसे देखके अंत में उसे यह ज्ञान हुआ, कि पचास वर्ष के शासन-काल में उसके केवल चौदह दिन सुखपूर्वक गये। किसी ने हिमाय करके बतलाया है, कि ममारभर के - विशेषतः यूरोप के - प्राचीन और अर्वाचीन सभी तत्त्वज्ञानियों के मनो को देखो; तो यही मालूम होगा, कि उनमें से प्रायः आधे लोग ममार को दुःखमय कहते हैं, और प्रायः आधे उसे सुखमय कहते हैं। अर्थात् ममार को सुखमय तथा दुःखमय कहनेवालों की संख्या बराबर है। यदि इन लुब्ध मर्या में हिंदु तन्त्रज्ञों के मनो को जोड़ दें, तो बचना नहीं होगा, कि ममार को दुःखमय माननेवालों की संख्या ही अधिक हो जायगी।

ममार के सुख-दुःख के उत्तर विवेचन को सुन कर कोई मर्यामनार्थी पुत्र यह कह सकता है, कि यद्यपि तुम इस सिद्धान्त को नहीं मानते, कि "सुख कोई नब्बा बन सकता है, परन्तु मर्यामन कर्मों को छोड़ि बिना जाति नहीं मिट सकती।"

* Meers in Spain, p. 128 (Story of the Nations Series)
 * Macmillan's Promotion of Happiness, p. 26

तथापि तुम्हारे ही कथनानुसार यह बात सिद्ध है, कि तृष्णासे असंतोष और असंतोष से दुःख उत्पन्न होता है। तब ऐसी व्यवस्था में यह कह देने में क्या हर्ज है, कि इस असंतोष को दूर करने के लिये मनुष्य को अपनी तृष्णाओं का और उन्हीं के साथ सब सांसारिक कर्मों का भी त्याग करके सदा संतुष्ट ही रहना चाहिये - फिर तुम्हें इस बात का विचार नहीं करना चाहिये, कि उन कर्मों को तुम परोपकार के लिये करना चाहते हो या स्वार्थ के लिये। महाभारत (वन. २१५. २२) में कहा है, कि "असंतोपस्य नास्त्यन्तस्तुष्टिस्तु परमं सुखम्" अर्थात् असंतोष का अंत नहीं है और संतोष ही परम सुख है। जैन और बौद्ध धर्मों की नीव भी इसी तत्त्व पर डाली गई है; तथा पश्चिमी देशों में शोपेनहर * ने अर्वाचीन काल में इसी मत का प्रतिपादन किया है; परंतु इसके विरुद्ध यह प्रश्न भी किया जा सकता है, कि जिह्वा से कभी कभी गालियाँ वगैरह अपशब्दों का उच्चारण करना पड़ता है, तो क्या जीभ को ही ममूल काट कर फेंक देना चाहिये? अग्नि से कभी कभी मकान जल जाते हैं, तो क्या लोगों ने अग्नि का सर्वथा त्याग ही कर दिया है? या उन्होने भोजन बनाना ही छोड़ दिया है? अग्नि की बात कौन कहे; जब हम विद्युत्-शक्ति को भी मर्यादा में रख कर उसको नित्यव्यवहार के उपयोग में लाते हैं, उसी तरह तृष्णा और -संतोष की भी सुव्यवस्थित मर्यादा बाँधना कुछ असंभव नहीं है। हाँ, यदि असंतोष सर्वांश में और सभी ममय हानिकारक होगा, तो बात दूसरी थी; परंतु विचार करने से मालूम होगा कि सचमुच बात ऐसी नहीं है। असंतोष का यह अर्थ बिलकुल नहीं, कि किसी चीज को पाने के लिये रात-दिन हाय हाय करते रहें, रोते रहें; या न मिलने पर सिर्फ शिकायत ही किया करें। ऐसे असंतोष को शास्त्रकारों ने भी निंद्य माना है। परंतु उस इच्छा का मूलभूत असंतोष कभी निंदनीय नहीं कहा जा सकता। जो यह कहे, कि तुम अपनी वर्तमान स्थिति में ही पड़े पड़े सड़ते मत रहो; किन्तु उसमें यथाशक्ति शांत और समचित्त से अधिकाधिक सुधार करते जाओ; तथा शक्ति के अनुसार उसे उत्तम अवस्था में ले जाने का प्रयत्न करो। जो समाज चार वर्णों में विभक्त है, उसमें ब्राह्मणों ने ज्ञान की, क्षत्रियों ने ऐश्वर्य की और वैश्यों ने धन-धान्य की उक्त प्रकार की इच्छा या वासना छोड़ दी, तो कहना नहीं होगा, कि वह समाज शीघ्र ही अधोगति में पहुँच जायगा। उसी अभिप्राय को मन में रख कर व्यासजी ने (शा. २३. ९) युधिष्ठिर से कहा है, कि "यज्ञो विद्या समुत्थानमसंतोपः श्रिय प्रति" - अर्थात् यज्ञ, विद्या, उद्योग और ऐश्वर्य के विषय में असंतोष (रखना) क्षत्रिय के गुण है। उसी तरह विदुला ने भी अपने पुत्र को उपदेश करते समय (म. भा. उ. १३२-३३) कहा है, कि "संतोपो वै श्रियं हन्ति" - अर्थात् संतोष से ऐश्वर्य

* Schopenhauer's *World as Will and Representation*, Vol. II, chap. 46. संसार के दुःखमयत्व का, शोपेनहरकृत वर्णन अत्यन्त ही सरस है। मूलग्रन्थ जर्मन भाषा में है और उसका भाषान्तर अंग्रेजी में भी हो चुका है।

का नाश होता है, और किसी अन्य अवसर पर एक वाक्य (म भा सभा ५५ ११) में यह भी कहा गया है, कि "असताप श्रिया मूलम्" अर्थात् असताप ही ऐश्वर्य का मूल है।* ब्राह्मणधर्म में सतोप एक गुण बतलाया गया है नहीं, परन्तु उमका अर्थ केवल यही है, कि वह चातुर्ण्य-धर्मानुसार द्रव्य और ऐहिक ऐश्वर्य के विषय में मताप रखे। यदि कोई ब्राह्मण कहने लगे, कि मुझे जितना ज्ञान प्राप्त हो चुका है, उमी ने मुझे मतोप है, ता वह स्वय अपना नाश कर बैठेगा। इमी तरह यदि कोई वैश्य या शूद्र, अपन अपने धर्म के अनुसार जितना मिला है उतना पा कर ही, सदा सतुष्ट बना रहे तो उसकी भी वही दशा होगी। साराण यह है, कि असताप सज भावी उत्कर्ष का, प्रयत्न का, ऐश्वर्य का और मोक्ष का बीज है। हमें इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिये, कि यदि हम असतोप का पूर्णतया नाश कर डालेंगे, तो इस लोक और परलोक में भी हमारी दुर्गति होगी। श्रीकृष्ण का उपदेश सुनने ममय जय अर्जुन ने कहा, कि "भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नातिमेऽमृतम्" (गी १० १८) अर्थात् आप के अमृततुल्य भाषण को सुन कर मेरी तृप्ति हाती ही नहीं। इसलिय आप फिर भी अपनी विभूतिया का वर्णन कीजिये - तत्र भगवान् ने फिरसे अपनी विभूतिया का वर्णन आरम्भ किया। उन्हा न ऐमा नहीं कहा, कि तू अपनी इच्छा का वश में कर। असताप या अतृप्ति अच्छी बात नहीं है। इससे मित्त होता है, कि पण्य और कल्याणकारक बातों में उचिन असतोप का हाना भगवान् को भी इष्ट है। भर्तृहरि का भी इसी आशय का एक श्लोक है। यया "यशमि चाभिरचिर्व्यमन श्रुतो" अर्थात् रचि या इच्छा अवश्य हानी चाहिये, परन्तु वह यश के लिये ही। और व्यसन भी हाना चाहिये, परन्तु वह विद्या का हो, अन्य बातों का नहीं। काम-क्रोध आदि विकारा के समान ही असताप का भी अनिवार्य नहीं हान देना चाहिये। यदि वह अनिवार्य हा जायगा, ता निःसदह हमारे सर्वस्व का नाश कर डालेगा। इसी हेतु से बज्र विषयमोग की प्रीति के लिये तृष्णा लाद कर और एन आशा के दाद दूमरी आशा रख कर नामगिक मुखा के पीछे हमेशा भटकनेवाले पुरुषों की सपत्ति को गीता के नाह्य अध्याय में 'आमुगे सपत्ति' कहा है। एमी गन दिन को हाय हाय बग्न रहन म मनुष्य के मन की मात्स्विक वृत्तिया का नाश हा जाता है। उमकी अधागति हाती है, और तृष्णा की पूरी तृप्ति होना असभव हान न कारण वामानभाग-वामना निच अधिकाधिक बढ़ती जानी है, तथा वह मनुष्य अत में उनी दशा म भर जाता है। परन्तु विपरीत पक्ष में तृष्णा और असताप के दा दुःखरिणाम ने बचने के लिये मय प्रकार व तृष्णाया के नाय मय कार्यों का एकदम छाड देना भी मात्स्विक माग नहीं है। उकन कयनानुसार तृष्णा या असताप भावी उत्कर्ष का बीज है। इमग्न्य चार के दर मे माह को ही माग लाग्न का प्रयत्न कमी

* Cf "Unhappiness is the cause of progress" Dr Paul Carus, *The Ethical Problem*, p 251 (2nd Ed)

नहीं करना चाहिये। उचित मार्ग तो यही है, कि हम इस बात का भली भाँति विचार किया करे, कि किस तृष्णा या किस असंतोष से हमें दुःख होगा; और जो विशिष्ट आशा, तृष्णा या असंतोष दुःखकारक हो उसे छोड़ दें। उनके लिये समस्त कर्मों को छोड़ देना उचित नहीं। केवल दुःखकारी आशाओं को ही छोड़ने और स्वधर्मानुसार कर्म करने की इस युक्ति या कौशल्य को ही योग अथवा कर्मयोग कहते हैं (गी. २. ५०); और यही गीता का मुख्यतः प्रतिपाद्य विषय है। इसलिये यहाँ थोड़ा-सा इस बात का और विचार कर लेना चाहिये, कि गीता में किस प्रकार की आशा को दुःखकारी कहा है।

मनुष्य कान से सुनता है, त्वचा से स्पर्श करता है, आँखों से देखता है, जिह्वा से स्वाद लेता है तथा नास से सूँघता है। इन्द्रियों के ये व्यापार जिस परिणाम से इन्द्रियों की वस्तियों के अनुकूल या प्रतिकूल होते हैं उसी परिणाम से मनुष्य को सुख अथवा दुःख हुआ करता है। सुख-दुःख के वस्तुस्वरूप के लक्षण का यह वर्णन पहले हो चुका है; परन्तु सुख-दुःखों का विचार केवल इसी व्याख्या से पूरा नहीं हो जाता। आधिभौतिक सुख-दुःखों के उत्पन्न होने के लिये बाह्य पदार्थों का संयोग इन्द्रियों के साथ होना यद्यपि प्रथमतः आवश्यक है, तथापि इसका विचार करने पर—कि आगे इन सुख-दुःखों का अनुभव मनुष्य को रीति से होता है—यह मालूम होगा, कि इन्द्रियों के स्वाभाविक व्यापार से उत्पन्न होनेवाले इन सुख-दुःखों को जानने का (अर्थात् इन्हें अपने लिये स्वीकार या अस्वीकार करने का) काम हरएक मनुष्य अपने मन के अनुसार ही किया करता है। महाभारत में कहा है, कि “चक्षुः पश्यति रूपाणि मनसा न तु चक्षुषा” (म भा शा. ३११ १७) —अर्थात् देखने का काम केवल आँखों से ही नहीं होता; किंतु उस में मन की भी सहायता होती है। और यदि मन व्याकुल रहता है, तो आँखों से देखने पर भी अनदेखा-सा हो जाता है। बृहदारण्यकोपनिषद् (१ ५. ३) में भी यह वर्णन पाया जाता है; यथा (अन्यत्रमना अभूव नादर्शम्) “मेरा मन दूसरी ओर लगा था; इसलिये मुझे नहीं दीख पडा” और (अन्यत्रमना अभूव नाश्रोत्रम्) “मेरा मन दूसरी ही ओर था; इसलिये मैं सुन नहीं सका”—इससे यह स्पष्ट-तया सिद्ध हो जाता है, कि आधिभौतिक सुखदुःखों का अनुभव होने के लिये इन्द्रियों के साथ मन की भी सहायता होनी चाहिये, और आध्यात्मिक सुख-दुःख तो मानसिक होते ही हैं। सारांश यह है, कि मनुष्य के सुख-दुःखों का अनुभव अन्त में हमारे मन पर ही अवलम्बित रहता है; और यदि यह बात मनुष्य को मालूम है, तो यह भी आप-ही-आप सिद्ध हो जाता है, कि मनोनिग्रह से सुख-दुःखों के अनुभव का भी निग्रह अर्थात् दमन करना कुछ अमम्भव नहीं है। इसी बात पर ध्यान रखते हुए मनुजी ने सुख-दुःखों का लक्षण नैयायिकों के लक्षण से भिन्न प्रकार का बतलाया है। उनका वचन है, कि :-

सर्वं परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम् ।

एतद्विद्यात्समाप्तेन लक्षणं सुखदुःखयोः ॥

अर्थात् "जो दूसरों की (बाह्य-वस्तुओं की) अधीनता में है, वह सब दुःख है; और जो अपने (मन के) अधिकार में है, वह सुख है। यही सुख-दुःख का संक्षिप्त लक्षण है" (मनु. ४. १६०) नैयायिकों के मतलाये हुए लक्षण 'वेदना' शब्द में शारीरिक और मानसिक दोनों वेदनाओं का समावेश होता है; और उसमें सुख-दुःख का बाह्य वस्तुस्वरूप भी मालूम हो जाता है; और मनु का विशेष ध्यान सुख-दुःखों के केवल आन्तरिक अनुभव पर है। वस, इस बात को ध्यान में रखने में सुख-दुःखों के उक्त दोनों लक्षणों में कुछ विरोध नहीं पड़ेगा। इस प्रकार जब सुख-दुःखों के लिये इन्द्रियों का अवलम्ब अनावश्यक हो गया, तब तो यही कहना चाहिये कि :-

भेषज्यमेतद् दुःखस्य यदेतन्प्राणुचिन्तयेत् ।

"मन में दुखों का चिन्तन न करना ही दुःखनिवारण की श्रेष्ठ औषधि है" (म. भा. शां. २०५. २); और इसी तरह मन को दबा कर मृत्यु तथा धर्म के लिये सुखपूर्वक अग्नि में जलकर भस्म हो जानेवालों के अनेक उदाहरण इतिहास में भी मिलते हैं। इसलिये गीता का कथन है, कि हमें जो कुछ करना है उसे निग्रह के साथ और उनको फलाशा की छोड़ कर तथा सुख-दुःखों में समभाव रख कर करना चाहिये। ऐसा करने से न तो हमें कर्माचरण का त्याग करना पड़ेगा और न हमें उनके दुःख की बाधा ही होगी। फलाशा-त्याग का यह अर्थ नहीं है, कि हमें जो फल मिले उसे छोड़ दें; अथवा ऐसी इच्छा रखें, कि वह फल किमी को भी न मिले। इसी तरह फलाशा में - और कर्म करने की केवल इच्छा, आशा, हेतु या फल के लिये किमी बात की योजना करने में - भी बहुत अंतर है। केवल हाथ-पैर हिलाने की इच्छा होने में और अमुक मनुष्य को पकड़ने के लिये या किमी मनुष्य को खान मारने के लिये हाथ-पैर हिलाने की इच्छा में बहुत भेद है। पहली इच्छा केवल कर्म करने की ही है। उनमें कोई दूसरा हेतु नहीं है; और यदि वह इच्छा छोड़ दी जाय, तो कर्म का करना ही रुक जायगा। इस इच्छा के अनिश्चित प्रत्येक मनुष्य को इस वान का ज्ञान भी होना चाहिये, कि हर एक कर्म का कुछ-न-कुछ फल अथवा परिणाम अवश्य ही होगा। अतः ऐसे ज्ञान के माय साथ उसे इस वान की इच्छा अवश्य होनी चाहिये, कि मैं अमुक फलप्राप्ति के लिये अमुक प्रयत्न की योजना करके ही अमुक कर्म करना चाहता हूँ। नहीं तो उसके सभी कार्य पाण्डों के-मे निरर्थक दृष्टा करेगा। ये सब इच्छाएँ, हेतु, योजनाएँ, परिणाम में दुःखकारक नहीं होंगी; और, गीता का यह कथन भी नहीं है, कि कोई उनको छोड़ दें। परन्तु स्मरण रहे, कि स्थिति में बहुत आगे बढ़ कर जब मनुष्य के मन में यह

भाव होता है, कि " मैं जो कर्म करता हूँ, मेरे उस कर्म का अमुक फल मुझे अवश्य ही मिलना चाहिये " - अर्थात् जब कर्मफल के विषय में, कर्ता की बुद्धि में ममत्व की यह आमक्ति, अभिमान, अभिनिवेश, आग्रह या इच्छा उत्पन्न हो जाती है और मन उसी से ग्रस्त हो जाता है - और जब इच्छानुसार फल मिलने में बाधा होने लगती है, तभी दुःख-परम्परा का प्रारम्भ हुआ करता है। यदि यह बाधा अनिवार्य अथवा दैवकृत हो, तो केवल निराशामात्र होती है, परन्तु वही कही मनुष्यकृत हुई तो फिर क्रोध और द्वेष भी उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे कुकर्म होने पर मर मिटना पड़ता है। कर्म के परिणाम के विषय में जो यह ममत्वयुक्त आसक्ति होती है, उसी को 'फलाशा', 'मग' और 'अहकारबुद्धि' कहते हैं, और यह बतलाने के लिये, कि ससार की दुःखपरम्परा यही से शुरु होती है, गीता के दूसरे अध्याय में कहा गया है, कि विषय-सग मे काम, काम से क्रोध, क्रोध से मोह और अन्त में मनुष्य का नाश भी होता है (गी. २. ६२, ६३)। अब यह बात सिद्ध हो गई, कि जड स्रष्टि के अचेतन कर्म स्वयं दुःख के मूल कारण नहीं है, किन्तु मनुष्य उनमें जो फलाशा, सग, काम या इच्छा लगाये रहता है, वही यथार्थ में दुःख का मूल है। ऐसे दुःखों से बचे रहने का सहज उपाय यही है, कि सिर्फ विषय की फलाशा, मग, काम या आमक्ति को मनोनिग्रहद्वारा छोड़ देना चाहिये। सन्यासमार्गियों के कथनानुसार जब विषयो और कर्मों ही को, अथवा सब प्रकार की इच्छाओं ही को, छोड़ देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी लिये गीता (२ ६४) में कहा है, कि जो मनुष्य फलाशा को छोड़ कर यथाप्राप्त विषयो का निष्काम और निस्सगबुद्धि से सेवन करता है, वही सच्चा स्थितप्रज्ञ है। ससार के कर्म-व्यवहार कभी रुक नहीं सकते। मनुष्य चाहे इस ससार में रहे या न रहे, परन्तु प्रकृति अपने गुणधर्मानुसार सदैव अपना व्यापार करती ही रहेगी। जड प्रकृति को न तो इसमें कुछ सुख है, और न दुःख। मनुष्य व्यर्थ अपनी महत्ता समझ कर प्रकृति के व्यवहारों में आसक्त हो जाता है। इसी लिये वह सुख-दुःख का भागी हुआ करता है। यदि वह इस आसक्त-बुद्धि को छोड़ दे और अपने सब व्यवहार इस भावना से करने लगे, कि " गुणा गुणेषु वर्तन्ते " (गी ३ २८) - प्रकृति के गुणधर्मानुसार ही सब व्यापार हो रहे हैं, तो असन्तोषजन्य कोई भी दुःख उसको ही ही नहीं सकता। इस लिये यह समझ कर, कि प्रकृति तो अपना व्यापार करती ही रहती है, उसके लिये ससार को दुःखप्रधान मान कर रोते नहीं रहना चाहिये; और न उसको त्यागने ही का प्रयत्न करना चाहिये। महाभारत (भा २५. २६) में व्यासजी ने युधिष्ठिर को यह उपदेश दिया है, कि -

सुखं वा यदि वा दुःखं प्रियं वा यदि वाऽप्रियम् ।

प्राप्तं प्राप्तमुत्सासीत हृदयेनापराजितः ॥

“चाह सुख हो या दुःख, प्रिय हो अथवा अप्रिय, जो जिन समय जैसा प्राप्त हो वह उस समय वैसा ही, मन को निराशा न करते हुए (अर्थात् निखट्टू बनकर अपने कर्तव्य को न छोड़ने हुए) सेवन करते रहो।” इस उपदेश का महत्त्व पूर्णतया तभी ज्ञात हो सकता है, जब कि हम इस बात को ध्यान में रखें, कि समाज में अनेक कर्तव्य ऐसे हैं, जिन्हें दुःख सह कर भी करना पड़ता है। भगवद्गीता में स्थितप्रज्ञ का यह लक्षण बतलाया है, कि “य सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम्” (२ ५७) — अर्थात् शुभ अथवा अशुभ जो कुछ आ पड़े उस के बारे में जो मदा निष्काम या निस्संग रहना है, और जो उसका अभिनन्दन या द्वेष कुछ भी नहीं करता, वही स्थितप्रज्ञ है। फिर पाँचवें अध्याय (५ २०) में कहा है, कि “न प्रहिष्येत्प्रिय प्राप्य नोद्विजेत्प्राप्य चाप्रियम्” — सुख पा कर फूल न जाना चाहिये और दुःख में कातर भी न होना चाहिये। एक दूसरे अध्याय (७ १६, १५) में इन मुख-दुःखों को निष्काम-बुद्धि में भोगने का उपदेश किया है। भगवान् श्रीकृष्ण ने उसी उपदेश को बार बार दुहराया है (गी ५ ९, १३ ९)। वेदान्तशास्त्र की परिभाषा में उसी को “सर्व कर्मों को ब्रह्मार्पण करना” कहते हैं। और भक्तिमार्ग में ‘ब्रह्मार्पण’ के बदले ‘श्रीकृष्णार्पण’ शब्द की योजना की जाती है। वम यही गीतायं का माराश है।

कर्म चाहे किसी भी प्रकार का हो, परन्तु कर्म करने की इच्छा और उद्योग को जिना छोड़े तथा फल-प्राप्ति की आसक्ति न रख कर (अर्थात् निस्मगबुद्धि से) उसे करते रहना चाहिये; और साथ हम भविष्य में परिणाम-स्वरूप में मिलनेवाले सुख-दुःखों को भी एक ही समान भोगने के लिये तैयार रहना चाहिये। ऐसा करने से अमर्यादिन तृष्णादि और असन्तोषजनित दुष्परिणामों से तो हम बचेगे ही, परन्तु दूसरा गम यह होगा, कि तृष्णा या असन्तोष के साथ साथ कर्म को भी त्याग देने से जीवन के ही नष्ट हो जाने का जो प्रसंग आ सकता है, वह भी नहीं आ सकेगा, और हमारी मनोवृत्तियाँ शुद्ध हों कर प्राणिमात्र के लिये हितप्रद ही जायेंगी। इसमें मन्देह नहीं, कि इस तरह फराशा छोड़ने के लिये भी इन्द्रियों का और मन का वैराग्य से पूरा दमन करना पड़ता है, परन्तु स्मरण रहें, कि इन्द्रियों को स्वाधीन करके स्वार्थ के बदले वैराग्य से तथापि निष्काम बुद्धि से लोकमग्रह के लिये उन्हें अपने अपने व्यापार करने देना कुछ और बात है, और सन्यास-मार्गानुसार तृष्णा का मारने के लिये इन्द्रियों के सभी व्यापारों को अर्थात् कर्मों को आग्रहपूर्वक समूल नष्ट कर डालना त्रिलंब ही भिन्न बात है। इन दोनों में जमीन-आसमान का अन्तर है। गाना में जिस वैराग्य का और जिस इन्द्रियनिग्रह का उपदेश किया गया है, वह पहले प्रकार का है, दूसरे प्रकार का नहीं, और उसी तरह अनुगीता (महा अथ ३२ १७-२३) में जनक-ब्राह्मण-संवाद में राजा जनक ब्राह्मणरूपधारी धर्म से कहते हैं, कि —

शृणु बुद्धिं च यां ज्ञात्वा सर्वत्र विषयो मम ।
 नाहमात्मार्यमिच्छामि गन्धान् घ्राणगतानपि ॥

 नाहमात्मार्यमिच्छामि मनो नित्यं मनोन्तरे ।
 मनो मे निर्जितं तस्मात् वशे तिष्ठति सर्वदा ॥

— अर्थात् “जिम (वैराग्य) बुद्धि को मन में धारण करके मैं सब विषयो का मेवन करता हूँ, उसका हाल सुनो। नाक से मैं ‘अपने लिये’ वाम नहीं लेता (आँखों से मैं ‘अपने लिये’ नहीं देखता, इत्यादि), और मन का भी उपयोग मैं आत्मा के लिये, अर्थात् अपने लाभ के लिये नहीं करता। अतएव मेरी नाक (आँख इत्यादि) और मन मेरे वश में हैं, अर्थात् मैंने उन्हें जीत लिया है।’ गीता के वचन (गी. ३. ६, ७) का भी ग्रही तात्पर्य है, कि जो मनुष्य केवल इन्द्रियों की वृत्ति को तो रोक देता है, और मन से विषयों का चिन्तन करता रहता है, वह पूरा ढोंगी है; और जो मनुष्य मनोनिग्रहपूर्वक काम्य-बुद्धि को जीत कर, सब मनोवृत्तियों को लोकसंग्रह के लिये अपना अपना काम करने देता है, वही श्रेष्ठ है। बाह्य जगत् या इन्द्रियों के व्यापार हमारे उत्पन्न किये हुए नहीं हैं, वे स्वभावसिद्ध हैं। हम देखते हैं, जब कोई संन्यासी बहुत भूखा होता है तब उसको — चाहे वह कितना ही निग्रही हो — भीख माँगने के लिये कही बाहर जाना ही पड़ता है (गी. ३. ३३); और बहुत देर तक एक जगह बैठे रहने से ऊब कर वह उठ खड़ा हो जाता है। तात्पर्य यह है, कि निग्रह चाहे जितना हो; परन्तु इन्द्रियों के जो स्वभावसिद्ध व्यापार हैं वे कभी नहीं छूटते। और यदि यह बात सच है, तो इन्द्रियों की वृत्ति तथा सब कर्मों को और सब प्रकार की इच्छा या असन्तोष को नष्ट करने के दुराग्रह में न पड़ना (गी. २. ४७; १८. ५९), एवं मनोनिग्रहपूर्वक फलाशा छोड़ कर सुख-दुःख को एक बराबर समझना (गी. २. ३८), तथा निष्कामबुद्धि से लोकहित के लिये कर्मों का शास्त्रोक्त रीति से करते रहना ही, श्रेष्ठ तथा आदर्श मार्ग है। इसी लिये —

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।
 मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगो ऽस्त्वकर्मणि ॥

इस श्लोक में (गी. २. ४७) श्रीभगवान् अर्जुन को पहले यह बतलाते हैं, कि तू इस कर्मभूमि में पैदा हुआ है। इसलिये “तुझे कर्म करने का ही अधिकार है;” परन्तु इस बात को भी ध्यान में रख, कि तेरा यह अधिकार केवल (कर्तव्य) कर्म करने का ही है। इस ‘एव’ पद का अर्थ है ‘केवल’; जिससे यह सहज विदित होता है, कि मनुष्य का अधिकार कर्म के सिवा अन्य बातों में — अर्थात् कर्मफल के विषय में — नहीं है। यह महत्त्वपूर्ण बात केवल अनुमान पर ही अवलंबित नहीं रख दी है;

क्योंकि दूसरे चरण में भगवान् ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है, कि "तेरा अधिकार कर्मफल के विषय में कुछ भी नहीं है।" अर्थात् किसी कर्म का फल मिटना — न मिलना तेरे अधिकार की बात नहीं है। वह सृष्टि के कर्मविपाक पर या ईश्वर पर अवलम्बित है। फिर जिम बात में हमारा अधिकार ही नहीं है उमके विषय में आशा — करना कि वह अमरु प्रकार हो — केवल मूर्खता का लक्षण है; परन्तु यह तोमरी वान भी अनुमान पर अवलम्बित नहीं है। तोमरे चरण में कहा गया है, कि "इसलिये तू कर्म-फल की आशा रख कर किसी भी काम को मत कर।" क्योंकि, कर्मविपाक के अनुसार तेरे कर्मों का जो फल होता होगा वह अवश्य होगा ही। तेरी इच्छा से उममें कुछ न्यूनाधिकता नहीं हो सकती; और उसके देरी से या जल्दी से हो जाने ही की सम्भावना है। परन्तु यदि तू ऐसी आशा रखेगा या आग्रह करेगा, तो तुझे केवल व्यर्थ दुःख ही मिलेगा। अब यहाँ कोई कोई — विशेषण: सन्यासमार्गी पुरप—प्रश्न करेगे, कि कर्म करके फलाशा छोड़ने के झगड़े में पडने की अपेक्षा कर्माचरण को ही छोड़ देना क्या अच्छा नहीं होगा? इसलिये भगवान् ने अन्त में अपना निश्चित मत भी बतला दिया है, कि "कर्म न करने का (अकर्मणि) तू हठ मत कर। तेरा जो अधिकार है उसके अनुमार — परन्तु फलाशा छोड़ कर — कर्म करता जा।" कर्मयोग की दृष्टि से ये सब सिद्धान्त इतने महत्त्वपूर्ण हैं, कि उक्त श्लोको के चारो चरणो को यदि हम कर्मयोगशास्त्र या गीताधर्म के चतुःभूत भी कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

यह मालूम हो गया कि इन संसार, में सुख-दुःख हमेशा क्रम से मिला करते हैं; और यहाँ सुख की अपेक्षा दुःख की मात्रा अधिक है। ऐसी अवस्था में भी जब यह सिद्धान्त बतलाया जाता है, कि सासारिक कर्मों को छोड़ नहीं देना चाहिये; तब कुछ लोगों की यह समझ हो सकती है, कि दुःख की आत्यन्तिक निवृत्ति करने — और अत्यन्त सुख प्राप्त करने — के सब मानवी प्रयत्न व्यर्थ हैं। और, केवल आधिभौतिक अर्थात् इन्द्रियगम्य बाह्य विषयोपभोगस्वी सुखों को ही देखें, तो यह नहीं कहा जा सकता, कि उनकी यह समझ ठीक नहीं है। मच है; यदि कोई बालक पूर्णचन्द्र को पकड़ने के लिये हाथ फैला दे, तो जैसे आकाश का चन्द्रमा उस के हाथ में कभी नहीं आता; उसी तरह आत्यन्तिक सुख की आशा रख कर केवल आधिभौतिक सुख के पीछे रहने से आत्यन्तिक सुख की प्राप्ति कभी नहीं होगी। परन्तु स्मरण रहे, आधिभौतिक सुख ही समस्त प्रकार के सुखों का भाण्डार नहीं है। इसलिये उपर्युक्त कठिनाई में भी आत्यन्तिक और नित्य सुख-प्राप्ति का मार्ग ढूँढ लिया जा सकता है। यह ऊपर बतलाया जा चुका है, कि सुखों के दो भेद हैं — एक शारीरिक और दूसरा मानसिक। शरीर अथवा इन्द्रियो के व्यापारों की अपेक्षा मन को ही अन्त में अधिक महत्त्व देना पड़ता है। ज्ञानी पुरप जो यह सिद्धान्त बतलाते हैं, कि शारीरिक (अर्थात् आधि-

भौतिक) सुख की अपेक्षा मानसिक सुख की योग्यता अधिक है, उसे वे कुछ अपने ज्ञान की घमण्ड से नहीं बतलाते। प्रसिद्ध आधिभौतिकवादी मिल ने भी अपने उपयुक्ततावादविषयक ग्रंथ में साफ मंजूर किया है,^५ कि उस सिद्धान्त में ही श्रेष्ठ मनुष्यजन्म की सच्ची सार्थकता और महत्ता है। कुत्ते, शूकर और बिल इत्यादि को भी इन्द्रियसुख का आनंद मनुष्यों के समान ही होता है; और मनुष्य की यदि यह समझ होती, कि ससार में सच्चा सुख विषयोपभोग ही है; तो मनुष्य पशु बनने पर भी राजी हो गया होता। परन्तु पशुओं के मय विषय-मुद्यो के नित्य मिलने का अवसर आने पर भी कोई मनुष्य पशु होने को राजी नहीं होता। इससे यही विदित होता है, कि मनुष्य और पशु में कुछ-न-कुछ विशेषता अवश्य है। इस विशेषता को समझने के लिये, उस आत्मा के स्वरूप का विचार करना पड़ता है, जिसे मन और बुद्धिद्वारा स्वयं अपना और बाह्यसृष्टि का ज्ञान होता है; और, ज्योंही यह विचार किया जायगा, त्योंही स्पष्ट मालूम हो जायगा, कि पशु और मनुष्य के लिये विषयोपभोग-सुख तो एक ही सा है; परन्तु इसकी अपेक्षा मन और बुद्धि के अत्यन्त उदात्त व्यापार में तथा शुद्धावस्था में जो सुख है, वही मनुष्य का श्रेष्ठ और आत्यन्तिक सुख है। यह सुख आत्मवश है, इसकी प्राप्ति किसी बाह्यवस्तु पर अवलम्बित नहीं है; इसकी प्राप्ति के लिये दूसरों के सुख को न्यून करने की भी कुछ आवश्यकता नहीं है। यह सुख अपने ही प्रयत्न से हमी को मिलता है। और ज्यों ज्यों हमारी उन्नति होती जाती है, त्यों त्यों इस सुख का स्वरूप भी अधिकाधिक शुद्ध और निर्मल होता चला जाता है। भर्तृहरि ने सच कहा है, कि “मनसि च परितुष्टे कोऽर्थवान् को दरिद्रः” — मन के प्रसन्न होने पर क्या दरिद्रता और क्या अमीरी, दोनों समान ही हैं। प्लेटो नामक प्रसिद्ध यूनानी तत्त्ववेत्ता ने भी यह प्रतिपादन किया है, कि शारीरिक (अर्थात् बाह्य आधिभौतिक) सुख की अपेक्षा मन का सुख श्रेष्ठ है, और मन के सुखों से भी बुद्धिब्राह्मण (अर्थात् परम आध्यात्मिक) सुख अत्यन्त श्रेष्ठ है।[‡] इसलिये यदि हम अभी मोक्ष के विचार को छोड़ दें, तो भी यही मिद्व होता है, कि जो बुद्धि आत्मविचार में निमग्न हो, उसे ही परम सुख मिल सकता है। इसी कारण भगवद्गीता में सुख के (सात्त्विक, राजस और तामस) तीन भेद किये गये हैं, और इनका लक्षण भी बतलाया गया है।

“ It is better to be a human being dissatisfied than a pig satisfied, better to be Socrates dissatisfied than a fool satisfied. And if the fool, or the pig, is of a different opinion, it is because they only know their own side of the question. ” *Utilitarianism*; p. 14 (Longmans 1907).

‡ *Republic Book IX.*

यथा आत्मनिष्ठ बुद्धि (अर्थात् मन भूता में एक ही आत्मा का जान कर, आत्मा के उनी मन्वे स्वर्ग में रत होनेवाली बुद्धि) की प्रमत्तता से जा आध्यात्मिक सुख प्राप्त होता है, वही श्रेष्ठ और सात्त्विक सुख है - "तत्सुख सात्त्विक प्रोक्त आत्म-बुद्धिप्रसादजम्" (गी १८ ३७), जो आधिभौतिक सुख इंद्रियों से और इंद्रियों व विषया में होता है, व सात्त्विक सुख में कम दर्जे के होते हैं, और गजम कहुलात है (गी १८ ३८)। और जिम सुख से चित्त को मोह होता है, नया जो सुख, निद्रा या आलस्य से उत्पन्न होता है, उमकी वाग्यता नामम अर्थात् अनिष्ठश्रेणी की है। इस प्रकार के आरम में गीता का जो श्लोक दिया है, उमका यही तात्पर्य है। और गीता (६ २२) में कहा है, कि इस परम सुख का अनुभव मनुष्य का यदि एत बार भी हो जाता है, तो फिर उसकी यह सुखमय स्थिति कभी नहीं टिगन पाती। कितन ही भारी दुःख के जखरदस्त धक्के क्या न लगने रहे, यह आत्यन्तिक सुख न्यग के भी विषयापमोगसुख में नहीं मिल सगना। इमे पान के लिय पढ़े अपनी बुद्धि प्रमत्त हानी चाहिय। जो मनुष्य बुद्धि का प्रमत्त करन का युक्ति का चिना साक्ष समये वेदक विषयापमोग में ही निमग्न हो जाता है, उमका सुख अनिष्ट और क्षणिक होता है। इसका कारण यह है, कि जो इंद्रियसुख आज है, वह कल नहीं रहता। इतना ही नहीं, किंतु जा बात हमारी इंद्रिया को आज सुखकारक प्रतीत होती है, वही किसी कारण से दूसरे दिन दुःखमय हो जाती है। उदाहरणार्थ, ग्रीष्म ऋतु में ना ठंडा पानी हमें अच्छा लगता है, वही शीतमाल में अप्रिय हो जाता है। जस्तु, इतना करन पर भी उमसे सुखेच्छा की पूर्ण तृप्ति हान ही नहा पाती। इसलिये, सुख पाद का व्यापक अर्थ ले कर यदि हम उम शब्द का उपयोग सभा प्रकार के सुखों व अिये, करें, ना हमें सुख-सुख में भी वेद करना पड़ेगा। नित्य व्यसहार में सुख का अर्थ मुख्यत इंद्रियसुख ही होता है। परंतु जा इंद्रियातीत है, अर्थात् जा केवल आत्मनिष्ठ बुद्धि का ही प्राप्त हो जाता है, उमसे और विषयापमोग-रूपा सुख में जख भिन्नता प्रकट करना ना, नय आत्मबुद्धि प्रसाद में उत्पन्न हानवाले सुख का - अर्थात् आध्यात्मिक सुख का - श्रेय, कल्याण, हित, आनंद अथवा शान्ति कहते हैं, आर विषयापमोग न हानवाले आधिभौतिक सुख का कबल सुख या प्रेम कहते हैं। पिछले प्रकारग के अर में द्विय हूए उदाहरणिक व वाक्य में, प्रेम और श्रेय में अधिकता न जा भेद जगया हो जाता भा अमित्वाय वहा है। मृत्यु न उम अगि ना रहस्य पढ़े ही उरवा दिख, या। परंतु इस सुख के मित्र पर ना जख उमन जाननात-साप्ति का उर मांगा, नय मृत्यु न उर उर में उने उरन जानागि सुखा का गडब दिखगया। परंतु नीकिता दन अनिष्ट आधिभौतिक सुखा का कल्याणकारक नहीं समझना या। कनागि व (प्रेम) सुख नाहरी दृष्टि न अउते हैं, पर आत्मा के श्रेय व श्रिय नहीं। इसी श्रिय गगत उन सुखा का अर ध्यान नहीं दिया। किंतु उम आत्मविद्या ना

प्राप्ति के लिये ही हठ किया, जिसका परिणाम आत्मा के लिये श्रेयस्कर या बल्याणकारक है, और उसे अन्त के पात्र ही छोड़ा। सारांश यह है, कि आत्मबुद्धि-प्रसाद से होनेवाले केवल बुद्धिगम्य सुख को — अर्थात् आध्यात्मिक सुख को — ही हमारे शास्त्रकार श्रेष्ठ सुख मानते हैं। और उनका कथन है, कि यह नित्य आत्मवश है, इसलिए सभी को प्राप्त हो सकता है, तथा सब लोगो को चाहिये, कि वे इनकी प्राप्ति के लिये प्रयत्न करें। पशु-धर्म से होनेवाले सुख में, और मानवी सुख में जो कुछ विशेषता या विलक्षणता है, वह यही है, और यह आत्मानन्द केवल बाह्य उपाधियों पर कभी निर्भर न होने के कारण सब सुखों में नित्य, स्वतन्त्र और श्रेष्ठ है। इसी को गीता में निर्वाण, अर्थात् परम शान्ति कहा है (गी ६ १५), और यही स्थितप्रज्ञों की ग्राह्यी अवस्था की परमावधि का मुख है (गी २ ७१, ६ २८, १० १२, १८ ६२ देखो)।

अब इस बात का निर्णय हो चुका, कि आत्मा की शान्ति या सुख ही अत्यन्त श्रेष्ठ है, और वह आत्मवश होने के कारण सब लोगो को प्राप्य भी है। परन्तु यह प्रकट है, कि यद्यपि सब धातुओं में सोना अधिक मूल्यवान् है, तथापि केवल सोने से ही — लोहा इत्यादि अन्य धातुओं के बिना — जैसे समार का काम नहीं चल सकता, अथवा जैसे केवल शक्कर से ही — बिना नमक के काम नहीं चल सकता, उसी तरह आत्मसुख या शान्ति को भी समझना चाहिये। इसमें सन्देह नहीं, कि इस शान्ति के साथ — शरीर-धारण के लिये सही — कुछ सासारिक वस्तुओं की आवश्यकता है, और इसी अभिप्राय से आशीर्वाद के सकल्प में केवल 'शान्तिरस्तु' न कह कर "शान्तिं पुष्टिस्तुष्टिश्चास्तु" — कि शान्तिके साथ पुष्टि और तुष्टि भी चाहिये, कहने की रीति है। यदि शास्त्रकारों की यह समझ होती, कि केवल शान्ति से ही तुष्टि हो जा सकती है, तो इस सकल्प में 'पुष्टि' शब्द को व्यर्थ घुसेड देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसका यह मतलब नहीं है, कि पुष्टि — अर्थात् ऐहिक सुखा की वृद्धि के लिये रात-दिन हाथ हाथ करते रहो। उक्त सकल्प का भावार्थ यही है, कि तुम्हें शान्ति, पुष्टि और तुष्टि (सन्तोष) तीनों उचित परिणाम से मिले, और इनकी प्राप्ति के लिये तुम्हें यत्न भी करना चाहिये। कथापनिपद् का भी यही तात्पर्य है। नचिकेता जब मृत्यु के अर्थात् यम के लोक में गया तब यम ने उससे कहा, कि तुम कोई भी तीन वर माँग लो, उस समय नचिकेता ने एकदम यह वर नहीं माँगा, की मुझे ब्रह्मज्ञान का उपदेश करो। किन्तु उसने कहा, कि "मेरे पिता मुझपर अप्रसन्न हैं, इसलिये प्रथम वर आप मुझे यही दीजिये, कि वे मुझपर प्रसन्न हो जायें।" अनन्तर उसने दूसरा वर माँगा कि "अग्नि के — अर्थात् ऐहिक समृद्धि प्राप्त करा देनेवाले यज्ञ आदि कर्मों के — ज्ञान का उपदेश करो।" इन दोनों वरों को प्राप्त करके अन्त में उसने तीसरा वर यह माँगा, कि "मुझे आत्मविद्या का उपदेश करो।" परन्तु जब यमगज कहने लगे, कि इस तीसरे वर के बदले में तुम्हें और भी अधिक नम्पत्ति देता हूँ,

तब - श्रयान् प्रेय (सुख) की प्राप्ति के लिये आवश्यक यज्ञ आदि कर्मों का ज्ञान प्राप्त हो जाने पर उमी को अधिक आशा न करके - नचिक्वेता ने इस बात का आग्रह किया, कि "अब मुझे श्रेय (आत्मंतिक सुख) की प्राप्ति करा देनेवाले ब्रह्मज्ञान का ही उपदेश करो।" माराश यह है, कि इस उपनिषद् के अन्तिम मन्त्र में जो वर्णन है, उमने अनुमार 'ब्रह्मविद्या' और 'योगविधि' (अर्थात् यज्ञ-याग आदि कर्म) दोनों को प्राप्त करके नचिक्वेता मुक्त हो गया है (कठ ६. १८)। उमने ज्ञान और कर्म का मनुच्चर ही इस उपनिषद् का तात्पर्य माडूम होता है। उमी विषय पर इन्द्र की भी एक कथा है। कौपीनकी उपनिषद् में कहा गया है, कि इन्द्र तो स्वयं ब्रह्मज्ञानी था ही, परन्तु उनने प्रतर्दन को भी ब्रह्मज्ञान का उपदेश किया था। तथापि जब इन्द्र का गज छिन लिया गया और प्रल्हाद को वैशोमय का आधिपत्य मिला, तब उमने देवगुरु बृहस्पति से पूछा, कि "मुझे वनलाटये कि श्रेय किन में है?" तब बृहस्पति ने राज्यभ्रष्ट इन्द्र को ब्रह्मविद्या अर्थात् आत्मज्ञान का उपदेश करके कहा, कि "श्रेय इमी में है" - एतावच्छ्रेय इति - परन्तु इससे इन्द्र का ममाधान नहीं हुआ। उसने फिर प्रश्न किया, "क्या और भी कुछ अधिक है?" - को विशेषां भवेत्? - तब बृहस्पति ने उमे शुभाचार्य के पाम भेजा। वहाँ भी वही हाल हुआ; और शुभाचार्य ने कहा, कि "प्रल्हाद को वह विशेषता मालूम है।" तब अन्न में इन्द्र ब्राह्मण का रूप धारण करके प्रल्हाद का जिप्य बन कर सेवा करने लगा। एक दिन प्रल्हाद ने उमसे कहा, कि शील (मत्य तथा धर्म में चलने का स्वभाव) ही वैशोमय का राज्य पाने की कुजी है और यही श्रेय है। अनन्तर, जब प्रल्हाद ने कहा, कि "मैं तेरी सेवा से प्रमत्त हूँ, तू वर माँग," तब ब्राह्मण-योगधारी इन्द्र ने यही वर माँगा, कि "आप अपना शील मुझे दीजिये।" प्रल्हाद ने 'तम्यानु' कहने ही उमके 'शील' के माय धर्म, मत्य, वृत्त, श्री अथवा ऐश्वर्य आदि सब देवता उमके शरीर में निबल कर इन्द्र-शरीर में प्रविष्ट हो गये। पठन. इन्द्र अपना राज्य पा गया। यह प्रार्थन कथा भीष्म ने युधिष्ठिर में महाभाग्य के शान्तिर्वच (शा. १२४) में कही है। इस मुन्दर कथा में हमें यह बात माफ़ माडूम हो जानी है, कि केवल ऐश्वर्य की अपेक्षा केवल आत्मज्ञान की योग्यता भन्ने अधिक हो जाती है, परन्तु जिसे इस संसार में रजना है, उमने अन्न लोगों के ममान ही अपने लिये तथा अपने देश के लिये, ऐहिक समृद्धि प्राप्त कर लेने की आवश्यकता और नैतिक हृद भी है। उमलिये जब यह प्रश्न उठे, कि उम संसार में मनुष्य का सर्वोत्तम ध्येय परम उद्देश क्या है, तो हमारे कर्मयोगशास्त्र में अन्तिम उमर यही मिलता है, कि शान्ति और पुष्टि, प्रेय और श्रेय अथवा ज्ञान और ऐश्वर्य दोनों को एक साथ प्राप्त करो। माँचने की बात है, कि जिन भगवान् ने वड कर संसार में कोई श्रेष्ठ नहीं और जिनके दिग्दर्शये हुए मार्ग में अन्न सभी लोग चलने ? (गी. ३. ०३); उन भगवान् ने ही क्या ऐश्वर्य और सम्पत्ति का छोड दिया है?

ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ।
ज्ञानवैराग्ययोश्चैव षण्णां भग इतीरणा ॥

अर्थात् “ समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, संपत्ति, ज्ञान और वैराग्य इन छ. बातों को ‘भग’ कहते हैं ” । भग शब्द की ऐसी व्याख्या पुराणों में है (विष्णु. ६. ५. ७४.) । कुछ लोग इस श्लोक के ‘ऐश्वर्य’ शब्द का अर्थ ‘योगैश्वर्य’ किया करते हैं । क्योंकि ‘श्री’ अर्थात् संपत्तिसूचक शब्द आगे आया है । परंतु व्यवहार में ऐश्वर्य शब्द में सत्ता, यश और संपत्ति का, तथा ज्ञान में वैराग्य और धर्म का समावेश हुआ करता है । इससे हम बिना किसी बाधा के कह सकते हैं, कि लौकिक दृष्टि से उक्त श्लोक का सब अर्थ ज्ञान और ऐश्वर्य इन्हीं दो शब्दों से व्यक्त हो जाता है । और जबकि स्वयं भगवान् ने ही ज्ञान और ऐश्वर्य को अगीकार किया है, तब हमें भी अवश्य करना चाहिये (गी. ३. २९; म. भा. शा. ३४९. २५) । कर्मयोगमार्ग का सिद्धांत यह कदापि नहीं, कि कोरा आत्मज्ञान ही इस ससार में परम साध्य वस्तु है । यह तो सन्यासमार्ग का सिद्धांत है; जो कहता है, कि ससार दुःखमय है, इसलिये उसको एकदम छोड़ ही देना चाहिये । भिन्न भिन्न मार्गों के इन सिद्धान्तों को एकत्र करके गीता के अर्थ का अनर्थ करना उचित नहीं है । स्मरण रहे, गीता का कथन है, कि ज्ञान के बिना केवल ऐश्वर्य मिवा आसुरी सम्पत् के और कुछ नहीं है । इसलिये यही सिद्ध होता है, कि ऐश्वर्य के साथ ज्ञान, और ज्ञान के साथ ऐश्वर्य, अथवा भाति के साथ पुष्टि, हमेशा होनी चाहिये । ऐसा कहने पर, कि ज्ञान के साथ ऐश्वर्य होना अत्यावश्यक है; कर्म करने की आवश्यकता आप-ही-आप उत्पन्न होती है । क्योंकि मनु का कथन है “ कर्माण्यारभमाण हि पुरुष श्रीनिपेवते ” (मनु. ९. ३००) — कर्म करनेवाले पुरुष को ही इस जगत् में श्री अथवा ऐश्वर्य मिलता है, और प्रत्यक्ष अनुभव से भी यही बात सिद्ध होती है, एव गीता में जो उपदेश अर्जुन को दिया गया है, वह भी ऐसा ही है (गी. ३. ८) । इस पर कुछ लोगों का कहना है, कि मोक्ष की दृष्टि से कर्म की आवश्यकता न होने के कारण अन — में अर्थात् ज्ञानोत्तर अवस्था में — सब कर्मोंको छोड़ देना ही चाहिये । परंतु यहाँ तो केवल सुख-दुःख का विचार करना है । और अब तक मोक्ष तथा कर्म के स्वरूप की परीक्षा भी नहीं की गई है; इसलिये उक्त आक्षेप का उत्तर यही नहीं दिया जा सकता । आगे नीचे तथा दसवें प्रकरण में अध्यात्म और कर्मविपाक का स्पष्ट विवेचन कर के ग्यारहवें प्रकरण में बतला दिया जायगा, कि यह आक्षेप भी बेच्छार-पर वा है ।

सुख और दुःख दो भिन्न तथा स्वतंत्र वेदनाएँ हैं । सुखेच्छा केवल सुखोपभोग से ही तृप्त नहीं हो सकती । इसलिये संसार में वृद्धा दुःख का ही अधिक अनुभव होता है । परंतु इस दुःख को टालने के लिये तृष्णा या असतोष और सब कर्मों का भी समूल नाश करना उचित नहीं । उचित यही है, कि फलाशा छोड़ कर सब कर्मों

को करते रहना चाहिये। केवल विषयोपभोग-सुख कभी पूर्ण होनेवाला नहीं। वह अनित्य पशुधर्म है। अतएव इस संसार में बुद्धिमान् मनुष्य का सच्चा ध्येय उम अनित्य पशुधर्म से ऊंचे दर्जे का होना चाहिये। आत्मबुद्धि-प्रमाद मे प्राप्त होनेवाला शान्ति-सुख ही वह सच्चा ध्येय है; परंतु आध्यात्मिक सुख ही यद्यपि उम प्रकार ऊंचे दर्जे का हो, तथापि उमके साथ इस सामाजिक जीवन में ऐहिक वस्तुओं की भी उचित आवश्यकता है; और इसलिये सदा निष्काम-बुद्धि मे प्रयत्न अर्थात् कर्म करते ही रहना चाहिये। - इतनी सब बातें जब कर्मयोगशास्त्र के अनुसार सिद्ध हो चुकी, तो अब सुख की दृष्टि से भी विचार करने पर यह बतलाने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती, कि आधिभौतिक सुखों को ही परम माध्य मान कर कर्मों के केवल सुख-दुःखात्मक बाह्यपरिणामों के तारतम्य मे ही नीतिमत्ता का निर्णय करना अनुचित है। कारण यह है, कि जो वस्तु कभी पूर्णवस्था को पहुँच ही नहीं सकती, उसे परम साध्य कहना मानो 'परम' शब्द का दुरुपयोग करके मृगजल के स्थान में जल की खोज करना है। जब हमारा परम माध्य ही अनित्य तथा अपूर्ण है, तब उमकी आशा में बैठे रहने मे हमें अनित्य-वस्तु को छोड़ कर और मिलेगा ही क्या? "धर्मो नित्यः सुखदुःखे त्वनित्ये" इस वचन का मर्म भी यही है। "अधिकांश लोगों का अधिक सुख" उम शब्दमूह के 'सुख' शब्द के अर्थ के विषय में आधिभौतिकवादियों में भी बहुत मतभेद है। उममें से बहुतेरों का कहना है, कि बहुधा मनुष्य सब विषय-सुखों को लाल मार कर केवल मत्य अथवा धर्म के लिये जान देने को तैयार हो जाता है। इससे यह मानना अनुचित है, कि मनुष्य की इच्छा मदैव आधिभौतिक सुख-प्राप्ति की ही रहती है। इसलिये उन पंडितों ने यह सूचना की है, कि सुख शब्द के बदले में हित अथवा कल्याण शब्द की योजना करके "अधिकांश लोगों का अधिक सुख" इस सूत्र का स्थान "अधिकांश लोगों का अधिक हित या कल्याण" कर देना चाहिये। परंतु, इतना करने पर भी इस मत में यह दोष बना ही रहता है, कि कर्मा की बुद्धि का कुछ भी विचार नहीं किया जाता। अच्छा; यदि यह कहे, कि विषय-सुखों के साथ मान-सिद्धि सुखों का भी विचार करना चाहिये; तो उसके आधिभौतिक पक्ष की उम पहली ही प्रतिज्ञा का विरोध हो जाता है, कि किमी भी कर्म की नीतिमत्ता का निर्णय केवल उसके बाह्य-परिणामों मे ही करना चाहिये; और तब तो किमी-न-किमी अंशमें अध्यात्म-पक्ष की स्वीकार करना ही पटना है, तो उसे अधुग या अंशनः स्वीकार करने मे क्या लाभ होगा? इसी लिये हमारे कर्मयोग-शास्त्र में यह अंतिम सिद्धांत निश्चित किया गया है कि, सर्वभूतहित - अधिकांश लोगों का अधिक सुख - और मनुष्यत्व का परम उत्कर्ष इत्यादि नीतिनिर्णय के लिये बाह्यमाध्यमों को अथवा आधिभौतिक मार्ग को गौण या अप्रधान समझना चाहिये; और आत्मप्रसाद-रूपी आत्म-निर्गमसुख तथा उसी के साथ रहनेवाली कर्मा की शुद्ध-बुद्धि को ही आध्यात्मिक समीचीन जान कर उमों मे कर्म-अर्थ की परीक्षा करनी चाहिये। उन लोगों की बात

छोड़ दो, जिन्होंने यह कमम खा ली हो, कि हम दृश्य सृष्टि के परे तत्त्वज्ञान में प्रवेश ही न करेंगे। जिन लोगों ने ऐसी कसम खाई नहीं है, उन्हें युक्ति से यह मालूम हो जायगा, कि मन और बुद्धि के भी परे जा कर नित्य आत्मा के नित्य बल्याण तो ही कर्मयोग-शास्त्र में प्रधान मानना चाहिये। कोई कोई भूल से समझ बैठे हैं, कि जहाँ एक वेदान्त में घुमे, कि वस, फिर सभी कुछ ब्रह्ममय हो जाता है, और वहाँ व्यवहार की उपपत्ति का कुछ पता ही नहीं चलता। आजकल जितने वेदान्त-विषयक ग्रन्थ पढ़े जाते हैं, वे प्रायः मन्यास-मार्ग के अनुयायियों के ही लिखे हुए हैं, और मन्यासमार्गवाले इस तृष्णास्पीससार के सब व्यवहारों को निःसार समझते हैं, इसलिये उनके ग्रन्थों में कर्मयोग की ठीक ठीक उपपत्ति मचमुच नहीं मिलती। अधिक क्या बहे, इन परसम्प्रदाय-असहिष्णु ग्रन्थकारों ने सन्यासमार्गीय कोटिक्रम या युक्तिवाद को कर्मयोग में सम्मिलित कर के ऐसा भी प्रयत्न किया है, जिससे लोग समझने लगे हैं, कि कर्मयोग और सन्यास तो स्वतन्त्र मार्ग नहीं हैं, किन्तु सन्यास ही अकेला शास्त्रोक्त मोक्षमार्ग है। परन्तु यह ठीक नहीं है। सन्यास-मार्ग के समान कर्मयोग-मार्ग भी वैदिक धर्म में अनादि काल से स्वतन्त्रतापूर्वक चला आ रहा है, और इस मार्ग के सञ्चालकों ने वेदान्ततत्त्वों को न छोड़ते हुए कर्म-शास्त्र की ठीक ठीक उपपत्ति भी दिखाई है। भगवद्गीता ग्रन्थ इसी ग्रन्थ का है। यदि गीता को छोड़ दे, तो भी जान पड़ेगा, कि अध्यात्म-दृष्टि से कार्य-अकार्य-शास्त्र का विवेचन करने की पद्धति ग्रीन सरीखे ग्रन्थकार द्वारा खुद इंग्लैंड में ही शुरू कर दी गई है, * और जर्मनी में तो उससे भी पहले यह पद्धति प्रचलित थी। दृश्यसृष्टि का कितना ही विचार करो, परन्तु जब तक यह बात ठीक मालूम नहीं हो जाती, कि इस विषयसृष्टि से इस विषय का भी विचार पूरा हो नहीं सकता, कि इस मसार में मनुष्य का परम साध्य, श्रेष्ठ कर्तव्य या अन्तिम ध्येय क्या है। इसी लिये याज्ञवल्क्य का यह उपदेश है, कि “आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्या मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः।” प्रस्तुत विषय में भी अक्षरशः उपयुक्त होता है। दृश्यजगत् की परीक्षा करने से यदि परोपकार सरीखे तत्त्व ही अन्त में निष्पन्न होते हैं, तो इससे आत्मविद्या का महत्त्व कम तो होता नहीं, किन्तु उल्टा उमसे सब प्राणियों में एक ही आत्मा के होने का एक और सबत मिल जाता है। इस वान के लिये तो कुछ उपाय ही नहीं हैं, कि आधिभौतिकवादी अपनी बनाई हुई मर्यादा से स्वयं बाहर नहीं जा सकते। परन्तु हमारे शास्त्रकारों की दृष्टि इस मनुचित मर्यादा के परे पहुँच गई है, और इसलिये उन्हें ने आध्यात्मिक दृष्टि से ही कर्मयोगशास्त्र की पूरी उपपत्ति दी है। इस उपपत्ति की चर्चा करने के पहले कर्म-अन्तर्म-परीक्षा के एक और पूर्वपक्ष का भी कुछ विचार कर लेना आवश्यक है। इसलिये अब इसी ग्रन्थ का विवेचन किया जायगा।

* *Prolegomena to Ethics*, Book I, and *Kant's Metaphysics of Morals* (Trans by Abbot in *Kant's Theory of Ethics*)

छठवाँ प्रकरण

आधिदैवतपक्ष और क्षेत्रक्षेत्रज्ञविचार

सत्यपूतां वदेद्वाचं मनःपूतं समाचरेत् ।*

— मन्. ६. ४६

कर्म-अकर्म की परीक्षा करने का—आधिर्मातिक मार्ग के अतिरिक्त—दूसरा पन्थ आधिदैवतवादियों का है। इस पन्थ के लोगों का यह कथन है, कि जब कोई मनुष्य कर्म-अकर्म का या कार्य-अकार्य का निर्णय करता है, तब वह इस झगड़े में नहीं पड़ता, कि किस कर्म से कितना सुख अथवा दुःख होगा; अथवा उनमें से सुख का जोड़ अधिक होगा या दुःख का। वह आत्म-अनात्म-विचार के झंझट में भी नहीं पड़ता; और ये झगड़े घटते-रो की तो ममज्ञ में नहीं आते। यह भी नहीं कहा जा सकता, कि प्रत्येक प्राणी प्रत्येक कर्म को केवल अपने सुख के लिये ही करता है। आधिर्मातिकवादी कुछ भी कहें; परन्तु यदि इस बात का थोड़ासा विचार किया जाय, कि धर्म-अधर्म का निर्णय करते समय मनुष्य के मन की स्थिति कैसी होनी है, तो यह ध्यान में आ जायगा, कि मन की स्वाभाविक और उदात्त मनो-वृत्तियाँ—करुणा, दया, परोपकार आदि—ही किसी काम को करने के लिये मनुष्य को एकाएक प्रवृत्त किया करती हैं। उदाहरणार्थ, जब कोई भिकारी दीव्य पड़ता है; तब मन में यह विचार आने के पहले ही—कि “दान करने में जगत् का अथवा अपनी आत्मा का कितना हित होगा”—मनुष्य के हृदय में करुणावृत्ति जागृत हो जाती है; और वह अपनी शक्ति के अनुसार उस याचक को कुछ दान कर देता है। इसी प्रकार जब बालक रोता है, तब माता उसे दूध पिलाते समय इस बात का कुछ भी विचार नहीं करती, कि बालक को पिलाते समय इस बात का कितना हित होता। अर्थात् ये उदात्त मनोवृत्तियाँ ही कर्मयोगशास्त्र की यथार्थ नींव हैं। हमें किसी ने ये मनो-वृत्तियाँ दी नहीं हैं; किन्तु ये निमग्नमिद्व अर्थात् स्वाभाविक अथवा स्वयम् देवता ही हैं। जब न्यायाधीश न्यायामन पर बैठता है, तब उसकी बुद्धि में न्यायदेवता की प्रेरणा हुआ करती है; और वह उसी प्रेरणा के अनुसार न्याय किया करता है। परन्तु जब कोई न्यायाधीश इस प्रेरणा का अनादर करता है, तभी उसमें अन्याय हुआ करने है। न्यायदेवता के मदृश ही करुणा, दया, परोपकार, वृत्तजता, कर्तव्य-प्रेम, धर्म आदि मद्गुणों की जो स्वाभाविक मनोवृत्तियाँ हैं, वे भी देवता हैं। प्रत्येक मनुष्य स्वभावतः इन देवताओं के शुद्ध स्वरूप से परिचित रहता है। परन्तु यदि

* “वही वाञ्छना चाहिये जो सत्यपूत अर्थात् शुद्ध किया गया है; और वही वाञ्छना करना चाहिये जो मन को शुद्ध माह्न हो।”

का मत है, कि जब ऊपर और नीचे की श्रेणियों के मद्देगोशों में विरोध उत्पन्न
 हो, तब ऊपर की श्रेणियों के मद्देगोशों को ही अधिक मान देना चाहिये। उसके मत
 के अनुसार कार्य-अध्यय का निर्णय करने के लिये इसकी
 श्रेणियों और कोई उचित मातृ नहीं है। इनका कारण यह है, कि यद्यपि हमें
 अल्पान दूरदर्शिता से यह विश्वास कर ले, कि "अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख"
 जिस बात में अधिकतम लोगों का सुख हो वही मैं कर।" इस लिये अन्त में
 इस प्रकार का निर्णय नहीं होता, कि "जिसमें अधिकतम लोगों का हित है, वही
 बात मैं क्या करूँ?" और साथ ही साथ ही-का-वही बना रहता है। यहाँ से बिना
 अधिकतर मान लिये ही जब कोई व्यापारिक व्यापक करता है, तब उसके निर्णय की
 जो दशा होती है, ठीक वही दशा उस कार्य-अध्यय के निर्णय की भी होती है, जो
 दूरदर्शितापूर्वक मद्देगोशों का विचार करके किया जाता है। कथन दूरदर्शिता यह बात
 किसी में नहीं करे सकती, कि "मैं यह कर, जैसे यह करना ही चाहिये।" इसका
 कारण नहीं है, कि जिसकी भी दूरदर्शिता हो वो भी यह मद्देगोशों ही है; और इसी
 कारण वही अपना प्रभाव मद्देगोशों पर नहीं बना सकता। ऐसे समय पर आना
 करनेवाला हम से थोड़े थोड़े अधिकारी अवश्य हीना चाहिये। और यह काम
 अधिकतर मद्देगोशों के अधिकार में करनी है। यद्यपि यह मद्देगोशों की अधिकांश
 'देवता' स्वयम् है। इसी कारण अन्त में यह कहने की रीत यह है कि मद्देगोशों
 'मन्दिरो' अर्थात् प्रकार की 'वादी' नहीं देना। जब कोई मद्देगोश एक-आपस वही काम
 कर देता है, तब प्रभावशाली से वही स्वयं लज्जित हो जाता है; और उसका मत उसे
 हीना टिकता रहता है। यह भी अत्यन्त देवता के भासन का ही फल है। इस
 बात से स्वयं मन्दिरोवता का अस्तित्व सिद्ध हो जाता है। कारण कि अधिकतम
 प्रत्येक के मद्देगोशों पर यदि अत्यन्त प्रभाव न माना जाय, तो इस प्रकार की उपपत्ति
 नहीं हो सकती, कि हमारा मत ही हमें क्या ठीका करता है।

धर्म-अधर्म का निर्णय करनेवाले देवता का नाम भी 'धर्म' ही है। ऐसे वर्णन पाये जाते हैं, कि शिवि राजा के सत्त्व की परीक्षा करने के लिये श्येन का रूप धर कर, और युधिष्ठिर की परीक्षा लेने के लिये प्रथम यक्षरूप से तथा दूसरी बार कुत्ता बन कर, धर्मराज प्रकट हुए थे। स्वयं भगवद्गीता (१०. ३४) में भी कीर्ति, श्री, वाक्, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा ये सब देवता माने गये हैं। इनमें से स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा मन के धर्म हैं। मन भी एक देवता है; और परब्रह्म का प्रतीक मान कर, उपनिषदों में उसकी उपासना भी बतलाई गई है (तै. ३. ४; छा. ३. १८)। जब मनुजी कहते हैं, कि " मन-पूत समाचरेत् " (६. ४६) - मन को जो पवित्र मालूम हो, वही करना चाहिये - तब यही बोध होता है, कि उन्हें 'मन' शब्द से मनोदेवता ही अभिप्रेत है। साधारण व्यवहार में हम यही कहा करते हैं, कि जो मन को अच्छा मालूम हो, वही करना चाहिये। मनुजी ने मनुसंहिता के चौथे अध्याय (४. १६१) में यह बात विशेष स्पष्ट कर दी है कि :-

यत्कर्म कुर्वतोऽस्य स्यात् परिपोऽन्तरात्मनः ।

यत्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतं तु वर्जयेत् ॥

" वह कर्म प्रयत्नपूर्वक करना चाहिये, जिसके करने से हमारा अन्तरात्मा सन्तुष्ट हो और जो कर्म इसके विपरीत हो, उसे छोड़ देना चाहिये। " इसी प्रकार चातुर्वर्ण्य; धर्म आदि व्यावहारिक नीति के मूलतत्त्वों का उल्लेख करते समय मनु, याज्ञवल्क्य आदि स्मृति-ग्रन्थकार भी कहते हैं :-

वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः ।

एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षाद्धर्मस्य लक्षणम् ॥

" वेद, स्मृति, शिष्टाचार और अपने आत्मा को प्रिय मालूम होना - ये धर्म के चार मूलतत्त्व हैं " (मनु. २. १२) । " अपने आत्मा को जो प्रिय मालूम हो " - इस का अर्थ यही है कि मन को शुद्ध मालूम हो। इससे स्पष्ट होता है, कि श्रुति, स्मृति और सदाचार से किसी कार्य की धर्मता या अधर्मता का निर्णय नहीं हो सकता था, तब निर्णय करने का चौथा साधन 'मन-पूतता' समझी जाती थी। पिछले प्रकरण में कही गई प्रल्हाद और इन्द्र की कथा बतला चुकने पर 'शील' के लक्षण के विषय में, धृतराष्ट्र ने महाभारत में यह कहा है :-

यदर्थेषां हितं न स्यात् आत्मनः कर्म पीरुषम् ।

अपत्रपेत वापेन न तत्कुर्यात् कथंचन ॥

अर्थात् " हमारे जिस कर्म से लोगों का हित नहीं हो सकता अथवा जिसके करने में स्वयं अपने ही को लज्जा मालूम होती है, वह कभी नहीं करना चाहिये (म. भा. शा. १२४. ६६) । इससे पाठकों के ध्यान में यह बात आ जायगी, कि " लोगों का हित हो नहीं सकता "; " और लज्जा मालूम होती है " इन दो पदों से " अधिकांश

धर्म-अधर्म का निर्णय करनेवाले देवता का नाम भी 'धर्म' ही है। ऐसे वर्णन पाये जाते हैं, कि शिवि राजा के सत्त्व की परीक्षा करने के लिये श्येन का रूप धर कर, और युधिष्ठिर की परीक्षा लेने के लिये प्रथम यक्षरूप से तथा दूसरी बार कुत्ता बन कर, धर्मराज प्रकट हुए थे। स्वयं भगवद्गीता (१० ३४) में भी कीर्ति, श्री, वाक्, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा ये सब देवता माने गये हैं। इनमें से स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा मन के धर्म हैं। मन भी एक देवता है, और परब्रह्म का प्रतीक मान कर, उपनिषदों में उसकी उपासना भी बतलाई गई है (तै. ३.४; छा. ३.१८)। जब मनुजी कहते हैं, कि "मन पूत समाचरेत्" (६ ४६) - मन को जो पवित्र मालूम हो, वही करना चाहिये - तब यही बोध होता है, कि उन्हें 'मन' शब्द से मनोदेवता ही अभिप्रेत है। साधारण व्यवहार में हम यही कहा करते हैं, कि जो मन को अच्छा मालूम हो, वही करना चाहिये। मनुजी ने मनुसंहिता के चौथे अध्याय (४.१६१) में यह बात विशेष स्पष्ट कर दी है कि :-

यत्कर्म कुर्वतोऽस्य स्यात् परिषोऽन्तरात्मनः।

यत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतं तु बर्जयेत् ॥

“वह कर्म प्रयत्नपूर्वक करना चाहिये, जिसके करने से हमारा अन्तरात्मा सन्तुष्ट हो और जो कर्म इसके विपरीत हो, उसे छोड़ देना चाहिये।” इसी प्रकार चातुर्वर्ण्य; धर्म आदि व्यावहारिक नीति के मूलतत्त्वों का उल्लेख करते समय मनु, याज्ञवल्क्य आदि स्मृति-ग्रन्थकार भी कहते हैं :-

वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः।

एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षाद्धर्मस्य लक्षणम् ॥

“वेद, स्मृति, शिष्टाचार और अपने आत्मा को प्रिय मालूम होना - ये धर्म के चार मूलतत्त्व हैं” (मनु. २.१२)। “अपने आत्मा को जो प्रिय मालूम हो” - इस का अर्थ यही है कि मन को शुद्ध मालूम हो। इससे स्पष्ट होता है, कि श्रुति, स्मृति और सदाचार से किसी कार्य की धर्मता या अधर्मता का निर्णय नहीं हो सकता था, तब निर्णय करने का चौथा साधन 'मन पूतता' समझी जाती थी। पिछले प्रकरण में कही गई प्रल्हाद और इन्द्र की कथा बतला चुकने पर 'शील' के लक्षण के विषय में, धृतराष्ट्र ने महाभारत में यह कहा है -

यदन्वेषां हितं न स्यात् आत्मनः कर्म पीरुयम्।

अपत्रपेत वायेन न तत्कुर्वीत् कथंचन ॥

अर्थात् “हमारे जिस कर्म से लोगों का हित नहीं हो सक्ता अथवा जिनके करने में स्वयं अपने ही को लज्जा मालूम होती है, वह कभी नहीं करना चाहिये (म. भा. शा. १२४. ६६)। इससे पाठकों के ध्यान में यह बात आ जायगी, कि “लोगों का हित हो नहीं सकता”, “और लज्जा मालूम होती है” इन दो पदों से “अधिप्राश

है। कोई भी बात लीजिये; कहने की आवश्यकता नहीं है, कि उसके बारे में भली भाँति विचार करना — वह ग्राह्य है अथवा अग्राह्य है, करने के योग्य है या नहीं, उससे लाभ अथवा सुख होगा या नहीं; इत्यादि बातों को निश्चित करना — नाक अथवा आँख का काम नहीं है। किन्तु वह काम उस स्वतन्त्र इन्द्रिय का है, जिसे मन कहते हैं। अर्थात्, कार्य-अकार्य अथवा धर्म-अधर्म का निर्णय मन ही करता है। चाहे आप उसे इन्द्रिय कहें या देवता। यदि आधिदैविक पन्थ का सिर्फ यही कहना हो, तो कोई आपत्ति नहीं। परन्तु पश्चिमी आधिदैवत पक्ष इससे एक पग और भी आगे बढ़ा हुआ है। उसका यह कथन है, भला अथवा बुरा (सत् अथवा असत्), न्याय अथवा अन्याय, धर्म अथवा अधर्म का निर्णय करना एक बात है; और इस बात का निर्णय करना दूसरी बात है, कि अमुक पदार्थ भारी है या हलका है, गोरा है या काला, अथवा गणित का कोई उदाहरण सही है या गलत। ये दोनों बातें अत्यन्त भिन्न हैं। इनमें से दूसरे प्रकार की बातों का निर्णय न्यायशास्त्र का आधार ले कर मन कर सकता है; परन्तु पहले प्रकार की बातों का निर्णय करने के लिये केवल मन असमर्थ है। अतएव यह काम सदसद्वैक-शक्तिरूप देवता ही ही किया करता है, जो कि हमारे मन में रहता है। इसका कारण वे यह बतलाते हैं, कि जब हम किसी गणित के उदाहरण की जाँच करके निश्चय करते हैं, कि वह सही है या गलत। तब हम पहले उसके गुणा, जोड़ आदि की जाँच कर लेते हैं, और फिर अपना निश्चय स्थिर करते हैं। अर्थात् इस निश्चय के स्थिर होने के पहले मन को अन्य क्रिया या व्यापार करना पड़ता है; परन्तु भले-बुरे का निर्णय इस प्रकार नहीं किया जाता। जब हम यह सुनते हैं, कि किसी एक आदमी ने किसी दूसरे को जान से मार डाला, तब हमारे मूँह से एकाएक यह उद्गार निकल पड़ते हैं, “ राम राम ! उसने बहुत बुरा काम किया ! ” और इस विषय में हमें कुछ भी विचार नहीं करना पड़ता, अतएव, यह नहीं कहा जा सकता, कि कुछ भी विचार न करके आप-ही-आप जो निर्णय हो जाता है, और जो निर्णय विचार-पूर्वक किया जाता है, वे दोनों एक ही मनोवृत्ति के व्यापार हैं। इसलिये यह मानना चाहिये, कि सदसद्वैचनशक्ति भी एक स्वतंत्र मानसिक देवता है। सब मनुष्यों के अन्तःकरण में यह देवता या शक्ति एक ही सी जागृत रहती है। इसलिये हत्या करना सभी लोगों को दोष प्रतीत होता है; उसके विषय में किसी को कुछ सिखलाना भी नहीं पड़ता। इस आधिदैविक युक्तिवाद पर आधिभौतिक पन्थ के लोगों का उत्तर है, कि सिर्फ “ हम एक-आध बात का निर्णय एकदम कर सकते हैं; ” इतने ही से यह नहीं माना जा सकता, कि जिस बात का निर्णय विचार-पूर्वक किया जाता है वह उमसे भिन्न है। किसी काम को जल्द अथवा धीरे करना अभ्यास पर अवलम्बित है। उदाहरणार्थ, गणित का विषय लीजिये। व्यापारी लोग मन के भाव से सेर-छटाक के दाम एकदम मुखाग्र गणित की रीति से बतलाया करते हैं। इस कारण यह नहीं कहा जा सकता,

लोगों का अधिक हित" और 'मनोदेवता' इन दोनों पक्षों का इस श्लोक में एक साथ कैसा उल्लेख किया गया है। मनुस्मृति (१२. ३५, ३७) में भी कहा गया है, कि जिस कर्म करने में लज्जा मालूम नहीं होती - एव अन्तरात्मा सन्तुष्ट होता है - वह मार्त्तिक है। धम्मपद नामक बौद्धग्रन्थ (६७ और ६८) में भी इसी प्रकार के विचार पाये जाते हैं। कालिदास भी यही कहते हैं, कि जब कर्म-अकर्म का निर्णय करने में कुछ सन्देह हो, तब -

सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तयः ।

" सत्पुरुष लोग अपने अन्तःकरण ही की गवाही को प्रमाण मानते हैं " (शाकुतल १. २०) । पातञ्जल योग इसी बात की शिक्षा देता है, कि चित्तवृत्तियों का विरोध करके मन को किसी एक ही विषय पर कैसे स्थिर करना चाहिये; और यह योगशास्त्र हमारे यहाँ बहुत प्राचीन समय से प्रचलित है। अतएव जब कभी धर्म-अधर्म के विषय में कुछ सन्देह उत्पन्न हो, तब हम लोगों को किसी से यह न सिखाये जाने की आवश्यकता है, कि " अन्तःकरण को स्वस्थ और शान्त करने से जो उचित मालूम हो, वही करना चाहिये। " सब स्मृति-ग्रन्थों के आरम्भ में, इस प्रकार के वर्णन मिलते हैं, कि स्मृतिकार ऋषि अपने मन को एकाग्र करके ही धर्म-अधर्म बतलाया करते थे (मनु. १. १) । जो ही देखने से तो, 'किसी काम में मन की गवाही लेना' यह मार्ग अत्यन्त सुलभ प्रतीत होता है। परन्तु जब हम तत्त्वज्ञान की दृष्टि से इस बात का मूढ विचार करने लगते हैं, कि 'शुद्ध मन' कैसे कहना चाहिये; तब यह सरल पन्थ अन्त तक काम नहीं दे सकती। और यही कारण है, कि हमारे शास्त्रकारों ने धर्मयोगशास्त्र की इमारत इस कच्ची नींव पर रखी नहीं की है। अब इस बात का विचार करना चाहिये, कि यह तत्त्वज्ञान कौन-सा है। परन्तु इसका विवेचन करने के पहले यहाँ पर इस बात का उल्लेख करना आवश्यक है, कि पश्चिमी आधिभौतिकवादियों ने इस आधिदैवतपक्ष का किस प्रकार खण्डन किया है। कारण यह है, कि यद्यपि इन विषय में आध्यात्मिक और आधिभौतिक पन्थों के कारण भिन्न भिन्न हैं; तथापि उन दोनों का अन्तिम निर्णय एक ही सा है। अतएव, पहले आधिभौतिक कारणों का उल्लेख कर देने से आध्यात्मिक कारणों की महत्ता और मयुष्यता पाठकों के ध्यान में प्रोद्यत हो जायगी।

ऊपर यह आये हैं, कि आधिदैविक पन्थ में शुद्ध मन को ही अग्रस्थान दिया गया है। इसमें यह प्रकट होता है, कि " अधिवाण लोगों का अधिक सुख " -वाले आधिभौतिक नीतिपन्थ में मना की वृद्धि या हेतु के कुछ भी विचार न किये जाने का जो दोष पहले बतलाया गया है, वह इस आधिदैवतपक्ष में नहीं है। परन्तु जब हम इस बात का मूढ विचार करने लगते हैं, कि मनुस्मृति-ग्रन्थों में शुद्ध मनोदेवता किसे कहना चाहिये; तब इस पन्थ में भी दूरी अनेक अपरिहार्य बाधाएँ उत्पन्न हो जाती

है। कोई भी बात लीजिये, कहने की आवश्यकता नहीं है, कि उसके बारे में भली भाँति विचार करना — वह ग्राह्य है अथवा अग्राह्य है, करने के योग्य है या नहीं, उससे लाभ अथवा सुख होगा या नहीं, इत्यादि बातों को निश्चित करना — नाक अथवा आँख का काम नहीं है। किन्तु वह काम उस स्वतन्त्र इन्द्रिय का है, जिसे मन कहते हैं। अर्थात्, कार्य-अकार्य अथवा धर्म-अधर्म का निर्णय मन ही करता है। चाहे आप उसे इन्द्रिय कहे या देवता। यदि आधिदैविक पन्थ का सिर्फ यही कहना हो, तो कोई आपत्ति नहीं। परन्तु पश्चिमी आधिदैवत पक्ष इससे एक पग और भी आगे बढ़ा हुआ है। उसका यह कथन है, भला अथवा बुरा (सत् अथवा असत्), न्याय अथवा अन्याय, धर्म अथवा अधर्म का निर्णय करना एक बात है, और इस बात का निर्णय करना दूसरी बात है, कि अमुक पदार्थ भारी है या हलका है, गौरा है या काला, अथवा गणित का कोई उदाहरण सही है या गलत। ये दोनों बातें अत्यन्त भिन्न हैं। इनमें से दूसरे प्रकार की बातों का निर्णय न्यायशास्त्र का आधार ले कर मन कर सकता है, परन्तु पहले प्रकार की बातों का निर्णय करने के लिये केवल मन असमर्थ है। अतएव यह काम सदसद्विवेक-शक्तिरूप देवता ही ही किया करता है, जो कि हमारे मन में रहता है। इसका कारण वे यह बतलाते हैं, कि जब हम किसी गणित के उदाहरण की जाँच करके निश्चय करते हैं, कि वह सही है या गलत। तब हम पहले उसके गुणा, जोड़ आदि की जाँच कर लेते हैं, और फिर अपना निश्चय स्थिर करते हैं। अर्थात् इस निश्चय के स्थिर होने के पहले मन को अन्य क्रिया या व्यापार करना पड़ता है; परन्तु भले-बुरे का निर्णय इस प्रकार नहीं किया जाता। जब हम यह सुनते हैं, कि किसी एक आदमी ने किसी दूसरे को जान से मार डाला, तब हमारे मूँह से एकाएक यह उद्गार निकल पड़ते हैं, “राम राम! उसने बहुत बुरा काम किया।” और इस विषय में हमें कुछ भी विचार नहीं करना पड़ता, अतएव, यह नहीं कहा जा सकता, कि कुछ भी विचार न करके आप-ही-आप जो निर्णय हो जाता है, और जो निर्णय विचार-पूर्वक किया जाता है, वे दोनों एक ही मनोवृत्ति के व्यापार हैं। इसलिये यह मानना चाहिये, कि सदसद्विवेचनशक्ति भी एक स्वतंत्र मानसिक देवता है। सब मनुष्यों के अन्तःकरण में यह देवता या शक्ति एक ही सी जागृत रहती है। इसलिये हत्या करना सभी लोगों को दोष प्रतीत होता है, उसके विषय में किसी को कुछ सिखलाना भी नहीं पड़ता। इस आधिदैविक युक्तिवाद पर आधिभौतिक पन्थ के लोगों का उत्तर है, कि सिर्फ “हम एक-आध बात का निर्णय एकदम कर सकते हैं,” इतने ही से यह नहीं माना जा सकता, कि जिस बात का निर्णय विचार-पूर्वक किया जाता है वह उससे भिन्न है। किसी काम को जल्द अथवा धीरे करना अभ्यास पर अवलम्बित है। उदाहरणार्थ, गणित का विषय लीजिये। व्यापारी लोग मन के भाव से सेर-छटाव के दाम एकदम मुखाम्त गणित की रीति से बतलाया करते हैं। इस कारण यह नहीं कहा जा सकता,

कि गुणाकार करने की उनकी शक्ति या देवता किसी अच्छे गणितज्ञ से भिन्न है। कोई काम अभ्यास के कारण इतना अच्छी तरह मध जाता है, कि बिना विचार किये ही कोई मनुष्य उसको शीघ्र और सरलतापूर्वक कर लेता है। उत्तम लक्ष्यभेदी मनुष्य उड़ते हुए पक्षियों को बन्दुक से सहज मार गिराता है; इससे कोई भी यह नहीं कहता, कि लक्ष्यभेद एक स्वतन्त्र देवता है। इतना ही नहीं; किन्तु निशाना मारना, उड़ते हुए पक्षियों की गति को जानना, इत्यादि शास्त्रीय बातों को भी निरर्थक और त्याज्य नहीं कह सकता। नेपोलियन के विषय में यह प्रसिद्ध है, कि जब ब्रह्म समरागण में खड़ा हो कर चारों ओर मूकम दृष्टि से देखता था, तब उसके ध्यान में यह बात एकदम आ जाया करती थी, कि शत्रु किस स्थान पर कमजोर है। इतने ही से किसी ने यह सिद्धान्त नहीं निकाला है, कि युद्धकला एक स्वतन्त्र देवता है, और उसका अन्य मानसिक शक्तियों से कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। इसमें सन्देह नहीं; कि किसी एक काम में किसी की बुद्धि स्वभावतः अधिक काम देती है; और किसी की कम परन्तु निर्णय इस असमानता के आधार पर ही हम यह नहीं कहते, कि दोनों की बुद्धि वस्तुतः भिन्न है। इसके अतिरिक्त यह बात भी सत्य नहीं, कि कार्य-अकार्य का अथवा धर्म-अधर्म का निर्णय एकाएक हो जाता है। यदि ऐसा ही होता, तो यह प्रश्न ही कभी उपस्थित न होता कि "अमुक काम करना चाहिये अथवा नहीं करना चाहिये।" यह बात प्रकट है, कि इस प्रकार का प्रश्न प्रसंगानुसार अर्जुन की तरह सभी लोगों के सामने उपस्थित हुआ करता है; और कार्य-अकार्य-निर्णय के कुछ विषयों में, भिन्न भिन्न लोगों के अभिप्राय भी भिन्न भिन्न हुआ करते हैं। यदि सदसद्विवेचनरूप स्वयम्भू देवता एक ही है, तो फिर यह भिन्नता क्यों है? इससे यही बहना पड़ता है, कि मनुष्य की बुद्धि जितनी मुशिक्षित अथवा सुमस्कृत होगी, उतनी ही योग्यतापूर्वक वह किसी बात का निर्णय करेगा। बहुतेरे जगली लोग ऐसे भी हैं, कि जो मनुष्य का वध करना अपराध तो मानते नहीं; किन्तु वे मारे हुए मनुष्य का मांस भी सहर्ष खा जाते हैं! जगली लोगों की बात जाने दीजिये। सम्य देशों में भी यह देखा जाता है, कि देश के अनुसार किसी एक देश में जो बात गहाँ समझी जाती है, वही विसी दूसरे देश में सर्वमान्य समझी जाती है। उदाहरणार्थ, एक स्त्री के रहते हुए दूसरी स्त्री के साथ विवाह करना विलायत में दोष समझा जाता है; परन्तु हिन्दुस्थान में यह बात विशेष दूषणीय नहीं मानी जाती। भरी सभा में सिर की पगड़ी उतारना हिन्दु लोगों के लिये लज्जा या अमर्यादा की बात है; परन्तु अंग्रेज लोग सिर की टोपी उतारना ही सम्यता का लक्षण मानते हैं। यदि, यह बात सच है, कि ईश्वरदत्त या स्वाभाविक सदसद्विवेचन-शक्ति के कारण ही बुरे कर्म करने में लज्जा मालूम होनी है, तो क्या सब लोगों को एक ही कृत्य करने में एक ही समान लज्जा नहीं मालूम होनी चाहिये? बड़े बड़े लुटेरे और डाकू लोग भी एक चार जिसका नमक खा लेते हैं, उस पर हथियार उठाना निन्द्य मानते हैं, किन्तु

बड़े बड़े सभ्य पश्चिमी राष्ट्र भी अपने पड़ोसी राष्ट्र का वध करना स्वदेशभक्ति का लक्षण समझते हैं। यदि सदसद्विवेचन-शक्तिरूप देवता एक ही है तो यह भेद क्यों है ? और यदि यह कहा जाय, कि शिक्षा के अनुसार अथवा देश के चलन के अनुसार सदसद्विवेचनशक्ति में भी भेद हो जाया करते हैं, तो उसकी स्वयंभू नित्यता में बाधा आती है। मनुष्य ज्यो ज्यो अपनी असभ्य दशा को छोड़ कर सभ्य बनता जाता है, त्यो त्यो उसके मन और बुद्धि का विकास होता जाता है। और इस तरह बुद्धि का विकास होने पर जिन बातों का विचार वह अपनी पहली असभ्य अवस्था में नहीं कर सकता था, उन्ही बातों का विचार अब वह अपनी सभ्य दशा में शीघ्रता से करने लग जाता है। अथवा यह कहना चाहिये, कि इस बुद्धि का विकसित होना ही सभ्यता का लक्षण है। यह सभ्य अथवा सुशिक्षित मनुष्य के इन्द्रियनिग्रह का परिणाम है, कि वह औरो की वस्तु को ले लेने या माँगने की इच्छा नहीं करता। इसी प्रकार मन की वह शक्ति भी — जिससे बुरे-भले का निर्णय किया जाता है — धीरे धीरे बढ़ती जाती है। और अब तो कुछ बातों में वह इतनी परिपक्व होती ही है, कि किसी विषय में कुछ विचार किये बिना ही हम लोग अपना नैतिक निर्णय प्रकट कर दिया करते हैं। जब हमे आँखों से कोई दूर या पास की वस्तु देखनी होती है, तब आँखों की नसों को उचित परिणाम से खींचना पड़ता है; और यह क्रिया इतनी शीघ्रता से होती है, कि हमें उसका कुछ बोध भी नहीं होता। परन्तु क्या इतने ही से किसी ने इस बात की उपपत्ति को निरूपयोगी मान रखा है ? साराश यह है, कि मनुष्य की बुद्धि या मन सब समय और सब कामों में एक ही है। यह बात यथार्थ नहीं, कि कालेगोरे का निर्णय एक प्रकार की बुद्धि करती है और बुरे-भले का निर्णय किसी अन्य प्रकार की बुद्धि से किया जाता है। केवल अन्तर इतना ही है, कि किसी में बुद्धि कम रहती है और किसी की अशिक्षित अथवा अपरिपक्व रहती है। उक्त भेद की ओर, तथा इस अनुभव की ओर भी उचित ध्यान दे कर, कि किसी काम को शीघ्रतापूर्वक कर सकना केवल आदत या अभ्यास का फल है, पश्चिमी आधिभौतिकवादियों ने यह निश्चय किया है, कि मन को स्वाभाविक शक्तियों से परे सदसद्विचारशक्ति नामक कोई भिन्न, स्वतन्त्र और विलक्षण शक्ति के मानने की आवश्यकता नहीं है।

इस विषय में हमारे प्राचीन शास्त्रकारों का अन्तिम निर्णय भी पश्चिमी आधिभौतिकवादियों के सदृश ही है। वे इस बात को मानते हैं, कि स्वस्थ और शान्त अन्तःकरण से किसी भी बात का विचार करना चाहिये। परन्तु उन्हें यह बात मान्य नहीं, कि धर्म-अधर्म का निर्णय करनेवाली बुद्धि अलग है और कालागोरा पहचान ने की बुद्धि अलग है। उन्होंने यह भी प्रतिपादन किया है, कि मन जितना सुशिक्षित होगा, उतना ही वह भला या बुरा निर्णय कर सवेगा। अतएव मन को सुशिक्षित करने का प्रयत्न प्रत्येक को दृढता से करना चाहिये। परन्तु वे इस

वात को नहीं मानते, कि सदसद्विवेचन-शक्ति सामान्य वृद्धि से कोई भिन्न वस्तु या ईश्वरीय प्रसाद है। प्राचीन समय में इस वात का निरीक्षण सूक्ष्म रीति से किया गया है, कि मनुष्य को ज्ञान किस प्रकार प्राप्त होता है; और उसके मन का या बुद्धि का व्यापार किस तरह हुआ करता है। इसी निरीक्षण को 'क्षेत्रक्षेत्रज्ञ-विचार' कहते हैं। क्षेत्र का अर्थ 'शरीर' और क्षेत्रज्ञ का अर्थ 'आत्मा' है। यह क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ-विचार अध्यात्मविद्या की जड़ है। इस क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ-विद्या का ठीक ठीक ज्ञान हो जाने पर, सदसद्विवेक-शक्ति ही का कौन कहे, किसी भी मनोदेवता का अस्तित्व आत्मा के परे या स्वतन्त्र नहीं माना जा सकता। ऐसी अवस्था में आधिदैवत पक्ष आप-ही-आप कमजोर हो जाता है। अतएव, अब यहाँ इस क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ-विद्या ही का विचार संक्षेप में किया जायगा। इस विवेचन से भगवद्गीता के बहुतेरे सिद्धान्तों का मत्पार्थ भी पाठकों के ध्यान में अच्छी तरह आ जायगा।

यह कहा जा सकता है, कि मनुष्य का शरीर (पिंड, क्षेत्र या देह) एक बृहत् बड़ा कारखाना ही है। जैसे किसी कारखाने में पहले बाहर का माल भीतर लिया जाता है; फिर उस माल का चुनाव या व्यवस्था करके इन वात का निष्पन्न किया जाता है, कि कारखाने के लिये उपयोगी और निरूपयोगी पदार्थ कौन-से हैं; और तब बाहर से लाये गये कच्चे माल से नई चीजें बनाते और उन्हें बाहर भेजते हैं। वैसे ही मनुष्य की देह में भी प्रतिक्षण अनेक व्यापार हुआ करते हैं। इस सृष्टि के पार्थभौतिक पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करने के लिये मनुष्य की इन्द्रियाँ ही प्रथम साधन हैं। इन इन्द्रियों के द्वारा सृष्टि के पदार्थों का यथार्थ अथवा मूलस्वरूप नहीं जाना जा सकता। आधिभौतिकवादियों का यह मत है, कि पदार्थों का यथार्थ स्वरूप वैसा ही है, जैसा कि वह हमारी इन्द्रियों को प्रतीत होता है। परन्तु यदि कल किसी को कोई नूतन इन्द्रिय प्राप्त हो जाय, तो उसकी दृष्टि से सृष्टि के पदार्थों का गुण-धर्म जैसा आज है, वैसा ही नहीं रहेगा। मनुष्य की इन्द्रियों में भी दो भेद हैं एक कर्मेन्द्रियाँ और दूसरी ज्ञानेन्द्रियाँ। हाथ, पैर, वाणी, गूद और उपस्य ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ हैं। हम जो कुछ व्यवहार अपने शरीर से करते हैं, वह सब इन्हीं कर्मेन्द्रियों के द्वारा होता है। नाक, आँखें, कान, जीभ और त्वचा ये पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं। आँखों से रूप, जिह्वा से रस, कानों से शब्द, नाक से गन्ध, और त्वचा से स्पर्श का ज्ञान होता है। किन्ती भी वास्तु-पदार्थ का जो हमें ज्ञान होना है, वह उस पदार्थ के रूप-रस-गन्ध-स्पर्श के सिवा और कुछ नहीं है। उदाहरणार्थ, एक सोने का टुकड़ा लीजिये। वह पीला देख पड़ता है, त्वचा को बठोर मालूम होता है, पीटने से लम्बा हो जाता है इत्यादि जो गुण हमारी इन्द्रियों को गोचर होते हैं उन्हीं को हम सोना कहते हैं; और जब ये गुणधार वार एक ही पदार्थ में, एक ही से दृग्गोचर होने लगते हैं, तब हमारी दृष्टि से सोना एक ही पदार्थ बन जाता है। जिम प्रकार बाहर का माल भीतर

लाने के लिये और भीतर का माल बाहर भेजने के लिये किसी कारखाने में दरवाजे होते हैं, उसी प्रकार मनुष्य के देह में बाहर के माल को भीतर लेने के लिये ज्ञानेन्द्रिय-रूपी द्वार है, और भीतर का माल बाहर भेजने के लिये कर्मेन्द्रिय-रूपी द्वार है। सूर्य की किरणे किसी पदार्थ पर गिर कर जब लौटती है, और हमारे नेत्रों में प्रवेश करती है तब हमारे आत्मा को उस पदार्थ के रूप का ज्ञान होता है। किसी पदार्थ से आनेवाली गन्ध के सूक्ष्म परमाणु जब हमारी नाक के मज्जातन्तुओं से टकराते हैं, तब हमें उस पदार्थ की वास आती है। अन्य ज्ञानेन्द्रियों के व्यापार भी इसी प्रकार हुआ करते हैं। जब ज्ञानेन्द्रियाँ इस प्रकार अपना व्यापार करने लगती हैं, तब हमें उनके द्वारा बाह्य-सृष्टि के पदार्थों का ज्ञान होने लगता है। परन्तु ज्ञानेन्द्रियाँ जो कुछ व्यापार करती हैं, उसका ज्ञान स्वयं उनको नहीं होता; उसी लिये ज्ञानेन्द्रियों को 'ज्ञाता' नहीं कहते, किन्तु उन्हें सिर्फ बाहर के माल को भीतर ले जानेवाले 'द्वार' ही कहते हैं। इन दरवाजों से माल भीतर आ जाने पर उसकी व्यवस्था करना मन का काम है। उदाहरणार्थ, वारह वजे जब घड़ी में घण्टे वजने लगते हैं, तब एकदम हमारे कानों को यह नहीं समझ पड़ता, कि कितने वजे हैं, किन्तु ज्यों ज्यों घड़ी में 'टन् टन्' की एक एक आवाज होती जाती है, त्यों त्यों हवा की लहर हमारे कानों पर आकर टक्कर मारती है, और अन्त मज्जातन्तु के द्वारा प्रत्येक आवाज का हमारे मन पर पहले अलग अलग सस्कार होता है और अन्त में इन सबों को जोड़ कर हम निश्चित किया करते हैं, कि इतने वजे हैं। पशुओं में भी ज्ञानेन्द्रियाँ होती हैं। जब घड़ी की 'टन् टन्' आवाज होती है, तब प्रत्येक ध्वनि का सस्कार उनके कानों के द्वारा मन तक पहुँच जाता है। परन्तु उनका मन इतना विकसित नहीं रहता, कि वे उन सब सस्कारों को एकत्र करके यह निश्चित कर ले कि वारह वजे हैं। यही अर्थ शास्त्रीय परिभाषा में इस प्रकार कहा जाता है, कि यद्यपि अनेक सस्कारों का पृथक् पृथक् ज्ञान पशुओं को हो जाता है, तथापि उस अनेकता की एकता का बोध उन्हें नहीं होता। भगवद्गीता (३ ४२) में कहा है - "इन्द्रियाणि पराण्याहृ इन्द्रियेभ्य पर मन" अर्थात् इन्द्रियाँ (बाह्य) पदार्थों से श्रेष्ठ हैं, और मन इन्द्रियों से भी श्रेष्ठ है। इसका भावार्थ भी वही है, जो ऊपर लिखा गया है। पहले कह आये हैं, कि यदि मन स्थिर न हो, तो आँखें खुली होने पर भी कुछ दीख नहीं पड़ता, और कान खुले होने पर भी कुछ सुन नहीं पड़ता। तात्पर्य यह है, कि इस देहरूपी कारखाने में 'मन' एक मुशी (क्लर्क) है, जिसके पास बाहर का सब माल ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा भेजा जाता है। और यही मुशी (मन) माल की जाँच किया करता है। अब इन बातों का विचार करना चाहिये कि यह जाँच किस प्रकार की जाती है, और जिसे हम अबतक सामान्यतः 'मन' कहते आये हैं, उसके भी और कौन-कौन-से भेद किये जा सकने हैं अथवा एव ही मन को भिन्न भिन्न अधिकार के अनुसार कौन-कौनसे भिन्न भिन्न नाम प्राप्त हो जाते हैं।

ज्ञानेन्द्रियो के द्वारा मन पर जो सस्कार होते हैं, उन्हें प्रथम एकत्र करके और उनकी परस्पर तुलना करके इस बात का निर्णय करना पड़ता है, कि उनमें से अच्छे कौन-से और बुरे कौन-से हैं, ग्राह्य अथवा त्याज्य कौनसे और लाभदायक तथा हानिकारक कौनसे हैं। यह निर्णय हो जाने पर उनमें से जो बात अच्छी, ग्राह्य, लाभदायक, उचित अथवा करने योग्य होती है, उसे करने में हम प्रवृत्त हुआ करते हैं। यही सामान्य मानसिक व्यवहार है। उदाहरणार्थ, जब हम किसी बगीचे में जाते हैं, तब आँख और नाक के द्वारा वाग, वृक्षों और फूलों के संस्कार हमारे मन पर होते हैं। परन्तु जब तक हमारे आत्मा को यह ज्ञान नहीं होता, कि इन फूलों में से किसकी सुगन्ध अच्छी और किसकी बुरी है; तब किसी फूल को प्राप्त कर लेने की इच्छा मन में उत्पन्न नहीं होती; और न हम उसे तोड़ने का प्रयत्न ही करते हैं। अतएव सब मनोव्यापारों के तीन स्थूल भाग हो सकते हैं :- (१) ज्ञानेन्द्रियो के द्वारा बाह्य पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करके उन संस्कारों को तुलना के लिये व्यवस्थापूर्वक रखना; (२) ऐसी व्यवस्था हो जाने पर उसके अच्छेपन या बुरेपन का सार-असार-विचार करके यह निश्चय करना, कि कौन-सी बात ग्राह्य है और कौन-सी त्याज्य; और (३) निश्चय हो चुकने पर, ग्राह्य-वस्तु को प्राप्त कर लेने की, और अग्राह्य को त्यागने की इच्छा उत्पन्न हो कर फिर उसके अनुसार प्रवृत्ति का होना। परन्तु यह आवश्यक नहीं, कि ये तीनों व्यापार बिना रकावट के लगातार एक के बाद एक होते ही रहे। सम्भव है, कि पहले किसी समय भी देखी हुई वस्तु की इच्छा आज हो जाय। किन्तु इतने ही से यह नहीं कह सकते, कि उक्त तीनों क्रियाओं में से किसी भी क्रिया की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि न्याय करने की कचहरी एक ही होती है, तथापि उसमें काम का विभाग इस प्रकार किया जाता है :- पहले वादी और प्रतिवादी अथवा उनके वकील अपनी अपनी गवाहियाँ और सबूत न्यायाधीश के सामने पेश करते हैं। इसके बाद न्यायाधीश दोनों पक्षों के सबूत देखकर निर्णय स्थिर करता है, और अन्त में न्यायाधीश के निर्णय के अनुसार नाजिर कारवाई करता है। ठीक इसी प्रकार जिस मुशी को अभी तक हम सामान्यतः 'मन' कहते आये हैं, उसके व्यापारों के भी विभाग हुआ करते हैं। इनमें से सामने उपस्थित बातों का सार-असार विचार करके यह निश्चय करने का काम (अर्थात् केवल न्यायाधीश का काम) 'बुद्धि' नामक इन्द्रिय का है, कि कोई एक बात अमुक प्रकार की थी (एकमेव) है, दूसरे प्रकार की नहीं (नाज्यया)। ऊपर कहे गये सब मनो-व्यापारों में से इन सार-असार-विवेकशक्ति को अलग कर देने पर सिर्फ बचे हुए व्यापार ही जिस इन्द्रिय के द्वारा हुआ करते हैं, उसी को साह्य और वेदान्त-शास्त्र में 'मन' कहते हैं (सा. वा. २३ और २७ देखो)। यही मन वकील के मद्दय, कोई बात ऐसी है (सकल्प), अथवा उसके विरुद्ध वैसी है (विकल्प); इत्यादि कल्पनाओं को बुद्धि के सामने निर्णय करने के लिये पेश किया करता

है। इसी लिये इसे 'संकल्प-विकल्पात्मक' अर्थात् बिना निश्चय किये केवल कल्पना करनेवाली इन्द्रिय कहा गया है। कभी कभी 'सकल्प' शब्द में 'निश्चय' का भी अर्थ शामिल कर दिया जाता है (छादोग्य ७.४.१ देखो)। परन्तु यहाँ पर 'सकल्प' शब्द का उपयोग — निश्चय की अपेक्षा न रखते हुए — बात अमुक प्रकार की मालूम होना, मानना, कल्पना करना, समझना, अथवा कुछ योजना करना, इच्छा करना, चिन्तन करना, मन में लाना आदि व्यापारों के लिये ही किया गया है। परन्तु, इस प्रकार वकील के सदृश अपनी कल्पनाओं को बुद्धि के सामने निर्णयार्थ सिर्फ उपस्थित कर देने ही से मन का काम पूरा नहीं हो जाता। बुद्धि के द्वारा भले-बुरे का निर्णय हो जाने पर, जिस बात को बुद्धि ने ग्राह्य माना है, उसका कर्मद्रियो से आचरण करना, अर्थात् बुद्धि की आज्ञा को कार्य में परिणत करना — यह नाजिर का काम भी मन ही को करना पड़ता है। इसी कारण मन की व्याख्या दूसरी तरह भी की जा सकती है। यह कहने में कोई आपत्ति नहीं, कि बुद्धि के निर्णय की कारवाई पर जो विचार किया जाता है, वह भी एक प्रकार से सकल्प-विकल्पात्मक ही है। परन्तु इसके लिये संस्कृत में 'व्याकरण-विचार करना' यह स्वतन्त्र नाम दिया गया है। इसके अतिरिक्त शेष सब कार्य बुद्धि के हैं। यहाँ तक कि मन स्वयं अपनी ही कल्पनाओं के सार-असार का विचार नहीं करता। सार-असार-विचार करके किसी भी वस्तु का यथार्थ ज्ञान आत्मा को करा देना, अथवा चुनाव करके यह निश्चय करना, कि अमुक वस्तु अमुक प्रकार की है, या तर्क से कार्य-कारण-सम्बन्ध को देख कर निश्चित अनुमान करना, अथवा कार्य-अकार्य का निर्णय करना, इत्यादि सब व्यापार बुद्धि के हैं। संस्कृत में इन व्यापारों को 'व्यवसाय' या 'अध्यवसाय' कहते हैं। अतएव दो शब्दों का उपयोग करके, 'बुद्धि' और 'मन' का भेद बतलाने के लिये, महाभारत (शा. २५१. ११) में यह व्याख्या दी गई है :-

व्यवसायात्मिका बुद्धिः मनो व्याकरणात्मकम् ।

“ बुद्धि (इन्द्रिय) व्यवसाय करती है; अर्थात् सार-असार-विचार करके कुछ निश्चय करती है; और मन व्याकरण अथवा विस्तार है। वह अगली अवस्था करनेवाली प्रवर्तक इन्द्रिय है — अर्थात् बुद्धि व्यवसायात्मिका है और मन व्याकरणात्मक है। ” भगवद्गीता में भी “ व्यवसायात्मिका बुद्धिः ” शब्द पाये जाते हैं (गी. २. ४४); और वहाँ भी बुद्धि का अर्थ “ सार-असार-विचार करके निश्चय करनेवाली इन्द्रिय ” ही है। यथार्थ में बुद्धि केवल एक तलवार है। जो कुछ उसके सामने आता है या लाया जाता है, उसकी काट-छांट करना ही उसका काम है; उसमें दूसरा कोई भी गुण अथवा धर्म नहीं है (म. भा. वन. १८१. २६)। सकल्प, वापना, इच्छा, स्मृति, धृति, श्रद्धा, उत्साह, करुणा, प्रेम, दया, सहानुभूति, वृत्तमता, वाम, लज्जा, आनन्द, भय, राग, सग, द्वेष, लोभ, मद, मत्सर, श्लोघ इत्यादि सब मन ही के गुण

अथवा धर्म है (वृ. १. ५. ३; मैत्र्यु. ६. ३०) । जैसी जैसी ये मनोवृत्तियाँ जागृत होती जाती हैं, वैसे ही कर्म करने की ओर मनुष्य की प्रवृत्ति हुआ करती है । उदाहरणार्थ, मनुष्य चाहे जितना बुद्धिमान् हो और चाहे वह गरीब लोगों की दुर्दशा का हाल भली भाँति जानता हो; तथापि यदि उसके हृदय में करणावृत्ति जागृत न हो, तो गरिबों की सहायता करने की इच्छा कभी होगी ही नहीं । अथवा, यदि धैर्य का अभाव हो, तो मुद्द करने की इच्छा होने पर भी वह नहीं लड़ेगा । तात्पर्य यह है, कि बुद्धि सिर्फ यही बतलाया करती है, कि जिस बात को करने की हम इच्छा करते हैं, उसका परिणाम क्या होगा । इच्छा अथवा धैर्य आदि गुण बुद्धि के धर्म नहीं हैं । इसलिये बुद्धि स्वयं (अर्थात् बिना मन की सहायता लिये ही) कभी इन्द्रियों को प्रेरित नहीं कर सकती । इसके विरुद्ध क्रोध आदि वृत्तियों के बल में होकर स्वयं मन चाहे इन्द्रियों को प्रेरित भी कर सके; तथापि यह नहीं कहा जा सकता, कि बुद्धि के सार-असार-विचार के बिना केवल मनोवृत्तियों की प्रेरणा से किया गया काम नीति की दृष्टि में शुद्ध ही होगा । उदाहरणार्थ, यदि बुद्धि का उपयोग न कर केवल करणावृत्ति से कुछ दान किया जाता है, तो सम्भव है, कि वह किसी अपात्र को दिया जाये; और उसका परिणाम भी बुरा हो । माराज्ञ यह है, कि बुद्धि की महायता के बिना केवल मनोवृत्तियाँ अन्धी हैं, अतएव मनुष्य का कोई काम शुद्ध तभी हो सकता है, जब कि बुद्धि शुद्ध है । अर्थात् वह भले-बुरे का अचूक निर्णय कर सके; मन बुद्धि के अनुरोध से आचरण करे; और इन्द्रियाँ मन के अधीन रहे । मन और बुद्धि के सिवा 'अन्तःकरण' और 'चित्त' ये दो शब्द भी प्रचलित हैं । इनमें से 'अन्तःकरण' शब्द का धात्वर्थ 'भीनरी करण अर्थात् इन्द्रिय' है । इसलिये उनमें मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि सभी का सामान्यतः समावेश किया जाता है और जब 'मन' पहलें पहलें वास्तविक-विषयों का ग्रहण अर्थात् चिन्तन करने लगता है, तब वही 'चित्त' हो जाता है (म. भा. शां. २७४. १७) । परन्तु सामान्य व्यवहार में इन सब शब्दों का अर्थ एक ही सा माना जाता है । इस कारण ममज्ञ में नहीं आता, कि किम म्यान पर कौन-सा अर्थ विवक्षित है । इस गड़बड़ी को दूर करने के लिये ही, उक्त अनेक शब्दों में से मन और बुद्धि इन्हीं दो शब्दों का उपयोग शास्त्रीय परिभाषा में ऊपर बड़े गये निश्चित अर्थ में किया जाता है । जब इस तरह मन और बुद्धि या भेद एक बार निश्चित कर दिया गया, तब (न्यायाधीश के समान) बुद्धि को मन से श्रेष्ठ मानना पड़ता है; और मन उस न्यायाधीश (बुद्धि) का मुशी बन जाता है । "मनमन्तु परा बुद्धिः" — इस गीता-वाक्य का भावार्थ भी यही है, कि मन को अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ एव उन्मत्ते परे है (गीता ३. ४२) तथापि, जैसा कि ऊपर बताया है, उक्त मुशी को भी दो प्रकार के काम करने पड़ते हैं — (१) ज्ञानेन्द्रियों द्वारा अथवा बाहर से आये हुए सम्बन्धों की व्यवस्था करके उनको बुद्धि के सामने निर्णय के लिये उपस्थित करना; और (२) बुद्धि का निर्णय हो जाने पर उनकी

आज्ञा अथवा डाक कर्मेन्द्रियों के पास भेज कर बुद्धि का हेतु सफल करने के लिये आवश्यक वाह्य-क्रिया करवाना । जिस तरह दूकान के लिये माल खरीदने का काम और दूकान में बैठ कर बेचने का काम भी कहीं कहीं उस दूकान के एक ही नौकर को करना पड़ता है, उसी तरह मन को भी दूसरा काम करना पड़ता है । मान लो, कि हमें एक मित्र दीख पडा; और उसे पुकारनेकी इच्छा से हमने उसे 'अरे' कहा । अब देखना चाहिये, कि उतने समय में अन्तःकरण में कितने व्यापार होते हैं । पहले आँखों ने अथवा ज्ञानेन्द्रियों ने यह सस्कार मन के द्वारा बुद्धि को भेजा, कि हमारा मित्र पास ही है; और बुद्धि के द्वारा उस सस्कार का ज्ञान आत्मा को हुआ । यह हुई ज्ञान होने की क्रिया । जब आत्मा बुद्धि के द्वारा यह निश्चय करता है, कि मित्र को पुकारना चाहिये; और बुद्धि के इस हेतु के अनुसार कारवाई करने के लिये मन में बोलने की इच्छा उत्पन्न होती है; और मन हमारी जिह्वा (कर्मेन्द्रिय) से 'अरे' शब्द का उच्चारण करवता है । पाणिनी के शिक्षा-ग्रन्थ में शब्दोच्चारण-क्रिया का वर्णन इसी बात को ध्यान में रख कर किया गया है :-

आत्मा बुद्ध्या समेत्याऽर्थान् मनो युंक्ते विवक्षया ।

मनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मास्तम् ।

मास्तस्तूरसि चरन् मन्द्रं जनयति स्वरम् ॥

अर्थात् "पहले आत्मा बुद्धि के द्वारा सब बातों का आकलन करके मन में बोलने की इच्छा उत्पन्न करता है; और जब मन कायाग्नि को उसकता है, तब कायाग्नि वायु को प्रेरित करती है । तदनन्तर यह वायु छाती में प्रवेश करके मन्द्र स्वर उत्पन्न करती है । यही स्वर आगे कण्ठ-तालू आदि के वर्ण-भेद रूप से मुख के बाहर आता है । उक्त श्लोक के अन्तिम दो चरण मैत्र्युपनिषद् में भी मिलते हैं (मैत्र्यु. ७, ११); और, इससे प्रतीत होता है, कि ये श्लोक पाणिनि से भी प्राचीन हैं । आधुनिक शारीरशास्त्रों में कायाग्नि को मज्जातन्तु कहते हैं । परन्तु पश्चिमी शारीरशास्त्रज्ञों का कथन है, कि मन भी दो है । क्यो कि बाहर के पदार्थों का ज्ञान भीतर लानेवाले और मन के द्वारा बुद्धि की आज्ञा कर्मेन्द्रियों को बतलानेवाले मज्जातन्तु शरीर में भिन्न भिन्न हैं । हमारे शास्त्रकार दो मन नहीं मानते; उन्हो ने मन और बुद्धि को भिन्न बतला कर सिर्फ यह कहा है, कि मन उभयात्मक है । अर्थात् वह कर्मेन्द्रियों के साथ कर्मेन्द्रियों के समान और ज्ञानेन्द्रियों के साथ ज्ञानेन्द्रियों के समान काम करता है । दोनों का तात्पर्य एक ही है । दोनों की दृष्टि से यही प्रकट है, कि बुद्धि निश्चयकर्ता न्यायाधीश है;

* मैक्समूलर साहब ने लिखा है, कि मैत्र्युपनिषद् पाणिनि की अपेक्षा, प्राचीन होना चाहिये । Sacred Books of the East Series. Vol. XV. pp. xlvi-li. इस पर परिशिष्ट प्रकरण में अधिक विचार किया गया है ।

और मन पहले ज्ञानेन्द्रियों के साथ संकल्प-विकल्पात्मक हो जाया करता है; तथा फिर कर्मेन्द्रियों के साथ व्याकरणात्मक या कारवाई करनेवाला अर्थात् कर्मेन्द्रियों का साक्षात् प्रवर्तक हो जाता है। जिसी बात का 'व्याकरण' करते समय कभी कभी मन यह संकल्प-विकल्प भी किया करता है, कि बुद्धि की आज्ञा का पालन विन प्रकार किया जाय। इसी कारण मन की व्याख्या करते समय सामान्यतः मित्रं यही कहा जाता है, कि 'संकल्प-विकल्पात्मकम्'। परन्तु, ध्यान रहे, कि उक्त समय भी इस व्याख्या में मन के दोनों व्यापारों का समावेश किया जाता है।

'बुद्धि' का जो अर्थ उपर किया गया है, कि यह निर्णय करनेवाली इन्द्रिय है; वह अर्थ केवल शास्त्रीय और सूक्ष्म-विवेचन के लिये उपयोगी है। परन्तु इन शास्त्रीय अर्थों का निर्णय हमेशा पीछे से किया जाता है। अतएव यहाँ 'बुद्धि' शब्द के उन व्यावहारिक अर्थों का भी विचार करना आवश्यक है, जो इस शब्द के सम्बन्ध में, शास्त्रीय अर्थ निश्चित होने के पहले ही, प्रचलित हो गये हैं। जब तक व्यवसायात्मिक बुद्धि किसी बात का पहले निर्णय नहीं करती, तब तक हमें उम्मा ज्ञान नहीं होता; और जब तक ज्ञान नहीं हुआ है, तब तक उसके प्राप्त करने की इच्छा या वागना भी नहीं हो सकती। अतएव, जिस प्रकार व्यवहार में आम, पेड़ और फल के लिये एक ही 'आम' शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार व्यवसायात्मिक बुद्धि के लिये और उस बुद्धि के वासना आदि फलों के लिये भी एक ही शब्द 'बुद्धि' का उपयोग व्यवहार में कई बार किया जाता है। उदाहरणार्थ, जब हम कहते हैं, कि अमुक मनुष्य की बुद्धि छोटी है; तब हमारे बोलने का यह अर्थ होता है, कि उमकी 'वासना' छोटी है। शास्त्र के अनुसार इच्छा या वागना मन के धर्म होने के कारण उन्हें शब्द में सम्बोधित करना युक्त नहीं है। परन्तु बुद्धि शब्द की शास्त्रीय जाँच होने के पहले ही से सर्वसाधारण लोगों के व्यवहार में 'बुद्धि' शब्द का उपयोग इन दोनों अर्थों में होता चला आया है :- (१) निर्णय करनेवाली इन्द्रिय; और (२) उस इन्द्रिय के व्यापार से मनुष्य के मन में उत्पन्न होनेवाली वागना या इच्छा। अतएव, आम के भेद बनलाने के समय जिग प्रकार 'पेड़' और 'फल' इन शब्दों का उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार जब बुद्धि के उन दोनों अर्थों की भिन्नता व्यक्त करनी होती है, तब निर्णय करनेवाली अर्थात् शास्त्रीय बुद्धि को 'व्यवसायात्मिक' विरोधण जोड़ दिया जाता है; और वागना को केवल 'बुद्धि' अथवा 'वागनात्मक' बुद्धि कहते हैं। गीता (२. ४१, ४६, ४७; और ३. ६२) में 'बुद्धि' शब्द का उपयोग उपर्युक्त दोनों अर्थों में किया गया है। कर्मयोग के विवेचन को ठीक ठीक समझ लेने के लिये 'बुद्धि' शब्द के उक्त दोनों अर्थों पर हमें ध्यान रखना चाहिये। जब मनुष्य कुछ काम करने लगता है, तब उसके मनोव्यापार का प्रम इन प्रकार है - पहले वह 'व्यवसायात्मिक' इन्द्रिय के विचार करता है, कि यह काम अच्छा है या बुरा करने के योग्य है

या नहीं; और फिर उस कर्म के करने की इच्छा या वासना (अर्थात् वासनात्मक बुद्धि) उत्पन्न होती है; और तब वह उक्त काम करने के लिये प्रवृत्त हो जाता है। कार्य-अकार्य का निर्णय करना जिस (व्यवसायात्मिक) बुद्धिन्द्रिय का व्यापार है, वह स्वस्थ और शांत हो, तो मन में निरर्थक अन्य वासनाएँ (बुद्धि) उत्पन्न नहीं होने पाती और मन भी विगडने नहीं पाता। अतएव गीता (२.४१) में कर्मयोग-शास्त्र का प्रथम सिद्धान्त यह है, कि पहले व्यवसायात्मिक बुद्धि को शुद्ध और स्थिर रखना चाहिये। केवल गीता ही में नहीं, किन्तु कान्टने भी बुद्धि के इसी प्रकार दो भेद किये हैं; और शुद्ध अर्थात् व्यवसायात्मिक बुद्धि के एव व्यावहारिक अर्थात् वासनात्मक बुद्धि के व्यापारों का विवेचन दो स्वतन्त्र ग्रंथों में किया है। वस्तुतः देखने से तो यही प्रतीत होता है, कि व्यवसायात्मिक बुद्धि को स्थिर करना पातजल योगशास्त्र ही का विषय है, कर्मयोगशास्त्र का नहीं। किन्तु गीता का सिद्धान्त है, कि कर्म का विचार करते समय उसके परिणाम की ओर ध्यान दे कर पहले सिर्फ यही देखना चाहिये, कि कर्म करनेवाले की वासना अर्थात् वासनात्मक बुद्धि कैसी है (गी २.४९)। और इस प्रकार जब वासना के विषय में विचार किया जाता है, तब प्रतीत होता है, कि जिसकी व्यवसायात्मिक बुद्धि स्थिर और शुद्ध नहीं रहती, उसके मन में वासनाओं की भिन्न भिन्न तरंगें उत्पन्न हुआ करती हैं। और इसी कारण कहा नहीं जा सकता, कि वे वासनाएँ सदैव शुद्ध और पवित्र ही होंगी (गीता २.४१)। जब कि वासनाएँ ही शुद्ध नहीं हैं, तब आगे कर्म भी शुद्ध कैसे हो सकता है? इसी लिये कर्मयोग में भी - व्यवसायात्मिक बुद्धि को शुद्ध करने के लिये - साधनों अथवा उपायों का विस्तारपूर्वक विचार करने की आवश्यकता होती है, और इसी कारण भगवद्गीता के छोटे अध्याय में बुद्धि को शुद्ध करने के लिये एक साधन के तौर पर पातजलयोग का विवेचन किया गया है। परंतु इस सबध पर ध्यान न दे कर कुछ सांप्रदायिक टीकाकारों ने गीता का यह तात्पर्य निकाला है, कि गीता में केवल पातजलयोग का ही प्रतिपादन किया गया है। अब पाठकों के ध्यान में यह बात आ जायगी, कि गीताशास्त्र में 'बुद्धि' शब्द के उपर्युक्त दोनों अर्थों पर और उन अर्थों के परस्पर सबध पर ध्यान रखना कितने महत्त्व का है।

इस बात का वर्णन हो चुका, कि मनुष्य के अतः करण के व्यापार किस प्रकार हुआ करते हैं; तथा उन व्यापारों को देखते हुए मन और बुद्धि के कार्य कौन कौनसे हैं, तथा बुद्धि शब्द के कितने अर्थ होते हैं। अब मन और व्यवसायात्मिक बुद्धि को इस प्रकार पृथक् कर देने पर देखना चाहिये, कि सदसद्विवेक-देवता का यथार्थ रूप क्या है? इस देवता का काम सिर्फ भले-बुरे का चुनाव करना है। अतएव इसका

* कान्ट ने व्यवसायात्मिक बुद्धि को Pure Reason और वासनात्मक बुद्धि को Practical Reason कहा है।

समावेश 'मन' में नहीं किया जा सकता; और किसी भी बात का विचार करके निर्णय करनेवाली व्यवसायात्मिक बुद्धि केवल एक ही है; इसलिये सदसद्विवेकरूप 'देवता' के लिये कोई स्वतन्त्र स्थान नहीं रह जाता। हाँ, इसमें सदेह नहीं, कि जिन बातों का या विषयों का मार-असार-विचार करके निर्णय करना पड़ता है, वे अनेक और भिन्न भिन्न देवता हो सकते हैं। जैसे व्यापार, लड़ाई, फौजदारी या दीवानी मुकदमे, साहुकारी, कृषि आदि अनेक व्यवसायों में हर मीकें पर मार-असार-विवेक करना पड़ता है। परन्तु इतने ही से यह नहीं कहा जा सकता, कि व्यवसायात्मिक बुद्धियाँ भी भिन्न भिन्न अथवा कई प्रकार की होती हैं। मार-असार-विवेक नाम की त्रिया सर्वत्र एक ही सी है; और इसी कारण विवेक अथवा निर्णय करनेवाली बुद्धि भी एक होनी चाहिये। परन्तु मन के मद्दश बुद्धि भी शरीर का धर्म है। अतएव पूर्वकर्म के अनुसार—पूर्वपरपरागत या आनुपगिक सम्कारों के कारण, अथवा शिक्षा आदि अन्य कारणों से—यह बुद्धि कम या अधिक सात्त्विकी, राजसी या तामसी हो सकती है। यही कारण है, कि जो बात किसी एक की बुद्धि में ग्राह्य प्रतीत होती है वही दूसरे की बुद्धि में अग्राह्य जँचती है। इतने ही में यह नहीं समझ लेना चाहिये, कि बुद्धि नाम की इन्द्रिय ही प्रत्येक समय भिन्न भिन्न रहती है। आँख ही का उदाहरण लीजिये। किमी की आँखे तिरछी रहती हैं, तो किसी की मही और किमी की कानी, किसी की दृष्टि मंद और किसी की साफ रहती है। इसमें हम यह कमी नहीं कहते, कि नेत्रेन्द्रिय एक नहीं, अनेक है। यही न्याय बुद्धि के विषय में भी उपयुक्त होना चाहिये। जिस बुद्धि से चावल अथवा गेहूँ जाने जाते हैं; जिस बुद्धि से पत्थर और हीरे का भेद जाना जाता है; जिस बुद्धि में काले-गोरे वा मीठे-कटवे का ज्ञान होता है; वही इन सब बातों के तारतम्य का विचार करके अंतिम निर्णय भी किया करती है, कि भय किममें है, और किसमें नहीं; धर्म अथवा अधर्म और कार्य अथवा अकार्य में क्या भेद है, इत्यादि। साधारण व्यवहार में 'मनोदेवता' कह कर उमका चाहे जितना गौरव किया जाय, तथापि तत्त्वज्ञान की दृष्टि से वह एक ही व्यवसायात्मिक बुद्धि है। इसी अभिप्राय की ओर ध्यान दे कर गीता के अठारहवें अध्याय में एक ही बुद्धि के तीन भेद (सात्त्विक, राजस और तामस) करके भगवान ने अर्जुन को पहले यह बतलाया है कि।—

प्रवृत्ति च निवृत्ति च कार्याकार्ये भयामये ।

चन्द्रं भोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्य सात्त्विकी ॥

अर्थात् " सात्त्विक बुद्धि वह है, कि जिसे इन बातों का यथार्थ ज्ञान है :— कौन-सा काम करना चाहिये और कौन-सा नहीं, कौन-सा काम करने योग्य है और कौन-सा अयोग्य, किन वान में डरना चाहिये और किन वान से नहीं, किममें वधन है और किममें मोक्ष " (गीता १८. ३०)। इसके बाद यह बतलाया है कि—

यया धर्ममधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च ।

अपयावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्यं राजसी ॥

अर्थात् “ धर्मं और अधर्मं, अथवा कार्यं और अकार्यं का यथार्थं निर्णय जो बुद्धि नहीं कर सकती, यानी जो बुद्धि हमेशा भूल किया करती है, वह राजसी है ” (१८. ३१) । और अन्त मे कहा है कि :-

अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता ।

सर्वार्थान्विपरीतांश्च बुद्धिः मा पार्यं तामसो ॥

अर्थात् “ अधर्मं को ही धर्म माननेवाली, अथवा सब बातों का विपरीत या उलटा निर्णय करनेवाली बुद्धि तामसी कहलाती है ” (गी. १८. ३२) । इस विवेचन से स्पष्ट हो जाता है, कि केवल भले-बुरे का निर्णय करनेवाली, अर्थात् सदसद्विवेक बुद्धिरूप स्वतन्त्र और भिन्न देवता गीता को सम्मत नहीं है । उसका अर्थ यह नहीं है, कि सदैव ठीक निर्णय करनेवाली बुद्धि हो ही नहीं सकती । उपर्युक्त श्लोको का भावार्थ यही है, कि बुद्धि एक ही है, कि ; और ठीक ठीक निर्णय करने का सात्त्विक गुण इसी एक बुद्धि में पूर्वसंस्कारों के कारण शिक्षा से तथा इन्द्रियनिग्रह अथवा आहार आदि के कारण उत्पन्न हो जाता है; और इन् पूर्वसंस्कार-प्रभृति कारणों के अभाव से ही - वह बुद्धि जैसे कार्य-अकार्य-निर्णय के विषय में वैसे ही अन्य दूसरी बातों में भी - राजसी अथवा तामसी हो सकती है । इस सिद्धान्त की सहायता से भली भाँति मालूम हो जाता है, कि चोर और साहू की बुद्धि में, तथा भिन्न भिन्न देशों के मनुष्यों की बुद्धि में भिन्नता क्यों हुआ करती है । परन्तु जब हम सदसद्विवेचन-शक्ति को स्वतन्त्र देवता मानते हैं, तब उक्त विषय की उपपत्ति ठीक ठीक सिद्ध नहीं होती । प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है, कि वह अपनी बुद्धि को सात्त्विक बनावे । यह काम इन्द्रियनिग्रह के बिना हो नहीं सकता । तब तक व्यवसायात्मिक बुद्धि यह जानने में समर्थ नहीं है, कि मनुष्य का हित किस बात में है; और जब तक वह उस बात का निर्णय या परीक्षा किये बिना ही इन्द्रियों की इच्छानुसार आचरण करती रहती है, तब तक वह बुद्धि ‘शुद्ध’ नहीं कही जा सकती । अतएव बुद्धि को मन और इन्द्रियों के आधीन नहीं होने देना चाहिये । किन्तु ऐसा उपाय करना चाहिये, कि जिससे मन और इन्द्रियाँ बुद्धि के आधीन रहे । भगवद्गीता (२. ६७, ६८; ३. ६, ४१; ६. २४-२६) में यही सिद्धान्त अनेक स्थानों में बतलाया गया है; और यही कारण है, कि कठोपनिषद् में शरीर को रथ की उपमा दी गई है; तथा यह रूपक बाँधा गया है, कि उस शरीररूपी रथ में जुते हुए इन्द्रियरूपी घोड़ों को विषयोपभोग के मर्ग में आच्छी तरह चलाने के लिये (व्यवसायात्मिक) बुद्धिरूपी सारथी को मनोमय लगाम धीरता से खींचे रहना चाहिये (कठ. ३. ३-९) । महाभारत (वन. २१०. २५; स्त्री. ७. १३; अश्व.

५१. ५) में भी वही रूपक दो-तीन स्थानों में कुछ हेरफेर के साथ लिया गया है। इन्द्रियनिग्रह के इस कार्य का वर्णन करने के लिये उक्त दृष्टान्त इतना अच्छा है, कि ग्रीस के प्रसिद्ध तत्त्ववेत्ता प्लेटो ने भी इन्द्रियनिग्रह का वर्णन करते समय इसी रूपक का उपयोग अपने ग्रन्थ में किया है (फिडस. २४६)। भगवद्गीता में, यह दृष्टान्त प्रत्यक्ष रूप से नहीं पाया जाता। तथापि इस विषय के सन्दर्भ की ओर जो ध्यान देगा, उसे यह बात अवश्य मालूम हो जायगी, कि गीता के उपर्युक्त श्लोको में इन्द्रियनिग्रह का वर्णन इस दृष्टान्त को लक्ष्य करके ही किया गया है। सामान्यतः अर्थात् जब शास्त्रीय सूक्ष्म भेद करने की आवश्यकता नहीं होती तब, उसी को मनोनिग्रह भी कहते हैं। परन्तु जब 'मन' और 'बुद्धि' में — जैसा कि ऊपर कह आये हैं — भेद किया जाता है, तब निग्रह करने का कार्य मन को नहीं, किन्तु व्यवसायात्मिक बुद्धि को ही करना पड़ता है। इस व्यवसायात्मिक बुद्धि को शुद्ध करने के लिये — पातजल-योग की समाधि से, भक्ति से, ज्ञान से अथवा ध्यान से परमेश्वर के यथार्थ स्वरूप को पहचान कर — यह तत्त्व पूर्णतया बुद्धि में भिन्न जाना चाहिये, कि "सर्व प्राणियों में एक ही आत्मा है।" इसी को आत्मनिष्ठ बुद्धि कहते हैं। इस प्रकार जब व्यवसायात्मिक बुद्धि आत्मनिष्ठ हो जाती है और मनोनिग्रह की सहायता से मन और इन्द्रियाँ उसकी अधीनता में रह कर आज्ञानुसार आचरण करना सीख जाती हैं, तब इच्छा, वासना आदि मनोधर्म (अर्थात् वासनात्मक बुद्धि) आप-ही-आप शुद्ध और पवित्र हो जाते हैं; और शुद्ध सात्त्विक कर्मों की ओर देहेन्द्रियों की सहज ही प्रवृत्ति होने लगती है। अध्यात्म दृष्टि से यही सब सदाचरणों की जड़ अर्थात् कर्मयोगशास्त्र का रहस्य है।

ऊपर किये गये विवेचन से पाठक समझ जावेगे, कि हमारे शास्त्रकारों ने मन और बुद्धि की स्वाभाविक वृत्तियों के अतिरिक्त सदसद्विवेक-शक्तिरूप स्वतंत्र देवता का अस्तित्व क्यों नहीं माना है। उनके मतानुसार भी मन या बुद्धि का गौरव करने के लिये उन्हें 'देवता' कहने में कोई हर्ज नहीं है; परन्तु सात्त्विक दृष्टि से विचार करके उन्होंने निश्चित सिद्धान्त किया है, कि जिसे हम मन या बुद्धि कहते हैं, उससे भिन्न और स्वयम्भू 'सदसद्विवेक' नामक किसी तीसरे देवता का अस्तित्व हो ही नहीं सकता। "सता हि सन्देहपदेपु०" वचन के 'सता' पद की उपयुक्तता और महत्ता भी अब भली भाँति प्रकट हो जाती है। जिनके मन शुद्ध और आत्मनिष्ठ है, वे यदि अपने अन्न-करण की गवाही ले, तो कोई अनुचित बात न होगी; अथवा यह भी कहा जा सकता है, कि किसी काम को करने के पहले उनके लिये यही उचित है, कि वे अपने मन को अच्छी तरह शुद्ध करके उसी की गवाही लिया करें। परन्तु यदि कोई चोर कहने लगे, कि "मैं भी इसी प्रकार आचरण करता हूँ" तो यह कदापि उचित न होगा। क्योंकि, दोनों की सदसद्विवेक-शक्ति एक ही सी नहीं होती। मत्सुर्यों की बुद्धि सात्त्विक और चोरों की तामसी होती है। साराण, आधिदैवत

पक्षवालो का 'सदसद्विवेक-देवता' तत्त्वज्ञान की दृष्टि से स्वतन्त्र देवता सिद्ध नहीं होता; किन्तु हमारे शास्त्रकारों का सिद्धान्त है, कि वह तो व्यवसायात्मिक बुद्धि के स्वरूपों ही में से एक आत्मनिष्ठ अर्थात् सात्त्विक स्वरूप है। और जब यह सिद्धान्त स्थिर हो जाता है, तब आधिदैवत पक्ष अपने आप ही कमजोर हो जाता है।

जब सिद्ध हो गया, कि आधिभौतिक-पक्ष एकदेशीय तथा अपूर्ण है; और आधिदैवत पक्ष की सहूल युक्ति भी किसी काम की नहीं, तब यह जानना आवश्यक है, कि कर्मयोगशास्त्र की उपपत्ति ढूढने के लिये कोई अन्य मार्ग है या नहीं। और उत्तर भी यह मिलता है, कि हाँ, मार्ग है; और उसी को आध्यात्मिक कहते हैं। इसका कारण यह है, कि यद्यपि बाह्य-कर्मों की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ है, तथापि जब सदसद्विवेकबुद्धि नामक स्वतन्त्र और स्वयम्भू देवता का अस्तित्व सिद्ध नहीं हो सकता, तब कर्मयोगशास्त्र में भी इन प्रश्नों का विचार करना आवश्यक हो जाता है, कि शुद्ध कर्म करने के लिये बुद्धि को किस प्रकार शुद्ध रखना चाहिये, शुद्ध बुद्धि किसे कहते हैं; अथवा बुद्धि किस प्रकार शुद्ध की जा सकती है। और यह विचार केवल बाह्य-सृष्टि का विचार करनेवाले आधिभौतिकशास्त्रों को छोड़े बिना तथा अध्यात्मज्ञान में प्रवेश किये बिना पूर्ण नहीं हो सकता। इस विषय में हमारे शास्त्रकारों का अन्तिम सिद्धान्त यही है, कि जिस बुद्धि को आत्मा का अथवा परमेश्वर के सर्व-व्यापी यथार्थ स्वरूप का पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ है, वह बुद्धि शुद्ध नहीं है। गीता में अध्यात्मशास्त्र का निरूपण यही बतलाने के लिये किया गया है, कि आत्मनिष्ठ बुद्धि किसे कहना चाहिये। परन्तु इस पूर्वापर-सम्बन्ध की ओर ध्यान न दे कर, गीता के कुछ साम्प्रदायिक टीकाकारों ने यह निश्चय किया है, कि गीता में मुख्य प्रतिपाद्य वेदान्त ही है। आगे चल कर यह बात विस्तारपूर्वक बतलाई जायगी, कि गीता में प्रतिपादन किये गये विषय के सम्बन्ध में उक्त टीकाकारों का किया हुआ निर्णय ठीक नहीं है। यहाँ पर सिर्फ यही बतलाया है, कि बुद्धि को शुद्ध रखने के लिये आत्मा का भी अवश्य विचार करना पडता है। आत्मा के विषय में यह विचार दो प्रकार किया जाता है —

(१) स्वयं अपने पिण्ड, क्षेत्र अथवा शरीर के और मन के व्यापारों का निरीक्षण करके यह विचार करना, कि उस निरीक्षण से क्षेत्ररूपी आत्मा कैसे उत्पन्न होता है (गी. अ. १३)। इसी को शारीरिक अथवा क्षेत्रक्षेत्रज्ञविचार कहते हैं, और इसी कारण वेदान्तसूत्रों को शारीरिक (शरीर का विचार करनेवाले) सूत्र कहते हैं। स्वयं अपने अपने शरीर और मन का इस प्रकार विचार होने पर, (२) जानना चाहिये, कि उस विचार से निष्पन्न होनेवाला तत्त्व — और हमारे चारों ओर की दृश्यसृष्टि अर्थात् ब्रह्माण्ड के निरीक्षण से निष्पन्न होनेवाला तत्त्व — दोनों एक ही हैं अथवा भिन्न भिन्न हैं। इस प्रकार किये गये दृष्टि के निरीक्षण को क्षर-अक्षर-विचार अथवा व्यक्त-अव्यक्त विचार कहते हैं। सृष्टि के सब नाशवान् पदार्थों को 'क्षर' या 'व्यक्त' कहते हैं; और सृष्टि के उन नाशवान् पदार्थों में जो सारभूत नित्यतत्त्व है, उसे 'अक्षर' या 'अव्यक्त'

पृथक् पृथक् व्यापार हुआ करते हैं, इनका एकत्र ज्ञान होनेके लिये जो एकता करनी पड़ती है, वह एकता या एकीकरण कौन करता है; तथा उसी के अनुसार आगे सब इन्द्रियो को अपना अपना व्यापार तदनुकूल करने की दिशा कौन दिखाता है? यह नहीं कहा जा सकता, कि यह सब काम मनुष्य का जड़ शरीर ही किया करता है। इसका कारण यह है, कि जब शरीर की चेतना अथवा सब हलचल करने के व्यापार नष्ट हो जाते हैं, तब जड़ शरीर के बने रहने पर भी वह इन कामों को नहीं कर सकता; और जड़ शरीर के घटकावयव जैसे मांस, स्नायु इत्यादि तो अन्न के परिणाम हैं, तथा वे हमेशा जीर्ण हो कर नये हो जाया करते हैं। इसलिये, “कल जो मैंने अनुक एक बात देखी थी, वही मैं आज दूसरी देख रहा हूँ” इस प्रकार की एकत्व-बुद्धि के विषय में यह नहीं कहा जा सकता, कि वह नित्य बदलनेवाले जड़ शरीर का ही धर्म है। अच्छा; अब जब देह छोड़ कर चेतना को ही स्वामी माने, तो यह आपत्ति दीख पड़ती है, कि गाढ निद्रा में प्राणादि वायु के श्वासोच्छ्वास प्रभृति व्यापार अथवा रुधिराभिसरण आदि व्यापार — अर्थात् चेतना — के रहते हुए भी, ‘मैं’ का ज्ञान नहीं रहता (वृ. २. १. १५-१८) अतएव यह सिद्ध होता है, कि चेतना — अथवा प्राण प्रभृति का व्यापार — भी जड़ पदार्थ में उत्पन्न होनेवाला एक प्रकार का विशिष्ट गुण है। वह इन्द्रियो के सब व्यापारों की एकता करनेवाली मूलशक्ति या स्वामी नहीं है (कठ. ५. ५)। ‘मेरा’ और ‘तेरा’ इन सम्बन्धकारक शब्दों से केवल अहंकाररूपी गुण का बोध होता है, परन्तु इस बात का निर्णय नहीं होता, कि ‘अहं’ अर्थात् ‘मैं’ कौन हूँ। यदि इस ‘मैं’ या ‘अहं’ को केवल भ्रम मान ले, तो प्रत्येक वी प्रतीति अथवा अनुभव वैसा नहीं है; और इस अनुभव को छोड़ कर किसी अन्य बात की कल्पना करना मानो श्रीसमर्थ रामदास स्वामी के निम्न वचनों की सार्यरूता ही कर दिया है — “प्रतीति के बिना कोई भी कथन अच्छा नहीं लगता। वह कथन ऐसा होता है, जैसे कुत्ता मुंह फैला कर रो गया हो!” (दा. ९. ५. १५)। अनुभवके विपरीत इस बात को मान लेने पर भी इन्द्रियो के व्यापारों की एकता की उपपत्ति का कुछ भी पता नहीं लगता। कुछ लोगों की राय है, कि ‘मैं’ कोई भिन्न पदार्थ नहीं है, ‘क्षेत्र’ शब्द में जिन — मन, बुद्धि, चेतना, जड़ देह आदि — तत्त्वों का समावेश किया जाता है, उन सब के सघात या समुच्चय को ही ‘मैं’ कहना चाहिये। अब यह बात हम प्रत्यक्ष देखा करते हैं, कि लकड़ी पर लकड़ी रख देने से ही सन्दूक नहीं बन जाती; अथवा किसी घड़ी के सब कील-पुजों को एक स्थान में रख देने से ही उसमें गति उत्पन्न नहीं हो जाती। अतएव यह नहीं कहा जा सकता, कि केवल सघात या समुच्चय से ही बर्तृत्व उत्पन्न होता है। कहने की आवश्यकता नहीं, कि क्षेत्र के सब व्यापार सीढ़ी सरीखे नहीं होते। किन्तु उनमें कोई विशिष्ट दिशा, उद्देश या हेतु रहता है। तो फिर क्षेत्ररूपी कारखाने में काम करनेवाले मन, बुद्धि आदि सब नौकरों को इस विशिष्ट दिशा या उद्देश की ओर कौन प्रवृत्त

करता है? सघात का अर्थ केवल समूह है। कुछ पदार्थों को एकत्र करके उनका एक समूह बन जाने पर भी विलग न होने के लिये उनमें धागा डालना पड़ता है। नहीं तो वे फिर कभी-न-कभी अलग अलग हो जायेंगे। अब हमें सोचना चाहिये, कि यह धागा कौनसा है? यह बात नहीं है, कि गीता को सघात मान्य न हो; परन्तु उसकी गणना क्षेत्र ही में की जाती है (गी. १३. ६)। सघात से इस बात का निर्णय नहीं होता, कि क्षेत्र का स्वामी अर्थात् क्षेत्रज्ञ कौन है। कुछ लोक समझते हैं, कि समुच्चय में कोई नया गुण उत्पन्न हो जाता है। परन्तु पहले तो यह मत ही सत्य नहीं; क्योंकि तत्त्वज्ञों ने पूर्ण विचार करके सिद्धान्त कर दिया है, कि जो पहले किसी भी रूप से अस्तित्व में नहीं था, वह इस जगत् में नया उत्पन्न नहीं होता (गी. २. १६)। यदि हम इस सिद्धान्त को क्षण भर लिये एक ओर धर दें, तो भी यह प्रश्न सहज ही उपस्थित हो जाता है, कि सघात में उत्पन्न होनेवाला यह नया गुण ही क्षेत्र का स्वामी क्यों न माना जाय। इस पर कई अर्वाचीन आधिभौतिकशास्त्रज्ञों का कथन है, की द्रव्य और उसके गुण भिन्न भिन्न नहीं रह सकते; गुण के लिये किसी-न-किसी अधिष्ठान की आवश्यकता होती है। इसी कारण समुच्चयोत्पन्न गुण के बदले लोक समुच्चय ही को उस क्षेत्र का स्वामी मानते हैं। ठीक है; परन्तु व्यवहार में भी 'अग्नि' शब्द के बदले लकड़ी, 'विद्युत्' के बदले मेघ, अथवा पृथ्वी की 'आकर्षण-शक्ति' के बदले पृथ्वी ही क्यों नहीं कहा जाता? यदि यह बात निर्विवाद सिद्ध है, कि क्षेत्र के सब व्यापार व्यवस्थापूर्वक उचित रीति से मिल-जुल कर चलते रहने के लिये - मन और बुद्धि के सिवा - किसी भिन्न शक्ति का अस्तित्व अत्यन्त आवश्यक है। और यदि यह बात सच हो, कि उस शक्ति का अधिष्ठान अब तक हमारे लिये अगम्य है; अथवा उस शक्ति या अधिष्ठान का पूर्ण-स्वरूप ठीक ठीक नहीं बतलाया जा सकता है; तो यह कहना न्यायोचित कैसे हो सकता है, कि वह शक्ति ही ही नहीं। जैसे कोई भी मनुष्य अपने ही कंधे पर बैठ नहीं सकता, वैसे ही यह भी नहीं कहा जा सकता, कि सघातसम्बन्धी ज्ञान स्वयं सघात ही प्राप्त कर लेता है। अतएव तर्कों की दृष्टि से भी यही दृढ़ अनुमान किया जाता है, कि देहेन्द्रिय आदि सघात के व्यापार जिसके उपभोग के लिये अथवा लोभ हुआ के लिये हैं, वह सघात से भिन्न ही है। यह तत्त्व - जो कि सघात से भिन्न है - स्वयं सब बातों को जानता है। इसलिये यह बात सच है, कि सृष्टि के अन्य पदार्थों के सदृश यह स्वयं अपने ही लिये 'ज्ञेय' अर्थात् गोचर हो नहीं सकता। परन्तु इसके अस्तित्व में कुछ बाधा नहीं पड़ सकती। क्योंकि यह नियम नहीं है, कि सब पदार्थों को एक ही श्रेणी या वर्ग (जैसे ज्ञेय) में शामिल कर देना चाहिये। सब पदार्थों के वर्ग या विभाग होते हैं; जैसे ज्ञाता और ज्ञेय - अर्थात् जाननेवाला और जानने की वस्तु। और जब कोई वस्तु दूसरे वर्ग (ज्ञेय) में शामिल नहीं होती, तब उसका समावेश

कहते हैं (गी. ८. २१; १५. १६); क्षेत्रक्षेत्रज्ञविचार और धर-अक्षर-विचार से प्राप्त होनेवाले इन दोनों तत्त्वों का फिर से विचार करने पर प्रकट होता है, कि ये दोनों तत्त्व जिससे निष्पन्न हुए हैं और इन दोनों के परे जो सब का मूलभूत एकतत्त्व है, उमी को 'परमात्मा' अथवा 'पुरुषोत्तम' कहते हैं (गी. ८. २०)। इन बातों का विचार भगवद्-गीता में किया गया है; और अन्त में कर्मयोगशास्त्र की उपपत्तिवत् लाने के लिये यह दिखलाया गया है, कि मूलभूत परमात्मरूपी तत्त्व के ज्ञान से बुद्धि किस प्रकार शुद्ध हो जाती है। अतएव उम उपपत्ति को अच्छी तरह ममज्ञ लेने के लिये हमें भी उन्ही मार्गों का अनुकरण करना चाहिये। इन मार्गों में से ब्रह्माण्ड-ज्ञान अथवा धर-अक्षर-विचार का विवेचन अगले प्रकरण में किया जायगा। इस प्रकरण में, मदमद्विवेक-देवता के यथार्थ स्वरूप का निर्णय करने के लिये, पिण्ड-ज्ञान अथवा क्षेत्रक्षेत्रज्ञ का जो विवेचन आरम्भ किया गया वह अधूरा ही रह गया है। इस लिये अब उमे पूरा कर लेना चाहिये।

पाँचभौतिक स्थूल देह, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, इन ज्ञानेन्द्रियों के शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गन्धात्मक पाँच विषय, संकल्प-विकल्पात्मक मन और व्यवसायात्मिक बुद्धि — इन सब विषयों का विवेचन हो चुका। परन्तु, इतने ही में शरीरमन्वन्धी विचार की पूर्णता हो नहीं जाती। मन और बुद्धि केवल विचार के साधन अथवा इन्द्रियाँ हैं। यदि उम जड शरीर में इनके अतिरिक्त प्राणरूपी चेतना अर्थात् हलचल न हो, तो मन और बुद्धि का होना न होना बराबर ही — अर्थात् किसी काम का नहीं — समझा जायगा। अर्थात्, शरीर में उपर्युक्त बातों के अतिरिक्त चेतना नामक एक और तत्त्व का भी समावेश होना चाहिये। कमी कमी 'चेतना' शब्द का अर्थ 'चेतन्य' नहीं माना गया है; वरन् "जड देह में दृग्गोचर होनेवाली प्राणों की हलचल चेष्टा या जीवितावस्था का व्यवहार" सिर्फ यही अर्थ विवक्षित है। जिसका हित-शक्ति के द्वारा जट पदार्थों में भी हलचल अथवा व्यापार उत्पन्न हुआ करता है, उमको चेतन्य कहते हैं; और अब इसी शक्ति के विषय में विचार करना है। शरीर में दृग्गोचर होनेवाले मजीवना के व्यापार अथवा चेतना के अतिरिक्त जिनके कारण 'भिरा-त्वेग' यह भेद उत्पन्न होता है, वह भी एक भिन्न गुण है। उमका कारण यह है, कि उपर्युक्त विवेचन के अनुसार बुद्धि मार-अमार का विचार करके केवल निर्णय करनेवाली एक इन्द्रिय है; अतएव 'भिरा-नेरा' इस भेद-भाव के मूल को अर्थात् अहंकार को उम बुद्धि ने पृथक् ही मानना पड़ता है। दृच्छा-द्वेष, सुख-दुःख आदि द्वन्द्व मन ही के गुण हैं। परन्तु नैमायिक इन्हें आत्मा के गुण ममज्ञते हैं। इसी लिये इस ग्रन्थ को हटाने के अर्थ वेदान्तशास्त्र ने इसका समावेश मन ही में किया है। इसी प्रकार जिन मूलतत्त्वों में पंचमहाभूत उत्पन्न हुए हैं, उन प्रवृत्तिरूप तन्वों का भी समावेश शरीर ही में किया जाता है (गी. १३. ५, ६)। जिन शक्ति के द्वारा ये तत्त्व स्थिर रहते हैं, वह भी इन सब से न्यारी है। उमे घृति कहते हैं (गी. १८. ३३)। इन सब बातों को एकत्र करने से जो समुच्चय-रूपी पदार्थ बनता है,

उसे शास्त्रों में सविकार शरीर अथवा क्षेत्र कहा है; और व्यवहार में इसे चलता-फिरता (सविकार) मनुष्य शरीर अथवा पिण्ड कहते हैं। क्षेत्र शब्द की यह व्याख्या गीता के आधार पर की गई है; परन्तु इच्छा-द्वेष आदि गुणों की गणना करते समय कभी इस व्याख्या में कुछ हेरफेर भी कर दिया जाता है। उदाहरणार्थ, शान्ति-पर्व के जनक-मुलभा-संवाद (शां. ३२०) में शरीर की व्याख्या करते समय पंचकर्मेन्द्रियों के बदले काल, सदसद्भाव, विधि, शुक्र और बल का समावेश किया गया है। इस गणना के अनुसार पंचकर्मेन्द्रियों को पंचमहाभूतो ही में शामिल करना पड़ता है; और यह मानना पड़ता है, कि गीता की गणना के अनुसार काल का अन्तर्भाव आकाश में और विधि-बल आदिकों का अन्तर्भाव अन्य महाभूतों में किया गया है। कुछ भी हो; इसमें सन्देह नहीं, कि क्षेत्र शब्द से सब लोगो को एक ही अर्थ अभिप्रेत है। अर्थात्, मानसिक और शारीरिक सब द्रव्यों और गुणों का प्राणरूपी विशिष्ट चेतनायुक्त जो समुदाय है, उसी को क्षेत्र कहते हैं। शरीर शब्द का उपयोग मृत देह के लिये भी किया जाता है। अतएव उस विषय का विचार करते समय 'क्षेत्र' शब्द ही का अधिक उपयोग किया जाता है। क्योंकि यह शरीर शब्द से भिन्न है। 'क्षेत्र' का मूल अर्थ खेत है; परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में "सविकार और सजीव मनुष्य-देह" के अर्थ में उसका लाक्षणिक उपयोग किया गया है। पहले जिसे हमने 'बड़ा कारखाना' कहा है, वह यही "सविकार और सजीव मनुष्य देह" है। बाहर का माल भीतर लेने के लिये और कारखाने के भीतर का माल बाहर भेजने के लिये, ज्ञानेन्द्रियाँ उस कारखाने के यथा-क्रम द्वार हैं; और मन, बुद्धि, अहंकार एवं चेतना उस कारखाने में काम करनेवाले नौकर हैं। ये नौकर जो कुछ व्यवहार कराते हैं या करने हैं, उन्हें इस क्षेत्र के व्यापार, विकार अथवा कर्म कहते हैं।

इस प्रकार 'क्षेत्र' शब्द का अर्थ निश्चित हो जाने पर यह प्रश्न सहज ही उठता है, कि यह क्षेत्र अथवा खेत है किसका? कारखाने का कोई स्वामी भी है या नहीं? आत्मा शब्द का उपयोग बहुधा मन, अन्तःकरण तथा स्वयं अपने लिये भी किया जाता है। परन्तु उसका प्रधान अर्थ 'क्षेत्रज्ञ' अथवा "शरीर का स्वामी" ही है। मनुष्य के जितने व्यापार हुआ करते हैं — चाहे वे मानसिक हों या शारीरिक — वे सब उसकी बुद्धि आदि अन्तरिन्द्रियाँ, चक्षु आदि ज्ञानेन्द्रियाँ, तथा हस्त-पाद आदि कर्मेन्द्रियाँ ही किया करती हैं। इन्द्रियों के इस समूह में बुद्धि और मन सब से श्रेष्ठ है। परन्तु, यद्यपि वे श्रेष्ठ हैं, तथापि अन्य इन्द्रियों के समान वे भी अन्त में जड़ देह वा प्रकृति के ही विकार हैं (अगला प्रकरण देखो) अतएव, यद्यपि मन और बुद्धि समश्रेष्ठ हैं, तथापि उन्हें अपने अपने विशिष्ट व्यापार के अतिरिक्त और कुछ करते धरते नहीं बनता; और न कर सकना सभव ही है। यही सच है, कि मन चिंतन करता है और बुद्धि निश्चित करती है। परन्तु इससे यह निश्चित नहीं होता कि इन कामों को बुद्धि और मन किन के लिये-करते हैं; अथवा भिन्न भिन्न समय पर मन और बुद्धि के

पहले वर्ग (ज्ञाता) में हो जाता है । एवं उसका अस्तित्व भी ज्ञेय वस्तु के समान ही पूर्णतया सिद्ध होता है । इतना नहीं; किन्तु यह भी कहा जा सकता है, कि संघात के परे जो आत्मतत्त्व है, वह स्वयं ज्ञाता है । इसलिये उमको होनेवाले ज्ञान का यदि वह स्वयं विषय न हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है । इसी अभिप्राय से बृहदारण्यकोपनिषद् में याज्ञवल्क्य ने कहा है, “ अरे ! जो सब बातों को जानता है, उसको जाननेवाला दूसरा कहाँ से आ सकता है ? ” — विज्ञातारमरे केन विजानीयात् (वृ. २. ४. १४) । अतएव, अन्त में यही सिद्धान्त कहना पड़ता है, कि इस चेतनाविशिष्ट सजीव शरीर (क्षेत्र) में एक ऐसी शक्ति रहती है, जो हाय-पर आदि इन्द्रियो से लेकर प्राण, चेतना, मन और बुद्धि जैसे परतन्त्र एवं एकदेशीय नीकरो के भी परे है, जो उन सब के व्यापारों की एकता करती है, और उनके कार्यों की दिशा बतलाती है; अथवा जो उनके कर्मों की नित्य साक्षी रह कर उनसे भिन्न, अधिक व्यापक और समर्थ है । माध्य और वेदान्तशास्त्रों को यह सिद्धान्त मान्य है; और अर्वाचीन समय में जर्मन तत्त्वज्ञ कान्ट ने भी कहा है, कि बुद्धि के व्यापारों का सूक्ष्म निरीक्षण करने से यही तत्त्व निष्पन्न होता है । मन, बुद्धि, अहंकार और चेतना, ये सब शरीर के अर्थात् क्षेत्र के गुण अथवा अवयव हैं । इनका प्रवर्तक हममें भिन्न, स्वतन्त्र और उनके परे है — “ यो बृद्धेः परतस्तु सः ” (गी. ३. ४२) । साध्यशास्त्र में इसी का नाम पुरुष है । वेदान्ती इसी को क्षेत्रज्ञ अर्थात् क्षेत्र को जाननेवाला आत्मा कहते हैं । “ मैं हूँ ” यह प्रत्येक मनुष्य को होनेवाली प्रतीति ही आत्मा के अस्तित्व का सर्वोत्तम प्रमाण है (वे. सू. शा. भा. ३. ३. ५३, ५४) । किसी को यह नहीं मालूम होता, कि “ मैं नहीं हूँ ” ! इतना ही नहीं; किन्तु मुझसे “ मैं नहीं हूँ ” शब्दों का उच्चारण करते समय भी “ नहीं हूँ ” इस क्रियापद के कर्ता का — अर्थात् ‘मैं’ का — अथवा आत्मा का वा ‘अपना’ का अस्तित्व वह प्रत्यक्ष रीति से माना ही करता है । इस प्रकार ‘मैं’ इस अहंकारयुक्त सगुण रूप से शरीर में, स्वयं अपने ही को व्यक्त होनेवाले आत्मतत्त्व के अर्थात् क्षेत्रज्ञ के असली, शुद्ध और गुणविरहित स्वरूप का यथाशक्ति निर्णय करने के लिये वेदान्तशास्त्र की उत्पत्ति हुई है । (गी. १३. ४) । तथापि यह निर्णय केवल शरीर अर्थात् क्षेत्र वा ही विचार कर के नहीं किया जाता । पहले कहा जा चुका है, कि क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ के विचार के अतिरिक्त यह भी मोचना पड़ता है, कि बाह्यमृष्टि (ब्रह्माण्ड) का विचार करने में कौन-सा तत्त्व निष्पन्न होता है । ब्रह्माण्ड के इस विचार वा ही नाम ‘क्षर-अक्षर-विचार’ है । क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ-विचार से इस वान वा निर्णय होना है, कि क्षेत्र में (अर्थात् शरीर या पिण्ड में) कौन-सा मूलतत्त्व (क्षेत्रज्ञ वा आत्मा) है; और क्षर-अक्षर से बाह्य-मृष्टि के अर्थात् ब्रह्माण्ड के मूलतत्त्व वा ज्ञान होना है । जब इस प्रकार पिण्ड और ब्रह्माण्ड के मूल तत्त्वों वा पहले पृथक् पृथक् निर्णय हो जाता है, तब वेदान्त में अन्तिम सिद्धान्त

किया जाता है, कि ये दोनों तत्त्व एकरूप अर्थात् एक ही हैं — यानी “ जो पिण्ड में है, वही ब्रह्माण्ड में है । यही चराचर सृष्टि में अन्तिम सत्य है ” । पश्चिमी देशों में भी इन बातों की चर्चा की गई है; और कान्ट जैसे कुछ पश्चिमी तत्त्वज्ञों के सिद्धान्त हमारे वेदान्तशास्त्र के सिद्धान्तों से बहुत कुछ मिलते-जुलते भी हैं । जब हम इस बात पर ध्यान देते हैं, और जब हम यह भी देखते हैं, कि वर्तमान समय की नाई प्राचीन काल में आधिभौतिक शास्त्र की उत्पत्ति नहीं हुई थी; तब ऐसी अवस्था में जिन लोगों ने वेदान्त के अपूर्व सिद्धान्तों को ढूँढ़ निकाला, उनके अलौकिक बुद्धिवैभव के बारे में आश्चर्य हुए बिना नहीं रहता । और न केवल आश्चर्य ही होना चाहिये, किन्तु उनके बारे में उचित अभिमान भी होना चाहिये ।

* हमारे शास्त्रों के क्षर-अक्षर-विचार और क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ-विचार के वर्गीकरण से ग्रीन साहब परिचित न थे। तथापि, उन्होंने ने अपने *Prolegomena to Ethics* ग्रन्थ के आरम्भ में अध्यात्म का जो विवेचन किया है, उसमें पहले *Spiritual Principal in Nature* और *Spiritual Principal in Man* इन दोनों तत्त्वों का विचार किया है और फिर उनकी एकरूपता दिखाई गई है। क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ-विचार में *Psychology* आदि मानस-शास्त्रों का, और क्षर-अक्षर-विचार में *Physics, Metaphysics* आदि शास्त्रों का समावेश होता है। इस बात को पश्चिमी पण्डित भी मानते हैं, कि उक्त सब शास्त्रों का विचार कर लेने पर ही आत्मस्वरूप का निर्णय करना पड़ता है।

कापिलसाम्यशास्त्र अथवा क्षराक्षरविचार

प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्वचनादी उभावपि । *

गी. १३. १९

पिछले प्रकरण में यह बात बतला दी गई है, कि शरीर और शरीर के स्वामी या अविष्ठाता — क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ — के विचार के साथ ही माय दृश्यमृष्टि और उसके मूलतत्त्व — क्षर और अक्षर — का भी विचार करने के पश्चात् फिर आत्मा के स्वरूप का निर्णय करना पड़ता है । इस क्षर-अक्षर सृष्टि का योग्य गीति से वर्णन करनेवाले तीन शास्त्र हैं । पहला न्यायशास्त्र और दूसरा कापिलमाध्यशास्त्र । परन्तु इन दोनों शास्त्रों के सिद्धान्तों को अपूर्ण ठहरा कर वेदान्तशास्त्र ने ब्रह्म-स्वरूप का निर्णय एक तीमरी ही रीति से किया है । इस कारण वेदान्तप्रतिपादित उपपत्ति का विचार करने के पहले हमें न्याय और साम्यशास्त्रों के सिद्धान्तों पर विचार करना चाहिये । बादरायणाचार्य के वेदान्तसूत्रों में इसी पद्धति में काम लिया गया है; और न्याय तथा माध्य के मतों का दूसरे अध्याय में खण्डन किया गया है । यद्यपि इस विषय का यहाँ पर विस्तृत वर्णन नहीं कर सकते, तथापि हमने उन बातों का उल्लेख इस प्रकरण में और अगले प्रकरण में स्पष्ट कर दिया है, कि जिनकी भगवद्गीता का रहस्य समझने में आवश्यकता है । नैयायिकों के सिद्धान्तों की अपेक्षा साध्यवादियों के सिद्धान्त अधिक महत्त्व के हैं । इसका कारण यह है, कि कणाद के न्यायमतों को किसी भी प्रमुख वेदान्ती ने स्वीकार नहीं किया है, परन्तु कापिलमाध्यशास्त्र के बहुत से सिद्धान्तों का उल्लेख मनु आदि के स्मृतिग्रन्थों में तथा गीता में भी पाया जाता है । वही बात बादरायणाचार्य ने भी (वे. सू. २. १. १२ और २. २. १७) कही है । इस कारण पाठकों को माध्य के सिद्धान्तों का परिचय प्रथम ही होना चाहिये । इस में सन्देह नहीं, कि वेदान्त में साम्यशास्त्र के बहुत से सिद्धान्त पाये जाते हैं, परन्तु स्मरण रहे, कि माध्य और वेदान्त के अन्तिम सिद्धान्त एक दूसरे से बहुत भिन्न हैं । यहाँ एक प्रश्न उपस्थित होता है, कि वेदान्त और माध्य के जो सिद्धान्त आपस में मिलने जुलने हैं उन्हें पहले निम्ने निकाला या — वेदान्तियों ने या साध्यवादियों ने ? परन्तु इस ग्रन्थ में इनमें गहन विचार में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं । इस प्रश्न का उत्तर तीन प्रकार में दिया जा सकता है । पहला यह, कि शायद उपनिषद् (वेदान्त) और माध्य दोनों की वृद्धि, दो मग्रे भाटयों के समान, साथ ही साथ हुई हो; और उपनिषदों में जो सिद्धान्त साध्यों के मतों के समान देखे पड़ते हैं,

* “प्रकृति और पुरुष दोनों को अनादि जानो ।”

उन्हे उपनिषत्कारों ने स्वतंत्र रीति से खोज निकाला हो। दूसरा यह, कि कदाचित् कुछ सिद्धान्त सांख्यशास्त्र से लेकर वेदान्तियो ने उन्हे वेदान्त के अनुकूल स्वरूप दे दिया हो। तीसरा यह कि प्राचीन वेदान्त के सिद्धान्तों में ही कपिलाचार्य ने अपने मत के अनुसार कुछ परिवर्तन और सुधार करके सांख्यशास्त्र की उपपत्ति कर दी हो। इन तीनों में से तीसरी बात ही अधिक विश्वसनीय ज्ञात होती है; क्योंकि, यद्यपि वेदान्त और सांख्य दोनों बहुत प्राचीन हैं, तथापि उनमें वेदान्त या उपनिषद् सांख्य से भी अधिक प्राचीन (श्रौत) है। अस्तु; यदि पहले हम न्याय और सांख्य के सिद्धान्तों को अच्छी तरह समझ ले तो फिर वेदान्त के—विशेषतः गीता-प्रतिपादित वेदान्त के—तत्त्व जल्दी समझ आ जायेंगे। इसलिये पहले हमें इस बात का विचार करना चाहिये, कि इन दो स्मार्त शास्त्रों का, क्षर-अक्षर-सृष्टि की रचना के विषय में क्या मत है।

बहुतेरे लोक न्यायशास्त्र का यही उपयोग समझते हैं, कि किसी विवक्षित अथवा गृहीत बात से तर्क के द्वारा कुछ अनुमान कैसे निकाले जावे; और इन अनुमानों में से यह निर्णय कैसे किया जावे, कि कौन-से सही हैं और कौन-से गलत हैं। परन्तु यह भूल है। अनुमानादि प्रमाणखण्ड न्यायशास्त्र का एक भाग है सही; परन्तु यही कुछ उसका प्रधान विषय नहीं है। प्रमाणों के अतिरिक्त, सृष्टि की अनेक वस्तुओं का यानी प्रमेय पदार्थों का वर्गीकरण करके नीचे के वर्ग से ऊपर के वर्ग की ओर चढ़ते जाने से सृष्टि के सब पदार्थों के मूलवर्ग कितने हैं, उनके गुण-धर्म क्या हैं, उनसे अन्य पदार्थों की उत्पत्ति कैसी होती है, और ये बातें किस प्रकार सिद्ध हो सकती हैं, इत्यादि अनेक प्रश्नों का भी विचार न्यायशास्त्र में किया गया है। यही कहना उचित होगा, कि यह शास्त्र केवल अनुमानखण्ड का विचार करने के लिये नहीं; वरन् उक्त प्रश्नों का विचार करने ही के लिये निर्माण किया गया है। कणाद के न्यायसूत्रों का आरम्भ और आगे की रचना भी इसी प्रकार की है। कणाद के अनुयायियों को कणाद कहते हैं। इन दोनों का कहना है, कि जगत् का मूलकारण परमाणु ही है। परमाणु के विषय में कणाद की और पश्चिमी आधिभौतिक-शास्त्रज्ञों की व्याख्या एक ही समान है। किसी भी पदार्थ का विभाग करते करते अन्त में जब विभाग नहीं हो सकता, तब उसे परमाणु (परम + अणु) कहना चाहिये। जैसे जैसे ये परमाणु एकत्र होते जाते हैं, वैसे वैसे सयोग के कारण उनमें नये नये गुण उत्पन्न होते हैं; और भिन्न भिन्न पदार्थ बनते जाते हैं। मन और आत्मा के भी परमाणु होते हैं; और जब वे एकत्र होते हैं तब चैतन्य की उत्पत्ति होती है। पृथ्वी, जल, तेज और वायु के परमाणु स्वभाव ही से पृथक् पृथक् हैं। पृथ्वी के मूलपरमाणु में चार गुण (रूप, रस, गन्ध, स्पर्श) हैं; पानी के परमाणु में तीन गुण हैं, तेज के परमाणु में दो गुण हैं और वायु के परमाणु में एक ही गुण है। इस प्रकार सब जगत् पहले से ही

सूक्ष्म और नित्य परमाणुओं से भरा हुआ है। परमाणुओं के सिवा संसार का मूलकारण और कुछ भी नहीं है। जब सूक्ष्म और नित्य परमाणुओं के परस्पर संयोग का 'आरम्भ' होता है, तब सृष्टि के व्यक्त पदार्थ बनने लगते हैं। नैयायिकों द्वारा प्रतिपादित सृष्टि की उत्पत्ति के सम्बन्ध की कल्पना को 'आरम्भ-वाद' कहते हैं। कुछ नैयायिक इसके आगे कभी नहीं बढ़ते। एक नैयायिक के बारे में कहा जाता है, कि मृत्यु के समय जब उससे ईश्वर का नाम लेने को कहा गया, तब वह "पीलवः! पीलवः! पीलवः" - परमाणु! परमाणु! परमाणु! - चिल्ला उठा। कुछ दूसरे नैयायिक यह मानते हैं, कि परमाणुओं के संयोग का निमित्तकारण ईश्वर है! इस प्रकार वे सृष्टि की कारण-परम्परा की शृंखला को पूर्ण कर लेते हैं। ऐसे नैयायिकों को सेश्वर कहते हैं। वेदान्तसूत्र के दूसरे अध्याय के दूसरे पाद में इस परमाणुवाद का (२.२.११-१७) और इसके साथ ही साथ "ईश्वर केवल निमित्तकारण है" इस मत का भी (२.२.३७-३९) खण्डन किया गया है।

उल्लिखित परमाणुवाद का वर्णन पढ़ कर अंग्रेजी पढ़े-लिखे पाठकों को अर्वाचीन रसायनशास्त्र डाल्टन के परमाणुवाद का अवश्य ही स्मरण होगा। परन्तु पश्चिमी देशों में प्रसिद्ध सृष्टिशास्त्रज्ञ डार्विन के उत्क्रान्तिवाद ने जिस प्रकार डाल्टन के परमाणुवाद की जड़ ही उखाड़ दी है, उसी प्रकार हमारे देश में भी प्राचीन समय में साध्य-मत ने कणाद के मत की बुनियाद हिला डाली थी। कणाद के अनुयायी यह नहीं बतला सकते, कि मूल परमाणु को गति कैसे मिली। इसके अतिरिक्त वे लोग इस बात का भी यथोचित निर्णय नहीं कर सकते, कि वृक्ष, पशु, मनुष्य इत्यादि सचेतन प्राणियों की भ्रमशः बढ़ती हुई श्रेणियाँ कैसे बनीं; और अचेतन को सचेतनता कैसे प्राप्त हुई। यह निर्णय पश्चिमी देशों में उन्नीसवीं सदी में लामार्क और डार्विन ने, तथा हमारे यहाँ प्राचीन समय में कपिलमुनि ने किया है। दोनों मतों का यही तात्पर्य है, कि एक ही मूलपदार्थ के गुणों का विकास हुआ; और फिर धीरे धीरे सब सृष्टि की रचना होती गई। इस कारण पहले हिन्दुस्थान में, और अब पश्चिमी देशों में भी, परमाणुवाद पर विश्वास नहीं रहा है। अब तो आधुनिक पदार्थशास्त्रज्ञों ने यह भी सिद्ध कर दिखाया है, कि परमाणु अविभाज्य नहीं है। आजकल जैसे सृष्टि के अनेक पदार्थों का पृथक्करण और परीक्षण करके अनेक सृष्टिशान्तों के आधार पर परमाणुवाद या उत्क्रान्तिवाद को मिट्ट कर दे सकते हैं, वैसे प्राचीन समय में नहीं कर सकते थे। सृष्टि के पदार्थों पर नये नये और भिन्न भिन्न प्रयोग करना, अथवा अनेक प्रकार से उनका पृथक्करण करके उनके गुण-धर्म निश्चिन करना, या मजोब सृष्टि के नये पुराने अनेक प्राणियों के शारीरिक अवयवों की एकत्र तुलना करना इत्यादि आधुनिक शास्त्रों की अर्वाचीन युक्तियाँ कणाद या सृष्टि को मालूम नहीं थीं। उस समय उनकी दृष्टि के सामने जिनकी सामग्री थी, उसी के आधार पर उन्होंने अपने अपने मिद्वान्त

हुँट निकाले है। तथापि, यह आश्चर्य की बात है, कि सृष्टि की वृद्धि और उसकी घटना के विषय में सांख्यशास्त्रकारों के तात्त्विक सिद्धान्त में और अर्वाचीन आधिभौतिक शास्त्रकारों के तात्त्विक सिद्धान्त में, बहुत-सा भेद नहीं है। इसमें सन्देह नहीं, कि सृष्टिशास्त्र के ज्ञान की वृद्धि के कारण वर्तमान समय में इस मत की आधिभौतिक उपपत्ति का वर्णन अधिक नियमबद्ध प्रणाली से किया जा सकता है; और आधिभौतिक ज्ञान की वृद्धि के कारण हमें व्यवहार की दृष्टि से भी बहुत लाभ हुआ है। परन्तु आधिभौतिक शास्त्रकार भी "एक ही अव्यक्त प्रकृति से अनेक प्रकार की व्यक्त सृष्टि कैसे हुई" इस विषय में कपिल की अपेक्षा कुछ अधिक नहीं बतला सकते। इस बात को भली भाँति समझा देने के लिये ही हमने आगे चल कर, बीच में कपिल के सिद्धान्तों के साथ, हेकेल के सिद्धान्तों का भी, तुलना के लिये संक्षिप्त वर्णन किया है। हेकेल ने अपने ग्रन्थ में साफ़ साफ़ लिख दिया है, कि मैंने ये सिद्धान्त कुछ नये सिरे से नहीं खोजे हैं; वरन्, डार्विन, स्पेन्सर, इत्यादि पिछले आधिभौतिक पंडितों के ग्रन्थों के आधार से ही मैं अपने सिद्धान्तों का प्रतिपादन करता हूँ। तथापि पहले पहल उसी ने इन सब सिद्धान्तों को ठीक ठीक नियमानुसार लिख कर सरलतापूर्वक इनका एकत्र वर्णन "विश्व की पहेली" नामक ग्रन्थ में किया है। इस कारण, सुभीते के लिये, हमने उसे ही सब आधिभौतिक तत्त्वज्ञों का मुखिया माना है; और उसी के मतों का इस प्रकरण में तथा अगले प्रकरण में विशेष उल्लेख किया है। कहने की आवश्यकता नहीं, कि यह उल्लेख बहुत ही संक्षिप्त है; परन्तु इससे अधिक इन सिद्धान्तों का विवेचन इस ग्रन्थ में नहीं किया जा सकता। जिन्हें इस विषय का विस्तृत वर्णन पढ़ना हो उन्हें स्पेन्सर, डार्विन, हेकेल आदि पण्डितों के मूलग्रन्थों को अवलोकन करना चाहिये।

कपिल के सांख्यशास्त्र का विचार करने के पहले यह कह देना उचित होगा, कि 'सांख्य' शब्द के दो भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। पहला अर्थ कपिलाचार्य द्वारा प्रतिपादित 'सांख्यशास्त्र' है। उसी का उल्लेख इस प्रकरण में, तथा एक बार भगवद्गीता (१८. १३) में भी किया गया है। परन्तु, इस विशिष्ट अर्थ के सिवा सब प्रकार के तत्त्वज्ञान को भी सामान्यतः 'सांख्य' ही कहने की परिपाटी है; और इसी 'सांख्य' शब्द में वेदान्तशास्त्र का भी समावेश किया है। 'सांख्यनिष्ठा' अथवा 'सांप्ययोग' शब्दों में 'सांख्य' का यही सामान्य अर्थ अभीष्ट है। इस निष्ठा के ज्ञानी पुरुषों को भी भगवद्गीता में जहाँ (गी. २. ३९; ३. ३; ५. ४, ५; और १३. २४) 'सांप्य' कहा है, वहाँ सांप्य का अर्थ केवल कापिल सांप्यमार्गी ही नहीं है; वरन् उसमें, आत्म-अनात्म-विचार से सब कर्मों का सन्यास करके ब्रह्मज्ञान

* *The Riddle of the Universe*, by Ernst Haeckel इस ग्रन्थ की R. P. A. Cheap reprint आयुक्ति का ही हमने सर्वत्र उपयोग किया है।

निमग्न रहनेवाले वेदान्तियों का भी समावेश किया गया है। शब्दशास्त्रज्ञों का कथन है, कि 'सांख्य' शब्द 'संख्या' धातु से बना है। इसलिये इसका पहला अर्थ 'गिननेवाला' है, और कापिलशास्त्र के मूलतत्त्व 'निगिने' सिर्फ पचीस ही हैं। इस लिये उसे 'गिननेवाले' के अर्थ में यह विशिष्ट 'सांख्य' नाम दिया गया। अनन्तर फिर 'सांख्य' शब्द का अर्थ बहुत व्यापक हो गया; और उसमें सब प्रकार के तत्त्वज्ञान का समावेश होने लगा। यही कारण है, कि जब पहले पहले कापिल-भिक्षुओं को 'सांख्य' कहने की परिपाठी प्रचलित हो गई, तब वेदान्ती संन्यसियों को भी यही नाम दिया जाने लगा होगा। कुछ भी हो; इस प्रकरण का हमने जान-बूझकर यह लम्बा-चौड़ा 'कापिलसांख्यशास्त्र' नाम इसलिये रखा है, कि सांख्य शब्द के उक्त अर्थभेद के कारण कुछ गड़बड़ी न हो। कापिलसांख्यशास्त्र में भी कणाद के न्यायशास्त्र के समान सूत्र हैं। परन्तु गौडपादाचार्य या शारीर-भाष्यकार श्री शंकराचार्य ने इन सूत्रों का आधार अपने ग्रन्थों में नहीं लिया है। इसलिये बहुतेरे विद्वान् समझते हैं, कि ये सूत्र कदाचित् प्राचीन न हों। ईश्वरकृष्ण की 'सांख्यकारिका' उक्त सूत्रों से प्राचीन मानी जाती है; और उस पर शंकराचार्य के दादागुरु गौडपाद ने भाष्य लिखा है। शांकर-भाष्य में भी इसी कारिका के कुछ अवतरण लिये हैं। सन् ५७० ईसवी से पहले इस ग्रन्थ का जो अनुवाद चीनी भाषा में हुआ था वह इस समय उपलब्ध है*। ईश्वरकृष्ण ने अपनी 'कारिका' के अन्त में कहा है, कि 'पट्टितन्त्र' नामक माठ प्रकरणों के एक प्राचीन और विस्तृत ग्रन्थ भावार्थ (कुछ प्रकरणों को छोड़) सत्तर आर्या-पद्यों में इस ग्रन्थ में दिया गया है। यह पट्टितन्त्र ग्रन्थ अब उपलब्ध नहीं है। इसी लिये उन कारिकाओं के आधार पर ही कापिलसांख्यशास्त्र के मूलसिद्धान्तों का विवेचन हमने यहाँ किया है। महाभारत में सांख्य-मत का निर्णय कई अध्यायों में किया गया है। परन्तु उनमें वेदान्त-मतों का भी मिश्रण हो गया है; इसलिये कपिल के शुद्ध सांख्य-मत को जानने के लिये दूसरे ग्रन्थों को भी देखने की आवश्यकता होती है। इस काम के लिये उक्त सांख्यकारिका की

* अब बौद्ध ग्रन्थों से ईश्वरकृष्ण का बहुत कुछ हाल जाना जा सकता है। बौद्ध पण्डित वसुबन्धु का गुरु ईश्वरकृष्ण का समकालीन प्रतिपक्षी था। वसुबन्धु का जो जीवन चरित, परमार्थ ने (सन ई. ४९९-५६९ में) चीनी भाषा में लिखा था, वह अब प्रकाशित हुआ है। इससे डॉक्टर टर्नर ने यह अनुमान किया है, कि ईश्वरकृष्ण का समय सन ४५० ई० के लगभग है। *Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain & Ireland*, 1905, pp. 33-53. परन्तु डॉक्टर विन्सेन्ट स्मिथ की राय है कि, स्वयं वसुबन्धु का समय ही चौथी सदी में (लगभग २८०-२६०) होना चाहिये। क्योंकि उसके ग्रन्थों का अनुवाद सन ४०४ ईसवी में चीनी भाषा में हुआ है। वसुबन्धु का समय इस प्रकार जब पीछे हट जाता है, तब उसी प्रकार ईश्वरकृष्ण का समय भी करीब २०० वर्ष पीछे हटाना पड़ता है; अर्थात् सन २४० ईसवी के लगभग ईश्वरकृष्ण का समय आ पहुँचता है। Vincent Smith's *Early History of India*, 3rd. Ed., P. 328.

अपेक्षा कोई भी अधिक प्राचीन ग्रन्थ इस समय उपलब्ध नहीं है। भगवान् ने भगवद्गीता में कहा, “सिद्धानां कपिलो मुनिः” (गी. १०. २६) — सिद्धों में कपिलमुनि मैं हूँ; — इस से कपिल की योग्यता भली भाँति सिद्ध होती है। तथापि यह बात मालूम नहीं, कि कपिल ऋषि कहाँ और कब हुए। शान्तिपर्व (३४०. ६७) में एक जगह लिखा है, कि सनत्कुमार, सनक, सनन्दन, सन, सनत्सुजात, सनातन और कपिल ये सातों ब्रह्मदेव के मानसपुत्र हैं। इन्हें जन्म से ही ज्ञान हो गया था। दुसरे स्थान (शां. २१८) में कपिल के शिष्य आसुरि के चेले पचशिख ने जनक को सांख्यशास्त्र का जो उपदेश दिया था उसका उल्लेख है। इसी प्रकार शान्तिपर्व (३०१. १०८. १०९) में भीष्म ने कहा है, कि सांख्यो ने सृष्टि-रचना इत्यादि के बारे में एक बार जो ज्ञान प्रचलित कर दिया है, वही “पुराण, इतिहास, अर्थशास्त्र” आदि सब में पाया जाता है। वही क्यों; यह तक कहा गया है, कि “ज्ञानं च लोके यदिहास्ति किञ्चित् सांख्यागतं तच्च महन्महात्मन्” — अर्थात् इस जगत् का सब ज्ञान सांख्यों से ही प्राप्त हुआ है (म. भा. शा. ३०१. १०९)। यदि इस बात पर ध्यान दिया जाय, कि वर्तमान समय में पश्चिमी ग्रन्थकार उत्क्रान्तिवाद का उपयोग सब जगह कैसा किया करते हैं; तो यह बात आश्चर्यजनक नहीं मालूम होगी, कि इस देश के निवासियों ने भी उत्क्रान्तिवाद की बराबरी के सांख्यशास्त्र का सर्वत्र कुछ अंश में स्वीकार किया है। ‘गुरुत्वाकर्षण’ सृष्टिरचना के ‘उत्क्रान्तिवत्त्व’ या ‘ब्रह्मात्मैक्य’ के समान उदात्त विचार सैकड़ों बरसों में ही किसी महात्मा के ध्यान में आया करते हैं। इसलिये यह बात सामान्यतः सभी देशों के ग्रन्थों में पाई जाती है, कि जिस समय जो सामान्य सिद्धान्त या व्यापक तत्त्व समाज में प्रचलित रहता है, उस के आधार पर ही किसी ग्रन्थ के विषय का प्रतिपादन किया जाता है।

आजकल कापिलसांख्यशास्त्र का अभ्यास प्रायः लुप्त हो गया है। इसी लिये यह प्रस्तावना करनी पड़ी। अब हम यह देखेंगे, कि इस शास्त्र के मुख्य सिद्धान्त कौन-से हैं। सांख्यशास्त्र का पहला सिद्धान्त यह है, कि इस ससार में नई वस्तु कोई भी उत्पन्न नहीं होती। क्योंकि, शून्य से — अर्थात् जो पहले था ही नहीं उससे — शून्य को छोड़ और कुछ भी प्राप्त हो नहीं सकता। इसलिये यह बात सदा ध्यान में रखनी चाहिये, कि उत्पन्न हुई वस्तु में — अर्थात् कार्य में — जो गुण दीख पड़ते हैं, वे गुण जिससे यह वस्तु उत्पन्न हुई है, उसमें (अर्थात् कारण में) सूक्ष्म रीति से तो अवश्य होने ही चाहिये (सा. का. ९)। बौद्ध और काणाद यह मानते हैं, कि पदार्थ का नाश हो कर उससे दूसरा नया पदार्थ बनता है। उदाहरणार्थ

* Evolution Theory के अर्थ में ‘उत्क्रान्ति तत्त्व’ का उपयोग आजकल किया जाता है। इसलिये हमने भी यहाँ उसी शब्द का प्रयोग किया है। परन्तु संस्कृत में ‘उत्क्रान्ति’ शब्द का अर्थ मृत्यु है। इस कारण ‘उत्क्रान्ति’ के बदले गुणविकास, गुणोत्कर्ष, या गुणपरिणाम आदि सांख्यवादिओं के शब्दों का उपयोग करना हमारी समझ में अधिक योग्य होगा।

बीज का नाश होने के बाद उससे अंकुर और अंकुर का नाश होने के बाद उससे पड़ होता है। परन्तु सांख्यशास्त्रियों और वेदान्तियों को यह मत पसंद नहीं है। वे कहते हैं, कि वृक्ष के बीज में जो 'द्रव्य' है उनका नाश नहीं होता; किन्तु वे ही द्रव्य जमीन से और वायु से दूसरे द्रव्यों को पीच लिया करते हैं; और इसी कारण से बीज को अंकुर का नया स्वरूप या अवस्था प्राप्त हो जाती है (वे. सू. शां. भा. २. १. १८)। इसी प्रकार जब लकड़ी जलती है, तब उसके ही राख या धुआँ आदि रूपान्तर हो जाते हैं। लकड़ी के मूल 'द्रव्यों' का नाश हो कर धुआँ नामक कोई नया पदार्थ उत्पन्न नहीं होता। छांदोग्योपनिषद् (६. २. २) में कहा है, "कथमसतः सज्जायेत"— जो है ही नहीं— उससे जो है— वह कैसे प्राप्त हो सकता है। जगत् के मूलकारण के लिये 'असत्' शब्द का उपयोग कभी कभी उपनिषदों में किया गया है (छां. ३. १९. १; तै. २. ७. १); परन्तु यहाँ 'असत्' का अर्थ 'अभाव—नहीं' नहीं है; किन्तु वेदान्त-सूत्रों (२. १. १६, १७) में यह निश्चय किया गया है, कि 'असत्' शब्द से केवल नामरूपात्मक व्यक्त स्वरूप या अवस्था का अभाव ही विवक्षित है। दूध से ही दही बनता है, पानी से नहीं; तिल से ही तेल निकलता है, बालू से नहीं; इत्यादि प्रत्यक्ष देखे हुए अनुभवों से भी यही मिद्वान्त प्रकट होता है। यदि हम यह मान लें, कि 'कारण' में जो गुण नहीं हैं, वे 'कार्य' में स्वतन्त्र रीति से उत्पन्न होते हैं; तो फिर हम इसका कारण नहीं बतला सकते, कि पाणी से दही क्यों नहीं बनता? सारांश यह है, कि जो मूल में है ही नहीं, उसमें अभी जो अस्तित्व में है, वह उत्पन्न नहीं हो सकता। इसलिये सांख्यवादियों ने यह मिद्वान्त निकाला है, कि किन्हीं कार्य के वर्तमान द्रव्यांश और गुण मूलकारण में भी किसी न किसी रूप में रहते हैं। इसी सिद्धान्त को 'सत्कार्यवाद' कहते हैं। अर्वाचीन पदार्थ-विज्ञान के ज्ञाताओं ने भी यही मिद्वान्त बूट निकाला है, कि पदार्थों के जड़ द्रव्य और कर्मशक्ति दोनों सर्वदा मौजूद रहते हैं। किन्हीं पदार्थ के चाहिये जितने रूपान्तर हो जायें; तो भी अन्त में सृष्टि के कुछ द्रव्यांश का और कर्म-शक्ति का जोड़ हमेशा एक-सा बना रहता है। उदाहरणार्थ जब हम दीपक को जलना देखते हैं, तब तेल भी धीरे धीरे कम होना जाता है; और अन्त में वह नष्ट हुआमा दीब पडना है। यद्यपि यह सब तेल जल जाता है, तथापि उसके परमाणुओं का बिलबुल ही नाश नहीं हो जाता। उन परमाणुओं का अस्तित्व धुएँ या काजल या अन्य सूक्ष्म द्रव्यों के रूप में बना रहता है। यदि हम इन सूक्ष्म द्रव्यों को एकत्र करके तोले तो मात्रम होगा, कि उनका तोल या वजन तेल और तेल के जलते समय उगमें मिले हुए वायु के पदार्थों के बराबर होना है। अब तो यह भी सिद्ध हो चुका है, कि उक्त नियम कर्म-शक्ति के विषय में भी लगाया जा सकता है। यह वान याद रखनी चाहिये, कि यद्यपि आधुनिक पदार्थविज्ञानशास्त्र का और सांख्यशास्त्र का मिद्वान्त केवल एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ की उत्पत्ति के विषय में— अर्थात् सिर्फ कारण-कारण-भाव ही के सम्बन्ध में— उपयुक्त होता है। परन्तु, अर्वाचीन पदार्थविज्ञान-

शास्त्र का सिद्धांत इससे अधिक व्यापक है। 'कार्य' का कोई भी गुण 'कारण' के बाहर के गुणों से उत्पन्न नहीं हो सकता। इतना ही नहीं; किन्तु जब कारण को कार्य का स्वरूप प्राप्त होता है, तब उस कार्य में रहनेवाले द्रव्याश और कर्म-शक्ति का कुछ भी नाश नहीं होता। पदार्थ की भिन्न भिन्न अवस्थाओं के द्रव्याश और कर्मशक्ति के जोड़ का वजन भी सदैव एक ही सा रहता है — न तो वह घटता है और न बढ़ता है। यह बात प्रत्यक्ष प्रयोग से गणित के द्वारा सिद्ध कर दी गई है। यही उक्त दोनों सिद्धांतों में महत्त्व की विशेषता है। इस प्रकार जब हम विचार करते हैं, तो हमें जान पड़ता है, कि भगवद्गीता के " नासतो विद्यते भाव " — जो है ही नहीं, उसका कभी भी अस्तित्व ही नहीं सकता — इत्यादि सिद्धांत जो दूसरे अध्याय के आरम्भ में दिये हैं (गीता २. १६), वे यद्यपि देखने में सत्कार्यवाद के समान दीख पड़े, तो भी उनकी समता केवल कार्यकारणात्मक सत्कार्यवाद की अपेक्षा अर्वाचीन पदार्थ-विज्ञानशास्त्र के सिद्धान्तों के साथ अधिक है। छादोग्योपनिषद् के उपर्युक्त वचन का भी यही भावार्थ है। साराश, सत्कार्यवाद का सिद्धान्त वेदान्तियों को मान्य है, परन्तु अद्वैत वेदान्तशास्त्र का मत है, कि इस सिद्धान्त का उपयोग सगुण सृष्टि के परे कुछ भी नहीं किया जा सकता। और निर्गुण से सगुण की उत्पत्ति कैसे दीख पड़ती है इस बात की उत्पत्ति और ही प्रकारसे लगानी चाहिये। इस वेदान्त-मत का विचार आगे चल कर अभ्यास-अध्यात्म-प्रकरण में विस्तृत रीति से किया जायगा। इस समय तो हमें सिर्फ यही विचार करना है, कि सांख्यवादियों की पहुँच कहा तक है। इसलिये अब हम इस बात का विचार करेंगे, कि सत्कार्यवाद का सिद्धान्त मान कर सांख्यो ने क्षर-अक्षर शास्त्र में उसका उपयोग कैसे किया है।

सांख्यमतानुसार जब सत्कार्यवाद सिद्ध हो जाता है, तब यह मत आप- ही आप गिर जाता है, कि दृश्यसृष्टि की उत्पत्ति शून्य से हुई है। क्योंकि, शून्य से अर्थात् जो कुछ भी नहीं है, उससे " अस्तित्व में है " वह उत्पन्न नहीं हो सकता। इस बात से यह साफ साफ सिद्ध होता है, कि सृष्टि किसी-न किसी पदार्थ से उत्पन्न हुई है, इस समय सृष्टि में जो गुण हमें दीख पड़ते हैं, वे ही इस मूलपदार्थ में भी होने चाहिये। अब यदि हम सृष्टि की ओर देखें, तो हमें वृक्ष, पशु, मनुष्य, पत्थर, सोना, चाँदी, हीरा, जल, वायु इत्यादि अनेक पदार्थ दीख पड़ते हैं, और इन सब के रूप तथा गुण भी भिन्न भिन्न हैं। सांख्यवादियों का सिद्धांत है, कि यह भिन्नता या नानात्व आदि में — अर्थात् मूलपदार्थ में — नहीं है, किन्तु मूल में सब वस्तुओं का द्रव्य एक ही है। अर्वाचीन रसायनशास्त्रज्ञों ने भिन्न भिन्न द्रव्यों का पृथक्करण करके पहले ६२ मूलतत्त्व ढूँढ निकाले थे, परन्तु अब पश्चिमी विज्ञानवेत्ताओं ने भी यह निश्चय कर लिया है, कि ये ६२ मूलतत्त्व स्वतंत्र या स्वयंसिद्ध नहीं हैं। किन्तु इन सब की जड़ में कोई-न-कोई एक ही पदार्थ है; और उस पदार्थ से ही सूर्य, चंद्र, तारागण, पृथ्वी इत्यादि सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। इसलिये अब उक्त सिद्धान्त

का अधिक विवेचन आवश्यक नहीं है। जगत् के सब पदार्थों का जो यह मूलद्रव्य है, उसे ही साध्यशास्त्र में 'प्रकृति' कहते हैं। प्रकृति का अर्थ 'मूलरूप' है। इस प्रकृति से आगे जो पदार्थ बनते हैं, उन्हें 'विकृति' अर्थात् मूलद्रव्य के विकार कहते हैं।

परन्तु यद्यपि सब पदार्थों में मूलद्रव्य एक ही है, तथापि यदि इस मूलद्रव्य में गुण भी एव ही हों, तो सत्कार्यवादानुसार इन एक ही गुण से अनेक गुणों का उत्पन्न होना सम्भव नहीं है। और, इधर तो जब हम इस जगत् के पत्थर, मिट्टी, पानी, मोना इत्यादि भिन्न भिन्न पदार्थों की ओर देखते हैं, तब उनमें भिन्न भिन्न अनेक गुण पाये जाते हैं। इसलिये पहले सब पदार्थों के गुणों का निरीक्षण करके साध्यवादीयों ने इस गुणों के मत्त्व, रज और तम ये तीन भेद या वर्ग कर दिये हैं। इनका कारण यही है, कि जब हम किसी भी पदार्थ को देखते हैं, तब स्वभावतः उसकी दो भिन्न भिन्न अवस्थाएँ दीख पड़ती हैं; - पहली शुद्ध, निर्मल या पूर्णावस्था और दूसरी उसके विरुद्ध निकृष्टावस्था। परन्तु साथ ही साथ निकृष्टावस्था में पूर्णावस्था की ओर घटने की उस पदार्थ की प्रवृत्ति भी दृष्टिगोचर हुआ करती है; यही तीसरी अवस्था है। इन तीनों अवस्थाओं में से शुद्धावस्था या पूर्णावस्था को सात्त्विक, निकृष्टावस्था को तामसिक और प्रवर्तकावस्था को राजसिक कहते हैं। इस प्रकार साध्यवादी कहते हैं, कि सत्त्व, रज और तम तीनों गुण सब पदार्थों के मूलद्रव्य में अर्थात् प्रकृति में आरम्भ से ही रूढ़ करते हैं। यदि यह कहा जाय, कि इन तीनों गुणों ही को प्रकृति कहते हैं, तो अनुचित नहीं होगा। इन तीनों गुणों में से प्रत्येक गुण का जोर आरम्भ में समान या बराबर रहता है, इसी लिये पहले पहले यह प्रकृति साम्यावस्था में रहती है। यह साम्यावस्था जगत् के आरम्भ में थी; और जगत् का लय हो जाने पर वैसी ही फिर हो जायगी। साम्यावस्था में कुछ भी हलचल नहीं होती, सब कुछ स्तब्ध रहता है। परन्तु जब उक्त तीनों न्यूनाधिक होने लगते हैं, तब प्रवृत्त्यात्मक रजोगुण के कारण मूलप्रकृति से भिन्न भिन्न पदार्थ होने लगते हैं; और सृष्टि का आरम्भ होने लगता है। अब यहाँ यह प्रश्न उठ सकता है, कि यदि पहले सत्त्व, रज और तम ये तीनों गुण साम्यावस्था में थे, तो इनमें न्यूनाधिकता कैसे हुई है? इस प्रश्न का साध्यवादी यही उत्तर देते हैं, कि यह प्रकृति का मूलभूत ही है (मा. वा. ६१)। यद्यपि प्रकृति जट है, तथापि वह आप-ही-आप व्यवहार करती रहती है। इन तीनों गुणों में से मत्त्वगुण का लक्षण ज्ञान अर्थात् जानना और तमोगुण का लक्षण अज्ञानता है। रजोगुण बुरे या भले कार्य का प्रवर्तक है। ये तीनों गुण सभी अलग अलग नहीं रह सकते। सब पदार्थों में मत्त्व, रज और तम तीनों का मिश्रण रहना ही है; और यह मिश्रण हमेशा इन तीनों की परस्पर न्यूनाधिकता से हुआ करता है। इसलिये यद्यपि मूलद्रव्य एक ही है, तो भी गुणभेद के कारण एक मूलद्रव्य के ही मोना, मिट्टी, जल, आकाश, मनुष्य का शरीर इत्यादि भिन्न भिन्न अनेक विकार हो जाते हैं। जिसे हम सात्त्विक गुण का पदार्थ कहते

है, उममें रज और तम की अपेक्षा, सत्त्वगुण का जोर या परिणाम अधिक रहता है, इस कारण उम पदार्थ में हमेशा रहनेवाले रज और तम दोनों गुण दब जाते हैं और वे हमें दीख नहीं पड़ते। वस्तुतः मत्त्व, रज और तम तीनों गुण अन्य पदार्थों के समान, सात्त्विक पदार्थ में भी विद्यमान रहते हैं। केवल मत्त्वगुण का, केवल रजोगुण का, या केवल तमोगुण का कोई पदार्थ ही नहीं है। प्रत्येक पदार्थ में तीनों का रगडा-क्षगडा चला ही करता है; और इस क्षगडे में जो गुण प्रबल हो जाता है, उसी के अनुसार हम प्रत्येक पदार्थ को सात्त्विक, राजस या तामस कहा करते हैं (सा. का. १२, म. भा अख. - अनुगीता - ३६ और शा. ३०५)। उदाहरणार्थ, अपने शरीर में जब रज और तम गुणों पर सत्त्व का प्रभाव जम जाता है, तब अपने अन्तकरण में ज्ञान उत्पन्न होता है, मत्त्व का परिचय होने लगता है, और चित्तवृत्ति शान्त हो जाती है। उस समय यह नहीं समझना चाहिये, कि अपने शरीर में रजोगुण और तमोगुण बिलकुल हैं ही नहीं; बल्कि वे सत्त्वगुण के प्रभाव से दब जाते हैं। इसलिये उनका कुछ अधिकार चलने नहीं पाता (गी. १४. १०)। यदि सत्त्व के बदले रजोगुण प्रबल हो जाय, तो अन्त करणमें लोभ जागृत हो जाता है, इच्छा बढ़ने लगती है, और वह हमें अनेक कामों में प्रवृत्त करती है। इसी प्रकार जब सत्त्व और रज की अपेक्षा तमोगुण प्रबल हो जाता है, तब निद्रा, आलस्य, स्मृतिभ्रंश, इत्यादि दोष शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। तात्पर्य यह है, कि इस जगत् के पदार्थों में सोना, लोहा, पारा इत्यादि जो अनेकता या भिन्नता दीख पड़ती है, वह प्रकृति के सत्त्व, रज और तम इन तीनों गुणों की ही परस्पर-न्यूनाधिकता का फल है। मूलप्रकृति यद्यपि एक ही है, तो भी जानना चाहिये, कि यह अनेकता या भिन्नता कैसे उत्पन्न हो जाती है। वस, इसी विचार को 'विज्ञान' कहते हैं। इसी में सब, आधिभौतिक शास्त्रों का भी समावेश हो जाता है। उदाहरणार्थ, रसायनशास्त्र, विद्युच्छास्त्र, पदार्थविज्ञानशास्त्र, सब विविध-ज्ञान या विज्ञान ही हैं।

साम्यावस्था में रहनेवाली प्रकृति को सांख्यवल में 'अव्यक्त' अर्थात् इन्द्रियों को गोचर न होनेवाली कहा है। इस प्रकृति के सत्त्व, रज और तम इन तीनों गुणों की परस्पर-न्यूनाधिकता के कारण जो अनेक पदार्थ हमारी इन्द्रियों को गोचर होते हैं, अर्थात् जिन्हे हम देखते हैं, सुनते हैं, चखते हैं, सूँघते हैं, या स्पर्श करते हैं, उन्हें सांख्यशास्त्र में 'व्यक्त' कहा है। स्मरण रहे, कि जो पदार्थ हमारी इन्द्रियों को स्पष्ट रीति से गोचर हो सकते हैं, वे सब 'व्यक्त' कहलाते हैं। चाहे फिर वे पदार्थ अपनी आकृति के कारण, रूप के कारण, गन्ध के कारण, या किसी अन्य गुण के कारण व्यक्त होते हों। व्यक्त पदार्थ अनेक हैं। उनमें से कुछ, जैसे पत्थर, पेड़, पशु इत्यादि स्थूल कहलाते हैं; और कुछ जैसे मन, बुद्धि, आकाश इत्यादि (यद्यपि ये इन्द्रिय-गोचर अर्थात् व्यक्त हैं, तथापि) सूक्ष्म कहलाते हैं। यहाँ 'सूक्ष्म' से छोटे का मतलब नहीं है। क्योंकि आकाश यद्यपि सूक्ष्म है, तथापि वह सारे जगत् में सर्वत्र व्याप्त है। इसलिये, सूक्ष्म शब्द से 'स्थूल के विषुद्ध' या वायु से भी अधिक

महीन, यही अर्थ लेना चाहिये। 'स्थूल' और 'सूक्ष्म' शब्दों से किसी वस्तु की शरीर-रचना का ज्ञान होता है; और 'व्यक्त' एवं 'अव्यक्त' शब्दों से हमें यह बोध होता है, कि उस वस्तु का प्रत्यक्ष ज्ञान हमें हो सकता है या नहीं। अतएव भिन्न भिन्न पदार्थों में से (चाहे वे दोनों सूक्ष्म हों तो भी) एक व्यक्त और दूसरा अव्यक्त हो सकता है। उदाहरणार्थ, यद्यपि हवा सूक्ष्म है, तथापि हमारी स्पर्शेन्द्रिय को उसका ज्ञान होता है। इसलिये उसे व्यक्त कहते हैं। और सब पदार्थों की मूलप्रकृति (या मूलद्रव्य) वायु से भी अत्यन्त सूक्ष्म है और उसका ज्ञान हमारी किसी इन्द्रिय को नहीं होता; इसलिये उसे अव्यक्त कहते हैं। अब यहाँ प्रश्न हो सकता है, कि यदि इस प्रकृति का ज्ञान किसी भी इन्द्रिय को नहीं होता, तो उसका अस्तित्व सिद्ध करने के लिये क्या प्रमाण है? इस प्रश्न का उत्तर सांख्यवादी इस प्रकार देते हैं, कि अनेक व्यक्त पदार्थों के अवलोकन से सत्कार्यवाद के अनुसार यही अनुमान सिद्ध होता है, कि इन सब पदार्थों का मूलरूप (प्रकृति) यद्यपि इन्द्रियों को प्रत्यक्ष गोचर न हो, तथापि उसका अस्तित्व सूक्ष्म रूप से अवश्य होना ही चाहिये (सां. का. ८)। वेदान्तियों ने भी ब्रह्म का अस्तित्व सिद्ध करने के लिये इसी युक्ति को स्वीकार किया है (कठ. ६. १२, १३ पर शांकरभाष्य देखो)। यदि हम प्रकृति को इस प्रकार अत्यन्त सूक्ष्म और अव्यक्त मान लें, तो नैयायिकों के परमाणुवाद की जड़ ही उखड़ जाती है। क्योंकि परमाणु यद्यपि अव्यक्त और असंख्य हो सकते हैं, तथापि प्रत्येक परमाणु के स्वतन्त्र व्यक्तित्व या अवयव हो जाने के कारण यह प्रश्न फिर भी शेष रह जाता है, कि दो परमाणुओं के बीच में कौन-सा पदार्थ है? इसी कारण सांख्यशास्त्र का सिद्धान्त है, कि प्रकृति में परमाणुरूप अवयव-भेद नहीं है। किन्तु वह सदैव एक से एक लगी हुई - बीच में थोड़ा भी अन्तर न छोड़ती हुई - एक ही समान है; अथवा यों कहिये कि वह अव्यक्त (अर्थात् इन्द्रियों को गोचर न होनेवाले) और निरवयवरूप से निरन्तर और सर्वत्र है। परब्रह्म का वर्णन करते हुए दामबोध (२०. २. ३) में श्रीममथं रामदासस्वामी कहते हैं, "जिधर देखिये उधर ही वह अपार है, उसका किसी ओर पार नहीं है। वह एक ही प्रकार का और स्वतंत्र है, उसमें द्वैत (या और कुछ) नहीं है।"* सांख्यवादीयों के 'प्रकृति' विषय में भी यही वर्णन उपयुक्त हो सकता है। त्रिगुणात्मक प्रकृति अव्यक्त, स्वयम्भू और एक ही प्रकार की है; और चारों ओर निरन्तर व्याप्त है। आकाश, वायु आदि भेद पीछे से हुए; और यद्यपि वे सूक्ष्म हैं तथापि व्यक्त हैं, और इन सब की मूल-प्रकृति एक ही थी तथा सर्वव्यापी और अव्यक्त है। स्मरण रहे, कि वेदान्तियों के 'परब्रह्म' में और सांख्य-वादीयों की 'प्रकृति' में आकाश-पाताल का अन्तर है। उसका कारण यह है, कि परब्रह्म चैतन्यरूप और निर्गुण है; परन्तु प्रकृति जडरूप और सत्त्वरज-तमोमयी अर्थात् सगुण है। इस विषय पर अधिक विचार आगे किया जायगा।

* हिन्दी दामबोध, पृष्ठ ४८१ (चित्रशास्त्र, पृष्ठा)।

यहाँ सिर्फ यही विचार है, कि सांख्यवादियों का मत क्या है। जब हम इस प्रकार 'सूक्ष्म' और 'स्थूल', 'व्यक्त' और 'अव्यक्त' शब्दों का अर्थ समझने लगे, तब कहना पड़ेगा कि सृष्टि के आरम्भ में प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म और अव्यक्त प्रकृति के रूप से रहता है। फिर वह (चाहे सूक्ष्म हो या स्थूल हो) व्यक्त अर्थात् इन्द्रियगोचर होता है, और जब प्रलयकाल में इस व्यक्त स्वरूप का नाश होता है, तब फिर वह पदार्थ अव्यक्त प्रकृति में मिलकर अव्यक्त हो जाता है। गीता में भी यही मत दीख पड़ता है (गी. २. २८ और ८. १८)। सांख्यशास्त्र में इस अव्यक्त प्रकृति ही को 'अक्षर' भी कहते हैं; और प्रकृति से होनेवाले सब पदार्थों को 'क्षर' कहते हैं। यहाँ 'क्षर' शब्द का अर्थ, सम्पूर्ण नाश नहीं है, किन्तु सिर्फ व्यक्त स्वरूप का नाश ही अपेक्षित है। प्रकृति के और भी अनेक नाम हैं। जैसे प्रधान, गुण-क्षोभिणी, बहुधानक, प्रसव-धर्मिणी इत्यादि। सृष्टि के सब पदार्थों का मुख्य मूल होने के कारण उसे (प्रकृति को) प्रधान कहते हैं। तीनों गुणों की साम्यावस्था का भग स्वयं आप ही करती है, इसलिये उसे गुण-क्षोभिणी कहते हैं। गुणत्रयरूपी पदार्थभेद के बीज प्रकृति में है; इसलिये उसे बहुधानक कहते हैं। और प्रकृति से ही सब पदार्थ उत्पन्न होते हैं, इसलिये उसे प्रसवधर्मिणी कहते हैं। इस प्रकृति ही को वेदान्तशास्त्र में 'माया' अर्थात् मायिक दिखावा कहते हैं।

सृष्टि के सब पदार्थों को 'व्यक्त' और 'अव्यक्त' या 'क्षर' और 'अक्षर' इन दो विभागों में बाँटने के बाद, अब यह सोचना चाहिये कि क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ-विचार में बतलाये गये आत्मा, मन, बुद्धि, अहंकार और इन्द्रियों को सांख्यमत के अनुसार, किस विभाग या वर्ग में रखना चाहिये। क्षेत्र और इन्द्रियाँ तो जड़ ही हैं; इस कारण उनका समावेश व्यक्त पदार्थों में हो सकता है। परन्तु मन, अहंकार, बुद्धि और विशेष करके आत्मा के विषय में क्या कहा जा सकता है? यूरोप के वर्तमान समय के प्रसिद्ध मूट्टिशशास्त्रज्ञ हेकेल ने अपने ग्रन्थ में लिखा है कि मन, बुद्धि, अहंकार और आत्मा ये सब शरीर के धर्म ही हैं। उदाहरणार्थ, हम देखते हैं, कि जब मनुष्य का मस्तिष्क विगड़ जाता है, तब उसकी स्मरण-शक्ति नष्ट हो जाती है, और वह पागल भी हो जाता है। इसी प्रकार सिर पर चोट लगने से जब मस्तिष्क का कोई भाग विगड़ जाता है, तब भी उस भाग की मानसिक शक्ति नष्ट हो जाती है। सारांश यह है कि मनोवर्तन भी जड़ मस्तिष्क के ही गुण हैं, अतएव ये जड़ वस्तु से कभी अलग नहीं किये जा सकते; और इसी लिये मस्तिष्क के साथ साथ मनोवर्तन और आत्मा को 'व्यक्त' पदार्थों के वर्ग में शामिल करना चाहिये। यदि यह जड़वाद मान लिया जाय, तो अन्त में केवल अव्यक्त और जड़ प्रकृति ही शेष रह जाती है। क्योंकि सब व्यक्त पदार्थ इस मूल-अव्यक्त-प्रकृति से ही बने हैं। ऐसी अवस्था में प्रकृति के सिवा जगत् का कर्ता या उत्पादक दूसरा कोई भी नहीं हो सकता। तब तो यही कहना होगा, कि मूलप्रकृति की शक्ति धीरे धीरे बढ़ती गई और अन्त में

उसी को चैतन्य या आत्मा का स्वरूप प्राप्त हो गया। सत्कार्यवाद के समान, इस मूलप्रकृति के कुछ कायदे या नियम बने हुए हैं। और उन्हीं नियमों के अनुसार सब जगत् और साथ ही साथ मनुष्य भी कैदी के समान घर्ताव किया करता है। जड़ प्रकृति के सिवा आत्मा कोई भिन्न वस्तु है ही नहीं; तब कहना नहीं होगा, कि आत्मा न तो अविनाशी है; और न स्वतन्त्र। तब मोक्ष या मुक्ति की आवश्यकता ही क्या है? प्रत्येक मनुष्य को मालूम होता है, कि मैं अपनी इच्छा के अनुसार अमुक काम कर लूंगा; परन्तु वह सब केवल भ्रम है। प्रकृति जिस ओर खीचेगी, उसी ओर मनुष्य को झुकना पड़ेगा। अथवा किसी कवि के अर्थानुसार कहना चाहिये, कि “यह सारा विश्व एक बहुत बड़ा कारागार है, प्राणिमात्र कैदी हैं; और पदार्थों के गुण-धर्म वेड़ियाँ हैं! इन वेड़ियों को कोई तोड़ नहीं सकता।” वस यही हेकेल के मत का सारांश है। उसके मतानुसार सारी सृष्टि का मूलकारण एक जड़ और अव्यक्त प्रकृति ही है। इसलिये उसने अपने सिद्धान्त को सिर्फ * ‘अद्वैत’ कहा है। परन्तु यह अद्वैत जड़मूलक है, अर्थात् अकेली जड़ प्रकृति में ही सब बातों का समावेश करता है; इस कारण हम इसे जड़ाद्वैत या आधिभौतिक-शास्त्राद्वैत कहेंगे।

हमारे सांख्यशास्त्रकार इस जड़ाद्वैत को नहीं मानते। वे कहते हैं; कि मन, बुद्धि और अहंकार पञ्चमहाभूतात्मक जड़ प्रकृति ही के धर्म हैं; और सांख्यशास्त्र में भी यही लिखा है, कि अव्यक्त प्रकृति से ही बुद्धि, अहंकार इत्यादि गुण त्रय से उत्पन्न होते जाते हैं। परन्तु उनका कथन है, कि जड़ प्रकृति से चैतन्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इतका ही नहीं; वरन् जिस प्रकार कोई मनुष्य अपने ही कंधों पर बैठ नहीं सकता, उसी प्रकार प्रकृति को जाननेवाला या देखनेवाला जब तक प्रकृति से भिन्न न हो, तब तक वह “मैं यह जानता हूँ — वह जानता हूँ” इत्यादि भाषा-व्यवहार का उपयोग कर ही नहीं सकता। और इस जगत् के व्यवहारों का और देखने से तो सब लोगों का यही अनुभव जान पड़ता है, कि “मैं जो कुछ देखता हूँ, या जानता हूँ, वह मुझसे भिन्न है।” इसलिये सांख्यशास्त्रवालों ने कहा है, कि ज्ञाता और ज्ञेय, देखनेवाला और देखने की वस्तु, या प्रकृति को देखनेवाला और जड़ प्रकृति, इन दोनों बातों को मूल से ही पृथक् पृथक् मानना चाहिये (सां. का. १७)। पिछले प्रकरण में जिसे क्षेत्रज्ञ या आत्मा कहा है, वही यह देखनेवाला, ज्ञाता या उपभोग करनेवाला है; और इसे ही सांख्यशास्त्र में ‘पुरुष’ या ‘ज्ञ’ (ज्ञाता) कहते हैं। यह ज्ञाता प्रकृति में भिन्न है। इस कारण निसर्ग से ही प्रकृति के तीनों (सत्त्व, रज और तम) गुणों के परे रहता है। अर्थात् यह निर्विकार और निर्गुण है; और जानने या देखने के सिवा कुछ भी नहीं करता। इससे यह भी मालूम हो जाता है, कि जगत् में जो घटनाएँ होती रहती हैं, वे सब प्रकृति ही के खेल हैं। सारांश यह

* हेरेण्ड का मूल शब्द monism है। और इस विषय पर उसने स्वतन्त्र ग्रन्थ भी लिखा है।

है, कि प्रकृति अचेतन या जड़ है ; और पुरुष सचेतन है । प्रकृति सब काम किया करती है ; और पुरुष उदासीन या अकर्ता है । प्रकृति त्रिगुणात्मक है ; और पुरुष निर्गुण है । प्रकृति अंधी है ; और पुरुष साक्षी है । इस प्रकार इस सृष्टि में यही दो भिन्न भिन्न तत्त्व अनादिसिद्ध, स्वतन्त्र और स्वयम्भू है । यही सांख्यशास्त्र का सिद्धान्त है । इस बात को ध्यान में रख के ही भगवद्गीता में पहले कहा गया है, कि “ प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्वचनादि उभावपि ” — प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि हैं (गी. १३. १९) । इसके बाद उनका वर्णन इस प्रकार किया है । “ कार्यकारणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते ” अर्थात् देह और इन्द्रियों का व्यापार प्रकृति करती है ; और “ पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते ” — अर्थात् पुरुष सुखदुःखोंका उपभोग करने के लिये, कारण है । यद्यपि गीता में भी प्रकृति और पुरुष अनादि माने गये हैं, तथापि यह बात ध्यान में रखनी चाहिये, कि सांख्यवादियों के समान, गीता में ये दोनों तत्त्व स्वतन्त्र या स्वयम्भू नहीं माने गये हैं । कारण यह है, कि गीता में भगवान् श्रीकृष्ण ने प्रकृति को अपनी ‘माया’ कहा है (गी. ७. १४; १४. ३), और पुरुष के विषय में भी यही कहा है, कि “ ममैवांशो जीवलोके ” (गीता १५. ७) अर्थात् वह भी मेरा अंश है । इससे मालूम हो जाता है, कि गीता सांख्यशास्त्र से भी आगे बढ़ गई है । परन्तु अभी इस बात की ओर ध्यान न दे कर हम देखेंगे कि सांख्यशास्त्र क्या कहता है ।

सांख्यशास्त्र के अनुसार सृष्टि के सब पदार्थों के तीन वर्ग होते हैं । पहला अव्यक्त (प्रकृति मूल), दूसरा व्यक्त (प्रकृति के विकार) और तीसरा पुरुष अर्थात् ज्ञ । परन्तु इनमें से प्रलयकाल के समय व्यक्त पदार्थों का स्वरूप नष्ट हो जाता है । इसलिये अब मूल में केवल प्रकृति और पुरुष दो ही तत्त्व शेष रह जाते हैं । ये दोनों मूलतत्त्व, सांख्यवादियों के मतानुसार अनादि और स्वयम्भू है । इसलिये सांख्यों को द्वैतवादी (दो मूलतत्त्व माननेवाले) कहते हैं । वे लोग प्रकृति और पुरुष के परे ईश्वर, काल, स्वभाव या अन्य किसी भी मूलतत्त्व को नहीं मानते ।* इसका कारण

* ईश्वरकृष्ण कट्टर निरीश्वरवादी था । उसने अपनी सांख्यकारिका की अन्तिम उपसंहारात्मक तीन आर्याओं में कहा है, कि मूल विषयपर ७० आर्याएँ थीं । परन्तु कोलह्वरु और विल्सन के अनुवाद के साथ बम्बई में श्रीयुक्त तुकाराम तात्या ने जो पुस्तक मुद्रित की है, उसमें मूल विषय पर केवल ६९ आर्याएँ हैं । इसलिये विल्सन साहब ने अपने अनुवाद में यह सन्देह प्रकट किया है, कि ७० वी. आर्या कौन-सी है । परन्तु वह आर्या उनको नहीं मिली ; और उनकी शंका क समाधान नहीं हुआ । हमारी मत है, कि यह वर्तमान ६९ वी आर्या के आगे होगी । कारण यह है, कि ६९ वी आर्या पर गीटपादाचार्य का जो भाष्य है, वह कुछ एक ही आर्या पर नहीं है ; किन्तु दो आर्याओं पर है और यदि इस भाष्य के प्रतीक पदों को लेकर आर्या बनाई जाय तो वह इस प्रकार होगी :-

कारणमीश्वरमेके भवते कालं परे स्वभावं वा ।

प्रजाः कथं निर्गुणतो व्यक्तः कालः स्वभावश्च ॥

यह है कि मगुण ईश्वर, काल और स्वभाव, ये सब व्यक्त होने के कारण प्रकृति से उत्पन्न होनेवाले व्यक्त पदार्थों में ही शामिल हैं। और, यदि ईश्वर को निर्गुण मानें, तो सत्कार्यवादानुसार निर्गुण मूलतत्त्व से त्रिगुणात्मक प्रकृति कभी उत्पन्न नहीं हो सकती। इसलिये, उन्होंने यह निश्चित सिद्धान्त किया है, कि प्रकृति और पुरुष को छोड़ कर इस सृष्टि का और कोई तिसरा मूलकारण नहीं है। इस प्रकार जब उन लोगों ने दो ही मूलतत्त्व निश्चित कर लिये, तब उन्हो ने अपने मत के अनुसार इस बात को भी सिद्ध कर दिया है, कि इन दोनों मूलतत्त्वों से सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई है। वे कहते हैं, कि यद्यपि निर्गुण पुरुष कुछ भी कर नहीं सकता, तथापि जब प्रकृति के साथ उसका संयोग होता है, तब जिस प्रकार गाय अपने बछड़े के लिये दूध देती है, या लोहचुवक पास होने से लोहे में आकर्षण शक्ति आ जाती है, उसी प्रकार मूल अव्यक्त प्रकृति अपने गुणों (सूक्ष्म और स्थूल) का व्यक्त फैलाव पुरुष के सामने फैलाने लगती है (सा. का. ५७)। यद्यपि पुरुष सचेतन और ज्ञाता है, तथापि केवल अर्थात् निर्गुण होने के कारण स्वयं कर्म करने के कोई साधन उसके पास नहीं है; और प्रकृति यद्यपि काम करनेवाली है, तथापि जड़ या अचेतन होने के कारण वह नहीं जानती, कि क्या करना चाहिये। इस प्रकार लंगड़े और अन्धे की वह जोड़ी है। जैसे अन्धे के कन्धे पर लंगड़ा बँटे; और वे दोनों एक दूसरे की सहायता से मार्ग चलने लगें; वैसे ही अचेतन प्रकृति और सचेतन पुरुष का संयोग हो जाने पर सृष्टि के सब कार्य आरम्भ हो जाते हैं (सां. का. २१)। और जिस प्रकार नाटक की रंगभूमि पर प्रेक्षकों के मनोरंजनार्थ एक ही नटी कभी एक तो कभी दूसरा ही स्वांग बना कर नाचती रहती है, उसी प्रकार पुरुष के लाभ के लिये (पुरुषार्थ के लिये) यद्यपि पुरुष कुछ भी पारितोषिक नहीं देता; तो भी यह प्रकृति सत्त्व-रज-तम गुणों की न्यूनाधिकता से अनेक रूप धारण करके उसके सामने लगातार नाचती रहती है (सां. का. ४९)। प्रकृति के इस नाच को देख

यह आर्या पिछले और अगले सन्दर्भ (अर्थ या भाव) से ठीक मिलती भी है। इस आर्या में निरीश्वरमत का प्रतिपादन है। इसलिये जान पड़ता है, कि किसी ने इसे पीछे से निकाल डाला होगा। परन्तु इस आर्या का शोधन करनेवाला मनुष्य इसका भाष्य भी निकाल डालना भूल गया। इसलिये अब हम इस आर्या का ठीक ठीक पता लगा सकते हैं; और इसी से उस मनुष्य को धन्यवाद ही देना चाहिये। श्वेताश्विनरोपनिषद् के छठवे अध्याय के पहले मन्त्र से प्रकट होता है, कि प्राचीन समय में कुछ लोग स्वभाव और काल को — और वेदान्ती तो उसके भी आगे, बढ़ कर ईश्वर को — जगत् का मूलकारण मानते थे। वह मन्त्र यह है :-

स्वभावमेके कवयो वदन्ति कालं तयान्ये परिमुञ्चमानाः।

देवस्यैषा महिमा नु लोके येनेदं भ्राम्यते ब्रह्मचक्रम् ॥

परन्तु ईश्वरवाच्य ने उपर्युक्त आर्या को वर्तमान ६१ वीं आर्या के बाद सिर्फ यह बतलाने के लिये रखा है, कि ये तीनों मूलधारण (अर्थात् स्वभाव, काल और ईश्वर). सात्यवादियों को मान्य नहीं हैं।

कर - मोह से भूल जाने के कारण, या वृथाभिमान के कारण - जब तक पुह्य इस प्रवृत्ति के कर्तृत्व को स्वयं अपना ही कर्तृत्व मानता रहता है, और जब तक वह सुखदुःख के काल में स्वयं अपने को फँसा रखता है, तब तक उसे मोक्ष या मुक्ति की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती (गीता ३ २७)। परन्तु जिस समय पुरुष को यह ज्ञान हो जाय, कि त्रिगुणात्मक प्रवृत्ति भिन्न है और मैं भिन्न हूँ, उस समय वह मुक्त ही है (गीता १३. २९, ३०, १४ २०)। क्योंकि, यथार्थ में पुरुष न तो कर्ता है और न वध्दा ही है - वह सब प्रकृति ही का खेल है। यहाँ तक कि मन और बुद्धि भी प्रकृति के ही विकार हैं। इसलिये बुद्धि को जो ज्ञान होता है, वह भी प्रकृति के कार्य का फल है। यह ज्ञान तीन प्रकार का होता है, जैसे सात्त्विक, राजस और तामस (गीता १८ २०-२२)। जब बुद्धि का सात्त्विक ज्ञान प्राप्त होता है, तब पुरुष को यह मालूम होने लगता है, कि मैं प्रकृति से भिन्न हूँ। सत्त्व-रज-तमोगुण प्रकृति के ही धर्म हैं, पुरुष के नहीं। पुरुष निर्गुण है, और त्रिगुणात्मक प्रकृति उसका दर्पण है (म. भा. शा. २०४ ८) जब यह वर्णन स्वच्छ या निर्मल हो जाता है अर्थात् जब अपनी यह बुद्धि - जो प्रकृति का विकार है - सात्त्विक हो जाती है, तब इस निर्मल वर्णन में पुरुष को अपना सात्त्विक स्वरूप देखने लगता है, और उसे यह बोध हो जाता है, कि मैं प्रकृति से भिन्न हूँ। उस समय यह प्रकृति लज्जित हो कर उस पुरुष के सामने नाचना, खेलना या जाल फँसाना बन्द कर देती है। जब यह अवस्था प्राप्त हो जाती है, तब पुरुष सब पाशों या जालों से मुक्त हो कर अपने स्वाभाविक कैवल्य-पद को पहुँच जाता है। 'कैवल्य' शब्द का अर्थ है केवलता, अकेलापन, या प्रकृति के साथ संयोग न होना। पुरुष के इस नैसर्गिक या स्वाभाविक स्थिति को ही साख्य-शास्त्र में मोक्ष (मुक्ति या छुटकारा) कहते हैं। इस अवस्था के विषय में साख्य-वादियों ने एक बहुत ही नाजूक प्रश्न का विचार उपस्थित किया है। उनका प्रश्न है, कि पुरुष प्रकृति को छोड़ देता है, या प्रकृति पुरुष को छोड़ देती है? कुछ लोगो की समझ में यह प्रश्न वैसा ही निरर्थक प्रतीत होगा, जैसा यह प्रश्न कि दुलहे के लिये दुलहिन ऊँची है या दुलहिन के लिये दुलहा ठिगना है। क्योंकि जब दो वस्तुओं का एक दूसरे से वियोग होता है, तब हम देखते हैं, कि दानो एक दूसरे को छोड़ देती है। इसलिये ऐसे प्रश्न का विचार करने से कुछ लाभ नहीं है, कि किमने किसको छोड़ दिया। परन्तु कुछ अधिक सोचने पर मालूम हो जायगा, कि साख्यवादियों का उक्त प्रश्न उनकी दृष्टि से अयोग्य नहीं है। साख्यशास्त्र के अनुसार 'पुण्य' निर्गुण, अकर्ता और उदासीन है। इसलिये तत्त्वदृष्टि से 'छोड़ना' या पकड़ना क्रियाओं का कर्ता पुरुष नहीं हो सकता (गीता १३ ३१, ३२)। इसलिये साख्यवादी कहते हैं, कि प्रवृत्ति ही 'पुरुष' को छोड़ दिया करती है। अर्थात् वही 'पुरुष' से अपना छुटकारा या मुक्ति कर लेती है। क्योंकि कर्तृत्वधर्म 'प्रवृत्ति' ही का है (सा. भा. ६२ और गी. १३ ३४)। सारांश यह है, कि मुक्ति नाम की ऐसी कोई निराली अवस्था

नहीं है, जो 'पुरुष' को कहीं बाहर से प्राप्त हो जाती हो। अथवा यह कहिये, कि वह 'पुरुष' की मूल और स्वाभाविक स्थिति में कोई भिन्न स्थिति भी नहीं है। प्रकृति और पुरुष में वैसा ही सम्बन्ध है, जैसा कि घास के बाहरी छिलके और अन्दर के गूदे में रहता है; या जैसा पानी और उसमें रहनेवाली मछली में। सामान्य पुरुष प्रकृति के गुणों से मोहित हो जाते हैं; और अपनी यह स्वाभाविक भिन्नता पहचान नहीं सकते। इसी कारण वे सच्चार-चक्र में फँसे रहते हैं। परन्तु जो इस भिन्नता को पहचान लेता है, वह मुक्त ही है। महाभारत (शा. १९४. ५८; २४८. ११; और ३०६-३०८) में लिखा है, कि ऐसे ही पुरुष को 'ज्ञाता' या 'बुद्ध' और 'कृतकृत्य' कहते हैं। गीता के वचन "एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात्" (गी. १५.२०) में बुद्धिमान् शब्द का भी यही अर्थ है। अध्यात्मशास्त्र की दृष्टि से मोक्ष का सच्चा स्वरूप भी यही है (वे. सू. शा. भा. १. १. ४)। परन्तु सांख्यवादियों की अपेक्षा अद्वैत वेदान्तियों का विशेष कथन यह है, कि आत्मा ही में परब्रह्मस्वरूप है; और जब वह अपने मूलस्वरूप को अर्थात् परब्रह्म को पहचान लेता है, तब वही उसकी मुक्ति है। वे लोग वह कारण नहीं बतलाते, कि पुरुष निसर्गतः 'केवल' है। सांख्य और वेदान्त का यह भेद अगले प्रकरण में स्पष्ट रीति से बतलाया जायगा।

यद्यपि अद्वैत वेदान्तियों को साख्यवादियों की यह बात मान्य है, पुरुष (आत्मा) निर्गुण, उदासीन और अकर्ता है; तथापि वे लोग साख्यशास्त्र की 'पुरुष'-सम्बन्धि इस दूसरी कल्पना को नहीं मानते, कि एक ही प्रकृति को देखनेवाले (माक्षी) स्वतन्त्र पुरुष मूल में ही असंख्य हैं (गी. ८. ४; १३. २०-२२; म. भा. शां. ३५१; और वे. सू. शा. भा. २. १. १ देखो)। वेदान्तियों का कहना है, कि उपाधि-भेद के कारण सब जीव भिन्न भिन्न मालूम होते हैं, परन्तु वस्तुतः सब ब्रह्म ही है। साख्यवादियों का मत है, कि जब हम देखते हैं, कि प्रत्येक मनुष्य का जन्म, मृत्यु और जीवन अलग अलग है; और जब हम जगत् में हम यह भेद पाते हैं, कि कोई सुखी है तो कोई दुःखी है; तब मानना पड़ता है, कि प्रत्येक आत्मा या पुरुष मूल से ही भिन्न है, और उनकी संख्या भी अनन्त है (सा. का. १८)। केवल प्रकृति और पुरुष ही सब सृष्टि के मूलतत्त्व हैं सही; परन्तु उनमें से पुरुष शब्द में साख्यवादियों के मतानुसार "असंख्य पुरुषों के समुदाय" का समावेश होता है। इन असंख्य पुरुषों के और त्रिगुणात्मक प्रकृति के सयोग से सृष्टि का सब व्यवहार हो रहा है। प्रत्येक पुरुष और प्रकृति का जब सयोग होता है, तब प्रकृति अपने गुणों का जाला उस पुरुष के सामने फैलाती है; और पुरुष उसका उपभोग करता रहता है। ऐसा होते होते जिस पुरुष के चारों ओर की प्रकृति के खेल सात्त्विक हो जाते हैं, उस पुरुष को ही (सब पुरुषों को नहीं) सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है; और उस पुरुष के लिये ही प्रकृति के सब खेल बन्द हो जाते हैं; एवं वह अपने मूल तथा वैदिकपद को पहुँच जाता है। परन्तु यद्यपि उस पुरुष को मोक्ष मिल गया,

तो भी शेष सब पुरुषों को ससार में फँसे ही रहना पड़ता है। कदाचित् कोई यह समझें, कि ज्योंही पुरुष इस प्रकार कैवल्यपद को पहुँच जाता है, त्योंही वह एकदम प्रकृति के जाले से छूट जाता होगा। परन्तु सांख्यमत के अनुसार यह समझ गलत है। देह और इन्द्रियरूपी प्रकृति के विकार उस मनुष्य की मृत्यु तक उसे नहीं छोड़ते। सांख्यवादी इसका यह कारण बतलाते हैं, कि "जिस प्रकार कुम्हार का पहिया — घड़ा बन कर निकाल लिया जाने पर भी — पूर्वसंस्कार के कारण कुछ देर तक घूमता ही रहता है, उसी प्रकार कैवल्यपद की प्राप्ति हो जाने पर भी इस मनुष्य का शरीर कुछ समय तक शेष रहता है" (सा का ६७)। तथापि उस शरीर से, कैवल्यपद पर आसक्त होनेवाले पुरुष को कुछ भी अडचन या सुखदुःख की बाधा नहीं होती। क्योंकि, यह शरीर जड़ प्रकृति का विकार होने के कारण स्वयं जड़ ही है। इसलिये इसे सुखदुःख दोनों समान ही है, और यदि यह कहा जाय, कि पुरुष को सुखदुःख की बाधा होती है, तो यह भी ठीक नहीं। क्योंकि उसे मालूम है, कि मैं प्रकृति से भिन्न हूँ, सब कर्तृत्व प्रकृति का है, मेरा नहीं। ऐसी अवस्था में प्रकृति के मनमाने खेल हुआ करते हैं। परन्तु उसे सुखदुःख नहीं होता, और वह सदा उदासीन रहता है। जो पुरुष प्रकृति के तीनों गुणों से छूट कर यह ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेता, वह जन्म-मरण से छुट्टी नहीं पा सकता। चाहे वह सत्त्वगुण के उत्कर्ष के कारण देवयोनि में जन्म ले, या रजोगुण के कारण मानवयोनि में जन्म ले, या तमोगुण की प्रबलता के कारण पशु-कोटि में जन्म ले (सा का ४४, ५४)। जन्ममरणरूपी चक्र के ये फल प्रत्येक मनुष्य को उसके चारों ओर की प्रकृति अर्थात् उसकी बुद्धि के सत्त्व-रज-तम गुणों के उत्कर्ष के कारण प्राप्त हुआ करते हैं। गीता में भी कहा है, कि "ऊर्ध्वगच्छन्ति सत्त्वस्था" सात्त्विक वृत्ति के पुरुष स्वर्ग को जाते हैं, और तामस पुरुषों को अधोगति प्राप्त होती है (गीता १४ १८)। परन्तु स्वर्गादि फल अनित्य हैं। जिसे जन्म-मरण से छुट्टी पाना है, या सांख्यो की परिभाषा के अनुसार जिसे प्रकृति से अपनी भिन्नता अर्थात् कैवल्य चिरस्थायी रखना है, उसे त्रिगुणातीत हो कर विरक्त (संन्यस्त) होने के सिवा दूसरा मार्ग नहीं है। कपिलाचार्य को यह वैराग्य और ज्ञान जन्म से ही प्राप्त हुआ था, परन्तु यह स्थिति सब लोगों को जन्म ही से प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिये तत्त्व-विवेकरूप साधन से प्रकृति और पुरुष की भिन्नता को पहचान कर प्रत्येक पुरुष को अपनी बुद्धि शुद्ध कर लेने का यत्न करना चाहिये। ऐसे प्रयत्नों से जब बुद्धि सात्त्विक हो जाती है, तो फिर उसमें ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य आदि गुण उत्पन्न होते हैं, और मनुष्य को अन्त में कैवल्यपद प्राप्त हो जाता है। जिस वस्तु को पाने की मनुष्य इच्छा करता है, उसे प्राप्त कर लेने के योग्य सामर्थ्य को ही यहाँ ऐश्वर्य कहा है। सांख्यमत के अनुसार धर्म की गणना सात्त्विक गुण में ही की जाती है। परन्तु कपिलाचार्य ने अन्त में यह भेद किया है, कि केवल धर्म से स्वर्ग ही प्राप्त होता

है; और ज्ञान तथा वैराग्य (संन्यास) से मोक्ष या कैवल्यपद प्राप्त होता है; तथा पुरुष के दुःखों की आत्यन्तिक निवृत्ति हो जाती है।

जब देहेन्द्रियों और बुद्धि में पहले सत्त्वगुण का उत्कर्ष होता है; और जब धीरे धीरे उन्नति होते होते अन्त में पुरुष को यह ज्ञान हो जाता है, कि मैं त्रिगुणात्मक प्रकृति से भिन्न हूँ तब उसे सांख्यवादी 'त्रिगुणातीत' अर्थात् सत्त्व-रज-तम गुणों के परे पहुँचा हुआ कहते हैं। इस त्रिगुणातीत अवस्था में सत्त्व-रज-तम में से कोई भी गुण शेष नहीं रहता। कुछ सूक्ष्म विचार करने से मानना पड़ता है, कि वह त्रिगुणातीत अवस्था सात्त्विक, राजस और तामस इन तीनों अवस्थाओं से भिन्न है। इसी अभिप्राय से भागवत में भक्ति के तामस, राजस और सात्त्विक भेद करने के पश्चात् एक और चौथा भेद किया गया है। तीनों गुणों के पार हो जानेवाला पुरुष निर्हेतुक कहलाता है; और अभेदभाव से जो भक्ति की जाती है, उसे 'निर्गुण भक्ति' कहते हैं (भाग. ३. २९. ७-१४)। परन्तु सात्त्विक, राजस और तामस इन तीनों वर्गों की अपेक्षा वर्गीकरण के तत्त्वों को व्यर्थ अधिक बढ़ाना उचित नहीं है। इसलिये सांख्यवादी कहते हैं, कि सत्त्वगुण के अत्यन्त उत्कर्ष से ही अन्त में त्रिगुणातीत अवस्था प्राप्त हुआ करती है; और इसलिये वे इस अवस्था को गणना सात्त्विक वर्ग में ही करते हैं। गीता में भी यह मत स्वीकार किया गया है। उदाहरणार्थ, वहाँ कहा है, कि "जिस अभेदात्मक ज्ञान से यह मालूम हो, कि सब कुछ एक ही है, उसी को सात्त्विक ज्ञान कहते हैं" (गी. १८. २०)। इसके सिवा सत्त्वगुण के वर्णन के बाद ही, गीता में १४ वे अध्याय के अन्त में, त्रिगुणातीत अवस्था का वर्णन है। परन्तु भगवद्गीता को यह प्रकृति और पुरुषवाला द्वैत मान्य नहीं है। इसलिये ध्यान रखना चाहिये, कि गीता में 'प्रकृति', 'पुरुष', 'त्रिगुणातीत' इत्यादि सांख्यवादियों के पारिभाषिक शब्दों का उपयोग कुछ भिन्न अर्थ में किया गया है; अथवा यह कहिये, कि गीता में सांख्यवादियों के द्वैत पर अद्वैत परब्रह्म की 'छाप' सर्वत्र लगी हुई है। उदाहरणार्थ, सांख्यवादियों के प्रकृति-पुरुष भेद का ही गीता के १३ वे अध्याय में वर्णन है (गी. १३. १९-३४)। परन्तु वहाँ 'प्रकृति' और 'पुरुष' शब्दों का उपयोग क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अर्थ में हुआ है। इसी प्रकार १४ वे अध्याय में त्रिगुणातीत अवस्था का वर्णन (गी. १४. २२-२७) भी उस मिद्ध पुरुष के विषय में किया गया है; जो त्रिगुणात्मक माया के फन्दे से छूटकर उस परमात्मा को पहचानता है, कि जो प्रकृति और पुरुष के भी परे है। यह वर्णन सांख्यवादियों के उस मिद्धान्त के अनुसार नहीं है; जिसके द्वारा वे यह प्रतिपादन करते हैं, कि 'प्रकृति' और 'पुरुष' दोनों पृथक् पृथक् तत्त्व हैं; और पुरुष वा 'कैवल्य' ही त्रिगुणातीत अवस्था है। यह भेद आगे अध्यात्म-प्रकरण में अच्छी तरह समझा दिया गया है। परन्तु, गीता में यद्यपि अध्यात्म पक्ष ही प्रतिपादित किया गया है, तथापि आध्यात्मिक तत्त्वों का वर्णन करने समय भगवान् श्रीकृष्ण ने

साख्यपरिभाषा का और युक्तिवाद का हर जगह उपयोग किया है। इसलिये सम्भव है, की गीता पढते समय कोई यह समझ बैठे, कि गीता को साख्यवादियों के ही सिद्धान्त ग्राह्य है। इस भ्रम को हटाने के लिये ही साख्यशास्त्र और गीता के तत्सदृश सिद्धान्तों का भेद फिर से यहाँ बतलाया गया है। वेदान्तसूत्रों के भाष्य में श्रीशंकराचार्य ने कहा है, कि उपनिषदों के इस अद्वैत सिद्धान्त को न छोड़ कर—कि “प्रकृति और पुरुष के परे इस जगत् का परब्रह्मरूपी एक ही मूलभूत तत्त्व है, और उसी से प्रकृति पुरुष आदि सब सृष्टि की उत्पत्ति हुई है” — साख्यशास्त्र के शेष सिद्धान्त हमें अग्राह्य नहीं है (वे. सू. शा. भा. २. १. ३)। यही बात गीता के उपपादन के विषय में भी चरितार्थ होती है।

विश्व की रचना और संहार

गुणा गुणेषु जायन्ते तत्रैव निविशन्ति च । *

— महामारत, शांति. ३०५. २३

इस बात का विवेचन हो चुका, कि कापिलमांथ्य के अनुमार मंसार में जो दो स्वतन्त्र मूलतत्त्व — प्रकृति और पुरुष — हैं उनका स्वरूप क्या है, और जब इन दोनों का संयोग ही निमित्त कारण हो जाता है, तब पुरुष के मामले प्रकृति अपने गुणों का जाला कैसे फैलाया करती है; और उम जाने से हम को अपना छुटकारा किम प्रकार कर लेना चाहिये । परन्तु अब तक हम का स्पष्टीकरण नहीं किया गया, कि प्रकृति अपने जाने को (अथवा खेल, मंहार या ज्ञानेश्वर महाराज के शब्दों में “ प्रकृति को टकसाल ” को) किम क्रम में पुरुष के सामने फैलाया करती है; और उमका लय किम प्रकार हुआ करना है । प्रकृति के इस व्यापार ही को “ विश्व की रचना और संहार ” कहते हैं; और इसी विषय का विवेचन प्रस्तुत प्रकरण में किया जायगा । मांथ्यमत के अनुमार प्रकृति ने हम जगत् या सृष्टि को अमंथ्य पुरुषों के लाभ के लिये ही निर्माण किया है । ‘दामबोध’ में श्रीममथं रामदास स्वामी ने भी प्रकृति में सारे ब्रह्माण्ड के निर्माण होने का बहुत अच्छा वर्णन किया है । उमी वर्णन में “ विश्व की रचना और संहार ” शब्द हम प्रकरण में लिये गये हैं । इसी प्रकार, भगवद्गीता के सातवे और आठवे अध्यायों में मुख्यतः इसी विषय का प्रतिपादन किया गया है । और, ग्यान्हवें अध्याय के आरम्भ में अर्जुन ने श्रीकृष्ण से जो यह प्रार्थना की है, कि “ भवाप्ययी हि भूतानां श्रुती विस्तारशो मया ” (गीता ११. २) — भूतों की उत्पत्ति और प्रलय (जो आपने) विस्तारपूर्वक (घनलाया, उसको) मैंने सुना । अब मुझे अपना विश्वरूप प्रत्यक्ष दिखलाकर कृतार्थ कीजिये — उममें यह बात स्पष्ट हो जाती है, कि विश्व की रचना और संहार धर-अधर-विचार ही का एक मुख्य भाग है । ‘ज्ञान’ वह है, जिसमें यह बात मान्य हो जाती है, कि सृष्टि के अनेक (नाना) व्यक्त पदार्थों में एक ही अव्यक्त मूलद्रव्य है (गी. १८. २०); और ‘विज्ञान’ उमें कहते हैं, जिससे यह मान्य हो, कि एक ही मूलभूत अव्यक्त द्रव्य में भिन्न भिन्न अनेक पदार्थ किम प्रकार अलग अलग निमित्त हुए (गी. १३. ३०); और हम में न केवल धर-अधर-विचार ही का समावेश होना है, किन्तु क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ-ज्ञान और अध्यात्म-विषयों का भी समावेश हो जाता है ।

* “ गुणों से ही गुणों की उत्पत्ति होती है और उन्हीं में उनका लय हो जाता है । ”

भगवद्गीता के मतानुसार प्रकृति अपना खेल करने या सृष्टि का कार्य चलाने के लिये स्वतन्त्र नहीं है; किन्तु उसे यह काम ईश्वर की इच्छा के अनुसार करना पड़ता है (गी. ९. १०) । परन्तु, पहले बतलाया जा चुका है, कि कपिलाचार्य ने प्रकृति को स्वतन्त्र माना है । सांख्यशास्त्र के अनुसार, प्रकृति का संसार आरम्भ होने के लिये “पुरुष का संयोग” ही निमित्त-कारण बस हो जाता है । इस विषय में प्रकृति और किसी की अपेक्षा नहीं करती । सांख्यों का यह कथन है, कि ज्योंही पुरुष और प्रकृति का संयोग होता है, त्योंही उसकी टकसाल जारी हो जाती है । जिस प्रकार वसन्त-ऋतु में नये पत्ते दीख पड़ते हैं; और क्रमशः फूल और फल लगते हैं (म. भा. शां. २३१, ७३; मनु. १. ३०), उसी प्रकार प्रकृति की मूल साम्यावस्था नष्ट हो जाती है; और उसके गुणों का विस्तार होने लगता है । इसके विरुद्ध वेदसंहिता, उपनिषद् और स्मृति-ग्रन्थों में प्रकृति को मूल न मान कर परब्रह्म को मूल माना है; और परब्रह्म से सृष्टि की उत्पत्ति होने के विषय में भिन्न भिन्न वर्णन किये गये हैं; —“हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्” — पहले हिरण्यगर्भ (ऋ. १०. १२१. १) और इस हिरण्यगर्भ से अथवा सत्य से सब सृष्टि उत्पन्न हुई (ऋ. १०. ७२; १०. १९०); अथवा पहले पानी उत्पन्न हुआ (ऋ. १०. ८२. ६; तै. ब्रा. १. १. ३. ७; ऐ. उ. १. १. २), और फिर उससे सृष्टि हुई । इस पानी में एक अण्डा उत्पन्न हुआ और उससे ब्रह्मा उत्पन्न हुआ; ब्रह्मा से अथवा उस मूल अण्डे से ही सारा जगत् उत्पन्न हुआ (मनु. १. ८-१३; छां. ३. १९); अथवा वही ब्रह्मा (पुरुष) आधे हिस्से से स्त्री हो गया (वृ. १. ४, ३; मनु. १. ३२); अथवा पानी उत्पन्न होने के पहले ही पुरुष था (कठ. ४. ६) अथवा परब्रह्म से तेज, पानी और पृथ्वी (अन्न) यही तीन तत्त्व उत्पन्न हुए और पश्चात् उनके मिश्रण से सब पदार्थ बने (छां. ६. २-६) । यद्यपि उक्त वर्णनों में बहुत भिन्नता है; तथापि वेदान्तसूत्रों (२. ३. १-१५) में अन्तिम निर्णय यह किया गया है, कि आत्मरूपी मूलब्रह्म से ही आकाश आदि पंचमहाभूत क्रमशः उत्पन्न हुए हैं (तै. उ. २. १) । प्रकृति, महत् आदि तत्त्वों का भी उल्लेख कठ. (३. ११), मीत्रायणी (६. १०), श्वेताश्वतर (४. १०; ६. १६), आदि उपनिषदों में स्पष्ट रीती से किया गया है । इससे दीख पड़ेगा, कि यद्यपि वेदान्तमतवाले प्रकृति को स्वतन्त्र न मानते हैं, तथापि जब एक बार शुद्ध ब्रह्म ही में मायात्मक प्रकृतिरूप विकार दृग्गोचर होने लगता है तब, आगे सृष्टि के उत्पत्तिक्रम के सम्बन्ध में उनका और सांख्यमतवालों का अन्त में मेल हो गया; और इसी कारण महाभारत में कहा है, कि “इतिहास, पुराण, अर्थशास्त्र आदि में जो कुछ ज्ञान भरा है, वह सब सांख्यों से प्राप्त हुआ है” (शां. ३०१. १०८, १०९) उसका यह मतलब नहीं है, कि वेदान्तियों ने अथवा पौराणिकों ने यह ज्ञान कपिल से प्राप्त किया है; किन्तु यहाँ पर केवल इतना ही अर्थ अभिप्रेत है, कि सृष्टि के उत्पत्तिक्रम का ज्ञान सर्वत्र एक-सा दीख पड़ता है । इतना ही नहीं; किन्तु यह भी

कह जा सकता है, कि यहाँ पर सांख्य शब्द का प्रयोग 'ज्ञान' के व्यापक अर्थ ही में किया गया है। कपिलाचार्य ने सृष्टि के उत्पत्तिक्रम का वर्णन शास्त्रीय दृष्टि से विशेष पद्धतिपूर्वक किया है; और भगवद्गीता में भी विशेष करके इसी सांख्यिक्रम का स्वीकार किया गया है। इस कारण उसीका विवेचन इस प्रकरण में किया जायगा।

सांख्यों का सिद्धान्त है, कि इन्द्रियों को अगोचर अर्थात् अव्यक्त, सूक्ष्म और चारों ओर अखण्डित भरे हुए एक ही निरवयव मूलद्रव्य से सारी व्यक्त सृष्टि उत्पन्न हुई है। यह सिद्धान्त पश्चिमी देशों के अर्वाचीन आधिभौतिक शास्त्रज्ञों को ग्राह्य है। ग्राह्य ही क्यों, अब तो उन्होंने ने यह भी निश्चित किया है, कि इसी मूलद्रव्य की शक्ति का क्रमशः विकास होता आया है; और इस पूर्वापार क्रम को छोड़ अचानक या निरर्थक कुछ भी निर्माण नहीं हुआ है। इसी मत को उत्क्रान्तिवाद या विकास-सिद्धान्त कहते हैं। जब यह सिद्धान्त पश्चिमी राष्ट्रों में, गत शताब्दी में, पहले पहल दूँड निकाला गया, तब वहाँ बड़ी खलवली मच गई थी। ईसाई धर्म-पुस्तकों में वर्णन है, कि ईश्वर ने पंचमहाभूतों को और जंगमवर्ग के प्रत्येक प्राणी की जाति को भिन्न भिन्न समय पर पृथक् पृथक् और स्वतन्त्र निर्माण किया है; और इसी मत को उत्क्रान्तिवाद के पहले सब ईसाई लोग सत्य मानते थे। अतएव, जब ईसाई धर्म का उक्त सिद्धान्त उत्क्रान्तिवाद से असत्य ठहराया जाने लगा, तब उत्क्रान्तिवादियों पर खूब जोर से आक्रमण और कटाक्ष होने लगे। ये कटाक्ष आजकल भी न्यूनाधिक होते ही रहते हैं। तथापि, शास्त्रीय सत्य में अधिक शक्ति होने के कारण सृष्ट्युत्पत्ति के सम्बन्ध में सब विद्वानों को उत्क्रान्तिमत ही आजकल अधिक ग्राह्य होने लगा है। इस मत का सारांश यह है — सूर्यमाला में पहले कुछ एक ही सूक्ष्मद्रव्य था। उसकी गति अथवा उष्णता का परिणाम घटता गया। तब द्रव्य का अधिकाधिक संकोच होने लगा; और पृथ्वी समवेत सब ग्रह क्रमशः उत्पन्न हुए। अन्त में जो शेष अंश बचा, वही सूर्य है। पृथ्वी का भी सूर्य के सदृश पहले एक उष्ण गोला था। परन्तु ज्यों ज्यों उसकी उष्णता कम होती गई, त्यों त्यों मूलद्रव्यों में से कुछ द्रव्य पतले और कुछ घने हो गये। इन प्रकार पृथ्वी के ऊपर की हवा और पानी तथा उसके नीचे का पृथ्वी का जड़ गोला ये तीन पदार्थ बने; और इसके बाद, इन तीनों के मिश्रण अथवा संयोग से सब सजीव तथा निर्जीव सृष्टि उत्पन्न हुई है। डार्विन प्रभृति पण्डितों ने तो यह प्रतिपादन किया है, कि इसी तरह मनुष्य भी छोटे कीड़े से बढ़ते बढ़ते अपनी वर्तमान अवस्था में आ पहुँचा है। परन्तु अब तक आधिभौतिकवादियों में और अध्यात्मवादियों में इस बात पर बहुत मतभेद है, कि सारी सृष्टि के मूल में आत्मा जैसे किसी भिन्न और स्वतन्त्र तत्त्व को मानना चाहिये या नहीं। हेकेल के सदृश कुछ पण्डित यह मान कर, कि जड़ पदार्थों में ही बढ़ते आत्मा और चैतन्य की उत्पत्ति हुई, जडाद्वैत का प्रतिपादन करते हैं; और इसके विरुद्ध वाण्ट मरीखे अध्यात्मज्ञानियों का यह कथन है, कि हमें सृष्टि का जो ज्ञान होता है, वह हमारी आत्मा के एकीकरण व्यापार का फल है इसलिये

आत्मा को एक स्वतन्त्र तत्त्व मानना ही पड़ता है। क्यों कि यह कहना — कि जो आत्मा बाह्यसृष्टि का ज्ञाता है वह उसी सृष्टि का एक भाग है अथवा उस सृष्टि ही से वह उत्पन्न हुआ है — तर्कदृष्टि से ठीक वैसा ही असमजस या भ्रामक प्रतीत होगा, जैसे यह उक्ति कि हम स्वयं अपने ही कण्ठ पर बैठ सकते हैं। यही कारण है, कि साख्यशास्त्र में प्रकृति और पुरुष ये दो स्वतन्त्र तत्त्व माने गये हैं। सारांश यह है, कि आधिभौतिक सृष्टिज्ञान चाहे जितना बढ़ गया हो, तथापि अब तक पश्चिमी देशों में बहुतरे बड़े बड़े पण्डित यही प्रतिपादन किया करते हैं, कि सृष्टि के मूलतत्त्व के स्वरूप का विवेचन भिन्न पद्धति ही से किया जाना चाहिये। परन्तु, यदि केवल इतना ही विचार किया जाय, कि एक जड़ प्रकृति से आगे सब व्यक्त पदार्थ किस क्रम से बने हैं, तो पाठको को मालूम हो जायगा, कि पश्चिमी उत्क्रान्ति-मत में और साख्यशास्त्र में वर्णित प्रकृति के कार्य-सम्बन्धी तत्त्वों में कोई विशेष अन्तर नहीं है। क्योंकि इस मुख्य सिद्धान्त से दोनों सहमत हैं, कि अव्यक्त, सूक्ष्म और एक ही मूलप्रकृति से क्रमशः (सूक्ष्म और स्थूल) विविध तथा व्यक्त सृष्टि निर्मित हुई है। परन्तु अब आधिभौतिक शास्त्रों के ज्ञान की खूब वृद्धि हो जाने के कारण, साख्यवादियों के “सत्त्व, रज, तम” इन तीन गुणों के बदले, आधुनिक सृष्टिशास्त्रों ने गति, उष्णता और आकर्षणशक्ति को प्रधान गुण मान रखा है। यह बात सच है, कि “सत्त्व, रज, तम” गुणों की न्यूनाधिकता के परिमाणों की अपेक्षा, उष्णता अथवा आकर्षणशक्ति की न्यूनाधिकता की बात आधिभौतिकशास्त्र की दृष्टि से सरलतापूर्वक समझ में आ जाती है। तथापि गुणों के विकास अथवा गुणोत्कर्ष का जो यह तत्त्व है, कि “गुणा गुणेषु वर्तन्ते” (गी ३ २८), यह दोनों ओर समान ही है। साख्य-शास्त्रज्ञों का कथन है, कि जिस तरह मोड़दार पखे को धीरे धीरे खोलते हैं, उसी तरह सत्त्व-रज-तम की साम्यावस्था में रहनेवाली प्रकृति की तह जब धीरे धीरे खुलने लगती है, तब सब व्यक्त सृष्टि निर्मित होती है — इस कथन में और उत्क्रान्तिवाद में वस्तुतः कुछ भेद नहीं है। तथापि, यह भेद तात्त्विक धर्मदृष्टि से ध्यान में रखने योग्य है, कि ईसाई धर्म के समान गुणोत्कर्षतत्त्व का अनादर न करते हुए, गीता में और अशत उपनिषद् आदि वैदिक ग्रन्थों में भी, अद्वैत वेदान्त के साथ ही, साथ, बिना किसी विरोध के गुणोत्कर्षवाद स्वीकार किया गया है।

अब देखना चाहिये कि प्रकृति के विकास के विषय में साख्यशास्त्रकारों का क्या कथन है। इस क्रम ही को गुणोत्कर्ष अथवा गुणपरिणामवाद कहते हैं। यह बतलाने की आवश्यकता नहीं, कि कोई काम आरम्भ करने के पहले मनुष्य उसे अपनी बुद्धि से निश्चित कर लेता है, अथवा पहले काम करने की बुद्धि या इच्छा उसमें उत्पन्न हुआ करती है। उपनिषदों में भी इस प्रकार का वर्णन है, कि आरम्भ में मूल परमात्मा को यह बुद्धि या इच्छा हुई, कि हमें अनेक होना चाहिये — “बहु स्या प्रजायेय” — और इसके बाद सृष्टि उत्पन्न हुई (छा ६. २. ३; तै. २. ६)।

इसी न्याय के अनुसार अव्यक्त प्रकृति भी अपनी साम्यावस्था का भंग करके व्यक्त सृष्टि के निर्माण करने का निश्चय पहले कर लिया करती है। अतएव, सांख्यों ने यह निश्चित किया है, प्रकृति में "व्यवसायात्मिक बुद्धि" का गुण पहले उत्पन्न हुआ करता है। सारांश यह है, कि जिस प्रकार मनुष्य को पहले कुछ काम करने की इच्छा या बुद्धि हुआ करती है, उसी प्रकार प्रकृति को भी अपना विस्तार करने या पसारा पसारने की बुद्धि पहले हुआ करती है। परन्तु इन दोनों में बड़ा भारी अन्तर यह है, कि मनुष्य-प्राणी सचेतन होने के कारण — अर्थात् उसमें प्रकृति की बुद्धि के साथ अचेतन पुरुष का (आत्मा का) संयोग होने के कारण — वह स्वयं अपनी व्यवसायात्मिक बुद्धि को जान सकता है; और प्रकृति स्वयं अचेतन जड़ है; इसलिये उसको अपनी बुद्धि का कुछ ज्ञान नहीं रहता। यह अन्तर पुरुष के संयोग से प्रकृति में उत्पन्न होनेवाले चैतन्य के कारण हुआ करता है; यह केवल जड़ या अचेतन प्रकृति का गुण नहीं है। अर्वाचीन आधिभौतिक सृष्टिशास्त्रज्ञ भी अब कहने लगे हैं, कि यदि यह न माना जाय, कि मानवी इच्छा की बराबरी करनेवाली किन्तु अस्वयंवेद्य शक्ति जड़ पदार्थों में भी रहती है, तो गुरुत्वाकर्षण अथवा रसायन-क्रिया का और लोहचुम्बक का आकर्षण तथा अपसारण प्रभृति केवल जड़ सृष्टि में ही दृग्गोचर होनेवाले गुणों का मूल कारण ठीक ठीक बतलाया नहीं जा सकता। *आधुनिक सृष्टिशास्त्रज्ञों के उक्त मत पर ध्यान देने से सांख्यों का यह सिद्धान्त आश्चर्यकारक नहीं प्रतीत होता, कि प्रकृति में पहले बुद्धि-गुण का प्रादुर्भाव होता है। प्रकृति में प्रथम उत्पन्न होनेवाले इस गुणों को यदि आप चाहे, अचेतन अथवा अस्वयंवेद्य अर्थात् अपने आप को ज्ञात न होनेवाली बुद्धि कह सकते हैं। परन्तु, उसे चाहे जो कहें; इसमें सन्देह नहीं, कि मनुष्य को होनेवाली बुद्धि और प्रकृति को होनेवाली बुद्धि दोनों मूल में एक ही श्रेणी की हैं; और इसी कारण दोनों स्थानों पर उनकी व्याख्याएँ भी एक-ही-सी की गई हैं। उस बुद्धि के ही "महत्, ज्ञान, मति, आसुरी, प्रजा, ध्याति" आदि अन्य

* "Without the assumption of an atomic soul the commonest and the most general phenomena of Chemistry are inexplicable. Pleasure and pain, desire and aversion, attraction and repulsion must be common to all atoms of an aggregate; for the movements of atoms which must take place in the formation and dissolution of a chemical compound can be explained only by attributing to them *Sensation and Will*." — Haeckel in the *Perigenesis of the Plastidule* — cited in Martineau's *Types of Ethical Theory*, Vol. II, p. 399, 3rd Ed. Haeckel himself explains this statement as follows:—"I explicitly stated that I conceived the elementary psychic qualities of *Sensation and will* which may be attributed to atoms, to be *unconscious*—just as the unconscious as the elementary memory, which I, in common with the distinguished psychologist Ewald Hering, consider to be a common function of all organised matter, or more correctly the living substances." — *The Riddle of the Universe*, Chap. IX, p. 63 (R. P. A. Cheap Ed.).

नाम भी है। मालूम होता है, कि इनमें से 'महत्' (पुल्लिङ्ग कर्ता का एकवचन महान्-बडा) नाम इस गुण की श्रेष्ठता के कारण दिया गया होगा; अथवा इसलिये दिया गया होगा, कि अब प्रकृति बढ़ने लगती है। प्रकृति में पहले उत्पन्न होनेवाला महान् अथवा बुद्धि-गुण 'सत्त्व-रज-तम' के मिश्रण ही का परिणाम है। इसलिये प्रकृति की यह बुद्धि यद्यपि देखने में एक ही प्रतीत होती हो, तथापि यह आगे कई प्रकार की हो सकती है। क्योंकि ये गुण - सत्त्व, रज और तम - प्रथम दृष्टि से यद्यपि तीन हैं, तथापि विचार-दृष्टि से प्रकट हो जाता है, कि इनके मिश्रण में प्रत्येक गुण का परिणाम अनन्त रीति से भिन्न भिन्न हुआ करता है; और इसी लिये इन तीनों में से एक प्रत्येक गुण के अनन्त भिन्न परिणाम से उत्पन्न होनेवाली बुद्धि के प्रकार भी त्रिधात अनन्त हो सकते हैं। अव्यक्त प्रकृति से निर्मित होनेवाली यह बुद्धि भी प्रकृति के ही सदृश होती है। परन्तु पिछले प्रकरण में 'व्यक्त' और 'अव्यक्त' तथा 'सूक्ष्म' का जो अर्थ बतलाया गया है, उसके अनुसार यह बुद्धि प्रकृति के समान सूक्ष्म होने पर भी उसके समान अव्यक्त नहीं है - मनुष्य को इसका ज्ञान हो सकता है। अतएव, अब यह सिद्ध हो चुका, कि इस बुद्धि का समावेश व्यक्त में (अर्थात् मनुष्य को गोचर होनेवाले पदार्थों में) होता है; और सांख्यशास्त्र में, न केवल बुद्धि किन्तु बुद्धि के आगे प्रकृति के सब विकार भी व्यक्त ही माने जाते हैं। एक मूल प्रकृति के सिवा कोई भी अन्य तत्त्व अव्यक्त नहीं है।

इन प्रकार, यद्यपि अव्यक्त प्रकृति में व्यक्त व्यवसायात्मिक बुद्धि उत्पन्न हो जाती है, तथापि प्रकृति अब तक एक एक ही बनी रहती है। इस एकता का भंग होना और बहुसा-मन या विविधत्व का उत्पन्न होना ही पृथक्त्व कहलाता है। उदाहरणार्थ, पारे का जमीन पर गिरना और उसकी अलग अलग छोटी छोटी गोलियाँ बन जाना। बुद्धि के बाद जब तक यह पृथक्ता या विविधता उत्पन्न न हो, तब तक प्रकृति के अनेक पदार्थ हो जाना संभव नहीं। बुद्धि से आगे उत्पन्न होनेवाली पृथक्ता के गुण को ही 'अहंकार' कहते हैं। क्योंकि पृथक्ता 'मै-तू' शब्दों से ही प्रथम व्यक्त की जाती है; और 'मै-तू' का अर्थ ही अहंकार, अथवा अहं-अहं (मै-मै) करना है। प्रकृति में उत्पन्न होनेवाले अहंकार के इस गुण को यदि आप चाहे, तो अस्वय-वेद्य अर्थात् अपने आप को ज्ञात न होनेवाले अहंकार कह सकते हैं। परन्तु स्मरण रहे, कि मनुष्य में प्रकट होनेवाला अहंकार, और वह अहंकार कि जिसके कारण पेड़, पत्थर, पानी अथवा भिन्न भिन्न मूल परमाणु एक ही प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, - ये दोनों एक ही जाति के हैं। भेद केवल इतना ही है, कि पत्थर में चैतन्य न होने के कारण उसे 'अहं' का ज्ञान नहीं होता, और मुँह न होने के कारण 'मै-तू' कह कर स्वाभिमानपूर्वक वह अपनी पृथक्ता किसी पर प्रकट नहीं कर सकता। सारांश यह है, कि दूसरो से पृथक् रहने का - अर्थात् अभिमान या अहंकार का - तत्त्व सब जगह समान ही है। इस अहंकार ही को तैजस, अभिमान, भूतादि और धातु भी

कहते हैं। अहंकार बुद्धि ही का एक भाग है। इसलिये पहले जब तक बुद्धि न होगी, तब तक अहंकार उत्पन्न हो ही नहीं सकता। अतएव सांख्यों ने यह निश्चित किया है, कि 'अहंकार' यह दूसरा — अर्थात् बुद्धि के बाद का — गुण है। अब यह बतलाने की आवश्यकता नहीं, कि सात्त्विक, राजस और तामस भेदोंमें बुद्धि के समान अहंकार भी अनन्त प्रकार हो जाते हैं। इसी तरह उनके बाद के गुणों के भी प्रत्येक के त्रिधात अनन्त भेद हैं। अथवा यह कहिये, कि व्यक्त मृष्टि में प्रत्येक वस्तु के इसी प्रकार अनन्त सात्त्विक, राजस और तामस भेद हुआ करते हैं; और इसी सिद्धांत को लक्ष्य करके गीता में गुणत्रय-विभाग और श्रद्धात्रय-विभाग बतलाये गये हैं (गी. अ. १४. और १७)।

व्यवसायात्मिक बुद्धि और अहंकार, दोनों व्यक्त गुण जब मूल साम्यावस्था की प्रकृति में उत्पन्न हो जाते हैं, तब प्रकृति की एकता भंग हो जाती है। और उसमें अनेक पदार्थ बनने लगते हैं। तथापि उनकी सूक्ष्मता अब तक कायम रहती है। अर्थात्, यह कहना अयुक्त न होगा, कि अब नैयायिकों के सूक्ष्म परमाणुओं का आरंभ होता है। क्योंकि अहंकार उत्पन्न होने के पहले प्रकृति अखण्डित और निरवयव थी। बन्धुनः देखने में तो प्रतीत होना है, कि निरी बुद्धि और निरा अहंकार केवल गुण हैं। अतएव, उपर्युक्त सिद्धांतों में यह मनन्यव नहीं लेना चाहिये, कि वे (बुद्धि और अहंकार) प्रकृति के द्रव्य से पृथक् रहते हैं। वास्तव में बात यह है, कि जब मूल और अवयवरहित एक ही प्रकृति में इन गुणों का प्रादुर्भाव हो जाता है, तब उसी को विविध और अवयवसहित द्रव्यात्मक व्यक्त रूप प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार जब अहंकार से मूलप्रकृति में भिन्न भिन्न पदार्थ बनने की शक्ति आ जाती है, तब आगे उसकी वृद्धि की दो शाखाएँ हो जाती हैं। एक — पेड़, मनुष्य आदि सेंद्रिय प्राणियों की मृष्टि; और दुसरी, — निरिन्द्रिय पदार्थों की मृष्टि। यहाँ इन्द्रिय शब्द से केवल " इन्द्रियवान् प्राणियों के इन्द्रियों की शक्ति " इतना ही अर्थ लेना चाहिये। इसका कारण यह है, कि सेंद्रिय प्राणियों के जड़ देह का समावेश जड़ यानी निरिन्द्रिय मृष्टि में होना है; और इन प्राणियों का आत्मा 'पुरुष' नामक अन्य वर्ग में शामिल किया जाता है। इसी लिये सांख्यशास्त्र में सेंद्रिय मृष्टि का विचार करते समय, देह और आत्मा दो छोट केवट इन्द्रियों का ही विचार किया गया है। इस जगत् में सेंद्रिय और निरिन्द्रिय पदार्थों के अतिरिक्त किसी तीसरे पदार्थ का होना सम्भव नहीं! इसलिये बहने की आवश्यकता नहीं, कि अहंकार से दो से अधिक शाखाएँ निकल ही नहीं सकती। इनमें निरिन्द्रिय पदार्थों की अपेक्षा इन्द्रियशक्ति श्रेष्ठ है। इस लिये इन्द्रिय मृष्टि को सात्त्विक (अर्थात् मत्त्व गुण के उत्कर्ष से होनेवाली) कहते हैं; और निरिन्द्रिय मृष्टि को तामस (अर्थात् तमोगुण के उत्कर्ष से होनेवाली) कहते हैं। आरंभ यह है, कि जब अहंकार अपनी शक्ति के भिन्न भिन्न पदार्थ उत्पन्न करने लगता है, तब

उसी में एक वार तमोगुण का उत्कर्ष हो कर एक ओर पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ और मन मिल कर इन्द्रिय-सृष्टि की मूलभूत ग्यारह इन्द्रियाँ उत्पन्न होती हैं; और दूसरी ओर, तमोगुण का उत्कर्ष हो कर उससे निरिन्द्रिय-सृष्टि के मूलभूत पाँच तन्मात्रद्रव्य उत्पन्न होते हैं। परन्तु प्रकृति की सूक्ष्मता अब तक कायम रही है; इसलिये अहवार से उत्पन्न होनेवाले ये सोलह तत्त्व भी सूक्ष्म ही रहते हैं।*

शब्द, स्पर्श, रूप और रस की तन्मात्राएँ — अर्थात् विना मिश्रण हुए प्रत्येक गुण के भिन्न भिन्न अति सूक्ष्म मूलस्वरूप — निरिन्द्रिय-सृष्टि के मूलतत्त्व हैं; और मनसहित ग्यारह इन्द्रियाँ सेन्द्रिय-सृष्टि की बीज हैं। इस विषय की साख्यशास्त्र की उपपत्ति विचार करने योग्य है, कि निरिन्द्रिय-सृष्टि के मूलतत्त्व (तन्मात्र) पाँच ही क्यों और सेन्द्रिय-सृष्टि के मूलतत्त्व ग्यारह ही क्यों माने जाते हैं। अर्वाचीन सृष्टि-शास्त्रज्ञोंने सृष्टि के पदार्थों के तीन भेद — घन, द्रव और वायुरूपी — किये हैं, परन्तु साख्यशास्त्रकारों का वर्गीकरण इससे भिन्न है। उनका कथन है कि मनुष्य को सृष्टि के सब पदार्थों का ज्ञान केवल पाँच ज्ञानेन्द्रियों से हुआ करता है; और इन ज्ञानेन्द्रियों की रचना कुछ ऐसी विलक्षण है, कि एक इन्द्रिय को सिर्फ एक ही गुण का ज्ञान हुआ करता है। आँखों से सुगन्ध नहीं मालूम होती और न कान से दीखता ही है, त्वचा से मीठा-कड़ुवा नहीं समझ पड़ता और न जिह्वा से शब्दज्ञान ही होता है, नाक से सफेद और काले रंग का भेद भी नहीं मालूम होता। जब इस प्रकार पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ और उनके पाँच विषय — शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध — निश्चित हैं, तब यह प्रकृत है, कि सृष्टि के सब गुण भी पाँच से अधिक नहीं माने जा सकते। क्यों कि यदि हम कल्पना में यह मान भी लें, कि पाँच से अधिक हैं, तो कहना नहीं होगा, कि उनको जानने के लिये हमारे पास कोई साधन या उपाय नहीं है। इन पाँच गुणों में से प्रत्येक के अनेक भेद हो सकते हैं। उदाहरणार्थ, यद्यपि 'शब्द' — गुण एक ही है, तथापि उसके छोटा, मोटा, बर्बश, भद्दा, फटा हुआ, कोमल अथवा गायनशास्त्र के अनुसार निपाद, गान्धार, पङ्क आदि, और व्याकरणशास्त्रके अनुसार कण्ठ्य, तालव्य, ओष्ठ्य आदि अनेक हुआ करने हैं। इसी तरह यद्यपि 'रूप' एक ही गुण है, तथापि उसके भी अनेक भेद हुआ करते हैं, जैसे सफेद, काला, नीला, पीला, हरा, आदि। इसी तरह यद्यपि 'रस' या 'रसि' एक ही गुण है, तथापि उसने पट्टा, मीठा, तीखा,

* संक्षेप में यही अर्थ अन्वयेजी भाषा में इस प्रकार कहा जा सकता है —

The Primeval matter (*Pra-kṛiti*) was at first homogeneous. It resolved (*Buddhi*) to unfold itself, and by the principle of differentiation (*Ahaṅkāra*) became heterogeneous. It then branched off into Two Sections — one organic (*Sendriya*) and the other inorganic (*Nirindriya*). There are eleven elements of the organic and five of the inorganic creation. *Puruṣa* or the observer is different from all these and falls under none of the above categories

कड़ुवा, खारा आदि अनेक भेद हो जाते हैं। और, 'मिठास' यद्यपि एक विशिष्ट रुचि है, तथापि हम देखते हैं, कि गन्ने का मिठास, दूध का मिठास, गुड़ का मिठास और शक्कर का मिठास भिन्न भिन्न होता है; तथा इस प्रकार उम एक ही 'मिठास' के अनेक भेद हो जाते हैं। यदि भिन्न भिन्न गुणों के भिन्न भिन्न मिश्रणों पर विचार किया जाय, तो यह गुणवैचित्र्य अनन्त प्रकार से अनन्त हो सकता है। परन्तु चाहे जो हो; पदार्थों के मूलगुण पाँच से कभी अधिक हो नहीं सकते। क्यों कि इन्द्रियाँ केवल पाँच हैं, और प्रत्येक को एक ही एक गुण का बोध हुआ करता है। इसलिये सांख्यों ने यह निश्चित किया है, कि यद्यपि केवल शब्दगुण के अथवा केवल स्पर्शगुण के पृथक् पृथक् यानी दूसरे गुणों के मिश्रणरहित पदार्थ हमें दीख न पड़ते हों, तथापि इसमें सन्देह नहीं, की मूलप्रकृति में निरा शब्द, निरा स्पर्श, निरा रूप, निरा रस और निरा गन्ध है। अर्थात् शब्दतन्मात्र, स्पर्शतन्मात्र, रूपतन्मात्र, रसतन्मात्र और गन्धतन्मात्र ही हैं। अर्थात् मूलप्रकृति के ये ही पाँच भिन्न भिन्न सूक्ष्म तन्मात्रविकार अथवा द्रव्य निःसन्देह हैं। आगे इस बात का विचार किया गया है, कि पञ्चतन्मात्राओं अथवा उनसे उत्पन्न होनेवाले पंचमहाभूतों के सम्बन्ध में उपनिषत्कारों का कथन क्या है।

इस प्रकार निरिन्द्रिय-सृष्टि का विचार करके यह निश्चिन किया गया है, कि उममें पाँच ही मूलतत्त्व हैं। और जब हम सेन्द्रिय मृष्टि पर दृष्टि डालते हैं, तब भी यही प्रतीत होता है, कि पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ और मन, इन ग्यारह इन्द्रियों की अपेक्षा अधिक इन्द्रियाँ किसी के भी नहीं हैं। स्थूल देह में हाथपैर आदि इन्द्रियाँ यद्यपि स्थूल प्रतीत होती हैं, तथापि इनमें से प्रत्येक की जड़ में किसी मूल-सूक्ष्म-तत्त्व का अस्तित्व माने बिना इन्द्रियों की भिन्नता का यथोचित कारण मालूम नहीं होता। वे कहते हैं, कि मूल के अत्यन्त छोटे और गोलाकार जन्तुओं में सिर्फ 'त्वचा' ही एक इन्द्रिय होती है; और इस त्वचा से अन्य इन्द्रियाँ क्रमशः उत्पन्न होती हैं। उदाहरणार्थ, मूलजन्तु की त्वचा से प्रकाश का संयोग होने पर आँख उत्पन्न हुई, इत्यादि। आधिभौतिकवादियों का यह तत्त्व — कि प्रकाश आदि के संयोग से स्थूल-इन्द्रियों का प्रादुर्भाव होता है — सांख्यों को भी ग्राह्य है। महाभारत (शां. २१३.१६) में, साख्यप्रनिय्या के अनुसार इन्द्रियों के प्रादुर्भाव का वर्णन इस प्रकार पाया जाता है :-

शब्दरागात् श्रोत्रमस्य जायते भावितात्मनः ।

रूपरागान् तथा चक्षुः घ्राणं गन्धजिघृक्षया ॥

अर्थात् " प्राणियों के आत्मा को जब सुनने की भावना हुई, तब कान उत्पन्न हुआ; रूप पहचानने की इच्छा में आँख; सूँघने की इच्छा में नाक उत्पन्न हुई। " परन्तु सांख्यों का यह कथन है, कि यद्यपि त्वचा का प्रादुर्भाव पहले होता हो, तथापि मूलप्रकृति में ही यदि भिन्न भिन्न इन्द्रियों के उत्पन्न होने की शक्ति न हो, तो सजीव-

सृष्टि के अत्यन्त छोटे बीजों की त्वचा पर सूर्यप्रकाश का चाहे जितना आघात सयोग होता रहे, तो भी उन्हें आँखें — और वे भी शरीर के एक विशिष्ट भाग ही में — कैसे प्राप्त हो सकती हैं ? डाविन का सिद्धान्त सिर्फ यह आशय प्रकट करता है, कि दो प्राणियों — एक चक्षुवाला और दूसरा चक्षुरहित — के निर्मित होने पर, इस सृष्टि के बलह में चक्षुवाला अधिक समय तक टिक सकता है; और दूसरा शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। परन्तु पश्चिमी आधिभौतिक सृष्टिशास्त्रज्ञ इस बात का मूलकारण नहीं बतला सकते, कि नेत्र आदि भिन्न भिन्न इन्द्रियों की उत्पत्ति पहले हुई ही क्यों। साध्यों का मत यह है, कि ये सब इन्द्रियों किमी एक ही मूल इन्द्रिय से क्रमशः उत्पन्न नहीं होती; किन्तु जब अहकार के कारण प्रकृति में विविधता आरम्भ होने लगती है, तब पहले उस अहकार से (पाँच सूक्ष्म कर्मेन्द्रियाँ, पाँच सूक्ष्म ज्ञानेन्द्रियाँ और मन, इन सब को मिला कर) ग्यारह भिन्न भिन्न गुण (शक्ति) सब के सब एक साथ (युगपत्) स्वतन्त्र हो कर मूलप्रकृति में ही उत्पन्न होते हैं; और फिर इसके आगे स्थूल सेन्द्रिय सृष्टि उत्पन्न हुआ करती है। इन ग्यारह इन्द्रियों में से मन के बारे में पहले ही छठवे प्रकरण में बतला दिया गया है, कि वह ज्ञानेन्द्रियों के साथ सकल्प-विकल्पात्मक होता है; अर्थात् ज्ञानेन्द्रियों से ग्रहण किये गये संस्कारों की व्यवस्था करके वह उन्हें बुद्धि के सामने निर्णयार्थक उपस्थित करता है, कर्मेन्द्रियों के साथ वह व्याकरणात्मक होता है। अर्थात् उसे बुद्धि के निर्णक को कर्मेन्द्रियों के द्वारा अमल में लाना पड़ता है। इस प्रकार वह उभयविध, अर्थात् इन्द्रियभेद के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के काम करनेवाला होता है। उपनिषदों में इन्द्रियों को ही 'प्राण' कहा है; और साध्यों के मतानुसार उपनिषत्कारों का भी यही मत है, कि ये प्राण पञ्चमहाभूतात्मक नहीं हैं, किन्तु परमात्मा से पृथक् उत्पन्न हुए हैं (मुड. २. १. ३) इन प्राणों की — अर्थात् इन्द्रियों की — सख्या उपनिषदों में कही सात, कही दस, ग्यारह, बारह और कही कही तेरह बतलाई गई है। परन्तु वेदान्तसूत्रों के आधार से श्री शंकराचार्य ने निश्चित किया है, कि उपनिषदों के सब वाक्यों की एकरूपता करने पर इन्द्रियों की सख्या ग्यारह ही सिद्ध होती है (वे सू शांकरभाष्य २. ४. ५. ६)। और गीता में तो इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है, "इन्द्रियाणि दशैव च" (गीता १३ ५) — अर्थात् इन्द्रियाँ 'दस और एक' अर्थात् ग्यारह हैं। अब इस विषय पर साध्य और वेदान्त दोनों में कोई मतभेद नहीं रहा।

साध्यों के निश्चित किये हुए मत का सारांश यह है — सात्त्विक अहकार से सेन्द्रिय-सृष्टि की मूलभूत ग्यारह इन्द्रियशक्तियाँ (गुण) उत्पन्न होती हैं; और तामस अहकार से निरिन्द्रिय सृष्टि के मूलभूत पाँच तन्मात्रद्रव्य निर्मित होते हैं। इसके बाद पञ्चतन्मात्रद्रव्यों से क्रमशः स्थूल पञ्चमहाभूत (जिन्हें 'विशेष' भी कहते हैं) और स्थूल निरिन्द्रिय पदार्थ बनने लगते हैं; तथा, यथासम्भव इन पदार्थों का सयोग ग्यारह इन्द्रियों के साथ हो जाने पर सेन्द्रिय-सृष्टि बन जाती है।

साध्यमतानुसार प्रकृति में प्रादुर्भूत होनेवाले तत्त्वों का क्रम, जिसका वर्णन अब तक किया गया है, निम्न लिखित वंशवृक्ष में अधिक स्पष्ट हो जायगा :—

ब्रह्मांड का वंशवृक्ष

पुरुष → (दोनों स्वयंभू और अनादि) ← प्रकृति (अव्यक्त और सूक्ष्म)
(निर्गुण; पर्यायशब्द :- ज्ञ, द्रष्टा इ.) । (मत्त्व-रज-तमोगुणी; पर्यायशब्द :- प्रयान, अव्यक्त, माया, प्रभव-धर्मिणी आदि)

महान् अथवा बुद्धि (अव्यक्त और सूक्ष्म)
(पर्यायशब्द :- आसुरी, मति, ज्ञान, व्याप्ति इ.)

अहंकार (व्यक्त और सूक्ष्म)
(पर्यायशब्द :- अभिमान, तैजस आदि)

(मात्त्विक मृष्टि अर्थात् व्यक्त और सूक्ष्म इन्द्रियाँ) (तामस अर्थात् निरिन्द्रिय-सृष्टि)

पाँच बुद्धिन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, मन, पंचतन्मात्राएँ (सूक्ष्म)

विशेष या पंचमहाभूत (स्थूल)

स्थूल पञ्चमहाभूत और पुरुष को मिला कर कुल तत्त्वों की संख्या पचीस है। इनमें से महान् अथवा बुद्धि के बाद के तेईस गुण मूलप्रकृति के विकार हैं। किन्तु उनमें भी वह भेद है, कि सूक्ष्मतन्मात्राएँ और पाँच स्थूल महाभूत द्रव्यात्मक विकार हैं और बुद्धि, अहंकार तथा इन्द्रियाँ केवल शक्तियाँ या गुण हैं। ये तेईस तत्त्व व्यक्त हैं और मूलप्रकृति अव्यक्त है। सांख्यो ने इन तेईस तत्त्वों में से आकाशतत्त्व ही में दिक् और काल को भी सम्मिलित कर दिया है। वे 'प्राण' को भिन्न तत्त्व नहीं मानते। किन्तु जब जब इन्द्रियों के व्यापार आरम्भ होने लगते हैं, तब उसी को वे प्राण कहते हैं (सा. का. २९)। परन्तु वेदान्तियों को यह मत मान्य नहीं है। उन्होंने प्राण को स्वतन्त्र तत्त्व माना है (वे. सूत्र. २.४.९)। यह पहले ही बतलाया जा चुका है, कि वेदान्ती लोग प्रकृति और पुरुष को स्वयंभू और स्वतन्त्र नहीं मानते, जैसा कि साध्यमतानुयायी मानते हैं; किन्तु उनका कथन है, कि दोनों (प्रकृति और पुरुष) एक ही परमेश्वर की विभूतियाँ हैं। साध्य और वेदान्त के उन भेदों को छोड़ कर ग्रेप सृष्ट्युत्पत्ति प्रम दोनों पक्षों को ग्राह्य है। उदाहरणार्थ, महाभारत में अनुगीना में 'ब्रह्मवृक्ष' अथवा 'ब्रह्मवन' का जो दो बार वर्णन किया गया है (म. भा. अश्व. ३५. २०-२३ और ४७. १२-१५) वह साध्यतत्त्वों के अनुसार ही है—

अव्यक्तबीजप्रभवो बुद्धिस्त्वन्धमयो महान् ।

महाहंकारविटपः इन्द्रियान्तरकोटरः ॥

अकारह तत्त्वो सा लिङ्गशरीर (सूक्ष्म)

महाभूतविशाखश्च विशेषप्रतिशाखवान् ।
 सदापर्णः सदापुष्पः शुभाशुभफलोदयः ॥
 आजीव्यः सर्वभूतानां ब्रह्मवृक्षः सनातनः ।
 एयं छित्त्वा च भित्त्वा च तत्त्वज्ञानासिना बुधः ॥
 हित्त्वा सद्गमयान् पाशान् मृत्युजन्मजरोदयान् ।
 निर्ममो निरहंकारो मुच्यते नात्र संशयः ॥

अर्थात् “ अव्यक्त (प्रकृति) जिसका बीज है, बुद्धि (महान्) जिसका तना या पिड़ है, अहंकार जिसका प्रधान पल्लव है, मन और दस इन्द्रियाँ जिसकी अन्तर्गत खोखली या छोड़र है, (सूक्ष्म) महाभूत (पञ्चतन्मात्राएँ) जिसकी बड़ी बड़ी शाखाएँ हैं, और विशेष अर्थात् स्थूल महाभूत जिसकी छोटी छोटी टहनियाँ हैं, इसी प्रकार सदा पत्र, पुष्प और शुभाशुभ फल धारण करनेवाला, समस्त प्राणिमात्र के लिये आधारभूत यह सनातन वृहद् ब्रह्मवृक्ष है। ज्ञानी पुरुष को चाहिये कि वह उसे तत्त्वज्ञानरूपी तलवार से काट कर टूक टूक कर डाले; जन्म जरा और मृत्यु उत्पन्न करनेवाले सगमय पाशों को नष्ट करे और ममत्वबुद्धि तथा अहंकार को त्याग कर दे, वह निःसंशय मुक्त होता है।” संक्षेप में, यही ब्रह्मवृक्ष प्रकृति अथवा माया का ‘खेल’ ‘जाल’ या ‘पसारा’ है। अत्यन्त प्राचीन काल ही से — ऋग्वेदकाल ही से — इमे ‘वृक्ष’ कहने की रीति पड़ गई है; और उपनिषदों में भी उसको ‘सनातन अश्वत्थवृक्ष’ कहा है (कठ. ६. १)। परन्तु वेदों में इसका सिर्फ यही वर्णन किया गया है, कि उस वृक्ष का मूल (परब्रह्म) ऊपर है; और शाखाएँ (दृश्य-सृष्टि का फैलाव) नीचे हैं। इस वैदिक वर्णन को और सांख्यो के तत्त्वों को मिला कर गीता में अश्वत्थ वृक्ष का वर्णन किया गया है। इसका स्पष्टीकरण हमने गीता के १५ १-२ श्लोकों की अपनी टीका में कर दिया है।

ऊपर बतलाये गये पचीस तत्त्वों का वर्गीकरण साध्य और वेदान्ती भिन्न भिन्न रीती से किया करते हैं। अतएव यहाँ पर उस वर्गीकरण के विषय में कुछ लिखना चाहिये। साध्यों का यह कथन है, कि इन पचीस तत्त्वों के चार वर्ग होते हैं — अर्थात् मूलप्रकृति, प्रकृति-विकृति, विकृति और न-प्रकृति। (१) प्रकृति-तत्त्व किसी दूसरे से उत्पन्न नहीं हुआ है; अतएव उसे ‘मूलप्रकृति’ कहते हैं। (२) मूलप्रकृति से आगे बढ़ने पर जब हम दूसरी सीढ़ी पर आते हैं, तब ‘महान्’ तत्त्व का पता लगता है। यह महान् तत्त्व प्रकृति से उत्पन्न हुआ है; इसलिये वह “ प्रकृति की विकृति या विकार ” है। और इसके बाद महान् तत्त्व से अहंकार निकला है; अतएव ‘महान्’ अहंकार की प्रकृति अथवा मूल है। इस प्रकार महान् अथवा बुद्धि एक ओरसे अहंकार की प्रकृति या मूल है और दूसरी ओर से वह मूलप्रकृति की विकृति अथवा विकार है। इसीलिये साध्यों ने उसे ‘प्रकृति-विकृति’ नामक वर्ग में रखा; और इसी न्याय के

अनुसार अहकार तथा पञ्चतन्मात्राओं का समावेश भी 'प्रकृति-विकृति' वर्ग ही में किया जाना है। जो तत्त्व अथवा गुण स्वयं दूमरे में उत्पन्न (विकृति) हो, और आगे वही स्वयं अन्य तत्त्वों का मूलभूत (प्रकृति) हो जावे, उसे 'प्रकृति-विकृति' कहते हैं। इन वर्ग के मातृ तत्त्व ये हैं :- महान्, अहकार और पञ्चतन्मात्राएँ। (३) परन्तु पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, मन और सूक्ष्म-पञ्च-महाभूत, उन सोऽह तत्त्वों में फिर और अन्य तत्त्वों की उत्पत्ति नहीं हुई। किन्तु ये स्वयं दूमरे तत्त्वों से प्रादुर्भूत हुए हैं। अतएव इन सोऽह तत्त्वों को 'प्रकृति-विकृति' न कह कर केवल 'विकृति' अथवा विकार कहते हैं। (४) 'पुरुष' न प्रकृति है; और न विकृति। वह स्वतन्त्र और उदासीन द्रष्टा है। ईश्वरकृपा ने उस प्रकार वर्गीकरण करके फिर उसका स्पष्टीकरण यों किया है -

मूलप्रकृतिरविकृतिः महदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त ।

षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिर्न विकृतिः पुरुषः ।

अर्थात् " वह मूलप्रकृति अविकृति है - अर्थात् किसी का भी विकार नहीं है; महदादि मातृ (अर्थात् महत्, अहकार और पञ्चतन्मात्राएँ) तत्त्व प्रकृति-विकृति है; और मनसहित ग्याह् इन्द्रियाँ तथा सूक्ष्म पञ्चमहाभूत मिश्रकर सोऽह तत्त्वों को केवल विकृति अथवा विकार कहते हैं। पुरुष न प्रकृति है न विकृति " (मा. का. ३) । आगे इन्हीं पचीस तत्त्वों के और तीन भेद किये गये हैं - अव्यक्त, व्यक्त और ज । इनमें से केवल एक मूलप्रकृति ही अव्यक्त है; प्रकृति में उत्पन्न हुए तेरेम तत्त्व व्यक्त है, और पुरुष 'ज' है। ये दृष्ट मन्व्यों के वर्गीकरण के भेद। पुरुष, स्मृति, महाभाग्य आदि वैदिकमार्गीय ग्रन्थों में प्रायः उन्हीं पचीस तत्त्वों का उल्लेख पाया जाता है (मैत्र्यु ६. १०; मनु. १. १८, १५ देखो) । परन्तु, उपनिषदों में वर्णन किया गया है, कि ये सब तत्त्व परब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं, और वही उनका विशेष विवेचन या वर्गीकरण भी नहीं किया गया है। उपनिषदों के बाद जो ग्रन्थ हुए हैं, उनमें इनका वर्गीकरण किया हुआ दोष पड़ता है; परन्तु वह उपर्युक्त मान्यों के वर्गीकरण में मिश्र है। कुछ तत्त्व पचीस हैं। उनमें से सोऽह तत्त्व तो मात्प्रमन के अनुसार ही विचार अर्थात् दूमरे तत्त्वों में उत्पन्न हुए हैं। उस कारण उन्हें प्रकृति में अथवा मूलभूत पदार्थों के वर्ग में सम्मिलित नहीं कर सकते। जब ये नौ तत्त्व जो प्रकृति को छोड़ मातृ तत्त्वों को मान्यो ने प्रकृति-विकृति कहा है। परन्तु वेदान्तशास्त्र में प्रकृति को स्वतन्त्र न मान कर यह निदान्त निश्चित किया है, कि पुरुष और प्रकृति दोनों एक ही परमेश्वर से उत्पन्न होते हैं। उस निदान्त का मान लेने में, मान्यों के 'मूल-प्रकृति' और 'प्रकृति-विकृति' भेदों के लिये स्थान ही नहीं रह जाता। बसो कि प्रकृति भी परमेश्वर से उत्पन्न होने के कारण मूल नहीं कही जा सकती;

किन्तु वह प्रकृति-विकृति के ही वर्ग में शामिल हो जाती है। अतएव सृष्ट्युत्पत्ति का वर्णन करते समय वेदान्ती कहा करते हैं; कि परमेश्वर ही से एक ओर जीव निर्माण हुआ; दूसरी ओर (महदादि सात प्रकृति-विकृतिसहित) अष्टधा अर्थात् आठ प्रकार की प्रकृति निर्मित हुई (म. भां. शां. ३०६. २९ और ३१०. १० देखो)। अर्थात्, वेदान्तियों के मत से पचीस तत्त्वों में से सोलह तत्त्वों को छोड़ शेष नौ तत्त्वों के केवल दो ही वर्ग किये जाते हैं — एक 'जीव' और दूसरा 'अष्टधा प्रकृति' भगवद्गीता में वेदान्तियों का यह वर्गीकरण स्वीकृत किया गया है। परन्तु इसमें भी अन्त में थोड़ा-सा फर्क हो गया है। सांख्यवादी जिसे पुरुष कहते हैं, उसे ही गीता में जीव कहा है; और यह बतलाया है, कि वह (जीव) ईश्वर की "परा प्रकृति" अर्थात् श्रेष्ठ स्वरूप है; और सांख्यवादी जिसे मूलप्रकृति कहते हैं, उसे ही गीता में परमेश्वर का 'अपर' अर्थात् कनिष्ठ स्वरूप कहा गया है (गीता ७. ४-५) इस प्रकार पहले वो बड़े बड़े वर्ग कर लेने पर उनमें से दूसरे वर्ग के अर्थात् कनिष्ठ स्वरूप के जब और भी भेद या प्रकार बतलाने पड़ते हैं, तब इस कनिष्ठ स्वरूप के अतिरिक्त उससे उपजे हुए शेष तत्त्वों को भी बतलाना आवश्यक होता है। क्यों कि यह कनिष्ठ स्वरूप (अर्थात् सांख्यों की मूलप्रकृति) स्वयं अपना ही एक प्रकार या भेद हो नहीं सकता। उदाहरणार्थ, जब यह बतलाना पड़ता है, कि वाप के लड़के कितने हैं; तब उन लड़कों में ही वाप की गणना नहीं की जा सकती। अतएव परमेश्वर के कनिष्ठ स्वरूप के अन्य भेदों को बतलाने समय कहना पड़ता है, कि वेदान्तियों की अष्टधा प्रकृति में से मूलप्रकृति को छोड़ शेष सात तत्त्व ही (अर्थात् महान्, अहंकार और पञ्चतन्मात्राएँ) उस मूलप्रकृति के भेद या प्रकार हैं। परन्तु ऐसा करने से कहना पड़ेगा, कि परमेश्वर का कनिष्ठ स्वरूप (अर्थात् मूलप्रकृति) सात प्रकार का है; और ऊपर कह आये हैं, कि वेदान्ती तो प्रकृति अष्टधा अर्थात् आठ प्रकार की मानते हैं। अब इस स्थान पर यह विरोध दीख पड़ता है, कि जिस प्रकृति को वेदान्ती अष्टधा या आठ प्रकार की कहें, उसी को गीता सप्तधा या सात प्रकार की कहें। परन्तु गीताकार को अभीष्ट था, कि उक्त विरोध दूर हो जावे; और "अष्टधा प्रकृति" का वर्णन बना रहे। इसीलिये महान्, अहंकार और पञ्चतन्मात्राएँ, इन सातों में ही आठवे मनतत्त्व को सम्मिलित कर के गीता में वर्णन किया गया है, कि परमेश्वर का कनिष्ठ स्वरूप अर्थात् मूलप्रकृति अष्टधा है (गीता ७. ५)। इनमें से केवल मन ही में दस इन्द्रियो और पञ्चतन्मात्राओं में पञ्चमहाभूतों का मभावेष किया गया है। अब यह प्रतीत हो जायगा, कि गीतामें किया गया वर्गीकरण सांख्यों और वेदान्तियों के वर्गीकरण से यद्यपि कुछ भिन्न है, तथापि इससे कुल तत्त्वों की संख्या में कुछ न्यूनाधिक्य नहीं हो जाती। अब जगह तत्त्व पचीस ही माने गये हैं। परन्तु वर्गीकरण की उक्त भिन्नता के कारण किसी के मन में कुछ भ्रम न हो जाय, इसलिये ये तीनों वर्गीकरण कोष्टक के रूप में एकत्र करके आगे दिये गये हैं। गीता के तेरहवें अध्याय (१३. ५)

में वर्गीकरण के झगड़े में न पड़ कर, सांख्यो के पचीस तत्त्वों का वर्णन ज्या-कान्यो पृथक् पृथक् किया गया है, और इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है, कि चाहे वर्गीकरण में कुछ भिन्नता हो, तथापि तत्त्वों की संख्या दोनों स्थानों पर बराबर ही है।

पचीस मूलतत्त्वों का वर्गीकरण

सांख्य का वर्गीकरण । तत्त्व ।	वेदान्तियों का वर्गीकरण । गीता का वर्गीकरण		
न प्रकृति न विकृति	१ पुरुष	परब्रह्म का श्रेष्ठ म्यम्प	परा प्रकृति
मूलप्रकृति	१ प्रकृति		अपरा प्रकृति
७ प्रकृति-विकृति	१ महान्	परब्रह्म का कनिष्ठ	अपरा प्रकृति के
	१ अहकार	स्वरूप	आठ प्रकार
	५ तन्मात्राएँ	(आत्मा प्रकार का)	
१६ विकार	१ मन	विकार होनेके कारण	विकार होने के कारण,
	५ बुद्धीन्द्रियाँ	इन सोलह तत्त्वों को	गीता में इन पन्द्रह
	५ कर्मेन्द्रियाँ	वेदान्ती मूलतत्त्व	तत्त्वोंकी गणना मूल-
	५ महाभूत	नहीं मानते ।	तत्त्वों में नहीं की गई है ।
	२५		

यहाँ तक इस बात का विवेचन हो चुका, कि पहले मूलसांख्यवाद में रहने-वाली एक ही अवयवरहित जड़ प्रकृतिमें व्यक्तसृष्टि उत्पन्न करने की अस्वयवद्य 'बुद्धि' कैसे प्रकट हुई, फिर उसमें 'अहकार' ने अवयवरहित विविधता कैसे उपजा, और इसके बाद 'गुणों से गुण' इस गुणपरिणामवाद के अनुसार एक आत्मात्त्विक (अर्थात् मन्द्रिय) सृष्टि की मूलभूत ग्यारह इन्द्रियाँ तथा दूसरी ओर तामस (अर्थात् निरिन्द्रिय) सृष्टि की मूलभूत पाँच सूक्ष्मतन्मात्राएँ कैसे निर्मित हुईं। अब इसके बाद की सृष्टि (अर्थात् स्थूल पञ्चमहाभूतों या उनमें उत्पन्न होनेवाले अन्य जड़ पदार्थों) की उत्पत्ति के क्रम का वर्णन किया जावगा। सांख्यशास्त्र में सिर्फ यही कहा है, कि सूक्ष्मतन्मात्राओं में 'स्थूल पञ्चमहाभूत' अथवा 'विशेष', गुणपरिणाम के कारण, उत्पन्न हुए हैं। परन्तु वेदान्तशास्त्र के ग्रन्थों में इस विषय का अधिक विवेचन किया गया है, इसलिए प्रसंगानुसार उसका भी संक्षिप्त वर्णन — इस सूचना के साथ, कि यह वेदान्तशास्त्र का मत है, सांख्यो का नहीं — कर देना आवश्यक जान पड़ता है। "स्थूल पृथ्वी, पानी, तज, वायु और आकाश" का पञ्चमहाभूत अथवा विशेष कहते हैं। इनका उत्पत्तिक्रम तैत्तिरीयापनिषद् में इस प्रकार है — 'आत्मन आमाग सम्भूत । आकाशाद्वायु । वायारग्नि । अग्नराप । अदभ्य पृथिवी । पृथिव्या आपघय । इ" (तैत्तिरीय ३.१) — अर्थात् पहले परमात्मा से (जन्म-मूल-प्रकृति से नहीं, जैसा कि सांख्यवादियों का कथन है) आकाश, आकाश में वायु, वायु में अग्नि, अग्नि में पानी और फिर पानी में पृथ्वी उत्पन्न हुई है। तैत्तिरीयापनिषद् में यह

नहीं बतलाया गया, कि इस क्रम का कारण क्या है। परन्तु प्रतीत होता है, कि उत्तर-वेदान्तग्रन्थों में पञ्चमहाभूतों के उत्पत्तिक्रम के कारणों का विचार साध्यशास्त्रोक्त गुणपरिणाम के तत्त्व पर ही किया गया है। इन उत्तर-वेदान्तियों का यह कथन है, कि “गुणा गुणेषु वर्तन्ते” इस न्याय से पहले एक ही गुण का पदार्थ उत्पन्न हुआ। उससे दो गुणों के और फिर तीन गुणों के पदार्थ उत्पन्न हुए। इसी प्रकार वृद्धि होती गई। पञ्चमहाभूतों में से आकाश का मूच्छ एक गुण केवल शब्द ही है। इसलिये पहले आकाश उत्पन्न हुआ। इसके बाद वायु की उत्पत्ति हुई। क्योंकि उसमें शब्द और स्पर्श दो गुण हैं। जब वायु जोर से चलती है, तब उसकी आवाज सुन पड़ती है, और हमारी स्पर्शेन्द्रिय को भी उसका ज्ञान होता है। वायु के बाद अग्नि की उत्पत्ति होती है। क्योंकि शब्द और स्पर्श के अतिरिक्त उसमें तीसरा गुण (रूप) भी है। इन तीनों गुणों के साथ-ही-साथ पानी में चौथा गुण (रुचि या रस) होता है। इसलिये उसका प्रादुर्भाव अग्नि के बाद ही होना चाहिये। और अन्त में, इन चारों गुणों की अपेक्षा पृथ्वी में ‘गन्ध’ गुण विशेष होने से यह सिद्ध किया गया है, कि पानी के बाद ही पृथ्वी उत्पन्न हुई है। यास्काचार्य का यही सिद्धान्त है (निरुक्त १४.४)। तैत्तिरीयोपनिषद् में आगे चल कर कहा गया है, कि उक्त क्रम से स्थूल पञ्चमहाभूतों की उत्पत्ति हो चुकने पर फिर — “पृथिव्या औषधयः। औषधिभ्योज्जम्। अन्नात्पुरुषः।” पृथ्वी से वनस्पति, वनस्पति से अन्न और अन्न से पुरुष उत्पन्न हुआ (तै २.१)। यह सृष्टि पञ्चमहाभूतों के मिश्रण से बनती है। इसलिये इस मिश्रणक्रिया को वेदान्तग्रन्थों में ‘पञ्चीकरण’ कहते हैं। पञ्चीकरण का अर्थ “पञ्चमहाभूतों में से प्रत्येक के न्यूनाधिक भाग ले कर सब के मिश्रण से किसी नये पदार्थ का बनना” है। यह पञ्चीकरण, स्वभावतः अनेक प्रकार का हो सकता है। श्रीसमर्थ रामदासस्वामीने अपने ‘दासबोध’ में जो वर्णन किया है, वह भी इसी बात को सिद्ध करता है। देखिये : “काला और सफेद मिलाने से नीला बनता है, और काला और पीला मिलाने से हरा बनता है” (दा ९ ६ ४०)। पृथ्वी में अनन्त कोटि बीजों की जातियाँ होती हैं। पृथ्वी और पानी का मेल होने पर उन बीजों से अकुर निकलते हैं। अनेक प्रकार की बेलें होती हैं, पत्त-पुष्प होते हैं, और अनेक प्रकार के स्वादिष्ट फल होते हैं। अण्डज, जरायुज, स्वेदज, उद्भिज, सब का बीज पृथ्वी और पानी है। यही सृष्टि-रचना का अद्भुत चमत्कार है। इस प्रकार चार खानी, चार वाणी, चौरासी लाख*

* यह बात स्पष्ट है, कि चौरासी लाख योनियों की कल्पना पौराणिक है, और वह अन्दाज से की गई है। तथापि, वह निरी निराधार भी नहीं है। उक्तान्तितत्त्व के अनुसार पश्चिमी आधिभौतिकशास्त्री यह मानते हैं, कि सृष्टि के आरम्भ में उपस्थित एक छोटे से सजीव सूक्ष्म गोल जन्तु से मनुष्य प्राणी उत्पन्न हुआ। इस कल्पना से यह बात स्पष्ट है, कि सूक्ष्म गोल जन्तु का स्थूल गोल जन्तु बनने में, स्थूल जन्तु का पुनश्च छोटा कीड़ा होने में, छोटे कीड़े के बाद उसका अन्य प्राणी होने में, पृथक् योनि अर्थात् जात

में वर्गीकरण के झगड़े में न पड़ कर, सांख्यो के पचीस तत्त्वों का वर्णन ज्यों-का-त्यों पृथक् पृथक् किया गया है; और इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है, कि चाहे वर्गीकरण में कुछ भिन्नता हो; तथापि तत्त्वों की संख्या दोनों स्थानों पर बराबर ही है।

पचीस मूलतत्त्वों का वर्गीकरण

साध्यों का वर्गीकरण । तत्त्व ।	वेदान्तियों का वर्गीकरण ।	गीता का वर्गीकरण
न-प्रकृति न-विकृति	१ पुरुष	परब्रह्म का श्रेष्ठ स्वरूप परा प्रकृति
मूलप्रकृति	१ प्रकृति	अपरा प्रकृति
७ प्रकृति-विकृति	१ महान्	परब्रह्म का कनिष्ठ
	१ अहंकार	स्वरूप अपरा प्रकृति के आठ प्रकार
	५ तन्मात्राएँ	(आठ प्रकार का)
१६ विकार	१ मन	विकार होनेके कारण विकार होने के कारण,
	५ बुद्धीन्द्रियाँ	इन सोलह तत्त्वों को गीता में इन पन्द्रह
	५ कर्मेन्द्रियाँ	वेदान्ती मूलतत्त्व तत्त्वोंकी गणना मूल-
	५ महाभूत	नहीं मानते । तत्त्वों में नहीं की गई है ।
	२५	

यहाँ तक इस बात का विवेचन हो चुका, कि पहले मूलसाम्यावस्था में रहने-वाली एक ही अवयवरहित जड़ प्रकृतिमें व्यक्तमृष्टि उत्पन्न करने की अस्वयवेद्य 'बुद्धि' कैसे प्रकट हुई; फिर उसमें 'अहंकार' से अवयवसहित विविधता कैसे उपजी; और इसके बाद 'गुणो मे गुण' इस गुणपरिणामवाद के अनुसार एक और नात्त्विक (अर्थात् मेन्द्रिय) सृष्टि की मूलभूत म्यारह इन्द्रियाँ तथा दूमरी ओर तामस (अर्थात् निरिन्द्रिय) मृष्टि की मूलभूत पाँच सूक्ष्मतन्मात्राएँ कैसे निर्मित हुई। अब इसके बाद की सृष्टि (अर्थात् स्थूल पञ्चमहाभूतों या उनसे उत्पन्न होनेवाले अन्य जड़ पदार्थों) की उत्पत्ति के क्रम का वर्णन किया जावेगा। सांख्यशास्त्र में सिर्फ यही कहा है, कि सूक्ष्मतन्मात्राओं में 'स्थूल पञ्चमहाभूत' अथवा 'विशेष', गुणपरिणाम के कारण, उत्पन्न हुए हैं। परन्तु वेदान्तशास्त्र के ग्रन्थों में इन विषय का अधिक विवेचन किया गया है; इसलिए प्रमगानुसार उसका भी संक्षिप्त वर्णन — इस मूचना के साथ, कि यह वेदान्तशास्त्र का मत है, सांख्यो का नहीं — कर देना आवश्यक जान पड़ता है। "स्थूल पृथ्वी, पानी, तेज, वायु और आकाश" को पञ्चमहाभूत अथवा विशेष कहते हैं। इनका उत्पत्तिक्रम तैत्तिरीयोपनिषद् में इस प्रकार है :- "आत्मनः आसन्नः सम्भूतः। आकाशाद्वायुः। वायोरग्निः। अग्नेरापः। अदभ्यः पृथिवी। पृथिव्या ओषधयः। इ." (तै. उ. २. १) — अर्थात् पहले परमात्मा से (जड़-मूल-प्रकृति से नहीं; जैसा कि सांख्यवादियों का कथन है) आकाश, आकाश में वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से पानी और फिर पानी में पृथ्वी उत्पन्न हुई है। तैत्तिरीयोपनिषद् में यह

नही बतलाया गया, कि इस क्रम का कारण क्या है। परन्तु प्रतीत होता है, कि उत्तर-वेदान्तग्रन्थों में पञ्चमहाभूतों के उत्पत्तिक्रम के कारणों का विचार साध्यशास्त्रोक्त गुणपरिणाम के तत्त्व पर ही किया गया है। इन उत्तर-वेदान्तियों का यह कथन है, कि “गुणा गुणेषु वर्तन्ते” इस न्याय से पहले एक ही गुण का पदार्थ उत्पन्न हुआ। उससे दो गुणों के और फिर तीन गुणों के पदार्थ उत्पन्न हुए। इसी प्रकार वृद्धि होती गई। पञ्चमहाभूतों में से आकाश का मूद्य एकगुण केवल शब्द ही है। इसलिये पहले आकाश उत्पन्न हुआ। इनके बाद वायु की उत्पत्ति हुई। क्योंकि उसमें शब्द और स्पर्श दो गुण हैं। जब वायु जोर से चलती है, तब उमकी आवाज सुन पडती है, और हमारी स्पर्शेन्द्रिय को भी उसका ज्ञान होता है। वायु के बाद अग्नि की उत्पत्ति होती है। क्योंकि शब्द और स्पर्श के अतिरिक्त उसमें तीसरा गुण (रूप) भी है। इन तीनों गुणों के साथ-ही-साथ पानी में चौथा गुण (रुचि या रस) होता है। इसलिये उसका प्रादुर्भाव अग्नि के बाद ही होना चाहिये। और अन्त में, इन चारों गुणों की अपेक्षा पृथ्वी में ‘गन्ध’ गुण विशेष होने से यह सिद्ध किया गया है, कि पानी के बाद ही पृथ्वी उत्पन्न हुई है। यास्काचार्य का यही सिद्धान्त है (निरुक्त १४ ४)। तैत्तिरीयोपनिषद् में आगे चल कर कहा गया है, कि उक्त क्रम से स्थूल पञ्चमहाभूतों की उत्पत्ति हो चुकने पर फिर — “पृथिव्या औपघय । औपघिम्योऽन्नम् । अन्नात्पुरुष ।” पृथ्वी से वनस्पति, वनस्पति से अन्न और अन्न से पुरुष उत्पन्न हुआ (तै २ १)। यह सृष्टि पञ्चमहाभूतों के मिश्रण से बनती है। इसलिये इस मिश्रणक्रिया को वेदान्तग्रन्थों में ‘पञ्चीकरण’ कहते हैं। पञ्चीकरण का अर्थ “पञ्चमहाभूतों में से प्रत्येक के न्यूनाधिक भाग ले कर सब के मिश्रण से किसी नये पदार्थ का बनना” है। यह पञ्चीकरण, स्वभावतः अनेक प्रकार का हो सकता है। श्रीभर्म्य रामदासस्वामीने अपने ‘दासबोध’ में जो वर्णन किया है, वह भी इसी बात को सिद्ध करता है। देखिये : “काला और सफेद मिलाने से नीला बनता है, और काला और पीला मिलाने से हरा बनता है” (दा ९ ६ ४०)। पृथ्वी में अनन्त बीजों की जातियाँ होती हैं। पृथ्वी और पानी का मेल होने पर उन बीजों से अबुर निकलते हैं। अनेक प्रकार की बेलें होनी हैं, पत्त-पुष्प होने हैं, और अनेक प्रकार के स्वादिष्ट फल होते हैं। अण्डज, जरायुज, स्वेदज, उद्भिज, सब का बीज पृथ्वी और पानी है। यही सृष्टि-रचना का अद्भुत चमत्कार है। इस प्रकार चार खानी, चार बाणी, चौरासी लाख*

* यह बात स्पष्ट है, कि चौरासी लाख योनियों की कल्पना पौराणिक है, और वह अन्दाज से की गई है। तथापि, वह निरी निराधार भी नहीं है। उक्तान्तितत्त्व के अनुसार पश्चिमी आधिभौतिकशास्त्री यह मानते हैं, कि सृष्टि के आरम्भ में उपस्थित एक छोटे से सजीव सूक्ष्म गोल जन्तु से मनुष्य प्राणी उत्पन्न हुआ। इस कल्पना से यह बात स्पष्ट है, कि सूक्ष्म गोल जन्तु का स्थूल गोल जन्तु बनने में, स्थूल जन्तु का पुनश्च छोटा कीड़ा होने में, छोटे कड़ि के बाद उत्तम अन्य प्राणी होने में, पृथक् योनि अर्थात् जात

जीवयोनि, तीन लोक, पिण्ड, ब्रह्माण्ड सब निर्मित होते हैं (दा. १३.३. १०-१५) । परन्तु पञ्चीकरण से केवल जड़ पदार्थ अथवा जड़ शरीर ही उत्पन्न होते हैं । ध्यान रहे, कि जब इस जड़ देह का संयोग प्रथम सूक्ष्म इन्द्रियों से और फिर आत्मा से अर्थात् पुरुष से होता है, तभी इस जड़ देह से मचेतन प्राणी हो सकता है ।

यहाँ यह भी बतला देना चाहिये, कि उत्तर-वेदान्त-ग्रन्थों में वर्णित यह पञ्चीकरण प्राचीन उपनिषदों में नहीं है । छान्दोग्योपनिषद् में पाँच तन्मात्राएँ या पाँच महाभूत नहीं माने गये हैं, किन्तु कहा है, कि “ तेज, आप (पानी) और अन्न (पृथ्वी) ” इन्हीं तीन सूक्ष्म मूलतत्त्वों के मिश्रण से अर्थात् ‘त्रिवृत्करण’ से सब विविध सृष्टि बनी है । और, श्वेताश्वेतरोपनिषद् में कहा है कि, “ अजामेकां लोहित-शुक्लकृष्णा ब्रह्मोः प्रजाः सृजमानां मत्पाः ” (श्वेता. ४. ५) अर्थात् लाळ (तेजोरूप), सफेद (जलरूप) और काले (पृथ्वीरूप) रंगों की (अर्थात् तीन तत्त्वों की) एक अजा (बकरी) से नामरूपात्मक प्रजा (मृष्टि) उत्पन्न हुई । छान्दोग्योपनिषद् के छठवें अध्याय में श्वेतकेतु और उसके पिताका संवाद है । संवाद के आरम्भ में श्वेतकेतुके पिता ने स्पष्ट कह दिया है, कि “ अरे इस जगत् के आरम्भ में ‘ एकमेवाद्वितीयं सत् ’ के अतिरिक्त — अर्थात् जहाँ तहाँ सब एक ही और नित्य परब्रह्म के अतिरिक्त — और कुछ भी नहीं था । जो अमत् (अर्थात् नहीं है) उससे मत् कैसे उत्पन्न हो सकता है ? अतएव, आदि में सर्वत्र मत् ही व्याप्त था । इसके बाद उसे अनेक अर्थात् विविध होने की इच्छा हुई और उससे क्रमशः सूक्ष्म तेज (अग्नि), आप (पानी) और अन्न (पृथ्वी) की उत्पत्ति हुई । पश्चात् इन तीन तत्त्वों में ही जीवरूप से परब्रह्म

की अनेक पीढ़ियाँ बँत गई होंगी । इससे एक आंग्ल जीवनशास्त्रज्ञ ने गणित के द्वारा सिद्ध किया है, कि पानी में रहनेवाली छोटी छोटी मछलियों के गुणधर्मों का विकास होते होते उन्हीं को मनुष्यस्वरूप प्राप्त होने में, भिन्न भिन्न जातियों की लगभग ५३ लाख ७५ हजार पीढ़ियाँ बीत चुकी हैं; और सम्भव है, कि इन पीढ़ियों की संख्या कदाचित् इससे दस गुणी भी हो । ये हुई पानी में रहनेवाले जलचरों से ले कर मनुष्य तक की योनियाँ । अब यदि इनमें ही छोटे जलचरों से पहले के सूक्ष्म जन्तुओं का समावेश कर दिया जाय तो न मालूम कितने लाख पीढ़ियों की कल्पना करनी होगी । इससे मालूम हो जायगा, कि हमारे पुराणों में वर्णित चौरासी लाख योनियों की कल्पना की अपेक्षा आधिभौतिक शास्त्रज्ञों के पुराणों में वर्णित पीढ़ियों की कल्पना कहीं अधिक बढ़ी-चढ़ी है । कल्पनासम्बन्धी यह न्याय काल (समय) को भी उपयुक्त हो सकता है । भ्रमर्भगतजीव-शास्त्रज्ञों का कथन है, कि इस बात का स्थूलदृष्टि से निश्चय नहीं किया जा सकता, कि सर्जीवसृष्टि के सूक्ष्म जन्तु इस पृथ्वी पर कब उत्पन्न हुए । और सूक्ष्म जलचरों की उत्पत्ति तो कई करोड़ वर्षों के पहले हुई है । इस विषय का विवेचन *The Last Link* by Ernst Haeckel, with notes, etc. by Dr. H. Gadow (1898) नामक पुस्तक में किया गया है । डाक्टर गेडो ने इस पुस्तक में जो दो-तीन उपयोगी परिशिष्ट जोड़े हैं, उनमें ही उपर्युक्त बातें ली गई हैं । हमारे पुराणों में चौरासी योनियों की गिनती इस प्रकार की गई है — ९ लाख जलचर, १० लाख पक्षी, ११ लाख वृद्धि, २० लाख पशु, ३० लाख स्थावर और ४ लाख मनुष्य (दासबोध २०. ६ देखो) ।

का प्रवेश होने पर उनके त्रिवृत्करण से जगत् की अनेक नामरूपात्मक वस्तुएँ निर्मित हुई । स्थूल अग्नि, सूर्य या विद्युल्लता की ज्योति में, जो लाल (लोहित) रंग है, वह सूक्ष्म तेजोरूपी मूलतत्त्व का परिणाम है, जो सफेद (शुक्ल) रंग है, वह सूक्ष्म आप-तत्त्व का परिणाम है; और जो कृष्णकाला रंग है, वह सूक्ष्म पृथ्वी-तत्त्व का परिणाम है । इसी प्रकार मनुष्य जिस अन्न का सेवन करता है, उसमें भी सूक्ष्म तेज, सूक्ष्म आप और सूक्ष्म अन्न (पृथ्वी) ये ही तीन तत्त्व होते हैं । जैसे दही को मथने से मक्खन ऊपर आ जाता है, वैसे ही उक्त तीन सूक्ष्म तत्त्वों से बना हुआ अन्न जब पेट में जाता है, तब उसमें तेजतत्त्व के कारण मनुष्य के शरीर में स्थूल, मध्यम और सूक्ष्म परिणाम — जिन्हें क्रमशः अस्थि, मज्जा और वाणी कहते हैं — उत्पन्न हुआ करते हैं । इसी प्रकार आप अर्थात् जलतत्त्व से मूत्र, रक्त और प्राण; तथा अन्न अर्थात् पृथ्वीतत्त्व से चुरीप, मांस और मन ये तीन द्रव्य निर्मित होते हैं ” (छा. ६. २-६) । छान्दोग्योपनिषद् की यही पद्धति वेदान्त-सूत्रों (२. ४. २०) में भी कही गई है, कि मूल महाभूतों की संख्या पाँच नहीं, केवल तीन ही है; और उनके त्रिवृत्करण से सब दृश्य पदार्थों की उत्पत्ति भी मालूम की जा सकती है । वादरायणाचार्य तो पञ्चीकरण का नाम तक नहीं लेते । तथापि तैत्तिरीय (२. १), प्रश्न (४. ८), बृहदारण्यक (४. ४. ५) आदि अन्य उपनिषदों में, और विशेषतः श्वेताश्वतर (२. १२), वेदान्तसूत्र (२. ३. १-१४) तथा गीता (७. ४; १३. ५) में भी तीन के बदले पाँच महाभूतों का वर्णन है । गर्भोपनिषद् के आरम्भ ही में कहा है, कि मनुष्य देह ‘पञ्चात्मक’ है; और महाभारत तथा पुराणों में तो पञ्चीकरण का स्पष्ट वर्णन ही किया गया है (म. भा. शां. १८४-१८६) । इससे यही सिद्ध होता है, कि यद्यपि त्रिवृत्करण प्राचीन है, तथापि जड़ महाभूतों की संख्या तीन के बदले पाँच मानी जाने लगी, तब त्रिवृत्करण के उदाहरण ही से पञ्चीकरण की कल्पना का प्रादुर्भाव हुआ; त्रिवृत्करण पीछे रह गया । एव अन्त में पञ्चीकरण की कल्पना सब वेदान्तियों को ग्राह्य हो गई । आगे चल कर इसी पञ्चीकरण शब्द के अर्थ में यह बात भी शामिल हो गई, कि मनुष्य का शरीर केवल पञ्चमहाभूतों से ही नहीं बना है; किन्तु उन पञ्चमहाभूतों में से हर एक पाँच प्रकार से शरीर में विभाजित भी हो गया है । उदाहरणार्थ, त्वक्, मांस, अस्थि, मज्जा और स्नायु ये पाँच विभाग अन्नमय पृथ्वीतत्त्व के हैं, इत्यादि (म. भा. शां. १८४. २०-२५, और दासबोध १७.८ देखो) । प्रतीत होता है, कि यह कल्पना भी उपर्युक्त छान्दोग्योपनिषद् के त्रिवृत्करण के वर्णन से सूझ पड़ी है । क्योंकि वहाँ भी अन्तिम वर्णन यही है, कि “तेज, आप और पृथ्वी” इन तीनों में से प्रत्येक, तीन-तीन प्रकार से मनुष्य के देह में पाया जाता है ।

इस बात का विवेचन हो चुका, कि मूल अव्यक्त प्रकृति से अथवा वेदान्त-सिद्धान्त के अनुसार परब्रह्म से अनेक नाम और रूप धारण करनेवाले सृष्टि के अचेतन अर्थात् निर्जीव या जड़ पदार्थ कैसे बने हैं । अब इसका विचार करना

चाहिये, कि मृष्टि के मचेतन अर्थात् मजीब प्राणियों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में शास्त्रशास्त्र का विशेष कथन क्या है; और फिर यह देखना चाहिये, कि वेदान्त-शास्त्र के सिद्धान्तों में उमका वहाँ तक मेल है। जब मूलप्रकृति में प्रादुर्भूत पृथ्वी आदि स्थूल पञ्चमहाभूतों का मयोग सूक्ष्म इन्द्रियों के माथ होता है, तब उसमें मजीब प्राणियों का शरीर बनता है। परन्तु यद्यपि यह शरीर मेन्द्रिय हो, तथापि वह जट ही रहता है। इन इन्द्रियों को प्रेरित करनेवाला तत्त्व जट प्रकृति में मिश्र होता है, जिसे 'पुरष' कहते हैं। माय्यों के इन सिद्धान्तों का वर्णन पिछले प्रकरण में किया जा चुका है, कि यद्यपि मूल में 'पुरष' अमर्ता है, तथापि प्रकृति के माथ उमना संयोग होने पर सजीव मृष्टि का आरम्भ होता है; और "मै प्रकृति में निम्न हूँ" यह ज्ञान हो जाने पर पुरष का प्रकृति से मयोग छूट जाता है; तथा वह मुक्त हो जाता है। यदि ऐसा नहीं होता, तो जन्म-मरण के चक्कर में उसे घुमना पडता है। परन्तु इम बात का विवेचन नहीं किया गया, कि जिम 'पुरष' की प्रकृति और 'पुरष' की भिन्नता का ज्ञान हुए बिना ही हो जाती है, उमनों नये जन्म कैसे प्राप्त होने हैं। अतएव यही विषय का कुछ अधिक विवेचन करना आवश्यक जान पडता है। यह स्पष्ट है, कि जो मनुष्य बिना ज्ञान प्राप्त किये ही मर जाता है, उमका आत्मा प्रकृति के चत्र से मदा के लिये छूट नहीं सकता। क्योंकि यदि ऐसा हों, तो ज्ञान अथवा पाप-पुण्य का कुछ भी महत्त्व नहीं रह जायगा। और फिर चार्वाक के मतानुसार यह कहना पडेगा। कि मृत्यु के बाद हर एम मनुष्य प्रकृति के पदे में छूट जाता है - अर्थात् वह मोक्ष पा जाता है। अच्छा; यदि यह कहें, कि मृत्यु के बाद केवल आत्मा अर्थात् पुरष बच जाता है; और वही स्वयं नये नये जन्म लिया करता है तो यह मूलभूत सिद्धान्त - कि पुरष अमर्ता और उदासीन है, और नव वर्तुत्व प्रकृति ही का है - मिथ्या प्रतीत होने लगता है। इमने सिवा जब हम यह मानते हैं, कि आत्मा स्वयं ही नये नये जन्म लिया करता है, तब वह उमका गुण या धर्म हो जाता है। और तब तो ऐसी अनवस्था प्राप्त हो जाती है, कि वह जन्म-मरण के आवगमन में कभी छूट ही नहीं सकता। इमलिये यह सिद्ध होता है, कि यदि बिना ज्ञान प्राप्त किये कोई मनुष्य मर जाय तो भी आगे नया जन्म प्राप्त कर देने के लिये उमने आत्मा में प्रकृति का सम्बन्ध अवश्य रहना ही चाहिये। मृत्यु के बाद स्थूल देह का नाश हो जाया करता है। इमलिये यह प्रकट है, कि अब उमन सम्बन्ध स्थूल महाभूतान्मक प्रकृति के माथ नहीं रह सकता। परन्तु यह नहीं कहा जा सकता, कि प्रकृति केवल स्थूल पञ्चमहाभूतों ही में बनी है। प्रकृति में कुछ तेईम तत्त्व उत्पन्न होते हैं, और स्थूल पञ्चमहाभूत उन तेईम में से अन्तिम पाँच हैं। इन अन्तिम पाँच तन्वों (स्थूल पञ्चमहाभूतों) को तेईम तन्वों में से अलग करने पर अठारह तत्त्व शेष रहते हैं। अतएव अब यह कहना चाहिये, कि जो पुरष बिना ज्ञान प्राप्त किये ही मर जाता है; वह यद्यपि पञ्चमहाभूतान्मक स्थूल-गरीर में - अर्थात् अन्तिम पाँच

तत्त्वों से - छूट जाता है, तथापि इस प्रकार की मृत्यु से प्रकृति के अन्य अठारह तत्त्वों के साथ उसका सम्बन्ध कभी छूट नहीं सकता। वे अठारह तत्त्व ये हैं :- महान् (बुद्धि), अहंकार, मन, दस इन्द्रियाँ और पाँच तन्मात्राएँ (इस प्रकरण में दिया गया ब्रह्माण्ड का वंशवृक्ष, पृष्ठ १८० देखिये)। ये सब तत्त्व सूक्ष्म हैं। अतएव इन तत्त्वों के साथ पुरुष का संयोग स्थिर हो कर जो शरीर बनता है, उसे स्थूलशरीर के विरुद्ध सूक्ष्म अथवा लिङ्गशरीर कहते हैं (सा. का. ४०)। जब कोई मनुष्य विना ज्ञान प्राप्त किये ही मर जाता है, तब मृत्यु के समय उसके आत्मा के साथ ही प्रकृति के उक्त अठारह तत्त्वों से बना हुआ यह लिङ्गशरीर भी स्थूल देह से बाहर हो जाता है। और जब तक उस पुरुष को ज्ञान की प्राप्ति हो नहीं जाती, तब उस लिङ्गशरीर ही के कारण उसको नये नये जन्म लेने पड़ते हैं। इस पर कुछ लोगो का यह प्रश्न है, कि मनुष्य की मृत्यु के बाद जीव के साथ साथ इस जड़ देह में बुद्धि, अहंकार, मन और दस इन्द्रियों के व्यापार भी, नष्ट होते हुए हमें प्रत्यक्ष में दीख पड़ते हैं। इस कारण लिङ्गशरीर में इन तेरह तत्त्वों का समावेश किया जाना तो उचित है; परन्तु इन तेरह तत्त्वों के साथ पाँच सूक्ष्म तन्मात्राओं का भी समावेश लिङ्गशरीर में क्यों किया जाना चाहिये? इस पर सांख्यों का उत्तर यह है, कि ये तेरह तत्त्व-निरी बुद्धि, निरा अहंकार, मन और दस इन्द्रियाँ - प्रकृति के केवल गुण हैं। और, जिस तरह छाया को किसी-न-किसी पदार्थ का - तथा चित्र को दीवार, कागज आदि का - आश्रय आवश्यक है; उसी तरह इन गुणात्मक तेरह तत्त्वों को भी एकत्र रहने के लिये किसी द्रव्य के आश्रय की आवश्यकता होती है। अब आत्मा (पुरुष) स्वयं निर्गुण और अकर्ता है; इसलिये वह स्वयं किसी भी गुण का आश्रय हो नहीं सकता। मनुष्य की जीवितावस्था में उसके शरीर के स्थूल पञ्चमहाभूत ही इन तेरह तत्त्वों के आश्रयस्थान हुआ करते हैं - परन्तु मृत्यु के बाद अर्थात् स्थूल शरीर के नष्ट हो जाने पर स्थूल पञ्चमहाभूतों का यह आधार छूट जाता है। तब उस अवस्था में इन तेरह गुणात्मक तत्त्वों के लिये किसी अन्य द्रव्यात्मक आश्रय की आवश्यकता होती है। यदि मूलप्रकृति ही को आश्रय मान ले, तो वह अव्यक्त और अविकृत अवस्था को - अर्थात् अनन्त और सर्वव्यापी होने के कारण - एक छोटे-से लिङ्गशरीर के अहंकार, बुद्धि आदि गुणों का आधार नहीं हो सकती। अतएव मूलप्रकृति के ही द्रव्यात्मक विकारों में से, स्थूल-पञ्चमहाभूतों के बदले उसके मूलभूत पाँच सूक्ष्म तन्मात्र-द्रव्यों का समावेश उपर्युक्त तेरह गुणों के साथ-ही-साथ उनके आश्रयस्थान की दृष्टि से लिङ्गशरीर में करना पड़ता है (सा. का. ४१)। बहुतेरे सांख्य ग्रन्थकार, लिङ्गशरीर और स्थूलशरीर के बीच एक और तीसरे शरीर (पञ्चतन्मात्राओं से बने हुए) की कल्पना करके प्रतिपादन करते हैं, कि यह तीसरा शरीर लिङ्गशरीर का आधार है। परन्तु हमारा मत यह है, कि यह सांख्यकारिका की इकतालीसवीं आर्या का यथार्थ भाव वैसा नहीं है। टीकाकारों ने भ्रम से तीसरे शरीर की कल्पना की है। हमारे

मतानुसार उस आर्षा का उद्देश सिर्फ़ इम बात का कारण बतलाना ही है, कि बुद्धि आदि तेरह तत्त्वों के साथ पञ्चतन्मात्राओं का भी समावेश लिगशरीर में क्यों किया गया । इमके अतिरिक्त अन्य कोई हेतु नहीं है ।*

बुछ विचार करने से प्रतीत हो जायगा, कि सूक्ष्म अठारह तत्त्वों के साख्योक्त लिगशरीर में और उपनिषदों में वर्णित लिगशरीर में विशेष भेद नहीं है । बृहदारण्य-कोपनिषद् में कहा है, कि — “जिम प्रकार जोक (जलायुका) घास के तिनके छोर तक पहुँचने पर दूसरे तिनके पर (सामने के पैरो से) अपने शरीर का अग्रभाग रखती है; और फिर पहले तिनके पर से अपने शरीर के अन्तिम भाग को खीच लेती है; उसी प्रकार आत्मा एक शरीर छोड़ कर दूसरे शरीर में जाता है” (वृ. ४. ४. ३) । परन्तु केवल इस दृष्टान्त से ये दोनों अनुमान सिद्ध नहीं होते, कि निरा आत्मा ही दूसरे शरीर में जाता है । और वह भी एक शरीर से छूटते ही चला जाता है । क्योंकि बृहदारण्यकोपनिषद् (४. ४. ५) में आगे चल कर यह वर्णन किया गया है, कि आत्मा के साथ साथ पाँच (सूक्ष्म) भूत, मन, इन्द्रिया, प्राण और धर्माधर्म भी शरीर में बाहर निकल जाते हैं । और यह भी कहा है, कि आत्मा को अपने धर्म के अनुसार भिन्न भिन्न लोक प्राप्त होते हैं । एवं वहाँ उमे बुछ कालपर्यंत निवास करना पड़ता है (वृ. ६. २. १४ और १५) । इसी प्रकार, छान्दोग्योपनिषद् में भी आप (पानी) मूलतत्त्व के साथ जीव की जिम गति का वर्णन किया है (छान्दो. ५. ३. ३ : ५. ९. १) उससे और वेदान्तमूत्रों में उनके अर्थ का जो निर्णय किया गया है (वे. सू. ३. १-१-७) उससे यह स्पष्ट हो जाता है, कि लिगशरीर में — पानी, तेज और अन्न — इन तीनों मूलतत्त्वों का समावेश किया जाना छान्दोग्योपनिषद् को भी अभिप्रेत है । साराश, यही दीख पड़ता है, कि महदादि अठारह सूक्ष्मतत्त्वों से बने हुए साख्यों के ‘लिगशरीर’ में ही प्राण और धर्माधर्म अर्थात् धर्म को भी शामिल कर देने से वेदान्तमतानुसार लिगशरीर हो जाता है । परन्तु साख्यशास्त्र के अनुसार प्राण का समावेश ग्यारह इन्द्रियों की वृत्तियों में ही, और धर्म-अधर्म का समावेश बुद्धीन्द्रियों के व्यापार में ही हुआ करता है । अतएव उक्त भेद के विषय में यह

* भट्ट कुमारिलडूत ‘मीमांसाशौकवातिक’ ग्रन्थ के एक से (आत्मवाद, श्लोक ६२) देग पड़ेगा, कि उन्होंने इस आर्षा का अर्थ हमारे अनुसार ही किया है । वह श्लोक यह है :-

अन्तरामवदेहो हि नेष्यते विन्ध्यवामिना ।

तदस्त्रिखे प्रमाणं हि न किंचिद्वगम्यते ।

“अन्तरामव अर्थात् लिगशरीर और स्थूलशरीर के बीचवाले शरीर से विन्ध्यवासी सहमत नहीं है । यह मानने के लिये कोई प्रमाण नहीं है, कि उक्त प्रकार का कोई शरीर है ।” ईश्वरदृष्टि विन्ध्याचल पर्वत पर रहता था, इसलिये उसको विन्ध्यवासी कहा है । अन्तरामवशरीर को ‘गन्धर्व’ भी कहते हैं — अमरकोश ३, ३. १३२. और उसपर श्री. कृष्णाजी गोविन्द ओकद्वारा प्रकाशित शीरस्वामी की टीका तथा उस ग्रन्थ की प्रस्तावना पृष्ठ ८ देखो ।

कहा जा सकता है, कि वह केवल शाब्दिक है - वस्तुतः लिङ्गशरीर के घटकावयव के सम्बन्ध में वेदान्त और सांख्यमतों में कुछ भी भेद नहीं है। इसी लिये मैत्र्युपनिषद् (६. १०) में "महदादि सूक्ष्मपर्यंत" यह सांख्योक्त लिङ्गशरीर का लक्षण "महदाद्यविशेषान्तं" इस पर्याय से ज्यों-का-त्यों रख दिया है।* भगवद्गीता (१५. ७) में पहले यह बतला कर, कि "मनःपष्ठानीन्द्रियाणि" - मन और पाँच ज्ञानेन्द्रियों ही का सूक्ष्म शरीर होता है - आगे ऐसा वर्णन किया है, 'वायुर्गन्धानिवाशयात्' (१५. ८) - जिस प्रकार हवा फूलों की सुगन्ध को हर लेती है, उसी प्रकार जीव स्थूलशरीर का त्याग करते समय इस लिङ्गशरीर को अपने साथ ले जाता है। तथापि, गीता में जो अध्यात्म-ज्ञान है, वह उपनिषदों ही में से लिया गया है। इसलिये कहा जा सकता है, कि "मनसहित छः इन्द्रियाँ" इन शब्दों में ही पाँच कर्मेन्द्रियाँ, पञ्चतन्मात्राएँ, प्राण और पाप-पुण्य का संग्रह भगवान् को अभिप्रेत है। मनुस्मृति (१२. १६, १७) में भी यह वर्णन किया गया है, कि मरने पर मनुष्य को, इस जन्म में किये हुए पाप-पुण्य का फल भोगने के लिये, पञ्चतन्मात्रात्मक सूक्ष्मशरीर प्राप्त होता है। गीता के "वायुर्गन्धानिवाशयात्" इस दृष्टान्त से केवल इतना ही सिद्ध होता है, कि यह शरीर सूक्ष्म है। परन्तु उससे यह नहीं मालूम होता, कि उसका आकार कितना बड़ा है। महाभारत के सावित्री-उपाख्यान में यह वर्णन पाया जाता है, कि सत्यवान् के (स्थूल) शरीर में से अँगूठे के बराबर एक पुरुष को यमराज ने बाहर निकाला - "अंगुष्ठमात्रं पुरुषं निश्चकर्प यमो वलात्" (म. भा. वन. २९७. १६)। इससे प्रतीत होता है, कि दृष्टान्त के लिये ही क्यों न हो लिङ्गशरीर अँगूठे के आकार का माना जाता था।

इस बात का विवेचन हो चुका, कि यद्यपि लिङ्गशरीर हमारे नेत्रों को गोचर नहीं है, तथापि उसका अस्तित्व किन अनुमानों से सिद्ध हो सकता है, और उस शरीर के घटकावयव कौन-से हैं। परन्तु केवल यह कह देना ही यथेष्ट प्रतीत नहीं होता, कि प्रकृति और पाँच स्थूल-महाभूतों के अतिरिक्त अठारह तत्त्वों के

* आनन्दाश्रम, पूना, से प्रकाशित द्वात्रिंशदुपनिषदों की पौथी मैत्र्युपनिषद् में उपर्युक्त गन्त्र का "महदाद्यं विशेषान्तं" पाठ है; और उसी को टीकाकार ने भी माना है। यदि यह पाठ लिया जाय, तो लिङ्गशरीर में आरम्भ के महत्त्व का समावेश करके विशेषान्त पद से सूचित विशेष अर्थात् पञ्चमहाभूतों को छोड़ देना पड़ता है। यानी, यह अर्थ करना पड़ता है, कि महदाद्यं में से महत् को ले लेना और विशेषान्तं में से विशेष को छोड़ देना चाहिये। परन्तु जहाँ आद्यन्त का उपयोग किया जाता है, वहाँ उन दोनों को छोड़ना युक्त होता है। अतएव प्रो. डॉयसेन का कथन है, कि महादाद्यं पद के अन्तिम अक्षर का अनुस्वार निकालकर 'महदाद्य-विशेषान्तम्' (महदादि+अविशेषान्तम्) पाठ कर देना चाहिये। ऐसा करने पर अविशेष पद बन जाने से, महत् और अविशेष अर्थात् आदि और अन्त दोनों को भी एक ही न्याय पर्याप्त होगा; और लिङ्गशरीर में दोनों का समावेश किया जा सकेगा। यही इस पाठ का विशेष गुण है। परन्तु स्मरण रहे, कि पाठ कोई भी लिया जाय, अर्थ में भेद नहीं पड़ता।

ओर तीन सौ वर्ष का, द्वापर के पहले और वाद प्रत्येक ओर दो सौ वर्ष का, कलियुग के पूर्व तथा अनन्तर प्रत्येक ओर सौ वर्ष का सन्धिकाल होता है। सब मिला कर चारों युगों का आदि-अन्त-सहित सन्धिकाल दो हजार वर्ष का होता है। ये दो हजार वर्ष और पहले बतलाये हुए सांख्यमतानुसार चारों युगों के दस हजार वर्ष मिला कर कुछ बारह हजार वर्ष होते हैं। ये बारह हजार वर्ष मनुष्यों के हैं या देवताओं के ? यदि मनुष्यों के माने जायें, तो कलियुग का आरम्भ हुए पाँच हजार वर्ष बीत चुकने के कारण यह कहना पड़ेगा, कि हजार मानवी वर्षों का कलियुग पूरा हो चुका। उसके बाद फिर से आनेवाला कृतयुग भी समाप्त हो गया; और हमने अब त्रेतायुग में प्रवेश किया है ! यह विरोध मिटाने के लिये पुराणों में निश्चित किया है, कि ये बारह हजार वर्ष देवताओं के हैं। देवताओं के बारह हजार वर्ष, मनुष्यों के $३६० \times १२००० = ४३२०,०००$ (तीतालीस लाख बीस हजार) वर्ष होते हैं। वर्तमान पंचांगों का युग-परिणाम इसी पद्धति से निश्चित किया जाता है। (देवताओं के) बारह हजार वर्ष मिल कर मनुष्यों का एक महायुग या देवताओं का युग होता है। देवताओं के इकहत्तर युगों को मन्वन्तर कहते हैं; और ऐसे मन्वन्तर चौदह हैं। परन्तु पहले मन्वन्तर के आरम्भ तथा अन्त में, और आगे चलकर प्रत्येक मन्वन्तर के आखिर में दोनों ओर कृतयुग की बराबरी के एक एक ऐसे १५ सन्धिकाल होते हैं। ये पन्द्रह सन्धिकाल और चौदह मन्वन्तर मिल कर देवताओं के एक हजार युग अथवा ब्रह्मदेव का एक दिन होता है (सूर्यसिद्धान्त १. १५-२०); और मनुस्मृति तथा महाभारत में लिखा है, कि ऐसे ही हजार युग मिल कर ब्रह्मदेव की रात होती है (मनुस्मृति १. ६९-७३ और ७९; म. भा. शां. २३१. १८-३१ और यास्क का निरुक्त १४.९ देखो)। इस गणना के अनुसार ब्रह्मदेव का एक दिन मनुष्यों के चार अब्ज बत्तीस करोड़ वर्ष के बराबर होता है; और इसी का नाम है कल्प।* भगवद्गीता (८. १८ और ९. ७) में कहा है, कि जब ब्रह्मदेव के इस दिन अर्थात् कल्प का आरम्भ होता है तब :-

अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे ।

राव्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके ॥

“अव्यक्त से सृष्टि के सब पदार्थ उत्पन्न होने लगते हैं; और जब ब्रह्मदेव की रात्रि आरम्भ होती है, तब सब व्यक्त पदार्थ पुनश्च अव्यक्त में लीन हो जाते हैं।” स्मृतिग्रन्थ और महाभारत में भी यही बतलाया है। इसके अतिरिक्त पुराणों में अन्य प्रलयों का भी वर्णन है; परन्तु इन प्रलयों में सूर्य-चन्द्र आदि सारी सृष्टि का

* ज्योति-शास्त्र के आधार पर दुग्गादिगणना का विचार स्वर्गीय शंकर बाळकृष्ण दीक्षित ने अपने 'भारतीय ज्योति-शास्त्र' नामक (मराठी) ग्रंथ में किया है, पृ. १०३-१०५; १३३ इ. देसो।

नाश नहीं हो जाता; इसलिये ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति और संहार का विवेचन करते समय इनका विचार नहीं किया जाता। कल्प ब्रह्मदेव का एक दिन अथवा रात्रि है; और ऐसे ३६० दिन तथा ३६० रात्रियाँ मिल कर ब्रह्मदेव का एक वर्ष होता है। इसी से पुराणादिकी (विष्णुपुराण १. ३) में यह वर्णन पाया जाता है, कि ब्रह्मदेव की आयु उनके सौ वर्ष की है। उसमें से आधी बीत गई। शेष आयु के अर्थात् इक्यावनवे वर्ष के पहले दिन का अथवा श्वेतवाराह नामक कल्प का अब आरम्भ हुआ है; और इस कल्प के चौदह मन्वन्तरो में से छ मन्वन्तर बीत चुके, तथा सातवे (अर्थात् वैवस्वत) मन्वन्तर के ७१ महायुगो में से २७ महायुग पूरे हो गये। एव अब २८ वे महायुग के कलियुग का प्रथम अर्थात् चतुर्थ भाग जारी है। सवत् १९५६ (शक १८२१) में इस कलियुग के ठीक ५००० वर्ष बीत चुके। इस प्रकार गणित करने से मालूम होगा, कि इस कलियुग का प्रलय होने के लिये सवत् १९५६ में मनुष्य के ३ लाख ९१ हजार वर्ष शेष थे, फिर वर्तमान मन्वन्तर के अन्त में अथवा वर्तमान कल्प के अन्त में होनेवाले महाप्रलय की बात ही क्या। मानवी चार अब्ज बत्तीस करोड़ वर्ष का जो ब्रह्मदेव का दिन इस समय जारी है, उसका पूरा मध्याह्न भी नहीं हुआ। अर्थात् सात मन्वन्तर भी जब तक नहीं बीते हैं।

सृष्टि की रचना और संहार का जो अब तक विवेचन किया गया, वह वेदान्त के—और परब्रह्म को छोड़ देने से सांख्यशास्त्र के तत्त्वज्ञान के आधार पर किया गया है। इसलिये सृष्टि के उत्पत्तिक्रम की इसी परम्परा को हमारे शास्त्रकार सदैव प्रमाण मानते हैं, और यही क्रम भगवद्गीता में भी दिया हुआ है। इस प्रकरण के आरम्भ ही में बतला दिया गया है, कि सृष्ट्युत्पत्तिक्रम के बारे में कुछ भिन्न भिन्न विचार पाये जाते हैं। जैसे श्रुतिस्मृतिपुराणों में कही कही कहा है, कि प्रथम ब्रह्मदेव या हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुआ, अथवा पहले पानी उत्पन्न हुआ और उसमें परमेश्वर के बीज से एक सुवर्णमय अण्डा निर्मित हुआ। परन्तु इन सब विचारों को गौण तथा उपलक्षणात्मक समझ कर जब उनकी उपपत्ति बतलाने का समय आता है तब यही कहा जाता है, कि हिरण्यगर्भ अथवा ब्रह्मदेव ही प्रकृति है। भगवद्गीता (१४. ३) में त्रिगुणात्मक प्रकृति ही को ब्रह्म कहा है—“मम योनिर्महत् ब्रह्म।” और भगवान् ने यह भी कहा है, कि हमारे बीज से इस प्रकृति में त्रिगुणों के द्वारा अनेक मूर्तियाँ उत्पन्न होती हैं। अन्य स्थानों में ऐसा वर्णन है, कि ब्रह्मदेव से आरम्भ में दक्षप्रभृति सात मानसपुत्र अथवा मनु उत्पन्न हुए; और उन्होंने आगे सब चरअचर सृष्टि को निर्माण किया (म. भा. आ. ६५-६७; म. भा. शा. २०. ७; मनु. १. ३४-६३); और इसी वा गीता में भी एक बार उल्लेख किया गया है (गीता. १०. ६)। परन्तु वेदान्तग्रन्थ यह प्रतिपादन करते हैं, कि इन सब भिन्न भिन्न वर्णनों में ब्रह्मदेव को ही प्रकृति मान लेने से उपर्युक्त तात्त्विक सृष्ट्युत्पत्तिक्रम से मेल हो जाता है; और यही न्याय अन्य स्थानों में भी उपयोगी हो सक्ता

समुच्चय मे लिंगशरीर निर्माण होना है । इसमें कोई मन्देह नहीं, कि जहाँ जहाँ लिंगशरीर रहेगा, वहाँ वहाँ इन अठारह तत्त्वों का समुच्चय अपने अपने गुण धर्म के अनुसार माता-पिता के म्यूलाशरीर में से तथा आगे म्यूला-मृष्टि के अन्त में, हस्तपाद आदि म्यूला अवयव या म्यूला-इन्द्रियाँ उत्पन्न करेगा; अथवा उनका पोषण करेगा । परन्तु अब यह धनयाना चाहिये, कि अठारह तत्त्वों के समुच्चय ने बना हुआ लिंगशरीर पशु, पक्षी, मनुष्य जाति भिन्न भिन्न देह क्यों उत्पन्न करता है । मज्जीव मृष्टि के मन्वेतन तन्त्र को मान्यवादी 'पुरुष' कहते हैं, और माध्यमता-नुसार ये पुरुष चाहे अमध्य भी हो, तथापि प्रत्येक पुरुष स्वभावतः उदासीन तथा अकर्ता है । इसीसे पशु-पक्षी आदि प्राणियों के भिन्न भिन्न शरीर उत्पन्न करने का कर्तृत्व पुरुष के हिस्से में नहीं आ सकता । वेदान्तशास्त्र में कहा है, कि पाप-पुण्य आदि कर्मों के परिणाम से ये भेद उत्पन्न हुआ करते हैं । इस कर्म-विपाक का विवेचन आगे चर्च कर किया जायगा । मान्यशास्त्र के अनुसार कर्म को (पुरुष और प्रकृति में भिन्न) नोमग तत्त्व नहीं मान सकते, और जब कि पुरुष उदासीन ही है, तब कहना पड़ना है, कि कर्म प्रकृति के मत्त्व-रज-तमोगुणों का ही विचार है । लिंगशरीर में जिन अठारह तत्त्वों का समुच्चय है, उनमें से बुद्धितन्त्र प्रदान है । इसका कारण यह है, कि बुद्धि ही से आगे अहंकार जादि मत्रह तन्त्र उत्पन्न होते हैं । अर्थात् निम्ने वेदान्त में कर्म कहते हैं, उसी को मान्यशास्त्र में मन्त्र-रज-तम गुणों के न्यूनाधिक परिणाम से उत्पन्न होनेवाला बुद्धि आपार-ग्रमं या विकार कहते हैं । इन धर्म का नाम 'भाव' है । मन्त्र-रज-तम गुणों के तागतम्य से ये 'भाव' कई प्रकार के हो जाते हैं । निम्न प्रकार पूर में मुगन्त्र तथा कपटे में रग लिपटा रहता है, उसी प्रकार लिंगशरीर में ये भाव भी लिपटे रहते हैं । (सा का ४०) । इन भावों के अनुसार, अथवा वेदान्त-परिभाषा में कर्म के अनुसार, लिंगशरीर नये नये जन्म लिया करता है, और जन्म के समय, माता पिताओं के शरीरों में से जिन द्रव्यों को वह आकर्षित किया करता है, उन द्रव्यों में भी दूसरे भाव आ जाया करते हैं । " देवयोनि, मनुष्ययोनि, पशुयोनि तथा वृजयानि " व मत्र भेद इन भावों की समुच्चयता के ही परिणाम हैं । (सा का ८३-५५) । इन सब भावों में मान्त्रिक गुण का उत्कर्ष कारण जान से जब मनुष्य को ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होती है, और उसने कारण प्रकृति और पुरुष की भिन्नता समझ में जान लेती है, तब मनुष्य अपने मूलस्वरूप अर्थात् केवल्यवाद का पट्टेन जाना है, और तब तब लिंगशरीर छूट जाता है । एव मनुष्य के दुःखा का पूर्णतया निवारण हो जाता है । परन्तु प्रकृति और पुरुष की भिन्नता का ज्ञान न होते हुए, यदि केवल मान्त्रिक गुण ही का उत्कर्ष हो, तो लिंगशरीर दैवयानि में अर्थात् स्वर्ग में जन्म लेता है; रजोगुण को प्रकृता हा, तो मनुष्ययानि में अर्थात् पृथ्वी पर पैदा होता है, और तमागुण की अधिकता हो जाने से उस तिमयानि में प्रवेश करना पड़ना है (गी १४ १८)

“गुणा गुणेषु जायन्ते” इस तत्त्व के ही आधार पर सांख्यशास्त्र में वर्णन किया गया है, कि मानवयोनि में जन्म होने के बाद रेत-विन्दु में क्रमानुसार कलल, बुद्बुद, मांस, पेशी और भिन्न भिन्न स्थूल इन्द्रियाँ कैसे बनती जाती हैं (सां. का. ४३; म. भा. शां. ३२०) । गर्भोपनिषद् का वर्णन प्रायः सांख्यशास्त्र के उक्त वर्णन के समान ही है । उपर्युक्त विवेचन से यह बात मालूम हो जायगी, कि सांख्यशास्त्र में ‘भाव’ शब्द का जो पारिभाषिक अर्थ बतलाया गया है, वह यद्यपि वेदान्तग्रन्थों में विवक्षित नहीं है, तथापि भगवद्गीता में (१०. ४, ५; ७. १२) “बुद्धिज्ञानर्मसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः” इत्यादि गुणों को (इसके आगे के श्लोक में) जो ‘भाव’ नाम दिया है, वह प्रायः सांख्यशास्त्र की परिभाषा को सोच कर ही दिया गया होगा ।

इस प्रकार सांख्यशास्त्र के अनुसार मूल-अव्यक्त-प्रकृति से अथवा वेदान्त के अनुसार मूल सद्रूपी परब्रह्म से सृष्टि के सब सजीव और निर्जीव व्यक्त पदार्थ क्रमशः उत्पन्न हुए । और जब सृष्टि के संहार का समय आ पहुँचता है, तब सृष्टि-रचना का जो गुणपरिणामक्रम ऊपर बतलाया गया है, ठीक इसके विरुद्ध क्रम से सब व्यक्त पदार्थ अव्यक्त प्रकृति में अथवा मूल ब्रह्म में लीन हो जाते हैं । यह सिद्धान्त सांख्य और वेदान्त दोनों शास्त्रों को मान्य है (वे. सू. २. ३. १४; म. भा. शां. २६२) । उदाहरणार्थ, पञ्चमहाभूतों में से पृथ्वी का लय पानी में, पानी का अग्नि में, अग्नि का वायु में, वायु का आकाश में, आकाश का तन्मात्राओ में, तन्मात्राओं का अहंकार में, अहंकार का बुद्धि में, और बुद्धि या महान् का लय प्रकृति में हो जाता है; तथा वेदान्त के अनुसार प्रकृति का लय मूल ब्रह्म में हो जाता है । सांख्य-कारिका में किसी स्थान पर यह नहीं बतलाया गया है, कि सृष्टि की उत्पत्ति या रचना हो जाने पर उसका लय तथा संहार होने तक बीच में कितना समय लग जाता है । तथापि, ऐसा प्रतीत होता है कि मनुसंहिता (१. ६६-७३), भगवद्गीता (९. १७) तथा महाभारत (शां. २३१) में वर्णित कालगणना सांख्यो को भी मान्य है । हमारा उत्तरायण देवताओं का दिन है और हमारा दक्षिणायन उनकी रात है । क्योंकि, स्मृतिग्रन्थों में और ज्योतिषशास्त्र की संहिता (सूर्यसिद्धान्त १. १३; १२. ३५, ६७) में भी यही वर्णन है, कि देवता मेरुपर्वत पर अर्थात् उत्तरध्रुव में रहते हैं । अर्थात् दो अयनों का हमारा एक वर्ष देवताओं के एक दिनरात के बराबर है; और हमारे ३६० वर्ष देवताओं के ३६० दिनरात अथवा एक वर्ष के बराबर हैं । कृत, त्रेता, द्वापर और कलि हमारे चार युग हैं । युगों की कालगणना इस प्रकार है — कृतयुग में चार हजार वर्ष, त्रेतायुग में तीन हजार, द्वापर में दो हजार और कलि में एक हजार वर्ष । परन्तु एक युग समाप्त होते ही दूसरा युग एकदम आरम्भ नहीं हो जाता । बीच में दो युगों के सन्धिकाल में कुछ वर्ष बीत जाते हैं । इस प्रकार कृतयुग आदि और अन्त में से प्रत्येक ओर चार सौ वर्ष का, त्रेतायुग के आगे और पीछे प्रत्येक

है। उदाहरणार्थ, शैव तथा पाशुपत दर्शनों में शिव को निमित्तकारण मान कर यह कहते हैं, कि उमी से कार्यकारणादि पांच पदार्थ उत्पन्न हुए। और नारायणीय या भागवतधर्म में वासुदेव को प्रधान मान कर यह वर्णन किया है, कि पहले वासुदेव से मकरपंण (जीव) हुआ, संकरपंण से प्रद्युम्न (मन), और प्रद्युम्न से अनिरुद्ध (अहंकार) उत्पन्न हुआ। परन्तु वेदान्तशास्त्र के अनुसार जीव प्रत्येक समय नये सिरे से उत्पन्न नहीं होता। वह नित्य और मनातन परमेश्वर का नित्य — अतएव अनादि — अंश है। इसलिये वेदान्तसूत्र के दूसरे अध्याय के दूसरे पाद (वे. सू. २. २. ४२-४५) में, भागवतधर्म में वर्णित जीव के उत्पत्तिविषयक उपर्युक्त मत का खंडन करके कहा है, कि वह मत वेदविरुद्ध अतएव त्याज्य है। गीता (१३. ४; १५. ७) में वेदान्तसूत्रों के उमी सिद्धान्त का अनुवाद किया गया है। इसी प्रकार सांख्यवादी प्रकृति और पुरुष दोनों को स्वतंत्र तत्त्व मानते हैं; परन्तु इस द्वैत को स्वीकार न कर वेदान्तियों ने यह सिद्धान्त किया है, कि प्रकृति और पुरुष दोनों तत्त्व एक ही नित्य और निर्गुण परमात्मा की विभूतियाँ हैं। यही सिद्धान्त भगवद्गीता को भी ग्राह्य है (गीता. ९. १०)। परन्तु इस का विस्तारपूर्वक विवेचन अगले प्रकरण में किया जायगा। यहाँ पर केवल इतना ही बतलाया है, कि भागवत या नारायणीय धर्म में वर्णित वासुदेवभक्ति का और प्रकृतिप्रधान धर्म का तत्त्व यद्यपि भगवद्गीता को मान्य है, तथापि गीता भागवतधर्म की इस कल्पना से महमत नहीं है, कि पहले वासुदेव से संकरपंण या जीव उत्पन्न हुआ; और उससे आगे प्रद्युम्न (मन) तथा प्रद्युम्न से अनिरुद्ध (अहंकार) का प्रादुर्भाव हुआ। संकरपंण, प्रद्युम्न या अनिरुद्ध का नाम तक गीता में नहीं पाया जाता। पाञ्चरात्र में बतलाये हुए भागवतधर्म में तथा गीता-प्रतिपादित भागवतधर्म में यही तो महत्त्व का भेद है! इस बात का उल्लेख यहाँ जान-बूझ कर किया गया है। क्योंकि केवल इतने ही से — कि 'भगवद्गीता में भागवतधर्म बतलाया गया है' — कोई यह न समझ लें, कि मृष्ट्युत्पत्ति-क्रम-विषयक अथवा जीव-परमेश्वर-स्वरूप-विषयक भागवत आदि भक्तिसम्प्रदाय के मत भी गीता को मान्य है। अब इस बात का विचार किया जायगा, कि सांख्यशास्त्रोक्त प्रकृति और पुरुष के भी परे सब व्यक्ताव्यक्त तथा क्षराक्षर जगत् के मूल में कोई तत्त्व है या नहीं। इसी को अध्यात्म या वेदान्त कहते हैं।

नौवाँ प्रकरण

अध्यात्म

परस्तस्मात्तु भावोऽन्योऽन्यक्तोऽन्यक्तात् सनातनः ।

यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति ॥ *

— गीता ८. २०

पिछले दो प्रकरणों का सारांश यही है, कि क्षेत्रक्षेत्रज्ञविचार में जिसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं, उसी को सांख्यशास्त्र में पुरुष कहते हैं । सब क्षर-अक्षर या चर-अचर सृष्टि के संहार और उत्पत्ति का विचार करने पर सांख्यशास्त्र के अनुसार अन्त में केवल प्रकृति और पुरुष ये ही दो स्वतन्त्र तथा अनादि मूलतत्त्व रह जाते हैं; और पुरुष को अपने क्लेशों की निवृत्ति कर लेने तथा मोक्षानन्द प्राप्त कर लेने के लिये प्रकृति से अपना भिन्नत्व अर्थात् कैवल्य जान कर त्रिगुणातीत होना चाहिये । प्रकृति और पुरुष का संयोग होने पर प्रकृति अपना खेल पुरुष के सामने किस प्रकार खेला करती है, इस विषय का क्रम अर्वाचीन सृष्टिशास्त्रवेत्ताओं ने सांख्यशास्त्र से कुछ निराला बतलाया है; और सम्भव है, कि आधिभौतिक शास्त्रों की ज्यों ज्यों उन्नति होगी, त्यो त्यों इस क्रम में और भी सुधार होते जावेंगे । जो हो; इस मूलसिद्धान्त में कभी कोई फर्क नहीं पड़ सकता, कि केवल एक अव्यक्त प्रकृति से ही सारे व्यक्त पदार्थ गुणोत्कर्ष के अनुसार क्रम क्रम से निर्मित होते गये हैं । परन्तु वेदान्तकेसरी इस विषय को अपना नहीं समझता — यह अन्य शास्त्रों का विषय है; इसलिये वह इस विषय पर वाद-विवाद भी नहीं करता । वह इन सब शास्त्रों से आगे बढ़ कर यह बतलाने के लिये प्रवृत्त हुआ है, कि पिण्ड-ब्रह्माण्ड की भी जड़ में कौन-सा श्रेष्ठ तत्त्व है; और मनुष्य उस श्रेष्ठ तत्त्व में कैसे मिला जा सकता है — अर्थात् तद्रूप कैसे हो सकता है । वेदान्तकेसरी अपने इस विषयप्रवेश में और किसी शास्त्र की गर्जना नहीं होने देता । सिंह के आगे गीदड़ की भ्रांति वेदान्त के सामने सारे शास्त्र चुप हो जाते हैं । अतएव किसी पुराने सुभाषितकार ने वेदान्त का यथार्थ वर्णन यों किया है :—

तावत् गर्जन्ति शास्त्राणि जम्बुका विपिने यथा ।

न गर्जति महाशक्तिः यावद्देवान्तकेसरी ॥

सांख्यशास्त्र का कथन है, कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विचार करने पर निष्पन्न होने-वाला 'द्रष्टा' अर्थात् पुरुष या आत्मा, और क्षर-अक्षर-सृष्टि का विचार करने पर

* “ जो दूसरा अव्यक्त पदार्थ (सांख्य) अव्यक्त से भी श्रेष्ठ तथा सनातन है; और प्राणियों का नाश हो जाने पर भी जिसका नाश नहीं होता, वही अन्तिम गति है । ”

निष्पन्न होनेवाली सत्त्व-रज-तम-गुणमयी अव्यक्त प्रकृति, ये दोनों स्वतन्त्र हैं; और इस प्रकार जगत् के मूलतत्त्व को द्विधा मानना आवश्यक है। परन्तु वेदान्त इसके आगे जा कर यो कहता है, कि साध्य के 'पुरुष' निर्गुण भले ही हो; तो भी वे असध्य हैं। इसलिये वह मान लेना उचित नहीं, कि इन अमर्त्य पुरुषों का लाभ जिस वान में हो, उसे जान कर प्रत्येक पुरुष के साथ तदनुसार वर्ताव करने का मामर्थ्य प्रकृति में है। ऐसा मानने की अपेक्षा सात्त्विक तत्त्वज्ञान की दृष्टि से तो यही अधिक युक्तिसंगत होगा, कि उस एकीकरण की ज्ञान-क्रिया का अन्त तक निरपवाद उपयोग किया जावे; और प्रकृति तथा अमर्त्य पुरुषों का एक ही परमतत्त्व में अविभक्तरूप से समावेश किया जावे; जो "अविभक्त विभक्तेषु" के अनुसार नीचे से ऊपर तक की श्रेणियों में दीख पड़ती है; और जिमकी सहायता से ही सृष्टि के अनेक व्यक्त पदार्थों का एक अव्यक्त प्रकृति में समावेश किया जाता है (गीता. १८. २०-२२)। भिन्नता का भ्रम होना अहंकार का परिणाम है; और पुरुष यदि निर्गुण है, तो असंख्य पुरुषों के अलग अलग रहने का गुण उसमें रह नहीं सकता। अथवा यह कहना पड़ता है, कि वस्तुतः पुरुष असध्य नहीं है। केवल प्रकृति की अहंकाररूपी उपाधि से उनमें अनेकता दीख पड़ती है। दूसरा एक प्रश्न यह उठता है, कि स्वतन्त्र प्रकृति का स्वतन्त्र पुरुष के साथ जो सयोग हुआ है, वह सत्य है या मिथ्या? यदि सत्य माने, तो वह सयोग कभी भी छूट नहीं सकता। अतएव साध्यमतानुसार आत्मा को मुक्ति कभी प्राप्त नहीं हो सकती। यदि मिथ्या माने, तो यह सिद्धान्त ही निर्मूल या निराधार हो जाना है, कि पुरुष के सयोग से प्रकृति अपना खेल उमके आगे खेला करती है। और यह दृष्टान्त भी ठीक नहीं, कि जिस प्रकार गाय अपने बछड़े के लिये दूध देती है, उमी प्रकार पुरुष के लाभ के लिये प्रकृति सदा कार्यतत्पर रहती है। क्योंकि, बछड़ा गाय के पेट में ही पैदा होता है। इसलिये उम पर पुत्रवात्सल्य के प्रेम का उदाहरण जैसा सगठित होता है, वैसा प्रकृति और पुरुष के विषय में नहीं कहा जा सकता (वे. सू. शा. भा. २. २. ३)। साध्यमत के अनुसार प्रकृति और पुरुष दोनों तत्त्व अत्यंत भिन्न हैं - एक जड़ है, दूसरा सचेतन। अच्छा, जब ये दोनों पदार्थ सृष्टि के उत्पत्ति-काल में ही एक दूसरे से अत्यन्त भिन्न और स्वतन्त्र हैं, तो फिर एक की प्रवृत्ति दूसरे के फायदे ही के लिये क्यों होनी चाहिये? यह तो कोई समाधानकारक उत्तर नहीं कि उनका स्वभाव ही वैसा है। स्वभाव ही मानना हो, तो फिर हेकेल का जड़द्वैतवाद क्यों बुरा है? हेकेल का भी सिद्धान्त यही है न, कि मूलप्रकृति के गुणों की वृद्धि होते होते उमी प्रकृति में अपने आप को देखने की और स्वयं विषय में विचार करने की चैतन्यशक्ति उत्पन्न हो जाती है - अर्थात् यह प्रकृति का स्वभाव ही है। परन्तु इस मन को स्वीकार न कर साध्यशास्त्र ने यह भेद किया है, कि 'द्रष्टा' अलग है; और दृश्यमृष्टि अलग है। अब यह प्रश्न उपस्थित होना है, कि साध्यवादी जिस न्याय का अवलम्बन कर 'द्रष्टा पुरुष' और 'दृश्य सृष्टि' में भेद बनलाते हैं, उमी

न्याय का उपयोग करते हुये और आगे क्यों न चले? दृश्य सृष्टि की कोई कितनी ही सूक्ष्मता से परीक्षा करे, और यह जान ले, कि जिन नेत्रों से हम पदार्थों को देखते-परखते हैं, उनके मज्जातन्तुओं में अमुक अमुक गुण-धर्म हैं। तथापि इन सब बातों को जाननेवाला या 'द्रष्टा' भिन्न रह ही जाता है। क्या उस 'द्रष्टा' के विषय में — जो 'दृश्य सृष्टि' से भिन्न है — विचार करने के लिये कोई साधन या उपाय नहीं है? और यह जानके के लिये भी कोई मार्ग है या नहीं, कि इस दृश्य सृष्टि का सच्चा स्वरूप जैसा हम अपनी इन्द्रियों से देखते हैं वैसा ही है, या उससे भिन्न है? साध्यवादी कहते हैं, कि इन प्रश्नों का निर्णय होना असम्भव है। अतएव यह मान लेना पड़ता है कि प्रकृति और पुरुष दोनों तत्त्व मूल ही में स्वतन्त्र और भिन्न हैं। यदि केवल आधिभौतिक शास्त्रों की प्रणाली से विचार कर देखे, तो साध्यवादियों का मत अनुचित नहीं कहा जा सकता। कारण यह है, कि सृष्टि के अन्य पदार्थों को जैसे हम अपनी इन्द्रियों से देखभाल करके उनके गुणधर्मों का विचार करते हैं, वैसे यह 'द्रष्टा पुरुष' या देखनेवाला — अर्थात् जिसे वेदान्त में 'आत्मा' कहा है, वह — द्रष्टाकी (अर्थात् अपनी ही) इन्द्रियों को भिन्न रूप में कभी गोचर नहीं हो सकता। और जिस पदार्थ का इस प्रकार इन्द्रियगोचर होना असम्भव है, यानी जो वस्तु इन्द्रियातीत है उसकी परीक्षा मानवी इन्द्रियों से कैसे हो सकती है? उस आत्मा का वर्णन भगवान् ने गीता (गी. २. २३) में इस प्रकार किया है —

नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः ।

न चैनं चलेदयन्त्यापो न शोषयति मातृतः ॥

अर्थात्, आत्मा ऐसा कोई पदार्थ नहीं कि यदि हम सृष्टि के अन्य पदार्थों के समान उस पर तेजाव आदि द्रव पदार्थ डाले तो उसका द्रवरूप हो जाय, अथवा प्रयोगशाला के पौने शस्त्रों से काट-छाँट कर उसका आन्तरिक स्वरूप देख ले, या आग पर धर देने से उसका धुआँ हो जाय, अथवा हवा में रखने से वह सूख जाय! साराश सृष्टि के पदार्थों की परीक्षा करने के आधिभौतिक शास्त्रवेत्ताओं ने जितने कुछ उपाय ढूँढ़े हैं, वे सब यहाँ निष्फल हो कैसे? प्रश्न है तो बिकट, पर विचार करने से कुछ कठिनाई दीख नहीं पड़ती। भला साध्यवादियों ने भी 'पुरुष' को निर्गुण और स्वतन्त्र कैसे जाना? केवल अपने अन्तःकरण के अनुभव से ही जाना है न? फिर उसी रीति का उपयोग प्रकृति और पुरुष के सच्चे स्वरूप का निर्णय करने के लिये क्यों न किया जावे? आधिभौतिकशास्त्र और अध्यात्मशास्त्र में जो बड़ा भारी भेद है, वह यही है। आधिभौतिकशास्त्रों के विषय इन्द्रियगोचर होते हैं; और अध्यात्मशास्त्र का विषय इन्द्रियातीत अर्थात् केवल स्वसवेद्य है, यानी अपने आप ही जानने योग्य है। कोई यह कहे, कि यदि 'आत्मा' स्वसवेद्य है, तो प्रत्येक मनुष्य को उसके विषय में जैसा ज्ञान होवे, वैसा होने दो; फिर अध्यात्मशास्त्र

की आवश्यकता ही क्या है? हाँ; यदि प्रत्येक मनुष्य का मत या अन्तःकरण समान रूप से शुद्ध हो, तो फिर वह प्रश्न ठीक होगा। परन्तु जब कि अपना यह प्रत्यक्ष अनुभव है, कि सब लोगो के मन या अन्तःकरण की शुद्धि और शक्ति एक-सी नहीं होती, तब जिन लोगो के मन अत्यन्त शुद्ध, पवित्र और विशाल हो गये हैं; उन्हीं की प्रतीति इस विषय में हमारे लिये प्रमाणभूत होनी चाहिये। यों ही 'मुझे ऐसा मालूम होता है' 'तुझे ऐसा मालूम होता है' कह कर निरर्थक वाद करने से कोई लाभ न होगा। वेदान्तशास्त्र तुम्हें युक्तियों का उपयोग करने से बिलकुल नहीं रोकता। वह सिर्फ यही कहता है, कि इस विषय में निरी युक्तियाँ वही तक मानी जावेंगी जहाँ तक कि इस युक्तियों से अत्यन्त विशाल, पवित्र और निर्मल अन्तःकरणवाले महात्माओं के विषयसम्बन्धी साक्षात् अनुभव का विरोध न होता हो। क्योंकि अध्यात्मशास्त्र का विषय स्वसंवेद्य है — अर्थात् केवल आधिभौतिक युक्तियों से उसका निर्णय नहीं हो सकता। जिस प्रकार आधिभौतिकशास्त्रों में वे अनुभव त्याज्य माने जाते हैं, कि जो प्रत्यक्ष के विरुद्ध हो उसी प्रकार वेदान्तशास्त्र में युक्तियों की अपेक्षा उपर्युक्त स्वानुभव की (अर्थात् आत्मप्रतीति की) योग्यता ही अधिक मानी जाती है। जो युक्ति इस अनुभव के अनुकूल हो, उसे वेदान्ती अवश्य मानते हैं। श्रीमान् शंकराचार्य ने अपने वेदान्तसूत्रों के भाष्य में यही सिद्धान्त दिया है। अध्यात्मशास्त्र का अभ्यास करनेवालो को इस पर हमेशा ध्यान रखना चाहिये :-

अचिन्त्याः खलु ये भावा न तांस्तर्केण साधयेत् ।

प्रकृतिभ्यः परं यत्तु तदचिन्त्यस्य लक्षणम् ॥

" जो पदार्थ इन्द्रियातीत है। और इसी लिये जिनका चिन्तन नहीं किया जा सकता, उनका निर्णय केवल तर्क या अनुमान से नहीं कर लेना चाहिये। सारी सृष्टि की मूलप्रकृति से भी परे जो पदार्थ है, वह इस प्रकार अचिन्त्य है " — यह एक पुराना श्लोक है, जो महाभारत (भीष्म. ५. १२) में पाया जाता है; और जो श्रीशंकराचार्य के वेदान्तभाष्य में भी 'साधयेत्' के पाठभेद से पाया जाता है (वे. सू. शा. भा. २. १. २७)। मुडक और कठोपनिषद् में भी लिखा है, आत्मज्ञान केवल तर्क ही से नहीं प्राप्त हो सकता (मु. ३. २, ३; कठ. २. ८, ९ और २२)। अध्यात्मशास्त्र में उपनिषद्-ग्रन्थों का विशेष महत्त्व भी इसी लिये है। मन को एकाग्र करने के उपायों के विषय में प्राचीन काल में हमारे हिन्दुस्थान में बहुत चर्चा हो चुकी है; और अन्त में इस विषय पर (पातञ्जल) योगशास्त्र नामक एक स्वतन्त्र शास्त्र ही निर्मित हो गया है। जो बड़े बड़े ऋषि इस योगशास्त्र में अत्यन्त प्रवीण थे तथा जिनके मन स्वभाव ही से अत्यन्त पवित्र और विशाल थे, उन महात्माओं ने मन को अन्तर्मुख करके आत्मा के स्वरूप और विषय में जो अनुभव प्राप्त किया —

अथवा आत्मा के स्वरूप के विषय में इनकी शुद्ध और शान्त बुद्धि में जो स्फूर्ति हुई — उसी का वर्णन उन्होंने उपनिषद्-ग्रन्थों में किया है । इसलिये किसी भी अध्यात्म तत्त्व का निर्णय करने में, इस श्रुतिग्रन्थों में कहे गये अनुभविक ज्ञान का सहारा लेने के अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं है (कठ. ४. १) । मनुष्य केवल अपनी बुद्धि की तीव्रता से उक्त आत्मप्रतीति की पोषक भिन्न भिन्न युक्तियाँ बतला सकेगा; परन्तु इससे उस मूल प्रतीति की प्रामाणिकता में रती भर भी न्यूनाधिकता नहीं हो सकती । भगवद्गीता की गणना स्मृतिग्रन्थों में की जाती है सही; परन्तु पहले प्रकरण के आरम्भ ही में हम कह चुके हैं, कि इस विषय में गीता की योग्यता उपनिषदों की बराबरी की मानी जाती है । अतएव इस प्रकरण में अब आगे चल कर सिर्फ यह बतलाया जायगा, कि प्रकृति के परे जो अचिन्त्य पदार्थ है, उसके विषय में गीता और उपनिषदों में कौन-कौन से सिद्धान्त किये गये हैं; और उनके कारणों का (अर्थात् शास्त्ररीति से उनकी उपपत्ति का) विचार पीछे किया जायगा ।

सांख्यवादियों का द्वाैत — प्रकृति और पुरुष — भगवद्गीता को मान्य नहीं है । भगवद्गीता के अध्यात्मज्ञान का और वेदान्तशास्त्र का भी पहला सिद्धान्त यह है, कि प्रकृति और पुरुष से भी परे एक सर्वव्यापक, अव्यक्त और अमृत तत्त्व है, जो चर-अचर सृष्टि का मूल है । सांख्यों की प्रकृति यद्यपि अव्यक्त है, तथापि वह त्रिगुणात्मक अर्थात् सगुण है । परन्तु प्रकृति और पुरुष का विचार करते समय भगवद्गीता के आठवें अध्याय के बीसवें श्लोक में (इस प्रकरण के आरम्भ में ही यह श्लोक दिया गया है) कहा है, कि सगुण है वह नाशवान् है; इसलिये इस अव्यक्त और सगुण प्रकृति का भी नाश हो जाने पर अन्त में जो कुछ अव्यक्त शेष रह जाता है, वही सारी सृष्टि का सच्चा और नित्य तत्त्व है । और आगे पन्द्रहवें अध्याय (१५. १७) में क्षर और अक्षर — व्यक्त और अव्यक्त — इस भाँति सांख्यशास्त्र के अनुसार दो तत्त्व बतला कर यह वर्णन किया है :-

उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः ।

यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्यव्यय ईश्वरः ॥

अर्थात्, जो इन दोनों से भी भिन्न है, वही उत्तम पुरुष है; उसी को परमात्मा कहते हैं; वही अव्यय और सर्वशक्तिमान् है; और वही तीनों लोगो में व्याप्त हो कर उनकी रक्षा करता है । यह पुरुष क्षर और अक्षर (अर्थात् व्यक्त और अव्यक्त) इन दोनों से भी परे है । इसलिये इसे 'पुरुषोत्तम' कहा है (गीता १५. १८) । महाभारत में भी भृगु ऋषि ने भरद्वाज से 'परमात्मा' शब्द की व्याख्या बतलाते ए कहा है :-

आत्मा क्षेत्रज्ञ इत्युक्तः संयुक्तः प्राकृतैर्गुणैः ।

तैरेव तु विनिर्मुक्तः परमात्मेत्युदाहृतः ॥

अर्थात् "जब आत्मा प्रकृति में या शरीर में बद्ध रहता है, तब उसे क्षेत्रज्ञ या जीवात्मा कहते हैं; और वही प्राकृत गुणों से यानी प्रकृति या शरीर के गुणों से मुक्त होने पर 'परमात्मा' कहलाता है" (म. भा. शां. १८७. २४) । सम्भव है, कि 'परमात्मा' की उपर्युक्त दो व्याख्याएँ भिन्न भिन्न जान पड़ें; परन्तु वस्तुतः वे भिन्न भिन्न नहीं हैं । क्षर-अक्षर-सृष्टि और जीव (अथवा सांख्यशास्त्र के अनुसार अव्यक्त प्रकृति और पुरुष) इन दोनों से भी परे एक ही परमात्मा है । इसलिये भी कहा जाता है, कि वह क्षर-अक्षर के परे है; और कभी कहा जाता है, कि वह जीव के या जीवात्मा के (पुरुष के) परे है — एवं एक ही परमात्मा की ऐसी द्विविध व्याख्याएँ कहने में वस्तुतः कोई भिन्नता नहीं हो जाती । इसी अभिप्राय को मन में रख कर कालिदास ने भी कुमारसम्भव में परमेश्वर का वर्णन इस प्रकार किया है — "पुरुष के लाभ के लिये उद्युक्त होनेवाली प्रकृति भी तू ही है; और स्वयं उदासीन रह कर उस प्रकृति का द्रष्टा भी तू ही है" (कुमा. २. १३) । इसी भाँति गीता में भगवान् कहते हैं, कि "मम योनिर्महद्ब्रह्म" — यह प्रकृति मेरी योनि या मेरा एक स्वरूप है (१४. ३) और जीव या आत्मा भी मेरा ही अंश है (१५. ७) । सातवें अध्याय में भी कहा गया है .—

भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च ।

अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥

अर्थात् "पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार — इस तरह आठ प्रकार की मेरी प्रकृति है; और इसके सिवा (अपरेयमितस्त्वन्यां) सारे संसार का धारण जिसने किया है, वह जीव भी मेरी ही दूसरी प्रकृति है" (गीता. ७. ४, ५) । महाभारत के शान्तिपर्व में सांख्यो के पच्चीस तत्त्वों का कई स्थलो पर विवेचन है; परन्तु वही यह भी कह दिया गया है, कि पच्चीस तत्त्वों के परे एक छव्वीसवाँ (पड्विंश) परमतत्त्व है; जिसे पहचाने बिना मनुष्य 'बुद्ध' नहीं हो सकता (शा. ३०८) । सृष्टि के पदार्थों का जो ज्ञान हमें अपनी ज्ञानेन्द्रियों में होता है, वही हमारी सागी सृष्टि है । अतएव प्रकृति या सृष्टि ही को कई स्थानों पर 'ज्ञान' कहा है और इसी दृष्टि से पुरुष 'ज्ञाता' कहा जाता है (शा. ३०६. ३५-४१) । परन्तु जो सच्चा ज्ञेय है (गीता. १३. १२) वह प्रकृति और पुरुष — ज्ञान और ज्ञाता — मे भी परे है । इसलिये भगवद्गीता में उसे परमपुरुष कहा है । तीनों लोकों को व्याप्त कर उन्हें सदैव धारण करनेवाला जो यह परमपुरुष या परपुरुष है, उसे पहचानो । वह एक है, अव्यक्त है, नित्य है, अक्षर है । यह बात केवल भगवद्गीता ही नहीं, किन्तु वेदान्तशास्त्र के सारे ग्रन्थ एक स्वर से कह रहे हैं । सांख्यशास्त्र में 'अक्षर' और 'अव्यक्त' शब्दों या विशेषणों का प्रयोग प्रकृति के लिये किया जाता है । क्योंकि सांख्यो का सिद्धान्त है, कि प्रकृति की अपेक्षा अधिक सूक्ष्म और कोई

भी मूलकारण इस जगत् का नहीं है (सा का ६१) । परन्तु यदि वेदान्त की दृष्टि से देखें, तो परब्रह्म ही एव अक्षर है । यानी उसका कभी नाश नहीं होता, और वही अव्यक्त है—अर्थात् इन्द्रियगोचर नहीं है । अतएव इस भेद पर पाठक सदा ध्यान रखें, कि भगवद्गीता में 'अक्षर' और 'अव्यक्त' शब्दों का उपयोग प्रकृति से परे के परब्रह्म-स्वरूप को दिखलाने के लिये भी किया गया है (गीता ८ २०, ११ ३७, १५ १६, १७) । जब इस प्रकार वेदान्त की दृष्टि का स्वीकार किया गया तब इसमें सन्देह नहीं, कि प्रकृति को 'अक्षर' कहना उचित नहीं है — चाहे वह प्रकृति अव्यक्त भले ही हो । सृष्टि के उत्पत्तिग्रम के विषय में साख्य के सिद्धान्त गीता को भी मान्य है । इसलिये उनकी निश्चित परिभाषा में कुछ अदलबदल न कर, उन्हीं के शब्दों में अक्षर-अक्षर या व्यक्त-अव्यक्त-सृष्टि का वर्णन गीता में किया गया है । परन्तु स्मरण रहे, कि इस वर्णन में प्रकृति और पुरुष के परे जो तीसरा उत्तम पुरुष है, उसके सर्वशक्तित्व में कुछ भी बाधा नहीं होने पाती । इसका परिणाम यह हुआ है, कि जहाँ भगवद्गीता में परब्रह्म के स्वरूप का वर्णन किया गया है, वहाँ साख्य और वेदान्त के मतान्तर का सन्देह मिटाने के लिये (साख्य) अव्यक्त के भी परे का अव्यक्त और (साख्य) अक्षर से भी परे का अक्षर, इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करना पडा है । उदाहरणार्थ, इस प्रकरण के आरम्भ में जो श्लोक दिया गया है, उसे देखो । साराश, गीता पढते समय इस बात का सदा ध्यान रखना चाहिये, कि 'अव्यक्त' और 'अक्षर' ये दोनों शब्द कभी साख्यो की प्रकृति के लिये और कभी वेदान्तियों के परब्रह्म के लिये — अर्थात् दो प्रकार से — गीता में प्रयुक्त हुए हैं । जगत् का मूल वेदान्त की दृष्टि से साख्यो की अव्यक्त प्रकृति के भी परे दूसरा अव्यक्त तत्त्व है । जगत् के आदितत्त्व के विषय में साख्य और वेदान्त में यह उपर्युक्त भेद है । आगे इस विषय का विवरण किया जायगा, कि इसी भेद से अध्यात्मशास्त्रप्रतिपादित मोक्षस्वरूप और साख्यो के मोक्षस्वरूप में भी भेद वैसा हो गया ।

साख्य के द्वैत — प्रकृति और पुरुष — को न मान कर जब यह मान लिया गया, कि इस जगत् की जड़ में परमेश्वररूपी अथवा पुष्टोत्तमरूपी एक तीसरा ही नित्य तत्त्व है, और प्रकृति तथा पुरुष दोनों उसकी विभूतियाँ हैं, तब सहज ही यह प्रश्न होता है, कि उस तीसरे मूलभूत तत्त्व का स्वरूप क्या है, प्रकृति तथा पुरुष से इसका कौन-सा सम्बन्ध है ? प्रकृति, पुरुष और परमेश्वर इसी त्रयी को अध्यात्मशास्त्र में क्रम से जगत्, जीव और परब्रह्म कहते हैं, और इन तीनों वस्तुओं के स्वरूप तथा इनके पारस्परिक सम्बन्ध का निर्णय करना ही वेदान्तशास्त्र का प्रधान कार्य है । एव उपनिषदा में भी यही चर्चा की गई है । परन्तु सब वेदान्तियों का मत उस त्रयी के विषय में एक नहीं है । कोई कहते हैं, कि ये तीनों पदार्थ आदि में एक ही हैं, और कोई यह मानते हैं, कि जीव और जगत् परमेश्वर से आदि ही में थोड़े या अत्यन्त भिन्न हैं । इसी से वेदान्तियों में अद्वैती, विशिष्टाद्वैती और द्वैती भेद

उत्पन्न हो गये हैं। यह सिद्धान्त सब लोगों को एक-सा ग्राह्य है, कि जीव और जगत् के सारे व्यवहार परमेश्वर की इच्छा से होते हैं। परन्तु कुछ लोग तो मानते हैं, कि जीव, जगत् और परब्रह्म, इन तीनों का मूलस्वरूप आकाश के समान एक ही और अखण्डित है, तथा दूसरे वेदान्ती कहते हैं, कि जड़ और चैतन्य का एक होना सम्भव नहीं। अतएव अनार या दाडिम के फल में यद्यपि अनेक दाने होते हैं, तो भी इससे जैसे फल की एकता नष्ट नहीं होती, वैसे ही जीव और जगत् यद्यपि परमेश्वर में भरे हुए हैं, तथापि ये मूल में उससे भिन्न हैं, और उपनिषदों में जब ऐसा वर्णन आता है, कि तीनों 'एक' हैं; तब उसका अर्थ 'दाडिम के फल के समान एक' जानना चाहिये। जब जीव के स्वरूप के विषय में यह मतान्तर उपस्थित हो गया, तब भिन्न भिन्न साम्प्रदायिक टीकाकार अपने अपने मत के अनुसार उपनिषदों और गीता का यथार्थ स्वरूप — उसमें प्रतिपादित सच्चा कर्मयोग विषय — तो एक ओर रह गया, और अनेक साम्प्रदायिक टीकाकारों के मत में गीता का मुख्य प्रतिपाद्य विषय यही हो गया, कि गीताप्रतिपादित वेदान्त द्वैतमत का है या अद्वैतमत का! अस्तु, इसके बारे में अधिक विचार करने के पहले यह देखना चाहिये, कि जगत् (प्रकृति), जीव (आत्मा अथवा पुरुष), और परब्रह्म (परमात्मा अथवा पुरुषोत्तम) के परस्पर-सम्बन्ध के विषय में स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण ही गीता में क्या कहते हैं। आगे चल पाठको को विदित होगा कि इस विषय में गीता और उपनिषदों का एक ही मत है, और गीता में कहे गये सब विचार उपनिषदों में पहले ही आ चुके हैं।

प्रकृति और पुरुष के भी परे जो पुरुषोत्तम, परपुरुष, परमात्मा या परब्रह्म है, उसका वर्णन करते समय भगवद्गीता में पहले उसके दो स्वरूप बतलाये गये हैं, यथा, व्यक्त और अव्यक्त (आँखों से दिखनेवाला और आँखों से न दिखनेवाला)। अब इसमें सन्देह नहीं, कि व्यक्त स्वरूप अर्थात् इन्द्रियगोचर रूप सगुण ही होना चाहिये। और अव्यक्त रूप यद्यपि इन्द्रियों को अगोचर है, तो भी इतने ही से यह नहीं कहा जा सकता, कि वह निर्गुण ही हो। क्योंकि, यद्यपि वह हमारी आँखों से न दीख पड़े, तो भी उसमें सब प्रकार के गुण सूक्ष्म रूप से रह सकते हैं। इसलिये अव्यक्त के भी तीन भेद किये हैं, जैसे सगुण, सगुणनिर्गुण और निर्गुण। यहाँ 'गुण' शब्द में उन सब गुणों का समावेश किया गया है, कि जिनका ज्ञान मनुष्य को केवल उसकी बाह्येन्द्रियों से ही नहीं होता, किन्तु मन से भी होता है। परमेश्वर के मूर्तिमान् अवतार भगवान् श्रीकृष्ण स्वयंसाक्षात् अर्जुन के सामने खड़े हो कर उपदेश कर रहे थे। इसलिये गीता में जगह-जगह पर उन्होंने ने अपने विषय में प्रथम पुरुष का निर्देश इस प्रकार किया है— जैसे, "प्रकृति मेरा स्वरूप है" (९.८), "जीव मेरा अंग है" (१५.७), "सब भूतों का अतीरामी आत्मा मैं हूँ" (१०.२०), "समस्त में जितनी श्रीमान् या विभूतिमान् मूर्तियाँ हैं, वे सब मेरे अंश से उत्पन्न हुई हैं" (१०.४१), "मुझमें मन लगा कर मेरा भक्त हो" (९.३४), "तो तू

मुझमें मिल जायगा," "तू मेरा प्रिय भक्त है, इसलिये मैं तुझे यह प्रीतिपूर्वक बतलाता हूँ" (१८ ६५) । और जब अपने विश्वरूपदर्शन से अर्जुन को यह प्रत्यक्ष अनुभव परा दिया, कि सारी चराचर सृष्टि मेरे व्यक्त रूप में ही साक्षात् भरी हुई है, तब भगवान् ने उसको यही उपदेश किया है, कि अव्यक्त रूप से व्यक्त रूप की उपासना करना अधिक सहज है । "इसलिये तू मुझ में ही अपना भक्तिभाव रख" (१२ ८), "मैं ही ब्रह्म का, अव्यय मोक्ष का, शाश्वत धर्म का और अनंत सुख का मूलस्थान हूँ" (गीता १४ २७) । इससे विदित होगा, कि गीता में आदि से अन्त तक अधिकांश में परमात्मा के व्यक्त स्वरूप का ही वर्णन किया गया है ।

इतने ही से केवल भक्ति के अभिमानी कुछ पण्डिता और टीकाकारों ने यह मत प्रकट किया है, कि गीता में परमात्मा का व्यक्त रूप ही अन्तिम साध्य माना गया है । परन्तु यह मत सच नहीं कर जा सकता । क्योंकि उक्त वर्णन के साथ ही भगवान् ने स्पष्ट रूप से कह दिया है, कि मेरा व्यक्त स्वरूप मायिक है, और उसके परे का जो अव्यक्त रूप — अर्थात् जो इन्द्रियों को अगोचर — है, वही मेरा सच्चा स्वरूप है । उदाहरणार्थ, सातवें अध्याय (गी ७ २४) में कहा है, कि —

अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः ।

परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् ॥

"यद्यपि मैं अव्यक्त अर्थात् इन्द्रियों को अगोचर हूँ तो मूर्ख लोग मुझे व्यक्त समजते हैं, और व्यक्त से भी परे के मेरे श्रेष्ठ तथा अव्यक्त रूप को नहीं पहचानते ।" और इसके अगले श्लोक में भगवान् कहते हैं, कि "मैं अपनी योगमाया से आच्छादित हूँ, इसलिये मूर्ख लोग मुझे नहीं पहचानते" (७ २५) । फिर चौथे अध्याय में उन्होंने अपने व्यक्त रूप की उपपत्ति इस प्रकार बतलाई है, "मैं यद्यपि जन्मरहित और अव्यय हूँ, तथापि अपनी ही प्रकृति में अधिष्ठित हो कर मैं अपनी माया से (स्वात्ममाया से) जन्म लिया करता हूँ — अर्थात् व्यक्त हुआ करता हूँ" (४ ६) । वे आगे सातवें अध्याय में कहते हैं, "यह त्रिगुणात्मक प्रकृति मेरी देवी माया है । इस माया को जो पार कर जाते हैं, वे मुझे पाते हैं, और इस माया से जिन का ज्ञान नष्ट हो जाता है, वे मूढ नराधम मुझे नहीं पा सकते" (७ १५) । अन्त में अठारहवें (१८ ६९) अध्याय में भगवान् ने उपदेश किया है, "हे अर्जुन ! सब प्राणियों के हृदय में जीवरूप परमात्मा ही का निवास है, और वह अपनी माया से यन्त्र की भाँति प्राणियाँ को घुमाता है ।" भगवान् ने अर्जुन को जो विश्वरूप दिखाया है, वही नारद को भी दिखलाया था । इसका वर्णन महाभारत के शान्तिपर्वान्तर्गत नारायणीय प्रकरण (शा ३३९) में है, और हम पहले ही प्रकरण में बतला चुके हैं, कि नारायणीय यानी भागवतधर्म ही गीता में प्रतिपादित किया गया है । नारद को हजारों नेत्रों, रगों, तथा अन्य दृश्य गुणा का विश्वरूप दिखला कर भगवान् ने कहा —

माया ह्येषा मया सृष्टा यन्मां पश्यसि नारद ।
सर्वभूतगुणैर्युक्तं नैव त्वं ज्ञातुमर्हसि ॥

“तुम मेरा जो रूप देख रहे हो, वह मेरी उत्पन्न की हुई माया है। इससे तुम यह न समझो, कि मैं सर्वभूतों के गुणों से युक्त हूँ।” और यह फिर भी कहा है, कि “मेरा सच्चा स्वरूप सर्वव्यापी, अव्यक्त और नित्य है। उमें सिद्ध पुरुष पहचानते हैं” (शा. ३३९. ४४. ४८)। इससे कहना पड़ता है, कि गीता में वर्णित भगवान् का अर्जुन को दिखलाया हुआ विश्वरूप भी मायिक था। साराश, उपर्युक्त विवेचन से इस विषय में कुछ भी सन्देह नहीं रह जाता, कि गीता का यही सिद्धान्त होना चाहिये, कि यद्यपि केवल उपासना के लिये व्यक्त स्वरूप की प्रशंसा गीता में भगवान् ने की है; तथापि परमेश्वर का श्रेष्ठ स्वरूप अव्यक्त अर्थात् इन्द्रिय को अगोचर ही है; और अव्यक्त से व्यक्त होना ही उसकी माया है। और इस माया से पार हो कर जब तक मनुष्य को परमात्मा के शुद्ध तथा अव्यक्त रूप का ज्ञान न हो, तब तक उसे मोक्ष नहीं मिल सकता। अब इसका अधिक विचार आगे करेंगे, कि माया क्या वस्तु है। ऊपर दिये गये वचनों से इतनी बात स्पष्ट है, कि यह मायावाद श्रीशंकराचार्य ने नये सिरे से नहीं उपस्थित किया है; किन्तु उनके पहले ही भगवद्गीता, महाभारत और भागवत-धर्म में भी वह ग्राह्य माना गया था। श्वेताश्वेतरोपनिषद् में भी सृष्टि की उत्पत्ति इस प्रकार कही गई है — “माया तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्” (श्वेता. ४. १०) — अर्थात् माया ही (माख्यों की) प्रवृत्ति है और परमेश्वर उस माया का अधिपति है, और वही अपनी माया से विश्व निर्माण करता है।

अब इतनी बात यद्यपि स्पष्ट हो चुकी, कि परमेश्वर का श्रेष्ठ स्वरूप व्यक्त नहीं, अव्यक्त है; तथापि थोड़ा-सा यह विचार होना भी आवश्यक है, कि परमात्मा का यह श्रेष्ठ अव्यक्त स्वरूप सगुण है या निर्गुण। जब कि सगुण-अव्यक्त का हमारे सामने यह एक उदाहरण है, कि साख्यशास्त्र की प्रकृति अव्यक्त (अर्थात् इन्द्रियों को अगोचर) होने पर भी सगुण अर्थात् सत्त्व-रज-तम-गुणमय है; तब कुछ लोग यह कहते हैं, कि परमेश्वर का अव्यक्त और श्रेष्ठ रूप भी उसी प्रकार सगुण माना जायें। अपनी माया ही से न हो; परन्तु जब कि वही अव्यक्त परमेश्वर व्यक्त सृष्टि निर्माण करता है (गी. ९. ८); और सब लोगों के हृदयमें रहकर उनसे सारे व्यापार करता है (१८. ६१) जब की वह सब यज्ञों का भोक्ता और प्रभु है (९. २४); जब कि प्राणियों के सुखदुःख आदि सब ‘भाव’ उसी से उत्पन्न होते हैं (१०. ५); और जब कि प्राणियों के हृदय में श्रद्धा उत्पन्न करनेवाला भी वही है; एव “लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हि तान्” (७. २२) — प्राणियों की वासना का फल देनेवाला भी वही है तब तो यही बात सिद्ध होनी है, कि वह अव्यक्त अर्थात् इन्द्रियों को अगोचर भले ही हो; तथापि वह दया, कर्तृत्व आदि गुणों से युक्त अर्थात्

‘सगुण’ अवश्य ही होना चाहिये । परन्तु इसके विरुद्ध भगवान् ऐसा भी कहते हैं, कि “ न मा कर्माणि लिम्पन्ति ” — मुझे कर्मों का अर्थात् गुणों का भी कभी स्पर्श नहीं होता (४. १४), प्रकृति के गुणों से मोहित हो कर मूर्ख आत्मा ही को कर्ता मानते हैं (३. २७, १४. १९) अथवा, यह अव्यक्त और अकर्ता परमेश्वर ही प्राणियों के हृदय में जीवरूप से निवास करता है (१३. ३१), और इसी लिये यद्यपि वह प्राणियों के कर्तृत्व और कर्म से वस्तुतः अलिप्त है, तथापि अज्ञान में फँसे हुए लोग मोहित हो जाया करते हैं (५. १४, १५) । इस प्रकार अव्यक्त अर्थात् इन्द्रियो को अगोचर परमेश्वर के रूप — सगुण और निर्गुण — दो तरह के ही नहीं है किन्तु इसके अतिरिक्त कही कही इन दोनों रूपों को एकत्र मिला कर भी अव्यक्त परमेश्वर का वर्णन किया गया है । उदाहरणार्थ, “ भूतभृत् न च भूतस्थो ” (९. ५) “ मैं भूतों का आधार हो कर भी उनमें नहीं हूँ, ” “ परब्रह्म न तो सत् है और न असत् ” (१३. १२), “ सर्वेन्द्रियवान् होने का जिसमें भास हो परन्तु जो सर्वेन्द्रियरहित है, और निर्गुण हो कर गुणों का उपभोग करनेवाला है ” (१३. १४), “ दूर है और समीप भी है ” (१३. १५), “ अविभक्त है और विभक्त भी दीख पड़ता है ” (१३. १६) — इस प्रकार परमेश्वर के स्वरूप का सगुण-निर्गुण-मिश्रित अर्थात् परस्पर-विरोधी वर्णन भी किया गया है । तथापि आरम्भ में दूसरे ही अध्याय में कहा गया है, “ कि यह आत्मा अव्यक्त, अचिन्त्य और अविकार्य है ” (२. २५), और फिर तेरहवें अध्याय में — “ यह परमात्मा अनादि, निर्गुण और अव्यक्त है । इसलिये शरीर में रह कर भी न तो यह कुछ करता है और न किसी में लिप्त होता है ” (१३. ३१) — इस प्रकार परमात्मा के शुद्ध, निर्गुण, निरवयव, निर्विकार, अचिन्त्य, अनादि और अव्यक्त रूप की श्रेष्ठता का वर्णन गीता में किया गया है ।

भगवद्गीता की भाँति उपनिषदों में भी अव्यक्त परमात्मा का स्वरूप तीन प्रकार का पाया जाता है — अर्थात् कभी उभयविध यानी सगुण-निर्गुण-मिश्रित और केवल निर्गुण । इस बात की कोई आवश्यकता नहीं, कि उपासना के लिये सदा प्रत्यक्ष मूर्ति ही नेत्रों के सामने रहे । ऐसे स्वरूप की भी उपासना हो सकती है, कि जो निराकार अर्थात् चक्षु आदि ज्ञानेन्द्रियों को गोचर भले ही न हो, तो भी मन को गोचर हुए बिना उसकी उपासना होना सम्भव नहीं है । उपासना कहते हैं चिन्तन, मनन, या ध्यान को । यदि चिन्तित वस्तु का कोई रूप न हो, तो न सही; परन्तु जब तक उसका अन्य कोई भी गुण मन को मालूम न हो जाय, तब तक वह चिन्तन करेगा ही किसका ? अतएव उपनिषदों में जहाँ जहाँ अव्यक्त अर्थात् नेत्रों से न दिखाई देनेवाले परमात्मा की (चिन्तन, मनन, ध्यान) उपासना बतलाई गई है, वहाँ वहाँ अव्यक्त परमेश्वर सगुण ही कल्पित किया गया है । परमात्मा में कल्पित किये गुण उपासक के अधिकारानुसार न्यूनाधिक व्यापक या सात्त्विक होते हैं; और जिसकी जैसी निष्ठा हो, उसको वैसा ही फल भी मिलता है । छादोग्योपनिषद् (३. १४. १) में कहा है, कि

“ पुरुष ऋतुमय है । जिसका जैसा ऋतु (निश्चय) हो, उसे मृत्यु के पश्चात् वैसा ही फल भी मिलता है । ” और भगवद्गीता भी कहती है— “ देवताओं की भक्ति करने-वाले देवताओं में और पितरों की भक्ति करनेवाले पितरों में जा मिलते हैं ” (गी. ९. २५), अथवा “ यो यच्छुद्धः स एव सः ”—जिमकी जैसी श्रद्धा हो, उसे वैसी सिद्धि प्राप्त होती है (१७. ३) । तात्पर्य यह है, कि उपासक के अधिकारभेद के अनुसार उपास्य अव्यक्त परमात्मा के गुण भी उपनिषदों में भिन्न भिन्न कहे गये हैं । उपनिषदों के इस प्रकरण को ‘विद्या’ कहते हैं । विद्या ईश्वरप्राप्ति का (उपासनारूप) मार्ग है; और यह मार्ग जिस प्रकरण में बतलाया गया है, उसे भी ‘विद्या’ ही नाम अन्त में दिया जाता है । शाण्डिल्यविद्या (छा. ३. १४), पुरुषविद्या (छां. ३. १६, १७.), पर्यंकविद्या (कौपी. १), प्राणोपासना (कौपी. २) इत्यादि अनेक प्रकार की उपासनाओं का वर्णन उपनिषदों में किया गया है; और इन सब का विवेचन वेदान्त-सूत्रों के तृतीयाध्याय के तीमरे पाद में किया गया है । इस प्रकरण में अव्यक्त परमात्मा का सगुण वर्णन इस प्रकार है, कि वह मनोमय, प्राणशरीर, भारूप, मत्स्यमंजुष्य, आकाशात्मा, सर्वकर्मा, सर्वकाम, सर्वगन्ध और सर्वरस है (छां. ३. १४. २) । तैत्तिरीय उपनिषद् में तो अन्न, प्राण, मन, ज्ञान या आनन्द—इन रूपों में भी परमात्मा की बढती हुई उपासना बतलाई गई है (तै. २. १-५; ३. २-६) । बृहदारण्यक (२. १) में गार्ग्य वालाकी ने अजातशत्रु को पहले पहले आदित्य, चन्द्र, विद्युत्, आकाश, वायु, अग्नि, जल या दिशाओं में रहनेवाले पुरुषों की ब्रह्मरूप से उपामना बतलाई है; परन्तु आगे अजातशत्रु ने उमसे यह कहा, कि सच्चा ब्रह्म इनके भी परे है; और अन्त में प्राणोपासना ही को मुख्य ठहराया है । इतने ही से यह परम्परा कुछ पूरी नहीं हो जाती । उपर्युक्त सब ब्रह्मरूपों को प्रतीक, अर्थात् इन सब को उपासना के लिये कल्पित गौण ब्रह्मस्वरूप अथवा ब्रह्मनिदर्शक चिन्ह कहते हैं; और जब यही गौणरूप किमी मूर्ति के रूप में नेत्रों के सामने रखा जाता है, तब उमी को ‘प्रतिमा’ कहते हैं । परन्तु स्मरण रहे, कि सब उपनिषदों का मिद्धान्त यही है, कि सच्चा ब्रह्मरूप इमसे भिन्न है (केन. १. २-८) । इम ब्रह्म के लक्षण का वर्णन करते समय वही तो “ मत्स्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ” (तैत्ति २. १) या “ विज्ञानमानन्दं ब्रह्म ” (बृ. ३. ९. २८) कहा है । अर्थात् ब्रह्म सत्य (मन्), ज्ञान (चित्) और आनन्दरूप है — अर्थात् सच्चिदानन्दस्वरूप है — इस प्रकार सब गुणों का तीन ही गुणों में समावेश करके वर्णन किया गया है । और अन्य स्थानों में भगवद्गीता के समान ही, परस्परविरुद्ध गुणों को एकत्र कर के ब्रह्म का वर्णन इम प्रकार किया गया है, कि “ ब्रह्म मत् भी नहीं और असन् भी नहीं ” (ऋ. १०. १२९. १) अथवा “ अणोरणीयान्महतो महीयान् ” अर्थात् अणु में भी छोटा और बड़े से भी बड़ा है (कठ. २. २०) “ तदेजनि तन्नैजति तन् दूरे तदन्तिके ” अर्थात् वह हिलता है और हिलता भी नहीं; यह दूर है और समीप भी है (ईश. ५; मुं. ३. १. ७); अथवा “ सर्वेन्द्रियगुणामास

हो कर भी 'सर्वेन्द्रियविवर्जित' है (श्वेता. ३. १७) । मृत्यु ने नचिकेता को यह उपदेश किया है, कि अन्त में उपर्युक्त सब लक्षणों को छोड़ दो और जो धर्म और अधर्म के, कृत और अकृत के, अथवा भूत और भव्य के भी परे है, उसे ही ब्रह्म जानो (कठ. २. १४) । इसी प्रकार महाभारत के नारायणीय धर्म में ब्रह्मा रुद्र से (म. भा. शां. ३५१. ११), और मोक्षधर्म में नारद शुक से कहते हैं (३३१. ४४) । बृहदारण्यकोपनिषद् (२. ३. २) में भी पृथ्वी, जल और अग्नि - इन तीनों को ब्रह्म का मूर्त रूप कहा है । फिर वायु तथा आकाश को अमूर्त रूप कह कर दिखाया है, कि इन अमूर्तों के सारभूत पुरणों के रूप या रंग बदल जाते हैं; और अन्त में यह उपदेश किया है, कि 'नेति', 'नेति' अर्थात् अब तक जो कहा गया है वह नहीं है; वह ब्रह्म नहीं है - इन सब नामरूपात्मक मूर्त या अमूर्त पदार्थों के परे जो 'अगृह्य' या 'अवर्णनीय' है, उसे ही परब्रह्म समझो (बृह. २. ३. ६ और वे. सू. ३. २. २२) । अधिक क्या कहें; जिन जिन पदार्थों को कुछ नाम दिया जा सकता है, उन सब से भी परे जो है, वही ब्रह्म है; और उस ब्रह्म का अव्यक्त तथा निर्गुण स्वरूप दिखलाने के लिये 'नेति' 'नेति' एक छोटा-सा निर्देश, आदेश या सूत्र ही हो गया है; और बृहदारण्यक उपनिषद् में ही उसका चार बार प्रयोग हुआ है (बृह. ३. ९. २६; ४. २. ४; ४. ४. २२; ४. ५. १५) । इसी प्रकार दूसरे उपनिषदों में भी परब्रह्म के निर्गुण और अचिन्त्य रूप का वर्णन पाया जाता है । जैसे "यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह" (तैत्ति. २. ९); 'अद्रेश्यं (अदृश्य), अग्राह्यं' (मु. १. १. ६), "न चक्षुषा गृह्यते नाऽपि वाचा" (मु. ३. १. ८); अथवा :-

अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययं तयाऽरसं नित्यमगन्धवच्च यत् ।

अनाद्यनन्तं महतः परं ध्रुवं निचाय्य तन्मृत्युमुखात्प्रमुच्यते ॥

अर्थात् वह परब्रह्म पञ्चमहाभूतों के शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध - इन पाँच गुणों से रहित, अनादि, अनन्त और अव्यय है (कठ. ३. १५; वे. सू. ३. २. २-३० देखो) । महाभारतान्तर्गत शान्तिपर्व में नारायणीय या भागवतधर्म के वर्णन में भी भगवान् ने नारद को अपना सच्चा स्वरूप "अदृश्य, अदरेय, अस्पृश्य, निर्गुण, निष्कल (निरवयव), अज, नित्य, शाश्वत और निष्प्रिय" बतला कर कहा है, कि वही सृष्टि की उत्पत्ति तथा प्रलय करनेवाला त्रिगुणातीत परमेश्वर है; और इसी को "वासुदेव परमात्मा" कहते हैं (म. भा. शा. ३३९. २१-२८) ।

उपर्युक्त वचनो से यह प्रकट होगा, कि न केवल भगवद्गीता में ही, वरन् महाभारतान्तर्गत नारायणीय या भागवतधर्म में और उपनिषदों में भी परमात्मा का अव्यक्त स्वरूप ही व्यक्त स्वरूप से श्रेष्ठ माना गया है; और यही अव्यक्त श्रेष्ठ स्वरूप वहाँ तीन प्रकार से वर्णित है; अर्थात् सगुण, सगुण-निर्गुण और अन्त में केवल निर्गुण । प्रश्न यह है, कि अव्यक्त और श्रेष्ठ स्वरूप के उक्त तीन परस्परविरोधी गो. २. १४

रूपों का मेल किस तरह मिलाया जावे ? यह कहा जा सकता है, कि इन तीनों में से जो सगुण-निर्गुण अर्थात् उभयात्मक रूप है, वह सगुण से निर्गुण में (अथवा अज्ञेय में) जाने की सीढ़ी या साधना है । क्योंकि (पहले सगुण रूप का ज्ञान होने पर ही) धीरे धीरे एक एक गुण का त्याग करने से निर्गुण स्वरूप का अनुभव हो सकता है; और इसी रीति से ब्रह्मप्रतीक की बढ़ती हुई उपासना उपनिषदों में बतलाई गई है । उदाहरणार्थ, तैत्तिरीय उपनिषद् की भृगुवल्ली में बरुण ने भृगु को पहले यही उपदेश किया है, कि अन्न ही ब्रह्म है; फिर क्रम क्रम में प्राण, मन, विज्ञान और आनन्द - इन ब्रह्मरूपों का ज्ञान उसे करा दिया है (तैत्ति. ३. २-६) अथवा ऐमा भी कहा जा सकता है, कि गुणबोधक विशेषणों से निर्गुण रूप का वर्णन करना असम्भव है । अतएव परस्परविरोधी विशेषणों से ही उसका वर्णन करना पड़ता है । इस का कारण यह है, कि जब हम किसी वस्तु के सम्बन्ध में 'सदूर' वा 'सत्' शब्दों का उपयोग करते हैं, तब हमें किसी अन्य वस्तु के 'समीप' या 'असत्' होने का भी अप्रत्यक्ष रूप से बोध हो जाया करता है । परन्तु यदि एक ही ब्रह्म सर्वव्यापी है, तो परमेश्वर को 'दूर' को 'सत्' कह कर 'समीप' या 'असत्' किसे कहें ? ऐसी अवस्था में 'दूर नहीं, समीप नहीं' असत् नहीं - इस प्रकार की भाषा उपयोग करने से दूर और समीप, सत् और असत् इत्यादि परस्परसाक्षेप गुणों की जोड़ियाँ भी लगा दी जाती हैं । और यह बोध होने के लिये परस्परविरुद्ध विशेषणों की भाषा का ही व्यवहार में उपयोग करना पड़ता है, कि जो कुछ निर्गुण, सर्वव्यापी, सर्वदा निरपेक्ष और स्वतन्त्र वचा है, वही सच्चा ब्रह्म है (गी. १३. १२) । जो कुछ है वह सब ब्रह्म ही है । इसलिये दूर वही, समीप भी वही, सत् भी वही और असत् भी वही है । अतएव दूसरी दृष्टि से उसी ब्रह्म का एक ही समय परस्परविरोधी विशेषणों के द्वारा वर्णन किया जा सकता है (गी. ११. ३७; १३. १५) । अब यद्यपि उभयविध सगुण-निर्गुण वर्णन की उपपत्ति इस प्रकार बतला चुके; तथापि इस बात का स्पष्टीकरण रह ही जाता है, कि एक ही परमेश्वर के परस्परविरोधी दो स्वरूप - सगुण और निर्गुण - कैसे हो सकते हैं ? माना कि जब अव्यक्त परमेश्वर व्यक्त रूप अर्थात् इन्द्रियगोचर रूप धारण करता है, तब वह उसकी माया बहलाती है; परन्तु जब वह व्यक्त - यानी इन्द्रियगोचर - न होते हुए अव्यक्त रूप में ही निर्गुण का सगुण हो जाना है, तब उसे क्या कहें ? उदाहरणार्थ, एक ही निराकार परमेश्वर को कोई 'नेति नेति' कह कर निर्गुण मानते हैं; और कोई उसे सत्त्वगुण-सम्पन्न, सर्वकर्मा तथा दयालु मानते हैं । इसका रहस्य क्या है ? उक्त दोनों में श्रेष्ठ पद कौन-सा है ? इम निर्गुण और अव्यक्त ब्रह्म से सारी व्यक्त सृष्टि और जीव की उत्पत्ति कैसे हुई ? - इत्यादि बातों का खुलासा हो जाना आवश्यक है । यह कहना मानो अध्यात्मशास्त्र ही को काटना है, कि सब सकल्पों का दाता अव्यक्त परमेश्वर तो दयार्थ में सगुण है; और उपनिषदों में या गीता में निर्गुण स्वरूप का जो वर्णन

किया गया है। वह केवल अतिशयोक्ती या प्रशंसा है। जिन बड़े बड़े महात्माओं और ऋषियों ने एकाग्र मन करके सूक्ष्म तथा शान्त विचारों से यह सिद्धान्त ढूँढ निकाला, कि “यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह” (तै. २. ९) - मन को भी जो दुर्गम है और वाणी भी जिसका वर्णन कर नहीं सकती, वही अन्तिम ब्रह्मस्वरूप - उनके आत्मानुभव को अतिशयोक्ति कैसे कहे? केवल एक साधारण मनुष्य अपने क्षुद्र मन में यदि अनन्त निर्गुण ब्रह्म को ग्रहण नहीं कर सकता; इसलिये यह कहना, कि सच्चा ब्रह्म सगुण ही है, मानो सूर्य की अपेक्षा अपने छोटे-से दीपक को श्रेष्ठ बतलाना है। हाँ; यदि निर्गुण रूप की उपपत्ति उपनिषदों में और गीता में न दी गई होती तो बात ही दूसरी थी; परन्तु यथार्थ में वैसा नहीं है। देखिये न! भगवद्गीता में तो स्पष्ट ही कहा है, कि परमेश्वर का सच्चा श्रेष्ठ स्वरूप अव्यक्त है; और व्यक्त सृष्टि का धारण करना तो उसकी माया है (गी. ४. ६)। परन्तु भगवान् ने यह भी कहा है, कि प्रकृति के गुणों से “मोह मे फँस कर मूर्ख लोग (अव्यक्त और निर्गुण) आत्मा को ही कर्ता मानते हैं” (गी. ३. २७-२९); किन्तु ईश्वर तो कुछ नहीं करता। लोग केवल अज्ञान से धोखा खाते हैं (गी. ५. १५)। अर्थात् भगवान् ने स्पष्ट शब्दों में यह उपदेश किया है, कि यद्यपि अव्यक्त आत्मा या परमेश्वर वस्तुतः निर्गुण है (गी. १३. ३१), तो भी लोग उस पर ‘मोह’ या ‘अज्ञान’ से कर्तृत्व आदि गुणों का अध्यारोप करते हैं; और उसे अव्यक्त सगुण बना देते हैं (गी. ७. २४) उक्त विवेचन से परमेश्वर के स्वरूप के ‘विषय’ में गीता के ये ही सिद्धान्त मालूम होते हैं :-

(१) गीता में परमेश्वर के व्यक्त स्वरूप का यद्यपि बहुत-सा वर्णन है, तथापि परमेश्वर का मूल और श्रेष्ठ स्वरूप निर्गुण तथा अव्यक्त ही है; और मनुष्य मोह या अज्ञान से उसे सगुण मानते हैं; (२) साख्यों की प्रकृति या उसका व्यक्त फैलाव - यानी अखिल ससार - उस परमेश्वर की माया है; और (३) साख्यों का पुरुष यानी जीवात्मा यथार्थ में परमेश्वररूपी, परमेश्वर के समान ही निर्गुण और अकर्ता है, परन्तु अज्ञान के कारण लोग उसे कर्ता मानते हैं। वेदान्तशास्त्र के सिद्धान्त भी ऐसे ही हैं; परन्तु उत्तर-वेदान्त-ग्रन्थों में इन सिद्धान्तों को बतलाते समय माया और अविद्या में कुछ भेद किया जाता है। उदाहरणार्थ, पंचदशी में पहले यह बतलाया गया है, कि आत्मा और परब्रह्म दोनों में एक ही यानी ब्रह्मस्वरूप है। और यह चित्स्वरूपी ब्रह्म जब माया में प्रतिबिम्बित होता है, तब सत्त्वरजतमगुणमयी (साख्यों की मूल) प्रकृति का निर्माण होता है। परन्तु आगे चल कर इस माया के ही दो भेद - ‘माया’ और ‘अविद्या’ - किये गये हैं। और यह बतलाया गया है, कि जब माया के तीन गुणों में से ‘शुद्ध’ सत्त्वगुण का उत्कर्ष होता है, तब उसे केवल माया कहते हैं; और इस माया में प्रतिबिम्बित होनेवाले ब्रह्म को सगुण यानी व्यक्त ईश्वर (हिरण्यगर्भ) कहते हैं। और यदि यही सत्त्व गुण ‘अशुद्ध’ हो, तो उसे ‘अविद्या’ कहते हैं; तथा उस अविद्या में प्रतिबिम्बित ब्रह्म को ‘जीव’ कहते हैं (पञ्च. १.

१५-१७) । इस दृष्टि से, यानी उत्तरकालीन वेदान्त की दृष्टि से देखें, तो एक ही माया के स्वरूपतः दो भेद करने पड़ते हैं - अर्थात् परब्रह्म से 'व्यक्त ईश्वर' के निर्माण होने का कारण माया और 'जीव' के निर्माण होने का कारण अविद्या मानना पड़ता है । परन्तु गीता में इस प्रकार का भेद नहीं किया गया है । गीता कहती है, कि जिस माया से स्वयं भगवान् व्यक्त रूप यानी सगुण रूप धारण करते हैं (७. २५) अथवा जिस माया के द्वारा अष्टधा प्रकृति अर्थात् सृष्टि की सारी विभूतियाँ उनसे उत्पन्न होती हैं (४. ६), उसी माया के अज्ञान से जीव मोहित होता है (७. ४-१५) । 'अविद्या' शब्द गीता में कहीं भी नहीं आया है; और श्वेताश्वतरोपनिषद् में जहाँ वह शब्द आया है, वहाँ इसका स्पष्टीकरण भी इस प्रकार किया है, कि माया के प्रपञ्च को ही 'अविद्या' कहते हैं (श्वेता. ५. १) । अतएव उत्तरकालीन वेदान्तग्रन्थों में केवल निरूपण की सरलता के लिये - जीव और ईश्वर की दृष्टि से - किये गये सूक्ष्म भेद - अर्थात् माया और अविद्या - को स्वीकार न कर हम 'माया', 'अविद्या' और 'अज्ञान' शब्दों को समानार्थक ही मानते हैं । और अब शास्त्रीय रीति से संक्षेप में विषय का विवेचन करते हैं, कि त्रिगुणात्मक माया, अविद्या या अज्ञान और मोह का सामान्यतः तात्त्विक स्वरूप क्या है, और उसकी सहायता से गीता तथा उपनिषदों के मिद्धान्तों की उपपत्ति कैसे लग सकती है ।

निर्गुण और सगुण शब्द देखने में छोटे हैं; परन्तु जब इसका विचार करने लगे, कि इन शब्दों में किन किन बातों का समावेश होता है; तब सचमुच सारा ब्रह्माण्ड दृष्टि के सामने खड़ा हो जाता है । जैसे, इस ससार का मूल जब वही अनादि परब्रह्म है, जो एक, निष्क्रिय और उदासीन है; तब उसी में मनुष्य की इन्द्रियों को गोचर होनेवाले अनेक प्रकार के व्यापार और गुण कैसे उत्पन्न हुए ? तथा इस प्रकार उसकी अखण्डता भंग कैसे हो गई ? अथवा जो मूल में एक ही है, उसी के बहुविध भिन्न भिन्न पदार्थ कैसे दिखाई देते हैं ? जो परब्रह्म निर्विकार है, और जिसमें खट्टा-मिठा-कड़ुवा या गाढ़ा-पतला अथवा शीत-उष्ण आदि भेद नहीं हैं, उसी में नाना प्रकार की रुचि, न्यूनाधिक गाढ़ा-पतलापन या शीत और उष्ण, सुख और दुःख, प्रकाश और अँधेरा, मृत्यु और अमरता इत्यादि अनेक प्रकार के द्वन्द्व कैसे उत्पन्न हुए ? जो परब्रह्म शान्त और निर्वात है, उसी में नाना प्रकार की ध्वनि और शब्द कैसे निर्माण होते हैं ? जिम परब्रह्म में भीतर-बाहर या दूर-समीप का कोई भेद नहीं है, उसी में आगे या पीछे, दूर या समीप, अथवा पूर्व-पश्चिम इत्यादि दिक्कृत या स्थलकृत भेद कैसे हो गये ? जो परब्रह्म अविकारी, त्रिकालावाधित, नित्य और अमृत है, उसी में न्यूनाधिक कालमान के नाशवान् पदार्थ कैसे बने ? अथवा जिसे कार्यकारणभाव का स्पर्श भी नहीं होता, उसी परब्रह्म के कार्यकारणरूप - जैसे मिट्टी और घड़ा - क्यों दिखाई देते हैं ? ऐसे ही और भी अनेक विषयों का उक्त छोटे से दो शब्दों में समावेश हुआ है । अथवा संक्षेप में कहा जाय, तो अब इस बात का विचार करना है, कि

एक ही में अनेकता, निद्वन्द्व में नाना प्रकार की द्वन्द्वता, अद्वैत में द्वैत और नि.संग में संग कैसे हो गया । सांख्यों ने तो उस झगड़े से बचने के लिये यह द्वैत कल्पित कर लिया है, कि निर्गुण और नित्यपुरप के साथ, त्रिगुणात्मक यानी सगुण प्रकृति भी नित्य और स्वतन्त्र है । परन्तु जगत् के मूलतत्त्व को टूँड निकालने की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है, उसका समाधान इस द्वैत से नहीं होता । इतना ही नहीं; किन्तु यह द्वैत युक्तिवाद के भी सामने ठहर नहीं पाता । इसलिये प्रकृति और पुरप के भी परे जा कर उपनिषद्-कारों ने यह सिद्धान्त स्थापित किया, कि सच्चिदानन्द ब्रह्म से श्रेष्ठ श्रेणी का 'निर्गुण' ब्रह्म ही जगत् का मूल है । परन्तु अब इसकी उपपत्ति देना चाहिये, कि निर्गुण से सगुण कैसे हुआ । क्योंकि सांख्य के समान वेदान्त का भी यह सिद्धान्त है, कि जो वस्तु नहीं है, वह हो ही नहीं सकती; और उससे, 'जो वस्तु है' उसकी कभी उत्पत्ति नहीं हो सकती । इस सिद्धान्त के अनुसार निर्गुण (अर्थात् जिस में गुण नहीं उस) ब्रह्म से सगुण सृष्टि के पदार्थ (कि जिन में गुण हैं) उत्पन्न हो नहीं सकते । तो फिर सगुण आया कहाँ से ? यदि कहें कि सगुण कुछ नहीं है, तो वह प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर है । और यदि निर्गुण के समान सगुण को भी सत्य माने; तो हम देखते हैं, कि इन्द्रियगोचर होनेवाले शब्द, स्पर्श, रूप, रस आदि सब गुणों के स्वरूप आज एक हैं, तो कल दूसरे ही - अर्थात् वे नित्य परिवर्तनशील होने के कारण नाशवान्, विकारी और अशाश्वत हैं । तब तो (ऐसी कल्पना करके कि परमेश्वर विभाज्य है) यही कहना होगा, कि ऐसा सगुण परमेश्वर भी परिवर्तनशील एवं नाशवान् है । परन्तु जो विभाज्य और नाशवान् होकर सृष्टि के नियमों की पकड में नित्य परतन्त्र रहता है, उसे परमेश्वर ही कैसे कहें ? साराश, चाहे यह मानो, कि इन्द्रियगोचर सारे सगुण पदार्थ पञ्चमहाभूतों से निर्मित हुए हैं; अथवा सांख्यानुसार या आधिभौतिक दृष्टि से यह अनुमान कर लो, कि सारे पदार्थों का निर्माण एक ही अव्यक्त सगुण मूलप्रकृति से हुआ है । किसी भी पक्ष का स्वीकार करो; यह बात निर्विवाद सिद्ध है, कि जब तक नाशवान् गुण इस मूलप्रकृति से भी छूट नहीं गये हैं, तब तक पञ्चमहाभूतों को या प्रकृतिरूप इस सगुण मूल पदार्थ को जगत् का अविनाशी, स्वतन्त्र और अमृत तत्त्व कह सकते । अतएव जिसे प्रकृतिवाद का स्वीकार करना है, उसे उचित है, कि वह या तो यह कहना छोड़ दे, कि परमेश्वर नित्य, स्वतन्त्र और अमृतरूप है; या इस बात की खोज करे, कि पञ्चमहाभूतों के परे अथवा सगुण प्रकृति के भी परे और कौनसा तत्त्व है । इसके सिवा अन्य कोई मार्ग नहीं है । जिस प्रकार मृगजल से प्यास नहीं बुझती, या बालू से तेल नहीं निकलता, उसी प्रकार प्रत्यक्ष नाशवान् वस्तु से अमृतत्व की प्राप्ति की आशा करना भी व्यर्थ है । और इसीलिये याज्ञवल्क्य ने अपनी स्त्री मैत्रेयी को स्पष्ट उपदेश किया है, कि चाहे जितनी सम्पत्ति क्यों न प्राप्त हो जावे; पर उससे अमृतत्व की आशा करना व्यर्थ है - "अमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन" (बृह. २.४.२) । अच्छा; अब

यदि अमृतत्व को मिथ्या कहें; तो मनुष्यों की यह स्वाभाविक इच्छा दीख पड़ती है, कि वे किमी राजा में मिलनेवाले पुरस्कार या पारितोषिक का उपभोग न केवल अपने लिये वरन् अपने पुत्रपौत्रादि के लिये भी — अर्थात् चिरकाल के लिये — करना चाहते हैं। अथवा यह भी देखा जाता है, कि चिरकाल रहनेवाली या शाश्वत कीर्ति का जब अवसर आता है, तब मनुष्य अपने जीवन की भी परवाह नहीं करता। ऋग्वेद के समान अत्यन्त प्राचीन ग्रन्थों में भी पूर्व-ऋषियों की प्रार्थना है, कि “ हे इन्द्र ! तू हमें ‘अक्षित श्रव’ अर्थात् अक्षय कीर्ति या धन दे ” (ऋ. १.९.७); अथवा “ हे सोम ! तू मुझे वैवस्वत (यम) लोक में जमर कर दे ” (ऋ. ९. ११३. ८)। और, अर्वाचीन समय में इसी दृष्टि को स्वीकार कर के स्पेन्सर, काण्ट प्रभृति केवल आधिभौतिक पण्डित भी यही कहते हैं, कि “ इस संसार में मनुष्यमात्र का नैतिक परम कर्तव्य यही है, कि वह किसी प्रकार के क्षणिक सुख में न फँस कर वर्तमान और भावी मनुष्यजाति के चिरकालिक सुख के लिये उद्योग करे। ” अपने जीवन के पश्चात् के चिरकालिक कल्याण की अर्थात् अमृतत्व की यह कल्पना आई कहां से ? यदि कहें, कि यह स्वभावमिद्ध है; तो मानना पड़ेगा, कि इस नाशवान् देह के सिवा और कोई अमृत वस्तु अवश्य है। और यदि कहें, कि ऐसी अमृत वस्तु कोई नहीं है; तो हमें जिम मनोवृत्ति की माझात् प्रतीति होती है, उसका अन्य कोई कारण भी नहीं बनलाते बन पड़ता ! ऐसी कठिनाई आ पड़ने पर कुछ आधिभौतिक पण्डित यह उपदेश करते हैं, कि इन प्रश्नों का कभी समाधानकारक उत्तर नहीं मिल सकता। अतएव इनका विचार न करके दृश्यमृष्टि के पदार्थों के गुणधर्म के परे अपने मन की दौंड कभी न जाने दो। यह उपदेश है तो सरल; परन्तु मनुष्य के मत में तत्त्वज्ञान की जो स्वाभाविक लालमा होती है, उसका प्रतिरोध कौन और किम प्रकार से कर सकता है ? और इस दुर्घर जिज्ञासा का यदि नाश कर डाले, तो फिर ज्ञान की वृद्धि हो कैसे ? जब से मनुष्य इस पृथ्वील पर उत्पन्न हुआ है, तभी से वह इस प्रश्न का विचार करता चला आया है, कि ‘मारी दृश्य और नाशवान् मृष्टि का मूलमूल अमृततत्त्व क्या है ? और वह मुझे कैसे प्राप्त होगा ?’ आधिभौतिक शास्त्रों की चाहे जैसी उन्नति हो; तथापि मनुष्य की अमृतत्वसम्बन्धी ज्ञान की स्वाभाविक प्रवृत्ति कभी कम होने की नहीं। आधिभौतिक शास्त्रों की चाहे जैसी वृद्धि हो तो भी मारे आधिभौतिक मृष्टिविज्ञान को बगल में दबा कर आध्यात्मिक तत्त्वज्ञान मदा उसके आगे ही दौड़ता रहेगा ! दो-चार हजार वर्ष के पहले यही दशा थी; और अब पश्चिमी देशों में भी वही बात दीख पड़ती है। और तो क्या, मनुष्य की वृद्धि की ज्ञानलालमा जिम दिन छूटेगी, उम दिन उसके विषय में यही कहना होगा, कि “ सा वै मुक्तोज्यवा पणुः । ”

दिवनाल से अमर्त्यादि, अमृत, अनादि, स्वतन्त्र, एक, निरन्तर, सर्वव्यापी और निर्गुण तत्त्व के अस्तित्व के विषय में, अथवा उस निर्गुण तत्त्व में मनुष्य सृष्टि

की उत्पत्ति के विषय में जैसा व्याख्यान हमारे प्राचीन उपनिषदों में किया गया है, उनसे अधिक मनुष्यव्यक्त व्याख्यान अन्य देशों के तत्त्वज्ञों ने अब तक नहीं किया है। अर्वाचीन जर्मन तत्त्ववेत्ता कान्ट ने उस बात का सूक्ष्म विचार किया है, कि मनुष्य को बाह्यसृष्टि की विविधता या भिन्नता का ज्ञान एवना से क्यों और कैसे होता है? और फिर उक्त उपपत्ति को ही उसने अर्वाचीन शास्त्र की रीति से अधिक स्पष्ट कर दिया है। और हेबेल यद्यपि अपने विचार में कान्ट से कुछ आगे बढ़ा है, तथापि उसके भी सिद्धान्त वेदान्त के आगे बढ़े हैं। शोपेनहर् का भी यही हाल है। मैटिन भाषा में उपनिषदों के अनुवाद का अध्ययन उसने किया था — और उसने यह बात भी लिख रखी है, कि 'समाज के साहित्य में अत्युत्तम' इन ग्रन्थों से कुछ विचार भेने अपने ग्रन्थों में लिये हैं। इस छोटे-से ग्रन्थ में इन सब बातों का विस्तारपूर्वक निष्पण करना सम्भव नहीं, कि उक्त गम्भीर विचारों और उनके साधकवाधक प्रमाणों में, अथवा वेदान्त के सिद्धान्तों और कान्ट प्रभृति पश्चिमी तत्त्वज्ञों के सिद्धान्तों में समानता कितनी है और अन्तर कितना है। इसी प्रकार इस बात की भी विस्तार से चर्चा नहीं कर सकते, कि उपनिषद् और वेदान्त-सूत्र जैसे प्राचीन ग्रन्थों के वेदान्त में और तदुत्तरकालीन ग्रन्थों के छोटे-मोटे भेद कौन-कौनसे हैं। अतएव भगवद्गीता के अध्यात्मसिद्धान्तों की सत्यता, महत्त्व और उपपत्ति समझा देने के लिये जिन जिन बातों की आवश्यकता है, सिर्फ उन्हीं बातों का यहाँ दिग्दर्शन किया गया है, और इस चर्चा के लिये उपनिषद्, वेदान्त-सूत्र और उसके शाङ्करभाष्य का आधार प्रधान रूपसे लिया गया है। प्रकृति-पुरुषरूपी साप्योक्त द्वैत के परे क्या है — इसका निर्णय करने के लिये बेबल द्रष्टा और दृश्यसृष्टि के द्वैतभेद पर ही ठहर जाना उचित नहीं। किन्तु इस बात का भी सूक्ष्म विचार करना चाहिये, कि द्रष्टा पुरुष को बाह्य-सृष्टि का जो ज्ञान होता है, उसका स्वरूप क्या है? वह ज्ञान किससे होता है? बाह्य-सृष्टि के पदार्थ मनुष्य को नेत्रों से जैसे दिखाई देते हैं, वैसे तो वे गुण पशुओं को भी दिखाई देते हैं। परन्तु मनुष्य में यह विशेषता है, कि आँख, कान इत्यादि ज्ञानेन्द्रियों से उसके मन पर जो सस्कार हुआ करते हैं, उनका एकीकरण करने की शक्ति उसमें है, और इसी लिये बाह्यसृष्टि के पदार्थमात्र का ज्ञान उसको हुआ करता है। पहले क्षेत्र-क्षेत्रज्ञविचार में बतला चुके हैं, कि जिस एकीकरणशक्ति का फल उपर्युक्त विशेषता है, वह शक्ति मन और बुद्धि के भी परे है — अर्थात् वह आत्मा की शक्ति है। यह बात नहीं, कि किसी एक ही पदार्थ का ज्ञान उक्त रीति से होता हो, किन्तु सृष्टि के भिन्न भिन्न पदार्थों में कार्यकारणभाव आदि जो अनेक सम्बन्ध हैं — जिन्हे हम सृष्टि के नियम कहते हैं — उनका ज्ञान भी इसी प्रकार हुआ करता है। इसका कारण यह है, कि यद्यपि हम भिन्न भिन्न पदार्थों को दृष्टि से देखते हैं, तथापि उनका कार्यकारणसम्बन्ध प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर नहीं होता, किन्तु हम अपने मानसिक व्यापारों से निश्चित किया करते हैं। उदाहरणार्थ, जब कोई एक पदार्थ हमारे नेत्रों के सामने आता है, तब

उसका रूप और उसकी गति देख कर हम निश्चय करते हैं, कि यह एक 'फौजी सिपाही' है; और यही संस्कार मन में बना रहता है। इसके बाद जब कोई दूसरा पदार्थ उसी रूप और गति में दृष्टि के सामने आता है, तब वही मानसिक क्रिया फिर शुरु हो जाती है; और हमारी बुद्धि का निश्चय हो जाता है, कि वह भी एक फौजी सिपाही है। इस प्रकार भिन्न भिन्न समय में (एक के बाद दूसरे) जो अनेक संस्कार हमारे मन पर होते रहते हैं, उन्हें हम अपनी स्मरणशक्ति से याद कर एकत्र रखते हैं; और जब वह पदार्थसमूह हमारी दृष्टि के सामने आ जाता है, तब उन सब भिन्न भिन्न संस्कारों का ज्ञान एकता के रूप में होकर हम कहने लगते हैं, कि हमारे सामने से 'फौज' जा रही है। इस सेना के पीछे जानेवाले पदार्थ का रूप देख कर हम निश्चय करते हैं, कि वह 'राजा' है। और 'फौज'-सम्बन्धी पहले संस्कार को तथा 'राजा'-सम्बन्धी इस नूतन संस्कार को एकत्र कर हम कह सकते हैं, कि यह 'राजा की सवारी जा रही है'। इसलिये कहना पड़ता है, कि मृष्टिज्ञान केवल इन्द्रियों से प्रत्यक्ष दिखाई देनेवाला जड़ पदार्थ नहीं है; किन्तु इन्द्रियों के द्वारा मन पर होनेवाले अनेक संस्कारों या परिणामों का जो 'एकीकरण' 'द्रष्टा आत्मा' किया करता है, उसी एकीकरण का फल ज्ञान है। इसी लिये भगवद्गीता में भी ज्ञान का लक्षण इस प्रकार कहा है—“अविभक्तं विभक्तेषु” अर्थात् ज्ञान वही है, कि जिससे विभक्त या निरालेपन में अविभक्तता या एकता का बोध होय (गी. १८. २०)। परन्तु इस विषय का यदि सूक्ष्म विचार किया जावे, कि इन्द्रियों के द्वारा मन पर जो जान पड़ेगा कि यद्यपि आँख, कान, नाक इत्यादि इन्द्रियों से पदार्थ के रूप, शब्द, गन्ध आदि गुणों का ज्ञान हमें होता है। तथापि जिम पदार्थ में ये बाह्यगुण हैं, उसके आन्तरिक स्वरूप के विषय में हमारी इन्द्रियाँ हमें कुछ भी नहीं बतला सकती। हम यह देखते हैं सही, कि 'गोली मिट्टी' का घड़ा बनता है; परन्तु यह नहीं जान सकते, कि जिसे हम 'गोली मिट्टी' कहते हैं; उस पदार्थ का यथार्थ तात्त्विक स्वरूप क्या है। चिकनाई, गोलापन, मैला रंग या गोलाकार (रूप) इत्यादि गुण जब इन्द्रियों के द्वारा मन को पृथक् पृथक् मालूम हो जाते हैं, तब उन संस्कारों का एकीकरण करके 'द्रष्टा' आत्मा कहता है, कि 'यह गोली मिट्टी है; ' और आगे इसी द्रष्टा की (क्यों कि यह मानने के लिये कोई कारण नहीं, कि द्रव्य का तात्त्विक रूप बदल गया) गोल तथा पोली आवृत्ति या रूप, टन टन आवाज और सूखापन इत्यादि गुण जब इन्द्रियों के द्वारा मन को मालूम हो जाते हैं, तब आत्मा उनका एकीकरण करके उसे 'घड़ा' कहता है। सारांश, मारा भेद 'रूप या आकार' में ही होता रहता है। और जब इन्हीं गुणों के संस्कारों को (जो मन पर हुआ करते हैं) 'द्रष्टा' आत्मा

* Cf. " Knowledge is first produced by the synthesis of what is manifold." Kant's Critique of Pure Reason, p. 64, Max-Muller's translation. 2nd Ed.

एकत्र कर लेता है, तब एक ही तात्त्विक पदार्थ को अनेक नाम प्राप्त हो जाते हैं। इसका सब से सरल उदाहरण समुद्र और तरंग का या सोना और अलंकार का है। क्यों कि इन दोनों उदाहरणों में रङ्ग गाढ़ापन-पतलापन, वजन आदि गुण एक ही से रहते हैं; और केवल रूप (आकार) तथा नाम ये ही दो गुण बदलते रहते हैं। इसी लिये वेदान्त में ये सरल उदाहरण हमेशा पाये जाते हैं। सोना तो एक पदार्थ है; परन्तु भिन्न भिन्न समय पर बदलनेवाले उसके आकारों के जो संस्कार इन्द्रियों के द्वारा मन पर होते हैं, उन्हें एकत्र करके 'द्रष्टा' उस सोने को ही - कि जो तात्त्विक दृष्टि से ही मूल पदार्थ है - कभी 'कड़ा', कभी 'अँगूठी' या कभी 'पेंचलड़ी', 'पहुँची' और 'कडगन' इत्यादि भिन्न भिन्न नाम दिया करता है। भिन्न भिन्न समय पर पदार्थों को जो इस प्रकार नाम दिये जाते हैं, उन नामों को (तथा पदार्थों की जिन भिन्न भिन्न आकृतियों के कारण वे नाम बदलते रहते हैं, उन आकृतियों को) उपनिपदो में 'नामरूप' कहते हैं; और इन्हीं में अन्य सब गुणों का भी समावेश कर दिया जाता है (छां. ६. ३ और ४; वृ. १. ४. ७.)। और इस प्रकार समावेश होना ठीक भी है। क्योंकि कोई भी गुण लीजिये; उसका कुछ-न-कुछ नाम या रूप अवश्य होगा। यद्यपि इन नामरूपों में प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहे, तथापि कहना पड़ता है, कि - इन नामरूपों के मूल में आधारभूत कोई तत्त्व या द्रव्य है, जो इन नामरूपों से भिन्न है; पर कभी बदलता नहीं - जिस प्रकार पानी पर तरङ्ग होती है, उसी प्रकार ये सब नामरूप किसी एक ही मूलद्रव्य पर तरङ्गों के समान हैं। यह सच है, कि हमारी इन्द्रियाँ नामरूप के अतिरिक्त और कुछ भी पहचान नहीं सकती। अतएव इन इन्द्रियों को उस मूलद्रव्य का ज्ञान होना सम्भव नहीं, कि जो नामरूप से भिन्न हो, परन्तु उसका आधारभूत है। परन्तु सारे संसार का आधारभूत यह तत्त्व भले ही अव्यक्त हो; अर्थात् इन्द्रियों से न जाना जा सके; तथापि हमको अपनी बुद्धि से यही निश्चित अनुमान करना पड़ता है, कि वह सत् है - अर्थात् वह सचमुच सर्व काल सब नामरूपों के मूल में तथा नामरूपों में भी निवास करता है; और उसका कभी नाश नहीं होता। क्योंकि यदि इन्द्रियगोचर नामरूपों के अतिरिक्त मूलतत्त्व को कुछ माने ही नहीं, तो फिर 'कड़ा' आदि भिन्न भिन्न पदार्थ हो जावेंगे। एवं इस समय हमें जो यह ज्ञान हुआ करता है, कि 'वे सब एक ही धातु के (सोने के) बने हैं', उस ज्ञान के लिये कुछ भी आधार नहीं रह जावेगा। ऐसी अवस्था में केवल इतना ही कहते बनेगा, कि 'कड़ा' है; यह 'कडगन' है। यह कदापि न कह सकेंगे, कि कड़ा सोने का है; और कडगन भी सोने का है। अतएव न्यायतः यह सिद्ध होता है, कि 'कड़ा सोने का है', 'कडगन सोने का है', इत्यादि वाक्यों में 'है' शब्द से जिस सोने के साथ नामरूपात्मक 'कड़े' और 'कडगन' का सम्बन्ध जोड़ा गया है, वह सोना केवल शशश्रृंगवत् अभावरूप नहीं है। किन्तु वह उस द्रव्याश का ही बोधक है, कि जो सारे आभूषणों का आधार है। इसी का उपयोग सृष्टि के सारे पदार्थों में करे, तो

यह मिथ्यात्व निश्चय है, कि पत्थर, मिट्टी, चाँदी, लोहा, लकड़ी इत्यादि अनेक नामरूपात्मक पदार्थ, जो नजर आते हैं, सब किसी एक ही द्रव्य पर भिन्न भिन्न नामरूपा का मुग्धता या गिरावट कर उत्पन्न हुए हैं, अर्थात् मारा भेद केवल नामरूपों का है, मद्रव्य का नहीं। भिन्न भिन्न नामरूपा की जट में एक ही द्रव्य नित्य निवास करना है। 'सब पदार्थों में इस प्रकार के नित्य रूप के सर्वव्यवहार' - मन्वृत्त में 'सत्ता-सामान्यत्व' कहा जाता है।

वेदान्तशास्त्र के एक मिथ्यात्व का ही वाण्ट जादि अर्वाचीन पश्चिमी तत्त्वज्ञानियों ने भी स्वीकार किया है। नामरूपात्मक जगत् की जट में नामरूपा से भिन्न, जो कुछ अदृश्य नित्य द्रव्य है, उसे वाण्ट ने अपन ग्रन्थ में 'बन्तुत्व' कहा है, और नेत्र जादि इन्द्रिया को गोचर होनेवाले नामरूप को 'गहरी दृश्य' कहा है। परन्तु वेदान्तशास्त्र में नित्य अदृश्यवाले नामरूपात्मक दृश्य जगत् को 'मिथ्या' या 'नागवान्' और मूलद्रव्य को 'मन्व' या 'अमृत' कहते हैं। सामान्य लोग मन्व की व्याख्या को करते हैं, कि 'चतुर्वै मन्व' अर्थात् जो आँखा ने दीख पड़े वही मन्व है, और व्यवहार में भी देखते हैं, कि किसी ने स्वप्न में लाख रुपया पा लिया अथवा अत्र रुपये मिलने की बात जान में सुन ली, तो उस स्वप्न की बात में और मचमुच गन्ध रुपये की खम के मिल जाने में बड़ा भारी जल्द रहता है। इन कारण एव दूसरे में सुनी हुई और आँखों ने प्रत्यक्ष देखी हुई - इन दोनों बातों में किस पर अधिक विश्वास कर ? आँखा पर या कानों पर ? इसी दुविधा को भिन्दने के लिये महाशब्दक उपनिषद् (५ १/४) में यह 'चतुर्वै मन्व' वाक्य आया है। किन्तु निम्न शास्त्र में 'रूप खोटे होने का निश्चय 'रूपये' की शास्त्रोक्त मूल जगत् अपने प्रचलित नाम से करना है, वहाँ मन्व की इस भाषण व्याख्या या क्या उपयोग होगा ? हम व्यवहार में देखते हैं, कि यदि किसी की बातचीत का जिक्राना नहीं है, और यदि घण्टे घण्टे में अपनी बात बदलन ग्या, तो गग उसे झूठा कहते हैं। फिर इसी ग्याय म 'रूपये' के नामरूप का (भीतरी द्रव्य का नहीं) खान अथवा झूठा कहने में क्या हानि है ? क्याकि रूपय का जा नामरूप आज हम घबरी है, उसे दूर करके, उसके बदले 'करुणी' या 'करुण' का नामरूप उसे दूसरे ही दिन दिया जा सकता है, अर्थात् हम अपनी आँखा से देखते हैं, कि यह नामरूप हमेशा बदलता रहता है - नित्यता क्या है ? जय यदि कहें, कि जा आँखा न दीख पड़ता है, उसका सिवा जगत् कुछ मन्व नहीं है, तो एकीकरण की निम्न मानसिक क्रिया में मृष्टिज्ञान होता है, वह भी

* वाण्ट ने अपन Critique of Pure Reason नामक ग्रन्थ में यह विचार किया है। नामरूपात्मक मन्व की जट में जो द्रव्य है, उसे मन्व 'दिंग आन दिंग' (Ding an sich - Thing in itself) कहा है, और हमन इसी का भाषण बन्तुत्व किया है। नामरूपों का गहरी दृश्य को वाण्ट ने 'एरशाइनग' (Erscheinung-appearance) कहा है। वाण्ट कहता है, कि बन्तुत्व अमृत है।

तो आँखों से नहीं दीख पड़ती। अतएव उसे भी झूठ कहना पड़ेगा। इस कारण हमें जो कुछ ज्ञान होता है, उसे भी असत्य, झूठ कहना पड़ेगा। इन पर (और ऐसी ही दूसरी कठिनाइयों पर) ध्यान दे कर 'चक्षुर्वै सत्य' जैसे सत्य के लौकिक और सापेक्ष लक्षण को ठीक नहीं माना है। किन्तु सर्वोपनिषद् में सत्य की यही व्याख्या की है, कि सत्य वही है जिसका अन्य बातों के नाश हो जाने पर भी कभी नाश नहीं होता। और इसी प्रकार महाभारत में भी सत्य का यही लक्षण बतलाया गया है -

सत्य नामाज्यय नित्यमविकारि तथैव च । *

अर्थात् "सत्य वही है कि जो अव्यय है अर्थात् जिसका कभी नाश नहीं होता, जो नित्य है अर्थात् सदासर्वदा बना रहता है, और अविकारी है अर्थात् जिसका स्वरूप कभी बदलता नहीं" (म भा शा १६२.१०)। अभी कुछ और थोड़ी देर में कुछ करनेवाले मनुष्य को झूठा कहने का कारण यही है, कि वह अपनी बात पर स्थिर नहीं रहता - इधर उधर डगमगता रहता है। सत्य के इस निरपेक्ष लक्षण को स्वीकार कर लेने पर कहना पड़ता है कि आँखों से दीख पड़नेवाला, पर हर-घड़ी में बदलनेवाला नामरूप मिथ्या है। उस नामरूप से ढँका हुआ और उसी के मूल में सदैव एक ही सा स्थित रहनेवाला अमृत वस्तुतत्त्व ही - वह आँखों से भले ही न दीख पड़े - ठीक ठीक सत्य है। भगवद्गीता में ब्रह्म का वर्णन इसी नीति से किया गया है, "य स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति" (गी ८ २०, १३ २७) - अक्षर ब्रह्म वही है, कि जो सब पदार्थ अर्थात् सभी पदार्थों के नामरूपात्मक शरीर न रहने पर भी नष्ट नहीं होता। महाभारत में नारायणीय अथवा भागवतधर्म के निरूपण में यही श्लोक पाठभेद से फिर "य स सर्वेषु" के स्थान में 'भूतग्रामशरीरेषु' होकर आया है (म भा शा ३३९ २३)। ऐसे ही गीता के दूसरे अध्याय के सोलहवें और सत्रहवें श्लोकों का तात्पर्य भी वही है। वेदान्त में जब आभूषण को 'मिथ्या' और सुवर्ण को 'सत्य' कहते हैं, तब उसका यह मतलब नहीं है, कि वह जेवर निरूपयोगी या विलकुल खोटा है - अर्थात् आँखों से दिखाई नहीं पड़ता, या मिट्टी पर पत्ती चिपका कर बनाया गया है - अर्थात् वह अस्तित्व में ही नहीं। यहाँ 'मिथ्या' शब्द का प्रयोग पदार्थ के रङ्ग, रूप आदि गुणा के लिये और आकृति के लिये अर्थात् ऊपरी दृश्य के लिये किया गया है। भीतरी द्रव्य से उसका प्रयोजन नहीं है। स्मरण रहे, कि तात्त्विक द्रव्य तो सदैव 'सत्य' है। वेदान्ती यही देखता है, कि पदार्थमात्र के नामरूपात्मक आच्छादन के नीचे मूल कौन-सा

* ग्रीन ने real (सत् या सत्य) की व्याख्या बतलाने समय "whatever anything is really it is unalterably" कहा है (Prolegomena to Ethics § 25) ग्रीन की यह व्याख्या और महाभारत की उक्त व्याख्या दोनों तत्त्वतः एक ही हैं।

तत्त्व है; और तत्त्वज्ञान का सच्चा विषय है भी यही। व्यवहार में यह प्रत्यक्ष देखा जाता है, कि गहना गटवाने में चाहे जितना मेहनताना देना पडा हो; पर आपत्ति के समय जब उसे बेचने के लिये सराफ की दूकान पर ले जाते हैं, तब वह साफ साफ कह देता है, कि 'मैं नहीं जानना चाहता, कि गहना गटवाने में तोले पीछे क्या उजरत देनी पडी है, यदि मोने के चलत् भाव में बेचना चाहो, तो हम ले लेंगे।' वेदान्त की परिभाषा में इसी विचार को इस ढंग से व्यक्त करेंगे — सराफ को गहना मिथ्या और उमका सोना भर सत्य दीख पडता है। इसी प्रकार यदि किसी नये मकान को बेचे, तो उसकी सुन्दर बनावट (रूप) और गुञ्जाइश की जगह (आवृत्ति) बनाने में जो खर्च लगा होगा, उसकी ओर खरीददार जरा भी ध्यान नहीं देता। वह कहता है, कि ईंट-चुना, लकड़ी-पत्थर और मजदूरी की लागत में यदि बेचना चाहो, तो बेच डालो। इन दृष्टान्तों से वेदान्तियों के इस कथन को पाठक भली भाँति समझ जावेंगे, कि नामरूपात्मक जगत् मिथ्या है, और ब्रह्म सत्य है। 'दृश्य जगत् मिथ्या है' इसका अर्थ यह नहीं, कि वह आँखों से दीख ही नहीं पडता। किन्तु इसका ठीक ठीक अर्थ यही है, कि वह आँखों से तो दीख पडना है, पर एक ही द्रव्य के नामरूप-भेद के कारण जगत् के बहुतेरे जो स्थलकृत अथवा कालकृत दृश्य हैं, वे नाशवान् हैं, और इसी में मिथ्या है। इन सब नामरूपात्मक दृश्यों के आच्छादन में छिपा हुआ सदैव वर्तमान, जो अविनाशी और अविकारी द्रव्य है, वही नित्य और सत्य है। सराफ को कडे, कडगन, गुञ्ज और अँगूठियाँ खोटी जँचती हैं। उसे सिर्फ़ उनका सोना सच्चा जँचता है। परन्तु सप्टि मुनार के कारखाने में मूल में ऐसा एक द्रव्य है, कि जिसके भिन्न भिन्न नामरूप दे कर मोना, चाँदी, लोहा, पत्थर, लकड़ी, हवा-पानी आदि सारे गहने गटवाये जाते हैं। इसलिये सराफ की अपेक्षा वेदान्ती कुठ और आगे बटकर सोना, चाँदी या पत्थर प्रभृति नामरूपों को जेवर के ही समान मिथ्या समझ कर सिद्धान्त करता है, कि इन सब पदार्थों के मूल में जो द्रव्य अर्थात् 'वस्तुतत्त्व' मौजूद है, वही सच्चा अर्थात् अविनाशी सत्य है। इस वस्तुतत्त्व में नामरूप आदि कोई भी गुण नहीं है। इस कारण इसे नेत्र आदि इन्द्रियाँ कभी नहीं जान सकती। परन्तु आँखों से न दीख पडने, नाक से न संघे जाने अथवा हाथ से न टटोले जाने पर भी बुद्धि से निश्चय-पूर्वक अनुमान किया जाता है, कि अव्यक्त रूप से वह होगा अवश्य ही। न केवल इतना ही, बल्कि यह भी निश्चय करना पडता है, कि इस जगत् में कभी भी न बदलनेवाले 'जो कुछ' है, वह यही सत्य वस्तुतत्त्व है। जगत् का मूल सत्य इसी को कहते हैं। परन्तु जो नाममज्ञ - विदेशी और कुछ स्वदेशी पण्डित-मन्य भी (सत्य और मिथ्या शब्दों के वेदान्तशास्त्रवाले पारिभाषिक अर्थ को न तो सोचने-समझने हैं, और यह न देखने का ही कष्ट उठाते हैं, कि सत्य शब्द का जो अर्थ हमें मूलना है, उसकी अपेक्षा इसका अर्थ कुछ और भी हो सकेगा या नहीं, वे)

यह कह कर अद्वैत वेदान्त का उपहास किया करते हैं, कि "हमें जो जगत् आँखों से प्रत्यक्ष दीख पड़ता है, उसे भी वेदान्ती लोग मिथ्या कहते हैं। भला, यह कोई बात है?" परन्तु यास्क के शब्दों में कह सकते हैं, कि यदि अन्धे को खम्भा नहीं समझता, तो इसका दोषी कुछ खम्भा नहीं है! छान्दोग्य (६. १; और ७. १), बृहदारण्य (१. ६. ३), मुण्डक (३. २. ८), और प्रश्न (६. ५) आदि उपनिषदों में बार-बार बतलाया गया है, कि नित्य बदलते रहनेवाले अर्थात् नाशवान् नामरूप सत्य नहीं है। जिसे सत्य अर्थात् नित्य स्थिर तत्त्व देखना हो, उसे अपनी दृष्टि को इस नामरूपों से बहुत आगे पहुँचाना चाहिये। इसी नामरूप को कठ (२. ५) और मुण्डक (१. २. ९) आदि उपनिषदों में 'अविद्या' तथा श्वेताश्वतर उपनिषद् में माया कहा है। भगवद्गीता में 'माया', 'मोह' और 'अज्ञान' शब्दों से वही अर्थ विवक्षित है। जगत् के आरम्भ में कुछ था। वह विना नामरूप का था - अर्थात् निर्गुण और अव्यक्त था। फिर आगे चल कर नामरूप मिल जाने से वही व्यक्त और सगुण बन जाता है (बृ. १. ४. ७; छा. ६. १. २. ३.)। अतएव विकारवान् अथवा नाशवान् नामरूप को ही 'माया' नाम दे कर कहते हैं, कि यह सगुण अथवा दृश्य सृष्टि एक मूलद्रव्य अर्थात् ईश्वर की माया का खेल या लीला है। अब इस दृष्टि से देखें, तो साँझों की प्रकृति अव्यक्त भली बनी रहे; पर वह सत्त्वरजतम-गुणमयी है, अतः नामरूप से युक्त माया ही है। इस प्रकृति से विश्व की जो उत्पत्ति या फैलाव होता है (जिसका वर्णन आठवें प्रकरण में किया है), वह भी तो उस माया का सगुण नामरूपात्मक विकार है। क्योंकि कोई भी गुण हो; वह इन्द्रियों को गोचर होनेवाला और इसी से नामरूपात्मक ही रहेगा। सारे आधिभौतिक शास्त्र भी इसी प्रकार माया के वर्ग में आ जाते हैं। इतिहास, भूगर्भशास्त्र, विद्युच्छास्त्र, रसायनशास्त्र, पदार्थविज्ञान आदि कोई भी शास्त्र लीजिये; उसमें सब नामरूप का ही तो विवेचन रहता है - अर्थात् यही वर्णन होता है, कि किसी पदार्थ का एक नामरूप चला जा कर उसे दूसरा नामरूप कैसे मिलता है। उदाहरणार्थ, नामरूप के भेद का ही विचार इस शास्त्र में इस प्रकार रहता है :- जैसे पानी जिसका नाम है, उसको भाफ नाम क्व और कैसे मिलता है, अथवा काले-कलूटे तारकोल से लाल-हरे, नीले-पीले रँगने के रङ्ग (रूप) क्योकर बनते हैं, इत्यादि। अतएव नामरूप में ही उलझे हुए इन शास्त्रों के अभ्यास से उस सत्य वस्तु का बोध नहीं हो सकता, कि जो नामरूप से परे है। प्रकट है, कि जिसे सच्चे ब्रह्मस्वरूप का पता लगाना हो, उसको अपनी दृष्टि इन सब आधिभौतिक अर्थात् नामरूपात्मक शास्त्रों से पहुँचानी चाहिये। और यही अर्थ छान्दोग्य उपनिषद् में सातवें अध्याय के आरम्भ की कथा में व्यक्त किया गया है। कथा का आरम्भ इस प्रकार है :- नारद ऋषि सनत्कुमार अर्थात् स्कन्द के यहाँ जा कर कहने लगे, कि 'मुझे आत्मज्ञान बतलाओ' तब सनत्कुमार बोले, कि 'पहले बतलाओ, तुमने क्या सीखा है, फिर मैं बतलाता हूँ।' इस पर

नारद ने कहा, कि 'मैंने इतिहास-शृंगार-रूपी पाँचवें वेदसहित ऋग्वेद प्रभृति मनस्य वेद, व्याकरण, गणित, तर्कशास्त्र, कालशास्त्र, सभी वेदांग, धर्मशास्त्र, भूतविद्या, क्षेत्रविद्या, नक्षत्रविद्या और मर्षदेवजनविद्या-प्रभृति सब कुछ पढ़ा है। परन्तु जब इसने आत्मज्ञान नहीं हुआ, तब अब तुम्हारे यहाँ आया हूँ।' इसको सनत्कुमार ने यह उत्तर दिया, 'कि तुने जो कुछ सीखा है, वह तो मारा नामरूपात्मक है। सच्चा ब्रह्म इन नामब्रह्म में बहुत आगे है; ' और फिर नारद को क्रमशः इस प्रकार पहचान करा दी, कि इस नामरूप के अर्थान् सांख्यो की अव्यक्त प्रकृति से अथवा वाणी, आशा, मन्स्य, मन, बुद्धि (ज्ञान) और प्राण में भी परे एवं उनमें बह-चट कर जो है, वही परमात्मारूपी अमृततत्त्व है।

यहाँ तक जो विवेचन किया गया, उसका तात्पर्य यह है, कि यद्यपि मनुष्य की इन्द्रियों को नामरूप के अनिर्विक्त और किसी का भी प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता है, तो भी इस अनित्य नामरूप के आच्छादन में टँका हुआ लेकिन आँखों से न दीख पड़नेवाला अर्थान् कुछ-न-कुछ अव्यक्त नित्य द्रव्य रहना ही चाहिये; और इन्हीं कारण सारी मृष्टि का ज्ञान हमें एकता में होता रहना है। जो कुछ ज्ञान होना है, सो आत्मा को ही होता है। इस लिये आत्मा ही ज्ञाता यानी जाननेवाला हुआ। और इस ज्ञाता को नामरूपात्मक मृष्टि का ही ज्ञान होता है। अतः नामरूपात्मक बाह्यमृष्टि ज्ञात हुई (म. भा. शा. ३०६. ४०) और इस नामरूपात्मक मृष्टि के मूल में जो कुछ बन्तुत्व है, वही ज्ञेय है। इसी वर्गीकरण को मान कर भगवद्गीता ने ज्ञाता को क्षेत्रज्ञ आत्मा और ज्ञेय को इन्द्रियातीत नित्य परब्रह्म कहा है (गी. १३. १२-१७)। और फिर आगे ज्ञान के तीन भेद करके कहा है, कि भिन्नता या नानात्व से जो सृष्टि-ज्ञान होता है, तथा इस नानात्व का जो ज्ञान एकत्वरूप में होना है, वह मार्त्तिक ज्ञान है (गी. १८. २०-२१)। इस पर कुछ लोग कहते हैं, कि इस प्रकार ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय का तीसरा भेद करना ठीक नहीं है। एवं यह मानने के लिये हमारे पास कुछ भी प्रमाण नहीं है, कि हमें जो कुछ ज्ञान होता है, उसकी अपेक्षा जगत् में और भी कुछ है। गाय, घोड़े, प्रभृति जो बाह्य बन्तुएँ हमें दीख पड़ती हैं, वह तो ज्ञान ही है; जो कि हमें होता है। और यद्यपि यह ज्ञान सत्य है, तो भी यह बतलाने के लिये (कि वह ज्ञान है काहे का) हमारे पास ज्ञान का छोड़ और बोट मार्ग ही नहीं रह जाता। अतएव यह नहीं कहा जा सकता, कि इस ज्ञान के अनिर्विक्त बाह्य पदार्थ के नाते कुछ स्वतन्त्र बन्तुएँ हैं; अथवा इन बाह्य बन्तुओं के मूल में और कोई स्वतन्त्र है। क्यों कि जब ज्ञाता ही न रहा, तब जगत् कहीं में रहे? इस दृष्टि में विचार करने पर उक्त तीसरे वर्गीकरण में - अर्थान् ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय में - ज्ञेय नहीं रह पाता। ज्ञाता और उसको होनेवाला ज्ञान, यही दो दब जाते हैं, और इसी युक्ति को और ऊपर-मा आगे ले चढ़ें, तो 'ज्ञाता' या 'द्रष्टा' भी तो एक प्रकार का ज्ञान ही है। इन लिये अन्त में ज्ञान के सिद्धा इनमें

वस्तु ही नहीं रहती। इसी को 'विज्ञानवाद' कहते हैं; और योगाचार पन्थ के, बौद्धों ने इसे ही प्रमाण माना है। इस पन्थ के विद्वानों ने प्रतिपादन किया है, कि ज्ञाता के ज्ञान के अतिरिक्त इस जगत् में और कुछ भी स्वतंत्र नहीं है। और तो क्या? दुनिया ही नहीं है। जो कुछ है, मनुष्य का ज्ञान ही ज्ञान है। अन्नेज ग्रन्थ-कारों में भी ह्यूम जैसे पंडित इस ढंग के मत के पुरस्कर्ता हैं। परंतु वेदान्तियों यह मत मान्य नहीं है। वेदान्तसूत्रों (२२.२८-३२) में आचार्य वादरायण ने और इन्हीं सूत्रों के भाष्य में श्रीमच्छंकराचार्य ने इस मत का खंडन किया है। यह कुछ झूट नहीं, कि मनुष्य के मन पर जो संस्कार होते हैं, अन्त में वे ही उसे विदित रहते हैं, और इसी को हम ज्ञान कहते हैं। परंतु अब प्रश्न होता है, कि यदि इस ज्ञान के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, तो 'गाय' सम्बन्धी ज्ञान जुदा है, 'घोडा' सम्बन्धी ज्ञान जुदा है, और 'मैं'-विषयक ज्ञान जुदा है—इस प्रकार ज्ञान-ज्ञान में ही जो भिन्नता हमारी बुद्धि को जंचती है, उसका कारण क्या है? माना कि, ज्ञान होने की मानसिक क्रिया सर्वत्र एक ही है। परंतु यदि कहा जाय, कि इसके सिवा और कुछ है ही नहीं, तो गाय, घोडा इत्यादि भिन्न भिन्न भेद आ गये कहां से? यदि कोई कहे, कि स्वप्न की सृष्टि के समान मन आप ही अपनी मर्जी से ज्ञान के ये भेद बनाया करता है, तो स्वप्न की सृष्टि के पृथक् जागृत अवस्था के ज्ञान में जो एक प्रकार का ठीक ठीक सिलसिला मिलता है, उसका कारण बतलाते नहीं बनता (वे सू. शा. भा २२.२९, ३२.४)। अच्छा, यदि कहे कि ज्ञान को छोड़ दूसरी कोई भी वस्तु नहीं है, और 'द्रष्टा' का मन ही सारे भिन्न भिन्न पदार्थों को निर्मित करता है, तो प्रत्येक द्रष्टा को 'अहपूर्वक' यह सारा ज्ञान होना चाहिये, कि 'मेरा मन यानी मैं ही खम्भा हूँ,' अथवा 'मैं ही गाय हूँ'। परंतु ऐसा होता कहां है? इसी से शंकराचार्य ने सिद्धान्त किया है, कि जब सभी को यह प्रतीति होती है, कि मैं अलग हूँ, और मुझ से खम्भा और गाय प्रभृति पदार्थ भी अलग हैं, तब द्रष्टा के मन में समूचा ज्ञान होने के लिये इस आधारभूत बाह्य सृष्टि में कुछ-न-कुछ स्वतंत्र वस्तुएँ अवश्य होनी चाहिये (वे सू. शा. भा. २.२.२८)। काण्ट का मत भी इसी प्रकार का है। उसने स्पष्ट कह दिया है, कि सृष्टि का ज्ञान होने के लिये यद्यपि मनुष्य की बुद्धि का एकीकरण आवश्यक है, तथापि बुद्धि इस ज्ञान को सर्वथा अपनी ही गाँठ से—अर्थात् निराधार या विलकुल नया नहीं उत्पन्न कर देती। उसे सृष्टि की बाह्य वस्तुओं की सदैव अपेक्षा रहती है। यहाँ कोई प्रश्न करे, कि 'क्योंजी! शंकराचार्य एक बार बाह्यसृष्टि को मिथ्या कहते हैं; और फिर दूसरी बार बौद्धों का खंडन करने में उमी बाह्यसृष्टि के अस्तित्व को 'द्रष्टा' के अस्तित्व के समान ही सत्य प्रतिपादन करते हैं। इन बे-मेल बातों का मिलान होगा कैसे?' पर इन प्रश्न का उत्तर पहले ही बनला चुके हैं। आचार्य जब बाह्यसृष्टि को मिथ्या या असत्य कहते हैं, तब उसका इतना ही अर्थ

समझना चाहिये, कि बाह्यसृष्टि का दृश्य नामरूप असत्य अर्थात् विनाशवान् है। नामरूपात्मक बाह्य दृश्य मिथ्या बना रहे; पर उससे इस सिद्धान्त में रत्ती भर भी आंच नहीं लगती, कि उस बाह्यसृष्टि के मूल में कुछ-न-कुछ इन्द्रियातीत सत्यवस्तु है। क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ-विचार में जिस प्रकार यह सिद्धान्त किया है; कि देहेन्द्रिय आदि विनाशवान् नामरूपों के मूल में कोई नित्य आत्मतत्त्व है; उसी प्रकार कहना पड़ता है, कि नामस्वरूपात्मक बाह्यसृष्टि के मूल में भी कुछ-न-कुछ नित्य आत्मतत्त्व है। अतएव वेदान्तशास्त्र ने निश्चित किया है, कि देहेन्द्रियो और बाह्यसृष्टि के निशिदिन बदलनेवाले अर्थात् मिथ्या दृष्यो के मूल में -दोनों ही ओर -कोई नित्य अर्थात् सत्य द्रव्य छिपा हुआ है। इसके आगे अब प्रश्न होता है, कि दोनों ओर जो ये नित्य तत्त्व हैं, वे अलग अलग हैं या एकरूपी हैं? परंतु इसका विचार फिर करेंगे। इस मत पर मौके-बेमौके इसकी अर्वाचीनता के मवघ में जो साक्षेप हुआ करता है, उसीका थोड़ा-सा विचार करते हैं।

कुछ लोक कहते हैं, कि बौद्धों का विज्ञानवाद यदि वेदान्तशास्त्र को समत नहीं है, तो श्रीशंकराचार्य के मायावाद का भी प्राचीन उपनिषदों में वर्णन नहीं है; इसलिये उसे भी वेदान्तशास्त्र का मूलभाग नहीं मान सकते। श्रीशंकराचार्य का मत - कि जिसे मायावाद कहते हैं - यह है, कि बाह्यसृष्टि का आँखों से दीख पड़नेवाला नामरूपात्मक स्वरूप मिथ्या है। उसके मूल में जो अव्यय और नित्यद्रव्य है, वही सत्य है। परंतु उपनिषदों का मन लगा कर अध्ययन करने से कोई भी सहज ही जान जावेगा, कि यह आक्षेप निराधार है। यह पहले ही बतला चुके हैं, कि 'सत्य' शब्द का उपयोग माधारण व्यवहार में आँखों से प्रत्यक्ष दीख पड़नेवाली वस्तु के लिये किया जाता है। अतः 'सत्य' शब्द के इसी प्रचलित अर्थ को ले कर उपनिषदों में कुछ स्थानों पर आँखों से दीख पड़नेवाले नामरूपात्मक बाह्य पदार्थों को 'सत्य' और इन नामरूपों में आच्छादित द्रव्य को 'अमृत' नाम दिया गया है। उदाहरण लीजिये। बृहदारण्यक उपनिषद् (१. ६. ३) में " तदेतदमृत सत्येन च्छन " - वह अमृत सत्य से आच्छादित है - कह कर फिर अमृत और सत्य शब्दों की यह व्याख्या की है, कि " प्राणो वा अमृत नामरूपे सत्य ताम्यामय प्रच्छन्नः " अर्थात् प्राण अमृत है; और नामरूप सत्य है। एव इस नामरूप सत्य से प्राण ढँका हुआ है। यहाँ प्राण का अर्थ प्राणस्वरूपी परब्रह्म है। इससे प्रकट है, कि आगे के उपनिषदों में जिसे 'मिथ्या' और 'सत्य' कहा है, पहले उसी के नाम त्रम से 'सत्य' और 'अमृत' थे। अनेक स्थानों पर इसी अमृत को 'सत्यस्य सत्य' - आँखों से दीख पड़नेवाले सत्य के भीतर का अन्तिम सत्य (वृ. २. ३. ६) - कहा है। किन्तु उक्त आक्षेप इतने ही से सिद्ध नहीं हो जाता, कि उपनिषदों में कुछ स्थानों पर आँखों से दीख पड़नेवाली सृष्टि को ही सत्य कहा है। क्योंकि बृहदारण्यक में ही अत में यह सिद्धांत किया है, कि आत्मरूप परब्रह्म को छोड़, और सब 'आर्तम्' अर्थात् विनाशवान् है (वृ. ३.

७. २३) । जब पहले पहले जगत् के मूलतत्त्व की खोज होने लगी, तब शोधक लोग आँखों से दीख पड़नेवाले जगत् को पहले से ही सत्य मान कर ढूँढने लगे, कि उसके पेट में और कौन-सा सूक्ष्म सत्य छिपा हुआ है। किन्तु फिर ज्ञात हुआ, कि जिस दृश्य सृष्टि के रूप को हम सत्य मानते हैं, वह तो असल में विनाशवान् है; और उसके भीतर कोई अविनाशी या अमृत तत्त्व मौजूद है। दोनों के बीच के इस भेद को जैसे जैसे अधिक व्यक्त करने की आवश्यकता होने लगी, वैसे वैसे 'सत्य' और 'अमृत' शब्दों के स्थान में 'अविद्या' और 'विद्या', एव अन्त में 'माया और सत्य' अथवा 'मिथ्या और सत्य' इन पारिभाषिक शब्दों का प्रचार होता गया। क्योंकि 'सत्य' का धात्वर्थ 'सदैव रहनेवाला' है। इस कारण नित्य बदलनेवाले और नाशवान् नामरूप को सत्य कहना उत्तरोत्तर और भी अनुचित जँचने लगा। परन्तु इस रीति से 'माया अथवा मिथ्या' शब्दों का प्रचार पीछे भले ही हुआ हो; तो भी ये विचार बहुत पुराने जमाने से चल आ रहे हैं, कि जगत् की वस्तुओं का वह दृश्य, जो नजर से दीख पड़ता है, विनाशी और असत्य है। एव उसका आधारभूत 'तात्त्विक द्रव्य' ही सत् या सत्य है। प्रत्यक्ष ऋग्वेद में भी कहा कि "एक सद्विप्रा बहुधा वदन्ति" (१. १६४. ४६. ५६ और १०. ११४. ५) - मूल में जो एक और नित्य (सत्) है, उसी को विप्र (ज्ञाता) भिन्न भिन्न नाम देते हैं - अर्थात् एक ही सत्य वस्तु नामरूप से भिन्न भिन्न दीख पड़ती है। 'एक रूप अनेक रूप दिखलाने' के अर्थ में, यह 'माया' शब्द ऋग्वेद में भी प्रयुक्त है; और वहाँ यह वर्णन है, कि "इन्द्रो मायाभिः पुरुरूपः ईयते" - इन्द्र अपनी माया से अनेक रूप धारण करता है (ऋ. ६. ४७. १८)। तैत्तिरीय संहिता (३. १. ११) में एक स्थान पर 'माया' शब्द का इसी अर्थ में प्रयोग किया गया है; और श्वेताश्वतर उपनिषद् में इम 'माया' शब्द का नामरूप के लिये उपयोग हुआ है, जो हो, नामरूप के लिये 'माया' शब्द के प्रयोग किये जाने की रीति श्वेताश्वतर उपनिषद् के समय में भले ही चल निकली हो; पर इतना तो निर्विवाद है, कि नामरूप के अनित्य अथवा असत्य होने की कल्पना इससे पहले की है। 'माया' शब्द का विपरीत अर्थ करके श्रीशंकराचार्य ने यह कल्पना नई नहीं चला दी है। नामरूपात्मक सृष्टि के स्वरूप को जो श्रीशंकराचार्य के समान वेदछक 'मिथ्या' कह देने की हिम्मत न कर सके; अथवा जैसा गीता में भगवान् ने उसी अर्थ में 'माया' शब्द का उपयोग किया है; वैसे करने से जो हिचकते हो; वे चाहे तो खुशी से बृहदारण्यक उपनिषद् के 'सत्य' और 'अमृत' शब्दों का उपयोग करे। कुछ भी क्यो न कहा जावे, पर इस सिद्धान्त में जरा-सी चोट भी नहीं लगती, कि नामरूप 'विनाशवान्' है; और जो तत्त्व उससे आच्छादित है, वह 'अमृत' या 'अविनाशी' है। एव यह भेद प्राचीन वैदिक काल से चला आ रहा है।

अपने आत्मा को नामरूपात्मक बाह्यसृष्टि के सारे पदार्थों का ज्ञान होने के लिये 'कुछ-न-कुछ' एक ऐसा नित्य मूल द्रव्य होना चाहिये, कि जो आत्मा का

आधारभूत हो; और उसीके मेल का हो। एवं बाह्यसृष्टि के नाना पदार्थों की जड़ में वर्तमान रहता हो; नहीं तो यह ज्ञान ही न होगा। किन्तु इतना ही निश्चय कर देने से अध्यात्मशास्त्र का काम समाप्त नहीं हो जाता। बाह्यसृष्टि के मूल में वर्तमान इस नित्य द्रव्य को ही वेदान्ती लोक 'ब्रह्म' कहते हैं; और अब हो सके तो इस ब्रह्म के स्वरूप का निर्णय करना भी आवश्यक है। सारे नामरूपात्मक पदार्थों के मूल में वर्तमान यह नित्य तत्त्व है अव्यक्त। इसलिये प्रकट ही है, कि इसका स्वरूप नामरूपात्मक पदार्थों के समान व्यक्त और स्थूल (जड़) नहीं रह सकता। परन्तु यदि व्यक्त और स्थूल पदार्थों को छोड़ दें, तो मन, स्मृति, वासना, प्राण और ज्ञान प्रभृति बहुत से ऐसे अव्यक्त पदार्थ हैं; कि जो स्थूल नहीं हैं;। एवं यह असम्भव नहीं, कि परब्रह्म इनमें से किसी भी एक आद्य के स्वरूप का हो। कुछ लोग कहते हैं, कि प्राण का और परब्रह्म का स्वरूप एक ही है। जर्मन पंडित शोपेनहर ने परब्रह्म को वासनात्मक निश्चित किया है; और वासना मन का धर्म है। अतः इस मत के अनुसार ब्रह्म मनोमय ही कहा जावेगा (तै. ३. ४)। परन्तु, अब तक जो विवेचन हुआ है, उससे तो यही कहा जावेगा कि—“प्रज्ञानं ब्रह्म” (ऐ. ३. ३) अथवा “विज्ञानं ब्रह्म” (तै. ३. ५) — जड़सृष्टि के नानात्व का जो ज्ञान एकस्वरूप से हमें ज्ञात होता है, वही ब्रह्म का स्वरूप होगा। हेकेल का सिद्धान्त इसी टंग का है। परन्तु उपनिषदों में चिद्रूपी ज्ञान के साथ सत् (अर्थात् जगत् की सारी वस्तुओं के अस्तित्व के सामान्य धर्म या सत्तासमानता) का और आनन्द का भी ब्रह्मस्वरूप में ही अन्तर्भाव करके ब्रह्म को सच्चिदानन्दरूपी माना है। इसके अतिरिक्त दूसरा ब्रह्मस्वरूप कहना हो, तो वह अकार है। इसकी उपपत्ति इस प्रकार है:—पहले समस्त अनादि अकार से उपजे हैं; और वेदों के निकल चुकने पर उनके नित्य शब्दों से ही चल कर ब्रह्मा ने जब सारी सृष्टि का निर्माण किया है (गी. १७. २३; म. भा. शा. २३१. ५६-५८), तब मूल आरम्भ में अकार को छोड़ और कुछ न था। इससे सिद्ध होता है, कि अकार ही सच्चा ब्रह्मस्वरूप है (माण्डूक्य. १; तैत्ति. १. ८)। परन्तु केवल अध्यात्मशास्त्र की दृष्टि से विचार किया जाय, तो परब्रह्म के ये सभी स्वरूप थोड़ेबहुत नामरूपात्मक ही हैं। क्योंकि इन सभी स्वरूपों को मनुष्य अपनी इन्द्रियों से जान सकता है; और मनुष्य को इस रीति से जो कुछ ज्ञात हुआ करना है, वह नामरूप की श्रेणी में है। फिर इस नामरूप के मूल में जो अनादि, भीतरबाहर सर्वत्र एक-सा भरा हुआ, एक ही नित्य और अमृत तत्त्व है (गी. १३. १२-१७), उसके वास्तविक स्वरूप का निर्णय ही तो क्योंकर हो? कितने ही अध्यात्मशास्त्री पण्डित कहते हैं, कि कुछ भी हो; यह तत्त्व हमारी इन्द्रियों को अज्ञेय ही रहेगा; और बान्त ने तो इन प्रश्न पर विचार करना ही छोड़ दिया है। इसी प्रकार उपनिषदों में भी परब्रह्म के अज्ञेय स्वरूप का वर्णन इस प्रकार है: 'नेति नेति' अर्थात् वह नहीं है, कि जिसके विषय में कुछ कहा जा सकता है; ब्रह्म इससे परे है;

वह आँखों से देख नहीं पड़ता; वह वाणी को और मन को भी अगोचर है — “यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह ।” फिर भी अध्यात्मशास्त्र ने निश्चय किया है, कि इम अगम्य स्थिति में भी मनुष्य अपनी बुद्धि से ब्रह्म के स्वरूप का एक प्रकार से निर्णय कर सकता है । ऊपर जो वासना, स्मृति, धृति, आशा, प्राण और ज्ञान प्रभृति अव्यक्त पदार्थ बतलाये गये हैं, उनमें से जो सब से अतिशय व्यापक अथवा सब से श्रेष्ठ निर्णित हो, उसी को परब्रह्म का स्वरूप मानना चाहिये । क्यों कि यह तो निर्विवाद ही है, कि सब अव्यक्त पदार्थों में परब्रह्म श्रेष्ठ है । अब इस दृष्टि से आशा, स्मृति, वासना और धृति आदि का विचार करे, तो ये सब मन के धर्म हैं । अतएव इनकी अपेक्षा मन श्रेष्ठ हुआ । मन से ज्ञान श्रेष्ठ है; और ज्ञान है बुद्धि का धर्म । अतः ; ज्ञान से बुद्धि श्रेष्ठ हुई । और अन्त में यह बुद्धि भी जिसकी नीकर है, वह आत्मा ही सब से श्रेष्ठ है (गीता ३ ४२) । ‘क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ-प्रकरण’ में इसका विचार किया गया है । अब वासना और मन आदि अव्यक्त पदार्थों से यदि आत्मा श्रेष्ठ है, तो आप ही सिद्ध हो गया, कि परब्रह्म का स्वरूप भी वही आत्मा होगा । छान्दोग्य उपनिषद् के सातवें अध्याय में इसी युक्ति से काम लिया गया है । और सनत्कुमार ने नारद से कहा है, कि वाणी की अपेक्षा मन अधिक योग्यता का (भूयस्) है । मन से ज्ञान, ज्ञान से बल और इसी प्रकार चढते चढते जब कि आत्मा सब से श्रेष्ठ (भूमन्) है, तब आत्मा ही को परब्रह्म का सच्चा स्वरूप कहना चाहिये । अग्नेज ग्रन्थकारों में ग्रीन ने इसी सिद्धान्त को माना है, किन्तु उसकी युक्तियाँ कुछ कुछ भिन्न हैं । इसलिये यहाँ उन्हें सक्षेप से वेदान्त की परिभाषा में बतलाते हैं । ग्रीन का कथन है, कि हमारे मन पर इन्द्रियों के द्वारा बाह्य नामरूप के जो सस्कार हुआ करते हैं, उनके एकीकरण से आत्मा को ज्ञान होता है । उस ज्ञान के मेल के लिये बाह्यसृष्टि के भिन्न भिन्न नामरूपों के मूल में भी एकता से रहनेवाली कोई न कोई वस्तु होनी चाहिये । नहीं तो आत्मा के एकीकरण से जो ज्ञान उत्पन्न होता है, वह स्वकपोलकल्पित और निराधार हो कर विज्ञानवाद के समान असत्य प्रामाणिक हो जायगा । इस ‘कोई न कोई’ वस्तु को हम ब्रह्म कहते हैं । भेद इतना ही है, कि कान्त की परिभाषा को मान कर ग्रीन उसको वस्तुतत्त्व कहता है । कुछ भी कहो, अन्त में वस्तुतत्त्व (ब्रह्म) और आत्मा ये ही दो पदार्थ रह जाते हैं, कि जो परस्पर के मेल के हैं । इन में से ‘आत्मा’ मन और बुद्धि से परे अर्थात् इन्द्रियातीत है । तथापि अपने विश्वास के प्रमाण पर हम माना करते हैं, कि आत्मा जड़ नहीं है । वह या तो चिद्रूपी है या चैतन्यरूपी है । इस प्रकार आत्मा के स्वरूप का निश्चय करके देखना है, कि बाह्यसृष्टि के ब्रह्म का स्वरूप क्या है । इस विषय में यहाँ दो ही पक्ष हो सकते हैं, यह ब्रह्म या वस्तुतत्त्व (१) आत्मा के स्वरूप का होगा या (२) आत्मा से भिन्न स्वरूप का । क्योंकि, ब्रह्म और आत्मा के सिवा अंबे तीसरी वस्तु ही नहीं रह जाती । परन्तु सभी का अनुभव यह है, कि यदि कोई भी दो

पदार्थ स्वरूप से भिन्न हों, तो उनके परिणाम अथवा कार्य भी भिन्न भिन्न होने चाहिये। अतएव हमलोग पदार्थों के भिन्न अथवा एकरूप होने का निर्णय उन पदार्थों के परिणामों से ही किसी भी शास्त्र में किया करते हैं। एक उदाहरण लीजिये; दो वृक्षों के फल, फूल, पत्ते, छिलके और जड़ को देख कर हम निश्चय करते हैं, कि वे दोनों अलग अलग हैं या एक ही हैं। यदि इमी रीति का अवलम्बन करके यहाँ विचार करें, तो दीख पड़ता है, कि आत्मा और ब्रह्म एक ही स्वरूप के होंगे। क्यों कि ऊपर कहा जा चुका है, कि सृष्टि के भिन्न भिन्न पदार्थों के जो सत्कार मन पर होते हैं, उनका आत्मा की क्रिया से एकीकरण होता है। इस एकीकरण के साथ उम एकीकरण का मेल होना चाहिये, कि जिसे भिन्न भिन्न बाह्य पदार्थों के मूल में रहनेवाला वस्तुतत्त्व अर्थात् ब्रह्म इन पदार्थों की अनेकता को भेट कर निष्पन्न करता है। यदि इस प्रकार इन दोनों में मेल न होगा, तो समूचा ज्ञान निराधार और असत्य हो जावेगा। एक ही नमूने के और विलकुल एक दूसरे को जोड़ के एकीकरण करनेवाले ये तत्त्व दो स्थानों पर भले ही हों; परन्तु वे परस्पर भिन्न भिन्न नहीं रह सकते। अतएव यह आप ही सिद्ध होता है, कि इनमें से आत्मा का जो रूप होगा, वही रूप ब्रह्म का भी होना चाहिये। १४ सारांश, किमी भी रीती से विचार क्यों न किया जाय; सिद्ध यही होगा, कि बाह्यसृष्टि के नाम और रूप से आच्छादित ब्रह्मतत्त्व, नामरूपात्मक प्रकृति के समान जड़ तो है ही नहीं; किन्तु वासनात्मक ब्रह्म, मनोमय ब्रह्म, ज्ञानमय ब्रह्म, प्राणब्रह्म अथवा अकाररूपी शब्दब्रह्म — ये ब्रह्म के रूप भी निम्न श्रेणी के हैं; और ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप इनसे परे है; एवं इनसे अधिक योग्यता का अर्थात् शुद्ध आत्मस्वरूपी है। और इस विषय का गीता में अनेक स्थानों पर जो उल्लेख है, उससे स्पष्ट होता है, कि गीता का सिद्धान्त भी यही है (देखो गीता २. २०; ७. ५; ८. ४; १३. ३१; १५. ७, ८)। फिर भी यह न समझ लेना चाहिये, कि ब्रह्म और आत्मा के एकस्वरूप रहने के सिद्धान्त को हमारे ऋषियों ने ऐसी युक्ति-प्रयुक्तियों से ही पहले खोजा था। इसका कारण इमी प्रकरण के आरम्भ में बतला चुके हैं, कि अध्यात्मशास्त्र में अकेली बुद्धि की ही सहायता में कोई भी एक ही अनुमान निश्चित नहीं किया जाता है। उसे सदैव आत्मप्रतीति का सहारा चाहिये। उसके अतिरिक्त सर्वदा देखा जाता है, कि आधि-भौतिक शास्त्र में भी अनुभव पहले होता है; और उसकी उपपत्ति या तो पीछे से मालूम हो जाती है, या दूढ़ ली जाती है। इसी न्याय से उक्त ब्रह्मात्मैक्य की बुद्धिगम्य उपपत्ति निकलने के सैकड़ों वर्ष पहले हमारे प्राचीन ऋषियों ने निर्णय कर दिया था, कि “नेह नानाज्जि किंचन” (घृ. ४. ४. १९; कठ. ४. ११) — सृष्टि में दीख पड़नेवाली अनेकता सच नहीं है। उसके मूल में चारों ओर एक ही

अमृत, अव्यय और नित्य तत्त्व है (गीता १८. २०) । और फिर उन्होंने अपनी अन्तर्दृष्टि से यह सिद्धान्त ढंड निकाला, कि बाह्यसृष्टि के नामरूप से आच्छादित अविनाशी तत्त्व और अपने शरीर का वह आत्मतत्त्व - कि जो बुद्धि से परे है - ये दोनों एक ही, अमर और अव्यय हैं; अथवा जो तत्त्व ब्रह्माण्ड में है, वही पिण्ड में यानी मनुष्य की देह में वास करता है । एव बृहदारण्यक उपनिषद् में याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को, गार्गी-वारुणि प्रभृति को और जनक को (वृ. ३. ५-८; ४. २-४) पूरे वेदान्त का यही रहस्य बतलाया है । इसी उपनिषद् में पहले कहा गया है, कि जिसने जान लिया, कि " अहं ब्रह्मास्मि " - मैं ही परब्रह्म हूँ - उसने सब कुछ जान लिया (वृ. १. ४. १०); और छान्दोग्य उपनिषद् के छठे अध्याय में श्वेतकेतु को उसके पिता ने अद्वैत वेदान्त का यही तत्त्व अनेक रीतियों से समझा दिया है । जब अध्याय के आरम्भ में श्वेतकेतु ने अपने पिता से पूछा, कि " जिस प्रकार मिट्टी के एक लौदे का भेद जान लेने से मिट्टी के नामरूपात्मक सभी विकार जाने जाते हैं, उसी प्रकार जिस एक ही वस्तु का ज्ञान हो जाने से सब कुछ समझ में आ जावे; वही एक वस्तु मुझे बतलाओ, मुझे उसका ज्ञान नहीं । " तब पिता ने नदी, समुद्र, पानी और नमक प्रभृति अनेक दृष्टान्त दे कर समझाया, कि बाह्यसृष्टि के मूल में जो द्रव्य है, वह (तत्) और त् (त्वम्) अर्थात् तेरी देह की आत्मा दोनों एक ही हैं - 'तत्त्वमसि'; एव ज्योंही तूने अपने आत्मा को पहचाना, त्योही तूझे आप ही मालूम हो जावेगा, कि समस्त जगत् के मूल में क्या है । इस प्रकार पिता ने श्वेतकेतु को भिन्न भिन्न नौ दृष्टान्तों से उपदेश किया है, और प्रति वार 'तत्त्वमसि' - वही तू है - इस सूत्र की पुनरावृत्ति की है (छां. ६ ८-१६) । यह 'तत्त्वमसि' अद्वैत वेदान्त के महावाक्यों में मुख्य वाक्य है ।

इस प्रकार निर्णय हो गया, कि ब्रह्म आत्मस्वरूपी है । परन्तु आत्मा चिद्रूपी है । इसलिये सम्भव है, कि कुछ लोग ब्रह्म को भी चिद्रूपी समझे । अतएव यहाँ ब्रह्म के और उसके साथ ही साथ आत्मा के सच्चे स्वरूप का थोड़ा-सा खुलासा कर देना आवश्यक है । आत्मा के सान्निध्य में जडात्मक बुद्धि में उत्पन्न होनेवाले धर्म को चित् अर्थात् ज्ञान कहते हैं । परन्तु जब कि बुद्धि के दस धर्मों को आत्मा पर लादना उचित नहीं है, तब तार्त्विक दृष्टि से आत्मा के मूलस्वरूप को भी निर्गुण और अज्ञेय ही मानना चाहिये । अतएव कई-एको का मत है, कि यदि ब्रह्म आत्मास्वरूपी है, तो इन दोनों को या इनमें से किसी भी एक को चिद्रूपी कहना कुछ अशो में गौण ही है । यह आक्षेप अकेले चिद्रूपी पर ही नहीं है । किन्तु यह आप-ही-आप सिद्ध होता है, कि परब्रह्म के लिये 'सत्' विशेषण का प्रयोग करना उचित नहीं है । क्योंकि सत् और असत्, ये दोनों धर्म परस्परविरुद्ध और सदैव परस्पर-सापेक्ष हैं । अर्थात् भिन्न भिन्न दो वस्तुओंका निर्देश करने के लिये कहे जाते हैं । जिसने कभी उजाला न देखा हो, वह अंधेरे की कल्पना नहीं कर सकता । यही नहीं;

किन्तु 'उजाला' और अंधेरा इन शब्दों की यह जोड़ी ही उसको सूझ न पड़ेगी। सत् और असत् शब्दों की जोड़ी (द्वन्द्व) के लिये यही न्याय उपयोगी है। जब हम देखते हैं, कि कुछ वस्तुओं-का नाश होता है, तब हम मत्र वस्तुओं के असत् (नाश होनेवाली) और सत् (नाश न होनेवाली) ये दो भेद करने लगते हैं; अथवा सत् और असत् शब्द सूझ पड़ने के लिये मनुष्य की दृष्टि के आगे दो प्रकार के विरुद्ध धर्मों की आवश्यकता होती है। अच्छा; यदि आरम्भ में एक ही वस्तु थी, तो द्वैत के उत्पन्न होने पर, दो वस्तुओं के उद्देश से जिन सापेक्ष सत् और असत् शब्दों का प्रचार हुआ है, उनका प्रयोग इस मूल वस्तु के लिये कैसे किया जावेगा? क्योंकि, यदि इसे सत् कहते हैं, तो शंका होती है, कि क्या उस समय उसकी जोड़ का कुछ असत् भी था? यही कारण है, जो ऋग्वेद के नासदीय सूक्त (१० . १२९) में परब्रह्म को कोई भी विशेषण न दे कर मृष्टि के मूलभूत का वर्णन इस प्रकार किया है, कि " जगत् के आरम्भ में न तो सत् था; और न असत् ही था। जो कुछ था वह एक ही था। " इन सत् और असत् शब्दों की जोड़ियाँ (अथवा द्वन्द्व) तो पीछे से निकाली हैं; और गीता (७ . २८; २ . ४५) में कहा है, कि सत् और असत्, शीत और उष्ण द्वन्द्वों में जिसकी वृद्धि मुक्त हो जाय, वह इन सब द्वन्द्वों से परे अर्थात् निर्वन्द्व ब्रह्मपद को पहुँच जाता है। इससे दीर्घ पड़ेगा, कि अध्यात्मशास्त्र के विचार कितने गहन और मूढम है। केवल तर्कदृष्टि से विचार करें, तो परब्रह्म का अथवा आत्मा का भी अजेयत्व स्वीकार किये बिना गति ही नहीं रहती। परन्तु ब्रह्म इस प्रकार अजेय और निर्गुण अतएव इन्द्रियातीत हो; तो भी यह प्रतीति हो सकती है, कि परब्रह्म का भी वही स्वरूप है; जो कि हमारे निर्गुण तथा अनिर्वाच्य आत्मा का है; और जिसे हम साक्षात्कार में पहचानते हैं। इसका कारण यह है, कि प्रत्येक मनुष्य को अपने आत्मा की साक्षात् प्रतीति होती ही है। 'अतएव अब यह सिद्धान्त निरर्थक नहीं हो सकता, कि ब्रह्म और आत्मा एकस्वरूपी है। इस दृष्टि में देखें, तो ब्रह्मस्वरूप विषय में इसकी अपेक्षा कुछ अधिक नहीं कहा जा सकता, कि ब्रह्म आत्मस्वरूपी है। शेष बातों के सम्बन्ध में अपने अनुभव को ही पूरा प्रमाण मानना पड़ता है। किन्तु बुद्धिगम्य शास्त्रीय प्रतिपादन में जितना शब्दों से हो सकता है, उनका तुलना कर देना आवश्यक है। इसलिये यद्यपि ब्रह्म सर्वत्र एक-सा व्याप्त, अजेय और अनिर्वाच्य है, तो भी जटसृष्टि का और आत्मस्वरूपी ब्रह्मतत्त्व का भेद व्यक्त करने के लिये, आत्मा के मात्रिष्ठ्य में जटप्रकृति में चैतन्यरूपी जो गुण हमें दृग्गोचर होता है, उसी को आत्मा का प्रधान लक्षण मान कर अध्यात्मशास्त्र में आत्मा और ब्रह्म दोनों को चिद्रूपी या चैतन्यरूपी कहते हैं। क्योंकि यदि ऐसा न करें, तो आत्मा और ब्रह्म दोनों ही निर्गुण, निरजन एव अनिर्वाच्य होने के कारण उनके रूप का वर्णन करने में या तो चुप्पी माघ जाना पड़ता है या शब्दों में किसी ने कुछ वर्णन किया, तो 'नहीं नहीं' का यह मन्त्र रटना पड़ता है, कि " नेति नेति

एतस्मादन्यत्परमस्ति । ”—यह नहीं है, यह (ब्रह्म) नहीं है (यह तो नामरूप हो गया) । सच्चा ब्रह्म इससे परे और ही है । इस नकारात्मक पाठ का आवर्तन करने के अतिरिक्त और दूसरा मार्ग ही नहीं रह जाता (वृ. २. ३. ६.) । यही कारण है, जो सामान्य रीति से ब्रह्म के स्वरूप के लक्षण चित् (ज्ञान), सत् (सत्तामात्रत्व अथवा अस्तित्व) और आनन्द बतलाये जाते हैं । इसमें कोई सन्देह नहीं, कि ये लक्षण अन्य सभी लक्षणों की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं । फिर भी स्मरण रहे, कि शब्दों से ब्रह्मस्वरूप की जितनी पहचान हो सकती है, उतनी करा देने के लिये लक्षण भी कहे गये हैं । वास्तविक ब्रह्मस्वरूप निर्गुण ही है । उसका ज्ञान होने के लिये उसका अपरोक्षानुभव ही होना चाहिये । यह अनुभव कैसे हो सकता है ? — इन्द्रियातीत होने के कारण अनिर्वाच्य ब्रह्म के स्वरूप का अनुभव ब्रह्मानिष्ठ पुरुष को कब और कैसे होता है ? — इस विषय में हमारे शास्त्रकारों ने जो विवेचन किया है, उसे यहाँ संक्षेप में बतलाते हैं ।

ब्रह्म और आत्मा की एकता के उक्त समीकरण को सरल भाषा में इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं, कि ‘जो पिण्ड में है, वही ब्रह्माण्ड में है’ । जब इस प्रकार ब्रह्मात्मैक्य का अनुभव हो जावे, तब यह भेदभाव नहीं रह सकता, कि ज्ञाता अर्थात् द्रष्टा भिन्न वस्तु है; और ज्ञेय अर्थात् देखने की वस्तु अलग है । किन्तु इस विषय में शंका हो सकती है, कि मनुष्य जब तक जीवित है, तब तक उसकी नेत्र आदि इन्द्रियाँ यदि छूट नहीं जाती हैं; तो इन्द्रियाँ पृथक् हुई और उनको गोचर होनेवाले विषय पृथक् हुए — यह भेद छूटेगा तो कैसे ? और यदि यह भेद नहीं छूटता, तो ब्रह्मात्मैक्य का अनुभव कैसे होगा ? तब यदि इन्द्रियदृष्टि से ही विचार करें, तो यह शंका एकाएक अनुचित भी नहीं जान पड़ती । परन्तु हाँ, गम्भीर विचार करने लगे, तो जान पड़ेगा, कि इन्द्रियाँ बाह्य विषयों को देखने का काम खुद मुक्तारी से — अपनी ही मर्जी से नहीं किया करती हैं । पहले बतला दिया है, कि “ चक्षुः पश्यति रूपाणि मनसा न तु चक्षुषा ” (म. भा. शां. ३११. १७) — किसी भी वस्तु देने के लिये (और सुनने आदि के लिये भी) नेत्रों को (ऐसे ही कान प्रभृति को भी) मन की सहायता आवश्यक है । यदि मन शून्य हो, किसी और विचार में डूबा हो, तो आँखों के आगे धरी हुई वस्तु भी नहीं सूझती ? व्यवहार में होनेवाले इस अनुभव पर ध्यान देने से सहज ही अनुमान होता है, कि नेत्र आदि इन्द्रियों के अधुण्ण रहते हुए भी मन को यदि उनमें से निकाल ले, तो इन्द्रियों के द्रष्टृ वाह्यसृष्टि में वर्तमान होने पर भी अपने लिये न होने के समान रहेंगे । फिर परिणाम यह होगा, कि मन केवल आत्मा में अर्थात् आत्मस्वरूपी ब्रह्म में ही रत रहेगा । इससे हमें ब्रह्मात्मैक्य का साक्षात्कार होने लगेगा । ध्यान से, समाधि से, एकान्त उपासना से अथवा अत्यन्त ब्रह्मविचार करने से, अन्त में यह मानसिक स्थिति जिसको प्राप्त हो जाती है, फिर उसकी नजर के आगे दृश्य सृष्टि के द्रष्टृ या भेद नाचते भले रहा करें; पर वह उनसे

लापरवाह है—उसे वे दीख ही नहीं पड़ते, और उसको अद्वैत ब्रह्मस्वरूप का आप-ही-आप पूर्ण साक्षात्कार होता जाता है। पूर्ण ब्रह्मज्ञान से अन्त में परमावधि की जो यह स्थिति प्राप्त होती है, उसमें ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान का तीसरा भेद अर्थात् त्रिपुटी नहीं रहती, अथवा उपास्य और उपासक का द्वैतभाव भी नहीं बचने पाता। अतएव यह अवस्था और किसी दूसरे को बतलाई नहीं जा सकती। क्योंकि ज्योहि 'दूसरे' शब्द का उच्चारण किया, त्योही अवस्था विगड़ी, और फिर प्रकट ही है, कि मनुष्य अद्वैत से द्वैत में आ जाता है। और तो क्या, यह कहना भी मुश्किल है, कि मुझे इस अवस्था का ज्ञान हो गया। क्योंकि 'मैं' कहते ही औरों से भिन्न होने की भावना मन में आ जाती है, और ब्रह्मात्मैक्य होने में यह भावना पूरी बाधक है। इसी कारण से याज्ञवल्क्य ने बृहदारण्यक (४ ५ १५ ४ ३ २७) में इस परमावधि की स्थिति का वर्णन यों किया है "यत्र हि द्वैतमिव भवति तदितर इतर पश्यति जिघ्रति शृणोति विजानाति। यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत तत्त्वेन क पश्यत जिघ्रेत शृणूयात् विजानीयात्। विज्ञातारमरे केन विजानीयात्। एनावदरे खलु अनृतत्वमिति।" इसका भावार्थ यह है, कि "देखने वाले (द्रष्टा) और देखने का पदार्थ जब तक बना हुआ था, तब तक दूसरे को देखता था, मूँघता था, सुनता था और जानता था। परन्तु जब सभी आत्ममेव हो गया (अर्थात् अपना और पराया भेद ही न रहा) तब कौन किसको दे देगा, सूँघेगा, सुनेगा और जानेगा? अरे! जो स्वयं ज्ञाता अर्थात् जाननेवाला है, उसी को जाननेवाला और दूसरा कहाँ से लाओगे?" इस प्रकार सभी आत्मभूत या ब्रह्मभूत हो जाने पर वहा भीति, शोक अथवा सुखदुःख आदि द्वन्द्व भी रह नहीं सकते हैं (ईश ७)? क्योंकि, जिमसे डरना है या जिसका शोक करना है, वह तो अपने से—हम से—जुदा होना चाहिये, और ब्रह्मात्मैक्य का अनुभव हो जाने पर इस प्रकार की किसी भी भिन्नता को अवकाश ही नहीं मिलता। इसी दुःखशोकविरहित अवस्था को 'आनन्दमय' नाम दे कर तैत्तिरीय उपनिषद् (२ ८, ३ ६) में कहा है, कि यह आनन्द ही ब्रह्म है। किन्तु यह वर्णन भी गौण ही है। क्याकि आनन्द का अनुभव करनेवाला अब रह ही कहाँ जाता है? अतएव बृहदारण्यक उपनिषद् (४ ३ ३२) में कहा है, कि लौकिक आनन्द की अपेक्षा आत्मानन्द कुछ विलक्षण होता है। ब्रह्म के वर्णन में 'आनन्द' शब्द आया करता है। उसको गौणता पर ध्यान दे कर अन्य स्थानों में ब्रह्मवेत्ता पुरुष का अन्तिम वर्णन ('आनन्द' शब्द को बहार निकालकर) इतना ही किया जाना है, "ब्रह्म भवति य एव वेद" (वृ ४ ८ २५)। अथवा "ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति" (मु ३ २ ९) — जिमने ब्रह्म का ज्ञान लिया, वह ब्रह्म ही हो गया। उपनिषदों (वृ २ ४ १२, छा ६ १३) में इस स्थिति के लिये यह दृष्टान्त दिया गया है, कि नमक की डली तब पानी में घुल जाती है, तब जिम प्रकार यह भेद नहीं रहता कि इतना भाग खारें

पानी वा है और इतना भाग मामूली पानी का है - उसी प्रकार ब्रह्मात्मैक्य का ज्ञान हो जाने पर सब ब्रह्मभय हो जाता है। किन्तु उन श्री तुकाराम महाराज ने (कि 'जिनकी कहै नित्य वेदान्त वाणी') इस खारे पानी के दृष्टान्त के बदले गुड का यह मीठा दृष्टान्त दे कर अपने अनुभव का वर्णन किया है -

‘गूंगे का गुड़’ है भगवान्, बाहर भीतर एक समान ।

किसका ध्यान करूँ सधिवेक ! जल-तरंग से है हम एक ॥

इसी लिये कहा जाता है, कि परब्रह्म इन्द्रियो को अगोचर और मन को भी अगम्य होने पर भी स्वानुभवगम्य है, अर्थात् अपने अपने अनुभव से जाना जाता है। परब्रह्म की जिस अज्ञेयता का वर्णन किया जाता है, वह 'ज्ञाता और ज्ञेय'-वाली द्वैती स्थिति है; और 'अद्वैत-साक्षात्कार' वाली स्थिति नहीं। जब तक यह बुद्धि बनी है, कि मैं अलग हूँ और दुनिया अलग है, तब तक कुछ भी बयो न किया जाय, ब्रह्मात्मैक्य का पूरा ज्ञान होना संभव नहीं। किन्तु नदी यदि समुद्र को निगल नहीं सकती - - उसको अपने में लीन नहीं कर सकती - तो जिस प्रकार समुद्र में गिर कर नदी तद्रप हो जाती है, उसी प्रकार परब्रह्म में निमग्न होने से मनुष्य को उसका अनुभव हो जाया करता है, और उसकी परब्रह्म स्थिति हो जाती है, कि "सर्वभूतस्थमात्मान सर्वभूतानि चात्मनि" (गी ६. २९) - सब प्राणी मुझमें हैं, और मैं सब में हूँ। केन उपनिषद् में बड़ी खुबी के साथ परब्रह्म के स्वरूप का विरोधाभासात्मक वर्णन इस अर्थ को व्यक्त करने के लिये किया गया है, कि पूर्ण परब्रह्म का ज्ञान केवल अपने अनुभव पर ही निर्भर है। वह वर्णन इस प्रकार है - "अविज्ञात विज्ञानता विज्ञानम-विज्ञानताम्" (केन २ ३) - जो कहते हैं, कि हमें परब्रह्म का ज्ञान हो गया उन्हें उमका ज्ञान नहीं हुआ है; और जिन्हें जान ही नहीं पडता कि हमने उसको ज्ञान लिया, उन्हें ही वह ज्ञान हुआ है। क्योंकि, जब कोई कहता है, कि मैंने परमे-श्वर को जान लिया, तब उसके मन में वह द्वैतबुद्धि उत्पन्न हो जाती है, कि मैं (ज्ञाता) जुदा हूँ, और मैंने जान लिया, वह (ज्ञेय) ब्रह्म अलग है। अतएव उसका ब्रह्मात्मैक्यरूपी अद्वैती अनुभव उस समय उतना ही कच्चा और अपूर्ण होता है। फलतः उसी के मुँह से ऐसी भाषा का निकलना ही संभव नहीं रहता, कि 'मैंने उसे (अर्थात् अपने से भिन्न और कुछ) जान लिया।' अतएव इस स्थिति में, अर्थात् जब कोई कोई ज्ञानी पृथग्य यह बतलाने में असमर्थ होता है, कि मैं ब्रह्म को जान गया, तब कहना पडता है, कि उसे ब्रह्म का ज्ञान हो गया। इस प्रकार द्वैत का बिलकुल लोप हो कर परब्रह्म में ज्ञाता का सर्वथा रँग जाना, लय पा लेना, बिलकुल घुल जाना, अथवा एकजीव हो जाना सामान्य रूप में दीख तो दुष्कर पडता है, परंतु हमारे शास्त्रकारों ने अनुभव से निश्चय किया है, एकाएक दुर्घट प्रतीत होने वाली 'निर्वाण' स्थिति, अभ्यास और वैराग्य से अंत में मनुष्य को साध्य हो सकती है।

‘मै-मनतात्पि द्वैतभाव इस स्थिति में डूब जाता है, नष्ट हो जाता है। अतएव कुछ लोग शंका किया करते हैं, कि यह तो फिर आत्मनाश का ही एक तरीका है। किन्तु ज्योंही समझ में आया, कि यद्यपि इस स्थिति का अनुभव करते समय इसका वर्णन करते नहीं बनता है, परन्तु पीछे उसका स्मरण हो सकना है, त्योंही उक्त शंका निर्मूल हो जाती है।* इसकी अपेक्षा और भी अधिक प्रबल प्रमाण माधुसन्तों का अनुभव है। बहुत प्राचीन मित्र पुरूपों के अनुभव की बातें पुरानी हैं। उन्हें जाने दीजिये। विलकुल अभी के प्रसिद्ध भगवद्भक्त तुकाराम महाराज ने भी इस परमावधि की स्थिति का वर्णन आलंकारिक भाषा में बड़ी खूबी में धन्यतापूर्वक इस प्रकार किया है, कि ‘हमने अपनी मृत्यु अपनी आँखों से देख ली; यह भी एक उत्सव हो गया।’ व्यक्ति अथवा अव्यक्त मनुष्य ब्रह्म की उपामना में ध्यान के द्वारा धीरे धीरे बढ़ता हुआ उपामक अन्त में “अहं ब्रह्मास्मि” (वृ. १. ४. १०) - मैं ही ब्रह्म हूँ - की स्थिति में जा पहुँचता है; और ब्रह्मात्मैक्यस्थिति का उमे माधात्कार होने लगता है। फिर उममें इतना मग्न हो जाता है, कि इस बात की ओर उमका ध्यान भी नहीं जाता, कि मैं किम स्थिति में हूँ; अथवा किमना अनुभव कर रहा हूँ। इस में जागृति बनी रहती है। अतः इस अवस्था को न तो स्वप्न कह सकते हैं; और न मुद्रुप्ति। यदि जागृति कहें तो इस में मय व्यवहार रूक जाते हैं, कि जो जागृत अवस्था में सामान्य रीति में हुआ करते हैं। इस लिये स्वप्न, सुषुप्ति (नीद) अथवा जागृति - इन तीनों व्यावहारिक अवस्थाओं में विलकुल मित्र इसे चबयी अथवा तुरीय अवस्था शास्त्रों ने बही है। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिये पातञ्जलयोग की दृष्टि में मुख्य साधन निर्विकल्प समाधियोग लगाना है, कि जिसमें द्वैत का ज़राना भी लवलेश नहीं रहता! और यही कारण है जो गीता (६. २०-२३) में कहा है, कि इस निर्विकल्प समाधियोग को अभ्यास में प्राप्त कर लेने में मनुष्य को उक्ताना नहीं चाहिये। यही ब्रह्मात्मैक्य स्थिति ज्ञान की पूर्णावस्था है। क्योंकि जब संपूर्ण जगत् ब्रह्मरूप अर्थात् एक ही हो चुका, तब गीता के ज्ञानक्रियावाले इस लक्षण की पूर्णता हो जाती है, कि “अविभक्त विभक्तेषु” अनेकत्व की एग्नता करनी चाहिये - और फिर इसके आगे किसी को भी अधिक ज्ञान हो नहीं सकता। इसी प्रकार नामरूप में परे इस अमृतत्व का जहाँ मनुष्य को अनुभव हुआ, कि जन्ममरण

* ध्यान से और समाधि से प्राण होनेवाली अद्वैत की अथवा अभेदभाव की यह अवस्था nitrous-oxide gas नामक एक प्रकार की रासायनिक वायु को सूँघने से प्राप्त हो जाता करती है। इसी वायु को ‘लॉरिंग गैस’ भी कहते हैं। *Will to Believe and Other Essays on Popular Philosophy*, by William James, PP. 294-298. परन्तु यह नफ़ली अवस्था है। समाधि से जो अवस्था प्राप्त होती है, वह सच्ची अनमृत - है। यही इन दोनों में महत्त्व का भेद है। फिर भी यहाँ उसका उल्लेख हमने इस-लिये किया है, कि इस कृत्रिम अवस्था के अस्तित्व के विषय में कुछ भी वाद नहीं रह जाना।

का चक्कर भी आप ही से छूट जाता है। क्योंकि जन्ममरण तो नामरूप में ही है; और यह मनुष्य पईच जाता है उन नामरूपों से परे (गी. ८. २१)। इसी से महात्माओं ने इस स्थिति का नाम 'मरण का मरण' रख छोड़ा है। और इसी कारण से याज्ञवल्क्य इस स्थिति को अमृतत्व की सीमा या पराकाष्ठा कहते हैं। यही जीवन्मुक्तावस्था है। पातञ्जलयोगसूत्र और अन्य स्थानों में भी वर्णन है, कि इस अवस्था में आकाशगमन आदि कुछ अपूर्व अलौकिक सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं (पातञ्जलसूत्र ३. १६-५५); और इन्हीं को पाने के लिये कितने ही मनुष्य योगाभ्यास की धुन में लग जाते हैं। परन्तु योगवासिष्ठप्रणेता कहते हैं, कि आकाशगमन प्रभृति सिद्धियाँ न तो ब्रह्मनिष्ठस्थितिका साध्य हैं और न उसका कोई भाग ही। अतः जीवन्मुक्त पुरुष इन सिद्धियों को पा लेने का उद्योग नहीं करता, और बहुधा उसमें ये देवी भी नहीं जाती (देखो, यो. ५. ८९)। इसी कारण इन सिद्धियों का उल्लेख न तो योगवासिष्ठ में ही और न गीता में ही किया है। वसिष्ठ ने राम से स्पष्ट कह दिया है, कि ये चमत्कार तो माया के खेल हैं; कुछ ब्रह्मविद्या नहीं है। कदाचित् ये सच्चे हों। हम यह नहीं कहते, कि ये होंगे ही नहीं। जो हों, इतना तो निर्विवाद है, कि यह ब्रह्मविद्या का विषय नहीं है। अतएव (ये सिद्धियाँ मिले तो और न मिले तो) इनकी परवाह न करनी चाहिये। ब्रह्मविद्याशास्त्र का कथन है, कि इनकी इच्छा अथवा आशा भी न करके मनुष्य को वही प्रयत्न करते रहना चाहिये, कि जिसमें प्राणिमात्र में 'एक आत्मा'—वाली परमावधि की ब्रह्मनिष्ठ स्थिति प्राप्त हो जावे। ब्रह्मज्ञान आत्मा की शुद्ध अवस्था है। वह कुछ जादू, करामत या तिलस्माती लटका नहीं है। इस कारण इन सिद्धियों से—इन चमत्कारों से—ब्रह्मज्ञान के गौरव का बढ़ना तो दूर, किन्तु उसके गौरव के—उसकी महत्ता के—ये चमत्कार प्रमाण भी नहीं हो सकते। पक्षी तो पहले भी उड़ते थे; पर अब विमानवाले लोग भी आकाश में उड़ने लगे हैं। किन्तु सीफ़ इसी गुण के होने से कोई इनकी गिनती ब्रह्मवेत्ताओं में नहीं करता। और तो क्या; जिन पुरुषों को ये आकाशगमन आदि सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं, वे 'मालती-माधव' नाटकवाले अधोरघट के समान क्रूर और घातकी भी हो सकते हैं।

ब्रह्मात्मैकरूप आनन्दमय स्थिति का अनिर्वाच्य अनुभव और किसी दूसरे को पूर्णतया बतलाया नहीं जा सकता। क्योंकि जब उसे दूसरे को बतलाने लगेंगे, तब 'मै-तू'—वाली द्वैत की ही भाषा से काम लेना पड़ेगा, और इस द्वैती भाषा में अद्वैत का समस्त अनुभव व्यक्त करते नहीं बनता। अतएव उपनिषदों में इस परमावधि की स्थिति के जो वर्णन हैं, उन्हें भी अधूरे, गौण समझना चाहिये। और जब ये वर्णन गौण हैं, तब सृष्टि की उत्पत्ति एव रचना समझने के लिये अनेक स्थानों पर उपनिषदों में जो निरे द्वैती वर्णन पाये जाते हैं, उन्हें भी गौण ही मानना चाहिये। उदाहरण लीजिये; उपनिषदों में दृश्यसृष्टि की उत्पत्ति के विषय में ऐसे वर्णन हैं, कि

आत्मस्वरूपी, शुद्ध, नित्य, सर्वव्यापी और अविकारी ब्रह्म ही से आगे चल कर हिरण्यगर्भ नामक सगुण पुरुष या आप (पानी) प्रभृति सृष्टि के व्यक्त पदार्थ त्रमशः निर्मित हुए, अथवा परमेश्वर ने इन नामरूपों की रचना करके फिर जीवरूप से उनमें प्रवेश किया (तै. २. ६; छा. ६. २, ३; बृ. १. ४. ७), ऐसे सब द्वैतपूर्ण वर्णन अद्वैतसृष्टि से यथार्थ नहीं हो सकते। क्योंकि ज्ञानगम्य, निर्गुण परमेश्वर ही जब चारों ओर भरा हुआ है, तब तात्त्विक दृष्टि से यह कहना ही निर्मूल हो जाता है, कि एक ने दूसरे को पैदा किया। परन्तु साधारण मनुष्यों को सृष्टि की रचना समझा देने के लिये व्यावहारिक अर्थात् द्वैत की भाषा ही तो एक माधन है। इस कारण व्यक्तसृष्टि की अर्थात् नामरूप की उत्पत्ति के वर्णन उपनिषदों में उसी ढंग के मिलते हैं, जैसा कि ऊपर एक उदाहरण दिया गया है। तो भी उसमें अद्वैत का तत्त्व बना ही है; और अनेक स्थानों में कह दिया है, कि इस प्रकार द्वैती व्यावहारिक भाषा बताने पर भी मूल में अद्वैत ही है। देखिये, अब निश्चय हो चुका है, कि सूर्य घूमता नहीं है, स्थिर है, फिर बोलचाल में जिस प्रकार यही कहा जाता है, कि सूर्य निकल आया अथवा डूब गया। उसी प्रकार यद्यपि एक ही आत्मस्वरूपी परब्रह्म चारों ओर अखण्ड भरा हुआ है; और वह अविकार्य है; तथापि उपनिषदों में भी ऐसी ही भाषा के प्रयोग मिलते हैं, कि 'परब्रह्म से व्यक्त जगत् की उत्पत्ति होती है।' इसी प्रकार गीता में भी यद्यपि यह कहा गया है, कि "मेरा सच्चा स्वरूप अव्यक्त और अज है" (गी. ७ २५); तथापि भगवान ने कहा है, कि "मैं सारे जगत् को उत्पन्न करता हूँ" (४. ६)। परन्तु इन वर्णनों के मर्म को बिना समझे-बूझे कुछ पण्डित लोग इनको शब्दशः सच्चा मान लेते हैं; और फिर इन्हे ही मुख्य मसझ कर यह मिद्वान्त किया करते हैं, कि द्वैत अथवा विशिष्टाद्वैत मत का उपनिषदों में प्रतिपादन है। वे कहते हैं; कि यदि यह मान लिया जाय, कि एक ही निर्गुण ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त हो रहा है; तो फिर इसकी उपपत्ति नहीं लगती, कि इस अधिकारी ब्रह्म से विकाररहित नाशवान् सगुण पदार्थ कैसे निर्मित हो गये। क्योंकि नामरूपात्मक सृष्टि को यदि 'माया' कहें, तो निर्गुण ब्रह्म से सगुणमाया का उत्पन्न होना ही तर्कदृष्ट्या शक्य नहीं है। इसमें अद्वैतवाद लँगटा हो जाता है। इससे तो वहाँ अच्छा यह होगा नहीं, कि सांख्यशास्त्र के मतानुसार प्रकृति के सदृश नामरूपात्मक व्यक्तसृष्टि के त्रिमी सगुण परन्तु व्यक्त रूप को नित्य मान लिया जावे; और उस व्यक्त रूप के अप्यन्तर में परब्रह्म कोई दूसरा नित्यतत्त्व ऐसा ओतप्रोत भरा हुआ रखा जावे, जैसा कि पंच की नगी में भाफ रहती है (बृ ३ ७)। एव उन दोनों में वैसी ही एकता मानी जावे, जैसी कि दाहिम या अनार के पत्र भीनरी दोनों के साथ रहती है। परन्तु हमारे मन में उपनिषदों के तात्पर्य का ऐसा विचार करना योग्य नहीं है। उपनिषदों में वही वही द्वैती और वही वही अद्वैती वर्णन पाये

जाते हैं। सो इन दोनों की कुछ-न-कुछ एकवाक्यता करना तो ठीक है; परन्तु अद्वैतवाद को मुख्य समझने और यह मान लेने से, कि जब निर्गुण ब्रह्म सगुण होने लगता है, तब उतने ही समय के लिये मायिक द्वैत की स्थिति प्राप्त ही हो जाती है। सब वचनों की जैसी व्यवस्था लगती है, वैसी व्यवस्था द्वैत पक्ष को प्रधान मानने से लगती नहीं है। उदाहरण लीजिये; इस 'तत् त्वमसि' वाक्य के पद का अन्वय द्वैती मतानुसार कभी भी ठीक नहीं लगता। तो क्या इस अड़चन को द्वैतमतवालों ने समझ ही नहीं पाया? नहीं, समझा जरूर है। तभी तो वे इस महावाक्य का जैसा-तैसा अर्थ लगा कर अपने मन को समझा लेते हैं। 'तत्त्वमसि' को द्वैतवाले इस प्रकार उलझाते हैं - तत्त्वम् = तस्य त्वम् - अर्थात् उसका तू है, कि जो कोई तुमसे भिन्न है; तू वही नहीं है। परन्तु जिसको सस्कृत का थोड़ा-सा भी ज्ञान है; और जिसकी बुद्धि आग्रह में बँध नहीं गई है वह तुरन्त ताड़ लेगा, कि यह खीचातानी का अर्थ ठाक नहीं है। कैवल्य उपनिषद् (१. १६) में तो "स त्वमेव त्वमेव तत्" इस प्रकार 'तत्' और 'त्वम्' को उलट-पालट कर उक्त महावाक्य के अद्वैतप्रधान होने का ही सिद्धान्त दर्शाया है। अब और क्या बतलावे? समस्त उपनिषदों का बहुतसा भाग निकाल डाले बिना अथवा जान-बूझ कर उस पर दुर्लक्ष किये बिना, उपनिषच्छास्त्र में अद्वैत को छोड़ और कोई दूसरा रहस्य बतला देना सम्भव ही नहीं है। परन्तु ये वाद तो ऐसे हैं, कि जिनका कोई ओर-छोर ही नहीं; तो फिर यहाँ हम इनकी विशेष चर्चा क्यों करें? जिन्हें अद्वैत के अतिरिक्त अन्य मत रचते हों, वे खुशी से उन्हें स्वीकार कर लें। उन्हें रोकता कौन है। जिन उदार महात्माओं ने उपनिषदों में अपना यह स्पष्ट विश्वास बतलाया है, "नेह नानास्ति किञ्चन" (वृ. ४. ४. १९; कठ. ४. ११) - इस सृष्टि में किसी भी प्रकार की अनेकता नहीं है, जो जो कुछ है, वह मूल में सब 'एकमेवाद्वितीयम्' (छा. ६. २. २.) है; और जिन्होंने आगे यह वर्णन किया है, कि "मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति" - जिसे इस जगत् में नानात्व दीख पड़ता है, वह जन्ममरण के चक्कर में फँसता है - हम नहीं समझते, कि ऊन महात्माओ का आशय अद्वैत को छोड़ और भी किसी प्रकार हो सकेगा। परन्तु अनेक वैदिक शाखाओं के अनेक उपनिषद् होने के कारण जैसे इस शंका को थोड़ी सी गुजाइश मिल जाती है, कि कुल उपनिषदों का तात्पर्य क्या एक ही है? वँसा हाल गीता का नहीं है। जब गीता एक ही ग्रन्थ है, तब प्रकट ही है, कि उसमें एक ही प्रकार के वेदान्त का प्रतिपादन होना चाहिये। और जो विचारने लगें, कि वह कौन-सा वेदान्त है? तो यह अद्वैत प्रधान सिद्धान्त करना पड़ता है, कि "सब भूतों का नाश हो जाने पर भी जो एक ही स्थिर रहता है" (गो. ८. २०), वही यथार्थ में सत्य है। एवं देह और विश्व में मिल कर सर्वत्र वही व्याप्त ही रहा है (गो. १३. ३१)। और तो क्या; आत्मोपभ्यवृद्धि का जो नीतितत्त्व गीता में बतलाया गया है, उसकी पूरी पूरी

उपपत्ति भी अद्वैत को छोड़ और दूसरे प्रकार की वेदान्तसृष्टि से नहीं लगती है। इससे कोई हमारा यह आशय न समझ ले, कि श्रीशंकराचार्य के समय में अथवा उनके पश्चात् अद्वैतमत को पोषण करनेवाली जितनी युक्तियाँ निकली हैं, अथवा प्रमाण निकले हैं, वे सभी यच्चयावत् गीता में प्रतिपादित हैं। यह तो हम भी मानते हैं, कि द्वैत, अद्वैत और विशिष्टाद्वैत प्रभृति सम्प्रदायों की उत्पत्ति होने से पहले ही गीता बन चुकी है, और इसी कारण से गीता में किसी भी विशेष सम्प्रदाय की युक्तियों का समावेश होना सम्भव नहीं है। किन्तु इस सम्मति से यह कहने में कोई भी बाधा नहीं आती, कि गीता का वेदान्त मामूली तौर पर शाङ्करसम्प्रदाय के ज्ञानानुसार अद्वैती है — द्वैती नहीं। इस प्रकार गीता और शाङ्करसम्प्रदाय में तत्त्वज्ञान की दृष्टि से सामान्य मेल है सही, पर हमारा मत है, कि आचारदृष्टि से गीता कर्मसंन्यास की अपेक्षा कर्मयोग को अधिक महत्त्व देती है। इस कारण गीताघर्म शाङ्करसम्प्रदाय से भिन्न हो गया है। इसका विचार आगे किया जावेगा। प्रस्तुत विषय तत्त्वज्ञान-सम्बन्धी है। इसलिये यहाँ इतना ही कहना है, कि गीता और शाङ्करसम्प्रदाय में — दोनों में — यह तत्त्वज्ञान एक ही प्रकार का है, अर्थात् अद्वैती है। अन्य साम्प्रदायिक भाष्यों की अपेक्षा गीता के शाङ्करभाष्य को जो अधिक महत्त्व हो गया है उमका कारण भी यही है।

ज्ञानदृष्टि से सारे नामरूपों को एक ओर निकाल देने पर एक ही अधिकारी और निर्गुण तत्त्व स्थिर रह जाता है। अतएव पूर्ण और सूक्ष्म विचार करने पर अद्वैत सिद्धान्त को ही स्वीकार करना पड़ता है। जय दत्तना सिद्ध हो चुका तब अद्वैत वेदान्त की दृष्टि से यह विवेचन करना आवश्यक है, कि इस एक निर्गुण अव्यक्त द्रव्य से नाना प्रकार की व्यक्त सगुण सृष्टि क्याकर उपजी? पहले बतला आये हैं, कि साट्या ने तो निर्गुण पुरुष के साथ ही त्रिगुणात्मक अर्थात् सगुण प्रकृति को बनादि और स्वतन्त्र मान कर, इस प्रश्न को हल कर लिया है। किन्तु यदि इस प्रकार सगुण प्रकृति को स्वतन्त्र मान ले, तो जगत् के मूलतत्त्व दो हुए जाते हैं। और ऐसा करने से उस अद्वैत मत में बाधा आती है, कि जिसका ऊपर अनेक कारणों के द्वारा पूर्णतया निरचय कर लिया गया है। यदि सगुण प्रकृति को स्वतन्त्र नहीं मानते हैं, तो यह बतलाना नहीं बनना, कि एक मूल निर्गुण द्रव्य से नानाप्रिय सगुण सृष्टि कैसे उत्पन्न हो गई। क्यात्रि मत्कार्यवाद का सिद्धान्त यह है, कि निर्गुण में सगुण — जो कुछ भी नहीं है, उससे और कुछ — का उपजना शक्य नहीं है, और यह सिद्धान्त अद्वैत-वादिना को भी मान्य हो चुका है। इस लिये दोनों ही आर अडचन हैं। फिर यह उलझन मुझे कैसे? बिना अद्वैत का छोड़े ही निर्गुण से सगुण की उत्पत्ति होने का मार्ग बतलाना है, और सत्कार्यवाद की दृष्टि से वह तो रका हुआ —सा ही है। नच्चवा पंच है — ऐसीवैसी उलझन नहीं है। और ता क्या? कुछ लोगों की समझ में अद्वैत सिद्धान्त के मानने में यही ऐसी अडचन है, जो सत्र मुख्य, पेचीदा और कठिन है।

इसी अडचन से छड़क कर वे द्वैत को अंगीकार कर लिया करते हैं। किन्तु अद्वैती पण्डितों ने अपनी बुद्धि के द्वारा इस विकट अडचन के फन्दे से छूटनेके लिये भी एक युक्तिसङ्गत बेजोड़ मार्ग ढूँढ लिया है। वे कहते हैं, कि सत्कार्यवाद अथवा गुणपरिणामवाद के सिद्धान्त का उपयोग तब होता है, जब कार्य और कारण, दोनों एक ही श्रेणी के अथवा एक ही वर्ग के होते हैं; और इस कारण अद्वैती वेदान्ती भी इसे स्वीकार कर लेंगे, कि सत्य और निर्गुण ब्रह्म से सत्य और सगुण माया का उत्पन्न होना शक्य नहीं है। परन्तु यह स्वीकृति उस समय की है, जब कि दोनों पदार्थ सत्य हों; जहाँ एक पदार्थ सत्य है, पर दूसरा उसका सिर्फ दृश्य है, वहाँ सत्कार्यवाद का उपयोग नहीं होता। सांख्यमतवाले 'पुरुष के समान ही प्रकृति' को स्वतन्त्र और सत्य पदार्थ मानते हैं। यही कारण है, जो वे निर्गुण पुरुष से सगुण प्रकृति की उत्पत्ति का विवेचन सत्कार्यवाद के अनुसार कर नहीं सकते। किन्तु अद्वैत वेदान्त का सिद्धान्त यह है, कि माया अनादि बनी रहे; फिर भी वह सत्य और स्वतन्त्र नहीं है। वह तो गीता के कथनानुसार 'मोह', 'अज्ञान' अथवा 'इन्द्रियों को दिखाई देनेवाला दृश्य' है। इस लिये सत्कार्यवाद से जो आक्षेप निष्पन्न हुआ था, उसका उपयोग अद्वैत सिद्धान्त के लिये किया ही नहीं जा सकता। बाप से लडका पैदा हो, तो कहेंगे, कि वह इसके गुणपरिणाम से हुआ है। परन्तु पिता एक व्यक्ति है; और जब कभी वह बच्चे का, कभी जवान का और कभी बुढ़े का स्वांग बनाये हुए दीख पडता है, तब हम सदैव देखा करते हैं, कि इस व्यक्ति में और इसके अनेक स्वांगों में गुणपरिणामरूपी कार्यकारणभाव नहीं रहता। ऐसे ही जब निश्चित हो जाता है, कि सूर्य एक ही है; तब पानी में आँखों को दिखाई देनेवाले उसके प्रतिबिम्ब को हम भ्रम कह देते हैं, और उसे गुणपरिणाम से उपजा हुआ दूसरा सूर्य नहीं मानते। इसी प्रकार दूरबीन से किसी ग्रह के यथार्थ स्वरूप का निश्चय हो जाने पर ज्योतिःशास्त्र स्पष्ट कह देता है, कि उस ग्रह का जो स्वरूप निरी आँखों से दीख पडता है, वह दृष्टि की कमजोरी और उसके अत्यन्त दूरी पर रहने के कारण निरा दृश्य उत्पन्न हो गया है। इससे प्रकट हो गया, कि कोई भी बात नेत्र आदि इन्द्रियों को प्रत्यक्ष गोचर हो जाने से ही स्वतन्त्र और सत्य वस्तु मानी नहीं जा सकती। फिर इसी न्याय का अध्यात्मशास्त्र में उपयोग करके यदि यह कहे तो क्या हानि है, कि ज्ञानचक्षुरूप दूरबीन से जिसका निश्चय कर लिया गया है, वह निर्गुण परब्रह्म सत्य है। और ज्ञानहीन चर्मचक्षुओं को जो नामरूप गोचर होता है, वह इम परब्रह्म का कार्य नहीं है—वह तो इन्द्रियों की दुर्बलता से उपजा हुआ निरा भ्रम अर्थात् मोहात्मक दृश्य है। यहाँ पर यह आक्षेप ही नहीं फवता, कि निर्गुण से सगुण, उत्पन्न नहीं हो सकता। क्योंकि दोनों वस्तुएँ एक ही श्रेणी की नहीं हैं। इनमें एक तो सत्य है; और दूसरी है सिर्फ दृश्य। एवं अनुभव यह है, कि मूल में एक ही वस्तु रहने पर भी देखनेवाले पुरुष के दृष्टिभेद से, अज्ञान से अथवा नजरबन्दी

से उस एक ही वस्तु के दृश्य बदलते रहते हैं। उदाहरणार्थ, कानों को सुनाई देनेवाले शब्द और आँखों में दिखाई देनेवाले रङ्ग — इन्हीं दो गुणों को लीजिये। इनमें से कानों को जो शब्द या आवाज सुनाई देती है, उनकी सूक्ष्मता से जाँच करके आधिभौतिकशास्त्रियों ने पूर्णतया सिद्ध कर दिया है, कि 'शब्द' या तो वायु की लहर है या गति। और अब सूक्ष्म शोध करने से निश्चय हो गया है, कि आँखों से दीख पड़नेवाले लाल, हरे, पीले, आदि रङ्ग भी मूल में एक ही सूर्यप्रकाश के विकार हैं; और सूर्यप्रकाश स्वयं एक प्रकार की गति ही है। जब कि 'गति' मूल में एक ही है, पर कान उसे शब्द और आँखें उसे रङ्ग बतलाती हैं, तब यदि इसी न्याय का उपयोग कुछ अधिक व्यापक रीति से सारी इन्द्रियों के लिये किया जावे, तो सभी नामरूपों की उत्पत्ति के मन्वन्ध में सत्कार्यवाद की सहायता के बिना ठीक उपपत्ति इस प्रकार लगाई जा सकती है, कि किसी भी एक अविकार्य वस्तु पर मनुष्य की भिन्नभिन्न इन्द्रियाँ अपनी अपनी ओर में शब्दरूप आदि अनेक नामरूपात्मक गुणों का 'अध्यारोप' करके नाना प्रकार के दृश्य उपजाया करती हैं। परन्तु कोई आवश्यकता नहीं है, कि मूल की एक ही वस्तु में ये दृश्य, ये गुण अथवा ये नामरूप हों ही। और इसी अर्थ को सिद्ध करने के लिये रस्मी में सर्प का, अथवा सीप में चाँदी का भ्रम होना, या आँख में उँगली डालने से एक के दो पदार्थ दीख पड़ना आदि अनेक रङ्गों के चप्पे लगाने पर एक पदार्थका रङ्ग-विरङ्गा दीख पड़ना आदि अनेक दृष्टान्त वेदान्तशास्त्र में दिये जाते हैं। मनुष्य की इन्द्रियाँ उमसे कभी छूट नहीं जाती हैं। इस कारण जगत् के नामरूप अथवा गुण उससे नयनपथ में गोचर तो अवश्य होंगे; परन्तु यह नहीं कहा जा सकता, कि इन्द्रियवान् मनुष्य की दृष्टि से जगत् का जो सापेक्ष स्वरूप दीख पड़ता है, वही इस जगत् के मूल का अर्थात् निरपेक्ष और नित्य स्वरूप है। मनुष्य की वर्तमान इन्द्रियों की अपेक्षा यदि उसे न्यून्याधिक इन्द्रियाँ प्राप्त हो जावे, तो यह सृष्टि उसे जैसी आजकल दीख पड़ती है, वैसी ही न दीखती रहेगी। और यदि यह ठीक है, तो जब कोई पूछे, कि द्रष्टा की — देखनेवाले मनुष्य की — इन्द्रियों की अपेक्षा न करने के बतलाओ, कि सृष्टि के मूल में जो तत्त्व है, उनका नित्य और सत्य स्वरूप क्या है? तब यही उत्तर देना पड़ता है, कि वह मूलतत्त्व है तो निर्गुण; परन्तु मनुष्य को मगुण दिखलाई देता है — यह मनुष्य की इन्द्रियों का धर्म है; न कि मूलवस्तु का गुण। आधिभौतिकशास्त्र में उन्हीं बातों को जाँच होती है, कि जो इन्द्रियों को गोचर हुआ करती हैं; और यही कारण है, कि वहाँ इस टँग के प्रश्न होते ही नहीं। परन्तु मनुष्य और उसकी इन्द्रियों के नष्ट-प्राय हो जाने से यह नहीं कह सकते, कि ईश्वर भी नफाया हो जाता है; अथवा मनुष्य को वह अमूक प्रकार का दीख पड़ता है। इसलिये उसका त्रिकालाबाधित नित्य और निरपेक्ष स्वरूप भी वही होना चाहिये। अतएव जिस अध्यात्मशास्त्र में यह विचार करना होता है, कि जगत् के मूल में वर्तमान सत्य का मूलस्वरूप क्या है;

उसमें मानवी इन्द्रियों की सापेक्षदृष्टि छोड़ देनी पड़ती है; और जितना हो सके उतना बुद्धि से ही अन्तिम विचार करना पड़ता है। ऐसा करने से इन्द्रियों को गोचर होनेवाले सभी गुण आप ही आप छूट जाते हैं। और यह सिद्ध हो जाता है, कि, ब्रह्म का नित्य स्वरूप इन्द्रियातीत अर्थात् निर्गुण एवं सब में श्रेष्ठ है। परन्तु अब प्रश्न होता है, कि जो निर्गुण है, उसका वर्णन करेगा ही कौन? और किस प्रकार करेगा? इसीलिये अद्वैत वेदान्त में यह सिद्धान्त किया गया है, कि परब्रह्म का अन्तिम अर्थात् निरपेक्ष और नित्य स्वरूप निर्गुण तो ही, पर अनिर्वाच्य भी है; और इसी निर्गुण स्वरूप में मनुष्य को अपनी इन्द्रियों के योग सगुण दृश्य की झलक दीख पड़ती है। अब यहाँ प्रश्न होता है, कि निर्गुण को सगुण करने की यह शक्ति इन्द्रियों ने पा कहाँ से ली? इस पर अद्वैतवेदान्तशास्त्र का यह उत्तर है कि मानवी ज्ञान की गति यही तक है। इसके आगे उसकी गुजर नहीं। इसलिये यह इन्द्रियों का अज्ञान है; और निर्गुण परब्रह्म में सगुण जगत् का दृश्य देखना यह उसी अज्ञान का परिणाम है। अथवा यहाँ इतना ही निश्चित अनुमान करके निश्चित हो जाना पड़ता है, कि इन्द्रियाँ भी परमेश्वर की सृष्टि की ही हैं। इस कारण यह सगुण सृष्टि (प्रकृति) निर्गुण परमेश्वर की ही एक 'दैवी माया' है (गी. ७. १४)। पाठकों को समझ में अब गीता के इस वर्णन का तत्त्व आ जावेगा, कि केवल इन्द्रियों से देखनेवाले अप्रबुद्ध लोगों को परमेश्वर व्यक्त और सगुण दीख पड़े सही; पर उसका सच्चा और श्रेष्ठ स्वरूप निर्गुण है। उसको ज्ञानदृष्टि से देखने में ही ज्ञान की परमावधि है (गी. ७. १४, २४, २५)। इस प्रकार निर्णय तो कर दिया, कि परमेश्वर मूल में निर्गुण है, और मनुष्य की इन्द्रियों को उसी में सगुण सृष्टि का विविध दृश्य दीख पड़ता है। फिर भी इस बात का थोड़ा-सा खुलासा कर देना आवश्यक है, कि उक्त सिद्धान्त में निर्गुण शब्द का अर्थ क्या समझा जावे। यह सच है, कि हवा की लहरों पर शब्दस्वरूप आदि गुणों का अथवा सीप पर चाँदी का जव हभारी इन्द्रियाँ अध्यारोप करती हैं, तब हवा की लहरों में शब्द-रूप आदि के अथवा सीप में चाँदी के गुण नहीं होते। परन्तु यद्यपि उनमें अध्यारोपित गुण न हों; तथापि यह नहीं कहा जा सकता कि उनसे भिन्न गुण, मूल पदार्थों में होंगे ही नहीं। क्योंकि हम प्रत्यक्ष देखते हैं, कि यद्यपि सीप में चाँदी के गुण नहीं हैं, तो भी चाँदी के गुणों के अतिरिक्त और दूसरे गुण उसमें रहते हैं। इसी से अब यहाँ एक और शंका होती है—यदि कहे, कि इन्द्रियाँ ने अपने अज्ञान से मूलब्रह्म पर जिन गुणों का अध्यारोप किया था, वे गुण ब्रह्म में नहीं हैं; तो क्या और दूसरे गुण परब्रह्म में न होंगे? यदि मान लें, कि हैं, तो फिर वह निर्गुण कहाँ रहा? किन्तु कुछ और अविकल मूक विचार करने से ज्ञात होगा, कि यदि मूल-ब्रह्म में इन्द्रियों के द्वारा अध्यारोपित किये गये गुणों के अतिरिक्त और दूसरे गुण ही भी; तो हम उन्हें मालूम ही कैसे कर सकेंगे? क्योंकि गुणों को मनुष्य अपनी इन्द्रियों से ही तो जानता है; और जो गुण इन्द्रियों को अगोचर हैं, वे जाने नहीं जाते।

साराश, इन्द्रियों के द्वारा अध्यारोपित गुणों के अतिरिक्त परब्रह्म में यदि और कुछ दूसरे गुण हों, तो उनको जान लेना हमारे सामर्थ्य के बाहर है; और जिन गुणों को जान लेना हमारे काबू में नहीं, उनको परब्रह्म में मानना भी न्यायशास्त्र की दृष्टि से योग्य नहीं है। अतएव गुण शब्द का 'मनुष्य को ज्ञात होनेवाले गुण' अर्थ करके वेदान्ती लोग सिद्धान्त किया करते हैं, कि ब्रह्म 'निर्गुण' है। न तो अद्वैत वेदान्त ही यह कहता है; और न कोई दूसरा भी कह सकेगा, कि मूल परब्रह्मरूप में ऐसा गुण या ऐसी शक्ति भरी होगी, कि जो मनुष्य के लिये अतर्क्य है। कियहुना यह तो पहले ही बतला दिया है, कि वेदान्ती लोग भी इन्द्रियों के उक्त अज्ञान अथवा माया को उसी मूल परब्रह्म की एक अतर्क्य शक्ति कहा करते हैं।

त्रिगुणात्मक माया अथवा प्रकृति कोई दूसरी स्वतन्त्र वस्तु नहीं है, किन्तु एक ही निर्गुण ब्रह्म पर मनुष्य की इन्द्रियाँ अज्ञान से सगुण दृश्यों का अध्यारोप किया करती हैं। इसी मत को 'विवर्तवाद' कहते हैं। अद्वैत वेदान्त के अनुसार यह उपपत्ति इस बात की हुई, कि जब निर्गुण ब्रह्म एक ही मूलतत्त्व है, तब नाना प्रकार का सगुण जगत् पहले दिखाई कैसे देने लगा? कणादप्रणीत न्यायशास्त्र में असंख्य परमाणु जगत् के मूलकारण माने गये हैं; और नैयायिक इन परमाणुओं को सत्य मानते हैं। इसलिये उन्होंने निश्चय किया है, कि जहाँ इन असंख्य परमाणुओं का संयोग होने लगा, वहाँ सृष्टि के अनेक पदार्थ बनने लगते हैं। परमाणुओं के संयोग का आरम्भ होने पर इस मत से सृष्टि का निर्माण होता है। इसलिये इसको 'आरम्भवाद' कहते हैं। परन्तु नैयायिकों के असंख्य परमाणुओं के मत को साध्यमार्गवाले नहीं मानते। वे कहते हैं, कि जडसृष्टि का मूलकारण 'एक, सत्य त्रिगुणात्मक प्रकृति' ही है। एव इस त्रिगुणात्मक प्रकृति के गुणों के विकास से अथवा परिणाम से व्यक्त सृष्टि बनती है। इस मत को 'गुणपरिणामवाद' कहते हैं। क्योंकि इसमें यह प्रतिपादन किया जाता है, कि एक मूल सगुण प्रकृति के गुणविकास से ही सारी व्यक्त सृष्टि पैदा हुई है। किन्तु इन दोनों वादों को अद्वैती वेदान्ती स्वीकार नहीं करते। परमाणु असंख्य हैं; इसलिये अद्वैत मत के अनुसार वे जगत् का मूल हो नहीं सकते; और रह गई प्रकृति। सो यद्यपि वह एक हो, तो भी उसके पुरूप से भिन्न और स्वतन्त्र होने के कारण अद्वैत सिद्धान्त से यह द्वैत भी विरुद्ध है। परन्तु इस प्रकार इन दोनों वादों को त्याग देने में और कोई न कोई उपपत्ति इस बात की देनी होगी, कि ए निर्गुण ब्रह्म से सगुण सृष्टि कैसे उपजी है। क्योंकि, सत्कार्यवाद के अनुसार निर्गुण से सगुण हो नहीं सकता। इस पर वेदान्ती कहते हैं, कि सत्कार्यवाद के इस सिद्धान्त का उपयोग वही होता है। जहाँ कार्य और कारण दोनों वस्तुएँ सत्य हों, परन्तु जहाँ मूलवस्तु एक ही है, और जहाँ उसके भिन्न भिन्न दृश्य ही पलटते हैं, वहाँ इस न्याय का उपयोग नहीं होता। क्योंकि हम मदैव देखते हैं, कि एक ही वस्तु के भिन्न भिन्न दृश्यों का दीख पडना उस वस्तु का धर्म नहीं; किन्तु द्रष्टा—देखनेवाले पुरूप—के दृष्टिभेद के कारण ये भिन्न

भिन्न दृश्य उत्पन्न हो सकते हैं । ४० इस न्याय का उपयोग निर्गुण ब्रह्म और सगुण जगत् के लिये करने पर कहेंगे, कि ब्रह्म तो निर्गुण है, पर मनुष्य के इन्द्रियधर्म के कारण उसी में सगुणत्व की झलक उत्पन्न हो जाती है । यह विवर्तवाद है । विवर्तवाद में यह भ्रमते हैं, कि एक ही मूल सत्य द्रव्य पर अनेक असत्य अर्थात् सदा बदलते रहनेवाले दृश्यों का अध्यारोप होता है, और गुणपरिणामवाद में पहले से ही दो सत्य द्रव्य मान लिये जाते हैं, जिनमें से एक एक में गुणों का विकास हो कर जगत् की नाना गुणयुक्त अन्यान्य वस्तुएँ उपजती रहती हैं । रस्सी में सर्प का भास होना विवर्त है, और दूध से दही बन जाना गुणपरिणाम है । इसी कारण 'वेदान्तसार' नामक ग्रन्थ की एक प्रत में इन दोनों वादों के लक्षण इस प्रकार बतलाये गये हैं —

यस्तात्त्विकोऽन्यथाभाव. परिणाम उदीरित ।

अतात्त्विकोऽन्यथाभावो विवर्त. स उदीरितः ॥

“किसी मूलवस्तु से जब तात्त्विक अर्थात् सचमुच ही दूसरे प्रकार की वस्तु बनती है, तब उसको (गुण) परिणाम कहते हैं । और जब ऐसा न हो कर मूलवस्तु ही कुछ-की-कुछ (अतात्त्विक) भासने लगती है, तब उसे विवर्त कहते हैं” (वे सा २१) । आरम्भवाद नैयायिका का है, गुणपरिणामवाद साय्यों का है और विवर्तवाद अद्वैती वेदान्तियों का है । अद्वैती वेदान्ती परमाणु या प्रकृति इन दोनों सगुण वस्तुओं को निर्गुण ब्रह्म से भिन्न और स्वतन्त्र नहीं मानते, परन्तु फिर यह आक्षेप होता है, कि सत्कार्यवाद के अनुसार निर्गुण से सगुण की उत्पत्ति होना असम्भव है । इसे दूर करने के लिये ही विवर्तवाद निकला है । परन्तु इसी से कुछ लाग जा यह समझ बैठे, हैं कि वेदान्ती लोग गुणपरिणामवाद को कभी स्वीकार नहीं करते हैं, अथवा आगे कभी न करेंगे, वह उनकी भूल है । अद्वैतमत पर साध्यमतवालों का अथवा अन्यान्य द्वैतमतवालों का भी जो यह मुख्य आक्षेप रहता है, कि निर्गुण ब्रह्म से सगुण प्रकृति का अर्थात् माया का उद्गम हो नहीं सकता, सो वह आक्षेप कुछ अपरिहार्य नहीं है । विवर्तवाद का मुख्य उद्देश इतना ही दिखला देना है, कि एक ही निर्गुण ब्रह्म में माया के दृश्यों का हमारी इन्द्रियों को दीख पडना सम्भव है । वह उद्देश सफल हो जाने पर — अर्थात् जहाँ विवर्तवाद से यह सिद्ध हुआ, कि एक निर्गुण परब्रह्म में ही त्रिगुणात्मक सगुण प्रकृति के दृश्य का दीख पडना शक्य है । वहाँ — वेदान्तशास्त्र को यह स्वीकार करने में कोई भी हानि नहीं, कि इस प्रकृति का अगला विस्तार गुणपरिणाम से हुआ है । अद्वैत वेदान्त का मुख्य कथन यही है, कि स्वयं मूलप्रकृति एक दृश्य है — सत्य नहीं है ।

* अन्वेजी में इसी अर्थ को व्यक्त करना हो, तो यों कहेंगे — appearances, are the results of subjective conditions, viz the senses of the observer and not of the thing itself.

जहां प्रकृति का दृश्य एउ वार दिखाई देना जागा, वहां फिर उन दृश्या में आगे चकर निकलनेवाले दूसरे दृश्या को स्वतन्त्र न मान कर अद्वैत वेदान्त जो यह मान लेने में कुछ भी आपत्ति नहीं है कि एक दृश्य के गुणा में दूसरे दृश्य के एक और दूसरे में निमर आदि के इस प्रकार नानागुणामय दृश्य उत्पन्न होते हैं। अतएव यद्यपि गीता में भगवान् ने बताया है, कि "यह प्रकृति मेरी ही माया है" (गी ७ ११, ४६), फिर भी गीता में ही यह कह दिया है, कि ईश्वर के द्वारा अधिष्ठित (गी ९ १०) इस प्रकृति का जगत् विस्तार इस "गुणा गुणेषु वर्तन्ते" (गी ३ २८, ११ २३) के न्याय में ही होता रहता है। इसमें ज्ञान होता है, कि विद्वत्वाद के अनुसार मृ-निर्गुणपरब्रह्म में एक वार माया का दृश्य उत्पन्न हो चुकने पर इस मायिक दृश्य की अर्थान् प्रकृति के अग्रे विस्तार की - उपपत्ति के लिये गुणोत्पत्ति का तत्त्व गीता का भी मान्य हो चुका है। जब समूचे दृश्य जगत् को ही एक वार मायात्मक दृश्य कह दिया, तब यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, कि इन दृश्या के अन्यान्य स्था के लिये गुणात्मक के ऐसे कुछ नियम होने ही चाहिये। वेदान्तियों को यह अस्वीकार नहीं है, कि मायात्मक दृश्य का विस्तार भी नियमबद्ध ही रहता है। उनका तो इनका ही कहना है, कि मत्प्रकृति के समान ये नियम भी मायिक ही हैं, और परमेश्वर इन सब मायिक नियमों का अधिपति है। वह इनमें पर है, और उनकी सत्ता में ही इन नियमों का नियमव अर्थान् निरंतरता प्राप्त हो गई है। दृश्यरूपी मगुण अतएव त्रिनाशी विद्वृति में ऐसे नियम बना देने का सामर्थ्य नहीं रह सकता, कि जा त्रिकाल में भी अग्रगमिण रह।

यहां तक जा विवेचन किया गया है, उसमें ज्ञान होगा, कि जगत्, जीव और परमेश्वर - अथवा अत्र्यामशास्त्र की परिभाषा के अनुसार माया (अर्थान् माया में उत्पन्न किया हुआ जगत्), आत्मा और परब्रह्म - का स्वरूप क्या है? एव इनका परस्पर क्या सम्बन्ध है? अथवा मृष्टि से जगत् की सभी वस्तुओं का क्या वर्णन है। 'नामरूप' और नामरूप में आच्छादित 'तत्त्व तत्त्व'। इनमें से नामरूपा का ही मगुण मात्र अथवा प्रकृति कहते हैं। परन्तु नामरूपा का निजा टाटन पर जो 'निज द्रव्य' बच रहता है, वह निर्गुण ही रहना चाहिये। क्योंकि कोई भी गुण त्रिना नामरूप न रह नहीं सकता। यह नियम और अग्रक तत्त्व ही परब्रह्म है, और मनुष्य की तुल्य इन्द्रिया का इन निर्गुण परब्रह्म में ही मगुण माया अपनी तृप्त दास्य रहता है। यह माया मात्र पदार्थ नहीं है। परब्रह्म ही मय अर्थान् त्रिकाल में भा अग्रगमिण और सभी भी न पटनेवाला वस्तु है। दृश्यमृष्टि के नामरूप और उनमें आच्छादित परब्रह्म के स्वरूपसम्बन्धीय सिद्धान्त हुए, अब इसी न्याय में मनुष्य का विचार करें, ता निश्चय होना है, कि मनुष्य की वह और इन्द्रियाँ दृश्यमृष्टि के अन्याय पदार्थों के समान नामरूपात्मक अर्थान् अतिरिक्त माया के बा में हैं, और इन दृश्यमृष्टियों में ही आत्मा निजरूपी परब्रह्म की शक्ति का

है; अथवा ब्रह्म और आत्मा एक ही है। ऐसे अर्थ से बाह्य को स्वतन्त्र, सत्य पदार्थ न माननेवाले अद्वैतसिद्धान्त का और बौद्धसिद्धान्त का भेद अब पाठकों के ध्यान में आ ही गया होगा। विज्ञानवादी बौद्ध कहते हैं, कि बाह्यसृष्टि ही नहीं है। वे अकेले ज्ञान को ही सत्य मानते हैं। और वेदान्तशास्त्री बाह्यसृष्टि के नित्य बदलते रहनेवाले नामरूप को ही असत्य मान कर यह सिद्धान्त करते हैं कि इस नामरूप के मूल में और मनुष्य की देह में — दोनो में — एक ही आत्मरूपी, नित्य द्रव्य भरा हुआ है। एवं यह एक आत्मतत्त्व ही अन्तिम सत्य है। सांख्यमतवालो ने 'अविभक्तं विभक्तेषु' के न्याय से सृष्ट पदार्थों की अनेकता के एकीकरण को जड़ प्रकृति भर के लिये ही स्वीकार कर लिया है। परन्तु वेदान्तियो ने सत्कार्यवाद की बाधा को दूर करके निश्चय किया है, कि जो 'पिण्ड मे है वही ब्रह्माण्ड मे है।' इस कारण अब सांख्यो के असंख्य पुरुषों का और प्रकृति का एक ही परमात्मा में अद्वैत से या अविभाग से समावेश हो गया है। शुद्ध आधिभौतिक पण्डित हेकेल अद्वैती है सही; पर वह अकेली जड़ प्रकृति में ही चैतन्य का भी संग्रह करता है। और वेदान्त, जड़ को प्रधानता न दे कर यह सिद्धान्त स्थिर करता है, कि दिक्कालो से अमर्यादित, अमृत और स्वतन्त्र चिद्रूपी परब्रह्म ही सारी सृष्टि का मूल है। हेकेल के जड़ अद्वैत में और अध्यात्मशास्त्र के अद्वैत में यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भेद है। अद्वैत वेदान्त का यही सिद्धान्त गीता में है; और एक पुराने कवि ने समग्र अद्वैत वेदान्त के सार का वर्णन यों किया है:—

श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि, यदुक्तं प्रन्यकोटिभिः ।

ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः ॥

“करोड़ो ग्रन्थों का सार आधे श्लोक में बतलाता हूँ : (१) ब्रह्म सत्य है, (२) जगत् अर्थात् जगत् के सभी नामरूप मिथ्या अथवा नाशवान् है; और (३) मनुष्य का आत्मा एवं ब्रह्म मूल मे एक ही है — दो नहीं।” उस श्लोक का 'मिथ्या' शब्द यदि किसी के कानों में चुञ्जता हो, तो वह बृहदारण्यक उपनिषद् के अनुसार इसके तीसरे चरण का 'ब्रह्मामृतम् जगत्सत्यं' पाठान्तर खुशी से कर लें; परन्तु पहले ही बतला चुके हैं, कि इसमें भावार्थ नहीं बदलता है। फिर कुछ वेदान्ती इन बात को लेकर फिज़ूल झगडते रहते हैं, कि समूचे दृश्य जगत् के अदृश्य किन्तु नित्य परब्रह्मरूपी मूलतत्त्व को सत् (सत्य) कहें या असत् (असत्य-अनृत)। अनएव इसका यहाँ थोड़ा-सा खुलासा किये देते हैं; कि इस बात का ठीक ठीक बीज क्या है। इस एक ही सत् या सत्य शब्द के दो भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। इसी कारण यह झगड़ा मचा हुआ है। और यदि ध्यान से देखा जावे, कि प्रत्येक पुरुष इस 'सत्' शब्द का किस अर्थ में उपयोग करता है, तो कुछ भी गड़बड़ नहीं रह जाती। क्योंकि वह भेद तो मभी को एक-सा मंज़ूर है, कि ब्रह्म

अदृश्य होने पर भी नित्य है, और नामरूपात्मक जगत् दृश्य होने पर भी पल पल में बदलनेवाला है। इस सत् या सत्य शब्द का व्यावहारिक अर्थ है (१) आँखों के आगे अभी प्रत्यक्ष दीप पडनेवाला - अर्थात् व्यक्त (फिर कल उसका दृश्य स्वरूप चाहे बदले, चाहे न बदले), और दूसरा अर्थ है (२) वह अव्यक्त स्वरूप, कि जो सदैव एक-सा रहता है। आँखों से भले ही न दीख पड़े; पर जो कभी न बदले। इनमें से पहला अर्थ जिनको सम्मत है, वे आँखों से दिखाई देनेवाले नामरूपात्मक जगत् को सत्य कहते हैं, और परब्रह्म को इसके विरुद्ध अर्थात् आँखों से न दीख पडनेवाला अतएव असत् अथवा असत्य कहते हैं। उदाहरणार्थ, तैत्तिरीय उपनिषद् में दृश्य सृष्टि के लिये 'सत्' और जो दृश्य सृष्टि से परे है, उसके लिये 'त्यत्' (अर्थात् जो कि परे है) अथवा 'अनृत' (आँखों को न दीख पडनेवाला) शब्दों का उपयोग करके ब्रह्म का वर्णन इस प्रकार किया है, कि जो कुछ मूल में या आरम्भ में था, वही द्रव्य "सच्च त्यच्चाभवत्। निरक्त चानिरक्त च। निरग्न चानिलयन च। विज्ञान चाविज्ञान च। मत्य चानृत च।" (तै. २. ६) - सत् (आँखों में दीख पडनेवाला) और वह (जो परे है), वाच्य और अनिर्वाच्य साधारण और निराधार, ज्ञान और अविज्ञान (अज्ञेय), सत्य और अनृत - इस प्रकार द्विधा बना हुआ है। परन्तु इस प्रकार ब्रह्म को 'अनृत' कहने से अनत का अर्थ झूठ या असत्य नहीं है। क्योंकि आगे चर्चा कर तैत्तिरीय उपनिषद् में ही कहा है कि "यद् अनृत ब्रह्म जगत् की 'प्रतिष्ठा' अथवा आधार है। इसे और दूसरे आधार की अपेक्षा नहीं है। एव जिसने इसको जान लिया, वह अभय हो गया।" इस वर्णन में स्पष्ट ही जाना जाता है, कि शब्दभेद के कारण भावार्थ में कुछ अन्तर नहीं जाना है। ठीक ही अन्त में कहा है, कि "असद्वा इदमग्र आसीत्" - यह सारा जगत् (ब्रह्म) था, और ऋग्वेद के (१०. १२९. ४) वर्णन के अनुसार आगे चल कर उसी में मन् यानी नामरूपात्मक व्यक्त जगत् निकला है (तै. २. ७)। इससे भी स्पष्ट ही हो जाता है, कि यहाँ पर 'असत्' शब्द का प्रयोग 'अव्यक्त अर्थात् आँखों में न दीख पडनेवाले' के अर्थ में ही हुआ है, और वेदान्तसूत्रों (२. १. १७) में सादृश्याचार्य ने उस वर्णन का ऐसा ही अर्थ किया है। किन्तु जिन लोगों को 'मन्' अथवा 'मय्य' शब्द का यह अर्थ (ऊपर बतलाये हुए अर्थों में से दूसरा अर्थ) सम्मत है - आँखों में न दीख पडने पर भी सदैव रहनेवाले अथवा नहीं बदलना, और नामरूपात्मक माया को अमन् यानी असत्य अर्थात् विनाशी कहते हैं। उदाहरणार्थ, छान्दोग्य में वर्णन किया गया है, कि "सदेव सौम्येदमग्र आसीत्। यद्यमन् मज्जायन" - पहले यह मारा जगत् सत् (ब्रह्म) था जो अमन् है यानी नहीं, उसमें मन् यानी जा विद्यमान है - नीबूद है - कैसे उत्पन्न होगा (छा. ६. ०. १. ०) ? फिर भी छान्दोग्य उपनिषद् में ही इस परब्रह्म के लिये

एक स्थान पर अव्यक्त अर्थ में 'असत्' शब्द प्रयुक्त हुआ है (छा. ३. १९. १) । * एक ही परब्रह्म को भिन्न भिन्न समयों और अर्थों में एक बार 'सत्', तो एक बार 'असत्'; यो परस्परविरुद्ध नाम देने की यह गंडवड - अर्थात् वाच्य अर्थ के एक ही होने पर भी निरा शब्दवाद मचवाने में सहायक - प्रणाली आगे चल कर रक गई । और अन्त में इतनी ही एक परिभाषा स्थिर हो गई है, कि ब्रह्म सत् या सत्य यानी सदैव स्थिर रहनेवाला है; और दृश्य सृष्टि असत् अर्थात् नाशवान् है । भगवद्गीता में यही अन्तिम परिभाषा मानी गई है; और इसी के अनुसार दुसरे अध्याय (२. १६. १८) में कह दिया है, कि परब्रह्म सत् और अविनाशी है । एव नामरूप असत् अर्थात् नाशवान् है; और वेदान्तसूत्रों का भी ऐसा ही मत है । फिर भी दृश्यसृष्टि को 'सत्' कह कर परब्रह्म को 'असत्' या 'त्यत्' (वह = परे का) कहने की तैत्तिरीयोपनिषद्वाली उस पुरानी परिभाषा का नामोनिशां अब भी विलकुल जाता नहीं रहा है । पुरानी परिभाषा से इसका भली भाँति खुलासा हो जाता है, कि गीता के इस " अतत् सत् " ब्रह्मनिर्देश (गी. १७. २३) का मूल अर्थ क्या रहा होगा । यह 'अ' गूढाक्षररूपी वैदिक मन्त्र है । उपनिषदों में इसका अनेक रीतियों से व्याख्यान किया गया है (प्र. ५; मा. ८-१२; छा. १. १) । 'तत्' यानी वह अथवा दृश्य सृष्टि से परे दूर रहनेवाला अनिर्वाच्य तत्त्व है; और 'सत्' का अर्थ है आँखों के सामनेवाली दृश्य सृष्टि । इस सङ्कल्प का अर्थ यह है कि ये तीनों मिल कर सब ब्रह्म ही हैं । और इसी अर्थ में भगवान् ने गीता में कहा है, कि 'सदसच्चाहमर्जुन' (गी. ९. १९) - सत् यानी परब्रह्म और असत् अर्थात् दृश्य सृष्टि, दोनों मैं ही हूँ । तथापि जब कि गीता में कर्मयोग ही प्रतिपाद्य है, तब सत्त्वहवे अध्याय के अन्त में प्रतिपादन किया है, कि इस ब्रह्मनिर्देश से भी कर्मयोग का पूर्ण समर्थन होता है । ' अ तत्सत् ' के 'सत्' शब्द का अर्थ लौकिक दृष्टि से भला अर्थात् सद्वृद्धि से किया हुआ अथवा वह कर्म है, कि जिसका अच्छा फल मिलता है; और तत् का अर्थ परे का या फलाशा छोड़ कर किया हुआ कर्म है । सकल्प में जिसे 'सत्' कहा है, वह सृष्टि यानी कर्म ही है (अगला प्रकरण देखो) । अतः इस ब्रह्मनिर्देश का यह कर्मप्रधान अर्थ मूल अर्थ से सहज ही निष्पन्न होता है । अतत्सत्, नेति नेति, सच्चिदानन्द और 'सत्यस्य सत्य' के अतिरिक्त और भी कुछ ब्रह्मनिर्देश उपनिषदों में हैं; परन्तु उनको यहाँ इसलिये नहीं बतलाया, कि गीता का अर्थ समझने में उनका उपयोग नहीं है ।

* अध्यात्मशास्त्रवाले अन्वेषण ग्रन्थकारों में भी इस विषय में मतभेद है, कि real अर्थात् तत् शब्द जगत् के दृश्य (माया) के लिये उपयुक्त हो, अथवा वस्तुतत्त्व (ब्रह्म) के लिये । कान्ट दृश्य को सत् समझ कर (real) वस्तुतत्त्व को अविनाशी मानता है, पर हेकेल और ग्रीनप्रभृति दृश्य को असत् (unreal) समझ कर वस्तुतत्त्व को (real) कहते हैं ।

जगत्, जीव और परमेश्वर (परमात्मा) के परस्पर सम्बन्ध का इस प्रकार निर्णय हो जाने पर गीता में भगवान् ने जो कहा है, कि "जीव मेरा ही 'अंश' है" (गीता १५.७) और "मैं ही एक 'अंश' से सारे जगत् में व्याप्त हूँ" (गी. १०.४२) - एवं बादरायणाचार्य ने भी वेदान्त (२.३.४३; ४.४.१९) में यही बात कही है - अथवा पुरुषसूक्त में जो "पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि" यह वर्णन है, उसके 'पाद' या 'अंश' शब्द के अर्थ का निर्णय भी सहज ही हो जाता है। परमेश्वर या परमात्मा यद्यपि सर्वव्यापी है, तथापि वह निरवयव और नामरूपरहित है। अतएव उसे काट नहीं सकते (अच्छेद्य); और उसमें विकार भी नहीं होता (अविकार्य); और इसलिये उसके अलग अलग विभाग या टुकड़े नहीं हो सकते (गी. २.२५)। अतएव जो परब्रह्म सघनता से अकेला ही चारों ओर व्याप्त है उसका और मनुष्य के शरीर में निवास करनेवाले आत्मा का भेद बतलाने के लिये यद्यपि व्यवहार में ऐसा कहना पड़ता है, कि 'शारीर आत्मा' परब्रह्म का ही 'अंश' है; तथापि 'अंश' या 'भाग' शब्द का अर्थ 'काट कर अलग किया हुआ टुकड़ा' या 'अनार के अनेक दानों में से एक दाना' नहीं है। किन्तु तात्त्विक दृष्टि से उसका अर्थ यह समझना चाहिये, कि जैसे घर के भीतर का आकाश और घड़े का आकाश (मठाकाश और घटाकाश) एक ही सर्वव्यापी आकाश का 'अंश' या भाग है, उसी प्रकार 'शारीर आत्मा' भी परब्रह्म का अंश है (अमृतविन्दूपनिषद् १३ देखो)। सांख्यवादियों की प्रकृति और हेकेल के जड़द्वैत में माना गया एक वस्तुतत्त्व, ये भी इसी प्रकार सत्य निर्गुण अर्थात् मर्यादित अंश है। अधिक क्या कहे? आधिभौतिक शास्त्र की प्रणाली से तो यही मालूम होता है, कि जो कुछ व्यक्त या अव्यक्त मूलतत्त्व है (फिर चाहे वह आकाशवन् कितना भी व्यापक हो), वह सब स्थल और काल से बद्ध, केवल नामरूप अतएव मर्यादित और नाशवान् है। यह बात सच है, कि उन तत्त्वों की व्यापकता भर के लिये उतना ही परब्रह्म उनसे आच्छादित है। परन्तु परब्रह्म उन तत्त्वों से मर्यादित न हो कर उन सब में ओतप्रोत भरा हुआ है; और इसके अतिरिक्त न जाने वह कितना बाहर है, कि जिमका कुछ पना नहीं। परमेश्वर की व्यापकता दृश्य सृष्टि के बाहर कितनी है, यह बतलाने के लिये यद्यपि 'त्रिपाद' शब्द का उपयोग पुरुषसूक्त में किया गया है, तथापि उसका अर्थ 'अनन्त' ही दृष्ट है। वस्तुतः देखा जाय, तो देश और काल, माप और तोल या संख्या इत्यादि सब नामरूप के ही प्रकार हैं; और यह बतला चुके हैं, कि परब्रह्म इन सब नामरूपों के परे है। इसीलिये उपनिषदों में ब्रह्मस्वरूप के ऐसे वर्णन पाये जाते हैं, कि जिस नामरूपात्मक 'काल' में सब प्रसिद्ध है, उस 'काल' को भी प्रमन-दाल्या या पचा जानेवाला जो तत्त्व है, वही परब्रह्म है (मै. ६.१५)। और "न नद् भासयते सूर्यो न शशाको न पावकः" - परमेश्वर को प्रकाशित करनेवाला सूर्य, चन्द्र अग्नि इत्यादिकों के ममान कोई प्रकाशक मघन नहीं है; किन्तु वह स्वयं

प्रकाशित है — इत्यादि के जो वर्णन उपनिषदों में और गीता में है, उनका भी अर्थ यही है (गी. १५. ६; कठ. ५. १५; श्वे. ६. १४) । सूर्य-चंद्र-तारागण सभी नाम-रूपात्मक विनाशी पदार्थ हैं । जिसे “ज्योतिषां ज्योतिः” (गी. १३. १७; बृह. ४. ४. १६) कहते हैं, वह स्वयंप्रकाश और ज्ञानमय ब्रह्म इन सब के परे अनन्त भरा हुआ है । उसे दूसरे प्रकाशक पदार्थों की अपेक्षा नहीं है; और उपनिषदों में तो स्पष्ट कहा है, कि सूर्य-चंद्र आदि को जो प्रकाश प्राप्त है, वह भी उसी स्वयंप्रकाश ब्रह्म से ही मिलता है (मुं. २. २. १०) । आधिभौतिक शास्त्रों की युक्तियों से इन्द्रिय-गोचर होनेवाले अतिसूक्ष्म या अत्यन्त दूर का कोई पदार्थ लीजिये — ये सब पदार्थ दिवकाल आदि नियमों की क़ैद में बँधे हैं । अतएव उनका समावेश ‘जगत्’ ही में होता है । सच्चा परमेश्वर उन सब पदार्थों में रह कर भी उनसे निराला और उनसे कहीं अधिक व्यापक तथा नामरूपों के जाल से स्वतंत्र है । अतएव केवल नामरूपों का ही विचार करनेवाले आधिभौतिक शास्त्रों की युक्तियाँ या साधन वर्तमान दशा से चाहे सौगुने अधिक सूक्ष्म और प्रगल्भ हो जावें; तथापि सृष्टि के मूल ‘अमृत तत्त्व’ का उनसे पता लगना संभव नहीं । उस अविनाशी, अविकार्य और अमृत तत्त्व को केवल अध्यात्मशास्त्र के ज्ञानमार्ग से ही ढूँढ़ना चाहिये ।

यहाँ तक अध्यात्मशास्त्र के जो मुख्य मुख्य सिद्धान्त बतलाये गये और शास्त्रीय रीति से उनकी जो संक्षिप्त उपपत्ति बतलाई गई, उनसे इन बातों का स्पष्टीकरण हो जायगा, कि परमेश्वर के सारे नामरूपात्मक व्यक्त स्वरूप केवल मायिक और अनित्य हैं; तथा उनकी अपेक्षा उनका अव्यक्त स्वरूप श्रेष्ठ है । उसमें भी जो निर्गुण अर्थात् नामरूपरहित है, वही सब से श्रेष्ठ है । और गीता में बतलाया गया है, कि अज्ञान से निर्गुण ही सगुण-सा मालूम होता है । परन्तु इन सिद्धान्तों को केवल शब्दों में ग्रथित करने का कार्य कोई भी मनुष्य कर सकेगा, जिसे सुदैव से हमारे समान चार अक्षरों का कुछ ज्ञान हो गया है — इसमें कुछ विशेषता नहीं है । विशेषता तो इस बात में है, कि ये सारे सिद्धान्त बुद्धि में आ जावें, मन में प्रतिबिम्बित हो जावें, हृदय में जम जावें; और नस नस में समा जावें । इतना होने पर परमेश्वर के स्वरूप की इस प्रकार पूरी पहचान हो जावे कि एक ही परब्रह्म सब प्राणियों में व्याप्त है; और उसी भाव से संकट के समय भी पूरी समता में वर्तव करने का अचल स्वभाव हो जावे । परन्तु इसके लिये अनेक पीढ़ियों के संस्कारों की, इन्द्रियनिग्रह की, दीर्घोद्योग की, तथा ध्यान और उपासना को सहायता में ‘सर्वत्र एक ही आत्मा’ का भाव जब किसी मनुष्य के संकटसमय पर भी उनके प्रत्येक कार्य में स्वाभाविक रीति से स्पष्ट गोचर होने लगता है, तभी गमनना चाहिये, कि उसका ब्रह्मज्ञान यथार्थ में परिपक्व हो गया है; और ऐसे ही मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है (गी. ५. १८-२०; ६. २१, २२) — यही अध्यात्मशास्त्र के उपर्युक्त मारे सिद्धान्तों का सारभूत और शिरोमणिभूत अन्तिम सिद्धान्त है । ऐसा

आचरण जिस पुरुष में दिग्गर्भ न दे, उसे कच्चा ममज्ञना चाहिये — अभी वह ब्रह्मज्ञानाग्नि में पूरा पक नहीं पाया है। सच्चे साधु और निरे वेदान्तशास्त्रियों में जो भेद है, वह यही है। और इसी अभिप्राय से भगवद्गीता में ज्ञान का लक्षण बतलाते ममय यह नहीं कहा, कि 'वाह्यमृष्टि के मूलतत्त्व को केवल बुद्धि से जान लेना' ज्ञान है। किन्तु यह कहा है, कि मच्चा ज्ञान वही है, जिसमें 'अमानित्व, धान्ति, आत्मनिग्रह, ममबुद्धि' इत्यादि उदात्त मनोवृत्तियाँ जागृत हो जावें; और जिससे चित्तकी पूरी शद्धता आचरण में सदैव व्यक्त हो जावे (गी. १३. ७-११)। जिसकी व्यवसायात्मक बुद्धि ज्ञान में आत्मनिष्ठ (अर्थात् आत्म-अनात्म विचार में स्थिर) हो जाती है, और जिसके मन को सर्वभूतात्मैक्य का पूरा परिचय हो जाता है, उम पुरुष की वामनात्मक बुद्धि भी निस्सन्देह शुद्ध ही होती है। परन्तु यह ममज्ञने के लिये, कि किमकी बुद्धि कैसी है, उसके आचरण के सिवा दूसरा वाहरी माधन नहीं है। अतएव केवल पुस्तकों में प्राप्त कोरे ज्ञानप्रसार के आधुनिक काल में इम वान पर विशेष ध्यान रहे, कि 'ज्ञान' या 'समबुद्धि' शब्द में ही शुद्ध (व्यवसायात्मक) बुद्धि, शुद्ध वामना (वामनात्मक बुद्धि) और शुद्ध आचरण, इन तीनों शुद्ध बातों का समावेश किया जाता है। ब्रह्म के विषय में कोरा वाक्याण्डित्य दिखलानेवाले और उसे सुन कर 'वाह!' 'वाह!' कहते हुए मिर हिलानेवाले या किमी नाटक के दर्शकों के समान 'एक बार फिर से — वन्न मोर' कहनेवाले बहुतेरे होंगे (गी. २. २९; क. २. ७)। परन्तु जैसा कि ऊपर कह आये हैं — जो मनुष्य अन्तर्वाह्य शुद्ध अर्थात् माम्यशील हो गया हो — वही मच्चा आत्मनिष्ठ है; और उमी को मुक्ति मिलती है; न कि कोरे पण्डित को — चाहे वह कैसा ही बहुश्रुत और बुद्धिमान् क्यों न हो? उपनिषदों में स्पष्ट कहा है, कि "नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन" (क. २. २२; मू. ३. २. ३)। और इमी प्रकार तुकाराम महाराज भी कहते हैं — "यदि तू पण्डित होगा, तो तू पुराण-कथा कहेगा; परन्तु तू यह नहीं जान सकता, कि, 'मैं कौन हूँ'। देखिये हमारा ज्ञान किना संकुचित है। 'मुक्ति मिलती है' — ये शब्द महज ही हमारे मुख से निकल पड़ते हैं! मानो यह मुक्ति आत्मा में कोई भिन्न वस्तु है! ब्रह्म और आत्मा की एकरता का ज्ञान होने के पहले द्रष्टा और दृश्य जगत् में भेद था सही; परन्तु हमारे अध्यात्मशास्त्र ने निश्चिन कर के रखा है, कि जब ब्रह्मात्मैक्य का पूरा ज्ञान हो जाता है, तब आत्मा ब्रह्म में मिल जाता है; ब्रह्मज्ञानी 'पुरुष आप ही ब्रह्मरूप हो जाता है। इम अध्यात्मिक अवस्था को ही 'ब्रह्मनिर्वाण' मोक्ष कहते हैं। यह ब्रह्मनिर्वाण किमी से किमी को दिया नहीं जाता। यह कहीं दुसरे स्थान में आता नहीं या इमकी प्राप्ति के लिये किमी अन्य लोक में जाने की भी आवश्यकता नहीं। पूर्ण आत्मज्ञान जब और जहाँ होगा, उमी क्षण में और उमी स्थान पर मोक्ष घरा हुआ है। क्योंकि मोक्ष तो आत्मा ही की मूल शुद्धावस्था है। वह कुछ निराली स्वतन्त्र बन्तु या स्थल नहीं। जिवगीता (१३. ३२) में यह श्लोक है :-

मोक्षस्य न हि वासोऽस्ति न ग्रामान्तरमेव वा ।

अज्ञानहृदयप्रन्थिनाशो मोक्ष इति स्मृतः ॥

अर्थात् “मोक्ष कोई ऐसी वस्तु नहीं, कि जो किसी एक स्थान में रखी हो, अथवा यह भी नहीं, कि उसकी प्राप्ति के लिये किसी दूसरे गाँव या प्रदेश को जाना पड़े। वास्तव में हृदय की अज्ञानप्रन्थि के नाश हो जाने को ही मोक्ष कहते हैं।” इसी प्रकार अध्यात्मशास्त्र में निष्पन्न होनेवाला यही भगवद्गीता के “अभिनो ब्रह्मनिर्वाण वर्तते विदिनात्मनाम्” (गी. ५. २६) - जिन्हें पूर्ण आत्मज्ञान हुआ है, उन्हें ब्रह्मनिर्वाणरूपी मोक्ष आप-ही आप प्राप्त हो जाता है, तथा “य सदा मुक्त्वा एव स” (गी. ५. २८) इस श्लोक में वर्णित है, और “ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति” - जिसने ब्रह्म जाना, वह ब्रह्म ही हो जाता है (मु. ३. २. ९) इत्यादि उपनिषद्वाक्यों में भी वही अर्थ वर्णित है। मनुष्य के आत्मा की ज्ञानदृष्टि से जो यह पूर्णावस्था होती है, उसी को ‘ब्रह्मभूत’ (गी. १८. ५४) या ‘ब्राह्मी स्थिति’ कहते हैं (गी. २. ७०) और स्थितप्रज्ञ (गी. २. ५५-७२), भक्तिमान्, (गी. १२. १३-२०), या त्रिगुणातीत (गी. १४. २०-२७) पुरुषों के विषय में भगवद्गीता में जो वर्णन है, वे भी इसी अवस्था के हैं। यह नहीं समझना चाहिये, कि जैसे सात्त्विकादी ‘त्रिगुणातीत’ पद से प्रकृति और पुरुष दोनों को स्वन्तत्र मान कर पुरुष के केवलपन या ‘केवल्य’ को मोक्ष मानते हैं, वैसा ही मोक्ष गीता को भी सम्मान है। किन्तु गीता वा अभिप्राय है, कि अध्यात्मशास्त्र में कही गई ब्राह्मी अवस्था - “अहं ब्रह्मास्मि” - मैं ही ब्रह्म हूँ (वृ. १. ४. १०) - व भी तो भक्तिमार्ग से, कभी चित्तनिरोधरूप पातञ्जलयोगमार्ग से और कभी गुणगुणविवेचनरूप सात्त्विकमार्ग से भी प्राप्त होती है। इन मार्गों में अध्यात्मविचार केवल बुद्धिगम्य मार्ग है। इसलिये गीता में कहा है, कि सामान्य मनुष्यों को परमेश्वर स्वरूप का ज्ञान होने के लिये भक्ति ही सुगम साधन है। इस साधन का विस्तारपूर्वक विचार हमने आगे चल कर तेरहवें प्रकरण में किया है। साधन कुछ भी हो, इतनी बात निर्विवाद है, कि ब्रह्मात्मैक्य का अर्थात् सच्चे परमेश्वरस्वरूप का ज्ञान होना, सब प्राणियों में एक ही आत्मा पहचानना और उसी भाव के अनुसार वर्ताव करना ही अध्यात्मज्ञान की परमावधि है, तथा यह अवस्था जिसे प्राप्त हो जाय, वही पुरुष धन्य तथा कृतकृत्य होता है। यह पहले ही बतला चुके हैं, कि केवल इन्द्रियमुख पशुओं और मनुष्यों एक ही समान होता है। इसलिये मनुष्यजन्म की सार्थकता अथवा मनुष्य की मनुष्यता ज्ञानप्राप्ति ही में सब प्राणियों के विषय में काया-वाचा मन से सदैव ऐसी ही साम्यबुद्धि रख कर अपने सब कर्मों को करते रहना ही नित्य-मुक्तावस्था, पूर्णयोग या सिद्धावस्था है। इस अवस्था के जो वर्णन गीता में है, उनमें से बारहवें अध्यायवाले भक्तिमान् पुरुष के वर्णनपर टीका करते हुए ज्ञानेश्वर *

* ज्ञानेश्वर महाराज के ‘ज्ञानेश्वरी’ ग्रन्थ का हिन्दी अनुवाद श्रीधर रघुनाथ माधव भगडे, बी. ए., सबजज, नागपुर, ने किया है, और वह ग्रन्थ उन्हीं से मिल सकता है।

महाराज ने अनेक दृष्टान्त दे कर ब्रह्मभूत पुरष की साम्यावस्था का अत्यन्त मनोहर और चटकीला निरूपण किया है। और यह कहने में कोई हर्ज नहीं कि इस निरूपण में गीता के चारों स्थानों में वर्णित ब्राह्मी अवस्था का सार आ गया है; यथा :- “ हे पार्थ ! जिसके हृदय में विषमता का नाम तक नहीं है, जो शत्रु और मित्र दोनों को ममान ही मानता है; अथवा हे पाण्डव ! दीपक के समान जो इम वात का भेदभाव नहीं जानता, कि यह मेरा घर है, इमलिये यहाँ प्रकाश करूँ; और वह पगया घर है, इमलिये वहाँ अन्धेरा करूँ। वीज बोनेवाले पर और पेड़ काटनेवाले पर भी वृक्ष जैसे समभाव से छाया करता है; ” इत्यादि (जा. १२. १८)। इसी प्रकार “ पृथ्वी के समान वह इस वात का भेद विलकुल नहीं जानता, कि उत्तम का ग्रहण करना चाहिये और अधम का त्याग करना चाहिये। जैसे कृपालु प्राण इस वात को नहीं मोचता, कि राजा के शरीर को चलाऊँ और रङ्ग के शरीर को गिराऊँ (जैसे जल यह भेद नहीं करता, कि गो की तृपा बुझाऊँ और व्याघ्र के लिये विष बन कर उमका नाश करूँ), वैसे ही सब प्राणियों के विषय में जिसकी एकसी मित्रता है, जो स्वयं तृपा की मूर्ति है, और जो ‘मै’ और ‘मेरा’ का व्यवहार नहीं जानता और जिसे मुखदृष्टि का भान भी नहीं होता ” इत्यादि (जा. १२. १३)। अध्यात्मविद्या से जो कुछ अन्त में प्राप्त करना है, वह यही है।

उपर्युक्त विवेचन से विदित होगा, कि सारे मोक्षधर्म के मूलभूत अध्यात्मज्ञान की परम्परा हमारे यहाँ उपनिषदों से लगा कर ज्ञानेश्वर, तुकाराम, रामदास, कबीर-दास, मुरदास, तुलसीदास इत्यादि आधुनिक माधुपुरियों तक किन्तु प्रकार अव्याहत चली आ रही है। परन्तु उपनिषदों के भी पहले यानी अत्यन्त प्राचीन काल में ही हमारे देश में इस ज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ था; और तब से क्रम क्रम से आगे उपनिषदों के विचारों की उत्पत्ति होती चली गई है। यह बात पाठकों को भली भाँति समझा देने के लिये ऋग्वेद का एक प्रसिद्ध सूक्त भाषान्तरमहित यहाँ अन्त में दिया गया है। जो उपनिषदान्तर्गत ब्रह्मविद्या का आधारसूत्र है। सृष्टि के अगम्य मूलतन्त्र और उमसे विविध दृश्यसृष्टि की उत्पत्ति के विषय में जैसे विचार इस सूक्त में प्रदर्शित किये गये हैं, वैसे प्रगम, स्वतन्त्र और मूल तक की खोज करनेवाले तत्त्वज्ञान के मार्मिक विचार अन्य किसी भी धर्म के सूत्रग्रन्थ में दिखाई नहीं देते। इतना ही नहीं, किन्तु ऐसे अध्यात्मविचारों से परिपूर्ण और इतना प्राचीन लेख भी अब तक नहीं उपलब्ध नहीं हुआ है। इमलिये अनेक पश्चिमी पण्डितों ने धार्मिक इतिहास की दृष्टि से भी इस सूक्त को अत्यन्त महत्त्वपूर्ण जान कर आश्चर्यचकित हो अपनी भाषाओं में इसका अनुवाद यह दिखलाने के लिये किया है, कि मनुष्य के मन की प्रकृति इम नाशवान् और नामरूपात्मक सृष्टि के परे नित्य और अचिन्त्य ब्रह्मज्ञान की ओर महज ही बँसे झुक जाया करती है। यह ऋग्वेद के दसवें मण्डल का १२० वां सूक्त है; और इसके प्रारम्भिक शब्दों में इसे ‘नानदीय सूत्र’ कहते

है। यही सूक्त तैत्तिरीय ब्राह्मण (२.८.९) में लिया गया है; और महाभारत-
 अंतर्गत नारायणीय या भागवतधर्म में इसी सूक्त के आधार पर यह बात बतलाई
 गई है, कि भगवान् की इच्छा से पहले पहल सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई (म. भा. शा.
 ३४२.८)। सर्वानुग्रमणिका के अनुसार इस सूक्त का ऋषि परमेष्ठि प्रजापति है;
 और देवता परमात्मा है; तथा इसमें त्रिष्टुप् वृत्त के यानी ग्यारह अक्षरों के चार
 चरणों की सात ऋचाएँ हैं। 'सत्' और 'असत्' शब्दों के दो दो अर्थ होते हैं।
 अतएव सृष्टि के मूलद्रव्य को 'सत्' कहने के विषय में उपनिषत्कारों के जिस मतभेद
 का उल्लेख पहले हम इस प्रकरण में कर चुके हैं, वही मतभेद ऋग्वेद में भी पाया
 जाता है। उदाहरणार्थ, इस मूलकारण के विषय में कही तो यह कहा है, कि "एक
 सद्भिर्वा बहुधा वदन्ति" (ऋ. १. १६४. ४६) अथवा "एक सन्तं बहुधा कल्पयन्ति"
 (ऋ. १०. ११४. ५) - वह एक और सत् यानी सदैव स्थिर रहनेवाला है; परन्तु
 उसी को लोग अनेक नामों से पुकारते हैं। और कही कही इसके विरुद्ध यह भी
 कहा है, कि "देवानां पूर्व्ये युगेऽसतः सदजायत" (ऋ. १०. ७२. ७) - देवताओं
 के भी पहले असत् से अर्थात् अव्यक्त से 'सत्' अर्थात् व्यक्त सृष्टि उत्पन्न हुई।
 इसके अतिरिक्त, किसी-न किसी एक दृश्य तत्त्व से सृष्टि की उत्पत्ति होने के विषय
 में ऋग्वेद ही में भिन्न भिन्न अनेक वर्णन पाये जाते हैं। जैसे सृष्टि के आरम्भ
 में मूल हिरण्यगर्भ था। अमृत और मृत्यु दोनों उसकी ही छाया है; और
 आगे उसी से सारी सृष्टि निर्मित हुई है (ऋ. १०. १२१. १, २)। पहले
 विराटरूपी पुरुष था; और उससे यज्ञ के द्वारा सारी सृष्टि उत्पन्न हुई (ऋ. १०.
 १०)। पहले पानी (आप) था। उसमें प्रजापति उत्पन्न हुआ (ऋ. १०. ७२.
 ६; १०. ८२ ६)। ऋत और सत्य पहले उत्पन्न हुए, फिर रात्रि (अन्धकार)
 और उसके बाद समुद्र (पानी), सवत्सर इत्यादि उत्पन्न हुए (ऋ. १०. १९०. १)।
 ऋग्वेद में वर्णित इन्हीं मूलद्रव्यों का आगे अन्यान्य स्थानों में इस प्रकार उल्लेख
 किया गया है। जैसे : (१) जल का, तैत्तिरीय ब्राह्मण में "आपो वा इदमग्रे सलिल-
 मासीत्" - यह सब पहले पतला पानी था (तै. ब्रा. १. १. ३. ५)। (२) असत्
 का, तैत्तिरीय उपनिषद् में "असद्वा इदमग्र आसीत्" - यह पहले असत् था (तै.
 २. ७)। (३) सत् का, छान्दोग्य में 'सदैव सौम्येदमग्र आसीत्' - यह सब पहले
 सत् ही था (छा. ६. २)। अथवा (४) आकाश का, "आकाशः परायणम्" -
 आकाश ही सब बातों का मूल है (छा. १. ९); मृत्यु का, बृहदारण्यक में "नैवेह
 किञ्चनाग्र आसीन्मृत्युर्नैवेदमावृतमासीत्"। पहले यह कुछ भी न था, मृत्यु से सब
 आच्छादित था (बृह. १. २. १); और (६) तम का, मैत्र्युपनिषद् में "तमो वा
 इदमग्र आसीदेकम्" (मै. ५. २) - पहले यह सब अकेला तम (तमोगुणी, अन्धकार)
 था - आगे उससे रज और सत्त्व हुआ। अन्त में इन्हीं वेदवचनों का अनुसरण
 करके मनुस्मृति में सृष्टि के आरम्भ का वर्णन इस प्रकार किया गया है :-

आसीदिदं तमोभूतमप्रज्ञातमलक्षणम् ।

अप्रतर्क्यमविज्ञेयं प्रसुप्तमिव सर्वतः ॥

अर्थात् “ यह सब पहले तम से यानी अन्प्रकार से व्याप्त था । भेदामद नहीं जाना जाता था । अगम्य और निद्रित था । फिर आगे इसमें अव्यक्त परमेश्वर ने प्रवेश करके पहले पानी उत्पन्न किया ” (मनु. १. ५-८) । सृष्टि के आरम्भ के मूलद्रव्य के सम्बन्ध में उक्त वर्णन या ऐसे ही भिन्न भिन्न वर्णन नासदीय सूक्त के समय भी अवश्य प्रचलित रहे होंगे; और उस समय भी यहाँ प्रश्न उपस्थित हुआ होगा, कि इनमें कौन-सा मूलद्रव्य सत्य माना जावे ? अतएव उसके सत्यांश के विषय में इस सूक्त के ऋषि यह कहते हैं, कि :-

सूक्त

नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं

नासीद्रजो नो व्योमा परो यत् ।

किमावरोवः कुह फस्य शर्म-

न्नम्ः किमासीद्गहनं गभीरम् ॥१॥

अनुवाद

१. तव अर्थात् मूलारम्भ में असद् नहीं था और सत् भी नहीं था । अन्तरिक्ष नहीं था और उसके परे का आकाश न था । (ऐसी अवस्था में) किस ने (किस पर) आवरण डाला ? कहाँ ? किस के सुख के लिये ? अगाध और गहन जल (भी) कहाँ था ? ११

न मृत्युरासीदमृतं न तर्हि

न रात्र्या अह्न आसीत्प्रकेतः ।

आनोदवातं स्वधया तदेकम् ।

तस्माद्धान्यन्न परः किञ्चनाऽऽस ॥२॥

२. तव मृत्यु अर्थात् मृत्युग्रस्त नाशवान् दृश्य सृष्टि न थी, अतएव (दूसरा) अमृत अर्थात् अविनाशी नित्य पदार्थ (यह भेद) भी न था । (इसी प्रकार) रात्रि और दिन का भेद समझने के लिये कोई साधन (= प्रकेत) न था । (जो कुछ था) वह अकेला एक ही अपनी शक्ति (स्वधा) से वायु के बिना श्वासोच्छ्वास लेता अर्थात् स्फूर्तिमान् होता रहा । इसके अतिरिक्त या इसके परे और कुछ भी न था ।

* ऋचा पहली - चौथे चरण में ' आसीत् किम् ' यह अन्वय करके हमने उक्त अर्थ दिया है; और उसका भावार्थ है, ' पानी तब नहीं था ' (ते. ब्रा. २. २, ९) ।

तम आसीत्तमसा गूढमग्रेऽ
 प्रकेतं सलिलं सर्वमा इदम् ।
 तुच्छेनाभ्वपिहितं यदासीत्
 तपसस्तन्महिनाऽजायतंकम् ॥३॥

३ जो (यत्) ऐसा कहा जाता है, कि अन्धकार था, आरम्भ में यह सब अन्धकार से व्याप्त (और) भेदाभेद-रहित जल था (या) आभु अर्थात् सर्वव्यापी ब्रह्म (पहले ही) तुच्छ से अर्थात् झूठी माया से आच्छादित था, वह (तत्) मूल में एक (ब्रह्म ही) तप की महिमा से (आगे रूपान्तर से) प्रकट हुआ था ।*

कामस्तदग्रे समवर्तताधि
 मनसो रेतः प्रथमं यदासीत् ।
 सतो बन्धुमसति निरविन्दन्
 हृति घृतीप्या कवयो मनीषा ॥४॥

४. इसके मन का जो रेत अर्थात् बीज प्रथमतः निकला, वही आरम्भ में काम (अर्थात् सृष्टि निर्माण करने की प्रवृत्ति या शक्ति) हुआ । ज्ञाताओं ने अन्तःकरण में विचार करके बुद्धि से निश्चित किया, कि (यही) असत् में अर्थात् मूल परब्रह्म में सत् का यानी विनाशी दृश्यसृष्टि का (पहला) सम्बन्ध है ।

* ऋचा तीसरी - कुछ लोग इसके प्रथम तीन चरणों को स्वतन्त्र मानकर उनका ऐसा विधानात्मक अर्थ करते हैं, कि "अन्धकार से व्याप्त पानी, या तुच्छ से आच्छादित आभु (पोलापन) था ।" परन्तु हमारे मत से यह भ्रम है । क्योंकि पहली दो ऋचाओं में जब कि ऐसी स्पष्ट उक्ति है, कि मूलारम्भ में कुछ भी न था, तब उसके विपरीत इसी सूक्त में यह कहा जाना सम्भव नहीं, कि मूलारम्भ में अन्धकार या पानी था । अच्छा, यदि वैसा अर्थ करें भी, तो तीसरे चरण के यत् शब्द को निरर्थक मानना होगा । अतएव तीसरे चरण के 'यत्' का चौथे चरण 'तत्' से सम्बन्ध लगाकर, जैसा (कि हमने ऊपर किया है) - अर्थ करना आवश्यक है । 'मूलारम्भ में पानी वगैरह पदार्थ थे' ऐसा कहनेवालों को उत्तर देने के लिये इस सूक्त में यह ऋचा आई है । और इसमें ऋषि का उद्देश यह बतलाने का है, कि तुम्हारे कथनानुसार मूल में तम, पानी इत्यादि पदार्थ न थे, किन्तु एक ब्रह्म का ही आगे यह सब विस्तार हुआ है । 'तुच्छ' और 'आभु' ये शब्द एक दूसरे के प्रतियोगी हैं । अतएव तुच्छ के विपरीत 'आभु' शब्द का अर्थ बड़ा या समर्थ होता है, और ऋग्वेद में जहाँ अन्य दो स्थानों में इस शब्द का प्रयोग हुआ है, वहाँ सायणाचार्य ने भी उसका यही अर्थ किया है (ऋ. १०, २७, १, ४) । पंचदशी (चित्र. १२९, १३०) में तुच्छ शब्द का उपयोग माया के लिये किया गया है (नृसिं. उक्त. ९ देखो) । अर्थात् 'आभु' का अर्थ पोलापन न हो कर 'परब्रह्म' ही होता है । 'सर्वं आ इदम्' - यहाँ आ (अ + अस्) अस् धातु का भूतकाल है, और इसका अर्थ 'आसीत्' होता है ।

तिरश्चीनो विततो रश्मिरेषाम्
 अघः स्विदासीदुपरि स्विदासीत् ।
 रेतोघा आसन् महिमान आसन्
 स्वधा अवस्तात् प्रयतिः परस्तात् ॥५॥

५. (यह) रश्मि या किरण या धागा इनमें आडा फँस गया; और यदि कहें, कि यह नीचे था, तो यह ऊपर भी था । (इनमें से कुछ) रेतो घा अर्थात् बीजप्रद हुए; और (बटकर) बटे भी हुए । उन्ही की स्वशक्ति इस ओर रही; और प्रयति अर्थात् प्रभाव उम ओर (व्याप्त) हो रहा ।

को अद्धा वेद क इह प्र घोचत्
 कुत आजाता कुत इयं विसृष्टिः ।
 अर्वाग् देवा अस्य विसर्जनेना -
 य को वेद यत् आवभूव ॥६॥

६. (मत् का) यह विमर्ग यानी पमारा मिममे या कहाँ से आया? यह (इममे अधिक) प्र यानी विम्नारपूर्वक यहाँ कौन कहेगा? इसे कौन निश्चयात्मक जानता है? देव भी इम (मत् सृष्टि के) विमर्ग के पश्चात् हुए हैं । फिर वह जहाँ से हुई, उसे कौन जानेगा?

इयं विसृष्टिर्यत् आवभूव
 यदि वा दधे यदि वा दधे ।
 यो अस्याध्यक्षः परसे व्योमन्
 सो अंग वेद यदि वा न वेद ॥७॥

७ (सत् का) यह विमर्ग अर्थात् फँसव जहाँ से हुआ अथवा निर्मित किया गया या नहीं किया गया - उसे परम आकाश में रहनेवाला इम मृष्टि का जो अध्यक्ष (हिरण्यगर्भ) है, वही जानना होगा; या न भी जानता हो!
 (कौन कह मके ?)

मारे वेदान्तशास्त्र का रहस्य यही है, कि नेत्रों को या सामान्यतः सब इन्द्रियों को गोंचर होनेवाले विकारी और विनाशी नामरूपात्मक अनेक दृश्यों के फन्दे में फँसे न रह कर ज्ञानदृष्टि में यह जानना चाहिये, कि इन दृश्य के परे कोई न कोई एक और अमृत तत्त्व है । इम मस्खन के गोले को ही पाने के लिये उक्त मूक्त के ऋषि की बुद्धि एकदम दौढ़ पड़ी है । इममे यह स्पष्ट देख पड़ता है, कि उसका जन्मजान कितना तीव्र था । मूलारम्भ में अर्वाग् मृष्टि के मारे पदार्थों के उत्पन्न होने के पहले जो कुछ था, वह नत् था या अमत्, मृत्यु था या अमर; आकाश था या जल; प्रकाश था या अन्धकार? - ऐसे अनेक प्रश्न करनेवालों के माय वादविवाद न करते हुए उक्त ऋषि मव के आगे दौढ़ कर यह कहता है, कि मत् और अमत्, मर्त्य और अमर, अन्धकार और प्रकाश, आच्छादन करनेवाला और आच्छादिन, मुख देनेवाला और उमरा अनुभव करनेवाला, ऐसे अद्वैत की परम्परनापेक्ष भाषा दृश्य मृष्टि की

उत्पत्ति के अनन्तर की है। अतएव सृष्टि में इन द्वन्द्वों के उत्पन्न होने के पूर्व अर्थात् जब 'एक और दूसरा' यह भेद ही न था तब कौन किसे आच्छादित करता? इसलिये आरम्भ ही में इस सूक्त का ऋषि निर्भय हो कर यह कहता है, कि मूलारम्भ के एक द्रव्य को सत् या असत्, आकाश या जल, प्रकाश या अन्धकार, अमृत या मृत्यु, इत्यादि कोई भी परस्परसापेक्ष नाम देना उचित नहीं। जो कुछ था, वह इन सब पदार्थों से विलक्षण था और वह अकेला एक चारों ओर अपनी अपरपार शक्ति से स्फूर्तिमान् था। उसकी जोड़ी में या उसे आच्छादित करनेवाला अन्य कुछ भी न था। दूसरी ऋचा में 'आनीत्' क्रियापद के 'अन्' धातु का अर्थ है श्वासोच्छ्वास लेना या स्फुरण होना, और 'प्राण' शब्द भी उसी धातु से बना है। परन्तु जो न सत् है और न असत्, उसके विषय में कौन कह सकता है, कि वह सजीव प्राणियों के समान श्वासोच्छ्वास लेता था? और श्वासोच्छ्वास के लिये वहाँ वायु ही कहाँ है? अतएव 'आनीत्' पद के साथ ही - 'अवात' - विना वायु के और 'स्वधया' - स्वयं अपनी ही महिमा से, इन दोनों पदों को जोड़ कर 'सृष्टि का मूलतत्त्व जड़ नहीं था' यह अद्वैतावस्था का अर्थ द्वैत की भाषा में बड़ी युक्ति से इस प्रकार कहा है, 'वह एक विना वायु के केवल अपनी ही शक्ति से श्वासोच्छ्वास लेता था स्फूर्तिमान् होता था।' इसमें बाह्य दृष्टि से जो विरोध दिखाई देता है, वह द्वैती भाषा की अपूर्णता से उत्पन्न हुआ है। 'नेति नेति' 'एकमेवाद्वितीयम्' या "स्वे महिम्नि प्रतिष्ठित" (छा ७ २४ १) - अपनी ही महिमा से अर्थात् अन्य किसी की अपेक्षा न करते हुए अकेलाहि रहनेवाला इत्यादि जो परब्रह्मके वर्णन उपनिषदों में पाये जाते हैं, वे भी उपरोक्त अर्थ के ही द्योतक हैं। सारी सृष्टि के मूलारम्भ में चारों ओर जिस एक अनिर्वाच्य तत्त्व के स्फुरण होने की बात इस सूक्त में कही गई है, वही तत्त्व सृष्टि का प्रलय होने पर भी निःसन्देह शेष रहेगा। अतएव गीता में इसी परब्रह्म का कुछ पर्याय से इस प्रकार वर्णन है, कि "सब पदार्थों का नाश होने पर भी जिसका नाश नहीं होता" (गी ८ २०) और आगे इसी सूक्त के अनुसार स्पष्ट कहा है, कि "वह सत् भी नहीं है, और असत् भी नहीं है" (गी १३ १२)। परन्तु प्रश्न यह है, कि जब सृष्टि के मूलारम्भ में निर्गुण ब्रह्म के सिवा और कुछ भी न था, तो फिर वेदों में जो ऐसे वर्णन पाये जाते हैं, कि 'आरभ में पानी, अन्धकार या आभु और तुच्छ की जाती थी' उनकी क्या व्यवस्था होगी? अतएव तीसरी ऋचा में कवि ने कहा है, कि इम प्रवार के जितने वर्णन हैं (जैसे कि - सृष्टि के आरम्भ में अन्धकार या या अन्धकार में आच्छादित पानी था, या आभु (ब्रह्म) और उसको आच्छादित करनेवागी माया (तुच्छ) ये दोनों पहले से थे, इत्यादि) वे सब उस समय के हैं, कि जब अकेले एक मूल परब्रह्म के तपमहात्म्य से उसका विविध रूप से फैलाव हो गया था। ये वर्णन मूलारम्भ की स्थिति के नहीं हैं। इस ऋचा में 'तप' शब्द से मूलब्रह्म की ज्ञानमय विलक्षण शक्ति विवक्षित है, और उसी का वर्णन चौथी ऋचा में किया गया है

(मु १ १ ९ देखो) “ एतावान् अस्य महिमाज्जो ज्यायान् च पूष्प ” (ऋ १० ९० ३) । इस न्याय में मारी मृष्टि ही जिमकी महिमा कहलाई, उम मूलद्रव्य के विषय में कहना पडेगा, कि वह इन सब के परे, सबसे श्रेष्ठ और मित है । परन्तु दृश्य वस्तु और द्रष्टा, मोक्षना और भोग्य, आच्छादन करनेवाले और आच्छाद्य, जन्मकार और प्रजाण, मर्त्य और अमर इत्यादि मारे द्वैतो को इस प्रकार अलग कर यद्यपि यह निश्चय किया गया, कि केवल एक निर्मल चिद्रूपी विशक्षणप रज्ज्हा ही मूठारम्भ में था, तथापि जत्र यह बतलाने का समय आया, कि इस अनिर्वाच्य, निर्गुण, अकेले एकतत्त्व में आकाश, जल इत्यादि द्वन्द्वात्मक विनाशी मगुण नाम-रूपात्मक विविध मृष्टि या इन सृष्टि की मूठभूत त्रिगुणात्मक प्रकृति कैसे उत्पन्न हुई, तत्र तो हमारे प्रस्तुत ऋषि ने भी मन, काम, अमत् और मत् जैसी द्वैतो भाषा का ही उपयोग किया है । और अन्त में स्पष्ट कह दिया है, कि यह प्रश्न मानवी बुद्धि की पहुँच के बाहर है । चौथी ऋचा में मूलरहस्य को ही ‘अमत्’ कहा है, परन्तु उमना अर्थ ‘कुछ नहीं’ यह नहीं मान सकते । क्योंकि ऋचा में ही स्पष्ट कहा है, कि ‘वह है’ । न केवल इसी सूक्त में, किन्तु अन्यत्र भी व्यावहारिक भाषा को स्वीकार कर के ही ऋग्वेद और वाजमनेयी संहिता में गहन विषयो का विचार ऐसे प्रश्नों के द्वारा किया गया है । (ऋ १० ३१ ७, १० ८१ ४, वाज म १७ २० देखो) — जैसे दृश्यमृष्टि को यज्ञ की उपमा दे कर प्रश्न किया है, कि इस यज्ञ के लिये आवश्यक घृत, समिधा इत्यादि मामग्री प्रथम कहाँ से आई (ऋ १० १३० ३) ? अथवा घर का दृष्टान्त दे कर प्रश्न किया है कि मूल एक निर्गुण में नेत्रा का प्रत्यक्ष दिखाई देनेवाली आकाश-पृथ्वी की उम भय्य इमारत को बनाने के लिये लज्जडी (मूलप्रकृति) कैसे मिली ? — “ कि म्बिह्वन क उ म वृक्ष आम यतो द्यावा-पृथिवी निष्टतक्षु । ’ उन प्रश्नों का उत्तर उपर्युक्त सूक्त की चौथी और पाँचवी ऋचा में जो कुछ कहा गया है, उमने अग्रिम दिया जाना सम्भव नहीं है (वाज स ३३ ७८ देखो), और वह उत्तर यही है, कि उम अनिर्वाच्य अकेले एक रज्ज्हा ही के मन में मृष्टि निर्माण करन का ‘वाम’-रूपी तत्त्व किसी तरह उत्पन्न हुआ, और वस्त्र के धागो समान या सूर्यप्रकाश के समान उमी की शाखाएँ नुरल्ल नीचे, उपर और चहुँ ओर फैँ गईं । तथा मत् का माग फैँगव हो गया — अर्थात् आकाश-पृथ्वी की यह भव्य इमारत बन गई । उपनिषदा में इस सूक्त के अर्थ का फिर भी इस प्रकार प्रकट किया है, कि “ माज्जामयन । ऋ म्या प्रजायेयेती । ’ (तै २ ६, टा ६ २ ३) — उम परब्रह्मको ही अनक हान की इच्छा हुई (वृ १ ८ दशा), और अथर्वबद में भी ऐसा वर्णन है, कि इस मारी दृश्यमृष्टि के मूलभूत द्रव्य में ही पहले पहल ‘वाम’ दृशा (अथर्व ९ २ १९) । परन्तु उम सूक्त में विशेषता यह है, कि निर्गुण में मगुण की अमत् म मत् की, निद्वन्द्व म द्वन्द्व की अथवा अमदग म मदग की उत्पत्ति का प्रश्न मानवी बुद्धि के लिये अगम्य समझ कर माफ़ना न समान कवत्र तर्कवश हो

प्रकृति ही को या उसके सदृश किसी दूसरे तत्त्व को स्वयम् और स्वतन्त्र नहीं है। किंतु इस सूक्त का ऋषि कहता है, कि जो वात समझ में नहीं आती, के लिये माफ माफ कह दो, कि यह समझ में नहीं आती। परंतु उसके लिये बुद्धि से और आत्मप्रतीति से निश्चित किये गये अनिर्वाच्य ब्रह्म की योग्यता दृश्यसृष्टिरूप माया की योग्यता के बराबर मत समझो; और न परब्रह्म के विषय अपने अद्वैतभाव ही को छोड़ो। इसके सिवा यह सोचना चाहिये कि, यद्यपि त्ति को एक भिन्न त्रिगुणात्मक स्वतन्त्र पदार्थ मान भी लिया जावे, तथापि इस का उत्तर तो दिया नहीं जा सकता, कि उसमें सृष्टि को निर्माण करने के लिये मत बुद्धि (महान्) या अहंकार कैसे उत्पन्न हुआ? और, जब कि यह दोष कभी टल नहीं सकता है, तो फिर प्रकृति को स्वतन्त्र मान लेने में क्या लाभ है? सिर्फ इतना कि यह वात समझ में नहीं आती, कि मूलब्रह्म से सत् अर्थात् प्रकृति कैसे निर्मित। इसके लिये प्रकृति को स्वतन्त्र मान लेने की ही कुछ आवश्यकता नहीं है। मनुष्य बुद्धि की कौन कहे, परंतु देवताओं की दिव्यबुद्धि से भी सत् की उत्पत्ति का य समझ में आ जाना संभव नहीं। क्योंकि देवता भी दृश्यसृष्टि के आरंभ होने उत्पन्न हुए हैं। उन्हें पिछला हाल क्या मालूम? (गी १०.२ देखो)। परंतु प्यगर्भ देवताओं से भी भी बहुत प्राचीन और श्रेष्ठ है। और ऋग्वेद में कहा है, आरंभ में वह अकेला ही “भूतस्य जात पतिरेक आसीत्” (ऋ. १०. १२१. — सारी सृष्टि का ‘पति’ अर्थात् राजा या अध्यक्ष था। फिर उसे यह बात कर मालूम न होगी? और यदि उसे मालूम होगी, तो फिर कोई पूछ सकता है, इस बात को दूर्वाध या अगम्य क्यों कहते हो? अतएव उस सूक्त के ऋषि ने तो उक्त प्रश्न का यह औपचारिक उत्तर दिया है, कि “हां, वह इस बात को ता होगा।” परंतु अपनी बुद्धि से ब्रह्मदेव के भी ज्ञानसागर की थाह लेनेवाले ऋषि ने आश्चर्य से साशक हो अंत में तुरंत ही कह दिया है, कि “अथवा न जानता हो! कौन कह सकता है? क्योंकि वह भी सत् ही की श्रेणी में है। इस- । ‘परम’ कहलाने पर भी ‘आकाश’ ही में रहनेवाले जगत् के इस अध्यक्ष को, असत्, आकाश और जल के भी पूर्व की बातों वा ज्ञान निश्चित रूप से कैसे होता है?” परंतु यद्यपि यह बात समझ में नहीं आती, कि एक ‘असत्’ अर्थात् क्त और निर्गुण द्रव्य ही के साथ विविध नामरूपात्मक सत् का अर्थात् मूल- ति का सम्बन्ध कैसे हो गया? तथापि मूलब्रह्म के एकत्व के विषय में ऋषि ने अपने त भाव को डिगने नहीं दिया है। यह इस बात का एक उत्तम उदाहरण है, कि त्वक श्रद्धा और निर्मल प्रतिभा के बल पर मनुष्य की बुद्धि अचिन्त्य वस्तुओं के न वन में सिंह के समान निर्भय हो कर कैसे सञ्चार किया करती है? और वहाँ अतर्क्य बातों का यथाशक्ति वैसे निश्चय किया करती है? यह सचमुच ही आश्चर्य । गौरव की बात है, कि ऐसा सूक्त ऋग्वेद में पाया जाता है। हमारे देश में इस

सूक्त के ही विषय का आगे ब्राह्मणो (तैत्ति ब्रा २ ८ ९) में, उपनिषदों में और अनन्तर वेदान्तशास्त्र के ग्रंथों में मूढम रीति में विवेचन किया गया है, और पश्चिमी देशों में भी अर्वाचीन काल के कान्ट इत्यादि तन्त्रज्ञानिया ने उसीका अत्यंत मूढम परीक्षण किया है। परन्तु स्मरण रहे, कि इस मूढन ने ऋषि की पवित्र बुद्धि में जिन परम सिद्धान्त की स्फूर्ति हुई है, वही सिद्धान्त आगे प्रतिपक्षिया को विवर्तवाद के समान उचित उत्तर दे कर और भी दृढ़, स्पष्ट या तर्कदृष्टि में निरदेह किये गये हैं। इसके आगे अभी तक न कोई बड़ा है और न बटने की विशेष आशा ही की जा सकती है।

अध्यात्म-प्रकरण समाप्त हुआ। अब आगे चलने के पहले 'बेनरी' की चाल के अनुसार उस मार्ग का कुछ निरीक्षण हो जाना चाहिये, कि जो यहाँ तक चला आये है। कारण यह है, कि यदि इस प्रकार सिद्धावलोकन न किया जावे, तो विषयानुमन्धान के चूक जाने से सम्भव है, कि और किसी अन्य मार्ग में मञ्चार हाने लगे। ग्रन्थारम्भ में पाठको का विषय में प्रवेश कराके कर्मजिज्ञासा का मक्षिप्त स्वरूप बतलाया है, और तीसरे प्रकरण में यह दिखलाया है, कि कर्मयोगशास्त्र ही गीता का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है, अनन्तर चौथे, पाँचवें और छठे प्रकरण में मुख्य विवेकपूर्वक यह बतलाया है, कि कर्मयोगशास्त्र की जाधिभौतिक उपपत्ति एकदेशीय तथा अपूर्ण है, और आधिदैविक उपपत्ति लँगटी है। फिर कर्मयोग की आध्यात्मिक उपपत्ति बतलाने के पहले — यह जानने के लिये, कि आत्मा किम बहने है — ठठे प्रकरण में ही पहले — क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ-विचार और जागे सातवें तथा आठवें प्रकरण में साध्यशाम्भान्तर्गत द्वैत के अनुसार धर-अक्षर विचार किया गया है। और फिर इस प्रकरण में आकर इस विषय का निरूपण किया गया है, कि आत्मा का स्वरूप क्या है? तथा पिंड और ब्रह्माण्ड में दोनों ओर एक ही अमृत और निर्गुण आत्मतत्त्व किस प्रकार ओतप्रोत और निरंतर व्याप्त है। इसी प्रकार यहाँ यह भी निश्चिन किया गया है, कि ऐसा समबुद्धियोग प्राप्त करके (कि सब प्राणिया में एक ही आत्मा है) उसे सदैव जागृत रखना ही आत्मज्ञान की और आत्मसुख की परावाष्ठा है। और फिर यह बतलाया गया है, कि अपनी बुद्धि का इस प्रकार शुद्ध आत्मनिष्ठा अवस्था में पहुँचा देने में ही मनुष्य का मनुष्यत्व अर्थात् नरदेह की सार्थकता या मनुष्य का परम पुण्यार्थ है। इस प्रकार मनुष्यजाति के आध्यात्मिक परममाध्य का निर्णय हा जानपर कर्मयोगशास्त्र के इस मुख्य प्रश्न का भी निर्णय आप ही आप हो जाता है, कि समार में हमें प्रतिदिन जो व्यवहार करने पड़ते हैं, वे किस नीति से किये जावे? अथवा जिन शुद्धबुद्धि से उन सामारिक व्यवहारा को करना चाहिये, उमका यथार्थ स्वरूप क्या है? क्याकि अब यह बतलाने की आवश्यकता नहीं, कि ये मार व्यवहार उमो रीति से किये जाने चाहिये, कि जिनमें वे परिणाम में ब्रह्मात्मस्वरूप समबुद्धि के पापक या अविरोधी हों। भगवद्गीता में कर्मयोग के इमी

आध्यात्मिक तत्त्व का उपदेश अर्जुन को किया गया है। परन्तु कर्मयोग का प्रतिपादन केवल इतने ही से पूरा नहीं होता। क्यो कि कुछ लोगो का कहना है, कि नामरूपात्मक सृष्टि के व्यवहार आत्मज्ञान के विरुद्ध हैं। अतएव ज्ञानी पुरुष उनको छोड़ दे। और यदि यही वान सत्य हो, तो समार के मारे व्यवहार त्याज्य समझे जायेंगे; और फिर कर्म-अकर्मशास्त्र भी निरर्थक हो जावेगा। अतएव इस विषय का निर्णय करने के लिये कर्मयोगशास्त्र में ऐसे प्रश्नो का भी विचार अवश्य करना पडता है, कि धर्म के नियम कौनसे हैं? और उनका परिणाम क्या होना है? अथवा बुद्धि की शुद्धता होने पर व्यवहार अर्थात् कर्म क्यो करना चाहिये? भगवद्गीता में ऐसा विचार किया भी गया है। सन्यासमार्गवाले लोगो को इन प्रश्नो का कुछ भी महत्त्व नहीं जान पडना। अतएव ज्योहि भगवद्गीता का वेदान्त या भक्ति का निरूपण समाप्त हुआ, त्योही प्राय वे लोग अपनी पोथी समेटने लग जाते हैं। परन्तु ऐसा करना हमारे मत से गीता के मुख्य उद्देश्य को ओर ही दुर्लक्ष करना है। अतएव अब आगे क्रम से इस बात का विचार किया जायगा, कि भगवद्गीता में उपर्युक्त प्रश्नो के क्या उत्तर दिये गये हैं।

दसवाँ प्रकरण

कर्मविपाक और आत्मस्वातन्त्र्य

कर्मणा बध्यते जन्तुर्विद्यया तु प्रमुच्यते । *

— महाभारत, शांति. २४०. ७

यद्यपि यह सिद्धान्त अन्त में सच है, कि इस संसार में जो कुछ है, वह परब्रह्म ही है; परब्रह्म को छोट कर अन्य कुछ नहीं है; तथापि मनुष्य की इन्द्रियों को गोचर होनेवाली दृश्य सृष्टि के पदार्थों का अध्यात्मशास्त्र की चलनी में जब हम संशोधन करने लगते हैं, तब उनके नित्य-अनित्यरूपी दो विभाग या समूह हो जाते हैं। एक तो उन पदार्थों का नामरूपात्मक दृश्य है, जो इन्द्रियों को प्रत्यक्ष दीख पड़ता है; परन्तु हमेशा बदलनेवाला होने के कारण अनित्य है। और दूसरा परमात्मतत्त्व है, जो नामरूपों से आच्छादित होने के कारण अदृश्य, परन्तु नित्य है। यह सच है, कि रमायनशास्त्र में जिम प्रकार भव पदार्थों का पृथक्करण करके उनके घटकद्रव्य अलग अलग निकाल लिये जाते हैं, उसी प्रकार ये दो विभाग आँखों के सामने पृथक् पृथक् नहीं रखे जा सकते। परन्तु ज्ञानदृष्टि में उन दोनों को अलग करके शास्त्रीय उपपादन के सुभीते के लिये उनको क्रमशः 'ब्रह्म' और 'माया' तथा कभी कभी 'ब्रह्मसृष्टि' और 'मायासृष्टि' नाम दिया जाता है। तथापि स्मरण रहे, कि ब्रह्म मूल से ही नित्य और सत्य है। इस कारण उसके साथ सृष्टि शब्द ऐसे अवसर पर अनुप्रासार्य लगा रहता है; और 'ब्रह्मसृष्टि' शब्द से यह मतलब नहीं है, कि ब्रह्म को किमी ने उत्पन्न किया है। इन दो सृष्टियों में मे दिक्काल आदि नामरूपों से अमर्यादित, अनादि, नित्य, अविनाशी, अमृत, स्वतन्त्र और मारी दृश्य सृष्टि के लिये आधारभूत हो कर उसके भीतर रहनेवाली ब्रह्मसृष्टि में ज्ञानचक्षु में सञ्चार करके आत्मा के शुद्ध स्वरूप अथवा अपने परम माध्य का विचार पिछले प्रकरण में किया गया। और सच पूछिये तो शुद्ध अध्यात्मशास्त्र वही समाप्त हो गया। परन्तु, मनुष्य का आत्मा यद्यपि आदि में ब्रह्मसृष्टि का है, तथापि दृश्य सृष्टि की अन्य वस्तुओं की तरह वह भी नामरूपात्मक देहेन्द्रियों में आच्छादित है; और ये देहेन्द्रिय आदिक नामरूप विनाशी है। इनलिये प्रत्येक मनुष्य की यह स्वाभाविक इच्छा होती है, कि इनसे छूट कर अमृतत्व कैसे प्राप्त करें? और, इस इच्छा की पूर्ति के लिये मनुष्य को व्यवहार में कैसे चलना चाहिये? — कर्मयोगशास्त्र के इस द्विपय वा विचार करने के लिये कर्म के बायदो में बंधी हुई अनित्य मायासृष्टि के द्वैती प्रदेश में ही अब हमें आना चाहिये। पिण्ड और ब्रह्माण्ड दोनों मूल में यदि एक ही नित्य और स्वतन्त्र आत्मा है, तो

* "कर्म से प्राणी बाँधा जाता है, और विद्या से उसका छुटकारा हो जाता है।"

अब सहज ही प्रश्न होता है, कि पिण्ड के आत्मा को ब्रह्माण्ड के आत्मा की पहचान हो जाने में कौन-सी अड़चन रहती है ? और वह दूर कैसे हो ? इस प्रश्न को हल करने के लिये नामरूपों का विवेचन करना आवश्यक होता है । क्योंकि वेदान्त की दृष्टि से सब पदार्थों के दो वर्ग होते हैं : एक आत्मा अथवा परमात्मा ; और दूसरा उसके ऊपर का नामरूपों का आवरण । इसलिये नामरूपात्मक आवरण के सिवा अब अन्य कुछ भी शेष नहीं रहता । वेदान्तशास्त्र का मत है, कि नामरूप का यह आवरण किसी जगह घना, तो किसी जगह विरल होने के कारण दृश्य सृष्टि के पदार्थों में सचेतन और अचेतन ; तथा सचेतन में भी पशु, पक्षी, मनुष्य, देव, गन्धर्व और राक्षस इत्यादि भेद हो जाते हैं । यह नहीं, की आत्मरूपी ब्रह्म किसी स्थान में न हो । वह सभी जगह है — वह पत्थर में है और मनुष्य में भी है । परन्तु जिस प्रकार दीपक एक होने पर भी किसी लोहे के बक्स में अथवा न्यूनाधिक स्वच्छ काँच की लालटेन में उसके रखने से अन्तर पड़ता है, उसी प्रकार आत्मतत्त्व सर्वत्र एक ही होने पर भी उसके ऊपर के कोश — अर्थात् नामरूपात्मक आवरण के तारतम्य भेद से अचेतन और सचेतन जैसे भेद हो जाया करते हैं । और तो क्या ? इसका भी कारण वही है, कि सचेतन में मनुष्यों-पशुओं को ज्ञान सम्पादन करने का एक समान ही सामर्थ्य क्यों नहीं होता । आत्मा सर्वत्र एक ही है सही ; परन्तु वह आदि से ही निर्गुण और उदासीन होने के कारण मन, बुद्धि इत्यादि नामरूपात्मक साधनों के बिना स्वयं कुछ भी नहीं कर सकता ; और वे साधन मनुष्ययोनि को छोड़ अन्य कसी भी योनि में उसे पूर्णतया प्राप्त नहीं होते । इसलिये मनुष्यजन्म सब में श्रेष्ठ कहा गया । इस श्रेष्ठ जन्म में आने पर आत्मा के नामरूपात्मक आवरण के स्थूल और सूक्ष्म, दो भेद होते हैं । इनमें से स्थूल आवरण मनुष्य की स्थूलदेह ही है, कि जो शुक्र, शोणित आदि से बनी है । शुक्र से आगे चल कर स्नायु, अस्थि और मज्जा ; तथा शोणित अर्थात् रक्त से त्वचा, मांस और केश उत्पन्न होते हैं — ऐसा समझ कर इन सब को वेदान्ती 'अन्नमय कोश' कहते हैं । इस स्थूलकोश को छोड़ कर हम यह देखने लगते हैं, कि इसके अन्दर क्या है ? तब त्रमश' वायुरूपी प्राण अर्थात् 'प्राणमय कोश', मन अर्थात् 'मनोमय कोश', बुद्धि अर्थात् 'ज्ञानमय कोश' ; और अन्त में 'आनन्दमय कोश' मिलता है । आत्मा इससे भी परे है । इसलिये तैत्तिरीयोपनिषद् में अन्नमय कोश से आगे बटते अन्त में आनन्दमय कोश बतला कर वरुण ने भृगु को आत्मस्वरूप की पहचान करा दी है (तै. २. १-५, ३. २-६) । इन सब कोशों में से स्थूलदेह का कोश छोड़ बाकी रहे हुए प्राणादि कोशों, सूक्ष्म इन्द्रियो और पञ्चतन्मात्राओं को वेदान्ती 'लिङ्ग' अथवा सूक्ष्म शरीर कहते हैं । वे लौग, " एक ही आत्मा को भिन्न भिन्न योनियों में जन्म कैसे प्राप्त होना है ? " — इसकी उपपत्ति, साध्यशास्त्र की तरह बुद्धि के अनेक 'भाव' मान कर नहीं लगाते ; किन्तु इस विषय में उनका यह सिद्धान्त है, कि यह सब कर्मविपाक का अथवा कर्म

के फलों का परिणाम है। गीता में, वेदान्तसूत्रों में और उपनिषदों में स्पष्ट कहा है, कि यह कर्म लिङ्गशरीर के आश्रय से अर्थात् आधार से रहा करता है, और जब आत्मा स्थूलदेह छोड़कर जाने लगता है, तब यह कर्म भी लिङ्गशरीर द्वारा उसके माय जा कर बार बार उसको भिन्न भिन्न जन्म लेने के लिये बाध्य करता है। इसलिये नामरूपात्मक जन्ममरण के चक्र से छूट कर नित्य परब्रह्मरूपी होने में अथवा मोक्ष की प्राप्ति में पिण्ड के आत्मा को जो अटचन हुआ करती है, उसका विचार करते समय लिङ्गशरीर और कर्म दोनों का भी विचार करना पड़ता है। इनमें से लिङ्गशरीर का मात्स्य और वेदान्त दोनों दृष्टिया में पहले ही विचार किया जा चुका है। इसलिये यहाँ फिर उसकी चर्चा नहीं की जाती। इस प्रकरण में सिर्फ इसी बात का विवेचन किया गया है, कि जिस कर्म के कारण आत्मा को ब्रह्मज्ञान न होते हुए अनेक जन्मों के चक्कर में पड़ना होता है, उस कर्म का स्वरूप क्या है? और उसमें छूट कर आत्मा का अमृतत्व प्राप्त होने के लिये मनुष्य को उस सत्सार में कैसे चलना चाहिये?

मृष्टि के जाग्रमकाल में अव्यक्त और निर्गुण परब्रह्म जिस देशकाल आदि नामरूपात्मक मगुण शक्ति से व्यक्त, अर्थात् दृश्यमृष्टिरूप हुआ-मा दीख पड़ता है, उसी का वेदान्तशास्त्र में 'माया' कहते हैं (गीता ७ २८ २५), और उसी में कर्म का भी समावेश होता है (श्रु १ ६ १)। सिद्धना यह भी कहा जा सकता है, कि 'माया' और 'कर्म' दोनों समानार्थक हैं। क्योंकि पहले कुछ-न-कुछ कर्म अर्थात् व्यापार हुए बिना जगत् का व्यक्त होना अथवा निर्गुण का मगुण होना सम्भव नहीं। इसीलिये पहले यह कह कर, कि मैं अपनी माया से प्रकृति में उत्पन्न होना हूँ (गीता ८ ६), फिर आगे आठवें अध्याय में गीता में ही कर्म का यह लक्षण दिया है, कि "अक्षर परब्रह्म से पञ्चमहाभूतादि विविध सृष्टि निर्माण होने की जो क्रिया है, वही कर्म है" (गीता ८ ३)। कर्म कहते हैं व्यापार अथवा क्रिया को। फिर वह मनुष्यद्वारा ही, मृष्टि के अन्य पदार्थों की क्रिया ही अथवा मूल मृष्टि के उत्पन्न होने की ही है। इतना व्यापक अर्थ इस जगह विवक्षित है। परन्तु कर्म कोई हो, उसका परिणाम मर्दव केवल इतना ही होता है, कि एक प्रकार का नामरूप बदल कर उसकी जगह दूसरा नामरूप उत्पन्न किया जाय। क्योंकि इन नामरूपात्मक आच्छादित मूद्रद्रव्य कभी नहीं बदलता - वह सदा एक-सा ही रहता है। उदाहरणार्थ, पुनन की क्रिया में 'मूत' यह नाम बदल कर उसी द्रव्य का वस्त्र नाम मिल जाता है, और कुम्हार के व्यापार में 'मिट्टी' नाम के स्थान में 'घट' प्राप्त हो जाता है। इसलिये माया की व्याख्या देते समय कर्म को न केवल नाम और रूप का ही कभी कभी माया कहते हैं। तथापि कर्म का जब स्वरूप विचार करना पड़ता है तब यह कहने का समय आता है, कि कर्मरूप और मायात्मक एक ही है। इस लिये जाग्रम ही में यह कह देना अधिक सुभोग का बात होगी कि माया नामरूप और कर्म ये तीनों मूल में एक

स्वरूप ही है। हाँ; उसमें भी यह विशिष्टार्थक सूक्ष्म भेद किया जा सकता है, कि माया एक सामान्य शब्द है; और उसी के दिखावे को नामरूप तथा व्यापार को कर्म कहते हैं। पर माधारणतया यह भेद दिखलाने की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिये तीनों शब्दों का बहुधा समान अर्थ में ही प्रयोग किया जाता है। परब्रह्म के एक माया पर विनाशी माया का जो आच्छादन (अथवा उपाधि - ऊपर का उठाना) हमारी आँखों को दिखता है, उसी को सांख्यशास्त्र में 'त्रिगुणात्मक प्रकृति' कहा गया है। सांख्यवादी पुष्प और प्रकृति दोनों तत्त्वों को स्वयम्भू, स्वतन्त्र और अनादि मानते हैं; परन्तु माया, नामरूप अथवा कर्म, क्षण क्षण में बदलते रहते हैं। इसलिये उनको नित्य और अविकारी परब्रह्म की योग्यता का - अर्थात् स्वयम्भू और स्वतन्त्र मानना न्यायदृष्टि से अनुचित है। क्योंकि नित्य और अनित्य ये दोनों कल्पनाएँ परस्परविरुद्ध हैं; और इसलिये दोनों का अस्तित्व एक ही काल में माना नहीं जा सकता। इसलिये वेदान्तियों ने यह किन्तु निश्चित किया है, कि विनाशी प्रकृति अथवा कर्मात्मक माया स्वतन्त्र नहीं है; एक, नित्य, सर्वव्यापी और निर्गुण परब्रह्म में ही मनुष्य की दुर्बल इन्द्रियो को सगुण माया का दिखावा दीप्त पड़ता है। परन्तु केवल इतना ही कह देने से काम नहीं चल जाता, कि माया परतन्त्र है; और परब्रह्म में ही यह दृश्य दिखाई देता है। गुणपरिणाम से न सही; तो विवर्तवाद से निर्गुण और नित्य ब्रह्म में विनाशी सगुण नामरूपों का - अर्थात् माया का दृश्य दिखाना चाहे सम्भव हो। तथापि यहाँ एक और प्रश्न उपस्थित होता है, कि मनुष्य की इन्द्रियो को दीखनेवाला यह सगुण दृश्य निर्गुण परब्रह्म में पहले पहले किस क्रम से, कब और क्यों दीखने लगा? अथवा यही अर्थ व्यावहारिक भाषा में इस प्रकार कहा जा सकता है, कि नित्य और चिद्रूपी परमेश्वर ने नामरूपात्मक, विनाशी और जडसृष्टि कब और क्यों उत्पन्न की? परन्तु ऋग्वेद के नामदीय सूक्त में जैसा कि वर्णन किया गया है, यह विषय मनुष्य के ही लिये नहीं, किन्तु देवताओं के लिये और वेदों के लिये भी अगम्य है (ऋ. १०. १२९; तै. ब्रा. २. ८. ९)। इसलिये उक्त प्रश्न का हमसे अधिक और कुछ उत्तर नहीं दिया जा सकता, कि "ज्ञानदृष्टि से निश्चित किये हुए निर्गुण परब्रह्म की ही यह एक अतव्य लीला है" (वे. सू. २. १. ३३)। अतएव इतना मान कर ही आगे चलना पड़ता है, कि जब में हम देखते आये, तब से निर्गुण ब्रह्म के साथ ही नामरूपात्मक विनाशी कर्म अथवा मनुष्य माया हमें दृग्गोचर होती आई है। इसीलिये वेदान्तमूल में कहा है, कि मायात्मक कर्म अनादि है (वे. सू. २. १. ३५-३७); और भगवद्गीता में भी भगवान् ने पहले यह वर्णन करके, कि प्रकृति स्वतन्त्र नहीं है - "मेरी ही माया है" (गी. ७. १४); - फिर आगे कहा है, कि प्रकृति अर्थात् माया और पुष्प, दोनों 'अनादि' है (गीता १३. १९)। इसी तरह श्रीगकराचार्य ने अपने भाष्य में माया का लक्षण देते हुए कहा है, कि "सर्वज्ञेश्वरम्याऽऽत्मभूते इवाऽविद्याकल्पिते नामरूपे तत्त्वान्य-

त्वाभ्यामनिर्वचनीये संसारप्रपञ्चबीजभूते सर्वज्ञस्येश्वरस्य 'माया' 'शक्तिः' 'प्रकृति' रिति च श्रुतिस्मृत्योरभिलष्येते " (वे. सू. शां. भा. २. १. १४) । इसका भावार्थ यह है - " (इन्द्रियों के) अज्ञान से मूलब्रह्म में कल्पित किये हुए नामरूप को ही श्रुति और स्मृतिग्रन्थों में सर्वज्ञ ईश्वर की 'माया', 'शक्ति' अथवा 'प्रकृति' कहते हैं । ये नामरूप सर्वज्ञ परमेश्वर के आत्मभूत-से जान पड़ते हैं । परन्तु इनके जड़ होने के कारण यह नहीं कहा जा सकता, कि ये परब्रह्म में भिन्न हैं या अभिन्न (तत्त्वान्यत्व) ? और यही जड़ सृष्टि (दृश्य) के विस्तार के मूल है; " और " इम माया के योग से ही सृष्टि परमेश्वरनिर्मित दीख पड़ती है । इम कारण यह माया चाहे विनाशी हो; तथापि दृश्य सृष्टि की उत्पत्ति के लिये आवश्यक और अत्यन्त उपयुक्त है; तथा इसीको उपनिषदों में अव्यक्त, आकाश, अक्षर इत्यादि नाम दिये गये हैं " (वे. सू. शां. भा. १. ४. ३) । इससे दीख पड़ेगा, कि चिन्मय (पुरष) और अचेतन माया (प्रकृति) इन दोनों तत्त्वों को साध्यवादी स्वयम्भू, स्वतन्त्र और अनादि, मानते हैं । पर माया का अनादित्व यद्यपि वेदान्ती एक तरह से स्वीकार करते हैं तथापि यह उन्हें मान्य नहीं, कि माया स्वयम्भू और स्वतन्त्र है । और इसी कारण संनारात्मक माया का वृक्षरूप से वर्णन करते समय गीता (१५. ३) में कहा गया है, कि " न रूपमस्येह तयोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा " - इम संसार-वृक्ष का रूप, अन्त, आदि मूल अथवा ठौर नहीं मिलता । इसी प्रकार तीसरे अध्याय में जो ऐसे वर्णन हैं, कि " कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि " (३. १५) - ब्रह्म से कर्म उत्पन्न हुआ । " यज्ञः कर्मममुद्भवः " (३. १४) - यज्ञ भी कर्म से ही उत्पन्न होता है । अथवा " महयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा " (३. १०) - ब्रह्मदेव ने प्रजा (सृष्टि), यज्ञ (कर्म) दोनों को साथ ही निर्माण किया । इन सब का तात्पर्य भी यही है, कि 'कर्म अथवा कर्मरूपी यज्ञ और सृष्टि अर्थात् प्रजा, ये सब साथ ही उत्पन्न हुई हैं ।' फिर चाहे इम सृष्टि को प्रत्यक्ष ब्रह्मदेव से निर्मित हुई कहे अथवा मोमासको की नाई यह कहो, कि उम ब्रह्मदेव ने नित्य वेद-शब्दों में उमको बनाया - अर्थ दोनों का एक ही है (म. भा. शा. २३१; मनु. १. २१) । माराण, दृश्य सृष्टि का निर्माण होने के समय मूल निर्गुण ब्रह्म में जो व्यापार दीख पड़ता है; वही कर्म है । इम व्यापार को ही नामरूपात्मक माया कहा गया है; और मूलकर्म से ही मूयचन्द्र आदि सृष्टि के सब पदार्थों के व्यापार आगे परम्परा में उत्पन्न हुए हैं (वृ. ३. ८. ९) । ज्ञानी पुरुषो ने अपनी बुद्धि में निश्चिन किया है, कि समग्र के मारे व्यापार का मूलभूत जो यह सृष्ट्युत्पत्तिवाल का कर्म अथवा माया है, सो ब्रह्म की ही कोई न कोई अतर्क्य लीला है, स्वतन्त्र बन्तु नहीं है । परन्तु ज्ञानी पुरुषों की गति यहाँ पर कुण्ठित हो जाती है

* " What belongs to mere appearance is necessarily subordinated by reason to the nature of the thing in itself. " Kant's *Metaphysic of Morals* (Abbot's trans. in Kant's *Theory of Ethics*, p. 81).

इसलिये इस बात का पता नहीं लगता, कि यह लीला, नामरूप अथवा मायात्मक कर्म 'कव' उत्पन्न हुआ ? अतः केवल कर्मसृष्टि का ही विचार जब करना होता है, तब इस परतन्त्र और विनाशी माया की तथा माया के साथ ही तदङ्गभूत कर्म को भी वेदान्तशास्त्र में अनादि कहा करते हैं (वे सू २ १ ३५) । स्मरण रहे, कि जैसा सांख्यवादी कहते हैं, उस प्रकार अनादि का यह मतलब नहीं है, कि माया मूल में ही परमेश्वर की बराबरी की, निरारम्भ और स्वतन्त्र है - परन्तु यहाँ अनादि शब्द का यह अर्थ विवक्षित है, कि वह दुर्ज्ञेयारम्भ है - अर्थात् उसका आदि (आरम्भ) मालूम नहीं होता ।

परन्तु यद्यपि हमें इस बात का पता नहीं लगता, कि चिद्रूप कर्मात्मक अर्थात् दृश्यसृष्टिरूप कव और कयो होने लगा ? तथापि इस मायात्मक कर्म के अगले सब व्यापारों के नियम निश्चित हैं, और उनमें से बहुतेरे नियमों को हम निश्चित रूप से जान भी सकते हैं । आठवें प्रकरण में सांख्यशास्त्र के अनुसार इस बात का विवेचन किया गया है, कि मूलप्रकृति से अर्थात् अनादि मायात्मक कर्म से ही आगे चल कर सृष्टि के नामरूपात्मक विविध पदार्थ किस क्रम से निर्मित हुए ? और वही आधुनिक आधिभौतिक शास्त्र के सिद्धान्त भी तुलना के लिये बतलाये गये हैं । यह सच है, कि वेदान्तशास्त्र प्रकृति को परब्रह्म की तरह स्वयम्भू नहीं मानता, परन्तु प्रकृति के अगले विस्तार का क्रम जो सांख्यशास्त्र में कहा गया है, वही वेदान्त को भी मान्य है । इसलिये यहाँ उसकी पुनर्लक्षित नहीं की जाती । कर्मात्मक मूलप्रकृति से विश्व की उत्पत्ति का जो क्रम पहले बतलाया गया है, उसमें उन सामान्य नियमों का कुछ भी विचार नहीं हुआ, कि जिनके अनुसार मनुष्य को कर्मफल भोगने पड़ते हैं । इसलिये अब उन नियमों का विवेचन करना आवश्यक है । इसी को 'कर्मविपाक' कहते हैं । इस कर्मविपाक का पहला नियम यह है, कि जहाँ एक बार कर्म का आरम्भ हुआ, फिर उसका व्यापार आगे बराबर अखण्ड जारी रहता है, और जब ब्रह्म का दिन समाप्त होने पर सृष्टि का सहार होता है, तब भी यह कर्म बीजरूप से बना रहता है । अब फिर जब सृष्टि का आरम्भ होने लगता है, तब उसी कर्मबीज से फिर पूर्ववत् अकुर फूटने लगते हैं । महाभारत का कथन है, कि -

येया ये यानि कर्माणि प्राक्सृष्ट्या प्रतिपेदिरे ।

तान्येव प्रतिपद्यन्ते सृज्यमानाः पुनः पुनः ॥

अर्थात् "पूर्व की सृष्टि में प्रत्येक प्राणी ने जो जो कर्म किये होंगे, ठीक वे ही कर्म उसे (चाहे उमकी इच्छा हो या न हो) फिर फिर यथापूर्व प्राप्त होते रहते हैं" (देखो म. भा शा २३१ ४८ ४९ और गी. ८. १८ तथा १९) । गीता (४. १७) में कहा है, कि "कर्मणो गहना गति" - कर्म की गति बठिन है । इतना ही नहीं, किन्तु कर्म का बन्धन भी बड़ा बठिन है । कर्म विभी से भी नहीं छूट सकता । वायु कर्ममें ही चलती है, सूर्यचन्द्रादिव कर्म में ही घुमा करेते हैं, और ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि

सगुण देवता भी कर्मों में ही बँधे हुए हैं। इन्द्र आदिकों का क्या पूछना है? सगुण का अर्थ है नामरूपात्मक; और नामरूपात्मक का अर्थ है कर्म या कर्म का परिणाम। जब कि यही बतलाया नहीं जा सकता, कि मायात्मक कर्म आरम्भ में कैसे उत्पन्न हुआ; तब यह कैसे बतलाया जावे, कि तदद्भुत मनुष्य इस कर्मचक्र में पहले पहल कैसे फँस गया? परन्तु किमी भी रीति में क्यों न हो; जब वह एक बार कर्मबन्धन में पड़ चुका, तब फिर आगे चल कर उसकी एक नामरूपात्मक देह का नाश होने पर कर्म के परिणाम के कारण उसे इस मृष्टि में भिन्न भिन्न रूपों का मिलना कभी नहीं छूटता। क्योंकि आधुनिक आधिभौतिकज्ञान्त्रकारों ने भी अब यह निश्चित किया है, कि कर्मशक्ति का कभी भी नाश नहीं होता। किन्तु जो शक्ति आज किमी एक नामरूप में दीख पड़ती है, वही शक्ति उस नामरूप के नाश होने पर दूसरे नानारूप में प्रकट हो जाती है। और जब कि किमी एक नामरूप के नाश होने पर उसको भिन्न भिन्न नामरूप प्राप्त हुआ ही करने है, तब यह भी नहीं माना जा सकता, कि ये भिन्न भिन्न नामरूप निर्जीव ही होंगे; अथवा ये भिन्न प्रकार के ही नहीं सकते। अध्यात्मदृष्टि ने इस नामरूपात्मक परम्परा को ही जन्ममरण का चक्र या संसार कहते हैं। और इन नामरूपों की आधारभूत शक्ति को समष्टिरूप से ब्रह्म और व्यष्टिरूप में जीवात्मा कहा करते हैं। वस्तुतः देखने में यह विदित होगा, कि यह आत्मा न तो जन्म धारण करता है; और न मरता ही है। अर्थात् यह नित्य और म्थायी है। परन्तु कर्मबन्धन में पड़ जाने के कारण एक नामरूप के नाश हो जाने पर उसी को दूसरे नामरूपों का प्राप्त होना टल नहीं सकता। आज का कर्म काल भोगना पड़ता है, और कल का परमा। इतना ही नहीं; किन्तु इस जन्म में जो कुछ किया जाय, उसे अगले जन्म में भोगना पड़ता है। इस तरह यह भवचक्र सदैव चलता रहता है। मनुस्मृति तथा महाभारत (मनु. ४. १७३; म. भा. आ. ८०. ३) में तो कहा गया है, कि इन कर्मफलों को न केवल हमें, किन्तु कभी कभी हमारी नामरूपात्मक देह में उत्पन्न हुए हमारे लड़कों और नातियों तक को भी भोगना पड़ना है। शांति-पर्व में भीष्म युधिष्ठिर ने कहते हैं :-

* यह बात नहीं, कि पुनर्जन्म की इस कल्पना को केवल हिन्दुधर्म ने या केवल आस्तिक-वादिनों ने ही माना हो। क्योंकि बौद्ध लोग आत्मा को नहीं मानते, तथापि वैदिक धर्म में वर्णित पुनर्जन्म की कल्पना को उन्होंने अपने धर्म में पूर्ण रीति में स्थान दिया है; और तीसरी शताब्दी में 'परमेश्वर मर गया' कहनेवाले पंडे निरीश्वरवादी जर्मन पण्डित नित्शे ने भी पुनर्जन्मवाद को स्वीकार किया है। उनसे ठीका है, कि कर्म-शक्ति के जो हमेशा रूपान्तर हुआ करते हैं, वे मर्यादित न तदा काल अनन्त हैं। इसलिए कहना पड़ता है, कि एक बार जो नामरूप हो चुके हैं, वही फिर आगे बंधाने कभी न कभी अवश्य उत्पन्न होते ही हैं; और इसी में कर्म का चक्र अर्थात् बन्धन केवल आधिभौतिक दृष्टि में ही सिद्ध हो जाता है। उनसे यह भी लिखा है, कि यह कल्पना या उपनिषद् मुझे अतीत मूर्ति में मालूम हुई है! Nietzsche's *Eternal Recurrence* (Complete Works, Engl. Trans., Vol. XVI. pp. 235-256).

पापं कर्म कृतं किञ्चिद्यदि तन्मिन्न दृश्यते ।
नृपते तस्य पुत्रेषु पौत्रेष्वपि च नप्तृषु ॥

अर्थात् " हे राजा ! चाहे किसी आदमी को उसके पापकर्मों का फल उस समय मिलता हुआ न दीख पड़े, तथापि वह उसे ही नहीं, किन्तु उसके पुत्रों, पौत्रों और प्रपौत्रों तक को भोगना पड़ता है " (१२९. २१) । हम लोग प्रत्यक्ष देखा करते हैं, कि कोई कोई गोग वशपरम्परा से प्रचलित रहते हैं । इसी तरह कोई जन्म से ही दरिद्री होता है; और कोई वैभवपूर्ण राजकुल में उत्पन्न होता है । इन सब बातों की उप-पत्ति केवल कर्मवाद से ही लगाई जा सकती है । और बहुतांशों का मत है, कि यही कर्मवाद की सच्चाई का प्रमाण है । कर्म का यह चक्र जब एक बार आरम्भ हो जाता है, तब उसे फिर परमेश्वर भी नहीं रोक सकता । यदि इस दृष्टि से देखें, कि सारी सृष्टि परमेश्वर की इच्छा से ही चल रही है, तो कहना होगा कि, कर्मफल का देनेवाला परमेश्वर से भिन्न कोई दूसरा नहीं हो सकता (वे सू ३. २ ३८, वी ३ ८) । और इसीलिये भगवान् ने कहा है, कि " लभते च तत कामान् मयैव विहितान् हि तान् " (गी. ७. २२) - मैं जिसका निश्चय कर दिया करता हूँ, वही इच्छित फल मनुष्य को मिलता है । परन्तु कर्मफल को निश्चित कर देने का काम यद्यपि ईश्वर का है, तथापि वेदान्तशास्त्र का यह सिद्धान्त है, कि वे फल हर एक के खरे-खोटे कर्मों की अर्थात् कर्म-अकर्म की योग्यता के अनुरूप ही निश्चित किये जाते हैं । इसीलिये परमेश्वर इस सम्बन्ध में वस्तुतः उदासीन ही है । अर्थात् यदि मनुष्यो में भले-बुरे का भेद हो जाता है, तो उसके लिये परमेश्वर वैषम्य (विषमबुद्धि) और नैर्घृण्य (निर्दयता) दोषों को प्राप्त नहीं होता (वे. सू २ १ ३४) इसी आशय को लेकर गीता में भी कहा है, कि "समोऽह सर्वभूतेषु" (९. २९) अर्थात् ईश्वर सब के लिये सम है, अथवा -

नादत्ते कस्यचित् पापं न चैवं सुकृतं विभुः ॥

" परमेश्वर न तो किसी के पाप को लेता है, न पुण्य को । कर्म या माया के स्वभाव का चक्र चल रहा है ; जिससे प्राणिमात्र को अपने अपने कर्मानुसार सुखदुःख भोगने पड़ते हैं, " (गी. ५ १४, १५) । सारांश यद्यपि मानवी बुद्धि से इस बात का पता नहीं लगता, कि परमेश्वर की इच्छा से ससार में कर्म का आरम्भ कब हुआ और तदद्भुत मनुष्य कर्म के बन्धन में पहले कैसे फँस गया ? तथापि जब हम देखते हैं, कि कर्म के भविष्य परिणाम या फल केवल कर्म के नियमों से ही उत्पन्न हुआ करते हैं, तब हम अपनी बुद्धि से इतना तो अवश्य निश्चय कर सकते हैं, कि ससार के आरम्भ से प्रत्येक प्राणी नामरूपात्मक अनादि-कर्म की कैद में बँध-सा गया है । " कर्मणा बध्यते जन्तुः " - ऐसा जो इस प्रकरण के आरम्भ में ही बचन दिया हुआ है, उसका अर्थ भी यही है ।

इम अनादि कर्मप्रवाह के और भी दूसरे अनेक नाम हैं। जैसे ससार, प्रकृति, माया, दृश्य सृष्टि, सृष्टि के कायदे या नियम इत्यादि। क्योंकि सृष्टिशास्त्र के नियम नामरूपों में होनेवाले परिवर्तनों के ही नियम हैं। और यदि इम दृष्टि से देखें, तो सब आदिभौतिक शास्त्र नामरूपात्मक माया के प्रपञ्च में ही आ जाते हैं। इस माया के नियम तथा बन्धन सुदृढ़ एवं सर्वव्यापी हैं। इसीलिये हेबेल जैसे आधिभौतिकशास्त्रज्ञ — जो इस नामरूपात्मक माया किंवा दृश्यसृष्टि के मूल में अथवा उमसे परे — किसी नित्यतत्त्व का होना नहीं मानते; उन लोगों ने मिथ्यान्त किया है, कि यह सृष्टिचक्र मनुष्य को जिधर टकेलता है, उधर ही उम जाना पडता है। इन पडितोंका कथन है, कि प्रत्येक मनुष्य को जो ऐसा मालूम होता रहता है, कि नामरूपात्मक विनाशी स्वरूप में हमारी मुक्ति होनी चाहिये; अथवा अमुक काम करने से हमें अमृतत्व मिलेगा — यह सब केवल भ्रम है। आत्मा या परमात्मा कोई स्वतन्त्र पदार्थ नहीं है; और अमृतत्व भी झूठ है। इतना ही नहीं, किन्तु इस ससार में कोई भी मनुष्य अपनी इच्छा से कुछ काम करने को स्वतन्त्र नहीं है। मनुष्य आज जो कुछ कार्य करता है, वह पूर्वकाल में किये गये स्वयं उमके या उसके पूर्वजों के कर्मों का परिणाम है। इससे उक्त कार्य का करना या न करना भी उसकी इच्छा पर कभी अवलंबित नहीं हो सकता। उदाहरणार्थ, किसी की एक-आध उत्तम वस्तु को देखकर पूर्वकर्मों से अथवा वशपरम्परागत सस्कारों से उसे चुरा लेने की बुद्धि कई लोगों के मन में इच्छा न रहने पर भी उत्पन्न हो जाती है; और वे उस वस्तु को चुरा लेने के लिये प्रवृत्त हो जाते हैं। अर्थात् इन आधिभौतिक पडितों के मत का साराश यही है, कि गीता में जो यह तत्त्व बतलाया गया है, कि " अनिच्छन् अपि वाष्ण्यं बलादिव नियोजित. " (गी. ३. ३६) इच्छा न होने पर भी मनुष्य पाप करता है! — यही सभी जगह एक ममान उपयोगी है। उसके लिये एक भी अपवाद नहीं है; और इससे बचने का भी कोई उपाय नहीं है। इस मत के अनुसार यदि देखा जाय, तो मानना पडेगा कि मनुष्य की जो बुद्धि और इच्छा आज होती है, वह कल के कर्मों का फल है; तथा कल जो बुद्धि उत्पन्न हुई थी, वह परमों के कर्मों का फल था; और ऐसा होते होते इस कारण-परम्परा का कभी अन्त ही नहीं मिलेगा, तथा यह मानना पडेगा, कि मनुष्य अपनी स्वतन्त्र बुद्धि में कुछ भी नहीं कर सकता। जो कुछ होना है, वह सब पूर्वकर्म अर्थात् देव वा ही फल है। क्योंकि प्राक्ननकर्मों को ही लोग देव कहा करते हैं। इम प्रकार यदि किसी कर्म को करने अथवा न करने के लिये मनुष्य को कोई स्वतन्त्रता ही नहीं है; तो फिर यह कहना भी व्यर्थ है, कि मनुष्य को अपना आचरण अमुक रीति से सुधार लेना चाहिये; और अमुक रीति में ब्रह्मात्मैक्यज्ञान प्राप्त करके अपनी बुद्धि को शुद्ध करना चाहिये। तब तो मनुष्य की वही दशा होती है, कि जो नदी के प्रवाह में बहती हुई लकड़ों की हो जाती है। अर्थात् जिम ओर माया, प्रकृति, सृष्टिक्रम या कर्म का प्रवाह उसे खीचेगा, उमी ओर उम चुपचाप चले जाना चाहिये। फिर

चाहे उसमें अधोगति हो अथवा प्रगति! इम पर कुछ अन्य आधिभौतिक उत्क्रान्ति-वादियों का कहना है, कि प्रकृति का स्वरूप स्थिर नहीं है, और नामरूप क्षण क्षण में बदला करते हैं। इसलिये जिन मृष्टिनियमों के अनुसार ये परिवर्तन होते हैं, उन्हें जानकर मनुष्य को वाह्यसृष्टि में ऐसा परिवर्तन कर लेना चाहिये, कि जो उसे हितवारक है। और हम देखते हैं, कि मनुष्य इसी न्याय से प्रत्यक्ष व्यवहारों में अग्नि या विद्युच्छक्ति का उपयोग अपने फायदे के लिये किया करता है। इसी तरह यह भी अनुभव की बात है, कि प्रयत्न में मनुष्यस्वभाव में थोड़ाबहुत परिवर्तन अवश्य हो जाता है। परन्तु प्रस्तुत प्रश्न यह नहीं है, कि सृष्टिरचना में या मनुष्यस्वभाव में परिवर्तन होता है या नहीं? और करना चाहिये या नहीं? हमें तो पहले यही निश्चय करना है, कि ऐसा परिवर्तन करने की जो बुद्धि या इच्छा मनुष्य में उत्पन्न होती है, उसे रोकने या न रोकने की स्वाधीनता उस में है या नहीं। और, आधिभौतिक शास्त्र की दृष्टि में इस बुद्धि का होना या न होना ही यदि "बुद्धि. कर्मानुसारिणी" के न्याय के अनुसार प्रकृति, कर्म या सृष्टि के नियमोंसे पहले ही निश्चित हुआ रहता है, तो यही निष्पन्न होता है, कि इस आधिभौतिक शास्त्र के अनुसार किसी भी कर्म को करने या न करने के लिये मनुष्य स्वतन्त्र नहीं है। इस वाद को 'वासनास्वातन्त्र्य', 'इच्छास्वातन्त्र्य' या 'प्रवृत्तिस्वातन्त्र्य' कहते हैं। केवल कर्मविपाक अथवा केवल आधिभौतिक शास्त्र की दृष्टि से विचार किया जाय, तो अन्त में यही सिद्धान्त करना पड़ता है, कि मनुष्य को किसी भी प्रकार का प्रवृत्तिस्वातन्त्र्य या इच्छास्वातन्त्र्य नहीं है। यह कर्म के अभेद्य बन्धनों से वैसा ही जकड़ा हुआ है, जैसे किसी गाड़ी का पहिया चारों तरफ से लोहे की पट्टी से जकड़ दिया जाता है। परन्तु इस सिद्धन्त की सत्यता के लिये मनुष्यों के अन्तःकरण का अनुभव गवाही देने को तैयार नहीं है। प्रत्येक मनुष्य अपने अन्तःकरण में यही कहता है, कि यद्यपि मुझ में सूर्य का उदय पश्चिम दिशा में करा देने की शक्ति नहीं, तो भी मुझ में इतनी शक्ति अवश्य है, कि मैं अपने हात से होनेवाले कार्यों की भलाई-बुराई का विचार कर के उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार करूँ या न करूँ। अथवा जब मेरे सामने पाप और पुण्य तथा धर्म और अधर्म के दो मार्ग उपस्थित हों, तब उनमें से किसी एक को स्वीकार कर लेने के लिये मैं स्वतन्त्र हूँ। अब यही देखना है, कि यह समझ सच है या झूट? यदि इस समझ को झूट कहे, तो हम देखते हैं, कि इसी के आधार चोरी, हत्या आदि अपराध करनेवालों को अपराधी ठहरा कर सजा दी जाती है, और यदि सच माने तो कर्मवाद, कर्मविपाक या दृश्य सृष्टि के नियम मिथ्या प्रतीत होते हैं। आधिभौतिक शास्त्रों में केवल जड़ पदार्थों की क्रियाओं का ही विचार किया जाता है। इसलिये वहाँ यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। परन्तु जिस कर्मयोगशास्त्र में ज्ञानवान् मनुष्य के कर्तव्य-अकर्तव्य का विवेचन करना होता है, उसमें यह एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है; और उसका उत्तर देना भी आवश्यक है। क्योंकि एक बार यदि

यही अन्तिम निश्चय हो जाय, कि मनुष्य को कुछ भी प्रवृत्तिस्वातन्त्र्य नहीं है, फिर अमुक प्रकारसे बुद्धि शुद्ध करना चाहिये, अमुक नहीं करना चाहिये, अमुक धर्म्य है, अमुक अधर्म्य, इत्यादि विधिनिषेधशास्त्र के सब झगड़े ही आप-ही-आप मिट जायेंगे (वे सू २ ३ ३३),* और तब परम्परासे या प्रत्यक्ष रीति से महामाया प्रकृति के दासत्व में सदैव रहना ही मनुष्य का पुष्पार्थ हो जायगा। अथवा पुष्पार्थ ही काहे का? अपने वश की बात हो, तो पुष्पार्थ ठीक है, परन्तु जहाँ एक रस्तीभर भी अपनी सत्ता और इच्छा नहीं रह जाती, वहाँ दास्य और परतन्त्रता के सिवा और हो ही क्या सकता है। हल में जुते हुए बैलों के समान सब लोगो को प्रकृति की आज्ञा में चल कर एक आधुनिक कवि के कथनानुसार 'पदार्थधर्म की शृंखलाओ' से बाँध जाना चाहिये। हमारे भारतवर्ष में कर्मवाद या दैववाद से और पश्चिमी देशों में पहले पहले ईसाई धर्म के भवितव्यवाद से तथा अर्वाचीन काल में आधिभौतिक शास्त्रो के सृष्टिऋणवाद से इच्छास्वातन्त्र्य के इस विषय की ओर पड़ितो का ध्यान आकर्षित हो गया है, और इसकी बहुत कुछ चर्चा हो रही है। परन्तु यहाँ पर उसका वर्णन करना असम्भव है। इसलिये इस प्रकरण में यही बतलाया जायगा कि वेदान्त शास्त्र और भगवद्गीता ने इस प्रश्न का क्या उत्तर दिया है।

यह सच है, कि कर्मप्रवाह अनादि है, और जब एक बार कर्म का चक्कर शुरू हो जाता है, तब परमेश्वर भी उसमें हस्तक्षेप नहीं करता। तथापि अध्यात्मशास्त्र का यह सिद्धान्त है कि दृश्यसृष्टि केवल नामरूप या कर्म ही नहीं है, किन्तु इस नामरूपात्मक आवरण के लिये आधारभूत एक आत्मरूपी, स्वतन्त्र और अविनाशी ब्रह्म-सृष्टि है, तथा मनुष्य के शरीर का आत्मा उस नित्य एव स्वतन्त्र परब्रह्म ही का अंश है। इस सिद्धान्त की सहायता से प्रत्यक्ष में अनिवार्य दीखनेवाली उक्त अडचन से भी छुटकारा हो जाने के लिये हमारे शास्त्रकारों का निश्चित किया हुआ एक मार्ग है। परन्तु इसका विचार करने के पहले कर्मविपाकप्रक्रिया के शेष अंश का वर्णन पूरा कर लेना चाहिये। "जो जस करे सो तस फल चाखा।" यानी "जैसी करनी वैसी भरनी"। यह नियम न केवल एक ही व्यक्ति के लिये, किन्तु कुटुम्ब, जाति, राष्ट्र और समस्त ससार के लिये भी उपयुक्त होता है। और चुँ कि प्रत्येक मनुष्य का किसी-न-किसी कुटुम्ब, जाति, अथवा देश में समावेश हुआ ही करता है। इसलिये उसे स्वयं अपने कर्मों के साथ कुटुम्ब आदि के सामाजिक कर्मों के फलों को भी अंशतः भोगना पड़ता है। परन्तु व्यवहार में प्रायः एक मनुष्य के कर्मों का ही विवेचन करने का प्रमग आया करता है। इसलिये कर्मविपाकप्रक्रिया में कर्म के

* वेदान्तसूत्र के इस अधिकरण का 'जीवकर्तृत्वाधिकरण' कहते हैं। उसका पहला ही सूत्र "कर्ता शास्त्रार्थवत्त्वात्" अर्थात् विधिनिषेधशास्त्र में अर्थवन्त होने के लिये जीव को कर्ता मानना चाहिये। पाणिनी के 'स्वतन्त्र कर्ता' (पा १ ८. ७४) सूत्र के 'कर्ता' शब्द से ही आत्मस्वातन्त्र्य का बोध होता है, और इसमें मारुम होता है, कि यह अधिकरण इसी विषय का है।

विभाग प्रायः एक मनुष्य को ही लक्ष्य करके लिये जाते हैं। उदाहरणार्थ, मनुष्य से किये जानेवाले अशुभ कर्मों के मनुजी ने — कायिक, वाचिक और मानसिक — तीन भेद किये हैं। व्यभिचार, हिंसा और चोरी — इन तीनों को कायिक; कटु, मिथ्या, ताना मारना और असंगत बोलना — इन चारों को वाचिक; और परद्रव्याभिलाषा, दूसरों का अहितचिन्तन और व्यर्थ श्लाघ्न करना — इन तीनों को मानसिक पाप कहते हैं। सब मिला कर दस प्रकार के अशुभ या पापकर्म बतलाये गये हैं (मनु. १२. ५-७; म. भा. अनु. १३) और इनके फल भी कहे गये हैं। परन्तु ये भेद कुछ स्थायी नहीं हैं। क्योंकि इसी अध्याय में सब कर्मों के फिर भी — सात्त्विक, राजस, और तामस — तीन भेद किये गये हैं; और प्रायः भगवद्गीता में दिये गये वर्णन के अनुसार इन तीनों प्रकार के गुणों या कर्मों के लक्षण भी बतलाये गये हैं (गी. १४. ११-१५; १८. २३-२५; मनु. १२. ३१-३४); परन्तु कर्मविपाक-प्रकरण में कर्म का जो सामान्यतः विभाग पाया जाता है; वह इन दोनों से भी भिन्न है। उसमें कर्म के सञ्चित, प्रारब्ध और त्रियमाण ये तीन भेद किये जाते हैं। किसी मनुष्य के द्वारा इस क्षण तक किया गया जो कर्म है — चाहे वह इस जन्म में किया गया हो या पूर्वजन्म में — वह सब 'सञ्चित' अर्थात् 'एकत्रित' कर्म कहा जाता है। इसी 'सञ्चित' का दूसरा नाम 'अदृष्ट' और मीमांसकों की परिभाषा में 'अपूर्व' भी है। इन नामों के पड़ने का कारण यह है, कि जिस समय कर्म या क्रिया की जाती है, उसी समय के लिये वह दृश्य रहती है। उस समय के बीत जाने पर वह क्रिया स्वरूपतः शेष नहीं रहती किन्तु उसके सूक्ष्म अतएव अदृश्य अर्थात् अपूर्व और विलक्षण परिणाम ही बाकी रह जाते हैं (वे. सू. शां. भा. ३. २. ३९, ४०)। कुछ भी हो; परन्तु इसमें सन्देह नहीं, कि इस क्षण तक जो जो कर्म किये गये होंगे, उन सब के परिणामों के संग्रह को ही 'सञ्चित', 'अदृष्ट' या 'अपूर्व' कहते हैं। उन सब सञ्चित कर्मों को एकदम भोगना असम्भव है। क्योंकि इनके परिणामों से कुछ परस्परविरोधी अर्थात् भले और बुरे दोनों प्रकार के फल देनेवाले हो सकते हैं। उदाहरणार्थ, कोई सञ्चित कर्म स्वर्गप्रद और कोई नरकप्रद भी होते हैं। इसलिये इन दोनों के फलों को एक ही समय भोगना सम्भव नहीं है — इन्हें एक के बाद एक भोगना पड़ता है। अतएव 'सञ्चित' में से जितने कर्मों के फलों को भोगना पहले शुरू होता है, उतने ही को 'प्रारब्ध' शब्द का बहुधा उपयोग किया जाता है; परन्तु यह भूल है। शास्त्रदृष्टि से यही प्रकट होता है, कि सञ्चित के अर्थात् भूतपूर्व कर्मों के संग्रह के एक छोटे भेद को ही 'प्रारब्ध' कहते हैं। 'प्रारब्ध' कुछ समस्त सञ्चित नहीं है। सञ्चित के जितने भाग के फलों का (कार्यों का) भोगना आरम्भ हो गया हो, उतना ही प्रारब्ध है, और इसी कारण से इस प्रारब्ध का दूसरा नाम आरब्धकर्म है। प्रारब्ध और सञ्चित के अतिरिक्त कर्म का त्रियमाण नामक एक और तीसरा भेद है। 'त्रियमाण' वर्तमानकालवाचक धातुसाधित शब्द है, और उसका अर्थ है — 'जो कर्म अभी हो

रहा है, अथवा जो कर्म अभी किया जा रहा है। 'परन्तु वर्तमान समय में हम जो कुछ करते हैं, वह प्रारब्धकर्म का ही (अर्थात् सञ्चित कर्मों में से जिन कर्मों का भोगना शुरू हो गया है, उनका ही) परिणाम है। अतएव 'क्रियमाण' को कर्म का तीसरा भेद मानने के लिये हमें कोई कारण दीख नहीं पड़ता। हाँ, यह भेद दोनों में अवश्य किया जा सकता है, कि प्रारब्ध कारण है और क्रियमाण उसका फल अर्थात् कार्य है। परन्तु कर्म-विपाक-प्रक्रिया में इस भेद का कुछ उपयोग नहीं हो सकता। सञ्चित में से जिन कर्मों के फलों का भोगना अभी तक आरम्भ नहीं हुआ है, उनका - अर्थात् सञ्चित में से प्रारब्ध को घटा देने पर जो कर्म बाकी रह जायें, उनका - बोध कराने के लिये किसी दूसरे शब्द की आवश्यकता है। इसलिये वेदान्तसूत्र (४. १. १५) में प्रारम्भ ही को प्रारब्धकर्म और जो प्रारब्ध नहीं है, उन्हे अनारब्धकार्य कहा है। हमारे मतानुसार सञ्चित कर्मों के इस रीति से - प्रारब्धकार्य और अनारब्धकार्य - दो भेद करना ही शास्त्रदृष्टि से अधिक युक्तिपूर्ण मालूम होता है। इसलिये 'क्रियमाण' को धातुसाधित वर्तमानकालवाचक न समझ कर "वर्तमानसामीप्ये वर्तमानवद्वा" इस पाणिनीसूत्र के अनुसार (पा. ३. ३. १३१) भविष्यकालवाचक ममज्ञों, तो उनका अर्थ 'जो आगे शीघ्र ही भोगने का है' - किया जा सकेगा; और तब क्रियमाण का ही अर्थ अनारब्धकार्य हो जायगा। एवं 'प्रारब्ध' तथा 'क्रियमाण' ये दो शब्द ध्रम से वेदान्तसूत्र के 'आरब्धकार्य' और 'अनारब्धकार्य' शब्दोंके समानार्थक हो जायेंगे। परन्तु क्रियमाण का ऐसा अर्थ आजकल कोई नहीं करता; उसका अर्थ प्रचलित कर्म ही लिया जाता है। इस पर यह आक्षेप है, कि ऐसा अर्थ लेने से प्रारब्ध के फल को ही क्रियमाण कहना पड़ता है; और जो कर्म अनारब्ध कार्य है, उनका बोध कराने के लिये सञ्चित, प्रारब्ध तथा क्रियमाण इन तीनों शब्दों में कोई भी शब्द पर्याप्त नहीं होता। इसके अतिरिक्त क्रियमाण शब्द के रूढार्थ को छोड़ देना भी अच्छा नहीं है। इसलिये कर्मविपाकक्रिया में सञ्चित, प्रारब्ध और क्रियमाण कर्म के इन लौकिक भेदों को न मान कर हमने उनके अनारब्धकार्य और प्रारब्धकार्य ये ही दो वर्ग किये हैं; और ये ही शास्त्रदृष्टि से भी सुभीते के हैं। 'भोगना' क्रिया के बलावृत्त तीन भेद होते हैं - जो भोगा जा चुका है (भूत), जो भोगा जा रहा है (वर्तमान) और जिसे आगे भोगना है (भविष्य)। परन्तु कर्म-विपाक-क्रिया में इस प्रकार कर्म के तीन भेद नहीं हो सकते। क्योंकि सञ्चित में से जो कर्म प्रारब्ध हो कर भोगे जाते हैं, उनके फल फिर भी सञ्चित ही में जा मिलते हैं। इसलिये कर्मभोग का विचार करने समय सञ्चित के ही ये दो भेद हो सकते हैं - (१) वे कर्म, जिनका भोगना शुरू हो गया है अर्थात् प्रारब्ध, और (२) जिनका भोगना शुरू नहीं है अर्थात् अनारब्ध। इन दो भेदों में अधिक भेद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार सब कर्मों के फलों का विविध वर्गीकरण करके इनके उपभोग के सम्बन्ध में कर्म-विपाकप्रक्रिया यह बतलानी है, कि सञ्चित ही कुल भोग्य है। इनमें से जिन कर्मफलों का उपभोग

आरम्भ होने से यह शरीर या जन्म मिला है (अर्थात् सञ्चित में से जो कर्म प्रारब्ध हो गये हैं) उन्हें भोगे बिना छुटकारा नहीं है — “प्रारब्धकर्मणा भोगादेव क्षयः ।” जब एक वार हाथ से बाण छूट जाता है, तब वह लौट कर आ नहीं सकता, अन्त तक चला ही जाता है । अथवा जब एक वार कुम्हार का चक्र घुमा दिया जाता है तब उसकी गति का अन्त होने तक वह घुमता ही रहता है । ठीक इसी तरह ‘प्रारब्ध’ कर्मों की (अर्थात् जिनके फल का भोग होना शुरू हो गया है, उनकी) भी अवस्था होती है । जो शुरू हो गया है, उसका अन्त ही होना चाहिये । इसके सिवा दूसरी गति नहीं है । परन्तु अनारब्ध-कार्यकर्म का ऐसा हाल नहीं है — इन सब कर्मों का ज्ञान से पूर्णतया नाश किया जा सकता है । प्रारब्धकार्य और अनारब्धकार्य में जो यह महत्त्वपूर्ण भेद है, उसके कारण ज्ञानी पुरुष को ज्ञान होने के बाद भी नैसर्गिक रीति से मृत्यु होने तक (अर्थात् जन्म के साथ ही प्रारब्ध हुए कर्मों का अन्त होने तक) शान्ति के साथ राह देखनी पड़ती है । ऐसा न करके यदि वह हठ से देहत्याग करे, तो — ज्ञान से उसके अनारब्धकर्मों का क्षय हो जाने पर भी — देहारम्भक प्रारब्ध-कर्मों का भोग अपूर्ण रह जायगा और उन्हें भोगने के लिये उसे फिर भी जन्म लेना पड़ेगा । एव उसके मोक्ष में भी बाधा आ जायगी । यह वेदान्त और साध्य, दोनों शास्त्रों का निर्णय है । (वे. सू. ४. १. १३. १५; तथा सा. का. ६७) । उक्त बाधा के सिवा हठ से आत्महत्या करना एक नया कर्म हो जायगा; और उसका फल भोगने के लिये नया जन्म लेने की फिर भी आवश्यकता होगी । इससे साफ जाहीर होता है, कि कर्मशास्त्र की दृष्टि से भी आत्महत्या करना मूर्खता ही है ।

कर्मफलभोग की दृष्टि से कर्म के भेदों का वर्णन हो चुका । अब इसका विचार किया जायगा, कि कर्मबन्धन से छुटकारा कैसे अर्थात् किस युक्ति से हो सकता है ? पहली युक्ति कर्मवादियों की है । ऊपर बतलाया जा चुका है, कि अनारब्धकार्य भविष्य में भुगते जानेवाले सञ्चितकर्म को कहते हैं — फिर इस कर्म को चाहे इसी जन्म में भोगना पड़े या उसके लिये और भी दूसरा जन्म लेना पड़े । परन्तु इस अर्थ की ओर ध्यान न दे कर कुछ मीमांसकों ने कर्मबन्धन से छूट कर मोक्ष पाने का अपने मतानुसार एक सहज मार्ग ढूँढ़ निकाला है । तीसरे प्रकरण में कहे अनुसार मीमांसकों की दृष्टि से समस्त कर्मों के नित्य, नैमित्तिक, काम्य और निषिद्ध ऐसे चार भेद होते हैं । इनमें से सन्ध्या आदि नित्यकर्मों को न करने से पाप लगता है; और नैमित्तिक कर्म तभी करने पड़ते हैं, कि जब उनके लिये कोई निमित्त उपस्थित हो । इसलिये मीमांसकों का कहना है, कि इन दोनों कर्मों को करना ही चाहिये । बाकी रहे काम्य और निषिद्ध कर्म । इनमें से निषिद्ध कर्म करने से पाप लगता है, इसलिये नहीं करना चाहिये; और काम्य कर्मों को करने से उनके फलों को भोगने के लिये फिर भी जन्म लेना पड़ता है, इसलिये उन्हें भी नहीं करना चाहिये । इन प्रकार भिन्न भिन्न कर्मों के परिणामों के तारतम्य का विचार करके यदि मनुष्य कुछ कर्मों को

छोड़ दे और कुछ कर्मों को शास्त्रोक्त रीति में करता रहे तो वह आप-ही-आप मुक्त हो जायगा। क्योंकि, प्रारब्ध कर्मों का इस जन्म में उपभोग कर लेने में उनका अन्त हो जाता है। और नए जन्म में सब नित्यनैमित्तिक कर्मों को करते रहने से तथा निपिद्ध कर्मों से बचते रहने से नरक में नहीं जाना पड़ता। एव काम्य कर्मों को छोड़ देने से स्वर्ग आदि सुखों के भोगने की भी आवश्यकता नहीं रहती। और जब इहलोक, नरक और स्वर्ग, ये तीनों गति इस प्रकार छूट जाती हैं, अब आत्मा के लिये मोक्ष के सिवा कोई दूसरी गति ही नहीं रह जाती। इस वाद को 'कर्मयुक्ति' या 'नैष्कर्म्यसिद्धि' कहते हैं। कर्म करने पर भी जो न करने के समान हो अर्थात् जब किसी कर्म के पापपुण्य का बन्धन वर्ता को नहीं हो सकता, तब उस स्थिति को 'नैष्कर्म्य' कहते हैं। परन्तु वेदान्तशास्त्र में निश्चय किया गया है, कि मीमांसकों की उक्त युक्ति से यह 'नैष्कर्म्य' पूर्ण रीति से नहीं सध सकता (वे. सू. शा. भा. ४. ३. १४); और इसी अभिप्राय से गीता भी कहती है, कि "कर्म न करने से नैष्कर्म्य नहीं होता; और छोड़ देने से सिद्धि भी नहीं मिलती" (गीता ३. ४)। धर्मशास्त्रों में कहा गया है, कि पहले तो सब निपिद्ध कर्मों का त्याग करना ही असम्भव है। और यदि कोई निपिद्ध कर्म हो जाता है, तो केवल नैमित्तिक प्रायश्चित्त में उसके सब दोषों का नाश भी नहीं होता। अर्थात्; यदि मान ले, कि उक्त बात सम्भव है, तो भी मीमांसकों के इस कथन में ही कुछ सत्यापन नहीं दीख पड़ता, कि 'प्रारब्ध कर्मों को भोगने से तथा इस जन्म में किये जानेवाले कर्मों को उक्त युक्ति के अनुसार करने या न करने से सब 'सञ्चित' कर्मों का सग्रह समाप्त हो जाता है'। क्योंकि दो 'सञ्चित' कर्मों के फल परस्परविरोधी—उदाहरणार्थ, एक का फल स्वर्गमुख तथा दूसरे का फल नरक-यातना—हो, तो उन्हें एक ही समय में और एक ही स्थल में भोगना असम्भव है। इसलिये इसी जन्म में 'प्रारब्ध' हुए कर्मों से तथा इसी जन्म में किये जानेवाले कर्मों से सब 'सञ्चित' कर्मों के फलों का भोगना पूरा नहीं हो सकता। महाभारत में पराशरगीता में कहा है :-

कदाचित्सुकृतं तात कूटस्थमिव तिष्ठति ।

मज्जमानस्य संसारे यावद्दुःखाद्विमुच्यते ॥

"कभी कभी मनुष्य के सासारिक दुःखों से छूटने तक उसका पूर्वकाल में किया गया पुण्य (उसे अपना फल देने की राह देखता हुआ) चुप बैठा रहता है" (म. भा. शा. २९०. १७), और यही न्याय सञ्चित पापकर्मों को भी लागू है। इस प्रकार सञ्चित कर्मों का उपभोग एक ही जन्म में नहीं चुक जाता; किन्तु सञ्चित कर्मों का एक भाग अर्थात् अनारब्धकार्य हमेशा बचा ही रहता है। और इस जन्म में सब कर्मों को यदि उपर्युक्त युक्ति से करते रहे, तो भी बचे हुए अनारब्धकार्य सञ्चितता को भोगने के लिये पुनः जन्म लेना ही पड़ता है। इसीलिये वेदान्त का सिद्धान्त है, कि मीमांसकों की उपर्युक्त सरल मोक्षयुक्ति छोटी तथा भ्रान्तिमूलक है। कर्मबन्धन में छूटने का यह मार्ग किसी भी उपनिषद् में नहीं बनलाया गया है। यह केवल तर्कों के

जाघार से स्थापित किया गया है, परन्तु यह तर्क भी अन्त तक नहीं टिकता। साराश, कर्म के द्वारा कर्म से छुटकारा पाने की आशा रखना वैसा ही व्यर्थ है जैसे एक अन्धा दूसरे अन्धे को रास्ता दिखाकर पार कर दे। अच्छा, अब यदि मीमांसकों की इस युक्ति को मजूर न करें, और कर्म के बन्धन से छुटकारा पाने के लिये सब कर्मों को आग्रहपूर्वक छोड़ कर निश्च्योगी बन बैठे, तो भी काम नहीं चल सकता। क्योंकि अनारब्धकर्मों के फलों का भोगना तो चाकी रहता ही है, और इसके साथ कर्म छोड़ने का आग्रह तथा चुपचाप बैठे रहना तामस कर्म हो जाता है। एव इस तामस कर्मों के फलों को भोगने के लिये फिर भी जन्म लेना ही पड़ता है (गीता १८ ७, ८)। इनके सिवा गीता में अनेक स्थानों पर यह भी बतलाया गया है, कि जब तक शरीर है, तब तक श्वासोच्छ्वास, सोना, बैठना इत्यादि कर्म होते ही रहते हैं। इस लिये सब कर्मों को छोड़ देने का आग्रह भी व्यर्थ ही है — यथार्थ में इस ससार में कोई क्षणभर के लिये भी कर्म करना छोड़ नहीं सकता (गीता ३ ५, १८ ११)।

कर्म चाहे भला हो या बुरा, परन्तु उसका फल भोगने के लिये मनुष्य को एक न एक जन्म ले कर हमेशा तैयार रहना चाहिये। कर्म अनादि है, और उसके अखण्ड व्यापार में परमेश्वर भी हस्तक्षेप नहीं करता। सब कर्मों को छोड़ देना सम्भव नहीं है, और मीमांसकों के कथनानुसार कुछ कर्मों का करने से और कुछ कर्मों को छोड़ देने से भी कर्मबन्धन से छुटकारा नहीं मिल सकता — इत्यादि वाता के सिद्ध हो जाने पर यह पहला प्रश्न फिर भी होता है, कि कर्मात्मक नामरूप के विनाशी चक्र से छूट जाने (एव उसके मूल में रहनेवाले अमृत तथा अविनाशी तत्त्व में मिल जाने) की मनुष्य को जो स्वाभाविक इच्छा होती है, उसकी तृप्ति करने का कौन-सा मार्ग है? वेद और स्मृतिग्रन्थों में यज्ञयाग आदि पारलौकिक कल्याण के अनेक साधनों का वर्णन है, परन्तु मोक्षशास्त्र की दृष्टि से ये सब बनिष्ठ श्रेणी के हैं। क्योंकि यज्ञयाग आदि पुण्यकर्मों के द्वारा स्वर्गप्राप्ति तो हो जाती है, परन्तु जब उन पुण्यकर्मों के फलों का अन्त हो जाता है तब — चाहे दीर्घकाल में ही क्यों न हो — कभी न कभी इस कर्मभूमि में फिर लौट कर आना ही पड़ता है (म भा वन २५९, २६०, गीता ५ २५ और ९ २०)। इससे स्पष्ट हो जाता है, कि कर्म के पञ्जे से बिलकुल छूट कर अमृतत्व में मिल जाने का और जन्ममरण की झन्झट को सदा के लिये दूर कर देने का यह सच्चा मार्ग नहीं है। इस झन्झट का दूर करने का अर्थात् मोक्षप्राप्ति का अध्यात्मशास्त्र के कथनानुसार 'ज्ञान' ही एक सच्चा मार्ग है। 'ज्ञान' शब्द का अर्थ व्यवहारज्ञान या नामरूपात्मक सृष्टिशास्त्र का ज्ञान नहीं है, किन्तु यहाँ उसका कर्तब्रह्मात्मैक्य ज्ञान है। इसी को 'विद्या' भी कहते हैं, और इस प्रकरण के आरम्भ में "कर्मणा बध्यते जन्तु विद्यया तु प्रमुच्यते" — कर्म से ही प्राणी बाँधा जाता है, और विद्या से उसका छुटकारा होता है — यह जो वचन दिया गया है, उसमें 'विद्या' का अर्थ 'ज्ञान' ही विवक्षित है। भगवान् ने अर्जुन से कहा है, कि —

ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुतेऽर्जुन ।

“ज्ञानरूप अग्नि से सब कर्म भस्म हो जाते हैं” (गीता ४. ३७) । और दो स्थलों पर महाभारत में भी कहा गया है, कि :-

वीजान्यग्न्युपदग्धानि न रोहन्ति यया पुनः ।

ज्ञानदग्धैस्तया क्लेशैर्नात्मा सम्पद्यते पुनः ॥

“भूना हुआ वीज जैसे उग नहीं सकता, वैसे ही जब ज्ञान से (कर्मों के) क्लेश दग्ध हो जाते हैं, तब वे आत्मा को पुनः प्राप्त नहीं होते” (म. भा. वन. १९९. १०६, १०७; शा. २११. १७) । उपनिषदों में भी इसी प्रकार ज्ञान की महत्ता बतलानेवाले अनेक वचन हैं । जैसे—“य एव वेदाह ब्रह्मास्मीति न इद सर्वं भवति” । (वृ. १. ४. १०) — जो यह जानता है, कि मैं ही ब्रह्म हूँ, वही अमृत ब्रह्म होता है । जिम प्रकार कमलपत्र में पानी लग नहीं सकता, उसी प्रकार जिसे ब्रह्मज्ञान हो गया, उसे कर्म दूषित नहीं कर सकते (छा. ४. १४. ३) । ब्रह्म जाननेवाले को मोक्ष मिलना है (तै. २. १) । जिसे यह मालूम हो चुका है, कि सब कुछ आत्ममय है, उसे पाप नहीं लग सकता (वृ. ४. ४. २३) । ‘ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः’ (श्वे. ५. १३; ६. १३) — परमेश्वर का ज्ञान होने पर सब पाशों से मुक्त हो जाता है । “क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे” (मु. २. २. ८) परब्रह्म का ज्ञान होने पर उसके सब कर्मों का क्षय हो जाता है । ‘विद्ययामृतमश्नुते’ । (ईशा. ११. मैत्र्यु. ७. ९) — विद्या से अमृतत्व मिलता है । “तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति नान्य. पन्था विद्यतेऽनानाथ” (श्वे. ३. ८) — परमेश्वर को जान लेने से अमरत्व मिलता है । इसको छोड़ मोक्षप्राप्ति का दूसरा मार्ग नहीं है; और शास्त्रदृष्टि से विचार करने पर भी यही निदान्त दृढ़ होता है । क्योंकि दृश्य सृष्टि में जो कुछ है, वह सब यद्यपि कर्ममय है, तथापि इस सृष्टि के आधारभूत परब्रह्म की ही वह सब लीला है । इसलिये यह स्पष्ट है, कि कोई भी कर्म परब्रह्म को वाधा नहीं दे सकते — अर्थात् सब कर्मों को करके भी परब्रह्म अलिप्त ही रहता है । इस प्रकरण के आरम्भ में बतलाया जा चुका है, कि अध्यात्मशास्त्र के अनुसार इस मसार के सब पदार्थों के कर्म (माया) और ब्रह्म दो ही वर्ग होते हैं । इससे यही प्रकट होता है, कि इनमें से किसी एक वर्ग में अर्थात् कर्म में छुटकारा पाने की इच्छा हो, तो मनुष्य को दूसरे वर्ग में अर्थात् ब्रह्मस्वरूप में प्रवेश करना चाहिये । उसके लिये और दूसरा मार्ग नहीं है । क्योंकि जब नव पदार्थों के केवल दो ही वर्ग होते हैं, तब कर्म में मुक्त अवस्था सिवा ब्रह्मस्वरूप के और कोई नोप नहीं रह जाती । परन्तु ब्रह्मस्वरूप की इस अवस्था को प्राप्त करने के लिये स्पष्टरूप में जान लेना चाहिये, कि ब्रह्म का स्वरूप क्या है ? नहीं तो करने चलेंगे एक और होगा कुछ दूसरा ही । ‘विनायक प्रकुर्वाणो रचयामान दानरम्’ — नृति तो गणेश जी बनाती थीं, परन्तु (वड् न वन वर) वन गई बंदर

की। ठीक यही दशा होगी। इसलिये अध्यात्मशास्त्र के युक्तिवाद से भी यही सिद्ध होता है, कि ब्रह्मस्वरूप का ज्ञान (अर्थात् ब्रह्मात्मैक्य का तथा ब्रह्म की अलिप्तता का ज्ञान) प्राप्त करके उसे मृत्युपर्यन्त स्थिर रखना ही कर्मपाश से मुक्त होने का सच्चा मार्ग है। गीता में भगवान् ने भी यही कहा है, कि “कर्मों में मेरी कुछ भी आसक्ति नहीं है; इसलिये मुझे कर्म का बन्धन नहीं होता — और जो इस तत्त्व को समझ जाता है, वह कर्मपाश से मुक्त हो जाता है।” (गीता ४. १४ तथा १३. २३)। स्मरण रहे, कि यहाँ ‘ज्ञान’ का अर्थ केवल शाब्दिक ज्ञान या केवल मानसिक क्रिया नहीं है; किन्तु हर समय और प्रत्येक स्थान में उसका अर्थ “पहले मानसिक ज्ञान होने पर (और फिर इन्द्रियो पर जय प्राप्त कर लेने पर) ब्रह्मीभूत होने की अवस्था या ब्राह्मी स्थिति” ही है। यह बात वेदान्तसूत्र के शाकरभाष्य के आरम्भ ही में कही गई है। पिछले प्रकरण के अन्त में ज्ञान के सम्बन्ध में अध्यात्मशास्त्र का यही सिद्धान्त बतलाया गया है। और महाभारत में भी जनक ने सुलभा से कहा है, कि — “ज्ञानेन कुरुते यत्न यत्नेन प्राप्यते महत्” — ज्ञान (अर्थात् मानसिक क्रियारूपी ज्ञान) हो जाने पर मनुष्य यत्न करता है; और यत्न के इस मार्ग से ही अन्त में उसे महत्त्व (परमेश्वर) प्राप्त हो जाता है (शा. ३२०. ३०)। अध्यात्मशास्त्र इतना ही बतला सकता है, कि मोक्ष-प्राप्ति के लिये किस मार्ग से और कहाँ जाना चाहिये? इससे अधिक वह और कुछ नहीं बतला सकता। शास्त्र से ये बातें जान कर प्रत्येक मनुष्य को शास्त्रोक्त मार्ग से स्वयं आप ही चलना चाहिये। और उस मार्ग में जो काँटे या बाधाएँ हों, उन्हें निकाल कर अपना रास्ता साफ खुद कर लेना चाहिये। एव उसी मार्ग में चलते हुए स्वयं अपने प्रयत्न से ही अन्त में ध्येयवस्तु की प्राप्ति कर लेनी चाहिये। परन्तु यह प्रयत्न भी पातञ्जलयोग, अध्यात्मविचार, भक्ति, कर्मफलत्याग इत्यादि अनेक प्रकार से किया जा सकता है (गीता १२. ८-१२), और इस कारण मनुष्य बहुधा उलझन में फँस जाता है। इसीलिये गीता में पहले निष्कामकर्मयोग का मुख्य मार्ग बतलाया गया है, और उसकी सिद्धि के लिये छठे अध्याय में यमनियम-आसन-प्राणायाम-प्रत्याहार-धारणा-ध्यान-समाधिरूप अद्वयभूत साधनों का भी वर्णन किया गया है, तथा आगे सातवें अध्याय में यह बतलाया है, कि कर्मयोग का आचरण करते रहने से ही परमेश्वर का ज्ञान अध्यात्मविचार-द्वारा अथवा (इससे भी सुलभ रीति से) भक्तिमार्ग-द्वारा हो जाता है (गीता १८. ५६)।

कर्मबन्धन से छुटकारा होने के लिये कर्म छोड़ देना कोई उचित मार्ग नहीं है; किन्तु ब्रह्मात्मैक्यज्ञान से बुद्धि को शुद्ध करके परमेश्वर के समान आचरण करते रहने से ही अन्त में मोक्ष मिलता है। कर्म को छोड़ देना श्रष्ट है। क्योंकि कर्म किसी से छूट नहीं सकता — इत्यादि बातें यद्यपि अब निर्विवाद सिद्ध हो गईं, तथापि यह पहले का प्रश्न फिर भी उठता है, कि क्या इस मार्ग में सफलता पाने के लिये आवश्यक ज्ञानप्राप्ति का जो प्रयत्न करना पड़ता है, वह मनुष्य के शक्ति में है?

अथवा नामरूप कर्मात्मक प्रकृति जिघ्रषी, उघर ही उसे चले जाना चाहिये ? भगवान् गीता में कहते हैं, कि “ प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति । ” (गीता. ३. ३३) - निग्रह से क्या होगा । प्राणिमात्र अपनी अपनी प्रकृति के अनुमार ही चलते हैं । “ मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति ” - तेरा निष्कच्य व्यर्थ है । जिघ्रषतू न चाहेगा, उघर तेरी प्रकृति तुझे पीच लेगी (गीता १८. ५९; २. ६०); और मनुजी कहते हैं, कि “ बलवान् इन्द्रियग्रामो विद्वांसमपि कर्षति ” (मनु. २. २१५) - विद्वानों को भी इन्द्रियां अपने बश में कर लेती हैं । कर्मविपाकप्रक्रिया का भी निष्कर्ष यही है । क्योंकि जब ऐसा मान लिया जाय, कि मनुष्य के मन की सब प्रेरणाएँ पूर्वकर्मों से ही उत्पन्न होती हैं, तब तो यही अनुमान करना पड़ता है, कि उसे एक कर्म से दूसरे कर्म में अर्थात् सदैव भवचक्र में ही रहना चाहिये । अधिक क्या कहें ? कर्म से छुटकारा पाने की प्रेरणा और कर्म दोनों बातें परस्परविरुद्ध हैं । और यदि यह सत्य है तो यह आपत्ति आ पड़ती है, कि ज्ञान प्राप्त करने के लिये कोई भी मनुष्य स्वतन्त्र नहीं है । इस विषय का विचार अध्यात्मशास्त्र में इस प्रकार किया गया है, कि नामरूपात्मक सारी दृश्यमृष्टि का आधारभूत जो तत्त्व है, वही मनुष्य की जटदेह में भी निवास करता है । इससे उसके कृत्यों का विचार देह और आत्मा दोनों की दृष्टि से करना चाहिये । इनमें से आत्मस्वरूपी ब्रह्म मूल में केवल एक ही होने के कारण कभी भी परतन्त्र नहीं हो सकता । क्योंकि किसी एक वस्तु को दूसरे की अधीनता में होने के लिये एक से अधिक - कम-से-कम दो - वस्तुओं का होना नितान्त आवश्यक है । यहाँ नामरूपात्मक कर्म ही वह दूसरी वस्तु है । परन्तु यह कर्म अनित्य है; और मूल में वह परब्रह्म की लीला है । जिससे निर्विवाद सिद्ध होता है, कि यद्यपि उमने परब्रह्म के एक अंग को आच्छादित कर लिया है, तथापि वह परब्रह्म को अपना दास कभी भी बना नहीं सकता । इसके अनिरिक्त यह पहले ही बतलाया जा चुका है, जो आत्मा कर्ममृष्टि के व्यापारों का एकीकरण करके मृष्टिज्ञान उत्पन्न करता है, उसे कर्ममृष्टि से भिन्न अर्थात् ब्रह्मसृष्टि का ही होना चाहिये । इससे सिद्ध होता है, कि परब्रह्म और उमीका अंश शारीर आत्मा, दोनों मूल में स्वतन्त्र अर्थात् कर्मात्मक प्रकृति की मत्ता में मुक्त हैं । इनमें से परमात्मा के विषय में मनुष्य को इनमें अधिक ज्ञान नहीं हो सकता, कि वह अनन्त, सर्वव्यापी, नित्य, शुद्ध और मुक्त है । परन्तु इस परमात्मा ही के अंगरूप जीवात्मा की धान भिन्न है । यद्यपि वह मूल में शुद्ध, मुक्तस्वभाव, निर्गुण तथा अकर्ता है, तथापि शरीर और बुद्धि आदि इन्द्रियों के बन्धन में फँसा होने के कारण वह मनुष्य के मन में जो स्फूर्ति उत्पन्न करता है, उसका प्रत्यक्षानुभवरूपी ज्ञान हमें हो सकता है । भाऊ का उदाहरण लीजिये । जब वह खुली जगह में रहता तब उसका कुछ जोर नहीं चलता; परन्तु वह जब किसी बतन में बन्द कर दी जाती है, तब उसका दबाव उम बतन पर जोर से होता हुआ दीख पड़ने लगता है । ठीक

इसी तरह जब परमात्मा का ही अंशभूत जीव (गी. १५.७) अनादि पूर्वकर्मजित जड़ दिह तथा इन्द्रियों में बन्धनों से बद्ध हो जाता है, तब इस बद्धावस्था से उसको मुक्त करने के लिये (मोक्षानुकूल) कर्म करने की प्रवृत्ति देहेन्द्रियों में होने लगती है; और इसी को व्यावहारिक दृष्टि से 'आत्मा की स्वतन्त्र प्रवृत्ति' कहते हैं। 'व्यावहारिक दृष्टि से' कहने का कारण यह है, कि शुद्ध मुक्तावस्था में या 'तात्त्विक दृष्टि से' आत्मा इच्छारहित तथा अकर्ता है - सब कर्तृत्व केवल प्रकृति का है (गी. १३. २९; वे. सू. शां. भा. २. ३. ४०)। परन्तु वेदान्ती लोग सांख्यमत की भाँति यह नहीं मानते, कि प्रकृति ही स्वयं मोक्षानुकूल कर्म किया करती है; क्योंकि ऐसा मान लेने से यह कहना पड़ेगा, कि जड़प्रकृति अपने अन्धेपन से अज्ञानियों को भी मुक्त कर सकती है। और यह भी नहीं कहा जा सकता, कि जो आत्मा मूल ही में अकर्ता है, वह स्वतन्त्र रीति से - अर्थात् बिना किसी निमित्त के - अपने नैसर्गिक गुणों से ही प्रवर्तक हो जाता है। इसलिये आत्मस्वातन्त्र्य के उक्त सिद्धान्त को वेदान्तशास्त्र में इस प्रकार बतलाना पड़ता है, कि आत्मा यद्यपि मूल में अकर्ता है, तथापि बन्धनों के निमित्त से वह इतने ही के लिये दिखाऊ प्रेरक बन जाता है; और जब यह आगन्तुक प्रेरकता उसमें एक बार किसी भी निमित्त से आ जाती है, तब वह कर्म के नियमों से भिन्न अर्थात् स्वतन्त्र ही रहती है। 'स्वातन्त्र्य' का अर्थ निर्निमित्तक नहीं है; और आत्मा अपनी मूल शुद्धावस्था में कर्ता भी नहीं रहता। परन्तु बार बार इस लम्बीचौड़ी कर्मकथा को न बतलाते रह कर इसी को संक्षेप में आत्मा की स्वतन्त्र प्रवृत्ति या प्रेरणा कहने की परिपाठी हो गई है। बन्धन में पड़ने के कारण आत्मा के द्वारा इन्द्रियों को मिलनेवाली स्वतन्त्र प्रेरणा में और बाह्यसृष्टि के पदार्थों के संयोग से इन्द्रियों में उत्पन्न होनेवाली प्रेरणा में बहुत भिन्नता है। खाना, पीना, चैन करना - ये सब इन्द्रियों की प्रेरणाएँ हैं। और आत्मा की प्रेरणा मोक्षानुकूल कर्म करने के लिये हुआ करती है। पहली प्रेरणा केवल बाह्य अर्थात् कर्मसृष्टि की है। परन्तु दूसरी प्रेरणा आत्मा की अर्थात् ब्रह्मसृष्टि की है। और ये दोनों प्रेरणाएँ प्रायः परस्परविरोधी हैं, जिमसे इन के झगड़े में ही मनुष्य की सब आयु वीत जाती है। इनके झगड़े के समय जब मन में सन्देह उत्पन्न होता है, तब कर्मसृष्टि की प्रेरणा को न मान कर (भाग. ११. १०. ४) यदि मनुष्य शुद्धात्मा की स्वतन्त्र प्रेरणा के अनुसार चलने लगे - और इसी को सच्चा आत्मज्ञान या आत्मनिष्ठा कहते हैं - तो इसके सब व्यवहार स्वभावतः मोक्षानुकूल ही होंगे। और अन्त में :-

विशुद्धधर्मा शुद्धेन बुद्धेन च स बुद्धिमान् ।

विमलात्मा च भवति समेत्य विमलात्मना ॥

स्वतन्त्रश्च स्वतन्त्रेण स्वतन्त्रत्वमवाप्नुते ।

“वह जीवात्मा या शारीर आत्मा - जो मूल में स्वतन्त्र है - ऐसे परमात्मा में मिल जाता है, जो नित्य, शुद्ध, बद्ध, निर्मल और स्वतन्त्र है” (म. भा. शां. ३०८.

२७-३०) । ऊपर जो कहा गया है, कि ज्ञान से मोक्ष मिलना है, उमका यही अर्थ है । इसके विपरीत जब जड इन्द्रियो के प्राकृत धर्म की - अर्थात् कर्ममृष्टि की प्रेरणा की - प्रवृत्ति हो जाती है, तब मनुष्य की अद्योगति होती है । शरीर में बँधे हुए जीवात्मा में देहेन्द्रिया से मोक्षानुकूल कर्म करने की तथा त्रह्यात्मन्यज्ञान मोक्ष से प्राप्त कर लेने की जा यह स्वतन्त्र शक्ति है, उसकी ओर ध्यान दे कर ही भगवान् ने अर्जुन का आत्मस्वातन्त्र्य अर्थात् स्वावलम्बन के तत्त्व का उपदेश किया है, कि -

उद्धरेदात्मनाऽऽत्मानं नान्मानमवसादयेत् ।

आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥

“मनुष्य को चाहिये, कि वह अपना उद्धार आप ही करे । वह अपनी अवनति आप ही न करे । क्योंकि प्रत्येक मनुष्य स्वयं अपना बन्धु (हिनकारी) है, और स्वयं अपना शत्रु (नाशकर्ता) है” (गी ६ ५), और इसी हेतु से योगवामिष्ट (२ सर्ग ४-८) में दैव का निराकरण करके पौरुष के महत्त्व का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है । जो मनुष्य इस तत्त्व को पहचान कर आचरण किया करता है, कि सब प्राणियों में एक ही आत्मा है, उसी के आचरण को मदाचरण या मोक्षानुकूल आचरण कहते हैं । और जीवात्मा का भी यही स्वतन्त्र धर्म है, कि ऐसे आचरण की ओर देहेन्द्रिया को प्रवृत्त किया करे । इसी धर्म के कारण दुराचारी मनुष्य का अन्व-करण भी मदाचरण ही की तरफदारी किया करता है, जिससे उसे अपने किये हुए दुष्कर्मों का पश्चात्ताप होना है । आधिदैवत पक्ष के पण्डित इसे मदमद्विप्रेकबुद्धिर्नपी देवता ही स्वतन्त्र स्फूर्ति कहते हैं । परन्तु तात्त्विक दृष्टि से विचार करने पर विदित होता है, कि बुद्धिन्द्रिया जड प्रवृत्ति ही का विकार होने के कारण स्वयं अपनी ही प्रेरणा से कर्म के नियमबन्धना से मुक्त नहीं हो सकती । यह प्रेरणा उसे कर्ममृष्टि के बाहर के आत्मा से प्राप्त होती है । इसी प्रकार पश्चिमी पण्डिता का ‘इच्छास्वातन्त्र्य’ शब्द भी वेदान्त की दृष्टि में ठीक नहीं है । क्योंकि इच्छा मन का धर्म है । और आठवें प्रकरण में कहा जा चुका है, कि बुद्धि तथा उमके साथ साथ मन भी कर्म-त्मक जड प्रवृत्ति के अस्वयवेद्य विकार हैं । इसलिए ये दाना स्वयं आप ही कर्म के बन्धन में छूट नहीं सकते । अतएव वेदान्तशास्त्र का निश्चय है, कि मच्चा स्वातन्त्र्य न तो बुद्धि का है और न मन का - वह केवल आत्मा का है । यह स्वातन्त्र्य न तो आत्मा का कोई देना है और न कोई उमसे उठाने मकना है - स्वतन्त्र परमात्मा का अग्रगण्य जीवात्मा जब उपाधि के बन्धन में पड जाता है, तब वह स्वयं स्वतन्त्र गति में ऊपर बह अनुभार बुद्धि तथा मन में प्रेरणा किया करता है । अन्वकरण की इस प्रेरणा का जनादर करन कोई बर्तन करणा, ता यही कहा जा सकता है, कि वह स्वयं अपन पैग में आप बुल्हाटी मारन का तैयार है । भगवद्गीता में इसी तन्त्र का उल्लेख यो किया गया है “न हिनस्व्यात्मना मानम्” - जा स्वयं अपना घान आप ही नहीं

करता, उसे उत्तम गति मिलती है (गी. १३. २८); और दासबोध में भी इसी का स्पष्ट अनुवाद किया गया है (दा. बो. १७. ७-१०)। यद्यपि दीख पडता है, कि मनुष्य कर्मसृष्टि के अभेद्य नियमों से जकड़ कर बँधा हुआ है तथापि स्वभावतः उसे ऐसा मालूम होता है, कि मैं किसी काम को स्वतन्त्र रीति से कर सकूँगा। अनुभव के इस तत्त्व की उपपत्ति ऊपर कहे अनुसार ब्रह्मसृष्टि को जड़ सृष्टि से भिन्न माने बिना किसी भी अन्य रीति से नहीं बतलाई जा सकती। इसलिये जो अध्यात्मशास्त्र को नहीं मानते, उन्हें इस विषय में या तो मनुष्य के नित्य दासत्व को मानना चाहिये, या प्रवृत्तिस्वातन्त्र्य के प्रश्न को अगम्य समझ कर योही छोड़ देना चाहिये; उनके लिये कोई दूसरा मार्ग नहीं है। अद्वैत वेदान्त का यह सिद्धान्त है, कि जीवात्मा और परमात्मा मूल में एकरूप है (वे. सू. शा. भा. २. ३. ४०)। और इसी सिद्धान्त के अनुसार प्रवृत्तिस्वातन्त्र्य या इच्छास्वातन्त्र्य की उक्त उपपत्ति बतलाई गई है। परन्तु जिन्हें यह अद्वैत मत मान्य नहीं है अथवा जो भक्ति के लिये द्वैत का स्वीकार किया करते हैं, उनका कथन है, कि जीवात्मा का यह सामर्थ्य स्वयं उसका नहीं है। बल्कि यह उसे परमेश्वर से प्राप्त होता है। तथापि “न ऋते श्रान्तस्य सख्याय देवाः।” (ऋ. ४. ३३. ११) — यकने तक प्रयत्न करनेवाले मनुष्य के अतिरिक्त अन्यो को देवता लोग मदद नहीं करते — ऋग्वेद के इस तत्त्वानुसार यह कहा जाता है, कि जीवात्मा को यह सामर्थ्य प्राप्त करा देने के लिये पहले स्वयं ही प्रयत्न करना चाहिये — अर्थात् आत्मप्रयत्न का और पर्याय से आत्मस्वातन्त्र्य का तत्त्व फिर भी स्थिर बना ही रहता है (वे. सू. २. ३. ४१, ४२; गी. १०. ५ और १०)। अधिक क्या कहे? बौद्धधर्मो लोग आत्मा का या परब्रह्म का अस्तित्व नहीं मानते और यद्यपि उनको ब्रह्मज्ञान तथा आत्मज्ञान मान्य नहीं है, तथापि उनके धर्मग्रन्थों में यही उपदेश किया गया है, कि ‘अत्तना (आत्मना) चोदयत्तान’ — अपने आप को स्वयं अपने ही प्रयत्न से राह पर लगाना चाहिये। इस उपदेश का समर्थन करने के लिये कहा गया है, कि :-

अत्ता (आत्मा) हि अत्तनो नायो अत्ता हि अत्तनो गति ।

तत्त्मा सञ्जमयत्तानं अस्सं (अश्वं) भट्ठं च वाणिजो ॥

“हम ही खुद अपने स्वामी या मालिक हैं, और आत्मा के बिना हमें तारनेवाला दूसरा कोई नहीं है। इसलिये जिम प्रकार कोई व्यापारी अपने उत्तम घोड़े का समयन करता है, उसी प्रकार हमें अपना समयन आप ही भली भाँति करना चाहिये” (धम्मपद ३९०)। और गीता की भाँति आत्मस्वातन्त्र्य के अस्तित्व तथा उसकी आवश्यकता का भी वर्णन किया गया है (देखो महापरिनिर्वाण-मुक्त २. ३३-३५)। आधिभौतिक फ्रेच पण्डित वॉन्ट की भी गणना इसी वर्ग में करनी चाहिये। क्योंकि यद्यपि वह त्रिमी भी अध्यात्मवाद को नहीं मानता, तथापि वह

बिना किसी उपपत्ति के केवल प्रत्यक्षसिद्ध कह कर इस बात को अवश्य मानता है, कि प्रयत्न से मनुष्य अपने आचरण और परिस्थिति को सुधार सकता है।

यद्यपि यह सिद्ध हो चुका, कि कर्मपाश से मुक्त हो कर सर्वभूतान्तर्गत एक आत्मा को पहचान लेने की जो आध्यात्मिक पूर्णावस्था है, उसे प्राप्त करने के लिये ब्रह्मात्मैक्यज्ञान ही एकमात्र उपाय है, और इस ज्ञान को प्राप्त कर लेना हमारे अधिकार की बात है। तथापि स्मरण रहे, कि यह स्वतन्त्र आत्मा भी अपनी छाती पर लदे हुए प्रकृति के बोझ को एकदम अर्थात् एक ही क्षण में अलग नहीं कर सकता। जैसे कोई कारीगर कितना ही कुशल क्यों न हो, परन्तु वह हथियारों के बिना कुछ काम नहीं कर सकता। और यदि हथियार खराब हों, तो उन्हें ठीक करने में उसका बहुत-सा समय नष्ट हो जाता है। वैसे ही जीवात्मा का भी हाल है। ज्ञानप्राप्ति की प्रेरणा करने के लिये जीवात्मा स्वतन्त्र तो अवश्य है, परन्तु वह तात्त्विक दृष्टि से मूल में निर्गुण और केवल है। अथवा सातवें प्रकरण में बतलाये अनुसार नेत्रयुक्त परन्तु लेंगड़ा है। (मैत्र्यु. ३. २, ३; गी. १३-२०)। इसलिये उक्त प्रेरणा के अनुसार कर्म करने के लिये जिन साधनों की आवश्यकता होती है (जैसे कुम्हार को चाक की आवश्यकता होती है) वे इस आत्मा के पास स्वयं अपने नहीं होते—जो साधन उपलब्ध है (जैसे देह और बुद्धि आदि इन्द्रियाँ), वे सब मायात्मक प्रकृति के विकार हैं। अतएव जीवात्मा को अपनी मुक्ति के लिये भी प्रारब्धकर्मानुसार प्राप्त देहेन्द्रिय आदि सामग्री (साधन या उपाधि) के द्वारा ही सब काम करना पड़ता है। इन साधनों में बुद्धि मुख्य है। इसलिये कुछ काम करने के लिये जीवात्मा पहले बुद्धि को ही प्रेरणा करता है। परन्तु पूर्वकर्मानुसार और प्रकृति के स्वभावानुसार यह कोई नियम नहीं, कि यह बुद्धि हमेशा शुद्ध तथा सात्त्विक ही हो। इसलिये पहले त्रिगुणात्मक प्रकृति के प्रपञ्च से मुक्त हो कर यह बुद्धि अन्तर्मुख शुद्ध, सात्त्विक या आत्मनिष्ठ होनी चाहिये। अर्थात् यह बुद्धि ऐसी होनी चाहिये, कि जीवात्मा की प्रेरणा को माने, उसकी आज्ञा का पालन करे, और उन्हीं कर्मों को करने का निश्चय करे, जिनसे आत्मा का कल्याण हो; ऐसा होने के लिये दीर्घकाल तक वैराग्य का अभ्यास करना पड़ता है। इतना होने पर भी भूख-प्यास आदि देहवर्त्म और सञ्चित कर्मों के वे फल—जिनका भोगना आरम्भ हो गया है—मृत्युममय तक छूटते ही नहीं। तात्पर्य यह है, कि यद्यपि उपाधिवद्ध जीवात्मा देहेन्द्रियों को मोक्षानुकूल कर्म करने की प्रेरणा करने के लिये स्वतन्त्र है, तथापि प्रकृति ही के द्वारा चूँकि उसे सब काम कराने पड़ते हैं, इसलिये उतने भर के लिये (बडई, कुम्हार आदि कारीगरों के समान) वह परावलम्बी हो जाता है, और उसे देहेन्द्रिय आदि हथियारों को पहले शुद्ध करके अपने अधिकार में कर लेना पड़ता है (वे. म. २. ३. ४०)। यह काम एकदम नहीं हो सकता। इसे धीरे धीरे करना

चाहिये। नहीं तो चमकने और भडकनेवाले घोड़े के समान इन्द्रियाँ बलवा करने लगेंगी और मनष्य को घर दवावेगी। इसीलिये भगवान् ने कहा है, कि इन्द्रिय-निग्रह करने के लिये बुद्धि को धृति या धैर्य की सहायता मिलनी चाहिये (गी. ६. २५) और आगे अठारहवें अध्याय (१८. ३३-३५) में बुद्धि की भाँति धृति के भी - सात्त्विक, राजस और तामस - तीन नैसर्गिक भेद बतलाये गये हैं। इन्में से तामस और राजस को छोड़ कर बुद्धि को सात्त्विक बनाने के लिये इन्द्रियनिग्रह करना पड़ता है। और इसी से छठवें अध्याय में इसका भी सक्षिप्त वर्णन किया है, कि ऐसे इन्द्रियनिग्रहाभ्यासरूप योग के लिये उचित स्थल, आसन और आहार कौन कौन से हैं? इस प्रकार गीता (६. २५) में बतलाया गया है, कि 'शनैः शनैः' अभ्यास करने पर चित्त स्थिर हो जाता है, इन्द्रियाँ बश में हो जाती हैं और आगे कुछ समय के बाद (एकदम नहीं) ब्रह्मात्मैक्यज्ञान होता है। एव फिर "आत्मवन्त न कर्माणि निवर्धन्ति धनञ्जय" - उस ज्ञान में कर्मबन्धन छूट जाता है (गी. ४. ३८-४१) परन्तु भगवान् एकान्त में योगाभ्यास करने का उपदेश देने हैं (गी. ६. १०), इससे गीता का तात्पर्य यह नहीं समझ लेना चाहिये, कि संसार के सब व्यवहारों को छोड़ कर योगाभ्यास में ही सारी आयु बिता दी जावे। जिस प्रकार कोई व्यापारी अपने पास की पुजी से ही - चाहे वह बहुत थोड़ी ही क्यों न हो - पहले धीरे धीरे व्यापार करने लगता है; और उसके द्वारा अन्त में अपार सम्पत्ति कमा लेता है, उसी प्रकार गीता के कर्मयोग का भी हाल है। अपने से जितना हो सकता है, उतना ही इन्द्रियनिग्रह करके पहले कर्मयोग को शुरू करना चाहिये और इसी से अन्त में अधिकाधिक इन्द्रियनिग्रहसामर्थ्य प्राप्त हो जाता है। तथापि चौराहे में बैठ कर भी योगाभ्यास करने से काम नहीं चल सकता। क्योंकि इसमें बुद्धि को एकाग्रता की जो आदत हुई होगी, उसके घट जाने का भय होता है। इसलिये कर्मयोग का आचरण करते हुए कुछ समय तक नित्य या कभी कभी एकान्त का मेवन करना भी आवश्यक है (गी. १३. १०)। इसके लिये संसार के सम्स्त व्यवहारों को छोड़ देने का उपदेश भगवान् ने कही भी नहीं दिया है; प्रत्युत सात्त्विक व्यवहारों को निष्कामबुद्धि से करने के लिये ही इन्द्रिय-निग्रह का अभ्यास बतलाया गया है। और गीता का यही कथन है, कि इन्द्रियनिग्रह के साथ साथ यथाशक्ति निष्कामकर्मयोग का भी आचरण प्रत्येक मनुष्य को हमेशा करते रहना चाहिये। पूर्ण इन्द्रियनिग्रह के सिद्ध होने तक राह देखते बैठ नहीं रहना चाहिये। मैव्युपनिषद् में और महाभारत में कहा गया है, कि यदि कोई मनुष्य बुद्धिमान् और निग्रही हो, तो वह इस प्रकार के योगाभ्यास से छः महिने में साम्यबुद्धि प्राप्त कर सकता है (मं. ६. २८; म. भा. श. २३९. ३२; अश्व. अनुगीता १९. ६६)। परन्तु भगवान् ने जिन सात्त्विक, सम या आत्मनिष्ठ बुद्धि का वर्णन किया है, वह बहुतेरे लोगों को छः महिने में

क्या, छ. वर्ष में भी प्राप्त नहीं हो सकती। और इस अभ्यास के अपूर्ण रह जाने के कारण इस जन्म में तो पूर्ण सिद्धि होगी ही नहीं; परन्तु दूसरा जन्म ले कर फिर भी शुरू से वही अभ्यास करना पड़ेगा; और उस जन्म का अभ्यास भी पूर्वजन्म के अभ्यास की भाँति ही अधूरा रह जायगा। इसलिये यह शका उत्पन्न होती है, कि ऐसे मनुष्य को पूर्ण सिद्धि कभी मिल ही नहीं सकती? फलतः ऐसा भी मालूम होने लगता है, कि कर्मयोग का आचरण करने के पूर्व पातञ्जलयोग की सहायता से पूर्ण निर्विकल्प समाधि पहले मीच लेना चाहिये। अर्जुन के मन में यही शका उत्पन्न हुई थी; और उसने गीता के छठवे अध्याय (६. ३७-३९) में श्रीकृष्ण से पूछा है, कि ऐसी दशा में मनुष्य को क्या करना चाहिये? उत्तर में भगवान् ने कहा है, कि आत्मा अमर होने के कारण इस पर लिंगशरीर द्वारा इस जन्म में जो थोड़ेबहुत सस्कार होते हैं, वे आगे भी ज्यों-के-त्यों बने रहते हैं; तथा यह 'योगभ्रष्ट' पुरुष अर्थात् कर्मयोग को पूरा न साध सजने के कारण उससे भ्रष्ट होनेवाला पुरुष अगले जन्म में अपना प्रयत्न वही में शुरू करता है, कि जहाँ से उसका अभ्यास छूट गया था। और ऐसा होते होते होते क्रम से "अनेकजन्मममिद्वस्ततो यानि परा गतिम्" (गीता ६. ४५) - अनेक जन्मों में पूर्ण सिद्धि हो जाती है; एव अन्त में उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इसी सिद्धान्त को लक्ष्य करके दूसरे अध्याय में कहा गया है, कि "स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य वायते महतो भयात्।" (गीता २. ४०) - इन धर्म का अर्थात् कर्मयोग का स्वल्प आचरण भी बड़े बड़े सक्कों से बचा देना है। साराण, मनुष्य का आत्मा मूल में यद्यपि स्वतन्त्र है, तथापि मनुष्य एक ही जन्म में पूर्ण सिद्धि नहीं पा सकता। क्योंकि पूर्वकर्मों के अनुसार उसे मिली हुई देह का प्राकृतिक स्वभाव अशुद्ध होता है। परन्तु इससे "नात्मानमवमन्येत पूर्वाभिरसमृद्धिभिः।" (मनु. ४. १३७) - किसी को निराश नहीं होना चाहिये; और एक ही जन्म में परम-सिद्धि पा जाने के दुराग्रह में पड़ कर पातञ्जल योगाभ्यास में अर्थात् इन्द्रियो का जवदंती दमन करने में ही सब आयु वृथा खो नहीं देनी चाहिये। आत्मा को कोई जल्दी नहीं पड़ी है। जितना आज हो सके, उतने ही योगवज्र को प्राप्त करके कर्मयोग का आचरण शुरू कर देना चाहिये। इससे धीरे धीरे बुद्धि अत्रिवा-धिक सात्त्विक तथा शुद्ध होती जायगी, और कर्मयोग स्वल्पाचरण ही - नहीं, जिज्ञासा तब रूँट में बैठे हुए मनुष्य की तरफ आगे ढकने देने वाले अन्त में आज नहीं तो कल - इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में - उसके आत्मा को पूर्ण ब्रह्म-प्राप्ति करा देगा। इसीलिये भगवान् ने गीता में साफ कहा है, कि कर्मयोग में एक विशेष गुण ग्रह है, कि उसका स्वल्प में भी स्वल्प आचरण कभी व्यर्थ नहीं जाने पाता (गीता ६. १५ पर हमारी टीका देखो)। मनुष्य को उचित है, कि वह वेदल इसी जन्म पर ध्यान दे, और धीरे धीरे न छोड़। किन्तु निष्काम कर्म करने के अपने

उद्योग को स्वतन्त्रता से और धीरे धीरे यथाशक्ति जारी रखे। प्रावतन-संस्कार के कारण ऐसा मालूम होता है, कि प्रकृति की गाँठ हमसे इस जन्म में आज नहीं छूट सकती। परन्तु वही बन्धन क्रम क्रम से बड़नेवाले कर्मयोग के अभ्यास से कल या दूसरे जन्मों में आप-ही-आप ढीला हो जाता है। और ऐसा होते होते “बहना जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मा प्रपद्यते” (गीता ७ १९) - कभी-न-कभी पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होने से प्रकृति का बन्धन या पराधीनता छूट जाती है। एव आत्मा अपने मूल की पूर्ण निर्गुण मुक्तावस्था को अर्थात् मोक्षदशा को पहुँच जाता है। मनुष्य क्या नहीं कर सकता है? जो यह कहावत प्रचलित है, कि ‘नर करनी करे, तो नर का नारायण होय’ यह वेदान्त के उक्त सिद्धान्त का ही अनुवाद है। और इसीलिये योगवासिष्ठकार ने मुमुक्षु-प्रकरण में उद्योग की खूब प्रशंसा की है, तथा असन्दिग्ध रीति से कहा है, कि अन्त में सब कुछ उद्योग से ही मिलता है (यो २ ४ १०-१८)।

यह सिद्ध हो चुका, कि ज्ञानप्राप्ति का प्रयत्न करने के लिये जीवात्मा मूल में स्वतन्त्र है और स्वावलम्बनपूर्वक दीर्घोद्योग से उमे कभी-न-कभी प्राक्कनकर्म के पञ्जे से छुटकारा मिल जाता है। अब थोड़ा-सा इस बात का स्पष्टीकरण और हो जाना चाहिये, कि कर्मक्षय किसे कहते हैं? और वह कब होता है? कर्मक्षय का अर्थ है—कर्मों के बन्धनों में पूर्ण अर्थात् नि शेष मुक्ति होना। परन्तु पहले कह आये हैं, कि जोई पुण्य ज्ञानी भी हो जाय, तथापि जब तत् शरीर है, तब तक सोना, बैठना, भूख, प्यास इत्यादि कर्म छूट नहीं सकते, और प्रारब्धकर्म का भी बिना भोगे क्षय नहीं होता। इसलिये वह आग्रह में देह का त्याग नहीं कर सकता। इसमें सन्देह नहीं, कि ज्ञान होने के पूर्व किये गये सब कर्मों का नाश, ज्ञान होने पर हो जाता है, परन्तु जब कि ज्ञानी पुरुष को यावज्जीवन ज्ञानोत्तरकाल में भी कुछ-न-कुछ कर्म करना ही पड़ता है, तब ऐसे कर्मों से उसका छुटकारा वँसा होगा? और, यदि छुटकारा न हो, तो यह शङ्का उत्पन्न होती है, कि फिर पूर्वकर्मक्षय या आगे मोक्ष भी न होगा। इस पर वेदान्तशास्त्र का उत्तर यह है, कि ज्ञानी मनुष्य की नामरूपात्मक देह को नामरूपात्मक कर्मों से यद्यपि कभी छुटकारा नहीं मिल सकता, तथापि इन कर्मों के फलों को अपने ऊपर लाद लेने या न लेने में आत्मा पूर्ण रीति से स्वतन्त्र है। इसलिये यदि इन्द्रियो पर विजय प्राप्त करवे—कर्म के विषय में प्राणिमात्र को जो आसक्ति होती है—केवल उसका ही क्षय किया जाय, तो ज्ञानी मनुष्य कर्म करके भी उसके फल का भागी नहीं होता। कर्म स्वभावतः अन्धा, अचेतन या मृत होता है। वह न तो किसी को स्वयं पकड़ता है, और न किसी को छोड़ता ही है। वह स्वयं न अच्छा है, न बुरा। मनुष्य अपने जीव को इन कर्मों में फँसा कर इन्हें अपनी आसक्ति में अच्छा या बुरा और शुभ या अशुभ बना लेता है। इसलिये कहा जा सकता है, कि इस ममत्वयुक्त आसक्ति के छूटनेपर कर्म के बन्धन आप ही टूट जाते हैं, फिर चाहे वे कर्म बने रहे या चले जायें। गीता

में भी स्थान स्थान पर यही उपदेश दिया गया है, कि मच्चा नैष्कर्म्यं इमी में है; कर्म का त्याग करने में नहीं (गी. ३. ४) । तेरा अधिकार केवल कर्म करने का है, फल का मिलना न मिलना तेरे अधिकार की बात नहीं है (गीता २. ४७) । “कर्मन्द्रियैः कर्मयोगममकनः” (गीता ३. ७) - फल की आशा न रख कर्मन्द्रियों को कर्म करने दे । “त्यक्त्वा कर्मफलमंगम्” (गीता ४. २०) कर्मफल का त्याग कर । “मवंभूतान्मभूतात्मा बुवंन्नपि न लिप्यते” (गीता ५. ७) - जिन पुत्रों की ममस्त प्राणियों में समवृद्धि हो जाती है, उनके किये हुए कर्म उनके बन्धन का कारण नहीं हो सकते । “मवंकर्मफलत्यागं कुरु” (गीता १२. ११) - सब कर्मफलों का त्याग कर । “कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते” (गीता १८. ९) - केवल कर्तव्य समझ कर जो प्राप्त कर्म किया जाता है, वही मात्त्विक है। “त्रैतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य” (गीता १८. ५७) सब कर्मों को मुझे अर्पण करके बर्ताव कर । इन सब उपदेशों का रहस्य वही है, जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है । अब यह एक स्वतन्त्र प्रश्न है, कि ज्ञानी मनुष्यों को मत्र व्यावहारिक कर्म करने चाहिये या नहीं । इसके सम्बन्ध में गीताशास्त्र का जो सिद्धान्त है, उसका विचार अगले प्रकरण में किया जायगा । अभी तो केवल यही देखना है, कि ज्ञान से सब कर्मों के भस्म हो जाने का अर्थ क्या है ? और ऊपर दिये गये वचनों में इस विषय में गीता का जो अभिप्राय है, वह भली भाँति प्रकट हो जाता है । व्यवहार में भी इमी न्याय का उपयोग किया जाता है । उदाहरणार्थ, यदि एक मनुष्य ने किसी दूसरे मनुष्य को घोखे में धक्का दे दिया, तो हम उसे उज्जड़ नहीं कहते । इसी तरह यदि केवल दुर्घटना से किसी की हत्या हो जाती है, तो उसे फौजदारी कानून के अनुसार खून नहीं ममझते । अग्नि से घर जल जाता है अथवा पानी में सैंकड़ों खेत वह जाते हैं; तो क्या अग्नि और पानी को कोई दोषी ममझता है ? केवल कर्मों की ओर देखें, तो मनुष्य की दृष्टि से प्रत्येक कर्म में कुछ-न-कुछ दोष या अवगुण अवश्य ही मिलेगा - “सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृत्ता.” (गीता १८. ४८) । परन्तु यह वह दोष नहीं है, कि जिसे छोड़ने के लिये गीता कहती है । मनुष्य के किसी कर्म को जब हम अच्छा या बुरा कहते हैं, तब यह अच्छापन या बुरापन यथार्थ में उस कर्म में नहीं रहता किन्तु कर्म करनेवाले मनुष्य की बुद्धि में रहता है । इमी बात पर ध्यान दे कर गीता (२. ४९-५१) में कहा है, कि इन कर्मों के बुरापन को दूर करने के लिये कर्ता को चाहिये, कि वह अपने मन और बुद्धि को शुद्ध रखे; और उपनिषदों में भी कर्ता की बुद्धि को ही प्रधानता दी गई है । जैसे -

मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः ।

बन्धाय विषयानंगि मोक्षे निर्विषयं स्मृतम् ॥

“मनुष्य के (कर्म से) बन्धन या मोक्ष का मन ही (एव) कारण है । मन के विषयासक्त होने से बन्धन और निष्काम या निर्विषय अर्थात् निःसंग होने से मोक्ष

होता है" (मैत्र्यु. ६. ३४; अमृतविंदु. २) । गीता में यही बात प्रधानता से बतलाई गई है, कि ब्रह्मात्मैक्यज्ञान से बुद्धि की उक्त साम्यावस्था कैसे प्राप्त कर लेनी चाहिये ? इस अवस्था के प्राप्त हो जाने पर कर्म करने पर भी पूरा कर्मयज्ञ हो जाया करता है । निरग्नि होने से — अर्थात् सन्यास ले कर अग्निहोत्र आदि कर्मों को छोड़ देने से — अथवा अक्रिय रहने से — अर्थात् किसी भी कर्म को न कर चुपचाप बैठे रहने से — कर्म का क्षय नहीं होता (गीता ६. १) । चाहे मनुष्य की इच्छा रहे, या न रहे; परन्तु प्रकृति का चक्र हमेशा घूमता ही रहता है; जिसके कारण मनुष्य को भी उसके साथ अवश्य ही चलना पड़ेगा (गीता ३. ३३; १८. ६०) । परन्तु अज्ञानी जन ऐसी स्थिति में प्रकृति की पराधीनता में रह कर जैसे नाचा करते हैं, वैसे न करके जो मनुष्य अपनी बुद्धि को इन्द्रियनिग्रह के द्वारा स्थिर एव शुद्ध रखता है और सृष्टिक्रम के अनुसार अपने हिस्से के (प्राप्त) कर्मों को केवल कर्तव्य समझ कर अनासक्तबुद्धि से एव शान्तिपूर्वक किया करता है; वही सच्चा स्थितप्रज्ञ है; और उसी को ब्रह्मपद पर पहुँचा हुआ कहना चाहिये (गीता ३. ७; ४. २१; ५. ७-९; १८. ११) । यदि कोई ज्ञानी पुरुष किसी भी व्यावहारिक कर्म को न करके सन्यास ले कर जगल में जा बैठे, तो इस प्रकार कर्मों को छोड़ देने से यह समझना बड़ी भारी भूल है, कि उसके कर्मों का क्षय हो गया (गीता ३. ४) । इस तत्त्व पर हमेशा ध्यान देना चाहिये, कि कोई कर्म करे या न करे; परन्तु उसके कर्मों का क्षय उसकी बुद्धि की साम्यावस्था के कारण होता है; न कि कर्मों को छोड़ने से या न करने से । कर्मक्षय का सच्चा स्वरूप दिखलाने के लिये यह उदाहरण दिया जाता है, कि जिस तरह अग्नि से लकड़ी जल जाती है, उसी तरह ज्ञान से सब कर्म भस्म हो जाते हैं । परन्तु इसके बदले उपनिषद् में और गीता में दिया गया यह दृष्टान्त अधिक समर्पक है, कि जिस तरह कमलपत्र पानी में रह कर भी पानी से अलिप्त रहता है, उसी तरह ज्ञानी पुरुष को — अर्थात् ब्रह्मार्पण करके अथवा आसक्ति छोड़ कर कर्म करनेवाले को — कर्मों का लेप नहीं होता (छा. ४. १४. ३; गीता ५. १०) । कर्म स्वरूपतः कभी जलते ही नहीं और न उन्हें जलाने की कोई आवश्यकता है । जब यह बात सिद्ध है, कि कर्म नामरूप है और नामरूप दृश्यसृष्टि है; तब यह समस्त दृश्य-सृष्टि जलेगी कैसे ? और कदाचित्त जल भी जाय, तो सत्कार्यवाद के अनुसार सिर्फ यही होगा, कि उसका नामरूप बदल जायगा । नामरूपात्मक कर्म या माया हमेशा बदलती रहती है । इसलिये मनुष्य अपनी रुचि के अनुसार नामरूपों में भले ही परिवर्तन कर ले । परन्तु इस बात को नहीं भूलना चाहिये, कि वह चाहे कितना ही ज्ञानी हो; परन्तु इस नामरूपात्मक कर्म या माया का समूल नाश कदापि नहीं कर सकता । यह काम केवल परमेश्वर से ही हो सकता है (वे. सू. ४. ४. १७) । हाँ; मूल में इन जड़ कर्मों में भलाई-बुराई का जो बीज है ही नहीं, और जिसे मनुष्य उनमें अपनी ममत्वबुद्धि से उत्पन्न किया करता है, उसका नाश करना मनुष्य के हाथ में है; और उसे जो कुछ

जलाना है, वह यही वस्तु है। सब प्राणियों के विषय में समबुद्धि रख कर अपने सब व्यापारों की इस ममत्वबुद्धि को जिसने जला (नष्ट कर) दिया है, वही धन्य है, वही कृतकृत्य और मुक्त है। सब कुछ करते रहने पर भी उसके सब कर्म ज्ञानाग्नि से दग्ध समझे जाते हैं। (गी. ४. १९; १८. २६)। इस प्रकार कर्मों का दग्ध होना मन की निर्विषयता पर और ब्रह्मात्मैक्य के अनुभव पर ही सर्वथा अवलम्बित है। अतएव प्रकट है, कि जिम तरह आग कभी भी उत्पन्न हो; परन्तु वह दहन करने का अपना धर्म नहीं छोड़ती; उसी तरह ब्रह्मात्मैक्यज्ञान के होते ही कर्मक्षयस्वरूप परिणाम के होने में कालावधि की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। ज्योंही ज्ञान हुआ, कि उभी क्षण कर्म-क्षय हो जाता है। परन्तु अन्य सब कालों से मरणकाल इस मन्वद्य में अधिक महत्त्व का माना जाता है। क्योंकि यह आयु के विलकुल अन्त का काल है। और इसके पूर्व किसी एक काल में ब्रह्मज्ञान से अनारब्ध-सञ्चित का यदि क्षय हो गया हो, तो भी प्रारब्ध नष्ट नहीं होता। इसलिये यदि वह ब्रह्मज्ञान अन्त तक एक ममान स्थिर रहे, तो प्रारब्ध-कर्मानुसार मृत्यु के पहले जो जो अच्छे या बुरे कर्म होंगे, वे सब नकाम हो जावेंगे, और उनका फल भोगने के लिये फिर भी जन्म लेना ही पड़ेगा। इसमें सन्देह नहीं, कि जो पूरा जीवन्मुक्त हो जाता है, उसे यह भय कदापि नहीं रहता। परन्तु जब इस विषय का शान्तिदृष्टि से विचार करना हो, तब इस बातका भी विचार अवश्य कर लेना पड़ता है, कि मृत्यु के पहले जो ब्रह्मज्ञान हो गया था, वह कदाचित् मरणकाल तक स्थिर न रहे सके। इसीलिये शास्त्रकार मृत्यु से पहले के काल की अपेक्षा मरणकाल ही को विशेष महत्त्वपूर्ण मानते हैं। और यह कहते हैं, कि इस समय यानी मृत्यु के समय ब्रह्मात्मैक्यज्ञान का अनुभव अवश्य होना चाहिये; नहीं तो मोक्ष नहीं होगा। इसी अभिप्राय से उपनिषदों के आधार पर गीता में कहा गया है, कि "अन्तकाल में मेरा अनन्यभाव से स्मरण करने पर मनुष्य मुक्त होता है" (गी. ८. ५)। इस सिद्धान्त के अनुसार कहना पड़ता है, कि यदि कोई दुराचारी मनुष्य अपनी भारी आयु दुर्गचरण में व्यतीत करे और केवल अन्त समय में ब्रह्म-ज्ञान हो जावे, तो वह भी मुक्त हो जाता है। इस पर कितने ही लोगों का कहना है, कि यह बात युक्तिमद्गत नहीं है। परन्तु थोड़ा-सा विचार करने पर मालूम होगा, कि यह बात अनुचित नहीं कही जा सकती। यह विलकुल सत्य और सयुक्तिव है। वस्तुतः यह सम्भव नहीं, कि जिमका सारा जन्म दुराचार में बीता हो, उसे केवल मृत्युसमय में ही ब्रह्मज्ञान हो जावे। अन्य मन बातों के ममान ही ब्रह्मनिष्ठ होने के लिये मन को आदत डालनी पड़ती है। और जिसे इस जन्म में एक बार भी ब्रह्मा-त्मैक्यज्ञान का अनुभव नहीं हुआ है, उसे केवल मरणकाल में ही उसका एकदम ज्ञान हो जाना परम दुर्घट या असम्भन ही है। इसीलिये गीता का दुमरा महत्त्वपूर्ण कथन यह है, कि मन को विषयवामनारहित बनाने के लिये प्रत्येक मनुष्य को सदैव अभ्यास करने रहना चाहिये। जिमका फल यह होगा, कि अन्तकाल में भी यही स्थिति बनी

रहेगी, और मुक्ति भी अवश्य हो जायगी (गी ८ ६,७ तथा २ ७२)। परन्तु शास्त्र की छानबीन करने के लिये मान लीजिये, कि पूर्वसंस्कार आदि कारणों से किसी मनुष्य को केवल मृत्युसमय में ही ब्रह्मज्ञान हो गया। निस्तन्देह ऐसा उदाहरण लाखों और करोड़ों मनुष्यों में एक-आध ही मिल सकेगा। परन्तु, चाहे ऐसा उदाहरण मिले या न मिले, इस विचार को एक ओर रख कर हमें यही देखना है, कि यदि ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाय, तो क्या होगा? ज्ञान चाहे मरणकाल में ही क्यों न हो, परन्तु उससे मनुष्य के अनारब्ध-सञ्चित का क्षय होता ही है, और इस जन्म के भोग से आरब्धसञ्चित का क्षय मृत्यु के समय हो जाता है। इसलिये उसे कुछ भी कर्म भोगना बाकी नहीं रह जाता है, और यही सिद्ध होता है, कि वह सब कर्मों से अर्थात् संचारचक्र से मुक्त हो जाता है। यही सिद्धान्त गीता के इस वाक्य में कहा गया है, "अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्" (गी ९ ३०)—यदि कोई बड़ा दुराचारी मनुष्य भी परमेश्वर का अनन्य भाव से स्मरण करेगा, तो वह भी मुक्त हो जायगा, और यह सिद्धान्त ससार के अन्य सब धर्मों में भी ग्राह्य माना गया है। 'अनन्य भाव' का यही अर्थ है, कि परमेश्वर में मनुष्य की चित्तवृत्ति पूर्ण रीति से लीन हो जावे। स्मरण रहे, कि मुँह से तो 'राम राम' बडबडाते रहे, और चित्तवृत्ति दूसरी ही ओर, तो इसे अनन्य भाव नहीं कहेंगे। साराण, परमेश्वरज्ञान की महिमा ही ऐसी है, कि ज्योही ज्ञान की प्राप्ति हुई, त्योही सब अनारब्धसञ्चित का एकदम क्षय हो जाता है। यह अवस्था कभी भी प्राप्त हो, सदैव इष्ट ही है। परन्तु इसके साथ एक आवश्यक बात यह है, कि मृत्यु के समय यह स्थिर बनी रहे, और यदि पहले प्राप्त न हुई हो, तो कम-से-कम मृत्यु के समय यह प्राप्त होवे। नहीं तो हमारे शास्त्रकारों के कथनानुसार मृत्यु के समय कुछ-न-कुछ वासना अवश्य ही बाकी रह जायगी, जिससे पुन जन्म लेना पड़ेगा और मोक्ष भी नहीं मिलेगा।

इसका विचार हो चुका, कि कर्मबन्धन क्या है? कर्मक्षय किसे कहते हैं? वह कैसे और कब होता है? अब प्रसङ्गानुसार इस बात का भी कुछ विचार किया जायगा, कि जिनके कर्मफल नष्ट हो गये हैं, उनको और जिनके कर्मबन्धन नहीं छूटे हैं, उनको मृत्यु के अनन्तर वैदिक धर्म के अनुसार कौन-सी-गति मिलती है? इसके सम्बन्ध में उपनिषदों में बहुत चर्चा की गई है (छा. ४ १५, ५ १०, वृ ६ २ २-१६, वौ. १ २-३), जिसकी एकवाक्यता वेदान्तसूत्र के चौथे अध्याय के तीसरे पाद में की गई है। परन्तु इस सब चर्चा को यहाँ बतलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें केवल उन्ही दो मार्गों का विचार करना है, जो भगवद्गीता (८ २३-२७) में बड़े गये हैं। वैदिक धर्म के ज्ञानकाण्ड और कर्मकाण्ड दो प्रसिद्ध भेद हैं। कर्मकाण्ड का मूल उद्देश्य यह है, कि सूर्य, अग्नि, इन्द्र, वरुण, रुद्र, इत्यादि वैदिक देवताओं का यज्ञ द्वारा पूजन किया जावे। उनके प्रसाद से इस लोक में पुत्र-पौत्र आदि सन्तति तथा गौ, अश्व, धन, धान्य आदि संपत्ति प्राप्त कर ली जावे; और अन्त में मरने पर सद्गति प्राप्त

जलाना है, वह यही वस्तु है। सब प्राणियों के विषय में समदृष्टि रख कर अपने सब व्यापारों को इस ममत्वबुद्धि को जिसने जला (नष्ट कर) दिया है, वही घन्य है; वही कृतवृत्त्य और मुक्त है। सब कुछ करते रहने पर भी उसके सब कर्म ज्ञानाग्नि से दग्ध ममज्ञे जाते हैं। (गी. ४. १९; १८. २६)। इस प्रकार कर्मों का दग्ध होना मन की निर्विषयता पर और ब्रह्मात्मैक्य के अनुभव पर ही सर्वथा अवलम्बित है। अतएव प्रकट है, कि जिस तरह आग कमी भी उत्पन्न हो; परन्तु वह दहन करने का अपना धर्म नहीं छोड़ती; उसी तरह ब्रह्मात्मैक्यज्ञान के होते ही कर्मक्षयरूप परिणाम के होने में कालावधि की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। ज्योंही ज्ञान हुआ, कि उभी क्षण कर्म-क्षय हो जाता है। परन्तु अन्य सब कालों से मरणकाल इस सम्बन्ध में अधिक महत्त्व का माना जाता है। क्योंकि यह आयु के बिलकुल अन्त का काल है। और इसके पूर्व किसी एक काल में ब्रह्मज्ञान से अनारब्ध-सञ्चित का यदि क्षय हो गया हो, तो भी प्रारब्ध नष्ट नहीं होता। इसलिये यदि वह ब्रह्मज्ञान अन्त तक एक समान स्थिर रहे, तो प्रारब्ध-कर्मोंनुसार मृत्यु के पहले जो जो अच्छे या बुरे कर्म होंगे, वे सब सकाम हो जावेंगे; और उनका फल भोगने के लिये फिर भी जन्म लेना ही पड़ेगा। इसमें मन्देह नहीं, कि जो पूरा जीवन्मुक्त हो जाता है, उसे यह भय कदापि नहीं रहता। परन्तु जब इस विषय का शास्त्रदृष्टि से विचार करना हो, तब इस बातका भी विचार अवश्य कर लेना पड़ता है, कि मृत्यु के पहले जो ब्रह्मज्ञान हो गया था, वह कदाचित् मरणकाल तक स्थिर न रह सके। इसीलिये शास्त्रकार मृत्यु से पहले के काल की अपेक्षा मरणकाल ही को विशेष महत्त्वपूर्ण मानते हैं। और यह कहते हैं, कि इस समय यानी मृत्यु के समय ब्रह्मात्मैक्यज्ञान का अनुभव अवश्य होना चाहिये; नहीं तो मोक्ष नहीं होगा। इसी अभिप्राय से उपनिषदों के आधार पर गीता में कहा गया है, कि "अन्तकाल में मेरा अनन्यभाव से स्मरण करने पर मनुष्य मुक्त होता है" (गी. ८. ५)। इन सिद्धान्त के अनुसार कहना पड़ता है, कि यदि कोई दुराचारी मनुष्य अपनी गारी आयु दुराचरण में व्यतीत करे और केवल अन्त समय में ब्रह्मज्ञान हो जावे, तो वह भी मुक्त हो जाता है। इस पर कितने ही लोगों का कहना है, कि यह बात युक्तिमद्गत नहीं है। परन्तु घोटान्ना विचार करने पर मालूम होगा, कि यह बात अनुचित नहीं वहाँ जा सकती। यह बिलकुल मत्य और मयुस्तिक है। यम्नूनः यह गम्भव नहीं, कि जिसका सारा जन्म दुराचार में बीता हो, उसे केवल मृत्युसमय में ही ब्रह्मज्ञान हो जावे। अन्य सब बातों के समान ही ब्रह्मनिष्ठ होने के लिये मन को आदर हाठनी पड़ती है। और जिसे इस जन्म में एक बार भी ब्रह्मात्मैक्यज्ञान का अनुभव नहीं हुआ है, उसे केवल मरणकाल में ही उम्मा एवदम ज्ञान हो जाना परम दुष्ट या अगम्भव ही है। इसीलिये गीता का दुसरा महत्त्वपूर्ण वचन यह है, कि मन को विषयनामनारहित बनाने के लिये प्रत्येक मनुष्य को सर्वथ अग्र्याम करने रहना चाहिये। जिसका फल यह होगा, कि अन्तकाल में भी यही स्थिति बनी

; और मुक्ति भी अवश्य हो जायगी (गी. ८. ६, ७. तथा २. ७२) । परन्तु की छानबीन करने के लिये मान लीजिये, कि पूर्वसंस्कार आदि कारणों से किसी को केवल मृत्युसमय में ही ब्रह्मज्ञान हो गया । निस्सन्देह ऐसा उदाहरण लाखों करोड़ों मनुष्यों में एक-आध ही मिल सकेगा । परन्तु, चाहे ऐसा उदाहरण मिले मिले; इस विचार को एक ओर रख कर हमें यही देखना है, कि यदि ऐसी प्राप्ति हो जाय, तो क्या होगा ? ज्ञान चाहे मरणकाल में ही क्यों न हो, परन्तु मनुष्य के अनारब्ध-सञ्चित का क्षय होता ही है; और इस जन्म के भोग से घसञ्चित का क्षय मृत्यु के समय हो जाता है । इसलिये उसे कुछ भी कर्म भोगना नहीं रह जाता है; और यही सिद्ध होता है, कि वह सब कर्मों से अर्थात् चक्र से मुक्त हो जाता है । यही सिद्धान्त गीता के इस वाक्य में कहा गया है, 'चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्' (गी. ९. ३०) — यदि कोई बड़ा पापी मनुष्य भी परमेश्वर का अनन्य भाव से स्मरण करेगा, तो वह भी मुक्त पायगा; और यह सिद्धान्त ससार के अन्य सब धर्मों में भी ग्राह्य माना गया 'अनन्य भाव' का यही अर्थ है, कि परमेश्वर में मनुष्य की चित्तवृत्ति पूर्ण से लीन हो जावे । स्मरण रहे, कि मुंह से तो 'राम राम' बड़बड़ाते रहे; और वृत्ति दूसरी ही ओर; तो इसे अनन्य भाव नहीं कहेंगे । सारांश, परमेश्वरज्ञान हिमा ही ऐसी है, कि ज्योंही ज्ञान की प्राप्ति हुई, त्योंही सब अनारब्धसञ्चित क्रम क्षय हो जाता है । यह अवस्था कभी भी प्राप्त हो, सदैव इष्ट ही है । परन्तु साथ एक आवश्यक बात यह है, कि मृत्यु के समय यह स्थिर बनी रहे; यदि पहले प्राप्त न हुई हो, तो कम-से-कम मृत्यु के समय यह प्राप्त होवे । तो हमारे शास्त्रकारों के कथनानुसार मृत्यु के समय कुछ-न-कुछ वासना अवश्य लगी रह जायगी, जिससे पुनः जन्म लेना पड़ेगा और मोक्ष भी नहीं मिलेगा ।

इसका विचार हो चुका, कि कर्मबन्धन क्या है ? कर्मक्षय किसे कहते हैं ? वह और कब होता है ? अब प्रसङ्गानुसार इस बात का भी कुछ विचार किया जायगा, जिनके कर्मफल नष्ट हो गये हैं, उनको और जिनके कर्मबन्धन नहीं छूटे हैं, उनको के अनन्तर वैदिक धर्म के अनुसार कौन-सी-गति मिलती है ? इसके सम्बन्ध में उपदो में बहुत चर्चा की गई है (छा. ४. १५; ५. १०; बृ. ६. २. २-१६; कौ. १. ३. ३); जिसकी एकवाक्यता वेदान्तसूत्र के तृथे अध्याय के तीसरे पाद में की गई । परन्तु इस सब चर्चा को यहाँ बतलाने की कोई आवश्यकता नहीं है । हमें केवल दो मार्गों का विचार करना है, जो भगवद्गीता (८. २३-२७) में कहे गये हैं । वेदिक धर्म के ज्ञानकाण्ड और कर्मकाण्ड दो प्रसिद्ध भेद हैं । कर्मकाण्ड का मूल उद्देश्य है, कि सूर्य, अग्नि, इन्द्र, वरुण, रुद्र, इत्यादि वैदिक देवताओं का यज्ञ द्वारा पूजन हो जावे । उनके प्रसाद से इस लोक में पुत्र-पौत्र आदि सन्तति तथा गौ, अश्व, धान्य आदि संपत्ति प्राप्त कर ली जावे; और अन्त में मरने पर सद्गति प्राप्त

होवे। वर्तमान काल में यह यज्ञयाग आदि श्रौतधर्म प्रायः लुप्त हो गया है। इससे उक्त उद्देश को सिद्ध करने के लिये लोग देवभक्ति तथा दानधर्म आदि शास्त्रोक्त पुण्यकर्म किया करते हैं। ऋग्वेद में स्पष्टतया मालूम होता है, कि प्राचीन काल में लोग— न केवल स्वार्थ के लिये, बल्कि सब समाज के कल्याण के लिये भी— यज्ञ द्वारा ही देवताओं की आराधना किया करते थे। इस काम के लिये जिन इन्द्र आदि देवताओं की अनुकूलता का सम्पादन करना आवश्यक है, उनकी स्तुति से ही ऋग्वेद के सूक्त भरे पड़े हैं। और स्थल स्थल पर ऐसी प्रार्थना की गई है, कि “ हे देव सन्तति और समृद्धि दो। ” “ हमें शतायु करो। ” “ हमें हमारे लडकों-बच्चों को और हमारे वीरपुत्रों को तथा हमारे जानवरों को न मारो। ” ये याग-यज्ञ तीनों वेदों में विहित हैं। इसलिये इस मार्ग का पुराना नाम ‘तृयी धर्म’ है। और ब्राह्मणग्रन्थों में इन यज्ञों की विधियों का विस्तृत वर्णन किया गया है, परन्तु भिन्न भिन्न ब्राह्मण-ग्रन्थों में यज्ञ करने की भिन्न भिन्न विधियाँ हैं। इससे आगे शब्दका होने लगी, कि यौन-भी विधि ब्राह्म है, तब इन परस्परविरुद्ध वाक्यों की एकवाक्यता करने के लिये जैमिनी ने अर्थनिर्णायक नियमों का संग्रह किया। जैमिनी के इन नियमों को ही भीमासा-मूत्र या पूर्वभीमासा कहते हैं। और इसी कारण से प्राचीन कर्मकाण्ड को भीमासक मार्ग नाम मिला तथा हमने भी इसी नाम का इस ग्रन्थ में कई बार उपयोग किया है। क्योंकि आजकल यही प्रचलित हो गया है। परन्तु स्मरण रहे, कि यद्यपि ‘भीमासा’ शब्द ही आगे चलकर प्रचलित हो गया है, तथापि यज्ञयाग का वह मार्ग बहुत प्राचीन काल से चलता आया है। यही कारण है, कि गीता में ‘भीमासा’ शब्द वही भी नहीं आया है, किन्तु उसके बदले ‘तृयी धर्म’ (गी. ९ २०, २१) या ‘तृयी विद्या’ नाम आये हैं। यज्ञयाग आदि श्रौतकर्मप्रतिपादक ब्राह्मणग्रन्थों के बाद आर-प्यक और उपनिषद् बने। इनमें यह प्रतिपादन किया गया, कि यज्ञयाग आदि कर्म गौण हैं और ब्रह्मज्ञान ही श्रेष्ठ है। इसलिये इनके धर्म को ‘ज्ञानवा-ड’ कहते हैं। परन्तु भिन्न भिन्न उपनिषदों में भिन्न भिन्न विचार हैं। इसलिये उनकी भी एकवाक्यता करने की आवश्यकता हुई, और इस कार्य को वादरायणाचार्य ने अपने वेदान्तमूत्र में किया। इस ग्रन्थ को ब्रह्ममूत्र, शरीरमूत्र या उत्तरभीमामा कहते हैं। इस प्रकार पूर्वभीमामा तथा उत्तरभीमामा, प्रम से—कर्मकाण्ड तथा ज्ञानकाण्ड—मध्यग्री प्रधान ग्रन्थ हैं। वस्तुतः ये दोनों ग्रन्थ मूल में भीमासा ही के हैं।— अर्थात् वैदिक बचनों के अर्थ को चर्चा करने के लिये ही बनाये गये हैं। तथापि आजकल कर्मकाण्ड-प्रतिपादकों का केवल ‘भीमासक’ और ज्ञानकाण्ड-प्रतिपादकों को ‘वेदान्ती’ कहते हैं। कर्मकाण्डवालो

* ये मन्त्र अनेक स्थलों पर पाये जाते हैं; परन्तु उन सब को न दे कर यहाँ केवल एक ही मन्त्र बताना कम होगा, कि जो बहुत प्रचलित है। वह यह है— “ मा नस्तोऽङ्ग तनये मा न भापो मा नो गोषु मा नो अश्वेषु रीरिव। वीरान्मा नो ह्य मामिनो धर्षाईविभन्त सद्भिश्चा व्शामहे ” (अ. १. ११४. ८)।

का अर्थात् मीमांसको का कहना है, कि श्रौतधर्म में चातुर्मास्य, ज्योतिष्टोम प्रभृति यज्ञयाग आदि कर्म ही प्रधान हैं; और जो इन्हे करेगा, उसे ही वेदों के आज्ञानुसार मोक्ष प्राप्त होगा। इन यज्ञयाग आदि कर्मों को कोई भी छोड़ नहीं सकता। यदि छोड़ देगा, तो समझना चाहिये, कि वह श्रौतधर्म से वञ्चित हो गया। क्योंकि वैदिक यज्ञ की उत्पत्ति सृष्टि के साथ ही हुई है। और यह चक्र अनादि काल से चलना आया है, कि मनुष्य यज्ञ करके देवताओं को तृप्त करे, तथा मनुष्य की पर्जन्य आदि सब आवश्यकताओं को देवगण पूरा करें। आजकल हमें विचारों का कुछ महत्त्व मालूम नहीं होता। क्योंकि यज्ञयागरूपी श्रौतधर्म अब प्रचलित नहीं है। परन्तु गीताकाल की स्थिति भिन्न थी। इसलिये भगवद्गीता (३. १६-२५) में भी यज्ञचक्र का महत्त्व ऊपर कहे अनुसार बतलाया गया है। तथापि गीता से यह स्पष्ट मालूम होता है, कि उस समय भी उपनिषदों में प्रतिपादित ज्ञान के कारण मोक्षदृष्टि से इन कर्मों को गौणता आ चुकी थी (गी. २. ४१-४६)। यही गौणता अहिंसाधर्म का प्रचार होने पर आगे अधिकाधिक बढ़ती गई। भागवत धर्म में स्पष्टतया प्रतिपादन किया गया है, कि यज्ञयाग वेदविहित है, तो भी उनके लिये पशुबध नहीं करना चाहिये। धान्य में ही यज्ञ करना चाहिये (देखो म भा शा ३३६ १० और ३३७)। इस कारण (तथा कुछ अशो में आगे जैनियों के भी ऐसे ही प्रयत्न करने के कारण), श्रौतयज्ञमार्ग की आजकल वह दशा हो गई है, कि काशी सरीखे बड़ेबड़े धर्मक्षेत्रों में भी श्रौताग्निहोत्र पालन करनेवाले अग्निहोत्री बहुत ही थोड़े दीख पड़ते हैं, और ज्योतिष्टोम आदि पशुयज्ञों का होना तो दस-बीस वर्षों में कभी कभी सुन पड़ता है। तथापि श्रौतधर्म ही सब वैदिक धर्मों का मूल है, और इसीलिये उसके विषय में इस समय भी कुछ आदरवृद्धि पाई जाती है। और जैमिनी के सूत्र अर्थनिर्णायक शास्त्र के तौर पर प्रमाण माने जाते हैं। यद्यपि श्रौतयज्ञयाग आदि धर्म इस प्रकार शिथिल हो गया, तो भी मन्वादि स्मृतियों में वर्णित दूसरे यज्ञ-जिन्हे पञ्चमहायज्ञ कहते हैं-अब तक प्रचलित हैं। और उनके सम्बन्ध में भी श्रौतयज्ञ-यागचक्र आदि के ही उक्त न्याय का उपयोग होता है। उदाहरणार्थ, मनु आदि स्मृतिकारों पाँच अहिंसात्मक तथा नित्य गृहयज्ञ बतलाये हैं। जैसे वेदाध्ययन ब्रह्मयज्ञ है, तर्पण पितृयज्ञ है, बलि भृत्ययज्ञ है और अतिथिसन्तर्पण मनुष्ययज्ञ है, तथा गार्हस्थ्यधर्म में यह कहा है, कि इन पाँच यज्ञों के द्वारा ऋमानुसार ऋषियों, पितरों, देवताओं, प्राणियों तथा मनुष्यों को पहले तृप्त करके फिर किसी गृहस्थ को स्वयं भोजन करना चाहिये (मनु ३. ६८-१२३)। इन यज्ञों के कर लेने पर जो अन्न बच जाता है, उसको 'अमृत' कहते हैं, और पहले सब मनुष्यों के भोजन कर लेने पर जो अन्न बचे उसे 'विघस' कहते हैं, (म ३. २८५)। यह 'अमृत' और 'विघस' अन्न ही गृहस्थ के लिये विहित एव श्रेयस्कर है। ऐसा न करके जो कोई सिर्फ अपने पेट के लिये ही भोजन पका खावे, तो वह अघ अर्थात् पाप का भक्षण करता है। और उसे क्या

मनुस्मृति, क्या ऋग्वेद और गीता; सभी ग्रन्थों में 'अघाणी' कहा गया है, (ऋ. १०. ११७. ६; मनु. ३. ११८; गी. ३. १३) । इन स्मार्त पञ्चमहायज्ञों के सिवा दान, सत्य, दया, अहिंसा आदि सर्वभूतहितप्रद अन्य धर्म भी उपनिषदों तथा स्मृति-ग्रन्थों में गृहस्थ के लिये विहित माने गये हैं (तै. १. ११) । और उन्हीं में स्पष्ट उल्लेख किया गया है, कि कुटुम्ब की वृद्धि करके वंश को स्थिर रखो - 'प्रजातन्तु मा व्यवच्छेत्सीः ।' ये सब कर्म एक प्रकार के यज्ञ ही माने जाते हैं; और इन्हें करने का कारण, तैत्तिरीय संहिता में यह बतलाया गया है, कि जन्म ने ही ब्राह्मण अपने ऊपर तीन प्रकार के ऋण ले आता है - एक ऋणियों का, दूसरा देवताओं का और तीसरा पितरों का । इनमें से ऋणियों का ऋण वेदाम्याम मे, देवताओं का यज्ञ से और पितरों का पुत्रोत्पत्ति से चुकाना चाहिये । नहीं तो उसकी अच्छी गति न होगी (तै. सं. ६. ३. १०. ५) । महाभारत (आ. १३) में एक कथा है, कि जरत्कारु ऐसा न करते हुए विवाह करने के पहले ही उग्र तपश्चर्या करने लगा; तब मन्तानक्षय के कारण उसके याथावर नामक पितर आकाश में लटकने हुए उसे दीख पड़े; और फिर उनकी आज्ञा से उसने अपना विवाह किया । यह भी कुछ बात नहीं है, कि इन सब कर्मों या यज्ञों को केवल ब्राह्मण ही करें । वैदिक यज्ञों को छोड़ अन्य सब कर्म यथाधिकार म्त्रियों और गृहों के लिये भी विहित हैं, इनलिये स्मृतियों में बही गई चातुर्वर्ण्यव्यवस्था के अनुसार जो कर्म किये जायें, वे सब यज्ञ ही हैं । उदाहरणार्थ, क्षत्रियों का युद्ध करना भी एक यज्ञ है; और इस प्रकारण में यज्ञ का यही व्यापक अर्थ विवक्षित है । मनु ने कहा है, कि जो जिनके लिये विहित है, वही उनके लिये तप है (११. २३६); और महाभारत में भी कहा है, कि :-

आरम्भयज्ञाः क्षत्राद्यं हविर्यज्ञा विशाः स्मृताः ।

परिचारयज्ञाः शूद्राद्यं जपयज्ञा द्विजातयः ॥

'आरम्भ (उद्योग), हवि, मेवा और जप ये चार यज्ञ क्षत्रिय, वैश्य, क्षत्र और ब्राह्मण इन चार वर्णों के लिये यथानुक्रम विहित हैं, (म. भा. शां. २३७. १२) । माराण, दम मृष्टि के सब मनुष्यों को यज्ञ ही के लिये ब्रह्मदेव ने उत्पन्न किया है (म. भा. अनु. ४८. ३; और गीता ३. १०; ४. ३२) । फलतः चातुर्वर्ण्य आदि सब शान्त्रोक्त कर्म एक प्रकार के यज्ञ ही हैं । और प्रत्येक मनुष्य अपने अपने अधिकार के अनुसार इन शान्त्रोक्त कर्मों या यज्ञों को - धन्ये, व्यवसाय या कर्तव्य-व्यवहार को - न करने, तो मनुष्य समाज की हानि होगा । और सम्भव है, कि अन्न में उमका नाश भी हो जावे । इसलिये ऐसे व्यापक अर्थ में मिट्ट होना है, कि सोरसंग्रह के लिये यज्ञ की मदद आवश्यक होनी है ।

* तैत्तिरीय संहिता का वचन है :- "जायमानो वे ब्राह्मणेभिरिर्कनवा जापने ब्रह्म-चरन्-स्मितो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया विदुष्यः एव वा अश्रुतो यः शुभां कन्वा ब्रह्मचारिवासीति ॥"

अब यह प्रश्न उठता है, कि यदि वेद और चातुर्वर्ण्य आदि स्मार्तव्यवस्था के अनुसार गृहस्थों के लिये वही यज्ञप्रधान वृत्ति विहित मानी गई है, कि जो केवल कर्ममय है, तो क्या इन सांसारिक कर्मों को धर्मशास्त्र के अनुसार यथा-विधि (अर्थात् नीति से और धर्म के आज्ञानुसार) करते रहने से ही कोई मनुष्य जन्म-मरण के चक्कर से मुक्त हो जायगा ? और यदि कहा जाय कि वह मुक्त हो जाता है, तो फिर ज्ञान की बढ़ाई और योग्यता ही क्या रही ? ज्ञानकाण्ड अर्थात् उपनिषदों का साफ यही कहना है, कि जब तक ब्रह्मात्मैक्यज्ञान हो कर कर्म के विषय में विरक्ति न हो जाय, तब तक नामरूपात्मक माया से या जन्ममरण के चक्कर से छुटकारा नहीं मिल सकता । और श्रौतस्मार्तधर्म को देखो तो यही मालूम पड़ता है, कि प्रत्येक मनुष्य का गार्हस्थ्यधर्म कर्मप्रधान या व्यापक अर्थ में यज्ञमय है । इसके अतिरिक्त वेदों का भी कथन है कि यज्ञार्थ किये गये कर्म बन्धक नहीं होते; और यज्ञ से ही स्वर्गप्राप्ति होती है । स्वर्ग की चर्चा छोड़ दी जाय; तो भी हम देखते हैं, कि ब्रह्मदेव ही ने यह नियम बना दिया है, कि इन्द्र आदि देवताओं के सन्तुष्ट हुए बिना वर्षा नहीं होती; और यज्ञ के बिना देवतागण भी सन्तुष्ट नहीं होते । ऐसी अवस्था में यज्ञ अर्थात् कर्म किये बिना मनुष्य की भलाई कैसी होगी ? इस लोक के क्रम के विषय में मनुस्मृति, महाभारत, उपनिषद् तथा गीता में भी कहा है, कि :-

अग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते ।

आदित्याज्जापते वृष्टिर्बृष्टेरन्नं ततः प्रजाः ॥

“यज्ञ में हवन किये गये सब द्रव्य अग्नि द्वारा सूर्य को पहुँचते हैं, और सूर्य से पर्जन्य और पर्जन्य से अन्न तथा अन्न से प्रजा उत्पन्न होती है” (मनु. ३. ७६; म. भा. शां. २६२. ११; मैत्र्यु. ६. ३७; गी. ३. १५) । और जब कि ये यज्ञ कर्म के द्वारा ही होते हैं, तब कर्म को छोड़ देने से काम कैसे चलेगा ? यज्ञमय कर्मों को छोड़ देने से संसार का चक्र बन्द हो जायगा; और किसी को खाने को भी नहीं मिलेगा । इस पर भागवतधर्म तथा गीताशास्त्र का उत्तर यह है, कि यज्ञयाग आदि वैदिक कर्मों को या अन्य किसी भी स्मार्त तथा व्यावहारिक यज्ञमय कर्म को छोड़ देने का उपदेश हम नहीं करते । हम तुम्हारे ही समान यह भी कहने को तैयार हैं, कि जो यज्ञचक्र पूर्वकाल से बराबर चलता आया है, उसके बन्द हो जाने से संसार का नाश हो जायगा । इसलिये हमारा यही सिद्धान्त है, कि हम यज्ञ को कभी नहीं छोड़ना चाहिये (म. भा. शां. ३४०; गी. ३. १६) । परन्तु ज्ञानकाण्ड में अर्थात् उपनिषदों में स्पष्टरूप से कहा गया है, कि ज्ञान और वैराग्य से बन्धन हुए बिना मोक्ष नहीं मिल सकता । इसलिये इन दोनों सिद्धान्तों का मेल करके हमारा अन्तिम ध्येय यह है, कि नव कर्मों को ज्ञान में अर्थात् फलाग्रा छोड़ कर निष्काम या विरक्तावृद्धि से करने रहना चाहिये (गी. ३. १७, १९) । यदि तुम स्वर्गपन्न की काम्यवृद्धि मन

में रख कर ज्योतिष्टोम आदि यज्ञयाग करोगे, तो वेद में कहे अनुसार स्वर्गफल तुम्हें निस्सन्देह मिलेगा। क्योंकि वेदाज्ञा कभी भी झूठ नहीं हो सकती। परन्तु स्वर्गफल नित्य अर्थात् हमेशा टिकनेवाला नहीं है। इसलिये कहा गया है (वृ. ४. ४. ६; वे. सू. ३. १. ८; म. भा. वन. २६०. ३९) :-

प्राप्यान्तं कर्मणस्तस्य यत्किञ्चेह करोत्ययम् ।

तस्माल्लोकात्पुनरेत्यस्मिं लोकाय कर्मणे ॥ ४

इस लोक में यज्ञयाग आदि पुण्यकर्म किये जाते हैं, उनका फल स्वर्गोपभोग से समाप्त हो जाता है; और तब यज्ञ करनेवाले कर्मकाण्डी मनुष्य को स्वर्गलोक में इस कर्मलोक अर्थात् भूलोक में फिर भी आना पड़ता है। छांदोग्योपनिषद् (५. १०. ३-९) में तो स्वर्ग से नीचे आने का मार्ग भी बतलाया गया है। भगवद्गीता में “कामात्मानः स्वर्गपराः” तथा “द्वैगुण्यविषया वेदाः” (गी. २. ४३, ४५) इस प्रकार कुछ गौणत्वसूचक जो वर्णन किया गया है, वह इन्हीं कर्मकाण्डी लोगों को लक्ष्य करके कहा गया है। और नौवें अध्याय में फिर भी स्पष्टतया कहा गया है, कि “गतागतं कामकामा लभन्ते।” (गी. ९. २१) — उन्हें स्वर्गलोक और इस लोक में बार बार आना-जाना पड़ता है। यह आवागमन ज्ञानप्राप्ति के बिना रूक नहीं सकता। जब तक यह रूक नहीं सकता, तब तक आत्मा को सच्चा ममाधान, पूर्णावस्था तथा मोक्ष भी नहीं मिल सकता। इस लिये गीता के ममस्त उपदेश का मार यही है, कि यज्ञयाग आदि की कौन कहे? चातुर्वर्ण्य के सब कर्मों को भी तुम ब्रह्मात्मैवय ज्ञान में तथा साम्यबुद्धि में आमकिन छोड़ कर करने रहो — वम इस प्रकार कर्मचक्र की जारी रख कर भी तुम मुक्त ही बने रहोगे (गी. १८. ५, ६)। किसी देवता के नाम से निल, चावल या किसी पशु को ‘इदं अमुकदेवतायै नमः’ कह कर अग्नि में हवन कर देने में ही कुछ यज्ञ नहीं हो जाता। प्रत्यक्ष पशु को मारने की अपेक्षा प्रत्येक मनुष्य के शरीर में कामप्रोग्र आदि जो अनेक पशुवृत्तियाँ हैं, उनका साम्यबुद्धि रूप संयमाग्नि में होम करना ही अधिक श्रेयस्कार यज्ञ है (गी. ४. ३३)। इसी अभिप्राय में गीता में तथा नारायणीय धर्म में भगवान् ने कहा है, कि “मे यज्ञो मे जपयज्ञः” अर्थात् श्रेष्ठ हूँ (गी. १०. २५, म. भा. भा. ३. ३७)। मनुस्मृति (२. ८७) में भी कहा गया है, कि ब्राह्मण और कुछ कर्मे, या न करे, परन्तु वह केवल जप में ही निष्ठि पा सकता है। अग्नि में आहुति डालने ममय ‘नमः’ (मह वन्तु मेरो नहीं है) कह कर उम वन्तु में अपनी ममत्वबुद्धि का त्याग दिखाना जाना है — यही यज्ञ का मुख्य तत्त्व है; और दान आदिक कर्मों का भी यही राज है।

* इस मन्त्र के दुन्दे चरण को पढ़ने समय ‘पुनोति’ और ‘अस्मि’ ऐसा पढ़-छेद करके पढ़ना चाहिये। सब इस चरण में अक्षरों की हमी नहीं माह्रम होगी। वैदिक दन्दों को पढ़ने समय ऐसा बहुरा करना पड़ता है।

इसलिये इन कर्मों की योग्यता भी यज्ञ के बराबर है। अधिक क्या कहा जाय, जिनमें अपना तनिक भी स्वार्थ नहीं है, ऐसे कर्मों को शुद्धबुद्धि से करने पर वे यज्ञ ही कहे जा सकते हैं। यज्ञ की इस व्याख्या को स्वीकार करने पर जो कुछ कर्म निष्काम बुद्धि से किये जायँ, वे सब एक महायज्ञ ही होंगे। और द्रव्यमय यज्ञ को लागू होनेवाला भीमांसको का यह न्याय, कि 'यथार्थ किये गये कोई भी कर्म बन्धक नहीं होते,' उन सब निष्काम कर्मों के लिये भी उपयोगी हो जाता है। इन कर्मों को करते समय फलाशा भी छोड़ दी जाती है। जिसके कारण स्वर्ग का आना-जाना भी छूट जाता है; और इन कर्मों को करने पर भी अन्त में मोक्षस्वरूपी सद्गति मिल जाती है (गी. ३. ९)। मारांश यह है, कि संसार यज्ञमय, कर्ममय है सही; परंतु कर्म करनेवालों के दो वर्ग होते हैं। पहले वे जो शास्त्रोक्त रीति से, पर फलाशा रख कर कर्म किया करते हैं (कर्मकाण्डी लोग); और दूसरे वे जो निष्काम बुद्धि से केवल कर्तव्य समझ कर कर्म किया करते हैं (ज्ञानी लोग)। इस सम्बन्ध में गीता का यह सिद्धान्त है, कि कर्मकाण्डियों को स्वर्गप्राप्तिरूप अनित्य फल मिलता है; और ज्ञान से अर्थात् निष्कामबुद्धि से कर्म करनेवाले ज्ञानी पुरुषों को मोक्षरूपी नित्य फल मिलता है। मोक्ष के लिये कर्मों का छोड़ना गीता में कहीं भी नहीं बतलाया गया है। इसके विपरीत अठारहवें अध्याय के आरंभ में स्पष्टतया बतला दिया है, कि 'त्याग-छोड़ना' शब्द से गीता में कर्मत्याग कभी भी नहीं समझना चाहिये; किन्तु उसका अर्थ 'फलत्याग' ही सर्वत्र विवक्षित है।

इस प्रकार कर्मकाण्डियों और कर्मयोगियों को भिन्न भिन्न फल मिलते हैं। इस कारण प्रत्येक को मृत्यु के बाद भिन्न भिन्न लोगों में भिन्न भिन्न मार्गों से जाना पड़ता है। इन्हीं मार्गों को क्रम से 'पितृयान' और 'दिवयान' कहते हैं। (शां. १७. १५. १६); और उपनिषदों के आधार से गीता के आठवें अध्याय में इन्हीं दोनों मार्गोंका वर्णन किया गया है। वह मनुष्य, जिसको ज्ञान हो गया है— और यह ज्ञान कम-से-कम अन्तकाल में तो अवश्य ही हो गया हो (गी. २. ७२) — देहपात होने के अनन्तर और चित्त में शरीर जल जाने पर उम अग्नि से ज्योति (ज्वाला), दिवस, शुक्लपक्ष और उत्तरायण के छः महीने में प्रयाण करता हुआ ब्रह्मपद को जा पहुँचता है; तथा वहाँ उमें मोक्ष प्राप्त होता है। इसके कारण वह पुनः जन्म ले कर मृत्युलोक में फिर नहीं लौटता। परन्तु जो केवल कर्मकाण्डी है, अर्थात् जिसे ज्ञान नहीं है, वह उसी अग्नि से धुआँ, रात्रि, कृष्ण-पक्ष और दक्षिणायन के छः महीने, इस क्रम से प्रयाण करता हुआ चन्द्रलोक को पहुँचता है; और अपने किये हुए सब पुण्यकर्मों को भोग करके फिर इस लोक में जन्म लेता है। इन दोनों मार्गों में यही भेद है (गी. ८. २३-२७)। 'ज्योति' (ज्वाला) शब्द के बदले उपनिषदों में 'अर्चि' ('ज्वाला') शब्द का प्रयोग किया गया है। इससे पहले मार्ग को 'अर्चिरादि' और दूसरे को, 'धूम्रादि' मार्ग भी कहते

समन्विते; परन्तु इससे इस सिद्धान्त में कुछ भेद नहीं होता, कि यहाँ देवयान और पितृयान शब्दों का स्वार्थ मार्गवाचक है।

परन्तु क्या देवयान और पितृयान, दोनों मार्ग शास्त्रोक्त अर्थात् पुण्यकर्म करनेवाले को ही प्राप्त हुआ करते हैं; क्योंकि पितृयान यद्यपि देवयान से नीचे की श्रेणी का मार्ग है, तथापि वह भी चन्द्रलोक को अर्थात् एक प्रकार के स्वर्गलोक ही को पहुँचानेवाला मार्ग है। इसलिये प्रकट है, कि वहाँ सुख भोगने की पात्रता होने के लिये इस लोक में कुछ न कुछ शास्त्रोक्त पुण्यकर्म अवश्य ही करना पड़ता है (गीता ९. २०, २१)। जो लोग थोड़ा भी शास्त्रोक्त पुण्यकर्म न करके मसार में अपना समस्त जीवन पापाचरण में बिता देते हैं, वे इन दोनों में से किसी भी मार्ग से नहीं जा सकते। इनके विषय में उपनिषदों में कहा गया है, कि वे लोग मरने पर एकदम पशु-पक्षी आदि तिर्यक्-योनि में जन्म लेते हैं और बारबार यमलोक अर्थात् नरक में जाते हैं। इसी को 'तीसरा' मार्ग कहते हैं (छा ५. १०. ८; कठ २. ६, ७); और भगवद्गीता में भी कहा गया है, कि निपट पापी अर्थात् आमुगी पुण्यों को यही नित्य-गति प्राप्त होती है (गीता १६. १९-२१; ९. १२; वे सू. ३. १. १२, १३; निरक्त १४. ९)।

ऊपर हम बात का विवेचन किया गया है, कि मरने पर मनुष्य को उसके कर्मानुसंग वैदिक धर्म के प्राचीन परम्परानुसार तीन प्रकार की गति किस क्रम में प्राप्त होती है। उनमें से केवल देवयान मार्ग ही मोक्षदायक है; परन्तु यह मोक्ष क्रम-क्रम से अर्थात् अचिरादि (एक के बाद एक, ऐसे कोई मोपाना) में जाने जाते अन्त में मिलता है। इसलिये हम मार्ग को 'त्रिमुक्ति' कहते हैं। और देहपात होने के अनन्तर अर्थात् मृत्यु के अनन्तर ब्रह्मलोक में जाने से वहाँ अन्त में मुक्ति मिलती है, इसीलिये इसे 'विदेह-मुक्ति' भी कहते हैं। परन्तु इन मय बातों के अतिरिक्त शुद्ध अध्यात्मशास्त्र का यह भी कथन है, कि जिसके मन में श्रद्धा और आत्मा के एतत्त्व का पूर्ण साक्षात्कार नित्य जागृत है, उसे ब्रह्मप्राप्ति के लिये वही दूसरी जगह क्यों जाना पड़ेगा? अथवा उसे मृत्यु-वाल की भी बाँट क्यों जोहनी पड़ेगी? यह वान नच है, कि उपामना से जो ब्रह्मज्ञान होना है, वह पहले पटल बूझ अपूर्ण रहता है; क्योंकि हमसे मन में मूर्खलोक या श्रद्धालोक इत्यादि की कल्पनाएँ उत्पन्न हो जाती हैं और वे ही मरण-समय में भी मन में ग्युनाधिक परिणाम से बनी रहनी हैं। अतएव हम अपूर्णता को दूर करने मोक्ष की प्राप्ति के लिये ऐसे लोगों को देवयान मार्ग में ही जाना पड़ता है (वे. सू. ८. ३१५)। क्योंकि अध्यात्मशास्त्र का यह अदृष्ट सिद्धान्त है, कि मरण-समय में जिसकी जैसी भावना या प्रवृत्ति हो, उसे वैसी ही 'गति' मिलनी है (छा. ३. १४ १); परन्तु मगुण उपामना या अन्य किसी कारण से जिसके मन में अपने आत्मा और ब्रह्म के बीच कुछ भी परदा या द्वैतभाव (नं ० ३) शेष नहीं रह जाता, वह सर्वत्र ब्रह्म-रूप ही है। अतएव प्रकट है, कि, ऐसे पुण्य को

ब्रह्म-प्राप्ति के लिये किसी दूसरे स्थान में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। इसी लिये बृहदारण्यक में याज्ञवल्क्य ने जनक से कहा है, कि जो पुरुष शुद्ध ब्रह्मज्ञान से पूर्ण निष्काम हो गया हो - "न तस्य प्राण उत्क्रामन्ति ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति" - उमके प्राण दूसरे किसी स्थान में नहीं जाते; किन्तु वह नित्य ब्रह्मभूत है और ब्रह्म में ही लय पाता है (वृ. ४. ४. ६), और बृहदारण्यक तथा कठ, दोनों उपनिषदों में कहा गया है, कि ऐसा पुरुष "अत्र ब्रह्म समश्नुते" (कठ. ६. १४) - यही का यही ब्रह्म का अनुभव करता है। इन्हीं श्रुतियों के आधार पर शिवगीता में भी कहा गया है, मोक्ष के लिये स्थानान्तर करने की आवश्यकता नहीं होती। ब्रह्म कोई ऐसी वस्तु नहीं है, कि जो अमुक स्थान में हो और अमुक स्थान में न हो (छा. ७. २५; मु. २. २. ११)। तो फिर पूर्ण ज्ञानी पुरुष को पूर्ण ब्रह्म-प्राप्ति के लिये उत्तरायण, सूर्यलोक आदि मार्ग से जाने की आवश्यकता क्यों होनी चाहिये? "ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति" (मु. ३. २. ९) - जिम्ने ब्रह्मस्वरूप को पहचान लिया; वह तो स्वयं यही का यही इस लोक में ही - ब्रह्म हो गया। किसी एक का दूसरे के पास जाना तभी हो सकता है, जब "एक" और "दूसरा" ऐसा स्थलकृत भेद शेष हो, और यह भेद तो अन्तिम स्थिति में अर्थात् अद्वैत् तथा श्रेष्ठ ब्रह्मानुभव में रह ही नहीं सकता। इसलिये जिसके मन की ऐसी नित्य स्थिति हो चुकी है, कि "यस्य सर्वमात्मैवाऽभूत्" (वृ. २. ४. १४), या "सर्वं खल्विदं ब्रह्म" (छा. ३. १४. १), अथवा मैं ही ब्रह्म हूँ - 'अहं ब्रह्मास्मि' (वृ. १. ४. १०), उसे ब्रह्मप्राप्ति के लिये और किस जगह जाना पड़ेगा? वह तो नित्य ब्रह्मभूत ही रहना है। पीछले प्रकरण के अन्त में जैसा हमने कहा है वैसा ही गीता में परम ज्ञानी पुरुषों का वर्णन इस प्रकार किया गया है, कि "अभितो ब्रह्मनिर्वाण वर्तते विदितात्मनाम्" (गी. ५. २६) - जिसने द्वैतभाव को छोड़ कर आत्मस्वरूप को जान लिया है, उसे चाहे प्रारब्ध-कर्म-क्षय के लिये देहपात होने की राह देखनी पड़े, तो भी उसे मोक्ष-प्राप्ति के लिये कहीं भी नहीं जाना पड़ता; क्योंकि ब्रह्मनिर्वाणरूप मोक्ष तो उसके सामने हाथ जोड़े पड़ा रहता है। अथवा "इहैव तैजित. सर्गो येषा साम्ये स्थित मनः" (गी. ५. १९)। - जिसके मन में सर्वभूतान्तर्गत ब्रह्मात्मैक्यरूपी साम्य प्रतिबिम्बित हो गया है, वह (देवयान मार्ग की अपेक्षा न रख) यही का यही जन्म-मरण को जीत लेता है। अथवा 'भूतपृथग्भावमेकस्यमनुपश्यति' - जिम्की ज्ञानदृष्टि में समस्त प्राणियों की भिन्नता का नाश हो चुका और जिम्ने वे सब एकस्य अर्थात् परमेश्वर-स्वरूप दीप्ति लगते हैं, वह 'ब्रह्म सम्पद्यते' - ब्रह्म में मिल जाता है (गी. १३. ३०)। गीता का जो वचन ऊपर दिया गया है, कि "देवयान और पितृपान मार्गोंको तत्त्वतः जानने-वाला कर्मयोगी मोह को प्राप्त नहीं होता" (गी. ८. २१); उनमें भी 'तत्त्वतः जाननेवाला' पद का अर्थ 'परमावधि के ब्रह्मस्वरूप को पहचाननेवाला' ही विर्यसिन है (देखो भागवत ७. १५. ५६)। यही पूर्ण ब्रह्मभूत या परमावधि को ब्राह्मी स्थिति

है। हमारा उत्तरायण उत्तर ध्रुवस्थल में रहनेवाले देवताओं का दिन है। और हमारा दक्षिणायन उनकी रात्रि है। इस परिभाषा पर ध्यान देने से मालूम हो जाता है, कि इन दोनों मार्गों में से पहला अर्चिरादि (ज्योतिरादि) मार्ग आरम्भ से अन्त तक प्रकाशमय है; और दूसरा धूम्रादि मार्ग अन्धकारमय है। ज्ञान प्रकाशमय है; और परब्रह्म 'ज्योतिषां ज्योतिः' (गी. १३. १७) — तेजों का तेज है। इस कारण देहपात होने के अनन्तर, ज्ञानी पुरुषों के मार्ग का प्रकाशमय होना उचित ही है। और गीता में उन दोनों मार्गों को 'शुक्ल' और 'कृष्ण' इसीलिये कहा है, कि उनका भी अर्थ प्रकाशमय और अन्धकारमय है। गीता में उत्तरायण के बाद के सोपानों का वर्णन नहीं है। परन्तु यास्क के निरुक्त में उदगयन के बाद देवलोक, सूर्य, विद्युत् और मानस पुरुष का वर्णन है (निरुक्त. १४. ९)। और उपनिषदों में देवयान के विषय में जो वर्णन है, उनकी एकवाक्यता करके वेदान्तसूत्र में यह क्रम दिया है, कि उत्तरायण के बाद संवत्सर, वायुलोक, सूर्य, चन्द्र, विद्युत्, वरुणलोक, इन्द्रलोक, प्रजापतिलोक और अन्त में ब्रह्मलोक है (वृ. ५. १०; ६. २. १५; छां. ५. १०; कौपी. १. ३; वे. सू. ४. ३. १-६)।

देवयान और पितृयान मार्गों के सोपानों या मुकामों का वर्णन हो चुका। परन्तु इनमें जो दिवस, शुक्लपक्ष, उत्तरायण इत्यादि के वर्णन हैं, उनका सामान्य अर्थ कालवाचक होता है। इसलिये स्वभाविक ही यह प्रश्न उपस्थित होता है, कि क्या देवयान और पितृयान मार्गों का काल से कुछ सम्बन्ध है? अथवा पहले कभी या या नहीं? यद्यपि दिवस, रात्रि, शुक्लपक्ष इत्यादि शब्दों का अर्थ कालवाचक है; तथापि अग्नि, ज्वाला, वायुलोक, विद्युत् आदि जो अन्य सोपान हैं, उनका अर्थ कालवाचक नहीं हो सकता। और यदि कहा जाय, कि ज्ञानी पुरुष को दिन अथवा रात के समय मरने पर मिश्रमिश्र गति मिलती है, तब तो ज्ञान का कुछ महत्त्व ही नहीं रह जाता। इसलिये अग्नि, दिवस, उत्तरायण इत्यादि सभी शब्दोंको कालवाचक न मान कर वेदान्तसूत्र में यह सिद्धान्त किया गया है, कि ये शब्द इनके अभिमानों देवताओं के लिये कल्पित किये गये हैं, जो ज्ञानी और कर्मकाण्ठी पुरुषों के आत्मा को मिश्र मिश्र मार्गों से ब्रह्मलोक और चन्द्रलोक में ले जाते हैं (वे. सू. ४. २. १९-२१; ४. ३. ४)। परन्तु हम में सन्देह है, कि भगवद्गीता को यह मत मान्य है या नहीं। क्योंकि उत्तरायण के बाद के सोपानों का — कि जो कालवाचक नहीं है — गीता में वर्णन नहीं है। इतना ही नहीं, बल्कि इन मार्गों को बनलाने के पहले भगवान् ने कालका स्पष्ट उल्लेख हम प्रसार किया है, कि "मे तुझे वह काल बताता है कि जिस काल में मरने पर यमयोगी लोट कर आता है, या नहीं आता है" (गी. ८. २३)। और महाभाग्न में भी यह वर्णन पाया जाता है, कि जब भीष्म पितामह शरणाग्या में पड़े थे, तब वे शरीरत्याग करने के लिये उत्तरायण की — अर्थात् सूर्य के उत्तर की ओर मुटने की — प्रतीक्षा

कर रहे थे (भी. १२०; अनु. १६७) । इससे विदित होता है, कि दिवस, शुक्लपक्ष और उत्तरायणकाल ही मृत्यु होने के लिये कभी-न-कभी प्रशस्त माने जाते थे । ऋग्वेद (१०. ८८. १५ और वृ. ६. २. १५) में भी देवयान और पितृयान मार्गों का जहाँ पर वर्णन है, वहाँ कालवाचक अर्थ ही विवक्षित है । इससे तथा अन्य अनेक प्रमाणों से हमने यह निश्चय किया है, कि उत्तर गोलार्ध के जिस स्थान में सूर्य क्षितिज पर छः महीने तक हमेशा दीख पड़ता है, उस स्थान में अर्थात् उत्तर ध्रुव के पास या मेरुस्थान में जब पहले वैदिक ऋषियों की वस्ती थी, तब ही से छः महीने का उत्तरायणरूपी प्रकाशकाल मृत्यु होने के लिये प्रशस्त माना गया होगा । इस विषय का विस्तृत विवेचन हमने दूसरे ग्रन्थ में किया है । कारण चाहे कुछ भी हो, इसमें सन्देह नहीं, कि यह समझ बहुत प्राचीन काल से चली आयी है; और यही समझ देवयान तथा पितृयान मार्गों में प्रकट न हो तो पर्याय से ही — अन्तर्भूत हो गई है । अधिक क्या कहे, हमें तो ऐसा मालूम होता है, कि इन दोनों मार्गों का मूल इस प्राचीन समझ में ही है । यदि ऐसा न माने, तो गीता में देवयान और पितृयान को लक्ष्य करके जो एक बार 'काल' (गीता ८. २३) और दूसरी बार 'गति' या 'सृति' अर्थात् मार्ग (गीता ८. २६, २७) कहा है, यानी इन दो भिन्न भिन्न अर्थों के शब्दों का जो उपयोग किया गया है, उसकी कुछ उपपत्ति नहीं लगाई जा सकती । वेदान्तसूत्र के शाङ्करभाष्य में देवयान और पितृयान का कालवाचक अर्थ स्मार्त है, जो कर्मयोग ही के लिये उपयुक्त होता है, और यह भेद करके, कि सच्चा ब्रह्मज्ञानी उपनिषदों में वर्णित श्री मार्ग से, अर्थात् देवताप्रयुक्त प्रकाशमय मार्ग से, ब्रह्मलोक को जाता है; 'कालवाचक' तथा 'देवतावाचक' अर्थों की व्यवस्था की गई है (वे. सू. शां. भा. ४. २. १८-२१) । परन्तु मूल सूत्रों को देखने से ज्ञात होता है, कि काल की आवश्यकता न रख उत्तरायणादि शब्दों से देवताओं को कल्पित कर देवयान का जो देवतावाचक अर्थ वादरायणाचार्य ने निश्चित किया है, वही उनके मतानुसार सर्वत्र अभिप्रेत होगा; और यह मानना भी उचित नहीं है, कि गीता में वर्णित मार्ग उपनिषदों की इस देवयान गति को-छोड़ कर स्वतन्त्र हो सकता है । परन्तु यहाँ इतने गहरे पानी में पैठने की कोई आवश्यकता नहीं है; क्योंकि यद्यपि इस विषय में मतभेद हो, कि देवयान और पितृयान के दिवस, रात्रि, उत्तरायण आदि शब्द ऐतिहासिक दृष्टि से म्लारम्भ में कालवाचक थे या नहीं; तथापि यह बात निर्विवाद है, कि आगे यह कालवाचक अर्थ छोड़ दिया गया । अन्त में इन दोनों पदों का यही अर्थ निश्चित तथा स्पष्ट हो गया है, कि — काल की अपेक्षा न रख चाहे कोई किसी समय मरे — यदि वह ज्ञानी हो तो अपने कर्मानुसार प्रकाशमय मार्ग से, और केवल कर्मकाण्डी हो तो अन्धकारमय मार्ग से परलोक को जाता है । चाहे फिर दिवस और उत्तरायण आदि शब्दों से वादरायणाचार्य के कथनानुसार देवता ममज्ञिये; या इनके लक्षण से प्रकाशमय मार्ग के भ्रमशः बढ़ते हुए सोपान

है; और श्रीमच्छंकराचार्य ने अपने शारीरिक भाष्य (वे. सू. ३. ४. १४) में प्रतिपादन किया है, कि यही अध्यात्मज्ञान की अत्यन्त पूर्णवस्था या पराकाष्ठा है। यदि कहा जाय, कि ऐसी स्थिति प्राप्त होने के लिये मनुष्य को एक प्रकार से परमेश्वर ही हो जाना पड़ता है, तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। फिर कहने की आवश्यकता नहीं, कि इस रीति से जो पुरुष ब्रह्मभूत हो जाते हैं, वे कर्ममृष्टि के सब विधि-निषेधों की अवस्था से भी परे रहते हैं; क्योंकि उनका ब्रह्मज्ञान सर्वत्र जागृत रहता है। इसलिये जो कुछ वे किया करते हैं, वह हमेशा शुद्ध और निष्काम बुद्धि से ही प्रेरित हो कर पाप-मुष्य से अलिप्त रहता है। इस स्थिति की प्राप्ति हो जाने पर ब्रह्मप्राप्ति के लिये किसी अन्य स्थान में जाने की, अथवा देहपात होने की, अर्थात् मरने की भी कोई आवश्यकता नहीं रहती, इसलिये ऐसे स्थितप्रज्ञ ब्रह्मनिष्ठ पुरुष को 'जीवन्मुक्त' कहते हैं (यो. ३. ९)। यद्यपि बौद्ध-धर्म के लोग ब्रह्म या आत्मा को नहीं मानते, तथापि उन्हें यह बात पूर्णतया मान्य है, कि मनुष्य का परम साध्य जीवन्मुक्त की यह निष्काम अवस्था ही है; और इसी तत्त्व का संग्रह उन्होंने कुछ शब्दभेद से अपने धर्म में किया है (परिशिष्ट प्रकरण देखो) कुछ लोगों का कथन है, कि पराकाष्ठा के निष्कामत्व की इस अवस्था में और सांसारिक कर्मों में स्वाभाविक परस्पर-विरोध है; इसलिये जिसे यह अवस्था प्राप्त होती है, उसके सब कर्म आप ही आप छूट जाते हैं और वह संन्यासी हो जाता है। परन्तु गीता को यह मत मान्य नहीं है; उसका यही सिद्धान्त है, कि स्वयं परमेश्वर जिस प्रकार कर्म करता है, उसी प्रकार जीवन्मुक्त के लिये भी - निष्काम बुद्धि से लोकमग्रह के निमित्त - मृत्युपर्यन्त सब व्यवहारों को करते रहना ही अधिक श्रेयस्कर है; क्योंकि निष्कामत्व और कर्म में कोई विरोध नहीं है। यह बात अगले प्रकरण के निरूपण में स्पष्ट हो जायगी। गीता का यह तत्त्व योगवासिष्ठ (६. उ. १९९) में भी स्वीकृत किया गया है।

संन्यास और कर्मयोग

संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ ।

तयोस्तुः कर्मसंन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते ॥ *

गीता ५. २

पीछले प्रकरण में इस बात का विस्तृत विचार किया गया है, कि अनादि कर्म के चक्कर से छूटने के लिये प्राणिमात्र में एकत्व से रहनेवाले परब्रह्म का अनुभव-त्मक ज्ञान होना ही एकमात्र उपाय है, और यह विचार भी किया गया है, कि इस अमृत ब्रह्म का ज्ञान सम्पादन करने के लिये मनुष्य स्वतन्त्र है या नहीं। एव इस ज्ञान की प्राप्ति के लिये मायासृष्टि के अनित्य व्यवहार अथवा कर्म वह किस प्रकार करे। अन्त में यह सिद्ध किया है, कि वन्धन कुछ कर्म का धर्म या गुण नहीं है, किन्तु मन का है। इसलिये व्यावहारिक कर्मों के फल के बारे में जो अपनी आसक्ति होती है, उसे इन्द्रिय-निग्रह से धीरे धीरे घटा कर, शुद्ध अर्थात् निष्काम बुद्धि से कर्म करते रहने पर, कुछ समय के बाद साम्यबुद्धिरूप आत्मज्ञान देहेन्द्रियो में समा जाता है, और अन्त में पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार इस बात का निर्णय हो गया, कि मोक्षरूपी परम साध्य अथवा आध्यात्मिक पूर्णावस्था की प्राप्ति के लिये किस साधन या उपाय का अवलम्बन करना चाहिये। जब इस प्रकार के बर्ताव से, अर्थात् यथाशक्ति और यथाधिकार निष्काम कर्म करने से, कर्म का बन्धन छूट जाय तथा चित्तशुद्धि द्वारा अन्त में पूर्ण ब्रह्मज्ञान प्राप्त हो जाय, तब यह महत्त्व का प्रश्न उपस्थित होता है, कि अब आगे अर्थात् सिद्धावस्था में ज्ञानी या स्थितप्रज्ञ पुरुष कर्म ही करता रहे, अथवा प्राप्य वस्तु को पा कर कृतकृत्य हो, माया-सृष्टि के सब व्यवहारों को निरर्थक और ज्ञानविरुद्ध समझ कर, एकदम उनका त्याग कर दे? क्योंकि सब कर्मों को बिलकुल छोड़ देना (कर्मसंन्यास), या उन्हें निष्काम बुद्धि से मृत्यूपर्यन्त करते जाना (कर्मयोग), ये दोनों पक्ष तर्कदृष्टि से इस स्थान पर सम्भव

* 'संन्यास और कर्मयोग दोनों निःश्रेयस्कर अर्थात् मोक्षदायक हैं, परन्तु इन दोनों में कर्मसंन्यास की अपेक्षा कर्मयोग ही अधिक श्रेष्ठ है।' दूसरे चरण के 'कर्म-संन्यास' पद से प्रकट होता है, कि पहले चरण में संन्यास शब्द का क्या अर्थ करना चाहिये। गणेशगीता के चौथे अध्याय के आरम्भ में गीता के यही प्रश्नोत्तर लिये गये हैं। वहाँ यह श्लोक थोड़े शब्दभेद से इस प्रकार आया है - 'क्रियायोगो वियोगश्चाप्युभौ मोक्षस्य साधने। तयोर्मध्ये क्रियायोग-स्त्यागात्तस्य विशिष्यते ॥'

जारी रखा है। कहना नहीं होगा, कि स्पेन्सर और मिल प्रभृति अन्यत्र तत्त्वशास्त्रज्ञों के मन बाँट के जैसे हैं। परन्तु इन सब के आगे बढ़ कर हाल के जमाने के आधिभौतिक जर्मन पण्डित नित्ये ने अपने ग्रन्थों में, कर्म छोड़नेवालों पर ऐसे तीव्र कटाक्ष किये हैं, कि यह कर्ममंग्याम-पक्षवालों के लिये 'मूर्ख-जिरोमणि' शब्द से अधिक नोम्य शब्द का उपयोग कर ही नहीं सकता है।*

यूरोप में अरिस्टोटल से लेकर अब तक जिस प्रकार इस सम्बन्ध में दो पक्ष हैं, उसी प्रकार भारतीय वैदिक धर्म में भी प्राचीन काल से लेकर अब तक इन सम्बन्ध के दो सम्प्रदाय एक में चले आ रहे हैं (म. भा. शा. ३४९. ७)। इनमें से एक को संन्याम-मार्ग, मांघ्य-निष्ठा या केवल मांघ्य (अथवा ज्ञान में ही नित्य निमग्न रहने के कारण ज्ञान-निष्ठा भी) कहते हैं; और दूसरे को कर्मयोग, अथवा संक्षेप में केवल योग या कर्म-निष्ठा कहते हैं; हम तीसरे प्रकरण में ही कह आये हैं, कि यहाँ 'मांघ्य' और 'योग' शब्दों में तात्पर्य क्रमशः कापिल-मांघ्य और पातञ्जल योग से नहीं है; परन्तु 'मंग्याम' शब्द भी कुछ सन्दिग्ध है। इसलिये उनके अर्थ का कुछ अधिक विवरण करना यहाँ आवश्यक है। 'मंग्याम' शब्द सिर्फ 'विवाह न करना', और यदि किया हो, तो 'बाल-व्यच्छों को छोड़ भगवे कपड़े रँग लेना' अथवा 'केवल चौथे आश्रमका ग्रहण करना' इतना ही अर्थ यहाँ विवक्षित नहीं है। क्योंकि विवाह न करने पर भी भीष्मपितामह मरते दम तक राज्यकार्यों के उद्योग में लगे रहे; और श्रीमत् शंकराचार्य ने ब्रह्मचर्य में एकदम चौथा आश्रम ग्रहण कर, या महाराष्ट्र देश में श्रीमत्संन्यास गमदान ने मृत्युपर्यन्त ब्रह्मचारी-गोस्वामी-रह कर, ज्ञान पैदा करके संसार के उद्धारायं कर्म किये हैं। यहाँ पर मुख्य यही है, कि ज्ञानोत्तर संसार के व्यवहार केवल वर्तव्य सप्रसन्न कर लोक-कल्याण के लिये, किये जावे अथवा मिथ्या ममज्ञ कर एकदम छोड़ दिये जावे? इन व्यवहारों या कर्मों को करनेवाला कर्मयोगी कहलाता है, फिर चाहे वह व्याह्रा हो या ववाँरा, भगवे कपड़े पहने या मफेद। हाँ, यह भी पटा जा सकता है, कि ऐसे काम करने के लिये विवाह न करना, भगवे कपड़े पहनना

* कर्मयोग और कर्मत्याग (सांख्य या संन्यास) इन्हीं दो मार्गों को यहाँ ने अपने *Pessimism* नामक ग्रन्थ में क्रम से *Optimism* और *Pessimism* नाम दिये हैं; पर हमारी राय में यह नाम ठीक नहीं। *Pessimism* शब्द का अर्थ 'उत्तम निराशावादी या रोनी गूढ' होता है। परन्तु संसार को अनित्य समझ कर उसे छोड़ देनेवाले संन्यासी आनन्दी रहने हैं और वे लोग संसार को आनन्द से ही छोड़ते हैं; इसलिये हमारी राय में, उनको *Pessimist* कहना ठीक नहीं। इसके बदले कर्मयोग को *Energism* और सांख्य या संन्यास मार्ग को *Quietism* कहना अधिक प्रशस्त होगा। वैदिक धर्म के अनुसार दोनों मार्गों में सन्न्यास एक ही था है, इसलिये दोनों का आनन्द और शान्ति भी एक ही-सी है। हम ऐसा भेद नहीं करते, कि एक मार्ग आनन्दमय है और दूसरा दुःखमय है, अथवा एक आराधनी है, और दूसरा निराशावादी।

अथवा बस्ती से बाहर विरक्त हो कर रहना ही कभी कभी विशेष सुभीते का होता है । क्योंकि फिर कुटुम्ब के भरणपोषण की झंझट अपने पीछे न रहने के कारण, अपना सारा समय और परिश्रम लोक-कार्यों में लगा देने के लिये कुछ भी अड़चन नहीं रहती । यदि ऐसे पुरुष भेष से संन्यासी हों, तो भी वे तत्त्वदृष्टि से कर्मयोगी ही हैं । परन्तु विपरीत पक्ष में — अर्थात् जो लोग इस संसार के समस्त व्यवहारों को निस्मार समझ उनका त्याग करके चुपचाप बैठे रहते हैं — उन्हीं को संन्यासी कहना चाहिये । फिर चाहे उन्होंने प्रत्यक्ष चौया आश्रम ग्रहण किया हो या न किया हो । सारांश, गीता का कटाक्ष भगवे अथवा सफ़ेद कपड़ों पर और विवाह या ब्रह्मचर्य पर नहीं है; प्रत्युत उसी एक बात पर नज़र रख कर गीता में संन्यास और कर्मयोग दोनों मार्गों का विभेद किया गया है, कि ज्ञानी पुरुष जगत् के व्यवहार करता है या नहीं ? शेष बातें गीताधर्म में महत्त्व की नहीं हैं । संन्यास या चतुर्थाश्रम शब्दों की अपेक्षा कर्मसंन्यास अथवा कर्मत्याग शब्द यहाँ अधिक अन्वर्थक और निःसन्दिग्ध हैं । परन्तु इन दोनों की अपेक्षा सिर्फ़ संन्यास शब्द के व्यवहार की ही अधिक रीति के कारण उसके पारिभाषिक अर्थ का यहाँ विवरण किया गया है । जिन्हें इस संसार के व्यवहार निःसार प्रतीत होते हैं, वे उससे निवृत्त हो अरण्य में जा कर स्मृतिधर्मानुसार चतुर्थाश्रम में प्रवेश करते हैं । इससे कर्मत्याग के इस मार्ग को संन्यास कहते हैं । परन्तु इस में प्रधान भाग कर्मत्याग ही है, गेरुवे कपडे नहीं ।

यद्यपि इस प्रकार इन दोनों पक्षों का प्रचार हो, कि पूर्ण ज्ञान होने पर आगे कर्म करो (कर्मयोग) या कर्म छोड़ दो (कर्मसंन्यास) । तथापि गीता के साम्प्रदायिक टीकाकारों ने अब यहाँ यह प्रश्न छोड़ा है, कि क्या अन्त में मोक्ष-प्राप्ति कर देने के लिये दोनों मार्ग स्वतन्त्र अर्थात् एक-से समर्थ हैं ? अथवा, कर्मयोग केवल पूर्वाङ्ग यानी पहली सीढ़ी है; और अन्तिम मोक्ष की प्राप्ति के लिये कर्म छोड़ कर संन्यास लेना ही चाहिये । गीता के दूसरे और तीसरे अध्यायों में जो वर्णन है, उससे जान पड़ता है, कि ये दोनों मार्ग स्वतन्त्र हैं । परन्तु जिन टीकाकारों का मत है, कि कभी-न-कभी संन्यास आश्रम को अंगीकार कर समस्त सासारिक कर्मों को छोड़े बिना मोक्ष नहीं मिल सकता — और जो लोग इसी बुद्धि से गीता की टीका करने में प्रवृत्त हुए हैं, कि यही बात गीता में प्रतिपादित की गई है — वे गीता का यह तात्पर्य निकालते हैं, कि ' कर्मयोग स्वतन्त्र रीति से मोक्षप्राप्ति का मार्ग नहीं है । पहले चित्त की शुद्धता के लिये कर्म कर अन्त में संन्यास ही लेना चाहिये । संन्यास ही अन्तिम मुख्य निष्ठा है । ' परन्तु इस अर्थ को स्वीकार कर लेने से भगवान् ने जो यह कहा है, कि ' सांध्य (संन्यास) और योग (कर्मयोग) द्विविध अर्थात् दो प्रकार की निष्ठाएँ इस संसार में हैं ' (गी. ३. ३), उस द्विविध पद का स्वारस्य बिलकुल नष्ट हो जाता है । ' कर्मयोग ' शब्द के तीन अर्थ हो सकते हैं । (१) पहला अर्थ यह है, कि ज्ञान हो या न हो;

होते हैं। और इन में से जो पक्ष श्रेष्ठ ठहरे उसी की ओर ध्यान दे कर पहले से (अर्थात् माघनावस्था से ही) बतवि करना सुविधाजनक होगा। इसलिये उक्त दोनों पक्षों के तारतम्य का विचार किये बिना कर्म और अकर्म का कोई भी आध्यात्मिक विवेचन पूरा नहीं हो सकता। अर्जुन ने सिर्फ यह कह देने से काम नहीं चल सकता था, कि पूर्ण ब्रह्मज्ञान प्राप्त हो जानेपर कर्मों का करना और न करना एक-सा है (गी. ३. १८); क्योंकि समस्त व्यवहारों में कर्म की अपेक्षा बुद्धि ही की श्रेष्ठता होने के कारण ज्ञान में जिसकी बुद्धि समस्त भूतों में सम हो गई है, उसे किसी भी कर्म के शुभाशुभत्व का रूप नहीं लगता (गी. ४. २०, २१)। भगवान् का तो उमे यही निश्चित उपदेश था कि - युद्ध ही कर - युधुस्व । (गी. २. १८); और इस सारे तथा स्पष्ट उपदेश के समर्थन में 'लड़ाई करो तो अच्छा, न करो तो अच्छा;' ऐसे मन्दिग्र उत्तर की अपेक्षा और दूसरे कुछ सबल कारणों का बतलाना आवश्यक था। और तो क्या, गीताशास्त्र की प्रवृत्ति यह बतलाने के लिये ही हुई है, कि किसी कर्म का भयंकर परिणाम दृष्टि के सामने देखते रहने पर भी बुद्धिमान् पुरुष उसे ही क्यों करे। गीता की यही तो विशेषता है। यदि यह सत्य है, कि कर्म में जन्तु बन्धता और ज्ञान में मुक्त होता है, तो ज्ञानी पुरुष को कर्म करना ही क्यों चाहिये? कर्म-यज्ञ का अर्थ कर्मों का छोड़ना नहीं है; केवल फलाशा छोड़ देने में ही कर्म का क्षय हो जाता है, सब कर्मों को छोड़ देना शक्य नहीं है; इत्यादि सिद्धान्त यद्यपि सत्य हों, तथापि इससे भली भाँति यह मिथ्य नहीं होता, कि कर्म छूट सकें उतने भी न छोटे जायें। और न्याय से देखने पर भी, यही अर्थ निष्पन्न होता है; क्योंकि गीता ही में कहा है, कि चारों ओर पानी ही पानी हो जाने पर जिन प्रकार फिर उमके लिये कोई कुएँ की खोज नहीं करता, उसी प्रकार कर्मों में मिथ्य होनेवाली ज्ञानप्राप्ति हो चुकने पर ज्ञानी पुरुष को कर्म की कुछ भी अपेक्षा नहीं रहती (गी. २. ४६)। इसी लिये तीसरे अध्याय के आरम्भ में अर्जुन ने श्रीकृष्ण में प्रथम यही पूछा है, कि आपकी सम्मति में यदि कर्म की अपेक्षा निष्काम अथवा माम्यबुद्धि श्रेष्ठ हो, तो स्थितप्रज्ञ के समान मैं भी अपनी बुद्धि को शुद्ध किये लेता हूँ - वम, मेरा मनलब पूरा हो गया; अब फिर भी लड़ाई के दस घोर कर्म में मुझे क्यों पेंमाने हो? (गी. ३. १) इसका उत्तर देने हुए भगवान् ने 'कर्म किमी में भी छूट नहीं सकते' इत्यादि कारण बतला कर चौथे अध्याय में कर्म का समर्थन किया है। परन्तु माध्य (मन्याम) और कर्मयोग दोनों ही मार्ग यदि शास्त्रों में बतलाये गये हैं, तो यही कहना पड़ेगा, कि ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर, इनमें में त्रिम जो मार्ग अच्छा लगे, उसे वह स्वीकार कर ले। ऐसी दशा में, पाँचवें अध्याय के आरम्भ में अर्जुन ने फिर प्रार्थना की, कि दोनों मार्ग गोलमाल कर के मुझे न बतलाइये; निश्चयपूर्वक मुझे एक बात बतलाइये, कि उन दोनों में से अधिक श्रेष्ठ कौन है (गी. ५. १)। यदि ज्ञानोत्तर कर्म करना और न करना

चातुर्वर्ण्य के यज्ञयाग आदि कर्म अथवा श्रुतिस्मृतिवर्णित कर्म करने में ही मोक्ष मिलता है। परन्तु मोक्षमार्गों का यह पक्ष गीता को मान्य नहीं (गीता २. ४५)। (२) दूसरा अर्थ यह है, कि चित्तगुद्धि के लिये कर्म करने (कर्मयोग) की आवश्यकता है। इसलिये केवल चित्तगुद्धि के निमित्त ही कर्म करना चाहिये। उन अर्थ के अनुसार कर्मयोग मग्न्यामार्ग का पूर्वाङ्ग ही होता है; परन्तु यह गीता में वर्णित कर्मयोग नहीं है। (३) जो जानता है, कि मेरे आत्मा का कल्याण किस में है, वह ज्ञानी पुरुष स्वधर्मोक्त युद्धादि मानारिक कर्म मृत्युपर्यन्त करे या न करे? यही गीता में मुख्य प्रश्न है। और उनका उत्तर यही है, कि ज्ञानी पुरुष को चातुर्वर्ण्य के सब कर्म निष्कामबुद्धि से करना ही चाहिये (गी. ३. २५.)। यही 'कर्मयोग' अर्थ का तीसरा अर्थ है; और गीता में यही कर्मयोग प्रतिपादित किया गया है। यह कर्मयोग सग्न्यामार्ग का पूर्वाङ्ग कदापि नहीं हो सकता। क्योंकि इस मार्ग में कर्म कर्मों छूटने ही नहीं। अब प्रश्न है केवल मोक्षप्राप्ति के विषय में। इन पर गीता में स्पष्ट कहा है, कि ज्ञानप्राप्ति हो जाने से निष्कामकर्म बन्धक नहीं हो सकते; प्रत्युत सग्न्यामार्ग से जो मोक्ष मिलता है, वही इस कर्मयोग से भी प्राप्त होना है (गी. ५. ५)। इसलिये गीता का कर्मयोग सग्न्यामार्ग का पूर्वाङ्ग नहीं है, किन्तु ज्ञानोत्तर ये दोनों मार्ग मोक्षदृष्टि से स्वतंत्र अर्थात् तुल्यबल हैं (गी. ५. २)। गीता के "लोकेश्मिन् द्विविधा निष्ठा" (गी. ३. ३) का यही अर्थ करना चाहिये। और इसी हेतु भगवान् ने अगले चरण में — "ज्ञानयोगेन साध्याना कर्मयोगेन योगिनाम्" — इस दोनों मार्गों का पृथक् पृथक् स्पष्टीकरण किया है। आगे चल कर तेरहवें अध्याय में कहा है: "अन्ये साध्वेन योगेन कर्मयोगेन चापरे" (गी. १३. २४) इस श्लोक के — 'अन्ये' (एक) और 'अपरे' (दूसरे) — ये पद उक्त दोनों मार्गों को स्वतंत्र माने बिना अवश्यक नहीं हो सकते। इसके निवा जिस नारायणीय धर्म का प्रवृत्तिमार्ग (योग) गीता में प्रतिपादित है, उसका इतिहास महाभारत में देखने से यही सिद्धान्त दृढ़ होता है। मृष्टि के आरम्भ में भगवान् ने हिरण्यगर्भ अर्थात् ब्रह्म को मृष्टि रचने की आज्ञा दी। उनसे मर्गादि आदि प्रमुख सान मानसपुत्र हुए। मृष्टिक्रम का अच्छे प्रकार आरम्भ करने के लिये उन्होंने ने योग अर्थात् कर्ममय प्रवृत्तिमार्ग का अवलम्बन किया। ब्रह्मा के ननत्कुमार और कपिल प्रभृति दूसरे सात पुत्रों ने उत्पन्न होते ही निवृत्तिमार्ग अर्थात् साध्व का अवलम्बन किया। इन प्रसार दोनों मार्गों की उत्पत्ति बनना कर जागे स्पष्ट कहा है, कि ये दोनों मार्ग मोक्षदृष्टि से तुल्यबल अर्थात् वानुदेवस्वरूपी एक ही परमेश्वर की प्राप्ति करा देनेवाले, मित्र मित्र और स्वतंत्र हैं (म. भा. गा. ३८८. ३८; ३८९-६३-३३)। इसी प्रकार यह भी भेद किया गया है, कि योग अर्थात् प्रवृत्तिमार्ग के प्रवर्तक हिरण्यगर्भ हैं, और साध्वमार्ग के मूलप्रवर्तक कपिल हैं। परन्तु यह कही नहीं कहा है, कि जागे हिरण्यगर्भ ने कर्मों का त्याग कर दिया। इसके विपरीत ऐसा धर्म है, कि भगवान् ने मृष्टि का व्यवहार अच्छी तरह से करना रखने के लिये

यज्ञचक्र को उत्पन्न किया; और हिरण्यगर्भ से तथा अन्य देवताओं से कहा, कि इसे निरन्तर जारी रखो (म. भा. शा. ३४०. ४४-७५ और ३३९. ६६, ६७ देखो) । इससे निर्विवाद सिद्ध होता है, कि साध्य और योग दोनों मार्ग आरम्भ से ही स्वतन्त्र हैं । इससे यह भी दीख पड़ता है, कि गीता के साम्प्रदायिक टीकाकारों ने कर्म-मार्ग को जो गौणत्व देने का प्रयत्न किया है, वह केवल साम्प्रदायिक आग्रह का परिणाम है । और इन टीकाओं में जो स्थान स्थान पर यह तुरा लगा रहता है, कि कर्मयोग, ज्ञानप्राप्ति अथवा संन्यास का केवल साधनमात्र है, वह इनकी मनगटन्त है । वास्तव में गीता का सच्चा भावार्थ वैसा नहीं है । गीता पर जो संन्यासमार्गीय टीकाएँ हैं, उनमें हमारी समझ से यही मुख्य दोष है । और टीकाकारों के इस साम्प्रदायिक आग्रह से छूटे बिना कभी सम्भव नहीं, कि गीता के वास्तविक रहस्य का बोध हो जावे ।

यदि यह निश्चय करे, कि कर्मसंन्यास और कर्मयोग दोनों स्वतन्त्र रीति से मोक्षदायक हैं — एक दूसरे का पूर्वाङ्ग नहीं — तो भी पूरा निर्वाह नहीं होता । क्योंकि, यदि दोनों मार्ग एक ही से मोक्षदायक हैं, तो कहना पड़ेगा, कि जो मार्ग हमें पसन्द होगा, उसे हम स्वीकार करेंगे । और फिर यह सिद्ध न हो कर — कि अर्जुन को युद्ध ही करना चाहिये — ये दोनों पक्ष सम्भव होते हैं, कि भगवान् के उपदेश से परमेश्वर का ज्ञान होने पर भी चाहे वह अपनी रुचि के अनुसार युद्ध करे अथवा लड़ना-मरना छोड़ कर संन्यास ग्रहण कर ले । इसीलिये अर्जुनने स्वाभाविक रीति से यह सरल प्रश्न किया है, “ इन दोनों मार्गों में जो अधिक प्रशस्त हो, वह एक ही निश्चय से मुझे बतलाजो ”, (गी. ५. १) जिसके आचरण करने में कोई गड़बड़ न हो । गीता के पाँचवें अध्याय के आरम्भ में इस प्रकार अर्जुन के प्रश्न कर चुकने पर अगले श्लोकों में भगवान् ने स्पष्ट उत्तर दिया है, कि “ संन्यास और कर्मयोग दोनों मार्ग निःश्रेयस्कर अर्थात् मोक्षदायक हैं; अथवा मोक्षदृष्टि से एक ही योग्यता के हैं । तो भी दोनों नें कर्मयोग की श्रेष्ठता या योग्यता विशेष है (विशिष्यते) ” (गी. ५. २); और यही श्लोक हमने इस प्रकरण के आरम्भ में लिखा है । कर्मयोग की श्रेष्ठता के सम्बन्ध में यही एक वचन गीता में नहीं है, किन्तु अनेक वचन हैं । जैसे — “ तन्माद्योगाय युज्यस्व ” (गी. २. ५०) — इसलिये तू कर्मयोग ही स्वीकार कर । “ मा ते सद्गोऽस्त्वकर्मणि ” (गी. २. ४७) — कर्म न करने का आग्रह मत कर ।

यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन ।

कर्मैन्द्रियैः कर्मयोगमसवतः स विशिष्यते ॥

बर्षों को छोड़ने के झगडे में न पड़ कर “ इन्द्रियों को मन से रोक कर अनासक्त बुद्धि के द्वारा कर्मैन्द्रियों से कर्म न करनेवाले की योग्यता ‘ विशिष्यते ’ अर्थात् विशेष है ” (गी. ३. ७) । क्योंकि, कभी कबो न हों, ‘ कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः ’ अकर्म की

यज्ञचक्र को उत्पन्न किया; और हिरण्यगर्भ से तथा अन्य देवताओं से कहा, कि इसे निरन्तर जारी रखो (म. भा. शा. ३४०. ४४-७५ और ३३९. ६६, ६७ देखो) । इससे निर्विवाद सिद्ध होता है, कि सांख्य और योग दोनों मार्ग आरम्भ से ही स्वतन्त्र हैं । इससे यह भी दीख पड़ता है, कि गीता के साम्प्रदायिक टीकाकारों ने कर्म-मार्ग को जो गौणत्व देने का प्रयत्न किया है, वह केवल साम्प्रदायिक आग्रह का परिणाम है । और इन टीकाओं में जो स्थान स्थान पर यह तुराँ लगा रहता है, कि कर्मयोग, ज्ञानप्राप्ति अथवा संन्यास का केवल साधनमात्र है, वह इनकी मनगडन्त है । वास्तव में गीता का सच्चा भावार्थ वैसा नहीं है । गीता पर जो संन्यासमार्गीय टीकाएँ हैं, उनमें हमारी समझ से यही मुख्य दोष है । और टीकाकारों के इस साम्प्रदायिक आग्रह से छूटे बिना कभी सम्भव नहीं, कि गीता के वास्तविक रहस्य का बोध हो जावे ।

यदि यह निश्चय करे, कि कर्मसंन्यास और कर्मयोग दोनों स्वतन्त्र रीति से मोक्षदायक हैं — एक दूसरे का पूर्वाङ्ग नहीं — तो भी पूरा निर्वाह नहीं होता । क्योंकि, यदि दोनों मार्ग एक ही से मोक्षदायक हैं, तो कहना पड़ेगा, कि जो मार्ग हमें पसन्द होगा, उसे हम स्वीकार करेंगे । और फिर यह सिद्ध न हो कर — कि अर्जुन को युद्ध ही करना चाहिये — ये दोनों पक्ष सम्भव होते हैं, कि भगवान् के उपदेश से परमेश्वर का ज्ञान होने पर भी चाहे वह अपनी रुचि के अनुसार युद्ध करे अथवा लड़ना-मरना छोड़ कर संन्यास ग्रहण कर ले । इसीलिये अर्जुनने स्वाभाविक रीति में यह सरल प्रश्न किया है, “ इन दोनों मार्गों में जो अधिक प्रशस्त हो, वह एक ही निश्चय से मुझे बतलाओ ”, (गी. ५. १) जिसके आचरण करने में कोई गड़बड़ न हो । गीता के पाँचवें अध्याय के आरम्भ में इस प्रकार अर्जुन के प्रश्न कर चुकने पर अगले श्लोकों में भगवान् ने स्पष्ट उत्तर दिया है, कि “ संन्यास और कर्मयोग दोनों मार्ग निःश्रेयस्कर अर्थात् मोक्षदायक हैं; अथवा मोक्षदृष्टि से एक ही योग्यता के हैं । तो भी दोनों में कर्मयोग की श्रेष्ठता या योग्यता विशेष है (विशिष्यते) ” (गी. ५. २); और यही श्लोक हमने इस प्रकरण के आरम्भ में लिखा है । कर्मयोग की श्रेष्ठता के सम्बन्ध में यही एक वचन गीता में नहीं है; किन्तु अनेक वचन हैं । जैसे — “ तस्माद्योगाय युज्यस्व ” (गी. २. ५०) — इसलिये तू कर्मयोग ही स्वीकार कर । “ मा ते सदगोऽस्त्वकर्मणि ” (गी. २. ४७) — कर्म न करने का आग्रह मत कर ।

यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन ।

कर्मैन्द्रियैः कर्मयोगमसवतः स विशिष्यते ॥

कर्मों को छोड़ने के झगड़े में न पड़ कर “ इन्द्रियों को मन से रोक कर अनामकत बुद्धि के द्वारा कर्मैन्द्रियों से कर्म न करनेवाले की योग्यता ‘ विशिष्यते ’ अर्थात् विशेष है ” (गी. ३. ७) । क्योंकि, कभी कभी न हो, ‘ कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः ’ अकर्म की

अपेक्षा कम श्रेष्ठ है (गी ३ ८) । इसलिये तू कर्म ही कर (गी ४ १५) अथवा 'योगमात्तिष्ठोत्तिष्ठ' (गी ४ ४०) - कर्मयोग अङ्गीकार कर युद्ध के लिये पडा हो । " (योगी) ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिक " - ज्ञानमार्गवाले (सन्यासी) की अपेक्षा कर्मयोगी की योग्यता अधिक है । 'तस्माद्योगी भवार्जुन' (गी ६ ४६) - इसलिये, हे अर्जुन! तू (कर्म-) योगी हो । अथवा "मामनुस्मर युध्य च" (गी ८ ७) - मन में मेरा स्मरण रख कर युद्ध कर, इत्यादि अनेक वचनों से गीता में अर्जुन को जो उपदेश स्नान स्थान पर दिया गया है, उसमें भी सन्यास या अकर्म की अपेक्षा कर्मयोग की अधिक योग्यता दिखलाने के लिये 'ज्यायः', 'अधिक' और 'विशिष्यते' इत्यादि पद स्पष्ट हैं । अठारहवें अध्याय के उपसंहार में भी भगवान् ने फिर कहा है, कि "नियत कर्मों का सन्यास करना उचित नहीं है । आसक्तिविरहित सब काम सदा करना चाहिये । यही मेरा निश्चित और उत्तम मत है" (गी १८ ६, ७) । इससे निर्विवाद सिद्ध होता है, कि गीता में सन्यासमार्ग की अपेक्षा कर्मयोग को ही श्रेष्ठता दी गई है ।

परन्तु, जिनका साम्प्रदायिक मत है, कि सन्यास या भक्ति ही अन्तिम और श्रेष्ठ वस्तु है, कर्म तो निरा चित्तशुद्धि का साधन है, वह मुख्य साध्य या कर्तव्य नहीं हो सकता, उन्हीं गीता का यह मिथ्या मत कैसे पमन्द होगा ? यह नहीं कहा जा सकता, कि उनके ध्यान में यह बात आई ही न होगी, कि गीता में सन्यासमार्ग की अपेक्षा कर्मयोग को स्पष्ट रीति में अधिक महत्त्व दिया गया है । परन्तु यदि यह बात मान ली जाती, तो यह प्रकट ही है, कि उनके सम्प्रदाय की योग्यता कम हो जाती । इसी से पाँचवें अध्याय के आरम्भ में - अर्जुन के प्रश्न और भगवान् के उत्तर सरल, सयुक्तिक और स्पष्टार्थक रहने पर भी साम्प्रदायिक टीकाकार डम चक्कर में पड़ गये हैं, कि इनका क्या क्या अर्थ लिया जाय ? पहली अड़चन यह थी, कि 'सन्यास और कर्मयोग इन दोनों मार्गों में श्रेष्ठ कौन है ?' यह प्रश्न ही दोनों मार्गों को स्वतन्त्र मान बिना उपस्थित हो नहीं सकता । क्योंकि, टीकाकारों के कथनानुसार कर्मयोग यदि ज्ञान का सार्थक पूर्वोद्गम हो, तो यह बात स्वयंसिद्ध है, कि पूर्वोद्गम गौण है, और ज्ञान अथवा सन्यास ही श्रेष्ठ है । फिर प्रश्न करने के लिये गुञ्जादश ही कहाँ रही ? अच्छा, यदि प्रश्न का उचित मान ले ही, तो यह स्वीकार करना पड़ना है, कि ये दोनों मार्ग स्वतन्त्र हैं । और तब तो यह स्वीकृति ही कथन का विरोध करेगी, कि केवल हमारा सम्प्रदाय ही मोक्ष का मार्ग है । इस अड़चन को दूर करने के लिये इन टीकाकारों ने पहले ही यह नुर्ग दिया है, कि अर्जुन का प्रश्न ठीक नहीं है, और फिर यह दिखलाने का प्रयत्न किया है, कि भगवान् के उत्तर का तात्पर्य भी वैसा ही है । परन्तु इनका गीता-मार्ग करने पर भी भगवान् के इन स्पष्ट उत्तर - 'कर्मयोग की योग्यता अथवा श्रेष्ठता विशेष है' (गी ५ २) - का अर्थ ठीक ठीक फिर भी लगा ही नहीं! तब जिन में धारणा मन का - पूर्वोद्गम मन्दर्भ के सिद्ध - हमारा यह नुर्ग लगा कर इन टीकाकारों को

किसी प्रकार अपना समाधान कर लेना पडा, कि 'कर्मयोगो विशिष्यते' - कर्मयोग की योग्यता विशेष है - यह वचन कर्मयोग की पोली प्रशंसा करने के लिये यानी अर्थवादात्मक है। वास्तव में भगवान् के मत में भी संन्यासमार्ग ही श्रेष्ठ है (गी. भा. ५. २; ६. १, २; १८. ११ देखो)। शाङ्करभाष्य में ही क्यों? रामानुज-भाष्य में भी यह श्लोक कर्मयोग की केवल प्रशंसा करनेवाला - अर्थवादात्मक - ही माना गया है (गी. रा. भा. ५. १)। रामानुजाचार्य यद्यपि अद्वैती न थे, तो भी उनके मन में भक्ति ही मुख्य साध्यवस्तु है, इस लिये कर्मयोग ज्ञानयुक्त भक्ति का साधन ही हो जाता है (गी. रा. भा. ३. १ देखो)। मूलग्रन्थ से टीकाकारों का सम्प्रदाय भिन्न है। परन्तु टीकाकार इस दृढ़ समझ से उस ग्रन्थ की टीका करने लगे, कि हमारा मार्ग या सम्प्रदाय ही मूलग्रन्थ में वर्णित है। पाठक देखें, कि इससे मूलग्रन्थ की कैसी खीचातानी हुई है। भगवान् श्रीकृष्ण या व्यास को संस्कृत भाषा में स्पष्ट शब्दों के द्वारा क्या यह कहना न आता था, कि 'अर्जुन! तेरा प्रश्न ठीक नहीं है?' परन्तु ऐसा न करके जब अनेक स्थलों पर स्पष्ट रीति से यही कहा है, कि 'कर्मयोग ही विशेष योग्यता का है' तब कहना पडता है, कि साम्प्रदायिक टीकाकारों का उल्लेखित अर्थ सरल नहीं है; और पूर्वापार सन्दर्भ देखने से भी यही अनुमान दृढ़ होता है। क्योंकि गीता में ही अनेक स्थानों में ऐसा वर्णन है, कि ज्ञानी पुरुष कर्म का संन्यास न कर ज्ञानप्राप्ति के अनन्तर भी अनासक्तबुद्धि से अपने सब व्यवहार किया करता है (गी. २. ६४; ३. १९; ३. २५; १८. ९ देखो)। इस स्थान पर श्रीशङ्कराचार्य ने अपने भाष्य में पहले यह प्रश्न किया है, कि मोक्ष ज्ञान से मिलता है, या और कर्म के समुच्चय से? और फिर यह गीतार्थ निश्चित किया है, कि केवल ज्ञान से ही सब कर्म दग्ध हो कर मोक्षप्राप्ति होती है। मोक्षप्राप्ति के लिये कर्म की आवश्यकता नहीं। इससे आगे यह अनुमान निकाला है, कि 'जब गीता की दृष्टि से भी मोक्ष के लिये कर्म की आवश्यकता नहीं है, तब चित्तशुद्धि हो जानेपर सब कर्म निरर्थक हैं ही, और वे स्वभाव से ही बन्धक अर्थात् ज्ञानविरोध हैं। इसलिये ज्ञानप्राप्ति के अनन्तर ज्ञानी पुरुष को कर्म छोड़ देना चाहिये' - यही मत भगवान् को भी गीता में ग्राह्य है। 'ज्ञान के अनन्तर ज्ञानी पुरुष को भी कर्म करना चाहिये।' इस मत को 'ज्ञान-कर्मसमुच्चयपक्ष' कहते हैं; और श्रीशङ्कराचार्य की उपर्युक्त दलील ही उस पक्ष के विरुद्ध मुख्य आक्षेप है। ऐसा ही युक्तिवाद मध्वाचार्य ने भी स्वीकृत किया है (गी. भा. भा. ३. ३१ देखो)। हमारी राय में यह युक्तिवाद समाधानकारक अथवा निरुत्तर नहीं है। क्योंकि, (१) यद्यपि काम्यकर्म बन्धक हो कर ज्ञान के विरुद्ध है, तथापि यह ज्ञान निष्काम को लागू नहीं। और (२) ज्ञानप्राप्ति के अनन्तर मोक्ष के लिये कर्म अनावश्यक भले ही हुआ करे; परन्तु उससे यह सिद्ध करने के लिये कोई बाधा नहीं पहुँचती, कि 'अन्य सबल कारणों से ज्ञानी पुरुष को ज्ञान के साथ ही कर्म करना आवश्यक है।' मुमुक्षु का सिर्फ चित्त शुद्ध करने के लिये ही नमस्कार में

कर्म का उपयोग नहीं है; और न इमीलिये कर्म उत्पन्न ही हुए हैं। इसलिये कहा जा सकता है, कि मोक्ष के अनिश्चित अन्य कारणों के लिये स्वधर्मनुसार प्राप्त होनेवाले कर्मनृष्टि के समस्त व्यवहार निष्कामबुद्धि से करते ही रहने की ज्ञानी पुष्प को भी जम्हरत है। इस प्रकरण में आगे विस्तारमहित विचार किया गया है, कि ये अन्य कारण कौन-से हैं। यहाँ इतना ही कह देते हैं, कि जो अर्जुन सन्यास लेने के लिये तैयार हो गया था, उसको ये कारण बतलाने के निमित्त ही गीताशास्त्र की प्रवृत्ति हुई है। और ऐसा अनुमान नहीं किया जा सकता, कि चित्त की शुद्धि के पश्चात् मोक्ष के लिये कर्मों की अनावश्यकता बतला कर गीता में सन्यासमार्ग ही का प्रतिपादन किया गया है। शास्त्रसम्प्रदाय का यह मन है सही, कि ज्ञानप्राप्ति के अनन्तर सन्यासाश्रम ले कर कर्मों को छोड़ ही देना चाहिये। परन्तु उससे यह नहीं सिद्ध होता, कि गीता का तात्पर्य भी वही होना चाहिये। और न यही बात निश्चिन्ता ही है, कि अकेले शास्त्रसम्प्रदाय का या अन्य किसी सम्प्रदाय को 'धर्म' मान कर उसी के अनुकूल गीता का किसी प्रकार अर्थ लेना चाहिये। गीता का तो यही स्थिर सिद्धान्त है, कि ज्ञान के पश्चात् भी सन्यासमार्ग ग्रहण करने की अपेक्षा कर्मयोग को स्वीकार करना ही उत्तम पक्ष है। फिर उसे चाहे निराला सम्प्रदाय वहाँ या और कुछ उसका नाम रखे। परन्तु इस बात पर भी ध्यान देना चाहिये, कि यद्यपि गीता को कर्मयोग ही श्रेष्ठ ज्ञान पटना है, तथा पि अन्य परमत-जनहिष्णु सम्प्रदायों की भाँति उसका यह आग्रह नहीं, कि सन्यासमार्ग को सर्वथा त्याज्य मानना चाहिये। गीता में सन्यासमार्ग के सम्बन्ध में भी अनादरभाव नहीं दिखलाया गया है। इसके विरुद्ध भगवान् ने स्पष्ट कहा है, कि सन्यास और कर्मयोग दोनों मार्ग एक ही से निश्चयस्वरूप — मोक्ष-दायक — अथवा मोक्षदृष्टि में समान मूल्यवान् हैं। और आगे इस प्रकार की युक्तियों से इन दो भिन्न भिन्न मार्गों की एकरूपता भी कर दिखलाई है, कि "एक माय्य च योग च य एवमिति न पश्यति" (गी. ५. ५) — जिसे यह मालूम हो गया, कि ये दोनों मार्ग एक ही हैं — अर्थात् समान-बलवाले हैं — उसे ही सच्चा तत्त्वज्ञान हुआ। या 'कर्मयोग' ही, तो उसमें भी पताजा का सन्यास करना ही पड़ता है — "न ह्यगम्यन्मसद्गतयो मार्गा भवति चरन्व" (गी. ६. २)। यद्यपि ज्ञानप्राप्ति के अनन्तर (पहले ही नहीं) कर्म का सन्यास करना या कर्मयोग स्वीकार करना दोनों मार्ग माध्वदृष्टि में एक-ही ही माय्यता के हैं, तथापि लाजव्यवहार की दृष्टि में त्रिचाग्न पर यही मार्ग सर्वश्रेष्ठ है, कि बुद्धि में सन्यास रख कर — अर्थात् निरालाबुद्धि में देहेन्द्रियों के द्वारा जीवनपर्यन्त लोकमग्नकार्यक गव कार्य किय जायें। क्योंकि भगवान् का निश्चित उपदेश है कि इस उपाय में सन्यास और कर्म दोनों स्थिर रहते हैं। एव तदनुसार ही फिर अर्जुन युद्ध के लिये प्रवृत्त हुआ है। ज्ञानी और अज्ञानी में यही तो इतना भेद है। केवल शरीर अर्थात् देहेन्द्रियों के कर्म देऊ, ता दोनों का एक-ही हाथ ही, परन्तु अज्ञानी मनुष्य उन्हें ज्ञानबुद्धि से और ज्ञानी मनुष्य अनामनाबुद्धि में किया

करता है (गी. ३. २५) । भास कवि ने गीता के इस सिद्धान्त का वर्णन अपने नाटक में इस प्रकार किया है :-

प्राज्ञस्य मूर्खस्य च कार्ययोगे ।

समत्वमभ्येति तनुर्न बुद्धिः ॥

“ ज्ञानी और मूर्ख मनुष्यों के कर्म करने में शरीर तो एक-सा रहता है । परन्तु बुद्धि में भिन्नता रहती है ” (अविमार. ५. ५) ।

कुछ फुटकल संन्यासमार्गवालो का इस पर यह और कथन है, कि ‘गीता में अर्जुन को कर्म करने का उपदेश तो दिया गया है; परन्तु भगवान् ने यह उपदेश इस बात पर ध्यान दे कर किया है, कि अज्ञानी अर्जुन को चित्तशुद्धि के लिये कर्म करने का ही अधिकार था । सिद्धावस्था में भगवान् के मत से भी कर्मयोग ही श्रेष्ठ है ।’ इस युक्तिवाद का सरल भावार्थ यही दीख पड़ता है, कि यदि भगवान् यह कह देते, कि ‘अर्जुन ! तू अज्ञानी है,’ तो वह उसी प्रकार पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के लिये आग्रह करता, जिस प्रकार की कठोपनिषद् में नचिकेता ने किया था; और फिर तो उसे पूर्ण ज्ञान वतलाना ही पड़ता । एव यदि वैसा पूर्ण ज्ञान उसे वतलाया जाता, तो वह युद्ध छोड़ कर संन्यास ले लेता और तब तो भगवान् का भारतीय युद्धसम्बन्धी सारा उद्देश ही विफल हो जाता - इसी भय से अपने अत्यन्त प्रियभक्त को धोखा देने के लिये भगवान् श्रीकृष्ण ने गीता का उपदेश किया है ! इस प्रकार जो लोग सिर्फ अपने सम्प्रदाय का समर्थन करने के लिये भगवान् के मत्थे भी अत्यन्त प्रियभक्त को धोखा देने का निन्द्यकर्म मढ़ने के लिये प्रवृत्त हो गये, उनके साथ किसी भी प्रकार का वाद न करना ही अच्छा है । परन्तु सामान्य लोग इन भ्रामक युक्तियों में कहीं फँस न जावे; इसलिये इतना ही कह देते हैं, कि श्रीकृष्ण को अर्जुन से स्पष्ट शब्दों में यह कह देने के लिये डरने वा कोई कारण न था, ‘कि तू अज्ञानी है, इस लिये कर्म कर ।’ और इतने पर भी यदि अर्जुन कुछ गड़बड़ करता, तो उसे अज्ञानी रख कर ही उससे प्रकृतिधर्म के अनुसार युद्ध कराने का सामर्थ्य श्रीकृष्ण में था ही (गी. १८.५९ और ६१ देखो) । परन्तु ऐसा न कर बार बार ‘ज्ञान’ और ‘विज्ञान’ वतला कर ही (गी. ७. २; ९. १; १०. १; १३. २; १४. १), पन्द्रहवें अध्याय के अन्त में भगवान् ने अर्जुन से कहा है, कि “ इस शास्त्र को समझ लेने से मनुष्य ज्ञाता और कृतार्थ हो जाता है ” (गी. १५. २०) । इस प्रकार भगवान् ने उसे पूर्ण ज्ञानी बना कर उसकी इच्छा से ही उससे युद्ध करवाया है (गी. १८. ६३) । इससे भगवान् का यह अभिप्राय स्पष्ट रीति से सिद्ध होता है, कि ज्ञाता पुरुष को ज्ञान के पश्चात् भी निष्काम कर्म करते ही रहना चाहिये । और यही सर्वोत्तम पथ है । इसके अनिश्चित यदि एक बार मान भी लिया जाय, कि अर्जुन अज्ञानी था; तथापि उसको किये हुए उपदेश के समर्थन में जिन जनक प्रभृति प्राचीन कर्मयोगियों का और आगे भगवान् ने स्वयं अपना भी उदाहरण दिया है, उन सभी को अज्ञानी

नहीं कह सकते। इसीमें कहना पड़ता है, कि साम्प्रदायिक आग्रह की यह कोरी दलील मर्वया त्याग्य और अनुचित है; तथा गीता में ज्ञानयुक्त कर्मयोग का ही उपदेश दिया गया है।

अब तक यह बतलाया गया, कि मिद्धावस्था के व्यवहार के विषय में भी कर्म-त्याग (माध्य) और कर्मयोग (योग) ये दोनों मार्ग न केवल हमारे ही देश में, वरन् अन्य देशों में भी प्राचीन समय से प्रचलित पाये जाते हैं। अनन्तर, इस विषय में गीताशास्त्र के दो मुख्य मिद्धान्त बतलाये गये :- (१) ये दोनों मार्ग स्वतन्त्र अर्थात् मोक्ष की दृष्टि से परस्परनिरपेक्ष और तुल्यबल हैं, एक दूसरे का अरुण नहीं; (२) उनमें कर्मयोग ही अधिक प्रशस्त है। और इन दोनों मिद्धान्तों के अत्यन्त स्पष्ट होने हुए भी टीकाकारों ने इनका विषय किन प्रकार और क्यों दिया? इसी बात को दिखलाने के लिये यह मारी प्रस्तावना लिखनी पड़ी। अब गीता में दिये हुए उन कारणों का निष्पण किया जायगा, जो प्रस्तुत प्रकरण की इस मुख्य बात को मिद्ध करते हैं, कि मिद्धावस्था में भी कर्मत्याग की अपेक्षा आमरण कर्म करते रहने का मार्ग अर्थात् कर्मयोग ही अधिक श्रेयस्कर है। इनमें से कुछ बातों का खुलासा तो 'सुखदुःखविद्वेक' नामक प्रकरण में पहले ही हो चुका है। परन्तु वह विवेचन था सिर्फ सुखदुःख का। इसलिये वहाँ इस विषय की पूरी चर्चा नहीं की जा सकी। अतएव इस विषय की चर्चा के लिये ही यह स्वतन्त्र प्रकरण लिखा गया है। वैदिक धर्म के दो भाग हैं : कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्ड। पीछे प्रकरण में उनके भेद बतला दिये गये हैं। कर्मकाण्ड में अर्थात् ब्राह्मण आदि श्रौत ग्रन्थों में और अंगनः उपनिषदों में भी ऐसे स्पष्ट वचन हैं, कि प्रत्येक गृहस्थ - फिर चाहे वह ब्राह्मण हो या क्षत्रिय - अग्निहोत्र करके यथाधिकार ज्योतिष्टोम आदिक यज्ञयाग करे; और विवाह करके वंश बढ़ावे। उदाहरणार्थ, "एतद्दे जराभयं सत्र यदग्निहोत्रम्" - इस अग्निहोत्रम् को मरणपर्यन्त जारी रखना चाहिये (श. श. १२. ४. १. १) "प्रजातन्तु मा व्यवच्छेत्सी।" - वंश के धागे को टूटने न हो (श. उ. १. ११. १)। अथवा 'ईशावास्यमिदं सर्वम्' - मगार में जो कुछ है, उसे परमेश्वर ने अधिष्ठित करे - अर्थात् ऐसा समझे, कि भोग कुछ नहीं, उमी का है। और इस निष्कामबुद्धि से :-

शुच्यन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः ।

एवं तपि नाप्यपेनोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥

"कर्म करने रह कर ही नौ वर्ष अर्थात् आयुष्य की मर्यादा के अन्त तक ज्ञान की इच्छा रखे। एवं ऐसी ईशावास्य बुद्धि से कर्म करेगा, तो उन कर्मों का तुझे (पुरुष को) क्लेश (बन्धन) नहीं लगेगा। इनके अतिरिक्त (केवल अथवा बन्धन में बचने के लिये) दूसरा मार्ग नहीं है" (ईश १ और २) इत्यादि वचनों को देखो। परन्तु जय हम

कर्मकाण्ड से ज्ञानकाण्ड में जाते हैं, तब हमारे वैदिक ग्रन्थों में ही अनेक विरुद्धपक्षीय वचन भी मिलते हैं। जैसे “ब्रह्मविदाप्नोति परम्” (तै. २.१.१) - ब्रह्मज्ञान से मोक्ष प्राप्त होता है। “नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय” (श्व. ३.८) - विना ज्ञान के मोक्षप्राप्ति का दूसरा मार्ग नहीं है। “पूर्वं विद्वासः प्रजा न कामयन्ते । किं प्रजया करिष्यामो येपा नोऽयमात्माऽयं लोक इति ते ह स्म पुत्रैपणायाश्च वित्तेपणायाश्च लोकैपणायाश्च व्युत्थायाथ भिक्षाचर्यं चरन्ति” (वृ. ४.४.२२ और ३.५.१) - प्राचीन ज्ञानी पुरुषों को पुत्र आदि की इच्छा न थी; और यह समझ कर (कि जब समस्त लोक ही हमारा आत्मा हो गया है, तब हमें (दूसरी) सन्तान किस लिये चाहिये ?) वे लोग सन्तति, सम्पत्ति और स्वर्ग आदि में से किसी की भी ‘एपणा’ अर्थात् चाह नहीं करते थे। किन्तु उससे निवृत्त हो कर वे ज्ञानी पुरुष भिक्षाटन करते हुए धुमा करते थे। अथवा “इस रीति से जो लोक विरक्त हो जाते हैं, उन्हीं को मोक्ष मिलता है” (मु. १.२.११)। या अन्त में “यदहरेव विरजेत् प्रव्रजेत्” (जावा. ४) - जिस दिन बुद्धि विरक्त हो उसी दिन संन्यास ले ले। इस प्रकार वेद की आज्ञा द्विविध अर्थात् दो प्रकार की होने से (म भा. शा. २४०.६) प्रवृत्ति या कर्मयोग और साध्य, इमसे जो श्रेष्ठ मार्ग हो, उसका निर्णय करने के लिये यह देखना आवश्यक है, कि कोई दूसरा उपाय है या नहीं? आचार अर्थात् शिष्ट लोगों के व्यवहार या रीति-भाति को देख कर इस प्रश्न का निर्णय हो सकता है। परन्तु इस सम्बन्ध में शिष्टाचार भी उभयविध अर्थात् दो प्रकार का है। इतिहास से प्रकट होता है, कि शुक और याज्ञवल्क्य प्रभृति ने तो संन्यासमार्ग का - एव जनक, श्रीकृष्ण और जैगीपव्य प्रमुख ज्ञानी पुरुषों ने कर्मयोग का ही अवलम्बन किया था। इसी अभिप्राय से सिद्धान्त पक्ष की दलील में बादरायणाचार्य ने कहा है, ‘तुन्य तु दर्शनम्’ (वे. सू. ३.४.९) - अर्थात् आचार की दृष्टि से ये दोनों पन्थ समान बलवान् हैं। स्मृतिवचनः भी ऐसा है :-

विवेकी सर्वदा मुक्तः कुर्वता नास्ति कर्तृता ।
अलेपवादमाश्रित्य श्रीकृष्णजनकौ यथा ॥

अर्थात् “पूर्ण ब्रह्मज्ञानी पुरुष सब कर्म करके भी श्रीकृष्ण और जनक के समान अकर्ता, अलिप्त एव सर्वदा मुक्त ही रहता है।” ऐसा ही भगवद्गीता में भी कर्मयोग की परम्परा बतलाते हुए मनु, इक्ष्वाकु आदि के नाम बतला कर कहा है, कि “एयं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः ।” (गी ४.१५) - ऐसा जान कर प्राचीन जनक आदि ज्ञानी पुरुषों ने कर्म किया। योगवासिष्ठ और भागवत में जनक के सिवा उन्नी प्रकार के दूसरे बहुत-से उदाहरण दिये गये हैं (यो. ५.७५; भाग. २.८.४३-८५)।

* यह स्मृतिवचन मान कर आनन्दगिरि ने कठोपनिषद् (२. १९) के शाङ्करभा-रकी टीका में उद्धृत किया है। नहीं मात्र यह कहीं का वचन है।

यदि किसी को शका हो, कि जनक आदि पूर्ण ब्रह्मज्ञानी न थे; तो योगवासिष्ठ में स्पष्ट लिखा है, कि ये मत्र 'जीवन्मुक्त' थे। योगवासिष्ठ में ही क्यों? महाभारत में भी क्या है, कि ध्यासजी ने अपने पुत्र शुक्र को मोक्षधर्म का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेने के लिये अन्त में जनक के यहाँ भेजा था (म. भा. शां. ३२५ और यो. २. १ देखो)। इसी प्रकार उपनिषदों में भी कथा है, कि अश्वपति कैकेय राजा ने उद्दालक ऋषि को (छा. ५. ११-२४) और काशिराज अजातशत्रू ने गार्ग्य बालाकी को (नृ. २. १) ब्रह्मज्ञान सिखाया था। परन्तु यह वर्णन कही नहीं मिलता, कि अश्वपति या जनक ने राजपाट छोड़ कर कर्मत्यागरूप संन्यास ले लिया। इसके विपरीत जनकसुलभासंवाद में जनक ने स्वयं अपने विषय में कहा है, कि "हम मुक्तसदग हो कर - आसक्ति छोड़ कर - राज्य करते हैं। यदि हमारे एक हाथ को चन्दन लगाया और; दूसरे के छील टाला; तो भी उसका सुख और दुःख हमें एक-सा ही है।" अपनी स्थिति का इस प्रकार वर्णन कर (म. भा. शां. ३२०. २६) जनक ने आगे सुलभा से कहा है :-

मोक्षे हि त्रिविधा निष्ठा दृष्टान्यर्भोक्षवित्तमैः ।

ज्ञानं लोकोत्तरं यच्च सर्वत्यागश्च कर्मणाम् ॥

ज्ञाननिष्ठां वदन्त्येके मोक्षशास्त्रविदो जनाः ।

कर्मनिष्ठां तथैवान्ये धृतयः सूक्ष्मदर्शिनः ॥

प्रहायोमयमप्येवं ज्ञानं कर्म च केवलम् ।

तृतीयैयं सामाख्याता निष्ठा तेन महात्माना ॥

अर्थात् "मोक्षशास्त्र के ज्ञाता मोक्षप्राप्ति के लिये तीन प्रकार की निष्ठाएँ बतलाते हैं :- (१) ज्ञान प्राप्त कर सब कर्मों का त्याग कर देना - इसी को कुछ मोक्षशास्त्रज्ञ ज्ञाननिष्ठा कहते हैं। (२) इसी प्रकार दूसरे सूक्ष्मदर्शी लोक कर्मनिष्ठा बतलाते हैं। परन्तु केवल ज्ञान और केवल कर्म - इन दोनों निष्ठाओं को छोड़ कर (३) यह तीसरी (अर्थात् ज्ञान से आसक्ति का क्षय कर धर्म करने की) निष्ठा (मुझे) उम महात्मा (पञ्चनिष्ठ) ने बतलाई है" (म. भा. शां. ३२०. ३८-४०)। निष्ठा शब्द का सामान्य अर्थ अग्निम स्थिति, आधार या अवस्था है। परन्तु उम स्थान पर और गीता में भी निष्ठा शब्द का अर्थ 'मनुष्य के जीवन का वह मार्ग, ढँग, रीति या उपाय है, जिसमें आयु बिताने पर अन्त में मोक्ष की प्राप्ति होती है। गीता पर जो शास्त्ररमाप्य है, उममें भी निष्ठा - अनच्छेयतात्पर्यम् - अर्थात् आयुष्य या जीवन में कुछ अनुच्छेय (आचरण करने योग्य) हो, उममें तत्परणा (निमग्न रहना) यही अर्थ लिया है। आयुष्यक्रम या जीवनक्रम के इन मार्गों में जैमिनि प्रमुख भोगानुभवों ने ज्ञान ही महत्त्व नहीं दिया है, किन्तु यह कहा है, कि यत्रयाग आदि कर्म करने में ही मोक्ष की प्राप्ति होती है -

ईजाना बहुभिः यज्ञैः ब्राह्मणा वेदपारगाः ।

शास्त्राणि चैत्प्रमाणं स्युः प्राप्तास्ते परमां गतिम् ॥

क्योंकि, ऐसा न मानने से शान्त्र की अर्थात् वेद की आज्ञा व्यर्थ हो जावेगी (जै. सू. ५. २. ९३ पर शावरभाष्य देखो) और उपनिषत्कार तथा वादरायणाचार्य ने यह निश्चय कर — कि यज्ञयाग आदि सभी कर्म गौण हैं — मिद्वान्त किया है, कि मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान से ही होती है। ज्ञान के सिवा और किसी से भी मोक्ष का मिलना शक्य नहीं (वे. सू. ३. ४. १, २) । परन्तु जनक कहते हैं, कि इन दोनों निष्ठाओं को छोड़ कर आसक्तिविरहित कर्म करने की एक तीसरी ही निष्ठा पञ्चशिख ने (स्वयं साध्यमार्गी हो कर भी) हमें बतलाई है। 'दोनों निष्ठाओं को छोड़ कर' इन शब्दों से प्रकट होता है, कि यह तीसरी निष्ठा, पहली दो निष्ठाओं में से किसी भी निष्ठा का अङ्ग नहीं — प्रत्युत स्वन्त्र रीति से वर्णित है। वेदान्तशास्त्र (३ ४ ३२-३५) में भी जनक की इस तीसरी निष्ठा का उल्लेख किया गया है, और भगवद्गीता में जनक की उसी तीसरी निष्ठा का — इमीमे भक्ति का नया योग करके — वर्णन किया गया है। परन्तु गीता का तो यह सिद्धान्त है, कि मोक्षार्थको का केवल कर्मयोग अर्थात् ज्ञानविरहित कर्ममार्ग मोक्षदायक नहीं है। वह केवल स्वर्गप्रद है। (गी. २. ४२-४४; ९. २१) इसलिये जो मार्ग मोक्षप्रद नहीं है, उसे 'निष्ठा' नाम ही नहीं दिया जा सकता। क्योंकि यह व्याख्या सभी को स्वीकृत है, कि जिसमें अन्त में मोक्ष मिले, उसी मार्ग को 'निष्ठा' कहना चाहिये। अतएव सब मतों का सामान्य विवेचन करते समय यद्यपि जनक ने तीन निष्ठाएँ बतलाई हैं, तथापि मोक्षार्थको का केवल (अर्थात् ज्ञानविरहित) कर्ममार्ग 'निष्ठा' में से पृथक् कर सिद्धान्तपक्ष में स्थिर होनेवाली दो निष्ठाएँ ही गीता के तीसरे अध्याय के आरम्भ में कही गई हैं (गी. ३. ३)। केवल ज्ञान (सांख्य) और ज्ञानयुक्त निष्कामकर्म (योग) यही दो निष्ठाएँ हैं। और सिद्धान्तपक्षीय इन दोनों निष्ठाओं में से दूसरी (अर्थात् जनक के कथनानुसार तीसरी) निष्ठा के समर्थनार्थ यह प्राचीन उदाहरण दिया गया है, कि "कर्मणैव हि ससिद्धिमास्थिता जनकादया" — जनक प्रभृति ने इस प्रकार 'कर्म' करके ही सिद्धि पाई है'। जनक आदिक क्षत्रियों की बात छोड़ दे; तो यह सर्वश्रुत है ही, कि व्यास ने विचित्रवीर्य के वंश की रक्षा के लिये धृतराष्ट्र और पाण्डु, दो क्षत्रज पुत्र निर्माण किये थे। और तीन वर्ष तक निरन्तर परिश्रम करके ससार के उद्धार के निमित्त उन्होंने महाभारत भी लिखा है। एव कलिमुग में स्मार्त अर्थात् संन्यासमार्ग के प्रवर्तक श्रीशङ्कराचार्य ने भी अपने अली-किक ज्ञान तथा उद्योग से धर्मसंस्थापना का कार्य किया था। कहां तक कहे? जब स्वयं ब्रह्मदेव कर्म करने के लिये प्रवृत्त हुए, तभी सृष्टि का आरम्भ हुआ है। ब्रह्मदेव से ही मरीचि प्रभृति सात मानसपुत्रों ने उत्पन्न हो कर संन्यास न ले, सृष्टिक्रम को जारी रखने के लिये मरणपर्यन्त प्रवृत्तिमार्ग का ही अङ्गीकार किया; और सनत्कुमार

प्रभृति दूसरे मान मानसपुत्र जन्म में ही विरक्तता अर्थात् निवृत्तिपन्थी हुए—इस क्या का उल्लेख महाभारत में वर्णित नारायणीय-धर्मनिष्पन्न में है (म भा शा. ३३९ अंग ३४०)। ब्रह्मज्ञानी पुण्यों ने और ब्रह्मदेव ने भी कर्म करते रहने के इस प्रवृत्तिमार्ग का क्या अङ्गीकार किया? इसकी उपपत्ति वेदान्तमूल में इस प्रकार दी है. 'दादवप्रिवारमवन्मिनिरिधिवारिणाम्' (वे सू ३.३.३०) — जिसका जो ईश्वरनिर्मित अधिकार है, उसके पूरे न होने तक कार्यों में छुट्टी नहीं मिलती। इस उपपत्ति की जाँच आगे की जावेगी। उपपत्ति कुछ ही क्यों न हो? पर यह बात निर्विवाद है, कि प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों पन्थ ब्रह्मज्ञानी पुण्यों में समान के आरम्भ में प्रचलित हैं। हमें यह भी प्रसन्न है, कि उनमें से किसी के श्रेष्ठता का निर्णय सिर्फ जाचार की ओर ध्यान दे कर किया नहीं जा सकता।

इस प्रकार पूर्वाचार द्विविध होने के कारण केवल आचार में ही यद्यपि यह निर्णय नहीं हो सकता, कि निवृत्ति श्रेष्ठ है या प्रवृत्ति? (तथापि मन्त्राममार्ग के लोगों की यह दूसरी दृष्टि है, कि यदि यह निर्विवाद है, कि बिना कर्मबन्ध में छूटे मोक्ष नहीं होता, तो ज्ञानप्राप्ति ही जाने पर तृणामुत्र कर्मों का झगडा जितनी जल्दी हो सके, तोड़ने में ही श्रेय है। महाभारत के शुकानुशामन में — इसी को 'शुकानुश्रव' भी कहते हैं—मन्त्राममार्ग का ही प्रतिपादन है। वहाँ शुकने व्यासजी से पूछा है :-

यदिदं वेदवच नं कुरु कर्म त्यजेति च ।

या दिशं विद्यया यान्ति या च गच्छन्ति कर्मणा ॥

“वेद, कर्म करने के लिये भी ब्रह्मा है और छोड़ने के लिये भी। तो अप्र मुझे बतलाइये, कि विद्या में अर्थात् कर्मरहित ज्ञान में और केवल कर्म में कौन-सी गति मिलती है?” (भा २८०.९) इनके उत्तर में व्यासजी ने कहा है :-

कर्मणा व्यथ्यते जन्तुर्विद्यया तु प्रमुच्यते ।

तस्मान्कर्म न कुर्यन्ति यतयः पारदर्शिनः ॥

“कर्म में प्राणी बंधा जाता है। और विद्या में मुक्त हो जाता है। इसी में पारदर्शी यदि व्यवसाय मन्त्रामी कर्म नहीं करते” (भा २८०.७)। इस श्लोक के पहले श्रुति का विवेचन हम पीछे प्रकरण में कर आये हैं। 'कर्मणा व्यथ्यते जन्तुर्विद्यया तु प्रमुच्यते' इस निदान पर कुछ वाद नहीं है। परन्तु स्मरण रहे, कि वहाँ यह दिखाना है, कि 'कर्मणा व्यथ्यते' या विचार करने में निद्विधाता है, कि यह व्यवसाय व्यथन कर्म किसी का न ता बाध करता है और न छोड़ सकता है, मनुष्य फलाना में व्यवसाय अपनी आर्माक्ति में कर्मों में बंधा जाता है। इस आर्माक्ति न अलग हो कर वह यदि केवल याज्ञ इन्द्रिया में कर्म करे, तब भी वह मुक्त ही है। रामचन्द्रजी इसी अर्थ का मत में एक बार व्याख्यान रामायण (२ ८ ८०) में लक्ष्मण ने बहुत ही, कि -

प्रवाहपतितः कार्यं कुर्वन्नपि न लिप्यते ।

वाह्ये सर्वत्र फर्तृत्वमावहन्नपि राघव ॥

“कर्ममय ससार के प्रवाह में पडा हुआ मनुष्य वाहरी सब प्रकार के कर्तव्यकर्म करके भी अलिप्त रहता है ।” अध्यात्मशास्त्र के इस सिद्धान्त पर ध्यान देने से दीख पडता है, कि कर्मों को दुःखमय भान कर उनके त्यागने की आवश्यकता ही नहीं रहती । मन को शुद्ध और सम करके फलाशा छोड देने से ही सब काम हो जाता है । तात्पर्य यह, कि यद्यपि ज्ञान और काम्यकर्म का विरोध हो, तथापि निष्कामकर्म और ज्ञान के बीच कोई भी विरोध हो नहीं सकता । इसी से अनुगीता में ‘तस्मात्कर्म न कुर्वन्ति’ - अतएव कर्म नहीं करते - इस वाक्य के बदले,

तस्मात्कर्मसु निःस्नेहा ये केचित्पारदर्शिनः ।

“इससे पारदर्शी पुरुष कर्म में आसक्ति नहीं रखते” (अश्व. ५१. ३३) यह वाक्य आया है । इससे पहले कर्मयोग का स्पष्ट प्रतिपादन किया गया है । जैसे :-

कुर्वन्ते ये तु कर्माणि श्रद्धाना विपश्चितः ।

अनाशीयोगिसंयुक्तास्ते घोराः साधुदर्शिनः ॥

अर्थात् “जो ज्ञानी पुरुष श्रद्धा से फलाशा न रख कर (कर्म) योगमार्ग का अवलम्ब करके कर्म करते हैं, वे ही साधुदर्शी हैं” (अश्व ५०. ६ ७) । इसी प्रकार -

यदिदं वेदवचनं कुरु कर्म त्यजेति च ।

स पूर्वार्धं मे जुडा हुआ ही, वनपर्व में युधिष्ठिर को शौनक का यह उपदेश है -

तस्माद्दर्मानिमान् सर्वाङ्गाभिमानात् समाचरेत् ।

अर्थात् “वेद में कर्म करने और छोडने की भी आज्ञा है; इसलिये (कर्तृत्व का) अभिमान छोड कर हमें अपने सब कर्म करना चाहिये” (वन. २. ७३) । शुकानुप्रश्न में भी व्यासजी ने शुक से दो बार स्पष्ट कहा है, कि :-

एषा पूर्वतरा वृत्तिर्ब्राह्मणस्य विधीयते ।

ज्ञानवानेव कर्माणि कुर्वन् सर्वत्र सिध्यति ॥

“ब्राह्मण की पूर्व की पुरानी (पूर्वतर) वृत्ति यही है, कि ज्ञानवान् हो कर सब काम करके सिद्धि प्राप्त करे” (म भा शा. २३७. १, २३४ २९) । यह भी प्रकट है, कि यहाँ ‘ज्ञानवानेव’ पद से ज्ञानोत्तर और ज्ञानयुक्त कर्म ही विवक्षित है । अब यदि दोनो पक्षों के उक्त सब वचनों का निराग्रह बुद्धि से विचार किया जाय, तो मालूम होगा, कि ‘कर्मणा वध्यते जन्तु.’ इस दलील से सिर्फ कर्मत्यागविषयक यह एक ही अनुमान निष्पन्न नहीं होता, कि ‘तस्मात्कर्म न कुर्वन्ति’ (इससे काम नहीं करते), किन्तु उसी दलील से यह निष्काम कर्मयोगविषयक दूसरा अनुमान भी उतनी ही योग्यता का सिद्ध होता है, कि ‘तस्मात्कर्मसु निःस्नेहाः’ - इससे कर्म में आसक्ति

नहीं रखते। सिर्फ हम ही इस प्रकार के दो अनुमान नहीं करते; बल्कि व्यामजी ने भी यही अर्थ शुकानुप्रश्न के निम्न श्लोक में स्पष्टतया बतलाया है :-

द्वाविभावयं पन्थानी यस्मिन् वेदाः प्रतिष्ठिताः ।
प्रवृत्तिलक्षणो धर्मः निवृत्तिश्च विभाषितः ॥६॥

“इन दोनों मार्गों को वेदों का (एक-सा) आधार है - एक मार्ग प्रवृत्तिविषयक धर्म का और दूसरा निवृत्ति अर्थात् संन्यास लेने का है” (म. भा. शां. २४०. ६) । पहले लिख ही चुके हैं, कि इसी प्रकार नारायणाय धर्म में भी इन दोनों पन्थों का पृथक् पृथक् स्वतन्त्र रीति से, एवं सृष्टि के आरम्भ से प्रचलित होने का वर्णन किया गया है। परन्तु स्मरण रहे, कि महाभारत में प्रमद्गानुमार इन दोनों पन्थों का वर्णन पाया जाता है। इसलिये प्रवृत्तिमार्ग के साथ ही निवृत्तिमार्ग के समर्थक वचन भी उन्हीं महाभारत में ही पाये जाते हैं। गीता की सन्यासमार्गीय टीकाओं में निवृत्तिमार्ग के इन वचनों को ही मुख्य ममज्ञ कर ऐसा प्रतिपादन करने का प्रयत्न किया गया है, मानो इसके सिवा और दूसरा पन्थ ही नहीं है; और यदि हो भी, तो वह गौण है। अर्थात् संन्यासमार्ग का केवल अङ्ग है) परन्तु यह प्रतिपादन साम्प्रदायिक आग्रह का है; और इसी से गीता का अर्थ सरल एवं स्पष्ट रहने पर भी आजकल बहुतां को दुर्बोध हो गया है। “लोकैस्मिन्द्विविधा निष्ठा” (गी. ३. ३) इन श्लोक की बराबरी का ही ‘द्वाविभावयं पन्थानी’ यह श्लोक है। इससे प्रकट होता है, कि इस स्थान पर दो ममान-बलवाले मार्ग बतलाने का हेतु है। परन्तु इन स्पष्ट अर्थ की ओर अथवा पूर्वापार सन्दर्भ की ओर ध्यान न देकर कुछ लोग इसी श्लोक में यह दिग्बलाने का यत्न किया करने हैं, कि दोनों भागों के बदले एक ही मार्ग प्रतिपाद्य है।

(इस प्रकार यह प्रकट हो गया, कि कर्मसंन्यास (साधन) और निष्काम कर्म (योग), दोनों वैदिक धर्म के स्वतन्त्र मार्ग हैं और उनके विषय में गीता का यह निश्चिन्ता सिद्धान्त है, कि वे वैकल्पिक नहीं हैं। किन्तु ‘संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग की योग्यता विशेष है।) अथ कर्मयोग के सम्बन्ध में गीता में श्रागे कहा है, कि जिन मत्सर में हम रहते हैं, वह मत्सर और उम में हमारा क्षणभर जीवित रहना भी कर्म ही है; तब कर्म छोड़कर जावे क्यों? और यदि इन मत्सर में अर्थात् कर्मभूमि में ही रहना हो, तो कर्म छूटने ही क्यों? हम यह प्रत्यक्ष देखते हैं, कि जब तक देह है, तब तक भूय और प्यास जैसे विचार नहीं छूटते हैं (गी. ५. ८, ९) और उनके निवारणार्थ भिक्षा भोगना जैसा लज्जित कर्म करने के लिये भी संन्यासमार्ग के अनुसार यदि स्वयन्त्रता है, तो जनामकावृद्धि से अन्य व्यावहारिक गाम्भ्रांस कर्म करने के

* इस अन्तिम वचन के ‘निवृत्तिश्च विभाषितः’ और ‘निवृत्तिश्च विभाषितः’ ऐसे पाठभेद भी हैं। पाठभेद कुछ भी हो, पर प्रथम ‘द्वाविभाषी’ यह अर्थ है, जिससे इतना तो निर्विवाद सिद्ध होता है, कि दोनों पन्थ स्वतन्त्र हैं।

लिये ही प्रत्यवाय कौन-सा है ? यदि कोई इस डर से अन्य कर्मों का त्याग करता हो, कि कर्म करने से कर्मपाश में फँस कर ब्रह्मानन्द से वञ्चित रहेंगे; अथवा ब्रह्मात्मैक्य रूप अद्वैतबुद्धि विचलित हो जायगी; तो कहना चाहिये, कि अब तक उसका मनोनिग्रह कच्चा है। और मनोनिग्रह के कच्चे रहते हुए किया हुआ कर्मत्याग गीता के अनुसार मोह का अर्थात् तामम् अथवा गिह्याचरण है (गी. १८. ७; ३. ६)। ऐसी अवस्था में यह अर्थ आप-ही-आप प्रकट होता है, कि ऐसे कच्चे मनोनिग्रह को चित्तशुद्धि के द्वारा पूर्ण करने के लिये निष्कामबुद्धि बढ़ानेवाला यज्ञ, दान प्रभृति गृहस्थाश्रम के श्रौत या स्मार्त कर्म ही इस मनुष्य को करना चाहिये। साराश, ऐसा कर्मत्याग कभी श्रेयस्कर नहीं होता। यदि कहें, कि मन निर्विवाद है; और वह उसके अधीन है; तो फिर उसे कर्म का डर ही किसलिये है? अथवा कर्मों के न करने का व्यर्थ आग्रह ही वह क्यों करे? बरसाती छत्ते की परीक्षा जिस प्रकार पानी में ही होती है, उमी प्रकार या—

विकारहेतौ सति विप्रियन्ते, येषां न चेतांसि त एव धीराः ।

“जिन कारणों से विकार उत्पन्न होता है, वे कारण अथवा विषय दृष्टि के आगे रहने पर भी जिनका अन्तःकरण मोह के पञ्जे में नहीं फँसता, वे ही पुरप धैर्यशाली कहे जाते हैं” (कुमार. १. ५९) — कालिदास के इस व्यापक न्याय से कर्मों के द्वारा ही मनोनिग्रह की जाँच हुआ करती है; और स्वयं कार्यकर्ता को तथा और लोगो को भी ज्ञात हो जाती है, कि मनोनिग्रह पूर्ण हुआ या नहीं। इस दृष्टि से भी यही सिद्ध होता है, कि शास्त्र से प्राप्त (अर्थात् प्रवाहपतित) कर्म करना ही चाहिये (गी. १८. ६)। अच्छा; यदि कहो, कि ‘मन वश में है; और यह डर भी नहीं, कि जो चित्तशुद्धि प्राप्त हो चुकी है, वह कर्म करने से विगड जावेगी। परन्तु ऐसे व्यर्थ कर्म करके शरीर को कष्ट देना नहीं चाहते, कि जो मोक्षप्राप्ती के लिये आवश्यक है;’ तो यह कर्मत्याग ‘राजस’ कहलावेगा। क्योंकि यह कायक्लेश का भय केवल इस क्षुद्र बुद्धि में किया गया है, कि देह को कष्ट होगा। और त्याग से जो फल मिलना चाहिये, वह ऐसे ‘राजस’ कर्मत्यागी को नहीं मिलता (गी. १८. ८)। फिर यही प्रश्न है, कि कर्म छोड़ ही क्यों? यदि कोई कहे, कि ‘सब कर्म मायासृष्टि के हैं; अतएव अनित्य हैं। इससे इन कर्मों की झञ्झट में पड जाना ब्रह्मसृष्टि के नित्य आत्मा को उचित नहीं।’ तो यह भी ठीक नहीं है। क्योंकि जब स्वयं परब्रह्म ही माया से आच्छादित है, तब यदि मनुष्य भी उसी के अनुसार माया में व्यवहार करे, तो क्या हानि है? मायासृष्टि और ब्रह्मसृष्टि के भेद से जिस प्रकार इस जगह के दो भाग किये गये हैं, उसी प्रकार आत्मा और देहेन्द्रियो के भेद से मनुष्य के भी भाग हैं। इनमें से आत्मा और ब्रह्म का संयोग करके ब्रह्म में आत्मा का लय कर दो। और इम ब्रह्मात्मैक्यज्ञान से बुद्धि को निःसङ्ग रख कर केवल मायिक देहेन्द्रियो द्वारा मायासृष्टि के व्यवहार किया करो। बस; इस प्रकार बर्ताव करने से मोक्ष में कोई प्रतिवन्ध न आवेगा। और उक्त दोनो मार्गों का जोडा आपस में मिल जाने से सृष्टि के किसी भाग की उपेक्षा

या विच्छेद करने का दोष भी न लगेगा; तथा ब्रह्ममृष्टि एव मायामृष्टि—परलोक और इहलोक—दोनों के बर्तव्यपालन का श्रेय भी मिल जायगा। ईशोपनिषद् में इसी तत्त्व का प्रतिपादन है (ईश ११)। श्रुतिवचनो का आगे विचाररहित विचार किया जावेगा। यहाँ इतना ही कह देते हैं, कि गीता में जो कहा है, कि “ब्रह्मात्मिक्य के अनुभवी ज्ञानी पुरुष मायामृष्टि के व्यग्रहार केवल शरीर अथवा केवल इन्द्रियों से ही करते हैं” (गी ४ २१, ५.१२) उसका तात्पर्य भी वही है; और इसी उद्देश से अठारहवें अध्याय में यह सिद्धान्त दिया है, कि “निम्नद्वगवृद्धि से, फलाशा छोड़कर (केवल कर्तव्य समझ कर) कर्म करना ही मच्चा ‘मात्स्विक’ कर्मत्याग है”—कर्म छोटना सच्चा कर्मत्याग नहीं है (गीता १८ ९)। कर्म मायामृष्टि के ही क्यों न हों, परन्तु किसी अगम्य उद्देश में परमेश्वर ने ही तो उन्हें बनाया है। उनको बन्द करना मनुष्य के अधिकार की बात नहीं। वह परमेश्वर के अधीन है। अतएव यह बात निर्विवाद है, कि बुद्धि निम्नद्वग रख कर केवल शारीर कर्म करने में वे मोक्ष के वाग्रव नहीं हों। तब चित्त को विरक्त कर केवल इन्द्रियों में शाम्भ्रमिद्ध कर्म करने में हानि ही क्या है? गीता में कहा ही है, कि—

“न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यनमकृतम्” (गी ३ ५, १८.११)—इस जगत् में कोई एक क्षणभर भी प्रिना कर्म के रह नहीं सकता। और अनुगीता में कहा है; “नैष्यम्यं न च लोकेऽस्मिन् मुहूर्तमपि लभ्यते” (अश्व २० ७) (—उस लोक में (किसी से भी) घटीभर के लिये भी कर्म नहीं छूटते। मनुष्यों की तो विमात ही क्या। सूर्यचन्द्र प्रभृति भी निरन्तर कर्म ही करते रहते हैं। अधिन क्या बने? यह निश्चित सिद्धान्त है, कि कर्म ही मृष्टि और सृष्टि ही कर्म है। इसीलिये हम प्रत्यक्ष देखते हैं, कि मृष्टि की घटनाओं को (अथवा कर्म को) क्षणभर के लिये भी विग्राम नहीं मिलता। देखिये, एक ओर भगवान् गीता में कहते हैं—“कर्म छोड़ने में खाने को भी न मिलेगा” (गी ३ ८), दूसरी ओर वनपर्व में द्रौपदी मुषिष्टि में कहती है—“अकर्मणा वै भूताना वृत्ति स्वाप्न हि काचन” (३० ८) अर्थात् कर्म के प्रिना प्राणिमात्र का निर्वाह नहीं, और इसी प्रकार दामवोध में पहले ब्रह्मज्ञान बनला कर श्रीनमर्ष गमदाम्बामी भी कहते हैं, “यदि प्रपञ्च छाड कर परमार्थ बगोगे, तो खा न के लिये अन्न भी न मिलेगा” (दा १२.१ ३)। अच्छा, भगवान् का ही चरित्र देखो। मालूम होगा, कि आप प्रत्येक युग में भिन्न भिन्न अवतार के कर उम मायिक जगत् में नाद्युआ की रक्षा और दुष्टा का विनाशक कर्म करते आ रहे हैं (गी ४.८ और म भा शा ३३० १०३ देखा)। उन्होंने ने गीता में कहा है, कि यदि मैं ये कर्म न करूँ, तो समाज उजड़ कर नष्ट हो जावेगा (गी ३ २४)। इसमें निश्चय होता है, कि जब स्वयं भगवान् जगत् का धारणार्थ कर्म करते हैं, तब इस कथन में क्या प्रमाणा है, कि ज्ञानान्तर कर्म निरर्थक है? अतएव “य किञ्चिद्वात् स पण्डितः” (म भा वन ३१० १०८)—जो श्रियावान् है, वही पण्डित है—उस न्याय के

अनुसार अर्जुन को निमित्त कर भगवान् सब को उपदेश करते हैं, कि जग कर्म किसी से छूट नहीं सकते। कर्मों की बाधा से बचने के लिये मनुष्य अपने अनुसार प्राप्त कर्तव्य को फलाशा त्याग कर अर्थात् निष्कामबुद्धि से सदा करता रहनी ही एक मार्ग (योग) मनुष्य के अधिकार में है, और यही उत्तम भी है। प्र तो अपने व्यवहार सदैव ही करती रहेगी। परन्तु उसमें कर्तृत्व के अधिमान की छोड़ देने से मनुष्य मुक्त ही है (गी ३ २७, १३ २९, १४ १९, १८ १६)। म के लिये कर्म छोड़ने की या साध्यो के कथनानुसार कर्मसंन्यासरूप वैराग्य की जर नहीं। क्योंकि इस कर्मभूमि में कर्म का पूर्णतया त्याग कर डालना शक्य ही नहीं है।

इस पर भी कुछ लोग कहते हैं - हाँ, माना कि कर्मबन्ध तोड़ने के लिये छोड़ने की जरूरत है, सिर्फ कर्मफलाशा छोड़ने से ही सब निर्वहि हो जाता परन्तु जब ज्ञानप्राप्ति से हमारी बुद्धि निष्काम हो जाती है, तब सब वासनाओं क्षय हो जाता है, और कर्म करने की प्रवृत्ति होने के लिये कोई भी कारण नहीं जाता। तब ऐसी अवस्था में अर्थात् वासना के क्षय से - कायावलेषभय से नहीं सब कर्म आप-ही-आप छूट जाते हैं। इस ससार में मनुष्य का परम पुरुषार्थ में ही है। जिसे ज्ञान से वह मोक्ष प्राप्त हो जाता है, उसे प्रजा, सम्पत्ति अथवा स्वर्ग लोको के मुख में से किसी की भी 'एषणा' (इच्छा) नहीं रहती (बृ ३ ५ और ४४ २२)। इसलिये कर्मों को छोड़ने पर भी अन्त में उस ज्ञान का स्वाभाविक परिणाम यही हुआ करता है, कि कर्म आप-ही-आप छूट जाते हैं। इसी अभिप्राय उत्तरगीता में कहा है -

ज्ञानामृतेन तृप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिनः ।

न चास्ति किञ्चित्कर्तव्यमस्ति चेन्न स तत्त्ववित् ॥

“ज्ञानामृत पी कर कृतकृत्य हो जानेवाले पुरुष का फिर आगे कोई कर्तव्य नहीं रहता और यदि रह जाय, तो वह तत्त्ववित् अर्थात् ज्ञानी नहीं है” (१ २३)। * यह किसी की शका हो, कि यह ज्ञानी पुरुष का दोष है, तो ठीक नहीं। क्योंकि श्रीशङ्कराचार्य ने कहा है, “अलङ्कारो ह्ययमस्माक यद्ब्रह्मात्मावगतौ सत्या स कर्तव्यताहानि” (वे सू शा भा १ १ ४) - अर्थात् यह तो ब्रह्मज्ञानी पुरु का एक अलङ्कार ही है। उसी प्रकार गीता में भी ऐसे वचन हैं। जैसे - “तत् कार्यं न विद्यते” (गी ३ १७) - ज्ञानी को आगे करने के लिये कुछ नहीं रहता उसे समस्त वैदिक कर्मों का कोई प्रयोजन नहीं (गी २ ४६)। अथवा “योगारूढस

* यह समझ ठीक नहीं, कि यह श्लोक श्रुति का है। वेदान्तसूत्र के शाङ्करभाष्य में य श्लोक नहीं है। परन्तु सनत्सुजातीय के भाष्य में आचार्य ने इसे लिया है, और वहाँ कहा है कि यह लिंगपुराण का श्लोक है। इसमें सन्देह नहीं, कि यह श्लोक संन्यासमार्गवानों का है कर्मयोगियों का नहीं। बौद्ध धर्मग्रन्थों में भी ऐसे ही वचन हैं। (देखो परिशिष्ट प्रकरण)।

तस्यैव शमः कारणमुच्यते" (गी. ६. ३) — जो योगारूढ हो गया, उसे शम ही कारण है। इन वचनों के अतिरिक्त 'सर्वारम्भपरित्यागी' (गी. १२. १६) अर्थात् समस्त उद्योग छोड़नेवाला और 'अनिकेतः' (गी. १२. १९) अर्थात् बिना घरद्वार का, इत्यादि विशेषण भी ज्ञानी पुरुष के लिये गीता में प्रयुक्त हुए हैं। इन सब बातों से कुछ लोगों की यह राय है — भगवद्गीता को यह मान्य है, कि ज्ञान के पश्चात् कर्म तो आप-ही-आप छूट जाते हैं। परन्तु हमारी समझ में गीता के वाक्यों के ये अर्थ और उपर्युक्त यक्तिवाद भी ठीक नहीं। इसी में इसके विरुद्ध हमें जो कुछ कहना है, उसे अब संक्षेप में कहते हैं।

‘सुखदुःखविवेक’ प्रकरण में हमने दिखलाया है, कि गीता इस बात को नहीं मानती, कि 'ज्ञानी होने में मनुष्य की सब प्रकार की इच्छाएँ या वासनाएँ छूट ही जानी चाहिये।' सिर्फ इच्छा या वासना रहने में कोई दुःख नहीं। दुःख की सच्ची जड़ है उसकी आसक्ति। इसमें गीता का सिद्धान्त है, कि सब प्रकार की वासनाओं को नष्ट करने के बदले ज्ञाता को उचित है, कि केवल आसक्ति को छोड़ कर कर्म करें। यह नहीं, कि इस आसक्ति के छूटने में उसके साथ ही कर्म भी छूट जावे। और तो क्या? वासना के छूट जाने पर भी सब कर्मों का छूटना शक्य नहीं। वासना हो या न हो, हम देखते हैं, कि श्वासोच्छ्वास प्रभृति कर्म नित्य एक-मे दृष्टा करते हैं। और आखिर क्षणभर जीवित रहना भी तो कर्म ही है, एवं वह पूर्ण ज्ञान होने पर भी अपनी वासना से अथवा वासना के क्षय में छूट नहीं सकती। यह बात प्रत्यक्ष सिद्ध है, कि वासना के छूट जाने से कोई ज्ञानी पुरुष अपना प्राण नहीं छो बैठता, और इसी से गीता में यह वचन कहा है — "न हि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्" (गी. ३. ५) — कोई क्यों न हो? बिना कर्म किये रह नहीं सकता। गीताशास्त्र के कर्मयोग का पहला सिद्धान्त यह है, कि इस कर्मभूमि में कर्म तो निसर्ग में ही प्राप्त, प्रवाहप्रतिष्ठ और अपरिहार्य हैं। वे मनुष्य की वासना पर अवलम्बित नहीं हैं। इस प्रकार यह सिद्ध हो जाने पर — कि कर्म और वासना का परस्पर नित्य सम्बन्ध नहीं है — वासना के क्षय के साथ ही कर्म का भी क्षय मानना निराधार हो जाता है। फिर यह प्रश्न महज ही होता है, कि वासना का क्षय हो जाने पर भी ज्ञानी पुरुष को प्राप्त कर्म किस रीति में करना चाहिये? इस प्रश्न का उत्तर गीता के तीसरे अध्याय में दिया गया है (गी. ३. १७-१९ और उग पर हमारी टीका देखो)। गीता को यह मत मान्य है, कि ज्ञानी पुरुष को ज्ञान के पश्चात् स्वयं अपना कोई कर्तव्य नहीं रह जाता। परन्तु इसके आगे बढ कर गीता का यह भी वचन है; कि कोई भी क्यों न हो, वह कर्म से छुट्टी नहीं पा सकता। कई लोगों को ये दोनों सिद्धान्त परस्पर-विरोधी जान पड़ते हैं, कि पुरुष को कर्तव्य नहीं रहता और कर्म नहीं छूट सकते। परन्तु गीता की बात ऐसी नहीं है। गीता ने उनका जो मेल मिलाया है :- जब कि कर्म अविहार्य है, तब ज्ञानप्राप्ति के बाद भी ज्ञानी पुरुष को कर्म करना ही

चाहिये। चूंकि उसको स्वयं अपने लिये कोई कर्तव्य नहीं रह जाता। इसलिये अब उसे अपने सब कर्म निष्कामबुद्धि से करना ही उचित है।) साराश, तीसरे अध्याय के १७वें श्लोक के 'तस्य कार्यं न विद्यते' वाक्य में, 'कार्यं न विद्यते' इन शब्दों की अपेक्षा, 'तस्य' (अर्थात् उस ज्ञानी पुरुष के लिये) शब्द अधिक महत्त्व का है और उसका भावार्थ यह है, कि 'स्वयं उसको' अपने लिये कुछ प्राप्त नहीं करना होता। इसीलिये अब (ज्ञान हो जाने पर) उसको अपना कर्तव्य निरपेक्षबुद्धि से करना चाहिये। आगे १९ वें श्लोक में कारणबोधक 'तस्मात्' पद का प्रयोग कर अर्जुन को इसी अर्थ का उपदेश दिया है: "तस्मादसक्त सतत कार्यं कर्म समाचार"। (गी. ३. १९) - इसी से तू शास्त्र से प्राप्त अपने कर्तव्य को आसक्ति न रख कर करता जा। कर्म का त्याग मत कर। तीसरे अध्याय के १७ से १९ तक तीन श्लोकों से जो कार्यकारणभाव व्यक्त होता है, उस पर और अध्याय के समूचे प्रकरण के संदर्भ पर ठीक ठीक ध्यान देने से दीख पड़ेगा, कि संन्यासमार्गीयों के कथनानुसार 'तस्य कार्यं न विद्यते' इसे स्वतन्त्र सिद्धान्त मान लेना उचित नहीं। इसके लिये उत्तम प्रमाण आगे दिये हुए उदाहरण है।। 'ज्ञानप्राप्ति के पश्चात् कोई कर्तव्य न रहने पर भी शास्त्र से प्राप्त समस्त व्यवहार करने पड़ते हैं' - इस सिद्धान्त की पुष्टि में भगवान् कहते हैं -

न मे पार्याप्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन ।

नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि ॥

हे पार्थ ! 'मेरा' इस त्रिभुवन में कुछ भी कर्तव्य (बांकी) नहीं है अथवा कोई अप्राप्त वस्तु पाने की (वासना) रही नहीं है। तथापि मैं कर्म करता ही हूँ (गी. ३. २२)। 'न मे कर्तव्यमस्ति' (मुझे कर्तव्य नहीं रहा है)। ये शब्द पूर्वोक्त श्लोक के 'तस्य कार्यं न विद्यते' (उसको कुछ कर्तव्य नहीं रहता) इन्हीं शब्दों को लक्ष्य करके कहे गये हैं। इससे सिद्ध होता है, कि इन चार-पाच श्लोकों का भावार्थ यही है :- 'ज्ञान से कर्तव्य के शेष न रहने पर भी (किंबहुना इसी कारण से) शास्त्रतः प्राप्त समस्त व्यवहार अनासक्तबुद्धि से करना ही चाहिये।' यदि ऐसा न हो, तो 'तस्य कार्यं न विद्यते' इत्यादि श्लोकों में बतलाये हुए सिद्धान्त को दृढ़ करने के लिये भगवान् ने जो अपना उदाहरण दिया है, वह (अलग) असम्बद्ध-सा हो जायगा; और यह अनवस्था प्राप्त हो जायगी, कि सिद्धान्त तो कुछ और है और उदाहरण ठीक उसके विरुद्ध कुछ और ही है। उस अनवस्था को टालने के लिये संन्यासमार्गीय टीकाकार 'तस्मादसक्त सतत कार्यं कर्म समाचार' के 'तस्मात्' शब्द का अर्थ भी निराली रीति से किया करते हैं। उनका कथन है, कि गीता का मुख्य सिद्धान्त तो यही है, कि 'ज्ञानी पुत्र कर्म छोड़ दे। परन्तु अर्जुन ऐसा ज्ञानी था नहीं; इसलिये - 'तस्मात्' भगवान् ने उसे कर्म करने के लिये कहा है। हम ऊपर वह आये हैं, कि 'गीता के उपदेश के पश्चात् भी अर्जुन

अज्ञानी हो था' यह युक्ति ठीक नहीं है। इसके अतिरिक्त यदि 'तस्मात्' शब्द का अर्थ इस प्रकार खीचातानी कर लगा भी लिया, तो "न मे पार्याजस्ति कर्तव्यम्" प्रभृति श्लोकों में भगवान् ने - "अपने किसी कर्तव्य के न रहने पर भी मैं कर्म करता हूँ" यह जो अपना उदाहरण मुख्य सिद्धान्त के समर्थन में दिया है, उमका मेल भी इस पक्ष में अच्छा नहीं जमता। इसलिये "तस्य कार्यं न विद्यते" वाक्य में "कार्यं न विद्यते" शब्दों को मुख्य न मान कर 'तस्य' शब्द को ही प्रधान मानना चाहिये। और ऐसा करने से "तस्मादसक्तः मततं कार्यं कर्म समाचार" का अर्थ यही करना पड़ता है, कि 'तू ज्ञानी है; इसलिये यह सच है, कि तुझे अपने स्वार्थ के लिये कर्म अनावश्यक है; परन्तु स्वयं तेरे लिये कर्म अनावश्यक हैं, इसीलिये अब तू उन कर्मों को (जो शास्त्र से प्राप्त हुए हैं) 'तुझे आवश्यक नहीं' इस बुद्धि से अर्थात् 'निष्कामबुद्धि से कर!' थोड़े में यह अनुमान निकलता है, कि धर्म छोड़ने का यह कारण नहीं हो सकता, कि 'वह हमें अनावश्यक है।' किन्तु कर्म अपरिहार्य है। इस कारण शास्त्र से प्राप्त अपरिहार्य कर्मों को स्वार्थत्यागबुद्धि से करते ही रहना चाहिये। यही गीता का कथन है। और यदि प्रकरण की समता की दृष्टि से देखें, तो भी यही अर्थ लेना पड़ता है। (कर्मसंन्यास और कर्मयोग, इन दोनों में जो बड़ा अंतर है, वह यही है। मन्यामपक्षवाले कहते हैं, कि "तुझे कुछ कर्तव्य शेष नहीं बचा है। इसमें तू कुछ भी न कर।" और गीता (अर्थात् कर्मयोग) का कथन है, कि "तुझे कुछ कर्तव्य शेष नहीं बचा है। इसलिये अब तुझे जो जो कुछ करना है, वह स्वार्थसम्बन्धी वामना छोड़ कर अनासक्तबुद्धि से कर।" (अब प्रश्न यह है, कि एक ही हेतु वाक्य में इस प्रकार भिन्न भिन्न दो अनुमान क्यों निकले? इसका उत्तर इतना ही है, कि गीता कर्मों को अपरिहार्य मानती है। इसलिये गीता के नस्त्वविचार के अनुसार यह अनुमान निकल ही नहीं सकता, कि 'कर्म छोड़ दो।' अतएव 'तुझे अनावश्यक है' इस हेतुवाक्य में गीता में यह अनुमान किया गया है, कि स्वार्थबुद्धि छोड़ कर। बनिष्ठजी ने योगवामिष्ठ में श्रीरामचन्द्र को मय ब्रह्मज्ञान बतला कर निष्कामकर्म की ओर प्रवृत्त करने के लिये जो युक्तियाँ बतलाई हैं, वह भी इसी प्रकार की हैं। योगवामिष्ठ के अन्त में भगवद्गीता का उपर्युक्त सिद्धान्त ही अधरगः हूवद् आ गया है (यो. ६. उ. १९९ और २१६. १४; तथा यो. २. १९ के अनुवाद पर हमारे टिप्पणों देखो)। योगवामिष्ठ के ममान ही बौद्धधर्म के महायान पन्थ के ग्रन्थों में भी इस मन्वन्ध में गीता का अनुवाद किया गया है। परन्तु विषयान्तर होने के कारण उमकी चर्चा यहाँ नहीं की जा सकती। हमने इसका विचार आगे परिगमिष्ठ प्रकरण में कर दिया है।

आत्मज्ञान होने में 'मं' और 'मंग' यह अहंकार को माया ही नहीं ख़ती (यो. १८. १६ और २६) एव इसी में शान्ति पुण्य को 'निर्-अम' कहते हैं। निमं का अर्थ 'मेरा मंग (मभ) न बहनेवाला' है। परन्तु भूल न जाना

चाहिये, कि यद्यपि ब्रह्मज्ञान से 'मै' और 'मेरा' यह अहंकारदर्शक भाव छूट जाता है तथापि उन दो शब्दों के बदले 'जगत्' और 'जगत् का' — अथवा भक्तिपक्ष में 'परमेश्वर' और 'परमेश्वर का' — ये शब्द आ जाते हैं। संसार का प्रत्येक सामान्य मनुष्य अपने समस्त व्यवहार 'मेरा' या 'मेरे लिये' ही समझ कर लिया करता है। परन्तु ज्ञानी होने पर, ममत्व की वासना छूट जाने के कारण वह इस बुद्धि से (निर्ममबुद्धि से) उन व्यवहारों को करने लगता है, कि ईश्वरनिर्मित संसार के समस्त व्यवहार परमेश्वर के हैं; और उनको करने के लिये ही ईश्वर ने हमें उत्पन्न किया है। अज्ञानी और ज्ञानी में यही तो भेद है, (गी. ३. २७, २८)। गीता के इस सिद्धान्त पर ध्यान देने से ज्ञात हो जाता है, कि "योगारूढ पुरुष के लिये शम ही कारण होता है" (गी. ६. ३ और उस पर हमारी टिप्पणी देखो)। इस श्लोक का सरल अर्थ क्या होगा? गीता के टीकाकार कहते हैं — इस श्लोक में कह गया है, कि योगारूढ पुरुष के आगे (ज्ञान हो जाने पर) शम अर्थात् शान्ति को स्वीकार करें; और कुछ न करें। परन्तु यह अर्थ ठीक नहीं है। शम मन की शान्ति है। उसे अन्तिम 'कार्य' न कह कर इस श्लोक में यह कहा है, कि शम अथवा शान्ति दूसरे किसी का कारण है — शमः कारणमुच्यते। अब शम को 'कारण' मान कर देखना चाहिये, कि आगे उसका 'कार्य' क्या है? पूर्वापर सन्दर्भ पर विचार करने से यही निष्पन्न होता है, कि वह कार्य 'कर्म' ही है। और तब इस श्लोक का अर्थ ऐसा है, कि योगारूढ पुरुष अपने चित्त को शान्त करें, तथा उस शान्ति या शम से ही अपने सब अगले व्यवहार करें — टीकाकारों के कथनानुसार वह अर्थ नहीं किया जा सकता, कि 'योगारूढ पुरुष कर्म छोड़ दे।' इसी प्रकार 'सर्वारम्भपरित्यागी' और 'अनिकेतः' प्रभृति पदों का अर्थ भी कर्मत्यागविषयक नहीं फलाशात्यागविषयक ही करना चाहिये। गीता के अनुवाद में (उन स्थलों पर जहाँ ये पद आये हैं) हमने टिप्पणी में यह बात खोल दी है (भगवान् ने यह सिद्ध करने के लिये — कि ज्ञानी पुरुष को भी फलाशा त्याग कर चातुर्वर्ण्य आदि सब कर्म यथाशास्त्र करते रहना-चाहिये — अपने अतिरिक्त दूसरा उदाहरण जनक का दिया है। जनक एक बड़े कर्म-योगी थे। उनकी स्वार्थबुद्धि के छूटने का परिचय उन्हीं के मुख से यों है — "मिथिलायां प्रदीप्तायां न मे दह्यति किञ्चन" (शां. २७५. ४ और २१९. ५०) — मेरी राजधानी मिथिला के जल जाने पर भी मेरी कुछ हानि नहीं!) इस प्रकार अपना स्वार्थ अथवा लाभालाभ न रहने पर भी राज्य के समस्त व्यवहार करने का कारण बतलाये हुए जनक स्वयं कहते हैं :-

देवेभ्यश्च पितृभ्यश्च भूतेभ्योऽतिथिभिः सह ।

इत्पर्यं सर्व एवैते समारम्भा भवन्ति वै ॥

"देव, पितर, सर्वभूत (प्राणी) और अतिथियों के लिये समस्त व्यवहार जारी है, मेरे लिये नहीं" (म. भा. अश्व. ३२. २४)। अपना कोई कर्तव्य न रहने पर

(अथवा स्वयं वस्तु को पाने की वासना न रहने पर भी) यदि जनक-श्रीकृष्ण जैसे महात्मा इस जगत् का कल्याण करने के लिये प्रवृत्त न होंगे, तो यह संसार उत्सन्न (ऊजड़) हो जायगा - " उत्सीदेयुरिमे लोकाः " (गी. ३. २४) ।

कुछ लोगों का कहना है, कि गीता के इस सिद्धान्त में - कि " फलाशा छोड़नी चाहिये; सब प्रकार की इच्छाओं को छोड़ने की आवश्यकता नहीं " - और वामनाक्षय के सिद्धान्त में कुछ बहुत भेद नहीं कर सकते । क्योंकि चाहे वासना छूटे, चाहे फलाशा छूटे; दोनों ओर कर्म करने की प्रवृत्ति होने के लिये कुछ भी कारण नहीं दीख पड़ता । इसमें चाहे जिस पक्ष को स्वीकार करें; अन्तिम परिणाम - कर्म का छूटना - दोनों ओर बराबर है । परन्तु यह आक्षेप अज्ञानमूलक है । क्योंकि 'फलाशा' शब्द का ठीक ठीक अर्थ न जानने के कारण ही यह उत्पन्न हुआ है । फलाशा छोड़ने का अर्थ यह नहीं, कि सब प्रकार की इच्छाओं को छोड़ देना चाहिये । अथवा यह बुद्धि या भाव होना चाहिये, कि मेरे कर्मों का फल किसी को कभी न मिले । और यदि मिले, तो उसे कोई भी न ले; प्रत्युत पाँचवे प्रकरण में पहले ही हम कह आये हैं, कि ' अमुक पाने के लिये ही मैं यह कर्म करता हूँ ' - इस प्रकार की फलविषयक ममतायुक्त आसक्ति को या बुद्धि के आग्रह को 'फलाशा', 'मटग' या 'काम' नाम गीता में दिये गये हैं । यदि कोई मनुष्य फल पाने की इच्छा, आग्रह या बुरा आसक्ति न रखे; तो उससे यह मतलब नहीं पाया जाता, कि वह अपने प्राप्तकर्म को केवल कर्तव्य समझ कर - करने की बुद्धि और उत्साह को भी इस आग्रह के साथ-ही-साथ नष्ट कर डाले । अपने फायदे के सिवा इस संसार में जिन्हें दूसरा कुछ नहीं दीख पड़ता और जो पुरुष केवल फल की इच्छा से ही कर्म करने में मस्त रहते हैं, उन्हें मचमुच फलाशा छोड़ कर कर्म करना शक्य न जेंचिगा । परन्तु जिनकी बुद्धि ज्ञान से सम और विरक्त हो गई है, उनके लिये कुछ कठिन नहीं है । पहले तो यह गमन ही गहन है, कि हमें किसी काम वा जो फल मिलना है, वह केवल हमारे ही कर्म का फल है । यदि पानी की द्रवता और अग्नि की उष्णता की सहायता न मिले तो मनुष्य जितना ही मिर क्यों न सपावे, उसके प्रयत्न में पाकमिद्धि नहीं हो नहीं मनेगी - भोजन पवेगा ही नहीं; और अग्नि आदि में गुणधर्मों को मौजूद रखना या न रखना कुछ मनुष्य के बल या उपाय की बात नहीं है । इसी में कर्म-सृष्टि के इन स्वयमिद्ध विविध व्यापारों अथवा धर्मों का पहले यथाशक्ति ज्ञान प्राप्त कर मनुष्य को उमा हेंग में अपने व्यवहार करने पड़ते हैं, कि जिसमें वे व्यापार अपने प्रयत्न के अनुकूल हों । इसमें कहना चाहिये, कि प्रयत्नों में मनुष्य को जो फल मिलना है, वह केवल उनके ही प्रयत्नों का फल नहीं है; वरन् उनके कर्म और कर्मसृष्टि के तदनुकूल अनेक स्वयमिद्ध धर्म - इन दोनों - के भयोग वा फल फलन है । परन्तु प्रयत्नों की सफलता के लिये इन प्रसार जिन नानाविध सृष्टिव्यापारों की अनुकूलता आवश्यक है, कई बार इन सब वा मनुष्य को यथायं ज्ञान नहीं रहता;

और कुछ स्थानों पर वह होना शक्य भी नहीं है। इसे ही 'दैव' कहते हैं। यदि फलसिद्धि के लिये ऐसे सृष्टिव्यापारों की सहायता अत्यन्त आवश्यक है—जो हमारे अधिकार में नहीं; और जिन्हें हम जानते हैं—तो आगे कहना नहीं होगा, कि ऐसा अभिमान करना मूर्खता है, 'केवल अपने प्रयत्न से ही मैं अमुक बात कर लूंगा' (गी. १८. १४-१६)। क्योंकि कर्मसृष्टि से ज्ञात और अज्ञात व्यापारों का मानवी प्रयत्नों से संयोग होने पर जो फल होता है, वह केवल कर्म के नियमों से ही हुआ करता है। इसलिये हम फल की अभिलाषा करें या न करें—फलसिद्धि में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी फलाशा अलवत्ता हमें दुःखकारक हो जाती है। परन्तु स्मरण रहे, कि मनुष्य के लिये आवश्यक बात अकेले सृष्टिव्यापार स्वयं अपनी ओर से संघटित हो कर नहीं कर देते। चने की रोटी को स्वादिष्ट बनाने के लिये जिस प्रकार आटे में थोड़ा सा नमक भी मिलाना पड़ता है, उसी प्रकार कर्मसृष्टि के इन स्वयंसिद्ध व्यापारों को मनुष्यों के उपयोगी होने के लिये उनमें मानवी प्रयत्न की थोड़ीसी मात्रा मिलानी पड़ती है। इसी से ज्ञानी और विवेकी पुरुष सामान्य लोगों के समान फल की आसक्ति अथवा अभिलाषा तो नहीं रखते; किन्तु वे लोग जगत् के व्यवहार की सिद्धि के लिये प्रवाहपतित कर्म का (अर्थात् कर्म के अनादि प्रवाह में शास्त्र से प्राप्त यथाधिकार कर्म का) जो छोटा-बड़ा भाग मिले, उसे ही शान्तिपूर्वक कर्तव्य समझ कर किया करते हैं। और फल पाने के लिये कर्मसंयोग पर (अर्थात् भक्तिदृष्टि से परमेश्वर की इच्छा पर) निर्भर हो कर निश्चिन्त रहते हैं। "तेरा अधिकार केवल कर्म करने का है, फल होना तेरे अधिकार की बात नहीं" (गी. २. ४७) इत्यादि उपदेश जो अर्जुन को किया है, उसका रहस्य भी यही है। इस प्रकार फलाशा को त्याग कर कर्म करने पर आगे कुछ कारणों से कदाचित् कर्म निष्फल हो जाय तो निष्फलता का दुःख मानने के लिये हमें कोई कारण ही नहीं रहता। क्योंकि हम तो अपने अधिकार का काम कर चुके। उदाहरण लीजिये; वैद्यकशास्त्र का मत है, कि आयु की डोर (शरीर की पोषण करनेवाली नैसर्गिक धातुओं की शक्ति) सबल रहे बिना निरी औषधियों से कभी फायदा नहीं होता; और इस डोर कि सबलता अनेक प्राक्तन अथवा पुष्टनी सस्कारों का फल है। यह बात वैद्य के हाथ से होने योग्य नहीं; और उसे इसका निश्चयात्मक ज्ञान हो भी नहीं सकता। ऐसा होते हुए भी हम प्रत्यक्ष देखते हैं, कि रोगी लोगों को औषधि देना अपना कर्तव्य समझ कर केवल परोपकार की बुद्धि से वैद्य अपनी बुद्धि के अनुसार हजारों रोगियों को दवाई दिया करते हैं। इस प्रकार निष्कामबुद्धि से काम करने पर यदि कोई रोगी चढ़गा न हो, तो उससे वह वैद्य उद्विग्न नहीं होता, बल्कि बड़े शान्त चित्त से यह शास्त्रीय नियम ढूँढ निकालता है, कि अमुक रोग में अमुक औषधि से ही-नकडों इतने रोगियों को आराम होता है। परन्तु इसी वैद्य का लड़का जब धीमार पड़ता है, तब उसे औषधि देते समय वह आयुष्य की डोरवाली बात भूल जाता है। और इस ममतायुक्त

निराधार नहीं है। यह संग्रह शब्द का अर्थ हुआ; परन्तु यहाँ यह भी बतलाना चाहिये कि 'लोकसंग्रह' में 'लोक' शब्द केवल मनुष्यवाची नहीं है। यद्यपि यह मत्र है, कि जगत् के अन्य प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य श्रेष्ठ है; और इसी से मानव-जाति के ही कल्याण का प्रधानता से 'लोकसंग्रह' शब्द में समावेश होता है, तथापि भगवान् की ही ऐसी इच्छा है, कि भूलोक, सत्यलोक, पितृलोक और देवलोक प्रभृति जो अनेक लोक अर्थात् जगत् भगवान् ने बनाये हैं, उनका भी भली भाँति धारण-पोषण हो; और वे सभी अच्छी रीति से चलते रहें। इसलिये कहना पड़ता है, कि इतना सब व्यापक अर्थ 'लोकसंग्रह' पद से यहाँ विवक्षित है, कि मनुष्यलोक के साथ ही इन सब लोकों का व्यवहार भी सुस्थिति से चले (लोकाना संग्रहः)। जनक के किये हुए अपने कर्तव्य के वर्णन में— जो ऊपर लिखा जा चुका है— देव और पितरों का भी उल्लेख है। एवं भगवद्गीता के तीसरे अध्याय में तथा महाभारत के नारायणीयोपाख्यान में जिस यज्ञचक्र का वर्णन है, उसमें भी कहा है, कि देवलोक और मनुष्यलोक दोनों ही के धारण-पोषण के लिये ब्रह्मदेव ने यज्ञ उत्पन्न किया (गी. ३. १०-१२)। इसमें स्पष्ट होता है, कि भगवद्गीता में 'लोकसंग्रह' पद से इतना अर्थ विवक्षित है, कि—अकेले मनुष्य लोक का ही नहीं; किन्तु देवलोक आदि सब लोकों का भी उचित धारण-पोषण होवे; और वे परस्पर एक दूसरे का श्रेय सम्पादन करें। मारी मृष्टि का पावन-रोषण करके लोकसंग्रह करने का जो यह अधिकार भगवान्, का है, वही ज्ञानी पुरुष को अपने ज्ञान के कारण प्राप्त हुआ करता है। ज्ञानी पुरुष को जो बान प्रामाणिक जँचती है, अन्य लोग भी उसे प्रमाण मान कर तदनुसूल व्यवहार किया करते हैं (गी. ३. २१)। क्योंकि माधारण लोगों की समझ है, कि शान्तिचित्त और समबुद्धि से विचारने का काम ज्ञानी ही का है, कि ममार का धारण और पोषण कैसे होगा? एवं तदनुसार धर्मप्रवचन की मर्यादा बना देना भी उसी का काम है। इस ममझ में कुछ मूल भी नहीं है। और यह भी कह सकते हैं, कि सामान्य लोगों की समझ में वे बाने भली भाँति नहीं आ सकती। इसीलिये त वे ज्ञानी पुरुषों के भरोंमे रहते हैं। इसी अभिप्राय को मन में लाकर शान्तिपर्व में युधिष्ठिर ने भीष्म ने कहा है :-

लोकसंग्रहसंयुक्तं विधात्रा विहितं पुरा ।

भूधर्मधर्मार्थनिषणं सतां चरितमुत्तमम् ॥

अर्थात् "लोकसंग्रहकारक और भूधर्म प्रमदगो पर धर्मार्थ का निर्णय कर देनेवाला माधुपुरयो का उत्तम चरित्र म्वय ब्रह्मदेव ने ही बनाया है" (म भा गा. २५. २५)। 'लोकसंग्रह' कुछ ठाने बँटे की बेशर हकोगला या लोगों की अज्ञान में डाले गये की तर्कीव नहीं है। किन्तु ज्ञानयुक्त कर्म के ममार में न रहने में जगत् के नष्ट हो जाने की सम्भावना है। इसलिये यही निश्च होना है, कि ब्रह्मदेवनिर्मित माधु-पुरयो के कर्तव्यों में से 'लोकसंग्रह' एक प्रधान कर्तव्य है। और इस भगवद्गीता का

भावार्थ भी यही है, कि " मैं यह काम न करूँ, तो ये समस्त लोक अर्थात् जगत् नष्ट हो जावेगे " (गी ३ २४) । ज्ञानी पुरुष सब लोगों के नेत्र हैं । यदि वे अपना काम छोड़ देंगे, तो सारी दुनिया अन्धी हो जायगी, और इस ससार का सर्वतोपरि नाश हुए बिना न रहेगा । ज्ञानी पुरुषों को ही उचित है, कि लोगों को ज्ञानवान् कर उन्नत बनावे । परन्तु यह काम सिर्फ जीभ हिला देने से अर्थात् कोरे उपदेश से ही कभी नहीं होता । क्योंकि, जिन्हें सदाचरण की आदत नहीं और जिनकी बुद्धि भी पूर्ण शुद्ध नहीं रहती, उन्हें यदि कोरा ब्रह्मज्ञान सुनाया जाय, तो वे लोग उस ज्ञान का दुरुपयोग इस प्रकार करते देखे गये हैं — " तेरा सो मेरा, और मेरा तो मेरा है ही । " इसके सिवा किसी के उपदेश की मत्तता की जाँच भी तो लोक उसके आचरण से ही किया करते हैं । इसलिये यदि ज्ञानी पुरुष स्वयं कर्म न करेगा, तो वह लोगों को आलसी बनने का एक बहुत बड़ा कारण हो जायगा । इसे ही 'बुद्धिभेद' कहते हैं, और यह बुद्धिभेद न होने पावे, तथा सब लोग सचमुच निष्काम हो कर अपना कर्तव्य करने के लिये जागृत हो जावे, इसलिये ससार में ही रह कर अपने कर्मों से सब लोगों को सदाचरण की — निष्कामबुद्धि से कर्मयोग करने की — प्रत्यक्ष शिक्षा देना ज्ञानी पुरुष का कर्तव्य (ढोग नहीं) हो जाता है । अतएव गीता का कथन है, कि उसे (ज्ञानी पुरुष को) कर्म छोड़ने का अधिकार कभी प्राप्त नहीं होता । अपने लिये न सही, परन्तु लोकसंग्रहार्थं चातुर्वर्ण्य के सब कर्म अधिकारानुसार उसे करना ही चाहिये । किन्तु संन्यासमार्गवालों का मत है, कि ज्ञानी पुरुष को चातुर्वर्ण्य के कर्म निष्काम बुद्धि से करने की भी कुछ जरूरत नहीं — यही क्यों ? करना भी नहीं चाहिये । इसलिये इस सम्प्रदाय के टीकाकार गीता के "ज्ञानी पुरुष को लोकसंग्रहार्थं कर्म करना चाहिये " इस सिद्धान्त का कुछ गडबड अर्थ कर (प्रत्यक्ष नहीं, तो पर्याय से) यह कहने के लिये तैयार — से हो गये हैं, कि स्वयं भगवान् ढोग का उपदेश करते हैं । पूर्वापर सन्दर्भ से प्रकट है, कि गीता लोकसंग्रह शब्द का यह ढिलमिल या पोचा अर्थ सच्चा नहीं । गीता को यह मत ही मजूर नहीं, कि ज्ञानी पुरुष को कर्म छोड़ने का अधिकार प्राप्त है । और इसके सबूत में गीता में जो कारण दिये गये हैं, उनमें लोकसंग्रह एक मुख्य कारण है । इसलिये यह मान कर (कि ज्ञानी पुरुष के कर्म छूट जाते हैं) लोकसंग्रह पदका ढोगी अर्थ करना सर्वथा अन्याय है । इस जगत् में मनुष्य केवल अपने ही लिये नहीं उत्पन्न हुआ है । यह सच है, कि सामान्य लोग नासमझी से स्वार्थ में ही फँसे रहते हैं । परन्तु " सर्वभूतस्थमात्मान सर्वभूतानि चात्मनि " (गी. ६. २९) मैं सब भूतों में हूँ, और सब भूत मुझ में हैं — इस रीति से जिसको समस्त ससार ही आत्मभूत हो गया है, उसका अपने मुख से यह कहना ज्ञान में बट्टा लगाना है, कि " मुझे तो मोक्ष मिल गया, अब यदि लोग दुःखी हों, तो मुझे इसकी क्या परवाह ? " ज्ञानी पुरुष का आत्मा क्या कोई स्वतन्त्र व्यक्ती है ? उसके आत्मा पर जब तक अज्ञान का पर्दा पडा था, तब तक 'अपना' और 'पराया' यह भेद वायम

फलाशा में उमका चित्त धवड १ जाता है, कि 'मेरा लड़का अच्छा हो जाय ।' इसी से उमे या तो दूसरा बँध बूलाना पड़ता है या दूसरे बँध की मलाह की आवश्यकता होती है । इस छोटे-से उदाहरण से ज्ञात होगा, कि कर्मफल में ममनात्म्य आसक्ति किसे कहना चाहिये । और फलाशा न रहने पर भी निरी कर्तव्यवृद्धि में कोई भी काम किम प्रकार किया जा सकता है । इस प्रकार फलाशा को नष्ट करने के लिये यद्यपि ज्ञान की महाशक्ता से मन में वैराग्य का भाव अटल हीना चाहिये । परन्तु किमी कपड़े का रङ्ग (राग) दूर करने के लिये जिम प्रकार कोई कपड़े को फाटना उचित नहीं ममझना, उसी प्रकार यह कहने में (कि 'किमी कर्म में आसक्ति, काम, मद्दग, राग अथवा प्रीति न रखो') उम कर्म को ही छोड़ देना ठीक नहीं । वैराग्य से कर्म करना ही यदि अगव्य हो, तो निराली बात है । परन्तु हम प्रत्यक्ष देखते हैं, कि वैराग्य से भी भली भाँति कर्म किये जा सकते हैं । इतना ही क्यों ? यह भी प्रकट है, कि कर्म किमी से छूटते ही नहीं । इसीलिये अज्ञानी लोग जिन कर्मों को फलाशा से किया करते हैं, उन्हें ही ज्ञानी पुरुष ज्ञानप्राप्ति के बाद भी लाभ-अलाभ तथा सुखदुःख को एक-माँ मान कर (गी. २. ३८) धैर्य एवं उत्साह से — किन्तु शुद्धवृद्धि में — फल के विषयमें विरक्त या उदासीन रह कर (गी. १८. २६) केवल कर्तव्य मान कर अपने अपने अधिकायानुसार ज्ञानचिन्त में करते रहें (गी. ६. ३) । नीति और मोक्ष की दृष्टि से उत्तम जीवनक्रम का यही मच्चा तत्त्व है । अनेक स्थितप्रज्ञ, महाभगवद्भक्त और परमज्ञानी पुरुषों ने — एवं स्वयं भगवान् ने भी इसी मार्ग का स्वीकार किया है । भगवद्गीता पुकार कर कहती है, कि इस कर्मयोगमार्ग में ही परमाप्ता का पुरुषार्थ या परमार्थ है । इसी 'योग' से परमेश्वर का भजनपूजन होता है; और अन्त में मिद्धि भी मिलती है (गी. १८. ४६) । इतने पर भी यदि कोई स्वयं जानबूझ कर गैर-ममज्ञ कर ले, तो उमे दुर्द्वी कहना चाहिये । स्पेग्मरमाहेव को यद्यपि अध्यात्मनृष्टि मम्मत न हो, तथापि उन्होंने भी अपने 'समाजशास्त्र का अभ्यास' नामक ग्रन्थ के अन्त में गीता के ममान ही यह सिद्धान्त किया है:— यह ज्ञान आधिनीतिक रीति में भी सिद्ध है, कि इस जगत् में किमी भी काम की एकदम कर गुजग्ना शक्य नहीं । उम के लिये काग्यीभूत और आवश्यक दूसरी हजाराँ बातें पहले जिम प्रकार हूँ होंगी, उसी प्रकार मनुष्य के प्रयत्न मफल, निष्फल या न्यूनाधिक मफल हूँ करने हैं । इस कारण यद्यपि नाश्राग्म मनुष्य किमी भी काम करने में फलाशा से ही प्रवृत्त होते हैं, तथापि बुद्धिमान् पुरुष को ज्ञान्ति और उत्साह से फलमम्बन्धी धारण छोड़ कर अपना कर्तव्य करने रहना चाहिये । ७

" Thus admitting that for the *fanatic*, some *wild anticipation* is needful as a stimulus, and recognizing the usefulness of his delusion as adapted to his particular nature and his particular function, the *man of higher type* must be content with greatly

यद्यपि यह सिद्ध हो गया, कि ज्ञानी पुरुष इस संसार मे अपने प्राप्त कर्मों को, फलाशा छोड़ कर निष्कामबुद्धि से आमरण अवश्य करता रहे; तथापि यह बतलाये विना कर्मयोग का विवेचन पूरा नही होता, कि ये कर्म किससे और किस लिये प्राप्त होते हैं? अतएव भगवान् ने कर्मयोग के समर्थनार्थ अर्जुन को अन्तिम और महत्त्व का उपदेश दिया है, कि "लोकसग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि" (गी. ३. २०) - लोकसंग्रह की ओर दृष्टि दे कर भी तुझे कर्म करना ही उचित है। लोकसंग्रह का यह अर्थ नही, कि कोई ज्ञानी पुरुष 'मनुष्यो' का केवल जमघट करे' अथवा यह अर्थ नही, कि "स्वयं कर्मत्याग का अधिकारी होने पर भी इस लिये कर्म करने का ढोंग करे, कि अज्ञानी मनुष्य कही कर्म न छोड बैठे; और उन्हे अपनी (ज्ञानी पुरुष की) कर्मतत्परता अच्छी लगे।" क्योंकि, गीता का यह सिखलाने का हेतु नही, कि लोग अज्ञानी या मूर्ख बने रहे; अथवा उन्हे ऐसे ही बनाये रखने के लिये ज्ञानी पुरुष कर्म करने का ढोंग किया करे। ढोंग तो दूर ही रहा, परन्तु "लोक तेरी अपकीर्ति गावेगे" (गी. २. ३४) इत्यादि सामान्य लोगो को जांचनेवाली युक्तियों से जब अर्जुन का समाधान न हुआ, तब भगवान् उन युक्तियों से भी अधिक जोरदार और तत्वज्ञान की दृष्टि से अधिक बलवान् कारण अब कह रहे हैं। इसलिये कोश मे जो 'संग्रह' शब्द के जमा करना, इकठ्ठा करना, रखना, पालना, नियमन करना प्रभृति अर्थ हैं, उन सब को यथासम्भव ग्रहण करना पडता है। और ऐसा करने से 'लोगो का संग्रह करना' यानी यह अर्थ होता है, कि "उन्हे एकत्र सम्बद्ध कर इस रीति से उनका पालन-पोषण और नियमन करे, कि उनकी परस्पर अनुकूलता से उत्पन्न होनेवाला सामर्थ्य उनमे आ जावे; एव उसके द्वारा उनकी सुस्थिति को स्थिर रख कर उन्हे श्रेय.प्राप्ति के मार्ग लगा दे।" "राष्ट्र का संग्रह" शब्द इसी अर्थ में मनुस्मृति (७ ११४) में आया है; शाकरभाष्य में इस शब्द की व्याख्या यो है - "लोकसंग्रह-लोकस्थोन्मार्गप्रवृत्तिनिवारणम्।" इससे दीख पडेगा, कि संग्रह शब्द का जो हम ऐसा अर्थ करते हैं - अज्ञान से मनमाना बर्ताव करनेवाले लोगो को ज्ञानवान् बना कर सुस्थिति में एकत्र रखना और आत्मोन्नति के मार्ग मे लगाना - वह अपूर्व या

moderated expectations, while he perseveres with undiminished efforts. He has to see how comparatively little can be done, and yet to find it worthwhile to do that little; so uniting philanthropic energy with philosophic calm. - Spencer's *Study of Sociology*. 8th Ed., p. 403. (The italics are ours.) इस वाक्य में fanatics के स्थान में "प्रकृति के गुणों से विमूढ़" (गी. ३. २९), या 'अहंकारविमूढ़' (गी. ३. २७) अथवा मास कवि का 'मूर्ख' शब्द और man of higher type के स्थान में 'विद्वान्' (गी. ३. २५) एवं greatly moderated expectations के स्थान में 'फौजदासीन्य' अथवा 'फाशासत्याग' इन समानार्थी शब्दों की योजना करने से ऐसा दीख पडेगा, कि स्पेन्सरसाहेब ने मानो गीता के ही सिद्धान्त का अनुवाद कर दिया है।

था। परन्तु ज्ञानप्राप्ति के बाद सब लोगों का आत्मा ही उसका आत्मा है। इस से योगवामिष्ठ में राम से वसिष्ठ ने कहा है :-

यावल्लोकपरामर्शो निरूढो नास्ति योगिनः ।

तावद्दृष्टसमाधित्वं न भवत्येव निर्मलम् ॥

“जब तक लोगों के परामर्श लेने का (अर्थात् लोकसंग्रह का) काम थोड़ा भी बाकी है - समाप्त नहीं हुआ है - तब तक यह कभी नहीं कह सकते, कि योगारूढ पुरुष कि स्थिति निर्दोष है” (यो. ६. पू. १२८. ९७)। केवल अपने ही समाधिमुख में डूब जाना मानो एक प्रकार में अपना ही स्वार्थ साधना है। सन्यासमार्गवाले इस बात की ओर दुर्लक्ष करते हैं। यही उनकी युक्तिप्रयुक्तियों का मुख्य दोष है। भगवान् की अपेक्षा किसी का भी अधिक ज्ञानी, अधिक निष्काम या अधिक योगारूढ होना शक्य नहीं। परन्तु जब स्वयं भगवान् भी “माधुओ का संरक्षण, दुष्टों का नाश और धर्मसंस्थापना” ऐसे लोकसंग्रह के काम करने के लिये ही समय पर अवतार लेते हैं (गी. ४. ८), तब लोकसंग्रह के कर्तव्य को छोड़ देनेवाले ज्ञानी पुरुष का यह कहना सर्वथा अनुचित है, कि “जिस परमेश्वर ने इन सब लोगों को उत्पन्न किया है, वह उनका जैसा चाहेगा वैसा धारण-भोग्य करेगा। उधर देखना मेरा काम नहीं है। क्योंकि ज्ञानप्राप्ति के बाद ‘परमेश्वर’, ‘मैं’ और ‘लोग’ यह भेद ही नहीं रहता। और यदि रहे, तो उसे दोगी बहना चाहिये; ज्ञानी नहीं। यदि ज्ञान से ज्ञानी पुरुष परमेश्वररूपी हो जाता है, तो परमेश्वर जो काम करता है, वह परमेश्वर के ममान अर्थात् निस्मद्भगवद्वि में करने की आवश्यकता ज्ञानी पुरुष को कैसे छोटेगी (गी. ३. २२ और ४. १४ एवं १५) इसके अतिरिक्त परमेश्वर को जो कुछ करना है, वह भी ज्ञानी पुरुष के रूप या द्वारा से ही करेगा। अतएव जिने परमेश्वर के स्वरूप का ऐसा अपरोक्ष ज्ञान हुआ है, कि ‘सब प्राणियों में एक आत्मा है’ उसके मन में सर्वभूतानुकम्पा आदि उदात्त वृत्तियाँ पूर्णता से जागृत रह कर स्वभाव में ही उसके मन की प्रवृत्ति लोककल्याण की ओर हो जानी चाहिये। इसी अभिप्राय से तुकाराम महाराज साधु पुरुष के लक्षण इस प्रकार बतलाते हैं - ‘जो दीन-दुष्टियों को अपनाता है, वही साधु है - ईश्वर भी उसी के पास है।’ अथवा ‘जिम्ने परोपकार में अपनी शक्ति का व्यय किया है, उसीने आत्मस्विति को जाना।’ * और अन्त में गन्तजनों के (अर्थात् भक्ति में परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान

* इसी भाव की कविवर बापू मैथिलीशरण गुप्त ने यों व्यक्त किया है :-

याम उसी में है विभुवर का है वस सचा साधु वही -
जिम्ने दुष्टियों को अपनाया, बढ़ कर उनहीं वाह गरी।
आत्मस्विति जानी उसने ही परहित जिम्ने व्यया मही,
परहितार्थ जिन्हा धैर्य दे, दे, उनसे ही पन्थ मही ॥

पानेवाले महात्माओं के) कार्य का वर्णन इस प्रकार किया है: "सन्तो की विभूतियाँ जगत् के कल्याण ही के लिये हुआ करती हैं। वे लोग परोपकार के लिये अपने शरीर को कष्ट दिया करते हैं।' भर्तृहरि ने वर्णन किया है, कि परार्थ ही जिसका स्वार्थ हो गया है, वही पुरुष साधुओं में श्रेष्ठ है - 'स्वार्थो यस्य परार्थ एव पुमानेकाः सतामग्रणीः।' क्या मनु आदि शास्त्रप्रणेता ज्ञानी न थे? परन्तु उन्होंने तृष्णा-दुःख को बड़ा भारी हौवा मानकर तृष्णा के साथ-ही-साथ परोपकारबुद्धि आदि सभी उदात्तवृत्तियों को नष्ट नहीं कर दिया - उन्होंने लोकसंग्रहकारक चातुर्वर्ण्य प्रभृति शास्त्रीय भयादा बना देने का उपयोगी काम किया है? ब्राह्मण को ज्ञान, क्षत्रिय को युद्ध, वैश्य को खेती, गोरक्षा और व्यापार अथवा शूद्र को सेवा - ये जो गुणकर्म और स्वभाव के अनुरूप भिन्न भिन्न कर्मशास्त्रों में वर्णित हैं, वे केवल व्यक्ति के हित के ही लिये नहीं हैं; प्रत्युत मनुस्मृति (१. ८७) में कहा गया है, कि चातुर्वर्ण्य के व्यापारों का विभाग लोकसंग्रह के लिये ही इस प्रकार प्रवृत्त हुआ है। सारे समाज के बचाव के लिये कुछ पुरुषों को प्रतिदिन युद्धकला का अभ्यास करके सदा तैयार रहना चाहिये; और कुछ लोगों को खेती, व्यापार एव ज्ञानार्जन प्रभृति उद्योगों से समाज की अन्यान्य आवश्यकताएँ पूर्ण करनी चाहिये। गीता (४. १३; १८. ४१) का अभिप्राय भी ऐसा ही है। यह पहले कहा ही जा चुका है, कि इस चातुर्वर्ण्यधर्म में से यदि कोई एक भी धर्म डूब जाय, तो समाज उतना ही पगु हो जायगा, और अन्त में उसका नाश हो जाने की भी सम्भावना रहती है। स्मरण रहे, कि उद्योगों के विभाग की यह व्यवस्था एक ही प्रकार की नहीं रहती है। प्राचीन यूनानी तत्त्वज्ञ प्लेटो ने एतद्विषयक अपने ग्रन्थ में और अर्वाचीन फ्रेंच शास्त्रज्ञ कोट ने अपने 'आधिभौतिक तत्त्वज्ञान' में समाज की स्थिति के लिये जो व्यवस्था सूचित की है, वह यद्यपि चातुर्वर्ण्य के सदृश्य है; तथापि उन दृश ग्रन्थों को पढ़ने से कोई भी जान सकेगा, कि उस व्यवस्था में नैतिक धर्म की चातुर्वर्ण्य व्यवस्था से कुछ-न-कुछ भिन्नता है। इनमें से कौन-सी समाजव्यवस्था अच्छी है। अथवा यह अच्छापन सापेक्ष है, और युगमान से इनमें कुछ फेरफार हो सकता है या नहीं? इत्यादि अनेक प्रश्न यहाँ उठते हैं; और आजकल तो पश्चिमी देशों में 'लोकसंग्रह' एक महत्त्व का शास्त्र बन गया है। परन्तु गीता का तात्पर्यनिर्णय ही हमारा प्रस्तुत विषय है। इसलिये कोई आवश्यकता नहीं, कि यहाँ उन प्रश्नों पर भी विचार करे। यह बात निर्विवाद है, कि गीता के समय में चातुर्वर्ण्य की व्यवस्था जारी थी; और 'लोकसंग्रह' करने के हेतु से ही वह प्रवृत्ति की गई थी। इसलिये गीता के 'लोकसंग्रह' पद का अर्थ यही होता है, कि लोगों को प्रत्यक्ष दिखला दिया जावे, कि चातुर्वर्ण्य की व्यवस्था के अनुसार अपने प्राप्तकर्म निष्कामबुद्धि से किस प्रकार करना चाहिये? यही बात मुख्यता से यहाँ बतलानी है। ज्ञानी पुरुष समाज के न सिर्फ नेत्र हैं, बरन् गुरु भी हैं। इससे आप-ही आप सिद्ध हो जाता है, कि उपर्युक्त प्रचार का लोकसंग्रह करने

के लिये उन्हें अपने समय की समाजव्यवस्था में यदि कोई न्यूनता जेंचे, तो वे उसे श्वेतवैतु के समान देशकालानुरूप परिमार्जित करे; और समाज की स्थिति तथा पोषणशक्ति की रक्षा करते हुए उसको उन्नतावस्था में ले जाने का प्रयत्न करते रहें। इसी प्रकार का लोकसंग्रह करने के लिये राजा जनक संन्यास न ले कर जीवनपर्यन्त राज्य करते रहे; और मनु ने पहला राजा बनना स्वीकार किया। एवं इमी कारण से "स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हमि" (गीता २. ३१) - स्वधर्म के अनुसार जो कर्म प्राप्त है, उनके लिये रोना तुझे उचित नहीं - अथवा "स्वभावनिर्गतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्" (गीता १८. ४७) - स्वभाव और गुणों के अनुरूप निश्चित चातुर्वर्ण्यव्यवस्था के अनुसार नियमित कर्म करने से तुझे कोई पाप नहीं लगेगा - इत्यादि प्रकार के चातुर्वर्ण्यकर्म के अनुसार प्राप्त युद्ध को करने के लिये गीता में बारबार अर्जुन को उपदेश किया गया है। यह कोई भी नहीं कहता, कि परमेश्वर का यथाशक्ति ज्ञान प्राप्त न करो। गीता का भी मिथ्यात्व है, कि इस ज्ञान को सम्पादन करना ही मनुष्य का इस जगत् में इतिवर्तव्य है। परन्तु इसके आगे बढ़ कर गीता का विशेष कथन है, कि अपने आत्मा के कल्याण में ही समष्टिरूप आत्मा के कल्याणार्थ यथाशक्ति प्रयत्न करने का भी ममावेश होता है। इसलिये लोकसंग्रह करना ही ब्रह्मात्मैक्यज्ञान का सच्चा पर्यवमान है। इस पर भी यह नहीं, कि कोई पुरुष ब्रह्मज्ञानी होने में ही मव प्रकार के व्यावहारिक व्यापार अपने ही हाथ से कर डालने योग्य हो जाता हो। भीष्म और व्यास दोनों महाज्ञानी और परम् भगवद्भक्त थे। परन्तु यह कोई नहीं कहता, कि भीष्म के समान ध्याम ने भी लडाई का काम किया होता। देवताओं की ओर देखें, तो वहाँ भी समार के मंहार करने का काम मडकर के बदले विष्णु को सौंपा हुआ नहीं दीख पड़ता? मन की निर्विषयता की, मम और शुद्धबुद्धि की तथा आध्यात्मिक उन्नति की अन्तिम सीढ़ी जीवनमुक्तावस्था है। वह कुछ आधिभौतिक उद्योगों की दक्षता की परीक्षा नहीं है। गीता के इसी प्रकरण में यह विशेष उपदेश दुबारा किया गया है, कि स्वभाव और गुणों के अनुरूप प्रचलित चातुर्वर्ण्य आदि व्यवस्थाओं के अनुसार जिम कर्म को हम मदा से करते चले आ रहे हैं, स्वभाव के अनुसार उमी कर्म अथवा व्यवस्था को ज्ञानोत्तर भी ज्ञानी पुरुष लोकसंग्रह के निमित्त करना रहे। क्योंकि उमी में उमके निपुण होने की सम्भावना है। वह यदि कोई और व्यापार करने लगेगा, तो इसमें ममान की हानि होगी (गी. ३. ३५; १८. ४७)। प्रत्येक मनुष्य में ईश्वरनिमित्त प्रवृत्ति, स्वभाव और गुणों के अनुरूप जो मित्र मित्र प्रकार की योग्यता हानी है, उसे ही अधिपार करते हैं। और वेदान्तमूत्र में कहा है, कि "इम अधिकार के अनुसार प्राप्त कर्मों की पुरुष ब्रह्मज्ञानी हो करके भी लोकसंग्रहाय मरणपर्यन्त करना जावे, छोड न दे - दावदधिनाग्मवग्निरधिनाग्निनाम्" (वे मू. ३. ३. ३२)। कुछ लोगों का कथन है, कि वेदान्तमूत्रपदा का यह नियम केवल बड़े अधिकारी पुरुषों को ही उपयोगी है।

और इस सूत्र के समर्थनार्थ जो उदाहरण दिये गये हैं, उनसे जान पड़ेगा, कि वे सभी उदाहरण व्यास प्रभृति बड़े बड़े अधिकारी पुरुषों के ही हैं। परन्तु भूलसूत्र में अधिकार की छुटाई-वडाई के सम्बन्ध में भी उल्लेख नहीं है। इससे 'अधिकार' शब्द का मतलब छोटे-बड़े सभी अधिकारों से है। और यदि इस बात का सूक्ष्म तथा स्वतन्त्र विचार करे, कि ये अधिकार किस को किस प्रकार प्राप्त होते हैं, तो ज्ञात होगा, कि मनुष्य के साथ ही समाज को परमेश्वर ने उत्पन्न किया है। इसलिये जितना बुद्धिबल, सत्ताबल, द्रव्यबल या शरीरबल स्वभाव ही से हो अथवा स्वधर्म से प्राप्त कर लिया जा सके, उसी हिसाब से यथाशक्ति ससार के धारण और पोषण करने का थोडाबहुत अधिकार (चातुर्वर्ण्य आदि अथवा अन्य गुण और कर्मविभागरूप सामाजिक व्यवस्था से) प्रत्येक को जन्म से ही प्राप्त रहना है। किसी कल को अच्छी रीति से चलाने के लिये बड़े चक्के के समान जिस प्रकार छोटे-से पहिये की भी आवश्यकता रहती है, उसी प्रकार समस्त ससार की अपार घटनाओं अथवा कार्यों के सिलमिले को व्यवस्थित रखने के लिये व्यास आदिकों के बड़े अधिकार के समान ही इस बात की भी आवश्यकता है, कि अन्य मनुष्यों के छोटे अधिकार भी पूर्ण और योग्य रीति से अमल में लाये जावे। यदि कुम्हार घड़े और जुलाहा कपड़े तैयार न करेगा, तो राजा के द्वारा योग्य रक्षण होने पर भी लोकसंग्रह का काम पूरा न हो सकेगा। अथवा यदि रेल का कोई अदवा झण्डीवाला या पाइंट्समन अपना कर्तव्य न करे, तो जो रेलगाडी आजकल वायु की चाल से रातदिन बेखटके दौड़ा करती है, वह फिर ऐसा कर न सकेगी। अतः वेदान्तमूलकर्ता की उल्लिखित युक्तिप्रयुक्तियों से अत्र यह निष्पन्न हुआ, कि व्यास प्रभृति बड़े बड़े अधिकारियों को ही नहीं, प्रत्युत अन्य पुरुषों को भी—फिर चाहे वह राजा हो या रडक—लोकसंग्रह करने के लिये जो छोटे-बड़े अधिकार यथान्याय प्राप्त हुए हैं, उनको ज्ञान के पश्चात् भी छोड़ नहीं देना चाहिये। किन्तु उन्हीं अधिकारों को निष्कामबुद्धि से अपना कर्तव्य समझ यथाशक्ति, यथामति और यथासम्भव जीवनपर्यन्त करते जाना चाहिये। यह कहना ठीक नहीं, कि मैं न सही, तो कोई दूसरा उस काम को करेगा। क्योंकि ऐसा करने में समूचे काम में जितने पुरुषों की आवश्यकता है, उनमें से एक घट जाता है। और सघशक्ति कम ही नहीं हो जाती, बल्कि ज्ञानी पुरुष उसे जितनी अच्छी रीति करेगा, उतनी अच्छी रीति से औरों के द्वारा उमका होना शक्य नहीं। फलतः इस हिनाय से लोकसंग्रह भी अधूरा हो जाता है। इसके अतिरिक्त वह आये हैं, कि ज्ञानी पुरुष के कर्मत्यागरूपी उदाहरण से लोगों की बुद्धि भी विगडती है। कभी कभी नव्यान्-भागवाले बह्रा करते हैं, कि कर्म से चित्त की शुद्धि हो जाने के पश्चात् अपने आत्मा की मोक्षप्राप्ति से ही सन्तुष्ट रहना चाहिये। समाज का नाश भले ही हो जावे; पर उसकी बुद्ध परवाह नहीं करना चाहिये—“लोकसंग्रहं च नैव पुर्यात् वारयेत्” — अर्थात् न तो लोकसंग्रह करे और न कराने (म. भा. अ. अनु. १०। २२

४६ ३९) । परन्तु ये लोग व्यास प्रमुख महात्माओं के व्यवहार की जो उपपत्ति वतलाते हैं, उनमें—और वसिष्ठ एव पञ्चशिख प्रभृति ने राम तथा जनक आदि को अपने अपने अधिकार के अनुसार समाज के धारण-पोषण इत्यादि के काम ही भरण-पर्यन्त करने के लिये जो कहा है, उनमें—यही प्रकट हाता है, कि कर्म छोड़ देने का सन्यासमार्गवाला का उपदेश एकदेशीय है—(सर्वथा सिद्ध होनेवाला शास्त्रीय सत्य नहीं) । अतएव कहना चाहिये, कि ऐसे एकपक्षीय उपदेश की ओर ध्यान दे कर स्वयं भगवान् के ही उदाहरण के अनुसार ज्ञानप्राप्ति के पश्चात् भी अपने अधिकार को परख कर तदनुसार लोकसंग्रहकारक कर्म जीवनभर करते जाना ही शास्त्रोक्त और उत्तम मार्ग है । तथापि इन लोकसंग्रहको फलाशा रख कर न करे । क्योंकि, लोकसंग्रह की ही क्या न हो, पर फलाशा रखने से कर्म यदि निष्फल हो जाय, तो दुःख हुए बिना न रहगा । इसी से 'मै लोकसंग्रह करूँगा' इस अभिमान या फलाशा की वृद्धि को मन न रखकर लोकसंग्रह भी केवल कर्तव्यवृद्धि में ही करना पड़ता है । इसलिये गीता में यह नहीं कहा, कि 'लोकसंग्रहार्थं' अर्थात् लोकसंग्रहस्वरूप फल पाने के लिये कर्म करना चाहिये । किन्तु यह कहा है, कि लोकसंग्रह की ओर दृष्टि दे कर (सम्पश्यन्) तुझे कर्म करना चाहिये—“लोकसंग्रहेवापि सम्पश्यन्” (गी ३ २०) । इत प्रकार गीता में जो जरा लम्बी चौड़ी शब्दयाजना की गई है, उनका रहस्य भी वही है, जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है । लोकसंग्रह सचमुच महत्त्वपूर्ण कर्तव्य है, पर यह न भूलना चाहिये, कि इसके पहले श्लोक (गी ३ १९) में अनासक्तवृद्धि में कर्म करने का भगवान् ने अर्जुन को जो उपदेश दिया है, वह लोकसंग्रह के लिये भी उपयुक्त है ।

ज्ञान और कर्म का जा विरोध है, वह ज्ञान और काम्यकर्मों का है । ज्ञान और निष्काम कर्म में आध्यात्मिक दृष्टि से भी कुछ विरोध नहीं है । कर्म अपरिहार्य है, और लोकसंग्रह की दृष्टि में उनकी आवश्यकता भी बहुत है । इसलिये ज्ञानी पुत्र को जीवनपर्यन्त निष्कामवृद्धि से यथाधिकार चातुर्वर्ण्य के कर्म करने ही रहना चाहिये । यदि वही ज्ञान शान्तीय युक्तिप्रयुक्तिया ने मिद्ध है और गीता का भी यही स्वरूप है, तो मन में यह शांति सत्त्व ही हाती है कि वैदिक धर्म के स्मृतिग्रन्थों में वर्णित चार आश्रमा में मन्व्याम आश्रम की क्या दशा होगी ? मनु आदि मनु स्मृतियों में ब्रह्मचारी गृहस्थ, वाग्दाम्य और मन्व्याम—य आश्रम वाग्दाम्य का क्या है कि अध्ययन, मनसाग, दात या चातुर्वर्ण्यधर्म के अनुसार प्राप्त अथवा कर्मों के शास्त्राक्त आचरण द्वारा ही तीन आश्रमों में धारण और चित्त की वृद्धि हो जानी चाहिये, और अन्त में मन्व्याम कर्मों का स्वरूप ही छोड़ देना चाहिये तथा मन्व्याम लेकर मात्र प्राप्त करना चाहिये (मनु ९ १ और २०-२३ दृष्टा) । इनमें मनु स्मृतिकारों का यह अभिप्राय प्रकट है कि मन्व्याम और दात प्रभृति कर्म गृहस्थाश्रम में यद्यपि विहित हैं, तथापि यन्व चित्त की वृद्धि न हो सके—अर्थात् ज्ञान ही उद्देश्य है, कि निष्काम-

सक्ति या स्वार्थपरायण बुद्धि छूट कर परोपकारबुद्धि इतनी बढ जावे, कि प्राणियो मे एक ही आत्मा को पहचानने की शक्ति प्राप्त हो जाय । और यह स्थिति प्राप्त होने पर मोक्ष की प्राप्ति के लिये अन्त मे सब कर्मो का स्वरूपतः त्याग कर संन्यासाश्रम ही लेना चाहिये । श्रीशङ्कराचार्य ने कलियुग मे जिस संन्यासधर्म की स्थापना की, वह मार्ग यही है; और स्मार्तमार्गवाले कालिदास ने भी रघुवश के आरम्भ मे—

शंशवेऽभ्यस्तविद्यानां योवने विपर्ययिणाम् ।

वाधके मुनिवृत्तीना योगेनान्ते तनुत्यजाम् ॥

“ बालपन में अभ्यास (ब्रह्मचर्य) करनेवाले, तरुणावस्था में विपयोपभोगरूपी संसार (गृहस्थाश्रम) करनेवाले, उतरती अवस्था में मुनिवृत्ति से या वानप्रस्थ धर्म से रहनेवाले और अन्त में (पातञ्जल) योग से संन्यासधर्म के अनुसार ब्रह्माण्ड में आत्मा को ला कर प्राण छोडनेवाले ”—ऐसा सूर्यवश के पराक्रमी राजाओ का वर्णन किया है (रघु. १. ८) । ऐसे ही महाभारत के शुकानुप्रश्न में यह कह कर कि—

चतुष्पदी हि निःश्रेणि ब्रह्मर्ष्येषा प्रतिष्ठिता ।

एतामारुह्य निःश्रेणीं ब्रह्मलोके महीयते ॥

“ चार आश्रमरूपी चार सीढियो का यह जीना अन्त में ब्रह्मपद को जा पहुँचा है । इस जीने से — अर्थात् एक आश्रम से ऊपर के दूसरे आश्रम में — इस प्रकार चढते जाने पर अन्त में मनुष्य ब्रह्मलोक में वडप्पन पाता है ” (शां. २४१ १५) । आगे इस क्रम का वर्णन किया है :-

फपायं पाचयित्वाशु श्रेणिस्थानेषु च त्रिषु ।

प्रब्रजेच्च परं स्थानं पारिव्राज्यमनुत्तमम् ॥

“ इस जीने की तीन सीढियो में मनुष्य अपने किल्बिष (पाप) का अर्थात् स्वार्थ-परायण आत्मबुद्धि का अथवा विपयासक्तिरूप दोष का शीघ्र ही क्षय करके फिर संन्यास ले । पारिव्राज्य अर्थात् संन्यास ही सब में श्रेष्ठ स्थान है ” (शा. २४४. ३) । एक आश्रम से दूसरे आश्रम में जाने का यह सिलसिला मनुस्मृति में भी है (मनु. ६. ३४) । परन्तु यह बात मनु के ध्यान में अच्छी तरह आ गई थी, कि इनमें से अन्तिम (अर्थात् संन्यास आश्रम) की ओर लोगो की फिजूल प्रवृत्ति होने से संसार का कर्तव्य नष्ट हो जायगा, और समाज भी पगु हो जायगा । इसी से मनु ने स्पष्ट मर्यादा बना दी है, कि मनुष्य पूर्वाश्रम में गृहधर्म के अनुसार पराक्रम और लोकसंग्रह के सब कर्म अवश्य करे; इसके पश्चात् —

गृहस्थस्तु यदा पश्येद्वलीपलितमात्मनः ।

अपत्यसर्वैव चापत्यं तदारण्यं समाश्रयेत् ॥

“ जब शरीर में झुरियाँ पडने लगे; और नाती का मुँह दीख पडे; तब गृहस्थ वानप्रस्थ हो कर संन्यास ले ले ” (मनु. ६. २) । इस मर्यादा का पालन करना चाहिये । क्यो कि

मनुस्मृति में ही लिखा है, कि प्रत्येक मनुष्य जन्म के साथ ही अपनी पीठ पर ऋषियों, पितरों और देवताओं के (तीन) ऋण (कर्तव्य) ले कर उत्पन्न हुआ है। इसलिये वेदाध्ययन में ऋषियों का, पुत्रोत्पादन से पितरों का और यज्ञकर्मों से देवता आदिओं का—उन प्रकार—पहले इन तीनों ऋणों को चुकाये बिना मनुष्य समार छोड़ कर मरना नहीं ले सकता। यदि वह ऐसा करेगा (अर्थात् सन्यास लेगा), तो जन्म से ही पाये हुए कर्मों को बेसाक न करने के कारण वह अधोगति को पहुँचेगा (मनु. ६. ३५-३७ और पीठोत्पत्ति प्रकरण का तै म मंत्र देखो)। प्राचीन हिन्दुधर्मशास्त्र के अनुमार वाप का कर्म मियाद गुजर जाने का मन्त्र न बनला कर बेटे या नाती को भी चुकाना पड़ता था, और किसी का कर्म चुकाने से पहले ही मर जाने में बड़ी दुर्गति मानी जाती थी। इस बात पर ध्यान देने से पाठक महज ही जान जायेंगे, कि जन्म से ही प्राप्त और लिखित महन्व के सामाजिक कर्तव्य को 'ऋण' कहने में हमारे शास्त्रकारों का क्या हेतु था। काण्डिदास ने रघुवंश में कहा है, कि स्मृतिकागे की बतलाई हुई इन मर्यादा के अनुसार सूर्यवंशी राजा लोग चलते थे, और जब बेटा राज करने योग्य हो जाता, तब उसे गद्दीपर प्रियता कर (पहले से ही नहीं) स्वयं गृहस्थाश्रम में निवृत्त होने से (रघु ७ ६८)। भागवत में लिखा है, कि पहले दत्त प्रजापति के हर्षप्रमत्त पुत्रों को और फिर शबलाश्वमत्तक दूसरे पुत्रों को भी उनके विवाह से पहले ही नारद ने निवृत्तिमार्ग का उपदेश दे कर भिक्षु बना टाला। इसमें इन अज्ञान और गहरे व्यवहार के कारण नारद की निभंत्तना करने दत्त प्रजापति ने उन्हें शाप दिया (भाग ६ ५ २५-८२)। इसमें ज्ञान होता है, कि इस आश्रमव्यवस्था का मूलहेतु यह था, कि अपना गार्हस्थ्यजीवन यथाशास्त्र पूरा कर गृहस्थी चलाने योग्य लड़कों के समान हो जानेपर बुढ़ापे की निरर्थक आशाओं में उनकी समझ के आटे न आ, निराशा और निराशा ही मनुष्य स्वयं आनन्दपूर्वक मरण में निवृत्त हो जावे। इसी हेतु में विदुरनीति में धृतराष्ट्र ने विदुर ने कहा है -

उत्पाद्य पुत्राननुषारच कृत्वा वृत्ति च तेभ्योऽनुविधाय काञ्चिन् ।

स्थाने पुमारी. प्रतिपाद्य सर्वा अरुष्यसस्त्योऽप्य मुनिर्बुभूषेत् ॥

“गृहस्थाश्रम में पुत्र उत्पन्न कर (उन्हें कोई ऋण न छोड़े और उनकी जीविका के लिये कुछ धाड़ाना प्रवृत्त कर तथा मय लटपिटा के योग्य स्थानों में दे चुकान पर) वानप्रस्थ हो मरना देने की इच्छा करे” (म भा उ ३६ ३९)। आजकल हमारे यहाँ माधाराण लोगों की ममारसम्बन्धी समझ भी प्रायः विदुर के कथनानुसार ही है। तो कर्मों-न-कर्मों ममार का छोड़ देना ही मनुष्यमात्र का परममाध्य मानने के कारण ममार के व्यवहारों की निधि के लिये स्मृतिप्रणेतारों ने जो पहले तीन आश्रमों की श्रेयस्कर मर्यादा कर दी थी, वह धीरे धीरे छूटने लगी। और यहाँ तक स्थिति आ पहुँची, कि यदि किसी का पैदा होते ही अथवा अन्य अवस्था

में ही ज्ञान की प्राप्ति हो जावे, तो उसे इन तीन मीटियों पर चढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वह एकदम सन्यास ले ले, तो कोई हानि नहीं — “ब्रह्मचयदिव प्रव्रजेद्-गृहाद्वा वनाद्वा” (जावा ४)। उसी अभिप्राय से महाभारत के गोकापिलीय सवाद में कपिल ने स्पूमरश्मि से कहा है —

शरीरपक्षित. कर्माणि ज्ञान तु परमा गति ।

कषाये कर्मभि. पक्वे रसज्ञाने च तिष्ठति ॥*

“सारे कर्म शरीर के (विषयात्तवितरूप) रोग निकाल फेंकन के लिये हैं। ज्ञान ही सब में उत्तम और अन्त की गति है। जब कर्म से शरीर का कषाय अथवा अज्ञानरूपी रोग नष्ट हो जाता है, तब रसज्ञान की चाह उपजती है” (शा २६९ ३८)। इसी प्रकार मोक्षधर्म में भी कहा है, कि “नैराश्य परम सुखम्” अथवा ‘योऽसौ प्राणान्तिको रोगस्ता तृष्णा त्यजत सुप्तम्’—तृष्णारूप प्राणान्तक रोग छूटे बिना सुख नहीं है (शा १७४ ६५ और ५८)। जावाल और वृहदारण्यक उपनिषदों के वचनों के अतिरिक्त बौद्ध और नारायणोपनिषद में वर्णन है, कि ‘न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशु ।’—कर्म से, प्रजा से अथवा धन से नहीं, किन्तु त्याग से (यान्यास से) कुछ पुरुष मोक्ष प्राप्त करते हैं। (कं. १. २, नारा उ १२ ३. और ७८ देखो)। यदि गीता वा यह सिद्धान्त है, कि ज्ञानी पुरुष को भी अन्ततः कर्म ही करने रहना चाहिये, तो अब बतलाना चाहिये, कि इन वचना की व्यवस्था कैसी क्या लगाई जावे? इस शब्दका के होने से ही अर्जुन ने अठारहवें अध्याय के आरम्भ में भगवान् से पूछा है, कि “अव मुझे अलग अलग बतलाओ, कि सन्यास व माना क्या है? और त्याग से क्या समझूँ?” (१८ १) यह देखने के पहले—कि भगवान् ने इस प्रश्न का क्या उत्तर दिया—स्मृतिग्रन्थों में प्रतिपादि। इस आश्रममार्ग के अतिरिक्त एक दूसरे तुल्यबल वैदिक मार्ग का भी यहाँपर थाडा-सा विचार करना आवश्यक है।

ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और अन्त में सन्यासी, इस प्रकार आश्रमा की इन चार चढ़ती हुई सीढ़ियों के जिने को ही ‘स्मार्त’ अर्थात् ‘स्मृतिकारो वा प्रतिपादन किया हुआ मार्ग’ कहते हैं। और ‘वर्म कर’ और ‘कर्म छोड़’—वेद की ऐसी जो दो प्रकार की आज्ञाएँ हैं, उनकी एकबाबयता दिखराने के लिये आयु के भेद के अनुसार आश्रमों की व्यवस्था स्मृतिकर्ताओं ने की है, और कर्मों के स्वरूपत सन्यास ही, को यदि अन्तिम ध्येय मान ले तो उस ध्येय की सिद्धि के लिये स्मृतिकारों के निर्दिष्ट किये हुए आयु विताने के चार सीटियावाले इस आश्रममार्ग को

* वेदान्तसूत्रों पर जो शांकरभाष्य है (३ ४ २६), उसमें यह श्लोक लिया गया है। वहाँ इसका पाठ इस प्रकार है — “कषायपक्षि कर्माणि ज्ञान तु परमा गति । कषाये कर्मभि पक्वे ततो ज्ञान प्रवर्तते ॥” महाभारत में हमें यह श्लोक जैसा मिला है, हमने यहाँ वसा ही ले लिया है।

साधनरूप समझ कर अनुचित नहीं कह सकते । आद्युष्य विताने के लिये इस प्रकार चटती हुई सीडियों की व्यवस्था में संसार के व्यवहार का लोप न हो कर वद्यपि वैदिक कर्म और औपनिषदिक ज्ञान का मेल हो जाता है, तथापि अन्य तीनों आश्रमों का अन्नदाता गृहस्थाश्रम ही होने के कारण मनुस्मृति और महाभारत में भी अन्त में उमका ही महत्त्व स्पष्टतया स्वीकृत हुआ है :-

यथा मातरमाश्रित्य सर्वे जीवन्ति जन्तवः ।

एवं गार्हस्थ्यमाश्रित्य वर्तन्त इतराश्रमाः ॥

“ माता के (पृथ्वी के) आश्रय से जिस प्रकार सब जन्तु जीवित रहते हैं, उसी प्रकार गृहस्थाश्रम के आसरे अन्य आश्रम हैं (शां. २६८. ६; और मनु. ३. ७७ देखो) । मनु ने तो अग्न्याय आश्रमों को नदी और गृहस्थाश्रम को सागर कहा है (मनु. ६. ९०; म. भा. शा. २१५. ३९) । जब गृहस्थाश्रम की श्रेष्ठता इस प्रकार निर्विवाद है, तब उसे छोड़ कर ‘कर्ममंग्याम’ करने का उपदेश देने में लाभ ही क्या है? क्या ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर भी गृहस्थाश्रम के कर्म करना अशक्य है? नहीं तो फिर इसका क्या अर्थ है, कि ज्ञानी पुरुष संसार में निवृत्त हो? थोड़ीबहुत स्वार्थबुद्धि से बर्ताव करनेवाले माघारण लोगों की अपेक्षा पूर्ण निष्कामबुद्धि में व्यवहार करनेवाले ज्ञानी पुरुष लोकमंग्रह करने में अधिक ममयं और पात्र रहते हैं । अतः ज्ञान में जब उनका सामर्थ्य पूर्णावस्था को पहुँचता है, तभी समाज को छोड़ जाने की स्वतन्त्रता ज्ञानी पुरुष को रहने देने में सब समाज की ही अत्यन्त हानि हुआ करती है; जिसकी भलाई के लिये चातुर्वर्ण्यव्यवस्था की गई है; शरीरसामर्थ्य न रहने पर यदि कोई अक्षय मनुष्य समाज को छोड़ कर वन में चला जावे, तो वान निराली है — उसने समाज को कोई विशेष हानि नहीं होगी । जान पड़ता है, कि मंग्यास-आश्रम को बुढ़ापे की मर्यादा से लपेटने में मनु का हेतु भी यही रहा होगा । परन्तु ऊपर वह चुके हैं, कि यह श्रेयस्कर मर्यादा व्यवहार में जाती रही । इसलिये ‘कर्म कर’ और ‘कर्म छोड़’ ऐसे द्विविध वेदवचनों का मेल करने के लिये ही यदि स्मृतिरत्नाओं ने आश्रमों की चटनी हुई श्रेणी बाँधी हो, तो भी इन भिन्न भिन्न वेदवाक्यों की एतद्वाक्यता करने का स्मृतिकारों की बराबरी का ही — और तो क्या उनमें भी अधिक — निर्विवाद अधिकार त्रिम भगवान् श्रीकृष्ण को है, उन्हीं ने जनक प्रभृति के प्राचीन ज्ञानकर्म-ममुच्चयात्मक मार्ग का भागवतधर्म के नाम में पुनरुज्जीवन और पूर्ण ममयं किया है । भागवतधर्म में केवल अध्यात्मविचारों पर ही निर्भर न रह कर वामुदेवभक्तिरूपी मुख्य माधनों को भी उगमें मिला दिया है । इन विषय पर आगे तेरहवें प्रकरण में विस्तारपूर्वक विवेचन किया जायेगा । भागवतधर्म भक्तिप्रधान मन्त्र ही हो; पर उगमें भी जनक के मार्ग का यह महत्त्वपूर्ण तत्त्व विद्यमान है, कि परमेश्वर का ज्ञान पा चुकने पर कर्मत्यागस्य मंग्यान न ले । केवल फलागा छोड़ कर ज्ञानी पुरुष को भी

लोकसंग्रह के निमित्त समस्त व्यवहार यावज्जीवन निष्कामबुद्धि से वरते रहना चाहिये अतः वमंदृष्टि से ये दोनो मार्ग एव-से अर्थात् ज्ञानवर्मसमुच्चयात्मक या प्रवृत्ति-प्रधान होते हैं। साक्षात् परब्रह्म के ही अवतार - नर और नारायण ऋषि - इस प्रवृत्तिप्रधान धर्म के प्रथम प्रवर्तक हैं, और इसी से इस धर्म का प्राचीन नाम 'नारायणीय धर्म' है। ये दोनो ऋषि परम ज्ञानी थे, और लोगों को निष्कामकर्म करने का उपदेश देनेवाले तथा स्वयं करनेवाले थे (म भा उ. ४८. २१)। और इसी से महाभारत में इस धर्म का वर्णन इस प्रकार किया गया है - "प्रवृत्तिलक्षणश्चैव धर्मो नारायणात्मकः" (म भा शा ३४७ ८१), अथवा "प्रवृत्तिलक्षण धर्मं ऋषिनारायणोऽब्रवीत्" - नारायण ऋषि का आरम्भ किया हुआ धर्म आचरण प्रवृत्तिप्रधान है (म भा शा २१७ २)। भागवत में स्पष्ट कहा है, कि यही सात्वत या भागवतधर्म है, और इस सात्वत या मूल भागवतधर्म का स्वरूप 'नैष्कर्म्यलक्षण' अर्थात् निष्कामप्रवृत्तिप्रधान था (भाग १. ३ ८ और ११ ४. ६)। अनुगीता के इस श्लोकसे - "प्रवृत्तिलक्षणो योग ज्ञान संन्यासलक्षणम्" प्रकट होता है, कि इस प्रवृत्तिमार्ग का ही एक और नाम 'योग' था (म भा अश्व. ४३ २५)। और इसी से नारायण के अवतार श्रीकृष्ण ने नर के अवतार अर्जुन को गीता में जिस धर्म का उपदेश दिया है, उस को गीता में ही 'योग' कहा है। आजकल कुछ लोगो की समझ है, कि भागवत और स्मार्त, दोनो पन्थ उपास्यभेद के कारण पहले उत्पन्न हुए थे। पर हमारे मत में यह समझ ठीक नहीं। क्योंकि इन दोनो मार्गों के उपास्य भिन्न भले ही हो, किन्तु उनका अध्यात्मवाद एक ही है। और अध्यात्मज्ञान की नींव एक ही होने से यह सम्भव नहीं, कि उदात्त ज्ञान में पारङ्गत प्राचीन ज्ञानी पुरुष केवल उपास्य के भेद को ले कर झगडते रहे। इसी कारण से भगवद्गीता (९ १४) एव शिवगीता (१२ ४) दोनो ग्रन्थों में कहा है, कि भक्ति किसी की करो, पहुँचेगी वह एक ही परमेश्वर को। महाभारत के नारायणीय धर्म में इन दोनो देवताओं का अभेद यो बतलाया गया है, कि नारायण और रुद्र एक ही हैं। जो रुद्र के भक्त हैं, वे नारायण के भक्त हैं, और जो रुद्र के द्वेषी हैं, वे नारायण के भी द्वेषी हैं (म भा शा ३४१ २०-२६ और ३४२, १२९ देखो)। हमारा यह कहना नहीं है, कि प्राचीन काल में शैव और वैष्णवों का भेद ही न था। पर हमारे कथन का तात्पर्य यह है, कि ये दोनो - स्मार्त और भागवत - पन्थ शिव और विष्णु के उपास्य भेदभाव के कारण भिन्न भिन्न नहीं हुए हैं, ज्ञानोत्तर निवृत्ति या प्रवृत्तिकर्म छोड़े या नहीं - केवल इसी महत्त्व के विषय में मतभेद होने से ये दोनो पन्थ प्रथम उत्पन्न हुए हैं। आगे कुछ समय के बाद जब मूल भागवतधर्म का प्रवृत्ति-मार्ग या कर्मयोग लुप्त हो गया, और उसे भी केवल विष्णु-भक्तिप्रधान अर्थात् अनेक अंशों में निवृत्तिपर आधुनिक स्वरूप प्राप्त हो गया। एव इसी के कारण जब वृथाभिमान से ऐसे झगडे होने लगे, कि तेरा देवता 'शिव' है, और मेरा देवता 'विष्णु',

तब 'स्मार्त' और 'भागवत' शब्द नमः: 'शैव' और 'विष्णव' शब्दों के समानार्थक हो गये। और अन्त में आधुनिक भागवतधर्मियों का वेदान्त (द्वैत या विशिष्टाद्वैत) मिश्र हो गया, तथा वेदान्त के समान ही ज्योतिष अर्थात् एतादृशी और चन्दन लगाने की रीति तब स्मार्तमार्ग ने निराली हो गई। किन्तु 'स्मार्त' शब्द में ही ध्येय होता है, कि यह भेद सच्चा और मूल का (पुराना) नहीं है। भागवतधर्म भगवान् का ही प्रवृत्त किया हुआ है। इसलिये इनमें कोई आश्चर्य नहीं, कि इसका उपास्य देव भी श्रीकृष्ण या विष्णु है। परन्तु 'स्मार्त' शब्द का घातक्य 'स्मृत्युक्त' - केवल इतना ही - होने के कारण यह नहीं कहा जा सकता, कि स्मार्त धर्म का उपास्य शिव ही होना चाहिये। क्योंकि मनु आदि प्राचीन धर्मग्रन्थों में यह नियम नहीं है, कि एक शिव की ही उपासना करनी चाहिये। इसके विपरीत, विष्णु का ही वर्णन अधिक पाया जाता है। और कुछ स्थलों पर तो गणपति प्रमृति को भी उपास्य बतलाया है। इस के सिवा शिव और विष्णु दोनों देवता वैदिक हैं। अर्थात् वेद में ही इनका वर्णन किया गया है। इसलिये इनमें से एक को ही स्मार्त कहना ठीक नहीं है। श्रीशङ्कराचार्य स्मार्त मत के पुरस्कर्ता कहे जाते हैं। पर शाङ्कर मत में उपास्य देवता शारदा है। और शाङ्करभाष्य में जहाँ जहाँ प्रतिमापूजन का प्रसङ्ग छिड़ा है, वहाँ वहाँ आचार्य ने शिवलिंग का निर्देश न कर शालग्राम अर्थात् विष्णुप्रतिमा का ही उल्लेख किया है (वे. सू. भा. १. २. ७; १. ३. १४ और ४. १. ३, छा. भा. ८. १. १)। इसी प्रकार कहा जाता है, कि पञ्चदेवपूजा का प्रकार भी पहले शङ्कराचार्य ने ही किया था। इन सब बातों का विचार करने में यही सिद्ध होगा है, कि पहले पहले स्मार्त और भागवत ग्रन्थों में ('शिवभक्ति' या 'विष्णुभक्ति' जैसे उपास्य में) दोनों के कोई झगड़े नहीं थे। किन्तु जिनकी दृष्टि में स्मृतिग्रन्थों में स्पष्ट रीति में वर्णित आश्रमव्यवस्था के अनुसार तर्क अवस्था में यथाशान्त्र मनार के सब कार्य करते बुढ़ापे में एकाएक धर्म छोड़ चतुर्याश्रम या समाज लेना अन्तिम माध्य था, वे ही स्मार्त कहलाते थे। और जो लोग भगवान् के उपदेशानुसार यह समझते थे, कि ज्ञान एव उज्ज्वल भगवद्भक्ति के साथ ही-साथ मरणपर्यन्त गृहस्थाश्रम के ही कार्य निष्पामवृद्धि में करते रहना चाहिये, उन्हें भागवत कहते थे। इन दोनों शब्दों के मूळ अर्थ ये ही हैं। और इसी में ये दोनों शब्द माध्य और योग अथवा मन्थान और कर्मयोग के प्रथम समानार्थक होते हैं। भगवान् के अनागत्य से वहाँ या ज्ञानयुक्त गार्हस्थ्यधर्म के महत्त्व पर ध्यान दे कर वहाँ, मन्थान-आश्रम लुप्त हो गया था, और कश्चित्कर्म प्रसङ्ग में शामिल कर दिया गया था। अर्थात् कश्चिद्गम में जिन बातों का शास्त्र ने निषिद्ध माना है, उनमें मन्थान की गिनती की गई थी। १० फिर जैन और बौद्ध धर्म के प्रवर्तकों ने वापिस मान्य मत को स्वीकार

* किन्तु किन्तु के लिये परिच्छेद में कश्चित्कर्म प्रसङ्ग है। इस में 'अभिहितं गवा-
हन्तं संन्यासं पश्येत्तन्म। देवराष्ट्रं सुतेति कश्चिदथ विवर्जयेत्' और 'मन्थामश्रम न

कर इस मत का विशेष प्रचार किया, कि संसार का त्याग कर संन्यास लिये विना मोक्ष नहीं मिलता । इतिहास में प्रसिद्ध है, कि बुद्ध ने स्वयं तरुण अवस्था में ही राजपाट, स्त्री और बाल-वच्चो को छोड़ कर संन्यास दीक्षा ले ली थी । यद्यपि श्रीशङ्कराचार्य ने जैन और बौद्धों का खण्डन किया है, तथापि जैन और बौद्धों ने जिस संन्यासधर्म का विशेष प्रचार किया था, उसे ही श्रौतस्मार्त संन्यास कह कर आचार्य ने कायम रखा । और उन्होने गीता का इत्यर्थ भी ऐसा निकाला, कि वही संन्यासधर्म गीता का प्रतिपाद्य विषय है । परन्तु वास्तव में गीता स्मार्तमार्ग का ग्रन्थ नहीं । यद्यपि सांख्य या संन्यासमार्ग से ही गीता का आरम्भ हुआ है, तो भी आगे सिद्धान्तपक्ष में प्रवृत्तिप्रधान भागवतधर्म ही उस में प्रतिपादित है । यह स्वयं महाभारतकार का वचन है, जो हम पहले ही प्रकरण में दे आये हैं । इन दोनों पन्थों के वैदिक ही होने के कारण सब अशों में न सही; तो अनेक अशो में दोनों की एकवाक्यता करना शक्य है । परन्तु ऐसी एकवाक्यता करना एक बात है; और यह कहना दूसरी बात है, कि गीता में संन्यासमार्ग ही प्रतिपाद्य है । यदि कहीं कर्ममार्ग को मोक्षप्रद कहा हो, तो वह सिर्फ अर्थवाद या षोली स्तुति है । रुचिबैचिद्व्य के कारण किसी को भागवतधर्म की अपेक्षा स्मार्तधर्म ही बहुत प्यारा जँवेगा । अथवा कर्मसंन्यास के लिये जो कारण सामान्यतः बतलाये जाते हैं, वे ही उसे अधिक बलवान् प्रतीत होंगे । नहीं कौन कहे ? उदाहरणार्थ, इसमें किसी को शंका नहीं, कि श्रीशङ्कराचार्य को स्मृति या संन्यासधर्म ही मान्य था । अन्य सब मार्गों को वे अज्ञानमूलक मानते थे । परन्तु यह नहीं कहा जा सकता, कि सिर्फ उसी कारण से गीता का भावार्थ भी वही होना चाहिये । यदि तुम्हें गीता का सिद्धान्त मान्य नहीं है, तो कोई चिन्ता नहीं । उसे न मानो । परन्तु यह उचित नहीं, कि अपनी टेक रखने के लिये गीता के आरम्भ में जो यह है, कि " इस संसार में आयु बिताने के दो प्रकार के स्वतन्त्र मोक्षप्रद मार्ग अथवा निष्ठाएँ हैं " इसका ऐसा अर्थ किया जाय, कि " संन्यासनिष्ठा ही एक सच्चा और श्रेष्ठ मार्ग है । " गीता में वर्णित ये दोनों मार्ग वैदिक धर्म में जनक और याज्ञवल्क्य के पहले से ही स्वतन्त्र रीति से चले आ रहे हैं । पता लगता है, कि जनक के समान समाज के धारण और पोषण करने के अधिकार क्षात्रधर्म के अनुसार वंशपरम्परा से या अपने सामर्थ्य से जिनको प्राप्त हो जाते थे, वे ज्ञानप्राप्ति के पश्चात् भी निष्कामबुद्धि से अपने काम जारी रख कर जगत् का कल्याण करने में ही अपनी सारी आयु लगा देते थे । समाज के इस अधिकार पर ध्यान दे कर ही महाभारत में अधिकारभेद से दुहरा वर्णन आया है, कि " सुखं जीवन्ति मुनयो भैक्ष्यवृत्ति समाश्रिताः " (शां. १७८. ११) - जड़गलों में रहनेवाले मुनि आनन्द से भिक्षावृत्ति को स्वीकार

कर्तव्यो ब्राह्मणेन विजानता ? इत्यादि स्मृतिवचन हैं । अर्थ :- अग्निहोत्र, गोवध, संन्यास, श्राद्ध में भासभक्षण और नियोग, कलियुग में ये पाँचों निषिद्ध हैं । इनमें संन्यास का निषिद्धत्व भी शंकराचार्य ने पीछे से निकाल डाला ।

करते हैं— और "दण्ड एव हि राजेन्द्र क्षत्रधर्मो न मण्डनम्" (शा. २३.४६) — दण्ड से लोगो का धारण-भोषण करना ही क्षत्रिय का धर्म है, मण्डन करा लेना नहीं। परन्तु इनसे यह भी न समझ लेना चाहिये, कि सिर्फ प्रजापालन के अधिकारी क्षत्रियो को ही उनके अधिकार के कारण कर्मयोग विहित था। कर्मयोग के उल्लिखित वचन का ठीक भावार्थ यह है, कि जो जिस कर्म के करने का अधिकारी हो, वह ज्ञान के पश्चात् भी उस कर्म को करता रहे। और इसी कारण मे महाभारत में कहा है, कि "एषा पूर्वतरा वृत्तिर्ब्राह्मणस्य विधीयते" (शा २३७) — ज्ञान के पश्चात् ब्राह्मण भी अपने अधिकारानुसार यज्ञयाग आदि कर्म प्राचीन काल में जारी रखते थे। मनुस्मृति में भी सन्यास आश्रम के बदले सब वर्णों के लिये वैदिक कर्मयोग ही विवक्षित मे विहित माना गया है (मनु ६.८६-९६)। यह वही नहीं लिखा है, कि भागवत-धर्म केवल क्षत्रियो के ही लिये है। प्रत्युत उसकी महत्ता यह कह कर गाई है, कि स्त्री और शूद्र आदि सब लोगो को वह सुलभ है (गी. ९. ३२)। महाभारत में ऐसी क्याएँ है, कि तुलाधार (वैश्य) और व्याघ्र (बहेलिया) इसी धर्म का आचरण करते थे; और उन्होने ब्राह्मणो को भी उसका उपदेश किया था। (शा. २६१, वन २१५)। निष्कामकर्मयोग का आचरण करनेवाले प्रमुख पुण्यो के जो उदाहरण भागवतधर्मग्रन्थो में दिये जाने हैं, वे केवल जनक-श्रीकृष्ण क्षत्रियो के ही नहीं हैं, प्रत्युत उनमें वसिष्ठ, जैगीपय्य और व्यास प्रभृति ज्ञानी ब्राह्मणो का भी समावेश रहता है।

यह न भूलना चाहिये, कि यद्यपि गीता में कर्ममार्ग ही प्रतिपाद्य है तो भी निरे कर्म (अर्थात् ज्ञानरहित कर्म) करने के मार्ग को गीता मोक्षप्रद नहीं मानती। ज्ञानरहित कर्म करने के भी दो भेद हैं। एक तो दम्भ मे या आमुरी बुद्धि मे कर्म करना और दुसरा श्रद्धा से। इनमें दम्भ के मार्ग या आमुगी मार्ग को गीता ने (१६. १६ और १७. २८) और भीमामको ने भी गहन तथा नरकप्रद माना है, एव ऋग्वेद में भी अनेक स्थलो पर श्रद्धा को महत्ता वर्णित है (ऋ १०. १५१, ९. ११३. २ और २. १२. ५)। परन्तु दुसरे मार्ग के विषय में — अर्थात् ज्ञान-व्यतिरिक्त किन्तु शास्त्रो पर श्रद्धा रख कर कर्म करने के मार्ग के विषय में — भीमामको का कहना है, कि परमेश्वर के स्वन्य वा वयार्थ ज्ञान न हो, तो भी शास्त्रो पर विश्वास रख कर केवल श्रद्धापूर्वक यज्ञयाग आदि कर्म मरणपर्यन्त करते जाने मे अन्त में मोक्ष ही मिथ्या है। पीछे के प्रकरण मे कह चुके हैं, कि कर्मसाष्टक्य मे भीमामको का यह मार्ग बहुत प्राचीन काल मे चला आ रहा है। वेदमहिता और ब्राह्मणो में सन्यास आश्रम आवश्यक वही नहीं कहा गया है। उन्हा जैमिनी ने वेदो का वही स्पष्ट मत बतलाया है, कि गृहस्थाश्रम में रहने में ही मोक्ष मिथ्या है (वे मु ३. ८ १७-२० देखा)। और उनका यह कथन कुछ निग-घार भी नहीं है। ज्योकि कर्मकाण्ड के इस प्राचीन मार्ग को गीत मानने का आरम्भ उत्तरनिपदो में ही पहले-पहल देखा जाता है। यद्यपि उत्तरनिपद् वैदिक है, तथापि उनके विषय प्रतिपादन मे प्रकट होता है, वे कि मिथ्या और ब्राह्मणो के पीछे के हैं इमने मानी

यह नहीं, कि उसके पहले परमेश्वर का ज्ञान हुआ ही न था। हाँ, उपनिषत्काल में ही यह मत पहले पहले अमल में ज्वल्य आने लगा, कि मोक्ष पाने के लिये ज्ञान के पश्चात् वैराग्य से कर्मसंन्यास करना चाहिये। और इसके पश्चात् संहिता एव ब्राह्मणों में वर्णित कर्मवाण्ड को गौणत्व आ गया। इसके पढ़ने कर्म ही प्रधान माना जाता था। उपनिषत्काल में वैराग्ययुक्त ज्ञान अर्थात् संन्यास की इस प्रकार बढ़ती होने लगने पर यज्ञयाग प्रभृति कर्मों की ओर या चातुर्वर्ण्य धर्म की ओर भी ज्ञानी पुरुषों ही दुर्लभ्य करने लगे, और तभी से यह समझमन्द होने लगी, कि लोकसंग्रह करना हमारा कर्तव्य है। स्मृतिप्रणेताओं ने अपने ग्रन्थों में यह कह कर—कि गृहस्थाश्रम में यज्ञयाग आदि श्रौत या चातुर्वर्ण्य के स्मार्त कर्म करना ही चाहिये—गृहस्थाश्रम को बढ़ाई गई है सही; परन्तु स्मृतिकारों के मत में भी अन्त में वैराग्य या संन्यास आश्रम ही श्रेष्ठ माना गया है। इसलिये उपनिषदों के ज्ञानप्रवाह से कर्मकाण्ड को जो गौणता प्राप्त हो गई थी, उसको हटाने का सामर्थ्य स्मृतिकारों की आश्रमव्यवस्था में नहीं रह सक्ता था। ऐसी अवस्था में ज्ञानकाण्ड और कर्मकाण्ड में से किसी को गौण न कह कर भक्ति के साथ इन दोनों का मेल कर देने के लिये गीता की प्रवृत्ति हुई है। उपनिषत्-प्रणेताओं के ये सिद्धान्त गीता को मान्य हैं, कि ज्ञान के बिना मोक्षप्राप्ति नहीं होती; और यज्ञयाग आदि कर्मों से यदि बहुत हुआ तो स्वर्गप्राप्ति हो जाती है (मु. १. २. १०; गी. २. ४१-४५)। परन्तु गीता का यह भी सिद्धान्त है, कि सृष्टिक्रम को जारी रखने के लिये यज्ञ अथवा कर्म के चक्र को भी कायम रखना चाहिये—कर्मों को छोड़ देना निरा पागलपन या मूर्खता है। इसलिये गीता का उपदेश है, कि यज्ञयाग आदि श्रौतिकर्म अथवा चातुर्वर्ण्य आदि व्यावहारिक कर्म अज्ञानपूर्वक श्रद्धा से न करके ज्ञानवैराग्ययुक्त बुद्धि से निरा कर्तव्य समझ कर करो। इससे यह चक्र भी नहीं विगडने पायेगा; और तुम्हारे किये हुए कर्म मोक्ष के आडे भी नहीं आवेंगे। कहना नहीं होगा, कि ज्ञानकाण्ड और कर्मकाण्ड (संन्यास और कर्म) का मेल मिलाने की गीता की यह शैली स्मृतिकर्ताओं की अपेक्षा अधिक सरल है। क्योंकि व्यष्टिरूप आत्मा का कल्याण यत्किञ्चित् भी न घटा कर उसके साथ सृष्टि के समष्टिरूप आत्मा का कल्याण भी गीतामार्ग से साधा जाता है। भीमासक कहते हैं, कि कर्म अनादि और वेदप्रतिपादित है। इसलिये तुम्हें ज्ञान न हो, तो भी उन्हें करना चाहिये। कितने ही (सब नहीं) उपनिषत्प्रणेता कर्मों को गौण मानते हैं। और यह कहते हैं—या यह मानने में कोई क्षति नहीं, कि निदान उनका झुकाव ऐसा ही है—कि कर्मों को वैराग्य से छोड़ देना चाहिये। और स्मृतिकार आयु के भेद—अर्थात् आश्रमव्यवस्था से उक्त दोनों मतों की इस प्रकार एक-वाक्यता—करते हैं, कि पूर्व आश्रमों में इन कर्मों को करते रहना चाहिये। और चित्तशुद्धि हो जाने पर बुढ़ापे में वैराग्य से सब कर्मों को छोड़ कर संन्यास ले लेना चाहिये। परन्तु गीता का मार्ग इन तीनों पन्थों से भिन्न है। ज्ञान और काम्यकर्म के

बीज, इन में यदि विरोध हो, तो भी ज्ञान और निष्कामकर्म में कोई विरोध नहीं। इसीलिये गीता का कथन है, कि निष्कामबुद्धि से सब कर्म मर्यादा करते रहो। उन्हें कभी मत छोड़ो। अब इन चारों मतों की तुलना करने से दीज पड़ेगा, कि ज्ञान होने के पहले कर्म की आवश्यकता सभी को मान्य है; परन्तु उपनिषदों और गीता का कथन है, कि ऐसी स्थिति में श्रद्धा से किये हुए कर्म का फल स्वर्ग के सिवा दूसरा कुछ नहीं होता। इसके आगे, अर्थात् ज्ञानप्राप्ति हो चुकने पर—कर्म किये जावें या नहीं इस विषय में उपनिषत्कर्ताओं में भी मतभेद है। कई एक उपनिषत्कर्ताओं का मत है, कि ज्ञान से समस्त काम्यबुद्धि का न्हास हो चुकने पर जो मनुष्य मोक्ष का अधिकारी हो गया है, उसे केवल स्वर्ग की प्राप्ति करा देनेवाले काम्यकर्म करने का कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता। परन्तु ईशावास्य आदि दूसरे कई एक उपनिषदों में प्रतिपादन किया गया है, कि मृत्युलोक के व्यवहारों को जारी रखने के लिये कर्म करना ही चाहिये। यह प्रकट है, कि उपनिषदों में वर्णित इन दो मार्गों में से दूसरा मार्ग ही गीता में प्रतिपादित है (गी. ५. २)। परन्तु यद्यपि यह कहें, कि मोक्ष के अधिकारी ज्ञानी पुरुष को निष्कामबुद्धि से लोकसंग्रहार्थ सब व्यवहार करना चाहिये; तथापि इस स्थान पर यह प्रश्न आप ही होता है, कि जिन यज्ञयाग आदि कर्मों का फल स्वर्गप्राप्ति के सिवा दूसरा कुछ नहीं, उन्हें वह करे ही क्यों? इसी से अठारहवें अध्याय के आरम्भ में इसी प्रश्न को उठा कर भगवान् ने स्पष्ट निर्णय कर दिया है, कि 'यज्ञ, दान, तप' आदि कर्म मदैव चित्तशुद्धिकारक हैं। अर्थात् निष्कामबुद्धि उपजाने और बढानेवाले हैं। इसलिये 'इन्हें भी' (एतान्यपि) अन्य निष्कामकर्मों के समान लोकसंग्रहार्थ ज्ञानी पुरुष को करना और मटन छोड़ कर मरदा करने रहना चाहिये (गी. १८. ६)। परमेश्वर को अपेक्षा कर इन प्रकार सब कर्म निष्कामबुद्धि में करने रहने में व्यापक अर्थ में यही एक बड़ा भारी यज्ञ हो जाता है। और फिर इस यज्ञ के लिये जो कर्म किया जाता है, वह बन्धन नहीं होता (गी. ४. २३)। किन्तु सभी काम निष्कामबुद्धि में करने के कारण यज्ञ में जो स्वर्गप्राप्ति का दण्ड प्राप्त मिलनेवाला था, वह भी नहीं मिलता; और ये सब काम मोक्ष के आटे आ नहीं सकते। गार्ग्य, मीमामकों या कर्मकाण्ड यदि गीता में कायम रखा गया हो, तो वह इसी रीति में ग्राह्य गया है, कि उसने स्वर्ग का आना-जाना छूट जाता है। और सभी कर्म निष्कामबुद्धि में करने के कारण अन्त में मोक्षप्राप्ति हुए बिना नहीं रहती। ध्यान रखना चाहिये, कि मीमामकों के कर्ममार्ग और गीता के कर्मयोग में यही मूल्य का भेद है—दोनों एक नहीं हैं।

यही बातें दिया, कि भगवद्गीता में प्रवृत्तिप्रधान भागवतधर्म या कर्मयोग ही प्रतिपाद्य है, और इन कर्मयोग में तथा मीमामकों के कर्मकाण्ड में कौनसा भेद है। अब ताँ बत दृष्टि में इन बात का थोड़ा-सा विचार करने हैं, कि गीता के कर्मयोग में और ज्ञानयोग में क्या अन्तर है? अथवा धर्मयोग की धर्म की दृष्टि आध्यात्मिकवस्था में क्या

भेद है। यह भेद बहुत ही सूक्ष्म है। और सच पूछो तो इसके विषय में वाद करने का कारण भी नहीं है। दोनों पक्ष मानते हैं, कि ज्ञानप्राप्ति होने तक चित्त की शुद्धि के लिये प्रथम दो आश्रमों (ब्रह्मचारी और गृहस्थ) के कृत्य सभी को करना चाहिये। मतभेद सिर्फ इतना ही है, कि पूर्ण ज्ञान हो चुकने पर कर्म करें या संन्यास ले लें? सम्भव है, कुछ लोग यह समझें, कि सदा ऐसे ज्ञानी पुरुष किसी समाज में थोड़े ही रहेंगे? इसलिये इन थोड़े-से ज्ञानी पुरुषों का कर्म करना या न करना एक ही सा है। इस विषय में विशेष चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। परन्तु यह समझ ठीक नहीं। क्योंकि ज्ञानी पुरुष के वर्तव्य को और लोग प्रमाण मानते हैं। और अपने अन्तिम साध्य के अनुसार ही मनुष्य पहले से आदत डालता है। इसलिये लौकिक दृष्टि से यह प्रश्न अत्यन्त महत्त्व का हो जाता है, कि "ज्ञानी पुरुष को क्या करना चाहिये?" स्मृतिग्रन्थों में कहा तो है, कि ज्ञानी पुरुष अन्त में संन्यास ले ले। परन्तु ऊपर कह आये हैं, कि स्मार्त के अनुसार ही इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं। उदाहरण लीजिये; बृहदारण्यकोपनिषद् में याज्ञवल्क्य ने जनक को ब्रह्मज्ञान का बहुत उपदेश किया है। पर उन्होंने ने जनक से यह कही नहीं कहा, कि "अब तुम राजपाट छोड़ कर संन्यास ले लो।" उलटा यह कहा है, कि जो ज्ञानी पुरुष ज्ञान के पश्चात् संसार को छोड़ देते हैं, वे इसलिये उसे छोड़ देते हैं, कि संसार हमें रुचता नहीं है "न कामयन्ते" (वृ. ४. ४. २२)। इससे बृहदारण्यकोपनिषद् का यह अभिप्राय व्यक्त होता है, कि ज्ञान के पश्चात् संन्यास का लेना और न लेना अपनी अपनी खुशी अर्थात् वैकल्पिक बात है। ब्रह्मज्ञान और संन्यास का कुछ नित्य सम्बन्ध नहीं। और वेदान्तसूत्र में बृहदारण्यकोपनिषद् के इस वचन का अर्थ वैसा ही लगाया गया है (वे. सू. ३. ४. १५)। शङ्कराचार्य का निश्चित सिद्धान्त है, कि ज्ञानोत्तर कर्मसंन्यास किये बिना मोक्ष मिल नहीं सकता। इसलिये अपने भाष्य में उन्होंने ने इस मत की पुष्टि में सब उपनिषदों की अनुकूलता दिखलाने का प्रयत्न किया है। तथापि शङ्कराचार्य ने भी स्वीकार किया है, कि जनक आदि के समान ज्ञानोत्तर भी अधिकारानुसार जीवनभर कर्म करते रहने से कोई क्षति नहीं है। (वे. सू. शा. भा. ३. ३. ३२; और गी. शां. भा. २. ११. एव ३. २० देखो)। इससे स्पष्ट विदित होता है, कि संन्यास या स्मार्तमार्गवाले को भी ज्ञान के पश्चात् कर्म विलकुल ही त्याज्य नहीं जँचते। कुछ ज्ञानी पुरुषों को अपवाद मान अधिकार के अनुसार कर्म करने की स्वतन्त्रता इस मार्ग में भी दी गई है। इसी अपवाद को और व्यापक बना कर गीता कहती है, कि चातुर्वर्ण्य के लिये विहित कर्म ज्ञानप्राप्ति हो चुकने पर भी लोकसंग्रह के निमित्त कर्तव्य समझ कर प्रत्येक ज्ञानी पुरुष को निष्काम-बुद्धी से करना चाहिये। इससे सिद्ध होता है, कि गीताधर्म व्यापक हो, तो भी उसका तत्त्व संन्यासमार्गवालों की दृष्टि से भी निर्दोष है। और वेदान्तसूत्रों को स्वतन्त्र रीति से पढ़ने पर जान पड़ेगा, कि उनमें भी ज्ञानयुक्त कर्मयोग संन्यास का

विकल्प समझ कर ग्राह्य माना गया है (वे सू ३ ४ २६, ३ ४ ३२-३५)। अब यह बतलाना आवश्यक है, कि निष्कामबुद्धि से ही क्यों न हो, पर जब मरण-पर्यन्त कर्म ही करना है, तब स्मृतिग्रन्थों में वर्णित कर्मत्यागरूपी चतुर्थ आश्रम या सन्यास आश्रम की क्या दशा होगी? अर्जुन अपने मन में यही मोच रहा था, कि भगवान् कभी-न-कभी कहेंगे ही, कि कर्मत्यागरूपी सन्यास लिये बिना मोक्ष नहीं मिलता, और तब भगवान् के मुख में ही युद्ध छोड़ने के लिये मुझे स्वतन्त्रता मिल जावेगी। परन्तु जब अर्जुन ने देखा, कि सत्रहवें अध्याय के अन्त तक भगवान् ने कर्म-त्यागरूप सन्यास-आश्रम की बात भी नहीं की, बारबार केवल यही उपदेश किया, कि फलाशा को छोड़ दे, तब अठारहवें अध्याय के आरम्भ में अर्जुन ने भगवान् से प्रश्न किया है, कि "तो फिर मुझे बतलाओ, सन्यास और त्याग में क्या भेद है?" अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान् कहते हैं— "अर्जुन! यदि तुमने समझा हो, कि मैंने इतने समयतक जो कर्मयोगमार्ग बतलाया है, उसमें सन्यास नहीं है, तो वह समझ गलत है। कर्मयोगी पुरुष सब कर्मों के दो भेद करत है— एक का कहते हैं 'काम्य' अर्थात् आसक्तबुद्धि से किये गये कर्म, और दूसरे को कहते हैं 'निष्काम' अर्थात् आमक्ति को छोड़ कर किये गये कर्म। (मनुस्मृति २३ ८९ में इन्हीं कर्मों को क्रम से 'प्रवृत्ति' और 'निवृत्ति' नाम दिये हैं।) इनमें से 'काम्य' वर्ग में जितने कर्म हैं, उन सब को कर्मयोगी एकाएक छोड़ देता है— अर्थात् वह उनका 'मन्यास' करता है। बाकी रह गये 'निष्काम' या निवृत्त कर्म। जो कर्म-योगी निष्काम कर्म करता तो है, पर उन सब में फलाशा का 'त्याग' सर्वथा रहता है। माराश, कर्मयोगमार्ग में भी 'सन्यास' और 'त्याग' छूटा कहां है? स्मार्त-मार्गवाले कर्म का स्वरूपतः सन्यास करते हैं, तो उनके म्यान में कर्ममार्ग के योगी कर्मफलाशा का सन्यास करत है। सन्यास दाना आर कायम ही है" (गी १८ १-६ पर हमारी टीका देखो)। भागवतधर्म का यह मुख्य तत्त्व है, कि जो पुरुष अपने सभी कर्म परमेश्वर का अर्पण कर निष्कामबुद्धि में करने लगे, वह गृहस्थाश्रमी हा, तो भी उन 'नित्य सन्यास' ही कहना चाहिये (गी ५ ३)। आर भागवतपुराण में भी पढ़ेंगे सब आश्रमधर्म बतला कर अन्त में नागद ने युधिष्ठिर का इसी तत्त्व का उपदेश किया है। वामन पण्डित न गीता पर जो यथार्थदीपिका टीका लिखी है, उसका (१८ ०) कथनानुसार 'शिखा प्राहुनि ताडित्वा दाग', मुंगुंगाय भय नवान — या हाथ में दट र कर मिशा मांगी, अथवा भय कर्म छोड़ कर जान में जा रह, तो इसी ने सन्यास नहीं हा जाता। सन्यास और वैराग्य,

* दशानाम् क इम विकल्प का अर्थ शास्त्रग्रन्थ में कुछ निराळा है। परन्तु 'विहित दशधर्मकर्मणि' (३ ४ ६-) का अर्थ हमारा मन में ऐसा है, कि इसी पुरुष आश्रमकर्म की कहे, तो है। क्यों कि यह विहित है। माराश, हमारी समझ में दशानाम् कर्मों पर ही है, कि इसी पुरुष कर्म कहे, चाहे न कर।

बुद्धि के धर्म हैं; दरुड, चोटी या जनेऊ के नहीं। यदि कहो, कि ये दण्ड आदि के ही धर्म हैं; बुद्धि के अर्थात् ज्ञान के नहीं; तो राजछत्र अथवा छतरी की डाँडी पकड़नेवाले को भी वह मोक्ष मिलना चाहिये, जो संन्यासी को प्राप्त होता है। जनकसुलभासवाद में ऐसा ही कहा है :-

त्रिदण्डादिपु यद्यस्ति मोक्षो ज्ञाने न कस्यचित् ।

छत्रदिपु कथं न स्यात्तुल्यहेतो परिग्रहे ॥

(शा. ३२०.४२)। क्योंकि हाथ में दण्ड धारण करने में यह मोक्ष का हेतु दोनों स्थानों में एक ही है। तात्पर्य - कायिक, वाचिक और मानसिक सयम ही सच्चा त्रिदण्ड है (मनु. १२.१०); और सच्चा संन्यास काम्यबुद्धि का संन्यास है (गी १८.२)। एव वह जिस प्रकार भागवतधर्म में नहीं छूटता (गी ६.२) उसी प्रकार बुद्धि को स्थिर रखने का कर्म या भोजन आदि कर्म भी साध्यमार्ग में अन्त तक छूटता ही नहीं है। फिर ऐसी क्षुद्र शङ्काएँ करके भगवे या सफेद कपडों के लिये झगड़ने से क्या लाभ होगा, कि त्रिदण्डी या कर्मत्यागरूप संन्यास कर्मयोगमार्ग में नहीं है? इसलिये वह मार्ग स्मृतिविरुद्ध या त्याज्य है। भगवान् ने तो निरभिमान-पूर्वक बुद्धि से यही कहा है -

एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति ।

अर्थात् जिसने यह जान लिया, कि सांख्य और कर्मयोग मोक्षदृष्टि से दो नहीं - एक ही है - वह पण्डित है (गी ५.५)। और महाभारत में भी कहा है, एकान्तिक अर्थात् भागवतधर्म सांख्यधर्म की बराबरी का है - "सांख्ययोगेन तुल्यो हि धर्म एकान्तसेवितः" (शा. ३४८.७४)। साराश, सब स्वार्थ का परार्थ में लय कर अपनी अपनी योग्यता के अनुसार व्यवहार में प्राप्त सभी कर्म सब प्राणियों के हितार्थ मरणपर्यन्त निष्कामबुद्धि से केवल कर्तव्य समझ कर करते जाना ही सच्चा वैराग्य या 'नित्यसंन्यास' है (गी.५.३)। इसी कारण कर्मयोगमार्ग में स्वरूप से कर्म का संन्यास कर भिक्षा कभी भी नहीं माँगते। परन्तु बाहरी आचरण से देखने में यदि इस प्रकार भेद दिखे, तो भी संन्यास और त्याग के सच्चे तत्त्व कर्मयोगमार्ग में भी कायम ही रहते हैं। इसलिये गीता का अन्तिम सिद्धान्त है, कि स्मृतिग्रन्थों की आश्रमव्यवस्था का और निष्कामकर्मयोग का विरोध नहीं।

संभव है, इस विवेचन से कुछ लोगों की कदाचित् ऐसी समझ हो जाय, कि संन्यासधर्म के साथ कर्मयोग का मेल करने का जो इतना बड़ा उद्योग गीता में किया गया है, उसका कारण यह है, कि स्मार्त या संन्यासधर्म प्राचीन होगा; और कर्मयोग उसके बाद का होगा। परन्तु इतिहास की दृष्टि से विचार करने पर कोई भी जान सकेगा, कि सच्ची स्थिति ऐसी नहीं है। यह पहले ही कह आये हैं, कि वैदिक धर्म का अत्यन्त प्राचीन स्वरूप कर्मकाण्डात्मक ही था। आगे चल कर उपनिषदों के ज्ञान

से कर्मकाण्ड को गीणता प्राप्त होने लगी; और कर्मत्यागरूपी मंत्र्यास धीरे धीरे प्रचार में आने लगा। यह वैदिक धर्मवृक्ष की वृद्धि की दूसरी मीढ़ी है। परन्तु ऐसे समय में भी (उपनिषदों के ज्ञान का कर्मकाण्ड से मेल मिला कर) जनक प्रनृति ज्ञाता पुत्र्य अपने कर्म निष्कामवृद्धि में जीवनभर किया करते थे— अर्थात् कहना चाहिये, कि वैदिक धर्मवृक्ष की यह दूसरी सीढ़ी दो प्रकार की थी— एक जनक आदि की ओर दूसरी याज्ञवल्क्य प्रभृति की। स्मार्त आश्रमव्यवस्था इससे अगली अर्थात् तीसरी मीढ़ी है। दूसरी मीढ़ी के समान तीसरी के भी दो भेद हैं; स्मृतिग्रन्थों में कर्मत्यागरूप चाँधे आश्रम की महत्ता गाई तो अवश्य गई है; पर उनके साथ ही जनक आदि के ज्ञानयुक्त कर्मयोग का भी—उमको संन्यास आश्रम का विकल्प ममज्ञ कर—स्मृतिप्रणेताओं ने वर्णन किया है। उदाहरणार्थ, मत्र स्मृति ग्रन्थों में मूलभूत मनुस्मृति को ही गीजिये। इस स्मृति के छठे अध्याय में कहा है, कि मनुष्य ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य और वानप्रस्थ आश्रमों से चढता कर्मत्यागरूप चाँधे आश्रम ले परन्तु संन्यास आश्रम अर्थात् यनिधर्म का निरूपण समाप्त होने पर मनु ने पहले यह प्रस्तावना की, कि “यह यतियों का अर्थात् मंत्र्यासियों का धर्म बतलाया। अब वेद-मंत्र्यासियों का कर्मयोग कहने है”; और फिर यह बतला कर— कि अन्य आश्रमों की अपेक्षा गृहस्थाश्रम ही श्रेष्ठ कैम है—उन्होंने मंत्र्यास आश्रम-यनिधर्म को वैकल्पिक मान निष्काम गार्हस्थ्यवृत्ति के कर्मयोग का वर्णन किया है (मनु. ६. ८६-९६)। और आगे वारह्वे अध्याय में इमे ही ‘वैदिक कर्मयोग’ नाम दे कर कहा है, कि यह मार्ग भी चतुर्थ आश्रम के समान ही निःश्रेयस्कर अर्थात् मोक्षप्रद है (मनु. १२. ८६-९०)। मनु का यह मिद्धान्त याज्ञवल्क्यस्मृति में भी आया है। इन स्मृति के तीसरे अध्याय में यनिधर्म का निरूपण हो चुकनेपर ‘अथवा’ पद का प्रयोग करके लिखा है, आगे ज्ञाननिष्ठ और मत्यवादी गृहस्थ भी (संन्यास न ले कर) मुक्ति पाता है (याज्ञ. ३. २०८ और २०५)। इसी प्रकार यास्क ने भी अपने निरुक्त में लिखा है, कि कर्म छोड़नेवाले तपस्वियों और ज्ञानयुक्त कर्म करनेवाले कर्मयोगियों को एक ही देवयान गति प्राप्त होती है (नि १४. ९)। उनके अनिर्दिक्त, इस विषय में दूसरा प्रमाण धर्ममूत्रकारों का है। ये धर्ममूत्र गद्य में हैं। और विद्वानों का मन है, कि श्रोत्रों में रची गई स्मृतियों ने ये पुराने होंगे। उन मन्त्र हमें यह नहीं देखना है, कि यह मन सही है या गलत। चाहे वह सही हो या गलत। उन प्रमद्वग पर मुख्य बात यह है, कि ऊपर मनु और याज्ञवल्क्य-स्मृतियों के दृष्टान्तों में गृहस्थाश्रम या कर्मयोग का जो महत्त्व दियाया गया है, उसमें भी अधिक महत्त्व धर्ममूत्रों में वर्णित है। मनु और याज्ञवल्क्य ने कर्मयोग को चतुर्थ आश्रम का विकल्प कहा है। पर बौधायन और आपस्तम्ब ने ऐसा न कर स्पष्ट कह दिया है, कि गृहस्थाश्रम ही मुख्य है; और उसी से आगे अमृतत्व मिश्रता है। बौधायन धर्ममूत्र में “जायमानो यं ब्राह्मणान्ब्राम्हण्यं जायते”—जन्म में ही प्रत्येक ब्राह्मण अपनी पीढ़ पर

तीन ऋण ले आता है — इत्यादि तैत्तिरीय संहिता के वचन पहले दे कर कहा है, कि इन ऋणों को चुकाने के लिये यज्ञयाग आदिपूर्वक गृहस्थाश्रम का आश्रय करने-वाला मनुष्य ब्रह्मलोक को पहुँचता है। और ब्रह्मचर्य या संन्यास की प्रशंसा करने-वाले अन्य लोग धूल में मिल जाते हैं (वी २.६.११ ३३ और ३४)। एव आपस्तम्बसूत्र में ऐसा ही कहा है (आप २.९.२४.८)। यह नहीं, कि इन दोनों धर्मसूत्रों में संन्यास आश्रम का वर्णन ही नहीं है, किन्तु उसका भी वर्णन करके गृहस्थाश्रम का ही महत्त्व अधिक माना है। इससे और विशेषतः मनुस्मृति में कर्मयोग को 'वैदिक' विशेषण देने से स्पष्ट होता है, कि मनुस्मृति के समय में भी कर्मत्यागरूप संन्यास आश्रम की अपेक्षा निष्काम कर्मयोगरूपी गृहस्थाश्रम प्राचीन समझा जाता था, और मोक्ष की दृष्टि से उसकी योग्यता चतुर्थ आश्रम के बराबर ही गिनी जाती थी। गीता के टीकाकारों का जोर संन्यास या कर्मत्यागयुक्त भक्ति पर ही होने के कारण उपर्युक्त स्मृतिवचनों का उल्लेख उनकी टीका में नहीं पाया जाता। परन्तु उन्होने इस ओर दुर्लक्ष भले ही किया हो, किन्तु इससे कर्मयोग की प्राचीनता घटती नहीं है। यह कहने में कोई हानि नहीं, कि इस प्रकार प्राचीन होने के कारण स्मृतिवारों को = यतिधर्म का विकल्प = कर्मयोग मानना पडा। यह हुई वैदिक कर्मयोग की बात। श्रीकृष्ण के पहले जनक आदि इसी का आचरण करते थे। परन्तु आगे इसमें भगवान् ने भक्ति को भी मिला दिया, और उसका बहुत प्रसार किया। इस कारण उसे ही 'भागवतधर्म' नाम प्राप्त हो गया है। यद्यपि भगवद्गीता ने इस प्रकार संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग को ही अधिक श्रेष्ठता दी है, तथापि कर्मयोगमार्ग को आगे गौणता क्यों प्राप्त हुई? और संन्यासमार्ग का ही बोलवाला क्यों हो गया? इसका विचार ऐतिहासिक दृष्टि से आगे किया जावेगा। यहाँ इतना ही कहना है, कि कर्मयोग स्मार्तमार्ग के पश्चात् का नहीं है। वह प्राचीन वैदिक काल से चला आ रहा है।

भगवद्गीता के प्रत्येक अध्याय के अन्त में 'इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्र' यह सङ्कल्प है, उसका मर्म पाठकों के ध्यान में अव पूर्णतया आ जावेगा। यह सङ्कल्प बतलाता है, कि भगवान् के गाये हुए उपनिषद् में अन्य उपनिषदों के समान ब्रह्मविद्या तो है ही, पर अकेली ब्रह्मविद्या ही नहीं। प्रत्युत ब्रह्मविद्या में 'साध्य' और 'योग' (वेदान्ती संन्यासी और वेदान्ती कर्मयोगी) ये जो दो पन्थ उपजते हैं, उनमें से योग का अर्थात् कर्मयोग का प्रतिपादन ही भगवद्गीता का मुख्य विषय है। यह कहने में भी कोई हानि नहीं, कि भगवद्गीता उपनिषद् कर्मयोग का प्रधान ग्रन्थ है। क्योंकि यद्यपि वैदिक काल से ही कर्मयोग चला आ रहा है, तथापि "कुर्वन्नेवेह कर्माणि" (ईश. २) या "आरम्भ कर्माणि गुणान्वितानि" (श्वे. ६.४) अथवा "विद्या के माय-ही-साथ स्वाध्याय आदि कर्म करना चाहिये" (तै. १.९)। इस के कुछ थोड़े-से उल्लेखों के अतिरिक्त उपनिषदों में इस कर्मयोग का विस्तृत विवेचन कहीं भी नहीं किया गया है। इम विषय

पर भगवद्गीता ही मुख्य और प्रमाणभूत ग्रन्थ है। और काव्य की दृष्टि से ठीक जैसा है, कि भारतभूमि के कर्ता पुरुषों के चरित्र जिस महाभारत में वर्णित है, उसी में अध्यात्मशास्त्र को लेकर कर्मयोग की भी उपपत्ति बतलाई जावे। इस बात का भी अब अच्छी तरह पता लग जाता है, कि प्रस्थानत्रयी में भगवद्गीता का समावेश क्यों किया गया है? यद्यपि उपनिषद् मूलभूत है, तो भी उनके कहनेवाले ऋषि अनेक हैं। इस कारण उनके विचार संकीर्ण और कुछ स्थानों में परस्परविरोधी भी दीख पड़ते हैं। इसलिये उपनिषदों के साथ-ही-साथ उनकी एकवाक्यता करनेवाले वेदान्तमूत्रों की भी प्रस्थानत्रयी में गणना करना आवश्यक था। परन्तु उपनिषद् और वेदान्तमूत्र, दोनों की अपेक्षा यदि गीता में कुछ अधिकता न होती, तो प्रस्थानत्रयी में गीता के संग्रह करने का कोई भी कारण न था। किन्तु उपनिषदों का झुकाव प्रायः मंत्र्यामार्ग की ओर है। एवं विशेषतः उनमें ज्ञानमार्ग का ही प्रतिपादन है; और भगवद्गीता में इस ज्ञान को ले कर भक्तियुक्त कर्मयोग का समर्थन है—यम इतना कह देने में गीता की अपूर्वता सिद्ध हो जाती है; और साथ-ही-साथ प्रस्थानत्रयी के तीनों भागों की सायं-वृत्ता भी व्यक्त हो जाती है। क्योंकि वैदिक धर्म के प्रमाणभूत ग्रन्थ में यदि ज्ञान और कर्म (सांख्य और योग) दोनों वैदिक मार्गोंका विचार न हुआ होता, तो प्रस्थानत्रयी उतनी अपूर्ण ही रह जाती। कुछ लोगों की समझ है, कि जब उपनिषद् सामान्यतः निवृत्तिविषयक हैं, तब गीता का प्रवृत्तिविषयक अर्थ लगाने में प्रस्थानत्रयीके तीनों भागों में विरोध हो जायगा। उनकी प्रामाणिकता में भी न्यूनता आ जावेगी। यदि सांख्य अर्थात् एक मंत्र्याम ही सच्चा वैदिक मोक्षमार्ग हो, तो यह षड्रका ठीक होगी। परन्तु ऊपर दिखाया जा चुका है, कि कम-से-कम ईशावास्य आदि कुछ उपनिषदों में कर्मयोग का स्पष्ट उल्लेख है। इसलिये वैदिकधर्मपुरष को केवल एकहृत्वी अर्थात् मंत्र्यामप्रधान न समझ कर यदि गीता के अनुसार ऐसा मिथ्यात्व करें, कि उस वैदिकधर्मपुरष का ब्रह्मविद्यारूप एक ही मस्तक है; और मोक्षदृष्टि में तुल्यवत् सांख्य और कर्मयोग उनके दाहिने-बाएँ दो हाथ हैं; तो गीता और उपनिषदों में कोई विरोध नहीं रह जाता। उपनिषदों में एक मार्ग का समर्थन है और गीता में दूसरे मार्ग का। इस लिये प्रस्थानत्रयी के ये दोनों भाग भी दो हाथों के समान परस्परविरोध न हो, महाप्यकारी दीख पड़ेंगे। ऐसे ही—गीता में उपनिषदों का ही प्रतिपादन मानने में—पिष्टपेपन का जो वैयर्थ्य गीता को प्राप्त हो जाता, वह भी नहीं होता। गीता के साम्प्रदायिक टीकाकारों ने इस विषय की संस्था की है। इस वाक्य सांख्य और योग, दोनों मार्गों के पुरस्कर्ता अपने अपने पक्ष के समर्थन से जिन मुख्य कारणों को बतलाया करते हैं, उनकी समता और विषमता चटपट ध्यान में आ जाने के लिये नीचे लिखे गये नक्षत्रों के दो स्थानों में वे ही कारण परस्पर एक दूसरे के सामने मक्षप में दिखे गये हैं। स्मृतिग्रन्थों में प्रतिपादित रत्नों धातुमयवर्णा और मूल भाग्यनधर्म के मुख्य भेद इनमें ज्ञान हो जावेगी।

ब्रह्मविद्या या आत्मज्ञान प्राप्त होने पर

कर्मसंन्यास (सांन्य)

कर्मयोग (योग)

✓ (१) मोक्ष आत्मज्ञान से ही मिलता है, कर्म से नहीं। ज्ञानविरहित, किन्तु श्रद्धापूर्वक किये गये यज्ञयाग आदि कर्मों से मिलनेवाला स्वर्गसुख अनित्य है।

(१) मोक्ष आत्मज्ञान से ही मिलता है, कर्म से नहीं। ज्ञानविरहित, किन्तु श्रद्धापूर्वक किये गये यज्ञयाग आदि कर्मों से मिलनेवाला स्वर्गसुख अनित्य है।

✓ (२) आत्मज्ञान होने के लिये इन्द्रिय-निग्रह से बुद्धि को स्थिर, निष्काम, विरक्त और सम करना पड़ता है।

(२) आत्मज्ञान होने के लिये इन्द्रिय-निग्रह से बुद्धि को स्थिर, निष्काम, विरक्त और सम करना पड़ता है।

(३) इसलिये इन्द्रियों के विषयों का पाश तोड़ मुक्त (स्वतन्त्र) हो जाओ।

(३) इसलिये इन्द्रियों के विषयों को न छोड़ कर उन्हीं में वैराग्य से अर्थात् निष्कामबुद्धि से व्यवहार कर इन्द्रियनिग्रह की जाँच करो। निष्काम के मानी निष्क्रिय नहीं।

(४) तृष्णामूलक कर्म दुःखमय और बन्धक है।

(४) यदि इसका खूब विचार करे, कि दुःख और बन्धन किस में है? तो दीख पड़ेगा, कि अचेतन कर्म किसीको भी बाँधते या छोड़ते नहीं हैं। उनके सम्बन्ध में कर्ता के मन में जो काम या फलाशा होती है, वही बन्धन और दुःख की जड़ है।

✓ (५) इसलिये चित्तशुद्धि होने तक यदि कोई कर्म करे, तो भी अन्त में छोड़ देना चाहिये।

(५) इसलिये चित्तशुद्धि होने तक पर भी फलाशा छोड़ कर धैर्य और उत्साह के साथ सब कर्म करते रहो। यदि कहीं, कि कर्मों को छोड़ दे; तो वे छूट नहीं सकते। सृष्टि ही तो एक कर्म है; उसे विश्राम है ही नहीं।

(६) यज्ञ के अर्थ किये गये कर्म बन्धक न होने के कारण गृहस्थाश्रम में उनके करने से हानि नहीं है।

(६) निष्कामबुद्धि से या ब्रह्मार्पण-विधि में किया गया ममस्त कर्म एक भारी 'यज्ञ' ही है। इसलिये स्वधर्म-विहित ममस्त कर्म को निष्कामबुद्धि में केवल कर्तव्य ममज्ञ कर नदेव करते रहना चाहिये।

✓ (७) देह के कर्म कभी छूटने नहीं, इस कारण मंग्याम लेने पर पेट के लिये शिक्षा मांगना बुरा नहीं।

(७) पेट के लिये भोज्य मांगना भी तो कर्म ही है; और जब ऐसा 'निरलज्जता' का कर्म करना ही है, तब अन्यान्य कर्म भी निष्कामबुद्धि में क्यों न किये जावें? गृहस्थाश्रमों के अनिश्चित भिक्षा देगा ही कौन?

✓ (८) ज्ञानप्राप्ति के अनन्तर अपना निजी कर्तव्य कुछ जेप नहीं रहता; और लोकसंग्रह करने की कुछ आवश्यकता नहीं।

(८) ज्ञानप्राप्ति करने के अनन्तर अपने लिये भले कुछ प्राप्त करने को न रहे; परन्तु कर्म नहीं छूटते। इसलिये जो कुछ शास्त्र में प्राप्त हो, उसे 'मुझे नहीं चाहिये' ऐसी निरमबुद्धि में लोकसंग्रह की ओर दृष्टि रख कर करने जाओ। लोकसंग्रह किसी में भी नहीं छूटता। उदाहरणार्थ, भगवान् का चरित्र देखो।

✓ (९) परन्तु यदि अपवादस्वरूप कोई अधिकारी पुर्य ज्ञान के परचात भी अपने व्यावहारिक अधिकार जनक आदि के समान जीवनभ्रमन्त जारी रखे, तो कोई हानि नहीं।

(९) गुणविभागस्य चानुद्वैप्य-व्यवस्था के अनुसार छोटेबड़े अधिकार सभी को जन्म से ही प्राप्त होते हैं। स्वधर्मानुसार प्राप्त होनेवाले इन अधिकारों को लोकसंग्रहार्थ निःस्वार्थबुद्धि में सभी को निरन्तररूप से जारी रखना

चाहिये। क्योंकि यह चक्र जगत् को धारण करने के लिये परमेश्वर ने ही बनाया है।

(१०) इतना होने पर भी कर्म-त्यागरूपी संन्यास ही श्रेष्ठ है। अन्य आश्रमों के कर्म चित्तशुद्धि के साधनमात्र हैं। ज्ञान और कर्म का तो स्वभाव से ही विरोध है। इसलिये पूर्व आश्रम में जितनी जल्दी हो सके, उतनी जल्दी चित्त-शुद्धि करके अन्त में कर्मत्यागरूपी संन्यास लेना चाहिये। चित्तशुद्धि जन्मते ही या पूर्व आयु में हो जावे, तो गृहस्थाश्रम के कर्म करते रहने की भी आवश्यकता नहीं है। कर्म का स्वरूपतः त्याग करना ही सच्चा संन्यास-आश्रम है।

(१०) यह सच है, कि शास्त्रोक्त रीति से सासारिक कर्म करने पर चित्त-शुद्धि होती है। परन्तु केवल चित्त की शुद्धि ही कर्म का उपयोग नहीं है। जगत् का व्यवहार चलता रखने के लिये भी कर्म की आवश्यकता है। इसी प्रकार काम्यकर्म और ज्ञान का विरोध भले ही हो, पर निष्काम कर्म और ज्ञान के बीच बिलकुल विरोध नहीं। इसलिये चित्त की शुद्धि के पश्चात् भी फलाशा का त्याग कर निष्कामबुद्धि से जगत् के सग्रहार्थ चातुर्वर्ण्य के सब कर्म आमरण जारी रखो। यही सच्चा संन्यास है। कर्म का स्वरूपतः त्याग करना कभी भी उचित नहीं; और शक्य भी नहीं है।

✓
(११) संन्यास ले चुकने पर भी शम-दम आदिक धर्म पालते जाना चाहिये।

(११) ज्ञानप्राप्ति के पश्चात् फलाशा-त्यागरूप संन्यास ले कर शम-दम आदिक धर्मों के सिवा आत्मोपम्यदृष्टि से प्राप्त होनेवाले सभी धर्मों का पालन किया करे। और इस अर्थात् शान्तवृत्ति से ही शास्त्र से प्राप्त समस्त कर्म लोकसग्रह के निमित्त मरणपर्यन्त करता जावे। निष्कामकर्म न छोड़े।

(१२) यह मार्ग अनादि और श्रुति-स्मृतिप्रतिपादित है।

(१२) यह मार्ग अनादि और श्रुति-स्मृतिप्रतिपादित है।

(१३) शुक्र-याज्ञवल्क्य आदि इस मार्ग से गये हैं।

(१३) व्यास-वसिष्ठ-जैगीपव्य आदि और जनक-श्रीकृष्ण प्रभृति इस मार्ग से गये हैं।

अन्त में मोक्ष

ये दोनों मार्ग अथवा निष्ठाएँ ब्रह्मविद्यामूलक हैं। दोनों ओर मन की निष्काम अवस्था और शान्ति एक ही प्रकार है। इस कारण दोनों मार्गों में अन्त में एक ही मोक्ष प्राप्त हुआ करता है (गी. ५. ५)। ज्ञान के पश्चात् कर्म को छोड़ बैठना और काम्यकर्म छोड़ कर नित्य निष्कामकर्म करते रहना, यही इन दोनों में मुख्य भेद है।

ऊपर बतलाये हुए कर्म छोड़ने और करने के दोनों मार्ग ज्ञानमूलक हैं। अर्थात् ज्ञान के पश्चात् ज्ञानी पुरुषों के द्वारा स्वीकृत और आचरित हैं। परन्तु कर्म छोड़ना और कर्म करना, दोनों बातें ज्ञान न होने पर भी हो सकती हैं। इसलिये अज्ञानमूलक कर्म का और कर्म के त्याग का भी यहाँ थोड़ा सा विवेचन करना आवश्यक है। गीता के अठारहवें अध्याय में त्याग के जो तीन भेद बतलाये गये हैं, उनका रहस्य यही है। ज्ञान न रहने पर भी कुछ लोग निरे काय-बलेण-भय से कर्म छोड़ दिया करते हैं : इसे गीता में 'राजस त्याग' कहा है (गी. १८. ८)। इसी प्रकार ज्ञान न रहने पर भी कुछ लोग कोरी श्रद्धा में ही यज्ञयाग प्रभृति कर्म किया करते हैं। परन्तु गीता का कथन है, कि कर्म करने का यह मार्ग मोक्षप्रद नहीं-बेवल् स्वर्गप्रद है (गी. ९. २०)। कुछ लोगों की समझ है, कि आजकल यज्ञयाग प्रभृति श्रौतधर्म का प्रचार न रहने का कारण मीमांसकों के इस निरे कर्ममार्ग के सम्बन्ध में गीता का मिद्वान्त इन दोनों में विशेष उपयोगी नहीं। परन्तु यह ठीक नहीं है। क्योंकि श्रौत यज्ञयाग भले ही दूब गये हों; परन्तु अन्तर्गत अर्थात् चातुर्वर्ण्य के कर्म अब भी जारी हैं। इसलिये अज्ञान में (परन्तु श्रद्धापूर्वक) यज्ञयाग आदि काम्यकर्म करनेवाले लोगों के विषय में गीता का जो मिद्वान्त है, वह ज्ञानविरहित किन्तु श्रद्धामहित चातुर्वर्ण्य आदि कर्म करने-वालों को भी वर्तमानस्थिति में पूर्णतया उपयुक्त है। जगत् के व्यवहार की ओर दृष्टि देने पर ज्ञान होगा, कि गमात्र में इसी प्रकार के लोगों की अर्थात् शास्त्रों पर श्रद्धा रख कर नीति में अपने अपने कर्म करनेवालों की ही विशेष अधिपत्या रहनी है। परन्तु उन्हें परमेश्वर का स्वल्प पूर्णतया ज्ञान नहीं रहना। इसलिये गनिनाश्रम की पूर्ण उपासना ममते बिना ही केवल मुग्धाग्र गणित की रीति से

हिंसाव लगानेवाले लोगो के समान इन श्रद्धालु और कर्मठ मनुष्यो की अवस्था हुआ करती है। इसमें कोई सन्देह नहीं, कि सभी कर्म शास्त्रोक्त विधि से और श्रद्धापूर्वक करने के कारण निश्चान्त (शुद्ध) होते हैं, एव इसी से वे पुण्यप्रद अर्थात् स्वर्ग के देनेवाले हैं। परन्तु शास्त्र का ही सिद्धान्त है, कि बिना ज्ञान के मोक्ष नहीं मिलता। इसलिये स्वर्गप्राप्ति की अपेक्षा अधिक महत्त्व का कोई भी फल इन कर्मठ लोगो को मिल नहीं सकता। अतएव जो अमृतत्व स्वर्गसुख से भी परे है, उसकी प्राप्ति जिसे कर लेनी हो — और यही एक परम पुरपार्य है — उसे उचित है, कि वह पहले साधन समझ कर और आगे सिद्धावस्था में लोकसग्रह के लिये अर्थात् जीवनपर्यन्त 'समस्त प्राणिमात्र में एक ही आत्मा है' इस ज्ञानयुक्त बुद्धि से, निष्काम-कर्म करने के मार्ग का स्वीकार करे। आयु बिताने के सब मार्गों में यही मार्ग उत्तम है। गीता का अनुकरण कर ऊपर दिये गये नवशे में इस मार्ग को कर्मयोग कहा है। और इसे ही कुछ लोग कर्ममार्ग या प्रवृत्तिमार्ग भी कहते हैं। परन्तु कर्ममार्ग या प्रवृत्तिमार्ग, दोनो शब्दों में एक दोष है। वह यह, कि उनसे ज्ञानविरहित, किन्तु श्रद्धासहित कर्म करने के स्वर्गप्रद मार्ग का भी सामान्य बोध हुआ करता है। इसलिये ज्ञानविरहित, किन्तु श्रद्धायुक्त कर्म और ज्ञानयुक्त निष्कामकर्म, इन दोनो का भेद दिखलाने के लिये दो भिन्न भिन्न शब्दों की योजना करने की आवश्यकता होती है। और इसी कारण से मनुस्मृति तथा भागवत में भी पहले प्रकार के कर्म अर्थात् ज्ञानविरहित कर्म को 'प्रवृत्त कर्म', और दूसरे प्रकार के अर्थात् ज्ञानयुक्त निष्कामकर्म को 'निवृत्तकर्म' कहा है (मनु. १२. ८९.; भाग. ७. १५. ४७)। परन्तु हमारी रा'। में ये शब्द भी जितने होने चाहिये, उतने निस्सन्दिग्ध नहीं हैं। क्योंकि 'निवृत्तिय' शब्द का सामान्य अर्थ 'कर्म से परावृत्त होना' है। इस शका को दूर करने के लिये 'निवृत्त' शब्द के आगे 'कर्म' विशेषण जोड़ते हैं। और ऐसा करने से 'निवृत्त विशेषण का अर्थ 'कर्म से परावृत्त' नहीं होता, और निवृत्त कर्म = निष्कामकर्म, य' अर्थ निष्पन्न हो जाता है। कुछ भी हो; जब तक 'निवृत्त' शब्द उसमें है, तब तक कर्मत्याग की कल्पना मन में आये बिना नहीं रहती। इसीलिये ज्ञानयुक्त निष्कामकर्म करने के मार्ग को 'निवृत्ति या निवृत्त कर्म' न कह कर 'कर्मयोग' नाम देना हमारे मत में उत्तम है। क्योंकि कर्म के आगे योग शब्द जुड़ा रहने से स्वभावतः उसका अर्थ 'मोक्ष में बाधा न दे कर कर्म करने की युक्ति' होता है; और अज्ञानयुक्त कर्म का तो आप ही से निरसन हो जाता है। फिर भी यह न भूल जाना चाहिये, कि गीता का कर्मयोग ज्ञानमूलक है। और यदि इसे ही कर्ममार्ग या प्रवृत्तिमार्ग कहना किसी को अभीष्ट जँचता हो, तो ऐसा करने में कोई हानि नहीं। स्थलविशेष में भाषावैचित्र्य के लिये गीता के कर्मयोग को लक्ष्य कर हमने भी इन शब्दों की योजना की है। अन्तु, इस प्रकार कर्म करने या कर्म छोड़ने के ज्ञानमूलक जो भेद है, उनमें से प्रत्येक के सम्बन्ध में गीताशास्त्र का अभिप्राय इस प्रकार है :-

आयु वितानेका मार्ग	श्रेणी	गति
१ कामोपभोग को ही पुण्याय मान कर अहंकार से, आसुरी बुद्धि में, दम्भ से या लोभ से केवल आत्मसुख के लिये कर्म करना (गी १६ १६) - आसुर अथवा राक्षसी मार्ग है।	अधम	नरक
१ इस प्रकार परमेश्वर के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान न होने पर भी (कि प्राणि-मात्र में एक ही आत्मा है) देवों की आज्ञा या शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार श्रद्धा और नीति में अपने अपने काम्यकर्म करना (गी २.४१-८८ और ९-२०) - केवल कर्म, तृतीय धर्म अथवा मीमामक मार्ग है।	मध्यम (मीमाम- का के मत में उत्तम)	स्वर्ग (मीमांसकों के मत में मोक्ष)
१ शास्त्रोक्त निष्काम कर्मों से परमे- श्वर का ज्ञान हो जाने पर अन्त में ही वैराग्य में समस्त कर्म छोड़, केवल ज्ञान में ही तृप्त हो रहना (गी ५ २) - केवल ज्ञान, साध्य अथवा म्मार्त मार्ग है।	उत्तम	मोक्ष
१ पहले चित्त की शुद्धि के निमित्त, और उसमें परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त हो जाने पर, फिर केवल लोकमग्रहाय, मरणपर्यन्त भगवान् के ममान निष्कामकर्म करते रहना (गी ५ २) - ज्ञानवमंगमु- च्चय, कर्मयोग या भागवत मार्ग है।	सर्वोत्तम	मोक्ष

जन्तु-वर्णित तीन निष्कारे

गीता की दो निष्कारे

सांगन, यही पक्ष गीता में सर्वोत्तम ठहराया गया है, कि मोक्षप्राप्ति के लिये यद्यपि कर्म की आवश्यकता नहीं है, यद्यपि उगने माघ ही माघ दूमर वारणा के लिये-
अथान् एव ता अपरिग्रह्यं ममज्ञं कर् और दूमर जगत् के धारणपापण के लिये
आवश्यक मान कर - निष्कामबुद्धि में सर्व समस्त कर्मों का कर्न रहना चाहिये।
अथवा गीता का अन्तिम मत ऐसा है, कि "कृतबुद्धिषु कर्तारं कर्तृषु ब्रह्मवादिन ।"
(मनु १.९७), मनु का इस वचन के अनुसार कर्तृत्व और ब्रह्मज्ञान का याग या
मर्ग ही सब में उत्तम है, और निरा कर्तृत्व या कारा ब्रह्मज्ञान प्रत्येक एकदेशीय है।

वास्तव में यह प्रकरण यही समाप्त हो गया । परन्तु यह दिखलाने के लिये— कि गीता का सिद्धान्त श्रुतिस्मृतिप्रतिपादित है — ऊपर भिन्न भिन्न स्थानों पर जो वचन उद्धृत किये हैं, उनके सम्बन्ध में कुछ कहना आवश्यक है । क्योंकि उपनिषदों पर जो साम्प्रदायिक भाव्य है, उनसे बहुतेरों की यह समझ हो गई है, कि समस्त उपनिषद् संन्यासप्रधान या निवृत्तिप्रधान है । हमारा यह कथन नहीं, कि उपनिषदों में संन्यासमार्ग है ही नहीं । बृहदारण्यकोपनिषद् में कहा है — यह अनुभव हो जाने पर — कि परब्रह्म के सिवा और कोई वस्तु सत्य नहीं है — “कुछ ज्ञानी पुरुष पुत्रै-पणा, वित्तैपणा और लोकैपणा” की परवाह न कर “हमें सन्तति से क्या काम ? ससार ही हमारा आत्मा है” यह कह कर आनन्द से भिक्षा मांगते हुए घुमते हैं । (४ ४ २२) । परन्तु बृहदारण्यक में यह नियम कही नहीं लिखा, कि समस्त ब्रह्मज्ञानियों को यही पक्ष स्वीकार करना चाहिये । और क्या कहे ? जिसे यह उपदेश किया गया, उसका इसी उपनिषद् में वर्णन है, कि वह जनक राजा ब्रह्मज्ञान के शिखर पर पहुँच कर अमृत हो गया था । परन्तु यह कही नहीं बतलाया है, कि उसने याज्ञवल्क्य के समान जगत् को छोड़ कर संन्यास ले लिया । इससे स्पष्ट होता है, कि जनक का निष्कामकर्मयोग और याज्ञवल्क्य का कर्मसंन्यास — दोनों — बृहदारण्यकोपनिषद् को विकल्परूप से सम्मत है, और वेदान्तसूत्रकर्ता ने भी यही अनुमान किया है (वे सू ३ ४ १५) । कठोपनिषद् इससे भी आगे बढ़ गया है । पाचवे प्रकरण में हम यह दिखला आये हैं, कि हमारे मत में कठोपनिषद् में निष्कामकर्मयोग ही प्रतिपाद्य है । छान्दोग्योपनिषद् (८ १५ १) में यही अर्थ प्रतिपाद्य है । और अन्त में स्पष्ट कह दिया है, कि “गुरु से अध्ययन कर, फिर कुटुम्ब में रह कर धर्म से वर्तनेवाला ज्ञानी पुरुष ब्रह्मलोक को जाता है । वहाँ से फिर नहीं लौटता ।” तैत्तिरीय तथा श्वेताश्वतर उपनिषदों के इसी अर्थ के वाक्य ऊपर दिये गये हैं । (तै १ ९ और श्वे ६ ४) । इसके सिवा यह भी ध्यान देने योग्य बात है, कि उपनिषदों में जिन जिन ने दूसरों को ब्रह्मज्ञान का उपदेश किया है, उनमें या उनके ब्रह्मज्ञानी शिष्यों में याज्ञवल्क्य के समान एक-आध दूसरे पुरुष के अतिरिक्त कोई ऐसा नहीं मिलता, जिसने कर्मत्यागरूप संन्यास लिया हो । इसके विपरीत उनके वर्णनों से दीख पड़ता है, कि वे गृहस्थाश्रमी ही थे । अतएव कहना पड़ता है, कि समस्त उपनिषद् संन्यासप्रधान नहीं हैं । इनमें से कुछ में तो संन्यास और कर्मयोग का विकल्प है और कुछ में सिर्फ ज्ञानकर्मसमुच्चय का ही प्रतिपादन है । परन्तु उपनिषदों के साम्प्रदायिक भाव्यों में ये भेद नहीं दिखलाये गये हैं । किन्तु यही कहा गया है, कि समस्त उपनिषद् केवल एक ही अर्थ — विशेषतः संन्यास — प्रतिपादन करते हैं । सारांश, साम्प्रदायिक टीकाकारों के हाथ से गीता की और उपनिषदों की भी एक ही दशा हो गई है । अर्थात् गीता के कुछ श्लोकों के समान उपनिषदों के कुछ मन्त्रों की भी इन भाष्यकारों को धीचनानी करने पड़ी है ।

उदाहरणार्थ, ईशावास्य उपनिषद् को लीजिये। यह उपनिषद् छोटा अर्थात् सिर्फ अठारह श्लोकों का है, तथापि इसकी योग्यता अन्य उपनिषदों की अपेक्षा अधिक समझी जाती है। क्योंकि यह उपनिषद् स्वयं वाजसनेयी मंहिता में ही कहा गया है; और अन्यान्य उपनिषद् आरण्यक ग्रन्थ में कहे गये हैं। यह बात सर्वमान्य है, की संहिता की अपेक्षा ब्राह्मण और ब्राह्मणों की अपेक्षा आरण्यक ग्रन्थ उत्तरोत्तर कर्मप्रमाण के हैं। यह समुच्चा ईशावास्योपनिषद् - अथ से ले कर इतिपर्यन्त - ज्ञानकर्मसमुच्चयात्मक है। इनके पहले मन्त्र (श्लोक) में यह कह कर, कि "जगत् में जो कुछ है, उसे ईशावास्य अर्थात् परमेश्वराधिष्ठित समझना चाहिये;" दूसरे ही मन्त्र में स्पष्ट कह दिया है, कि "जीवनभर मौ वर्ष निष्काम कर्म करते रह कर ही जीते रहने की इच्छा रखो।" वेदान्तमूत्र में कर्मयोग का विवेचन करने का जब समय आया, तब और अन्यान्य ग्रन्थों में भी ईशावास्य का यही वचन ज्ञानकर्मसमुच्चयपद का समर्थक समझ कर दिया हुआ मिलता है। परन्तु ईशावास्योपनिषद् इतने से ही पूरा नहीं हो जाता। हमारे मन्त्र में कही गई बात का समर्थन करने के लिये आगे 'अविद्या' (कर्म) और 'विद्या' (ज्ञान) के विवेचन का आरम्भ कर नीचे मन्त्र में कहा है, कि "निरी अविद्या (कर्म) का सेवन करनेवाले पुरुष अन्धकार में घूसते हैं; और कोरी विद्या (ब्रह्मज्ञान) में मग्न रहनेवाले पुरुष अधिक अँधेरे में जा पडते हैं।" केवल अविद्या (कर्म) और केवल विद्या (ज्ञान) की - अलग अलग प्रत्येक की - इस प्रकार लघुता दिखला कर ग्यारहवें मन्त्र में नीचे लिखे अनुसार 'विद्या' और 'अविद्या' दोनों के समुच्चय की आवश्यकता इस उपनिषद् में वर्णन की गई है :-

विद्यां चाऽविद्यां च यस्तद्वेदोभयं सह ।

अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमश्नुते ॥

अर्थात् "जिसने विद्या (ज्ञान) और अविद्या (कर्म) दोनों को एक दूसरे के साथ जान लिया, वह अविद्या (कर्मों) से मृत्यु को अर्थात् नाशवन्त मायामृष्टि के प्रपञ्च को (भली भाँति) पार कर, विद्या में (ब्रह्मज्ञान में) अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है।" इस मन्त्र का यही स्पष्ट और सरल अर्थ है। और यही अर्थ, विद्या को 'सम्भूति' (जगत् का वादि कारण) एवं उसमें भिन्न अविद्या को 'असम्भूति' या 'विनाश' ये हमारे नाम दे कर हमके आगे के तीन मन्त्रों में फिर से दुहराया गया है (श्ल. १२-१४)। हमें व्यक्त होता है, कि सम्पूर्ण ईशावास्योपनिषद् विद्या और अविद्या का एकवाक्यीन (उभय सह) समुच्चय प्रतिपादन करता है। उल्किगिन मन्त्र में 'विद्या' और 'अविद्या' शब्दों के समान ही मृत्यु और अमृत शब्द परस्परप्रतिपोगी हैं। इनमें अमृत शब्द में 'अविनाशी ब्रह्म' अर्थ प्रकट है; और इनके विपरीत मृत्यु शब्द में 'नाशवन्त मृत्युशोक या ऐहिक संसार' यह अर्थ निष्पन्न होता है। ये दोनों शब्द इसी अर्थ में ऋग्वेद के नामदीप सूक्त में भी आये हैं (ऋ. १०. १२९. २)। विद्या आदि शब्दों के ये सरल अर्थ ले कर (अर्थात्

विद्या = ज्ञान, अविद्या = कर्म, अमृतब्रह्म और मृत्यु = मृत्युलोक, ऐसा समझ कर) यदि ईशावास्य के उल्लिखित ग्यारहवें मन्त्र का अर्थ करें, तो दीख पड़ेगा, कि मन्त्र के चरण में विद्या और अविद्या का एककालिन समुच्चय वर्णित है; और इसी बात को दृढ़ करने के लिये दूसरे चरण में इन दोनों में से प्रत्येक का जुदा जुदा फल बतलाया है। ईशावास्योपनिषद् को ये दोनों फल इष्ट हैं; और इसीलिये इस उपनिषद् में ज्ञान और कर्म दोनों का एककालीन समुच्चय प्रतिपादित हुआ है। मृत्युलोक के प्रपञ्च को अच्छी रीति से चलाने या उससे भली भाँति पार पड़ने को ही गीता में 'लोकसंग्रह' नाम दिया गया है। यह सच है, कि मोक्ष प्राप्त करना मनुष्य का कर्तव्य है; परन्तु उसके साथ उसे लोकसंग्रह करना भी आवश्यक है। इसी से गीता का सिद्धान्त है, कि ज्ञानी पुरुष लोकसंग्रहकारक कर्म न छोड़े; और यही सिद्धान्त शब्दभेद से "अविद्यया मृत्यु तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमश्नुते" इस उल्लेखित मन्त्र में आ गया है। इससे प्रगट होगा, कि गीता उपनिषदों को पकड़े ही नहीं है; प्रत्युत ईशावास्योपनिषद् में स्पष्टतया वर्णित अर्थ ही गीता में विस्तारसहित प्रतिपादित हुआ है। ईशावास्योपनिषद् जिस वाजसनेयी संहिता में है, उसी वाजसनेयी संहिता का भाग शतपथ ब्राह्मण है। इस शतपथ ब्राह्मण के आरण्यक में बृहदारण्यकोपनिषद् आया है। जिसमें ईशावास्य का यह नौवाँ मन्त्र अक्षरशः ले लिया है, कि "कोरो विद्या (ब्रह्मज्ञान) में भग्न रहनेवाले पुरुष अधिक अँधेरे में जा पड़ते हैं" (वृ. ४. ४. १०)। उस बृहदारण्यकोपनिषद् में ही जनक राजा की कथा है; और उसी जनक का दृष्टान्त कर्मयोग के समर्थन के लिये भगवान् ने गीता में लिया है (गी. ३. २०)। इससे ईशावास्य का और भगवद्गीता के कर्मयोग का जो सम्बन्ध हमने ऊपर दिखलाया है, वही अधिक दृढ़ और निःसंशय सिद्ध होता है।

परन्तु जिनका साम्प्रदायिक सिद्धान्त ऐसा है, कि सभी उपनिषदों में मोक्ष-प्राप्ति का एक ही मार्ग प्रतिपाद्य है - और वह भी वैराग्य का या संन्यास का ही है; उपनिषदों में दो-दो मार्गों का प्रतिपादन होना शक्य नहीं - उन्हें ईशावास्योपनिषद् के स्पष्टार्थक मन्त्रों की भी खीचातानी कर किसी प्रकार निराला अर्थ लगाना पड़ता है। ऐसा न करे, तो ये मन्त्र उनके सम्प्रदाय के प्रतिकूल हैं; और ऐसा होने देना उन्हें इष्ट नहीं। इसीलिये ग्यारहवें मन्त्र पर व्याख्यान करते समय शाङ्करभाष्य में 'विद्या' शब्द का अर्थ 'ज्ञान' न कर 'उपासना' किया है। कुछ यह नहीं, कि विद्या शब्द का अर्थ उपासना न होता हो। शाण्डिल्यविद्या प्रभृति स्थानों में उसका अर्थ उपासना ही होता है; पर वह मुख्य अर्थ नहीं है। यह भी नहीं, कि शङ्कराचार्य के ध्यान में वह बात आई न होगी या आई न थी। और तो क्या? उसका ध्यान में न आना शक्य ही न था। दूसरे उपनिषदों में भी ऐसे वचन हैं - "विद्यया विन्दतेऽमृतम्" (केन. २. १२), अथवा "प्राणस्याध्यात्मं विज्ञायामृतमश्नुते" (प्रश्न. ३. १२)। मध्योपनिषद् के सातवें प्रपाठक में 'विद्या चाविद्यां च' इत्यादि ईशावास्य का

उल्लिखित ग्यारहवाँ मन्त्र ही अधरशः ले लिया है; और उससे सट कर ही उसके पूर्व में कठ. २.४ और आगे कठ. २.५ में मन्त्र दिये हैं। अर्थात् ये तीनों मन्त्र एक ही स्थान पर एक के पश्चात् एक दिये गये हैं; और विचला मन्त्र ईशावास्य का है। तीनों में 'विद्या' शब्द वर्तमान है। इसलिये कठोपनिषद् में विद्या शब्द का जो अर्थ है, वही (ज्ञान) ईशावास्य में भी लेना चाहिये—मैत्र्युपनिषद् का ऐसा ही अभिप्राय प्रकट होता है। परन्तु ईशावास्य के शाङ्करभाष्य में कहा है, कि "यदि विद्याआत्मज्ञान और अमृत=मोक्ष ऐसे अर्थ ही ईशावास्य के ग्यारहवें मन्त्र में ले, तो बहना होगा, कि ज्ञान (विद्या) और कर्म (अविद्या) का समुच्चय इन उपनिषद् में वर्णित है। परन्तु जब कि यह समुच्चय न्याय से युक्त नहीं है, तब विद्या=देवतोपासना और अमृत=देवलोक, यह गौण अर्थ ही इन स्थान पर लेना चाहिये।" साराण, प्रकट है, कि "ज्ञान होने पर मन्याम ले लेना चाहिये। कर्म नहीं करना चाहिये। क्योंकि ज्ञान और कर्म का समुच्चय कभी भी न्याय्य नहीं।" शाङ्करसम्प्रदाय के इस मुख्य सिद्धान्त के विरुद्ध ईशावास्य का मन्त्र न होने पावे; इसलिये विद्या शब्द का गौण अर्थ स्वीकार कर ममस्त श्रुतिवचनो की अपने सम्प्रदाय के अनुसूप एकवाक्यता करने के लिये शाङ्करभाष्य में ईशावास्य के ग्यारहवें मन्त्र का ऊपर लिखे अनुसार अर्थ किया गया है। साम्प्रदायिक दृष्टि में देखें तो ये अर्थ महत्त्व के ही नहीं; प्रत्युत आवश्यक भी है। परन्तु जिन्हें यह मूल सिद्धान्त ही मान्य नहीं, कि ममस्त उपनिषदों में एक ही अर्थ प्रतिपादित रहना चाहिये—दो मार्गोंवा श्रुतिप्रतिपादित होना शक्य नहीं—उन्हें उल्लिखित मन्त्र में विद्या और अमृत शब्द के अर्थ बदलने के लिये कोई भी आवश्यकता नहीं रहती। यह तत्त्व मान लेने में भी—कि परब्रह्म 'एकमेवाद्वितीयं' है—यह सिद्ध नहीं होना, कि उसके ज्ञान का उपाय एक में अधिक न रहे। एक ही अटारी पर चढ़ने के लिये दो जीने, वा एक ही गाँव को जाने के लिये जिन प्रकार दो मार्ग हो सकते हैं, उसी प्रकार भोक्षप्राप्ति के उपायों की या निष्ठा की बात है। और इसी अभिप्राय में भगवद्गीता में स्पष्ट कह दिया है—“लोकेश्मिन् द्विविद्या निष्ठा।” दो निष्ठाओं का होना सम्भवनीय कहने पर कुछ उपनिषदों में केवल ज्ञाननिष्ठा का, तो कुछ में ज्ञानसंभ्रामुच्चय-निष्ठा का वर्णन आना कुछ अशक्य नहीं है। अर्थात् ज्ञाननिष्ठा का विरोध होना है, इसी में ईशावास्योपनिषद् के शब्द का मगल, स्वभाविक और स्पष्ट अर्थ छोटने के लिये कोई कारण नहीं रह जाता। यह कहने के लिये—कि श्रीमच्छंकराचार्य का ध्यान मगल अर्थ की अपेक्षा मन्यामनिष्ठाप्रधान एकवाक्यता की ओर विन्येय था—एक और दूमरा कारण भी है। तैत्तिरीय उपनिषद् के शाङ्कर-भाष्य (नं. २. ११) में ईशावास्य-मन्त्र का इनका ही भाग दिया है, कि “अविद्या मृत्यु तीर्त्वा विद्याऽमृतमश्नुते”; और उसके साथ ही यह मनुवचन भी दे दिया है—“अपरा मन्मथ इन्नि विद्याऽमृतमश्नुते” (मनु. १२. १०८)। और इन दोनों

वचनो मे 'विद्या' शब्द का एक ही मुख्यार्थ (अर्थात् ब्रह्मज्ञान) आचार्य ने स्वीकार किया है। परन्तु यहाँ आचार्य का कथन है, कि "तीत्वो = तैर कर या पार कर" इस पद से पहले मृत्युलोक को तैर जाने की त्रिया पूरी हो लेने पर फिर (एक साथ ही नहीं) विद्या से अमृतत्व प्राप्त होने की त्रिया सङ्घटीत होती है। किन्तु कहना नहीं होगा, कि यह अर्थ पूर्वार्ध के 'उभय सह' शब्दों के विरुद्ध होता है। और प्रायः इसी कारण ने ईशावास्य के शाङ्करभाष्य में यह अर्थ छोड़ भी दिया गया हो। कुछ भी हो; ईशावास्य के ग्यारहवें मन्त्र का शाङ्करभाष्य में निराला व्याख्यान करने का जो कारण है, वह इससे व्यक्त हो जाता है। यह कारण साम्प्रदायिक है; और भाष्यकर्ता की साम्प्रदायिक दृष्टि स्वीकार न करनेवालों को प्रस्तुत भाष्य का यह व्याख्यान मान्य न होगा। यह बात हमें भी मजूर है, कि श्रीमच्छङ्कराचार्य जैसे अलौकिक ज्ञानी पुष्प के प्रतिपादन किये हुए अर्थ को छोड़ देने का प्रसङ्ग जहाँ तक टले, वहाँ तक अच्छा है। परन्तु साम्प्रदायिक दृष्टि त्यागने से ये प्रसङ्ग तो आयेगे ही; और इसी कारण हमसे पहले भी ईशावास्यमन्त्र का अर्थ शाङ्करभाष्य से विभिन्न (अर्थात् जैसा हम कहते हैं, वैसा ही) अन्य भाष्यकारों ने लगाया है। उदाहरणार्थ वाजसनेयी संहिता पर अर्थात् ईशावास्योपनिषद् पर भी उवटाचार्य का जो भाष्य है, उस में 'विद्या चाविद्या च' इस मन्त्र का व्याख्यान करते हुए ऐसा अर्थ दिया है, कि "विद्या = आत्मज्ञान और अविद्या = कर्म; इन दोनों के एकीकरण से ही अमृत अर्थात् मोक्ष मिलता है।" अनन्ताचार्य ने इस उपनिषद् पर अपने भाष्य में इसी ज्ञानकर्म-समुच्चयात्मक अर्थ को स्वीकार कर अन्त में साफ लिख दिया है, कि "इस मन्त्र का सिद्धान्त और 'यत्साध्यैः प्राप्यते स्थान तद्योगैरपि गम्यते' (गीता. ५. ५) गीता के इस वचन का अर्थ एक ही है। एव गीता के इस श्लोक में जो 'साध्य' और 'योग' शब्द हैं, वे क्रम से 'ज्ञान' और 'कर्म' के द्योतक हैं।" इसी प्रकार अपराकंदेव ने भी याज्ञवल्क्यस्मृति (३. ५७ और २०५) की अपनी टीका में ईशावास्य का ग्यारहवाँ मन्त्र दे कर अनन्ताचार्य के समान ही उसका ज्ञानकर्म-समुच्चयात्मक अर्थ किया है। इससे पाठकों के ध्यान में आ जायेगा, कि आज हम ही नये सिरे से ईशावास्योपनिषद् के मन्त्र का शाङ्करभाष्य से भिन्न अर्थ नहीं करते हैं।

* पुणें के आनन्दाश्रम में ईशावास्योपनिषद् की जो पोथी छपी है, उसमें ये सभी भाष्य हैं; और याज्ञवल्क्यस्मृति पर अपराकंदेव की टीका भी आनन्दाश्रम में ही पृथक् छपी है। प्रो. मेक्स-मुलर ने उपनिषदों का जो अनुवाद किया है, उसमें ईशावास्य का भाषान्तर शाङ्करभाष्य के अनुसार नहीं है। उन्होंने ने भाषान्तर के अन्त में इसके कारण बतलाये हैं (Sacred Books of the East Series, Vol. I. pp. 314-320)। अनन्ताचार्य का भाष्य मेक्समुलर साहब को उपलब्ध न हुआ था, और उनके ध्यान में यह बात आई हुई देख नहीं पड़ती, कि शाङ्करभाष्य में निराला अर्थ क्यों किया गया है?

यह तो हुआ स्वयं ईशावास्योपनिषद् के मन्त्र के सम्बन्ध का विचार। अत्र शाङ्करभाष्य में जो “तपसा कल्मषं हन्ति विद्ययाऽमृतमश्नुते” यह मनु का वचन दिया है, उसका भी थोड़ा-सा विचार करते हैं। मनुस्मृति के बारहवें अध्याय में यह १०४ नम्बर का श्लोक है; और मनु. १२. ८६ से विदित होगा, कि वह प्रकरण वैदिक कर्मयोग का है। कर्मयोग के इस विवेचन से :-

तपो विद्या च विप्रस्य निःश्रेयसकरं परम् ।

तपसा कल्मषं हन्ति विद्ययाऽमृतमश्नुते ॥

पहले चरण में यह बतला कर - कि “तप और (च) विद्या (अर्थात् दोनों) ब्राह्मण को उत्तम मोक्षदायक है -” फिर प्रत्येक का उपयोग दिखलाने के लिये दूसरे चरण में कहा है, कि “तप से दोष नष्ट हो जाते हैं और विद्या से अमृत अर्थात् मोक्ष मिलता है।” इससे प्रकट होता है, कि इस स्थान पर ज्ञानकर्मसमुच्चय ही मनु को अभिप्रेत है; और ईशावास्य के ग्यारहवें मन्त्र का अर्थ ही मनु ने इस श्लोक में वर्णन कर दिया है; हारीतस्मृति के वचन से भी यही अर्थ अधिक दृढ़ होता है। यह हारीतस्मृति स्वतन्त्र तो उपलब्ध है ही; उसके सिवा नृसिंहपुराण (अ. ५७-६१) में भी आई है। इस नृसिंहपुराण (६१ ९-११ में और हारीतस्मृति ७. ९-११) में ज्ञानकर्मसमुच्चय के सम्बन्ध में ये श्लोक हैं -

ययाश्वा रयहीनाश्च रयाश्चाश्वैर्विना यया ।

एवं तपरच विद्या च उनावपि तपस्विनः ॥

ययाश्रं मधुसंयुक्तं मधु चाग्नेन संयुतम् ।

एवं तपरच विद्या च संयुक्तं भेषज महत् ॥

द्वाभ्यामेव हि पक्षाम्या यया वं पक्षिणा गतिः ।

तथैव ज्ञानकर्मभ्या प्राप्यते ब्रह्म शाश्वतम् ॥

अर्थात् “जिस प्रकार रथ के बिना घोड़े और घोड़े के बिना रथ (मही चलते) उसी प्रकार तपस्वी के तप और विद्या की भी स्थिति है। जिस प्रकार अन्न शहद से समुक्त हो; और शहद अन्न से समुक्त हो, उसी प्रकार तप और विद्या के समुक्त होने से एक महोपधि होती है। जैसे पक्षियों की गति दोनों पक्षियों के योग से ही होती है, वैसे ही ज्ञान और कर्म (दोना) से शाश्वत ब्रह्म प्राप्त होता है।” हारीतस्मृति के ये वचन बृहान्नेयस्मृति के दूसरे अध्याय में भी पाये जाते हैं। इन वचनों से - और विशेष कर उनमें दिये गये दृष्टान्तों से - प्रकट हो जाता है, कि मनुस्मृति के वचन का क्या अर्थ लगाना चाहिये? यह तो पहले ही कह चुके हैं, कि मनु तप शब्द में ही चातुर्वर्ण्य के कर्मों का समावेश करते हैं (मनु ११. २३६)। और अब शीघ्र पढ़ेगा, कि तैत्तिरीयोपनिषद् में ‘तप और स्वाध्याय-प्रवचन’ इत्यादि का जो आचरण करने के लिये कहा गया है (तै १. ९), वह भी ज्ञानकर्म-समुच्चय-पक्ष का

स्वीकार कर ही कहा गया है। समूचे योगवासिष्ठ ग्रन्थ का तात्पर्य भी यही है। क्योंकि इस ग्रन्थ के आरम्भ में सुतीक्ष्ण ने पूछा है, कि मुझे बतलाइये, कि मोक्ष कैसे मिलता है? केवल ज्ञान से, केवल कर्म से, या दोनों के समुच्चय से? और उसे उत्तर देते हुए हारीतस्मृति का (पक्षी के पड़खोवाला) दृष्टान्त ले कर पहले यह बतलाया है, कि "जिस प्रकार आकाश में पक्षी की गति दोनों पड़खो से ही होती है, उसी प्रकार ज्ञान और इन्ही दोनों से मोक्ष मिलता है। केवल एक से ही यह सिद्धि मिल नहीं जाती।" और आगे इसी अर्थ को विस्तारसहित दिखलाने के लिये समूचा योगवासिष्ठ ग्रन्थ कहा गया है (यो. १. १. ६-९)। इसी प्रकार वसिष्ठ ने राम को मुख्य कथा में स्थान स्थान पर बार-बार यही उपदेश किया है, कि "जीवन्मुक्त के समान बुद्धि को शुद्ध रख कर तुम समस्त व्यवहार करो" (यो. ५. १८. १७-२६) या कर्मों का छोड़ना मरणपर्यन्त उचित न होने के कारण (यो. ६. उ. २. ४२), स्वधर्म के अनुसार प्राप्त हुए राज्य को पालने का काम करते रहो" (यो. ५. ५. ५४ और ६. उ. २१३. ५०)। इस ग्रन्थ का उपसंहार और श्रीरामचन्द्र के किये हुए काम भी इसी उपदेश के अनुसार है। परन्तु योगवासिष्ठ के टीकाकार थे सन्यासमार्गीय। इसलिये पक्षी के दो पड़खोवाली उपमा के स्पष्ट होने पर भी उन्होने अन्त में अपने पास से यह तुराँ लगा ही दिया, कि ज्ञान और कर्म दोनों युगपत् अर्थात् एक ही समय में विहित नहीं है। विना टीका मूलग्रन्थ पढ़ने से किसी के भी ध्यान में सहज ही आ जावेगा, कि टीकाकारों का यह अर्थ खीचातानी का है, एव क्लिष्ट और साम्प्रदायिक है। मद्रास प्रान्त में योगवासिष्ठसरीखा ही 'गुरुज्ञान-वासिष्ठ-तत्त्वसारायण' नामक एक ग्रन्थ प्रसिद्ध है। इसके ज्ञानकाण्ड, उपासनाकाण्ड और कर्मकाण्ड - ये तीन भाग हैं। हम पहले कह चुके हैं, कि यह ग्रन्थ जितना पुराना बतलाया जाता है, उतना दिखता नहीं है। यह प्राचीन भले ही न हो; पर जब कि ज्ञानकर्म-समुच्चय-पक्ष ही इसमें प्रतिपाद्य है, तब इस स्थान पर उसका उल्लेख करना आवश्यक है। इसमें अद्वैत वेदान्त है; और निष्काम-कर्म पर ही बहुत जोर दिया गया है। इसलिये यह कहने में कोई हानि नहीं, कि इसका सम्प्रदाय शङ्कराचार्य के सम्प्रदाय से भिन्न और स्वतन्त्र है। मद्रास की ओर इस सम्प्रदाय का नाम 'अनुभवाद्वैत' है। और वास्तविक देखने से ज्ञात होगा, कि गीता के कर्मयोग की यह एक नकल ही है। परन्तु केवल भगवद्गीता के ही आधार से इस सम्प्रदाय को सिद्ध न कर इस ग्रन्थ में कहा है, कि कुल १०८ उपनिषदों से भी वही अर्थ सिद्ध होता है। इसमें रामगीता और सूर्यगीता, ये दोनों नई गीताएँ भी दी हुई हैं। कुछ लोगों की जो यह समझ है, कि अद्वैत मत को अङ्गीकार करना मानो कर्मसन्यासपक्ष को स्वीकार करना ही है, वह इस ग्रन्थ से दूर हो जायगी। ऊपर दिये गये प्रमाणों से अब स्पष्ट हो जायगा, कि संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद्, धर्मसूत्र, मनु-याज्ञवल्क्यस्मृति, महाभारत, भगवद्गीता, योगवासिष्ठ और अन्त में तत्त्वसारायण प्रभृति ग्रन्थों में जो निष्काम-कर्मयोग प्रतिपादित है, उसको

यह तो हुआ स्वयं ईशावास्योपनिषद् के मन्त्र के सम्बन्ध का विचार। अब शास्त्रकारभाष्य में जो "तपसा कल्मषं हन्ति विद्ययाऽमृतमश्नुते" यह मनु का वचन दिया है, उसका भी थोड़ा-सा विचार करते हैं। मनुस्मृति के बारहवें अध्याय में यह १०४ नम्वर का श्लोक है; और मनु. १२. ८६ से विदित होगा, कि वह प्रकरण वैदिक कर्मयोग का है। कर्मयोग के इस विवेचन से :-

तपो विद्या च विप्रस्य निःश्रेयसकरं परम् ।

तपसा कल्मषं हन्ति विद्ययाऽमृतमश्नुते ॥

पहले चरण में यह बतला कर - कि "तप और (च) विद्या (अर्थात् दोनों) ब्राह्मण को उत्तम मोक्षदायक है -" फिर प्रत्येक का उपयोग दिखलाने के लिये दूसरे चरण में कहा है, कि "तप मे दोष नष्ट हो जाते हैं और विद्या से अमृत अर्थात् मोक्ष मिलता है।" इससे प्रकट होता है, कि इस स्थान पर ज्ञानकर्मसमुच्चय ही मनु को अभिप्रेत है; और ईशावास्य के ग्यारहवें मन्त्र का अर्थ ही मनु ने इस श्लोक में वर्णन कर दिया है; हारीतस्मृति के वचन से भी यही अर्थ अधिक दृढ़ होता है। यह हारीतस्मृति स्वतन्त्र तो उपलब्ध है ही; उसके सिवा नृसिंहपुराण (अ. ५७-६१) में भी आई है। इस नृसिंहपुराण (६१. ९-११ में और हारीतस्मृति ७. ९-११) में ज्ञानकर्मसमुच्चय के सम्बन्ध में ये श्लोक हैं :-

ययाश्वा रयहीनाश्च रयाश्चास्वविना यया ।

एवं तपश्च विद्या च उभावपि तपस्विनः ॥

ययाग्रं मधुसंयुक्तं मधु चाग्नेन संयुतम् ।

एवं तपश्च विद्या च संयुक्तं भेषजं महत् ॥

द्वान्यामेव हि पक्षाम्यां यथा वै पक्षिणां गतिः ।

तथैव ज्ञानकर्मभ्यां प्राप्यते ब्रह्म शाश्वतम् ॥

अर्थात् "जिम प्रवार रय के बिना घोड़े और घोड़े के बिना रय (नहीं चलते) उगी प्रकार तपस्वी के तप और विद्या की भी स्थिति है। जिम प्रकार अन्न शहद से संयुक्त हो; और शहद अन्न से संयुक्त हो, उगी प्रकार तप और विद्या के संयुक्त होने में एक महोपधि होती है। जैसे पक्षियों की गति दोनों पक्षियों के योग में ही होती है, वैसे ही ज्ञान और कर्म (दोनों) से शाश्वत ब्रह्म प्राप्ति होना है।" हारीतस्मृति के ये वचन बृहदारण्यस्मृति के दूसरे अध्याय में भी पाये जाते हैं। इन वचनों से - और विशेष कर इनमें दिये गये दृष्टान्तों में - प्रकट हो जाता है, कि मनुस्मृति के वचन का क्या अर्थ लगाना चाहिये? यह तो पहले ही कह चुके हैं, कि मनु तप शब्द में ही चानुवृत्त्य के बर्णों का समावेग करने हैं (मनु. ११. २३६)। और अब दोग्य पढ़ेगा, कि नैतिशास्त्रोपनिषद् में 'तप और स्वाध्याय-प्रवचन' इत्यादि का जो आचरण करने के लिये कहा गया है (तै. १. ९), वह भी ज्ञानकर्म-समुच्चय-गण का

स्वीकार कर ही कहा गया है। समूचे योगवासिष्ठ ग्रन्थ का तात्पर्य भी यही है। क्योंकि इस ग्रन्थ के आरम्भ में सुतीक्ष्ण ने पूछा है, कि मुझे बतलाइये, कि मोक्ष कैसे मिलता है? केवल ज्ञान से, केवल कर्म से, या दोनों के समुच्चय से? और उसे उत्तर देते हुए हारीतस्मृति का (पक्षी के पड़खोवाला) दृष्टान्त ले कर पहले यह बतलाया है, कि "जिम प्रकार आकाश में पक्षी की गति दोनों पड़खो से ही होती है, उसी प्रकार ज्ञान और इन्ही दोनों से मोक्ष मिलता है। केवल एक से ही यह सिद्धि मिल नहीं जाती।" और आगे इसी अर्थ को विस्तारसहित दिखलाने के लिये समूचा योगवासिष्ठ ग्रन्थ कहा गया है (यो. १. १. ६-९)। इसी प्रकार वसिष्ठ ने राम को मुख्य कथा में स्थान स्थान पर बार-बार यही उपदेश किया है, कि "जीवन्मुक्त के समान बुद्धि को शुद्ध रख कर तुम समस्त व्यवहार करो" (यो. ५. १८. १७-२६) या कर्मों का छोड़ना मरणपर्यन्त उचित न होने के कारण (यो. ६. उ. २. ४२), स्वधर्म के अनुसार प्राप्त हुए राज्य को पालने का काम करते रहो" (यो. ५. ५. ५४ और ६. उ. २१३. ५०)। इस ग्रन्थ का उपसंहार और श्रीरामचन्द्र के किये हुए काम भी इसी उपदेश के अनुसार है। परन्तु योगवासिष्ठ के टीकाकार थे सन्यासमार्गीय। इसलिये पक्षी के दो पड़खोवाली उपमा के स्पष्ट होने पर भी उन्हो ने अन्त में अपने पास से यह तुरी लगा ही दिया, कि ज्ञान और कर्म दोनों युगपत् अर्थात् एक ही समय में विहित नहीं है। विना टीका मूलग्रन्थ पढ़ने से किसी के भी ध्यान में सहज ही आ जावेगा, कि टीकाकारों का यह अर्थ खीचातानी का है; एव क्लिष्ट और साम्प्रदायिक है। मद्रास प्रान्त में योगवासिष्ठसरीखा ही 'गुरुज्ञान-वासिष्ठ-तत्त्वसारायण' नामक एक ग्रन्थ प्रसिद्ध है। इसके ज्ञानकाण्ड, उपासनाकाण्ड और कर्मकाण्ड -- ये तीन भाग हैं। हम पहले कह चुके हैं, कि यह ग्रन्थ जितना पुराना बतलाया जाता है, उतना दिखता नहीं है। यह प्राचीन भले ही न हो, पर जब कि ज्ञानकर्म-समुच्चय-पक्ष ही इसमें प्रतिपाद्य है, तब इस स्थान पर उसका उल्लेख करना आवश्यक है। इसमें अद्वैत वेदान्त है; और निष्काम-कर्म पर ही बहुत जोर दिया गया है। इसलिये यह कहने में कोई हानि नहीं, कि इसका सम्प्रदाय शङ्कराचार्य के सम्प्रदाय से भिन्न और स्वतन्त्र है। मद्रास की ओर इस सम्प्रदाय का नाम 'अनुभवद्वैत' है। और वास्तविक देखने से ज्ञात होगा, कि गीता के कर्मयोग की यह एक नकल ही है। परन्तु केवल भगवद्गीता के ही आधार से इस सम्प्रदाय को सिद्ध न कर इस ग्रन्थ में कहा है, कि कुल १०८ उपनिषदों से भी वही अर्थ सिद्ध होता है। इसमें रामगीता और सूर्यगीता, ये दोनों नई गीताएँ भी दी हुई हैं। कुछ लोगों की जो यह समझ है, कि अद्वैत मत को अङ्गीकार करना मानो कर्मसन्यासपक्ष को स्वीकार करना ही है, वह इस ग्रन्थ से दूर हो जायगी। ऊपर दिये गये प्रमाणों से अब स्पष्ट हो जायगा, कि संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद्, धर्मसूत्र, मनु-याज्ञवल्क्यस्मृति, महाभारत, भगवद्गीता, योगवासिष्ठ और अन्त में तत्त्वसारायण प्रभृति ग्रन्थों में जो निष्काम-कर्मयोग प्रतिपादित है, उसको

श्रुतिस्मृतिप्रतिपादित न मान केवल मंत्र्यासमार्ग को ही श्रुतिस्मृतिप्रतिपादित कहना सर्वथा निर्मूल है।

इस मृत्युलोक का व्यवहार चलने के लिये या लोकमंग्रहार्थ यथाधिकार निष्काम कर्म और मोक्ष की प्राप्ति के लिये ज्ञान, इन दोनों का एककालीन समुच्चय ही, अथवा महाराष्ट्र कवि शिवदिन-केमरी के वर्णनानुसार :-

प्रपञ्च साधुनि परमार्थाचा लाहो ज्याने केला ।

तो नर भला भला रे भला भला ॥ ५

यही अर्थ गीता में प्रतिपाद्य है। कर्मयोग का यह मार्ग प्राचीन काल में चला आ रहा है। जनक प्रभृति ने इसी का आचरण किया है; और स्वयं भगवान् के द्वारा इसका प्रसार और पुनरुज्जीवन होने के कारण इसे ही भागवतधर्म कहते हैं। ये सब बातें अच्छी तरह मिद्ध हो चुकी। अब लोकमंग्रह की दृष्टि में यह देखना भी आवश्यक है, कि इस मार्ग के ज्ञानी पुरुष परमार्थयुक्त अपना प्रपञ्च — जगत् का व्यवहार — किस रीति में चलाते हैं? परन्तु यह प्रकरण बहुत बट गया है। इसलिये इस विषय का स्पष्टीकरण अगले प्रकरण में करेंगे।

* 'वही नर भला है, जिसने प्रपञ्च साध कर (संसार के सब कर्तव्यों का यथोचित पालन कर) परमार्थ बानी मोक्ष की प्राप्ति भी कर ली हो।'

बारहवाँ प्रकरण

सिद्धावस्था और व्यवहार

सर्वेषां यः सुदृक्तित्यं सर्वेषां च हिते रतः ।

कर्मणा मनसा वाचा स धर्मं वेद जाजले ॥*

महाभारत, शान्ति. २६१.९

जिन मार्ग का यह मन है, कि ब्रह्मज्ञान हो जाने से जब बुद्धि अत्यन्त सम और निष्काम हो जावे, तब फिर मनुष्य को कुछ भी कर्तव्य आगे के लिये रह नहीं जाता । और इसीलिये विरक्तबुद्धि ने ज्ञानी पुरुष को क्षणभंगुर सत्सार के दुःखमय और क्षुब्ध व्यवहार एकदम छोड़ देना चाहिये । उस मार्ग के पण्डित इस बात को कदापि नहीं जान सकते कि कर्मयोग अथवा गृहस्थाश्रम के वर्तव्य का भी कोई एक विचार करने योग्य शास्त्र है । सन्यास लेने से पहले चित्त की शुद्धि हो कर ज्ञानप्राप्ति हो जानी चाहिये । इसी लिये उन्हें मजूर है, कि सत्सार — दुनियादारी — के काम उस धर्म से ही करना चाहिये, कि जिस से चित्तवृत्ति शुद्ध होवे, अर्थात् वह सात्त्विक बने । इसीलिये ये समझते हैं, कि सत्सार में ही सदैव बना रहना पागलपन है । जितनी जल्दी हो सके, उतनी जल्दी प्रत्येक मनुष्य सन्यास ले ले । इस जगत् में उसका यही परम कर्तव्य है । ऐसा मान लेने से कर्मयोग का स्वतन्त्र महत्त्व कुछ भी नहीं रह जाता । और इसीलिये सन्यासमार्ग के पण्डित सासारिक कर्तव्यों के विषय में कुछ थोड़ा-सा प्रासंगिक विचार करके गार्हस्थ्य-धर्म के कर्म-अकर्म के विवेचन का इसकी अपेक्षा और अधिक विचार कभी नहीं करते, कि मनु आदि शास्त्रकारों के बतलाये हुए चार आश्रमरूपी जीने से चढ़ कर सन्यास आश्रम की अन्तिम सीढ़ी पर जल्दी पहुँच जाओ । इसीलिये कलियुग में सन्यासमार्ग के पुरस्कर्ता श्रीशङ्कराचार्य ने अपने गीताभाष्य में गीता के कर्मप्रधान वचनों की उपेक्षा की है । अथवा उन्हें केवल प्रशंसात्मक (अर्थवादप्रधान) कल्पित किया है, और अन्त में गीता का यह फलितार्थ निकाला है, कि कर्मसन्यास-धर्म ही गीताभर प्रतिपाद्य है । और यही कारण है, कि दूसरे कितने ही टीकाकारों ने अपने सम्प्रदाय के अनुसार गीता का यह रहस्य वर्णन किया है, कि भगवान् ने रणभूमि पर अर्जुन को निवृत्ति-प्रधान अर्थात् निरी भक्ति, या पातञ्जलयोग अथवा मोक्षमार्ग का ही उपदेश किया है । इसमें कोई सन्देह नहीं, कि सन्यासमार्ग का अध्यात्मज्ञान निर्दोष है । और इसके

* “हे जाजले ! (कहना चाहिये कि) उसी ने धर्म को जाना, कि जो कर्म से, मन से और वाणी से सब का हित करने में लगा हुआ है, और जो सभी का नित्य सेही है ।”

द्वारा प्राप्त होनेवाली साम्यबुद्धि अथवा निष्काम अवस्था भी गीता को मान्य है। तथापि गीता को मन्वामार्ग का यह कर्मसम्बन्धी मत ग्राह्य नहीं है, कि मोक्षप्राप्ति के लिये अन्त में कर्मों को एकदम छोड़ ही बैठना चाहिये। पीछे प्रकरण में हमने विन्मरमहित गीता का यह विशेष मिद्धान्त दिखलाया है, कि ब्रह्मज्ञान में प्राप्त होने-वाले वैराग्य अथवा ममता से ही ज्ञानी पुण्य को ज्ञानप्राप्ति हो चुकने पर भी मारे व्यवहार करते रहना चाहिये। जगत् में ज्ञानयुक्त कर्मों का निकाल टांगे, तो दुनिया अन्धी हुई जाती है, और इसमें उनका नाश हो जाता है। जब कि भगवान् की ही इच्छा है, कि इस रीति में उनका नाश न हो, वह भली भाँति चरनी रहे, तब ज्ञानी पुण्य को भी जगत् के सभी कर्म निष्कामबुद्धि में करते हुए सामान्य लोगों को अच्छे वताव का प्रत्यक्ष नमूना दिखाना देना चाहिये। इसी मार्ग को अग्रिम श्रेयस्कर और ग्राह्य कहे, तो यह देखने की जरूरत पड़ती है, कि इन प्रकार का ज्ञानी पुण्य जगत् के व्यवहार किस प्रकार करना है? क्याकि ऐसे ज्ञानी पुण्य का व्यवहार ही लोगों के लिये आदर्श है। उनके कर्म करने की गीता को पर्युत्तरे में प्रथम-अप्रथम, कार्य अथवा अनर्थ-अनर्थ का निर्णय कर देनेवाला मायन या युक्ति जिसे हम खोज रहे थे - ज प-ही-आप हमारे हाथ लग जाती है। मन्वामार्ग की अपेक्षा कर्मयोगमार्ग में यही तो विशेषता है। इन्द्रिया का निग्रह करने में जिन पुण्य की व्यवसायात्मक बुद्धि स्थिर हो कर 'मत्र भूतो मे एव आत्मा' इन साम्य को पर्युत्तरे में ममर्थ हो जाय, उनको वासना भी शुद्ध ही हानी है। इस प्रकार वासनामय बुद्धि के शुद्ध, मम, निमम और पवित्र हो जाने न फिर वह कोई भी पाप या मास के लिये प्रतिकूल कर्म कर ही नहीं सकता। क्योंकि पहले वासना है, फिर तदनुकूल कर्म। जब कि श्रम ऐसा है, तब शुद्ध वासना से होनेवाला कर्म शुद्ध ही होगा, और जो शुद्ध है, वही मोक्ष के लिये अनुकूल है। अर्थात् हमारे आगे जा 'कर्म-अकर्म विचिकित्सा' या 'कार्य-अकार्य-व्यवस्थिति' का विकट प्रश्न था - कि पारंगतिक कल्याण के मार्ग में आठ न आ कर इन ममार्ग में मनुष्यमात्र का कर्मा बनाव करना चाहिये - उनका अपनी कर्मा में प्रत्यक्ष उत्तर दनवाग गुरु अब हमें मिल गया (त १ ११ ८, गी ३ २१)। अर्जुन के आगे ऐसा गुरु श्रीकृष्ण कर्म में प्रत्यक्ष खड़ा था। जब अर्जुन का यह शब्दका हुआ, कि "क्या, ज्ञानी पुण्य युद्ध आदि कर्मों को बन्धनकारक समझ कर छोड़ दे?" तब उसका इन गुरु न दूर कहा दिया। और अध्यात्मशास्त्र के महार अर्जुन का भगी भाँति ममज्ञा दिया, कि जगत् के व्यवहार किस युक्ति में करते रहने पर पाप नहीं लगना? अब वह युद्ध के दिग् प्रवृत्त हो गया। गिन्तु ऐसा धार्मिक ज्ञान मिथ्या दनवाग गुरु प्रत्यक्ष मनुष्य था जब चाह तब नहीं मिल सकते। और तब प्रकरण के अन्त में "महाजना येन गत स पन्था" इस वचन का विचार करने हुए हम बतला पाए हैं, कि इस महापुरुषों के निरुत्सर्ग बनाव पर विश्व-व्यवस्थित गुरु भी नहीं सकते। अतएव जगत् का ज्ञान आचरण में जिज्ञा देनेवाले

इन ज्ञानी पुरुषों के वर्तव्य की बड़ी बारीकी से जाँच कर विचार करना चाहिये, कि इनके वर्तव्य का यथार्थ रहस्य या मूलतत्त्व क्या है? इसे ही कर्मयोगशास्त्र कहते हैं, और ऊपर जो पुरुष बतलाये गये हैं, उनकी स्थिति और कृति ही इस शास्त्र का आधार है। इस जगत् के सभी पुरुष यदि इस प्रकार के आत्मज्ञानी और कर्मयोगी हों, तो धर्मयोगशास्त्र की जल्दतर ही न पड़ेगी। नारायणीय धर्म में एक स्थान पर कहा है -

एकान्तिनो हि पुरुषा दुर्लभा बहवो नृप ।
यद्येकान्तिभिराकीर्णं जगत् स्यात्कुरुन्दन ॥
अर्हसकैरात्मविद्भिः सर्वभूतहिते रतैः ।
भवेत् कृतयुगप्राप्ति आशी. कर्मविवर्जिता ॥

“ एकान्तिक अर्थात् प्रवृत्तिप्रधान भागवतधर्म का पूर्णतया आचरण करनेवाले पुरुषों का अधिक मिलना कठिन है। आत्मज्ञानी, अर्हसक, एकान्तधर्म के ज्ञानी और प्राणि-मात्र की भलाई करनेवाले पुरुषों से यदि यह जगत् भर जावे, तो आशी कर्म - अर्थात् काम्य अथवा स्वार्थवृद्धि से किये हुए सारे कर्म - इस जगत् से दूर हा कर फिर कृतयुग प्राप्त हो जावेगा ” (शा ३४८ ६२, ६३)। क्योंकि ऐसी स्थिति में सभी पुरुषों के ज्ञानवान् रहने से कोई किसी का नुकसान तो करेगा ही नहीं, प्रस्तुत प्रत्येक मनुष्य सब के कल्याण पर ध्यान दे कर तदनुसार ही शुद्ध अन्त करण और निष्काम-वृद्धि से अपना वर्तव्य करेगा। हमारे शास्त्रकारों का मत है, कि बहुत पुराने समय में समाज की ऐसी ही स्थिति थी, और वह फिर कभी-न-कभी प्राप्त होगी ही (म भा शा ५९ १४)। परन्तु पश्चिमी पण्डित पहली बात को नहीं मानते - वे अर्वाचीन इतिहास के आधार से कहते हैं, कि पहले कभी ऐसी स्थिति नहीं थी। किन्तु भविष्य में मानवजाति के सुधारों की बदौलत ऐसी स्थिति मिल जाना कभी-न-कभी सम्भव हो जावेगा। जो हो, यहाँ इतिहास का विचार इस समय कर्तव्य नहीं है। हाँ, यह करने में कोई हानि नहीं, कि समाज की इस अत्युत्कृष्ट स्थिति अथवा पूर्णविस्था में प्रत्येक मनुष्य परमज्ञानी रहेगा, और वह जो व्यवहार करेगा, उसी को शुद्ध, पुण्यकारक, धर्म्य अथवा कर्तव्य की पराकाष्ठा मानना चाहिये। इस मत को दोनों ही मानते हैं। प्रसिद्ध अंग्रेज सृष्टिशास्त्रज्ञाता स्पेन्सर ने इसी मत का अपने नीतिशास्त्रविषयक ग्रन्थ के अन्त में प्रतिपादन किया है। और कहा है, कि प्राचीन काल में ग्रीस देश के तत्त्वज्ञानी पुरुषों ने यही सिद्धान्त किया था।* उदाहरणार्थ, युनानी तत्त्ववेत्ता प्लेटो अपने ग्रन्थ में लिखता है - तत्त्वज्ञानी पुरुष को जो कर्म प्रशस्त जेंचे, वही शुभकारक और न्याय्य है। सर्वसाधारण मनुष्यों को ये धर्म

* Spencer's Data of Ethics, Chap XV. pp 275-278 स्पेन्सर ने इसमें Absolute Ethics नाम दिया है।

द्वारा प्राप्त होनेवाली साम्यबुद्धि अथवा निष्काम अवस्था भी गीता को मान्य है। तथापि गीता को सन्यासमार्ग का यह कर्मसम्बन्धी मत ग्राह्य नहीं है, कि मोक्षप्राप्ति के लिये अन्त में कर्मों को एकदम छोड़ ही बैठना चाहिये। पीछले प्रकरण में हमने विस्तारसहित गीता का यह विशेष सिद्धान्त दिखलाया है, कि ब्रह्मज्ञान से प्राप्त होनेवाले वैराग्य अथवा समता से ही ज्ञानी पुरुष को ज्ञानप्राप्ति हो चुकने पर भी मारे व्यवहार करते रहना चाहिये। जगत् से ज्ञानयुक्त कर्म को निकाल डाले, तो दुनिया अन्धी हुई जाती है; और इससे उमका नाश हो जाता है। जब कि भगवान् की ही इच्छा है, कि इस रीति से उमका नाश न हो, वह भली भाँति चल्ती रहे; तब ज्ञानी पुरुष को भी जगत् के सभी कर्म निष्कामबुद्धि में करते हुए सामान्य लोगों को अच्छे बर्ताव का प्रत्यक्ष नमूना दिखला देना चाहिये। इसी मार्ग को अधिक श्रेयस्कर और ग्राह्य बट्टे, तो यह देखने की जरूरत पड़ती है, कि इस प्रकार का ज्ञानी पुरुष जगत् के व्यवहार विम प्रकार करता है? क्योंकि ऐसे ज्ञानी पुरुष का व्यवहार ही लोगों के लिये आदर्श है। उसके कर्म करने की रीति को परख लेने में धर्म-अधर्म, कार्य अथवा कर्तव्य-अकर्तव्य का निर्णय कर देनेवाला साधन या युक्ति जिसे हम खोज रहे थे — अप-ही-आप हमारे हाथ लग जाती है। सन्यासमार्ग की अपेक्षा कर्मयोगमार्ग में यही तो विशेषता है। इन्द्रियो का निग्रह करने से जिम पुरुष की व्यवसायात्मक बुद्धि स्थिर हो कर 'सब भूतों में एक आत्मा' इस साम्य को परख लेने में ममथं हो जाय, उसकी वासना भी शुद्ध ही होती है। इस प्रकार वासनात्मक बुद्धि के शुद्ध, सम, निमंम और पवित्र हो जाने में फिर वह कोई भी पाप या मोक्ष के लिये प्रतिबन्धक कर्म कर ही नहीं सकता। क्योंकि पहले वासना है, फिर तदनुकूल कर्म। जब कि त्रम ऐसा है, तब शुद्ध वासना से होनेवाला कर्म शुद्ध ही होगा; और जो शुद्ध है, वही मोक्ष के लिये अनुकूल है। अर्थात् हमारे आगे जो 'कर्म-अकर्म-विचिकित्सा' या 'कार्य-अकार्य-व्यवस्थिति' का विवट प्रश्न था — कि पारलौकिक कल्याण के मार्ग में आड़े न आ कर इस समार में मनुष्यमात्र को कैसा बर्ताव करना चाहिये — उमका अपनी करनी में प्रत्यक्ष उत्तर देनेवाला गुरु अब हमें मिल गया (तै. १. ११. ४; गी. ३. २१)। अर्जुन के आगे ऐसा गुरु श्रीकृष्ण के रूप में प्रत्यक्ष खड़ा था। जब अर्जुन को यह शङ्का हुई, कि "क्या, ज्ञानी पुरुष युद्ध आदि कर्मों को बन्धनकारण ममज्ञ कर छोड़ दे?" तब उमको इस गुरु ने दूर बहा दिया। और अध्यात्मशास्त्र के महारं अर्जुन को भली भाँति समझा दिया, कि जगत् के व्यवहार किम युक्ति से करने रहने पर पाप नहीं लगता? अतः वह युद्ध के लिये प्रवृत्त हो गया। किन्तु ऐसा पाँचा ज्ञान सिखा देनेवाले गुरु प्रत्येक मनुष्य को जब चाहे तब नहीं मिल सकते। और तीमारे प्रवर्ण के अन्त में "महाजनों येन गत म पन्था." इस वचन का विचार करने हुए हम बतला आये हैं, कि ऐसे महापुरुषों के निरं ऊपरी बर्ताव पर बिलकुल अवलम्बित रह भी नहीं सकते। अतएव जगत् को अपने आचरण में शिक्षा देनेवाले

इन ज्ञानी पुरुषों के वर्ताव की बड़ी बारीकी से जांच कर विचार करना चाहिये, कि इनके वर्ताव का यथार्थ रहस्य या मूलतत्त्व क्या है? इसे ही कर्मयोगशास्त्र कहते हैं; और ऊपर जो पुरुष बतलाये गये हैं, उनकी स्थिति और कृति ही इस शास्त्र का आधार है। इस जगत् के सभी पुरुष यदि इस प्रकार के आत्मज्ञानी और कर्मयोगी हों, तो कर्मयोगशास्त्र की जन्मरत ही न पड़ेगी। नारायणीय धर्म में एक स्थान पर कहा है—

एकान्तिनो हि पुरुषा दुर्लभा बहवो नृप ।
यद्येकान्तिभिराकीर्णं जगत् स्यात्कुरुनन्दन ॥
अहिंसकंरात्मविद्भिः सर्वभूतहिते रतैः ।
भवेन् कृतयुगप्राप्तिः आशीः कर्मविवर्जिता ॥

“एकान्तिक अर्थात् प्रवृत्तिप्रधान भागवतधर्म का पूर्णतया आचरण करनेवाले पुरुषों का अधिक मिलना कठिन है। आत्मज्ञानी, अहिंसक, एकान्तधर्म के ज्ञानी और प्राणि-मात्र की भलाई करनेवाले पुरुषों से यदि यह जगत् भर जावे, तो आशी कर्म— अर्थात् काम्य अथवा स्वार्थबुद्धि से किये हुए सारे कर्म— इस जगत् से दूर हो कर फिर कृतयुग प्राप्त हो जावेगा” (शा. ३४८ ६२, ६३)। क्योंकि ऐसी स्थिति में सभी पुरुषों के ज्ञानवान् रहने से कोई किसी का नुकसान तो करेगा ही नहीं, प्रस्तुत प्रत्येक मनुष्य सब के कल्याण पर ध्यान दे कर तदनुसार ही शुद्ध अन्त करण और निष्काम-बुद्धि से अपना वर्ताव करेगा। हमारे शास्त्रकारों का मत है, कि बहुत पुराने समय में समाज की ऐसी ही स्थिति थी; और वह फिर कभी-न-कभी प्राप्त होगी ही (म. भा. शा. ५९. १४)। परन्तु पश्चिमी पण्डित पहली बात को नहीं मानते— वे अर्वाचीन इतिहास के आधार से कहते हैं, कि पहले कभी ऐसी स्थिति नहीं थी। किन्तु भविष्य में मानवजाति के सुधारों की बदौलत ऐसी स्थिति मिल जाना कभी-न-कभी सम्भव हो जावेगा। जो हो; यहाँ इतिहास का विचार इस समय कर्तव्य नहीं है। हाँ, यह करने में कोई हानि नहीं, कि समाज की इस अत्युत्कृष्ट स्थिति अथवा पूर्णावस्था में प्रत्येक मनुष्य परमज्ञानी रहेगा, और वह जो व्यवहार करेगा, उसी को शुद्ध, पुण्यकारक, धर्म्य अथवा कर्तव्य की पराकाष्ठा मानना चाहिये। इस मत को दोनों ही मानते हैं। प्रसिद्ध अन्वेषण सृष्टिशास्त्रज्ञाता स्पेन्सर ने इसी मत का अपने नीतिशास्त्रविषयक ग्रन्थ के अन्त में प्रतिपादन किया है। और कहा है, कि प्राचीन काल में ग्रीस देश के तत्त्वज्ञानी पुरुषों ने यही सिद्धान्त किया था।* उदाहरणार्थ, युनानी तत्त्ववेत्ता प्लेटो अपने ग्रन्थ में लिखता है— तत्त्वज्ञानी पुरुष को जो कर्म प्रशस्त जेंचे, वही शुभकारक और न्याय्य है। सर्वसाधारण मनुष्यों को ये धर्म

* Spencer's *Data of Ethics*, Chap. XV. pp. 275-278. स्पेन्सर ने इसको Absolute Ethics नाम दिया है।

मिदित नही हाते । इमत्रिये उन्हे तत्त्वज्ञ पुष्प के ही निर्णय को प्रमाण मान लेना चाहिये । अरिस्टॉटल नामक दूसरा ग्रीक तत्त्वज्ञ अपने नीतिशास्त्रविषयक ग्रन्थ (३ ८) में कहना है, कि ज्ञानी पुष्पो का किया हुआ फंसला मदैव इमलिये अचूक रहता है, कि वे सच्चे तत्त्व का जान रहते हैं, और ज्ञानी पुष्प का यह निर्णय या व्यवहार ही औरा को प्रमाणभूत है । एपिक्यूरुस नाम के एक और ग्रीक तत्त्वशास्त्रवेत्ता ने इम प्रकार के प्रामाणिक परमज्ञानी पुष्प के वर्णन में कहा है, कि वह ' ज्ञान्त, गमबुद्धिवाञ्छा और परमेश्वर के ही समान मदा आनन्दमय रहता है, तथा उमका लोगा में अथवा उससे लोगा को जरा-मा भी कष्ट नही होता " ।^५ पाठको के ध्यान में आ ही जावेगा, कि भगवद्गीता में वर्णित स्थितप्रज्ञ, त्रिगुणातीत अथवा परममक्त या ब्रह्मभूत पुष्प के वर्णन में इम वर्णन की कितनी समता है ? " यस्मान्नोद्विजते लोको लोकाणां द्विजते च य " (गीता १२ १५) — जिमसे लोग उद्विग्न नही होते और जो लोगा में उद्विग्न नही होता, ऐमे ही जो हर्ष-खेद, नय-विपाद, सुख-दुःख आदि बन्धना में मुक्त है, सदा अपने आप में ही सन्तुष्ट है (' आत्मन्येवात्मना तुष्ट ' गीता २ ५५), त्रिगुणो में जिमका जल करण चञ्चल नही हाना (' गुणैर्यो न विचाल्यते ' — १४ २३), स्तुति या निन्दा और मान या अपमान जिसे एक से है, तथा प्राणिमात्र के अन्तर्गत आत्मा की एवना को परख कर (१८ ५८), साम्यबुद्धि में आसक्ति छोड़ कर, धैर्य और उत्साह से अपना कर्त्तव्यकर्म करनेवाला अथवा मम-लोष्ट-अश्रम-काञ्चन (२८ १४) — इत्यादि प्रकार में भगवद्गीता में भी स्थितप्रज्ञ के लक्षण तीन-चार बार विस्तारपूर्वक बतलाये गये हैं । इमी अवस्था को निद्रावस्था या ब्राह्मी स्थिति कहते हैं । और यागवामिष्ठ आदि के प्रणेता इमी स्थिति को जीवनमुक्तावस्था कहते हैं । इस स्थिति का प्राप्त हो जाना अयन दुर्घट है । अतएव जर्मन तत्त्ववेत्ता वान्ट का कथन है, कि ग्रीक पण्डिताने इस स्थिति का जो वर्णन किया है, वह किमी एम वान्त्रिक पुष्प का वर्णन नही है, बल्कि शुद्ध नीति के तत्त्वो को लोगो के मन में भर देने के लिये जट ' शुद्ध वासना ' को ही मनुष्य का चोगा दे कर उन्हो ने पहले सिर के ज्ञानी और नीतिमान् पुरुष का चित्र अपनी कल्पना से तैयार किया है । लेकिन हमारे शास्त्रकारा का मत है, कि यह स्थिति घयाली नहीं, त्रिगुल सच्ची है, और मन का निग्रह तथा प्रयत्न करने में इमी लक्ष में प्राप्त हो जाती है । इम बात का प्रत्यक्ष अनुभव भी हमारे देशवासी का प्राप्त है । तथापि यह बात साधारण नही है । गीता (३ ३) में ही स्पष्ट कहा

* Epicurus held the virtuous state to be " a tranquil, undisturbed, innocuous non-competitive fruition, which approached most nearly to the perfect happiness of the Gods," " who neither suffered vexation in themselves, nor caused vexation to others " Spencer's *Data of Ethics* p 278, Bain's *Mental and Moral Science*, Ed 1875, p 530 इका को Ideal Wise Man कहा है ।

है, कि हजारों मनुष्यों में कोई एक-आध मनुष्य इत्मकी-प्राप्ति के लिये प्रयत्न करता है; और इन हजारों प्रयत्न करनेवालों में किसी विरल को ही अनेक जन्मों के अनन्तर परमावधि की स्थिति अन्त में प्राप्त होती है।

(स्थितप्रज्ञ-अवस्था या जीवनमुक्त अवस्था कितनी ही दुष्प्राप्य क्यों न हों ? पर जिस पुरुष को यह परमावधि की सिद्धि एक बार प्राप्त हो जाय, उसे कार्य-अकार्य के अथवा नीतिशास्त्र के नियम बतलाने की कभी आवश्यकता नहीं रहती) ऊपर इसके जो लक्षण बतला आये हैं, उन्हीं से यह बात आप ही निष्पन्न हो जाती है। क्योंकि परमावधि की शुद्ध, सम और पवित्र बुद्धि ही नीतिका सर्वस्व है। इस कारण ऐसे स्थितप्रज्ञ पुरुषों के लिये नीति-नियमों का उपयोग करना मानो स्वयंप्रकाश सूर्य के समीप अन्धकार होने की कल्पना करके उसे मशाल दिखलाने के समान असमजस में पड़ना है। किसी एक-आध पुरुष के इस पूर्ण अवस्था में पहुँचने या न पहुँचने के सम्बन्ध में शङ्का हो सकेगी। परन्तु किसी भी रीति से जब एक बार निश्चय हो जाय, कि कोई पुरुष इस पूर्ण अवस्था में पहुँच गया है, तब उसके पापपुण्य के के सम्बन्ध में अध्यात्मशास्त्र के उल्लिखित सिद्धान्त को छोड़ और कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती। कुछ पश्चिमी राजधर्मशास्त्रियों के मतानुसार जिस प्रकार एक स्वतन्त्र पुरुष में या पुरुषसमूह में राजसत्ता अधिष्ठित रहती है और राजनियमों से प्रजा के दँधे रहने पर भी राजा नियमों से अछूत रहता है, ठीक उसी प्रकार नीति के राज्य में स्थितप्रज्ञ पुरुषों का अधिकार रहता है। उनके मन में कोई भी काम्यबुद्धि नहीं रहती। अतः केवल शास्त्र से प्राप्त हुए कर्तव्यों को छोड़ और किसी भी हेतु से कर्म करने के लिये वे प्रवृत्त नहीं हुआ करते। अतएव अत्यन्त निर्मल और शुद्ध वासनावाले इन पुरुषों के व्यवहार को पाप या पुण्य, नीति या अनौति शब्द कदापि लागू नहीं होते। वे तो पाप और पुण्य से बहुत दूर, आगे पहुँच जाते हैं। श्रीशङ्कराचार्य ने कहा है -

निस्त्रिगुण्ये पथि विचरता को विधिः को निषेधः ।

(जो पुरुष त्रिगुणातीत हो गये, उनको विधिनिषेधरूपी नियम बाँध नहीं सकने।" और बौद्ध ग्रन्थकारों ने भी लिखा है, कि "जिस प्रकार उत्तम हीरे को घिसना नहीं पडता, उसी प्रकार जो निर्वाणपद का अधिकारी हो गया, उसके कर्म को विधिनियमों का अडगा लगाना नहीं पडता" (मिलिन्दप्रश्न ४. ५ ७)। कौपीतवी उपनिषद् (३ १) में इन्द्र ने प्रतर्दन से जो यह कहा है, कि "आत्मज्ञानी पुरुष को मातृहत्या पितृहत्या अथवा भ्रूणहत्या आदि पाप भी नहीं लगते।" अथवा गीता (१८. १७) में जो यह वर्णन है - कि अहंकारबुद्धि से सर्वथा विमुक्त पुरुष यदि लोगों को मार भी डाले, तो भी वह पापपुण्य से सर्वदा बेलाग ही रहता है - उसका तात्पर्य भी यह है (देखो पञ्चदशी १४. १६ और १७)। 'धम्मपद' नामक बौद्ध ग्रन्थ में इसी

तत्त्व वा अनुवाद किया गया है (देखो धम्मपद, ज्लोक २९४ और २९५) * । नई वाइयल में ईसा के शिष्य पाल ने जो यह कहा है, कि " मुझे सभी बातें (एक ही सी) धर्म्य है " (१ कार्रि. ६. १२; राम. ८. २.) उमका आशय जान के या इस वाक्य का आशय भी - कि " जो भगवान् के पुत्र (पूर्णनरत) हो गये, उनके हाथ से पाप नहीं हो सकता " (जा. १. ३. ९) - हमारे मत में ऐसा ही है । जो शुद्धबुद्धि को प्रधानता न दे कर केवल ऊपरी कर्मों से ही नीतिमत्ता का निर्णय करना सीखे हुए हैं, उन्हें यह मिद्वान्त अद्भुत-सा मालूम होना है; और " विधिनियम मे परे का मनमाना भलाबुरा करनेवाला " - ऐसा अपने ही मन का वृत्तकपूर्ण अर्थ करके कुछ लोग उल्लिखित मिद्वान्त का इस प्रकार विपर्याय करते हैं, कि " स्थितप्रज्ञ को सभी बुरे कर्म करने की स्वतन्त्रता है । " पर अन्धे को खम्भा न दीख पड़े, तो जिस प्रकार खम्भा दीपी नहीं है, उनी प्रकार पक्षाभिमान के अन्धे इन आक्षेपकर्ताओं को उल्लिखित मिद्वान्त का ठीक ठीक अर्थ अवगत न हो, तो उमका दोष भी इस मिद्वान्त के मत्वे नहीं थोपा जा सकता । उमे गीता भी मानती है, कि किसी की शुद्धबुद्धि की परीक्षा पहले पहले उमके ऊपरी आचरण से ही करनी पडती है । और जो इस कर्मांडी पर चौरस मिद्व होने में अभी कुछ कम है, उन अपूर्ण अवस्था के लोगों को उक्त मिद्वान्त लागू करने की इच्छा अध्यात्मवादी भी नहीं करते । पर जब किसी की बुद्धि के पूर्ण ब्रह्म-निष्ठ और नि.मीम निष्काम होने में निष्काम भी मन्देह न रहे, तब उम पूर्ण अवस्था में पहुँचे हुए मत्पुरुष की बात निगली हो जाती है । उमका कोई एक-आध काम यदि लौकिक दृष्टि मे निपरित दीख पड़े, तो तत्त्वतः यही कहना पडता है, कि उमका बीज निदोष ही होगा । अथवा वह शान्त्र की दृष्टि में कुछ योग्य कारणों के होने में

* कीर्तिनकी उपनिषद् का वाक्य यह है - " यो मा विजानीयान्नास्य केनचित् कर्मणा लोको भीषणे न मातृवधेन न पितृवधेन न स्नेयेन न म्लग्नहृदयेन । " धम्मपद का श्लोक इस प्रकार है :-

मातरं पितरं हन्वा राजानो द्वे च उत्तिये ।

रदुं सानुचरं हन्वा अनीषो याति ब्राह्मणो ॥

मातरं पितरं हन्वा राजानो द्वे च सोत्तिये ।

वेध्याघपञ्चमं हन्वा अनीषो याति ब्राह्मणो ॥

प्रकट है, कि धम्मपद में यह कल्पना कीर्तिनकी उपनिषद् में ली गई है । किन्तु बौद्ध ग्रन्थकार प्रकृत मातृवध वा पितृवध अर्थ न करके 'माता' का तृणा और 'पिता' का अन्नितान अर्थ करते हैं । लेकिन हमारे मत में इस श्लोक का नीतिवत्त्व बौद्ध ग्रन्थकारों को मर्त्य मूर्ति ज्ञान नहीं हो पाया । इसी से उन्हीं ने यह भीषणार्थ अर्थ लगाया है । कीर्तिनकी उपनिषद् में 'मातृवधेन पितृवधेन' मन्त्र के पहले इन्द्र ने कहा है, कि " यद्यपि मैंने वृत्र अर्थात् ब्राह्मण का वध किया है, तो भी मुझे पाप नहीं लगता । " इस में स्पष्ट संता है, कि यहाँ पर प्रकृत वध ही दिव्यज्ञ है । धम्मपद के अष्टावैजी अनुवाद में (S. B. E. Vol. X pp 70, 71) धम्मपद का मत ने इन श्लोकों की आ टीका की है, हमारे मत में यह भी टीका नहीं है ।

ही हुआ होगा। या (साधारण मनुष्यों के कामों के समान उसका लोभमूलक या अनीति का होना सम्भव नहीं है। क्योंकि उनकी बुद्धि की पूर्णता, शुद्धता और समता पहले से ही निश्चिन् रहती है।) वाइवल में लिखा है, कि अब्राहम अपने पुत्र का वलिदान देना चाहता था, तो भी उसे पुत्रहत्या कर डालने के प्रयत्न का पाप नहीं लगा। या बुद्ध के शाप से उनका समुद्र मर गया, तो भी उमें मनुष्यहत्या का पातक छू तब नहीं गया। अथवा माता को मार डालने पर भी परशुराम के हाथ से मातृहत्या नहीं हुई, उसका वारण भी वही तत्त्व है, जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है। गीता में अर्जुन को जो यह उपदेश किया है, कि "तेरी बुद्धि यदि पवित्र और निर्मल हो, तो फलाशा छोड़ कर केवल धातुधर्म के अनुसार युद्ध में भीष्म और द्रोण को मार डालने से भी न तो तुझे पितामह के वध का पातक लगेगा और न गुन्हत्या का दोष। क्योंकि ऐमे समय ईश्वरी सकेत की सिद्धि के लिये तू तो केवल निमित्त हो गया है" (गी. ११ ३३)। इसमें भी यही तत्त्व भरा है। व्यवहार में भी यही देखते हैं, कि यदि किसी लखपति ने किसी भीखमगे से दो पैसे छीन लिये हो, तो उस लखपति को तो कोई चोर कहता नहीं। उलटा यही समझ लिया जाता है, कि भिखारी ने ही कुछ अपराध किया होगा, कि जिसका लखपति ने उसको दण्ड दिया है। यही न्याय इससे भी अधिक समर्पक रीति से या पूर्णता से स्थितप्रज्ञ, अहंत और भगवद्भक्त के वर्तव्य को उपयोगी होता है। क्योंकि लक्षाधोश की बुद्धि एक बार भले ही डिंग जाय, परन्तु यह जानीबूझी बात है, कि स्थितप्रज्ञ की बुद्धि को ये विकार कभी स्पर्श तक नहीं कर सकते। सृष्टिकर्ता परमेश्वर सब कर्म करने पर भी जिस प्रकार पापपुण्य से अलिप्त रहता है, उसी प्रकार इन ब्रह्मभूत साधुपुरणों की स्थिति सदैव पवित्र और निष्पाप रहती है। और तो क्या समय समय पर ऐसे पुरुष स्वेच्छा अर्थात् अपनी मर्जी से जो व्यवहार करते हैं उन्हीं से आगे चल कर विधिनियमों के निर्वन्ध बन जाते हैं। और इसी से कहते हैं, कि ये सत्पुरुष इन विधिनियमों के जनक (उपजानेवाले) हैं - वे इनके गुलाम कभी नहीं हो सकते। न केवल वैदिक धर्म में, प्रत्युत बौद्ध और क्रिश्चियन धर्म में भी यही सिद्धान्त पाया जाता है, तथा प्राचीन ग्रीक तत्त्वज्ञानियों को भी यह तत्त्व मान्य हो गया था, और अर्वाचीन काल में कान्ट ने अपने नीतिशास्त्र के ग्रन्थ में उपपत्ति-

A perfectly good will would therefore be equally subject to objective laws (viz laws of good), but could not be conceived as obliged thereby to act awfully, because of itself from its subjective constitution it can only be determined by the conception of good. Therefore no imperatives hold for the Divine will, or in general for a holy will, ought is here out of place, because the volition is already of itself necessarily in unison with the law. Kant's *Metaphysic of Morals* p 31 (Abbott's trans in Kant's *Theory of Ethics*, 6th Ed.)

निर्देश किसी भी आध्यात्मिक उपपत्ति को स्वीकार नहीं करता। तथापि उसने अपने ग्रन्थ में

महित यही मित्र कर दिखलाया है। इस प्रकार नीतिनियमों के ऋभी भी गँदले न होने-
वाले मूल सिद्धि या निर्दोष पाठ (सवक) का इस प्रकार निश्चय हो चुकने पर आप
ही मित्र हो जाना है, कि नीतिशास्त्र या कर्मयोगशास्त्र के तत्त्व देखने की जिसे
अभिप्राय हो, उसे इन उदार और निष्कलटक मित्र पुरुषों के चरित्रों का ही मूढम
अवलोकन करना चाहिये। इसी अभिप्राय से भगवद्गीता में अर्जुन ने श्रीकृष्ण से
पूछा है, कि " स्थितधीः किं प्रभाषेत विमार्गीत व्रजेन किम् " (गी. २. ५४) -
स्थितप्रज्ञ पुरुष का बोधना, बैठना और चलना कैसा होता है? अथवा " कैलिद्रास्त्रीन
गुणान् एतान् अतीतो भवति प्रभो, विमाचार " (गी. १४ २१) पुरुष त्रिगुणातीत
कैसे होता है। उसका आचार क्या है? और उसको किस प्रकार पहचानना चाहिये?
किसी सराफ के पाम सोने का जेवर जँचवाने के लिये जाने पर अपनी दूकान में रखे हुए
१०० टक्के के सोने के टुकड़े से उसको परख कर वह जिन प्रकार उसका खराबोटापन
बतलाना है, उसी प्रकार कार्य-अकार्य या धर्म-अधर्म का निर्णय करने के लिये स्थितप्रज्ञ
का बर्तान ही कसौटी है। अतः गीता के उक्त प्रश्नों में यही अर्थ गर्भित है, कि मुझे उन
कसौटी का ज्ञान करा दीजिये। अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देने में भगवान् ने स्थितप्रज्ञ
अथवा त्रिगुणातीत की स्थिति के जो वर्णन किये हैं, उन्हें कुछ लोग मन्यामार्गवाले
जानी पुरुषों के बतलाने हैं। उन्हें वे कर्मयोगियों के नहीं मानते। कारण यह बतलाया
जाता है, कि मन्यामियों को उद्देश्य कर ही 'निराश्रयः' (८. २०) विशेषण का गीता
में प्रयोग हुआ है। और बाह्ये अध्याय में स्थितप्रज्ञ भगवद्भक्तों का वर्णन करने
नमय 'मर्वारम्भपरित्वागी' (१२. १६) एवं 'अनिरेतः' (१०. ११) इन स्पष्ट पदों
का प्रयोग किया गया है। परन्तु निराश्रय अथवा अनिरेत पदों का अर्थ " घरदार
छोड़ कर जट्टगलों में भटकनेवाला " विवक्षित नहीं है। किन्तु इसका अर्थ 'अनाश्रित-
कर्मपट' (६. १) के समानार्थक ही करना चाहिये - तत्र इसका अर्थ " कर्मपट
का आश्रय न करनेवाला " अथवा " जिसके मन में पट के लिये डोर नहीं " इस
दंग का हो जायगा। गीता के अनुवाद में इन श्लोकों के नीचे जो टिप्पणियाँ दी हुई
हैं, उनमें यह बात स्पष्ट दी गई पड़ेगी। इसके अनिरेत स्थितप्रज्ञ के वर्णन में ही कहा
है, कि " इन्द्रियों को अपने सबू में रख कर व्यवहार करनेवाला अर्थात् वह निष्काम-
कर्म करनेवाला होता है " (गी. २. ६८) और जिस श्लोक में यह 'निराश्रय' पद
आया है, वहाँ यह वर्णन है, कि " कर्मण्यभिप्रनूनांऽपि नैव जिज्ञिष्यन्ते गोति म " अर्थात्
समस्त कर्म करके भी वह ज्ञिष्य रहता है। बाह्ये अध्याय के अनिरेत प्रादि पदों
के लिये इसी न्याय का उपयोग करना चाहिये। क्योंकि इस अध्याय में पहले कर्मपट
के न्याय की (कर्मन्याय की नहीं) प्रशंसा कर चुकने पर (गी. १० १०) करना

इसका अर्थ (Superman) का वर्णन किया है, उसका उदाहरण देना है, कि उच्चतर दुष्ट
पदों और दुष्टों से परे रहता है। इसके अर्थ प्रश्न का नाम ही / Beyond Good and Evil है।

त्याग कर कर्म करने से मिलनेवाली शान्ति का दिग्दर्शन करने के लिये आगे भगवद्भक्त के लक्षण बतलाये हैं। और ऐसे ही अठरावें अध्याय में भी यह दिखलाने के लिये — कि आसक्तिविरहित कर्म करने से शान्ति कैसे मिलती है — ब्रह्मभूत का पुनः वर्णन आया है (गी १८.५०)। अतएव यह मानना पडता है, कि ये सब वर्णन मन्यासमार्गवालों के नहीं हैं, किन्तु कर्मयोगी पुरुषों के ही हैं। कर्मयोगी स्थितप्रज्ञ और मन्यासी स्थितप्रज्ञ दोनों का ब्रह्मज्ञान, शान्ति, आत्मोपम्य और निष्कामबुद्धि अथवा नीतितत्त्व पृथक् पृथक् नहीं हैं। दोनों ही पूर्ण ब्रह्मज्ञानी रहते हैं। इस कारण दोनों की ही मानसिक स्थिति, और शान्ति एक-सी होती है। इन दोनों में कर्मदृष्टि से महत्त्व का भेद यह है, कि पहला निरी शान्ति में डूबा रहता है, और किसी की भी चिन्ता नहीं करता; तथा दूसरा अपनी शान्ति एव आत्मोपम्यबुद्धि का व्यवहार में यथासम्भव नित्य उपयोग किया करता है। अतः यह न्याय से मिथ्य है, कि व्यावहारिक धर्म-अधर्म-विवेचन के काम में जिसके प्रत्यक्ष व्यवहार का प्रमाण मानना है, वह स्थितप्रज्ञ कर्म करनेवाला ही होना चाहिये। यहाँ कर्मत्यागी साधु अथवा भिक्षु का टिकना सम्भव नहीं है। गीता में अर्जुन को किये गये समग्र उपदेश का सार यह है, कि कर्मों के छोट देने की न तो जरूरत है, और न वे छूट सकते हैं। ब्रह्मात्मैक्य का ज्ञान प्राप्त कर कर्मयोगी के ममान व्यवसायात्मक बुद्धि को साम्यावस्था में रखना चाहिये। ऐसा करने से उसके साथ-ही-साथ वासनात्मक बुद्धि भी सर्वत्र शुद्ध, निर्मम और पवित्र रहेगी। एव कर्म का बन्धन न होगा। यही कारण है, कि इस प्रकरण के आरम्भ के श्लोक में यह धर्मतत्त्व बतलाया गया है, कि “केवल वाणी और मन से ही नहीं, किन्तु जो प्रत्यक्ष कर्म से सब का स्नेही और हितकर्ता हो गया हो, उसे ही धर्मज्ञ कहना चाहिये।” जाजलि को धर्मतत्त्व बतलाते समय तुलाधार ने वाणी और मन के साथ ही — बल्कि इससे भी पहले — उसमें कर्म का भी प्रधानता से निर्देश किया है।

(कर्मयोगी स्थितप्रज्ञ को अथवा जीवन्मुक्त की बुद्धि के अनुसार सब प्राणियों में जिसकी साम्यबुद्धि हो गई; और परार्थ में जिसके स्वार्थ का सर्वथा लय हो गया, उसको विस्तृत नीतिशास्त्र सुनाने की जरूरत नहीं। वह तो आप ही स्वयंप्रकाश अथवा 'बुद्ध' हो गया। अर्जुन का अधिकार इसी प्रकार का था। उसे इससे अधिक उपदेश करने की जरूरत ही न थी, कि “तू अपनी बुद्धि को मम और स्थिर कर;” तथा “कर्म को त्याग देने के व्यर्थ श्रम में न पड कर स्थितप्रज्ञ की-सी बुद्धि रख और स्वधर्म के अनुसार प्राप्त हुए सभी सासारिक कर्म किया कर।”) तथापि यह साम्य-बुद्धिरूप योग सभी को एक ही जन्म में प्राप्त नहीं हो सकता। इसी में माधारण लोगों के लिये स्थितप्रज्ञ के बताव का और थोड़ा-सा विवेचन करना चाहिये। परन्तु विवेचन करते समय सूत्र स्मरण रहे, कि हम जिस स्थितप्रज्ञ का विचार करेंगे, वह कृत्युग के पूर्ण अवस्था में पहुँचे हुए समाज में रहनेवाला नहीं है। बल्कि जिस समाज में पहुँचे

लोग स्वार्थ में ही डूबे रहते हैं, उसी कलियुगी समाज में यह वर्तव्य करना है। क्योकि मनुष्य का ज्ञान कितना ही पूर्ण क्यों न हो गया हो और उसकी बुद्धि साम्यावस्था में कितनी ही क्यों न पहुँच गई हो, तो भी उसे ऐसे ही लोगों के साथ वर्तव्य करना है, जो काम-शोध आदि के चक्कर में पड़े हुए हैं, और जिनकी बुद्धि अगुद्ध है। अतएव इन लोगों के साथ व्यवहार करते समय यदि वह अहिंसा, दया, शान्ति और क्षमा आदि नित्य एव परमावधि के सद्गुणों को ही सब प्रकार से सर्वथा स्वीकार करे, तो उसका निर्वाह न होगा।* अर्थात् जहाँ सभी स्थितप्रज्ञ हैं, उस समाज की बढीचढी हुई नीति और धर्म-अधर्म से उस समाज के धर्म-अधर्म कुछ कुछ भिन्न रहेंगे ही - कि जिसमें लोभी पुरुषों का भी जत्या होगा - बरना साधु पुरुष को यह जगत् छोड़ देना पड़ेगा, और सर्वत्र दुष्टों का ही बोलबाला हो जावेगा। इसका अर्थ यह नहीं है, कि साधु पुरुष का अपनी ममताबुद्धि छोड़ देनी चाहिये। फिर भी ममता ममता में भी भेद है। गीता में कहा है, कि "ब्राह्मणो गवि हस्तिनि" (गी ५ १८) - ब्राह्मण, गाय और हाथी में पण्डितों की ममबुद्धि हाती है। इसलिये यदि कोई गाय के लिये लाया हुआ चारा ब्राह्मण को और ब्राह्मण के लिये बनाई गई रमोई गाय को खिलाने लगे, तो क्या उस पण्डित बहेगे? मन्याममार्गवाले इस प्रश्न का महत्त्व भङ्गे न माने, पर कर्मयोगशास्त्र की बात ऐसी नहीं है। दूसरे प्रकरण के विवेचन से पाठक जान गये होंगे, कृतयुगी समाज के पूर्णावस्थावाले धर्म-अधर्म के स्वरूप पर ध्यान रख कर स्वार्थपरायण लोगों के समाज में स्थितप्रज्ञ यह निश्चय करके वर्तता है, कि दशकाल के अनुसार उसमें कौन कौन फर्क कर देना चाहिये? और कर्मयोगशास्त्र का यही तो विषय प्रश्न है। साधु पुरुष स्वार्थपरायण लोगों पर नाराज नहीं होते अथवा उनकी लाभबुद्धि देख कर वे अपने मन की समता डिगने नहीं देते। किन्तु इन्हीं लोगों के वर्तमान के लिये अपने उद्योग केवल वर्तव्य समझ कर वैराग्य से जारी रखते हैं। इसी तन्व का मन में ला कर श्रीसमर्थ रामदासस्वामी ने दासबोध के पूर्वार्ध में पहले ब्रह्म-ज्ञान बतलाया है। और फिर (दास ११ १०, १२ ८-१०, १५ २) इसका वर्णन आरम्भ किया है, कि स्थितप्रज्ञ या उत्तम-पुरुष सर्वसाधारण लोगों का चतुर बनाने

* "In the second place, ideal conduct such as ethical theory is concerned with, is not possible for the ideal man in the midst of man otherwise constituted. An absolutely just or perfectly sympathetic person, could not live and act according to his nature in a tribe of cannibals. Among people who are treacherous and utterly without scruple, entire truthfulness and openness must bring ruin." Spencer's *Data of Ethics*, Chap XV p 280 स्मर न इस *Relative Ethics* का है, और यह कहता है, कि "On the evolution-hypothesis, the two (Absolute and Relative Ethics) presuppose one another, and only, when they co-exist, can there exist that ideal conduct which Absolute Ethics has to formulate, and which Relative Ethics has to take as the standard by which to estimate divergencies from right, or degrees of wrong."

के लिये वैराग्य से अर्थात् निस्पृहता से लोकसंग्रह के निमित्त व्याप या उद्योग किस प्रकार किया करते हैं? और आगे अठारहवें दशक (दास १८२) में कहा है, कि सभी को जानी पुष्प अर्थात् जानकार के ये गुण—कथा, वातचीत, युक्ति, दाव-पेंच, प्रसङ्ग, प्रयत्न, तर्क, चतुराई, राजनीति, सहनशीलता, तीक्ष्णता, उदारता, अध्यात्म-ज्ञान, भक्ति, अलिप्तता, वैराग्य, धैर्य, उत्साह, निग्रह, समता और विवेक आदि—सिखना चाहिये। परन्तु इस निस्पृह साधु को लोभो मनुष्यों में ही वर्तना है। उस कारण अन्त में (दास १९९ ३०) श्रीभूमर्य का यह उपदेश है, कि “लठु का सामना लठु ही से करा देना चाहिये। उजड्डु के लिये उजड्डु चाहिये, और नटखट के मामने नटखट की ही आवश्यकता है।” तात्पर्य, यह निर्विवाद है, कि पूर्णावस्था से व्यवहार में उतरने पर अत्युच्च श्रेणी के धर्म-अधर्म में जोड़ावहुत अन्तर कर देना पडना है।

इस पर आधिभौतिकवादियों की शडका है, कि पूर्णावस्था के समाज से नीचे उतरने पर अनेक वाता के सार-असार का विचार करके परमावधि के नीतिधर्म में यदि थोड़ावहुत फर्क करना ही पडता है, तो नीतिधर्म की नित्यता कहाँ रह गई? और भारतसावित्री में व्याम न जो यह ‘धर्मो नित्य’ तत्त्व बतलाया ह, उसकी क्या दशा होगी? वे कहते हैं, कि अध्यात्मदृष्टि से सिद्ध होनेवाला धर्म का नित्यत्व कल्पनाप्रसूत है। और प्रत्येक समाज की स्थिति के अनुसार उम उस समय में ‘अधिकशा लोगो के अधिक सुख’—वाले तत्त्व से जो नीतिधर्म प्राप्त हागे, वे ही चोखे नीतिनियम हैं। परन्तु यह दलील ठीक नहीं है। भूमितिशास्त्र के नियमानुसार यदि कोई विना चौड़ाई की सरल रेखा अथवा सर्वांश में निर्दोष गालाकार न खींच सके, तो जिस प्रकार इतने ही से रेखा की अथवा शुद्ध गोलाकार की शास्त्रीय व्याख्या गलत या निरर्थक नहीं हा जाती, उसी प्रकार सरल और शुद्ध नियमों की बात है। जब तक इसी बात के परमावधि के शुद्ध स्वरूप का निश्चय पहले न कर लिया जावे, तब तक व्यवहार में दीख पडनेवाली उम बात की अनेक मूरतों में सुधार करना अथवा सार-असार का विचार करके अन्त में उसके तारतम्य को पहचान लेना भी सम्भव नहीं है। और यही कारण है, जा सराफ पहले ही निर्णय करता है, कि १०० टच का सोना कौन-सा है? दिशाप्रदर्शक ध्रुवमत्स्य यन्त्र अथवा ध्रुव नक्षत्रकी ओर दुलंध कर अपार महोदधि की लहरों और वायु के ही तारतम्य को देख कर जहाज के खलामी बराबर अपने जहाज की पतवार घुमाने लें, ता उनकी जो स्थिति होगी, वही स्थिति नीतिनियमों के परमावधि के स्वरूप पर ध्यान न दे कर केवल देशवाल के अनुमार बर्तनेवाले मनुष्यों की होनी चाहिये। अतएव यदि निरी आधिभौतिक दृष्टि से ही विचार कर, ता भी यह पहले अवश्य निश्चित कर लेना पडना है, कि ध्रुव जैसा अटल और नित्य नीतितत्त्व कौन-सा है? और इस आवश्यकता का एव वार मान लेने से ही समूचा आधिभौतिक पक्ष ँटा हा जाता है। क्यानि मुग्धु य

आदि मदा विषयोपभोग नामरूपात्मक है। अतएव ये अनित्य और विनाशवान् माया की ही मीमा में रह जाते हैं। इसलिये केवल इन्हीं बाह्य प्रमाणों के आधार में सिद्ध होनेवाला कोई भी नीतिनियम नित्य नहीं हो सकता। आधिभौतिक सुषुद्धि की कल्पना जैसी जैसी बदलती जावेगी, वैसे ही वैसे उसकी बुनियाद पर रचे हुए नीतिधर्मों को भी बदलते रहना चाहिये। अतः नित्य बदलती रहनेवाली नीतिधर्मों की इस स्थिति को टालने के लिये “मायासृष्टि के विषयोपभोग छोड़ कर नीतिधर्मों की उभारन इस सब भूतों में एक”-वाले अध्यात्मज्ञान के मजबूत पाये पर ही खटी बरनी पडती है। क्योंकि पीछे नौवें प्रकरण में कह आये हैं, कि आत्मा को छोड़े जगत् में दूमरी कोई भी वस्तु नित्य नहीं है। यही तात्पर्य व्यामजी के इस वचन का है, कि “धर्मों नित्य सुषुद्धि त्रनित्ये” - नीति अथवा सदाचरग का धर्म नित्य है; और सुषुद्धि अनित्य है। यह मच है, कि दुष्ट और लोभियों के समाज में अहिंसा एव मत्य प्रभृति नित्य नीतिधर्म पूर्णता में पाले नहीं जा सकते; पर इमका दोष इन नित्य नीतिधर्मों को देना उचिन नहीं है। सूर्य की किरणों से किसी पदार्थ की परछाईं चीरम मैदान पर सपाट और उँचे-नीच म्यान पर ऊँची-नीची पडती देख जैमे यह अनुमान नहीं किया जा सकता, कि वह परछाईं मूल में ही ऊँची-नीची होगी; उमी प्रकार जब कि दुष्टों के समाज में नीति-धर्म का पगकाप्ला का शुद्ध स्वरूप नहीं पाया जाता, तब यह नहीं कह सकते, कि अपूर्ण अवस्था के समाज में पाया जाने-वाला नीतिधर्म का अपूर्ण स्वरूप ही मुख्य अथवा मूल का है। यह दोष समाज का है, नीति का नहीं। उमी में चतुर पुग्ग शुद्ध और नित्य नीतिधर्मों में झगडा न मचा कर ऐमे प्रयत्न किया करते हैं, कि जिनसे समाज ऊँचा उठता हुआ पूर्ण अवस्था में जा पहुँचे। लोभी मनुष्यों के समाज में उम प्रकार वर्तते समय ही नित्य नीतिधर्मों के कुछ अपवाद यद्यपि अपरिहार्य मान कर हमारे शास्त्रों में धतलाये गये हैं, तथापि इनके लिये शास्त्रों में प्रायश्चित्त बतलाये गये हैं। परन्तु पश्चिमी आधिभौतिक नीति-शास्त्रज्ञ इन्हीं अपवादों को मूछों पर ताव दे कर प्रतिपादन करते हैं, एव इन प्रतिवादों का निग्नय करने समय वे उपयोग में आनेवाले बाह्य पाठों के तात्पर्य के तत्त्व को ही न म म नीति का मूलनरूप मानते हैं। अत्र पाठन समझ जायेंगे, कि पीछे प्रकरणों में हमने ऐसा भेद क्यों दिखाया है ?

पर बतला दिया, कि स्थितप्रज्ञ ज्ञानी पुग्ग की बुद्धि और उभारन वर्तान ही नीतिशास्त्र का आधार है। एव यह भी बतला दिया, कि उममें निवृत्तनेवाले नीति नियमों को - उनमें नित्य ज्ञान पर भी - समाज की अपूर्ण अवस्था में थोडाप्रतुन बदलना पडता है, तथा उम नीति में बदले जाने पर भी नीतिनियमों की नित्यता में उम परिवर्तन ग ताई बाधा नहीं आती। अत्र उम पहले प्रश्न का विचार करने है, कि स्थितप्रज्ञ ज्ञानी पुग्ग अपूर्ण अवस्था के समाज में जो वर्तान करना है, उनका कुछ अरुण बतलाया क्या है ? चौथे प्रकरण में यह जाव है, कि यह विचार दो प्रकार में

किया जा सकता है। एक तो कर्ता ही बुद्धि को प्रधान मान कर और दूसरा उसके ऊपरी चर्ताव से। इनमें से यदि केवल दूसरी ही दृष्टि से विचार करे, तो विद्वान् होगा कि, स्थितप्रज्ञ जो जो व्यवहार करते हैं, वे प्रायः सब लोगों के हित के ही होते हैं। गीता में दो बार कहा गया है, कि परम ज्ञानी मत्पुरुष 'सर्वभूतहिते रताः' - प्राणिमात्र के कल्याण में निमग्न रहते हैं (गीता ५. २५; १०. ८); और महाभारत में भी वही अर्थ जन्म कई स्थानों में जाया है। हम ऊपर कह चुके हैं, कि स्थितप्रज्ञ सिद्ध पुरुष अहिंसा आदि जिन नियमों का पालन करता है, वही धर्म अथवा सदाचार का नमूना है। इन अहिंसा आदि नियमों का प्रयोजन अथवा इस धर्म का लक्षण बतलाते हुए महाभारत में धर्म का बाहरी उपयोग दिखलानेवाले ऐसे अनेक वचन हैं - "अहिंसा मत्सर्ववचन सर्वभूतहित परम्" (वन २०६. ७३) - अहिंसा और सत्यभाषण ही नीति प्राणिमात्र के हित के लिये है। 'धारणाद्धर्ममित्याहु' (शा. १०९. १२) - जगत् का धारण करने से धर्म है। "धर्मो हि श्रेय इत्याहु" (अनु. १०५. १४) - कल्याण ही धर्म है। "प्रभवायार्थय भूताना धर्मप्रवचन कृत्तम्" (शा. १०९. १०) - लोगों के अभ्युदय के लिये ही धर्मअधर्मशास्त्र बना है; अथवा "लोकयात्रार्थमेवेह धर्मस्य नियमः कृतः। उभयत्र सुखोदकः" (शा. २५८. ४) - धर्म-अधर्म के नियम इसलिये रचे गये हैं, कि लोकव्यवहार चले; और दोनों लोकों में कल्याण हो, इत्यादि। इसी प्रकार कहा है, कि धर्म-अधर्म-सशय के समय ज्ञानी पुरुष को भी -

लोकयात्रा च द्रष्टव्या धर्मसंचात्महितानि च।

"लोकव्यवहार, नीतिधर्म और अपना कल्याण - इन बाहरी बातों का तारतम्य से विचार करके" (अनु. ३७. १६; वन २०६. ९०) फिर जो कुछ करना हो, उसका निश्चय करना चाहिये; और वनपर्व में राजा शिवी ने धर्म-अधर्म के निर्णयार्थ इमी युक्ति का उपयोग किया है (देखो वन. १३१ ११ और १२)। इन वचनों से प्रकट होता है, कि समाज का उत्कर्ष ही स्थितप्रज्ञ के व्यवहार की 'वाह्य नीति' होती है। और यदि यह ठीक है, तो आगे सहज ही प्रश्न होता है, कि आधिभौतिक वादियों के इस "अधिकांश लोगों के अधिक सुख अथवा (सुख शब्द को व्यापक करके) हित या कल्याण" वाले नीतितत्त्व को अध्यात्मवादी भी क्यों नहीं स्वीकार कर लेते? चौथे प्रकरण में हमने दिखला दिया है, कि इस "अधिकांश लोगों के अधिक सुख" मूल में बुद्धि के आत्मप्रसाद से होनेवाले सुख का अथवा उन्नति का और पार-लौकिक कल्याण का अन्तर्भाव नहीं होता - इसमें यह बड़ा भारी दोष है। किन्तु 'सुख' शब्द का अर्थ और भी अधिक व्यापक करके यह दोष अनेक अंशों में निबाल डाला जा सकेगा; और नीतिधर्म की नित्यता के सम्बन्ध में ऊपर दी हुई आध्यात्मिक उपपत्ति भी कुछ लोगों को विशेष महत्त्व की न जेंचेगी। इसलिये नीतिशास्त्र के आध्यात्मिक और आधिभौतिक मार्गों में जो महत्त्व का भेद है, उसका यहाँ और थोड़ासा खुलासा फिर कर देना आवश्यक है।

नीति की दृष्टि से किसी कर्म की योग्यता अथवा अयोग्यता का विचार दो प्रकार से किया जाता है - (१) उस कर्म का केवल बाह्य फल देख कर अर्थात् यह देख कर कि उसका दृश्य परिणाम जगत् पर क्या हुआ है या होगा ? (२) यह देख कर, कि उस कर्म को करनेवाले की बुद्धि अर्थात् वासना कैसी थी ? पहले को आधिभौतिक मार्ग कहते हैं। दूसरे में फिर दो पक्ष होते हैं, और इन दोनों के पृथक् पृथक् नाम हैं। ये सिद्धान्त पीछले प्रकरणों में बतलाये जा चुके हैं, कि शुद्ध कर्म होन के लिये वासनात्मक बुद्धि शुद्ध रखनी पड़ती है। और वामनात्मक बुद्धि शुद्ध रखने के लिये व्यवसायात्मक अर्थात् कार्य-अनार्य का निर्णय करनेवाली बुद्धि भी स्थिर, सम और शुद्ध रहनी चाहिये। इन सिद्धान्तों के अनुसार निम्नी के भी कर्मों की शुद्धता जाँचने के लिये देखना पड़ता है, कि उसकी वासनात्मक बुद्धि शुद्ध है या नहीं ? और वामनात्मक बुद्धि की शुद्धता जाँचने लगे, तो अन्त में देखना ही पड़ता है, कि व्यवसायात्मक बुद्धि शुद्ध है या अशुद्ध ? सारांश, कर्ता की बुद्धि अर्थात् वामना व शुद्धता का निर्णय अन्त में व्यवसायात्मक बुद्धि की शुद्धता से करना पड़ता है (गीता २ ४१)। इसी व्यवसायात्मक बुद्धि को सदमद्विवेचनशक्ति के रूप में स्वतन्त्र देवता मान लेने से आधिर्देविक मार्ग हो जाता है। परन्तु यह बुद्धि स्वतन्त्र देवता नहीं है, किन्तु आत्मा का अन्तरिन्द्रिय है। अतः बुद्धि को प्रधानता न दे कर आत्मा को प्रधान मान करके वामना की शुद्धता का विचार करने से यह नीति के निर्णय या आध्यात्मिक मार्ग हो जाता है। हमारे शास्त्रकारों का मत है, कि इन सब मार्गों में आध्यात्मिक मार्ग श्रेष्ठ है। और प्रसिद्ध जर्मन तत्त्ववेत्ता कान्ट ने यद्यपि ब्रह्मात्मैक्य का सिद्धान्त स्पष्ट रूप से नहीं दिया है, तथापि उसने अपने नीतिशास्त्र के विवेचन का आरम्भ शुद्धबुद्धि से अर्थात् एक प्रकार से अध्यात्म-दृष्टि में ही किया है। एव उसने इमत्री उपपत्ति भी दी है, कि ऐसा क्यों करना चाहिये ? * ग्रीन का अभिप्राय भी ऐसा ही है। परन्तु इम विषय की पूरी पूरी छानबीन इम छोटे-से ग्रन्थ में नहीं की जा सकती। हम चौरों प्रकरण में दो-एक उदाहरण दे कर स्पष्ट दिखला चुके हैं, कि नीतिमत्ता का पूरा निर्णय करने के लिये कर्म के बाहरी फल की अपेक्षा कर्ता की शुद्धबुद्धि पर विशेष लक्ष देना पड़ता है। और इस सम्बन्ध का अधिक विचार आगे - पन्द्रहवें प्रकरण में पाश्चात्य और पौरुष्य नीतिमार्गों की तुलना करते समय - किया जावगा। अभी इतना ही कहते हैं, कि कोई भी कर्म तभी हाता है, जब कि पहले उम कर्म का करने की बुद्धि उत्सर्ग हो। इसलिए कर्म की योग्यता-अयोग्यता के विचार पर भी अभी अग्रा में बुद्धि कि शुद्धता-अशुद्धता का विचार अवश्यम्बित रहता है। बुद्धि बुरी होगी, तो कर्म भी बुरा हागा। परन्तु केवल बाह्य कर्म व बुर हात से ही यह अनुमान नहीं किया

* See Kant's *Theory of Ethics*, trans by Abbott. 6th Ed especially *Meta physics of Morals* therein

जा सकता, कि बुद्धि भी बुरी होनी ही चाहिये। क्योंकि भूल से कुछ-का-कुछ समझ लेने से अथवा अज्ञान से भी वैसा कर्म हो सकता है; और फिर उसे नीतिशास्त्र की दृष्टि से बुरा नहीं कह सकते। "अधिकांश लोगो के अधिक सुख"—वाला नीतितत्त्व केवल बाहरी परिणामों के लिये ही उपयोगी होता है। और जब कि इन सुषुद्ध-खात्मक बाहरी परिणामों को निश्चित रीति से मापने का बाहरी साधन अब तक नहीं मिला है, तब नीतिमत्ता की इस कसौटी से सदैव यथार्थ निर्णय होने का भरोसा भी नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार मनुष्य कितना ही सयाना क्यों न हो जाय, यदि उसकी बुद्धि शुद्ध न हो गई हो, यह नहीं कह सकते, कि वह प्रत्येक अवसर पर धर्म से ही वर्तगा। विशेषतः जहाँ उसका स्वार्थ आ डटा, वहाँ तो फिर कहना ही क्या है? ("स्वार्थे सर्वे विमुह्यन्ति येऽपि धर्मविदो जनाः" (म. भा. वि ५१. ४)। सारांश, मनुष्य कितना ही बड़ा ज्ञानी धर्मवेत्ता और सयाना क्यों न हो, किन्तु यदि उसकी बुद्धि प्राणिमात्र में सम न हो, तो यह नहीं कह सकते, कि उसका कर्म सदैव शुद्ध अथवा नीति की दृष्टि से निर्दोष ही रहेगा। अतएव हमारे शास्त्रकारो ने निश्चित कर दिया है, कि नीति का विचार करने में कर्म के बाह्य फल की अपेक्षा कर्ता की बुद्धि का ही प्रधानता से विचार करना चाहिये। साम्यबुद्धि ही अच्छे वर्तव का चोखा बीज है।) यही भावार्थ भगवद्गीता के इस उपदेश में भी है -

दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगाद्धनञ्जय ।

बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः ॥ *

कुछ लोग इस (गी. २. ४९) श्लोक में बुद्धि का अर्थ ज्ञान समझ कर कहते हैं, कि कर्म और ज्ञान दोनों में से यहाँ ज्ञान को ही श्रेष्ठता दी है। पर हमारे मत में यह अर्थ भूल से खाली नहीं है। इस स्थल पर शाङ्करभाष्य में बुद्धियोग का अर्थ 'समत्व बुद्धियोग' दिया हुआ है। और यह श्लोक कर्मयोग के प्रकरण में आया है। अतएव वास्तव में इसका अर्थ कर्मप्रधान ही करना चाहिये; और वही सरल रीति से लगता भी है। कर्म करनेवाले लोग दो प्रकार के होते हैं। एक फल पर - उदाहरणार्थ, उससे कितने लोगों को कितना सुख होगा, इस पर - दृष्टि जमा कर कर्म करते हैं; और दूसरे बुद्धि को सम और निष्काम रख कर कर्म करते हैं। फिर कर्मधर्मयोग में उससे जो परिणाम होना हो, सो हुआ करे। इनमें से 'फलहेतवः' अर्थात् "फल पर दृष्टि रख कर कर्म करनेवाले" लोगो को नैतिक दृष्टि से कृपण अर्थात् कनिष्ठ श्रेणी के बतला कर समबुद्धि से कर्म करनेवालो को इस श्लोक में श्रेष्ठता दी है। इस श्लोक के पहले दो चरणों में जो यह कहा है, कि "दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगाद्धनञ्जय" - हे धनजय

* इस श्लोक का सरल अर्थ यह है - "हे धनजय ! (तम -) बुद्धि के योग की अपेक्षा (कोरा) कर्म बिल्कुल ही निकृष्ट है। अतएव (तम -) बुद्धि का ही आश्रय कर फल पर दृष्टि रख कर कर्म करनेवाले (कृपण) कृपण अर्थात् ओछे दर्जे के हैं।"

समत्व बुद्धियोग की अपेक्षा (कोरा) कर्म अत्यन्त निरुपद्रव है — इसका तात्पर्य यही है । और जब अर्जुन ने यह प्रश्न किया, कि “ भीष्म-द्रोण को कैसे मारूँ ? ” तब उसको उत्तर भी यही दिया गया । इसका भावार्थ यह है, कि मरने या मारने की निरी क्रिया की ही ओर ध्यान न देकर देखना चाहिये, कि “ मनुष्य किम बुद्धि से उम कर्म को करना है ? ” अतएव इस श्लोक के तीसरे चरण में उपदेश है, कि “ तू बुद्धि अर्थात् ममबुद्धि की शरण जा । ” और आगे उपमहारकात्मक अठारहवें अध्याय में भी भगवान् ने फिर कहा है, कि “ बुद्धियोग का आश्रय करके तू अपने कर्म कर । ” गीता के दूसरे अध्याय के एक और श्लोक में व्यक्त होना है, कि गीता निरे कर्म के विचार को कनिष्ठ समझ कर उम कर्म की प्रेरक बुद्धि के ही विचार को श्रेष्ठ मानती है । अठारहवें अध्याय में कर्म के बने-बुरे अर्थात् सात्त्विक, राजस और तामस भेद बनलाये गये हैं । यदि निरे कर्मफल की ओर ही गीता का लक्ष्य होना, तो भगवान् ने यह कहा होता, कि, जो कर्म बड़तेरो को सुगुदायक हो, वही सात्त्विक है । परन्तु ऐसा न बतला कर अठारहवें अध्याय में कहा है, कि “ फलाशा छोड़ कर निष्कामबुद्धि में किया हुआ कर्म सात्त्विक अथवा उत्तम है ” (गी. १८. २३) । अर्थात् इसमें प्रवृत्त होना है, कि कर्म के ब्राह्म फल की अपेक्षा कर्ता की निष्काम, मम और निष्कामबुद्धि को ही कर्मश्रम का विवेचन करने में गीता अधिक महत्त्व देती है, कि स्थितप्रज्ञ जिम माम्यबुद्धि से अपनी बराबरीवालों, छोटी और सर्वसाधारण के साथ बनता है, वही साम्यबुद्धि उमके आचरण का मुख्य तन्त्र है । और इस आचरण में जो प्राणिमात्र का मद्गल होता है, वह इस माम्यबुद्धि का निरा ऊपरी और आनुपद्मिक परिणाम है । ऐसे ही जिमकी बुद्धि पूर्ण अवस्था में पहुँच गई हो, वह लोगों को केवल आधिभौतिक सुख प्राप्त करा देने के लिये ही अपने सब व्यवहार न करेगा । यह ठीक है, कि वह दूसरो का सुखमान न करेगा । पर यह उमका मुख्य ध्येय नहीं है । स्थितप्रज्ञ ऐसे प्रयत्न किया करता है, जिनमें ममाज के लोगों की बुद्धि अधिक अधिक शुद्ध होती जावे; और वे लोग अपने ममान ही अन्न में आध्यात्मिक पूर्ण अवस्था में जा पहुँचे । मनुष्य के कर्तव्य में यही श्रेष्ठ और सात्त्विक कर्तव्य है । केवल आधिभौतिक सुखबुद्धि के प्रयत्नों को हम गौण अथवा राजस समझते हैं ।

गीता का निदान है, कि कर्म-अकर्म के निर्गन्धार्य कर्म के ब्राह्म फल पर ध्यान न दे कर कर्ता की शुद्धबुद्धि को ही प्रधानता देनी चाहिये । इस पर कुछ लोगों का यह तर्कपूर्ण मिथ्या आक्षेप है, कि यदि कर्मकर को न देखा कर केवल शुद्धबुद्धि का ही इस प्रकार विचार करें, तो मानना होगा, कि शुद्धबुद्धिवाला मनुष्य कोई भी दुग काम कर सकता है । और तब तो वह सभी बुरे कर्म करने के लिये स्वतन्त्र हो जायगा । इस आक्षेप को हमने अपनी ही कल्पना के दृष्ट में नहीं पर धर्मोटा है; किन्तु गीताधर्म पर कुछ पादसी बहादुरों के लिये हुए हम रंग के आक्षेप हमारे देखने

में भी आये हैं।^४ किन्तु हमें यह कहने में कोई भी दिक्कत नहीं जान पड़ती, कि ये आरोग्य या आक्षेप बिलकुल मुख्यता के अथवा दुराग्रह के हैं। और यह कहने में भी कोई हानि नहीं है, कि आश्रीका का कोई काला-कलूटा जड़गली मनुष्य सुधरे हुये राष्ट्र के नीतितत्त्वों का आकलन करने में जिस प्रकार अपात्र और असमर्थ होता है, उसी प्रकार इन भले पादडी मानवों की बुद्धि वैदिक धर्म के स्थितप्रज्ञ की अध्यात्मिक पूर्णावस्था का निरा आकलन करने में भी स्वधर्म के व्यर्थ दुराग्रह अथवा और कुछ ओछे एव दुष्ट मनोविकारों से असमर्थ हो गई है। उन्नीसवीं सदी के प्रसिद्ध जर्मन तत्त्वज्ञानी कान्ट ने अपने नीतिशास्त्रविषयक ग्रन्थ में अनेक स्थलों पर लिखा है, कि कर्म के बाहरी फल को न देख कर नीति के निर्णयार्थ कर्ता की बुद्धि का ही विचार करना उचित है।^५ किन्तु हमने नहीं देखा, कि कान्ट पर किसी ने ऐसा आक्षेप किया हो। फिर वह गीतावाले नीतितत्त्व को ही उपयुक्त कैसे होगा? प्राणिमात्र में समबुद्धि होते ही परोपकार करना तो देह का स्वभाव ही बन जाता है। और ऐसा हो जाने पर परमज्ञानी एव परम शुद्धबुद्धिवाले मनुष्य के हाथ से कुकर्म होना उतना ही सम्भव है, जितना कि अमृत से मृत्यु हो जाना। कर्म के बाह्य फल का विचार न करने के लिये जब गीता कहती है, तब उसका यह अर्थ नहीं है, कि जो दिल में आ जाय, सो किया करो। प्रत्युत गीता कहती है, कि बाहरी परोपकार करने का ढोंग पाखण्ड से या लोभ से कोई कर सकता है—किन्तु प्राणिमात्र में एक आत्मा को पहचानने से बुद्धि में जो स्थिरता और समता आ जाती है, उसका स्वांग कोई नहीं बना सकता—तब किसी भी काम की योग्यता-अयोग्यता का विचार करने में कर्म के बाह्य परिणाम की अपेक्षा कर्ता की बुद्धि पर ही योग्य दृष्टि रखनी चाहिये। गीता का संक्षेप में यह सिद्धान्त कहा जा सकता है, कि कोरे जड़ कर्म में ही नीतिमत्ता नहीं; किन्तु

^४ कलकत्ते के एक पादड़ी की ऐसी करतूत का उत्तर मिस्टर ब्रक्स ने दिया है, जो कि उनके *Kurukshetra* (कुरुक्षेत्र) नामक छपे हुए निबंध के अन्त में है; उसे देखिये (*Kurukshetra, Vyasashrama, Adyar, Madras, pp. 48-52*).

§ “The second proposition is : That an action done from duty derives its moral worth *not from the purpose* which is to be attained by it, but from the maxim by which it is determined.”The moral worth of an action “cannot lie anywhere but in the *principle of the will*, without regard to the ends which can be attained by action.” Kant’s *Metaphysics of Morals* (trans. by Abbott in Kant’s *Theory of Ethics*, p. 16. The italics are author’s and not our own). And again “When the question is of moral worth, it is not with the action which we see that we are concerned, but with those inward principles of them which we do not see.” p. 24 *Ibid.*

कर्ता की बुद्धि पर वह सर्वथा अवलम्बित रहती है। आगे गीता (१८. २५) में ही कहा है, कि इस आध्यात्मिक तत्त्व के ठीक सिद्धान्त को न समझ कर यदि कोई मनमानी करने लगे, तो उस पुरुष को राक्षस या तामसी बुद्धिवाला कहना चाहिये। एक बार समबुद्धि हो जाने से फिर उस पुरुष को कर्तव्य-अकर्तव्य का और अधिक उपदेश नहीं करना पड़ता। इसी तत्त्व पर ध्यान दे कर साधु तुकाराम ने शिवाजी महाराज को जो यह उपदेश किया, कि "इसका एक ही कल्याणकारक अर्थ यह है, कि प्राणिमात्र में एक आत्मा को देखो।" इसमें भी भगवद्गीता के अनुसार कर्मयोग का एक ही तत्त्व बतलाया गया है। यहाँ फिर भी कह देना उचित है, कि यद्यपि साम्यबुद्धि ही सदाचार का बीज हो, तथापि इससे यह भी अनुमान न करना चाहिये, कि जब तक इस प्रकार की पूर्ण शुद्धबुद्धि न हो जावे, तब तक कर्म करनेवाला चुपचाप हाथ पर हाथ धरे बैठा रहे। स्थितप्रज्ञ के समान बुद्धि कर लेना तो परम ध्येय है। परन्तु गीता के आरम्भ (२. ४०) में ही यह उपदेश किया है, कि इस परम ध्येय के पूर्णतया सिद्ध होने तक प्रतीक्षा न करके—जितना हो सके उतना ही—निष्कामबुद्धि से प्रत्येक मनुष्य अपना कर्म करता रहे। इसी से बुद्धि अधिक शुद्ध होती चली जायगी; और अन्त में पूर्ण सिद्धि हो जायगी। ऐसा आग्रह करके समय को मुक्त न गँवा दे, कि जब तक पूर्ण सिद्धि पा न जाऊँगा, तब तक कर्म करना ही नहीं।

'सर्वभूतहित' अथवा "अधिकज्ञ लोगो के अधिक कल्याण"—वाला नीतितत्त्व केवल-वाह्यकर्म को उपयुक्त होने के कारण शाखाग्रही और कृपण है। परन्तु यह 'प्राणिमात्र में एक आत्मा'—वाली स्थितप्रज्ञ की 'साम्यबुद्धि' मूलग्राही है; और इसी को नीतिनिर्णय के काम में श्रेष्ठ मानना चाहिये। यद्यपि इस प्रकार यह वान मिद्ध हो चुकी; तथापि इस पर कई एको के आक्षेप हैं, कि इस सिद्धान्त से व्यावहारिक बर्ताव को उपपत्ति ठीक ठीक नहीं लगती। ये आक्षेप प्रायः गन्या-मार्गी स्थितप्रज्ञ के मनोरी व्यवहार को देख कर ही इन लोगो को सूझे हैं। किन्तु थोड़ा-बड़ा विचार करने में किसी को भी महज ही दीय पड़ेगा, कि ये आक्षेप स्थितप्रज्ञ कर्मयोगी के बर्ताव को उपयुक्त नहीं होने। और तो क्या? यह भी कह सकते हैं, कि प्राणिमात्र में एक आत्मा अथवा आत्मोपम्यबुद्धि के तत्त्व में व्यावहारिक नीतिधर्म की जैसी अच्छी उपपत्ति लगती है, वैसी और किसी भी तत्त्व से नहीं लगती। उदाहरण के लिये उम परोपकार धर्म को ही लीजिये, कि जो सब देशों में और सब नीतिशास्त्रों में प्रधान माना गया है। "दुमरे का आत्मा ही मेरा आत्मा है" इन अध्यात्ममन्त्र में परोपकारधर्म की जैसी उपपत्ति लगती है, वैसी किसी भी आधिभौतिक वाद में नहीं लगती। बहुत हुआ, तो आधिभौतिकशास्त्र इतना ही कह सकते हैं, कि परोपकार बुद्धि एक नैर्भाव गुण है, और वह उत्पत्तिवाद के अनुसार बढ़ रहा है। किन्तु इनके में ही परोपकार की निष्पत्ति सिद्ध नहीं

हो जाती। यही नहीं, बल्कि स्वार्थ और परार्थ के झगड़े में इन दोनों घोड़ों पर सवार होने के लालची चतुर स्वार्थियों को भी अपना मतलब गाँठने में इसके कारण अवसर मिल जाता है। यह बात हम चौथे प्रकरण में बतला चुके हैं। इस पर भी कुछ लोग कहते हैं, कि परोपकारबुद्धि की नित्यता सिद्ध करने में लाभ ही क्या है? प्राणिमात्र में एक ही आत्मा मान कर यदि प्रत्येक पुरुष सदासर्वदा प्राणिमात्र का ही हित करने लग जाय, तो उसकी गुजर कैसे होगी? और जब वह इस प्रकार अपना ही योगक्षेम नहीं चला सका, तब वह और लोगों का कल्याण कर ही कैसे सकेगा? लेकिन ये शड्काएँ न तो नई ही हैं, और न ऐसी हैं, कि जो टाली न जा सके। भगवान् ने गीता में ही इस प्रश्न का यों उत्तर दिया है—“तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्” (गीता ९ २२), और अध्यात्मशास्त्र की युक्तियों से भी यही अर्थ निष्पन्न होता है। जिसे लोककल्याण करने की बुद्धि हो गई, उसे कुछ खाना-पीना नहीं छोड़ना पड़ता। परन्तु उसकी बुद्धि ऐसी होनी चाहिये, कि मैं लोकोपकार के लिये ही देह धारण करता हूँ। जनक ने कहा है (म भा अश्व. ३२), कि जब ऐसी बुद्धि रहेगी, तभी इन्द्रियाँ कावू में रहेगी, और लोककल्याण होगा। और मीमांसकों के इस सिद्धान्त का तत्त्व भी यही है, कि यज्ञ करने से शेष बचा हुआ अन्न ग्रहण करनेवाले को ‘अमृताशी’ कहना चाहिये (गीता ४ ३१)। क्योंकि उनकी दृष्टि से जगत् का धारण-पोषण करनेवाला कर्म ही यज्ञ है। अतएव लोककल्याणकारक कर्म करते समय उसी से अपना निर्वाह होता है, और करना भी चाहिये। उनका निश्चय है, कि अपने स्वार्थ के लिये यज्ञचक्र को डुबा देना अच्छा नहीं है। दासबोध (१९ ४ १०) में श्रीसमर्थ ने भी वर्णन किया है, कि “वह परोपकार ही करता रहता है, उसकी सब को जरूरत बनी रहती है। ऐसी दशा में उसे भूमण्डल में किस बात की कम रह सकती है?” व्यवहार की दृष्टि से देखे, तो भी काम करनेवाले को जान पड़ेगा, कि यह उपदेश बिलकुल यथार्थ है। सारांश जगत् में देखा जाता है, कि लोककल्याण में जुटे रहनेवाले पुरुष का योगक्षेम कभी अटकता नहीं है। केवल परोपकार करने के लिये उसे निष्काम-बुद्धि से तैयार रहना चाहिये। एक बार इस भावना के दृढ़ हो जाने पर—कि “सभी लोग मुझ में हैं और मैं सब लोग में हूँ”—फिर यह प्रश्न ही नहीं हो सकता, कि परार्थ से स्वार्थ भिन्न है। ‘मै’ पृथक् और ‘लोग’ पृथक् इस आधिभौतिक द्वैतबुद्धि से “अधिकांश लोगो के अधिक सुख” करने के लिये जो प्रवृत्त होता है, उसके मन में ऊपर लिखी हुई भ्रामक शड्का उत्पन्न हुआ करती है। परन्तु जो ‘सर्वं यत्त्विदं ब्रह्म’ इस अद्वैतबुद्धि से परोपकार करने में प्रवृत्त हो जाय, उसके लिये यह शड्का ही नहीं रहती। सर्वभूतात्मैक्यबुद्धि से निष्पन्न होनेवाले सर्वभूतहित के इस आध्यात्मिक तत्त्व में, और स्वार्थ एव परार्थरूपी द्वैत (अर्थात् अधिकांश लोगो के सुख के) तारतम्य से निकलनेवाले लोककल्याण के

आधिभौतिक तत्त्व में इतना ही भेद है, जा ध्यान देने योग्य है। साधुपुरुष मन में लोककल्याण करने का हेतु रख कर लोककल्याण नहीं किया करते। जिस प्रकार प्रकाश फैलाना सूर्य का स्वभाव है, उसी प्रकार ब्रह्मज्ञान में मन में सर्वभूतात्मैक्य का पूर्ण परिचय हो जाने पर लोककल्याण करना तो इन साधुपुरुषों का सहजस्वभाव हो जाता है। और ऐसा स्वभाव उन जाने पर - सूर्य जैसे दूरको प्रकाश देता हुआ अपन आप को प्रशान्त कर नेता है - वैसे ही साधुपुरुष के परार्थ उद्योग में ही उसका प्रागक्षेम भी जाप-ही-जाप मिट्ट होता है। परोपकार करने के इस देहस्वभाव और अनामकनबुद्धि के अन्तर्गत हो जाने पर ब्रह्मात्मैक्यबुद्धिवाले साधुपुरुष अपना कार्य मदा जागे रखते हैं। कितने ही मटकट क्यों न चने आवे, वे उनकी विलगुल परवाह नहीं करते। और न यही नोचते हैं, कि मटकटों को महना भला है, या जिस लोककल्याण की बदीगत ये मटकट आते हैं, उनको टोट देना भला है? तथा यदि प्रसन्न आ जाय तो आत्मरहित दे देने के लिये भी तैयार रहने हैं। उन्हें उनकी कुठ भी चिन्ता नहीं होनी। किन्तु जो योग स्वार्थ और परार्थ को दो भिन्न वस्तुएँ समझ (उन्हें तराजू के दो पलड़ा में डाल) कटि का झुकाव देख कर धर्म अधर्म का निर्णय करना सीखे हुए हैं, उनकी लोककल्याण करनेकी उच्छा का इतना तीव्र हो जाना कदापि सम्भव नहीं है। अतएव प्राणिमात्र के हित का तत्त्व यद्यपि भगवद्गीता को सम्मत है, तथापि उनकी उपपत्ति अप्रिक्वाण लोगों के अधिक बाहरी सुखों के तारतम्य से नहीं लगाई है। किन्तु लोगों की मत्स्या अथवा उनके सुखा की न्यूनाधिक्यता के विचारों को आगन्तुक अतएव कृपण कहा है, तथा शुद्ध व्यवहार की मूर्खभूत माम्बुद्धि की उपपत्ति अध्यात्मशास्त्र के नित्य ब्रह्मज्ञान के आधार पर बतलाई है।

(इसमें दीख पड़ेगा, कि प्राणिमात्र के हितार्थ उद्योग करने या लोककल्याण अथवा परोपकार करने की युक्तिमदगत उपपत्ति अध्यात्मदृष्टि में क्योंकर लगती है? अब समाज में एक दूरके के माय बनने के सम्बन्ध में माम्बुद्धि की दृष्टि में हमारे शास्त्रों में जो मूठ नियम बतलाये गये हैं, उनका विचार करते हैं। "यत्र वा जन्म सर्वमात्मैवाभूत्" (बृह २ ८ १४) - जिसे मव आत्ममय हो गया, वह माम्बुद्धि में ही मव के माय जाता है - यह तत्त्व बृहदारण्यक के निवा ईशावास्य (६) और वैश्व (१ १०) उपनिषदों में तथा मनुस्मृति (१० ११ और १०५) में भी है। एक इसी तत्त्व का गीता के छठे अध्याय (६ २१) में "मव भूतन्व-नामान सर्वभूतानि चात्मनि" के रूप में अत्रण उल्लेख है) सर्वभूतात्मैक्य अथवा माम्बुद्धि के इसी तत्त्व का रूपान्तर आत्मोपम्यदृष्टि है। क्याकि इसमें महत्त्व ही यह अनुमान निकलता है, कि जब मैं प्राणिमात्र में हूँ और मुझमें मर्म प्राणि है, तब मैं अपन साथ जैसा बर्तता हूँ, वैसा ही अन्य प्राणियों के माय में मुझे बर्ताव करना चाहिये। अतएव भगवान् न कहा है, कि इस "आत्मोपम्यदृष्टि" अर्थात् ममता में वा मव के माय बतता है, वही उत्तम कर्मयोगी म्बिनप्रज्ञ है,

और फिर अर्जुन को इसी प्रकार का बर्ताव करने का उपदेश दिया है (गीता ६. ३०-३२) । अर्जुन अधिकारी था । इस कारण इस तत्त्व को खोलकर समझाने की गीता में कोई जरूरत न थी । किन्तु साधारण जन को नीति का और धर्म का बोध कराने के लिये रचे हुए महाभारत में अनेक स्थानों पर यह तत्त्व बतला कर (म. भा. शा. २३८. २१; २६१. ३३) व्यासदेव ने इसका गम्भीर और व्यापक अर्थ स्पष्ट कर दिखलाया है । उदाहरण लीजिये; गीता और उपनिषदों में संक्षेप से बतलाये हुए आत्मोपम्य के इसी तत्त्व को पहले इस प्रकार समझाया है :-

आत्मोपमस्तु भूतेषु योवं भवति पूरुषः ।

न्यस्तदण्डो जितक्रोधः स प्रेत्य सुखमेधते ॥

“जो पुरुष अपने ही समान दूसरे को मानता है; और जिसने क्रोध को जीत लिया है वह परलोक में सुख पाता है” (म. भा. अनु. ११३. ६) । परस्पर एक दूसरे के साथ बर्ताव करने के वर्णन को यही समाप्त न करके आगे कहा है :-

न तत्परस्य सन्दध्यात् प्रतिकूलं यदात्मनः ।

एव संक्षेपतो धर्मः कामादन्यः प्रवर्तते ॥

“ऐसा बर्ताव औरों के साथ न करे, कि जो स्वयं अपने को प्रतिकूल अर्थात् दुःखकारक जँचे । यही सब धर्म और नीतियों का सार है; और वाकी सभी व्यवहार लोकमूलक है” (म. भा. अनु. ११३. ६) और अन्त में बृहस्पति ने युधिष्ठिर से कहा है :-

प्रत्याख्याने च दाने च सुखदुःखे प्रियाप्रिये ।

आत्मोपम्येन पुरुषः प्रमाणमधिगच्छति ॥

यथापरः प्रक्रमते परेषु तथा परे प्रक्रमन्तेऽपरस्मिन् ।

तथैव तेषूपमा जीवलोकै यथा भधर्मो निपुणेनोपदिष्टः ॥

“सुख या दुःख, प्रिय या अप्रिय, दान अथवा निषेध - इन सब बातों का अनुमान दूसरों के विषय में वैसा ही करे, जैसा कि अपने विषय में जान पड़े । दूसरों के साथ मनुष्य जैसा बर्ताव करता है, दूसरे भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं । अतएव यही उपमा ले कर इस जगत् में आत्मोपम्य की दृष्टि में बर्ताव करने को सयाने लोगों ने धर्म कहा है” (अनु. ११३. ९, १०) । यह “न तत्परस्य सन्दध्यात् प्रतिकूलं यदात्मनः” श्लोक विदुरनीति (उच्यो. ३८. ७२) में भी है; और आगे शान्तिपर्व (१६७. ९) में विदुर ने फिर यही युधिष्ठिर को बतलाया है । परन्तु आत्मोपम्यनियम का यह एक भाग हुआ, कि दूसरों को दुःख न दो । क्योंकि जो तुम्हें दुःखदायी है, वही और लोगों को भी दुःखदायी होता है । अब इस पर कदाचित् किसी को यह दीर्घगदगा हो, कि हमसे यह निश्चयात्मक अनुमान नहीं

निकलना है, कि तुम्हें जो मुखदायक जेंच, वही औरों को भी मुखदायक है ? और इसलिये ऐसे ढँग का वर्तन करे, जो औरों को भी मुखदायक हो ? इस शब्दात् के निगमनायं भीष्म ने युधिष्ठिर को धर्म के लक्षण बतलाते समय इससे भी अधिक खुलामा करके इस नियम के दोनों भागों का स्पष्ट उल्लेख कर दिया है :-

यदन्यैर्विहितं नेच्छेदात्मनः कर्म पूष्यः ।

न तत्परेषु क्षुर्घातं जानन्नप्रियमात्मनः ॥

जीवितं यः स्वयं चेच्छेत्कर्म सोऽन्यं प्रघातयेत् ।

यद्यदात्मनि चेच्छेते तत्परस्पापि चिन्तयेत् ॥

अर्थात् " हम दूसरों में अपने भाव जैसे वर्ताव का क्रिया जाना पसन्द नहीं करते - यानी अपनी पसन्दगी को समझकर - वैसा वर्ताव हमें भी दूसरों के साथ न करना चाहिये । जो स्वयं जीवित रहने की इच्छा करना है, वह दूसरों को कैसे मारेगा ? ऐसी इच्छा रखें, कि जो हम चाहते हैं, वही और लोग भी चाहते हैं । " (शा. २५८. १९, २१) । और दूसरे स्थान पर इसी नियम को बतलाने में इन 'अनुकूल' अथवा 'प्रतिकूल' विशेषणों का प्रयोग न करके किसी प्रकार के आचरण के विषय में सामान्यतः विद्वान् ने कहा है :-

तस्माद्धर्मप्रधानेन भवितव्यं यथात्मना ।

तथा च सर्वभूतेषु वर्तितव्यं यथात्मनि ॥

" इन्द्रियनिग्रह करके धर्म में बर्तना चाहिये; और अपने समान ही सब प्राणियों में बर्ताव करे " (शा. १६३. ९) । क्योंकि शुकानुप्रश्न में व्यास कहते हैं :-

यावानात्मनि वेदान्मा तावानात्मा परात्मनि ।

य एवं सततं वेद सोऽमृतत्वाय कल्पते ॥

" जो भर्तृव यह जानना है, कि हमारे शरीर में जितना आत्मा है, उतना ही दूसरों के शरीर में भी है । वही अमृतत्व अर्थात् मोक्ष प्राप्त कर लेने में समर्थ होता है " (म. भा. शा. ०३८. ००) । बुद्ध को आत्मा का अस्तित्व मान्य न था । कर्म-सैन्यम उगने यह तो स्पष्ट ही कह दिया है, कि आत्मविचार की व्यर्थ उलझन में न पटना चाहिये । तथापि उगने - यह बतलाने में, कि बौद्ध भिक्षु लोग औरों के साथ वैसा वर्ताव करे ? - आन्मीपम्यदृष्टि का यह उपदेश किया है :-

यथा अहं तथा एते यथा एते तथा अहम् ।

अत्तानं (आत्मानं) उपम क्त्वा (कृत्वा) न हनेष्य न घातये ॥

" जैसा मैं, वैसा ये, जैसे ये, वैसा मैं (इस प्रकार) अपनी उपमा समझ कर न तों (किसी को भी) मारे, और न मरवावे (देखा मुनिपात, नाटकमुन ०३) । धम्मपद नाम के दूसरे पार्श्वी बौद्धग्रन्थ (धम्मपद १०९ और १३०) में भी इसी

श्लोक का दूसरा चरण दो बार ज्यो-का-त्यो आया है, और तुरन्त ही मनुस्मृति (५ ४५) एव महाभारत (अनु ११३ ५) इन दोनों ग्रन्थों में पाये जानेवाले श्लोको का पाली भाषा में इस प्रकार अनुवाद किया गया है -

सुखकामानि भूतानि यो दण्डेन विहंसति ।

अत्तनो सुखमेसानो (इच्छन्) पेच्च सो न लभते सुखम् ॥

“ (अपने समान) सुख की इच्छा करनेवाले दूसरे प्राणिया की जो अपने (अत्तनो) सुख के लिये दण्ड से हिंसा करता है, उसे मरने पर (पेच्च=प्रेत्य) सुख नहीं मिलता ” (धम्मपद १३१) । आत्मा के अस्तित्व को न मानने पर भी आत्मोपम्य की यह भाषा जब कि बौद्ध ग्रन्थों में पाई जाती है, तब यह प्रकट ही है, कि बौद्ध ग्रन्थकारा ने य विचार वैदिक धर्मग्रन्था से लिये हैं । अस्तु, इसका अधिक विचार आगे चल कर करेगे । ऊपर के विवेचन से दीख पडेगा, कि जिसकी ‘सर्वभूतस्थमात्मान सर्वभूतानि चात्मनि ’ ऐसी स्थिति हो गई, वह औरा से वर्तने में आत्मोपम्यबुद्धि से ही सदैव काम लिया करता है । और हम प्राचीन काल से समझते चले आ रहे हैं, कि ऐसे वर्ताव का यही एक मुख्य नीतितत्व है । इसे कोई भी स्वीकार कर लेगा, कि समाज में मनुष्यों के पारम्परिक व्यवहार का निर्णय करने के लिये आत्मोपम्यबुद्धि का यह सूत्र ‘अधिकाश लोका के अधिक हित ’-वाले आधिभौतिक तत्त्व की अपेक्षा अधिक निर्दोष, निस्सन्दिग्ध, व्यापक-स्वल्प और विलकुल अनपडा की भी समझ में जल्दी आ जाने योग्य है ।* धर्म’ अधर्मशास्त्र के इस रहस्य (‘एष सक्षेपतो धर्म ’) अथवा मूलतत्त्व की अध्यात्म-दृष्ट्या जैसी उपपत्ति लगती है, वैसी कर्म के बाहरी परिणाम पर नजर देनेवाले आधिभौतिकवाद से नहीं लगती । और इसी से धर्म-अधर्मशास्त्र के इस प्रधान नियम को उन पश्चिमी पण्डिता के ग्रन्था में प्रायः प्रमुख स्थान नहीं दिया जाता, कि जो आधिभौतिक दृष्टि से कर्मपाग का विचार करते हैं । और तो क्या, आत्मोपम्यदृष्टि के सूत्र को ताक में रख कर वे समाजवन्धन की उपपत्ति ‘अधिकाश लोका के अधिक सुख ’ प्रभृति केवल दृश्यतत्त्व से ही लगाने वा प्रयत्न किया करते हैं । परन्तु उपनिषदा में, मनुस्मृति में, गीता में, महाभारत के अन्यान्य प्रकरणा में और केवल बौद्ध धर्म में ही नहीं, प्रत्युत अन्यान्य दशा एव धर्मों में भी आत्मोपम्य के इस मरल नीतितत्व को ही सर्वत्र अग्रम्यान दिया हुआ पाया जात है । यहूदी और त्रिश्चिचयन धर्मपुस्तका में जो यह आज्ञा है, कि “ तू अपने पड़ामिया

* सूत्र शब्द की व्याख्या इन प्रकार की जाती है - “अन्पाक्षरमत्तन्दिग्ध सारवद्विभनो सुराम् । अस्तोभमनवप च सुत्र सुत्रविदो विदु ॥” गाने के झुभीते के लिये किसी भी मन्त्र में जिन अनर्थक अक्षरों का प्रयोग कर लिया जाता है, उन्हें स्तोभाक्षर कहत है । धन में एसे अनर्थक अक्षर नहीं होते । इसी से इस लक्ष्में में यह ‘अस्तोम पद आया है ।

पर अपने ही समान प्रीति कर" (ऋवि. १९. १५; मेथ्यू. २२. ३९), वह इसी नियम का स्फुटान्तर है। ईसाई लोग इसे मोने का अर्थात् मोनेसरीखा मूल्यवान् नियम कहते हैं। परन्तु आत्मैक्य की उपपत्ति उनके धर्म में नहीं है। ईसा का यह उपदेश भी आत्मोपम्यमूत्र का एक भाग है, कि "लोगों ने तुम अपने माथ जैसा वर्ताव करना पसन्द करते हो, उनके माथ तुम्हें स्वयं भी वैसा ही वर्ताव करना चाहिये" (मा. ७. १२; ल्यू. ६. ३१)। और यूनानी तत्त्ववेत्ता अरिस्टॉटल के ग्रन्थ में मनुष्यों के परस्पर वर्ताव करने का यही तत्त्व अक्षरशः बतलाया गया है। अरिस्टॉटल ईसा में कोई दो-तीन सौ वर्ष पहले हो गया। परन्तु इससे भी लगभग दो सौ वर्ष पहले चीनी तत्त्ववेत्ता खूं-फु-त्से (अन्ग्रेजी अपभ्रंश कान्फ्युशियम) उत्पन्न हुआ था। हमने आत्मोपम्य का उल्लिखित नियम चीनी भाषा की प्रणाली के अनुसार एक ही शब्द में बतला दिया है। परन्तु यह तत्त्व हमारे यहाँ कान्फ्युशियम से भी बहुत पहले से उपनिषदों (ईश. ६. केन. १३) में और फिर महाभारत में, गीता में एवं "पराये को भी आत्मवत् मानना चाहिये" (दाम. १२. १०. २२.) इस रीति में माधुमन्तों के ग्रन्थों में विद्यमान है; इस लोकोक्ति का भी प्रचार है कि "आप वीती सो जग वीती।" यही नहीं; बल्कि इसकी आध्यात्मिक उपपत्ति भी हमारे प्राचीन शास्त्रकारों ने दे दी है। जब हम इस बात पर ध्यान देने हैं, कि यद्यपि नीतिधर्म का यह सर्वमान्य मूत्र वैदिक धर्म में भिन्न इन धर्मों में दिया गया हो, तो भी इसकी उपपत्ति नहीं बतलाई गई है। और जब हम इस बात पर ध्यान देते हैं, कि इस मूत्र की उपपत्ति ब्रह्मात्मैकरूप अध्यात्मज्ञान को छोड़ और दूसरे किसी में भी ठीक ठीक नहीं लगती, तब गीता के आध्यात्मिक नीतिशास्त्र का अथवा कर्मयोग का मूत्र पूरा पूरा व्यक्त हो जाता है।

समाज में मनुष्यों के पारम्परिक व्यवहार के विषय में 'आत्मोपम्य'-बुद्धि का नयम इतना सुन्दर, व्यापक, सुबोध और विश्वतोमुख है, कि जब एक बार यह बतला दिया, कि प्राणिमात्र में रहनेवाले आत्मा को एकता की पहचान कर 'आत्मवत् समबुद्धि में दूसरों के साथ बर्तने जाओ'; तब फिर ऐसे पृथक् पृथक् उपदेश करने की जरूरत ही नहीं रह जाती, कि लोगों पर दया करो; उनकी यथाशक्ति मदद करो; उनका कल्याण करो; उन्हें अम्बुदय के मार्ग में लगाओ; उन पर प्रीति रखो; उनमें ममता न छोड़ो; उनके माथ न्याय और ममता का वर्ताव करो, किसी में घांटा मत दो, किसी का द्रव्यहर्षण अथवा हिंसा न करो; किसी में झूठ न बोलो; अधिकारियों लोगों का अधिक कल्याण करने की बुद्धि मन में रखो, अथवा यह समझ कर भाई-पारे में वर्ताव करो, कि हम सब एक ही पिता की मन्तान हैं। प्रत्येक मनुष्य को स्वभाव में यह महज ही मालूम रहता है, कि मेरा सुखदुःख और कल्याण किस में है? और सामाजिक व्यवहार करने में गृहस्थों की व्यवस्था में इस बात का अनुभव भी उनको होता रहता है, कि 'आत्मा वै पुत्रनामासि।' अथवा 'अर्थं मायां

शरीरस्य ' का भाव समझ कर अपने ही समान स्त्री-पुत्रों पर भी हमें प्रेम करना चाहिये । किन्तु घरवालों पर प्रेम करना आत्मौपम्यबुद्धि सीखने का पहला ही पाठ है । सदैव इसी में न लिपटे रह कर घरवालों के वाद इष्टमित्तो, फिर आप्तो, गोत्रजो, ग्रामवासियो, जातिभाइयो, धर्मबन्धुओं और अन्त में सब मनुष्यो अथवा प्राणिमात्र के विषय में आत्मौपम्यबुद्धि का उपयोग करना चाहिये । इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य को अपनी आत्मौपम्यबुद्धि अधिक व्यापक बना कर पहचानना चाहिये, कि जो आत्मा हम में है, वही सब प्राणियों में है । और अन्त में इसी के अनुसार वर्ताव भी करना चाहिये—यही ज्ञान की तथा आश्रमव्यवस्था की परमावधि अथवा मनुष्यनुमात्र के साध्य की सीमा है । आत्मौपम्यबुद्धिरूप सूत्र का अन्तिम और व्यापक अर्थ यही है । फिर आप ही आप सिद्ध हो जाता है, कि इस परमावधि की स्थिति को प्राप्त कर लेने की योग्यता जिन जिन यज्ञदान आदि कर्मों से बढ़ती जाती ह, वे सभी कर्म चित्तशुद्धिकारक, धर्म्य, और अतएव गृहस्थाश्रम में वर्तव्य है । यह पहले ही कह आये हैं, कि चित्तशुद्धि का ठीक अर्थ स्वार्थबुद्धि का छूट जाना और ब्रह्मात्मैक्य का पहचानना ह । एव इसीलिये स्मृतिकारो ने गृहस्थाश्रम के कर्म विहित माने हैं । याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को जो ' आत्मा वा अरे द्रष्टव्य ' आदि उपदेश किया है, उसका मर्म भी यही है । अध्यात्मज्ञान की नीव पर रचा हुआ कर्मयोगशास्त्र सब से कहता है, कि ' आत्मा वै पुत्रनामासि ' में ही आत्मा की व्यापकता को सवुचित न करके उसकी इस स्वाभाविक व्याप्ति को पहचानो, कि ' लोको वै अयमात्मा, ' और इस समझ से वर्ताव किया करो, कि ' उदारचरिताना तु वसुधैव कुटुम्बकम् '—यह सारी पृथ्वी ही बड़े लोगों की घरगृहस्थी है, प्राणिमात्र ही उनका परिवार है । हमारा विश्वास है, कि इस विषय में हमारा कर्मयोगशास्त्र अन्यान्य देशों के पुराने अथवा नये किसी कर्मशास्त्र से हारनेवाला नहीं है । यही नहीं, उन सब को अपने पेट में रख कर परमेश्वर के समान ' दश अगुल ' बचा रहेगा ।

इस पर भी कुछ लोग कहते हैं, कि आत्मौपम्यभाव से ' वसुधैव कुटुम्बकम् '—स्त्री वेदान्ती और व्यापक दृष्टि हो जाने पर हम सिर्फ उन सद्गुणा को ही न खा बैठेंगे, कि जिन देशाभिमान, कुलाभिमान और धर्माभिमान आदि सद्गुणों से कुछ वश अथवा राष्ट्र आजकल उन्नत अवस्था में है । प्रस्तुत यदि कोई हमें मारने या कष्ट देने आवेगा, तो ' निर्वैरं सर्वभूतेषु ' (गीता ११ ५५) गीता के डम वाक्यानुसार उसको दुष्टबुद्धि से लोट कर न मारना हमारा धर्म हो जायगा (देखो धम्मपद ३३८) । जत दुष्टों का प्रतिकार न होगा, और इस कारण उनके बुरे कर्मों से साधु-पुत्रों की जान जोखिम में पड़ जायेगी । इस प्रकार दुष्टों का दबदबा हो जाने से पूरे समाज अथवा समूचे राष्ट्र का इस से नाश हो भी जावेगा । महाभारत में स्पष्ट ही कहा है, कि " न पापे प्रतिपाप स्यात्माधुरेव सदा भवेत् " (धन २०६ ४४) — दुष्टों के साथ दुष्ट न हो जावे, साधुता से वर्त । क्योंकि दुष्टता से अथवा बँर भँजाने

से वैर कभी नष्ट नहीं होता — “न चापि वैरं वैरेण केणव व्युपशाम्यति ।” इसके विपरीत जिसका हम पराजय करते हैं, वह स्वभाव में ही दुष्ट होने के कारण पराजित होने पर और भी अधिक उपद्रव मचाता रहता है, तथा वह फिर बदला लेने का मौका खोजता रहता है — “जयो वैरं प्रसृजति ।” अतएव शान्ति में दुष्टों का निवारण कर देना चाहिये (म. भा. उद्यो. ७१. ५९ और ६३) । महाभारत का यही श्लोक बौद्ध ग्रन्थों में है (देखो धम्मपद ५ और २०१; महावग्ग १०. २ एवं ३); और ऐसे ही ईसा ने भी इसी तत्त्व का अनुकरण इस प्रकार किया है, “तू अपने शत्रुओं पर प्रीति कर,” (मैथ्यू. ५. ४४); और “कोई एक कनपटी में मारे, तो तू दूसरी भी आगे कर दे” (मैथ्यू. ५. ३९; ल्यू. ६. २९) । ईसामसीह ने पहले के चीनी तत्त्वज्ञ ला-ओ-त्से का भी ऐसा ही कथन है; और भारत की मन्त-मण्डली में तो ऐंसे माधुओं के इस प्रकार आचरण करने की बहुतेरी कथाएँ भी हैं । धर्मा अथवा शान्ति का पराकाष्ठा का उत्कर्ष दिखलानेवाले इन उदाहरणों की पुनीत योग्यता को घटाने का हमारा विलकुल इरादा नहीं है । इस में कोई सन्देह नहीं, कि सत्यममान ही यह धर्माधर्म भी अन्त में — अर्थात् समाज की पूर्ण अवस्था में — अपवादरहित और नित्यरूप से बना रहेगा । और बहुत बया कहें, ममाज की वर्तमान अपूर्ण अवस्था में भी अनेक अवसरों पर देखा जाता है, कि जो काम शान्ति में हो जाता है, वह क्रोध से नहीं होता । जब अर्जुन देखने लगा, कि दुष्ट दुर्योधन की महायत्ना करने के लिये कौन कौन आये हैं, तब उनमें पितामह और गुरु जैसे पूज्य मनुष्यों पर दृष्टि पड़ते ही उनके ध्यान में यह बात आ गई, कि दुर्योधन की दृष्टता का प्रतिकार करने के लिये उन गुरुजनों को शस्त्रों में मारने का दुष्कर कर्म भी मुझे करना पड़ेगा, कि जो केवल कर्म में ही नहीं; प्रत्युत अर्थ में भी आमकन हो गये हैं (गीता २. ५) । और इसी से वह कहने लगा, कि यद्यपि दुर्योधन दुष्ट हो गया है, तथापि ‘न पापे प्रतिपापः स्यात्’ — वाले न्याय से मुझे भी उसके माथ दुष्ट न हो जाना चाहिये । “यदि वे मेरी जान भी ले लें, तो भी (गीता १. ४६) मेरा निर्वैर अन्नःकरण में चुपचाप बैठे रहना ही उचित है ।” अर्जुन की इसी शड्डका को दूर बहा देने के लिये गीताशास्त्र की प्रवृत्ति हुई । और यही कारण है, कि गीता में इस विषय का जैसा खुलासा किया गया है, वैसा और किसी भी धर्मग्रन्थ में नहीं पाया जाता । उदाहरणार्थ, बौद्ध और त्रिग्विचयन धर्म निर्वैरत्व के तत्त्व को वैदिकधर्म के समान ही स्वीकार तो करते हैं, परन्तु उनके धर्मग्रन्थों में स्पष्टतया यह बात कही भी नहीं बनलाई है, कि (लोकमग्रह की अथवा आत्ममरक्षण की भी परवाह न करनेवाले) कर्मयोगी मन्वानों पुरय वा व्यवहार — और (बुद्धि के अनामकन एवं निर्वैर हो जाने पर भी उसी अनामकन और निर्वैरबुद्धि में मात्र बर्ताव करनेवाले) कर्मयोगी वा व्यवहार ये दोनों मर्गांग में एक नहीं हो सकते । इसके विपरीत पश्चिमी नीति-शास्त्रवेत्ताओं के आगे यह वेदव पहली गुरी है, कि ईसा ने जो निर्वैरत्व का उपदेश

किया है, उसका जगत् की नीति से समुचित मेल कैसे मिलावे? * और नित्गे नामक आधुनिक जर्मन पण्डित ने अपने ग्रन्थों में यह मत डाँट के साथ लिखा है, कि निर्वैरत्व का यह धर्मतत्त्व गुलामगिरी का और घातक है; एव इसी को श्रेष्ठ माननेवाले ईसाई धर्म ने यूरोपखण्ड को नामर्द कर डाला है। परन्तु हमारे धर्मग्रन्थों को देखने से ज्ञात होगा, कि न केवल गीता को, प्रत्युत मनु को भी यह बात पूर्णतया अवगत और सम्मत थी, कि संन्यास और कर्मयोग दोनों धर्ममार्गों में इस विषय में भेद करना चाहिये। क्योंकि मनु ने यह नियम ['क्रुध्यन्तं न प्रतिक्रुध्येत्'—क्रोधित होनेवाले पर फिर क्रोध न करो (मनु. ६. ४८)] न गृहस्थधर्म में बतलाया है; और न राजधर्म में। बतलाया है केवल यतिधर्म में ही। परन्तु आजकल के टीकाकार इस बात पर ध्यान नहीं देते, कि इनमें कौन वचन किस मार्ग का है? अथवा उसका कहाँ उपयोग करना चाहिये? उन लोगो ने संन्यास और कर्ममार्ग दोनों के परस्परविरोधी सिद्धान्तों को गड़बगड़ कर डालने की जो प्रणाली डाल दी है, उम प्रणाली से प्रायः कर्मयोग के सच्चे सिद्धान्तों के सम्बन्ध में कैसा भ्रम पड़ जाता है, इसका वर्णन हम पाँचवे प्रकरण में कर आये हैं। गीता के टीकाकारों की इस भ्रामक पद्धति को छोड़ देने से सहज ही ज्ञात हो जाता है, कि भागवतधर्मी कर्मयोगी 'निर्वैर' शब्द का क्या अर्थ करते हैं? क्योंकि ऐसे अवसर पर दुष्ट के साथ कर्मयोगी गृहस्थ को जैसा बर्ताव करना चाहिये, उसके विषय में परम भगवद्भक्त प्रल्हाद ने ही कहा है, कि "तस्मन्नित्यं क्षमा तात पण्डितैरपवादिता" (म. भा. वन. २८. ८)—हे तात! इसी हेतु चतुर पुरुषो ने क्षमा के लिये सदा अपवाद बतलाये हैं। जो कर्म हमें दुःखदायी हो, वही कर्म करके दूसरों को दुःख न देने का, आत्मौपम्यदृष्टि का सामान्य धर्म है तो ठीक; परन्तु महाभारत में निर्णय किया है, कि जिस समाज में आत्मौपम्यदृष्टिवाले सामान्य धर्म की जोड़ के इस दूसरे धर्म के—कि हमें भी दूसरे लोग दुःख न दे—पालनेवाले न हों, उस समाज में केवल एक पुरुष ही यदि इस धर्म को पालेगा, तो कोई लाभ न होगा। यह समता शब्द ही दो व्यक्तियों से सम्बद्ध अर्थात् सापेक्ष है। अतएव आततायी पुरुष को मार डालने से जैसे अहिंसा धर्म को बढ़ा नहीं लगता, वैसे ही दुष्टों को उचित शासन कर देने से साधुओं की आत्मौपम्यवृद्धि या निःशत्रुता में भी कुछ न्यूनता नहीं होती; बल्कि दुष्टों के अन्याय का प्रतिकार कर दूसरों को बचा लेने का श्रेय अवश्य मिल जाता है। जिस परमेश्वर की अपेक्षा किसी की भी वृद्धि अधिक सम नहीं है; जब वह परमेश्वर भी साधुओं की रक्षा और दुष्टों का विनाश करने के लिये समय समय पर अवतार ले कर लोकसंग्रह किया करता है (गीता ४. ७ और ८), तब और पुरुषों की बात ही क्या है! यह कहना भ्रमपूर्ण है, कि 'बनुधं

* See Paulsen's *System of Ethics*, Book III, chap. X, (Eng. Trans.) and Nietzsche's *Anti-Christ*.

बुद्धिमत्त्वम्' - रूपी बुद्धि हो जाने से अथवा फलाशा छोड़ देने से पात्रता-अपात्रता का अथवा योग्यता-अयोग्यता का भेद भी मिट जाना चाहिये। गीता का सिद्धान्त यह है, कि फल की आशा में ममत्वबुद्धि प्रधान होती है; और उसे छोड़े बिना पापपुण्य से छुटकारा नहीं मिलता। किन्तु यदि किसी सिद्ध पुरुष को अपना स्वार्थ माधने की आवश्यकता न हो, तथापि यदि वह किसी अयोग्य आदमी को कोई ऐसी वस्तु ले लेने दे, कि जो उसके योग्य नहीं; तो उम सिद्ध पुरुष को अयोग्य आदमियों की सहायता करने का तथा योग्य साधुओं एवं समाज की भी हानि करने का पाप लगे बिना न रहेगा। कुबेर में टक्कर लेनेवाला करोड़पति साहूकार यदि बाजार में तरकारी लेने जावे, तो जिस प्रकार वह हरी धनियाँ की गड़ी की कीमत लाख रुपये नहीं दे देता, उसी प्रकार पूर्ण माम्यावस्था में पहुँचा हुआ पुरुष किसी भी कार्य का योग्य तारतम्य भूल नहीं जाता। उमकी बुद्धि मम तो रहती है; पर ममता का यह अर्थ नहीं है, कि गाय का चारा मनुष्य को और मनुष्य का भोजन गाय को खिला दे। तथा भगवान् ने गीता (१७. २०) में भी कहा है, कि जो 'दातव्य' ममज्ञ कर मात्त्विक दान करना हो, वह भी 'देशे काले च पात्रे च' अर्थात् देश, काल और पात्रता का विचार कर देना चाहिये। साधु पुरुषों की साम्यबुद्धि के वर्णन में ज्ञानेश्वर महाराज ने उन्हें पृथ्वी की उपमा दी है। इसी पृथ्वी का दूसरा नाम 'सर्वसाहा' है; किन्तु यह 'सर्वमहा' भी यदि इसे कोई लान मारे, तो माग्नेवादे के पार तल्ले में उतने ही जार का धक्का दे कर अपनी समता बुद्धि व्यक्त कर देती है। इमसे भली भाँति ममज्ञा जा सकता है, कि मन में वैर न रहने पर भी (अर्थात् निर्बैर) प्रतिकार कैसे किया जाता है? कर्मविपाक प्रक्रिया में वह आये है, कि इसी कारण से भगवान् भी "ये यथा मा प्रपद्यन्ते तास्मैर्ध्वं भजाम्यहम्" (गी. ४. ११) - जो मुझे जेने भजते हैं, उन्हें मैं वैरे ही फल देता हूँ - इस प्रकार व्यवहार तो करते हैं; परन्तु फिर भी 'वैषम्य-नैर्घृण्य' दोषों से अलिप्त रहते हैं। इसी प्रकार व्यवहार अथवा कानून-कायदे में खूनी आदमी को फाँसी की गजा देनेवाले न्यायाधीश को कोई उमका दुश्मन नहीं कहना। अध्यात्म-शास्त्र का सिद्धान्त है, कि जब बुद्धि निष्काम हो कर माम्यावस्था में पहुँच जावे, तब वह मनुष्य अपनी इच्छा ने किसी का भी नुकसान नहीं करता। उमसे यदि किसी का नुकसान हो ही जाय, तो ममज्ञता चाहिये, कि वह उमी कर्म का फल है। इममें म्थितप्रज्ञ का कोई दोष नहीं; अथवा निष्कामबुद्धिवाला म्थितप्रज्ञ ऐंसे समय पर जो काम करना है - फिर देखने में वह मानवध या गुणवध मरीया तिनना ही भयङ्कर क्यों न हो - उमसे शुभ-अशुभ फल का बन्धन अथवा लेप उमको नहीं लगता (देखो गीता ४. १६; ९. २८ और १८. १३)। फौजदारी कानून में आत्मरक्षा के जो नियम हैं, वे इसी तन्त्र पर रचे गये हैं। बतने हैं, कि जब लोगों ने मनु में गजा होने की प्रार्थना की, तब उन्होंने ने पहले यह उत्तर दिया, कि "अनाचार में

चलनेवालों का शासन करने के लिये राज्य को स्वीकार करके मैं पाप में नहीं पडना चाहता ।” परन्तु जब लोगो ने यह वचन दिया, कि ‘तमद्भुवन् प्रजा मा भी कर्तृनेनो गमिष्यति’ (म. भा. शा ६७. २३) — डरिये नहीं, जिसका पाप उम्मी को लगेगा । आपको तो रक्षा करने का पुण्य ही मिलेगा । और प्रतिज्ञा की, कि ‘प्रजा की रक्षा करने में जो खर्च लगेगा, उसे हम लोग ‘कर’ दे कर पूरा करेंगे ।’ तब मनु ने प्रथम राजा होना स्वीकार किया । साराश, जैसे अचेतन सृष्टि का कभी भी न बदलनेवाला यह नियम है, कि ‘आघात के बराबर ही प्रत्याघात’ हुआ करता है; वैसे ही सचेतन सृष्टि में उस नियम का यह रूपान्तर है, कि ‘जैसे को तैसा’ होना चाहिये । वे साधारण लोग — कि जिनकी बुद्धि साम्यावस्था में पहुँच नहीं गई है — इस कर्मविपाक के नियम के विषय में अपनी ममत्वबुद्धि उत्पन्न कर लेते हैं, और क्रोध से अथवा द्वेष से आघात की अपेक्षा अधिक प्रत्याघात करके आघात का बदला लिया करते हैं । अथवा अपने से दुबले मनुष्य के साधारण या काल्पनिक अपराध के लिये प्रतिकारबुद्धि के निमित्त से उसको लूट कर अपना फायदा कर लेने के लिये सदा प्रवृत्त होते हैं । किन्तु साधारण मनुष्य के समान बदला भँजाने की, वैर की, अभिमान की, क्रोध से, लोभ से, या द्वेष से दुर्बली को लूटने की अथवा टेक से अपना अभिमान, शेखी, सत्ता और शक्ति की प्रदर्शनी दिखलाने की बुद्धि जिसके मन में न रहे उसकी शान्त, निर्वैर और समबुद्धि वैसे ही नहीं बिगडती है, जैसे कि अपने ऊपर गिरी हुई गेंद को सिर्फ पीछे लौटा देने से बुद्धि में कोई भी विकार नहीं उपजता । और लोकसग्रह की दृष्टि से ऐसे प्रत्याघातस्वरूप का करना उनका धर्म अर्थात् कर्तव्य हो जाता है, कि जिसमें दुष्टों का दबदबा बढ कर कही गरीबों पर अत्याचार न होने पावे (गीता ३. २५) । गीता के सारे उपदेश का सार यही है, कि ऐसे प्रसंग पर समबुद्धि से किया हुआ घोर युद्ध भी धर्म्य और श्रेयस्करो है । वैरभाव न रख कर सब से वर्तना, दुष्टों के साथ दुष्ट न बन जाना, घुसा करनेवाले पर खफा न होना आदि धर्मतत्त्व स्थितप्रज्ञ कर्मयोगी को मान्य तो है, परन्तु सन्यासमार्ग का यह मत कर्मयोग नहीं मानता, कि ‘निर्वैर’ शब्द का अर्थ केवल निष्क्रिय अथवा प्रतिकारशून्य है । किन्तु वह निर्वैर शब्द का सिर्फ इतना ही अर्थ मानता है, कि वैर अर्थात् मन की दुष्टबुद्धि छोड देनी चाहिये । और जब कि कर्म किसी को छूटते हैं ही नहीं, तब उसका कथन है, कि सिर्फ लोकसग्रह के लिये अथवा प्रतिकारार्थ जितने कर्म आवश्यक और शक्य हो, उतने कर्म मन में दुष्टबुद्धि को स्थान न दे कर — केवल कर्तव्य समझ — वैराग्य और निःसङ्गबुद्धि से करते रहना चाहिये (गीता ३. १९) । अतः इस श्लोक (गीता ११. ५५) में सिर्फ ‘निर्वैर’ पद का प्रयोग करने हुए —

मत्कर्मकृत् मत्परमो मद्भक्तः संगर्वाजितः ।

निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥

उसके पूर्व ही इस दूसरे महत्त्व के विघेपण का भी प्रयोग करके — कि 'मत्कर्मकृत्' अर्थात् "मेरे यानी परमेश्वर के प्रीत्यर्थ परमेश्वरापणबुद्धि से सारे कर्म करनेवाला" — भगवान् ने गीता में निर्वैरत्व और कर्म का भक्ति की दृष्टि से मेल मिला दिया है। इसी से शाङ्करभाष्य तथा अन्य टीकाओं में भी कहा है, कि इस श्लोक में पूरे गीता-शास्त्र का निचोड़ आ गया है। गीता में यह कहीं भी नहीं बतलाया, कि बुद्धि को निर्वैर करने के लिये या उसके निर्वैर हो चुकने पर भी ममी प्रकार के कर्म छोड़ देना चाहिये। इस प्रकार प्रतिकार का कर्म निर्वैरत्व और परमेश्वरापणबुद्धि से करने पर कर्ता को उसका कोई भी पाप या दोष तो लगता ही नहीं; उल्टा, प्रतिकार का काम हो चुकने पर जिन दुष्टों का प्रतिकार किया गया है, उन्हीं का आत्मौपम्यदृष्टि से कल्याण मानने की बुद्धि भी नष्ट नहीं होती। एक उदाहरण लीजिये; दुष्ट कर्म के कारण रावण को निर्वैर और निष्पाप रामचन्द्र ने मार तो डाला; पर उसकी उत्तर-श्रित्वा करने में भी विभीषण हिचकने लगा, तब रामचन्द्र ने उसको ममज्ञाया कि —

मरणान्तानि वैराणि निवृत्तं नः प्रयोजनम् ।

श्रित्यतामस्य संस्कारो ममाप्येष यथा तव ॥

" (रावण के मन का) वैर मोन के माय ही गया। हमारा (दुष्टों का नाश करने का) काम हो चुका। अब यह जैसा तेरा (भाई) है, वैसा ही मेरी भी है। इसलिये हमना अग्निमस्वार कर " (वाग्मीकि रा. १०९. २५) रामायण का यह तत्त्व भागवत (८. १९. १३) में भी एक स्थान पर बतलाया गया ही है; और अन्यान्य पुराणों में जो ये कथाएँ हैं — कि भगवान् ने जिन दुष्टों का महार किया, उन्हीं को फिर दयाशु हो कर मद्गति दे डाली — उनका रहस्य भी यही है। इन्हीं सब विचारों को मन में ला कर शीतमयं ने कहा है, कि " उद्वत के लिये उद्वत होना चाहिये । " और महाभारत में भीष्म ने परशुराम से कहा है:—

यो यथा वनंते यस्मिन् तस्मिन्नेवं प्रयतंयन् ।

नाधर्मं समवाप्नोति न चाश्रेयश्च विन्दति ॥

" अपने माय जो जैसा बर्ताव करना है, उसके साथ वैसे ही वनंते में न तो अग्रमं (अर्जुन) होता है, और न अग्रवाण " (म. भा उद्यो १७९. ३०) । फिर आगे चल कर गान्धिपर्व के मत्मानुन-अध्याय में वही उपदेश युधिष्ठिर को किया है —

यस्मिन् यथा वनंते यो मनुष्यः तस्मिन् यथा वर्तितव्यं न धर्मः ।

मायाचारो मायया बाधितव्यः साध्याचारः साधुना प्रत्युपेयः ॥

" अपने माय जो जैसा बर्ताव करता है, उसका माय वैसा ही बर्ताव करना धर्मनीति है। मायावर्ष पुरुष के माय मायावीपन और साधु पुरुष के माय साधुना का व्यवहार करना चाहिये " (म. भा. शा. १०९. २९ और उद्यो. ३६ ७) । ऐसे ही श्रुत्वैद

में इन्द्र को उसके मायावीपन का दोष न दे कर उसकी स्तुति ही की गई है, कि — 'त्वं मायाभिरनवद्य मायिन. . . वृत्तं अर्दयः ।' (ऋ. १०. १४७. २; १. ९०. ७) — हे निष्पाप इन्द्र ! मायावी वृत्त को तूने माया से ही मारा है । और भारवि ने अपने 'किरातार्जुनीय' काव्य में भी ऋग्वेद के तत्त्व का ही अनुवाद इस प्रकार किया है :-

व्रजन्ति ते मूढधियः परामवं ।

भवन्ति मायाविषु ये न मायिनः ॥

“मायावियों के साथ जो मायावी नहीं बनते, वे नष्ट हो जाते हैं” (किरा. १. ३०) । परन्तु यहाँ एक बात पर और ध्यान देना चाहिये, कि दुष्ट पुरुष का प्रतिकार यदि साधुता से हो सकता हो, तो पहले साधुता से ही करे । क्योंकि दुसरा यदि दुष्ट हो, तो उसी के साथ हमें भी दुष्ट न हो जाना चाहिये । यदि कोई एक नकटा हो जाय तो सारा गाँव का गाँव अपनी नाक नहीं कटा लेता ! और क्या कहे, यह धर्म है भी नहीं । इस 'न पापे प्रतिपाप. स्यात्' सूत्र का ठीक भावार्थ यही है, और इसी कारण से विदुरनीति में धृतराष्ट्र को पहले यही नीतितत्त्व बतलाया गया है, “नतत्परस्य सन्द-ध्यात् प्रतिकूल यदात्मन.” — जैसा व्यवहार स्वयं अपने लिये प्रतिकूल मालूम हो, वैसा वर्तवि दूसरों के साथ न करे । इसके पश्चात् ही विदुर ने कहा है :-

अक्रोधेन जयेत्क्रोधं असाधुं साधुना जयेत् ।

जयेत्कदर्यं दानेन जयेत् सत्येन चानृतम् ॥

“ (दूसरे के) क्रोध को (अपनी) शान्ति से जीते । दुष्ट को साधुता से जीते । कृपण को दान से जीते । और अमृत को सत्य से जीते ” (म भा. उद्यो ३८. ७३, ७४) । पाली भाषा में बौद्धों का जो 'धम्मपद' नामक नीतिग्रन्थ है, उसमें (२२३) इसी श्लोक का हुबहू अनुवाद है :-

अक्कोधेन जिने कोधं असाधुं साधुना जिने ।

जिने कदरियं दानेन सच्चेनालीकवादिनम् ॥

शान्तिपूर्व में युधिष्ठिर को उपदेश करते हुए भीष्म ने भी इसी नीतितत्त्व के गौरव का वर्णन इस प्रकार किया है :-

कर्म चैतदसाधूनां असाधुं साधुना जयेत् ।

धर्मेण निघ्नं श्रेयो न जयः पापकर्मणा ॥

“दुष्ट की असाधुता, अर्थात् दुष्ट कर्म का साधुता से निवारण करना चाहिये । क्योंकि पापकर्म से जीन लेने की अपेक्षा धर्म से अर्थात् नीति से मर जाना भी श्रेयस्वर है ” (शा. ९५. १६) । विन्तु ऐसी साधुता से यदि दुष्ट के दुष्कर्मों का निवारण न होना हो, अथवा साम-उपचार और मेल-जोल की बात दुष्टों को नापसन्द हो, तो जो काँटा पुल्टिस से बाहर न निकलता हो, उसको 'वण्टवेनैव कण्टकम्' के न्याय में माघारण काँटे से अथवा लोहे के काँटे — सुई — से ही बाहर निकाल डालना आवश्यक है

(दास. १९. ९. १२-३१) । क्योंकि, प्रत्येक समय लोकसंग्रह के लिये दुष्टों का निग्रह करना, भगवान् के समान धर्म की दृष्टि से साधुपुरषों का भी पहला कर्तव्य है । 'साधुता से दुष्टता को जीते' इस वाक्य में ही पहले यही बात मानी गई है, कि दुष्टता को जीत लेना अथवा उसका निवारण करना साधुपुरुष का पहला कर्तव्य है । फिर उसकी मिट्टी के लिये बतलाया है, कि पहले किस उपाय की योजना करे । यदि साधुता से उसका निवारण न हो सकता हो — सीधी अँगुली से घी न निकले — तो 'जैसे वो तैसे' बन कर दुष्टता का निवारण करने से हमें हमारे धर्मग्रन्थकार कभी भी नहीं रोकते । वे यह वही भी प्रतिपादन नहीं करते, कि दुष्टता के आगे साधुपुरुष अपना बलिदान खुशी से किया करे । सदा ध्यान रहे, कि जो पुरुष अपने बुरे कामों से पराई गर्दने काटने पर उतारू हो गया, उसे यह कहने का कोई भी नैतिक हक नहीं रह जाता, कि और लोग भेरे साथ साधुता का वर्ताव करे । धर्मशास्त्र में स्पष्ट आज्ञा है (मनु. ८. १९ और ३५१), कि इस प्रकार जब साधु-पुरषों को कोई असाधु काम लाचारी से करना पड़े, तो उनकी जिम्मेदारी शुद्धबुद्धि-वाले साधुपुरषों पर नहीं रहती । किन्तु इसका जिम्मेदार वही दुष्ट पुरुष हो जाता है, कि जिसके दुष्ट कर्मों का यह नतीजा है । स्वयं बुद्ध ने देवदत्त का जो शासन किया, उसकी उपपत्ति बौद्ध ग्रन्थकारों ने भी इसी तत्त्व पर लगाई है (देखो मिलिन्द प्र. ४ १. ३०-३४) जडसृष्टि के व्यवहार में ये आघात-प्रत्याघातरूपी कर्म नित्य और विलकुल ठीक होते हैं । परन्तु मनुष्य के व्यवहार उसके इच्छाधीन हैं । और ऊपर जिन त्रैलोक्य-चिन्तामणि की मात्रा का उल्लेख किया है, उनके दुष्टों पर प्रयोग करने का निश्चित विचार जिस धर्मज्ञान से होता है, वह धर्मज्ञान भी अत्यन्त सूक्ष्म है । इस कारण विशेष अवसर पर बड़े बड़े लोग भी मचमुच इस दुविधा में पड़ जाते हैं, कि जो हम करना चाहते हैं, वह योग्य है या अयोग्य ? अथवा उभय है या अधभय ? "कि कर्म विमर्शति कर्मयोप्यत्र मोहिता." (गीता. ४. १६) । ऐसे अवसर पर कोंरे विद्वानों की जयवा मदव चोडेवहुत स्वार्थ के पञ्जे में फँसे हुए पुरुषों की पण्डितानई पर या केवल अपने मार-असार-विचार के भरोसे पर कोंई काम न कर बैठे; बरिक्त पूर्ण अवस्था में पहुँचे हुए परमावधि के साधुपुरुष की शुद्धबुद्धि के ही कारण में जा कर उनो गुरु के निर्णय को प्रमाण माने । क्योंकि निरा ताकिक पाण्डित्य जितना अधिक होगा, इतना ही उनकी ही अधिव निकलेगी । इसी कारण बिना शुद्धबुद्धि के कोंरे पाण्डित्य से ऐसे विनट प्रश्नों का भी मच्चा और समाधानकारक निर्णय नहीं होने पाता । अतएव उनको शुद्ध और निष्कामबुद्धिवाला गुरु ही करना चाहिये । जो शास्त्रकार अत्यन्त गर्भमान्य हो चुके हैं, उनकी बुद्धि इस प्रकार की शुद्ध रहती है । और यही कारण है, जो भगवान् ने अर्जुन ने कहा है — "तस्माच्छास्त्र प्रमाण ते कार्या-काम्यवस्थितौ" (गीता १६. १८) — कार्य-अकार्य का निर्णय करने में तुझे शास्त्र को प्रमाण मानना चाहिये । तथापि यह न भूल जाना चाहिये, कि बालमान के

अनुसार श्वेतकेतु जैसे आगे के साधुपुरुषों को इन शास्त्रों में भी फर्क करने का अधिकार प्राप्त होता रहता है ।

निर्वैर और शान्त माधुपुरियों के आचरण के सम्बन्ध में लोगों की आजकल जो गैरसमझ देखी जाती है, उसका कारण यह है, कि कर्मयोगमार्ग प्रायः लुप्त हो गया है; और सारे ससार ही को त्याज्य माननेवाले संन्यासमार्ग का चारो ओर दौरदौरा हो गया है । गीता का यह उपदेश अथवा उद्देश भी नहीं है, कि निर्वैर होने से निष्प्रतिकार भी होना चाहिये । जिसे लोकसंग्रह की परवाह ही नहीं है, उसे जगत् में दुष्टों की प्रवृत्तता फँले तो — और न फँले तो — करना ही क्या है ? उसकी जान रहे, चाहे चली जाय; सब एक ही सा है । किन्तु पूर्णावस्था में पहुँचे हुए कर्मयोगी प्राणिमात्र में आत्मा की एकता को पहचान कर यद्यपि सभी के साथ निर्वैरता का व्यवहार किया करे, तथापि अनासक्तबुद्धि से पात्रता-अपात्रता का सार-असार-विचार करके स्वधर्मानुसार प्राप्त हुए कर्म करने में वे कभी नहीं चुकते । और कर्मयोग कहता है, कि इस रीति से किये हुए कर्म कर्ता की साम्यबुद्धि में कुछ न्यूनता नहीं आने देते । गीताधर्मप्रतिपादित कर्मयोग के इस तत्त्व को मान लेने पर कुलाभिमान और देशाभिमान आदि कर्तव्यधर्मों की भी कर्मयोगशास्त्र के अनुसार योग्य उपपत्ति लगाई जा सकती है । यद्यपि यह अन्तिम सिद्धान्त है, कि समग्र मानवजाति का — प्राणिमात्र का — जिससे हित होता हो, वही धर्म है; तथापि परमावधि की इस स्थिति को प्राप्त करने के लिये कुलाभिमान, धर्माभिमान और देशाभिमान आदि चढती हुई सीढियों की आवश्यकता तो कभी भी नष्ट होने की नहीं । निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति के लिये जिस प्रकार सगुणोपासना आवश्यक है, उसी प्रकार — 'वसुधैव कुटुम्बकम्' — की ऐसी बुद्धि पाने के लिये कुलाभिमान, जात्याभिमान और देशाभिमान आदि की आवश्यकता है । एव समाज की प्रत्येक पीढ़ी इसी जीने से ऊपर चढती है । इस कारण इसी जीने को सदैव ही स्थिर रखना पडता है । ऐसे ही जब अपने आसपास लोग अथवा अन्य राष्ट्र नीचे की सीढ़ी पर हों, तब यदि कोई एक-आध मनुष्य अथवा कोई राष्ट्र चाहे, कि मैं अकेला ही ऊपर की सीढ़ी पर बना रहूँ, तो यह कदापि हो नहीं सकता । क्योंकि ऊपर कहा ही जा चुका है, कि परस्पर व्यवहार में 'जैसे को तैसा' न्याय से ऊपर ऊपर की श्रेणीवालों को नीचे नीचे की श्रेणीवाले लोगों के अन्याय का प्रतिकार करना विशेष प्रसङ्ग पर आवश्यक रहता है । इसमें कोई शङ्का नहीं कि सुधरते मुधारते जगत् के सभी मनुष्यों की स्थिति एक दिन ऐसी जरूर हो जावेगी, कि वे प्राणिमात्र में आत्मा की एकता को पहचाने लगे । अन्ततः मनुष्यमात्र को ऐसी स्थिति प्राप्त कर लेने की आशा रखना कुछ अनुचित भी नहीं है । परन्तु आत्मोन्नति की परमावधि की यह स्थिति जब तक मय को प्राप्त हो नहीं गई है, तब तक अन्यान्य राष्ट्रों अथवा समाजों की स्थिति पर ध्यान दे कर साधुपुरप देशाभिमान आदि धर्मों का ही ऐसा उपदेश देते रहे, कि जो अपने

अपने ममाजों को उन उन समयों में श्रेयस्कर हो। इसके अतिरिक्त हम दूसरी बात पर भी ध्यान देना चाहिये, कि मञ्जिल दर मञ्जिल तैयारी करके इमारत बन जाने पर जिम प्रकार नीचे के हिस्से निकाल डाले नहीं जा सकते अथवा जिस प्रकार तलवार हाथ में आ जाने से कुदाली की या मूर्य होने से अग्नि की आवश्यकता बनी ही रहती है, उसी प्रकार सर्वभूतहित की अन्तिम सीमा पर पहुँच जाने पर भी न केवल देशाभिमान की, बरन् कुलाभिमान की भी आवश्यकता बनी ही रहती है। क्योंकि ममाज-सुधार की दृष्टि में देखें तो कुलाभिमान जो विशेष काम करता है, वह निरं देशाभिमान में नहीं होता; और देशाभिमान का कार्य निरी सर्वभूतात्मव्यदृष्टि से मिद्ध नहीं होता। अर्थात् ममाज की पूर्ण अवस्था में भी साम्यवृद्धि के ही ममान देशाभिमान और कुलाभिमान आदि धर्मों की भी सदैव जरूरत रहती ही है। किन्तु केवल अपने ही देश के अभिमान को परममाध्य मान लेने में जैसे एक राष्ट्र अपने लाभ के लिये दूसरे राष्ट्र का मनमाना नुकसान करने के लिये तैयार रहता है, वैसे वान सर्वभूतहित को परममाध्य मानने में नहीं होती। कुलाभिमान, देशाभिमान और अन्त में पूर्ण मनुष्यजाति के हित में यदि विरोध आने लगे, तो साम्यवृद्धि से परिपूर्ण नीतिधर्म का यह महत्त्वपूर्ण और विशेष कथन है, कि उच्च श्रेणी के धर्मों की मिद्धि के लिये निम्न श्रेणी के धर्मों को छोड़ दे। विदुर ने धृतराष्ट्र को उपदेश करते हुए कहा है, कि युद्ध में कुल का क्षय हो जावेगा। अतः दुर्योधन की टेक रखने के लिये पाण्डवों को राज्य का भाग न देने की अपेक्षा यदि दुर्योधन न मने, तो उसे - (लडना भले ही हो) - अकेले को छोड़ देना ही उचित है; और इसके ममर्थन में यह श्लोक कहा है :-

त्यजेदेकं कुलस्यार्थं ग्रामस्यार्थं कुलं त्यजेत् ।

ग्रामं जनपदस्यार्थं आत्मार्थं पृथिवीं त्यजेत् ॥

“कुल के (बचाव के) लिये एक व्यक्ति को, गाँव के लिये कुल को, और पूरे लोकमूह के लिये गाँव को, एव आत्मा के लिये पृथ्वी को छोड़ दे” (म. भा. आदि. ११५. ३६; ममा ६१. ११)। हम श्लोक के पहले और तीसरे चरण का तात्पर्य वही है, कि जिनका उल्लेख किया गया है; और चौथे चरण में आत्मगदा का तत्त्व बतलाया गया है। ‘आत्म’ शब्द सामान्य सर्वनाम है। इसमें यह आत्मगदा का तत्त्व जैसे एक व्यक्ति को उपयुक्त होना है, वैसे ही एतन्नित्त लोकमूह को, जाति को अथवा राष्ट्र को भी उपयुक्त होता है। और कुल के लिये एक पुरुष को, ग्राम के लिये कुल को, एव देश के लिये ग्राम को छोड़ देने की प्रमत्त चटनी दृष्टि हम प्राचीन प्रणाली पर जब हम ध्यान देने हैं, तब स्पष्ट दीप्त पटना है, कि ‘आत्म’ शब्द का अर्थ इन सब की अपेक्षा हम स्पष्ट पर अतिव्यक्त का है। फिर भी कुछ मतलबी या शास्त्र न जानने-वाले लोग हम चरण का कर्मा कभी विगिन अर्थान् निरा म्वायंत्रघान अर्थ किया करते हैं। अतएव सही बट देना चाहिये, कि आत्मगदा का यह तत्त्व आपमनलवीपन का

नहीं है। क्योंकि जिन शास्त्रकारों ने निरे स्वार्थसाधु चार्वाकपन्थ को राक्षसी बतलाया है (देखो गी. अ. १६), सम्भव नहीं है, कि वे ही स्वार्थ के लिये किसी से भी जगत् को डवाने के लिये कहे। अपर के श्लोक में 'अर्थ' शब्द का अर्थ सिर्फ स्वार्थप्रधान नहीं है। किन्तु 'सद्दकट आने पर उसके निवारणार्थ' ऐसा करना चाहिये। और कोशकारों ने भी यह अर्थ किया है। आपमतलवीपन और आत्मरक्षा में बड़ा भारी अन्तर है। कामोपभोग की इच्छा अथवा लोभ से अपना स्वार्थ साधने के लिये दुनिया का नुकसान करना आपमतलवीपन है। यह अमानुषी और निन्द्य है। उक्त श्लोक के प्रथम तीन चरणों में कहा है, कि एक के हित की अपेक्षा अनेकों के हित पर सदैव ध्यान देना चाहिये। तथापि प्राणिमात्र में एक ही आत्मा रहने के कारण प्रत्येक मनुष्य को इस जगत् में सुख से रहने का एक ही सा नैसर्गिक अधिकार है। और इस सर्वमान्य महत्त्व के नैसर्गिक स्वत्व की ओर दुर्लक्ष्य कर जगत् के किसी भी एक व्यक्ति की या समाज की हानि करने का अधिकार दूसरे किसी व्यक्ति या समाज को नीति की दृष्टि से कदापि प्राप्त नहीं हो सकता — फिर चाहे वह समाज बल और सख्या में कितना ही चढ़ा-बढ़ा क्यों न हो। अथवा उसके पास छीना-झपटी करने के साधन दूसरों से अधिक क्यों न हो? यदि कोई इस युक्ति का अवलम्बन करे, कि एक की अपेक्षा अथवा थोड़ों की अपेक्षा बहुतों का हित अधिक योग्यता का है। और इस युक्ति से सख्या में अधिक बड़े हुए समाज के स्वार्थों बर्ताव का समर्थन करे, तो यह युक्तिवाद केवल राक्षसी समझा जावेगा। इस प्रकार दूसरे लोक यदि अन्याय से वर्तने लगे, तो बहुतेरों के तो क्या, सारी पृथ्वी के हित की अपेक्षा भी आत्मरक्षा अर्थात् अपने बचाव का नैतिक हक और भी अधिक सबल हो जाता है। यही उक्त चौथे चरण का भावार्थ है। और पहले तीन चरणों में जिस अर्थ का वर्णन है, उसी के लिये महत्त्वपूर्ण अपवाद के नाते उसे साथ ही बतला दिया है। इसके सिवा यह भी देखना चाहिये, कि यदि हम स्वयं जीवित रहेंगे, तो लोक-कल्याण भी कर सकेंगे। अतएव लोभहिन की दृष्टि से विचार करे, तो भी विश्वामित्र के समान यही कहना पड़ता है, कि 'जीवन् धर्ममवाप्नुयात्' — जियेंगे तो धर्म भी करेंगे। अथवा कालिदास के अनुसार यही कहना पड़ता है, कि "शरीरमाद्य छलु धर्मसाधनम्" (कुमा. ५. ३३) — शरीर ही सब धर्मों का मूलभूत साधन है; या मनु के कथनानुसार कहना पड़ता है, "आत्मान सतत रक्षेत्" — स्वयं अपनी रक्षा सदा-सर्वदा करनी चाहिये। यद्यपि आत्मरक्षा का हक सारे जगत् के हित की अपेक्षा इस प्रकार श्रेष्ठ है, तथापि दूसरे प्रकरण में वह आये है, कि कुछ अवसरों पर बुरा के लिये, देश के लिये, धर्म के लिये अथवा परोपकार के लिये स्वयं अपनी ही इच्छा से साधु लोग अपनी जान पर खेल जाते हैं। उक्त श्लोक के पहले तीन चरणों में यही तत्त्व वर्णित है। ऐसे प्रसङ्ग पर मनुष्य आत्मरक्षा के अपने श्रेष्ठ स्वत्व पर भी स्वेच्छा से पानी फेर दिया करना है। अतः ऐसे काम की नैतिक योग्यता भी मय से

श्रेष्ठ समझी जाती है। तथापि अचूक यह निश्चय कर देने के लिये — कि ऐसे अवसर वच उत्पन्न होते हैं — निरा पाण्डित्य या तर्कशक्ति पूर्ण समर्थ नहीं है। इसलिये धृतराष्ट्र के उल्लिखित कथानक से यह बात प्रकट होती है, कि विचार करनेवाले मनुष्य का अन्तःकरण पहले मे ही शुद्ध और मम रहना चाहिये। महाभारत में ही कहा है, कि धृतराष्ट्र की बुद्धि इतनी मन्द न थी, कि वे विदुर के उपदेश को समझ न सके। परन्तु पुत्रप्रेम उनकी बुद्धि को सम होने वहाँ देता था? कुत्रे को जिम प्रकार लाख रुपये की कभी कमी नहीं पड़ती, उसी प्रकार जिसकी बुद्धि एक बार सम हो चुकी, उसे बुलात्मिक, देशात्मिक या धर्मात्मिक आदि निम्न श्रेणी की एकताओं का कभी टोटा पड़ता ही नहीं है। ब्रह्मात्मिक में इन सब का अन्तर्भाव हो जाता है। फिर देशधर्म जादि समुचित धर्मों का अथवा सर्वभूतहित के व्यापक धर्म का — अर्थात् इनमें से जिस-तिसकी स्थिति के अनुसार, जयवा आत्मरक्षा के निमित्त जिस समय म जिस जो धर्म श्रेयस्कर हो, उसका उसी धर्म का — उपदेश करके जगत् के धारण-भोषण का काम साधु लाग करते हैं। इसमें सन्देह नहीं, कि मानवजाति की वर्तमान में देशाभिमान ही मुख्य सद्गुण हो रहा है, और सुधरे हुए राष्ट्र भी इन विचारों और तैयारियाँ में अपने ज्ञान का, कुशलता का और द्रव्य का उपयोग किया करत है, कि पास-पड़ोस के शत्रुदेशीय बहुत-से लोगो को प्रसन्न पड़ने पर जोड़े ही समय में हम क्या कर जानसे मार सकेंगे। किन्तु स्पेन्सर और वॉल्ट ब्रूमि पण्डितान न अपने ग्रन्थों में स्पष्ट रीति से कह दिया है, कि केवल इसी एक कारण से देशाभिमान का ही नीतिदृष्ट्या मानवजाति का परमसाध्य मान नहीं करने। और जा आशेष इन लाग के प्रतिपादित तत्त्व पर हो नहीं सकता, वही आशेष हम नहीं समझने, कि अध्यात्मदृष्ट्या प्राप्त होनेवाले सर्वभूतात्मिकस्वरूप तत्त्व पर ही वैस हा सजना है। छोटे बच्चे के बपड़े उसके शरीर के ही अनुसार — बहुत हुआ तो जरा गुशादह अर्थात् बाढ के लिये गुञ्जाईश रख कर — जैसे व्यानाना पड़ते हैं, वैसे ही मयभूतात्मिकबुद्धि की भी बात है। ममाज हो या व्यक्ति, सर्वभूतात्मिकबुद्धि में उमरे आगे जा साध्य रचना है, वह उसने अधिहार के अनुरूप अथवा उसकी अपक्षा जरा-सा और आगे का हागा, तभी वह उमका श्रयस्कर हा सजना है। उमरे सामर्थ्य का अपक्षा बहुत अच्छी बात उमका एनदम करने के लिये बनलाई जाय, ता इससे उमका बल्याण कभी न हा सजता। परब्रह्म की वाई सीमा न हान पर भी उपनिषदा में उमकी उपासना की प्रम-प्रम स बढती हुई सीदियाँ बतलान का यही कारण है, और जिस समाज में सभी स्थितप्रज्ञ हा, वहाँ धात्रधर्म की जम्हर न हा, ता भी जगत् क अग्यान्य समाजा की तत्त्वान्त्रिक स्थिति पर ध्यान द करके “आत्मान मनन रक्षन्” के ढर्रे पर हमार धर्मशास्त्र की चातुर्वर्ण्यव्यवस्था में धात्रधर्म का सप्रह किया गया है। यूनान क प्रसिद्ध तत्वबता प्लटा न अपन ग्रन्थ में जिम ममाजव्यवस्था का अग्यन्त उत्तम बाग्या है, उसम भी निरन्तर क अभ्यास न युद्धयन्त्र म प्रवीण

सिद्धावस्था और व्यवहार

वर्ग को समाजरक्षक के नाते प्रमुखता दी है। इससे स्पष्ट ही दीख पड़ेगा, कि तत्कालीन परमावधि के शुद्ध और उच्च स्थिति के विचारों में ही डूबे क्यों न रहा कर, परन्तु वे तत्कालिन अपूर्ण समाजव्यवस्था का विचार करने से भी कभी नहीं चूकते।

ऊपर की सब बातों का इस प्रकार विचार करने से ज्ञानी पुरुष के सम्बन्ध में यह सिद्ध होता है, कि वह ब्रह्मात्मैक्यज्ञान से अपनी बुद्धि को निर्विषय, शान्त और प्राणिमात्र में निर्वैर तथा सम रखे। इस स्थिति को पा जाने से सामान्य अज्ञानी लोगों के विषय में उक्ततावे नहीं। स्वयं सारे ससार कामों का त्याग कर, यानी कर्म-सत्यास आश्रम को स्वीकार करके इन लोगों की बुद्धि को न बिगाड़े। देश-काल और परिस्थिति के अनुसार जिन्हें जो योग्य हो, उसी का उन्हें उपदेश देवे, अपने निष्काम कर्तव्य-आचरण से सद्ब्यवहार का अधिकारानुसार प्रत्यक्ष आदर्श दिखला कर, सब को धीरे धीरे यथासम्भव शान्ति से किन्तु उत्साहपूर्वक उन्नति के मार्ग में लगावे। वस, यही ज्ञानी पुरुष का सच्चा धर्म है। समय-समय पर अवतार ले कर भगवान् भी यही काम किया करते हैं, और ज्ञानी पुरुष को भी यही आदर्श मान, फल पर ध्यान न देते हुए इस जगत का अपना कर्तव्य शुद्ध अर्थात् निष्कामबुद्धि से सदैव यथाशक्ति करते रहना चाहिये। भीताशास्त्र का माराश यही है, कि इस प्रकार के कर्तव्यपालन में यदि मृत्यु भी आ जावे, तो बड़े आनन्द से उसे स्वीकार कर लेना चाहिये (गीता ३ ३५) - अपने कर्तव्य अर्थात् धर्म को न छोड़ना चाहिये। इसे ही लोवसग्रह अथवा कर्मयोग कहते हैं। न केवल वेदान्त ही, वरन् उसके आधार पर माथ-ही-माथ कर्म-अकर्म का ऊपर लिखा हुआ ज्ञान भी जब गीता में बनलाया गया, तभी तो पहले युद्ध छोड़ कर भीष माँगने की तैयारी करनेवाला अर्जुन आगे चल कर स्वधर्म-अनुसार युद्ध करने के लिये - सिर्फ इसीलिये नहीं, कि भगवान् कहने हैं, वरन् अपनी राजी से - प्रवृत्त हो गया। स्थितप्रज्ञ की साम्यबुद्धि का यही तत्त्व, कि जिमका अर्जुन को उपदेश हुआ है, कर्मयोगशान्त्र का मूल आधार है। जत इसी का प्रमाण मान, इसके आधार से हमने बतलाया है, कि परापाष्ठा की नीतिमत्ता को उपपत्ति क्योंकर लगती है। हमने इस प्रकरण में कर्मयोगशास्त्र की इन मोटी-मोटी बातों का संक्षिप्त निरूपण किया है, कि आत्मोपम्यदृष्टि से समाज में परस्पर एक-दूसरे के साथ वैसा वर्तव्य करना चाहिये, 'जैसे को तैसा' वाजे न्याय में अथवा पात्रता-अपात्रता के कारण सब से बड़े-बड़े हुए नीतिधर्म में वीन-मे भेद होना है, अथवा अपूर्ण अवस्था के समाज में वर्तनेवाले साधुपुरुष को भी जन्मादात्मक नीतिधर्म वैसे स्वीकार करने पड़ने हैं। इन्हें युक्तियाँ वा न्याय, परोपकार, दान, दया, अहिंसा, सत्य और अस्तेय आदि नित्य धर्मों के विषय में उपयोग निचा जा सकता है। आजकल की अपूर्ण समाजव्यवस्था में यह दिखलाने के लिये - कि प्रगल्भ के अनुसार इन नीतिधर्मों में वहाँ और वीन-गा फर्क करना ठीक होगा - यदि इन धर्मों में से प्रत्येक पर एक-एक स्वतन्त्र ग्रन्थ लिखा जाय, तो भी यह विषय समाज

न होगा, और यह भगवद्गीता का मुख्य उपदेश भी नहीं है। इस ग्रन्थ के दूसरे ही प्रकरण में हमका दिग्दर्शन करा आये है, कि अहिंसा और सत्य, सत्य और आत्मरक्षा, आत्मरक्षा और शान्ति आदि में परस्पर विरोध हो कर विशेष प्रमदग पर वर्तव्य-अवर्तव्य का मन्देह उत्पन्न हो जाता है। यह निर्विवाद है, कि ऐसे अवसर पर माधुपुष्प 'नीतिधर्म, लोकयात्रा-व्यवहार, स्वार्थ और सर्वभूतहित' आदि बातों का तारतम्य-विचार करके फिर कार्य-अकार्य का निर्णय किया करते हैं, और महाभारत में श्येन ने शिशि राजा को यह वान स्पष्ट ही बतला दी है। मिग्निरु नामक अन्ग्रेज ग्रन्थकार ने अपने नीतिशास्त्रविषयक ग्रन्थ में इसी अर्थ का विस्तार-सहित वर्णन अनेक उदाहरण ले कर किया है। किन्तु कुछ पश्चिमी पण्डित इनने ही से यह अनुमान करते हैं, कि स्वार्थ और परार्थ के मार-अमार का विचार करना ही नीति-निर्णय का तत्त्व है। परन्तु इस तत्त्व को हमारे शास्त्रकारों ने कभी मान्य नहीं किया है। क्योंकि हमारे शास्त्रकारों का कथन है, कि यह मार-अमार का विचार अनेक बार इतना मूढम और अर्न्तकान्तिक, अर्थात् अनेक अनुमान निष्पन्न कर देनेवाला होता है, कि यदि यह माम्यबुद्धि 'जैमा मैं, वैमा दूसरा' - पहेले में ही मन में मोरहो आने जमी हुई न हो, तो कोरे ताकिय मार-अमार के विचार में वर्तव्य-अवर्तव्य का मदैव अचूक निर्णय होना सम्भव नहीं है। और फिर ऐसी घटना हो जान की भी सम्भावना रहती है, जैसे कि 'मोर नाचता है, इमलिये मोरनी भी नाचने लगती है।' अर्थात् 'देखादेखी साथे जोग, छोड़े बाया, बाड़े रोग' इन लोकोक्ति के अनुसार दोग फँड मकेगा, और ममाज की हानि होगी। मित्र प्रभृति उपयुक्ततावादी पश्चिमी नीतिशास्त्रज्ञों के उपपादन में यही तो मुख्य अपूर्णता है। गण्ड क्षपट कर पञ्जे में मेमने की आवाज में उठा ले जाना है, इमलिये देखा-देखी यदि बोवा भी ऐसा ही करने लगे, तो घोछा खाये पिना न रहेगा। इसी त्रिये गीता कहती है, कि माधुपुष्पों की निरी उपगे युक्तियों पर ही अवलम्बित मत रहो। अन्न-करण में मदैव जागृत रहनेवाली माम्यबुद्धि की ही अन्न में शरण लेनी चाहिये। क्योंकि कर्मयोगशास्त्र की म-ची जट माम्यबुद्धि ही है। अर्वाचीन आधिभौतिक पण्डितों में मे कोई स्वार्थ को तो कोई परार्थ अर्थात् "अधिकारण योगा के अधिन मुख" को नीति का मूर्तन्त्र बतलाने है। परन्तु हम चाँये प्रकरण में यह दिग्दर्शन आये है, कि कर्म के केवळ बाहरी परिणामों को उपयागी होनेवाले इन तन्त्रों में सर्वत्र निर्वाह नहीं होता। हमका विचार भी अवश्य ही करना पड़ता है, कि कर्ता की बुद्धि क्या तब शुद्ध है। कर्म के बाह्य परिणामों के मार-अमार का विचार करना चतुर्गट का और दूरदर्शिता का लक्षण है मही; परन्तु दूरदर्शिता और नीति दोनों शब्द समानार्थक नहीं हैं। दोनों म हमारे शास्त्रकार कहते हैं, कि निरे बाह्यकर्म के मार-अमार विचार की हम मारी व्यापारी त्रिया में मदर्शाव का मचना बीज नहीं है, किन्तु माम्यबुद्धिमय परमाय ही नीति का

मूल आधार है। मनुष्य की अर्थात् जीवात्मा की पूर्ण अवस्था का योग्य विचार करे, तो भी उक्त सिद्धान्त ही करना पड़ता है। लोभ से किसी को लूटने में बहुतेरे आदमी होशियार होते हैं। परन्तु इस बात के जानने योग्य कोरे ब्रह्मज्ञान को ही — कि यह होशियारी, अथवा अधिकांश लोगों का अधिक सुख, काहे में है — इस जगत् में प्रत्येक मनुष्य का परम साध्य कोई भी नहीं कहता। जिसका मन या अन्तःकरण शुद्ध है, वही पुरुष उत्तम कहलाने योग्य है। और तो क्या, यह भी कह सकते हैं, कि जिसका अन्तःकरण निर्मल, निर्वैर और शुद्ध नहीं है, वह यदि बाह्यकर्मों के दिखाऊ बर्ताव में पड़ कर तदनुसार बर्तें, तो उम पुरुष के ढोंगी बन जाने की सम्भावना है (देखो गीता ३. ६)। परन्तु कर्मयोगशास्त्र में साम्यबुद्धि को प्रमाण मान लेने से यह दोष नहीं रहता। साम्यबुद्धि को प्रमाण मान लेने से कहना पड़ता है, कि कठिन समय आने पर धर्मअधर्म का निर्णय कराने के लिये ज्ञानी साधुपुरुषों की ही शरण में जाना चाहिये। कोई भयङ्कर रोग होने पर जिस प्रकार बिना वैद्य की सहायता के उसके निदान और उसकी चिकित्सा नहीं हो सकती, उसी प्रकार धर्म-अधर्म-निर्णय के विकट प्रसङ्ग पर यदि कोई सत्पुरुषों की मदद न ले; और यह अभिमान रखे, कि मैं 'अधिकांश लोगों के अधिक सुख' वाले एक ही साधना से धर्म-अधर्म का अचूक निर्णय आप ही कर लूँगा, तो उसका यह प्रयत्न व्यर्थ होगा। साम्यबुद्धि को बढ़ाते रहनेका अभ्यास प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिये। और इस क्रम से सत्संग भर के मनुष्य की बुद्धि जब पूर्ण साम्य अवस्था में पहुँच जावेगी, तभी सत्ययुग की प्राप्ति होगी, तथा मनुष्यजाति का परम साध्य प्राप्त होगा; अथवा पूर्ण अवस्था सब को प्राप्त हो जावेगी। कार्य-अकार्य-शास्त्र की प्रवृत्ति भी इसी लिये हुई है; और इसी कारण उसकी इमारत को भी साम्यबुद्धि की ही नींव पर खड़ा करना चाहिये। परन्तु इतनी दूर न जा कर यदि नीतिमत्ता की केवल लौकिक कसौटी की दृष्टि से ही विचार करे, तो भी गीता का साम्यबुद्धिवाला पक्ष ही पश्चात्त्य आधिभौतिक या आधिदैवत पन्थ की अपेक्षा अधिक योग्यता का और मार्मिक सिद्ध होता है। यह बात आगे पन्द्रहवें प्रकरण में की गयी तुलनात्मक परीक्षा से स्पष्ट मालूम हो जायगी, परन्तु गीता के तात्पर्य के निरूपण का जो एक महत्त्वपूर्ण भाग अभी शेष है, उसे ही पहले पूरा कर लेना चाहिये।

तेरहवाँ प्रकरण

भक्तिमार्ग

सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज ।

अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥४॥

— गीता १८. ६६

अब तक अध्यात्मदृष्टि से इन बातों का विचार किया गया है, कि सर्वभूतात्मैक्य-रूपी निष्कामबुद्धि ही कर्मयोग की और मोक्ष की भी जड़ है। यह शुद्ध बुद्धि ब्रह्मात्मैक्यज्ञान में प्राप्त होती है; और इसी शुद्धबुद्धि से प्रत्येक मनुष्य को अपने जन्मभर स्वधर्मानुसार प्राप्त हुए कर्तव्यकर्मों का पालन करना चाहिये। परन्तु इतने ही से भगवद्गीता में प्रतिपाद्य विषय का विवेचन पूरा नहीं होता। यद्यपि हममें मन्देह नहीं कि ब्रह्मात्मैक्यज्ञान ही केवल मत्स्य और अन्तिम साध्य है, तथा "उसके समान इस संसार में दूसरी कोई भी वस्तु पवित्र नहीं है" (गीता ४. ३८); तथापि अब यह उसके विषय में जो विचार किया गया; और उसकी महानता से माम्यबुद्धि प्राप्त करने का जो मार्ग बतलाया गया है, वह सब बुद्धिगम्य है। इसलिये सामान्य जनो की शक्तियाँ हैं, कि उम विषय को पूरी तरह से समझने के लिये प्रत्येक मनुष्य को बुद्धि इतनी तीव्र बँमे हो सजती है; और यदि किसी मनुष्य की बुद्धि तीव्र न हो, तो क्या उसको ब्रह्मात्मैक्यज्ञान से हाथ धो बैठना चाहिये? सब कहा जाय, तो यह शक्य भी कुछ अनुचित नहीं दीख पटती। यदि कोई कहे — "जब कि बड़े बड़े ज्ञानी पुष्प भी विनाशी नामरूपात्मक माया से आच्छादित तुम्हारे उम अमृतम्बन्धी परब्रह्म का वर्णन करते समय 'नेति नेति' कह कर चुप हो जाते हैं, नव हमारे समान गाधारण जनो की समझ में वह बँमे आवे? इसलिये हमें कोई ऐसा मरल उपाय या मार्ग बतलाओ, जिसे तुम्हारा वह गहन ब्रह्मज्ञान हमारी अल्प ग्रहणशक्ति में समझ में आ जाये," — तो इसमें उमका क्या दोष है? गीता और कठोपनिषद् (गीता २. २९; क. २. ७) में कहा है, कि आरव्यंचरित्त हो कर आत्मा (ब्रह्म) का वर्णन करनेवाले तथा गुननेवाले बहून हैं, तो भी किसी को उमका ज्ञान नहीं होता। श्रुति-ग्रन्थों में इस नियम पर एक बाधदायक क्या भी है। उममें यह वर्णन है, कि जब वाप्यलि ने वाहू में बसा, "हे महाराज! मुझे कृपा कर बतलाइये, कि ब्रह्म जिसे बहने

* "सब प्रकार के धर्मों को दानी परमेश्वरप्राप्ति के साधनों को छोड़ कर ही जरण में आ। मैं तुझे सब धर्मों से मुक्त करूँगा; हर मन।" इस श्लोक में अर्थ का विवेचन इस प्रकार के अर्थ में किया है, सो देखिये।

हैं ; " तब वाहन् कुछ भी नहीं बोले । वाष्कलि ने फिर वही प्रश्न किया, तो भी वाहन् चुप ही रहे । जब ऐसा ही चार-पाँच बार हुआ, तब वाहन् ने वाष्कलि से फिर कहा, " अरे ! मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर तभी से दे रहा हूँ, परन्तु तेरी समझ में नहीं आया — मैं क्या करूँ ? ब्रह्मस्वरूप किसी प्रकार बतलाया नहीं जा सकता । इसलिये शान्त होना अर्थात् चुप रहना ही सच्चा ब्रह्मलक्षण है । समझा ? " (वे सू शा भा ३ २ १७) । साराश, जिस दृश्यसृष्टिविलक्षण, अनिर्वाच्य और अचिन्त्य परब्रह्म का यह वर्णन है — कि वह मूँह बन्द कर बतलाया जा सकता है, आँखों से दिखाई न देने पर उसे देख सकते हैं और समझ में न आने पर वह मालूम होने लगता है (केन २ ११) — उमको साधारण बुद्धि के मनुष्य कैसे पहचान सकेंगे, और उमके द्वारा साम्यावस्था प्राप्त हो कर उनको सद्गति कैसे मिलेगी ? सब परमेश्वरस्वरूप का अनुभवात्मक और यथार्थ ज्ञान ऐसा होवे, कि सब चराचरसृष्टि में एक आत्मा प्रतीत होने लगे तभी मनुष्य की पूरी उन्नति होगी, और ऐसी उन्नति कर लेने के लिये तीव्र बुद्धि के अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग ही न हो, तो सत्सार के लाखों-करोड़ों मनुष्यों को ब्रह्मप्राप्ति की आशा छोड़ चुपचाप बैठे रहना होगा । क्योंकि बुद्धिमान् मनुष्यों को सध्या हमेशा कम रहती है । यदि यह कहे कि बुद्धिमान् लोगों के कथन पर विश्वास रखने से हमारा काम चल जायगा, तो उनमें भी कई मतभेद दिखाई देते हैं, और यदि यह कहे, कि विश्वास रखने से काम चल जाता है, तो यह बात आप-ही आप सिद्ध हो जाती है, कि इस गहन ज्ञान की प्राप्ति के लिये " विश्वास अथवा श्रद्धा रखना " भी बुद्धि के अतिरिक्त दूसरा मार्ग है । सच पूछो तो यही दीख पड़ेगा, कि ज्ञान की पूर्ण अथवा फलद्रूपता श्रद्धा के बिना नहीं होती । यह कहना — कि सब ज्ञान केवल बुद्धि ही से प्राप्त होता है, उसके लिये किसी अन्य मनोवृत्ति की सहायता आवश्यक नहीं — उन पण्डितों का वृथाभिमान है, जिनकी बुद्धि केवल तर्कप्रधान शास्त्रों का जन्म भर अध्ययन करने से कर्कश हो गई है । उदाहरण के लिये यह सिद्धान्त लीजिये, कि कल सवेरे फिर सूर्योदय होगा । हम लोग इस सिद्धान्त के ज्ञान को अत्यन्त निश्चित मानते हैं । क्या ? उत्तर यही है, कि हमने और हमारे पूर्वजों ने इस क्रम को हमेशा अखण्डित देखा है । परन्तु कुछ अधिक विचार करने से मालूम होगा, कि " हमने अथवा हमारे पूर्वजों ने अब तक प्रतिदिन सवेरे सूर्य को निकलत देखा है, " यह बात कल सवेरे सूर्योदय होने का कारण नहीं हो सकती, अथवा प्रतिदिन हमारे देखने के लिये या हमारे देखने से ही कुछ सूर्योदय नहीं होता । यथार्थ में सूर्योदय होने के कुछ और ही कारण है । अच्छा, अब यदि ' हमारा सूर्य को प्रतिदिन देखना ' कल सूर्योदय होने का कारण नहीं है, तो इसके लिये क्या प्रमाण है, कि कल सूर्योदय होगा ? दीर्घ काल तक किसी वस्तु का क्रम एक-भा अबाधित दीख पड़ने पर यह मान लेना भी एक प्रकार विश्वास या श्रद्धा ही तो है न, कि वह क्रम आगे भी वैसा ही नित्य चलता रहेगा ? यद्यपि हम उसको एक बहुत बड़ा प्रतिष्ठित नाम

'अनुमान' दे दिया करते हैं; तो भी यह ध्यान में रखना चाहिये, कि वह अनुमान बुद्धिगम्य कार्यकारणात्मक नहीं है; किन्तु उसका मूलस्वरूप श्रद्धात्मक ही है। मनु को शककर मीठी लगती है; इसलिये छन्नू को भी वह मीठी लगेगी - यह जो निश्चय हम लोग किया करते हैं; वह भी वस्तुतः इसी नमूने का है। क्योंकि जब कोई कहता है, कि मुझे शककर मीठी लगती है, तब इस का अनुभव उसकी बुद्धि को प्रत्यक्ष रूप से होता है नहीं; परन्तु इसमें भी आगे बढ़ कर जब हम कह सकते हैं, कि शककर मव मनुष्यों को मीठी लगती है, तब बुद्धि को श्रद्धा की महायता दिये बिना काम नहीं चल सकता। रेखागणित या भूमितिशास्त्र का सिद्धान्त है, कि ऐसी दो रेखाएँ हो सकती हैं, जो चाहे जितनी बढ़ाई जावें; तो भी आपस में नहीं मिलती। कहना नहीं होगा, कि इस तत्त्व को अपने ध्यान में लाने के लिये हमको अपने प्रत्यक्ष अनुभव के भी परे केवल श्रद्धा ही की सहायता में चलना पड़ता है। इसके सिवा यह भी ध्यान में रखना चाहिये, कि संसार के सब व्यवहार श्रद्धा, प्रेम आदि नैसर्गिक मनोवृत्तियों में ही चलते हैं। इन वृत्तियों को रोकने के सिवा बुद्धि दूसरा कोई कार्य नहीं करती। और जब बुद्धि किसी बात की भलाई या बुराई का निश्चय कर लेती है, तब आगे उस निश्चय को अमल में लाने का काम मन के द्वारा अर्थात् मनोवृत्ति के द्वारा ही हुआ करना है। इस बात की चर्चा पहले क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ विचार में हो चुकी है। माराण यह है, कि बुद्धिगम्य ज्ञान की पूर्ति होने के लिये और आगे आचरण तथा वृत्ति में उसकी फलद्रूपता होने के लिये इस ज्ञान को हमेशा श्रद्धा, दया, वात्सल्य, कर्तव्य-प्रेम इत्यादि नैसर्गिक मनोवृत्तियों की आवश्यकता होती है; और जो ज्ञान इन मनोवृत्तियों को शुद्ध तथा जागृत नहीं करता, और जिस ज्ञान को उनकी महायता अपेक्षित नहीं होती, उसे मूखा, कोरा, कर्कश, अधूरा, बाझ या क-चा ज्ञान समझना चाहिये। जैसे बिना बान्ध के केवल गोली में बन्दूक नहीं चलती वैसे ही प्रेम, श्रद्धा आदि मनोवृत्तियों की सहायता के बिना केवल बुद्धिगम्य ज्ञान किसी को तार नहीं सकता। यह सिद्धान्त हमारे ऋषियों को भली भाँति मालूम था। उदाहरण के लिये छादोग्योपनिषद् में बर्णित यह कथा गीर्जिबे (छा. ६. १०) :- एक दिन श्वेतकेतु के पिता ने यह सिद्ध कर दिखाने के लिये कि, अथर्व और मूधम परब्रह्म ही सब दृश्य जगत् का मूलकारण है; श्वेतकेतु ने कहा, कि बरगद का एक फल ले आओ; और देखो, कि उसके भीतर क्या है - श्वेतकेतु ने बीजा ही लिया। उस फल को तोड़ कर देखा और कहा, 'उसके भीतर छोटे-छोटे बहून-ने बीज या दाने हैं।' उसके पिता ने फिर कहा, कि "उन बीजों में से एक बीज ले लो; उसे तोड़ कर देखो, और बतलाओ, कि उसके भीतर क्या है?" श्वेतकेतु ने एक बीज ले लिया, उसे तोड़ कर देखा, और कहा कि "उसके भीतर कुछ नहीं है।" तब पिता ने कहा, "अरे! यह जो तुम 'कुछ नहीं' कहते हो, उसी में यह बरगद का बहून बटा बूझ हुआ है, और अन्न में यह

उपदेश दिया, कि 'श्रद्धस्य' अर्थात् इस कल्पना को केवल बुद्धि में रख । मुंह से ही 'हाँ' मत कहो; किन्तु उसके आगे भी चलो । यानी इस तत्त्व को अपने हृदय में अच्छी तरह जमने दो; और आचरण या कृति में दिखाई देने दो । साराश, यदि यह निश्चयात्मक ज्ञान होने के लिये श्रद्धा की आवश्यकता है, कि सूर्य का उदय कल सबेरे होगा, तो यह भी निर्विवाद सिद्ध है, कि इस बात को पूर्णतया जान लेने के लिये— कि सारी सृष्टि का मूलतत्त्व अनादि, अनन्त, सर्वकर्तृ, सर्वज्ञ, स्वतन्त्र और चैतन्यरूप है— पहले हम लोगों को जहाँ तक जा सके, बुद्धिरूपी बटोही का अवलम्बन करना चाहिये; परन्तु आगे उसके अनुरोध से कुछ दूर तो अवश्य ही श्रद्धा तथा प्रेम की पगडण्डी से ही जाना चाहिये, देखिये, मैं जिसे माँ कह कर ईश्वर के समान वन्द्य और पूज्य मानता हूँ, उसे ही अन्य लोग एक सामान्य स्त्री समझते हैं, या नैयायिकों के शास्त्रीय शब्दावडम्बर के अनुसार 'गर्भधारणाप्रसववादिस्त्रीत्वसामान्यवच्छेदकावच्छिन्नव्यक्तविशेष.' समझते हैं । इस एक छोटे से व्यावहारिक उदाहरण से यह बात किसी के भी ध्यान में सहज आ सकती है, कि जब केवल तर्कशास्त्र के सहारे प्राप्त किया गया ज्ञान, श्रद्धा और प्रेम के साँचे में ढाला जाता है, तब उसमें कैसा अन्तर हो जाता है । इसी कारण से गीता (६ ४७) में कहा है, कि कर्मयोगियों में भी श्रद्धावान् श्रेष्ठ है; और ऐसा ही सिद्धान्त— जैसे पहले कह आये है, कि— अध्यात्मशास्त्र में किया गया है कि इन्द्रियातीत होने के कारण जिन पदार्थों का चिंतन करते नहीं बनता, उनके स्वरूप का निर्णय केवल तर्क से नहीं करना चाहिये— 'अचिन्त्या खलु ये भावान् तान्स्तर्केण चिन्तयेत् ।'

यदि यही एक अडचन हो, कि साधारण मनुष्यों के लिये निर्गुण परब्रह्म का ज्ञान होना कठिन है, तो बुद्धिमान पुरुषों में मतभेद होने पर भी श्रद्धा या विश्वास से उसका निवारण किया जा सकता है । कारण यह है, कि इन पुरुषों में जो अधिक विश्वसनीय होंगे, उन्हीं के वचनों पर विश्वास रखने से हमारा काम बन जावेगा (गीता १३ २५) । तर्कशास्त्र में इस उपाय को 'आप्तवचनप्रमाण' कहते हैं । 'आप्त' का अर्थ विश्वसनीय पुरुष है । जगत् के व्यवहार पर दृष्टि डालने से यही दिखाई देता, कि हजारों लोग आप्त-वाक्य पर विश्वास रख कर ही अपना व्यवहार चलाते हैं । दो पन्चे दस के बदले सात क्यों नहीं होते ? अथवा एक पर एक लिखने से दो नहीं होते, ग्यारह क्यों होते ? इस विषय की उपपत्ति या कारण बतलानेवाले पुरुष बहुत ही कम मिलते हैं । तो भी इन सिद्धान्तों को सत्य मान कर ही जगत् का व्यवहार चल रहा है । ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे, जिन्हें इस बात का प्रत्यक्ष ज्ञान है, कि हिमालय की ऊँचाई पाँच मिल है या दस मिल । परन्तु जब कोई यह प्रश्न पूछना है, कि हिमालय की ऊँचाई कितनी है, तब भूगोल की पुस्तक में पढ़ी हुई 'तेईस हजार फीट' सख्या हम तुरन्त ही बतला देते हैं । यदि इसी प्रकार कोई पूछे, कि 'ब्रह्म कैसा है ?' तो यह उत्तर देने में क्या हानि है, कि वह 'निर्गुण' है । वह सचमुच

ही निर्गुण है या नहीं; इस बात की पूरी जाँच कर उसके साधकवाधक प्रमाणों की मीमांसा करने के लिये सामान्य लोगो में बुद्धि की तीव्रता भले ही न हो; परन्तु श्रद्धा या विश्वास कुछ ऐसा मनोधर्म नहीं है, जो महाबुद्धिमान् पुरुषों में ही पाया जाय। अज्ञानो में भी श्रद्धा की कुछ न्यूनता नहीं होती। और जब कि श्रद्धा से ही वे लोग अपने सैकड़ों सांसारिक व्यवहार किया करते हैं, तो उसी श्रद्धा से यदि वे ब्रह्म को निर्गुण मान लेवे, तो कोई प्रत्यवाय नहीं दीख पड़ता। मोक्षधर्म का इतिहास पढ़ने से मालूम होगा, कि जब ज्ञाता पुरुषो ने ब्रह्मस्वरूप की मीमांसा कर उसे निर्गुण बतलाया, उसके पहले ही मनुष्य ने केवल अपनी श्रद्धा से यह जान लिया था, कि सृष्टि की जड़ में सृष्टि के नाशवान् और अनित्य पदार्थों से भिन्न या विलक्षण कोई एक तत्त्व है; जो अनाद्यन्त, अमृत, स्वतन्त्र, सर्वशक्तिमान्, सर्वत्र और सर्वव्यापी है; और मनुष्य उसी समय मे उस तत्त्व की उपासना किसी-न-किसी रूप में करता चला आया है। यह सच है, वह उस समय इस ज्ञान की उपपत्ति बतला नहीं सकता था; परन्तु आधिभौतिकशास्त्र में यही भ्रम दीख पड़ता है, कि पहले अनुभव होता है; और पश्चात् उसकी उपपत्ति बतलाई जाती है। उदाहरणार्थ, भास्कराचार्य को पृथ्वी के (अथवा अन्त में न्यूटन को सारे विश्व के) गुरुत्वाकर्षण की कल्पना मूलने के पहले ही यह बात अनादि काल से सब लोगो को मालूम थी, कि पेट से गिरा हुआ फल नीचे पृथ्वी पर गिर पड़ता है। अध्यात्मशास्त्र को भी यही नियम उपयुक्त है। श्रद्धा से प्राप्त हुए ज्ञान की जाँच करना और उसकी उपपत्ति की खोज करना बुद्धि का काम है नहीं; परन्तु सब प्रकार योग्य उपपत्ति के न मिलने से ही यह नहीं कहा जा सकता, कि श्रद्धा से प्राप्त होनेवाला ज्ञान केवल भ्रम है।

यदि सिर्फ इतना ही जान लेने से हमारा काम चल जाय, कि ब्रह्म निर्गुण है; तो इसमें मन्देह नहीं, कि यह काम उपर्युक्त कथन के अनुसार श्रद्धा से चला जा सकता है (गीता १३. २५)। परन्तु नौवे प्रकरण के अन्त में कह चुके हैं, कि ब्राह्मी न्यति या मिद्रावस्था की प्राप्ति कर लेना ही इस मंसार में मनुष्य का परममाध्य या अन्तिम ध्येय है; और उसके लिये केवल यह कोरा ज्ञान, (कि ब्रह्म निर्गुण है), किमी काम वा नहीं। दीर्घ गमय के अस्थाय और नित्य की आदन मे इस ज्ञान का प्रवेश हृदय में तथा देहेन्द्रियों मे अच्छी तरह हो जाना चाहिये; और आचरण के द्वारा ब्रह्मानुभवबुद्धि ही हमारा देह स्वभाव हो जाना चाहिये। ऐसा होने के लिये परमेश्वर के स्वरूप वा प्रेमपूर्वक चिन्तन करके मन को तदाकार करना ही एक मुख्य उपाय है। यह मार्ग अथवा साधन हमारे देह में बहूत्र प्राचीन समय में प्रचलित है; और हमो को उपासना या भक्ति कहते हैं। भक्ति वा रक्षण शान्तिव्यमूत्र (२) में इस प्रकार है, कि " मा (भक्तिः) परानुरक्तिरीश्वरे " - ईश्वर के प्रति 'पर' अर्थात् निरनिशय जो प्रेम है, उसे भक्ति कहते हैं। 'पर' शब्द वा अर्थ केवल निरनिशय ही नहीं है; किन्तु भागवतपुराण में कहा है,

कि वह प्रेम निहंतुक, निष्काम और निरन्तर हो — “अहंतुक्यव्यवहिता या भक्तिः पुरुषोत्तमे” (भाग. ३. २९. १२) । कारण यह है, कि जब भक्ति इस हेतु से की जाती, कि ‘हे ईश्वर ! मुझे कुछ दे;’ तब वैदिक यज्ञयागादिक काम्य कर्मों के समान उसे भी कुछ-न-कुछ व्यापार का स्वरूप प्राप्त हो जाता है । ऐसी भक्ति राजस कहलाती है, और उससे चित्त की शुद्धि ही पूरी पूरा नहीं होती । जब कि चित्त का शुद्धि ही पूरी नहीं हुई, तब कहना नहीं होगा, कि आध्यात्मिक उन्नति में और मोक्ष की प्राप्ति में भी बाधा आ जायगी । अध्यात्मशास्त्रप्रतिपादित पूर्ण निष्कामता का तत्त्व इस प्रकार भक्तिमार्ग में भी बना रहता है । और इसी लिये गीता में भगवद्भक्तों की चार श्रेणियाँ करके कहा है, कि जो ‘अर्थार्थी’ है यानी जो कुछ पाने के हेतु परमेश्वर की भक्ति करता है, वह निःकृष्ट श्रेणी का भक्त है; और परमेश्वर का ज्ञान होने के कारण जो स्वयं अपने लिये कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता (गीता ३. १८); परन्तु नारद आदिकों के समान जो ‘ज्ञानी’ पुरुष केवल कर्तव्यबुद्धि से ही परमेश्वर की भक्ति करता है, वही सब भक्तों में श्रेष्ठ है (गीता ७. १६-१८) । यह भक्ति भागवतपुराण (७. ५. २३) के अनुसार नौ प्रकार की है, जैसे —

श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् ।

अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यं आत्मनिवेदनम् ॥

नारद के भक्तिसूत्र में इसी भक्ति के ग्यारह भेद किये गये हैं (ना. सू. ८२) । परन्तु भक्ति के इन सब भेदों का निरूपण दासबोध आदि अनेक भाषा-ग्रंथों में विस्तृत रीति से किया गया है; इस लिये हम यहाँ उनकी विशेष चर्चा नहीं करते । भक्ति किसी प्रकार की हो; यह प्रकट है, कि परमेश्वर में निरतिशय और निहंतुक प्रेम रख कर अपनी वृत्ति को तदाकार करने का भक्ति का मामान्य काम प्रत्येक मनुष्य को अपने मन ही से करना पड़ता है । छठवे प्रकरण में कह चुके हैं, कि बुद्धि नामक जो अन्तरिन्द्रिय है, वह केवल भले-बुरे, धर्म-अधर्म अथवा कार्य-अकार्य का निर्णय करने के सिवा और कुछ नहीं करती । शेष मानसिक कार्य मन ही को करने पड़ते हैं । अर्थात् अब मन ही के दो भेद हो जाते हैं — एक भक्ति करनेवाला मन और दूसरा उसका उपास्य यानी जिस पर प्रेम किया जाता है वह वस्तु । उपनिषदों में जिस श्रेष्ठ ब्रह्मस्वरूप का अनुभव प्रतिपादित किया गया है, वह इन्द्रियातीत, अव्यक्त, अनन्त, निर्गुण और ‘एकमेवाद्वितीय’ है । इसलिये उपासना का आरम्भ उस स्वरूप से नहीं हो सकता । कारण यह है, कि जब श्रेष्ठ ब्रह्मस्वरूप का अनुभव होता है, तब मन अलग नहीं रहता; किन्तु उपास्य और उपासक, अथवा ज्ञाता और ज्ञेय दोनों एकरूप हो जाते हैं । निर्गुण ब्रह्म अन्तिम साध्य वस्तु है, साधन नहीं; और जब तक किसी-न-किसी साधन से निर्गुण ब्रह्म के साथ एकरूप होने की पावता मन में न आवे, तब तक इस श्रेष्ठ ब्रह्मस्वरूप का साक्षात्कार हो नहीं सकता । अतएव साधन की दृष्टि से की जानेवाली उपासना के

लिये जिस ब्रह्मस्वरूप का स्वीकार करना होता है, वह दूसरी श्रेणी का - अर्थात् उपास्य और उपासक के भेद से - मन को गोचर होनेवाला, यानी सगुण ही होता है। और इसी लिये उपनिषदों में जहाँ जहाँ ब्रह्म की उपासना कही गई है, वहाँ वहाँ उपास्य ब्रह्म के अव्यक्त होने पर भी सगुणरूप से ही उमका वर्णन किया गया है। उदाहरणार्थ, शाण्डिल्यविद्या में जिस ब्रह्म की उपासना कही गई है, वह यद्यपि अव्यक्त अर्थात् निराकार है, तथापि छान्दोग्योपनिषद् (३.१४) में कहा है कि वह प्राणजरीर, सत्यसद्कल्प, सर्वगन्ध, सर्वरस, सर्वकर्म, अर्थात् मन को गोचर होनेवाले मय गुणों से युक्त हो। स्मरण रहे, कि यहाँ उपास्य ब्रह्म यद्यपि नगुण है; तथापि वह अव्यक्त अर्थात् निराकार है। परन्तु मनुष्य के मन की स्वाभाविक रचना ऐसी है, कि सगुण वस्तुओं में से भी जो वस्तु अव्यक्त होती है; अर्थात् जिसका कोई विशेष रूप, रस, आदि नहीं; और इसलिये जो नेत्रादि इन्द्रियों को अगोचर है, उम पर प्रेम रखना या हमेशा उसका चिन्तन कर मन को उमी में स्थिर करके वृत्ति को तदाकार करना मनुष्य के लिये बहुत कठिन और दुःसाध्य भी है। क्योंकि, मन स्वभाव ही से चञ्चल है। इसलिये जब तक मन के सामने आधार के लिये कोई इन्द्रियगोचर स्थिर वस्तु न हो, तब तक यह मन बारबार भूल जाया करता है, स्थिर कहाँ होता है। चित्त की स्थिरता का यह मानसिक कार्य बड़े बड़े ज्ञानी पुरुषों को भी दुष्कर होता है, तो फिर माधारण मनुष्यों के लिये कहना ही क्या? अतएव रेखागणित के मिद्धान्तों की शिक्षा देने समय जिम प्रकार ऐसी रेखा की कल्पना करने के लिये - कि जो अनादि, अनन्त और बिना चौड़ाई की (अव्यक्त) है; किन्तु जिसमें लम्बाई का गुण होने में सगुण है - उम रेखा का एक छोटा-सा नमूना स्लेट या तख्ते पर व्यक्त करके दिखलाना पड़ता है। उसी प्रकार ऐसे परमेश्वर पर प्रेम करने और उसमें अपनी वृत्ति को लीन करने के लिये, कि जो सर्वकर्ता, सर्वशक्तिमान्, सर्वज्ञ (अतएव सगुण) है; परन्तु निगमकार अर्थात् अव्यक्त है, मन के सामने 'प्रत्यक्ष' नामरूपात्मक किमी वस्तु के रहे बिना माधारण मनुष्यों का चल नहीं सकता। यही क्यों, पहले किमी व्यक्त पदार्थ को देखे बिना मनुष्य के मन में अव्यक्त की कल्पना जागृत ही हो नहीं सकती। उदाहरणार्थ, जब हम लाल, हरे इत्यादि अनेक व्यक्त रंगों के पदार्थ पहले आँखों से

* इस विषयपर एक श्लोक है, जो योगवासिष्ठ का कहा जाता है :-

अक्षरावगमलब्धये यथा स्थूलघनूलदुपस्परिग्रहः।

शुद्धबुद्धपरिलब्धये तथा दारुमृष्मयशिलामयाचनम् ॥

“अक्षरों का परिचय कराने के लिये लकड़ों के सामने जिस प्रकार छोटे छोटे कंकड़ रख कर अक्षरों का आकार दिखलाना पड़ता है, उसी प्रकार (नित्य) शुद्धबुद्ध परमेश्वर का ज्ञान होने के लिये लकड़ी, मिट्टी या पत्थर की धृति का उपयोग किया जाना है।” परन्तु यह श्लोक शुद्धयोगवासिष्ठ में नहीं मिलता।

देख लेते हैं, तभी 'रडग' की सामान्य और अव्यक्त कल्पना जागृत होती है। यदि ऐसा न हो, तो 'रडग' की यह अव्यक्त कल्पना हो ही नहीं सकती। अब चाहे इसे कोई मनुष्य के मन का स्वभाव कहे या दोष; कुछ भी कहा जाय। जब तक देहधारी मनुष्य अपने मन के इस स्वभाव को अलग नहीं कर सकता, तब तक उपासना के लिये यानी भक्ति के लिये निर्गुण से सगुण में—और उसमें भी अव्यक्त सगुण की अपेक्षा व्यक्त सगुण ही में—आना पड़ता है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं। यही कारण है, कि व्यक्त-उपासना का मार्ग अनादि काल से प्रचलित है, रामतापनीय आदि उपनिषदों में मनुष्यरूपधारी व्यक्त ब्रह्मस्वरूप की उपासना का वर्णन है, और भगवद्गीता में भी यह कहा गया है, कि—

बलेशोऽधिकतरस्तेषां अव्यक्तासक्तचेतसाम् ।

अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते ॥

अर्थात् "अव्यक्त में चित्त की (मन की) एकाग्रता करनेवाले को बहुत कष्ट होते हैं; क्योंकि इस अव्यक्त गति को पाना देहेन्द्रियधारी मनुष्य के लिये स्वभावतः कष्टदायक है" — (गीता १२.५)। इस 'प्रत्यक्ष' मार्ग ही को 'भक्तिमार्ग' कहते हैं। इसमें कुछ सन्देह नहीं, कि कोई बुद्धिमान् पुरुष अपनी बुद्धि से परब्रह्म के स्वरूप का निश्चय कर उसके अव्यक्त स्वरूप में केवल अपने विचारों के बल से अपने मन को स्थिर कर सकता है। परन्तु इस रीति से अव्यक्त में 'मन' को आसक्त करने का काम भी तो अन्त में श्रद्धा और प्रेम से ही सिद्ध करना होता है। इसलिये इस मार्ग में भी श्रद्धा और प्रेम की आवश्यकता छूट नहीं सकती। सच पूछो तो तात्त्विक दृष्टि से सच्चिदानन्द ब्रह्मोपासना का समावेश भी प्रेममूलक भक्तिमार्ग में ही किया जाना चाहिये। परन्तु इस मार्ग में ध्यान करने के लिये जिस ब्रह्मस्वरूप का स्वीकार किया जाता है, वह केवल अव्यक्त और बुद्धिगम्य अर्थात् ज्ञानगम्य होता है, और उसी को प्रधानता दी जाती है। इस लिये इस क्रिया को भक्तिमार्ग न कहकर अध्यात्मविचार, अव्यक्तोपासना या केवल उपासना, अथवा ज्ञानमार्ग कहते हैं, और उपास्य ब्रह्मके सगुण रहने पर भी जब उसका अव्यक्त के बदले व्यक्त—और विशेषतः मनुष्यदेहधारी—रूप स्वीकृत किया जाता है, तब वही भक्तिमार्ग कहलाता है; इस प्रकार यद्यपि मार्ग दो हैं, तथापि उन दोनों में एकही परमेश्वर की प्राप्ति होती है, और अन्त में एक ही ही साम्यबुद्धि मन में उत्पन्न होती है। इसलिये स्पष्ट दीख पड़ेगा, कि जिस प्रकार किसी छत पर जाने के लिये दो जीने होते हैं, उसी प्रकार भिन्न भिन्न मनुष्यों की योग्यता के अनुसार ये दो (ज्ञानमार्ग और भक्तिमार्ग) अनादिसिद्ध भिन्न भिन्न मार्ग हैं—इन मार्गों की भिन्नता से अन्तिम साध्य अथवा ध्येय में कुछ भिन्नता नहीं होती। इनमें से एक जीने की पहली सीढ़ी बुद्धि है, तो दूसरे जीने की पहली सीढ़ी श्रद्धा और प्रेम है। और किसी भी मार्ग से जाओ; अन्त में एक ही परमेश्वर का एक ही प्रकार का ज्ञान होता है; एव एक ही ही मुक्ति भी प्राप्त होती है। इस लिये दोनों मार्गों में यही सिद्धान्त

एक ही सा स्थिर रहता है, कि “अनुभवात्मक ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं मिलता।” फिर यह व्यर्थ बखेड़ा करने से क्या लाभ है, कि ज्ञानमार्ग श्रेष्ठ है या भक्तिमार्ग श्रेष्ठ है? यद्यपि ये दोनों साधन प्रथमावस्था में अधिकार या योग्यता के अनुसार भिन्न हों, तथापि अन्त में अर्थात् परिणामरूप में दोनों की योग्यता समान है; और गीता में इन दोनों को एक ही ‘अध्यात्म’ नाम दिया गया है (११.१)। अब यद्यपि साधन की दृष्टि से ज्ञान और भक्ति की योग्यता एक ही समान है; तथापि इन दोनों में यह महत्व का भेद है, कि भक्ति वदापि निष्ठा नहीं हो सकती; किन्तु ज्ञान को निष्ठा (यानी मिद्धावस्था की अन्तिम स्थिति) कह सकते हैं। इसमें मन्देह नहीं, कि अध्यात्मविचार में या अव्यक्तोपासना में परमेश्वर का जो ज्ञान होता है, वही भक्ति से भी हो सकता है (गीता १८.५५); परन्तु इस प्रकार ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर आगे यदि कोई मनुष्य सासारिक कार्यों को छोड़ दे, और ज्ञान ही में मदा निमग्न रहने लगे तो गीता के अनुसार वह ‘ज्ञाननिष्ठ’ कहलावेगा; ‘भक्तिनिष्ठ’ नहीं। इसका कारण यह है, कि जब तक भक्ति की क्रिया जारी रहती है, तब तक उपास्य और उपासक-रूपी द्वैतभाव भी बना रहता है; और अन्तिम ब्रह्मात्मैक्य स्थिति में तो भक्ति की कौन कहे, अन्य किसी भी प्रकार की उपासना शेष नहीं रह सकती। भक्ति का पर्यवमान या फल ज्ञान है; भक्ति ज्ञान का साधन है — वह कुछ अन्तिम साध्य वस्तु नहीं। साराण, अव्यक्तोपासना की दृष्टि से ज्ञान एक बार साधन हो सकता है; और दूसरी बार ब्रह्मात्मैक्य के अपरोक्षानुभव की दृष्टि से उसी ज्ञान को निष्ठा यानी मिद्धावस्था की अन्तिम स्थिति कह सकते हैं। जब इस भेद को प्रकट रूप में दिखलाने की आवश्यकता है, तब ‘ज्ञानमार्ग’ और ‘ज्ञाननिष्ठा’ दोनों शब्दों का उपयोग समान अर्थ में नहीं किया जाना; किन्तु अव्यक्तोपासना की साधनावस्थावाची स्थिति दिखलाने के लिये ‘ज्ञानमार्ग’ का उपयोग किया जाता है; और ज्ञानप्राप्ति के अनन्तर सब कर्मों को छोड़ ज्ञान ही में निमग्न हो जाने की जो मिद्धावस्था की स्थिति है, उसके लिये ‘ज्ञाननिष्ठ’ शब्द का उपयोग किया जाता है। अर्थात्, अव्यक्तोपासना या अत्रात्म-विचार के अर्थ में ज्ञान को एक बार साधन (ज्ञानमार्ग) कह सकते हैं और दूसरी बार अपरोक्षानुभव के अर्थ में उमा ज्ञान का निष्ठा यानी कर्मत्यागवर्ती अन्तिम अवस्था कह सकते हैं। यही बात कर्म के विषय में भी कही जा सकती है। सास्त्रोक्त मर्यादा के अनुसार जो कर्म पत्ते चित्त ही शुद्ध के लिये किया जाता है, वह साधन कहलाता है। इन कर्मों में चित्त का शुद्धि होती है, और अन्त में ज्ञान तथा ज्ञानि की प्राप्ति होती है। परन्तु यदि कोई मनुष्य इस ज्ञान में ही निमग्न न रह कर ज्ञानपूर्वक मूलरूपमें निष्कामकर्म करना चला जाये, तो ज्ञानपूर्वक निष्कामकर्म की दृष्टि से उनमें इस कर्म को निष्ठा कह सकते हैं (गीता ३. ३)। यह बात भक्ति के विषय में नहीं कह सकते। क्योंकि भक्ति गिर्क एव मार्ग या उपाय अर्थात् ज्ञानप्राप्ति का साधन ही है — वह निष्ठा नहीं है। इसलिये गीता के आरम्भ में

ज्ञान (साध्य) और योग (कर्म) यदी दो निष्ठाएँ कही गई हैं; उनमें से कर्म योग-निष्ठा की सिद्धि के उपाय, साधन, विधि या मार्ग का विचार करते समय (गीता ७ १), अव्यक्तोपासना (ज्ञानमार्ग) और व्यक्तोपासना (भक्तिमार्ग) का — अर्थात् जो दो साधन प्राचीन समय से एक साथ चले आ रहे हैं उनका — वर्णन करके, गीता में सिर्फ इतना ही कहा है, कि इन दोनों में से अव्यक्तोपासना बहुत क्लेशमय है; और व्यक्तोपासना या भक्ति अधिक सुलभ है। यानी इस साधन का स्वीकार सब साधारण लोग कर सकते हैं। प्राचीन उपनिषदों में ज्ञानमार्ग ही का विचार किया गया है; और शाण्डिल्य आदि सूत्रों में तथा भागवत आदि ग्रन्थों में भक्तिमार्ग ही की महिमा गाई गई है। परन्तु साधनदृष्टि से ज्ञानमार्ग और भक्तिमार्ग में योग्यतानुसार भेद दिखला कर अन्त में दोनों का भेल निष्कामकर्म के साथ जैसा गीता ने समबुद्धि से किया है, वैसा अन्य किसी भी प्राचीन धर्मग्रन्थ ने नहीं किया है।

ईश्वर के स्वरूप का यह यथार्थ और अनुभवात्मक ज्ञान होने के लिये, कि “सब प्राणियों में एक ही परमेश्वर है,” देहेन्द्रियधारी मनुष्य को क्या करना चाहिये ? इस प्रश्न का विचार उपर्युक्त रीति से करने पर जान पड़ेगा, कि यद्यपि परमेश्वर का श्रेष्ठ स्वरूप अनादि, अनन्त, अनिर्वाच्य, अचिन्त्य और ‘नेति नेति’ है, तथापि वह निर्गुण, अज्ञेय और अव्यक्त भी है। और जब उसका अनुभव होता है, तब उपास्य-उपासकरूपी द्वैतभाव शेष नहीं रहता। इसलिये उपासना का आरम्भ वहाँ से नहीं हो सकता। वह तो केवल अन्तिम साध्य है — साधन नहीं; और तद्रूप होने की जो अद्वैत स्थिति है उसकी प्राप्ति के लिये उपासना केवल एक साधन या उपाय है। अतएव उस उपासना में जिस वस्तु को स्वीकार करना पड़ता है, उसका सगुण होना अत्यन्त आवश्यक है। सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्, सर्वव्यापी और निराकार ब्रह्मस्वरूप वैसा अर्थात् सगुण है। परन्तु वह केवल बुद्धिगम्य और अव्यक्त अर्थात् इन्द्रियो को अगोचर होने के कारण उपासना के लिये अत्यन्त क्लेशमय है। अतएव प्रत्येक धर्म में यही दीख पड़ता है, कि इन दोनों परमेश्वर-स्वरूपों की अपेक्षा जो परमेश्वर अचिन्त्य, सर्वसाक्षी, सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान् जगदात्मा होकर भी हमारे समान हम से बोलेगा, हम पर प्रेम करेगा, हमको सन्मार्ग दिखावेगा और हमें सद्गति देगा, जिसे हम लोग ‘अपना’ कह सकेंगे, जिसे हमारे सुखदुःखों के साथ सहानुभूति होगी किंवा जो हमारे अपराधों को क्षमा करेगा, जिसके साथ हम लोगों का यह प्रत्यक्ष सम्बन्ध उत्पन्न हो, कि “हे परमेश्वर ! मैं तेरा हूँ और तू मेरा है,” जो पिता के समान मेरी रक्षा करेगा और माता के समान प्यार करेगा; अथवा जो “गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरण सुहृत्” (गीता ९.१७ और १८) है — अर्थात् जिसके विषय में मैं यह कह सकूँगा, कि “तू मेरी गति है, पोषणकर्ता है, तू मेरा स्वामी है, तू मेरा साक्षी है, तू मेरा विश्रामस्थान है, तू मेरा अन्तिम आधार है, तू मेरा सखा है,” और ऐसा कह कर बच्चों की नाई प्रमपूर्वक गो. र २७

तथा लाड से जिसके स्वरूप का आकलन मैं कर सकूँगा—ऐसे सत्यसद्बकल्प, सकलैश्वर्यसम्पन्न, दयासागर, भक्तवत्सल, परमपवित्र, परमउदार, परमकारुणिक, परमपूज्य, सर्वसुन्दर, सकलगुणनिधान अथवा संक्षेप में कहें तो ऐसे लाडले सगुण, प्रेमगम्य और व्यक्त यानी प्रत्यक्ष-रूपधारी सुलभ परमेश्वर ही के स्वरूप का सहारा मनुष्य 'भक्ति के लिये' स्वभावतः लिया करता है। जो परब्रह्म मूल में, अचिन्त्य और 'एकमेवाद्वितीयम्', है उसके उक्त प्रकार के अन्तिम दो स्वरूपों को (अर्थात्, प्रेम, श्रद्धा आदि मनोमय नेत्रों से मनुष्य को गोचर होनेवाले स्वरूपों को) ही वेदान्तशास्त्र की परिभाषा में 'ईश्वर' कहते हैं। परमेश्वर सर्वव्यापी हो कर भी मर्यादित क्यों हो गया? इसका उत्तर प्रसिद्ध महाराष्ट्र साधु तुकाराम ने एक पद्य में दिया है, जिसका आशय यह है :-

रहता है सर्वत्र ही व्यापक एक समान।

पर निज भवतों के लिये छोटा है भगवान् ॥

यही सिद्धान्त वेदान्तसूत्र में भी दिया गया है (१. २. ७)। उपनिषदों में भी जहाँ जहाँ ब्रह्म की उपासना का वर्णन है, वहाँ वहाँ प्राण, मन इत्यादि सगुण और केवल अव्यक्त वस्तुओं ही का निर्देश न कर उनके साथ साथ सूर्य (आदित्य), अन्न इत्यादि सगुण और व्यक्त पदार्थों की उपासना भी कही गई है (तै. ३. २ - ६; छां. ७)। श्वेताश्वतरोपनिषद् में तो 'ईश्वर' का लक्षण इस प्रकार बतला कर, कि "माया तु प्रकृतिं विद्यात् मायिनं 'तु महेश्वरम्'" (४. १०) - अर्थात् प्रकृति ही को माया और इन माया के अधिपति को महेश्वर जानो; आगे गीता ही के समान (गीता १०. ३) सगुण ईश्वर की महिमा का इस प्रकार वर्णन किया है, कि "ज्ञात्वा देव मुच्यते सर्वपापैः" - अर्थात् इस देव को जान लेने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है (४. १६)। यह तो नामरूपात्मक वस्तु उपास्य परब्रह्म के चिन्ह, पहचान, अवतार, अंश या प्रतिनिधि के तौर पर उपासना के लिये आवश्यक है, उन्हीं को वेदान्तशास्त्र में 'प्रतीक' कहते हैं। प्रतीक (प्रति + इक) शब्द का घात्वयं यह है - प्रति = अपनी ओर, इक = झुका हुआ। जब किसी वस्तु का कोई एक भाग पहले गोचर हो; और फिर आगे उस वस्तु का ज्ञान हो, तब उस भाग को प्रतीक कहते हैं। इस नियम के अनुसार, सर्वव्यापी परमेश्वर का ज्ञान होने के लिये उनका कोई भी प्रत्यक्ष चिन्ह, अशक्य विमूर्ति या भाग 'प्रतीक' हो सकता है। उदाहरणार्थ, महाभारत में ब्राह्मण और व्याध का जो संवाद है, उसमें व्याध ने ब्राह्मण को पहले बहूतन्मा अध्यात्मज्ञान बतलाया। फिर "हे द्विजवर! मेरा जो प्रत्यक्षधर्म है उसे अब देगाँ" - "प्रत्यक्ष मम यो धर्मस्तं च पश्य द्विजात्तम" (वन. २. १३ ३) ऐसा कर कर उस ब्राह्मण को यह व्याध अपने बृद्ध मातापिता के मनीषित किया और पहले मया - यही मेरे 'प्रत्यक्ष' देवता है, और मनीषाव ने ईश्वर के

समान इन्ही की सेवा करना मेरा 'प्रत्यक्ष' धर्म है। इसी अभिप्राय को मना मे रखकर भगवान् श्रीकृष्ण ने अपने व्यक्त स्वरूप की उपासना बतलाने के पहले गीता में कहा है -

राजविद्या राजगुह्य पवित्रमिदमुत्तमम् ।
प्रत्यक्षावगम धर्म्यं सुसुख कर्तुमव्ययम् ॥

अर्थात् यह भक्तिमार्ग "सर्व विद्याओ में और गुह्यो में श्रेष्ठ (राजविद्या और राजगुह्य) है; यह उत्तम, पवित्र, प्रत्यक्ष दीख पडनेवाला, धर्मानुकूल, सुख से आचरण करने योग्य व अक्षय है" (गीता ९ २)। इस श्लोक में राजविद्या और राजगुह्य, दोनों सामासिक शब्द हैं, इनका विग्रह यह है - 'विद्याना राजा' और 'गुह्याना राजा' (अर्थात् विद्याओ का राजा और गुह्यो का राजा)। और जब समास हुआ, तब संस्कृत व्याकरण के नियमानुसार 'राज' शब्द का उपयोग पहले किया गया। परन्तु इनके बदले कुछ लोग 'राजा विद्या' (राजाओ की विद्या) ऐसा विग्रह करते हैं, और कहते हैं, कि योगवासिष्ठ (२ ११ १६-१८) में जो वर्णन है उसके अनुसार जब प्राचीन समय में ऋषियों ने राजाओ को ब्रह्मविद्या का उपदेश किया, तब से ब्रह्मविद्या या अध्यात्मज्ञान ही को राजविद्या और राजगुह्य कहने लगे हैं। इसलिये गीता में भी उन शब्दों में वही अर्थ यानी अध्यात्मज्ञान - भक्ति नहीं - लिया जाना चाहिये। गीताप्रतिपादित मार्ग भी मनु, इक्ष्वाकु प्रभृति राजपरम्परा ही से प्रवृत्त हुआ है (गीता ४ १) इसलिये नहीं कहा जा सकता, कि गीता में 'राजविद्या' और 'राजगुह्य' शब्द 'राजाओ की विद्या' और 'राजाओ का गुह्य' - यानी राजमान्य विद्या और गुह्य - के अर्थ में उपयुक्त न हुए हो। परन्तु इन अर्थों को मान लेने पर भी यह ध्यान देने योग्य बात है, कि इस स्थान में ये शब्द ज्ञानमार्ग के लिए उपयुक्त नहीं हुए हैं। कारण यह है, कि गीता के जिस अध्याय में यह श्लोक आया है, उसमें भक्तिमार्ग का ही विशेष प्रतिपादन किया गया है (गीता ९ २२-३१ देखो)। और यद्यपि अन्तिम साध्य ब्रह्म एक ही है, तथापि गीता में ही अध्यात्मविद्या वा साधनात्मक ज्ञानमार्ग केवल 'बुद्धिगम्य' अतएव 'अव्यक्त' और 'दुष्कारक' कहा गया है (गीता १२ ५)। ऐसी अवस्था में यह असम्भव जान पडता है, कि भगवान् अब उसी ज्ञानमार्ग को 'प्रत्यक्षावगमम्' यानी व्यक्त और 'कर्तुं सुसुखम्' यानी आचरण करने में सुखकारक कहेंगे। अतएव प्रकरण की साम्यता के कारण, और केवल भक्तिमार्ग ही के लिये सर्वथा उपयुक्त होनेवाले 'प्रत्यक्षावगमम्' तथा 'कर्तुं सुसुखम्' पदों की स्वारस्य-सत्ता के कारण, अर्थात् इन दोनों कारणों से - यही निश्चय हाता है, कि इस श्लोक में 'राजविद्या' शब्द से भक्तिमार्ग ही विवक्षित है। 'विद्या' शब्द का अर्थ केवल ब्रह्मज्ञानसूचन नहीं है, किन्तु परब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेने के साधन, या मार्ग है, उन्हें भी उपनिषदों में 'विद्या' ही कहा है। उदाहरणार्थ, शाण्डिल्यविद्या,

प्राणविद्या, हार्दविद्या इत्यादि । वेदान्तसूत्र के तीसरे अध्याय के तीसरे पाद में उपनिषदों में वर्णित ऐसी अनेक प्रकार की विद्याओं का अर्थात् माधनाओं का विचार किया गया है । उपनिषदों से यह भी विदित होता है, कि प्राचीन समय में ये सत्र विद्याएँ गुप्त रखी जाती थी; और केवल शिष्यों के अतिरिक्त अन्य किसी को भी उनका उपदेश नहीं किया जाता था । अतएव कोई भी विद्या हो, वह गुह्य अवश्य ही होगी । परन्तु ब्रह्मप्राप्ति के लिये माधनीभूत होनेवाली जो ये गुह्य विद्याएँ या मार्ग हैं, वे यद्यपि अनेक हो, तथापि उन सब में गीताप्रतिपादित भक्तिमार्गरूपी विद्या अर्थात् साधन श्रेष्ठ (गुह्याना विद्याना च राजा) है । क्योंकि हमारे मतानुसार उक्त श्लोक का भाग्यार्थ यह है, कि वह (भक्तिमार्गरूपी साधन) ज्ञानमार्ग की विद्या के समान 'अव्यक्त' नहीं है; किन्तु वह 'प्रत्यक्ष' आँखों से दिखाई देनेवाला है और इसी लिये उसका आचरण भी सुख से किया जाता है । यदि गीता में केवल बुद्धिगम्य ज्ञानमार्ग ही प्रतिपादित किया गया होता, तो वैदिकधर्म के मव सम्प्रदायों में आज सैकड़ों वर्षों में इस ग्रन्थ की जैसी चाह होती चली आ रही है, वैसी हुई होती या नहीं इसमें सन्देह है । गीता में जो मधुरता, प्रेम या रस भरा है, वह उसमें प्रतिपादित भक्तिमार्ग ही का परिणाम है । पहले तो स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण ने — जो परमेश्वर के प्रत्यक्ष अवतार हैं — यह गीता कही है; और उसमें भी दूसरी बात यह है, कि भगवान् ने अज्ञेय परब्रह्म का कोरा ज्ञान ही नहीं कहा है; किन्तु स्थान स्थान में प्रथम पुरुष का प्रयोग करके अपने सगुण और व्यक्त स्वरूप को लक्ष्य कर कहा है, कि "भूषमें यह सब गुंथा हुआ है" (७. ७), "यह सब मेरी ही माया है" (७. १४), "भूषसे मित्र और वृद्ध भी नहीं है" (७. ७), "भूषे शत्रु और मित्र दोनों बराबर हैं" (९. २९), "मैंने इस जगत् को उत्पन्न किया है" (९. ४), "मैं ही ब्रह्म का और मोक्ष का मूल हूँ" (१४. २७) अथवा "भूषे पुरुषोत्तम कहते हैं" (१५. १८) । और अन्त में अर्जुन को यह उपदेश किया, कि "सब धर्मों को छोड़ तू अकेले मेरी शरण आ, मैं तुझे सब पापों में मुक्त करूँगा, डर मत" (१८. ६६) । इसमें श्रोता कि यह भावना हो जानी है, कि मानो मैं साजान् ऐमे पुरुषोत्तम के मामने खड़ा हूँ, कि जो समदृष्टि, परमपूज्य और अव्यक्त दयालु है; और तत्र आत्मज्ञान के विषय में उसकी निष्ठा भी बढ़त दृढ़ हो जाती है । इतना ही नहीं; किन्तु गीता के अध्यायों का इस प्रकार पृथक्-पृथक् विभाग न कर — कि एक बार ज्ञान का तो दूसरी बार भक्ति का प्रतिपादन हो — ज्ञान ही में भक्ति और भक्ति ही में ज्ञान को गुंथ दिया है, जिसका परिणाम यह होता है, कि ज्ञान और भक्ति में अथवा बुद्धि और प्रेम में परस्पर विरोध न होकर परस्पर के ज्ञान ही के माय प्रेमरस का भी अनुभव होता है, और सत्र प्राणियों के विषय में आत्मोपम्यबुद्धि की जागृति होकर अन्त में चित्त को विलक्षण शान्ति, समाधान और सुख प्राप्त होता है । इसी में कर्मयोग भी आ मित्र है; मानो दृष्ट में गहरा मिल गई हो । फिर इसमें कोई आश्चर्य नहीं, जो हमारे पण्डितजनों ने यह

सिद्धान्त किया, कि गीता-प्रतिपादित ज्ञान ईशावास्योपनिषद् के कथनानुसार मृत्यु और अमृत अर्थात् इहलोक और परलोक दोनों जगह श्रेयस्कर है।

ऊपर किये गये विवेचन से पाठको के ध्यान में यह बात आ जायगी, कि भक्तिमार्ग किसे कहते हैं; ज्ञानमार्ग और भक्तिमार्ग में समानता तथा विषमता क्या है; भक्तिमार्ग को राजमार्ग (राजविद्या) या सहज उपाय क्यों कहा है; और गीता में भक्ति को स्वतन्त्र निष्ठा क्यों नहीं माना है। परन्तु ज्ञानप्राप्ति के इस सुलभ, अनादि और प्रत्यक्ष मार्ग में भी धोखा खा जाने की एक जगह है। उसका भी कुछ विचार किया जाना चाहिये। नहीं तो सम्भव है, कि इस मार्ग से चलनेवाला पथिक असावधानता से गड्ढे में गिर पड़े। भगवद्गीता में इस गड्ढे का स्पष्ट वर्णन किया गया है; और वैदिक भक्तिमार्ग में अन्य भक्तिमार्गों की अपेक्षा जो कुछ विशेषता है, वह यही है। यद्यपि इस बातको सब लोग मानते हैं, कि परब्रह्म के चित्तशुद्धिद्वारा साम्यबुद्धि की प्राप्ति के लिये साधारणतया मनुष्यों के सामने परब्रह्म के 'प्रतीक' के नाते से कुछ-न-कुछ सगुण और व्यक्त वस्तु अवश्य होनी चाहिये - नहीं तो चित्त की स्थिरता हो नहीं सकती; तथापि इतिहास से दीख पड़ता है, कि 'प्रतीक' के स्वरूप के विषय में अनेक बार झगड़े और बखेड़े हो जाया करते हैं। अध्यात्मशास्त्र की दृष्टि से देखा जाय, तो इस ससार में ऐसा कोई स्थान नहीं, कि जहाँ परमेश्वर न हो। भगवद्गीता में भी जब अर्जुन ने भगवान् श्रीकृष्ण से पूछा, "तुम्हारी किन किन विभूतियों के रूपसे चिन्तन (भजन) किया जावे, सो मुझे बतलाइये" (गीता १०. १८); तब दसवे अध्याय में भगवान् ने इस स्थावर और जगम सृष्टि में व्याप्त अपनी अनेक विभूतियों का वर्णन करके कहा है, कि मैं इन्द्रियों में मन, स्थावरो में हिमालय, यशो में जपयज्ञ, सर्पो में वासुकि, दैत्यों में प्रल्हाद, पितरो में अर्यमा, गन्धर्वों में चित्ररथ, वृक्षों में अश्वत्थ, पक्षियों में गरुड, महर्षियों में भृगु, असुरों में अकार, और आदित्यों में विष्णु हूँ, और अन्त में यह कहा -

यद्यद्विभूतिभत् सत्त्वं श्रीमद्भूजितमेव वा ।

तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोऽशसंभवम् ॥

"हे अर्जुन! यह जानो, कि जो कुछ वैभव, लक्ष्मी और प्रभाव से युक्त हो, वह मेरे ही तेज के अश से उत्पन्न हुआ है" (१०. ४१); और अधिक क्या कहा जाय। मैं अपने एक अशमात्र से इस सारे जगत् में व्याप्त हूँ! इतना कह कर अगले अध्याय में विश्वरूपदर्शन से अर्जुन को इसी सिद्धान्त की प्रत्यक्ष प्रतीति भी करा दी है। यदि इस ससार में दिखलाई देनेवाले सब पदार्थ या गुण परमेश्वर ही के रूप यानी प्रतीक हैं, तो यह कौन और कैसे कह सकता है, कि उनमें से किसी एक ही में परमेश्वर है और दूसरे में नहीं? न्यायतः यही कहना पड़ता है, कि वह दूर है और समीप भी है। सत् और असत् होने पर भी वह उन दोनों से परे है; अथवा

गरुड और नर्प, मृत्यु और मरनेवाला, विघ्नकर्ता और विघ्नहर्ता, भयकृत और भयानक, घोर और अघोर, शिव और अशिव, वृष्टि करनेवाला और उसको रोकने-वाला भी (गीता ९.१९ और १०.३२) वही है। अतएव भगवद्भक्त तुकाराम महाराज ने भी इसी भाव से कहा है :-

छोटा बड़ा कहें जो कुल हम ।

फवता है सब तुझे महत्तम ॥

सम प्रकार विचार करने पर मालूम होता है, कि प्रत्येक वस्तु अंशतः परमेश्वर ही का स्वरूप है। तो फिर जिन लोगों के ध्यान में परमेश्वर का यह सर्वव्यापी स्वरूप एकाएक नहीं आ सकता, वे यदि इस अव्यक्त और शुद्ध रूप को पहचानने के लिये इन अनेक वस्तुओं में से किसी एक को माधन या प्रतीक ममज्ञ कर उसकी उपासना करें, तो क्या हानि है? कोई मन की उपासना करेगा, तो कोई द्रव्ययज्ञ या जपयज्ञ करेगा। कोई गरुड की भक्ति करेगा, तो कोई अमंत्राक्षर ही का जप करेगा; कोई विष्णु का, कोई शिव का, कोई गणपति का और कोई भवानी का भजन करेंगे। कोई अपने मातापिता के चरणों में ईश्वरभाव रख कर उनकी सेवा करेगा; और कोई इसमें भी अधिक व्यापक सर्वभूतात्मक विराट् पुरुष की उपासना पसन्द करेगा। कोई कहेंगे, सूर्य को भजो, और कोई कहेंगे, कि राम या कृष्ण सूर्य से भी श्रेष्ठ है। परन्तु अज्ञान ने या मोह से जब यह दृष्टि छूट जाती है, कि "सब विभूतियों का मूलस्थान एक ही परब्रह्म है," अथवा जब किसी धर्म के मूल सिद्धान्तों में ही यह व्यापक दृष्टि नहीं होती, तब अनेक प्रकार के उपास्यों के विषय में वृथाभिमान और दुराग्रह उत्पन्न हो जाता है; और कभी कभी तो लडाइयाँ हो जाने तक नौबत आ पहुँचनी है। वैदिक, बुद्ध, जैन, ईसाई या मुहम्मदी धर्मों के परस्परविरोध की बात छोड़ दे और केवल ईसाई धर्म को ही देखें; तो यूरोप के इतिहास से यही दीख पड़ता है, कि एक ही मगुण और व्यक्त ईसा मसीह के उपासकों में भी विधिभेदों के कारण एक दूसरे की जान लेने तक की नौबत आ चुकी थी। इस देश के मगुण उपासकों में भी अब तक यह झगडा दीख पड़ता है, कि हमारा देव निर्गवार होने के कारण अन्य लोगों के साकार देव से श्रेष्ठ है। भक्तिमार्ग में उत्पन्न होनेवाले इन झगडों का निर्गम करने के लिये कोई उपाय है या नहीं? यदि है तो वह कौन-सा उपाय है? जब तक इसका ठीक ठीक विचार नहीं हो जायगा, तब तक भक्तिमार्ग बेगटके वा या वगैर धोके का नहीं कहा जा सकता। इस लिये अब यही विचार किया जायगा, कि गीता में इस प्रश्न का क्या उत्तर दिया गया है। कहना नहीं होगा, कि हिन्दुमान की वर्तमानदशा में इस विषय का ग्योचित विचार करना विशेष महत्त्व की बात है।

गाम्भ्यरूढ़ि की प्राप्ति के लिये मन को स्थिर करने परमेश्वर की अनेक मगुण विभूतियों में से किसी एक विभूति के स्वरूप का प्रयत्न. चिन्तन करना अथवा उगवा

प्रतीक ममज्ञकर प्रत्यक्ष नेत्रों के मामले रखना, इत्यादि साधनों का वर्णन प्राचीन उपनिषदों में भी पाया जाता है, और रामतापनी सरीखे उत्तरकालीन उपनिषद् में या गीता में भी मानवरूपधारी सगुण परमेश्वर की निस्सीम और एकान्तिक भक्ति को ही परमेश्वरप्राप्ति का मुख्य साधन माना है। परन्तु साधन की दृष्टि से यद्यपि वासुदेवभक्ति को गीता में प्रधानता दी गई है, तथापि अध्यात्मदृष्टि से विचार करने पर वेदान्तसूत्र की नाई (वे. सू. ४. १. ४) गीता में भी यही स्पष्ट रीती से कहा है, कि 'प्रतीक' एक प्रकार का साधन है - वह सत्य, सर्वव्यापी और नित्य परमेश्वर हो नहीं सकता। अधिक क्या कहे, नामरूपात्मक और व्यक्त अर्थात् सगुण जस्तुओं में से किसी को भी लीजिये; वह माया ही है। जो सत्य परमेश्वर को देखना चाहता है, उसे इन सगुण रूप के भी परे अपनी दृष्टि को ले जाना चाहिये। भगवान् की जो अनेक विभूतियाँ हैं, उनमें अर्जुन को दिखलाये गये विश्वरूप से अधिक व्यापक और कोई भी विभूति हो नहीं सकती। परन्तु जब यही विश्वरूप भगवान् ने नारद को दिखलाया तब उन्होंने कहा है, "तू मेरे जिस रूप को देख रहा है वह सत्य नहीं है, यह माया है, मेरे सत्य स्वरूप को देखने के लिये इसके भी आगे तुझे जाना चाहिये" (शा. ३३९. ४४); और गीता में भी भगवान् श्रीकृष्ण ने अर्जुन से स्पष्ट रीती से यही कहा है :-

अव्यक्तं व्यवितमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः ।

परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् ॥

“यद्यपि मैं अव्यक्त हूँ, तथापि मूर्ख लोग मुझे व्यक्त (गीता ७. २४) अर्थात् मनुष्य-देहधारी मानते हैं (गीता ९. ११); परन्तु यह बात सच नहीं है। मेरा अव्यक्त स्वरूप ही सत्य है।” इसी तरह उपनिषदों में भी यद्यपि उपासना के मन, वाचा, सूर्य, आकाश इत्यादि अनेक व्यक्त और अव्यक्त ब्रह्मप्रतीकों का वर्णन किया गया है, तथापि अन्त में यह कहा है, कि जो वाचा, नेत्र या कान को गोचर हो वह ब्रह्म नहीं; जैसे :-

यन्मनसा न मनुते येनाऽऽहुर्मनो मतम् ।

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेवं यदिदमुपासते ॥

“मन से जिसका मनन नहीं किया जा सकता, किन्तु मन ही जिसकी मननशक्ति में आ जाता है, उसे तू ब्रह्म समझ। जिसकी उपासना की (प्रतीक के तौर पर) जाती है, वह (सत्य) ब्रह्म नहीं है” (केन १. ५-८)। 'नेति तेति' सूत्र का भी यही अर्थ है। मन और आकाश को लीजिये अथवा व्यक्त उपासनामार्ग के अनुसार शालिग्राम, शिवलिंग इत्यादि को लीजिये, या श्रीराम, कृष्ण आदि अवतारी पुरुषों की अथवा साधुपुरुषों की व्यक्त मूर्ति का चिन्तन कीजिये, मन्दिरों में शिलामय अथवा धातुमय देव की मूर्ति को देखिये, अथवा बिना मूर्ति का मन्दिर या मसजिद लीजिये;

— ये सब छोटे बच्चे की लँगड़ी-गाड़ी के समान मन को स्थिर करने के लिये अर्थात् चित्त की वृत्ति को परमेश्वर की ओर झुवाने के माधन है। प्रत्येक मनुष्य अपनी अपनी इच्छा और अधिकार के अनुसार उपासना के लिये किसी प्रतीक का स्वीकार कर लेता है। यह प्रतीक चाहे कितना ही प्यारा हो; परन्तु इस बात को नहीं भूजना चाहिये, कि सत्य परमेश्वर इस 'प्रतीक' में नहीं है'— 'न प्रतीके न हि म' (वे सू ४ १ ४) — उसके परे है। इसी हेतु मे भगवद्गीता में भी मिद्वान्त किया गया है, कि "जिन्हें मेरी माया मालूम नहीं होती, वे मूढजन मुझे नहीं जानते" (गीता ७ १३-१५)। भक्तिमार्ग में मनुष्य का उद्धार करने की जो शक्ति है, वह कुछ सजीव अथवा निर्जीव मूर्ति में या पत्थरों की उमारतों में नहीं है, किन्तु उम प्रतीक में उपासक अपने मुर्तियों के लिये जो ईश्वरभावना रखता है, वही उपासक में तारक होती है। चाहे प्रतीक पत्थर का हो, मिट्टी का हो, धातु का हो या अन्य किसी पदार्थ का हो, उमकी योग्यता 'प्रतीक' से अधिक कभी नहीं हो सकती। इस प्रतीक में जैसा हमारा भाव होगा, ठीक उसी के अनुसार हमारी भक्ति का पत्र परमेश्वर — प्रतीक नहीं — हमें दिया करता है। फिर ऐसा बखेड़ा मजाने में क्या लाभ, कि हमारा प्रतीक श्रेष्ठ है और तुम्हारा नित्युष्ट? यदि भाव शुद्ध न हो, तो केवल प्रतीक की उत्तमता से ही क्या लाभ होगा? दिन भर लोगो को घोषणा देने और फौसाने का धन्या करके सुबह-शाम या किसी त्योहार के दिन देवालय में देवदर्शन के लिये अथवा किसी निराकार देव के मंदिर में उपासना के लिये जाने में परमेश्वर की प्राप्ति अनम्भव है। क्या मुनने के लिये देवालय में जानेवाले कुछ मनुष्यों का वर्णन रामदासबाबा ने इस प्रकार किया है — "कोई कोई विषयी लोग क्या मुनते ममय मन्त्रियों ही की ओर घूरा करते हैं, चोग लाग पादत्राण (जूते) चुरा ले जाते हैं" (दाम १८ १०.२६)। यदि केवल देवालय में या देवता की मूर्ति ही में ताक-मसि हो, तो ऐसे लोगो को भी मुक्ति मित्र जानी चाहिये। कुछ लोगो की ममज्ञ है, कि परमेश्वर की भक्ति केवल मोक्ष ही के लिये की जानी है, परन्तु जिन्हें किसी व्यापहारिक या स्वार्थ की वस्तु चाहिये, वे भिन्न भिन्न देवताओं की आराधना करें। गीता में भी इस बात का उल्लेख किया गया है, कि ऐसी स्वार्थयुद्धि ने कुछ लोग भिन्न भिन्न देवताओं की पूजा किया करते हैं (गीता ७ २०)। परन्तु उनके आगे गीता ही का कथन है, कि यह ममय तान्त्रिक दृष्टि में सच नहीं मानी जा सकती, कि इन देवताओं की आराधना करने में वे स्वयं कुछ फल देते हैं (गीता ७ २१)। अध्यात्म-शास्त्र का यह विरम्यायी मिद्वान्त है (वे सू ३ २ ३८-८१), और यही मिद्वान्त गीता का भी मान्य है (गीता ७ २०), कि मन में किसी भी वाचना या कामना का श्चरर किसी भी देवता की आराधना की जावे, उमका पत्र सर्वव्यापी परमेश्वर ही दिया करता है, न कि देवता। यद्यपि पत्रदाता परमेश्वर इस प्रकार एक ही हो, तथापि यह प्रत्येक के भन्वुर भावा के अनुसार भिन्न भिन्न फल दिया करता है

(वे. सू. २. १. ३४-३७) । इसलिये यह दीख पड़ता है, कि भिन्न भिन्न देवताओं की या प्रतीकों की उपासना के फल भी भिन्न भिन्न होते हैं । इसी अभिप्राय को मन में रख कर भगवान् ने कहा है :-

श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः ।

“ मनुष्य श्रद्धामय है । प्रतीक कुछ भी हो; परन्तु जिसकी जैसी श्रद्धा होती है, वैसा ही वह हो जाता है ” (गीता १७. ३. मंत्र्यु. ४ ६) । अथवा -

यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः ।

भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् ॥

“ देवताओं की भक्ति करनेवाले देवलोक में, पितरों की भक्ति करनेवाले पितृलोक में, भूतों की भक्ति करनेवाले भूतों में जाते हैं; और मेरी भक्ति करनेवाले मेरे पास आते हैं ” (गी. ९. २५) । या -

ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तयैव भजाम्यहम् ।

“ जो जिस प्रकार मुझे भजते हैं, उसी प्रकार मैं उन्हें भजता हूँ ” (गी. ४ . ११) । सब लोग जानते हैं, कि शालग्राम सिर्फ एक पत्थर है । उसमें यदि विष्णु का भाव रखा जाय, तो विष्णुलोक मिलेगा; और यदि उसी प्रतीक में यक्ष, राक्षस आदि भूतों की भावना की जाय, तो यक्ष, राक्षस आदि भूतों के ही लोक प्राप्त होंगे । यह सिद्धान्त हमारे सब शास्त्रकारों को मान्य है, कि फल हमारे भाव में है; प्रतीक में नहीं । लौकिक व्यवहार में किसी मूर्ति की पूजा करने के पहले उसकी प्राणप्रतिष्ठा करने की जो रीति है, उसका भी रहस्य यही है । जिस देवता की भावना से उस मूर्ति की पूजा करनी हो, उस देवता की प्राणप्रतिष्ठा उस मूर्ति में करते हैं । मूर्ति में परमेश्वर की भावना न रख कोई यह समझ कर उसकी पूजा या आराधना नहीं करते, कि यह मूर्ति किसी विशिष्ट आकार की, सिर्फ मिट्टी, पत्थर या धातु है । और यदि कोई ऐसा करे भी, तो गीता के उक्त सिद्धान्त के अनुसार उसको मिट्टी, पत्थर या धातु ही की दशा निस्सन्देह प्राप्त होगी । जब प्रतीक में स्थापित या आरोपित किये गये हमारे आन्तरिक भाव में इस प्रकार भेद कर लिया जाता है, तब केवल प्रतीक के विषय में झगडा करते रहने का कोई कारण नहीं रह जाता । क्योंकि अब तो यह भाव ही नहीं रहता, कि प्रतीक ही देवता है । सब कर्मों के फलदाता और सर्वसाक्षी परमेश्वर की दृष्टि अपने भक्तजनों के भाव की ओर ही रहा करती है । इसीलिये साधु सुकाराम कहते हैं, कि ‘ देव भाव का ही भूखा है ’ - प्रतीक का नहीं । भक्तिमार्ग का सह तत्त्व जिसे भली भाँति मालूम हो जाता है, उसके मन में यह दुराग्रह नहीं रहने पाता, कि “ मैं जिस ईश्वरस्वरूप या प्रतीक की उपासना करता हूँ, वही सच्चा है; और अन्य सब मिथ्या हैं । ” किन्तु उसके अन्तःकरण में ऐसी उदारबुद्धि जागृत

हो जाती है, कि " किमी का प्रतीक कुछ भी हो; परन्तु जो लोग उसके द्वारा परमेश्वर का भजन-भूजन किया करते हैं, वे सब एक परमेश्वर में जा मिलने हैं। " और तब उसे भगवान् के इस कथन की प्रतीति होने लगती है, कि :-

यऽप्यन्यदेवताभक्ताः यजन्ते श्रद्धयान्विताः ।

तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् ॥

अर्थात् " चाहे विधि, अर्थात् ब्रह्मोपचार या साधन शास्त्र के अनुमार न हो; तथापि अन्य देवताओं का श्रद्धापूर्वक (यानी उन में श्रद्धा परमेश्वर का भाव रख कर) यजन करनेवाले लोग (पर्याय में) मेरा ही यजन करते हैं " (गीता ९. २३) । भागवत में भी इसी अर्थ का वर्णन कुछ शब्दभेद के साथ किया गया है (भाग. १०. पू. ४०. ८. १०); शिवगीता में तो उपर्युक्त श्लोक ज्यो-का-त्यो पाया जाता है (शिव. १२. ४); और " एकं मद्भिप्रा बहुधा वदन्ति " (ऋ. १. १६४. ४६) इस वेदवचन का तात्पर्य भी वही है। इसमें निद्र होता है, यह तत्त्व वैदिक धर्म में बहुत प्राचीन समय में चला आ रहा है। और यह इसी तत्त्व का फल है, कि आधुनिक काल में श्रीशिवाजी महाराज के समान वैदिकधर्मीय वीरपुरुष के स्वभाव में, उनके परम उत्कर्ष के समय में भी परधर्म-असहिष्णुता-रूपी दोष दीख नहीं पटना था। यह मनुष्यों की अत्यन्त शोचनीय मूर्खता का लक्षण है, कि वे इस मत्त तत्त्व को तो नहीं पहचानते, कि ईश्वर सर्वव्यापी, सर्वमाक्षी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान् और समके भी परे अर्थात् अचिन्त्य है; किन्तु वे ऐसे नामरूपात्मक व्यर्थ अभिमान के अधिन हो जाते हैं, कि ईश्वर ने अमुक समय, अमुक देश में, अमुक माता के गर्भ से, अमुक वर्ण का, नाम का या धातुति का जो व्यक्त स्वरूप धारण किया, वही केवल मत्त है; और इस अभिमान में फँसकर एक-दूसरे की जान लेने तक को उतार-हो जाते हैं। गीताप्रतिपादित भक्तिमार्ग को 'राजविद्या' कहा है सही; परन्तु यदि इस यान की खोज की जाय, कि जिस प्रकार स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण ही ने " मेरा दृश्य स्वरूप भी केवल माया ही है; मेरे यथार्थ स्वरूप को जानने के लिये तम भावा से भी परे जाओ; " वह कर यथार्थ उपदेश किया है, उस प्रकार का उपदेश और विगने किया है? एव 'अविभक्त विभक्तेषु' इस सात्त्विक ज्ञानदृष्टि में सब धर्मों की एषता को पहचान कर, भक्तिमार्ग के योगे झगड़ों की जड़ ही को काट डालनेवाले धर्मगुरु पहले पढ़ते वहाँ अपनी श्रद्धा दूरे? अथवा उनके मनानुयायी अधिन कहाँ हैं? तो कहना पड़ेगा, कि इस विषय में हमारी पवित्र भागतूमी को ही अप्रम्यान दिया जाना चाहिये। हमारे देशरामिया को राजविद्या का और राजगुरु का यह नाशान् पागम अनायाम ही प्राप्त हो गया है। परन्तु जब हम देखते हैं, कि हममें से ही कुछ लोग अपनी आँखों पर अज्ञानरूपी चन्मा लगाकर उस पागम को चरमक पत्थर कहने के लिये तयार हैं, तब हमें अपने दुर्भाग्य के सिवा और क्या बतें ?

प्रतीक कुछ भी हो; भक्तिमार्ग का फल प्रतीक में नहीं है। किन्तु उस प्रतीक में जो हमारा आन्तरिक भाव होता है, उस भाव में है। इसलिये यह सच है, कि प्रतीक के बारे में झगडा मचाने से कुछ लाभ नहीं। परन्तु अब यह शडका है, कि वेदान्त की दृष्टि में जिस शुद्ध परमेश्वरस्वरूप की भावना प्रतीक में आरोपित करनी पडती है, उस शुद्ध परमेश्वरस्वरूप की कल्पना बहुतेरे लोग अपने प्रकृतिस्वभाव या अज्ञान के कारण ठीक ठीक कर नहीं सकते; ऐसी अवस्था में इन लोगों के लिये प्रतीक में शुद्ध भाव रख कर परमेश्वर की प्राप्ति कर लेने का कौन सा उपाय है? यह कह देने से काम नहीं चल सकता, कि " भक्तिमार्ग में ज्ञान का काम श्रद्धा से हो जाता है। इसलिये विश्वास से या श्रद्धा से परमेश्वर के शुद्धस्वरूप को जान कर प्रतीक में भी वही भाव रखो। वस, तुम्हारा भाव सफल हो जायगा। " कारण यह है, कि भाव रखना मन का अर्थात् श्रद्धा का धर्म है सही; परन्तु उसे बुद्धि की थोडीबहुत सहायता बिना मिले कभी काम नहीं चल सकता। अन्य सब मनोधर्मों के अनुसार केवल श्रद्धा या प्रेम भी एक प्रकार से अन्धे की है। यह बात केवल श्रद्धा या प्रेम से कभी मालूम हो नहीं सकती, कि किस पर श्रद्धा रखनी चाहिये और किस पर नहीं। अथवा किस से प्रेम करना चाहिये और किस से नहीं। यह काम प्रत्येक मनुष्य को अपनी बुद्धि से ही करना पडता है; क्योंकि निर्णय करने के लिये बुद्धि के सिवा कोई दूसरी इन्द्रिय नहीं है। साराश यह है, कि चाहे किसी मनुष्य की बुद्धि अत्यन्त तीव्र न भी हो; तथापि उसमें यह जानने का सामर्थ्य तो अवश्य ही होना चाहिये, कि श्रद्धा, प्रेम या विश्वास कहाँ रखा जावे। नहीं तो अन्धश्रद्धा और उसी के साथ अन्धप्रेम भी धोखा खा जायगा; और दोनों गड्डे में जा गिरेगे। विपरीत पक्ष में यह भी कहा जा सकता है, कि श्रद्धारहित केवल बुद्धि ही यदि कुछ काम करने लगे, तो युक्तिवाद और तर्कज्ञान में फँस कर, न जाने वह कहाँ कहाँ भटकती रहेगी; वह जितनी ही अधिक तीव्र होगी, उतनी ही अधिक भटकेगी। इसके अतिरिक्त इस प्रकरण के आरम्भ ही में कहा जा चुका है, कि श्रद्धा आदि मनोधर्मों की सहायता के बिना केवल बुद्धिगम्य ज्ञान में कर्तृत्वशक्ति भी उत्पन्न नहीं होती। अतएव श्रद्धा और ज्ञान अथवा मन और बुद्धि का हमेशा साथ रहना आवश्यक है। परन्तु मन और बुद्धि दोनों त्रिगुणात्मक प्रकृति ही के विकार हैं। इसलिये उनमें से प्रत्येक के जन्मत. तीन भेद - सात्त्विक, राजस और तामस हो सकते हैं। और यद्यपि उनका साथ हमेशा बना रहे, तो भी भिन्न भिन्न मनुष्यों में उनकी जितनी शुद्धता या अशुद्धता होगी, उसी हिसाब से मनुष्य के स्वभाव, समझ और व्यवहार भी भिन्न भिन्न हो जावेगे। यही बुद्धि केवल जन्मत: अशुद्ध, राजस या तामस हो तो उसका किया हुआ भले-बुरे का निर्णय गलत होगा; जिसका परिणाम यह होगा, कि अन्ध-श्रद्धा के सात्त्विक अर्थात् शुद्ध होने पर भी वह धोखा खा जायगा। अच्छा; यदि श्रद्धा ही जन्मत: अशुद्ध हो, तो बुद्धि के सात्त्विक होने में भी कुछ लाभ नहीं।

क्योंकि ऐसी अवस्था में बुद्धि की आज्ञा को मानने के लिये श्रद्धा तैयार ही नहीं रहती। परन्तु साधारण अनुभव यह है कि बुद्धि और मन दोनों अलग अलग अगुद नहीं रहते। जिसकी बुद्धि जन्मतः अशुद्ध होती है; उमका मन अर्थात् श्रद्धा भी प्रायः न्यूनाधिक अवस्था ही में रहती है; और फिर यह अशुद्ध बुद्धि स्वभावतः अशुद्ध अवस्था में रहनेवाली श्रद्धा को अधिकाधिक भ्रम में डाल दिया करती है। ऐसी अवस्था में रहनेवाले किसी मनुष्य को परमेश्वर के शुद्धस्वरूप का चाहे जैसा उपदेश किया जाय; परन्तु वह उसके मन में जँचता ही नहीं। अथवा यह भी देखा गया है, कि कभी कभी — विशेषतः श्रद्धा और बुद्धि दोनों ही जन्मतः अपक्व और कमजोर हों, तब — वह मनुष्य उमी उपदेश का विपरीत अर्थ किया करता है। इसका एक उदाहरण लीजिये। जब ईसाई धर्म के उपदेशक आफ्रिकानिवासी नीग्रो जाति के जङ्गली लोगों को अपने धर्म का उपदेश करने लगते हैं, तब उन्हें आकाश में रहनेवाले पिता की अथवा ईसा मसीह की भी कुछ भी यथार्थ कल्पना हो नहीं सकती। उन्हें जो कुछ बतलाया जाता है, उसे वे अपनी अपक्व बुद्धि के अनुसार अयथार्थभाव से ग्रहण किया करते हैं। इसीलिये एक अंग्रेज ग्रन्थकार ने लिखा है, कि उन लोगों में मुधरे हुए धर्म को समझने की पात्रता कान के लिये सब से पहले उन्हें अर्वाचीन मनुष्यों की योग्यता को पहुँचा देना चाहिये।* भवभूति के इस दृष्टान्त में भी वही अर्थ है — एक ही गुरु के पाम पढे हुए शिष्यों में भिन्नता दीख पडती है। यद्यपि सूर्य एक ही है, तथापि उसके प्रकाश में कौंच के मणि में आग निकलती है; और मिट्टी के ढेरे पर कुछ परिणाम नहीं होता (उ. राम. २. ४)। प्रतीत होता है, कि प्रायः इसी कारण से प्राचीन समय में शुद्र आदि अज्ञान वेदश्रवण के लिये अनधिकारी माने जाते होगे।† गीता में भी इस विषय की चर्चा की गई है। जिस प्रकार बुद्धि के स्वभावतः सात्त्विक, राजस और तामस भेद हुआ करते हैं (१८. ३०-३२), उसी प्रकार श्रद्धा के स्वभावतः तीन भेद होते हैं (१७. २)। प्रत्येक व्यक्ति के देहस्वभाव के अनुसार उसकी श्रद्धा भी स्वभावतः भिन्न हुआ करती है (१७. ३)। इसलिये भगवान् कहते हैं, कि जिन लोगों की श्रद्धा सात्त्विक है, वे देवताओं में; जिनकी श्रद्धा राजस है, वे यज्ञ-राशन आदि में और जिनकी श्रद्धा तामस है, वे भूत-पिशाच आदि में विश्वास करते हैं (गीता १७. ८-६)। यदि मनुष्य की श्रद्धा का अच्छापन या बुरापन दम

* "And the only way, I suppose, in which beings of so low an order of development (e. g. an Australian savage or a Bushman) could be raised to a civilized level of feeling and thought would be by cultivation continued through several generations; they would have to undergo a gradual process of humanization before they could attain to the capacity of civilization." Dr. Maudsley's *Body and Mind*. Ed. 1873. p. 57.

† See Max Muller's *Three Lectures on the Vedanta Philosophy*. pp. 72, 73.

नैसर्गिक स्वभाव पर अवलंबित है, तो अब यह प्रश्न होता है, कि यथाशक्ति भक्ति-भाव से इस श्रद्धा में कुछ सुधार हो सकता है, या नहीं ? और वह किसी समय शुद्ध अर्थात् सात्त्विक अवस्था को पहुँच सकती है, या नहीं ? भक्तिमार्ग के उक्त प्रश्न का स्वरूप कर्मविपाकक्रिया के ठीक इस प्रश्न के समान है, कि ज्ञान की प्राप्ति कर लेने के लिये मनुष्य स्वतन्त्र है, या नहीं ? कहने की आवश्यकता नहीं, कि इन दोनों प्रश्नों का उत्तर एक ही है। भगवान् ने अर्जुन को पहले यही उपदेश किया, कि 'मय्येव मन आधत्स्व' (गीता १२.८) अर्थात् मेरे शुद्धस्वरूप में तू अपने मन को स्थिर कर; और इसके बाद परमेश्वरस्वरूप को मन में स्थिर करने के लिये भिन्न भिन्न उपायो का इस प्रकार वर्णन किया है - "यदि तू मेरे स्वरूप में अपने चित्त को स्थिर न कर सकता हो, तो तू अभ्यास अर्थात् बारबार प्रयत्न कर। यदि तुझ से अभ्यास भी न हो सके, तो मेरे लिये चित्तशुद्धिकारक कर्म कर। यदि यह भी न हो सके, तो कर्मफल का त्याग कर; और उससे मेरी प्राप्ति कर ले" (गीता १२. ९-११; भाग. ११. ११. २१-२५)। यदि मूल देहस्वभाव अथवा प्रकृति तामस हो, तो परमेश्वर के शुद्धस्वरूप में चित्त को स्थिर करने का प्रयत्न एकदम या एक ही जन्म में सफल नहीं होगा। परन्तु कर्मयोग के समान भक्तिमार्ग में भी कोई बात निष्फल नहीं होती। स्वयं भगवान् सब लोगों को इस प्रकार भरोसा देते हैं :-

बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते ।

वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः ॥

जब कोई मनुष्य एक बार भक्तिमार्ग से चलने लगता है, तब इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं तो उसके आगे के जन्म में, कभी-न-कभी, उसको परमेश्वर के स्वरूप का ऐसा यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो जाता है, कि "यह सब वासुदेवात्मक ही है;" और इस ज्ञान से अन्त में उसे मुक्ति भी मिल जाती है (गीता ७. १९)। छठवे अध्याय में भी उसी प्रकार कर्मयोग का अभ्यास करनेवाले के विषय में कहा गया है, कि "अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परा गतिम्" (६. ४५) और भक्तिमार्ग के लिये भी यही नियम उपयुक्त होता है। भक्त को चाहिये, कि वह जिस देव का भाव प्रतीक में रखना चाहे, उसके स्वरूप को अपने देहस्वभाव के अनुसार पहले ही से यथाशक्ति शुद्ध मान ले। कुछ समय तक उसी भावना का फल परमेश्वर (प्रतीक नहीं) दिया करता है (७. २२)। परन्तु इसके आगे चित्तशुद्धि के लिये किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं रहती। यदि परमेश्वर को वही भक्ति यथामति हमेशा जारी रहे, तो भी भक्त के अन्तःकरण की भावना आप-ही-आप उन्नत हो जाती है। परमेश्वरमन्वन्धी ज्ञान की वृद्धि भी होने लगती है। मन की ऐसी अवस्था हो जाती है, कि, 'वासुदेवः सर्वम्' - उपास्य और उपासक का भेदभाव शेष नहीं रह जाता; और अन्त में शुद्ध ब्रह्मानन्द में आत्मा का लय हो जाता है।

मनुष्य को चाहिये, कि अपने प्रयत्न की मात्रा को कभी कम न करे। सारांश यह है, कि जिस प्रकार किसी मनुष्य के मन में कर्मयोग की जिज्ञासा उत्पन्न होते ही धीरे धीरे पूर्ण सिद्धि की ओर आप-ही-आप आकर्षित हो जाता है (गीता ६. ४४); उसी प्रकार गीताधर्म का यह मिद्धान्त है, कि जब भक्तिमार्ग में कोई भक्त एक बार अपने तर्क ईश्वर को सौंप देता है, तो स्वयं भगवान् ही उसकी निष्ठा को बटाने चले जाते हैं; और अन्त में यथार्थस्वरूप का ज्ञान भी करा देते हैं (गीता ७. २१; १०. १०)। इसी ज्ञान से — न कि केवल कोरी और अन्ध श्रद्धा से — भगवद्भक्त को अन्त में पूर्ण सिद्धि मिल जाती है। भक्तिमार्ग में इस प्रकार ऊपर चढ़ते चढ़ते अन्त में जो स्थिति प्राप्त होती है, वह और ज्ञानमार्ग से प्राप्त होनेवाली अन्तिम स्थिति, दोनों एक ही ममान है। इसलिये गीता को पढ़नेवालों के ध्यान में यह बात सहज ही आ जायगी, कि बारहवें अध्याय में भक्तिमान् पुरुष की अन्तिम स्थिति का जो वर्णन किया गया है, वह दूसरे अध्याय में किये गये स्थितप्रज्ञ के वर्णन ही के समान है। इससे यह बात प्रकट होती है, कि यद्यपि आरम्भ में ज्ञानमार्ग और भक्तिमार्ग भिन्न हों, तथापि जब कोई अपने अधिकारभेद के कारण ज्ञानमार्ग में या भक्तिमार्ग से चलने लगता है, तब अन्त में ये दोनों मार्ग एकत्र मिल जाते हैं। और जो गति ज्ञानी को प्राप्त होती है, वही गति भक्त को भी मिला करती है। इन दोनों मार्गों में भेद सिर्फ इतना ही है, कि ज्ञानमार्ग में आरम्भ ही में बुद्धि के द्वारा परमेश्वरस्वरूप का आकलन करना पड़ता है; भक्तिमार्ग में यही स्वरूप श्रद्धा की सहायता से ग्रहण कर लिया जाता है। परन्तु यह प्राथमिक भेद आगे नष्ट हो जाता है; और भगवान् स्वयं कहते हैं, कि :-

श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संपत्तेन्द्रियः ।

ज्ञानं लब्ध्वा परा शान्तिं अचिरेणाधिगच्छति ॥

अर्थात् "जब श्रद्धावान् मनुष्य इन्द्रियनिग्रहद्वारा ज्ञानप्राप्ति का प्रयत्न करने लगता है, तब उसे ब्रह्मानुभव-ज्ञान का अनुभव होता है; और फिर उस ज्ञान में उसे शीघ्र ही पूर्ण शान्ति मिलती है" (गीता ४. ३९)। अथवा -

भक्त्या मामभिजानाति यावान् यश्चास्मि तत्त्वतः ।

ततो मा तत्त्वतो ज्ञान्या विशने तदनन्तरम् ॥ *

अर्थात् "मेरे स्वरूप का तात्त्विक ज्ञान भक्ति में होता है, और जब यह ज्ञान हो जाता है, तब (पहले नहीं) वह भक्त मुझमें आ मिलता है" (गीता १८. ५५ और ११. ५६ भी देखिये) परमेश्वर का पूरा ज्ञान होने के लिये इन दो मार्गों के बिना

* इस श्लोक के 'अभि' उपसर्ग पर जोर देकर शांतिस्वरूप (शु. १५) में यह दिग्दर्शन का प्रयत्न किया गया है, कि भक्ति ज्ञान का माधन नहीं है, किन्तु वह स्वतन्त्र साधन या निष्ठा है। परन्तु यह अर्थ अन्य साधनशास्त्र अर्थों के समान आशय का है — सरल नहीं है।

कोई तीसरा मार्ग नहीं है। इसलिये गीता में यह बात स्पष्ट रीती से बह दी गई है, कि जिसे न तो स्वयं अपनी बुद्धि है और न श्रद्धा, उसका सर्वथा नाश ही समझिये — “अज्ञश्चाश्रद्धानश्च सशयात्मा विनश्यति” (गीता ४ ४०)।

ऊपर बहा गया है, कि श्रद्धा और भक्ति से अन्त में पूर्ण ब्रह्मात्मैक्यज्ञान प्राप्त होता है। इस पर कुछ तार्किकों की यह दलील है, कि यदि भक्तिमार्ग का प्रारम्भ इस द्वैतभाव से ही किया जाता है, कि उपास्य भिन्न है और उपासक भी भिन्न है, तो अन्त में ब्रह्मात्मैक्यरूप ज्ञान कैसे होगा? परन्तु यह दलील केवल भ्रान्ति-मूलक है। यदि ऐसे तार्किकों के कथन का सिर्फ इतना अर्थ हो, कि ब्रह्मात्मैक्यज्ञान के होने पर भक्ति का प्रवाह रुक जाता है, तो उसमें कुछ आपत्ति दीख नहीं पड़ती। क्योंकि अध्यात्मशास्त्र का भी यही सिद्धान्त है, कि जब उपास्य, उपासक और उपासनारूपी त्रिपुटी का लय हो जाता है, तब वह व्यापार बन्द हो जाता है, जिसे व्यवहार में भक्ति कहते हैं। परन्तु यदि उक्त दलील का यह अर्थ हो, कि द्वैतमूलक भक्तिमार्ग से अन्त में अद्वैतज्ञान ही नहीं सकता, तो यह दलील न केवल तर्कशास्त्र की दृष्टि से किन्तु बड़े बड़े भगवद्भक्तों के अनुभव के आधार से भी मिथ्या सिद्ध हो सकती है। तर्कशास्त्र की दृष्टि से इस बात में कुल रुकावट नहीं दीख पड़ती, कि परमेश्वरस्वरूप में किसी भक्त का चित्त ज्यो ज्यो अधिकाधिक स्थिर होता जावे, त्यो त्या उसके मन से भेदभाव भी छूटता चला जावे। ब्रह्मसृष्टि में भी हम यही देखते हैं, कि यद्यपि आरम्भ में पारे की बूंदें भिन्न भिन्न होती हैं, तथापि वे आपस में मिल कर एकत्र हो जाती हैं। इसी प्रकार अन्य पदार्थों में भी एकीकरण की क्रिया का आरम्भ प्राथमिक भिन्नता ही से हुआ करता है, और भूडिग-कीट का दृष्टान्त तो सब लोगों को विदित ही है। इस विषय में तर्कशास्त्र की अपेक्षा साधुपुरुषों के प्रत्यक्ष अनुभव को ही अधिक प्रामाणिक समझना चाहिये। भगवद्भक्त शिरोमणि तुकाराम महाराज का अनुभव हमारे लिये विशेष महत्त्व का है। सब लोग मानते हैं, कि तुकाराम महाराज को कुछ उपनिषदादि ग्रन्थों के अध्ययन से अध्यात्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था, तथापि उनकी गाथा में लगभग चार सौ ‘अभङ्ग’ अद्वैतस्थिति के वर्णन में कहे गये हैं। इन सब अभङ्गों में ‘वासुदेव सर्वम्’ (गीता ७ १९) का भाव प्रतिपादित किया गया है। अथवा बृहदारण्यकोपनिषद् में जैसा याज्ञवल्क्य न ‘सर्वमात्मैवाभूत’ कहा है वैसे ही अर्थ का प्रतिपादन स्वानुभव से किया गया है। उदाहरण के लिये उनके एक अभङ्ग का कुछ आशय देखिये —

गुड-सा मीठा है भगवान् बाहर-भीतर एव समान।

किसका ध्यान करूँ सविवेक? जलतरङ्ग-से है हम एक ॥

इसके आरम्भ का उल्लेख हमने अध्यात्मप्रकरण में किया है, और वहाँ यह दिख-लाया है, कि उपनिषदा में वर्णित ब्रह्मात्मैक्यज्ञान से उनके अर्थ की किसी तरह पूरी

पूरी ममता है। जब कि स्वयं तुकाराम महाराज अपने अनुभव से भक्तों की परमावस्था का वर्णन इसे प्रकार कर रहे हैं, तब यदि कोई तार्किक यह कहने का साहस करे, कि “भक्तिमार्ग से अद्वैतज्ञान ही नहीं सकता,” अथवा देवताओं पर केवल अन्धविश्वास करने से ही मोक्ष मिल जाता है, उसके लिये ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं; तो इसे आश्चर्य ही समझना चाहिये।

भक्तिमार्ग और ज्ञानमार्ग का अन्तिम साध्य एक ही है; और “परमेश्वर के अनुभवात्मक ज्ञान से ही अन्त में मोक्ष मिलता है,” यह सिद्धान्त दोनों मार्गों में एक ही सा बना रहता है। यही क्यों; बल्कि अध्यात्मप्रकरण में और कर्मविपाक प्रकरण में पहले जो और सिद्धान्त बतलाये गये हैं, वे भी सब गीता के भक्तिमार्ग में कायम रहते हैं। उदाहरणार्थ, भागवतधर्म में कुछ लोग इस प्रकार चतुर्व्यूहरूपी सृष्टि की उत्पत्ति बतलाया करते हैं, कि वासुदेवरूपी परमेश्वर से सद्कर्मणरूपी जीव उत्पन्न हुआ; और फिर सद्कर्मण से प्रद्युम्न अर्थात् मन तथा प्रद्युम्न से अनिरुद्ध अर्थात् अहंकार हुआ। कुछ लोग तो इन व्यूहों में से तीन, दो या एक ही को मानते हैं—परन्तु जीव की उत्पत्ति के विषय में ये मत सच नहीं हैं। उपनिषदों के आधार पर वेदान्त-मूल (२. ३. १७; और २. २. ४२-४५ देखो) में निश्चय किया गया है, कि अध्यात्म-दृष्टि से जीव सनातन परमेश्वर ही का सनातन अंश है। इसलिये भगवद्गीता में केवल भक्तिमार्ग की उक्त चतुर्व्यूहसम्बन्धी कल्पना छोड़ दी गई है; और जीव के विषय में वेदान्तमूलकारों का ही उपर्युक्त सिद्धान्त दिया गया है (गीता २. २४; ८. २०; १३. २२ और १५. ७ देखो)। इसमें यही सिद्ध होता है, कि वासुदेवभक्ति और कर्मयोग ये दोनों तत्त्व गीता में यद्यपि भागवतधर्म से ही लिये गये हैं, तथापि क्षेत्ररूपी जीव और परमेश्वर के स्वरूप के विषय में अध्यात्मज्ञान ने भिन्न किसी अन्ध और ऊट-पटांग कल्पनाओं को गीता में स्थान नहीं दिया गया है। अब यद्यपि गीता में भक्ति और अध्यात्म, अथवा श्रद्धा और ज्ञान का पूरा पूरा मेल रखने का प्रयत्न किया गया है, तथापि यह स्मरण रहे, कि जब अध्यात्मशास्त्र के सिद्धान्त भक्तिमार्ग में लिये जाते हैं, तब उनमें कुछ-न-कुछ शब्दभेद अवश्य करना पड़ता है—और गीता में ऐसा भेद दिया भी गया है। ज्ञानमार्ग के और भक्तिमार्ग के इस शब्दभेद के कारण कुछ लोगों ने भूल में समझ लिया है, कि गीता में जो सिद्धान्त कर्मी भक्ति की दृष्टि से और कर्मी ज्ञान की दृष्टि से कहे गये हैं, उनमें परस्पर विरोध है; अतएव उतने भर के लिये गीता अमम्यद्ध है। परन्तु हमारे मन में यह विरोध बन्तुतः मच नहीं है; और हमारे ज्ञानमार्गों ने अध्यात्म तथा भक्ति में जो मेल कर दिया है, उसकी ओर ध्यान न देने में ही ऐसे विरोध दिग्दर्श दिया करते हैं। इसलिये यहाँ हम विषय का कुछ अधिक गुलामा बना देना चाहिये। अध्यात्मशास्त्र का सिद्धान्त है, कि पिण्ड और ब्रह्मानन्द में एक ही आत्मा नामरूप में आच्छादिन है। इसलिये अध्यात्मशास्त्र की दृष्टि में हम लोग कहा करते हैं, कि “जो आत्मा मूममें है, वही मय प्राणियों में भी है”—

‘सर्वभूतस्थमात्मान सर्वभूतानि चात्मनि’ (गीता ६. २९) अथवा ‘यह सब आत्मा ही है’ - ‘इद सर्वमात्मैव’ । परन्तु भक्तिमार्ग में अव्यक्त परमेश्वर ही को व्यक्त परमेश्वर का स्वरूप प्राप्त हो जाता है । अतएव अब उक्त सिद्धान्त के बदले गीता में यह वर्णन पाया जाता है, कि “ यो मा पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति ” - मैं (भगवान्) सब प्राणियों में हूँ; और सब प्राणी मुझमें है (६. २९); अथवा ‘वासुदेवः सर्वमिनि’ - जो कुछ है, वह सब वासुदेवमय है (७. १९), अथवा “ येन भूतान्य-शेषेण द्रक्षस्यात्मन्यथो मयि ” - ज्ञान हो जाने पर तू सब प्राणियों को मुझमें और स्वयं अपने में भी देखेगा (४. ३५) । इसी कारण से भागवतपुराण में भी भगवद्गीता का लक्षण इस प्रकार कहा गया है :-

सर्वभूतेषु यः पश्येद्भगवद्भावमात्मनः ।

भूतानि भगवत्प्रात्मन्येष भागवतोत्तमः ॥

‘जो अपने मन में यह भेदभाव नहीं रखता, कि मैं अलग हूँ; भगवान् अलग है; और सब लोग भिन्न हैं; किन्तु जो सब प्राणियों के विषय में यह भाव रखता है, कि भगवान् और मैं दोनों एक हूँ; और जो यह समझता है, कि सब प्राणी भगवान् में और मुझमें भी हैं, वही सब भागवतो में श्रेष्ठ है’ (भाग. ११. २. ४५ और ३. २४. ४६) । इससे दीख पड़ेगा, कि अध्यात्मशास्त्र के ‘अव्यक्त परमात्मा’ शब्दों के बदले ‘व्यक्त परमेश्वर’ शब्दों का प्रयोग किया गया है - सब यही भेद है । अध्यात्मशास्त्र में यह बात युक्तिवाद से सिद्ध हो चुकी है, कि परमात्मा के अव्यक्त होने के कारण सारा जगत् आत्ममय है । परन्तु भक्तिमार्ग प्रत्यक्ष अवगम्य है, इसलिये परमेश्वर की अनेक व्यक्त विभक्तियों का वर्णन करके और अर्जुन को दिव्यदृष्टि देकर प्रत्यक्ष विश्वरूपदर्शन से इस बात की साक्षात्प्रतीति करा दी है, कि सारा जगत् परमेश्वर (आत्ममय) है (गी अ १० और ११) । अध्यात्मशास्त्र में कहा गया है, कि कर्म का क्षय ज्ञान से होता है । परन्तु भक्तिमार्ग का यह तत्त्व है, कि सगुण परमेश्वर के सिवा इस जगत् में और कुछ नहीं है - वही ज्ञान है, वही कर्म है, वही ज्ञाता है, वही करनेवाला और फल देनेवाला भी है । अतएव सञ्चित, प्रारब्ध, त्रियमाण इत्यादि कर्मभेदों के झड़त में न पड़ भक्तिमार्ग के अनुसार यह प्रतिपादन किया जाता है, कि कर्म करने की बुद्धि देनेवाला, कर्म का फल देनेवाला और कर्म का क्षय करनेवाला एक परमेश्वर ही है । उदाहरणार्थ, तुकाराम महाराज एकान्त में ईश्वर की प्रार्थना करके स्पष्टता से और प्रेमपूर्वक कहते हैं -

एक बात एकान्त में सुन लो, जगदाधार ।

तारे मेरे कर्म तो प्रभु को क्या उपकार ? ॥

यही भाव अन्य शब्दों में दूसरे स्थान पर इस प्रकार व्यक्त किया गया है, कि ‘प्रारब्ध, त्रियमाण और सञ्चित का झगडा भक्तों के लिये ही नहीं है। देखो; सब कुल गी. र. २८

ईश्वर ही है, जो भीतर-बाहर सर्वव्याप्त है।" भगवद्गीता में भगवान् ने यही कहा है, कि "ईश्वरः सर्वं भूतानां हृद्देशोऽर्जुन तिष्ठति" (१८.६१) - ईश्वर ही सब लोगों के हृदय में निवाम करके उनमें यन्त्र के समान सब कर्म करवाता है। कर्म-विपाक-प्रक्रिया में सिद्ध किया गया है, कि ज्ञान की प्राप्ति कर लेने के लिये आत्मा को पूरी स्वतन्त्रता है। परन्तु उसके बदले भक्तिमार्ग में यह कहा जाता है, कि उम बुद्धि का देनेवाला परमेश्वर ही है - "तस्य तस्याचन्द्रा श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्" (गी. ७. २१), अथवा "ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते" (गी. १०. १०)। इसी प्रकार संसार में सब कर्म परमेश्वर की ही मत्ता से हुआ करते हैं। इसलिये भक्तिमार्ग में यह वर्णन पाया जाता है, कि वायु भी उमी के भय से चलती है; और सूर्य तथा चन्द्र भी उमी की शक्ति से चलते हैं (कठ. ६. ३; वृ. ३.८.९)। अधिक क्या कहा जाय; उमकी इच्छा के बिना पेड़ का एक पत्ता तक नहीं हिलता। यही कारण है, कि भक्तिमार्ग में यह कहते हैं, कि मनुष्य केवल निमित्तमात्र ही के लिये मानने रहता है (गीता. ११. ३३); और उमके सब व्यवहार परमेश्वर ही उमके हृदय में निवाम कर उसमें कराया करता है। साधु तुकाराम कहते हैं, कि "यह प्राणी केवल निमित्त ही के लिये स्वतन्त्र है; 'मेरा मेरा' कह कर व्यर्थ ही यह अपना नाश कर लेता है।" इम जगत् के व्यवहार और मुस्विति को स्थिर रखने के लिये सभी लोगों को कर्म करना चाहिये। परन्तु ईशावास्योपनिषद् का जो यह तत्त्व है - कि जिस प्रकार अज्ञानी लोक किमी कर्म को 'मेरा' कह कर किया करते हैं, वैसा न कर जानी पुरुष को ब्रह्मार्पणबुद्धि से सब कर्म मृत्युपर्यन्त करने रहना चाहिये - उसीका माराश उक्त उपदेश में है। यही उपदेश भगवान् ने अर्जुन को इस श्लोक में किया है:-

यत्करोषि यदरनासि यज्जुहोषि ददासि यत् ।

यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् ॥

अर्थात् "जो कुछ तू करेगा, खायेगा, हवन करेगा, देगा या तप करेगा, वह सब मुझे अर्पण कर" (गीता ९. २७); इममें तुझे कर्म की बाधा नहीं होगी। भगवद्गीता का यही श्लोक शिवगीता (१५. ४५) में पाया जाता है; और भागवत के इम श्लोक में भी उमी अर्थ का वर्णन है:-

वापेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वाऽनुसृतस्वभावान् ।

करोति यद्यत्तत्रलं परस्मै नारायणापेति समर्पयेत्तन् ॥

"वाचा, वाचा, मन, इन्द्रिय, बुद्धि या आत्मा की प्रवृत्ति में अथवा स्वभाव के अनुसार जो कुछ हम किया करते हैं, वह सब परात्पर नारायण को समर्पण कर दिया जावे" (भाग. ११. २. ३६)। माराश यह है, कि अध्यात्मनाम्त्र में जिने ज्ञान-धर्म-मनुष्य पक्ष, पर्यागात्वाय अथवा ब्रह्मार्पणपूर्वक कर्म कहते हैं (गीता

४. २४; ५. १०; १२. १२) उसी को भक्तिमार्ग में 'कृष्णार्पणपूर्वक कर्म' यह नया नाम मिल जाता है। भक्तिमार्गवाले भोजन के समय 'गोविन्द, गोविन्द' कहा करते हैं; उसका रहस्य इस कृष्णार्पणवृद्धि में ही है। ज्ञानी जनक ने कहा है, कि हमारे सब व्यवहार लोगो के उपयोग के लिये निष्कामवृद्धि से हो रहे हैं; और भगवद्भक्त भी खाना, पीना, इत्यादि अपना सब व्यवहार कृष्णार्पणवृद्धि से ही किया करते हैं। उद्यापन, ब्राह्मणभोजन अथवा अन्य इष्टापूर्त कर्म करने पर अन्त में 'इदं कृष्णार्पणमस्तु' अथवा 'हरिर्दाता हरिर्भक्ता' कह कर पानी छोड़ने की जो रीति है, उसका मूलतत्त्व भगवद्गीता के उक्त श्लोक में है। यह सच है, कि जिस प्रकार बालियो के न रहने पर कानो के छेद मात्र बाकी रह जाय, उसी प्रकार वर्तमान समय में उक्त सङ्कल्प की दशा हो गई है। क्योंकि पुरोहित उस सङ्कल्प के सच्चे अर्थ को न समझकर सिर्फ तोते की नाई उसे पढा करता है; और यजमान बहिरे की नाई पानी छोड़ने की कवायत किया करता है। परन्तु विचार करने से मालूम होता है, कि इसकी जड़ में कर्मफलाशा को छोड़ कर कर्म करने का तत्त्व है; और इसकी हँसी करने से शास्त्र में तो कुछ दोष नहीं आता; किन्तु हँसी करनेवाले की अज्ञानता ही प्रकट होती है। यदि सारी आयु के कर्म — यहाँ तक कि जिन्दा रहने का भी कर्म — इस प्रकार कृष्णार्पणवृद्धि से अथवा फलाशा का त्याग कर किये जावे, तो पापवासना कैसे रह सकती है? और कुकर्म कैसे हो सकते हैं? फिर लोगो के उपयोग के लिये कर्म करो; ससार की भलाई के लिये आत्मसमर्पण करो; इत्यादि उपदेश करने की आवश्यकता ही कहाँ रह जाती है? तब तो 'मै' और 'लोग' दोनो का समावेश परमेश्वर में और परमेश्वर का समावेश उन दोनो में हो जाता है। इसलिये स्वार्थ और परार्थ दोनो ही कृष्णार्पणरूपी परमार्थ में डूब जाते हैं; और महात्माओ की यह उक्ति ही चरितार्थ होती है, कि "सन्तो की विभुतियाँ जगत् के कल्याण ही के लिये हुआ करती हैं; वे लोग परोपकार के लिये अपने शरीर को कष्ट दिया करते हैं।" पीछले प्रकरण में युक्तिवाद से यह सिद्ध कर दिया गया है, कि जो मनुष्य अपने सब काम कृष्णार्पणवृद्धि से किया करता है, उसका 'योगक्षेम' किसी प्रकार रुक नहीं सकता; और भक्तिमार्गवालो को तो स्वयं भगवान् ने गीता में आश्वासन दिया है, "तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्" (गीता ९. २२)। यह कहने की आवश्यकता नहीं, कि जिस प्रकार ऊँचे दर्जे के ज्ञानी पुरुष का कर्तव्य है, कि वह सामान्य जनो में बुद्धिवाद न करके उन्हें सन्मार्ग में लगावे (गीता ३. २६), उसी प्रकार परम श्रेष्ठ भक्त का भी यही कर्तव्य है, कि वह निम्न श्रेणी के भक्तो की श्रद्धा को प्रष्ट न कर उनके अधिकार के अनुसार ही उन्हें उन्नति के मार्ग में लगा देवे। सारांश, उक्त विवेचन से यह मालूम हो जायगा, कि अध्यात्मशास्त्र में और कर्मविपाक में जो सिद्धान्त बह गये हैं, वे सब कुछ शब्दभेद से भक्तिमार्ग में भी कायम रये गये हैं; और ज्ञान तथा भक्ति में इस प्रकार मेल कर देने की पद्धति हमारे यहाँ बहुत प्राचीन समय से प्रचलित है।

परन्तु जहाँ शब्दभेद से अर्थ के अनर्थ हो जाने का भय रहता है, वहाँ इस प्रकार से शब्दभेद भी नहीं किया जाता, क्योंकि अर्थ ही प्रधान बात है। उदाहरणार्थ, कर्म-विपाक प्रक्रिया का मिद्वान्त है, कि ज्ञानप्राप्ति के लिये प्रत्येक मनुष्य स्वयं प्रयत्न करे, और अपना उद्धार आप ही करे। यदि इसमें शब्दों का कुछ भेद करके यह कहा जाय कि यह काम भी परमेश्वर ही करता है, तो मूठ जन आत्मी हो जावेगे। इमलिये "आत्मैव ह्यात्मनो ज्ञप्सुरात्मैव रिपुगत्मनः" - आप ही अपना शत्रु और आप ही अपना मित्र हैं (गीता ६.५) - यह तत्त्व भक्तिमार्ग में भी प्रायः ज्यों-का-त्यों अर्थात् शब्दभेद न करके बतलाया जाता है। माधु तुकाराम के इस भाव का उल्लेख पहले ही हुआ है, "कि इसमें किसीका क्या नुस्मान हुआ? अपनी बुराई अपने हाथों कर ली।" इसमें भी अधिक स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा है, कि ईश्वर के पास कुछ भाव की गठती नहीं धरी है, कि वह किसी के हाथ में दे दे। "यहाँ तो इन्द्रियों को जीतना और मन को निर्विषय करना ही मुख्य उपाय है।" क्या यह उपनिषदा के इस मन्त्र - "मन एव मनुष्याणां कारण बन्धमोक्षयोः" - के समान नहीं है? यह मन्त्र है कि परमेश्वर ही हम जगत् की सब घटनाओं का करने-वाला है। परन्तु हम पर निर्दयता का और पक्षपात करने का दोष न लगाया जावे, इस लिये कर्म-विपाक प्रक्रिया में यह मिद्वान्त कहा गया है, कि परमेश्वर प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार फल दिया करता है। जमी कारण से यह मिद्वान्त भी - किना किसी प्रकार का शब्दभेद लिये ही - भक्तिमार्ग में ही किया जाता है। इसी प्रकार यद्यपि उपासना के लिये ईश्वर को व्यक्त मानना पड़ता है, तथापि अध्यात्मशास्त्र का यह मिद्वान्त भी हमारे यहाँ के भक्तिमार्ग में कभी टूट नहीं जाता, कि जो कुछ व्यक्त है, वह सब माया है और सत्य परमेश्वर उसके परे है। पहले कह चुके हैं, कि इसी कारण से गीता में वेदान्तसूत्रप्रतिपादिन जीव का स्वप्न ही स्थिर रखा गया है। मनुष्य के मन में प्रत्यक्ष की आर अथवा व्यक्त की ओर झुकने की जा स्वाभाविक प्रवृत्ति हुआ करती है, उसमें और तत्त्वज्ञान के गहन मिद्वान्तों में भ्रम कर देने की वैदिक धर्म की यह रीति किसी भी अन्य देश के भक्तिमार्ग में दीर्घ नहीं पड़ती। जब देश निवासियों का यह हाट दीर्घ पड़ता है, कि जब व एक बार परमेश्वर की किसी मंगुण विभूति का स्वीकार कर व्यक्त का महाराज बन है, तब व उसी में आसक्त हो कर फँस जाते हैं। हमारे सिवा उन्हें और कुछ दीर्घ ही नहीं पड़ना, और उनमें अपने-अपने मंगुण प्रतीक के विषय में ब्याभिमान उत्पन्न हो जाता है। ऐसी अवस्था में वे जाग यह मिथ्या भेद करने का यत्न करने लगते हैं, कि तत्त्वज्ञान का मार्ग भिन्न है, और श्रद्धा का भक्तिमार्ग जुदा है। परन्तु हमारे देश में तत्त्वज्ञान का उदय बहुत प्राचीन काल में ही हो चुका था। इमलिये गीताधर्म में श्रद्धा और ज्ञान का कुछ भी विरोध नहीं है, कि वैदिक ज्ञानमार्ग श्रद्धा से और वैदिक भक्तिमार्ग ज्ञान से पुनीत हो गया है। अतएव मनुष्य किसी

भी मार्ग का स्वीकार क्यों न करे, अन्त में उसे एक ही सी सद्गति प्राप्त होती है। इसमें कुछ आश्चर्य नहीं, कि अव्यक्त ज्ञान और व्यक्त भक्ति के मेल का यह महत्त्व केवल व्यक्त त्राइस्ट में ही लिपटे रहनेवाले धर्म के पण्डितों के ध्यान में नहीं आ सका, और इसलिये उनकी एकदेशीय तथा तत्त्वज्ञान की दृष्टि से कोती नजर से गीताधर्म में उन्हें विरोध दीख पड़ने लगा। परन्तु आश्चर्य की बात तो यही है, कि वैदिक धर्म के इस गुण की प्रशंसा न कर हमारे देश के कुछ अनुकरणप्रेमी जन आजकल इसी गुण की निन्दा करते देखे जाते हैं। माघ काव्य का (१६ ४३) यह वचन इन्हीं बात का एक अच्छा उदाहरण है, कि “अथ वाऽभिनविष्टबुद्धिषु। व्रजति व्यर्थकता सुभाषितम्।” — छोटी समझ में से जब एक बार मन ग्रस्त हो जाता है, तब मनुष्य को अच्छी बातें भी ठीक नहीं जँचती।

स्मार्तमार्ग में चतुर्थाश्रम का जो महत्त्व है, वह भक्तिमार्ग में अथवा भागवत-धर्म में नहीं है। वर्णाश्रमधर्म का वर्णन भागवतधर्म में भी किया जाता है, परन्तु उम धर्म का सारा दारमदार भक्ति पर ही होता है। इसलिये जिसकी भक्ति उत्कट हो, वही सब में श्रेष्ठ माना जाता है — फिर चाहे वह गृहस्थ हो, वानप्रस्थ या वैरागी हो, इसके विषय में भागवतधर्म में कुछ विधिनिषेध नहीं है (भा ११ १८ १३, १४ देखो)। सन्यास-आश्रम स्मार्तधर्म का एक आवश्यक भाग है भागवतधर्म का नहीं। परन्तु ऐसा कोई नियम नहीं, कि भागवतधर्म के अनुयायी कभी विरक्त न हो, गीता में ही कहा है, कि सन्यास और कर्मयोग दोनों मोक्ष की दृष्टि से समान योग्यता के हैं। इसलिये यद्यपि चतुर्थाश्रम का स्वीकार न किया जावे, तथापि सासारिक कर्मों को छोड़ वैरागी हो जानेवाले पुरुष भक्तिमार्ग में भी पाये जा सकते हैं। यह बात पूर्व समय से ही कुछ कुछ चली आ रही है। परन्तु उस समय इन लोगों को प्रभुता न थी, और ग्यारहवें प्रकरण में यह बात स्पष्ट रीती में बतला दी गई है, कि भगवद्गीता में कर्मत्याग की अपेक्षा कर्मयोग ही को अधिक महत्त्व दिया गया है। कालान्तर से कर्मयोग का यह महत्त्व लुप्त हो गया, और वर्तमान समय में भागवतधर्मीय लोगों की भी यही समझ हो गई है, की भगवद्भक्त वही है, कि जो सासारिक कर्मों को छोड़ विरक्त हो, केवल भक्ति में ही निमग्न हो जावे। इसलिये यहाँ भक्ति की दृष्टि से फिर भी कुछ थोड़ा-मा विवेचन करना आवश्यक प्रतीत होता है, कि इस विषय में गीता का मुख्य सिद्धान्त और स चा उपदेश क्या है? भक्तिमार्ग का अथवा भागवतधर्म का ब्रह्म स्वयं सगुण भगवान् ही है। यदि यही भगवान् स्वयं सारे ससार के वर्ता-धर्ता है, और साधुजना की रक्षा करने तथा दुष्टजना को दण्ड देने के लिये समय समय पर अवतार लेकर इस जगत् का धारण-पोषण किया करते हैं, तो यह कहने की आवश्यकता नहीं, कि भगवद्भक्तों का भी लोकासद्ग्रह के लिये उन्हीं भगवान् का अनुकरण करना चाहिये। हनुमानजी रामचन्द्र के बड़ भक्त थे, परन्तु उन्हीं ने रावण और दुष्टजना के निर्दलन करने का काम कुछ

छोड़ नहीं दिया था। भीष्मपितामह की गणना भी परम भगवद्भक्तों में की जाती है; परन्तु यद्यपि वे स्वयं मृत्युपयन्त ब्रह्मचारी रहे, तथापि उन्होंने स्वधर्मानुसार स्वकीयों की और राज्य की रक्षा करने का काम अपने जीवन भर जारी रखा था। यह बात सच है, कि जब भक्ति के द्वारा परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त हो गया हो, तब भक्त को स्वयं अपने हित के लिये कुछ प्राप्त कर लेना शेष नहीं रह जाता। परन्तु प्रेममूलक भक्तिमार्ग से दया, करुणा, कर्तव्यप्रीति इत्यादि श्रेष्ठ मनोवृत्तियों का नाश नहीं हो सकता; बल्कि वे और भी अधिक शुद्ध हो जाती हैं। ऐसी दशा में यह प्रश्न ही नहीं उठ सकता, कि कर्म करें या न करें? वरन् भगवद्भक्त तो वही है, कि जिसके मन में ऐसा अमेदभाव उत्पन्न हो जाय :-

जिसका कोई न हो हृदय से उसे लगावे,
प्राणिमात्र के लिये प्रेम की ज्योति जगावे ।

सब में विमु को व्याप्त जान सब को अपनावे,
है वस ऐसा वही भक्त को पदवी पावे ॥

ऐसी अवस्था में स्वभावतः उन लोगों की वृत्ति लोकसंग्रह ही के अनुकूल हो जाती है, जैसा कि ग्यारहवें प्रकरण में कह आये है - "मन्तों की विमूर्तियाँ जगत् के मल्याण ही के लिये हुआ करती हैं। वे लोक परोपकार के लिये अपने शरीर को कष्ट दिया करते हैं।" जब यह मान लिया, कि परमेश्वर ही इस सृष्टि को उत्पन्न करता है, और उसके मय व्यवहारों को भी किया करता है; तब यह अवश्य ही मानना पड़ेगा, कि उसी सृष्टि के व्यवहारों को मरुता में चलाने के लिये चातुर्वर्ष्य आदि जो व्यवस्थाएँ हैं, वे उसी की इच्छा से निर्मित हुई हैं। गीता में भी भगवान् ने स्पष्ट गीता से यही कहा है, कि "चातुर्वर्ष्यं मया सृष्टं गुणकर्म-विभागः" (गीता ४. १३)। अर्थात् यह परमेश्वर ही की इच्छा है, कि प्रत्येक मनुष्य अपने अपने अधिभार के अनुसार ममाज के इन कामों को लोकसंग्रह के लिये करता रहे। इसीमें आगे यह भी सिद्ध होता है, कि सृष्टि के जो व्यवहार परमेश्वर की इच्छा से चल रहे हैं, उनका एक-आध विशेष भाग विभी मनुष्य के द्वारा पूरा करने के लिये ही परमेश्वर उसको उत्पन्न किया करता है; और यदि परमेश्वर-द्वारा नियत किया गया उमका वह काम मनुष्य न करे, तो परमेश्वर ही की अवज्ञा करने का पाप उन्हें लगेगा। यदि तुम्हारे मन में यह अहङ्कार-बुद्धि जागृत होगी, कि वे काम मेरे हैं अथवा मैं उन्हें अपने स्वार्थ के लिये करूँगा; तो उन कर्मों के मन्त्र-बुरे फल तुम्हें अवश्य भोगने पड़ेंगे। परन्तु तुम इन्हीं कर्मों को केवल स्वधर्म जान कर परमेश्वर-पंजपूरक इन भाव में करोगे, कि "परमेश्वर के मन में जो कुछ करना है, उसने जिन मुझे करके यह मुझमें काम करवाता है" (गीता ११. ३३); तो इसमें कुछ अनुचित या अपाय नहीं। बल्कि गीता का यह कथन है, कि इन स्वधर्माचरण में ही

सर्वभूतान्तर्गत परमेश्वर की सात्त्विक भक्ति हो जाती है। भगवान् ने अपने सब उपदेशों का तात्पर्य गीता के अन्तिम अध्याय में उपसंहाररूप से अर्जुन को इस प्रकार बतलाया है—“सब प्राणियों के हृदय में निवास करके परमेश्वर ही उन्हें यन्त्र के समान नचाता है; इसलिये ये दोनों भावनाएँ मिथ्या हैं, कि मैं अमुक कर्म को छोड़ता हूँ या अमुक कर्म को करता हूँ। फलाशा को छोड़ सब कर्म कृष्णार्पणबुद्धि से करते रहो। यदि तू ऐसा निग्रह करेगा, कि मैं इन कर्मों को नहीं करता; तो भी प्रकृतिधर्म के अनुसार तुझे कर्मों को करना ही होगा। अतएव परमेश्वर ने अपने सब स्वार्थों का लय करके स्वधर्मनुसार प्राप्त व्यवहार को परमार्थबुद्धि से और वैराग्य से लोकसंग्रह के लिये तुझे अवश्य करना ही चाहिये; मैं भी यही करता हूँ; मेरे उदाहरण को देख और उसके अनुसार वर्ताव कर।” जैसे ज्ञान का और निष्कामकर्म का विरोध नहीं, वैसे ही भक्ति में और कृष्णार्पणबुद्धि से किये गये कर्मों में भी विरोध उत्पन्न नहीं होता। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध भगवद्भक्त तुकाराम भी भक्ति के द्वारा परमेश्वर के “अणोरणीयान् महतो महीयान्” (कठ. २. २०; गीता ३. ९) — परमाणु से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा ऐसे स्वरूप के साथ अपने तादात्म्य का वर्णन करके कहते हैं, कि “अब मैं केवल परोपकार ही के लिये बचा हूँ।” उन्होंने सन्यासमार्ग के अनुयायियों के समान यह नहीं कहा, कि अब मेरा कुछ भी काम शेष नहीं है। बल्कि वे कहते हैं, कि “भिक्षापात्र का अबलम्बन करना लज्जास्पद जीवन है — वह नष्ट हो जावे। नारायण ऐसे मनुष्य की सर्वथा उपेक्षा ही करता है।” अथवा “सत्यवादी मनुष्य संसार के सब काम करता है; और उनसे — जल में कमलपत्र के समान — अलिप्त रहता है। जो उपकार करता है और प्राणियों पर दया करता है, उसी में आत्मस्थिति का निवास जानो।” इन वचनों से साधु तुकाराम का इस विषय में स्पष्ट अभिप्राय व्यक्त हो जाता है। यद्यपि तुकाराम महाराज संसारी थे, तथापि उनके मन का झुकाव कुछ कर्मत्याग ही की ओर था। परन्तु प्रवृत्तिप्रधान भागवतधर्म का लक्षण अथवा गीता का सिद्धान्त यह है, कि उत्कट भक्ति के साथ साथ मृत्युपर्यन्त ईश्वरार्पणपूर्वक निष्कामकर्म करते ही रहना चाहिये। और यदि कोई इस सिद्धान्त का पूरा पूरा स्पष्टीकरण देखना चाहे, तो उसे श्रीसमर्थ रामदासस्वामी के दासबोध ग्रन्थ की ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिये (स्मरण रहे, कि साधु तुकाराम ने ही शिवाजी महाराज को जिन ‘सद्गुरु की शरण’ में जाने को कहा था, उन्हींका यह प्रासादिक ग्रन्थ है)। रामदासस्वामी ने अनेक बार कहा है, कि भक्ति के द्वारा अथवा ज्ञान के द्वारा परमेश्वर के शुद्धस्वरूप को पहचान कर जो सिद्धपुरुष कृतकृत्य हो चुके हैं, वे ‘सब लोगों को सिखाने के लिये’ (दास. १९. १०. १४) निःस्पृहता से अपना काम यथाधिकार जिस प्रकार किया करते हैं, उसे देखकर सर्वसाधारण लोग अपना अपना व्यवहार करना सीखें; क्योंकि “विना किये कुछ भी नहीं होता” (दास. १९, १०. २५; १२. ९. ६; १८. ७. ३);

और अन्तिम दशक (१०.४.२६) में उन्होंने कर्म के सामर्थ्य का भक्ति की शक्ति के साथ पूरा पूरा मेल इस प्रकार कर दिया है :-

हलचल मे सामर्थ्य है । जो करेगा वही पावेगा ।

परन्तु उसमें भगवान् का । अधिष्ठान चाहिये ॥

गीता के आठवें अध्याय में अर्जुन को जो उपदेश किया गया है, कि 'मामनुस्मर युध्य च' (गीता ८.७) - नित्य मेरा स्मरण कर; और युद्ध कर - उसका तात्पर्य, और छठवें अध्याय के अन्त में जो कहा है, कि "कर्मयोग में भक्तिमार्ग श्रेष्ठ है" (गीता ६.४७) उसका भी तात्पर्य वही है, कि जो रामदानस्वामी के उक्त वचन में है। गीता के अठारहवें अध्याय में भी भगवान् ने यही कहा है :-

यतः प्रवृत्तिर्नूतानां येन सर्वमिदं ततम् ।

स्वकर्मणा तमन्यैर्धर्मं सिद्धिं विन्दति मानवः ॥

"जिसने इस मारे जगत् को उत्पन्न किया है, उसकी अपने स्वधर्मानुरूप निष्काम कर्माचरण में (न कि केवल वाचा में अथवा पुण्यों से) पूजा करके मनुष्य सिद्धि पाता है" (गीता १८.४६)। अधिक क्या कहें, इस श्लोक का और ममस्त गीता का भी भावार्थ यही है, कि स्वधर्मानुरूप निष्कामकर्म करने से सर्वभूतान्तर्गत विद्युत्-रूपी परमेश्वर की एक प्रकार की भक्ति, पूजा या उपासना ही हो जाती है। ऐसा कहने से, कि "अपने धर्मानुरूप कर्मों से परमेश्वर की पूजा करो," यह नहीं ममझना चाहिये, कि 'श्रवणं कौर्तनं विष्णोः' इत्यादि नवविद्या भक्ति गीता को मान्य नहीं। परन्तु गीता का कथन है, कि कर्मों को गौण-ममझकर उन्हें छोड़ देना और इस नव-विद्या भक्ति में ही विलकुल निमग्न हो जाना उचित नहीं है। शान्त्रतः प्राप्त अपने सब कर्मों को यथोचित गति में अवश्य करना ही चाहिये। उन्हें 'स्वयं अपने लिये' ममझ कर नहीं, किन्तु परमेश्वर का स्मरण कर इस निर्ममवृद्धि से करना चाहिये, कि "श्वरनिमित्तं मृष्टिं के मंत्रार्थं उमा के ये सब कर्म हैं।" ऐसा करने से कर्म का लोप नहीं होगा; उल्टा इन कर्मों से ही परमेश्वर की सेवा, भक्ति वा उपासना की जावगी। इन कर्मों के पापशुभ्य के भागी हम न होंगे; और अन्त में सद्गति भी मिल जावगी। गीता के इस सिद्धान्त को और दृष्टि करके गीता के भक्तिप्रधान टीकाकार अपने ग्रन्थों में यह भावार्थ बतलाया करते हैं, कि गीता में भक्ति ही को प्रधान माना है; और कर्म को गौण। परन्तु मन्नासमार्गीय टीकाकारों के समान भक्तिप्रधान टीकाकारों का यह तात्पर्य भी गलतार्थ है। गीताप्रतिपादित भक्तिमार्ग कर्मप्रधान है; और उसका मुख्य तन्त्र यह है, कि परमेश्वर की पूजा न केवल पुण्यों से या वाचा से ही होती है; किन्तु यह स्वधर्मात्त निष्कामकर्मों से ही होती है; और ऐसी पूजा प्रत्येक मनुष्य को अवश्य करनी चाहिये। अब कि कर्ममय भक्ति का यह तन्त्र गीता के अनुसार अन्य जगो भी स्थान में प्रतिपादित नहीं हुआ है, तब हमें तब से गीता-प्रतिपादित भक्तिमार्ग का विशेष उद्गार करना चाहिये।

इस प्रकार कर्मयोग की दृष्टि से ज्ञानमार्ग और भक्तिमार्ग का पूरा पूरा मेल यद्यपि हो गया, तथापि ज्ञानमार्ग से भक्तिमार्ग में जो एक महत्त्व की विशेषता है, उसका भी अब अन्त में स्पष्ट रीति में वर्णन हो जाना चाहिये। यह तो पहले ही कह चुके हैं, कि ज्ञानमार्ग केवल बुद्धिगम्य होने के कारण अल्पबुद्धिवाले सामान्य जनों के लिये क्लेशमय है; और भक्तिमार्ग के श्रद्धामूलक, प्रेमगम्य तथा प्रत्यक्ष होने के कारण उसका आचरण करना सब लोगों के लिये सुगम है। परन्तु क्लेश के सिवा ज्ञानमार्ग में एक और भी अड़चन है। जैमिनी की भीमासा, या उपनिषद् या वेदान्त-सूत्र को देखें; तो मालूम होगा, कि उनमें श्रौत-यज्ञयाग आदि की अथवा कर्मसन्ध्यास-पूर्वक 'नेति'-स्वरूपी परब्रह्म की ही चर्चा भरी पडी है। और अन्त में यही निर्णय किया है, कि स्वर्गप्राप्ति के लिये साधनीभूत होनेवाले श्रौत यज्ञ-यागादिक कर्म करने का अथवा मोक्षप्राप्ति के लिये आवश्यक उपनिषदादि वेदाध्ययन करने का अधिकार भी पहले तीन ही वर्णों के पुरुषों को है (वे सू १ ३ ३४-३८)। इस में इस बात का विचार नहीं किया गया है, कि उक्त तीन वर्णों को, स्त्रियों को अथवा चातुर्वर्ण्य के अनुसार सारे समाज के हित के लिये खेती या अन्य व्यवसाय करनेवाले साधारण स्त्री-पुरुषों को मोक्ष कैसे मिले। अच्छा; स्त्रीशूद्रादिकों के साथ वेदों की ऐसी अनयन होने से यदि यह कहा जाय, कि उन्हें मुक्ति कभी मिल ही नहीं सकती, तो उपनिषदों और पुराणों में ही ऐसे वर्णन पाये जाते हैं, कि गार्गी प्रभृति स्त्रियों को और विदूर प्रभृति शूद्रों को ज्ञान की प्राप्ति होकर सिद्धि मिल गई थी (वे. सू ३. ४ ३६-३९)। ऐसी दशा में यह सिद्धान्त नहीं किया जा सकता, कि सिर्फ पहले तीन वर्णों के पुरुषों ही को मुक्ति मिलती है। और यदि यह मान लिया जावे, कि स्त्रीशूद्र आदि सभी लोगों को मुक्ति मिल सकती है; तो अब बतलाना चाहिये, कि उन्हें किस साधन से ज्ञान की प्राप्ति होगी। बादरायणाचार्य कहते हैं, कि 'विशेषानुग्रहश्च' (वे सु ३. ४. ३८) अर्थात् परमेश्वर का विशेष अनुग्रह ही उनके लिये एक साधन है; और भागवत (१ ४. २५) में कहा है, कि कर्मप्रधान-भक्तिमार्ग के रूप में इसी विशेषानु-ग्रहात्मक साधन का "महाभारत में और अतएव गीता में भी निरूपण किया गया है। क्योंकि स्त्रियों, शूद्रों या (कलियुग के) नामधारी ब्राह्मणों के कानों तक श्रुति की आवाज नहीं पहुँचती है।" इस मार्ग से प्राप्त होनेवाला ज्ञान और उपनिषदों का ब्रह्मज्ञान - दोनों यद्यपि एक ही से हो, तथापि अब स्त्री-पुरुषसम्बन्धी या ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य-शूद्रसम्बन्धी कोई भेद शेष नहीं रहता; और इस मार्ग के विशेष गुण के बारे में गीता कहती है, कि -

मा हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः ।

स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परं गतिम् ॥

'हे पार्थ! स्त्री, वैश्य और शूद्र या अन्यज आदि जो नीच वंश में उत्पन्न हुए हैं, वे भी सब उत्तम गति पा जाते हैं' (गीता ९. ३२)। यही श्लोक महाभारत के

अनुगीतापर्व में भी आया है (म. भा. अश्व. १९. ६१); और ऐसी कथाएँ भी हैं, कि वनपर्वान्तर्गत ब्राह्मण-व्याघ्र-संवाद में मास वेचनेवाले व्याघ्र ने किसी ब्राह्मण को, तथा शान्तिपर्व में तुलाधार अर्थात् वनिये ने जाजलि नामक तपस्वी ब्राह्मण को, यह निरूपण सुनाया है, कि स्वधर्म के अनुसार निष्कामबुद्धि से आचरण करने से ही मोक्ष कैसा मिल जाता है (म. भा. वन. २०६-२१४; शा. २६०-२६३)। इससे प्रकट होता है, कि जिसकी बुद्धि सम हो जावे, वही श्रेष्ठ है। फिर चाहे वह सुनार हो, बढई हो, वनिया हो या कसाई; किसी मनुष्य की योग्यता उसके धर्म पर, व्यवसाय पर या जाति पर, अवलम्बित नहीं; किन्तु मर्त्या उसके अन्तःकरण की शुद्धता पर अवलम्बित होती है; और यही भगवान का अभिप्राय भी है। इस प्रकार किसी समाज के सब लोगों के लिये मोक्ष के दरवाजे खोल देने से उस समाज में जो एक प्रकार की विलक्षण जागृति उत्पन्न होती है, उसका स्वरूप महाराष्ट्र में भागवत धर्म के इतिहास से भली भाँति दीख पडता है। परमेश्वर को क्या स्त्री, क्या चाण्डाल, क्या ब्राह्मण-ममी समान हैं; 'देव भाव का भूषा है'—न प्रतीक का, न काले-भोरे वर्ण का, और न स्त्री-पुरुष आदि या ब्राह्मण-चाण्डाल आदि भेदों का ही। साधु तुकाराम का इस विषय का अभिप्राय, इस हिन्दी पद में प्रकट हो जायगा :—

क्या द्विजाति क्या शूद्र ईश को वेश्या भी भज सकती है,
श्वपचों को भी भक्तिभाव में शुचिता कब तज सकती है।

अनुभव से कहता हूँ, मने उसे फर लिया है वस में,
जो चाहे सो पिये प्रेम से अमृत भरा है इस रस में ॥

अधिक क्या कहें? गीताशान्त्र का भी यह सिद्धान्त है, कि "मनुष्य कैसा ही दुराचारी क्यों न हो; परन्तु यदि अन्तकाल में भी वह अनन्य भाव में भगवान् की शरण में जावे, तो परमेश्वर उसे नहीं भूलना" (गीता ९. ३०; और ८. ५-८ देखो)। उक्त पद्य में 'विष्या' शब्द (जो साधु तुकाराम के मूलवचन के आधार में रखा गया है) को देखकर पवित्रता का ढाँग करनेवाले बहूतेरे विद्वानों को कदाचित् बुरा लगे। परन्तु सच जान तो यह है, कि ऐसे लोगों को मच्छा धर्मनृत्व मालूम ही नहीं। न केवल हिन्दुधर्म में किन्तु बुद्धधर्म में भी यही सिद्धान्त स्वीकार किया गया है (मिलिन्दप्रश्न ३. ७. २), उनके धर्मग्रन्थों में एसी कथाएँ हैं, कि बुद्ध ने आम्रपात्री नामक किमी वेश्या को और अटगुलीमात्र नाम के चोर को दीक्षा दी थी। ईसाइयों के धर्मग्रन्थ में भी यह वर्णन है, कि ब्राइस्ट के माय जो दो चोर मूली पर चढाये गये थे, उनमें से एक चोर मृत्यु के समय ब्राइस्ट की शरण में गया; और ब्राइस्ट ने उसे मद्गनि दी (ल्यूक. ०३ ८० और ८३)। स्वयं ब्राइस्ट ने भी एक स्थान में कहा है, कि हमारे धर्म में श्रद्धा रखनेवाली वेश्याएँ भी मुक्त हो जाती हैं (मैथ्यू. २१. ३१; ल्यूक. ७. ५०)। यह जान दमने प्रसङ्ग में हम बतला चुके हैं कि अध्यात्मशास्त्र की दृष्टि से

भी वही सिद्धान्त निष्पन्न होता है। परन्तु यह धर्मतत्त्व शास्त्रतः यद्यपि निर्विवाद है; तथापि जिसका सारा जन्म दुराचरण में ही व्यतीत हुआ है, उसके अन्तःकरण में केवल मृत्यु के समय ही अनन्य भाव से भगवान का स्मरण करने की बुद्धि कैसे जागृत रह सकती है? ऐसी अवस्था में अन्तकाल की वेदनाओं को सहते हुए केवल यन्त्र के समान एक बार 'रा' कहकर और कुछ देरसे 'म' कहकर मूंह खोलने और बन्द करने के परिश्रम के सिवा कुछ अधिक लाभ नहीं होता। इसलिये भगवान् ने सब लोगो को निश्चित रीति से यही कहा है, कि "न केवल मृत्यु के समय ही किन्तु सारे जीवन भर सदैव मेरा स्मरण मन में रहने दो; और स्वधर्म के अनुसार अपने सब व्यवहारो को परमेश्वरार्पणबुद्धि से करते रहो। फिर चाहे तुम किसी भी जाति के रहो, तो भी तुम कर्मों को करते हुए ही मुक्त हो जाओगे" (गीता ९. २६-२८ और ३०-३४ देखो)।

इस प्रकार उपनिषदो का ब्रह्मात्मैक्यज्ञान आवालवृद्ध सभी लोगो के लिये सुलभ तो कर दिया गया है; परन्तु ऐसा करने में न तो व्यवहार का लोप होने दिया है; और न वर्ण, आश्रम, जाति-पाँति अथवा स्त्री-पुरुष आदि का कोई भेद रखा गया है। जब हम गीताप्रतिपादित भक्तिमार्ग की इस शक्ति अथवा समता की ओर ध्यान देते हैं, तब गीता के अन्तिम अध्याय में भगवान् ने प्रतिज्ञापूर्वक गीताशास्त्र का जो उपसंहार किया है, उसका मर्म प्रकट हो जाता है। वह ऐसा है - "सब धर्म छोड़ कर मेरे अकेले की शरण में आ जा; मैं तुझे सब पापो से मुक्त करूँगा, धवराना नहीं।" यहाँ पर धर्म शब्द का उपयोग इसी व्यापक अर्थ में किया गया है, कि सब व्यवहारो को करते हुए भी पापपुण्य से अलिप्त रहकर परमेश्वररूपी आत्मश्रेय जिस मार्ग के द्वारा सम्पादन किया जा सकता है, वही धर्म है। अनुगीता के गुरुशिष्यसंवाद में ऋषियों ने ब्रह्मा से यह प्रश्न किया (अश्व. ४९), कि अहिंसाधर्म, सत्यधर्म, व्रत तथा उपवास, ज्ञान, यज्ञयाग, दान, धर्म, सत्यास आदि जो अनेक प्रकार के मुक्ति के साधन अनेक लोग बतलाते हैं, उनमें से सच्चा साधन कौन है? और शान्तिपर्व के (३५४) उच्छ्वृत्ति उपाख्यान में भी यह प्रश्न है, कि गार्हस्थ्यधर्म, वानप्रस्थधर्म, राजधर्म, मातृ-पितृसेवा-धर्म, क्षत्रियोका रणङ्गण में मरण, ब्राह्मणो का स्वाध्याय, इत्यादि जो अनेक धर्म या स्वर्गप्राप्ति के साधन शास्त्रों ने बतलाये हैं, उनमें से ग्राह्य धर्म कौन है? ये भिन्न भिन्न धर्ममार्ग या धर्म दिखने में तो परस्पर-विरुद्ध मालूम होते हैं, परन्तु शास्त्रकार इन सब प्रत्यक्ष मार्गों की योग्यता को एक ही समझते हैं। क्योंकि समस्त प्राणियो में साम्यबुद्धि रखने का जो अन्तिम साध्य है, वह इनमें से किसी भी धर्म पर प्रीति और श्रद्धा के साथ मन को एकाग्र किये बिना प्राप्त नहीं हो सकता! तथापि, इन अनेक मार्गों की अथवा प्रतीक-उपासना की झन्झट में फँसने से मन धवरा जा सकता है। इसलिये अकेले अर्जुन को ही नहीं; किन्तु उसे निमित्त करके सब लोगो को भगवान् इस प्रकार निश्चित आश्वासन देते हैं,

सवादे' इन शब्दों का उपयोग किया गया है। इस निरूपण में और 'शास्त्रीय' निरूपण में जा भेद है, उसको स्पष्टता से बतलाने के लिये हमने सवादात्मक निरूपण को ही 'पौराणिक' नाम दिया है। सात सौ श्लोकों के इस सवादात्मक अथवा पौराणिक निरूपण में 'धर्म' जैसे व्यापक शब्द में शामिल होनेवाले सभी विषयों का विस्तारपूर्वक विवेचन कमी हा ही नहीं सकता। परन्तु आश्चर्य की बात है, कि गीता में जो अनेक विषय उप-र-र-र होते हैं, उनका ही सग्रह (संक्षेप में ही क्यों न हो) अविरोध से कैसे किया जा सका! इस बात से गीताकार की अलौकिक शक्ति व्यक्त होती है, और अनुगीता के आरम्भ में जा यह कहा गया है, कि गीता का उपदेश "अत्यन्त योगयुक्त चित्त से बतलाया गया है," इसकी सत्यता की प्रतीति भी हो जाती है। अर्जुन को जो जो विषय पहले से ही मालूम थे, उन्हें फिरसे विस्तारपूर्वक बहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उसका मुख्य प्रश्न तो यही था, कि मैं लडाई का घोर वृत्त्य करूँ या न करूँ, और करूँ भी तो किस प्रकार करूँ? जब श्रीकृष्ण अपने उत्तर में एवाघ युक्ति बतलाने थे, तब अर्जुन उसपर कुछ-न-कुछ आक्षेप किया करता था। इस प्रकार के प्रश्नोत्तररूपी सवाद में गीता का विवेचन स्वभाव ही से कही मक्षिप्त और कही द्विरक्त हो गया है। उदाहरणार्थ, त्रिगुणात्मक प्रकृति के फैलाव का वर्णन कुछ थोड़े भेद से दो जगह है (गीता अ ७ और १४), और स्थितप्रज्ञ, भगवद्भक्त, त्रिगुणातीत, तथा ब्रह्ममूढ इत्यादि की स्थिति का वर्णन एक-सा होने पर भी, भिन्न भिन्न दृष्टिया से प्रत्येक प्रसङ्ग पर बार बार किया गया है। इसके विपरीत "यदि अर्थ और काम धर्म से विमक्त न हो, तो वे ब्राह्म हैं, — इस तत्त्व का दिग्दर्शन गीता में केवल 'धर्माविच्छेद कामोऽस्मि' (७ ११) इमी एक वाक्य में कर दिया गया है। इसका परिणाम यह होता है, कि यद्यपि गीता में सब विषयों का समावेश किया गया है, तथापि गीता पढ़ने समय उन लोगों के मन कुछ गडबड-सी होती जाती है, जो श्रौतधर्म, स्मार्तधर्म, भागवतधर्म, साम्यशास्त्र, पूर्वमीमांसा, वेदान्त, कर्मविपाक इत्यादि के उन प्राचीन सिद्धान्तों की परम्परा से परिचित नहीं हैं, कि जिनके आधार पर गीता के ज्ञान का निरूपण किया गया है। और जब गीता के प्रतिपादन की पद्धति ठीक ठीक ध्यान में नहीं आती, तब वे लोग कहने लगते हैं, कि गीता माना बाजीगर की झाली है, अथवा शास्त्रीय पद्धति के प्रचार के पूर्व गीता की रचना हुई होगी, इमार्थे उनमें ठौर पर अधूरापन और विराय दोष पडना है, अथवा गीता का ज्ञान ही हमारी बुद्धि के लिये अगम्य है। उन मन्त्र का हटाने के लिये यदि टीकाओं का अवलोकन किया जाय, तो उनमें भी कुछ काम नहीं हाना। क्याकि वे बहुधा भिन्न भिन्न सम्प्रदायानुसार बनी हैं। इमार्थे टीकाकारों ने मना के परम्परविराधों की एकवाक्यता करना असम्भव-सा हा जाता है, और पढ़नवाट का मन अधिवाधिक धवराने रगत्रा है। इस प्रकार के धर्म में पटे हुए कई मुप्रमुद्ध पाठका का हमन देखा है। इन अद्वचन को हटाने के लिये हमने अपनी बुद्धि के अनुसार गीता के प्रतिपाद्य विषयों

का शास्त्रीय क्रम बाँध कर अब तक विवेचन किया है। अब यहाँ इतना और बतला देना चाहिये, कि ये ही विषय श्रीकृष्ण और अर्जुन के सम्भाषण में अर्जुन के प्रश्नों या शङ्काओं के अनुरोध से, कुछ न्यूनाधिक होकर कैसे उपस्थित हुए हैं। इससे यह विवेचन पूरा हो जायगा; और अगले प्रकरण में सुगमता से सब विषयों का उपसंहार कर दिया जायगा।

पाठको को प्रथम इस ओर ध्यान देना चाहिये, कि जब हमारा देश हिन्दुस्थान ज्ञान, वैभव, यश और पूर्ण स्वराज्य के सुख का अनुभव ले रहा था, उस समय एक सर्वज्ञ, महापराक्रमी, यशस्वी और परमपूज्य क्षत्रिय ने दूसरे क्षत्रिय को — जो महान् घनुर्घारी था — शास्त्रधर्म के स्वकार्य में प्रवृत्त करने के लिये गीता का उपदेश किया है। जैन और बौद्ध धर्मों के प्रवर्तक महावीर और गौतमबुद्ध भी क्षत्रिय ही थे। परन्तु इन दोनों ने वैदिक धर्म के केवल सन्यासमार्ग को अगीकार कर क्षत्रिय आदि सब वर्णों के लिये सन्यासधर्म का दरवाजा खोल दिया था। भगवान् श्रीकृष्ण ने ऐसा नहीं किया। क्योंकि भागवतधर्म का यह उपदेश है, कि न केवल क्षत्रियों को परन्तु ब्राह्मणों की भी निवृत्तिमार्ग की शान्ति के साथ निष्कामबुद्धि से सब कम आमरणान्त करते रहने का प्रयत्न करना चाहिये। किसी भी उपदेश को लीजिये, आप देखेंगे, कि उसका कुछ-न-कुछ कारण अवश्य रहता ही है, और उपदेश की सफलता के लिये शिष्य के मन में उस उपदेश का ज्ञान प्राप्त कर लेने की इच्छा भी प्रथम ही से जागृत रहनी चाहिये। अतएव इन दोनों बातों का खुलासा करने के लिये ही व्यासजी ने गीता के पहले अध्याय में इस बात का विस्तारपूर्वक वर्णन कर दिया है, कि श्रीकृष्ण ने अर्जुन को यह उपदेश क्यों दिया है। कौरव पाण्डवों की सेनाएँ युद्ध के लिये तैयार होकर कुरुक्षेत्र पर खड़ी हैं, अब थोड़ी ही देर में लड़ाई को आरम्भ होगा; इतने में अर्जुन के कहने से श्रीकृष्ण ने उसका रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दिया, और अर्जुन से कहा, कि “तुझे जिनसे युद्ध करना है, उन भीष्म, द्रोण आदि को देख।” तब अर्जुन ने दोनों सेनाओं की ओर दृष्टि पहुँचाई और देखा, कि अपने बापदादे, काका, आज्ञा, मामा, बन्धु, पुत्र, नाती, स्नेही, आप्त, गुरु, गुरुबन्धु आदि दोनों सेनाओं में खड़े हैं, और इस युद्ध में सब लोगों का नाश होनेवाला है। लड़ाई एकाएक उपस्थित नहीं हुई थी। लड़ाई करने का निश्चय पहले ही हो चुका था, और बहुत दिनों से दोनों ओर की सेनाओं का प्रबन्ध हो रहा था। परन्तु इस आपस की लड़ाई से होनेवाले कुलक्षय का प्रत्यक्ष स्वरूप जब पहले पहले अर्जुन की नजर में आया, तब उसके समान महायोद्धा के भी मन में विषाद उत्पन्न हुआ; और उसके मुख से ये शब्द निकल पड़े, “ओह! आज हम लोग अपने ही कुल का भयंकर क्षय इसी लिये करनेवाले हैं न, कि राज्य हमी को मिले, इसको अपेक्षा भिक्षा माँगना क्या बुरा है?” और इसके बाद उसने श्रीकृष्ण से कहा, “शत्रु ही चाहे मुझे जान से मार डाले, इसकी मुझे परवाह नहीं, परन्तु त्रैलोक्य के राज्य

किं दन अनेक धर्ममार्गों का छोड़ कर " तू केवल मेरी शरण में जा; मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, टर मत । " साधु तुकाराम भी मव धर्मों का निरसन करके अन्न में भगवान् में यही माँगते हैं, कि :-

चतुराई चेतना सभी चूल्हे में जावें,

बस मेरा मन एक ईश-चरणाश्रय पावे ।

आग लगे आचार-विचारों के उपचय में,

उस विमु का विश्वास सदा दृढ़ रहे हृदय में ॥

निश्चयपूर्वक उपदेश की या यह प्रार्थना की यह अन्तिम सीमा हो चुकी ।

श्रीमद्भगवद्गीतारूपी मोने की धाली का यह भक्तिरूपी अन्तिम कौल है, यहाँ प्रेमग्रास है । दुःखे पा चुके, अब आगे चलिये ।



चौदहवाँ प्रकरण

गीताध्याय-संगति

प्रवृत्तिलक्षणं धर्मं ऋषिर्नारायणोऽब्रवीत् । *

— महाभारत, शांति. २१७. २

अवगत किये गये विवेचन से दीख पड़ेगा, कि भगवद्गीता में — भगवान् के द्वारा गाये गये उपनिषद् में — यह प्रतिपादन किया गया है, कि कर्मों को करते हुए ही अध्यात्मविचार से या भक्ति से सर्वात्मैकरूप साम्यबुद्धि पूर्णतया प्राप्त कर लेना; और उसे प्राप्त कर लेने पर भी सन्यास लेने की झन्झट में न पड़ ससार में शास्त्रतः प्राप्त सब कर्मों को केवल अपना कर्तव्य समझ कर करते रहना ही, इस ससार में मनुष्य का परमपुरुषार्थ अथवा जीवन व्यतीत करने का उत्तम मार्ग है। परन्तु जिस क्रम से हमने इस ग्रन्थ में उक्त अर्थ का वर्णन किया है, उसकी अपेक्षा गीता-ग्रन्थ का क्रम भिन्न है। इसलिये अब यह भी देखना चाहिये, कि भगवद्गीता में इस विषय का वर्णन किस प्रकार किया गया है। किसी भी विषय का निरूपण दो रीतियों से किया जाता है : एक शास्त्रीय और दूसरी पौराणिक। शास्त्रीय पद्धति वह है, कि जिसके द्वारा तर्कशास्त्रानुसार साधकवाचक प्रमाणों को क्रमसहित उपस्थित करके यह दिखला दिया जाता है, कि सब लोगो की समझ में सहज ही आ सकनेवाली बातों से किसी प्रतिपाद्य विषय के मूलतत्त्व किस प्रकार निष्पन्न होते हैं। भूमितिशास्त्र इस पद्धति का एक अच्छा उदाहरण है, और न्यायसूत्र या वेदान्तसूत्र का उपपादन भी इसी वर्ग का है। इसी लिये भगवद्गीता में — जहाँ ब्रह्मसूत्र यानी वेदान्तसूत्र का उल्लेख किया है, वहाँ — यह भी वर्णन है, कि उसका विषय हेतुयुक्त और निश्चयात्मक प्रमाणों से सिद्ध किया गया है — “ ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः ” (गीता १३. ४)। परन्तु भगवद्गीता का निरूपण सशास्त्र भले हो, तथापि वह इस शास्त्रीय पद्धति से नहीं किया गया है। भगवद्गीता में जो विषय है, उसका वर्णन — अर्जुन और श्रीकृष्ण के सवादरूप में — अत्यन्त मनोरञ्जक और सुलभ रीति से किया गया है। इसी लिये प्रत्येक अध्याय के अन्त में “ भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे ” कहकर, गीतानिरूपण के स्वरूप के घोनक ‘श्रीकृष्णार्जुन-

* “ नारायण ऋषि ने धर्म को प्रवृत्तिप्रधान बतलाया है। ” नर और नारायण नामक ऋषियों में से ही ये नारायण ऋषि हैं। पहले बतला चुके हैं, कि इन्ही दोनों के अवतार भीष्म और अर्जुन थे। इसी प्रकार महाभारत का वह वचन भी पहले उद्धृत किया गया है, जिससे यह माह्रम होता है, कि गीता में नारायणीय धर्म का ही प्रतिपादन किया गया है।

के लिये भी मैं पितृहत्या, गुरुहत्या, वन्धुहत्या या कुलक्षय के ममान घोर पातक करना नहीं चाहता।" उसकी सारी देह थर-थर कांपने लगी; हाथपैर शिथिल हो गये; मूंह मुख गया; और खिन्नवदन हो अपने हाथ का धनुष्यबाण फेंककर वह बेचारा रथ में चुपचाप बैठ गया। इतनी कथा पहले अध्याय में है। इस अध्याय को 'अर्जुनविपादयोग' कहते हैं। क्योंकि यद्यपि पूरी गीता में ब्रह्मविद्यान्तर्गत (कर्म) योगशास्त्र नाम का एक ही विषय प्रतिपादित हुआ है; तो भी प्रत्येक अध्याय में जिस विषय का वर्णन प्रधानता से किया जाता है, उस विषय को इस कर्मयोगशास्त्र का ही एक भाग समझना चाहिये। और ऐसा समझकर ही प्रत्येक अध्याय को उसके विषयानुसार अर्जुनविपादयोग, माध्ययोग, कर्मयोग इत्यादि भिन्न भिन्न नाम दिये गये हैं। इन सब 'योगों' को एकत्र करने से 'ब्रह्मविद्या का कर्मयोगशास्त्र' हो जाता है। पहले अध्याय की कथा का महत्त्व हम इस ग्रन्थ के आरम्भ में कह चुके हैं। इसका कारण यह है कि जब तक हम उपस्थित प्रश्न के स्वरूप को ठीक तौर से जान न लें, तब तक उन प्रश्न का उत्तर भी भली भाँति हमारे ध्यान में नहीं आता। यदि कहा जाय, कि गीता का यही तात्पर्य है, कि "सासारिक कर्मों से निवृत्त होकर भगवद्भजन करो या सन्यास ले लो;" तो फिर अर्जुन को उपदेश करने की कुछ आवश्यकता ही न थी। क्योंकि वह तो लड़ाई का घोर कर्म छोड़ कर भिक्षा माँगने के लिये आप-ही-आप तैयार हो गया था। पहले ही अध्याय के अन्त में श्रीकृष्ण के मुख से ऐसे अर्थ का एक-आध श्लोक कहकर गीता की समाप्ति कर देनी चाहिये थी, कि "वाह! क्या ही अच्छा कहा! नेरी इस उपरति को देष मुझे आनन्द मालूम होता है। चलो, हम दोनों इस कर्मभय मंगार को छोड़ मन्यासायम के द्वारा या भक्ति के द्वारा अपने आत्मा का वन्याण कर ले!" फिर, इधर लड़ाई हो जाने पर व्यासजी उसका वर्णन करने में तीन वर्ष तक (म. भा. आ. ६२. ५२) अपनी वाणी का भले ही दुरुपयोग करते रहते; परन्तु उनका दोष बेचारे अर्जुन और श्रीकृष्ण पर तो आरोपित न हुआ होता। हाँ; यह सच है, कि कुरुक्षेत्र में जो मैकड़ों महारथी एकत्र हुए थे, वे अवश्य ही अर्जुन और श्रीकृष्ण का उपहास करते। परन्तु जिस मनुष्य को अपने आत्मा का वन्याण कर लेना है, वह ऐसे उपहास की परवाह ही क्यों करता? संसार कुछ भी कहे; उपनिषदों में तो यही कहा है, कि "यदहरेव विरजेत् तदहरेव प्रव्रजेत्" (जा ४) अर्थात् जिस क्षण उपरति हो, उमी क्षण मन्याम धारण करो; विन्दम्य न करो। यदि यह कहा जाय, कि अर्जुन को उपरति ज्ञानपूर्वक न थी, वह केवल मोह की थी; तो भी वह थी तो उपरति ही। यम, उपरति होने से आघात ही हुआ। अम मोह को हटा कर उमी उपरति का पूर्णज्ञानमूलक कर देना भगवान् के लिये कुछ असम्भव बात न थी। भक्तिमार्ग में या मन्याममार्ग में भी ऐसे अनेक उदाहरण हैं; कि जब पार्श्व किमी वाग्प ने मंगार में उतना गये तो वे दुःखित हो इस मंगार को छोड़ जङ्गल में चले गये, और उन लोगों ने पूरी गिद्धि भी प्राप्त कर ली है। इनो प्रकार

अर्जुन की भी दशा हुई होती। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता था, कि सन्यास लेने के समय वस्त्रों को गेरूआ रंग देने के लिये मुठ्ठी भर लाल मिट्टी, या भगवन्नामसङ्कीर्तन के लिये ज्ञान्ज, मृदङ्ग आदि सामग्री मारे कुक्षेत्र में भी न मिलती।

परन्तु ऐसा कुछ भी नहीं किया; उलटा दूसरे अध्याय के आरम्भ में ही श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा है, कि “अरे! तुझे यह दुर्वृद्धि (कश्मल) कहाँ से सूझ पडी? यह नामर्दी (क्लैव्य) तुझे शोभा नहीं देती! यह तेरी कीर्ति को धूल में मिला देगी। इसलिये इस दुर्वलता का त्याग कर युद्ध के लिये खड़ा हो जा।” परन्तु अर्जुन ने किसी अबला की तरह अपना वह रोना जारी ही रखा। वह अत्यन्त दीन-हीन वाणी में बोला — “मैं भीष्म, द्रोण आदि महात्माओं को कैसे मारूँ? मेरा मन इसी सशय में चक्कर खा रहा है, कि मरना भला है, या मारना? इसलिये मुझे यह वतलाइये, की इन दोनों में कौन-सा धर्म श्रेयस्कर है। मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ।” अर्जुन की इन बातों को सुनकर श्रीकृष्ण जान गये, कि अब यह माया के चगुल में फँस गया है। इसलिये जरा हँसकर उन्होंने उसे ‘अशोच्यानन्वशोचस्त्वम्’ इत्यादि ज्ञान वतलाना आरम्भ किया। अर्जुन ज्ञानी पुरुष के सदृश वर्ताव करना चाहता था, और वह कर्मसन्यास की बातें भी करने लग गया था। इसलिये, ससार में ज्ञानी पुरुष के आचरण के जो दो पन्थ दीख पड़ते हैं — अर्थात्, ‘कर्म करना’ और ‘कर्म छोड़ना’ — वही से भगवान् ने उपदेश का आरम्भ किया है। और अर्जुन को पहली बात यही वतलाई है, कि इन दो पन्थों या निष्ठाओं में से तू किमी को भी ले, परन्तु तू भूल कर रहा है। इसके बाद, जिस ज्ञान या साध्यनिष्ठा के आधार पर अर्जुन कर्मसन्यास की बात करने लगा था, उसी साध्यनिष्ठा के आधार पर श्रीकृष्ण ने प्रथम “एपा तेऽभिहिता बुद्धिः” (गीता २ ११-३९) तक उपदेश किया है। और फिर अध्याय के अन्त तक कर्मयोगमार्ग के अनुसार अर्जुन को यही वतलाया है, कि युद्ध ही तेरा सच्चा कर्तव्य है। यदि “एपा तेऽभिहिता साध्वे” सरीखा श्लोक ‘अशोच्यानन्वशोचस्त्वम्’ श्लोक के पहले आता, तो यही अर्थ और भी अधिक व्यक्त हो गया होता। परन्तु सम्भाषण के प्रवाह में साध्यमार्ग का प्रतिपादन हो जाने पर वह इस रूप में आया है — “वह तो साध्यमार्ग के अनुसार प्रतिपादन हुआ। अब योगमार्ग के अनुसार प्रतिपादन करता हूँ।” कुछ भी हो, परन्तु अर्थ एक ही है। हमने ग्यारहवें प्रकरण में साध्य (या सन्यास) और योग (या कर्मयोग) का भेद पहले ही स्पष्ट करके वतला दिया है। इसलिये उसकी पुनरावृत्ति न कर केवल इतना ही कह देते हैं, कि चित्त की शुद्धता के लिये स्वधर्मानुसार वर्णाश्रमविहित कर्म करके ज्ञानप्राप्ति होन पर मोक्ष के लिये अन्त में सब कर्मों को छोड़ सन्यास लेना साध्यमार्ग है, और कर्मों का कभी त्याग न कर अन्त तक उन्हें निष्कामबुद्धि से करते रहना योग अथवा कर्मयोग है। अर्जुन से भगवान् प्रथम यह कहते हैं, कि साध्यमार्ग के अध्यात्मज्ञाना-

नुसार आत्मा अविनाशी और अमर है। इसलिये तेरी समझ गलत है, कि "मैं भीष्म, द्रोण आदि को मारूँगा।" क्योंकि न तो आत्मा मरता है; और न मारता ही है। जिस प्रकार मनुष्य अपने वस्त्र बदलता है, उसी प्रकार आत्मा एक देह छोड़कर दूसरी देह में चला जाता है। परन्तु इसलिये उसे मृत मानकर शोक करना उचित नहीं। अच्छा मान लिया, कि 'मैं मारूँगा' यह भ्रम है, तब तू कहेगा, कि युद्ध ही क्यों करना चाहिये? तो उसका उत्तर यह है, कि शास्त्रतः प्राप्त हुए युद्ध से परावृत्त न होना ही क्षत्रियों का धर्म है। और जब कि इम साग्यमार्ग में प्रथमतः वर्णाश्रमविहित कर्म करना ही श्रेयस्कर माना जाता है, तब यदि तू वैसा न करेगा, तो लोग तेरी निन्दा करेगे - अधिक क्या कहे, युद्ध में मरना ही क्षत्रियों का धर्म है। फिर व्यर्थ शोक क्यों करता है? "मैं मारूँगा और वह मरेगा" यह केवल कर्मदृष्टि है - इसे छोड़ दे। तू अपना प्रवाहपतित कार्य ऐसी बुद्धि से करता चला जा, कि मैं केवल स्वधर्म कर रहा हूँ। इससे तुझे कुछ भी पाप नहीं लगेगा। यह उपदेश साध्य मार्गानुसार हुआ। परन्तु चित्त की शुद्धता के लिये प्रथमतः कर्म करके चित्तशुद्धि हो जाने पर अन्त में सब कर्मों को छोड़ मन्याम लेना ही यदि इम मार्ग के अनुसार श्रेष्ठ माना जाता है, तो यह शक्यता रह ही जाती है, कि उपरति होने ही युद्ध को छोड़ (यदि हो सके तो) सन्यास ले लेना क्या अच्छा नहीं है? केवल इतना कह देने में काम नहीं चलना, कि मनु आदि स्मृतिकारों की आज्ञा है, कि गृहस्थाश्रम के बाद फिर कहीं ब्रह्मचर्य में मन्याम लेना चाहिये। युवावस्था में तो गृहस्थाश्रम ही होना चाहिये। क्योंकि किमी भी समय यदि सन्यास लेना ही श्रेष्ठ है, तो ज्यों ही ममार में जी ह्य, त्यों ही तनिक भी देर न कर सन्यास लेना उचित है। और इसी हेतु में उपनिषदों में भी ऐसे वचन पाये जाते हैं, कि "ब्रह्मचर्यादिव प्रव्रजेत् गृह्याद्वा वनाद्वा" (जा. ४)। सन्यास लेने में जो गति प्राप्त होगी, वही युद्धक्षेत्र में मरने से क्षत्रिय को प्राप्त होती है। महाभारत में कहा है -

द्वाविमौ पुरुषव्याघ्रं सूर्यमण्डलभेदिनी ।

परिभ्राट् योगयुक्तरश्च रणे चाभिमुखो हतः ॥

अर्थात् - "ह पुरुषव्याघ्र! सूर्यमण्डल को पार कर ब्रह्मलोक को जानेवाले केवल दो ही पुरुष हैं। एक तो योगयुक्त मन्यामी और दूसरा युद्ध में गूँड कर मर जानेवाला वीर" (उद्या ३२ ६५)। इन्हीं अर्थों का एक श्लोक कौटिल्य के, यानी चाणक्य के, अयंगाम्त्र में भी है -

यान् यज्ञसर्घस्तपसा च विप्राः स्वर्गेषिणः पात्रचर्यश्च यान्ति ।

क्षणैः तानप्यनियान्ति शूराः प्राणान् सुयुद्धेषु परित्यजन्तः ॥

स्वर्ग की इच्छा करनेवाले ब्राह्मण अनेक यज्ञों में, यज्ञपात्रों में और तपों में जिस लोक में जाते हैं उन लोक के भी आगे के लोक में युद्ध में प्राण अर्पण करनेवाले शूर पुरुष

एक क्षण में जा पहुँचते हैं — अर्थात् न केवल तपस्वियों को या संन्यासियों को वरन् यज्ञयाग आदि करनेवाले दीक्षितों को भी जो गति प्राप्त होती है, वही युद्ध में मरने-वाले क्षत्रिय को भी मिलती है (कौटि. १०. ३. १५०-५२; और म. भा. शां. ९८-१०० देखो) । “क्षत्रिय को स्वर्ग में जाने के लिये युद्ध के समान दूसरा दरवाजा क्वचित् ही खुला मिलता है । युद्ध में मरने से स्वर्ग; और जय प्राप्त करने से पृथ्वी का राज्य मिलेगा ” (२. ३२, ३७) — भी प्रतिपादित किया जा सकता है, कि क्या संन्यास लेना और क्या युद्ध करना दोनों से एक ही फल की प्राप्ति होती है । इस मार्ग के युक्तिवाद से यह निश्चिन्तापूर्ण रीति से सिद्ध नहीं होता, कि “कुछ भी हो; युद्ध करना ही चाहिये ।” सांख्यमार्ग में जो यह न्यूनता या दोष है, उसे ध्यान में रख आगे भगवान् ने कर्मयोगमार्ग का प्रतिपादन आरम्भ किया है; और गीता के अन्तिम अध्याय के अन्त तक इसी कर्मयोग का — अर्थात् कर्मों को करना ही चाहिये और मोक्ष में उनसे कोई बाधा नहीं होती; किन्तु इन्हें करते रहने से ही मोक्ष प्राप्त होता है, इसका — भिन्न भिन्न प्रमाण दे कर, शङ्का-निवृत्तिपूर्वक समर्थन किया है । इस कर्मयोग का मुख्य तत्त्व यह है, कि किसी भी कर्म को भला या बुरा कहने के लिये उस कर्म के बाह्य-परिणामों की अपेक्षा पहले यह देख लेना चाहिये, कि कर्ता की वासनात्मक बुद्धि शुद्ध है अथवा अशुद्ध (गीता २.४९) । परन्तु वासना की शुद्धता या अशुद्धता का निर्णय भी तो आखिर व्यवसायात्मक बुद्धि ही करती है । इसलिये जब तक निर्णय करनेवाली बुद्धीन्द्रिय स्थिर और शान्त न होगी, तब तक वासना भी शुद्ध या सम नहीं हो सकती । इसी लिये उसके साथ यह भी कहा है, कि वासनात्मक बुद्धि को शुद्ध करने के लिये प्रथम समाधि के योग से व्यवसायात्मक बुद्धीन्द्रिय को भी स्थिर कर लेना चाहिये (गीता २.४१) । संसार के सामान्य व्यवहारों की ओर देखने से प्रतीत होता है, कि बहुतेरे मनुष्य स्वर्गादि भिन्न भिन्न काम्य सुखों की प्राप्ति के लिये ही यज्ञयागादिक वैदिक काम्यकर्मों की झञ्झट में पड़े रहते हैं । इससे उनकी बुद्धि कभी एक फल की प्राप्ति में, कभी दूसरे ही फल की प्राप्ति में, अर्थात् स्वार्थ ही में, निमग्न रहती है; और सदा बदलनेवाली यानी चञ्चल हो जाती है । ऐसे मनुष्यों को स्वर्गमुखादिक अनित्यफल की अपेक्षा अधिक महत्त्व का अर्थात् मोक्षरूपी नित्य सुख कभी प्राप्त नहीं हो सकता । इसी लिये अर्जुन को कर्मयोग का रहस्य इस प्रकार बतलाया गया है, कि वैदिक कर्मों के काम्य झगड़ों को छोड़ दे और निष्कामबुद्धि से कर्म करना सीख । तेरा अधिकार केवल कर्म करने भर का ही है — कर्म के फल की प्राप्ति अथवा अप्राप्ति तेरे अधिकार की बात नहीं है (२.४७) । ईश्वर को ही फलदाता मान कर जब इस समबुद्धि से — कि कर्म का फल मिले अथवा न मिले, दोनों समान है — केवल स्वकर्तव्यता समझ कर ही कुछ काम किया जाता है; तब उस कर्म के पापपुण्य का लेप कर्ता को नहीं होता । इसलिये तू इस समबुद्धि का आश्रय कर । इस समबुद्धि को ही योग — अर्थात् पाप के भागी न होते हुए कर्म करने की

युक्ति — कहते हैं। यदि तुझे यह योग सिद्ध हो जाय, तो कर्म करने पर भी तुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जायगी। मोक्ष के लिये कुछ कर्ममंग्यास की आवश्यकता नहीं है (२.४७-५३)। जब भगवान् ने अर्जुन से कहा, कि जिस मनुष्य की बुद्धि इस प्रकार सम हो गई हो, उसे स्थितप्रज्ञ कहते हैं (२.५३); तब अर्जुन ने पूछा, कि "महाराज! कृपा कर बतलाये, कि स्थितप्रज्ञ का वर्ताव कैसा होता है?" इस लिये दूसरे अध्याय के अन्त में स्थितप्रज्ञ का वर्णन किया गया है; और अन्त में कहा गया है, कि स्थितप्रज्ञ की स्थिति को ही ब्राह्मी स्थिति कहते हैं। सारांश यह है, कि अर्जुन को युद्ध में प्रवृत्त करने के लिये गीता में जो उपदेश दिया गया है, उमका प्रारम्भ उन दो निष्ठाओं ने ही किया गया है, कि जिन्हें इस संसार के ज्ञानी मनुष्यों ने ग्राह्य माना है; और जिन्हें 'कर्म छोड़ना' (सांख्य) और 'कर्म करना' (योग) कहते हैं; तथा युद्ध करने की आवश्यकता की उपपत्ति पहले मांध्यनिष्ठा के अनुसार बतलाई गई है। परन्तु जब यह देखा गया, कि इस उपपत्ति से काम नहीं चलता — यह अधूरी है — तब फिर तुरन्त ही योग या कर्मयोग मार्ग के अनुसार ज्ञान बतलाना आरम्भ किया है; और यह बतलाने के पश्चात् — कि इस कर्मयोग का अल्प आचरण भी कितना श्रेयस्कार है — दूसरे अध्याय में भगवान् ने अपने उपदेश को उम स्थान तक पहुँचा दिया है, कि कर्मयोग-मार्ग में कर्म की अपेक्षा वह बुद्धि ही श्रेष्ठ मानी जाती है, जिससे कर्म करने की प्रेरणा हुआ करती है; तो अब स्थितप्रज्ञ की नाई तू अपनी बुद्धि को सम करके अपना कर्म कर; जिसमे तू कदापि पाप का भागी न होगा। अब देखा है, कि आगे और कौन-कौन से प्रश्न उपस्थित होते हैं। गीता के मारे उपपादन की जड़ दूसरे अध्याय में ही है। इसलिये इसके विषय का विवेचन यहाँ कुछ विस्तार में किया गया है।

तीसरे अध्याय के आरम्भ में अर्जुन ने प्रश्न किया है, कि "यदि कर्मयोग-मार्ग में भी कर्म की अपेक्षा बुद्धि ही श्रेष्ठ मानी जाती है, तो मैं अभी स्थितप्रज्ञ की नाई अपनी बुद्धि को सम किये लेता हूँ। फिर आप मुझमे इस युद्ध के समान धार कर्म करने के लिये क्यों कहते हैं?" इसका कारण यह है, कि कर्म की अपेक्षा बुद्धि को श्रेष्ठ वह देने से ही इस प्रश्न का निर्णय नहीं हो जाता, कि "युद्ध क्यों करें? बुद्धि को सम रख कर उदासीन क्यों न बैठें रहें?" बुद्धि को सम रखने पर भी कर्म-संन्यास किया जा सकता है। फिर जिस मनुष्य की बुद्धि सम हो गई है, उसे सांख्यमार्ग के अनुसार कर्मों का त्याग करने में क्या हर्ज है? इस प्रश्न का उत्तर भगवान् इस प्रकार देते हैं, कि पहले तुझे साध्य और योग नामक दो निष्ठाएँ बतलाई हैं मही, परन्तु यह भी स्मरण रहे, की किसी मनुष्य के कर्मों का मर्बधा छूट जाना अमम्भव है। जब तक वह देहधारी है, तब तक प्रकृति स्वभावतः उनमें बर्न बर्गवेगी ही। और जब कि प्रकृति के ये बर्न छूटने ही नहीं हैं, तब तो इन्द्रियनिग्रह के द्वारा बुद्धि को स्थिर और सम करके केवल कर्मनिष्ठियों में ही अपने मर्ब वर्तव्य-

कर्मों को करते रहना अधिक श्रेयस्कर है। इसलिये तू कर्म कर। यदि कर्म नहीं करेगा, तो तुझे खाने तक न मिलेगा (३. ३. ८)। ईश्वर ने ही कर्म को उत्पन्न किया है; मनुष्य ने नहीं। जिस समय ब्रह्मादेव ने सृष्टि और प्रजा को उत्पन्न किया, उसी समय उसने 'यज्ञ' को भी उत्पन्न किया था। और उसने प्रजा से यह कह दिया था, कि यज्ञ के द्वारा तुम अपनी समृद्धि कर लो। जब कि यह यज्ञ बिना कर्म सिद्ध नहीं होता, तो अब यज्ञ को कर्म ही कहना चाहिये। इसलिये यह सिद्ध होता है, कि मनुष्य और कर्म साथ ही साथ उत्पन्न हुए हैं। परन्तु ये कर्म केवल यज्ञ के लिये ही हैं; और यज्ञ करना मनुष्य का कर्तव्य है। इस लिये इन कर्मों के फल मनुष्य को बन्धन में डालनेवाले नहीं होते। अब यह सच है, कि जो मनुष्य पूर्ण ज्ञानी हो गया, स्वयं उसके लिये कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहता; और, न लोगो से ही उसका कुछ अटका रहता है। परन्तु इतने ही से यह सिद्ध नहीं हो जाता, कि कर्म मत करो। क्योंकि कर्म करने से किसीको भी छुटकारा न मिलने के कारण यही अनुमान करना पड़ता है, कि यदि स्वार्थ के लिये न हो; तो भी अब उसी कर्म को निष्कामबुद्धि से लोकसग्रह के लिये अवश्य करना चाहिये (३. १७. १९)। इन्हीं बातों पर ध्यान देकर प्राचीन काल में जनक आदि ज्ञानी पुरुषो ने कर्म किये हैं; और मैं भी कर रहा हूँ। इसके अतिरिक्त यह भी स्मरण रहे, कि ज्ञानी पुरुषो के कर्तव्यो में 'लोकसग्रह करना' एक मुख्य कर्तव्य है; अर्थात् अपने बर्तव्य से लोगो को सन्मार्ग की शिक्षा देना और उन्हें उन्नति के मार्ग में लगा देना, ज्ञानी पुरुष ही का कर्तव्य है। मनुष्य कितना ही ज्ञानवान् क्यों न हो जावे; परन्तु प्रकृति के व्यवहारो से उसको छुटकारा नहीं है। इसलिये कर्म छोड़ना तो दूर ही रहा; परन्तु कर्तव्य समझ कर स्वधर्मानुसार कर्म करते रहना और - आवश्यकता होने पर - उसीमें मर जाना भी श्रेयस्कर है (३. ३०-३५), - इस प्रकार तीसरे अध्याय में भगवान् ने उपदेश दिया है। भगवान् ने इस प्रकार प्रकृति को सब कामो का कर्तृत्व दे दिया। यह देख अर्जुन ने प्रश्न किया, कि मनुष्य - इच्छा न रहने पर भी - पाप क्यों करता है? तब भगवान् ने यह उत्तर देकर अध्याय समाप्त कर दिया है, कि काम-क्रोध आदि विकार बलात्कार से मन को भ्रष्ट कर देते हैं। अतएव अपनी इन्द्रियो का निग्रह करके प्रत्येक मनुष्य को अपना मन अपने अधीन रखना चाहिये। साराश, स्थितप्रज्ञ की नाई बुद्धि की समता हो जाने पर भी कर्म से किसी का छुटकारा नहीं। अतएव यदि स्वार्थ के लिये न हो, तो भी लोकसग्रह के लिये निष्कामबुद्धि से कर्म करते ही रहना चाहिये - इस प्रकार कर्मयोग की आवश्यकता सिद्ध की गई है; और भक्तिमार्ग के परमेश्वरार्पण-पूर्वक कर्म करने के इस तत्त्व का भी - "कि मुझे सब कर्म अर्पण कर" (३. ३०-३१) - इसी अध्याय में प्रथम उल्लेख हो गया है।

परन्तु यह विवेचन तीसरे अध्याय में पूरा नहीं हुआ, इसलिये चौथा अध्याय भी उसी विवेचन के लिये आरम्भ किया गया है। किसी के मन में यह

शङ्का न आने पाये, कि अब तक किया गया प्रतिपादन केवल अर्जुन को युद्ध में प्रवृत्त करने के लिये ही नूतन रचा गया होगा। इसलिये अध्याय के आरम्भ में इस कर्मयोग की अर्थात् भागवत या नारायणीय धर्म की त्रैतायुगवाली परम्परा बतलाई गई है। जब श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा, कि आदौ यानी युग के आरम्भ में मैंने ही यह कर्मयोगमार्ग विवस्वान् को, विवस्वान् ने मनु को और मनुने इक्ष्वाकु को बतलाया था। परन्तु इस बीच में यह नष्ट हो गया था; इसलिये मैंने यही योग (कर्मयोगमार्ग) तुझे फिर से बतलाया है। तब अर्जुन ने पूछा, कि आप विवस्वान् के पहले कैसे होंगे? इसका उत्तर देते हुए भगवान् ने बतलाया है, कि साधुओं की रक्षा, दुष्टों का नाश और धर्म की संस्थापना करना ही मेरे अवतारों का प्रयोजन है। एवं इस प्रकार लोकमग्रहकारक कर्मों को करते हुए भी उनमें मेरी कुछ आसक्ति नहीं है। इसलिये मैं उनके पापपुण्यादि फलों का भागी नहीं होता। इस प्रकार कर्मयोग का समर्थन करके और यह उदाहरण देकर कि प्राचीन समय जनक आदि ने भी इसी तत्त्व को ध्यान में ला कर कर्मों का आचरण किया है। भगवान् ने अर्जुन को फिर यही उपदेश दिया है, कि "तू भी वैसे ही कर्म कर।" तीसरे अध्याय में भीमार्जुन का जो सिद्धान्त बतलाया गया था, कि "यज्ञ के लिये किये गये कर्म बन्धक नहीं होते," उसीको अब फिर से बतलाकर 'यज्ञ' की विस्तृत और व्यापक व्याख्या इस प्रकार की है - केवल तिल और चावल को जलाना अथवा पशुओं को मारना एक प्रकार का यज्ञ है नहीं; परन्तु यह द्रव्यमय यज्ञ हल्के दर्जे का है। और संयमाग्नि में कामश्रोघादि इन्द्रियवृत्तियों को जलाना अथवा 'न मम' कहकर सब कर्मों को ब्रह्म में स्थापित कर देना ऊँचे दर्जे का यज्ञ है। इसलिये अर्जुन को ऐसा उपदेश किया है कि तू इस ऊँचे दर्जे के यज्ञ के लिये फलाशा का त्याग करके कर्म कर। भीमार्जुन के न्याय से अनुमार यथार्थ किये गये कर्म यदि स्वतन्त्र रीति से बन्धक न हों, तो भी यज्ञ का कुछ-न-कुछ फल बिना प्राप्त हुए नहीं रहता। इसलिये यज्ञ भी यदि निष्काम-बुद्धि में ही किया जावे, तो उसके लिये किया गया कर्म और स्वयं यज्ञ दोनों बन्धक न होंगे। अन्त में कहा है, कि साम्यबुद्धि उभे बहते हैं, जिससे यह ज्ञान हो जावे, कि सब प्राणी अपने में या भगवान् में हैं। जब ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तभी सब कर्म भस्म हो जाते हैं; और कर्ता को उनकी बृष्ट वाधा नहीं होती। "सर्व कर्माशिलं पापं ज्ञाने परिममाप्यते" - सब कर्मों का लय ज्ञान में हो जाता है। कर्म स्वयं बन्धक नहीं होते। बन्ध केवल अज्ञान से उत्पन्न होता है। इसलिये अर्जुन को यह उपदेश दिया गया है, कि अज्ञान को छोड़ कर्मयोग का आश्रय कर; और लड़ाई के लिये प्रेरित हो जा। माराज, इस अध्याय में ज्ञान की इस प्रकार प्रस्तावना की गई है, कि कर्मयोगमार्ग की गिद्धि के लिये भी साम्यबुद्धिस्वरूप ज्ञान की आवश्यकता है।

कर्मयोग की आवश्यकता क्या है या कर्म क्यों किये जावे - इसके कारणों का विचार निम्ने और चौथे अध्याय में किया गया है नहीं; परन्तु दूसरे अध्याय में

सांख्यज्ञान का वर्णन करके कर्मयोग के विवेचन में भी वारवार कर्म की अपेक्षा बुद्धि ही श्रेष्ठ बतलाई गयी है। इसलिये यह बतलाना अब अत्यन्त आवश्यक है, कि इन दो मार्गों में कौन-सा मार्ग श्रेष्ठ है। क्योंकि यदि दोनों मार्ग एक-सी-योग्यता के कहे जायें, तो परिणाम यह होगा, कि जिसे जो मार्ग अच्छा लगेगा वह उसी को अङ्गीकार कर लेगा — केवल कर्मयोग को ही स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। अर्जुन के मन में यही शङ्का उत्पन्न हुई। इसलिये उसने पाँचवें अध्याय के आरम्भ में भगवान् से पूछा है, कि “सांख्य और योग दोनों निष्ठाओं को एकत्र करके मुझे उपदेश न कीजिये। मुझे केवल इतना ही निश्चयात्मक बतला दीजिए, कि इन दोनों में श्रेष्ठ मार्ग कौन-सा है, जिससे कि मैं सहज ही उसके अनुसार बर्ताव कर सकूँ।” इस पर भगवान् ने स्पष्ट रीति से यह कह कर अर्जुन का सन्देह दूर कर दिया है, कि यद्यपि दोनों मार्ग निःश्रेयस्कर हैं — अर्थात् एक-से ही मोक्षप्रद हैं — तथापि उनमें कर्मयोग की योग्यता अधिक है — ‘कर्मयोगो विशिष्यते’ (५. २)। इसी सिद्धान्त को दृढ़ करने के लिये भगवान् और भी कहते हैं, कि संन्यास या सांख्यनिष्ठा से जो मोक्ष मिलता है, वही कर्मयोग से भी मिलता है। इतना ही नहीं परन्तु कर्मयोग में जो निष्कामबुद्धि बतलाई गई है, उसे बिना प्राप्त किये संन्यास सिद्ध नहीं होता। और जब वह प्राप्त हो जाती है, तब योगमार्ग से कर्म करते रहने पर भी ब्रह्मप्राप्ति अवश्य हो जाती है। फिर यह झगड़ा करने से क्या लाभ है, कि सांख्य और योग भिन्न भिन्न हैं? यदि हम चलना, बोलना, देखना, सुनना, वास लेना इत्यादि सैकड़ों कर्मों को छोड़ना चाहें, तो भी वे नहीं छूटते। इस दशा में कर्मों को छोड़ने का हठ न कर उन्हें ब्रह्मार्पणबुद्धि से करते रहना ही बुद्धिमत्ता का मार्ग है। इसलिये तत्त्वज्ञानी पुरुष निष्कामबुद्धि से कर्म करते रहते हैं; और अन्त में उन्हीं के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति कर लिया करते हैं। ईश्वर तुमसे न यह कहता है, कि कर्म करो; और न यह कहता है, कि उनका त्याग कर दो! यह तो सब प्रकृति की क्रीडा है; और बन्धक मन का धर्म है। इसलिये जो मनुष्य समबुद्धि से अथवा ‘सर्वभूतात्मभूतात्मा’ होकर कर्म किया करता है, उसे उस कर्म की बाधा नहीं होती। अधिक क्या कहें; इस अध्याय के अन्त में यह भी कहा है, कि जिसकी बुद्धि कुत्ता, चाण्डाल, ब्राह्मण, गौ, हाथी इत्यादि के प्रति सम हो जाती है; और जो सर्व-भूतान्तर्गत आत्मा की एकता को पहचान कर अपने व्यवहार करने लगता है, उसे वैठे-बिठाये ब्रह्मनिर्वाणरूपी मोक्ष प्राप्त हो जाता है — मोक्षप्राप्ति के लिये उसे कही भटकना नहीं पड़ता; वह सदा मुक्त ही है।

छठे अध्याय में वही विषय आगे चल रहा है; और उसमें कर्मयोग की सिद्धी के लिये आवश्यक समबुद्धि की प्राप्ति के उपायों का वर्णन है। पहले ही श्लोक में भगवान् ने अपना मत स्पष्ट बतला दिया है, कि जो मनुष्य कर्मफल की आशा न रखे, केवल कर्तव्य समझकर संसार के प्राप्त कर्म करता रहता है, वही सच्चा योगी

और सच्चा सन्यासी है। जो मनुष्य अग्निहोत्र आदि कर्मों का त्याग कर चुपचाप बैठ रहे, वह सच्चा सन्यासी नहीं है। उसके बाद भगवान् ने आत्मन्वतन्त्रता का इस प्रकार वर्णन किया है, कि कर्मयोगमार्ग में बुद्धि को स्थिर करने के लिये इन्द्रियनिग्रह-रूपी जो कर्म करना पड़ता है, उसे स्वयं आप ही करें। यदि कोई ऐसा न करे, तो किसी दूसरे पर उसका दोषारोपण नहीं किया जा सकता। इसके आगे ८म अध्याय में इन्द्रियनिग्रह-रूपी योग की साधना का पातञ्जल-योग की दृष्टि में मुख्यतः वर्णन किया गया है। परन्तु यम-नियम-आसन-प्राणायाम आदि साधनों के द्वारा यद्यपि इन्द्रियों का निग्रह किया जावे, तो भी उतने में ही काम नहीं चलता। ८म श्लोक आत्मैक्यज्ञान की भी आवश्यकता के विषय में इसी अध्याय में कहा गया है, कि आगे उस पुरुष की वृत्ति "सर्वभूतस्यमात्मानं सर्वभूतानि चात्मानि" अथवा "यो मा पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति" (६. २९, ३०) इस प्रकार सब प्राणियों में सम हो जानी चाहिये। इतने में अर्जुन ने यह शङ्का उपस्थित की, कि यदि यह साम्यबुद्धि-रूपी योग एक जन्म में सिद्ध न हो, तो फिर दूसरे जन्म में भी आरम्भ ही में उसका अभ्यास करना होगा - और फिर भी यही दशा होगी - और इस प्रकार यदि यह चक्र हमेशा चलता ही रहे, तो मनुष्यको इस मार्ग के द्वारा सद्गति प्राप्त होना अस्मभव है। इस शङ्का का निवारण करने के लिये भगवान् ने पहले यह कहा है, कि योगमार्ग में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। पहले जन्म के मन्कार शेष रह जाते हैं, और उनकी सहायता से दूसरे जन्म में अधिक अभ्यास होता है, तथा क्रम क्रम में अन्त में सिद्धि सिद्ध जाती है। इतना कहकर भगवान् ने इस अध्याय के अन्त में अर्जुन को पुनः यह निश्चिन और स्पष्ट उपदेश दिया है, कि कर्मयोगमार्ग ही श्रेष्ठ और क्रमशः सुमाध्य है। इस लिये केवल (अर्थात् फलान्ना को न छोड़ते हुए) कर्म करना, नपञ्चर्या करना, ज्ञान के द्वारा कर्मसंन्यास करना इत्यादि सब मार्गों को छोड़ दे, और तू योगी हो जा - अर्थात् निष्काम-कर्मयोगमार्ग का आचरण करने लग।

। कुछ लोगों का मत है, कि यहाँ अर्थात् पहले छ. अध्यायों में कर्मयोग का विवेचन पुरा हो गया। उसके आगे ज्ञान और भक्ति का 'स्वतन्त्र' निष्ठा मान कर भगवान् ने उनका वर्णन किया है - अर्थात् वे दोनों निष्ठाएँ परस्पर निरपेक्ष या कर्म-योग की बराबरी की, परन्तु उसमें पृथक् और उसमें बढते विज्ञान के नाते में आचरणोप है। मानवे अध्याय में वाग्ज्व अध्याय तक भक्ति का और आगे शेष छ अध्यायों में ज्ञान का वर्णन किया गया है। और इस प्रकार अठारह अध्यायों के विभाजन करने में कर्म भक्ति और ज्ञान में में प्रत्येक के हिस्से में छ छ अध्याय आते हैं, तथा गीता का समान भाग हो जाते हैं। परन्तु यह मत ठीक नहीं है। पहले अध्याय के आरंभ में स्पष्ट मालूम हो जाता है, कि जब अर्जुन की मुख्य शङ्का यही थी, कि "मै साम्यनिष्ठा के अनुसार युद्ध करना छोड़ दूँ, या युद्ध के भयकर परिणाम को प्रत्यक्ष दृष्टि के सामने देखन हुए भी युद्ध ही करूँ? और, यदि युद्ध ही

करना पड़े, तो उसके पाप से कैसे बचूँ ?” — तब उसका समाधान ऐसे अधूरे और अनिश्चित उत्तर से कभी ही हो न सकता था, कि “ज्ञान से मोक्ष मिलता है; और वह कर्म से भी प्राप्त हो जाता है। और, यदि तेरी इच्छा हो, तो भक्ति नाम की एक और तीसरी निष्ठा भी है।” इसके अतिरिक्त यह मानना भी ठीक न होगा, कि जब अर्जुन किसी एक ही निश्चयात्मक मार्ग को जानना चाहता है, तब सर्वज्ञ और चतुर श्रीकृष्ण उसके प्रश्न के मूल स्वरूप को छोड़कर उसे तीन स्वतन्त्र और विकल्पात्मक मार्ग बतला दें। सब बात तो यह है, कि गीता में ‘कर्मयोग’ और ‘संन्यास’ इन्हीं दो निष्ठाओं का विचार है (गीता ५. १); और यह भी साफ साफ बतला दिया है, कि इन में से ‘कर्मयोग’ ही अधिक श्रेयस्कर है। (५. २) भक्ति की तीसरी निष्ठा तो कही बतलाई भी नहीं गई है। अर्थात् यह कल्पना साम्प्रदायिक टीकाकारों की मनगढन्त है, कि ज्ञान, कर्म और भक्ति तीन स्वतन्त्र निष्ठाएँ हैं; और उनकी यह समझ होने के कारण — कि गीता में केवल मोक्ष के उपायों का ही वर्णन किया गया है — उन्हें ये तीन निष्ठाएँ कदाचित् भागवत से सूझी हो (भाग. ११. २०. ६)। परन्तु टीकाकारों के ध्यान में यह बात नहीं आई, कि भागवतपुराण और भगवद्गीता का तात्पर्य एक नहीं है। यह सिद्धान्त भागवतकार को भी मान्य है, कि केवल कर्मों से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। मोक्ष के लिये ज्ञान की आवश्यकता रहती है। परन्तु इसके अतिरिक्त, भागवतपुराण का यह भी कथन है, कि यद्यपि ज्ञान और नैष्कर्म्य मोक्षदायक हों, तथापि ये दोनों (अर्थात् गीताप्रतिपादित निष्काम कर्मयोग) भक्ति के बिना शोभा नहीं देते — “नैष्कर्म्यमप्यच्युतभाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम्” (भाग. १२. १२. ५२ और १. २. १२)। इस प्रकार देखा जाय तो स्पष्ट प्रकट होता है, कि भागवतकार केवल भक्ति को ही सच्ची निष्ठा अर्थात् अन्तिम मोक्षप्रद स्थिति मानते हैं। भागवत का न तो यह कहना है, कि भगवद्भक्तों को ईश्वरार्पण-बुद्धि से कर्म करना ही नहीं चाहिये; और न यह कहना है, कि करना ही चाहिये। भागवतपुराण का सिर्फ यह कहना है, कि निष्काम कर्म करो अथवा न करो — ये सब भक्तियोग के ही भिन्न भिन्न प्रकार हैं (भाग. ३. २९. ७-१९)। भक्ति के अभाव से सब कर्मयोग पुनः संसार में अर्थात् जन्ममृत्यु के चक्कर में डालनेवाले हो जाते हैं (भाग. १. ५. ३४, ३५)। सारांश, यह है, कि भागवतकार का सारा दारमदार भक्ति पर ही होने के कारण उन्होंने निष्काम कर्मयोग को भी भक्तियोग में ही ढकेल दिया है। और यह प्रतिपादन किया है, कि अकेली भक्ति ही सच्ची निष्ठा है। परन्तु भक्ति ही कुछ गीता का मुख्य प्रतिपाद्य विषय नहीं है। इसलिये भागवत के उपर्युक्त सिद्धान्त या परिभाषा को गीता में घुसेड़ देना वैसा ही अयोग्य है, जैसा कि आम में शरीफे की कलम लगाना। गीता इस बात को पूरी तरह मानती है, कि परमेश्वर के ज्ञान के सिवा और किसी भी अन्य उपाय से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। और इस ज्ञान की प्राप्ति के लिये भक्ति एक सुगम मार्ग है; परन्तु इसी मार्ग

के विषय में आग्रह न कर गीता यह भी कहती है — कि मोक्षप्राप्ति के लिये जिसे ज्ञान की आवश्यकता है, उसकी प्राप्ति — जिसे जो मार्ग सुगम हो, वह उनी मार्ग से कर ले। गीता का तो मुख्य विषय यही है, कि अन्त में अर्थात् ज्ञानप्राप्ति के अनन्तर मनुष्य कर्म करे अथवा न करे। इसलिये संसार में जीवन्मुक्त पुरुषों के जीवन व्यतीत करने के जो दो मार्ग दीख पड़ते हैं — अर्थात् कर्म करना और धर्म छोड़ना — वही से गीता के उपदेश का आरम्भ किया गया है। इनमें से पहले मार्ग को गीता ने भागवतकार का नाम 'भक्तियोग' यह नया नाम नहीं दिया है; किन्तु नारायणीय धर्म में प्रचलित प्राचीन नाम ही — अर्थात् ईश्वरार्पणबुद्धि में कर्म करने को 'कर्मयोग' या 'कर्मनिष्ठा' और ज्ञानोत्तर कर्मों का त्याग करने को 'माध्य' या 'ज्ञाननिष्ठा' यही नाम — गीता में स्थिर रखे गये हैं। गीता की इस परिभाषा को स्वीकार कर यदि विचार किया जाय, तो दीख पड़ेगा, कि ज्ञान और कर्म की बराबरी की भक्ति नामक कोई तीमरी स्वतन्त्र निष्ठा कदापि नहीं हो सकती। इसका कारण यह है, कि 'कर्म करना' और 'न करना' अर्थात् (योग और माध्य) ऐसे अस्तिनास्तिरूप दो पक्षों के अतिरिक्त कर्म के विषय में तीसरा पक्ष ही अब बाकी नहीं रहना। इसलिये यदि गीता के अनुसार किसी भक्तिमान् पुरुष की निष्ठा के विषय में निश्चय करना हो, तो यह निर्णय केवल इसी बात में नहीं किया जा सकता, कि वह भक्तिभाव में लगा हुआ है। परन्तु इन बातों का विचार किया जाना चाहिये, कि वह कर्म करता है या नहीं। भक्ति परमेश्वरप्राप्ति का एक सुगम साधन है। और साधन के नाम में यदि भक्ति ही को 'योग' कहें (गीता १४. २६), तो वह अन्तिम 'निष्ठा' नहीं हो सकती। भक्ति द्वारा परमेश्वर का ज्ञान हो जाने पर जो मनुष्य कर्म करेगा, उसे 'कर्मनिष्ठ' और जो न करेगा, उसे 'माध्यनिष्ठ' कहना चाहिये। पाँचवें अध्याय में भगवान् ने अपना यह अभिप्राय स्पष्ट बतला दिया है, कि दोनों निष्ठाओं में कर्म करने की निष्ठा अधिक श्रेयस्कर है। परन्तु कर्म पर मंग्याममार्गवालों का यह महत्वपूर्ण आक्षेप है, कि परमेश्वर का ज्ञान होने में कर्म में प्रतिबन्ध होता है; और परमेश्वर के ज्ञान बिना तो मोक्ष की प्राप्ति ही नहीं हो सकती। इसलिये कर्मों का त्याग ही करना चाहिये। पाँचवें अध्याय में मामान्यतः यह बतलाया गया है, कि उपर्युक्त आक्षेप अतय है; और मंग्याममार्ग से जो मोक्ष मिलता है, वही कर्मयोगमार्ग में भी मिलता है (गीता ५. ५) परन्तु वहाँ इन मामान्य मिथ्यात्व का कुछ भी खुलासा नहीं किया गया था। इसलिये अब भगवान् इस बड़े हुए तथा महत्वपूर्ण विषय का विस्तृत निरूपण कर रहे हैं, कि कर्म करने रहने ही में परमेश्वर के ज्ञान की प्राप्ति हो कर मोक्ष किस प्रकार मिलता है। इसी हेतु में मानवे अध्याय के आरम्भ में अर्जुन ने — यह न कहकर कि मैं तुझे भक्ति नामक एक स्वतन्त्र तीमरी निष्ठा बतलाता हूँ — भगवान् यह कहते हैं, कि :-

मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युञ्जन मदाश्रयः ।

असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञानस्यसि तच्छृणु ॥

“ हे पार्थ ! मुझमें चित्त को स्थिर करके और मेरा आश्रय लेकर योग यानी कर्मयोग का आचरण करते समय, 'यथा' अर्थात् जिस रीति से मुझे सन्देहरहित पूर्णतया जान सकेगा, वह (रीति तुझे बतलाता हूँ) सुन ” (गीता ७. १); और इसी को आगे के श्लोक में 'ज्ञानविज्ञान' कहा है (गीता ७. २) । इनमें से पहले अर्थात् ऊपर दिये गये 'मय्यासक्तमना' श्लोक में 'योग युञ्जन' - अर्थात् “ कर्म-योग का आचरण करते हुए ” - ये पद अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं । परन्तु किसी भी टीकाकार ने इनकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया है । 'योग' अर्थात् वही कर्म-योग है, कि जिसका वर्णन पहले छ. अध्यायों में किया जा चुका है । और इस कर्मयोग का आचरण करते हुए जिस प्रकार विधि या रीति से भगवान् का पूरा ज्ञान हो जायगा, उस रीति या विधि का वर्णन अब यानी सातवें अध्याय से प्रारम्भ करता हूँ - यही इस श्लोक का अर्थ है । अर्थात् पहले छ अध्यायों का अगले अध्यायों से सम्बन्ध बतलाने के लिये यह श्लोक जानबूझकर सातवें अध्याय के आरम्भ में रखा गया है । इसलिये इस श्लोक के अर्थ की ओर ध्यान न देकर यह कहना बिल्कुल अनुचित है, कि “ पहले छ अध्यायों के बाद भक्तिनिष्ठा का स्वतन्त्र रीति से वर्णन किया गया है । ” केवल इतना ही नहीं बरन् यह भी कहा जा सकता है, कि इस श्लोक में 'योग युञ्जन' पद जानबूझकर इसी लिये रखे गये हैं, कि जिससे कोई ऐसा विपरीत अर्थ न करने पावे । गीता के पहले पाँच अध्यायों में कर्म की आवश्यकता बतलाकर साध्यमार्ग की अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ कहा गया है; और इसके बाद छठें अध्याय में पातञ्जलयोग के साधनों का वर्णन किया गया है - जो इन्द्रिय-निग्रह कर्मयोग के लिये आवश्यक है । परन्तु इतने ही से कर्मयोग का वर्णन पूरा नहीं हो जाता । इन्द्रियनिग्रह मानो कर्मेन्द्रियों से एक प्रकार की कसरत करना है । यह सच है, कि अभ्यास के द्वारा इन्द्रियों को हम अपने अधीन रख सकते हैं । परन्तु यदि मनुष्य की वासना ही पुरी होगी, तो इन्द्रियों को काबू में रखने से कुछ भी लाभ नहीं होगा । क्योंकि देखा जाता है, कि दुष्ट वासनाओं के कारण कुछ लोग इसी इन्द्रियनिग्रहरूप सिद्धि का जारण-मारण आदि दुष्कर्मों में उपयोग किया करते हैं । इसलिये छठें अध्याय में कहा है, कि इन्द्रियनिग्रह के साथ ही वासना भी “ सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ” की नाई शुद्ध हो जानी चाहिये (गीता ६. २९), और ब्रह्मात्मैकरूप परमेश्वर के शुद्ध स्वरूप की पहचान हुए बिना वासना की इस प्रकार शुद्धता होना असम्भव है । तात्पर्य यह है, कि जो इन्द्रियनिग्रह कर्मयोग के लिये आवश्यक है, वह भले ही प्राप्त हो जाय, परन्तु 'रस' अर्थात् विषयों की चाह मनमें ज्यो-की-स्यो-वनी ही रहती है । इस रस अथवा विषयवासना का नाश करने के लिये परमेश्वरसम्बन्धी पूर्ण ज्ञान की ही आवश्यकता है । यह बात

गीता के दूसरे अध्याय में कही गई है (गीता २. ५९)। इसलिये कर्मयोग का आचरण करते हुए ही जिस रीति अथवा विधि से परमेश्वर का यह ज्ञान प्राप्त होता है, उसी विधि का अब भगवान् मातवे अध्याय में वर्णन करते हैं। “कर्मयोग का आचरण करते हुए” — इस पद में यह भी मिथ्य होना है, कि कर्मयोग के जारी रहते ही इस ज्ञान की प्राप्ति कर लेनी है। इसके लिये कर्मों को छोड़ नही बैठना है; और इसीमें यह कहना भी निर्मूल हो जाता है, कि भक्ति और ज्ञान को कर्मयोग के बदले विकल्प मानकर इन्हीं दो स्वतन्त्र मार्गों का वर्णन मातवे अध्याय से आगे किया गया है। गीता का कर्मयोग भागवतधर्म में ही लिया गया है। इसलिये कर्मयोग में ज्ञानप्राप्ति की विधि का जो वर्णन है, वह भागवतधर्म अथवा नारायणीय धर्म में कही गई विधि का ही वर्णन है। और इसी अभिप्राय में शान्तिपर्व के अन्त में वैशंपायन ने जनमेजय से कहा है, कि “भगवद्गीता में प्रवृत्तिप्रधान नारायणीय धर्म और उसकी विधियों का वर्णन किया गया है।” वैशंपायन के कथनानुसार इसीमें सन्यासमार्ग की विधियों का भी अन्तर्भाव होता है। क्योंकि यद्यपि इन दोनों मार्गों में “कर्म करना अथवा कर्मों को छोड़ना” यही भेद है, तथापि दोनों को एक ही ज्ञानविज्ञान की आवश्यकता है। इसलिये दोनों मार्गों में ज्ञानप्राप्ति की विधियाँ एक ही सी होती हैं। परन्तु जब कि उपर्युक्त श्लोक में “कर्मयोग का आचरण करते हुए” — ऐसे प्रत्यक्ष पद रखे गये हैं, तब स्पष्ट रीति से यही मिथ्य होता है, कि गीता के सानवे और उसके अगले अध्यायों में ज्ञानविज्ञान का निरूपण मुख्यतः कर्मयोग ही की पूर्ति के लिये किया है। उसकी व्यापकता के कारण उसमें सन्यासमार्ग की भी विधियों का समावेश हो जाता है। कर्मयोग को छोड़कर केवल साध्यनिष्ठा के समर्थन के लिये यह ज्ञानविज्ञान नहीं बनलाया गया है। दूसरी बात यह भी ध्यान देने योग्य है, कि साध्यमार्गवाले यद्यपि ज्ञान को महत्त्व दिया करते हैं, तथापि वे कर्म को या भक्ति को कुछ भी महत्त्व नहीं देते; और गीता में तो भक्ति सगुण तथा प्रधान मानी गई है — इतना ही क्यों वरन् अध्यात्मज्ञान और भक्ति का वर्णन करते समय श्रीकृष्ण ने अर्जुन को जगह जगह पर यही उपदेश दिया है, कि “तू कर्म अर्थात् युद्ध कर” (गीता ८. ७; ११. ३३; १६. २८; १८. ६)। इसलिये यही निश्चय करना पड़ता है, गीता के सानवे और अगले अध्यायों में ज्ञानविज्ञान का जो निरूपण है, वह पिछड़े छ. अध्यायों में कहे गये कर्मयोग की पूर्ति और समर्थन के लिये ही बनलाया गया है। यहाँ केवल साध्यनिष्ठा का या भक्ति का स्वतन्त्र समर्थन विवक्षित नहीं है। ऐसा निश्चय करने पर कर्म, भक्ति और ज्ञान गीता के तीन परस्परस्वतन्त्र विभाग नहीं हो सकते। इतना ही नहीं; परन्तु अब यह विदित हो जायगा, कि यह मत भी (जिसमें कुछ लोग प्रगट किया करते हैं) केवल कालनिक अर्थ में सिद्ध है। वे कहते हैं, कि ‘तत्त्वमसि’ महावाक्य में तीन ही पद हैं; और गीता के अध्याय भी अठारह हैं। इसलिये ‘छः त्रिषु अठारह’ के हिमाव में गीता

के छः छः अध्यायो के तीन समान विभाग करके पहले छः अध्यायो में 'त्वम्' पद का, दूसरे छः अध्यायो में 'तत्' पद का और तीसरे छः अध्यायो में 'असि' पद का विवेचन किया गया है। इस मत को काल्पनिक या मिथ्या कहने का कारण यही है, कि अब तो एकदेशीय पक्ष ही विशेष नहीं रहने पाता; जो यह कहे, कि सारी गीता में केवल ब्रह्मज्ञान का ही प्रतिपादन किया गया है, तथा 'तत्त्वमसि' महावाक्य के विवरण के सिवा गीता में और कुछ अधिक नहीं है।

इस प्रकार जब मालूम हो गया, कि भगवद्गीता में भक्ति और ज्ञान का विवेचन क्यों किया गया है, तब सातवे से सत्रहवें अध्याय के अन्त तक ग्यारहों अध्यायों की सद्गति सहज ही ध्यान में आ जाती है। पीछे छठें प्रकरण में बतला दिया गया है, कि जिस परमेश्वरस्वरूप के ज्ञान से बुद्धि रसवर्ज्य और सम होती है, उस परमेश्वरस्वरूप का विचार एक बार क्षराक्षरदृष्टि से और फिर क्षेत्रक्षेत्रज्ञदृष्टि से करना पड़ता है। और उससे अन्त में यह सिद्धान्त किया जाता है, कि जो तत्त्व पिण्ड में है वही ब्रह्माण्ड में है। इन्हीं विषयों का अब गीता में वर्णन है। परन्तु जब इस प्रकार परमेश्वर के स्वरूप का विचार करने लगते हैं, तब दीख पड़ता है, कि परमेश्वर का स्वरूप कभी तो व्यक्त (इन्द्रियगोचर) होता है और कभी अव्यक्त। फिर ऐसे प्रश्नों का ही विचार इस निरूपण में करना पड़ता है, कि इन दोनों स्वरूपों में श्रेष्ठ कौन-सा है; और इस स्वरूप से कनिष्ठ स्वरूप कैसे उत्पन्न होता है? इसी प्रकार अब इस बात का भी निर्णय करना पड़ता है, कि परमेश्वर के पूर्ण ज्ञान से बुद्धि को स्थिर, सम और आत्मनिष्ठ करने के लिये परमेश्वर की जो उपासना करनी पड़ती है, वह कैसी हो — अव्यक्त की उपासना करना अच्छा है, अथवा व्यक्त की? और इसीके साथ साथ इस विषय की उपपत्ति बतलानी पड़ती है, कि परमेश्वर यदि एक है, तो व्यक्तसृष्टि में यह अनेकता क्यों दीख पड़ती है? इन सब विषयों को व्यवस्थित रीति से बतलाने के लिये यदि ग्यारह अध्याय लग गये, तो कुछ आश्चर्य नहीं। हम यह नहीं कहते, कि गीता में भक्ति और ज्ञान का विलकुल विवेचन ही नहीं है। हमारा केवल इतना ही कहना है, कि कर्म, भक्ति और ज्ञान को तीन विषय या निष्ठाएँ स्वतन्त्र, अर्थात् तुल्यबल की समझ कर, इन तीनों में गीता के अठारह अध्यायों के जो अलग अलग और बराबर बराबर हिस्से कर दिये जाते हैं, बैसा करना उचित नहीं है, किन्तु गीता एक ही निष्ठा का अर्थात् ज्ञानमूलक और भक्तिप्रधान कर्मयोग का प्रतिपादन किया है, और साध्यनिष्ठा, ज्ञानविज्ञान या भक्ति का जो निरूपण भगवद्गीता में पाया जाता है, वह सिर्फ कर्मयोगनिष्ठा की पूर्ति और समर्थन के लिये आनुपादिक है — किसी स्वतन्त्र विषय का प्रतिपादन करने के लिये नहीं। अब यह देखना है, कि हमारे इस सिद्धान्त के अनुसार कर्मयोग की पूर्ति और समर्थन के लिये बतलाये गये ज्ञानविज्ञान का विभाग गीता के अध्यायों के क्रमानुसार किस प्रकार किया गया है। १

सातवें अध्याय में क्षराक्षरसृष्टि के अर्थात् ब्रह्माण्ड के विचार को आरम्भ करके भगवान् ने अव्यक्त और अक्षर परब्रह्म के ज्ञान के विषय में यह कहा है, कि जो इस सारी सृष्टि को — पुरुष और प्रकृति को — मेरे ही पर और अपर स्वरूप जानते हैं, और जो इस माया के परे के अव्यक्त रूप को पहचान कर मुझे भजते हैं, उनकी बुद्धि सम हो जाती है; तथा उन्हें मैं सद्गति देता हूँ। और उन्होंने अपने स्वरूप का इस प्रकार वर्णन किया है, कि सब देवता, सब प्राणी, सब यज्ञ, सब कर्म और सब अध्यात्म मैं ही हूँ; मेरे सिवा इस ससार में अन्य कुछ भी नहीं है। इसके बाद आठवें अध्याय के आरम्भ में अर्जुन ने अध्यात्म, अधियज्ञ, अधिदैव और अधिभूत शब्दों का अर्थ पूछा है। इन शब्दों का अर्थ बतला कर भगवान् ने कहा है, कि इस प्रकार जिसने मेरा स्वरूप पहचान लिया, उसे मैं कभी नहीं भूलता। इसके बाद इन विषयों का संक्षेप में विवेचन है, कि सारे जगत् में अविनाशी या अक्षर तत्त्व कौन-सा है, सब ससार का सहार कैसे और कब होता है; जिम मनुष्य को परमेश्वर के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, उसको कौन-सी गति प्राप्त होती है; और ज्ञान के बिना केवल काम्यकर्म करनेवाले को कौन-सी गति मिलती है। नौवें अध्याय में भी यही विषय है। इसमें भगवान् ने उपदेश किया है, कि जो अव्यक्त परमेश्वर इस प्रकार चारों ओर व्याप्त है, उसके व्यक्त स्वरूप की भक्ति के द्वारा पहचान करके अनन्य भाव से उसकी शरण में जाना ही ब्रह्मप्राप्ति का प्रत्यक्षावगम्य और सुगम मार्ग अथवा राजमार्ग है; और इसी को राजविद्या या राजगुह्य कहते हैं। तथापि इन तीनों अध्यायों में बीच-बीच में भगवान् कर्मयोग का यह प्रधान तत्त्व बतलाना नहीं भूले हैं, कि ज्ञानवान् या भक्तिमान् पुरुषों को कर्म करते ही रहना चाहिये। उदाहरणार्थ आठवें अध्याय में कहा है — “तस्मात्कर्मैषु कालेषु मामनुस्मर मुध्य च” — इसलिये सदा अपने मन में मेरा स्मरण रख और युद्ध कर (८७); और नौवें अध्याय में कहा है, कि “सर्व कर्मों को मुझे अर्पण कर देने से उनके शुभाशुभ फलों से तू मुक्त हो जायगा” (९. २७, २८)। ऊपर भगवान् ने जो यह कहा है, कि ससार मुझसे उत्पन्न हुआ है; और वह मेरा ही रूप है, वही बात दसवें अध्याय में ऐसे अनेक उदाहरण देकर अर्जुन को भली भाँति समझा दी है, कि “ममार्त्त की प्रत्येक वस्तु मेरी ही विभूति है।” अर्जुन ने प्रार्थना करने पर ग्यारहवें अध्याय में भगवान् ने अपना विश्वरूप प्रत्यक्ष दिखलाया है, और उसकी दृष्टि के सम्मुख इस बात की सत्यता का अनुभव करा दिया है, मैं (परमेश्वर) ही सारे ससार में चारों ओर व्याप्त हूँ। परन्तु इस प्रकार विश्वरूप दिखला कर और अर्जुन के मन में यह विश्वास करा के, कि “सर्व कर्मों का करानेवाला मैं ही हूँ” भगवान् ने सुरत्न ही कहा है, कि “सच्चा धर्मा तो मैं ही हूँ, तू निमित्तमात्र है, इसलिये निःसन्देह होकर युद्ध कर” (गीता ११. ३३)। यद्यपि इस प्रकार यह मित्र हो गया, कि मयार में एव ही परमेश्वर है, तो अनेक म्यानों में परमेश्वर के अव्यक्त स्वरूप

को ही प्रधान मान कर वर्णन किया गया है, कि " मैं अव्यक्त हूँ । परन्तु मुझे मूर्ख लोग व्यक्त समझते हैं " (७. २४) ; " यदक्षरं वेदविदो वदन्ति " (८. ११) — जिसे वेदवेत्तागण अक्षर कहते हैं ; " अव्यक्त को ही कहते हैं " (८. २१) ; " मेरे मयार्य स्वरूप को न पहचान कर मूर्ख लोग मुझे देहधारी मानते हैं " (९. ११) ; " विद्याओ में अध्यात्मविद्या श्रेष्ठ " (१०. ३२) ; और अर्जुन के कथनानुसार " त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् " (११. ३७) । इसीलिये वारहवें अध्याय के आरम्भ में अर्जुन ने पूछा है, कि किस परमेश्वर की — व्यक्त की या अव्यक्त की — उपासना करना चाहिये ? तब भगवान् ने अपना यह मत प्रदर्शित किया है, कि जिस व्यक्त स्वरूप की उपासना का वर्णन नौवें अध्याय में हो चुका है, वही सुगम है । और दूसरे अध्याय में स्थितप्रज्ञ का जैसा वर्णन है, वैसा ही परम भगवद्भक्तों की स्थिति का वर्णन करके यह अध्याय पूरा कर दिया है ।

कुछ लोगों की राय है, कि यद्यपि गीता के कर्म, भक्ति और ज्ञान ये तीन स्वतन्त्र भाग न भी किये जा सके ; तथापि सातवें अध्याय से ज्ञानविज्ञान का जो विषय आरम्भ हुआ है, उसके भक्ति और ज्ञान ये दो पृथक् भाग सहज ही हो जाते हैं । और वे लोग कहते हैं, कि द्वितीय पड़ध्यायी भक्तिप्रधान है । परन्तु कुछ विचार करने के उपरान्त किसीको भी ज्ञात हो जावेगा, कि यह मत भी ठीक नहीं है । कारण यह है, कि सातवें अध्याय का आरम्भ क्षराक्षरसृष्टि के ज्ञानविज्ञान से किया गया है ; न कि भक्ति से । और, यदि कहा जाय, कि वारहवें अध्याय में भक्ति का वर्णन पूरा हो गया है ; तो हम देखते हैं, कि अगले अध्यायों में ठौर ठौर पर भक्ति के विषय में वारवार यह उपदेश किया गया है, कि जो बुद्धि के द्वारा मेरे स्वरूप को नहीं जान सकता, वह श्रद्धापूर्वक " दूसरों के वचनों पर विश्वास रख कर मेरा ध्यान करें " (गीता १३. २५), " जो मेरी अव्यभिचारिणी भक्ति करता है, वही ब्रह्मभूत होता है " (१४. २६), " जो मुझे ही पुरुषोत्तम जानता है, वह मेरी ही भक्ति करता है " (गीता १५. १९) ; और अन्त में अठारहवें अध्याय में पुनः भक्ति का ही इस प्रकार उपदेश किया है, कि " सब धर्मों को छोड़ कर तू मुझको भज " (१८. ६६) ; इसलिये यह नहीं कह सकते, कि केवल दूसरी पड़ध्यायी ही में भक्ति का उपदेश है । इसी प्रकार, यदि भगवान् का यह अभिप्राय होता, कि ज्ञान से भक्ति भिन्न है ; तो चौथे अध्याय में ज्ञान की प्रस्तावना करके (४. ३४-३७) सातवें अध्याय के अर्थात् उपर्युक्त आक्षेपको के मतानुसार भक्तिप्रधान पड़ध्यायी के आरम्भ में, भगवान् ने यह न कहा होता, कि अब मैं तुझे वही ' ज्ञान और विज्ञान ' बतलाता हूँ (७. २) । यह सच है, कि इससे आगे के नौवें अध्याय में राजविद्या और राजगुह्य अर्थात् प्रत्यक्षावगम्य भक्तिमार्ग बतलाया है ; परन्तु अध्याय के आरम्भ में ही कह दिया है, कि " तुझे विज्ञानसहित ज्ञान बतलाता हूँ " (९. १) । इससे स्पष्ट प्रकट होता है, कि गीता में भक्ति का समावेश ज्ञान ही में किया गया है । दसवें अध्याय में भगवान् ने अपनी

विभूतियों का वर्णन किया है; परन्तु ग्यारहवें अध्याय के आरम्भ में अर्जुन ने उसे ही 'अध्यात्म' कहा है (११.१)। और ऊपर यह बतला ही दिया गया है, कि परमेश्वर के व्यक्त स्वरूप का वर्णन करते समय बीच बीच में व्यक्त स्वरूप की अपेक्षा अव्यक्त स्वरूप की श्रेष्ठता को भी बातें आ गई हैं। इन्हीं सब बातों से बारहवें अध्याय के आरम्भ में अर्जुन ने यह प्रश्न किया है, कि उपासना व्यक्त परमेश्वर की की जावे या अव्यक्त की? तब यह उत्तर देकर — कि अव्यक्त की अपेक्षा व्यक्त की उपासना अर्थात् भक्ति सुगम है — भगवान् ने तेरहवें अध्याय में क्षेत्रक्षेत्रज्ञ का 'ज्ञान' बतलाना आरम्भ कर दिया; और सातवें अध्याय के आरम्भ के ममान चौदहवें अध्याय के आरम्भ में भी कहा है, कि "पर भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानाना ज्ञानमुत्तमम्" — फिरमें मैं तुझे वही 'ज्ञानविज्ञान' पूरी तरह से बतलाना हूँ (१४.१)। इस ज्ञान का वर्णन करते समय भक्ति का सूत्र या सम्बन्ध भी टूटने नहीं पाया है। इसमें यह बात स्पष्ट मालूम हो जानी है, कि भगवान् का उद्देश भक्ति और ज्ञान दोनों को पृथक् रीति से बतलाने का नहीं था; किन्तु सातवें अध्याय में जिस ज्ञानविज्ञान का आरम्भ किया गया है, उसीमें दोनों एकत्र गूँथ दिये गये हैं। भक्ति मित्र है — यह कहना उस सम्प्रदाय के जन्म-मानियों की नासमझी है। वास्तव में गीता का अभिप्राय ऐसा नहीं है। अव्यक्तोपासना में (ज्ञानमार्ग में) अध्यात्मविचार से परमेश्वर के स्वरूप का जो ज्ञान प्राप्त कर लेना पड़ता है, वही भक्तिमार्ग में भी आवश्यक है। परन्तु व्यक्तोपासना में (भक्तिमार्ग में) आरम्भ में वह ज्ञान दूसरों से श्रद्धापूर्वक ग्रहण किया जा सकता है (१३. २५); इसलिये भक्तिमार्ग प्रत्यक्षावगम्य और मामान्यतः सभी लोगों के लिये सुखकारक है (९. २), और ज्ञानमार्ग (या अव्यक्तोपासना) क्लेशमय (१२. ५) है — यम, इसके अनिश्चित इन दो साधनों में गीता की दृष्टि से और कुछ भी भेद नहीं है। परमेश्वर-स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर के बुद्धि को सम करने का जो कर्मयोग का उद्देश या साध्य है, वह इन दोनों साधनों के द्वारा एक-सा ही प्राप्त होता है। इसलिये चाहे व्यक्तोपासना कीजिये या अव्यक्तोपासना; भगवान् को दोनों एक ही समान प्राप्य है। तथापि ज्ञानी पुरुष को भी उपासना की थोड़ी-बहुत आवश्यकता होती ही है; इसलिये चतुर्विध भक्तों में भक्तिमान् ज्ञानी को श्रेष्ठ कहकर (७. १७) भगवान् ने ज्ञान और भक्ति के विरोध को हटा दिया है। कुछ भी हो; परन्तु जब कि ज्ञानविज्ञान का वर्णन किया जा रहा है, तब प्रमत्तानुसार एत-आद्य अध्याय में व्यक्तोपासना का और किसी दूसरे अध्याय में अव्यक्तोपासना का निर्णय हो जाना अपरिह्यय है। परन्तु इनमें ही से यह मन्त्र न हो जावे, कि ये दोनों पृथक् पृथक् हैं; इसलिये परमेश्वर के व्यक्त स्वरूप का वर्णन करते समय व्यक्त स्वरूप की अपेक्षा अव्यक्त की श्रेष्ठता और अव्यक्त स्वरूप का वर्णन करते समय भक्ति की आवश्यकता बतला देना भी भगवान् नहीं भूटे हैं। अब विवरण के, और विभूतियों के वर्णन में ही तीन-चार अध्याय लग गये हैं। इसलिये यदि इन तीन-चार अध्यायों को

(पड़्यायी को नहीं) स्थूलमान से 'भक्तिमार्ग' नाम देना ही किसी को पसन्द हो, तो ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं। परन्तु कुछ भी कहिये; यह तो निश्चित रूप से मानना पड़ेगा, कि गीता में भक्ति और ज्ञान को न तो पृथक् किया है; और न इन दोनों मार्गों को स्वतन्त्र कहा है। मक्षेप में उक्त निरूपण का यही भावार्थ ध्यान में रहे, कि कर्मयोग में जिस साम्ययुद्धि को प्रधानता दी जाती है, उसकी प्राप्ति के लिये परमेश्वर के सर्वव्यापी स्वरूप का ज्ञान होना चाहिये। फिर यह ज्ञान चाहे व्यक्त की उपासना से हो और चाहे अव्यक्त की - मुगमता के अतिरिक्त इनमें अन्य कोई भेद नहीं है। और गीता में सातवें से लगाकर सत्रहवें अध्याय तक सब विषयों को 'ज्ञानविज्ञान' या 'अध्यात्म' यही नाम दिया गया है।

जब भगवान् ने अर्जुन के कर्मचक्षुओं को विश्वरूपदर्शन के द्वारा यह प्रत्यक्ष अनुभव करा दिया, कि परमेश्वर ही सारे ब्रह्माण्ड में या क्षराक्षरवृत्ति में समाया हुआ है; तब तेरहवें अध्याय में ऐसा क्षेत्रक्षेत्रज्ञविचार बतलाया है, कि यही परमेश्वर पिण्ड में अर्थात् मनुष्य के शरीर में या क्षेत्र में आत्मा के रूप से निवास करता है; और इस आत्मा का अर्थात् क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है, वही परमेश्वर का (परमात्मा का) भी ज्ञान है। प्रथम परमात्मा का अर्थात् परब्रह्म का 'अनादि मत्पर ब्रह्म' इत्यादि प्रकार से - उपनिषदों के आधार से - वर्णन करके आगे बतलाया गया है, कि यही क्षेत्रक्षेत्रज्ञविचार 'प्रकृति' और 'पुरुष' नामक साध्यविवेचन में अन्तर्भूत हो गया है। और अन्त में यह वर्णन किया गया है, कि जो 'प्रकृति' और 'पुरुष' के भेद को पहचान कर अपने 'ज्ञानचक्षुओं' के द्वारा सर्वगत निर्गुण परमात्मा को जान लेता है, वह मुक्त हो जाता है। परन्तु उसमें भी कर्मयोग का यह सूत्र स्थिर रखा गया है, कि "सर्व काम प्रकृति करती है, आत्मा करता नहीं है - यह जानने से कर्म बन्धक नहीं होते" (१३. २९); और भक्ति का 'ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति' (१३. २४) यह सूत्र भी कायम है। चौदहवें अध्याय में इसी ज्ञान का वर्णन करते हुए साटयवास्त्र के अनुसार बतलाया गया है, कि सर्वत्र एक ही आत्मा या परमेश्वर के होने पर भी प्रकृति के सत्त्व, रज और तम गुणों के भेदों के कारण ससार में वैचित्र्य उत्पन्न होता है। आगे कहा गया है, कि जो मनुष्य प्रकृति के इस खेल को जानकर और अपने को कर्ता न समझ भक्तियोग से परमेश्वर की सेवा करता है, वही सच्चा त्रिगुणातीत या मुक्त है। अन्त में अर्जुन के प्रश्न करने पर स्थितप्रज्ञ और भक्तिमान् पुरुष की स्थिति के समान ही त्रिगुणातीत की स्थिति का वर्णन किया गया है। श्रुति-ग्रन्थों में परमेश्वर का कही कही वृक्षरूप से जो वर्णन पाया जाता है, उसीका पन्द्रहवें अध्याय के आरम्भ में वर्णन करके भगवान् ने बतलाया है, कि जिसे साटयवादी "कृति का पसारा" कहते हैं, वही यह अश्वत्थ वृक्ष है। और अन्त में भगवान् ने अर्जुन को यह उपदेश दिया है, कि क्षर और अक्षर दोनों के परे जो पुशोत्तम है, उसे पहचान कर उसकी 'भक्ति' करने से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है - तू भी ऐसा

ही कर। सोलहवें अध्याय में कहा गया है, कि प्रकृतिभेद के कारण सत्कार में जैसा वैचित्र्य उत्पन्न होता है, उसी प्रकार मनुष्यों में भी दो भेद अर्थात् देवी सम्पत्तिवाले और आसुरी सम्पत्तिवाले होने हैं। इसके बाद उनके कर्मों का वर्णन किया गया है; और यह बतलाया गया है, कि उन्हें कौन-सी गति प्राप्त होगी है। अर्जुन के पूछने पर सत्रहवें अध्याय में इस बात का विवेचन किया गया है, कि त्रिगुणात्मक प्रकृति के गुणों की विषमता के कारण उत्पन्न होनेवाला वैचित्र्य श्रद्धा, दान, यज्ञ, तप इत्यादि में भी दोष पड़ता है। इसके बाद यह बतलाया गया है, कि 'ॐ तत्सत्' इस ब्रह्मनिर्देश के 'तत्' पद का अर्थ "निष्कामबुद्धि से किया गया कर्म" और 'सत्' पद का अर्थ "अच्छा परन्तु काम्यबुद्धि में किया गया कर्म" होता है, और इन अर्थों के अनुसार वह सामान्य ब्रह्मनिर्देश भी कर्मयोगमार्ग के ही अनुकूल है। माराशम्प से मातवे अध्याय से लेकर सत्रहवें अध्याय तक ग्यारह अध्यायों का तात्पर्य यही है, कि ममार में चारा ओर एक ही परमेश्वर व्याप्त है - फिर तुम चाहे उसे विश्वरूप-दर्शन के द्वारा पहचानो, चाहे ज्ञानचक्षु के द्वारा। शरीर में क्षेत्रज्ञ भी वही है, और क्षरसृष्टि में अक्षर भी वही है। वही दृश्यमृष्टि में व्याप्त है, और उसके बाहर अथवा परे भी है। यद्यपि वह एक है, ता भी प्रकृति के गुणभेद के कारण व्यक्तसृष्टि में नानात्व या वैचित्र्य दोष पड़ता है, और उस माया से अथवा प्रकृति के गुणभेद के कारण ही दान, श्रद्धा, तप, यज्ञ, धृति, ज्ञान इत्यादि तथा मनुष्यों में भी अनेक भेद हो जाते हैं। परन्तु इन सब भेदों में जो एकता है, उसे पहचान कर उस एक और नियन्त्रण की उपामना के द्वारा - फिर वह उपामना चाहे व्यक्त की हो, अथवा अव्यक्त की - प्रत्येक मनुष्य अपनी बुद्धि का स्थिर और मम करे, तथा उस निष्काम, मान्दिक अथवा काम्यबुद्धि में ही सत्कार में स्वधर्मानुसार प्राप्त सब व्यवहार केवल कर्तव्य समझ लिया करे। इस ज्ञानविज्ञान का प्रतिपादन इस ग्रन्थ के अर्थात् गीतारहस्य के पाँचों प्रकरणों में विस्तृत गीति में किया गया है। इसीसे हमें सातवें अध्याय में उगाकर सत्रहवें अध्याय तक का माराज ही इस प्रकरण में दिया है - अधिक विस्तार नहीं किया। हमारा प्रस्तुत उद्देश्य यज्ञ-गीता के अध्यायों की मद्भागि देयता ही है। अतएव उस काम के स्थितिना भाग आवश्यक है - उनका ही हमें यहाँ उल्लेख किया है।

कर्मयोग में कर्मों की जपना बुद्धि ही श्रेष्ठ है। इसीसे इन बुद्धि का शुद्ध और मम करने के स्थिति परमेश्वर की सर्वव्यापकता अथवा सर्वभूतान्तर्गत आत्मिकता का जो 'ज्ञानविज्ञान' आवश्यक होता है - उसका वाक्य आरम्भ करते अथवा तब इस बात का निष्कर्ष किया गया, कि भिन्न भिन्न अधिकार के अनुसार व्यक्त या अव्यक्त की उपामना के द्वारा जो यह ज्ञान हृदय में भिन्न जाता है, तब बुद्धि का स्थिरता और ममता प्राप्त हो जाता है और कर्मों का त्याग न करने पर भी अंत में भाग की प्राप्ति हो जाती है। इसीसे माय शरीरधर का और क्षेत्रक्षेत्रज्ञ का

भी विचार किया गया है। परन्तु भगवान् ने निश्चित रूप से कह दिया है, कि इस प्रकार बुद्धि के सम हो जाने पर भी कर्मों का त्याग करने की अपेक्षा फलाशा को छोड़ देना और लोकसंग्रह के लिये आमरण कर्म ही करते रहना अधिक श्रेयस्कर है (गीता ५.२)। अतएव स्मृतिग्रन्थों में वर्णित 'संन्यासाश्रम' इस कर्मयोग में नहीं होता; और इसमें मन्वादि स्मृतिग्रन्थों का तथा इस कर्मयोग का विरोध हो जाना सम्भव है। इसी शब्दका को मन में लाकर अठारहवें अध्याय के आरम्भ में अर्जुन ने 'संन्यास' और 'त्याग' का रहस्य पूछा है। भगवान् इस विषय में यह उत्तर देते हैं, कि 'संन्यास' का मूल अर्थ 'छोड़ना' है; इसलिये - और कर्मयोगमार्ग में यद्यपि कर्मों को नहीं छोड़ते, तथापि फलाशा को छोड़ते हैं, इसलिये - कर्मयोग तत्त्वतः संन्यास ही होता है। क्योंकि यद्यपि संन्यासी का भेष धारण करके भिक्षा न माँगी जावे, तथापि वैराग्य का और संन्यास का जो तत्त्व स्मृतियों में कहा गया है - अर्थात् बुद्धि का निष्काम होना - वह कर्मयोग में भी रहता है। परन्तु फलाशा के छूटने से स्वर्गप्राप्ति की भी आशा नहीं रहती। इसलिये यहाँ एक और शब्दका उपस्थित होती है, कि ऐसी दशा में यज्ञयागादिक श्रौतकर्म करने की क्या आवश्यकता है? इस पर भगवान् ने अपना यह निश्चित मत बतलाया है, कि उपर्युक्त कर्म चित्तशुद्धिकारक हुआ करते हैं; इसलिये उन्हें भी अन्य कर्मों के साथ निष्कामबुद्धि से करते रहना चाहिये। और इस प्रकार लोकसंग्रह के लिये यज्ञचक्र को हमेशा जारी रखना चाहिये। अर्जुन के प्रश्नों का इस प्रकार उत्तर देने पर प्रकृतिस्वभावानुरूप ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि और सुख के जो सात्त्विक, तामस और राजस भेद हुआ करते हैं, उनका निरूपण करके गुण-वैचित्र्य का विषय पूरा किया है। इसके बाद निश्चय किया गया है, कि निष्कामकर्म, निष्कामकर्ता, आसक्तिरहित बुद्धि, अनासक्ति से होनेवाला सुख, और 'अविभक्त विभक्ते' इस नियम के अनुसार होनेवाला आत्मैक्यज्ञान ही सात्त्विक या श्रेष्ठ है। इसी तत्त्व के अनुसार चातुर्वर्ण्य की भी उपपत्ति बतलाई गई है; कहा गया है, कि चातुर्वर्ण्यधर्म से प्राप्त हुए कर्मों को सात्त्विक अर्थात् निष्कामबुद्धि से केवल कर्तव्य मानकर करते रहने से ही मनुष्य इस संसार में कृतकृत्य हो जाता है; और अन्त में उसे शान्ति तथा मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अन्त में भगवान् ने अर्जुन को भक्तिमार्ग का यह निश्चित उपदेश किया है, कि कर्म तो प्रकृति का धर्म है। इसलिये यदि तू उसे छोड़ना चाहे, तो भी वह न छूटेगा। अतएव यह समझ कर, कि सब करानेवाला और करनेवाला परमेश्वर ही है, तू उसकी शरण में जा; और सब काम निष्कामबुद्धि से करता जा। मैं ही वह परमेश्वर हूँ, मुझपर विश्वास रख, मुझे भज, मैं तुझे सब पापों से मुक्त करूँगा। ऐसा उपदेश करके भगवान् ने गीता के प्रवृत्तिप्रधान कर्म का निरूपण पूरा किया है। सारांश यह है, कि इस लोक और परलोक दोनों का विचार करके ज्ञानवान् एवं शिष्ट जनों ने 'साध्य' और 'कर्मयोग' नामक जिन दो निष्ठाओं को प्रचलित किया है, उन्हींसे गीता के उपदेश का आरम्भ हुआ है।

इन दोनों में से पाँचवे अध्याय के निर्णयानुसार जिस कर्मयोग की योग्यता अधिक है, जिस कर्मयोग की सिद्धी के लिये छठे अध्याय में पातञ्जलयोग का वर्णन किया है, जिस कर्मयोग के आचरण की विधि का वर्णन अगले ग्यारह अध्यायों में (७ से १७ तक) पिण्डब्रह्माण्डज्ञानपूर्वक विस्तार में किया गया है; और यह कहा गया है, कि उस विधि में आचरण करने पर परमेश्वर का पूरा ज्ञान हो जाता है, एवं अन्त में मोक्ष की प्राप्ति होती है, उभी कर्मयोग का समर्थन अठारहवें अध्याय में अर्थात् अन्त में भी है। और मोक्षरूपी आत्मरूपाण के आटे न आकर परमेश्वरार्पणपूर्वक के लिये मव कर्मों को करते रहने का जो यह योग या युक्ति है, उसकी श्रेष्ठता का यह भगवत्प्रणीत उपपादन जब अर्जुन ने सुना, तभी उसने मंत्रास लेकर मिठा माँगने का अपना पहला विचार छोड़ दिया। और अब — केवल भगवान् के कहने ही से नहीं; किन्तु कर्माकर्मशास्त्र का पूर्ण ज्ञान हो जाने के कारण — वह स्वयं अपनी इच्छा से युद्ध करने के लिये प्रवृत्त हो गया। अर्जुन को युद्ध में प्रवृत्त करने के लिये ही शीता का आरम्भ हुआ है; और उसका अन्त भी वैसा ही हुआ है (गीता १८७३)

गीता के अठारह अध्यायों की जो मद्गति ऊपर बतलाई गई है, उसमें यह प्रकट हो जायगा, कि गीता कुछ कर्म, भक्ति और ज्ञान इन तीन स्वतन्त्र निष्ठाओं की खिचड़ी नहीं है। अथवा वह सूत, रेणु और जरी के चिखटों की सिली हुई गुदड़ी नहीं है; बल्कि दीख पड़ेगा, कि सूत, रेणु और जरी के तानेवाने को यथाम्यान में योग्य रीति में एकत्र करके कर्मयोग नामक मूल्यवान् और मनोहर गीतारूपी बन्ध आदि से अन्त तक 'अत्यन्त योग्ययुक्त चित्त में' एक-मात्र बना गया है। यह मय है, कि निरूपण की पद्धति मवादात्मक होने के कारण शास्त्रीय पद्धति की अपेक्षा वह जरा ढीली है। परन्तु यदि इस बातपर ध्यान दिया जाय, कि सवादात्मक निरूपण में शास्त्रीय पद्धति की रक्षता हट गई है; और उसके बदले गीता में मुक्तता और प्रेमरस भर गया है, तो शास्त्रीय पद्धति के हेतु-अनुमानों की केवल बुद्धिग्राह्य तथा नीरस कटवट छूट जाने का विभीषणों भी तिलमात्र बुरा न लगेगा। इसी प्रकार यद्यपि गीतानिरूपण की पद्धति पौराणिक या मवादात्मक है, तो भी ग्रन्थपरीक्षण की माँमासकों की मत्र कमौटियों के अनुसार गीता का तात्पर्य निश्चिन्त करने में कुछ भी बाधा नहीं होती। यह बात इस ग्रन्थ के कुछ विवेचन में मान्य हो जायगी। गीता का आरम्भ देखा जाय तो मान्य होगा, कि अर्जुन क्षात्रधर्म के अनुसार नष्टाई करने के लिये चला था। जब धर्मोद्यम की विचिकित्सा के चक्कर में पड़ गया, तब उसे वेदान्तशास्त्र के आधार पर प्रवृत्तिप्रधान कर्मयोगधर्म का उपदेश करने के लिये गीता प्रवृत्त हुई है; और हमने पहले ही प्रकरण में यह बतला दिया है, कि गीता के उद्देश्य और फल दोनों इसी प्रकार के अर्थात् प्रवृत्तिप्रधान ही हैं। इसके बाद हमने बतलाया है, कि गीता में अर्जुन को जो उपदेश किया है, उसमें "तू युद्ध अर्थात् कर्म ही कर" ऐसा दम बाधक बार स्पष्ट रीति में और पर्याय में तो अनेक बार (अम्यान)

वतलाया है; और हमने यह भी वतलाया है, कि सम्स्कृत-साहित्य में कर्मयोग की उपपत्ति वतलानेवाला गीता के सिवा दूसरा ग्रन्थ नहीं है। इसलिये अभ्यास और अपूर्वता इन दो प्रमाणों से गीता में कर्मयोग की प्रधानता ही अधिक व्यक्त होती है। मीमांसको ने ग्रन्थतात्पर्य का निर्णय करने के लिये जो कर्त्तव्याँ वतलाई हैं, उन में से अर्थवाद और उपपत्ति ये दोनों शेष रह गई थीं। इनके विषय में पहले पृथक् पृथक् प्रकरणों में और अब गीता के अध्यायों के क्रमानुसार इस प्रकरण में जो विवेचन किया गया है, उससे यही निष्पन्न हुआ है, कि गीता में अकेला 'कर्मयोग' ही प्रतिपाद्य विषय है। इस प्रकार ग्रन्थतात्पर्य-निर्णय के मीमांसको के सब नियमों का उपयोग करनेपर यही बात निर्विवाद सिद्ध होती है, कि गीताग्रन्थ में ज्ञानमलक और भक्तिप्रधान कर्मयोग ही का प्रतिपादन किया गया है। अब इसमें सन्देह नहीं, कि इसके अतिरिक्त शेष सब गीता-तात्पर्य केवल साम्प्रदायिक है। यद्यपि ये सब तात्पर्य साम्प्रदायिक हों, तथापि यह प्रश्न किया जा सकता है, कि कुछ लोगों को गीता में साम्प्रदायिक अर्थ - विशेषतः संन्यासप्रधान अर्थ - ढूँढने का मौका कैसे मिल गया? जब तक इस प्रश्न का भी विचार न हो जायगा, तब तक यह नहीं कहा जा सकता, कि साम्प्रदायिक अर्थों की चर्चा पूरी हो चुकी। इसलिये अब संक्षेप में इसी बात का विचार किया जायगा, कि ये साम्प्रदायिक टीकाकार गीता का संन्यासप्रधान अर्थ कैसे कर सके, और फिर यह प्रकरण पूरा किया जायगा।

हमारे शास्त्रकारों का यह सिद्धान्त है, कि चूँकि मनुष्य बुद्धिमान् प्राणी है, इस लिये पिण्ड-ब्रह्माण्ड के तत्त्व को पहचानना ही उसका मुख्य काम या पुरुषार्थ है; और इसीको धर्मशास्त्र में 'मोक्ष' कहते हैं। परन्तु दृश्यसृष्टि के व्यवहारों की ओर ध्यान देकर शास्त्रों में ही यह प्रतिपादन किया गया है, कि पुरुषार्थ चार प्रकार के है - जैसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यह पहले ही वतला दिया गया है, कि इस स्थान पर 'धर्म' शब्द का अर्थ व्यावहारिक, सामाजिक और नैतिक धर्म समझना चाहिये। अब पुरुषार्थ को इस प्रकार चतुर्विध मानने पर यह प्रश्न सहज ही उत्पन्न हो जाता है, कि पुरुषार्थ के चारों अङ्ग या भाग परस्पर पोषक हैं या नहीं? इसलिये स्मरण रहे, कि पिण्ड में और ब्रह्माण्ड में जो तत्त्व है, उसका ज्ञान हुए बिना मोक्ष नहीं मिलता। फिर वह ज्ञान किसी भी मार्ग से प्राप्त हो। इस सिद्धान्त के विषय में शाब्दिक मतभेद भले ही हो, परन्तु तत्त्वतः कुछ मतभेद नहीं है। निदान गीताशास्त्र का तो यह सिद्धान्त सर्वथैव ग्राह्य है। इसी प्रकार गीता को यह तत्त्व भी पूर्णतया मान्य है, कि यदि अर्थ और काम, इन दोनों पुरुषार्थों को प्राप्त करना हो, तो वे भी नीतिधर्म से ही प्राप्त किये जावे। अब केवल धर्म (अर्थात् व्यावहारिक चातुर्वर्ण्यधर्म) और मोक्ष के पारस्परिक सम्बन्ध का निर्णय करना शेष रह गया। इनमें से धर्म के विषय में तो यह सिद्धान्त सभी पक्षों को मान्य है, कि धर्म के द्वारा चित्त को शुद्ध किये बिना मोक्ष की बात हीं करना व्यर्थ है। परन्तु इस प्रकार

चित्त को शुद्ध करने के लिये बहुत समय लगता है; इसलिये मोक्ष की दृष्टि से विचार करने पर भी यही मित्र होता है, कि तत्पूर्वकाल में पहले पहले ससार के सब कर्तव्यों को 'धर्म से' पूरा कर लेना चाहिये (मनु ६. ३५-३७)। संन्यास का अर्थ है 'छोड़ना'; और जिसने धर्म के द्वारा इस ससार में कुछ प्राप्त या सिद्ध नहीं किया है वह त्याग ही क्या करेगा? अथवा जो 'प्रपञ्च' (सासारिक कर्म) ही ठीक ठीक साध नहीं सकता, उस 'अभागी' में परमार्थ भी कैसे ठीक सधेगा (दास. १२. १. १-१० और १२. ८. २१-३१)? किमी का अन्तिम उद्देश या माध्य चाहे सासारिक हो अथवा पारमार्थिक, परन्तु यह बात प्रकट है, कि उनकी सिद्धि के लिये दीर्घ प्रयत्न, मनोनिग्रह और सामर्थ्य इत्यादि गुणों की एक ही आवश्यकता होती है; और जिनमें ये गुण विद्यमान नहीं होते, उसे किसी भी उद्देश या साध्य की प्राप्ति नहीं होती। इस बात को मान लेने पर भी कुछ लोग इससे आगे बढ़ कर कहते हैं, कि जब दीर्घ प्रयत्न और मनोनिग्रह के द्वारा आत्मज्ञान हो जाता है, तब अन्त में ससार के विषयोपभोगरूपी सब व्यवहार निस्सार प्रतीत होने लगते हैं। और जिस प्रकार साँप अपनी निरुपयोगी वेचुली को छोड़ देता है, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष भी सब सासारिक विषयों को छोड़ केवल परमेश्वरस्वरूप में ही लीन हो जाया करते हैं (बृ. ४. ४. ७)। जीवनभ्रम करने के इस मार्ग में चूँकि सब व्यवहारों का त्याग कर अन्त में केवल ज्ञान को ही प्रधानता दी जाती है, अतएव इसे ज्ञाननिष्ठा, मारु-निष्ठा अथवा सब व्यवहारों का त्याग करने से संन्यास भी कहते हैं। परन्तु इसके विपरीत गीताशास्त्र में कहा है, कि आरम्भ में चित्त की शुद्धता के लिये 'धर्म' की आवश्यकता तो है ही, परन्तु आगे चित्त की शुद्धि होने पर भी - स्वयं अपने लिये विषयोपभोगरूपी व्यवहार चाहे तुच्छ हो जावे; तो भी - उन्हीं व्यवहारों को केवल स्वधर्म और कर्तव्य ममज्ञ कर, लोकसंग्रह के लिये निष्कामबुद्धि से करते रहना आवश्यक है। यदि ज्ञानी मनुष्य ऐसा न करेगा, तो लोगों को आदर्श बतलानेवाला कोई भी न रहेगा, और फिर इस ससार का नाश हो जायगा। कर्मभूमि में किसी से भी कर्म छूट नहीं सकते। और यदि बुद्धि निष्काम हो जावे, तो कोई भी कर्म मोक्ष के आड़े आ नहीं सकते। इसलिये ससार के कर्मों का त्याग न कर नव व्यवहारों को विरक्तबुद्धि में अन्य जनों की नाई मृत्युपर्यन्त करते रहना ही ज्ञानी पुरुष का भी कर्तव्य हो जाता है। गीताप्रतिपादित जीवन व्यतीत करने के उस मार्ग को ही कर्मनिष्ठा या कर्मयोग कहते हैं। परन्तु यद्यपि कर्मयोग इस प्रकार श्रेष्ठ निश्चित किया गया है, तथापि उसके लिये गीता में संन्यासमार्ग की वही भी निन्दा नहीं की गई। उल्टा, यह कहा है, कि वह मोक्ष का देनेवाला है। स्पष्ट ही है, कि सृष्टि के आरम्भ में सनत्कुमार प्रभृति ने और आगे चण्ड कर शुक-मातृवल्क्य आदि ऋषियों ने जिन मार्ग का स्वीकार किया है, उन्हें भगवान् भी किस प्रकार सर्वथा त्याज्य कहेंगे? ससार के व्यवहार किमी मनुष्य

को अंशतः उसके प्रारब्धकर्मनुसार प्राप्त हुए जन्मस्वभाव से नीरस या मधुर मालूम होते हैं। और, पहले कह चुके हैं, कि ज्ञान हो जाने पर भी प्रारब्धकर्म को भोगे बिना छुटकारा नहीं। इसलिये इस प्रारब्धकर्मनुसार प्राप्त हुए जन्मस्वभाव के कारण यदि किसी ज्ञान, पुरुष का जी सासारिक व्यवहारों से ऊब जावे; और यदि वह सन्यासी हो जाये, तो उसकी निन्दा करने से कोई लाभ नहीं। आत्मज्ञान के द्वारा जिस सिद्ध पुरुष की बुद्धि नि सद्ग और पवित्र हो गई है, वह इस ससार में चाहे और कुछ करे; परन्तु इस बात को नहीं भूलना चाहिये, कि वह मानवी बुद्धि की शुद्धता की परम सीमा, और विषयो में स्वभावतः लुब्ध होनेवाली हठीली मनो-वृत्तियों को ताबे में रखने के सामर्थ्य की पराकाष्ठा सब लोगों को प्रत्यक्ष रीति से दिखला देता है। उसका यह कार्य लोकसग्रह की दृष्टि से भी कुछ छोटा नहीं है। लोगों के मन में सन्यासधर्म के विषय में जो आदरबुद्धि विद्यमान है, उसका सच्चा कारण यही है, और मोक्ष की दृष्टि से यही गीता को भी सम्मत है। परन्तु केवल जन्मस्वभाव की ओर, अर्थात् प्रारब्धकर्म की ही ओर ध्यान न दे कर यदि शास्त्र की रीति के अनुसार इस बात का विचार किया जावे, कि जिसने पूरी आत्मस्वतन्त्रता प्राप्त कर ली है, उस ज्ञानी पुरुष को इस कर्मभूमि में किस प्रकार बर्ताव करना चाहिये तो; गीता के अनुसार यह सिद्धान्त करना पडता है, कि कर्मत्याग-पक्ष गौण है, और सृष्टि के आरम्भ में मरीचि प्रभृति ने तथा आगे चल कर जनक आदिकों ने जिस कर्मयोग का आचरण किया है, उसीको ज्ञानी पुरुष लोकसग्रह के लिये स्वीकार करे। क्योंकि, अब न्यायतः यही कहना पडता है, कि परमेश्वर की निर्माण की हुई सृष्टि को चलाने का काम भी ज्ञानी मनुष्यों को ही करना चाहिये। और, इस मार्ग में ज्ञान-सामर्थ्य के साथ ही कर्म-सामर्थ्य का भी विरोधरहित मेल होने के कारण, यह कर्मयोग केवल साध्यमार्ग की अपेक्षा कहीं अधिक योग्यता का निश्चित होता है।

साध्य और कर्मयोग दोनों निष्ठाओं में जो मुख्य भेद है, उसका उक्त रीति से विचार करने पर साध्य+निष्कामकर्म=कर्मयोग यह समीकरण निष्पन्न होता है; और वैशपायन के कथनानुसार गीताप्रतिपादन प्रवृत्तिप्रधान कर्मयोग के प्रतिपादन में ही साध्यनिष्ठा के निरूपण का भी सरलता से समावेश हो जाता है (म. भा. शा ३४८ ५३)। और, इसी कारण से गीता के सन्यासमार्गीय टीकाकारों को यह बतलाने के लिये अच्छा अवसर मिल गया है, कि गीता में उनका साध्य या सन्यासमार्ग ही प्रतिपादित है। गीता के जिन श्लोकों में कर्म को ध्येयस्वरूप निश्चित कर कर्म करने को कहा है, उन श्लोकों की ओर दुर्लक्ष करने से अथवा कर्म को यह मनगढन्त कह देने से, कि वे सब श्लोक अर्थवादात्मक अर्थात् आनुपडिगक एवं प्रशशात्मक हैं, या किसी अन्य युक्ति से उपर्युक्त समीकरण के 'निष्काम-कर्म' को उडा देने से उसी समीकरण का 'साध्य=कर्मयोग' यह रूपान्तर हो जाता है। और फिर यह कहने के लिये स्थान मिल जाता है, कि गीता में साध्यमार्ग का ही प्रतिपादन

किया है। परन्तु इस रीति से गीता का जो अर्थ किया गया है, वह गीता के उपक्रमोपसंहार के अत्यन्त विरुद्ध है। और, इस ग्रन्थ में हमने स्थान स्थान पर स्पष्ट रीति से दिखला दिया है, कि गीता में कर्मयोग को गौण तथा संन्यास को प्रधान मानना वैसा ही अनुचित है, जैसे घर के मालिक को कोई उसी के घर में पाहुना कह दे; और पाहुने को वर मालिक ठहरा दे। जिन लोगों का मत है, कि गीता में केवल वेदान्त, केवल भक्ति या सिर्फ पातञ्जलयोग ही का प्रतिपादन किया गया है, उन के इन मतों का खण्डन हम कर ही चुके हैं। गीता में कौन-सी बात नही? वैदिक धर्म में मोक्षप्राप्ति के जितने साधन या मार्ग ह, उनमें से प्रत्येक मार्ग का कुछ-न-कुछ भाग गीता में है; और इतना होनेपर भी, 'भूतनृत्त च भूतस्यो' (गीता ९. ५) के न्याय में गीता का सच्चा रहस्य इन मार्गों की अपेक्षा भिन्न ही है। संन्यासमार्ग अर्थात् उपनिषदों का यह तत्त्व गीता को ग्राह्य है, कि ज्ञान के बिना मोक्ष नही; परन्तु उसे निष्काम-कर्म के साथ जोड़ देने के कारण गीताप्रतिपादित भागवत-धर्म में ही यतिधर्म का भी सहज ही समावेश हो गया है। तथापि गीता में संन्यास और वैराग्य का अर्थ यह नहीं किया है, कि कर्मों को छोड़ देना चाहिये; किन्तु यह कहा है, कि केवल फलाशा का ही त्याग करने में सच्चा वैराग्य या संन्यास है। और अन्त में सिद्धान्त किया है, कि उपनिषत्कारों के कर्म-संन्यास की अपेक्षा निष्कामकर्मयोग अधिक श्रेयस्कर है। कर्मकाण्डी मीमांसकों का यह मत भी गीता को मान्य है, कि यदि यज्ञ के लिये ही वेदविहित यज्ञयागादि कर्मों का आचरण किया जावे, तो वे बन्धक नहीं होंगे। परन्तु 'यज्ञ' शब्द का अर्थ विस्तृत करके गीता ने उक्त मत में यह सिद्धान्त और जोड़ दिया है, कि यदि फलाशा त्याग सब कर्म किये जावें, तो यही एक बड़ा भारी यज्ञ हो जाता है। इस लिये मनुष्य का यही कर्तव्य है, कि वह वर्णाश्रमविहित सब कर्मों को केवल निष्काम-बुद्धि में मर्दव करता रहे। सृष्टि की उत्पत्ति के क्रम के विषय में उपनिषत्कारों के मत की अपेक्षा मांख्यों का मत गीता में प्रधान माना गया है; तो भी प्रकृति और पुरुष तरु ही न ठहर कर, सृष्टि के उत्पत्तिक्रम की परम्परा उपनिषदों में वर्णित नित्य परमात्मापर्यन्त ले जानकर मिटा दी गई है। केवल बुद्धि के द्वारा अध्यात्मज्ञान को प्राप्त कर लेना कदेशदायक है। इसलिये भागवत या नारायणीय धर्म में यह कहा है, कि उसे भक्ति और श्रद्धा के द्वारा प्राप्त कर लेना चाहिये। इस वामुदेवभक्ति की विधि का वर्णन गीता में भी किया गया है। परन्तु इन विषय में भी भागवतधर्म की सब अंगों में कुछ नबाल नहीं की गई है; वरन् भागवतधर्म में ही वर्णित जीव के उत्पत्तिविषयक इन मत को वेदान्तसूत्र की नाई गीता ने भी त्याग्य माना है, कि वामुदेव ने गद्दार्पण या जीव उत्पन्न हुआ है; और भागवतधर्म में वर्णित भक्ति का तथा उपनिषदों के क्षेत्रक्षेत्रज्ञमन्वन्धी सिद्धान्त का पूरा पूरा मेल कर दिया है। इनके निम्न मोक्षप्राप्ति का दूसरा साधन पातञ्जलयोग है। यद्यपि गीता का कहना यह नहीं,

कि पातञ्जलयोग ही जीवन का मुख्य कर्तव्य है; तथापि गीता यह कहती है, कि बुद्धि को सम करने के लिये इन्द्रियनिग्रह करने की आवश्यकता है। इसलिये उतने भर के लिये पातञ्जलयोग के यम-नियम-आसन आदि साधनों का उपयोग कर लेना चाहिये। साराश, वैदिकधर्म में मोक्षप्राप्ति के जो जो साधन बतलाये गये हैं, उन सभी का कुछ-न-कुछ वर्णन, कर्मयोग का सादृगोपादृग विवेचन करने के समय गीता में प्रसङ्गानुसार करना पड़ा है। यदि इन सब वर्णनों को स्वतन्त्र कहा जाय, तो विसदृगति उत्पन्न होकर ऐसा भास होता है, कि गीता के सिद्धान्त परस्पर हैं; और यह भास भिन्न भिन्न साम्प्रदायिक टीकाओं से तो और भी अधिक दृढ़ हो जाता है। परन्तु जैसा हमने उपर कहा है, उसके अनुसार यदि यह सिद्धान्त किया गया, कि ब्रह्मज्ञान और भक्ति का मेल करके अन्त में उसके द्वारा कर्मयोग का समर्थन करना ही गीता का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है, तो ये सब विरोध लुप्त हो जाते हैं। और गीता में जिस अलौकिक चातुर्य से पूर्ण व्यापक दृष्टि को स्वीकार कर तत्त्वज्ञान के साथ भक्ति तथा कर्मयोग का यथोचित मेल कर दिया गया है, उसको देख दाँतो तले अंगुली दबाकर रह जाना पड़ता है। गडगा में कितनी ही नदियाँ क्यों न आ मिलें; परन्तु इससे उसका मूल स्वरूप नहीं बदलता; वस, ठीक यही हाल गीता का भी है। उसमें सब कुछ भले ही हो; परन्तु उसका मुख्य प्रतिपाद्य विषय तो कर्मयोग ही है। यद्यपि इस प्रकार कर्मयोग ही मुख्य विषय है; तथापि कर्म के साथ ही मोक्षधर्म के मर्म का भी इसमें भली भाँति निरूपण किया गया है। इसलिये कार्य-अकार्य का निर्णय करने के हेतु बतलाया गया यह गीताधर्म ही — “स हि धर्मः सुपर्याप्तो ब्राह्मणः पदवेदने” (म. भा. अश्व. १६. १२) — ब्रह्म की प्राप्ति करा देने के लिये भी पूर्ण समर्थ है। और भगवान् ने अर्जुन से अनुगीता के आरम्भ में स्पष्ट रीति से कह दिया है, कि इस मार्ग से चलनेवाले को मोक्षप्राप्ति के लिये किसी भी अन्य अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। हम जानते हैं, कि संन्यासमार्ग के उन लोगों को हमारा कथन रोचक प्रतीत न होगा, जो यह प्रतिपादन किया करते हैं, कि बिना सब व्यावहारिक कर्मों का त्याग किये मोक्ष की प्राप्ति होनी नहीं। परन्तु इसके लिये कोई इलाज नहीं है। गीताग्रन्थ न तो संन्यासमार्ग का है और न निवृत्तिप्रधान किसी दूसरे ही ग्रन्थ का। गीताशास्त्र की प्रवृत्ति तो इसलिये है, कि वह ब्रह्मज्ञान की दृष्टि से ठीक ठीक युक्तिसहित इस प्रश्न का उत्तर दे, कि ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर भी कर्मों का संन्यास करना अनुचित क्यों है? इसलिये संन्यासमार्ग के अनुयायियों को चाहिये, कि वे गीता को भी ‘संन्यास देने’ की झन्झट में न पड़ें ‘संन्यासमार्गप्रतिपादक’ जो अन्य वैदिक ग्रन्थ हैं उन्हीं से सन्तुष्ट रहे। अथवा गीता में संन्यासमार्ग को भी भगवान् ने जिस निराभिमानबुद्धि से निःश्रेयस्कर कहा है, उसी समबुद्धि से साध्य-मार्गवालो को भी यह कहना चाहिये, कि “परमेश्वर का हेतु यह है, कि संसार चलता रहे। और जब कि इसीलिये वह बार बार अवतार धारण करता है, तब

ज्ञानप्राप्ति के अनन्तर निष्कामबुद्धि से व्यावहारिक कर्मों को करते रहने के जिस मार्ग का उपदेश भगवान् ने गीता में दिया है, वही मार्ग कलिकाल में उपयुक्त है।” — और ऐसा कहना ही उनके लिए सर्वोत्तम पक्ष है।

पन्द्रहवाँ प्रकरण

उपसंहार

तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च । *

- गीता ८. ७

चाहे आप गीता के अध्यायो की सङ्गति या मेल देखिये, या उन अध्यायो के विषयो का भीमासको कि पद्धति से पृथक् पृथक् विवेचन कीजिये, किसी भी दृष्टि से विचार कीजिये; अन्त मे गीता का सच्चा तात्पर्य यही भालूम होगा, कि 'ज्ञान भक्तियुक्त कर्मयोग' ही गीता का सार है। अर्थात् साम्प्रदायिक टीकाकारो ने कर्मयोग को गौण ठहरा कर गीता के जो अनेक प्रकार के तात्पर्य बतलाये हैं, वे यथार्थ नहीं हैं। किन्तु उपनिषदो मे वर्णित अद्वैत वेदान्त का भक्ति के साथ भेल कर उसके द्वारा बड़े बड़े कर्मवीरो के चरित्रो का रहस्य - या उनके जीवनरुम की उपपत्ति - बतलाना ही गीता का सच्चा तात्पर्य है। भीमासको के कथनानुसार केवल श्रौतस्मार्त कर्मों को सदैव करते रहना भले ही शास्त्रोक्त हो; तो भी ज्ञानरहित केवल तान्त्रिक क्रिया से बुद्धिमान् मनुष्य का समाधान नहीं होता। और, यदि उपनिषदो मे वर्णित धर्म को देखे, तो वह केवल ज्ञानमय न होने के कारण अल्पबुद्धिवाले मनुष्यो के लिये अत्यन्त कष्टसाध्य है। इसके सिवा एक और बात है, उपनिषदो का सन्यासमार्ग लोकसग्रह का बाधक भी है; इसलिये भगवान् ने ऐसे ज्ञानमूलक, भक्तिप्रधान और निष्काम-कर्मविषयक धर्म का उपदेश गीता में किया है, कि जिसका पालन आमरण किया जावे; जिससे बुद्धि (ज्ञान), प्रेम (भक्ति) और कर्तव्य का ठीक मेल हो जावे; मोक्ष की प्राप्ति मे कुछ अन्तर न पडने पावे; और लोकव्यवहार भी सरलता से होता रहे। इसीमे कर्म-अकर्म के शास्त्र का सब सार भरा हुआ है। अधिक क्या कहे, गीता के उपक्रम-उपसंहार से यह बात स्पष्टतया विदित हो जाती है, कि अर्जुन को इस धर्म का उपदेश करने मे कर्म-अकर्म का विवेचन ही मूलकारण है। इस बात का विचार दो तरह से किया जाता, कि किस कर्म को धर्म्य, पुण्यप्रद, न्याय्य या श्रेयस्कर कहना चाहिये; और किस कर्म को इसके विरुद्ध अर्थात् अधर्म्य, पापप्रद, अन्याय्य या गह्य कहना चाहिये। पहली रीति यह है, कि उपपत्ति, कारण या मर्म न बतलाकर केवल यह कह दे - किसी काम को अमुक रीति से करो - तो वह शुद्ध होगा, और अन्य रीति से

* "इसलिये सदैव मेरा स्मरण कर और लड़ाई कर।" लड़ाई कर - शब्द की योजना यहाँ पर प्रसंगानुसार की गई है; परन्तु उसका अर्थ केवल 'लड़ाई कर' ही नहीं है - यह अर्थ भी समझा जाना चाहिये, कि 'सधाधिकार कर्म कर'।

करो, तो अशुद्ध हो जायगा। उदाहरणार्थ — हिंसा करो, चोरी मत करो, सच बोलो, धर्माचरण करो, इत्यादि बातें इसी प्रकार की हैं। मनुस्मृति आदि स्मृतिग्रन्थों में तथा उपनिषदों में विधियाँ, आज्ञाएँ अथवा आचार स्पष्ट रीति से बतलाये गये हैं। परन्तु मनुष्य ज्ञानवान् प्राणी है; इसलिये उसका समाधान केवल ऐसी विधियों या आज्ञाओं से नहीं हो सकता। क्योंकि मनुष्य की यही स्वाभाविक इच्छा होती है, कि वह उन नियमों के बनाये जाने का कारण भी जान ले। और इसलिये वह विचार करके इन नियमों के नित्य तथा मूलतत्त्व की खोज करता है — वस; यही दूसरी रीति है, कि जिसमें कर्म-अकर्म, धर्म-अधर्म, पुण्य-पाप आदि का विचार किया जाता है। व्यावहारिक धर्म के अन्त को इस रीति में देख कर इसके मूलतत्त्वों को ढूँढ़ निकालना शास्त्र का काम है; तथा उस विषय के केवल नियमों को एकत्र करके बतलाना आचारसंग्रह कहलाता है। कर्ममार्ग का आचारसंग्रह स्मृतिग्रन्थों में है; और उसके आचार के मूलतत्त्वों का शास्त्रीय अर्थात् तात्त्विक विवेचन भगवद्गीता में संवादपद्धति से या पौराणिक रीति से किया गया है। अतएव भगवद्गीता के प्रतिपाद्य विषय को केवल कर्मयोग न कहकर कर्मयोगशास्त्र कहना ही अधिक उचित तथा प्रशस्त होगा। और यही योगशास्त्र शब्द भगवद्गीता के अध्याय-समाप्ति-सूचक सद्वकल्प में आया है। जिन पश्चिमी पण्डितों ने पारलौकिक दृष्टि को त्याग दिया है, या जो लोग उसे गीण मानते हैं, वे गीता में प्रतिपादित कर्मयोगशास्त्र को ही मित्र मित्र लौकिक नाम दिया करते हैं — जैसे सद्व्यवहारशास्त्र, सदाचारशास्त्र, नीतिशास्त्र, नीतिमीमांसा, नीतिके मूलतत्त्व, कर्तव्यशास्त्र, कार्य-अकार्य व्यवस्थिति, समाजधारणशास्त्र इत्यादि। इन लोगों की नीतिमीमांसा की पद्धति भी लौकिक ही रहती है। इसी कारण ने ऐंसे पाश्चात्य पण्डितों के ग्रन्थों का जिन्होंने अवलोकन किया है, उनमें से बहुतों की यह समझ हो जाती है, कि मंस्कृत साहित्य में सदाचरण या नीति के मूलतत्त्वों की चर्चा किमीने नहीं की है। वे कहने लगते हैं, कि “हमारे यहाँ जो कुछ गहन तत्त्वज्ञान है, वह सिर्फ हमारा वेदान्त ही है। अच्छा; वर्तमान वेदान्त-ग्रन्थों को देखो; तो भालूम होगा, कि वे मानसिक कर्मों के विषय में प्रायः उदासीन हैं। ऐसी अवस्था में कर्मयोगशास्त्र का अथवा नीति का विचार कहाँ मिलेगा? यह विचार ध्याकरण अथवा न्याय के ग्रन्थों में तो मिलनेवाला है ही नहीं; और स्मृतिग्रन्थों में धर्मशास्त्र के मग्नह के सिवा और कुछ भी नहीं; इसलिये हमारे प्राचीन शास्त्रकार, मोक्ष ही के गूढ विचारों में निमग्न हो जाने के कारण सदाचरण के या नीतिधर्म के मूलतत्त्वों का विवेचन करना भूल गये!” परन्तु महाभारत और गीता को ध्यानपूर्वक पढ़ने में यह भ्रमपूर्ण ममज दूर हो जा सकती है। इनके पर कुछ लोग बहने हैं, कि महाभारत एक अत्यन्त विस्मयपूर्ण ग्रन्थ है, इसलिये उसको पढ़ कर पूर्णतया मनन करना बहुत ही कठिन है। और गीता यद्यपि एक छोटा-सा ग्रन्थ है, तो भी उसमें साम्प्रदायिक टीकाकारों के मतानुसार केन्द्र मोक्षप्राप्ति ही का ज्ञान बतलाया गया है। परन्तु किमीने हम वान को

नहीं जाँचा, कि सन्यास और कर्मयोग, दोनों मार्ग हमारे यहाँ वैदिक काल से ही प्रचलित हैं। किसी भी समय समाज में सन्यासमार्गिया की अपेक्षा कर्मयोग ही के अनुयायियों की संख्या हजारों गुना अधिक हुआ करती है—और, पुराण-इतिहास में जिस कर्मशील महापुरुषों का अर्थात् कर्मवीरों का वर्णन है, वे सब कर्मयोगमार्ग का ही अवलंब करनेवाले थे। यदि य सब बातें सच हैं, तो क्या इन कर्मवीरों से किसी को भी यह नहीं सूझा होगा, कि अपने कर्मयोगमार्ग का समर्थन किया जाना चाहिये? अच्छा, यदि कहा जाय, कि उस समय जितना ज्ञान था, वह सब ब्राह्मण-जाति में ही था, और वेदान्ती ब्राह्मण कर्म करने के विषय में उदासीन रहा करते थे, इसलिये कर्मयोगविषयक ग्रन्थ नहीं लिखे गये होंगे। तो यह आक्षेप भी उचित नहीं कहा सकता। क्योंकि, उपनिषत्काल में और उसके बाद क्षत्रिया में भी जनक और श्रीवृष्ण सरीखे ज्ञानी पुरुष हो गये हैं, और व्याससदृश बुद्धिमान् ब्राह्मणों ने बड़े बड़े क्षत्रिया का इतिहास भी लिखा है। इस इतिहास को लिखते समय क्या उनके मन में यह विचार न आया होगा, कि जिन प्रसिद्ध पुरुषों का इतिहास हम लिख रहे हैं, उनके चरित्र के मर्म या रहस्य को भी प्रकट कर देना चाहिये? इस मर्म या रहस्य को कर्मयोग अथवा व्यवहारशास्त्र कहते हैं, और इसे बतलाने के लिये ही महाभारत में स्थान स्थान पर सूक्ष्म धर्म-अधर्म का विवेचन करके, अन्त में सत्कार के धारण एव पोषण के लिये कारणीभूत होनेवाले सदाचरण अर्थात् धर्म के मूलतत्त्वों का विवेचन मोक्षदृष्टि को न छोड़ते हुए गीता में किया गया है। अन्यान्य पुराणों में भी ऐसे बहुत-से प्रसङ्ग पाये जाते हैं। परन्तु गीता के तेज के सामने अन्य सब विवेचन फीके पड़ जाते हैं। इसी कारण से भगवद्गीता कर्मयोगशास्त्र का प्रधान ग्रन्थ हो गया है। हमने इस बात का पीछले प्रकरणों में विस्तृत विवेचन किया है, कि कर्मयोग का सच्चा स्वरूप क्या है। तथापि जब तक इस बात की तुलना न की जावे, कि गीता में वर्णन किये गये कर्म-अकर्म के अध्यात्मिक मूलतत्त्वों से पश्चिमी पण्डितों द्वारा प्रतिपादित नीति के मूलतत्त्व कहाँ तक मिलते हैं, तब तक यह नहीं कहा जा सकता, कि गीताधर्म का निरूपण पूरा हो गया। इस प्रकार तुलना करते समय दोनों ओर के अध्यात्मज्ञान की भी तुलना करनी चाहिये। परन्तु यह बात सर्वमान्य है, कि अब तक पश्चिमी अध्यात्मिक ज्ञान की पहुँच हमारे वेदान्त से अधिक दूर तक नहीं होने पाई है। इसी कारण से पूर्वी और पश्चिमी अध्यात्मशास्त्रों की तुलना करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं रह जाती।* ऐसी अवस्था में अब केवल उस

* वेदान्त और पश्चिमी तत्त्वज्ञान की तुलना प्रोफेसर डायसन के *The Elements of Metaphysics* नामक ग्रन्थ में कई स्थानों में की गई है। इस ग्रन्थ के दूसरे संस्करण के अन्त में 'On the Philosophy of Vedanta' इस विषय पर एक व्याख्यान भी छपा गया है। जब प्रो डायसन सन १८९३ में हिन्दुस्थान में आये थे, तब उन्होंने बम्बई की रायल एशियाटिक सोसायटी में यह व्याख्यान दिया था। इसके अतिरिक्त *The Religion*

नीतिशास्त्र की अथवा कर्मयोग की तुलना का ही विषय बाकी रह जाता है, जिसके बारे में कुछ लोगो की समझ है, कि इसकी उपपत्ति हमारे प्राचीन शास्त्रकारों ने नहीं बतलाई है। परन्तु इसी विषय का विचार भी इतना विस्तृत है, कि उसका पूर्णतया प्रतिपादन करने के लिये एक स्वतन्त्र ग्रन्थ ही लिखना पड़ेगा। तथापि, इस विषय पर इस ग्रन्थ में थोड़ा भी विचार न करना उचित न होगा; इसलिये केवल दिग्दर्शन करने के लिये इसकी कुछ महत्त्वपूर्ण बातों का विवेचन इस उपसंहार में किया जावेगा।

थोड़ा भी विचार करने पर यह सहज ही ध्यान में आ सकता है, कि सदाचार और दुराचार, तथा धर्म और अधर्म शब्दों का उपयोग यथार्थ में ज्ञानवान् मनुष्य के कर्म के ही लिये होता है। और यही कारण है, कि नीतिमत्ता केवल जड़ कर्मों में नहीं किन्तु बुद्धि में रहती है। “धर्मो हि तेषामधिको विशेषः” — धर्म-अधर्म का ज्ञान मनुष्य का अर्थात् बुद्धिमान् प्राणियों का ही विशिष्ट गुण है — इस वचन का तात्पर्य और भावार्थ ही वही है। किसी गधे या बैल के कर्मों को देख कर हम उसे उपद्रवी तो वेशक कहा करते हैं, परन्तु जब वह धक्का देता है, तब उस पर कोई नालिश करने नहीं जाता। इसी तरह क्रिमी नदी को — उसके परिणाम की ओर ध्यान देकर — हम भयङ्कर अवश्य कहते हैं, परन्तु जब उसमें बाढ़ आ जाने से फसल बह जाती है, तो “अधिकांश लोगो की अधिक हानि” होने के कारण कोई उसे दुराचारिणी, लुटेरी, या अनीतिमान् नहीं कहता। इस पर कोई प्रश्न कर सकते हैं, कि यदि धर्म-अधर्म के नियम मनुष्य के व्यवहारों ही के लिये उपयुक्त हुआ करते हैं, तो मनुष्य के कर्मों के भलेबुरेपन का विचार भी केवल उसके कर्म से ही करने में क्या हानि है? इस प्रश्न का उत्तर देना कुछ कठिन नहीं। अचेतन वस्तुओं और पशुपक्षी आदि मूट योनि के प्राणियों का दृष्टान्त छोट दें, और यदि मनुष्य के ही कृत्यों का विचार करें, तो भी दीख पड़ेगा, कि जब कोई आदमी अपने पागलपन में अथवा अनजाने में कोई अपराध कर टालता है, तब वह संसार में और कानूनद्वारा क्षम्य माना जाता है। हमें यही बात सिद्ध होनी है, कि मनुष्य के भी कर्म, अवमं की भलाईबुराई ठहराने के लिये, सब से पहले उसकी बुद्धि का ही विचार करना पड़ता है — अर्थात् यह विचार करना पड़ता है, कि उसने उन कार्य को किम उद्देश, भाव या हेतु में किया; और उसको उन कर्म के परिणाम का ज्ञान था या नहीं। किसी धनवान् मनुष्य के लिये यह कोई कठिन काम नहीं, कि वह अपनी दृष्टा के अनुसार मनमाना दान दे दे। यह दानविषयक काम ‘अच्छा’ भले ही हो; परन्तु उसको सच्ची नैतिक योग्यता उन दान की स्वाभाविक प्रिया में

and Philosophy of the Upanishads नामक हायमन साहब का ग्रन्थ भी इन विषय पर पढ़ने योग्य है।

नहीं ठहराई जा सकती। इसके लिये यह भी देखना पड़ेगा, कि उस धनवान् मनुष्य की बुद्धि सचमुच श्रद्धायुक्त है, या नहीं। और इसका निर्णय करने के लिये यदि स्वाभाविक रीति से किये गये इस दान के सिवा और कुछ सबूत न हो; तो इस दान की योग्यता किसी श्रद्धापूवक किये गये दान की योग्यता के बराबर नहीं समझी जाती — और कुछ नहीं, तो सन्देह करने के लिये उचित कारण अवश्य रह जाता है। सब धर्म-अधर्म का विवेचन हो जाने पर महाभारत में यही एक बात व्याख्यान के स्वरूप में उत्तम रीति से समझाई गई है। जब युधिष्ठिर राजगद्दी पा चुके, तब उन्होंने एक बृहत् अश्वमेधयज्ञ किया। उसमें अन्न और द्रव्य आदि के अपूर्व दान करने से और लाखों मनुष्यों के सन्तुष्ट होने से उनकी बहुत प्रशंसा होने लगी। उस समय वहाँ एक दिव्य नकुल (नेवला) आया; और युधिष्ठिर से कहने लगा — “तुम्हारी व्यर्थ ही प्रशंसा की जाती है। पूर्वकाल में इसी कुरुक्षेत्र में एक दरिद्री ब्राह्मण रहता था, जो उच्छ्वस्ति से, अर्थात् खेतों में गिरे हुए अनाज के दानों को चुनकर, अपना जीवन-निर्वाह किया करता था। एक दिन भोजन करने के समय उसके यहाँ एक अपरिचित आदर्मी क्षुधा से पीड़ित अतिथि बन कर आ गया। यह दरिद्री ब्राह्मण और उसके कुटुम्बी-जन भी कई दिनों के भूखे थे; तो भी उसने, अपनी स्त्री के और अपने लड़कों के सामने परोसा हुआ सब सत्तू उस अतिथि को समर्पण कर दिया। इस प्रकार उमने जो अतिथियज्ञ किया था, उसके महत्त्व की बराबरी तुम्हारा यज्ञ — यह कितना ही बड़ा क्यों न हो — कभी नहीं कर सकता” (म. भा. अश्व ९०)। उन नेवले का मूँह और आवा शरीर सोने का था। उसने जो यह कहा, कि युधिष्ठिर के अश्वमेधयज्ञ की योग्यता उस गरीब ब्राह्मणद्वारा अतिथि को दिये गये सेर भर सत्तू के बराबर भी नहीं है; उसका कारण उसने यह बतलाया है, कि — “उस ब्राह्मण के घर में अतिथि की जूठन पर लेटने से मेरा मूँह और आवा शरीर सोने का हो गया, परन्तु युधिष्ठिर के यज्ञमण्डल की जूठन पर लेटने से मेरा बच्चा हुआ आधा शरीर सोने का नहीं हो सका।” यहाँ पर कर्म के बाह्य परिणाम को ही देख कर यदि इसी बात का विचार करे — कि अधिकांश लोगों का अधिक सुख किसमें है — तो यही निर्णय करना पड़ेगा, कि एक अतिथि को तृप्त करने की अपेक्षा लाखों आदमियों को तृप्त करने की योग्यता लाखगुनी अधिक है। परन्तु प्रश्न यह है, कि केवल धर्मदृष्टि से ही नहीं, किन्तु नीतिदृष्टि से भी क्या यह निर्णय ठीक होगा? किसी को अधिक धनसम्पत्ति मिल जाना या लोकोपयोगी अनेक अच्छे काम करने का मौका मिल जाना केवल उसके सदाचार पर ही अवलम्बित नहीं रहता है। यदि वह गरीब ब्राह्मण द्रव्य के अभाव से बड़ा भारी यज्ञ नहीं कर सकता था; और इसलिये यदि उसने अपनी शक्ति के अनुसार कुछ अल्प और तुच्छ काम ही किया, तो क्या उसकी नैतिक या धार्मिक योग्यता कम समझी जायगी? कभी नहीं। यदि कम समझी जावे तो यही कहना पड़ेगा, कि गरीबों को धनवानों के सदृश नीतिमान् और धार्मिक होने की कभी

इच्छा और आशा नहीं रखनी चाहिये। आत्मस्वातन्त्र्य के अनुसार अपनी बुद्धि को शुद्ध रखना उस ब्राह्मण के अधिकार में था; और यदि उसके स्वल्पाचरण से इस बात में कुछ सन्देह नहीं रह जाता, कि उसकी परोपकार बुद्धि युधिष्ठिर के ही समान शुद्ध थी; तो इस ब्राह्मण की और उसके स्वल्पकृत्य की नैतिक योग्यता युधिष्ठिर के और उसके बहुव्ययसाध्य यज्ञ के बराबर की ही मानी जानी चाहिये। बल्कि यह भी कहा जा सकता है, कि कई दिनों तक क्षुधा से पीड़ित होनेपर भी उस गरीब ब्राह्मण ने अन्नदान करके अतिथि के प्राण बचाने में जो स्वार्थत्याग किया, उसने उसकी शुद्ध बुद्धि और भी अधिक व्यक्त होती है। यह तो सभी जानते हैं, कि धर्म आदि गुणों के समान शुद्ध बुद्धि की सच्ची परीक्षा सङ्कटकाल में ही हुआ करती है; और कान्त ने भी अपने नीतिग्रन्थ के आरम्भ में यही प्रतिपादन किया है, कि सङ्कट के समय भी जिसकी शुद्ध बुद्धि (नैतिक तत्त्व) भ्रष्ट नहीं होती, वही सच्चा नीतिमान् है। उन नवले का अभिप्राय भी यही था। परन्तु युधिष्ठिर की शुद्ध बुद्धि की परीक्षा कुछ राज्यासद होने पर सम्पत्तिकाल में किये गये एक अश्वमेधयज्ञ से ही होने की न थी; उसके पहले ही अर्थात् आपत्तिकाल की अनेक अड़चनों के मौकों पर उसकी पूरी परीक्षा हो चुकी थी। इसीलिये महाभारतकार का यह सिद्धान्त है, कि धर्म-अधर्म के निर्णय के सूक्ष्म न्याय से भी युधिष्ठिर को धार्मिक ही कहना चाहिये। कहना नहीं होगा, कि वह नवला निन्दक ठहराया गया है। यहाँ एक और बात ध्यान में लेने योग्य है, कि महाभारत में यह वर्णन है, कि अश्वमेध करनेवाले को जो गति मिलती है, वही उस ब्राह्मण को भी मिली। इससे यही सिद्ध होता है, कि उस ब्राह्मण के कर्म की योग्यता युधिष्ठिर के यज्ञ की अपेक्षा अधिक भले ही न हो; तथापि इसमें सन्देह नहीं, कि महाभारतकार उन दोनों की नैतिक और धार्मिक योग्यता एक बराबर मानते हैं। व्यावहारिक कार्यों में भी देखने से मालूम हो सकता है, कि जब किसी धर्मकृत्य के लिये या लोकोपयोगी कार्य के लिये कोई लखपति मनुष्य हजार रुपये चन्दा देता है और कोई गरीब मनुष्य एक रुपया चन्दा देता है; तब हम लोग उन दोनों की नैतिक योग्यता एक समान ही समझते हैं। 'चन्दा' शब्द को देख कर यह दृष्टान्त कुछ लोगों को कदाचित् नया मालूम हो, परन्तु यथार्थ में बात ऐसी नहीं है। क्योंकि उक्त नवले की कथा का निरूपण करते समय ही धर्म-अधर्म के विवेचन में कहा गया है, कि :-

सहस्रशक्तिश्च शतं शतशक्तिर्दशापि च ।

दद्यादपश्च यः शक्त्या सर्वं तुल्यफलः स्मृतः ॥

अर्थात् "हजारवाले ने सौ, सौवाले ने दस, और किसी ने यथाशक्ति थोड़ा-सा पानी ही दिया, तो भी ये सब तुल्यफल हैं; अर्थात् इन सब की योग्यता एक बराबर है" (म. भा. अश्व. १०. ९७); और 'पत्रं पुण्य फल' (गीता ९. २६) - इस

गीतावाक्य का तात्पर्य भी यही है। हमारे धर्म में ही क्या, ईसाई धर्म में भी इस तत्त्व का संग्रह है। ईसा मसीह ने एक जगह कहा है—“जिसके पास अधिक है, उससे अधिक पाने की आशा की जाती है” (ल्यूक. १२. ४८)। इक दिन जब ईसा मन्दिर (गिरिजाघर) गया था, तब वहाँ धर्मार्थ द्रव्य इकट्ठा करने का काम शुरू होने पर अत्यन्त गरीब विधवा स्त्री ने अपने पास की कुछ पूंजी—दो पैसे—निकाल कर उस धर्मकार्य के लिये दे दी। यह देखकर ईसा के मुँह से यह उद्गार निकल पड़ा, कि “उस स्त्री ने अन्य सब लोगों की अपेक्षा अधिक दान दिया है।” इसका वर्णन वाइबल (माकं. १२. ४३ और ४४) में है। इससे यह स्पष्ट है, कि यह बात ईसा को भी मान्य थी, कि कर्म की योग्यता कर्ता की बुद्धि से ही निश्चित की जानी चाहिये। और यदि कर्ता की बुद्धि शुद्ध हो, तो बहुधा छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्मों की योग्यता के बराबर ही हो जाती है। इसके विपरीत—अर्थात् जब बुद्धि शुद्ध न हो तब—किसी कर्म की नैतिक योग्यता का विचार करने पर यह मालूम होगा, कि यद्यपि हत्या करना केवल एक ही कर्म है; तथापि अपनी जान बचाने के लिये दूसरे की हत्या करने में और एक किसी राह चलते धनवान् मुसाफिर को द्रव्य के लिये मार डालने में, नैतिक दृष्टि से बहुत अन्तर है। जर्मन कवि शिलर ने इसी आशय के एक प्रसङ्ग का वर्णन अपने ‘विलियम टेल’ नामक नाटक के अन्त में किया है; और वहाँ वाह्यतः एक ही से दीख पड़ने-वाले दो कृत्यों में बुद्धि की शुद्धता-अशुद्धता के कारण जो भेद दिखलाया गया है, वही भेद स्वार्थत्याग और स्वार्थ के लिये की गई हत्या में भी है। इससे मालूम होता है, कि कर्म छोटे-बड़े हों या बराबर हो; उनमें नैतिक दृष्टि से जो भेद हो जाता है, वह कर्ता के हेतु के कारण ही हुआ करता है। इस हेतु को ही उद्देश्य, वासना या बुद्धि कहते हैं। इसका कारण यह है, कि ‘बुद्धि’ शब्द का शास्त्रीय अर्थ यद्यपि ‘व्यवसायात्मक इन्द्रिय’ है; तो भी ज्ञान, वासना, उद्देश और हेतु सब बुद्धीन्द्रिय के व्यापार के ही फल हैं। अतएव इनके लिये भी बुद्धि शब्द ही का सामान्यतः प्रयोग किया जाता है। और पहले भी यह बतलाया जा चुका है, कि स्थितप्रज्ञ की साम्यबुद्धि में व्यवसायात्मक बुद्धि की स्थिरता और वासनात्मक बुद्धि की शुद्धता, दोनों का समावेश होता है। भगवान् ने अर्जुन से कुछ यह सोचने को नहीं कहा, कि युद्ध करने से कितने मनुष्यों का कितना कल्याण होगा और कितने लोगों की कितनी हानि होगी, वल्कि अर्जुन से भगवान् यही कहते हैं : इस समय यह विचार गौण है, कि तुम्हारे युद्ध करने से भीष्म मरेगे कि द्रोण। मुख्य प्रश्न यही है, कि तुम किस बुद्धि (हेतु या उद्देश) से युद्ध करने को तैयार हुए हो। यदि तुम्हारी बुद्धि स्थितप्रज्ञों के समान शुद्ध होगी, और यदि तुम उस पवित्र बुद्धि से अपना कर्तव्य करने लगोगे, तो फिर चाहे भीष्म मरे या द्रोण; तुम्हें उसका पाप नहीं लगेगा। तुम कुछ इस फल की आशा से तो युद्ध कर ही नहीं रहे हो, कि भीष्म मारे जायें। जिस राज्य में तुम्हारा

जन्मसिद्ध हक्क है, उमका हिस्सा तुमने माँगा; और युद्ध टालने के लिये यथाशक्ति ग्रम खाकर बीच-बचाव करने का भी तुमने बहुत-कुछ प्रयत्न किया। परन्तु जब इस मेल के प्रयत्न में और साधुपन के मार्ग से निर्वाह नहीं हो सका, तब लाचारी में तुमने युद्ध करने का निश्चय किया है। इसमें तुम्हारा कुछ दोष नहीं है। क्योंकि दुष्ट मनुष्य में किसी ब्राह्मण की नाई अपने धर्मानुसार प्राप्त हक्क की भिक्षा न माँगने हुए, माँका आ पड़ने पर क्षत्रियधर्म के अनुसार लोकसंग्रहार्थ उसकी प्राप्ति के लिये युद्ध करना ही तुम्हारा कर्तव्य है (म. भा. उ. २८ और ७२; वनपर्व ३३. ४८ और ५० देखो)। भगवान् के उक्त युक्तिवाद को व्यासजी ने भी स्वीकार किया है और, उन्होंने ने इसी के द्वारा आगे चलकर शान्तिपर्व में युधिष्ठिर का समाधान किया है (शां. अ. ३२ और ३३)। परन्तु कर्म-अकर्म का निर्णय करने के लिये बुद्धि को इस तरह से श्रेष्ठ मान ले, तो अब यह भी अवश्य जान लेना चाहिये, कि शुद्ध बुद्धि किसे कहते हैं। क्योंकि, मन और बुद्धि दोनों प्रकृति के विकार हैं; इसलिये वे स्वभावतः तीन प्रकार के अर्थान् सात्त्विक, राजस और तामस हो सकते हैं। इसलिये गीता में कहा है, कि शुद्ध या सात्त्विक बुद्धि वह है, कि जो बुद्धि से भी परे रहनेवाले नित्य आत्मा के स्वरूप को पहचाने; और यह पहचान कर — कि सब प्राणियों में एक ही आत्मा है — उसी के अनुसार कार्य-अकार्य का निर्णय करे। इस सात्त्विक बुद्धि का दूसरा नाम साम्यबुद्धि है, और इसमें 'साम्य' शब्द का अर्थ "सर्वभूतान्तर्गत आत्मा की एकता या समानता को पहचाननेवाली" है। जो बुद्धि इस समानता को नहीं जानती, वह न तो शुद्ध है और न सात्त्विक। इस प्रकार जब यह मान लिया गया, कि नीति का निर्णय करने में साम्यबुद्धि ही श्रेष्ठ है, तब यह प्रश्न उठता है, कि बुद्धि की इस समता अथवा साम्य को कैसे पहचानना चाहिये? क्योंकि बुद्धि तो अन्तरिन्द्रिय है; इसलिये उमका भला-बुरापन हमारी आँखों में दीख नहीं पड़ता। अतएव बुद्धि की ममता तथा शुद्धता की परीक्षा करने के लिये पहले मनुष्य के बाह्य आचरण को देखना चाहिये। नहीं तो कोई भी मनुष्य ऐसा कह कर — कि मेरी बुद्धि शुद्ध है — मनमाना बनाव कर ले लगेगा। इसी में गान्धो का सिद्धान्त है, कि मच्छे श्रद्धाजानी पुण्य की पहचान उसके स्वभाव में ही हुआ करती है। जो बेबल मुँह में कोरी बात करता है, वह सच्चा माधु नहीं। भगवद्गीता में भी स्थितप्रज्ञ तथा भगवद्भक्तों का लक्षण वन्यते समय ध्याम करने इमी बात का वर्णन किया गया है, कि वे समार के अन्य लोगों के माय बना बनाव करते हैं। और, तेरहवें अध्याय में ज्ञान की व्याख्या भी इमी प्रकार — अर्थान् यह बतला कर, कि स्वभाव पर ज्ञान का क्या परिणाम होता है — की गई है। इसमें यह साफ़ साफ़ होना है, कि गीता यह कभी नहीं कहती, कि बाह्यकर्मों की ओर कुछ भी ध्यान न दो। परन्तु इस बात पर ध्यान देना चाहिये, कि किसी मनुष्य की — विशेष करके अनजाने मनुष्य की — बुद्धि की ममता की परीक्षा करने के लिये यद्यपि केवल उमका बाह्यधर्म या आचरण और, उममें भी, सदैवटसमय का आचरण

ही प्रधान साधन है; तथापि केवल इस बाह्य आचरणद्वारा ही नीतिमत्ता की अचूक परीक्षा हमेशा नहीं हो सकती। क्योंकि उक्त नकुलोपाख्यान से यह सिद्ध हो चुका है, कि यदि बाह्यकर्म छोटा भी हो; तथापि विशेष अवसर पर उसकी नैतिक योग्यता बड़े कर्मों के ही बराबर हो जाती है। इसी लिये हमारे शास्त्रकारों ने यह सिद्धान्त किया है, कि बाह्यकर्म चाहे छोटा हो या बड़ा; और वह एक ही को सुख देनेवाला हो या अधिकांश लोगों को; उसको केवल बुद्धि की शुद्धता का एक प्रमाण मानना चाहिये। इससे अधिक महत्त्व उसे नहीं देना चाहिये। किन्तु उस बाह्यकर्म के आधार पर पहले यह देख लेना चाहिये, कि कर्म करनेवाले की बुद्धि कितनी शुद्ध है; और अन्त में इस रीति से व्यक्त होनेवाली शुद्ध बुद्धि के आधार पर ही उक्त कर्म की नीतिमत्ता का निर्णय करना चाहिये। यह निर्णय केवल बाह्यकर्मों को देखने से ठीक ठीक नहीं हो सकता। यही कारण है, कि “कर्म की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ है” (गीता २. ४९) ऐसा कहकर गीता के कर्मयोग में सम और शुद्ध बुद्धि को अर्थात् वासना को ही प्रधानता दी गई है। नारदपञ्चरात्र नामक भागवतधर्म का गीता से अर्वाचीन एक ग्रन्थ है। उसमें मार्कण्डेय नारद ने कहते हैं :-

मानसं प्राणिनामेव सर्वकर्मकारणम् ।

मनोरूपं वाक्यं च वाक्येन प्रस्फुटं मनः ॥

अर्थात् “मन ही लोगों के सब कर्मों का एक (मूल) कारण है। जैसा मन रहता है, वैसी ही बात निकलती है; और बातचीत से मन प्रकट होता है” (ना. पं. १. ७. १८)। सारांश यह है, कि मन (अर्थात् मन का निश्चय) सब से प्रथम है, उसके अनन्तर सब कर्म हुआ करते हैं। इसीलिये कर्म-अकर्म का निर्णय करने के लिये गीता के शुद्धबुद्धि के सिद्धान्त को ही बौद्ध ग्रन्थकारों ने स्वीकृत किया है। उदाहरणार्थ, ‘धम्मपद’ नामक बुद्धधर्मीय प्रसिद्ध नीतिग्रन्थ के आरम्भ में ही कहा है, कि :-

मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसेट्ठा (श्रेष्ठा) मनोमया ।

मनसा चे पबुठ्ठेन भासति वा करोति वा

सतो नं दुवत्तमन्वेति चक्कं नु वहतो पवं ॥

अर्थात् “मन यानी मन का व्यापार प्रथम है। उसके अनन्तर धर्म-अधर्म का आचरण होता है। ऐसा क्रम होने के कारण इस काम में मन ही मुख्य और श्रेष्ठ है। इसलिये इन सब कर्मों को मनोदय ही समझना चाहिये। अर्थात् कर्ता का मन जिस प्रकार शुद्ध या दुष्ट रहता है, उसी प्रकार उसके भाषण और कर्म भी भलेबुरे हुआ करते हैं, तथा उसी प्रकार आगे उसे सुखदुःख मिलता है।” * इसी तरह उपनिषदों और गीता का

* पाली भाषा के इस श्लोक का भिन्न भिन्न लोग भिन्न भिन्न अर्थ करते हैं। परन्तु जहाँ तक हम समझते हैं, इस श्लोक की रचना इसी तन्त्र पर की गई है, कि कर्म-अकर्म का निर्णय

यह अनुमान भी (कौपी. ३. १ और गीता १८.१७) बौद्ध धर्म में मान्य हो गया है, कि जिमका मन एक बार शुद्ध और निष्काम हो जाता है, उस स्थितप्रज्ञ पुरुष ने फिर कभी पाप होना सम्भव नहीं; अर्थात् सब कुछ करके भी वह पापपुण्य से अलिप्त रहता है। इसलिये बौद्ध धर्मग्रन्थों में अनेक स्थलों पर वर्णन किया गया है, कि 'अहंतु' अर्थात् पूर्णावस्था में पहुँचा हुआ मनुष्य हमेशा ही शुद्ध और निष्पाप रहता है (धम्मपद २९४ और २९५; मिल्लिद प्र. ४. ५. ७)।

पश्चिमी देशों में नीति का निर्णय करने के लिये दो पन्थ हैं : पहला आधि-दैवत पन्थ, जिसमें मदमद्विवेकदेवता की शरण में जाना पड़ता है; और दूसरा आधिभौतिक पन्थ है, कि जो इस बाह्य कमीटी के द्वारा नीति का निर्णय करने के लिये कहता है, कि "अधिकांश लोगों का अधिक हित किममें है ?" परन्तु ऊपर किये गये विवेचन से यह स्पष्ट मालूम हो सकता है, कि ये दोनों पन्थ शास्त्रदृष्टि में अपूर्ण तथा एकपक्षीय हैं। कारण यह है, कि सदसद्विवेकशक्ति कोई स्वतन्त्र वस्तु या देवता नहीं; किन्तु वह व्यवसायात्मक बुद्धि में ही शामिल है। इसलिये प्रत्येक मनुष्य की प्रवृत्ति और स्वभाव के अनुसार उसकी मदमद्विवेकबुद्धि भी नास्त्विक, राजस या तामस हुआ करती है। ऐसी अवस्था में उसका कार्य-अकार्य निर्णय दोष-रहित नहीं हो सकता। और यदि केवल 'अधिकांश लोगों का अधिक सुख' किम में है, इस बाह्य आधिभौतिक कमीटी पर ही ध्यान देकर नीतिमत्ता का निर्णय करे; तो कर्म करनेवाले पुरुष की बुद्धि का कुछ भी विचार नहीं हो सकेगा। तब यदि कोई मनुष्य चांगी या व्यभिचार करे; और उसके बाह्य अनिष्टकारक परिणामों को काम करने के लिये या छिपाने के लिये पहले ही से मावधान होकर कुछ कुटिल प्रवृत्त कर ले; तो यही कहना पड़ेगा, कि उसका दुष्टव्य आधिभौतिक नीतिदृष्टि में उतना निन्दनीय नहीं है। अनएव यह बात नहीं, कि केवल वैदिक धर्म में ही वाचिक, वाचिक और मानसिक शुद्धता की आवश्यकता का वर्णन किया गया हो (मनु. १२. ३-८; ९. २९); किन्तु बादवर्त में भी व्यभिचार को केवल वाचिक पाप न मानकर परस्त्री की ओर दुमरे पुरुषों का देखना या परपुरुष की ओर दुमरी स्त्रियों का देखना भी व्यभिचार माना गया है (मेय्य. ५. २८); और बौद्धधर्म में वाचिक अर्थात् वाक्यशुद्धता के साथ साथ वाचिक और मानसिक शुद्धता की भी आवश्यकता बन गई है (धम्मपद ९६ और ३९१)। इसके सिवा ग्रीन साहब का यह भी कहना है, कि बाह्यमुद्र को ही परम माध्य मानने में मनुष्य-मनुष्य में और राष्ट्र-राष्ट्र में उर्ष पाने के लिये प्रतिद्वन्द्विता उत्पन्न हो जाती है, और बल का होना भी सम्भव है। क्योंकि बाह्यमुद्र की प्राप्ति के लिये जो बाह्यमाघना आवश्यक है, वे प्रायः दूसरों के

करने के लिये मानसिक स्थिति का विचार अवश्य करना पड़ता है। 'धम्मपद' का मिस्रमूद्र काश्मि ने अंग्रेजी में भाषान्तर किया है, उसमें इस श्लोक की टीका देखिये। S. B. E. Vol. X, pp. 3-4.

सुख को कम किये बिना अपने को नहीं मिल सकते। परन्तु साम्यबुद्धि के विषय में ऐसा नहीं वह सकते। यह आन्तरिक सुख आत्मवश है। अर्थात् यह किसी दूसरे मनुष्य के सुख में बाधा न डालकर प्रत्येक को मिल सकता है। इतना ही नहीं, किन्तु जो आत्मैक्य को पहचान कर सब प्राणियों से समता का व्यवहार करता है, वह गुप्त या प्रकट किसी रीति से भी कोई दुष्कृत्य कर ही नहीं सकता। और फिर उसे यह बतलाने की आवश्यकता भी नहीं रहती, कि “हमेशा यह देखते रहो, कि अधिकांश लोगों का अधिक सुख किसमें है।” कारण यह है, कि कोई भी मनुष्य हो; वह सार-असार-विचार के बाद किसी कृत्य को किया करता है। यह बात नहीं, कि केवल नैतिक कर्मों का निर्णय करने के लिये ही सार-असार-विचार की आवश्यकता होती है। सार-असार-विचार करते समय यही महत्त्व का प्रश्न होता है, कि अन्त कैसा होना चाहिये? क्योंकि सब लोगों का अन्त करण एकसमान नहीं होता। अतएव जब, कि यह कह दिया, कि “अन्त करण में सदा साम्यबुद्धि जागृत रहनी चाहिये,” तब फिर यह बतलाने की कोई आवश्यकता नहीं, कि अधिकांश लोगों या सब प्राणियों के हित का सार-असार-विचार करो। पश्चिमी पण्डित भी अब यह कहने लगे हैं, कि मानवजाति के प्राणियों के सम्बन्ध में जो कुछ कर्तव्य है, वे तो हैं ही, परन्तु मूक जानवरा के सम्बन्ध में भी मनुष्य के कुछ कर्तव्य हैं, जिनका समावेश कार्य-अकार्यशास्त्र में किया जाना चाहिये। यदि इसी व्यापक दृष्टि से देखे, तो मालूम होगा, कि ‘अधिकांश लोगों का अधिक हित’ की अपेक्षा ‘सर्वभूतहित’ शब्द ही अधिक व्यापक और उपयुक्त है, तथा ‘साम्यबुद्धि’ में इन सभी का समावेश हो जाता है। इसके विपरीत यदि ऐसा मान ले, कि किसी एक मनुष्य की बुद्धि शुद्ध और सम नहीं है, तो वह इस बात का ठीक ठीक हिसाब भले ही कर ले, कि ‘अधिकांश लोगों का अधिक सुख’ किसमें है, परन्तु नीतिधर्म में उसकी प्रवृत्ति हाना सम्भव नहीं है। क्योंकि, किसी सत्कार्य की ओर प्रवृत्ति होना शुद्ध मन का गुण या धर्म है—यह काम कुछ हिसाबी मन का नहीं है। यदि कोई कहे, कि “हिसाब करनेवाले मनुष्य के स्वभाव या मन को देखने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल यही देखना चाहिये, कि उसका किया हुआ हिसाब सही है या नहीं। अर्थात् उस हिसाब से सिर्फ यह देख लेना चाहिये, कि कर्तव्य-अकर्तव्य का निर्णय हो कर तुम्हारा काम चल जाता है या नहीं”—तो यह भी सच नहीं हो सकता। कारण यह है, कि सामान्यतः यह तो सभी जानते हैं, कि सुख दुःख वैसे बहते हैं। तो भी सब प्रकार सुखदुःखों के तारतम्य का हिसाब करते समय पहले यह निश्चय कर लेना पड़ता है कि किस प्रकार के सुखदुःखों को कितना महत्त्व देना चाहिये। परन्तु सुखदुःख का इस प्रकार माप करने के लिये—उष्णतामापक यन्त्र के समान—कोई निश्चित बाह्यसाधन न तो वर्तमान समय में है, और न भविष्य में ही उसके मिल सकने की कुछ सम्भावना है। इसलिये सुखदुःखों की ठीक ठीक कीमत ठहराने

का काम — यानी उनके महत्त्व या योग्यता का निर्णय करने का काम — प्रत्येक मनुष्य को अपने मन में ही करना पड़ेगा । परन्तु जिमके मन में ऐसी आत्मोपम्यवृद्धि पूर्ण रीति में जागृत नहीं हुई है, कि “जैसा मैं हूँ, वैसा ही दूसरा भी है ;” उसे दूसरो के सुखदुःख की तीव्रता का स्पष्ट ज्ञान कभी नहीं हो सकता । इसलिये वह इन सुखदुःखो की सच्ची योग्यता कभी जान ही नहीं सकेगा । और, फिर तारतम्य-निर्णय करने के लिये उसने सुखदुःखो की कुछ कीमत पहले ठहरा ली होगी, उसमें भूल हो जायगी; और अन्त में उसका किया सब हिसाब भी गलत हो जायगा । इसीलिये कहना पड़ता है, “कि अधिकांश लोगों के अधिक सुख को देखना” इस वाक्य में ‘देखना’ सिर्फ हिसाब करने की बाह्यक्रिया है, जिसे अधिक महत्त्व नहीं देना चाहिये । किन्तु जिम आत्मोपम्य और निर्लोभ वृद्धि में (अनेक) दूसरो के सुखदुःखों की यथार्थ कीमत पहले ठहराई जाती है, वही सब प्राणियों के विषय में साम्यावस्था को पहुँची हुई शुद्धवृद्धि ही नीतिमत्ता की मञ्ची जड़ है । स्मरण रहे, कि नीतिमत्ता निर्मम, शुद्ध, प्रेमी, सम या (सक्षेप में कहे तो) मत्त्वशील अन्तःकरण का धर्म है; वह कुछ केवल मार-अमार-विचार का फल नहीं है । यह मिद्धान्त इस कथा से और भी स्पष्ट हो जायगा । भारतीय युद्ध के बाद युधिष्ठिर के राज्यमीन होने पर जब कुन्ती अपने पुत्रों के पगप्रम से कृतार्थ हो चुकी, तब वह धृतराष्ट्र के माथ वानप्रस्थाश्रम का आचरण करने के लिये वन को जाने लगी । उसी समय उमने युधिष्ठिर को कुछ उपदेश किया है; और “तू अधिकांश लोगों का कल्याण किया कर” इत्यादि बात का बतझगड न कर उमने युधिष्ठिर में सिर्फ यही कहा है कि ‘मनस्ते महदस्तु च’ (म. भा. अश्व. १७. २१) अर्थात् “तू अपने मन को हमेशा विशाल बनाये रख ।” जिन पश्चिमी पण्डितों ने यह प्रतिपादन किया है, कि केवल ‘अधिकांश लोगों का अधिक सुख किममें है’ यही देखना नीतिमत्ता की मञ्ची शास्त्रीय और नीतिवसीटी है, वे कदाचित् पहले ही में यह मान लेते हैं, कि उनके समान ही अन्य सब लोग शुद्ध मन के हैं, और एसा समझ कर वे अन्य सब लोगों को यह बतलाने हैं, कि नीति का निर्णय निम रीति से लिया जावे । परन्तु ये पण्डित जिम वान को पहले ही से मान लेते हैं, वह सब नहीं हो सकती । इसलिये नीतिनिर्णय का उनका नियम अपूर्ण और एकपक्षीय निम्न होता है । इतना ही नहीं, बल्कि उनके लक्ष्यों में यह ध्रमकारक विचार भी उन्मत्त हो जाता है कि मन स्वभाव या शील की यथार्थ में अधिक-अधिक शुद्ध और पापमोह बनाने का प्रयत्न करनेके बदले, यदि कोई नीतिमान् बनने के लिये अपने कर्मों के बाह्यपरिणामों का हिसाब करना मीथ्य ले, तो बम होगा । और फिर जिनकी स्वायंयुक्ति नहीं छूटी रहती है, वे लोग धूर्त, मिथ्याचारी या शोकी (गीता ३. ६) बनकर मारे समाज की हानि का कारण हो जाते हैं । इसलिये केवल नीतिमत्ता की समीचीनी दृष्टि में देखें, तो भी कर्मों के केवल बाह्यपरिणामों पर विचार करनेवाला मार्ग उचित तथा अपूर्ण प्रतीत होता है । अतः हमारे निश्चय के अनुसार गीता का

यही सिद्धान्त पश्चिमी आधिदैविक और आधिभौतिक पक्षों के मतों की अपेक्षा अधिक मार्मिक, व्यापक, युक्तिसङ्गत और निर्दोष है, कि बाह्यकर्मों से व्यक्त होनेवाली साम्यबुद्धि का ही सहारा इस काम में अर्थात् कर्मयोग में लेना चाहिये; तथा, ज्ञानयुक्त निस्सीम शुद्धबुद्धि या शील ही सदाचरण की सच्ची कसौटी है।

नीतिशास्त्रसम्बन्धी आधिभौतिक और आधिदैविक ग्रन्थों को छोड़कर नीति का विचार आध्यात्मिक दृष्टि से करनेवाले पश्चिमी पण्डितों के ग्रन्थों को यदि देखें, तो मालूम होगा, कि उनमें भी नीतिमत्ता का निर्णय करने के विषय में गीता के ही मद्दश कर्म की अपेक्षा शुद्धबुद्धि को ही विशेष प्रधानता दी गई है। उदाहरणार्थ प्रसिद्ध जर्मन तत्त्ववेत्ता कान्ट के 'नीति के आध्यात्मिक मूलतत्त्व' तथा नीतिशास्त्रसम्बन्धी दूसरे ग्रन्थों को लीजिये। यद्यपि कान्ट ने* सर्वभूतात्मैक्य का सिद्धान्त अपने ग्रन्थों में नहीं दिया है, तथापि व्यवसायात्मक और वासनात्मक बुद्धि का ही सूक्ष्म विचार करके उसने यह निश्चित किया है - कि (१) किमी कर्म की नैतिक योग्यता इस बाह्यफल पर मे नहीं ठहराई जानी चाहिये, कि उस कर्मद्वारा कितने मनुष्यों को सुख होगा; बल्कि उसकी योग्यता का निर्णय यही देख कर करना चाहिये, कि कर्म करनेवाले मनुष्य की 'वासना' कहां तक शुद्ध है। (२) मनुष्य की इस वासना (अर्थात् वासनात्मक बुद्धि) को तभी शुद्ध, पवित्र और स्वतन्त्र समझना चाहिये, जब कि यह इन्द्रियसुखों में लिप्त न रह कर सदैव शुद्ध (व्यवसायात्मक) बुद्धि की आज्ञा के (अर्थात् इस बुद्धिद्वारा निश्चित कर्तव्य-अकर्तव्य के नियमों के) अनुसार चलने लगे। (३) इस प्रकार इन्द्रियनिग्रह हो जाने पर जिसकी वासना शुद्ध हो गई हो, उस पुरुष के लिये किसी नीतिनियमादि के बन्धन की आवश्यकता नहीं रह जाती - ये नियम तो सामान्य मनुष्यों के ही लिये हैं। (४) इस प्रकार से वासना के शुद्ध हो जाने पर जो कुछ कर्म करने को वह शुद्धवासना या बुद्धि कहा करती है, वह इसी विचार से कहा जाता है, कि "हमारे समान यदि दूसरे भी करने लगे, तो परिणाम क्या होगा;" और (५) वासना की इस स्वतन्त्रता और शुद्धता की उपपत्ति का पता कर्मसृष्टि को छोड़ कर ब्रह्मसृष्टि में प्रवेश किये बिना नहीं चल सकता। परन्तु आत्मा और ब्रह्मसृष्टि-सम्बन्धी कान्ट के विचार कुछ अपूर्ण हैं; और, ग्रीन यद्यपि कान्ट का ही अनुयायी है, तथापि उसने अपने 'नीतिशास्त्र के उपोद्घात' में पहले यह सिद्ध किया है, कि बाह्यसृष्टि का अर्थात् ब्रह्माण्ड का जो अगम्य तत्त्व है, वह आत्मस्वरूप से पिण्ड में अर्थात् मनुष्यदेह में अंशतः प्रादुर्भूत हुआ है। इसके अनन्तर उसने यह प्रतिपादन

* Kant's *Theory of Ethics*, trans. by Abbott. 6th Ed. इस पुस्तक में ये सब सिद्धान्त दिये गये हैं। पहला सिद्धान्त १०, १२, १६ और १४ वें पृष्ठ में; दूसरा ११२ और ११७ वें पृष्ठ में; तीसरा ३१, ५८, १२१ और २९० वें पृष्ठ में; चौथा १८, ३८, ५५ और ११९ वें पृष्ठ में और पाँचवाँ ७०-७३ तथा ८० वें पृष्ठ में पाठकों को मिलेगा।

किया है,* कि मनुष्य-शरीर में एक नित्य और स्वतन्त्र तत्त्व है (अर्थात् जिसे आत्मा कहते हैं); जिसमें यह उत्कट इच्छा होती है, कि सर्व-भूतान्तर्गत अपने सामाजिक पूर्णस्वरूप को अवश्य पहुँच जाना चाहिये; और यही इच्छा मनुष्य को मदाचार की ओर प्रवृत्त किया करती है। इसी में मनुष्य का नित्य और चिरकालिक कल्याण है; तथा विषयमुख अनित्य है। सारांश यही दीख पड़ता है, यद्यपि कान्ट और ग्रीन दोनों ही की दृष्टि आध्यात्मिक है, तथापि ग्रीन व्यवसायात्मक बुद्धि के व्यापारों में ही लिपट नहीं रहा; किन्तु उसने कर्म-अकर्म विवेचन की तथा वासना-स्वातंत्र्य की उपपत्ति को पिण्ड और ब्रह्माण्ड दोनों में एकता से व्यक्त होनेवाले शुद्ध आत्मस्वरूप तक पहुँचा दिया है। कान्ट और ग्रीन जैसे आध्यात्मिक पाश्चात्य नीतिशास्त्रज्ञों के उक्त मिद्धान्तों की ओर नीचे लिखे गये गीताप्रतिपादित कुछ मिद्धान्तों की तुलना करने में दीख पड़ेगा, कि यद्यपि वे दोनों अक्षरशः एक बराबर नहीं हैं, तथापि उनमें कुछ अद्भुत समता अवश्य है। देखिये, गीता के मिद्धान्त ये हैं :- (१) बाह्यकर्म की अपेक्षा कर्मा की (वामनात्मक) बुद्धि ही श्रेष्ठ है। (२) व्यवसायात्मक बुद्धि आत्मनिष्ठ हो कर जब मन्देहरहित तथा नम हो जाती है, तब फिर वामनात्मक बुद्धि आप ही आप शुद्ध और पवित्र हो जाती है। (३) इस रीति में जिसकी बुद्धि सम और स्थिर हो जाती है, वह स्थितप्रज्ञ पुरुष हमेशा विधि और नियमों में परे रहा करता है। (४) और उसके आचरण तथा उसकी आत्मैक्यबुद्धि में सिद्ध होनेवाले नीतिनियम सामान्य पुरुषों के लिये आदर्श के समान पूजनीय तथा प्रमाणभूत हो जाने हैं; और (५) पिण्ड अर्थात् देह में तथा ब्रह्माण्ड अर्थात् सृष्टि में एक ही आत्मस्वरूपी तत्त्व है, देहान्तर्गत आत्मा अपने शुद्ध और पूर्णस्वरूप (मोक्ष) को प्राप्त कर लेने के लिये मदा उत्पन्न रहता है, तथा इस शुद्ध स्वरूप का ज्ञान हो जाने पर सब प्राणियों के विषय में आत्मोपम्यदृष्टि हो जाती है। परन्तु यह बात ध्यान देने योग्य है, कि ब्रह्म आत्मा, माया, आत्मस्त्रान्त्य, ब्रह्मात्मैक्य, कर्मविपाक इत्यादि विषयों पर इनारे वेदान्तशास्त्र के जो मिद्धान्त हैं, वे कान्ट और ग्रीन के मिद्धान्तों में भी बहुत आगे बढ़े हुए तथा अधिक निश्चित हैं। इसलिये उपनिषदान्तर्गत वेदान्त के आधार पर किया हुआ गीता का कर्मयोग-विवेचन आध्यात्मिक दृष्टि से अमन्दिग्ध, पूर्ण तथा शोपरहित हुआ है; और आजकल के वेदान्ती जर्मन पण्डित प्रोफेसर डायमन ने नीतिविवेचन की इसी पद्धति को अपने 'अध्यात्मशास्त्र के मूलतत्त्व' नामक ग्रन्थ में स्वीकार किया है। डायमन शोपेनहर का अनुयायी है; उसे शोपेनहर का यह मिद्धान्त पूर्णतया मान्य है, कि, "संसार का मूल कारण वामना ही है। इसलिये उसका शय विषे दिना दुःख की निवृत्ति का होना अमम्भव है; अतएव वामना का शय करना ही प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है।" और इसी आध्यात्मिक मिद्धान्तद्वारा

नीति की उपपत्ति का विवेचन उसने अपने उक्त ग्रन्थ के तीसरे भाग में स्पष्ट रीति में किया है। उसने पहले यह सिद्ध कर दिखलाया है, कि वासना का क्षय होने के लिये — या हो जाने पर भी — कर्मों को छोड़ देने की आवश्यकता नहीं है; बल्कि 'वासना का पूरा क्षय हुआ है, कि नहीं' यह बात परोपकारार्थ किये गये निष्कामकर्म से जैसे प्रकट होती है, वैसे अन्य किसी भी प्रकार से व्यक्त नहीं होती। अतएव निष्कामकर्म वासनाक्षय का ही लक्षण और फल है। इसके बाद उसने यह प्रतिपादन किया है, कि वामना की निष्कामता ही सदाचरण और नीतिमत्ता का भी मूल है; और इसके अन्त में गीता का "तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचार" (गीता ३. १९) यह श्लोक दिया है। * इससे मालूम होता है, कि डायसन को इस उपपत्ति का ज्ञान गीता से ही हुआ होगा। जो हो; यह बात कुछ कम गौरव की नहीं, कि डायसन, ग्रीन, शोपेनहर और कान्ट के पूर्व — अधिक क्या कहे, अरिस्टॉटलके भी सैकड़ों वर्ष पूर्व — ही ये विचार हमारे देश में प्रचलित हो चुके थे। आजकल बहुतेरे लोगों की यह समझ हो रही है, कि वेदान्त केवल एक ऐसा कोरा बखेडा है, जो हमें इस संसार को छोड़ देने और मोक्ष की प्राप्ति करने का उपदेश देता है। परन्तु यह समझ ठीक नहीं। संसार में जो कुछ आँखों से दीख रहा है, उसके आगे विचार करने पर ये प्रश्न उठा करते हैं, कि "मैंने कौन हूँ? इस सृष्टि की जड़ में कौनसा तत्त्व है? इस तत्त्व से मेरा क्या सम्बन्ध है? इस सम्बन्ध पर ध्यान दे कर इस संसार में मेरा परम साध्य या अन्तिम ध्येय क्या है? इस साध्य या ध्येय को प्राप्त करने के लिये मुझे जीवनयात्रा के किस मार्ग को स्वीकार करना चाहिये, अथवा किस मार्ग से कौनसा ध्येय सिद्ध होगा?" और इन गहन प्रश्नों का यथाशक्ति शास्त्रीय रीति से विचार करने के लिये वेदान्तशास्त्र प्रवृत्त हुआ है; बल्कि निष्पक्ष दृष्टि से देखा जाय तो यह मालूम होगा, कि समस्त नीतिशास्त्र अर्थात् मनुष्यों के पारस्परिक व्यवहार का विचार उस गहन शास्त्र का ही एक अङ्ग है। सारांश यह है, कि कर्मयोग की उपपत्ति वेदान्तशास्त्र ही के आधार पर की जा सकती है, और अब सन्यासमार्गीय लोग चाहे कुछ भी कहे, परन्तु इसमें सन्देह नहीं, कि गणितशास्त्र के जैसे — शुद्ध गणित और व्यावहारिक गणित — दो भेद हैं, उसी प्रकार वेदान्तशास्त्र के भी दो भाग — अर्थात् शुद्ध वेदान्त और नैतिक अथवा व्यावहारिक वेदान्त — होते हैं। कान्ट तो यहाँ तक कहता है, कि मनुष्य के मन में 'परमेश्वर' (परमात्मा), 'अमृतत्व' और (इच्छा) 'स्वातन्त्र्य' के सम्बन्ध के गूढ़ विचार इस नीतिप्रश्न का विचार करते करते ही उत्पन्न हुए हैं, कि "मैं संसार में किस तरह वर्ताव करूँ या संसार में मेरा सच्चा कर्तव्य क्या है?" और ऐसे प्रश्नों का उत्तर न देकर नीति की उपपत्ति केवल किसी बाह्यसुख की दृष्टि से ही बतलाना मानो मनुष्य के मन की उम पशुवृत्ति को — जो स्वभावतः विषयसुख में लिप्त रहा करती है — उत्तेजित करना एव सच्ची नीतिमत्ता

* See Deussen's *Elements of Metaphysics* : Eng. Tra. 1909.p.304

की जड़ पर ही कुल्हाड़ी मारना है। अब इस बात को अलग करके समझाने की कोई आवश्यकता नहीं, कि यद्यपि गीता का प्रतिप्राद्य विषय कर्मयोग ही है, तो भी उसमें शुद्ध वेदान्त क्यों और कैसे आ गया। कान्ट ने इस विषय पर 'शुद्ध (व्यवसायात्मक) बुद्धि की सीमा' और 'व्यावहारिक (वासनात्मक) बुद्धि की सीमा' नामक दो अलग अलग ग्रन्थ लिखे हैं। परन्तु हमारे औपनिषदिक तत्त्वज्ञान के अनुसार भगवद्गीता ही में इन दोनों विषयों का समावेश किया गया है; वल्कि श्रद्धामूलक भक्तिमार्ग का भी विवेचन उमी में होने के कारण गीता सब में अधिक ग्राह्य और प्रमाणभूत हो गई है।

मोक्षधर्म को क्षणभर के लिये एक ओर रख कर केवल कर्म-अकर्म की परीक्षा के नैतिक तत्त्व की दृष्टि में भी जब 'नाम्यबुद्धि' ही श्रेष्ठ सिद्ध होती है; तब यहाँ पर इस बात का भी थोड़ा-सा विचार कर लेना चाहिये, कि गीता के आध्यात्मिक पक्ष को छोड़ कर नीतिशास्त्रों में अन्य दूसरे पक्ष क्यों और क्यों निर्माण हुए? डाक्टर पाल कारम नामक एक प्रसिद्ध अमेरिकन ग्रन्थकार अपने नीतिशास्त्र-विषयक ग्रन्थ में इस प्रश्न का यह उत्तर देता है, कि "पिण्ड-ब्रह्माण्ड की रचना के सम्बन्ध में मनुष्य की जैसी समझ (राय) होती है, उसी तरह नीतिशास्त्र के मूलतत्त्वों के सम्बन्ध में उसके विचारों का रङ्ग बदलता रहता है। मच पूछो तो, पिण्ड-ब्रह्माण्ड की रचना के सम्बन्ध में कुछ-न-कुछ निश्चित मत हुए बिना नैतिक प्रश्न ही उपस्थित नहीं हो सकता। पिण्ड-ब्रह्माण्ड की रचना के सम्बन्ध में कुछ पक्का मत न रहने पर भी हम लोगों में कुछ नैतिक आचरण कदाचित् हो सकता है। परन्तु यह आचरण स्वप्नावस्था के व्यापार के समान होगा; इर्माद्ये एमे नैतिक बहने के बदले देहधर्मानुसार होनेवाली केवल एक कार्यात्मक श्रिया ही कहना चाहिये।" उदाहरणार्थ, बापिन अपने बच्चों की रक्षा के लिये प्राण देने को तैयार हो जाती है;

*"Empiricism, on the contrary cuts up at the roots the morality of intentions (in which, and not in actions only, consists the high worth that men can and ought to give themselves) ... Empiricism, moreover, being on this account allied with all the inclinations which (no matter what fashion they put on) degrade humanity when they are raised to the dignity of a supreme practical principle, ... is for that reason much more dangerous." Kant's *Theory of Ethics*, pp. 163 and 236-238. See also Kant's *Critique of Pure Reason*, (trans. by Max Muller) 2nd Ed. pp. 640-657.

† See *The Ethical Problem* by Dr. Carus, 2nd Ed., p. 111. "Our proposition is that the leading principle in ethics must be derived from the philosophical view back of it. The world-conception a man has, can alone give character to the principle in his ethics. Without any world-conception we can have no ethics (i. e. ethics in the highest sense of the word). We may act morally like dreamers or somnambulists; but our ethics would in that case be a mere moral instinct without any rational insight into its *raison d'être*."

परन्तु इसे हम उसका नैतिक आचरण न कह कर उसका जन्मसिद्ध स्वभाव ही कहते हैं। इस उत्तर से इस बात का अच्छी तरह स्पष्टीकरण हो जाता है, कि नीतिशास्त्र के उपपादन में अनेक पन्थ क्या हो गये हैं। इसमें कुछ सन्देह नहीं, कि " मैं कौन हूँ, यह जगत् कैसे उत्पन्न हुआ, मेरा इस ससार में क्या उपयोग हो सकता है ? " इत्यादि गूढ प्रश्नों का निर्णय जिस तत्त्व से हो सकेगा, उसी तत्त्व के अनुसार प्रत्येक विचारवान् पुरुष इस बात का भी निर्णय अवश्य करेगा, कि मुझे अपने जीवनकाल में अन्य लोगों के साथ कैसा वर्ताव करना चाहिये। परन्तु इन गूढ प्रश्नों का उत्तर भिन्न भिन्न काल में तथा भिन्न भिन्न देशों में एक ही प्रकार का नहीं हो सकता। यूरोप खण्ड में ईसाई धर्म प्रचलित है, इसमें यह वर्णन पाया जाता है, कि मनुष्य और सृष्टि का कर्ता वाइवल में वर्णित सगुण परमेश्वर है, और उसी ने पहले पहल ससार को उत्पन्न करके सदाचरण के नियमादि बनाकर मनुष्यों को शिक्षा दी है, तथा आरम्भ में ईसाई पण्डितों का भी यही अभिप्राय था, कि वाइवल में वर्णित पिण्ड-ब्रह्माण्ड की इस कल्पना के अनुसार वाइवल में कहे गये नीतिनियम ही नीतिशास्त्र के मूलतत्त्व हैं। फिर जब यह मालूम होने लगा, कि ये नियम व्यावहारिक दृष्टि से अपूर्ण हैं, तब इनकी पूर्ति करने के लिये अथवा स्पष्टीकरणार्थ यह प्रतिपादन किया जाने लगा, कि परमेश्वर ही ने मनुष्य को सदसद्विवेक-शक्ति दी है। परन्तु अनुभव से फिर यह अडचन दीख पड़ने लगी, कि चोर और साह दोनो की सदसद्विवेकशक्ति एक समान नहीं रहती, तब इस मत का प्रचार होने लगा, कि परमेश्वर की इच्छा नीतिशास्त्र की नींव भले ही हो, परन्तु उस ईश्वरी इच्छा के स्वरूप को जानने के लिये केवल इसी बात का विचार करना चाहिये, कि अधिकांश लोगों का अधिक सुख किसमें है — इसके सिवा परमेश्वर की इच्छा को जानने का अन्य कोई मार्ग नहीं है। पिण्ड-ब्रह्माण्ड की रचना के सम्बन्ध में ईसाई लोगो की जो यह समझ है — कि वाइवल में वर्णित सगुण परमेश्वर ही ससार का कर्ता है, और यह उसकी ही इच्छा या आज्ञा है, कि मनुष्य नीति के नियमानुसार वर्ताव करे — उसी आधार पर उक्त सब मत प्रचलित हुए हैं। परन्तु आधिभौतिक शास्त्रों की उत्पत्ति तथा वृद्धि होने पर जब मालूम होने लगा, कि ईसाई धर्मपुस्तकों में पिण्ड-ब्रह्माण्ड की रचना के विषय में कहे गये सिद्धान्त ठीक नहीं हैं, तब यह विचार छोड़ दिया गया, कि परमेश्वर के समान कोई सृष्टि का कर्ता है या नहीं, और यही विचार किया जाने लगा, कि नीतिशास्त्र की इमारत प्रत्यक्ष दिखनेवाली बातों की नींव पर क्योंकर खड़ी की जा सकती है। तब से फिर यह माना जाने लगा, कि अधिकांश लोगों का अधिक सुख या कल्याण, अथवा मनुष्यत्व की वृद्धि, ये ही दृश्यतत्त्व नीतिशास्त्र के मूलकारण हैं। इस प्रतिपादन में इस बात की किसी उपपत्ति या कारण का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, कि कोई मनुष्य अधिकांश लोगों का अधिक हित क्यों करे? सिर्फ इतना ही कह दिया

जाता है, कि यह मनुष्य की नित्य बढ़नेवाली एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। परन्तु मनुष्यस्वभाव में स्वार्थ सरीखी और भी दूसरी वृत्तियाँ दीख पड़ती हैं। इसलिये इस पन्थ में भी फिर भेद होने लगे। नीतिमत्ता की ये सब उपपत्तियाँ कुछ सर्वथा निर्दोष नहीं हैं। क्योंकि, उक्त पन्थों के सभी पण्डितों में “सृष्टि के दृश्यपदार्थों से परे सृष्टि की जड़ में कुछ-न-कुछ अव्यक्त तत्त्व अवश्य है,” इस सिद्धान्त पर एक ही सा अविश्वाम और अश्रद्धा है। इस कारण उनके विषयप्रतिपादन में चाहें कुछ भी अडचन क्यों न हों; वे लोग केवल बाह्य और दृश्यतत्त्वों में ही किसी तरह निर्वाह कर लेने का हमेशा प्रयत्न किया करते हैं। परन्तु नीति तो सभी को चाहिये; क्योंकि वह सब के लिये आवश्यक है। परन्तु उक्त कथन में मालूम हो जायगा, कि पिण्ड-ब्रह्माण्ड की रचना के सम्बन्ध में भिन्न भिन्न मत होने के कारण उन लोगों की नीतिशास्त्रविषयक उपपत्तियों में हमेशा कैसे भेद हो जाया करते हैं। इसी कारण में पिण्ड-ब्रह्माण्ड की रचना के विषय में आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक मतों के अनुसार हमने नीतिशास्त्र के प्रतिपादन के (तीसरे प्रकार में) तीन भेद किये हैं; और आगे फिर प्रत्येक पन्थ के मुख्य मुख्य सिद्धान्तों का भिन्न भिन्न विचार किया है। जिनका यह मत है, कि सगुण परमेश्वर ने सर्व दृश्यसृष्टिको बनाया है, वे नीतिशास्त्र वा केवल यही तक विचार करते हैं, कि अपने धर्मग्रन्थों में परमेश्वर की जो आज्ञा है वह, तथा परमेश्वर की सत्ता से निर्मित मदमद्विवेचनशक्तिरूप देवता ही सब कुछ है—इसके बाद और कुछ नहीं है। इसको हमने ‘आधिदैविक’ पन्थ कहा है। क्योंकि सगुण परमेश्वर भी तो एक देवता ही है न! अब जिनका यह मत है, कि दृश्यसृष्टि का आदिकारण कोई भी अदृश्य मूलतत्त्व नहीं है; और यदि हाँ भी, तो वह मनुष्य की बुद्धि के लिये अगम्य है। वे लोग ‘अधिकांश लोगों का अधिक बन्ध्याण’ या ‘मनुष्यत्व का परम उत्कर्ष’ जैसे केवल दृश्यतत्त्व द्वारा ही नीतिशास्त्र का प्रतिपादन किया करते हैं; और यह मानते हैं, कि इस बाह्य और दृश्यतत्त्व के परे विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस पन्थ को हमने ‘आधिभौतिक’ नाम दिया है। जिनका यह सिद्धान्त है, कि नामरूपात्मक दृश्यसृष्टि की जड़ में आत्मा मरीया कुछ-न-कुछ नित्य और अव्यक्त तत्त्व अवश्य है, वे लोग अपने नीतिशास्त्र की उपपत्ति को आधिभौतिक उपपत्ति से भी परे ले जाते हैं, और आत्मज्ञान तथा नीति या धर्म का मेल करके इस बात का निर्णय करते हैं, कि संग्राम में मनुष्य का अच्छा वर्तव्य क्या है? इस पन्थ को हमने ‘आध्यात्मिक’ कहा है। इन दोनों पन्थों में आचार नीति एक ही है; परन्तु पिण्ड की रचना के सम्बन्ध में प्रत्येक पन्थ का मत भिन्न भिन्न है। उगमें नीतिशास्त्र के मूलतत्त्वों का स्वल्प ही एक पन्थ में थोड़ा बढ़ना गया है। यह बात प्रबल है, कि व्याकरणशास्त्र कोई नई भाषा नहीं बनाता; किन्तु जो भाषा व्यवहार में प्रचलित रहती है, उसी के निदानी की वह शोत्र बनता है, और भाषा की उन्नति में महायत्न होता है। ठीक

यही हाल नीतिशास्त्र का भी है। मनुष्य इस ससार में जब से पैदा हुआ है, उसी दिन से वह स्वयं अपनी ही बुद्धि से अपने आचरण को देशकालानुसार शुद्ध रखने का प्रयत्न भी करता चला आया है, और समय समय पर जो प्रसिद्ध पुरुष या महात्मा हो गये हैं, उन्होने अपनी समझ के अनुसार आचारशुद्धि के लिये, 'चोदना' या प्रेरणारूपी अनेक नियम भी बना दिये हैं। नीतिशास्त्र की उत्पत्ति कुछ इस लिये नहीं हुई है, कि वह इन नियमों को तोड़ कर नये नियम बनाने लगे। हिंसा मत कर, सच बोल, परोपकार कर, इत्यादि नीति के नियम प्राचीन काल से ही चलते आये हैं। अब नीतिशास्त्र का सिर्फ यही देखने का काम है, कि नीति की यथोचित वृद्धि होने के लिये सब नीतिनियमों में मूलतत्त्व क्या है। यही कारण है, कि जब हम नीतिशास्त्र के किसी भी पन्थ को देखते हैं, तब हम वर्तमान प्रचलित नीति के प्रायः सब नियमों को सभी पन्थों में एक-से पाते हैं, उनमें जो कुछ भेद दिखलाई पड़ता है, वह, उपपत्ति के स्वरूपभेद के कारण है, और इसलिये डॉ पाल कारस का यह कथन सच मालूम होता है, कि इस भेद होने के मुख्य कारण यही हैं, कि हर एक पन्थ में पिण्ड-ब्रह्माण्ड की रचना के सम्बन्ध में भिन्न भिन्न मत हैं।

अब यह बात सिद्ध हो गई, कि मिल, स्पेन्सर, कान्ट आदि आधिभौतिक पन्थ के आधुनिक पाश्चात्य नीतिशास्त्रविषयक ग्रन्थकारों ने आत्मोपम्यदृष्टि के सुलभ तथा व्यापक तत्त्व को छोड़कर, 'सर्वभूतहित' या "अधिकांश लोगों का अधिक हित" जैसे आधिभौतिक और ब्राह्म तत्त्व पर ही नीतिमत्ता को स्थापित करने का जो प्रयत्न किया, वह इसी लिये किया है, कि पिण्ड-ब्रह्माण्डसम्बन्धी उनके मत प्राचीन मतों से भिन्न हैं। परन्तु जो लोग उक्त नूतन मतों को नहीं मानते, और जो इन प्रश्नों का स्पष्ट तथा गम्भीर विचार कर लेना चाहते हैं, कि, "मैं कौन हूँ? सृष्टि क्या है? मुझे इस सृष्टि का ज्ञान कैसे होता है? जो सृष्टि मुझसे बाहर है, वह स्वतन्त्र है या नहीं? यदि है, तो उसका मूलतत्त्व क्या है? इस तत्त्व से मेरा क्या सम्बन्ध है? एक मनुष्य दूसरे के सुख के लिये अपनी जान क्यों देवे?" "जो जन्म लेने से वे मरते भी हैं" इस नियम के अनुसार यदि यह बात निश्चित है, कि "जिम पृथ्वी पर हम रहते हैं, उसका और उसके साथ समस्त प्राणियों का तथा हमारा भी किसी दिन अवश्य नाश हो जायगा; तो नाशवान् भविष्य पीड़ियों के लिये हम अपने सुख का नाश क्यों करें?" - अथवा, जिन लोगों का केवल इस उत्तर से पूरा समाधान नहीं हो, कि "परोपकार आदि मनोवृत्तियाँ इस समय वरममय, अनित्य और दृश्यसृष्टि की नैसर्गिक प्रवृत्ति ही हैं," और जो यह जानना चाहते हैं, कि इस नैसर्गिक प्रवृत्ति का मूलकारण क्या है - उनके दिव्य अध्यात्मशास्त्र के नित्य तत्त्वज्ञान का सहारा लेने के लिये और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। और, इसी कारण से ग्रीन ने अपने नीतिशास्त्र के ग्रन्थ का आरम्भ इसी तन्त्र के प्रतिपादन से किया है, कि जिस आत्मा को जटमुष्टि या ज्ञान होना है, वह

आत्मा जडसृष्टि में अवश्य ही भिन्न होगा; और कान्ट ने पहले व्यवसायात्मक बुद्धि का विवेचन करके फिर वासनात्मक बुद्धि की तथा नीतिशास्त्र की मीमांसा की है। “मनुष्य अपने सुख के लिये या अधिकांश लोगों को सुख देने के लिये पैदा हुआ है” — यह कथन ऊपर से चाहे कितना ही मोहक तथा उत्तम दिखे, परन्तु वस्तुतः यह सच नहीं है। यदि हम क्षणभर इस बात का विचार करें, कि जो महात्मा केवल सत्य के लिये प्राणदान करने को तैयार रहते हैं, उनके मन में क्या यही हेतु रहता है, कि भविष्य पीढ़ी के लोगों को अधिकाधिक विषयसुख हों, तो यही कहना पड़ता है, कि अपने तथा अन्य लोगों के अनित्य आधिभौतिक सुखों की अपेक्षा इस ससार में मनुष्य का और भी कुछ दूसरा अधिक महत्त्व का परमसाध्य या उद्देश्य अवश्य है। यह उद्देश्य क्या है? जिन्होंने ने पिण्ड-ब्रह्माण्ड के नामरूपात्मक, (अतएव) नाशवान्, (परन्तु) दृश्यस्वरूप से आच्छादित आत्मस्वतपी नित्यतत्त्व को अपनी आत्मप्रतीति के द्वारा जान लिया है, वे लोग उक्त प्रश्न का यह उत्तर देते हैं, कि अपने आत्मा के अमर, श्रेष्ठ, शुद्ध, नित्य तथा सर्वव्यापी स्वरूप की पहचान करके उन्हीं में रत रहना ज्ञानवान् मनुष्य का इस ज्ञानवान् संसार में पहला कर्तव्य है। जिसे सर्वभूतान्तर्गत आत्मैक्य की इस तरह में पहचान हो जाती है, तथा यह ज्ञान जिमकी देह तथा इन्द्रियों में समा जाता है, वह पुरुष इस बात के मोच में पडा नहीं रहता, कि यह ससार झूठ है या सच। किन्तु वह सर्वभूतहित के लिये उद्योग करने में आप-ही आप प्रवृत्त हो जाता है; और मृत्यु मार्ग का अप्रेसर बन जाता है। क्योंकि उसे यह पूरी तौर में मालूम रहता है, कि अविनाशी तथा त्रिकाल-अबाधित मृत्यु कौन-सा है। मनुष्य की यही आध्यात्मिक पूर्णावस्था सब नीति-नियमों का मूल उगमस्थान है, और इसे ही वेदान्त में ‘मोक्ष’ कहते हैं। किमी भी नीति को लीजिये; वह इस अन्तिम साध्य से अलग नहीं हो सकती। इसलिये नीतिशास्त्र का या कर्मयोगशास्त्र का विवेचन करते समय आधिर इसी तत्त्व की धारण में जाना पडता है। सर्वात्मैकरूप अव्यक्त मूलतत्त्व का ही एक व्यक्तस्वरूप सर्वभूतहितेच्छा है, और मगुण परमेश्वर तथा दृश्यमृष्टि दोनों उस आत्मा के ही व्यक्त स्वरूप हैं, जो सर्वभूतान्तर्गत, सर्वव्यापी और अव्यक्त है। इस व्यक्त स्वरूप के आगे गये बिना अर्थान् अव्यक्त आत्मा का ज्ञान प्राप्त किये बिना, ज्ञान की पूर्ति तो होनी ही नहीं, किन्तु इस ससार में हर एक मनुष्य का जो यह परम कर्तव्य है, कि शरीरस्थ आत्मा को पूर्णावस्था में पहुँचा दे, वह भी इस ज्ञान के बिना मिद्ध नहीं हो सकता। चाहे नीति को लीजिये, व्यवहार को लीजिये, धर्म को लीजिये अथवा किमी भी दूसरे शान्त्र को लीजिये, अध्यात्मज्ञान ही सब की अन्तिम गति है — जैसे कहा है: “सर्वे यर्माधिन् पापं ज्ञाने परिममाप्यते।” हमारा भक्तिमार्ग भी इसी तत्त्वज्ञान का अनुसरण करता है। इसलिये हममें भी यही सिद्धान्त स्थिर रहता है, कि ज्ञान-मृष्टि में निष्पन्न होनेवाला नाम्यबुद्धिरूपी तत्त्व ही मोक्ष का तथा सदाचरण का

मूलस्थान है। वेदान्तशास्त्र से सिद्ध होनेवाले इस तत्त्व पर एक ही महत्त्वपूर्ण आक्षेप किया जा सकता है। वह यह है, कि कुछ वेदान्ती ज्ञानप्राप्ति के अनन्तर सब कर्मों का ससार कर देना उचित मानते हैं, इसीलिये यह दिखला कर — कि ज्ञान और कर्म में विरोध नहीं है — गीता में कर्मयोग के इस सिद्धान्त का विस्तारसहित वर्णन किया गया है, कि वासना का क्षय होने पर भी ज्ञानी पुरुष अपने सब कर्मों को परमेश्वर-समर्पणपूर्वक बुद्धि से लोगसंग्रह के लिये केवल कर्तव्य समझ कर ही करता चला जावे। अर्जुन को युद्ध में प्रवृत्त करने के लिये उपदेश अवश्य दिया गया है, कि तू परमेश्वर को सब कर्म समर्पण करके युद्ध कर; परन्तु यह उपदेश केवल तत्कालीन प्रसङ्ग को देख कर ही किया है (गीता ८. ७)। उक्त उपदेश का भावार्थ यही मालूम होता है, कि, अर्जुन के समान ही किसान, सुनार, लोहार, बढई, बनिया, ब्राह्मण, व्यापारी, लेखक उद्यमी इत्यादि सभी लोग अपने अपने अधिकारानुरूप व्यवहारो को परमेश्वरसमर्पणबुद्धि से करते हुए संसार का धारणपोषण करते रहे। जिसे जो रोजगार निसर्गत. प्राप्त हुआ है, उसे यदि वह निष्कामबुद्धि से करता रहे, तो उस कर्ता को कुछ भी पाप नहीं लगेगा। सब कर्म एक ही से हैं। दोष केवल कर्ता की बुद्धि में है, न कि उसके कर्मों में। अतएव बुद्धि को सम कर के यदि सब कर्म किये जायें, तो परमेश्वर की उपासना हो जाती है, पाप नहीं लगता; और अन्त में सिद्धि भी मिल जाती है। परन्तु जिन (विशेषतः अर्वाचीन काल के) लोगो का यह दृढ-सङ्कल्प-सा हो गया है, कि चाहे कुछ भी हो जाय, इस नाशवान् दृश्यसृष्टि के आगे बढ कर आत्म-अनात्म-विचार के गहरे पानी में पैठना ठीक नहीं है; वे अपने नीतिशास्त्र का विवेचन, ब्रह्मात्मैक्यरूप परमसाध्य की उच्च श्रेणी को छोड़ कर, मानवजाति का कल्याण या सर्वभूतहित जैसे निम्न कोटि के आधिभौतिक दृश्य (परन्तु अनित्य) तत्त्व से ही शुरु किया करते हैं। स्मरण रहे, कि किसी पेड़ की चोटी को तोड़ देने से वह नया पेड़ नहीं कहलाता; उसी तरह आधिभौतिक पण्डितों का निर्माण किया हुआ नीतिशास्त्र भोडा या अपूर्ण भले ही हो; परन्तु वह नया नहीं हो सकता। ब्रह्मात्मैक्य को न मानकर प्रत्येक पुरुष को स्वतन्त्र माननेवाले हमारे यहाँ के साध्यशास्त्रज्ञ पण्डितों ने भी, यही देख कर — कि दृश्यजगत् का धारणपोषण और विनाश किन गुणों के द्वारा होता है — सत्त्व-रज-तम-तीनों गुणों के लक्षण निश्चित किये हैं; और फिर प्रतिपादन किया, कि इनमें से सात्त्विक सद्गुणों का परम उत्कर्ष करना ही मनुष्य का कर्तव्य है। तथा मनुष्य को इसी से अन्त में त्रिगुणातीत अवस्था मिल कर मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवद्गीता के सबहवे अध्याय में थोड़े भेद के साथ इसी अर्थ का वर्णन है।* सच देखा जाय, तो क्या सात्त्विक

* बाबू किशोरीलाल सरकार, एम्. ए., बी. एल्. ने The Hindu System of Moral Science नामक जो एक छोटा-सा ग्रन्थ लिखा है, वह इसी दंग का है; अर्थात् उसमें सत्त्व, रज और तम तीनों गुणों के आधार पर विवेचन किया गया है।

सद्गुणों का परम उत्कर्ष, और (आधिभौतिकवाद के अनुसार) क्या परोपकारवृद्धि की तथा मनुष्यत्व की वृद्धि, दोनों का अर्थ एक ही है। महाभारत और गीता में इन सब अधिभौतिक तत्त्वों का स्पष्ट उल्लेख तो है ही; बल्कि महाभारत में यह भी साफ़ साफ़ कहा गया है, कि धर्म-अधर्म के नियमों को लौकिक या बाह्य उपयोग का विचार करने पर यही जान पड़ता है, कि ये नीतिधर्म मर्वमूतहितार्थ अर्थात् लोक-कल्याणार्थ ही हैं। परन्तु पश्चिमी आधिभौतिक पण्डितों का किसी अव्यक्त तत्त्व पर विश्वास नहीं है। इसलिए यद्यपि वे जानते हैं, कि तात्त्विक दृष्टि से कार्य-अकार्य का निर्णय करने के लिये आधिभौतिक तत्त्व पूरा काम नहीं देते; तो भी वे निरर्थक शब्दों का अवडम्बर बढ़ाकर व्यक्त तत्त्व से ही अपना निर्वाह किसी तरह कर लिया करते हैं। गीता में ऐसा नहीं किया गया है। किन्तु इन तत्त्वों की परम्परा को पिण्ड-ब्रह्माण्ड के मूल अव्यक्त तथा नित्यतत्त्व को ले जाकर मोक्ष, नीतिधर्म और व्यवहार (इन तीनों) की भी पूरी एकवाक्यता तत्त्वज्ञान के आधार से गीता में भगवान् ने सिद्ध कर दिखाई है। और इसलिये अनुगीता के आरम्भ में स्पष्ट कहा गया है, कि कार्य-कार्य निर्णयार्थ जो धर्म बतलाया गया है, वही मोक्षप्राप्ति करा देने के लिये भी समर्थ है (म. भा. अश्व. १६. १२)। जिनका यह मत होगा, कि मोक्षधर्म और नीतिशास्त्र को अथवा अध्यात्मशास्त्र और नीति को एक में मिला देने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें उक्त उपपादन का महत्त्व ही मालूम नहीं हो सकता। परन्तु जो लोग इसके सम्यग्ध में उदासीन नहीं हैं, उन्हें निस्सन्देह यह मालूम हो जायगा, कि गीता में किया गया कर्मयोग का प्रतिपादन आधिभौतिक विवेचन की अपेक्षा श्रेष्ठ तथा ग्राह्य है। अध्यात्मज्ञान की वृद्धि प्राचीन काल में हिन्दुस्थान में जैनी हो चुकी है, वैसी और कही भी नहीं हुई, इसलिये पहले पहल किसी अन्य देश में, कर्मयोग के ऐसे आध्यात्मिक उपपादन का पाया जाना विच्यकुल सम्भव नहीं— और, यह विदित ही है, कि ऐसा उपपादन कहीं पाया भी नहीं जाता।

यह स्वीकार होने पर भी—कि इस मसार के अशाश्वत होने के कारण इस में मुग्ध की अपेक्षा दुःख ही अधिक है (गीता १. ३३)—गीता में जो यह मिद्वान्त स्थापित किया गया है, कि 'कर्म ज्यायां ह्यकर्मणः'—अर्थात्, सामारिक कर्मों का कर्मों न कर्मों मग्याम करने की अपेक्षा उन्हीं कर्मों को निष्कामवृद्धि में लोककल्याण के लिये करने रहना अधिक श्रेयस्कर है (गीता ३. ८; ५. २)—उसके माधक तथा बाधक कारणों का विचार ग्याहरवे प्रकरण में किया जा चुका है। परन्तु गीता में वहाँ गये इस कर्मयोग की पश्चिमी कर्ममार्ग में अथवा पूर्वी मग्याममार्ग की पश्चिमी कर्म-त्याग-पश में, तुलना करने समय उक्त मिद्वान्त का कुछ अधिक स्पष्टीकरण करना आवश्यक मालूम होता है। यह मत वैदिक धर्म में पहले पहल उपनिषत्कारों तथा गांध्यवादियों द्वारा प्रचलित किया गया है, कि दुःखमय तथा निम्मार मसार में धिना निवृत्त हुए मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसके पूर्व के वैदिकधर्म के छोड़ अन्य

धर्मों का विचार किया जाय, तो यह मालूम होगा, कि उनमें से बहुतो ने आरम्भ से ही सन्यासमार्ग को स्वीकार कर लिया था। उदाहरणार्थ, जैन और बौद्ध धर्मों पहले ही से निवृत्तिप्रधान हैं; और ईसा मसीह का भी वैसे ही उपदेश है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को यही अन्तिम उपदेश दिया है, कि "ससार का त्याग करके यतिधर्म से रहना चाहिये। स्त्रियों की ओर देखना नहीं चाहिये, और उनसे बातचीत भी नहीं करना चाहिये" (महापरिनिव्वाण सुत्त. ५ २३), ठीक इसी तरह मूल ईसाई धर्म का भी कथन है। ईसा ने यह कहा है सही, कि "तू अपने पड़ोसी पर अपने ही समान प्यार कर" (मेथ्यू १९ १९); और, पाल का भी कथन है, कि "तू जो कुछ खाता, पीता या करता है, वह वस ईश्वर के लिये कर" (१ कारिं १० ३१); और ये दोनों उपदेश ठीक उसी तरह के हैं, जैसा कि गीता में आत्मोपम्यबुद्धि से ईश्वरार्पणपूर्वक कर्म करने को कहा गया है (गीता ६ २९ और ९ २७)। परन्तु केवल इतने ही से यह सिद्ध नहीं होता, कि ईसाई धर्म गीताधर्म के समान प्रवृत्ति-प्रधान है। क्योंकि ईसाई धर्म में भी अन्तिम साध्य यही है, कि मनुष्य को अमृतत्व मिले तथा वह मुक्त हो जावे। और उसमें यह भी प्रतिपादन किया गया है, कि यह स्थिति घरदार त्यागे बिना प्राप्त नहीं हो सकती। अतएव ईसा मसीह के मूलधर्म को सन्यासप्रधान ही कहना चाहिये। स्वयं ईसा मसीह अन्त तक अविवाहित रहे। एक समय एक आदमी ने उनसे प्रश्न किया, कि "माँ बाप तथा पड़ोसियों पर प्यार करने से धर्म का मैं अब तक पालन करता चला आया हूँ। अब मुझे यह बतलाओ, कि अमृतत्व मिलने में क्या कसर है?" तब तो ईसा ने साफ उत्तर दिया है, कि "तू अपने घरदार को बेच दे या किसी गरीब को दे डाल, और मेरा भक्त बन" (मेथ्यू १९ १६-३० और मार्क १० २१-३१), और वे तुरन्त अपने शिष्यों की ओर देख उनसे कहने लगे, कि "सुई के छेद से ऊँट भले ही जाय, परन्तु ईश्वर के राज्य में किसी धनवान् का प्रवेश होना कठिन है।" यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं दीख पड़ती, कि यह उपदेश याज्ञवल्क्य के इस उपदेश की नकल है कि जो उन्होंने मैत्रेयी को किया था। वह उपदेश यह है— "अमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन" (वृ २.४ २) अर्थात् द्रव्य से अमृतत्व मिलने की आशा नहीं है। गीता में कहा गया है, कि अमृतत्व प्राप्त करने के लिये सासारिक कर्मों को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उन्हें निष्कामबुद्धि से करते ही रहना चाहिये, परन्तु ऐसा उपदेश ईसा ने कभी भी नहीं किया है। इसके विपरीत उन्होंने यही कहा है, कि सासारिक सम्पत्ति और परमेश्वर के बीच चिरस्थायी विरोध है (मेथ्यू ६ २४), इसलिये "माँ-बाप, घर-द्वार, स्त्री-बच्चे और भाई-बहिन एव स्वयं अपने जीवन का भी द्वेष कर के जो मनुष्य मेरे साथ नहीं रहता, वह मेरा भक्त कभी हो नहीं सकता" (ल्यूक १४ २६-३३)। ईसा के शिष्य पाल का भी स्पष्ट उपदेश है, कि "स्त्रियों को स्पर्श तक भी न करना सर्वोत्तम पक्ष है" (१ कारिं. ७ १) इसी प्रकार हम

पहले ही कह भाये हैं, कि ईसा के मुंह से निकले हुए — “हमारी जन्मदात्री* माता, हमारी कौन होती है? हमारे आसपास के ईश्वरभक्त ही हमारे माँ-बाप और बन्धु हैं” (मेथ्यू. १२. ४६-५०) — इस वाक्य में, और “कि प्रजया करिव्यामो येषा नोऽयमात्माऽयं लोकः” इस बृहदारण्यकोपनिषद् के संन्यासविषयक वचन में (वृ. ४.४.२२) बहुत कुछ समानता है। स्वयं वाइबल के ही इन वाक्यों से यह सिद्ध होता है, कि जैन और बौद्ध धर्मों के सदृश ईसाई धर्म भी आरम्भ में संन्यासप्रधान अर्थात् ससार को त्याग देने का उपदेश देनेवाला है, और ईसाई धर्म के इतिहास को देखने से भी यही मालूम होता है,† कि इसा के इस उपदेशानुसार ही पहले ईसाई धर्मोपदेशक वीराग्य से रहा करते थे — “इसा के भक्तों को द्रव्यसञ्चय न करके रहना चाहिये” (मेथ्यू. १०. ९-१५)। ईसाई धर्मोपदेशकों में तथा ईसा के भक्तों में गृहस्थधर्म से ससार में रहने की जो रीति पाई जाती है, वह बहुत दिनों के बाद होनेवाले सुधारों का फल है — वह मूल ईसाई धर्म का स्वरूप नहीं है। वर्तमान समय में भी शोपेनहर सरीखे विद्वान् यही प्रतिपादित करते हैं, कि संसार दुःखमय होने के कारण त्याज्य है, और पहले यह बतलाया जा चुका है, कि ग्रीस देश में प्राचीन काल में यह प्रश्न उपस्थित हुआ था, कि तत्त्वविचार में ही अपने जीवन को व्यतीत कर देना श्रेष्ठ है, या लोकहित के लिये राजकीय मामलों में प्रयत्न करते रहना श्रेष्ठ है। साराश यह है, कि पश्चिमी लोगों का यह कर्मत्याग-पक्ष और हम लोगों का संन्यासमार्ग कई अंशों में एक ही है; और इन मार्गों का समर्थन करने की पूर्वी और पश्चिमी पद्धति भी एक ही सी है। परन्तु आधुनिक पश्चिमी पण्डित कर्मत्याग की अपेक्षा कर्मयोग की श्रेष्ठता के जो कारण बतलाते हैं, वे गीता में दिये गये प्रवृत्ति-मार्ग के प्रतिपादन से भिन्न हैं। इस लिये अब इन दोनों के भेद को भी यहाँ पर अवश्य बतलाना चाहिये। पश्चिमी आधिभौतिक कर्मयोगियों का कहना है, कि

* यह तो संन्यासमार्गियों का हमेशा ही का उपदेश है। शंकराचार्य का “का ते कान्ता करते पुनः” यह श्लोक प्रसिद्ध ही है; और, अश्वघोष के ‘बुद्धचरित’ (६. ४५) में यह वर्णन पाया है, कि बुद्ध के मुख से ‘क्वाहिं मातुः क्व सा मम’ ऐसा उद्गार निकला था।

† See Paulsen's *System of Ethics*, (Eng. trans.) Book I. Chap. 2 and 3; esp. pp. 89-97. “The new (Christian) converts seemed to renounce their family and country ... their gloomy and austere aspect, their abhorrence of the common business and pleasures of life, and their frequent predictions of impending calamities inspired the pagans with the apprehension of some danger which would arise from the new sect.” *Historians' History of the World*, Vol. VI, p. 318. जर्मन कवि गटे ने अपने Faust (फॉस्ट) नामक कान्ता में यह किरा है — “Thou shalt renounce! That is the eternal song which rings in everyone's ears; which, our whole life-long every hour is hoarsely singing to us.” (Faust, Part I, II. 1195-1198), मन्त्र ईसाई धर्म के संन्यासप्रधान होने के विषय में कितने ही अन्य आधार और प्रमाण दिये जा सकते हैं।

संसार के मनुष्यों का अथवा अधिकांश लोगों का अधिक सुख - अर्थात् ऐहिक सुख - ही इस जगत् में परमसाध्य है। अतएव सब लोगो के सुख के लिये प्रयत्न करते हुए उसी सुख में स्वयं मग्न हो जाना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। और इसकी पुष्टि के लिये उनमें से अधिकांश पण्डित यह प्रतिपादन भी करते हैं, कि संसार में दुःख की अपेक्षा सुख ही अधिक है। इस दृष्टि से देखने पर यही कहना पड़ता है, कि पश्चिमी कर्ममार्गीय लोग "सुखप्राप्ति की आशा से सासारिक कर्म करने-वाले" होते हैं; और पश्चिमी कर्मत्यागमार्गीय लोग "संसार से उबे हुए" होते हैं; तथा कदाचित् इसी कारण से उनको क्रमानुसार 'आशावादी' और 'निराशावादी' कहते हैं। * परन्तु भगवद्गीता में जिन निष्ठाओं का वर्णन है, वे इनसे भिन्न हैं। चाहे स्वयं अपने लिये हो या परोपकार के लिये हो, कुछ भी हो; परन्तु जो मनुष्य ऐहिक विषयसुख पाने की लालसा से संसार के कर्मों में प्रवृत्त होता है, उसकी साम्यबुद्धिरूप सात्त्विक वृत्ति में कुछ-न-कुछ बढ़ा अवश्य लग जाता है। इसलिये गीता का यह उपदेश है, कि संसार दुःखमय हो या सुखमय, सासारिक कर्म जब छूटते ही नहीं, तब उनके सुखदुःख का विचार करते रहने से कुछ लाभ नहीं होगा। चाहे सुख हो या दुःख। परन्तु मनुष्य का यही कर्तव्य है, कि वह इस बात में अपना महद्भाग्य समझे, कि उसे नरदेह प्राप्त हुई है; और कर्मसृष्टि के इस अपरिहार्य व्यवहार में जो कुछ प्रसंगानुसार प्राप्त हो, उसे अपने अन्तःकरण को निराश न करके इस न्याय अर्थात् साम्यबुद्धि से सहता रहे, कि "दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः" (गीता २. ५६)। एव अपने अधिकारानुसार जो कुछ कर्म शास्त्रतः अपने हिस्से में आ पड़े, उसे जीवनपर्यन्त (किसी के लिये नहीं; किन्तु संसार के धारणपोषण के लिये) निष्कामबुद्धि से करता रहे। गीता-काल में चातुर्वर्ण्यव्यवस्था जारी थी। इसीलिये बतलाया गया है, कि ये सामाजिक कर्म चातुर्वर्ण्य के विभाग के अनुसार हरएक के हिस्से में आ पड़ते हैं और अठारहवें अध्याय में यह भी बतलाया गया है, कि ये भेद गुणकर्मविभाग से निष्पन्न होते हैं (गीता १८. ४१-४४)। परन्तु इससे किसी को यह न समझ लेना चाहिये, कि गीता के नीतितत्व चातुर्वर्ण्यरूपी समाजव्यवस्था पर ही अवलम्बित है। यह बात महा-भारतकार के भी ध्यान में पूर्णतया आ चुकी थी, कि अहिंसादि नीतिधर्मों की व्याप्ति केवल चातुर्वर्ण्य के लिये ही नहीं है, बल्कि ये धर्म मनुष्यमात्र के लिये एक समान हैं।

* जेम्स सल्लि (James Sulli) ने अपने Pessimism नामक ग्रन्थ में Optimist और Pessimist नामक दो पन्नों का वर्णन किया है। इनमें से Optimist का अर्थ 'उत्साही, आनन्दित' और Pessimist का अर्थ 'संसार से त्रस्त' होता है; और पहले एक टिप्पणी में बतला दिया गया है, कि ये शब्द गीता के 'योग' और 'साख्य' के समानार्थक नहीं हैं (देखो पृष्ठ ३०६)। 'दुःखनिवारणेच्छु' नामक जो एक तीसरा पन्थ है और जिसका वर्णन आगे किया गया है, उसका सल्लि ने Meliorism नाम रखा है।

इसीलिये महाभारत में ये स्पष्ट रीति से कहा गया है, कि चातुर्वर्ण्य के बाहर जिन अनार्य लोगो में ये धर्म प्रचलित है, उन लोगो की भी रक्षा राजा को इन सामान्य कर्मों के अनुसार ही करनी चाहिये (शा. ६५. १२-२२) । अर्थात् गीता में बही गई नीति की उपपत्ति चातुर्वर्ण्यमरीखी किमी एक विशिष्ट समाजव्यवस्था पर अवलम्बित नहीं है; किन्तु सर्वसामान्य आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पर ही उमका प्रतिपादन किया गया है । गीता के नीतिधर्म का मुख्य तात्पर्य यही है, कि जो कुछ कर्तव्यकर्म शास्त्रतः प्राप्त हो, उसे निष्काम और आत्मोपम्यबुद्धि से करना चाहिये; और सब देशो के लोगो के लिये यह एक ही समान उपयोगी है । परन्तु, यद्यपि आत्मोपम्यदृष्टि का और निष्कामकर्मचरण का यह सामान्य नीतितत्त्व जिन कर्मों को उपयोगी होता है, वे कर्म इस समाज में प्रत्येक व्यक्ति को कैसे प्राप्त होते हैं । इस बातलाने के लिये ही, उस समय में उपयुक्त होनेवाले महज उदाहरण के नाते से गीता में चातुर्वर्ण्य का उल्लेख किया गया है; और, साथ साथ गुणकर्मविभाग के अनुसार समाजव्यवस्था की संक्षेप में उपपत्ति भी बतलाई है । परन्तु इस बात पर भी ध्यान देना चाहिये, कि वह चातुर्वर्ण्यव्यवस्था ही कुछ गीता का मुख्य भाग नहीं है । गीता-शास्त्र का व्यापक सिद्धान्त यही है, कि यदि कहीं चातुर्वर्ण्यव्यवस्था प्रचलित न हो अथवा वह किसी गिरी दशा में हो; तो वहाँ भी तत्कालीन प्रचलित समाजव्यवस्था के अनुसार समाज के धारणपोषण के जो काम अपने हिस्से में आ पड़ें, उन्हें लोकमग्रह के लिये धैर्य और उत्साह से तथा निष्कामबुद्धि से कर्तव्य समझकर करते रहना चाहिये । क्योंकि मनुष्य का जन्म उसी काम के लिये हुआ है; न कि केवल सुखोपभोग के लिये । कुछ लोग गीता के नीतिधर्म को केवल चातुर्वर्ण्यमूलक समझते हैं; लेकिन उनकी यह समझ ठीक नहीं है । चाहे समाज हिन्दुओं का हो या म्लेच्छों का, चाहे वह प्राचीन हो या अर्वाचीन, चाहे वह पूर्वी हो या पश्चिमी । इसमें सन्देह नहीं, कि यदि उस समाज में चातुर्वर्ण्यव्यवस्था प्रचलित हो, तो उस व्यवस्था के अनुसार, या दूसरी समाजव्यवस्था जारी हो, तो उस व्यवस्था के अनुसार जो काम अपने हिस्से में आ पड़े अथवा जिसे हम अपनी रुचि के अनुसार कर्तव्य समझकर एक बार स्वीकृत कर ले, वही अपना स्वधर्म हो जाता है । और गीता कहती है, कि किसी भी कारण से इस धर्म को ऐन मौके पर छोड़ देना और दूसरे कामों में लग जाना, धर्म की तथा सर्वभूतहित की दृष्टि से निन्दनीय है । यही तात्पर्य " स्वधर्मं निघ्न श्रेयः परधर्मो भयावह " (गीता ३. ३५) इस गीतावाचन का है—अर्थात् स्वधर्मपातन में यदि मृत्यु हो जाय, तो वह भी श्रेयस्वर है; परन्तु दूसरो का धर्म भयावह होता है । इसी न्याय के अनुसार माधवराज पेंगवा को (जिन्होंने ब्राह्मण होकर भी तत्कालीन देवकान्यानुष्ण धात्रधर्म का स्वीकार किया था) गमनास्त्री ने यह उपदेश किया था, कि " स्नानगच्छा और पूजापाठ में सारा समय व्यतीत न कर धात्रधर्म के अनुसार प्रजा की रक्षा करने में अपना सब समय लगा देने से ही तुम्हारा उभय लोभ में

कल्याण होगा। "यह बात महाराष्ट्र-इतिहास में प्रसिद्ध है। गीता का मुख्य उपदेश यह बतलाने का नहीं है, कि समाजधारणाके लिये कैसी व्यवस्था होनी चाहिये। गीताशास्त्र का तात्पर्य यही है, कि समाजव्यवस्था चाहे कैसी भी हो; उसमें जो यथाधिकार कर्म तुम्हारे हिस्से में पड जायें, उन्हें उत्साहपूर्वक करके सर्वभूतहितरूपी आत्मश्रेय की सिद्धि करो। इस तरह से कर्तव्य मानकर गीता में वर्णित स्थितप्रज्ञ पुरुष जो कर्म किया करते हैं, वे स्वभाव से ही लोककल्याणकारक हुआ करते हैं। गीताप्रतिपादित इस कर्मयोग में और पाश्चात्य आधिभौतिक कर्ममार्ग में यह एक बड़ा भारी भेद है, कि गीता में वर्णित स्थितप्रज्ञों के मन में यह अभिमानबुद्धि रहती ही नहीं, कि मैं लोककल्याण अपने कर्मों के द्वारा करता हूँ; बल्कि उनके देहस्वभाव ही में साम्यबुद्धि आ जाती है; और इसी से वे लोग अपने समय की समाजव्यवस्था के अनुसार केवल कर्तव्य समझ कर जो जो कर्म किया करते हैं, वे सब स्वभावतः लोककल्याणकारक हुआ करते हैं; और आधुनिक पाश्चात्य नीतिशास्त्रकार ससार को सुखमय मानकर कहा करते हैं, कि इस ससार में सुख की प्राप्ति के लिये सब लोगो को लोककल्याण का कार्य करना चाहिये।

कुछ पाश्चात्य आधुनिक कर्मयोगी ससार को सुखमय नहीं मानते। शोपेनहर के समान संसार को दुःखप्रधान माननेवाले पण्डित भी वहाँ हैं, जो यह प्रतिपादन करते हैं, कि यथाशक्ति लोगों के दुःख का निवारण करना ज्ञानी पुरुषो का कर्तव्य है। इसलिये ससार को न छोडते हुए उनको ऐसा प्रयत्न करते रहना चाहिये, जिससे लोगो का दुःख कम होता जावे। अब तो पश्चिमी देशो में दुःखनिवारणेंचु कर्मयोगियो का एक अलग पन्थ ही हो गया है। इस पन्थ का गीता के कर्मयोगमार्ग से बहुतकुछ साम्य है। जिस स्थान पर महाभारत में कहा गया है, कि "सुखाद्बहुतरं दुःख जीविते नात्र सशयः" — अर्थात् संसार में सुख की अपेक्षा दुःख ही अधिक है, वही पर मनु ने बृहस्पति से तथा नारद ने शुक से कहा है :-

न जानपदिकं दुःखमेकः शोचितुमर्हति ।

अशोचन्प्रतिकुर्वीत यदि पश्येदुपक्रमम् ॥

"जो दुःख सार्वजनिक है, उसके लिये शोक करते रहना उचित नहीं। उसका रोना न रोकर उसके प्रतिकारार्थ (ज्ञानी पुरुषो को) कुछ उपाय करना चाहिये" (शा २०५. ५ और ३३०. १५)। इससे प्रगट होता है, कि यह तत्त्व महाभारतकार को भी मान्य है, कि ससार के दुःखमय होने पर भी, उसमें सब लोगो को होनेवाले दुःख को कम करने का उद्योग चतुर पुरुष करते हैं। परन्तु यह कुछ हमारा मिद्वान्त-पक्ष नहीं है। सासारिक सुखो की अपेक्षा आत्मबुद्धिप्रसाद से होनेवाले सुख को अधिक महत्त्व देकर, इस आत्मबुद्धिप्रसादरूपी सुख का पूरा अनुभव करते हुए केवल कर्तव्य समझकर ही (अर्थात् ऐसी राजस अभिमानबुद्धि मन में न रखकर, कि मैं लोगो का दुःख कम करूँगा) सब व्यावहारिक कर्मों को करने का उपदेश देनेवाले गीता के कर्मयोग की

वरावरी करने के लिये, दुःखनिवारणच्छु पश्चिमी कर्मयोग में भी अभी बहुतकुछ सुधार होना चाहिये। प्रायः सभी पाश्चिमात्य पण्डितों के मन में यह बात समाई रहती है, कि स्वयं अपना या सब लोगों का सासारिक सुख ही मनुष्य का इस ससार में परमसाध्य है—चाहे वह सुख के माधनों को अधिक करने से मिले या दुःखों को कम करने में। इसी कारण से उनके शास्त्रों में गीता के निष्कामकर्मयोग का यह उपदेश कहीं भी नहीं पाया जाता, कि यद्यपि संसार दुःखमय है, तथापि उसे अपरिहार्य समझकर केवल लोकसंग्रह के लिये ही संसार में कर्म करते रहना चाहिये। दोनों कर्ममार्गों हैं तो नहीं; परन्तु शुद्ध नीति की दृष्टि से देखने पर उनमें यही भेद मालूम होता है, कि पाश्चात्य कर्मयोगी सुखच्छु या दुःखनिवारणच्छु होते हैं—कुछ भी कहा जाय परन्तु वे 'इच्छुक' अर्थात् 'मकाम' अवश्य ही हैं; और गीता के कर्मयोगी हमेशा फलाशा वा त्याग करनेवाले अर्थात् निष्काम होते हैं। इसी बात को यदि दूसरे शब्दों में व्यक्त करें, तो यह कहा जा सकता है, कि गीता का कर्मयोग सात्त्विक है; और पाश्चात्य कर्मयोग राजस है (देखो गीता १८. २३, २४)।

केवल कर्तव्य समझ कर परमेश्वरार्पणबुद्धि में सब कर्मों को करते रहने का और उसके द्वारा परमेश्वर के यजन या उपामना को मृत्युपर्यन्त जारी रखने का जो यह गीताप्रतिपादित ज्ञानयुक्त प्रवृत्तिमार्ग या कर्मयोग है, उसे 'भागवतधर्म' कहते हैं। "स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः समिद्धिं लभन्ते नरः" (गीता १८. ४५) — यही इस मार्ग का रहस्य है। महाभारत के वनपर्व में ब्राह्मण-व्याघ्र-कथा (वन. २०८) में और शान्तिपर्व में तुलाधार-जाजली-संवाद (शा. २६१) में इसी धर्म का निरूपण किया गया है; और मनुस्मृति (६. ९६, ९७) में भी यतिधर्म का निरूपण करने के अनन्तर इसी मार्ग को वेदसंन्यामियों का कर्मयोग कह कर विहित तथा मोक्षदायक बताया है। 'वेदसंन्यामिक' पद से और वेद की महिताओं तथा ब्राह्मणग्रन्थों में जो वर्णन है, उनमें यही सिद्ध होता है, कि यह मार्ग हमारे देश में अनादिवाल् से चला आ रहा है। यदि ऐसा न होना, तो यह देश इतना वैभवशाली कभी हुआ नहीं होता। क्योंकि यह बात प्रगट ही है, कि किसी भी देश के वैभवपूर्ण होने के लिये वही के कर्ता या वीर पुरुष कर्ममार्ग के ही अगुआ हुआ करते हैं। हमारे कर्मयोग का मुख्य तत्त्व यही है, कि कोई कर्ता या वीर पुरुष भले ही हों; परन्तु उन्हें भी ब्रह्मज्ञान को न छोड़ उसके साथ-ही साथ कर्तव्य को स्थिर रखना चाहिये। और यह पहले ही बतलाया जा चुका है, कि इसी बीजरूप तत्त्व का व्यवस्थित विवेचन करते श्रीभगवान् ने इस मार्ग का अधिक दृष्टीकरण और प्रसार किया था। इमन्दिमे इस प्राचीन मार्ग का ही आगे चल कर 'भागवतधर्म' नाम पड़ा होगा। विपरीत पक्ष में उपनिषदों में तो यही व्यक्त होता है, कि कभी-न-कभी कुछ ज्ञानी पुरुषों के मन का झुकाव पहले ही में स्वभावतः सन्यासमार्ग की ओर रहा करता था; अथवा कम-से-कम इतना अवश्य होता था, कि पहले गृहस्थाश्रम में रहे कर अन्त

में संन्यास लेने की बुद्धि मन में जागृत हुआ करती थी — फिर चाहे वे लोग सचमुच संन्यास लें या न लें। इस लिये यह भी नहीं कहा जा सकता, कि संन्यासमार्ग नया है। परन्तु स्वभाववैचित्र्यादि कारणों से ये दोनों मार्ग यद्यपि हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही प्रचलित हैं, तथापि इस बात की सत्यता में कोई शङ्का नहीं, कि वैदिक काल में मीमांसकों के कर्ममार्ग की ही लोगो में विशेष प्रबलता थी; और कौरव-पाण्डवों के समय में तो कर्मयोग ने संन्यासमार्ग को पीछे हटा दिया था। कारण यह है, कि हमारे कर्मशास्त्रकारों ने साफ़ कह दिया है, कि कौरव-पाण्डवों के काल के अनन्तर अर्थात् कलियुग में संन्यासधर्म निषिद्ध है। और जब कि धर्मशास्त्र 'आचारप्रभवो धर्मः' (म. भा. अनु. १४९, १३७; मनु. १. १०८) इस वचन के अनुसार प्रायः आचार ही का अनुवाद हुआ करता है; तब सहज ही सिद्ध होता है कि धर्मशास्त्रकारों के उक्त निषेध करने के पहले ही लोकाचार में संन्यासमार्ग गौण हो गया होगा।* परन्तु इस प्रकार यदि कर्मयोग की पहले प्रबलता थी और आखिर कलियुग में संन्यासधर्म को निषिद्ध मानने तक नीवत पहुँच चुकी थी; तो अब यहाँ यही स्वाभाविक शङ्का होती है, कि इस तेजी से बढ़ते हुए ज्ञानयुक्त कर्मयोग के न्यास का तथा वर्तमान समय के भक्तिमार्ग में भी संन्यासपक्ष को ही श्रेष्ठ माने जाने का कारण क्या है? कुछ लोग कहते हैं, कि यह परिवर्तन श्रीमदाद्यशङ्कराचार्य के द्वारा हुआ। परन्तु इतिहास को देखने से इस उपपत्ति में सत्यता नहीं दीख पड़ती। पहले प्रकरण में हम कह आये हैं, कि श्रीशङ्कराचार्य के सम्प्रदाय के दो विभाग हैं— (१) मायावादात्मक अद्वैत ज्ञान, और (२) कर्मसंन्यासधर्म। अब यद्यपि अद्वैत—ब्रह्मज्ञान के साथ साथ संन्यासधर्म का भी प्रतिपादन उपनिषदों में किया गया है, तो भी इन दोनों का कोई नित्यसम्बन्ध नहीं है। इसलिये यह नहीं कहा जा सकता, कि अद्वैत-वेदान्तमत को स्वीकार करने पर संन्यासमार्ग को भी अवश्य स्वीकार करना ही चाहिये। उदाहरणार्थ, याज्ञवल्क्य प्रभृति से अद्वैतवेदान्त की पूरी शिक्षा पाये हुए जनक आदिक स्वयं कर्मयोगी थे। यही क्यों; बल्कि उपनिषदों का अद्वैत-ब्रह्मज्ञान ही गीता का प्रतिपाद्य विषय होने पर भी, गीता ने इसी ज्ञान के आधार से संन्यास के बदले कर्मयोग का ही समर्थन किया गया है। इसलिये पहले इस बात पर ध्यान देना चाहिये, कि शङ्करसम्प्रदाय पर संन्यासधर्म को उत्तेजन देने का जो आक्षेप किया जाता है, वह इस सम्प्रदाय के अद्वैत ज्ञान को उपयुक्त न हो कर उसके अन्तर्गत केवल संन्यासधर्म को ही उपयोगी हो सकता है। तथापि श्रीशङ्कराचार्य ने इस संन्यासमार्ग को नये सिरे से नहीं चलाया है; तथापि कलियुग में निषिद्ध या वर्जित माने जाने के कारण उसमें जो गौणता आ गई थी, उसे उन्होंने अवश्य दूर किया है। परन्तु यदि इसके भी पहले अन्य कारणों से लोगों में संन्यासमार्ग की चाह

* पृष्ठ ३४४-३४५ की टिप्पणी में दिये गये वचनों को देखो।

हुई न होती, तो इसमें सन्देह है, कि आचार्य का संन्यासप्रधान मत इतना अधिक फैलाने पाता या नहीं। ईसा ने कहा है सही, कि "यदि कोई एक गाल में थप्पड़ मार दे, तो दूसरे गाल को भी उसके सामने कर दो" (ल्यूक. ६. २९)। परन्तु यदि विचार किया जाय, कि इस मत के अनुयायी यूरोप के ईसाई राष्ट्रों में कितने हैं; तो यही दीख पड़ेगा, कि किमी बात के प्रचलित होने के लिये केवल इतना ही बस नहीं है, कि कोई धर्मोपदेशक उसे अच्छी कह दे; बल्कि ऐसा होने के लिये—अर्थात् लोगों के मन का झुकाव उधर होने के लिये—उस उपदेश के पहले ही कुछ सबल कारण उत्पन्न हो जाया करते हैं; और तब फिर लोकाचार में धीरे धीरे परिवर्तन होकर उसी के अनुसार धर्मनियमों में भी परिवर्तन होने लगता है। 'आचार धर्म का मूल है'—इस स्मृतिवचन का तात्पर्य भी यही है। गत शताब्दी में शोपेनहर ने जर्मनी में संन्यासमार्ग का समर्थन किया था। परन्तु उसका वांया हुआ बीज वहाँ अब तक अच्छी तरह से जमने नहीं पाया, और इस समय तो निद्रा के ही मतों की वहाँ धूम मची हुई है। हमारे यहाँ भी देखने से यही मालूम होगा, कि संन्यासमार्ग श्रीशङ्कराचार्य के पहले अर्थात् वैदिककाल में ही यद्यपि जारी हो गया था, तो भी वह उस समय कर्मयोग से आगे अपना कदम नहीं बढ़ा सका था। स्मृतिग्रन्थों में अन्त में संन्यास लेने को कहा गया है सही; परन्तु उनमें भी पूर्वाश्रमों के कर्तव्यपालन का उपदेश दिया ही गया है। श्रीशङ्कराचार्य के ग्रन्थों का प्रतिपाद्य विषय कर्मसंन्यास-मक्ष भले ही हो; परन्तु स्वयं उनके जीवनचरित से ही यह बात सिद्ध होती है, कि ज्ञानी पुरुषों को तथा संन्यासियों को धर्मसंस्थापना के समान लोकसंग्रह के काम यथाधिकार करने के लिये उनकी ओर से कुछ मनाही नहीं थी (वे. सू. भा. ३. ३. ३२)। संन्यासमार्ग की प्रबलता का कारण यदि शङ्कराचार्य का म्मार्त मम्प्रदाय ही होता, तो आधुनिक भागवतमम्प्रदाय के रामानुजाचार्य अपने गीताभाष्य में शङ्कराचार्य की ही नाई कर्मयोग को गोण नहीं मानते। परन्तु जो कर्मयोग एक बार तेजी से जारी था, वह जब कि भागवतमम्प्रदाय में भी निवृत्तिप्रधान भक्ति से पीछे हटा दिया गया है, तब तो यही कहना पड़ता है, कि उनके पीछे जाने के लिये कुछ ऐसे कारण अवश्य उपस्थित हुए होंगे; जो सभी मम्प्रदायों को अथवा मारे देश को एक ही ममान लागू हो सके। हमारे मतानुसार इनमें से पहला और प्रधान कारण जैन एवं बौद्ध धर्मों का उदय तथा प्रचार है। क्योंकि इन्हीं दोनों धर्मों ने चारों वर्णों के लिये संन्यासमार्ग का दरवाजा खोल दिया था; और इमीलिये क्षत्रियवर्ण में भी मन्दाम धर्म का विरोध उत्पन्न होने लगा था। परन्तु, यद्यपि आरम्भ में बुद्ध ने कर्मरहित संन्यासमार्ग का ही उपदेश दिया था, तथापि गीता के कर्मयोगानुसार बौद्धधर्म में शीघ्र ही यह गुधार किया गया, कि बौद्ध यतियों को अकेले जट्टगल में जा कर एक कोने में नहीं बँट रहेना चाहिये; बल्कि उनको धर्मप्रचार तथा परोपकार के अन्य काम करने के लिये सदैव प्रयत्न करने रहना चाहिये (देखो परिनिष्ठ प्रकरण)। इतिहास-ग्रन्थों

से यह बात प्रगट है, कि इसी सुधार के कारण उद्योगी बौद्धधर्मीय यतिलोगों के संघ उत्तर में तिब्बत, पूर्व में ब्रह्मदेश, चीन और जापान, दक्षिण में लडका और पश्चिम में तुकिस्थान तथा उससे लगे हुए ग्रीस इत्यादि यूरोप के प्रान्तों तक जा पहुँचे थे। शालिवाहन शक के लगभग छ सात सौ वर्ष पहले जैन और बौद्ध धर्मों के प्रवर्तकों का जन्म हुआ था; और श्रीशङकराचार्य का जन्म शालिवाहन शक के छः सौ वर्ष अनन्तर हुआ। इस बीच में बौद्ध यतियों के सङ्घों का अपूर्व वैभव सब लोग अपनी आँखों के सामने देख रहे थे। इसी लिये यतिधर्म के विषय में उन लोगों में एक प्रकार की चाह तथा आदरबुद्धि शङकराचार्य के जन्म के पहले ही उत्पन्न हो चुकी थी। शङकराचार्य ने यद्यपि जैन और बौद्ध धर्मों का खण्डन किया है; तथापि यतिधर्म के बारे में लोगों में जो आदरबुद्धि उत्पन्न हो चुकी थी, उसका उन्होंने नाश नहीं किया। किन्तु उसी को वैदिक रूप दे दिया, और बौद्धधर्म के बदले वैदिकधर्म की स्थापना करने के लिये उन्होने बहुत से प्रयत्नशील वैदिक सन्यासी तैयार किये। ये सन्यासी ब्रह्मचर्यव्रत से रहते थे; और सन्यास का दण्ड तथा गेरूआ वस्त्र भी धारण करते थे, परन्तु अपने गुरु के समान इन लोगों ने भी वैदिकधर्म की स्थापना का काम आगे जारी रखा था। यति-सङ्घ की इस नई जोड़ी (वैदिक सन्यासियों के सङ्घ) को देख उस समय अनेक लोगों के मन में शङ्का होने लगी थी, कि शाङ्करमत में और बौद्धमत में यदि कुछ अन्तर है, तो क्या है। और प्रतीत होता है, कि प्रायः इसी शङ्का को दूर करने के लिये छान्दोग्योपनिषद् के भाष्य में आचार्य ने लिखा है, कि "बौद्ध यतिधर्म और साख्य यतिधर्म दोनों वेदग्रह्य तथा खोटे हैं। एव हमार सन्यासधर्म वेद के आधार से प्रवृत्त किया गया है, इसलिये यही सच्चा है" (छा शा भा २ २३ १)। जो हो, यह निर्विवाद सिद्ध है कि कलियुग में पहले जैन और बौद्ध लोगों ने ही यतिधर्म का प्रचार किया था। परन्तु बौद्ध यतियों ने भी धर्मप्रसार तथा लोकसंग्रह के लिये आगे चलकर उपर्युक्त कर्म करना शुरू कर दिया था। और इतिहास से मालूम होता है, कि इनको हराने के लिये श्रीशङकराचार्य ने जो वैदिक यतिसङ्घ तैयार किये थे, उन्होने भी कर्म को विलकुल न त्याग कर अपने उद्योग से ही वैदिक धर्म की फिर से स्थापना की। अनन्तर शीघ्र ही इस देश पर मुसलमानों की चढाईयाँ होने लगी, और जब इस परचक्र से पराक्रम-पूर्वक रक्षा करनेवाले तथा देश के धारणपोषण करनेवाले क्षत्रिय राजाओं की वस्तुत्वशक्ति का मुसलमानों के जमाने में न्हास होने लगा, तब सन्यास और कर्मयोग में से सन्यास मार्ग ही सासारिक लोगों को अधिकाधिक ग्राह्य होने लगा होगा। क्योंकि 'राम राम' जपते हुए चुप बैठे रहने का एकदेशीय मार्ग प्राचीन समय से ही कुछ लोगों की दृष्टि में श्रेष्ठ समझा जाता था, और अब तो तत्कालीन बाह्य परिस्थिति के लिये भी वही मार्ग विशेष सुभीते का हो गया था। इसके पहले यह स्थिति नहीं थी। क्योंकि, 'शूद्रकमलाकर' में कहे गये विष्णुपुराण के निम्न श्लोक से भी यही मालूम होता है -

अपहाय निजं कर्म कृष्ण कृष्णेति वादिनः ।

ते हरेर्द्वेषिणः पापाः धर्मार्थं जन्म यद्धरे ॥ #

अर्थात् "अपने (स्वधर्मोक्त) कर्मों को छोड़ (केवल) 'कृष्ण कृष्ण' कहते रहनेवाले लोग हरि के द्वेषी और पापी हैं। क्योंकि स्वयं हरि का जन्म भी तो धर्म की रक्षा करने के लिये ही होता है।" सच पूछो, तो ये लोग न तो संन्यासनिष्ठ हैं और न कर्मयोगी। क्योंकि ये लोग संन्यासियों के समान ज्ञान अथवा तीव्र वैराग्य से सब सासारिक कर्मों को नहीं छोड़ते हैं; और ससार में रह कर भी कर्मयोग के अनुसार अपने हिस्से के शास्त्रोक्त कर्तव्य का पालन निष्कामबुद्धि से नहीं करते। इसलिये इन वाचिक संन्यासियों की गणना एक निराली ही तृतीय निष्ठा में होनी चाहिये, जिसका वर्णन गीता में नहीं किया गया है। चाहे किसी भी कारण से हो; जब लोग इस तरह से तृतीय प्रकृति के बन जाते हैं, तब आखिर धर्म का भी नाश हुए बिना नहीं रह सकता। इरान देश से पारसी धर्म के हटाये जाने के लिये भी ऐसी ही स्थिति कारण हुई थी और इसी से हिन्दुस्थान में वैदिक धर्म के 'समूल च विनश्यति' होने का समय आ गया था। परन्तु बौद्धधर्म के न्हास के बाद वेदान्त के साथ ही गीता के भागवतधर्म का जो पुरुज्जीवन होने लगा था, उसके कारण हमारे यहाँ यह दुष्परिणाम नहीं हो सका। जब कि दौलतावाद का हिन्दु राज्य मुसलमानों से नष्ट-भ्रष्ट नहीं किया गया था, उसके कुछ वर्ष पूर्व ही श्रीज्ञानेश्वर महाराज ने हमारे सौभाग्य से भगवद्गीता को मराठी भाषा में अलंकृत कर ब्रह्म-विद्या को महाराष्ट्र प्रान्त में अति सुगम कर दिया था; और हिन्दुस्थान के अन्य प्रान्तों में भी इसी समय अनेक साधुसन्तों ने गीता के भक्तिमार्ग का उपदेश जारी कर रख था। यवन-ब्राह्मण-चाण्डाल इत्यादिकों को एक समान और ज्ञानमूलक गीता धर्म का जाग्रत्य उपदेश — चाहे वह वैराग्ययुक्त भक्ति के रूप में ही क्यों न हो — एक ही समय चारों ओर लगातर जारी था; इसलिये हिन्दुधर्म का पूरा न्हास होने का कोई भय नहीं रहा। इतना ही नहीं, बल्कि उसका कुछ कुछ प्रभुत्व मुसलमानी धर्म पर भी जमने लगा। कबीर जैसे भक्त इस देश की सन्तमण्डली में मान्य हो गये; और औरङ्गजेव के बड़े भाई शहाजादा दारा ने इसी समय अपनी देघरेखमें उपनिषदों का फारसी में भाषान्तर कराया। यदि वैदिक भक्तिमार्ग अध्यात्मज्ञान को छोट केवल तान्त्रिक श्रद्धा के ही आधार पर स्थापित हुआ होना, तो इस बात का सन्देह है, कि उसमें यह विलक्षण मामय्यं रह सकता या नहीं। परन्तु भागवतधर्म का यह आधुनिक पुनरुज्जीवन मुसलमानों के ही जमाने में हुआ है। अतएव यह भी अनेकानों में केवल भक्तिविषयक अर्थात् एकदेशीय हो गया है; और मूल भागवतधर्म

* धर्म के लिये हर विप्लव में यह श्लोक हमें नहीं मिला। परन्तु उसका उपयोग कमलकर हरिने प्रामाणिक द्रव्यकार ने किया है; इससे यह निगधार भी नहीं करा जा सकता।

के कर्मयोग का जो स्वतन्त्र महत्त्व एक बार घट गया था, वह उसे फिर प्राप्त नहीं हुआ। फलतः इस समय के भागवतधर्मीय सन्तजन, पण्डित और आचार्य लोग भी यह कहने लगे, कि कर्मयोग भक्तिमार्ग का अङ्ग या साधन है। उस समय में प्रचलित इस सर्वसाधारण मत या समझ के विरुद्ध केवल श्रीसमर्थ रामदासस्वामी ने अपने 'दासबोध' ग्रन्थ में विवेचन किया है। कर्मयोग के सच्चे और वास्तविक महत्त्व का वर्णन शुद्ध तथा प्रासादिक मराठी भाषा में जिसे देखना हो, उसे समर्थकृत इस ग्रन्थ को—अवश्य पढ़ लेना चाहिये। † शिवाजी महाराज को श्रीसमर्थ रामदासस्वामी का ही उपदेश मिला था; और मरहटों के जमाने में जब कर्मयोग के तत्त्वों को समझाने तथा उनके प्रचार करने की आवश्यकता मालूम होने लगी, तब शाण्डिल्यसूत्रों तथा ब्रह्मसूत्रभाष्य के बदले महाभारत का गद्यात्मक भाषान्तर होने लगा, एवं 'बखर' नामक ऐतिहासिक लेखों के रूप में उसका अध्ययन शुरू हो गया। ये भाषांतर तञ्जौर के पुस्तकालय में आज तक रखे हुए हैं। यदि यही कार्यक्रम बहुत समय अबाधित रीति से चलता रहता, तो गीता की सब एकपक्षीय और संकुचित टीका का महत्त्व घट जाता; और कालमान के अनुसार एक बार फिर भी यह बात सब लोगों के ध्यान में आ जाती, कि महाभारत की सारी नीति का सार गीता प्रतिपादित कर्मयोग में कह दिया गया है। परन्तु हमारे दुर्भाग्य से कर्मयोग का यह पुनरुज्जीवन बहुत दिनों तक नहीं ठहर सका।

हिन्दुस्थान के धार्मिक इतिहास का विवेचन करने का यह स्थान नहीं है। ऊपर के संक्षिप्त विवेचन से पाठकों को मालूम हो गया होगा, कि गीताधर्म में जो एक प्रकार की सजीवता, तेज या सामर्थ्य है, वह संन्यासधर्म के उस दबदबे से भी बिलकुल नष्ट नहीं होने पाया, कि जो मध्यकाल में दैवशात् हो गया है। तीसरे प्रकरण में यह बतला चुके हैं, कि धर्म शब्द का धात्वर्थ 'धारणाधर्मः' है; और सामान्यतः उसके ये दो भेद होते हैं—एक 'पारलौकिक' और दूसरा 'व्यावहारिक' अथवा 'मोक्षधर्म' और 'नीतिधर्म'। चाहे वैदिक धर्म को लीजिये; बौद्धधर्म को लीजिये, अथवा ईसाई धर्म को लीजिये, सब का मुख्य हेतु यही है, कि जगत् का धारण-भोषण हो; और मनुष्य को अन्त में सद्गति मिले। इसीलिये प्रत्येक धर्म में मोक्षधर्म के साथ ही साथ व्यावहारिक धर्म-अधर्म का भी विवेचन थोड़ाबहुत किया गया है। यही नहीं; बल्कि यहाँ तक कहा जा सकता है, कि प्राचीन काल में यह भेद ही नहीं किया जाता था, कि 'मोक्षधर्म और व्यावहारिक धर्म भिन्न भिन्न हैं।' क्योंकि उस समय सब लोगों की यही धारणा थी, की परलोक में सद्गति मिलने के

* हिन्दी प्रेमियों को यह जानकर हर्ष होगा, कि वे अब समर्थ रामदासस्वामीकृत इस 'दासबोध' नामक मराठी ग्रन्थ के उपदेशासूत्र से वञ्चित नहीं रह सकते। क्योंकि इसका शुद्ध, सरल तथा हृदयग्राही अनुवाद हिन्दी में भी हो चुका है। यह हिन्दी ग्रन्थ त्रिभंगाला प्रेस पूना से मिल सकता है।

लिये इस लोक में भी हमारा आचरण शुद्ध ही होना चाहिये। वे लोग गीता के कथनानुसार यही मानते थे, कि पारलौकिक तथा सांसारिक कल्याण की जड़ भी एक ही है। परन्तु आधिभौतिक ज्ञान का प्रसार होने पर आजकल पश्चिमी देशों में यह धारणा स्थिर न रह सकी; और उस बात का विचार होने लगा, कि मोक्षधर्मरहित नीति की - अर्थात् जिन नियमों से जगत् का धारणपोषण हुआ करता है उन नियमों की - उपपत्ति बतलाई जा सकती है या नहीं; और फलतः केवल आधिभौतिक अर्थात् दृश्य या व्यक्त आधार पर ही समाजधारणाशास्त्र की रचना होने लगी है। इस पर प्रश्न होता है, कि केवल व्यक्त से ही मनुष्य का निर्वाह कैसे हो सकेगा? पेड़, मनुष्य इत्यादि जातिवाचक शब्दों से भी तो अव्यक्त अर्थ ही प्रकट होता है न। आम का पेड़ या गुलाब का पेड़ एक विशिष्ट दृश्यवस्तु है सही, परन्तु 'पेड़' सामान्य शब्द किसी भी दृश्य अथवा व्यक्त वस्तु को नहीं दिखला सकता। इसी तरह हमारा सब व्यवहार हो रहा है। इससे यही सिद्ध होता है, कि मन में अव्यक्तसम्बन्धी कल्पना की जागृति के लिये पहले कुछ-न-कुछ व्यक्त वस्तु आँखों के सामने अवश्य होनी चाहिये। परन्तु इसे भी निश्चय ही जानना चाहिये, कि व्यक्त ही कुछ अन्तिम अवस्था नहीं है; और बिना अव्यक्त का आश्रय लिये न तो हम एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं; और न एक वाक्य ही पूरा कर सकते हैं। ऐसी अवस्था में अध्यात्मदृष्टि में सर्वभूतात्मैक्यरूप परब्रह्म की अव्यक्त कल्पना को नीतिशास्त्र का आधार यदि न माने तो भी उसके स्थान में 'सर्व मानवजाति' को - अर्थात् आँखों से न दिखनेवाली अतएव अव्यक्त वस्तु को - ही अन्त में देवता के समान पूजनीय मानना पड़ता है। आधिभौतिक पण्डितों का कथन है, कि 'सर्व मानवजाति' में पूर्व की तथा भविष्यत् की पीढ़ियों का समावेश कर देने से अमृतत्व-विषयक मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति को सन्तुष्ट हो जाना चाहिये। और अब तो प्रायः वे सभी मन्त्रे हृदय में यही उपदेश करने लग गये हैं, कि इम (मानवजाति-रूपी) बड़े देवता की प्रेमपूर्वक अनन्यभाव से उपासना करना, उमरी सेवा में अपनी ममत्ता आयु को बित्त, देना तथा उसके लिये अपने मंत्र स्वार्थों को तिलाञ्जलि दे देना ही प्रत्येक मनुष्य का इम संसार में परम कर्तव्य है। फ्रेञ्च पण्डित कोन्ट द्वारा प्रतिपादित धर्म का सार यही है; और इसी धर्म को अपने ग्रन्थ में उसने 'मकल मानवजातिधर्म' या संक्षेप में 'मानवधर्म' कहा है।* आधुनिक जर्मन पण्डित निट्ज़े का भी यही हाल है। उमने तो स्पष्ट शब्दों में बह दिया है, कि उम्रीमयी मदी

* कोन्ट ने अपने धर्म का Religion of Humanity नाम रखा है। उमका विस्तृत विवेचन कोन्ट के A System of Positive Polity (Eng. trans. in four Vols.) नामक ग्रन्थ में दिया गया है। इस ग्रन्थ में इस बात की उतम चर्चा की गई है कि केवल आधिभौतिक दृष्टि में ही समाजधारणा किम तरह की जा सकती है।

में " परमेश्वर मर गया है ' और अध्यात्मशास्त्र थोथा झगडा है। इतना होने पर भी उसने अपने सभी ग्रन्थों में आधिभौतिक दृष्टि से कर्मविपाक तथा पुनर्जन्म को मजूर करके प्रतिपादन किया है, कि काम ऐसा करना चाहिये, जो जन्मजन्मान्तरो में भी किया जा सके। और समाज की इस प्रकार व्यवस्था होनी चाहिये, कि जिससे भविष्यत् में ऐसे मनुष्यप्राणी पैदा हो, जिनकी सब मनोवृत्तियाँ अत्यन्त विकसित होकर पूर्णावस्था में पहुँच जावे — बस; इस ससार में मनुष्यमात्र का परमकर्तव्य और परमसाध्य यही है। इससे स्पष्ट है, कि जो लोग अध्यात्मशास्त्र को नहीं मानते उन्हें भी कर्म-अकर्म का विवेचन करने के लिये कुछ-न-कुछ परमसाध्य अवश्य मानना पडता है। और यह साध्य एक प्रकार से 'अव्यक्त' ही होता है। इसका कारण यह है, कि यद्यपि आधिभौतिक नीतिशास्त्रज्ञों के ये दो छ्येय हैं — (१) सब मानव-जातिरूप महादेव की उपासना करके सब मनुष्यों का हित करना चाहिये, और (२) ऐसा कर्म करना चाहिये, कि जिससे भविष्यत् में अत्यन्त पूर्णावस्था में पहुँचा हुआ मनुष्यप्राणी उत्पन्न हो सके; तथापि जिन लोगों को इन दोनों का उपदेश किया जाता है, उनकी दृष्टि से वे अगोचर या अव्यक्त ही बने रहते हैं। षोण्ट अथवा निट्शे का यह उपदेश ईसाई धर्म सरीखे तत्त्वज्ञानरहित केवल आधिदैवत भक्तिमार्ग का विरोधी भले ही हो; परन्तु जिस धर्म-अधर्म-शास्त्र का अथवा नीतिशास्त्र का परमध्येय अध्यात्मदृष्टि से सर्वभूतात्मैक्यज्ञानरूप साध्य की या कर्मयोगी स्थितप्रज्ञ की पूर्णावस्था की नींव पर स्थापित हुआ है, उसके पेट में सब आधिभौतिक साध्यों का विरोधरहित समावेश सहज ही में हो जाता है। इससे कभी इस भय की आशङ्का नहीं हो सकती, कि अध्यात्मज्ञान से पवित्र किया गया वैदिक धर्म उक्त उपदेश से क्षीण हो जावेगा। अब प्रश्न यह है, कि यदि अव्यक्त उपदेश को ही परमसाध्य मानना पडता है, तो वह सिर्फ मानवजाति के लिये ही क्यों माना जाय ? अर्थात् वह मर्यादित या सकुचित क्यों कर दिया जाय ? पूर्णावस्था को ही जब परमसाध्य मानना है; तो उसमें ऐसे आधिभौतिक साध्य की अपेक्षा — जो जानवर और मनुष्य दोनों के लिये समान हो — अधिकता ही क्या है ? इन प्रश्नों का उत्तर देते समय अध्यात्मदृष्टि से निष्पन्न होनेवाले समस्त चराचर सृष्टि के एक अनिर्वाच्य परमतत्त्व की ही शरणमें आखिर जाना पडता है। अर्वाचीन काल में आधिभौतिक शास्त्रों की अश्रुतपूर्व उन्नति हुई है, जिससे मनुष्य का दृश्यसृष्टिविषयक ज्ञान पूर्वकाल की अपेक्षा सैकड़ों गुना अधिक बढ गया है। और यह बात भी निर्विवाद सिद्ध है, कि 'जैसे को तैसा' इस नियम के अनुसार जो प्राचीन राष्ट्र इस आधिभौतिक ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर लेगा, उसका मुधरे हुए नये पाश्चात्य राष्ट्रों के सामने टिकना असम्भव है। परन्तु आधिभौतिक शास्त्रों की चाहे जितनी वृद्धि क्यों न हो जावे; यह अवश्य ही कहना होगा, कि जगत् के मूलतत्त्व को समझ लेने की मनुष्यमात्र की स्वाभाविक प्रवृत्ति केवल आधिभौतिक वाद से कभी पूरी तरह सन्तुष्ट नहीं हो सकती। केवल व्यक्तसृष्टि

के ज्ञान से सब बातों का निर्वाह नहीं हो सकता। इसलिये स्पेन्सर सरीखे उत्क्रान्तिवादी भी स्पष्टतया स्वीकार करते हैं, कि नामरूपात्मक दृश्यसृष्टि की जड़ में कुछ अव्यक्त तत्त्व अवश्य ही होगा। परन्तु उनका यह कहना है, कि इस नित्यतत्त्व के स्वरूप को समझ लेना सम्भव नहीं है। इसलिये इसके आधार से किसी भी शास्त्र की उपपत्ति नहीं बतलाई जा सकती। जर्मन तत्त्ववेत्ता कान्ट भी अव्यक्तसृष्टितत्त्व की अज्ञेयता को स्वीकार करता है। तथापि उसका यह मत है, कि नीतिशास्त्र की उपपत्ति इसी अगम्य तत्त्व के आधार पर बतलाई जानी चाहिये। शोपेनहर् इससे भी आगे बढ़कर प्रतिपादन करता है, कि यह अगम्य तत्त्व वासनास्वरूपी है। और नीतिशास्त्र-सम्बन्धी अन्त्रेज ग्रन्थकार ग्रीन का मत है, कि यही सृष्टितत्त्व आत्मा के रूप में अशत मनुष्य के शरीर में प्रादुर्भूत हुआ है। गीता तो स्पष्ट रीति से कहती है, कि "ममैवाशो जीवलोकै जीवभूत सनातन।" हमारे उपनिषत्कारों का यही सिद्धान्त है, कि जगत् का आधारभूत यह अव्यक्त तत्त्व नित्य है, एक है, स्वतन्त्र है, आत्मरूपी है - बस, इससे अधिक इसके विषय में और कुछ नहीं कह जा सकता। और इस बात में सन्देह है, कि उक्त सिद्धान्त से भी आगे मानवी ज्ञान की गति कभी बढ़ेगी या नहीं। क्योंकि जगत् का आधारभूत अव्यक्त तत्त्व इन्द्रियों से अगोचर अर्थात् निर्गुण है। इसलिये उमका वर्णन, गुण, वस्तु, या क्रिया दिखानेवाले किसी भी शब्दसे नहीं हो सकता, और इमीन्द्रिये उसे 'अज्ञेय' कहते हैं। परन्तु अव्यक्त-सृष्टितत्त्व का जो ज्ञान हमें हुआ करता है, वह यद्यपि शब्दों से अधिक न भी बतलाया जा सके, और इसलिये देखने में यद्यपि वह अल्पसा दीख पड़े, तथापि वही मानवी ज्ञान का सर्वस्व है, और इसीन्द्रिय लौकिक नीतिमत्ता की उपपत्ति भी उसी के आधार से बतलाई जानी चाहिये। एव गीता में किय गय विवेचन से साफ मालूम हो जाता है, कि ऐसी उपपत्ति उचित रीति से बतलाने के लिये कुछ भी अडचन नहीं हो सकती। दृश्यसृष्टि के हजारों व्यवहार किस पद्धति से चलाये जावे - उदाहरणार्थ, व्यापार कर्म करना चाहिये, रूढ़ाई कर्म जीतना चाहिये, रोगी को कौन-सी औषधि विम समय दी जावे, सूर्य चन्द्रादिका की दूरी का कस जानना चाहिये - इमे भली भाँति समझने के लिये हमेशा नामरूपात्मक दृश्यसृष्टि के ज्ञान की ही आवश्यकता हुआ करेगी। इसमें कुछ सन्देह भी नहीं, कि इन सब लौकिक व्यवहारों का अधिर्नायक बुशलता से करन के लिये नामरूपात्मक आधिभौतिक शास्त्रों का अधिवाधिन अग्रयन अवश्य करना चाहिये। परन्तु यह कुछ गीता का विषय नहीं है। गीता का मुख्य विषय तो यहाँ है, कि अध्यात्मदृष्टि से मनुष्य की परम श्रेष्ठ अवस्था का बनना कर उमके आधार में यह निर्णय कर दिया जावे, कि कर्म-अवमंरूप नीतिधर्म का मूलतत्त्व क्या है। इनमें से पहले यानी अध्यात्मिक परममाध्य (मोक्ष) के बारे में आधिभौतिक पन्थ उदासीन भूँडे ही रह, परन्तु दूसरे विषय का - अर्थात् केवल नीतिधर्म के मूलतत्त्वा का निर्णय करने के लिये भी आधिभौतिक पद अस्मय है। और पीछेके प्रकरण में हम

बतला चुके हैं, कि प्रवृत्ति की स्वतन्त्रता, नीतिधर्म की नित्यता तथा अमृतत्व प्राप्त कर लेने की मनुष्य के मन की स्वाभाविक इच्छा, इत्यादि गहन विषयो का निर्णय आधिभौतिक पन्थ से नहीं हो सकता — इसके लिये आखिर हमें आत्मानात्मविचार में प्रवेश करना ही पड़ता है। परन्तु अध्यात्मशास्त्र का काम कुछ इतने ही से पूरा नहीं हो जाता। जगत् के आधारभूत अमृतत्व की नित्य उपासना करने से, और अपरोक्षानुभव से मनुष्य के आत्मा को एक प्रकार की विशिष्ट शान्ति मिलने पर उसके शील-स्वभाव में जो परिवर्तन हो जाता है, वही सदाचरण का मूल है। इसलिये इस बात पर ध्यान रखना भी उचित है, कि मानवजाति की पूर्णावस्था के विषय में भी अध्यात्मशास्त्र की सहायता से जैसा उत्तम निर्णय हो जाता है, वैसा केवल आधिभौतिक सुखवाद से नहीं होता। क्योंकि यह बात पहले भी विस्तारपूर्वक बतलाई जा चुकी है, कि केवल विषयसुख तो पशुओ का उद्देश या साध्य है, उससे ज्ञानवान् मनुष्य की वृद्धि का भी पूरा समाधान हो नहीं सकता। सुखदुःख अनित्य है तथा धर्म ही नित्य है। इस दृष्टि से विचार करने पर सहज ही ज्ञात हो जावेगा, कि गीता के पारलौकिक धर्म तथा नीतिधर्म दोनों का प्रतिपादन जगत् के आधारभूत नित्य तथा अमृतत्व के आधार से ही किया गया है। इस लिये यह परमावधि का गीताधर्म, उस आधिभौतिक शास्त्र से कभी हार नहीं खा सकता, जो मनुष्य के सब कर्मों का विचार सिर्फ इस दृष्टि से किया करता है, कि मनुष्य केवल एक उच्च श्रेणी का जानवर है। यही कारण है, कि हमारा गीताधर्म नित्य तथा अभय हो गया है; और भगवान् ने ही उसमें ऐसा सुप्रबन्ध कर रखा है, कि हिन्दुओ को इस विषय में किसी भी दूसरे धर्म, ग्रन्थ, या मत की ओर मूँह ताकने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब सब ब्रह्मज्ञान का निरूपण हो गया, तब याज्ञवल्क्य ने राजा जनक से कहा है, कि “अभय वै प्राप्तोऽसि” — अब तू अभय हो गया (वृ. ४. २. ४), यही बात गीताधर्म के ज्ञान के लिये अनेक ग्रन्थों में अक्षरशः कही जा सकती है।

गीताधर्म कैसा है? वह सर्वतोपरि निर्भय और व्यापक है। वह सम है। अर्थात् वर्ण, जाति, देश या किसी अन्य भेदों के झगड़े में नहीं पड़ता, किन्तु सब लोगों को एक ही मापतौल से सद्गति देता है। वह अन्य सब धर्मों के विषय में यथोचित सहिष्णुता दिखलाता है। वह ज्ञान, भक्ति और कर्मयुक्त है। और अधिक क्या कहे, वह सनातनवैदिकधर्मवृक्ष का अत्यन्त मधुर तथा अमृत फल है। वैदिक धर्म में पहले द्रव्यमय या पशुमय यज्ञों का अर्थात् केवल कर्मकाण्ड का ही अधिक माहात्म्य था। परन्तु फिर उपनिषदों के ज्ञान से यह केवल कर्मकाण्डप्रधान श्रौतधर्म गौण माना जाने लगा; और उसी समय सांख्यशास्त्र का भी प्रादुर्भाव हुआ। परन्तु यह ज्ञान सामान्य जनो को अगम्य था; और इसका झुकाव भी कर्मसंन्यास की ओर ही विशेष रहा करता था। इसलिये केवल औपनिषदिक धर्म से अथवा दोनों की स्मार्त एकवाक्यता से भी सर्वसाधारण लोगों का पूरा समाधान होना सम्भव नहीं था। अतएव

उपनिषदों के केवल बुद्धिगम्य ब्रह्मज्ञान के साथ प्रेमगम्य व्यक्त उपासना के राजगुह्य का संयोग करके कर्मकाण्ड की प्राचीन परम्परा के अनुसार ही अर्जुन को निमित्त करके गीताधर्म मव लोगों को मुक्तकण्ठ से यही कहता है, कि "तुम अपनी अपनी योग्यता के अनुसार अपने अपने सामारिक कर्तव्यों का पालन लोकमंग्रह के लिये निष्कामबुद्धी से, आत्मोपम्यदृष्टि में, तथा उत्साह में यावज्जीवन करते रहो; और उनके द्वारा ऐसे नित्य परमात्म-देवता का मदा यजन करो, जो पिण्ड-ब्रह्माण्ड में तथा समस्त प्राणियों में एकत्व से व्याप्त है; इसी में तुम्हारा सामारिक तथा नारलीकिक कल्याण है।" इससे कर्म, बुद्धि, (ज्ञान) और प्रेम (भक्ति) के बीच का विरोध नष्ट हो जाता है; और मव आयु या जीवन ही को यज्ञमय करने के लिये उपदेश देनेवाले अकेले गीताधर्म में सकल वैदिकधर्म का साराश आ जाता है। इस नित्यधर्म को पहचान कर, केन्द्र कर्तव्य ममज्ञ करके, सर्वभूतहित के लिये प्रयत्न करनेवाले संकड़ों महात्मा और वीरों या वीर पुरुष जब इस पवित्र भारतभूमि को अलंकृत किया करते थे, तब यह देश परमेश्वर की कृपा का पात्र बनकर न केवल ज्ञान के वरन् ऐश्वर्य के भी शिखर पर पहुँच गया था। और कहना नहीं होगा, कि जब मे दोनों लोगों का साधन यह श्रयस्कर धर्म छूट गया है तभी मे इस देश की निकृष्टावस्था का आरम्भ हुआ है। इसलिये ईश्वर मे आशापूर्वक अन्तिम प्रार्थना यही है, कि भक्ति का, ब्रह्मज्ञान का और कर्तृत्वशक्ति का यथोचित मेल कर देनेवाले इस तेजस्वी तथा मम गीताधर्म के अनुसार परमेश्वरका यजन-पूजन करनेवाले सत्पुरुष इस देश में फिर भी उत्पन्न हो। और, अन्त में उदार पाठकों से निम्न मन्त्रद्वारा (ऋ. १०. १९१. ४) यह विनति करके गीता का रहस्यविवेचन यहाँ समाप्त किया जाता है, कि इस ग्रन्थ में वहाँ धर्म मे कुछ न्यूनताधिकता हुई हो, तो उसे समदृष्टि से सुधार लीजिये —

समानो व आकूतिः समाना हृदयानि वः ।

समानमस्तु धो मनो यथा वः सुसहासति ॥

यथा वः सुसहासति ॥ ❀

* यह मन्त्र ऋग्वेद संहिता के अन्त में आया है। यज्ञमण्डप में एकत्रित लोगों को लम्ब करके यह कहा गया है। अर्थ — "तुम्हारा अभिप्राय एक समान हो, तुम्हारे अन्तःकरण एक समान हो; और तुम्हारा मन एक समान हो, जिससे तुम्हारा सुसाध्य होगा, अर्थात् संवर्गिक की कृपना होगी।" अन्ति — अन्ति, यह वैदिक रूप है। 'यथा व सुसहासति' इसकी द्विरुक्ति ग्रन्थ की समानि विनतियों के लिए की गई है।

ॐ तत्सद्ब्रह्मार्पणमस्तु ।

गीता की बहिरंगपरीक्षा

अविदित्वा ऋपि छन्दो देवतं योगमेव च ।

योऽध्यापयेज्जपेद्वाऽपि पापीयाञ्जायते तु सः ॥ *

- स्मृति

पिछले प्रकरणों में इस बात का विस्तृत वर्णन किया गया है, कि जब भारतीय युद्ध में होनेवाले कुलक्षय और ज्ञातिक्षय का प्रत्यक्ष दृश्य पहले पहले आँखों-के सामने उपस्थित हुआ, तब अर्जुन अपने क्षात्रधर्म का त्याग करके संन्यास का स्वीकार करने के लिये तैयार हो गया था; और उस समय उसको ठीक मार्ग पर लाने के लिये श्रीकृष्ण ने वेदान्तशास्त्र के आधार पर यह प्रतिपादन किया, कि कर्म-योग ही अधिक श्रेयस्कर है; कर्मयोग में बुद्धि ही को प्रधानता है। इसलिये ब्रह्मात्मैक्यज्ञान से अथवा परमेश्वरभक्ति से अपने बुद्धि को साम्यावस्था में रख कर उस बुद्धि के द्वारा स्वधर्मानुसार सब कर्म करते रहने से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मोक्ष पाने के लिये इसके सिवा अन्य किसी बात की आवश्यकता नहीं है; और, इस प्रकार उपदेश करके, भगवान् ने अर्जुन को युद्ध करने में प्रवृत्त कर दिया। गीता का यही यथार्थ तात्पर्य है। अब "गीता को भारत में सम्मिलित करने का कोई प्रयोजन नहीं" इत्यादि जो शङ्काएँ इस भ्रम से उत्पन्न हुई हैं - कि गीताग्रन्थ केवल वेदान्त-विषयक और निवृत्तिप्रधान है - उनका भी निवारण आप-ही-आप हो जाता है। क्योंकि, कर्णपर्व में सत्यानृत का विवेचन करके जिस प्रकार श्रीकृष्ण ने अर्जुन को युधिष्ठिर के वध से परावृत्त किया है, उसी प्रकार युद्ध में प्रवृत्त करने के लिये गीता का उपदेश भी आवश्यक था। और यदि काव्य की दृष्टि से देखा जाय, तो भी यह सिद्ध होता है, कि महाभारत में अनेक स्थानों पर ऐसे ही जो अन्योन्य प्रसङ्ग दीख पड़ते हैं, उन सब का मूलतत्त्व कहीं-न-कहीं बतलाना आवश्यक था। इसलिये उसे भगवद्गीता में बतलाकर व्यावहारिक धर्म-अधर्म के अथवा कार्य-अकार्य व्यवस्थिति के निरूपण की पूर्ति गीता ही में की है। वनपर्व के ब्राह्मण-व्याघ्र-संवाद में व्याघ्र

* "किसी मन्त्र के ऋषि, छन्द, देवता और विनियोग को न जानते हुए जो (उक्त मन्त्र की) शिक्षा देता है अथवा जप करता है, वह पापी होता है।" यह किसी-न-किसी स्मृतिग्रन्थ का वचन है; परन्तु मालूम नहीं, कि किस ग्रन्थ का है। हाँ, उसका मूल आर्षेय-ब्राह्मण (आर्षेय. १) श्रुतिग्रन्थ में पाया जाता है; वह यह है - "यो ह वा अविदितार्षेय-छन्दोदेवतब्राह्मणेन मन्त्रेण याजयति वाऽध्यापयति वा स्थाणुं वच्छेति गर्तं वा प्रतिपद्यते।" अर्थात् ऋषि, छन्द आदि किसी भी मन्त्र के जो बहिरंग हैं, उनके बिना मन्त्र नहीं कहना चाहिये। यही न्याय गीता सरीखे ग्रन्थ के लिए भी लगाया जा सकता है।

ने वेदान्त के आधार पर इस बात का विवेचन किया है, कि "मैं माम वेचने का रोजगार क्यों करता हूँ।" और, शान्तिपर्व के तुलाधार-जाजन्नि-संवाद में भी, उन्हीं तरह, तुलाधार ने अपने वाणिज्य व्यवसाय का समर्थन किया है (वन. २०६-२१५ और शा. २६०-२६३)। परन्तु यह उपपत्ति उन अनिष्ट व्यवसायों ही की है। इसी प्रकार अहिंसा, सत्य आदि विषयों का विवेचन यद्यपि महाभारत में कई स्थानों पर मिलता है, तथापि वह भी एकदेशीय अर्थात् उन विशिष्ट विषयों के लिये ही है। इसलिये वह महाभारत का प्रधान भाग नहीं माना जा सकता। इस प्रकार के एकदेशीय विवेचन में यह भी निर्णय नहीं किया जा सकता, कि जिन भगवान् श्रीकृष्ण और पाण्डवों के उज्ज्वल कार्यों का वर्णन करने के लिये व्यासजी ने महाभारत की रचना की है, उन महानुभावों के चरित्रों को आदर्श मान कर मनुष्य उस प्रकार आचरण करे या नहीं। यदि यही मान लिया जाय, कि ममार निःसार हैं और कभी-न-कभी मन्याम लेना ही हितकारक है, तो स्वभावतः ये प्रश्न उपस्थित होते हैं, कि श्रीकृष्ण तथा पाण्डवों को इतनी झन्झट में पड़ने का कारण ही क्या था? और, यदि उनके प्रयत्नों का कुछ हेतु मान लिया जाय, तो लोक-संग्रहार्थ उनका गौरव करके व्यासजी को तीन वर्षपर्यन्त लगातार परिश्रम करके (म. भा. आ. ६२-५२) एक लाख ऋषियों के बृहत् ग्रन्थ को लिखने का प्रयोजन ही क्या था? केवल इतना ही कह देने में ये प्रश्न बचेष्ट हल नहीं हो सकते, कि वर्णाश्रमकर्म चित्तशुद्धि के लिये किये जाते हैं। क्योंकि चाहे जो कहा जाय; स्वर्गार्थ-चरण अथवा जगत् के अन्य सब व्यवहार तो मन्यामदृष्टि में गौण ही माने जाते हैं। इसलिये, महाभारत में जिन महान् पुरुषों के चरित्रों का वर्णन किया गया है, उन महान्माओं के आचरण पर 'मूले कुठार.' न्याय में होनेवाले आक्षेप को हटा कर, उक्त ग्रन्थ में कहीं-न-कहीं विस्मयपूर्वक यह बतलाना आवश्यक था, कि ममार के सब काम करना चाहिये; या नहीं। और यदि कहा जाय, कि करना चाहिये; तो प्रत्येक मनुष्य को अपना अपना कर्म संसार में किस प्रकार करना चाहिये, जिनमें वह कर्म उसकी मोक्षप्राप्ति के मार्ग में बाधा न डाल सके। नलोपाख्यान, रामोपाख्यान आदि महाभारत के उपाख्यानो में उक्त बातों का विवेचन करना उपयुक्त न हुआ होता। क्योंकि ऐसा करने में उन उपाखानों के मद्देन यह विवेचन भी गौण ही माना गया होता। इसी प्रकार वनपर्व अथवा शान्तिपर्व के अनेक विषयों की छिचटो में यदि गीता को भी सम्मिलित कर दिया जाता, तो उसका महत्त्व अवश्य घट गया होता। अतएव उद्योगपर्व समाप्त होने पर महाभारत का प्रधान कार्य-भारतीय युद्ध - आरम्भ होने के ठीक मौके पर ही, उस पर ऐसे आक्षेप किये गये हैं, जो नीतिग्रम की दृष्टि में अग्रिहार्य दीघ्य पढ़ने हैं, और वहीं यह कर्म-अर्थ-विवेचन का स्वप्नम्न शस्त्र उपनिमित्त बतलया गया है। माराग, पढ़नेवाले कुछ देर के लिये यदि यह परम्परागत क्या भट जायें, कि श्रीकृष्णजी ने युद्ध के आरम्भ हि में

अर्जुन को गीता सुनाई है; और यदि वे इसी बुद्धि से विचार करें, कि महाभारत में धर्म-अधर्म का निरूपण करने के लिये रचा गया यह एक आर्ष-महाकाव्य है; तो भी यही दीघ पडेगा, कि गीता के लिये महाभारत में जो स्थान नियुक्त किया गया है, वही गीता का महत्त्व प्रकट करने के लिये काव्य-दृष्टि से भी अत्यन्त उचित है। जब इन बातों की ठीक ठीक उपपत्ति मालूम हो गई, कि गीता का प्रतिपाद्य विषय क्या है और महाभारत में किस स्थान पर गीता बतलाई गई है; तब ऐसे प्रश्नों का कुछ भी महत्त्व दीघ नहीं पडता, कि "रणभूमि पर गीता का ज्ञान बतलाने की क्या आवश्यकता थी? कदाचित् किसी ने इस ग्रन्थ को महाभारत में पीछे से धुसेड दिया होगा! अथवा, भगवद्गीता में दस ही श्लोक मुख्य हैं या सौ?" क्योंकि अन्य प्रकरणों से भी यही दीघ पडता है, कि जब एक बार यह निश्चय हो गया, कि धर्मनिरूपणार्थ 'भारत' का 'महाभारत' करने के लिये अमुक विषय महाभारत में अमुक कारणसे अमुक स्थान पर रखा जाना चाहिये; तब महाभारतकार इस बात की परवाह नहीं करते, कि उस विषय के निरूपण में कितना स्थान लग जायगा। तथापि गीता की बहिरङ्गपरीक्षा के सम्बन्ध में जो और दलीले पेश की जाती हैं, उन पर भी अब प्रसङ्गानुसार विचार करके उनके सत्याश की जाँच करना आवश्यक है। इसलिये उनमें से (१) गीता और महाभारत, (२) गीता और उपनिषद्, (३) गीता और ब्रह्मसूत्र, (४) भागवतधर्म का उदय और गीता, (५) वर्तमान गीता का काल, (६) गीता और बौद्धग्रन्थ, (७) गीता और ईसाइयों की बाइबल, इन सात विषयों का विवेचन इस प्रकरण के सात भागों में क्रमानुसार किया गया है। स्मरण रहे, कि उक्त बातों का विचार करते समय, केवल काव्य की दृष्टि से अर्थात् व्यावहारिक और ऐतिहासिक दृष्टि से ही महाभारत, गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद् आदि ग्रन्थों का विवेचन बहिरङ्गपरीक्षक किया करते हैं, इसलिये, अब उक्त प्रश्नों का विचार हम भी उसी दृष्टि से करेंगे।

भाग १ - गीता और महाभारत

ऊपर यह अनुमान किया है, कि श्रीकृष्णजी सरीखे महात्माओं के चरित्रों का नैतिक समर्थन करने के लिये महाभारत में कर्मयोगप्रधान गीता, उचित कारणों से, उचित स्थान में रखी गई है, और गीता महाभारत का ही एक भाग होना चाहिये। वही अनुमान इन दोनों ग्रन्थों की रचना की तुलना करने से अधिक दृढ़ हो जाता है! परन्तु तुलना करने के पहले इन दोनों ग्रन्थों के वर्तमान स्वरूप का कुछ विचार करना आवश्यक प्रतीत होता है। अपने गीताभाष्य के आरम्भ में श्रीमच्छङ्कराचार्यजी ने स्पष्ट रीति से कह दिया है, कि गीता ग्रन्थ में सात सौ श्लोक हैं। और, वर्तमान समय की, सब पोथियों में भी उतने ही श्लोक पाये जाते हैं। इन सात सौ श्लोकों में से १ श्लोक धृतराष्ट्र का है, ४० सञ्जय के, ८४ अर्जुन के और ५७५ भगवान् के

है। बम्बई में गणपत कृष्णाजी के छापखाने में मुद्रित महाभारत की पोथी में भीष्म-पर्व में वर्णित गीता के अठारह अध्यायों के बाद जो अध्याय आरम्भ होता है, उसके (अर्थात् भीष्मपर्व के तेतालीसवें अध्याय के) आरम्भ में साठे पाँच श्लोकों में गीता-माहात्म्य का वर्णन किया गया है और उसमें कहा है —

पट्टशतानि सर्वाङ्गानि श्लोकानां प्राह केशवः ।

अर्जुनः सप्तपञ्चाशत् सप्तर्षिष्ट तु सञ्जयः ।

धृतराष्ट्रः श्लोकमेक गीताया मानमुच्यते ॥

अर्थात् "गीता में केशव के ६२०, अर्जुन के ५७, सञ्जय के ६७ और धृतराष्ट्र का १, इस प्रकार कुल मिलाकर ७४५ श्लोक हैं।" मद्रास इलाखे में जो पाठ प्रचलित है, उसके अनुसार कृष्णाचार्यद्वारा प्रकाशित महाभारत की पोथी में ये श्लोक पाये जाते हैं। परन्तु बल्बत्ते में मुद्रित महाभारत में ये नहीं मिलते; और भारत-टीकाकार नीलकण्ठ ने तो इनके विषय में यह लिखा है, कि इन भाड़े पाँच श्लोकों को 'गौडे न पठन्ते'। अतएव प्रतीत होता है, कि ये प्रक्षिप्त हैं। परन्तु, यद्यपि इन्हें प्रक्षिप्त मान ले, तथापि यह नहीं बतलाया जा सकता, कि गीता में ७४५ श्लोक (अर्थात् वर्तमान पोथियों में जो ७०० श्लोक हैं, उनमें ४५ श्लोक अधिक) किसे और कब मिले। महाभारत बड़ा भारी ग्रन्थ है। इसलिये सम्भव है, कि इसमें समय समय पर अन्य श्लोक जोड़ दिये गये हों तथा कुछ निकाल डाले गये हों। परन्तु यह बात गीता के विषय में नहीं कही जा सकती। गीताग्रन्थ मदैव पठनीय होने के कारण वेदों के सदृश पूरी गीता को कण्ठाग्र करनेवाले लोग भी पहले बहुत थे, और अब तक भी कुछ हैं। यही कारण है, कि वर्तमान गीता के बहुत-से पाठान्तर नहीं हैं; और जो कुछ भिन्न पाठ हैं, वे सब टीकाकारों को मालूम हैं। इसके सिवा यह भी कहा जा सकता है, कि इसी हेतु से गीताग्रन्थ में बराबर ७०० श्लोक रखे गये हैं, कि इसमें कोई फेरफार न कर सके। अब प्रश्न यह है, कि बम्बई तथा मद्रास में मुद्रित महाभारत की प्रतियों ही में ४५ श्लोक और वे भी सत्र भगवान् ही के ज्यादा कहीं से आ गये? सञ्जय और अर्जुन के श्लोकों का जोड़ वर्तमान प्रतियों में, और इन गणना में समान अर्थात् १२४ है, और ग्यारहवें अध्याय के 'पश्यामि देवान्' (११ १५-३१) आदि १७ श्लोकों के साथ मतभेद के कारण सम्भव है, कि अन्य दस श्लोक भी सत्र के माने जायें। इसलिये कहा जा सकता है, कि यद्यपि सञ्जय और अर्जुन के श्लोकों का जोड़ समान ही है, तथापि प्रत्येक श्लोक को पृथक् पृथक् गिनने में कुछ फरक हो गया होगा। परन्तु उस बात का कुछ पता नहीं लगता, कि वर्तमान प्रतियों में भगवान् के जो ५७५ श्लोक हैं, उनके बदले ६२० (अर्थात् ४५ अधिक) कहीं से आ गये। यदि यह कहते हैं, कि गीता का 'स्तोत्र' या 'ध्यान' का इंगी प्रकारके अन्य किसी प्रकार का इसमें समावेश किया गया होगा, तो देखते हैं, कि बम्बई में मुद्रित महाभारत की पोथी में वह प्रकरण नहीं है। इनका ही नहीं;

किन्तु इस पोथीवाली गीता में भी सात सौ श्लोक हैं। अतएव, वर्तमान सात सौ श्लोक की गीता ही को प्रमाण मानने के सिवा अन्य मार्ग नहीं है। यह हुई गीता की बात। परन्तु, जब महाभारत की ओर देखते हैं, तो कहना पड़ता है, कि यह विरोध कुछ भी नहीं है। स्वयं भारत ही में यह कहा है, कि महाभारतसहिता की सख्या एक लाख है। परन्तु रावबहादुर चिंतामणराव वैद्य ने महाभारत के अपने टीका ग्रन्थ में स्पष्ट करके बतलाया है, कि वर्तमान प्रकाशित पोथियों में उतने श्लोक नहीं मिलते; और भिन्न भिन्न पर्वों के अध्यायों की सख्या भी भारत के आरम्भ में दी गई अनुक्रमणिका के अनुसार नहीं है। ऐसी अवस्था में गीता और महाभारत की तुलना करने के लिये इन ग्रन्थों की किसी-न-किसी विशेष पोथी का आधार लिये बिना काम नहीं चल सकता। अतएव श्रीमच्छङ्कराचार्य ने जिस सात सौ श्लोको वाली गीता को प्रमाण माना है, उसी गीता को और कलकत्ते के बाबू प्रतापचन्द्रराय-द्वारा प्रकाशित महाभारत की पोथी को प्रमाण मान कर हमने इन दोनों ग्रन्थों की तुलना की है; और हमारे इस ग्रन्थ में उद्धृत महाभारत के श्लोको का स्थाननिर्देश भी, कलकत्ते में मुद्रित उक्त महाभारत के अनुसार ही किया गया है। इन श्लोको को बम्बई की पोथी में अथवा मद्रास के पाठक्रम के अनुसार प्रकाशित कृष्णाचार्य की प्रति में देखना हो; और यदि वे हमारे निर्दिष्ट किये हुए स्थानों पर न मिले, तो कुछ आगे पीछे ढूँढने से वे मिल जायेंगे।

सात सौ श्लोको की गीता और कलकत्ते के बाबू प्रतापचन्द्रराय-द्वारा प्रकाशित महाभारत की तुलना करने से प्रथम यही दीख पड़ता है, कि भगवद्गीता महाभारत ही का एक भाग है, और इस बात का उल्लेख स्वयं महाभारत में ही कई स्थानों में पाया जाता है। पहला उल्लेख आदिपर्व के आरम्भ में दूसरे अध्याय में दी गई अनुक्रमणिका में किया गया है। पर्ववर्णन में पहले यह कहा है— 'पूर्वोक्त भगवद्गीता पर्व भीष्मवधस्ततः' (म भा आ २ ६९), और फिर अठारह पर्वों के अध्यायों और श्लोको की सख्या बतलाते समय भीष्मपर्व के वर्णन में पुनश्च भगवद्गीता का स्पष्ट उल्लेख इस प्रकार किया गया है —

कश्मल यत्र पार्थस्य वासुदेवो महामतिः ।

मोहजं नाशयामास हेतुभिर्मोक्षदशिभिः ॥

— म भा आ २. २४७

अर्थात् "जिसमें मोक्षगर्भ कारण बतलाकर वासुदेव ने अर्जुन के मन का मोहज कश्मल दूर कर दिया।" इसी प्रकार आदिपर्व (१. १७९) के पहले अध्याय में प्रत्येक श्लोक के आरम्भ में 'यदौथीप' कहकर, जब धृतराष्ट्र ने बतलाया है, कि दुर्योधन प्रभृति की जयप्राप्ति के विषय में किस किस प्रकार मेरी निराशा होती गई, तब यह वर्णन है, कि "ज्योही सुना, कि अर्जुन के मन में मोह उत्पन्न होने पर श्रीकृष्ण ने उसे

विश्वरूप दिखलाया, त्योही जय के विषय में मेरी पूरी निराशा हो गई।" आदिपर्व के इन तीनों उल्लेखों के बाद शान्तिपर्व के अन्त में नारायणीय धर्म का वर्णन करते हुए गीता का फिर भी उल्लेख करना पड़ा है। नारायणीय, सात्वत, ऐकान्तिक और भागवत — ये चारों नाम समानार्थक हैं। नारायणीयोपाख्यान (शा. ३३४-३५१) में उस भक्तिप्रधान प्रवृत्तिमार्ग के उपदेश का वर्णन किया गया है, कि जिसका उपदेश नारायण ऋषि अथवा भगवान् ने श्वेतद्वीप में नारदजी को किया था। पिछले प्रकरणों में भागवतधर्म के इस तत्त्व का वर्णन किया जा चुका है, कि वामुदेव की एकान्तभाव से भक्ति करके इस जगत् के सब व्यवहार स्वधर्मानुसार करते रहने से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, और यह भी बतला दिया गया है, कि इसी प्रकार भगवद्गीता में भी सन्यासमार्ग की अपेक्षा कर्मयोग ही श्रेष्ठतर माना गया है। इस नारायणीय धर्म की परम्परा का वर्णन करते समय वैशम्पायन जनमेजय से कहते हैं, कि यह धर्म साक्षात् नारायण से नारद को प्राप्त हुआ है; और यही धर्म "कथितो हरिगीतासु समाप्त विधकल्पतः" (म. भा. शां. ३४६. १०) — हरिगीता अथवा भगवद्गीता में बतलाया गया है। इसी प्रकार आगे चल कर ३४८ वे अध्याय के ८ वे श्लोक में यह बतलाया गया है, कि :-

समुपोढेष्वनीकेषु फुष्पाण्डवयोर्मुंघे ।

अर्जुने विमनस्के च गीता भगवता स्वयम् ॥

बौरव और पाण्डवों के युद्ध के समय विमनस्क अर्जुन को भगवान् ने ऐकान्तिक अथवा नारायणधर्म की इन विधियों का उपदेश किया था; और सब युगों में स्थित नारायणधर्म की परम्परा बतला कर पुनश्च कहा है, कि इस धर्म का और यतियों के धर्म अर्थात् सन्यासधर्म का वर्णन 'हरिगीता' में किया गया है (म. भा. शा. ३४८. ५३)। आदिपर्व और शान्तिपर्व में किये गये इन छः उल्लेखों के अतिरिक्त, अश्वमेधपर्व के अनुगीतापर्व में भी और एकबार भगवद्गीता का उल्लेख किया गया है। जब भारतीय युद्ध पूरा हो गया, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक भी हो गया; और एक दिन श्रीकृष्ण तथा अर्जुन एतन्न बैठे हुए थे; तब श्रीकृष्ण ने कहा: "यहाँ अब मेरे रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। द्वारका को जाने की इच्छा है।" इस पर अर्जुन ने श्रीकृष्ण से प्रार्थना की, कि पहले युद्ध के आरम्भ में आपने मुझे जो उपदेश किया था, वह मैं भूल गया; इसलिए वह मुझे फिर से बतलाइये (अश्व. १६)। तब इस विनती के अनुसार — द्वारका को जाने के पहले श्रीकृष्ण ने अर्जुनको अनुगीता सुनाई। इस अनुगीता के आरम्भ ही में भगवान् ने कहा है — "दुर्भाग्य-वन तू उम उपदेश को भूल गया; जिसे मैंने तुझे युद्ध के आरम्भ में बतलाया था। उम उपदेश को फिर से बतला ही बतलाना अब मेरे लिये भी अमम्भव है। इसलिए उमके बदले तुझे कुछ अन्य बातें बतलाना हूँ" (म. भा. अन्न. अनुगीता १६. ९. १३)। यह बात ध्यान देने योग्य है, कि अनुगीता में वर्णित

कुछ प्रकरण गीता के प्रकरणों के समान ही हैं। अनुगीता के निर्देश को मिलाकर महाभारत में भगवद्गीता का सात बार स्पष्ट उल्लेख हो गया है। अर्थात् अन्तर्गत प्रमाणों से स्पष्टतया सिद्ध हो जाता है, कि भगवद्गीता वर्तमान महाभारत का ही एक भाग है।

परन्तु सन्देह की गति निरकुश रहती है; इसलिये उपर्युक्त सात निर्देशों से भी कई लोगों का समाधान नहीं होता। वे कहते हैं, कि यह कैसे सिद्ध हो सकता है, कि यह उल्लेख भी भारत में पीछे से नहीं जोड़ दिये गये होंगे? इस प्रकार उनके मन में यह शङ्का ज्यों-की-त्यों रह जाती है, कि गीता महाभारत का भाग है अथवा नहीं। पहले तो यह शङ्का केवल इसी समझ से उपस्थित हुई है, कि गीता-ग्रन्थ ब्रह्मज्ञान-प्रधान है। परन्तु हमने पहले ही विस्तारपूर्वक बतला दिया है, कि यह समझ ठीक नहीं। अतएव यथार्थ में देखा जाय, तो अब इस शङ्का के लिये कोई स्थान ही नहीं रह जाता। तथापि इन प्रमाणों पर ही अबलम्बित न रहते हुए हम बतलाना चाहते हैं, कि अन्य प्रमाणों में भी उक्त शङ्का की अयथार्थता सिद्ध हो सकती है। जब दो ग्रन्थों के विषय में यह शङ्का की जाती है, कि वे दोनों एक ही ग्रन्थकारके हैं या नहीं; तब काव्यमीमांसकगण पहले इन दोनों बातों — शब्दसादृश्य और अर्थसादृश्य — का विचार किया करते हैं। शब्दसादृश्य में केवल शब्दों ही का समावेश नहीं होता किन्तु उसमें भाषारचना का भी समावेश किया जाता है। इस दृष्टि से विचार करते समय देखना चाहिये, कि गीता की भाषा और महाभारत की भाषा में कितनी समता है। परन्तु महाभारत ग्रन्थ बहुत बड़ा और विस्तीर्ण है; इसलिये उसमें मौके मौके पर भाषा की रचना भी भिन्न भिन्न रीति से की गई है। उदाहरणार्थ, कर्णपर्व में कर्ण और अर्जुन के युद्ध का वर्णन पढ़ने से दीख पड़ता है, कि उसकी भाषारचना अन्य प्रकरणों की भाषा से भिन्न है। अतएव यह निश्चित करना अत्यन्त कठिन है, कि गीता और महाभारत की भाषा में समता है या नहीं। तथापि सामान्यतः विचार करने पर हमें परलोकवासी काशीनाथपन्त तैलंग^३ के मतसे सहमत होकर कहना पड़ता है, कि गीता की भाषा तथा छन्दरचना आर्ष अथवा प्राचीन है। उदाहरणार्थ, काशीनाथपन्त ने यह बतलाया है, कि अन्त (गीता २. १६), भाषा (गीता २. ५४), ब्रह्म (= प्रकृति, गीता १४. ३), योग (= वर्मयोग), पादपूरक अव्यय 'ह' (गीता २. ९) आदि शब्दों का प्रयोग गीता में जिस अर्थ में किया गया है, उस अर्थ में वे शब्द कालिदास प्रभृति के काव्यों में

* स्वर्गीय काशीनाथ शंभरक तैलंग-द्वारा रचित भगवद्गीता का अंग्रेजी अनुवाद मैक्समूलर साहब द्वारा संपादित प्राच्यधर्म पुस्तकमाला (Sacred Books of the East Series Vol. VIII) में प्रकाशित हुआ है। इस ग्रन्थ में गीता पर एक टीकात्मक लेख प्रस्तावना के तौर पर जोड़ दिया गया है। स्वर्गीय तैलंग के मतानुसार इस प्रकरण में जो उल्लेख हैं, वे (एक स्थान को छोड़) इस प्रस्तावना को लक्ष्य करके ही किये गये हैं।

नहीं पाये जाते। और पाठभेद ही से क्यों न हो; परन्तु गीता के ११.३५ श्लोक में 'नमस्कृत्वा' यह अपाणिनीय शब्द रखा गया है, तथा गीता ११.४८ में 'शक्य वह' इस प्रकार अपाणिनीय सन्धि भी की गई है। इसी तरह 'सेनानीनामह स्कन्द' (गीता १०. २४) में जो 'सेनानीना' पठ्ठी कारक है, वह भी पाणिनी के अनुसार शुद्ध नहीं है। आर्ष वृत्तरचना के उदाहरणों को स्वर्गीय तैलग ने स्पष्ट करके नहीं बतलाया है। परन्तु हमें यह प्रतीत होता है, कि ग्यारहवें अध्यायवाले विश्वरूप-वर्णन के (गीता ११. १५-५०) छत्तीस श्लोकों को लक्ष्य करके ही उन्होंने गीता की छन्दरचना को आर्ष कहा है। इन श्लोकों के प्रत्येक चरण में ग्यारह अक्षर हैं; परन्तु गणों का कोई नियम नहीं है। एक इन्द्रवज्रा है तो दूसरा उपेन्द्रवज्रा, तीसरा है शालिनी तो चौथा किसी अन्य प्रकार का। इस तरह उक्त छत्तीस श्लोकों में— अर्थात् १४४ चरणों में— भिन्न भिन्न जाति के कुल ग्यारह चरण दीख पड़ते हैं। तथापि वहाँ यह नियम भी दीख पड़ता है, कि प्रत्येक चरण में ग्यारह अक्षर हैं; और उनमें से पहला, चौथा, आठवाँ और अन्तिम दो अक्षर गुरु हैं, तथा छठवाँ अक्षर प्रायः लघु ही है। इससे यह अनुमान किया जाता है, कि ऋग्वेद तथा उपनिषदों के त्रिपुटु के ढँग पर ही ये श्लोक रचे गये हैं। ऐसे ग्यारह अक्षरों के विषमवृत्त कालिदास के काव्यों में नहीं मिलते। हाँ शाकुन्तल नाटक का "अभी वेदि परितः क्लृप्तधिष्ण्या" यह श्लोक इसी छन्द में है; परन्तु कालिदास ही ने उसे 'ऋक्छन्द' अर्थात् ऋग्वेद का छन्द कहा है। इससे यह बात प्रकट हो जाती है, कि आर्षवृत्तों के प्रचार के समय ही में गीताग्रन्थ की रचना हुई है। महाभारत के अन्य स्थलों में उक्त प्रकार के आर्ष शब्द और वैदिक वृत्त दीख पड़ते हैं। परन्तु इसके अतिरिक्त इन दोनों ग्रन्थों के भाषासाक्ष्य का दूसरा दृढ प्रमाण यह है, कि महाभारत और गीता में एक ही में अनेक श्लोक पाये जाते हैं। महाभारत के सब श्लोकों की छानबीन कर यह निश्चित करना कठिन है, कि उनमें से गीता में कितने श्लोक उपलब्ध हैं। परन्तु महाभारत पढ़ते समय उसमें जो श्लोक न्यूनाधिक पाठभेद से गीता के श्लोक के सादृश हमें जान पड़े, उनकी संख्या भी कुछ कम नहीं है, और उनके आधार पर भाषासाक्ष्य के प्रश्न का निर्णय भी सहज ही हो सकता है। नीचे दिये गये श्लोक और श्लोकाद्यं, गीता और महाभारत (क-वृत्ता की प्रति) में शब्दशः अथवा एक-आध शब्द की भिन्नता होकर ज्या-ये-त्या मिलते हैं।—

गीता

महाभारत

१.९ नानाशस्त्रप्रहरणा० श्लोकाद्यं ।

भीष्मपर्व (५१ ४), गीता के सदृश ही दुर्षोघन द्रोणाचार्य ने अपनी सेना का वर्णन कर रखा है।

१ १० अपमान्त० पूरा श्लोक ।

भीष्म ५१ ६

१. १२-१९ तक आठ श्लोक । भीष्म ५१. २२-२९; कुछ भेद रहते हुए शेष गीता के श्लोकों के समान ही है ।
१. ४५ अहो वत महत्पार्ष्णं० श्लोकार्ध । द्रोण. १९७. ५०; कुछ शब्दभेद है, शेष गीता के श्लोक के समान ।
२. १९ उर्भां तौ न विजानीत० श्लोकार्ध । शान्ति. २२४. १४; कुछ पाठभेद होकर बलि-वासव-संवाद और कठोपनिषद् में (२. १८) है ।
२. २८ अव्यक्तादीनि भूतानि० श्लोक । स्त्री. २. ६. ९-११; 'अव्यक्त'के बदले 'अभाव' है, शेष सब समान है ।
२. ३१ धर्म्याद्धि मुद्धात्श्रेयो० श्लोकार्ध । भीष्म. १२४. ३६; भीष्म कर्ण को यही बतला रहे हैं ।
२. ३२ यदृच्छया० श्लोक । कर्ण. ५७. २ 'पार्यं' के बदले 'कर्णं' पद रख कर दुर्योधन कर्ण से कह रहा है ।
२. ४६ यावान् अर्थ उदपाने० श्लोक । उद्योग. ४५. २६; सनत्सुजातीय प्रकरण में कुछ शब्दभेद से पाया जाता है ।
२. ५९ विषया विनिवर्तन्ते० श्लोक । शान्ति. २०४. १६; मनु-बृहस्पति-संवाद में अक्षरशः मिलता है ।
२. ६७ इन्द्रियाणा हि चरता० श्लोक । वन. २१०. २६; ब्राह्मण-व्याघ-संवाद में कुछ पाठभेद से आया है और पहले रथ का रूपक भी दिया गया है ।
२. ७० आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं० श्लोक । शान्ति. २५०. ९; शुकानुप्रश्न में ज्यों-का-त्यों आया है ।
३. ४२ इन्द्रियाणि पराण्याहुः० श्लोक । शान्ति. २४५. ३ और २४७. २ का कुछ पाठभेद से शुकानुप्रश्न में दो बार आया है । परन्तु इस श्लोक का मूलस्थान कठोपनिषद् में है (कठ. ३. १०) ।
४. ७ यदा यदा हि धर्मस्य० श्लोक । वन. १८९. २७; मार्कण्डेय-प्रश्न में ज्यों-का-त्यों है ।

- ४.३१ नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य० श्लोकार्धं । शान्ति. २६७.४०; गोकापिलीयाख्यान में पाया जाता है, और सब प्रकरण यज्ञविषयक ही है ।
- ४.४० नायं लोकोऽस्ति न परो० श्लोकार्धं । वन. १९९. ११०; मार्कण्डेय समस्यापर्व में शब्दशः मिलता है ।
- ५.५ यत्सांग्र्यैः प्राप्यते स्थानं० श्लोक । शान्ति. ३०५.१९ और ३१६.४. इन दोनों स्थानों में कुछ पाठभेद से वसिष्ठ-कराल और याज्ञवल्क्य-जनक के संवाद में पाया जाता है ।
- ५.१८ विद्याविनयमंपन्ने० श्लोक । शान्ति. २३८.१९; शुकानुप्रश्न में अक्षरशः मिलता है ।
- ६.५ आत्मैव ह्यात्मनो बन्धु० श्लोकार्धं । और आगामी श्लोक का अर्थ । उद्योग. ३३. ६३, ६४; विदुरनीति में ठीक ठीक मिलता है ।
- ६.२९ सर्वभूतस्थमात्मानं० श्लोकार्धं । शान्ति. २३८. २१; शुकानुप्रश्न, मनु-स्मृति (१२. ९१), ईशावास्या-पनिपद् (६) और कंबल्योपनिपद् (१. १०) में तो ज्यों-का-त्यों मिलता है ।
- ६.४४ जिज्ञानुरपि योगस्य० श्लोकार्धं । शान्ति. २३५. ७; शुकानुप्रश्न में कुछ पाठ-भेद करके रखा गया है ।
- ८.१७ सहस्रयुगपर्यन्तं० यह श्लोक पहले युगका अर्थ न बतला कर गीता में दिया गया है । शान्ति. २३१. ३१; शुकानुप्रश्न में अक्षरशः मिलता है; और युग का अर्थ बतलानेवाला कोष्टक भी पहले दिया गया है । मनुस्मृति में भी कुछ पाठान्तर से मिलता है (मनु. १. ७३) ।
- ८.२० यः सः सर्वेषु भूनेषु० श्लोकार्धं । शान्ति. ३३९. २३; नारायणीय धर्म में कुछ पाठान्तर होकर दो बार आना है ।
- ९.३२ म्त्रियां वैश्यास्तया० यह पूरा श्लोक और आगामी श्लोक का पूर्वार्ध । अश्व. १९. ६१; और ६२; अनुगीता में कुछ पाठान्तर के साथ ये श्लोक हैं ।

- १३.१३ सर्वतः पाणिपादं० श्लोक । शान्ति. २३८. २९, अश्व. १९. ४९;
शुकानुप्रश्न, अनुगीता तथा अन्यत्र भी
यह अक्षरशः मिलता है । इस श्लोक
का मूलस्थान श्वेताश्वेतरोपनिषद्
(३.१६) है ।
- १३.३० यदा भूतपृथग्भावं० श्लोक । शान्ति. १७. २३; युधिष्ठिर ने अर्जुन से
येही शब्द कहे हैं ।
- १४.१८ ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था०
श्लोक । अश्व. ३९. १०; अनुगीता के गुरु-शिष्य-
सवाद मे अक्षरशः मिलता है ।
- १६.२१ त्रिविधं नरकस्येदं० श्लोक । उद्योग. ३२.७; विदुरनीति मे अक्षरशः
मिलता है ।
१७. ३ श्रद्धामयोऽयं पुरुषः० श्लोकार्धं । शान्ति. २६३. १७; तुलाधार-जाजलि-
सवाद के श्रद्धाप्रकरण में मिलता है ।
- १८.१४ अधिष्ठानं तथा कर्ता० श्लोक । शान्ति. ३४७. ८७; नारायणीय धर्म में
अक्षरशः मिलता है ।

उक्त तुलना से यह बोध होता है, कि २७ पूरे श्लोक और १२ श्लोकार्ध, गीता तथा महाभारत के भिन्न भिन्न प्रकरणों मे — कही कही तो अक्षरशः और कही कही कुछ पाठान्तर होकर — एक ही से है; और, यदि पूरी तौर से जांच ली जावे, तो और भी बहुतेरे श्लोको तथा श्लोकार्धों का मिलना सम्भव है । यदि यह देखना चाहे, कि दो-दो अथवा तीन-तीन शब्द अथवा श्लोक के चतुर्थांश (चरण) गीता और महाभारत में कितने स्थानों पर एक-से हैं, तो उपर्युक्त तालिका कही अधिक बढ़ानी होगी । * परन्तु इस शब्दसाम्य के अतिरिक्त केवल उपर्युक्त तालिका के श्लोकसादृश का विचार करे, तो बिना यह कहे नहीं रहा जा सकता, कि महाभारत के अन्य

* यदि इस दृष्टि से सम्पूर्ण महाभारत देखा जाय, तो गीता और महाभारत में समान श्लोकपाद अर्थात् चरण सों से भी अधिक दीख पड़ेंगे । उनमें से कुछ यहाँ दिये जाते हैं — किं भोगेर्जीवितेन वा (गीता १. ३२), नेतस्त्वय्युपपद्यते (गीता २. ३), त्रायते महतो भयाद् (२. ४०) अशान्तस्य कुतः सुखम् (२. ६६), उत्सी देयुरिमे लोकाः (३. २४), मनो दुर्नि-
ग्रहं चलम् (६. ३५), ममात्मा भूतमावनः (९. ५), मोघाशा मोघकर्मागः (९. १९), समः सर्वेषु भूतेषु (९. २९), इतिमानलार्कद्युतिं (११. १७), सर्वभूतहिते रताः (१२. ४), हृत्पा-
निन्दास्तुतिः (१२. १९), सन्नुद्यो येन केनचित् (१२. १९), समलोशाश्मकाश्चनः (१४. २४), त्रिविधा कर्मचोदना (१८. १८), निर्ममः शान्तः (१८. ५३); मद्रभयाय कल्पते (१८. ५३) इत्यादि ।

प्रकरण और गीता ये दोनों एक ही लेखनी के फल हैं। यदि प्रत्येक प्रकरण पर विचार किया जाय, तो यह प्रतीत हो जायगा, कि उपर्युक्त २३ श्लोकों में से १ मार्कण्डेय-प्रश्न में, आवा मार्कण्डेय-समस्या में, १ ब्राह्मण-व्याधसंवाद में, २ विदुरनीति में, १ सनत्मुजातीय में, १ मनुबृहस्पति-संवाद में, ६॥ शुकानुप्रश्न में, ३ तुलाधार-जाजलि-संवाद में, १ वसिष्ठ-कराल और याज्ञवल्क्य-जनकसंवाद में, १॥ नारायणीय धर्म में, २॥ अनुगीता में और शेष भीष्म, द्रोण तथा स्त्रीपर्व में उपलब्ध हैं। इन में मे प्रायः सब जगह ये श्लोक पूर्वापर सन्दर्भ के उक्त उचित स्थानों पर ही मिलते हैं — प्रक्षिप्त नहीं हैं; और यह भी प्रतीत होता है, कि इनमें से कुछ श्लोक गीता ही में समारोप-दृष्टि से लिये गये हैं। उदाहरणार्थ, 'सहस्रयुगपर्यन्तम्' (गीता ८. १७) इस श्लोक के स्पष्टीकरणार्थ पहले वर्ष और युग की व्याख्या बतलाना आवश्यक था; और महाभारत (शा. २३१) तथा मनुस्मृति में इस श्लोक के पहले उनके लक्षण भी कहे गये हैं। परन्तु गीता में यह श्लोक ('युग' आदि की व्याख्या न बतला कर) एकदम कहा गया है। इस दृष्टि से विचार करने पर यह नहीं कहा जा सकता, कि महाभारत के अन्य प्रकरणों में ये श्लोक गीता ही में उद्धृत किये गये हैं; और, इनके भिन्न भिन्न प्रकरणों में से गीता में इन श्लोकों का लिया जाना भी सम्भव नहीं है। अतएव, यही कहना पड़ता है, कि गीता और महाभारत के इन प्रकरणों का लिखनेवाला कोई एक ही पुरुष होना चाहिये। यहाँ यह बतला देना आवश्यक प्रतीत होता है, कि जिस प्रकार मनुस्मृति के कई श्लोक महाभारत में मिलते हैं, उसी प्रकार गीता का यह पूर्ण श्लोक 'सहस्रयुगपर्यन्तम्' (८. १७) कुछ हेरफेर के साथ, और यह श्लोकाद्यं "श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात्" (गीता ३.३५ और गी. १८. ४७) — 'श्रेयान्' के बदले 'वर्' पाठान्तर होकर-मनुस्मृति में पाया जाता है, तथा 'सर्वभूतस्थमात्मानम्' यह श्लोकाद्यं भी (गीता ६. २९) 'सर्वभूतेषु चात्मानम्' इस रूप में मनुस्मृति में पाया जाता है (मनु. १. ७३; १०. ९७; १२. ९१)। महाभारत के अनुशासनपर्व में तो 'मनुनाभिहितं शास्त्रम्' (अनु. ४७. ३५) कह कर मनुस्मृति का स्पष्ट रीति में उल्लेख किया गया है।

अध्यात्मदर्शन के बदले यदि अर्थमादृश्य देखा जाय, तो भी उक्त अनुमान दृढ़ हो जाता है। पिछले प्रकरणों में गीता के कर्मयोगमार्ग और प्रवृत्तिप्रधान भागवत-धर्म में व्यक्तनृपिणी उपपत्ति की जो यह परम्परा बतलाई गई है, कि वामुदेव ने मत्तवर्षण, मत्तवर्षण में प्रद्युम्न, प्रद्युम्न ने अनिरुद्ध और अनिरुद्ध ने ब्रह्मदेव हुए; वह गीता में नहीं ली गई। इनके अनिरुद्ध यह भी सब है, कि गीताधर्म और

* 'शास्त्रधर्मदुग्धकामला' में मनुस्मृति का अर्थही अनुवाद प्रकाशित हुआ है। उसमें कुछ मात्र में एक फेहरास्त जोड़ दी है, और यह भी बतलाया है, कि मनुस्मृति के तीन कौन-से श्लोक महाभारत में मिलते हैं (S. B. E. Vol. XXV. p. 533 इत्यादि)

नारायणीय धर्म में अनेक भेद है। परन्तु चतुर्व्यूह परमेश्वर की कल्पना गीता को मान्य भले न हो, तथापि गीता के सिद्धान्तों पर विचार करने से प्रतीत होता है, कि गीताधर्म और भागवतधर्म एक ही से है। वे सिद्धान्त ये हैं— एकव्यूह वासुदेव की भक्ति ही राजमार्ग है; किसी भी अन्य देवता की भक्ति की जाय, वह वासुदेव ही को अर्पण हो जाती है, भक्त चार प्रकार के होते हैं, स्वधर्म के अनुसार सब कर्म करके भगवद्भक्त को यज्ञचक्र जारी रखना चाहिये, और सन्यास लेना उचित नहीं है। पहले यह भी बतलाया जा चुका है, कि विवस्वान्, मनु, इक्ष्वाकु आदि साम्प्रदायिक परम्परा भी दोनों ओर एक ही है। इसी प्रकार सनत्सुजातीय, शुकानुप्रश्न, याज्ञवल्क्य-जनकसवाद, अनुगीता इत्यादि प्रकरणों को पढ़ने से यह बात ध्यान में आ जायगी, कि गीता में वर्णित वेदान्त या अध्यात्मज्ञान भी उक्त प्रकरणों में प्रतिपादित ब्रह्मज्ञान से मिलता-जुलता है। कापिलसाख्यशास्त्र के २५ तत्त्वों और गुणोत्कर्ष के सिद्धान्त से सहमत होकर भी भगवद्गीता ने जिस प्रकार यह माना है, कि प्रकृति और पुरुष के भी परे कोई नित्यतत्त्व है, उसी प्रकार शान्तिपर्व के वसिष्ठ-कराल-जनक सवाद में और याज्ञवल्क्य-जनक-सवाद में विस्तारपूर्वक यह प्रतिपादन किया गया है, कि साख्यों के २५ तत्त्वों के परे एक 'छञ्चीसवाँ' तत्त्व और है, जिसके ज्ञान के बिना कैवल्य प्राप्त नहीं होता। यह विचारसादृश्य केवल कर्मयोग या अध्यात्म इन्हीं दो विषयों के सम्बन्ध में नहीं दीख पड़ता, किन्तु इन दो मुख्य विषयों के अतिरिक्त गीता में जो अन्यान्य विषय हैं, उनकी बराबरी के प्रकरण भी महाभारत में कई जगह पाये जाते हैं। उदाहरणार्थ, गीता के पहले अध्याय के आरम्भ में द्रोणाचार्य से दोनों सेनाओं का जैसा वर्णन दुर्योधन ने किया है, ठीक वैसा ही—आगे भीष्मपर्व के ५१ वे अध्याय में—उसने फिर से द्रोणाचार्य ही के निकट किया है। पहले अध्याय के उत्तरार्ध में अर्जुन को जैसा विपाद हुआ, वैसा ही युधिष्ठिर को शान्तिपर्व के आरम्भ में हुआ है, और जब भीष्म तथा द्रोण का 'योगबल' से वध करने का समय सनीप आया, तब अर्जुन ने अपने मुख से फिर भी वैसे ही खेदयुक्त वचन कहे हैं (भीष्म ९७ ४-७; और १०८. ८८-९४)। गीता (१ ३२, ३३) के आरम्भ में अर्जुन ने कहा है, कि जिनके लिये उपभोग प्राप्त करना है, उन्हीं का वध करके जय प्राप्त करे, तो उसका उपयोग ही क्या होगा? और जब युद्ध में सब कौरवों का वध हो गया, तब यही बात दुर्योधन के मुख से भी निकली है (शल्य. ३१ ४२-५१)। दूसरे अध्याय के आरम्भ में जैसे साख्य और कर्मयोग ये दोनों निष्ठाएँ बतलाई गई हैं, वैसे ही नारायणीय धर्म में और शान्तिपर्व के जापकोपाख्यान तथा जनक-मुलमा-सवाद में भी इन निष्ठाओं का वर्णन पाया जाता है (शा. १९६ और ३२०)। तीसरे अध्याय में कहा है—अवर्म की अपेक्षा कर्म श्रेष्ठ है, कर्म न किया जाय, तो उपजीविका भी न हो सकेगी, इत्यादि। सो यही बातें वनपर्व के आरम्भ में द्रौपदी ने युधिष्ठिर से बही हैं (वन. ३२); और

उन्हीं तत्त्वों का उल्लेख अनुगीता में फिर से किया गया है। श्रौतधर्म या स्मार्तधर्म यज्ञमय है, यज्ञ और प्रजा को ब्रह्मदेव ने एक ही साय निर्माण किया है, इत्यादि गीता का प्रवचन नारायणीय धर्म के अतिरिक्त शान्तिपर्व के अन्य स्थानों में (शां. २६७) और मनुस्मृति (३) में भी मिलता है। तुलाधार-जाजली-संवाद में तथा ब्राह्मण-व्याध-संवाद में भी यही विचार मिलते हैं, कि स्वधर्म के अनुसार कर्म करने में कोई पाप नहीं है (शां. २६०-२६३ और वन. २०६-२१५)। इसके सिवा, सृष्टि की उत्पत्ति का थोड़ा वर्णन गीता के सातवें और आठवें अध्यायों में है, उसी प्रकार का वर्णन शान्तिपर्व के शुकानुप्रश्न में भी पाया जाता है (शां. २३१)। और छठवें अध्याय में पातञ्जलयोग के आसनो का जो वर्णन है, उसी का फिर से शुकानुप्रश्न (शां. २३९) में और आगे चलकर शान्तिपर्व के अध्याय ३०० में तथा अनुगीता में विस्तारपूर्वक विवेचन किया गया है (अश्व. १९)। अनुगीता के गुरुशिष्यसंवाद में किये गये मध्यमोत्तम वस्तुओं के वर्णन (अश्व. ४३ और ४४) और गीता के दसवें अध्याय के विभूतिवर्णन के विषय में तो यह कहा जा सकता है, कि इन दोनों का प्रायः एक ही अर्थ है। महाभारत में कहा है, कि गीता में भगवान् ने अर्जुन को जो विश्वरूप दिखलाया था, वही सन्धि-प्रस्ताव के समय दुर्योधन आदि कौरवों को, और युद्ध के बाद द्वाका को लौटते समय मार्ग में उत्तङ्क को भगवान् ने दिखलाया; और नारायण ने नारद तथा दाशरथि राम ने परशुराम को दिखलाया (उ. १३०; अश्व. ५५; शां. ३३९; वन. ९९)। इममें मन्देह नहीं, कि गीता का विश्वरूपवर्णन इन चारों स्थानों के वर्णनों से कहीं अधिक मुरम और विन्मृत है; परन्तु मय वर्णनों को पढ़ने से यह सहज ही मालूम हो जाता है, कि अर्थमादृश्य की दृष्टि से उनमें कोई नवीनता नहीं है। गीता के चौदहवें और पन्द्रहवें अध्यायों में इन बातों का निरूपण किया गया है, कि सत्त्व, रज और तम इन् तीनों गुणों के कारण सृष्टि में मिश्रता कैसी होती है; इन गुणों के लक्षण क्या हैं; और मय कर्तृत्व गुणों ही का है, आत्मा का नहीं; ठीक इसी प्रकार इन तीनों का वर्णन अनुगीता (अश्व. ३६-३९) और शान्तिपर्व में भी अनेक स्थानों में पाया जाता है (शां. २८५ और ३३०-३११)। माराग, गीता में जिम प्रमदग का वर्णन किया गया है; उसके अनुसार गीता में कुछ विषयों का विवेचन अधिक विन्मृत हो गया है; और गीता के सब विचारों से समानता रखनेवाले विचार महाभारत में भी पृथक् पृथक्, कहीं-न-कहीं, न्यूनाधिक पाये ही जाते हैं। और यह बतलाने की आवश्यकता नहीं, कि विचारमादृश्य के मापही-माप थोड़ी-बहुत समानता शब्दों में भी आप-ही आप आ जाती है। मार्गशीर्ष महीने के सम्बन्ध की मादृश्यता तो बहुत ही बिलक्षण है। गीता में 'मानाना मार्गशीर्षोऽहम्' (गीता १०. ३५) कह कर इन माम को जिम प्रकार पहला म्यान दिया है, उर्गा प्रसार अनुगासनपर्व के दानधर्म-प्रकरण में जहाँ उपवास के त्रिये महीनों के नाम बतलाने का मौका दो बार आया है, वहाँ प्रत्येक बार मार्गशीर्ष में ही

महिनी की गिनती आरम्भ की गई है (अनु. १०६ और १०९)। गीता में वर्णित आत्मोपम्य की या सर्व-भूत-हित की दृष्टि, अथवा आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक भेद तथा देवयान और पितृयान-नाति का उल्लेख महाभारत के अनेक स्थानों में पाया जाता है। पिछले प्रकरणों में इनका विस्तृत विवेचन किया जा चुका है; अतएव यहाँ पर पुनरुक्ति की आवश्यकता नहीं।

भाषासादृश्य की ओर देखिये, या अर्थसादृश्य पर ध्यान दीजिये, अथवा गीता के विषय जो महाभारत में छ-सात उल्लेख मिलते हैं, उन पर विचार कीजिये; अनुमान यही करना पड़ता है, कि गीता वर्तमान महाभारत का ही एक भाग है; और जिस पुरुष ने वर्तमान महाभारत की रचना की है, उसी ने वर्तमान गीता का भी वर्णन किया है। हमने देखा है, कि इन सब प्रमाणों की ओर दुर्लक्ष्य करके अथवा किसी तरह उनका अटकल-पच्चू अर्थ लगा कर कुछ लोगो ने गीता को प्रक्षिप्त सिद्ध करने का यत्न किया है। परन्तु जो लोग वाह्य प्रमाणों को नहीं मानते, और अपने ही सशयरूपी पिशाच को अग्रस्थान दिया करते हैं, उनकी विचारपद्धति सर्वथा अशास्त्रीय अतएव अग्राह्य है। हाँ, यदि इस बात की उपपत्ति ही मालूम न होती, कि गीता को महाभारत में क्यो स्थान दिया गया है, तो बात कुछ और थी। परन्तु (जैसा कि इस प्रकरण के आरम्भ में बतला दिया गया है) गीता केवल वेदान्तप्रधान अथवा भक्तिप्रधान नहीं है। किन्तु महाभारत में जिन प्रमाणभूत श्रेष्ठ पुरुषों के चरित्रों का वर्णन किया गया है, उनके चरित्रों का नीतितत्त्व या मर्म बतलाने के लिये महाभारत में कर्मयोगप्रधान गीता का निरूपण अत्यन्त आवश्यक था, और, वर्तमान समय में महाभारत के जिस स्थान पर वह पाई जाती है, उससे बढ़कर, (काव्यदृष्टि से भी) कोई अधिक योग्य स्थान उसके लिये दीख नहीं पड़ता। इतना सिद्ध होनेपर अन्तिम सिद्धान्त यही निश्चित होता है, कि गीता महाभारत में उचित कारण से और उचित स्थान पर ही कही गई है — वह प्रक्षिप्त नहीं है। महाभारत के समान रामायण भी सर्वमान्य और उत्कृष्ट आर्ष महाकाव्य है, और उस में भी कथा-प्रसङ्गानुसार सत्य, पुत्रधर्म, मातृधर्म आदि का मार्मिक विवेचन है। परन्तु यह बतलाने की आवश्यकता नहीं, कि वाल्मीकी ऋषि का मूलहेतु अपने काव्य को महाभारत के समान “अनेकसमयान्वित, सूक्ष्म धर्म-अधर्म के न्यायो से ओतप्रोत, और सब लोगो को शील तथा सच्चरित्र की शिक्षा देने में सब प्रकार से समर्थ” बनाने का नहीं था। इसलिये धर्म-अधर्म, कार्य-अकार्य या नीति की दृष्टि से महाभारत की योग्यता रामायण से कही बढ़कर है। महाभारत केवल आर्ष काव्य या केवल इतिहास नहीं है, किन्तु वह एक संहिता है, जिसमें धर्म-अधर्म के सूक्ष्म प्रसङ्गों का निरूपण किया गया है। और यदि इस धर्मसंहिता में कर्मयोग का शास्त्रीय तथा तात्त्विक विवेचन न किया जाय, तो फिर वह कहाँ किया जा सकता है? केवल वेदान्त-ग्रन्थों में यह विवेचन नहीं किया जा सकता। उसके लिये योग्य स्थान धर्मसंहिता

ही है। और यदि महाभारतकार ने यह विवेचन न किया होता, तो यह धर्म-अधर्म का बृहत् मंग्रह अथवा पाँचवाँ वेद उत्तना ही अपूर्ण रह जाता। इस वृष्टि की पूर्ति करने के क्रिये ही भगवद्गीता महाभारत में रखी गई है। मचमुच यह बड़ा भाग्य है, कि इस कर्मयोगशास्त्र का मण्डन महाभारतकार जैसे उत्तम ज्ञानी मत्पुत्र्य ने ही किया है, जो वेदान्तशास्त्र के समान ही व्यवहार में भी अत्यन्त निपुण थे।

इस प्रकार मिथ हो चुका, कि वर्तमान भगवद्गीता प्रचलित महाभारत ही का एक भाग है। अब उसके अर्थ का कुछ अधिक स्पष्टीकरण करना चाहिये। भारत और महाभारत शब्दों को हम लोग समानार्थक समझते हैं; परन्तु वस्तुतः वे दो भिन्न भिन्न शब्द हैं। व्याकरण की दृष्टि से देखा जाय, तो 'भारत' नाम उभ ग्रन्थ को प्राप्त हो सकता है, जिसमें भरतवशी राजाओं के पराक्रम का वर्णन हो। रामायण, भागवत आदि ग्रन्थों की व्युत्पत्ति ऐसी ही है। और, इस रीति से भारतीय युद्ध का जिन ग्रन्थ में वर्णन है, उसे केवल 'भारत' कहना यथेष्ट हो सकता है; फिर वह ग्रन्थ चाहे जितना विस्तृत हो। रामायणग्रन्थ कुछ छोटा नहीं है; परन्तु उसे कोई महा-रामायण नहीं कहता। फिर भारत ही को 'महाभारत' क्यों कहें हैं? महाभारत के अन्त में यह बतलाया है, कि महत्त्व और भारतत्व इन दो गुणों के कारण, इस ग्रन्थ को महाभारत नाम दिया गया है (स्वर्गा. ५. ४४)। परन्तु 'महाभारत' का मरल शब्दार्थ 'बड़ा भारत' होता है। और ऐसा अर्थ करने से यह प्रश्न उत्पन्न है, कि 'बड़े' भारत के पहले क्या कोई 'छोटा' भारत भी था? और, उसमें गीता था या नहीं? वर्तमान महाभारत के आदिपर्व में लिखा है, कि उपाध्यायों के अनिश्चित महाभारत के श्लोकों की संख्या चौबीस हजार है (आ. १. १०१); और आगे चलकर यह भी लिखा है, कि पहले इसका 'जय' नाम था (आ. ६२. २०)। 'जय' शब्द से भारतीय युद्ध में पाण्डवों के जय का बोध होना है; और ऐसा अर्थ करने से यही प्रतीत होना है, कि पहले भारतीय युद्ध का वर्णन 'जय' नामक ग्रन्थ में किया गया था। आगे चल कर उर्मा ऐतिहासिक ग्रन्थ में अनेक उपाध्याय जोड़ दिये गये; और इस प्रकार महाभारत - एक बड़ा ग्रन्थ हो गया, जिसमें इतिहास और धर्म-अधर्म-विवेचन का भी निरूपण किया गया है। धान्दरायन गृह्यसूत्रों के ऋषिपतपंथ में - 'मुमन-त्रैमिनि-त्रैगम्यात्रन-मैल-सूत्र-भाष्य-भाग्य-महाभारत-धर्माचार्याः' (आ. गृ. ३. ४. ४) - भारत और महाभारत दो भिन्न भिन्न ग्रन्थों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है; इससे भी उक्त अनुमान ही दृढ़ हो जाना है। इस प्रकार छोटे भारत का बड़े भारत में समावेश हो जाने से कुछ बाद के बाद छोटा 'भारत' नामक स्वतन्त्र ग्रन्थ शेष नहीं रहा; और स्वमानत. लोगों में यह समझ हो गई, कि केवल 'महाभारत' ही एक भाग्य-ग्रन्थ है। वर्तमान महाभारत की पाँचों में यह वर्णन मिथ्या है, कि व्यासजी ने पहले अपने पुत्र (शुक) को और अनन्तर अपने अन्य शिष्यों को भारत पढ़ाया था (आ. १. १०३); और

आगे यह भी कहा, कि मुमन्तु, जैमिनि, पैल, शुक और वैशम्पायन, इन् पाँच शिष्यों ने पाँच भिन्न भिन्न भारतसहिताओं की रचना की (आ. ६३.९०)। इस विषय में यह कथा पाई जाती है, कि इन पाँच महाभारतो में से वैशम्पायन के महाभारत को और जैमिनी के महाभारत में केवल अश्वमेधपर्व ही को व्यासजी ने रख लिया। इससे अब यह भी मालूम हो जाता है, कि ऋषितर्पण में 'भारत-महाभारत' शब्दों के पहले मुमन्तु आदि नाम क्यों रखे गये हैं। परन्तु यहाँ इस विषय में इतने गहरे विचार का कोई प्रयोजन नहीं। रा. व चितामणराव वैद्य ने महाभारत के अपने टीकाग्रन्थ में इस विषय का विचार करके जो सिद्धान्त स्थापित किया है, वही हमें सयुक्तिक मालूम होता है। अतएव यहाँ पर इतना कह देना ही यथेष्ट होगा, कि वर्तमान समय में जो महाभारत उपलब्ध है, वह मूल में वैसा नहीं था। भारत या महाभारत के अनेक रूपान्तर हो गये हैं; और उस ग्रन्थ को जो अन्तिम स्वरूप प्राप्त हुआ, वह हमारा वर्तमान महाभारत है। यह नहीं कहा जा सकता, कि मूल भारत में गीता न रही होगी। हाँ, यह प्रकट है, कि सनत्सुजातीय, विदुरनीति, शुकानुप्रश्न, याज्ञवल्क्य-जनक-सवाद, विष्णुसहस्रनाम, अनुगीता, नारायणीय धर्म आदि प्रकरणों के समान ही वर्तमान गीता को भी महाभारतकारने पहले ग्रन्थों के आधार पर ही लिखा है—नई रचना नहीं की है। तथापि, यह भी निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता, कि, मूल गीता में महाभारतकार ने कुछ भी हेम्फेर न किया होगा। उपर्युक्त विवेचन से यह बात सहज ही समझ में आ सकती है, कि वर्तमान सात सौ श्लोकों की गीता वर्तमान महाभारत ही का एक भाग है, दोनों की रचना भी एक ने की है, और वर्तमान महाभारत में वर्तमान गीता को किसी ने बाद में मिला नहीं दिया है। आगे यह भी बतलाया जायगा, कि वर्तमान महाभारत का समय कौन-सा है, और मूलगीता के विषय में हमारा मत क्या है।

भाग २ — गीता और उपनिषद्

अब देखना चाहिये, कि गीता और भिन्न भिन्न उपनिषदों का परस्पर सम्बन्ध क्या है। वर्तमान महाभारत ही में स्थान स्थान पर सामान्य रीति से उपनिषदों का उल्लेख किया गया है, और बृहदारण्यक (१.३) तथा छान्दोग्य (१.२) में वर्णित प्राप्तेन्द्रियों के युद्ध का हाल भी अनुगीता (अश्व. २३) में है, तथा 'न मे स्तेनो जनपदे' आदि कैवेय-अश्वपति राजा के मुख से निकले हुए शब्द भी (छा. ५.११.५) शान्तिपर्व में उक्त राजा की कथा का वर्णन करते समय ज्यो-के-त्यो पाये जाते हैं (शा. ७.७.८)। इसी प्रकार शान्तिपर्व के जनक-पञ्चशिख-सवाद में बृहदारण्यक (४.५.१३) का यह विषय मिलता है, कि 'न प्रेत्य सञ्जास्ति' अर्थात् मरने पर ज्ञात को कोई संज्ञा नहीं रहती (क्योंकि वह ब्रह्म में मिल जाता है), और वही अन्त में प्रश्न (६.५) तथा मुण्डक (३.२.८) उपनिषदों में वर्णित नदी और समुद्र का दृष्टान्त नाम-रूप से विमुक्त पुरुष के विषय में दिया गया है। इन्द्रियों को छोड़ें
गी. र. ३४

कह कर ब्राह्मण-व्याघ-संवाद (वन. २१०) और अनुगीता में वृद्धि को सारथी की जो उपमा दी गई है, वह भी कठोपनिषद् से ही ली गई है (क. १.३.३); और कठोपनिषद् के ये दोनो श्लोक — 'एष सर्वेषु भूतेषु गूढात्मा' (कठ. ३१२) और 'अन्यत्र घर्मादिन्यत्राघर्मात्' (कठ. २.१४) — भी शान्तिपर्व में दो स्थानों पर (१८७.२९ और ३३१.४४) कुछ फेरफार के साथ पाये जाते हैं। श्वेताश्वतर का 'सर्वत. पाणिपादम्' श्लोक भी, जैसा कि पहले कह आये हैं, महाभारत में अनेक स्थानों पर और गीता में भी मिलता है। परन्तु केवल इतने ही में यह सादृश्य पूरा नहीं हो जाता। इनके सिवा उपनिषदों के और भी बहुत-से वाक्य महाभारत में कई स्थानों पर मिलते हैं। यहाँ क्यों; यह भी कहा जा सकता है, कि महाभारत का अध्यात्मज्ञान प्रायः उपनिषदों से ही लिया गया है।

गीतारहस्य के नौवें और तेरहवें प्रकरणों में हमने विस्तारपूर्वक दिखला दिया है, कि महाभारत के समान ही भगवद्गीता का अध्यात्मज्ञान भी उपनिषदों के आधार पर न्यापित है। और गीता में भक्तिमार्ग का जो वर्णन है, वह भी इस ज्ञान से अलग नहीं है। अतएव यहाँ उसको द्वारा न लिख कर संक्षेप में सिर्फ यही बतलाते हैं, कि गीता के द्वितीय अध्याय में वर्णित आत्मा का अशोच्यत्व, आठवें अध्याय का अक्षरब्रह्मस्वरूप और तेरहवें अध्याय का क्षेत्रक्षेत्रज्ञविचार तथा विशेष करके 'ज्ञेय' परब्रह्म का स्वरूप — इन सब विषयों का वर्णन गीता में अक्षरशः उपनिषदों के आधार पर ही किया गया है। कुछ उपनिषद् गद्य में हैं और कुछ पद्य में हैं। उनमें से गद्यात्मक उपनिषदों के वाक्यों को पद्यमय गीता में ज्यों-ज्यों उद्धृत करना संभव नहीं; तथापि जिन्होंने छान्दोग्योपनिषद् आदि को पढ़ा है, उनमें ध्यान में यह बात सहज ही आ जायगी, कि "जो है सो है; और जो नहीं, सो नहीं" (गीता २. १६) तथा 'यं य वापि स्मरन् भावम्' (गीता ८. ६) इत्यादि विचार छान्दोग्योपनिषद् में लिखे गये हैं; और 'क्षीणे पुण्ये' (गीता ९. २१), 'ज्योतिषा ज्योतिः' (गीता १३. १७) तथा 'मात्रास्पर्शा' (गीता २. १४) इत्यादि विचार और वाक्य बृहदारण्यक उपनिषद् से लिखे गये हैं। परन्तु गद्य उपनिषदों को छोड़ जब पद्यात्मक उपनिषदों पर विचार करते हैं, तो यह समता इसमें भी अधिक स्पष्ट द्यक्त हो जाती है। क्योंकि इन पद्यात्मक उपनिषदों के कुछ श्लोक ज्यों-ज्यों भगवद्गीता में उद्धृत किये गये हैं। उदाहरणार्थ, कठोपनिषद् के छ. - मान श्लोक अक्षरशः अथवा कुछ शब्दभेद में गीता में लिखे गये हैं। गीता के द्वितीय अध्याय का 'आश्चर्यवत्पश्यन्' (२. २९) श्लोक, कठोपनिषद् की द्वितीय बल्ली के 'आश्चर्यो वक्ता०' (कठ २. ७) श्लोक के समान है; और 'न जायते म्रियते वा कदाचिन्' (गीता २. २०) श्लोक तथा 'यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति०' (गीता ८. ११) श्लोक, गीता और कठोपनिषद् में अक्षरशः एक ही हैं (कठ ०. १९, ०. १५)। यह पहले ही बतला दिया गया है, कि गीता का 'इन्द्रियाणि पराण्याह०' (३. ४२) श्लोक कठोपनिषद् (कठ ३. १०)

से लिया गया है। इसी प्रकार गीता के पन्द्रहवें अध्याय में वर्णित अश्वत्थ वृक्ष का रूपक कठोपनिषद् में और 'न तद्भासयते सूर्यो' (गीता १५.६) श्लोक कठ तथा श्वेताश्वतर उपनिषदों से - शब्दों में कुछ फेरफार करके - लिया गया है। श्वेताश्वतर उपनिषद् की बहुतेरी कल्पनाएँ तथा श्लोक भी गीता में पाये जाते हैं। नीचें प्रकरण में कह चुके हैं, कि माया शब्द का प्रयोग पहले पहल श्वेताश्वतरोपनिषद् में हुआ है; और वही से वह गीता तथा महाभारत में लिया गया होगा। शब्दसादृश्य से यह भी प्रकट होता है, कि गीता के छठवे अध्याय में योगाभ्यास के लिये योग्य स्थल का जो यह वर्णन किया गया है - 'शुची देशे प्रतिष्ठाप्य' (गीता ६.११) - वह 'समे शुची' आदि (श्वे. २.१०) मन्त्र से लिया गया है, और 'समं कायशिरोग्रीवं' (गीता ६.१३) ये शब्द 'त्रिरुन्नत स्थाप्य समं शरीरम्' (श्वे. २.८) इन मन्त्र से लिये हैं। इसी प्रकार 'सर्वतः पाणिपादं' श्लोक तथा उसके आग का श्लोकार्ध भी गीता (१३.१३) और श्वेताश्वतरोपनिषद् में शब्दशः मिलता है (श्वे. ३.१६); और 'अणोरणीयांसम' तथा 'आदित्यवर्णं तमसः परस्तात' पद भी गीता (८.९) में और श्वेताश्वतरोपनिषद् (३.९.२०) में एक ही से हैं। इनके अतिरिक्त गीता और उपनिषदों का शब्दसादृश्य यह है, कि 'सर्वभूतस्थमात्मानम्' (गीता ६.२९) और 'वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो' (गीता १५.१५) ये दोनों श्लोकार्ध कवलयोपनिषद् (१.१०; २.३) में ज्यो-के-त्यो मिलते हैं। परन्तु इस शब्दसादृश्य के विषय पर अधिक विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं। क्योंकि इस बात का किसी को भी सन्देह नहीं है, कि गीता का वेदान्त-विषय उपनिषदों के आधार पर प्रतिपादित किया गया है। हमें विशेष कर यही देखना है, कि उपनिषदों के विवेचन में और गीता के विवेचन में कुछ अन्तर है या नहीं; और यदि है, तो किस बात में। अतएव, अब उसी पर दृष्टि डालना चाहिये।

उपनिषदों की संख्या बहुत है। उनमें से कुछ उपनिषदों की भाषा तो इतनी अर्वाचीन है, कि उनका और पुराने उपनिषदों असमकालीन होना सहज ही मालूम पड़ जाता है। अतएव गीता और उपनिषदों में प्रतिपादित विषयों के सादृश्य का विचार करते समय, इस प्रकरण में हमने प्रधानता से उन्हीं उपनिषदों को तुलना के लिये लिया है, जिनका उल्लेख ब्रह्मसूत्रों में है। इन उपनिषदों के अर्थ को और गीता के अध्याय को जब हम मिला कर देखते हैं, तब प्रथम यही बोध होता है, कि यद्यपि दोनों में निर्गुण परब्रह्म का स्वरूप एक-सा है, तथापि निर्गुण से सगुण की उत्पत्ति का वर्णन करते समय, 'अविद्या' शब्द के बदले 'माया' या 'अज्ञान' शब्द ही का उपयोग गीता में किया गया है। नीचें प्रकरण में इस बात का स्पष्टीकरण कर दिया गया है, कि 'माया' शब्द श्वेताश्वतरोपनिषद् में आ चुका है; नामरूपात्मक अविद्या के लिये ही यह दुसरा पर्याय शब्द है; तथा यह भी ऊपर बतला दिया गया है, कि श्वेताश्वतरोपनिषद् के कुछ श्लोक गीता में अक्षरशः पाये जाते हैं। इससे पहल

यह अनुमान किया जाता है, कि - 'सर्वं खल्विदं ब्रह्म' (छां. ३. १४. १) या 'सर्वमात्मानं पश्यति' (वृ. ४. ४. २३) अथवा 'सर्वभूतेषु चात्मानम्' (इं. ६) इस सिद्धान्त का अथवा उपनिषदों के सारे अध्यात्मज्ञान का यद्यपि गीता में संग्रह किया गया है, तथापि गीताग्रन्थ तब बना होगा, जब कि नामरूपात्मक अविद्या को उपनिषदों में ही 'माया' नाम प्राप्त हो गया होगा।

अब यदि इस बात का विचार करें, कि उपनिषदों के और गीता के उपपादन में क्या भेद है, तो दीख पड़ेगा, कि गीता में कापिलसांख्यशास्त्र को विशेष महत्त्व दिया गया है। बृहदारण्यक और छान्दोग्य दोनों उपनिषद् ज्ञानप्रधान हैं; परन्तु उनमें तो सांख्यप्रक्रिया का नाम भी दीख नहीं पड़ता। और कठ आदि उपनिषदों में यद्यपि अव्यक्त, महान् इत्यादि सांख्यो के शब्द आये हैं, तथापि यह स्पष्ट है, कि उनका अर्थ सांख्यप्रक्रिया के अनुसार न कर के वेदान्तपद्धति के अनुसार करना चाहिये। सैत्र्युपनिषद् के उपामना को भी यही न्याय उपयुक्त किया जा सकता है। इस प्रकार सांख्यप्रक्रिया को बहिष्कृत करने की सीमा यहाँ तक आ पहुँची है, कि वेदान्तमूर्तों में पञ्चीकरण के बदले छान्दोग्य उपनिषद् के आधार पर त्रिवृत्करण ही ने सृष्टि के नामरूपात्मक वैचल्य की उपपत्ति बतलाई गई है (वे. सू. २. ४. २०)। सांख्यों को एकदम अलग करके अध्यात्म के क्षर अक्षर का विवेचन करने की यह पद्धति गीता में स्वीकृत नहीं हुई है। तथापि स्मरण रहे, कि गीता में सांख्यों के सिद्धान्त ज्यों-के-त्यों नहीं ले लिये गये हैं। त्रिगुणात्मक अव्यक्त प्रकृति में, गुणोत्कर्ष के अनुसार, व्यक्त सृष्टि उत्पत्ति होने के विषय से सांख्यों के जो सिद्धान्त हैं, वे गीता की ग्राह्य हैं; और उनके इस मत में भी गीता महमत है, कि पुरुष निर्गुण हो कर द्रष्टा है। परन्तु द्वैत-सांख्यज्ञान पर अद्वैत-वेदान्त का पहले इस प्रकार प्राबल्य स्थापित कर दिया है, कि प्रकृति और पुरुष स्वतन्त्र नहीं हैं। वे दोनों उपनिषद् में वर्णित आत्मरूपी एक ही परब्रह्म के रूप अर्थात् विभूतियाँ हैं; और फिर सांख्यों ही के क्षर-अक्षरविचार का वर्णन गीता में किया गया है। उपनिषदों के ब्रह्मात्मकव्यक्त अद्वैतमन के साथ स्थापित किया हुआ द्वैत सांख्यों के सृष्टिसृष्टित्कम का यह मेल गीता के समान महाभारत के अन्य स्थानों में किये हुए अध्यात्मविवेचन में भी पाया जाता है। और ऊपर जो अनुमान किया गया है, कि दोनों ग्रन्थ एक ही व्यक्ति के द्वारा रचे गये हैं, वह उस मेल में और भी दृढ़ हो जाता है।

उपनिषदों की अपेक्षा गीता के उपपादन में जो दूसरी महत्त्वपूर्ण विशेषता है, वह व्यक्तोपागमना अथवा भक्तिमार्ग है। भगवद्गीता के समान उपनिषदों में भी केवल यज्ञयाग आदि कर्म ज्ञानदृष्टि में गौण माने गये हैं। परन्तु व्यक्त मानवदेहधारी ईश्वर की उपागमना प्राचीन उपनिषदों में नहीं दीख पड़ती। उपनिषत्कार इस तन्त्र में महमत हैं, कि अव्यक्त और निर्गुण परब्रह्म का आकलन होना कठिन है। इन्द्रिये मन, आकाश, सूयं, अग्नि, यज्ञ आदि सगुण प्रतीकों की उपागमना करनी चाहिये।

परन्तु उपासना के लिये प्राचीन उपनिषदों में जिन प्रतीकों का वर्णन किया गया है, उनमें मनुष्यदेहधारी परमेश्वर के स्वरूप का प्रतीक नहीं बतलाया गया है। मैत्र्यु-पनिषद् (७.७) में कहा है, कि रुद्र, विष्णु, अच्युत, नारायण ये सब परमात्मा ही के रूप हैं। श्वेताश्वतरोपनिषद् में 'महेश्वर' आदि शब्द प्रयुक्त हुए हैं; और 'ज्ञात्वा देव मुच्यते सर्वपाशैः' (श्वे. ५. १३) तथा 'यस्य देवे परा भक्तिः' (श्वे. ६. २३) आदि वचन भी श्वेताश्वतर में पाये जाते हैं। परन्तु यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता, कि इन वचनों में नारायण, विष्णु आदि शब्दों में विष्णु के मानव-देहधारी अवतार ही विवक्षित हैं। कारण यह है, कि रुद्र और विष्णु ये दोनों देवता वैदिक अर्थात् प्राचीन हैं; तब यह कैसे मान लिया जाय, कि 'यज्ञो वै विष्णुः' (तै. सं. १. ७. ४) इत्यादि प्रकार से यज्ञयाग ही को विष्णु की उपासना का जो स्वरूप आगे दिया गया है, वही उपर्युक्त उपनिषदों का अभिप्राय नहीं होगा? अच्छा; यदि कोई कहे, कि मानवदेहधारी अवतारों की कल्पना उस समय भी होगी, तो यह कुछ विलकुल ही असम्भव नहीं है। क्योंकि, श्वेताश्वतरोपनिषद् में जो 'भक्ति' शब्द है, उसे यज्ञरूपी उपासना के विषय में प्रयुक्त करना ठीक नहीं जँचता। यह बात सच है, कि महानारायण, नृसिंहतापनी, रामतापनी, तथा गोपालतापनी आदि उपनिषदों के वचन श्वेताश्वतरोपनिषद् के वचनों की अपेक्षा कहीं अधिक स्पष्ट हैं। इसलिये उनके विषय में उक्त प्रकार की शङ्का करने के लिये कोई स्थान ही नहीं रह जाता। परन्तु इन उपनिषदों का काल निश्चित करने के लिये ठीक ठीक साधन नहीं है। इसलिये इन उपनिषदों के आधार पर यह प्रश्न ठीक तौर से हल नहीं किया जा सकता, कि वैदिक धर्म में मानसरूपधारी विष्णु की भक्ति का उदय कब हुआ? तथापि अन्य रीति से वैदिक भक्तिमार्ग की प्राचीनता अच्छी तरह सिद्ध की जा सकती है। पाणिनी का एक सूत्र है 'भक्तिः' - अर्थात् जिसमें भक्ति हो (पा. ४. ३. ९५)। इसके आगे 'वासुदेवार्जुनाभ्यां वुन्' (पा. ४. ३. ९८) इस सूत्र में कहा गया है, कि जिसकी वासुदेव में भक्ति हो उसे 'वासुदेवक' और जिसकी अर्जुन में भक्ति हो उसे 'अर्जुनक' कहना चाहिये। और पतञ्जलि के महाभाष्य में इस पर टीका करते समय कहा गया है, कि इस सूत्र में 'वासुदेव' क्षत्रिय का या भगवान् का नाम है। इन ग्रन्थों से पातञ्जलभाष्य के विषय में डॉक्टर भाण्डारकर ने यह सिद्ध किया है, कि वह ईसाई सन् के लगभग ढाई सौ वर्ष पहले बना है; और इसमें तो मन्देह ही नहीं, कि पाणिनी का काल इसमें भी अधिक प्राचीन है। इसके सिवा भक्ति का उल्लेख बौद्धधर्मग्रन्थों में भी किया गया है। और हमने आगे चलकर विस्तारपूर्वक बतलाया है, कि बौद्धधर्म के महायान पथ में भक्ति के तत्त्वों का प्रवेश होने के लिये श्रीकृष्ण का भागवतधर्म ही कारण हुआ होगा। अतएव यह बात निर्विवाद सिद्ध है, कि कम-से-कम बुद्ध के पहले - अर्थात् ईसाई सन् के पहले लगभग छः सौ में अधिक वर्ष - हमारे यहाँ का भक्तिमार्ग पूरी तरह स्थापित हो गया था। नारदपञ्चरात्र या

शाण्डिल्य अथवा नारद के भक्तिमूत्र उसके बाद के हैं। परन्तु इससे भक्तिमार्ग अथवा भागवतधर्म की प्राचीनता में कुछ भी बाधा हो नहीं सकती। गीतारहस्य में किये गये विवेचन में ये बातें स्पष्ट विदित हो जाती हैं, कि प्राचीन उपनिषदों में जिस मगुणोपासना का वर्णन है, उसीसे प्रमथः हमारा भक्तिमार्ग निकला है। पातञ्जल-योग में चित्त को स्थिर करने के लिये किसी-न-किसी व्यक्त और प्रत्यक्ष वस्तु को दृष्टि के सामने रखना पड़ता है। इसलिये उसमें भक्तिमार्ग की ओर भी पुष्टि हो गई है। भक्तिमार्ग किसी अन्य स्थान में हिन्दुस्थान में नहीं लाया गया है—और न उसे कहीं से लाने की आवश्यकता ही थी। खुद हिन्दुस्थान में इस प्रकार के प्रादुर्भूत भक्तिमार्ग का और विशेषतः वामुदेवभक्ति का उपनिषदों में वर्णित वेदान्त की दृष्टि में मण्डन करना ही गीता के प्रतिपादन का एक विशेष भाग है।

परन्तु इसमें भी अधिक महत्वपूर्ण गीता का भाग, कर्मयोग के माथ भक्ति और ब्रह्मज्ञान का मेल कर देना ही है। चातुर्वर्ण्य के अथवा श्रौतयज्ञयाग आदि कर्मों को यद्यपि उपनिषदों ने गौण माना है, तथापि कुछ उपनिषत्कारों का कथन है, कि उन्हें चित्तशुद्धि के लिये तो करना ही चाहिये; और चित्तशुद्धि होने पर भी उन्हें छोड़ देना उचित नहीं। अतः होने पर भी कह सकते हैं, कि अधिकांश उपनिषदों का झुकाव सामान्यतः कर्मसंन्यास की ओर ही है। ईशावास्योपनिषद् के ममान कुछ अन्य उपनिषदों में भी 'सुर्वेदेह कर्माणि' जैसे आमरण कर्म करते रहने के विषय में वचन पाये जाते हैं। परन्तु अध्यात्मज्ञान और मासारिक कर्मों के बीच का विरोध मिटा कर प्राचीन काल में प्रचलित इस कर्मयोग का समर्थन जैसा गीता में किया गया है, वैसा किसी भी उपनिषद् में पाया नहीं जाता। अथवा यह भी कहा जा सकता है, कि इस विषय में गीता का सिद्धान्त अधिकांश उपनिषत्कारों के सिद्धान्तों में भिन्न है। गीतारहस्य के स्यारहवें प्रकरण में इस विषय का विस्तारपूर्वक विवेचन किया गया है। इसलिये उसके बारे में यहाँ अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं।

गीता के छठवें अध्याय में जिस योगसाधन का निर्देश किया गया है, उसका विष्णु और टीकटीक विवेचन पातञ्जलयोगसूत्र में पाया जाता है; और इस समय ये सूत्र ही इस विषय के प्रमाणभूत ग्रन्थ समझे जाते हैं। इन सूत्रों के चार अध्याय हैं। पहले अध्याय के आरम्भ में योग की व्याख्या इस प्रकार की गई है, कि 'योगश्चित्त-शुक्तिनिरोधः', और यह बतलाया गया है, कि 'अभ्यासवैराग्याभ्या तन्निरोधः'—अर्थात् यह निरोध अभ्यास तथा वैराग्य में किया जा सकता है। आगे चलकर सम-नियम-आसन-प्राणायाम आदि योगसाधना का वर्णन करके तीसरे और चौथे अध्यायों में इस बात का निरूपण किया है, कि 'असम्प्रज्ञान' अर्थात्, निर्विकल्प समाधि में अनिमा-निर्गमा आदि अलौकिक सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, तथा इसी समाधि में अन्त में ब्रह्मनिर्वाणरूप मोक्ष सिद्ध होता है। भगवद्गीता में भी पहले चित्तनिरोध करने की आवश्यकता (गीता ६. २०) बतलाई गई है। फिर कहा है, कि अभ्यास तथा वैराग्य

इन दोनों साधनों से चित्त का निरोधन करना चाहिये (६ ३५), और अन्त में निर्विकल्प समाधि लगाने की रीति का वर्णन करके, यह दिखलाया है, कि उसमें क्या सुख है। परन्तु केवल इतने ही से यह नहीं कहा जा सकेगा, कि पातञ्जलयोगमार्ग से भगवद्गीता सहमत है, अथवा पातञ्जलसूत्र भगवद्गीता से प्राचीन है। पातञ्जलसूत्र की नाईं भगवान् ने यह कहा नहीं है, कि समाधि सिद्ध होने के लिये नाक पकड़े पकड़े सारी आयु व्यतीत कर देनी चाहिये। कर्मयोग की सिद्धि के लिये बुद्धि की समता होनी चाहिये; और इस समता की प्राप्ति के लिये चित्तनिरोध तथा समाधि होना आवश्यक है। अतएव केवल साधनरूप से इनका वर्णन गीता में किया गया है। ऐसी अवस्था में यही कहना चाहिये, कि इस विषय में पातञ्जलसूत्रों की अपेक्षा श्वेताश्वतरोपनिषद् या कठोपनिषद् के साथ गीता अधिक मिलती-जुलती है। ध्यान-विन्दु, छुरिका और योगतत्त्व उपनिषद् भी योगविषयक ही हैं। परन्तु उनका मुख्य प्रतिपाद्य विषय केवल योग है; और उनमें सिर्फ योग ही की महत्ता का वर्णन किया गया है। इसलिये केवल कर्मयोग को श्रेष्ठ माननेवाली गीता से इन एकपक्षीय उपनिषदों का मेल करना उचित नहीं, और न वह हो ही सकता है। थामसन साहब ने गीता का अन्वेषी में जो अनुवाद किया है, उसके उपोद्धात में आप कहते हैं, कि गीता का कर्मयोग पातञ्जल-योग ही का एक रूपान्तर है। परन्तु यह बात असम्भव है। इस विषय पर हमारा यही कथन है, कि गीता के 'योग' शब्द का ठीक ठीक अर्थ समझ में न आने के कारण यह भ्रम उत्पन्न हुआ है। क्योंकि इधर गीता का कर्मयोग प्रवृत्तिप्रधान है, तो उधर पातञ्जलयोग बिल्कुल उसके विरुद्ध अर्थात् निवृत्तिप्रधान है। अतएव उनमें से एक का दूसरे से प्रादुर्भूत होना कभी सम्भव नहीं; और न यह बात गीता में कही गई है। इतना ही नहीं, यह भी कहा जा सकता है, कि योग शब्द का प्राचीन अर्थ 'कर्मयोग' था, और सम्भव है, कि वही शब्द पातञ्जलसूत्रों के अनन्तर केवल 'चित्त-निरोधरूपी योग' के अर्थ में प्रचलित हो गया हो। चाहे जो हो, यह निर्विवाद सिद्ध है, कि प्राचीन समय में जनक आदि ने जिस निष्काम कर्माचरण के मार्ग का अवलम्बन किया था, उसी में सदृश गीता का योग अर्थात् कर्मयोग भी है, और वह मनुइस्वाकृ आदि महानुभावों की परम्परा से चले हुए भागवतधर्म से लिया गया है - वह कुछ पातञ्जलयोग से उत्पन्न नहीं हुआ है।

अब तक किये गये विवेचन से यह बात समझ में आ जायगी, कि गीता धर्म और उपनिषदों में किन किन बातों की विभिन्नता और ममानता है। इनमें से अधिकांश बातों का विवेचन गीतारहस्य में स्थान स्थान पर किया जा चुका है। अतएव यहाँ संक्षेप में यह बतलाया जाता है, कि यद्यपि गीता में प्रतिपादित ब्रह्मज्ञान उपनिषदों के आधार पर ही बतलाया गया है, तथापि उपनिषदों ने अध्यात्मज्ञान का भी निरा अनुवाद न कर उसमें वासुदेवभक्ति का और मात्स्यशास्त्र में वर्णित सृष्ट्युत्पत्तिधर्म का अर्थात् क्षराक्षरज्ञान का भी समावेश किया गया है; और, उम वैदिक कर्मयोग-धर्म

ही का प्रधानता में प्रतिपादन किया गया है, जो सामान्य लोगों के लिये आचरण करने में सुगम हो; एवं इस लोक तथा परलोक में श्रेयस्कर हो। उपनिषदों की अपेक्षा गीता में जो कुछ विशेषता है, वह यही है। अतएव ब्रह्मज्ञान के अतिरिक्त अन्य बातों में भी संन्यासप्रधान उपनिषदों के साथ गीता का मेल करने के लिये साम्प्रदायिक दृष्टि में गीता के अर्थ की खींचातानी करना उचित नहीं है। यह सच है, कि दोनों में अध्यात्मज्ञान एक ही सा है। परन्तु — जैसा कि हमने गीतारहस्य के ग्यारहवें प्रकरण में स्पष्ट दिखाना दिया है — अध्यात्मरूप मस्तक एक भले हो; साध्य तथा कर्मयोग वैदिकधर्म-गुण्य के दो समान बलवाले हाथ हैं; और इनमें से ईशावास्योपनिषद् के अनुसार, जानयुक्त कर्म ही का प्रतिपादन मुक्तकठ में गीता में किया गया है।

भाग ३ — गीता और ब्रह्मसूत्र

ज्ञानप्रधान, भक्तिप्रधान और योगप्रधान उपनिषदों के साथ भगवद्गीता में जो सादृश्य और भेद है, उनका ठम प्रकार विवेचन कर चुकने पर यथार्थ में ब्रह्मसूत्रों और गीता की तुलना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि, भिन्न भिन्न उपनिषदों में भिन्न भिन्न ऋषियों के बतलाये हुए अध्यात्म-मिदान्तों का नियमबद्ध विचार करने के लिये ही बादरायणाचार्य के ब्रह्मसूत्रों की रचना हुई है। इसलिये उनमें उपनिषदों से भिन्न भिन्न विचारों का होना सम्भव नहीं। परन्तु भगवद्गीता के तेरहवें अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विचार करने समय ब्रह्मसूत्रों का स्पष्ट उल्लेख इस प्रकार किया है :-

ऋषिभिर्वहुधा गीतं छन्दोभिर्विधैः पूयक् ।

ब्रह्मसूत्रपरंश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितं ॥

अर्थात् क्षेत्रक्षेत्रज्ञ का “अनेक प्रकार में विविध छन्दों के द्वारा (अनेक) ऋषियों ने पूयक् पूयक् और हेतुयुक्त तथा पूर्ण निश्चयान्तक ब्रह्मसूत्रपदों में भी विवेचन किया है” (गीता १३. ८)। और यदि इन ब्रह्मसूत्रों की तथा वर्तमान वेदान्त-सूत्रों की एक ही मान ले, तो कहना पड़ता है, कि वर्तमान गीता वर्तमान वेदान्त-सूत्रों के बाद बनी होगी। अतएव गीता का वादनिर्णय करने का दृष्टि में दृष्टान्त का अवगमन विचार करना पड़ता है, कि ब्रह्मसूत्र कौन से हैं। क्योंकि वर्तमान वेदान्तसूत्रों के अनिश्चित ब्रह्मसूत्र नामक कोई द्रुमग ग्रन्थ नहीं पाया जाना, और न उसके विषय में बड़ी यत्न ही है। ० और, यह कहना ना किमी प्रकार उचित नहीं

* इस विषय का विचार परमेश्वरकी लेखन में किया है। इसके लिये मूल १८९५ में ईसा विषय पर प्रो. मुफागन रामचन्द्र अमृतनेकर, की ९, ने भी एक निबन्ध प्रकाशित ईसा है।

जँचता, कि वर्तमान ब्रह्मसूत्रों के वाद गीता बनी होगी। क्योंकि, गीता की प्राचीनता के विषय में परम्परागत समझ चली आ रही है। ऐसा प्रतीत होता है, कि प्रायः इसी कठिनाई को ध्यान में ला कर शाङ्करभाष्य में 'ब्रह्मसूत्रपदैः' का अर्थ "श्रुतियों के अथवा उपनिषदों के ब्रह्मप्रतिपादक वाक्य" किया गया है। परन्तु, इसके विपरीत शाङ्करभाष्य के टीकाकार आनन्दगिरी और रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य प्रभृति गीता के अन्यान्य भाष्यकार यह कहते हैं, कि यहाँ पर 'ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव' शब्दों से 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा' इन वादरायणाचार्य के ब्रह्मसूत्रों का ही निर्देश किया गया है; और श्रीधरस्वामी को दोनों अर्थ अभिप्रेत हैं। अतएव इस श्लोक का सत्यार्थ हमें स्वतन्त्र रीति से ही निश्चित करना चाहिये। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ विचार 'ऋषियों ने अनेक प्रकार से पृथक्' कहा है; और इसके सिवा (चैव) "हेतुयुक्त और विनिश्चयात्मक ब्रह्मसूत्रोपदों ने भी" वही अर्थ कहा है, इस प्रकार 'चैव' (और भी) पद से इस बात का स्पष्टीकरण हो जाता है, कि इस श्लोक में क्षेत्रक्षेत्रज्ञविचार के दो भिन्न भिन्न स्थानों का उल्लेख किया गया है। दोनों केवल भिन्न ही नहीं हैं, किन्तु उनमें से पहला अर्थात् ऋषियों का किया हुआ वर्णन "विविध छन्दों के द्वारा पृथक् पृथक् अर्थात् कुछ यहाँ और कुछ वहाँ तथा अनेक प्रकार का" है; और उसका अनेक ऋषियों-द्वारा किया जाना 'ऋषिभिः' (इस बहुवचन तृतीयान्त पद) से स्पष्ट हो जाता है। तथा ब्रह्मसूत्रपदों का दूसरा 'वर्णन हेतुयुक्त और निश्चयात्मक' है। इस प्रकार इन दोनों वर्णनों की विशेष भिन्नता का स्पष्टीकरण इसी श्लोक में है। 'हेतुमत्' शब्द महाभारत में कई स्थानों पर पाया जाता है; और उसका अर्थ है— "नैयायिक पद्धति से कार्यकारणभाव बतलाकर किया हुआ प्रतिपादन" उदहरणार्थ, जनक के सन्मुख मुलभा का किया हुआ भाषण, अथवा श्रीकृष्ण जब शिष्टाई के लिये कौरवों की सभा में गये, उस समय उनका किया हुआ भाषण लीजिये। महाभारत में ही पहले भाषण को 'हेतुमत् और अर्थवत्' (शा. ३२०.१९१) और दूसरे को 'सहेतुक' (उद्यो. १३१.२) कहा है। इससे प्रकट होता है, कि जिस प्रतिपादन में साधकवाधक प्रमाण बतलाकर अन्त में कोई भी अनुमान निस्सन्देह सिद्ध किया जाता है, उसी को 'हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः' विशेषण लगाये जा सकते हैं। ये शब्द उपनिषदों के ऐसे सङ्कीर्ण प्रतिपादन को नहीं लगाये जा सकते, कि जिसमें कुछ तो एक स्थान में ही और कुछ दूसरे स्थान में। अतएव 'ऋषिभिः बहुधा विविधैः पृथक्' और 'हेतुमद्भिः विनिश्चितैः' पदों के विरोधात्मक स्वारस्य को यदि स्थिर रखना हो, तो यही कहना पड़ेगा, कि गीता के उक्त श्लोक में "ऋषियों द्वारा विविध छन्दों में किये गये अनेक प्रकार के पृथक्" विवेचनों से भिन्न भिन्न उपनिषदों के सङ्कीर्ण और पृथक् वाक्य ही अभिप्रेत हैं; तथा 'हेतुयुक्त और विनिश्चयात्मक ब्रह्मसूत्रपदों' से ब्रह्मसूत्र-ग्रन्थ का वह विवेचन अभिप्रेत है, कि जिसमें साधकवाधक प्रमाण दिखलाकर अन्तिम सिद्धान्तों का सन्देहरहित निर्णय किया गया है। यह भी

स्मरण रहे, कि उपनिषदों के सब विचार इधर उधर विखरे हुए हैं, अर्थात् अनेक ऋषियों को जैसे सूझते गये, वैसे ही वे कहे गये हैं। उनमें कोई विशेष पद्धति या ढम नहीं है। अतएव उनकी एकवाक्यता किये बिना उपनिषदों का भावार्थ ठीक ठीक समझ में नहीं आता। यही कारण है, कि उपनिषदों के साथ ही साथ उस ग्रन्थ या वेदान्तमूल (ब्रह्ममूल) का भी उल्लेख कर देना आवश्यक था, जिसमें कार्यकारण-हेतु दिया कर उनकी (अर्थात् उपनिषदों की) एकवाक्यता की गई है।

गीता के श्लोकों का उक्त अर्थ करने में यह प्रकट हो जाता है, कि उपनिषद् और ब्रह्ममूल गीता के पहले बने हैं। उनमें से मुख्य मुख्य उपनिषदों के विषय में तो कुछ भी मनभेद नहीं रह जाता। क्योंकि इन उपनिषदों के बहुतेरे श्लोक गीता में शब्दशः पाये जाते हैं। परन्तु ब्रह्ममूलों के विषय में मन्देह अवश्य किया जा सकता है। क्योंकि ब्रह्ममूलों में यद्यपि 'भगवद्गीता' शब्द का उल्लेख प्रत्यक्ष में नहीं किया गया है; तथापि भाष्यकार यह मानते हैं, कि कुछ सूत्रों में 'स्मृति' शब्दों से भगवद्गीता ही का निर्देश किया गया है। जिन ब्रह्मसूत्रों में शाङ्करभाष्य के अनुसार 'स्मृति' शब्द से गीता ही का उल्लेख किया गया है, उनमें से नीचे दिये हुए सूत्र मुख्य हैं :-

ब्रह्मसूत्र - अध्याय, पाद और सूत्र

गीता - अध्याय और श्लोक

१.२.६ स्मृतेषु ।

गीता १८.६१ 'ईश्वरः सर्वभूतानां
आदि श्लोक ।

१.६.२३ अपि च स्मर्यते ।

गीता १५.६. 'न तद्भामयते मूर्धः' आ० ।

२.१.३६ उपपद्यते चाप्युपस्थाने च

गीता १५.३ 'न स्पमम्येह
तयोपलभ्यते०' आदि ।

२.३.४५ अपि च स्मर्यते ।

गीता १५.७. 'ममैवागो जीवन्तोके
जीवन्त.०' आदि ।

३.२.१७ दर्शयन्ति चायो अपि स्मर्यते ।

गीता १३.१२ 'जेय यत्तत् प्रवक्ष्यामि०'
आदि ।

३.३.३१ अनियम. सर्वामामविरोधः
शब्दानुमानाम्याम

गीता ८.२६ 'शुक्लकृष्णे गती ह्येते०'
आदि ।

४.१.१० स्मरन्ति च ।

गीता ६.११ 'शुचो देगे०' आदि ।

४.२. = १ योगिनः प्रति च स्मर्यते ।

गीता ८.२३ 'यत्र भान्तेऽवनावृत्तिमा-
वृत्तिं च योगिनः०' आदि ।

उपर्युक्त आठ स्थानों में से कुछ यदि सन्दिग्ध भी माने जायें, तथापि, हमारे मत से तो चौथे (ब्र.सू. २. ३. ४५) और आठवें (ब्र.सू. ४. २. २१) के विषय में कुछ सन्देह नहीं है; और यह भी स्मरण रखने योग्य है, कि इस विषय में— शङ्कराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य और वल्लभाचार्य— चारों भाष्यकारों का मत एक ही सा है। ब्रह्मसूत्र के उक्त दोनों स्थानों (ब्र.सू. २. ३. ४५ और ४. २. २१) के विषय में इस प्रसङ्ग पर भी अवश्य ध्यान देना चाहिये— जीवात्मा और परमात्मा के परस्परसम्बन्ध का विचार करते समय, पहले, 'नात्माऽश्रुतेर्नित्यत्वाच्च ताभ्यः' (ब्र.सू. २. ३. १७) इस सूत्र ने यह निर्णय किया है, कि, सृष्टि के अन्य पदार्थों के समान जीवात्मा परमात्मा से उत्पन्न नहीं हुआ है। उसके बाद 'अंशो नानाव्यपदेशात्' (२. ३. ४३) सूत्र से यह बतलाया है, कि जीवात्मा परमात्मा ही का 'अंश' है; और आगे 'मन्त्रवर्णाच्च' (२. ३. ४४) इस प्रकार श्रुति का प्रमाण देकर अन्त में अपि च स्मर्यते' (२. ३. ४५)— 'स्मृति में ही यही कहा है'— इस सूत्र का प्रयोग किया गया है। सब भाष्यकारों का कथन है, कि यह स्मृति यानी गीता का "ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः" सनातनः' (गीता १५. ७) यह वचन है। परन्तु इसकी अपेक्षा अन्तिमस्थान (अर्थात् ब्रह्मसूत्र ४. २. २१) और भी अधिक निस्सन्देह है। यह पहले ही दसवें प्रकरण में बतलाया जा चुका है, कि देवयान और पितृयान गति में क्रमानुसार उत्तरायण के छः महिने और दक्षिणायन के छः महिने होते हैं; और उनका अर्थ कालप्रधान न करके बादरायणाचार्य कहते हैं, कि इन शब्दों से तत्कालाभिमानो देवता अभिप्रेत है (वे. सू. ४. ३. ४)। अत्र यह प्रश्न हो सकता है, कि दक्षिणायन और उत्तरायण शब्दों का कालवाचक अर्थ क्यों कभी लिया ही न जावे? इसलिये 'योगिनः प्रति च स्मर्यते' (ब्र. सू. ४. २. २१) अर्थात् ये काल 'स्मृति में योगियों के लिये विहित माने गये हैं' इस सूत्र का प्रयोग किया गया है; और गीता (८. २३) में यह बात साफ साफ कह दी गई है, कि "यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्ति चैव योगिनः" अर्थात् ये काल योगियों को विहित है। इससे भाष्यकारों के मतानुसार यही कहना पड़ता है, कि उक्त दोनों स्थानोंपर ब्रह्मसूत्रों में 'स्मृति' शब्द में भगवद्गीता ही विवक्षित है।

परन्तु जब यह मानते हैं, कि भगवद्गीता में ब्रह्मसूत्रों का स्पष्ट उल्लेख है; और ब्रह्मसूत्रों में 'स्मृति' शब्द से भगवद्गीता का निर्देश किया गया है; तो दोनों में कालदृष्टि से विरोध उत्पन्न हो जाता है। वह यह है :— भगवद्गीता में ब्रह्मसूत्रों का साफ साफ उल्लेख है, इसलिये ब्रह्मसूत्रों का गीता के पहले रचा जाना निश्चित होना है, और ब्रह्मसूत्रों में 'स्मृति' शब्द से गीता का निर्देश माना जाय तो गीता का ब्रह्मसूत्रों के पहले होना निश्चित हुआ जाता है। ब्रह्मसूत्रों का एक बार गीता के पहले रचा जाना और दुमरी बार उन्हीं सूत्रों का गीता के बाद रचा जाना सम्भव नहीं।

अच्छा अब यदि हम झगड़े से बचने के लिये 'ब्रह्मसूत्रपदै' शब्द से शाङ्करभाष्य में दिये हुए अर्थ को स्वीकार करने हैं, तो 'हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः' इत्यादि पदों का स्वरूप ही नष्ट हो जाता है। और यदि यह माने, कि ब्रह्मसूत्रों के 'स्मृति' शब्द से गीता के अतिरिक्त कोई दूसरा स्मृतिग्रन्थ विवक्षित होगा; तो यह कहना पड़ेगा, कि भाष्यकारों ने भूल की है। अच्छा, यदि उनकी भूल कहे, तो भी यह बतलाया नहीं जा सकता, की 'स्मृति' शब्द से कौन-सा ग्रन्थ विवक्षित है। तब इस अडचन से कैसे पार पावे? हमारे मतानुसार इस अडचन में बचने का केवल एक ही मार्ग है। यदि यह मान लिया जाय, कि जिसने ब्रह्मसूत्रों की रचना की है, उसी ने मूल भारत तथा गीता को वर्तमान स्वरूप दिया है, तो कोई अडचन या विरोध नहीं रह जाता। ब्रह्मसूत्रों को 'व्याससूत्र' कहने की रीति पढ़ गई है, और "शेषत्वात्पुरुषार्थवादो यथान्येष्विति जैमिनि" (वे सू ३ ४ २) इस सूत्र पर शाङ्करभाष्य की टीका में आनन्दगिरि ने लिखा है, कि जैमिनि वेदान्तसूत्रकार व्यासजी के शिष्य थे, और आरम्भ के मद्दगलाचरण में भी, 'श्रीमद्व्यासपयोनिधिनिधिरसी' इस प्रकार उन्होंने ब्रह्मसूत्रों का वर्णन किया है। यही क्या महाभारत के आधार पर हम ऊपर बतला चुके हैं, कि महाभारतकार व्यासजी के पैल, शुक्र, मुमुक्षु, जैमिनि और वैशम्पायन नामक पाँच शिष्य थे, और उनको व्यासजी ने महाभारत पढ़ाया था। इन दोनों बातों को मिला कर विचार करने में यही अनुमान होता है, कि भारत और तदन्तर्गत गीता को वर्तमान स्वरूप देने का तथा ब्रह्मसूत्रों की रचना करने का काम भी एक बादरायण व्यासजी ने ही किया होगा। हम क्यों का यह मनलब नहीं, कि बादरायणाचार्य ने वर्तमान महाभारत की नवीन रचना की। हमारे कथन का भावार्थ यह है - महाभारतग्रन्थ के अतिविस्तृत होने के कारण सम्भव है, कि बादरायणाचार्य के समय उसके कुछ भाग इधर उधर बिखर गये हों या लुप्त भी हो गये हों। ऐसी अवस्था में तत्कालिन उपरुद्ध महाभारत के भागों की खोज करके तथा ग्रन्थ में जहाँ अपूर्णता, अशुद्धियाँ और कृटियाँ देख पडीं, वहाँ उनका मसोधन और उनकी पूर्ति करके, तथा अनुक्रमणिका आदि जोड़ कर बादरायणाचार्य ने हम ग्रन्थ का पुनर्ज्जीवन किया हो, अथवा उसे वर्तमान स्वरूप दिया हो। यह बात प्रसिद्ध है, कि मराठी साहित्य में ज्ञानेश्वरी ग्रन्थ का ऐसा ही मसोधन एवनाथ महाराज ने किया था। और यह क्या भी प्रचलित है कि एक बार मसूत्र का व्याकरण-महाभाष्य प्रायः लुप्त हो गया था, और उसका पुनर्दाय चन्द्रशेखराचार्य को करना पड़ा। अब हम बात की ठीक ठीक उपपत्ति लग ही जाती है, कि महाभारत के अन्य प्रकरणों में गीता, जो पढ़ाया गया पाया जाने है, तथा यह बात भी महज ही महज ही जानी है, कि गीता में ब्रह्मसूत्रों का स्पष्ट उल्लेख और ब्रह्मसूत्रों में 'स्मृति' शब्द में गीता का निर्देश क्या किया गया है। जिन गीता के आधार पर वर्तमान गीता बनी है, वह बादरायणाचार्य के पहले भी उपरुद्ध थी। इसी कारण ब्रह्मसूत्रों में 'स्मृति' शब्द में उनका निर्देश किया गया; और महाभारत का

संगोघन करते समय गीता में * यह बतलाया गया, कि क्षेत्रक्षेत्रज्ञ का विस्तारपूर्वक विवेचन ब्रह्मसूत्रों में किया गया है। वर्तमान गीता में ब्रह्मसूत्रों का जो यह उल्लेख है, उसकी बराबरी के ही सूत्रग्रन्थ के अन्य उल्लेख वर्तमान महाभारत में भी है। उदाहरणार्थ, अनुशासनपर्व के अष्टावक्र आदि सवाद में "अनृताः स्त्रिय इत्येव सूत्रकारो व्यवस्यति" (अनु १९ ६) यह वाक्य है। इसी प्रकार शतपथ ब्राह्मण (शा. ३१८. १६-२३) पञ्चरात्र (शा. ३३९. १०७), मनु (अनु. ३७ १६) और यास्क के निरुक्त (शा ३४२ ७१) का भी अन्यत्र साफ साफ उल्लेख किया गया है। परन्तु गीता के ममान महाभारत के सब भागों को मुखाग्र करने की रीति नहीं थी। इसलिये यह शङ्का सहज ही उत्पन्न होती है, कि गीता के अतिरिक्त महाभारत में अन्य स्थानों पर जो अन्य ग्रन्थों के उल्लेख हैं, वे कालनिर्णयार्थ कहीं तक विश्वसनीय माने जायें। क्योंकि, जो भाग मुखाग्र नहीं किये जाते, उनमें क्षेपक श्लोक मिला देना कोई कठिन बात नहीं। परन्तु, हमारे मतानुसार, उपर्युक्त अन्य उल्लेखों का यह बतलाने

* पिछले प्रकरणों में हमने यह बतलाया है, कि ब्रह्मसूत्र वेदान्तसम्बन्धी मुख्य ग्रन्थ है, और इसी प्रकार गीता कर्मयोगविषयक प्रधान ग्रन्थ है। अब यदि हमारा यह अनुमान सत्य हो, कि ब्रह्मसूत्र और गीता की रचना अकेले व्यासजी ने ही की है, तो इन दोनों शास्त्रों का कर्ता उन्हीं को मानना पड़ता है। हम यह बात अनुमानद्वारा ऊपर सिद्ध कर चुके हैं, परन्तु कुम्भ-उन्हीं को मानना पड़ता है। हम यह बात अनुमानद्वारा ऊपर सिद्ध कर चुके हैं, परन्तु कुम्भ-कोनस्थ कृष्णाचार्य ने दाक्षिणात्य पाठ के अनुसार महाभारत की जो एक पोथी हाल ही में प्रकाशित की है, उसमें शान्तिपर्व के २१२ वें अध्याय में (वार्ज्योयाध्यात्मप्रकरण में) इस बात का वर्णन करते समय - कि युग के आरम्भ में भिन्न भिन्न शास्त्र और इतिहास किस प्रकार निर्मित हुए - २४ वें श्लोक इस प्रकार दिया है -

वेदान्तकर्मयोगं च वेदविद् ब्रह्मविदिभुः ।

द्वैपायनो निजग्राह शिल्पशास्त्रं भृगुः पुनः ॥

इस श्लोक में 'वेदान्तकर्मयोग' एकवचनान्त पद है, परन्तु उभयार्थ 'वेदान्त और कर्मयोग, ही करना पड़ता है। अथवा यह भी प्रतिष्ठित होता है, कि 'वेदान्तं कर्मयोगं च' यही मूलपाठ होगा, और लिखते समय या छापते समय 'न्तं' के ऊपर का अनुस्वार हट गया हो। इस श्लोक में यह साफ साफ कह दिया गया है, कि वेदान्त और कर्मयोग, दोनों शास्त्र व्यास जी को प्राप्त हुए थे, और शिल्पशास्त्र भृगु को मिला था। परन्तु यह श्लोक बम्बई के गणपत कृष्णाजी के छापखाने से प्रकाशित पोथी में तथा कलकत्ते की प्रति में भी नहीं मिलता। कुम्भकोण की पोथी का शान्तिपर्व का २१२ वें अध्याय बम्बई और कलकत्ता की प्रति में २१० वें है। कुम्भकोण पाठ का यह श्लोक हमारे मित्र डॉक्टर गणेश कृष्ण गर्दें ने हमें सचित किया। अतएव हम उनके कृतज्ञ हैं। उनके मतानुसार इस स्थान पर कर्मयोग शब्द से गीता विवक्षित है, और इस श्लोक में गीता और वेदान्तद्वयों का (अर्थात् दोनों का) कर्तृत्व व्यासजी को ही दिया गया है। महाभारत की तीन पोथियों में से केवल एक ही प्रति में ऐसा पाठ मिलता है। अतएव उसके विषय में कुछ शंका उत्पन्न होती है। इस विषय में चाहे जो कहा जाय, किन्तु इस पाठ से इतना तो अवश्य सिद्ध हो जाता है, कि हमारा यह अनुमान - कि वेदान्त और कर्मयोग का कर्ता एक ही है - कुछ नया या निराधार नहीं।

के लिये उपयोग करना कुछ अनुचित न होगा, कि वर्तमान गीता में किया गया ब्रह्मसूत्रों का उल्लेख केवल अकेला या अपूर्व अतएव अविश्वमनीय नहीं है ।

‘ब्रह्मसूत्र पदार्थैव’ इत्यादि श्लोक के पदों के अर्थ-स्वारस्य की भीमामा करके हम ऊपर इस बात का निर्णय कर आये हैं, कि भगवद्गीता में ब्रह्मसूत्रों या वेदान्तसूत्रों ही का उल्लेख होने का—और वह भी तेरहवें अध्याय में अर्थात् क्षेत्र-क्षेत्रज्ञविचार ही में होने का—हमारे मत में एक और महत्त्वपूर्ण तथा दृढ़ कारण है । भगवद्गीता में वामुदेवभक्ति का तत्त्व यद्यपि मूल भागवत या पाञ्चरात्र-धर्म से लिया गया है, तथापि (जैसा हम पिछले प्रकरणों में कह आये हैं) चतुर्व्यूह-पाञ्चरात्र-धर्म में वर्णित मूल जीव और मन की उत्पत्ति के विषय का यह मत भगवद्गीता को मान्य नहीं है, कि वामुदेव से सद्कर्मण अर्थात् जीव, सद्कर्मण से प्रद्युम्न (मन) और प्रद्युम्न से अनिरुद्ध (अहंकार) उत्पन्न हुआ । ब्रह्मसूत्रों का यह सिद्धान्त है, कि जीवात्मा किमी अन्य वस्तु से उत्पन्न नहीं हुआ है (वे. सू. २. २. १७) । वह मनातन परमात्मा ही का नित्य ‘अंग’ है (वे. सू. ३. ४३) । इसलिये ब्रह्मसूत्रों के दूसरे अध्याय के दूसरे पाद में पहले कहा है, कि वामुदेव से सद्कर्मण का होना अर्थात् भागवतधर्मोपजीवमन्वन्धी उत्पत्ति सम्भव नहीं (वे. सू. २. २. ४२); और फिर यह कहा है, कि मन जीव की एक इन्द्रिय है । इसलिये जीव से प्रद्युम्न (मन) का होना भी सम्भव नहीं (वे. सू. २. २. ४३) । क्योंकि लोकव्यवहार की ओर देखने से तो यही बोध होता है, कि कर्ता से कारण या साधन उत्पन्न नहीं होता । इस प्रकार बादरायणाचार्य ने, भागवत धर्म में वर्णित जीव की उत्पत्ति का युक्तिपूर्वक ग्रहण किया है । सम्भव है, कि भागवतधर्मवाले इस पर यह उत्तर दें, कि हम वामुदेव (ईश्वर), सद्कर्मण (जीव), प्रद्युम्न (मन) तथा अनिरुद्ध (अहंकार) को एक ही ममान ज्ञानी समझते हैं; और एक से दूसरे की उत्पत्ति को लाक्षणिक तथा गौण मानते हैं । परन्तु ऐसा मानने से कहना पड़ेगा, कि एक मुख्य परमेश्वर के बदले चार मुद्ग परमेश्वर हैं । अतएव ब्रह्मसूत्रों में कहा है, कि यह उत्तर भी समर्पक नहीं है । और बादरायणाचार्य ने अन्तिम निर्णय यह किया है, कि यह मत—परमेश्वर से जीव का उत्पन्न होना—वेशे अर्थात् उपनिषदों के मत के विरुद्ध अतएव त्याज्य है (वे. सू. २. २. ४४, ४५) । यद्यपि यह बात सच है, कि भागवत धर्म का कर्मप्रधान भक्तिरतत्व भगवद्गीता में लिया गया है । तथापि गीता का यह भी सिद्धान्त है कि जीव वामुदेव से उत्पन्न नहीं हुआ । किन्तु नित्य परमात्मा ही का ‘अंग’ है (गीता १५ ७) । जीव-विषयक यह सिद्धान्त मूल भागवत धर्म से नहीं लिया गया । इसलिये यह बातना आवश्यक था, कि इसका आधार क्या है । क्योंकि यदि ऐसा न किया जाता, तो सम्भव है कि यह धर्म उपस्थित हो जाता, कि चतुर्व्यूह भागवत धर्म के प्रयुक्तिप्रधान भक्तिरतत्व के साथ ही साथ जीव की उत्पत्तिविषयक कल्पना में भी गीता महमत है । अतएव क्षेत्रज्ञ-विचार में जब जीवात्मा का स्वल्प बतलाने का समय आया, तब—

अर्थात् गीता के तेरहवें अध्याय के आरम्भ ही में — यह स्पष्ट रूप से कह देना पडा, कि “क्षेत्रज्ञ के अर्थात् जीव के स्वरूप के सम्बन्ध में हमारा मत भागवत धर्म के अनुसार नहीं; वरन् उपनिषदों में वर्णित ऋषियों के मतानुसार है,” और फिर उसके साथ ही साथ स्वभावतः यह भी कहना पडा है, कि भिन्न भिन्न ऋषियों ने भिन्न भिन्न उपनिषदों में पृथक् पृथक् उपपादन किया है। इसलिये उन सब की ब्रह्मसूत्रों में की गई एकवाक्यता (वे. सू. २. ३. ४३) ही हमें ग्राह्य है। इस दृष्टि से विचार करने पर यही प्रतीत होगा, कि भागवत धर्म के भक्तिमार्ग का गीता में इस रीति से समावेश किया गया है, जिससे वे आक्षेप दूर हो जायें, कि जो ब्रह्मसूत्रों में भागवत धर्म पर लाये गये हैं। रामानुजाचार्य ने अपने वेदान्तसूत्रभाष्य में उक्त सूत्रों के अर्थ को बदल दिया है (वे. सू. २. २. ४२-४५ देखो)। परन्तु हमारे मत में ये अर्थ क्लिष्ट अतएव अग्राह्य हैं। श्रीवो साहब का झुकाव रामानुज-भाष्य में दिये गये अर्थ की ओर ही है; परन्तु उनके लेखों से तो यही ज्ञात होता है, कि इस बात का यथार्थ स्वरूप उनके ध्यान में नहीं आया। महाभारत में — शान्तिपर्व के अन्तिम भाग में नारायणीय अथवा भागवत धर्म का जो वर्णन है, उसमें — यह नहीं कहा है, कि वासुदेव से जीव अर्थात् सङ्कर्षण उत्पन्न हुआ, किन्तु पहले यह बतलाया है, कि “जो वासुदेव है, वही (स एव) सङ्कर्षण अर्थात् जीव या क्षेत्रज्ञ है” (शा. ३३९. ३९ तथा ७१; और ३३४. २८. तथा २९ देखो); और इसके बाद सङ्कर्षण से प्रद्युम्न तक की केवल परम्परा दी गई है। एक स्थान पर तो यह साफ साफ कह दिया है, कि भागवत-धर्म कोई चतुर्व्यूह, कोई विव्यूह और अन्त में कोई एकव्यूह भी मानते हैं (म. भा. शा. ३४८. ५७)। परन्तु भागवत धर्म के इन विविध पक्षों को स्वीकार न कर, उनमें से सिर्फ वही एक मत वर्तमान गीता में स्थिर किया है, जिसका मेल क्षेत्रक्षेत्रज्ञ के परस्परसम्बन्ध में उपनिषदों और ब्रह्मसूत्रों से हो सके। और इस बात पर ध्यान देने पर यह प्रश्न ठीक तौर से हल हो जाता है, कि ब्रह्मसूत्रों का उल्लेख गीता में क्यों किया है? अथवा यह कहना भी अत्युक्ति नहीं, कि मूल गीता में यह एक सुधार ही किया गया है।

भाग ४ — भागवत धर्म का उदय और गीता

गीतारहस्य में अनेक स्थानों पर तथा इस प्रकरण में भी पहले यह बतला दिया गया है, कि उपनिषदों के ब्रह्मज्ञान तथा कपिलसाह्य के क्षर-अक्षरविचार के साथ भक्ति और विशेषतः निष्काम कर्म का मेल करके बर्मयोग का शास्त्रीय रीति से पूर्णतया समर्थन करना ही गीता-ग्रन्थ का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है। परन्तु इतने विषयों की एवता करने की गीता की पद्धति जिनके ध्यान में पूरी तरह नहीं आ सकती, तथा जिनका पहले ही से यह मत हो जाता है, कि इतने विषयों की एवता ही ही नहीं सबती; उन्हें इस बात का आभास हुआ करता है, कि गीता के बहूनेरे

सिद्धान्त परस्परविरोधी है। उदाहरणार्थ, इन आक्षेपकों का यह मत है, कि तेरहवें अध्याय का यह कथन — कि इस जगत् में जो कुछ है, वह सब निर्गुण ब्रह्म है — सातवें अध्याय के इस कथन से विलकुल ही विरुद्ध है, कि यह सब सगुण वासुदेव ही है। इसी प्रकार भगवान् एक जगह कहते हैं, कि “मुझे शत्रु और मित्र समान है” (९. २९); और दूसरे स्थान पर यह भी कहते हैं, कि “ज्ञानी तथा भक्तिमान् पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है” (७. १७, १२. १९) — ये दोनों बातें परस्परविरोधी हैं। परन्तु हमने गीतारहस्य में अनेक स्थानों पर इस बात का स्पष्टीकरण कर दिया है, कि वस्तुतः ये विरोध नहीं हैं; किन्तु एक ही बात पर एक बार अध्यात्मदृष्टि से और दूसरी बार भक्ति की दृष्टि से विचार किया गया है। इसलिये यद्यपि दिखने ही में ये विरोधी बातें कहनी पड़ी, तथापि अन्त में व्यापक तत्त्वज्ञान की दृष्टि में गीता में उनका मेल भी कर दिया गया है। इस पर भी कुछ लोगो का यह आक्षेप है, कि अव्यक्त ब्रह्मज्ञान और व्यक्त परमेश्वर की भक्ति में यद्यपि उक्त प्रकार से मेल कर दिया गया है, तथापि मूल गीता में इस मेल का होना सम्भव नहीं। क्योंकि मूल की गीता वर्तमान के समान परस्परविरोधी बातों से भरी नहीं थी — उनमें वेदान्तियों ने अथवा सांख्यशास्त्रामिमानी ने अपने शास्त्रों के भाग पीछे में घुसेड़ दिये हैं। उदाहरणार्थ प्रो. गावें का कथन है, कि मूल गीता में भक्ति का मेल केवल सांख्य तथा योग ही से किया है; वेदान्त के माय और मीमांसको कर्ममार्ग के साथ भक्ति का मेल कर देने का काम किसी ने पीछे में किया है। मूल गीता में इस प्रकार जो श्लोक पीछे से जोड़े गये, उनकी अपने मतानुसार एक तालिका भी उसने जर्मन भाषा में अनुवादित अपनी गीता के अन्त में दी है। हमारे मतानुसार ये सब कल्पनाएँ ध्रममूलक हैं। वैदिकधर्म के भिन्न भिन्न अंगों की ऐतिहासिक परम्परा और गीता के ‘सांख्य’ तथा ‘योग’ शब्दों का मत्वा अर्थ ठीक ठीक न समझने के कारण और विशेषतः तत्त्वज्ञानविरहिन अर्थात् केवल भक्तिप्रधान ईसाई धर्म ही का इतिहास उक्त लेखकों (प्रो. गावें प्रभृति) के सामने रखा रहने के कारण उक्त प्रकार के ध्रम उत्पन्न हो गये हैं। ईसाई धर्म पहले केवल भक्तिप्रधान था; और ग्रीक लोगों के तथा दूसरों के तत्त्वज्ञान से उसका मेल करने का कार्य पीछे में किया गया है। परन्तु, यह बात हमारे धर्म की नहीं। हिन्दुस्थान में भक्तिमार्ग का उदय होने के पहले ही मीमांसकों का यज्ञमार्ग, उपनिषद्धारो वा ज्ञान तथा सांख्य और योग इन को पम्पिक्व दणा प्राप्त हो चुकी थी। इसलिये पहले ही से हमारे देवनागियों की स्वतंत्र रीति में प्रतिपादित ऐसा भक्तिमार्ग यथोक्त भी मान्य नहीं हो सकता था; जो इन सब शास्त्रों ने और विवेक करके उपनिषदों में वर्णित ब्रह्मज्ञान से अलग हो। इन बातों पर ध्यान देने में यह मानना पड़ता है, कि गीता के धर्मप्रतिपादन का स्वल्प पहले ही में प्रायः वर्तमान गीता के प्रतिपादन के सदृश ही था। गीतारहस्य या विवेचन भी इसी बात की ओर ध्यान देकर किया गया है। परन्तु यह विषय अत्यन्त महत्त्व का है।

इसलिये संक्षेप में यहाँ पर यह बतलाना चाहिये, कि गीताधर्म के मूलस्वरूप तथा परम्परा के सम्बन्ध में (ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करने पर) हमारे मत में कौन कौन-सी बातें निष्पन्न होती हैं।

गीतारहस्य के दसवें प्रकरण में इस बात का विवेचन किया गया है, कि वैदिक धर्म का अत्यन्त प्राचीन स्वरूप न तो भक्तिप्रधान, न तो ज्ञानप्रधान और न योग-प्रधान ही था; किन्तु वह यज्ञमय अर्थात् कर्मप्रधान था, और वेदसहिता तथा ब्राह्मणों में विशेषतः इसी यज्ञयाग आदि कर्मप्रधान धर्म का प्रतिपादन किया गया है। आगे चल कर इसी धर्म का व्यवस्थित विवेचन जैमिनी के मीमांसासूत्रों में किया गया है। इसीलिये उसे 'मीमांसकमार्ग' नाम प्राप्त हुआ। परन्तु, यद्यपि 'मीमांसक' नाम नया है, तथापि इस विषय में तो विलकुल ही सन्देह नहीं, कि यज्ञयाग आदि धर्म अत्यन्त प्राचीन है। इतना ही नहीं, किन्तु उसे ऐतिहासिक दृष्टि से वैदिकधर्म की प्रथम सीढ़ी कह सकते हैं। 'मीमांसकमार्ग' नाम प्राप्त होने के पहले उसको तृतीयधर्म अर्थात् तीन वेदों द्वारा प्रतिपादित धर्म कहते थे, और इसी नाम का उल्लेख गीता में भी किया गया है (गीता ९ २० तथा २१ देखो)। कर्ममय तृतीय धर्म के इस प्रकार जोर-शोर से प्रचलित रहने पर, कर्म से अर्थात् केवल यज्ञयाग आदि के बाह्य प्रयत्न से परमेश्वर का ज्ञान कैसे हो सकता है? ज्ञान होना एक मानसिक स्थिति है। इसलिये परमेश्वर के स्वरूप का विचार किये बिना ज्ञान होना सम्भव नहीं, इत्यादि विषय और कल्पनाएँ उपस्थित होने लगी, और धीरे धीरे उन्हीं में से औपनिषदिक ज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ। यह बात छान्दोग्य आदि उपनिषदों के आरम्भ में जो अवतरण दिये हैं, उनसे स्पष्ट मालूम हो जाती है। इस औपनिषदिक ब्रह्मज्ञान ही को आगे चलकर 'वेदान्त' नाम प्राप्त हुआ। परन्तु, मीमांसा शब्द के समान यद्यपि वेदान्त नाम पीछे से प्रचलित हुआ है, तथापि उससे यह नहीं कहा जा सकता, कि ब्रह्मज्ञान अथवा ज्ञानमार्ग भी नया है। यह सच है, कि कर्मकाण्ड के अनन्तर ही ज्ञानकाण्ड उत्पन्न हुआ। परन्तु स्मरण रहे, कि ये दोनों प्राचीन हैं। यह ज्ञानमार्ग ही की दूसरी, किन्तु स्वतन्त्र शाखा 'कापिलसाख्य' है। गीतारहस्य में यह बतला दिया गया है, कि इधर ब्रह्मज्ञान अद्वैती है, तो उधर साध्य है द्वैती, और सृष्टि की उत्पत्ति के क्रम के सम्बन्ध में साध्यों के विचार मूल में भिन्न हैं। परन्तु औपनिषदिक अद्वैती ब्रह्मज्ञान तथा साध्यों का द्वैती ज्ञान, दोनों यद्यपि मूल में भिन्न भिन्न हो, तथापि केवल ज्ञानदृष्टि से देखने पर जान पड़ेगा, कि ये दोनों मार्ग अपने पहले के यज्ञयाग आदि कर्ममार्ग के एक ही में विरोधी थे। अतएव यह प्रश्न स्वभावतः उत्पन्न हुआ, कि कर्म का ज्ञान से किस प्रकार मेल किया जावे? इसी कारण से उपनिषत्काल ही में इस विषय पर दो दल हो गये थे। उनमें से बृहदारण्यकादि उपनिषद् तथा साख्य यह कहने लगे, कि कर्म और ज्ञान में नित्य विरोध है। इसलिये ज्ञान हो जाने पर कर्म का त्याग करना प्रशस्त ही नहीं, किन्तु आवश्यक भी है। इससे

विरुद्ध ईशावास्यादि अन्य उपनिषद् यह प्रतिपादन करने लगे, कि ज्ञान हो जाने पर भी कर्म छोड़ा नहीं जा सकता। वैराग्य में बुद्धि को निष्काम करके जगत् में व्यवहार की सिद्धि के लिये ज्ञानी पुरुष को सब कर्म करना ही चाहिये। इन उपनिषदों के भाष्यों में इस भेद को निकाल डालने का प्रयत्न किया है। परन्तु गीतारहस्य के ग्यारहवें प्रकरण के अन्त में किये गये विवेचन से यह बात ध्यान में आ जायगी, कि शास्त्रकरमाष्य में ये साम्प्रदायिक अर्थ खींचातानी में किये गये हैं; और इसलिये इन उपनिषदों पर स्वतन्त्र रीति में विचार करते समय वे अर्थ ग्राह्य नहीं माने जा सकते। यह नहीं कि, केवल यज्ञयागादि कर्म तथा ब्रह्मज्ञान ही में मेल करने का प्रयत्न किया गया हो; किन्तु मैत्र्युपनिषद् के विवेचन से यह बात भी साफ़ साफ़ प्रकट होती है, कि कापिलमांड्य में पहले-पहले स्वतन्त्र रीति में प्रादुर्भूत क्षराक्षरज्ञान की तथा उपनिषदों के ब्रह्मज्ञान की एकवाक्यता—जितनी हो सकती थी—करने का भी प्रयत्न उसी समय आरम्भ हुआ था। बृहदारण्यकादि प्राचीन उपनिषदों में कापिलसांख्यज्ञान को कुछ महत्त्व नहीं दिया गया है। परन्तु मैत्र्युपनिषद् में सांख्यों की परिभाषा का पूर्णतया स्वीकार करके यह कहा है, कि अन्त में एक परब्रह्म ही में सांख्यों के चौबीस तत्त्व निर्मित हुए हैं। तथापि कापिलसांख्यशास्त्र भी वैराग्यप्रधान अर्थात् कर्म के विरुद्ध है। तात्पर्य यह है, कि प्राचीन काल में ही वैदिकधर्म के तीन दल हो गये थे :- (१) केवल यज्ञयाग आदि कर्म करने का मार्ग; (२) ज्ञान तथा वैराग्य से कर्म-संग्यास करना, अर्थात् ज्ञाननिष्ठा अथवा सांख्यमार्ग; और (३) ज्ञान तथा वैराग्य बुद्धि ही से नित्य कर्म करने का मार्ग, अर्थात् ज्ञानकर्मममुच्चयमार्ग। इनमें से ज्ञानमार्ग ही से आगे चल कर दो अन्य शाखाएँ—योग और भक्ति—निर्मित हुई हैं। छान्दोग्यादि प्राचीन उपनिषदों में यह कहा है, कि परब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिये ब्रह्मचिन्तन अत्यन्त आवश्यक है; और यह चिन्तन, मनन तथा ध्यान करने के लिये चित्त एकाग्र होना चाहिये; और चित्त को स्थिर करने के लिये परब्रह्म का कोई न कोई मगुण प्रतीक पहले नेत्रों के सामने रखना पड़ता है। इस प्रकार ब्रह्मोपामना करते रहने से चित्त की जो एकाग्रता हो जाती है, उसी को आगे विशेष महत्त्व दिया जाने लगा; और चित्तनिरोधरूपी योग एक जुदा मार्ग हो गया। और जब मगुण प्रतीक के बदले परमेश्वर के मानवस्वपिारी व्यक्त प्रतीक की उपासना का आरम्भ धीरे धीरे होने लगा, तब अन्त में भक्तिमार्ग उत्पन्न हुआ। यह भक्तिमार्ग औपनिषदिक ज्ञान में अलग, धीन ही में स्वतन्त्र रीति में प्रादुर्भूत नहीं हुआ है; और न भक्ति की कल्पना हिन्दुस्थान में किसी अन्य देश में लाई गई है। मत्र उपनिषदों का अवलोकन करने में यह त्रम दीप्त पड़ता है, कि पहले ब्रह्मचिन्तन के लिये यज्ञ के अङ्गों की अथवा ध्वजार की उपासना थी। आगे चल कर रद्र, विष्णु आदि वैदिक देवताओं की (अथवा भावान आदि मगुण-व्यक्त ब्रह्म-प्रतीक की,) उपासना का आरम्भ हुआ; और अन्त में इसी हेतु में अर्थात् ब्रह्मप्राप्ति के लिये ही राम, नृसिंह, श्रीकृष्ण,

वासुदेव आदि की भक्ति (अर्थात् एक प्रकार की उपासना) जारी हुई है। उन्नीसवें पदों की भाषा से यह बात भी साफ साफ मालूम होती है, कि उनमें से योगतत्त्वादि योग-विषयक उपनिषद् तथा नृसिंहतापनी, रामतापनी आदि भक्तिविषयक उपनिषद् छान्दोग्यादि उपनिषदों की अपेक्षा अर्वाचीन हैं। अतएव ऐतिहासिक दृष्टि से यह कहना पड़ता है, कि छान्दोग्यादि प्राचीन उपनिषदों में वर्णित कर्म, ज्ञान अथवा सन्यास और ज्ञानकर्मसमुच्चय — इन तीनों दलों के प्रादुर्भाव हो जाने पर ही आगे योगमार्ग और भक्तिमार्ग को श्रेष्ठता प्राप्त हुई है। परन्तु योग और भक्ति, ये दोनों साधन यद्यपि उक्त प्रकार से श्रेष्ठ माने गये, तथापि उनके पहले के ब्रह्मज्ञान की श्रेष्ठता कुछ कम नहीं हुई — और न उसका कम होना सम्भव ही था। इसी कारण योगप्रधान तथा भक्तिप्रधान उपनिषदों में भी ब्रह्मज्ञान को भक्ति और योग का अन्तिम साध्य कहा है। और ऐसा वर्णन भी कई स्थानों में पाया जाता है, कि जिन रुद्र, विष्णु, अच्युत, नारायण तथा वासुदेव आदि की भक्ति की जाती है, वे भी परमात्मा के अथवा परब्रह्म के रूप हैं (मैत्र्यु. ७. ७; रामपू. १६; अमृतविन्दु. २२ आदि देखो)। साराश, वैदिक धर्म में समय समय पर आत्मज्ञानी पुरुषों ने जिन धर्माङ्गों को प्रवृत्त किया है, वे प्राचीन समय में प्रचलित धर्माङ्गों से ही प्रादुर्भूत हुए हैं; और नये धर्माङ्गों का प्राचीन समय में प्रचलित धर्माङ्गों के साथ मेल करा देना ही वैदिक धर्म की उन्नति का पहले से मुख्य उद्देश रहा है; तथा भिन्न भिन्न धर्माङ्गों की एकवाक्यता करने के इसी उद्देश का स्वीकार करके, आगे चल कर स्मृतिकारों ने आश्रम-व्यवस्थाधर्म का प्रतिपादन किया है। भिन्न भिन्न धर्माङ्गों की एकवाक्यता करने की इस प्राचीन पद्धति पर जब ध्यान दिया जाता है, तब यह कहना सयुक्तिक नहीं प्रतीत होता, कि उक्त पूर्वापार पद्धति को छोड़ केवल गीताधर्म ही अकेला प्रवृत्त हुआ होगा।

ब्राह्मण-ग्रन्थों के यज्ञयागादि कर्म, उपनिषदों का ब्रह्मज्ञान, कापिलसाख्य, चित्तनिरोधरूपी योग तथा भक्ति, ये ही वैदिक धर्म के मुख्य मुख्य अङ्ग हैं; और इनकी उत्पत्ति के क्रम का सामान्य इतिहास ऊपर लिखा गया है। अब इस बात का विचार किया जायगा, कि गीता में इन सब धर्माङ्गों का जो प्रतिपादन किया गया है, उसका मूल क्या है? — अर्थात् वह प्रतिपादन साक्षात् भिन्न भिन्न उपनिषदों से गीता में लिया गया है अथवा बीच में एक-आध सीढ़ी और है। केवल ब्रह्मज्ञान के विवेचन के समय कठ आदि उपनिषदों के कुछ श्लोक गीता में ज्यों-के-त्यों लिये गये हैं; और ज्ञानकर्मसमुच्चयपक्ष का प्रतिपादन करते समय जनक आदि के औपनिषदिक उदाहरण भी दिये गये हैं। इससे प्रतीत होता है, कि गीता-ग्रन्थ साक्षात् उपनिषदों के आधार पर रचा गया होगा। परन्तु गीता ही में गीताधर्म की जो परम्परा दी गई है, उसमें तो उपनिषदों का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता। जिस प्रकार गीता में द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञानमय यज्ञ को श्रेष्ठ माना है (गीता ४. ३३), उसी प्रकार छान्दोग्योपनिषद्

में भी एक स्थान पर यह कहा है, कि मनुष्य का जीवन एक प्रकार का यज्ञ ही है (छा. ३. १६, १७)। इस प्रकार के यज्ञ की महत्ता का वर्णन करते हुए यह भी कहा है, कि "यह यज्ञ-विद्या घोर आडिगरम नामक ऋषि ने देवकीपुत्र कृष्ण को बतलाई।" इस देवकीपुत्र कृष्ण तथा गीता के श्रीकृष्ण को एक ही व्यक्ति मानने के लिये कोई प्रमाण नहीं है। परन्तु यदि कुछ देर के लिये दोनों को एक ही व्यक्ति मान ले; तो भी स्मरण रहे, कि ज्ञानयज्ञ को श्रेष्ठ माननेवाली गीता में घोर आडिगरस का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। इसके सिवा, बृहदारण्यकोपनिषद् से यह बात प्रकट है, कि जनक का मार्ग यद्यपि ज्ञानकर्मसमुच्चयात्मक था, तथापि इस समय इस मार्ग में भक्ति का समावेश नहीं किया गया था। अतएव भक्तियुक्त ज्ञानकर्म-समुच्चय पन्थ की साम्प्रदायिक परम्परा में जनक की गणना नहीं की जा सकती—और न वह गीता में की गई है। गीता के चौथे अध्याय के आरम्भ में कहा है (गीता ४. १-३), कि युग के आरम्भ में भगवान् ने पहले विवस्वान् को, विवस्वान् ने मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु को गीताधर्म का उपदेश किया था; परन्तु काल के हेरफेर में उसका लोप हो जाने के कारण वह फिर से अर्जुन को बतलाना पड़ा। गीताधर्म की परम्परा का ज्ञान होने के लिये ये श्लोक अत्यन्त महत्त्व के हैं। परन्तु टीकाकारों ने शब्दार्थ बतलाने के अनिश्चित उनका विशेष रीति से स्पष्टीकरण नहीं किया है; और कदाचित् ऐसा करना उन्हें इष्ट भी न रहा हो। क्योंकि, यदि कहा जाय, कि गीताधर्म मूल में किसी एक विशिष्ट पन्थ का है; तो उससे अन्य धार्मिक पन्थों को कुछ-न-कुछ गौणता प्राप्त हो जाती है। परन्तु हमने गीतारहस्य के आरम्भ में तथा गीता के चौथे अध्याय के प्रथम दो श्लोकों की टीका में प्रमाणमहित इस बात का स्पष्टीकरण कर दिया है, कि गीता में वर्णित परम्परा का मेल उस परम्परा के साथ पूरा दीर्घ पड़ना है, कि जो महाभारतान्तर्गत नारायणीयोपाख्यान में वर्णित भागवत-धर्म की परम्परा में अन्तिम वैतायुगनालीन परम्परा है। भागवतधर्म तथा गीताधर्म की परम्परा की एकता की देखाकर कहना पड़ता है, कि गीताग्रन्थ भागवतधर्मोप है; और यदि इस विषय में कुछ शक्य हो, तो महाभारत में दिये गये वैशम्पायन के इस वाक्य—“गीता में भागवतधर्म ही बतलाया गया है” (म. भा. भा. ३४६. १०) — से यह दूर हो जाती है। इस प्रकार जब यह सिद्ध हो गया, कि गीता औपनिषदिक ज्ञान का अर्थात् वेदान्त का स्वतन्त्र ग्रन्थ नहीं है—उसमें भागवतधर्म का प्रतिपादन किया गया है; तब यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं, कि भागवतधर्म में अलग करके गीता की जो चर्चा की जायगी, वह अपूर्ण तथा अधमूलक होगी। अतएव भागवतधर्म सब उन्मत्त दृष्टि और उसका मूलस्वरूप क्या था, इत्यादि प्रश्नों के विषय में जो बातें इस समय उपलब्ध हैं, उनका भी विचार मत्त में यहाँ किया जाना चाहिये। गीतारहस्य में हम पहले ही यह आये हैं, कि इस भागवतधर्म के ही नारायणीय, भागवत, पाञ्चरात्र धर्म आदि अन्य नाम हैं।

उपनिषत्काल के बाद और बुद्ध के पहले जो वैदिक धर्मग्रन्थ बने, उनमें से अधिकांश ग्रन्थ लुप्त हो गये हैं। इस कारण भागवतधर्म पर वर्तमान समय में जो ग्रन्थ उपलब्ध हैं, उनमें से गीता के अतिरिक्त मुख्य ग्रन्थ ये ही हैं : महाभारतान्तर्गत शान्तिपर्व के अन्तिम अठारह अध्यायों में निरूपित नारायणीयाख्यान (म. भा. शा. ३३४-३५१), शाण्डिल्यसूत्र, भागवतपुराण, नारदपञ्चरात्र, नारदसूत्र, तथा रामानुजाचार्य आदि के ग्रन्थ। इनमें से रामानुजाचार्य के ग्रन्थ तो प्रत्यक्ष में साम्प्रदायिक दृष्टि से ही (अर्थात् भागवतधर्म के विशिष्टाद्वैत वेदान्त से मेल करने के लिये) विक्रम सवत् १३३५ में (शालिवाहन शक के लगभग बारहवें शतक में) लिखे गये हैं। अतएव भागवतधर्म का मूलस्वरूप निश्चित करने के लिये इन ग्रन्थों का सहारा नहीं लिया जा सकता; और यही बात मध्वादि के अन्य वैष्णव ग्रन्थों की भी है। श्रीमद्भागवतपुराण इसके पहले का है। परन्तु इस पुराण के आरम्भ में ही यह कथा है (भाग. स्क. १ अ. ४ और ५ देखो), कि जब व्यासजी ने देखा, कि महाभारत में (अतएव गीता में भी) नैष्कर्म्यप्रधान भागवत धर्म का जो निरूपण किया गया है, उसमें भक्ति का जैसा चाहिये वैसा वर्णन नहीं है; और "भक्ति के बिना केवल नैष्कर्म्य शोभा नहीं पाता," तब उनका मन कुछ उदास और अप्रसन्न हो गया। एव अपने मन की इस तलमलाहट को दूर करने के लिये नारदजी की सूचना से उन्होंने भक्ति के माहात्म्य का प्रतिपादन करनेवाले भागवतपुराण की रचना की। इस कथा का ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करने पर दीख पड़ेगा, कि मूल भागवतधर्म में अर्थात् भारतान्तर्गत भागवतधर्म में नैष्कर्म्य को जो श्रेष्ठता दी गयी थी, वह जब समय के हेरफेर से कम होने लगी; और उसके बदले जब भक्ति को प्रधानता दी जाने लगी, तब भागवतधर्म के इस दूसरे स्वरूप का (अर्थात् भक्तिप्रधान भागवतधर्म का) प्रतिपादन करने के लिये यह भागवतपुराण-रूपी मेवा पीछे तैयार किया गया है। नारदपञ्चरात्र ग्रन्थ भी इसी प्रकार का अर्थात् केवल भक्तिप्रधान है; और उसमें द्वादशस्कन्धों के भागवतपुराण का तथा ब्रह्मवैवर्त पुराण, विष्णुपुराण, गीता और महाभारत का नामोल्लेख कर स्पष्ट निर्देश किया गया है (ना. पं. २. ७. २८-३२; ३. १४. ७३; और ४. ३. १५४ देखो)। इसलिये यह प्रकट है, कि भागवतधर्म के मूलस्वरूप का निर्णय करने के लिये इस ग्रन्थ की योग्यता भारतपुराण से भी कम दर्ज की है। नारदसूत्र तथा शाण्डिल्यसूत्र कदाचित् नारदपञ्चरात्र से भी कुछ प्राचीन हो; परन्तु नारदसूत्र में व्यास और शुक (ना. सू. ८३) का उल्लेख है। इसीलिये वह भारत और भागवत के बाद का है; और शाण्डिल्यसूत्र में भगवद्गीता के श्लोक ही उद्धृत किये गये हैं (शा. सू. ९, १५ और ८३)। अतएव यह सूत्र यद्यपि नारदसूत्र (८३) से प्राचीन भी हों; तथापि इसमें सन्देह नहीं, कि यह गीता और महाभारत के अनन्तर का है। अतएव, भागवतधर्म के मूल तथा प्राचीन स्वरूप का निर्णय अन्त में महाभारतान्तर्गत नारायणीयाख्यान

के आधार में ही करना पड़ता है। भागवतपुराण (१.३.२४) और नारदपञ्चरात्र (४.३.१५६-१५९; ४.८.८१) ग्रन्थों में बुद्ध को विष्णु का अवतार कहा है। परन्तु नारायणीयाख्यान में वर्णित दशवतारों में बुद्ध का समावेश नहीं किया गया है—पहला अवतार हंस का और आगे कृष्ण के बाद एकदम कल्कि अवतार बतलाया है (म. भा. भां. ३३९. १००)। इससे भी यही सिद्ध होता है, कि नारायणीयाख्यान भागवतपुराण में और नारद पञ्चरात्र से प्राचीन है। इस नारायणीयाख्यान में यह वर्णन है, कि नर तथा नारायण (जो परब्रह्म ही के अवतार है) नामक दो ऋषियों ने नारायणीय अर्थात् भागवतधर्म को पहले पहल जारी किया; और उनके कहने से जब नारद ऋषि श्वेतद्वीप को गये, तब वहाँ स्वयं भगवान् ने नारद को इस धर्म का उपदेश किया। भगवान् जिस श्वेतद्वीप में रहते हैं, वह क्षीरसमुद्र में है; और वह क्षीरसमुद्र मेरुपर्वत के उत्तर में है; इत्यादि नारायणीयाख्यान की बातें प्राचीन पौराणिक ब्रह्माण्डवर्णन के अनुसार ही हैं; और इस विषय में हमारे यहाँ किसी को कुछ कहना भी नहीं है। परन्तु वेबर नामक पश्चिमी संस्कृतज्ञ पण्डित ने इन कथा का विपर्याय करके यह दीर्घ शंका की थी, कि भागवतधर्म में वर्णित भक्तिरत्न श्वेतद्वीप में—अर्थात् हिन्दुस्थान के बाहर के किसी अन्य देश में—हिन्दुस्थान में लाया गया है; और भक्ति का यह तत्त्व उम समय ईसाई धर्म के अतिरिक्त और कहीं भी प्रचलित नहीं था; इसलिए ईसाई देशों में ही भक्ति की कल्पना भागवतधर्मियों को सूझी है। परन्तु पाणिनी को वामुदेवभक्ति का तत्त्व मालूम था; और बौद्ध तथा जैनधर्म में भी भागवतधर्म तथा भक्ति के उल्लेख पाये जाते हैं। अब यह वान भी निर्विवाद है, कि पाणिनी और बुद्ध दोनों ईसा के पहले हुए थे। इसलिए अब पश्चिमी पण्डितों ने ही निश्चिन्त किया है, कि वेबर साहब की उपर्युक्त गड़बड़ निराधार है। ऊपर यह बतला दिया गया है, कि भक्तिरूप धर्माज्ञा का उदय हमारे यहाँ ज्ञानप्रधान उपनिषदों के अनन्तर हुआ है। हमने यह बात निर्विवाद प्रकट की है, कि ज्ञानप्रधान उपनिषदों के बाद तथा बुद्ध के पहले वामुदेवभक्तिमन्त्रियों भागवतधर्म उत्पन्न हुआ है। अब प्रश्न केवल उतना ही है, कि वह बुद्ध के जितने शतक पहले हुआ? अगले विवेचन में यह वान ध्यान में आ जायगी,

* भक्तिमान् (पाठी - भक्तिमा) शब्द धरमादा (शं. २७०) में मिलता है; और एक ज्ञानरूप में भी भक्ति का उद्देश्य किया गया है। इसके सिवा, प्रसिद्ध फ्रेंच पाठी-पण्डित सेनार्त (Senart) ने ' बौद्धधर्म का मूठ ' इस विषय पर सन् १९०९ में एक व्याख्यान दिया था, जिसमें यह रूप के यह प्रतिपादन किया है कि भागवतधर्म बौद्धधर्म के पहले का है। " No one will claim to derive from Buddhism, Vishnuism or the Yoga. Assuredly, Buddhism is the borrower. " .. " To sum up if there had not previously existed a religion made up of doctrines of Yoga, of Vishnuite legends of devotion to Vishnu, Krishna, worshipped under the title of Bhagavata, Buddhism would not have come

कि यद्यपि उक्त प्रश्न का पूर्णतया निश्चित उत्तर नहीं दिया जा सकता; तथापि स्थूलदृष्टि से उस काल का अन्दाज करना कुछ अमम्भव भी नहीं है।

गीता (४. २) में यह कहा है, कि श्रीकृष्ण ने जिस भागवतधर्म का उपदेश अर्जुन को किया है, उसका पहले लोप हो गया था। भागवतधर्म के तत्त्वज्ञान में परमेश्वर को वासुदेव, जीव को सङ्कर्षण, मन को प्रद्युम्न तथा अहङ्कार को अनिरुद्ध कहा है। इनमें वासुदेव तो स्वयं श्रीकृष्ण ही का नाम है; सङ्कर्षण उनके ज्येष्ठ भ्राता बलराम का नाम है, तथा प्रद्युम्न और अनिरुद्ध श्रीकृष्ण के पुत्र और पौत्र के नाम हैं। इसके सिवा इस धर्म का जो दूसरा नाम 'सात्वत' भी है, वह उस यादवजाति का नाम है, जिसमें श्रीकृष्णजी ने जन्म लिया था। इससे यह बात प्रकट होती है, कि जिस कुल तथा जाति में श्रीकृष्णजीने जन्म लिया था, उसमें यह धर्म प्रचलित हो गया था; और तभी उन्होंने अपने प्रियमित्र अर्जुन को उसका उपदेश किया होगा — और यही बात पौराणिक कथा में भी कही गई है। यह भी कथा प्रचलित है, कि श्रीकृष्ण के साथ ही सात्वत जाति का अन्त हो गया। इस कारण श्रीकृष्ण के बाद सात्वत जाति में इस धर्म का प्रसार होना भी सम्भव नहीं था। भागवतधर्म के भिन्न भिन्न नामों के विषय में इस प्रकार की ऐतिहासिक उपपत्ति घतलाई जा सकती है, कि जिस धर्म को श्रीकृष्णजी ने प्रवृत्त किया था, वह उनके पहले कदाचित् नारायणीय या पञ्चरात्र नामों से न्यूनाधिक अशो में प्रचलित रहा होगा; और आगे सात्वतजाति में उसका प्रसार होने पर उसे 'सात्वत' नाम प्राप्त हुआ होगा। तदनंतर भगवान् श्रीकृष्ण तथा अर्जुन को नर-नारायण के अवतार मानकर लोग इस धर्म को 'भागवतधर्म' कहने लगे होंगे। इस विषय के सम्बन्ध में यह मानने की कोई आवश्यकता नहीं, कि तीन या चार भिन्न भिन्न श्रीकृष्ण हो चुके हैं; और उनमें से हर एक ने इस धर्म का प्रचार करते समय अपनी ओर से कुछ-कुछ सुधार करने का प्रयत्न किया है — वस्तुतः ऐसा मानने के लिये कोई प्रमाण भी नहीं है। मूलधर्म में न्यूनाधिक परिवर्तन हो जाने के कारण ही यह कल्पना उत्पन्न हो गई है। बुद्ध, क्राइस्ट तथा मुहम्मद तो अपने अपने धर्म के स्वयं एक ही एक संस्थापक हो गये हैं, और आगे आगे उनके धर्मों में भले-बुरे अनेक परिवर्तन भी हो गये

to pirth at all." सेनार्त का यह लेख पूने से प्रकाशित होनेवाले The Indian Interpreter नामक मिशनरी त्रैमासिक पत्र के अक्टोबर १९०९ और जनवरी १९१० के अंकों में प्रसिद्ध हुआ है, और ऊपर दिये गये वाक्य जनवरी के अंक के १७७ तथा १७८ पृष्ठों में हैं। डॉ. बुल्हर ने भी यह कहा है :- The ancient Bhagavata, Satvata or Pancharatra devoted to the worship of Narayan and his deified teacher Krishna - Devakiputra dates from a period long anterior to the rise of Jainas in the 8th century B C." Indian Antiquary Vol XXIII (1894), p. 248. इस विषय का अधिक विवेचन आगे चल कर इस परिशिष्ट प्रकरण के छठवें भाग में किया है।

है। परन्तु इसमें कोई यह नहीं मानता, कि बुद्ध, ब्राह्मिष्ठ या मुहम्मद अनेक हो गये। इसी प्रकार यदि मूल भागवतधर्म को आगे चलकर भिन्न भिन्न स्वरूप प्राप्त हो गये, या श्रीकृष्णजी के विषय में आगे भिन्न भिन्न कल्पनाएँ रच हो गईं, तो यह कैसे माना जा सकता है, कि उनमें ही भिन्न श्रीकृष्ण भी हो गये? हमारे मतानुसार ऐसा मानने के लिये कोई कारण नहीं है। कोई भी धर्म लीजिये, समय के हेरफेर में उमका रूपान्तर हो जाना त्रिलुल स्वाभाविक है। उसके लिये इस बात की आवश्यकता नहीं, कि भिन्न भिन्न कृष्ण, बुद्ध या ईसा मसीह माने जावे। कुछ लोग और विशेषतः कुछ पश्चिमी तर्कज्ञानी यह तर्क किया करते हैं, कि श्रीकृष्ण, यादव और पाण्डव, तथा भारतीय युद्ध आदि ऐतिहासिक घटनाएँ नहीं हैं। ये सब काल्पनिक कथाएँ हैं। और कुछ लोग के मत में तो महाभारत अध्यात्म विषय का एक बृहत् रूपक ही है। परन्तु हमारे प्राचीन ग्रन्थों के प्रमाणों को देखकर किसी भी निष्पक्षपाती मनुष्य को यह मानना पड़ेगा, कि उक्त कथाएँ त्रिलुल निराधार हैं। साराण, हमारा मत यह है, कि श्रीकृष्ण चार-पाँच नहीं हुए। वे केवल एक ही ऐतिहासिक पुरुष थे अब श्रीकृष्णजी के अवतारकाल पर विचार करते समय राव चिन्तामणराव वैद्य ने यह प्रतिपादन किया है, कि श्रीकृष्ण, यादव, पाण्डव तथा भारतीय युद्ध का एक ही काल — अर्थात् कलियुग का आरम्भ — है। पुराणगणना के अनुसार उन काल में अब तक पाँच हजार में भी अधिक वर्ष बीत चुके हैं, और यही श्रीकृष्णजी के अवतार का समय काल है। परन्तु पाण्डवों में उगा कर शनकाळ तक के राजाओं की पुराणों में वर्णित पीढ़ियाँ

* श्रीकृष्ण के चरित्र में पराक्रम, मक्ति और वेदान्त के अतिरिक्त गोपियों की रासक्रीड़ा का समावेश होता है, और ये बातें परस्परविरोधी हैं। इसलिये आजकल कुछ विद्वान् यह प्रतिपादन किया करते हैं, कि महाभारत का कृष्ण भिन्न, गीता का भिन्न और गोकुल का कन्देया भी भिन्न है। डॉ. माडारकर ने अपने वैष्णव, शैव आदि पन्थ सम्बन्धी अन्येजी ग्रन्थ में इसी मत को स्वीकार किया है। परन्तु हमारे मत में यह ठीक नहीं है। यह बात नहीं, कि गोपियों की कथा में जा शृंगार वर्णन है, वह बाद में न आया हो। परन्तु केवल उनमें ही क लिये यह मानने की कोई आवश्यकता नहीं, कि श्रीकृष्ण नाम के कई भिन्न भिन्न पुरुष हो गये, और इसके लिये कल्पना के सिवा कोई अन्य आधार भी नहीं है। इसके सिवा, यह भी नहीं, कि गोपियों की कथा का प्रकार पण्ड्रे भागवतकाल ही में हुआ हो, किन्तु शनकाळ के आरम्भ में दानी विद्वान् मन्थ १३६ के लगभग अक्षरानुसारित 'उद्धृष्ट' (१ ११) में और भागवतकाल 'वाल्मीकि नाटक (३ -) में भी गोपियों का उल्लेख किया गया है। अतएव इस विषय में हमें डॉ. माडारकर के कथन से चिन्तामणराव वैद्य का मत अधिक समुचित प्रतीत होता है।

† शनकाळ त्रिलुल विद्वान् राव वैद्य का यह मत उनके महाभारत के टीकात्मक अन्येजी ग्रन्थ में है। इसके सिवा इसी विषय पर आरत मन्थ १९१४ में हेनन कौन्ज एनिवर्सरी के समय में व्याख्यान दिया था उसमें भी इस बात का विवेचन किया था।

से इस काल का मेल नहीं दीख पड़ता। अतएव भागवत तथा विष्णुपुराण में जो यह वचन है, कि “ परीक्षित राजा के जन्म से नन्द के अभिषेक तक १११५ अथवा १०१५ वर्ष होते हैं ” (भाग. १२. २. २६; और विष्णु. ४. २४. ३२), उसी के आधार पर विद्वानों ने अब यह निश्चित किया है, कि ईसाई सन् के लगभग १४०० वर्ष पहले भारतीय युद्ध और पाण्डव हुए होंगे। अर्थात् श्रीकृष्ण का अवतारकाल भी यही है; और इस काल को स्वीकार कर लेने पर यह बात सिद्ध होती है, कि श्रीकृष्ण ने भागवतवर्षों को — इसा से लगभग १४०० वर्ष पहले अथवा बुद्ध से ८०० वर्ष पहले — प्रचलित किया होगा। इसपर कुछ लोग यह आक्षेप करते हैं, कि श्रीकृष्ण तथा पाण्डवों के ऐतिहासिक पुरुष होने में कोई सन्देह नहीं; परन्तु श्रीकृष्ण के जीवनचरित्र में उनके अनेक रूपान्तर दीख पड़ते हैं — जैसे श्रीकृष्ण नामक एक क्षत्रिय योद्धा को पहले महापुरुष का पद प्राप्त हुआ, पश्चात् विष्णु का पद मिला और धीरे धीरे अन्त में पूर्ण परब्रह्म का रूप प्राप्त हो गया — इन सब अवस्थाओं में आरम्भ से अन्त तक बहुत-सा काल बीत चुका होगा — इसीलिये भागवतधर्म के उदय का तथा भारतीय युद्ध का एक ही काल नहीं माना जा सकता। परन्तु यह आक्षेप निरर्थक है। “ किसे देव मानना चाहिये; और किसे नहीं मानना चाहिये ” इस विषय पर आधुनिक तर्कों की समझ में तथा दो-चार हजार वर्ष पहले के लोगों की समझ (गीता १०. ४१) में बड़ा अन्तर हो गया है। श्रीकृष्ण के पहले ही बने हुए उपनिषदों में यह सिद्धान्त कहा गया है, कि ज्ञानी पुरुष स्वयं ब्रह्ममय हो जाता है (वृ. ४. ४. ६); और मैत्र्युपनिषद् में यह साफ़ साफ़ कह दिया है, कि रुद्र, विष्णु, अच्युत, नारायण, ये सब ब्रह्म ही हैं (मै. यु. ७. ७)। फिर श्रीकृष्ण को परब्रह्म प्राप्त होने के लिये अधिक समय लगने का कारण क्या है? इतिहास की ओर देखने से विश्वसनीय बौद्ध ग्रन्थों में भी यह बात दीख पड़ती है, कि बुद्ध स्वयं अपने को ‘ब्रह्मभूत’ (सेलसुत्त, १४; थेरगाथा ८३१) कहता था। उसके जीवनकाल ही में उसे देव के सदृश्य सन्मान दिया जाता था। उसके स्वर्गस्थ होने के बाद शीघ्र ही उसे ‘देवाधिदेव’ का अथवा वैदिकधर्म के परमात्मा का स्वरूप प्राप्त हो गया था; और उसकी पूजा भी जारी हो गई थी। यही बात ईसा मसीह की भी है। यह बात सच है, कि बुद्ध तथा ईसा के समान श्रीकृष्ण संन्यासी नहीं थे; और न भागवतधर्म ही निवृत्तिप्रधान है। परन्तु केवल इसी आधार पर बौद्ध तथा ईसाई धर्म के मूलपुरुषों के समान भागवतधर्मप्रवर्तक श्रीकृष्ण को भी पहले ही से ब्रह्म अथवा देव का स्वरूप प्राप्त होने में किसी बाधा के उपस्थित होने का कारण दीख नहीं पड़ता।

इन प्रकार श्रीकृष्ण का समय निश्चित कर लेने पर उसी को भागवतधर्म का उदयकाल मानना भी प्रशस्त तथा सयुक्तिक है। परन्तु सामान्यतः पश्चिमी पण्डित ऐसा करने में क्यों हिचकिचाते हैं? इसका कारण कुछ और ही है। इन पण्डितों

में मे अधिकांश का अब तक यही मत है, कि खुद ऋग्वेद का काल ईसा के पहले लगभग १५०० वर्ष या बहुत हुआ तो २००० वर्ष से अधिक प्राचीन नहीं है। अतएव उन्हें अपनी दृष्टि में यह कहना असम्भव प्रतीत होता है, कि भागवतधर्म ईसा के लगभग १४०० वर्ष पहले प्रचलित हुआ होगा। क्योंकि वैदिकधर्मसाहित्य में यह श्रम निश्चिन्नादि मिथ्या है, कि ऋग्वेद के बाद यज्ञयाग आदि कर्मप्रतिपादक यजुर्वेद और ब्राह्मणग्रन्थ बने। तदनन्तर ज्ञानप्रधान उपनिषद् और माध्यशास्त्र निर्मित हुए; और अन्त में भक्तिप्रधान ग्रन्थ रचे गये। और केवल भागवतधर्म के ग्रन्थों का अवलोकन करने में स्पष्ट प्रतीत होता है, कि औपनिषदिक ज्ञान, माध्यशास्त्र, चित्त-निरोधरूपी योग आदि धर्माद्वय भागवतधर्म के उदय के पहले ही प्रचलित हो चुके थे। ममय की मनमायी खीचातानी करने पर भी यही मानना पड़ता है, कि ऋग्वेद के बाद और भागवतधर्म के उदय के पहले, उक्त भिन्न भिन्न धर्माद्वयों का प्रादुर्भाव तथा वृद्धि होने के लिये, बीच में कम-से कम दस-बारह शतक अवश्य बीत गये होंगे। परन्तु यदि माना जाय, कि भागवतधर्म की श्रीकृष्ण ने अपने ही समय में — अर्थात् ईसा के लगभग १४०० वर्ष पहले — प्रवृत्त किया होगा; तो उक्त भिन्न भिन्न धर्माद्वयों की वृद्धि के लिये उक्त पश्चिमी पण्डितों के मतानुसार कुछ भी उचित बाल्यावकाश नहीं रह जाता। क्योंकि, ये पण्डित लोग ऋग्वेदकाल ही को ईसा से पहले १५०० तथा २००० वर्ष से अधिक प्राचीन नहीं मानते। ऐसी अवस्था में उन्हें यह मानना पड़ता है, कि मौ या अधिक से अधिक पाँच-छः सौ वर्ष के बाद ही भागवतधर्म का उदय हो गया। इसलिये उपर्युक्त बचनानुसार कुछ निरर्थक कारण बनला कर वे लोग श्रीकृष्ण और भागवतधर्म की समकालीनता को नहीं मानते। और कुछ पश्चिमी पण्डित तो यह कहने के लिये भी उद्यत हो गये हैं, कि भागवतधर्म का उदय बुद्ध के बाद हुआ होगा। परन्तु जैन तथा बौद्ध ग्रन्थों में ही भागवतधर्म के जो उल्लेख पाये जाते हैं, उनमें तो यही बात स्पष्ट विदित होनी है, कि भागवतधर्म बुद्ध से प्राचीन है। अतएव डॉ. ब्रुन्डर ने कहा है, कि भागवतधर्म का उदयराज बौद्धराज के आगे इटाली के बदले हमारे 'ओरायन' ग्रन्थ के प्रतिपादन के अनुसार ऋग्वेदादि ग्रन्थों का काल ही पीछे इटाया जाना चाहिये। पश्चिमी पण्डितों ने अत्र उपर्युक्त अनुमानों में वैदिक ग्रन्थों के जो काल निश्चित किये हैं, वे ग्रमन्त्र हैं। वैदिककाल की पूर्वमर्यादा ईसा के पहले ४५०० वर्ष से कम नहीं ले जा सकती, इत्यादि बातों को हमने अपने 'ओरायन' ग्रन्थ में वेदों के उदयन-निश्चिन्नादिक बान्धों के आधार पर मिथ्या कर दिया है, और इसी अनुमान को अत्र अधिकांश पश्चिमी पण्डितों ने भी ग्राह्य माना है। इस प्रकार ऋग्वेदराज को पीछे इटाली में

* डॉ. ब्रुन्डरने Indian Antiquary, September 1894. (Vol. XLIII, pp. 288-294) में हमारे 'ओरायन' ग्रन्थ की जो समालोचना की है उसमें हमें।

वैदिकधर्म के सब अंकों की वृद्धि होने के लिये उचित कालावकाश मिल जाता है, और भागवत-धर्मोदयकाल को सवुचित करने का प्रयोजन ही नहीं रह जाता। परलोक-वामी शङ्कर बालकृष्ण दीक्षित ने अपने 'भारतीय ज्योति शास्त्र (मराठी) के इतिहास' में यह बतलाया है, कि ऋग्वेद के बाद ब्राह्मण आदि ग्रन्थों में कृत्तिका प्रभृति नक्षत्रों की गणना है। इसलिये उनका काल ईसा से लगभग २५०० वर्ष पहले निश्चित करना पड़ता है। परन्तु हमारे देखने में यह अभी तक नहीं आया है, कि उदगयन स्थिति से ग्रन्थों के काल का निर्णय करने की इस रीति का प्रयोजन उपनिषदों के विषय में किया गया हो। रामतापनीसरीखे भक्तिप्रधान तथा योगतत्त्वसरीखे योगप्रधान उपनिषदों की भाषा और रचना प्राचीन नहीं दीख पड़ती — केवल इमी आधार पर कई लोगों ने यह अनुमान किया है, कि सभी उपनिषद् प्राचीनता में बुद्ध की अपेक्षा चार-पाँच सौ वर्ष से अधिक नहीं हैं। परन्तु कालनिर्णय की उपर्युक्त रीति से देखा जाय, तो यह समझ भ्रममूलक प्रतीत होगी। यह सच है, कि ज्योतिष की रीति से सब उपनिषदों का काल निश्चित नहीं किया जा सकता। तथापि मुख्य उपनिषदों का काल निश्चित करने के लिये इस रीति का बहुत अच्छा उपयोग किया जा सकता है। भाषा की दृष्टि से देखा जाय, तो प्रो मैक्समूलर का यह कथन है, कि मैत्र्युपनिषद् पाणिनी से भी प्राचीन है। * क्योंकि इस उपनिषद् में ऐसी कई शब्दसन्धियों का प्रयोग किया गया है, जो सिर्फ मैत्रायणीसहिता में ही पायी जाती हैं, और जिनका प्रचार पाणिनी के समय बन्द हो गया था (अर्थात् जिन्हे छान्दस् कहते हैं)। परन्तु मैत्र्युपनिषद् कुछ सब से पहला अर्थात् अतिप्राचीन उपनिषद् नहीं है। उसमें न केवल ब्रह्मज्ञान और साध्य मेल कर दिया है, किन्तु कई स्थानों पर छान्दोग्य, बृहदारण्यक, तैत्तिरीय, कठ और ईशावास्य उपनिषदों के वाक्य तथा श्लोक भी उसमें प्रमाणार्थ उद्धृत किये गये हैं। हाँ, यह सच है, कि मैत्र्युपनिषद् में स्पष्ट रूप से उक्त उपनिषदों के नाम नहीं दिये गये हैं। परन्तु इन वाक्यों के पहले ऐसे पर-वाक्यदर्शक पद रखे गये हैं, जैसे 'एव ह्याह' या 'उक्त च' (= ऐसा कहा है)। इमीलिये इस विषय में कोई सन्देह नहीं रह जाता, कि वे वाक्य दूसरे ग्रन्थों से लिये गये हैं — स्वयं मैत्र्युपनिषत्कार के नहीं हैं। और अन्य उपनिषदों के देखने से सहज ही मालूम हो जाता है, कि वे वचन कहाँ से उद्धृत किये गये हैं। अब हम मैत्र्युपनिषद् में बालरूपी अथवा मवत्पररूपी ब्रह्म का विवेचन करते समय यह वर्णन पाया जाता है, कि "मघा नक्षत्र के आरम्भ से श्रमश श्रविष्ठा अर्थात् धनिष्ठा नक्षत्र के आर्ध भाग पर पहुँचने तक (मघाद्य श्रविष्ठाधम्) दक्षिणायन होता है, और सापे अर्थात् आश्लेषा नक्षत्र से विपरित श्रमपूर्वक (अर्थात् आश्लेषा, पुष्य आदि श्रम ने)

* See Sacred Books of the East Series, Vol. XV. Intro. pp.

पीछे गिनते हुए धनिष्ठा नक्षत्र के आधे भाग तक उत्तरायण होता है" (मैत्र्यु. ६. १४)। इसमें सन्देह नहीं, कि उदगयनस्थितिदर्शक ये वचन तत्कालीन उदगयनस्थिति को ल.म करके ही कहे गये हैं; और फिर इस उपनिषद् का कालनिर्णय भी गणित की रीति से महज ही किया जा सकता है। परन्तु दीख पड़ता है, किसी ने भी उसका इस दृष्टि में विचार नहीं किया है। मैत्र्युपनिषद् में वर्णित यह उदगयनस्थिति वेदाङ्गज्योतिष में कहीं गई उदगयनस्थिति के पहले की है। क्योंकि वेदाङ्गज्योतिष में यह वान स्पष्ट रूप में कह दी गई है, कि उदगयन का आरम्भ धनिष्ठा नक्षत्र के आरम्भ में होता है, और मैत्र्युपनिषद् में उसका आरम्भ 'धनिष्ठाधर्म' में किया गया है। इस विषय में मतभेद है, कि मैत्र्युपनिषद् के 'ध्रुविष्ठाधर्म' शब्द में जो 'अधर्म' पद है, उसका अर्थ 'ठीक आया' करना चाहिये; अथवा 'धनिष्ठा और गतनारवा के बीच स्थान पर' करना चाहिये? परन्तु चाहे जो कहा जाय; इसमें तो कुछ भी सन्देह नहीं, कि वेदाङ्गज्योतिष के पहले की उदगयनस्थिति का वर्णन मैत्र्युपनिषद् में किया गया है; और वहाँ उस समय की स्थिति होनी चाहिये। अतएव यह कहना चाहिये, कि वेदाङ्गज्योतिषकाल का उदगयन, मैत्र्युपनिषत्कालीन उदगयन को अपेक्षा लगभग आधे नक्षत्र से पीछे हट आया था। ज्योतिर्गणित में यह निश्चय होता है, कि वेदाङ्गज्योतिष में कहीं गई उदगयनस्थिति ईसाई सन के लगभग १२०० या १४०० वर्ष पहले की है; * और आधे नक्षत्र में उदगयन के पीछे हटने में लगभग ४८० वर्ष लग जाते हैं। इसलिये गणित में यह वान निष्पन्न होती है, कि मैत्र्युपनिषद् ईसा के पहले १८८० से १९८० वर्ष के बीच कभी-न-कभी बना होगा। और कुछ नहीं तो यह उपनिषद् निम्नन्देह वेदाङ्गज्योतिष के पहले का है। अब यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं, कि छान्दोग्यादि जिन उपनिषदों के अवतर्ग्य मैत्र्युपनिषद् में दिये गये हैं, वे उसमें भी प्राचीन हैं। मारांश, इन सब ग्रन्थों के काल का निर्णय हम प्रकार ही चुका है, कि ऋग्वेद मन ईसवी से लगभग ४५०० वर्ष पहले का है; यजुष्य आदिविषयक ब्राह्मणग्रन्थ मन ईसवी के लगभग २५०० वर्ष पहले के हैं; और छान्दोग्य आदि ज्ञानप्रधान उपनिषद् मन ईसवी के लगभग १९०० वर्ष पुराने हैं। अब यथायं में वे वाने अवशिष्ट नहीं रह जायें, जिनके कारण पश्चिमी पण्डित लोग भागवतधर्म के उदयकाल को हम और हटा लाने का यत्न किया करते हैं; और श्रीरूप तथा भागवतधर्म को, गाय और बछड़े की नैमगिक जोड़ी के समान एक ही बालरज्जू में बांधने में कोई भय भी नहीं दीख पड़ता। एवं फिर

* वेदाङ्गज्योतिष का कालनिर्णयक विवेचन हमारे Orion (ओरायन) नामक अष्टोत्तरीय ग्रन्थ में तथा प. दा. ईश्वर बाबू के संश्लिष्ट 'भारतीय ज्योतिष शास्त्र का इतिहास' नामक मासिकी ग्रन्थ (पृ. ८३-९२ तथा १२३-१३१) में किया गया है। उसमें इस बात का भी विचार किया गया है, कि उदगयन में वैदिक ग्रन्थों का काल-मा बाध निश्चित किया जा सकता है।

बौद्ध ग्रन्थकारों द्वारा वर्णित तथा अन्य ऐतिहासिक स्थिति से भी ठीक ठीक मेल हो जाता है। इसी समय वैदिककाल की समाप्ति हुई; और सूत्र तथा स्मृतिकाल का आरम्भ हुआ है।

उक्त कालगणना से यह बात स्पष्टतया विदित हो जाती है, कि भागवतधर्म का उदय ईसा के लगभग १४०० वर्ष पहले (अर्थात् बुद्ध के लगभग सात-आठ सौ वर्ष पहले) हुआ है। यह काल बहुत प्राचीन है; तथापि यह ऊपर बतला चुके हैं, कि ब्राह्मणग्रन्थों में वर्णित कर्ममार्ग इससे भी अधिक प्राचीन है; और उपनिषदों तथा सांख्यशास्त्र में वर्णित ज्ञान भी भागवतधर्म के उदय के पहले ही प्रचलित हो कर सर्वमान्य हो गया था। ऐसी अवस्था में यह कल्पना करना सर्वथा अनुचित है, कि उक्त ज्ञान तथा धर्माङ्गको की कुछ परवाह न करके श्रीकृष्णसरीखे ज्ञानी और चतुर पुरुष ने अपना धर्म प्रवृत्त किया होगा; अथवा उनके प्रवृत्त करने पर भी यह धर्म तत्कालीन राजर्षियों तथा ब्रह्मर्षियों को मान्य हुआ होगा; और लोगो में उसका प्रसार हुआ होगा। ईसा ने अपने भक्तिप्रधान धर्म का उपदेश पहले जिन यहूदी लोगो को किया था, उनमें उस समय धार्मिक तत्त्वज्ञान का प्रसार नहीं हुआ था। इसलिये अपने धर्म का मेल तत्त्वज्ञान के साथ कर देने की उसे कोई आवश्यकता नहीं थी। केवल यह बतला देने से ईसा का धर्मोपदेशसम्बन्धी काम पूरा हो सकता था, कि पुरानी वाईबल में जिस कर्ममय धर्म का वर्णन किया गया है, हमारा यह भक्तिमार्ग भी उसी को लिये हुए है; और उसने प्रयत्न भी केवल इतना ही किया है। परन्तु ईसाई धर्म की इन बातों से भागवतधर्म के इतिहास की तुलना करते समय यह ध्यान में रखना चाहिये, कि जिन लोगो में तथा जिस समय भागवतधर्म का प्रचार किया गया, उस समय के वे लोग केवल कर्ममार्ग ही से नहीं, किन्तु ब्रह्मज्ञान तथा कापिलसांख्यशास्त्र से भी परिचित हो गये थे; और तीनों धर्माङ्गों की एकवाक्यता (मेल) करना भी वे लोग सीख चुके थे। ऐसे लोगो से यह कहना किसी प्रकार उचित नहीं हुआ होता, कि "तुम अपने कर्मकाण्ड या औपनिषदिक और सांख्यज्ञान को छोड़ दो; और केवल श्रद्धापूर्वक भागवतधर्म को स्वीकार कर लो।" ब्राह्मण आदि वैदिक ग्रन्थों में वर्णित और उस समय में प्रचलित यज्ञयाग आदि कर्मों का फल क्या है? क्या उपनिषदों का या सांख्यशास्त्र का ज्ञान बूया है? भक्ति और चित्तनिरोधरूपी योग का मेल कैसे हो सकता है?— इत्यादि उस समय स्वभावतः उपस्थित होनेवाले प्रश्नों का जब तक ठीक ठीक उत्तर न दिया जाता, तब तक भागवतधर्म का प्रचार होना भी सम्भव नहीं था। अतएव न्याय की दृष्टि से अब यही कहना पड़ेगा, कि भागवतधर्म में आरम्भ ही से इन सब विषयों की चर्चा करना अत्यन्त आवश्यक था, और महाभारतान्तर्गत नारायणीयोपाख्यान के देपने से भी यह सिद्धान्त दृढ़ हो जाता है। इस आख्यान में भागवतधर्म के साथ औपनिषदिक ब्रह्मज्ञान का और सांख्यप्रतिपादित क्षराक्षरविचार का मेल कर दिया गया

है; और यह भी कहा है — “चार वेद और सात्य या योग इन पाँचों का उममें (भागवतधर्म में) समावेश होता है। इसलिये उसे पाञ्चरात्रधर्म नाम प्राप्त हुआ है (म. भा. शां. ३३९. १०७); और वेदारण्यकसहित (अर्थात् उपनिषदों को भी लेकर) ये सब (शास्त्र) परस्पर एक दूसरे के अङ्ग हैं” (शां. ३४८-८२)। ‘पाञ्चरात्र’ शब्द की यह निरक्ति व्याकरण की दृष्टि से चाहे शुद्ध न हो; तथापि उसमें यह बात स्पष्ट विदित हो जाती है, कि सब प्रकार के ज्ञान की एकवाक्यता भागवतधर्म में आरम्भ ही से की गई थी। परन्तु भक्ति के साथ अन्य सब धर्माङ्गों की एकवाक्यता करना ही कुछ भागवतधर्म की प्रधान विशेषता नहीं है। यह नहीं, कि भक्ति के धर्मतत्त्व को पहले पहले भागवतधर्म ही ने प्रवृत्त किया हो। ऊपर दिये हुए मंत्र्युपनिषद् (७.७) के वाक्यों में यह बात प्रकट है, कि रुद्र की या विष्णु के किसी न किसी स्वरूप की भक्ति, भागवतधर्म का उदय होने के पहले ही जारी हो चुकी थी। और यह भावना भी पहले ही उत्पन्न हो चुकी थी, कि उपास्य कुछ भी हैं; वह ब्रह्म ही का प्रतीक अथवा एक प्रकार का रूप है। यह सच है, कि रुद्र आदि उपास्यों के बदले भागवतधर्म में वामुदेव उपास्य माना गया है; परन्तु गीता तथा नारायणीयोपाख्यान में भी यह कहा है, कि भक्ति चाहे जिसकी की जाय; वह एक भगवान् ही के प्रति हुआ करती है — रुद्र और भगवान् भिन्न भिन्न नहीं हैं (गीता. ९. २३. म. भा. शां. ३४९. २०-२६)। अतएव केवल वामुदेवभक्ति भागवतधर्म का मुख्य लक्षण नहीं माना जा सकता। जिस सात्वतजाति में भागवतधर्म पादुर्भूत हुआ, उस जाति के सात्विक आदि पुरुष, परम भगवद्भक्त भीष्म और अर्जुन, तथा स्वयं श्रीकृष्ण भी बड़े पराश्रमी एवं दूसरों से पराश्रम के कार्य करानेवाले हो गये हैं। अतएव अन्य भगवद्भवतों को उचित है, कि वे भी इसी आदर्श को अपने मम्मूख रखें; और तत्कालीन प्रचलित चातुर्वर्ण्य के अनुसार युद्ध आदि सब व्यावहारिक कर्म करे — वम, यही मूल भागवतधर्म का मुख्य विषय था। यह बात नहीं, कि भक्ति के तत्त्व को स्वीकार करके वैराग्ययुक्त बुद्धि में मगार का त्याग करनेवाले पुरुष उस समय बिल्कुल ही न होंगे। परन्तु, यह कुछ सात्वतों के या श्रीकृष्ण के भागवतधर्म का मुख्य तत्त्व नहीं है। श्रीकृष्णजी के उपदेश का मार यही है, कि भक्ति में परमेश्वर का ज्ञान हो जाने पर भगवद्भक्त को परमेश्वर के समान जगत् के धारणपोषण के लिये मदा यत्न करने रहना चाहिये। उपनिषत्काल में जनक आदिपों ने ही यह निश्चित कर दिया था, कि ब्रह्मज्ञानी पुरुष के लिये भी निष्काम कर्म करना कोई अनुचित बात नहीं। परन्तु उस समय उगमें भक्ति का समावेश नहीं किया गया था; और इसके मिया ज्ञानोत्तर कर्म करना अथवा न करना हर एक की दृष्टि पर अवलम्बित था — अर्थात् वैयक्तिक ममता जाना था (वे. सू. ३. ४. १५)। वैदिक धर्म के इतिहास में भागवतधर्म ने जो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण और स्मानधर्म में विभिन्न कार्य किया, वह यह है, कि उस (भागवतधर्म) ने कुछ कदम आगे

बढ़कर केवल निवृत्ति की अपेक्षा निष्कामकर्मप्रधान प्रवृत्तिमार्ग (नैष्कर्म्य) को अधिक श्रेयस्कर ठहराया; और केवल ज्ञान ही से नहीं, किन्तु भक्ति से भी कर्म का उचित मेल कर दिया। इस धर्म के मूलप्रवर्तक नर और नारायण ऋषि भी इसी प्रकार सब काम निष्काम बुद्धि से किया करते थे; और महाभारत (उद्यो. ४८. २१, २२) में कहा है, कि सब लोगों को उनके समान कर्म करना ही उचित है। नारायणीय आख्यान में तो भागवतधर्म का लक्षण स्पष्ट बतलाया है, कि "प्रवृत्तिलक्षणश्चैव धर्मो नारायणात्मकः" (म. भा. शां. ३४७. ८१) - अर्थात् नारायणीय अथवा भागवतधर्म प्रवृत्तिप्रधान या कर्मप्रधान है; नारायणीय या मूल भागवतधर्म का जो निष्काम प्रवृत्ति-तत्त्व है, उसीका नाम नैष्कर्म्य है; और यही मूल भागवतधर्म का मुख्य तत्त्व है। परन्तु, भागवतपुराण से यह बात दीख पड़ती है, कि आगे कालान्तर से यह तत्त्व मन्द होने लगा; और इस धर्म में तो वैराग्यप्रधान वासुदेवभक्ति श्रेष्ठ मानी जाने लगी। नारदपञ्चरात्र में तो भक्ति के साथ मन्वन्तन्त्रो का भी समावेश भागवतधर्म में कर दिया गया है। तथापि, भागवत ही से यह बात स्पष्ट हो जाती है, कि ये सब इस धर्म के मूल स्वरूप नहीं हैं। जहाँ नारायणीय अथवा सात्वतधर्म के विषय में ही कुछ कहने का मौका आया है, वहाँ भागवत (१. ३. ८ और ११. ४. ४६) में ही यह कहा है, कि सात्वतधर्म या नारायण ऋषि का धर्म (अर्थात् भागवतधर्म) 'नैष्कर्म्यलक्षण' है; और आगे यह भी कहा है, कि इस नैष्कर्म्यधर्म में भक्ति को उचित महत्त्व नहीं दिया गया था, इसलिये भक्तिप्रधान भागवतपुराण कहना पड़ा (भाग. १. ५. १२)। इससे यह बात निर्विवाद सिद्ध होती है, कि मूल भागवतधर्म नैष्कर्म्यप्रधान अर्थात् निष्कामकर्मप्रधान था; किन्तु आगे समय के हेरफेर से उसका स्वरूप बदल कर वह भक्तिप्रधान हो गया। गीतारहस्य में ऐसी ऐतिहासिक बातों का विवेचन पहले ही चुका है, कि ज्ञान तथा भक्ति से पराश्रम का सदैव रखनेवाले मूल भागवतधर्म में और आधमव्यवस्थारूपी स्मार्तमार्ग में क्या भेद है? केवल सन्यासप्रधान जैन और बौद्धधर्म के प्रसार से भागवतधर्म के कर्मयोग की अवनति हो कर उसे दूसरा ही स्वरूप अर्थात् वैराग्ययुक्त भक्तिस्वरूप कैसे प्राप्त हुआ? और बौद्धधर्म का न्हास होने के बाद जो वैदिक सम्प्रदाय प्रवृत्त हुए; उनमें से कुछ ने तो अन्त में भगवद्गीता ही को सन्यासप्रधान, कुछ ने केवल भक्तिप्रधान, कुछ ने विशिष्टाद्वैतप्रधान स्वरूप कैसे दे दिया?

उपर्युक्त संक्षिप्त विवेचन से यह बात समझ में आ जायगी, कि वैदिक धर्म के सनातन प्रवाह में भागवतधर्म का उदय पव हुआ? और पहले उनके प्रवृत्तिप्रधान या कर्मप्रधान रहने पर भी आगे चल कर भक्तिप्रधान स्वरूप एवं अन्त में रामानुजाचार्य के समय विनिष्ठाद्वैती स्वरूप प्राप्त हो गया। भागवतधर्म के इन भिन्न भिन्न स्वरूपों में से जो मूलारम्भ का अर्थात् निष्काम कर्मप्रधान स्वरूप है वही गीताधर्म का स्वरूप है। अब यहाँ पर संक्षेप में यह बतलाया जायगा, कि उक्त प्रकार की मूल

के काल के विषय में क्या अनुमान किया जा सकता है? श्रीकृष्ण तथा भारतीय युद्ध का काल यद्यपि एक ही है; अर्थात् सन ईसवी के पहले लगभग १४०० वर्ष है। तथापि यह नहीं कहा जा सकता, कि भागवतधर्म के ये दोनों प्रधान ग्रन्थ—मूल गीता तथा मूल भारत—उसी समय रचे गये होंगे। किन्ती भी धर्मग्रन्थ का उदय होने पर तुरन्त ही उस धर्म पर ग्रन्थ रचे नहीं जाते। भारत तथा गीता के विषय में भी यही न्याय पर्याप्त होता है। वर्तमान महाभारत के आरम्भ में यह कहा है, कि अब भारतीय युद्ध समाप्त हो चुका; और जब पाण्डवों का पन्ती (पौत्र) जनमेजय मर्षसत्र कर रहा था, तब वहाँ वैशम्पायन ने जनमेजय को पहले पहले गीतासहित भारत सुनाया था, और आगे जब सीती ने शौतक को सुनाया, तभी मे भारत-प्रचलित हुआ। यह बात प्रकट है, कि सीती आदि पौराणिकों के मुख से निकल कर आगे भारत को काव्यमय ग्रन्थ वा स्थायी स्वरूप प्राप्त होने में कुछ समय अवश्य बीत गया होगा। परन्तु इस काल का निर्णय करने के लिये कोई साधन उपलब्ध नहीं है। ऐसी अवस्था में यदि यह मान लिया जाय, कि भारतीय युद्ध के लगभग पाँच सौ वर्ष के भीतर ही आप महाकाव्यात्मक मूल भारत निर्मित हुआ होगा, तो कुछ विरोध साहस की बात नहीं होगी। क्योंकि बौद्धधर्म के ग्रन्थ, युद्ध की मृत्यु के बाद इमसे भी जल्दी तैयार हुए हैं। अब आप महाकाव्य में नायक का केवल पराक्रम बतला देने में ही काम नहीं चलता। किन्तु उसमें यह भी बनलाना पड़ता है, कि नायक जो कुछ करता है, वह उचित है या अनुचित। इतना ही क्यों? मन्त्र के अतिरिक्त अन्य साहित्यों में जो उक्त प्रकार के महाकाव्य हैं, उनमें भी यही ज्ञान होता है, कि नायक के कार्यों के गुणदोषों का विवेचन करना आप महाकाव्य का एक प्रधान भाग होता है। अर्वाचीन दृष्टि से देखा जाय, तो कहना पड़ेगा, कि नायकों के कार्यों का समर्थन केवल नीतिशास्त्र के आधार पर करना चाहिये। किन्तु प्राचीन समय में धर्म तथा नीति में पृथक् भेद नहीं माना जाता था। अतएव उक्त समर्थन के लिये धर्मदृष्टि के सिवा अन्य मार्ग नहीं था। फिर यह बनलाने की आवश्यकता नहीं, कि जो भागवतधर्म भारत के नायकों को ग्राह्य हुआ था अथवा जो उन्हीं के द्वारा प्रवृत्त किया गया था, उसी भागवतधर्म के आधार पर उनके कार्यों का समर्थन करना भी आवश्यक था। इसके सिवा दूसरे कारण यह भी है, कि भागवतधर्म के अतिरिक्त तत्कालीन प्रचलित अन्य वैदिकधर्मग्रन्थ न्यूनाधिक गीता में अथवा सर्वथा निवृत्तिप्रधान थे। इसलिये उनमें वर्णित तन्त्रों के आधारपर भारत के तापका की वीरता का पूर्णतया समर्थन करना सम्भव नहीं था। अतएव कर्मयोगप्रधान भागवतधर्म का निरूपण महाकाव्यात्मक मूल भारत ही में करना आवश्यक था। यही मूल गीता है। और यदि भागवत धर्म के मूल स्वरूप का उपपत्तिमहित प्रतिपादन करने-वाला मय में पहुँच ग्रन्थ यह न भी हो; तो भी यह स्पष्ट अनुमान किया जा सकता है, कि यह आदिग्रन्थ में से एक अवरय है; और इसका काल ईसा के लगभग ९०० वर्ष

पहले है। इस प्रकार गीता यदि भागवतधर्मप्रधान पहला ग्रन्थ न हो, तो भी वह मुख्य ग्रन्थों में से एक अवश्य है। इसलिये इस बात का दिग्दर्शन करना आवश्यक था, कि उसमें प्रतिपादित निष्काम कर्मयोग तत्कालीन प्रचलित अन्य धर्मग्रन्थों से — अर्थात् कर्मकाण्ड से, औपनिषदिक ज्ञान से, साख्य से, चित्तनिरोधरूपी योग से तथा भक्ति से भी — अविरुद्ध है। इतना ही नहीं; किन्तु यही इस ग्रन्थ का मुख्य प्रयोग भी कहा जा सकता है। वेदान्त और मीमांसाशास्त्र पीछे से हैं। इसलिये उनका प्रतिपादन मूलगीता में नहीं आ सकता। और यही कारण है, कुछ लोग यह शङ्का करते हैं, कि वेदान्त विषय गीता में पीछे मिला दिया गया है। परन्तु नियमबद्ध वेदान्त और मीमांसाशास्त्र पीछे भले ही बने हों; किन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं, कि इन शास्त्रों के प्रतिपाद्य विषय बहुत प्राचीन हैं — और इस बात का उल्लेख हम ऊपर कर ही आये हैं। अतएव मूलगीता में इन विषयों का प्रवेश होना कालदृष्टि से किसी प्रकार विपरीत नहीं कहा जा सकता। तथापि हम यह भी नहीं कहते, कि जब मूल भारत का महा-भारत बनाया गया होगा, तब मूल गीता में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ होगा। किसी भी धर्मग्रन्थ को लीजिये; उसके इतिहास से तो यही बात प्रकट होती है, कि उसमें समय समय पर मतभेद होकर अनेक उपग्रन्थ निर्माण हो जाया करते हैं। वही बात भागवतधर्म के विषय में कही जा सकती है। नारायणीयाख्यान (म. भा. शा. ३४८ ५७) में यह बात स्पष्ट रूप कह दी गई है, कि भागवतधर्म को कुछ लोग तो चतुर्व्यूह — अर्थात् वासुदेव, सद्भक्त्यर्पण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, इस प्रकार चार व्यूहों को — मानते हैं; और कुछ लोग त्रिव्यूह या एकव्यूह ही मानते हैं। आगे चल कर ऐसे ही और भी अनेक मतभेद उपस्थित हुए होंगे। इसी प्रकार औपनिषदिक साख्यज्ञान की भी वृद्धि हो रही थी। अतएव इस बात की सावधानी रचना अस्वाभाविक या मूल गीता के हेतु के विरुद्ध भी नहीं था, कि मूल गीता में जो कुछ विभिन्नता हो, वह दूर जावे, और बढ़ते हुए पिण्डब्रह्माण्डज्ञान से भागवतधर्म का पूर्णतया मेल हो जावे। हमने पहले 'गीता और ब्रह्मसूत्र' शीर्षक लेख में यह बातला दिया है, कि इसी कारण से वर्तमान गीता में ब्रह्मसूत्रों का उल्लेख पाया जाता है। इसके सिवा उक्त प्रकार के अन्य परिवर्तन भी मूल गीता में हो गये होंगे। परन्तु मूल गीताग्रन्थ में ऐसे परिवर्तनों का होना भी सम्भव नहीं था। वर्तमान समय में गीता की जो प्रामाणिकता है, उससे प्रतीत नहीं होना, कि वह उमें वर्तमान महाभारत के बाद मिली होगी। ऊपर वह आये हैं, कि ब्रह्मसूत्रों में 'ममृति' शब्द से गीता को प्रमाण माना है। मूल भारत का महाभारत होते समय यदि मूल गीता में भी बहुत से परिवर्तन हो गये होते, तो इस प्रामाणिकता में निम्नन्देह कुछ बाधा आ गई होती। परन्तु वंसा नहीं हुआ — और गीताग्रन्थ की प्रामाणिकता वही अधिग्रहण गई है। अतएव यही अनुमान करना पड़ता है, कि मूल गीता में जो कुछ परिवर्तन हुए होंगे, वे कोई महत्त्व के न थे; किन्तु ऐसे थे, जिनमें मूल ग्रन्थ

के अर्थ की पुष्टि हो गई है। भिन्न भिन्न पुराणों में वर्तमान भगवद्गीता के नमूने की जो अनेक गीताएँ कही गई हैं, उनसे यह बात स्पष्ट विदित हो जाती है, कि उन्त प्रकार से मूल गीता को जो स्वरूप एक बार प्राप्त हो गया था, वही अब तक बना हुआ है—उसके बाद उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। क्योंकि, इन सब पुराणों में से अत्यन्त प्राचीन पुराणों के कुछ शतक पहले ही यदि वर्तमान गीता पूर्णतया प्रमाणभूत (और इसीलिये परिवर्तित न होने योग्य) न हो गई होती, तो उमी नमूने की अन्य गीताओं की रचना की कल्पना होना भी सम्भव नहीं था। इसी प्रकार—गीता के भिन्न भिन्न सांप्रदायिक टीकाकारोंने एकही गीता के शब्दों की खीचातानी करके—यह दिखलाने का जो प्रयत्न किया है, कि गीता का अर्थ हमारे ही सम्प्रदाय के अनुकूल है। उसकी भी कोई आवश्यकता उत्पन्न नहीं होती। वर्तमान गीता के कुछ सिद्धान्तों का परस्परविरोध देख कुछ लोग यह शङ्का करते हैं, कि वर्तमान भारतान्तर्गत गीता में भी आगे समय पर कुछ परिवर्तन हुआ होगा। परन्तु हम पहले ही बतला चुके हैं, कि वास्तव में यह विरोध नहीं है, किन्तु यह ध्रम है; जो धर्मप्रतिपादन करनेवाली पूर्वापार वैदिक पद्धतियों के स्वरूप को ठीक तौर पर न समझने से हुआ है। सारांश, ऊपर किये गये विवेचन से यह बात समझ में आ जायगी, की भिन्न भिन्न प्राचीन वैदिक धर्माह्वानों की एकवाक्यता करके प्रवृत्तिमार्ग का विशेष रीति से समर्थन करनेवाले भागवतधर्म का उदय हो चुकने पर लगभग पाँच सौ वर्ष के पश्चात् (अर्थात् ईसा के लगभग ९०० वर्ष पहले) मूल भारत और मूल गीता दोनों ग्रन्थ निर्मित हुए, जिनमें उम मूल भागवतधर्म का ही प्रतिपादन किया गया था; और भारत का महाभारत होते समय यद्यपि इस मूलगीता में तदर्थोपायक कुछ सुधार किये गये हों; तथापि उसके असली रूप में उम समय भी परिवर्तन नहीं हुआ। एवं वर्तमान महाभारत में जब गीता जोड़ी गई, तब (और उसके बाद भी) उनमें कोई नया परिवर्तन हुआ—और होना भी असम्भव था। मूल गीता तथा मूल भारत के स्वरूप एवं काल का यह निर्णय स्वभावतः स्पष्टदृष्टि से एवं अन्दाज से किया गया है। क्योंकि इन समय हमारे लिये कोई विशेष साधन उपलब्ध नहीं है। परन्तु महाभारत तथा वर्तमान गीता की यह बात नहीं। क्योंकि इनके काल का निर्णय करने के लिये बहूनेरे साधन हैं। अतएव इनकी चर्चा स्वतन्त्र रीति से अगले भाग में की गई है। यहाँ पर पाठकों को स्मरण रखना चाहिये, कि ये दोनों—अर्थात् वर्तमान गीता और वर्तमान महाभारत—वही ग्रन्थ हैं, जिनके मूल स्वरूप में कालान्तर से परिवर्तन होता रहा, और जो इन समय गीता तथा महाभारत के रूप में उपलब्ध हैं, वे उम समय के पहले मूल ग्रन्थ नहीं हैं।

भाग ५ — वर्तमान गीता का काल

इस बात का विवेचन हो चुका, कि भगवद्गीता भागवतधर्म पर प्रधान ग्रन्थ है; और यह भागवतधर्म ईसाई सन् के लगभग १४०० वर्ष पहले प्रादुर्भूत हुआ। एव स्थूलमान से यह निश्चित किया गया, कि उसके कुछ शतकों के बाद मूल गीता बनी होगी, और यह भी बतलाया गया, कि मूल भागवत धर्म के निष्काम-कर्मप्रधान होने पर भी आगे उसका भक्तिप्रधान स्वरूप हो कर अन्त में विशिष्टाद्वैत का भी उसमें समावेश हो गया। मूल गीता तथा मूल भागवतधर्म के विषय में इस से अधिक हाल निदान वर्तमान समय में तो मालूम नहीं है, और यही दशा पचास वर्ष पहले वर्तमान गीता तथा महाभारत की भी थी। परन्तु डॉक्टर भाण्डारकर, परलोकवासी शङ्कर वालकृष्ण दीक्षित तथा रावबहादुर चिन्तामणराव वैद्य प्रभृति विद्वानों के उद्योग से वर्तमान गीता एव वर्तमान महाभारत का काल निश्चित करने के लिये यथेष्ट साधन उपलब्ध हो गये हैं, और अभी हाल ही में स्वर्गवासी व्यम्बक गुरुनाथ काळे ने दो-एक प्रमाण और भी बतलाये हैं। इन सब को एकत्रित कर तथा हमारे मत से उनमें जिन बातों का मिलाना ठीक जँचा, उनको भी मिला कर परिशिष्ट का यह भाग संक्षेप में लिखा गया है। इस परिशिष्ट प्रकरण के आरम्भ ही में हमने यह बात प्रमाण-सहित दिखला दी है, कि वर्तमान महाभारत तथा वर्तमान गीता, दोनों ग्रन्थ एक ही व्यक्ति द्वारा रचे गये हैं। यदि ये दोनों ग्रन्थ एक ही व्यक्ति द्वारा रचे गये — अर्थात् एककालीन मान ले — तो महाभारत के काल से गीता का काल भी सहज ही निश्चित हो जाता। अतएव इस भाग में पहले ही हे प्रमाण दिये गये हैं, जो वर्तमान महाभारत का काल निश्चित करने में अन्यन्त प्रधान माने जाते हैं, और उनके बाद स्वतन्त्र रीति से वे प्रमाण दिये गये हैं, जो वर्तमान गीता का काल निश्चित करने में उपयोगी है। ऐसा करने का उद्देश यह है, कि महाभारत का कालनिर्णय करने के जो प्रमाण हैं, वे यदि किसी को सन्दिग्ध प्रतीत हों, तो उनके कारण गीता के काल का निर्णय करने में कोई बाधा न होने पाये।

महाभारत कालनिर्णय — महाभारतग्रन्थ बहुत बड़ा है; और उसी में यह लिखा है, कि वह लक्षश्लोकात्मक है। परन्तु रावबहादुर वैद्य ने महाभारत के अपने टीकात्मक अंग्रेजी ग्रन्थ के पहले परिशिष्ट में यह बतलाया है, कि जो महाभारत ग्रन्थ इस समय उपलब्ध है, उसमें लाख श्लोकों की संख्या में कुछ न्यूनाधिकता हो गई है, और यदि उनमें हरिवंश के श्लोक मिला दिये जावें, तो भी योगफल एक लाख नहीं होता। तथापि यह माना जा सकता है, कि भारत का

* The Mahabharata : A Criticism, p 185. रा. व. वैद्य के महाभारत के जिस टीकात्मक ग्रन्थ का हमने कहीं कहीं उल्लेख किया है, वह यही पुस्तक है।

महाभारत होने पर जो बृहत् ग्रन्थ तैयार हुआ, वह प्रायः वर्तमान ग्रन्थ ही सा होगा। ऊपर बतला चुके हैं, कि इस महाभारत में यास्क के निरुक्त तथा मनुसंहिता का और भगवद्गीता में तो ब्रह्मसूत्रों का भी उल्लेख पाया जाता है। अब इसके अतिरिक्त, महाभारत के कालनिर्णय करने के लिये जो प्रमाण पाये जाते हैं, वे ये हैं :-

(१) अठारह पर्वों का यह ग्रन्थ तथा हरिवंश, ये दोनों मंत्र ५३५ और ६३५ के दमियान जावा और वाली द्वीपों में गये थे; तथा वहाँ की प्राचीन 'कवि' नामक भाषा में उनका अनुवाद हुआ है। इस अनुवाद के ये आठ पर्व—आदि, विराट, उद्योग, भीष्म, आश्रमवासी, मुसल, प्रस्थानिक और स्वर्गारोहण—वाली द्वीप में उस समय उपलब्ध हैं; और उनमें से कुछ प्रकाशित भी हो चुके हैं। यद्यपि अनुवाद कविभाषामें किया गया है, तथापि उसमें स्थान स्थान पर महाभारत के मूल संस्कृत श्लोक ही रचे गये हैं। उनमें से उद्योगपर्व के श्लोकों की जाँच हमने की है। वे सब श्लोक वर्तमान महाभारत की कलकत्ते में प्रकाशित पोथी के उद्योगपर्व के अध्यायों में—बीच बीच में भ्रमण—मिलते हैं। इसमें मिथ्य होता है, कि लक्ष श्लोकगतक महाभारत मंत्र ४३५ के पहले लगभग दो सौ वर्ष तक हिन्दुस्थान में प्रमाणभूत माना जाता था। क्योंकि, यदि वह यहाँ प्रमाणभूत न हुआ होता, तो जावा तथा वाली द्वीपों में उसे न ले गये होते। तिब्बत की भाषा में भी महाभारत का अनुवाद हो चुका है; परन्तु यह उसके बाद का है। *

(२) गुप्त राजाओं के समय का एक शिलालेख हाल में उपलब्ध हुआ है, कि जो चेदि मंत्र १९७ अर्थात् विप्रम संवत् ५०२ में लिखा गया था। उसमें इस बात का स्पष्ट रेखि में निर्देश किया गया है, कि उस समय महाभारत ग्रन्थ एक लाख श्लोकों का था; और इसमें यह प्रकट हो जाता है, कि विप्रमी संवत् ५०२ के लगभग दो सौ वर्ष पहले उसका अस्तित्व अवश्य होगा। †

(३) आजकल भाम कवि के जो नाटकग्रन्थ प्रकाशित हुए हैं, उनमें से अधिकांश महाभारत के आख्यानों के आधार पर रचे गये हैं। इसमें प्रकट है, कि उस समय महाभारत उपलब्ध था; और वह प्रमाण भी माना जाता था। भाम कविरचित 'बालचरित' नाटक में श्रीकृष्णजी की शिशु-अवस्था की बातों का तथा गोपियों का उल्लेख पाया जाता है। अतएव यह कहना पड़ता है, कि हरिवंश भी उस समय अस्तित्व में होगा। यह बात निर्विवाद है, कि भाम कवि कालिदास से पुराना है।

* जावा द्वीप के महाभारत का ध्येरा The Modern Review, July 1914, pp. 32-38 में दिया गया है; और तिब्बत भाषा में अनुवादिन महाभारत का उल्लेख Rockhill's Life of the Buddha, p. 228 note में किया है।

† यह शिलालेख Inscriptionum Indicarum नामक पुस्तक के छठीय पृष्ठ के पृष्ठ १३५ में दृश्यमान दिया हुआ है, और स्वर्गनामी गदकर बालकृष्ण दीक्षित ने उमका उल्लेख अपने 'भारतीय ज्योतिषशास्त्र' (पृ. १०८) में किया है।

भास कविकृत नाटको के सम्पादक पण्डित गणपतिशास्त्री ने स्वप्नवासवदत्ता नामक नाटक की प्रस्तावना में लिखा है, कि भास चाणक्य से भी प्राचीन है। क्योंकि भास कवि के नाटक का एक श्लोक चाणक्य के अर्थशास्त्र में पाया जाता है, और उसमें यह बतलाया है, कि यह किसी दूसरे का है। परन्तु यह काल यद्यपि कुछ सन्दिग्ध माना जाय, तथापि हमारे मत से यह बात निर्विवाद है, कि भास का समय सन ईसवी के दूसरे तथा तीसरे शतक के और भी इस ओर का नहीं माना जा सकता।

(४) बौद्ध ग्रन्थों के द्वारा यह निश्चित किया गया है, कि शालिवाहन शक के आरम्भ में अश्वघोष नामक एक बौद्ध कवि हो गया है, जिसने 'बुद्धचरित' और 'सौन्दरानन्द' नामक दो बौद्धधर्मीय संस्कृत महाकाव्य लिखे थे। अब ये ग्रन्थ छापकर प्रकाशित किये गये हैं। इन दोनों में भारतीय कथाओं का उल्लेख है। इनके सिवा 'वज्रसूचिकोपनिषद्' पर अश्वघोष का व्याख्यानरूपी एक और ग्रन्थ है। अथवा यह कहना चाहिये, कि वज्रसूचिकोपनिषद् उसी का रचा हुआ है। इस ग्रन्थ को प्रोफेसर वेवर ने सन १८६० में जर्मनी में प्रकाशित किया है। इसमें हरिवंश के श्राद्ध-माहात्म्य में से 'सप्तव्याघ्रा दशार्णेषु०' (हरि २४ २० और २१) इत्यादि श्लोक, तथा स्वयं महाभारत के कुछ अन्य श्लोक (उदाहरणार्थ, म भा शा २६१-१७) पाये जाते हैं। इससे प्रकट होता है, कि शक सवत् से पहले हरिवंश को मिलाकर वर्तमान लक्षश्लोकात्मक महाभारत प्रचलित था।

(५) आश्वलायन गृह्यसूत्रों (३. ४ ४) में भारत तथा महाभारत का पृथक् पृथक् उल्लेख किया गया है, और बौधायन धर्मसूत्र में एक स्थान (२ २ २६) पर महाभारत में वर्णित ययाति उपाख्यान का एक श्लोक मिलता है, (म भा आ ७८. १०)। बुल्हर साहब का कथन है, कि केवल एक ही श्लोक के आधार पर यह अनुमान दृढ़ नहीं हो सकता, कि महाभारत बौधायन के पहले था।* परन्तु यह शङ्का ठीक नहीं। क्योंकि बौधायन के गृह्यसूत्र में विष्णुसहस्रनाम का स्पष्ट उल्लेख है। (गी गृ शो १. २२ ८), और आगे चल कर इसी सूत्र (२ २२ ९) में गीता का 'पत्र पुष्प फल तोय०' श्लोक (गीता ९ २६) भी मिलता है। बौधायन सूत्र में पाये जानेवाले इन उल्लेखों को पहले पहल परलोकवासी त्र्यम्बक गुरुनाथ काळे ने प्रकाशित किया था।† और इन सब उल्लेखों से यही कहना पड़ता है, कि बुल्हर ने प्रकाशित किया था।‡ और इन सब उल्लेखों से यही कहना पड़ता है, कि बुल्हर साहब की शङ्का निर्मूल है। आश्वलायन तथा बौधायन दोनों ही महाभारत से परिचित थे। बुल्हर ही ने अन्य प्रमाणों से निश्चित किया है, कि बौधायन सन् ईसवी के लगभग ४०० वर्ष पहले हुआ होगा।

*See 'Sacred Books of the East Series', Vol XIV., Intro. p xli.

† परलोकवासी त्र्यम्बक गुरुनाथ काळे का पूरा लेख The Vedic Magazine and Gurukula Samachar, Vol VII, Nos. 6-7, pp 528-532, में प्रकाशित हुआ है। इसमें लेखक का नाम प्रोफेसर काळे लिखा है, पर वह अशुद्ध है।

(६) स्वयं महाभारत में जहाँ विष्णु के अवतारों का वर्णन किया गया है, वहाँ बुद्ध का नाम तक नहीं; और नारायणीशास्त्रान. (म. भा. शां. ३३९. १००) में जहाँ दम अवतारों के नाम दिये हैं, वहाँ हंस को प्रथम अवतार कह कर तथा कृष्ण के बाद ही एकदम बल्कि को लाकर पूरे दस गिना दिये हैं। परन्तु वनपर्व में कलियुग की भविष्यत् स्थिति का वर्णन करते समय कहा है, कि 'एदुकचिन्दा पृथिवी न देवगृहभूषिता' (म. भा. १९०. ६८) — अर्थात् पृथ्वी पर देवालयों के बन्दे एदूक होंगे। बुद्ध के बाल तथा दाँत प्रभृति किसी स्मारक वस्तु को जमीन में गाड़ कर उस पर जो मूर्त्ति, मीनार या इमारत बनाई जाती थी, उसे एदूक कहते थे; और आजकल उसे 'ढागोवा' कहते हैं। ढागोवा शब्द संस्कृत 'घातुगर्भ' (= पाली ढागव) का अपभ्रंश है; और 'घातु' शब्द का अर्थ 'भीतर रखी हुई स्मारक वस्तु' है, मीनार तथा ब्रह्मदेश में ये ढागोवा बड़े स्थानों पर पाये जाते हैं। इसमें प्रतीत होता है, कि बुद्ध के बाद — परन्तु अवतारों में उसकी गणना होने के पहले ही — महाभारत रचा गया होगा। महाभारत में 'बुद्ध' तथा 'प्रतिबुद्ध' शब्द अनेक बार मिलते हैं (शां. १९४. ५८; ३०३. ४३; ३८३. ५२)। परन्तु वहाँ केवल ज्ञानी, जाननेवाला अथवा स्थितप्रज्ञ पुरुष इतना ही अर्थ उन शब्दों में अभिप्रेत है। प्रतीत नहीं होता, कि ये शब्द बौद्ध धर्म में दिये गये हों; किन्तु यह मानने के लिये दृढ़ कारण भी है, कि बौद्धों ने ये शब्द वैदिक धर्म में दिये होंगे।

(७) बालनिर्गण्य की दृष्टि में यह बात अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है, कि महाभारत में नक्षत्रगणना अश्विनी आदि में नहीं है; किन्तु वह वृत्तिका आदि में है (म. भा. अनु. ६४ और ८९); और मेष-वृषभ आदि राशियों का वही भी उल्लेख नहीं है। क्योंकि इस बात में यह अनुमान सहज ही किया जा सकता है, कि यूनानियों के महान्त में हिन्दुस्थान में मेष, वृषभ आदि राशियों के आने के पहले — अर्थात् मिस्र के पहले ही — महाभारतग्रन्थ रचा गया होगा। परन्तु हमने भी अधिक महत्त्व की बात श्रवण आदि नक्षत्रगणना के विषय की है। अनुगीता (म. भा. अश्व. ४४. ३ और आदि ७१. ३८) में कहा है, कि विश्वामित्र ने श्रवण आदि की नक्षत्रगणना आरम्भ की, और टीकाकार ने उसका यह अर्थ किया है, कि उस श्रवण नक्षत्र में उत्तरायण का आरम्भ होता था — हमने सिवा उसका कोई दूसरा ठीक ठीक अर्थ भी नहीं हो सकता। वेदाद्वयोनिय के समय उत्तरायण का आरम्भ घनिष्ठ नक्षत्र में हुआ करता था। घनिष्ठ में उदगयन होने का वाक्य ज्योतिर्मणि की रीति में शत्रु के पहले लगभग १५०० वर्ष आता है, और ज्योतिर्मणि की रीति में उदगयन को एक नक्षत्र पीछे हटने के लिये लगभग द्वात्रिंशत् वर्ष लग जाते हैं। इस रीति में श्रवण के आरम्भ में उदगयन होने का वाक्य शत्रु के पहले लगभग ५०० वर्ष आता है। सागर, गङ्गा के शत्रु यह बतलाया जा सकता है, कि शत्रु के पहले ५०० वर्ष के लगभग वर्तमान महाभारत बना होगा। परन्तु स्वामी शरद्वर दाल्ट्रिण

दीक्षित ने अपने ' भारतीय ज्योति शास्त्र ' में यही अनुमान किया है (भा. ज्यो. पृ. ८७-९०, १११ और १४७ देखो) इस प्रमाण की विशेषता यह है, कि इसके कारण वर्तमान महाभारत का काल शक के पहले ५०० वर्ष से अधिक पीछे हटाया ही नहीं जा सकता ।

(८) रावबहादुर वैद्य ने महाभारत पर जो टीकात्मक ग्रन्थ अंग्रेजी में लिखा है, उसमें यह बतलाया है, कि चन्द्रगुप्त के दरवार में (सन ईसवी से लगभग ३२० वर्ष पहले) रहनेवाले मेगस्थनीज नामक ग्रीक वकील को महाभारत की कथाएँ मालूम थी । मेगस्थनीज का पूरा ग्रन्थ इस समय उपलब्ध नहीं है; परन्तु उसके अवतरण कई ग्रन्थों में पाये जाते हैं । वे सब एकत्रित करके, पहले जर्मन भाषा में प्रकाशित किये गये; और फिर मेक्क्रिण्डल ने उनका अंग्रेजी अनुवाद किया है । इस पुस्तक (पृष्ठ २००-२०५) में कहा है, कि उसमें वर्णित हेरेक्लीजही श्रीकृष्ण है, और मेगस्थनीज के समय शौरसेनीय लोग - जो मथुरा के निवासी थे - उसी की पूजा किया करते थे । * उसमें यह भी लिखा है, कि हेरेक्लीज अपने मूलपुरुष डायोनिसस से पन्द्रहवाँ था । इसी प्रकार महाभारत (अनु. १४७. २५-३३) में भी कहा है, कि श्रीकृष्ण दक्षप्रजापति से पन्द्रहवें पुरुष हैं । और मेगस्थनीज ने कर्णप्रावरण, एकपाद, ललाटाक्ष आदि अद्भुत लोगो का (पृ. ७४), तथा सोने के ऊपर निकालने-वाली चीटियों (पिपीलिकाओं) का (पृ. ९४) जो वर्णन किया है, वह भी महाभारत (सभा. ५१ और ५२) ही में पाया जाता है । इन बातों से और अन्य बातों से प्रकट हो जाता है, कि मेगस्थनीज के समय केवल महाभारत ग्रन्थ ही नहीं प्रचलित था, किन्तु श्रीकृष्णचरित्र तथा श्रीकृष्णपूजा का भी प्रचार हो गया था ।

यदि इस बात पर ध्यान दिया जाय, कि उपर्युक्त प्रमाण परस्परसापेक्ष अर्थात् एक दूसरे पर अवलम्बित नहीं हैं, किन्तु वे स्वतन्त्र हैं, तो यह बात निस्तन्देह प्रतीत

* See M'Crindle's Ancient India-Megasthenes and Arrian, pp 202-205 मेगस्थनीज का यह कथन एक वर्तमान खोज के कारण विचित्रतापूर्वक दृढ़ हो गया है । बम्बई सरकार के Archeological Department की १९१४ ईसवी की Progress Report हाल ही में प्रकाशित हुई है । उसमें एक शिलालेख है, जो ग्वालियर रियासत के भेलसा शहर के पास वेसनगर गाँव में राम्बबाबा नामक एक गडडध्वजस्तम्भ पर मिला है । इस लेख में यह पढ़ा है, कि टेलिओडोरस नामक एक हिन्दु बने हुए यवन अर्थात् शक ने इस स्तम्भ के सामने शाश्वत का मन्दिर बनवाया; और यह यवन वहाँ के भगमद्र नामक राजा के दरवार में तक्षशिला में ऐतिहासिकदत्त नामक शक राजा के एल्ची की हस्तिया से रहता था । ऐतिहासिकदत्त के शिबों से शक यह सिद्ध किया गया है, कि यह ईसा के पहले १४० वर्ष में राज्य करता था । इससे यह बात पूर्णतया सिद्ध हो जाती है, कि उस समय वासुदेवमार्ति प्रचलित थी । मंगल शतमा ही नहीं, सिन्धु मगन लोग भी शाश्वत के मन्दिर बनवाने लगे थे । यह पढ़ा ही मतलब था कि, कि मेगस्थनीज ही को नहीं, सिन्धु पाणि ती को भी वासुदेवमार्ति मालूम थी ।

होगी, कि वर्तमान महाभारत शक के लगभग पांच सौ वर्ष पहले अस्तित्व में जरूर था। इसके बाद कदाचित् किमी ने उसमें कुछ नये श्लोक मिला दिये होंगे; अथवा उसमें से कुछ निकाल भी डाले होंगे। परन्तु इस समय कुछ विशिष्ट श्लोकों के विषय में कोई प्रश्न नहीं है—प्रश्न तो ममूचे ग्रन्थ के ही विषय में है; और यह बात मिद्द है, कि यह ममस्त ग्रन्थ शककाल के कम-से-कम पाँच शतक पहले ही रचा गया है। इस प्रकरण के आरम्भ ही में हमने यह मिद्द कर दिया है, कि गीता समस्त महाभारतग्रन्थ का एक भाग है—वह कुछ उसमें पीछे नहीं मिलाई गई। अनएव गीता का भी काल वही मानना पड़ना है, जो कि महाभारत का है। सम्भव है, कि मूल गीता इसके पहले की हो—क्योंकि (जैसा इसी प्रकरण के चौथे भाग में बतलाया गया है) उसकी परम्परा बहुत प्राचीन समय तक हटानी पड़ती है। परन्तु, चाहे जो कुछ कहा जाय; यह निर्विवाद मिद्द है, कि उसका काल महाभारत के बाद का नहीं माना जा सकता। यह नहीं, कि यह बात उपर्युक्त प्रमाणों ही से मिद्द होती है, किन्तु इसके विषय में स्वतन्त्र प्रमाण भी दीख पड़ते हैं। अब आगे उन स्वतन्त्र प्रमाणों का ही वर्णन किया जाता है।

गीता काल का निर्णय :—ऊपर जो प्रमाण बतलाये गये हैं, उनमें गीता का स्पष्ट अर्थात् नामनः निर्देश नहीं किया गया है। वहाँ गीता के काल का निर्णय महाभारतकाल में किया गया है। अब यहाँ क्रमशः वे प्रमाण दिये जाते हैं, जिनमें गीता का स्पष्ट रूप से उल्लेख है। परन्तु पहले यह बतला देना चाहिये, कि परलोकवासी नैलदग ने गीता को आपमन्व के पहले की अर्थात् ईसा में कम-से-कम तीन सौ वर्षों से अधिक प्राचीन कहा है। डॉक्टर भाण्डारकर ने अपने 'वैष्णव, शैव आदि पन्थ' नामक अंग्रेजी ग्रन्थ में प्रायः इसी काल को स्वीकार किया है। प्रॉफेसर गार्बे के मतानुसार नैलदग-द्वारा निश्चित किया गया काल ठीक नहीं। उनका यह कथन है, कि मूल गीता ईसा के पहले दूसरी सदी में हुई, और ईसा के बाद दूसरे शतक में उसमें कुछ सुधार किये गये हैं। परन्तु नीचे लिखे प्रमाणों से यह बात भरी भानि प्रकट हो जायगी, कि गार्बे का उक्त कथन ठीक नहीं है।

(१) गीता पर टीकाएँ तथा भाष्य उपलब्ध हैं, उनमें शाङ्करभाष्य अन्यन्त प्राचीन है। श्रीगणेशराचार्य ने महाभारत के मनुस्मृत्यादीय प्रकरण पर भी भाष्य लिखा है, और उनके ग्रन्थों में महाभारत के मनुवृहस्पतिमवाद, शुक्रानु-प्रश्न और अनुगीता में से बहूनेरे वचन अनेक स्थानों पर प्रमाणाधे चिरे गये हैं। हमने यह बात प्रकट है, कि उनके समय में महाभारत और गीता दोनों ग्रन्थ प्रमाणन

* See Telang's Bhagavadgita, S. B. E. Vol. VIII Intro. pp. 21 and 34, Dr Bhandarkar's Vaishnavism, Shaivism and other Sects, P. 13; Dr. Garbe's Die Bhagavadgita, p. 64.

माने जाते थे। प्रोफेसर काशीनाथ बापू पाठक ने एक साम्प्रदायिक श्लोक के आधार पर श्रीशङ्कराचार्य का जन्मकाल ८४५ विक्रमी सवत् (७१०) निश्चित किया है। परन्तु हमारे मत से इस काल को सौ वर्ष और भी पीछे हटाना चाहिये। क्योंकि, महानुभाव पन्थ के 'दर्शनप्रकाश' नामक ग्रन्थ में यह कहा है, कि 'युग्मपयोधिर-सान्विनशाके' अर्थात् शक ६४२ (विक्रमी सवत् ७७७) में श्रीशङ्कराचार्य ने गुहा में प्रवेश किया, और उस समय उनकी आयु ३२ वर्ष की थी। अतएव यह सिद्ध होता है, कि उनका जन्म शक ६१० (सवत् ७४५) में हुआ। हमारे मत में यही समय— प्रोफेसर पाठक द्वारा निश्चित किये हुए काल से— कही अधिक सयुक्तिक प्रतीत होता है। परन्तु, यहाँ पर उसके विषय में विस्तारपूर्वक विवेचन नहीं किया जा सकता। गीता पर जो शाङ्करभाष्य है, उसमें पूर्व समय के अधिकांश टीकाकारों का उल्लेख किया गया है, और उक्त भाष्य के आरम्भ ही में श्रीशङ्कराचार्य ने कहा है, कि इन टीकाकारों के मतों का खण्डन करके हमने नया भाष्य लिखा है। अतएव आचार्य का जन्मकाल चाहे शक ६१० लीजिये या ७१०, इसमें तो कुछ भी सन्देह नहीं, कि उस समय के कम-से-कम दो-तीन सौ वर्ष पहले— अर्थात् ४०० शक के लगभग— गीता प्रचलित थी। अब देखना चाहिये, कि इस काल के भी और पहले कैसे और कितना जा सकते हैं।

(२) परलोकवासी तैलङ्ग ने यह दिखलाया है, कि कालिदास और वाणभट्ट गीता से परिचित थे। कालिदासकृत रघुवश (१० ३१) में विष्णु की स्तुति के विषय में जो "अनावाप्तमवाप्तव्यं न ते किञ्चन विद्यते" यह श्लोक है, वह गीता के (३ २२) 'नानवाप्तमवाप्तव्यं' श्लोक से मिलता है। और वाणभट्ट की कादम्बरी के 'महाभारत-मिवानन्तगीताकर्णानानन्दिततर' इस एक श्लेषप्रधान वाक्य में गीता का स्पष्टरूप से उल्लेख किया गया है। कालिदास और भारवि का उल्लेख स्पष्टरूपसे सवत् ६९१ के एक शिलालेख में पाया जाता है। और अब यह भी निश्चित हो चुका है, कि वाणभट्ट सवत् ६६३ के लगभग हर्ष राजा के पास था। इस बात का विवेचन परलोकवासी पाण्डुरङ्ग गोविन्दशास्त्री पारखी ने वाणभट्ट पर लिखे हुए अपने एक मराठी निबन्ध में किया है।

(३) जावा द्वीप में जो महाभारत ग्रन्थ यहाँ से गया है, उसके भीष्मपर्व में एक गीता प्रकरण है, जिसमें गीता के भिन्न भिन्न अध्यायों के लगभग सौ सव्वा सौ श्लोक अक्षरशः मिलते हैं। सिर्फ १२, १५, १६ और १७ इन चार अध्यायों के श्लोक उसमें नहीं हैं। इससे यह कहने में कोई आपत्ति नहीं दीख पड़ती, कि उस समय भी गीता का स्वरूप वर्तमान गीता के सदृश ही था। क्योंकि कविभाषा में यह गीता का अनुवाद है, और उसमें जो संस्कृत श्लोक मिलते हैं, वे बीच-बीच में उदाहरण तथा प्रतीत के तौर पर ले लिये गये हैं। इससे यह अनुमान करना युक्तिसङ्गन नहीं, कि उस समय गीता में केवल उतने ही श्लोक थे। जब डॉक्टर नरहर गोपाल

सरदेमाई जावा द्वीप को गये थे, तब उन्होंने इस बात की खोज की है। इस विषय का वर्णन वक्ते के 'मॉटन रिब्यू' नामक मासिक पत्र के जुलाई १९१८ के अंक में तथा अन्यत्र भी प्रकाशित हुआ है। इसमें यह मिथ्य होता है, कि शक चार पाँच सौ के पहले कम-से-कम दो सौ वर्ष तक महाभारत के भीष्मपत्र में गीता थी, और उसके श्लोक भी वर्तमान गीताश्लोक के अनुमान ही थे।

(४) विष्णुपुराण और पद्मपुराण आदि ग्रन्थों में भगवद्गीता के नमूने पर बनी हुई जो अन्य गीताएँ दीख पड़ती हैं, अथवा उनके उल्लेख पाये जाते हैं, उनका वर्णन इस ग्रन्थ के पहले प्रकरण में किया गया है। इसमें यह बात स्पष्टतया विदित होनी है, कि उस समय भगवद्गीता प्रमाण तथा पूजनीय मानी जाती थी। इसी विषय में उमका उक्त प्रकार से अनुकरण किया गया है, और यदि ऐसा न होता, तो उमका कोई भी अनुकरण न करता। अतएव मिथ्य है, कि इन पुराणों में जो अत्यन्त प्राचीन पुराण हैं, उनमें भी भगवद्गीता कम-से-कम सौ-दो-सौ वर्ष अग्रिम प्राचीन अवश्य होगी। पुराण का काल आरम्भ-समय मन ईश्वरी के दूसरे जन्म में अधिक अर्वाचीन नहीं माना जा सकता। अतएव गीता का काल कम-से-कम शकाब्द के कुछ थोड़ा पहले ही मानना पटना है।

(५) ऊपर यह बतला चुके हैं, कि काण्विदाम और वाण गीता में परिचित थे। काण्विदाम ने पुराने भाम कवि के नाटक हाल ही में प्रकाशित हुए हैं। उनमें 'वर्णभार' नाटक में बारहवाँ श्लोक इस प्रकार है -

हनोऽपि लभते स्वर्गं जित्वा तु लभते यशः ।

उभे बहुमते लोके नास्ति निष्कलता रणे ॥

यह श्लोक गीता के 'हनो वा प्राप्स्यमि स्वर्गम्' (गीता २ ३६) श्लोक के समानार्थक है। और जब कि भाम कवि के अन्य नाटकों से यह प्रकट होता है, कि वह महाभारत में पूर्णतया परिचित था: तब तो यही अनुमान किया जा सकता है, कि उपर्युक्त श्लोक लिखन समय उमके मन में गीता का उक्त श्लोक अवश्य आया होगा। अर्थात् यह मिथ्य होता है, कि भाम कवि के पहले भी महाभारत और गीता का अस्तित्व था। पण्डित प० गणपतिशाम्बी ने यह निश्चित किया है, कि भाम कवि का पाठ शक के सौ-दो-सौ वर्ष बाद हुआ है। यदि इस दूसरे मत को मान्य मान, तो भी उपर्युक्त प्रमाण में मिथ्य हा जाता है, कि भाम ने कम-से-कम सौ-दो-सौ- वर्ष पहले अपना शककाल के आरम्भ में महाभारत और गीता, दोनों ग्रन्थ सर्वमान्य हा कर लिये।

(६) परन्तु प्राचीन ग्रन्थकारा द्वारा गीता के श्लोक लिख जाने का और भी अधिक दृढ़ प्रमाण, पण्डितशाम्बी श्याम्वक गुरनाथ काठे ने गण्डुल की 'वैदिक मेगरीत' नामक अंग्रेजी भाषिक पुस्तक (पुस्तक ३, अंक ६-३ पृष्ठ ५०८-५३० मार्गशीर्ष और पौष, सन् १९३०) में प्रकाशित किया है। इनके पश्चिमी मन्थन

पण्डितों का यह मत था, कि संस्कृत काव्य तथा पुराणों की अपेक्षा किन्हीं अधिक प्राचीन ग्रन्थों में — उदाहरणार्थ सूत्रग्रन्थों में भी — गीता का उल्लेख नहीं पाया जाता; और इसलिये यह कहना पड़ता है, कि सूत्रकाल के बाद — अर्थात् अधिक से अधिक सन् ईसवी के पहले दूसरी सदी में गीता बनी होगी। परन्तु परलोकवासी काले ने प्रमाणों से सिद्ध कर दिया है, यह मत ठीक नहीं है। बौधायनगृह्यशेषसूत्र (२. २२. ९) में गीता का (९. २६) श्लोक 'तदाह भगवान्' कह कर स्पष्ट रूप से लिया गया है। जैसे :-

देशाभावे द्रव्याभावे साधरणे कुर्यान्मनसा वाचयेदिति । तदाह भगवान् -

पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति ।

तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः ॥ इति

और आगे चल कर कहा है, कि भक्ति से नम्र हो कर इन मन्त्रों को पढ़ना चाहिये - 'भक्तितनम्रः एतान् मन्त्रानधीयीत ।' उसी गृह्यशेषसूत्र के तीसरे प्रश्न के अन्त में यह भी कहा है, कि "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षरमन्त्र का जप करने से अश्वमेध का फल मिलता है ।" इससे यह बात पूर्णतया सिद्ध होती है, कि बौधायन के पहले गीता प्रचलित थी; और वासुदेवपूजा भी सर्वसामान्य समझी जाती थी। इसके सिवा बौधायन के पितृमेधसूत्र के द्वितीय प्रश्न के आरम्भ ही में यह वाक्य है :-

जातस्य वं मनुष्यस्य ऋत्रं मरणमिति विजानीयात्तस्माज्जाते

न प्रहृष्येन्मृते च न विपीदेत् ।

इससे सहज ही दीख पड़ता है, कि यह गीता के "जातस्य हि ऋवो मृत्यु ऋवं जन्म मृतस्य च । तस्मादपरिहायैर्ष्ये न त्वं शोचितुमर्हसि ॥" इस श्लोक से सूझ पड़ा होगा; और उसमें उपर्युक्त 'पत्र पुष्प' श्लोक का योग देने से तो कुछ शङ्का ही नहीं रह जाती। ऊपर बतला चुके हैं, स्वयं महाभारत का एक श्लोक बौधायन-सूत्रों में पाया जाता है। बुल्हर साहव ने निश्चित किया है, * कि बौधायन का काल आपस्तम्ब के सौ-दो-सौ वर्ष पहले होगा; और आपस्तम्ब का काल ईसा के पहले तीन सौ वर्ष से कम हो नहीं सकता। परन्तु हमारे मतानुसार उसे कुछ इस ओर हटाना चाहिये। क्योंकि महाभारत में मेघ-वृषभ आदि राशियाँ नहीं हैं, और 'कालमाधव' में तो बौधायन का 'मीनमेपयोर्वृषभयोर्वा वन्सत' यह वचन दिया गया है। यही वचन परलोकवासी शङ्कर बालकृष्ण दीक्षित के 'भारतीय ज्योति शास्त्र (पृष्ठ १०२) में भी लिया गया है। इससे भी यही निश्चित अनुमान किया जाता है, कि महाभारत बौधायन के पहले का है। शकारम्म के कम-मे-कम चार सौ वर्ष

* See Sacred Books of the East, Series, Vol. II, Intro. p. xlii and also the same Series, Vol. XIV, Intro. p. xliii.

पहले बौधायन का समय होना चाहिये; और पाँच सौ वर्ष पहले महाभारत तथा गीता का अस्तित्व था। परलोकवासी काले ने बौधायन का काल ईसा के सात-आठ सौ वर्ष पहले का निश्चिन किया है; किन्तु यह ठीक नहीं है। जान पड़ता है, कि बौधायन का राशिबिषयक वचन उनके ध्यान में न आया होगा।

(७) उपर्युक्त प्रमाणों से यह बात किसी को भी स्पष्ट रूप में विदिन हो जायगी, कि वर्तमान गीता शक के लगभग पाँच सौ वर्ष पहले अस्तित्व में थी; बौधायन तथा आप्तबलायन भी उसमें परिचित थे; और उस समय से श्रीशङ्कराचार्य के समय तक उसकी परम्परा अविच्छिन्न रूप में दिखलाई जा सकती है। परन्तु अब तक जिन प्रमाणों का उल्लेख किया गया है, वे सब वैदिक धर्म के ग्रन्थों में लिये गये हैं। अब आगे चल कर जो प्रमाण दिया जायगा, वह वैदिक धर्मग्रन्थों में भिन्न अर्थान् बौद्ध साहित्य का है। इसमें गीता की उपर्युक्त प्राचीनता स्वतन्त्र रीति में और भी अधिक दृढ़ तथा निःसन्देह हो जाती है। बौद्धधर्म के पहले ही भागवतधर्म का उदय हो गया था। उस विषय में बुल्हेर और प्रसिद्ध फ्रेञ्च पण्डित मेनान के मतों का उल्लेख पहले ही चुका है; तथा प्रस्तुत प्रकरण के अगले भाग में इन बातों का विवेचन स्वतन्त्र रीति में किया जायगा, कि बौद्धधर्म की वृद्धि कैसे हुई? तथा हिन्दुधर्म में उसका क्या सम्बन्ध है? यहाँ केवल गीताकाल के सम्बन्ध में ही आवश्यक उल्लेख संक्षिप्त रूप में किया जायगा। भागवतधर्म बौद्धधर्म के पहले का है। केवल इतना कह देने में ही इस बात का निश्चय नहीं किया जा सकता, कि गीता भी बुद्ध के पहले थी। क्योंकि यह कहने के लिये कोई प्रमाण नहीं है, कि भागवतधर्म के साथ ही गीता का भी उदय हुआ। अतएव यह देखना आवश्यक है, कि बौद्ध ग्रन्थकारों ने गीताग्रन्थ का स्पष्ट उल्लेख कहीं किया है या नहीं? प्राचीन बौद्ध ग्रन्थों में यह स्पष्ट रूप में लिखा है, कि बुद्ध के समय चार वेद, वेदाङ्ग, व्याकरण, ज्योतिष, इतिहास, निघण्टु आदि वैदिक धर्मग्रन्थ प्रचलित हो चुके थे। अतएव हममें सन्देह नहीं, कि बुद्ध के पहले ही वैदिक धर्म पूर्णावस्था में पहुँच चुका था। इसके बाद बुद्ध ने जो नया पन्थ चलाया, वह अध्यात्म की दृष्टि में अनात्मवादी था; परन्तु उगमें— त्रेमा अगले भाग में बतलाया जायगा— आचरणदृष्टि में उपनिषदों के सत्यागमार्ग ही का अनुसरण किया गया था। अगोक के समय बौद्धधर्म की यह दगा बहाद गई थी। बौद्ध भिक्षुओं ने जट्टगली में रहना छोड़ दिया था। धर्मप्रमार्ग तथा परोत्तार का काम करने के लिये वे लोस पूर्व की ओर चीन में और पश्चिम की ओर अन्तर्देशिया तथा ग्रीस तर चले गये थे। बौद्धधर्म के इतिहास में यह एक उचलन महत्त्व का घण्ट है, कि जट्टगली में रहना छोड़ कर लोसमहल का काम करने के लिये बौद्ध धर्म कैसे प्रवृत्त हो गये? बौद्धधर्म के प्राचीन ग्रन्थों पर दृष्टि डालिये। मुनिनाथ के उगणविमानस्य में कहा है, कि जिन भिक्षु ने पूर्ण अहंतावस्था प्राप्त कर ली है वह कोई भी काम न करे; केवल गेष्टे के सद्ग जट्टगल में निवास किया

करे। और महावग्ग (५. १. २७) में बुद्ध के शिष्य सोनकोलीविस की कथा में कहा है, कि " जो भिक्षु निर्वाणपद तक पहुँच चुका है, उसके लिये न तो कोई काम ही अवशिष्ट रह जाता है; न और किया हुआ कर्म ही भोगना पड़ता है— "कतन्स पटिचयो नत्थि करणीय न विज्जति।" यह शुद्ध संन्यासमार्ग है, और हमारे औपनिषदिक संन्यासमार्ग से इसका पूर्णतया मेल मिलता है। यह 'करणीयं न विज्जति' वाक्य गीता के इस 'तस्य कार्यं न विद्यते' वाक्य से केवल समानार्थक ही नहीं है, किन्तु शब्दशः भी एक ही है। परन्तु बौद्ध भिक्षुओं का जब यह संन्यासप्रधान आचार बदल गया और जब वे परोपकार के काम करने लगे, तब नये तथा पुराने मत में झगडा हो गया। पुराने लोग अपने को 'धैरवाद' (बृद्धपथ) कहने लगे; और नवीन मतवादी लोग अपने पन्थ का 'महायान' नाम रख करके पुराने पन्थ को 'हीनयान' (अर्थात् हीन पन्थ के) नाम से सम्बोधित करने लगे। अश्वघोष महायान पन्थ का था; और वह इस मत को मानता था, कि बौद्ध यति लोग परोपकार के काम किया करे। अतएव 'सौन्दरानन्द' (१८. ५४) काव्य के अन्त में, जब नन्द अहंतावस्था में पहुँच गया, तब उसे बुद्ध ने जो उपदेश दिया है, उसमें पहले यह कहा है :-

अवाप्तकार्योऽसि परां गतिं गतः न तेऽस्ति किञ्चित्करणीयमप्यपि ।

अर्थात् " तेरा कर्तव्य हो चुका। तुझे उत्तम गति मिल गई। अब तेरे लिये तिल भर भी कर्तव्य नहीं रहा। " और आगे स्पष्ट रूप से उपदेश किया गया है, कि -

विहाय तस्मादिह कार्यमात्मनः कुरु स्थिरात्मन्यपरकार्यमप्यथो ॥

अर्थात् " अतएव अब तू अपना कार्य छोड़ बुद्धि को स्थिर करके परकार्य किया कर " (सौ. १८. ६७)। बुद्ध के कर्मत्यागविषयक उपदेश में - कि जो प्राचीन धर्मग्रन्थों में पाया जाता है - तथा इस उपदेश में (कि जिसे 'सौन्दरानन्द' काव्य में अश्वघोष ने बुद्ध के मुख से कहलाया है) अत्यन्त भिन्नता है। और, अश्वघोष की इन दलीलों में तथा गीता के तीसरे अध्याय में जो युक्ति-प्रयुक्तियाँ हैं, उनमें - " तस्य कार्यं न विद्यते . . . तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचार " - अर्थात् तेरे कुछ रह नहीं गया है। इसलिये जो कर्म प्राप्त हो, उनको निष्कामबुद्धि से किया कर (गीता ३ १७-१९) - न केवल अर्थदृष्टि से ही, किन्तु शब्दशः समानता है। अतएव इससे यह अनुमान होता है, कि ये दलीले अश्वघोष को गीता ही से मिली हैं। इसका कारण ऊपर बतला ही चुके हैं, कि अश्वघोष से भी पहले महाभारत था। इसे केवल अनुमान ही न समझिये। बुद्धधर्मानुयायी तारानाथ ने बुद्धधर्मविषयक इतिहाससम्बन्धी जो ग्रन्थ तिब्बती भाषा में लिखा है, उसमें लिखा है, कि बौद्धों के पूर्वकालीन संन्यास-मार्ग में महायान पन्थ ने जो कर्मयोगविषयक सुधार किया था, उसे ज्ञानी श्रीवृष्ण और 'गणेश' से महायान पन्थ के मुख्य पुरस्कर्ता नागार्जुन के गुरु राहुलभद्र ने जान

था। इस ग्रन्थ का अनुवाद रूसी भाषा से जर्मन भाषा में किया गया है — जग्रेजी में अभी तक नहीं हुआ है। डॉ. केर्न ने १८९९ ईसवी में बुद्धधर्म पर एक पुस्तक लिखी थी। यहाँ उसी से हमने यह अवतरण लिया है। डॉक्टर केर्न का भी यही मत है, कि यहाँ पर श्रीकृष्ण के नाम से भगवद्गीता ही का उल्लेख किया गया है। महायान पन्थ के बौद्ध ग्रन्थों में से 'सद्धर्मपुण्डरीक' नामक ग्रन्थ में भी भगवद्गीता के श्लोकों के समान कुछ श्लोक हैं। परन्तु इन बातों का और अन्य विवेचन अगले भाग में किया जायगा। यही पर केवल यहाँ बतलाया है, कि बौद्ध ग्रन्थकारों के ही मतानुसार मूल बौद्धधर्म के संन्यामप्रधान होने पर भी इसमें भक्तिप्रधान तथा कर्मप्रधान महायान पन्थ की उत्पत्ति भगवद्गीता के कारण ही हुई है; और अश्वघोष के काव्य से गीता की जो ऊपर समता बतलाई गई है, उसमें इस अनुमान को और भी दृढ़ता प्राप्त हो जाती है। पश्चिमी पण्डितों का निश्चय है, कि महायान पन्थ का पहला पुरस्कर्ता नागार्जुन शक के लगभग मी-डेढ-मी वर्ष पहले हुआ होगा। और यह तो स्पष्ट ही है, कि इस पन्थ का बीजारोपण अशोक के राजशासन के समय में हुआ होगा। बौद्ध ग्रन्थों से तथा स्वयं बौद्ध ग्रन्थकारों के लिखे हुए उसधर्म के इतिहास से यह बात स्वतन्त्र रीति में सिद्ध हो जाती है, कि भगवद्गीता महायान पन्थ के जन्म से पहले — अशोक से भी पहले — यानी सन ईसवी में लगभग ३०० वर्ष पहले ही अस्तित्व में थी।

इन सब प्रमाणों पर विचार करने से इसमें कुछ भी शक्यता नहीं रह जाती, कि वर्तमान भगवद्गीता शालिवाहन शक के लगभग पाँच सौ वर्ष पहले ही अस्तित्व में थी। डॉक्टर भाण्डारकर, परलोकवासी तैलङ्ग, रावबहादुर चिन्तामणिराव वैद्य और परलोकवासी दीक्षित का मत भी इसमें बहुत-कुछ मिल्ता-जुलता है; और उसी को यहाँ ग्राह्य मानना चाहिये। हाँ, प्रोफेसर गावें का मत भिन्न है। उन्होंने ने उसके प्रमाण में गीता के चौथे अध्यायवाले सम्प्रदायपरम्परा के श्लोकों में से इस 'योगो नष्टः' — योग का नाश हो गया — वाक्य को ले कर योग शब्द का अर्थ 'पातञ्जल योग' किया है। परन्तु हमने प्रमाणसहित बतला दिया है, कि वहाँ योग शब्द का अर्थ पातञ्जल योग नहीं = 'कर्मयोग' है। इसलिये प्रो. गावें का मत भ्रममूलक अनएव अप्राह्य है। यह बात निर्विवाद है, कि वर्तमान गीता या काल शालिवाहन शक के पाँच सौ वर्ष पहले की अपेक्षा और कम नहीं माना जा सकता। पीछे भाग में यह बतला ही आवे है, कि मूल गीता इसमें भी कुछ मदियों में पहुँचे की होनी चाहिये।

* See Dr. Kern's Manual of Indian Buddhism, Grundriss, III. 8. p 122 महायान पन्थ के 'अभिनाइसुन' नामक मुख्य ग्रन्थ का अनुवाद चीनी भाषा में सन १४८ के लगभग किया गया था।

भाग ६ - गीता और बौद्ध ग्रन्थ

वर्तमान गीता का काल निश्चित करने के लिये उपर जिन बौद्ध ग्रन्थों के प्रमाण दिये गये हैं, उनका पूरा पूरा महत्त्व समझने के लिये गीता और बौद्ध ग्रन्थ या बौद्धधर्म की साधारण समानता तथा विभिन्नता पर भी यहाँ विचार करना आवश्यक है। पहले कई बार बतला आये हैं, कि गीताधर्म की विशेषता यह है, कि गीता में वर्णित स्थितप्रज्ञ प्रवृत्तिमार्गावलम्बी रहता है। परन्तु इस विशेष गुण को थोड़ी देर के लिये अलग रख दें; और उक्त पुरुष के केवल मानसिक तथा नैतिक गुणों ही का विचार करें, तो गीता में स्थितप्रज्ञ के (गीता २. ५५-७२), ब्रह्मनिष्ठ पुरुष के (४. १९-२३; ५. १८-२८) और भक्तियोगी पुरुष के (१२. १३-१९) जो लक्षण बतलाये हैं, उनमें - और निर्वाणपद के अधिकारी अर्हंतों के (अर्थात् पूर्णावस्था को पहुँचे हुए बौद्ध भिक्षुओं के) जो लक्षण भिन्न भिन्न बौद्ध ग्रन्थों में दिये हुए हैं, उनमें - विलक्षण समता दिख पडती है (धम्मपद श्लोक ३३०-४२३ और सुत्तनिपातो में से मुनिसुत्त तथा धम्मिकसुत्त देखो)। इतना ही नहीं; किन्तु इन वर्णनों के शब्दसाम्य से दीख पडता है, कि स्थितप्रज्ञ एवं भक्तिमान् पुरुष के समान ही सच्चा भिक्षु भी 'शान्त', 'निष्काम', 'निर्मम', 'निराशी' (निरिस्सित), 'सम-दुःखसुख', 'निरारम्भ', 'अनिकेतन' या 'अनिवेशन' अथवा 'समनिन्दास्तुति', और "मान-अपमान तथा लाभ-अलाभ को समान माननेवाला" रहता है (धम्मपद ४०, ४१ और ९१; सुत्तनि. मुनिसुत्त १. ७ और १४; द्वयतानुपस्सनसुत्त २१-२३, और विनयपिटक चुल्लवग्ग. ७. ४. ७. देखो)। द्वयतानुपस्सनसुत्त के ४० वे श्लोक का यह विचार - कि ज्ञानी पुरुष के लिये जो वस्तु प्रकाशमान है, वही अज्ञानी को अन्धकार के सदृश है - गीता के (२. ६९) "या निशा सर्वभूताना तस्या जागर्ति सयमी" इस श्लोकान्तर्गत विचार के सदृश है। और मुनिसुत्त के १० वे श्लोक का यह वर्णन - 'अरोसनेय्यो न रोसेति' अर्थात् न तो स्वयं कष्ट पाता है और न दूसरों को कष्ट देता है - गीता के "यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः" (गीता १२. १५) इस वर्णन के समान है। इसी प्रकार सेल्लसुत्त के ये विचार, कि "जो कोई जन्म लेता है वह मरता है" और "प्राणियों का आदि तथा अन्त अव्यक्त है, इसलिये शोक करना बूढ़ा है" (सेल्लसुत्त १ और ९ तथा गी २. २७ और २८) कुछ शब्दों के हेरफेर से गीता के ही विचार हैं। गीता के दसवे अध्याय में अथवा अनुगीता (म. भा अश्व. ४३; ४४) में "ज्योतिर्मार्गो में सूर्य, नक्षत्रों में चन्द्र, और वेदमन्त्रों में गायत्री" आदि जो वर्णन है, वही सेल्लसुत्त के २१ वे और २२ वे श्लोकों में तथा महावग्ग (६. ३५. ८) में ज्यो-का-त्यो आया है। इसके सिवा शब्द-सादृश्य के तथा अर्थसमता के छोटे मोटे उदाहरण, परलोकवासी तैलद्रग ने गीता के अपने अंग्रेजी अनुवाद की टिप्पणियों में दे दिये हैं। तथापि प्रश्न होता है, कि यह

सदृशता हुई कैसे। ये विचार असल में बौद्धधर्म के हैं या वैदिकधर्म के? और, इनमें अनुमान क्या निकलता है? किन्तु इन प्रश्नों को हल करने के लिये उस समय जो साधन उपलब्ध थे वे अपूर्ण थे। यही कारण है, जो उपर्युक्त चमत्कारिक शब्द-सादृश्य और अर्थसादृश्य दिखला देने के सिवा परलोकवासी तैलङ्ग ने इस विषय में और कोई विशेष बात नहीं लिखी। परन्तु अब बौद्धधर्म की जो अधिक बातें उपलब्ध हो गई हैं, उनमें उक्त प्रश्न हल किये जा सकते हैं। इसलिये यहाँ पर बौद्धधर्म की उन बातों का संक्षिप्त वर्णन किया जाता है। परलोकवासी तैलङ्गद्वारा गीता का अंग्रेजी अनुवाद जिस 'प्राच्यधर्मग्रन्थमाला' में प्रकाशित हुआ था, उसी में आगे चलकर पश्चिमी विद्वानों ने बौद्धधर्मग्रन्थों के अंग्रेजी अनुवाद प्रसिद्ध किये हैं। ये बाने प्रायः उन्हीं में एकत्रित की गई हैं; और प्रमाण में जो बौद्ध ग्रन्थों के मूल वनलाये गये हैं, उनका मिलाजुला इसी माला के अनुवादों में मिलेगा। कुछ स्थानों पर प्राचीन शब्दों के अवतरण मूल पाली ग्रन्थों में ही उद्धृत किये गये हैं।

अब यह बान निर्विवाद सिद्ध हो चुकी है, कि जैनधर्म के समान बौद्धधर्म भी अपने वैदिक धर्मरूप पिता का ही पुत्र है, कि जो अपनी सम्पत्ति का हिस्सा ले कर विभीषण से विभक्त हो गया है, अर्थात् वह कोई पराया नहीं है - किन्तु उसके पहले यहाँ पर जो ब्राह्मणधर्म था, उसी की यही उपज हुई यह एक शाखा है। लङ्का में महावश या दीपवश आदि प्राचीन पाली भाषा के ग्रन्थ हैं। उनमें बुद्ध के परचाट्टी राजाओं तथा बौद्ध आचार्यों की परम्परा का जो वर्णन है, उसका हिसाब लगा कर देखने से ज्ञात होता है, कि गौतमबुद्ध ने अस्सी वर्ष की आयु पाकर ईसवी सन् में ५४३ वर्ष पहले अपना शरीर छोटा। परन्तु इसमें कुछ बातें असम्भव हैं। इसलिये प्रोफेसर मेकममूलर ने इस गणना पर सूक्ष्म विचार करके बुद्ध का यथार्थ निर्वाणकाल ईसवी सन् में ४७३ वर्ष पहले वनलाया है; और डॉक्टर वुन्टर भी अशोक के शिलालेखों में इसी काल का सिद्ध होना प्रमाणित करते हैं। तथापि प्रोफेसर व्हिम्डेविड्म और डॉ. वेन के समान कुछ खोज करनेवाले इस काल को उम काल में ६५ तथा १०० वर्ष और भी आगे हटाना चाहते हैं। प्रोफेसर गायगर ने हाल ही में इन सब मतों की जाँच करके बुद्ध का यथार्थ निर्वाणकाल ईसवी सन् में ४८३ वर्ष पहले माना है। इसमें से कोई भी काल क्यों न स्वीकार कर लिया जाय? यह निर्विवाद है, कि बुद्ध का जन्म होने के पहले ही वैदिक धर्म पूर्ण अवस्था में पहुँच चुका था; और न केवल उपनिषद् ही, किन्तु धर्मसूत्रों के समान ग्रन्थ भी उमने पहले ही तैयार हो चुके थे। क्योंकि, प्राचीन भाषा के प्राचीन बौद्ध धर्मग्रन्थों

* इस निर्वाणकालपर्यन्त वर्णन श्री मेकममूलर ने अपने 'धम्मपद' के अंग्रेजी अनुवाद की प्रस्तावना में (S B E. Vol X. Intro pp. xxxv-xiv) किया है, और उमरी परीक्षा डॉ. गायगर ने सन् १९१० में दक्षिण अफ्रीका में 'महावंश' के अनुवाद की प्रस्तावना में की है (The Mahavamsa by Dr Geiger, Pali Text Society, Intro. p. xxvif)

ही में लिया है, कि— 'चारो वेद, वेदाङ्ग, व्याकरण-ज्योतिष, इतिहास और निघण्टु' आदि विषयों में प्रवीण सत्त्वशील गृहस्थ ब्राह्मणों, तथा जटिल तपस्वियों से गौतम बुद्ध ने वाद करके उनको अपने धर्म की दीक्षा दी (सुत्तनिपातो में सेल्लसुत्त के सेल्ल का वर्णन तथा वय्युगाया ३०-४५ देखो)। कठ आदि उपनिषदों में (कठ १. १८; मुड. १. २. १०) तथा उन्हीं को लक्ष्य करके गीता (२. ४०-४५; ९. २०-२१) में जिस प्रकार यज्ञयाग आदि श्रौतकर्मों की गौणता का वर्णन किया गया तथा कई अंशों में उन्हीं शब्दों के द्वारा तैविज्जसुत्रों (तैविद्यसूत्रों) में बुद्ध ने भी अपने मतानुसार 'यज्ञयागादि' को निरूपयोगी तथा त्याज्य बतलाया है; और इस बात का निरूपण किया है, कि ब्राह्मण जिसे 'ब्रह्मसहव्यताय' (ब्रह्मसहव्यत्यय—ब्रह्मसायुज्जता) कहते हैं, वह अवस्था कैसे प्राप्त होती है? इससे यह बात स्पष्ट विदित होती है, कि ब्राह्मणधर्म के कर्मकाण्ड तथा ज्ञानकाण्ड—अथवा गार्हस्थ्यधर्म और सन्यासधर्म अर्थात् प्रवृत्ति और निवृत्ति—इन दोनों शाखाओं के पूर्णतया रूढ़ हो जाने पर उनमें सुधार करने के लिये बौद्धधर्म उत्पन्न हुआ। सुधार के विषय में सामान्य नियम यह है, कि उसमें कुछ पहले की बातें स्थिर रह जाती हैं, और कुछ बदल जाती हैं। अतएव इस न्याय के अनुसार इस बात का विचार करना चाहिये, कि बौद्धधर्म में वैदिकधर्म की किन किन बातों को स्थिर रख लिया है, और किन किन को छोड़ दिया है। यह विचार दोनों—गार्हस्थ्यधर्म और सन्यास—की पृथक् पृथक् दृष्टि से करना चाहिये। परन्तु बौद्धधर्म मूल में सन्यासमार्गीय अथवा केवल निवृत्तिप्रधान है। इसलिये पहले दोनों के सन्यासमार्ग का विचार करके अनन्तर दोनों के गार्हस्थ्यधर्म के तारतम्य पर विचार किया जायगा।

वैदिक सन्यासधर्म पर दृष्टि डालने से दीख पड़ता है, कि कर्ममय सृष्टि के सब व्यवहार तृष्णामूलक अतएव दुःखमय हैं। उससे अर्थात् जन्ममरण के भवचक्र से आत्मा का सर्वथा छुटकारा होने के लिये मन निष्काम और विरक्त करना चाहिये, तथा उसको दृश्यसृष्टि के मूल में रहनेवाले आत्मस्वरूपी नित्य परब्रह्म में स्थिर करके सासारिक कर्मों का सर्वथा त्याग करना उचित है। इस आत्मनिष्ठ स्थिति ही में सदा निमग्न रहना सन्यासधर्म का मुख्य तत्त्व है। दृश्यसृष्टि नामरूपात्मक तथा नाशवान् है, और कर्मविपाक के कारण ही उसका अखण्डित व्यापार जारी है।

कम्मना वत्तती लोको कम्मना वत्तती पजा (प्रजा)।

कम्मनि बन्धना सत्ता (सत्त्वानि) रयस्साणीव यायतो ॥

अर्थात् "कर्म ही से लोग और प्रजा जारी हैं। जिस प्रकार चलती हुई गाड़ी रथ की कील से नियन्त्रित रहती है, उसी प्रकार प्राणिमात्र कर्म से बँधा हुआ है" (सुत्तनि वासेठसुत्त ६१)। वैदिक धर्म के ज्ञानकाण्ड का उक्त तत्त्व अथवा जन्ममरण का चक्कर या ब्रह्मा, इन्द्र, महेश्वर, ईश्वर, यम आदि अनेक देवता और उनके

भिन्न भिन्न स्वर्गपाताल आदि लोकों का ब्राह्मणधर्म में वर्णित अस्तित्व बुद्ध को मान्य था; और इसी कारण नामरूप, कर्मविपाक, अविद्या, उपादान और प्रकृति वर्गेरह वेदान्त या सांख्यशास्त्र के शब्द तथा ब्रह्मादि वैदिक देवताओं की कथाएँ भी (बुद्ध की श्रेष्ठता को स्थिर रख कर) कुछ हेरफेर से बौद्धग्रन्थों में पाई जाती हैं। यद्यपि बुद्ध को वैदिकधर्म के कर्मसृष्टिविषयक ये सिद्धान्त मान्य थे, कि दृश्यसृष्टि नाशवान् और अनित्य है; एवं उसके व्यवहार कर्मविपाक के कारण जारी है; तथापि वैदिकधर्म अर्थात् उपनिषत्कारों का यह सिद्धान्त उन्हें मान्य न था, कि नामरूपात्मक नाशवान् सृष्टि के मूल में नामरूप से व्यतिरिक्त आत्म-स्वरूपी परब्रह्म के समान एक नित्य और सर्वव्यापक वस्तु है। इन दोनों धर्मों में जो विशेष भिन्नता है, वह यही है। गौतम बुद्ध ने यह बात स्पष्ट रूप में कह दी है, कि आत्मा या ब्रह्म यथार्थ में कुछ नहीं है — केवल भ्रम है। इसलिये आत्म-अनात्म के विचार में या ब्रह्मचिन्तन के पचड़े में पड़ कर किसी को अपना ममय न खोना चाहिये (सव्वासवमुत्त ९-१३ देखो)। दीर्घनिकायो के ब्रह्मजालमुत्तो में भी यही बात स्पष्ट होती है, कि आत्मविषयक कोई भी कल्पना बुद्ध को मान्य न थी। * इन मुत्तो में पहले कहा है, कि आत्मा और ब्रह्म एक है या दो? फिर ऐसे ही भेद बतलाते हुए आत्मा की भिन्न भिन्न ६२ प्रकार की कल्पनाएँ बतला कर कहा है, कि ये सभी मिथ्या 'दृष्टि' हैं; और मिलिन्दप्रश्न (२, ३, ६, और २, ७, १५) में भी बौद्ध-धर्म के अनुसार नागमेन ने यूनानी मिलिन्द (मिनादर) से साफ साफ कह दिया है, कि 'आत्मा तो कोई यथार्थ वस्तु नहीं है।' यदि मान लें, कि आत्मा और उसी प्रकार ब्रह्म भी दोनों भ्रम ही हैं, यथार्थ नहीं हैं; तो वस्तुतः धर्म की नींव ही गिर जाती है। क्योंकि, फिर सभी अनित्य वस्तुएँ बच रहती हैं; और नित्यमुख या उमना अनुभव करनेवाला कोई भी नहीं रह जाता। यही कारण है, जो श्रीगङ्गासायण ने तर्कदृष्टि से इस मत को अप्राह्य निश्चित किया है: परन्तु अभी हमें केवल यही देखना है, कि अमली बुद्धधर्म क्या है? इमन्त्रिये इस वाद को यही छोड़ कर देखेंगे, कि बुद्ध ने अपने धर्म की क्या उपपत्ति बतलाई है। यद्यपि बुद्ध को आत्मा का अस्तित्व मान्य न था; तथापि इन दो बातों से वे पूर्णतया सहमत थे, कि (१) कर्मविपाक के कारण नामरूपात्मक देह को (आत्मा को नहीं) नाशवान् जगत् के प्रपञ्च में बार बार जन्म लेना पटना है; और (२) पुनर्जन्म का यह चक्कर या माग मगार ही दुःखमय है। इससे छुटकारा पा कर स्थिर शान्ति या सुख को प्राप्त कर लेना अत्यन्त आवश्यक है। इस प्रकार इन दो बातों — अर्थात् नाशवान् दुःख के अस्तित्व और उनके निवारण करने की आवश्यकता — को मान लेने से यदियज्जन्म का यह प्रश्न ज्यों-ज्यों बना रहता है, कि दुःखनिवारण करने

* ब्रह्मजालमुत्त का अंशजी में अनुवाद नहीं है; परन्तु उमका संक्षिप्त विवेकन विदग्धोपनिषद् में S. B. E. Vol. XXVI. Intro. pp. xxiii-xxv में किया है।

अत्यन्त सुख प्राप्त कर लेने का मार्ग कौन-सा है ? और उसका कुछ न-कुछ-ठीक ठीक उत्तर देना आवश्यक हो जाता है । उपनिषत्कारो ने कहा है, कि यज्ञयाग आदि कर्मों के द्वारा ससारचक्र से छुटकारा हो नहीं सकता । और बुद्ध ने इससे भी कहीं आगे बढ़कर इन सब कर्मों को हिंसात्मक अतएव सर्वथा त्याज्य और निषिद्ध बतलाया है । इसी प्रकार यदि स्वयं 'ब्रह्म' ही को एक बड़ा भारी भ्रम माने, तो दुःखनिवारणार्थ जो ब्रह्मज्ञानमार्ग है, वह भी भ्रान्तिकारक तथा असम्भव निर्णित होता है । फिर दुःखमय भवचक्र से छूटने का मार्ग कौन-सा है ? बुद्ध ने इसका यह उत्तर दिया है, कि किसी रोग को दूर करने के लिये उस रोग का मूलकारण ढूँढ कर उसी को हटाने का प्रयत्न जिस प्रकार चतुर वैद्य किया करता है, उसी प्रकार सांसारिक दुःख के रोग को दूर करने के लिये (३) उसके कारण को जान कर, (४) उसी कारण को दूर करनेवाले मार्ग का अवलम्ब बुद्धिमान् पुरुष को करना चाहिये । इन कारणों का विचार करने से दीख पड़ता है, कि तृष्णा या कामना ही इस जगत् के सब दुःखों की जड़ है; और एक नामरूपात्मक शरीर का नाश हो जाने पर वचे हुए इस वासनात्मक बीज ही से अन्यान्य नामरूपात्मक शरीर पुनः पुनः उत्पन्न हुआ करते हैं । और फिर बुद्ध ने निश्चित किया है, कि पुनर्जन्म के दुःखमय ससार से पिण्ड छुड़ाने के लिये इन्द्रियनिग्रह से, ध्यान से तथा वैराग्य से तृष्णा का पूर्णतया क्षय करके सन्यासी या भिक्षु बन जाना ही एक यथार्थ मार्ग है, और इसी वैराग्ययुक्त सन्यास से अचल शान्ति एव सुख प्राप्त होता है । तात्पर्य यह है, कि यज्ञयाग आदि की, तथा आत्म-अनात्म विचार की झन्झट में न पड़ कर, इन चार दृश्य बातों पर ही बौद्धधर्म की रचना की गई है । वे चार बातें ये हैं सांसारिक दुःख का अस्तित्व, उसका कारण, उसके निरोधक या निवारण करने की आवश्यकता, और उसे समूल नष्ट करने के लिये वैराग्यरूप साधन, अथवा बौद्ध की परिभाषा के अनुसार क्रमशः दुःख, समुदय, निरोध और मार्ग । अपने धर्म के इन्हीं चार मूलतत्त्वों को बुद्ध ने 'आर्यसत्य' नाम दिया है । उपनिषद् के आत्मज्ञान के बदले चार आर्यसत्यों की दृश्य नीच के ऊपर यद्यपि इस प्रकार बौद्धधर्म खड़ा किया गया है, तथापि अचल शान्ति या सुख पाने के लिये तृष्णा अथवा वासना का क्षय करके मन को निष्काम करने के जिस मार्ग (चौथा सत्य) का उपदेश बुद्ध ने किया है, वह मार्ग — और मोक्षप्राप्ति के लिये उपनिषदों में वर्णित मार्ग — दोनों वस्तुतः एक ही हैं । इसलिये यह बात स्पष्ट है, कि दोनों का अन्तिम दृश्यसाध्य मन की निर्विषय स्थिति ही है । परन्तु इन दोनों धर्मों में भेद यह है, कि ब्रह्म तथा आत्मा को एक माननेवाले उपनिषत्कारों ने मन की इस निष्काम अवस्था को 'आत्मनिष्ठा' 'ब्रह्मसत्ता', 'ब्रह्मभूतता', 'ब्रह्मनिर्वाण' (गीता ५ १७-२५; छा. २ २३ १) अर्थात् ब्रह्म में आत्मा का लय होना आदि अन्तिम आधारदर्शक नाम दिये हैं; और बुद्ध ने उसे केवल 'निर्वाण' अर्थात् 'विराम पाना' या "दीपक बुझ जाने के समान वासना

का नाश होना" यह क्रियादर्शक नाम दिया है। क्योंकि, ब्रह्म या आत्मा को भ्रम कह देने पर यह प्रश्न ही नहीं रह जाता, कि 'विराम कौन पाता है और किस में पाना है?' (सुत्तनिपात में रतनसुत्त १४ और बद्धगीससुवत्त २२ तथा १३ देखो), एवं बुद्ध ने तो यह स्पष्ट रीति से कह दिया है, कि चतुर मनुष्य को इस गूढ प्रश्न का विचार भी न करना चाहिये (सञ्चाममुत्त ९-१३ और मिलिन्दप्रश्न ४. २. ४ एवं ५ देखो)। यह स्थिति प्राप्त होने पर फिर पुनर्जन्म नहीं होता। इसलिये एक शरीर के नष्ट होने पर दूसरे शरीर को पाने की सामान्य क्रिया के लिये प्रयुक्त होनेवाले 'मरण' शब्द का उपयोग बौद्धधर्म के अनुसार 'निर्वाण' के लिये किया भी जा सकता। निर्वाण तो 'मृत्यु की मृत्यु', अथवा उपनिषदों के वर्णनानुसार "मृत्यु को पार कर जाने का मार्ग" है - निरी मौत नहीं है। बृहदारण्यक उपनिषद् (४. ४. ७) में यह दृष्टान्त दिया है, कि जिस प्रकार मर्प को अपनी कँचली छोड़ देने पर उसकी कुछ परवाह नहीं रहती, उसी प्रकार जब कोई मनुष्य इस स्थिति में पहुँच जाता है, तब उसे भी अपने शरीर की कुछ चिन्ता नहीं रह जाती। और इसी दृष्टान्त का आधार असली भिक्षु का वर्णन करते समय सुत्तनिपात में उरगमुत्त के प्रत्येक श्लोक में लिया गया है। वैदिकधर्म का यह तत्त्व (कोपी. ब्रा. ३. १), कि "आत्मनिष्ठ पुरुष पापपुण्य मे मदैव अल्पित रहता है" (वृ. ४. ४. २३); "इसलिये उसे मातृवध तथा पितृवधमरीचे पातकों का भी दोष नहीं लगता", धम्मपद में शब्दशः ज्यों-का-त्यों बतलाया गया है (धम्म. २१४ और २१५ तथा मिलिन्दप्रश्न ४. ५. ७ देखो)। सारांश, यद्यपि ब्रह्म तथा आत्मा का अस्तित्व बुद्ध को मान्य नहीं था, तथापि मन को शान्त, विरक्त तथा निष्काम करना प्रभृति मोक्षप्राप्ति के जिन साधनों का उपनिषदों में वर्णन है, वे ही साधन बुद्ध के मत में निर्वाणप्राप्ति के लिये भी आवश्यक हैं। इसीलिये बौद्ध यति तथा वैदिक संन्यासियों के वर्णन मानसिक स्थिति की दृष्टि में एक ही में होते हैं। और इसी कारण पापपुण्य की जिम्मेदारी के सम्बन्ध से तथा जन्ममरण के चक्र में छूटना पाने के विषय में वैदिक संन्यासधर्म के जो मिद्धान्त है, वे ही बौद्धधर्म में स्थिर रखे गये हैं। परन्तु वैदिक धर्म गौतम बुद्ध ने पहले का है। अतएव इस विषय में कोई शङ्का नहीं, कि ये विचार अमल में वैदिकधर्म के ही हैं।

वैदिक तथा बौद्ध संन्यासधर्मों की विभिन्नता का वर्णन हो चुका। अब देखना चाहिये, कि गार्हस्थ्यधर्म के विषय में बुद्ध ने क्या कहा है। आत्म-अनात्म-विचार के तन्वज्ञान को महत्त्व न दे कर सामाजिक दुःखों के अस्तित्व आदि दृश्य आधार पर ही यद्यपि बौद्धधर्म खड़ा किया गया है; तथापि स्मरण रखना चाहिये, कि कौट-मरीचे आधुनिक पश्चिमी पण्डितों के निरे आधिभौतिक धर्म के अनुसार - अथवा गौतमधर्म के अनुसार भी बौद्धधर्म मूल में प्रवृत्तिप्रधान नहीं है। यह गच है कि, बुद्ध को उपनिषदों के आत्मज्ञान की 'तान्त्रिक दृष्टि' मान्य नहीं है। परन्तु बृहदारण्यक उपनिषद् में (४. ४. ६) वर्णित याज्ञवल्क्य का यह मिद्धान्त कि, "ममार्त्तं वा

विलकुल छोड़ करके मन को निर्विषय तथा निष्काम करना ही इस जगत् में मनुष्य का केवल एक परम कर्तव्य है, " बौद्धधर्म में सर्वथा स्थिर रखा गया है। इसी लिये बौद्धधर्म मूल में केवल सन्यासप्रधान हो गया है। यद्यपि बुद्ध के समग्र उपदेशों का तात्पर्य यह है, कि ससार का त्याग किये बिना — केवल गृहस्थाश्रम में ही बने रहने से — परमसुख तथा अर्हतावस्था कभी प्राप्त हो नहीं सकती; तथापि यह न समझ लेना चाहिये कि उसमें गार्हस्थ्यवृत्ति का विलकुल विवेचन ही नहीं है। जो मनुष्य बिना भिक्षु बने बुद्ध, उसके धर्म, बौद्ध भिक्षुओं के सघ अर्थात् मेले या मण्डलियाँ, इन तीनों पर विश्वास रखे; और " बुद्ध शरण गच्छामि, धर्म शरण गच्छामि, सद्गुरु शरण गच्छामि " इस सद्कल्प के उच्चारण द्वारा उक्त तीनों की शरण में जाय, उमको बौद्ध ग्रन्थों में उपासक कहा है। ये ही लोग बौद्धधर्मावलम्बी गृहस्थ हैं। प्रसङ्ग प्रसङ्ग पर स्वयं बुद्ध ने कुछ स्थानों पर उपदेश किया है, कि उन उपासकों को अपना गार्हस्थ्य-व्यवहार कैसा रखना चाहिये (महापरिनिब्बानसुत्त १. २४)। वैदिक गार्हस्थ्यधर्म में से हिंसात्मक श्रौतयज्ञयाग और चारों वर्णों का भेद बुद्ध को ग्राह्य नहीं था। इन बातों को छोड़ देने से स्मार्त, पञ्चमहायज्ञ, दान आदि परोपकारधर्म और नीतिपूर्वक आचरण करना ही गृहस्थ का कर्तव्य रह जाता है, तथा गृहस्थों के धर्म का वर्णन करते समय केवल इन्हीं बातों का उल्लेख बौद्ध ग्रन्थों में पाया जाता है। बुद्ध का मत है, कि प्रत्येक गृहस्थ अर्थात् उपासक को पञ्चमहायज्ञ करना ही चाहिये। उनका स्पष्ट कथन है, कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, सर्वभूतानुबन्धा और (आत्मा मान्य न हो, तथापि) आत्मोपम्यदृष्टि, शौच या मन की पवित्रता, तथा विशेष करके सत्पात्रों यानी बौद्धभिक्षुओं को एव बौद्ध भिक्षुनव को अन्नवस्त्र आदि का दान देना प्रभृति नीतिधर्मों का पालन बौद्ध उपासकों को करना चाहिये। बौद्धधर्म में इसी को 'शील' कहा है, और दोनों की तुलना करने से यह बात स्पष्ट हो जाती है, कि पञ्चमहायज्ञ के समान ये नीतिधर्म भी ब्राह्मणधर्म के धर्मसूत्रों तथा प्राचीन स्मृतिग्रन्थों से (मनु ६ ९२ और १० ६३ देखो) बुद्ध ने लिये हैं। * और तो क्या ? आचरण के विषय में प्राचीन ब्राह्मणों की स्तुति स्वयं बुद्ध ने ब्राह्मणधर्मिकसुत्तों में की है, तथा मनुस्मृति के कुछ तो धम्मपद में अक्षरशः पाये जाते हैं (मनु २. १२१ और ५ ४५ तथा धम्मपद १०९ और १३१ देखो)। बौद्धधर्म में वैदिक ग्रन्थों से न केवल पञ्चमहायज्ञ और नीतिधर्म ही लिये गये हैं; किन्तु वैदिक धर्म में केवल कुछ उपनिषत्कारों द्वारा प्रतिपादित इस मत को भी बढ़ने स्वीकार किया है, कि गृहस्थाश्रम में पूर्ण मोक्षप्राप्ति कभी भी नहीं होती। उदाहरणार्थ, सुत्तनिपातों के धम्मिकसुत्त में भिक्षु के साथ उपासक की तुलना करके बुद्ध ने साफ साफ कह दिया है, कि गृहस्थ को उत्तम शील के द्वारा बहुत हुआ तो 'स्वयंप्रकाश' देवलोक की प्राप्ति

हो जावेगी; परन्तु जन्ममरण के चक्कर से पूर्णतया छुटकारा पाने के लिये संसार तथा लडके, बच्चे, स्त्री आदि को छोड़ करके अन्त में उसको भिक्षुधर्म ही स्वीकार करना चाहिये (धम्मिकमुत्त १७. २९; और वृ. ४. ४. ६ तथा म. भा. वन. २. ६३देखो)। तेविज्जसुत्त (१. ३५. ३. ५) में यह वर्णन है, कि कर्ममार्गीय वैदिक ब्राह्मणों से वाद करते समय अपने उक्त सन्यासप्रधान मत को सिद्ध करने के लिये बुद्ध ऐसी युक्तियाँ पेश करते थे, कि “ यदि तुम्हारे ब्रह्म के बाल बच्चे तथा त्रोग्लोभ नहीं है, तो स्त्री-पुत्रों में रह कर तथा यज्ञयाग आदि काम्य कर्मों के द्वारा तुम्हें ब्रह्म की प्राप्ति होगी ही कैसे ? ” और यह भी प्रसिद्ध है, कि स्वयं बुद्ध ने युवावस्था में ही अपनी स्त्री, अपने पुत्र तथा राजपाट भी त्याग दिया था। एव भिक्षुधर्म स्वीकार कर लेने पर छः वर्ष के पीछे उन्हें बुद्धावस्था प्राप्त हुई थी। बुद्ध के ममवालीन (परन्तु उनमें पहले ही ममाधिभ्य हो जानेवाले) महावीर नामक अन्तिम जैन तीर्थंकर का भी ऐसा ही उपदेश है। परन्तु वह बुद्ध के समान जनात्मवादी नहीं था। और इन दोनों धर्मों में महत्त्व का भेद यह है, कि वस्त्रप्रावरण आदि ऐहिक मुखों का त्याग और अहिंसा-व्रत प्रभृति धर्मों का पालन बौद्ध भिक्षुओं की अपेक्षा जैन यति अधिक दृढ़ता से किया करते थे; एव अब भी करते रहते हैं। पाने ही की नियत में जो प्राणी न मारे गये हों, उनके ‘ पवत्त ’ (स. प्रवृत्त) अर्थात् ‘ तैयार किया हुआ मान ’ (हाथी, सिंह, आदि कुछ प्राणियों को छोड़कर) को बुद्ध स्वयं खाया करते थे; और ‘ पवत्त ’ मांस तथा मट्ठियाँ खाने की आज्ञा बौद्ध भिक्षुओं को भी दी गई है; एव बिना वस्त्रों के मद्ग-धड्ग घूमना बौद्धभिक्षुधर्म के नियमानुसार अपराध है; (महावग्ग-६. ३१. १४ और ८. २८. १)। नागण, यद्यपि बुद्ध का निश्चित उपदेश था, कि अनात्मवादी भिक्षु बनो; तथापि कायावशेषमय एव तप में बुद्ध महमत नहीं थे (महावग्ग ५. १. १६ और गीता ६. १६)। बौद्ध भिक्षुओं के विहारों अर्थात् उनके रहने के मठों की नागि व्यवस्था भी ऐसी रखी जाती थी, कि जिसमें उनको कोई विशेष शारीरिक कष्ट न महना पड़े, और प्राणायाम आदि योगाभ्यास सरलतापूर्वक हो सके। तथापि बौद्धधर्म में यह तत्त्व पूर्णतया स्थिर है, कि अहंतावस्था या निर्माणमुख की प्राप्ति के लिये गृहस्थ्याश्रम को त्यागना ही चाहिये। इसलिए यह कहने में कोई प्रत्यय नहीं, कि बौद्धधर्म मन्व्यामप्रधान धर्म है।

यद्यपि बुद्ध का निश्चित मत था, कि ब्रह्मज्ञान तथा आत्म-अनात्मविचार धर्म का एक बड़ा-सा जात्र है, तथापि इन दृश्य वारण के लिये - अर्थात् दुःखमय मना-वृत्त में छूट कर निर्गुण शान्ति तथा सुख प्राप्त करने के लिये - उपनिषदों में वर्णित मन्व्याममार्गवादा के पूर्ण गाद्यन को उन्होंने मान लिया था, कि वैराग्य में मन की निर्विषय स्थिति चाहिये। और जब यह सिद्ध हो गया, कि चानुर्वर्षभेद तथा हिमात्मन यज्ञयाग को छोड़ कर बौद्धधर्म में वैदिक गार्हस्थ्यधर्म के नीतिनिदान ही पूर्य होकर रहने लिये गये हैं, तब यदि उपनिषद तथा मनुस्मृति आदि ग्रन्थों में

वैदिक संन्यासियों के जो वर्णन है, वे वर्णन (एव बौद्ध भिक्षुओं या अर्हंतों के वर्णन) अथवा अहिंसा आदि नीतिधर्म, दोनों धर्मों में एक ही से—और कई स्थानों पर शब्दशः एक ही से—दीख पड़े, तो आश्चर्य की बात नहीं है। सब बातें मूल वैदिकधर्म ही की हैं। परन्तु बौद्धों ने केवल इतनी ही बातें वैदिकधर्म से नहीं ली हैं; प्रत्युत बौद्धधर्म के दशरथजातक के समान जातकग्रन्थ भी प्राचीन वैदिक पुराण-इतिहास की कथाओं के बुद्धधर्म के अनुकूल तैयार किये हुए रूपान्तर हैं। न केवल बौद्धों ने ही, किन्तु जैनो ने भी अपने अभिनवपुराणों में वैदिक कथाओं के ऐसे ही रूपान्तर कर लिये हैं। सेल * साहब ने तो यह लिखा है, कि ईसा अनन्तर प्रचलित हुए मुहम्मदी धर्म में ईसा के चरित्र का इसी प्रकार विपर्यास कर लिया गया है। वर्तमान समय की खोज से यह सिद्ध हो चुका है, कि पुरानी बाइबल में सृष्टि की उत्पत्ति, प्रलय तथा नूह आदि की जो कथाएँ हैं, वे सब प्राचीन खाल्दीजाति की कर्मकथाओं के रूपान्तर हैं, कि जिनका वर्णन यहूदी लोगो का किया हुआ है। उपनिषद्, प्राचीन धर्मसूत्र, तथा मनस्मृति में वर्णित कथाएँ अथवा विचार जब बौद्ध ग्रन्थों में इस प्रकार—कई बार तो विलकुल शब्दशः—लिये गये हैं, तब यह अनुमान सहज ही हो जाता है, कि ये असल में महाभारत के ही हैं। बौद्ध ग्रन्थप्रणेताओं ने इन्हे वही से उद्धृत कर लिया होगा। वैदिक धर्मग्रन्थों के जो भाव और श्लोक बौद्ध ग्रन्थों में पाये जाते हैं, उनके कुछ उदाहरण ये हैं:—“जय से वैर की वृद्धि होती है; और वैर से वैर शान्त नहीं होता” (म. भा. उद्यो. ७१. ५९. और ६३), “दूसरे के शोध को शान्ति से जीतना चाहिये” आदि विदुरनीति (म. भा. उद्योग. ३८. ७३) तथा जनक का यह वचन कि “यदि मेरी एक भुजा में चन्दन लगाया जाय और दूसरी काट कर अलग कर दी जाय, तो भी मुझे दोनों बातें समान ही हैं” (म. भा. शा. ३२०. ३६); इनके अतिरिक्त महाभारत के और भी बहुत-से श्लोक बौद्ध ग्रन्थों में शब्दशः पाये जाते हैं (धम्मपद ५ और २२३ तथा मिलिन्दप्रश्न ७. ३. ५.)। इसमें कोई सन्देह नहीं, कि उपनिषद्, ब्रह्मसूत्र तथा मनुस्मृति आदि वैदिक ग्रन्थ बुद्ध की अपेक्षा प्राचीन हैं। इसलिये उनके जो विचार तथा श्लोक बौद्ध ग्रन्थों में पाये जाते हैं, उनके विषय में विश्वासपूर्वक कहा जा सकता है, कि उन्हे बौद्ध ग्रन्थकारों ने उपर्युक्त वैदिक ग्रन्थों ही से लिया है। किन्तु यह बात महाभारत के विषय में नहीं कही जा सकती। महाभारत में ही बौद्ध ढागोवाओं का जो उल्लेख है, उसमें स्पष्ट होता है, कि महाभारत का अन्तिम संस्करण बुद्ध के बाद रचा गया है। अनएव केवल श्लोक के सादृश्य के आधार पर यह निश्चय नहीं किया जा सकता, कि वर्तमान महाभारत बौद्ध ग्रन्थों के पहले ही का है, और गीता महाभारत का एक भाग है,

* See Selc's Koran, "To the Reader" (Preface), p. x. the Preliminary Discourse, See IV. p. 58. (Chandos Classics Edition.)

इसलिये यही न्याय गीता को भी उपर्युक्त हो सकेगा। इसके सिवा, यह पहले ही कहा जा चुका है, कि गीता में ही ब्रह्मसूत्रों का उल्लेख है; और ब्रह्मसूत्रों में है बौद्ध-धर्म का खण्डन। अतएव स्थितप्रज्ञ के वर्णन प्रभृति की (वैदिक और बौद्ध दोनों की) ममता को छोड़ देते हैं, और यहाँ इस बात का विचार करते हैं, कि उक्त शब्दका को दूर करने एवं गीता को निर्विवाद रूप से बौद्ध ग्रन्थों से पुरानी सिद्ध करने के लिये बौद्ध ग्रन्थों में कोई अन्य साधन मिलता है या नहीं।

ऊपर कह आये हैं, कि बौद्धधर्म का मूलस्वरूप शुद्ध निरात्मवादी और निवृत्ति-प्रधान है। परन्तु उसका यह स्वरूप बहुत दिनों तक टिक न सका। भिक्षुओं के आचरण के विषय में मतभेद हो गया; और बुद्ध के मृत्यु के पश्चात् उसमें अनेक उपपत्तियों का ही निर्माण नहीं होने लगा, किन्तु धार्मिक तत्त्वज्ञान के विषय में भी इसी प्रकार का मतभेद उपस्थित हो गया। आजकल कुछ लोग तो यह भी कहने लगे हैं, कि 'आत्मा नहीं है' इस कथन के द्वारा बुद्ध को मन से यही बतलाना है, कि "अचिन्त्य आत्मज्ञान के शुष्कवाद में मत पड़ो। वैराग्य तथा अभ्यास के द्वारा मन को निष्काम करने का प्रयत्न पहले करो। आत्मा हो चाहे न हो। मन के निग्रह करने का कार्य मुख्य है; और उसे सिद्ध करने का प्रयत्न पहले करना चाहिये।" उनके कहने का यह मतलब नहीं है, कि ब्रह्म या आत्मा बिलकुल ही नहीं। क्योंकि तैत्तिर्यसूत्र में स्वयं बुद्ध ने 'ब्रह्मसहस्रनाम' स्थिति का उल्लेख किया है; और सेल्लसुत्त तथा थेरगाया में उन्होंने ने कहा है, कि मैं ब्रह्मभूत हूँ (मैल्लसु. १४; थेरगा. ८३१ देखो)। परन्तु मूलहेतु चाहे जो हो; यह निर्विवाद है, कि ऐसे अनेक प्रकार के मत, नाद तथा आप्रही पन्थ तत्त्वज्ञान की दृष्टि में निर्मित हो गये; जो कहते थे, कि "आत्मा या ब्रह्म में मे कोई भी नित्य वस्तु जगत् के मूल में नहीं है। जो कुछ दीख पड़ता है वह क्षणिक या शून्य है; अथवा जो दीख पड़ता है, वह ज्ञान है। ज्ञान के अतिरिक्त जगत् में कुछ भी नहीं है," इत्यादि (वे. सू. भां. भा. २. २. १८. २६ देखो)। इस निरीश्वर तथा अनात्मवादी बौद्धमत को ही क्षणिकवाद, शून्यवाद और विज्ञानवाद कहते हैं। यहाँ पर इन सब पन्थों के विचार करने का कोई प्रयोजन नहीं है। हमारा प्रश्न ऐतिहासिक है। अतएव उनका निर्णय करने के लिये 'महायान' नामक पन्थ का वर्णन (जितना आवश्यक है उनना) यहाँ पर किया जाता है। बुद्ध के मूल उपदेश में आत्मा या ब्रह्म (अर्थात् परमात्मा या परमेश्वर) का अस्तित्व ही अप्राप्त अथवा गौण माना गया है। इसलिये स्वयं बुद्ध की उपस्थिति में भक्ति के द्वारा परमेश्वर की प्राप्ति करने के मार्ग का उपदेश किया जाना सम्भव नहीं था; और जब तक बुद्ध की भव्य मूर्ति एवं चरित्ररत्न लोगों के सामने प्रत्यक्ष रीति में उपस्थित था, तब उन मार्ग की कुछ आवश्यकता ही नहीं थी। परन्तु फिर यह आवश्यक हो गया, कि यह धर्म मानान्य जनों को प्रिय हो, और उनका अधिक प्रसार भी हो। अतः परदार छोड़, भिक्षु बन करके मनोनिग्रह में बैठे-बिठाये निर्वाण पाने - यह न

समझ कर कि किसमें ? — के इन निरीश्वर निवृत्तिमार्ग की अपेक्षा किसी सरल और प्रत्यक्ष मार्ग की आवश्यकता हुई। बहुत सम्भव है, कि साधारण बुद्धभक्तों ने तत्कालीन प्रचलित वैदिक भक्तिमार्ग का अनुकरण करके बुद्ध की उपासना का आरम्भ पहले पहले स्वयं कर दिया हो; अतएव बुद्ध के निर्वाण पाने के पश्चात् शीघ्र ही बौद्ध पण्डितों ने बुद्ध ही को 'स्वयम्भू तथा अनादि, अनन्त पुरपोत्तम' का रूप दिया; और वे कहने लगे, कि बुद्ध का निर्वाण होना तो उन्हीं की लीला है, "असली बुद्ध कभी नाश नहीं होता—वह तो सदैव अचल रहता है।" इसी प्रकार बौद्ध ग्रन्थों में यह प्रतिपादन किया जाने लगा कि असली बुद्ध "सारे जगत् का पिता है, और जनसमूह उनकी सन्तान है।" इसलिये वह सभी को "समान है, न वह किसी पर प्रेम ही करता है और न किसी से द्वेष ही करता है।" "धर्म की व्यवस्था विगडने पर बुद्ध वह 'धर्मकृत्य' के लिये ही समय समय पर बुद्ध के रूप से प्रकट हुआ करता है"; और इसी देवादितेव बुद्ध की "भक्ति करने से, उसके ग्रन्थों की पूजा करने से और उसके डागोवा के सम्मुख कीर्तन करने से" अथवा "उसे भक्तिपूर्वक दो-चार कमल या एक फूल समर्पण कर देने ही से" मनुष्य को सद्गति प्राप्त होती है (सद्धर्म-पुण्डरीक २, ७७-९८; ५. २२; १५. ५. २२ और मिलिन्दप्रश्न ३ ७. ७. देखो)।* मिलिन्दप्रश्न (३. ७. २) में यह भी कहा है, कि "किसी मनुष्य की सारी उन्नति, दुराचरणों में क्यों न वीत गई हो; परन्तु मृत्यु के समय यदि बुद्ध की शरण में जावे, तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति अवश्य होगी।" और सद्धर्मपुण्डरीक के दूसरे तथा तीसरे अध्याय में इस बात का विस्तृत वर्णन है, कि सब लोगों का "अधिकार, स्वभाव तथा ज्ञान एक ही प्रकार का नहीं होता, इसलिये अनात्मपर निवृत्ति-प्रधान मार्ग के अतिरिक्त भक्ति के इस मार्ग (यान) को बुद्ध ने दया करके अपनी 'उपायचातुरी' से निर्मित किया है।" स्वयं बुद्ध के बतलाये हुए इस तत्त्व को एकदम छोड़ देना कभी भी सम्भव नहीं था, कि निर्वाणवाद की प्राप्ति होने के लिये भिक्षुधर्म ही को स्वीकार करना चाहिये। क्योंकि यदि ऐसा किया जाता, तो मानो बुद्ध के मूल उपदेश पर ही हस्ताल फेर जाता। परन्तु यह कहना कुछ अनुचित नहीं था, कि भिक्षु हो गया तो क्या हुआ; उसे जङ्गल में 'गण्डे' के समान अकेले तथा उदासीन न बना रहना चाहिये। किन्तु धर्मप्रसार आदि लोकहित तथा परोपकार के काम 'निरिस्मित' बुद्धि से करते जाना ही बौद्ध भिक्षुओं का कर्तव्य है, † इसी मन का

* प्राच्यधर्मपुस्तकमाला के २१ वें खण्ड में 'सद्धर्मपुण्डरीक' ग्रन्थ का अनुवाद प्रकाशित हुआ है। यह ग्रन्थ संस्कृत भाषा का है। अब मूल संस्कृत ग्रन्थ भी प्रकाशित हो चुका है।

† सुतानिपात में सग्गविसाणसुत्त के ४१ वें श्लोक का भुवण्ड 'एको चरो सग्गविमा-हनी' है। उसका यह अर्थ है, कि सग्गविसाण यानी गण्डा और उसी के समान बौद्ध भिक्षु को जङ्गल में अकेले रहना चाहिये।

प्रतिपादन महायान पन्थ के मद्धमपुण्डरीक आदि ग्रन्थों में किया गया है। और नागसेन ने मिलिन्द ने कहा है, कि " गृहस्थाश्रम में रहते हुए निर्वाणपद को पा लेना विलकुल अशक्य नहीं है - और उसके कितने ही उदाहरण भी हैं " (मि. प्र. ६. २. ४)। यह बात किनी के भी ध्यान में सहज ही आ जायगी, कि ये विचार अनात्मवादी तथा केवल मंग्यासंप्रधान मूल बौद्धधर्म के नहीं हैं, अथवा शून्यवाद या विज्ञानवाद को स्वीकार करके भी इनकी उपपत्ति नहीं जानी जा सकती; और पहले पहल अधिकांश बौद्धधर्मवालों को न्यय मालूम पड़ता था, कि ये विचार बृद्ध के मूल उपदेश में विरुद्ध हैं। परन्तु फिर यही नया मत स्वभाव में अधिकाधिक लोकप्रिय होने लगा; और बृद्ध के मूल उपदेश के अनुसार आचरण करनेवाले को 'हीनयान' (हल्का मार्ग) तथा इस नये पन्थ को 'महायान' (बड़ा मार्ग) नाम प्राप्त हो गया। * चीन, तिब्बत और जपान आदि देशों में आजकल जो बौद्धधर्म प्रचलित है, वह महायान पन्थ का है; और बृद्ध के निर्वाण के पश्चात् महायानपन्थी भिक्षुमण्डल के दीर्घयोग के कारण ही बौद्धधर्म का उत्तरी शीघ्रता में फैलाव हो गया। डॉक्टर केर्न की राय है, कि बौद्धधर्म में इस मुद्धार की उत्पत्ति शालिवाहन शक के लगभग तीन सौ वर्ष पहले हुई होगी। † क्योंकि बौद्ध ग्रन्थों में इसका उल्लेख है, कि शक राजा कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध-भिक्षुओं की जो एक महापरिषद् हुई थी, उसमें महायान पन्थ के भिक्षु उपस्थित थे। इस महायान पन्थ के 'अमितायुमुत्त' नामक प्रधान सूत्रग्रन्थ का वह अनुवाद अभी उपलब्ध है, जो कि चीनी भाषा में सन् १४८ ईसवी के लगभग किया गया था। परन्तु हमारे मतानुसार यह काल इसमें भी प्राचीन होना चाहिये। क्योंकि, सन् ईसवी में लगभग २३० वर्ष पहले प्रसिद्ध किये गये अशोक के शिलालेखों

* हीनयान और महायान पन्थों का भेद बतलाते हुए डॉक्टर केर्न ने कहा है, कि :-

"Not the Arhat, who has shaken off all human feeling, but the generous self-sacrificing, active Bodhisattva is the ideal of the Mahayanists, and this attractive side of the creed has, more perhaps than anything else, contributed to their wide conquests whereas S. Buddhism has not been able to make converts except where the soil had been prepared by Hinduism and Mahayanism" - Manual of Indian Buddhism, p. 69. Southern Buddhism अर्थात् हीनयान है। महायान पन्थ में भक्ति का भी समावेश हो चुका था। "Mahayanist lays a great stress on devotion in this respect as in many others harmonising with current of feeling in India which led to the growing importance of Bhakti." Ibid, p. 124.

† See Dr. Kern's Manual of Indian Buddhism, pp. 6 69 and 119. मिलिन्द (मिलिन्द नामी दुर्गामी राजा) सन ईसवी से लगभग १४० या १५० वर्ष पहले सिन्धु-प्रान्त के शासन की ओर, वैकिट्पा देश में राज्य करता था। मिलिन्द प्रश्न में इस बात का उल्लेख है, कि नागसेन ने इसे बौद्धधर्म की शिक्षा दी थी। बौद्धधर्म फैलाने के इस काम महायान पन्थ के लोग ही क्षिया करते थे। इसलिये स्पष्ट ही है, कि तब महायान पन्थ प्रचलित हो चुका था।

में सन्यासप्रधान निरीश्वर बौद्धधर्म का विशेष रीति से कोई उल्लेख नहीं मिलता । उनमें सर्वत्र प्राणिमात्र पर दया करनेवाले प्रवृत्तिप्रधान बौद्धधर्म ही का उपदेश किया गया है । तब यह स्पष्ट है, कि उसके पहले ही बौद्धधर्म को महायान पन्थ के प्रवृत्ति-प्रधान स्वरूप का प्राप्त होना आरम्भ हो गया था । बौद्ध यति नागार्जुन इस पन्थ का मुख्य पुरस्कर्ता था, न कि मूल उत्पादक ।

ब्रह्म या परमात्मा के अस्तित्व को न मान कर (उपनिषदों के मतानुसार) केवल मन को निर्विषय करनेवाले निवृत्तिमार्ग के स्वीकारकर्ता मूल निरीश्वरवादी बुद्ध-धर्म ही में से यह कब सम्भव था, कि आगे त्रमश स्वाभाविक रीति से भक्तिप्रधान प्रवृत्तिमार्ग निकल पड़ेगा ? इसलिये बुद्ध का निर्वाण हो जाने पर बौद्धधर्म को शीघ्र ही जो यह कर्मप्रधान भक्तिस्वरूप प्राप्त हो गया, उससे प्रकट होता है, कि इसके लिये बौद्धधर्म के बाहर का तात्कालीन कोई न कोई अन्य कारण निमित्त हुआ होगा, और इस कारण को ढँढ़ते समय भगवद्गीता पर दृष्टि पहुँचे बिना नहीं रहती । क्योंकि—जैसा हमने गीतारहस्य के ग्यारहवें प्रकरण में स्पष्टीकरण कर दिया है—हिंदुस्थान में तात्कालीन प्रचलित धर्मों में से जैन तथा उपनिषद्-धर्म पूर्णतया निवृत्तिप्रधान ही थे; और वैदिकधर्म के पाशुपत अथवा शैव आदि पन्थ यद्यपि भक्तिप्रधान थे तो सही, पर प्रवृत्तिमार्ग और भक्ति का मेल भगवद्गीता के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं भी नहीं पाया जाता था । गीता में भगवान् ने अपने लिये पुरुषोत्तम नाम का उपयोग किया है, और ये विचार भगवद्गीता में ही आये हैं, कि “मैं पुरुषोत्तम ही सब लोगों का ‘पिता’ और ‘पितामह’ हूँ (९ ७) । सब को ‘सम’ हूँ, मुझे न तो कोई द्वेष्य ही है और न कोई प्रिय (९ २९) । मैं यद्यपि अज्ञ और अव्यय हूँ, तथापि धर्मसंरक्षणार्थ समय समय पर अवतार लेता हूँ (४ ६-८) । मनुष्य कितना ही दुराचारी क्यों न हो, पर मेरा भजन करने से वह साधु हो जाता है (९ ३०), अथवा मुझे भक्तिपूर्वक एक-आध फूल, पत्ता या थोड़ासा पानी अर्पण कर देने से भी मैं बड़े ही सन्तोषपूर्वक ग्रहण करता हूँ, (९ २६), और अज्ञ लोगों के लिये भक्ति एक सुलभ मार्ग है” (१२ ५) इत्यादि । इसी प्रकार इस तत्त्व का विस्तृत प्रतिपादन गीता के अतिरिक्त कहीं भी नहीं किया गया है, कि ब्रह्मनिष्ठ पुरुष लोकसंग्रह के लिये प्रवृत्तिधर्म ही को स्वीकार करे । अतएव यह अनुमान करना पड़ता है, कि जिस प्रकार मूल बुद्धधर्म में वासना का क्षय करने का निरा निवृत्तिप्रधान मार्ग उपनिषदों में लिया गया है, उसी प्रकार जब महायान पन्थ निकला, तब उसमें प्रवृत्तिप्रधान भक्तितत्त्व भी भगवद्गीता ही से लिया गया होगा । परन्तु यह बात कुछ अनुमानों पर ही अवलम्बित नहीं है । तिव्वती भाषा में बौद्धधर्म के इतिहास पर बौद्धधर्मों तागतान्त-लिखित जो ग्रन्थ है, उसमें स्पष्ट लिखा है, कि महायान पन्थ के मुख्य पुरस्कर्ता का अर्थात् “नागार्जुन का गुरु राहुत्तमन्न नामक बौद्ध पहले ब्राह्मण था, और इन ब्राह्मणों (महायान पन्थ की) कल्पना मुझे पढ़ने के लिये ज्ञानी श्रीगुरु तथा गणेश बारा दृष्ट ।”

इसके सिवा, एव दूसरे तिब्बती ग्रन्थ में भी यही उल्लेख पाया है। यह सच है, कि तारानाथ का ग्रन्थ प्राचीन नहीं है; परन्तु यह कहने की आवश्यकता नहीं, कि उसका वर्णन प्राचीन ग्रन्थों के आधार को छोड़ कर नहीं किया गया है। क्योंकि, यह सम्भव नहीं है, कि कोई भी बौद्ध ग्रन्थकार स्वयं अपने धर्मग्रन्थ के तत्त्वों को बताने समय (बिना किसी कारण के) परधर्मियों का इस प्रकार उल्लेख कर दे। इसी ग्रन्थ स्वयं बौद्ध ग्रन्थकारों के द्वारा इस विषय में श्रीकृष्ण के नाम का उल्लेख किया जाना बड़े महत्त्व का है। क्योंकि, भगवद्गीता के अनिश्चित श्रीकृष्णोक्त दुसरा प्रवृत्तिप्रधान भक्तिग्रन्थ वैदिक धर्म में है ही नहीं। अतएव इसमें यह बात पूर्णतया मिथ्या हो जाती है, कि महायान ग्रन्थ के अस्तित्व में आने से पहले ही न केवल भागवतधर्मविषयक श्रीकृष्णोक्त ग्रन्थ अर्थात् भगवद्गीता भी उस समय प्रचलित थी; और डॉक्टर केन भी इसी मत का समर्थन करते हैं। जत्र गीता का अस्तित्व बृद्धधर्मीय महायान ग्रन्थ में पढ़ने का निश्चित हो गया, तत्र अनुमान किया जा सकता है, कि उसके साथ महाभारत भी रहा होगा। बौद्धग्रन्थों में कहा गया है, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात् शोध ही उनके मता का सग्रह कर लिया गया, परन्तु इसमें वर्तमान समय में पाये जानेवाले अत्यन्त प्राचीन बौद्ध ग्रन्थों का भी उसी समय में रचा जाना मिथ्या नहीं होता। महापरिनिर्वाणमुक्त को वर्तमान बौद्ध ग्रन्थों में प्राचीन मानते हैं। परन्तु उनमें पाटलिपुत्र शहर के विषय में जो उल्लेख है, उसमें प्राप्तेर हिस्डैविडम् ने दिखलाया है, कि यह ग्रन्थ बुद्ध का निर्वाण हो चुकने पर कम-से-कम सौ वर्ष पहले तैयार न किया गया होगा और बुद्ध के अनन्तर सौ वर्ष प्रीतिन पर बौद्धधर्मीय मिश्रजा की जो दूसरी परिपद् हुई थी, उसका वर्णन विनयपिटका में चुरावग ग्रन्थ के अन्त में है। इसमें प्रिदिन होता है, कि लडनाद्वीप के पाली भाषा में लिखे हुए विनयपिटकादि प्राचीन बौद्ध ग्रन्थ इस परिपद् के हो चुकने पर रचे गये हैं। इस विषय में बौद्ध ग्रन्थकार ही ने कहा है, कि अंगोन के पुत्र महेंद्र ने ईसा की सदी में लगभग २३१ वर्ष पहले जब सिन्धुद्वीप में बौद्धधर्म का प्रचार करना आरम्भ किया तब य ग्रन्थ भी वही पढ़ेचारे गये। यदि मान लें, कि इन

* See Dr. Kern's Manual of Indian Buddhism, p 122.

“He (Nagarjuna) was a pupil of the Brahmana Rahulabhadra, who himself was a Mahayanist. This Brahmana was much indebted to the sage Krishna and still more to Ganesha. This quassihistorical notice, reduced to its less allegorical expression, means that Mahayanism is much indebted to the Bhagavadgita and more even to Shivaism” उन पद्यों है, कि डॉ. केन 'शिव' शब्द में देव शब्द समझते हैं। डॉ. केन ने ग्रन्थसंस्कृतभाषा में 'महधर्मसुदृष्टि' ग्रन्थ का अनुवाद किया है, और उसकी प्रस्तावना में इसी मत का प्रतिपादन किया है। (S.B.E.) Vol. XXI, Intro. pp xxv-xxviii)

† See S.E.E. Vol. XI. Intro. pp xv-xx and p 58.

ग्रन्थों को मुखाग्र रट डालने की चाल थी, इसलिये महेन्द्र के समय से उनमें कुछ भी फेरफार न किया होगा, तो भी यह कैसे कहा जा सकता है, कि बुद्ध के निर्वाण के पश्चात् ये ग्रन्थ जब पहले पहल तैयार किये गये, तब अथवा आगे महेन्द्र या अशोककाल तक तत्कालीन प्रचलित वैदिक ग्रन्थों से इनमें कुछ भी नहीं लिया गया ? अतएव यदि महाभारत बुद्ध के पश्चात् का हो, तो भी अन्य प्रमाणों से उनका सिक्न्दर वादशाह से पहले का अर्थात् सन ३२४ ईसवी से पहले का होना सिद्ध है । इसलिये मनुस्मृति के श्लोक के समान महाभारत के श्लोक का भी उन पुस्तकों में पाया जाना सम्भव है, कि जिसको महेन्द्र सिंहलद्वीप में ले गया था । साराश, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात् उसके धर्म का प्रसार होते देख कर शीघ्र ही प्राचीन वैदिक गाथाओं तथा कथाओं का महाभारत से एकत्रित संग्रह किया गया है । उसके जो श्लोक बौद्ध ग्रन्थों में शब्दशः पाये जाते हैं, उनको बौद्ध ग्रन्थकारों ने महाभारत से ही लिया है, न कि स्वयं महाभारतकार ने बौद्ध ग्रन्थों से । परन्तु यदि मान लिया जाय, कि बौद्ध ग्रन्थकारों ने इन श्लोकों को महाभारत से नहीं लिया है, बल्कि उस पुराने वैदिक ग्रन्थों से लिया होगा, कि जो महाभारत के भी आधार है, परन्तु वर्तमान समय में उपलब्ध नहीं है और इस कारण महाभारत के काल का निर्णय उपर्युक्त श्लोकसमानता से पूरा नहीं होता । तथापि नीचे लिखी हुई चार बातों से इतना तो निस्सन्देह सिद्ध हो जाता है, कि बौद्धधर्म में महायान पन्थ का प्रादुर्भाव होने से पहले केवल भागवत धर्म ही प्रचलित न था, बल्कि उस समय भगवद्गीता भी सर्वमान्य हो चुकी थी और इसी गीता के आधारपर महायान पन्थ निकला है । एव श्रीकृष्ण-प्रणीत गीता के तत्त्व बौद्धधर्म से नहीं लिये गये हैं । वे चार बातें इस प्रकार हैं —

(१) केवल अनात्मवादी तथा सन्यासप्रधान मूल बौद्धधर्म ही से आगे चल कर भ्रमश-स्वाभाविक रीति पर भक्तिप्रधान तत्त्वों का निकलना सम्भव नहीं है । (२) महायान-पन्थ की उत्पत्ति के विषय में स्वयं बौद्ध ग्रन्थकारों ने श्रीकृष्ण के नाम का स्पष्टतया निर्देश किया है । (३) गीता के भक्तिप्रधान तथा प्रवृत्तिप्रधान तत्त्वों की महायान पन्थ के मतों से अर्थतः तथा शब्दशः समानता है । और (४) बौद्धधर्म के साथ तत्त्वार्थिन भक्तिमार्ग प्रचलित अन्यान्य जैन तथा वैदिक पन्थों में प्रवृत्तिप्रधान भक्तिमार्ग का प्रचार न था । उपर्युक्त प्रमाणों से वर्तमान गीता का जो काल निर्णित हुआ है, वह इससे पूर्णतया मिलता-जुलता है ।

भाग ७ — गीता और ईसाइयों की वाइबल

ऊपर बतलाई हुई बातों से निश्चित हो गया, कि हिन्दुस्थान में भक्तिप्रधान भागवतधर्म का उदय ईसा से लगभग १४ सौ वर्ष पहले हो चुका था, और ईसा के पहले प्रादुर्भूत सन्यासप्रधान मूल बौद्धधर्म में प्रवृत्तिप्रधान भक्तितत्त्व का प्रवेश बौद्ध ग्रन्थकारों के ही मतानुसार, श्रीकृष्णप्रणीत गीता ही के कारण हुआ है । गीता के

यहुदी नहीं है; किन्तु खाल्दी भापा के 'यवे' (मंस्कृत यह्य) शब्द से निकला है। यहूदी लोग मूर्तिपूजक नहीं हैं। उनके धर्म का मुख्य आचार यह है, कि अग्नि में पशु या अन्य वस्तुओं का हवन करें; ईश्वर के वतलाये हुए नियमों का पालन करके जिहोवा को सन्तुष्ट करें; और उसके द्वारा इस लोक में अपना तथा अपनी जाति का कल्याण प्राप्त करें। अर्थात् संक्षेप में कहा जा सकता है, कि वैदिकधर्मीय कर्मकाण्ड के अनुसार यहूदी धर्म भी यज्ञमय तथा प्रवृत्तिप्रधान है। उसके विरुद्ध ईसा का अनेक स्थानों पर उपदेश है, कि "मुझे (हिंसाकारक) यज्ञ नहीं चाहिये। मैं (ईश्वर की) कृपा चाहता हूँ।" (मेथ्यू. ९. १३); "ईश्वर तथा द्रव्य दोनों को साध लेना सम्भव नहीं" (मेथ्यू. ६. २४)। "जिसे अमृतत्व की प्राप्ति कर लेनी हो, उसे बाल-व्रच्चे छोड़ करके मेरा भक्त होना चाहिये" (मेथ्यू. १९. २१)। और जब ईसा ने शिष्यों को धर्मप्रचारार्थ देश-विदेश में भेजा, तब संन्यासधर्म के इन नियमों का पालन करने के लिये उनको उपदेश किया, कि "तुम अपने पास सोना, चाँदी तथा बहुत-से वस्त्र-प्रावरण भी न रखना" (मेथ्यू. १०. ९-१३)। यह सच है, कि अर्वाचीन ईसाई राष्ट्रों ने ईसा के इन सब उपदेशों को लपेट कर ताक में रख दिया है। परन्तु जिस प्रकार आधुनिक शास्त्रकाराचार्य के हाथी-घोड़े रखने से शास्त्रकरमम्प्रदाय दरवारी नहीं कहा जा सकता, उसी प्रकार अर्वाचीन ईसाई राष्ट्रों के इस आचरण में मूल ईसाई धर्म के विषय में भी यह नहीं कहा जा सकता, कि वह धर्म भी प्रवृत्तिप्रधान था। मूल वैदिकधर्म के कर्मकाण्डात्मक होने पर भी जिस प्रकार उममें आगे चल कर ज्ञानकाण्ड का उदय हो गया, उसी प्रकार यहूदी तथा ईसाई धर्म का भी सम्बन्ध है। परन्तु वैदिक कर्मकाण्ड में प्रथमः ज्ञानकाण्ड की ओर फिर भक्तिप्रधान भागवतधर्म की उत्पत्ति एवं वृद्धि सैकड़ों वर्षों तक होती रही है; किन्तु यह बात ईसाई धर्म में नहीं है। इतिहास में पता चलता है, कि ईसा के अधिक से अधिक लगभग दो सौ वर्ष पहले एसी या एसीन नामक संन्यासियों का पन्थ यहूदियों के देश में एकाएक आविर्भूत हुआ था। ये एसी लोग थे तो यहूदी धर्म के ही; परन्तु हिंसात्मक यज्ञयाग को छोड़ कर ये अपना समय किमी शान्त स्थान में बैठे परमेश्वर के चिन्तन में बिनाया करते थे; और उदरपोषणार्थ कुछ करना पड़ा, तो खेतों के समान निरुपद्रवी व्यवसाय किया करते थे। क्वाने रहना, मद्यमास में परहेज रखना, हिंसा न करना, शपथ न खाना, मद्य के माथ मठ में रहना और किमी को कुछ द्रव्य मिल जाय, तो उसे पूरे मद्य की मामाजिव आमदनी नमस्सना आदि उनके पन्थ के मुख्य तत्त्व थे। जब कोई उन मगदली में प्रवेग करना चाहता था, तब उसे तीन वर्ष तक उम्मीदवारी बरके फिर कुछ शर्तें मजूर करनी पड़ती थीं। उनका प्रधान मठ मृतममुद्र के पश्चिमी किनारे पर एगदी में था। वही पर वे गन्धामप्रवृत्ति में शान्तिपूर्वक रहा करते थे। न्यम ईसा ने तथा उनके शिष्यों ने नई वादयल में एसी पन्थ के मनो था

→ मान्यतापूर्वक निर्देग किया है (मेथ्यू. ५. ३४; १९. १२; जेम्स. ५. १२ वृत्त्य.

४. ३२-३५), उससे दीख पड़ता है, कि ईसा भी इसी पन्थ का अनुयायी था; और इसी पन्थ के संन्यास धर्म का उसने अधिक प्रचार किया है। यदि ईसा के संन्यासप्रधान भक्तिमार्ग की परम्परा इस प्रकार एसी पन्थ की परम्परा से मिला दी जावे, तो भी ऐतिहासिक दृष्टि से इस बात की कुछ-कुछ सयुक्त उपपत्ति बतलाना आवश्यक है, कि मूल कर्ममय यहूदी धर्म से संन्यासप्रधान एसी पन्थ का उदय कैसे हो गया? इस पर कुछ लोग कहते हैं; कि ईसा एसीनपन्थी नहीं था। अब जो इस बात को सच मान लें, तो यह प्रश्न नहीं टाला जा सकता, कि नई बाइबल में जिस संन्यासप्रधान धर्म का वर्णन किया गया है, उसका मूल क्या है? अथवा कर्मप्रधान यहूदी धर्म में उसका प्रादुर्भाव एकदम कैसे हो गया? इसमें भेद केवल इतना होता है, कि एसीनपन्थ की उत्पत्तिवाले प्रश्न के बदले इस प्रश्न को हल करना पड़ता है। क्योंकि, अब समाजशास्त्र का यह मामूली सिद्धान्त निश्चित हो गया है, कि 'कोई भी बात किसी स्थान में एकदम उत्पन्न नहीं हो जाती। उसकी वृद्धि धीरे धीरे तथा बहुत दिन पहले से हुआ करती है। और जहाँ पर इस प्रकार की बात दीख नहीं पड़ती, वहाँ पर वह बात प्रायः पराये देशों या पराये लोगों से ली हुई होती है।' कुछ यह नहीं है, कि प्राचीन ईसाई ग्रन्थकारों के ध्यान में यह अड़चन आई ही न हो। परन्तु युरोपियन लोगो को बौद्धधर्म का ज्ञान होने के पहले - अर्थात् अठारहवीं सदी तक - शोधक ईसाई विद्वानों का यह मत था, कि यूनानी तथा यहूदी लोगो का पारस्परिक निकट सम्बन्ध हो जाने पर यूनानियों के - विशेषतः पाइथागोरस के - तत्त्वज्ञान के बदौलत कर्ममय यहूदी धर्म में एसी लोगो के संन्यासमार्ग का प्रादुर्भाव हुआ होगा। किन्तु अर्वाचीन शोधो से यह सिद्धान्त सत्य नहीं माना जा सकता। इससे सिद्ध होता है, कि यज्ञमय यहूदी धर्म ही में एकाएक संन्यासप्रधान एसी या ईसाई धर्म की उत्पत्ति हो जाना स्वभावतः सम्भव नहीं था; और उसके लिये यहूदी धर्म से बाहर का कोई न कोई अन्य कारण निमित्त हो चुका है - यह कल्पना नई नहीं है; किन्तु ईसा की अठारहवीं सदी से पहले के ईसाई पण्डितों को भी मान्य हो चुकी थी।

कोलब्रुक साहब ने कहा है, कि पाइथागोरस के तत्त्वज्ञान के साथ बौद्ध धर्म के तत्त्वज्ञान की कहीं अधिक समता है। अतएव यदि उपर्युक्त सिद्धान्त सच मान लिया जाय, तो भी कहा जा सकेगा, कि एसीपन्थ का जनकत्व परम्परा से हिन्दुस्थान को ही मिलता है। परन्तु इतनी कानाकानी करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। बौद्ध ग्रन्थों के साथ नई बाइबल की तुलना करने पर स्पष्ट ही दीख पड़ता है, कि एसी या ईसाई धर्म की पाइथागोरियन मण्डलियों से जितनी समता है, उसमें कहीं अधिक और विलक्षण समता केवल एसीधर्म की ही नहीं; किन्तु ईसा के चरित्र और इसा के उपदेश की बुद्ध के धर्म से है। जिम प्रकार ईसा को भ्रम में फँसाने का प्रयत्न

* See Colebrooke's Miscellaneous Essays, Vol. I., pp. 399-400:

बहुतेरे सिद्धान्त ईसाइयों की नई बाइबल में दीख पड़ते हैं। वस; इसी बुनियाद पर कई त्रिश्चयन ग्रन्थों में यह प्रतिपादन रहता है, कि ईसाई धर्म के ये तत्त्व गीता में ले लिये होंगे। और विशेषतः डॉक्टर लारिनसर ने गीता के उस जर्मन भाषानुवाद में — कि जो सन् १८६९ ईसवी में प्रकाशित हुआ था — जो कुछ प्रतिपादन किया है, उसका निर्मूलत्व अब आप-ही-आप मिट्ट हो जाता है। लारिनसर ने अपनी पुस्तक के (गीता के जर्मन अनुवाद के) अन्त में भगवद्गीता और बाइबल — विशेष कर नई बाइबल — के शब्दसादृश्य के कोई एक सौ से अधिक स्थल बतलाये हैं; और उनमें से कुछ तो विलक्षण एवं ध्यान देने योग्य भी हैं। एक उदाहरण लीजिये — “उस दिन तुम जानोगे, कि मैं अपने पिता में, तुम मुझ में और मैं तुम में हूँ” (जान. १४. २०)। यह वाक्य गीता के नीचे लिखे हुए वाक्यों से समानार्थक ही नहीं है; प्रत्युत शब्दशः भी एक ही है। वे वाक्य ये हैं: “येन भूतान्यशेषेण द्रव्यस्यात्मन्यथो मयि” (गीता. ४. ३५); और “यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति” (गीता ६. ३०)। इसी प्रकार जान का आगे का यह वाक्य भी “जो मुझ पर प्रेम करता है, उसी पर मैं प्रेम करता हूँ” (१४. २१), गीता के “प्रियो हि ज्ञानिनोऽप्ययं अहं स च मम प्रियः” (गीता ७. १७) वाक्य के विलकुल ही सदृश है। इनकी तथा इन्हीं में मिलते-जुलते हुए एक-से ही वाक्यों की बुनियाद पर डॉक्टर लारिनसर ने अनुमान करके कह दिया है, कि गीताकार बाइबल से परिचित थे; और ईसा के लगभग पाँच सौ वर्षों के पीछे गीता बनी होगी। डॉ. लारिनसर की पुस्तक के इस भाग का अंग्रेजी अनुवाद ‘इण्डियन एण्टिक्वेरी’ की दूसरी पुस्तक में उस समय प्रकाशित हुआ था। और परलोकवासी तेलडग ने भगवद्गीता का जो पद्यात्मक अंग्रेजी अनुवाद किया है, उसकी प्रस्तावना में उन्होंने ने लारिनसर के मत का पूर्णतया पण्डन किया है।^{१०} डॉ. लारिनसर पश्चिमी संस्कृतज्ञ पण्डितों में न लेखे जाते थे; और संस्कृत की अपेक्षा उन्हें ईसाई धर्म का ज्ञान तथा अभिमान कहीं अधिक था। अनएव उनके मत — न केवल परलोकवासी तेलडग ही को, किन्तु मेकममूलर प्रभृति मुख्य मुख्य पश्चिमी संस्कृत पण्डितों को भी — अग्राह्य हो गये थे। बेचारे लारिनसर को यह वाक्यना भी न हुई होगी, कि ज्यों ही एक बार गीता का समय ईसा में प्रथम निम्नान्दिग्र निश्चिन हो गया, त्योंही गीता और बाइबल के जो संकटों अर्थसादृश्य और शब्दसादृश्य में दिखला रहा हूँ, वे भूतों के ममान उल्टे मेरे ही गले में आ लिपटेंगे। परन्तु इनमें मन्देह नहीं, सि जो बात कभी स्वप्न में भी नहीं दीख पड़ती, वही कभी कभी लोगों के सामने नाचने लगती है। और मचमुच देखा जाय, तो अब डॉक्टर लारिनसर को उत्तर देने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तथापि कुछ बड़े बड़े

* See Bhagavadgita translated into English Blank Verse with Notes & c, by K. T. Telang. 1875. (Bombay). This book is different from the translation in S. B. E. series.

अग्रेजी ग्रन्थों में अभी तक इसी असत्य मत का उल्लेख दीख पड़ता है। इसलिये यहाँ पर उस अर्वाचीन खोज के परिणाम का संक्षेप में दिग्दर्शन करा देना आवश्यक प्रतीत होता है, कि जो इस विषय में निष्पन्न हुआ है। पहले यह ध्यान में रखना चाहिये, कि जब कोई दो ग्रन्थों के सिद्धान्त एक-से होते हैं, तब केवल इन सिद्धान्तों की समानता ही के भरोसे यह निश्चय नहीं किया जा सकता, कि अमुक ग्रन्थ पहले रचा गया और अमुक पीछे। क्योंकि यहाँ पर दोनों बातें सम्भव हैं, कि (१) इन दोनों ग्रन्थों में से पहले ग्रन्थ के विचार दूसरे ग्रन्थ से लिये गये होंगे, अथवा (२) दूसरे ग्रन्थ के विचार पहले से। अतएव पहले जब दोनों ग्रन्थों के काल का स्वतन्त्र रीति से निश्चय कर लिया जाय, तब फिर विचारसादृश्य से यह निर्णय करना चाहिये, कि अमुक ग्रन्थकार ने अमुक ग्रन्थ से अमुक विचार लिये हैं। इसके सिवा, दो भिन्न भिन्न देशों के दो ग्रन्थकारों को एक ही से विचारों का एक ही समय में (अथवा कभी आगे-पीछे भी) स्वतन्त्र रीति से सूझ पड़ना कोई विलकुल अशक्य बात नहीं है। इसलिये उन दोनों ग्रन्थों की समानता को जाँचते समय यह विचार भी करना पड़ता है, कि वे स्वतन्त्र रीति से आविर्भूत होने के योग्य हैं या नहीं? और जिन दो देशों में ये ग्रन्थ निर्मित हुए हों, उनसे उस समय आवागमन हो कर एक देश के विचारों का दूसरे देश में पहुँचना सम्भव था या नहीं? इस प्रकार चारों ओर से विचार करने पर दीख पड़ता है, कि ईसाई धर्म से किसी भी बात का गीता में लिया जाना सम्भव ही नहीं था, बल्कि गीता के तत्त्वों के समान जो कुछ तत्त्व ईसाईयों की बाइबल में पाये जाते हैं, उन तत्त्वों को ईसा ने अथवा उसके शिष्यों ने बहुत करके बौद्धधर्म से — अर्थात् पर्याय से गीता या वैदिक धर्म ही से — बाइबल में ले लिया होगा, और अब इस बात को कुछ पश्चिमी पण्डित लोक स्पष्ट रूप से कहने भी लग गये हैं। इस तराजू का फिरा हुआ पलड़ा देख कर ईसा के कट्टर भक्तों को आश्चर्य होगा, और यदि उनके मन का झुकाव इस बात को स्वीकृत न करने की ओर हो जाय, तो कोई आश्चर्य नहीं है। परन्तु ऐसे लोगों से हमें इतना ही कहना है, कि यह प्रश्न धार्मिक नहीं — ऐतिहासिक है। इसलिये इतिहास की सार्वकालिक पद्धति के अनुसार हाल में उपलब्ध हुई बातों पर शान्तिपूर्वक विचार करना आवश्यक है। फिर इससे निकलनेवाले अनुमानों को सभी लोग — और विशेषतः वे, कि जिन्होंने यह विचार-सादृश्य का प्रश्न उपस्थित किया है — आनन्दपूर्वक तथा पक्षपातरहितवृद्धि से ग्रहण करें। यही न्याय्य तथा युक्तिसङ्गत है।

नई बाइबल का ईसाई धर्म यहूदी बाइबल अर्थात् प्राचीन बाइबल में प्रतिपादित प्राचीन यहूदी धर्म का सुधरा हुआ रूपान्तर है। यहूदी भाषा में ईश्वर को 'इलोहा' (अरबी 'इलाह') कहते हैं — परन्तु मोजेस ने जो नियम बना दिये हैं, उनके अनुसार यहूदी धर्म के मुख्य उपास्य देवता की विशेष सजा 'जिहोवा' है। पश्चिमी पण्डितों ने ही अब निश्चय किया है, कि यह 'जिहोवा' शब्द अतः में

शैतान ने किया था; और जिस प्रकार सिद्धावस्था प्राप्त होने के समय उसने ४० दिन उपवास किया था, उसी प्रकार बुद्धचरित्र में भी यह वर्णन है, कि बुद्ध को मार का दूर दिखला कर मोह में फँसाने का प्रयत्न किया गया था; और उस समय बुद्ध ४९ दिन (सात सप्ताह) तक निराहार रहा था। इसी प्रकार पूर्णश्रद्धा के प्रभाव से पानी पर चलना, मुख तथा शरीर की कान्ति को एकदम सूर्यसदृश बना लेना अथवा शरणागत चोरो तथा वेश्याओं को भी सद्गति देना इत्यादि बातें बुद्ध और ईसा, दोनों के चरित्रों में एक ही सी मिलती हैं। और ईसा के जो ऐसे मुख्य मुख्य नैतिक उपदेश हैं, कि 'तू अपने पड़ोसियों तथा शत्रुओं पर भी प्रेम कर,' वे भी ईसा से पहले ही कहीं मूल बुद्ध धर्म में बिलकुल अक्षरशः आ चुके हैं। ऊपर बतला ही आये हैं, कि भक्ति का तत्त्व मूल बुद्धधर्म में नहीं था; परन्तु वह भी आगे चल कर - अर्थात् कम-से-कम ईसा से दो-तीन सदियों से पहले ही - महायान बौद्धपन्थ में भगवद्गीता से लिया जा चुका था। मि. आर्थर लिली ने अपनी पुस्तक में आध्यात्म-पूर्वक स्पष्ट करके दिखला दिया है, कि यह साम्य केवल इतनी ही बातों में नहीं है; बल्कि इसके सिवा बौद्ध तथा ईसाई धर्म कि अन्यान्य सैकड़ों छोटी-मोटी बातों में उक्त प्रकार का ही साम्य वर्तमान है। यही क्यों; सूली पर चढ़ा कर ईसा का वध किया गया था; इसलिये ईसाई जिस मूली के चिन्ह को पूज्य तथा पवित्र मानते हैं, उमी सूली के चिन्ह को 'स्वस्तिक'卐 (सांघिया) के रूप में वैदिक तथा बौद्धधर्म-वाले ईसा के सैकड़ों वर्ष पहले से ही शुभदायक चिन्ह मानते थे। और प्राचीन शोधकों ने यह निश्चय किया है, कि मिथ्र आदि, पृथ्वी के पुरातन खण्डों के देशों ही में नहीं किन्तु कोलम्बस से कुछ शतक पहले अमेरिका के पेरू तथा मेक्सिको देश में भी स्वस्तिक चिन्ह शुभदायक माना जाता था।* इससे यह अनुमान करना पड़ता है, कि ईसा के पहले ही सब लोगो को स्वस्तिक चिन्ह पूज्य हो चुका था। उसी का उपयोग आगे चल कर ईसा के भक्तों ने एक विशेष रीति से कर लिया है। बौद्ध भिक्षु और प्राचीन ईसाई धर्मोपदेशकों की - विशेषतः पुराने पादद्वियों की - पोशाक और धर्मविधि में भी कहीं अधिक समता पाई जाती है। उदाहरणार्थ, 'वस्तिस्ना' अर्थात् स्नान के परचान् दीक्षा देने की विधि भी ईसा से पहले ही प्रचलित थी। अब निश्चय हो चुका है, कि दूर दूर के देशों में धर्मोपदेशक भेज कर धर्मप्रचार करने की पद्धति - ईसाई धर्मोपदेशकों से पहले ही बौद्ध भिक्षुओं को पूर्णतया स्वीकृत हो चुकी थी।

किन्हीं भी विचारवान् मनुष्य के मन में यह प्रश्न होना बिलकुल ही साहजिक है, बुद्ध और ईसा के चरित्रों में - उनके नैतिक उपदेशों में और उनके धर्मों की

* See 'Secret of the Pacific' by C Reginald Enock, 1912 pp. 248-252.

धार्मिक विधियो तक मे जो यह अद्भुत और व्यापक समता पाई जाती है उसका क्या कारण है? वैद्वधर्मग्रन्थो का अध्ययन करने से जब पहले पहले यह समता पश्चिमी लोगो को दीख पडी, तब कुछ ईसाई पण्डित कहने लगे, कि वैद्वधर्मवालो ने इन तत्त्वो को 'नेस्टोरियन' नामक ईसाई पन्थ से लिया होगा, कि जो एशिया खण्ड में प्रचलित था, परन्तु यह बात ही सम्भव नहीं है। क्योकि नेस्टार पन्थ का प्रवर्तक ही ईसा से लगभग सवा चार सौ वर्ष के पश्चात् उत्पन्न हुआ था; और अब अशोक के शिलालेखो से भली भाँति सिद्ध हो चुका है, कि ईसा के लगभग पाच सौ वर्ष पहले — और नेस्टार से तो लगभग नौ सौ वर्ष पहले — बुद्ध का जन्म हो गया था। अशोक के समय — अर्थात् सन् ईसवी से निदान ढाई सौ वर्ष पहले — वैद्वधर्म हिन्दुस्थान मे और आसपास के देशो मे तेजी से फैला हुआ था। एव बुद्धचरित आदि ग्रन्थ भी इस समय तैयार हो चुके थे। इस प्रकार जब वैद्वधर्म की प्राचीनता निर्विवाद है, तब ईसाई तथा वैद्वधर्म मे दीख पडनेवाले साम्य के विषय मे दो ही पक्ष रह जाते हैं। (१) वह साम्य स्वतन्त्र रीति से दोनो ओर उत्पन्न हो, अथवा (२) इन तत्त्वो को ईसा ने या उसके शिष्यो ने वैद्वधर्म से लिया हो। इस पर प्रोफेसर न्हिस्डेविड्स का मत है, कि बुद्ध और ईसा की परिस्थिति एक ही सी होने के कारण दोनो ओर यह सादृश्य आप-ही-आप स्वतन्त्र रीति से हुआ है।† परन्तु, थोडा-सा विचार करने पर यह बात सब के ध्यान में आ जावेगी, कि यह कल्पना समाधानकारक नहीं है। क्योकि, जब कोई नई बात किसी भी स्थान पर स्वतन्त्र रीति से उत्पन्न होती है, तब उसका उदय सदैव क्रमशः हुआ करता है, और इसलिये उसकी उन्नति का क्रम भी बतलाया जा सकता है। उदाहरण लीजिये — सिलसिलेवार ठीक तौर पर यह बतलाया जा सकता है, कि वैदिक कर्मकाण्ड से ज्ञानकाण्ड और ज्ञानकाण्ड अर्थात् उपनिषदो ही से आगे चल कर भक्ति, पातन्जलयोग अथवा अन्त मे वैद्वधर्म कैसे उत्पन्न हुआ? परन्तु यज्ञमय यहूदी धर्म में सन्यासप्रधान एसी या ईसाई धर्म का उदय उक्त प्रकार से हुआ नहीं है। वह एकदम उत्पन्न हो गया है। ऊपर बतला ही चुके हैं, कि प्राचीन ईसाई पण्डित भी यह मानते हैं, कि इस रीति से उसके एकदम उदय हो जाने में यहूदी धर्म के अतिरिक्त कोई अन्दर बाहरी कारण निमित्त रहा होगा। इसके सिवा वैद्व तथा

* इस विषय पर मि आर्थर लिह्लि ने *Buddhism in Christendom* नामक एक स्वतन्त्र ग्रन्थ लिखा है। इसके सिवा *Buddha and Buddhism* नामक ग्रन्थ के अन्तिम चार भागों में उन्होंने अपने मत का साक्षित निरूपण स्पष्ट रूप से किया है। हमने परिशिष्ट के इस भाग में जो विवेचन किया है, उसका आधार विशेषतया यही दूसरा ग्रन्थ है। *Buddha and Buddhism* ग्रन्थ *The World's Epochmakers' Series* में सन १९०० ईसवी में प्रसिद्ध हुआ है। इसके दसवें भाग में बौद्ध और ईसाई धर्म के कोई ५० समान उदाहरणों का दिग्दर्शन कराया है।

† See *Buddhist Suttas*, S. B. E. Series, Vol. XI, p. 163.

ईसाई धर्म में जो समता दीख पड़ती है, वह इतनी विलक्षण और पूर्ण है, कि वैसी समता का स्वतन्त्र रीति में उत्पन्न होना सम्भव भी नहीं है। यदि यह बात मिथ्य हो गई होती, कि उस समय यहूदी लोगों को बौद्धधर्म का ज्ञान होना ही सर्वथा असम्भव था, तो बात दूसरी थी। परन्तु इतिहास से मिथ्य होता है, कि सिकन्दर के समय में आगे — और विशेष कर अशोक के तो समय में ही (अर्थात् ईसा से लगभग २५० वर्ष पहले) — पूर्व की ओर मिथ्य के एलेक्जेंड्रिया तथा यूनान तक बौद्ध यतियों की पहुँच हो चुकी थी। अशोक के एक शिलालेख में यह बात लिखी है, कि यहूदी लोगों के तथा आमपास के देशोंके यूनानी राजा एण्टिओकस ने उमने सन्धि की थी। इसी प्रकार वायव्य (मेथ्यू. २. १) में वर्णन है, कि जब ईसा पैदा हुआ, तब पूर्व की ओर कुछ ज्ञानी पुरुष जेरुसलेम गये थे। ईसाई लोग कहते हैं, कि ये ज्ञानी पुरुष मसी अर्थात् ईरानी धर्म के होंगे — हिन्दुस्थानी नहीं। परन्तु चाहे जो कहा जाय; अर्थ तो दोनों का एक ही है। क्योंकि, इतिहास में यह बात स्पष्टतया विदित होती है, कि बौद्धधर्म का प्रसार इस समय से पहले ही काश्मीर और काबूल में हो गया था। एवं वह पूर्व की ओर ईरान तथा तुर्किस्तान तक भी पहुँच चुका था। इसके निवा प्लूटार्क ने साफ लिखा है, कि ईसा के समय में हिन्दुस्थान का एक लालममूद्र के किनारे और एलेक्जेंड्रिया के आसपास के प्रदेशों में प्रतिवर्ष प्रतिआया करता था। तात्पर्य, इस विषय में अब कोई शक नहीं रह गई है, कि ईसा से दो-तीन-सौ वर्ष पहले ही यहूदियों के देश में बौद्ध यतियों का प्रवेश होने लगा था। और जब यह सम्भव मिथ्य हो गया, तब यह बात सहज ही निष्पन्न हो जाती है, कि यहूदी लोगों में मंत्र्यासप्रधान एमी पन्थ का और फिर आगे चल कर मंत्र्यासप्रधान भक्तिप्रधान ईसाई धर्म का प्रादुर्भाव होने के लिये बौद्धधर्म ही विशेष कारण हुआ होगा। अन्वेषी ग्रन्थकार लिली ने भी यही अनुमान किया है; और इसकी पुष्टि में फ्रेंच पण्डित एमिल बुनफू और रोस्नी† के इसी प्रकार के मतों का अपने ग्रन्थों में हवाला दिया है। एवं जर्मन देश में लिपजिक के तत्त्वज्ञानशास्त्रा-

* See Plutarch's *Morals - Theosophical Essays* translated by C. N. King (George Bell & Sons) pp. 96-97. पाली भाषा के महावंश (२९. ३९) में यवनों अर्थात् यूनानियों के अजमंदा (योन नगराजमन्दा) नामक शहर का उल्लेख है। उन्में यह उल्लेख है, कि ईसा की सदी से कुछ वर्ष पहले जब सिंहलद्वीप में एक मन्दिर बन रहा था, तब वहाँ बहुत-से बौद्ध स्ति उत्सवार्थ पधारे थे। महावंश के अंग्रेजी अनुवादक अजमन्दा शब्द से सिंध देश के एलेक्जेंड्रिया शहर को नहीं लेते। वे इस शब्द से यहाँ उस अजमन्दा नामक गाँव को ही विवक्षित बनाने हैं, कि जिसे सिकन्दर ने काबूल में बसाया था, परन्तु यह ठीक नहीं है, क्योंकि कि इस छोटे-से गाँव को किसी ने भी यवनों का नगर न कहा होता। इसके सिवा ऊपर बतलाये हुए अशोक के शिलालेख ही में यवनों के गाँवों में बौद्ध भिक्षुओं के भेजे जाने का स्पष्ट उल्लेख है।

† See Lillie's *Buddha and Buddhism*, pp. 158 ff.

ध्यापक प्रोफेसर सेडन ने इस विषय के अपने ग्रन्थ में उक्त मत ही का प्रतिपादन किया है। जर्मन प्रोफेसर थ्रडर ने अपने एक निबन्ध में कहा है, कि ईसाई तथा बौद्धधर्म एक-से नहीं हैं। यद्यपि उन दोनों की कुछ बातों में समता हो, तथापि अन्य बातों में वैपम्य भी थोड़ा नहीं है; और इसी कारण बौद्धधर्म से ईसाई धर्म का उत्पन्न होना नहीं माना जा सकता। परन्तु यह कथन विषय से बाहर का है। इसलिये इसमें कुछ भी जान नहीं है। यह कोई भी नहीं कहता, कि ईसाई तथा बौद्ध धर्म सर्वथा एक-से ही हैं। क्योंकि यदि ऐसा होता, तो ये दोनों धर्म पृथक् पृथक् न माने गये होते। मुख्य प्रश्न तो यह है, कि जब मूल में यहूदी धर्म केवल कर्ममय है, तब उसमें सुधार के रूप से संन्यासयुक्त भक्तिमार्ग के प्रतिपादक ईसाई धर्म की उत्पत्ति होने के लिये कारण क्या हुआ होगा? और ईसा की अपेक्षा बौद्धधर्म सचमुच प्राचीन है। उसके इतिहास पर ध्यान देने से यह कथन ऐतिहासिक दृष्टि से भी सम्भव नहीं प्रतीत होता, कि संन्यासप्रधान भक्ति और नीति के तत्त्वों को ईसा ने स्वतन्त्र रीति से ढूँढ निकाला हो। वाइवल में उस बात का कही भी वर्णन नहीं मिलता, कि इसा अपनी आयु के बारहवें वर्ष से लेकर तीस वर्ष की आयु तक क्या करता था और कहा था? इससे प्रकट है, कि उसने अपना यह समय ज्ञानार्जन, धर्मचिन्तन और प्रवास में बिताया होगा। अतएव विश्वासपूर्वक कौन कह सकता है, कि आयु के इस भाग में उसका बौद्ध भिक्षुओं से प्रत्यक्ष या पर्याय से कुछ भी सम्बन्ध हुआ ही न होगा? क्योंकि, इस समय बौद्ध यतियों का दौरा यूनान तक हो चुका था? नेपाल के एक बौद्ध मठ के ग्रन्थ में स्पष्ट वर्णन है, कि उस समय ईसा हिन्दुस्थान में आया था। और वहाँ उसे बौद्धधर्म का ज्ञान प्राप्त हुआ। यह ग्रन्थ निकोलस नोटोविश नाम के एक रूसी के हाथ लग गया था; उसने फ्रेंच भाषा में इसका अनुवाद सन १८९४ ईसवी में प्रकाशित किया है। वहुतेरे ईसाई पण्डित कहते हैं, कि नोटोविश का अनुवाद सच भले ही हो; परन्तु मूलग्रन्थ का प्रणेता कोई लफड़गा है, जिसने यह बनावटी ग्रन्थ गढ़ ढाला है। हमारा भी कोई विशेष आग्रह नहीं है, कि युक्त ग्रन्थ को ये पण्डित लोग सत्य ही मान ले। नोटोविश को मिला हुआ ग्रन्थ सत्य हो या प्रक्षिप्त, परन्तु हमने केवल ऐतिहासिक दृष्टि से जो विवेचन ऊपर किया है, उससे यह बात स्पष्टतया विदित हो जायगी, कि यदि ईसा को नहीं, तो निदान उससे भक्तों को, कि जिन्होंने नई वाइवल में उसका चरित्र लिखा है—बौद्धधर्म का ज्ञान होना असम्भव नहीं था; और यदि यह बात असम्भव नहीं है; तो ईसा और बुद्ध के चरित्र तथा उपदेश में जो विलक्षण समता नाई जाती है, उसकी स्वतन्त्र रीति से उत्पत्ति भी युक्तिसङ्गत नहीं जँचता।* साराश

* बाबू रमेशचन्द्र दत्त का भी यही मत है। उन्होंने ने उसका विस्तारपूर्वक विवेचन अपने ग्रन्थ में किया है। Ramesh Chander Dutt's History Civilization in Ancient India. Vol. II. Chap. XX., pp. 328-340.

यह है, कि मीमांसकों का केवल कर्ममार्ग, जनक आदि का ज्ञानयुक्त कर्मयोग (नैष्कर्म्य), उपनिषत्कारों तथा सांख्यों की ज्ञाननिष्ठा और मंन्याम, चित्तनिरोधरूपी पातंजल योग, एवं पांचरात्र वा भागवतधर्म अर्थात् भक्ति ये सभी धार्मिक अंग और तत्त्व मूल में प्राचीन वैदिक धर्म के ही हैं। इन में से ब्रह्मज्ञान, कर्म और भक्ति को छोड़ कर, चित्तनिरोधरूपी योग तथा कर्मसंन्यास इन्हीं दोनों तत्त्वों के आधार पर बुद्ध ने पहले पहल अपने संन्यासप्रधान धर्म का उपदेश चारों वर्णों को किया था। परन्तु आगे चलकर उसी में भक्ति तथा निष्काम कर्म को मिला कर बुद्ध के अनुयायियों ने उसके धर्म का चारों ओर प्रसार किया। अशोक के समय बौद्धधर्म का इस प्रकार प्रचार हो जाने के पश्चात् शुद्ध कर्मप्रधान यहूदी धर्म में मंन्याम मार्ग के तत्त्वों का प्रवेश होना आरम्भ हुआ; और अन्त में उसी में भक्ति को मिला कर ईसा ने अपना धर्म प्रवृत्त किया। इतिहास में निष्पन्न होनेवाली इस परम्परा पर दृष्टि देने में डॉक्टर लारिनमर का यह कथन तो अमूल्य सिद्ध होता ही है, कि गीता में ईसाई धर्म में कुछ बातें ली गई हैं। किन्तु इसके विपरीत, यह वान अधिक सम्भव ही नहीं, बल्कि विश्वास करने योग्य भी है, कि आत्मोपम्यदृष्टि, संन्याम, निर्बलत्व तथा भक्ति के जो तत्त्व नई वाङ्मय में पाये जाते हैं, वे ईसाई धर्म में बौद्धधर्म में — अर्थात् परम्परा में वैदिकधर्म में — लिये गये होंगे। और यह पूर्णतया सिद्ध हो जाता है, कि इसके लिये हिन्दुओं को दूसरों का मंह नाकने की कभी आवश्यकता थी ही नहीं।

इन प्रकार इस प्रकरण के आरम्भ में दिये हुए मात प्रश्नों का विवेचन हो चुका। अब इन्हीं के माथ महत्त्व के कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं, कि हिन्दुस्थान में जो भक्तिपन्थ आजकल प्रचलित हैं, उनपर भगवद्गीता का क्या परिणाम हुआ है? परन्तु उन प्रश्नों को गीताप्रत्यसम्बन्धी कहने की अपेक्षा यही कहना ठीक है, कि ये हिन्दु धर्म के अर्वाचीन इतिहास में सम्बन्ध रखते हैं। इसलिए — और विशेषतः यह परिगिट्ट प्रकरण थोड़ा थोड़ा करने पर भी हमारे अन्दाज में अधिक बढ़ गया है इमीलिये — अब यही पर गीता की बहिर्दृश-प्रतीक्षा समाप्त की जाती है।

श्रीमद्भगवद्गीतारहस्य

गीता के मूल श्लोक, हिन्दी अनुवाद
और टिप्पणियाँ

उपोद्धात

ज्ञान से और श्रद्धा से — पर इसमें भी विशेषतः भक्ति के सुलभ राजमार्ग से — जितनी हो सके उतनी समबुद्धि करके लोकसमग्र के निमित्त स्वधर्मानुसार अपने अपने कर्म निष्कामबुद्धि से मरणपर्यंत करते रहना ही प्रत्येक मनुष्य का परम कर्तव्य है। इसी में उसका सासारिक और पारलौकिक परम कल्याण है, तथा उसे मोक्ष की प्राप्ति के लिये कर्म छोड़ बैठने की अथवा और कोई भी दूसरा अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं है। समस्त गीताशास्त्र का यही फलितार्थ है, जो गीतारहस्य में प्रकरणशः विस्तारपूर्वक प्रतिपादन हो चुका है। इसी प्रकार चौदहवें प्रकरण में यह भी दिखला आये है, कि उल्लिखित उद्देश से गीता के अठारह अध्यायों का मेल कैसा अच्छा और सरल मिल जाता है। एव इस कर्मयोगप्रधान गीताधर्म में अन्यान्य मोक्षसाधनों के कौन कौन-से भाग किस प्रकार हैं। इतना कर चुकने पर वस्तुतः इस से अधिक काम वही रह जाता, कि गीता के श्लोकों का क्रमशः हमारे मतानुसार भाषा में सरल अर्थ बतला दिया जावे। किन्तु गीतारहस्य के सामान्य विवेचन में यह बतलाते न बनता था, कि गीता के प्रत्येक अध्याय के विषय का विभाग कैसे हुआ है? अथवा टीकाकारों ने अपने सम्प्रदाय की सिद्धि के लिये कुछ विशेष श्लोकों के पदों की किस प्रकार खीचातानी की है अतः इन दोनों बातों का विचार करने — और जहाँ का तही पूर्वापर सन्दर्भ दिखला देने — के लिये भी अनुवाद के साथ साथ आलोचना के ढंग पर कुछ टिप्पणियों के देने की आवश्यकता हुई। फिर भी जिन विषयों का गीतारहस्य में विस्तृत वर्णन हो चुका है, उनका केवल दिग्दर्शन करा दिया है, और गीतारहस्य के जिस प्रकरण में उस विषय का विचार किया गया है, उसका सिर्फ हवाला दे दिया है। ये टिप्पणियाँ मूलग्रन्थ से अलग पहचान ली जा सके, इसके लिये [] चौकोन ब्रैकिटों के भीतर रखी गई हैं, श्लोकों का अनुवाद जहाँ तक बना पडा है — शब्दशः किया गया है, और कितने ही स्थलों पर तो मूल के ही शब्द रख दिये गये हैं। एव 'अर्थात्, यानी' से जोड़ कर उनका अर्थ खोल दिया है, और छोटी-मोटी टिप्पणियों का काम अनुवाद से ही निकाल लिया गया है। इतना करने पर भी सस्कृत की और भाषा की प्रणाली भिन्न भिन्न होती है इस कारण, मूल सस्कृत श्लोक का अर्थ भी भाषा में व्यक्त करने के लिये कुछ अधिक शब्दों का प्रयोग अवश्य करना पडता है, और अनेक स्थलों पर मूल के शब्दों को अनुवाद में प्रमाणार्थ लेना पडता है। इन शब्दों पर ध्यान जमने के लिये () ऐसे कोष्ठक में ये शब्द रखे गये हैं। सस्कृत ग्रन्थों में श्लोक का नम्बर श्लोक के अन्त में रहता है; परन्तु अनुवाद में हमने यह नम्बर पहले ही आरम्भ में रखा है। अतः किसी श्लोक का अनुवाद देखना हो, तो अनुवाद में उस नम्बर के आगे का वाक्य

पढ़ना चाहिये। अनुवाद की रचना प्रायः ऐसी की गई है, कि टिप्पणी छोड़ कर निरा अनुवाद ही पढ़ते जाय, तो अर्थ में कोई व्यतिक्रम न पड़े। इसी प्रकार जहाँ मूल में एक ही वाक्य एक से अधिक श्लोकों में पूरा हुआ है, वहाँ उतने ही श्लोकों के अनुवाद में यह अर्थ पूर्ण किया गया है। अतएव कुछ श्लोकों का अनुवाद मिला कर ही पढ़ना चाहिये। ऐसे श्लोक जहाँ जहाँ है, वहाँ वहाँ श्लोक के अनुवाद में पूर्णविरामचिन्ह (।) खड़ी पाई नहीं लगाई गई है। फिर भी यह स्मरण रहे, कि, अनुवाद अन्त में अनुवाद ही है। हमने अपने अनुवाद में गीता के सरल, सुले और प्रधान अर्थ को ले आने का प्रयत्न किया है सही; परन्तु संस्कृत शब्दों में और विशेषतः भगवान् की प्रेमयुक्त, रसीली, व्यापक और प्रतिक्षण में नई रुचि देनेवाली वाणी में लक्षणा से अनेक व्यंग्यार्थ उत्पन्न करने का जो सामर्थ्य है, उसे जरा भी घटा-बटा कर दूसरे शब्दों में ज्यों-का-त्यों झलका देना असम्भव है। अर्थात् संस्कृत जाननेवाला पुरुष अनेक अवसरों पर लक्षणा में गीता के श्लोकों का जैसा उपयोग करेगा, वैसा गीता का निरा अनुवाद पढ़नेवाले पुरुष नहीं कर सकेगा। अधिक क्या कहे? सम्भव है, कि वे गीता भी खा जायें। अतएव सब लोगों से हमारी आप्रहपूर्वक विनती है, कि गीताग्रन्थ का संस्कृत में ही अवश्य अध्ययन कीजिये; और अनुवाद के साथ ही साथ मूल श्लोक रखने का प्रयोजन भी यही है। गीता के प्रत्येक अध्याय के विषय का मुविधा से ज्ञान होने के लिये इन सब विषयों की — अध्यायों के क्रम से प्रत्येक श्लोक की — अनुक्रमणिका भी अलग दे दी है। यह अनुक्रमणिका वेदान्तमूर्तों की अधिकरण-माला के ढंग की है। प्रत्येक श्लोक पृथक् पृथक् न पढ़ कर अनुक्रमणिका के इस सिलसिले से गीता के श्लोक एकत्र पढ़ने पर गीता के तात्पर्य के सम्यग्ध में जो भ्रम फैला है, वह कई अंशों में दूर हो सकता है। क्योंकि, साम्प्रदायिक टीकाकारों ने गीता के श्लोकों की खीचातानी कर अपने सम्प्रदाय की सिद्धि के लिये कुछ श्लोकों के जो निराले अर्थ कर डाले हैं, वे प्रायः इस पूर्वापार सन्दर्भ की ओर दुर्लक्ष करके ही किये गये हैं। उदाहरणार्थ, गीता ३. १९; ६. ३. और १८. २ देखिये। इस दृष्टि से देखें तो यह कहने में कोई हानि नहीं, कि गीता का यह अनुवाद और गीतारहस्य दोनों परस्पर दूसरे की पूति करते हैं; और जिसे हमारा वक्तव्य पूर्णतया ममज्ञ लेना हो, उसे इन दोनों ही भागों का अवलोकन करना चाहिये। भगवद्गीता ग्रन्थ को कष्टस्य कर लेने की रीति प्रचलित है। इसलिये उममें महत्त्व के पाठभेद वही भी नहीं पाये जाते हैं। फिर भी यह बतलाना आवश्यक है, कि वर्तमानकाल में गीता पर उपलब्ध होनेवाले भाष्यों में जो सब ने प्राचीन भाष्य है, उनी शाङ्करभाष्य के मूल पाठ को हमने प्रमाण माना है।

गीता के अध्यायों की श्लोकशः विषयानुक्रमणिका

[नोट .- इस अनुक्रमणिका में गीता के अध्यायों के श्लोकों के क्रम से जो विभाग किये गये हैं, वे मूल सस्कृत श्लोक पहले § § इस चिन्ह से दिखलाये गये हैं; और अनुवाद में ऐसे श्लोकों से अलग पैरिग्राफ शुद्ध किया गया है ।]

पहला अध्याय - अर्जुनविषादयोग

१ सजय से धृतराष्ट्र का प्रश्न । २-११ दुर्योधन का द्रोणाचार्य से दोनों दलों की सेनाओं का वर्णन करना । १२-१९ युद्ध के आरम्भ में परस्पर सलामी के लिये शङ्खध्वनि । २०-२७ अर्जुन का रथ आगे आने पर सैन्यनिरिक्षण । २८-३७ दोनों सेनाओं में अपने ही वाघव हैं, इनको मारने में कुलक्षय होगा, यह सोच कर अर्जुन को विराद हुआ । ३८-४४ कुलक्षय प्रभृति पातकों का परिणाम । ४५-४७ युद्ध न करने वा अर्जुन का निश्चय और धनुर्वाणित्याग ।

दूसरा अध्याय - सांख्ययोग

१-३ श्रीकृष्ण का उत्तेजन । ४-१० अर्जुन का उत्तर, कर्तव्यमूढता और धर्म-निर्णयार्थ श्रीकृष्ण के शरणापन्न होना । ११-१३ आत्मा का अशोच्यत्व । १४, १५ देह और सुखदुःख की अनित्यता । १६-२५ सदसद्विवेक और आत्मा के नित्यवादी स्वरूपकथन से उसके अशोच्यत्व का समर्थन । २६, २७ आत्मा के अनित्यत्व पक्ष को उत्तर । २८ साध्यशास्त्रानुसार व्यक्त भूतों का अनित्यत्व और अशोच्यत्व । २९, ३० लोगों का आत्मा दुर्ज्ञेय है सही,; परन्तु तू सत्य ज्ञान को प्राप्त कर, शोक करना छोड़ दे । ३१-३८ क्षात्रधर्म के अनुसार युद्ध करने की आवश्यकता । ३९ साध्यमार्गानुसार विषयप्रतिपादन की समाप्ति और कर्मयोग के प्रतिपादन का आरम्भ । ४० कर्मयोग का स्वल्प आचरण भी क्षेमकारक है । ४१ व्यवसायात्मक बुद्धि की स्थिरता । ४२-४४ कर्मबाण्ड के अनुयायी मीमांसका की अस्थिर बुद्धि का वर्णन । ४५, ४६ स्थिर और योगस्थ बुद्धि से कर्म करने के विषय में उपदेश । ४७ कर्मयोग की चतु मूर्ती । ४८-५० कर्मयोग का लक्षण और कर्म की अपेक्षा कर्ता की बुद्धि की श्रेष्ठता । ५१-५३ कर्मयोग से मोक्षप्राप्ति, ५४-७० अर्जुन के पूछने पर कर्मयोगी स्थितप्रज्ञ के लक्षण, और उन्हीं में प्रमदगानुसार विषयामक्ति में काम आदि की उत्पत्ति का क्रम । ७१, ७२ ग्राही स्थिति ।

तीसरा अध्याय - कर्मयोग

१, २ अर्जुन का यह प्रश्न, कि कर्मों को छोड़ देना चाहिये या करते रहना चाहिये; सच क्या है? ३-८ यद्यपि सांख्य (कर्मसंन्यास) और कर्मयोग जो निष्ठाएँ हैं, तो भी कर्म किसी से नहीं छूटते। इसलिये कर्मयोग की श्रेष्ठता सिद्ध करके अर्जुन की इसी के आचरण करने का निश्चित उपदेश। ९-१६ मीमांसको के यज्ञार्थ कर्म को भी आसक्ति छोड़ कर करने का उपदेश, यज्ञचक्र का अनादित्व और जगत् के धारणार्थ उसकी आवश्यकता। १७-१९ ज्ञानी पुरुष में स्वार्थ नहीं होता, इसीलिये वह प्राप्त कर्मों को निःस्वार्थ अर्थात् निष्कामबुद्धि में किया करे। क्योंकि कर्म किसी से भी नहीं छूटते। २०-२४ जनक आदि का उदाहरण। लोकसंग्रह का महत्त्व और स्वयं भगवान् का दृष्टान्त। २५-२९ ज्ञानी और अज्ञानी के कर्मों में भेद। एवं यह आवश्यकता कि ज्ञानी मनुष्य निष्काम कर्म करके अज्ञानी को सदाचरण का आदर्श दिखलावे। ३० ज्ञानी पुरुष के समान परमेश्वरार्पणबुद्धि से युद्ध करने का अर्जुन को उपदेश। ३१, ३२ भगवान् के इस उपदेश के अनुसार श्रद्धापूर्वक बर्ताव करने अथवा न करने का फल। ३३, ३४ प्रकृति की प्रबलता और इन्द्रियनिग्रह। ३५ निष्काम कर्म भी स्वधर्म का ही करे। उसमें यदि मृत्यु हो जाय, तो कोई परवाह नहीं। ३६-४१ काम ही मनुष्य को उसकी इच्छा के विरुद्ध पाप करने के लिये उकसाता है; इन्द्रियमयम से उसका नाश। ४२, ४३ इन्द्रियों की श्रेष्ठता का भ्रम और आत्मज्ञानपूर्वक उनका नियमन।

चौथा अध्याय - ज्ञानकर्मसंन्यासयोग

१-३ कर्मयोग की सम्प्रदायपरम्परा। ४-८ जन्मरहित परमेश्वर माया से दिव्य जन्म अर्थात् अवतार कब और किम लिये लेता है - इमका वर्णन। ९, १०, ११, १२ अन्य रीति में भजे तो वैसा फल। उदाहरणार्थ, इस लोक के फल पाने के लिये देवताओं की उपासना। १३-१५ भगवान् के चातुर्वर्ण्य आदि निर्लेप कर्म उनके तत्त्व को जान लेने से कर्मबन्ध का नाश और वैसे कर्म करने के लिये उपदेश। १६-२३ धर्म, अधर्म और विनर्म का भेद। अकर्म ही निःसद्ग कर्म है। वहीं सच्चा कर्म है; और उमी में कर्मबन्ध का नाश होता है। २४-३३ अनेक प्रकार के लाक्षणिक यज्ञों का वर्णन; और ब्रह्मबुद्धि से किये हुए यज्ञ की अर्थात् ज्ञानयज्ञ की श्रेष्ठता। ३४-३७ ज्ञाता से ज्ञानोपदेश, ज्ञान से आत्मोपम्यदृष्टि और पापपुण्य का नाश। ३८-४० ज्ञानप्राप्ति के उपाय - बुद्धि (योग) और श्रद्धा। इसके अभाव में नाश। ४१, ४२ (कर्म-) योग और ज्ञान का पूंयक उपयोग यत्रा कर दोनों के आश्रय में युद्ध करने के लिये उपदेश।

पाँचवाँ अध्याय - संन्यासयोग

१, २ यह स्पष्ट प्रश्न, कि संन्यास श्रेष्ठ है या कर्मयोग? इस पर भगवान् का यह निश्चित उत्तर कि मोक्षप्रद तो दोनों हैं, पर कर्मयोग ही श्रेष्ठ है। ३-५

सद्बल्लपो को छोड देने से कर्मयोगी नित्य सन्यासी ही होता है; और बिना कर्म के सन्यास भी सिद्ध नहीं होता । इसलिये तत्त्वतः दोनो एक ही है । ७-१३ मन सदैव सन्यस्त रहता है; और कर्म केवल इन्द्रियाँ किया करती है । इसलिये कर्मयोगी सदा अलिप्त, शान्त और मुक्त रहता है । १४, १५ सच्चा कर्तृत्व और भोक्तृत्व प्रकृति का है । परन्तु अज्ञान से आत्मा का अथवा परमेश्वर का समझा जाता है । १६, १७ इस अज्ञान के नाश से पुनर्जन्म से छुटकारा । १८-२३ ब्रह्मज्ञान से प्राप्त होनेवाले समदर्शित्व का, स्थिर बुद्धि का और सुखदुःख की क्षमता का वर्णन । २४-२८ सर्वभूत-हितार्थ कर्म करते रहने पर भी कर्मयोगी इमी लोक मे सदैव ब्रह्मभूत, समाधिस्थ और मुक्त है । २९ (कर्तृत्व अपने ऊपर न लेकर) परमेश्वर को यज्ञतप का भोक्ता और सब भूतो का मित्र जान लेने का फल ।

छठवाँ अध्याय - ध्यानयोग

१, २ फलाशा छोड कर कर्तव्य करनेवाला ही सच्चा सन्यासी और योगी है । सन्यासी का अर्थ निरग्रि और अन्रिय नहीं है । ३, ४ कर्मयोगी की साधनावस्था मे और सिद्धावस्था में शम एव कर्म के कार्यकारण का बदल जाना तथा योगारूढ का लक्षण । ५, ६ योग को सिद्ध करने के लिये आत्मा की स्वतन्त्रता । ७-९ जितात्मा योगयुक्तो में भी समबुद्धि की श्रेष्ठता । १०-१७ योगसाधन के लिये आवश्यक आसन और आहारविहार का वर्णन । १८-२३ योगी के और योगसमाधि के आत्यन्तिक सुख का वर्णन । २४-२६ मन को धीरे धीरे समाधिस्थ, शान्त और आत्मनिष्ठ कैसे करना चाहिये ? २७, २८ योगी ही ब्रह्मभूत और अत्यन्त सुखी है । २९-३२ प्राणिमात्र में योगी की, आत्मीपम्यबुद्धि । ३३-३६ अभ्यास और वैराग्य से चञ्चल मन का निग्रह । ३७-४५ अर्जुन के प्रश्न करने पर इस विषय का वर्णन, कि योगभ्रष्ट को अथवा जिज्ञासु को भी जन्मजन्मान्तर में उत्तम फल मिलने से अन्त में पूर्ण सिद्धि कैसे मिलती है ? ४६, ४७ तपस्वी, ज्ञानी और निरे कर्मों की अपेक्षा कर्मयोगी और उसमे भी भक्तिमान् कर्मयोगी - श्रेष्ठ है । अतएव अर्जुन को (कर्म) योगी होने के विषय में उपदेश ।

सातवाँ अध्याय - ज्ञानविज्ञानयोग

१-३ कर्मयोग की सिद्धि के लिये ज्ञान-विज्ञान के निरूपण का आरम्भ, सिद्धि के लिये प्रयत्न करनेवालो का क्रम मिलना । ४-७ क्षराक्षरविचार । भगवान् की अष्टधा अपरा और जीवरूपी परा प्रकृति । इससे आगे सारा विस्तार । ८-१२ विस्तार के सात्त्विक आदि सब भागो में गुन्धे हुए परमेश्वरस्वरूप का दिग्दर्शन । १३-१५ परमेश्वर की यही गुणमयी और दुस्तर माया है; और उसी के शरणागत होने पर माया से उद्धार होता है । १६-१९ भक्त चतुर्विध है । इनमें ज्ञानी श्रेष्ठ है । अनेक जन्मो से ज्ञान की पूर्णता और भगवत्प्राप्तिरूप नित्य फल । २०-२३ अनित्य काम्यफलो के

निमित्त देवताओं की उपासना । परन्तु इसमें भी उनकी श्रद्धा का फल भगवान् ही देते हैं । २४-२८ भगवान् का मत्स्यस्वरूप अव्यक्त है । परन्तु माया के कारण और द्वन्द्वबोध के कारण वह दुर्ज्ञेय है । मायामोह के नाश से स्वरूप का ज्ञान । २९, ३० ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म और अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ सब एक परमेश्वर ही है - यह जान लेने से अन्त तक ज्ञानसिद्धि हो जाती है ।

आठवाँ अध्याय - अक्षरब्रह्मयोग

१-४ अर्जुन के प्रश्न करने पर ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ और अधिदेह की व्याख्या । उन सब में एक ही ईश्वर है । ५-८ अन्तकाल में भगवत्स्मरण में मुक्ति । परन्तु जो मन में नित्य रहता है, वही अन्तकाल में भी रहता है; अतएव मदैव भगवान् का स्मरण करने और युद्ध करने के लिये उपदेश । ९-१३ अन्तकाल में परमेश्वर का अर्थात् अकार का समाधिपूर्वक ध्यान और उसका फल । १४-१६ भगवान् का नित्य चिन्तन करने से पुनर्जन्म-नाश । ब्रह्म लोकादि गतियाँ नित्य नहीं हैं । १७-१९ ब्रह्म का दिन-रात, दिन के आरम्भ में अव्यक्त से सृष्टि की उत्पत्ति और रात्रि के आरम्भ में उसी में लय । २०-२२ इस अव्यक्त से भी परे का अव्यक्त और अक्षर पुरुष । भक्ति से उनका ज्ञान । उसकी प्राप्ति से पुनर्जन्म का नाश । २३-२६ देवयाग और पितृयागमांग । पहला पुनर्जन्मनाशक है और दूसरा इसके विपरीत है । २७, २८ इन मांगों के तत्त्व को जाननेवाले योगी को अत्युत्तम फल मिलता है । अतः तदनुसार सदा व्यवहार करने का उपदेश ।

नौवाँ अध्याय - राजविद्याराजगुह्ययोग

१-३ ज्ञानविज्ञानयुक्त भक्तिमांग मोक्षप्रद होने पर भी प्रत्यक्ष और मुक्त है । अतएव राजमांग है । ४-६ परमेश्वर का अपरा योगसामर्थ्य । प्राणिमात्र में रह कर भी उनमें नहीं है; और प्राणिमात्र भी उनमें रह कर नहीं है । ७-१० मायात्मक प्रकृति के द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति और संहार, भूतों की उत्पत्ति और लय । इनका करने पर भी वह निष्काम है । अतएव अजिज्ञ है । ११, १२ इसे बिना पहचाने, मोह में फँस कर मनुष्यदेहधारी परमेश्वर की अवज्ञा करनेवाले मूर्ख और आसुरी है । १३-१५ ज्ञानयज्ञ के द्वारा अनेक प्रकार में उपासना करनेवाले देवी है । १६-१९ ईश्वर सर्वज्ञ है । वही जगत् का मां-बाप है, स्वामी है, पापक और भले-बुरे का कर्ता है । २०-२२ श्रोत यज्ञयाग आदि का दीर्घ उद्योग यद्यपि स्वर्गप्रद है, तो भी वह फल अनित्य है । योगक्षेम के लिये यदि ये आवश्यक मन्त्रे जाये तो वह भक्ति में भी माध्य है । २३-२५ अन्यान्य देवताओं की भक्ति पर्याय में परमेश्वर की ही होती है । परन्तु जैसी भावना होगी और जैसा देवता होगा, फल भी वैसा ही मिलेगा । २६ भक्ति ही, तो परमेश्वर फल की पंखुगे से भी मनुष्य हो जाता है । २७, २८ सब कर्मों को ईश्वरार्पण करने का उपदेश । उसी द्वारा कर्मबन्ध में छुटकारा

और मोक्ष । २९-३३ परमेश्वर सब को एक-सा है । दुराचारी हो या पापयोनि, स्त्री हो या वैश्य या शुद्र, नि.सीम भक्त होने पर सब को एक ही गति मिलती है । ३४ यही मार्ग अद्भुतीकार करने के लिये अर्जुन को उपदेश ।

दसवाँ अध्याय - विभूतियोग

१-३ यह जान लेने से पाप का नाश होता है, कि अजन्मा परमेश्वर देवताओं और ऋषियों से भी पूर्व का है । ४-६ ईश्वरी विभूति और योग । ईश्वर से ही बुद्धि आदि भावों की, सप्तर्षियों की और मनु की एव परम्परा से सब की उत्पत्ति । ७-११ इसे जाननेवाले भगवद्भक्तों को ज्ञानप्राप्ति; परन्तु उन्हें भी बुद्धि-सिद्धि भगवान ही देते हैं । १२-१८ अपनी विभूति और योग बतलाने के लिये भगवान् से अर्जुन की प्रार्थना । १९-४० भगवान् की अनन्त विभूतियों में से मुख्य मुख्य विभूतियों का वर्णन । ४१, ४२ जो कुछ विभूतिमत्, श्रीमत् और ऊर्जित हैं, वह सब परमेश्वरी तेज है; परन्तु अंश से है ।

बारहवाँ अध्याय - विश्वरूपदर्शनयोग

१-४ पूर्व अध्याय में बतलाते हुए अपने ईश्वरी रूप को देखने के लिये भगवान् से प्रार्थना । ५-८ इस आश्चर्यकारक और दिव्य रूप को देखने के लिये अर्जुन को दिव्यदृष्टिज्ञान । ९-१४ विश्वरूप का सजयकृत वर्णन । १५-३१ विस्मय और भय से नमं होकर अर्जुनकृत विश्वरूपस्तुति और यह प्रार्थना, कि प्रसन्न होकर बतलाइये, कि, 'आप कौन हैं ?' ३२-३४ पहले यह बतला कर, कि 'मैं काल हूँ,' फिर अर्जुन को उत्साह जनक ऐसा उपदेश, कि पूर्व से ही इस काल के द्वारा इसे हुए वीरो को तुम निमित्त वन कर मारो । ३५-४६ अर्जुनकृत स्तुति, क्षमा, प्रार्थना और पहले का सौम्य रूप दिखलाने के लिये विनय । ४७-५१ विना अनन्यभक्ति के विश्वरूप का दर्शन मिलना दुर्लभ है । फिर पूर्वस्वरूपधारण । ५२-५४ विना भक्ति के विश्वरूप का दर्शन देवताओं को भी नहीं हो सकता । ५५ अतः विना भक्ति से निरोग और निर्वैर होकर परमेश्वरार्पणबुद्धि के द्वारा-कर्म करने के विषय में अर्जुन को सर्वार्थ-सारभूत अन्तिम उपदेश ।

बारहवाँ अध्याय - भक्तियोग

१ पिछले अध्याय के अन्तिम सारभूत उपदेश पर अर्जुन का प्रश्न - व्यक्तों-पासना श्रेष्ठ है या अव्यक्तोंपासना ? २-८ दोनों में गति एक ही है; परन्तु अव्यक्तों-पासना क्लेशकारक है; और व्यक्तोंपासना सुलभ एव शीघ्रफलप्रद है । अतः निष्काम कर्मपूर्वक व्यक्तोंपासना करने के विषय में उपदेश । ९-१२ भगवान् में चित्त को स्थिर करने का अभ्यास, ज्ञान-ध्यान इत्यादि उपाय और इनमें कर्मफलत्याग की श्रेष्ठता । १३-१९ भक्तिमान् पुरुष की स्थिति का वर्णन और भगवत्-प्रियता । २० इस धर्म का आचरण करनेवाले यद्वाञ्छु भक्त भगवान् को अत्यन्त प्रिय है ।

तेरहवाँ अध्याय - क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोग

१, २ क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की व्याख्या । इनका ज्ञान ही परमेश्वर का ज्ञान है । ३, ४ क्षेत्रक्षेत्रज्ञविचार उपनिषदों का और ब्रह्मसूत्रों का है । ५, ६ क्षेत्रस्वरूपलक्षण । ७-११ ज्ञान का स्वरूपलक्षण । तद्विरुद्ध अज्ञान । १२-१७ ज्ञेय के स्वरूप का लक्षण । १८ इस सब को जान लेने का फल । १९-२१ प्रकृतिपुरुषविवेक । करने-धरनेवाली प्रकृति है । पुरुष अकर्ता किन्तु भोक्ता, द्रष्टा इत्यादि है । २२, २३ पुरुष ही देह में परमात्मा है । इस प्रकृतिपुरुषज्ञान से पुनर्जन्म नष्ट होता है । २४, २५ आत्मज्ञान के मार्ग - ध्यान, साख्ययोग, कर्मयोग और श्रद्धापूर्वक श्रवण से भक्ति । २६-२८ क्षेत्रक्षेत्रज्ञ के संयोग से स्यावर-जट्टगम सृष्टि । इसमें जो अविनाशी है, वही परमेश्वर है । अपने प्रयत्न से उसकी प्राप्ति । २९, ३० करने-धरनेवाली प्रकृति है; और आत्मा अकर्ता है । सब प्राणिमात्र एक में है; और एक से सब प्राणिमात्र होते हैं । यह जान लेने से ब्रह्मप्राप्ति । ३१-३३ आत्मा अनादि और निर्गुण है । अतएव यद्यपि वह क्षेत्र का प्रकाशक है, तथापि निर्दोष है । ३४ क्षेत्रक्षेत्रज्ञ के भेद जान लेने में परम सिद्धि ।

चौदहवाँ अध्याय - गुणत्रयविभागयोग

१, २ ज्ञानविज्ञानान्तर्गत प्राणिर्वैचित्र्य का गुणभेद से विचार । वह भी मोक्षप्रद है । ३-४ प्राणिमात्र का पिता परमेश्वर है; और उसके अधीनस्थ प्रकृति माता है । ५-९ प्राणिमात्र पर मत्त्व, रज और तम के होनेवाले परिणाम । १०-१३ एक एक गुण अलग नहीं रह सकना । कोई दो को दबा करतीमरेकीवृद्धि; और प्रत्येक की वृद्धि के लक्षण । १४-१८ गुणप्रवृद्धि के अनुसार कर्म के फल और मरने पर प्राप्त होनेवाली गति । १९, २० त्रिगुणानांत हो जाने में मोक्षप्राप्ति । २१-२५ एकान्तभक्ति में त्रिगुणानांत अवस्था की सिद्धि और फिर सब मोक्ष के, धर्म के, एव मुक्त के अन्तिम स्थान परमेश्वर की प्राप्ति ।

पन्द्रहवाँ अध्याय - पुरुषोत्तमयोग

१, २ अमृत्युर्गो ब्रह्मसूत्र के वेदोक्त और माख्योक्त वर्णन का भेद । ३-६ अमरता से इसको बाट डालना ही उसने परे के अव्यक्त पद की प्राप्ति का मार्ग है । अव्यक्त पदवर्णन । ७-११ जीव और त्रिदशगरीर का स्वरूप एव मन्वन्ध । ज्ञानी के लिये गोचर है । १२-१५ परमेश्वर की सर्वव्यापकता । १६-१९ दशगुणलक्षण, उनमें परे पुण्योत्तम । १९-२० इस गुण पुण्योत्तमज्ञान में सर्वज्ञता और श्रुतश्रुतता ।

सोडहवाँ अध्याय - दैवामुरसम्पत्तिभागयोग

१-३ देवी मन्वन्ध के छत्रांत गुण । ४ आसुरी सम्पत्ति के लक्षण । ५ देवी सम्पत्ति मोक्षप्रद और आसुरी बन्धनकारक है । ६-२० आसुरी लोगों का विन्मूढ

वर्णन उनको जन्म-जन्म में अधोगति मिलती है । २१, २२ नरक के त्रिविध द्वार — काम, क्रोध और लोभ । इनसे बचने में कल्याण है । २३, २४ शास्त्रानुसार कार्याकार्य का निर्णय और आचरण करने के विषय में उपदेश ।

सत्रहवाँ अध्याय — श्रद्धात्रयविभागयोग

१-४ अर्जुन के पूछने पर प्रकृतित्वभावानुरूप सात्त्विक आदि त्रिविध श्रद्धा का वर्णन । जैसी श्रद्धा वैसा पुरुष । ५, ६ इनमें भिन्न आसुर । ७-१० सात्त्विक, राजस और तामस आहार । ११-१३ त्रिविध यज्ञ । १४-१६ तप के तीन भेद — शारीर, वाचिक और मानस । १७-१९ इनमें सात्त्विक आदि भेदों से प्रत्येक त्रिविध है । २०-२२ सात्त्विक आदि त्रिविध दान । २३ ॐ तत्सत् ब्रह्मनिर्देश । २४-७४ इनमें ' ॐ ' से आरम्भसूचक 'तत्' से निष्काम और 'सत्' से प्रशस्त कर्म का समावेश होता है । २८ शेष (अर्थात् असत्) इहलोक और परलोक में निष्फल है ।

अठारहवाँ अध्याय — मोक्षसंन्यासयोग

१, २ अर्जुन के पूछने पर संन्यास और त्याग की कर्मयोगमार्गान्तर्गत व्याख्याएँ । ३-६ कर्म का त्याज्य-अत्याज्यविषयक निर्णय; यज्ञयाग आदि कर्मों को भी अन्यान्य कर्मों के समान निःसङ्गबुद्धि से करना ही चाहिये । ७-९ कर्मत्याग के तीन भेद — सात्त्विक, राजस और तामस । फलाशा छोड़ कर कर्तव्यकर्म करना ही सात्त्विक त्याग है । १०, ११ कर्मफलत्यागी है । क्योंकि कर्म तो किसी से भी छूट ही नहीं सकता । १२ कर्म का विविध फल सात्त्विक त्यागी पुरुष को बन्धक नहीं होता । १३-१५ कोई भी कर्म होने के पाच कारण हैं । केवल मनुष्य ही कारण नहीं है । १६, १७ अतएव यह अहंकारबुद्धि — कि मैं करता हूँ — छूट जाने से कर्म करने पर भी अलिप्त रहता है । १८, १९ कर्मचोदना और कर्मसंग्रह का साख्योक्त लक्षण और उनके तीन भेद । २०-२२ सात्त्विक आदि गुण-भेद से ज्ञान के तीन भेद । ' अविभक्त विभक्तेषु ' यह सात्त्विक ज्ञान है । २३-२५ कर्म की त्रिविधता । फलाधारहित कर्म सात्त्विक है । २६-२८ कर्ता के तीन भेद । निःसङ्ग कर्ता सात्त्विक है । २९-३२ बुद्धि के तीन भेद । ३३-३५ धृति के तीन भेद । ३६-३९ सुख के तीन भेद । आत्मबुद्धि-प्रसादज सात्त्विक सुख है । ४० गुणभेद से सारे जगत् के तीन भेद । ४१-४४ गुणभेद से चातुर्वर्ण्य की उपपत्ति । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के स्वभावजन्य कर्म । ४५, ४६ चातुर्वर्ण्यविहित स्वकर्माचरण से ही अन्तिम सिद्धि । ४७-४९ परधर्म भयावह है । स्वकर्म सद्योप होने पर भी अत्याज्य है । सारे कर्म स्वधर्म के अनुसार, निःसङ्गबुद्धि के द्वारा करने से ही नैष्कर्म्यसिद्धि मिलती है । ५०-५६ इस का निरूपण कि सारे कर्म करते रहने से भी सिद्धि किस प्रकार मिलती है ? ५७, ५८ इसी मार्ग को स्वीकार करने के विषय में अर्जुन को उपदेश । ५९-६३ प्रकृतिधर्म के सामने अहंकार की एक नहीं चलती । ईश्वर की ही शरण में जाना चाहिये । अर्जुन को यह

उपदेश, कि इस गुह्य को समझ कर फिर जो दिल में आवे सो कर । ६४-६६ भगवान् वा यह अन्तिम आश्वासन, कि सब धर्म छोड़ कर 'मेरी शरण में आ, सब पापों से मुक्त कर दूंगा ।' ६७-६९ कर्मयोगमार्ग की परम्परा को आगे प्रचलित रखने का श्रेय । ७०, ७१ उसका फलमाहात्म्य । ७२, ७३ कर्तव्यमोह नष्ट हो कर अर्जुन की युद्ध करने के लिये तैयारी । ७४-७८ धृतराष्ट्र को यह कथा सुना चुकने पर संजयवृत्त उपसंहार ।



एषा वैरीकृषियुने माहति भ्यग्ने किली । माभय पाटश्रीय दिव्यो शली प्रदाम्यु ॥ १४ ॥

रगिपय । ... धन्यवय पाटय ॥ २० ॥ येनयोऽहमयोमये मं कापयमेवय ॥ २१ ॥ (अ. १)

(Copyright)

श्रीमद्भगवद्गीता

प्रथमोऽध्यायः ।

धृतराष्ट्र उवाच ।

धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः ।

मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय ॥ १ ॥

पहला अध्याय

[भारतीय युद्ध के आरम्भ में श्रीकृष्ण ने अर्जुन को जिस गीता का उपदेश किया है, उसका लोगो में प्रचार कैसे हुआ ? उसकी परम्परा वर्तमान महाभारत ग्रन्थ में ही इस प्रकार दी गई है — युद्ध आरम्भ होने से प्रथम व्यासजी ने धृतराष्ट्र से जा कर कहा, कि 'यदि तुम्हारी इच्छा युद्ध देखने की हो, तो मैं अपनी दृष्टि तुम्हें देता हूँ ।' इसपर धृतराष्ट्र ने कहा, कि 'मैं अपने कुल का क्षय अपनी दृष्टि से नहीं देखना चाहता ।' तब एक ही स्थान पर बैठे बैठे, सब वाता का प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाने के लिये सजय नामक सूत को व्यासजी ने दिव्यदृष्टि दे दी । इस सजय के द्वारा युद्ध के अविकल वृत्तान्त धृतराष्ट्र को अवगत करा देने का प्रबन्ध करके व्यासजी चले गये (म भा भीष्म २) । जब आगे युद्ध में भीष्म आहत हुए और उक्त प्रबन्ध के अनुसार समाचार सुनाने के लिये पहले सजय धृतराष्ट्र के पास गया, तब भीष्म के वारे में शोक करते हुए धृतराष्ट्र ने सजय को आज्ञा दी, कि युद्ध की सारी बातों का वर्णन करो । तदनुसार सजय ने पहले दोनों दलों की सेनाओं का वर्णन किया, और फिर धृतराष्ट्र के पूछने पर गीता बतलाना आरम्भ किया है । आगे चलकर यह सब वार्ता व्यासजी ने अपने शिष्यों को उन शिष्यों में से वैशम्पायन ने जनमेजय को और अन्त में सौती ने शौनक को सुनाई । महाभारत की सभी छपी हुई पोथियों में भीष्मपर्व के २५ वे अध्याय से ४२ वे अध्याय तक यही गीता कही गई है । इस परम्परा के अनुसार —]

धृतराष्ट्र ने पूछा — (१) हे सजय ! कुरुक्षेत्र की पुण्यभूमि में एकत्रित मेरे और पाण्डु के युद्धेच्छुक पुत्रों ने क्या किया ?

[हस्तिनापुर के चहूँ ओर का मैदान कुरुक्षेत्र है । वर्तमान दिल्ली शहर इसी मैदान पर बसा हुआ है । कौरव-पाण्डवों का पूर्वज कुरु नाम का राजा इस

मञ्जय उवाच ।

§§ दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा ।
 आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत् ॥ २ ॥
 पर्युतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतीं चमूम् ।
 व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता ॥ ३ ॥
 अत्र दूरा महिष्यासा मीमार्जुनसमा युधि ।
 युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः ॥ ४ ॥
 धृष्टकेतुश्चेकितानः काशिराजश्च वीर्यवान् ।
 पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः ॥ ५ ॥
 युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् ।
 सीमद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः ॥ ६ ॥

मैदान को हट्ट में बड़े कष्टपूर्वक जोता करता था । अतएव इसको क्षेत्र (या खेत) कहते हैं । जब इंद्र ने कुरु को यह वरदान दिया, कि इस क्षेत्र में जो लोग तप करने करते या युद्ध में मर जावेगे, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी । तब उसने इस क्षेत्र में हल चलाना छोड़ दिया (म. भा. शत. ५३) । इंद्र के इस वरदान के कारण ही यह क्षेत्र धर्मक्षेत्र या पुण्यक्षेत्र कहलाने लगा । इस मैदान के विषय में यह क्या प्रचलित है, कि यहाँ पर परशुराम ने एकबार नारी पृथ्वी को नि-क्षत्रिय करके पितृतपण किया था; और अर्वाचीन काल में भी इसी क्षेत्र पर बड़ी बटी लड़ाईयाँ हो चुकी हैं ।]

मजय ने कहा — (२) उन समय पाण्डवों की सेना को व्यूह रच कर (खड़ी) देव, राजा दुर्योधन (द्रोण) आचार्य के पास गया; और उनसे कहने लगा, कि—

[महानारत (म. भा. भा. १९. ४-७; मनु. ७. १९१) के उन अध्यायों में — कि जो गीता से पहले लिखे गये हैं — यह वर्णन है, कि जब कौरवों की सेना का मीमाम्नाय रचा हुआ व्यूह पाण्डवों ने देखा; और जब उनको अपनी सेना कम दीख पड़ी, तब उन्होंने युद्धविद्या के अनुसार बन्ध नामक व्यूह रचकर अपनी सेना खड़ी की । युद्ध में प्रतिदिन ये व्यूह बदला करते थे ।]

(३) हे आचार्य ! पाण्डुपुत्रों की इस बड़ी सेना को देखिये, कि जिसकी व्यूहरचना तुम्हारे बुद्धिमान् शिष्य द्रुपदपुत्र (धृष्टद्युम्न) ने की है । (४) इसमें दूरमहाघनुर्धर और युद्ध में भीम तथा अर्जुनमरीचे युयुधान (सात्यकि), विराट और महाशूरी द्रुपद, (५) धृष्टकेतु, चेकितान और वीर्यवान् काशिराज पुरुजित् कुन्तिभोज और नरपुंगव शैब्य, (६) इसी प्रकार परशुराम युधामन्यु और वीर्यवाली उत्तमौजा

अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम ।
 नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान्ब्रवीमि ते ॥ ७ ॥
 भवान्भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः ।
 अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च ॥ ८ ॥
 अन्ये च बहवः शूरा मदर्थं त्यक्तजीविताः ।
 नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः ॥ ९ ॥
 अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् ।
 पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् ॥ १० ॥

एवं सुभद्रा के पुत्र (अभिमन्यु) तथा द्रौपदी के (पाँच) पुत्र — ये सभी महारथी हैं।

[इस हजार धनुर्धारी योद्धाओं के साथ अकेले युद्ध करनेवाले को महारथी कहते हैं। दोनों ओर की नेताओ में जो रथी, महारथी अथवा अतिरथी थे, उनका वर्णन उद्योगपर्व (१३४ से १७१ तक) में आठ अध्यायों में किया गया है। वहाँ बतला दिया है, कि घृष्टकेतु शिशुपाल का बेटा था। इसी प्रकार पुरुजित् कुन्तिभोज, ये दो भिन्न भिन्न पुरुषों के नाम नहीं हैं। जिस कुन्तिभोज राजा को कुन्ती गोद दी गई थी, पुरुजित् उसका औरस पुत्र था; और अर्जुन का मामा था। (म. भा. उ. १७१.२)। युद्धामन्यु और उत्तमौजा, दोनों पान्चाल्य थे; और चैकितान एक यादव था। युद्धामन्यु और उत्तमौजा, दोनों अर्जुन के खन्नरक्षक थे। शैब्य शिवी देश का राजा था।]

(७) हे द्विजश्रेष्ठ! अब हमारी ओर सेना के जो मुख्य मुख्य नायक हैं, उनके नाम भी मैं आपको सुनाता हूँ; ध्यान दे कर सुनिये। (८) आप और भीष्म, कर्ण और रणजित कृप, अश्वत्थामा और विकर्ण (दुर्योधन के सौ भाइयों में से एक), तथा सोमदत्त का पुत्र (भूरिश्रवा), (९) एवं इनके सिवा बहूतरे अन्यान्य शूर भेरे लिये प्राण देने को तैयार हैं; और सभी नाना प्रकार के शस्त्र चलाने में निपुण तथा युद्ध में प्रवीण हैं। (१०) इस प्रकार हमारी यह सेना — जिसकी रक्षा स्वयं भीष्म कर रहे हैं — अपर्याप्त अर्थात् अपरिमित या अमर्यादित है। किन्तु उन (पाण्डवों) की यह सेना — जिसकी रक्षा भीम कर रहा है — पर्याप्त अर्थात् परिमित या मर्यादित है।

[इस श्लोक में 'पर्याप्त' और 'अपर्याप्त' शब्दों के अर्थ के विषय में मतभेद है। 'पर्याप्त' का सामान्य अर्थ 'बस' या 'काफ़ी' होता है। इसलिये कुछ लोग यह अर्थ बतलाते हैं, कि 'पाण्डवों की सेना काफ़ी है; और हमारी काफ़ी नहीं है।' परन्तु यह अर्थ ठीक नहीं है। पहले उद्योगपर्व में धृतराष्ट्र से अपनी सेना का वर्णन करते समय उक्त मुख्य सेनापतियों के नाम बतला कर दुर्योधन ने

अयनेषु च सर्वेषु यथाभागवमस्थिताः ।

भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि ॥ ११ ॥

कहा है, कि 'मेरी सेना बड़ी और गुणवान् है। इसलिये जीत मेरी ही होगी' (उ. ५४. ६०-७०)। इसी प्रकार आगे चल कर भीष्मपर्व में (जिस समय द्रोणाचार्य के पास दुर्योधन फिरसे सेना का वर्णन कर रहा था, उस समय भी) गीता के उपर्युक्त श्लोको के समान ही श्लोक उसने अपने मुँह से ज्यो-के-त्यो कहे हैं (भीष्म ५१. ४-६।) और तीसरी बात यह है, कि सब सैनिकों को प्रोत्साहित करने के लिये ही हर्षपूर्वक यह वर्णन किया गया है। इन सब बातों का विचार करने से इस स्थान पर 'अपर्याप्त' शब्द का 'अमर्यादित, अपार या अगणित' के सिवा और कोई अर्थ ही हो नहीं सकता। 'पर्याप्त' शब्द का धात्वर्थ 'बहुँ ओर (परि-) घेष्टन करने योग्य' (आप् = प्रापणे) है। परन्तु 'अमुक काम के लिये पर्याप्त' या 'अमुक मनुष्य के लिये पर्याप्त' इस प्रकार पर्याप्त शब्द के पीछे चतुर्थी अर्थ के दूसरे शब्द जोड़ कर प्रयोग करने में 'पर्याप्त' शब्द का यह अर्थ हो जाता है - 'उम काम के लिये या मनुष्य के लिये भरपूर अथवा समर्थ।' और यदि 'पर्याप्त' के पीछे कोई दूसरा शब्द न रखा जावे, तो केवल 'पर्याप्त' शब्द का अर्थ होता है 'भरपूर, परिमित या जिसकी गिनती की जा सकती है।' प्रस्तुत श्लोक में 'पर्याप्त' शब्द के पीछे दूसरा शब्द नहीं है। इसलिये यहाँ पर उमका उपर्युक्त दूसरा अर्थ (परिमित या मर्यादित) विवक्षित है; और महा-भारत के अतिरिक्त अन्यत्र भी ऐसे प्रयोग किये जाने के उदाहरण ब्रह्मानन्दगिरि-वृत्त टीका में दिये गये हैं। कुछ लोगों ने यह उपपत्ति घतलाई है, कि दुर्योधन भय में अपनी सेना को 'अपर्याप्त' अर्थात् 'बस नहीं' कहता है। परन्तु यह ठीक नहीं है। क्योंकि, दुर्योधन के डर जाने का वर्णन वही भी नहीं मिलता। किन्तु इसके विपरीत यह वर्णन पाया जाता है, कि दुर्योधन की बड़ी भारी सेना को देख कर पाण्डवों ने वज्र नामक व्यूह रचा; और वीरवों की अपार सेना को देख युधिष्ठिर को बहुत खेद हुआ था (म. भा. भीष्म. १९. ५ और २१.१)। पाण्डवों की सेना का सेनापति धृष्टद्युम्न था। परन्तु 'भीम रक्षा कर रहा है' कहने का कारण यह है, कि पहले दिन पाण्डवों ने जो वज्र नाम का व्यूह रचा था, उमका रक्षा के लिये उन व्यूह के अग्रभाग में भीम ही नियुक्त किया गया था। अनएव सेनारक्षक की दृष्टि में दुर्योधन को वही मामने दिखाई दे रहा था। (म. भा. भीष्म. १९. ४-११, ३३. ३८) और इसी अर्थ में इन दोनों सेनाओं के विषय में महाभारत में गीता के पहले अध्यायो में 'भीमनेत्र' और 'भीष्मनेत्र' कहा गया है (देखो. म. भा. भी २०. १)।]

(११) (तो अब) नियुक्त के अनमार भव अयनों म - अर्थात् सेना के :भद्र

§ § तस्य सञ्जनयन्हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः ।
 लिहनादं चिनयोच्चैः शंखं दध्मौ प्रतापवान् ॥ १२ ॥
 तता शंखाश्च भेर्यश्च पणवानकगोमुखः ।
 सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुमुलोऽभवत् ॥ १३ ॥
 ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ ।
 माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः ॥ १४ ॥
 पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः ।
 पाण्डुं दध्मौ महाशंखं भीमकर्मा वृकोदरः ॥ १५ ॥

भिन्न प्रवेशद्वारों में — रह कर तुम सब को मिल करके भीष्म की ही सभी ओर से रक्षा करनी चाहिये ।

[सेनापति भीष्म स्वयं पराक्रमी और किसी से भी हार जानेवाले न थे ।
 'सभी ओर से सब को उनकी रक्षा करनी चाहिये,' इस कथन का कारण दुर्योधन
 दूसरे स्थल पर (म. भा. भी. १५. १५; २०-१९. ४०. ४१) यह बतलाया है,
 कि भीष्म का निश्चय था कि हम शिखण्डी पर शस्त्र न चलावेंगे । इसलिये शिखण्डी
 की ओर से भीष्म का घात होने की सम्भावना थी । अतएव सब को सावधानी
 रखनी चाहिये :-

अरक्ष्यमाणं हि वृको हन्यात् सिंहं महाबलम् ।

मा सिंहं जम्बुकेनेव भातयेथाः शिखण्डिना ॥

["महाबलवान् सिंह की रक्षा न करे, तो भेडिया उसे मार डालेगा; इसलिये
 जम्बुक सदृश शिखण्डी से सिंह का घात न होने दो ।" शिखण्डी को छोड़ और
 दूसरे किसी की भी खबर लेने के लिये भीष्म अकेले ही समर्थ थे । किसी की सहायता
 की उन्हें अपेक्षा न थी ।]

(१२) (इतने में) दुर्योधन को हर्षति हुए प्रतापशाली वृद्ध कौरव पितामह
 (सेनापति भीष्म) ने सिंह की ऐसी बड़ी गर्जना कर (लड़ाई की सलामी के लिये)
 अपना शङ्ख फूँका । (१३) इनके साथ ही अनेक शङ्ख, भेरी (नीवतें), पणव,
 आनक और गोमुख (ये लड़ाई के वाजे) एकदम बजने लगे; और इन वाजों
 का नाद चारों ओर खूब गूँज उठा । (१४) अनन्तर सफेद घोड़ों से जुते हुए
 बड़े रथ में बैठे हुए माधव (श्रीकृष्ण) और पाण्डव (अर्जुन) ने (यह सूचना
 करने के लिये — कि अपने पक्ष की भी तैयारी है — प्रत्युत्तर के ढंग पर) दिव्य शङ्ख
 बजाये । (१५) हृषीकेश अर्थात् श्रीकृष्ण ने पाञ्चजन्य (नामक शङ्ख), अर्जुन ने
 देवदत्त, भयङ्कर कर्म करनेवाले वृकोदर अर्थात् भीमसेन ने पाण्डु नामक बड़ा शङ्ख

अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः ।
 नकुलः सहदेवश्च सुघोपमणिपुष्पकी ॥ १६ ॥
 काश्यश्च परमेष्ठ्यासः शिखण्डी च महारथः ।
 धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः ॥ १७ ॥
 द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते
 सौमद्रश्च महाबाहुः शंखान् दध्मुः पृथक् पृथक् ॥ १८ ॥
 स घोपो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्
 नमश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् ॥ १९ ॥
 § § अथ व्यवस्थितान्दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान्कपिध्वजः ।
 प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुस्वयम्य पाण्डवः ॥ २० ॥
 हृषीकेगं तदा वाक्यमिदमाह महीपते
 अर्जुन उवाच ।
 सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत ॥ २१ ॥
 यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् ।
 कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे ॥ २२ ॥
 योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः ।
 धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्दुद्धे प्रियचिकीर्षवः ॥ २३ ॥

फुंवा । (१६) कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनन्तविजय, नकुल और सहदेव ने सुघोप, एवं मणिपुष्पक, (१७) महाधनुर्धर काशिराज, महारथी शिखण्डी, धृष्टद्युम्न, विराट, तथा अजेय सात्यकि, (१८) द्रुपद और द्रौपदी के (पौत्रों) बेटे, तथा महाबाहु सौमद्र (अभिमन्यु) इन सब ने, हे राजा (धृतराष्ट्र) ! चारों ओर अपने अपने अग्नि शस्त्र बजाये । (१९) आवाज और पृथिवी को दहला देनेवाली उग्र तुमुल आवाज ने बौरवों का बलेजा फाट डाला ।

(२०) अनन्तर बौरवों को व्यवस्था से गटे देख, परम्पर एक दूसरे पर शस्त्रप्रहार होने का गमय आने पर कपिध्वज पाण्डव अर्जुन, (२१) हे राजा धृतराष्ट्र ! श्रीकृष्ण ने ये शब्द बोले - अर्जुन ने कहा - हे अच्युत ! मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चल कर गड़ा करो, (२२) इतने में युद्ध की इच्छा ने सीमार हुए इन लोगों को मैं अबलौवन करता हूँ, और मुझे हम रणमंग्राम में बिनके साथ रहना है. एव (२३) युद्ध में दुर्बुद्धि दुर्योग्यता का बन्धाण करने की

सञ्जय उवाच ।

एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत ।

सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् ॥ २४ ॥

इच्छा से यहाँ जो लड़नेवाले जमा हुए हैं, उन्हें मैं देख लूँ । सञ्जय बोला :- (२४) हे धृतराष्ट्र ! गुडाकेश अर्थात् आलस्य को जीतनेवाले अर्जुन के इस प्रकार कहने पर हृषीकेश अर्थात् ईश्वरो के स्वामी श्रीकृष्ण ने (अर्जुन के) उत्तम रथ को दोनों सेनाओं के मध्यभाग में ला कर खड़ा कर दिया; और -

[हृषीकेश और गुडाकेश शब्दों के जो अर्थ ऊपर दिये गये हैं, वे टीकाकारों के मतानुसार हैं । नारदपञ्चरात्र में भी 'हृषीकेश' की यह निरुक्ति है, कि हृषीक = इन्द्रियाँ और उनका ईश = स्वामी (ना पञ्च. ५. ८ १७) । और अमरकोश पर क्षीरस्वामी की जो टीका है, उसमें लिखा है, कि हृषीक (अर्थात् इन्द्रियाँ) शब्द हृप् = आनन्द देना, इस धातु से बना है । इन्द्रियाँ मनुष्य को आनन्द देनी हैं । इसलिये उन्हें हृषीक कहते हैं । तथापि, यह शब्दका होती, है, कि हृषीकेश और गुडाकेश का जो अर्थ ऊपर दिया गया है, वह ठीक है या नहीं? क्योंकि, हृषीक (अर्थात् इन्द्रियाँ) और गुडाका (और निद्रा या आलस्य) ये शब्द प्रचलित नहीं हैं । हृषीकेश और गुडाकेश इन दोनों शब्दों की व्युत्पत्ति दूसरी रीति से भी लग सकती है । हृषीक + ईश और गुडाका + ईश के बदले हृषी + केश और गुडा + केश ऐसा भी पदच्छेद किया जा सकता है; और फिर यह अर्थ हो सकता है, कि हृषी अर्थात् हर्ष से खडे किये हुए या प्रशस्त जिसके केश (बाल) हैं, वह श्रीकृष्ण और गुडा अर्थात् गड या घने जिसके केश हैं, वह अर्जुन । भारत के टीकाकार नीलकण्ठ ने गुडाकेश शब्द का यह अर्थ, गीता १०. २० पर अपनी टीका में विकल्प से सूचित किया है । और सूत के वाप का जो होमहर्षण नाम है, उससे हृषीकेश शब्द की उल्लिखित दूसरी व्युत्पत्ति को भी असम्भवनीय नहीं कह सकते । महाभारत के शान्तिपर्वान्तर्गत नारायणीयोपाख्यान में त्रिष्णु के मुख्य मुख्य नामों की निरुक्ति देते हुए यह अर्थ किया है, कि हृषी अर्थात् आनन्ददायक; और केश अर्थात् किरण । और कहा है, कि सूर्यचन्द्ररूप अपनी विभूतियों की किरणों से समस्त जगत् को हर्षित करता है, इसलिये उसे हृषीकेश कहते हैं (शान्ति. ३४१ ४७ और ३४२. ६४, ६५ देखो; उद्यो. ६९. ९) । और पहले श्लोको में कहा गया है, कि इसी प्रकार केशव शब्द भी केश अर्थात् किरण शब्द से बना है (शा. ३४१. ४७) इनमें कोई भी अर्थ क्यों न ले? पर श्रीकृष्ण और अर्जुन के ये नाम रखे जाने के सभी अंशों में योग्य कारण बतलाये जा नहीं सकते? लेकिन यह दोष निरुक्तिको का नहीं है । जो व्यक्तिवाचक या विशेष

भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् ।
 उवाच पार्थ पश्यैतान्समवेतान्कुरुनिति ॥ २५ ॥
 तत्रापश्यत्स्थितान्पार्थः पितृनथ पितामहान् ।
 आचार्यान्मातुलान्भ्रातृन्पुत्रान्पौत्रान्सखींस्तथा ॥ २६ ॥
 श्वशुरान्सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि ।
 तान्समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान्वधूनवस्थितान् ॥ २७ ॥
 कृपया परयाविष्टो विपीडन्नदिमत्रवीत ।

अर्जुन उवाच ।

§ § दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् ॥ २८ ॥
 सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति ।
 वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते ॥ २९ ॥
 गाण्डीवं स्रंसते हस्तास्त्वक्चैव परिदह्यते ।
 न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रयतीव च मे मनः ॥ ३० ॥
 निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव ।
 न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्या स्वजनमाहवे ॥ ३१ ॥

[नाम अत्यन्त सट हो गये हैं, उनकी निरवित्त बतलाने में इस प्रकार की अटबनों का आना या मतभेद हो जाना त्रिलोक महज बात है ।]

(२५) भीष्म, द्रोण तथा मव राजाओं के नामने (वे) बोले, कि " अर्जुन! यहाँ एकत्रित हुए इन कौरवों को देखो! " (२६) तब अर्जुन को दिखाई दिया, कि वहाँ पर डबडूटे हुए मव (अपने ही) बड़े-बूढ़े, आज्ञा, आचार्य, मामा, भाई, बेटे, नानी, मित्र, (२७) मगुर और म्नेही दोनों ही मनाओं में हैं । (और इस प्रकार) यह देख कर — कि वे मभी एवत्रित हमारे बान्धव हैं — युर्नीमुत्र अर्जुन (२८) परम कण्ठा मे व्याप्त होना हुआ म्त्रिप्त हो कर यह कहने लगा :-

अर्जुन ने पत्रा :- हे कृष्ण, मुझ बरने की दृष्ट्या मे (यहाँ) जमा हुए इन म्वजनो को देख कर (२९) मेरे गात्र निथिल हो रहे हैं, मूँह सूख रहा है, शरीर में कंपकंपी उठ कर गंए भी गूटे हों गये हैं; (३०) गाण्डीवं (घनुष्य) हाप से गिर पटना है; और मगीर में भी म्वंत्र दाह हो रहा है । खड़ा नहीं रहा जाता और मेग मन बबक-मा ग्या गया है । (३१) इसी प्रकार हे केशव ! (मुझे मव) लक्षण विरगीत दिग्ने हैं; और म्वजनो को मुझ में मार कर श्रेय अर्थात्

न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च ।
किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा ॥ ३२ ॥

येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च ।
त इमेऽवस्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च ॥ ३३ ॥

आचार्यः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः
मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा ॥ ३४ ॥

एतान्न हन्तुमिच्छामि न्नतोऽपि मधुसूदन ।
अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु महीकृते ॥ ३५ ॥

निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन ।
पापमेवाश्रयेदस्मान्हत्वैतानाततायिनः ॥ ३६ ॥

तस्मान्नाहार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान्स्ववान्धवान् ।
स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव ॥ ३७ ॥

कल्याण (होगा ऐसा) नहीं दीख पड़ता । (३२) हे कृष्ण ! मुझे विषय की इच्छा नहीं, न राज्य चाहिये और न सुख ही । हे गोविन्द ! राज्य, उपभोग या जीवित रहने से ही हमें उसका क्या उपयोग है ? (३३) जिनके लिये राज्य की, उपभोगों की और सुखों की इच्छा करनी थी, वे ही ये लोग जीव और सम्पत्ति की आशा छोड़ कर युद्ध के लिये खड़े हैं । (३४) आचार्य, बड़े-बूढ़े लड़के, दादा, मामा, ससुर, नाती, साले और सम्बन्धी, (३५) यद्यपि ये (हमें) मारने के लिये खड़े हैं, तथापि हे मधुसूदन ! त्रैलोक्य के राज्य तक के लिये, मैं (इन्हे) मारने की इच्छा नहीं करता । फिर पृथ्वी की बात है क्या चीज ? (३६) हे जनार्दन ! इन कौरवों को मार कर हमारा कौन-सा प्रिय होगा ? यद्यपि ये आततायी हैं, तो भी इनको मारने से हमें पाप ही लगेगा । (३७) इसलिये हमें अपने ही बान्धव कौरवों को मारना उचित नहीं है । हे माधव ! स्वजनों को मारकर हम सुखी क्योंकर होंगे ?

| अग्निदो गरदश्चैव शस्त्रपाणिर्घनापहाः । क्षेत्रदाराहरणचैव पडंते आततायिनः
| (वसिष्ठस्मृ. ३. १६) अर्थात् घर जलाने के लिये आया हुआ, विष देनेवाला,
| हाथ में हाथियार ले कर मारने के लिये आया हुआ, धन लूट कर ले जानेवाला
| और स्त्री या खेत हरणकर्ता - ये छः आततायी हैं । मनु ने भी कहा है, कि
| इन दुष्टों को वेधड़क जान से मार डाले, इसमें कोई पातक नहीं है (मनु. ८.
| ३५०, ३५१) ।

भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् ।
 उवाच पार्थ पश्यैतान्समवेतान्कुरूनिति ॥ २५ ॥
 तत्रापद्यत्स्थितान्पार्थः पितृनय पितामहान् ।
 आचार्यान्मातुलान्भ्रातृन्पुत्रान्पौत्रान्तस्त्रींस्तथा ॥ २६ ॥
 श्वशुरान्सुहृद्दक्षैव सेनयोरुभयोरपि ।
 तान्समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान्वधूनवस्थितान् ॥ २७ ॥
 कृपया परयाविष्टो विपीदन्निदमब्रवीत् ।

अर्जुन उवाच ।

६५ दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् ॥ २८ ॥
 सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति ।
 वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते ॥ २९ ॥
 गाण्डीवं संसते हस्तात्त्वक्चैव परिदह्यते ।
 न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रयतीव च मे मनः ॥ ३० ॥
 निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव ।
 न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्या स्वजनमाहवे ॥ ३१ ॥

[नाम अत्यन्त दृढ हो गये हैं, उनकी निष्कित बतलाने में इस प्रकार की अदृचनों
 का आना या मतभेद हो जाना विलम्ब महज बात है ।]

(२५) भीष्म, द्रोण तथा मय राजाओं के नामने (वे) बोले, कि " अर्जुन! यहाँ एकत्रित
 हुए इन कौरवों को देखो! " (२६) तब अर्जुन को दिखाई दिया, कि वहाँ पर इकट्ठे
 हुए मय (अपने ही) बड़े-बूढ़े, आज्ञा, आचार्य, मामा, भाई, बेटे, नानी, मित्र, (२७)
 समुर और स्नेही दोनों ही मिनाओं में हैं । (और इस प्रकार) यह देख कर — कि वे
 सभी एकत्रित हमारे वाग्धव हैं — पुन्तीपुत्र अर्जुन (२८) परम कृष्ण से व्याप्त
 होता हुआ गिर हो कर यह कहने लगा :-

अर्जुन ने कहा :- हे कृष्ण, युद्ध करने की इच्छा मे (यहाँ) जमा हुए
 इन स्वजनों को देख कर (२९) मेरे गात्र जिविल हो रहे हैं, मुँह सूख रहा
 है, शरीर में बँपेपों उठ कर गोएँ भी गूठे हो गये हैं; (३०) गाण्डीव (धनुष्य)
 हाथ मे गिर पटना है, और शरीर में भी मवंत्र दाह हो रहा है । घटा नहीं रहा
 जाता और मेरा मन परहर-मा खा गया है । (३१) इसी प्रकार हे केशव ! (मुझे
 मय) लक्षण विनोद दिग्गने हैं; और स्वजनों को युद्ध में मार कर श्रेय अर्पान्

न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च ।
किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा ॥ ३२ ॥

येपामर्ये कांक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च ।
त इमेऽवस्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च ॥ ३३ ॥

आचार्यः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः
मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा ॥ ३४ ॥

एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन ।
अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु महीकृते ॥ ३५ ॥

निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन ।
पापमेवाश्रयेदस्मान्हत्वैतानाततायिनः ॥ ३६ ॥

तस्मान्नाहर्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान्स्वबान्धवान् ।
स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव ॥ ३७ ॥

करयाण (होगा ऐसा) नहीं दीख पडता । (३२) हे कृष्ण ! मुझे विषय की इच्छा नहीं, न राज्य चाहिये और न सुख ही । हे गोविन्द ! राज्य, उपभोग या जीवित रहने से ही हमे उसका क्या उपयोग है ? (३३) जिनके लिये राज्य की, उपभोगो की और सुखो की इच्छा करनी थी, वे ही ये लोग जीव और सम्पत्ति की आशा छोड कर युद्ध के लिये खडे है । (३४) आचार्य, बडे-बूडे लडके, दादा, मामा, ससुर, नाती, साले और सम्बन्धी, (३५) यद्यपि ये (हमें) मारने के लिये खडे है, तथापि हे मधुसूदन ! त्रैलोक्य के राज्य तक के लिये, मैं (इन्हे) मारने की इच्छा नहीं करता । फिर पृथ्वी की बात है क्या चीज ? (३६) हे जनार्दन ! इन कौरवो को मार कर हमारा कौन-सा प्रिय होगा ? यद्यपि ये आततायी है, तो भी इनको मारने से हमें पाप ही लगेगा । (३७) इसलिये हमें अपने ही बान्धव कौरवो को मारना उचित नहीं है । हे माधव ! स्वजनो को मारकर हम सुखी क्योकर होगे ?

अग्निदो गरदश्चैव शस्त्रपाणिर्घनापहा । क्षेत्रदारहरश्चैव पडते आततायिन
(वसिष्ठस्मृ ३ १६) अर्थात् घर जलाने के लिये आया हुआ, विष देनेवाला, हाथ मे हाथियार ले कर मारने के लिये आया हुआ, धन लूट कर ले जानेवाला और स्त्री या खेत हरणकर्ता - ये छ आततायी है । मनु ने भी कहा है, कि इन दुष्टो को बेघडक जान से मार डाले, इसमें कोई पातक नहीं है (मनु ८ ३५०, ३५१) ।

५५ यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः ।

कुलक्षयकृतं दोषं मित्रदोहे च पातकम् ॥ ३८ ॥

कथं न ह्येयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम् ।

कुलक्षयकृतं दोषं प्रपद्यद्भिर्जनार्दन ॥ ३९ ॥

कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातना ।

धर्मं नष्टे कुलं कृत्स्नमधर्मोऽभिभवत्युत ॥ ४० ॥

(३८) लोभ से जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है, उन्हें कुल के क्षय में होनेवाला दोष और मित्रदोह का पातक यद्यपि दिखाई नहीं देता, (३९) तथापि हे जनार्दन ! कुलक्षय का दोष हमें स्पष्ट देख पड़ रहा है। अतः इस पाप में पराङ्मुख होने की बात हमारे मन में आवे बिना कैसे रहेगी ?

[प्रथम से ही यह प्रत्यक्ष हो जाने पर — कि युद्ध में गुरुवध, सहृदय और कुलक्षय होगा — टाईमम्बन्धी अपने अनर्थ के विषय में अर्जुन को जो व्यामोह हुआ, उसका क्या बीज है ? गीता में आगे प्रतिपादन है, उसमें इसका क्या मन्वन्ध है ? और उस दृष्टि में प्रथमाध्याय का कौन-सा महत्त्व है ? — इन सब प्रश्नों का विचार गीतारहस्य के पहले और फिर चौदहवें प्रकरण में हमने किया है, उसे देखो। इस स्थान पर ऐसी साधारण युक्तियों का उल्लेख किया गया है। जैसे, लोभ में बुद्धि नष्ट हो जाने के कारण दुष्टों को अपनी दुष्टता जान न पड़ती हो, तो चतुर पुरुषों को दुष्टों के फन्दे में पड़ कर दुष्ट न होना चाहिये — 'न पापे प्रतिपाप म्यात्' — उन्हें चुप रहना चाहिये। इन साधारण युक्तियों का ऐसे प्रसङ्ग पर वहाँ तब उपयोग किया जा सकता है, अथवा करना चाहिये ? यह भी ऊपर के ममान ही एक महत्त्व का प्रश्न है। और इसका गीता के अनुसार जो उत्तर है, उसका हमने गीतारहस्य के बारहवें प्रकरण (पृष्ठ ३९३-३९८) में निरूपण किया है। गीता के आगे अध्यायों में जो विवेचन है, वह अर्जुन की उन शक्याओं की निवृत्ति करने के लिये है, कि जो उसे पहले अध्याय में हुई थी। इन बात पर ध्यान दिये रहने में गीता का तात्पर्य ममप्रति में किसी प्रकार का मन्देह नहीं रह जाता। भाग्यीय युद्ध में एक ही गच्छ और धर्म के लोभों में पड़ हो गई थी, और वे परस्पर मरने-मारने पर उताव हो गये थे। इसी कारण में उसका सबकुछ उल्टा हुई है। अर्वाचीन इतिहास में जहाँ जहाँ ऐसे प्रसङ्ग आये हैं, यहाँ ऐसे ही प्रश्न उभरते हुए हैं। अस्तु आगे कृत्स्न में जो जो अनर्थ होते हैं, उन्हें अर्जुन स्पष्ट कर सकता है।]

(४०) कृत्स्न का क्षय ज्ञान में मनातन कृत्स्नमें नष्ट होने है, (कृत्स्न) धर्मों के

अधर्माभिभवात्कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः ।

स्त्रीषु दुष्टासु वाष्ण्येय जायते वर्णसङ्करः ॥ ४१ ॥

सङ्करो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च ।

पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः ॥ ४२ ॥

दापैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः ।

उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः ॥ ४३ ॥

उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन ।

नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम ॥ ४४ ॥

§§ अहो वत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयम् ।

यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः ॥ ४५ ॥

यदि मामप्रतीकारमशस्त्रं शस्त्रपाणयः ।

धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत् ॥ ४६ ॥

छूटने से समूचे कुल पर अधर्म की घाक जमती है । (४१) हे कृष्ण ! अधर्म के फैलने से कुलस्त्रियाँ विगड़ती हैं । हे वाष्ण्येय ! स्त्रियों के विगड़ जाने पर वर्णसङ्कर होता है । (४२) और वर्णसङ्कर होने से वह कुलघातक को और (समग्र) कुल को निश्चय ही नरक में ले जाता है; एव पिण्डदान और तर्पणादि क्रियाओं के लुप्त हो जाने से उनके पितर भी पतन पाते हैं । (४३) कुलघातको के इन वर्णसङ्करकारक दोषों से पुरातन जातिधर्म और कुलधर्म उत्सन्न होते हैं । (४४) और हे जनार्दन ! हम ऐसा सुनते आ रहे हैं, कि जिन मनुष्यों के कुलधर्म विच्छिन्न हो जाते हैं, उनको निश्चय ही नरकवास होता है ।

(४५) देखो तो सही ! मम राज्य-सुख-लोभ से स्वजनो को मारने के लिये उद्यत हुए हैं, (सचमुच) यह हमने एक बड़ा पाप करने की योजना की है ! (४६) इसकी अपेक्षा मेरा अधिक कल्याण तो इसमें होगा, कि मैं निःशस्त्र हो कर प्रतिकार करना छोड़ दूँ; (और ये) शस्त्रधारी कौरव मुझे रण में मार डालें । सन्जय ने कहा :—

[रथ में खड़े हो कर युद्ध करने की प्रणाली थी । अतः ' रथ में अपने स्थान पर बैठ गया ' इन शब्दों से यही अर्थ अधिक व्यक्त होता है, कि खिन्न हो जाने के कारण युद्ध करने की उसे इच्छा न थी । महाभारत में कुछ स्थलों पर इन रथों का जो वर्णन है, उससे दीख पड़ता है, कि भारतकालीन रथ प्रायः दो पहियों के होते थे; बड़े-बड़े रथों में चार-चार घोड़े जोते जाते थे; और रथी एव सारथी दोनों अगले भाग में परस्पर एक दूसरे की आजूबाजू में बैठते थे । रथ

सञ्जय उवाच ।

एवमुक्त्वाऽर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् ।

विसृज्य सशरं चापं शोकसंविशमानसः ॥ ४७ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतानु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे
अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

(४७) इस प्रकार रणभूमि में भाषण कर, शोक से व्यथितचित्त अर्जुन (हाथ का) धनुष्य-ब्राण त्याग कर रथ में अपने स्थान पर योही बैठ गया ।

[की पहचान के लिये प्रत्येक रथ पर एक प्रकार की विशेष ध्वजा लगी रहती थी ।
| यह बात प्रसिद्ध है, कि अर्जुन की ध्वजा पर प्रत्यक्ष हनुमान ही बैठे थे ।]

इस प्रकार श्रीभगवान् के गाये हुए — अर्थात् कहे हुए — उपनिषद् में ब्रह्म-विद्यान्तर्गत योग — अर्थात् कर्मयोग — शास्त्रविषयक श्रीकृष्ण और अर्जुन के संवाद में अर्जुनविषादयोग नामक पहला अध्याय समाप्त हुआ ।

[गीतारहस्य के पहले (पृष्ठ ३), तीसरे (पृष्ठ ६०), और ग्यारहवें (पृष्ठ ३५३) प्रकरण में इस सदकल्प का ऐसा अर्थ किया गया है, कि गीता में केवल ब्रह्मविद्या ही नहीं है, किन्तु उसमें ब्रह्मविद्या के आधार पर कर्मयोग का प्रतिपादन किया गया है । यद्यपि यह सदकल्प महाभारत में नहीं है, परन्तु यह गीता पर संन्यासमार्गी टीका होने के पहले का होगा । क्योंकि, संन्यासमार्ग का कोई भी पण्डित ऐसा सदकल्प न लिखेगा । और इससे यह प्रकट होता है, कि गीता में संन्यासमार्ग का प्रतिपादन नहीं है । किन्तु कर्मयोग का शास्त्र समझ कर संवाद रूप में विवेचन है । संवादात्मक और शास्त्रीय पद्धति का भेद रहस्य के चौदहवें प्रकरण के आरम्भ में बतलाया गया है ।]

द्वितीयोऽध्यायः ।

सञ्जय उवाच ।

तं तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् ।
विपीडन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः ॥ १ ॥

श्रीभगवानुवाच ।

कुतस्त्वा कश्मलमिदं विपमे समुपस्थितम् ।
अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यमकीर्तिकरमर्जुन ॥ २ ॥
क्लैत्र्यं मा स्म गमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते ।
क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्तवोत्तिष्ठ परन्तप ॥ ३ ॥

अर्जुन उवाच ।

§ § कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन ।
इपभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन ॥ ४ ॥

दूसरा अध्याय

सञ्जय ने कहा :- (१) इस प्रकार कहुणा से व्याप्त, आँखों में आँसू भरे हुए और विपाद पानेवाले अर्जुन से मधुसूदन (श्रीकृष्ण) यह बोले - श्रीभगवान् ने कहा :- (२) हे अर्जुन! सडकट के इस प्रसङ्ग पर तेरे (मन में) यह मोह (कश्मल) कहाँ से आ गया, जिसका कि आर्य अर्थात् सत्पुरुषों ने (कभी) आचरण नहीं किया, जो अधोगति को पहुँचानेवाला है, और जो दुष्कीर्तिकारक है? (३) हे पार्थ! ऐसा नामदं मत हों! यह तुझे शोभा नहीं देता। अरे, शत्रुओं को ताप देनेवाले! अन्तःकरण की इस क्षुद्र दुर्बलता को छोड़ कर (युद्ध के लिये) खडा हो!

[इस स्थान पर हमने 'परन्तप' शब्द का अर्थ कर तो दिया है; परन्तु बहुतेरे टीकाकारों का यह मत हमारी राय में युक्तिसङ्गत नहीं है, कि अनेक स्थानों पर आनेवाले विशेषरूपी सम्बोधन या कृष्ण-अर्जुन के नाम गीता में हेतुर्गमित अथवा अभिप्रायसहित प्रयुक्त हुए हैं। हमारा मत है, कि पद्यरचना के लिये अनुकूल नामों का प्रयोग किया गया है; और उनमें कोई विशेष अर्थ उद्दिष्ट नहीं है। अतएव कई बार हमने श्लोक में प्रयुक्त नामों का ही हूबहू अनुवाद न कर 'अर्जुन' या 'श्रीकृष्ण' ऐसा साधारण अनुवाद कर दिया है।]

अर्जुन ने कहा :- (४) हे मधुसूदन! मैं (परम-) पूज्य भीष्म और द्रोण

गुरुनहत्वा हि महानुभावान श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके ।

हत्वार्थकामास्तु गुरुनिर्हैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान ॥ ५ ॥

न चैतद्विद्म कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः ।

यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेऽवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः ॥ ६ ॥

कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वा धर्मसम्मूढचेताः ।

यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् ॥ ७ ॥

के साथ युद्ध में बाणों से कैसे लड़ेंगा? (५) महात्मा गुरु लोगों को न मार कर इस लाल में भीख मांग करके पेट पानना भी श्रेयस्वर है, परन्तु अयंलोलुप (हा तो भी) गुरु लोग का मार कर इसी जगत् में मुझे उनके स्वत मे मने हुए भोग भोगने पड़ेंगे ।

['गुरु लोगो दत्त बहुवचनान्त शब्द से 'बटे-बुढो' का ही अर्थ लेना चाहिए। क्याकि, विद्या सिखानवाला गुरु एक द्रोणाचार्य को छोड़ सेना में और कोई दूसरा न था। युद्ध छिड़ने के पहले जब ऐसे गुरु लोगो - अर्थात् भीष्म, द्रोण और शल्य - की पादबन्दना कर उनका आशीर्वाद लेने के लिये युधिष्ठिर रणाङ्गण में अपना वज्र उतार कर नम्रता में उनके ममीप गये, तत्र शिष्टसम्प्रदाय का उचित पारन करनेवाले युधिष्ठिर का अभिनन्दन कर मत्र ने इसका कारण बताया, कि दुर्योधन की ओर मे हम क्या लड़ेंगे ?

अयंस्य पुरुषो दासो दासस्त्वय्यो न कस्यचित् ।

इति सत्य महाराज बद्धोऽस्म्ययं कौरवः ॥

'नच तो यह है, कि मनुष्य अयं का गुलाम है। अयं किसी का गुलाम नहीं। इत्यर्थ, हे युधिष्ठिर महाराज! कौरवो ने मुझे अयं में जकड़ रखा है' (म मा भी अ ४३ श्लो ३५, ५०, ७६)। ऊपर जो यह 'अयंलोलुप' शब्द है, वह इसी श्लोक के अयं का घानक है।]

(६) हम जय प्राप्त करें या हमें (वे लोग) जीत ले - इन दोनों बातों में श्रेयस्वर कौन है, यह भी गमन नहीं पड़ता। जिन्हें मार कर फिर जीवित रहने की इच्छा नहीं, वे ही य कौरव (युद्ध के लिये) मामन उठे हैं।

['गरीय' शब्द स प्रयत्न होता है, कि अर्जुन के मन में 'अधिकान् लोगो के अधिक गुण' के समान कर्म और अपमं की लक्ष्मणा-गुणा टहराने की कमीटी थी। पर वह इस बात का निर्णय नहीं कर सकता था, कि उस कमीटी के अनुसार किमती जीत हान में भगद है? गीतारहस्य प्र ८, पृ ८४-८७ दया।]

(७) दीनता न मरी स्वामाविव वृत्ति नष्ट हो गई। (मुझे अन्न) घर्म अर्थात् कर्तव्य का मन में भाह हो गया है। इमान्ति में तुमम पूछना है। जा निरवय मे श्रेयस्वर

न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् ।
अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् ॥ ८ ॥

सञ्जय उवाच ।

एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तप ।
न योत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तूर्णो बभूव ह ॥ ९ ॥
तमुवाच हृषीकेश प्रहसन्निव भारत ।
सेनयोरुभयोर्मध्ये विपीदन्तमिदं वचः ॥ १० ॥

हो, वह मुझे बतलाओ। मैं तुम्हारा शिष्य हूँ। मुझ शरणागत को समझाइये।
(८) क्योंकि पृथ्वी का निष्कण्टक समृद्ध राज्य या देवताओं (स्वर्ग) का भी स्वामित्व मिल जाय, तथापि मुझे ऐसा कुछ भी (साधन) नहीं नजर आता, कि जो इन्द्रियों को सुखा डालनेवाले मेरे इस शोक को दूर करे। सञ्जय ने कहा :-
(९) इस प्रकार शत्रुसन्तापी गुडाकेश अर्थात् अर्जुन ने हृषीकेश (श्रीकृष्ण) से कहा; और 'मैं न लड़ूँगा' कह कर वह चुप हो गया। (१०) (फिर) हे भारत (धृतराष्ट्र) ! दोनों सेनाओं के बीच खिन्न होकर बैठे हुए अर्जुन से श्रीकृष्ण कुछ हँसते हुए-से बोले।

[एक ओर तो क्षत्रिय का स्वधर्म और दूसरी ओर गुरुहत्या एव कुलक्षय के पातको का भय - इस खीचातानी में 'मरे या मारे' - के झमेले में पड़ कर भिक्षा माँगने के लिये तैयार हो जानेवाले अर्जुन को अब भगवान् इस जगत् में उसके सच्चे कर्तव्य का उपदेश करते हैं। अर्जुन की शङ्का थी, कि लड़ाई जैसे कर्म से आत्मा का कल्याण न होगा। इसी से जिन उदार पुरुषों ने परब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर अपने आत्मा का पूर्ण कल्याण कर लिया है, वे इस दुनिया में वँसा वर्ताव करते हैं? यही से गीता के उपदेश का आरम्भ हुआ है। भगवान् कहते हैं, कि ससार की चाल-टाल के परखने से दीख पड़ता है, कि आत्मज्ञानी पुरुषों के जीवन विताने के अनादिकाल से दो मार्ग चले आ रहे हैं (गीता ३. ३, और गीतार. प्र. ११ देखो)। आत्मज्ञान सपादन करने पर शुकसरीखे पुरुष ससार छोड़ कर आनन्द से भिक्षा माँगते फिरते हैं, तो जनकसरीखे दूसरे आत्मज्ञानी ज्ञान के पश्चात् भी स्वधर्मानुसार लोगों के कल्याणार्थ ससार के सैकड़ों व्यवहारों में अपना समय लगाया करते हैं। पहले मार्ग को साध्य या साध्यनिष्ठा कहते हैं, और दूसरे को कर्मयोग या योग कहते हैं (श्लोक ३.९ देखो)। यद्यपि दोनों निष्ठाएँ प्रचलित हैं, तथापि इनमें कर्मयोग ही अधिक श्रेष्ठ है - गीता का यह सिद्धान्त आगे बतलाया जावेगा (गीता ५. २)। इन दोनों निष्ठाओं में से अब अर्जुन के मन की चाह गी. २. ४०

श्रीभगवानुवाच ।

§§ अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भापसे ।

गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डितः ॥ ११ ॥

न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः ।

न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतःपरम् ॥ १२ ॥

सन्यामनिष्ठा की ओर ही अधिक बढ़ी हुई थी। अतएव उमी मार्ग के तत्त्वज्ञान में पहले अर्जुन की भूल उसे मुझा दी गई है, और आगे ३९ वें श्लोक में कर्मयोग का प्रतिपादन करना भगवान् ने आरम्भ कर दिया है। साध्यमार्गवाले पुरुष ज्ञान के पश्चात् कर्म भले ही न करते हों; पर उनका ब्रह्मज्ञान और कर्मयोग का ब्रह्मज्ञान कुछ जुदा-जुदा नहीं। तब साध्वनिष्ठा के अनुसार देखने पर भी आत्मा यदि अविनाशी और नित्य है, तो फिर वक्त्र व्यर्थ है, कि " मैं अमुक को बँने मानूँ ? । " इस प्रकार निश्चित उपहामपूर्वक अर्जुन में भगवान् का प्रथम वचन है।]

श्रीभगवान् ने कहा :- (११) जिनका शोक न करना चाहिये, तू उन्हीं का शोक कर रहा है; और ज्ञान की बातें करता है। किमी के प्राण (चाहे) जायें या (चाहे) रहें; ज्ञानी पुरुष उनका शोक नहीं करते।

[इस श्लोक में यह कहा गया है, कि पण्डित लोग प्राणों के जाने या रहने का शोक नहीं करते। इसमें जाने का शोक करना तो मामूली बात है। उन न करने का उपदेश करना उचित है। पर टीकाकारों ने प्राण रहने का शोक बँमा और क्यों करना चाहिये। यह शक्य करने बहुत कुछ चर्चा की है; और कई एकां ने कहा है, कि मूर्ख एव अज्ञानी लोगों का प्राण रहना, यह शोक या ही कारण है। किन्तु इतनी बात की खात्र निकालने रहने की अपेक्षा ' शोक करना ' शब्द का ही ' भग या बुग गगना ' अथवा ' परवाह करना ' ऐसा व्यापक अर्थ करने में कोई भी अटकन रह नहीं जाती। यहाँ इतना ही बसनाव्य है, कि ज्ञानी पुरुष को संतां बातें एत ही नीं होंगी है।]

(१२) देखो न, ऐसा तो है ही नहीं, कि मैं (पहले) कभी न था। तू और मैं गता योग (पहले) न थे। और ऐसा भी नहीं हो सकता, कि हम सब लोग अब आगे न होंगे।

दहिनोऽस्मिन्यया देहे कौमारं यौवनं जरा ।
तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति ॥ १३ ॥

§§ मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः ।
आगमापायिनोऽनित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत ॥ १४ ॥

[स्थान पर प्रतिपाद्य इतना ही है, कि सभी नित्य है । उनका पारस्परिक सम्बन्ध
यहाँ बतलाया नहीं है; और बतलाने की कोई आवश्यकता भी न थी । जहाँ
वैसा प्रसंग आया है, वहाँ गीता में ही ऐसा अद्वैत सिद्धान्त (गीता ८. ४; १३. ३१)
स्पष्ट रीति से बतलाया दिया है, कि समस्त प्राणियों के शरीरों में, देहधारी
आत्मा में अर्थात् एक ही परमेश्वर हैं ।]

(१३) जिस प्रकार देह धारण करनेवाले को इस देह में बालपन, जवानी, और बुढ़ापे
प्राप्त होता है, उसी प्रकार (आगे) दूसरी देह प्राप्त हुआ करती है । (इसलिये)
इस विषय में ज्ञानी पुरुष को मोह नहीं होता ।

[अर्जुन के मन में यही तो बड़ा डर या मोह था, कि 'अमुक को, मैं
कैसे मारूँ ।' इसलिये उसे दूर करने के निमित्त तत्त्व की दृष्टि से भगवान् पहले
इसी का विचार बतलाते हैं, कि मरना क्या है और मारना क्या है (श्लोक
११-३०) ? मनुष्य केवल देहरूपी निरी वस्तु ही है; वरन् देह और आत्मा का
समुच्चय है । इनमें - अहङ्काररूप से व्यक्त होनेवाला आत्मा नित्य और असुर
है । वह आज है, कल था और कल भी रहेगा ही । अतएव मरना या मारना
शब्द इसके लिये उपयुक्त ही नहीं किये जा सकते; और उसका शोक भी न करना
चाहिये । अब बाकी रह गई देह; सो यह प्रकट ही है, कि वह अनित्य और नाशवान्
है । आज नहीं तो कल, कल नहीं तो सौ वर्ष में सही; उसका तो नाश होने ही
का है - "अथ द्वादशशतान्ते वा मृत्युर्वे प्राणिनश्चरुः" (भाग. १०. १ ३८);
और एक देह छूट भी गई, तो कर्मों के अनुसार आगे दूसरी देह मिले बिना नहीं
रहती । अतएव उसका भी शोक करना उचित नहीं । साराश देह या आत्मा,
दोनों दृष्टियों से विचार करे, तो सिद्ध होता है, कि मरे हुए का शोक करना
पागलपन है । पागलपन भले ही हो; पर यह अवश्य बतलाना चाहिये, कि वर्तमान
देह का नाश होते समय जो क्लेश होते हैं, उनके लिये शोक क्यों न करे ? अतएव
अब भगवान् इस कायिक सुखदुःखों का स्वरूप बतला कर दिखलाते हैं, कि उनका
भी शोक करना उचित नहीं है ।]

(१४) हे कुन्तिपुत्र ! शीतोष्ण या सुखदुःख देनेवाले, मात्राओं अर्थात्
ब्राह्मसृष्टि के पदार्थों के (इन्द्रियों से) जो सयोग है, उनकी उत्पत्ति होती है और
नाश होता है । (अतएव) वे अनित्य अर्थात् विनाशवान् हैं । हे भारत ! (शोक

यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ ।

समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते ॥ १५ ॥

न करके) उनको तू सहन कर । (१५) क्योंकि, हे नरश्रेष्ठ ! मुख और दुःख को समान माननेवाले जिम ज्ञानी पुरुष को उनकी व्यथा नहीं होती, वही अमृतत्व अर्थात् अमृत ब्रह्म की स्थिति को प्राप्त कर लेने में समर्थ होता है ।

[जिम पुरुष को ब्रह्मात्मब्रह्मज्ञान नहीं हुआ और इर्मालिये जिने नाम-रूपात्मक जगत् मिथ्या नहीं जान पडा है, वह बाह्य पदार्थों और इन्द्रियों के मयोग में होनेवाले शीत-उष्ण आदि या मुखदुःख आदि विचारों को मत्व मान कर आत्मा में उनका अध्यास किया करना है; और इस कारण से उसको दुःख की पीडा होती है। परन्तु जिमने यह जान लिया है, कि ये सभी विचार प्रकृति के हैं (आत्मा अकर्ता और अलिप्त है), उमे मुख और दुःख एक ही मे हैं। अब अर्जुन मे भगवान् यह कहते हैं, कि इस समबुद्धि से तू उनको सहन कर। और यही अर्थ अगले अध्याय में अधिक विस्तार मे वर्णित है। शाकर-भाष्य में 'मात्र' शब्द का अर्थ इस प्रकार किया है :- 'भीयते एभि रिति मात्राः' अर्थात् जिमने बाहरी पदार्थ मापे जाते हैं या ज्ञात होते हैं, उन्हें इन्द्रियां कहते हैं। पर मात्रा का इन्द्रिय अर्थ न करके कुछ लोग ऐसा भी अर्थ करते हैं, कि इन्द्रियों से मापे जानेवाले शब्द-रूप आदि बाह्य पदार्थों को मात्रा कहते हैं; और उनका इन्द्रियों से जो स्पर्श अर्थान् मयोग होता है उमे मात्रा-स्पर्श कहते हैं। इसी अर्थ को हमने स्वीकृत किया है। क्योंकि, इस श्लोक के विचार गीता में आगे जहाँ पर आये हैं। (गीता ५. २१-२३) वहाँ 'बाह्यस्पर्श' शब्द है। और 'मात्रास्पर्श' शब्द का हमारे किये हुए अर्थ के समान अर्थ करने मे इन दोनों शब्दों का अर्थ एक ही गा हो जाता है। तथापि इस प्रकार ये दोनों शब्द मिलने-जुलने हैं, तो भी मात्रास्पर्श शब्द पुराना दीर्घ पडता है। क्योंकि मनुस्मृति (६. ५७) में इसी अर्थ में मात्रामद्यग शब्द आया है; और बृहदारण्य-कोपनिषद् में वर्णन है, कि मरने पर ज्ञानी पुरुष के आत्मा का मात्राओं से अमगर्ग (मात्राजमर्ग) होता है। अर्थान् वह मुक्त हो जाता है; और उमे मजा नहीं रहती (यु माध्य ४. ५. १८; वे. सू. शा. भा. १. ४. २२)। शीतोष्ण और सुखदुःख पद उपलक्षणरूपक हैं। इनमें गग-द्वेष, मत्-अमत् और मृषु-अमरुष्य इत्यादि परस्परविरोधी द्वन्द्वों का समावेश होता है। ये मत्र माया-गुण्टि मे द्वन्द्व हैं। इसलिये प्रकट है, कि अनित्य मायागुण्टि के इन द्वन्द्वों को शान्ति-प्राप्त कर कर इन द्वन्द्वों से बुद्धि को छुटाव बिना ब्रह्मप्राप्ति नहीं होती (गीता २. ४५; ७. २८ और गीता ८. १५ २०६ और २. ८५-२४७ देखो)। अध्यात्म-मात्र को दृष्टि से इसी अर्थ को व्यक्त कर दिखलाने हैं :-]

§ § नासतो विद्यते भावो नामावो विद्यते सतः ।

उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिमिः ॥ १६ ॥

(१६) जो नहीं (असत्) है, वह हो ही नहीं सकता; और जो है, (सत्) उसका अभाव नहीं होता। तत्त्वज्ञानी पुरुषों ने 'सत् और असत्' दोनों का अन्त देख लिया है— अर्थात् अन्त देय कर उनके स्वरूप का निर्णय किया है।

[इमं श्लोक के 'अन्त' शब्द का अर्थ और 'राद्धान्त', 'सिद्धान्त' एवं 'वृत्तान्त' शब्दों (गीता १८. १३) के 'अन्त' का अर्थ एक ही है। शाश्वतकोश (३८१) में 'अन्त' शब्द के ये अर्थ हैं— 'स्वप्नप्रान्तयोरन्तमन्तिकेऽपि प्रयुज्यते।' इस श्लोक में सत् का अर्थ ब्रह्म और असत् का अर्थ नामरूपात्मक दृश्य जगत् है (गीतार. प्र. ९ पृष्ठें २२६-२२७, और २४५-२४७ देखो)। स्मरण रहे, कि 'जो है, उसका अभाव नहीं होता' इत्यादि तत्त्व देखने में यद्यपि सत्कार्यवाद के समान दीख पड़े तो भी उनका अर्थ कुछ निराला है। जहाँ एक वस्तु से दूसरी वस्तु निर्मित है— उदा०, बीज से वृक्ष— वहाँ सत्कार्यवाद का तत्त्व उपयुक्त होता है। प्रस्तुत श्लोक में इस प्रकार का प्रश्न नहीं है। वक्तव्य इतना ही है, कि सत् अर्थात् जो है, उसका अस्तित्व (भाव) और असत् अर्थात् जो नहीं है उसका अभाव, ये दोनों नित्य यानी सदैव कायम रहनेवाले हैं। इस प्रकार श्रम से दोनों के भाव-अभाव को नित्य मान लें, तो आगे फिर आप-ही आप कहना पड़ता है, कि जो 'सत्' उसका नाश हो कर उसका 'असत्' नहीं हो जाता। परन्तु यह अनुमान, और सत्कार्यवाद में पहले ही ग्रहण की हुई एक वस्तु की कार्यकारणरूप उत्पत्ति, ये दोनों एक सी नहीं हैं (गीतार. प्र. ७ पृ १५६)। माध्वभाष्य में इस श्लोक के 'नासतो विद्यते भावः' इस पहले चरण के 'विद्यते भावः' का 'विद्यते + अभावः' ऐसा परिच्छेद है और उसका यह अर्थ किया है, कि असत् यानी अव्यक्त-प्रकृति का अभाव, अर्थात् नाश नहीं होता। और जब कि दूसरे चरण में यह कहा है; कि सत् का भी नाश नहीं होता, तब अपने द्वैती सम्प्रदाय के अनुसार मध्वाचार्य ने इन श्लोक का ऐसा अर्थ किया है, कि सत् और असत् दोनों नित्य हैं। परन्तु यह अर्थ सरल नहीं है। इममें खीचातानी है। क्योंकि स्वाभाविक रीति से दीख पड़ता है, कि परस्परविरोधी अमन् और सत् शब्दों के समान ही अभाव और भाव ये दो विरोधी शब्द भी इस स्थल पर प्रयुक्त हैं। एव दूसरे चरण में अर्थात् 'नाभावो विद्यते सतः' यहाँ पर 'नाभावो' में यदि अभाव शब्द ही टेना पड़ता है, तो प्रकट है, कि पहले में भाव शब्द ही रहना चाहिये। इसके अतिरिक्त यह कहने के लिये— कि अमत् और सत् ये दोनों नित्य हैं— 'अभाव' और 'विद्यते' इन पदों के दो बार प्रयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं। किन्तु मध्वाचार्य के कथनानुसार यदि इमं

अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् ।

विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित्कर्तुमर्हति ॥ १७ ॥

अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः ।

अनाशिनोऽप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत ॥ १८ ॥

द्विरुक्ति को आदराय मान भी ले, तो आगे अठारहवें श्लोक में स्पष्ट कहा है, कि व्यक्त या दृश्यमूर्ति में आनेवाले मनुष्य का शरीर नाशवान् अर्थात् अनित्य है। अतएव आत्मा के साथ ही माय भगवद्गीता के अनुसार, देह को भी नित्य नहीं मान सकते। प्रकट रूप से सिद्ध होता है कि एक नित्य है और दूसरा अनित्य। पाठकों को यह दिखलाने के लिये - कि साम्प्रदायिक दृष्टि से कैसी खीचानानी की जाती है? - हमने नमूने के ढंग पर यहाँ इस श्लोक का माध्वभाष्यवाच्य अर्थ लिख दिया है। अस्तु जो सत् है, वह कभी नष्ट होने का नहीं। अतएव मत्स्वरूपी आत्मा का शोक न करना चाहिये। और तत्त्व की दृष्टि से नामरूपात्मक देह जादि अथवा मुच-दुख आदि विकास मूल में ही विनाशी हैं। इमलिये उनके नाश होने का शोक करना भी उचित नहीं। फलत आरम्भ में अर्जुन से जो यह कहा है - कि "जिमका शोक न करना चाहिये, उमका तू शोक कर रहा है" - वह मिट्ट हो गया। अब 'मत्' और 'अमत्' के अर्थों को ही अगले दो श्लोकों में और भी स्पष्ट कर बतलाते हैं :-]।

(१७) स्मरण रहे, कि यह (जगत्) जिमने फैलाया अथवा व्याप्त किया है, वह (मूळ आत्मस्वरूप ब्रह्म) अविनाशी है। इस अव्यक्त तत्त्व का विनाश करने के लिये कोई भी समर्थ नहीं है।

[पिछले श्लोक में जिसे मत् कहा है, उमी का यह वर्णन है। यह बतला दिया गया, कि शरीर का स्वामी अर्थात् आत्मा ही 'नित्य' श्रेणी में आता है। अब यह बतलाते हैं, कि अनित्य या अमत् जिसे कहना चाहिये -]

(१८) कहा है, कि जो शरीर का स्वामी (आत्मा) नित्य, अविनाशी और अचिन्त्य है, उसे प्राण होनेवाले के शरीर नाशवान् अर्थात् अनित्य है। अतएव हे भारत! तू युद्ध कर।

[नागर, इस प्रकार नित्य-अनित्य का विवेक करने में तो यह भाव ही उठा जाता है, कि 'मैं अमृत का माग्ना हूँ,' और युद्ध न करने के लिये अर्जुन ने जो कारण दिएगा उस का यह निम्न ही जवाब है। उमी अर्थ का अर्थ और अधिक स्पष्ट करता है -]

[क्योंकि जू आत्मा नित्य और मृत्यु अमर्ता है। मृत्यु तो मत् प्रकृति का ही है। कर्तव्यनिश्चय में यह और अगला श्लोक आया है (क०. ०. १८. १९) ।

य एनं वोत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् ।

उमी तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ॥ १९ ॥

न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः ।

अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ २० ॥

वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमन्ययम् ।

कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्ति कम् ॥ २१ ॥

वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि ।

तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ २२ ॥

नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः ।

न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोपयति मारुतः ॥ २३ ॥

[इसके अतिरिक्त महाभारत के अन्य स्थानों में भी ऐसा वर्णन है, कि काल से सब ग्रसे हुए हैं। इस काल की व्रीडा को ही यह 'मारने और मरने' की लौकिक संज्ञाएँ हैं (शा २५ १५)। गीता (११ ३३) में भी आगे भवितमार्ग की भाषा से यही तत्त्व भगवान् ने अर्जुन को फिर बतलाया, है, कि भीष्म-द्रोण आदि को कालस्वरूप से मैंने ही पहले मार डाला है। तू केवल निमित्त हो जा।]

(१९) (शरीर के स्वामी या आत्मा) को ही मारनेवाला मानता है या ऐसा समझता है, कि वह मारा जाता है, उन दोनों को ही सच्चा ज्ञान नहीं है। (क्योंकि) यह (आत्मा) न तो मारता है और न मारा ही जाता है। (२०) यह (आत्मा) न तो कभी जन्मता है और न मरता ही है। ऐसा भी नहीं है, कि यह (एक बार) हो कर फिर होने का नहीं। यह अज, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। एव शरीर का वध हो जाय तो भी मारा नहीं जाता। (२१) हे पार्थ! जिस ने ज्ञान लिया, कि यह आत्मा अविनाशी, नित्य, अज और अव्यय है, वह पुरुष किसी को कैसे मरवावेगा और किसी को कैसे मारेगा? (२२) जिस प्रकार (कोई) मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़ कर नये ग्रहण करता है, उसी प्रकार देही अर्थात् शरीर का स्वामी आत्मा पुराने शरीर त्याग कर दूसरे नये शरीर धारण करता है। (२३) इसे अर्थात् आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, इसे आग जला नहीं सकती, वैसे ही इसे पानी भिगा या गला नहीं सकता और वायु सुखा भी नहीं सकती है।

[वस्त्र की यह उपमा प्रचलित है। महाभारत में एक स्थान पर, एक घर (शाला) छोड़ कर दूसरे घर में जाने का दृष्टान्त पाया जाता है (शा १५ १६), और एव अमेरिकन ग्रन्थकार ने यही कल्पना पुस्तक में नई जिल्द वाँघने का

अच्छेद्योऽयमदाहोऽयमक्लेद्योऽशोष्य एव च ।

नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥ २४ ॥

अन्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते ।

तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि ॥ २५ ॥

§§ अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम् ।

तथापि त्वं महाबाहो नेनं शोचितुमर्हसि ॥ २६ ॥

जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च ।

तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि ॥ २७ ॥

[दृष्टान्त देवर व्यक्त की है। पिछले तैरहूवे श्लोक में बाइपन, जबानी और बुढ़ापा,
[इन तीन अवस्थाओं को जो न्याय उपयुक्त किया गया है, वही अब सब शरीर के
[विषय में किया गया है।]

(२४) (कभी भी) न कटनेवाला, न जग्नेवाला, न भोगनेवाला और न सूखनेवाला
यह (आत्मा) नित्य, सर्वव्यापी, स्थिर, अचल और सनातन अर्थात् चिरन्तन है।

(२५) इस आत्मा को ही अव्यक्त (अर्थात् जो इन्द्रियों को गोचर नहीं हो सकता),
अचिन्त्य (अर्थात् जो मन से भी जाना नहीं जा सकता), और अविकार्य (अर्थात्
जिससे किसी भी विकार की उपाधि नहीं है) कहते हैं। इसलिये उसे (आत्मा को)
हम प्रवार का समझ कर उसका शोक करना तुम्हें उचित नहीं है।]

[यह वर्णन उपनिषदों में किया है। यह वर्णन निर्गुण आत्मा का है, सगुण
का नहीं। क्योंकि अविकार्य या अचिन्त्य विशेषण सगुण को ही नहीं सकते
[(गीतारहस्य प्र ९, देखा)। आत्मा के विषय में वेदान्तशास्त्र का जो अन्तिम
[सिद्धान्त है, उसने आधार में शोक न करने के लिये यह उपपत्ति बनाई गई है।
[अब मदाचित् कोई ऐसा पूर्वपक्ष करे, कि हम आत्मा को नित्य नहीं समझते, इसलिये
[तुम्हारी उपपत्ति हमें प्राह्य नहीं, तो इस पूर्वपक्ष का प्रथम उल्लेख करके भगवान्
[उमरा यह उत्तर देते हैं कि -]

(२६) अथवा, यदि तू ऐसा मानता हो कि यह आत्मा (नित्य नहीं, शरीर
के साथ ही) मदा जन्मता या मदा मरता है तो भी है मरावाहू। उमरा शोक
करना तुम्हें उचित नहीं। (२७) क्योंकि जो जन्मता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और
जो मरता है, उसका जन्म निश्चित है। इसलिये (इस) अविकार्य या (उपर
निश्चित मेरे मन के अनुसार भी) शोक करना तुम्हें उचित नहीं।

[स्मरण रहे, कि उपर के शब्दात्मा में बाई हुई उपपत्ति सिद्धान्त
की नहीं है। पर 'अथ च = अथवा' शब्द में शोक में ही उपपत्ति किये हुए

§ § अन्यकादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत ।

अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिवेदना ॥ २८ ॥

§ § आश्चर्यवत्पश्यति कश्चिदेनमाश्चर्यवद्भदति तथैव चान्यः ।

आश्चर्यवच्चैन्यमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् ॥ २९ ॥

पूर्वपक्ष का उत्तर है। आत्मा को नित्य मानो चाहे अनित्य, दिखलाना इतना है कि दोनों ही पक्षों में शोक करने का प्रयोजन नहीं है। गीता का यह सच्च सिद्धान्त पहले ही बतला चुके हैं, कि आत्मा सत, नित्य, अज, अविकार्य और अनित्य या निर्गुण है। अस्तु, देह अनित्य है, अतएव शोक करना उचित नहीं इसी की, सांख्यशास्त्र के अनुसार दूसरी उपपत्ति बतलाते हैं -]

(२८) सब भूत आरम्भ में अव्यक्त मध्य में व्यक्त और मरणसमय में फिर अव्यक्त होते हैं। (ऐसी यदि सभी की स्थिति है) तो भारत ! उसमें शोक किस बात का ?

['अव्यक्त' शब्द का ही अर्थ है - 'इन्द्रियो को गोचर न होना'] । मूल एक अव्यक्त द्रव्य से ही आगे क्रम से समस्त व्यक्त सृष्टि निर्मित होती है; और अन्त में अर्थात् प्रलयकाल में सब व्यक्त सृष्टि का फिर अव्यक्त में ही लय हो जाता है (गीता ८ १८), इस सांख्यसिद्धान्त का अनुसरण कर, इस श्लोक की दलीले हैं। सायमतवाला के इस सिद्धान्त का खुलासा गीता-रहस्य के सातवें और आठवें प्रकरण में किया गया है। किसी भी पदार्थ की व्यक्त स्थिति यदि इस प्रकार कभी न कभी नष्ट होनेवाली है, तो जो व्यक्त स्वरूप निसर्ग से ही नाशवान् है, उसके विषय में शोक करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। यही श्लोक 'अव्यक्त' के बदले 'अभाव' शब्द से संयुक्त हो कर महाभारत के स्त्रीपर्व (म भा स्त्री २६) में आया है। आगे 'अदर्शनादापतिता पुनश्चादर्शनं गता । न ते तव न तेषां त्व तत्र का परिवेदना ॥' (स्त्री २ १३) इस श्लोक में 'अदर्शन' अर्थात् 'नजर से दूर हो जाना' इस शब्द का भी मृत्यु को उद्देश कर उपयोग किया गया है। सांख्य और वेदान्त, दोनों शास्त्रों के अनुसार शोक करना यदि व्यर्थ सिद्ध होता है, और आत्मा को अनित्य मानने से भी यदि यही बात सिद्ध होती है तो फिर लोग मृत्यु के विषय में शोक क्यों करते हैं ? आत्मस्वरूपमन्वन्धी अज्ञान ही इस का उत्तर है। क्योंकि -]

(२९) मानो कोई तो आश्चर्य (अद्भुत वस्तु) समझ कर इसकी ओर देखते हैं, कोई आश्चर्य सरीखा इसका वर्णन करता है, और कोई मानो आश्चर्य समझ कर सुनता है। परन्तु (इस प्रकार देख कर वर्णन कर और) सुन कर भी (इनमें) कोई इसे (तत्त्वत) नहीं जानता है।

देही नित्यमवधोऽयं देहे सर्वस्य भारत । ७

तस्मात्सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि ॥ ३० ॥

[अपूर्व वस्तु ममज्ञ कर वडे-वडे लोग आश्चर्य से आत्मा के विषय में कितना ही विचार कर्मो न किया करे, पर उसके मन्त्रे स्वल्प को जाननेवाले लोग बहुत ही थोड़े हैं। इसीसे बहुतेरे लोग मृत्यु के विषय में शोक किया करते हैं। इससे तू ऐसा न करके, पूर्ण विचार से आत्मस्वरूप को यथार्थ रीति पर समझ ले और शोक करना छोड़ दे। इसका यही अर्थ है। कठोपनिषद् (२.७) में आत्मा का वर्णन इसी ढंग का है।]

(३०) मय के शरीर में (रहनेवाले) शरीर का स्वामी (आत्मा) सबदा अवश्य अर्थात् कर्मो भी वध न किया जानेवाला है। अतएव हे भारत (अर्जुन) ! मंत्र अर्थान् किमी भी प्राणी के विषय में शोक करना तुझे उचित नहीं है।

[अबतक यह सिद्ध किया गया, कि माध्य या मंत्र्याममार्ग के तत्त्वज्ञानानुसार आत्मा अमर है; और देह तो स्वभाव से ही अनित्य है। इस कारण कोई मरे या मारे, उसमें 'शोक' करने की कोई आवश्यकता नहीं है; परन्तु यदि कोई इससे यह अनुमान कर ले, कि कोई किसी को मारे तो इसमें भी 'पाप' नहीं तो वह भयंकर भूल होगी। मरना या मारना, इन दो शब्दों के अर्थों का यह पृथक्करण है, मरने या मारने में जो डर लगता है उसे पहले दूर करनेके लिये ही वह ज्ञान बतलाया है। मनुष्य तो आत्मा और देह का ममूच्चय है। इसमें आत्मा अमर है, इसलिये मरना या मारना ये दोनों शब्द उसे उपयुक्त नहीं होते। बाकी रह गई देह; वह तो स्वभाव से ही अनित्य है। यदि उसका नाश हो जाय, तो शोक करने योग्य कुछ है नहीं। परन्तु यद्दृष्ट्या या वाङ्मयी गति में कोई मर जाय, या किसी को कोई मार डाले, तो उसका मुग्ध-दुःख न मान कर शोक करना छोड़ दें; तो भी इस प्रश्न का निपटारा हो नहीं जाता कि युद्ध जैसा घोर कर्म करने के लिये जानबूझ कर, प्रवृत्त हो कर लोगों के शरीरों का नाश हम क्यों करें। क्योंकि देह यद्यपि अनित्य है, तथापि आत्मा का पसा बन्धन या मोक्ष सम्पादन कर देने के लिये देह ही तो एक माधन है। अपना बिना योग्य कारणों के किमी दूसरे को मार डालना, ये दोनों शास्त्रानुसार योग पातर ही है। इसलिये मरे हुए वा शोक करना यद्यपि उचित नहीं है, तो भी इसका कुछ-न-कुछ प्रवृत्त कारण बतलाना आवश्यक है, कि एक दूसरे को क्यों मारे। इसी का नाम धर्माधर्म-विवेक है, और मोक्षा का वास्तविक प्रतिपाद विषय भी यही है। जय, जो चानुर्वर्त्य-व्यथया माध्यमार्ग का ही सम्मत है, उससे अनुमान भी युद्ध करना शत्रियों का वर्तव्य है इसलिये मरना करते हैं, कि तू मरने-मरने का शोक मत कर। इनका ही नहीं,

§§ स्वधर्ममपि चावेश्यं न विकम्पितमर्हसि ।

धर्म्याद्धि युद्धाच्छ्रेयोऽन्यत्क्षत्रियस्य न विद्यते ॥ ३१ ॥

यदृच्छया चोपवृत्तं स्वर्गद्वारमपावृतम् ।

सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् ॥ ३२ ॥

अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ।

ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि ॥ ३३ ॥

अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽन्ययाम् ।

सम्भावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते ॥ ३४ ॥

| बल्कि लडाई में मारना या मार डालना, ये दोनों बातें क्षत्रियधर्मानुसार तुझको
| आवश्यक ही है -]

(३१) इसके सिवा स्वधर्म की ओर देखें, तो भी (इस समय) हिम्मत
हारना तुझे उचित नहीं है। क्योंकि धर्मोचित युद्ध को अपेक्षा क्षत्रिय को श्रेयस्कर
और कुछ है ही नहीं।

| [स्वधर्म की यह उपपत्ति आगे भी दो बार (गीता ३ ३५ और १८ ४७)
| बतलाई गई है। सन्यास अथवा साह्य-मार्ग के अनुसार यद्यपि कर्मसन्यासरूपी
| चतुर्थ आश्रम अन्त की सीढ़ी है, तो भी मनु आदि स्मृति-कर्ताओं का कथन है,
| कि इसके पहले चातुर्वर्ण्य की व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मण को ब्राह्मणधर्म और
| क्षत्रिय को क्षत्रियधर्म का पालन कर गृहस्थाश्रम पूरा करना चाहिये। अतएव
| इस श्लोक का और आगे के श्लोक का तात्पर्य यह है, कि गृहस्थाश्रमी अर्जुन को
| युद्ध करना आवश्यक है।]

(३२) और हे पार्थ! यह युद्ध आप ही आप खुला हुआ स्वर्ग का द्वार ही है। ऐसा
युद्ध भाग्यवान् क्षत्रियो ही को मिला करता है। (३३) अतएव यदि तू (अपने) धर्म
के अनुकूल यह युद्ध न करेगा, तो स्वधर्म और कीर्ति खो कर पाप बटोरेंगा। (३४)
यही नहीं, बल्कि (सब) लोग तेरी अक्षय्य दुष्कीर्ति गाते रहेंगे। और अपयश तो
सम्भावित पुण्य के लिये मृत्यु से भी बढ कर है।

| [श्रीकृष्ण ने यही तत्त्व उद्योगपर्व में युधिष्ठिर को भी बतलाया है
| (म भा उ ७२ २४)। वहाँ यह श्लोक है - 'कुलीनस्य च या निन्दा वधो
| चाऽमित्तकर्षणम् । महागुणो वधो राजन् न तु निन्दा कुजीविका ॥' परन्तु गीता
| में इसकी अपेक्षा यह अर्थ संक्षेप में है, और गीताग्रन्थ का प्रचार भी अधिक है।
| इस कारण गीता के 'सम्भावितस्य' इत्यादि वाक्य का कहावत का सा उपयोग
| होने लगा है। गीता के और बहुतेरे श्लोक भी इसी के समान सर्वसाधारण लोगों
| में प्रचलित हो गये हैं। अब दुष्कीर्ति का स्वरूप बतलाते हैं -]

भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः ।

येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् ॥ ३५ ॥

अवाच्यवादांश्च बहून्त्रदिप्यन्ति तवाहिताः ।

निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् ॥ ३६ ॥

हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा मोक्ष्यसे महीम् ।

तस्माद्दुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः ॥ ३७ ॥

सुखदुःखे समे कृत्वा लामालाभी जयाजयौ ।

ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि ॥ ३८ ॥

(३५) (सत्र) महारथी समझेंगे, कि तू डर कर रण से भाग गया; और जिन्हें (आज) तू बहुमान्य हो रहा है, वे ही तेरी योग्यता कम समझने लगेंगे। (३६) ऐसे ही तेरे सामर्थ्य की निन्दा कर, तेरे शत्रु ऐसी ऐसी अनेक बातें (तेरे विषय में) कहेंगे, जो न बहनी चाहिये। इससे अधिक दुःखकारक और है ही क्या? (३७) मर गया, तो स्वर्ग को जावेगा, और जीत गया, तो पृथ्वी (का राज्य) भोगेगा। इसलिये हे अर्जुन! युद्ध का निश्चय करके उठ।

[उल्लिखित विवेचन में न केवल यही सिद्ध हुआ, कि साध्य-ज्ञान के अनुसार मरने-मारनेका शोक न करना चाहिये, प्रत्युत यह भी सिद्ध हो गया, कि स्वधर्म के अनुसार युद्ध करना ही कर्तव्य है। तो भी अत्र इम शब्दका वा उत्तर दिया जाता है, कि गडाई में होनेवाली हत्या का 'पाप' कर्ता को लगता है या नहीं। वास्तव में इम उत्तर की युक्तियां कर्मयोगमार्ग की हैं। इसलिये उम मार्ग की प्रस्तावना यही हुई है।]

(३८) गुप्त-दुःख, गम-नुकसान और जय-पराजय को-ना मान कर फिर युद्ध में लग जा। ऐसा करने में तुझे (कोई भी) पाप लगने का नहीं।

[गमार्ग में आद्य विज्ञान के दो मार्ग हैं - एक साध्य और दूसरा योग। इनमें जिन साध्य अथवा मन्थाम-मार्ग के आचार का ध्यान में ला कर अर्जुन युद्ध छोड़ भिष्म माँगने के लिये तैयार हुआ था, उम मन्थाममार्ग के तन्त्रज्ञानानुसार ही ज्ञाना का वा देह का शोक करना उचित नहीं है। भगवान् ने अर्जुन को सिद्ध कर दिखाया है, कि गुप्त और दुःख को समझने में यह तैयारी चाहिये। एव स्वधर्म की आर ध्यान दे कर युद्ध करना ही क्षत्रिय का उचित है, तथा सम-सिद्धि में युद्ध करने में कोई भी पाप नहीं लगता। परन्तु इम मार्ग (साध्य) का नही है कि कभी-न-कभी गमार्ग छोड़ कर मन्थाम के तैयारी ही प्रत्येक मनुष्य का उचित में युद्ध करना है। इमार्ग इष्ट जान पड़े ता अभी ही यह छोड़ कर

§ § एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धियोगे त्विमां शृणु ।

बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि ॥ ३९ ॥

· § § नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते ।

स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् ॥ ४० ॥

[संन्यास क्यों न ले ले; अथवा स्वधर्म पालन ही क्यों न करें? इत्यादि शब्दकाओं का निवारण साध्यज्ञान से नहीं होता; और इसी से यह कह सकते हैं, कि अर्जुन का मूल आक्षेप ज्यों का त्यों बना है। अतएव अब भगवान् कहते हैं :-]

(३९) सांख्य अर्थात् सन्यासनिष्ठा के अनुसार तुझे यह बुद्धि अर्थात् ज्ञान या उपपत्ति बतलाई गई। अब जिस बुद्धि से युक्त होने पर (कर्मों के न छोड़ने पर भी) हे पार्थ! तू कर्मबन्ध छोड़ेगा, ऐसी यह (कर्म-) योग की बुद्धि अर्थात् ज्ञान (तुझसे बतलाता हूँ) सुन।

[भगवद्गीता का रहस्य समझने के लिये यह श्लोक अत्यन्त महत्व का है। सांख्य शब्द से कपिल का सांख्य या निरा वेदान्त, और योग शब्द से पातञ्जल योग यहाँ पर उद्दिष्ट नहीं है - सांख्य से संन्यासमार्ग, और योग से कर्ममार्ग ही का अर्थ यहाँ पर लेना चाहिये। यह बात गीता के ३.३ श्लोक से प्रकट होती है। ये दोनों मार्ग स्वतन्त्र हैं। इनके अनुयायियों को भी क्रम से 'सांख्य' = संन्यासमार्ग, और 'योग' = कर्मयोगमार्ग कहते हैं (गीता ५.५)। इनमें सांख्यनिष्ठावाले लोग कभी-न-कभी अन्त में कर्मों को छोड़ देना ही श्रेष्ठ मानते हैं। इसलिये इस मार्ग के तत्त्वज्ञान से अर्जुन की इस शब्दका का पूरा पूरा समाधान नहीं होता, कि युद्ध क्यों करें। अतएव जिस कर्मयोगनिष्ठा का ऐसा मत है, कि संन्यास न लेकर ज्ञान-प्राप्ति के पश्चात् भी निष्कामबुद्धि से सदैव कर्म करते रहना ही प्रत्येक का सच्चा पुरुषार्थ है, उसी कर्मयोग का (अथवा सक्षेप में योगमार्ग का) ज्ञान बतलाना अब आरम्भ किया गया है; और गीता के अन्तिम अध्याय तक, अनेक कारण दिखलाते हुए, अनेक शब्दकाओं का निवारण कर, इसी मार्ग का पुष्टीकरण किया गया है। गीता के विषय-निरूपण का स्वयं भगवान् का किया हुआ, यह स्पष्टीकरण ध्यान में रखने से इस विषय में कोई शब्दका रह नहीं जाती, कि कर्मयोग ही गीता में प्रतिपाद्य है। कर्मयोग के मुख्य मुख्य सिद्धान्तों का पहले निर्देश करते हैं-]

(४०) यहाँ अर्थात् इस कर्मयोग में (एक वार) आरम्भ किये हुए कर्म का नाश नहीं होता, और (आगे) विघ्न भी नहीं होते। इस धर्म का थोड़ा-सा भी (आचरण) बड़े भय से सरक्षण करता है।

५५ व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन ।

बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयोऽव्यवसायिनाम् ॥ ४१ ॥

[इस सिद्धान्त का महत्त्व गीतारहस्य के दसवें प्रकरण (पृष्ठ २८६) में दिखलाया गया है; और अधिक खुलामा आगे गीता में भी किया गया है (गीता ६.४०-४६)। इसका यह अर्थ है, कि कर्मयोगमार्ग में यदि एक में सिद्धि न मिले, तो किया हुआ कर्म व्यर्थ न जा कर अगले जन्म में उपयोगी होता है; और प्रत्येक जन्म में इसकी बढ़ती होती है, एव अन्त में कभी-न-कभी मच्चो सद्गति मिलती ही है। अब कर्मयोगमार्ग का दूसरा महत्त्व-पूर्ण सिद्धान्त बतलाते हैं :-]

(४१) हे कुरुनन्दन । इस मार्ग में व्यवसाय-बुद्धि अर्थात् कार्य और अकार्य का निश्चय करनेवाली (इन्द्रियरूपी) बुद्धि एक अर्थात् एकाग्र रखनी पड़ती है; क्योंकि जिनकी बुद्धि का (इस प्रकार एक) निश्चय नहीं होता, उनकी बुद्धि अर्थात् वामनाएँ अनेक शाखाओं में युक्त और अनन्त (प्रकार की) होती है ।

[सस्मृत में बुद्धि शब्द के अनेक अर्थ हैं। ३९ वे श्लोक में यह शब्द ज्ञान के अर्थ में आया है; और आगे ४९ वे श्लोक में इस 'बुद्धि' शब्द का ही 'ममज्ञ, इच्छा, वामना या हेतु' अर्थ है; परन्तु बुद्धि शब्द के पीछे 'व्यवसायात्मिका' विशेषण है। इसी अर्थ में इस श्लोक के पूर्वार्ध में उसी शब्द का अर्थ यों होना है। व्यवसाय अर्थात् कार्य-अकार्य का निश्चय करनेवाली बुद्धि-इन्द्रिय (गीतार. प्र. ६, पृष्ठ १३४-१३९ देखो)। पहले इस बुद्धि-इन्द्रिय में किसी भी बात का मत्वा-बुरा विचार कर लेने पर फिर तदनुसार कर्म करने की इच्छा या वामना मन में हुआ करती है। अनएव इस इच्छा या वामना को भी बुद्धि ही कहते हैं; परन्तु उस समय 'व्यवसायात्मिका' यह विशेषण उसके पीछे नहीं लगाते। भेद दिखलाना ही आवश्यक हो, तो 'वामनात्मक' बुद्धि कहते हैं। इस श्लोक के दूसरे चरण में सिर्फ 'बुद्धि' शब्द है, उसके पीछे 'व्यवसायात्मिका' यह विशेषण नहीं है। इसी अर्थ में बहुवचनान्त 'बुद्धय' में 'वामना, मत्वा-बुरा' अर्थ होकर पूरे श्लोक का यह अर्थ होता है, कि 'जिनकी व्यवसायात्मिक बुद्धि अर्थात् निश्चय करनेवाली बुद्धि-इन्द्रिय स्थिर नहीं होती' उनके मन में क्षण-क्षण में नई-नई मत्वा या वामनाएँ उत्पन्न हुआ करती हैं। 'बुद्धि शब्द के' निश्चय करने-वाली इन्द्रिय' और 'वामना' इन दोनों अर्थों को ध्यान में रखे बिना कर्मयोग की बुद्धि के विवेचन का मर्म भलीभाँति समझ में आने का नहीं। व्यवसायात्मिक बुद्धि के स्थिर या एकाग्र न रहने में प्रतिदिन भिन्न भिन्न वामनाओं में मन व्यग्र हो जाता है; और मनुष्य ऐसी अनेक क्षणों में पट जाता है, कि आज पुत्रप्राप्ति के लिए अनुष्ठान करे, तो कल स्वर्ग की प्राप्ति के लिए अनुष्ठान करे। इस अर्थ का बोध करा है -]

§§ यामिमां पुण्यितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः ।

वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीतिः वादिनः ॥ ४२ ॥

कामात्मानं स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदाम् ।

क्रियाविशेषबहुलां भोगीश्वर्यगतिं प्रति ॥ ४३ ॥

भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसाम् ।

व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधी न विधीयते ॥ ४४ ॥

(४२) हे पार्थ ! (कर्मकाण्डात्मक) वेदों के (फलश्रुति-युक्त) वाक्यों में भूले हुए और यह कहनेवाले मूढ़ लोग—कि इसके अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं है—बड़ा कर कहा करते हैं, कि—(४३) 'अनेक प्रकार के (यज्ञ-याग आदि) कर्मों से ही (फिर) जन्मरूप फल मिलता है, और (जन्म-जन्मान्तर में) भोग तथा ऐश्वर्य मिलता है; '—स्वर्ग के पीछे पड़े हुए वे काम्य-बुद्धिवाले (लोग), (४४) उल्लिखित भाषण की ओर ही उसके मन आकर्षित हो जाने से भोग और ऐश्वर्य में ही गर्क रहते हैं। इस कारण उनकी व्यवसायात्मक अर्थात् कार्य-अकार्य का निश्चय करनेवाली बुद्धि (कभी भी) समाधिस्य अर्थात् एक स्थान में स्थिर नहीं रह सकती।

[ऊपर के तीनों श्लोकों का मिल कर एक वाक्य है। उसमें उन ज्ञानविरहित कर्मठ मीमांसामार्गवालों का वर्णन है, जो श्रौत-स्मार्त कर्मकाण्ड के अनुसार आज अमुक हेतु की सिद्धि के लिये, तो कल और किसी हेतु से सदैव स्वार्थ के लिये ही यज्ञ-याग आदि कर्म करने में निमग्न रहते हैं। यह वर्णन उपनिषदों के आधार पर किया गया है। उदाहरणार्थ, मुण्डकोपनिषद् में कहा है—

इष्टापूर्तं मन्यमाना वरिष्ठं नान्यच्छ्रेयो वेदयन्ते प्रमूढाः ।

नाकस्य पृष्ठे ते मुकृतेऽनुभूत्वेमं लोकं हीनतरं वा विशन्ति ॥

'इष्टापूर्तं ही श्रेष्ठ है, दूसरा कुछ भी श्रेष्ठ नहीं, यह माननेवाले मूढ़ लोग स्वर्ग में पुण्य का उपभोग कर चुकने पर फिर नीचे के इस मनुष्य-लोक में आते हैं' (मुण्ड. १. २ १०)। ज्ञानविरहित कर्मों की इसी ढङ्ग की निन्दा ईशावास्य और कठ उपनिषदों में भी की गई है (कठ २ ५; ईश ९ १२)। परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त न करके केवल कर्मों में ही फँसे रहनेवाले इन लोगों को (देखो गीता ९ २१) अपने अपने कर्मों के स्वर्ग आदि फल मिलते तो हैं, पर उनकी वासना आज एक कर्म में, तो कल किसी दूसरे ही कर्म में रत होकर चारों ओर झुडदौड-सी मचाये रहती है। इस कारण उन्हें स्वर्ग का आवागमन नसीब हो जाने पर भी मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष की प्राप्ति के लिये बुद्धि-इन्द्रिय को स्थिर या एकाग्र रखना चाहिये। आगे छठे अध्याय में विचार किया गया है, कि इसको एकाग्र किस प्रकार करना चाहिये। अभी तो इतना ही कहते हैं, कि—]

§ § त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन ।

निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् ॥ ४५ ॥

(८०) हे अर्जुन ! (कर्मकाण्डमन्त्र) वेद (इम रीति मे) त्रैगुण्य की वाना मे भरे पडे है । इमन्त्रिय तू निस्त्रैगुण्य अर्थात् त्रिगुणो मे अतीत, नित्यमत्त्वस्थ और मुखदुग्ध आदि द्रव्यों मे अल्पि हो । एव योगक्षेम आदि न्वायों मे न पडकर आत्मनिष्ठ हो ।

[मत्त्व, रज और तम इन तीनों गुणा मे मिश्रित प्रकृति की मृष्टि को त्रैगुण्य कहते है । मृष्टि, मुख-दुग्ध आदि अथवा जन्म-मरण आदि विनाश-वान् द्रव्या मे भरी हुई है, और मत्त्व ब्रह्म उमके परे है । यह वान गीतारहस्य (२३१-२५७) मे स्पष्ट कर दिखलाई गई है । इसी अध्याय के ४३ वे श्लोक मे कहा है, कि प्रकृति के अर्थात् माया के इस ममार के मुख्या की प्राप्ति के लिये मोमामक-सागंवाते श्रोत, यज्ञ-याग आदि क्रिया करत हैं, और वे इन्हीं मे निमग्न रहा करते हैं । जोई पुत्र प्राप्ति के लिये एक विधेय यज्ञ करना है, ता कोई पानी उरमाने के लिये इसरी डिट्टि करता है । ये मत्र कर्म द्रम याग मे ममारी व्यवहारा के लिये अर्थात् अपने यागक्षेम के लिये है । अतएव प्रकट ही है, कि जिसे मोम प्राप्ति करना हा, वह वैदिक कर्मकाण्ड के इन त्रिगुणान्मक और निरे यागक्षेम सम्पादन करनेवाले कर्मों को छोड कर अपना चित्त इसने परे परब्रह्म की ओर गावे । इसी अर्थ मे 'निर्द्वन्द्व' और 'निर्योगक्षेमवान्'— शब्द उभय आय है । यहाँ ऐसी शब्दवा हा मकती है, कि वैदिक कर्मकाण्ड के इन काम्य कर्मों का छाट देन म याग-शेम (निराह) कर्म शशा (गी २. पृष्ठे २९०-३९२ देखो) ? किन्तु मका उत्तर यहाँ नहीं दिया । यह विषय आगे फिर नौवे अध्याय मे आया है । यहाँ कहा है, कि इस याग-शेम का भगवान् करत है, और इन्हीं दा स्थानों पर गीता मे 'याग-शेम' शब्द आया है (गीता ९. २० और उमपर हमारी टिप्पणी देखा) । नियमन्वय पद का ही अर्थ त्रिगुणार्तात हाता है । क्यात्रि आगे कहा है कि मन्त्रगुण के लिये उक्तयं म ही फिर आगे त्रिगुणार्तात अवस्था प्राप्त हाती है, जाकि मन्त्रो गिदावन्त्या है (गीता १८ १४ और २०, गी २. पृष्ठे १६६-१६७ देखा) । तापयं यह है कि मोमामका क याग्य-शेमकाव त्रिगुणामक काम्य कर्म छाट कर एव मुख-दुग्ध क द्रव्या न निपट कर ब्रह्मनिष्ठ अथवा आत्मनिष्ठ हात क विषय मे मनी उरदन किया गया है । किन्तु इस बात पर फिर भी ध्यान देना चाहिये कि आत्मनिष्ठ हात का अर्थ मव कर्मों का म्बन्धन एकदम छाट देना नहीं है । ऊपर क श्लोक मे वैदिक काम्य कर्मों की जा निदा की गत है, या जा नुता गिदावन्त्या है क कर्मों की नगी, बल्कि उन कर्मों के विषय मे जा कम्पन्दि हाती है उम की है । यदि यह कम्पन्दि मन मे न हा ता फिर

यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके ।

तावान्सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ॥ ४६ ॥

यज्ञयाग किसी भी प्रकार से मोक्ष के लिये प्रतिवधक नहीं होते (गी. र. पृ. २९५-२९७) । आगे अठारहवें अध्याय के आरम्भ में भगवान् ने अपना निश्चित और उत्तम मत बतलाया है, कि मीमांसको के इन्हीं यज्ञ-याग आदि कर्मों को फलाशा और सङ्ग छोड़ कर चित्त की शुद्धि और लोकसंग्रह के लिये अवश्य करना चाहिये (गीता १८. ६) । गीता की इन दो स्थानों की बातों को एकत्र करने से यह प्रकट हो जाता है, कि इस अध्याय के श्लोक में मीमांसको के कर्मकाण्ड की जो न्यूनता दिखलाई गई है, वह उनकी काम्यबुद्धि को उद्देश्य करके है - क्रिया के लिये नहीं है । इसी अभिप्राय को मन में ला कर भागवत में भी कहा है :-

वेदोक्तमेव कुर्वाणो निःसङ्गोऽपितर्माश्वरे ।

नैष्कर्म्या लभते सिद्धिं रोचनार्था फलश्रुतिः ॥

‘वेदोक्त कर्मों की वेद में जो फलश्रुति कही है, वह रोचनार्थ है । अर्थात् इसी लिये है, कि कर्ता को ये कर्म अच्छे लगे । अतएव इन कर्मों को उस फल-प्राप्ति के लिये न करे, किन्तु निःसङ्ग बुद्धि अर्थात् फल की आशा छोड़कर ईश्वरार्पणबुद्धि से करे । जो पुरुष ऐसा करता है, उसे नैष्कर्म्य से प्राप्त होनेवाली सिद्धि मिलती है’ (भाग. ११. ३. ४६) । साराश, यद्यपि वेदों में कहा है, कि अमुक अमुक कारणों के निमित्त यज्ञ करे, तथापि इसमें न भूल कर केवल इसी लिये यज्ञ करे, कि वे यष्टव्य है । अर्थात् यज्ञ करना अपना कर्तव्य है । काम्यबुद्धि को तो छोड़ दे, पर यज्ञ को न छोड़ें (गीता १७. ११); और इसी प्रकार अन्यान्य कर्म भी किया करे । यह गीता के उपदेश का सार है; और यही अर्थ अगले श्लोक में व्यक्त किया गया है ।

(४६) चारों ओर पानी की बाढ़ आ जाने पर कुएँ का जितना अर्थ या प्रयोजन रह जाता है (अर्थात् कुछ भी काम नहीं रहता), उतना ही प्रयोजन ज्ञान-प्राप्त ब्राह्मण को सब (कर्मकाण्डात्मक) वेद का रहता है (अर्थात् सिर्फ काम्यकर्मरूपी वैदिक कर्मकाण्ड की उसे कुछ आवश्यकता नहीं रहती ।)

[इस श्लोक के फलितार्थ के सम्बन्ध में मतभेद नहीं है । पर टीकाकारों ने इसके शब्दों की ग्राहक खीचातानी की है । ‘सर्वतः सम्प्लुतोदके’ यह सप्तम्यन्त सामासिक पद है । परन्तु इसे निरी सप्तमी या उदपान वा विशेषण भी न समझ कर ‘सति सप्तमी’ मान लेने से, ‘सर्वतः सम्प्लुतोदके सति उदपाने यावानर्थः (न स्वल्पमपि प्रयोजन विद्यते) तावान् विजानतः ब्राह्मणस्य सर्वेषु वेदेषु अर्थाः’ - इस प्रकार किसी भी बाहर के पद को अध्याहत मानना नहीं पड़ता । सरल अन्वय लग जाता है; और उसका यह सरल अर्थ भी हो जाता है, कि ‘चारों गी. र. ४१

ओर पानी ही पानी होने पर (पीने के लिये कहीं भी बिना प्रयत्न के यथेष्ट पानी मिलने लगने पर) जिस प्रकार कुएँ को कोई भी नहीं पूछता, उसी प्रकार ज्ञान-प्राप्त पुरुष को यज्ञ याग आदि केवल वैदिक कर्म का कुछ भी उपयोग नहीं रहता। क्योंकि, वैदिक कर्म केवल स्वर्ग प्राप्ति के लिये ही नहीं, बल्कि अन्त में मोक्षसाधक ज्ञान-प्राप्ति के लिये करना होता है; और इस पुरुष को तो ज्ञान-प्राप्ति पहले ही हो जाती है। इस कारण इसे वैदिक कर्म करके कोई नई वस्तु पाने के लिये श्रेय रह नहीं जाती। इसी हेतु से आगे तीसरे अध्याय (३.१७) में कहा है, कि 'जो ज्ञानी हो गया, उसे इस जगत् में कर्तव्य श्रेय नहीं रहता।' बड़े भारी तालाब या नदी पर अनायाम ही जितना चाहिये उतना, पानी पीने की सुविधा होने पर कुएँ की ओर कौन झाँकिगा? ऐसे समय कोई कुएँ की अपेक्षा नहीं रखता। सनत्सुजातीय के अन्तिम अध्याय (म. भा. - उद्योग. ४.५.२६) में यही श्लोक कुछ थोड़े-से शब्दों के हेरफेर में आया है। माधवाचार्य ने इसकी टीका में वैसे ही अर्थ किया है, जैसा कि हमने ऊपर किया है। एवं शुकानुप्रश्न में ज्ञान और कर्म के तारतम्य का विवेचन करते समय माऊ कह दिया है - 'न ते (ज्ञानिनः) कर्म प्रशंसन्ति कूपं नद्यां पिवन्निव' - अर्थात् नदी पर जिसे पानी मिलता है, वह जिस प्रकार कुएँ की परवाह नहीं करता, उसी प्रकार 'ते' अर्थात् ज्ञानी पुरुष कर्म की कुछ परवाह नहीं करते (म. भा. शां. २४०.१०)। ऐसे ही पाण्डवगीता के मन्त्रहृदय श्लोक में कुएँ का दृष्टान्त यों दिया है - जो वामुदेव को छोड़ कर दूसरे देवता की उपासना करता है, वह - 'तृपितो जाह्नवी-तीरे कूपं वाञ्छति दुर्मतिः' - भागीरथी के लिये पानी मिलने पर भी, कुएँ की इच्छा करनेवाले प्यासे पुरुष के समान मूर्ख है। यह दृष्टान्त केवल वैदिक ग्रन्थों में ही नहीं है, प्रत्युत पाली के बौद्ध ग्रन्थों में भी उसके प्रयोग हैं। यह सिद्धान्त बौद्धधर्म को भी मान्य है, कि जिम पुरुष ने अपनी तृष्णा समूल नष्ट कर टाई हो, उसे आगे और कुछ प्राप्त करने के लिये नहीं रह जाता; और इस सिद्धान्त को बतलाने दृष्ट उदान नामक पाली ग्रन्थ के (७.९) उक्त श्लोक में यह दृष्टान्त दिया है - 'किं कपिरा उदपानेन आपा चे मच्चदा सिपुम्' - मगंदा पानी मिलने योग्य हो जाने में कुएँ को लेकर क्या करना है? आजकल बड़े-बड़े शहरों में यह देखा ही जाता है, कि घर में नल्ल हो जाने में फिर कोई कुएँ की परवाह नहीं करता। इसमें और विशेष कर शुकानुप्रश्न के विवेचन में गीता के दृष्टान्त का म्थारम्य ज्ञान हो जायगा; और यह दीर्घ पटेगा, कि हमने इस ग्रन्थ का ऊपर जो अर्थ किया है, वही मरल और ठीक है। परन्तु, चाहे इस कारण से हो, कि हमें अर्थ में वेदा को कुछ गौणता आ जाती है; अथवा इस साम्प्रदायिक सिद्धान्त की ओर दृष्टि देनेमें हो, कि ज्ञान में ही ममन्त कर्मों का समावेश करने के कारण शर्तों को सम करने की जरूरत नहीं। गीता के

§ § कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।

मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि ॥ ४७ ॥

टीकाकार इस श्लोक के पदों का अन्वय कुछ निराले ढँग से लगाते हैं। वे इस श्लोक के पहले चरण में 'तावान्' और दूसरे चरण में 'यावान्' पदों को अध्याहृत मान कर ऐसा अर्थ लगाते हैं— 'उदपाने यावनार्थः तावानेव सर्वतः सम्प्लुतोदके यथा सम्पद्यते तथा यावान् सर्वेषु वेदेषु अर्थः तावान् विजानतः ब्राह्मणस्य सम्पद्यते ।' अर्थात् स्नानपान आदि कर्मों के लिये कुएँ का जितना उपयोग होता है, उतना ही बड़े तालाब में (सर्वतः सम्प्लुतोदके) भी हो सकता है। इसी प्रकार वेदों का जितना उपयोग है, उतना सब ज्ञानी पुरुष को उसके ज्ञान से हो सकता है। परन्तु इस अन्वय में पहली श्लोक-पंक्ति में 'तावान्' और दूसरी पंक्ति में 'यावान्' इन दो पदों के अध्याहार कर लेने की आवश्यकता पड़ने के कारण हमने उस अन्वय और अर्थ को स्वीकृत नहीं किया। हमारा अन्वय और अर्थ किसी भी पद के अध्याहार किये बिना ही लग जाता है; और पूर्व के श्लोक से सिद्ध होता है, कि इसमें प्रतिपादित वेदों के कोरे अर्थात् ज्ञानव्यतिरिक्त कर्मकाण्ड का गौणत्व इस स्थल पर विवक्षित है। अब ज्ञानी पुरुष को यज्ञ-याग आदि कर्मों की कोई आवश्यकता न रह जाने से कुछ लोग जो यह अनुमान किया करते हैं, कि इन कर्मों को ज्ञानी पुरुष न करे, विलकुल छोड़ दे। यह बात गीता को सम्मत नहीं है। क्योंकि, यद्यपि इन कर्मों का फल ज्ञानी पुरुष को अभीष्ट नहीं, तथा फल के लिये न सही; तो भी यज्ञ-याग आदि कर्मोंको अपने शास्त्रविहित कर्तव्य समझ कर वह कभी छोड़ नहीं सकता। अठारहवें अध्याय में भगवान् ने अपना निश्चित मत स्पष्ट कह दिया है, कि फलाशा न रहे, तो भी अन्यान्य निष्काम कर्मों के अनुसार यज्ञ-याग आदि कर्म भी ज्ञानी पुरुष को निःसङ्ग बुद्धि से करना ही चाहिये (पिछले श्लोक पर और गीता ३. १९ पर हमारी जो टिप्पणी है, उसे देखो)। यही निष्काम-विषयक अर्थ अब अगले श्लोक में व्यक्त कर दिखलाते हैं—]

(४७) कर्म करने का मात्र तेरा अधिकार है। फल (मिलना या न मिलना) कभी भी तेरे अधिकार अर्थात् तावे में नहीं। (इसलिये मेरे कर्म का) अमुक फल मिले, यह हेतु (मन में) रख कर काम करनेवाला न हो; और कर्म न करने का भी तू आग्रह न कर।

[इस श्लोक के चारों चरण परस्पर एक दूसरे के अर्थ के पूरक हैं। इस कारण अतिव्याप्ति न हो कर कर्मयोग का सारा रहस्य थोड़े उत्तम रीति से बतला दिया गया है। और तो क्या, यह कहने में भी कोई हानि नहीं, कि ये चारों चरण कर्मयोग की चतुःसूत्री ही है। यह पहले कह दिया है, 'कर्म करने का मात्र तेरा अधिकार है।' परन्तु इस पर यह शङ्का होती है,

§§ योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय ।

सिद्धयसिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥ ४८ ॥

दुरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगान्दनंजय ।

बुद्धी शरणमन्विच्छ कृपणाः कलहेतवः ॥ ४९ ॥

कि कर्म का फल कर्म से ही संयुक्त होने के कारण 'जिसका पेड़ उसी का फल' इम न्याय से जो कर्म करने का अधिकारी है, वही फल का भी अधिकारी होगा। अतएव इस शब्दका को दूर करने के निमित्त दूसरे चरण में स्पष्ट कह दिया है, कि 'फल में तेरा अधिकार नहीं है।' फिर इसमें निष्पन्न होनेवाला तीसरा यह सिद्धान्त बतलाया है, कि 'मन में फलाशा रख कर कर्म करनेवाला मत हो।' ('कर्मफलहेतुः' = कर्मफले हेतुर्यस्य स कर्मफलहेतुः, ऐसा बहुव्रीहि नमान होता है।) परन्तु कर्म और उसका फल दोनों सलग्न होते हैं। इस कारण यदि कोई ऐसा सिद्धान्त प्रतिपादन करने लगे, कि फलाशा के साथ फल को भी छोड़ ही देना चाहिये। तो इसे भी मच मानने के लिये अन्त में स्पष्ट उपदेश किया है, कि 'फलाशा को तो छोड़ दे, पर इसके साथ ही कर्म न करने का अर्थात् कर्म छोड़ने का आग्रह न कर।' सारांश, 'कर्म कर' कहने से कुछ यह अर्थ नहीं होता कि 'फल की आशा को रख' और 'फल की आशा को छोड़' कहने में यह अर्थ नहीं हो जाता कि 'कर्मों को छोड़ दे।' अतएव इन श्लोकों का यह अर्थ है कि फलाशा छोड़ कर कर्तव्यकर्म अवश्य करना चाहिये; किन्तु न तो कर्म की आत्मविन में फँस और न कर्म ही छोड़े—'त्यागो न युवन इह कर्मसु नापि रागः' (योग. ५. ५. ५४)। और यह दिखला कर कि फल मिलने की बात अपने धर्म में नहीं है; किन्तु उसके लिये और अनेक बातों की अनुपलब्धा आवश्यक है। अथारहवे अध्याय में फिर यही अर्थ और भी दृढ़ किया गया है (१८. १४-१६ और रहस्य प्र. ५ पृ. ११५ एव प्र. १२ देखो)। अब कर्मयोग का स्पष्ट लक्षण बतलाने हैं, कि इसे ही योग अथवा कर्मयोग कहते हैं—]

(४८) हे धनजय ! आत्मविन छोड़ कर और कर्म की सिद्धि हो या अग्निदि, दोनों की समान ही मान कर, 'योगस्य' हो करके कर्म कर। (कर्म के सिद्ध होने या निष्फल होने में रहनेवाली) समता की (मनो-) वृत्ति को ही (कर्म) योग कहते हैं। (४९) क्योंकि, हे धनजय ! बुद्धि के (गाम्य) योग की अपेक्षा (बाह्य) कर्म बहुत ही बनिष्ठ है। अतएव इम (गाम्य) बुद्धि की शरण में जा। फलहेतुव अर्थात् फल पर दृष्टि रख कर काम करने वाले योग श्रमण अर्थात् हीन या निचले दर्जे

बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुकृते ।

तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् ॥ ५० ॥

के हैं। (५०) जो (साम्य) बुद्धि से युक्त हो जायें, वह लोक में पाप और पुण्य से अलिप्त रहता है। अतएव योग का आश्रय कर। (पाप-पुण्य से बच कर) कर्म करने की चतुराई (कुशलता या युक्ति) को ही (कर्मयोग) कहते हैं।

[इन श्लोको में कर्मयोग का लक्षण बतलाया है, वह महत्त्व का है। इस सम्बन्ध में गीता-रहस्य के तीसरे प्रकरण (पृष्ठें ५६-६४) में जो विवेचन किया गया है, उसे देखो। इसमें भी कर्मयोग का तत्त्व — 'कर्म की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ है'—४९ वे श्लोक में बतलाया है, वह अत्यन्त महत्त्व का है। 'बुद्धि' शब्द के पीछे 'व्यवसायात्मिका' विशेषण नहीं है। इसलिये इस श्लोक में उसका अर्थ 'वासना' या 'समझ' होना चाहिये। कुछ लोग बुद्धि का अर्थ 'ज्ञान' करके इस श्लोक का ऐसा अर्थ करना चाहते हैं, कि ज्ञान की अपेक्षा कर्म हल्के दर्जे का है; परन्तु यह अर्थ ठीक नहीं है। क्योंकि, पीछे ४८वें श्लोक में समत्व का लक्षण बतलाया है, और ४९वे तथा अगले श्लोक में भी वही वर्णित है। इस कारण यहाँ बुद्धि का अर्थ समत्वबुद्धि ही करना चाहिये। किसी भी कर्म की भलाई-बुराई कर्म पर अवलम्बित नहीं होती। कर्म एक ही क्यों न हो, पर करनेवाले की भली वा बुरी बुद्धि के अनुसार वह शुभ अथवा अशुभ हुआ करता है। अतः कर्म की अपेक्षा बुद्धि ही श्रेष्ठ है। इत्यादि नीति के तत्त्वों का विचार गीतारहस्य के चौथे, बारहवे और पन्द्रहवे प्रकरण में (पृष्ठे ८८, ३८३-३८४ और ४८०-४८४) किया गया है। इस कारण यहाँ और अधिक चर्चा नहीं करते। ४९वे श्लोक में बतलाया ही है, कि वासनात्मक बुद्धि को सम और शुद्ध रखने के लिये कार्य-अकार्य का निर्णय करनेवाली व्यवसायात्मक बुद्धि पहले स्थिर हो जानी चाहिये। इसलिये 'साम्यबुद्धि' इस शब्द से ही स्थिर व्यवसायात्मक बुद्धि, और शुद्ध वासना (वासनात्मक बुद्धि) इन दोनों का बोध हो जाता है। यह साम्यबुद्धि ही आचरण अथवा कर्मयोग की जड़ है। इसलिये ३९ वे श्लोक में भगवान् ने पहले जो यह कहा है, कि कर्म करके भी कर्म की बाधा न लगनेवाली युक्ति अथवा योग तुझे बतलाता हूँ उसी के अनुसार इस श्लोक में कहा है, कि 'कर्म करते समय बुद्धि को स्थिर, पवित्र, सम और शुद्ध रखना ही' वह 'युक्ति' या 'कौशल्य' है; और इसी को 'योग' कहते हैं। इस प्रकार योग शब्द की दो बार व्याख्या की गई है। ५० वे श्लोक के 'योगः कर्मसु कौशलम्' इस पद का इस प्रकार सरल अर्थ लगने पर भी, कुछ लोगों ने ऐसी खीचातानी से अर्थ लगाने का प्रयत्न किया है, कि 'कर्मसु योगः कौशलम्'—कर्म में जो योग है, उसको कौशल्य कहते हैं। पर 'कौशल्य' शब्द की व्याख्या करने का

§§ कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः

जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् ॥ ५१ ॥

यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति ।

तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥ ५२ ॥

श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला ।

समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥ ५३ ॥

यहाँ कोई प्रयोजन नहीं है। 'योग' शब्द का लक्षण बतलाना ही अभीष्ट है। इमन्त्रिये यह अर्थ मन्त्रा नहीं माना जा सकता। इसके अतिरिक्त जब कि 'कर्मसु कौशलम्' ऐसा सरल अन्वय लग सकता है, तब 'कर्मसु योगः' ऐसा औघा-सीघा अन्वय करना ठीक भी नहीं है। अब बतलाते हैं, कि इस प्रकार साम्यबुद्धि से ममस्त कर्म करते रहने में व्यवहार का लोप नहीं होता; और पूर्ण सिद्धि अथवा मोक्ष प्राप्त हुए बिना नहीं रहता—]

(५१) (ममत्व) बुद्धि से युक्त (जो) ज्ञानी पुरुष कर्मफल का त्याग करते है, वे जन्म के बन्ध में मुक्त होकर (परमेश्वर के) दुःखविरहित पद को जा पहुँचते हैं। (५२) जब तेरी मोह के गंदले आवरण में पार हो जायगी, तब उन बातों में तू विरक्त हो जायगा, जो सुनी हैं और सुनने की है।

[अर्थात् तुझे कुछ अधिक सुनने की इच्छा न होगी। क्योंकि इन बातों के सुनने में मिलनेवाला फल तुझे पहले ही प्राप्त हो चुका होगा। 'निर्वेद' शब्द का उपयोग प्रायः संसारी प्रपंच में उक्ताहट या वैराग्य के लिये किया जाता है। इस श्लोक में उमका सामान्य अर्थ 'ऊब जाना' या 'चाह न रहना' ही है। अगले श्लोक में दीप्त पड़ेगा, कि यह उक्ताहट, विशेष करके पीछे बतलाये हुए, श्रेयुष्यविषयक श्रोतवर्मों के सम्बन्ध में है।]

(५३) (नाना प्रकार के वेदवाक्यों में घबड़ाई हुई तेरी बुद्धि जब ममाधिवृत्ति में स्थिर और निश्चल होगी, तब (यह साम्यबुद्धिरूप) योग तुझे प्राप्त होगा।

[गाराग, द्वितीय अध्याय के ४८वें श्लोक के अनुसार, लोग वेदवाक्य की फलश्रुति में झूले हुए हैं, और जो लोग किसी विशेष फल की प्राप्ति के लिये कुछ कर्म करने की धुन में लगे रहते हैं, उनकी बुद्धि स्थिर नहीं होती— और भी अधिक घबड़ा जाती है। इमन्त्रिये अनेक उपदेशों का सुनना छोट कर चित्त को निश्चल ममाधि-अवस्था में रख। ऐसा करने में साम्यबुद्धिरूप कर्मयोग तुझे प्राप्त होगा; और अधिक उपदेश की जरूरत न रहेगी। एवं कर्म करने पर भी तुझे उनका कुछ पाप न लगेगा। इस रीति में जिस कर्मयोगी की बुद्धि या प्रज्ञा

अर्जुन उवाच ।

§ § स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव ।
स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत् ब्रजेत किम् ॥ ५४ ॥

श्रीभगवानुवाच ।

प्रजहाति यदा कामान्सर्वान्यार्थ मनोगतान् ।
आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥ ५५ ॥
दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः ।
वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते ॥ ५६ ॥
यः सर्वत्रानभिस्त्रेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् ।
नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५७ ॥
यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः ।
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५८ ॥

[स्थिर हो जाय, उसे स्थितप्रज्ञ कहते हैं । अब अर्जुन का प्रश्न है कि उसका व्यवहार कैसा होता है ।]

अर्जुन ने कहा - (५४) हे केशव ! (पुत्रों वतलाओ कि समाधिस्य स्थित-प्रज्ञ किसे कहे ? उस स्थितप्रज्ञ का बोलना, बैठना, और चलना कैसा रहता है ?

[इस श्लोक में 'भाषा' शब्द 'लक्षण' के अर्थ प्रयुक्त है और हमने उसका भाषान्तर उसकी भाषा धातु के अनुसार 'किसे कहे' किया है । गीता-रहस्य के बारहवें प्रकरण (पृ. ३६९-३७०) में स्पष्ट कर दिया है, कि स्थितप्रज्ञ का वर्तक कर्मयोगशास्त्र का आधार है; और इससे अगले वर्णन का महत्त्व ज्ञात हो जायगा ।]

श्रीभगवानुने कहा :- (५५) हे पार्थ ! जब (कोई मनुष्य अपने) मन के समस्त काम अर्थात् वासनाओं को छोड़ता है; और अपने आप में ही सन्तुष्ट होकर रहता है, तब उसको स्थितप्रज्ञ कहते हैं । (५६) दुःख में जिसके मन को खेद नहीं होता, सुख में जिसकी आसक्ति नहीं; और प्रीति, भय एवं क्रोध जिसके छूट गये हैं, उसको स्थितप्रज्ञ मुनि कहते हैं । (५७) सब बातों में जिसका मन निःसङ्ग हो गया; और यथाप्राप्त शुभ-अशुभ का जिसे आनंद या विपाद भी नहीं; (कहना चाहिये कि) उसकी बुद्धि स्थिर हुई ? (५८) जिस प्रकार कछुवा अपने (हाथ-पैर आदि) अवयव सब ओर में सिकोड़ लेता है, उसी प्रकार जब कोई पुरुष इन्द्रियों के (शब्द, स्पर्श आदि) विषयों से (अपनी) इन्द्रियों को खींच लेता है, तब (कहना चाहिये कि) उसकी बुद्धि स्थिर हुई ।

विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः ।

रसं व्रजं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते ॥ ५९ ॥

यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः ।

इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः ॥ ६० ॥

(५९) निराहारी पुरुष के विषय छूट जावे, तो भी (उनका) रस अर्थात् चाह रही छूटती। परन्तु परब्रह्म का अनुभव होने पर चाह भी छूट जाती है — अर्थात् विषय और उनकी चाह दोनों छूट जाते हैं। (६०) कारण यह है, कि केवल (इन्द्रियों के दमन करने के लिये) प्रयत्न करनेवाले-विद्वान् के भी मन को, है मृन्तीपुत्र ! ये प्रबल इन्द्रियाँ बलात्कार से मनमानी ओर खींच लेती हैं।

[अन्न से इन्द्रियों का पोषण होना है। अतएव निराहार या उपवास करने से इन्द्रियाँ अशक्त होकर अपने विषयो का सेवन करने में अमर्त्य हो जाती हैं। पर इस रीति से विषयोपभोग का छूटना केवल जवदंस्ती की, अशक्तता की बाह्यप्रिया हुई। इसमें मन की विषयवामना (रस) कुछ कम नहीं होती। इसलिये यह वामना जिमसे नष्ट हो, उम ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति करना चाहिये। इस प्रकार ब्रह्म का अनुभव हो जाने पर मन एवं उसके साथ ही साथ इन्द्रियाँ भी आप-ही-आप तावे में रहती हैं। इन्द्रियों को तावे में रखने के लिये निराहार आदि उपाय आवश्यक नहीं, — यही उम श्लोक का भावार्थ है। और यही अर्थ आगे छठे अध्याय के दस श्लोक में स्पष्टता से वर्णित है (गीता ६.१६, १७ और ३.६, ७ देखो), कि योगी का आहार नियमित रहे। वह आहारविहार आदि को बिल्कुल ही न छोड़ दे। साराण, गीता का यह मिद्वान्त ध्यान में रखना चाहिये, कि शरीर को वृक्ष करनेवाले निराहार आदि माघन एसाइर्गा हैं, अतएव वे त्याग्य हैं। नियमित आहारविहार और ब्रह्मज्ञान ही इन्द्रियनिग्रह का उत्तम माघन है। उम श्लोक में रस शब्द का 'जिहा से अनुभव लिये जानेवाला मीठा, बड़ुवा, द्रव्यादि रस' ऐसा अर्थ करके कुछ लोग यह अर्थ करने हैं, कि उपवासो में शेष इन्द्रियों के विषय यदि छूट भी जायें, तो भी जिहा या रस अर्थात् गाने-गाने की इच्छा कम न होकर बहुत दिनों के निराहार में ओर भी अधिक् तीव्र हो जाती है, जोर, भागवन में ऐसे अर्थ का एक श्लोक भी है (भाग ११. ८. २०)। पर हमारी गय में गीता के उम श्लोक का ऐसा अर्थ करना ठीक नहीं। क्योंकि हमारे चरण में वह मंत्र नहीं रगता। हमारे अतिरिक्त भागवन में 'रस' शब्द नहीं, 'रसन' है; और गीता के श्लोक का हमारा चरण भी वही नहीं है। अतएव भागवन और गीता के श्लोक को एसाईर्ग मान लेना उचित नहीं है। अर्थ आगे के दो श्लोकों में और अधिक् स्पष्ट कर बतलाते हैं, कि बिना ब्रह्मज्ञानाहार के पूरा इन्द्रियनिग्रह हो नहीं सकता है :-]

तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः ।

वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६१ ॥

ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषूपजायेत ।

संगात्संजायते कामः कामात्क्रोधोऽभिजायते ॥ ६२ ॥

(६१) (अतएव) इन सब इन्द्रियो का संयमन कर युक्त अर्थात् योगयुक्त और मत्परायण होकर रहना चाहिये। इस प्रकार जिसकी इन्द्रियाँ अपने स्वाधीन हो जायें (कहना चाहिये कि), उसकी बुद्धि स्थिर हो गई।

[इस श्लोक में कहा है, कि नियमित आहार से इन्द्रियनिग्रह करके साथ ही साथ ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति के लिये मत्परायण होना चाहिये। अर्थात् ईश्वर में चित्त लगाना चाहिये। ५९वे श्लोक का हमने जो अर्थ किया है, उससे प्रकट होगा, कि उसका हेतु क्या है? मनु ने भी निरे इन्द्रियनिग्रह करनेवाले पुरुष को यह इशारा किया है, कि 'बलवानिन्द्रियग्रामो विद्वांसमपि कर्षति' (मनु २. २१५); और उसी का अनुवाद ऊपर के ६० वे श्लोक में किया है। साराश, इन तीन श्लोको का भावार्थ यह है, कि जिसे स्थितप्रज्ञ होना हो, उसे अपना आहार-विहार नियमित रख कर ब्रह्मज्ञान ही प्राप्त करना चाहिये। ब्रह्मज्ञान होने पर ही मन निर्विषय होता है। शरीरक्लेश के उपाय तो ऊपरी हैं—सच्चे नहीं। 'मत्परायण' पद से यहाँ भक्तिमार्ग का भी आरम्भ हो (गीता ९ ३४ देखो)। ऊपर के श्लोक में जो 'युक्त' शब्द है, उसका अर्थ 'योग से तैयार या बना हुआ' है। गीता ६ १७ में 'युक्त' शब्द है, उसका अर्थ 'नियमित' है। पर गीता में इस शब्द का सदैव का अर्थ है—'साम्यबुद्धि का जो योग गीता में बतलाया गया है, उसका उपयोग करके तदनुसार समस्त सुखदुःखों को शान्तिपूर्वक सहन कर, व्यवहार करने में चतुर पुरुष' (गीता ५ २३ देखो)। इस रीति से निष्पात हुए पुरुष को ही 'स्थितप्रज्ञ' कहते हैं। उसकी अवस्था ही सिद्धावस्था कहलाती है, और इस अध्याय के तथा पाँचवे एव बारहवें अध्याय के अन्त में इसी का वर्णन है। यह बतला दिया, कि विषयो की चाह छोड़ कर स्थितप्रज्ञ होने के लिये क्या आवश्यक है? अब अगले श्लोको में यह वर्णन करते हैं, कि विषयो में चाह कैसी उत्पन्न होती है? इसी चाह से आगे चलकर काम-क्रोध आदि विकार कैसे उत्पन्न होते हैं? और अन्त में उससे मनुष्य का नाश कैसे हो जाता है? एव इनसे छुटकारा किस प्रकार मिल सकता है? —]

(६२) विषयो का चिन्तन करनेवाले पुरुष का इन विषयो में सद्गम बढ़ता जाता है। फिर इस सद्गम से यह वासना उत्पन्न होती है, कि हमको काम (अर्थात् वह विषय) चाहिये। और (इस काम की तृप्ति होने में विघ्न से) उस काम से ही क्रोध की

क्रोधाद्भवति सम्मोहः सम्मोहात्स्मृतिविभ्रमः ।

स्मृतिभ्रंशाद्बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति ॥ ६३ ॥

रागद्वेषविद्युक्तैस्तु विषयानिन्द्रियेश्वरन् ।

आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ ६४ ॥

प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते ।

प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते ॥ ६५ ॥

नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना ।

न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम् ॥ ६६ ॥

उत्पत्ति होती है, (६३) क्रोध मे सम्मोह अर्थात् अविवेक होता है, सम्मोह से स्मृतिभ्रम, स्मृतिभ्रम मे बुद्धिनाश और बुद्धिनाश मे (पुष्प वा) सर्वस्वनाश हो जाता है । (६४) परन्तु अपना आत्मा अर्थात् अन्न वरण जिसके बानू में है, वह (पुष्प) प्रीति और द्वेष मे छूटी हुई अपनी स्वाधीन इन्द्रिया मे विषयों में वर्तवि परके भी (चित्त मे) प्रमत्त होना है । (६५) चित्त प्रमत्त रहने से उसके मव दुःखों वा नाश होना है । क्योंकि जिनका चित्त प्रमत्त है, उनकी बुद्धि भी तत्काल स्थिर होती है ।

[इन दो श्लोकों में स्पष्ट वर्णन है, कि विषय या कर्म को न छोड़ स्थित-प्रज्ञ केवल उनका सद्गम छोड़ कर विषय में ही नि मद्गमबुद्धि से वर्तता रहता है । और उमे जो शान्ति मिती है, वह कर्मयोग मे नहीं, किन्तु पञ्चशा के त्याग म प्राप्त हाती है । क्योंकि इसके सिवा अन्य बातों में इस स्थितप्रज्ञ में और मग्याममार्गवाले स्थितप्रज्ञ में कोई भेद नहीं है । इन्द्रियमयमन, निरिच्छा और शान्ति ये गुण दोनों को ही चाहिये । परन्तु इन दोनों में महत्त्व का भेद यह है, कि गीता का स्थितप्रज्ञ कर्मों का मग्याम नहीं करता । किन्तु लोबसग्रह के निमित्त समस्त कर्म निष्कामबुद्धि मे किया करता है, और मग्याममार्गवाला स्थितप्रज्ञ करना ही नहीं है (देखा गीता ३ २५) । किन्तु गीता के मग्याममार्गीय टीका-कार इन भेद का गीत समझ कर माग्प्रदायित आग्रह म प्रतिपादन किया करते हैं कि स्थितप्रज्ञ का उक्त वर्णन मग्याममार्ग का ही है । अब इस प्रकार जिनका चित्त प्रमत्त नहीं, उनका वर्णन कर स्थितप्रज्ञ के स्वरूप का और भी अधिक ध्यान करना है -]

(६६) जो पुष्प तथा रीति मे युक्त अर्थात् यागयुक्त नहीं है, उममें (स्थिर-) बुद्धि और भावना अर्थात् बुद्धिबुद्धिरूप निष्ठा भी नहीं रहती । जिन भावना नहीं उमे शान्ति नहीं, और जिन शान्ति नहीं उमे सुख मिग्या बहामे ?

इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते ।

तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावमिवाम्भसि ॥ ६७ ॥

तस्माद्यस्य महाबाहो निगृह्णातानि सर्वशः ।

इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६८ ॥

या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी ।

यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ॥ ६९ ॥

आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् ।

तद्वत्कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ॥ ७० ॥

(६७) विषयो में सन्चार अर्थात् व्यवहार करनेवाले इन्द्रियो के पीछे पीछे मन जो जाने लगता है, वही पुरुष की बुद्धि को ऐसे हरण किया करता है, जैसे कि पानी में नौका को वायु खींचती है। (६८) अतएव हे महाबाहु अर्जुन! इन्द्रियो के विषयो से जिसकी इन्द्रियां चहें ओर से हुई हटी हो, (कहना चाहिये कि) उसी की बुद्धि स्थिर हुई।

[साराश, मन के निग्रह के द्वारा इन्द्रियो का निग्रह करना सब साधनों का मूल है। विषयो में व्यग्र होकर इन्द्रियां इधर-उधर दौडती रहे, तो आत्मज्ञान प्राप्त कर लेने की (वामनात्मक) बुद्धि ही नहीं हो सकती। अर्थ यह है, कि बुद्धि न हो, तो उसके विषय में दृढ उद्योग भी नहीं होता; और फिर शान्ति एव सुख भी नहीं मिलता। गीतारहस्य के चौथे प्रकरण में दिखलाया है, कि इन्द्रियनिग्रह का यह अर्थ नहीं है, कि इन्द्रियो को एकाएक दबा कर सब कर्मों को विलकुल छोड़ दे। किन्तु गीता का अभिप्राय यह है, कि ६४ वे श्लोक में जो वर्णन है, उसके अनुसार निष्कामबुद्धि से कर्म करते रहना चाहिये।]

(६९) सब लोगो की जो राय है, उसमें स्थितप्रज्ञ जागता है, और जब समस्त प्राणिमात्र जागते रहते हैं, तब इस ज्ञानवान् पुरुष को रात मालूम होती है।

[यह विरोधाभासात्मक वर्णन आलङ्कारिक है। अज्ञान अन्धकार को और ज्ञान प्रकाश को कहते हैं (गीता १४ ११)। अर्थ यह है, कि अज्ञानी लोगो को जो वस्तु अनावश्यक प्रतीत होती है (अर्थात् उन्हें जो अन्धकार है), वही ज्ञानियो को आवश्यक होती है, और जिसमें अज्ञानी लोग उलझे रहते हैं - उन्हें जहाँ उजला मालूम होता है - वही ज्ञानी को अँधेरा दीख पडता है - अर्थात् वह ज्ञानी को अभीष्ट नहीं रहता। उदाहरणार्थ, ज्ञानी पुरुष काम्य-कर्मों को तुच्छ मानता है, तो सामान्य लोग उसमें लिपटे रहते हैं, और ज्ञानी पुरुष को जो निष्काम कर्म चाहिये, उसकी ओर को चाह नहीं होती।]

(७०) चारो ओर से (पानी) भरते जाने पर भी जिसकी मर्यादा नहीं डिमती, ऐसे समुद्र में जिस प्रकार सब पानी चला जाता है, उसी प्रकार जिस पुरुष में समस्त

§§ विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः ।
निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमाधिच्छति ॥ ७१ ॥
एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति ।
स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॥ ७२ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे
सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

विषय (उसकी शान्ति भङ्ग हुए बिना ही) प्रवेण करने हैं, उसे ही (सच्ची) शान्ति मिलती है। विषयों की इच्छा करनेवाले को (यह शान्ति) नहीं मिलती।

[इस श्लोक का यह अर्थ नहीं है, कि शान्ति करने के लिये कर्म न करना चाहिये। प्रत्युत भावार्थ यह है, कि माध्वारण लोगों का मन फलाशा में या काम्यवामना में पकटा जाता है; और उनके कर्मों में उनके मन की शान्ति बिगड़ जाती है। परन्तु जो मिद्धावस्था में पहुँच गया है, उसका मन फलाशा में धुँध नहीं होना। किन्तु ही कर्म करने को क्यों न हो? पर उसके मन की शान्ति नहीं टिगती। वह ममुद्रमगीवा शान्त बना रहता है; और सब काम किया करता है। अनएव उसे सुखःसुख की व्याधा नहीं होती। (उक्त ६४ वाँ श्लोक और गीता ४.१९ देखो)। अब इस विषय का उपसंहार करके बतलाते हैं, कि स्थितप्रज्ञ की इस स्थिति का नाम क्या है? —]

(७१) जोपुण्यकाम (अर्थात् आमबिन) छोड़कर और निःस्पृह होकरके (व्यवहार में) बर्तता है, एवं जिसे ममत्व और अहंकार नहीं होता, उसे ही शान्ति मिलती है।

[गन्याममागंवाले के टीकाकार इस 'चरति' (बर्तता है) पद का 'भीष मागता फिरता है' ऐसा अर्थ करते हैं; परन्तु यह अर्थ ठीक नहीं है। पिछले ६४ वे और ६७ वे श्लोक में 'चरन्' एव 'चरता' का जो अर्थ है, वही अर्थ यहाँ भी करना चाहिये। गीता में ऐसा उल्लेख यहाँ भी नहीं है, कि स्थितप्रज्ञ भिक्षा मागता करे। हाँ; इनके विरुद्ध ६४ वे श्लोक में यह स्पष्ट कह दिया है, कि स्थितप्रज्ञ पुण्य इन्द्रियों को अपने स्वार्थीन रख कर 'विषयों में बने'। अनएव 'चरति' का ऐसा ही अर्थ करना चाहिये, कि 'बर्तता है' अर्थात् 'जगत् के व्यवहार करता है' श्रीमदभय रामदासग्वामी ने शान्तांध के उत्तरार्ध में इस ध्यान का उत्तम बर्तन किया है, कि 'निःस्पृह' चतुर पुरुष (स्थितप्रज्ञ) व्यवहार में बने बर्तता है? और गीताखण्ड के चौदहरे प्रकरण के विषय ही वही है।]

(७२) हे पार्थ! ब्राह्मी स्थिति यही है। उसे पा जाने पर कोई भी मोह में नहीं पड़ता; और अन्तकाल में अर्थात् मरने के समय में भी इस स्थिति में रह कर ब्रह्मनिर्वाण धर्तन् ब्रह्म में मिल जाने के स्वप्न का मोह पाता है।

[यह ब्राह्मी स्थिति कर्मयोग की अन्तिम और अत्युत्तम स्थिति है (देखो गीतार. प्र. ९, पृ. २३२ और २५१); और इसमें विशेषता यह है; कि इसमें प्राप्त हो जाने से फिर मोह नहीं होता। यहाँ पर इस विशेषतः के बतलाने का कुछ कारण है। वह यह कि, यदि किमी दिन दैवयोग से घड़ी-दो-घड़ी के लिये इस ब्राह्मी स्थिति का अनुभव हो सके, तो उससे कुछ चारकालिक लाभ नहीं होता। क्योंकि किमी भी मनुष्य यदि मरते समय यह स्थिति न रहेगी, तो मरणकाल में जैसी वासना रहेगी, उसी के अनुसार पुनर्जन्म होगा (देखो गीतारहस्य प्र. ९, पृ. २९१)। यही कारण है, जो ब्राह्मी स्थिति का वर्णन करते हुए इस श्लोक में स्पष्टतया कह दिया है, कि 'अन्तकालेऽपि' = अन्तकाल में भी स्थितप्रज्ञ की यह अवस्था स्थिर बनी रहती है। अन्तकाल में मन के शुद्ध रहने की विशेष आवश्यकता का वर्णन उपनिषदों में (छा. ३. १४. १; प्र. ३. १०) और गीता में भी (गीता ८. ५-१०) है। यह वासनात्मक कर्म अगले अनेक जन्मों के मिलने का कारण है। इसलिये प्रकट ही है, कि अन्ततः मरने के समय तो वामना शून्य हो जानी चाहिये। और फिर यह भी कहना पड़ता है, कि मरण-समय में वासना शून्य होने के लिये पहले से ही वैसा अभ्यास हो जाना चाहिये। क्योंकि वासना को शून्य करने का कर्म अत्यन्त कठिन है। और विना ईश्वर की विशेष कृपा के उसका किसी को भी प्राप्त हो जाना न केवल कठिन है, बरन् असम्भव भी है। यह तत्त्व वैदिकधर्म में ही नहीं है, कि मरणसमय में वासना शुद्ध होनी चाहिये; किन्तु अन्यान्य धर्मों में भी यह तत्त्व अद्विगीकृत हुआ है। (देखो गीतारहस्य प्र. १३, पृ. ४४३)]

इस प्रकार श्रीभगवान् के गये हुए — अर्थात् कहे हुए — उपनिषद् में ब्रह्म-विद्यान्तर्गत योग — अर्थात् कर्मयोग — शास्त्रविषयक श्रीकृष्ण और अर्जुन के सवाद में साख्ययोग नामक दूसरा अध्याय समाप्त हुआ।

[इस अध्याय में, आरम्भ में साध्य अथवा सन्यासमार्ग का विवेचन है। इस कारण इसको साख्ययोग नाम दिया गया है। परन्तु इससे यह न समझ लेना चाहिये, कि पूरे अध्याय में वही विषय है। एक ही अध्याय में प्रायः अनेक विषयों का वर्णन होता है। जिस अध्याय में जो विषय आरम्भ में आ गया है, अथवा जो विषय उसमें प्रमुख है, उसके अनुसार उम अध्याय का नाम रख दिया जाता है। (देखो गीतारहस्य प्रकरण १४, पृ. ४४८)]

तृतीयोऽध्यायः ।

अर्जुन उवाच ।

ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन ।
तर्हि कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव ॥ १ ॥
व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे ।
तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् ॥ २ ॥

श्रीमगवानुवाच ।

§ § लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नद्य ।
ज्ञानयोगेन सांन्यानां कर्मयोगेण योगिनाम् ॥ ३ ॥

तीसरा अध्याय

[अर्जुन को भय हो गया था, कि मुझे भीष्म-द्रोण आदि को मारना पड़ेगा । अतः मार्गमार्ग के अनुसार आत्मा को निष्पत्ता और असांख्यन्त्र से यह मित्र किया गया, कि अर्जुन का भय वृथा है । फिर स्वधर्म का थोड़ा-सा विवेचन करके गीता के मुख्य नियम कर्मयोग का दूसरे अध्याय में ही आरम्भ किया गया है । और कहा गया है, कर्म करने पर भी उनके पाप-मुष्य में बचने के लिये केवल यही एक युक्ति या योग है, कि वे कर्म मान्यबुद्धि में किये जावे । हमने अनन्तर अन्त में उन कर्मयोगी म्यितप्रज्ञ का वर्णन भी किया गया है, कि जिसकी बुद्धि उन प्रकार मग हो गई हो । परन्तु इनमें से ही कर्मयोग का विवेचन पूरा नहीं हो जाता । यह बात मच है, कि कोई भी काम मनबुद्धि में किया जावे, तो उसका पाप नहीं गगता; परन्तु जब कर्म को अज्ञान मनबुद्धि की ही श्रेष्ठता विनादरहित मित्र होती है (गीता ० १९), तब फिर म्यितप्रज्ञ की नाई बुद्धि को मग कर लेने में ही काम चर जाता है । हमने यह मित्र नहीं होता, कि कर्म करना ही चाहिये । अतएव जब अर्जुन ने यही शर्त प्रस्तुत में उभरिती की, तब भगवान् हम अध्याय में तथा अन्ते अध्याय में प्रतिपादन करने है, कि 'कर्म करना ही चाहिये ।']

न कर्मणामनारम्भानैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते ।

न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति ॥ ४ ॥

न हि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत् ।

कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः ॥ ५ ॥

मे) मंने यह बतलाया है, कि इस लोक में दो प्रकार की निष्ठाएँ हैं — अर्थात् ज्ञानयोग से साख्यो की और कर्मयोग से योगियो की ।

[हमने 'पूरा' शब्द का 'पहले' अर्थात् 'दूसरे अध्याय में' किया है । यही अर्थ सरल है । क्योंकि दूसरे अध्याय में पहले साख्यनिष्ठा के अनुसार ज्ञान का वर्णन करके फिर कर्मयोगनिष्ठा का आरम्भ किया गया है । परन्तु 'पूरा' शब्द का अर्थ 'सृष्टि के आरम्भ में' भी हो सकता है — क्योंकि महाभारत में, नारायणीय या भागवतधर्म के निरूपण में यह वर्णन है, कि साख्य और योग (निवृत्ति और प्रवृत्ति) दोनों प्रकार की निष्ठाओं को भगवान् ने जगत् के आरम्भ में ही उत्पन्न किया है (देखो शा ३४० और ३४७) । 'निष्ठा' शब्द के पहले मोक्ष शब्द अध्याहृत है । 'निष्ठा' शब्द का अर्थ वह मार्ग है, कि जिससे चलने पर अन्त में मोक्ष मिलता है । गीता के अनुसार ऐसी निष्ठाएँ दो ही हैं, और वे दोनों स्वतन्त्र हैं, कोई किसी का अडग नहीं है — इत्यादि बातों का विस्तृत विवेचन गीतारहस्य के ग्यारहवें प्रकरण (पृ ३०६-३१७) में किया गया है । इसलिये उसे यहाँ दुहराने की आवश्यकता नहीं है । ग्यारहवें प्रकरण के अन्त (पृष्ठ ३५५) में नक्शा देकर इस बात का भी वर्णन कर दिया गया है, दोनों निष्ठाओं में भेद क्या है । मोक्ष की दो निष्ठाएँ बतला दी गई । अब तदडगभूत नैष्कर्म्यसिद्धि का स्वरूप स्पष्ट करके बतलाते हैं —]

(४) परन्तु कर्मों का प्रारम्भ न करने से ही पुरुष को नैष्कर्म्यप्राप्ति नहीं हो जाती, और कर्मों का प्रारम्भ त्याग न करने से ही सिद्धि नहीं मिल जाती । (५) क्योंकि कोई मनुष्य कुछ-न-कुछ कर्म किये बिना क्षणभर भी नहीं रह सकता । प्रकृति के गुण प्रत्येक परतन्त्र मनुष्य को सदा कुछ-न-कुछ कर्म करने में लगाया ही करते हैं ।

[चौथे श्लोक के चरण में जो 'नैष्कर्म्य' पद है, उसका 'ज्ञान' अर्थ मान कर सन्यासमार्गवाले टीकाकारों ने इस श्लोक का अर्थ अपने सम्प्रदाय के अनुकूल इस प्रकार बना लिया है — 'कर्मों का आरम्भ न करने से ज्ञान नहीं होता, अर्थात् कर्मों से ही ज्ञान होता है । क्योंकि कर्म ज्ञानप्राप्ति का साधन है ।' परन्तु यह अर्थ न तो सरल है और न ठीक है । नैष्कर्म्य शब्द का उपयोग वेदान्त और मीमांसा दोनों शास्त्रों में कई बार किया गया है, और सुरेश्वराचार्य का 'नैष्कर्म्यसिद्धि' नामक इस विषय पर एक ग्रन्थ भी है । तथापि नैष्कर्म्य के ये तत्त्व कुछ नये नहीं हैं । न केवल सुरेश्वराचार्य ही वे, किन्तु मीमांसा और वेदान्त

नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः ।

शरीरयात्रापि च ते न प्रसिध्येदकर्मणः ॥ ८ ॥

[अधिक योग्यता का या श्रेष्ठ है (गीतार. प्र. ११, पृ. ३०९-३१०) । इस प्रकार जब कर्मयोग ही श्रेष्ठ है, तब अर्जुन को इसी मार्ग का आचरण करने के लिये उपदेश करते हैं :-]

(८) (अपने धर्म के अनुसार) नियत अर्थात् नियमित कर्म को तू कर । क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना कहीं अधिक अच्छा है । इसके अतिरिक्त (यह समझ ले कि यदि) तू कर्म न करेगा, तो (भोजन भी न मिलने में) तेरा शरीरनिर्वाह तक न हो सकेगा ।

['अतिरिक्त' और 'तक' (अपि च) पदों में शरीरयात्रा को कम-से-कम हेतु कहा है । अब यह बताने के लिये यज्ञप्रकरण का आरम्भ किया जाता है, कि 'नियत' अर्थात् नियत किया हुआ 'कर्म' कौन-सा है ? और दूसरे किम महत्त्व के कारण उसका आचरण अवश्य करना चाहिये ? आजकल यज्ञयाग आदि श्रौतधर्म लुप्त-सा हो गया है । इसलिये इस विषय का आधुनिक पाठकों को बोट विवेचन महत्त्व मालूम नहीं होना । परन्तु गीता के समय में इन यज्ञयागों का पूरा पूरा प्रचार था; और 'कर्म' शब्द में मुख्यतः इन्हीं का बोध हुआ करता था । अतएव गीताधर्म में इस बात का विवेचन करना अत्यावश्यक था, कि ये धर्मवृत्त किये जावे या नहीं । और यदि किये जावे, तो किस प्रकार ? इसके सिवा, यह भी स्मरण रहे, कि यज्ञ शब्द का अर्थ केवल ज्योतिष्टोम आदि श्रौतयज्ञ या अग्नि में किसी भी वस्तु का हवन करना ही नहीं है (देखो गीता ४ ३२) । गृष्टि निर्माण करके उसका काम ठीक ठीक चलने रहने के लिये (अर्थात् लोम-मग्रहायं) प्रजा को ब्रह्मा ने चानुर्वर्ष्यंविहित जो जो काम बाँट दिये हैं, उन सबका 'यज्ञ' शब्द में समावेश होता है (देखो म. भा. अनु. ४८. ३; और गीतार. प्र. १०, पृ. २९१-२९७) । धर्मशास्त्रों में इन्हीं कर्मों का उल्लेख है; और इस 'नियत' शब्द में वे ही विवक्षित हैं । इसलिये कहना चाहिये, कि यद्यपि आजकल यज्ञयाग लुप्तप्राय हो गये हैं, तथापि यज्ञशब्द का यह विवेचन अब भी निरर्थक नहीं है । शास्त्रों के अनुसार ये सब कर्म काम्य हैं - अर्थात् इसलिये यज्ञयाग होते हैं, कि मनुष्य का इस जगत् में बचाव होय और उसे मुक्त मिले । परन्तु पीछे दूसरे अध्याय (गीता २ ४१-८८) में यह सिद्धांत है, कि सीमान्तों के ये महानुक्त या काम्यार्थ मोक्ष के लिये प्रतिकर्यक हैं, अतएव वे नीचे दरे हैं; और मानना पटना है, कि अब तो इन्हीं कर्मों को करना चाहिये । इतलिये अन्ते श्लोकों में इस बात का विस्तृत विवेचन किया गया है, कि कर्मों का अनुष्ठान ही अपना बन्धनकर्म ही मिट जाता है । और उन्हें करने रहने पर

§ § यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः ।

तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचार ॥ ५ ॥

{ भी नैष्कर्म्यावस्था क्योंकर प्राप्त होती है? यह समग्र विवेचन भारत में वर्णित
| नारायणीय या भागवतधर्म के अनुसार है (देखो म. भा शा. ३४०) । }

(९) यज्ञ के लिये जो कर्म किये जाते हैं, उनके अतिरिक्त अन्य कर्मों से यह
लोक बँधा हुआ है। तदर्थं अर्थात् यज्ञार्थं (किये जानेवाले) कर्म (भी) तू आसक्ति
या फलाशा छोड़ कर करता जा ।

{ इस श्लोक के पहले चरण में मीमांसको का और दूसरे में गीता का
| सिद्धान्त बतलाया गया है। मीमांसको का कथन है, कि जब वेदो ने ही यज्ञ-
| यागादि कर्म मनुष्यों के लिये नियत कर दिये हैं, और जब कि ईश्वरनिर्मित सृष्टि
| का व्यवहार ठीक ठीक चलते रहने के लिये यह यज्ञचक्र आवश्यक है, तब कोई
| भी इन कर्मों का त्याग नहीं कर सकता। यदि कोई इनका त्याग कर देगा, तो
| समझना होगा, कि वह श्रौतधर्म से वन्चित हो गया। परन्तु कर्मविपाकप्रक्रिया
| का सिद्धान्त है, कि प्रत्येक कर्म का फल मनुष्य को भोगना ही पडता है।
| उसके अनुसार कहना पडता है, कि यज्ञ के लिये मनुष्य जो जो कर्म करेगा,
| उसका भला या बुरा फल भी उसे भोगना ही पडेगा। मीमांसको का इस पर
| यह उत्तर है, कि वेदो की ही आज्ञा है, कि 'यज्ञ' करना चाहिये। इसलिये
| यज्ञार्थं जो जो कर्म किये जावेगे, वे सब ईश्वरसम्मत होंगे। अतः उन कर्मों
| से कर्ता बद्ध नहीं हो सकता। परन्तु यज्ञों के सिवा दूसरे कर्मों के लिये—
| उदाहरणार्थ, केवल अपना पेट भरने के लिये मनुष्य जो कुछ करता है, वह
| यज्ञार्थं नहीं हो सकता। उसमें तो केवल मनुष्य का ही निजी लाभ है। यही कारण
| है, जो मीमांसक उसे 'पुत्रपार्थ' कर्म कहते हैं। और उन्हो ने निश्चित किया है,
| कि ऐसे यानी यज्ञार्थं के अतिरिक्त अन्य कर्म अर्थात् पुरुपार्थ कर्म का जो कुछ
| भला या बुरा फल होता है, वह मनुष्य को भोगना पडता है—यही सिद्धान्त उक्त
| श्लोक की पहली पक्ति में है (देखो गीतार प्र. ३, पृ ५०-५३)। कोई कोई
| टीकाकार यज्ञ = विष्णु ऐसा गौण अर्थ करके कहते हैं, कि यज्ञार्थं शब्द का अर्थ
| विष्णुप्रीत्यर्थं या परमेश्वरार्पणपूर्वक है। परन्तु हमारी समझ में यह अर्थ खीचा-
| तानी का और क्लिष्ट है। यहाँ पर प्रश्न होता है, कि यज्ञ के लिये जो बर्ध करने
| पडते हैं, उनके सिवा यदि मनुष्य दूसरे कर्म कुछ भी तो क्या वह कर्मबन्धन से छट
| सकता है? क्योंकि यज्ञ भी तो कर्म ही है। और उसका स्वर्गप्राप्तिरूप जो शास्त्रोक्त
| फल है, वह मिले बिना नहीं रहता। परन्तु गीता के दूसरे ही अध्याय में स्पष्ट
| रीति से बतलाया गया है, कि यह स्वर्गप्राप्तिरूप फल मोक्षप्राप्ति के विरुद्ध है
| (देखो गीता, २. ४०-४४; और ९ २०, २१)। इसीलिये उक्त श्लोक के दूसरे

के मूत्र बनने के भी पूर्व से ही उनका प्रचार होता आ रहा है। यह बतलाने की कोई आवश्यकता नहीं, कि कर्म बन्धक होता ही है; इसलिये पारे का उपयोग करने के पहले उसे मार कर जिम प्रकार वैद्य लोग शुद्ध कर लेते हैं, उसी प्रकार कर्म करने के पहले ऐसा उपाय करना पड़ता है, कि जिससे उसका बन्धकत्व या दोष मिट जायें। और ऐसी युक्ति से कर्म करने की स्थिति को ही 'नैष्कर्म्य' कहते हैं। इस प्रकार बन्धकत्वरहित कर्म मोक्ष के लिये बाधक नहीं होते। अतएव मोक्षशास्त्र का यह एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है, कि यह स्थिति कैसे प्राप्त की जाय ? मीमांसक लोग इसका यह उत्तर देते हैं, कि नित्य और (निमित्त होने पर) नैमित्तिक कर्म तो करना चाहिये; पर काम्य और निषिद्ध कर्म नहीं करना चाहिये इनमे कर्म का बन्धकत्व नहीं रहता; और नैष्कर्म्यावस्था सुलभ रीति में प्राप्त हो जाती है। परन्तु वेदान्तशास्त्र ने सिद्धान्त किया है, कि मीमांसको की यह युक्ति गलत है; और इस बात का विवेचन गीतारहस्य के दसवें प्रकरण (पृष्ठ २७६) में किया गया है। कुछ और लोगों का कथन है, कि यदि कर्म किये ही न जायें, तो उनसे बाधा कैसे हो सकती है ? इसलिये, उनके मतानुसार नैष्कर्म्य अवस्था प्राप्त करने के लिये सब कर्मों ही को छोड़ देना चाहिये। इनके मत में कर्मशून्यता को ही 'नैष्कर्म्य' कहते हैं। चौथे श्लोक में बतलाया गया है, कि यह मत ठीक नहीं है। इसमें तो मिद्धि अर्थात् मोक्ष भी नहीं मिलता; और पाँचवें श्लोक में इसका कारण भी बतला दिया है। यदि हम कर्म को छोड़ देने का विचार करें, तो जब तक यह देह है, तब तक सोना, बैठना इत्यादि कर्म कभी गक ही नहीं मकने (गीता ५.९ और १८.११)। इसलिये कोई भी मनुष्य कर्मशून्य कभी नहीं हो सकता। फलतः कर्मशून्यरूपी नैष्कर्म्य असम्भव है। माराण, कर्मरूपी विच्छू कभी नहीं मरता। इसलिये ऐसा कोई उपाय मोचना चाहिये, कि जिसमें वह विपरहित हो जाय। गीता का सिद्धान्त है, कि कर्मों में में अपनी आमन्त्रिकों हटा लेना ही इसका एवमात्र उपाय है। आगे अनेक स्थानों में इसी उपाय का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। परन्तु इस पर भी शङ्का हो सकती है, कि यद्यपि कर्मों को छोड़ देना नैष्कर्म्य नहीं है, तथापि मंग्याममांगवाले तो सब कर्मों का मंग्याम अर्थात् त्याग करके ही मोक्ष प्राप्त करते हैं। अत मोक्ष की प्राप्ति के लिये कर्मों का त्याग करना आवश्यक है। इसका उत्तर गीता इन प्रकार देती है, कि मंग्याममांगवाले को मोक्ष तो मिलना है मही; परन्तु वह कुछ उन्हें कर्मों का त्याग करने में नहीं मिलता। चिन्तु मोक्षमिद्धि उनके ज्ञान का फल है। यदि केवल कर्मों का त्याग करने में ही मोक्षमिद्धि होती हो, तो फिर पत्यगों को भी मुक्ति मिलनी चाहिये इसमें वे तीन बातें मिद्धि होती हैं - (१) नैष्कर्म्य कुछ कर्म-शून्यता नहीं है, (२) कर्मों को बिल्कुल त्याग देने का कोई वित्तना भी प्रयत्न कर्ना न करे, परन्तु वे छूट नहीं मकने, और (३) कर्मों को त्याग देना मिद्धि

कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् ।

इन्द्रियार्थान्विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ ६ ॥

यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन ।

कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥ ७ ॥

प्राप्त करने का उपाय नहीं है। ये ही वाते ऊपर के श्लोक में बतलाई गई हैं। जब ये तीनों वाते सिद्ध हो गईं, तब अठारहवें अध्याय के कथनानुसार 'नैष्कर्म्य-सिद्धि' की (देखो गीता १८. ४८ और ४९) प्राप्ति के लिये यही एक मार्ग शेष रह जाता है, कि कर्म करना तो छोड़े नहीं, पर ज्ञान के द्वारा आसक्ति का क्षय कर के सब कर्म सदा करता रहे। क्योंकि ज्ञान मोक्ष का साधन है तो सही; पर कर्मशून्य रहना भी कभी सम्भव नहीं। इसलिये कर्मों के बन्धकत्व (बन्धन) को नष्ट करने के लिये आसक्ति छोड़ कर उन्हें करना आवश्यक होता है। इसी को कर्मयोग कहते हैं। और तब बतलाते हैं, कि यही ज्ञानकर्मसमुच्चयात्मक मार्ग विशेष योग्यता का - अर्थात् श्रेष्ठ है -]

(६) जो मूढ़ (हाथ पैर आदि) कर्मेन्द्रियों को रोक कर मन से इन्द्रियों के विषयो का चिन्तन किया करता है, उसे मिथ्याचारी अर्थात् दाम्भिक कहते हैं। (७) परन्तु हे अर्जुन ! उसकी योग्यता विशेष अर्थात् श्रेष्ठ है, कि जो मनसे इन्द्रियों का आकलन करके (केवल) कर्मेन्द्रियों द्वारा अनासक्तबुद्धि से 'कर्मयोग' का आरम्भ करता है।

[पिछले अध्याय में जो यह बतलाया गया है, कि कर्मयोग में कर्म की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ है (गीता २. ४९), उसी का इन दोनों श्लोकों में स्पष्टीकरण किया गया है। यहाँ साफ साफ कह दिया है, कि जिस मनुष्य का मन तो शुद्ध नहीं है; पर केवल दूसरों के भय से या इस अभिलाषा से - कि दूसरे मुझे भला कहे - केवल बाह्येन्द्रियों के व्यापार को रोकता है, वह सच्चा सदाचारी नहीं है, वह ढोंगी है। जो लोग इस वचन का प्रमाण देकर - कि 'कलौ वर्ता च लिप्यते' कलियुग में दोष बुद्धि में नहीं, किन्तु कर्म में रहता है - यह प्रतिपादन किया करते हैं, कि बुद्धि चाहे जैसे हो, परन्तु कर्म बुरा न हो, उन्हें इस श्लोक में वर्णित गीतातत्त्व पर विशेष ध्यान देना चाहिये। सातवें श्लोक से यह बात प्रकट होती है, कि निष्कामबुद्धि से कर्म करने के योग को ही गीता में 'कर्मयोग' कहा है। सन्यासमार्गीय कुछ टीकाकार इस श्लोक का ऐसा अर्थ करते हैं, तथापि यह सन्यासमार्ग से श्रेष्ठ नहीं है। परन्तु यह युक्ति साम्प्रदायिक आग्रह की है। क्योंकि न केवल इसी श्लोक में, वरन् फिर पाँचवें अध्याय के आरम्भ में (और अन्यत्र भी) यह स्पष्ट कह दिया गया है, कि सन्यासमार्ग से भी कर्मयोग गी. २. ४२

सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः ।

अनेन प्रसविष्यध्वमेप वोऽस्त्विष्टकामधुक् ॥ १० ॥

देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः ।

परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ ११ ॥

चरण में यह बात फिर बत गई गहै है, कि मनुष्य को यज्ञार्थ जो कुछ नियत कर्म करना होता है, उसे भी वह फल की आशा छोड़ कर अर्थात् केवल कर्तव्य समझ कर करे, और इसी अर्थ का प्रतिपादन आगे मात्स्विक यज्ञ की व्याख्या करते समय किया गया है (देखो गीता १७. ११ और १८. ६)। इस श्लोक का भावार्थ यह है, कि इस प्रकार मनुष्य को यज्ञार्थ और मो भी फलशा छोड़ कर करने से, (१) वे भीमासको के न्यायानुसार ही किसी भी प्रकार मनुष्य को बद्ध नहीं करते। क्योंकि वे तो यज्ञार्थ किये जाते हैं। और (२) उनका स्वर्गप्राप्तिरूप शास्त्रोक्त एव अनित्य फल मिलने के बदले मोक्षप्राप्ति होती है। क्योंकि वे फलशा छोड़ कर किये जाते हैं। आगे १९वे श्लोक में और फिर चौथे अध्याय के २३वे श्लोक में यही अर्थ दुबारा प्रतिपादित हुआ है। तात्पर्य यह है, कि भीमासको के इस सिद्धान्त—‘यज्ञार्थ कर्म करने चाहिये। क्योंकि वे बन्धक नहीं होते’—में भगवद्-गीता ने और भी यह सुधार कर दिया है, कि ‘जो कर्म यज्ञार्थ किये जावे, उन्हें भी फलशा छोड़ कर करना चाहिये।’ किन्तु इस पर भी यह शङ्का होती है, कि भीमासको के सिद्धान्त को इस प्रकार सुधारने का प्रयत्न करके यज्ञयाग आदि गार्हस्थ्यवृत्ति को जारी रखने की अपेक्षा क्या यह अधिक अच्छा नहीं है, कि कर्मों की श्रद्धा से छूट कर मोक्षप्राप्ति के लिये सत्र कर्मों को छोड़ कर सन्यास ले लें ? भगवद्गीता इस प्रश्न का साफ यही उत्तर देती है, कि ‘नहीं’। क्योंकि यज्ञचक्र के बिना इस जगत् के व्यवहार जारी नहीं रह सक्ते। अधिक क्या कहें ? जगत् के धारण-पोषण के लिये ब्रह्मा ने इस चक्र को प्रथम उत्पन्न किया है। और जब कि जगत् की सुस्थिति या मज्ज ही भगवान् को इष्ट है, तब इस यज्ञचक्र को कोई भी नहीं छोड़ सकता। अब यही अर्थ अगले श्लोक में बतलाया गया है। इस प्रकरण में पाठकों को स्मरण रखना चाहिये, कि यज्ञ शब्द यहाँ केवल श्रौतयज्ञ के ही अर्थ में प्रयुक्त नहीं है। किन्तु उसमें स्मार्तयज्ञों का तथा चातुर्वर्ण्य आदि के यथाधिकार सब ध्यावहारिक कर्मों का समावेश है।

(१०) आरम्भ में यज्ञ के माय माय प्रजा का उत्पन्न करके ब्रह्मा ने (उनमें) कहा, “इस (यज्ञ) के द्वारा तुम्हारी वृद्धि हो—यह (यज्ञ) तुम्हारी कामधेनु होवे—अर्थात् यह तुम्हारे इच्छित फल को देनेवाला होवे। (११) तुम इनमें देवताओं को मनुष्य बनाते रहो, (और) वे देवता तुम्हें मनुष्य बनाते रहें। (इस प्रकार) परस्पर एक दूसरे को मनुष्य बनाते हुए (दानों) परम श्रेय अर्थात् सन्त्याग प्राप्त कर लो।”

इष्टान्भोगान्निह वो देवा दास्यन्ते यज्ञभोगविताः ।

तैर्दत्तानप्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः ॥ १२ ॥

यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः

भुञ्जते ते त्विधं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् ॥ १३ ॥

(१२) क्योंकि, यज्ञ से सन्तुष्ट होकर देवता लोग तुम्हारे इच्छित (सब) भोग तुम्हें देंगे। उन्हीं का दिया हुआ उन्हें (वापिस) न दे कर जो (केवल स्वयं) उपभोग करता है, वह सचमुच चोर है।

[जब ब्रह्मा ने इस सृष्टि अर्थात् देव आदि सब लोगों को उत्पन्न किया तब उसे किता हुई, कि इन लोगों का धारण-पोषण कैसे होगा? महाभारत के नारायणीय धर्म में वर्णन है, कि ब्रह्मा ने इसके बाद हजार वर्ष तक तप करके भगवान् को सन्तुष्ट किया। तब भगवान् ने सब लोगों के निर्वाह के लिये प्रवृत्तिप्रधान यज्ञचक्र उत्पन्न किया। और देवता तथा मनुष्य दोनों से कहा, कि इस प्रकार वर्तव्य करके एक दूसरे की रक्षा करो। उक्त श्लोक में इसी कथा का कुछ शब्दभेद से अनुवाद किया गया है (देखो म. भा. शा. ३४०. ३८ से ६२)। इससे यह सिद्धान्त और भी अधिक दृढ़ हो जाता है, कि प्रवृत्ति-प्रधान भागवतधर्म के तत्त्व का ही गीता में प्रतिपादन किया गया है। परन्तु भागवतधर्म में यज्ञों में की जानेवाली हिंसा गहरी मानी गई है (देखो म. भा. शा. ३३६ और ३३७)। इसलिये पशुयज्ञ के स्थान में प्रथम द्रव्यमय यज्ञ शुरू हुआ। और अन्त में यह मत प्रचलित हो गया, कि जपमय यज्ञ अथवा ज्ञानमय यज्ञ ही सब में श्रेष्ठ है (गीता ४. २३-३३)। यज्ञ शब्द से मतलब चातुर्वर्ण्य के सब कर्मों से है। और यह बात स्पष्ट है, कि समाज का उचित रीति से धारण-पोषण होने के लिये इस यज्ञकर्म या यज्ञचक्र को अच्छी तरह जारी रखना चाहिये (देखो मनु. १. ८७)। अधिक क्या कहें? यह यज्ञचक्र आगे बीसवें श्लोक में वर्णित लोकसंग्रह का ही एक स्वरूप है (देखो गीतार. प्र. ११)। इसीलिये स्मृतियों में भी लिखा है, कि देवलोक और मनुष्यलोक दोनों के संग्रहाय भगवान् ने ही प्रथम जिस लोकसंग्रहकारक कर्म को निर्माण किया है, उसे आगे अच्छी तरह प्रचलित रखना मनुष्य का कर्तव्य है, और यही अर्थ अब अगले श्लोक में स्पष्ट रीति से बतलाया गया है :-]

(१३) यज्ञ करके शेष बचे हुए भाग को ग्रहण करनेवाले सज्जन सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। परन्तु (यज्ञ न करके केवल) अपने ही लिये जो (अन्न) पकाते हैं, वे पापी लोग पाप भक्षण करते हैं।

[ऋग्वेद के १०. ११७. ६ मन्त्र में भी यही अर्थ है। उसमें कहा है, कि 'नायंमण पुष्यति नो मघाय वेवलागो भवति वेवलादी' - अर्थात् जो मनुष्य

अक्षाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्याद्भ्रसम्भवः।

यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः ॥ १४ ॥

कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् ।

तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् ॥ १५ ॥

अर्थमा या मखा का पोषण नहीं करता, अकेला ही भोजन करता है, उसे केवल पापी समझना चाहिये। इसी प्रकार मनुस्मृति में भी कहा है, कि 'अर्घं म केवलं भुङ्क्ते यः पचत्यात्मकारणात् । यज्ञगिष्ठांशनं ह्येनत्माना मन्नं विधीयते ॥' (३. ११८) - अर्थात् जो मनुष्य अपने लिये ही (अन्न) पकाता है, वह केवल पाप भक्षण करता है। यज्ञ करने पर जो शेष रह जाता है, उसे 'अमृत' और दूमरे के भोजन कर चुकने पर जो शेष रहता है (भुक्तशेष) उसे 'विघस' कहते हैं (मनु. ३. २८५)। और भले मनुष्यों के लिये यही अन्न विहित कहा गया है (देखो गीता ४. ३१)। अब टम वात का और भी स्पष्टीकरण करते हैं, कि यज्ञ आदि कर्म न तो केवल तिल और चावलों को आग में झोंकने के लिये ही हैं और न स्वर्गप्राप्ति के लिये ही; वरन् जगत् का धारण-पोषण होने के लिये उनकी बहुत आवश्यकता है, अर्थात् यज्ञ पर ही मारा जगत् अवलम्बित है:-]

(१४) प्राणिमात्र की उत्पत्ति अन्न से होती है, अन्न पर्जन्य से उत्पन्न होता है, पर्जन्य यज्ञ से उत्पन्न होता है; और यज्ञ की उत्पत्ति कर्म से होती है।

[मनुस्मृति में भी मनुष्य की और उसके धारण के लिये आवश्यक अन्न की उत्पत्ति के विषय में इसी प्रकार का वर्णन है। मनु के श्लोक का भाव यह है :- 'यज्ञ की आग में दी हुई आहुति सूर्य को मिलती है; और फिर सूर्य से (अर्थात् परम्परा द्वारा यज्ञ से ही) पर्जन्य उपजता है। पर्जन्य से अन्न, और अन्न से प्रजा उत्पन्न होती है' (मनु. ३. ७६)। यही श्लोक महाभारत में भी है (देखो म. भा. शा. २६२. ११) तैत्तिरीय उपनिषद् (२. १) में यह पूर्व-परम्परा हमें भी पीछे हटा दी गई है; और ऐसा क्रम दिया है :- 'प्रथम परमारमा मे आषास इवा; और फिर प्रथम मे वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी में ओषधि, ओषधि, मे अन्न और अन्न मे पुरुष उत्पन्न हुआ।' अतएव इस परम्परा के अनुसार प्राणिमात्र की कर्मपर्यन्त चतुर्थाई हुई प्रथमपरम्परा को - अब कर्म के पहले प्रकृति और प्रकृति के पहले टेंड अक्षरब्रह्म-पर्यन्त पहुँचा कर - पूरी करने हैं.-]

(१५) कर्म की उत्पत्ति ब्रह्म से अर्थात् प्रकृति से हुई; और यह ब्रह्म अक्षर मे अर्थात् परमेश्वरमे हुआ है। इसलिये (यह समझो कि) सर्वगत ब्रह्म ही यज्ञ में घटा अधिष्ठित रहता है।

एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः ।

अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ से जीवति ॥ १६ ॥

[कोई कोई इस श्लोक के 'ब्रह्म' शब्द का अर्थ 'प्रकृति' नहीं समझते। वे कहते हैं, कि यहाँ ब्रह्म का अर्थ 'वेद' है। परन्तु 'ब्रह्म' शब्द का 'वेद' अर्थ करने से यद्यपि इस वाक्य में आपत्ति नहीं हुई, कि "ब्रह्म अर्थात् 'वेद' परमेश्वर से हुए हैं;" तथापि वैसा अर्थ करने से 'सर्वगत ब्रह्म यज्ञ में है' इसका अर्थ ठीक ठीक नहीं लगता। इसलिये "मम योनिर्महत् ब्रह्म" (गीता १४. ३) श्लोक में 'ब्रह्म' पद का जो 'प्रकृति' अर्थ है, उसके अनुसार रामानुज-भाष्य में यह अर्थ किया गया है, कि इस स्थान में भी 'ब्रह्म' शब्द से जगत् की मूलप्रकृति विवक्षित है। वही अर्थ हमें भी ठीक मालूम होता है। इसके सिवा महाभारत के शान्तिपर्व में यज्ञप्रकरण में यह वर्णन है कि 'अनुयज्ञ जगत्सर्व यज्ञश्चानुजगत्सदा' (शा. २६७. ३४) - अर्थात् यज्ञ के पीछे जगत् है, और जगत् के पीछे पीछे यज्ञ है। ब्रह्म का अर्थ 'प्रकृति' करने से इस वर्णन का भी प्रस्तुत श्लोक से मेल हो जाता है। क्योंकि जगत् ही प्रकृति है। गीतारहस्य के सातवे और आठवे प्रकरण में यह बात विस्तारपूर्वक बतलाई गई है कि परमेश्वर से प्रकृति और त्रिगुणात्मक प्रकृति से जगत् के सब कर्म कैसे निष्पन्न होते हैं? इसी प्रकार पुरुषसूक्त में भी यह वर्णन है, कि देवताओं ने प्रथम यज्ञ करके ही सृष्टि को निर्माण किया है।]

(१६) हे पार्थ ! इस प्रकार जगत् के धारणार्थ चलाये हुए कर्म या यज्ञ के चक्र को जो इस जगत् में आगे नहीं चलाता, उसकी आयु पापरूप है। उस इन्द्रियलम्पट का (अर्थात् देवताओं को न देकर स्वय उपभोग करनेवाले का) जीवन व्यर्थ है।

[स्वय ब्रह्मा ने ही- मनुष्यों ने नहीं - लोगों के धारण-पोषण के लिये यज्ञमय कर्म या चातुर्वर्ण्यवृत्ति उत्पन्न की है। इस सृष्टि का क्रम चलते रहने के लिये (श्लोक १४) और साथ ही साथ अपना निर्वाह होने के लिये (श्लोक ८) इन दोनों कारणों से इस वृत्ति की आवश्यकता है। इससे सिद्ध होता है, कि यज्ञचक्र को अनासक्तबुद्धि से जगत् में सदा चलाते जाना चाहिये। अब यह बात मालूम हो चुकी, कि मीमांसको का या त्रयीधर्म का कर्मकाण्ड (यज्ञचक्र) गीताधर्म में अनासक्तबुद्धि की युक्ति से कैसे स्थिर रखा गया है (देखो गीतारहस्य प्र. ११, पृ. ३४७-३४८)। कोई सन्यासमार्गवाले वेदान्ती इस विषय में शङ्का करते हैं, कि आत्मज्ञानी पुरुष को जब यहाँ मोक्ष प्राप्त हो जाता है, और उसे जो कुछ प्राप्त करना होता है, वह सब उसे यही मिल जाता है, तब उसे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है - और उसको कर्म करना भी न चाहिये। इस का उत्तर अगले तीन श्लोकों में दिया है।]

§§ यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मनृतश्च मानवः ।

आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते ॥ १७ ॥

नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन ।

न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः ॥ १८ ॥

तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचार ।

असक्तो ह्याचरन्कर्म परमाप्नोति पूरुषः ॥ १९ ॥

(१७) परन्तु जो मनुष्य केवल आत्मा में ही रत, आत्मा में ही तृप्त और आत्मा में ही संतुष्ट हो जाता है, उसके लिये (स्वयं अपना) कुछ भी कार्य (शेष) नहीं रह जाता; (१८) इसी प्रकार यहाँ अर्थात् इस जगत् में (कोई काम) करने में या न करने में भी उसका लाम नहीं होता; और सब प्राणियों में उसका कुछ भी (निर्जा) मतलब अटका नहीं रखता। (१९) तस्मात् अर्थात् जब ज्ञानी पुरुष इस प्रकार कोई भी अपेक्षा नहीं रखता, तब तू भी (फल की) आसक्ति छोड़ कर अपना कर्तव्यकर्म मदैव किया कर। क्योंकि आसक्ति छोड़ कर कर्म करनेवाले मनुष्य को परमगति प्राप्त होती है।

[१७ से १९ तक के श्लोकों का टीकाकारों ने बहुत विपर्याय कर डाला है। इसलिये हम पहले उनका सरल भावार्थ ही बतलाते हैं। तीनों श्लोक मिल कर हेतु-अनुमानयुक्त एक ही वाक्य है। उनमें से १७ वें और १८ वें श्लोकों में पहले उन कारणों का उल्लेख किया गया है, कि जो साधारण रीति में ज्ञानी पुरुष के कर्म करने के विषय में बतलाये जाते हैं। और इन्हीं कारणों से गीता ने जो अनुमान निकाला है, वह १९ वें श्लोक में कारणबोधक 'तस्मात्' शब्द का प्रयोग करके बतलाया गया है। इस जगत् में सोना, बँटना, उटना या जिन्दा रहना आदि सब कर्मों को छोड़ने की इच्छा करे, तो वे टूट नहीं सकने। अतः इस अध्याय के आरम्भ में चौथे और पाँचवें श्लोकों में स्पष्ट कह दिया गया है, कि कर्म को छोड़ देने में न तो नैपस्यं होता है और न वह सिद्धि प्राप्त करने का उपाय ही है। परन्तु इस पर मन्वासमागंधार्यों की यह दलील है, कि 'हम कुछ सिद्धि प्राप्त करने के लिये कर्म करना नहीं छोड़ते हैं। प्रत्येक मनुष्य इस जगत् में जो कुछ करना है, वह अपने या पराये काम के लिये ही करता है। किन्तु मनुष्य की स्वकीय परममाध्य चिन्तावस्था अथवा मोक्ष है; और वह ज्ञानी पुरुष को उसके ज्ञान में प्राप्त हुआ करता है। इसलिये उसको ज्ञान प्राप्त हो जाने पर कुछ करना करने के लिये नहीं रहता (श्लोक १७)। ऐसी अवस्था में चाहे वह कर्म करे या न करे - उसे दोनों बातें समान हैं। अच्छा; यदि कहे कि उसे लोकतोषोपाय कर्म करना चाहिये, तो उसे लोगों में भी कुछ देना-देना नहीं रहता (श्लोक १८)।

फिर वह कर्म करे ही क्यों?' इसका उत्तर गीता यो देती है, कि जब कर्म करना और न करना तुम्हें दोनों एक-से है, तब कर्म न करने का ही इतना हठ तुम्हें क्यों है? जो कुछ शास्त्र के अनुसार प्राप्त होता जाय, उसे आग्रहविहीन बुद्धि से करके छोड़ी जा जाओ। इस जगत् में कर्म किसी से भी छूटते नहीं हैं। फिर चाहे वह ज्ञानी हो अथवा अज्ञानी। अब देखने में तो यह बड़ी जटिल समस्या जान पड़ती है, कि कर्म तो छूटने से रहे; और ज्ञानी पुरुष को स्वयं अपने लिये उनकी आवश्यकता नहीं। परन्तु गीता को यह समस्या कुछ कठिन नहीं जँचती। गीता का कथन यह है, कि जब कर्म छूटता है ही नहीं, तब उसे करना ही चाहिये। किन्तु अब स्वार्थबुद्धि न रहने से उसे नि स्वार्थ अर्थात् निष्कामबुद्धि से किया करो। १९ वे श्लोक में 'तस्मात्' पद का प्रयोग करके यही उपदेश अर्जुन को किया गया है, एव इसकी पुष्टि में आगे २२ वे श्लोक में यह दृष्टान्त दिया गया है, कि सब से श्रेष्ठ ज्ञानी भगवान् स्वयं अपना कुछ भी कर्तव्य न होने पर भी कर्म ही करते हैं। साराश, सन्यासमार्ग के लोग ज्ञानी पुरुष की जिस स्थिति का वर्णन करते हैं, उसे ठीक मान ले, तो गीता का यह वक्तव्य है, कि उसी स्थिति से कर्मसन्यासपक्ष सिद्ध होने के बदले सदा निष्काम कर्म करते रहने का पक्ष ही और भी दृढ़ हो जाती है। परन्तु सन्यासमार्गवाले टीकाकारों को कर्मयोग की उक्त युक्ति और सिद्धान्त (श्लोक ७, ८, ९) मान्य नहीं हैं। इसलिये वे उक्त कार्यकारणभाव को अथवा समूचे अर्थप्रवाह को, या आगे बतलाये हुए भगवान् के दृष्टान्त को भी नहीं मानते (श्लोक २२, २५ और ३०)। उन्होंने तीनों श्लोकों को तोड़-मरोड़ कर स्वतन्त्र मान लिया है। और इनमें से पहले दो श्लोकों में जो यह निर्देश है, कि 'ज्ञानी पुरुष को स्वयं अपना कुछ भी कर्तव्य नहीं रहता।' इसी को गीता का अन्तिम सिद्धान्त मान कर इसी आधारपर यह प्रतिपादन किया है, कि भगवान् ज्ञानी पुरुष से कहते हैं, कि कर्म छोड़ दे! परन्तु ऐसा करने से तीसरे अर्थात् १९ वे श्लोक में अर्जुन को जो लगे हाथ यह उपदेश किया है, कि 'आसक्ति छोड़ कर कर्म कर' यह अलग हुआ जाता है, और इसकी उपपत्ति भी नहीं लगती। इस पक्ष से बचने के लिये इन टीकाकारों ने यह अर्थ करके अपना समाधान कर लिया है, कि अर्जुन को कर्म करने का उपदेश तो इसलिये किया है, कि वह अज्ञानी था! परन्तु इतनी माथापच्ची करने पर भी १९ वे श्लोक का 'तस्मात्' पद निरर्थक ही रह जाता है। और सन्यासमार्गवालों का किया हुआ यह अर्थ इसी अध्याय के पूर्वपार सन्दर्भ से भी विरुद्ध होता है। एव गीता के अन्यान्य स्थलों के इस उल्लेख से भी विरुद्ध हो जाता है, कि ज्ञानी पुरुष को भी आसक्ति छोड़ कर कर्म करना चाहिये; तथा आगे भगवान् ने जो अपना दृष्टान्त दिया है, उससे भी यह अर्थ विरुद्ध हो जाता है (देखो गीता २. ४७; ३. ७, २५; ४. २३; ६. १; १८. ६-९; और गीतारहस्य प्र. ११, पृ. ३२३-३२६)। इसके

सिवा एक बात और भी है। वह यह, कि इस अध्याय में उस कर्मयोग का विवेचन चल रहा है, कि जिसके कारण कर्म करने पर भी वे बन्धक नहीं होते (२. ३९)। इस विवेचन के बीच में ही यह वे-सिरसैर की-भी बात कोई भी समझदार मनुष्य न कहेगा, कि 'कर्म छोड़ना उत्तम है'। फिर भला भगवान् यह बात क्यों कहने लगे? अतएव निरे साम्प्रदायिक आग्रह के और खीचातानी के ये अर्थ माने नहीं जा सकते। योगवासिष्ठ में लिखा है, कि जीवन्मुक्त ज्ञानी पुरुष को भी कर्म करना चाहिये। और जब राम ने पूछा — 'मुझे बतलाइये, कि मुक्त पुरुष कर्म क्यों करे?' तब बसिष्ठ ने उत्तर दिया है —

ज्ञस्य नार्यः कर्मत्यागः नार्यः कर्मसमाश्रयः ।

तेन स्थितं यथा यद्यत्तत्तयं करोत्यसौ ॥

“ज अर्थात् ज्ञानी पुरुष को कर्म छोड़ने या करने से कोई लाभ नहीं उठाना होता। अतएव वह जो जैसा प्राप्त हो जाय, उसे वैसा किया करता है” (योग. ६ उ. १९९ ४)। इसी ग्रन्थ के अन्त में उपमहार में फिर गीता के ही शब्दों में पहले यह कारण दिखलाया है.—

मम नास्ति कृतेनार्यो नाकृतेहेन कदचन ।

यथाप्राप्तेन तिष्ठानि ह्यकर्मणि क आग्रहः ॥

“किसी बात का करना या न करना मुझे एक-सा ही है।” और दूसरी ही पंक्ति में कहा है, कि जब दोनों बातें एक ही सी हैं, तब फिर “कर्म न करने का आग्रह ही क्यों है? जो जो शास्त्र की रीति में प्राप्त होता जाय, उसे मैं करता रहता हूँ” (यो. ६. उ. २१६. १४)। इसी प्रकार इसके पहले, योगवासिष्ठ में 'नैव तस्य कृतेनार्यो०' आदि गीता का श्लोक ही शब्दशः लिया गया है। आगे के श्लोक में कहा है, कि 'यद्यथा नाम सम्पन्न तत्तथाऽस्त्वितरेण किम्'—जो प्राप्त हो, उसे ही (जीवन्मुक्त) किया करता है; और कुछ प्रतीक्षा करना हुआ नहीं बैठता (यो. ६. उ. १२५ ४९ ५०)। योगवासिष्ठ में ही नहीं; किन्तु गणेशगीता में भी इसी अर्थ के प्रतिपादन में यह श्लोक आया है :-

किञ्चिदस्य न साध्यं स्यात् सर्वजन्तुषु सर्वदा ।

अतोऽमकनतया भूप कर्तव्यं कर्म जन्तुभिः ॥

“उमका अन्य प्राणियों में कोई साध्य (प्रयोजन) शेष नहीं रहता। अतएव हे राजन्! लोगों को अपने अपने कर्तव्य आमकनबुद्धि में करने रहना चाहिये” (गणेशगीता २ १८)। इन सब उदाहरणों पर ध्यान देने में ज्ञान होगा, कि यहाँ पर गीता के तीनों श्लोकों का जो कार्यकारणमन्वय हमने ऊपर दिखलाया है, वही ठीक है। और गीता के तीनों श्लोकों का पूरा अर्थ योगवासिष्ठ के एक्की श्लोक में आ गया। अतएव उमके कार्यकारणभाव के विषय में प्रकाश करने के लिये स्थान ही नहीं रह जाता। गीता की इन्हीं सुक्तियों को महायानग्रन्थ

§§ कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः ।
 लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन्कर्तुमर्हसि ॥ २० ॥
 यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः ।
 स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥ २१ ॥

के वीर्य ग्रन्थकारो ने भी पीछे से ले लिया है (देखो गीतारहस्य परिशिष्ट पृ ५७२-५७३ और ५८६)। ऊपर जो यह कहा गया है, कि स्वार्थ न रहने के कारण से ही ज्ञानी पुरुष को अपना कर्तव्य निष्कामबुद्धि से करना चाहिये, और इस प्रकार से किये हुए निष्काम कर्म का मोक्ष में बाधक होना तो दूर रहा, उसी से सिद्धि मिलती है— इसी की पुष्टि के लिये अब दृष्टान्त देते हैं —]

(२०) जनक आदि ने भी इस प्रकार कर्म से ही सिद्धि पाई है। इसी प्रकार लोकसंग्रह पर भी दृष्टि दे कर तुझे कर्म करना ही उचित है।

[पहले चरण में इस बात का उदाहरण दिया है, कि निष्काम कर्म से सिद्धि मिलती है, और दूसरे चरण से भिन्न रीति के प्रतिपादन का आरम्भ कर दिया है। यह तो सिद्ध किया, कि ज्ञानी पुरुषों का लोगो में कुछ अटका नहीं रहता, तो भी जब उनके कर्म छूट ही नहीं सकते, तब तो निष्काम कर्म ही करना चाहिये। परन्तु यद्यपि यह युक्ति नियमसङ्गत है, कि कर्म जब छूट नहीं सकते हैं, तब उन्हें करना ही चाहिये। तथापि सिर्फ इसी से साधारण मनुष्यों का पूरा पूरा विश्वास नहीं हो जाता। मन में शङ्का होती है, कि क्या कर्म टाले नहीं टलते हैं, इसीलिये उन्हें करना चाहिये? उसमें और कोई साध्य नहीं है? अतएव इस श्लोक के दूसरे चरण में यह दिखलाने का आरम्भ कर दिया है, कि इस जगत् में अपने कर्म से लोकसंग्रह करना ज्ञानी पुरुष का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रत्यक्षसाध्य है। 'लोकसंग्रहमेवापि' के 'एवापि' पद का यही तात्पर्य है। और इससे स्पष्ट होता है, कि अब भिन्न रीति के प्रतिपादन का आरम्भ हो गया है। 'लोकसंग्रह' शब्द में 'लोक' का अर्थ व्यापक है। अतः इस शब्द में न केवल मनुष्यजाति को ही, वरन् सारे जगत् को सन्मार्ग पर लाकर उसको नाश से बचाते हुए संग्रह करना — अर्थात् भलीभाँति धारण, पोषणपालन या बचाव करना इत्यादि सभी बातों का समावेश हो जाता है। गीतारहस्य के ग्यारहवें प्रकरण (पृ ३३१-३३८) में इन बातों का विस्तृत विचार किया गया है। इसलिये हम यहाँ उसकी पुनरुक्ति नहीं करते। अब पहले यह बतलाते हैं, कि लोकसंग्रह करने का यह कर्तव्य या अधिकार ज्ञानी पुरुष का ही क्यों है?]

(२१) श्रेष्ठ (अर्थात् आत्मज्ञानी कर्मयोगी पुरुष) जो कुछ करता है, वही अन्य — अर्थात् साधारण मनुष्य — भी किया करते हैं। वह जिसे प्रमाण मान कर अङ्गीकार करता है, लोग उसी का अनुकरण करते हैं।

प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः ।

अहंकारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते ॥ २७ ॥

तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः ।

गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते ॥ २८ ॥

प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु ।

तानकृत्स्नविदो मन्दाकृत्स्नविन्न विचालयेत् ॥ २९ ॥

ज्ञानी हो जाय, वह लोकसग्रह के लिये—लोगों को चतुर और सदाचरणी बनाने के लिये—स्वयं ससार में रहकर निष्काम कर्म अर्थात् सदाचरण का प्रत्यक्ष नमूना लोगों को दिखलावे, और तदनुसार उनमें आचरण करावे। इस जगत् में उमका यही बड़ा महत्त्वपूर्ण काम है (देखा गीतारहस्य प्र. १०, पृ. ४०४)। किन्तु गीता के इन अभिप्राय को वे-समवेबुद्धे कुछ टीकाकार इसका यो विपरीत अर्थ किया करते हैं, कि 'ज्ञानी पुरुष को अज्ञानियों के समान ही कर्म करने का स्वांग इमर्गिये करना चाहिये, कि जिसमें कि अज्ञानी लोग नादान बने रह कर ही अपने कर्म करते रहें।' मानो दम्भाचरण निखलाने अथवा लोगों को अज्ञानी बने रहने दे कर जानबरा के समान उनमें कर्म करा लेने के लिये ही गीता प्रवृत्त हुई है। जिनका यह दृढ़ निश्चय है; कि ज्ञानी पुरुष कर्म न करे, सम्भव है, कि उन्हें लोकसग्रह एक ढोहरा-मा प्रतीत हो। परन्तु गीता का वास्तविक अभिप्राय ऐसा नहीं है। भगवान् कहते हैं, कि ज्ञानी पुरुष के कामों में लोकसग्रह एक महत्त्वपूर्ण काम है। और ज्ञानी पुरुष अपने उत्तम आदर्श के द्वारा उन्हें सुधारने के लिये-नादान बनाय रखने के लिये नहीं—कर्म ही किया करे (गीतारहस्य प्र. ११-१०)। अब यह शक्यता हो सकती है, कि यदि आत्मज्ञानी पुरुष इस प्रकार लोकसग्रह के लिये सामारिक कर्म करने लगे, तो वह भी अज्ञानी ही बन जायगा। अतएव स्पष्ट कर बताने हैं, कि यद्यपि ज्ञानी और अज्ञानी दोनों भी ममारी बन जायें, तथापि इन दाना के बर्तव्य में भेद क्या है? और ज्ञानवान् से अज्ञानी को [किस बात की निशा लेनी चाहिये?]

(२७) प्रकृति के (गन्ध-रज-तम) गुणों में सब प्रकार कर्म हुआ करते हैं। पर अदृष्टार में मोहित (अज्ञानी पुरुष) समझता है कि मैं कर्ता हूँ, (२८) परन्तु हे महाबाहु अर्जुन! 'गुण और कर्म दाना ही मूलमें भिन्न है इस तत्त्व को जाननेवाला (ज्ञानी पुरुष) यह समझ कर इनमें आमकन नहीं होगा, कि गुण का यह क्षेत्र आरा में ही रहा है। (२९) प्रकृति के गुणों में बहने हुए लाग गुण और कर्मों में ही आमकन रहते हैं। इन अमर्ष और मद जनों का सर्वत्र गुण (अन कर्म-दान में किसी अनुरित मां में लगा कर) विचलन न दे।

§§ मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा ।
निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ॥ ३० ॥

§§ ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः ।
श्रद्धावन्तोऽनसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ॥ ३१ ॥

ये त्वेतद्भ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् ।
सर्वज्ञानविमूढांस्तान्विद्धि नष्टानचेतसः ॥ ३२ ॥

[यहाँ २६ वे श्लोक के अर्थ का ही अनुवाद किया गया है। इस श्लोक में जो ये सिद्धान्त है — कि प्रकृति भिन्न है और आत्मा भिन्न है; प्रकृति अथवा माया ही सब कुछ करती है, आत्मा कुछ करता-धरता नहीं है; जो इस तत्त्व को जान लेता है, वही बुद्ध अथवा ज्ञानी हो जाता है; उसे कर्म का बन्धन नहीं होता; इत्यादि — वे मूल में कापिलसाख्यशास्त्र के हैं। गीतारहस्य के ७ वे प्रकरण (पृ. १६५-१६७) में इनका पूर्ण विवेचन किया गया है, उसे देखिये। २८ वे श्लोक का कुछ लोग यो अर्थ करते हैं, कि गुण यानी इन्द्रियाँ गुणों में यानी विषयों में वर्तती हैं। यह अर्थ कुछ शुद्ध नहीं है। क्योंकि साख्यशास्त्र के अनुसार ग्यारह इन्द्रियाँ और शब्द-स्पर्श आदि पाँच विषय मूलप्रकृति के २३ गुणों में से ही गुण हैं। परन्तु इससे अच्छा करके ही यह है, कि प्रकृति के समस्त अर्थात् चौबीसों गुणों को लक्ष्य करके ही यह 'गुणा गुणेषु वर्तन्ते' का सिद्धान्त स्थिर किया गया है (देखो गीता १३. १९-२२; और १४. २३)। हमने उसका शब्दशः और व्यापक रीति से अनुवाद किया है। भगवान् ने यह बतलाया है, कि ज्ञानी और अज्ञानी एक ही कर्म करें, तो भी इनमें बुद्धि की दृष्टि से बहुत बड़ा भेद रहता है (गीतारहस्य प्र. ११, पृ. ३१२ और ३३०) अब इस पूरे विवेचन के साररूप से यह उपदेश करते हैं :-]

(३०) (इसलिये हे अर्जुन !) मुझमें अध्यात्मबुद्धि से सब कर्मों का सन्यास अर्थात् अर्पण करके और (फल की) आशा एव ममता छोड़ कर तू निश्चिन्त हो करके युद्ध कर ।

(३१) जो श्रद्धावान् (पुरष) दोषों को न खोज कर मेरे इस मत के अनुसार नित्य वर्ताव करते हैं, वे भी कर्म से अर्थात् कर्मबन्धन से मुक्त हो जाते हैं। (३२) परन्तु जो दोषदृष्टि से शङ्काएँ करके मेरे इस मत के अनुसार नहीं वर्तते, उन सर्वज्ञानविमूढ अर्थात् पक्के अविवेकियों को नष्ट हुए समझो ।

[अब यह बतलाते हैं, कि इस उपदेश के अनुसार वर्ताव करने से क्या फल मिलता है ? और वर्ताव न करने से वैसे गति होती है ?]

न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन ।

नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्माणि ॥ २२ ॥

यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः ।

मम धर्मानुवर्तन्ते मनुष्याः । पार्थ सर्वशः ॥ २३ ॥

उत्सीदियुरिमे लोका न कुर्या कर्म चेदहम् ।

संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः ॥ २४ ॥

[तैत्तिरीय उपनिषद् में भी पहले 'सत्य वद', 'धर्मं चर' इत्यादि उपदेश किया है। और फिर अन्त में कहा है कि "जब ससार में तुम्हें सन्देह हो, कि यहाँ वैसा बर्ताव करे, तब वैसा ही बर्ताव करे, कि जैसा जानी, युक्त और धर्मिष्ठ ब्राह्मण करते हैं।' (तै. १. ११. ४)। इसी अर्थ का एक श्लोक नारायणीय धर्म में भी है (म. भा. शा. ३८१. २५), और इसी आशय का मराठी में एक श्लोक है, जो इसी का अनुवाद है। और जिसका मार यह है - 'लोककल्याणकारी मनुष्य जैसे बर्ताव करता है, वैसे ही इस ममार में सब लोग भी किया करते हैं।' यही भाव इस प्रकार प्रकट किया जा सकता है - 'देख भयो की चाल को बर्त सज ममार।' यही लोककल्याणकारी पुरुष गीता का श्रेष्ठ शब्द का अर्थ 'आत्म-जानी मन्वामी' नहीं है (देखो गीता ५. २)। अत्र भगवान् स्वयं अपना उदाहरण दे कर इसी अर्थ को भी दृढ़ करते हैं, कि आत्मजानी पुरुष की स्वायंभुद्धि छूट जाने पर भी लोककल्याण के कर्म उसमें छूट नहीं जाते -]

(२२) हे पार्थ ! (देखो, कि) त्रिभुवन में न तो मेरा कुछ कर्तव्य (श्रेष्ठ) रहा है, (और) न कोई अप्राप्त वस्तु प्राप्त करने को रह गई है। तो भी मैं कर्म करता ही रहता हूँ। (२३) क्योंकि जो मैं कदाचिन् आश्रय छोड़ कर कर्मों में न वर्तूंगा, तो हे पार्थ ! मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही पथ का अनुकरण करेंगे। (२४) जो मैं कर्म न करूँ, तो वे सारे लोक उत्पन्न अर्थात् नष्ट हो जावेंगे, मैं महत्करवर्ता होऊँगा और इन प्रजाजनों का मेरे हाथ में नाश होगा।

[भगवान् ने अपना उदाहरण दे कर इस श्लोक में भलीभाँति स्पष्ट कर दिखाना दिया है, कि लोकमग्रह कुछ पागल नहीं है। इसी प्रकार हमने ऊपर १७ में ११. वे श्लोक तब का जो यह अर्थ किया है, कि ज्ञान प्राप्त हो जाने पर कुछ बाँध्य भङ्गे न रह गया हो, फिर भी जाना को निष्कामबुद्धि से मारे कर्म बर्तते रहना चाहिए, यह भी स्वयं भगवान् के इस दृष्टान्त से पूर्णतया सिद्ध हो जाता है। यदि ऐसा न हो, तो दृष्टान्त भी निरर्थक हो जायगा (देखो गीतार. प्र. ११. पृ. ३०८-३०९)। शास्त्रमार्ग और कर्ममार्ग में यह बड़ा भारी भेद है कि शास्त्रमार्ग के जानी पुरुष मार कर्म छोड़ बैठते हैं। फिर चाहे इस कर्मत्याग से

§ § सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत ।

कुर्याद्विद्वांस्तथऽसक्तश्चिकीर्षुलोकसंग्रहम् ॥ २५ ॥

न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसंगिनाम् ।

जोपयेत्सर्वकर्माणि विद्वान्युक्तः समाचरन् ॥ २६ ॥

[यज्ञचक्र दूब जाय और जगत् का कुछ भी हुआ करे — उन्हे इसकी परवाह नहीं होती । और कर्ममार्ग के ज्ञानी पुरुष स्वयं अपने लिये आवश्यक न भी हो, तो भी लोकसंग्रह को महत्त्वपूर्ण आवश्यक साध्य समझ कर तदर्थ अपने अपने धर्म के अनुसार सारे काम किया करते हैं (देखो गीतारहस्य प्र ११, पृ. ३५५-३५८) । यह बतला दिया गया, कि स्वयं भगवान् क्या कहते हैं ? अब ज्ञानियों के कर्मों का भेद दिखला कर बतलाते हैं, कि अज्ञानियों को सुधारने के लिये ज्ञाता का आवश्यक कर्तव्य क्या है ?]

(२५) हे अर्जुन ! लोकसंग्रह करने की इच्छा रखनेवाले ज्ञानी पुरुष को आसक्ति छोड़ कर उसी प्रकार वर्तना चाहिये, जिस प्रकार कि (व्यावहारिक) कर्म में आसक्त अज्ञानियों को बर्ताव करते हैं । (२६) कर्म में आसक्त अज्ञानियों की बुद्धि में ज्ञानी पुरुष भेदभाव उत्पन्न न करे, (आप स्वयं) युक्त अर्थात् योगयुक्त हो कर सभी काम करे, और लोगों से खुशी से करावे ।

[इस श्लोक का यह अर्थ है, कि अज्ञानियों की बुद्धि में भेदभाव उत्पन्न न करें; और आगे चल कर २९ वे श्लोक में भी यही बात फिर से कही गई है । परन्तु इसका मतलब यह नहीं है, कि लोगों को अज्ञान में बनाये रखे । २५ वे श्लोक में कहा है, कि ज्ञानी पुरुष को लोकसंग्रह करना चाहिये । लोकसंग्रह का अर्थ ही लोगों को चतुर बनाना है । इस पर कोई शङ्का करे, कि जो लोकसंग्रह ही करना हो, तो फिर यह आवश्यक नहीं, कि ज्ञानी पुरुष स्वयं कर्म करे । लोगों को समझा देने—ज्ञान का उपदेश कर देने—से ही काम चल जाता है । इसका भगवान् यह उत्तर देते हैं, कि जिनका सदाचरण का दृढ अभ्यास हो नहीं गया है (और साधारण लोग ऐसे ही होते हैं), उनको यदि केवल मुँह से उपदेश किया जाय — सिर्फ ज्ञान बतला दिया जाय — तो वे अपने अनुचित बर्ताव के समर्थन में ही इस ब्रह्मज्ञान का दुरुपयोग किया करते हैं । और वे उल्टे ऐसी व्यर्थ बातें कहते—मुनते सदैव देखे जाते हैं, कि 'अमुक ज्ञानी पुरुष तो ऐसा कहता है ।' इसी प्रकार यदि ज्ञानी पुरुष कर्मों को एकाएक छोड़ बैठे, तो वह अज्ञानी लोगों को निरुद्योगी बनने के लिये एक उदाहरण ही बन जाता है । मनुष्य का उस प्रकार वातूनी, गोच — पंच लडानेवाला अथवा निरुद्योगी हो जाना ही बुद्धिभेद है; और मनुष्य की बुद्धि में इस प्रकार से भेदभाव उत्पन्न कर देना ज्ञाता पुरुष को उचित नहीं है । अतएव गीता ने यह सिद्धान्त किया है, कि जो पुरुष

§§ सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि ।

प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति ॥ ३३ ॥

इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थं रागद्वेषौ व्यवस्थितौ ।

तयोर्न वशमागच्छेतौ ह्यस्य परिपन्थिनौ ॥ ३४ ॥

[कर्मयोग निष्कामबुद्धि से कर्म करनेके लिये कहता है। उसकी श्रेयस्करता के सम्बन्ध में ऊपर अन्वयव्यतिरेक से जो फलव्युक्ति बतलाई गई है, उससे पूर्णतया व्यक्त हो जाता है, कि गीता में कौनसा विषय प्रतिपान है। इसी कर्मयोगनिष्पन्न की पूर्ति के हेतु भगवान् प्रकृति की प्रवृत्तता का और फिर उसे रोकने के लिये इन्द्रियनिग्रह का वर्णन करते हैं :-]

(३३) ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार बतता है। ममी प्राणी (अपनी अपनी) प्रकृति के अनुसार रहते हैं (वहाँ) निग्रह (जवदंस्ती) क्या करेगा ? (३४) इन्द्रिय और उसके (शब्द-स्पर्श आदि) विषयों में प्रीति एवं द्वेष (दोनों) व्यवस्थित हैं - अर्थात् स्वभावतः निश्चित हैं। प्रीति और द्वेष के बश में न जाना चाहिये। (क्योंकि) ये मनुष्य के ण्तु हैं।

[तैत्तिरीय श्लोक के 'निग्रह' शब्द का अर्थ 'निरा संयमन' ही नहीं है; किन्तु उमका अर्थ 'जवदंस्ती' अथवा 'हठ' है। इन्द्रियों का योग्य संयमन तो गीता को इष्ट है। किन्तु यहाँ पर कहना यह है, कि हठ से या जवदंस्ती से इन्द्रियों की स्वाभाविक वृत्ति को ही एकदम मार डालना सम्भव नहीं है। उदाहरण लीजिये; जब तक देह, तब तक भूख-प्यास आदि धर्म प्रकृतिमिद होने के कारण, छूट नहीं सकते। मनुष्य कितना ही ज्ञानी क्यों न हो ? भूख लगते ही मिथा मांगने के लिये उसे बाहर निकलना पड़ता है। इसलिये चतुर पुरुषों का यही कर्तव्य है, कि जवदंस्ती से इन्द्रियों को बिल्कुल ही मार डालने का ब्याहट न करें; और योग्य संयम के द्वारा उन्हें अपने बग में करके उनकी स्वभावमिद वृत्तियों का लोकसंग्रहाय उपयोग किया करें। इसी प्रकार ३४ वे श्लोक के 'व्यसन्वित' पद से प्रकट होता है, कि मुद्य और दुःख दोनों विकार स्वतन्त्र हैं, एक दूसरे का अभाव नहीं है (देखो गीतारहस्य प्र. ४, पृ. ९५ और १०९)। प्रकृति अर्थात् गुण के अग्रप्लित व्यापार में कई बार हमें ऐसी बातें भी करनी पड़नी हैं, कि जो हमें स्वयं पसन्द नहीं (देखो गीता १८.५९); और यदि नहीं बगने हैं, तो निर्वाह नहीं होता। ऐसे समय ज्ञानी पुरुष इन बर्णों को निरिच्छदुद्धि से ब्यक्त कर्तव्य समझ कर करता जाता है। अतः पापपुण्य ने अलिप्त रहता है; और अज्ञानी उसी में आसक्ति रख कर दुःख पाता है। मान बरि के बर्णानुसार बुद्धि की दृष्टि में यही इन दोनों में बड़ा भारी भेद है। परन्तु

§§ श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात् ।

स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ॥ ३५ ॥

[अब एक और शब्दका हाती है, कि यद्यपि यह मित्र हा गया, कि इन्द्रियो को जबदंस्ती मार कर कर्मत्याग न करे, किन्तु नि सद्गवुद्धि से सभी काम करता जावे। परन्तु यदि ज्ञानी पुरुष युद्ध के समान हिंसात्मक धोर कर्म करने की अपेक्षा खेती, व्यापार या भिक्षा मांगना आदि कोई निरुपद्रवी और सौम्य कर्म करे, तो क्या अधिक प्रशस्त नहीं है ? भगवान इसका यह उत्तर देते हैं -]

(३५) पराय धर्म का आचरण सुख से करते वने, तो भी उसकी अपेक्षा अपना धर्म अर्थात् चातुर्वर्ण्यविहित कर्म ही अधिक श्रेयस्कर है, (फिर चाहे) वह विगुण अर्थात् सदोप भले ही हा। स्वधर्म के अनुसार (वर्तने में) मृत्यु हो जावे, तो भी उसमें कल्याण है। (परन्तु) परधर्म भयङ्कर होता है।

[स्वधर्म वह व्यवसाय है, कि जो स्मृतिकारा की चातुर्वर्ण्यव्यवस्था के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को शास्त्रद्वारा नियत कर दिया गया है। स्वधर्म का अर्थ मोक्षधर्म नहीं है। सब लोग के कल्याण के लिये ही गुणधर्म के विभाग से चातुर्वर्ण्यव्यवस्था को (गीता १८ ४१) शास्त्रकारो ने प्रवृत्त कर दिया है। अतएव भगवान् कहते हैं, कि ब्राह्मण-क्षत्रिय आदि ज्ञानी हो जाने पर भी अपना अपना व्यवसाय करते रह। इसी में उनका और समाज का कल्याण है। इस व्यवस्था में बार बार गडबड करना योग्य नहीं है (देखो गीतार प्र ११, पृ ३३६ और प्र १५, पृ ४९९-५००)। 'तेली का काम तँवोली करे, दैव न मारे आप मरे' इस प्रचलित लोकोक्ति का भावार्थ भी यही है। जहाँ चातुर्वर्ण्यव्यवस्था का चलन नहीं है वहाँ भी सब को यही श्रेयस्कर जेंचिंगा, कि जिसने सारी जिन्दगी फौजी मुहकमे बिताई हो, उसे यदि फिर काम पडे तो उसको सिपाही का पेशा ही मुभीते का होगा, न कि दर्जी का रोजगार। और यही न्याय चातुर्वर्ण्यव्यवस्था के लिये भी उपयोगी है। वह प्रश्न भिन्न है, कि चातुर्वर्ण्यव्यवस्था भली है या बुरी ? और वह यहाँ उपस्थित भी नहीं होता। यह बात तो निर्विवाद है कि समाज का समुचित धारण-योपण होने के लिय खेती के ऐसे निरुपद्रवी और सौम्य व्यवसाय की ही भाति अन्यान्य कर्म भी आवश्यक है। अतएव जहाँ एक बार किसी उद्योग को अडगीवार किया- फिर चाहे उसे चातुर्वर्ण्यव्यवस्था के अनुसार स्वीकार करो या अपनी मर्जी से- कि वह धर्म हो गया। फिर किसी विशेष अवसरपर उसमें मीन-मेख निकाल कर अपना कर्तव्यकर्म छोड बैठना अच्छा नहीं है। आवश्यकता होने पर उसी व्यवसाय में ही मर जाना चाहिये। बस, यही इस श्लोक का भावार्थ है। वाई भी व्यापार या रोजगार हो, उसमें कुछ-न-कुछ दोप सहज ही निकला जा सकता गी र ४३

अर्जुन उवाच ।

§§ अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुपः ।

अनिच्छन्नपि वाष्ण्येय बलादिव नियोजितः ॥ ३६ ॥

श्रीभगवानुवाच ।

काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः ।

महाशनो महापाप्मा विद्ध्येनमिह वैरिणम् ॥ ३७ ॥

धूमेनाव्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च ।

यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम् ॥ ३८ ॥

आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा ।

कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च ॥ ३९ ॥

। है (देखो गीता १८.४८) । परन्तु इस नुक्ताचीनी के मारे अपना नियत कर्तव्य ही छोड़ देना कुछ धर्म नहीं है । महाभारत के ब्राह्मणव्याघसंवाद में और तुलाधारराजालिसंवाद में भी यही तत्त्व बतलाया गया है । एवं यहाँ के ३५ वे श्लोक का पूर्वाधं मनुस्मृति (१०.९७) में और गीता (१८.४७) में भी आया है । भगवान् ने ३३ वे श्लोक में कहा है कि 'इन्द्रियों को मारने का हठ नहीं चलता ।' इस पर अब अर्जुन ने पूछा है, कि इन्द्रियों को मारने का हठ क्यों नहीं चलता ? और मनुष्य अपनी मर्जों न होने पर भी युरे कामों की ओर क्यों घसीटा जाता है ?]

अर्जुन ने कहा :- (३६) हे वाष्ण्येय (श्रीकृष्ण)! अब (यह बतलाओ, कि) मनुष्य अपनी इच्छा न रहने पर भी किम की प्रेरणा से पाप करता है ? मानो कोई जवर्दस्नी गी करता हो । श्रीभगवान् ने कहा :- (३७) इस विषय में यह समझो, कि रजोगुण से उत्पन्न होनेवाला बड़ा पेटू और बड़ा पापी यह काम एवं यह श्रेष्ठ ही मनु है । (३८) जिम प्रवार धुएँ से अग्नि, धूलि से दर्पण और झिल्ली से गर्भ ढँका रखा है, उमी प्रवार इमसे यह मय ढँका हुआ है । (३९) हे कौन्तेय ! ज्ञान का यह कामरूपी नित्यवैरी कभी भी तृप्त न होनेवाला अग्नि ही है । इसने ज्ञान को ढँक रखा है ।

[यह मनु के ही कथन का अनुवाद है । मनु ने कहा है, कि 'न जानु काम कामानामुपभोगेन शाम्यन्ति । हविषा कृष्णवर्मेव भूय एवाभिवर्धते ॥' (मनु २.९४) - काम के उपभोगा से काम कभी अघाता नहीं है; बल्कि इन्धन टालो पर अग्नि जैसा बढ जाता है, उमी प्रवार यह भी अधिकाधिक बढना जाता । (देखो गीतार. प्र ५. पृ १०१) ।]

इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते ।

एतैर्विमोहयत्येव ज्ञानमावृत्य देहिनम् ॥ ४० ॥

तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ ।

पाप्मानं प्रजहि ह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् ॥ ४१ ॥

६९ इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः ।

मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु स ॥ ४२ ॥

एवं बुद्धेः परं बुद्ध्या संस्तभ्यात्मानमात्मना ।

जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ॥ ४३ ॥

इति श्रीमत्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे
कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

(४०) इन्द्रियो वो मन को और बुद्धि को इसका अधिष्ठान अर्थात् घर या गढ़ कहते हैं। इनके आश्रय से ज्ञान को लपेट कर (ढँक कर) यह मनुष्य को भुलावे में डाल देता है। (४१) अतएव हे भरतश्रेष्ठ ! पहले इन्द्रियो का सयम करके ज्ञान (अध्यात्म) और विज्ञान (विशेष ज्ञान) का नाश करनेवाले इस पापी को तू मार डाल।

(४२) कहा है, कि (स्थूल बाह्य पदार्थों के मान से उसको जाननेवाली) इन्द्रियाँ पर अर्थात् परे हैं। इन्द्रियो के परे मन है। मन से भी परे (व्यवसायात्मक) बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी परे है, वह आत्मा है। (४३) हे महाबाहु अर्जुन ! इस प्रकार (जो) बुद्धि से परे है, उसको पहचान कर और अपने आपको रोक करके दुरासाध्य कामरूपी शत्रु को तू मार डाल।

[कामरूपी आसक्ति को छोड़ कर स्वधर्म के अनुसार लोकसंग्रहार्थं समस्त कर्म करने के लिये इन्द्रियो पर अपनी सत्ता होनी चाहिये। वे अपने काबू में रहे। वस, यहाँ इतना ही इन्द्रियनिग्रह विवक्षित है। यह अर्थ नहीं है, कि इन्द्रियो को जबर्दस्ती से एकदम मार करके सारे कर्म छोड़ दे (देखो गीतार प्र ५, पृ ११५)। गीतारहस्य (परि पृ ५३०) में दिखलाया है, कि 'इन्द्रियाणि पराण्याहुः०' इत्यादि ४२ वाँ श्लोक कठोपनिषद् का है, और उपनिषद् के अन्य चार-पाँच श्लोक भी गीता में लिये गये हैं। क्षेत्रक्षेत्रज्ञ-विचार का यह तात्पर्य है, कि बाह्य पदार्थों के सस्कार ग्रहण करना इन्द्रियो का काम है, मन का काम इनकी व्यवस्था करना है, और फिर बुद्धि इनको अलग अलग छाँटती है। एव आत्मा इन सब से परे है तथा सब से भिन्न है। इस विषय का विस्तारपूर्वक विचार गीतारहस्य के छठे प्रकरण के अन्त (पृ. १३२-१४९) में किया गया है।

चतुर्थोऽध्यायः ।

श्रीभगवानुवाच ।

इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् ।

विवस्वान्मनवे प्राह मन्त्रिक्ष्वाकवेऽब्रवीत् ॥ १ ॥

एवं परम्पराप्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः ।

स कालेनेह महता योगो नष्टः परन्तप ॥ २ ॥

[कर्मनिपात्र के ऐसे गूढ़ प्रश्ना का विचार गीतारहस्य के दमवे प्रकरण (पृ २७९-२८७) में किया गया है, कि अपनी इच्छा न रहने पर भी मनुष्य काम-श्रीघ आदि प्रवृत्तिधर्मों के कारण कोई काम करने में क्योंकर प्रवृत्त हो जाता है ? और आत्म-स्वतन्त्रता के कारण इन्द्रियनिग्रहम्प माधन के द्वारा इमने छुटकारा पाने का मार्ग कैसे मिल जाता है ? गीता के छठे अध्याय में विचार किया गया है, कि इन्द्रिय-निग्रह कैसे करना चाहिये ?]

इस प्रकार श्रीभगवान् के गाये हुए — अर्थात् कहे हुए — उपनिषद् में जह्नु-विद्यान्तर्गत योग — अर्थात् कर्मयोग — शास्त्रविषयक श्रीकृष्ण और अर्जुन के मवाद में कर्मयोग नामक तीसरा अध्याय समाप्त हुआ ।

चौथा अध्याय

[कर्म किमी में छूटते नहीं हैं । इसलिये निष्कामबुद्धि हो जाने पर भी कर्म करना ही चाहिये । कर्म के मानी ही यज्ञयाग आदि कर्म हैं । पर भीमासक्तों के य कर्म स्वयंप्रद है । अतएव एक प्रकार में बन्धक है । इस कारण इन्हें आमक्ति छान करने करना चाहिये । ज्ञान में स्वार्थबुद्धि छूट जाये, ता भी कर्म छूटते नहीं हैं । अतएव ज्ञान को भी निष्काम करना ही चाहिये । लोकमग्रह के लिये यह आवश्यक है । इत्यादि प्रकार में अब तक कर्मयोग का जा विवेचन किया गया, उमी का इस अध्याय में दृष्ट किया है । वही यह शक्यता न हो, कि आयुष्य विमान का यह मां अर्थात् निष्ठा अर्जुन को बुद्ध में प्रवृत्त करने के लिये नई बतगाने गई है । एतदर्थ इम मां को प्राचीन गुणपरम्परा पहलू बतगाने है -]

श्रीभगवान् ने कहा — (१) अव्यय अर्थात् कभी भी क्षीण न होनेवाला अथवा त्रिधा में भी असाधन और निन्द्य यह (कर्म-) याग (-भाग) मैंने विद्वान् अर्थात् सूर्य को बतगाना था । विद्वान् ने (अपने पुत्र) मनु का और मनु ने (अपने पुत्र) इन्द्राणु का बतगाना । (२) ऐसी परम्परा से प्राप्त हुए इम

स एवायं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः ।

भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतद्भुक्तमम् ॥ ३ ॥

(योग) को राजर्षियों ने जाना । परन्तु हे शत्रुतापन (अर्जुन)! दीर्घकाल के अनन्तर वही योग इस लोक में नष्ट हो गया । (३) (सब रहस्यों में) उत्तम रहस्य समझ कर इस पुरातन योग (कर्मयोगमार्ग) को मैंने तुझे आज इसलिये बतला दिया, कि तू मेरा भक्त और सखा है ।

[गीतारहस्य के तीसरे प्रकरण (पृ. ५६-६५) में हमने सिद्ध किया है, कि इन तीनों श्लोकों में 'योग' शब्द से, आयु विताने के उन दोनों मार्गों में से — कि जिन्हें सांख्य और योग कहते हैं, — योग अर्थात् कर्मयोग यानी साम्यबुद्धि से कर्म करने का मार्ग अभिप्रेत है । गीता के उस मार्ग की परम्परा ऊपर के श्लोक में बतलाई गई है । वह यद्यपि इस मार्ग की जड़ को समझने के लिये अत्यन्त महत्त्व की है, तथापि टीकाकारों ने उसकी विशेष चर्चा नहीं की है । महाभारत के अन्तर्गत नारायणीयोपाख्यान में भागवतधर्म का जो निरूपण है, उसमें जनमेजय से वैशम्पायन कहते हैं, कि यह धर्म पहले श्वेतद्वीप में भगवन् से ही —

नारदेन तु सम्प्राप्तः सरहस्यः सतंग्रहः ।

एष धर्मो जगन्नाथात्साक्षाद्भारारयणान्पृ ॥

एवमेव महान्धर्मः स ते पूर्वं नृपोत्तम ।

कथितो हरिगीतासु समासविधिकल्पितः ॥

'नारद को प्राप्त हुआ । हे राजा ! वही महान् धर्म तुझे हरिगीता अर्थात् भगवद्गीता में समासविधिसहित बतलाया है' — (म. भा. शा. ३४६. ९. १०) । और फिर कहा है, कि 'युद्ध में विमनस्क हुए अर्जुन को यह धर्म बतलाया गया है' (म. भा. शा. ३४८.८) । इससे प्रकट होता है, कि गीता का योग— अर्थात् कर्मयोग भागवतधर्म का है (गीतार. प्र. १. पृ. ८-११) । विस्तार हो जाने के भय से गीता में उसकी सम्प्रदायपरम्परा सृष्टि के मूल आरम्भ से नहीं दी है; विवस्वान्, मनु और इक्ष्वाकु इन्हीं तीनों का उल्लेख कर दिया है । परन्तु इसका सच्चा अर्थ नारायणीय धर्म की समस्त परम्परा देखने से स्पष्ट मालूम हो जाता है । ब्रह्मा के कुल सात जन्म हैं । इनमें से पहले छ. जन्मों की नारायणीय धर्म में कथित परम्परा का वर्णन ही चुकने पर जब ब्रह्मा के सातवें — अर्थात् वर्तमान — जन्म का कृतयुग समाप्त हुआ, तब —

त्रेतायुगादौ च ततो विवस्वान्मनवे ददौ ।

मनुश्च लोकभूत्यर्ष्यं मुतापेक्ष्वाकवे ददौ ॥

इदवाकुणा च कथितो व्याप्य लोकानवस्थितः ।

गमिष्यति क्षयान्ते च पुनर्नारायणं नृप ॥

यतीनां चापि यो धर्मः स ते पूर्वं नृपोत्तम ।

कथितो हरिगीतासु समासविधिकल्पितः ॥

‘त्रेतायुग के जारम्भ में विवस्वान् ने मनु को (वह धर्म) दिया, मनु ने लोक-धारणार्थ यह अपने पुत्र इध्वाकु को दिया; और इध्वाकु ने आम सब लोगों में फैला गया। हे राजा! सृष्टि का क्षय होने पर (यह धर्म) फिर नारायण के यहाँ चला जावेगा। यह धर्म ‘यतीनां चापि’ अर्थात् इसके साथ ही संन्यासधर्म तुझमें पहले भगवद्गीता में कह दिया है’—ऐसा नारायणीय धर्म में ही वैशम्पायन ने जनमेजय से कहा है (म. भा. शा. ३४८. ५१-५३)। इससे दीख पड़ता है कि जिस द्वापारयुग के अन्त में भारतीय युद्ध हुआ था, उससे पहले त्रेतायुगभर की ही भागवतधर्म की परम्परा गीता में वर्णित है। विस्तारभय से अधिक वर्णन नहीं किया है। यह भागवतधर्म ही योग या कर्मयोग है; और मनु को इस कर्मयोग के उपदेश किये जाने की कथा न केवल गीता में है; प्रत्युत भागवतपुराण (८. २४. ५५) में भी इस कथा का उल्लेख है। मत्स्यपुराण के ५२ वें अध्याय में मनु को उपदिष्ट कर्मयोग का महत्त्व भी बतलाया गया है। परन्तु इनमें से कोई भी वर्णन नागयणीयोपाख्यान में किये गये वर्णन के समान पूर्ण नहीं है। विवस्वान्, मनु और इध्वाकु की परम्परा माध्यमार्ग को बिलकुल ही उपयुक्त नहीं होती; और माध्य एव योग दोनों के अतिरिक्त तीसरी निष्ठा गीता में वर्णित ही नहीं है। इस बात पर लक्ष देने से हमारी रीति में भी निश्चय होता है कि यह परम्परा कर्मयोग की ही है (गीता २. ३९)। परन्तु माध्य और योग दोनों निष्ठाओं की परम्परा यद्यपि एक न हो, तो भी कर्मयोग अर्थात् भागवतधर्म के निष्पन्न में ही माध्य या संन्यामनिष्ठा के निष्पन्न का पर्याय में समावेश हो जाता है (गीतारहस्य प्र. १४, पृ. ४३१ देखो)। इस कारण वैशम्पायन ने कहा है कि भगवद्गीता में यतिधर्म अर्थात् संन्यामधर्म भी वर्णित है। मनुस्मृति में चार आश्रम धर्मों का जो वर्णन है, उसके छठे अध्याय में पहले यति अर्थात् संन्याम आश्रम का धर्म नष्ट चुकने पर विरह्य ने ‘वेदसंन्यामिभ्रों का कर्मयोग’ इन नाम से भागवतधर्म के कर्मयोग का वर्णन है। और स्पष्ट कहा है कि ‘निःस्पृहता से करना कार्य करने रहने में ही अन्त में परममिद्धि मिलती है’ (मनु. ६. ९६)। इसमें स्पष्ट दोष पड़ता है, कि कर्मयोग मनु को भी प्राप्त था। इसी प्रकार अन्य स्मृतियों की भी यह मान्य था; और इस विषय के अनेक प्रमाण गीतारहस्य के ११ वें प्रकरण के अन्त (पृ. ३६३-३६८) में दिये गये हैं। अब अर्जुन को इस परम्परा पर यह कहना है, कि :-]

अर्जुन उवाच ।

§§ अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः ।

कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति ॥ ४ ॥

श्रीभगवानुवाच ।

वहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन ।

तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप ॥ ५ ॥

अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् ।

प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया ॥ ६ ॥

अर्जुन ने कहा :—(४) तुम्हारा जन्म तो अभी हुआ है, और विवस्वान् का इससे बहुत पहले हो चुका है। (ऐसी दशा में) यह कैसे जानूँ, कि तुमने (यह योग) पहले बतलाया ?

[अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान् अपने अवतारों के कार्यों का वर्णन कर आसक्तिविरहित कर्मयोग या भागवतधर्म का ही फिर समर्थन करते हैं, ' कि इस प्रकार मैं भी कर्मों को करता आ रहा हूँ ' ।]

श्रीभगवान् ने कहा :— (५) हे अर्जुन ! मेरे और तेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। उन सब को मैं जानता हूँ। (और) हे परन्तप ! तू नहीं जानता (यही भेद है)। (६) मैं (सब) प्राणियों का स्वामी और जन्मविरहित हूँ। यद्यपि मेरे आत्मस्वरूप में कभी भी व्यय अर्थात् विकार नहीं होता, तथापि अपनी ही प्रकृति में अधिष्ठित होकर मैं अपनी माया से जन्म लिया करता हूँ।

[इस श्लोक के अध्यात्मज्ञान में कापिलसाख्य और वेदान्त दोनों ही मतों का मेल कर दिया गया है। साख्यमतवालों का कथन है, प्रकृति आप ही स्वयं सृष्टि निर्माण करती है। परन्तु वेदान्ती लोग प्रकृति को परमेश्वर का ही एक स्वरूप समझ कर यह मानते हैं, कि प्रकृति में परमेश्वर के अधिष्ठित होने पर प्रकृति से व्यक्तसृष्टि निर्मित होती है। अपने अव्यक्त स्वरूप से सारे जगत् को निर्माण करने की इस अचिन्त्य शक्ति को ही गीता में 'माया' कहा है। और इसी प्रकार श्वेताश्वतरोपनिषद् में भी ऐसा वर्णन है :— 'माया तु प्रकृति विद्यान्मायिन तु महेश्वरम् ।' अर्थात् प्रकृति ही माया है; और उस माया का अधिपति परमेश्वर है (श्वे. ४. १०); और 'अस्मान्मायी सृजते विश्वमेतत्'— इससे माया का अधिपति सृष्टि उत्पन्न करता है (श्वे. ४. १०)। प्रकृति को माया क्यों कहते हैं ? इस माया का स्वरूप क्या है ? और इस कथन का क्या अर्थ है, कि माया से सृष्टि उत्पन्न होती है ? — इत्यादि प्रश्नों का अधिक विवरण गीतारहस्य

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥ ७ ॥

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ।

धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥ ८ ॥

§§ जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः ।

त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन ॥ ९ ॥

वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः ।

बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ॥ १० ॥

| के ९ वे प्रकरण में दिया गया है। यह बतला दिया, कि अव्यक्त परमेश्वर व्यक्त कैसे होता है? अर्थात् कर्म उपजा हुआ-सा कैसे दीख पड़ता है? अब इस बात का खुलासा करते हैं, कि यह ऐसा कब और किसलिये करता है? :-]

(७) हे भारत! जब (जब) धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म की प्रबलता फैल जाती है, तब (तब) मैं स्वयं ही जन्म (अवतार) लिया करता हूँ। (८) साधुओं की संरक्षा के निमित्त और दुष्टों का नाश करने के लिये युग युग में धर्मसंस्थापना के अर्थ में जन्म लिया करता हूँ।

[इन दोनों श्लोकों में 'धर्म' शब्द का अर्थ केवल पारलौकिक वैदिक धर्म नहीं है। किन्तु चारों वर्णों के धर्म, न्याय और नीति प्रभृति बातों का भी उसमें मुख्यता से समावेश होता है। इस श्लोक का तात्पर्य यह है, कि जगत् में जब अन्याय, अनीति, दुष्टता और अंधाधुंधी मच्च कर साधुओं को कष्ट होने लगता है और जब दुष्टों का दबदबा बढ़ जाता है, तब अपने निर्माण किये हुए जगत् की सुस्थिति को स्थिर कर उसका कल्याण करने के लिये तेजस्वी और पराक्रमी पुरुष के रूप में (गीता १०. ४१) अवतार ले कर भगवान् समाज की विगड़ी हुई व्यवस्था को फिर ठीक कर दिया करते हैं। इस रीति से अवतार ले कर भगवान् जो काम करते हैं, उसी को 'लोकमंज्रह' भी कहते हैं। पिछले अध्याय में यह दिया गया है, कि यही काम अपनी शक्ति और अधिकार के अनुसार आत्मज्ञानी पुरुषों को भी करना चाहिये (गीता ३. २०)। यह बतला दिया गया, कि परमेश्वर कब और किसलिये अवतार लेता है? अब यह बतलाते हैं, कि इस तत्त्व को पश्य कर जो पुरुष तदनुसार बर्ताव करते हैं, उनको कौनसी शक्ति मिलती है? :-]

(९) हे अर्जुन! इस प्रकार के मेरे दिव्य जन्म और दिव्य कर्म के तत्त्व को जो जानता है, वह देह त्यागने के परवान् फिर जन्म न लेकर मुझमें आ मिलता है। (१०) प्रीति, भय और प्रार्थना में छूटे हुए, मन्त्रगण और मेरे आश्रय में आये

§§ ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् ।

मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ॥ ११ ॥

कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः ।

क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा ॥ १२ ॥

हुए अनेक लोग (इस प्रकार) ज्ञानरूप तप से शुद्ध होकर मेरे स्वरूप में आकर मिल गये हैं ।

[भगवान् के दिव्य जन्म को समझने के लिये यह जानना पड़ता है, कि अव्यक्त परमेश्वर माया से सगुण कैसे होता है? और इसके जान लेने से अध्यात्मज्ञान हो जाता है; एव दिव्य कर्म को जान लेने पर कर्म करके भी अलिप्त रहने का — अर्थात् निष्कामकर्म के तत्त्व का — ज्ञान हो जाता है । साराश, परमेश्वर के दिव्य जन्म और दिव्य कर्म को पूरा पूरा जान ले, तो अध्यात्मज्ञान और कर्मयोग दोनों की पूरी पूरी पहचान हो जाती है; और मोक्ष की प्राप्ति के लिये इसकी आवश्यकता होने के कारण ऐसे मनुष्य को अन्त में भगवत्प्राप्ति हुए बिना नहीं रहती । अर्थात् भगवान् के दिव्य जन्म और दिव्य कर्म जान लेने में सब कुछ आ गया । फिर अध्यात्मज्ञान अथवा निष्काम कर्मयोग दोनों का अलग अलग अध्ययन नहीं करना पड़ता । अतएव वक्तव्य यह है, कि भगवान् के जन्म और कृत्य का विचार करो, एव उसके तत्त्व को परख कर वर्ताव करो । भगवत्प्राप्ति होने के लिये दूसरा कोई साधन अपेक्षित नहीं है । भगवान् की यही सच्ची उपासना है । अब इसकी अपेक्षा नीचे के दर्जों की उपासनाओं के फल और उपयोग बतलाते हैं ।—]

(११) जो मुझे जिस प्रकार से भजते हैं, उन्हें मैं उसी प्रकार के फल देता हूँ । हे पार्थ ! किसी भी ओर से हो, मनुष्य मेरे ही मार्ग में आ मिलते हैं ।

[‘मम वर्तमानुवर्तन्ते’ इत्यादि उत्तरार्ध पहले (३ २३) कुछ निराले अर्थ में आया है, और इससे ध्यान में आवेगा, कि गीता में पूर्वापार सन्दर्भ के अनुसार अर्थ कैसे बदल जाता है ? यद्यपि यह सच है, कि किसी मार्ग से जाने पर भी मनुष्य परमेश्वर की ही ओर जाता है, तो यह जानना चाहिये, कि अनेक लोग अनेक मार्गों से क्यों जाते हैं ? अब इसका कारण बतलाते हैं ।—]

(१२) (कर्मबन्धन के नाश की नहीं, केवल) कर्मफल की इच्छा करनेवाले लोग इस लोक में देवताओं की पूजा इसलिये किया करते हैं, कि (ये) कर्मफल (इसी) मनुष्यलोक में शीघ्र ही मिल जाते हैं ।

[यही विचार सातवे अध्याय (गीता ७ २१, २२) में फिर आये हैं, परमेश्वर की आराधना का सच्चा फल है मोक्ष । परन्तु वह तभी प्राप्त होता है । कि जब कालान्तर से एव दीर्घ और एकान्त उपासना से कर्मबन्ध का पूर्ण नाश

और अकर्म में कर्म जिसे दीख पड़ता है, वह पुत्र्य सत्र मनुष्यों में ज्ञानी और वही युक्त अर्थात् योगमुक्त एवं ममस्त कर्म करनेवाला है।

[इसमें और अगले पाँच श्लोकों में कर्म, अकर्म एवं विकर्म का खुलासा किया गया है। इसमें जो कुछ कमी रह गई है, वह अगले अठारहवें अध्याय में कर्मत्याग, कर्म और कर्ता के त्रिविध भेदवर्णन में पूरी कर दी गई है (गीता १८. ४-७; १८. २३-२५; १८. २६-२८)। यहाँ संक्षेप में स्पष्टतापूर्वक यह बातला देना आवश्यक है, कि दोनों स्थलों के कर्मविवेचन से कर्म, अकर्म और विकर्म के सम्यग्ध में गीता के सिद्धान्त क्या है? क्योंकि, टीकाकारों ने इस सम्यग्ध में बड़ी गड़बड़ कर दी है। मन्वासरामार्गवालों को सब कर्मों का स्वल्पतः त्याग इष्ट है। इसलिये वे गीता के 'अकर्म' पद का अर्थ धीचातानी में अपने मार्गकी ओर लाना चाहते हैं। भीमानको को यज्ञयाग आदि काम्यकर्म इष्ट है। इसलिये उन्हें उनके अतिरिक्त और सभी कर्म 'विकर्म' जँचते हैं। इसके सिवा भीमानकों के नित्यनैमित्तिक आदि कर्मभेद भी इसी में आ जाते हैं; और फिर इसी में धर्मशास्त्री अपनी टाढ़े चावल की खिचड़ी पकाने की इच्छा रखते हैं। नागण, चारों ओर से ऐसी धीचातानी होने के कारण अन्त में यह जान लेना कठिन हो जाता है, कि गीता 'अकर्म' किसे कहती है और 'विकर्म' किसे? अतएव पहले से ही इस बात पर ध्यान दिये रहना चाहिये, कि गीता में जिस तात्त्विक दृष्टि में इस प्रश्न का विचार किया गया है, वह दृष्टि निष्काम कर्म करनेवाले कर्मयोगी की है; काम्यकर्म करनेवाले भीमानकों की या कर्म छोड़नेवाले मन्वानमार्गियों की नहीं है। गीता की इस दृष्टि को स्वीकार कर लेने पर तो यहाँ कहना पड़ता है, कि 'कर्मशून्यता' के अर्थ में 'अकर्म' इस जगत् में वही भी नहीं रह सकता। अथवा कोई भी मनुष्य कभी कर्मशून्य नहीं हो सकता (गीता ३. ५; १८. ११)। क्योंकि मोना, उठना, बैठना और जीवित रहना तक किमी में भी छूट नहीं जाता। और यदि कर्मशून्यता होना सम्भव नहीं है, तो निश्चय करना पटना है, कि 'अकर्म' वहाँ किसे? इसमें गीता का यह उत्तर है, कि कर्म का मतलब निरी क्रिया न ममत्त कर उममें होनेवाले शुभ-अशुभ आदि परिणामों का विचार करके कर्म का कर्मत्व या अकर्मत्व निश्चित करो। यदि मृष्टि के मानी ही कर्म है, तो मनुष्य जवत मृष्टि में है, तब तक उममें कर्म नहीं छूटने। अतः कर्म और अकर्म का जो विचार करना हो, वह इनती ही दृष्टि में करना चाहिये, कि मनुष्य को वह कर्म वहाँ तक बढ़ करेगा? करने पर भी जो कर्म हमें बढ़ नहीं करना, उसके विषय में कहना चाहिये, कि उमका कर्मत्व अथवा कर्मत्व नष्ट हो गया। और यदि किमी भी कर्म का कर्मत्व अर्थात् कर्मत्व इस प्रकार नष्ट हो जाय, तो फिर वह कर्म 'अकर्म' ही हुआ। अकर्म का प्रचलित नामाग्निक अर्थ कर्मशून्यता ही है। परन्तु शास्त्रीय दृष्टि में विचार

करने पर उमका यहाँ मेल् नही मिलता । क्योकि हम देखते है, कि चुपचाप बैठना अर्थात् कर्म न करना भी कई बार कर्म ही हो जाता है । उदाहरणार्थ अपने माँ-बाप को कोई मारतापीटता हो, तो उसको न रोक कर चुप्पी भारे बैठा रहना, उस समय व्यावहारिक दृष्टि से अकर्म अर्थात् कर्मशून्यता हो, तो भी वह कर्म ही - अधिक क्या कहे ? विकर्म - है; और कर्मविपाक की दृष्टि से उसका अशुभ परिणाम हमें भोगना ही पडेगा । अतएव गीता इस श्लोक मे विरोधाभास की रीति से बड़ी खूबी के साथ कहती है, कि ज्ञानी वही है, जिसने जान लिया, कि अकर्म में भी (कभी कभी तो भयानक) कर्म हो जाता है; तथा यही अर्थ अगले श्लोक में भिन्न भिन्न रीतियों से वर्णित है । कर्म के फल का बन्धन न लगने के लिये गीताशास्त्र के अनुसार यही एक सच्चा साधन है, कि नि.मद्गवुद्धि से अर्थात् फलाशा छोड़ कर निष्कामवुद्धि से कर्म किया जावे (गीतारहस्य प्र. ५. पृ. ११०-११५; प्र. १०, पृ. २८६-२८७ देखो) । अत. इस साधन का उपयोग कर निःसद्गवुद्धि से जो कर्म किया जाय वही गीता के अनुसार अप्रशस्त-सात्त्विक-कर्म है (गीता १८.९); और गीता के मत मे वही सच्चा 'अकर्म' है। क्योकि उसका कर्मत्व - (अर्थात् कर्मविपाक की क्रिया के अनुसार बन्धकत्व) निकल जाता है । मनुष्य जो कुछ कर्म करते है (और 'करते है' पद में चुपचाप निठल्ले बैठे रहने का भी समावेश करना चाहिये), उनमें से उक्त प्रकार के अर्थात् 'सात्त्विक कर्म' (अथवा गीता के अनुसार अकर्म) घटा देने से बाकी जो कर्म रह जाते है, उनके दो भाग हो सकते : एक राजस और दूसरा तामस । इनमें तामस कर्म मोह और अज्ञान से हुआ करते है । इसलिये उन्हे विकर्म कहते है - फिर यदि कोई कर्म मोह से छोड़ दिया जाय, तो भी वह विकर्म ही है; अकर्म नही (गीता १८.७) । अब रह गये राजस कर्म । ये कर्म पहले दर्जे के अर्थात् सात्त्विक नही है । अथवा ये वे कर्म भी नही है, जिन्हे गीता सचमुच 'अकर्म' कहती है । गीता इन्हे 'राजस' कर्म कहती है । परन्तु यदि कोई चाहे, तो ऐसे राजस कर्मों को केवल 'कर्म' भी कह सकता है । तात्पर्य, क्रियात्मक स्वरूप अथवा कोरे धर्मशास्त्र से कर्म-अकर्म का निश्चय नही होता । किन्तु कर्म के बन्धकत्व से यह निश्चय किया जाता है, कि कर्म है या अकर्म ? अष्टावक्रगीता सन्यासमार्ग की है । तथापि उसमें भी कहा है :-

निवृत्तिरपि मूढस्य प्रवृत्तिरुपजायते ।

प्रवृत्तिरपि धीरस्य निवृत्तिरुपजायते ॥

अर्थात् मूर्खों की निवृत्ति (अथवा हठ से या मोह के द्वारा कर्म से विमुखता) ही वास्तव में प्रवृत्ति कर्म है और पण्डित लोगों की प्रवृत्ति (अर्थात् निष्काम कर्म) से ही निवृत्ति यानी कर्मत्याग का फल मिलता है (अष्टा. १८. ६१) । गीता के उक्त श्लोक में ही यही अर्थ विरोधाभासरूपी अलङ्कार की रीति

§§ चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः ।
तस्य कर्तारमपि मां विद्ध्यकर्तारमन्ययम् ॥ १३ ॥

न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा ।
इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते ॥ १४ ॥

हो जाता है। परन्तु इतने दूरदर्शी और दीर्घ उद्योगी पुरुष बहुत ही थोड़े होते हैं। इन श्लोक का भावार्थ यह है कि बहुतेरों को अपने उद्योग अर्थात् कर्म से इसी लोक में कुछ-न-कुछ प्राप्त करना होता है; और ऐसे ही लोग देवताओं की पूजा किया करते हैं (गीतार. प्र. १३, पृ. ४२६ देखो)। गीता का यह भी तो परमेश्वर का ही पूजन होना है; और बढ़ते बढ़ते इस योग का पर्यवसान निष्कामभक्ति में होकर अन्त में मोक्ष प्राप्त हो जाता है (गीता ७. १९)। पहले वह चुके हैं, कि धर्म की संस्थापना करने के लिये परमेश्वर अवतार लेता है। अब संक्षेप में बतलाने हैं, कि धर्म की संस्थापना करने के लिये क्या करना पड़ता है? :-]

(१३) (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इस प्रकार) चारों वर्णों की व्यवस्था गुण और कर्म के भेद में ही निर्माण की है। इसे तू ध्यान में रख, कि मैं उमका वर्ण भी हूँ; और अवता अर्थात् उसे न करनेवाला अव्यय (मैं ही) हूँ।

[अर्थ यह है, कि परमेश्वर वर्ता भले ही हो; पर अगले श्लोक के वर्णानुसार वह सदैव निःसंशय है। इस कारण अवता ही है (गीता ५. १८ देखो)। परमेश्वर के स्वल्प के 'सर्वेन्द्रियगुणामाम सर्वेन्द्रियविवर्जितम्' ऐसे दूसरे भी विरोधाभासात्मक वर्णन है (गीता १३. १४)। चातुर्वर्ण्य के गुण और भेद का निरूपण आगे अठारहवें अध्याय (१८. ४१-४९) में किया गया है। अब भगवान् ने 'करके न करनेवाला' ऐसा जो अपना वर्णन किया है, उमका मर्म बतलाने हैं :-]

(१४) मुझे कर्म का लेश अर्थात् बाधा नहीं होती। (क्योंकि) धर्म के फल में मेरी इच्छा नहीं है। जो मुझे इस प्रकार जानता है, उसे कर्म की बाधा नहीं होती।

[ऊपर नवम श्लोक में जो दो बातें कही हैं, कि मेरे 'जन्म' और 'कर्म' को जो जानना है, वह मुक्त हो जाना है। उनमें से कर्म के तत्त्व का स्पष्टीकरण इस श्लोक में किया है। 'जानता' है शब्द में यहाँ 'जान कर तदनुसार वर्तने लगता है' इतना अर्थ विवक्षित है। भावार्थ यह है, कि भगवान् को उनके कर्म की बाधा नहीं होती। इसका यह कारण है, कि वे फलाना रख कर काम ही नहीं करते। और इसे जान कर तदनुसार ही वर्तता है, उमको कर्मों का बन्धन नहीं होता। अब इस श्लोक के मिथ्यात्व को ही प्रत्यक्ष उदाहरण में दृष्ट करने हैं :-]

एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः ।

कुरु कर्मैव तस्मात्त्वं पूर्वंः पूर्वतरं कृतम् ॥ १५ ॥

§ § किं कर्म किमकर्मति कवयोऽप्यत्र मोहिताः ।

तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात् ॥ १६ ॥

कर्मणो ह्यपि बौद्धव्यं बौद्धव्यं च विकर्मणः ।

अकर्मणश्च बौद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः ॥ १७ ॥

कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्माणि च कर्म यः ।

स बुद्धिमान्मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत् ॥ १८ ॥

(१५) इसे जान कर प्राचीन समय के मुमुक्षु लोगो ने भी कर्म किया था । इसलिये पूर्व के लोगो के किये हुए अति प्राचीन कर्म ही तू कर ।

[इस प्रकार मोक्ष और कर्म का विरोध नहीं है । अतएव अर्जुन को निश्चित उपदेश किया है, कि तू कर्म कर । परन्तु सन्यासमार्गवालो का कथन है, कि 'कर्मों के छोड़ने से अर्थात् अकर्म से ही मोक्ष मिलता है ।' इस पर यह शङ्का होती है, कि ऐसे कथन का बीज क्या है । अतएव अब कर्म और अकर्म के विवेचन का आरम्भ करके तेईसवे श्लोक में सिद्धान्त करते हैं, कि अकर्म कुछ कर्मत्याग नहीं है; निष्कामकर्म को ही अकर्म कहना चाहिये ।]

(१६) इस विषय में बड़े बड़े विद्वानो को भी भ्रम हो जाता है, कि कौन कर्म है और कौन अकर्म ? (अतएव) वैसा कर्म तुझे बतलाता हूँ, कि जिसे जान लेने से तू पाप से मुक्त होगा ।

['अकर्म' नञ् है ! व्याकरण की रीति से उसके अ=अञ् शब्द के 'अभाव' अथवा 'अप्राशस्त्य' दो अर्थ हो सकते हैं । और यह नहीं कह सकते, कि इस स्थल पर ये दोनों ही अर्थ विवक्षित न होंगे । परन्तु अगले श्लोक में 'विकर्म' नाम से कर्म का एक और तीसरा भेद किया है । अतएव इस श्लोक में अकर्म शब्द से विशेषतः वही कर्मत्याग उद्दिष्ट है, जिसे सन्यासमार्गवाले लोग 'कर्म का स्वरूपतः त्याग' कहते हैं । सन्यासवाले कहते हैं, कि 'सब कर्म छोड़ दो ।' परन्तु १८ वे श्लोक की टिप्पणी से दीख पड़ेगा, कि इस बात को दिखलाने के लिये ही यह विवेचन किया गया है, कि कर्म को बिलकुल ही त्याग देने की कोई आवश्यकता नहीं है । सन्यासमार्गवालो का कर्मत्याग सच्चा 'अकर्म' नहीं है । अकर्म का मर्म ही कुछ और है ।]

(१७) कर्म की गति गहन है । (अतएव) यह जान लेना चाहिये, कि कर्म क्या है ? और समझना चाहिये, कि विकर्म (विपरीत कर्म) क्या है ? और यह भी ज्ञात कर लेना चाहिये, कि अकर्म (कर्म न करना) क्या है ? (१८) कर्म में अकर्म

यस्य सर्वे समारम्भाः कामसंकल्पवर्जिताः ।

ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः ॥ १९ ॥

त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्यतृप्तो निराश्रयः ।

कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित्करोति सः ॥ २० ॥

निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः ।

शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् ॥ २१ ॥

। मे वही मुन्दरनामे वतत्रया गया है । गीता के अन्त में के इस लक्षण को भरी-
। भानि ममज्ञे विना गीता के कर्म-अकर्म के विवेचन का मर्म भी कभी ममज्ञ
। में जाने का नहीं । अब इसी अर्थ को अगले श्लोको में अधिक व्यक्त करते हैं :-]
(१९) ज्ञानी पुण्य उमी को पण्डित कहते हैं, कि जिसके ममी ममाग्म्भ अर्थात्
उद्योग पत्र की इच्छा से विरहित होने है, और जिसके कर्म ज्ञानाग्नि में भस्म हो
जाते हैं ।

। [‘ज्ञान मे कर्म भस्म होने है’ इसका अर्थ कर्मों को छोड़ना नहीं है ।
। निन्तु इस श्लोक से प्रकट होता है, कि फल की इच्छा छोड़ कर कर्म करना,
। यही अर्थ यहाँ देना चाहिये (गीता. प्र १०, पृ २८६-२९१) । इसी प्रकार
। आगे भगवद्भक्त के वर्णन में जो ‘सर्वारम्भपरित्यागी’-ममम्भ आरम्भ या उद्योग
। छोड़नेवाला - पद आया है (गीता १२. १६; १४. २५), उसके अर्थ का निर्णय
। भी इसमें हो जाता है । अब इसी अर्थ को अधिक स्पष्ट करने हैं :-]

(२०) कर्म की आसक्ति छोड़ कर जो मदा तृप्त और निराश्रय है - अर्थात् जो
पुरण कर्मणः के साधन की आश्रयभूत ऐसी बुद्धि नहीं रखना, कि अमुक कार्य की
मिष्टि के लिये अमुक काम करना है - कहना चाहिये, कि वह कर्म करने में निमग्न
रहने पर भी कुछ नहीं करता । (२१) ‘आगीः’ अर्थात् पत्र की वामना छोड़नेवा
चित्त का नियमन करनेवाला और सर्वमदग में मुक्त पुण्यकेवल शारीर अर्थात् शरीर
या कर्मन्द्रियों में ही कर्म करते समय पाप का भागी नहीं होता ।

। [कुछ लोग बीमते श्लोक के ‘निगश्रय’ शब्द का अर्थ घरगृहस्थी न
। रखनेवाला (मन्यामी) करने हैं, पर वह ठीक नहीं है । आश्रय को घर या देग
। पर मंत्रों, परन्तु इस म्यान पर कर्ता के स्वयं रहने का ठिकाना विपक्षित नहीं
। है । अर्थ यह है, कि वह जो कर्म करता है, उसका हेतुस्य ठिकाना (आश्रय)
। बहो न रहे । यही अर्थ गीता के ६ १ श्लोक में ‘अनाश्रित कर्मणः’ उन शब्दों
। में स्पष्ट स्पष्ट किया है । और वामन पण्डित ने गीता की ‘यथायंतीरिका’ नामक
। अर्थात् मगरी टीका में इसे स्वीकार किया है । ऐसे ही २१वें श्लोक में ‘शरीर’

यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वार्तातो विमत्सरः ।

समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निवध्यते ॥ २२ ॥

गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः ।

यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ॥ २३ ॥

[के मानी सिर्फ शरीरपोषण के लिये भिक्षाटन आदि कर्म नहीं है । आगे पाँचवे अध्याय में 'योगी अर्थात् कर्मयोगी लोग आसक्ति अथवा काम्यबुद्धि को मन में न रख कर केवल इन्द्रियो से कर्म किया करते हैं' (५ ११) ऐसा जो वर्णन है, उसके समानार्थक ही 'केवल शारीर कर्म' इन पदों का सच्चा अर्थ है । इन्द्रियाँ कर्म करती हैं, पर बुद्धि सम रहने के कारण उन कर्मों का पापपुण्य कर्ता को नहीं लगता ।]

(२२) यदृच्छा से जो प्राप्त हो जाय, उसमें सन्तुष्ट, (हर्ष, शोक आदि) द्वन्द्वों से मुक्त, निर्वत्सर और (कर्म की) सिद्धि या असिद्धि को एक-सा ही माननेवाला पुरुष (कर्म) करके भी (उनके पापपुण्य से) वद्ध नहीं होता । (२३) आसङ्गरहित, (रागद्वेष से) मुक्त, (साम्यबुद्धिरूप) ज्ञान में स्थिरचित्तवाले और (केवल) यज्ञ ही के लिये (कर्म) करनेवाले पुरुष के समग्र कर्म विलीन हो जाते हैं ।

[तीसरे अध्याय (३.९) में जो यह भाव है - कि मीमांसकों के मत में यज्ञ के लिये किये हुए कर्म बन्धक नहीं होते, और आसक्ति छोड़ कर करने से वे ही कर्म स्वर्गप्रद न होकर मोक्षप्रद होते हैं - वही इस श्लोक में बतलाया गया है । 'समग्र विलीन हो जाते हैं' में 'समग्र' पद महत्त्व का है । मीमांसक लोग स्वर्गसुख को ही परमसाध्य मानते हैं, और उनकी दृष्टि से स्वर्गसुख को प्राप्त कर देनेवाले कर्म बन्धक नहीं होते । परन्तु गीता की दृष्टि से परे अर्थात् मोक्ष पर है, और इस दृष्टि से स्वर्गप्रद कर्म भी बन्धक ही होते हैं । अतएव कहा है, कि यज्ञार्थ कर्म भी अनासक्तबुद्धि से करने पर 'समग्र' लय पाते हैं अर्थात् स्वर्गप्रद न हो कर मोक्षप्रद हो जाते हैं । तथापि इस अध्याय में यज्ञप्रकरण के प्रतिपादन में और तीसरे अध्यायवाले यज्ञप्रकरण के प्रतिपादन में एक बड़ा भारी भेद है, तीसरे अध्याय में कहा है, कि श्रौतस्मार्त अनादि यज्ञचक्र को स्थिर रखना चाहिये । परन्तु अब भगवान् कहते हैं, कि यज्ञ का इतना ही सकुचित अर्थ न समझो, कि देवता के उद्देश से अग्नि में तिल, चावल या पशु का हवन कर दिया जाये । अग्नि में आहुति छोड़ते समय अन्त में 'इदं न मम' - यह मेरा नहीं - इन शब्दों का उच्चारण किया जाता है । इनमें स्वार्थत्यागरूप निमंमत्व का जो तत्त्व है, वही यज्ञ में प्रधान भाग है । इस रीति से 'न मम' कह कर अर्थात् ममनायुक्त बुद्धि छोड़कर ब्रह्मार्पणपूर्वक जीवन के समस्त व्यवहार करना भी एक बड़ा यज्ञ या होम

§§ ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नी ब्रह्मणा हुतम् ।
 ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना ॥ २४ ॥
 देवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ।
 ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुहति ॥ २५ ॥

ही हो जाता है। इस यज्ञ में देवाधिदेव परमेश्वर अथवा ब्रह्म का यजन हुआ करेगा है। माराश, मीमामको के द्रव्ययज्ञमन्वन्धी जो मिद्वान्त है, वे इस बड़े यज्ञ के लिये भी उपयुक्त होने हैं; और लोकोत्तमग्रह के निमित्त जगत् के आनक्ति-विरहित कर्म करनेवाला पुरुष कर्म के 'ममग्र' फल में मुक्त होता हुआ अन्त में मोक्ष पाना है (गीतारहस्य प्र. ११. पृ. ३४६-३५० देखो)। ब्रह्मार्पणरूपी बड़े यज्ञ का ही वर्णन पहले इस श्लोक में किया गया है। और फिर इनकी अपेक्षा कम योग्यता के अनेक लाक्षणिक यज्ञों का स्वरूप बतलाया गया है; एवं तेनीमवे श्लोक में ममग्र प्रकरण का उपसंहार कर कहा गया है, कि ऐसा 'ज्ञानयज्ञ ही सब में श्रेष्ठ है']

(२४) अर्पण अथवा वहन करने की क्रिया ब्रह्म है। हवि अर्थात् अर्पण करने का द्रव्य ब्रह्म है, ब्रह्माग्नि में ब्रह्म ने हवन किया है - (इस प्रकार) जिमरी बुद्धि में (ममी) कर्म ब्रह्ममय है, उसको ब्रह्म ही मिलता है।

[शास्त्ररुमाप्य में 'अर्पण' शब्द का अर्थ 'अर्पण' करने का माघन अर्थात् आचमनी इत्यादि है; परन्तु यह जरा कठिन है। इसकी अपेक्षा, अर्पण = अर्पण करने की या हवन करने की क्रिया, यह अर्थ अधिक सरल है। यह ब्रह्मार्पणपूर्वक अर्थात् निष्कामबुद्धि में यज्ञ करनेवालों का वर्णन हुआ। अब देवता के उद्देश में अर्थात् काम्यबुद्धि में किये हुए यज्ञ का म्यम्य बतलाते हैं :-]

(२५) कोई कोई (कर्म-) योगी (ब्रह्मबुद्धि के बदले) देवता आदि के उद्देश में यज्ञ किया करते हैं; और कोई ब्रह्माग्नि में यज्ञ में ही यज्ञ का यजन करने हैं।

[पुरुषसूक्त में विराट्स्थो यज्ञपुरुष के देवताओं द्वारा यजन होने का जो वर्णन है - 'यज्ञेन यज्ञमजयन्त देवा. ।' (ऋ. १०. ९०. १६), उमी की न. य पर इन श्लोक का उत्तरार्थ बतला गया है। 'यज्ञ यज्ञेनैवोपजुहति' के पद ऋग्वेद के 'यज्ञेन यज्ञमजयन्त' से समानार्थक ही पढ़ने हैं। प्रसट है, कि इस यज्ञ में (सो मृष्टि के आग्म में हुआ था) जिम विराट्स्थो पशु का हवन किया था, यह पशु और जिम देवता का यजन किया गया था वह देवता, ये दोनों ब्रह्मन्वन्धी हैं। माराश, चौबीसवे श्लोक का यह वर्णन ही तन्वदृष्टि में ठीक है, कि मृष्टि के मय पदार्थों में गर्दव ही ब्रह्म भय हुआ है। इस कारण इच्छारहित बुद्धि में सब व्यवहार करने करने ब्रह्म में ही ब्रह्म का यजन होता रहता है। केवल बुद्धि यमी

श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति ।

शब्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति ॥ २६ ॥

सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे ।

आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते ॥ २७ ॥

होनी चाहिये। पुरुषसूक्त को लक्ष्य कर गीता में यही एक श्लोक नहीं है; प्रत्युत आगे दसवें अध्याय (१०.४२) में भी इस सूक्त के अनुसार वर्णन है। देवता के उद्देश से किये हुए यज्ञ का वर्णन हो चुका। अब अग्नि, हवि इत्यादि शब्दों के लाक्षणिक अर्थ लेकर बतलाते हैं, कि प्राणायाम आदि पान्जलयोग की क्रिया अथवा तपश्चरण भी एक प्रकार का यज्ञ होता है :-]

(२६) और कोई श्रोत्र आदि (कान, आँख आदि) इन्द्रियों का संयमरूप अग्नि में होम करते हैं, और कुछ लोग इन्द्रियरूप अग्नि में (इन्द्रियों के) शब्द आदि विषयों का हवन करते हैं। (२७) और कुछ लोग इन्द्रियो तथा प्राणो के सब कर्मों को अर्थात् व्यापारों को ज्ञान से प्रज्वलित आत्मसंयमरूपी योग की अग्नि में हवन किया करते हैं।

[इन श्लोकों में दो-तीन प्रकार के लाक्षणिक यज्ञों का वर्णन है। जैसे (१) इन्द्रियों का संयमन करना अर्थात् उनको योग्य मर्यादा के भीतर अपने अपने व्यवहार करने देना। (२) इन्द्रियो के विषय अर्थात् उपयोग के पदार्थ सर्वथा छोड़ कर इन्द्रियो को विलकुल मार डालना। (३) न केवल इन्द्रियों के व्यापार को, प्रत्युत प्राणो के भी व्यापार को बन्द कर पूरी समाधि लगा करके केवल आत्मानन्द में ही मग्न रहना। अब इन्हें यज्ञ की उपमा दी जाय, तो पहले भेद में इन्द्रियो को मर्यादित करने की क्रिया (संयमन) अग्नि हुई। क्योंकि दृष्टान्त से यह कहा जा सकता है, कि इस मर्यादा के भीतर जो कुछ आ जाय, उसका उसमें हवन हो गया। इसी प्रकार दूसरे भेद में साक्षात् इन्द्रियाँ होमद्रव्य हैं। और तीसरे भेद में इन्द्रियाँ एवं प्राण दोनों मिल कर होम करने के द्रव्य हो जाते हैं और आत्मसंयमन अग्नि है। इसके अतिरिक्त कुछ लोग ऐसे हैं, जो निरा प्राणायाम ही किया करते हैं। उनका वर्णन उनतीसवें श्लोक में है। 'यज्ञ' शब्द के मूल अर्थ द्रव्यात्मक यज्ञ को लक्षणा से विस्तृत और व्यापक कर तप, संन्यास, समाधि एवं प्राणायाम प्रभृति भगवत्प्राप्ति के सब प्रकार के साधनों का एक 'यज्ञ' शीर्षक में ही समावेश कर दिया गया है। भगवद्गीता को यह कल्पना कुछ अपूर्व नहीं है। मनुस्मृति के चौथे अध्याय में गृहस्थाश्रम के वर्णन के सिलसिले में पहले यह बतलाया गया है, कि ऋषियज्ञ, देवयज्ञ, भूतयज्ञ, मनुष्ययज्ञ और पितृयज्ञ - इन स्मार्तं पंचमहायज्ञों को कोई गृहस्थ न छोड़े। और फिर कहा है, कि इनके

द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे ।

स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः ॥ २८ ॥

अपाने जुह्वति प्राणं प्राणेऽपानं तथाऽपरे ।

प्राणापानगती रुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः ॥ २९ ॥

बदले कोई कोई "इन्द्रियो में वाणी का हवन कर, वाणी में प्राण का हवन करके अन्त में ज्ञानयज्ञ से भी परमेश्वर का यजन करते हैं" (मनु. ४. २१-२४)। इतिहास की दृष्टि से देखें, तो विदित होता है, कि इन्द्र-वरुण प्रभृति देवताओं के उद्देश से जो द्रव्यमय यज्ञ श्रौत ग्रन्थों में कहे गये हैं, उनका प्रचार धीरे धीरे घटता गया। और जब पानजलयोग से, मंत्र्यास से अथवा आध्यात्मिक ज्ञान से परमेश्वर की प्राप्ति कर लेने के मार्ग अधिक अधिक प्रचलित होने लगे, तब 'यज्ञ' ही शब्द का अर्थ विस्तृत कर उसी में मोक्ष के समग्र उपायों का लक्षण से ममावेश करने का आरम्भ हुआ होगा। उसका मर्म यही है, पहले जो शब्द धर्म की दृष्टि से प्रचलित हो गये थे, उन्हीं का उपयोग अगले धर्ममार्ग के लिये भी किया जावे। कुछ भी हो; मनुस्मृति के विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है, कि गीता के पहले या अन्त में उन काल में उक्त कल्पना मर्मसामान्य हो चुकी थी।]

(२८) इस प्रकार तीक्ष्ण व्रत का आचरण करनेवाले यति अर्थात् संयमी पुरुष कोई द्रव्यरूप, कोई तपरूप, कोई योगरूप, कोई स्वाध्याय अर्थात् नित्य स्वकर्मानुष्ठानरूप और कोई ज्ञानरूप यज्ञ किया करते हैं। (२९) प्राणायाम में तत्पर हो कर प्राण और अपान की गति को रोक करके कोई प्राणवायु का अपान में (हवन किया करते हैं) और कोई अपानवायु का प्राण में हवन किया करते हैं।

[इस श्लोक का तात्पर्य यह है, कि पानजलयोग के अनुसार प्राणायाम करना भी एक यज्ञ ही है। यह पानजलयोगरूप यज्ञ उन्तीसवें श्लोक में बत-लाया गया है। अतः अष्टादशवें श्लोक के 'योगरूप यज्ञ' पद का अर्थ कर्मयोग-रूपी यज्ञ करना चाहिये। प्राणायाम शब्द के 'प्राण' शब्द में श्वास और उच्छ्वास, दोनों क्रियाएँ प्रकट होती हैं। परन्तु जब प्राण और अपान का भेद करना होता है, तब प्राण = बाहर जानेवाली अर्थात् उच्छ्वास वायु, और श्वास = भीतर आनेवाली श्वास, यह अर्थ किया जाता है (वे मू. शा. भा. २. ६. १२, और छान्दोग्य. शा. भा. १. ३. ३)। ध्यान रहे, कि प्राण और अपान के ये अर्थ प्रचलित अर्थ में भिन्न हैं। इन अर्थ में ने अपान में अर्थात् भीतर यौगी हृद् श्वास में प्राण का - उच्छ्वास का - होन करने में पूरक नाम का प्राणायाम होता है, और अर्थात् श्वासीत प्राण में श्वास का होन करने में पूरक प्राणायाम होता है। प्राण और श्वास दाना के ही विरोध में वही प्राणायाम

अपरे नियताहाराः प्राणान्प्राणेषु जुह्वति ।

सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः ॥ ३० ॥

यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् ।

नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम ॥ ३१ ॥

कुम्भक हो जाता है। अब इनके सिवा ध्यान, उदान और समान ये तीनों वच रहे। इनमें से व्यान प्राण और अपान के सन्धिस्थलो में रहता है; जो घनुष्य खींचने, वजन उठाने आदि दम खींच कर या आधी श्वास छोड़ करके शक्ति के काम करते समय व्यक्त होता है (छा. १. ३. ५)। मरणसमय में निकल जाने वाली वायु को उदान कहते हैं (प्रश्न. ३. ६), और सारे शरीर में सब स्थानों पर एक-सा अन्नरस पहुँचानेवाली वायु को समान कहते हैं (प्रश्न. ३. ५) : इस प्रकार वेदान्तशास्त्र में इन शब्दों के सामान्य अर्थ दिये गये हैं; परन्तु कुछ स्थलों पर इसकी अपेक्षा निराले अर्थ अभिप्रेत होते हैं। उदाहरणार्थ, महाभारत (वनपर्व) के २१२ वे अध्याय में प्राण आदि वायु के निराले ही लक्षण है। उसमें प्राण का अर्थ मस्तक की वायु और अपान का अर्थ नीचे सरकनेवाली वायु है (प्रश्न. ३. ५ और मैत्र्यु. २. ६)। ऊपर के श्लोक में जो वर्णन है, यह अर्थ उसका है, कि इनमें से जिस वायु का निरोध करते हैं, उसका अन्य वायु में होम होता है।]

(३०-३१) और कुछ लोग आहार को नियमित कर प्राणों का ही होम किया करते हैं। ये सभी लोग सनातन ब्रह्म में जा मिलते हैं, कि जो यज्ञ के जाननेवाले हैं, जिनके पाप यज्ञ से क्षीण हो गये हैं (और जो), अमृत का (अर्थात् यज्ञ से वचे हुए का) उपभोग करनेवाले हैं। यज्ञ न करनेवाले को (जब) इस लोग में सफलता नहीं होगी। (तब) फिर हे कुरुश्रेष्ठ! (उसे) परलोक कहाँ से (मिलेगा)?

[साराश, यज्ञ करना यद्यपि वेद की आज्ञा के अनुसार मनुष्य का कर्तव्य है, तो भी यह यज्ञ एक ही प्रकार का नहीं होता। प्राणायाम करो, तप करो, वेद का अध्याय करो, अग्निष्टोम करो, पशुयज्ञ करो, तिल-न्चावल अथवा धी का हवन करो, पूजापाठ करो या नैवेद्य-वैश्वदेव आदि पाँच गृहयज्ञ करो; फलासक्ति के छट जाने पर ये सब व्यापक अर्थ में यज्ञ ही हैं। और फिर यज्ञशेष-भक्षण के विषय में मीमांसकों के जो सिद्धान्त हैं, वे सब इनमें से प्रत्येक यज्ञ के लिये उपयुक्त हो जाते हैं। इनमें से पहला नियम यह है, कि 'यज्ञ के अर्थ किया हुआ कर्म बन्धक नहीं होता' और इसका वर्णन तेईसवें श्लोक में हो चुका है (गीता. ३. ९ पर टिप्पणी देखो)। अब दूसरा नियम यह है, कि प्रत्येक गृहस्थ पंचमहायज्ञ कर अतिथि आदि के भोजन कर चुकने पर फिर अपनी पत्नीसहित भोजन करे; और इस प्रकार बर्तने से गृहस्थाश्रम सफल होकर सद्गति देता है। 'विषम भुक्शेष

एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे ।

कर्मजान्बुद्धिं तान्सर्वानिवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे ॥ ३२ ॥

तु यज्ञशेषं तृत्याश्रुतम्' (मनु. ३. २८५) - अनियि बगैरह के भोजन कर चुने पर जो बचे, उसे 'विषम' और यज्ञ करने में जो शेष रहे, उसे 'अमृत' कहते हैं। इस प्रकार व्याख्या करके भनुस्मृति और अन्य स्मृतियों में भी कहा है कि प्रत्येक गृहस्थ को नित्य विषमाशी और अमृताशी होना चाहिये (गीता ३. १३ और गीतारहस्य प्र. १०, पृ. २९७ देखो)। अब भगवान् कहते हैं कि सामान्य गृहस्थ को उपयुक्त होनेवाला यह मिद्वान्न ही सब प्रकार के उक्त यज्ञों को उपयोगी होता है। यज्ञ के अर्थ किया हुआ कोई भी कर्म बन्धक नहीं होता। यही नहीं बल्कि उन कर्मों में से अवशिष्ट काम यदि अपने निजी उपयोग में आ जावें तो भी वे बन्धक नहीं होते (देखो गीतार. प्र. १२, पृ. ३८७)। "विना यज्ञ के इहलोक भी मिद्ध नहीं होना" यह वाक्य भाूमिक और महत्त्व का है। इसका अर्थ उतना ही नहीं है, कि यज्ञ के बिना पानी नहीं बरसता; और पानी के न बरसने से इस लोक की गुजर नहीं होती। किन्तु 'यज्ञ' शब्द का व्यापक अर्थ लेकर इस सामाजिक तत्त्व का भी इसमें पर्याय में समावेश हुआ है, कि कुछ अपनी प्यारी बातों को छोड़े बिना न तो सब को एक-सी मुविद्या मिल सकती है; और न जगत् के व्यवहार ही चल सकते हैं। उदाहरणार्थ - पश्चिमी समाजशास्त्रप्रणेता जो यह मिद्वान्न बनलाते हैं, कि अपनी अपनी स्वतन्त्रता को परिमित किये बिना लोगों को एक-सी स्वतन्त्रता नहीं मिल सकती है, वही, इस तत्त्व का उदाहरण है। और, यदि गीता की परिभाषा में इसी अर्थ को कहना हो, तो इस स्वतन्त्र पर ऐसी यज्ञप्रधान भाषा का ही प्रयोग करना पड़ेगा, कि 'जब तक प्रत्येक मनुष्य अपनी स्वतन्त्रता के कुछ अन्न का भी यज्ञ न करे, तब तक इस लोक के व्यवहार चल नहीं सकते।' इस प्रकार के व्यापक और विस्तृत अर्थ में जब यह निरवयव हो चुका, कि यज्ञ ही सारी समाजरचना का आधार है, तब-कहना नहीं होगा, कि केवल कर्तव्य की दृष्टि से 'यज्ञ' करना जब तक प्रत्येक मनुष्य न माँखेगा, तब तब समाज की व्यवस्था ठीक न रहेगी।]

(३२) इस प्रकार भाति भाति के यज्ञ ब्रह्म के (ही) मुख में जारी हैं। यह जानो, कि वे सब कर्म में निष्पन्न होते हैं। यह जान हो जाने से तू मुक्त हो जायगा।

[ज्योतिष्यां आदि द्रव्यमय श्रोत्रयज्ञ अग्नि में हवन करके किये जाते हैं। और शास्त्र में कहा है, कि देवताओं का मुख अग्नि है। इस कारण से यज्ञ उन देवताओं को मिल जाते हैं। परन्तु यदि कोई गड़का करे, कि देवताओं के मुख-अग्नि - में उका साधनिक यज्ञ नहीं होते। अतः इन साधनिक यज्ञों में श्रेयसाति

श्रेयान्द्रव्यमयाद्यज्ञाज्ज्ञानयज्ञः परन्तप ।

सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ॥ ३३ ॥

§ § तद्विद्धि प्रणिपातेन परिश्रमेन सेवया ।

उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः ॥ ३४ ॥

यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव ।

येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि ॥ ३५ ॥

होगी कैसे ? तो उसे दूर करने के लिये कहा है, कि ये साक्षात् ब्रह्म के ही मुख में होते हैं । दूसरे चरण का भावार्थ यह है, कि जिस पुरुष ने यज्ञविधि के इस व्यापक स्वरूप को — केवल मीमांसकों के सकुचित अर्थ को ही नहीं — जान लिया, उसकी बुद्धि सकुचित नहीं रहती । किन्तु वह ब्रह्म के स्वरूप को पहचानने का अधिकारी हो जाता है । अब बतलाते हैं, कि इन यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ कौन है ?] (३३) हे परन्तप ! द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञानमय यज्ञ श्रेष्ठ है । क्योंकि, हे पार्थ ! सब प्रकार के समस्त कर्मों का पर्यवसान ज्ञान में होता है ।

[गीता में 'ज्ञानयज्ञ' शब्द दो बार आगे भी आया है (गीता ९ १५ और १८.७०) । हम जो द्रव्यमय यज्ञ करते हैं, वह परमेश्वर की प्राप्ति के लिये किया करते हैं । परन्तु परमेश्वर की प्राप्ति उसके स्वरूप का ज्ञान हुए बिना नहीं होती । अतएव परमेश्वर के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर उस ज्ञान के अनुसार आचरण करके परमेश्वर की प्राप्ति कर लेने के इस मार्ग या साधन को 'ज्ञानयज्ञ' कहते हैं । यह यज्ञ मानस और बुद्धिसाध्य है । अतः द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा इसकी योग्यता अधिक समझी जाती है । मोक्षशास्त्र में ज्ञानयज्ञ का यह ज्ञान ही मुख्य है, और इसी ज्ञान से सब कर्मों का क्षय हो जाता है । कुछ भी हो, गीता का यह स्थिर सिद्धान्त है, कि अन्त में परमेश्वर का ज्ञान होना चाहिये । बिना ज्ञान के मोक्ष नहीं मिलता । तथापि 'कर्म का पर्यवसान ज्ञान में होता है' इस वचन का यह अर्थ नहीं है, कि ज्ञान के पश्चात् कर्मों को छोड़ देना चाहिये — यह बात गीतारहस्य के दसवे और ग्यारहवे प्रकरण में विस्तारपूर्वक प्रतिपादन की गई है । अपने लिये नहीं, तो लोकसग्रह के निमित्त कर्तव्य ममज्ञ कर सभी कर्म करना चाहिये । और जब कि वे ज्ञान एव समबुद्धि से किये जाते हैं, तब उनके पापपुण्य की बाधा कर्ता को नहीं होती (देखो आगे ३७ वाँ श्लोक) और यह ज्ञानयज्ञ मोक्षप्रद होता है । अतः गीता का सब लोगों को यही उपदेश है, कि यज्ञ करो, किन्तु उन्हें ज्ञानपूर्वक निष्कामबुद्धि से करो ।]

(३४) ध्यान में रख, कि प्रणिपात से, प्रश्न करने से और मेवा से तत्त्ववेत्ता ज्ञानी पुरुष तुझे उस ज्ञान का उपदेश करेंगे, (३५) जिस ज्ञान को पाकर हे पाण्डव !

अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः ।

सर्वं ज्ञानप्लवेनेव वृजिनं सन्तरिप्यसि ॥ ३६ ॥

यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात्कुरुतेऽर्जुन ।

ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥ ३७ ॥

§§ न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते ।

तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति ॥ ३८ ॥

फिर तुझे ऐसा मोह नहीं होगा; और जिम ज्ञान के योग में ममस्त प्राणियों को तू अपने में और मुझमें भी देखेगा ।

[मम प्राणियों को अपने में और अपने को मम प्राणियों में देखने का ममस्त प्राणिमात्र में एकता का जो ज्ञान वर्णित है (गीता ६. २९), उमी का यही उल्लेख किया गया है । मूल में आत्मा और भगवान् दोनों एकरूप हैं । अतएव आत्मा में मम प्राणियों का समावेश होना है । अर्थात् भगवान् में भी उनका समावेश होकर आत्मा (मैं), अन्य प्राणी और भगवान् यह त्रिविध भेद नष्ट हो जाना है । इमीलिये भागवत पुराण में भगवद्भक्तों का लक्षण देते हुए कहा है, 'मम प्राणियों को भगवान् में और अपने में जो देखता है, उसे उत्तम भागवत कहना चाहिये' (भाग. ११. २. ४५) । इस महत्त्व के नीतितत्व का अधिक गुलामा गीताग्रहस्य के बारहवें प्रकरण (पृ. ३९२-४०१) में और भक्तिदृष्टि के तेरहवें प्रकरण (पृ. ४३२-४३३) में किया गया है ।]

(३६) सब पापियों में यदि अधिक पाप करनेवाला हो, तो भी (उम) ज्ञाननीला में ही तू मम पापों को पार कर जावेगा । (३७) जिम प्रकार प्रज्वलित की हुई अग्नि (मम) दग्धन को भस्म कर टालती है, उमी प्रकार हे अर्जुन ! (यह) ज्ञानमय अग्नि मम कर्मों को (शुभ-अशुभ बन्धनों को) जला डालती है ।

[ज्ञान की महत्ता बतला दी । अब बतलाने हैं, कि इस ज्ञान की प्राप्ति किन उपायों में होती है ? :-]

(३८) इस लोक में ज्ञान के समान पवित्र मममुच और कुछ भी नहीं है । काल पा कर उम ज्ञान को यह पुरुष आप ही अपने में प्राप्त कर लेता है, जिमका योग अर्थात् कर्मयोग मिट हो गया है ।

[३७वें श्लोक में 'कर्मों का अर्थ 'कर्म का बन्धन' है (गीता ४. १९ देखा) । अपनी बुद्धि में आरम्भ किये हुए निष्याम कर्मों के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति कर लेता ज्ञान की प्राप्ति का मुख्य या बुद्धिगम्य मार्ग है । परन्तु जो स्वयं इस प्रकार अपनी बुद्धि में ज्ञान को प्राप्त न कर सके, उसके लिये अब श्रद्धा का दूसरा मार्ग बतलाने हैं .-]

श्रद्धावाँल्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ।

ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥ ३९ ॥

अज्ञश्चाश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति ।

नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ॥ ४० ॥

§ § योगसंन्यस्तकर्माणं ज्ञानसंच्छिन्नसंशयम् ।

आत्मवर्तं न कर्माणि निवध्नन्ति धनंजय ॥ ४१ ॥

तस्माद्ज्ञानसम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः ।

छिच्चैवं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॥ ४२ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे
ज्ञानकर्मसन्यामयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥४॥

(३९) जो श्रद्धावान् पुरुष इन्द्रियसयम करके उसी के पीछे पड़ा रहे, उसे भी यह ज्ञान मिल जाता है; और ज्ञान प्राप्त होने से तुरन्त ही उसे परम शान्ति प्राप्त होती है ।

। [साराश, बुद्धि से जो ज्ञान और शान्ति प्राप्त होगी, वही श्रद्धा से भी मिलती है । (देखो गीता १३. २५)]

(४०) परन्तु जिसे न स्वयं ज्ञान है और न श्रद्धा ही है, उस संशयग्रस्त मनुष्य का नाश हो जाता है । संशयग्रस्त को न यह लोक है (और) न परलोक एवं सुख भी नहीं है ।

। [ज्ञानप्राप्ति के ये दो मार्ग बतला चुके; एक बुद्धि का और दूसरा श्रद्धा का । अब ज्ञान और कर्मयोग का पृथक् उपयोग दिखला कर समस्त विषय का उपसंहार करते हैं :-]

(४१) हे धनजय ! उस आत्मज्ञानी पुरुष को कर्म बद्ध नहीं कर सकते, कि जिसने (कर्म) योग के आश्रय से कर्म अर्थात् कर्मबन्धन त्याग दिये हैं, और ज्ञान से जिसके (सब) सन्देह दूर हो गये हैं । (४२) इसलिये अपने हृदय में अज्ञान से उत्पन्न हुए इस संशय को ज्ञानरूप तलवार से काट कर (कर्म) योग का आश्रय कर । (और) हे भारत ! (युद्ध के लिये) खड़ा हो !

। [ईशावास्य उपनिषद् में 'विद्या' और 'अविद्या' का पृथक् उपयोग दिखला कर जिस प्रकार दोनों को बिना छोड़े ही आचरण करने के लिये कहा गया है (ईश. ११; गीतार. प्र. ११, पृ. ३५९ देखो); उसी प्रकार गीता के इन दो श्लोको में ज्ञान और (कर्म-) योग का पृथक् उपयोग दिखला कर अनेक अर्थात्

ज्ञान और योग के समुच्चय से ही कर्म करने के विषय में अर्जुन को उपदेश दिया गया है। इन दोनों का पृथक् उपयोग यह है, कि निष्कामबुद्धियोग के द्वारा कर्म करने पर उनके बन्धन टूट जाते हैं; और वे मोक्ष के लिये प्रतिबन्धक नहीं होते; एवं ज्ञान से मन का सन्देह दूर होकर मोक्ष मिलता है। अतः अन्तिम उपदेश यह है, कि अकेले कर्म या अकेले ज्ञान को स्वीकार न करो; किन्तु ज्ञानकर्म-समुच्चयात्मक कर्मयोग का आश्रय करके युद्ध करो। अर्जुन को योग का आश्रय करके युद्ध के लिये उठा रहना था। इस गीतारहस्य के प्र. ३, पृष्ठ ५६ में दिखलाया गया है, कि योग शब्द का अर्थ यहाँ 'कर्मयोग' ही लेना चाहिये। ज्ञान योग का यह मेल ही 'ज्ञानयोगव्यवस्थितिः' पद से दैवी सम्पत्ति के लक्षण (गीतारहस्य १६. १) में फिर बतलाया गया है।]

इस प्रकार श्रीभगवान् के गाये हुए - अर्थात् कहे हुए - उपनिषद् में ब्रह्म-विद्यान्तर्गत योग - अर्थात् कर्मयोग - शास्त्रविषयक श्रीकृष्ण और अर्जुन के संवाद में ज्ञानकर्ममंग्यामयोग नामक चौथा अध्याय समाप्त हुआ।

[ध्यान रहे, कि 'ज्ञान-कर्म-मंग्यास' पद में 'संग्याम' शब्द का अर्थ स्वल्पतः 'कर्मयोग' नहीं है। किन्तु निष्कामबुद्धि से परमेश्वर में कर्म का मंग्याम अर्थात् 'अपेक्षा करना' अर्थ है। और आगे अठारहवें अध्याय के आरम्भ में उसी का उल्लास किया गया है।]

पाँचवाँ अध्याय

[चौथे अध्याय के मिदान्त पर मंग्याममार्गवालों की जो शङ्का हो सकती है, उसे ही अर्जुन के मुख से प्रश्नरूप में कहलया कर इस अध्याय में भगवान् ने उनका स्पष्ट उत्तर दिया है। यदि समस्त कर्मों का पर्यवमान ज्ञान है (४. ३३), यदि ज्ञान में ही सम्पूर्ण कर्म भस्म हो जाते हैं (४. ३७); और यदि द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञानमय ही श्रेष्ठ है (४. ३३); तो हमारे ही अध्याय में यह कह कर कि 'धर्म्यं युद्ध कर्त्तव्यं ही धर्मिय को श्रेयस्कर है' (२. ३१) - चौथे अध्याय के उपसंहार में यह बात क्यों कही गई, कि "अतएव तू कर्मयोग का आश्रय कर युद्ध के लिये उठ गया हो" (६. ४०)? इस प्रश्न का गीता यह उत्तर देती है, कि समस्त सन्देहों को दूर कर मोक्षप्राप्ति के लिये ज्ञान की आवश्यकता है। और यदि मोक्ष के लिये कर्म आवश्यक न हों, तो भी न छूटने के कारण वे लोगसंप्रहृत्यं आवश्यक हैं; इस प्रकार ज्ञान और कर्म, दोनों के ही समुच्चय की निरर्थक अपेक्षा है (४. ४१)। परन्तु इस पर भी नटवा होती है, कि यदि कर्मयोग और मात्र दोनों

पञ्चमोऽध्यायः ।

अर्जुन उवाच ।

संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि ।
तच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम् ॥ १ ॥

श्रीभगवानुवाच ।

संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ ।
तयोस्तु कर्मसंन्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते ॥ २ ॥

ही मार्ग शास्त्र में विहित है, तो इनमें से अपनी इच्छा के अनुसार साध्यमार्ग को स्वीकार कर कर्मों का त्याग करने में हानि क्या है ? अर्थात् इसका पूरा निर्णय हो जाना चाहिये, कि इन दोनों मार्गों में श्रेष्ठ कौन-सा है ? और अर्जुन के मन में यही शङ्का हुई है । उसने तीसरे अध्याय के आरम्भ में जैसा प्रश्न किया था, वैसा ही अब भी वह पूछता है, कि :-]

(१) अर्जुन ने कहा :- हे कृष्ण ! (तुम) एक बार संन्यास को और दूसरी बार कर्मों के योग को (अर्थात् कर्म करते रहने के मार्ग को ही) उत्तम बतलाते हो । अब निश्चय कर मुझे एक ही (मार्ग) बतलाओ, कि जो इन दोनों में सचमुच ही श्रेष्ठ अर्थात् अधिक प्रशस्त हो । (२) श्रीभगवान् ने कहा :- कर्म-संन्यास और कर्मयोग दोनों निष्ठाएँ या मार्ग निःश्रेयस्कर अर्थात् मोक्ष प्राप्त करा देनेवाले हैं; परन्तु (अर्थात् मोक्ष की दृष्टि से दोनों की योग्यता समान होने पर भी) इन दोनों में कर्मसंन्यास की अपेक्षा कर्मयोग की योग्यता विशेष है ।

[उक्त प्रश्न और उत्तर दोनों निःसन्दिग्ध और स्पष्ट हैं । व्याकरण की दृष्टि से पहले श्लोक के 'श्रेय' शब्द का अर्थ अधिक प्रशस्त या बहुत अच्छा है । दोनों मार्गों के तारतम्य-भावविषयक अर्जुन के प्रश्न का ही यह उत्तर है, कि 'कर्मयोगो विशिष्यते' - कर्मयोग की योग्यता विशेष है । तथापि यह सिद्धान्त साध्यमार्ग को इष्ट नहीं है । क्योंकि उसका कथन है, कि ज्ञान के पश्चात् सब कर्मों का स्वरूपतः संन्यास ही करना चाहिये । इस कारण इन स्पष्ट-अर्थवाले प्रश्नोत्तरो की व्यर्थ खीचातानी कुछ लोगों ने की है । जब यह खीचातानी करने पर भी निर्वाह न हुआ, तब उन लोगों ने यह तुराँ लगा कर किसी प्रकार अपना समाधान कर लिया, कि 'विशिष्यते' (योग्यता या विशेषता) पद से भगवान् ने कर्मयोग की अर्थवादात्मक अर्थात् कोरी स्तुति कर दी है - असल में भगवान् का ठीक अभिप्राय वैसा नहीं है । यदि भगवान् का यह मत होना, कि ज्ञान के

§§ ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति ।

निर्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात्प्रमुच्यते ॥ ३ ॥

पश्चात् कर्मों की आवश्यकता नहीं है; तो क्या वे अर्जुन को यह उत्तर नहीं दे सकते थे, कि 'इन दोनों में मंन्यास श्रेष्ठ है?' परन्तु ऐसा न करके उन्होंने दूसरे श्लोक के पहले चरण में बतलाया है, कि 'कर्मों का करना और छोड़ देना ये दोनों मार्ग एक ही से मोक्षदाता हैं।' और आगे 'तू' अर्थात् 'परन्तु' पद का प्रयोग करके जब भगवान् ने नि.सन्दिग्ध विधान किया है, कि 'तयोः' अर्थात् इन दोनों मार्गों में कर्म छोड़ने के मार्ग की अपेक्षा कर्म करने का पक्ष ही अधिक प्रशस्त (श्रेय) है। तब पूर्णतया सिद्ध हो जाता है, कि भगवान् को ही यही मत ग्राह्य है, कि साधनावस्था में ज्ञानप्राप्ति के लिये किये जानेवाले निष्काम कर्मों को ही ज्ञानी पुरुष आगे सिद्धावस्था में भी लोकसंग्रह के अर्थ मरणपर्यन्त कर्तव्य समझ कर करता रहे। यही अर्थ गीता ३.७ में वर्णित है। यही 'विशिष्यते' पद वहाँ है, और उसके अगले श्लोक में अर्थात् गीता ३.८ में ये स्पष्ट शब्द फिर भी हैं, कि 'अकर्म की अपेक्षा कर्म श्रेष्ठ है।' इसमें सन्देह नहीं, कि उपनिषदों में कई स्थलों पर (चू. ४.४.२२) वर्णन है, कि ज्ञानी पुरुष लोकैः शाना और पुत्रैः पणा प्रभृति न रय्य कर भिक्षा मांगते हुए घूमा करते हैं। परन्तु उपनिषदों में भी यह नहीं कहा है, कि ज्ञान के पश्चात् यह एक ही मार्ग है — दूसरा नहीं है। अतः केवल उल्लिखित उपनिषद्-वाक्य से ही गीता की एकवाक्यता करना उचित नहीं है। गीता का यह कथन नहीं है, कि उपनिषदों में वर्णित यह सन्यासमार्गी मोक्षप्रद नहीं है; किन्तु यद्यपि कर्मयोग और मंन्यास, दोनों मार्ग एक-मे ही मोक्षप्रद हैं, तथापि (अर्थात् मोक्ष की दृष्टि में दोनों का फल एक ही होने पर भी) जगत् के व्यवहार का विचार करने पर गीता का यह निश्चिन मत है, कि ज्ञान के पश्चात् भी निष्कामबुद्धि से कर्म करते रहने का मार्ग ही अधिक प्रशस्त या श्रेष्ठ है। हमारा किया हुआ यह अर्थ गीता के बहुतेरे टीकाकारों को मान्य नहीं है। उन्होंने कर्मयोग को गौण निश्चित किया है। परन्तु हमारी ममज्ञ में ये अर्थ मरल नहीं हैं। और गीतारहस्य के ग्याग्द्वे प्रकरण (विशेष कर पृ. ३०६-३१५) में इनके कारणों का विस्तारपूर्वक विवेचन किया है। इस कारण यहाँ उनके दुहगने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार दोनों में से अधिक प्रशस्त मार्ग का निर्णय कर दिया गया। अब यह गिद्ध कर दिग्यजाने है, कि ये दोनों मार्ग व्यवहार में यदि लोगों को भिन्न दीय पड़े तो भी तन्वत वे दो नहीं हैं।—]

(३) जो (किगी का भी) द्वेष नहीं करता; और (किगी की भी) इच्छा नहीं करता, उस पुरुष को (कर्म करने पर भी) नित्यमन्यामी ममजना चाहिये। क्योंकि हे महाबाहू अर्जुन! जो (गुणदुःख आदि) इन्द्रों में मुक्त हो जाय, यह

सांख्ययोगौ पृथग्वालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः ।

एकमप्यास्थितः सम्यग्भयोर्विन्दते फलम् ॥ ४ ॥

यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते ।

एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति ॥ ५ ॥

संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः ।

योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति ॥ ६ ॥

§ § योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः ।

सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते ॥ ७ ॥

अनायास ही (कर्मों के सब) बन्धो से मुक्त हो जाता है। (४) मूर्ख लोग कहते हैं, कि सांख्य (कर्मसंन्यास) और योग (कर्मयोग) भिन्न भिन्न हैं, परन्तु पण्डित लोग ऐसा नहीं कहते। किसी भी एक मार्ग का भलीभाँति आचरण करने से दोनों का फल मिल जाता है। (५) जिस (मोक्ष) स्थान में सांख्य-(मार्गवाले लोग) पहुँचते हैं, वही योगी अर्थात् कर्मयोगी भी जाते हैं। (इस रीति से ये दोनों मार्ग) सांख्य और योग एक ही हैं। जिसने यह जान लिया, उसी ने (ठीक तत्व को) पहचाना। (६) हे महाबाहु ! योग अर्थात् कर्म के बिना संन्यास को प्राप्त कर लेना कठिन है। जो मुनि कर्मयोगयुक्त हो गया, उसे ब्रह्म की प्राप्ति होने में विलम्ब नहीं लगता।

[सातवे अध्याय से लेकर सत्रहवे अध्याय तक इस बात का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है, कि सांख्यमार्ग से जो मोक्ष मिलता है, वही कर्मयोग से अर्थात् कर्मों के न छोड़ने पर भी मिलता है। यहाँ तो इतना ही कहना है, कि मोक्ष की दृष्टि से दोनों में कुछ फर्क नहीं है। इस कारण अनादि काल से चलते आये हुए इन मार्गों का भेदभाव बढा कर झगडा करना उचित नहीं है। और आगे भी ये ही युक्तियाँ पुनः पुनः आई हैं (गीता ६. २ और १८. १, २ एवं उनकी टिप्पणी देखो)। 'एक सांख्य च योग च यः पश्यति स पश्यति' यह श्लोक कुछ शब्दभेद से महाभारत में भी दो बार आया है (शा. ३०५. १९। ३१६. ४)। संन्यासमार्ग में ज्ञान को प्रधान मान लेने पर भी उस ज्ञान की सिद्धि कर्म बिना नहीं होती। और मार्ग में यद्यपि कर्मका किया करते हैं, तो भी वे ज्ञानपूर्वक होते हैं। इस कारण ब्रह्मप्राप्ति में कोई बाधा नहीं होती (गीता. ६. २); फिर इस झगडे को बढाने में क्या लाभ है, कि दोनों मार्ग भिन्न भिन्न हैं? यदि कहा जाय, कि कर्म करना ही बन्धक है, तो अब बतलाते हैं, कि वह आक्षेप भी निष्काम कर्म के विषय में नहीं किया जा सकता :-]

(७) जो (कर्म) योगयुक्त हो गया, जिसका अन्तःकरण शुद्ध हो गया, जिसने अपने मन और इन्द्रियों को जीत लिया और सब प्राणियों का आत्मा ही

नैव किञ्चित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् ।
 पश्यन् शृण्वन्स्पृशन्निघ्नन्नश्रन्गच्छन्स्वपन्श्वसन् ॥ ८ ॥
 प्रलपन्विसृजन्गृह्णन्निपन्निमिपन्नपि ।
 इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ॥ ९ ॥
 ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः ।
 लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्मसा ॥ १० ॥
 कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि ।
 योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वाऽऽत्मशुद्धये ॥ ११ ॥

जिसका आत्मा हो गया, वह सब कर्म करता हुआ भी (कर्मों के पुण्यपाप से) अलिप्त रहता है । (८) योगयुक्त तत्त्ववेत्ता पुरुष को समझना चाहिये, कि " मैं कुछ भी नहीं करता । " (और) देखने में, स्पर्श करने में, खाने में, सूंघने में, चलने में, सोने में, सांस लेने-छोड़ने में, (९) बोलने में, विसर्जन करने में, लेने में, आँखों के पलक खोलने और शब्द करने में भी ऐसी बुद्धि रख कर व्यवहार करे, कि (केवल) इन्द्रियाँ अपने अपने विषयो में वर्तती हैं ।

[अन्त के दो श्लोक मिल कर एक वाक्य बना है, और उममें बतलाये हुए सब कर्म भिन्न भिन्न इन्द्रियों के व्यापार हैं । उदाहरणार्थ विमर्जन करना गुद का, लेना हाथ का, पलक गिराना प्राणवायु का, देखना आँखों का इत्यादि । मैं ' कुछ भी नहीं करता ' इसका यह मत ठग नहीं, कि इन्द्रियों को चाहे जो करने दे; किन्तु मतलब यह है, कि ' मैं अहङ्कारबुद्धि के छूट जाने से अचेतन इन्द्रियाँ आप ही आप कोई बुरा काम नहीं कर सकती और वे आत्मा के काबू में रहती हैं । साराश, कोई पुरुष जानी हो जाय, तो भी श्वासोच्छ्वास आदि इन्द्रियों के कर्म उमकी इन्द्रियाँ करती ही रहेंगी । और तो क्या ? पलमर जीवित रहना भी कर्म ही है । फिर यह भेद कहाँ रह गया, कि सन्ध्याभ्रमार्ग का जानी पुरुष कर्म छोड़ता है और कर्मयोगी करता है ? कर्म तो दोनों को करना ही पड़ता है । पर अहङ्कारयुक्त आगक्ति छूट जाने में वे ही कर्म बन्धक नहीं होते । इस कारण आगक्ति का छोड़ना ही दृग्गता मुख्य तत्त्व है; और उमी का अब अधिक निष्पन्न करने ? -]

(१०) जो ब्रह्म में अर्पण कर आगक्तिविरहित कर्म करता है, उमका वैसे ही पाप नहीं लगता, जैसे कि कर्म के पत्ते को पानी नहीं लगता । (११) (अनएव) कर्मयोगी (ऐसी अहङ्कारबुद्धि न रख कर, कि ' मैं करता हूँ ' - केबल) शरीर में, (केबल) मन में, (केबल) बुद्धि में और केबल इन्द्रियों में भी आगक्ति छोट कर आत्मशुद्धि के लिये कर्म किया करते हैं ।

युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम ।

अयुक्तः कामकारेण फले सक्तौ निवर्ष्यते ॥ १२ ॥

सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी ।

नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्न कारयन् ॥ १३ ॥

§§ न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः ।

न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते ॥ १४ ॥

[कायिक, वाचिक, मानसिक आदि कर्मों के भेदों को लक्ष्य कर इस श्लोक में शरीर, मन और बुद्धि शब्द आये हैं। मूल में यद्यपि 'केवल' 'विशेषण' 'इन्द्रिय' शब्द के पीछे है, तथापि वह शरीर, मन और बुद्धि को भी लागू है (गीता ४. २१ देखो)। इसी से अनुवाद में उसे 'शरीर' शब्द के समान ही अन्य शब्दों के पीछे भी लगा दिया है, जैसे ऊपर के आठवें और नौवें श्लोक में कहा है, वैसे ही यहाँ भी कहा है, कि अहङ्कारबुद्धि एव फलाशा के विषय में आसक्ति छोड़ कर केवल कायिक, केवल वाचिक या केवल मानसिक कोई भी कर्म किया जाय, तो कर्ता को उसका दोष नहीं लगता (गीता ३. २७; १३. २९ और १८. १६ देखो)। अहङ्कार के न रहने से जो कर्म होते हैं, वे सिर्फ इन्द्रियों के हैं; और मन आदिक सभी इन्द्रियाँ प्रकृति के ही विकार हैं। अतः ऐसे कर्मों का बन्धन कर्ता को नहीं लगता। अब इसी अर्थ को शास्त्रानुसार सिद्ध करते हैं। :-]

(१२) जो युक्त अर्थात् योगयुक्त हो गया, वह कर्मफल छोड़कर अन्त को पूर्ण शान्ति पाता है; और जो अयुक्त है (अर्थात् योगयुक्त नहीं है), वह काम से अर्थात् वासना से फल के विषय में सक्त हो कर (पापपुण्य से) बद्ध हो जाता है। (१३) सब कर्मों का मन से (प्रत्यक्ष नहीं) सन्यास कर, जितेन्द्रिय देहवान् (पुरुष) नौ द्वारों के इस (देहरूपी) नगर में न कुछ करता और न कराता हुआ आनन्द से पडा रहता है।

[वह जानता है, कि आत्मा अकर्ता है, खेल तो सब प्रकृति का है; और इस कारण स्वस्थ या उदासीन पडा रहता है (गीता १३. २० और १८. ५९ देखो)। दोनों आँखों, दोनों कान, नासिका के दोनों छिद्र, मुख, मूत्रेन्द्रिय और गुद - ये शरीर के नौ द्वार या दरवाजे समझे जाते हैं। अध्यात्मदृष्टि से यही उपपत्ति बतलाते हैं, कि कर्मयोगी कर्मों को करके भी युक्त कैसे बना रहता है?]

(१४) प्रभु अर्थात् आत्मा या परमेश्वर लोगों के कर्तृत्व को, उनके कर्म को (या उनको प्राप्त होनेवाले) कर्मफल के संयोग को भी निर्माण नहीं करता। स्वभाव

नादत्ते कस्यचित्पापं न चैव सुकृतं विभुः ।

अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ॥ १५ ॥

§§ ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः ।

तेषामादित्यज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् ॥ १६ ॥

तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः ।

गच्छन्त्यपुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः ॥ १७ ॥

§§ विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि ।

शुनि चैव श्वपाके च पण्डिता समदर्शिनः ॥ १८ ॥

अर्थात् प्रवृत्ति ही (मत्र कुछ) किया करनी है। (१५) विभु अर्थात् सर्वव्यापी आत्मा या परमेश्वर किसी का पाप और किसी का पुण्य भी नहीं लेता। ज्ञान पर अज्ञान का पर्दा पड़ा रहने के कारण (अर्थात् माया से) प्राणी मोहित हो जाते हैं।

[इन दोनों श्लोकों का तत्त्व असल में साम्यशास्त्र का है (गीतार प्र ७, पृ. १६४-१६७)। वेदान्तिया के मत आत्मा का अर्थ परमेश्वर है। उन वेदान्ती लोग परमेश्वर के विषय में भी 'आत्मा अकर्ता है' इस तत्त्व का उपयोग करते हैं। प्रवृत्ति और पुरुष ऐसे दो तत्त्व मान कर साध्यमतवादी ममप्रवृत्तत्व प्रवृत्ति का मानते हैं, और आत्मा को उदामीन कहते हैं। परन्तु वेदान्ती लोग इससे आगे बढ़ कर यह मानते हैं, कि इन दोनों ही का मूल एक निर्गुण परमेश्वर है, और वह साध्यवाला के आत्मा के समान उदामीन और अकर्ता है। एव सारा वृत्तत्व माया (अर्थात् प्रवृत्ति) का है (गीतार. प्र ९, पृ २५७)। अज्ञान के कारण साधारण मनुष्य को य बातें जान नहीं पड़ती, परन्तु कर्मयोगी वृत्तत्व और अवृत्तत्व का भेद जानता है। इस कारण वह कर्म करके भी अक्षिप्त ही रहता है। अब यही कहते हैं।]

(१६) परन्तु ज्ञान में जिनका यह अज्ञान नष्ट हो जाता है, उनमें फिर उन्हीं का ज्ञान परमायतत्व का मूल के समान प्रकाशित कर देता है। (१७) और उस परमायतत्व में ही जिनकी बुद्धि रंग जाती है, वही जिनका अन्नकरण रम जाता है, और जो निरिष्ट एव तत्परायण हो जाते हैं, उनमें पाप ज्ञानमें विस्तृत हुए जाते हैं, और वे फिर जन्म नहीं लेते।

[इस प्रकार जिनका अज्ञान नष्ट हो जाय, उन कर्मयोगी (गन्धर्वा की नहीं) ब्रह्मभू या जीवन्मुक्त अवस्था का अर्थ अश्विन वर्णन करत है -]

(१८) पण्डिता की अर्थात् ज्ञानिया की दृष्टि विद्या विनयसम्पन्न ब्राह्मण, गव, शुनि, एव ही शुना और श्वपाक गर्मा के विषय में समान दर्शनी है।

इहैव तेर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः ।
निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद्ब्रह्मणि ते स्थिताः ॥ १९ ॥

न प्रहृष्येत्प्रियं प्राप्य नोद्विजेत्प्राप्य चाप्रियम् ।
स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद्ब्रह्मणि स्थितः ॥ २० ॥

बाह्यस्पर्शैस्सक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम् ।
स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षय्यमश्नुते ॥ २१ ॥

(१९) इस प्रकार जिनका मन साम्यावस्था में स्थिर हो जाता है वे यही के यही - अर्थात् मरण की प्रतीक्षा न कर- मृत्युलोक को जीत लेते हैं। क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है। अतः ये (साम्यबुद्धिवाले) पुरुष (सदैव) ब्रह्म में स्थित - अर्थात् यही के यही-ब्रह्मभूत हो जाते हैं।

[जिसने इस तत्त्व को जान लिया, कि 'आत्मस्वरूपी परमेश्वर अकर्ता है; और सारा खेल प्रकृति का है, वह 'ब्रह्मसस्य' हो जाता है; और उसी को मोक्ष मिलता है - 'ब्रह्मसंस्थोऽमृतत्वमेति' (छा. २. २३. १)। उक्त वर्णन उपनिषदों में है; और उसीका अनुवाद ऊपर के श्लोको में किया गया है। परन्तु इस अध्याय के १-१२ श्लोको से गीता का यह अभिप्राय प्रकट होता है, कि इस अवस्था में भी कर्म नहीं छूटते। शङ्कराचार्य ने छान्दोग्य उपनिषद् के उक्त वाक्य का सन्यासप्रधान अर्थ किया है। परन्तु मूल उपनिषद् का पूर्वापर सन्दर्भ देखने से विदित होता है, कि 'ब्रह्मसस्य' होने पर भी तीनों आश्रमों के कर्म करनेवाले के विषय में ही यह वाक्य कहा गया होगा; और इस उपनिषद् के अन्त में यही अर्थ स्पष्टरूप से बतलाया गया है (छा ८-१५. १ देखो)। ब्रह्मज्ञान हो चुकने पर यह अवस्था जीते जी प्राप्त हो जाती है। अतः इसे ही जीवन्-मुक्तावस्था कहते हैं (गीतार. प्र. १०, पृ २९७-३०२ देखो)। अध्यात्मविद्या की यही पराकाष्ठा है। चित्तवृत्ति-निरोधरूपी जिन योगसाधनों से यह अवस्था प्राप्त हो सकती है, उनका विस्तारपूर्वक वर्णन अगले अध्याय में किया गया है। इस अध्याय में केवल इसी अवस्था का अधिक वर्णन है -]

(२०) जो प्रिय अर्थात् इष्टवस्तु को पा कर प्रसन्न न हो जावे; और अप्रिय को पाने से खिन्न भी न होवे, (इस प्रकार) जिसकी बुद्धि स्थिर है और जो मोह में नहीं फँसता, उसी ब्रह्मवेत्ता को ब्रह्म में स्थित हुआ समझो। (२१) बाह्य पदार्थों के (इन्द्रियो से होनेवाले) संयोग में अर्थात् विषयोपभोग में जिसका मन आसक्त नहीं, उसे (ही) आत्मसुख मिलता है; और वह ब्रह्मयुक्त पुरुष अक्षय सुख का

ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते ।
 आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥ २२ ॥
 अकनोतीहैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् ।
 कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः ॥ २३ ॥
 § § योऽन्तःसुखोऽन्तरारामस्यान्तर्ज्योतिरेव यः ।
 स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभृतोऽधिगच्छति ॥ २४ ॥
 लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणमृषयः क्षीणकल्मषाः ।
 छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः ॥ २५ ॥
 कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् ।
 अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम् ॥ २६ ॥

अनुभव करता है। (२२) (बाहरी पदार्थों के) सयोग में ही उत्पन्न होनेवाले भोगों का आदि और अन्त है, अतएव वे दुःख के ही कारण हैं। हे कौन्तेय ! उन पण्डित लोग रत नहीं होते। (२३) शरीर छूटने के पहले अर्थात् मरणपर्यन्त कामक्रोध से होनेवाले वेग को इस लोक में ही सहन करने में (इन्द्रियसयम में) जो समर्थ होना है, वही युक्त और वही (मच्चा) सुखी है।

[गीता के दूसरे अध्याय में भगवान् ने कहा है, कि तुझे सुखदुःख सहना चाहिये (गीता २. १४)। यह उमी विस्तार और निरूपण है। गीता २. १४ में सुखदुःखों को 'आगमापायिन' विशेषण लगाया है, तो यहाँ २२ के श्लोक में उनको 'आद्यन्तवन्त' कहा है, और 'मात्र' शब्द के बदले 'बाह्य' शब्द का प्रयोग किया है। इसी में 'युक्त' शब्द की व्याख्या भी आ गई है। सुखदुःखों का त्याग कर समबुद्धि से उनका सहते रहना ही युक्तता का सच्चा लक्षण है। (गीता २. ६१ पर टिप्पणी देखो।)]

(२४) इस प्रकार (बाह्य सुखदुःखों की अपेक्षा न कर) जो अन्तःसुखी अर्थात् अन्तःकरण में ही सुखी हो जाय, जो अपने आप में ही आराम पाने लगे, और ऐसी ही जिसे (यह) अन्तःप्रकाश मित्र जाय (कर्म-)योगी ब्रह्मरूप हो जाता है। एव उग ही ब्रह्मनिर्वाण अर्थात् ब्रह्म में मित्र जाने का माझ प्राप्त हो जाता है। (२५) जिन ऋषियों की बुद्धि छूट गई है - अर्थात् जिन्होंने इस तत्त्व का ज्ञान किया है, सब म्याना में एही परमेश्वर है - जिनके पाप नष्ट हो गये हैं, और जो आत्ममयम में सब प्राणियों का हित करने में रत हो गये हैं, उन्हें पर ब्रह्मनिर्वाणरूप माझ मिलता है। (२६) कामक्रोधविरहित, आत्ममयमी और आत्मज्ञानमग्नप्र चरिता का 'अभित' - अर्थात् आत्मनाम या मन्मुख रखा हुआ-आ

स्पर्शान्मृत्वा वहिर्वाह्यांश्चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः ।

प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ ॥ २७ ॥

यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः ।

विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः ॥ २८ ॥

§ § भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम् ।

सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ॥ २९ ॥

इति श्रीमत्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे
सन्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥५॥

(बैठे-बिठाये) — ब्रह्मनिर्वाणरूप मिल जाता है । (२७) बाह्यपदार्थों के (इन्द्रियो के सुखदुःखदायक) संयोग से अलग हो कर दोनों भौहो के बीच में दृष्टि को जमाकर और नाक से चलनेवाले प्राण एव अपान को सम करके (२८) जिसने इन्द्रिय, मन और बुद्धि का संयम कर लिया है, तथा जिसके भय, इच्छा और क्रोध छूट गये हैं, वह मोक्षपरायण मुनि सदा-सर्वदा मुक्त ही है ।

[गीतारहस्य के नवम (पृ २३५, २४८) और दशम (पृ ३०१) प्रकरणों से ज्ञात होगा, कि यह वर्णन जीवन्मुक्तावस्था का है । परन्तु हमारी राय में टीकाकारों का यह कथन ठीक नहीं, कि यह वर्णन सन्यासमार्ग के पुरुष का है । सन्यास और कर्मयोग, दोनों मार्गों में शान्ति तो एक ही सी रहती है, और उतने ही वे लिये यह वर्णन सन्यासमार्ग को उपयुक्त हो सकेगा । परन्तु इस अध्याय के आरम्भ के कर्मयोग को श्रेष्ठ निश्चित कर फिर २५ वे श्लोक में जो यह कहा है, कि ज्ञानी पुरुष सब प्राणियों का हित करने में प्रत्यक्ष मग्न रहते हैं, इससे प्रकट होता है, कि यह समस्त वर्णन कर्मयोगी जीवन्मुक्त या ही है — सन्यासी का नहीं (गीतार प्र १२, पृ ३५९ देखो) । कर्ममार्ग में भी सर्वभूतान्तर्गत परमेश्वर को पहचानना ही परमसाध्य है । अतः भगवान् अन्त में कहते हैं, कि —]

(२९) जो मुझ को (सब) यज्ञों और तपों का भोक्ता, (स्वर्ग आदि) सब लोको का बड़ा स्वामी, एव सब प्राणियों का मित्र जानता है, यही शान्ति पाता है ।

इस प्रकार श्रीभगवान् के गाये हुए — अर्थात् कहे हुए — उपनिषद् में ब्रह्म विद्यान्तर्गत योग — अर्थात् कर्मयोग — शास्त्रविषयक श्रीकृष्ण और अर्जुन के संवाद में सन्यासयोग नामक पाँचवाँ अध्याय समाप्त हुआ ।

षष्ठोऽध्यायः ।

श्रीभगवानुवाच ।

अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः ।

स संन्यासी च योगी च न निरश्निर्न चाक्रियः ॥ १ ॥

छठवाँ अध्याय

[इतना तो सिद्ध हो गया, कि मोक्षप्राप्ति होने के लिये और किमी की भी अपेक्षा न हो, तो भी लोकमग्रह की दृष्टि में ज्ञानी पुरुष को ज्ञान के अन्तर भी कर्म करते रहना चाहिये। परन्तु फागला छोड़ कर उन्हें समबुद्धि से इसलिये करे, ताकि वे बन्धक न हो जावे। इन्हीं ही कर्मयोग कहते हैं। और कर्मसंन्यासमार्ग की अपेक्षा यह अधिक श्रेयस्कर है। तथापि इतने में ही कर्मयोग का प्रतिपादन समाप्त नहीं होता। तीसरे अध्याय में भगवान् ने अर्जुन में काम-शोध आदि का वर्णन करते हुए कहा है, कि ये शत्रु मनुष्य की इन्द्रियों में, मन में और बुद्धि में घर करके ज्ञान-विज्ञान का नाश कर देते हैं (३.४०), अतः तू इन्द्रियों के निग्रह से इनको पहले जीत ले। इस उपदेश को पूर्ण करने के लिये इन दोनों प्रश्नों का युक्तसा करना आवश्यक था कि (१) इन्द्रियनिग्रह कैसे करें? और (२) ज्ञानविज्ञान किने कहें? परन्तु बीच में ही अर्जुन के प्रश्नों में यह बनलाना पड़ा कि कर्मसंन्यास और कर्मयोग में अधिक अच्छा मार्ग कौन-सा है? फिर इन दोनों मार्गों की यथाशय एकावकाश करके यह प्रतिपादन किया गया है, कि कर्मों को न छोड़ कर निःमद्बुद्धि से करते जाने पर ब्रह्मनिर्वाणन्पी मोक्ष कबोतर मिलता है? अब इस अध्याय में उन साधना के निरूपण करने का आरम्भ किया गया है, जिनकी आवश्यकता कर्मयोग में भी उक्त, निःमद्बुद्धि या ब्रह्मनिष्ठ स्थिति प्राप्त करने में होती है। तथापि स्मरण रहे कि, यह निरूपण भी कुछ स्वतन्त्र रीति में पानयोग का उपदेश करने के लिये नहीं किया गया है। और यह बात पाठकों के ध्यान में आ जाय इसलिये यहाँ पिछले अध्यायों में प्रतिपादन की हुई बातों का ही प्रथम उल्लेख किया गया है। जैसे - फागला छोड़कर कर्म करनेवाले पुरुष को ही मर्यादा गन्धार्गी समझना चाहिये, कर्म छोड़नेवाले को नहीं (५.३) इत्यादि।]

श्रीभगवान् ने कहा - (१) कर्मयोग का आश्रय न करके (अर्थात् मन में फागला का न टिकने दे कर) जा (शास्त्रानुसार शरीर विहित) कर्मोंकरके करना है, महा मर्यादा और यही कर्मयोगी है। निर्गमि अर्थात् अग्निहोत्र आदि कर्मों को छोड़ देना तथा अश्रय अर्थात् कर्मों को भी कर्म न करके निरुद्ध स्थिति में

यं संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव ।
न ह्यसंन्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन ॥ २ ॥

§ § आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते ।
योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते ॥ ३ ॥

(सच्चा संन्यासी और योगी) नहीं है। (२) हे पाण्डव ! जिसे संन्यास कहते हैं, उसी को (कर्म) योग समझो। क्योंकि सकल्प अर्थात् काम्यबुद्धिरूप फलाशा का संन्यास (= त्याग) बिना कोई भी (कर्म-) योगी नहीं होता।

[पिछले अध्याय में जो कहा है, कि 'एक साध्य च' (५.५) या 'बिना योग के संन्यास नहीं होता' (५.६); अथवा 'ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी' (५.३), उसी का यह अनुवाद है, और आगे अठारहवे अध्याय (१८.२) में समग्र विषय का उपसंहार करते हुए इसी अर्थ का फिर भी वर्णन किया है। गृहस्थाश्रम में अग्निहोत्र रख कर यज्ञयाग आदि कर्म करने पड़ते हैं, पर जो संन्यासाश्रमी हो गया हो उसके लिये मनुस्मृति में कहा है, कि उसको इस प्रकार अग्नि की रक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। इस कारण वह 'निरग्नि' हो जाय; और जड़गल में रह कर भिक्षा से पेट पाले जगत् के व्यवहार में न पड़े (मनु. ६. २५ इत्यादि)। पहले श्लोक में मनु के इसी मत का उल्लेख किया गया है; और इस पर भगवान् का कथन है, कि निरग्नि और निष्क्रिय होना कुछ सच्चे संन्यास का लक्षण नहीं है। काम्यबुद्धि का या फलाशा का त्याग करना ही सच्चा संन्यास है। संन्यास बुद्धि में है; अग्नित्याग अथवा कर्मत्याग की बाह्यक्रिया में नहीं है। अतएव फलाशा अथवा सङ्कल्प का त्याग कर कर्तव्यकर्म करनेवाले को ही सच्चा संन्यासी कहना चाहिये। गीता का यह सिद्धान्त स्मृतिकारो के सिद्धान्त से भिन्न है। गीतारहस्य के ११ वे प्रकरण (पृ. ३४८-३५१) में स्पष्ट कर दिखला दिया है, कि गीता ने स्मृतिकारो से इसका मेल कैसे किया है? इस प्रकार सच्चा संन्यास बतला कर अब यह बतलाते हैं, कि ज्ञान होने के पहले अर्थात् साधनावस्था में जो कर्म किये जाते हैं उनमें, और ज्ञानोत्तर अर्थात् सिद्धावस्था में फलाशा छोड़ कर जो कर्म किये हैं उनमें क्या भेद है?]

(३) (कर्म-) योगारूढ होने की इच्छा रखनेवाले मुनि के लिये कर्म को (शम का) कारण अर्थात् साधन कहा है; और उसी पुरुष के योगारूढ अर्थात् पूर्ण योगी हो जाने पर उसके लिये (आगे) शम (कर्म का) कारण हो जाता है।

[टीकाकारो ने इस श्लोक के अर्थ का अनर्थ कर डाला है। श्लोक के पूर्वार्ध में योग = कर्मयोग यही अर्थ है; और बात सभी को मान्य है कि उसकी सिद्धि के लिये पहले कर्म ही कारण होता है। किन्तु 'योगारूढ होने पर उमी

के लिये शम कारण हो जाता है' — इसका अर्थ टीकाकारों ने सन्यासप्रधान कर डाला है। उनका कथन यों है :— 'शम' = कर्म का 'उपशम'; और जिसे योग मिट्ट हो जाता है, उसे कर्म छोड़ देना चाहिये। क्योंकि उनके मत में कर्मयोग सन्यास का अङ्ग अर्थात् पूर्वसाधन है। परन्तु यह अर्थ साम्प्रदायिक आग्रह का है, जो ठीक नहीं है। इसका पहला कारण यह है, कि अब इस अध्याय के पहले ही श्लोक में भगवान् ने कहा है, कि कर्मफल का आश्रय न करके कर्तव्य-कर्म करनेवाला पुरुष ही सच्चा योगी अर्थात् योगारूढ है — कर्म न करनेवाला (अश्रिय) सच्चा योगी नहीं है, तब यह सामना सर्वथा अन्याय्य है, कि तीसरे श्लोक में योगारूढ पुरुष को कर्म का शम करने के लिये या कर्म छोड़ने के लिये भगवान् कहेंगे। सन्यासमार्ग का यह मत भले ही हो, कि शान्ति मिल जाने पर योगारूढ पुरुष कर्म न करे, परन्तु गीता को यह मत मान्य नहीं है। गीता में अनेक स्थानों पर स्पष्ट उपदेश किया गया है, कि कर्मयोगी सिद्धावस्था में भी यावज्जीवन भगवान् के समान निष्कामबुद्धि में सब कर्म केवल कर्तव्य समझ कर करता रहे (गीता २.७१; ३.७ और १९; ४. १९-२१; ५, ७-१२; १२. १२; १८ ५६, ५७; तथा गीतार. प्र ११ और १२ देखो)। दूसरा कारण यह है, कि शम का अर्थ 'कर्म का शम' वहाँ से आया? भगवद्गीता में 'शम' शब्द दो-चार बार आया है। (गीता १०. ४; १८. ४२) वहाँ और व्यवहार में भी उसका अर्थ 'मन की शान्ति' है। फिर इसी श्लोक में 'कर्म की शान्ति' अर्थ क्यों ले? इस कठिनाई को दूर करने के लिये गीता के पैशाचभाष्य में 'योगारूढस्य तस्यैव' के 'तस्यैव' इस दर्शक सर्वनाम का सम्बन्ध 'योगारूढस्य' से न लगा कर 'तस्य' को नपुसकवचन की पछी विभक्ति समझ करके ऐसा अर्थ दिया है, कि 'तस्यैव कर्मणः शमः' (तस्य अर्थात् पूर्वार्ध के कर्म का शम)। किन्तु यह अन्वय भी मरल नहीं है। क्योंकि, टर्ममें कोई मन्देह नहीं, कि योगारूढ बननेवाले जिग पुरुष का वर्णन इस श्लोक के पूर्वार्ध में किया गया है, उगकी जो म्यनि अभाव्यम पूरा हो चुकने पर होनी है, उसे बतलाने के लिये उत्तरार्ध का आरम्भ हुआ है। अतएव 'तस्यैव' पदों में 'कर्मणः एव' यह अर्थ लिये नहीं जा सकता। अपना यदि ले ही ले, तो उसका सम्बन्ध 'शम' से न जोड़ कर 'कारणमुच्यते' के साथ जोड़ने से ऐसा अन्वय लगता है, 'शम योगारूढस्य तस्यैव कर्मणः कारणमुच्यते।' और गीता के मपूर्ण उपदेश के अनुसार उगना यह अर्थ भी ठीक लग जायगा, कि 'अब योगारूढ के कर्म का ही शम कारण होता है।' (३) टीकाकारों के अर्थ को त्याग्य मानने का तीमरा कारण यह है, कि सन्यासमार्ग के अनुसार योगारूढ पुरुष को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। उगने सब कर्मों का अन्त शम में ही होता है। और जो शम शब्द है, ता 'योगारूढ को शम कारण होता है' इस वाक्य का 'कारण'

शब्द विलकुल ही निरर्थक हो जाता है। कारण शब्द सदैव सापेक्ष है। 'कारण' कहने से उसको कुछ-न-कुछ 'कार्य' अवश्य चाहिये। और सन्यासमार्ग के अनुसार योगारूढ को तो कोई भी 'कार्य' शेष नहीं रह जाता। यदि शम को मोक्ष का 'कारण' अर्थात् साधन कहे, तो मेल नहीं मिलता। क्योंकि मोक्ष का साधन ज्ञान है, शम नहीं। अच्छा; शम को ज्ञानप्राप्ति का 'कारण' अर्थात् साधन कहे, तो यह वर्णन योगारूढ अर्थात् पूर्णावस्था को ही पहुँचे हुए पुरुष का है। इसलिये उमको ज्ञानप्राप्ति तो कर्म के साधन से पहले ही हो चुकती है। फिर यह शम 'कारण' है ही किसका? सन्यासमार्ग के टीकाकारों से इस प्रश्न का कुछ भी समाधानकारक उत्तर देते नहीं बनता। परन्तु उसके इस अर्थ को छोड़ कर विचार करने लगे, तो उत्तरार्ध का अर्थ करने में पूर्वार्ध का 'कर्म' पद सान्निध्य-सामर्थ्य से सहज ही मन में आ जाता है। और फिर यह अर्थ निष्पन्न होता है, कि योगारूढ पुरुष को लोक्संग्रहकारक कर्म करने के लिये अब 'शम' 'कारण' या साधन हो जाता है? क्योंकि यद्यपि उसका कोई स्वार्थ शेष नहीं रह गया है, तथापि लोकसंग्रहकारक कर्म किसी से छूट नहीं सकते (देखो गीता ३. १७-१९)। पिछले अध्याय में जो यह वचन है, कि 'युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्' (गीता ५. १२) — कर्मफल का त्याग करके योगी पूर्ण शान्ति पाता है — इससे भी यही अर्थ सिद्ध होता है। क्योंकि; उसमें शान्ति का सम्बन्ध कर्मत्याग से न छोड़ कर केवल फलाशा के त्याग से वर्णित है। वही पर स्पष्ट कहा है, कि योगी जो कर्मसंन्यास करे, वह 'मनसा' अर्थात् मन से करे (गीता ५. १३), शरीर के द्वारा या केवल इन्द्रियों के द्वारा उसे कर्म करना ही चाहिये। हमारा यह मत है, कि अलङ्कारशास्त्र के अन्योन्यालङ्कार का सा अर्थचमत्कार या सौरस्य इस श्लोक में सध गया है, और पूर्वार्ध में यह बतला कर — कि 'शम' का कारण 'कर्म' कब होता है? — उत्तरार्ध में इसके विपरीत वर्णन किया है, कि 'कर्म' का कारण 'शम' कब होता है? भगवान् कहते हैं, कि प्रथम साधनावस्था में 'कर्म' ही शम का अर्थात् योगसिद्धि का कारण है। भाव यह है, कि यथाशक्ति निष्काम कर्म करते करते ही चित्त शान्त होकर उसी के द्वारा अन्त में पूर्ण योगसिद्धि हो जाती है। किन्तु योगी के योगारूढ होकर सिद्धावस्था में पहुँच जाने पर कर्म और शम का उक्त कार्यकारणभाव घटल जाता है, यानी कर्म का कारण नहीं होता, किन्तु शम ही कर्म का कारण बन जाता है; अर्थात् योगारूढ पुरुष अपने सब काम अब कर्तव्य समझ कर (फल की आशा न रख करके) शान्तचित्त में किया करता है। सारांश, इस श्लोक का भावार्थ यह नहीं है, कि सिद्धावस्था में कर्म छूट जाते हैं। गीता का कथन है, कि साधनावस्था में 'कर्म' और 'शम' के बीच जो कार्यकारणभाव होता है, सिर्फ वही सिद्धावस्था में बदल जाता है (गीतारहस्य प्र. ११. प. ३२४-३२५)। गीता में यह वही भी नहीं कहा, कि वर्मयोगी को

यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुपज्जते ।
सर्वसंकल्पसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते ॥ ४ ॥

§§ उद्धरेदात्मनाऽऽत्मानं नात्मानमवसादयेत् ।
आत्मेव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥ ५ ॥
बन्धुरात्माऽऽत्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः ।
अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् ॥ ६ ॥

अन्त में कर्म छोड़ देना चाहिये; और ऐसा कहने का उद्देश भी नहीं है। अतएव अवसर पा कर किसी दृढ़ से गीता के बीच के ही किसी श्लोक का संन्यासप्रधान अर्थ लगाना उचित नहीं है। आजकल गीता बहुतेरों को दुर्बोध-नी हो गई है; इसका कारण भी यही है। अगले श्लोक की व्याख्या में यही अर्थ व्यक्त होता है कि योगारूढ पुरुष को कर्म करना चाहिये। वह श्लोक यह है :-]

(४) क्योंकि जब वह इन्द्रियों के (शब्द स्पर्श आदि) विषयों में और कर्मों में अनुरक्त नहीं होता तथा सब मद्रूप अर्थात् काल्यवृद्धिरूप फलाशा का (प्रत्यक्ष कर्मों का नहीं) संन्यास करता है, तब उसको योगारूढ कहते हैं।

[वह मकते हैं, कि यह श्लोक पिछले श्लोक के साथ और पहले तीनों के साथ भी मिला हुआ है। इसमें गीता का यह अन्विष्ट स्पष्ट होता है, कि योगारूढ पुरुष को कर्म न छोड़ कर केवल फलाशा या काम्यवृद्धि छोड़ करके शान्त चित्त से निष्काम कर्म करना चाहिये। 'मद्रूप का संन्यास' ये शब्द ऊपर हमारे श्लोक में आये हैं। यहाँ उनका जो अर्थ है, वही इस श्लोक में भी लेना चाहिये। कर्मयोग में ही फलाशान्यासही संन्यास का समावेश होता है; और फलाशा छोड़ कर कर्म करनेवाले पुरुष को मच्छा संन्यासी और योगी अर्थात् योगारूढ कहना चाहिये। जब यह बतलाने है, कि इस प्रकार के निष्काम कर्मयोग का फलाशा-संन्यास की मिद्धि प्राप्त कर लेना प्रत्येक मनुष्य के अधिकार में है। जो स्वयं प्रयत्न करेगा उसे इसका प्राप्त हो जाना कुछ अममभव नहीं।]

(५) (मनुष्य) अपना उदार आप ही करे। अपने आप को (कभी भी) गिने न दे। क्योंकि (प्रत्येक मनुष्य) स्वयं ही अपना बन्धु (अर्थात् महात्मा) या स्वयं अपना शत्रु है। (६) जिने अपने आप को जीत लिया, वह स्वयं अपना बन्धु है। परन्तु जो अपने आप को नहीं पहचानता, वह स्वयं अपने साथ ही अपना शत्रु बनता है।

[इन दो श्लोकों में आत्मपरायणता का वर्णन है, और इस तरह का परिणाम है कि हर एक को अपना उदार आप हो करना चाहिये। और प्रवृत्ति

§ § जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः ।
शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ॥ ७ ॥

कितनी ही बदलती क्यों न हो ? उसको जीत कर आत्मोन्नति कर लेना हर एक के स्वाधीन है (गीतार. प्र. १०, पृ. २७९-२८४ देखो) । मन में इस तत्त्व के भलीभाँति जम जाने के लिये ही एक बार अन्वय से और फिर व्यतिरेक से—दोनों रीतियों से—वर्णन किया है, कि आत्मा अपना ही मित्र कब होता है और आत्मा अपना शत्रु कब हो जाता है और यही तत्त्व फिर १३. २८ श्लोक में भी आया है । संस्कृत में 'आत्मा' शब्द के ये तीन अर्थ होते हैं; (१) अन्तरात्मा, (२) मैं स्वयं, और (३) अन्तःकरण या मन । इसी से यह आत्मा शब्द इनमें और अगले श्लोको में अनेक बार आया है । अब बतलाते हैं, कि आत्मा को अपने अधीन रखने से क्या फल मिलता है ?]

(७) जिसने अपने आत्मा अर्थात् अन्तःकरण को जीत लिया हो और जिसे शान्ति प्राप्त हो गई हो, उसका 'परमात्मा' शीत-उष्ण, सुख-दुःख और मान-अपमान में समाहित अर्थात् सम एव स्थिर रहता है ।

[इस श्लोक में 'परमात्मा' शब्द आत्मा के लिये ही प्रयुक्त है । देह का आत्मा सामान्यतः सुखदुःख की उपाधि में मग्न रहता है; परन्तु इन्द्रियसंयम से उपाधियों को जीत लेने पर यही आत्मा प्रसन्न हो करके परमात्मारूपी या परमेश्वररूपी बना करता है । परमात्मा कुछ आत्मा से विभिन्न स्वरूप का पदार्थ नहीं है । आगे गीता में ही (गीता १३. २२ और ३१) कहा है, कि मानवी शरीर में रहनेवाला आत्मा ही तत्त्वतः परमात्मा है ! महाभारत में यह वर्णन है :—

आत्मा क्षेत्रज्ञ इत्युक्तः संयुक्तः प्राकृतैर्गुणैः ।
तैरेव तु विनिर्मुक्त परमात्मेत्युदाहृतः ॥

'प्राकृत अथवा प्रकृति के गुणों से (सुखदुःख आदि विकारों से) बद्ध रहने के कारण आत्मा को ही क्षेत्रज्ञ या शरीर का जीवात्मा कहते हैं; और इन गुणों से मुक्त होने पर वही परमात्मा हो जाता है' (म. भा. भा. १८७. २४) । गीतारहस्य के ९ वे प्रकरण से ज्ञात होगा, कि अद्वैत वेदान्त का सिद्धान्त भी यही है । जो कहते हैं, कि गीता में अद्वैत मत का प्रतिपादन नहीं है; विशिष्टाद्वैत या शुद्ध द्वैत ही गीता को ग्राह्य है । वे 'परमात्मा' को एक पद न मान 'पर' और 'आत्मा' ऐसे दो पद करके 'पर' को 'समाहित' का त्रिव्याविशेषण समझते हैं । यह अर्थ क्लिष्ट है; परन्तु इस उदाहरण से समझ में आ जावेगा, कि साम्प्रदायिक टीकाकार अपने मत के अनुसार गीता की कौसी खीचातानी करते हैं ?]

ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः ।

युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकांचनः ॥ ८ ॥

सुहृन्मित्रार्युदासीनमध्यस्थद्वेष्यबन्धुषु ।

साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते ॥ ९ ॥

§§ योगी युंजीत सततमात्मानं रहसि स्थितः ।

एकाकी यतचित्तात्मा निरागीरपरिग्रहः ॥ १० ॥

(८) जिसका आत्मा ज्ञान और विज्ञान अर्थात् विविध ज्ञान से तृप्त हो जाय, जो अपनी इन्द्रियो को जीत ले, जो कूटस्थ अर्थात् मूल में जा पहुँचे और मिट्टी, पत्थर एवं सोने को एक-सा मानने लगे, उसी (कर्म-) योगी पुरुष को 'युक्त' अर्थात् सिद्धावस्था को पहुँचा हुआ कहते हैं। (९) सुहृद्, मित्र, शत्रु, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष करने योग्य, बान्धव, साधु, और दुष्ट लोगों के विषय में भी जिसकी बुद्धि मम हो गयी हो, वही (पुरुष) विशेष योग्यता का है।

[प्रत्युपकार की इच्छा न रख कर सहायता करनेवाले स्नेही को सुहृद् कहते हैं। जब दो दल हो जायें, तब किसी को भी बुराई-भलाई न चाहनेवाले को उदासीन कहते हैं। दोनों दलों की भलाई चाहनेवाले को मध्यस्थ कहते हैं; और मन्वन्धी को बन्धु कहते हैं। टीकाकारों ने ऐसे ही अर्थ किये हैं। परन्तु इन अर्थों में कुछ भिन्न अर्थ भी कर सकते हैं। क्योंकि, इन शब्दों का प्रयोग प्रत्येक में कुछ भिन्न अर्थ दिखलाने के लिये ही नहीं किया गया है। किन्तु अनेक शब्दों की यह योजना मिफं इमलिये की गई है, कि सब के मेल में व्यापक अर्थ का बोध हो जाय—उसमें कुछ भी न्यूनता न रहने पावे। इस प्रकार संक्षेप से बन्धनाया दिया, कि योगी, योगासूत्र या युक्त किसे कहना चाहिये (गीता २. ६१; ५. १८ और ५. २३ देखो)? और यह भी बतला दिया, कि इस कर्मयोग को निद्र कर लेने के लिये प्रत्येक मनुष्य स्वतन्त्र है। उसने लिये निमी का मुँह जोहने की कोई जरूर नहीं। अब कर्मयोग की निद्र के लिये ओषित साधना का निरूपण करते हैं :-]

(१०) योगी अर्थात् कर्मयोगी एवान्न में अनेक रह कर चित्त और आत्मा का संयम करे, किसी भी काम्यवागना को न ग्य परिग्रह अर्थात् पाश छोड़ करके निरन्तर अपने योगाभ्यास में लगा रहे।

[अगरे श्लोक में स्पष्ट होता है, कि यहाँ पर 'युंजीत' पद में पातडल मूर का योग निरक्षित है। तथापि इसका यह अर्थ नहीं, कि कर्मयोग को प्राण कर लेने की इच्छा करनेवाला पुरुष अपनी ममत्त आत्मा पातडलयोग में निद्र दे। कर्मयोग के लिये आरम्भ साध्यबुद्धि की प्राण करने के लिये साधननरूप

शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः ।
 नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् ॥ ११ ॥
 तत्रैकाग्र मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः ।
 उपविश्यासने युञ्ज्याद्योगमात्मविशुद्धये ॥ १२ ॥
 समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः ।
 सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् ॥ १३ ॥
 प्रशान्तात्मा विगतभीर्ब्रह्मचारिव्रते स्थितः ।
 मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः ॥ १४ ॥

पातञ्जलयोग इस अध्याय में वर्णित है; और इतने ही के लिये एकान्तवास भी आवश्यक है। प्रकृतिस्वभाव के कारण सम्भव नहीं, कि सभी को पातञ्जलयोग की समाधि एक ही जन्म में सिद्ध हो जाय। इसी अध्याय के अन्त में भगवान् ने कहा है, कि जिन पुण्यो को समाधि सिद्ध नहीं हुई है, वे अपनी सारी आयु पातञ्जलयोग में ही न बिता दे। किन्तु जितना हो सके, उतना बुद्धि को स्थिर करके कर्मयोग का आचरण करते जावे। इसी से अनेक जन्मों में उनको अन्त में सिद्धि मिल जायगी। (गीतार. प्र. १०, पृ. २८४-२८७ देखो।)

(११) योगाभ्यासी पुरुष शुद्ध स्थान पर अपना स्थिर आसन लगावे, जो कि न बहुत ऊँचा हो और न नीचा। उस पर पहले दर्भ, फिर मृगछाला और फिर वस्त्र विछावे। (१२) वहाँ चित्त और इन्द्रियो के व्यापार को रोक कर तथा मन को एकाग्र करके आत्मशुद्धि के लिये आसन पर बैठ कर योग का अभ्यास करे। (१३) काय अर्थात् पीठ, मस्तक और गर्दन को सम करके अर्थात् सीधी खड़ी रेखा में निश्चल करके, स्थिर होता हुआ, दिशाओ को यानी इधर-उधर न देखें; और अपनी नाक की नोक पर दृष्टि जमा कर, (१४) निडर हो, शान्त अन्तःकरण से ब्रह्मचर्य-व्रत पाल कर तथा मन का समय करके मुझमें ही चित्त लगा कर मत्परायण होता हुआ युक्त हो जाय।

['शुद्ध स्थान में' और 'शरीर, ग्रीवा एवं शिर को सम कर' ये शब्द श्वेताश्वतर उपनिषद् के हैं (श्वे. २.८ और १० देखो); और ऊपर का समूचा वर्णन भी हठयोग का नहीं है; प्रस्तुत पुराने उपनिषदों में जो योग का वर्णन है, उससे अधिक मिलता-जुलता है। हठयोग में इन्द्रियो का निग्रह बलात्कार से किया जाता है; पर आगे इसी अध्याय के २४ वे श्लोक में कहा है, कि ऐसा न करके 'मनसैव इन्द्रियग्राम विनियम्य' - मन से ही इन्द्रियो को रोकें। इसमें प्रवृत्ति है, कि गीता में हठयोग विवक्षित नहीं। ऐसे ही इस अध्याय के अन्त में कटा है,

युञ्जन्नेवं सदाऽऽत्मानं योगी नियतमानसः ।

शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति ॥ १५ ॥

नात्यश्रतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्रतः ।

न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन ॥ १६ ॥

युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु ।

युक्तस्वप्नावबोधस्य योगी भवति दुःखहा ॥ १७ ॥

[कि इस वर्णन का यह उद्देश नहीं, कि कोई अपनी सारी जिंदगी योगाभ्यास में ही बिता दे। अब इस योगाभ्यास के फल का अधिक निरूपण करते हैं :-]

(१५) इस प्रकार मदा अपना योगाभ्यास जारी रखने में मन काबू में होकर (कर्म-) योगी को मुझमें रहनेवाली और अन्त में निर्वाणपद अर्थात् तेरे स्वरूप में लीन कर देनेवाली शान्ति प्राप्त होती है।

[इस श्लोक में 'सदा' पद में प्रतिदिन के २४ घण्टों का मतलब नहीं ! इनका ही अर्थ विवक्षित है, कि प्रतिदिन यथाशक्ति घड़ी घड़ी भर यह अभ्यास करे (श्लोक १० की टिप्पणी देखो)। कहा है, कि इस प्रकार योगाभ्यास करता हुआ 'मच्चित्त' और 'मत्परायण' हो। इसका कारण यह है, कि पातञ्जलयोग मन के निरोध करने की एक युक्ति या क्रिया है। इस कर्मरत से यदि मन स्वाधीन हो गया, तो वह एकाग्र मन भगवान् में न लगा कर और दूसरी बात की ओर भी लगाया जा सकता है। पर गीता का कथन है, कि चित्त की एकाग्रता का ऐसा दुष्प्रयोग न कर हम एकाग्रता या ममाधि का उपयोग परमेश्वर के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने में होना चाहिये; और ऐसा होने में ही यह योग सुगमकारक होता है; अन्यथा वे निरे क्लेश हैं। यही अर्थ आगे २९ वें, ३० वें एवं अध्याय के अन्त में ४३ वें श्लोक में आया है। परमेश्वर में निष्ठा न रख जो लोग केवल इन्द्रियनिग्रह या योग इन्द्रियों की बमरत करने हैं, वे लोगों को क्लेशप्रद जारण-मारण या बर्णोवरण वर्गेह कर्म करने में ही प्रवीण हो जाते हैं। यह अवस्था न केवल गीता को ही, प्रत्युत किसी भी मोक्षमार्ग को दृष्ट नहीं। अब फिर हमी योगक्रिया या अधिक खुलासा करते हैं :-]

(१६) हे अर्जुन! अविद्यमानेवाले या विदुल न घानेवाले और गृह मानेवाले अथवा जागरण करनेवाले को (यह) योग मिद नहीं होता। (१७) जिसका आहार-विहार निर्दिष्ट है, कर्मों का आवरण नश-नुश है; और मोनाजागना परिमित है, उमरो (पर) योग दुःखपातक अर्थात् मुग्धावह होता है।

[इस श्लोक में 'योग' में पातञ्जलयोग की क्रिया और 'युक्त' में निर्दिष्ट नश-नुश अथवा निर्दिष्ट वा अर्थ है। आगे भी दो-गुरु म्यानों पर

§§ यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते ।

निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥ १८ ॥

यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता ।

योगिनो यतचित्तस्य युंजती योगमात्मनः ॥ १९ ॥

यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया ।

यत्र चैवात्मनाऽऽत्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति ॥ २० ॥

योग-से पातञ्जलयोग का ही अर्थ है। तथापि इतने ही से यह नहीं समझ लेना चाहिये, कि इस अध्याय में पातञ्जलयोग ही स्वतन्त्र रीति से प्रतिपाद्य है। पहले स्पष्ट बतला दिया है, कि कर्मयोग को सिद्ध कर लेना जीवन का प्रधान कर्तव्य है; और उसके साधन मात्र के लिये पातञ्जलयोग का यह वर्णन है। इस श्लोक के 'कर्म के उचित आचरण' इन शब्दों से भी प्रकट होता है, कि अन्यान्य कर्मों को करते हुए इस योग का अभ्यास करना चाहिये। अब योगी का थोड़ा-सा वर्णन करके समाप्तिमुख का स्वरूप बतलाते हैं :-]

(१८) जब सयत मन आत्मा में ही स्थिर हो जाता है और किसी भी उपभोग की इच्छा नहीं रहती तब कहते हैं, कि वह 'युक्त' हो गया। (१९) वायुरहित स्थान में रखे हुए दीपक की ज्योति जैसी निश्चल होती है, वही उपमा चित्त को सयत करके योगाभ्यास करनेवाले योगी को दी जाती है।

[इस उपमा के अतिरिक्त महाभारत (शान्ति. ३००, ३२. ३४) में ये दृष्टान्त हैं - 'तेल से भरे हुए पात्र को जीने पर से ले जाने में या तूफान के समय नाव का बचाव करने में मनुष्य जैसा 'युक्त' अथवा एकाग्र होता है,-- योगी का मन वैसा ही एकाग्र रहता है।' कठोपनिषद् का 'सारथी और रथ के घोड़ों' वाला दृष्टान्त तो प्रसिद्ध ही है; और यद्यपि यह दृष्टान्त गीता में स्पष्ट आया नहीं है, तथापि दूसरे अध्याय के ६७ और ३५ तथा इसी अध्याय का २५ वाँ श्लोक, ये उस दृष्टान्त को मनमें रच कर ही कहे गये हैं। यद्यपि योग का गीता का पारिभाषिक अर्थ कर्मयोग है; तथापि उस शब्द के अन्य अर्थ भी गीता में आये हैं। उदाहरणार्थ, ९.५ और १०.७ श्लोक में योग का अर्थ है, 'अलौकिक अथवा चाहे जो करने की शक्ति।' यह भी कह सकते हैं, कि योग शब्द के अनेक अर्थ होने के कारण ही गीता में पातञ्जलयोग और माध्वमार्ग को प्रतिपाद्य बनाने की सुविधा उन उन मन्त्रदायकालों को मिल गई है। १९ वे श्लोक में वर्णित चित्तनिरोधरूपी पातञ्जलयोग की समाप्ति का अर्थ ही अब विस्तार से कहते हैं :-]

(२०) योगानुष्ठान से चित्त जिम ग्यान में रम जाता है; और जहाँ स्वयं धारणा

सुखमात्यन्तिकं यत्तद्वृद्धिमाहामतीन्द्रियम् ।

वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः ॥ २१ ॥

यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः ।

यस्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ २२ ॥

तं विद्याद्दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम् ।

स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिर्विण्णचेतसा ॥ २३ ॥

को देख कर आत्मा में ही मनुष्य हो रहता है, (२१) जहाँ (केवल) बुद्धिगम्य और इन्द्रियों को अगोचर अत्यन्त सुख का उमे अनुभव होता है; और जहाँ वह (एक धार) स्थिर हुआ, तो तत्त्व में कमी नहीं डिगता; (२२) ऐसे ही जिम म्यिनी को पाने से उमकी अपेक्षा दूसरा कोई लाभ उसे अधिक नहीं जँचता; और जहाँ स्थिर होने से कोई भी बटा भारी दुःख (उमको) वहाँ से विचला नहीं सकता, (२३) उमको दुःख के स्पर्श से वियोग अर्थात् 'योग' नाम की स्थिति कहते हैं और इस 'योग' का आचरण मन को उकलाने न देकर निश्चय में करना चाहिये ।

[इन चारों श्लोकों का एक ही वाक्य है। २३ वें श्लोक के आरम्भ के 'उमको' ('तम्') इस दर्जक मर्वनाम में पहले तीन श्लोकों का वर्णन उद्दिष्ट है; और चारों श्लोकों में 'ममाधि' का वर्णन पूरा किया गया है। पातञ्जलयोगसूत्र में योग का यह लक्षण है, कि 'योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः' — चित्त की वृत्ति के निर्गोध को योग कहते हैं। इसी के मद्दुश २० वें श्लोक के आरम्भ के शब्द हैं। अब इस 'योग' शब्द का नया लक्षण जानबूझ कर दिया है, कि ममाधि इसी चित्तवृत्तिनिरोध की पूर्णावस्था है; और इसी को 'योग' कहते हैं। उपनिषद् और महाभारत में कहा है, कि निग्रहवर्ता और उद्योगी पुरुष को मामान्य रीति से यह योग छः महीनों में सिद्ध होना है (मैत्र्यु. ६. २८; अमृतनाद. २९; म. भा. अय. अनुगीता १९. ६६)। किन्तु पहले २० वे और २८ वे श्लोक में स्पष्ट कह दिया है, कि पातञ्जलयोग की ममाधि में प्राप्त ही होनेवाला सुख न केवल चित्तनिरोध में, प्रत्युत चित्तनिरोध के द्वारा अपने आप आत्मा की पहचान करने पर होता है। इस दुःखरहित म्यिति को ही 'ब्रह्मानन्द' या 'आत्मप्रसादज सुख' अथवा 'आमानन्द' कहते हैं (गीता १८ ३७; और गीतार. प्र. ५ पृ. २३८ देखो)। अगले अध्यायों में हमारा वर्णन है, कि आत्मज्ञान होने के लिये आवश्यक चित्त की यह ममाधि एक पातञ्जलयोग में ही नहीं उत्पन्न होती; किन्तु सिनगुडि का यह परिणाम ज्ञान और भक्ति में भी हो जाता है। यही मार्ग अधिक प्रशस्त और मुक्तम मनसा जाता है। ममाधि का लक्षण वाक्य चुने। प्रद यत्तने है। कि उन चित्त प्रकार लगाना चाहिये ?]

§§ संकल्पप्रभवान् कामास्त्यक्त्वा सर्वानशेषतः ।
मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः ॥ २४ ॥

शनिः शनैरुपरमेद्बुद्ध्या धृतिगृहीतया ।

आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् ॥ २५ ॥

यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरम् ।

ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशं नयेत् ॥ २६ ॥

§§ प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् ।

उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् ॥ २७ ॥

शुंजन्नेवं सदाऽऽत्मानं योगी विगतकल्मषः ।

सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्नुते ॥ २८ ॥

(२४) सङ्कल्प से उत्पन्न होनेवाली सब कामनाओं अर्थात् वासनाओं का निःशेष त्याग कर और मन से ही सब इन्द्रियो का चारों ओर से संयम कर (२५) धैर्ययुक्त बुद्धि से धीरे धीरे शान्त होता जावे; और मन को आत्मा में स्थिर करके कोई भी विचार मन में न आने दे। (२६) (इस रीति से चित्त को एकाग्र करते हुए) चञ्चल और अस्थिर मन जहाँ जहाँ बाहर जावे, वहाँ वहाँ से रोक कर उसको आत्मा के ही स्वाधीन करे।

[मन की समाधि लगाने की प्रिया का यह वर्णन कठोपनिषद् में दी गई
रथ की उपमा से (कठ. १. ३. ३) अच्छा व्यक्त होता है। जिस प्रकार उत्तम
सारथी रथ घोड़ों को इधर-उधर न जाने देकर सीधे रास्ते से ले जाता है, उसी
प्रकार का प्रयत्न मनुष्य को समाधि के लिये करना पड़ता है। जिसने किसी भी
विषय पर अपने मन को स्थिर लेने का अभ्यास किया है, उसकी समझ में
ऊपरवाले श्लोक का मर्म तुरन्त आ जावेगा। मन को एक ओर से रोकने का
प्रयत्न करने लगे, तो वह दूसरी ओर खिसक जाता है, और वह आदत रके
बिना समाधि लग नहीं सकती। अब, योगाभ्यास से चित्त स्थिर होने का जो फल
मिलता है, उसका वर्णन करते हैं :-]

(२७) इस प्रकार शान्तचित्त, रज से रहित, निष्पाप और ब्रह्मभूत (कर्म-) योगी को उत्तम सुख प्राप्त होता है। (२८) इस रीति से निरन्तर अपना योगाभ्यास करनेवाला (कर्म-) योगी पापों से छूट कर ब्रह्मसयोग से प्राप्त होनेवाले अत्यन्त सुख का आनन्द से उपभोग करता है।

§§ सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ।

ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ॥ २९ ॥

यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति ।

तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ॥ ३० ॥

सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः ।

सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते ॥ ३१ ॥

[इन दो श्लोकों में हमने योगी का अर्थ कर्मयोगी किया है। क्योंकि कर्मयोग का साधन समझ कर ही पातञ्जलयोग का वर्णन किया गया है। अतः पातञ्जलयोग के अम्यास करनेवाले उक्त पुरुष में कर्मयोगी ही विवक्षित है। तथापि योगी का अर्थ 'ममाधि लगाये बैठा हुआ पुरुष' भी कर सकते हैं। किन्तु स्मरण रहे, कि गोता का प्रतिपाद्य मार्ग इममें भी परे है। यही नियम अगले दो-तीन श्लोकों को लागू है। इस प्रकार निर्वाण ब्रह्ममुख का अनुभव होने पर सब प्राणियों के विषय में जो आत्मोपम्यदृष्टि हो जाती है, अब उसका वर्णन करते हैं -]

(२९) (इस प्रकार) जिसका आत्मा योगमुक्त हो गया है, उसकी दृष्टि सम हो जाती है; और उसे सर्वत्र ऐसा दीर्घ पढ़ने लगता है, कि मैं सब प्राणियों में हूँ और सब प्राणी मुझमें हूँ। (३०) जो मुझ (परमेश्वर परमात्मा) को सब स्थानों में और सब को मुझमें देखता है, उसमें मैं कभी नहीं विद्युद्धता; और न वही मुझमें कभी दूर होता है।

[इन दो श्लोकों में पहला वर्णन 'आत्मा' शब्द का प्रयोग कर अव्यक्त अर्थात् आत्मदृष्टि में और दूसरा वर्णन प्रथमपुरुषदर्शक 'मै' पद के प्रयोग में व्यक्त अर्थात् भक्तिदृष्टि में किया गया है। परन्तु अर्थ दोनों का एक ही है (देखो गीतार प्र १३, पृ ४३२-४३५)। मोक्ष और कर्मयोग इन दोनों का एक ही आधार यह ब्रह्मसंकेतदृष्टि ही है। २९ वे श्लोक पहला अर्थात् कुछ पूर्व में मनुस्मृति (१० ९१), महाभारत (शा २३८ २१ और २६८ २२) और उपनिषद् (वैश १ १०, ईश ६) में भी पाया जाता है। हमने गीतारहस्य के १० वे प्रकरण में विस्तारमय दिग्दर्शना है, कि सर्वभूतान्मैक्यज्ञान ही ममप्रार्थना और कर्मयोग का मूल है (देखा पृ ३८८ प्रभृति)। यह ज्ञान हुए बिना ईश्वरार्थ का गिद्ध हो जाता भी व्यर्थ है, इसीलिए अगले अध्याय में परमेश्वर का ज्ञान बनाना आरम्भ कर दिया है।]

(३१) जो एकदृष्टि अर्थात् सर्वभूतान्मैक्यदृष्टि का मन में रख कर प्राणियों में सर्वत्र समदर्शन (परमेश्वर का) करता है, वह (कर्म-) योगी मय प्रकृत में वर्तते

आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन ।

सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥ ३२ ॥

अर्जुन उवाच ।

§ § योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन ।

एतस्याहं य पश्यामि चंचलत्वात्स्थितिं स्थिराम् ॥ ३३ ॥

चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढम् ।

तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् ॥ ३४ ॥

हुआ भी मुझमें रहता है। (३२) हे अर्जुन ! सुख हो या दुःख, अपने समान औरों को भी होता है। जो ऐसी (आत्मौपम्य) दृष्टि से सर्वत्र देखने लगे, वह (कर्म-) योगी परम अर्थात् उत्कृष्ट माना जाता है।

['प्राणिमात्र में एक ही आत्मा है' यह दृष्टि साध्य और कर्मयोग दोनों मार्गों में एक-सी है। ऐसे ही पातञ्जलयोग में भी समाधि लगा कर परमेश्वर की पहचान हो जाने पर यही साम्यावस्था प्राप्त होती है। परन्तु सांख्य और पातञ्जलयोगी दोनों को ही सब कर्मों का त्याग इष्ट है। अतएव वे व्यवहार में इस साम्यबुद्धि के उपयोग करने का मौका ही नहीं आने देते। और गीता का कर्मयोगी ऐसा न कर - अध्यात्मज्ञान से प्राप्त हुई इस साम्यबुद्धि का व्यवहार में भी नित्य उपयोग करके - जगत् के सभी काम लोकसंग्रह के लिये किया करता है। यही इन दोनों में बड़ा भारी भेद है। और इसी से इस अध्याय के अन्त में (श्लोक ४६) स्पष्ट कहा है, कि तपस्वी अर्थात् पातञ्जलयोगी और ज्ञानी अर्थात् साध्यमार्गी, इन दोनों की अपेक्षा कर्मयोगी श्रेष्ठ है। साम्ययोग के इस वर्णन को सुन कर अब अर्जुन ने यह शडका की -]

अर्जुन ने कहा :- (३३) हे मधुसूदन ! साम्य अथवा साम्यबुद्धि से प्राप्त होनेवाला जो यह (कर्म-)योग तुमने बतलाया, मैं नहीं देखता, कि (मन की) चंचलता के कारण वह स्थिर रहेगी। (३४) क्योंकि हे कृष्ण। यह मन चंचल, हठीला, बलवान् और दृढ है। वायु के समान (अर्थात् हवा की गठरी वाँधने के समान) इसका निग्रह करना मुझे अत्यन्त दुष्कर दिखता है।

[३३ वे श्लोक के 'साम्य' अथवा 'साम्यबुद्धि' से प्राप्त होनेवाला, इस विशेषण से यहाँ योग शब्द का कर्मयोग ही अर्थ है। यद्यपि पहले पातञ्जलयोग की समाधि का वर्णन आया है, तो भी इस श्लोक में 'योग' शब्द से पातञ्जलयोग विवक्षित नहीं। क्योंकि दूसरे अध्याय में भगवान् ने ही कर्मयोग की ऐसी व्याख्या की है, 'समत्व योग उच्यते' (२. ४८) - 'बुद्धि की समता या

श्रीभगवानुवाच ।

असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् ।

अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते ॥ ३५ ॥

असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः ।

यस्यात्मना तु यतता शक्योऽवाप्तुमुपायतः ॥ ३६ ॥

[ममत्व को ही योग कहते हैं ।' अर्जुन की कठिनार्ति को मान कर भगवान् कहते हैं :-]

श्रीभगवान् ने कहा :- (३५) हे महाबाहु अर्जुन ! इममें सन्देह नहीं, कि मन चञ्चल है; और समता निग्रह करना कठिन है। परन्तु हे कौन्तेय ! अभ्यास और वैराग्य से वह स्वाधीन किया जा सकता है। (३६) मेरे मत में ज़िम्मा बल्लःकरण ब्राह्म में नहीं, उसको इन (माम्बवृद्धिरूप) योग का प्राप्त होना कठिन है। किन्तु बल्लःकरण को ब्राह्म में रख कर प्रयत्न करते रहने पर उपाय से (इस योग का) प्राप्त होना सम्भव है।

[तात्पर्य, पहले जो बात कठिन दीख पड़ती है, वही अभ्यास में और दीर्घ उद्योग में अन्त में मिटि हो जाती है। किसी भी काम को बारबार करना 'अभ्यास' कहना है; 'वैराग्य' का मतलब है राग या प्रीति न रखना अर्थात् इच्छाविहीनता। पानञ्जलयोगसूत्र में ही योग का लक्षण यह बतलाया है कि— 'योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः'—चित्तवृत्ति के निरोध को योग कहते हैं (इसी अध्याय या २० वां श्लोक देखो); और फिर अगले सूत्र में कहा है, कि 'अभ्यास-वैराग्याभ्या तद्विरोधः'—अभ्यास और वैराग्य से चित्तवृत्ति का निरोध हो जाता है। ये ही शब्द गीता में आये हैं; और अभिप्राय भी यही है, परन्तु इनके ही से यह नहीं कहा जा सकता, कि गीता में ये शब्द पानञ्जलयोगसूत्र में लिये गये हैं (देखो गीतार. परि. पृ. ५३८) इस प्रकार यदि मनोनिग्रह करके समाधि लगाता सम्मद हो; और कुछ निग्रही पुण्यों को छ: महीने अभ्यास में यदि यह मिटि प्राप्त हो सकती हो; तो भी अब यह दूसरी गलती होती है, कि प्रवृत्ति-समाय से वाग्न अनेक लोग दो-गुरु जन्म में भी परमात्मन्मा में नहीं पहुँच सकते— फिर ऐसे लोग इस मिटि को क्याकर पावे? क्योंकि एक जन्म में जितना हो गया, उतना इन्द्रियनिग्रह का अभ्यास कर कर्मयोग का आचरण करने लगे तो वह अपने समय अटग ही रह जायगा, और अगले जन्म में फिर पहले से आरम्भ करे, तो फिर आगे के जन्म में भी वही हाड होगा। अतः अर्जुन का इंगारा प्रबल है, कि इस प्रकार के पुण्य क्या करे?]

अर्जुन उवाच ।

§§ अयतिः श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः ।

अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति ॥ ३७ ॥

कच्चिन्नोमयविभ्रष्टश्चिन्नाभ्रमिव नश्यति ।

अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि ॥ ३८ ॥

एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्यशीपतः ।

त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते ॥ ३९ ॥

अर्जुन ने कहा — (३७) हे कृष्ण ! श्रद्धा (तो) हो, परन्तु (प्रकृतिस्वभाव से) पूरा प्रयत्न अथवा सयमन होने के कारण जिसका मन (साम्यबुद्धिरूप कर्मयोग) से विचल जावे, वह योगसिद्धि न पा कर किस गति को जा पहुँचता है ? (३८) हे महाबाहु श्रीकृष्ण ! यह पुरुष मोहग्रस्त हो कर ब्रह्मप्राप्ति के मार्ग में स्थिर न होने के कारण दोनों ओर से भ्रष्ट हो जाने पर छिन्न-भिन्न वादल के समान (बीच में ही) नष्ट तो नहीं हो जाता ? (३९) हे कृष्ण ! मेरे इस सन्देह को तुम्हें भी निशेष दूर करना चाहिये । तुम्हें छोड़ कर इस सन्देह को मिटानेवाला दूसरा कोई न मिलेगा ।

[यद्यपि नञ् समास में आरम्भ के नञ् (अ) पद का साधारण अर्थ 'अभाव' होता है, तथापि कई बार अल्प अर्थ में भी उसका प्रयोग हुआ करता है । इस कारण ३७ वे श्लोक के 'अयति' शब्द का अर्थ 'अल्प अर्थात् अधूरा प्रयत्न या सयम करनेवाला' है । ३८ व श्लोक में जो कहा है, कि 'दोनों ओर का आश्रय छूटा हुआ' अथवा 'इतो भ्रष्टस्ततो भ्रष्ट' उसका अर्थ भी कर्मयोग-प्रधान ही करना चाहिये । कर्म के दो प्रकार के फल हैं (१) साम्यबुद्धि से किन्तु शास्त्र की आज्ञा के अनुसार कर्म करने पर तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और (निष्काम) बुद्धि से करने पर वह बन्धव न होकर मोक्षदायक हो जाता है । परन्तु इस अधूरे मनुष्य को कर्म के स्वर्ग आदि काम्यफल नहीं मिलते । क्याकि उसका ऐसा हेतु ही नहीं रहता, और साम्यबुद्धि पूर्ण न होने के कारण उसे मोक्ष मिल नहीं सकता । इसलिये अर्जुन के मन में शङ्का उत्पन्न हुई, कि उस बेचारे को न तो स्वर्ग मिला और न मोक्ष — कहीं उसकी ऐसी स्थिति तो नहीं हो जाती, कि दोनों दिन से गये पाँडे, हलुवा मिले न माँडे ? यह शङ्का केवल पातजल-योगरूपी कर्मयोग के साधन के लिये ही नहीं की जाती । अगले अध्याय में वर्णन है, कि कर्मयोगसिद्धि के लिये आवश्यक साम्यबुद्धि कभी पानजलयोग से, कभी भक्ति से और कभी ज्ञान से प्राप्त होती है । और जिस प्रकार पानजलयोगरूपी यह साधन एक ही जन्म में अधूरा रह सकते हैं, उसी प्रकार भक्ति या ज्ञानरूपी साधन भी एक जन्म में अपूर्ण रह सकते हैं । अतएव कहना चाहिये, कि अर्जुन गी २.४६

पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते ।
 न हि कल्याणकृत्कश्चिद्दुर्गतिं तात गच्छति ॥ ४० ॥
 प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुपित्वा शाश्वतीः समा ।
 शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते ॥ ४१ ॥
 अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् ।
 एताद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम् ॥ ४२ ॥
 तत्र तं बुद्धिसंयोगं लागते पौर्वदेहिकम् ।
 यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनन्दन ॥ ४३ ॥
 पूर्वाम्यासेन तेनैव हियते ह्यवशोऽपि सः ।
 जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मानिवर्तते ॥ ४४ ॥
 प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्बिषः ।
 अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम् ॥ ४५ ॥

| के उक्त प्रश्न का भगवान् ने जो उत्तर दिया है, वह कर्मयोगमार्ग मभी साधनों को
 | साधारणरीति उपयुक्त हो सकता है :-]

श्रीभगवान् के कहा :- (४०) हे पार्थ ! क्या इस लोक में और क्या परलोक
 में, ऐसे पुण्य वा कर्मी विनाश होता ही नहीं । क्योंकि हे तात ! कल्याणकारक कर्म
 करनेवाले किसी भी पुण्य की दुर्गति नहीं होती । (४१) पुण्यकर्ता पुण्यों को
 मिलनेवाले (स्वर्ग आदि) लोको को पा कर और (वहाँ) बहुत वर्षों तक निवास
 करके फिर यह योगभ्रष्ट अर्थात् कर्मयोग में भ्रष्ट पुरुष पवित्र श्रीमान् लोगों के घर
 में जन्म लेता है; (४२) अथवा बुद्धिमान् (कर्म-) योगियों के ही कुल में जन्म
 पाता है । इस प्रकार का जन्म (इस) लोक में बड़ा दुर्लभ है । (४३) उममें अर्थात्
 इस प्रकार प्राप्त हुए जन्म में वह पूर्वजन्म के बुद्धिमस्कार को पाता है; और हे
 कुरुनन्दन । यह उममें भूयः अर्थात् अधिक (योग-) सिद्धि पाने का प्रयत्न करता है ।
 (४४) अपने पूर्वजन्म के उम अम्याग में ही अवश अर्थात् अपनी इच्छा न रहने
 पर भी वह (पूर्व सिद्धि की ओर) रखा जाता है । जिसे (कर्म-) योग की जिज्ञासा
 (अर्थात् जान लेने की इच्छा) हो गई है, वह भी शब्दब्रह्म के परे चला जाता है ।
 (४५) (इस प्रकार) प्रयत्नपूर्वक उद्योग करते करने पापों से शुद्ध होता हुआ
 (कर्म-) योगी अनेक जन्मों के अनन्तर सिद्धि पा कर अन्त में उत्तम गति पा लेता है !

| [इन श्लोकों में योग, योगभ्रष्ट और योगी शब्द कर्मयोग में भ्रष्ट और
 | कर्मयोगी के अर्थ में ही व्यवहृत हैं । क्योंकि श्रीमान् कुल में जन्म लेने की स्थिति
 | दूसरे को इष्ट होता सम्भव नहीं है । भगवान् कहते हैं, कि पहले में (जिज्ञासा

हो सके उतना) शुद्धबुद्धि से कर्मयोग का आचरण करना आरम्भ करे। थोड़ा ही क्यों न हो ? पर इस रीति से जो कर्म किया जावेगा, वही इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में इस प्रकार अधिक अधिक सिद्धि मिलने के लिये उत्तरोत्तर कारणीभूत होगा; और उसीसे अन्त में पूर्ण सद्गति मिलती है। 'इस धर्म का थोड़ा-सा भी आचरण किया जाय, तो वह बड़े भय से रक्षा करता है' (गीता २. ४०); और 'अनेक जन्मों के पश्चात् वासुदेव की प्राप्ति होती है' (७. १९), ये श्लोक उसी सिद्धान्त के पूरक हैं। अधिक विवेचन गीतारहस्य के प्र. १०, पृ. २८४-२८७ में किया गया है। ४४ वें श्लोक के शब्दब्रह्म का अर्थ है 'वैदिक यज्ञयाग आदि काम्यकर्म'। क्योंकि ये कर्म वेदविहित हैं; और वेदों पर श्रद्धा रख कर ही किये जाते हैं; तथा वेद अर्थात् सब सृष्टि के पहले पहल का शब्द यानी शब्दब्रह्म है। प्रत्येक मनुष्य पहले पहल सभी कर्म काम्यबुद्धि से किया करता है। परन्तु इस कर्म से जैसी जैसी चित्तशुद्धि हो जाती है, वैसे ही वैसे आगे निष्कामबुद्धि से कर्म करने की इच्छा होती है। इसी से उपनिषदों में और महाभारत में भी (मैत्र्यु. ६. २२ अमृतविन्दु. १७; म. भा.शां. २३१. ६३; २६९. १) यह वर्णन है, कि :-

द्वे ब्रह्मणो वेदित्त्ये शब्दब्रह्म परं च यत् ।

शब्दब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति ॥

'जानना चाहिये, कि ब्रह्म दो प्रकार का है; एक और दूसरा उससे परे का (निर्गुण)। शब्दब्रह्म में निष्णात हो जाने पर फिर इससे परे का (निर्गुण) ब्रह्म प्राप्त होता है।' शब्दब्रह्म के काम्यकर्मों से उकता कर अन्त में लोकसंग्रह के अर्थ इन्हीं कर्मों को करानेवाले कर्मयोग की इच्छा होती है; और फिर तब इस निष्काम कर्मयोग का थोड़ा थोड़ा आचरण होने लगता है। अनन्तर 'स्वल्पारम्भाः क्षेमकराः' के न्याय से ही थोड़ा-सा आचरण उस मनुष्य को इस मार्ग में धीरे धीरे खींचता जाता है; और अन्त में क्रम क्रम से पूर्ण सिद्धि करा देता है। ४४ वे श्लोक में जो यह कहा है, कि 'कर्मयोग के जान लेने की इच्छा होने से भी वह शब्दब्रह्म के परे जाता है' उसका तात्पर्य भी यही है। क्योंकि यह जिज्ञासा कर्मयोगरूपी चरखे का मुँह है; और एक बार इस चरखे के मुँह में लग जाने पर (फिर इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, कभी न कभी) पूर्ण सिद्धि मिलती है; और वह शब्दब्रह्म से परे के ब्रह्म तक पहुँचे बिना नहीं रहता। पहले पहल जान पड़ता है, कि यह सिद्धि जनक आदि को एक ही जन्म में मिल गई होगी। परन्तु तात्त्विक दृष्टि से देखने पर चलना है, कि उन्हें भी यह फल जन्मजन्मान्तर के पूर्वसंस्कार से ही मिला होगा। अस्तु; कर्मयोग का थोड़ा-सा आचरण, यहाँ तक कि जिज्ञासा भी सदैव कल्याणकारक है, इसके अतिरिक्त अन्त में मोक्षप्राप्ति भी निःसन्देह इसी से होती है। अतः अब भगवान् अर्जुन से कहते हैं, कि :-]

§ § तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः ।

कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन ॥ ४६ ॥

(४६) तपस्वी लोगों की अपेक्षा (कर्म-) योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानी पुरुषों की अपेक्षा भी श्रेष्ठ है; और कर्मकाण्डवालों की अपेक्षा भी श्रेष्ठ समझा जाता है। इसलिये हे अर्जुन! तू योगी अर्थात् कर्मयोगी हो।

[जटनल में जा कर उपवास आदि शरीर को क्लेशदायक व्रतों से अथवा हठयोग के साधनों से सिद्धि पानेवाले लोगों को इस श्लोक में तपस्वी कहा है; और सामान्य रीति से इस शब्द का यही अर्थ है। 'ज्ञानयोगेन सांख्यानानां' (गीता ३.३) में वर्णित ज्ञान (अर्थात् सांख्यमार्ग) से कर्म छोड़ कर सिद्धि प्राप्त कर लेनेवाले साध्यनिष्ठ लोगों को ज्ञानी माना है। इसी प्रकार गीता २.४२, ४४ और ९. २०, २१ में वर्णित निरे काम्यकर्म करनेवाले स्वर्गपरायण कर्मठ मीमांसकों को कर्मी कहा है। इन तीनों पन्नों में से प्रत्येक यही कहता है, कि हमारे ही मार्ग से सिद्धि मिलती है। किन्तु अब गीता का यह कथन है, कि तपस्वी हो, चाहे कर्मठ मीमांसक हो या ज्ञाननिष्ठ सांख्य हो; इनमें प्रत्येक की अपेक्षा कर्मयोगी - अर्थात् कर्मयोगमार्ग भी - श्रेष्ठ है। और पहले यही सिद्धान्त 'अकर्म की अपेक्षा कर्म श्रेष्ठ है०' (गीता ३.८) एवं कर्मसंन्यास की अपेक्षा कर्मयोग विशेष है०' (गीता ५.२) इत्यादि श्लोकों में वर्णित है (देखो गीतार. प्र. ११, पृ. ३०९, ३१०)। और तो क्या? तपस्वी, मीमांसक अथवा ज्ञानमार्गी इनमें से प्रत्येक की अपेक्षा कर्मयोगी श्रेष्ठ है, 'इमीलिये' पीछे जिस प्रकार अर्जुन को उपदेश किया है, कि 'योगस्य हो कर कर्म कर' (गीता २.४८; गीतार. प्र. ३, पृ. ५७) अथवा 'योग का आश्रय करके खड़ा हो' (४.४२), उसी प्रकार यहाँ भी फिर स्पष्ट उपदेश किया है, कि 'तू (कर्म-) योगी हो।' यदि इस प्रकार कर्मयोग को श्रेष्ठ न मानें, तो 'तस्मान् तू योगी हो' उग उपदेश का 'तस्मान् = इमीलिये' पद निरर्थक हो जावेगा। किन्तु संन्यासमार्ग के टीकाकारों को यही सिद्धान्त कैसे स्वीकृत हो सकता है? अतः उन लोगों ने 'ज्ञानी' शब्द का अर्थ बदल दिया है; और वे कहते हैं, कि ज्ञानी शब्द का अर्थ है शब्दज्ञानी; अथवा वे लोग, कि जो सिर्फ पुस्तकें पढ़ कर ज्ञान की लम्बी-चौड़ी बातें छाँटा करते हैं। किन्तु यह अर्थ निरे साम्प्रदायिक आप्रह का है। ये टीकाकार गीता के इन अर्थ को नहीं चाहते, कि कर्म छोड़नेवाले ज्ञानमार्ग को गीता कम दर्जे का समझती है। क्योंकि इनमें उनके साम्प्रदाय को गौणता आती है। और इमी लिये 'कर्मयोगो विनिष्पन्ने' (गीता ५.२) का भी अर्थ उन्होंने बदल दिया है। परन्तु उगका पूरा पूरा विचार गीतारहस्य के ११ वे प्रकरण में कर चुके हैं। अतः इस श्लोक का जो अर्थ हमने किया है,

योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना ।

श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥ ४७ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे
ध्यानयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥

[उसके विषय में यहाँ अधिक चर्चा नहीं करते । हमारे मत में यह निर्विवाद है, कि
गीता के अनुसार कर्मयोगीमार्ग ही सब में श्रेष्ठ है । अब आगे के श्लोक में बत-
लाते हैं, कि कर्मयोगियों में भी मैं उसे ही सब में उत्तम युक्त अर्थात् उत्तम

(४७) तथापि सब (कर्म-) योगियों में भी मैं उसे ही सब में उत्तम युक्त अर्थात् उत्तम
सिद्ध कर्मयोगी समझता हूँ, कि जो मुझमें अन्तःकरण रख कर श्रद्धा से मुझको
भजता है ।

[इस श्लोक का यह भावार्थ है, कि कर्मयोग में भी भक्ति का प्रेमपूरित
मेल हो जाने से यह योगी भगवान् को अत्यन्त प्रिय हो । इसका यह अर्थ नहीं
है, निष्काम कर्मयोग की अपेक्षा भक्ति श्रेष्ठ है । क्योंकि आगे बारहवें अध्याय में
भगवान् ने ही स्पष्ट कह दिया है, कि ध्यान की अपेक्षा कर्मफलत्याग श्रेष्ठ है
(गीता १२. १२) । निष्काम कर्म और भक्ति के समुच्चय को श्रेष्ठ कहना एक बात
है; और सब निष्काम कर्मयोग को व्यर्थ कह कर भक्ति ही श्रेष्ठ बतलाना दूसरी
बात है । गीता का सिद्धान्त पहले ढँग का है, और भागवतपुराण का पक्ष दूसरे
ढँग का है । भागवत (१. ५. ३४) में सब प्रकार के क्रियायोग को आत्मविघातक
निश्चित कर कहा है :-

नैष्कर्म्यमप्यच्युतभाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम् ।

नैष्कर्म्यं अर्थात् निष्काम कर्म भी (भाग. ११. ३. ४६) बिना भगवद्भक्ति के शोभा
नहीं देता, वह व्यर्थ है (भाग. १. ५. १२ और १२. १२. ५२) ? इससे व्यक्त
होगा, कि भागवतकार का ध्यान केवल भक्ति के ही ऊपर होने के कारण वे विशेष
प्रसङ्ग पर भगवद्गीता के भी आगे कौसी चौकड़ी भरते हैं । जिस पुराण का निरूपण
इस समझ से किया गया है, महाभारत में और इससे गीता में भी भक्ति का जैसा
वर्णन होना चाहिये, वैसा नहीं हुआ, उसमें यदि उक्त वचनों के समान और भी
कुछ वाते मिले, तो कोई आश्चर्य नहीं । पर हमें तो देखना है गीता का तात्पर्य;
न कि भागवत का कथन । दोनों का प्रयोजन और समय भी भिन्न भिन्न है । इस
कारण बात-बात में उनकी एकवाक्यता करना उचित नहीं है । कर्मयोग की साम्य-
बुद्धि प्राप्त करने के लिये जिन साधनों की आवश्यकता है, उनमें से पानजल्योग

के माधनो का इस अध्याय में निरूपण किया गया। ज्ञान और भक्ति भी अन्य माधन हैं। अगले अध्याय से इनके निरूपण का आरम्भ होगा।]

इस प्रकार श्रीभगवान् के गाये हुए—अर्थात् कहे हुए—उपनिषद् में ब्रह्मविद्यान्तर्गत योग—अर्थात् कर्मयोग—शास्त्रविषयक श्रीकृष्ण और अर्जुन के संवाद में ध्यानयोग नामक छठा अध्याय समाप्त हुआ।

सातवाँ अध्याय

[पहले यह प्रतिपादन किया गया, कि कर्मयोग माध्यमार्ग के समान ही मोक्षप्रद है; परन्तु स्वतन्त्र है और उममे श्रेष्ठ है और यदि इस मार्ग का घोड़ा भी आचरण किया जाय तो वह व्यर्थ नहीं जाता। अनन्तर इस मार्ग की मिद्धि के लिये आवश्यक इन्द्रियनिग्रह करने की रीति का वर्णन किया गया है। किन्तु इन्द्रियनिग्रह से मनलब्ध निरी वाह्यक्रिया में नहीं है। जिसके लिये इन्द्रियो की यह कर्मरत करनी है उमका अब तक विचार नहीं हुआ। तीसरे अध्याय में भगवान् ने यह ही अर्जुन को इन्द्रियनिग्रह का यह प्रयोजन बतलाया है कि 'काम-श्रोत्र आदि शत्रु इन्द्रियों में अपना घर बना कर ज्ञान-विज्ञान का नाश करते हैं' (३.४०, ४१)। इमन्डिये पहले तू इन्द्रियनिग्रह करके इन शत्रुओं को मार डाल। और पिछले अध्याय में योगयुक्त पुरुष का यों वर्णन किया है, कि इन्द्रियनिग्रह के द्वारा 'ज्ञान-विज्ञान में तृप्त हुआ' (६.८) योगपुरुष 'ममस्त प्राणियो में परमेश्वर को और परमेश्वर में ममस्त प्राणियो को देखता है' (६.२९)। अतः जब इन्द्रियनिग्रह करने की विधि बतला चुके, तब यह बतलाना आवश्यक हो गया, कि 'ज्ञान' और 'विज्ञान' किसे कहते हैं? और परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान होकर कर्मों को न छोड़ने हुए भी कर्मयोगमार्ग की किन विधियों में अन्त में निःमन्दिग्र मोक्ष मिद्धता है? मानवे अध्याय में लेकर मन्त्रद्वे अध्याय के अन्तपर्यन्त—ग्यारह अध्यायो में—इसी विषय का वर्णन है; और अन्त के अठारहवें अध्याय में सब कर्मयोग का उपसंहार है। मृष्टि में अनेक प्रकार के अनेक विनाशवान् 'पदार्थों में एव ही अविनाशी परमेश्वर समा र्हा है—इस समझ का नाम है 'ज्ञान'; और एव ही निम्न परमेश्वर में विविध नाशवान् पदार्थों की उत्पत्ति को समझ देना 'विज्ञान' कहलाना है' (गीता १३.३०)। एव इसी को शर-अशर का विचार कहते हैं। इनके मिया आने शरीर में अर्थात् क्षेत्र में जिसे आत्मा कहते हैं, उममे मन्वे स्वल्प को जान देने में भी परमेश्वर के स्वल्प का बोध हो जाता है। इस प्रकार के विचार को क्षेत्रक्षेत्रविचार कहते हैं। इनमें से पहले शर-अशर के विचार का वर्णन करने फिर तेरहवें अध्याय में क्षेत्रक्षेत्र के विचार का वर्णन किया है। यद्यपि परमेश्वर एव है,

सप्तमोऽध्यायः ।

श्रीभगवानुवाच ।

मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः ।

असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ॥ १ ॥

ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः ।

यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ज्ञातव्यमवशिष्यते ॥ २ ॥

तथापि उपासना की दृष्टि से उसमें दो भेद होते हैं । उसका अव्यक्त स्वरूप केवल बुद्धि से ग्रहण करने योग्य है ; और व्यक्त स्वरूप प्रत्यक्ष अवगम्य है । अतः इन दोनों मार्गों या विधियों को इसी निरूपण में बतलाना पडा , कि बुद्धि से परमेश्वर को कैसे पहचाने ? और श्रद्धा या भक्ति से व्यक्त स्वरूप की उपासना करने से उसके द्वारा अव्यक्त का ज्ञान कैसे होता है ? तब इस समूचे विवेचन में यदि ग्यारह अध्याय लग गये, तो कोई आश्चर्य नहीं है । इसके सिवा, इन दो मार्गों से परमेश्वर के ज्ञान के साथ ही इन्द्रियनिग्रह भी आप-ही-आप हो जाता है । अतः केवल इन्द्रियनिग्रह करा देनेवाले पानजल्योगमार्ग की अपेक्षा मोक्षधर्म में ज्ञानमार्ग और भक्तिमार्ग की योग्यता भी अधिक मानी जाती है । तो भी स्मरण रहे, कि यह सारा विवेचन कर्मयोगमार्ग के उपपादन का एक अंश है, वह स्वतन्त्र नहीं है । अर्थात् गीता के पहले छः अध्यायों में कर्म, दूसरे पट्टक में भक्ति और तीसरी पठध्यायी में ज्ञान, इस प्रकार गीता के जो तीन स्वतंत्र विभाग किये जाते हैं, वे तत्त्वतः ठीक नहीं हैं । स्थूलमान से देखने में ये तीनों विषय गीता में आये हैं सही; परन्तु वे स्वतन्त्र नहीं हैं । किन्तु कर्मयोग के अङ्गों के रूप से ही उनका विवेचन किया गया है । इस विषय का प्रतिपादन गीतारहस्य के चौदहवें प्रकरण (पृ ४५५-४६०) में किया गया है । इसलिये यहाँ उसकी पुनरावृत्ति नहीं करते । अब देखना चाहिये, कि सातवें अध्याय का आरम्भ भगवान् किस प्रकार करते हैं ?]

श्रीभगवान् ने कहा :- (१) हे पार्थ ! भुझ मे चित्त लगा कर और मेरा ही आश्रय करके (कर्म-) योग का आचरण करते हुए तुझे जिस प्रकार से या जिस विधि से मेरा पूर्ण और सशयविहीन ज्ञान होगा, उसे सुन । (२) विज्ञानसमेत इस पूरे ज्ञान को मैं तुझसे कहता हूँ कि जिसके जान लेने से इस लोक में फिर और कुछ भी जानने के लिये नहीं रह जाता ।

[पहले श्लोक के 'मेरा ही आश्रय करके' इन शब्दों से और विशेष कर 'योग' शब्द से प्रकट होता है, कि पहले के अध्यायों में वर्णित कर्मयोग की सिद्धि के लिये ही अगला ज्ञान-विज्ञान कहा है - स्वतन्त्र रूप से नहीं बतलाया

मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये ।

यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः ॥ ३ ॥

हे (देखो गीतार. प्र. १४, पृ. ४५९) । न केवल इसी श्लोक में, प्रत्युत गीता में अन्यत्र भी कर्मयोग को लक्ष्य कर ये शब्द आये हैं — 'मद्योगमाश्रितः' (गीता १२.११), 'मत्परः' (गीता १८.५७ और ११.५५) ; अतः इस विषय में कोई शङ्का नहीं रहती, कि परमेश्वर का आश्रय करके जिम योग का आचरण करने के लिये गीता कहती है, वह पीछे के छः अध्यायों में प्रतिपादित कर्मयोग ही है । कुछ लोग विज्ञान का अर्थ अनुभविक ब्रह्मज्ञान अथवा ब्रह्म का नाशालकार करने हैं । परन्तु ऊपर के कथनानुसार हमें ज्ञात होता है, कि परमेश्वरी ज्ञान के ही समष्टिरूप (ज्ञान) और व्यष्टिरूप (विज्ञान) ये दो भेद हैं (गीता १३.३० और १८.२० देखो) । दूसरे श्लोक — 'फिर और कुछ भी जानने के लिये नहीं रह जाता' — उपनिषद् के आधार से लिये गये हैं । छान्दोग्य उपनिषद् में श्वेतनेतु मे उनके बाप ने यह प्रश्न किया है, कि 'येन... अविज्ञानं विज्ञातं भवति' — वह क्या है, कि जिस एक के जान लेने से सब कुछ जान लिया जाता है ? और फिर आगे उसका इस प्रकार खुलासा किया है :- 'यथा मौर्म्येन मृत्पिण्डेन सर्वं मृण्मयं विज्ञानं स्याद्वाचारम्भणं विकारो नामधरं मृत्तिवैत्येव मत्सम्' (छा. ६, १.४) — हे तान ! जिम प्रकार मिट्टी के एक गोठे के भीतरी भेद को जान लेने से ज्ञान हो जाता है, कि शेष मिट्टी के पदार्थ उसी मृत्तिका के विभिन्न नामरूप धारण करनेवाले विचार हैं । और कुछ नहीं है; उसी प्रकार ब्रह्म को जान लेने से दूसरा कुछ भी जानने के लिये नहीं रहता । मुष्टक उपनिषद् (१.१.३) में भी आरम्भ में ही यह प्रश्न है, कि 'कस्मिन् भगवो विज्ञाने सर्वमिदं विज्ञानं भवति' — किसका ज्ञान हो जाने से अन्य सब यन्त्रों का ज्ञान हो जाता है ? इसमें व्यक्त होता है, कि अद्वैत वेदान्त का यही तत्त्व यहीं अभिप्रेत है, कि एक परमेश्वर का ज्ञानविज्ञान हो जाने से इस जगत् में और कुछ भी जानने के लिये रह नहीं जाता । क्योंकि जगत् का मूलरूप तो एक ही है । नाम और रूप के भेद से वही सर्वत्र ममाया हुआ है । निवा उससे और कोई दूसरा यन्त्र दुनिया में है ही नहीं । यदि ऐसा न हो तो दूसरे श्लोक की प्रतिज्ञा सायब नहीं होती ।]

(३) इसी मनुष्यों में कोई एक-आध ही मिट्टि पाने का यत्न करता है; और प्रयत्न करनेवाले इन (अनेक) मिट्टि पुरानों में से एक-आध को ही भोग मत्त्वा ज्ञान हो जाता है ।

[ज्ञान गे कि यही प्रयत्न करनेवालों को यद्यपि मिट्टि पुराने बह दिया है, तपानि परमेश्वर का ज्ञान हो जाने पर ही उन्हें मिट्टि प्राप्त होती है; अन्यथा

§§ भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च ।
 अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥ ४ ॥
 अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम् ।
 जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् ॥ ५ ॥
 एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय ।
 अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥ ६ ॥
 मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनंजय ।
 मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ॥ ७ ॥

। नहीं । परमेश्वर के ज्ञान के क्षर-अक्षर-विचार और क्षेत्रक्षेत्रज्ञ-विचार ये दो भाग
 । है । इनमें से अब क्षर-अक्षर-विचार का आरम्भ करते हैं :-]

(४) पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश (पाँच सूक्ष्म भूत), मन, बुद्धि
 और अहंकार इन आठ प्रकारों में मेरी प्रकृति विभाजित है । (५) यह अपरा
 अर्थात् निम्न श्रेणी की (प्रकृति) है । हे महाबाहु अर्जुन ! यह जानो कि इससे
 भिन्न, जगत् को धारण करनेवाली परा अर्थात् उच्च श्रेणी की जीवनस्वरूपी मेरी
 दूसरी प्रकृति है । (६) समझ रखो, कि इन्हीं दोनों से सब प्राणी उत्पन्न होते हैं ।
 सारे जगत् का प्रभाव अर्थात् मूल प्रलय अर्थात् अन्त मैं ही हूँ । (७) हे धनजय !
 मुझ से परे और कुछ नहीं है । धागे में पिरोये हुए मणियों के समान मुझ में यह सब
 गुँथा हुआ है ।

[इन चारों श्लोको में सब क्षर-अक्षर-ज्ञान का सार आ गया है; और
 । अगले श्लोको में इसी का विस्तार किया है । सांख्यशास्त्र में सब सृष्टि के अचेतन
 । अर्थात् जडप्रकृति और सचेतन पुरुष ये दो स्वतन्त्र तत्त्व बतला कर प्रतिपादन
 । किया है, कि इन दोनों तत्त्वों से पदार्थ उत्पन्न हुए — इन दोनों से परे तीसरा
 । तत्त्व नहीं है । परन्तु गीता को यह द्वैत मजूर नहीं । अतः पाँचवें श्लोक में वर्णन
 । किया है, कि इनमें जडप्रकृति निम्न श्रेणी की विभूति है; और जीव अर्थात्
 । पुरुष श्रेष्ठ श्रेणी की विभूति है । और कहा है, कि इन दोनों से समस्त स्थावर-
 । जडगम सृष्टि उत्पन्न होती है (देखो गीता १३. २६) । इनमें से जीवभूत श्रेष्ठ
 । प्रकृति का विस्ताररहित विचार क्षेत्रज्ञ की दृष्टि से आगे तेरहवें अध्याय में
 । किया है । अब रह गई जडप्रकृति । सो गीता का सिद्धान्त है (देखो गीता ९. १०),
 । कि वह स्वतन्त्र नहीं; परमेश्वर की अध्यक्षता में उससे समस्त सृष्टि की
 । उत्पत्ति होती है । यद्यपि गीता में प्रकृति को स्वतन्त्र नहीं माना है, तथापि
 । सांख्यशास्त्र में प्रकृति के जो भेद हैं, उन्हीं को कुछ हेरफेर से गीता में ग्राह्य
 । कर लिया है (गीतार. प्र. ८, पृ. १८०-१८४) । और परमेश्वर से माया के

§§ रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रमास्मि शशिसूर्ययोः ।

प्रणवः सर्ववेदेषु गन्धः खे पौरुषं नृपु ॥ ८ ॥

द्वारा जडप्रकृति उत्पन्न हो चुकने पर (गीता ७. १४) माख्यो का किया हुआ यह वर्णन कि प्रकृति में सब पदार्थ कैसे निर्मित हुए अर्थात् गुणोत्कर्ष का तत्त्व भी गीता को मान्य है (देखो गीतार. प्र. ९, पृ. २५४) । माख्यो का कथन है, कि प्रकृति और पुण्य मिल कर कुल पञ्चीम तत्त्व है । इनमें प्रकृति में ही तेईस तत्त्व उपजते हैं । इन तेईस तत्त्वों में पाँच स्थूल भूत, दस इन्द्रियाँ और मन ये सोलह तत्त्व शेष सात तत्त्वों में निकले हुए अर्थात् उनके विकार हैं । अतएव यह विचार करते समय (कि 'मूलतत्त्व' कितने हैं ?) इन सोलह तत्त्वों को छोड़ देने हैं; और इन्हे छोड़ देने से बुद्धि (महान्) अहट्कार और पचतन्मात्राएँ (सूक्ष्मभूत) मिल कर मात ही मूलतत्त्व बचे रहते हैं । माध्यशाम्भ्र में इन्हीं सातों को 'प्रकृति-विकृति' कहते हैं । ये सात प्रकृति-विकृति और मूल-प्रकृति मिल कर अब आठ ही प्रकार की प्रकृति हुई; और महाभारत (शा. ३१०.१०-१५) में इसी को अष्टधा प्रकृति कहा है । परन्तु मात प्रकृतिविकृतियों के मात ही मूलप्रकृति की गिनती कर लेना गीता को योग्य नहीं जँचा । क्योंकि ऐसा करने में यह भेद नहीं दिखलाया जाता, कि एक मूल है; और उसके मात विकार हैं । इसी में गीता के इस वर्गीकरण में — कि मात प्रकृतिविकृति और मन मिल कर अष्टधा मूलप्रकृति है — और महाभारत के वर्गीकरण में थोड़ा-सा भेद किया गया है (गीतार. प्र. ८, पृ. १८४) । माराण, यद्यपि गीता को माख्यवालों की स्वतन्त्र प्रकृति स्वीकृत नहीं; तथापि स्मरण रहे, कि उसके अगले विस्तार का निरूपण दोनोंने बन्धुनः समान ही किया है । गीता के समान उपनिषद् में भी वर्णन है, मामान्यतः परब्रह्म मे ही :-

एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च ।

खं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी ॥

'इम (पर पुण्य) में प्राण, मन, सब इन्द्रियाँ, आकाश, वायु, अग्नि, जल और विद्युत् को धारण करनेवाली पृथ्वी — ये (सब) उत्पन्न होते हैं' (मुण्ड. २. १३; मं. १. १५, प्रश्न ६-४) । अधिक् जानना हो, तो गीताग्रहस्य का ८ वाँ प्रकरण देखो । चौथे श्लोक में कहा है, कि पृथ्वी, आर प्रभृति पचतन्व में ही हैं — और अब यह कह कर, कि इन तन्वों में जो गुण हैं, वे भी मैं ही हूँ — और वे इम कथन का स्पष्टीकरण करते हैं, कि ये सब पदार्थ एक ही धाम में मणियों के समान विरोधे हुए हैं —]

(८) है कौन्तेय । जड में रस में हूँ । चन्द्रसूर्य की प्रभा में हूँ । सब वेदों में प्रणव अर्थात् ध्वजार मैं हूँ । आकाश में गन्ध में हूँ और सब पुण्यों का पौरुष

पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ ।

जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु ॥ ९ ॥

वीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् ।

बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् ॥ १० ॥

बलं बलवतामस्मि कामरागविवर्जितम् ।

धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ॥ ११ ॥

ये चैव सात्त्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये ।

मत्त एवेति तान्विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि ॥ १२ ॥

मैं हूँ । (९) पृथ्वी में पुण्यगन्ध अर्थात् सुगन्धि एव अग्नि का तेज मैं हूँ । सब प्राणियों की जीवनशक्ति और तपस्वियों का तप मैं हूँ । (१०) हे पार्थ ! मुझको सब प्राणियों का सनातन वीज समझ । बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज भी मैं हूँ । (११) काम (वासना) और राग अर्थात् विषयासक्ति (इन दोनों को) घटा कर बलवान् लोगों का बल मैं हूँ, और हे भरतश्रेष्ठ ! प्राणियों में — धर्म के विरुद्ध न जानेवाला — काम भी मैं हूँ । (१२) और यह समझ, कि जो कुछ सात्त्विक, राजस या तामस भाव अर्थात् पदार्थ हैं, वे सब मुझसे ही हुए हैं । परन्तु वे मुझमें हैं, मैं उनमें नहीं हूँ ।

[' वे मुझमें हैं, मैं उनमें नहीं हूँ ' इसका अर्थ बड़ा ही गम्भीर है । पहला अर्थात् प्रकट अर्थ यह है, कि सभी पदार्थ परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं । इसलिये मणियोंमें धागे के समान इन पदार्थोंका गुणधर्म भी यद्यपि परमेश्वर ही है, तथापि परमेश्वर की व्याप्ति इसी में नहीं चुक जाती । समझना चाहिये, कि इनको व्याप्त कर इनके परे भी यही परमेश्वर है, और यही अर्थ आगे ' इस समस्त जगत् को मैं एकाक्ष से व्याप्त कर रहा हूँ ' (गीता १० ४२) इस श्लोक में वर्णित है । परन्तु इसके अतिरिक्त दूसरा भी अर्थ सदैव विवक्षित रहता है । वह यह, कि त्रिगुणात्मक जगत् का नानात्व यद्यपि मुझसे निर्गुण हुआ दीख पड़ता है, तथापि वह नानात्व मेरे निर्गुण स्वरूप में नहीं रहता, और इस दूसरे अर्थ को मन में रख कर ' भूपभूत न च भ्रतस्थ (९ ४ और ५) इत्यादि परमेश्वर की अलौकिक शक्तियों के वर्णन किये गये हैं (गीता १३ १४-१६) । इस प्रकार यदि परमेश्वर की व्याप्ति समस्त जगत् से भी अधिक है, तो प्रकट है, कि परमेश्वर के सच्चे स्वरूप को पहचानने के लिये इस मायिक जगत् से भी परे जाना चाहिये, और अब उसी अर्थ को स्पष्टतया प्रतिपादन करते हैं । -]

§ § त्रिमिर्गुणमयैर्मविरेमिः सर्वमिदं जगत् ।

मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमच्यम् ॥ १३ ॥

देवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया ।

मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ १४ ॥

न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः ।

माययापहतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः ॥ १५ ॥

(१३) (सत्त्व, रज और तम) इन तीन गुणात्मक भावों से अर्थात् पदार्थों से मोहित हो कर सारा मन्तार इनमें परे के (अर्थात् निर्गुण) भुक्त अव्यय (परमेश्वर) को नहीं जानता ।

[माया के सम्बन्ध में गीतारहस्य के ९ वे प्रकरण में यह सिद्धान्त है कि माया अथवा अज्ञान त्रिगुणात्मक देहेन्द्रिय का घमं है; न कि आत्मा का । आत्मा तो ज्ञानमय और नित्य है । इन्द्रियाँ उसको भ्रम में डालती हैं—उसी अद्वैती सिद्धान्त को ऊपर के श्लोक में कहा है । (देखो गीता ७. २४ और गीतार. प्र ९, पृ. २३७—२४०.)

(१४) मेरी यह गुणात्मक और दिव्य माया दुस्तर है । अतः इस माया को वे पार कर जाते हैं, जो मेरी ही शरण में आते हैं ।

[इसमें प्रष्ट होना है, कि साध्यशास्त्र की त्रिगुणात्मक प्रकृति को ही गीता में भगवान् अपनी माया कहते हैं । महाभारत के नारायणीयोपाख्यान में कहा है कि नागद को विष्वम्प दिग्गज कर अन्न में भगवान् बोधे, कि :-

माया ह्येषा मया सृष्टा मन्मां परयसि नारद ।

सर्वभूतगुणैर्षुषनं नैव त्वं ज्ञातुमर्हसि ॥

['हे नागद ! तुम जिसे देख रहे हो, वह मेरी उत्पन्न की हुई माया है । तुम मुझे मय प्राणियों के गुणों में सुप्त मन ममज्ञो' (शा ०३९, ८८) । वही सिद्धान्त अब यहाँ भी बतलाया गया है । गीतारहस्य के ९ वे और १० वे प्रकरण में बतल दिया है, कि माया क्या चीज है ?]

(१५) माया ने जितना ज्ञान नष्ट कर दिया है, ऐसे मूढ़ और दुष्कर्मों नराधम आसुरी बुद्धि में पड़ कर मेरी शरण में नहीं आते ।

[यह बतलाना दिना, कि माया में दूबे रहनेवाले लोग परमेश्वर को भुक्त जाते हैं, और नष्ट हो जाते हैं । अतः ऐसा न करनेवाले अर्थात् परमेश्वर की शरण में आ कर उसकी भक्ति करनेवाले लोगों का वर्णन करने हैं ।]

§§ चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन ।

आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ॥ १६ ॥

तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकमक्तिर्विशिष्यते ।

प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः ॥ १७ ॥

उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् ।

आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् ॥ १८ ॥

वहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते ।

वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः ॥ १९ ॥

(१६) हे भरतश्रेष्ठ अर्जुन ! चार प्रकार के पुण्यात्मा लोग मेरी भक्ति किया करते हैं :- १. आर्त अर्थात् रोग से पीडित, २. जिज्ञासु अर्थात् ज्ञान प्राप्त कर लेने की इच्छा करनेवाले, ३. अर्थार्थी अर्थात् द्रव्य आदि काम्य वासनाओं को मन में रखनेवाले और ४. ज्ञानी अर्थात् परमेश्वर का ज्ञान पा कर कृतार्थ हो जाने से आगे कुछ प्राप्त न करना हो, तो भी निष्कामबुद्धि से भक्ति करनेवाले । (१७) इसमें एक भक्ति अर्थात् अनन्यभाव से मेरी भक्ति करनेवाले और सदैव युक्त यानी निष्कामबुद्धि से वर्तनेवाले ज्ञानी की योग्यता विशेष है । ज्ञानी को मैं अत्यन्त प्रिय हूँ; और ज्ञानी मुझे (अत्यन्त) प्रिय है । (१८) ये सभी भक्त उदार अर्थात् अच्छे हैं; परन्तु मेरा मत है, कि इनमें ज्ञानी तो मेरा आत्मा ही है । क्योंकि युक्तचित्त हो कर (सब की) उत्तमोत्तम गतिस्वरूप मुझमें ही वह ठहरा रहता है । (१९) अनेक जन्मों के अनन्तर यह अनुभव हो जाने से - कि 'जो कुछ है, वह सब वासुदेव ही है' - ज्ञानवान् मुझे पा लेता है । ऐसा महात्मा अत्यन्त दुर्लभ है ।

[क्षर-अक्षर की दृष्टि से भगवान् ने अपने स्वरूप का यह ज्ञान बतला दिया, कि प्रकृति और पुरुष दोनों मेरे ही स्वरूप हैं; और चारों ओर मैं ही एकता से भरा हूँ । इसके साथ ही भगवान् ने ऊपर जो यह बतलाया है - कि इस स्वरूप की भक्ति करने से परमेश्वर की पहचान हो जाती है - उसके तात्पर्य को भलीभाँति स्मरण रखना चाहिये । उपासना सभी को चाहिये । फिरे चाहे व्यक्तकी करो, चाहे अव्यक्त की । परन्तु व्यक्त की उपासना सुलभ होने के कारण यहाँ उसी का वर्णन है; और उसी का नाम भक्ति है । तथापि स्वार्थबुद्धि को मन में रख कर किसी विशेष हेतु के लिये परमेश्वर की भक्ति करना निम्नश्रेणी की भक्ति है । परमेश्वर का ज्ञान पाने के हेतु से भक्ति करनेवाले (जिज्ञासु) को भी सच्चा ही समझना चाहिये । क्योंकि उसकी जिज्ञासुत्व-अवस्था से ही व्यक्त होता है, कि अभी तक उसको परिपूर्ण ज्ञान नहीं हुआ । तथापि कहा है; कि ये सब भक्ति करनेवाले होने

§§ कामैस्तीस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः ।

तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया ॥ २० ॥

यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयाचितुमिच्छति ।

तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् ॥ २१ ॥

के कारण उदार अर्थात् अच्छे मार्ग में जानेवाले हैं (श्लो. १८) पहले तीन श्लोकों का तात्पर्य है, कि ज्ञानप्राप्ति से कृतार्थ हो करके जिन्हें इस जगत् में कुछ करने अथवा पाने के लिये नहीं रह जाता (गीता ३. १७-१९) ऐसे ज्ञानी पुरुष निष्काम-बुद्धि में जो भक्ति करते हैं (भाग. १. ७. १०) वही सब में श्रेष्ठ है। प्रल्हाद-नारद आदि की भक्ति इमी श्रेष्ठ श्रेणी की है; और इमी से भागवत में भक्ति का लक्षण 'भक्तियोग अर्थात् परमेश्वर की निहेतुक और निरन्तर भक्ति' माना है [भाग. ३. २९. १२; और गीतार. प्र. १३, पृ. ४१२-४१३। १७ वे और १९ वे श्लोक के 'एकभक्तिः' और 'वामुदेव.' पद भागवतधर्म के हैं। और यह कहने में कोई क्षति नहीं, कि भक्तों का उक्त सभी वर्णन भागवतधर्म का ही है। क्योंकि महाभारत (शां. ३४१. ३३-३५) में उक्त धर्म के वर्णन में चतुर्विध भक्तों का उल्लेख करते हुए कहा है, कि :-

चतुर्विधा मम जना भवता एवं हि मे श्रुतम् ।

तेषामेकान्तिनः श्रेष्ठा ये चैवानन्यदेवताः ॥

अहमेव गतिस्तेषा निराशीः कर्मकारिणाम् ।

ये च शिष्टास्त्रयो भवताः फलशामा हि ते मताः ॥

सर्वे च्यवनधर्मास्ते प्रतिबुद्धस्तु श्रेष्ठमाक् ।

अनन्यदेवत और एकान्तिन भक्त जिन प्रकार 'निराशीः' अर्थात् फलान्तरहित कर्म करता है, उक्त प्रकार अन्य तीन भक्त नहीं करते। वे कुछ-न-कुछ हेतु मन में रख कर भक्ति करते हैं। इमी में वे तीनों च्यवनगीत हैं; और एकान्ती प्रतिबुद्ध (ज्ञानवार) हैं। एव आगे 'वामुदेव' शब्द की आध्यात्मिक व्युत्पत्ति यों की है :- 'नवमृगाधिवामन्य वामुदेवमनो ह्यहम्' - मैं वाम करता हूँ; इमी में मुझको वामुदेव कहते हैं (शां ३८१. ८०)। अब यह वर्णन करते हैं, कि यदि सर्वत्र एक ही परमेश्वर है, तो लोग भिन्न भिन्न देवताओं की उपासना क्यों करते हैं? और ऐसे उपासकों को क्या फल मिलता है?]

(२०) अपनी अपनी प्रवृत्ति के नियमानुसार भिन्न भिन्न (स्वयं आदि पदों की) कामवाचनाओं में पागल हुए लोग भिन्न भिन्न (उपासनाओं के) निज्मों को पाठ कर दूसरे देवताओं को भजने लगे हैं। (२१) जो भक्त जिन स्वयं की अपां देवता की श्रद्धा में उपासना करना चाहता है, उसकी श्रद्धा को मैं

स तथा श्रद्धया युक्तस्तस्या राधनमीहते ।

लभते च ततः कामान्मयैव विहितान्हि तान् ॥ २२ ॥

अन्तवन्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् ।

देवान्देवजयो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि ॥ २३ ॥

स्थिर कर देता हूँ । (२२) फिर उस श्रद्धा से युक्त होकर वह उस देवता का आराधना करने लगता है । एव उसको मेरे ही निर्माण किये हुए कामफल मिलते हैं । (२३) परन्तु (इन) अल्पबुद्धि लोगो को मिलनेवाले ये फल नाशवान् हैं (मोक्ष के समान स्थिर रहनेवाला नहीं हैं) । देवताओ को भजनेवाले उनके पास जाते हैं; और मेरे भक्त यहाँ आते हैं ।

[साधारण मनुष्यो की समझ होती है, कि यद्यपि परमेश्वर मोक्षदाता है, तथापि ससार के लिये आवश्यक अनेक इच्छित वस्तुओ को देने की शक्ति देवताओ मे ही है; और उनकी प्राप्ति के लिये इन्ही देवताओ की उपासना करनी चाहिये । इस प्रकार जब यह समझ दृढ हो गई, कि देवताओ की उपासना करनी चाहिये; तब अपनी स्वाभाविक श्रद्धा के अनुसार (देखो गीता १७. १-६) कोई पीपल पूजते हैं, कोई किसी चबूतरे की पूजा करते हैं, और कोई किसी बड़ी भारी शिला को सिद्धर से रँग कर पूजते हैं । इस बात का वर्णन उक्त श्लोको मे सुन्दर रीति से किया गया है । इसमे ध्यान देने योग्य पहली बात यह है, कि भिन्न भिन्न देवताओ की आराधना से जो फल मिलता है, उसे आराधक समझते हैं, कि उसके देनेवाले वे ही देवता हैं ? परन्तु पर्याय से वह परमेश्वर की पूजा हो जाती है (गीता ९. २३); और तात्त्विक दृष्टि से वह फल भी परमेश्वर ही दिया करता है (श्लो २२) यही नहीं, इस देवता की आराधना करने की बुद्धि भी मनुष्य के पूर्वकर्मानुसार परमेश्वर ही देता है (श्लोक २१) । क्योंकि इस जगत् मे परमेश्वर के अतिरिक्त और कुछ नहीं है । वेदान्तसूत्र (३. २. ३८-४१) और उपनिषद् (कौपी. ३. ८) मे भी यही सिद्धान्त है । इन भिन्न भिन्न देवताओ की भक्ति करते करते बुद्धि स्थिर और शुद्ध हो जाती है; तथा अन्त मे एक एव नित्य परमेश्वर का ज्ञान होता है — यही इन भिन्न भिन्न उपासनाओ का उपयोग है । परन्तु इससे पहले जो मिलते हैं, वे सभी अनित्य होते हैं । अतः भगवान् का उपदेश है, कि इन फलो की आशा में न उलझकर 'ज्ञानी' भक्त होने की उमङ्ग प्रत्येक मनुष्य को रखनी चाहिये । माना कि भगवान् सब बातो के करनेवाले और फलो के दाता है । पर वे जिसके जैसे कर्म होंगे, तदनुसार ही तो फल देगे (गीता ४. ११) । अतः तात्त्विक दृष्टि से यह भी कहा जाता है, कि वे स्वयं कुछ भी नहीं करते (गीता ५. १४) ।

§§ अव्यक्तं व्यक्तिभाषन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः ।

परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् ॥ २४ ॥

नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः ।

मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् ॥ २५ ॥

[गीतारहस्य के १० वे (पृ. २६९) और १३ वे प्रकरण (पृ. ४२९-४३०) में इस विषय का अधिक विवेचन है; उसे देखो। कुछ लोग यह भूल जाते हैं, कि देवताराधना का फल भी ईश्वर ही देता है; और वे प्रकृतिस्वभाव के अनुसार देवताओं की धुन में लग जाते हैं। अब ऊपर के उमी वर्णन का स्पष्टीकरण करते हैं]

(२४) अबुद्धि अर्थात् मूढ़ लोग मेरे श्रेष्ठ, उत्तमोत्तम और अव्यक्त रूप को जान कर मुझ अव्यक्त को व्यक्त हुआ मानते हैं! (२५) मैं अपनी योगरूप माया से आच्छादित रहने के कारण सब को (अपने स्वरूप में) प्रकट नहीं देखता। मूढ़ लोग नहीं जानते, कि मैं अज और अव्यय हूँ।

[अव्यक्त स्वरूप को छोड़ कर व्यक्त स्वरूप धारण कर लेने की युक्ति को योग कहते हैं (देखो गीता ४. ६; ७. १५; ९. ७)। वेदान्ती लोग इसी को माया कहते हैं। इस योगमाया से ढँका हुआ परमेश्वर व्यक्तस्वरूपधारी होता है। माराण - इस श्लोक का भावार्थ यह है, कि व्यक्तसृष्टि मायिक अथवा अनित्य है; और अव्यक्त परमेश्वर सच्चा या नित्य है। परन्तु कुछ लोग इस स्थान पर और अन्य स्थानों पर भी 'माया' का 'अलौकिक' अथवा 'विलक्षण' अर्थ मान कर प्रतिपादन करते हैं, कि यह माया मिथ्या नहीं - परमेश्वर के समान ही नित्य है। गीतारहस्य के नौवें प्रकरण में माया के स्वरूप का विस्तारमहित विचार किया है। इस कारण यहाँ इतना ही कह देते हैं, कि यह बात अद्वैत वेदान्त को भी मान्य है, कि माया परमेश्वर की ही कोई विलक्षण और अनादि लीला है। क्योंकि, माया यद्यपि इन्द्रियों का उत्पन्न किया हुआ दृश्य है, तथापि इन्द्रियाँ भी परमेश्वर की ही मत्ता में यह काम करती हैं। अतएव अन्न में इस माया को परमेश्वर की लीला ही कहनी पड़ता है। वाद है केवल इसके तन्वन् सत्य या मिथ्या होने में। जो उक्त श्लोकों में प्रकट होता है, कि इस विषय में अद्वैत वेदान्त के समान ही गीता का भी यही सिद्धान्त है, कि जिम नामरूपान्मक माया में अव्यक्त परमेश्वर व्यक्त माना जाता है, वह माया - फिर चाहे उसे अलौकिक शक्ति कहें या और कुछ - 'अज्ञान में उपजी हुई दिग्गज यन्तु' या 'मोह' है; सत्य परमेश्वरत्व इनमें पृथक् है। यदि ऐसा न हो, तो 'अबुद्धि' और 'मूढ़' शब्दों के प्रयोग करने का कोई कारण नहीं दीख पड़ता। माराण, माया सत्य नहीं - सत्य है एव परमेश्वर ही। किन्तु गीता का अर्थ है, कि इस माया में भूत रहने से लोग अनेक देवताओं के पद में पड़े रहते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद् (१. ४. १०)

वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन ।

भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन ॥ २६ ॥

इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत ।

सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप ॥ २७ ॥

येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम् ।

ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः ॥ २८ ॥

§ § जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ।

ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नमध्यात्मं कर्म चाखिलम् ॥ २९ ॥

साधिभूताधिदैवं मां साधियद्वां च ये विदुः ।

प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ॥ ३० ॥

इति श्रीमत्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन-
संवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥

[में इसी प्रकार का वर्णन है। वहाँ कहा है, कि जो लोक आत्मा और ब्रह्म को एक ही न जान कर भेदभाव से भिन्न भिन्न देवताओं के फन्दे में पड़े रहते हैं, वे 'देवताओं के पशु' है — अर्थात् गाय आदि पशुओं से जैसे मनुष्य को फायदा होता है, वैसे ही इन अज्ञानी भक्तों से सिर्फ देवताओं का ही फायदा है। उनके भक्तों को मोक्ष नहीं मिलता। माया में उलझ कर भेदभाव से अनेक देवताओं की उपासना करनेवालों का वर्णन हो चुका। अब बतलाते हैं, कि इस माया से धीरे धीरे छुटकारा क्योंकर होता है?]

(२६) हे अर्जुन ! भूत, वर्तमान और भविष्यत् (जो हो चुके हैं उन्हें, मौजूद और आगे होनेवाले) सभी प्राणियों को मैं जानता हूँ। परन्तु मुझे कोई भी नहीं जानता।

(२७) क्योंकि हे भारत ! (इन्द्रियों के) इच्छा और द्वेष से उपजनेवाले (सुख-दुःख आदि) द्वन्द्वों के मोह से इस सृष्टि में समस्त प्राणी, हे परन्तप ! भ्रम में फँस जाते हैं। (२८) परन्तु जिन पुण्यात्माओं के पाप का अन्त हो गया है, वे (सुख-दुःख आदि) द्वन्द्वों के मोह से छूट कर दृढव्रत हो करके मेरी भक्ति करते हैं।

[इस प्रकार माया से छुटकारा हो चुकने पर आगे उनकी जो स्थिति होती है, उसका वर्णन करते हैं :-]

(२९) (इस प्रकार) जो मेरा आश्रय कर जरामरण अर्थात् पुनर्जन्म के चक्कर से छूटने के लिये प्रयत्न करते हैं, वे (सब) ब्रह्म, (सब) अध्यात्म और सब कर्म को जान लेते हैं। (३०) और अधिभूत, अधिदैव एवं अधियज्ञमहित

(अर्थात् इस प्रकार, कि मैं ही मरूँ) जो मुझे जानते हैं, वे युक्तचित्त (होने के कारण) मरणकाल में भी मुझे जानते हैं।

[अगले अध्याय में अध्यात्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ का निरूपण किया है। धर्मशास्त्र का और उपनिषदों का सिद्धान्त है, कि मरणकाल में मनुष्य के मन में जो वासना प्रबल रहती है, उसने अनुसार उसे आगे जन्म मिलता है। इस सिद्धान्त को लक्ष्य करके अन्तिम श्लोक में 'मरणकाल में भी' शब्द है; तथापि उक्त श्लोक के 'भी' पद से स्पष्ट होता है, कि मरने से प्रथम परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान हुए बिना केवल अन्तकाण्ड में ही यह ज्ञान नहीं हो सकता (देखो गीता २. ७२)। विशेष विवरण अगले अध्याय में है। कह सकते हैं, कि इन दो श्लोकों में अधिभूत आदि शब्दों से आगे के अध्याय की प्रस्तावना ही की गई है।]

इस प्रकार श्रीभगवान् के गाये हुए — अर्थात् कहे हुए — उपनिषद् में ब्रह्म-विद्यान्तर्गत योग — अर्थात् कर्मयोग — शास्त्रविषयक धीवृष्ण और अर्जुन के संवाद में ज्ञानविज्ञानयोग नामक सातवाँ अध्याय समाप्त हुआ।

आठवाँ अध्याय

[इस अध्याय में कर्मयोग के अन्तर्गत ज्ञानविज्ञान का ही निरूपण हो रहा है। और पिछले अध्याय में ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ, ये जो परमेश्वर के स्वरूप के त्रिविध भेद कहे हैं, पहले उनका अर्थ बतलाकर विवेचन किया है, कि उनमें क्या तन्मय है? परन्तु यह विवेचन इन शब्दों की केवल व्याख्या करके अर्थात् अत्यन्त मधिम गीत में किया है। अतः यहाँ पर उक्त विषय का कुछ अधिग्रहण करना आवश्यक है। ब्राह्ममूठि के अवगोचन में उमके कर्ता की कल्पना अनेक लोग अनेक रीतियों में किया करते हैं। १. कोई कहते हैं, कि मूठि के मय पदार्थ पंचमहाभूता के ही विभाग हैं, और पंचमहाभूता को छोड़ मूल में द्रुमरा कोई भी तत्त्व नहीं है। २. दूसरे कुछ लोग (जैसा कि गीता के चौथे अध्याय में वर्णन है) यह प्रतिपादन करते हैं, कि ममत्त्व जगत् पन से हुआ है; और परमेश्वर यन्नागयन्मूर्त्ति है। यह न ही उगरी पूजा होनी है। ३. और कुछ लोग यह कहते हैं, कि स्वयं जगत् पदार्थ मूठि के व्यापार नहीं करते, किन्तु उनमें से कोई-न-कोई मन्त्र या शक्ति का शक्ति है, जो कि इन व्यवहारा को किया करते हैं। और अतीत में उन देवताओं की आराधना करनी चाहिए। उदाहरणार्थ, जगत् पञ्चमूर्त्ति मय का नाम में मय नाम का जो मय है, वही प्रकार देने वगैरे का नाम दिया करता है, अर्थात् वही उपाय है। ४. चौथे पक्ष का कथन है, कि

प्रत्येक पदार्थ में उस पदार्थ से भिन्न किसी देवता का निवास मानना ठीक नहीं है। जैसे मनुष्य के शरीर में आत्मा है, वैसे ही प्रत्येक वस्तु में इसी वस्तु का कुछ-न-कुछ सूक्ष्मरूप अर्थात् आत्मा के समान सूक्ष्म शक्ति वास करती है। वही उसका मूल और सच्चा स्वरूप है। उदाहरणार्थ, पत्र स्थूल महाभूतो में पत्र सूक्ष्म तन्मात्राएँ और हाथपैर आदि स्थूल इन्द्रियो में सूक्ष्म इन्द्रियाँ मूलभूत रहती है। इसी चीथे तत्त्व पर साध्यों का यह मत भी अवलम्बित है, कि प्रत्येक मनुष्य का आत्मा भी पृथक् पृथक् है, और पुरप असख्य है। परन्तु जान पड़ता है, कि यहाँ इस साध्य मत का 'अधिदेह' वर्ग में समावेश किया गया है। उक्त चार पक्षों को ही क्रम से अधिभूत, अधियज्ञ, अधिदैवत और अध्यात्म कहते हैं। किसी भी शब्द के पीछे 'अधि' उपसर्ग रहने से यह अर्थ होता है—'तमधिकृत्य', 'तद्विषयक', 'उस सम्बन्ध का' या 'उसमें रहनेवाला'। इस अर्थ के अनुसार अधिदैवत अनेक देवताओं में रहनेवाला तत्त्व है। साधारणतया अध्यात्म उस शास्त्र को कहते हैं, जो यह प्रतिपादन करता है, कि सर्वत्र एक ही आत्मा है। किन्तु यह अर्थ सिद्धान्त पक्ष का है। अर्थात् पूर्वपक्ष के इस कथन की जाँच करके 'अनेक वस्तुओं या मनुष्यों में भी अनेक आत्मा है'—वेदान्तशास्त्र ने आत्मा की एकता के सिद्धान्त को ही निश्चित कर दिया है। अतः पूर्वपक्ष का जब विचार करना होता है, तब माना जाता है, कि प्रत्येक पदार्थ का सूक्ष्म स्वरूप या आत्मा पृथक् पृथक् है; और यहाँ पर अध्यात्म शब्द से यही अर्थ अभिप्रेत है। महाभारत में मनुष्य की इन्द्रियो का उदाहरण देकर स्पष्ट कर दिया है, कि अध्यात्म, अधिदैवत और अधिभूत-दृष्टि से एक ही विवेचन के इस प्रकार भिन्न भिन्न भेद क्योंकर होते हैं ? (देखो म. भा. शा. ३१३, और अश्व. ४१)। महाभारतकार कहते हैं, कि मनुष्य की इन्द्रियो का विवेचन तीन तरह से किया जा सकता है। जैसे—अधिभूत, अध्यात्म और अधिदैवत। इन इन्द्रियो के द्वारा जो विषय ग्रहण किये जाते हैं—उदाहरणार्थ, हाथों में जो लिया जाता है, कानों से जो सुना जाता है, आँखों से जो देखा जाता है और मन से जिसका चिन्तन किया जाता है—वे सब अधिभूत हैं और हाथपैर आदि के (साध्यशास्त्रोक्त) सूक्ष्म स्वभाव अर्थात् सूक्ष्म इन्द्रियाँ और इन इन्द्रियो के अध्यात्म हैं। परन्तु इन दोनों दृष्टियों को छोड़कर अधिदैवतदृष्टि से विचार करने पर—अर्थात् यह मान करके, कि हाथों के देवता इन्द्र, पैरों के विष्णु, गुद के मित्र, उपस्थ के प्रजापति, वाणी के अग्नि, आँखोंका सूर्य, कानों के आकाश अथवा दिशा, जीभ के जल, नाक के वायु, मन के चन्द्रमा, अहङ्कार के बुद्धि, और बुद्धि के देवता पुरुष हैं—कहा जाता है, कि ये ही देवता लोग अपनी-अपनी इन्द्रियो के व्यापार किया करते हैं—उपनिषदों में भी उपासना के लिये ब्रह्मस्वरूप के जो प्रतीक वर्णित हैं, उनमें मन को अध्यात्म और सूर्य अथवा आकाश को अधिदैवत प्रतीक कहा है (छा. ३. १८. १)। अध्यात्म और अधिदैवत का यह भेद केवल उपासना के लिये ही नहीं किया गया है, बल्कि

अष्टमोऽध्यायः ।

अर्जुन उवाच ।

किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम ।

अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदेव किमुच्यते ॥ १ ॥

अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन्मधुसूदन ।

प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः ॥ २ ॥

अब इस प्रश्न का निर्णय करना पडा, कि वाणी, चक्षु और श्रोत्र प्रभृति इन्द्रियों एवं प्राणों में श्रेष्ठ कौन है? तब उपनिषदों में भी (वृ. १. ५. २१ २३; छां. १. २. ३; कौषी. ४. १२. १३) एक बार वाणी, चक्षु और श्रोत्र इन मूढम इन्द्रियों को लेकर अध्यात्मदृष्टि में विचार किया गया है; तथा दूसरी बार उन्हीं इन्द्रियों के देवता अग्नि, सूर्य और आकाश को लेकर अधिदेवतदृष्टि में विचार किया गया है। नारायण यह है, कि अधिदेवत, अधिभूत और अध्यात्म आदि भेद प्राचीन काल से चले आ रहे हैं; और यह प्रश्न भी इसी जमाने का है, कि परमेश्वर के स्वरूप को इन भिन्न भिन्न कल्पनाओं में से मच्छी कौन है? तथा उसका तथ्य क्या है? बृहदारण्यक उपनिषद् (३. ७) में याज्ञवल्क्य ने उद्दालक आश्रमि में कहा है, कि सब प्राणियों में, सब देवताओं में समग्र अध्यात्म में, सब अंगों में, सब यज्ञों में और सब देहों में व्याप्त होकर उनके न समझने पर भी उनको बचानेवाला एक ही परमात्मा है। उपनिषदों का यही सिद्धान्त वेदान्तमूत्र के अन्तर्गामी अधिकरण में है (वे. सू. १. २. १८-२०)। वहाँ भी सिद्ध किया है, कि सब के अन्तःकरण में रहनेवाला यह तत्त्व मांस्वों की प्रकृति या जीवात्मा नहीं है; किन्तु परमात्मा है। इसी सिद्धान्त के अनुरोध में भगवान् अब अर्जुन से कहते हैं, कि मनुष्य की देह में, सब प्राणियों में (अधिभूत), सब यज्ञों में (अधियज्ञ), सब देवताओं में (अधिदेवत), सब कर्मों में और सब वस्तुओं के मूढम स्वरूप (अर्थात् अध्यात्म) में एक ही परमेश्वर समाया हुआ है—यज्ञ इत्यादि नानात्व अथवा विविध ज्ञान मच्छा नहीं है। मानव अध्याय के अन्त में भगवान् ने अधिभूत आदि जिन शब्दों का उच्चारण किया है, उनका जप जानने की अर्जुन को इच्छा हुई। अतः वह पहले पूछता है :-]

अर्जुन ने कहा :- (१) हे पुरुषोत्तम! वह ब्रह्म क्या है? अध्यात्म क्या है? कर्म के मानी क्या है? अधिभूत किसे कहना चाहिये? और अधिदेवत किसे कहते हैं? (२) अधियज्ञ क्या होता है? हे मधुसूदन! इस देह में (अधिदेह) कौन है? और अन्तर्गत में इन्द्रियनिग्रह करनेवाले लोग तुमको कैसे पहचानते हैं?

श्रीभगवानुवाच ।

अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते ।
भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसंहितः ॥ ३ ॥
अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् ।
अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर ॥ ४ ॥

[ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म अधिभूत और अधियज्ञ शब्द पिछले अध्याय में आ चुके हैं। इनके सिवा अब अर्जुन ने यह नया प्रश्न किया है, कि अधिदेह कौन है? इस पर ध्यान देने से आगे के उत्तर का अर्थ समझने में कोई अड़चन न होगी।]

श्रीभगवान् ने कहा :- (३) (सब से) परम अक्षर अर्थात् कभी भी नष्ट न होनेवाला तत्त्व ब्रह्म है, (और) प्रत्येक वस्तु का मूलभाव (स्वभाव) अध्यात्म कहा जाता है। (अक्षरब्रह्म से) भूतमात्रादि (चर-अचर) पदार्थों की उत्पत्ति करनेवाला विसर्ग अर्थात् सृष्टिव्यापार कर्म है। (४) (उपजे हुए सब प्राणियों की) क्षर अर्थात् नामरूपात्मक नाशवान् स्थिति अधिभूत है; और (इस पदार्थ में) जो पुरुष अर्थात् सचेतन अधिष्ठाता है, वही अधिदैवत है। (जिसे) अधियज्ञ (सब यज्ञों का अधिपति कहते हैं, वह) मैं ही हूँ। हे देहधारियो मैं श्रेष्ठ! मैं इस देह में (अधिदेह) हूँ।

[तीसरे श्लोक का 'परम' शब्द ब्रह्म का विशेषण नहीं है; किन्तु अक्षर का विशेषण है। साय्यशास्त्र में अव्यक्त प्रकृति को भी 'अक्षर' कहा है (गीता १५.१६)। परन्तु वेदान्तियों का ब्रह्म इस अव्यक्त और अक्षर प्रकृति के भी परे का है (इसी अध्याय का २० वाँ और ३१ वाँ श्लोक देखो); और इसी कारण अकेले 'अक्षर' शब्द के प्रयोग से साध्यों की प्रकृति अथवा ब्रह्म दोनों अर्थ हो सकते हैं। इसी सन्देह को मिटाने के लिये 'अक्षर' शब्द के आगे 'परम' विशेषण रख कर ब्रह्म की व्याख्या की है (देखो गीतार. प्र. ९, पृ. २०२-२०३)। हमने 'स्वभाव' शब्द का अर्थ महाभारत में दिये हुए उदाहरणों के अनुसार किसी भी पदार्थ का 'सूक्ष्म स्वरूप' किया है। नासदीय मूवन में दृश्य जगत् को परब्रह्म की विसृष्टि (विसर्ग) कहा है (गीतार. प्र. ९, पृ. २५६); और विसर्ग शब्द का वही अर्थ यही लेना चाहिये। विसर्ग का अर्थ 'यज्ञ का हविरुत्सर्ग' करने की कोई जरूरत नहीं है। गीतार. प्र. ९ में दसवें प्रकरण (पृ. २६४) में विस्तृत विवेचन किया गया है, कि इस दृश्यमृष्टि को ही कर्म क्यों कहते हैं? पदार्थमात्र के नामरूपात्मक विनाशो स्वरूप को 'क्षर' कहते हैं; और इसमें परे जो अक्षर तत्त्व है, उमी को ब्रह्म ममज्ञाना चाहिये। 'पुण्य' शब्द ने

सूर्य का पुष्प, जठ का देवता या वरुणपुरुष इत्यादि मन्त्रेण सूक्ष्म देहधारी देवता विवक्षित है, और हिङ्गुप्रगर्भ का भी उममें ममावेश होता है। यहाँ भगवान् ने 'अधियज्ञ' शब्द की व्याख्या नहीं की। क्योंकि, यज्ञ के विषय में तीनरे और चौथे अध्याय में विस्तारमहित वर्णन हो चुका है। और फिर जागे भी कहा है। 'मय यज्ञा ना प्रभु और भोक्ता मै ही हूँ' (देवो गीता १०८, ५०९, और म भा शा ३८०)। इस प्रकार अध्यात्म आदि के लक्षण प्रत्या कर अन्त में संक्षेप में कह दिया है, कि इस देह में 'अधियज्ञ' मैं ही हूँ - अर्थात् मनुष्यदेह में अधिदेव और अधियज्ञ भी मैं हूँ। प्रत्यक्ष देह में पृथक् पृथक् आत्मा (पुष्प) मान कर मान्यवादी कहते हैं, कि वे अमन्य हैं। परन्तु वेदान्तशास्त्र को यह मन मान्य नहीं है। उमने निश्चय किया है, कि यद्यपि देह अनेक है, तथापि आत्मा मत्र में एक ही है (गीतार प्र ७, पृ १६६) 'अग्निदेह मैं ही हूँ' इस वाक्य में यही सिद्धान्त दर्शाया है, तो भी उम मान्य ने 'मैं ही हूँ' शब्द केवल अधियज्ञ अथवा अधिदेव को ही उल्लेख करने प्रयुक्त नहीं है, उनका मन्मन्त्र अध्यात्म आदि पूर्वपदा में भी है। उन मन्त्र जब ऐसा होता है, कि अनेक प्रकार के यज्ञ, अनेक पदार्थों के अनेक देवता, त्रिनाशत्रान् पञ्चमहाभूत, पदार्थमात्र के सूक्ष्म भाग अथवा विभिन्न आत्मा, ब्रह्म, तम अथवा भिन्न भिन्न मनुष्या की देह - उन मत्र में 'मैं ही हूँ।' अर्थात् मत्र में एक ही परमेश्वर तत्त्व है। कुछ लोगो का कथन है, कि यहाँ 'अग्निदेह' स्वल्प का स्वतन्त्र वर्णन नहीं है, अधियज्ञ की व्याख्या करने में अधिदेह का पर्याय में उल्लेख हा गया है। किन्तु हमें यह अर्थ ठीक नहीं जान पड़ता। क्योंकि न केवल गीता में ही, प्रयुक्त उपनिषदा और वेदान्तमूत्रों में भी (बृ ३ ३, व सू १ ० ००) जहाँ यह विषय आया है, यहाँ अधिभूत आदि स्वल्पों के साथ ही शरीर आत्मा का भी विचार किया है, और सिद्धान्त किया है, कि सर्व एक ही परमात्मा है। ऐस ही गीता में उम कि अग्निदेह के विषय में पहले ही प्रश्न हा चुका है तब यहाँ उमी व पृथक् उल्लेख को विवक्षित मानना युक्ति-मद्धान्त है। यदि यह मत्र है, कि मत्र कुछ परब्रह्म ही है, तो पहले पहले ऐसा वाप हाता सम्भव है, कि उनके अधिभूत आदि स्वल्पों का ज्ञान करन मन्त्र उममें परब्रह्म का भी नामित कर केन की वाद जम्हन न थी। परन्तु नानाव-दन्तक यह ज्ञान उन लोगो का उद्देश्य करक किया गया है कि जो ब्रह्म, आत्मा, देवता और सज्जनागण आदि अनेक भेद करके नाना प्रकार की उपामनात्रा में उमन करन है। अतएव पहले व उमण प्रत्यापण कर है कि जो उन लोगो की मन्त्र के अनुसार हात है। और फिर सिद्धान्त किया गया है, कि 'यह मय मैं ही हूँ'। उक्त बात पर ध्यान देना म काट भी गट्टा नहीं कर जाती। अतः इस भेद का मन्त्र दत्तना दिना गया, कि उमागना व म्नि अधिभूत, अग्निदेव

§§ अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम् ।

यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः ॥ ५ ॥

यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् ।

तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावाभावितः ॥ ६ ॥

तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च ।

मर्यपितमनोबुद्धिर्मा मेवैष्यस्यसंशयम् ॥ ७ ॥

[अध्यात्म, अधियज्ञ और अधिदेह प्रभृति अनेक भेद करनेपर भी यह नानात्व सच्चा नहीं है। वास्तव में एक ही परमेश्वर सब में व्याप्त है। अब अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देते हैं, कि अन्तकाल में सर्वव्यापी भगवान् कैसे पहचाना जाता है?]

(५) और अन्तकाल में जो मेरा स्मरण करता हुआ देह त्यागता है, वह मेरे स्वरूप में निःसन्देह मिल जाता है। (६) अथवा हे कौन्तेय! सदा जन्मभर उसी में रँगे रहने से मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता हुआ अन्त में शरीर त्यागता है, वह उसी भाव में जा मिलता है।

[पाँचवे श्लोक में मरणसमय में परमेश्वर के स्मरण करने की आवश्यकता और फल बतलाया है। इसमें कोई यह समझ ले, कि केवल मरणकाल में यह स्मरण करने से ही काम चल जाता है। इसी हेतु से छठे श्लोक में यह बतलाया है, कि जो बात जन्मभर मन में रहती है, वह मरणकाल में भी नहीं छूटती। अतएव न केवल मरणकाल में, प्रत्युत जन्मभर परमेश्वर का स्मरण और उपासना करने की आवश्यकता है (गीतार. प्र. १०, पृ. २९०)। इस सिद्धान्त को मान लेने से आप ही सिद्ध हो जाता है, कि अन्तकाल में परमेश्वर को भजनेवाले परमेश्वर को पाते हैं, और देवताओं का स्मरण करनेवाले देवताओं को पाते हैं (गीता ७ २३; ८. १३ और ९. २५)। क्योंकि, छान्दोग्य उपनिषद् के कथनानुसार 'यथा क्रतुरस्मिल्लोके पुरुषो भवति तथेतः प्रेत्य भवति' (छा. ३. १४. १) - इसी श्लोक में मनुष्य का जैसा मृतु अर्थात् सकल्प होता है, मरने पर उसे वैसी ही गति मिलती है। छान्दोग्य के समान और उपनिषदों में भी ऐसे ही वाक्य हैं (प्र. ३. १०; मैत्र्यु. ४. ६)। परन्तु गीता अब यह कहती है, कि जन्मभर एक ही भावना से मन को रँगें बिना अन्तकाल की यातना के समय वही भावना स्थिर नहीं रह सकती। अतएव आमरण (जिन्दगी भर) परमेश्वर का ध्यान करना आवश्यक है (वे. सू. ८. १. १२) - इस सिद्धान्त के अनुसार अर्जुन से भगवान् कहते हैं, कि :-]

(७) इसलिये सर्वकाल - सदैव ही - स्मरण करता रह; और युद्ध कर। मुझमें मन और बुद्धि अर्पण करने से (युद्ध करने पर भी) मुझमें ही निःसन्देह आ मिलेगा।

अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना ।

परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् ॥ ८ ॥

§§ कविं पुराणमनुशासितारमणोरणीयांसमनुस्मरेद्यः ।

सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपमादित्यवर्णं तमसः परस्तात् ॥ ९ ॥

प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव ।

भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् स तं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् ॥ १० ॥

यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः ।

यादिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥ ११ ॥

सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च ।

मूर्ध्न्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम् ॥ १२ ॥

(८) हे पार्थ ! चित्त को दूसरी ओर न जाने देकर अभ्यास की सहायता से उसको स्थिर करके दिव्य परम पुरुष का ध्यान करते रहनेमें मनुष्य उसी पुरुष में जा मिलता है ।

[जो लोग भगवद्गोता में इस विषय का प्रतिपादन बतलाते हैं, कि संसार को छोड़ दो और केवल भक्ति का ही अवलम्ब करो; उन्हें मातर्वं श्लोक के सिद्धान्त की ओर अवश्य ध्यान देना चाहिये । मोक्ष तो परमेश्वर की ज्ञानयुक्त भक्ति से मिलता है । और यह निर्विवाद है, कि मरणमय में भी उसी भक्ति में स्थिर रहने के लिये जन्मभर वही अभ्यास करना चाहिये । गीता का यह अभिप्राय नहीं, कि हमके लिये कर्मों को छोड़ देना चाहिये । हमके विरुद्ध गीताशास्त्र का सिद्धान्त है, कि भगवद्भक्त को स्वधर्म के अनुसार जो कर्म प्राप्त हों जायें, उन कर्मों को निष्कामबुद्धि में करते रहना चाहिये । और उसी सिद्धान्त को इन शब्दों से व्यक्त किया है, कि 'मेरा गर्व चिन्तन कर और मुट्ट कर ।' अब बतलाते हैं, कि परमेश्वरार्पणबुद्धि में जन्मभर निष्काम कर्म करनेवाले अन्तर्ज्ञान में भी दिव्य परमपुरुष का चिन्तन किस प्रकार में करते हैं ।]

(९-१०) जो (मनुष्य) अन्तर्ज्ञान में (दन्द्रियनिग्रहस्थ) योग के मामर्थ्य में भक्तिपुण्य हो कर मन को स्थिर करके दोनों भाँटों के बीच में प्राण को भयभीति कर कर कवि अर्थात् मन्त्र, पुरातन, गान्धा अणु में भी छोटे, मय के घाता अर्थात् आघात या कर्ता; अचिन्त्यस्वरूप और अन्धकार में परे मूर्ख के समान देदीप्यमान पुरुष का स्मरण करता है, वह (मनुष्य) उसी दिव्य परमपुरुष में जा मिलता है । (११) वेद के जाननेवाले जिसे अक्षर कहते हैं, वीतराग हो कर यति लोग जिसमें प्रवेग नहीं है और जिसकी दृष्टा करने ब्रह्मचर्यव्रत का आचरण करते हैं, वह पद अर्थात् अक्षर ब्रह्म मुझे शरीर में बतलाना है । (१२) मय (दन्द्रियन्ती) द्वारा

ॐ इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन् ।

यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम् ॥ १३ ॥

§ § अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः ।

तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ १४ ॥

मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् ।

नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः ॥ १५ ॥

आब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन ।

मामपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥ १६ ॥

का समय कर और मन का हृदय में निरोध करके (एव) मस्तक मे प्राण ले जा कर समाधियोग में स्थिर होनेवाला, (१३) इस एकाक्षर ब्रह्म ॐ का जप और मेरा स्मरण करता हुआ जो (मनुष्य) देह छोड़ कर जाता है, उसे उत्तम गति मिलती है ।

[श्लोक ९-११ में परमेश्वर के स्वरूप का जो वर्णन है, वह उपनिषदों से लिया गया है । नीचें श्लोक का 'अणोरणीयान्' पद और अन्त का चरण श्वेताश्वतर उपनिषद् का है (श्वे. ३. ८ और ९) । एव ग्यारहवें श्लोक का पूर्वार्ध अर्थतः और उत्तरार्ध शब्दशः कठ उपनिषद् का है (कठ. २. १५) । कठ उपनिषद् में 'तत्ते पद सग्रहेण ब्रवीमि' इस चरण के आगे 'ओमित्येतत्' स्पष्ट कहा गया है । इससे प्रकट होता है, कि ११ वे श्लोक के 'अक्षर' और 'पद' शब्दों का अर्थ ॐ वर्णाक्षररूपी ब्रह्म अथवा ॐ शब्द लेना चाहिये । और १३ वे श्लोक से भी प्रकट होता है, कि यहाँ ॐकारोपासना ही उद्दिष्ट है (देखो प्रश्न. ५) । तथापि यह नहीं कह सकते, कि भगवान् के मन में 'अक्षर' = अविनाशी ब्रह्म; और 'पद' = परम स्थान, ये अर्थ भी न होंगे । क्योंकि, ॐ वर्णमाला का एक अक्षर है । इसके सिवा यह कहा जा सकेगा, कि वह ब्रह्म के प्रतीक के नाते अविनाशी भी है (२१ वाँ श्लोक देखो) । इसलिये ११ वे श्लोक के अनुवाद में 'अक्षर' और 'पद' ये दुहरे अर्थवाले मूलशब्द ही हमने रख लिये हैं । अब इस उपासना से मिलनेवाली उत्तर गति का अधिक निरूपण करते हैं :-]

(१४) हे पार्थ ! अनन्यभाव मे सदा-मर्वदा जो मेरा नित्य स्मरण करता रहता है, उस नित्ययुक्त (कर्म-) योगी को मेरी प्राप्ति सुलभ रीति से होती है । (१५) मुझमें मिल जाने पर परमसिद्धि पाये हुए महात्मा उस पुनर्जन्म को नहीं पाते, कि जो दुःखों का घर है और अशाश्वत है । (१६) हे अर्जुन ! ब्रह्मलोक तक (स्वर्ग आदि) जितने लोक हैं, वहाँ से (कभी न वभी इम लोक में)

§§ सहस्रयुगपर्यन्तमहर्षद्ब्रह्मणो विदुः ।

रात्रिं युगसहस्रान्तां तेऽहोरात्रविदो जनाः ॥ १७ ॥

अव्यक्ताद्ब्रह्मण्यः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे ।

रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवान्यक्तसंज्ञके ॥ १८ ॥

पुनरावर्तन अर्थात् लौटना (पढ़ना) है। परन्तु हे कान्तेय ! मूझमें मिल जाने से पुनर्जन्म नहीं होता ।

[मोक्षहर्षेण श्लोक के 'पुनरावर्तन' शब्द का अर्थ पुण्य चुक जाने पर भूलोक में लौट आना है (देखो गीता ९. २१; म. भा. वन. २६०) । यज्ञ, देवता-राघन और वेदाध्ययन प्रभृति कर्मों में यद्यपि इन्द्रलोक, वरुणलोक, सूर्यलोक और ब्रह्मा तो ब्रह्मलोक प्राप्त हो जावे; तथापि पुण्यांग के समाप्त होते ही वहाँ में फिर इस लोक में जन्म लेना पड़ना है (बृ. ४. ४. ६) । अथवा अन्तः ब्रह्मलोक का नाश हो जाने पर पुनर्जन्मचक्र में तो जन्म ही गिरना पड़ना है । अतएव उक्त श्लोक का भावार्थ यह है, कि ऊपर लिखी हुई सब गतियाँ कम दर्जे की हैं; और परमेश्वर के ज्ञान में ही पुनर्जन्म नष्ट होता है । इस कारण वही गति सर्वश्रेष्ठ है (गीता ९. २०, २१) । अन्त में जो कहा है, कि ब्रह्मलोक की प्राप्ति भी अनित्य है; उसके समर्थन में वक्तव्य है, कि ब्रह्मलोक तक ममत्त्व मृष्टि की उत्पत्ति और लय बारंबार कैम होता रहता है ?]

(१७) अहोरात्र को (तत्त्वतः) जाननेवाले पुण्य ममजते हैं, कि (वृत्त, वेत्ता, हापर और बलि इन चारों युगों का एक महायुग होता है; और ऐमे) हजार (महा-) युगों का समय ब्रह्मदेव का एक दिन है; और (ऐमे ही) हजार युगों की (उमकी) एक रात्रि है ।

[यह श्लोक हमने पहले के युगमान का हिमाव देकर गीता में आया है । इसका अर्थ अल्प वनलायें हुए हिमाव में कग्ना चाहिये । यह हिमाव और गीता का यह श्लोक भी भागत (जां. २३१. ३१) और मनुस्मृति (१. ७३) में है; तथा राम्य के निरुक्त में भी यही वर्णित है । (निरुक्त १४. ९) । ब्रह्मदेव के दिन को ही कल्प कहते हैं । अगले श्लोक में अध्यक्त का अर्थ मादरगाम्त्र की अध्यक्त प्रवृत्ति है । अध्यक्त का अर्थ परब्रह्म नहीं है । क्योंकि २० वे श्लोक में स्पष्ट बतला दिया है, कि ब्रह्मर्षी अध्यक्त १८ वे श्लोक में वर्णित अध्यक्त से परे का और निम्न है । गीतारहस्य के आठवे प्रकरण (पृ. १०४) में हमना पूरा स्पष्टागा है, कि अध्यक्त ने व्यक्तमृष्टि कैम होती है? और कल्प के बालमान का हिमाव भी यही जिगा है ।]

(१८) (ब्रह्मदेव के) दिन का आरम्भ होने पर अध्यक्त में सब व्यक्त (पदार्थ) निर्मित होते हैं । और रात्रि होने पर उगी पूर्वोक्त अध्यक्त में लीन हो जाते हैं ।

भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते ।

रात्र्यागमेऽवशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे ॥ १९ ॥

§§ परस्तस्मान्तु भावोऽन्योऽव्यक्तोऽव्यक्तात्सनातनः ।

यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति ॥ २० ॥

अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम् ।

यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ॥ २१ ॥

पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया ।

यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् ॥ २२ ॥

(१९) हे पार्थ ! भूतो का यही समुदाय (इस प्रकार) बार बार उत्पन्न होकर अवश होता हुआ - अर्थात् इच्छा हो या न हो - रात होते ही लीन हो जाता है, और दिन होने पर (फिर) जन्म लेता है ।

[अर्थात् पुण्यकर्मों से नित्य ब्रह्मलोकवास प्राप्त भी हो जाय, तो भी प्रलयकाल में ब्रह्मलोक का ही नाश हो जाने से फिर नये कल्प के आरम्भ में प्राणियों का जन्म लेना नहीं छूटता । इससे बचने के लिये जो एक ही मार्ग है, उसे बतलाते हैं -]

(२०) किन्तु इस ऊपर बतलाये हुए अव्यक्त से परे दूसरा सनातन अव्यक्त पदार्थ है, कि जो सब भूतो के नाश होने पर भी नष्ट नहीं होता । (२१) जिस अव्यक्त को 'अक्षर' (भी) कहते हैं, जो परम अर्थात् उत्कृष्ट या अन्त की गति कहा जाता है (और) जिसे पाकर फिर (जन्म में) लौटते नहीं हैं, (वही) मेरा परम स्थान है । (२२) हे पार्थ ! जिसके भीतर (सब) भूत हैं, और जिसने इस सब को फैलाया अथवा व्याप्त कर रखा है, वह पर अर्थात् श्रेष्ठ पुरुष अनन्यभक्ति से ही प्राप्त होता है ।

[तीसवाँ और इक्कीसवाँ श्लोक मिल कर एक वाक्य बना है । २० वे श्लोक का 'अव्यक्त' शब्द पहले साक्ष्यों की प्रवृत्ति को - अर्थात् १८ वे श्लोक के अव्यक्त द्रव्य को लक्ष्य करके प्रयुक्त है, और आगे वही शब्द साक्ष्यों की प्रवृत्ति से परे परब्रह्म के लिये भी उपयुक्त हुआ है, तथा २१ वे श्लोक में कहा है, कि इसी अव्यक्त को 'अक्षर' भी कहते हैं । अध्याय के आरम्भ में भी 'अक्षर ब्रह्म परमम्' यह वर्णन है । सारांश, 'अव्यक्त' शब्द के गमान ही गीता में 'अक्षर' शब्द का भी दो प्रकार से उपयोग किया गया है । कुछ यह नहीं, कि साक्ष्यों की प्रवृत्ति ही अव्यक्त और अक्षर है; किन्तु परमेश्वर या ब्रह्म भी, कि जो 'मय भूतो का नाश हो जाने पर भी नष्ट नहीं होता' अव्यक्त तथा अक्षर

§§ यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्तिं चैव योगिनः ।

प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ ॥ २३ ॥

अग्निर्ज्योतिरहः शुक्रः षणमासा उत्तरायणम् ।

तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः ॥ २४ ॥

धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षणमासा दक्षिणायनम् ।

तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते ॥ २५ ॥

शुक्रकृष्णे गती हेते जगतः शाश्वते मते ।

एकया यात्यनावृत्तिमन्ययावर्तते पुनः ॥ २६ ॥

है। पन्द्रहवें अध्याय में पुरयोत्तम के लक्षण बतलाते हुए जो यह वर्णन है, कि वह धर और अधर में परे का है, उसमें प्रकट है, कि वहाँ का 'अधर' शब्द सांख्यों की प्रकृति के लिये उद्दिष्ट है (देखो गीता १५. १६-१८)। ध्यान रहे, कि 'अध्वस्त' और 'अधर' दोनों विशेषणों का प्रयोग गीता में कर्मी सांख्यों की प्रकृति के लिये और कर्मी प्रकृति में परे परब्रह्म के लिये किया गया है (देखो गीतार. प्र. ९, पृ. २०२-२०३)। व्यक्त और अव्यक्त में परे जो परब्रह्म है, उसका स्वरूप गीतारहस्य के नौवें प्रकरण में स्पष्ट कर दिया गया है। उस 'अधरब्रह्म' का वर्णन हो चुका, कि जिस स्थान स्थान में पहुँच जाने में मनुष्य पुनर्जन्म को सपेट में छूट जाता है। अब मरने पर जिन्हें लौटना नहीं पड़ना (अनावृत्ति); और जिन्हें स्वर्ग में लौट कर लेना पड़ता है (आवृत्ति), उनके बीच के समय का और गति का भेद बतलाते हैं :-]

(२३) हे भरतर्षभ ! अब तुझे मैं वह काल बतलाता हूँ, कि जिन काल में (कर्म-) योगी मरने पर (उन लोक में जन्मने के लिये) लौट नहीं आते; और (जिन काल में मरने पर) लौट आते हैं। (२४) अग्नि, ज्योति अर्थात् ज्वाला, दिन, शुक्लपक्ष और उत्तरायण के छः महीनों में मरे हुए ब्रह्मवेत्ता लोग ब्रह्म को पाते हैं (लौट कर नहीं आते)। (२५) (अग्नि), धुआ, रात्रि; कृष्णपक्ष (और) दक्षिणायन के छः महीनों में मरा हुआ (कर्म-) योगी चन्द्र के क्षेत्र में अर्थात् पन्द्रहोस में जा कर (पुनराग पटने पर) लौट आता है। (२६) इन प्रकार जगत् को मुक्त और कृष्ण अर्थात् प्रसादमय और अन्धकारमय दो गान्धर्व गतिपथों की स्थिर मार्ग हैं। एक मार्ग में जाने पर लौटना नहीं पड़ता; और दूसरे में फिर लौटना पड़ता है।

[उपनिषदों में इन दोनों गतिपथों को देवयान (शुक्ल) और पितृयान (कृष्ण), अपना अर्चिगादि मार्ग और धूम-आदि मार्ग कहा है; तथा ऋग्वेद

§§ नैते सृती पार्थ जानन्योगी मुह्यति कश्चन ।

तस्मात्सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन ॥ २७ ॥

वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् ।

अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् ॥ २८ ॥

इति श्रीमत्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे
अक्षरब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥

में भी इन मार्गों का उल्लेख है। मरे हुए मनुष्य की देह को अग्नि में जला देने पर अग्नि से ही इन मार्गों का आरम्भ हो जाता है। अतएव पच्चीसवें श्लोक में 'अग्नि' पद का पहले श्लोक से अध्याहार कर लेना चाहिये। पच्चीसवें श्लोक का हेतु यही बतलाना है, कि प्रथम श्लोकों में वर्णित मार्ग में और दूसरे मार्ग में कहाँ भेद होता है? इसी से 'अग्नि' शब्द की पुनरावृत्ति इसमें नहीं की गई। गीतारहस्य के दसवें प्रकरण के अन्त (पृ. २९७-२९८) में इस इस संबंध की अधिक बातें हैं। उनसे उल्लिखित श्लोक का भावार्थ खुल जावेगा। अब बतलाते हैं, कि इन दोनों मार्गों का तत्त्व जान लेने से क्या फल मिलता है?]

(२८) हे पार्थ ! इन दोनों सृती अर्थात् मार्गों को (तत्त्वतः) जाननेवाला कोई भी (कर्म-) योगी मोह में नहीं फँसता। अतएव हे अर्जुन ! तू सदा-सर्वदा (कर्म-) योगयुक्त हो। (२८) इसे (उक्त तत्त्व को) जान लेने से वेद, यज्ञ, तप और दान में जो पुण्यफल बतलाया है, (कर्म-) योगी उस सब को छोड़ जाता है; और उसके परे आद्यस्थान को पा लेता है।

[जिस मनुष्य ने देवयान और पितृयान दोनों के तत्त्व को जान लिया - अर्थात् यह ज्ञात कर लिया, कि देवयानमार्ग से मोक्ष मिल जाने पर फिर पुनर्जन्म नहीं मिलता; और पितृयानमार्ग स्वर्गप्रद हो, तो भी मोक्षप्रद नहीं है - वह इनमें से अपने सच्चे कल्याण के मार्ग का ही स्वीकार करेगा। वह मोह से निम्नश्रेणी के मार्ग को स्वीकार न करेगा। इसी बात को लक्ष्य कर पहले श्लोक में 'इन दोनों सृती अर्थात् मार्गों को (तत्त्वतः) जाननेवाला' ये शब्द आये हैं। इन श्लोकों का भावार्थ यो है :- कर्मयोगी जानता है, कि देवयान और पितृयान दोनों मार्गों में से कौन मार्ग कहाँ जाता है? तथा इसी में से जो मार्ग उत्तम है, उसे ही वह स्वभावतः स्वीकार करता है। एवं स्वर्ग में से आवागमन से बच कर इससे परे मोक्षप्रद की प्राप्ति कर लेता है। और २७ वें श्लोक में तदनुसार व्यवहार करने का अर्जुन को उपदेश भी किया गया है।]

नवमोऽध्यायः ।

श्रीभगवानुवाच ।

इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ।

ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात् ॥ १ ॥

राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् ।

प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् ॥ २ ॥

इस प्रकार श्रीभगवान् के गाये हुए — अर्थात् कहे हुए — उपनिषद् में ब्रह्म विद्यान्तर्गत योग — अर्थात् कर्मयोग — शास्त्रविषयक श्रीकृष्ण और अर्जुन के संवाद में अक्षरब्रह्मयोग नामक आठवाँ अध्याय समाप्त हुआ ।

नौवाँ अध्याय

[सातवें अध्याय में ज्ञानविज्ञान का निरूपण यह दिखलाने के लिये किया गया है, कि कर्मयोग का आचरण करनेवाले पुरुष को परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान हो कर मन की शान्ति अथवा मुक्त-अवस्था कैसे प्राप्त होती है? अक्षर और अव्यक्त पुरुष का स्वरूप भी बतला दिया गया है। पिछले अध्याय में कहा गया है, कि अन्तकाल में भी उसी स्वरूप को मन में स्थिर रखने के लिये पातंजलयोग से समाधि लगा कर अन्त में अकार की उपामना की जावे। परन्तु पहले तो अक्षरब्रह्म का ज्ञान होना ही कठिन है; और फिर उसमें समाधि की आवश्यकता होने से माघारण लोगों को यह मार्ग छोड़ देना पड़ेगा। इस कठिनार्थ पर ध्यान देकर अब भगवान् ऐसा राजमार्ग बतलाते हैं, कि जिनमें सब लोगों को परमेश्वर का ज्ञान मुलभ हो जावे। इसी को भक्तिमार्ग कहते हैं। गीतारहस्य के तेरहवें प्रकरण में हमने उसका विस्तार-महिन विवेचन किया है। इस मार्ग में परमेश्वर का स्वरूप प्रेमगम्य और व्यक्त अर्थात् प्रत्यक्ष जानने योग्य रत्ना है। उसी व्यक्त स्वरूप का विम्बूत निरूपण नीचे, दसवें, ग्यारहवें और बारहवें अध्यायों में किया गया है। तथापि स्मरण रहे, कि यह भक्तिमार्ग भी ग्यनन्त्र नहीं है — कर्मयोग की मिद्धि के लिये सातवें अध्याय में जिन ज्ञानविज्ञान का आरम्भ किया गया है, उसी का यह भाग है। और अध्याय का आरम्भ भी पिछले ज्ञानविज्ञान के अद्गम की दृष्टि में ही किया गया है।]

श्रीभगवान् ने कहा :- (१) अब तू दोषदुर्गों नहीं है, इन्किये गुह्य में भी गुह्य विज्ञानसहित ज्ञान तुझे बतलाना है, कि जिनके ज्ञान लेने में पाप में मुक्त होगा। (२) यह (ज्ञान) गमन्त गुह्यों में राजा अर्थात् श्रेष्ठ है। यह राजविद्या अर्थात्

॥ ३ ॥ अश्रद्धधानाः पुरंषा धर्मस्यास्य परन्तप ।

अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि ॥ ३ ॥

मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना ।

मत्स्थानि सर्वं भूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥ ४ ॥

न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् ।

भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतमावनः ॥ ५ ॥

यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो महान् ।

तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय ॥ ६ ॥

सब विद्याओं में श्रेष्ठ, पवित्र, उत्तम और प्रत्यक्ष बोध देनेवाला है। यह आचरण करने में सुखकारक, अव्यक्त और धर्म्य है। (३) हे परन्तप! इस पर श्रद्धा न रखनेवाले पुष्प मुझे नहीं पाते। वे मृत्युयुक्त ससार के मार्ग में लौट आते हैं (अर्थात् उन्हें मोक्ष नहीं मिलता)।

[गीतारहस्य के तेरहवें प्रकरण (पृ. ४१४-४१५) में दूसरे श्लोक के 'राजविद्या', 'राजगुह्य', और 'प्रत्यक्षावगम' पदों के अर्थों का विचार किया गया है। ईश्वरप्राप्ति के साधनों को उपनिषदों में 'विद्या' कहा है, और यह विद्या गुप्त रखी जाती थी। कहा है, कि भक्तिमार्ग अथवा व्यक्त की उपासनारूपी विद्या सब गुह्य विद्याओं में श्रेष्ठ अथवा राजा है। इसके अतिरिक्त यह धर्म आँखों से प्रत्यक्ष दीख पड़नेवाला और इसी से आचरण करने में सुलभ है। तथापि इक्ष्वाकु प्रभृति राजाओं की परम्परा से ही इस योग का प्रचार हुआ है (गीता ५. २)। इसलिये इस मार्ग को राजाओं अर्थात् बड़े आदमियों की विद्या - राजविद्या - कह सकते हैं। कोई भी अर्थ क्यों न लीजिये! प्रकट है कि अक्षर या अव्यक्त ब्रह्म के ज्ञान को लक्ष्य करके यह वर्णन नहीं किया गया है, किन्तु राजविद्या शब्द से यहाँ पर भक्तिमार्ग ही विवक्षित है। इस प्रकार आरम्भ में ही इस मार्ग की प्रशंसा कर भगवान् अव विस्तार से उनका वर्णन करने हैं -]

(४) मैंने अपने अव्यक्त स्वरूप से समस्त जगत् को फैलाया अथवा व्याप्त किया है। मुझमें सब भूत हैं, (परन्तु) मैं उनमें नहीं हूँ। (५) और मुझमें सब भूत भी नहीं हैं! देखो, (यह कैसी) मेरी ईश्वरी करनी या योगसामर्थ्य है! भूतों को उत्पन्न करनेवाला मेरा आत्मा, उनका पालन करके भी (फिर) उनमें नहीं है! (६) सर्वत्र बहनेवाली महान् वायु जिस प्रकार सर्वदा प्रकाश में रहती है, उन्हीं प्रकार सब भूतों को मुझमें समस्त।

§§ सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् ।
 कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् ॥ ७ ॥
 प्रकृतिं स्वामवष्टम्य विसृजामि पुनः पुनः ।
 भूतग्राममिमं कृत्स्नमवशं प्रकृतेर्वशात् ॥ ८ ॥
 न च मां तानि कर्माणि निवध्नन्ति धनंजय ।
 उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु कर्मसु ॥ ९ ॥
 मयाध्यक्षेण प्रकृतिः स्रूयते सचराचरम् ।
 हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते ॥ १० ॥

[यह विरोधाभास इसलिये होता है, कि परमेश्वर निर्गुण है और सगुण भी है (सातवें अध्याय के १२ वें श्लोक की टिप्पणी, और गीतारहस्य प्र. ९, पृ. २०६, २०९ और २१० देखो)। इस प्रकार अपने स्वरूप का आश्चर्यकारक वर्णन करके अर्जुन की जिज्ञासा को जागृत कर चुकने पर अब भगवान् फिर कुछ फेरफार में वही वर्णन प्रसङ्गानुसार करते हैं, कि जो सातवें और आठवें अध्याय में पहले किया जा चुका है — अर्थात् हम में व्यक्तसृष्टि किस प्रकार होती है? और हमारे व्यक्तरूप कौन-से हैं (गीता ७. ४-१८; ८. १७-२०)? 'योग' शब्द का अर्थ यद्यपि अलौकिक मामर्थ्यं या युक्ति किया जाय, तथापि स्मरण रहे, कि अव्यक्त से व्यक्त होने के इस योग अथवा युक्ति को ही माया कहते हैं। इस विषय का प्रतिपादन गीता ७. २५ की टिप्पणी में और रहस्य के नौवें प्रकरण (२३७-२५१) में हो चुका है। परमेश्वर को यह 'योग' अत्यन्त मुलम है; विवहना यह परमेश्वर का दाम ही है। इसलिये परमेश्वर को योगेश्वर (गीता १८. ७५) कहते हैं। अब बतलते हैं, कि इस योगमामर्थ्यं में जगत् की उत्पत्ति और नाश कैसे हुआ करते हैं?]

(७) हे कौन्तेय ! कल्प के अन्त में सब भूत मेरी प्रकृति में आ मिलते हैं; और कल्प के आरम्भ में (ब्रह्मा के दिन के आरम्भ में) उनको मैं ही फिर निर्माण करता हूँ। (८) मैं अपनी प्रकृति को हाथ में लेकर, (अपने अपने कर्मों में बंधे हुए) भूता में इस समूचे समुदाय को पुनः पुनः निर्माण करता हूँ, कि जो (उन) प्रकृति के बाध में रहने में अबस अर्थात् परलब्ध है। (९) (परन्तु) हे धनजय ! इस (सृष्टि निर्माण करने के) काम में मेरी आमक्ति नहीं है। मैं उदासीन भा रहता हूँ। इस कारण मुझे ये कर्म बन्धन नहीं होते। (१०) मैं अध्यक्ष हो कर प्रकृति में सब चराचर सृष्टि उत्पन्न करता हूँ। हे कौन्तेय ! इस कारण जगत् या यह बनना-बिगड़ना हुआ करता है।

- § § अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम् ।
परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् ॥ ११ ॥
- मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः ।
राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः ॥ १२ ॥
- § § महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः ।
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् ॥ १३ ॥
- सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः ।
नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥ १४ ॥

[पिछले अध्याय में बतला आये हैं, कि ब्रह्मदेव के दिन का (कल्प का) आरम्भ होते ही अव्यक्तप्रकृति से व्यक्तसृष्टि बनने लगती है (८.१८) । यहाँ इसी का अधिक खुलासा किया है, कि परमेश्वर प्रत्येक के कर्मानुसार उसे भलाबुरा जन्म देता है । अतएव वह स्वयं इन कर्मों से अलिप्त है । शास्त्रीय प्रतिपादन में ये सभी तत्त्व एक ही स्थान में बतला दिये जाते हैं : परन्तु गीता की पद्धति सवादात्मक है । इस कारण प्रपञ्च के अनुसार एक विषय थोड़ा-सा यहाँ और थोड़ा-सा वहाँ इस प्रकार वर्णित है । कुछ लोगो की दृष्टि है, कि दसवे श्लोक में 'जगद्विपरिवर्तते' पद विवर्तवाद को सूचित करते हैं । परन्तु 'जगत् का बनना-बिगडना हुआ करता है' — अर्थात् 'व्यक्त का अव्यक्त और फिर अव्यक्त का व्यक्त होता रहता है ।' हम नहीं समझते, कि इसकी अपेक्षा 'विपरिवर्तते' पद का कुछ अधिक अर्थ हो सकता है । और शाङ्करभाष्य में कोई विशेष अर्थ नहीं बतलाया गया है । गीतारहस्य के दसवे प्रकरण में विवेचन किया गया है, कि मनुष्य कर्म से अवश कैसे होता है ?]

(११) मूढ लोग मेरे परम स्वरूप को नहीं जानते, कि जो सब भूतों का महान् ईश्वर है । वे मुझे मानवतनुधारी समझ कर मेरी अवहेलना करते हैं । (१२) उनकी आशा व्यर्थ, कर्म फिजूल, ज्ञान निरर्थक और चित्त भ्रष्ट है । वे मोहात्मक राक्षसी और आसुरी स्वभाव का आश्रय किये रहते हैं ।

[यह आसुरी स्वभाव का वर्णन है । अब दैवी स्वभाव का वर्णन करते हैं .-]

(१३) परन्तु हे पार्थ ! दैवी प्रकृति का आश्रय करनेवाले महात्मा लोग सब भूतों के अव्यय आदिस्थान मुझको पहचान कर अनन्यभाव से मेरा भजन करते हैं; (१४) और यत्नशील, दृढव्रत एवं नित्य योगयुक्त हो सदा मेरा कीर्तन
गी. र. ४८

ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते ।

एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम् ॥ १५ ॥

§ § अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौपधम् ।

मन्त्रोऽहमहमेवाज्यमहमग्निरहं हुतम् ॥ १६ ॥

आंर वन्दना करते हुए भक्ति से मेरी कल्पना किया करते हैं। (१५) ऐसे ही और कुछ लोग एकत्व से अर्थात् अभेदभाव से, पृथक्त्व से अर्थात् भेदभाव से या अनेक भाँति के ज्ञानयज्ञ से यजन कर मेरी — जो सर्वतोमुख हैं — उपासना किया करते हैं।

[संसार में पाय जानेवाले देवी और राक्षसी स्वभावों के पुद्गलों का यहाँ जो संक्षिप्त वर्णन है, उसका विस्तार आगे सोलहवें अध्याय में किया गया है। पहले बतला ही आये हैं, कि ज्ञानयज्ञ का अर्थ 'परमेश्वर के स्वरूप का ज्ञान से ही आकर्षण करके उसके द्वारा सिद्धि प्राप्त कर लेना' (गीता ४ ३३ की टिप्पणी देखो)। किन्तु परमेश्वर का यह ज्ञान भी द्वैत-अद्वैत आदि भेदों से अनेक प्रकार का हो सकता है। इस कारण ज्ञानयज्ञ भी भिन्न भिन्न प्रकार से हो सकते हैं। इस प्रकार यद्यपि ज्ञानयज्ञ अनेक हों, तो भी पन्द्रहवें श्लोक का तात्पर्य यह है, कि परमेश्वर के विश्वतोमुख होने के कारण ये सब यज्ञ उभे ही पहुँचते हैं। 'एकत्व', 'पृथक्त्व' आदि पदों में प्रकट है, कि द्वैत-अद्वैत विशिष्टाद्वैत आदि सम्प्रदाय यद्यपि अर्वाचीन हैं, तथापि ये कल्पनाएँ प्राचीन हैं। इस श्लोक में परमेश्वर का एकत्व और पृथक्त्व बतलाया गया है। उसी का अधिक् निरूपण कर बतलाते हैं, कि पृथक्त्व में क्या है ?]

(१६) ऋतु अर्थात् श्रौतयज्ञ में हैं। यज्ञ अर्थात् स्मार्तयज्ञ में हैं। स्वधा अर्थात् श्राद्ध से पितरों को अर्पण किया हुआ अन्न में हैं। औपघ अर्थात् वनस्पति से (यज्ञ के अर्थ) उपन्न हुआ में हैं। घृत, अग्नि, (अग्नि में छोड़ी हुई) आहुति में ही हैं।

[मंत्र में ऋतु और यज्ञ दोनों शब्द समानार्थक ही हैं। परन्तु जिन प्रकार 'यज्ञ' शब्द का अर्थ व्यापक हो गया, और देवपूजा, वैश्वदेव, अनियमितान्तर, प्राणायाम एव जप इत्यादि कर्मों का भी 'यज्ञ' कहने लगे (गीता ४ २३-२०), उस प्रकार 'ऋतु' शब्द का अर्थ बढन नहीं पाया। श्रौतधर्म में अग्निमेघ आदि जिन यज्ञों के लिए यह शब्द प्रयुक्त हुआ है, उनका वही अर्थ जाने भी स्थिर रहा है। अतएव शास्त्रमाध्य में कहा है, कि इस मंत्र पर 'ऋतु' शब्द में 'श्रौत' यज्ञ और 'यज्ञ' शब्द में 'स्मार्त' यज्ञ समझना चाहिये। और ऊपर हमने यही अर्थ किया है। क्योंकि ऐसा न करे तो 'ऋतु' और

पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः ॥

वेद्यं पवित्रमोँकार ऋक्साम यजुरेव च ॥ १७ ॥

गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् ।

प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं वीजमव्ययम् ॥ १८ ॥

तपाम्यहमह वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च ।

अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन ॥ १९ ॥

['यज्ञ' शब्द समानार्थक होकर इस श्लोक में उनकी अकारण द्विरुक्ति करने का दोष लगता है ।]

(१७) इस जगत् का पिता, माता, धाता, (आधार), पितामह (बाबा) मैं हूँ । जो कुछ पवित्र या जो कुछ ज्ञेय है, वह और ऋकार, ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी मैं हूँ । (१८) (सब की) गति, (सब का) पोषक, प्रभु, साक्षी, निवास, शरण, सखा, उत्पत्ति, प्रलय, स्थिति, निधान और अव्यय बीज भी मैं हूँ । (१९) हे अर्जुन ! मैं उष्णता देता हूँ । मैं पानी को रोकता और बरसाता हूँ । अमृत, सत् और असत् भी मैं हूँ ।

[परमेश्वर के स्वरूप का ही वर्णन ऐसा फिर विस्तारसहित १०, ११ और १२ अध्यायों में है । तथापि यहाँ केवल विभूति न बतला कर यह विशेषता दिखलाई है, कि परमेश्वर का और जगत् के भूतों का सम्बन्ध माँ-बाप और मित्र इत्यादि के समान है । इन दो स्थानों के वर्णनों में यही भेद है । ध्यान रहे, कि पानी को बरसाने और रोकने में एक क्रिया चाहे हमारी दृष्टि से फायदे की और दूसरी नुकसान की हो; तथापि तात्त्विक दृष्टि से दोनों को परमेश्वर ही करता है । इसी अभिप्राय को मन में रख कर पहले (गीता ७.१२) भगवान् ने कहा है, कि सात्त्विक, राजस और तामस सब पदार्थ मैं ही उत्पन्न करता हूँ । और आगे चौदहवें अध्याय में विस्तारसहित वर्णन किया है, गुणत्रयविभाग से सृष्टि में नानात्व उत्पन्न होता है । इस दृष्टि से २१ वे श्लोक के सत् और असत् पदों का क्रम से 'भला' और 'बुरा' यह अर्थ किया भी जा सकेगा; और आगे गीता (१७.२६-२८) में एक बार ऐसा अर्थ किया भी गया है, कि इन शब्दों के सत् = अविनाशी और असत् = विनाशी या नाशवान् ये जो सामान्य अर्थ हैं (गीता २.१६), वे ही इस स्थान में अभीष्ट होंगे; और 'मृत्यु और अमृत' के समान 'सत् और असत्' द्वन्द्वात्मक शब्द ऋग्वेद के नासदीय सूक्त के सूझ पड़े होंगे । तथापि दोनों में भेद है । नासदीय सूक्त में 'सत्' शब्द का उपयोग दृश्य-सृष्टि के लिये किया गया है; और गीता 'सत्' शब्द का उपयोग परब्रह्म के लिये करती है । एव दृश्यसृष्टि को असत् कहती है (देखो गीतार. प्र. ९, पृ २४५-

§ § त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यद्दीरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ।

ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकमश्नन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान् ॥ २० ॥

ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति ।

एवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते ॥ २१ ॥

[२८७) । निम्नु इस प्रकार परिभाषा का भेद हो, तो भी 'सत्' और 'असत्' दोनों की एक साथ योजना में प्रकट हो जाता है, कि इनमें दृश्यमृष्टि और परब्रह्म दोनों का एतन्न समावेश होता है । अब यह भावार्थ भी निकाला जा सकेगा, कि परिभाषा के भेद किमी को भी 'मत्' और 'अमत्' कहा जाय, निम्नु यह दिखाने के लिये, कि दोनों परमेश्वर के ही रूप हैं - भगवान् ने 'मत्' और 'अमत्' शब्दों की व्याख्या न दे कर सिर्फ यह उरण कर दिया है, कि 'मत्' और 'अमत्' मैं ही हूँ (देखो गीता ११ ३७ और १३. १२) । इस प्रकार यद्यपि परमेश्वर के रूप अनेक हैं, तथापि अब धनजाने हैं, कि उनकी एक-व में उपामना करने और अनेकत्व में करने में भेद है -]

(२०) जा त्रैविद्य अर्थात् ऋग्, यजु और साम इन तीन वेदों के कर्म करनेवाले, सोम पीनेवाले अर्थात् सोमयाजी, तथा निष्पाप (पुरुष) यज्ञ से मेरी पूजा करके स्वर्गलोकप्राप्ति की इच्छा करते हैं, वे इन्द्र के पुण्यदान में पहुँच कर स्वर्ग में देवताओं के अनेक दिव्य भोग भोगते हैं । (२१) और उस विशाल स्वर्ग का उपभोग करके पुण्य का क्षय हो जाने पर वे (फिर जन्म लेकर) मृत्युशोक में आते हैं । इस प्रकार त्रयीधर्म अर्थात् तीनों वेदों के यज्ञयाग आदि श्रौतधर्म के पालनेवाले और काम्य उपभोग की इच्छा करनेवाले लोगों को (स्वर्ग का) आवागमन प्राप्त होता है ।

[यह निदान पहले कई बार आ चुका है, कि यज्ञयाग आदि धर्म से या नाना प्रकार के देवताओं की आराधना से कुछ समय तक स्वर्गवाम मिल जाय, ता भी पुण्यज चुक जान पर उन्हें फिर जन्म ले करके भूतल में आना पटना है (गीता ० ८०-८४, ८ ३८, ६ ८१, ७ २३, ८ १६ और २५) । परन्तु मोक्ष में क्या शक्य नहीं है । यह निश्चय है - अर्थात् एक बार परमेश्वर की पालने पर फिर जन्ममरण का चक्रण में नहीं आना पटना । महाभाग्य (वन २६०) में स्वर्गमुच्यं वा वा वांनं है यह भी ऐसा ही है । परन्तु यज्ञयाग आदि में परत्रय प्रभृति की उपनिशान्ती है, अतएव शका हानी है, कि इनका छोट देने से इन जगत् का माणसोम अर्थात् निवाह बँग हागा ? (देखा गीता ०. ८५ की टिप्पणी और गीतार प्र १०, पृ २९४) इतिवद अथ उक्त के शक्या में निश्चय कर ही इनका उत्तर दत्त है -]

अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनः पर्युपासते ।
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ॥ २२ ॥

§ § येऽप्यन्यदेवताभक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः ।
तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् ॥ २३ ॥

अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च ।
न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्चवन्ति ते ॥ २४ ॥

(२२) जो अनन्यनिष्ठ लोग मेरा चिन्तन कर मुझे भजते हैं, उन नित्य योगयुक्त पुरुषों का योगक्षेम मैं किया करता हूँ ।

[जो वस्तु मिली नहीं है, उसको जुटाने का नाम है योग, और मिली हुई वस्तु की रक्षा करना है क्षेम । शाश्वतकोश में भी (देखो १०० और २९२ श्लोक) योगक्षेम की ऐसी ही व्याख्या है, और उसका पूरा अर्थ 'सासारिक नित्य निर्वाह' है । गीतारहस्य के बारहवें प्रकरण (पृ ३८५-३८६) में इसका विचार किया गया है, कि कर्मयोगमार्ग में इस श्लोक का क्या अर्थ होता है ? उसी प्रकार नारायणीय धर्म (म भा शा ३४८ ७२) में भी वर्णन है, कि -

मनीषिणो हि ये केचित् यततो मोक्षधमिण ।
तेषां विच्छिन्नतृष्णानां योगक्षेमवहो हरि ॥

ये पुरुष एकान्तभक्त हो, तो भी प्रवृत्तिमार्ग के हैं - अर्थात् निष्कामबुद्धि से कर्म किया करते हैं । अब बतलाते हैं, कि परमेश्वर की बहुत्व में सेवा करनेवालों की अन्त में कौन गति होती है ?]

(२३) है कौन्तेय ! श्रद्धायुक्त होकर अन्य देवताओं के भजन बन करके जो लोग यजन करते हैं, वे भी विधिपूर्वक न हों, ता भी (पर्याय से) मेरा ही यजन करते हैं । (२४) क्योंकि सब यज्ञ का भोक्ता और स्वामी मैं ही हूँ । किन्तु वे तत्त्वतः मुझे नहीं जानते । इसलिये वे लोग गिर जाया करत हैं ।

[गीतारहस्य के तेरहवें प्रकरण (पृ ४०३-४०७) में यह विवेचन है, कि इन दोनों श्लोकों के सिद्धान्त का महत्त्व क्या है ? वैदिक धर्म में यह तत्त्व बहुत पुराने समय से चला आ रहा है, कि कोई भी देवता हो, वह भगवान् का ही एक स्वरूप है । उदाहरणार्थ, ऋग्वेद में ही कहा है, कि 'एक सद्भिप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यम मातरिष्वानमाहु' (ऋ १ १६८ ८६) - परमेश्वर एक है । परन्तु पण्डित लोग उमी को अग्नि, यम, मातरिष्य (यासु) क्या करते हैं, और उमी के अनुसार आगे के अष्टादश में परमेश्वर के एक हानपर भी उपासना अनव विभूतियां का वर्णन किया गया है । उमी प्रकार महाभारत में अर्जुन

यान्ति देवव्रता देवान् पितृन्यान्ति पितृव्रताः ।

भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् ॥ २५ ॥

नारायणीयोपाख्यान में चार प्रकार के भक्तों में कर्तव्य करनेवाले एकान्तिक भक्त को श्रेष्ठ (गीता ७.१९ की टिप्पणी देखो) बतला कर कहा है :-

ब्रह्माणं शितिकण्ठं च याश्चान्या देवताः स्मृताः ।

प्रबुद्धचर्याः सेवन्तो मामेवैष्यन्ति यत्परम् ॥

‘ब्रह्मा को, शिव को, अथवा और दूसरे देवताओं को भजनेवाले माद्य पुरुष भी मुझमें ही आ मिलते हैं’ (म. भा. शा. ३४१.३५); और गीता के उक्त श्लोकों का अनुवाद भागवतपुराण में भी किया गया है (देखो भाग. १०. पृ. ४०. ८-१०) । इसी प्रकार नारायणीयोपाख्यान में फिर भी कहा है :-

ये यजन्ति पितॄन् देवान् गुरुश्चैवातिथीस्तथा ।

गार्श्वं द्विजमुखांश्च पृथिवीं मातरं तथा ॥

कर्मणा मनसा वाचा विष्णुमेव यजन्ति ते ।

‘देव, पितर, गुरु, अतिथि, गार्हाण और गौ प्रभृति की सेवा करनेवाले पर्याय में विष्णु का ही यजन करते हैं’ (म. भा. शा. ३४५. २६, २७) । इस प्रकार भागवतधर्म के स्पष्ट कहने पर भी - कि भक्ति को मुख्य मानो । देवतात्म्य प्रतीक गौण है । यद्यपि विधिभेद हों, तथापि उपामना तो एक ही परमेश्वर की होती है - यह बड़े आश्चर्य की बात है, कि भागवतधर्मवाले जैवों में झगडा किया करते हैं ! यद्यपि यह मत्स्य है, कि किसी भी देवता की उपामना क्यों न करें ? पर वह पट्टेचती भगवान् को ही है; तथापि यह ज्ञान न होने में - कि सभी देवता एक हैं - मोक्ष की राह छूट जाती है; और भिन्न भिन्न देवताओं के उपामकों को उनकी भावना के अनुसार भगवान् ही भिन्न भिन्न फल देते हैं :-]

(२५) देवताओं का श्रत करनेवाले देवताओं के पास, पितरों का श्रत करनेवाले पितरों के पास, (भिन्नभिन्न) भूतों को पूजनेवाले (उन) भूतों के पास जाते हैं; और मेरा यत्रन करनेवाले मेरे पास आते हैं ।

[गाराण, यद्यपि एक ही परमेश्वर सर्वत्र समाया हुआ है, तथापि उपामना का फल प्रत्येक के भाव के अनुरूप न्यूनार्थक योग्यता वा मिला करता है । फिर भी इस पूर्ववचन को भूल न जाना चाहिये कि फलदान का कार्य देवता नहीं करते - परमेश्वर ही करता है, (गीता ७. २०-२५) । ऊपर २४ वे श्लोक में भगवान् ने यह कहा है, कि ‘मय यज्ञा सा भोजना मे ही हैं’, उमका तात्पर्य यही है । महाभाग्य में भी कहा है -

यस्मिन् यस्मिश्च विषये यो यो दत्ति विनिरचयम् ।

स तमेवामिजानानि नान्य धरतमत्तम् ॥

§ § पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति ।
तदहं भक्त्युपहृतमश्रामि प्रयतात्मनः ॥ २६ ॥

§ § यत्करोपि यदश्रांसि यज्जुहोपि ददासि यत् ।
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् ॥ २७ ॥

‘जो पुरुष जिस भाव में निश्चय रखता है, वह उस भाव के अनुरूप ही फल पाता है’ (शा. ३५२. ३); और श्रुति भी है: ‘य यथा यथोपासते तदेव भवति’ (गीता ८. ६ की टिप्पणी देखो)। अनेक देवताओं की उपासना करनेवाले को (नानात्व से) जो फल मिलता है, उसे पहले चरण में बतला कर दूसरे चरण में यह अर्थ वर्णन किया है, कि अनन्यभाव से भगवान् की भक्ति करनेवालों को ही सच्ची भगवत्प्राप्ति होती है। अब भक्तिमार्ग के महत्त्व का यह तत्त्व बतलाते हैं, कि भगवान् इस ओर न देख कर— कि हमारा भक्त हमें क्या समर्पण करता है?—केवल उसके भाव को ही ओर दृष्टि दे करके उसकी भक्ति स्वीकार करते हैं।—]

(२६) जो मुझे एक-आध पत्र, पुष्प, फल अथवा (यथाशक्ति) थोडासा जल भी अर्पण करता है, इस प्रयत्नात्म अर्थात् नियतचित्त पुरुष की भक्ति की भेंट को मैं (आनन्द से) ग्रहण करता हूँ।

[कर्म की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ है (गीता २. ४९) — यह कर्मयोग का तत्त्व है। इसका जो रूपान्तर भक्तिमार्ग में हो जाता है, इसी का वर्णन उक्त श्लोक में है (देखो गीतार. प्र. १५, पृ. ४७८-४८०)। इस विषय में सुदामा के तन्दुलों की बात प्रसिद्ध है; और यह श्लोक भागवतपुराण में सुदामाचरित के उपाख्यान में भी आया है (भाग. १० उ. ८१.४)। इसमें सन्देह नहीं, कि पूजा के द्रव्य अथवा सामग्री का न्यूनाधिक होना सर्वथा मनुष्य के हाथ में नहीं भी रहता। इसी से शास्त्र में कहा है, कि यथाशक्ति प्राप्त होनेवाले स्वल्प पूजाद्रव्य में ही नहीं, प्रत्युत शुद्ध भाव से समर्पण किये हुए मानसिक पूजाद्रव्यों से भी भगवान् सन्तुष्ट हो जाते हैं। देवता भाव का भूखा है; न कि पूजा की सामग्री का। मीमांसकमार्ग की अपेक्षा भक्तिमार्ग में जो कुछ विशेषता है, वह यही है। यज्ञयाग करने के लिये बहुत-सी सामग्री जुटानी पड़ती है, और उद्योग भी बहुत करना पड़ता है। परन्तु भक्तियज्ञ एक तुलसीदल से भी हो जाता है। महाभारत में कथा है, कि जब दुर्वासन्हपि घर पर आये, तब द्रौपदी ने इसी प्रकार के यज्ञ में भगवान् को सन्तुष्ट किया था। भगवद्भक्त जिस प्रकार अपने कर्म करता है अर्जुन को उसी प्रकार करने का उपदेश देकर बतलाते हैं, कि इससे क्या फल मिलता है?]

(२७) हे कौन्तेय! तू जो (कुछ) करता है, जो खाता है, होम-हवन करना

शुभाशुमफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनेः ।

संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि ॥ २८ ॥

§ § समोऽहं सर्वभूतेषु न द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ।

ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् ॥ २९ ॥

है, जो दान करता है (और) जो तप करता है, वह (सब) मुझे अर्पण किया कर। (२८) इस प्रकार वर्तने से (कर्म करके भी) कर्मों के शुभ-अशुभ फलरूप बन्धनों से तू मुक्त रहेगा; और (कर्मफलों के) संन्यास करने के इस योग से युक्तात्मा अर्थात् शुद्ध अन्तःकरण ही कर मुक्त हो जायगा; एवं मुझमें मिल जायगा ।

[इससे प्रकट होता है, कि भगवद्भक्त भी वृष्णापणवृद्धि से समस्त कर्म करे; उन्हें छोड़ न दे। इस दृष्टि में ये दोनों श्लोक महत्त्व के हैं। 'ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः' यह ज्ञानयज्ञ का तत्त्व है। (गीता. ४. २४)। इमें ही भक्ति की परिभाषा के अनुसार इस श्लोक में बतलाया है (देखो गीतार. प्र. १३, पृ. ४१४ और ४१५)। तीसरे ही अध्याय में अर्जुन से कह दिया है, कि 'मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य' (गीता ३. ३०) - मुझमें सब कर्मों को संन्यास करके - युद्ध कर; और पांचवें अध्याय में फिर कहा है, कि 'ब्रह्म में कर्मों को अर्पण करके सद्गुरुहित कर्म करनेवाले को कर्म का लेश नहीं लगता' (५. १०)। गीता के मतानुसार यही यथार्थ संन्यास है (गीता १८. २)। इस प्रकार अर्थात् कर्म-फलाशा छोड़कर (संन्यास) सब कर्मों को करनेवाला पुरुष ही 'नित्यसंन्यासी' है (गी. ५. ३); कर्मन्यास रूप संन्यास गीता को सम्मत नहीं है। पीछे अनेक स्थलों पर बत चुके हैं, कि इम रीति में किये हुए कर्म मोक्ष के लिये प्रतिबन्धक नहीं होते (गीता २. ६८, ३. १९; ८. २३, ५. १०; ६. १; ८. ७); और इम २८ वे श्लोक में उमी जान को फिर कहा है। भागवतपुराण में ही नृसिंहर्षी भगवान् ने प्रवृत्त को यह उपदेश किया है कि 'मथ्यावेग्य मनस्तान् कुद् कर्माणि मत्पर' - मुझमें चित्त लगा कर मत्र काम किया कर (भाग. ७. १०. २३), और आगे एतादन्त मन्त्र में भक्तियोग का यह तन्त्र बतलाया है, कि भगवद्भक्त मत्र कर्मों को नारायणापण कर दे (देखो भाग ११. २. २६ और ११. ११. २८)। इम अध्याय में आरम्भ में वर्णन किया है, कि भक्ति का मार्ग मुख्यतः और मुख्य है। अत्र उमर समन्वयपी दूमेरे बटे और विगेष गुण का वर्णन करते हैं -]

(२९) मैं सब को एक-सा । न मुझे (कोई) द्वेष्य अर्थात् अप्रिय है और न (कोई) प्रिय। भक्ति में मैं सब भजन करने हूँ, वे मुझमें हैं, और मैं भी उनमें

अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् ।

साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥ ३० ॥

क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति ।

कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥ ३१ ॥

मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः ।

स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम् ॥ ३२ ॥

किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा ।

अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम् ॥ ३३ ॥

हूँ । (३०) बड़ा दुराचारी ही क्यों न हो ? यदि वह मुझे अनन्यभाव से भजता है तो उसे बड़ा साधु ही समझना चाहिये । क्योंकि उसकी बुद्धि का निश्चय अच्छा रहता है । (३१) वह जल्दी धर्मात्मा हो जाता है, और नित्य शान्ति पाता है । हे कौन्तेय ! तू खूब समझे रह, कि मेरा भक्त (कभी भी) नष्ट नहीं होता ।

[तीसवें श्लोक का भावार्थ ऐसा न समझना चाहिये कि भगवद्भक्त यदि दुराचारी हो, तो भी वे भगवान् को प्यारे रहते हैं । भगवान् इतना ही कहते हैं कि पहले कोई मनुष्य दुराचारी भी रहा हो; परन्तु जब एक बार उसकी बुद्धि का निश्चय परमेश्वर का भजन करने में हो जाता है, तब उसके हाथ से फिर कोई भी दुष्कर्म नहीं हो सकता । और वह धीरे धीरे धर्मात्मा हो कर सिद्धि पाता है; तथा इसी सिद्धि से उसके पाप का बिलकुल नाश हो जाता है । साराश, छठे अध्याय (६.४४) में जो यह सिद्धान्त किया था, कि कर्मयोग के जानने की सिर्फ इच्छा होने से ही लाचार हो कर मनुष्य शब्दब्रह्म से परे चला जाता है । अब उसे ही भक्तिमार्ग के लिये लागू कर दिखलाया है । अब इस बात का अधिक खुलासा करते हैं, कि परमेश्वर सब भूतों को एक-सा कैसे है ?]

(३२) क्योंकि हे पार्थ ! मेरा आश्रय करके स्त्रियाँ, वैश्य और शूद्र अथवा अन्त्यज आदि जो पापयोनि हो, वे भी परमगति पाते हैं । (३३) फिर पुण्यवान् ब्राह्मणों की, मेरे भक्तों की और राजर्षियों, क्षत्रियों की बात क्या कहनी है ? तू इस अनित्य और असुख अर्थात् दुःखकारक मृत्युलोक में है । इस कारण मेरा भजन कर ।

[३२ वे श्लोक के 'पापयोनि'शब्द को स्वतन्त्र न मान कुछ टीकाकार कहते हैं, कि वह स्त्रियो, वैश्यो और शूद्रो को भी लागू है । क्योंकि पहले कुछ-न-कुछ पाप किये बिना कोई भी स्त्री, वैश्य या शूद्र का जन्म नहीं पाता । उनके मत में पापयोनि शब्द साधारण है, और उसके भेद बतलाने के लिये स्त्री, वैश्य तथा शूद्र उदाहरणार्थ दिये गये हैं । परन्तु हमारी राय में यह अर्थ ठीक नहीं

॥ ५ ॥ मन्मता भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु ।

मामेवैष्यसि युक्तवैवमात्मानं मत्परायणः ॥ ३४ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे
राजविद्याराजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥

है। पापयोनि शब्द से वह जाति विवक्षित है, जिसे कि आजकल राज-दरवार में 'जयराम-पैशा कौम' कहते हैं। इस श्लोक का मिद्धान्त यह है, कि इस जाति के लोगो को भी भगवद्भक्ति में सिद्धि मिलती है। स्त्री, वैश्य और शूद्र कुछ इस वर्ग के नहीं हैं। उन्हें मोक्ष मिलने में इतनी ही बाधा है, कि वे वेद मुनने के अधिकारी नहीं हैं। इसी में भगवत्पुराण में कहा है, कि :-

स्त्रीशूद्रद्विजवन्धूनां त्रयी न श्रुतिगोचरा ।

कर्मश्रेयसि मूढानां श्रेय एवं भवेदिह ।

इति भारतमाख्यानं कृपया मुनिना कृतम् ॥

'स्त्रियों, शूद्रों अथवा कलियुग के नामधारी ब्राह्मणों के कानों में वेद नहीं पहुँचना। इस कारण उन्हें भूर्खता से बचाने के लिये व्यासमुनि ने कृपालु होकर उनके कत्याणाय महाभारत की - अर्थात् गीता की भी - रचना की' (भाग. १.४.२५)। भगवद्गीता के ये श्लोक कुछ पाठभेद में अनुगीता में भी पाये जाते हैं (म. भा. अश्व. १९. ६१, ६२)। जाति का, वर्ण का, स्त्री-पुरुष आदि का अथवा काले-गोरे रङ्ग प्रभृति का कोई भी भेद न रख कर सब को एक ही में मद्गति देनेवाले भगवद्भक्ति के इस राजमार्ग का ठीक बड़प्पन उस देश की- और विशेषतः महाराष्ट्र की - मन्मण्डली के इतिहास में त्रिमो को भी ज्ञात हो सकेगा। उल्लिखित श्लोक का अधिक गुलामा गीतारहस्य के प्र. १३, पृ. ४४०-४४४ में देखो। उस प्रश्न के घर्म का आचरण करने के विषय में ३३ वें श्लोक के उत्तरार्थ में अर्जुन को जो उपदेश किया गया है, अगले श्लोक में भी वही चल रहा है।]

(३४) मुझमें मन लगा। मेरा भक्त हो। मेरी पूजा कर; और मुझे नमस्कार कर इस प्रकार मत्परायण हो कर योग का अभ्यास करने में मुझे ही पावंगा।

[वास्तव में इस उपदेश का आरम्भ ३३ वे श्लोक में ही हो गया है। ३३ वे श्लोक में 'अनित्य' पद अध्यात्मशास्त्र के इस मिद्धान्त के अनुसार आया है, कि प्रकृति का फलदाय अथवा नामध्यात्मक दृश्यमूर्ति अनित्य है; और एक परमात्मा ही नित्य है। और 'अमुष्य' पद में इस मिद्धान्त का अनुवाद है, कि इस मन्मार्ग में मुख्य की अपेक्षा दुःख अधिक है। तथापि यह वर्णन अध्यात्म का

दशमोऽध्यायः ।

श्रीभगवानुवाच ।

भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः ।

यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया ॥ १ ॥

न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः ।

अहमादिहिं देवानां महर्षीनां च सर्वशः ॥ २ ॥

[नहीं है; भक्तिमार्ग का है। अतएव भगवान् ने परब्रह्म अथवा परमात्मा शब्द का प्रयोग न करके 'मुझे भज, मुझमें मन लगा, मुझे नमस्कार कर', ऐसे व्यक्तस्वरूप के दशनिवाले प्रथम पुरुष का निर्देश किया है। भगवान् का अन्तिम कथन है, कि हे अर्जुन ! इस प्रकार भक्ति करके मत्पराण होता हुआ योग अर्थात् कर्मयोग का अभ्यास करता रहेगा, तो (देखो गीता ७. १) तू कर्मबन्धन से मुक्त हो करके नि सन्देह मुझे पा लेगा। इसी उपदेश की पुनरावृत्ति ग्यारहवें अध्याय के अन्त में की गई है। गीता का रहस्य भी यही है। भेद इतना ही है, कि इस रहस्य को एक बार अध्यात्मदृष्टि से और एक बार भक्तिदृष्टि से बतला दिया है।]

इस प्रकार श्रीभगवान् के गाये हुए — अर्थात् कहे हुए — उपनिषद् में ब्रह्म-विद्यान्तर्गत योग — अर्थात् कर्मयोग — शास्त्रविययक श्रीकृष्ण और अर्जुन के सवाद में राजविद्या-राजगुह्ययोग नामक नौवाँ अध्याय समाप्त हुआ ।

दसवाँ अध्याय

[पिछले अध्याय में कर्मयोग की सिद्धि के लिये परमेश्वर के व्यक्तस्वरूप की उपासना का जो राजमार्ग बतलाया गया है, उसी का इस अध्याय में वर्णन हो रहा है। और अर्जुन के पूछने पर परमेश्वर के अनेक व्यक्त रूपों अथवा विभक्तियों का वर्णन किया गया है। इस वर्णन को सुन कर अर्जुन के मन में भगवान् के प्रत्यक्ष स्वरूप को देखने की इच्छा हुई। अतः ११ वे अध्याय में भगवान् ने उसे विश्वरूप दिखला कर कृतार्थ किया है।]

श्रीभगवान् ने कहा — (१) हे महाबाहु ! (मेरे भाषण से) सन्तुष्ट होनेवाले तुझसे तेरे हितार्थ मैं फिर (एक) अच्छी बात कहता हूँ, उसे सुन। (२) देवताओं के गण और महर्षि भी मेरी उत्पत्ति को नहीं जानते। क्योंकि देवता और महर्षि क

यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् ।

असम्मूढः स मर्त्येषु सर्वपापिः प्रमुच्यते ॥ ३ ॥

§§ बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः ।

सुखं दुःखं भवोऽभावो भयं चाभयमेव च ॥ ४ ॥

अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशोऽयशः ।

भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः ॥ ५ ॥

महर्षयः सत पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा ।

मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः ॥ ६ ॥

मव प्रकार मे मैं ही आदिकरण हूँ । (३) जो जानता है, कि मैं (पृथ्वी आदि सब) लोगों का बड़ा ईश्वर हूँ; और मेरा जन्म तथा आदि नहीं है, मनुष्यों में वही मोहविरहित हो कर मव पापों में मुक्त होता है ।

[ऋग्वेद के नामदीय सूक्त में यह विचार पाया जाता है, कि भगवान् या परब्रह्म देवताओं के भी पहले का है; देवता पीछे से हुए (देखो गीतार. प्र. ९, पृ. २५६) । इस प्रकार प्रस्तावना हो गई । अब भगवान् उसका निरूपण करते हैं, कि मैं मव का महेश्वर कैसे हूँ ?]

(४) बुद्धि, ज्ञान, असंमोह, क्षमा, मर्त्य, दम, शम, सुख, दुःख, भव (उत्पत्ति), अभाव (नाश), भय, अभय, (५) अहिंसा, समता, तुष्टि (सन्तोष), तप, दान, यज्ञ और अयज्ञ आदि अनेक प्रकार प्राणिमात्र के भाव मुख्यमें ही उत्पन्न होते हैं ।

['भाव' शब्द का अर्थ है 'अवस्था', 'स्थिति' या 'वृत्ति' और मांस्व-शान्त्र में 'बुद्धि के भाव' एवं 'शारीरिक भाव' ऐसा भेद किया गया है । मांस्व-शान्त्री पुराण को अकर्ता और बुद्धि को प्रकृति का एक विकार मानते हैं इमन्त्रिये वे कहते हैं, कि लिङ्गगरीर को पशुपत्नी आदि भिन्न भिन्न जन्म मिलने का कारण लिङ्गगरीर में रहनेवाली बुद्धि की विभिन्न अवस्थाएँ अथवा भाव ही हैं (देखो गीतार. प्र. ८, पृ. १८९ और मा का ४०-४५) ; और ऊपर के दो श्लोकों में इन्हीं भावों का वर्णन है । परन्तु वेदान्तियों का मिद्वान्त है, कि प्रकृति और पुराण में भी परे परमात्मन्त्री एक निव्यतन्त्र है, और (नामदीय सूक्त के वर्णानुसार) उसी के मन में सृष्टि निर्माण करने की इच्छा उत्पन्न होने पर मारा दृश्य जगत् उत्पन्न होता है । इन कारण वेदान्तशास्त्र में भी कहा है, कि सृष्टि के मादात्मन्त्र नामी पदार्थ परब्रह्म के मानस भाव हैं (अगत्या श्लोक देखो) तप, दान और यज्ञ आदि शब्दों में गर्भिष्टत बुद्धि के भाव ही उद्दिष्ट हैं । भगवान् और कहते हैं, कि :-]

(६) मान भगदि, उनमें परब्रह्म के पार, और मनु मेरे ही मानस, अर्थात् मन में निर्माण हुए भाव हैं, कि जिनमें (इन) शक्त में सब प्रजा हुई है ।

[यद्यपि इस श्लोक के शब्द सरल हैं, तथापि जिस पौराणिक पुरुषो को उद्देश्य करके यह श्लोक कहा गया है, उनके सम्बन्ध में टीकाकारों में बहुत ही मतभेद है। विशेषतः अनेकों ने इसका निर्णय कई प्रकार से किया है, कि 'पहले के' (पूर्व) और 'चार' (चत्वारः) पदों का अन्वय किम पद से लगाना चाहिये? सात महर्षि प्रसिद्ध हैं, परन्तु ब्रह्मा के एक कल्प में चौदह मन्वन्तर (देखो गीतार. प्र. ८, पृ. १९४) होते हैं; और प्रत्येक मन्वन्तर के मनु, देवता एवं सप्तर्षि भिन्न भिन्न होते हैं (देखो हरिवंश १, ७; विष्णु. ३. १; मत्स्य. ९)। इसीसे 'पहले के' शब्द को सात महर्षियों का विशेषण मान कई लोगों ने ऐसा अर्थ किया है, कि आजकल के (अर्थात् वैवस्वत मन्वन्तर से पहले के) चाक्षुष मन्वन्तरवाले सप्तर्षि यहाँ विवक्षित हैं। इन सप्तर्षियोंके नाम भृगु, नभ, विवस्वान्, सुधामा, विरजा, अतिनामा और महिष्णु हैं। किन्तु हमारे मत में यह अर्थ ठीक नहीं है। क्योंकि, आजकल के - वैवस्वत अथवा जिस मन्वन्तर में गीता कही गई, उससे - पहले के मन्वन्तरवाले सप्तर्षियों को बतलाने की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। अतः वर्तमान मन्वन्तर के ही सप्तर्षियों को लेना चाहिये। महाभारत शान्तिपर्व के नारायणीयोपाख्यान में इनके ये नाम हैं : मरीचि, अद्दिगरस, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु और वसिष्ठ (म. भा. शा. ३३५. २८. २९; ३४०. ६४ और ६५)। तथापि यहाँ इतना बतला देना आवश्यक है, कि मरीचि आदि सप्तर्षियों के उक्त नामों में कही कही अद्दिगरस के बदले भृगु का नाम पाया जाता है। और कुछ स्थानों पर तो ऐसा वर्णन है, कि कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वसिष्ठ वर्तमान युग के सप्तर्षि हैं (विष्णु. ३. १. ३२ और ३३; मत्स्य ९. २७ और २८; म. भा. अनु. ९३. २१)। मरीचि आदि ऊपर लिखे हुए सात ऋषियों में ही भृगु और दक्ष को मिला कर विष्णुपुराण (१. ७. ५, ६) में नौ मानसपुत्रों का और इन्हीं में नारद को भी जोड़ कर मनुस्मृति में ब्रह्मादेव के दस मानसपुत्रों का वर्णन है (मनु. १. ३४, ३५)। इस मरीचि आदि शब्दों की व्युत्पत्ति भारत में की गई है (म. भा. अनु. ८५)। परन्तु हमें अभी इतना ही देखना है, कि सात महर्षि कौन कौन हैं? इस कारण इन नौ-दस मानसपुत्रों का अथवा इनके नामों की व्युत्पत्ति का विचार करने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। प्रकट है, कि 'पहले के' इस पद का अर्थ 'पूर्व मन्वन्तर के सात महर्षि' लगा नहीं सकते। अब देखना है, कि 'पहले के चार' इन शब्दों को मनु का विशेषण मान कर कई एको ने जो अर्थ किया है, वह कहाँ तक युक्तिसङ्गत है? कुल चौदह मन्वन्तर हैं और इनके चौदह मनु हैं। इसमें सात-सात के दो वर्ग हैं। पहले सातों के नाम स्वायम्भुव, स्वरोचिष, औत्तमी, तामस, रैवत, चाक्षुष और वैवस्वत हैं; तथा ये स्वायम्भुव आदि मनु कहे जाते हैं (मनु. १. ६२ और ६३)। इसमें से छः मनु हो चुके। और आजकल सातवाँ अर्थात् वैवस्वत मनु चल रहा है। इनके समाप्त

होने पर आगे के सात मनु आवेगे (भाग. ८. १३. ७) उनको सार्वणि मनु कहते हैं। उनके नाम : सार्वणि, दक्षमार्वणि, ब्रह्ममार्वणि, धर्ममार्वणि, रद्रमार्वणि, दैवसार्वणि और इन्द्रसार्वणि — हैं (विष्णु ३. २; भागवत. ८. १३; हरिवंश १. ७)। इस प्रकार प्रत्येक मनु के सात सात होने पर कोई कारण नहीं बतलाया जा सकता, किसी भी वर्ग के 'पहले के' 'चार' ही गीता में क्यों विवक्षित होंगे? ब्रह्माण्डपुराण (४. १) में कहा है, कि सार्वणि मनुओं में पहले मनु को छोड़ कर अगले चार अर्थात् दक्ष — ब्रह्म — धर्म — और रद्रसार्वणि एक ही समय में उत्पन्न हुए। और इसी आधार से कुछ लोग कहते हैं, कि ये ही चार मार्वणि मनु गीता में विवक्षित हैं। किन्तु इस पर दूसरा आक्षेप यह है, कि ये सब सार्वणि मनु भविष्य में होनेवाले हैं। इस कारण यह भूतकालदर्शक अथवा वाक्य 'जिनमें इस लोक में प्रजा हुई' भावी सार्वणि मनुओं को लागू नहीं हो सकता। इसी प्रकार 'पहले के चार' शब्दों का सम्बन्ध 'मनु' पद से जोड़ देना ठीक नहीं है। अतएव कहना पड़ता है, कि 'पहले के चार' ये दोनों शब्द स्वतन्त्र रीति में प्राचीन काल के कोई चार ऋषियों अथवा पुरुषों का बोध कराते हैं। और ऐसा मान लेने से यह प्रश्न महज ही होता है, कि ये पहले के चार ऋषि या पुरुष कौन हैं? जिन टीकाकारों ने इस श्लोक का ऐसा अर्थ किया है, उनके मत में मनव, मनन्द, मनातन और सनत्कुमार (भागवत ३. १२. ४) ये ही वे चार ऋषि हैं। किन्तु इस अर्थ पर आक्षेप यह है, कि यद्यपि ये चारो ऋषि ब्रह्मा के मानमपुत्र हैं, तथापि ये सभी जन्म में ही मन्वामी होने के कारण प्रजावृद्धि न करने थे; और इसमें ब्रह्मा इन पर क्रुद्ध हो गये थे (भाग ३. १२; विष्णु. १. ७)। अर्थात् यह वाक्य इन चार ऋषियों को बिलकुट ही उपयुक्त नहीं होना, कि 'जिनमें इस लोक में यह प्रजा हुई' — 'येपा लोक उमा. प्रजा:।' इसमें अतिशय कुछ पुराणों में यद्यपि यह वर्णन है, कि ये ऋषि चार ही थे, तथापि भारत के नागवर्णीय अर्थात् भागवतधर्म में कहा है, कि इन चारों में मन, कपिल और मनत्सुजान को मित्रा लेने में जो मान ऋषि होते हैं, वे सब ब्रह्मा के मानमपुत्र हैं, और वे पहले में ही निवृत्तिधर्म के थे (म भा शा ३४० ६७ ६८)। इस प्रकार मनव आदि ऋषियों को मान मान लेने में कोई कारण नहीं दीख पड़ता, कि इनमें से चार ही क्या लिये जायें। फिर 'पहले के चार' हैं कौन? हमारे मत में इन प्रश्न का उत्तर नागवर्णीय अथवा भागवतधर्म की पौराणिक कथा में ही दिया जाना चाहिये। क्योंकि यह निर्विवाद है, कि गीता में भागवतधर्म ही का प्रतिपादन किया गया है। अब यदि यह देखें, कि भागवतधर्म में मृष्टि की उत्पत्ति की कल्पना किस प्रकार की थी? तो पता लगेगा, कि मरीचि आदि मान ऋषियों के पहले वासुदेव (आत्मा), गन्धर्पण (जीव), प्रद्युम्न (मन) और अनिरुद्ध (अहत्कार) ये चार मूर्तियाँ उत्पन्न हो गई थीं। और कहा है, कि इनमें से पिछले अनिरुद्ध से अर्थात् अहत्कार

§§ एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः ।

सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः ॥ ७ ॥

अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते ।

इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः ॥ ८ ॥

[से या ब्रह्मादेव से मरीचि आदि पुत्र उत्पन्न हुए (म. भा. शा. ३३९. ३४-४० और ६०-७२; ३४०. २७-३१) । वासुदेव, सङ्कर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इन्ही चार मूर्तियों को 'चतुर्व्यूह' कहते हैं। और भागवतधर्म के एक पन्थ का मत है, कि ये चारो मूर्तियाँ स्वतन्त्र थीं; तथा दूसरे कुछ लोग इनमें से तीन अथवा दो को ही प्रधान मानते हैं। किन्तु भगवद्गीता को ये कल्पनाएँ मान्य नहीं हैं। हमने गीतारहस्य प्र. ८, पृ. १९६ और परि. ५४२-५४३ में दिखलाया है, कि गीता एकव्यूह-पन्थ की है—अर्थात् एक ही परमेश्वर से चतुर्व्यूह आदि सब कुछ की उत्पत्ति मानती है। अतः व्यूहात्मक वासुदेव मूर्तियों को स्वतन्त्र न मान कर इस श्लोक में दर्शाया है, कि ये चारो व्यूह एक ही परमेश्वर अर्थात् सर्वव्यापी वासुदेव के (गीता ७. १९) 'भाव' हैं। इस दृष्टि से देखने पर विदित होगा, कि भागवतधर्म के अनुसार 'पहले के चार' इन शब्दों का उपयोग वासुदेव आदि चतुर्व्यूह के लिये किया गया है, कि जो सप्तर्षियों के पूर्व उत्पन्न हुए थे। भारत में ही लिखा है, कि भागवतधर्म के चतुर्व्यूह आदि भेद पहले से ही प्रचलित थे (म. भा. शा. ३४८. ५७)। यह कल्पना कुछ हमारी ही नहीं है। साराश, भारतान्तर्गत नारायणीयाख्यान के अनुसार हमने इस श्लोक का अर्थ यो लगाया है: 'सात महर्षि' अर्थात् मरीचि आदि; 'पहले के चार' अर्थात् वासुदेव आदि चतुर्व्यूह; और 'मनु' अर्थात् जो उस समय से पहले हो चुके थे और वर्तमान, सब मिला कर स्वायम्भुव आदि सात मनु। अनिरुद्ध अर्थात् अहङ्कार आदि चार मूर्तियों को परमेश्वर के पुत्र मानने की कल्पना भारत में और अन्य स्थानों में भी पाई जाती है (देखो म. भा. शा. ३११. ७ ८)। परमेश्वर के भावों का वर्णन हो चुका। अब बतलाते हैं, कि इन्हे ज्ञान करके उपासना करने से क्या फल मिलता है?]

(७) जो मेरी इस विभूति अर्थात् विस्तार और योग अर्थात् विस्तार करने की शक्ति या सामर्थ्य के तत्त्व को जानता है, उसे निस्सन्देह स्थिर (कर्म-) योग प्राप्त होता है। (८) यह जान कर—कि मैं सब का उत्पत्तिस्थान हूँ; और मुझसे सब वस्तुओं की प्रवृत्ति होती है—जानी पुरुष भावयुक्त होते हुए मुझको भजते हैं।

मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम् ।
 कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ ९ ॥
 तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् ।
 इदामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥ १० ॥
 तेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानजं तमः ।
 नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ॥ ११ ॥

अर्जुन उवाच ।

§ § परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् ।
 पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभु ॥ १२ ॥
 आहुस्त्वामृषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा ।
 असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे ॥ १३ ॥

(९) वे मुझमें मन जमा कर और प्राणों को लगा कर परस्पर बोध करते हुए एवं मेरी कथा कहते हुए (उसी में) मदा सन्नुष्ट और रममाण रहते हैं। (१०) इस प्रकार मर्दव युक्त होकर अर्थात् समाधान से रह कर जो लोग मुझे प्रीतिपूर्वक भजते हैं, उनमें मैं ही ऐसी (ममत्व-) बुद्धि का योग देता हूँ, कि जिसमें वे मुझे पा लेंगे। (११) और उन पर अनुग्रह करने के लिये ही मैं उनके आत्मभाव अर्थात् अन्तःकरण में पैठ कर तेजस्वी ज्ञानदीपमें (उनके) अज्ञानमूढक अन्धकार का नाश करना हूँ।

[मानवे अध्याय में कहा है, कि भिन्न भिन्न देवताओं की श्रद्धा भी परमेश्वर ही देता है (७. २१)। उसी प्रकार अब ऊपर के दसवें श्लोक में भी वर्णन है, कि भक्तिमार्ग में लगे हुए मनुष्य की ममत्वबुद्धि को उन्नत करने का काम भी परमेश्वर ही करता है। और पहले (गीता ६. ८४) जो यह वर्णन है कि जब मनुष्य के मन में एक बार कर्मयोग की जिज्ञासा जागृत हो जाती है, — तब यह आप-ही-आप पूर्ण मिद्वि की ओर खींचा चला जाता है — उसके माथे भक्तिमार्ग का यह सिद्धान्त समानार्थक है। ज्ञान की दृष्टि में अर्थात् कर्मविनाश प्रक्रिया के अनुसार कहा जाता है, कि यह कर्तृत्व आत्मा की स्वतन्त्रता में मिळता है। पर आत्मा भी तो परमेश्वर ही है। इस कारण भक्तिमार्ग में ऐसा वर्णन हुआ करता है, कि इस पल्ल अथवा बुद्धि का परमेश्वर ही प्रत्येक मनुष्य के पूर्वसर्गों के अनुसार देता है (देखो गीता ७. २०. और गीतार. प्र. १३, पृ. ४३०)। इस प्रकार भगवान् के भक्तिमार्ग का तत्त्व बतला चुकने पर :-]
 अर्जुन ने कहा — (१०-१३) तुम ही परम ब्रह्म, श्रेष्ठ ग्यान और पवित्र वस्तु (हो)। मय श्रुति, मैं ही देवर्षि नारद, अमित, देखल और ध्यान भी

सर्वमेतद्वत्तं मन्ये यन्मां वदसि केशव ।
 न हि ते भगवन् व्यर्क्तिं विदुर्देया न दानवाः ॥ १४ ॥
 स्वयमंवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम ।
 भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते ॥ १५ ॥
 वक्तुमर्हस्यशेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः ।
 याभिर्विभूतिभिर्लोकानिमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि ॥ १६ ॥
 कथं विद्यामहं योगिस्त्रां सदा परिचिन्तयन् ।
 केपु केपु च भावेपु चिन्तयोऽसि भगवन्मया ॥ १७ ॥
 विस्तरेणात्मनो योगं विभूर्तिं च जनार्दन ।
 भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मेऽमृतम् ॥ १८ ॥

तुमको दिव्य एवं शाश्वत पुरुष, आदिदेव, अजन्मा, सर्वविभु, अर्थात् सर्वव्यापी कहते हैं; और स्वयं तुम भी मुझसे वही कहते हो। (१४) हे केशव! तुम मुझ से जो कहते हो, उस सब को मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान्! तुम्हारा व्यक्ति अर्थात् तुम्हारा मूल देवताओं को विदित नहीं; और दानकों को विदित नहीं। (१५) मय भूतो के उत्पन्न करनेवाले हे भूतेश! हे देवदेव जगत्पते! हे पुरुषोत्तम! तुम स्वयं ही अपने आप को जानते हो। (१६) अतः तुम्हारी जो दिव्य विभूतियाँ हैं, जिन विभूतियों में इन सब लोको को तुम व्याप्त कर रहे हो, उन्हें आप ही (दृष्टा कर) पूर्णता में बतलावे। (१७) हे योगिन्! (मुझे यह बतलाइये कि) सदा तुम्हारा चिन्तन करता हुआ मैं तुम्हें कैसे पहचानूँ? और भगवन्! मैं किन किन पदार्थों में तुम्हारा चिन्तन करूँ? (१८) हे जनार्दन! अपनी विभूति और योग मुझे फिर विस्तार से बतलाओ, क्योंकि अमृततुल्य (तुम्हारे भाषण को) सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं होती।

[विभूति और योग दोनों शब्द इसी अध्याय के सातवें श्लोक में आये हैं; और यहाँ अर्जुन ने उन्हीं को दुहरा दिया है। 'योग' शब्द का अर्थ पहले (गीता ७.२५) दिया जा चुका है; उसे देखो। भगवान् की विभूतियों को अर्जुन इसलिये नहीं पूछता, कि भिन्न भिन्न विभूतियों का ध्यान देवता समझ कर किया जावे। किन्तु सत्रहवें श्लोक के इस कथन को स्मरण रखना चाहिये, कि उक्त विभूतियों में सर्वव्यापी परमेश्वर की ही भावना रखने के लिये उन्हें पूछा है। क्योंकि भगवान् यह पहले ही बतला आये हैं (गीता ७.२०-२५; ९.२२-२८), कि एक ही परमेश्वर को सब स्थानों में विद्यमान जानना एक बात है; गी. र. ४९

श्रीभगवानुवाच ।

§§ हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः ।
 प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे ॥ १९ ॥
 अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः ।
 अहत्मादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च ॥ २० ॥
 आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान् ।
 मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशी ॥ २१ ॥
 वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः ।
 इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना ॥ २२ ॥

| और परमेश्वर की अनेक विभूतियों को मित्त देवता मानना दूसरी बात है । इन
 | दोनों में भक्तिमार्ग की दृष्टि से महान् अन्तर है ।]

श्रीभगवान् ने कहा :- (१९) अच्छा; तो अब हे कुरुश्रेष्ठ ! अपनी दिव्य
 विभूतियों में से तुम्हें मुख्य मुख्य बतलाता हूँ; क्योंकि मेरे विस्तार का अन्त नहीं है ।

| [इस विभूतिवर्णन के समान ही अनुशासनपर्व (१४. ३११-३२१) में
 | और अनुगीता (अश्व. ४३ और ४४) में परमेश्वर के रूप का वर्णन है । परन्तु
 | गीता का वर्णन उमकी अपेक्षा अधिक सरस है । इस कारण इसी का अनुकरण
 | और स्थलों में भी मिलता है । उदाहरणार्थ, भागवतपुराण के एकादश स्कन्ध के
 | मोलह्वे अध्याय में इसी प्रकार का विभूतिवर्णन भगवान् ने उद्धव को समझाया
 | है; और वही प्रारम्भ में (भाग. ११. १६. ६-८) कह दिया है, कि यह वर्णन
 | गीता के इस अध्यायवाले वर्णन के अनुसार है ।]

(२०) गुडाकेश ! सब भूतों के भीतर रहनेवाला आत्मा मैं हूँ; और सब भूतों का
 आदि, मध्य और अन्त भी मैं हूँ । (२१) (वायुह) आदित्यों में विष्णु मैं हूँ । तेज-
 स्वियों में अग्निगान्धी सूर्य, (मात अथवा उनचास) मानसों में मरीचि और नक्षत्रों
 में चन्द्रमा मैं हूँ । (२२) मैं वेदों में सामवेद हूँ । देवताओं में इन्द्र हूँ; और इन्द्रियों
 में मन हूँ । भूतों में चेतना अर्थात् प्राण की चलनशक्ति मैं हूँ ।

| [यहाँ वर्णन है, कि मैं वेदों में सामवेद हूँ—अर्थात् सामवेद मुख्य है । ठीक
 | ऐसा ही महाभारत के अनुशासन पर्व (१४. ३१३) में भी 'सामवेदश्च वेदानां
 | परमो जगत्प्रियम्' कहा है । पर अनुगीता में 'अन्तरः सर्ववेदानाम्'
 | (अथ ८८६) इस प्रकार सब वेदों में अन्तर को ही श्रेष्ठता दी है; तथा पहले
 | गीता (३८) में भी 'अन्तः सर्ववेदेषु' कहा है । गीता १. १३ के 'सर्वसाम-

रुद्राणां गंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम ।

वसूनां पावकश्चस्मि मेरुः शिखरिणामहम् ॥ २३ ॥

पुरोधसां च मुग्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिम् ।

सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः ॥ २४ ॥

यजुरेव च ' इति वाक्य में सामवेद की अपेक्षा ऋग्वेद को अग्रस्थान दिया गया है, और साधारण लोगो की समझ भी ऐसी ही है। इन परस्परविरोधी वर्णनों पर कुछ लोगो ने अपनी बल्पना को खूब सरपट दौड़ाया है। छान्दोग्य उपनिषद् में अकार ही का नाम उद्गीथ है। और लिखा है कि ' वह उद्गीथ सामवेद का सार है; और सामवेद ऋग्वेद का सार है ' (छा १ १ २)। सब वेदो में कौन वेद श्रेष्ठ है? इस विषय के भिन्न भिन्न उक्त विधानो का मेल छान्दोग्य के इस वाक्य से हो सकता है। क्योंकि सामवेद के मन्त्र भी मूल ऋग्वेद से ही लिये गये हैं। पर इतने ही से सन्तुष्ट न हो कर कुछ लोग कहते हैं, कि गीता में सामवेद को यहाँ पर जो प्रधानता दी गयी है, इसका कुछ-न-कुछ गूट कारण होना चाहिये। यद्यपि छान्दोग्य उपनिषद् में सामवेद को प्रधानता दी है, तथापि मनु ने कहा है, कि ' सामवेद की ध्वनि अशुचि है ' (मनु ४. १२४)। अत एक ने अनुमान किया है, कि सामवेद को प्रधानता देनेवाली गीता मनु से पहले की होगी, और दूसरा कहता है, कि गीता बनानेवाला सामवेदी होगा, इसी से उसने यहाँ पर सामवेद को प्रधानता दी होगी। परन्तु हमारी समझ में ' मैं वेदो में सामवेद हूँ ' इसकी उपपत्ति लगाने के लिये इतनी दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। भक्तिमार्ग में परमेश्वर की गानयुक्त स्तुति को सदैव प्रधानता दी जाती है। उदाहरणार्थ नारायणीय धर्म में नारद ने भगवान् का वर्णन किया है, कि ' वेदेषु सपुराणेषु साङ्गोपाङ्गेषु गीयसे ' (म भा शा. ३३४ २३), और वसु राजा ' जप्य जगौ ' - जप्य गाता था (देखो शा ३३७. २७, और ३४२ ७० और ८१) - इस प्रकार ' मैं ' धातु का ही प्रयोग फिर किया गया है। अतएव भक्तिप्रधान धर्म में - यज्ञयाग आदि क्रियात्मक वेदा की अपेक्षा - गानप्रधान वेद अर्थात् सामवेद को अधिक महत्त्व दिया गया हो, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं, ' मैं वेदो में सामवेद हूँ ' इस वचन का हमारे मत में सीधा और सहज कारण यही है।]

(२३) (ग्यारह) रुद्रो में शबर मैं हूँ। यक्ष और रक्षसो में कुबर हूँ। (आठ) वसुओ में पावक हूँ। (और सात) पर्वता में मेर हूँ। (२४) हे पार्थ ' पुरोहिता में मुख्य बृहस्पति मुझको समझ। मैं सेनानीनाम में स्कन्द (कर्णिकेय), और

महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्येकमक्षरम् ।

यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्यादराणां हिमालयः ॥ २५ ॥

अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः ।

गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः ॥ २६ ॥

उच्चैःश्रवसमश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ।

ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् ॥ २७ ॥

आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुकु ।

प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः ॥ २८ ॥

अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम् ।

पितृणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम् ॥ २९ ॥

जलाशयां में ममुद्र हैं । (२५) महर्षियों में मैं भृगु हूँ । वापी में एकाक्षर अर्थात्
अक्षर हैं । यज्ञों में जपयज्ञ मैं हूँ । स्यावर अर्थात् स्थिर पदार्थों में हिमालय हूँ ।

['यज्ञों में जपयज्ञ मैं हूँ' यह वाक्य महत्त्व का है। अनुगीता (म. भा.
भा. अश्व. ४४. ८) में कहा है, कि 'यज्ञानां वृत्तमुत्तमम्' - अर्थात् यज्ञों में
(अग्नि में) हवि ममपंज करके मिद्ध होनेवाला यज्ञ उत्तम है; और वही वैदिक
कर्मकाण्डवालों का मत है। पर भक्तिमार्ग में हवियंज की अपेक्षा नामयज्ञ या
जपयज्ञ का विशेष महत्त्व है। इसी में गीता में 'यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि' कहा
है। मनु ने भी एक स्थान पर (२. ८७) कहा है, कि 'और कुछ करे या न
करे; केवल जप में ही ब्राह्मण मिद्धि पाता है'। भागवत में 'यज्ञानां ब्रह्मयज्ञोऽहं'
पाठ है।]

(२६) मैं सब वृक्षां में अश्वत्थ अर्थात् पीपल और देवर्षियों में नारद हूँ। गंधर्वों
में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। (२७) घोड़ों में (अमृतमन्थन के समय
निकला हुआ) उच्चैःश्रवा मुझे ममहो। मैं गजेन्द्रों में ऐरावत और मनुष्यों में राजा
हूँ। (२८) मैं आयुधों में वज्र, गौओं में कामधेनु और प्रजा उत्पन्न करनेवाला काम
हूँ। सर्पों में वासुकि हूँ। (२९) नागों में अनन्त मैं हूँ। यादम् अर्थात् जलचर
प्राणियों में वरुण और पितरों में अर्यमा मैं हूँ। मैं नियमन करनेवाला यम हूँ।

[वासुकि = सर्पों का राजा और अनन्त = 'शेष' से अर्थ निरिचय है;
और जमरफोंग तथा महाभारत में भी ये ही अर्थ दिए गये हैं (देखो म. भा. आदि
२५ - ३९)। परन्तु निरवयवपूर्वक नहीं बाल्याया जा सकता, कि नाग और सर्प
में क्या भेद है। महाभारत के आग्नि-उपाख्यान में इन शब्दों का प्रयोग
समानार्थक ही है। तथापि जान पड़ता है, कि यहाँ पर सर्प और नाग शब्दों

प्रहादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम् ।
 मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम् ॥ ३० ॥
 पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम् ।
 ज्ञापाणां मकरश्चारिम स्रोतसामस्मि जाह्नवी ॥ ३१ ॥
 सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन ।
 अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम् ॥ ३२ ॥
 अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च ।
 अहमेवाक्षयः कालो धाताऽहं विश्वतोमुखः ॥ ३३ ॥
 मृत्युः सर्वहरश्चाहमुद्भवश्च भविष्यताम् ।
 कीर्तिः श्रीर्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा ॥ ३४ ॥

। से सर्प के साधारण वर्ग की दो भिन्न भिन्न जातियाँ विवक्षित हैं । श्रीधरी टीका में सर्प को विपय्या और नाग को विपहीन कहा है, एव रामानुजभाष्य में सर्प को एक सिरवाला और नाग को अनेक सिरोवाला कहा है । परन्तु ये दोनों भेद ठीक नहीं जँचते । क्योंकि कुछ स्थलो पर नागों के ही प्रमुख कुल बतलाते हुए उन में अनन्त और वासुकि को पहले गिनाना है, और वर्णन किया है, कि दोनों ही अनेक सिरोवाले एव विपधर हैं । किन्तु अनन्त है अग्निवर्ण के और वासुकि है पीला । भागवत का पाठ गीता के समान ही है ।]

(३०) मैं दैत्यों में प्रल्हाद हूँ । मैं ग्रसनेवालों में काल, पशुओं में मृगेन्द्र अर्थात् सिंह, और पक्षियों में गरुड हूँ । (३१) मैं वेगवाना मैं वायु हूँ । मैं शस्त्रधारिया मैं राम, मछलियों में मगर और नदियों में भागरथी हूँ । (३२) हे अर्जुन ! सृष्टिमात्र का आदि, अन्त और मध्य भी मैं हूँ । विद्याओं में अध्यात्मविद्या और वाद करनेवालों का वाद मैं हूँ ।

। [पीछे २० वे श्लोक में बतला दिया है, कि सचेतन भूतों का आदि, मध्य और अन्त मैं हूँ, तथा अब कहते हैं, कि सब चराचर सृष्टि का आदि, मध्य और अन्त मैं हूँ; यही भेद है ।]

(३३) मैं अक्षरों में अक्षर और समासों में (उभयपदप्रधान) द्वन्द्व हूँ । (निमेष, मुहूर्त आदि) अक्षय काल और सर्वतोमुख अर्थात् चारों ओर से मुखोवाला वानायानी ब्रह्मा मैं हूँ । (३४) सबका क्षय करनेवाली मृत्यु और आगे जन्म लेनेवालों का उत्पत्ति-स्थान मैं हूँ । स्त्रियों में कीर्ति, श्री और वाणी, स्मृति, मेधा, धृति तथा क्षमा मैं हूँ ।

। [कीर्ति, श्री वाणी इत्यादि शब्दों से वे ही देवता विवक्षित हैं । महा-भारत (आदि ६६ १३, १४) में वर्णन है, कि इनमें से वाणी और क्षमा को

बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम् ।

मासानां मार्गशीर्षोऽहमृतनां कुसुमाकुरः ॥ ३५ ॥

द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् ।

जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहम् ॥ ३६ ॥

वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनंजयः ।

मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुगता कविः ॥ ३७ ॥

दण्डो दमयतामस्मि नीतिरास्मि जिगीषताम् ।

मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम् ॥ ३८ ॥

यच्चापि सर्वभूतानां वीजं तद्रहमर्जुन ।

न तद्रस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम् ॥ ३९ ॥

[छोट शेष पांच और दूसरी पांच (पुष्टि, श्रद्धा, क्रिया, लज्जा और मति) दोनों मित्र कर कुछ दण्डों दक्ष की ब्यापणें हैं। प्रम के मा. ३ व्याही जानें के कारण उन्हें धर्मपत्नी कहते हैं।]

(३५) साम अर्थात् गाने के वाद्य वैदिक न्नात्रो में बृहत्साम, और छन्दों में गायत्री छन्द में हैं। महीना में मार्गशीर्ष और अनुजों में वसन्त हैं।

[महीना में मार्गशीर्ष को प्रथम स्थान दृग्गिय दिया गया है कि उन दिना में गण्ड महीना का मार्गशीर्ष न ही गिनत की रीति थी - जैसे कि आज-का क्षेत्र में है। - (देखो म भा अनु १०६ और एव वा-मीत्रिगामायण ३ १६)। भागवत ११ १६ २७ में भी ऐसा ही उल्लेख है। हमने अपने 'ओरायन' ग्रन्थ में लिखा है कि मृगशीर्ष नक्षत्र को अष्टावर्णी अथवा वर्षाग्म ता नक्षत्र कहते थे। जब मृगादि नक्षत्रगणना का प्रचार था तब मृगनक्षत्र को प्रथम अग्रस्थान मिला, और हमों में फिर मार्गशीर्ष महीना को भी श्रेष्ठता मिली होगी। इस विषय में क्या विचार क भय में अधिक रहाना उचित नहीं है।]

(३६) में छिया में द्यूत हैं। त्रस्त्रिया का तत्र (विजयशाली पुरषा या) विजय, (त्रिभुवो पुरषा का) त्रिभुव आर नन्त्राणा का नन्त्र में हैं। (३७) में यादवा में वासुदेव पाण्डवा में प्राच्य मृत्तिया में व्यास और कविया में शुश्रावायं कवि हैं। (३८) में ज्ञान करन्वाया का दण्ड जब ही दृष्टा करनेवाला ही नीति और गुण में मौन हैं। ज्ञानिया का ज्ञान में हैं। (३९) दृग् प्रचार है अर्जुन। न्य मृगा का सा शत्रु नीत्र है का में हैं। ऐसा कोई चर-प्रचर भूत नहीं है, जो

नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप ।
एष तूद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरौ मया ॥ ४० ॥

§§ यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा ।
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोऽशसम्भवम् ॥ ४१ ॥

अथवा बहुनेतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन ।
विप्रभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत् ॥ ४२ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे
विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥

मुझे छोड़े हो । (४०) हे परन्तप ! मेरी दिव्य विभूतियों का अन्त नहीं है । विभू-
तियों का यह विस्तार मैंने केवल दिग्दर्शनार्थ वतलाया है ।

। [इस प्रकार मुख्य मुख्य विभूतियाँ वतला कर अब इस प्रकरण का
। उपसंहार करते हैं :-]

(४१) जो वस्तु वैभव, लक्ष्मी या प्रभाव में युक्त है, उसको तुम मेरे तेज
के अंश से उपजी हुई समझो । (४२) अथवा हे अर्जुन ! तुम्हें इस पैलाव को जान
कर करना क्या है ? (संक्षेप में वतलाये देता हूँ, कि) मैं अपने एक (ही) अंश से
इस सारे जगत् को व्याप्त कर रहा हूँ ।

। [अन्त का श्लोक पुरुषसूक्त की इस ऋचा के आधार पर कहा गया है
। 'पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृत दिवि' (ऋ. १०.९०.३); और
। यह मन्त्र छान्दोग्य उपनिषद् (३, १२. ६) में भी है । 'अंश' शब्द के अर्थ का
। खुलासा गीतारहस्य के नौवें प्रकरण के अन्त (पृ. २४८ और २४९) में किया
। गया है । प्रकट है, कि जब भगवान् अपने एक ही अंश से इस जगत् में व्याप्त हो
। रहा है, तब इसकी अपेक्षा भगवान् की पूरी महिमा बहुत ही अधिक होगी;
। और उसे वतलाने के हेतु से ही अन्तिम श्लोक कहा गया है । पुरुषसूक्त में तो
। स्पष्ट ही कह दिया है, कि 'एतावान् अस्य महिमाऽतो ज्यायाश्च पूरुषः' यह
। इतनी इसकी महिमा हुई । पुरुष तो इस की अपेक्षा कहीं श्रेष्ठ है ।]

इस प्रकार श्रीभगवान् के गाये हुए — अर्थात् कहे हुए — उपनिषद् में ब्रह्म-
विद्यान्तर्गत योग अर्थात् कर्मयोगशास्त्रविषयक श्रीकृष्ण और अर्जुन के संवाद में
विभूतियोग नामक दसवाँ अध्याय समाप्त हुआ ।

एकादशोऽध्यायः ।

अर्जुन उवाच ।

मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितम् ।
 यच्चयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम ॥ १ ॥
 भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरणो मया ।
 त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम् ॥ २ ॥
 एवमेतद्यथात्थ त्वमात्मानं परमेश्वर ।
 द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमेश्वरं पुरुषोत्तम । ३ ॥
 मन्यसे यदि तच्छुक्र्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो ।
 योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम् ॥ ४ ॥

ग्यारहवाँ अध्याय

[जब पिछले अध्याय में भगवान् ने अपनी विभूतियां या वर्णन किया, तब उस मुन कर् अर्जुन को परमेश्वर का विग्रहरूप देखने की इच्छा हुई । भगवान् ने उसे जिस विग्रहरूप का दर्शन कराया, उसका वर्णन इस अध्याय में है । यह वर्णन इतना सरल है, कि गीता के उन भागों में उसकी गिनती होती है, और अन्यत्र गीताशा की रचना करनेवालों ने इन्हीं का अनुकरण किया है । प्रथम अर्जुन पूछता है कि -]

अर्जुन ने कहा - (१) मुझ पर अनुग्रह करने के लिये तुमने अध्यात्मज्ञान का परम गुण वात बताया, उसमें मग यह साह जाना रहा । (२) इसी प्रकार हे कमलपत्राक्ष ! भूतों की उत्पत्ति, त्व और नृत्कारों अक्षय माहात्म्य भी मैंने तुमसे सिनागच्छित मुन किया । (३) अब हे परमेश्वर ! तुमने अपना जैसा वर्णन किया है, हे पुरुषोत्तम ! मैं नृत्कार का प्रसार के दर्शन स्वल्प का (प्रत्यक्ष) दर्शन चाहता हूँ । (४) हे प्रभो ! यदि तुम समझते हो, कि उस प्रकार का रूप मैं देख सकता हूँ तो दर्शाने । तुम जानते अक्षय स्वल्प मुझ दिग्गजाश्रा ।

[मातर अध्याय में ज्ञानविज्ञान का आरम्भ कर मानने और जात्रे में परमेश्वर के अक्षय अक्षय स्वल्प का तथा नीचे एवं दमद में अनेक स्था का ज्ञान बताया है उसी अर्जुन ने पूछा नृत्कार में 'अध्यात्म' कहा है । एवं अध्यात्म से अनेक अक्षय पदार्थों के निमित्त ज्ञान का ज्ञान वर्णन (६-१५), आश्र (१६-२१) और नाव (६-६) अध्यायों में है यही 'भूतों की उत्पत्ति

श्रीभगवानुवाच ।

§§ पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः ।

नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च ॥ ५ ॥

पश्यादित्यान् वसुन् रुद्रानश्विनो मरुतस्तथा ।

बहून्यद्द्रष्टृपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत ॥ ६ ॥

इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम् ।

मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि ॥ ७ ॥

[और लय ' इन शब्दों से दूसरे श्लोक में अभिप्रेत है । तीसरे श्लोक के दोनों अर्धांगों को दो भिन्न भिन्न वाक्य मान कर कुछ लोग उनका ऐसा अर्थ करते हैं, कि 'परमेश्वर ! तुमने अपना जैसा (स्वरूप का) वर्णन किया, वह सत्य है (अर्थात् मैं समझ गया) । अत्र हे पुम्पोत्तम ! ' मैं तुम्हारे ईश्वरी स्वरूप को देखना चाहता हूँ" (देखो गीता १० १४) । परन्तु दोनों पक्तियों को मिला कर एक वाक्य मानना ठीक जान पड़ता है, और परमार्थप्रपा टीका में ऐसा किया भी गया है । चौथे श्लोक में जो 'योगेश्वर' शब्द है, उसका अर्थ योगी का (योगियों का नहीं) ईश्वर है (१८. ७५) । योग का अर्थ पहले (गीता ७ २५ और ९.५) अव्यक्त रूप से व्यक्तमूर्ति निर्माण करने का सामर्थ्य अथवा युक्ति किया जा चुका है । अब उम सामर्थ्य में ही विश्वरूप दिखलाना है, इस कारण यहाँ 'योगेश्वर' सम्बोधन का प्रयोग सहेतुक है ।]

श्रीभगवान् ने कहा — (५) हे पार्थ ! मेरे अनेक प्रकार के अनेक रंगों के और आकारों के (इन) सैकड़ों अथवा हजारों दिव्य रूपों को देखो । (६) ये देखो (बारह) आदित्य, (आठ) वसु, (ग्यारह) रुद्र, (दो) अश्विनीकुमार और (उनकास) मरुद्गण । हे भारत ! ये अनेक आश्चर्य देखो, कि जो पहले कभी न देखे होंगे ।

[नारायणीय धर्म में नारद को जो विश्वरूप दिखलाया गया है, उसमें यह विशेष वर्णन है, कि बाँई ओर बारह आदित्य, सन्मुख आठ वसु, दाहिनी ओर ग्यारह रुद्र और पिछली ओर दो अश्विनीकुमार थे (शा ३३९ ५०-५२) । परन्तु कोई आवश्यकता नहीं, कि यही वर्णन सर्वत्र विवक्षित हो (देखो म. भा. उ. १३०) । आदित्य, वसु, रुद्र, अश्विनीकुमार और मरुद्गण ये वैदिक देवता हैं; और देवताओं के चातुर्वर्ण्य का भेद महाभारत (शा २०८. २३, २४) में यों बतलाया है, कि आदित्य क्षत्रिय हैं, मरुद्गण वैश्य हैं; और अश्विनीकुमार शूद्र हैं । (देखो शतपथब्राह्मण १४. ४. २ २३)]

(७) हे गुडाकेश ! आज यहाँ पर एकत्रित सब चर-अचर जगत् देख ले; और भी जो कुछ तुझे देखने की लालसा हो, वह मेरी (इम) देह में देख ले ।

न तु मां शक्यसे दप्सुमनेनैव स्वचक्षुषा ।
दिव्यं ददामि ते चक्षुः पथ्य मे योगभैश्वरम् ॥ ८ ॥

मञ्जय उवाच ।

§§ एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः ।
दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमश्वरम् ॥ ९ ॥
अनेकवक्त्रनयनमनेकाद्भुतदर्शनम् ।
अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम् ॥ १० ॥
दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनम् ।
सर्वाश्चर्यमय देवमनन्तं विश्वतोमुखम् ॥ ११ ॥
दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदृशिता ।
यदि भाः सदृशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मनः ॥ १२ ॥
तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा ।
अपथ्यदेवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ॥ १३ ॥
ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजयः ।
प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत ॥ १४ ॥

(८) परन्तु नू अपनी इनी दृष्टि मे मुझे दूज न मवेगा । तुझे मे दिव्य दृष्टि देना हूँ ।
(इनमे) मेरे दस दृश्यगी याग अर्थात् योगमामर्थ्य को देऊ ।

नजय ने कहा .— (९) फिर हे राजा धारणाट्ट । उस प्रकार वह उगरे याग के दृश्यर इति न अर्जुन का (अपना) श्रेष्ठ दृश्यगी रूप अर्थात् विष्णुस्य दिखाना ।
(१०) उसने अर्थात् विष्णुस्य न अनेक रूप और उसमें अनेक अद्भुत दृश्य दीप्य पत्तने थे । उन पर के दिव्य अस्त्रकार के, और उन में नानाप्रकार के दिव्य जायत्र सज्जित थे । (११) उन अनन्त, सर्वतोमुख और सब आग्नेयों मे भरे हुए देवता के दिव्य गुणविधा उभटन लगा हुआ था, वह दिव्य पुण्य एवं उच्च प्राण्य विद्य हुए था ।
(१२) यदि आकाश मे एक हजार सूर्यों की प्रभा एतमान है, तो वह उन महाना की शक्ति के समान (कुछ कुछ) दीप्य पत्ते । (१३) नर देवादिदेव के दस शरीर में नाना प्रकार मे बँटा हुआ माया जगत् अर्जुन का एकत्रित दिखाने दिया ।
(१४) फिर आग्नेयों में उभटन मे उभटन शरीर पर समान गूडे हा श्रायें; और मन्त्रक समा कर समस्कार करण एवं शाय जाटकर उन अर्जुन न देवता मे बना —
अर्जुन न बना — (१५) " दस सुन्दरी उम दह मे मय देवताया का और नाना प्रकार के शक्ति के समानता का ऐन ही समान्यन पर बँटे हुए (सब देवताओं के)

अर्जुन उवाच ।

§§ पश्यामि देवांस्तत्र देव देहे सर्वास्तथा भूतविशेषसंधान् ।
 ब्रह्माण्मीशं कमलासनस्थमृषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् ॥ १५ ॥
 अनेकबाहुदरचक्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् ।
 नान्तं न मध्यं न पुनस्तर्वादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप ॥ १६ ॥
 किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम् ।
 पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्य समन्ताद्दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम् ॥ १७ ॥
 त्वमक्षर परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् ।
 त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे ॥ १८ ॥
 अनादिमध्यान्मनन्तवीर्यमनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् ।
 पश्यामि त्वां दीप्तहुताशयकत्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् ॥ १९ ॥
 धावापृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः ।
 दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेद लोकत्रय प्रत्यथितं महात्मन् ॥ २० ॥
 अमी हि त्वां सुरसद्या जिशन्नि केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृणन्ति ।
 स्तस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्ध संघाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः ॥ २१ ॥

स्वामी ब्रह्मादेव, सब ऋषियो और (वासुकि प्रभृति) सब दिव्य सर्पों को भी मैं देख रहा हूँ । (१६) अनेक बाहु, अनेक उदर, अनेक मुख और अनेक नेत्रधारी, अनन्तरूपो तुम्ही को मैं चारो ओर देखता हूँ, परन्तु हे विश्वेश्वर विश्वरूप ! तुम्हारा न तो अन्त, न मध्य और न आदि ही मुझे (कही) दीख पडता है । (१७) किरीट, गदा और चक्र धारण करनेवाले, चारा आर प्रभा फैलाये हुए, तेज गुज, दमकते हुए अग्नि और सूर्य के समान देदीप्यमान्, आँखा मे दबने मे भी अशक्य और अपरम्पार (भर हुए) तुम्ही मुझे जहाँ-तहाँ दीख पडते हो । (१८) तुम्ही अन्तिम ज्ञेय अक्षर (ब्रह्म), तुम्ही इस विश्व के अन्तिम आधार, तुम्ही अव्यय और तुम्ही शाश्वत धर्म के रक्षक हो । मुझे सनातन पुरुष तुम्ही जान पडते हो । (१९) जिसके न आदि है, न मध्य और न अन्त, अनन्त जिसके बाहु है, चन्द्र और जिसने नेत्र है, प्रज्वलित अग्नि जिसका मुख है, ऐसे अनन्त शक्तिमान् तुम ही अपने तेज से इस समस्त जगत् को तपा रहे हो । तुम्हारा ऐसा रूप मैं देख रहा हूँ । (२०) क्योंकि आकाश और पृथ्वी के बीच का यह (सब) अन्तर और सभी दिशाएँ अकेले तुम्ही ने व्याप्त कर डाली है । हे महात्मन् ! तुम्हारे इस अद्भुत और उग्र रूप को देख कर त्रैलोक्य (डर मे) व्यथित हो रहा है । (२१) यह देखा, देव-

रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेऽश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च ।
गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसंघा वीक्षन्ते त्वा विस्मिताश्चैव सर्वे ॥ २२ ॥

रूपं महत्ते बहुवचनेन महाबाहो बहुबाहुरूपादम् ।
बहूदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम् ॥ २३ ॥

नभःस्पृशं क्षीतमनेकवर्णं व्यात्ताननं क्षीतविशालनेत्रम् ।
दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धूर्तिं न विन्दामि शर्मं च विष्णो ॥ २४ ॥

दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि ।
दिशो न जाने न लभे च शर्मं प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥ २५ ॥

नाओं के समूह तुममें प्रवेश कर रहे हैं । (और) कुछ भय में हाथ जोड़ कर प्रार्थना कर रहे हैं । (एव) 'स्वस्ति, स्वस्ति' कह कर महर्षि और मित्रों के समुदाय अनेक प्रकार के स्तोत्रों में तुम्हारी स्तुति कर रहे हैं । (२२) रुद्र और आदित्य, वसु और माध्यगण, विश्वदेव, (दोना) अश्विनीकुमार, मरुद्गण, उष्मपा अर्थात् पितर और गन्धर्व, यक्ष, राक्षस एवं मित्रों के झुंड के झुंड विस्मित हो कर तुम्हारी ओर देख रहे हैं ।

[श्राद्ध में पितरों का जो अन्न अर्पण किया जाता है, उस में तभी तब ग्रहण करते हैं, जब तक कि वह गरमागरम न हो । इसी में उनको 'उष्मपा' कहते हैं (मनु. ३. २३७) । मनुस्मृति (३, १. १८-२००) में इन्हीं पितरों के सोममद, अग्निष्वान्, वह्निपद्, सोमपा, इन्द्रिष्मन्, जाग्यसा और मुक्वाण्डिन् ये मातृ प्रवार के गण बतलाये हैं । आदित्य आदि देवता वैदिक हैं (ऊपर का छठा प्रयोग देगो) । बृहदारण्यक उपनिषद् (३ १. २) में यह वर्णन है, कि आठ वसु, आठ रुद्र, आठ जादित्य और इन्द्र तथा प्रजापति को मित्रा कर ३३ देवता होते हैं, और महाभाग्य जादिपत्तं अ ६५ एवं ६६ में तथा शान्तिपर्व अ. २०८ में इनके नाम और इनकी उत्पत्ति बतलायी गयी है ।]

(२३) 'महाबाहू' । तुम्हारे इन महान् जनक मुझों के, जनक आंगों के, अनेक भुजाओं के जनक उदरान्ना के जनक पैरों के अनेक उदरों के और अनेक हाइयों के कारण त्रिगण, द्विगण, त्रिगण का देव्य कर सब त्यागो को जोन मुझे भी भय हो रहा है । (२४) जापान में भिन्ने हुए प्रजागमान् जनक ग्या के जवटे पैरों के हुए, और यह समझते नेत्रों में सक्त तुमका देव्य कर अन्तरात्मा घबरा गया है । इनमें इन्द्रिष्मन् । मेरा धीरुण्ड नष्ट गया, और शान्ति भी जाती रही । (२५) हाइयों में क्षीणः तथा प्रजापति अग्नि के समान तुम्हारे (इन) मुझों को देगो हो मया दिनागो नर्क मुझों, और समाधान भी नहीं होता । हे जगन्निवास

अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसंघे ।
 भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्त्रयासौ सहास्मद्दीर्घैरपि योधमुख्यैः ॥ २६ ॥
 वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि ।
 केचिद्विलग्ना दृगनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमांगै ॥ २७ ॥
 यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति ।
 तथा तवामी नरलोकवीरा विगन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति ॥ २८ ॥
 यथा प्रदीपं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः ।
 तथैव नागाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः ॥ २९ ॥
 लेलिहसि असमानः समन्ताद्भोकान समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः ।
 तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो ॥ ३० ॥
 आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद ।
 विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् ॥ ३१ ॥

श्रीभगवानुवाच ।

३१ कालोऽस्मि लोकक्षयकृतप्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ।
 ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येऽवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः ॥ ३२ ॥

देवाधिदेव ! प्रसन्न हो जाओ । (२६) यह देखो ! राजाआ के झुडासमेत धृतराष्ट्र के सब पुत्र, भीष्म, द्रोण और वह सूतपुत्र (कर्ण), हमारी भी आर के मुख्य मुख्य योद्धाओं के साथ (२७) तुम्हारी विकराल डाढोवाले इन अनेक भयकर मुखों में घडाघड घुस रहे हैं, और कुछ लोग दाँता में दब कर ऐसे दिखाया द रहे हैं, कि जिनकी खोपडियाँ चुर हैं । (२८) तुम्हारे अनेक प्रज्वलित मुखों में मनुष्यलोक के ये वीर बँसे ही घुस रहे हैं, जैसे कि नदियाँ के बडे बडे प्रवाह समुद्र की ही ओर चले जाते हैं । (२९) जलती हुई अग्नि में मरने के लिये बडे वेग में जिस प्रकार पतंग बूदते हैं, वैसे ही तुम्हारे भी अनेक जवडों में (ये) लोग मरने के लिये बडे वेग से प्रवेश कर रहे हैं । (३०) हे विष्णा ! चारों ओर से सब लोगो का अपने प्रज्वलित मुखों से निगल कर तुम जीभ चाट रहे हो ! और तुम्हारी उग्र प्रभाएँ तेज से सम्भे जगत् को व्याप्त कर (चारों ओर) चमक रही हैं । (३१) मुझे बतलाओ कि, इस उग्र रूप को धारण करनेवाले तुम कौन हो ? हे देवश्रेष्ठ ! तुम्हे नमस्कार करता हूँ ! प्रसन्न हो जाओ ! मैं जानना चाहता हूँ, कि तुम आदि पुरुष कौन हो ? क्योंकि मैं तुम्हारी इन करनी को (विलकुल) नहीं जानता ।

श्रीभगवान् ने कहा - (३२) मैं लोको का क्षय करनेवाला और बडा हुआ

तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यगो लभस्य जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् ।
मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन ॥ ३३ ॥

द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि बोधवीरान ।
मया हतांस्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान् ॥ ३४ ॥

सजय उवाच ।

§§ एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी ।
नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य ॥ ३५ ॥

अर्जुन उवाच ।

स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च ।
रक्षांसि भीतानि दिगो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः ॥ ३६ ॥

'वाल' हैं । यहाँ लोगो का सहार करने आया हू । तू न हो, तो भी (अर्थात् तू कुछ करे, तो भी) मेनाओं में खड़े हुए ये सब योद्धा नष्ट होनेवाले (मरनेवाले) हैं । (३३) अनएव तू उठ, यम प्राप्त कर, और शत्रुओं को जीत करके समृद्ध राज्य का उपभोग कर । मैंने उन्हें पहले ही मार टाका है । (दमलिये अर) हे मव्यमात्री (अर्जुन) ! तू केवल निमित्त के लिये (आगे) हो । (३४) मैं द्रोण, भीष्म, जयद्रथ और कर्ण तथा ऐसे ही अन्यान्य वीर योद्धाओं को (पहले ही) मार चुका हूँ । उन्हें तू मार । घबडाना नहीं ! युद्ध कर ! तू युद्ध में शत्रुओं को जीनेगा ।

[भाराज, जब श्रीकृष्ण मन्थि के जिये गये थे, तब दुर्षोघ्न को मेल की वार्दे भी बात सुनते न देख भीष्म ने श्रीकृष्ण से केवल शत्रुओं में कहा था, कि 'वात्पममिद मन्थि मर्व क्षत्र जनार्दन' (म भा उ. १२७ ३२) - ये सब क्षत्रिय वात्पम हा गय है । उमी कथन का यह प्रत्यक्ष दृश्य श्रीकृष्ण ने अपने मित्ररूप में अर्जुन का दिखान दिया है (अर ३६ - ३९ श्लोक देखो) कर्म-विपाक-प्रक्रिया का यह निदान भी ३३ वे श्लोक में आ गया है, कि कुछ मनुष्य अपना कर्मों में ही मरने हैं । उनका भाग्यनाश तो निमित्त निमित्त है । क्षत्रिय भाग्यवाले का उमका दोष नहीं लगता ।]

उत्पन्न न कथा - (३५) केशव का उम भाषण का अनु कर अर्जुन अत्यन्त भयभीत हो गया । तथा श्रेष्ठ कर कापत हाथ उठ नमस्कार करके उनसे श्रीकृष्ण से सम्बन्ध कर फिर अर्जुन न कथा - (३६) हे हृषीकेश ! (मर) जगत् समृद्ध (रूप-) प्राप्त न प्राप्त होता है, और (दमन) अनुत्पन्न होता है । गशान तुमका पर कर (दना) दिशाप्राप्त न प्राप्त जाता है, और निदुष्टगुणों का वर तुम्हारी वा नमस्कार

कस्माच्च ते न नमेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे ।

अनन्त देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् ॥ ३७ ॥

त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् ।

वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप ॥ ३८ ॥

वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशांक प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च ।

नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ॥ ३९ ॥

नमः पुरस्तादथ पृथ्वास्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व ।

अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः ॥ ४० ॥

करते हैं, यह (सब) उचित ही है। (३७) हे महात्मन् ! तुम ब्रह्मादेव के आदि कारण और उससे भी श्रेष्ठ हो। तुम्हारी वन्दना वे कैसे न करेगें? हे अनन्त! हे जगन्निवास ! सत् और असत् तुम्ही हो; और इन दोनों से परे जो अक्षर है, वह भी तुम्ही हो।

[गीता ७.२४; ८.२०; और १५.१६ दीव्र पडेगा, कि सत् और असत् शब्दों के अर्थ वहाँ पर क्रम से व्यक्त और अव्यक्त अथवा क्षर और अक्षर इन शब्दों के अर्थों के समान है। सत् और असत् से परे जो तत्त्व है, वही अक्षर ब्रह्म है। इसी कारण गीता १३.१२ में स्पष्ट वर्णन है, कि 'मै न तो सत् हूँ; और न असत्।' गीता में 'अक्षर' शब्द कभी प्रकृति के लिये और कभी ब्रह्म के लिये उपयुक्त होता है। गीता ९.१९; १३.१२; और १५.१६ की टिप्पणी देखो।]

(३८) तुम आदिदेव, (तुम) पुरातन पुरुष, इस जगत् के परम आधार, तुम ज्ञाता और ज्ञेय तथा तुम श्रेष्ठस्थान हो; और हे अनन्तरूप ! तुम्ही ने (इस) विश्व को विस्तृत अथवा व्याप्त किया है। (३९) वायु, यम, अग्नि, वरुण, चन्द्र, प्रजापति अर्थात् ब्रह्मा और परदादा भी तुम्ही हो। तुम्हे हजार बार नमस्कार है। और फिर भी तुम्ही को नमस्कार है !

[ब्रह्मा से मरीचि आदि सात मानसपुत्र उत्पन्न हुए, और मरीचि से कश्यप तथा कश्यप से सब प्रजा उत्पन्न हुई है (म भा. आदि. ६५.११)। इसलिये इन मरीचि आदि को ही प्रजापति कहते हैं (शा. ३४०.६५)। इसी से कोई कोई प्रजापति शब्द का अर्थ कश्यप आदि प्रजापति कहते हैं। परन्तु यहाँ प्रजापति शब्द एकवचनान्त है। इस कारण प्रजापति का अर्थ ब्रह्मादेव ही अधिक ग्राह्य दीख पडता है। इसके अतिरिक्त ब्रह्मा, मरीचि आदि के पिता अर्थात् सब के पितामह (दादा) हैं; अतः आगे का 'प्रपितामह' (परदादा) पद भी आप-ही-आप प्रकट होता है; और उसकी सार्थकता व्यक्त हो जाती है।]

(४०) हे सर्वात्मिक ! तुम्हे सामने से नमस्कार है, पीछे से नमस्कार है और ममी

सखेति मत्वा प्रसमं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति ।
 अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात्प्रणयेन वापि ॥ ४१ ॥
 यच्चावहासाथर्मसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु ।
 एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम् ॥ ४२ ॥
 पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुर्गरीयान् ।
 न त्वत्समोऽस्तम्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभावः ॥ ४३ ॥
 तस्मात्प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीगमीढ्यम् ।
 पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम् ॥ ४४ ॥

और मैं तुमको नमस्कार है । तुम्हारा बीर अनन्त है; और तुम्हारा पगदम अनु-
 है । मय को यथेष्ट होने के कारण तुम्ही 'मैं' हो ।

[सामने में नमस्कार, पीछे में नमस्कार, ये शब्द परमेश्वर की सर्वव्यापकता
 दिखाने हैं । उपनिषदों में ब्रह्म का ऐसा वर्णन है, कि 'ब्रह्मैवेद अमृतं पुरस्तात्
 ब्रह्म पश्चान् ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण । अधश्चोर्ध्वं च प्रमृतं ब्रह्मैवेद विश्वमिदं
 वरिष्ठम्' (मु ० २. ११; छा. ७ २५) उमा के अनुमान भक्तिमार्ग की यह
 नमनात्मक स्तुति है ।]

(४१) तुम्हारी इन महिमा को बिना जाने, मित्र ममज्ञ कर प्यार में या भूट में 'अरे
 कृष्ण', 'यादव', 'हे मया' इत्यादि जो कुछ मैंने कह डाला हो; (४२) और
 हे अच्युत ! आहार-विहार में अथवा मोने-बैठने में, अनेके में या दम मनुष्यों के
 समक्ष मैंने हेमी-दिङ्गी में तुम्हारा जा अपमान किया हो, उनके लिये मैं तुममें क्षमा
 माँगता हूँ । (४३) इन चराचर जगत् के पिता तुम्ही हो । तुम पूज्य हो, और
 गुरु के भी गरु हो । वैशेषिकमते में तुम्हारी बराबरी का कोई नहीं है । फिर हे अनु-
 प्रभाव ! अधिक कहाँ में होगा ? (४४) तुम्ही स्तुत्य और ममयं हो । इमलिये
 मैं शरीर झुका कर नमस्कार करने तुममें प्रार्थना करता हूँ, कि 'प्रणम्य हो जाओ' ।
 जिस प्रकार पिता अपने पुत्र के अथवा मया अपने मयाके अपराध क्षमा करता है
 उमा प्रकार हे देव ! प्रेमी (जाय) को प्रिय के (अपने प्रेममय के जयान् में) नम
 अगच्छ क्षमा करना चाहिये ।

[कुछ जग 'प्रिय प्रियायार्हसि' इन शब्दों का प्रिय पुरुष जिस
 प्रकार अपनी स्त्री के 'ऐसा प्रयं करते हैं । परन्तु हमारे मत में यह ठीक नहीं
 है । क्योंकि व्याकरण की रीति में 'प्रियायार्हसि' के प्रियाया + अर्हसि
 अथवा प्रियार्थ + अर्हसि ऐसे पद नहीं टूटते, और उपमावाचक 'देव' शब्द
 भी इन शब्दों में दो बार ही आया है । अतः प्रिय प्रियायार्हसि' को
 नामगो जानना न समझ कर उपमेय मानना ही अधिक प्रशस्त है । 'पुत्र के'

अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे ।
तदेव मे दर्शय देव रूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥ ४५ ॥
किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव ।
तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते ॥ ४६ ॥

श्रीभगवानुवाच ।

§§ मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् ।
तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् ॥ ४७ ॥

(पुत्रस्य), 'सखा के' (सख्यु.), इन दोनों उपमानात्मक पठ्यन्त शब्दों के समान यदि उपमेय मे भी 'प्रियस्य' (प्रिये के) यह पठ्यन्त पद होता, तो बहुत अच्छा होता। परन्तु अब 'स्थितम्य गतिश्चिन्तनीया' इस न्याय के अनुसार यहाँ व्यवहार करना चाहिये। हमारी समझ में यह बात बिलकुल युक्तिसङ्गत नहीं दीख पड़ती, कि 'प्रियस्य' इस पठ्यन्त स्त्रीलिङ्ग पद के अभाव में व्याकरण के विरुद्ध 'प्रियाया' यह पठ्यन्त स्त्रीलिङ्ग का पद किया जावे, और जब वह अर्जुन के लिये लागू न हो सके तब, 'इव' शब्द को अध्याहार मान कर 'प्रिय प्रियाया' - प्रेमी अपनी प्यारी स्त्री के - ऐसी तीसरी उपमा मानी जावे, और वह भी शङ्कारिक अतएव अप्रासङ्गिक हो। इसके सिवा एक और बात है, कि पुत्रस्य, सख्यु, प्रियाया, इन तीनों पदों के उपमान में चले जाने से उपमेय में पठ्यन्त पद बिलकुल ही नहीं रह जाता, और 'मे' अथवा 'मम' पद का भी अध्याहार करना पड़ता है। एव इतनी मायापच्ची करने पर उपमान और उपमेय में जैसे तैसे विभक्ति की समता हो गई तो दोनों में लिङ्ग की विषमता का नया दोष बना ही रहता है। दूसरे पक्ष में - अर्थात् प्रियाय + अहंसि ऐसे व्याकरण की रीति से शुद्ध और सरल पद किये जावे, तो उपमेय में - जहाँ पठ्यन्त होनी चाहिये, वहाँ 'प्रियाय' यह चतुर्थी आती है, - वस, इतना ही दोष रहता है, और यह दोष कोई विशेष महत्त्व का नहीं है। क्योंकि पठ्यन्त का अर्थ यहाँ चतुर्थी का सा है, और अन्य भी कई बार ऐसा होता है। इस श्लोक का अर्थ परमार्थप्रपा टीका में वैसा ही है, जैसा कि हमने किया है।]

(४५) कभी न देखे हुए रूप को देखकर मुझे हर्ष हुआ है ! और भय से मेरा मन व्याकुल भी हो गया है ! हे जगन्निवास, देवाधिदेव ! प्रमत्त हो जाओ ! और हे देव ! अपना वही पहले का स्वरूप दिखाओ ! (४६) मैं पहले के समान ही किरीट और गदा धारण करनेवाले, हाथ में चक्र लिये हुए तुमको देखना चाहता हूँ। (अतएव) हे सहस्रबाहु, विश्वमूर्ति ! उमी चतुर्भुज रूप में प्रकट हो जाओ।

श्रीभगवान् ने कहा - (४७) हे अर्जुन ! (तुझ पर) प्रमत्त होकर यह
गी र ५०

न वेदयज्ञाध्ययनेन दानैर्न च क्रियामिर्न तपोमिर्नैः ।
 एवंरूपः शक्य अहं वृत्लोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरुप्रवीर ॥ ४८ ॥
 मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृशमेदम् ।
 व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य ॥ ४९ ॥

सञ्जय उवाच ।

इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः ।
 आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्यवपुर्महात्मा ॥ ५० ॥

अर्जुन उवाच ।

दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन ।
 इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः ॥ ५१ ॥

तेजोमय, अनन्त, आद्य और परम विश्वरूप अपने योगनामधेय्यं मे मैंने तुझे दिखाना है। इन्ने तेरे निवा और किमी ने पहले नहीं देखा। (४८) हे कुरुवीरश्रेष्ठ! मनुष्यलोक में मेरे इन प्रकार का स्वरूप कोई भी वेद में, यज्ञों में, स्वाध्याय में, दान में, कर्मों में अथवा उग्र तप में नहीं देख सकता, कि जिसे तू ने देखा है। (४९) मेरे ऐसे घोर रूप को देख कर अपने चित्त में व्यथा न होने दे; और मूढ़ मन हो जा। डर छोड़ कर मनुष्य मन मे मेरे उमा स्वरूप को फिर देख ले। संजय ने कहा :- (५०) उस प्रकार भाषण करते वामुदेव ने अर्जुन को फिर अपना (पहले का) स्वरूप दिखलाया; और फिर सौम्य रूप धारण करके उस महात्मा ने उसे दृष्ट अर्जुन को धीरज बंधाया।

[गीता के द्वितीय अध्याय के ५ वे से ८ वे, २० वे, २२ वे, २९ वे और ३० वे श्लोक, आठवे अध्याय के ९ वे, १० वे, ११ वे और २८ वे श्लोक, नौवें अध्याय के २० और २१ वे श्लोक, पन्द्रहवें अध्याय के २ रे से ५ वे और १५ वे श्लोक का छन्द त्रिपुरुषपरिणत के उक्त ३६ श्लोकों के छन्द के समान है। अर्थात् इनमें प्रत्येक चरण में ग्यारह अक्षर हैं। परन्तु इनमें गणों का कोई एक नियम नहीं है। इसमें कार्त्तिकाम प्रभृति के वाक्यों के इन्द्रवज्रा, उषेन्द्रवज्रा, उपजाति, सोधक, शास्त्रिणी जादि छन्दों की चाट पर य श्लोक नहीं कहे जा सकते। अर्थात् यह वृत्तगचना आपं यानी बदमाहिता के त्रिपुष्प वृत्त के नमूने पर की गई है। इन कारण यह गिद्वान्त और भी मुद्द हा जाता है, कि गीता बहुत प्राचीन होगी। देयो गीतारहस्य परिनिष्ठ प्रकरण पृ ५२०।]

अर्जुन ने कहा :- (५१) हे जनार्दन! तुम्हारे इस सौम्य मनुष्यदेहधारी रूप को देख कर अब मन ठिकाने आ गया; और मैं पहले की भांति गावधान हो गया हूँ।

श्रीभगवानुवाच ।

§§ सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम ।

देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः ॥ ५२ ॥

नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया ।

अत्र्य एवंविधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा ॥ ५३ ॥

भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोऽर्जुन ।

ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परंतप ॥ ५४ ॥

§§ मत्कर्मकृन्मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः ।

निर्वैर सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥ ५५ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे
विश्वरूपदर्शन नाम एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥



श्रीभगवान् ने कहा :- (५२) मेरे जिस रूप को तू ने देखा है, उसका दर्शन मिलना बहुत कठिन है। देवता भी इस रूप को देखने की सदैव इच्छा किये रहते हैं। (५३) जैसा तू ने मुझे देखा है, वैसा मुझे वेदों से, तप से, दान से अथवा यज्ञ से भी (कोई) देख नहीं सकता। [(५४) हे अर्जुन केवल अनन्यभक्ति से ही इस प्रकार मेरा ज्ञान होना, मुझे देखना और हे परतप ! मुझमें तत्त्व से प्रवेश करना सम्भव है।

[भक्ति करने से परमेश्वर का पहले ज्ञान होता है; और फिर अन्त में परमेश्वर के साथ उसका तादात्म्य हो जाता है। यही सिद्धान्त पहले ४. २९ में और आगे १८. ५५ में फिर आया है। इसका खुलासा हमने गीतारहस्य के तीरह्वे प्रकरण (पृ. ४२९-४३१) में किया है। अब अर्जुन को पूरी गीता के अर्थ का सार बतलाते हैं :-]

(५५) हे पाण्डव ! जो इस बुद्धि से कर्म करता है, सब कर्म मेरे अर्थात् परमेश्वर के हैं, जो मत्परायण और सङ्गविरहित हैं; और जो सब प्राणियों के विषय में निर्वैर है, वह मेरा भक्त मुझमें मिल जाता है।

[उक्त श्लोक का आशय यह है, कि जगत् के सब व्यवहार भगवद्भक्त को परमेश्वरार्पणबुद्धि से करना चाहिये (ऊपर ३३ वाँ श्लोक देखो)। अर्थात् उसे सारे व्यवहार इस निरभिमानबुद्धि से करना चाहिये, कि जगत् के सभी कर्म परमेश्वर के हैं, सच्चा कर्ता और करनेवाला वही है; किन्तु हमें निमित्त

वना कर वह ये कर्म हम में करवा रहा है। ऐसा करने में वे ज्ञानि अथवा मोक्षप्राप्ति में बाधक नहीं होते। शाब्कभाष्य में भी यही कहा है, कि हम श्लोक में पूरे गीताशास्त्र का तात्पर्य आ गया है। हममें प्रकट है, कि गीता का भक्तिमार्ग यह नहीं कहता, कि आगम में 'गम राम' जपा जगो; प्रत्युत उमका कथन है, कि उत्कट भक्ति के माय-ही-माय उन्माह में सब निष्काम कर्म करने लगे। मन्थाममांगवाले कहते हैं, कि 'निर्वैर' का अर्थ निष्प्रिय है। परन्तु यह अर्थ यहाँ विवक्षित नहीं है। हमी बात को प्रकट करने के लिये उमके माथ 'मन्ममं हृन्' अर्थात् 'मम कर्मों को परमेश्वर के (अपने नहीं) समझ कर परमेश्वरगोपणवृद्धि में करनेवाला' विशेषण लगाया गया है। इस विषय का विस्मृत विचार गीता-रहस्य के धारद्वे प्रकरण (पृ. ३९५-४०१) में किया है।]

इस प्रकार श्रीभगवान् के गाये हुए - अर्थात् कहे हुए - उपनिषद् में ब्रह्म-विद्यान्तर्गत योग- अथवा कर्मयोग - शास्त्रविषयक श्रीकृष्ण और अर्जुन के संवाद में विष्णुरूपदर्शनयोग नामक ग्यारहवाँ अध्याय समाप्त हुआ।

बारहवाँ अध्याय

[कर्मयोग की गिद्धि के लिये मानवे अध्याय में ज्ञानविज्ञान के निष्पत्ता का आरम्भ कर आठवे में अक्षर, अनिर्देश्य और अव्यक्त ब्रह्म का स्वरूप बताया है। फिर नौवें अध्याय में भक्तिरूप प्रत्यक्ष राजमार्ग के निष्पत्ता का आरम्भ करके दसवें और ग्यारहवें में तदन्तर्गत 'विभूतिवर्णन' एवं 'विश्वरूपदर्शन' इन दो उपान्तों का वर्णन किया है। और ग्यारहवें अध्याय के अन्त में मारम्भ में अर्जुन का उपदेश किया है, कि भक्ति में एव निःशङ्कवृद्धि में समस्त कर्म करने लगे। अब इस पर अर्जुन का प्रश्न है, कि कर्मयोग की गिद्धि के लिये मानवे जोर आठवें अध्याय में शर-प्रशङ्कविचारपूर्वक परमेश्वर के अव्यक्त रूप को श्रेष्ठ सिद्ध करने अव्यक्त की अथवा अक्षर की उपासना (३ १९ और २८ ८ २१) बतलाई है। और उपदेश किया है, कि युष्मच्चिन्त मे दृष्ट कर (८ ३), एव नौवें अध्याय में व्यक्त-उपासनारूप प्रत्यक्ष धर्म बताया कर कहा है कि परमेश्वरगोपणवृद्धि में मर्मा कर्म करना चाहिये (९ २३, ३८ और ११ ५५) ता अब इन दोनों में श्रेष्ठमार्ग कौन-सा है, इस प्रश्न में व्यक्तोपासना का अर्थ भक्ति है। परन्तु यहाँ भक्ति न भिन्न भिन्न अनेक उपासना का अर्थ विवक्षित नहीं है। उपास्य अथवा प्रतीक काट भी हो, उनमें एव ही सर्वोपास्य परमेश्वर की भावना रख कर जो भक्ति की जाती है वही मूर्त्ती धर-उपासना है, और इस अध्याय में वही उद्दिष्ट है।]

द्वादशोऽध्यायः ।

अर्जुन उवाच ।

एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ।

ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः ॥ १ ॥

श्रीभगवानुवाच

§§ मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते ।

श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥ २ ॥

ये त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्तं पर्युपासते ।

सर्वत्रगमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् ॥ ३ ॥

सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ।

ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः ॥ ४ ॥

क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम् ।

अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते ॥ ५ ॥

ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः ।

अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ ६ ॥

अर्जुन ने कहा - (१) इस प्रकार सदा युक्त अर्थात् योगयुक्त हो कर जो भक्त तुम्हारी उपासना करते हैं, और जो अव्यक्त, अक्षर अर्थात् ब्रह्म की उपासना करते हैं, उनमें उत्तम (कर्म-) योगवेत्ता कौन हैं ?

श्रीभगवान् ने कहा - (२) मुझमें मन लगा कर सदा युक्तचित्त हो करके परम श्रद्धा से मेरी उपासना करते हैं, वे मेरे मत में सब से उत्तम युक्त अर्थात् योगी हैं (३-४) परन्तु जो अनिर्देश्य अर्थात् सब के मूल में रहनेवाले, अचल, अव्यक्त, सर्वव्यापी, अचिन्त्य और कूटस्थ अर्थात् प्रत्यक्ष न दिखलाये जानेवाला और नित्य अक्षर अर्थात् ब्रह्म की उपासना सब इन्द्रिया को रोक कर सर्वत्र समबुद्धि रखते हुए करते हैं, वे सब भूतों के हित में निमग्न (लोग भी) मुझे पाते हैं, (५) (तथापि) उनके चित्त अव्यक्त में आसक्त रहने के कारण उनके क्लेश अधिक होते हैं । क्योंकि (व्यक्त देहधारी मनुष्यों को) अव्यक्त उपासना का मार्ग कष्ट से सिद्ध होता है । (६) परन्तु जो मुझमें सब कर्मों का सत्यास अर्थात् अर्पण करके मत्परायण होते हुए अनन्य योग से मेरा ध्यान कर मुझे भजते हैं । (७) हे पार्थ ! मुझमें चित्त लगाने-

तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् ।

भवामि न चिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् ॥ ७ ॥

मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय ।

निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः ॥ ८ ॥

§§ अथ चित्तं समाधातुं नं शक्नोषि मयि स्थिरम् ।

अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय ॥ ९ ॥

बाले उन लोगों का, मैं इस मृत्युमय संसार सागर में त्रिना विलम्ब किये उद्धार कर देता हूँ । (८) (अतएव) मुझमें ही मन लगा । मुझमें बुद्धि को स्थिर कर । उनमें तू निःसन्देह मुझमें ही निवास करेगा ।

[इसमें भक्तिमार्ग की श्रेष्ठता का प्रतिपादन है । दूसरे श्लोक में पहले यह सिद्धान्त किया है, कि भगवद्भक्त उत्तम योगी है । फिर तीसरे श्लोक में प्रधान बोधक 'तु' अव्यय का प्रयोग कर इसमें और चौथे श्लोक में कहा है, कि अव्यय की उपामना करनेवाले भी मुझे ही पाने हैं । परन्तु इसके मन्त्र होने पर भी पाँचवें श्लोक में यह बतलाया है, कि अव्यक्त-उपामना का मार्ग अधिक कठिनदायक होना है । छठे और सातवें श्लोक में वर्णन किया है, कि अव्यक्त की अपेक्षा व्यक्त की उपामना सुलभ होती है; और आठवें श्लोक में इसके अनुसार व्यवहार करने का अर्जुन को उपदेश किया है । मार्गण, ग्यारहवें अध्याय के अन्त (गीता ११. ५५) में जो उपदेश कर आये हैं, यहाँ अर्जुन के प्रश्न करने पर उनी को दृष्ट कर दिया है । इसका विस्तारपूर्वक विचार — कि भक्तिमार्ग में मुक्तभवा क्या है? — गीतारहस्य के तेरहवें प्रकरण में कर चुके हैं । इस कारण यहाँ हम इसी पुनरावृत्ति नहीं करते । इतना ही कह देते हैं, कि अव्यक्त की उपामना कष्टमय होनेपर भी मोक्षदायक ही है; और भक्तिमार्गवालों को स्मरण ग्युता चाहिये, कि भक्तिमार्ग में भी कर्म न छोड़ कर ईश्वरार्पणपूर्वक अवश्य करना पड़ता है । हेतु में छठे श्लोक में 'मुझे ही सब कर्मों का मन्त्रात्मक करके' वे शब्द गये हैं । इसका स्पष्ट अर्थ यह है, कि भक्तिमार्ग में भी कर्मों को स्वल्पतः न छोड़े, किन्तु परमेश्वर में उन्हें (अर्थात् उनके फलों को) अर्पण कर दे । इसमें प्रसन्न होना है, कि भगवान् ने इस अध्याय के अन्त में जिम भक्तिमान् पुरुष को अपना प्यारा बतलाया है, उसे भी इसी अर्थात् निष्काम कर्मयोगमार्ग का ही समझना चाहिये । यह स्वल्पतः कर्ममन्त्रात्मक नहीं है । इस प्रकार भक्तिमार्ग की श्रेष्ठता और मुक्तभवा बतला कर अब परमेश्वर में ऐसी भक्ति करने के उपाय अथवा साधन बतलाने हैं, उनके वागम्य का भी अनुमान करने ? —]

(९) अब (इस प्रकार) मुझमें भरी भाँति चित्त को स्थिर करने न अब

अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्मपरमो भव ।

मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन्सिद्धिमवाप्स्यसि ॥ १० ॥

अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः ।

सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् ॥ ११ ॥

श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानान्द्वयानं विजिष्यते ।

ध्यानात्कर्मफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम् ॥ १२ ॥

पडे, तो हे धनजय! अभ्यास की सहायता से अर्थात् तारवार प्रयत्न करके मरी प्राप्ति कर लेने की आशा रख । (१०) यदि अभ्यास करने में भी तू असमर्थ है, तो मदर्थ अर्थात् मेरी प्राप्ति के अर्थ (शास्त्रों में बतलाये हुए ज्ञान ध्यान भजन पूजा-पाठ आदि) कर्म करता जा । मदर्थ (य) कर्म करने में भी तू सिद्धी पावगा । (११) परन्तु यदि इसके करने में भी तू असमर्थ है तो मद्योग - मदर्पणपूर्वक याग यानी कर्मयोग - का आश्रय करके यतात्मा हाकर अर्थात् धीर धीर चित्त का रावता हुआ, (अन्त में) सब कर्मों का त्याग कर दे । (१२) क्याकि अभ्यास की अपक्षा ज्ञान अधिक अच्छा है । ज्ञान की अपक्षा ध्यान की योग्यता अधिक है । ध्यान की अपक्षा कर्मफल का त्याग श्रेष्ठ है, और (इस कर्मफल के) त्याग में तुरन्त ही शान्ति प्राप्त होती है ।

[कर्मयोग की दृष्टि में यह श्लोक अत्यन्त महत्त्व का है । इन श्लोकों में भक्तियुक्त कर्मयोग के सिद्ध हान के लिये अभ्यास ज्ञान भजन आदि साधन बतला कर इसके और अन्य साधनों के तात्पर्य का विचार करके अन्त में - अर्थात् १२ वें श्लोक में - कर्मफल का त्याग की - अर्थात् निष्कामकर्मयोग की - श्रेष्ठता वर्णित है । निष्काम कर्मयोग की श्रेष्ठता का वर्णन कुछ यही नहीं है, किन्तु तीसरे (३८), पाँचवें (५२) छठे (६६) अध्यायों में भी यही अर्थ स्पष्ट रीति से वर्णित है, और उसके अनुसार फलत्यागरूप कर्मयोग का आचरण करने के लिये स्थान स्थान पर अज्ञान का उपदश भी किया है (देखा गीतार प्र ११, पृ ३०९-३१०) । परन्तु गीताधर्म में जिनका सम्प्रदाय जुदा है, उनके लिये यह बात प्रतिकूल है । इसलिये उद्गारों के श्लोकों में और विशेषतया १२ वें श्लोक के पदा का अर्थ बदलने का प्रयत्न किया है । निर-ज्ञान-मार्गी अर्थात् साख्य-टीकाकारों का यह पसन्द नहीं है कि ज्ञान का अभ्यास कर्मफल का त्याग श्रेष्ठ बतलाया जावे । इसलिये उद्गारों में कहा है कि या ता ज्ञान शब्द में 'पुस्तक का ज्ञान लेना चाहिये, अथवा कर्मफलत्याग की इस प्रशंसा का अर्थ वादात्मक यानी बारी प्रशंसा समझनी चाहिये । इसी पातन्त्र-योगमागनाश्र

§§ अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च ।
 निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी ॥ १३ ॥
 सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः ।
 मद्यर्पितमनोबुद्धियों मे भक्तः स मे प्रियः ॥ १४ ॥
 यस्मान्नोद्विजते लोको लोकास्त्रोद्विजते च यः ।
 हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः ॥ १५ ॥
 अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः ।
 सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः ॥ १६ ॥

का भावार्थ है भी यही । न केवल भगवद्गीता में किन्तु सूर्य गीता में भी कहा है :-

ज्ञानादुपास्तिरत्कृष्टा कर्मोत्कृष्टमुपासनात् ।
 इति यो वेद वेदान्तः स एव पुरुषोत्तमः ॥

‘ जो इस वेदान्ततत्त्व को जानता है, कि ज्ञान की अपेक्षा उपासना अर्थात् ध्यान या भक्ति उत्कृष्ट है; एव उपामना की अपेक्षा कर्म अर्थात् निष्काम कर्म श्रेष्ठ है, वही पुरुषोत्तम है ’ (सूर्यगी ४ ७७) । साराश, भगवद्गीता का निश्चित मत यह है, कि कर्मफलत्यागरूपी योग - अर्थात् ज्ञानभक्तियुक्त निष्काम कर्मयोग - ही सब मार्गों में श्रेष्ठ है; और इसके अनुकूल ही नहीं, प्रत्युत पोषक युक्तिवाद १२ वे श्लोक में है । यदि किसी दूसरे सम्प्रदाय को वह न रुचे, तो वह उसे छोड़ दे; परन्तु अर्थ की व्यर्थ खींचातानी न करे । इस प्रकार कर्मफलत्याग को श्रेष्ठ मिट्ट करके उस मार्ग में जानेवाले को (स्वरूपतः कर्म छोड़नेवाले नहीं) जो सम और शान्त स्थिति अन्त में प्राप्त होती है, उसीका वर्णन करके अब भगवान् बतलाते हैं, कि ऐसा भक्त ही मुझे अत्यन्त प्रिय है -]

(१३) जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो सब भूतों के साथ मित्रता से वर्तता, जो बृपालू है, जो ममत्वबुद्धि और अहंकार से रहित है, जो दुःख और सुख में समान एव क्षमाशील है, (१४) जो सदा सन्तुष्ट, सयमी तथा दृढ निश्चयी है, जिसने अपने मन और बुद्धि को मुझमें अर्पण कर दिया है, वह मेरा (कर्म-) योगी भक्त मुझको प्यारा है । (१५) जिसमें न तो लोगों को क्लेश होता है; और न जो लोगों से क्लेश पाता है, ऐसे ही जो हर्ष, क्रोध, भय और विपाद से अलिप्त है, वही मुझे प्रिय है । (१६) मेरा वही भक्त मुझे प्यारा है कि जो निरपेक्ष, पवित्र और दक्ष है - अर्थात् किसी भी काम को आलस्य छोड़ कर करता है - जो (फल के विषय में) उदासीन है, जिसे कोई भी विकार डिगा नहीं सकता और जिसने (काम्यफल के)

यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति ।

शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः ॥ १७ ॥

समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः ।

शीतोष्णसुखदुःखेषु समः संगविवर्जितः ॥ १८ ॥

तुल्यनिन्दास्तुतिर्मानी सन्तुष्टो येनकेनचित् ।

अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः ॥ १९ ॥

मय आरम्भ यानी उद्योग छोड़ दिये हैं । (१७) जो न आनन्द मानता है, न द्वेष करता है, जो न शोक करता है; और न उच्छास्त्रता है, जिम्मे (कर्म के) शुभ और अशुभ (फल) छोड़ दिये हैं, वह भक्तिमान् पुरुष मुझे प्रिय है । (१८) जिम्मे मनु और मित्र, मान और अपमान, मर्दा और गर्मी, सुख और दुःख समान है; और जिम्मे (किसी से भी) आगमन नहीं है, (१९) जिम्मे निन्दा और स्तुति दोनों एव-मी हैं, जो मितभाषी है, जो कुछ मिल जावे उसी में मन्तुष्ट है, जो अनिकेत है अर्थात् जितरा (कर्मफलशास्त्र) ठिकाना वही भी नहीं रह गया है वह भक्तिमान् पुरुष मुझे प्रिय है ।

['अनिकेत' शब्द उन मनियों के वर्णनों में भी अनेक बार आया करता है, कि जो मनुष्याश्रम छोड़, मनुष्याग धारण करने भिक्षा मांगते हुए घूमते रहते हैं (देखो मनु. ६ २५) और इनका ध्यानार्थ 'विना घरवाला' है । अतः इन शब्दों के 'निर्मम', 'महाशुभपरित्यागी' और 'अनिकेत' शब्दों में, तथा अन्यत्र गीता में 'त्यक्तमयंपरिग्रह' (८ २१), अथवा त्रिविक्रमसेवी, (१८ ५२) इत्यादि जो शब्द हैं, उनके आधार में मनुष्यागमागंबाले टीकाकार कहते हैं, कि हमारे मार्ग का यह परम ध्येय 'पर-द्वार छोड़ पर विना किसी उच्छास्त्र के जगत् में आपू के दिन बिताना' ही गीता में प्रतिपाद्य है; और वे हमारे लिये मन्तुष्टियों के मनुष्याग-आश्रम प्रकरण के श्लोकों का प्रमाण दिया करते हैं । गीतावाक्यों के ये निम्ने मनुष्यागप्रतिपाद्य अर्थ मनुष्यागप्रदाय की दृष्टि में महत्त्व के हो सकते हैं, किन्तु वे सत्य नहीं हैं । क्योंकि गीता के अनुसार निर्गमि अथवा 'निष्क्रिय' हीना 'मर्यादा' मनुष्याग नहीं है । पीछे कई बार गीता का यह स्थिर सिद्धान्त कहा जा चुका है (देखो गीता ५ २ और ६ १, २) कि वेद पर्यायों को छोड़ना चाहिये न कि कर्म को । अतः 'अनिकेत' शब्द का 'पर-द्वार छोड़ना' अर्थ न करने ऐसा करना चाहिये कि जिसका गीता व कर्मयोग व माय वेद मिल सकते हैं । गीता ६ २० के श्लोक में कर्मयोग की आज्ञा न रखनेवाले पुरुष का ही 'निगम्य' विवेकन समझा गया है और गीता ६ १ में उसी अर्थ में 'अनाश्रित कर्म-योग' शब्द आये हैं । 'आश्रित' और 'विकेत' इन दोनों शब्दों का अर्थ एक ही

§§ ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते ।

श्रद्धधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः ॥ २० ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे
भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥

ही है। अतएव अनिकेत का गृहत्यागी अर्थ न करके ऐसा करना चाहिये, कि गृह-
आदि में जिसके मन का स्थान फँसा नहीं है। इसी प्रकार ऊपर १६ वे श्लोक में
जो 'मर्वारम्भपरित्यागी' शब्द है, उसका भी अर्थ 'सारे कर्म या उद्योगों को छोड़ने-
वाला' नहीं करना चाहिये। किन्तु गीता ४. १९ में जो यह कहा है, कि 'जिसके
समारम्भ फलाशाविरहित है उसके कर्म ज्ञान में दग्ध हो जाते हैं' वैसा ही अर्थ
यानी 'काम्य आरम्भ अर्थात् कम छोड़नेवाला' करना चाहिये यह बात गीता
१८. २ और १८. ४८ एव ८९ से सिद्ध होती है। साराण जिसका चित्त घर-गृहस्थी में,
वालवृत्तियों में अथवा ससार के अन्यान्य कामों में उलझा रहता है, उसी को आगे
दुःख होता है। अतएव गीताका इतना ही कहना है, कि इन सब बातों में चित्त
को फँसने न दो। और मन की इसी वैराग्य स्थिति को प्रकट करने के लिये गीता
के 'अनिकेत' और 'मर्वारम्भपरित्यागी' आदि शब्द स्थितप्रज्ञ के वर्णन में
आया करता है। ये ही शब्द यतियों के अर्थात् कर्म त्यागनेवाले सन्यासियों के
वर्णनों में भी स्मृतिग्रन्थों में जाये हैं। पर सिर्फ इसी बुनियाद पर यह नहीं कहा
जा सकता, कि कर्मत्यागरूप सन्यास ही गीता में प्रतिपाद्य है। क्योंकि, इसके
साथ ही गीता का यह दूसरा निश्चित सिद्धान्त है, कि जिसकी बुद्धि में पूर्ण वैराग्य
भिद गया हो, उस ज्ञानी पुरुष को भी इसी विरक्तबुद्धि में फलाशा छोड़ सर-
शाम्भ्रत प्राप्त होनेवाले सब कर्म करते ही रहना चाहिये। इस समूचे पूर्वापर-
सम्बन्ध का बिना समझे गीता में 'जहाँ कहीं 'अनिकेत' की जोड़ के वैराग्य-
बोधक शब्द मिल जावे, उन्हीं पर सारा दारामदार रख कर यह कह देना ठीक
नहीं है, कि गीता में कर्मसन्यासप्रधान मार्ग ही प्रतिपाद्य है।]

(२०) ऊपर बतलाये हुए इस अमृततुल्य धर्म का जो मत्परायण होते हुए
श्रद्धा से आचरण करते हैं, वे मुझे अत्यन्त प्रिय हैं।

[यह वर्णन हो चुका है (गीता ६. ५७, ७. १८), कि भक्तिमान् ज्ञानी
पुरुष सब से श्रेष्ठ है, उमी वर्णन के अनुसार भगवान् ने इस श्लोक में बतलाया
है, कि हमें अत्यन्त प्रिय कौन है? अर्थात् यहाँ परम भगवद्भक्त कर्मयोगी का
वर्णन किया है। पर भगवान् ही गीता ९. २९ वे श्लोक में कहते हैं, कि 'मुझे

| मत्र एकमें है, कोई विशेष प्रिय अथवा द्वेष्य नहीं।' देखने में यह विरोध प्रतीत
 | होता है नहीं? पर यह जान लेने से कोई विरोध नहीं रह जाता, कि एक
 | प्रणमन मगुण उपामना का अथवा भक्तिमार्ग का है, और दुसरा अध्यात्मदृष्टि
 | अथवा कर्मविषयदृष्टि में किया गया है। गीतारहस्य के तेरहवें प्रकरण के अन्त
 | (पृ ८३०-८३३) में इस विषय का विवेचन है।]

इस प्रकार श्रीभगवान् के गाये हुए — अर्थात् कहे हुए — उपनिषद् में ब्रह्म-
 विद्यान्तर्गत योग — अर्थात् कर्मयोग-शास्त्रविषयक श्रीकृष्ण और अर्जुन के मवाद
 में भक्तियोग नामक वाक्यों अध्याय समाप्त हुआ।

तेरहवाँ अध्याय

(पिछले अध्याय में यह बात सिद्ध की गई है, कि अनिर्देश्य और अव्यक्त
 परमेश्वर का (बुद्धि में) चिन्तन करने पर अन्त में मोक्ष तो मिलता है। परन्तु
 हमारा अपेक्षा श्रद्धा में परमेश्वर के प्रत्यक्ष और व्यक्त स्वरूप की भक्ति करने परमे-
 श्वरगणबुद्धि में मत्र कर्मों को करने रहने पर बड़ी माझ मुलभ रीति में मिल जाता
 है। परन्तु इनमें ही में ज्ञानविज्ञान का वह निरूपण समाप्त नहीं हो जाता, कि जिनका
 आग्न्ध मानने अध्याय में किया गया है। परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान होने के विवाहरी
 मूर्ति के धर्म-अधर्म-विचार के साथ ही साथ मनुष्य के शरीर और आत्मा का अथवा
 शरीर और शरीर का भी विचार करना पड़ता है। ऐसा ही यदि सामान्य रीति में जान
 लिया, कि मत्र ध्येय पदार्थ जटप्रकृति में उत्पन्न जान है, तो भी यह बतलाये बिना
 ज्ञानविज्ञान का निरूपण पूरा नहीं जाता, कि प्रकृति के विम गूण में यह विन्तार

त्रयोदशोऽध्यायः ।

श्रीभगवानुवाच ।

इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते ।

एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः ॥ १ ॥

क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत ।

क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम ॥ २ ॥

में घुमेड दिया है । टीकाकार इस श्लोक को क्षेत्रज्ञ मानते हैं, और क्षेत्रज्ञ न मानने से गीता के श्लोकों की सख्या भी मात साँ से एक अधिक बढ़ जाती है । अतः इस श्लोक को हमने भी प्रक्षिप्त ही मान णाडकरभाष्य के अनुसार इस अध्याय का आरम्भ किया है ।

श्रीभगवान् ने कहा - (१) हे कौन्तेय ! इसी शरीर को क्षेत्र कहते हैं । इसे (शरीर को) जो जानता है, उसे तद्विद अर्थात् इस शास्त्र के जाननेवाले, क्षेत्रज्ञ कहते हैं । (२) हे भारत ! सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ भी मुझे ही समझ । क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है, वही मेरा (परमेश्वर का) ज्ञान माना गया है ।

[पहले श्लोक में 'क्षेत्र' और 'क्षेत्रज्ञ' इन दो शब्दों का अर्थ दिया है, और दूसरे श्लोक में क्षेत्रज्ञ का स्वरूप बतलाया है, कि क्षेत्रज्ञ मैं परमेश्वर हूँ, अथवा जो पिण्ड में है, वही ब्रह्माण्ड में है । दूसरे श्लोक के चापि = भी शब्दों का अर्थ यह है - न केवल क्षेत्रज्ञ ही, प्रत्युत क्षेत्र भी मैं ही हूँ । क्योंकि जिन पंचमहाभूतों से क्षेत्र या शरीर बनता है, वे प्रकृति से बने रहते हैं, और सातवे तथा आठवे अध्याय में बतला आये हैं, कि यह प्रकृति परमेश्वर की ही कनिष्ठ विभूति है (देखो ७, ४, ८, ४, ९, ८) । इस रीति से क्षेत्र या शरीर के पंचमहाभूतों से बने हुए रहने के कारण क्षेत्र का समावेश उस वर्ग में होता है, जिसे क्षर-अक्षर-विचार में 'क्षर' कहते हैं, और क्षेत्रज्ञ ही परमेश्वर है । इस प्रकार क्षर-अक्षर-विचार के समान क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ का विचार भी परमेश्वर के ज्ञान का एक भाग बन जाता है (देखो गीतार प्र ६, पृ १४३-१४९) । और इसी अभिप्राय को मन में ला कर दूसरे श्लोक के अन्त में यह वाक्य आया है, कि 'क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है, वही मेरा अर्थात् परमेश्वर का ज्ञान है ।' जो अद्वैत वेदान्त को नहीं मानते, उन्हें 'क्षेत्रज्ञ भी मैं हूँ' इस वाक्य की खीचातानी करनी पड़ती है, और प्रतिपादन करना पड़ता है, कि इस वाक्य में 'क्षेत्रज्ञ' तथा 'मैं परमेश्वर' का अभेदभाव नहीं दिखलाया जाता । और कई लोग 'मेरा' (मम) इस पद का अन्वय 'ज्ञान' शब्द के साथ न लगा 'मत' अर्थात् 'माना गया है'

§§ तक्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारि यतश्च यत् ।
 स च यो यत्प्रमायश्च तत्समासेन मे शृणु ॥ ३ ॥
 ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक्
 ब्रह्मसूत्रपदंश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः ॥ ४ ॥

[शब्द ने माय रूपा कर यो अर्थ करने है, कि ' इनके ज्ञान को मैं ज्ञान ममज्ञता
 हैं ।' पर यह अर्थ महज नहीं है। आठवें अध्याय के आरम्भ में ही वर्णन
 है, कि देह में निवास करनेवाला जात्मा (अधिदेव) मैं हूँ अथवा 'जो पिंड में
 है, वही ब्रह्माण्ड में है;' और मानवे में भी भगवान् ने 'जीव' को अपनी ही परा
 प्रकृति कहा है (७५) । उन्नी अध्याय के २२ के और ३१ के श्लोक में भी ऐसा
 ही वर्णन है। अत्र बतलाये है, कि क्षेत्रक्षेत्रज्ञ का विचार वहाँ पर और किमने
 किया है?]

(३) क्षेत्र क्या है? वह किम प्रकार का है? उमवे कौन कौन विचार है?
 (उमवे भी) किमने क्या होता है? ऐसे ही वह अर्थान् क्षेत्रज्ञ कौन है? और उमवा
 प्रभाव क्या है? - उमे मधेप मे बतलाता है, मुन । (८) ब्रह्मसूत्र के पदों से भी
 यह गाया गया है, कि जिन्हें बहुत प्रकार म विविध छन्दों में पृथक् पृथक् (अनेक)
 ऋषिवा ने (पापंशरगण्य) हेतु दिग्गज कर पूर्ण निश्चित किया है ।

§§ महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च ।

इन्द्रियाणि दशैकं च पंच चेन्द्रियगोचराः ॥ ५ ॥

इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः ।

एतक्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम् ॥ ६ ॥

का विचार किया गया है । ब्रह्मसूत्रा में यह विचार है, इसलिये उन्हें 'शारीरक सूत्र' अर्थात् शरीर या क्षेत्र का विचार करनेवाले सूत्र भी कहते हैं । यह बतला चुके, कि क्षेत्रक्षेत्रज्ञ का विचार किसने कहाँ किया है ? अब बतलाते हैं, कि क्षेत्र क्या है ?]

(५) (पृथिवी आदि पाँच स्थूल) महाभूत, अहंकार, बुद्धि (महान्), अव्यक्त (प्रकृति), दश (सूक्ष्म) इन्द्रियाँ और एक (मन), तथा (पाँच) इन्द्रियों के पाँच (शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध—ये सूक्ष्म) विषय, (६) इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, संघान, चेतना अर्थात् प्राण आदि का व्यक्त, व्यापार, और धृति यानी धैर्य, इस (३१ तत्त्वा के) समुदाय को सविकार क्षेत्र कहते हैं ।

यह क्षेत्र और उभरे विकारो का लक्षण है । पाँचवे श्लोक में साध्यमत-वाला के पच्चीस तत्त्व में से पुरूप को छोड़ शेष चौबीस तत्त्व आ गये हैं । इन्हीं चौबीस तत्त्वों में मन का समावेश होने के कारण इच्छा, द्वेष आदि मनोधर्मों को अलग बतलाने की जरूरत नहीं । परन्तु कणादमतानुयायियों के मत से ये धर्म आत्मा के हैं । इस मत को मान लेने से शडका होती है, कि इन गुणों का क्षेत्र में ही समावेश होता है या नहीं ? अतः क्षेत्र शब्द की व्याख्या को निःसन्दिग्ध करने के लिये यहाँ स्पष्ट रीति से क्षेत्र में ही इच्छा-द्वेष आदि द्वन्द्वों का समावेश कर लिया है, और उन्हीं में भय-अभय आदि अन्य द्वन्द्वों का भी लक्षण से समावेश हो जाता है । यह दिखलाने के लिये—कि सब का संघात अर्थात् समूह क्षेत्र से स्वतन्त्र नहीं है—उसकी गणना क्षेत्र में ही की गई है । कई बार 'चेतना' शब्द का 'चेतन्य' अर्थ होता है । परन्तु वहाँ चेतना से 'जड़देह में प्राण आदि के दीख पडनेवाले व्यापार अथवा जीवित्वावस्था का चेष्टा' इतना ही अर्थ विवक्षित है, और ऊपर दूसरे श्लोक में कहा है कि जडवस्तु में यह चेतना जिससे उत्पन्न होती है, वह चिच्छक्ति अथवा चैतन्य क्षेत्रज्ञरूप से क्षेत्र से अलग रहता है । 'धृति' शब्द की व्याख्या आगे गीता (१८ ३३) में ही की है, उसे देखो । छठे श्लोक के 'समावेश' पद का अर्थ 'इन सब का समुदाय' है । अधिक विवरण गीतारहस्य के आठवें प्रकरण के अन्त (पृ १४४ और १४५) में मिलेगा । पहले 'क्षेत्रज्ञ' के मानी 'पर-श्वर' बतला कर फिर खुलाना किया है, कि 'क्षेत्र' क्या है ? अब मनुष्य के स्वभाव पर ज्ञान के जो परिणाम होते हैं, उनका वर्णन करते यह बतलाने हैं,

§§ अमानित्वमदम्भित्वमर्हिंसा क्षान्तिरार्जवम् ।
 आचार्योपासनं शीघ्रं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः ॥ ७ ॥
 इन्द्रियार्थेषु वीराग्यमनहंकार एव च ।
 जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्शनम् ॥ ८ ॥
 असक्तिरनभिप्रांगः पुत्रदारगृहादिषु ।
 नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥ ९ ॥
 मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी ।
 विविक्तदेशसेवित्वमरतिर्जनसंसदि ॥ १० ॥
 अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् ।
 एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥ ११ ॥

कि ज्ञान विगको कहते हैं? और आगे ज्ञेय का स्वल्प वतलाया है। ये दोनों
 विषय दीर्घने में भिन्न दीर्घ पटने हैं अवश्य, पर वास्तविक गीति में वे
 क्षेत्रक्षेत्रज्ञ विचार के ही दो भाग हैं। क्योंकि, प्राग्भ में ही क्षेत्रज्ञ का अर्थ
 परमेश्वर यतया आये हैं। अतएव क्षेत्रज्ञ वा ज्ञान ही परमेश्वर का ज्ञान है;
 और उमी वा स्वल्प अगले प्रयोगों में वर्णित है — बीच में ही कोई मनमाना
 विषय नहीं घर घुमेडा है।

§§ ज्ञेयं यत्तत्प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वाऽमृतमश्नुते ।

अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥ १२ ॥

सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम् ।

सर्वतः श्रुतिमह्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ॥ १३ ॥

स्वभाव पर साम्यबुद्धिरूप परिणाम होना चाहिये; अन्यथा वह ज्ञान अपूर्ण या कच्चा है। अतएव यह नहीं बतलाया, कि बुद्धि से अमुक अमुक जान लेना ही ज्ञान है; बल्कि, ऊपर पाँच श्लोको में ज्ञान की इस प्रकार व्याख्या की गई है, कि जब उक्त श्लोको में बतलाये हुए बीस गुण (मान और दम्भ का छूट जाना, अहिंसा, अनासक्ति, समबुद्धि इत्यादि) मनुष्य के स्वभाव में दीख पड़ने लगे, तब उसे ज्ञान कहना चाहिये (गीतार. प्र. ९, पृ २४२ और २५०) दसवे श्लोको में 'विविक्तस्थान में रहना और जमाव को नापसन्द करना' भी ज्ञान का एक लक्षण कहा है। इससे कुछ लोगो ने यह दिखाने का प्रयत्न किया है, कि गीता को सन्यासमार्ग ही अभीष्ट है। किन्तु हम पहले ही बतला आये हैं (देखो) गीता १२.१९ की टिप्पणी और गीतार. प्र. १०, पृ २८५), कि यह मत ठीक नहीं है; और ऐसा अर्थ करना उचित भी नहीं है, यहाँ इतना ही विचार किया है, कि 'ज्ञान' और वह ज्ञान बाल-बच्चों में, घर-गृहस्थी में अथवा लोगो के जमाव में अनासक्ति है। एव इस विषय में कोई वाद भी नहीं है। अब अगला प्रश्न यह है, कि इस ज्ञान के हो जाने पर इसी असक्तबुद्धि से बाल-बच्चों में अथवा ससार में रह कर प्राणिमात्र के हितार्थ जगत् के व्यवहार किये जायँ अथवा न किये जायँ; और केवल की ज्ञान की व्याख्या से ही इसका निर्णय करना उचित नहीं है। क्योंकि गीता में ही भगवान् ने अनेक स्थलो पर कहा है, कि ज्ञानी पुरुष कर्मों में लिप्त न होकर उन्हें असक्तबुद्धि से लोकसग्रह के निमित्त करता रहे; और इसकी सिद्धि के लिये जनक के वर्ताव का और अपने व्यवहार का उदाहरण भी दिया है (गीता ३ १९-२५, ४ १४)। समर्थ श्रीरामदान स्वामी के चरित्र से यह बात प्रकट होती है, कि शहर में रहने की लालसा न रहने पर भी जगत् के व्यवहार केवल कर्तव्य समझकर कैसे किये जा सकते हैं? (देखो दास-बोध १९.६.२९ और १९.९ ११)। यह ज्ञान का लक्षण हुआ। अब ज्ञेय का स्वरूप बतलाते हैं :-]

(१२) (अब तुझे) वह बतलाता हूँ (कि), जिसे जान लेनेमें 'अमृत' अर्थात् मोक्ष मिलता है। (वह) अनादि (सब से) परे का ब्रह्म है। न उसे 'मृत' कहते हैं; और न 'असत्' ही। (१३) उसके, सब ओर हाथ-पैर है; सब ओर शक्ति, सिर और मुँह हैं। सब ओर कान हैं; और वही इस लोक में सब को व्याप

सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविचिञ्जितम् ।

असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च ॥ १४ ॥

बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च ।

सृष्ट्मन्वात्तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् ॥ १५ ॥

अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम् ।

भूतमर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्यु प्रमविष्यु च ॥ १६ ॥

ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्त्वमसः परमुच्यते ।

ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य धिष्ठितम् ॥ १७ ॥

रहा है । (१) (उगमें) मय द्रवियों के गुणों का आभास है; पर उगमें कोई भी द्रविय नहीं है। वह (मय में) अमक्त अर्थात् अलग हो कर भी मय का पालन करता है, जो निर्गुण होने पर भी गुणों का उपभोग करता है। (१५) (वह) मय भूता के भीतर और बाहर भी है; अचर है और चर भी है; सृष्टम होने के कारण वह अविज्ञेय है, और दूर होकर भी समीप है। (१६) वह (तन्वत्.) 'अविभक्त' अर्थात् अखण्डित होकर भी मय भूतों में मानो (नानात्व में) विभक्त हो रहा है; और (मय) भूता का पालन करनेवाला, ग्रसनेवाला एवं उन्मत्त करनेवाला भी उसे ही समझना चाहिये। (१७) उसे ही तेज का भी तेज और अखण्डत्व में परे का रहने वाला है, ज्ञान, जो जानने योग्य है वह (ज्ञेय), जो ज्ञानगम्य ज्ञान में (ही) विदित होनेवाला भी (वही) है। मय के हृदय में वही अविच्छिन्न है।

११ इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः ।

मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते ॥ १८ ॥

१ १९ वे श्लोक की टिप्पणी में भी किया है। गीता ९ १९ में कहा है, कि 'सन्' और 'असत्' मैं ही हूँ। अब यह वर्णन विरुद्ध-सा जँचता है, कि मच्चा ब्रह्म न 'सत्' है और न 'असत्'। परन्तु वास्तव में यह विरोध सच्चा नहीं है। क्योंकि 'व्यक्त' (क्षर) सृष्टि और 'अव्यक्त' (अक्षर) सृष्टि ये दोनों यद्यपि परमेश्वर के ही स्वरूप हों, तथापि सच्चा परमेश्वरतत्त्व इन दोनों से परे अर्थात् पूर्णतया अज्ञेय है। यह सिद्धान्त गीता में ही पहले 'भूतभृन्न च भूतस्थ' (गीता ९ ५) में और आगे फिर (१५ १६, १७) पुरुषोत्तमलक्षण में स्पष्टतया बतलाया गया है। निर्गुण ब्रह्म किसे कहते हैं? और जगत् में रह कर भी वह जगत् से बाहर कैसे है? अथवा वह 'विभक्त' अर्थात् नानारूपात्मक दीख पड़ने पर भी मूल में अविभक्त अर्थात् एक ही कैसे है? इत्यादि प्रश्नों का विचार गीतारहस्य के नौवें प्रकरण में (पृ २१० से आगे) किया जा चुका है। सोलहवें श्लोक में 'विभक्तमिव' का अनुवाद यह है—'मानो विभक्त हुआ-सा दीख पड़ता है।' यह 'इव' शब्द उपनिषदों में अनेक बार इसी अर्थ में आया है, कि जगत् का नानान्व घ्रान्तिकारक है और एकत्व ही सत्य है। उदाहरणार्थ, 'द्वैतमिव भवति' 'य इह नानेव पश्यति' इत्यादि (वृ २४ १४ ४ ४ १९, ४ ३ ७)। अतएव प्रकट है, कि गीता में यह अद्वैत सिद्धान्त ही प्रतिपाद्य है कि नानानामरूपात्मक माया भ्रम है, और उसमें अविभक्त रहनेवाला ब्रह्म ही सत्य है। गीता १८ २० में फिर बतलाया है, कि 'अविभक्त विभक्तेषु' अर्थात् नानान्व में एकत्व देखना सात्त्विक ज्ञान का लक्षण है। गीतारहस्य के अध्यात्म प्रकरण में वर्णन है, कि यही सात्त्विक ज्ञान ब्रह्म है। देखो गीतार प्र ९, पृ २१५, २१६, और प्र ६, पृ १३२-१३३।]

(१८) इस प्रकार मक्षेप से बतला दिया, कि क्षेत्र ज्ञान और ज्ञेय किसे कहते हैं? मेरा भक्त इसे जान कर मेरे स्वरूप को पाता है।

[अध्यात्म या वेदान्तशास्त्र के आधार से अब तक क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय का विचार किया गया। इनमें 'ज्ञेय' ही क्षेत्रज्ञ अथवा परब्रह्म है, और 'ज्ञान' दूसरे श्लोक में बतलाया हुआ क्षेत्रक्षेत्रज्ञज्ञान है। इस कारण यही मक्षेप में परमेश्वर के सब ज्ञान का निरूपण है। १८ वे श्लोक में यह सिद्धान्त बतला दिया है, कि जब क्षेत्रक्षेत्रज्ञविचार ही परमेश्वर का ज्ञान है, तब आगे यह आप ही सिद्ध है, कि उसका फल भी माक्ष ही होना चाहिये। वेदान्तशास्त्र का क्षेत्र-क्षेत्रज्ञविचार यहाँ समाप्त ही गया। परन्तु प्रवृत्ति में ही प चर्चोक्तिम पिनाखान

§§ प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्वद्यनादी उभावपि ।

विकारांश्च गुणांश्चैव विद्वि प्रकृतिसम्भवान् ॥ १९ ॥

कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते ।

पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते ॥ २० ॥

क्षेत्र उत्पन्न होता है इमलिये; और मास्त्र जिसे 'पुग्प' कहते हैं उसे ही अध्यात्म-शास्त्र में 'आत्मा' कहते हैं इमलिये, मास्त्र को दृष्टि क्षेत्रक्षेत्रज्ञविचार ही प्रकृति-पुरुष का विवेक होना है। गीताशास्त्र प्रकृति और पुग्प को मास्त्र के समान दो स्वतन्त्र तत्त्व नहीं मानता। मातवे अध्याय (३.४, ५) में कहा है, कि ये एक ही परमेश्वर के (कनिष्ठ और श्रेष्ठ) दो रूप हैं। परंतु मास्त्रों के द्वैत के बदले गीताशास्त्र के इस द्वैत को एक बार स्वीकार कर लेने पर फिर प्रकृति और वे परस्परसम्बन्ध का मास्त्रों का ज्ञान गीता को अमान्य नहीं है। और यह भी कह सकते हैं, कि क्षेत्रक्षेत्रज्ञ के ज्ञान का ही स्पान्तर प्रकृतिपुग्प का विवेक है (देखो गीतार. प्र. ७)। इमीलिये अब तक उपनिषदों के आचार में जो क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ का ज्ञान बन गया, उसे ही अब मास्त्रों की परिभाषा में—विन्तु मास्त्रों के द्वैत को अस्वीकार करके—प्रकृतिपुग्पविवेक के रूप में बनवाने हैं :—

(१९) प्रकृति और पुग्प, दोनों को ही अनादि समझ। विकार और गुणों को प्रकृति में ही उपजा हुआ ज्ञान जान।

[गीताशास्त्र के मन में प्रकृति और पुग्प, दोनों न केवल अनादि हैं, प्रत्युत स्वान्तर और स्वयम्भू भी हैं। वेदान्ती समझते हैं, कि प्रकृति परमेश्वर में ही उपजत हुई है, अतएव वह स्वयम्भू है, और न स्वतन्त्र है (गीता ४.५, ६)। परन्तु यह नहीं बन गया जा सकता, कि परमेश्वर में प्रकृति कब उत्पन्न हुई? और पुग्प (जीव) परमेश्वर का अंग है। (गीता १५ ७), इस कारण वेदान्तियों को इनका मान्य है, कि दोनों अनादि हैं। इस विषय का अधिक विवेचन गीताशास्त्र के ३ वें प्रकरण में और विशेषतः पृ १६२-१६८ में, एवं १० वें प्रकरण में पृ २५८-२६० में किया है।]

पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् ।
कारणं गुणसंगोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ॥ २१ ॥

§§ उपद्रष्टाऽनुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः ।
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः ॥ २२ ॥
य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह ।
सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ॥ २३ ॥

वतः प्रसङ्गानुसार नहीं है। प्रकृति से जगत् के उत्पन्न होने का वर्णन तो पहले ही सातवे और नौवें अध्याय में हो चुका है। अतएव 'कार्यकरण' पाठ ही यहाँ अधिक प्रशस्त दीख पड़ता है। शाङ्करभाष्य में यही 'कार्यकरण' पाठ है।
(२१) क्योंकि पुरुष प्रकृति में अधिष्ठित हो कर प्रकृति के गुणों का उपभोग करता है, और (प्रकृति के) गुणों का यह सयोग पुरुष को भली-बुरी योनियों में जन्म लेने के लिये कारण होता है।

[प्रकृति और पुरुष के पारस्परिक सम्बन्ध का और भेद का यह वर्णन साध्यशास्त्र का है। (देखा गीतार प्र ७, पृ १५५-१६२)। अब यह कह कर— कि वेदान्ती लोग पुरुष को परमात्मा कहते हैं— साध्य और वेदान्त का मेल कर दिया गया है, और ऐसा करने से प्रकृतिपुरुष विचार एवं क्षेत्रक्षेत्रज्ञ-विचार की पूरी एकवाक्यता हा जाती है।]

(२२) (प्रकृति के गुणों के) उपद्रष्टा अर्थात् समीप बैठ कर देखनेवाले अनुमोदन करनेवाले, भर्ता अर्थात् (प्रकृति के गुणों को) बढ़ानेवाले और उपभोग करनेवाले को ही इस देह में परपुरुष, महेश्वर और परमात्मा कहते हैं, (२३) इस प्रकार पुरुष (निर्गुण) और प्रकृति को ही जो गुणोसमेत जानता है, वह कैसा ही वर्तव्य क्यों न किया करे, उसका पुनर्जन्म नहीं होता।

[२० वे श्लोक में जब यह निश्चय हो चुका, कि पुरुष ही देह में परमात्मा है, तब साध्यशास्त्र के अनुसार पुरुष का जो उदासीनत्व और अकर्तृत्व है, वही आत्मा का अकर्तृत्व हा जाता है, और इस प्रकार साध्यों की उपपत्ति से वेदान्त की एकवाक्यता हो जाती है। कुछ वेदान्तवाले ग्रन्थकारों की समझ है, कि साध्यवादी वेदान्त के वे शत्रु हैं। उन बहुतेरे वेदान्ती साध्य-उपपत्ति को सर्वथा त्याज्य मानते हैं। किन्तु गीता ने ऐसा नहीं किया। एक ही विषय क्षेत्रक्षेत्रज्ञ-विचार का एक बार वेदान्त की दृष्टि में और दूसरी बार (वेदान्त के अद्वैत मत को बिना छोटे ही) साध्यदृष्टि में प्रतिपादन किया है। इससे गीताशास्त्र की समबुद्धि प्रकट हा जाती है। यह भी कह सकते हैं, कि उपनिषदों के और गीता के विवेचन में

- §§ ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना ।
 अन्ये सात्त्व्येन योगेन कर्मयोगेण चापरे ॥ २४ ॥
 अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते ।
 तेऽपि चातितरुन्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः ॥ २५ ॥
- §§ यावत्संजायते किञ्चित्सत्त्वं स्थावरजंगमम् ।
 क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगान्तद्विद्धि भरतर्षभ ॥ २६ ॥
 समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् ।
 विनश्यत्स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति ॥ २७ ॥

| यह एक महत्व का भेद है (दया गीतार परिशिष्ट पृ ५३१)। इसमें प्रकट होता है, कि यद्यपि सांन्या का द्वैतवाद गीता का भाग्य नहीं है, तथापि उनसे प्रतिपादन में जो कुछ युक्तिसद्वगन जान पड़ता है वह गीता का अमान्य नहीं है। दूसरे ही प्रकार में यह दिया है कि क्षेत्रक्षेत्रज्ञ का ज्ञान ही परमेश्वर का ज्ञान है। अथ प्रकटग व अनुगत मधोष म पिण्ड का ज्ञान और वह व परमेश्वर का ज्ञान सम्पादन कर मात्र प्राप्त करने के मार्ग बतलाने हैं -]

(२८) कुछ राग स्वयं अपन आप में ही ध्यान में आत्मा का दग्ध है। वहाँ मान्यभाग में दग्ध है, और वहाँ कर्मयोग में (२९) परन्तु उन प्रकार जिन (अपन आप ही) ज्ञान नहीं जाना, व दूसरे में मुन कर (श्रद्धा में) परमेश्वर का भजन करते हैं। गुणों दृष्टि का का प्रमाण मान कर वर्तनका य पूरा भी मृत्यु का पार कर जान है।

समं पश्यन् हि सर्वत्र समवास्थितमीश्वरम् ।

न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम् ॥ २८ ॥

§§ प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः ।

यः पश्यति तथात्मानमकर्तारं स पश्यति ॥ २९ ॥

यदा भूतपृथग्भावमकस्थमनुपश्यति ।

तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥ ३० ॥

§§ अनादित्वाग्निर्गुणत्वात्परमात्मायमव्ययः ।

शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते ॥ ३१ ॥

यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते ।

सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते ॥ ३२ ॥

(२८) ईश्वर को सर्वत्र एक-सा व्याप्त समझ कर (जो पुरप) अपने आप ही घात नहीं करता - अर्थात् अपने आप अच्छे मार्ग में लग जाता है - वह इस कारण में उत्तम गति पाता है ।

[२७ वे श्लोक में परमेश्वर का जो लक्षण बतला है, वह पीछे गीता ८. २० वे श्लोक में आ चुका है, और उसका खुलामा गीतारहस्य के नौवें प्रकरण में किया गया है । (देखो गीतार. प्र. ९, पृ. २१९ और २५७) । ऐसे ही २८ वे श्लोक में फिर वही बात कही है, जो पीछे (गीता ६. ५-७) कही जा चुकी है, कि आत्मा अपना बन्धु है, और वही अपना शत्रु है । इस प्रकार २६, २७ और २८ वे श्लोकों में सब प्राणियों के विषय माम्यबुद्धिरूप भाव का वर्णन कर चुकने पर बतलाते हैं, कि इसके जान लेने से क्या होता है ?]

(२९) जिसने यह जान लिया, कि (सब) कर्म सब प्रकार में केवल प्रकृति से ही किये जाते हैं; और आत्मा अकर्ता है - अर्थात् कुछ भी नहीं करता । वहना चाहिये, कि उमने (सच्चे तत्त्व को) पहचान लिया । (३०) जब सब भूतों का पृथक्त्व अर्थात् नानात्व एकता में (दीखने लगे) और इम (एकता) में ही (सब) विस्तार दीखने लगे, तब ब्रह्म प्राप्त होता है ।

[अब बतलाते हैं, कि आत्मा निर्गुण, अलिप्य और अक्रिय बँम है ? -]

(३१) हे कौन्तेय ! अनादि और निर्गुण होने के कारण यह अव्यक्त परमात्मा शरीर में रह कर भी कुछ करता-धरता नहीं है; और उम (किमी भी कर्म का) लेप अर्थात् बन्धन नहीं लगता । (३२) जैसे आकाश चांगे और भरा हुआ है परन्तु सूक्ष्म होने के कारण उम (किमी का भी) लेप नहीं लगता, वैसे ही देह में सर्वत्र रहने

यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः ।

क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत ॥ ३३ ॥

§§ क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचक्षुषा ।

भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् ॥ ३४ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे
क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥

पर भी जान्ना को (निम्नो का भी) देख नहीं लगता । (३३) हे भारत ! जैसे
एक सूर्य सारे जगत् को प्रकाशित करता है, वैसे ही क्षेत्रज्ञ सब क्षेत्र को अर्थात् शरीर
का प्रकाशित करता है ।

(३४) उस प्रकार ज्ञानचक्षु से अर्थात् ज्ञानरूप नेत्र से नेत्र और क्षेत्रज्ञ के
भेद का — एक सब भूता को (भूत) प्रकृति के मोक्ष को — जो जानते हैं, वे परब्रह्म
का पाते हैं ।

चतुर्दशोऽध्यायः ।

श्रीभगवानुवाच ।

परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् ।

यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः ॥ १ ॥

इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः ।

सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च ॥ २ ॥

इस प्रकार श्रीभगवान् के गाये हुए — अर्थात् कहे हुए — उपनिषद् में ब्रह्मविद्या-
न्तर्गत योग — अर्थात् कर्मयोग — शास्त्रविषयक श्रीकृष्ण और अर्जुन के सवाद में
प्रकृतिपुरपविवेक अर्थात् क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोग नामक तेरहवाँ अध्याय समाप्त हुआ ।

चौदहवाँ अध्याय

[तेरहवें अध्याय में क्षेत्रक्षेत्रज्ञ का विचार एक बार वेदान्त की दृष्टि से और
दूसरी बार साध्य की दृष्टि से बतलाया है । एव उसी में प्रतिपादन किया है, कि सब
कर्तृत्व प्रकृति का ही है, पुरुष अर्थात् क्षेत्रज्ञ उदासीन है । परन्तु इस बात का विवेचन
अब तक नहीं हुआ, कि प्रकृति का यह कर्तृत्व क्यों कर चला करता है ? अतएव
इस अध्याय में बतलाते हैं, कि एक ही प्रकृति से विविध सृष्टि — विशेषतः सजीव
सृष्टि — कैसे उत्पन्न होती है ? केवल मानवी सृष्टि का ही विचार करें, तो यह विषय
क्षेत्रसम्बन्धी अर्थात् शरीर का होता है, और उसका समावेश क्षेत्रक्षेत्रज्ञविचार में
हो सकता है । परन्तु जब स्थावर सृष्टि भी त्रिगुणात्मक प्रकृति का ही फैलाव है,
तब प्रकृति के गुणभेद का यह विवेचन क्षर-अक्षर-विचार का भी हो सकता है । अत-
एव इस सङ्घटित 'क्षेत्रक्षेत्रज्ञविचार' नाम को छोड़ कर सातवें अध्याय में जिस ज्ञान-
विज्ञान के बनलाने का आरम्भ किया था, उसी को स्पष्ट रीति से फिर भी बतलाने
का आरम्भ भगवान् ने इस अध्याय में किया है । साध्यशास्त्र की दृष्टि से इस विषय
का विस्तृत निरूपण गीतारहस्य के आठवें प्रकरण में किया गया है । त्रिगुण के विस्तार
का यह वर्णन अनुगीता और मनुस्मृति के बारहवें अध्याय में भी है ।]

श्रीभगवान् ने कहा — (१) और फिर सब जानों से उत्तम ज्ञान बतलाता
हूँ, कि जिसको जान कर मत्र मुनि लोक से परम सिद्धि पा गये हैं । (२) इस ज्ञान
का आश्रय करके मुझमें एकरूपता पाये हुए लोग सृष्टि के उत्पत्तिकाल में भी नहीं

- §§ मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भे दधाम्यहम् ।
सम्भय. सर्वभूतानां ततो भवति भारत ॥ ३ ॥
सर्वयोनिषु कीन्तेय मूर्तय सम्भवन्ति याः ।
तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रद. पिता ॥ ४ ॥
- §§ सत्त्वं रजस्तम इति गुणा. प्रकृतिसम्भवा ।
निवधन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् ॥ ५ ॥
तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात्प्रकाशरुमनाभयम् ।
सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ ॥ ६ ॥
रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासगममुद्भयम् ।
तन्निवध्नाति कीन्तेय कर्मसंगेन देहिनम् ॥ ७ ॥
तमस्यज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनाम् ।
प्रमादालस्यनिद्राभिस्तन्निवध्नाति भारत ॥ ८ ॥

सत्त्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत
ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत ॥ ९ ॥

§§ रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत ।
रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा ॥ १० ॥
सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन्प्रकाश उपजायते ।
ज्ञानं यदा तदा विद्याद्विवृद्धं सत्त्वमित्युत ॥ ११ ॥
लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमः स्पृहा ।
रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ ॥ १२ ॥
अप्रकाशोऽप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च ।
तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन ॥ १३ ॥

प्रमाद, आलस्य और निद्रा से (प्राणी को) बांध लेता है । (९) सत्त्वगुण सुख में और रजोगुण कर्म में आसक्ति उत्पन्न करता है । परन्तु हे भारत ! तमोगुण ज्ञान को ढँक कर प्रमाद अर्थात् कर्तव्यमूढता में या कर्तव्य के विस्मरण में आसक्ति उत्पन्न करता है ।

[सत्त्व, रज और तम तीनों गुणों के ये पृथक् लक्षण बतलाये गये हैं । किन्तु ये गुण पृथक् पृथक् कभी भी नहीं रहते । तीनों सदैव एकत्र रहा करते हैं । उदाहरणार्थ — कोई भी भला काम करना यद्यपि सत्त्व का लक्षण है तथापि भले काम को करने की प्रवृत्ति होना रज का धर्म है । इस कारण सात्त्विक स्वभाव में भी थोड़े-से रज का मिश्रण सदैव रहता ही है । इसी से अनुगीता में इन गुणों का इस प्रकार मिथुनात्मक वर्णन है, कि तम का जोड़ा सत्त्व है; और सत्त्व का जोड़ा रज है (म. भा. अश्व. ३६) । और कहा है, कि इनके अन्योन्य अर्थात् पारस्परिक आश्रय से अथवा झगड़े से सृष्टि के सब पदार्थ बनते हैं (देखो सा. का. १२ और गीतार. प्र. ७, पृ. १५८ और १५९) । अब पहले इसी तत्त्व को बतला कर फिर सात्त्विक, राजस और तामस स्वभाव के लक्षण बतलाते हैं :-]

(१०) रज और तम को दबा कर सत्त्व (अधिक) होना है (तब उसे सात्त्विक कहना चाहिये) । एव इसी प्रकार सत्त्व और तम को दबा कर रज तथा सत्त्व और रज को हटा कर तम (अधिक हुआ करता है) । (११) जब इम देह के सब द्वारों में (इन्द्रियो में) प्रकाश अर्थात् निर्मल ज्ञान उत्पन्न होता है, समझना चाहिये, कि सत्त्वगुण बढ़ा हुआ है । (१२) हे भरतर्षभ ! रजोगुण बढ़ने से लोभ, कर्म की ओर प्रवृत्ति और उसका आरम्भ, अतृप्ति एव इच्छा उत्पन्न होती है । (१३) और हे कुरुनन्दन ! तमोगुण की वृत्ति होने पर अन्धेरा, कुछ भी न करने की इच्छा, प्रमाद अर्थात् कर्तव्य की विस्मृति और मोह भी उत्पन्न होता है ।

श्रीभगवानुवाच ।

- ५५ प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव ।
 न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति ॥ २२ ॥
 उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते ।
 गुणा वर्तन्त इत्येव योज्वतिष्ठति नेङ्गते ॥ २३ ॥
 समदुःखसुखः स्वस्थः समलोप्याम्भकांचनः ।
 तुल्यप्रियाप्रियो धीरतुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ॥ २४ ॥
 मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः ।
 सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते ॥ २५ ॥

§§ मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते ।

स गुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ २६ ॥

ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्य च ।

शाश्वतस्य च-धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॥ २७ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन-
संवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥



एक ही से रहते हैं। तथापि तीसरे, चौथे और पाँचवे अध्यायो में जब यह दृढ़ और अटल सिद्धान्त किया है, कि निष्काम कर्म किसी से भी नहीं छूट सकते; तब स्मरण रखना चाहिये, कि ये स्थितप्रज्ञ भगवद्भवत या त्रिगुणातीत सभी कर्म-योगमार्ग के हैं। 'सावार्भभपरित्यागी' का अर्थ १२ वे अध्याय के १९ वें श्लोक की टिप्पणी में बतला आये हैं। सिद्धान्तावस्था में पहुँचे हुए पुरुषों के इन वर्णनों को स्वतंत्र मान कर सन्यासमार्ग के टीकाकार अपने ही सम्प्रदाय को गीता में प्रतिपाद्य बतलाते हैं। परन्तु यह अर्थ पूर्वापार सन्दर्भ के विरुद्ध है; अतएव ठीक नहीं है। गीतारहस्य के ११ वें और १२ वे प्रकरण में (पृ. ३२६-३२७ और ३७६-३७७) इस बात का हमने विस्मरपूर्वक प्रतिपादन कर दिया है। अर्जुन के दोनो प्रश्नों के उत्तर हो चुके। अब यह बतलाते हैं, कि ये पुरुष इन तीन गुणों से परे कैसे जाते हैं ?]

(२६) और (मुझे ही सब कर्म अर्पण करने के) अव्यभिचार अर्थात् एकनिष्ठ भक्तियोग से मेरी सेवा करता है, वह तीन गुणों को पार करके ब्रह्मभूत अवस्था पा लेने में समर्थ हो जाता है।

[सम्भव है, इस श्लोक से यह शङ्का हो, कि जब त्रिगुणातीत अवस्था साध्यमार्ग की है, तब वही अवस्था कर्मप्रधान भक्तियोग से कैसे प्राप्त हो जाती है ? इसी से भगवान् कहते हैं :-]

(२७) क्योंकि अमृत और अव्यय ब्रह्म का शाश्वत धर्म का एव एकान्तिक अर्थात् परमावधि के अत्यन्त मुख का अन्तिम स्थान मैं हूँ।

[इस श्लोक का भावार्थ यह है कि साध्यों के द्वैत को छोड़ देने पर सर्वत्र एक ही परमेश्वर रह जाता है। इस कारण उसी की भक्ति में त्रिगुणात्मक अवस्था भी प्राप्त होती है। और एक ही ईश्वर मान लेने में साधनों के सम्बन्ध में गीता का कोई भी आग्रह नहीं है (देखो गीता १३. २४ और २५)। गीता में भक्तिमार्ग को मुख्य अतएव सब लोगों के लिये ग्राह्य कहा सही है; पर यह वही भी नहीं कहा है, कि अन्यान्य मार्ग त्याज्य हैं। गीता में केवल भक्ति, केवल ज्ञान

§§ यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहमृत् ।
 तदोत्तमविदां लोकानमत्मान् प्रतिपद्यते ॥ १४ ॥
 रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसंगिषु जायते ।
 तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते ॥ १५ ॥
 कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्त्विकं निर्मलं फलम् ।
 रजसस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमसः फलम् ॥ १६ ॥
 सत्त्वात्संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च ।
 प्रमादमोहो तमसो भयतोऽज्ञानमेव च ॥ १७ ॥
 ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः ।
 जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ॥ १८ ॥

[यह वन्या दिया, कि मनुष्य की जीवित्वावस्था में त्रिगुणों के कारण
 उनके स्वभाव में कौन-से फल पड़ते हैं। अब वन्याते हैं, कि इन तीन प्रकार
 के मनुष्यों को कौन-सी गति मिलती है?]

(१४) सत्त्वगुण के उत्कृष्टकाल में यदि प्राणी मर जावे, तो उत्तम तत्त्व
 जाननेवालों के - अर्थात् देवता आदि के - निर्मल (स्वर्ग प्रभृति) लोक उग को प्राप्त
 होते हैं। (१५) रजोगुण की प्रबलता में मरे, तो जो कर्मों में आसक्त हों, उनमें
 (जनों में) जन्म लेता है; और तमोगुण में मरे, तो (पशुपक्षा आदि) मूढ योनियों
 में उत्पन्न होता है। (१६) कहा है, कि पुण्यकर्म का फल निर्मल और सात्त्विक होता
 है। परन्तु राजग कर्म का फल दुःख और तामस कर्म का फल अज्ञान होता है। (१७)
 सत्त्व में ज्ञान और रजोगुण में केवल लोभ उत्पन्न होता है। तमोगुण में न केवल
 प्रमाद और मोह ही उत्पन्न होते हैं, परन्तु अज्ञान को भी उत्पत्ति होती है। (१८)
 सात्त्विक गुण उच्च के - अर्थात् स्वर्ग आदिकाल को जाते हैं। राजस मध्यम
 लोग में अर्थात् मनुष्यों में रहते हैं और जघन्यगुणवृत्ति के तामस अग्रगति
 जाते हैं।

§§ नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति ।

गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति ॥ १९ ॥

गुणानेतानतीत्य त्रीन्देही देहसमुद्भवान् ।

जन्ममृत्युजरादुःखैर्विमुक्तोऽमृतमश्नुते ॥ २० ॥

अर्जुन उवाच ।

§§ कैलिंगेस्त्रीन् गुणानेतानतीतो भवति प्रभो ।

किमाचारः कथं चैतांस्त्रीन् गुणानतिवर्तते ॥ २१ ॥

[सात्त्विक स्थिति तो रहे ही; इसके सिवा यह ज्ञान होना भी आवश्यक है, कि प्रकृति अलग है; और मैं पुरुष जुदा हूँ। सायब इसी को त्रिगुणातीत अवस्था कहते हैं। यद्यपि यह स्थिति सत्त्व, रज और तम तीनों गुणों से भी परे की है, तो भी यह सात्त्विक अवस्था की ही पराकाष्ठा है; इस कारण इसका ममावेश सामान्यतः सात्त्विक वर्ग में ही किया जाता है। इसके लिये एक नया चौथा वर्ग बनाने की आवश्यकता नहीं है (देखो गीतारहस्य प्र. ७, पृ. १६८)। परन्तु गीता को यह प्रकृति-पुरुषवाला साध्यों का द्वैत मान्य नहीं है। इसलिये साध्यों के उक्त सिद्धान्त का गीता में इस प्रकार रूपान्तर हो जाता है, उस निर्गुण ब्रह्म को जो पहचान लेता है, उसे त्रिगुणातीत कहना चाहिये। यही अर्थ अगल श्लोको में वर्णित है :-]

(१९) द्रष्टा अर्थात् उदासीनता से देखनेवाला पुरुष, जब लेता है, कि (प्रकृति) गुणों के अतिरिक्त दूसरा कोई कर्ता नहीं है, और जब (तीनों) गुणों से परे (तत्त्व को) पहचान जाता है, तब वह मेरे स्वरूप में मिल जाता है। (२०) देहधारी मनुष्य देह की उत्पत्ति के कारण (स्वरूप) उन तीनों गुणों को अतिग्रमण करके जन्म, मृत्यु और बुटापे के दुःखों में विमुक्त होना हुआ अमृत का - अर्थात् मोक्ष का अनुभव करता है।

[वेदान्त में जिसे माया कहते हैं, उसी को साध्यमतवाले त्रिगुणात्मक प्रकृति कहते हैं। इसलिये त्रिगुणातीत होना ही माया में छूट कर परब्रह्म को पहचान लेना है (गीतारहस्य २.४५); और इसी को ब्राह्मी अवस्था कहते हैं (गीतारहस्य २.७२; १८.५३)। अध्यात्मशास्त्र में बतलाये हुए त्रिगुणातीत के इस लक्षण को सुन कर उमका और अधिक वृत्तान्त जानने की अर्जुन को इच्छा हुई। और द्वितीय अध्याय (२.५४) में जैसा उमने श्विनप्रज्ञ के मन्वन्ध में प्रण किया था, वैसा ही यहाँ भी बह पूछता है :-]

अर्जुन ने कहा :- (२१) हे प्रभो! निम्न लक्षणों में (जाना जाय, कि वह)

पंचदशोऽध्यायः ।

श्रीभगवानुवाच ।

ऊर्ध्वमूलमधःशाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम् ।

उंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् ॥ १ ॥

[अथवा केवल योग ही प्रतिपाद्य है — ये मन भिन्न भिन्न सम्प्रदायों के अभिमानियों ने पीछे में गीता पर काद दिये हैं । गीता का मच्चा प्रतिपाद्य विषय तो निगद्य ही है । मागं बांडे भी हों; गीता में मुख्य प्रश्न यही है कि परमेश्वर का ज्ञान हो चुकने पर संसार के कर्म लोकसंग्रहार्थ किये जावे या छोड़ दिये जावे ? और उनका गाऊं माऊं उत्तर पहले ही दिया जा चुका है, कि कर्मयोग श्रेष्ठ है ।]

इस प्रकार भगवान् के गाये हुए — अर्थात् कहे हुए — उपनिषद् में ब्रह्मविद्या-
न्तर्गत योग — अर्थात् कर्मयोग — शास्त्रविषयक श्रीकृष्ण और अर्जुन के मयाद में
गुणत्रयविभागयोग नामक चांदहदा अध्याय समाप्त हुआ ।

जड (एक) ऊपर है; शाखाएँ (अनेक) नीचे हैं, (जो) अव्यय अर्थात् कभी नाश नहीं पाता, (एवं) छन्दांसि अर्थात् वेद जिसके पत्ते हैं, उसे (वृक्ष को) जिसने जान लिया, वह पुरुष सच्चा वेदवेत्ता है।

[उक्त वर्णन ब्रह्मवृक्ष का अर्थात् संसारवृक्ष का है। इस संसार को ही सांख्यमतवादी 'प्रकृति का विस्तार' और वेदान्ती 'भगवान् की माया का पसारा' कहते हैं। एव अनुगीता में इसे ही 'ब्रह्मवृक्ष या ब्रह्मवन' (ब्रह्मारण्य) कहा है (देखो म. भा. अश्व. ३५ और ४७)। एक बिलकुल छोटे-से बीज से जिस प्रकार बड़ा भारी गगनचुम्बी वृक्ष निर्माण हो जाता है, उसी प्रकार एक अव्यक्त परमेश्वर से दृश्यसृष्टिरूप भव्य वृक्ष उत्पन्न हुआ है। यह कल्पना अथवा रूपक न केवल वैदिक धर्म में ही है; प्रत्युत अन्य प्राचीन धर्मों में भी पाया जाता है। युरोप की पुरानी भाषाओं में इसके नाम 'विश्ववृक्ष' या 'जगद्वृक्ष' है। ऋग्वेद (१. २४. ७) में वर्णन है, कि वरुणलोक में एक ऐसा वृक्ष है, कि जिसकी किरणों की जड ऊपर (ऊर्ध्व) है; और उसकी किरण ऊपर से नीचे (निचीनाः) फैलती हैं। विष्णुसहस्रनाम में 'वारुणो वृक्षः' (वरुण के वृक्ष) को परमेश्वर के हजार नामों से ही एक नाम कहा है। यम और पितर जिस 'सुपलाश वृक्ष' के नीचे बैठ कर सहपान करते हैं (ऋ. १०. १३२. १) अथवा जिसके 'अग्रभाग में स्वादिष्ट पीपल है; और जिस पर दो सुपर्ण अर्थात् पक्षी रहते हैं' (ऋ. १. १६४. २२), या 'जिस पिप्पल (पीपल) को वायुदेवता (मरुद्गण) हिलाते हैं' (ऋ. ५. ५४. १२), वह वृक्ष भी यही है। अथर्ववेद में जो यह वर्णन है, कि 'देवसदन अश्वत्य वृक्ष तीसरे स्वर्गलोक में (वरुणलोक में) है' (अथर्व ५. ४. ३; और १९. ३९. ६), वह भी इसी वृक्ष के सम्बन्ध में जान पड़ता है। तैत्तिरीय ब्राह्मण (३. ८. १२. २) में अश्वत्य शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार है :- पितृयानकाल में अग्नि अथवा यज्ञप्रजापति देवलोक से नष्ट हो कर इस वृक्ष में अश्व (घोड़े) का रूप धर कर एक वर्ष तक छिपा रहा था। इसी में इस वृक्ष का अश्वत्य नाम हो गया (देखो म. भा. अनु. ८५); कई एक नैरकिनको का यह भी मत है, कि पितृयान की लम्बी रात्रि में सूर्य के घोड़े यमलोक में इस वृक्ष के नीचे विश्राम किया करते हैं। इसलिये इसको अश्वत्य (अर्थात् घोड़े का स्थान) नाम प्राप्त हुआ होगा। 'अ' = नहीं, 'श्व' = बल 'त्य' = न्यिर - यह आध्यात्मिक निरुक्ति पीछे की कल्पना है। नामरूपात्मक माया का स्वरूप जब कि विनाशवान् अथवा हरषड़ी में फलटनेवाला है, तब उमको 'कल तक न रहनेवाला' तो कह सकेगे; परन्तु 'अव्यय' - अर्थात् जिसका कभी भी व्यय नहीं होना - विशेषण गी. २. ५२

सर्वाष्ट कर देता है, कि यह अर्थ अभिमत नहीं है। पहले पीपल के वृक्ष को ही अश्वत्थ कहते थे। कठोपनिषद् (६.१) में जो यह ब्रह्ममय अमृत अश्वत्थवृक्ष कहा गया है :-

ऊर्ध्वमूलोऽद्याश्शाख एषोऽश्वत्थः सनातनः ।

तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते ॥

यह भी यही है; और 'ऊर्ध्वमूलमधःशाखं' इस पदसादृश्य में ही व्यक्त होता है, कि भगवद्गीता का वर्णन कठोपनिषद् के वर्णन से ही लिया गया है। परमेश्वर स्वर्ग में है; और उससे उपजा हुआ जगद्वृक्ष नीचे अर्थात् मनुष्यलोक में है। अतः वर्णन किया गया है, कि इस वृक्ष का मूल (अर्थात् परमेश्वर) ऊपर है; और इसकी अनेक शाखाएँ (अर्थात् जगत् का फैलाव) नीचे विस्तृत है। परन्तु प्राचीन धर्मग्रन्थों में एक और कल्पना पाई जाती है, कि यह संसारवृक्ष बटवृक्ष होगा; न कि पीपल। क्योंकि बड़ के पेड़ के पाये ऊपर से नीचे को उल्टे आते हैं। उदाहरण के लिये यह वर्णन है, कि अश्वत्थवृक्ष आदित्य का वृक्ष है; और 'न्यग्रोधो वारुणो वृक्षः' - न्यग्रोधो अर्थात् नीचे (न्यक्) महाभारत में लिखा है, कि मार्कण्डेय ऋषि ने प्रलयकाल में बालरूपी परमेश्वर को एक (उम प्रलयकाल में भी नष्ट न होनेवाले, अतएव) अव्यय न्यग्रोध अर्थात् बड़ के पेड़ को टहनी पर देखा था। (म. भा. वन. १८८. ९१)। इसी प्रकार छान्दोग्य उपनिषद् में यह दिग्गमन के लिये - कि अव्यय परमेश्वर से अपार दृश्य जगत् वंशे निर्माण होता है - जो दृष्टान्त दिया है, वह भी न्यग्रोध के ही बीज का है (छा. ६. १२. १)। ग्वेनारवतर उपनिषद् में भी विज्ववृक्ष का वर्णन है (उवे. ६. ६); परन्तु वहाँ खलामा नहीं बनयाया, कि यह कौन-सा वृक्ष है।

अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखां गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः ।
अधश्च मूलान्यनुसन्तानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलौके ॥ २ ॥

[ढँकना धातु मान कर (देखो छा. १. ४. २) वृक्ष को ढँकनेवाले पत्तों से वेदों की समता वर्णित है; और अन्त में कहा है, कि जब यह सम्पूर्ण वैदिक परम्परा के अनुसार है, तब इसे जिसने जान लिया, उसे वेदवेत्ता कहना चाहिये । इस प्रकार वैदिक वर्णन हो चुका । अब उसी वृक्ष का दूसरे प्रकार से — अर्थात् साध्यशास्त्र के अनुसार — वर्णन करते हैं :—]

(२) नीचे और ऊपर भी उसकी शाखाएँ फैली हुई हैं, कि जो (सत्त्व आदि तीनों) गुणों से पली हुई हैं, और जिनसे (शब्द-स्पर्श-रूप-रस और गन्ध-रूपी) विषयों के अङ्कुर फूटते हुए हैं; एवं अन्त में कर्म का रूप पानेवाली उसकी जड़ नीचे मनुष्यलोक में बढ़ती चली गई है ।

[गीतारहस्य के आठवें प्रकरण (पृ. १८०) ने विस्तारसहित निरूपण कर दिया है, कि साध्यशास्त्र के अनुसार प्रकृति और पुरुष ये ही दो मूलतत्त्व हैं, और जब पुरुष के आगे त्रिगुणात्मक प्रकृति अपना ताना-बाना फैलाने लगती है, तब महत् आदि तेईस तत्त्व उत्पन्न होते हैं, और उनसे यह ब्रह्माण्ड वृक्ष बन जाता है । परन्तु वेदान्तशास्त्र की दृष्टि से प्रकृति स्वतन्त्र नहीं है । वह परमेश्वरका ही एक अंश है । अतः त्रिगुणात्मक प्रकृति के इस फैलाव को स्वतन्त्र वृक्ष न मान कर यह सिद्धान्त किया है, कि ये शाखाएँ ' ऊर्ध्वमूल ' पीपल की ही हैं । अब इस सिद्धान्त के अनुसार कुछ निराले स्वरूप का वर्णन इस प्रकार किया है, कि पहले श्लोक में वर्णित वैदिक ' अध.शाख ' वृक्ष की ' त्रिगुणों से पली हुई ' शाखाएँ न केवल ' नीचे ' ही, प्रत्युत ' ऊपर ' भी फैली हुई हैं और इसमें कर्मविपाकप्रक्रिया का घागा भी अन्त में पिरो दिया है । अनुगीतावाले ब्रह्मवृक्ष के वर्णन में केवल साध्यशास्त्र के चौबीस तत्त्वों का ही ब्रह्मवृक्ष बतलाया गया है :— उसमें इस वृक्ष के वैदिक और साध्य वर्णनों का मेल नहीं मिलाया गया है (देखो महाभारत अश्व. ३५, २२, २३; और गीतारहस्य प्र. ८, पृ. १८०) । परन्तु गीता में ऐसा नहीं किया । दृश्यमृष्टिरूप वृक्ष के नाते से वेदों में पाये जानेवाले परमेश्वर के वर्णन का और साध्यशास्त्रोक्त प्रकृति के विस्तार या ब्रह्माण्डवृक्ष के वर्णन का, इन दो श्लोकों में मेल कर दिया है । मोक्षप्राप्ति के लिये त्रिगुणात्मक और ऊर्ध्वमूल वृक्ष के इस फैलाव से मुक्त हो जाना चाहिये । परन्तु यह वृक्ष इतका बड़ा है, कि इसके ओर-छोर का पता नहीं चलता । अनएव अब बतलाते हैं, कि इस अपार वृक्ष का नाश करके मूल में वर्तमान अमृततत्त्व को पहचानने का यौन-गा मार्ग है ?]

§§ न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा ।
अव्ययमेनं सुविस्मृतमूलमसंगशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ॥ ३ ॥

ततः पदं तत्परिमार्गितञ्च यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः ।
तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी ॥ ४ ॥

(३) परन्तु इन लोक में (जैसा कि ऊपर वर्णन किया है) वैसा उसका स्वरूप उपलब्ध नहीं होता; अथवा अन्न, आदि और आवारस्थान भी नहीं मिलता। अत्यन्त गहरी जड़ोंवाले इस अन्वय (वृक्ष) को अनामकिनरूप मुड़ड़ तलवार में काट कर (४) फिर उस स्थान को ढूँढ निकालना चाहिये, कि जहाँ से फिर लौटना नहीं पड़ता; और यह संकल्प करना चाहिये, कि (मृष्टिक्रम की यह) 'पुरातन प्रवृत्ति जिसमें उत्पन्न हुई है, उसी आद्य पुरुष को और में जाना है।'

गीतारस्य के दमवे प्रकरण में विवेचन किया है। कि मृष्टि का फलव
है, नामरूपान्मक कर्म है; और यह कर्म अनादि है। आमस्तबुद्धि छोड़ देने में
दमका क्षय हो जाता है; और किन्हीं भी उपाय में दमका क्षय नहीं होता। वरुणि
यह स्वरूपनः अनादि और अव्यय है (देखो गीतारस्य प्र. १०, पृ. २८७-२९१)।
नामरे श्लोक के 'उसका स्वरूप या आदि-अन्न नहीं मिलता' इन शब्दों में
यही मिथ्यात्व व्यक्त किया गया है, कि कर्म अनादि है; और आगे चल कर इस
कर्मवृक्ष का क्षय करने के लिये एक अनामकिन ही को माघन बनाना है। ऐसे ही
उपामना करने समय जो भावना मन में रहती है, उसी के अनुसार जागे फल
मिलता है (गीता ८.६)। अतएव चौथे श्लोक में स्पष्ट कर दिया है, कि वृक्ष-छेदन
की यह क्रिया होने समय मन में कौन-सी भावना रहनी चाहिये? शास्त्रकारभाष्य

निर्मानमोहा जितसंगदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः ।

द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् ॥ ५ ॥

न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः ।

यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्भाम परमं मम ॥ ६ ॥

§§ ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः ।

मनःपष्टानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ॥ ७ ॥

शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः ।

गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानिवाशयात् ॥ ८ ॥

| ८. १४. १) । 'प्रपद्ये' क्रियापद प्रथमपुरुषान्त हो, तो कहना न होगा, कि ब्रह्मा
| से अर्थात् उपदेशकर्ता श्रीकृष्ण से उसका सम्बन्ध नहीं जोड़ा जा सकता । अब
| यह बतलाते हैं, कि इस प्रकार बर्तने से क्या फल मिलता है ?]

(५) जो मान और मोह से विरहित है, जिन्होंने आसक्ति-दोष को जीत लिया है'
जो अध्यात्मज्ञान में सदैव स्थिर रहते हैं, जो निष्काम और सुखदुःखसंज्ञका द्वन्द्वों से
मुक्त हो गये हैं, वे ज्ञानी पुरुष उस अव्यय-स्थान को जा पहुँचते हैं । (६) जहाँ जा
कर फिर लौटना नहीं पड़ता (ऐसा) वह मेरा परम स्थान है । उसे न तो सूर्य न
चन्द्रमा (और) न अग्नि ही प्रकाशित करते हैं ।

| [इनमें छः श्लोक श्वेताश्वतर (६. १४), मुण्डक (२. २. १०) और
| कठ (५. १५) इन तीनों उपनिषदों में पाया है । सूर्य, चन्द्र या तारे, ये सभी
| तो नामरूप की श्रेणी में आ जाते हैं; और परब्रह्म इस सब नामरूपों से परे है ।
| इस कारण सूर्यचन्द्र आदि को परब्रह्म के ही तेज में प्रकाश मिलता है । फिर यह
| प्रकट ही है, कि परब्रह्म को प्रकाशित करने के लिये किसी दूसरे की अपेक्षा ही नहीं
| है । ऊपर के श्लोक में 'परम स्थान' शब्द का अर्थ 'परब्रह्म' और इस ब्रह्म में
| मिल जाना ही ब्रह्मनिर्वाण मोक्ष है । वृक्ष का रूपक लेकर अध्यात्मशास्त्र में
| परब्रह्म का जो ज्ञान बतलाया जाता है, उसका विवेचन समाप्त हो गया । अब
| पुरुषोत्तमस्वरूप का वर्णन करना है । परन्तु अन्त में जो यह कहा है, कि 'जहाँ
| जा कर लौटना नहीं पड़ता' इससे सूचित होनेवाली जीव की उत्पत्ति और उसके
| साथ ही जीव के स्वल्प का पहले वर्णन करते हैं :-]

(७) जीवलोक (कर्मभूमि) में तेरा ही सनातन अंग जीव होकर प्रवृत्ति में
रहनेवाली मनमहित छः अर्थान् मन और पाँच, (सूक्ष्म) इन्द्रियों को (अपनी आंर)
घोच लेता है । (इसी को लिङ्गशरीर कहते हैं) । (८) ईश्वर अर्थात् जीव
जब (स्वूल) शरीर पाता है; और जब वह (स्वूलशरीर में) निकल जाता है, तब

§§ यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् ।
यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धिं मामकम् ॥ १२ ॥
गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा ।
पुष्णामि चौपधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः ॥ १३ ॥
अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः ।
प्राणायानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् ॥ १४ ॥
सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च ।
वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् ॥ १५ ॥

अपने आप में स्थित आत्मा को पहचानते हैं । परन्तु वे अज्ञ लोग, कि जिनका आत्मा अर्थात् बुद्धि संस्कृत नहीं है, प्रयत्न करके भी उसे नहीं पहचान पाते ।

[१० वें और ११ वे श्लोक में ज्ञानचक्षु या कर्मयोगमार्ग से आत्मज्ञान की प्राप्ति का वर्णन कर जीव की उत्क्रान्ति का वर्णन पूरा किया है । पिछले सातवें अध्याय में जैसा वर्णन किया गया है (देखो गीतारहस्य ७. ८-१२), वैसा ही अब आत्मा की सर्व व्यापकता का थोडा-सा वर्णन प्रस्तावना के ढंग पर करके सोलहवें श्लोक से पुरपोत्तमस्वरूप का वर्णन किया है ।]

(१२) जो तेज सूर्य में रह कर सारे जगत् को प्रकाशित करता है, जो तेज चन्द्रमा और अग्नि में है, उसे मेरा ही तेज समझ । (१३) इसी प्रकार पृथ्वी में प्रवेश कर मैं ही, (सब) भूतों को अपने तेज से धारण करता हूँ, और रसात्मक सोम (चन्द्रमा) हो कर सब औपधियों का अर्थात् वनस्पतियों का पोषण करता हूँ ।

[सोम शब्द के 'सोमवल्ली' और 'चन्द्र' अर्थ; वेदों में वर्णन है, कि चन्द्र जिस प्रकार जलात्मक, अंशुमान और शुभ्र है, उसी प्रकार सोमवल्ली भी है । दोनों ही को 'वनस्पतियों का राजा' कहा है । तथापि पूर्वापार सन्दर्भ से यहाँ चन्द्र ही विवक्षित है । इस श्लोक में यह कह कर—कि चन्द्र का तेज मैं ही हूँ— फिर इसी श्लोक में बतलाया है, कि वनस्पतियों का पोषण करने का चन्द्र का जो गुण है, वह भी मैं ही हूँ । अन्य स्थानों में भी ऐसे वर्णन है, कि जलमय होने में चन्द्र में यह गुण है । इसी कारण वनस्पतियों की वाट होती है ।]

(१४) मैं वैश्वानररूप अग्नि होकर प्राणियों की देहों में रहता हूँ; और प्राण एव अपान से युक्त होकर (भक्ष्य, चोप्य, लेह्य और पेय) चार प्रकार के अन्न को पचाता हूँ । (१५) इसी प्रकार मैं सब के हृदय में अधिष्ठित हूँ । स्मृति और ज्ञान एवं अपोहन अर्थात् उनका नाश मुझमें ही होता है; तथा सब वेशों में जानने योग्य मैं ही हूँ । वेदान्त का कर्ता और वेद जाननेवाला भी मैं ही हूँ ।

§§ द्वाविमी पुरुषी लोके क्षरश्चाक्षर एव च ।

क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ १६ ॥

उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः ।

यो लोकत्रयभाविष्य विभर्त्यन्यय ईश्वरः ॥ १७ ॥

यस्मात्क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः ।

अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ १८ ॥

[इस श्लोक का दूसरा चरण संबन्ध उपनिषद् (२.३) में है। उसमें 'वेदैश्च सर्वैः' के स्थान में 'वेदैरतेकैः' इतना ही पाठभेद है। तब जिन्होंने गीता-काल में 'वेदान्त' शब्द का प्रचलित होना न मान कर ऐसी दृष्टियों की हैं, कि या तो यह शब्द ही प्रचलित होगा या उसके 'वेदान्त' शब्द का कुछ और ही अर्थ लेना चाहिये। वे सब दृष्टियों वे-जड-बुनियाद की ही जाती हैं। 'वेदान्त' शब्द मुण्डक (३.२.६) और श्वेताश्वतर (६.२०) उपनिषदों में आया है; तथा श्वेताश्वतर के तो कुछ मन्त्र ही गीता में इन्हें आ गये हैं। अब निम्नलिखितपूर्वक पुराणोक्तम का लक्षण बतलाते हैं :-]

(१६) (इस) श्लोक में 'क्षर' और 'अक्षर' दो पुरुष हैं। सब (नाग-वान्) भूतों को क्षर कहते हैं; और कूटस्थ को - अर्थात् इन सब भूतों के मूल (कूट) में रहनेवाले (प्रतिष्ठा अथवा तत्त्व) को अक्षर कहते हैं। (१७) परन्तु उत्तम पुरुष (इन दोनों में) भिन्न है। उसको परमात्मा कहते हैं। वही अक्षय ईश्वर ईशोत्तर में प्रविष्ट होकर (ईशोत्तर का) पोषण करता है। (१८) जब कि मैं क्षर में भी परे का अक्षर में भी उत्तम (पुरुष) हूँ। लोकव्यवहार में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम मे में प्रसिद्ध हूँ।

[मोक्षार्थे श्लोक में 'क्षर' और 'अक्षर' शब्द माध्यमात् के ध्यस्त और अर्पण - अर्पण स्वरूपार्थि प्रकृति - इन दो शब्दों में समानार्थक है। प्रकृत है, इनमें क्षर ही नागवान् त्रयमतामृतात्मक ध्यस्त पदार्थ है। स्मरण रहे कि 'अक्षर' विशेषण प्रकृति कई बार जब परब्रह्म के भी लगाना गया है (देखो गीता ८.३, ८.२१, ११.३३, १२.३) तब पुरुषोत्तम के उल्लिखित लक्षण में 'अक्षर' शब्द का अर्थ प्रसङ्गगत नहीं है किन्तु उसका अर्थ माध्यमों की अक्षरप्रकृति है; और इस लक्षण में बताने के लिये ही मोक्षार्थे श्लोक में 'अक्षर' अर्थात् कूटस्थ (प्रकृति) का विशेषण लगाया गया है (गीताशुभाष्य प्र. १, पृ. २०२-२०५)। नागवान्, स्वरूपार्थि और अर्पण प्रकृति के परे का अक्षर ब्रह्म (गीता ८.२०-२२ का इसी ही अर्थ) और 'क्षर' (स्वरूपार्थि) एव 'अक्षर' (प्रकृति)

§§ यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् ।

स सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत ॥ १९ ॥

इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मयानघ ।

एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ॥ २० ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥



से परे का पुरुषोत्तम वास्तव में ये दोनों एक ही हैं। तेरहवें अध्याय (१३-३१) में कहा गया है, कि इसे ही परमात्मा कहते हैं, और यही परमात्मा शरीर में क्षेत्रज्ञ रूप से रहता है। इससे सिद्ध होता है, कि क्षर-अक्षर-विचार में जो मूल-तत्त्व अक्षरप्रह्ला अन्त में निष्पन्न होता है, वही क्षेत्रक्षेत्रज्ञविचार का भी पर्यवसान है; अथवा 'पिण्ड में और ब्रह्माण्ड में' एक ही पुरुषोत्तम है। इसी प्रकार यह भी बतलाया गया है, कि अधिभूत और और अधियज्ञ प्रभृति का अथवा प्राचीन अश्वत्थ वृक्ष का तत्त्व भी यही है। इस ज्ञान विज्ञान प्रकार का अन्तिम निष्कर्ष यह है, कि जिसने जगत् की उस एकता को जान लिया, 'कि भूतो में एक आत्मा है' (गीता ६. २९) और जिसके मन में यह पहचान जिन्दगीभर के लिये स्थिर हो गई (वे. सूत्र ४ १ १२; गीता ८ ६), वह कर्मयोग का आचरण करते ही परमेश्वर की प्राप्ति कर लेता है। कर्म न करने पर केवल परमेश्वरभक्ति से भी मोक्ष मिल जाता है। परन्तु गीता के ज्ञानविज्ञाननिरूपण का यह तात्पर्य नहीं है। सातवें अध्याय के आरम्भ में ही कह दिया है, कि ज्ञानविज्ञान के निरूपण का आरम्भ यही दिखलाने के लिये किया गया है, कि ज्ञान से अथवा भक्ति से शुद्ध हुई निष्काम-बुद्धि के द्वारा ससार के सभी कर्म करने चाहिये, और इन्हें करते हुए ही मोक्ष मिलता है। अब बतलाते हैं, कि इसे जान लेने से क्या फल मिलता है? -]

(१९) हे भारत! इस प्रकार बिना मोह के जो मुझे ही पुरुषोत्तम समझता है, वह सर्वज्ञ होकर सर्वभाव से मुझे ही भजता है। (२०) हे निष्पाप भारत! यह गुह्य से भी गुह्य शास्त्र मैंने बतलाया है। इसे जान कर (मनुष्य) बुद्धिमान् अर्थात् बुद्ध या जानकार और कृतकृत्य हो जावेगा।

[यहाँ बुद्धिमान् का 'बुद्ध अर्थात् जानकार' अर्थ है। क्योंकि भारत (शा. २४८. ११) में इसी अर्थ में 'बुद्ध' और 'कृतकृत्य' शब्द आये हैं। महाभारत में 'बुद्ध' शब्द का रूढार्थ 'बुद्धावतार' कही भी नहीं आया है। (देखो गीतारहस्य परिशिष्ट पृ. ५६५)।]

षोडशोऽध्यायः ।

श्रीभगवानुवाच ।

अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः ।
दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् ॥ १ ॥
अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् ।
दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम् ॥ २ ॥
तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता ।
भवन्ति सम्पदं देवीमभिजातस्य भारत ॥ ३ ॥

इस प्रकार श्रीभगवान् के गाये हुए - अर्थात् कहे हुए - उपनिषद् में ब्रह्म-विद्यानर्तक योग - अर्थात् कर्मयोग - शास्त्रविषयक श्रीकृष्ण और अर्जुन के संवाद में पुरुषोत्तमयोग नामक पन्द्रहवाँ अध्याय समाप्त हुआ ।

सोलहवाँ अध्याय ।

[पुरुषोत्तमयोग में धार-अक्षर ज्ञान की परमावधि हो चुकी । मानवें अध्याय में ज्ञानविज्ञान के निष्पन्न या आरम्भ यह दिग्दर्शन के लिये किया गया था, कि कर्मयोग का प्राचरण करने करने में ही परमेस्वर का ज्ञान होता है; और उन्हीं में मोक्ष मिलता है, उमसी काही समाप्ति हो चुकी, और अब यही उमसा उपसंहार करना चाहिये । परन्तु गीते अध्याय (१. १०) में भगवान् ने जो यह विलुप्त संशेष में कहा था, कि गुरुगो मनुष्य मेरे अधस्त और श्रेष्ठ स्वर्ग्य वा नहीं पहचानते, उमी का स्पष्टीकरण करने के लिये इस अध्याय का आरम्भ किया गया है; और अगले अध्याय में हमका वाक्य बताया गया है, कि मनुष्य-मनुष्य में भेद क्यों होते हैं? और अष्टादशवें अध्याय में पुरी जीता का उपसंहार है ।]

श्रीभगवान् ने कहा - (१) अभय (निडर), नृद्ध मात्स्विक धृति, ज्ञान-सोपानवर्गियति अर्थात् ज्ञान (मार्ग) और (कर्म) योग की तात्कम्य में ध्यस्तता, दान, दम, दम स्वाध्याय अर्थात् स्वधर्म में अनुसार आचरण, तप, सरलता, (२) अहिंसा, सत्य अथवा कर्मरत का त्याग शान्ति, अहिंस्य अर्थात् दृष्टदृष्टि छोड़ कर दूसरे काद सत्यता सत्य भूतों में दान, क्षमा, न रगना (सुरे पास की) कात्र, अकामता अर्थात् निरुक्त कामा का एत ज्ञाना (३) तेजस्विता, क्षमा, धृति, नृद्धता,

§§ दम्भो दर्पोऽतिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च ।

। अज्ञानं चाभिर्जातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम् ॥ ४ ॥

द्रोह न करना, अतिमान न रखना - हे भारत ! (ये) गुण दैवी सम्पत्ति में जन्मे हुए पुरुषो को प्राप्त होते हैं ।

[दैवी सम्पत्ति वे ये छत्तीस गुण और तरहवे अध्याय में बतलाये हुए ज्ञान के बीस लक्षण (गीता १३ ७-११) वास्तव में एक ही हैं, और इसी से आगे के श्लोक में 'अज्ञान' का समावेश आसुरी लक्षणा में किया गया है। यह नहीं कहा जा सकता, कि छद्मीन गुणा की इस फेहरिस्त में प्रत्येक शब्द का अर्थ दूसरे शब्द के अर्थ से सर्वथा भिन्न होगा, और हेतु भी ऐसा नहीं है। उदाहरणार्थ, कोई कोई अहिंसा के ही कायिक, वाचिक और मानसिक भेद करके क्रोध से किसी के दिव दुखा देने को भी एक प्रकार की हिंसा ही समझते हैं। इसी प्रकार शुद्धता को भी त्रिविध मान लेने में मन की शुद्धि में अक्रोध और द्रोह न करना आदि भी गुण दिल दुखा देने को भी एक प्रकार की हिंसा ही समझते हैं। इसी प्रकार शुद्धता भी त्रिविध मान लेने में मन की शुद्धि में अक्रोध और द्रोह न करना आदि गुण भी आ सकते हैं। महाभारत के शान्तिपर्व में १६० अध्याय से लेकर १६३ अध्याय तक क्रम से दम, तप, सत्य और लोभ का विस्तृत वर्णन है। वहाँ दम में ही क्षमा धृति, अहिंसा, सत्य, आज्ञा और लज्जा आदि पच्चीस-तीस गुणों का व्यापक अर्थ में समावेश किया है (शा १६०), और सत्य के निरूपण (शा १६२) में कहा है, कि सत्य, समता, दम, अमात्सर्य, लज्जा, तितिक्षा, अनुसूयता, त्याग ध्यान, आयता (लोककल्याण की इच्छा), धृति और दया इन तेरह गुणों का एक सत्य में ही समावेश होता है, और वही इन शब्दों की व्याख्या भी कर दी गई है। इस रीति से एक ही गुण में अनेकों का समावेश कर लेना पाण्डित्य का काम है, और ऐसा विवेचन करने लगे, तो प्रत्येक गुण पर एक एक ग्रन्थ लिखना पड़ेगा। ऊपर के श्लोकों में इन सब गुणों का समुच्चय इसीलिए बतलाया गया है, कि जिसमें दैवी सम्पत्ति के सात्त्विक रूप की पूरी बल्पना हो जावे, और यदि एक शब्द में कोई अर्थ छूट गया हो तो दूसरे शब्द में उसका समावेश हो जावे। अस्तु ऊपर की फेहरिस्त के 'ज्ञानयोगव्यवस्थिति' शब्द का अर्थ हमने गीता के ४४१ और ४२ व श्लोक के आधार पर कर्मयोगप्रधान किया है। त्याग और धृति की व्याख्या स्वयं भगवान् ने ही १८ वे अध्याय में कर दी है (१८४ और २९)। यह बतला चुके कि दैवी सम्पत्ति में किन गुणों का समावेश होता है? अब इसके विपरीत आसुरी या राक्षसी सम्पत्ति का वर्णन करते हैं -]

(४) हे पार्थ ! दम्भ, दर्प, अतिमान, क्रोध, पारुष्य अर्थात् निष्ठुरता और अज्ञान आसुरी यानी राक्षसी सम्पत्ति में जन्मे हुए को प्राप्त होते हैं ।

§§ देवी सम्पद्धिमोक्षाय निबन्धायासुरी मता ।

मा शुचः सम्पदं देवीमभिजातोऽसि पाण्डव ॥ ५ ॥

§§ द्वी भूतसर्गा लोकेऽस्मिन्दैव आसुर एव च ।

दैवो विस्तरदाः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु ॥ ६ ॥

प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः ।

न शीचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते ॥ ७ ॥

असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् ।

अपरस्परसम्भूतं किमन्यत्कामहेतुकम् ॥ ८ ॥

[महाभारत शान्तिपर्व के १६८ और १६५ अध्यायो में इनमें से कुछ दोषों का वर्णन है; और अन्त में यह भी बतला दिया है, कि नृशम किसे बहना चाहिये? इस श्लोक में 'अज्ञान' को आमुगी सम्पत्ति का लक्षण कह देने में प्रकट होता है, कि 'ज्ञान' देवी सम्पत्ति का लक्षण है। जगत में पाये जानेवाले दो प्रकार के स्वभावों का इस प्रकार वर्णन हो जाने पर :-]

(५) (इनमें से) देवी सम्पत्ति (परिणाम में) मोक्षदायक और आमुगी बन्धनदायक मानी जाती है। हे पाण्डव! तू देवी सम्पत्ति में जन्मा हुआ है। शोक मत कर।

[मधेप में यह बतला दिया, कि इन दो प्रकार के पुण्यों को कौन-सी गति मिलती है? अब विन्तार से आमुगी पुण्यों का वर्णन करने हैं :-]

(६) इस श्लोक में दो प्रकार के प्राणी उन्मत्त हुआ करते हैं। (एक) देव और दूसरे आसुर। (इनमें) देव (श्रेणी का) वर्णन विन्तार में कर दिया। (दूसरे) हे पार्थ, मैं आसुर (श्रेणी का) वर्णन करता हूँ; मुन।

[गिच्छे अध्यायों में यह बतलाया गया है, कि कर्मयोगी क्या वर्णन करे? और शब्दी अवस्था कैसी होगी? या म्विनप्रज्ञ, भगवद्भजन अथवा त्रिगुणान्त किसे बहना चाहिये? और यह भी बतलाया गया है, कि ज्ञान क्या है? इस अध्याय के पहले तीन श्लोक में देवी सम्पत्ति का जो वर्णन है, वही देव-प्रवृत्ति के पुरुष का वर्णन है। इसी में कहा है कि देव श्रेणी का वर्णन विन्तार में पहले कर चुके हैं। आसुर सम्पत्ति का साक्षात् उन्मत्त नीचे अध्याय (९. ११ और १०) में आ चुका है। परन्तु वही का वर्णन अधोग कर गया है; इस कारण इस अध्याय में इसी को पूरा करने हैं -]

(७) आसुर मात्र नहीं जानते, कि प्रवृत्ति क्या है और निवृत्ति क्या है? अर्थात् वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिये और क्या न करना चाहिये? उनमें न सत्यता रहती है न आचार और सत्य ही है। (८) वे (आसुर लोग) कहते हैं

कि सारा जगत् असत्य है, अप्रतिष्ठ अर्थात् निराधार है, अनीश्वर यानी बिना परमेश्वर का है, अपरस्परसम्भूत अर्थात् एक दूसरे के बिना ही हुआ है । (अतएव) काम को छोड़ - अर्थात् मनुष्य की विषयवासना के अतिरिक्त इसका और क्या हेतु हो सकता है ?

[यद्यपि इस श्लोक का अर्थ स्पष्ट है, तथापि इसके पदों का अर्थ करने में बहुतकुछ मतभेद है । हम समझते हैं, कि यह वर्णन उन चार्वाक आदि नास्तिकों के मतों का है, कि जो वेदान्तशास्त्र या कापिलसांख्यशास्त्र के सृष्टिरचनाविषयक सिद्धान्त को नहीं मानते, और यही कारण है, कि इस श्लोक के पदों का अर्थ सांख्य और अध्यात्मशास्त्रीय सिद्धान्तों के विरुद्ध है । जगत् को नाशवान् समझ कर वेदान्ती उसके अविनाशी सत्य की - 'सत्यस्य सत्य' (वृ २ ३ ६) - खोजता है, और उसी सत्य तत्त्व को जगत का मूल आधार या प्रतिष्ठा मानता है - 'ब्रह्मपुच्छ प्रतिष्ठा' (तै २ ५) । परन्तु आसुरी लोग कहते हैं, कि यह जग असत्य है - अर्थात् इसमें स्रष्टा नहीं है - और इसीलिये वे इस जगत् को अप्रतिष्ठ भी कहते हैं - अर्थात् इसकी न प्रतिष्ठा है और न आधार । यहाँ शब्दका हो सकती है, कि इस प्रकार अध्यात्मशास्त्र में प्रतिपादित अव्यक्त परब्रह्म यदि आसुरी लोगों को सम्मत न हो, तो उन्हें भक्तिमार्ग का व्यक्त ईश्वर मान्य होगा । इस से अनीश्वर (अन् + ईश्वर) पद का प्रयोग करके कह दिया है, कि आसुरी लोग जगत् में ईश्वर को भी नहीं मानते । इस प्रकार जगत् का कोई मूल आधार न मानने से उपनिषदों में वर्णित यह सृष्ट्युत्पत्तिक्रम छोड़ देना पड़ता है, कि 'आत्मन आकाश सम्भूत । आकाशाद्वायु । वायोरग्नि । अग्नेराप । अद्भ्यः पृथिवी पृथिव्या ओषधय । ओषधीभ्य अन्नम् । अन्नात्पुरुष ।' (तै २ १) और सांख्यशास्त्रोक्त इस सृष्ट्युत्पत्तिक्रम को भी छोड़ देना पड़ता है, कि प्रकृति और पुरुष, ये दो स्वतन्त्र एव सत्त्व, रज और तम गुणों के अन्यान्य आश्रय से अर्थात् परस्पर मिश्रण से सब व्यक्त पदार्थ उत्पन्न हुए हैं । क्योंकि यदि इस शृंखला या परम्परा को मान ले, तो दृश्यसृष्टि के पदार्थों से इस जगत् का कुछ-न-कुछ मूलतत्त्व मानना पड़ेगा । इसी से आसुरी लोग जगत् के पदार्थों को अपरस्पर-सम्भूत मानते हैं - अर्थात् वे यह नहीं मानते, कि ये पदार्थ एक दूसरे से किनी क्रम से उत्पन्न हुए हैं । जगत् की रचना के सम्बन्ध में एक बार ऐसी समझ हो जाने पर मनुष्यप्राणी ही प्रधान निश्चित हो जाता है । और फिर यह विचार आप ही-आप हो जाता है, कि मनुष्य की कामवासना को तृप्त करने के लिये ही जगत् के सारे पदार्थ बने हैं, उनका और कुछ भी उपयोग नहीं है, और यही अर्थ इस श्लोक के अन्त में 'किमन्यत्कामहेतुकम्' - काम को छोड़ उसका और क्या हेतु होगा? - इन शब्दों से, एव आगे के श्लोकों में भी वर्णित है । कुछ टीकाकार 'अपरस्पर-सम्भूत' पद का अन्वय 'किमन्यत्' से लगा कर यह अर्थ करते हैं, कि 'क्या

एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः । - -

प्रभवन्त्युग्ररुमाणः क्षयाय जगतोऽहिताः ॥ ९ ॥

काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः ।

मोहाद्गुहीत्वाऽसद्ग्राहान् प्रवर्तन्तेऽशुचिब्रताः ॥ १० ॥

ऐसा भी कुछ दीव्र पडता है, जो परस्पर अर्थात् स्त्रीपुरुष के मयोग में उत्पन्न न हुआ हो ? नहीं, और जब ऐसा पदार्थ ही नहीं दीख पडता, तब यह जगत् काम-हेतुन अर्थात् स्त्रीपुरुष की कामेच्छा में ही निर्मित हुआ है । ' एतं कुछ लोग 'अपरस्व परस्व अपरस्मरां' ऐसा अदभुत विग्रह करके इन पदों का यह अर्थ लगाया करते हैं, कि 'अपरस्पर' ही स्त्री-पुरुष है, इन्हीं में यह जगत् उत्पन्न हुआ है, इमन्त्रिये स्त्रीपुरुषों का काम ही इसका हेतु है । और कारण नहीं है । परन्तु यह अन्वय संरल नहीं है और 'अपरस्व परस्व' का ममास 'अपर-पर' होगा; बीच में सकार न आने पावेगा । इसके अनिश्चित अमन्य और अप्रतिष्ठ इन पदों के आपे हुए पदों को देखने में यही ज्ञात होता है कि अपरस्परमम्भूत नय ममास ही होना चाहिये । और फिर कहना पडता है, कि माध्यशास्त्र में 'परस्परमम्भूत' शब्द में जो गुणों का अन्वय जनन, वर्णन है, वही यहाँ विवक्षित है (देखो गीतारहस्य प्र. १७, पृष्ठ १५८ और १५९) 'अन्वय' और 'परस्पर' दोनों शब्द ममानास्य हैं । माध्यशास्त्र में गुणों के पारस्परिक झगटे का वर्णन करने समय ये दोनों शब्द आये हैं (देखो म भा शा ३०५; मा का १० और १३) । गीता पर जो माध्यमाप्य है, हममें हमी अर्थ को मान कर यह दिखाने के लिये कि जगत् की वस्तुओं एक दूसरे में बँने उपजती हैं, गीता का यही श्रोत्र दिया गया है - ' अत्राद्भवन्ति भूतानि ' इत्यादि - (अग्नि में छोटी हुई आहुति गुरु का पहुँचती है, अतः) यह जगत् अग्नि में उत्पन्न और उत्पन्न में उत्पन्न

चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः ।

कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः ॥ ११ ॥

आशापाशशतैर्वद्धाः कामक्रोधपरायणाः ।

ईहन्ते, कामभोगार्थमन्यायेनार्थसञ्चयान् ॥ १२ ॥

इदमद्य मया लब्धमिदं प्राप्स्ये मनोरथम् ।

इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् ॥ १३ ॥

असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चारुरानपि ।

ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान्सुखी ॥ १४ ॥

आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया ।

यस्ये दास्यामि मोदिष्ये इत्यज्ञानविमोहिताः ॥ १५ ॥

अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः ।

प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ ॥ १६ ॥

आत्मसम्भाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः ।

यजन्ते नामयज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् ॥ १७ ॥

करके ये (आसुरी लोग) दम्भ, मान और मद से व्याप्त हो कर मोह के कारण झूठमूठ विश्वास अर्थात् मनमानी कल्पना करके गन्दे काम करने के लिये प्रवृत्त रहते हैं । (११) इसी प्रकार आमरण (सुख भोगने की) अगणित चिन्ताओं से ग्रसे हुए, कामोपभोग में डूबे हुए और निश्चयपूर्वक उत्ती को सर्वस्व माननेवाले, (१२) सैकड़ों आशापाशों से जकड़े हुए, कामक्रोधपरायण (ये आसुरी लोग) सुख लूटने के लिये अन्याय से बहुत-सा अर्थसंचय करने की तुष्णा करते हैं । (१३) मैं ने आज यह पा लिया । (कल) उस मनोरथ को सिद्ध करूँगा, यह धन (मेरे पास) है और फिर वह भी मेरा होगा । (१४) इस शत्रु को मैंने मार लिया, एव औरों को भी मारूँगा । मैं ईश्वर, मैं (ही) भोग करनेवाला, मैं सिद्ध, बलाढ्य और सुखी हूँ । (१५) मैं सम्पन्न और कुलीन हूँ । मेरे समान और है कौन ? मैं यज्ञ करूँगा, दान दूँगा, भोज करूँगा - इस प्रकार अज्ञान से मोहित, (१६) अनेक प्रकार की कल्पनाओं में भूले हुए, मोह के फन्दे में फँसे हुए और विपयोपभोग में आसक्त (ये आसुरी लोग) अपवित्र नरक में गिरते हैं । (१७) आत्मप्रशसा करनेवाले एँठ से बर्तनेवाले, धन और मान के मद में सयुक्त ये (क्षामुरी) लोग दम्भ से, शास्त्रविधि छोड़कर केवल नाम के लिये यज्ञ किया करते हैं । (१८)

अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः ।

मामात्परदेहेषु प्रद्विपन्तोऽभ्यसूयकाः ॥ १८ ॥

तानहं द्विपतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् ।

क्षिपाम्यजस्रमशुमानासुरीष्वेव योनिषु ॥ १९ ॥

आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि ।

मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् ॥ २० ॥

§§ त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः ।

कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् ॥ २१ ॥

एतेर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्धारोस्त्रिभिर्नरः ।

आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम् ॥ २२ ॥

§§ यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः ।

न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् ॥ २३ ॥

अकार मे, बल मे, दर्प मे, काम मे और क्रोध मे फूल कर अपनी और पराई देह में बंधमान मेरा (परमेश्वर का) द्वेष करनेवाले, निन्दक, (१९) और अशुभ कर्म करनेवाले (इन) द्वेषी और क्रूर अधम नरो को मैं, (इस) मंमार की आगुर अर्षान् पापयोनिमा में ही मर्देव पटकता हूँ । (२०) हे कौन्तेय ! (इस प्रकार) जन्म जन्म में आगुरयोनि को ही पा कर ये मूर्ख लोग मुझे बिना पाये ही अन्न में अन्वग्न अधोगति को जा पहुँचते हैं ।

। [आगुरी लोगों का और उनको मिटनेवाली गति का वर्णन हो चुका ।
। अब इगमे छुटकारा पाने की युक्ति बतलाने हैं :-]

(२१) काम, क्रोध और लोभ, ये तीन प्रकार के नरक के द्वार हैं । ये हमारा नाश कर सकते हैं, इसलिए इन तीनों का त्याग करना चाहिये । (२२) हे कौन्तेय ! इन तीन गमाइरा में छुट कर मनुष्य बनी आचरण करने लगता है, जिसमें उगना बलवान हो, और फिर उगम गति पा जाता है ।

। [श्रुत है, कि नरक के तीनों दरवाजे छुट जाने पर सद्गति मिलनी ही
। पाठिये । किन्तु यह बतलाया, कि कौन-सा आचरण करने से ये छुट जाते हैं । अतः
। अब उगम गति बतलाने हैं -]

(२३) जो शास्त्रागत विधि छुट कर मनमाना करने लगता है, उसे न सिद्धि मिलनी है, न सुख मिलता है; और न उत्तम गति ही मिलनी है ।

तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ।
ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि ॥ २४ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे
दैवानुरमम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥

(२४) इसलिये कार्य-अकार्यव्यवस्थिति का अर्थात् कर्तव्य और अकर्तव्य का निर्णय करने के लिये तुझे शास्त्रों को प्रमाण मानना चाहिये । और शास्त्रों में जो कुछ कहा है, उसको समझ कर तदनुसार इस लोक में कर्म करना तुझे उचित है ।

[इस श्लोक के ' कार्याकार्यस्थिति ' पद में स्पष्ट होता है, कि कर्तव्यशास्त्र की अर्थात् नीतीशास्त्र की कल्पना को दृष्टि के आगे रख कर गीता का उपदेश किया गया है । गीतारहस्य (प्र. २, पृ. ४९-५१) में स्पष्ट कर दिखला दिया है, कि इसी को कर्मयोगशास्त्र कहते हैं ।]

इस प्रकार श्रीभगवान् के गाये हुए - अर्थात् कहे हुए - उपनिषद् में ब्रह्म-विद्यान्तर्गत योग - अर्थात् कर्मयोग - शास्त्रविषयक श्रीकृष्ण और अर्जुन के संवाद में दैवानुरमम्पद्विभागयोग नामक सोलहवाँ अध्याय समाप्त हुआ ।

सत्रहवाँ अध्याय

[यहाँ तक इस बात का वर्णन हुआ, कि कर्मयोगशास्त्रके अनुसार मसार का धारणपोषण करनेवाले पुरुष किस प्रकार के होते हैं ? और मसार का नाश करनेवाले मनुष्य किम ढँग के होते हैं ? अब यह प्रश्न सहज ही होता है, कि मनुष्य में इन प्रकार के भेद होते क्यों हैं ? इस प्रश्न का उत्तर मातवे अध्याय के ' प्रवृत्त्या नियताः स्वया ' पद में दिया गया है; जिसका अर्थ यह है, कि यत्र प्रत्येक मनुष्य का प्रकृतिस्वभाव है (७. २०) । परन्तु वहाँ इस प्रकृतिजन्य भेद की उपपत्ति का विन्तारपूर्वक वर्णन भी न हो सका । इस यही कारण है जो चौदहवे अध्याय में त्रिगुणों का विनेचन किया गया है; और अब इस अध्याय में वर्णन किया गया है, कि त्रिगुणों में उत्पन्न होनेवाली श्रद्धा आदि के स्वभावभेद क्योंकर होते हैं ? और फिर उनी अध्याय में ज्ञानविज्ञान का सम्पूर्ण निरूपण समाप्त किया गया है ? इन्हीं प्रकार नौवें अध्याय में भक्तिमार्ग के जो अनेक भेद बतलाये गये हैं, उनके कारण भी इस अध्याय की उपपत्ति ने गमन में आ जाते हैं (देखो ९. २३, २४) । पहले अर्जुन से पूछता है, कि -]

सप्तदशोऽध्यायः ।

अर्जुन उवाच ।

ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः ।
तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः ॥ १ ॥

श्रीभगवानुवाच ।

त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा ।
सात्त्विका राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु ॥ २ ॥
सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत ।
श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः ॥ ३ ॥

अर्जुन ने कहा :- (१) हे कृष्ण ! जो लोक श्रद्धा में युक्त होकर, शास्त्र-निर्दिष्ट विधि को छोड़ करके यजन करते हैं, उनकी निष्ठा अर्थात् (मन की) स्थिति कैसी है - सात्त्विक है, या राजस है, या तामस ?

[पिछले अध्याय के अन्त में जो यह कहा था, कि शास्त्र की विधि का अपरा नियमों का पाठन अत्यन्त करना चाहिये, उसी पर अर्जुन ने यह प्रश्न की है । शास्त्रों पर श्रद्धा रखने हुए भी मनुष्य अज्ञान में भूढ़ कर बैठता है । उदाहरणार्थ, शास्त्रविधि यह है, कि सर्वव्यापी परमेश्वर का भजनपूजन करना चाहिये; परन्तु वह हमें छोड़ कर देवताओं की धुन में रग जाता है (गीता ९. २३) । अतः अर्जुन का प्रश्न है, कि ऐसे पुरुष की निष्ठा अर्थात् अवस्था अथवा स्थिति कौनसी समझी जाये । यह प्रश्न उन आगुनी लोगों के विषय में नहीं है, कि जो शास्त्र का ओर धर्म का अध्ययनपूर्वक निरन्तर किया करते हैं तो भी इन अध्याय में प्रमत्तानुसार उनके कर्मों के फल का भी ध्यान किया गया है ।]

यजन्ते सात्त्विका देवान्यक्षरक्षांसि राजसाः ।

प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥ ४ ॥

[कि दूसरे श्लोक का 'स्वभाव' शब्द और तीसरे श्लोक का 'सत्त्व' शब्द यहाँ दोनों ही समानार्थक हैं । क्योंकि सांख्य और वेदान्त दोनों को ही यह सिद्धान्त मान्य है, कि स्वभाव का अर्थ प्रकृति है । इसी प्रकृति से बुद्धि एव अन्तःकरण उत्पन्न होते हैं । 'यो यच्छुद्धः स एव स' - यह तत्त्व 'देवताओं की भक्ति करनेवाले देवताओं को पाते हैं' प्रभृति पूर्ववर्णित सिद्धान्तों का ही साधारण अनुवाद है (७.२०-२३; ९ २५) । इस विषय का विवेचन हमने गीतारहस्य के तेरहवें प्रकरण में किया है (देखिये गीतारहस्य पृ. ४२५-४३०) । तथापि जब यह कहा, कि जिसकी बुद्धि हो, उसे वैसा फल मिलता है; और वैसी बुद्धि का होना या न होना प्रकृतिस्वभाव के अधीन है; तब प्रश्न होता है, कि फिर वह बुद्धि सुधर क्योंकर सकती है ? इसका यह उत्तर है, कि आत्मा स्वतन्त्र है, अतः देह का यह स्वभाव क्रमशः अभ्यास और वैराग्य के द्वारा धीरे धीरे बदला जा सकता है । इस बात का विवेचन गीतारहस्य के दसवें प्रकरण में किया गया है (पृ २७९-२८१) । अभी तो यही देखना है, कि श्रद्धा में भेद क्यों और कैसे होते हैं ? इसी से कहा गया है, कि प्रकृतिस्वभावानुसार श्रद्धा बदलती है । अब बतलाते हैं, कि जब प्रकृति भी सत्त्व, रज और तम इन तीन गुणों से युक्त है, तब प्रत्येक मनुष्य में श्रद्धा के भी त्रिधा भेद किस प्रकार उत्पन्न होते हैं । और उनके परिणाम क्या होते हैं ?]

(४) जो पुरुष सात्त्विक है -- अर्थात् जिनका स्वभाव सत्त्वगुण-प्रधान है -- वे देवताओं का यजन करते हैं । राजस पुरुष यक्षों और राक्षसों का यजन करते हैं । एव इसके अतिरिक्त जो तामस पुरुष हैं, वे प्रेतों और भूतों का यजन करते हैं ।

[इस प्रकार शास्त्र पर श्रद्धा रखनेवाले मनुष्यों के भी सत्त्व आदि प्रकृति के गुणभेदों से जो तीन भेद होते हैं, उनका और उनके स्वरूपों का वर्णन हुआ । अब बतलाते हैं, कि शास्त्र पर श्रद्धा न रखनेवाले कामपरायण और दाम्भिक किम् श्रेणी में आते हैं । यह तो स्पष्ट है, कि ये लोग सात्त्विक नहीं हैं; परन्तु ये निर्रे तामस भी नहीं कहे जा सकते । क्यों कि यद्यपि इनके कर्म शास्त्रविरुद्ध होते हैं, तथापि इनमें कर्म करने की प्रवृत्ति होती है; और वह रजोगुण का धर्म है । तात्पर्य यह है, कि ऐसे मनुष्यों को न सात्त्विक कह सकते हैं, न राजस और न तामस । अतएव दैवी और आनुरी नामक दो कक्षाएँ बना कर उक्त दुष्ट पुरुषों का आसुरी कक्षा में समावेश किया जाता है । यही अर्थ अगले दो श्लोकों में स्पष्ट किया गया है ।]

- §§ अशास्त्रविहितं धारं तप्यन्ते ये तपो जनाः ।
 दम्भाहंकारसंयुक्ताः कामरोगबलान्विताः ॥ ५ ॥
 कर्शयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः ।
 मां चैवान्तःशरीरस्थं तान् विद्वद्यासुरनिश्चयान् ॥ ६ ॥
- §§ आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः ।
 यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु ॥ ७ ॥
 आयुःसत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धनाः ।
 रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृद्या आहाराः सात्त्विकप्रियाः ॥ ८ ॥
 कट्वम्ललवणात्युष्णतीक्ष्णस्त्वक्षिदाहिनः ।
 आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ॥ ९ ॥

(५) परन्तु जो लोग दम्भ और अहंकार में युक्त होंकर काम एवं आसक्ति में ब्रह्म पर शास्त्र के विरुद्ध धारण तथा किया करते हैं, (६) तथा जो केवल न शरीर के पचनमात्रों के समूह को ही, बल्कि शरीर के अन्तर्गत रहनेवाले मुक्तको भी कष्ट देने से, उन्हें अविषयी आमुर्गी बुद्धि में जानो ।

[इस प्रकार अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर हुए । इन श्लोकों का भावार्थ यह है, कि मनुष्य की श्रद्धा उमंगे प्रवृत्तिस्वभावानुसार सात्त्विक, राजस अथवा तामस होगी है; और उमंगे अनुसार उमंगे कर्मों में अन्तर होता है; तथा उन कर्मों के अनुसार ही उमंगे फल-फल प्राप्ति प्राप्ति होती है । परन्तु केवल इतने में ही कोई आमुर्गी तथा में लग्न नहीं किया जाता - अपनी स्वाधीनता का उपयोग कर और शास्त्रानुसार आचरण करने प्रवृत्तिस्वभाव को धीरे धीरे मुक्त करने जाना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है । जो, जो ऐसा नहीं करने और दृष्ट प्रवृत्तिस्वभाव का ही अभिमान रख कर शास्त्र के विरुद्ध आचरण करने हैं, उन्हें आमुर्गी बुद्धि के चरणों पर लिखें; यह इन श्लोकों का भावार्थ है । अब यह वर्णन किया जाता है, कि श्रद्धा के समान ही आहार, तप, दान और दान के मुख्य - राज-समय प्रवृत्ति के गुणों में भिन्न भिन्न रंगों में आ जाते हैं ? एक इन श्लोकों में स्वभाव की विचित्रता के कारण ही-नाप विरा की विचित्रता भी होने प्रत्यक्ष होता है ?]

यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत् ।

उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम् ॥ १० ॥

§§ अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते ।

यद्यन्यमेवेति मनः समाधाय स सात्त्विकः ॥ ११ ॥

अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चिव यत् ।

इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम् ॥ १२ ॥

विधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणम् ।

श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते ॥ १३ ॥

दाहकारक तथा दुःख, शोक और रोग उपजानवाले आहार राजस मनुष्य को प्रिय होते हैं ।

[मस्कृत मे कटु शब्द का अर्थ चरपरा और तिक्त का अर्थ कटुआ होता है । उसी के अनुसार मस्कृत के वैद्यक ग्रन्थों में काली मिरची कटु तथा नीबू तिक्त कही गई है (देखो वाग्भट मूल, अ १०) हिन्दी के कटुएँ और नीबू शब्द क्रमानुसार कटु और तिक्त शब्दों के ही अपभ्रंश हैं]

(१०) कुछ काल रखा हुआ अर्थात् ठण्डा नीरस, दुर्गन्धिन, वामा, जूठा तथा अपवित्र भोजन नामम पुरुष को रचना है ।

[सात्त्विक मनुष्य का सात्त्विक राजस को राजस तथा तामस को तामस भोजन प्रिय होता है, इतना ही नहीं, यदि आहार शुद्ध अर्थात् सात्त्विक हो, तो मनुष्य की वृत्ति भी तम-तम से शुद्ध या सात्त्विक हो सकती है । उपनिषदा में कहा है कि 'आहारशुद्धो मत्त्वशुद्धि' (छा ७ २६ ०) । क्योंकि मन बुद्धि प्रकृति के विचार हैं । इसलिये जहाँ सात्त्विक आहार हुआ वहाँ बुद्धि भी आप-ही-आप सात्त्विक बन जाती है । ये आहार के भेद हुए । इनो प्रकार अब यज्ञ के तीन भेद का भी वर्णन करते हैं -]

(११) पशुणा की आवाक्षा छाड़ कर अपना वत-प ममता रखे शास्त्र की विधि के अनुसार, शान्त चित्त से जो यज्ञ किया जाता है वह सात्त्विक यज्ञ है ।

(१२) परन्तु ह भरतश्रेष्ठ! उमको राजस यज्ञ ममता, मि जा पशु की इच्छा से अथवा दम्भ के हेतु अर्थात् ऐश्वर्य दिग्गजाने के लिये किया जाता है । (१३) शास्त्र-विधि-रहित, अन्नदान-विहीन बिना मन्त्रा का, बिना दक्षिणा का और श्रद्धा में शून्य यज्ञ तामस यज्ञ कहलाता है ।

[आहार और यज्ञ के ममान तप के भी तीन भेद हैं । पहिले, तप के वाचिक, वाचिक और मानसिक ये भेद किए हैं; फिर इन तीनों में से प्रत्येक में मत्त्व, रज

॥ देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजनं शीचमार्जवम् ।

ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते ॥ १४ ॥

अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् ।

स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाढ्यं तप उच्यते ॥ १५ ॥

मनःप्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः ।

भावसंशुद्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते ॥ १६ ॥

॥ श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्रिविधं नरैः ।

अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्त्विकं परिचक्षते ॥ १७ ॥

और तम गुणों में जो विविधता होती है, उसका वर्णन किया है। यहाँ पर, तप शब्द में वह शक्ति जहाँ विवक्षित नहीं है, कि जङ्गल में जा कर पान्जलयोग के अनुसार शरीर को बच्य दिया करे। किन्तु मनु का किया हुआ 'तप' शब्द का यह व्यापक अर्थ ही गीता के निम्नलिखित श्लोकों में अभिप्रेत है, कि ज्ञानयाग और तप, वेदाध्ययन, जयना चानुसंग्य के अनुसार जिनका जो कर्तव्य हो - जैसे धर्म का कर्तव्य युद्ध रचना है और वैश्य का व्यापार इत्यादि - यही तप है (मनु. ११. २३६) ।

(१८) देवता, ब्राह्मण, गुरु और विद्वानों की पूजा, श्रद्धा, मरलता, ब्रह्मचर्य और आत्मा को शरीर अर्थात् वायव्य तप कहते हैं। (१५) (मन सं) उद्वेग न करनेवाले मनु, प्रिय और हितकारक सम्भाषण से तथा स्वाध्याय अर्थात् अपने कर्म के अध्ययन को वादमय (वाचि) तप कहते हैं। (१६) मन से प्रसन्न रहना, सौम्यता, मौन अर्थात् मनुष्यों के समान वृत्ति रहना मनोनिग्रह और शुद्ध भावना - इनको मानस तप कहते हैं।

सत्कारमानपूजार्थं तपो दम्भेन चैव यत् ।

क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम् ॥ १८ ॥

मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः ।

परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसयुदाहृतम् ॥ १९ ॥

§§ दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे ।

देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्त्विकं स्मृतम् ॥ २० ॥

यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः ।

दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम् ॥ २१ ॥

अदेशकाले यद्दानमपात्रेभ्यश्च दीयते ।

असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम् ॥ २२ ॥

(१८) जो तप (अपने) सत्कार, मान या पूजा के लिये अथवा दम्भ से किया जाता है, वह चल और अस्थिर तप शास्त्रा में राजस कहा जाता है। (१९) मूढ आग्रह से, स्वयं कष्ट उठा कर अथवा (जारण-भारण आदि कर्मों के द्वारा) दूसरो को सताने के हेतु से किया हुआ तप के तामस कहलाता है।

। [ये तप भेद हुए। अब दान के त्रिविध भेद बतलाते हैं -]

(२०) वह दान सात्त्विक कहलाता है, कि जो कर्तव्यबुद्धि से किया जाता है, जो (योग्य) स्थल-काल और पात्र वा विचार करके किया जाता है, एव जो अपने ऊपर प्रत्युपकार न करनेवाले को दिया जाता है। (२१) परन्तु (किये हुए) उपकार के बदले में अथवा किसी फल की आशा रख, बड़ी कठिनाई से जो दान दिया जाता है, वह राजस दान है। (२२) अयोग्य स्थान में, अयोग्य काल में, अपात्र मनुष्य को, बिना सत्कार के अथवा अवहेलनापूर्वक जो दान दिया जाता है, वह तामस दान कहलाता है।

। [आहार, यज्ञ, तप और दान के समान ही ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति और सुख की त्रिविधता का वर्णन अगले अध्याय में किया गया है (गीता १८ २०-३९) इस अध्याय का गुणभेद-प्रकरण यही समाप्त हो चुका। अब ब्रह्म-निर्देश के आधार पर उक्त सात्त्विक कर्म की श्रेष्ठता और सप्राप्तता सिद्ध की जावेगी। क्योंकि उपर्युक्त सम्पूर्ण विवेचन पर सामान्यतः यह शङ्का हो सकती है, कि कर्म सात्त्विक हा या राजस, या तामस, कैसा भी क्यों न हो? है तो वह दुःखकारक और दापमय ही, इस कारण सारे कर्मों का त्याग किये बिना ब्रह्मप्राप्ति नहीं हो सकती। और जो यह बात मत्प है, तो फिर कर्म के सात्त्विक, राजस आदि भेद करने से लाभ ही क्या है? इस आक्षेप पर गीता का यह

§§ ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ।

ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा ॥ २३ ॥

§§ तस्माद्बोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपःक्रियाः ।

प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम् ॥ २४ ॥

उत्तर है, कि कर्म के मात्त्विक, गमज और तामम भेद परब्रह्म में अलग नहीं है । जिन संबन्ध में ब्रह्म का निर्देश किया गया है, उन्हीं में मात्त्विक कर्मों का और मन्त्रों का समावेश होता है । उनमें निर्विवाद सिद्ध है, कि ये कर्म अध्यात्मदर्शित में भी त्याग्य नहीं हैं (देखो गीतार. प्र. ९, पृ. २४७) । परब्रह्म के स्वरूप का मनुष्य का जो कुछ ज्ञान हुआ है, वह सब 'ॐ तत्सत्' इन तीन शब्दों के निर्देश में ग्रथित है । उनमें से ॐ अक्षर ब्रह्म है; और उपनिषदों में हमारा भिन्न भिन्न अर्थ किया है (प्रश्न ५; कठ २. १५-१७; तै. १.८; छा. १ १; मैत्र्य. ६. ३, ४; माण्डूक्य १-१२) । और जब यह वर्णाक्षररूपी ब्रह्म ही जगत् के आरम्भ में था, तब सब क्रियाओं का आरम्भ यही में होता है । 'तत् = वह' शब्द का अर्थ है सामान्य कर्म में परे का कर्म—अर्थात् निष्कामबुद्धि में फलाग्ना छोड़ कर किया हुआ मात्त्विक कर्म और 'सत्' का अर्थ वह है, कि जो यद्यपि फलागानहित हो, तो भी शान्त्रानुसार किया गया हो, और शुद्ध हो । अर्थ के अनुसार निष्कामबुद्धि में किये हुए मात्त्विक कर्म का ही नहीं, बल्कि शान्त्रानुसार किये हुए मन्त्र कर्म का भी परब्रह्म के सामान्य और समान्य कर्मों में समावेश होता है, अतएव इन कर्मों का त्याग्य कहना अनुचित है । अन्त में तत् और मन्त्र कर्मों के अतिरिक्त एक 'अगन्' अर्थात् युग कर्म बच रहा । परन्तु वह दोनों प्रकार से ग्राह्य माना गया है । इस कारण अंतिम श्लोक में गुणित किया है, कि उम कर्म का इन कर्मों में समावेश नहीं होता । भगवान् कहते हैं, कि -

तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपःक्रियाः ।

दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः ॥ २५ ॥

सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत्प्रयुज्यते ।

प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छुद्धः पार्थ युज्यते ॥ २६ ॥

यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते ।

कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ॥ २७ ॥

§§ अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् ।

असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह ॥ २८ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन-
मवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम मप्तदशोऽध्याय ॥ १७ ॥

ब्रह्मवादी लोगो के यज्ञ, दान, तप तथा अन्य शास्त्रोक्त कर्म इस सदा ॐ के उच्चार के साथ हुआ करते हैं (२५) 'सत्' शब्द के उच्चारण में फल का आशा न रख कर मोक्षार्थी लोग यज्ञ, दान, तप आदि अनेक प्रकार की क्रियाएँ किया करते हैं । (२६) अस्तित्व और माधुना अर्थात् भलाई के अर्थ में 'सत्' शब्द का उपयोग किया जाता है । और हे पार्थ ! इसी प्रकार प्रशस्त अर्थात् अच्छे कर्मों के लिये भी 'सत्' शब्द प्रयुक्त होता है । (२७) यज्ञ, तप और दान में स्थिति अर्थात् स्थिर भावना रखने को भी 'सत्' कहते हैं, तथा इनके निमित्त जो कर्म करना हों, उस कर्म का नाम भी 'सत्' ही है ।

[यज्ञ, तप और दान मुख्य धार्मिक कर्म हैं, तथा इनके निमित्त जो कर्म किया जाता है, उन्हीं को मीमामका लोग मामान्यत यथार्थ कर्म कहते हैं । इन कर्मों को करते समय यदि फल की आशा हो, तो भी वह धर्म के अनुकूल रहती है । इस कारण ये कर्म 'सत्' श्रेणी में गिने जाते हैं । और अब निष्काम कर्म तत् (= वह अर्थात् परे की) श्रेणी में लेखे जाते हैं । प्रत्येक कर्म के आरम्भ में जो यह 'ॐ तत्सत्' ब्रह्म इत्यन्त कहा जाता है, उसमें इस प्रकार में दोनों प्रकार के कर्मों का समावेश होता है । इन दोनों कर्मों को ब्रह्मानुकूल ही समझना चाहिये । देखो गीतारहस्य प्र ९, पृ. २५० । अब असत् कर्म विषय में कहते हैं :-]

(२८) अश्रद्धा में जो हवन किया हो, (दान) दिया हो, तप किया हो या जो कुछ (कर्म) किया हो, वह 'असत्' कहा जाता है । हे पार्थ ! वह (कर्म) न मरने पर (परलोक में) और न इस लोक में हितकारी होता है ।

[तात्पर्य यह है, कि ब्रह्मस्वरूप के बोधक इम सर्वमान्य मङ्कल्प में ही निष्कामबुद्धि से अथवा कर्तव्य समझ कर किये हुए सात्त्विक कर्म का — और शान्त्रानुसार मद्बुद्धि से किये हुए प्रणस्त कर्म अथवा सत्कर्म का — समावेश होता है। अन्य सब कर्म बूया है। हमने सिद्ध होना है, कि उस कर्म को छोड़ देनेका उपदेश करना उचित नहीं है, कि जिस कर्म का ब्रह्मनिर्देश में ही समावेश होता है; और जो ब्रह्मदेव के साथ हैं, उत्पन्न हुआ है (गीता ३. १०); तथा जो किसी से छूट भी नहीं सकता। 'ॐ तत्सत्' स्पी ब्रह्मनिर्देश के उक्त कर्मयोगप्रधान अर्थ को इसी अध्याय में कर्मविभाग के साथ ही बतलाने का हेतु भी यही है। क्योंकि केवल ब्रह्मस्वरूप का वर्णन तो तेरहवें अध्याय में और उसके पहले भी हो चुका है। गीतारहस्य के नौवें प्रकरण के अन्त (पृ. २५०) में यन्त्रा चुके हैं कि 'ॐ तत्सत्' पद का असली अर्थ क्या होना चाहिए? आजकल 'मच्चिदानन्द' पद से ब्रह्मनिर्देश करने की प्रथा है। परन्तु उसका स्वीकार न करके यहाँ जब उन 'ॐ तत्सत्' ब्रह्मनिर्देश का ही उपयोग किया गया है, तब हमने यह अनुमान निरत करना है, कि 'मच्चिदानन्द' पदरूपी ब्रह्मनिर्देश गीता ग्रन्थ के निर्मित हो चुकने पर साधारण ब्रह्मनिर्देश के रूप में प्रायः प्रचलित हुआ होगा।]

उन प्रकार श्रीभगवान् के साथे हुए — अर्थात् कहे हुए — उपनिषद् में ब्रह्म-विद्यान्तर्गत योग — अर्थात् कर्मयोग — शान्त्रविषयक श्रीकृष्ण और अर्जुन के संवाद में श्रद्धात्रयविभागयोग नामक मन्त्रहवा अध्याय समाप्त हुआ।

अठारहवाँ अध्याय।

है, कि कर्मयोग में बुद्धि श्रेष्ठ समझी जाती है। बुद्धि के स्थिर और सम होने से कर्म की बाधा नहीं होती। कर्म किसी में भी नहीं छूटते; तथा उन्हें छोड़ देना भी उचित नहीं। केवल फलाशा को त्याग देना ही काफी है। अपने लिये न सही; तो भी लोकसंग्रह के हेतु कर्म करना आवश्यक है। बुद्धि अच्छी हो, तो ज्ञान और कर्म के बीच विरोध नहीं होगा; तथा पूर्वपरम्परा देखी जाय तो ज्ञान होगा, कि जनक आदि ने इसी मार्ग का आचरण किया है। अनन्तर इस बात का विवेचन किया है, कि कर्मयोग की सिद्धि के लिये बुद्धि की जिस समता की आवश्यकता होती है, उसे कैसे प्राप्त करना चाहिये? और इस कर्मयोग का आचरण करते हुए अन्त में उसी के द्वारा मोक्ष कैसे प्राप्त होता है? बुद्धि की इस समता को प्राप्त करने के लिये इन्द्रियो का निग्रह करके पूर्णतया यह ज्ञान लेना आवश्यक है, कि एक ही परमेश्वर सब प्राणियों में भरा हुआ है — इसके अतिरिक्त और दूसरा मार्ग नहीं है। अतः इन्द्रियनिग्रह का विवेचन छठवे अध्याय में किया गया है। फिर सातवें अध्याय से सत्रहवे अध्याय तक बतलाया है, कि कर्मयोग का आचरण करते हुए ही परमेश्वर का ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? और वह ज्ञान क्या है? सातवे और आठवे अध्याय में क्षर-अक्षर अथवा व्यक्त-अव्यक्त के ज्ञान — विज्ञान का विवरण किया गया है। नौवें अध्याय से बारहवें अध्याय तक इस अभिप्राय का वर्णन किया गया है, कि यद्यपि परमेश्वर के व्यक्त स्वरूप की अपेक्षा अव्यक्त स्वरूप श्रेष्ठ है, तो भी इस बुद्धि को न डिगने दे, कि परमेश्वर एक ही है; और व्यक्त स्वरूप की ही उपासना प्रत्यक्ष ज्ञान देनेवाली अतएव सब के लिये सुलभ है। अनन्तर तेरहवें अध्याय में क्षेत्रक्षेत्रज्ञ का विचार किया गया है, कि क्षर-अक्षर के विवेक में जिसे अव्यक्त कहते हैं, वही मनुष्य के शरीर में अन्तरात्मा है। इसके पश्चात् चौदहवें अध्याय से लेकर कर सत्रहवें अध्याय तक, चार अध्यायों में क्षर-अक्षर विज्ञान के अन्तर्गत इस विषय का विस्तारसहित विचार किया गया है, कि एक ही अव्यक्त से प्रकृति के गुणों के कारण जगत् में विविध स्वभावों के मनुष्य कैसे उपजते हैं? अथवा और अनेक प्रकार का विस्तार कैसे होता है? एव ज्ञानविज्ञान का निरूपण समाप्त किया गया है। तथापि स्थान म्यान पर अर्जुन को यही उपदेश है, कि तू कर्म कर, और यही कर्मयोगप्रधान आयु बिताने का मार्ग मय में उत्तम माना गया है, कि जिसमें शुद्ध अन्तःकरण में परमेश्वर की भक्ति करके 'परमेश्वरार्पणपूर्वक स्वधर्म के अनुसार केवल कर्तव्य ममज्ञ कर मरणपर्यन्त कर्म करते रहने' का उपदेश है। इस प्रकार ज्ञानमूलक और भक्तिप्रधान कर्मयोग का सागोपाग विवेचन कर चुकने पर अठारहवें अध्याय में उसी धर्म का उपमहार करके अर्जुन को म्वेच्छे ने युद्ध करने के लिये प्रवृत्त किया है। गीता के इस भाग में — कि जो गीता में सर्वोत्तम कहा गया है — अर्जुन से यह नहीं कहा गया, कि 'तू चतुर्थ आश्रम को स्वीकार करके म्ग्यामी हो जा।' हं; यह अवश्य कहा है, कि इस मार्ग से आचरण

श्रीभगवानुवाच ।

काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः ।

सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः ॥ २ ॥

श्रीभगवान् ने कहा - (२) (जितने) काम्य कर्म हैं, उनके न्यास अर्थात् छोड़ने को ज्ञानी लोग मन्यास समझते हैं (तथा) ममस्त कर्मों के फलों के त्याग को पण्डित लोग कहते हैं ।

[इस श्लोक में स्पष्टतया बतला दिया है, कि कर्मयोगमार्ग में संन्यास और त्याग किसे कहते हैं ? परन्तु मन्यासमार्गीय टीकाकारों को यह मत ग्राह्य नहीं । इस कारण उन्होंने इस श्लोक की बहुत कुछ खीचातानी की है । श्लोक में प्रथम ही 'काम्य' शब्द आया है । अतएव इन टीकाकारों का मत है, कि यहाँ मीमांसकों के नित्य, निमित्तिक, काम्य और निषिद्ध प्रभृति कर्मभेद विवक्षित हैं, और उनकी समझ में भगवान् का अभिप्राय यह है, कि उनमें से केवल काम्य 'कर्मों ही को छोड़ना चाहिये' । परन्तु मन्यासमार्गीय लोगों को नित्य और नैमित्तिक कर्म भी नहीं चाहिये । इसलिये उन्हें यो प्रतिपादन करना पड़ा है, कि यहाँ नित्य और नैमित्तिक कर्मों का काम्य कर्मों में ही समावेश किया गया है । इतना करनेपर भी इस श्लोक के उत्तरार्ध में जो कहा गया है, कि फलाशा छोड़ना चाहिये, न कि कर्म (आगे छठा श्लोक देखिये), उसका मेल मिलता ही नहीं । अतएव अन्त में इन टीकाकारों ने अपने ही मन में यो कह कर समाधान कर लिया है, कि भगवान् ने यहाँ कर्मयोगमार्ग की कोरी स्तुति की है । उनका मन्वा अभिप्राय तो यही है, कि कर्मों को छोड़ ही देना चाहिये । इससे स्पष्ट होता है, कि मन्यास आदि मन्मप्रदायो की दृष्टि से इस श्लोक का अर्थ ठीक ठीक नहीं लगता । वान्तव में इसका अर्थ कर्म योगप्रधान ही करना चाहिये - अर्थात् फलाशा छोड़ कर मरणपर्यन्त सारे कर्म करते जानें या जो तत्त्व गीता में पहले अनेक बार कहा गया है, उसी के अनुरोध में यहाँ भी अर्थ करना चाहिये, तथा यही अर्थ सरल है और ठीक ठीक जमता भी है । पहले इस बात पर ध्यान देना चाहिये, कि 'काम्य' शब्द से इस म्यान में मीमांसकों का नित्य, नैमित्तिक, काम्य और निषिद्ध कर्मविभाग अभिप्रेत नहीं है । कर्मयोगमार्ग में सब कर्मों के दो ही विभाग किये जाते हैं । एक 'नान्य' अर्थात् फलाशा से किये हुए कर्म और दूसरे 'निष्काम' अर्थात् फलाशा छोड़ कर किये हुए कर्म । मनस्मृति में उन्हीं को क्रम में प्रवृत्त कर्म और 'निवृत्त' कर्म कहा है (देखो मनु १२.८८ और ८९) । कर्म चाहे नित्य हो, नैमित्तिक हो, काम्य हो, कायिक हो, वाचिक हो, मानसिक हो, अथवा सात्त्विक आदि भेद के अनुसार और किसी प्रकार के हो, उन सब को 'काम्य' अथवा 'निष्काम' इन दो में

§§ त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः ।

यत्नदानतपःकर्म न त्याज्यमिति चापरे ॥ ३ ॥

इन दो में से किसी एक विभाग में आना है, चाहे जिस । क्योंकि राम अर्थात् फलदा वा होना बनवा न होना, उन दोनों में अनिश्चित फलदा की दृष्टि से तीसरा भेद ही ही नहीं करता । शान्ध में जिन कर्मों का जो फल कहा गया है — जैसे पुत्रप्राप्ति में द्विपुत्रेष्टि — उस फल की प्राप्ति में द्विपुत्रेष्टि वह कर्म किया जाय, तो वह 'काम्य' है; तथा मत में उस फल की उच्छान्द न रख कर वही कर्म वैवर्क वन्य मनस कर किया जाय, तो वह 'निष्काम' हो जाता है । उस प्रकार सब कर्मों के 'काम्य' और 'निष्काम' (जयवा मनु की परिभाषा के अनुसार प्रवृत्त और निवृत्त) में ही दो भेद निश्चय होते हैं । अब कर्मयोगी सब 'काम्य' कर्मों को सर्वथा छोड़ देता है । अब निश्चय हुआ, कि कर्मयोग में भी वा मन्दास करना पड़ता है । फिर अब रहे निष्काम कर्म । सो गीता में कर्मयोगी को निष्काम कर्म करने या निश्चित उपदेश किया गया है नहीं, उसमें भी 'फलाशा' का सर्वथा त्याग करना पड़ता है (गीता ६. २) । अतएव त्याग या तन्द्र भी गीताधर्म में स्थिर ही रहता है । तात्पर्य यह है, कि सब कर्मों को न छोड़ने पर भी कर्मयोगियों में 'मन्दास' और 'त्याग' दोनों तन्द्र बने रहते हैं । अर्जुन को यही बात समझ देने के लिये इस श्लोक में मन्दास और त्याग दोनों की व्याख्या यों की गई है, कि 'मन्दास' का अर्थ 'काम्यकर्मों का सर्वथा छोड़ देना' है; और 'त्याग' का यह मतत्व है, कि 'जो कर्म करना हो, उसकी फलदा न रखे ।' पीछे उक्त यह प्रतिपादन हो रहा था, कि मन्दास (अन्ना मान्द) और त्याग दोनों तन्द्रवत् एत ही हैं; सब 'मन्दास' शब्द का अर्थ (गीता ५. ३-६ और ६. १, २ देखा) तथा इसी अध्याय में आगे 'त्यागी' शब्द का अर्थ भी (गीता. १८. ११) इसी भाँति किया गया है और इस स्थान में वही अर्थ इष्ट है । यहाँ स्मार्तों का यह मत प्रतिपाद नहीं है, कि कर्मों में श्रद्धापूर्वक, गृहस्थाश्रम और व्रतश्रम अथवा अनुदाश्रम स्थित बना माहाप्राप्ति हो ही नहीं सकती । 'तन्व निश्चय होता है, कि कर्मयोगी यद्यपि मन्दासिका का मन्दास भेद धारण कर सब कर्मों का त्याग नहीं करता, तथापि वह मन्दास के मन्व मन्व तन्द्र वा पावन किया करता है । इत्यादि कर्मयोग का स्मृतिप्रवृत्त वा काट विगड नहीं होता । जब मन्दासियों और मीमांसकों का कर्ममन्दासी वाद का उच्छान्द करने कर्मयोगशास्त्र का (इस विषय में) अन्तिम निर्णय सुनाए है —]

(३) कुछ परिच्छेदों का कथन है, कि कर्म दोषयुक्त है । अतएव उसका (सर्वथा) त्याग करना चाहिए, तथा दूसरा कहता है, कि यज्ञ, दान, तप और कर्म

निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम ।

त्यागो हि पुरुषन्यास त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः ॥ ४ ॥

यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् ।

यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् ॥ ५ ॥

एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च ।

कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम् ॥ ६ ॥

को कभी न छोड़ना चाहिये । (४) अतएव हे भरतश्रेष्ठ ! त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुन । पुरुषश्रेष्ठ ! त्याग तीन प्रकार का कहा गया है । (५) यज्ञ, दान, तप और कर्म का त्याग न करना चाहिये । इन (कर्मों) को करना ही चाहिये । यज्ञ, दान और तप बुद्धिमानों के लिये (भी) पवित्र अर्थात् चित्तशुद्धिकारक है । (६) अतएव इन (यज्ञ, दान आदि) कर्मों को भी बिना आसक्ति रखे, फलो का त्याग करके (अन्य निष्काम कर्मों के समान ही लोकसंग्रह के हेतु) करके रहना चाहिये । हे पार्थ ! इस प्रकार मेरा निश्चित मत (है, तथापि) उत्तम है ।

[कर्म का दोष अर्थात् बन्धकता कर्म में नहीं, फलाशा में है । इसलिये पहले अनेक वार जो कर्मयोग का यह तत्त्व कहा गया है — कि सभी कर्मों को फलाशा छोड़ कर निष्कामबुद्धि में करना चाहिये — उसका वह उपसंहार है । संन्यासमार्ग का यह मत गीता को मान्य नहीं है, कि सब कर्म दोषयुक्त, अतएव त्याज्य है (देखो गीता १८. ४८ और ४९) । गीता केवल काम्यकर्मों का संन्यास करने के लिये कहती है । परन्तु धर्मशास्त्र में जिन कर्मों का प्रतिपादन है, वे सभी काम्य ही हैं (गीता २. ४२-४४) । इसलिये अब कहना पड़ता है, कि उनका भी संन्यास करना चाहिये; और यदि ऐसा करते हैं, तो यह यज्ञचक्र बन्द हुआ जाता है (३ १६) । एव इससे सृष्टि के उद्ब्वस्त होने का भी अवसर आया जाता है । प्रश्न होता है, कि तो फिर करना क्या चाहिये ? गीता इनका यों उत्तर देती है, कि यज्ञ, दान प्रभृति कर्म स्वर्गादि फलप्राप्ति के हेतु करने के लिये यद्यपि शास्त्र में कहा है, तथापि ऐसी बात नहीं है, कि यही लोकसंग्रह के लिये निष्काम-बुद्धि से न हो सकते हों, कि यज्ञ करना, दान देना और तप करना आदि मेरा कर्तव्य है (देखो गीता १७. ११, १७ और २०) । अतएव लोकसंग्रह के निमित्त स्वधर्म के अनुसार जैसे अन्यान्य निष्काम कर्म किये जाते हैं, वैसे ही यज्ञ, दान आदि कर्मों को भी फलाशा और आसक्ति छोड़ कर करना चाहिये । क्योंकि वे मदैव 'पावन' अर्थात् चित्तशुद्धिकारक अथवा परोपकारबुद्धि बटनेवाले हैं । भूत-प्रेतों में जो 'एतान्यपि — ये भी' शब्द है, उनका अर्थ यही है, कि 'अन्य निष्काम कर्मों के समान यज्ञ, दान आदि कर्म करना चाहिये ।' इस रीति से ये सब कर्म फलाशा छोड़

§§ नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते ।

मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः ॥ ७ ॥

इत्थमित्येव यत्कर्म कायक्लेशमयात्त्यजेत् ।

स कृत्या राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत् ॥ ८ ॥

कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन ।

संगं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्त्विको मतः ॥ ९ ॥

[कर अथवा भक्तिदाष्ट मे केवळ परमेश्वरगपणतृद्धिप्रदं किये जावे, तो मृष्टि का चक्र चरना रूपा; और कर्ता के मन की फलागा छूट जाने के कारण ये कर्म मोक्षप्राप्ति में बाधा भी नहीं डाल सकते । इस प्रकार सब बातों का ठीक ठीक मंत्र मिल जाता है । कर्म के विषय में 'संयोगशास्त्र' का यही अन्तिम और निर्गुण मिथान है (गीता ० १५ पर इमानी टिप्पणी देखो) । भीमानकों के कर्मयोग और गीता के कर्मयोग का मंत्र गीतारहस्य (प्र. १०, प. २१५-२१७ और प्र ११, पृ ३१५-३१८) में त्रिविक्र स्पष्टता से दिखाया गया है । अर्जुन के प्रश्न करने पर मन्थान और त्याग के अर्थों का कर्मयोग की दृष्टि से इस प्रकार स्पष्टीकरण हो चुका । अब मान्दिव आदि मंत्रों के अनुष्ठान कर्म करने की मिश्र मित्र गीतियों का वर्णन करते उभी अर्थों को दृढ़ करते हैं -]

(७) जो कर्म (स्वधर्म के अनन्तर) नियत अर्थान् स्थिर कर दिये गये हैं, उनका मन्थान यानी त्याग करना (किन्ती को भी) उचित नहीं है । उनका मोह में किना त्याग नामम बढलता है । (८) जगीर का कष्ट होने के डर में जहाँ दुःख कारण होने के कारण ही यदि कोई कर्म छोड़ दे, तो उसका वह त्याग राजस हो जाता है, (तथा) त्याग का फल उसे नहीं मिलता । (९) है 'अर्जुन' (स्वधर्मा नुसार) नियत कर्म जब कार्य अथवा कर्तव्य समझ कर और आमकिन एव फल का छोड़ कर किया जाता है तब वह सात्त्विक त्याग समझा जाता है ।

[मानव शब्द में नियत शब्द का अर्थ कुछ त्याग नियतनिमित्त आदि भेदा में 'नियत कर्म समझते हैं किन्तु वह ठीक नहीं है, 'नियतं कृत्वा कर्म त्वम्' (गीता ३ ८) पर म. अ. उ. शब्द का जो अर्थ है वही जयें नहीं पर भी करता चाहिये । इस उतर बहू चुन है, कि यही भीमानकों की परिभाषा विवक्षित नहीं है । गीता ३ ११ में 'नियत' शब्द का मन्थान में कार्य शब्द आया है, और यहाँ जैसे जहाँ में 'कार्य' पर 'नियत' शब्द का अर्थ समझा जा रहा है । इन अध्याय के अन्त में कृष्ण शब्द में यह कहा गया है, कि स्वधर्मानुसार प्राप्त होनेवाले सिंगो भी कर्म को न छोड़ कर उरी को कर्तव्य समझ कर करने खूना चाहिये]

§§ न द्वेष्ट्यकुशलं कर्म कुशले नानुपज्जते ।

त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्नसंशयः ॥ १० ॥

न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः ।

यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥ ११ ॥

§§ अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम् ।

भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां क्वचित् ॥ १२ ॥

[(देखो गीता. ३. १९), इसी को सात्त्विक त्याग कहते हैं; और कर्मयोग-शास्त्र में इसी को 'त्याग' अथवा 'संन्यास' कहते हैं। इसी सिद्धान्त का इस श्लोक में समर्थन किया गया है। इस प्रकार त्याग और संन्यास के अर्थों का स्पष्टीकरण हो चुका; अब इसी तत्त्व के अनुसार बतलाते हैं, कि वास्तविक त्यागी और संन्यासी कौन है?]

(१०) जो किसी अकुशल अर्थात् अकल्याणकारक कर्म का द्वेष्ट नहीं करता, तथा कल्याणकारक अथवा हितकारी कर्म में अनुपवत्त नहीं होता, उसे सत्त्वशील, बुद्धिमान् और सन्देहविरहित त्यागी अर्थात् संन्यासी कहना चाहिये। (११) जो देहधारी है, उसके कर्मों का निःशेष त्याग होना सम्भव नहीं है। अतएव जिनसे (कर्म न छोड़ कर) केवल कर्मफलों का त्याग किया हो, वही (सच्चा) त्यागी अर्थात् संन्यासी है।

[अब यह बतलाते हैं, कि उक्त प्रकार से—अर्थात् कर्म न छोड़ कर केवल फलाशा छोड़ करके—जो त्यागी हुआ हो, उसे उसके कर्म कोई भी फल-बन्धक नहीं :-]

(१२) मृत्यु के अनन्तर अत्यागी मनुष्य को अर्थात् फलाशा का त्याग न करनेवालों को तीन प्रकार के फल मिलते हैं अनिष्ट, इष्ट और (कुछ इष्ट और कुछ अनिष्ट मिला हुआ) मिश्र। परंतु संन्यासी को अर्थात् फलाशा छोड़ कर कर्म करनेवाले को (ये फल) नहीं मिलते अर्थात् बाधा नहीं कर सकते।

[त्याग, त्यागी और संन्यासी-सम्बन्धी उक्त विचार पहले (गीता ३. ४-७; ५. २-१०; ६. १) कई स्थानों में आ चुके हैं, उन्हीं का यहाँ उपसंहार किया गया है। समस्त कर्मों का संन्यास गीता को भी इष्ट नहीं है। फलाशा का त्याग करनेवाला पुरुष ही गीता के अनुसार सच्चा अर्थात् नित्यसंन्यासी है (गीता ५. ३)। ममतापुवत्त फलाशा का अर्थात् अहंकारबुद्धि का त्याग ही सच्चा त्याग है। इसी सिद्धान्त को दृढ़ करने के लिये अब और कारण दिखलाते हैं :-]

- §§ पचेतानि महानाहो कारणानि निबोध मे ।
 सांग्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये मर्कर्मणाम् ॥ १३ ॥
 अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम् ।
 त्रिपिधाश्च पृथक् चेष्या देवं त्रैत्रात्र पंचमम् ॥ १४ ॥
 शरीरवाङ्मनोभिर्यत्कर्म प्रारभते नरः ।
 न्याय्यं वा विपरीतं वा पंचेते तस्य हेतवः ॥ १५ ॥
- §§ तत्र सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः ।
 पृथग्यत्कृतबुद्धित्वना स पृथगतिर्भवेति ॥ १६ ॥
 यम्यं नाहंकृतो भागो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते ।
 हत्यापि स इमंलोकान्न हन्ति न निब्रध्यते ॥ १७ ॥

(१३-) इति शब्दों का अर्थ है, उक्त मंत्रों में प्रोक्तानि, मुनि । (१४) अधिष्ठान (म्यान) तथा कर्ता भिन्न भिन्न करण यानी माधन (कर्ता की) अनेक प्रकार की पृथक् पृथक् चेष्या अर्थात् व्यापार और उभय भाग पांचवा (कारण) देव है । (१५) शरीर मन वाणीम अथवा मन समनुष्य जा जो कर्म करता है - फिर चाहे उक्त न्याय्य हो या विपरीत अर्थात् अन्याय्य - उभय उक्त पांच कारण है ।

(१६) ज्ञानविज्ञान स्थिति एव ही ज्ञान पर भी जो सम्युक्त बुद्धि न होने के कारण यत्कृतमिति मन्त्र अर्थात् कर्ता (मनवना चाहिये कि), वह तुम्हें कुछ भाग्य प्राप्त नही है । (१७) जिस यत्कृतमिति नही है कि मैं कर्ता हूँ, तथा निमग्न यदि अधिष्ठान है वह यदि उक्त कारण वा कारण नही तथापि (मनवना चाहिये कि) मन विमोक्त कर्ता भाग और यह (कर्म) उन यत्कृत भाग्य प्राप्त नही ।

गीतार. प्र. ११) । चौदहवें श्लोक का अर्थ यह है, कि मनुष्य इस जगत् में हो या न हो; प्रकृति के स्वभाव के अनुसार जगत् का अखण्डित व्यापार चलता ही रहता है । और जिस कर्म को मनुष्य अपनी करतूत समझता है, वह केवल उसी के यत्न का फल नहीं है; वरन् उसके यत्न और सत्कार के अन्य व्यापारों अथवा चेष्टाओं की सहायता का परिणाम है । जिसे कि खेती मनुष्य के ही यत्न पर निर्भर नहीं है; उसकी सफलता के लिये धरती, बीज, पानी, खाद और बैल आदि के गुणधर्म अथवा व्यापारों की सहायता आवश्यक होती है । इसी प्रकार, मनुष्य के प्रयत्न की मिद्धि होने के लिये जगत् के जिन विविध व्यापारों की सहायता आवश्यक है, उनमेंसे कुछ व्यापारों को जानकर उनकी अनुकूलता पाकर ही मनुष्य यत्न किया करता है । परन्तु हमारे प्रयत्नों के लिये अनुकूल अथवा प्रतिकूल, सृष्टि के और भी कई व्यापार हैं, कि जिनका हमें ज्ञान नहीं है । इन्हीं को देव कहते हैं; और कर्म की घटना का यह पाँचवाँ कारण कहा गया है । मनुष्य का यत्न सफल होने के लिये जब इतनी सब बातों की आवश्यकता है; तथा जब उनमें से कई या तो हमारे वश की नहीं या हमें ज्ञात भी नहीं रहती, तब यह बात स्पष्टतया सिद्ध होती है, कि मनुष्य का ऐसा अभिमान रखना निरी मूर्खता है, कि मैं अमुक काम करूँगा; अथवा ऐसी फलाशा रखना भी मूर्खता का लक्षण है, कि मेरे कर्म का फल अमुक ही होना चाहिये (देखो गीतार. प्र. ११, ३१८-३१९) । तथापि सत्रहवें श्लोक का अर्थ यो भी न समझ लेना चाहिये, कि जिसकी फलाशा छूट जाय, वह चाहे जो कुकर्म कर सकता है । साधारण मनुष्य जो कुछ करते हैं, वह स्वार्थ के लोभ से करते हैं; इसलिये उनका बर्ताव अनुचित हुआ करता है । परन्तु जिसका स्वार्थ या लोभ नष्ट हो गया है; अथवा फलाशा पूर्णतया विलीन हो गयी है और जिसे प्राणिमात्र समान ही हो गये हैं, उससे किसी का भी अनहित नहीं हो सकता । कारण यह है, कि दोष बुद्धि में रहता है, न कि कर्म में । अतएव जिसकी बुद्धि पहले से शुद्ध और पवित्र हो गयी हो, उसका किया हुआ कोई कर्म यद्यपि लौकिक दृष्टि से विपरीत भले ही दिखलाई दे; तो भी न्यायतः कहना पडता है, कि उसका बीज शुद्ध ही होगा । फलतः उस काम के लिये फिर उस शुद्ध बुद्धिवाले मनुष्य को जबाबदार न समझना चाहिये । सत्रहवें श्लोक का यही तात्पर्य है । स्थितप्रज्ञ, अर्थात् शुद्ध बुद्धिवाले, मनुष्य की निष्पापता के इस तत्त्व का वर्णन उपनिषदों में भी है (कौपी ३.१ और पंचदशी. १४ १६. और १७ देष्टो) । गीतारहस्य के बारहवें प्रकरण (पृ. ३७२-३७७) में इस विषय का पूर्ण विवेचन किया है; इसलिये यहाँ पर उससे अधिक विस्तार की आवश्यकता नहीं है । इस प्रकार अर्जुन के प्रश्न करने पर सन्यास और त्याग शब्दों के अर्थ की मीमांसा द्वारा यह सिद्ध कर दिया, कि स्वधर्मानुसार जो कर्म प्राप्त होते जायँ, उन्हें अहकारबुद्धि और फलाशा छोड़ कर करते रहना ही

ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना ।

करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्मसंग्रहः ॥ १८ ॥

ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिवैव गुणभेदतः ।

प्रोच्यते गुणसंग्याने यथावच्छृणु तान्यपि ॥ १९ ॥

§§ सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते ।

अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्त्विकम् ॥ २० ॥

[सात्त्विक अथवा मच्चा त्याग है । कर्मों को छोड़ देटना मच्चा त्याग नहीं है । अब सत्रहवें अध्याय में कर्म के सात्त्विक आदि भेदों का जो विचार आरम्भ किया गया था, उसी को यहाँ कर्मयोग की दृष्टि में पूरा करने है ।]

(१८) कर्मचोदना तीन प्रकार की है—ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता तथा कर्मसंग्रह तीन प्रकार का है—करण, कर्म और कर्ता । (१९) गुणमख्यानशाम्भ में अर्थात् कापिलसाख्यशाम्भ में कहा है, कि ज्ञान, कर्म और कर्ता (प्रत्येक मन्त्र, रज और तम इन तीन) गुणों के भेदों में तीन प्रकार के हैं । उन (प्रकारों) को ज्यों-के त्यों (तुझे बताना हूँ,) मुन ।

[कर्मचोदना और कर्मसंग्रह पारिभाषिक शब्द हैं । इन्द्रियों के द्वारा कोई भी कर्म होने के पूर्व मन में उसका निश्चय करना पड़ता है । अतएव इस मानसिक विचार को 'कर्मचोदना' अर्थात् कर्म करने की प्राथमिक प्रेरणा कहते हैं । और, वह स्वभावतः ज्ञान, ज्ञेय एवं ज्ञाता के रूप में तीन प्रकार की होती है । एक उदाहरण लीजिये :- प्रत्यक्ष घड़ा बनाने के पूर्व कुम्हार (ज्ञाता) अपने मन में निश्चय करता है, कि मुझे अमुक बरत (ज्ञेय) करनी है, और वह अमुक रीति में (ज्ञान) होगा । यह क्रिया कर्मचोदना हुई । इस प्रकार मन का निश्चय हा जाने पर वह कुम्हार (कर्ता) मिट्टी, चाक इत्यादि साधन (करण) इकट्ठे कर प्रत्यक्ष घड़ा (कर्म) नैवार करता है । यह कर्मसंग्रह हुआ । कुम्हार का कर्म घट तो है, पर उसी को मिट्टी का कार्य भी कहते हैं । इसमें मातृम होगा, कि कर्मचोदना शब्द में मानसिक अथवा अन्तःकरण की क्रिया का बोध होता है, और कर्मसंग्रह शब्द में उनी मानसिक क्रिया की जोड़ की वास्तविकता का बोध होता है । किसी भी कर्म का पूर्ण विचार करना तो, ता चोदना' और 'संग्रह' दाना का विचार करना चाहिये । इनमें से ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता (क्षेत्रज्ञ) के लक्षण प्रथम ही देखिये अध्याय (१३-१८) में अध्यात्मदृष्टि में बताना आये हैं । परन्तु क्रियान्वयी ज्ञान का ज्ञान कुछ पृथक् हान क कारण अब इस त्रयी में से ज्ञान की और दूसरी त्रयी में से कर्म एवं कर्ता की व्याख्याएँ ही जानी हैं -]

(२०) जिस ज्ञान में यह मातृम होता है, कि विभक्त अर्थात् निम्न भिन्न

पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् ।

वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् ॥ २१ ॥

यत्तु कृत्स्नवदेकास्मिन् कार्ये सक्तमहेतुकम् ।

अतत्त्वार्थवदत्पं च तत्तामसमुदाहृतम् ॥ २२ ॥

सब प्राणियों में एक ही अविभक्त और अव्यय भाव अथवा तत्त्व है, उसे सात्त्विक ज्ञान जानो । (२१) जिम ज्ञान में पृथक्त्व का बोध होता है, कि समस्त प्राणिमात्र में भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक भाव हैं, उसे राजस ज्ञान समझो । (२२) परन्तु जो निष्कारण और तत्त्वार्थ को विना जानेबूझे एक ही बात में यह समझ कर आसक्त रहता है — कि यही सब कुछ है — वह अल्प ज्ञान तामस कहा गया है ।

[भिन्न भिन्न ज्ञानों के लक्षण बहुत व्यापक हैं । अपने बाल-बच्चों और स्त्री को ही सारा ससार समझना तामस ज्ञान है । इसमें कुछ ऊँची सीढ़ी पर पहुँचने से दृष्टि अधिक होती जाती है, और अपने गाँव का अथवा देश का मनुष्य भी अपना-भा जँचने लगता है, तो भी यह बुद्धि बनी ही रहती है, कि भिन्न भिन्न गाँवों अथवा देशों के लोग भिन्न भिन्न हैं । यही ज्ञान राजस कहलाता है । परन्तु इसमें भी ऊँचे जाकर प्राणिमात्र में एक ही आत्मा को पहचानना पूर्ण और सात्त्विक ज्ञान है । सार यह हुआ, कि 'विभक्त में अविभक्त' अथवा 'अनेकता में एकता' को पहचानना ही ज्ञान का सच्चा लक्षण है । और, बृहदारण्यक एवं कठोपनिषदों के वर्णनानुसार जो यह पहचान लेता है, कि इस जगत् में नानात्व नहीं है — 'नेह नानास्ति किञ्चन' — वह मुक्त हो जाता है । परन्तु जो इस जगत् में अनेकता देखता है, वह जन्म-मरण के चक्कर में पड़ा रहता है — 'मृत्यो स मृत्युमाप्नोति य इह नानेन पश्यति' (वृ. ४. ४. १९, कठ ४. ११) । इस जगत् में जो कुछ ज्ञान प्राप्त करना है, वह यही है (गीता १३. १६); और ज्ञान की यही परम सीमा है । क्योंकि सभी के एक हो जानेपर फिर एकीकरण की ज्ञानक्रिया को आगे बढ़ने के लिये स्थान ही नहीं रहता (देखो गीतार प्र. ९, पृ. २३३-२३४) एकीकरण करने की इस ज्ञानक्रिया का निरूपण गीतारहस्य के नौवें प्रकरण (पृ. २१६-२१७) में किया गया है । जब वह सात्त्विक ज्ञान मन में भली भाँति प्रतिबिम्बित हो जाता है, तब मनुष्य के देह-स्वभाव पर उसके कुछ परिणाम होते हैं । इन्हीं परिणामों का वर्णन दैवी-सम्पत्ति-गुणवर्णन के नाम से सोलहवें अध्याय के आरम्भ में किया गया है । और तेहरवें अध्याय (१३. ७-११) में ऐसे देहस्वभाव का नाम ही 'ज्ञान' बतलाया है । इससे जान पड़ता है, कि 'ज्ञान' से (१) एकीकरण की मानसिक क्रिया की पूर्णता तथा (२) उस पूर्णता का देहस्वभाव पर होनेवाला परिणाम — ये दोनों अर्थ गीता में

§§ नियतं संगरहितमरागद्वेषतः कृतम् ।

अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्त्विकमुच्यते ॥ २३ ॥

यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः ।

क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् ॥ २४ ॥

अनुबन्धं क्षयं हिंसामनपेक्ष्य च पौरुषम् ।

मोहादारम्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते ॥ २५ ॥

विवक्षित है। अतः बीसवें श्लोक में वर्णित ज्ञान का लक्षण यद्यपि बाह्यतः मानसिक श्रियात्मक दिखायी देता है, तथापि उमी में इस ज्ञान के कारण देहस्वभाव पर होनेवाले परिणाम का भी समावेश करना चाहिये। यह बात गीतारहस्य के नौवें प्रकरण के अन्त (पृ. २४९-२५०) में स्पष्ट कर दी गयी है। अस्तु; ज्ञान के भेद हो चुके। अब कर्म के भेद बतलाये जाते हैं :-]

(२३) फलप्राप्ति की इच्छा करनेवाला मनुष्य, (मन में) न तो प्रेम और द्वेष रख कर, बिना आसक्ति के (स्वधर्मानुसार) जो नियम अर्थात् नियुक्त किया हुआ कर्म करता है, उम (कर्म) को सात्त्विक कहते हैं। (२४) परन्तु काम अर्थात् फलांशा की इच्छा रखनेवाला अथवा अहङ्कारबुद्धि का (मनुष्य) बड़े परिश्रम से जो कर्म करता है, उमे राजस कहते हैं। (२५) तामस कर्म वह है, कि जो मोह में बिना इन बातों का विचार किये, आरम्भ किया जाता है, कि अनुबन्धक अर्थात् आगे क्या होगा, पौरुष यानी अपना सामर्थ्य कितना है और (होनाहार में) नाश अथवा हिंसा होगी या नहीं।

[इन तीन भाँति के कर्मों में मभी प्रकार के कर्मों का समावेश हो जाता है। निष्काम कर्मों को ही सात्त्विक अथवा उत्तम क्यों कहा है? इस का विवेचन गीतारहस्य के ग्यारहवें प्रकरण में किया है, उमे देखो और अकर्म भी मन्मन्मन् यही है (गीता ८ १६ पर हमारी टिप्पणी देखो)। गीता का सिद्धान्त है, कि कर्म की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ है। अतः कर्मों के उक्त लक्षणों का वर्णन करते समय बार बार कर्मों की बुद्धि का उल्लेख किया गया है, स्मरण रहे, कि कर्म सात्त्विकपन या तामसपन के बंध उगरे बाह्य परिणाम से निश्चिन्त नहीं किया गया है (देखो गीतार. प्र. १०, पृ. ३८३-३८६)। उमी प्रकार २५ वे श्लोक में यह भी सिद्ध है, कि फलांशा के छूट जाने पर यह न समझना चाहिये कि अनाश्रित या नाश्रित विचार किये बिना ही मनुष्य का चाहे जो कर्म करने की शक्ति हो गयी। शक्ति २५ वे श्लोक में यह निश्चय किया है कि अनुबन्धक और पण का विचार किये बिना जो कर्म किया जाता है, वह तामस है; न कि सात्त्विक (गीतार. प्र. १०, पृ. ३८३-३८६ देखो)। अब उमी श्लोक के अनुसार कर्मों के भेद बतलाते हैं :-]

§§ मुक्तसंगोऽनहंवादी धृत्युत्साहसमन्वितः ।

सिद्धयसिद्धयोनिरिविकारः कर्ता सात्त्विक उच्यते ॥ २६ ॥

रागी कर्मफलप्रेप्सुर्लुब्धो हिंसात्मकोऽशुचिः ।

हपशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः ॥ २७ ॥

अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शत्रो नैष्कृतिकोऽलसः ।

विपाद्री दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते ॥ २८ ॥

§§ बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु ।

प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय ॥ २९ ॥

(२६) जिसे आसक्ति नहीं रहती, जो 'मै' ओर 'मेरा' नहीं कहता, कार्य की सिद्धि हो या न हो; (दोनों परिणामों के समय) जो (मन से) विकाररहित होकर धृति और उत्साह के साथ कर्म करना है, उसे सात्त्विक (कर्ता) कहते हैं। (२७) विषयासक्त, लोभी, (सिद्धि के समय) हर्ष और (असिद्धि के समय) शोक से युक्त, कर्मफल पाने की इच्छा रखनेवाला, हिंसात्मक और अशुचि कर्ता राजस कहलाता है। (२८) अयुक्त अर्थात् चंचल बुद्धिवाला, अमभ्य, गर्व से फूलनेवाला, ङग, नैष्कृतिक यानी दूसरों की हानि करनेवाला, आलसी, अप्रसन्नचित्त और दीर्घसूत्री अर्थात् देरी लगानेवाला या घड़ी भर के काम को महीने भर में करनेवाला कर्ता तामस कहलाता है।

[२८ वे श्लोक में नैष्कृतिक (निस् + कृत = छेदन करना, काटना) शब्द का अर्थ दूमरे के काम छेदन करनेवाला अथवा नाश करनेवाला है। परन्तु इसके बदले कोई लोग 'नैष्कृतिक' पाठ मानते हैं। अमरकोश में 'निकृत' का अर्थ शठ लिखा हुआ है। परन्तु इस श्लोक में शठ विशेषण पहले आ चुका है, इसलिये हमने नैष्कृतिक पाठ को स्वीकार किया है। इन तीन प्रकार के कर्ताओं में मे सात्त्विक कर्ता ही अकर्ता, अलिप्त-वर्ता अथवा कर्मयोगी है। ऊपरवाले श्लोक से प्रकट है, कि फलाशा छोड़ने पर ही कर्म करने की जाशा, उत्साह और सारा-सार विचार उम कर्मयोगी में बना ही रहता है। जगत् के त्रिविध विस्तार का यह वर्णन ही अब बुद्धि, धृति और सुख के विषय में भी किया जाता है। इन श्लोकों में बुद्धि का अर्थ वही व्यवसायात्मिका बुद्धि अथवा निश्चय करनेवाली इन्द्रिय अभीष्ट है, कि जिसका वर्णन दूसरे अध्याय (२. ८१) में हो चुका है। इसका स्पष्टीकरण गीतारहस्य के छठे प्रकरण (पृ. १३९-१४३) में किया गया है।]

(२९) हे धनजय ! बुद्धि और धृति के भी गुणों के अनुसार जो तीन प्रकार के भिन्न भिन्न भेद होने हैं, इन सब को तुझमें बहना है; मुन ।

प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्थे भयाभये ।

बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्त्विकी ॥ ३० ॥

यया धर्ममधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च ।

अयथावत्प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी ॥ ३१ ॥

अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता ।

सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी ॥ ३२ ॥

§§ धृत्या यया धारयते मनः प्राणोन्द्रियक्रियाः ।

योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्त्विकी ॥ ३३ ॥

यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयतेऽर्जुन ।

प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी ॥ ३४ ॥

यया स्वप्नं भयं शोकं विपादं मदमेव च ।

न विमुंचति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी ॥ ३५ ॥

(३०) हे पार्थ ! जो बुद्धि प्रवृत्ति (अर्थान् किन्हीं कर्म के करने) और निवृत्ति (अर्थात् न करने) को जानती है, एवं यह जानती है, कि कार्य अर्थान् करने के योग्य क्या है और अकार्य अर्थान् करने के अयोग्य क्या है ? किममे डरना चाहिये और किममे नहीं ? किममे बन्धन होता है और किममे मोक्ष ? वह बुद्धि मान्दिक है । (३१) हे पार्थ ! वह बुद्धि राजसी है, कि जिममे धर्म और अधर्म का अथवा कार्य और अकार्य का अर्थ निर्णय नहीं होता । (३२) हे पार्थ ! वह बुद्धि तामसी है, कि जो तम में व्याप्त होकर अधर्म को धर्म समझती है, और मव बातों में विपरीत यानी उल्टी समझ कर देती है ।

! [इस प्रकार बुद्धि के विभाग करनेपर मदमद्विवेकबुद्धि कोई स्वतन्त्र देवता नहीं रह जाती; निम्नु मान्दिक बुद्धि में ही उसका समावेश हो जाता है । यह विवेचन गीतारहस्य के प्रकरण ६, पृष्ठ १८०-१८३ में किया गया है । बुद्धि के विभाग हो चुने, अब धृति के विभाग बतलाने हैं -]

(३३) हे पार्थ ! जिम अर्थाभिचारिणी अर्थान् उधर उधर न डिगनेवाली धृति ने मन, प्राण और इन्द्रियों के व्यापार, (कर्मफल-न्यागन्धी) योग के द्वार (पुण्य) करता है, वह धृति सात्त्विक है । (३४) हे अर्जुन । प्रमगानुमार फल की इच्छा स्थानेनात्त पुण्य जिम धृति ने अपने धर्म, काम और अर्थ (पुण्यार्थ) को मिट कर लेता है, वह धृति राजसी है । (३५) हे पार्थ ! जिम धृति में मनुष्य दुर्बुद्धि हो कर निद्रा, भय, शोक, विपाद और मद नहीं छोड़ता, वह धृति तामसी है ।

§§ सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ ।

अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति ॥ ३६ ॥

यत्तदग्रे विषमिव परिणामेऽमृतोपमम् ।

तत्सुखं सात्त्विकं प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसादजम् ॥ ३७ ॥

['धृति' शब्द का अर्थ धैर्य है; परन्तु यहाँ पर शारीरिक धैर्य से अभिप्राय नहीं है । इस प्रकरण में धृति शब्द का अर्थ मन का दृढनिश्चय है । निर्णय करना बुद्धि का काम है सही; परन्तु इस बात की भी आवश्यकता है, कि बुद्धि जो योग्य निर्णय करे, वह सदैव स्थिर रहे । बुद्धि के निर्णय को ऐसा स्थिर या दृढ करना मन का धर्म है । अतएव कहना चाहिये, कि धृति अथवा मानसिक धैर्य का गुण मन और बुद्धि दोनों की महायता में उत्पन्न होता है । परन्तु इतना ही कह देने में सात्त्विक धृति का लक्षण पूर्ण नहीं हो जाता, कि अव्यभिचारी अर्थात् इधर उधर विचलित न होनेवाले धैर्य के बल पर मन, प्राण और इन्द्रियों के व्यापार करना चाहिये । बल्कि यह भी बतलाना चाहिये, कि ये व्यापार किस वस्तु पर होते हैं ? अथवा इन व्यापारों का कर्म क्या है ? वह 'कर्म'योग शब्द के सूचित किया गया है । अतः 'योग' शब्द का अर्थ केवल 'एकाग्र'-चित्त कर देने से काम नहीं चलता । इसीलिये हमने इस शब्द का अर्थ, पूर्वापार सन्दर्भ के अनुसार, कर्मफलत्यागरूपी योग किया है । सात्त्विक कर्म के और सात्त्विक कर्ता आदि के रक्षण बतलाते समय जैसे 'फल की आसक्ति छोड़ने' को प्रधान गुण माना है, वैसे ही सात्त्विक धृति का लक्षण बतलाने में भी उसी को प्रधान मानना चाहिये । इनके सिवा अगले ही श्लोक में यह वर्णन है, कि राजस धृति फलाकाक्षी होती है । अतः इस श्लोक में भी सिद्ध होता है, कि सात्त्विक धृति, राजस धृति के विपरीत अफलाकाक्षी होनी चाहिये । तात्पर्य यह है, कि निश्चय की दृढता तो निरी मानसिक त्रिया है, उसके भली या बुरी होते का विचार करने के अर्थ यह देखना चाहिये, कि जिस कार्य के लिये उस त्रिया का उपयोग किया जाता है, वह कार्य कैसा है ? नीद और आलस्य आदि कामों में ही दृढनिश्चय किया गया हो, तो वह तामस है; फलाशापूर्वक नित्य व्यवहार के काम करने में लगाया गया हो तो राजस है; और फलाशात्यागरूपी योग में वह निश्चय किया गया हो, तो सात्त्विक है । इस प्रकार ये धृति के भेद हुए । अब बतलाते हैं, कि गुणभेदानुसार मुख के तीन प्रकार कैसे होते हैं ?]

(३६) अब हे भरतश्रेष्ठ ! मैं मुख के भी तीन भेद बतलाता हूँ, मुन । अभ्यास से अर्थात् निरन्तर परिचय से (मनुष्य) जिसमें रम जाता है; और जहाँ दुःख का अन्त होता है, (३७) जो आरभ में (तो) विष के समान जान पड़ता है, परन्तु परिणाम में अमृत के तुल्य है, जो आत्मनिष्ठबुद्धि की प्रसन्नता से प्राप्त होता है, उस

विषयेन्द्रियसंयोगाद्यत्तदग्रेऽस्मृतोपमम् ।

परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम् ॥ ३८ ॥

यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः ।

निद्रालस्यप्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम् ॥ ३९ ॥

§§ न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः ।

सत्त्वं प्रकृतिर्जमुक्तं यदेभिः स्यात्त्रिभिर्गुणैः ॥ ४० ॥

(अध्यात्मिक) मुख को भास्विक कहते हैं । (३८) इन्द्रियों और उनके विषयों के संयोग में होनेवाला (अर्थात् आधिभौतिक) मुख राजस कहा जाता है, कि जो पहले तो अमृत के समान है; परन्तु अन्त में विष-सा रहता है । (३९) और जो जाग्रत में एक अनुबन्ध अर्थात् परिणाम में भी मनष्य को मोह में फँसाता है; और जो निद्रा, आलस्य तथा प्रमाद अर्थात् कर्तव्य की भूल में उपजता है, उसे तामस मुख कहते हैं ।

[३७ के श्लोक में आत्मबुद्धि का अर्थ हमने 'आत्मनिष्ठबुद्धि' किया है । परन्तु 'आत्म' का अर्थ 'जपना' बरके उसी पद का अर्थ 'जपनी बुद्धि' भी हो सकेगा । क्योंकि पहले (६०१) कहा गया है, कि अन्त मुख के अर्थ 'बुद्धि' में ही प्राज्ञ 'और 'अतीन्द्रिय' होता है । परन्तु अर्थ भी काटें क्यों न किया जाय ? तात्पर्य एक ही है । कहा तो है, कि मन्त्रा और नित्य मुख इन्द्रियोंसंयोग में नहीं है; किन्तु वह केवल बुद्धिप्राप्त है । परन्तु जब विचार करने है, कि बुद्धि को मन्त्रा और अन्त मुख प्राप्त होने के लिए क्या करना पड़ता है ? तब गीता के छठे अध्याय में (६०१, २०) प्रकट होता है, कि यह परमावधि का मुख आत्मनिष्ठबुद्धि हुए बिना प्राप्त नहीं होता । 'बुद्धि' एक ऐसी इन्द्रिय है, कि वह एका और न त्रिगुणान्मक प्रकृति के विस्तार की ओर देखती है, और हमने जोर में उसी आत्मस्वरूपी परब्रह्म का भी वापस हा मरता है, कि जो उस प्रकृति के विस्तार के भूल में अर्थात् प्राणिमात्र में समानता में व्याप्त है । तात्पर्य यह है, कि इन्द्रियनिग्रह के द्वारा बुद्धि को त्रिगुणामक प्रकृति से विस्तार में हटा कर जहाँ अन्तमुख जोर आत्मनिष्ठ किया - जोर पानत्रयाग के द्वारा माद्रीय विषय यही है - नहीं वह बुद्धि प्रमत्त हो जाती है और मनष्य का मन्य एका अन्त मुख का अनुभव होने लगता है । गीतारहस्य ४० व प्रकरण (पृ ११६-११८) में आध्यात्मिक मुख की श्रेष्ठता का विवरण किया जा चुका है । उपमानान्वित-यह बतलाने है, कि जगत् में उस त्रिभिर्गुण भद ही भगवत् है -]

(८०) हम पृथ्वी पर, आकाश में तथा दन्ताज्या में अर्थात् दन्ताज्या में भी

ऐसी बातें बस्तु नहीं, कि जो प्रकृति के इन तीन गुणों में मस्त हा ।

§§ ब्राह्मणक्षत्रियविगां शूद्राणां च परंतप ।

कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः ॥ ४१ ॥

गमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ।

ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम् ॥ ४२ ॥

[अठारहवे श्लोक में यहाँ तक ज्ञान, कर्म, कर्ता, धृति और सुख के भेद बतला कर अर्जुन की आँखों के सामने इस बात का एक चित्र खूब दिया है, कि संपूर्ण जगत् में प्रकृति के गुणभेद से विचित्रता कैसे उत्पन्न होती है? तथा फिर प्रतिपादन किया है, कि इन सब भेदों में सात्त्विक भेद श्रेष्ठ और ग्राह्य है। इन सात्त्विक भेदों में भी जो सब में श्रेष्ठ स्थिति है, उसी को गीता में त्रिगुणातीत अवस्था कहा है। गीतारहस्य के सातवें प्रकरण (पृ. १६८-१६९) में हम कह चुके हैं, कि त्रिगुणातीत अथवा निर्गुण अवस्था गीता के अनुसार कोई स्वतंत्र या चौथा भेद नहीं है। इसी न्याय के अनुसार मनुस्मृति में भी सात्त्विक गति के ही उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ तीन भेद करके कहा गया है कि उत्तम सात्त्विक गति मोक्षप्रद है, और मध्यम गति स्वर्गप्रद है (मनु १२ ४८-५० और ८९-९१ देखो)। जगत् में जो प्रकृति है, उसकी विचित्रता का यहाँ तक वर्णन किया गया। अब इस गुणविभाग से ही चातुर्वर्ण्यव्यवस्था की उत्पत्ति का निरूपण किया जाता है। यह बात पहले कई बार कही जा चुकी है, कि (देखो १८ ७-९, २३, और ३ ८) स्वधर्मानुसार प्रत्येक मनुष्य को अपना 'नियत' अर्थात् नियुक्त किया हुआ कर्म फटाशा छोड़ कर, परंतु धृति, उत्साह और सारामार विचार के साथ साथ, करते जाना ही ससार में उसका कर्तव्य है। परंतु जिस बात से कर्म 'नियत' होता है, उसका बीज अब तक कही भी नहीं बतलाया गया। पीछे एक बार चातुर्वर्ण्यव्यवस्था का कुछ थोड़ा-सा उल्लेख कर (४. १३) कहा गया है, कि कर्तव्य-अकर्तव्य का निर्णय शास्त्र के अनुसार करना चाहिये (गीता १६. २८)। परंतु जगत् के व्यवहार को किसी नियमानुसार जारी रखने के हेतु (देखो गीतार. प्र. ११-१२, पृ. ३३६-४०१ और प्र. १५, पृ. ४९९-५००) जिस गुणवर्ण-विभाग के तत्त्व पर चातुर्वर्ण्यरूपी शास्त्रव्यवस्था निर्मित की गयी है, उसका पूर्ण स्पष्टीकरण उम स्थान में नहीं किया गया। अतएव जिस सस्था से समाज में हर एक मनुष्य का कर्तव्य नियत होता है, अर्थात् स्थिर किया जाता है, उस चातुर्वर्ण्य की, गुणवर्णविभाग के अनुसार, उत्पत्ति के साथ ही साथ अब प्रत्येक वर्ण के नियम किये हुए कर्तव्य भी कहे जाते हैं -]

(४१) हे परंतप ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कर्म उनके स्वभाव-जन्य अर्थात् प्रकृतिसिद्ध गुणों के अनुसार पृथक् बँटे हुए हैं। (४२) ब्राह्मण का स्वभावजन्य कर्म शम, दम, नप, पवित्रता, शान्ति, सरलता (अर्जव), ज्ञान अर्थात्

गौर्य तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम् ।

दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम् ॥ ४३ ॥

कृपिगौरश्च्यवाणिज्यं वैध्यकर्म स्वभावजम् ।

परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् ॥ ४४ ॥

§§ स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः ।

स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु ॥ ४५ ॥

यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम् ।

स्वकर्मणा तमम्यर्च्यं सिद्धिं विन्दति मानवः ॥ ४६ ॥

अत्र्यामज्ञान, विज्ञान यानी विविध ज्ञान और आम्निमयसिद्धि है । (४३) शूद्रता, तेजस्विता, धैर्य, दक्षता, युद्ध में न भागना, दान देना और (प्रजा पर) दृष्टमन करना क्षत्रिया का स्वभाविक कर्म है । (४४) कृपि अर्थात् खेतो, गौरक्षा यानी पशुओं को पालने का उद्यम और वाणिज्य अर्थात् व्यापार वृत्त्या का स्वभावजक्य कर्म है । और, उन्मी प्रकार सेवा करना शूद्रों का स्वभाविक कर्म है ।

[चातुर्वर्ण्यव्यवस्था स्वभावजन्य गुणभेद से निर्मित हुई है । यह न ममत्ता जाय, कि यह उपपत्ति पहले गीता में ही बतलाई गयी है । किन्तु महाभारत के वनपर्वान्तर्गत महृष-युधिष्ठिरमवाद में और द्विज-व्याघ्र-मवाद (वन १८० और २११) में शान्तिपर्व के मृगु-भारद्वाजमवाद (शा १८८) में, अनुशामन-पर्व के उमा-महेश्वर-मवाद (अनु १/३) में और अश्वमेधपर्व (३१, ११) की अनुगीता में गुणभेद की यही उपपत्ति कृष्ण अन्तर में पारी जाती है । यह पहले ही कहा जा चुका है कि जगत् के विविध व्यवहार प्रकृति के गुणभेद में ही रहते हैं । फिर सिद्ध किया गया है, कि मनुष्य का यह कर्तव्यकर्म—कि किसे क्या करना चाहिये—जिस चातुर्वर्ण्यव्यवस्था में निश्चित किया जाता है वह व्यवस्था भी प्रकृति के गुणभेद का परिणाम है । अतः यह प्रतिपादन करना है, कि उक्त कर्म हगव मनुष्य का निश्चितमरिद्वि म अथान् परमश्वरगणपति म ही करना चाहिये । अथवा जगत् का कारण नहीं वह मकता तथा मनुष्य क जाचरण में ही निर्दिष्ट प्राप्त हो जाती है । मित्य पान के लिये बार बार हाँट डूबना अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं है—]

(४५) अपने अपने (स्वभावजन्य गुण व अन्याय प्राप्त होनवाले) कर्मों में निरत रह (रहनपाता) पुरुष (उन्मी म) परम निर्दिष्ट पाता है । मुनों, अपने कर्मों में तप्य रहन म निर्दिष्ट कर्म मित्य है? (४६) प्राणिमात्र की त्रिमम प्रवृत्ति हुई है और त्रिमने मार जान् का विन्ताय किया है अथवा त्रिमम मर जगत व्याप्त है, उन्मी

§§ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात् ।
 स्वभावानियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् ॥ ४७ ॥
 सहजं कर्म कौन्तेय सदोपमपि न त्यजेत् ।
 सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः ॥ ४८ ॥
 असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः ।
 नैष्कर्म्यसिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति ॥ ४९ ॥

अपने (स्वधर्मानुसार प्राप्त होनेवाले) कर्मों के द्वारा (केवल वाणी अथवा फूलों से ही नहीं) पूजा करने से मनुष्य को मिद्धि प्राप्त होती है ।

[इस प्रकार प्रतिपादन किया गया, कि चातुर्वर्ण्य के अनुसार प्राप्त होनेवाले कर्मों को निष्कामबुद्धि से अथवा परमेश्वरार्पणबुद्धि से करना विराट्-स्वस्त्यी परमेश्वर का एक प्रकार का यजन-पूजन ही है; तथा इसी से सिद्धि मिल जाती है (गीतार. प्र. १३, पृ. ४३९-४४०) । अब उक्त गुणभेदानुसार स्वभावतः प्राप्त होनेवाला कर्तव्य किसी दूसरी दृष्टि में सदोप, अश्लाघ्य, कठिन अथवा अप्रिय भी हो सकता है । उदाहरणार्थ, इम अवसर पर क्षत्रियधर्म के अनुसार युद्ध करने में हत्या होने के कारण वह सदोप दिव्यांगी देगा । तो ऐसे समय पर मनुष्य को क्या करना चाहिये ? क्या वह स्वधर्म को छोड़ कर अन्य धर्म स्वीकार कर ले (गीता ३. ३५) ? या कुछभी हो, स्वधर्म को ही करता जावे ? यदि स्वधर्म ही करना चाहिये तो कैसे करे ? इत्यादि प्रश्नों का उत्तर उसी न्याय के अनुगोच से बतलाया जाता है, कि जो इस अध्याय में प्रथम (१८.६) यज्ञयाग आदि कर्मों के सम्बन्ध में कहा गया है—]

(४७) यद्यपि परधर्म का आचरण सहज हो, तो भी उसकी अपेक्षा अपना धर्म अर्थात् चातुर्वर्ण्यविहित कर्म, विगुण यानी सदोष होने पर भी अधिक करयाणकारक है । स्वभावसिद्ध अर्थात् गुणस्वभावानुसार निर्मित की हुई चातुर्वर्ण्यव्यवस्था द्वारा नियत किया हुआ अपना कर्म करने में कोई पाप नहीं लगता । (४८) हे कौन्तेय ! जो कर्म सहज है, अर्थात् जन्म से ही गुणकर्मविभागानुसार नियत हो गया है, वह सदोष हो तो भी उसे (कभी) न छोड़ना चाहिये । क्योंकि संपूर्ण आरभ अर्थात् उद्योग (किसी न किसी) दोष से वैसे ही व्याप्त रहते हैं, जैसे कि धुएँ से आग घिरी रहती है । (४९) अतएव कही भी आसक्ति न रख कर मन को वश में करके निष्कामबुद्धि से चलने पर (कर्मफल के) संन्यास द्वारा परम नैष्कर्म्यसिद्धि प्राप्त हो जाती है ।

[इस उपसहारात्मक अध्याय में पहले बतलाये हुए उन्ही विचारों को अब फिर से व्यक्त कर दिखलाया गया है, कि पराये धर्म की अपेक्षा स्वधर्म भला है (गीता ३. ३५) और नैष्कर्म्य पाने के लिये कर्म छोड़ने की आवश्यकता नहीं

है (गीता ३.४) इत्यादि । हम गीता के तीसरे अध्याय में चौथे श्लोक की टिप्पणी में ऐमे प्रश्नों का स्पष्टीकरण कर चुके हैं, कि नैष्कर्म्य क्या वस्तु है ? और मन्त्री नैष्कर्म्यमिद्धि किमे कहना चाहिये ? उक्त सिद्धान्त की महता इस बात पर ध्यान दिये रहने से सहज ही समझ में आ जावेगी, कि संन्यासमार्गवालों की दृष्टि केवल मोक्ष पर ही रहती है; और भगवान की दृष्टि मोक्ष एवं लोकसंग्रह दोनों पर समान ही है । लोकसंग्रह के लिये अर्थात् समाज के धारण और पोषण के निमित्त ज्ञानविज्ञानयुक्त पुण्य अथवा रण में तलवार का जौहर दिग्बलानेवाले शूर धात्रिय, तथा किसान, वैश्य, रोजगारी, लुहार, बड़ई, कुम्हार और मांसवित्रेता व्याध तक की भी आवश्यकता है । परंतु यदि कर्म छोड़े बिना सचमुच मोक्ष नहीं मिलता, तो सब लोगों को अपना अपना व्यवसाय छोड़ कर संन्यासी बन जाना चाहिये । कर्मसंन्यासमार्ग के लोग इस बात की ऐसी कुछ परवाह नहीं करते । परंतु गीता की दृष्टि इतनी सकुंचित नहीं है । इसलिये गीता कहती है, कि अपने अधिकार के अनुसार प्राप्त हुए व्यवसाय को छोड़ कर दूसरे के व्यवसाय को भला समझ कर के करने लगना उचित नहीं है । कोई भी व्यवसाय लीजिये; उसमें कुछ-न-कुछ त्रुटि अवश्य रहती ही है । जैसे ब्राह्मण के लिये विशेषतः विहित जो क्षान्ति है (१८.४२), उसमें भी एक बड़ा दोष यह है, कि 'क्षमावान् पुरप दुर्वल समज्ञा जाता है' (म. भा. शां. १६०.३४); और व्याध के पेशे में मांस बेचना भी एक झन्झट ही है (म. भा. वन. २०६) । परंतु इन कठिनाइयों से उक्ता कर कर्म को ही छोड़ बैठना उचित नहीं है । किसी भी कारण ने क्यों न हो; जब एक बार निर्मा कर्म को अपना लिया, तो फिर उसकी कठिनाई या अप्रियता की परवाह न करके उसे आमकिन छोड़ कर करना ही चाहिये । क्योंकि मनुष्य की ऋघुता-महता उसके व्यवसाय पर निर्भर नहीं है । किन्तु जिम बुद्धि से वह अपना व्यवसाय या कर्म करता है, उमी बुद्धि पर उसकी योग्यता अध्यात्मदृष्टि से अवलंबित रहती है (गीता २.४९) । जिसका मन शान्त है, और जिमने सब प्राणियों के अन्तर्गत एवना को पहचान लिया है, वह मनुष्य जाति या व्यवसाय में चाहे कसाई; निष्काम बुद्धि से व्यवसाय करनेवाला वह मनुष्य न्यानमन्ध्यागील ब्राह्मण अथवा अथवा शूर धात्रिय की बराबरी का माननीय और मोक्ष का अधिकारी है । यही नहीं, बल्कि ४९ वे श्लोक में स्पष्ट कहा है, कि कर्म छोड़ने में जो मिद्धि प्राप्त की जाती है, यही निष्कामबुद्धि में अपना अपना व्यवसाय करनेवालों को भी मिलनी है । भागवत-धर्म का जो कुछ रहस्य है, यह है, वह यही है; तथा महाराष्ट्र देश के साधुमनों के इतिहास में स्पष्ट होता है, कि उक्त रीति से आचरण करके निष्कामबुद्धि के तन्त्र को अमल में लाना कुछ अगम्भव नहीं है (देगो गीतार. १३, पृ. ५२८) । अब बतलाने हैं, कि अपने अपने कर्मों में तत्पर रहने में ही अन्त में मोक्ष कैसे प्राप्त होता है ?]

§§ सिद्धिं प्राप्ते यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे ।
 सभासेनेव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा ॥ ५० ॥
 बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च ।
 गन्दादीन् विषयांस्त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च ॥ ५१ ॥
 विविक्तसेवी लब्धाशी यतवाक्कायमानसः ।
 ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः ॥ ५२ ॥
 अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहम् ।
 विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ ५३ ॥
 ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न गोचरति न कांक्षति ।
 समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम् ॥ ५४ ॥
 भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ।
 ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् ॥ ५५ ॥
 सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्ब्रह्मपाश्रयः ।
 मत्प्रसादाद्वाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् ॥ ५६ ॥

(५०) हे कौन्तेय ! (इस प्रकार) सिद्धि प्राप्त होने पर (उस पुष्प को) ज्ञान की परम निष्ठा — ब्रह्म — जिस रीति से प्राप्त होती है, उसका मैं संक्षेप से वर्णन करता हूँ, सुन । (५१) शुद्ध बुद्धि से युक्त हो करके धैर्य से आत्मसमयन कर, शब्द आदि (इन्द्रियो के) विषयो को छोड़ करके और प्रीति एव द्वेष को दूर कर (५२) 'विविक्त' अर्थात् चुने हुए जयवा एकान्त स्थल में रहनेवाला, मिताहारी, काया-वाचा और मन को बश में रखनेवाला, नित्य ध्यानयुक्त और विरक्त, (५३) (तथा) अहंकार, बल, दर्प, काम, शोध और परिग्रह अर्थात् पाश को छोड़ कर शान्त एव ममता से रहित मनुष्य ब्रह्मभूत होने के लिये समर्थ होता है । (५४) ब्रह्मभूत हो जाने पर प्रसन्नचित्त हो कर वह न तो किसी आकाक्षा ही करता है, और न किसी का द्वेष ही, तथा समस्त प्राणिमात्र में सम हो कर मेरी परम भक्ति को प्राप्त कर लेता है । (५५) भक्ति से उसको मेरा तात्त्विक ज्ञान हो जाता है, कि मैं कितना हूँ ? और कौन हूँ, इस प्रकार मेरी तात्त्विक पहचान हो जाने पर वह मुझमें प्रवेश ही करता है, (५६) और मेरा ही आश्रय कर सब कर्म करते रहने पर भी उसे मेरे अनुग्रह से शाश्वत एव अव्यय स्थान प्राप्त होता है ।

। [ध्यान रहे, कि सिद्धावस्था का उक्त वर्णन कर्मयोगियों का है — कर्मसंन्यास करनेवाले पुरषों का नहीं । आरम्भ में ही ४५ वे श्लोक में कहा है, कि उक्त

§§ चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः ।

बुद्धियोगमुपाश्रित्य, मच्चित्तः सततं भव ॥ ५७ ॥

वर्णन आसक्ति छोड़ कर कर्म करनेवालों का है; तथा अन्त के ५६ वें श्लोक में 'सर्व कर्म करते रहने पर भी' शब्द आये हैं। उक्त वर्णन भक्तों के अथवा त्रिगुणातीतों के ही ममान है। यहाँ तक कि, कुछ शब्द भी उमी वर्णन में लिये गये हैं। उदाहरणार्थ, ५३ वे श्लोक का 'परिग्रह' शब्द आठवे अध्याय (६. १०) में योगी के वर्णन में आया है; ५४ वे श्लोक का 'न शोचति न कांक्षति' पद बारहवें अध्याय (१२. १७) में भक्तिमार्ग के वर्णन में है; और 'विविक्कमेवो' (अर्थात् चुने हुए, एकान्त स्थल में रहना) शब्द १३ वें अध्याय के १० वें श्लोक में आ चुका है। कर्मयोगी को प्राप्त होनेवाली उपर्युक्त अन्तिम स्थिति और कर्मसंन्यासमार्ग से प्राप्त होनेवाली अन्तिम स्थिति दोनों केवल मानसिक दृष्टि से एक ही हैं। इसी में संन्यासमार्गीय टीकाकारों को यह कहने का अवसर मिल गया है, कि उक्त वर्णन हमारे ही मार्ग का है। परंतु हम कई बार कह चुके हैं, कि यह सच्चा अर्थ नहीं है। अस्तु: इस अध्याय के आरंभ में प्रतिपादन किया गया है, कि संन्यास का अर्थ कर्मत्याग नहीं है, किन्तु फलाशा के त्याग को ही संन्यास कहते हैं। जब संन्यास शब्द का इस प्रकार अर्थ हो चुका, तब यह सिद्ध है, कि यज्ञ, दान आदि कर्म चाहे काम्य हों, चाहे नित्य हों या नैमित्तिक, उनको अन्य सब कर्मों के समान ही फलाशा छोड़ कर उत्साह और ममता में करते जाना चाहिये। तदनन्तर संसार के कर्म, कर्मा, बुद्धि आदि मपूर्ण विषयों की गुणभेद से अनेकता दिखला कर उनमें सान्त्विक को श्रेष्ठ कहा है; और गीताशास्त्र का इत्यर्थ यह बतलाया है, कि चातुर्वर्ण्यव्यवस्था के द्वारा स्वधर्मानुसार प्राप्त होनेवाले ममन्त कर्मों को आमन्त्रित छोड़ कर करते जाना ही परमेश्वर का यज्ञ-पूजन करना है। एव श्रमणः इमीं ने अन्त में परब्रह्म अथवा मोक्ष की प्राप्ति होनी है - मोक्ष के लिये कोई दुमरा अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं है; अथवा कर्मत्यागन्पी मन्वाम लेने की भी जरूरत नहीं है। केवल इस कर्मयोग में ही मोक्षमहित सब सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। अब इमीं कर्मयोगमार्ग का स्वीकार कर लेने के लिये अर्जुन को फिर एक बार अन्तिम उपदेस करते हैं :-]

(५७) मन से सब कर्मों को मुझमें 'मन्वम्य' अर्थात् समर्पित करके मत्परगण्य होना दृशा (नाम्य) बुद्धियोग के आश्रय में हमेशा मुझमें चित्त रख ।

[बुद्धियोग शब्द दूसरे ही अध्याय (२. ४९) में आ चुका है; और वहाँ उमना अर्थ फलाशा में बुद्धि न रख कर कर्म करने की युक्ति अथवा ममत्व-बुद्धि है। यही अर्थ यहाँ भी विवक्षित है। दूसरे अध्याय में जो यह कहा था,

मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात्तरिप्यसि ।

अथ चेत्त्वमहंकारान्न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि ॥ ५८ ॥

§§ यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे ।

मिथ्यैव व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति ॥ ५९ ॥

स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा ।

कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात्कारिष्यस्यवशोऽपि तत् ॥ ६० ॥

ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति ।

भ्रामयन्सर्वभूतानि यन्वाख्यानानि मायया ॥ ६१ ॥

तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत ।

तत्प्रसादात्परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् ॥ ६२ ॥

इति ते ज्ञानभाख्यातं गुह्याद्गुह्यतरं मया ।

विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु ॥ ६३ ॥

[कि कर्म की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ है, उसी सिद्धान्त का यह उपमहार है । इसी में कर्ममन्यास का अर्थ भी इन शब्दों के द्वारा व्यक्त किया गया है, कि 'मन मे (अर्थात् कर्म का प्रत्यक्ष त्याग न करके, केवल बुद्धि से) मुझमें सब कर्म समर्पित कर ।' और वही अर्थ पहले गीता ३.२० एवं ५.१३ में भी वर्णित है ।]

(५८) मुझमें चित्त रखनेपर तू मेरे अनुग्रह से मकटो को अर्थात् कर्म के शुभाशुभ फलों को पार कर जावेगा । परन्तु यदि अहंकार के बश हो मेरी न मुनेगा तो (अलबत) नाश पावेगा ।

[५८ वे श्लोक के अन्त में अहंकार का परिणाम बतलाया है, अब यहाँ उसी का अधिक स्पष्टीकरण करते हैं -]

(५९) तू अहंकार से जो यह मानता (कहता) है, कि मैं युद्ध न करूँगा, (सो) तेरा यह निश्चय व्यर्थ है । प्रकृति अर्थात् स्वभाव तुझसे वह (युद्ध) करावेगा । (६०) हे कौन्तेय ! अपने स्वभावजन्य कर्म से बद्ध होने के कारण, मोह के बश होकर तू जिसे न करने की इच्छा करता है, पराधीन (अर्थात् प्रकृति के अधीन) हो करके तुझे वही करना पड़ेगा । (६१) हे अर्जुन ! ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में रह कर (अपनी) माया से प्राणिमात्र को (ऐसे) घुमा रहा है, मानो सभी (किसी) यन्त्र पर चढ़ाये गये हों । (६२) इसलिये हे भारत ! तू सर्व भाव में उसी की शरण में जा । उसके अनुग्रह से परम शान्ति और नित्यस्थान प्राप्त होगा । (६३) इस प्रकार
गी. २. ५५

§§ सर्वगृह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः ।

श्रोतसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम् ॥ ६४ ॥

मैंने यह गुह्य मे भी गुह्य ज्ञान तुझमे कहा है । इसका पूर्ण विचार करके जैसी तेरी इच्छा हो वैसा कर ।

[इन श्लोकों में कर्मपराधीनता का जो गूढ तत्त्व बतलाया गया है, उसका विचार गीतारहस्य के १० वे प्रकरण में विस्तारपूर्वक हो चुका है । यद्यपि आत्मा स्वयं स्वतन्त्र है, तथापि जगत् के अर्थान् प्रकृति के व्यवहार को देखने में मालूम होना है, कि उम कर्म के चक्र पर आत्मा का कुट भी अधिकार नहीं है, कि जो अनादि काठ में चल रहा है । जिनकी हम इच्छा नहीं करते, वरिन् जो हमारी इच्छा के विपरीत भी है, ऐसी मकड़ो-हजारों बातें ससार में हुआ करती हैं, तथा उनमें व्यापार के परिणाम भी हम पर हाते रहते हैं । अथवा उम व्यापारों का ही कुछ भाग हमें करना पड़ता है । यदि इन्कार करते हैं, तो बनना नहीं है । ऐंम अमसर पर जानी मनुष्य अपनी बुद्धि को निर्मल कर और मुख या टूट्टे को एकमा ममज्ञ कर कर सत्र कर्म किया करता है, किन्तु मूर्ख मनुष्य उनमें फन्दे में फँस जाता है । इन दोनों के आचरण में यही महत्त्वपूर्ण भेद है । भगवान् न तीसरे ही अध्याय में कह दिया है, कि 'सभी प्राणी अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार चरन रहते हैं, वहाँ निग्रह क्या करेगा?' (गीतारहस्य ३ ३३) । ऐंमी स्थिति में मोक्षशान्त्र अथवा नीतिशान्त्र इतना उपदेश कर सकना है, कि कर्म में आमकिन मत रखो। इसमें अधिक बह कुट नही कह सकना । यह अत्यात्मदृष्टि न विचार हुआ । परन्तु भक्ति की दृष्टि न प्रकृति भी ता ईश्वर का ही अण है । अत यही मिटान् ६१ वे और ६० वे श्लोक में ईश्वर का माग करने का मौप कर बतलाया गया है । जगत् में जो कुछ व्यवहार ता रह है, उन् परमेश्वर जैम चाहता है, वैम करना रहा है । इसलिये जानी मनुष्य का उचिन है, कि अहंकारबुद्धि छोट कर अपन जापको नर्वंधा परमेश्वर व ती हवा कर द । ६३ व श्लोक में भगवान् ने कहा है सत्री, कि 'जैमी तेरी इच्छा हा, वैसा कर,' परन्तु मका अर्थ बहुत गम्भीर है । ज्ञान अथवा भक्ति के द्वारा जहाँ बुद्धि माम्बाबन्ध्या में पहुँची वहाँ फिर दुर्गे इच्छा बचने ही नहीं पानी । अतएव ऐंमे जानी पुरुष वा इच्छा-स्वातन्त्र्य' (इच्छा की स्वाधीनता) उमें अथवा गगन् का उर्भी अहितकारक नहीं ता सकना । उमलिये उम श्लोक का टोन टोन भाग्यार्थ वा है कि 'ज्या ही तू उम ज्ञान को समन लेगा (विमृश्य), त्या ही तू न्ययप्रकाश हा जाया, अर फिर (पहल में नहीं) तू अपनी इच्छा म ता उम करगा वती धन्य एव प्रमाण हागा तथा स्थितप्रज्ञ की ऐंमी अवस्था प्राप्त ता ता पर तेरी इच्छा का रासन वा आनन्दबन्धना ही न रहेगी ।' अन्तु गीतारहस्य व १८ व प्रकरण म हम दिखाने चुक है कि गीता में ज्ञान की अपेक्षा भक्ति

मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु ।

मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥ ६५ ॥

सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज ।

अहं त्वा सर्वपाप्येभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ ६६ ॥

[को ही अधिक महत्त्व दिया गया है । इस सिद्धान्त के अनुसार अब सम्पूर्ण गीताशास्त्र का भक्तिप्रधान उपसंहार करते हैं -]

(६४) (अब) अन्त की एक बात और सुन, कि जा सब से गुह्य है । तू मुझे अत्यन्त प्यारा है । इसलिये मैं तेरे हित की बात कहता हूँ । (६५) मुझमें अपना मन रख । मेरा भक्त हो । मेरा यजन कर और मेरी वन्दना कर, मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, कि (इससे) तू मुझमें ही आ मिलेगा । (क्योंकि) तू मेरा प्यारा (भक्त) है । (६६) सब धर्मों को छोड़ कर तू केवल मेरी ही शरण में आ जा । मैं तुझे सब पापों से मुक्त करूँगा, डर मत ।

[बोरे ज्ञानमार्ग के टीकाकारों को यह भक्तिप्रधान उपसंहार प्रिय नहीं लगता । इसलिये वे धर्म शब्द में ही अधर्म का समावेश करके कहते हैं, कि यह श्लोक कठोपनिषद् के इस उपदेश से समानार्थक है, कि 'धर्म-अधर्म, कृत-अकृत, और भूत-भव्य, सब वो छोड़ कर इनके परे रहनेवाले परब्रह्म को पहचानो' (कठ २ १४), तथा इसमें निर्गुण ब्रह्म की शरण में जाने का उपदेश है । निर्गुण ब्रह्म का वर्णन करते समय कठ उपनिषद् का श्लोक महाभारत में भी आया है । (शा ३२९ ४०, ३३१ ४४) । परन्तु दोनों स्थानों पर धर्म और अधर्म दोनों पद जैसे स्पष्टतया पाये जाते हैं, वैसे गीता में नहीं है । यह सच है, कि गीता निर्गुण ब्रह्म को मानती है, और उसमें यह निर्णय भी किया है, कि परमेश्वर का वही स्वरूप श्रेष्ठ है (गीता ७ २४) । तथापि गीता का यह भी तो सिद्धान्त है, कि व्यक्तोपासना सुलभ और श्रेष्ठ है (१२ ५) । और यही भगवान् श्रीकृष्ण अपने व्यक्त स्वरूप के विषय में ही कर रहे हैं । इस कारण हमारा यह दृढ मत है, कि यह उपसंहार भक्तिप्रधान ही है । अर्थात् यहाँ निर्गुण ब्रह्म विवक्षित नहीं है । किन्तु कहना चाहिये कि यहाँ पर धर्म शब्द से परमेश्वरप्राप्ति के लिये शास्त्रों में जो अनक मार्ग बतलाये गये हैं, — जैसे अहिंसाधर्म, सत्यधर्म, मातृपितृसेवाधर्म, गुरुसेवाधर्म, यज्ञयागधर्म, दानधर्म, सन्यासधर्म, आदि — वे ही अभिप्रेत हैं । महाभारत के शान्तिपर्व (३५४) में एव अनुगीता (अश्व ४९) में जहाँ इस विषय की चर्चा हुई है, वहाँ धर्म शब्द से मोक्ष के इन्हीं उपायों का उल्लेख किया गया है । परन्तु इस स्थान पर गीता के प्रतिपाद्य धर्म के अनुरोध से भगवान् का यह निश्चयान्मक उपदेश है, कि उक्त नाना धर्मों की गड़बड़ में न पड़ कर 'मुझे अकेले को ही भज, मैं तेरा उद्धार कर दूँगा;

§§ इदं ते नातपस्काय नामक्ताय कदाचन ।
न चांशुश्रुपवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति ॥ ६७ ॥

य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तैश्चामिधास्यति ।
भक्तिं मयि परां कृत्वा ममिर्वैष्यत्यसंशयः ॥ ६८ ॥

न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः ।
भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि ॥ ६९ ॥

§§ अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ।
ज्ञानयत्नेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः ॥ ७० ॥

श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः ।
मोऽपि मुक्तः शुभाँल्लोकान् प्राप्नुयात्पुण्यकर्मणाम् ॥ ७१ ॥

द्वर मन' (द्विगो गीतारहस्य पृ. ८६०) । मार यह है, कि अन्न में अर्जुन को निमित्त बना कर भगवान् ममी को आश्वामन देने है, कि मेरी दृष्ट भक्ति करके मन्परायणवृद्धि मे स्वधर्मानुमार प्राप्त होनेवाले कर्म करने जाने पर इहलोक और परलोक दोनों जगह तुम्हारा कल्याण होगा; उरो मन । यही कर्मयोग कहलाता है; और मय गीताधर्म का मार भी यही है । अब बतलाने है, कि इस गीताधर्म की अर्थात् ज्ञानमूलक भक्तिप्रधान कर्मयोग की परम्परा आगे कैसे जारी रखे जावे :-]

(६७) जो तप नहीं करता, भक्ति नहीं करता और मुनने की टच्छा नहीं रखता; तथा जो मेरी निन्दा करता हो, उसे यह (गुह्य) कभी मन बनलाना ! (६८) जो यह परम गुह्य मेरे भक्तों को बतलावेगा, उसकी मुझ पर परम भक्ति होगी और वह निम्नन्देह मुझमें ही आ मिलेगा । (६९) उसकी अपेक्षा मेरा अधिक प्रिय करनेवाला सम्पूर्ण मनुष्यों में दूसरा कोई भी न मिलेगा; तथा इस भूमि में मुझे उसकी अपेक्षा अधिक प्रिय और कोई न होगा ।

[परम्परा की रक्षा के इस उपदेश के माय ही अब फल बतलाते हैं :-]

(७०) हम दोनों के इस धर्मसंवाद का जो अध्ययन करेगा, मैं ममज्ञां कि उसने ज्ञानयज्ञ मे मेरी पूजा की । (७१) इसी प्रकार दोष न टूट कर श्रद्धा के हाथ जो कोई हमें मुनेगा, वह भी (पापी मे) मुक्त होकर उन शुभ लोकों में जा पहुँचेगा, कि जो पुरुषवान् लोगों को मिलते हैं ।

[यहाँ उपदेश समाप्त हो चुका । अब यह जांचने के लिये, कि यह धर्म अर्जुन के समझ में टीक टीक आ गया है या नहीं ? - भगवान् हमसे पूछते हैं :-]

§§ कश्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्र्येण चेतसा ।

कश्चिदज्ञानसंमोहः प्रनष्टस्ते धनंजय ॥ ७२ ॥

अर्जुन उवाच ।

नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत ।

स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव ॥ ७३ ॥

सजय उवाच ।

§§ इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः ।

संजादमिममश्रौपमद्भुतं रोमहर्षणम् ॥ ७४ ॥

व्यासप्रसादाच्छ्रुतवानेतद्गुह्यमहं परम् ।

योगं योगेश्वरात्कृष्णात्साक्षात्कथयतः स्वयम् ॥ ७५ ॥

(७२) ह पार्थ ! तुमन इस एकाग्र मन म सुन ता लिया है न ? (और) ह धनंजय ! तुम्हारा अज्ञानरूपी माह अब सर्वथा नष्ट हुआ कि नहीं ? अर्जुन ने कहा - (७३) ह अच्युत ! तुम्हारे प्रसाद मे मरा माह नष्ट हा गया, और मुझे (कर्तव्यधर्म की) स्मृति हा गई । मैं (अब) नि सन्देह हो गया हूँ । आपके उपदेशानुसार (युद्ध) करूँगा ।

[जिनकी साम्प्रदायिक समझ यह है कि गीताधर्म मे भी ससार का छाँड देने का उपदेश किया गया है, उन्हान इस अन्तिम अर्थात् ७३ व श्लोक की बहुत कुछ निराधार खीचातानी की है । यदि विचार किया जाय, कि अर्जुन का किस बात की विस्मृति हो गयी थी ? ता पता लगेगा कि दूसरे अध्याय (२७) में उसने कहा है कि 'अपना धर्म अथवा कर्तव्य ममज्ञान में मेरा मन असमर्थ हा गया है' (धर्मसम्मूढतचेता) अत उक्त श्लोक का सरल अर्थ यही है, कि उसी (भूँठे हुए) कर्तव्यधर्म की अब उम स्मृति हो आया है । अर्जुन का युद्ध में प्रवृत्त करने के लिये गीता का उपदेश किया गया है, और स्थान स्थान पर व शब्द कहे हैं, कि 'इसलिये तू युद्ध कर' (गीता २१८, २३७, ३३०, ८७, ११३४) । अतएव इस आपके आज्ञानुसार करूँगा' पद का अर्थ 'युद्ध करता हूँ' ही होता है । अस्तु, श्रीकृष्ण और अर्जुन का सवाद समाप्त हुआ । अब महाभारत की कथा के मदभानुसार सजय धृतराष्ट्र का यह कथा सुना कर उपसहार करता है -]

सजय ने कहा - (७४) इस प्रकार शरीर को रोमांचित करनेवाला वासुदेव और महात्मा अर्जुन का यह अदभुत सवाद मैं सुना । (७५) व्यासजी के अनुग्रह से मैं यह परम गुह्य - यानी योग अर्थात् कर्मयाग - साक्षात् योगेश्वर स्वयं श्रीकृष्ण ही के मुख से सुना है ।

राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य संवाद्मिममद्भुतम् ।

केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः ॥ ७६ ॥

तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः ।

विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः ॥ ७७ ॥

यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्यो धनुर्धरः

तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम ॥ ७८ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे
मोक्षमन्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥

[पहले ही लिखे आये हैं, कि व्यास ने मजय को दिव्यदृष्टि दी थी; जिसमें रणभूमि पर होनेवाली मारी घटनाएँ उमे घर बैठे ही दिखायी देती थी। और उन्हीं का वृत्तान्त वह धृतराष्ट्र में निवेदन कर देता था। श्रीकृष्ण ने जिम योग का प्रतिपादन किया, वह कर्मयोग है (गीतारहस्य ४. १-३); और अर्जुन ने पहले उसे 'योग' (साम्ययोग) कहा है (गीता ६. ३३); तथा अब मंजय भी श्रीकृष्णार्जुन के संवाद को इस श्लोक में 'योग' ही कहता है। इसमें स्पष्ट है, कि श्रीकृष्ण, अर्जुन और मंजय, तीनों के मतानुसार 'योग' अर्थात् कर्मयोग ही गीता का प्रतिपाद्य विषय है। और अध्यायममाप्तिमूचक मकल्प में भी वही - अर्थात् योगशास्त्र - शब्द आया है। परन्तु योगेश्वर शब्द में 'योग' शब्द का अर्थ इसमें वही अधिक व्यापक है। योग का साधारण अर्थ कर्म करने की युक्ति, कुशलता या शैली है। उसी अर्थ के अनुसार कहा जाता है, कि बहुरूपिया योग में अर्थात् कुशलता में अपने स्वांग बना जाता है। परन्तु जब कर्म करने की युक्तियों में श्रेष्ठ युक्ति को ग्राहते हैं, तब कहना पड़ता है, कि जिम युक्ति में परमेश्वर मूल में अव्यक्त होने पर भी वह अपने आप को व्यक्त स्वरूप देता है, वही युक्ति अथवा योग मत्र में श्रेष्ठ है। गीता में इसी को 'ईश्वरी योग' (गीता ९. ५; ११. ८) कहा है। और वेदान्त में जिसे माया कहते हैं, वह भी वही है (गीता ७. २५)। यह अलौकिक अथवा अपटित्त योग जिसे माध्य हो जाय, उसे अन्य मत्र युक्तियों तो ह्राय का मूल है। परमेश्वर इन योगों का अथवा माया अधिपति है। अतएव उमे योगेश्वर अर्थात् योगों का स्वामी कहते हैं। 'योगेश्वर' शब्द में योग का अर्थ पातञ्जलयोग नहीं है।]

(७६) हे राजा (धृतराष्ट्र)! केशव और अर्जुन के इस अद्भुत एवं पुण्यकारक संवाद का स्मरण होकर मुझे बार बार हर्ष हो रहा है; (७७) और हे राजा! श्रीहरि के इस अत्यन्त अद्भुत चिन्सरूप की भी बार बार स्मृति होकर मुझे बड़ा विस्मय होता है; और बार बार हर्ष होता है। (७८) मेरा मन है, कि जहाँ योगेश्वर श्रीकृष्ण हैं और जहाँ धनुर्धर अर्जुन हैं वही श्री, विजय, शाश्वत ऐश्वर्य और नीति हैं।

[सिद्धान्त का सार यह है, कि जहाँ युक्ति और शक्ति दोनों एकत्रित होती हैं, वहाँ निश्चय ही ऋद्धि-सिद्धि निवास करती हैं। कोरी शक्ति से अथवा केवल युक्ति से काम नहीं चलता। जब जरासन्ध का वध करने के लिये मन्त्रणा हो रही थी, तब युधिष्ठिर ने श्रीकृष्ण से कहा है, कि 'अन्धं बलं जडं प्राहुः प्रणेतव्यं विचक्षणैः' (सभा. २०. १६) - बल अन्धा और जड़ है, बुद्धिमानों को चाहिये, कि उसे मार्ग दिखलावें; तथा श्रीकृष्ण ने भी कह कर, कि 'मयि नीतिर्वल भीमे' (सभा २०. ३) - मुझमें नीति है; और भीमसेन के शरीर में बल है - भीमसेन को साथ ले उसके द्वारा जरासन्ध का वध युक्ति से कराया है। केवल नीति बतलानेवाले को आधा चतुर समझना चाहिये। अर्थात् योगेश्वर यानी योग या युक्ति के ईश्वर और धनुर्धर अर्थात् योद्धा, ये दोनों विशेषण इस श्लोक में हेतुपूर्वक दिये गये हैं।]

इस प्रकार श्रीभगवान् के गाये हुए - अर्थात् कहे हुए - उपनिषद् में ब्रह्म-विद्यान्तर्गत योग - अर्थात् कर्मयोग - शास्त्रविषयक श्रीकृष्ण और अर्जुन के संवाद में मोक्षसंन्यासयोग नामक अठारहवाँ अध्याय समाप्त हुआ।

[ध्यान रहे, कि मोक्षसंन्यासयोग शब्द में संन्यास शब्द का अर्थ 'काम्य कर्मों का संन्यास' है, जैसा कि इस अध्याय के आरम्भ में कहा गया है। चतुर्थ आश्रमरूपी संन्यास यहाँ विवक्षित नहीं है; इस अध्याय में प्रतिपादन किया गया है, कि स्वधर्म को न छोड़ कर उसे परमेश्वर में मन से संन्यास अर्थात् समर्पित कर देने से मोक्ष प्राप्त हो जाता है। अतएव इस अध्याय का मोक्षसंन्यासयोग नाम रखा गया है।]

इस प्रकार बाल गंगाधर तिलककृत श्रीमद्भगवद्गीता का रहस्यमजीवन नामक प्राकृत अनुवाद टिप्पणीसहित समाप्त हुआ।

गंगाधर-पुत्र पूना-वासी महाराष्ट्र विप्र,

वैदिक तिलक बाल वृध ते विधीयमान।

'गीतारहस्य' किया श्रीश को समर्पित यह,

वार काल योग भूमि शक मे सुयोग जान।

॥ ॐ तत्सद्ब्रह्मार्पणमस्तु ॥

॥ शान्तिः पुष्टिस्तुष्टिश्चास्तु ॥

गीता के श्लोकों की सूची

श्लोकारम्भ	अ०	श्लो०	प०	श्लोकारम्भ	अ०	श्लो०	प०
ॐ तत्सदिनि निर्देशो	१७	२३	८५०	अधिष्ठान तथा कर्ता	१८	३४	८५०
ॐ इत्येकाक्षरं ब्रह्म	८	१३	७४५	अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं	१३	११	८००
अ				अध्येष्यते च य इमं	१८	७०	८६८
अकीर्तिं चापि भूतानि	०	३४	६३५	अनन्तविजय राजा	१	१६	६१६
अक्षरं ब्रह्म परम	८	३	७४१	अनन्तश्चाम्भि नागाना	१०	२९	७७२
अक्षराणामकारोऽस्मि	१०	३३	७७३	अनन्यचेता. मतत	८	१४	७४५
अग्निर्ज्योतिरहं शुक्लं	८	२५	७४८	अनन्याश्चिन्तयन्तो मा	९	२२	७५७
अच्छ्रेयोऽयमदाह्योऽय	०	२८	६३०	अनपेक्ष शुचिर्दक्ष	१२	१६	७९३
अजोपि मत्प्रव्ययान्मा	८	६	६३९	अनादिस्वातिर्गुणत्वान्	१३	३१	८०७
अन्नकाले च मामेव	८	५	७४३	अनादिमध्यान्नमनन्त	११	१९	७७९
अन्नवत्तु पृथु नैषा	७	०३	७३५	अनाश्रित कर्मणः	६	१	७०६
अन्नवन्न इमे दत्ता	०	१८	६३०	अनिष्टमिष्ट मिथ च	१८	१०	८४९
अत्र शूरा महैष्वामा	१	८	६१०	अनुद्देश्य वास्य	१७	१५	८३८
अथ केन प्रयुक्तोऽय	३	३६	६७४	अनुग्रह इय हिमा	१८	०५	८५४
अथ चित्तं ममाप्रात्	१०	९	७९०	अनश्रित्तविभ्रान्ता	१६	१६	८३१
अथ चेन्नमिमं धर्म्यं	०	३३	६३५	अनकदाहृदरवस्त्रनेत्र	११	१६	७७९
अथ चैनं नित्यजान	०	०६	६३०	अनश्रवत्प्रनयनम्	११	१०	७७८
अथवा योगिनामेव	६	१०	७००	अज्ञात्भवन्ति भूतानि	३	१४	६६२
अथवा दहतैतन	१०	८०	७७५	अन्य च वदत शरा	१	९	६१३
अथ ध्वस्मितान्दृष्ट्वा	१	००	६१६	अन्य त्वेवमजानन्त	१३	२५	८०६
अथैतदप्यश्वत्थोऽस्मि	१०	११	७९१	अत्र भवता जन्म	४	४	६७९
अदृष्टपूर्वं हृषिनोऽस्मि	११	८५	७८५	अपने निष्पानाशरा	८	३०	६९१
अदेवकाले यदात	१७	००	८३९	अपरयामिनस्त्वन्वा	७	७	७२९
अद्वेष्टा मदभूताना	१०	१३	७९३	अपर्याया तदन्मात्र	१	१०	६१३
अधर्मं धर्ममिति या	१८	३०	८५६	अपान जुह्वति प्राण	८	०९	६९०
अधर्मानिमित्वात्प्राण	१	४१	६०१	अपि च सुदुराचारे	९	३०	७६१
अध्वन्चोर्ध्वं प्रगृणा	१५	०	८१०	अपि चेदग्निं पापभ्य	८	३६	६९४
अधिमतं क्षरो शय	८	८	७४१	अप्रकारोऽप्रवृत्तिश्च	१८	१३	८११
अधिपतः कृष कोऽय	८	०	७४०	अप्रकाराभिभियंजो	१७	११	८३७
				अपय मन्वगृदि	१६	१	८०६

अभिसन्धाय तु फल	१७	१२	८३७	अह वैश्वानरो भूत्वा	१५	१४	८२३
अभ्यासयोगयुक्तेन ।	८	८	७४४	अह सर्वस्य प्रभव	१०	८	७६७
अभ्यानेऽप्यसमर्थोऽसि	१२	१०	७९१	अह हि सर्वयज्ञाना	९	२८	७५७
अमानित्वमदम्भित्व	१३	७	८००	अहिंसा सत्यमक्रोध	१६	२	८२६
अमी च त्वा धृतराष्ट्रस्य	११	२६	७८१	अहिंसा समता तुष्टि	१०	५	७६४
अमी हि त्वा सुरसघा	११	२१	७७९	अहो वत महत्पाप	१	४५	६२१
अयनेषु च सर्वेषु	१	११	६१८	अज्ञश्चाश्रद्धानश्च	४	४०	६९५
अयति धृद्वयोपेत	६	३७	७२१	आ			
अयुक्त प्राकृत म्त्तद्य	१८	२८	८५५	आख्याहि मे को भवान्	११	३१	७८१
अवजानन्ति मा मूढा	९	११	७५३	आचार्या पितर पुत्रा	१	३४	६१९
अवाच्यवादाश्च ब्रह्मन्	२	३६	६३६	आद्भ्योऽभिजनवानस्मि	१६	१५	८३१
अविनाशि तु तद्विद्धि	२	१७	६३०	आत्मसम्भाविता	१६	१७	८३१
अविभक्त च भूतेषु	१३	१६	८०२	आत्मीपम्यन सर्वत्र	६	३२	७१९
अव्यक्तादीनि भूतानि	२	२८	६३३	आदित्यानामह विष्णु	१०	२१	७७०
अव्यक्तान् चकनय सर्वा	८	१८	७४६	आपूर्वमाणमचलप्रतिष्ठ	२	७०	६५१
अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः	८	२१	७४७	आब्रह्मभुवनाल्लोका	८	१६	७४५
अव्यक्ताऽयमचिन्त्योऽय	२	२५	६३२	आयुधानामह वज्र	१०	२८	७७२
अव्यक्त व्यक्तिमापन्न	७	२४	७३६	आयु सत्त्वबलाराग्य	१७	८	८३६
अशान्त्रविहित घोर	१७	५	८३६	आरुक्षोर्मुनयोऽग	६	३	७०७
अशोच्यानन्वशोचस्त्व	२	११	६२६	आवृत ज्ञानमेतेन	३	३९	६७४
अश्रद्धाना पुरुषा	९	३	७५१	आशापाशशतैर्वद्धा	१६	१२	८३१
अश्रद्धया हृत दत्त	१७	२८	८४१	आश्चर्यवत्पश्यति	२	२९	६३३
अश्वन्थ सर्ववृक्षाणा	१०	२६	७७२	आसुरी योनिमापन्ना	१६	२०	८३२
असक्तनुद्धि सर्वत्र	१८	४९	८६१	आहारस्तवपि सर्वस्य	१७	७	८३६
अमवितरनभिष्वग	१३	९	८००	आहुस्त्वामृषयः सर्वे	१०	१३	७६८
अमत्यमप्रतिष्ठ त	१६	८	८२८	इ			
अमी मया हन शत्रु	१६	१४	८३१	इच्छाद्वेषसमत्यन	७	२७	७३७
अमयतात्मना योग	६	३६	७२०	इच्छा द्वेष सुख दुःख	१३	६	७९९
अमशय महाबाहा	६	३५	७२०	इति गुह्यतम शास्त्र	१५	२०	८२५
अस्माः तु विशिष्टा ये	१	७	६१३	इति त ज्ञानमारयात	१८	६३	८६५
अह नतुरह यज्ञ	९	१६	७६३	इति क्षत्र तथा ज्ञान	१३	१८	८०३
अहकार बल दर्प	१६	१८	८३२	इत्यर्जुन वामुदेव	११	५०	७८६
अहकार बल दर्प	१८	५३	८६३	इत्यह वामुदेवस्य	१८	७४	८६९
अहमात्मा गुडाकेश	१०	२०	७७०	इतमद्य मया लुब्ध	१६	१३	८३१

इदं तु ते गुह्यतमं	१	१	७५०	एताम हन्तुमिच्छामि	१	३५	६१९
इदं ते नानपस्काय	१८	६७	८६८	एतान्यपि तु कर्माणि	१८	६	८४७
इदं शरीरं कौन्तेय	१३	१	७९७	एता दृष्टिमवष्टभ्य	१६	९	८३०
इदं ज्ञान गुपाश्रित्य	१४	२	८०९	एतां विभूति योगं च	१०	७	७६७
इन्द्रियस्वेन्द्रियस्यार्थे	३	३४	६७२	एतैविमुक्तः कौन्तेय	१६	२२	८३२
इन्द्रियाणि पराण्याहः	३	४२	६७५	एवमुक्तो हृषीकेशी	१	२४	६१७
इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः	३	४०	६७५	एवमुक्त्वाऽर्जुनः संख्ये	१	४७	६२२
इन्द्रियार्थेषु वैराग्यं	१३	८	८००	एवमुक्त्वा ततो राजन्	११	९	७७८
इन्द्रियाणा हि चरता	२	६७	६५१	एवमुक्त्वा हृषीकेशं	२	९	६२५
इम विवस्वते योगं	४	१	६७६	एवमेतद्यथात्थ त्वं	११	३	७७६
इष्टान भोगान्हि वो	३	१२	६६१	एवं परंपराप्राप्तं	४	२	६७६
इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं	११	७	७७७	एवं प्रवर्तितं चक्रं	३	१६	६६३
इहैव तैजितः मर्गः	५	१९	७०३	एवं बहुविधा यज्ञाः	४	३२	६९२
ई				एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा	३	४३	६७५
ईश्वरः सर्वभूताना	१८	६१	८६५	एवं सततयुक्ता ये	१२	१	७८९
उ				एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म	४	१५	६८३
उच्चैः श्रवसमश्वानां	१०	२७	७७२	एषा तेऽभिहिता सांख्ये	१	३९	६३७
उत्क्रामन्तं स्थित वापि	१५	१०	८२२	एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ	२	७२	६५२
उत्तमः पुष्पत्वन्व्यः	१५	१७	८५५	क			
उत्सन्नकुलधर्माणां	१	४४	६२१	कच्चिन्नोभयविघ्नष्टः	६	३८	७२१
उत्सीदियुरिमे लोकाः	३	२४	६६८	कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ	१८	७२	८६९
उदाराः सर्व एवैते	७	१८	७३३	कट्वम्ललवणात्युष्ण	१७	९	८३६
उदामीनवदासीनः	१४	२३	८१४	कथ ए ज्ञेयमस्माभिः	१	३९	६२०
उद्धरेदात्मनाऽऽत्मानं	६	५	७१०	कथं भीष्ममहं सद्ये	२	४	६२३
उपद्रष्टानुमन्ता च	१३	२२	८०५	कथ विद्यामहं योगिन्	१०	१७	७६९
ऊ				कर्मजं बुद्धियुक्ता हि	२	५१	६४६
ऊर्ध्वगच्छन्ति सत्त्वस्थाः	१८	१८	८१२	कर्मणः मुक्तस्याहः	१४	१६	८१२
ऊर्ध्वमूलमधःशास्त्र	१५	१	८१६	कर्मणेव हि मंसिद्धि	३	२०	६६७
ऊ				कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं	४	१७	६८३
ऊर्ध्वमिबंहुधा गीत	१३	४	७९८	कर्मण्यकर्म यः पश्येत्	४	१८	६८३
ए				कर्मण्येवाधिकारस्ते	२	४७	६४३
एतच्छ्रुत्वा वचन	११	३५	७८२	कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि	३	१५	६६२
एतद्योनीनि भूतानि	७	६	७२९	कर्मैन्द्रियाणि संयम्य	३	६	६५७
एतन्मे मशयं कृष्ण	६	३९	७२१	कर्मयन्तः शरीरस्थं	१७	६	८३६

कवि पुराणमनुशासितारं	८	९	७४४	गुह्यनहत्वा हि महानु०	२	५	६२४
कस्माच्च ते न नमेरन्	११	३७	७८३	च			
काम एष क्रोध एष	३	३७	६७४	चंचलं हि मनः कृष्ण	६	३४	७१९
कामक्रोधवियुक्तानां	५	२६	७०४	चतुर्विधा भजन्ते मां	७	१६	७३३
काममाश्रित्य दुष्पूरं	१६	१०	८३०	चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं	४	१३	६८२
कामात्मानः स्वर्गपरा	२	४३	६३९	चिन्तामपरिमेयां च	१६	११	८३१
कामैस्तैस्तैर्हृन्जानाः	७	२०	७३४	चेतसा सर्वकर्माणि	१८	५७	८६४
काम्याना कर्मणां न्यामं	१८	२	८४५	ज			
कायेन मनसा बुद्ध्या	५	११	७००	जन्म कर्म च मे दिव्यं	४	५७	६८०
कार्पण्यदोषोपहत	२	७	६२४	जरामरणमोक्षाय	७	२९	३३७
कार्यकारणकर्तृत्वे	१३	२०	८०४	जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः	२	२७	६३२
कार्यमित्येव यत्कर्म	१८	९	८४८	जितात्मनः प्रशान्तस्य	६	७	७११
कालोऽस्मि लोकक्षय	११	३२	७८१	ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते	३	१	६५४
काश्यश्च परमेष्वासः	१	१७	६१६	ज्योतिषामपि तज्ज्योति	१३	१७	८०२
कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं	४	१२	६८१	त			
किं कर्म किमकर्मेति	४	१६	६८३	तं तथा कृपयाविष्ट	२	१	६२३
किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं	८	१	७४०	ततः प्रद तत्परिमार्गि०	१५	४	८२०
किं पुनर्बाह्याणाः पुण्य	९	३३	७६१	तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य	१८	७७	८७०
किरीटिनं गदिनं चक्र०	११	४६	७८५	ततः शंखाश्च भेर्यश्च	१	१३	६१५
किरीटिनं गदिनं चक्रिणं	११	१७	७७९	ततः श्वेनैर्हयैर्युक्ते	१	१४	६१५
कुतस्त्वा कप्पलमिदं	०	२	६२२	ततः सविस्मयाविष्टो	११	१४	७७८
कुलक्षये प्रणश्यन्ति	१	४०	६२०	तत्त्ववित्तु महाबाहो	३	२८	६७०
कृपया परयाविष्टो	१	२८	६१८	तत्र तं बुद्धिसंयोगं	६	४३	७२२
कृपिगोरक्ष्यवाणिज्यं	१८	४४	८६०	तत्र मत्त्वं निर्मलत्वात्	१४	६	८१०
कैलिंगैस्त्रीन्गुणानेतान्	१४	२१	८१३	तत्रापश्यत्स्थितान्पार्थः	१	२६	६१८
क्रोधाद्भवति सम्मोहः	२	६३	६५०	तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं	११	१३	७७८
कलैर्ब्यं मास्मगमः पार्थ	२	३	६२२	तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा	६	१२	७१३
क्लेशोऽधिकतरस्तेष	१२	५	७८९	तत्रैव सति कर्ता	१८	१६	८५०
ग				तत्क्षेत्र यच्च यादृक्च	१३	३	७९८
गतसंगस्य मुक्तस्य	४	२३	६८७	तदित्यनभिसन्धाय	१७	२५	८४१
गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी	९	१८	७५५	तद्बुद्धयस्तदात्मानः	५	१७	७०२
गाण्डीवं संसते हस्तात्	१	३०	६१८	तद्विद्धि प्रणिपातेन	४	३४	६९३
गामाविश्य च भूतानि	१५	१३	८२३	तपस्विभ्योऽधिको योगी	६	४६	७२४
गुणानेतानतीत्य वीन्	१४	२०	८१३	तपाम्यहमहं वपं	९	१९	७८४

तमस्त्वज्ञानजं विद्धि	१४	८	८१०	दण्डो दमयतामस्मि	१०	३८	७७४
तमुवाच हृषीकेशः	२	१०	६०५	दम्भो दपौंभिमानम्	१६	४	८२७
तमेव शरणं गच्छ	१८	६२	८६५	दंष्ट्राकरालानि च ते	११	२५	७८०
नं विद्याद्दुःखसंयोग	६	२३	७१६	दातव्यमिति यदाह	१७	२०	८३९
तस्माच्छास्त्र प्रमाणं ते	१६	२४	८३३	दिवि सूर्यमहश्मस्य	११	१२	७७८
तस्मात्प्रणम्य प्रणिधाय	११	४८	७८८	दिश्यमाल्याम्बरधर	११	११	७७८
तस्मात्स्वमिन्द्रियाभ्यादां	३	४१	६७५	दुःखमित्येव यत्कर्म	१८	८	८४८
नस्मान्बभूविति यथा	११	३३	७८०	दुःखेष्वनुद्विग्नमना	१०	५६	६४७
नस्मात्सर्वेषु कालेषु	८	७	७४३	दूरेण ह्यवरं वरं	०	४९	६४४
तेरमादमन्तः मनतं	३	१०	६६४	दृष्ट्वा तु पादबानीव	१	०	६१२
तस्मादज्ञानमम्भतं	४	४०	६०५	दृष्ट्वेदं मानुषं स्प	११	५१	७८६
नस्मादोमित्युदाहृत्य	१७	२८	८८०	देवद्विजगुरुप्राज्ञ	१७	१८	८३८
नस्माद्यस्य महाबाहो	२	६८	६५१	देवान्भावयतानेन	३	११	६६०
नस्मात्प्रार्हा वयं ह्य	१	३७	६१०	देहिनांश्मिन्यथा देहे	२	१३	६२७
नस्य मजनयन् हर्षं	१	१२	६१५	देही नित्यमवध्योऽयं	२	३०	६३४
नानह द्विपतः शूरान्	१६	१०	८३०	देवमेवापरे यज्ञ	४	०५	६८८
तानि सर्वाणि भयस्य	०	६१	६६०	देवी ह्येषा गुणमयी	७	१४	७३२
नुत्यनिन्दाम्नुतिमोनी	१२	१०	७९८	देवी सर्वाद्भ्रमोक्षाय	१६	५	८२८
नेज धमा धृतिः शौच	१६	३	८०६	दोषैर्नैः कृच्छ्राना	१	४३	६२१
ते न भूक्त्वा स्वर्गलोक	१	२१	७५६	द्यावापृथिव्योर्गिदम्	११	२०	७७९
तेषामह ममुदना	१०	७	७९०	द्यूतं शून्यनामस्मि	१०	३६	७७४
तेषामेवानुक्थ्याथं	१०	११	७६८	द्रव्ययज्ञान्नपोयज्ञा	४	२८	६९०
तेषा मनतयुक्ताना	१०	१०	७६८	द्रुपदो द्रौपदेयाश्च	१	१८	६१६
तेषा ज्ञानी नित्ययुक्त	७	१७	७३३	द्रौण च भीष्म च	११	३४	७८२
त्यक्त्वा कर्मफलामग	४	२०	६८६	द्राविणो पुरुषो लोके	१५	१६	८२४
त्याज्य दोषवदित्येके	१८	३	८८६	द्रो भूतमणो लोकेऽ	१६	६	८२८
त्रिभिर्गुणमर्भावे	७	१३	७३०				
त्रिविधा भवति श्रद्धा	१७	०	८३४				
त्रिविध नश्यत्प्रेद	१६	२१	८३०	धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे	१	१	६११
त्रैगुण्यविषया वेदाः	०	८५	६४०	धूमो रात्रिस्तथा वृष्णः	८	२५	७४८
त्रैविद्या मा मांमपा पूत	९	२०	७५६	धूमेनाश्रियते वह्निः	३	३८	६७४
त्वमशरः परम वेदितव्य	११	१८	७३९	धृत्या यथा धारयते	१८	३३	८५६
त्वमादिदेव पुण्य	११	३८	७८३	धृष्टनेतुञ्चेकितानः	१	५	६१२
				ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति	१३	२४	८०६

ध्यायतो विषयान्पुंस	७	६२	६४९	नासता विद्यते भावा	७	१६	६२०
न				नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य	२	६६	६५७
न कर्तृत्व न कर्माणि	५	१४	७०१	नाह प्रकाश सर्वस्य	७	२६	७३६
न कर्मणामनारम्भात्	३	४	६५५	नाह वेदैर्न तपसा	११	५३	७८७
न काक्षे विजय वृष्ण	१	३२	६१९	निमित्तानि च पश्यामि	१	३१	६१८
न च तस्मान्मनुष्येषु	१८	६९	८६८	नियतस्य तु मन्यास	१८	७	८४८
न च मत्स्थानि भूतानि	९	५	७५१	नियत कुरु कर्म त्व	३	८	६५८
न च मा तानि कर्माणि	९	९	७५२	नियत सगरहित	१८	२३	८५४
न चैतद्विद्य कतरनो	२	६	६२८	निराशीर्यंतचित्तात्मा	८	२१	६८६
न जायते म्रियत वा	७	२०	६३१	निर्मानमाहा जितसग०	१५	५	८२१
न तदस्ति पृथिव्या	१८	४०	८५८	निश्चय शृणु मे तत्र	१८	४	८४७
न तद्भामयते सूर्यो	१५	६	८२१	निहत्य धार्तराष्ट्रान्न	१	३६	६१९
न तु मा शक्यमे द्रष्टु	११	८	७७८	नर्हामिन्नमनाशास्ति	७	८०	६३७
न त्वेवाह जातु नास	७	१२	६२६	नैते मृती पार्थ जानन्	८	२७	७४९
न द्वेष्टन्नबुशल कर्म	१८	१०	८४९	नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि	७	२३	६३१
न प्रहृष्यतिप्रिय प्राप्य	५	२०	७०३	नैव किञ्चित्करामीति	५	८	७००
न बुद्धिभेद जनयत्	३	२६	६६९	नैव तस्य कृतेनार्थो	३	१८	६६४
नभ स्पृश दीप्तमनेक	११	२४	७८०				
नम पुरस्तादथ पृष्ठ	११	४०	७८३	पचैतानि महाबाहा	१८	१३	८५०
न मा कर्माणि लिम्पन्ति	४	१४	६८७	पत्र पुष्प फल ताय	९	२६	७५९
न मा टुष्कृतिना मूढा	७	१५	७३२	परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो	८	२०	७४७
न मे पार्थास्ति कर्तव्य	३	२२	६६८	पर ब्रह्म पर धाम	१०	१२	७६८
न मे विदु सुरगणा	१०	७	७६३	पर भूय प्रवक्ष्यामि	१४	१	८०९
न रूपमस्येह तथा०	१५	३	८२०	परित्राणाय साधूना	४	८	६८०
न वेदयज्ञाध्ययनैर्न	११	४८	७८६	पवन पवतामन्मि	१०	३१	७७३
नष्टो मोह स्मृति	१८	७३	८६९	पश्य मे पार्थ रूपाणि	११	५	७७७
न हि कश्चित्क्षणमपि	३	५	६५५	पश्यादित्यान्वसून्क्रदान्	११	६	७७७
न हि देहभृता शक्य	१८	११	८४९	पश्याम देवास्त्व दव	११	१५	७७९
न हि प्रपश्यामि ममाप०	२	८	६२५	पश्यता पाण्डुपुत्राणा	१	३	६१२
न हि ज्ञानेन सदृश	४	३८	६९४	पार्थ नैवह नापुत्र	६	४०	७२२
नान्तोऽस्ति मम	१०	४०	७७५	पाचजन्य हृषीकेशो	१	१५	६१५
नात्यश्नतस्तु योगो	६	१६	७१४	पिताऽसि लोकस्य चरा०	११	४३	७८४
नादत्ते कस्यचित्पाप	५	१५	७०२	पिताऽहमस्य जगता	९	१७	७५४
नान्य गुणेष्य कर्तार	१४	१९	८१३	पुण्यो गन्ध पृथिव्या च	७	९	७३१

पुरुष प्रवृत्तिरथो हि	१३	२१	८०५	बृहत्साम तथा साम्ना	१०	३५	७७४
पुरुष स पर पार्थ	८	२२	७४७	ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाऽह	१८	२७	८१५
पुरोधसा च मुख्य मा	१०	२४	७७१	ब्रह्मण्याधाय कर्माणि	५	१०	७००
पूर्वाभ्यासेन तेनैव	६	४४	७२२	ब्रह्मभूत प्रमत्तात्मा	१८	५४	८६३
पृथक्त्वेन तु यज्जान	१८	२१	८५३	ब्रह्मापग ब्रह्म हवि	४	२४	६८८
प्रकाश च प्रवृत्ति च	१४	२२	८१८	ब्राह्मणक्षत्रियविशा	१८	४१	८५९
प्रवृत्ति पुरुष चैव	१३	१९	८०२				
प्रवृत्ति स्वामवष्टभ्य	९	८	७५२	भ			
प्रवृत्त त्रियमाणानि	३	२७	६७०	भवया त्वनन्यया शक्य	११	५४	७८७
प्रवृत्तगुणसम्भूदा	३	२९	६७०	भक्त्या मामभिजानाति	१८	५५	८६३
प्रवृत्त्यैव च कर्माणि	१३	२९	८०७	भयाद्रणादुपरत	०	३५	६३६
प्रजहाति यदा कामान्	२	५५	६६७	भवात् भीष्मश्च वर्णश्च	१	८	६१३
प्रयत्नाद्यतमानस्तु	६	४५	७२२	भवाप्ययी हि भूताना	११	०	७७६
प्रयाणकारे नमसा	८	१०	७६४	भीष्मद्राणप्रमुखत	१	०५	६१८
प्रत्पन्विमृजन्गृह्ण	५	९	७००	भूतग्राम स एवाय	८	१९	७६७
प्रवृत्ति च निवृत्ति च	१६	७	८२८	भूमिरापोऽनलो वायु	७	४	७२९
प्रवृत्ति च निवृत्ति च	१८	३०	८७६	भूय एव महावाहा	१०	१	७६३
प्रशान्तमनस ह्येन	६	२७	७१७	भावतार धनतपसा	७	२९	७०५
प्रशान्तात्मा विगतभी	६	१४	७१३	मार्गश्चर्यप्रमक्नाना	०	४४	६३९
प्रसादे सर्वदुःखाना	२	६५	६५०				
प्रहादश्चास्मि दैत्याना	१०	३०	७७३	मच्चित्त सर्वदुर्गाणि	१८	५८	८६५
प्राप्य पुण्यवृत्ताँल्लोकान्	६	४१	७००	मच्चित्ता मद्गनप्राणा	१०	९	७६८
				मत्कर्मवृन्मत्परमा	११	५५	७८७
य				मत्त परतर नान्यत्	७	७	७०९
बल बलवतामस्मि	७	११	७३१	मदनुग्रहाय परम	११	१	७७६
बहिरन्तश्च भूताना	१३	१७	८००	मन प्रसाद सौम्यत्व	१७	१६	८३८
बहुना जन्मनामन्ते	७	१९	७३३	मनुष्याणा सहस्रेषु	७	३	७०८
बहूनि भ व्यतीतानि	४	१	६७९	मन्मना भव मद्भक्तता	९	३४	७६३
बन्धुरात्मात्मनस्तस्य	६	६	७१०	मन्मना भव मद व्रतो	१८	६५	८६७
बाह्यस्पर्शस्वसक्नात्मा	५	०१	७०३	मन्यमे यदि तच्छक्य	११	८	७७६
बीज मा सर्वभूताना	७	१०	७३१	मम यानिर्महद्ब्रह्म	१४	३	८१०
बुद्धियुक्ता जहानीह	०	५०	६७७	मर्गवाशा जीवलात्रे	१५	७	८२१
बुद्धिर्नानममम्माह	१०	४	७६८	मया तनमिद सर्वं	९	८	७५१
बद्धेभेद धृतेश्चैव	१८	२९	८५५	मयाध्यक्षेण प्रवृत्ति	९	१०	७१०
बुद्धना विशुद्धया युक्त	१८	५१	८६३	मया प्रमत्तेन तत्राचुनेद	११	८७	७८५

मयि चानन्ययोगेन	१३	१०	८००	यत्तु कामेप्सुना कर्म	१८	२४	८५४
मयि सर्वाणि कर्माणि	३	३०	६७१	यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन्	१८	२२	८५३
मय्यावेश्य मनो ये मा	१२	२	७८९	यत्तु प्रत्युपकारार्थं	१७	२१	८३९
मय्यासक्तमनाः पार्थ	७	१	७२७	यत्र काले त्वनावृत्ति	८	२३	७४८
मध्येव मन आधत्स्व	१२	८	७९०	यत्र योगेश्वर कृष्णो	१८	७८	८७०
महर्षयः सप्त पूर्वै	१०	६	७६४	यत्रोपरमते चित्त	६	२०	७१५
महर्षीणा भृगुरह	१०	२५	७७२	यत्साध्यं प्राप्यते स्थान	५	५	६९९
महात्मानस्तु मा पार्थ	९	१३	७५३	यथाकाशस्थितो नित्य	९	६	७५१
महाभूतान्यहकारो	१३	५	७९९	यथा दीपो निवातस्थो	६	१९	७१५
मा च योज्यभिः	१४	२६	८१५	यथा नदीना बहवोऽम्बु०	११	२८	७८१
मा ते व्यथा मा च	११	४९	७८६	यथा प्रकाशयत्येक	१३	३३	८०८
मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय	२	१४	६२७	यथा प्रदीप्त ज्वलन	११	२९	७८१
मानापमानयोस्तुल्य	१४	२५	८१४	यथा सर्वगत सौधम्यात्	१३	३२	८०७
मामुपेत्य पुनर्जन्म	८	१५	७४५	यथैधासि समिद्धोऽग्नि	४	३७	६९४
मा हि पार्थ व्यपाश्रित्य	९	३२	७६१	यदग्ने चानुबन्धे च	१८	३९	८५८
मुक्तसङ्गोऽनहवादी	१८	३६	८५५	यदहङ्कारमाश्रित्य	१८	५९	८६५
मूढग्राहेणात्मनो यत्	१७	१९	८३९	यदक्षर वेदविदो	८	११	७४४
मृत्युं सर्वहरश्चाह	१०	३४	७७३	यदा ते मोहकलिल	२	५२	६४६
मोघाशा मोघकर्माण.	९	१२	७५३	यदादित्यगत तेजो	१५	१२	८२३
य				यदा भूतपृथग्भाव	१३	३०	८०७
य इद परम गुह्य	१८	६८	८६८	यदा यदा हि धर्मस्य	४	७	६८०
य एन वेत्ति हन्तार	२	१९	६३१	यदा विनियत चित्त	६	१८	७१५
य एव वेत्ति पुरप	१३	२३	८०५	यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु	१४	१४	८१२
यच्चापि सर्वभूताना	१०	३९	७७४	यदा सहरते चाय	२	५८	६४७
यच्चावहासाथमसत्कृतो	११	४२	७८४	यदा हि नेन्द्रियायैषु	६	४	७१०
यजन्ते सात्त्विका देवान्	१७	४	८३५	यदि मामप्रतीकार	१	४६	६२१
यज्जात्वा न पुनर्मोहम्	४	३५	६९३	यदि ह्यय न वर्तेय	३	२३	६६८
यततो ह्यपि कौन्तेय	२	७०	६४८	यदृच्छया चोपपन्न	२	३२	६३५
यत प्रवृत्तिर्भूताना	१८	४६	८६०	यदृच्छालाभसन्तुष्टो	४	२२	६८७
यतेन्द्रियमनोबुद्धि	५	२८	७०५	यद्यदाचरति श्रेष्ठ	३	२१	६६७
यतो यतो निश्चरति	६	२६	७१७	यद्यद्विभूतिमत्सत्त्व	१०	४१	७७५
यतन्तो योगिनश्चैनम्	१५	११	८२०	यद्यप्यते न पश्यन्ति	१	३८	६२०
यत्करोपि यदश्नासि	९	२७	७५९	य य वापि स्मरन्	८	६	७४३
यत्तदग्ने त्रिपमिव	१८	३७	८५७	यथा तु धर्मकामार्थान्	१८	३४	८५६

यथा धर्ममधर्मश्च	१८	३१	८५६	ये यथा मा प्रपद्यन्ते	८	११	६८१
यथा स्वप्न भयं शोक	१८	३५	८५६	ये शास्त्रविधिमुन्मूज्य	१७	१	८३४
यं लब्ध्वा चापरं लाभं	६	२२	७१६	येपामर्थे काञ्चिनं नो	१	३३	६१९
य मन्याममिति प्राहुः	६	२	७०७	येषा त्वन्तगतं पार्थ	७	२८	७३७
य हि न व्यथयन्त्येते	२	१५	६२८	ये हि मम्पर्णजा भोगा	५	२२	७०८
यः सर्वदानभिस्तेहः	२	५७	६४७	योगयुक्तानां विशुद्धात्मा	५	७	६१९
यन्मदान्मरतिरेव म्यान्	३	१७	६६४	योगमन्यन्मरुमार्ण	४	४१	६९५
यस्मिन्न्द्रियाणि मनसा	३	७	६५७	योगस्यः कुरु कर्माणि	२	४८	६४८
यन्मात्क्षरमतीतोऽहम्	१५	१८	८२४	योगिनामपि सर्वेषां	६	४७	७२५
यन्मात्तोद्विजते लोको	१२	१५	७९३	योगी युजीत मननं	६	१०	७१०
यस्य नाहंशुनो भावो	१८	१७	८५०	योत्स्यमानानवेक्षेऽहं	१	२३	६१६
यस्य सर्वे ममाग्भाः	४	१९	६८६	यो न हृष्यति न द्वेष्टि	१०	१७	७९४
यज्ञदानतपः कर्म	१८	५	८४७	योऽन्तःसुखोऽन्तराराम	५	२४	७०८
यज्ञशिष्टामृतभुजो	४	३१	६९१	यो मामजमनादि च	१०	३	७६८
यज्ञशिष्टाग्निः सन्तो	३	१३	६६१	यो मात्रेवमममूढो	१५	१९	८०५
यज्ञार्थान्कर्मणोऽन्यत्र	३	९	६५९	यो मा पश्यति सर्वत्र	६	३०	७१८
यज्ञे तपमि दाने च	१७	२७	८६१	यो यो या या ननु भयनः	७	२१	७३८
यानयाम गतरम्	१७	१०	८३७	योऽय योगस्त्वया प्राप्तः	६	३३	७१९
या निशा सर्वभूतानाम्	२	६९	६५७	युजन्नेव मदाऽऽत्मानम्	६	१५	७१४
यामिमा पुष्पिता वाच	०	८२	६३९	युजन्नेव मदाऽऽत्मानम्	६	२८	७१७
यावन् राजायते किञ्चित्	१३	२६	८०६	या. शास्त्रविधिमुन्मूज्य	१६	२३	८३२
यावदेताग्निरीक्षेह	१	२२	६१६	र			
यावानर्थ उदपाने	०	६६	६६१	रजस्ममश्चाभिभूय	१४	१०	८११
यान्ति देवव्रता देवान्	९	२५	७५८	रजमि प्रलय गत्वा	१४	१५	८१२
युक्तः कर्मफल न्यक्त्वा	५	१२	७०१	रजो रागात्मक विद्धि	१८	७	८१०
युवनाहारविहारस्य	६	१७	७१८	रमोऽहमप्यु कौन्तेय	७	८	७३०
युधामन्युश्च विप्रान्त	१	६	६१०	रागद्वेषवियुक्तस्तु	२	६४	६५०
ये चैव मात्स्विना भावा	७	१२	७३१	रागी कर्मफलप्रेप्सुः	१८	२७	८५५
ये तु धर्म्मामृतमिदम्	१०	२०	७९५	राजन् मम्मृत्य सस्मृत्य	१८	७६	८७०
ये तु सर्वाणि कर्माणि	१२	६	७८९	राजविद्या राजगुह्य	९	२	७५०
ये त्वक्षरमनिर्देश्य	१२	३	७८९	शूद्राणा शकुरश्चास्मि	१०	२३	७७१
ये त्वेतदभ्यमूयन्तो	३	३२	६७१	शूद्रादित्या वसवो ये च	११	२२	७८०
येऽप्यन्यदेवतामवना	९	२३	७५७	स्य महते बहवक्त्रनेत्र	११	२३	७८०
ये मे मनमिद नित्यम्	३	३१	६७१	ल			
				रुमन्ते ब्रह्मनिर्वाण	५	२५	७०४

लैलह्यसे ग्रसमानः	११	३०	७८१	श्रद्धया परया तप्तं	१७	१७	८३८
लोकेऽस्मिन्द्विविधा निष्ठा	३	३	६५४	श्रद्धावाननसूयश्च	१८	७१	८६८
लोभः प्रवृत्तिरारम्भः	१४	१२	८११	श्रद्धावाँल्लभते ज्ञानं	४	३९	६९५
व				श्रुतिविप्रतिपन्ना ते	२	५३	६४६
वक्तुमर्हस्यशेषेण	१०	१६	७६९	श्रेयान्द्रव्यमयाद्यज्ञात्	४	३३	६९३
वक्त्राणि ते त्वरमाणा	११	२७	७८१	श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः	३	३५	६७३
वायुर्यमाऽग्निर्वरुणः	११	३९	७८३	श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः	१८	४७	८६१
वासांसि जीर्णानि	२	२२	६३१	श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात्	१२	४२	७९१
विद्याविनयसम्पन्ने	५	१८	७०२	श्रोत्रादीनीन्द्रियाप्येन्ये	४	२६	६८९
विधिहीनमसृष्टान्नं	१७	१३	८३७	श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च	१५	९	८२२
विविक्तसेवी लघ्वाशी	१८	५२	८६३	श्वशुरान्मुहुद्दश्चैव	१	२७	६१८
विपया विनिवर्तन्ते	२	५९	६४८	स			
विपयेन्द्रियसंयोगात्	१८	३८	८५८	स एवायं मया तेऽद्य	४	३	६७७
विस्तरेणात्मनो योगं	१०	१८	७६९	सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो	३	२५	६६९
वियाह कामान्यः सर्वान्	२	७१	६५२	सखेति मत्वा प्रसभं	११	४१	७८४
वीतरागभयक्रोधः	४	१०	६८०	स घोपो धार्तराष्ट्राणां	१	१९	६१६
वृष्णीना वासुदेवोऽस्मि	१०	३७	७७४	सततं कीर्तयन्तो मा	९	१४	७५३
वेदाना सामवेदोऽस्मि	१०	२२	७७०	स तथा श्रद्धया युक्तो	७	२२	७३५
वेदाविनाशिनं नित्यं	२	२१	६३१	सत्कारमानपूजार्थं	१७	१८	८३९
वेदाह समतीतानि	७	२६	७३७	सत्त्वात्तजायते ज्ञान	१४	१७	८१२
वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव	८	२८	७४९	सत्त्वं रजस्तम इति	१४	५	८१०
व्यवसायात्मिका बुद्धिः	२	४१	६३८	सत्त्वं सुखे सजयति	१४	९	८११
व्यामिश्रेणेव वाक्येन	३	२	६५४	सत्त्वानुरूपा सर्वस्य	१७	३	८३४
व्यामप्रसादाच्छ्रुतवान्	१८	७५	८६९	सदृशं चेष्टते स्वस्याः	३	३३	६७२
श				सद्भावे साधुभावे च	१७	२६	८४१
शक्नोतीहैव यः सोढु	५	२३	७०४	समद्दुःखसुखः स्वस्थः	१४	२४	८१४
शनैः शनैरुपरमेत्	६	२५	७१७	समोऽहं सर्वभूतेषु	९	२९	७६०
शमो दमस्तपः शौचं	१८	४२	८५९	सम कायशिरोग्रीवं	६	१३	७१३
शरीर यदवाप्नोति	१५	८	८२१	समं पश्यन्हि सर्वत्र	१३	२८	८०७
शरीरवाङ्मनोभिर्यत्	१८	१५	८५०	समं सर्वेषु भूतेषु	१३	२७	८०६
शुक्लकृष्णे गती ह्येते	८	२६	७४८	समः शत्रौ च मित्रे च	१२	१८	७९४
शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य	६	११	७१३	सर्गाणामादिरन्तश्च	१०	३२	७७३
शुभाशुभफलैरेवं	९	२८	७६०	सर्वकर्माणि मनसा	५	१३	७०१
शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं	१८	४३	८६०	सर्वकर्माण्यपि सदा	१८	५६	८६३

सर्वगुह्यतमं भूयः	१८	६४	८६६	संन्यासस्तु महाबाहो	५	६-६९९
सर्वतः पाणिपादं तत्	१३	१३	८०१	संन्यासस्य महाबाहो	१८	१ ८४४
सर्वद्वाराणि संयम्य	८	१२	७४४	संन्यासः कर्मयोगश्च	५	२ ६९७
सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन्	१४	११	८११	संन्यासं कर्मणां कृष्ण	५	१ ६९७
सर्वधर्मान्परित्यज्य	१८	६६	८६७	सांख्ययोगी पृथग्वालाः	५	४ ६९९
सर्वभूतास्यत्मानं	६	२९	७१८	स्थाने हृषीकेश तव	११	३६ ७८२
सर्वभूतस्थितं यो मां	६	३१	७१८	स्थितप्रज्ञस्य का भाषा	२	५४ ६४७
सर्वभूतानि कीर्त्तेय	९	७	७५२	स्पर्शान्कृत्वा बहिर्वाह्यान्	५	२७ ७०५
सर्वभूतेषु येनैकं	१८	२०	८५२	स्वधर्ममपि चावेक्ष्य	२	३१ ६३५
सर्वमेतदृतं मन्ये	१०	१४	७६९	स्वभावजेन कौन्तेय	१८	६० ८६५
सर्वयोनिषु कौन्तेय	१४	४	८१०	स्वयमेवात्मनात्मानं	१०	१५ ७६९
सर्वस्य चाहं हृदि	१५	१५	८२३	स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः	१८	४५ ८६०
सर्वाणीन्द्रियकर्माणि	४	२७	६८९	ह		
सर्वेन्द्रियगुणाभासं	१३	१५	८०२	हन्त ते कथयिष्यामि	१०	१९ ७७०
सहजं कर्म कौन्तेय	१८	४८	८६१	हतो वा प्राप्यस्यसि स्वर्गं	२	३७ ६३६
सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा	३	१०	६६०	हृषीकेशं तदावाक्यं	१	२१ ६१६
सहस्रयुगपर्यन्तं	८	१७	७४६	क्ष		
साधिभूताधिदैवं मां	७	३०	७३७	क्षिप्रं भवति धर्मात्मा	९	३१ ७६१
सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म	१८	५०	८६३	क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवं	१३	३४ ८०८
सीदन्ति मम गात्राणि	१	२९	६१८	क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि	१३	२ ७९७
सुखदुःखे समे कृत्वा	२	३८	६३६	ज्ञ		
सुखं आत्यन्तिकं यत्तत्	६	२१	७१६	ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये	९	१५ ७५४
सुखं त्विदानीं त्रिविधं	१८	३६	८५७	ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा	६	८ ७१२
सुदुर्दशमिदं रूपं	११	५२	७८७	ज्ञानेन तु तदज्ञानं	५	१६ ७०२
सुहृन्मित्रार्यदासीन	६	९	७१२	ज्ञानं कर्म च कर्ता च	१८	१९ ८५२
संकरो नरकार्यैव	१	४२	६२१	ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानं	७	२ ७२७
संकल्पप्रभवान्कामान्	६	२४	७१७	ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता	१८	१८ ८५२
सन्तुष्टः सततं योगी	१२	१४	७९३	ज्ञेयः स नित्यमंग्यासी	५	३ ६९८
सन्नियम्येन्द्रियग्रामम्	१२	४	७८९	ज्ञेयं यत्तत्प्रवक्ष्यामि	१३	१२ ८०१

सूची

इस सूचीपत्र की ऊपर से छानबीन करने से वाचक उसकी रचना की कल्पना कर सकेगे। ग्रन्थ और ग्रन्थकारों के नाम अक्षरानुक्रम से दिये हैं। एक ही स्वरूप के ग्रन्थों की एक ही तालिका दी गई है, यह वाचको के समझ में आ जायगा। गीता के रहस्य के स्पष्टीकरण के लिये विषयविवेचन के अनुरोध में आनेवाली व्यक्तिगोका निर्देश स्वतंत्र शीर्षक के नीचे किया गया है। और पारिभाषिक शब्दों का समावेश व्याख्याओं में करने में आया है।

ग्रंथ और ग्रंथकार

अ		ईशावास्योपनिषद्	२०८, २३१, २७८,
अग्निपुराण	४	३१४, ३२२, ३५३, ३६२, ३६३,	
अथर्ववेद	२५८	३६४, ३६५, ३९२, ५३२, ५३६,	
अध्यात्म रामायण	४, ६, ३१८	५४६, ६३९, ७१८	
अनताचार्य	३६५	उ	
अपराकंदेव	३८५	उत्तररामचरित	७२
अमृतनादोपनिषद्	७१६	उत्तरगीता	३, २२३
अमृतविद्रुपनिषद्	२४८, २८९, ५४७	उदान (पाली)	४४२
अमितायुसुत्त (पाली)	५७४, ५८६	उपनिषद् (तालिका देखो)	
अर्जुनमिश्र	३	ऊ	
अमरकोश	५६, १९०	ऊरुभग	५
अश्वघोष	६०, ४९८, ५६८, ५७४	ऋ	
अष्टादशपुराण-दर्शन	४	ऋग्वेद	३३, १७१, २०८, २१४, २२५,
अष्टावक्र गीता	३	२४६, २५२, २५३, २५५, २५८,	
अवधूत गीता	३	२५९, २६५, २८३, २९३, २९४	
आ		२९९, ३४६, ३६२, ३९९, ४२६	
आनन्दगिरी	७६, ३१५, ५३७, ५४०	६६१, ६८८, ७५७, ७७५, ८०२,	
आनन्दतीर्थ (मध्वाचार्य देखो)	५३७	८१७	
आपस्तवीय धर्मसूत्र	३५३	ऐ	
आर्षेय ब्राह्मण	५१३	ऐतरेयोपनिषद्	१७१, २२६
आश्वलायन गृह्यसूत्र	५२८, ५६५	ऐतरेय ब्राह्मण	७२
ई		ओ	
ईश्वरगीता	३	ओक (कृ गो)	१९०
ईश्वरकृष्ण	१५४, १६३, १८२	ओरायन	५५४, ५५६, ७७४

क		गर्भोपनिषद्	१८७
कठोपनिषद्	५६, ९३, १२०, १४१, १४६, १६०, १७१, १८१, २००, २०१, २०८, २०९, २२१, २२८, २३७, २४९, २५०, ३०१, ३१५, ३६४, ४०८, ४३४, ४३९, ५३०, ५७७, ६३०, ६३४, ७१७, ७४५, ८१८, ८२१, ८४०, ८५३, ८६७	गाथा (तुकाराम देखो)	
कथासरित्सागर	४१	गीतार्थपरामर्श	२७
कणाद	१५१	गीता (तालिका देखो)	
कपिल	१५३, ५४६, ५५७	गुरुज्ञान-वसिष्ठ-तत्त्वसारायण	४, ६, ३६७
कपिलगीता	३	गोपालतापन्युपनिषद्	५३३
कमलाकर भट्ट	५०६	गौडपादाचार्य	१५४, १६३
कालिदास	४२, ७३, ८३, १०२, १२८, ३२१, ३३९, ३४०, ४०३, ५६४, ५६९	गौडीय पद्मोत्तर पुराण	४
काले (व्यं. गु.)	५६३, ५६५, ५७०	गीतमसूत्र	८१
किरात (भारवि देखो)		च	
कुराण	२४	चाणक्य	४५०
कूर्मपुराण	४	चार्वाक	७७, ८०
केनोपनिषद्	२०८, २३३, ३९२, ४०९	चुल्लवग्ग (पाली)	४४, ४८३, ७७५
केशव काश्मिरी भट्टाचार्य	१७	छ	
केसरी	२६०	छांदोग्योपनिषद्	३२, १२७, १३५, १५६, १७१, १७३, १८७, २०७, २२१, २२७, २२९, २३२, २३६, २३७, २४६, २५३, २५७, २७८, २८९, २९१, २९८, ३००, ३०१, ३१६, ३४४, ३६१, ४१०, ४१४, ४१८, ५२९, ५३२, ५४५, ५४७, ५४८, ५५५, ५७९, ६५३, ६९१, ७०३, ७२८, ७३९, ७४३, ७७१, ७७५, ७८४, ८१९, ८२०, ८३७, ८४०
कैवल्योपनिषद्	२३७, ३४१, ३८८, ७३०	छुरिकोपनिषद्	५३५
कौटिल्य (चाणक्य देखो)		ज	
कौपीतक्युपनिषद्	६३, ७२, २०८, २९८, ३७४, ४८४	जावालमन्यामोपनिषद्	९८, ३१५ ३४१, ४४८, ४५०
कृष्णानन्दम्बामी	२७	जैमिनी (मीमांसा, मी.सूत्र.)	५४, ७०, २९२, ४४१, ५२८, ५४०, ५४५, ५४६
ख		जैमिनीसूत्र	२२, ५४, ७०, ३१७
खूं-भू-स्ते (बन्धुशिक्षण)	३९२	ट	
गणेशगीता	४, ३०५	टाकाकमू	१६४
गणेशपुराण	४		
गरुडपुराण	४		

त		ध्यानविद्वपनिपद्,	५३५
तत्त्वप्रकाशिका	१७	न	
तारानाथ (पाली)	५७३	नागानन्द	४१
तुकाराम ८०, ८५, २३३, २३४, २५०,		नारदपुराण	४
३३४, ४१८, ४२२, ४३१, ४३३,		नारदसूत्र	४१३, ५४९
४३४, ४३६, ४३९, ४४२, ४४४		नारायणीयोपनिपद्	३४१, ५१८
तेलग	१५, ५३६, ५६९	निवारकाचार्य	१७
तेविज्जसुत्त (त्रेविज्जसूत्र-पाली)	५७७,	निरुक्त (यास्क देखो)	
५८२		निर्णयसिधु	३४४
तैत्तिरीयोपनिपद् ४३, ४५, ७२, १२७,		नीलकंठ	५१६
१५६, १७१, १८४, १८५, १८७,		नीतिशतक	३८३
२०८, २०९, २१०, २२६, २३२,		नृसिंहपुराण	४, ३६६
२४६, २५३, २५८, २६३, ३९४,		नृसिंहोत्तरतापनीयोपनिपद्	२५५, ५५४
३००, ३१४, ३५३, ३६१, ३६४,		प	
३६६, ३७०, ४१८, ६६८, ८२९,		पराशरगीता	३
८४०		पद्मपुराण	४
तैत्तिरीय ब्राह्मण १७१, २५३, २५४,		पचदशी	२११, २५५, ३७३
२६५		पचरात्र (नारद देखो)	५३३, ५४१
तैत्तिरीय संहिता २२५, ३९४, ५३३		५४९	
थ		पंचशिख	१५५
थेरगाथा (पाली) ५५०, ५५३, ५८४		पंडित ज्वालाप्रसाद	४
द		प्रश्नोपनिपद् १८७, २२१, २४७,	
दीक्षित (शं. वा.) १९४, ५५५, ५६४,		५२९, ७३०, ७४३, ८४०	
५६६, ५७१		पाणिनीसूत्र २७२, २७४, ५३३, ५५५	
देवीगीता	३	पातजलसूत्र	२३५
देवीभागवत	४	पाडवगीता	३
दीपवंस (पाली)	५७६	पिंगलगीता	३
दशरथजाचक (पाली)	५८३	पालीग्रय (तालिका देखो)	
दासबोध (श्रीसमर्थ रामदास स्वामी का)		पुराणग्रय (तालिका देखो)	
४२, १६०, १८५, १८६, १८७		पारखी	५६९
घ		पुरपमूक्त	२४८
घम्मपद (पाली) ९९, १०७, ३७४,		पैगाचभाष्य	१५
३९१, ३९४, ४८३, ४८४, ५७५,		घ	
५७६, ५८०, ५८१		ग्रहगीता	४

बालचरित (भास देखो)		१६८, २८१, ३०१, ३१५, ३४०,
वाणभट्ट	५६९	३४३, ३५९, ३९८, ४१३, ४१७,
बोदरायणाचार्य	१२, १५०, २४८	४२६, ४२९, ४३३, ४३४, ४३७,
धोयवल	२४, ३७, ३७४, ३७५, ३९१,	४५७, ४५९, ५५३, ५५९, ६२७,
३९४		६४१, ६४८, ६९४, ७२५, ७३४,
बुद्धचरित	६०	७५८, ७५९, ७६०, ७६६, ७७४.
बृहदारण्यकोपनिषद्	९३, ९८, १११,	भांडारकर (डॉ. रा. गो.) १६, १०,
१३६, १४६, १४८, १७१, १८७,		५३३, ५५२, ५६३, ५६८, ५७४
१९०, २०८, २०९, २१३, २१७,		भारवि ४७, ३९९
२१८, २२१, २२४, २२५, २२८,		भास ५, ३१३, ३३१, ५६४, ५६५,
२२९, २३१, २३२, २३४, २३६,		५७०
२३७, २४९, २५१, २५३, २५८,		भास्कराचार्य ४१२
२६४, २६६, २७८, २९१, २९६,		भीष्म २००, ५१६, ५१७
२९८, २९९, ३१८, ३१५, ३१६,		मिथुगीता ४
३२३, ३५९, ३६१, ३६३, ३८८,		म
४३७, ४७०, ४९८, ५११, ५२९,		मत्स्यपुराण ७६५
५३२, ५४५, ५४६, ५५३, ५८०,		मधुसूदन १४
५८२, ६२८, ७३६, ७४०, ४४२,		महानारायणोपनिषद् ५३३
७४६, ८०२, ८५३		महावग्ग ३९४, ५७३, ५७५, ५८२
बोधयोगीना	३	महावंस (पाली) ५७६
बोधायनसूत्र	३५३, ५६५	महापरिनिव्वाणमुत्त (पाली) ५८१
बोधायन गृह्यशेषसूत्र	५६५	मध्वाचार्य (आनंदतीर्थ) १६, १७,
ब्रह्मजालमुत्त (पाली)	५७८	५३७, ५३९, ५४९
ब्रह्मवैवर्तकपुराण	५४९	मनुस्मृति ३२, ३३, ३४, ३५, ३७,
ब्रह्मसूत्र (वेदान्तसूत्र, शारीरिक देखो)		४०, ४१, ४३, ४४, ४६, ४७, ४८,
ब्रह्माण्डपुराण	४	५०, ६६, ६९, ७०, ७४, १०४,
ब्राह्मणधम्मिका (पाली)	५८१	१०६, १०८, ११२, १२१, १२७,
ब्राह्मण (तालिका देखो)		१२८, १७१, १८२, १९१, १९४,
म		१९५, २६६, २६८, २८०, २८६,
भट्ट कुमारिल	१९०	२९२, २९४, २९५, ३३५, ३३९,
भवमृति	७७, ४०८	३५२, ३५९, ३६०, ३६४, ३६६,
भर्तृहरि	३८, ४७, ८३, ८८, ९१, ९७,	३८८, ३९५, ४००, ४३०, ४८४,
११०, ११७		५४१, ५८१, ६१२, ६१९, ६४९,
भागवत	४, १०, ११, १२, ४१, ८७,	६६१, ६६२, ६७४, ६७८, ६९०,

७०७, ७१८, ७४६, ७६५, ७७१,	३९९, ४५०, ५८२, ५१४, ५२१,
७९४, ८१२, ८३८, ८४५, ८५९	५२२, ५२६, ५३७, ५५९, ५८३
मांडुक्योपनिषद् २२६, २४७	द्रोण ३८, ५६, ५२१
मिर्लिद प्रश्न (पाली) ६०, ३७३, ४४२,	कर्ण ३४, ४२, ६७, ५२१
५८४, ५७८, ५८३, ५८५, ५८६	शल्य ४४, ५२५
मुडोपनिषद् १७९, २००, २०८, २०९,	स्त्री १४१, ५२१, ६३३
२२१, २३२, २४६, २५०, २५१,	शांतिपर्व ३, ९, १०, ३०, ३२, ३३,
२५८, २७८, ३०१, ३१५, ३४७,	३४, ३५, ३७, ३९, ४१, ४३, ४५,
५७७, ६३९, ७२८, ७३०	४६, ४८, ४९, ५०, ५९, ६६, ७०,
मुरारि-कवि ८	९५, ९८, १०१, १०२, १०७,
मैत्र्युपनिषद् १०७, १३६, १३७, १७१,	१०९, १११, ११२, ११३, १२०,
१९१, २४८, २५३, २८५, २८९,	१२७, १३५, १३६, १४५, १५५,
२९५, ३७८, ५३३, ५४६, ५४७,	१५९, १६५, १६६, १७१, १७८,
५५३, ५५५, ५५६, ५५८, ७४३,	१८३, १८७, १९३, १९४, १९५,
८२२	२०२, २०५, २०९, २१९, २२२,
मोरोपंत ६९	२३१, २५३, २६२, २६६, २६७,
मकिकीता ३	२७६, २७८, २७९, २८१, २९३,
मृच्छकटिक ४१	२९४, २९५, ३०६, ३०९, ३१५,
महाभारत	३१६, ३१८, ३१९, ३२०, ३२२,
आदि ३०, ३१, ३३, ३४, ३५, ३७,	३२७, ३३२, ३३९, ३४१, ३४२,
३८, ४५, ४८, ७७, १०६, १९५,	३४३, ३४५, ३४६, ३५१, ३७१,
२६८, २९४, ४०२, ४४८, ५१४,	३८१, ३८९, ३९०, ३९७, ३९८,
५१७, ५२८, ५६५, ५६६	४२३, ४४२, ४४५, ४५१, ४७१
सभा ११०, ४०२	४८२, ५००, ५०१, ५०२, ५१४,
वन ३२, ३५, ४२, ४३, ४४, ५०, ७२,	५१८, ५२१, ५२२, ५२५, ५२९,
७४, १०२, १०९, १४१, १९१,	५३७, ५४१, ५४३, ५४९, ५५०,
२७७, २७८, २९६, ३१९, ३२२,	५५८, ५५९, ५६१, ५६६, ५८३,
३४६, ३८१, ३९३, ३९५, ४४२,	६१७, ६३१, ६४२, ६५५, ६६१,
४८२, ५०२, ५१४, ५२१, ५२२,	६६२, ६६८, ७११, ७१५, ७१८,
५३०, ५६६, ५८२	७२३, ७३०, ७३२, ७३४, ७४२,
विराट ३८३	७४६, ७५७, ७५८, ७५९, ७६७,
उद्योग ३८, ४१, ४५, ५६, ९४, १०४,	७७१, ७७७, ७८०, ७८३, ८२७,
१०९, ३४०, ३४१, ३९४, ३९८,	८३०, ८६०, ८६४, ८६७
	अनुशामन ३२, ३४, ३८, ६९, २७३,

२९४, २९९, ३८१, ३८९, ३९१,	रामायण	
५०३, ५२४, ५२७, ५४१, ५६६,	वाल्मीकि	४३
७७०, ७७४, ८१८, ८६०	अयोध्याकाण्ड	४५
अश्वमेध २, ३, ३८, ५९, १४१, १५९,	अरण्यकाण्ड	७७४
१८०, ३१९, ३२२, ३२७, ३३७,	युद्धकाण्ड	३९८
३४३, ४४२, ४८३, ४७३, ४७९,	उत्तरकाण्ड	७३
४८०, ४८६, ५२६, ५२९, ५६६,		
५७५, ७१६, ७७०, ८१९, ८१७,	ल	
८६०, ८६७	लिंगपुराण	३२३
मीमंसा ५०, २००, २९९, ५२१,	व	
५२५, ५६९	वज्रसूच्युपनिषद्	५६५
स्वर्गारोहण ३८, ९५, ५२८	वयस्युगाथा (पाली)	५७७
आश्रमवासिक ४८६	वल्लभाचार्य	१६, ५३९
महावग्ग ५८२	वराहपुराण	५
य	वाग्भट	८३६
यमगीता ४	वाजसनेयी संहिता	२५८, ३६५
यथार्थदीपिका १९	वामन पण्डित (यथार्थदीपिका)	१९
दाशबल्य ३५, १२७, ३५२, ३५८,	वायुपुराण	५
३६१, ३६५, ४३१	विचिह्नगीता	३
यास्क (निरुक्त) १८५, १९४, २२१,	विदुर	९४
२९८, ३००, ३५२, ५४१, ५६४,	विनयपिटक	५७५
७४६	विष्णुपुराण ८, १२१, १९५, ५४९,	
योगवामिष्ठ ५, २८७, ३१५, ३२६,	५७०, ७६५, ७६६	
३३४, ३६७, ४१९, ६४८, ६६६	वेद (तालिका देखो)	
योगतत्त्वोपनिषद् ५३५, ५५५	वेदान्तसार	२४३
र	वेदान्त (शारीरक, ब्रह्मसूत्र) ७, ३२,	
रघुवंश ४१, ७३, ३३९, ३४०, ५६९	७६, ८१, ९८, १४८, १५०, १५२,	
रमेगच्छ दत्त ५९७	१५६, १६६, १७३, १७५, १७९,	
रामपूर्वतापिन्युपनिषद् ४१५, ४२३,	१८०, १८७, १९०, १९३, १९६,	
५३३, ५४७, ५५५	१९८, २००, २०८, २२१, २४६,	
रामानुजाचार्य १५, १६, १७, ३११,	२६६, २६७, २६९, २७२, २७४,	
५०८, ५३७, ५४३, ५३८, ५५९	२७५, २७६, २८१, २८३, २८४,	
रामगीता ४	२८९, २९६, २९८, ३००, ३०२,	
	३१५, ३१७, ३१८, ३३६, ३४१,	
	३८६, ३४९, ३५०, ३६१, ४२३	

ग्रंथ और ग्रंथकारों की सूची

८८९

४२४, ४४१, ५३९, ५४०, ५४१, ५४२, ५४३	३७८, ३८७, ३९२, ४००, ४७०, ५०७, ८०१	
वैद्य (चिन्तामण विनायक)	५१७,	सरकार बाबू किशोरीलाल ४९५
५२९, ५५२, ५६३, ५६७		सद्धर्म पुंडरीक (पाली) ५७४, ५८५,
व्यासगीता	४	५८६
वृत्रगीता	३	सव्वासवसुत (पाली) ५७८, ५८०
वृद्धान्त्रेय-स्मृति	३६६	सर्वोपनिषद् २१९
श		सप्तश्लोकी गीता ७
शतपथ ब्राह्मण	३१४, ७७७	संहिता (तालिका देखो)
शाकुंतल	८३, १२८	सांख्यकारिका ९७, १३४, १५४,
शिवगीता	४, ५, ६	१५९, १६०, १६२, १६४, १६५,
शिवदिन केसरी	३६८	१६६, १८०, १८९, १९२, १९३,
श्वेताश्वेतरोपनिषद्	१६४, १७१, १८६, १८७, २०६, २०९, २१२, २२१, २२५, २७८, ३१५, ३५३, ३६१, ४१८, ५३१, ५३३, ५३५, ६७९, ७४५, ८०२, ८१८, ८२४	२०३, २७५
शैवपुराण	५	सुत्तनिपात (पाली) ३९०, ५७५, ५७७, ५८०
शंकराचार्य	११, १३, १५, ८१, ९८, १४८, १५४, १५६, १६६, १६९, १७९, १९८, २००, २२३, २६९, २७३, २७६, २८३, २९९, ३२३, ४०९, ५०४, ५०५, ५३७, ५४९, ५१७, ५४६, ५६९, ६२८, ६९७, ८३४	सुरेश्वराचार्य ६८१ सुभाषित ३८ सूतगीता ४ सूतसंहिता ४ सूर्यगीता ४, ६
शंपाकगीता	३	सूसूत्र (तालिका देखो)
शाकरभाष्य	१२, १५, ८१, ३६४, ३६५	सेर्यसिद्धान्त १९३, १९४
शांडिल्यसूत्र	४१२, ५४९	ल्लसुक्त (पाली) ५५३, ५७५, ५७७, ५८४
श्रीघर	१८, ५३७	सौन्दरानन्द (पाली) ५६५, ५७३
ष		स्कंद पुराण ४
पण्डित	१५४	ह
स		हनुमान पंडित १५
समर्थ (रामदास, दासबोध)	४२, १०२, १४६, १६०, १८५, २८३, ३२२,	हरिगीता ९, १० हर्ष ४२, ५६९, हारीतगीता ३, ३६६ हरिवंश पुराण ५६४, ७६५ हंसगीता ३

क्ष	ज्ञ
धीरस्वामी	१९० ज्ञानेश्वर १९, २५१, ५०६, ५४०
व्यक्तिनिर्देश	
अ	द्विस्त ३५, ८६, ३९४, ५५१, ५५२,
अधोरघट	२३५ ५५७, ५६०, ५८३, ५९२, ५९४,
अजीगर्त	४० ५९५, ५९६, ५९७, ५९८
अगुलीमाल	४४२
अब्दुल रहमान	१०८ गणपतिशास्त्री ५६५
अलेक्झाडर	५६६, ५८९, ५९६ गार्गी २२९
अशोक	५८६, ५८८, ५९५, ५९६ गार्ग्य वाल्मीकी २०८, ३१६
अँटिओकस	५९६ गौतममुद्द ९९
अश्वपति कैकेय	३१६, ५२९
आ	चन्द्रशेखराचार्य ५४०
आगिरस	४४ चारुदत्त ४१
आम्रपाली	४४२ चित्ररथ ४२१
इ	ज
इक्ष्वाकु	९, ३१५, ४१९, ४५४ जनक २२९, ३०१, ३१६, ३१७, ३२७,
इमाममीह (द्विस्त देखो)	३४६, ३५३, ३६१, ३६८, ४७१,
उ	५२९, ५९३
उद्दाश्व	३१६ जनमेजय ७, ९, १०, ४६०, ५१८
उपन्ति चात्रायण	४९ जरत्कार २९४
ए	जरामघ ५६
एकनाथ	५४० जावाली ७७, ७८
क	जीमूतवाहन ४१
कणाद	१५१ जैगीपव्य ३१५
कन्नौर	५०६
कैरायलनम	३० तुलाधार ५०, ३४६
कालपज	७०
कानीराज अजानराव	२०८, ३१६ दधीचि ४१
कोठमन	५९४ दक्षप्रजापति ३४०
ख	दारा (शाहाजादा) ५०६
खनीनेत्र	४६
खं-खूं-में	३९२ नचिनेत ९३, ११९, १२०

व्यक्तियों की सूची

८९१

नागार्जुन	५७३, ५७४, ५८७	महेन्द्र	५८८
नारद ३५, २०९, २२१, २२७, ३४०,		मार्कण्डेय	४८३
४१३, ४८३		मार	५९४
निकोलस नोटोव्हिस	५९७	मिनादर	५७८, ५८६
नेपोलियन	१३०	मेग्यास्थेनीस	५६७
नेस्टर	५९५	मंत्रेयी	८१, २२९
नद	५७३	य	
न्यूटन	४१२	याज्ञवल्क्य	४०, ८१, ३१५, ४७०
		र	
प		रामचन्द्र (राम)	३८, ४३, ७२, ७७
परशुराम	४३, ६१२	रामशास्त्री	५००
पायथागोरस	५९३	रावण	४३७
पॉल	३६	राहुलभद्र	५७३, ५८७
पृथु	१०	ल	
प्रतदन	७२	लव	७२
प्रल्हाद १०, ३२, ३३, ४५, ७२,		लक्ष्मण	३१८
१२०, १२७, ४२१		ला-ओ-त्से	३९४
प्रियव्रत	१०	व	
पैल	५२९	वरेण्य	३०५
पीलोम	७२	वामदेव	४०
		विदुला	४१
ब		विदुला	९, ५२५
बली	३९	विवस्वान	३९, ४०
बाह्य	४०९	विश्वामित्र	४२, ७२
बाष्कली	४०९	वत्स	४६
बुद्ध ५५२, ५५३, ५७३, ५७६,		वेन	
५८८, ५९३, ५९४, ५९५, ५९७,		वैशपायन ७, १०, ४६०, ५३९, ५४०	
५९८		श	
बृहस्पति	१२०	शबलाश्व	३४०
		शिविराजा	४१, ७३, १२७, ४०६
भ		शिवाजी	४२६, ४३९, ५०७
भास्कराचार्य	४१२	शुभ्राचार्य	४८, ७०, १२०
भृगु	४२१	शुक्	७, ३५, २०९, ३१६, ३१८,
		३१९, ४७०, ५०१, ५२८, ५४०,	
म		५४९, ६२५	
मनु	९, १०, ५९, ४५४		
मरीचि	४७१		
महमद	५५२		

श्रीमगवान्	८	सुलभा	२७९
श्वेतनेनु	४८, ७०, २२९, ३३६	सैतान	५९४
शौनक	३१९	सोनकोलिवस	५७३
स		स्वद	२२१
सनत्कुमार	२२१, २२७, ३०८, ४७०	स्यूमरश्मि	३४१
मरदेमाई (नरहर गोपाल)	५६९, ५७०	ह	
मात्रेटीस	१९ प्र.	हरिश्चन्द्र	३८
मुदामा	८९	हर्यश्व	३४०
मुमत	५४०	हॅम्लेट	२९
		हिरण्यगर्भ	३०९

युरोपियन ग्रंथकार

आ	गटे	४९८
आरिस्टॉटल १९ प्र., ६८, ७३, ३०५, ३०६, ३७२, ४८९	गेंडो (डॉ. एच्.)	१८६ टी.,
ऑगस्ट बोट ६३ टी., ६३, ७७, २१४, २२६, २८३, ३०५, ३०६, ४८९, ५०८	गावें	५४४, ५६८, ५७४
आयर्न लिन्गी	गिगर (गायगर)	५७६
इ	ज	
इनाँफ रेजिनाँन्ड	जेम्स सत्री	३०६ टी., ४९९ टी.
काट ६८, ६८, ८८, ८९, १२३, १३९, १४९, २१५, २१६, २१८, २२३, २२६, २६०, २६६ टी., ३७५, ३८२, ३८५, ४८७, ४८८, ४८९, ५९३	जेम्स माटिनो	१२५, १७४
कॉम (पॉल)	ज्यूवेट	३०५
किंग	ट	
काण्डूक	टाकावसू (डॉ.)	१५४
कॅने (डॉ)	ड	
५३८, ५८१, ५८६, ५८८	टायमेन	२८, १९१, ४७७, ४८८, ४८९
ग	टाविन	१०३, १५२, १५३, १७२, १७९
दॉन ३५, ३७, ६८, ८९, १२३, २१९, २२७, २०८, ४८८	टान्टन	१५२
	घ	
	घॉममन	५३५
	पिबो	५६३
	न	
	निग्ले	२६८, ३०६, ३७५, ३९५, ५०८,
	निबोल्लग नोटोफ्लिग	५९७
	न्युटन	४१२

प

घ

पाइथागोरस

५९३

विल्यम जेम्स

२३४

पॉल्सेन

३९५, ४९८

विल्सन

१६३ टी.

प्लूटार्क

५९६

वेबर

५५०, ५६५

ब

विल्हेम्ट स्मिथ

१५४

बटलर

८०

व्हेव्हेल

३७

बैन

३७, ९१, ३७२

श

बैथेम

८४ टी.

शिलर

४८१

ब्रुकस

३८५

शेक्सपियर

२९

बुल्हर

५२४, ५५४, ५६५,

शापेनहर

६४, १०७, १०९, २२६,

५७१, ५९०

३०५, ४८८, ४८९, ४९८, ५०४,

बुनफ

५९६

५१०

म

श्रडर

५९७

मॉक्रिडल

५६७ टी.

सिज्विक

३६, ८४, ४०६

मॉडस्ले

४२८

स्पेन्सर

६४, ७७, ९१, १५३

मोल्ले

८०

३०६, ३३०, ३७१, ३७३, ३७८,

मॅक्समुलर

४५, १३७, २१६, ३७४,

४९२, ५१०

सेल

५८६

मॅक्समुलर

४२८, ४८४, ४९०, ५५५, ५९०

सेनार्त

५५० टी., ५७१

मॅक्सिमलन

१०८ टी.

मिल

३६, ४०, ६४, ७७, ८४, ८९

ह

९०, ११७, ३०६, ४९३

हॉन्स

४०, ८०, ८१, ८२

र

ह्यूम

८१, ८९

रॉकहिल्

९९, ५६४

हकेल

१५३, १६२, १७२, १८६,

रोस्नी

५९६

२४७, २७०

ल

हेगेल

६४, २१५, २२६

लामार्क

१५२

हेल्वेशिअस

८०, ८२

लॉरिन्सर

५९०, ५९८

हार्टमन्

३०५

लिपूजिक

५९६

हिस्डोव्हिड्स ५७६, ६७८, ६८८, ६९५

लेस्ली स्टीफन

३६, ३७

व्याख्या (पारिभाषिक शब्द)

अ

अधिकार

३३७

अदृष्ट

२७३

अन्तरंग-परीक्षण

६

अद्वैतवाद

१३

अध्यात्म

६६

अध्यात्मपक्ष	६२, ६३	आत्म-संरक्षण	४१, ४२
अनंत	२४८	आत्मनिष्ठ बुद्धि	१४२
अनादि	२६७	आत्मा की स्वतंत्र प्रवृत्ति	२८२
अनारब्धकार्यं	२७४	आध्यात्मिक विवेचन	६२
अनुभवाद्धैत	३६७	" मार्गं	३८२
अनुमान	४१०	" पंथ	४९२
अनृत	२४६	" सुखदुःख	९६
अन्नमयकोश	२६३	आधिदैविक विवेचन	६३
अपूर्वं	२७३	" मार्गं	३८२
अपूर्वता	२२, ४६९	" पंथ	४९२
अभ्यास	२१, ४६९	आधिभौतिक विवेचन	६२
अमृत २२४, ३६२, ३६३, ३६४, ३६६		" मार्गं	३८२
अमृतत्व	४८९, ४९७	" पंथ	४९२
अमृतान्न	२९३	आधिदैविक सुखदुःख	९६
अमृताशी	३८७	आधिदैवत पक्ष ६२, ६३, १२६, १२८	
अर्थवाद	२२, २३, ४६९	आधिभौतिक पक्ष ६४, १२८, १२९	
अहंतु	४८४	आधिभौतिक सुखदुःख	९६
अविद्या २१२, ३६२, ३६३, ३६४ ३६६, ५३१		आधिभौतिक सुखवाद	७६
अव्यक्त	१६०	आनंद	२३२
अशुभ कर्मों की मिश्रता	२७४	आनंदमय	२३२
अष्टधा प्रवृत्ति	१८३	आनंदमयकोश	२३२
असत् १५६, २४७, २५३		आपद्धर्म	४९
असत्भूति	३६२	आप्तवचन प्रमाण	४११
अहकार	१७५	आविटर द्विक्टा	२३ टी.
अहकारबुद्धि	११३	आरब्ध कार्य	२७४
अहिंसाधर्म	३१	आरभवाद	१५२, २४३
अज्ञान २२३, २३९, २३१		आशावादी	४९९
अद्वैत ब्रह्मज्ञान	१६, १७	आसुरी सपन्	११०
अन्तेय	३९		
आ		इ	
आचारमग्रह	४७६	इच्छा-स्वातंत्र्य	२७१, २८२, २८३
आचार-तारतम्य	४८, ४९	इन्द्रिय	१७३
आत्म	४०२	ई	
		ईश्वर की शक्ति	२६६

	उ		कर्मविपाक	२६३
उदात्त अथवा प्रेमयुक्त स्वार्थ	८३, ८४		कर्मयोगशास्त्र	५३, ६१, ४७६
उत्क्रातितत्त्व	१५५		कर्मयोगशास्त्र का लौकिक नाम	४७६
उपक्रम	२१, २२		कर्मयोगी स्थितप्रज्ञ	२७५
उपपत्ति	२२, २३, ४६९		कर्मत्यागनिषेध	११५, ११६
उपपादन	२३		कर्मसन्यास	३०३
उपसंहार	२१, ४६८		कर्मद्वियो के व्यवहार	१३२, १३८
उपासना	३६३		कर्माकर्मविवेचन	५१४
	ऋ		काम	११३, ३२८, ३२९, ३३०
ऋक्छन्द	५२०		कार्याकार्यनिर्णय	६४, ६८
	ए		कापिलसाध्य	१५०, १५३, १५९, १६०
एकान्तिक धर्म	९		काम्य	३५०
एषणा	३१५, ३२३		काल	२९९
एसि-एसिनपथ	५९२		कृष्णमार्ग	२९८
	क		कृष्णार्पण	११४
कर्तव्यमुह	२७, २८		कृष्णार्पणपूर्वक कर्म	४३५
कर्तव्यधर्ममोह	२५, २६, २७, २८		क्रममुक्ति	३००
कर्म	५३, ५६, २५४, २५५, २६२		क्रियमाण	२७४
कर्मठ	३९६			ख
कर्मत्याग (तामस)	३२१		द्विस्ती सिद्धान्त	१५७, १५९
कर्मत्याग (राजस)	३२१		त्रिस्ती सन्यासमार्ग	१६०, ५९३
कर्मत्याग (सात्त्विक)	३२२			ग
कर्मनिष्ठा	३०५, ४५८		गति अथवा स्मृति	२९९
कर्म (निवृत्त)	३५०, ३५९		गीता (स्मृति)	५२१, ५३९, ५४०, ५६०
कर्म (प्रवृत्त)	३५०, ३५९		गीता शब्दार्थ	३
कर्मप्रवाह के पर्याय शब्द	७६, ७७		गीताधर्म की चतु सूत्री	११६
कर्मभोग	२७४		गीता-तात्पर्य	१०, ११, १२, १४
कर्ममुक्ति	२७६		गुण	२०४, २४२
कर्मजिज्ञासा	५२		गुणपरिणामवाद अथवा गुणोत्तर्य	१७३, २५१
कर्मयोग	५१, १११, ३०३, ३०४, ३०५, ३५८, ४०३, ४०७, ४३७, ४३८, ४४८, ४५४, ४५५, ४६८, ४७१, ४७६, ५०६, ५३२		ग्रयपरीक्षण	७
कर्मयोग (गीता का)	३०८		ग्रय-तात्पर्य-निर्णय	२१

	च		त्रिगुणातीत १६८, २५१, ३७६, ४६५,
चतुर्विध पुरुषार्थं	६५		४९५
चतुर्व्यूह	४५५, ४५७	त्रिगुणान्मरु प्रकृति	२६५
चित्	२३०, २४५	त्रिगुणों की माम्यावस्था	१५८, १५९
चित्त	१३६	त्रिवृत्करण	१८६
चेतना	१४४		
चोदना	७०, ७१	द	
चोदनाघर्म	७०, ७१	दानव्य	३९६
चानुर्वर्ष्यघर्म	६६	दुःख	९६
चार्वाकघर्म	७७, ७८	दुःखनिवारक कर्ममार्गं	७०६
	ज	देवयान	२९७, २९८, २९९, ३००
जडाद्वैत	१६२	दैव	२७०, ३२९
जय	३०, ५०८	दैवी माया	२४१
जीव	१७९, २११	द्वैताद्वैती सम्प्रदाय	१८
जीवन्मुक्त	३००	घ	
जीवात्मा	२६८	घर्म (पारलौकिक)	६५
जंमे को तैसा	३९७, ४००, ४०५	घर्म (देवता)	१०७
जो पिण्ड में (देह में) है वह ब्रह्माण्ड		घर्म (मीमांसकों का अर्थ)	
में (नृपिण्ड में) है (तत्त्वमसि) २०९		घर्म (प्राकृत)	
	ट	घर्म (व्यावहारिक अर्थ)	६९
टीकाएँ	१३	घर्म (यहूदी)	५९२
	त	घर्म (सामाजिक अर्थ)	
तन्वमसि	१४	घर्म (अनेक घर्म)	८९, ५०७
तन्	२४७	घर्म (जैन)	५७८, ५८९
तन्मात्राएँ	१८३	घर्मप्रवचन	६५
तप	२५३, २९४	घर्म (उपनिषद्)	५७८
तम	१४८	घर्मशास्त्र	७९
ताममगुद्धि	१८१	घर्म (गाह्येय्य)	५८०
तीमरा मार्ग	३००	घर्माघर्मनिष्पाप	५१०
तुष्टि	११९	घर्माघर्म	३१, ३०
तृष्णा	१०१	घानु	५६६
त्याग	३४०, ६६७	घाग्णाघर्म	६६, ६७
त्रयोघर्म	२९०	घर्माघर्मनिर्णय के नियम	७१, ७०
त्रयोविद्या	२९२	वृत्ति	१०१

पारिभाषिक शब्दों की सूची

८९७

न	पितृमान	२९७, २९८, २९९, ३००
निनात्य	१५८	१६३, १६५
निमन्त्र	२१७	५४, ६५
नारायणीय धर्म (सात्त्विक - एकान्तिक-भागवत)	३४३, ५१८, ५४८, ५५१, ५६३	२०१
नासदीय मूलत	२५२	१७, १२०, १२१
नित्यमंग्यासी	३५१	१७
निराशावादी	४९९	१७
निर्गुण	२४३	५५
निर्गुणपरब्रह्म	४१२	१५८, १५९, २६५
निर्गुणभक्त	१६८	१५८, १५९, २६५
निवृत्ति	३५९	१५८, १५९, २६५
निवृत्तिमार्ग	१४	१८२
निर्वाण	५८०	२६५
निर्वाणस्थिति	२३३	१८१
निर्वाण की परमशांति	११९	१८१
निर्वोर	३९४, ३९५, ३९७	२०८, ४२१, ४२३
निष्काम-नीताधर्म	७७	२७१, २८३
निष्ठा	२१६, २१७, ४६०	१२
नीतिधर्म	५१४	१७९, १८०
नीतिशास्त्र	५०	२७४, २७५
नैष्कर्म्य	२७६	४६८
नैष्कर्म्यसिद्धि	२७६	९३, १२०
परार्थप्रधान पक्ष	९०, ९१	फ
पंचीकरण	१८५	२२, ४६९
परमात्मा	२०२, ४८९	११२, ३२७
पंचमहाभूत	१७७, १७८, १८७	४३५
परमाणुवाद (कणाद)	१५१, १५२	ब
परमार्थ	४०६	७, ८
परमेश्वर का अपरस्वरूप	१८३	बुद्धि १३०, १६६, ३७८, ४८१, ४८२, ४८७, ४८८, ४९०
पंचरात्रधर्म	५४८, ५५०	बुद्धि के कार्य १३८, १४०
पानंजलयोग	५७४	बुद्धि (आत्मनिष्ठ) १४३
पिण्डज्ञान	१४४	" (सात्त्विक) १४०
		" (तामस) १४१

बुद्धि (राजस)	१४१	महामारत	३०, ५२७
„ (वासनात्मक)	१३८, १३९,	मात्रा	१००
	४०७	मानवधर्म	५०८
„ (व्यवभायात्मक)	१३५, ४७४	माया १६१, २११, २२१, २२५, २५३,	
„ (सदमद्विवेक)	१२५	२६४, २६६, ५३१	
बुद्धि के नाम	१७४	माया (देवी)	२४१
बुद्धिभेद	३३३	मायामृष्टि	२६२
बुद्धियोग	३८४	मिथ्या	२१८
ब्रह्म	२१३	मीमांसक-मार्ग	२९२, ५४५
ब्रह्मनिर्देश	२४५	मीमामा अथवा मीमांसा-सूत्र	२९२
ब्रह्मनिर्वाण मोक्ष	२५०	मुक्ता	१६६, ४६५
ब्रह्मसूत्र	१२	मुक्ति (कर्म)	३००
ब्रह्ममृष्टि	२६२	मुक्ति (विदेह)	३००
ब्रह्मर्षण	११४, ६८८	मलप्रकृति	१८१
ब्रह्मर्षणपूर्वक कर्म	४२६	मृत्यु	३६३
वांदमिदान्त	५८६	मोह	२२१, २३९
	म	मोक्ष (साग्यो का अर्थ)	१६५
भक्ति	४१२, ५३३	मोक्ष (ब्रह्मनिर्वाण)	२५०, ४६९, ४९४
भक्तिमार्ग	६६, ४१५, ४१६, ४३०,	मोक्ष (धर्म)	६५
	४६३, ४६४, ५३३		य
भक्तियोग	४५७	यज्ञ	२९३, ४७०
भग	१२१	योग	५६, ५७
भागवत	३८४	योग (गीतार्थ)	६०, ३०७, ३४३,
भागवतधर्म	३४२, ५००, ५५१	३५३, ४८५, ४५१, ४५७, ४५८	
	म	योग (घात्वर्थ)	५६
मन	१३३	योगघ्रष्ट	२८६
मन के कार्य	१३६, १४०	यागविधि	१२०
मन (व्याखरणात्मक)	१३५	यागशास्त्र	६१, ४७६
महायाननय	५८६, ५८७		र
मन पूत	१०७	रज	१५८
मनुष्यत्व	९२	राग	३३०
मनादेनता	१२५, १२७	राजगुह्य	४१९, ४२१, ४६३
मानस्य बोग	२६३	राजनवृद्धि	१४१
मर्ग का मर्ग	२३५, ५८०	रिद्धि किंवा मूढमर्गरीर	२६३

लोकसंग्रह ३३१ से ३३८, ३६३, ४०५	शुद्ध द्वैत	१९
य	शुद्ध वासना	३७२
वर्णाश्रमधर्म ५०७	शैवपंथ	१६
वस्तुतत्त्व २१८ टी., २२०, २४४	श्रद्धा	४२५
वासनात्मकबुद्धि १३८, ३८०, ४५१	श्रेय	९३, ११८
वामनास्वातंत्र्य २९१	स	
वासुदेव परमात्मा २०७	सच्चा (पूरा) ज्ञान	२१६, २५१
विकल्प १३४	सत् २२७, २४६, २४७, २५३	
विकृति १५८	सत्तासामान्यत्व	२१८
विषय २७१	सत्कार्यवाद १४६, २३८, २४५	
विद्या २०८, २७७, २७८, ३६२, ३६३ ३६४, ३६५, ४१९	सत्त्व	१५८
विदेहमुक्त ३००	सदसद्विवेकदेवतापक्ष	१२६, १३१
विनाश ३४३	सदसद्विवेकबुद्धि	१२५
विवर्तवाद २४२, २४३	सत्य ३३, २१८, २१९, २२४	
विशेष (पंचमहाभूत) १७८, १८२	समत्वबुद्धियोग	३८३
व्यक्त १५९	समता	३९६
व्यवसाय १३५	संभूति	३६२
व्यवसायात्मक बुद्धि १३५	ससार	२६६
व्याकरणात्मक मन १३५	संकल्प	१३५
विशिष्टाद्वैत १६, १८	सग ११३, ३२८, ३३०	
वेदान्ती २९२	सत्यानृतविवेक	३५, ३६
वेदान्ती (कर्मयोगी) ३५३	संग्रह (कोशार्थ)	३३१
वेदान्ती (संन्यासी) ३५३	संग्रह (राष्ट्रो का)	३३१
वैदिकधर्म ५८२	सघात	१४७
वैष्णव पंथ १६, १७	सच्चित	२७३
व्यावहारिक धर्मनीति ६५	संन्यास ३०४, ३०६, ३५०, ४३७, ४४९, ४५७, ४६७, ५०२	
श	संन्यासी	३०७
शास्त्रीय प्रतिपादन पंथ ६१	संन्यासनिष्ठा	१४
शांति ११९, १२०	संन्यासी स्थितप्रज्ञ	३७४
शारीर आत्मा २४८	सपत् (आसुरी)	११०
शारीरक सूत्र १२	सर्वभूतहित	८५, ८६
शास्त्र ७६, ४७६	सात्वत धर्म	९
शुक्लमार्ग २९८	सात्त्विक बुद्धि	१४०, १४१

मात्स्य (दा अर्थ)	१५३	म्वायं (मिज्विक-हेल्वेशियस्)	८२, ८३
मान्त्र (घात्वर्थ)	१५८	ह	
साम्प्र (ज्ञानी) ३०४, ३५८, ३६५, ४५०, ४५२, ४७८, ४६७		हीनयान	५
साम्य	४८०	क्ष	
स्मार्त	३४४, ३८५	क्षराक्षरविचार अथवा व्यक्ताव्यक्त- विचार	१४३, १५०
स्मार्तं कर्म	५४	क्षेत्रज्ञ (आत्मा)	१४८
स्मार्तं यज्ञ	५८	क्षेत्रक्षेत्रज्ञविचार	१३२, १८३
स्वधर्म	५००	ज्ञ	
मिद्वाकम्या	२५१	ज्ञ	१६२
म्यितप्रज्ञ	३७६ ८६५	ज्ञान	२०२, २७८, २७९, २८०
मुखदुःख	९६	ज्ञानद्रिया का व्यवहार	१३३, १३४
„ (आध्यात्मिक)	९७१	ज्ञानी	२९७
„ (आधिदैविक)	९७१	ज्ञान और विज्ञान	३१३, ८६३, ८६८, ४६५
„ (आधिभौतिक)	९७१	ज्ञानकर्मममुच्चयपक्ष	८३३
मुखवाद (आधिभौतिक)	७६	ज्ञानकाह	२१२
मूत्रम	१५९	ज्ञाननिष्ठा	१४, ३०८, ४१६, ८७७
मूत्रमशरार	२६३	ज्ञान की पूर्णावस्था	२३१
मश्वर नैयायिक	१५२	ज्ञान भक्तियुक्त कर्मयोग	८७५
म्यू-	१६०	ज्ञानमय काश	२६३
म्वायं (कवल, चार्वाक) ७८, ७८, ७९		ज्ञानमार्ग	४१५, ४१७, ८३०, ८६८
स्वायं (दूरदर्शी, हॉल्म्)	८०, ८१		
म्वायं (उदात्त भूतदयाम प्रेमयुक्त)	८०		

हिन्दु धर्मग्रन्थों का संक्षिप्त परिचय

हिन्दुधर्म के मूलभूत ग्रन्थों में महत्त्व और कालानुक्रम दृष्टि से वेद यह श्रेष्ठ और आद्य ग्रन्थ है, और संहिता, ब्राह्मण तथा उपनिषदों का उसमें ही समावेश किया जाता है। यज्ञयागादि के कर्मकाण्ड और परमार्थ-विचारों के ज्ञानकाण्ड इन दोनों का मूल इन तीनों में है। तथापि ज्ञानकाण्ड के मूलभूत आधारग्रन्थ उपनिषद् हैं। हिन्दुधर्म के सामाजिक व्यवहारों का नियन्त्रण स्मृतिग्रन्थों के द्वारा किया जाता है। परन्तु उनके मूल आधार गृह्यसूत्र हैं। गृह्यसूत्रों के सिवा और भी अनेक सूत्रग्रन्थ हैं। परन्तु उनका धर्मव्यवहार से सम्बन्ध नहीं, किन्तु विश्व के स्वरूप के बारे में उद्घाटन करनेवाली विविध विचारपरम्पराओं से है। इन विविध विचारपरम्पराओं को ही पङ्कशन कहते हैं। गौतम के न्यायसूत्र, वैशेषिक सूत्र, जैमिनी के पूर्वमीमांसा सूत्र, बादरायण के वेदान्त अथवा ब्रह्मसूत्र, पतञ्जली के योगसूत्र, इत्यादि का पङ्कशन में समावेश होता है; परन्तु पङ्कशन के सिवा भी अन्य अनेक सूत्रग्रन्थ हैं। उनमें पाणिनीसूत्र, शाण्डिल्यसूत्र और नारदसूत्र इत्यादि की गणना होती है। प्राचीन मूर्तिपूजारहित और निर्मल पारमार्थिक स्वरूप का वैदिक धर्म में परिवर्तन होकर उपास्य देवताओं को मानने की प्रवृत्ति जारी होने के बाद पुराणों का जन्म हुआ। महाभारत और रामायण ये पुराण नहीं, किन्तु इतिहास हैं। पुराणों में ही गीता का समावेश होता है। गीतारहस्य ग्रन्थ में इस विषय का प्रपगानुसार ऊहापोह किया है। परन्तु वाचको को उसका एकत्र ज्ञान होवे, इस उद्देश से इसका परिचय तालिका के स्वरूप में नीचे सादर किया जाता है।

(१) वेद अथवा श्रुतिग्रन्थ :-

संहिता (ऋचाओं का अथवा मन्त्रों का संग्रह)	}	कर्म अथवा यज्ञवाण्ड
ब्राह्मण (आरण्यक)		
उपनिषदें (ज्ञानकाण्ड)		

(२) शास्त्र :-

१ धर्मग्रन्थ - गृह्यसूत्र, स्मृतिग्रन्थ (मनु, याज्ञवल्क्य और हरित) ।
 २ सूत्र - (पङ्कशन), जैमिनी (मीमांसा अथवा पूर्वमीमांसा) ।
 ब्रह्म (वेदान्त, शारीरिक अथवा उत्तर मीमांसा), न्याय (गौतम), योग (पतञ्जल), साध्य-वैशेषिक (साध्यकारिका) ।

(३) अन्य सूत्र :- व्याकरण (पाणिनी), भक्तिमार्ग के (नान्द, शाण्डिल्य) सूत्रग्रन्थ ।

(४) इतिहास :- रामायण, महाभारत (हरिवंश) ।

(५) पुराण :- अष्टादश महापुराण, उपपुराण और गीता ।

दूसी युग में अष्टादश महापुराण और अष्टादश उपपुराण ऐसे वर्गीकरण किये गये हैं। और पृथक् पृथक् गीताओं का जन्म हुआ। गीतारहस्य में निर्देश किये हुए वेदस्मृति-पुराणादि ग्रन्थों की तालिकाओं अगले पृष्ठों पर दी गयी है।

वेद :- अथर्व, ऋग्वेद।

संहिता :- तैत्तिरीय, मनु, वाजसनेयी, मून।

ब्राह्मण :- आप्त्य, ऐतरेय, कौषिक, तैत्तिरीय, कौपीनकी, जनपथ।

उपनिषद् :- अमृतविन्दु, टैंग (टैंगवास्व), ऐतरेय, कठ, केन, कैवल्य, कौपीनकी (कौ. ब्राह्मण), गर्ग, गोपालनापनी, छान्दोग्य, छुरिका, जाबाल मन्वाम, तैत्तिरीय, ध्यानविन्दु, नारायणीय, नृसिंहोत्तरनापनीय, प्रश्न, बृहदारण्यक, महानारायण माण्डूक्य, मुष्टक (मुष्ट), मैत्री (मैत्रायणी), योगनृत्य रामपूर्व (ताननी), वज्रसूची, श्वेताश्वतर, मर्वे।

स्मृति :- मनु, याज्ञवल्कर, हरिश्च।

मून :- आप्त्यम्ब, अमितायुमुत्त, आश्वलायन, गृह्यसोप, गीतमन्वाय, तैत्तिरीय, नारद, नारदपंचरात्र, पाणिनी, पारंगलयोग, ब्रौघायनधर्म, ब्रौघायनगृह्य, ब्रह्म (वेदान्त) शारीरक), मीमांसा, वेदान्त (ब्रह्म, शारीरक), शारीरक (ब्रह्म), शाण्डिल्य।

कारिका :- माध्यकारिका।

व्याकरण :- पाणिनी।

इतिहास :- रामायण, महाभारत (द्विबंश)।

पुराण :- अग्नि, कूर्म, गणेश, गरुड, गौडीय पद्मान्तर, देवी भागवत, नारद, नृसिंह, पद्म, ब्रह्माण्ड, भागवत, नन्द्य, मार्कण्डेय, लिंग, वराह, विष्णु, स्कन्द, हरिवंश।

गीताणैः :- अथर्वण, अष्टावक्र, टैंग्वर, उत्तर, कपिल, गणेश, देवी, पराशर, पाण्डव, शिवल, ब्रह्म, बौध्द, मिश्र, मंकि, यम, राम, विचित्र, व्यास, वृत्र, शिव, शम्भाक, मून, मूर्ध, हरि, हंस, शरीर।

पान्थोग्रन्थ :- अमितायुमुत्त, टैंग, चण्डवल्क, तारासाय, तैत्तिरीय (त्रैवि-ज्जमूत्र), शेरगाथा, दशरथजातक, दीपवम, धम्मपद, ब्रह्मशास्त्रमुत्त, ब्राह्मण धार्मिक, महानरि निखानमुत्त, महावम, महावल्क, मिलिन्दप्रश्न, बथ्यूगाथा, महर्षिपुण्डरीक मुत्तानिमान, मेरुमुत्त, मथ्यासवमुत्त, मोन्दरानन्द।


लोकमान्य तिलकजी की जन्मकुंडली, राशिकुंडली

तथा

जन्मकालीन स्पष्टग्रह

शके १७७८ आषाढ कृष्ण ६, सूर्योदयात् गत घटि २, पलें ५

जन्मकुंडली



राशिकुंडली



जन्मकालीन स्पष्टग्रह

रवि	चंद्र	मंगल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि	राहु	केतु	लग्न
३	११	६	२	११	३	२	११	५	३
८	१६	४	२४	१७	१०	१७	२७	२७	१९
१९	३	३४	२९	५२	८	१८	३९	३९	२१
५२	४६	३७	१७	१६	२	७	१६	१६	३१